तफ़सीर इब्ने कसीर

जिल्द (1)

(पारा 1 से 5 तक)

तफ़सीर

अबुल-फ़िदा इमादुद्दीन इस्माईल बिन उमर बिन कसीर

''अ़ल्लामा इब्ने कसीर'' रह्मतुल्लाहि अ़लैहि

हिन्दी : अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम.ए. अलीग.)

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा०) लि०

इस्लामी दुनिया की निहायत मोतबर क़ुरआनी तफ़सीर। मुस्लिम उलेमा इस पर एकमत हैं कि इसके बाद की तमाम क़ुरआनी तफ़सीरों में इससे मदद ली गयी है।

तफ़सीर इब्ने कसीर

जिल्द (1)

(पारा 1 से 5 तक)

तफ़सीर

अबुल-फ़िदा इमादुद्दीन इस्माईल बिन उमर बिन कसीर

"अ़ल्लामा इब्ने कसीर" रह्मतुल्लाहि अ़लैहि

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

रीडर अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मेडिकल कॉलेज, मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा० लि०)

तफ़सीर इब्ने कसीर - जिल्द (1)

(पारा 1 से 5 तक)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी एम.ए. (अलीग.)

ISBN 81-7231-981-9

प्रथम संस्करण - 2011

पुनः प्रकाशन - 2015

प्रकाशक :

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा० लि०)

1511-12, पटौदी हाउस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 (भारत)

फोन : +91-11-23244556, 23253514, 23269050, 23286551

e-mail: info@ibsbookstore.com

Website: www.ibsbookstore.com

OUR ASSOCIATES

- Angel Book House FZE, **Sharjah (U.A.E.)**
- Azhar Academy Ltd., **London (United Kingdom)**
- Lautan Lestari (Lestari Books), **Jakarata (Indonesia)**
- Husami Book Depot, **Hyderabad (India)**

Printed in India

समर्पित

❁ अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला के कलाम क़ुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आ़लम, आख़िरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल **हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम** के नाम, जिनका एक-एक क़ौल व अ़मल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अ़मली तफ़सीर था।

❁ **दारुल-उलूम देवबन्द** के नाम, जो क़ुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अ़ज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और क़ुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

❁ वालिदे मोहतरम **जनाब मुहम्मद दीन त्यागी मरहूम** के नाम, जिनकी जिद्दोजहद, मेहनत भरी ज़िन्दगी और बहाया हुआ पसीना मेरी रग व जाँ में ख़ून के क़तरे बनकर दौड़ रहा है, जो मेरी जिस्मानी और इल्मी ऊर्जा का ज़ाहिरी सबब है।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

दिल की गहराईयों से शुक्रिया

❁ मोहतरम जनाब अ़ब्दुस्समी साहिब (मालिक समी पब्लिकेशंस/इस्लामिक बुक सर्विस नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, क़द्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब क़ुरआन मजीद की यह अहम ख़िदमत अन्जाम पा सकी।

❁ मोहरतम जनाब हाजी मुहम्मद शाहिद अख़्लाक़ साहिब (पूर्व मेयर/सांसद लोक सभा, मेरठ शहर) का, जिनकी नवाज़िशों, मुहब्बत व इनायत, ख़ास तवज्जोह, हौसला-अफ़ज़ाई, दुआ़ओं, उलेमा नवाज़ी और हर तरह की मदद ने शौक़ व जज़्बात में नई उमंगें पैदा कीं, जिससे इस काम के पूरा करने में बड़ी मदद मिली।

❁ जनाब मौलाना मुफ़्ती निसार अहमद शम्सुल-हुसैनी साहिब का, जिन्होंने मेरी इस कोशिश को आंशिक रूप से मुलाहिज़ा फ़रमाकर मेरी और इसका प्रकाशन करने वाले इदारे की सराहना की।

अल्लाह तआ़ला इन सब हज़रात और इनके अ़लावा मेरे दूसरे सहयोगियों, सलाह मश्विरा देने वालों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात को भी अपनी तरफ़ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फ़रमाये जो क़दम-क़दम पर मेरी हिम्मत बढ़ाते और मेरी मामूली कोशिशों को सराहते हैं। आमीन या रब्बल्-अ़लमीन।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

प्रकाशक की ओर से

अल्लाह रब्बुल-आलमीन का बेहद करम व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (समी पब्लिकेशंस/इस्लामिक बुक सर्विस नई दिल्ली) को इस्लामी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये अपने दीन की अदना ख़िदमत की तौफ़ीक़ से नवाज़ा।

माशा-अल्लाह हमारे इदारे से क़ुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर अनेक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बल्कि मुझे कहना चाहिये कि ख़िदमत का एक मैदान ऐसा है जिसको पूरा करने में इस्लामिक बुक सर्विस के हिस्से में जो दीनी ख़िदमत आई है देहली की दूसरी प्रकाशन-संस्थाओं को वह मक़ाम नहीं मिल सका। मेरी मुराद अंग्रेज़ी भाषा में इस्लामिक किताबों का मेयारी प्रकाशन और अमेरिकी व यूरोपीय देशों में इस्लामी तालीमात से वाक़फ़ियत तलब करने वालों तक इस्लामिक लिट्रेचर का पहुँचाना है। अल्लाह का करम व फ़ज़्ल है कि इस्लामिक बुक सर्विस के द्वारा प्रकाशित क़ुरआन पाक के अ़रबी और इंग्लिश तर्जुमे पूरी दुनिया में फैले हुए और मक़बूल हैं।

सन् 2003 में हमने हिन्दी भाषा में अनुवादित क़ुरआन करीम प्रकाशित किया। यह **हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी** रह. के तर्जुमे (यानी 81 नम्बर क़ुरआन पाक) का हिन्दी संस्करण था। जिसको इस्लामिक बुक सर्विस की दरख़्वास्त पर एक मुआ़हदे के तहत **जनाब मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी साहिब** ने हिन्दी ज़बान में तर्जुमा किया था। अल्लाह का शुक्र है कि इस तर्जुमे को उर्दू की तरह हिन्दी भाषा में भी बहुत ज़्यादा मक़बूलियत हासिल हुई और हिन्दी में क़ुरआन पाक का तर्जुमा पढ़ने वालों ने इसे हाथों-हाथ लिया।

बहुत दिनों से मेरे दिल में यह बात खटकती थी कि हिन्दी भाषा में क़ुरआन पाक की कोई ऐसी तफ़सीर नहीं है जो हर तब्क़े के लिये क़ाबिले क़बूल हो। मैंने इसका ज़िक्र **मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** से किया। उन्होंने बताया कि मेरा इरादा "तफ़सीर इब्ने कसीर" पर काम करने का है, और इस बारे में वह काम का एक ख़ाका भी तैयार कर चुके हैं। मैंने कहा सुब्हानल्लाह! यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और उनसे समी पब्लिकेशंस नई दिल्ली के लिये इस तफ़सीर को हिन्दी में तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने इसको मन्ज़ूर कर लिया और इस तरह मौजूदा ज़माने की एक अहम ज़रूरत की तकमील का सामान मुहैया हो गया।

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी की हिन्दी और उर्दू में दर्जनों किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। वह लेखक भी हैं और अनुवादक भी। उनकी लिखी और अनुवाद की हुई पचास से ज़्यादा किताबें मार्केट में मौजूद हैं। वह अपने तर्जुमे में न तो अ़रबी और फ़ारसी के अलफ़ाज़ को ज्यों का त्यों बाक़ी रहने देते हैं और न ही मुश्किल और कठिन हिन्दी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। एक आ़म हिन्दुस्तानी ज़बान, जो ख़ास तौर पर मुस्लिमों में बोली और समझी जाती है, उसका इस्तेमाल करते हैं।

अल्हम्दु लिल्लाह क़ुरआनी ख़िदमत की हिन्दी ज़बान में यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आ़म करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

हमने इस तफ़सीर को पाँच-पाँच पारों पर तक़सीम किया है। इस तरह मुकम्मल तफ़सीर छह जिल्दों में है। जो चार हज़ार से ज़्यादा पृष्ठों पर मुश्तमिल है।

मैं अल्लाह तआ़ला की बारगाह में इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ होने पर सरे नियाज़ झुकाता हूँ और उस पाक ज़ात का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तआ़ला क़ुरआन पाक की इस ख़िदमत को आक़ा-ए-नामदार नबी-ए-रहमत, हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये, आपकी आले पाक और अहले-बैत के लिये, आपके सहाबा किराम के लिये, तमाम बुज़ुर्गाने दीन और उलेमा-ए-किराम के लिये, मेरे और मेरे माँ-बाप, अहले ख़ानदान, अहल व अ़याल और मेरे इदारे से जुड़े तमाम हज़रात के लिये मग़फ़िरत व रहमत और ख़ैर व बरकत का ज़रिया बनाये। आमीन

अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार
अ़ब्दुस्समी
चेयरमैन
समी पब्लिकेशंस/ इस्लामिक बुक सर्विस, नई दिल्ली

प्रस्तावना

मौलाना मुफ़्ती निसार अहमद शम्स अल-हुसैनी

मस्जिद अन्जुमन, इत्तिहाद मन्ज़िल, तुर्कमान गेट, देहली

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अ़ला सय्यिदिल मुर्सलीन व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन।

क़ुरआने करीम ज़िन्दगी की वह किताब है जो इनसान को अपने ख़ालिक़ (पैदा करने वाले) और मालिके हक़ीक़ी का पता देती है, इनसानियत को उसके मक़ाम से आगाह करती है, ज़िन्दगी के मामलात को सीखने का सलीक़ा अ़ता करती है, चाहे उनका ताल्लुक़ दुनिया से हो या आख़िरत से, अमन की हालत में इबादत व मेहनत से हो या जंग की हालत में शुजाअ़त व बहादुरी से, उनका ताल्लुक़ सामाजिक ज़िन्दगी से हो या रोज़ी व रोज़गार से, तिजारत से हो या सियासत से, वह एक आ़म शहरी हो या हाकिमे वक़्त, क़ुरआने करीम ज़िन्दगी के तमाम मामलात में हर एक की इतनी बेहतरीन और दिलकश रहनुमाई करता है कि जो भी अपनी इस चन्द दिन की ज़िन्दगी को उसके अहकाम और नसीहत के ताबे (अधीन) बना ले तो नाकामी उसके क़रीब भी नहीं फटक सकती।

क़ुरआन वह किताब है जिसकी तालीम इनसानी फ़ितरत और अ़क़्ले सलीम के मुवाफ़िक़ है, जिसने इनसानी मुसावात (बराबरी) को क़ायम किया, जिसने ख़ालिस तौहीद (एक माबूद के मानने) का ऐलान किया, जिसने औ़रतों का सम्मान करने और उनके हुक़ूक़ क़ायम करने की तरग़ीब (प्रेरणा) दी, ग़ुलामों के लिये आज़ादी का दरवाज़ा खोला, जिसने व्यक्ति और समाज दोनों के लिये तरक़्क़ी की राह खोली और एक व्यापक क़ानून पेश किया।

यह क़ुरआन ही का फ़ैज़ है कि उसने अ़रब के देहातियों और तहज़ीब व सभ्यता से ना-आशना लोगों को दुनिया का इमाम (पेशवा और रहनुमा) बना दिया। इनसानी हुक़ूक़ और ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब से नावाक़िफ़ लोगों को दूसरों के लिये हादी और रहबर बना दिया। क़ुरआन एक ऐसा रोशन और दुनिया की रहनुमाई करने वाला सूरज है जो दिलों और ज़ेहनों को हमेशा के लिये रोशन करने की सलाहियत अपने अन्दर रखता है, बातिल के अंधेरों को मिटाने की क़ुव्वत रखता है, आमाल में तक़्वा व तहारत (परहेज़गारी व पवित्रता) का हुस्न पैदा करता है और इस कायनात के इन्तिज़ाम व व्यवस्था में सोचने-समझने और मौजूदात में ग़ौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। आँखों में शर्म व हया की तरावट, ज़बान में सच्चाई व हक़ की मिठास, अ़मल में ईमानतदारी व शराफ़त की पाकीज़गी, मामलात में समझ-बूझ की अहमियत और फ़िक्र में गहनता की वुस्अ़त की तालीम देता है।

इनसान की ज़िन्दगी में बाज़ लम्हे ऐसे आते हैं जो उसकी ज़िन्दगी की दिशा और रुख़ को निर्धारित करते हैं। उन्हीं नेक और बा-बरकत लम्हों के तुफ़ैल इनसान ऐसे-ऐसे अ़ज़ीम काम कर

गुज़रता है जिनका पहले से वहम व गुमान भी नहीं होता। **जनाब ता-हा नसीम साहिब** ने तफ़सीर इब्ने कसीर का हिन्दी तर्जुमा जब मेरे सामने पेश किया तो दिल को बेपनाह ख़ुशी व मुसर्रत हुई और मैं फ़ौरन उसके पन्ने पलटने लगा। चूँकि तफ़सीर इब्ने कसीर से लगाव और मुहब्बत तो दिल में बहुत पहले ही से थी। तफ़सीर इब्ने कसीर की इबारतें और मतलब व मायने पढ़कर दिल को इत्मीनान व ईमानी पुख़्तगी नसीब होती है। दर्से क़ुरआन के दौरान इससे फ़ायदा उठाने का भरपूर मौक़ा मिला। यही वजह है कि तफ़सीर इब्ने कसीर मेरी ज़िन्दगी का एक अटूट हिस्सा बनी हुई है। मैं हमेशा इसी तफ़सीर से लाभ उठाया करता हूँ। देहली के मशहूर व मारूफ़ मुफ़स्सिरे क़ुरआन मेरे मुरब्बी **हज़रत मौलाना अख़्लाक़ हुसैन क़ासमी साहिब** नव्वरल्लाहु मर्क़दहू तफ़सीर इब्ने कसीर को हमेशा अपने मुताले में रखते और इसी तफ़सीर को तरजीह (वरीयता) दिया करते थे। हज़रत मौलाना रह. से जब किसी तफ़सीरी नुक्ते पर गुफ़्तगू होती या किसी तर्जुमे व तफ़सीर के मुश्किल मसले को हल करने का मामला दरपेश होता तो फ़रमाते "मियाँ तफ़सीर इब्ने कसीर देख लिया करो"।

तफ़सीर इब्ने कसीर निहायत अहम किताब है। इमाम हाफ़िज़ इस्माईल इमादुद्दीन इब्ने कसीर रह. के इस इल्मी शाहकार को अ़रबी से उर्दू ज़बान में मुन्तक़िल किया गया और फिर उर्दू ज़बान से आसान हिन्दी में मुन्तक़िल करने का ख़्वाब **जनाब अ़ब्दुस्समी साहिब** (मालिक समी पब्लिकेशंस प्रा. लि.) ने देखा जो अब एक हक़ीक़त बनकर हमारे सामने मौजूद है।

इस तफ़सीर को हिन्दी में मुन्तक़िल करने वाले **मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** (एम. ए. अलीग.) ने इससे पहले समी पब्लिकेशंस के लिये **हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.** के उर्दू तर्जुमे का हिन्दी में अनुवाद किया है, जो छपकर मक़बूलियत की बुलन्दियों को छू चुका है। **मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** ने इस तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा भी काफ़ी मेहनत और सलीक़े से किया है जो हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये क़ुरआनी इल्म का एक क़ीमती तोहफ़ा साबित होगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला। उन्होंने इन्तिहाई लगन और मेहनत से इस काम को पूरा किया है। अल्लाह तआ़ला उन्हें जज़ा-ए-ख़ैर और बेहतरीन बदला इनायत फ़रमाये आमीन।

समी पब्लिकेशंस के मालिक **जनाब अ़ब्दुस्समी साहिब** मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने वक़्त के एक अहम तक़ाज़े और ज़रूरत को पूरा करते हुए क़ुरआन पाक की एक अ़ज़ीम ख़िदमत अन्जाम दी और हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये क़ुरआन पाक की वह तफ़सीर पेश की जो उम्मते मुस्लिमा के तमाम तब्क़ों और समस्त मस्लकों के लिये क़ाबिले क़ुबूल बल्कि हुज्जत की हैसियत रखती है। अल्लाह तआ़ला दीन व दुनिया दोनों में उनको कामयाबियाँ अ़ता फ़रमाये। आमीन

मैंने तफ़सीर इब्ने कसीर के हिन्दी तर्जुमे का पूरे ध्यान और ग़ौर से मुताला किया है। पढ़कर दिल को ख़ुशी हासिल हुई। इससे अ़वाम व ख़्वास ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।

मुफ़्ती निसार अहमद शम्स अल-हुसैनी

2134, मस्जिद अन्जुमन, इत्तिहाद मन्ज़िल, तुर्कमान गेट, दिल्ली-6

ज़रा ध्यान दीजिये

✿ तफ़सीर में शामिल क़ुरआन पाक के अ़रबी मतन को अहक़र ने अच्छी तरह पढ़ा है, मेरी नाक़िस नज़र में वह ग़लतियों से पाक है। फिर भी अगर किसी साहिब को कोई ग़लती और चूक नज़र आये तो मेहरबानी फ़रमाकर मुझ नाचीज़ या प्रकाशक को इत्तिला फ़रमायें।

✿ अ़रबी मतन के मुक़ाबिल बॉक्स में जो तर्जुमा है वह **हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.** का है। इस तरह यह तफ़सीर दोहरी ख़ूबियों वाली हो गयी कि तर्जुमा चौदहवीं सदी की मशहूर इल्मी व रूहानी शख़्सियत हज़रत थानवी रह. का और तफ़सीर इस्लामी दुनिया की मशहूर शख़्सियत हज़रत अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. की इस में जमा हो गयी।

✿ अ़ल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अ़लैहि बहुत बड़े आ़लिम, हदीस व फ़िक़्ह के माहिर और इस्लामी इतिहास व वाक़िआ़त पर गहरी नज़र रखने वाली शख़्सियत हैं। वह अपनी तफ़सीर में अपनी मालूमात और इल्मी सलाहियत का भरपूर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में वह जगह-जगह आयत से संबन्धित मसाईल पर फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की राय, उनके मज़हब और उनके अक़वाल को भी बयान करते जाते हैं। कई बार उन अक़वाल को नक़ल करने के बाद अपनी निर्णायक राय भी ज़ाहिर करते हैं, फिर वह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अ़लैहि के पैरोकार (अनुयायी) हैं तो ज़ाहिर है कि तरजीह (वरीयता) वह अपने मस्लक वाली राय ही को देते हैं।

आप यह समझें कि यह क़ुरआन मजीद की तफ़सीर की किताब है, फ़िक़्ही मस्लकों और उनको ग़लत-सही साबित करने की नहीं, इसलिये तफ़सीर में ज़िक्र हुए मसाईल और फ़िक़्ही मस्लक को हुज्जत व हवाला न बनायें, जो जिस मस्लक (विचारधारा) के मानने वाले हैं उस मस्लक के उलेमा से मालूम करके फ़िक़्ही मसाईल पर अ़मल करें।

✿ यह किताब तफ़सीरी दुनिया में एक ख़ज़ाने की तरह है, मालूमात का एक समन्दर है, इसी नज़र से इसका मुताला (अध्ययन) करें और इल्मी समन्दर से क़ीमती मोती अपनी मालूमात के दामन में भरें। मौजूदा ज़माने के मशहूर आ़लिम हज़रत मौलाना मुहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. की तफ़सीर की ख़ुसूसियात के बारे में फ़रमाते हैं कि वह हर आयत के तहत पहले उसकी तफ़सीर का ख़ुलासा बयान करते हैं, फिर उसके विभिन्न कलिमात या जुमलों की तफ़सीर में उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम या सहाबा व ताबिईन की जितनी रिवायात मिलती हैं उनको ज़िक्र करते हैं। यह चूँकि एक बड़े मुहद्दिस भी हैं इसलिये इन्होंने ज़ईफ़ और बेअसल रिवायात को काफ़ी हद तक छाँट दिया है जो इससे पहली तफ़सीरी किताबों में दर्ज होती चली आ रही थीं। फिर अगर कहीं किसी वाक़िए के बयान करने में कोई कमज़ोर रिवायत लाये भी हैं तो उसकी सनद में जो कमज़ोरी और इल्लत है उसको वाज़ेह कर दिया है। तफ़सीरी किताबों में इस्राईली रिवायात की जो भरमार थी, अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने बहुत ही एहतियात का तरीक़ा इख़्तियार किया है। अव्वल तो उन्होंने अपनी तफ़सीर में इस्राईली रिवायात ज़्यादा नक़ल नहीं कीं, और जहाँ

नक़ल की हैं वहाँ निशानदेही कर दी है कि ये इस्राईली रिवायात हैं। बहरहाल अगरचे अभी भी कुछ रिवायात और अक़्वाल इस तफ़सीर में ज़ईफ़ व कमज़ोर बाक़ी हैं लेकिन कुल मिलाकर यह तफ़सीर इस्लामी दुनिया की एक शानदार तफ़सीर है।

✿ आप इस तफ़सीर को क़ुरआन पाक की एक तफ़सीर के पसे-मन्ज़र (पृष्ठ-भूमि) में पढ़ें। अहादीस के बयान करते वक़्त अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने रिवायात की हैसियत और दर्जों पर कलाम किया है, जैसे किसी रिवायत को हसन, किसी को सही, किसी को ज़ईफ़, किसी को मुन्कर, किसी को ग़रीब और किसी को मतरूक आदि कहा है। आप इसमें न उलझें तभी आप इस क़ीमती मालूमाती तफ़सीरी ख़ज़ाने से लाभान्वित हो सकेंगे। अलबत्ता जिन वाक़िआत और मशहूर रिवायात को नक़ल करने के बाद उनका दूसरी रिवायतों और इतिहास के सुबूतों से रद्द किया है उनको ज़रूर अपने ज़ेहन में जगह दें और समझें कि तफ़सीर व हदीस की व्याख्या के नाम पर कुछ स्वार्थियों ने जो चीज़ें ग़लत राईज (प्रचलित) कर रखी हैं या वे उनको अधूरा बयान करके लोगों को गुमराह करते और धोखा देते हैं उनकी असल हैसियत क्या है।

✿ आपके दिल में यह शुब्हा न होना चाहिये कि जो रिवायात मौज़ू (गढ़ी हुई और बेअसल), मुन्कर और मतरूक हैं उनको बयान करने की ज़रूरत ही क्या थी? दर असल यह भी फ़ायदे से ख़ाली नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि बाज़ आयतों की तफ़सीर में कुछ फ़िर्क़ों ने जो ग़लत रिवायात को अपना मुस्तदल्ल (दीलील पकड़ने और अपने मस्लक व मज़हब का आधार) बना रखा है और उस पर अपने अक़ायद व मज़हब की बुनियाद डाली है, इससे उनके बेबुनियाद और ग़लत दलील पकड़कर अ़वाम को धोखा देने का राज़ खुल जाता है। जैसे शिया हज़रात ने बाज़ आयतों की तफ़सीर और उनके शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) का सहारा लेकर अपने मज़हब और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में मौज़ू (फ़र्ज़ी और गढ़ी हुई) रिवायात को नक़ल करके या आयत व हदीस का अधूरा और ग़लत मतलब बयान करके कम पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों को बेवक़ूफ़ बना रखा है। ऐसी रिवायतों के ज़िक्र और उन पर कलाम के सबब ऐसे फ़िर्क़ों और जमाअ़तों की क़लई खुल जाती है, लिहाज़ा यह चीज़ भी फ़ायदे से ख़ाली नहीं।

✿ तफ़सीर को सुकून के वक़्त, तन्हाई के माहौल में पढ़ने का मामूल बनायें, जिन जगहों पर कोई शुब्हा हो या कोई बात समझ में न आये उनको नोट कर लें और किसी मोतबर आ़लिम से उन मक़ामात को हल कर लें।

✿ बाज़ आयतों की तफ़सीर और शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) में कई-कई वाक़िआ़त और रिवायतें दर्ज हैं। यह चीज़ तफ़सीर की हर किताब में है, इससे परेशान न होना चाहिये। चूँकि बाज़ दफ़ा तो यह होता है कि अलग-अलग वाक़िआ़त के वक़्त एक ही आयत एक से ज़्यादा बार नाज़िल हुई है, तो हर वाक़िए के रावी (बयान करने वाले) ने वह वाक़िआ़ उस आयत या सूरत के शाने नुज़ूल में बयान कर दिया है। कभी रावियों की अपनी मालूमात और ज़ाती राय में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) के सबब ऐसा होता है। आप ख़ुद देखिये कि आज के आधुनिक दौर में भी अगर कहीं कोई वाक़िआ़ (घटना और मामला) हो जाता है तो रिपोर्टिंग के वक़्त चश्मदीद लोगों तक के

बयान में भी किस क़द्र इख़्तिलाफ़ (भिन्नता और विविधता) पाया जाता है। इस्लामी इतिहास, रिवायतों की किताबों और मतभेद से कहीं ज़्यादा इख़्तिलाफ़ सामने आता है। यह बात हम अपनी आँखों से रात-दिन देखते हैं।

✿ इख़्तिलाफ़ (मतभेद और मतलब बयान करने में अलग-अलग राय) क़ुरआन व हदीस में नहीं बल्कि उसके समझने वालों की अ़क्ल व समझ, मालूमात व वाक़फ़ियत, इल्मी व वैचारिक क्षमता और वाक़िआ़त व मानी को उनके सही महल (स्थान) पर रखने में होता है। फिर तलाश व मेहनत की कमी ज़्यादती और उपलब्धता तथा मतलब व मानी का एक दूसरे के साथ जोड़ बिठाने की तौफ़ीक़ व अ़दमे-तौफ़ीक़ से इसका असर और ज़्यादा नुमायाँ और ज़ाहिर हो जाता है।

✿ सहाबा किराम, ताबिईन हज़रात, अइम्मा-ए-मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीने किराम और उलेमा-ए-उम्मत की एहतियात, ख़ुदा परस्ती, इल्मे दीन की ख़िदमत और बेमिसाल जिद्दोजहद व क़ुरबानियों के नुक़ूश रोशन व उज्ज्वल हैं। ये हज़रात अल्लाह तआ़ला के यहाँ अज्र व सवाब के हक़दार और इनसानों में क़ाबिले क़द्र शुक्रिये के पात्र हैं। इनकी मेहनतें और ख़िदमात सिर्फ़ अल्लाह के लिये और बेलालच हैं। उनको निशाना बनाना, कोई दोष देना और बुरा-भला कहना इन्तिहाई बदक़िस्मती और मेहरूमी की बात है।

✿ जो लोग क़ुरआन मजीद को समझ कर पढ़ने की दावत देने वाले बल्कि इसका ढिंढोरा पीटने वाले हैं, वे यह बात अच्छी तरह समझ लें कि क़ुरआन मजीद में ग़ौर व फ़िक्र का अज्र व सवाब और मालूमात की उपलब्धता अपनी जगह, मगर क़ुरआन मजीद के अलफ़ाज़ की तिलावत का अज्र व सवाब, नूरानियत और बरकतें इस असल कलाम के साथ ही ख़ास हैं। लिहाज़ा तफ़सीर पढ़ने वाले हज़रात की ख़िदमत में अ़र्ज़ है कि तफ़सीर पढ़ने के वक़्त भी क़ुरआनी अलफ़ाज़ की तिलावत करें और अदब व तकरीम के साथ उसका मतलब व तफ़सीर पढ़ें। इसको सिर्फ़ एक आ़म किताब का दर्जा न दें। यह तमाम कलामों से अफ़ज़ल कलाम की तफ़सीर है। यह उसके कलाम की तफ़सीर है जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। यह उस ज़ात का पैग़ाम व कलाम है जो सबसे ज़्यादा मेहरबान व रहीम है। यह उस रब्बे करीम के कलाम की तफ़सीर है जिसकी करम-नवाज़ी पर ही मख़्लूक़ की हर आस टिकी है। क्या हमें उस महबूब ज़ात का कलाम और उसकी तफ़सीर एक आ़म किताब की तरह पढ़नी चाहिये? हरगिज़ नहीं। उसकी मुहब्बत को अपनी जान व दिल का हिस्सा बनायें तब मालूम होगा कि महबूब का कलाम पढ़ने, सुनने और समझने की कोशिश में कितना लुत्फ़ आता है।

✿ एक बहुत ज़रूरी और ध्यान देने की बात है कि जिस तरह आयते सज्दा पढ़ने और सुनने से सज्दा-ए-तिलावत वाजिब हो जाता है इसी तरह आयते सज्दा का तर्जुमा पढ़ने और सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है। हमने सज्दों के निशानात लगा दिये हैं। उस आयत के पूरा होने पर सज्दा करें।

✿ अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. अक्सर क़ुरआन की तफ़सीर क़ुरआनी आयात, अहादीस व रिवायात, सहाबा के आमाल व अक़वाल और बुज़ुर्गों के वाक़िआ़त से करते हैं। लिहाज़ा तबीयत को उलझायें नहीं, अगर वह किसी आयत की तफ़सीर में उस आयत में आये किसी लफ़्ज़ की तफ़सीर बयान करते हुए क़ुरआन मजीद की उन दूसरी आयतों को ज़िक्र करते हैं जिनमें वह लफ़्ज़ आया है,

या किसी दूसरी आयत से उस आयत के मायने व मतलब को स्पष्ट करने में मदद लेते हैं तो पढ़ने वाले के लिये यह चीज़ मालूमात के इज़ाफ़े का सबब होनी चाहिये न कि तबीयत के उलझाव की।

● तफ़सीर में क़िराअत के इख़्तिलाफ़ (विविधता और मतभेद) को अक्सर जगह नहीं लिखा गया है। चूँकि ग़ैर-आ़लिम और एक आ़म आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बहुत सी बार इससे तबीयत उलझन का शिकार हो जाती है। चूँकि अ़वाम का तब्क़ा (और ख़ास तौर पर हिन्द महाद्वीप में), मौजूदा प्रकाशित क़ुरआन के नुस्ख़े की हरकात (ज़बर, ज़ेर, पेश) वग़ैरह के नुक़ूश को भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल शुदा समझता है और इसमें मामूली से मामूली तब्दीली को भी क़ुरआन में बदलाव और कमी-बेशी करना जानता है, अगर उसके सामने क़िराअतों का इख़्तिलाफ़ (विविधता और मतभेद) बयान किया जाये और बताया जाये कि सूरः फ़ातिहा में "मालिकि" के बजाय "मलिकि" की भी क़िराअत है, या सूरः ग़ाशिया में "अ़लैहिम बिमुसैतिरिन्" के बजाय "अ़लैहुम बिमुसैतिरिन्" भी पढ़ा गया है, तो वह बजाय कुछ हासिल करने के ज़ेहनी परागन्दगी और उलझन का शिकार हो जायेगा, इसलिये क़िराअतों के इख़्तिलाफ़ को हज़फ़ कर दिया गया है। हिन्दी जानने वाले हज़रात को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं।

● कहीं-कहीं ज़रूरत के अनुसार नाचीज़ ने अपनी तरफ़ से या किसी आ़लिम की तहरीर से लाभ उठाकर नोट लिख दिये हैं ताकि तफ़सीर का मुताला (अध्ययन) करने वाले शख़्स को पेश आई मुश्किल को हल करने और बात समझने में आसानी रहे। इसी तरह बहुत सी जगह ब्रेकिट लगाकर मुश्किल लफ़्ज़ों और मायनों की वज़ाहत कर दी है।

● इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में ढाला गया है, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमूई तौर पर मज़मून का मफ़्हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या किसी जगह का कोई मज़मून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आ़लिम से मालूम कर लेना चाहिये।

● इस तफ़सीर में तफ़सीर इब्ने कसीर के उर्दू तर्जुमों (तर्जुमा मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी और तर्जुमा मौलाना अ़ब्दुर्रशीद साहिब नोमानी) से मदद ली गयी है। ज़ेहनी व मस्लकी ताल्लुक़ और इल्मी निस्बत व मुनासबत के सबब देवबन्द से प्रकाशित इब्ने कसीर के नुस्ख़े को तवज्जोह का केन्द्र रखा गया है। साथ ही कहीं-कहीं हज़रत अ़ल्लामा अन्ज़र शाह कश्मीरी रह. के हाशियों से भी फ़ायदा उठाया गया है। मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि उर्दू के संस्करण में ग़लतियों की भरमार है, बहुत सी जगह तो नाक़ाबिले बरदाश्त ग़लतियाँ हैं। प्रूफ़ रीडिंग का वह मेयार बाक़ी नहीं रखा गया जो इस अहम तफ़सीर का हक़ था। अ़रबी किताबों की सी. डी. से भी बहुत मदद मिली जिससे बहुत से नामों का सही इमला लिखा जा सका।

● तफ़सीर में आये मुश्किल और इस्तिलाही अलफ़ाज़ का आ़म तौर पर ब्रेकिट में मतलब लिखा गया है। फिर तक़रीबन 250 अलफ़ाज़ के मायने पहली ज़िल्द के आख़िरी पृठों पर लिख दिये हैं। मुझे उम्मीद है कि तफ़सीर के पढ़ने वाले हज़रात के लिये वे मालूमात के इज़ाफ़े का सबब होंगे।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

अपनी बात

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام علىٰ رسوله الكريم. وعلىٰ آله وصحبه اجمعين.

برحمتك ياارحم الراحمين.

तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह तआ़ला के लिये हैं जो पालने वाला है तमाम जहानों का। जो बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़्लूक़ में सब से बेहतर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर। आमीन

अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने ख़ाक के इस ज़र्रे को अपने पाक कलाम की एक ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज़ात तमाम ख़ूबियों, कमालात और तारीफ़ों की पात्र और एक मात्र बन्दगी की हक़दार है।

सन् 2001 ईसवी में मेरा समी पब्लिकेशंस/इस्लामिक बुक सर्विस नई दिल्ली से संपर्क स्थापित हुआ। मेरे मुख़्लिस दोस्त और भाई **जनाब अब्दुल-मुईन साहिब** ने क़ुरआन मजीद के हिन्दी तर्जुमे की ख़िदमत मुझे सौंपी। अल्लाह का शुक्र है कि **हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.** का यह तर्जुमा मज़कूरा इदारे से सन् 2003 ईसवी के शुरू में प्रकाशित हुआ और रब्बे करीम ने इस हिन्दी तर्जुमे को बहुत ज़्यादा मक़बूलियत से नवाज़ा।

अब हिन्दी भाषा में इस्लामी लिट्रेचर की काफ़ी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें क़ुरआन पाक के कई तर्जुमों के अ़लावा हदीस की कई बड़ी किताबों का तर्जुमा, मसाईल की किताबें, तारीख़ व इतिहास से संबन्धित पुस्तकें और बहुत सी मालूमाती किताबें शामिल हैं। अहले इल्म और दीनी ज़ौक़ रखने वाले अफ़राद इस हक़ीक़त से भी वाक़िफ़ हैं कि एक आ़म हिन्दी जानने वाला आदमी क़ुरआन व हदीस के लफ़्ज़ी तर्जुमे से वह लाभ नहीं उठा सकता जिसकी उसे इच्छा होती है। अगर यह कहा जाये कि क़ुरआन पाक के सिर्फ़ तर्जुमे या हदीस पाक के लफ़्ज़ी मतलब से कोई भी आदमी पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता, जब तक वह क़ुरआनी आयतों की तफ़सीर, शाने नुज़ूल (नाज़िल होने के मौक़े व सबब), उसके बारे में सहाबा की राय, उनके अ़मल और उलेमा-ए-उम्मत के बयान किये हुए मतलब से वाक़िफ़ न हो। यही हाल हदीसे पाक का है। यही वजह है कि बहुत से ग़ैर-मुस्लिम क़ुरआन पाक का तर्जुमा पढ़कर उस पर एतराज़ करने लगते हैं। चूँकि जब वह क़ुरआन पाक की यह आयत पढ़ते हैं-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

सो जब हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएँ तो (उस वक़्त) उन मुश्रिकों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, और पकड़ो और बाँधो, और घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। (सूरः तौबा आयत 5)

तो ये अलफ़ाज़ "उन मुश्रिकों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, और पकड़ो और बाँधो" पढ़कर उन्हें लगता है कि क़ुरआन पाक की रू से मुसलमानों के अ़लावा किसी और को ज़िन्दा रहने का हक़ ही नहीं। तर्जुमे में अलफ़ाज़ के मानी होते हैं, उन अलफ़ाज़ की पृष्ठ-भूमि, उतरने (नाज़िल होने) का मौक़ा व सबब, उसके पीछे का असल कारण और उसकी धार्मिक व ऐतिहासिक अहमियत का बयान नहीं होता, यह सब तफ़सीरों में बयान किया जाता है। यही आयत जो मैंने ऊपर पेश की, इसके बारे में जब बताया जाता है कि यह उन ख़ास काफ़िरों और मुश्रिकों के बारे में है जिनसे मुसलमानों की ऐलानिया जंग जारी थी, वे अपना हर हथकंडा और तदबीर अपना रहे थे तो मुसलमानों को भी उनके बारे में इजाज़त दी गयी। यह आयत तमाम काफ़िरों और मुश्रिकों के बारे में नहीं। अब बताईये क़ुरआन पाक के इस हुक्म में कौनसी ग़लत तालीम दी गयी है।

क़रीब दो साल पहले मेरठ शहर के एम. पी. **जनाब हाजी मुहम्मद शाहिद अख़्लाक़ साहिब** को जब मैंने क़ुरआन मजीद का वह हिन्दी तर्जुमा पेश किया जो मुझ नाचीज़ के ज़रिये अनुवादित है तो वह बेहद ख़ुश हुए, बहुत दुआ़यें दीं और उसके बाद मुस्तक़िल अपनी ख़ास तवज्जोह अहक़र के हाल पर रखने लगे। क़ुरआन पाक की इस तफ़सीर का जब उनके सामने ज़िक्र किया गया कि हिन्दी ज़बान में क़ुरआन पाक की पहली मुकम्मल तफ़सीर तैयार की जा रही है तो उन्होंने अहक़र की बहुत हौसला अफ़ज़ाई की, अपनी बहुत सी मज्लिसों में मेरी मेहनत को सराहा और अपनी इनायतों व मुहब्बतों से नवाज़ते रहे। इसलिये कहना चाहिये कि उनकी दुआ़यें, इनायतें और हौसला अफ़ज़ाई का भी इस तफ़सीर की तैयारी में बड़ा दख़ल है। जनाब एम. पी. साहिब की उलेमा नवाज़ी, क़ुरआन पाक और दीनी किताबों की तक़सीम व प्रसार, दीनी इदारों से ताल्लुक़ और उनकी ख़बरगीरी व इमदाद किसी से ढकी-छुपी चीज़ नहीं।

जनाब एम. पी. साहिब मुफ़्ती-ए-आज़म हिन्द हज़रत मौलाना मुफ़्ती महमूदुल-हसन गंगोही रह. से बैअ़त हैं। हज़रत मुफ़्ती साहिब की ज़ात से ताल्लुक़ व मुहब्बत और बैअ़त व इरादत ही का असर है कि पिछले साल उन्होंने इल्मी दुनिया पर बड़ा एहसान फ़रमाया, जी हाँ मेरी मुराद **"फ़तावा महमूदिया"** के छपवाने से है। यह उन्होंने इतना बड़ा कारमाना अन्जाम दिया जिसकी जितनी सराहना की जाये कम है। फ़तावा का यह मजमूआ़ 31 जिल्दों पर मुश्तमिल और तक़रीबन पन्द्रह हज़ार पृष्ठों पर फैला हुआ है। इतनी बड़ी किताब का छपवाना कोई आसान काम न था। तीस लाख से ज़ायद की रक़म इसके लिये दरकार थीं, मगर जैसे ही एम. पी. साहिब के सामने इसका ज़िक्र आया तो एक दम इस ख़िदमत के लिये तैयार हो गये और छपवाकर अल्लाह की रज़ा के लिये उसको उलेमा, दीनी मदारिस और मुफ़्ती हज़रात की ख़िदमत में पेश किया। बताना यह मक़सद है कि एम. पी. साहिब का जज़्बा और ख़्वाहिश है कि क़ुरआन पाक और उसकी तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा हाथों तक

पहुँचाया जाये। मुझे उम्मीद है कि हिन्दी ज़बान की इस पहली मुकम्मल तफ़सीर को देखकर उनकी आँखें ठंडी होंगी।

बात ज़रा लम्बी हो गयी मैं कहना यह चाहता था कि क़ुरआन मजीद का सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ने से वह फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता जिसकी दरकार है। यह मक़सद अगर हासिल किया जा सकता है तो किसी आ़लिम से सबक़-सबक़ करके क़ुरआन करीम की तफ़सीर पढ़ने या किसी मोतबर तफ़सीर के मुताले से हासिल किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा के अन्दर यह बड़ा ख़ला था कि अब तक कोई मुकम्मल और तफ़सीली तफ़सीर प्रकाशित नहीं हुई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और हर हिन्दी जानने वाले क़ुरआन पाक के तालिब-इल्म का आभारी होना चाहिये **जनाब अ़ब्दुस्समी साहिब** (मालिक समी पब्लिकेशंस/इस्लामिक बुक सर्विस, नई दिल्ली) का, कि उन्होंने इस तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई और मुझ नाचीज़ को हिन्दी ज़बान में क़ुरआन की एक तफ़सीर का तर्जुमा करने का हुक्म दिया। ज़ाहिर बात है कि "तफ़सीर इब्ने कसीर" से ज़्यादा बेहतर कौनसी तफ़सीर हो सकती थी, जो क़रीब साढ़े छह सौ साल से उलेमा व अ़वाम के बीच अपना एक ख़ास स्थान बनाये हुए है। अ़रबी और उर्दू के अ़लावा अंग्रेज़ी वग़ैरह दूसरी आ़लमी भाषाओं में भी यह तफ़सीर प्रकाशित होकर लाखों लोगों को क़ुरआन पाक के मायने व मतलब समझने में मददगार हो चुकी है। कहते हैं कि उलेमा-ए-इस्लाम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि इस तफ़सीर के बाद जितनी भी क़ुरआन पाक की तफ़सीरें लिखी गयी हैं उनमें इससे ज़रूर फ़ायदा उठाया गया है। चुनाँचे **जनाब अ़ब्दुस्समी साहिब** के हुक्म पर सन् 2008 के अक्तूबर से अहक़र ने इस तफ़सीर का हिन्दी में तर्जुमा करने का काम शुरू किया, और रब्बे करीम का फ़ज़्ल व करम है कि क़रीब दो साल की मुद्दत में इस अहम काम से फ़राग़त हासिल की। अल्लाह तआ़ला इसको क़बूल फ़रमाये, इसके लेखक **हज़रत इमाम इब्ने कसीर** रह., इसके उर्दू अनुवादकों **जनाब मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी** एवं **मौलाना अ़ब्दुर्रशीद साहिब नोमानी**, इसके प्रकाशक और मुझ नाचीज़ हिन्दी अनुवादक के लिये इसे आख़िरत का ज़ख़ीरा बनाये। तमाम पढ़ने वालों के लिये इसे लाभदायक साबित करे। इसकी बरकतों से इसके प्रकाशक इदारे (समी पब्लिकेशंस/इस्लामिक बुक सर्विस, नई दिल्ली) और उसमें काम करने वाले हर व्यक्ति को मालामाल फ़रमाये। उनकी उम्र, रोज़ी, कारोबार में इज़ाफ़ा फ़रमाये। जिन रूहों को अल्लाह तआ़ला ने ईमान की दौलत अ़ता की है उनको उसकी क़द्र करने, उस पर दिल के इत्मीनान और कामिल यक़ीन के साथ जमे रहने की तौफ़ीक़ से नवाज़े, जिन रूहों के लिये अल्लाह तआ़ला ने हिदायत का फ़ैसला फ़रमा रखा है अपने इस कलाम की तफ़सीर की बरकत से उनका निजात के दायरे (यानी इस्लाम) में आना आसान फ़रमाये, और जिनके नसीब में अल्लाह की मशिय्यत के अनुसार नूरे ईमान नहीं उन्हें भी मेहरूम न रखे और दुनियावी फ़ायदों से मालामाल फ़रमाये। आमीन।

नामुनासिब होगा अगर यहाँ अपने उन बच्चों का ज़िक्र न किया जाये जिनके सहयोग और

दिन-रात की मेहनत से यह अहम काम अन्जाम पा सका। मेरी बेटियों **ज़ैनब ख़ातून** और **शबाना ख़ातून** ने इस तफ़सीर की कम्पोज़िंग, प्रूफ़ रीडिंग में अहम भूमिका अदा की और सलीक़े से इसको मुकम्मल कराया। मेरे बेटे **मुहम्मद आ़रिफ़ त्यागी** के लिये यह बड़ी नेकबख़्ती और सौभाग्य की बात है कि उसने क़ुरआन पाक का पूरा अ़रबी मतन कम्पोज़ किया। अल्लाह तआ़ला इन बच्चों के लिये क़ुरआन पाक की इस ख़िदमत को दोनों जहान की कामयाबी का ज़रिया बनाये और इस चन्द दिन की ज़िन्दगी में उनको दीने इस्लाम की मुहब्बत, इस्लामी ज़िन्दगी अपनाने और उसी पर जीने मरने की तौफ़ीक़ से नवाज़े, तथा आख़िरत की आला नेमतों को उनका मुक़द्दर बनाये। आमीन।

इस तफ़सीर से फ़ायदा उठाने वालों से आ़जिज़ी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ़ फ़रमायें। अल्लाह करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़ करते हुए यह अ़र्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआ़ला की ज़ात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फ़ीसद यक़ीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज़ अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (क़ुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की निस्बत और मेरे असातिज़ा हज़रात की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों (हीरे मोतियों के क़ीमती टुकड़ों) को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो ग़लती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यक़ीनन मेरी कम-इल्मी और नाक़िस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रात से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मश्विरों और नज़र में आने वाली ग़लतियों व कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा सके। वस्सलाम

तालिबे दुआ़

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

30 अक्तूबर 2010

फ़ोनः- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788

e-mail: imranqasmialig@yahoo.com

हालात इमाम इब्ने कसीर (रह्मतुल्लाहि अ़लैहि)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नाम व नसबः- अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. का नाम **इस्माईल,** कुन्नियत **अबुल-फ़िदा,** लक़ब इमादुद्दीन और शोहरत **"इब्ने कसीर"**,के नाम से है। सिलसिला-ए-नसब यह है- इस्माईल बिन उमर बिन कसीर बिन ज़ौ बिन ज़रअ़ अल-क़रशी, बसरवी शाफ़ई।

आप एक इज़्ज़तदार, सम्मानित और इल्मी ख़ानदान के चश्म व चिराग़ थे। आपके वालिद शैख़ अबू हफ़्स शहाबुद्दीन उमर अपनी बस्ती के ख़तीब थे और आपके बड़े भाई शैख़ अ़ब्दुल-वह्हाब एक़ मुमताज़ आ़लिम और फ़क़ीह थे।

पैदाईश और तालीम व तरबियतः- आपकी विलादत (पैदाईश) 700 या 701 हिजरी में मजदल के स्थान में हुई जो मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरी के पास में एक बस्ती है। उस वक़्त आपके वालिद यहाँ के ख़तीब थे। अभी आप तीसरे या चौथे बरस में ही थे कि वालिदे मोहतरम ने 703 हिजरी में वफ़ात पाई और बहुत ही कम-उम्री में आपको यतीमी का सदमा उठाना पड़ा। बाप का साया सर से उठा तो बड़े भाई ने अपनी ज़िम्मेदारी में ले लिया। वालिद की वफ़ात के तीन साल बाद यानी 706 हिजरी में आप अपने भाई साहिब के साथ दमिश्क़ चले आये और फिर यहीं आप पले-बढ़े। शुरू में अपने बड़े भाई से फ़िक़ा (दीनी मसाईल के इल्म) की तालीम पाई, बाद में शैख़ बुरहानुद्दीन इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान फ़ज़ारी और शैख़ कमालुद्दीन इब्ने क़ाज़ी शहबा से इस फ़न की तकमील की। उस ज़माने में दस्तूर था कि तालिबे-इल्म जिस फ़न को हासिल करता उस फ़न की कोई मुख़्तसर (छोटी) किताब ज़बानी याद कर लेता, चुनाँचे आपने भी फ़िक़ा में शैख़ अबू इस्हाक़ शीराज़ी की "अत्तम्बीह" को हिफ़्ज़ करके 718 हिजरी में सुना दिया और उसूले फ़िक़ा में अ़ल्लामा इब्ने हाजिब मालिकी की मुख़्तसर को ज़बानी याद किया। उसूल की किताबें आपने अ़ल्लामा शमसुद्दीन महमूद बिन अ़ब्दुर्रहमान अस्फ़हानी से पढ़ी थीं।

हदीस के फ़न की तालीम आपने उस ज़माने के मशहूर उलेमा हज़रात से हासिल की। जिनमें (1) ईसा बिन मुतअ़िम (2) बहाउद्दीन क़ासिम बिन अ़साकिर (3) अ़फ़ीफ़ुद्दीन इस्हाक़ बिन यहया आमदी (4) मुहम्मद बिन ज़राद (5) बदरूद्दीन मुहम्मद बिन इब्राहीम "इब्ने सुवैदी" (6) इब्ने रज़ी (7) हाफ़िज़ मिज़्ज़ी (8) हाफ़िज़ इब्ने तैमिया (9) हाफ़िज़ ज़हबी (10) इमादुद्दीन मुहम्मद बिन शीराज़ी रहमतुल्लाहि अ़लैहिम शामिल हैं।

लेकिन इन तमाम हज़रात में सबसे ज़्यादा जिससे आपको इल्मी लाभ उठाने का मौक़ा मिला वह शाम के मुहद्दिस हाफ़िज़ जमालुद्दीन यूसुफ़ बिन अ़ब्दुर्रहमान मिज़्ज़ी शाफ़ई (लेखक तहज़ीबुल-कमाल) हैं। हाफ़िज़ मिज़्ज़ी रह. ने ख़ुसूसी ताल्लुक़ की बिना पर अपनी बेटी का आपसे निकाह कर दिया था। इस रिश्ते ने उस ताल्लुक़ को और ज़्यादा मज़बूत कर दिया। नेकबख़्त शागिर्द ने अपने मोहतरम

उस्ताद की शफ़क़त से पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया, लम्बी मुद्दत तक हाज़िरे ख़िदमत रहे, और उनकी अक्सर तसानीफ़ (लिखी गयी किताबों) जिनमें तहज़ीबुल-कमाल भी दाख़िल है, ख़ुद उनसे सुनीं और इस फ़न की पूरी तकमील उन ही की ख़िदमत में रहकर की। इसी तरह हाफ़िज़ इमाम इब्ने तैमिया रह. से भी आपने बहुत कुछ इल्म हासिल किया और लम्बे समय तक उनकी सोहबत में रहे। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने लिखा है कि आपको मिस्र के बड़े-बड़े हदीस के उलेमा ने हदीस की इजाज़त दी थी जिनमें हाफ़िज़ वानी, मुहद्दिस बदरुद्दीन हनफ़ी और हाफ़िज़ दबूसी शामिल हैं।

इल्मी मुक़ामः- इमाम इब्ने कसीर रह. को इल्मे हदीस के अ़लावा फ़िक़्हा, तफ़सीर, तारीख़ और अ़रबियत में भी कमाल हासिल था। चुनाँचे अ़ल्लामा इब्ने इमाद हम्बली, इब्ने हबीब से नक़ल करते हैं कि "उन पर तारीख़, हदीस और तफ़सीर में इल्मी रियासत ख़त्म हो गई"। इतिहास के मशहूर आ़लिम अ़ल्लामा अबुल-महासिन जमालुद्दीन यूसुफ़ इब्ने तग़री हनफ़ी लिखते हैं कि "हदीस, तफ़सीर, फ़िक़्हा और अ़रबियत में उनको बड़ी मालूमात थीं"। हाफ़िज़ अबुल-महासिन हुसैनी फ़रमाते हैं कि "फ़िक़्हा, तफ़सीर और नह्व में माहिर थे और हदीस के दरजात और रावियों के हालात के बारे में बड़ी गहरी नज़र पैदा की थी"।

ख़ास तौर पर इल्मे हदीस में तो उनका यह मुक़ाम है कि हदीस के हाफ़िज़ों में शुमार किये जाते हैं। चुनाँचे हाफ़िज़ अबुल-महासिन हुसैनी और अ़ल्लामा सुयूती रह. ने "तज़किरतुल-हुफ़्फ़ाज़" पर जो इज़ाफ़े और हाशिये लिखे हैं उनमें इनका तज़किरा लिखा है। और ख़ुद इमाम ज़हबी रह. ने किताब तज़किरतुल-हुफ़्फ़ाज़ के ख़ात्मे में जहाँ अपने ख़ास और नुमायाँ हदीस के उस्ताज़ों और सबक़ के साथियों (सहपाठियों) का परिचय कराया है, वहाँ इनका भी ज़िक्र किया है।

शे'र व सुख़न का ज़ौक़ था, लेकिन आपकी नज़्म दरमियानी दर्जे की होती थी। नमूना-ए-कलाम मुलाहिज़ा होः

تمر بنا الا یام تتری وانما ☆ نساق الی الا جال والعین تنظر

दिन लगातार गुज़रते जाते हैं और हम आँखों देखते हुए मौत की तरफ़ हंकाये चले जा रहे हैं।

فلا عائد ذاك الشباب الذی مضی ☆ ولا زائل هذا المشیب المكدر

सो अब न तो वह गुज़री हुई जवानी लौटकर आ सकती है और न यह नागवार बुढ़ापा दूर होने वाला है।

अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. उलेमा की नज़र मेंः- इमाम इब्ने कसीर रह. के इल्मी मुक़ाम के लिये इतना ज़िक्र काफ़ी है कि अपने वक़्त के बड़े-बड़े उलेमा और हदीस के इमामों ने इनके इल्मी मुक़ाम का एतिराफ़ किया और इनके लिये बुलन्द अलफ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं। हदीस व तफ़सीर और तारीख़ में इनकी गहरी नज़र और बहुत ज़्यादा मालूमात होना सब के नज़दीक मुसल्लम है।

चुनाँचे हाफ़िज़ ज़ैनुद्दीन इराक़ी, हाफ़िज़ ज़हबी, हाफ़िज़ हुसैनी, अ़ल्लामा इब्ने इमाद, हाफ़िज़ नासिरुद्दीन दमिश्क़ी, हाफ़िज़ इब्ने हजर अ़स्क़लानी और अ़ल्लामा ज़ाहिदुल-कौसरी रह्मतुल्लाहि

अ़लैहिम हज़रात ने अपने-अपने अन्दाज़ में इमाम इब्ने कसीर के बुलन्द इल्मी मुक़ाम और हदीस व फ़िक़ा और रावियाने हदीस के हालात पर गहरी नज़र को बयान किया है। इनके हाफ़ज़े और ज़ेहन की तेज़ी का भी उलेमा एतिराफ़ करते हैं।

मशाग़िलः- हाफ़िज़ इब्ने कसीर की तमाम उम्र पढ़ाने, फ़तावा और किताबें लिखने में बसर हुई। हाफ़िज़ ज़हबी रह. की वफ़ात के बाद मदरसा उम्मे सालेह और मदरसा तिन्कज़िया (जो उस ज़माने में इल्मे ह्दीस के मशहूर मदरसे थे) में आप शैख़ुल-हदीस के ओ़हदे पर फ़ाइज़ रहे। बड़े ज़ाकिर शाग़िल थे। चुनाँचे इब्ने हबीब ने आपके मुताल्लिक़ लिखा है कि तबीयत बड़ी शगुफ़्ता पाई थी, बातों और गुफ़्तगू में नुक्ते पैदा फ़रमाते थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने आपकी ख़ूबियों में लिखा है कि आप बड़ा ही पुर-लुत्फ़ मज़ाक़ किया करते थे।

अ़ल्लामा इब्ने तैमिया रह. से ख़ुसूसी ताल्लुक़ः- अख़ीर में यह वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. को अपने उस्ताद अ़ल्लामा इब्ने तैमिया रह. से ख़ुसूसी ताल्लुक़ था, जिसने आपकी इल्मी ज़िन्दगी पर गहरा असर डाला था और उसी का नतीजा है कि आप बाज़ उन मसाईल में भी इमाम इब्ने तैमिया रह. से प्रभावित थे जिनमें वह उलेमा की जमाअ़त और उम्मत की अक्सरियत से अलग राय रखते थे। चुनाँचे आप भी कुछ मसाईल में जमहूर उलेमा से हटकर अपनी राय रखते थे, जो उम्मत की अक्सरियत के लिये हुज्जत न बन सकी।

वफ़ातः- आख़िर उम्र में बीनाई (आँखों की रोशनी) जाती रही। जुमेरात के दिन शाबान की छब्बीस तारीख़ सन् 774 हिजरी में वफ़ात पाई। (अल्लाह तआ़ला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाये) और मक़बरा सूफ़िया में अपने महबूब उस्ताद शैख़ुल-इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया के बराबर में दफ़्न किये गये। आपके दो बेटे बड़े नामवर हुए- एक ज़ैनुद्दीन अ़ब्दुर्रहमान, जिनकी वफ़ात सन् 792 हिजरी में हुई और दूसरे बदरूद्दीन अबू बक़ा मुहम्मद यह बड़े बुलन्द दर्जे के मुहद्दिस गुज़रे हैं। इन्होंने सन् 803 हिजरी में रमला के स्थान में वफ़ात पाई है। इन दोनों का ज़िक्र हाफ़िज़ इब्ने फ़हद ने अपनी किताब में किया है।

आपके द्वारा लिखी गयी किताबेंः- आपने तफ़सीर, हदीस, सीरत और तारीख़ में बड़ी बुलन्द दर्जे की किताबें यादगार छोड़ी हैं। यह आपके इख़्लास का फल और नेक-नीयती की बरकत थी कि अल्लाह की बारगाह से उनको आ़म मक़बूलियत और हमेशा बाक़ी रहने वाली शोहरत अ़ता हुई। इतिहासकारों ने आपकी तसानीफ़ (लिखी गयी किताबों) की गुण्वत्ता और उनकी मक़बूलियत का ज़िक्र ख़ास तौर से किया है। इमाम ज़हबी रह. लिखते हैं- उनकी किताबें बड़ी मुफ़ीद और कारामद हैं। इमाम इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि उनकी ज़िन्दगी ही में उनकी तसानीफ़ (किताबें) शहर-शहर जा पहुँचीं और उनकी वफ़ात के बाद लोग उनसे लाभान्वित होते रहे। इमाम शौकानी रह. लिखते हैं कि लोगों ने उनकी तसानीफ़ ख़ुसूसन तफ़सीर से बहुत नफ़ा (लाभ) उठाया।

आपकी किताबों की सही तायदाद तो मालूम नहीं, मौलाना अ़ब्दुर्रशीद नोमानी ने आपकी 19

किताबों का ज़िक्र किया है जो इस प्रकार हैं।

1. **तफ़सीर क़ुरआने करीमः** जिसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ सुयूती फ़रमाते हैं कि इस अन्दाज़ पर दूसरी कोई तफ़सीर नहीं लिखी गई। इससे मुराद यही "तफ़सीर इब्ने कसीर" है जिसका हिन्दी तर्जुमा आपकी ख़िदमत में पेश किया जा रहा है। इस तफ़सीर की बड़े-बड़े उलेमा और मुहद्दिसीन व मुफ़स्सिरीन ने बेहद तारीफ़ फ़रमाई है।

2. **अल-बिदाया वन्निहायाः** यह तारीख़ के फ़न में उनकी बहुत क़ीमती किताब है। मिस्र से छप चुकी है। इसका उर्दू तर्जुमा देवबन्द से "तारीख़ इब्ने कसीर" के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इस किताब में उन्होंने दुनिया की शुरूआत से लेकर अपने ज़माने तक के हालात को समेटा है। यह काफ़ी बड़ी किताब है। गोया हज़ारों साल की तारीख़ है जो 14 जिल्दों में है।

3. **अत्तक्मील फ़ी मअ्रिफ़तिस्सिक़ाति वज़्ज़ुअ़फ़ा-इ वल-मजाहील।**

4. **अल-हद्यु वस्सुनन फ़ी अहादीसिल् मसानीदि वस्सुनन।**

5. **तबक़ाते शाफ़िअ़िय्या।**

6. **मनाक़िबे शाफ़िअ़िय्या।**

7. **तख़्रीजे अहादीसि अदिल्लतित्तम्बीह।**

8. **तख़्रीजे अहादीसे मुख़्तसर इब्नुल-हाजिब।**

9. **शरह सही बुख़ारी।**

10. **अल-अहकामुल-कबीर।**

11. **इख़्तिसारे उलूमे हदीस।**

12. **मुस्नदे शैख़ैन।**

13. **अस्सीरतुन्नबविय्या।**

14. **अल-फ़ुसूल फ़ी इख़्तिसारि सीरतिर्रसूल।**

15. **किताबुल-मुक़द्दमात।**

16. **मुख़्तसर किताबुल-मद्ख़ल लिल्बैहक़ी।**

17. **अल-इज्तिहाद फ़ी तलबिल-जिहाद।**

18. **रिसाला फ़ी फ़ज़ाईलिल-क़ुरआन।**

19. **मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल।**

इमाम इब्ने कसीर रह. की तमाम तसानीफ़ (किताबों) में यह ख़ूबी स्पष्ट है कि जो कुछ लिखते हैं बहुत ही तहक़ीक़ के साथ और तफ़सीली अन्दाज़ में लिखते हैं। इबारत आसान और अन्दाज़े बयान दिल को छू लेने वाला होता है। (ये मालूमात मौलाना अ़ब्दुर्रशीद नोमानी के मज़मून से ली गयी हैं)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

फ़ेहरिस्ते उनवानात

पारा नम्बर 1-5

पारा नम्बर (2)

पारा नम्बर (4)

सूरः निसा

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

بسم الله الرحمن الرحيم

पारा नम्बर एक

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

किताब का आग़ाज़

तमाम तारीफ़ें उस ख़ुदा के लिये हैं जिसने अपनी किताब को 'अल्हम्दु' के साथ शुरू किया और फ़रमायाः

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ○

दूसरी जगह फ़रमायाः

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ............ الخ.

यानी हर क़िस्म की तारीफ़ का मुस्तहिक़ अल्लाह तआला ही है, जिसने अपने महबूब बन्दे पर क़ुरआने करीम नाज़िल किया, जिसमें कोई कजी (टेढ़ और ख़ामी) नहीं, जो हमेशा दीन को क़ायम रखने वाला है ताकि अल्लाह तआला के सख़्त अ़ज़ाब से अल्लाह का पैग़म्बर लोगों को ख़बरदार कर दे और जो लोग ईमान लाकर नेक आमाल करते हैं उन्हें उनके बेहतरीन और न ख़त्म होने वाले अज्र व सवाब की ख़ुशख़बरी सुना दे, और जो लोग अपने जाहिल बाप-दादा की सुनी-सुनाई बातों पर ख़ुदा की औलाद मानते हैं, उन्हें भी ख़बरदार कर दे कि यह बहुत बड़ा दुस्साहस और क़तई ग़लत बात है, जिसको वे अपने मुँह से निकाल रहे हैं। ऐ नबी! तुम उनके पीछे ख़ुद को हलाकत में न डालो, जिस तरह उस परवर्दिगार ने अपनी किताब को हम्द (तारीफ़) से शुरू किया इसी तरह उसने अपनी मख़्लूक़ को भी अपनी हम्द (तारीफ़) से शुरू किया। इरशाद होता हैः

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ○

यानी "सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है, जिसने आसमान और ज़मीन को और अन्धेरे और उजाले को पैदा किया, लेकिन काफ़िर बावजूद इसके भी ख़ुदा का शरीक ठहराते हैं" इसी तरह मख़्लूक़ का ख़ात्मा भी अपनी तारीफ़ व प्रशंसा पर किया। जन्नत वालों और जहन्नमियों के अन्जाम को बयान करके इरशाद होता हैः

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

यानी तू देखेगा कि फ़रिश्ते (अल्लाह के) अ़र्श को चारों तरफ़ से घेरे हुए होंगे और अपने रब की तारीफ़ व सना, पाकी और पवित्रता बयान करते होंगे। फ़ैसले हक़ के साथ हो चुके होंगे और कह दिया

गया होगा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल-आलमीन ही के लिये हैं। इसी लिये अल्लाह का फ़रमान है:

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

यानी वही अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सब तारीफ़ें अव्वल और आख़िर उसी के लिये हैं। उसी का हुक्म है और उसी की तरफ़ तुम लौटाये जाओगे। एक और जगह इरशाद होता है:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.

فَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ.

यानी "सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें उसी की हैं। आख़िरत में भी तारीफ़ उसी के लिये है, वही हिक्मत वाला और ख़बर रखने वाला है। अव्वल व आख़िर उसी की तारीफ़ है" यानी जो कुछ उसने पैदा किया और जो कुछ पैदा करेगा वह उन सब में तारीफ़ों वाला है, जैसा कि नमाज़ी "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" के बाद कहता है:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْاُ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاُ الْاَرْضِ وَمِلْاُ مَاشِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

"ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये सब तारीफ़ें हैं आसमान व ज़मीन भर जाने के बराबर और उनके बाद भी जिस चीज़ को तू भर देना चाहे" (आम तौर पर इसे संक्षिप्त में "रब्बना लकल् हम्दु' के अलफ़ाज़ से अदा किया जाता है)।

इसी लिये जन्नती लोग भी तारीफ़ व सना का इल्हाम किये जायेंगे और उनके साँस के साथ ही बिला-तकल्लुफ़ अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ और उसकी तस्बीह अदा होती रहेगी। क्योंकि अल्लाह तआ़ला की अ़ज़ीमुश्शान नेमतें, उसकी कामिल क़ुदरत, उसकी ज़बरदस्त बादशाहत, उसकी निरन्तर रहमतें और उसके हिमेशगी वाले एहसानात उनकी आँखों के सामने होंगे। इसी को क़ुरआन पाक ने बयान फ़रमाया है:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ۝ دَعْوٰهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ. وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

यानी ईमान के साथ नेक अ़मल करने वालों को उनका रब उनके ईमान के ज़रिये उन नेमत वाले बाग़ों की राह दिखायेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनकी आवाज़ "सुब्हा-नकल्लाहुम्-म' और आपस में सलाम का तोहफ़ा होगा और उनकी गुफ़्तगू का आख़िरी टुकड़ा यही होगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं।

एक और जगह इरशाद फ़रमाया:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

यानी अल्लाह ही के लिये तारीफ़ है, जिसने अपने रसूलों को बशारतें (ख़ुशख़बरियाँ) देने वाले और ख़बरदार करने वाले बनाकर भेजा, ताकि रसूलों के आ जाने के बाद लोगों की कोई हुज्जत अल्लाह तआ़ला पर बाक़ी न रहे। उन रसूलों का सिलसिला नबी-ए-उम्मी अ़रबी मक्की सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ख़त्म किया, जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट राह की हिदायत करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने से लेकर क़ियामत तक जितने जिन्नात व इनसान हैं उन सबकी तरफ़ आप नबी बनाकर भेजे गये हैं। जैसा

कि क़ुरआन पाक में इरशाद है:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا...... الخ.

"ऐ नबी तुम कह दो कि ऐ लोगो! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह तआ़ला का रसूल हूँ वह ख़ुदा जो आसमान और ज़मीन के मुल्क का मालिक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिलाता और मारता है। पस ऐ लोगो! तुम सब ईमान लाओ अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर, जो नबी-ए-उम्मी है, जो अल्लाह तआ़ला पर और उसकी बातों पर ईमान रखते हैं। लोगो! उन्हीं की पैरवी में तुम्हारी हिदायत है।" एक और जगह ख़ुदा तआ़ला का इरशाद है:

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ.

ताकि मैं तुम्हें भी डराऊँ और उन्हें भी जिन्हें कलामुल्लाह पहुँचे।

पस जिस अ़रबी ग़ैर-अ़रबी, काले-गोरे, जिन्नात व इनसान को यह क़ुरआन पहुँचा हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसके लिये डराने वाले हैं, उसके लिये अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ.

"यानी इसके साथ कुफ़्र करने वाला जहन्नमी है" पस जो कोई क़ुरआन के साथ कुफ़्र करे वह क़ुरआन के फ़रमान के मुताबिक़ जहन्नमी है। दूसरी जगह क़ुरआने करीम का इरशाद होता है:

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

"यानी तुम इन झुठलाने वालों को और मुझको छोड़ दो, मैं उन्हें इस तरह धीरे-धीरे पकड़ूँगा कि उन्हें मालूम भी न होगा"। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि "मेरी पैग़म्बरी आ़म है हर सुर्ख़ व सियाह की तरफ़ मैं पैग़म्बर बनाकर भेजा गया हूँ"। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं- यानी तमाम जिन्नात व इनसानों की तरफ़। पस हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तमाम इनसान और जिन्नात की तरफ़ अल्लाह के रसूल हैं, सब को अल्लाह तआ़ला की वही और इ़ज़्ज़त वाले क़ुरआन को आप पहुँचाने वाले हैं। जिस पाक किताब के बातिल (ग़ैर-हक़) क़रीब भी नहीं आ सकता, जो हिक्मतों और तारीफ़ वाले ख़ुदा का नाज़िल किया हुआ है। अल्लाह तआ़ला ने अपने इस पाक कलाम को समझने की ताकीद भी इसी में कर दी है, फ़रमाया- "इस मुबारक किताब को हमने तेरी तरफ़ उतारा ताकि लोग इसमें ग़ौर व ख़ौज़ (सोच-विचार) करें और अ़क़्लमन्द लोग नसीहत हासिल करें"। एक दूसरे स्थान पर फ़रमाया- "ये लोग क़ुरआन के समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले लग गये" पस उलेमा पर वाजिब है कि कलामुल्लाह का मतलब वाज़ेह कर दें और उसकी सही तफ़सीर कर दें और उसे बाक़ायदा तलब करें और सीखें और सिखायें। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- "हमने किताब वालों से अ़हद लिया है कि वे उसे बयान करते रहें, छुपायें नहीं, लेकिन उन लोगों ने उसे पीठ पीछे डाल दिया और उसके बदले दुनिया तलब करने लगे, उनका यह व्यापार निहायत ही बुरा है"।

एक जगह फ़रमाया- "जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों को थोड़ी रक़म के बदले बेचते फिरें उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, उनसे अल्लाह तआ़ला क़ियामत के रोज़ बात तक न करेगा, न उनकी तरफ़ रहमत की नज़र से देखेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।"

पस दूसरी क़ौमें और उम्मतें जिन पर हमसे पहले आसमानी किताबें नाज़िल की गयीं और उन्होंने उससे

मुँह मोड़ा, दुनिया के हासिल करने और उसके जमा करने में मशग़ूल हो गये और अल्लाह तआला की मना की हुई चीज़ों के पीछे पड़कर अल्लाह की पाक किताब को छोड़ दिया। परवर्दिगार ने उनकी मज़म्मत (निंदा) बयान की। मुसलमानों को चाहिये कि वे ऐसा न करें जो मज़म्मत (बुराई और निंदा) का सबब बने, बल्कि उन्हें चाहिये कि अल्लाह के अहकाम के पालन में दिल व जान से लगे रहें और क़ुरआन पाक के सीखने-सिखाने और समझने-समझाने में मशग़ूल रहा करें। अल्लाह तआला फ़रमाता है- "क्या अब तक वह वक़्त नहीं आया कि मुसलमानों के दिल अल्लाह तआला के ज़िक्र से और जो उनकी तरफ़ हक़ आया है उससे काँप उठें, और उनकी तरह न हो जायें जिन्हें उनसे पहले किताब दी गयी, लेकिन कुछ ज़माना गुज़रते ही उनके दिल सख़्त हो गये और अक्सर लोग नाफ़रमान हो गये। जान लो कि मुर्दा ज़मीन को जिलाना (तरोताज़ा करना) अल्लाह ही का काम है। हमने तो तुम्हारी समझ-बूझ के लिये अपनी आयतें बयान कर दीं"। इन दोनों आयतों के तर्जुमे में ग़ौर करो, किस बारीकी के साथ बयान हुआ है कि जिस तरह बारिश से ख़ुश्क ज़मीन लहलहाने लगती है इस तरह ईमान और हिदायत से वे दिल जो नाफ़रमानियों और गुनाहों के सबब सख़्त हो गये हों, नर्म पड़ जाया करते हैं। अल्लाह तआला बुज़ुर्ग व बरतर, जव्वाद व सख़ी से क़बूलियत की उम्मीद पर हम भी दुआ करते हैं कि वह मालिक हमारे दिलों को भी नर्म कर दे, आमीन।

तफ़सीर से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें

सुनो! तफ़सीर का बेहतरीन और सही तरीक़ा यह है कि पहले तो क़ुरआन ही से हो, इसलिये कि एक बयान कहीं मुख़्तसर है तो कहीं उसकी तफ़सील भी है। उसके बाद क़ुरआन की तफ़सीर हदीस से होती है, इसलिये कि हदीस क़ुरआने करीम की शरह (व्याख्या) और तफ़सीर है, बल्कि हज़रत इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद इदरीस शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तमाम अहकाम क़ुरआन ही से समझे हुए हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान है "हमने तुम पर यह किताब हक़ के साथ नाज़िल फ़रमाई है ताकि तुम लोगों के दरमियान ख़ुदा के बताये हुए अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला कर सको, ख़बरदार! तुम ख़ियानत करने वालों के तरफ़दार मत बनना"। एक जगह इरशाद होता है "हमने तो तुम पर इसी लिये यह किताब उतारी है कि लोगों के इख़्तिलाफ़ (झगड़ों और विवादों) का फ़ैसला कर दिया करो, यह किताब ईमान वालों के लिये हिदायत व रहमत (का ज़रिया) है"। एक और मक़ाम पर फ़रमाता है "हमने इसके ज़िक्र को तेरी तरफ़ इसलिये उतारा है कि तुम इसे लोगों को खोल-खोलकर पहुँचा दो, ताकि वे ग़ौर कर सकें"। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- "मैं क़ुरआन भी दिया गया हूँ और इसी के जैसी एक और चीज़ भी इसी के साथ दिया गया हूँ" इससे मुराद सुन्नत (हदीस) है।

यह याद रहे कि हदीसें भी अल्लाह की 'वही' हैं जिस तरह क़ुरआन पाक 'वही' के ज़रिये उतरा इसी तरह हदीसे रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) भी अल्लाह की तरफ़ से है, मगर क़ुरआन वही-ए-मतलू (यानी तिलावत की जाने वाली 'वही') है, और हदीस वही-ए-ग़ैर मतलू। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. और दूसरे बड़े-बड़े इमामों ने इसे दलीलों से ख़ूब साबित कर दिया है, लेकिन यहाँ इसके बयान करने का मौक़ा नहीं।

मक़सद यह है कि क़ुरआन पाक की तफ़सीर सबसे पहले ख़ुद क़ुरआन से और फिर हदीस से करनी चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. को यमन की जानिब भेजा तो मालूम किया कि हुक्म किस तरह दोगे? उन्होंने जवाब दिया किताबुल्लाह से। फ़रमाया अगर उसमें न पाओ तो? कहा सुन्नते रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से। कहा अगर उसमें न पाओ तो? कहा अब

इज्तिहाद (यानी क़ुरआन व हदीस में ग़ौर करके अपनी अ़क़्ल से काम लेकर हुक्म) करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह जवाब सुनकर उनके सीने पर हाथ रखकर फ़रमाया- "ख़ुदा का शुक्र है कि उसने अपने नबी के क़ासिद को उस चीज़ की तौफ़ीक़ दी जो उसके नबी को पसन्द है"। यह हदीस मुस्नद में भी है और सुनन में भी, और सनद भी इसकी बहुत उम्दा है जैसा कि अपनी जगह इसका सुबूत मौजूद है।

इस बिना पर जब किसी आयत की तफ़सीर क़ुरआन व हदीस दोनों में न मिले तो सहाबा रज़ि. के अक़वाल की तरफ़ रुजू करना चाहिये, वह तफ़सीरे क़ुरआन को बहुत ज़्यादा जानते थे, इसलिये कि जो क़रीने और अहवाल उस वक़्त थे उनका इल्म उन्हीं को हो सकता है, वे उस वक़्त मौजूद और हाज़िर थे। इसके अ़लावा कामिल समझ-बूझ, सही इल्म और नेक अ़मल उन्हें हासिल था। ख़ासकर उन हज़रात को जो उनमें भी बड़े मर्तबे के और ज़बरदस्त आ़लिम थे, जैसे चारों हज़रात जो ख़लीफ़ा थे और रुश्द व हिदायत वाले थे यानी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान ग़नी, हज़रत अ़ली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद वग़ैरह।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से तो रिवायत है, फ़रमाते हैं कि उस ख़ुदा की क़सम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, किताबुल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं कि मैं न जानता हूँ कि यह किसके बारे में नाज़िल हुई और कहाँ नाज़िल हुई। मैं अगर जानता कि किताबुल्लाह के इल्म में कोई मुझसे ज़्यादा है और वहाँ तक मैं किसी तरह पहुँच भी सकता हूँ तो ज़रूर उसकी शागिर्दी में अपने आपको पेश करता"। आप यह भी फ़रमाते हैं कि हममें से हर शख़्स जब तक दस आयतों का पूरा मतलब न जान लेता और उन पर अ़मल न कर लेता, ग्यारहवीं आयत नहीं पढ़ता था। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान सुलमी ताबिओ़ रह. फ़रमाते हैं कि हमने जिनसे क़ुरआन सीखा वह हमसे फ़रमाया करते थे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पढ़ा, जब तक हम दस आयतों का इल्म व अ़मल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से न सीख लेते आगे नहीं बढ़ते थे।

ग़र्ज़ कि क़ुरआन का इल्म और क़ुरआन पर अ़मल दोनों ही को सीखा। उन्हीं में से एक क़ुरआनी उलूम के ज़बरदस्त माहिर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचाज़ाद भाई और तर्जुमाने-क़ुरआन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके लिये बरकत की दुआ़ की थी और कहा थाः

اللّٰھم فقھه فی الدین وعلمه التاویل.

"ख़ुदाया इन्हें दीन की समझ अ़ता फ़रमा और क़ुरआन की तफ़सीर का इल्म भी नसीब कर"।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाया करते थे कि क़ुरआन के बेहतरीन तर्जुमान हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास हैं।

नोटः 'वही-ए-मतलू' क़ुरआने हकीम है जिसको नमाज़ में पढ़ा जाये तो नमाज़ हो जाये, और 'वही-ए-ग़ैर मतलू' हदीसें हैं। जिनको नमाज़ में पढ़ने से नमाज़ नहीं होती। मतलू तिलावत से बना है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. के इस क़ौल को सामने रखकर ख़्याल कीजिए कि उनका इन्तिक़ाल सन् 32 हिजरी में हुआ और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. उनके बाद भी छत्तीस साल तक ज़िन्दा रहे तो इस मुद्दत में आपने इल्म में किस क़द्र तरक़्क़ी की होगी। हज़रत अबू वाईल रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत अ़ली रज़ि. के ज़माने में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. अमीरे हज मुक़र्रर हुए थे, आपने अपने ख़ुतबे में सूरः ब-क़रह की तिलावत फ़रमाई और इतने बेहतरीन अन्दाज़ से तफ़सीर की कि अगर तुर्क

व दैलम के काफ़िर लोग भी सुन लेते तो निश्चित तौर पर मुसलमान हो जाते।

बाज़ रिवायतों में है कि आपने अपने उस ख़ुतबे में सूरः नूर की तफ़सीर बयान फ़रमाई थी। यही वजह है कि इस्माईल बिन अ़ब्दुर्रहमान सुद्दी कबीर अपनी तफ़सीर में इन्हीं दोनों हज़रात की अक्सर तफ़सीर नक़ल किया करते हैं, लेकिन कभी-कभी अहले किताब से यह बुज़ुर्ग जो रिवायत ले लिया करते हैं उसे भी वह बयान कर देते हैं। बनी इस्राईल से रिवायत लेना मुबाह है, सही बुख़ारी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी तरफ़ से पहुँचा दिया करो अगरचे एक आयत ही हो। बनी इस्राईल से भी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं, मुझ पर जान-बूझकर झूठ बोलने वाला क़तई तौर पर जहन्नमी है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. ने जंगे यरमूक में दो बोरियाँ यहूद व ईसाईयों की किताबों की पाई थीं, उनकी बातें भी वह इस हदीस को मद्देनज़र रखकर नक़ल कर दिया करते थे, लेकिन यह याद रहे कि बनी इस्राईल की ये रिवायतें सिर्फ़ मसले की ताईद और उसकी मज़बूती के लिये लाई जाती हैं, ख़ुद उनसे मसाईल साबित नहीं हो सकते।

बनी इस्राईल की रिवायतें तीन क़िस्म की हैं, एक तो वे जिनकी तस्दीक़ ख़ुद हमारे यहाँ मौजूद है, यानी क़ुरआन पाक की किसी आयत या हदीस के मुताबिक़ बनी इस्राईल की किताब में भी कोई रिवायत मिल जाये, उसके सही होने में कोई कलाम नहीं। दूसरे वह कि उनकी तकज़ीब (झूठा होना) ख़ुद हमारे यहाँ मौजूद हो, यानी किसी आयत या हदीस के ख़िलाफ़ हो, उसके ग़लत होने में कोई शुब्हा नहीं। तीसरे वह कि जिसकी न हम तस्दीक़ कर सकते हैं न झुठला सकते हैं, इसलिये कि हमारे यहाँ न तो कोई ऐसी रिवायत है जिससे मुवाफ़क़त की वजह से हम उसे सही कह सकें न कोई ऐसी रिवायत है जो उसके मुख़ालिफ़ हो और इस बिना पर हम उसे झूठ और ग़लत कह सकें। लिहाज़ा ये तीसरी क़िस्म की रिवायतें वे हैं जिनसे हम ख़ामोश हैं, न उन्हें ग़लत कहेंगे न सही समझेंगे, अलबत्ता उन्हें ज़िक्र करना जायज़ है और ये रिवायतें हैं भी ऐसी जिनमें हमारे दीन का कोई फ़ायदा नहीं, बावजूद इसके ऐसी बातों में ख़ुद अहले किताब में भी बड़े-बड़े इख़्तिलाफ़ात (मतभेद और विवाद) मौजूद हैं, और इसी वजह से इन रिवायतों को लेने वाले मुफ़स्सिरीन में ऐसे ही इख़्तिलाफ़ पाये जाते हैं। मिसाल के तौर पर अस्हाबे कहफ़ के नाम, उनके कुत्ते का रंग, उनकी तायदाद, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की लकड़ी किस दरख़्त की थी? हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जिन परिन्दों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था और फिर ख़ुदा के हुक्म से वो जी उठे, वो परिन्दे क्या-क्या थे? और जिस मक़्तूल को हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में गाय ज़िबह करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा लगाया था और उससे ख़ुदा ने उसे ज़िन्दा कर दिया था, वह टुकड़ा कौनसा था? और किस जगह का था? और वह कौनसा दरख़्त था जिस पर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने नूर देखा था और उसमें से ख़ुदा का कलाम सुना था? वग़ैरह वग़ैरह। पस ये वे चीज़ें हैं जिन पर ख़ुदा ने पर्दा डाल रखा है और हमें इनका जानना न जानना कोई नफ़ा नुक़सान नहीं पहुँचा सकता, न उसके मुतैयन होने में कोई दीनी फ़ायदा है न दुनियावी।

हाँ यह बात अलबत्ता है कि उस इख़्तिलाफ़ (मतभेद) को नक़ल करना जायज़ है जैसा कि ख़ुद क़ुरआन पाक ने अस्हाबे कहफ़ की तायदाद का इख़्तिलाफ़ नक़ल किया है। फ़रमाता हैः

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ..................الخ

यानी ये लोग कहते हैं कि अस्हाबे कहफ़ तीन थे और उनका कुत्ता चौथा था, और कहते हैं कि पाँच थे और छठा कुत्ता था, ये सब ज़न्नी (अपने गुमान की) बातें हैं, और यह भी कहते हैं कि ये सात थे और

आठवाँ उनका कुत्ता। ऐ नबी तुम कह दो कि उनकी तायदाद को मेरा रब ही अच्छी तरह जानता है, तुम उनसे इस बारे में सिर्फ़ सरसरी गुफ़्तगू करो और इस बारे में उनसे न पूछो।

इस आयत ने बतला दिया कि हमें ऐसे मक़ाम में क्या करना चाहिये। अल्लाह तआ़ला ने यहाँ तीन क़ौल बयान फ़रमाये, दो को तो ज़ईफ़ (कमज़ोर) क़रार दिया और तीसरे पर ज़ईफ़ का हुक्म नहीं लगाया, जिससे मालूम होता है कि यह सही है, क्योंकि अगर यह भी बातिल होता तो उन दोनों की तरह इसे भी रद्द कर दिया जाता। फिर साथ ही साथ यह भी इरशाद फ़रमाया कि उनकी तायदाद का इल्म तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, फिर तुम इसकी छानबीन में क्यों लगो? क्यों न कह दो कि उनकी तायदाद का सही इल्म सिर्फ़ ख़ुदा तआ़ला को है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ख़ुदा ने उनकी सही तायदाद पर अवगत फ़रमाया है। जब यह मालूम हो चुका कि वे अटकल-पच्चू बातें बना रहे हैं फिर उसके पीछे पड़ने और उनसे मालूम करने की क्या ज़रूरत?

इसी तरह इन आयतों से मालूम हुआ कि किसी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) को नक़ल करने का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि तमाम इख़्तिलाफ़ी अक़वाल बयान कर दिये जायें, सही ग़ैर-सही पर तंबीह कर दी जाये और उस इख़्तिलाफ़ का फ़ायदा भी बयान कर दिया जाये ताकि बेकार काम में पड़कर कोई शख़्स कारामद शुग़ल (काम) से रुक न जाये। जो शख़्स इख़्तिलाफ़ नक़ल करने में तमाम अक़वाल बयान न करे तो यह उसका क़सूर है, मुम्किन है ठीक क़ौल वही हो जिसे उसने छोड़ दिया। इसी तरह जो शख़्स इख़्तिलाफ़ नक़ल करके फ़ैसला किये बग़ैर छोड़ दे उसने भी ग़लती की, अगर ग़ैर-सही को जान-बूझकर सही कह दिया फिर तो वह झूठा है, और अगर जहालत से ऐसा करे तब भी ख़ताकार है। इसी तरह जो शख़्स किसी ऐसी बारीक बात में जिसमें कोई बड़ा फ़ायदा न हो बहुत सारे इख़्तिलाफ़ी अक़वाल (यानी लोगों की विभिन्न रायें) नक़ल कर दे या ऐसे इख़्तिलाफ़ात नक़ल करने बैठ जाये जिनके अलफ़ाज़ मुख़्तलिफ़ हों मगर नतीजे के एतिबार से या तो इख़्तिलाफ़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता हो या मामूली इख़्तिलाफ़ रह जाता हो, उसने भी अपने क़ीमती वक़्त को बेकार ज़ाया किया और कोई मुफ़ीद काम नहीं किया। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई शख़्स दो झूठे कपड़े पहन ले। भलाई और सीधी बात की तौफ़ीक़ अल्लाह तआ़ला ही के हाथ है।

फ़स्लः जब किसी आयत की तफ़सीर क़ुरआन व हदीस और सहाबा के अक़वाल तीनों में न मिले तो अक्सर दीन के इमाम हज़रात ने कहा है कि ऐसे मौक़े पर ताबिईन की तफ़सीर ली जाये, जैसे मुजाहिद बिन जबर रह. जो तफ़सीर में ख़ुदा की एक निशानी थे। ख़ुद फ़रमाते हैं कि मैंने तीन मर्तबा अव्वल से आख़िर तक हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से क़ुरआन पाक सीखा और समझा। एक-एक आयत को पूछ-पूछकर समझ-समझकर पढ़ा। इब्ने अबी मुलैका रह. फ़रमाते हैं कि ख़ुद मैंने हज़रत मुजाहिद रह. को देखा कि किताब क़लम दवात लेकर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के पास पहुँचा करते और तफ़सीरे क़ुरआन मालूम कर-करके उसमें तहरीर फ़रमाते, पूरे क़ुरआने करीम की तफ़सीर इसी तरह नक़ल की। हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. का तो फ़रमान था कि मुजाहिद रह. किसी आयत की तफ़सीर कर दें तो फिर उसकी तहक़ीक़ करना बेसूद है, बस उनकी तफ़सीर काफ़ी है। हज़रत मुजाहिद रह. की तरह हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत इक्रिमा (जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रह.) के आज़ाद किये हुए गुलाम थे और हज़रत अ़ता बिन अबी रिबाह, हज़रत हसन बसरी, हज़रत मसरूक़ बिन अजदा, हज़रत सईद बिन मुसैयब, हज़रत अबुल-आ़लिया, हज़रत रबीअ़ बिन अनस, हज़रत क़तादा और हज़रत ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम वग़ैरह ताबिईन, तब्अ़े-ताबिईन और इनके बाद वालों की तफ़सीर मोतबर मानी जायेगी। कभी ऐसा भी होता है कि किसी

आयत की तफ़सीर में इन बुज़ुर्गों के अक़्वाल जब ज़िक्र किये जाते हैं और इनके अलफ़ाज़ में बज़ाहिर इख़्तिलाफ़ (टकराव और विरोधाभास) नज़र आता है तो बेइल्म लोग इसे मानवी इख़्तिलाफ़ समझकर कह बैठते हैं कि इस आयत की तफ़सीर में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, हालाँकि हक़ीक़त में ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी ने एक चीज़ की ताबीर उसके लाज़िम से की, किसी ने उसकी नज़ीर से, किसी ने ख़ुद उस चीज़ को ही बयान कर दिया, पस इन सूरतों में अगरचे अलफ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ हो (यानी वे अगल-अलग हों) लेकिन मायने एक ही रहते हैं। अ़क़्लमन्द को चाहिये कि ऐसी जगह ग़लती न खाये। वल्लाहुल-हादी।

शोबा इब्ने हज्जाज कहते हैं कि जब ताबिईन के अक़्वाल फ़ुरूअ़ी (ऊपर के) मसाईल में हुज्जत नहीं तो तफ़सीरे क़ुरआन में कैसे हुज्जत हो जायेंगे? शोबा रह. का यह क़ौल सही है कि उनका इख़्तिलाफ़ करने वाले पर उनके अक़्वाल हुज्जत नहीं, लेकिन उनके इजमाई (यानी जिन पर सबकी सहमति है) अक़्वाल के हुज्जत होने में कोई शक नहीं, हाँ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) के वक़्त न उनका क़ौल आपस में एक दूसरे पर हुज्जत है न ग़ैरों पर। उस वक़्त क़ुरआन की लुग़त, हदीस, अ़रब की आ़म लुग़त और सहाबा के अक़्वाल की तरफ़ रुजू किया जायेगा, हाँ सिर्फ़ राय से तफ़सीर करना तो महज़ (बिल्कुल) हराम है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जिसने क़ुरआन में अपनी राय को दख़ल दिया या जहालत से कुछ कह दिया उसने अपनी जगह जहन्नम में बना ली। इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद में यह हदीस है और इमाम तिर्मिज़ी रह. ने इसे हसन कहा है। यही अलफ़ाज़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से भी मन्क़ूल हैं। हज़रत जुन्दुब रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने क़ुरआने करीम में अपनी राय से कुछ कहा उसने ख़ता की। (इब्ने जरीर) अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में भी यह हदीस मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे ग़रीब कहा है और इसके रावी सुहैल पर बाज़ अहले इल्म ने कलाम भी किया है। इस हदीस में ये अलफ़ाज़ भी मरवी हैं कि जिसने अपनी राय से क़ुरआन में कोई ठीक बात भी कह दी तब भी वह ख़ताकार है, इसलिये कि उसने उस चीज़ का तकल्लुफ़ किया (जुर्रत दिखाई और बेजा कोशिश की) जिसका उसे इल्म न था और उसने ऐसा तरीक़ा इख़्तियार किया जिसका इख़्तियार करना मुनासिब न था। पस अगरचे उसके मुँह से ठीक बात निकल गयी फिर भी वह ख़ताकार है। इसलिये कि काम को काम के तरीक़े पर उसने नहीं किया। इसकी ऐसी ही मिसाल है जैसे कोई शख़्स बेइल्म हो, फिर फ़ैसले करने बैठ जाये, उसे जहन्नमी कहा गया है, यह और बात है कि ऐसे शख़्स की सही बात पर पकड़ कम हो, लेकिन है ख़ताकार। वल्लाहु आलम।

देखिये तोहमत लगाकर गवाह पेश न करने वाले को अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन में काज़िब यानी झूठा फ़रमाया है, अगरचे हक़ीक़त में वह सच्चा ही हो। और जिसके बारे में ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा है वह वाक़ई ज़ानी हो, लेकिन चूँकि इसे इस ख़बर को बिना शहादत (गवाही और सुबूत के) फैलाना ठीक न था और इसने फैलाई तो झूठा ठहरा। वल्लाहु आलम।

यही वजह थी कि पहले उलेमा और बुज़ुर्गों की एक बड़ी जमाअ़त बिना इल्म के तफ़सीर करने से बहुत डरती थी। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. का फ़रमान है- मुझे कौनसी ज़मीन उठायेगी और कौनसा आसमान साया देगा अगर मैं क़ुरआन में वह कहूँ जो नहीं जानता। आप से एक मर्तबा अल्लाह तआ़ला के फ़रमान 'व फ़ाकि-हतंव्-व अब्बा' की तफ़सीर पूछी जाती है तो फ़रमाते हैं- मुझे कौनसा आसमान साया देगा और कौनसी ज़मीन उठायेगी जबकि मैं क़ुरआन में वह कहूँ जो नहीं जानता। यह रिवायत मुन्क़ता है।

एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. मिम्बर पर इसी आयत की तिलावत करते हैं, फिर फ़रमाते

हैं "फ़ाकिहतन्" को तो हम जानते हैं लेकिन यह "अब्ब" क्या चीज़ है? फिर ख़ुद ही फ़रमाते हैं कि ऐ उमर! इस तकलीफ़ में क्यों पड़ो? हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. के पास थे, आपकी क़मीज़ के पीछे चार पैवन्द लगे हुए थे, आपने इस आयत "व फ़ाकिहतन् व अब्बा" की तिलावत की और कहा कि "अब्ब" क्या चीज़ है? फिर फ़रमाने लगे इस तकलीफ़ की तुम्हें क्या ज़रूरत? इसके न जानने में क्या हर्ज है? मतलब यह है कि "अब्ब" के मायने तो मालूम हैं यानी 'चारा' 'ज़मीन की पैदावार' लेकिन उसकी कैफ़ियत का खुला हुआ इल्म नहीं। ख़ुद इसी आयत में मौजूद है:

فَاَنۡۢبَتۡنَا فِیۡهَا حَبًّا وَّعِنَبًا.

यानी हमने ज़मीन में अनाज और अंगूर उगा दिये।

इब्ने जरीर में सही सनद के साथ मरवी है कि इब्ने अबी मुलैका रह. फ़रमाते हैं- हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से किसी शख़्स ने एक आयत की तफ़सीर पूछी तो आपने कुछ बयान न फ़रमाया, हालाँकि अगर उसकी तफ़सीर तुममें से किसी से पूछी जाती तो फ़ौरन जवाब दे देते। दूसरी रिवायत में है कि एक शख़्स ने आपसे पूछा कि क़ुरआन में जो एक हज़ार साल के बराबर एक दिन का ज़िक्र है यह क्या है? आपने फ़रमाया और पचास हज़ार साल के बराबर के दिन का ज़िक्र है वह क्या है? उसने कहा मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने फ़रमाया ये दो दिन हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में किया है, इनका वास्तविक इल्म अल्लाह तआ़ला ही को है। ख़्याल फ़रमाईये कि इतने बड़े मुफ़स्सिर ने तफ़सीर में किस क़द्र एहतियात बरती, कि जिस बात का इल्म न था उसके बयान से साफ़ इनकार कर दिया।

तफ़सीर इब्ने जरीर में है कि हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से एक मर्तबा तलक़ बिन हबीब रज़ि. ने एक आयत की तफ़सीर पूछी तो फ़रमाने लगे कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें क़सम है अगर तुम यहाँ से चले न जाओ, या फ़रमाया अगर यहाँ बैठे रहो। हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. से क़ुरआन की किसी आयत की तफ़सीर पूछी जाती तो फ़रमाते हम क़ुरआन में कुछ नहीं कहते, आपकी यह मुबारक आ़दत थी कि जो कुछ मालूम होता उसी को क़ुरआन की तफ़सीर में बयान फ़रमाते। एक मर्तबा एक सवाल पर आपने फ़रमाया मुझसे क़ुरआन की तफ़सीर न पूछो, क़ुरआन की तफ़सीर उससे पूछो जो कहता है कि मुझ पर क़ुरआन की कोई आयत छुपी नहीं। यानी हज़रत इक्रिमा, यज़ीद बिन अबू यज़ीद कहते हैं कि हम हज़रत सईद बिन मुसैयब से हलाल व हराम के मसाईल पूछते थे, आप उनमें सबसे ज़्यादा आ़लिम नज़र आते लेकिन जब हम क़ुरआन की किसी आयत की तफ़सीर पूछते तो ऐसे ख़ामोश हो जाते गोया सुना ही नहीं। हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रह. फ़रमाते हैं- मैंने मदीना के बड़े-बड़े फ़क़ीहों (मसाईल जानने वाले उलेमा) को देखा कि क़ुरआन की तफ़सीर करते हुए झिझकते थे, जैसे हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह, क़ासिम बिन मुहम्मद, सईद बिन मुसैयब, नाफ़े रह. वग़ैरह। हज़रत हिशाम रह. फ़रमाते हैं- मैंने अपने वालिद उरवा रह. को किसी आयत की तफ़सीर करते हुए नहीं सुना, उबैदुल्लाह सलमानी रह. से क़ुरआन की एक आयत की तफ़सीर पूछी जाती है तो फ़रमाते हैं- जो लोग क़ुरआन की आयतों को जानते थे कि किस बारे में नाज़िल हुईं वे तो इस दुनिया को ख़ाली कर गये, अब तुम ठीक-ठाक और सीधे-साधे रहो। हज़रत मुस्लिम बिन यसार फ़रमाते हैं कि जब तुम किताबुल्लाह की तफ़सीर में कुछ कहना चाहो तो आगे पीछे देख लो, क्योंकि यह ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ निस्बत करके बात कहनी है। हज़रत इब्राहीम रह. फ़रमाते हैं कि हमारे सब साथी क़ुरआन की तफ़सीर को बड़ी चीज़ जानते थे और उसमें सख़्त एहतियात करते थे। शअ़बी

रह. फ़रमाते हैं- अगरचे मैंने क़ुरआने करीम की एक-एक आयत का इल्म हासिल कर लिया है फिर भी मैं कहते हुए झिझकता हूँ इसलिये कि यह अल्लाह तआ़ला से रिवायत करनी है। हज़रत मसरूक़ रह. का क़ौल है कि तफ़सीर में बेहद एहतियात करो, तफ़सीर तो अल्लाह तआ़ला से रिवायत (बात को नक़ल) करनी है।

इन तमाम और इन जैसे और सही अक़वाल का जो बुज़ुर्ग इमामों से मन्क़ूल हैं, यह मतलब है कि ये उलेमा-ए-किराम हरगिज़ हरगिज़ बग़ैर इल्म के क़ुरआन के मायने मतलब में मुँह नहीं खोलते थे। हाँ लुग़त के एतिबार से या शरीअ़त की रू से जो तफ़सीर मालूम हो उसके बयान करने में कोई हर्ज नहीं। इसी लिये ख़ुद इन बुज़ुर्गों के पाकीज़ा अक़वाल क़ुरआने करीम की तफ़सीर में बहुत ज़्यादा मरवी हैं। कोई यह न कहे कि जब ये बुज़ुर्ग क़ुरआन की तफ़सीर में इस दर्जा एहतियात से काम लेते थे और तफ़सीर बयान नहीं फ़रमाते थे फिर उनसे तफ़सीर मन्क़ूल क्यों है? जवाब इसका यह है कि ख़ामोश वहाँ रहते थे जहाँ नहीं जानते थे, और कहते उस जगह थे जहाँ का इल्म होता था और ये दोनों ही बातें हर एक पर वाजिब हैं, यानी बेइल्मी के वक़्त चुप रहना और इल्म को बयान करना। क़ुरआन फ़रमाता है:

لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ.

यानी उसे लोगों के सामने बयान करते रहो और छुपाओ नहीं।

हदीस शरीफ़ में है कि जिससे कोई मसला पूछा जाये और वह बावजूद जानने के उसे छुपाये, क़ियामत के दिन उसे आग की लगाम चढ़ाई जायेगी। इब्ने जरीर में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ुरआन की उन्हीं आयतों की तफ़सीर फ़रमाया करते थे जिनकी तफ़सीर जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम समझा जायें, लेकिन यह हदीस मुन्कर और ग़रीब है, और इसके रावी जाफ़र जो मुहम्मद बिन ख़ालिद बिन जुबैर बिन अ़व्वाम क़ुरैशी के लड़के हैं, उनके बारे में हज़रत इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि उनकी हदीस में मुताबअ़त नहीं की जाती। हाफ़िज़ अबुल-फ़तह अज़्दी रह. फ़रमाते हैं कि यह मुन्करुल-हदीस हैं, अगर यह हदीस सही हो तो भी इसका सही मतलब यह हो सकता है कि इससे मुराद वे आयतें हैं जिनके मायने अल्लाह तआ़ला के बतलाये बग़ैर मालूम नहीं हो सकते, ऐसी आयतों के मतालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम के ज़रिये मालूम करा दिये जाते थे।

इमाम अबू जाफ़र ने इस रिवायत के जो मायने बयान फ़रमाये हैं उसका ख़ुलासा भी यही है और यही मायने दुरुस्त भी हो सकते हैं, इसलिये कि क़ुरआन में ऐसी आयतें भी हैं जिनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को है और ऐसी आयतें भी हैं जिनका इल्म उलेमा हज़रात को है, और ऐसी आयतें भी हैं जो अ़रब लोग अपनी लुग़त (भाषा और मुहावरों) से समझ सकते हैं, और ऐसी भी हैं कि जिनके मायने मतलब इस तरह वाज़ेह हैं कि किसी का कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहता।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि तफ़सीर की चार क़िस्में हैं, एक तो कलामे अ़रब से मालूम हो जाती है, दूसरी वह जिसकी जहालत में कोई माज़ूर नहीं, तीसरी वह जिसे इल्म वाले लोग जान सकते हैं, चौथी वह जिसे ख़ुदा के सिवा कोई और नहीं जानता। एक मरफ़ूअ़ हदीस भी इस बारे में मरवी है लेकिन उसकी सनद में कलाम है। उसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआन का नुज़ूल चार तरीक़ पर हुआ है, हलाल हराम की आयतें जिनसे अगर कोई नावाक़िफ़ रहा तो उसका कोई उज़्र क़ियामत के दिन काम न आयेगा। वह तफ़सीर जिसे अ़रब के लोग बयान करें। वह तफ़सीर जो उलेमा हज़रात जान सकें और वे मुतशाबा आयतें जिनका असली इल्म सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी और को

हासिल नहीं। जो लोग उसके जानने का दावा करें वे झूठे हैं। इस हदीस की सनद में मुहम्मद बिन साईब कल्बी हैं जो मतरूकुल-हदीस हैं। हो सकता है कि उन्होंने मौक़ूफ़ रिवायत (यानी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. के क़ौल) को मरफ़ूअ़ हदीस समझ ली हो। वल्लाहु आलम।

सूरः फ़ातिहा

सूरः फ़ातिहा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें सात आयतें हैं।

सूरः फ़ातिहा की तफ़सीर और कुछ बुनियादी व मालूमाती बातें

हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि सूरः ब-क़रह, सूरः आले इमरान, सूरः निसा, सूरः मायदा, सूरः बराअत, सूरः रअ़द, सूरः नहल, सूरः हज, सूरः नूर, सूरः अहज़ाब, सूरः मुहम्मद, सूरः फ़तह, सूरः हुजुरात, सूरः रहमान, सूरः हदीद, सूरः मुजादला, सूरः हश्र, सूरः मुम्तहिना, सूरः सफ़्फ़, सूरः जुमुआ़, सूरः मुनाफ़िक़ून, सूरः तग़ाबुन, सूरः तलाक़, सूरः तहरीम, सूरः ज़िलज़ाल और सूरः नस्र, ये सब सूरतें तो मदीना शरीफ़ में नाज़िल हुईं और बाक़ी तमाम सूरतें मक्का शरीफ़ में नाज़िल हुईं। क़ुरआने करीम की तमाम आयतें छह हज़ार हैं, इससे ऊपर इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। बाज़ तो इस पर ज़्यादा नहीं बतलाते। बाज़ दो सौ चार आयतें छह हज़ार से ज़ायद बतलाते हैं। बाज़ दो सौ चौदह आयतें, बाज़ दो सौ उन्नीस, बाज़ दो सौ पच्चीस, बाज़ दो सौ छब्बीस।

अबू अ़मर दानी ने अपनी किताब 'अल-बयान' में यह सब लिखा है। क़ुरआन शरीफ़ के कलिमात के बारे में हज़रत अ़ता बिन यसार फ़रमाते हैं कि सत्तर हज़ार चार सौ उन्तालीस कलिमात हैं। हुरूफ़ की गिनती के बारे में हज़रत मुजाहिद रह. से मरवी है कि क़ुरआन शरीफ़ के तमाम हुरूफ़ तीन लाख इक्कीस हज़ार एक सौ अस्सी हैं। फ़ज़्ल बिन अ़ता बिन यसार फ़रमाते हैं कि तमाम हुरूफ़ तीन लाख तेईस हज़ार पन्द्रह हैं। हज्जाज ने अपने ज़माने में क़ारियों हाफ़िज़ों और कातिबों को जमा करके मालूम किया कि क़ुरआन करीम के हुरूफ़ गिनती करके मुझे बतलाओ तो सबने हिसाब करके बिल-इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति से) कहा कि तीन लाख चालीस हज़ार सात सौ चालीस हुरूफ़ हैं। फिर हज्जाज ने कहा अच्छा हुरूफ़ के एतिबार से आधा क़ुरआन शरीफ़ कहाँ होता है? तो हिसाब से मालूम हुआ कि सूरः कहफ़ में "वल्य-तलत्तफ़" की "फ़" पर ठीक आधा क़ुरआन होता है और सूरः बराअत की सौ आयतों पर क़ुरआने करीम का पहला तिहाई हिस्सा हुरूफ़ के एतिबार से ख़त्म होता है, और दूसरी तिहाई सूरः शुअ़रा की सौ आयत के सिरे पर या एक सौ एक आयत के सिरे पर ख़त्म होती है, और तीसरी तिहाई आख़िर तक। और अगर मन्ज़िलों का शुमार किया जाये, यानी सात हिस्से क़ुरआने करीम के किये जायें तो पहली मन्ज़िल "सद्द" की "दाल" पर ख़त्म होती है जो इस आयत में है:

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ.

(सूरः निसा आयत 55) और दूसरी मन्ज़िल "हबितत्" की "त" पर ख़त्म होती है जो सूरः आराफ़ की आयत "उलाइ-क हबितत्" (सूरः आराफ़ आयत 147) में है और तीसरी मन्ज़िल "उकुलहा" के आख़िरी "अलिफ़" पर जो सूरः रअ़द (सूरः रअ़द आयत 35) में है और चौथी मन्ज़िल "जअ़ल्ना" के "अलिफ़" पर जो सूरः हज की आयत "जअ़ल्ना मन्सकन्" (सूरः हज आयत 67) में है और पाँचवीं मन्ज़िल

''मुअ्मिनतुन'' की ''ह'' पर जो सूरः अहज़ाब में आयत 'व मा का-न लिमुअ्मिनिंव्-व ला मुअ्मिनतिन्' (सूरः अहज़ाब आयत 36) में है और छठी मन्ज़िल ''अस्सौ-इ'' की ''वाव'' पर जो सूरः फ़तह की आयत 'अज़्ज़ान्नी-न बिल्लाहि ज़न्नस्सौ-इ' (सूरः फ़तह आयत 6) में है और सातवीं मन्ज़िल क़ुरआन पाक के ख़ात्मे पर है। अबू मुहम्मद सलाम का बयान है कि हमने चार महीने की लगातार मेहनत से ये सब बातें मालूम करके हज्जाज को बताईं। हज्जाज को मालूम था कि हर रात पाव क़ुरआन शरीफ़ पढ़ा करता था, इस लिहाज़ से पाव क़ुरआन शरीफ़ सूरः अन्आ़म के ख़ात्मे (समापन) पर होता है और आधा सूरः कहफ़ के लफ़्ज़ ''वल्य-तलत्तफ़'' पर और पौना सूरः ज़ुमर के ख़ात्मे (समापन) पर और पूरा पूरे क़ुरआन पर।

शैख़ अबू अ़मर दानी ने अपनी किताब 'अल-बयान' में इन बातों में भी इख़्तिलाफ़ नक़ल किया है। रहे क़ुरआन शरीफ़ के पढ़ने के एतिबार से हिस्से और अज्ज़ा, सौ मशहूर तो तीस पारे हैं। और एक हदीस में सहाबा किराम रज़ि. का क़ुरआने करीम को सात मन्ज़िलें करके पढ़ने का बयान है। मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुबारक ज़िन्दगी में सहाबा रज़ि. से पूछा गया कि आप क़ुरआने करीम के वज़ीफ़े किस तरह करते हैं? तो फ़रमाया कि पहली तीन सूरतों की एक मन्ज़िल, फिर उनके बाद की पाँच सूरतों की दूसरी मन्ज़िल, फिर उनके बाद की सात सूरतों की तीसरी मन्ज़िल, फिर उनके बाद की नौ सूरतों की चौथी मन्ज़िल, फिर उनके बाद की ग्यारह सूरतों की पाँचवीं मन्ज़िल, फिर उनके बाद की तेरह सूरतों की छठी मन्ज़िल और मुफ़स्सल की यानी सूरः ''क़ाफ़'' से लेकर आख़िर तक एक मन्ज़िल।

लफ़्ज़ 'सूरत' की तहक़ीक़

सूरत (सूरः) की लफ़्ज़ी बहस के बयान में बाज़ तो कहते हैं कि इसके मायने अ़लैहदगी, बुलन्दी के हैं। चुनाँचे नाबिग़ा के एक शे'र में सूरत का लफ़्ज़ इस मायने में आया है, तो इस मायने का ताल्लुक़ क़ुरआन की सूरतों के साथ इस तरह होगा कि गोया क़ुरआन का पढ़ने वाला एक मन्ज़िल से दूसरी मन्ज़िल की तरफ़ जाता रहता है। और यह भी कहा गया है कि यह शराफ़त और ऊँचाई के मायने में है, इसी लिये शहर-पनाह (शहर के चारों तरफ़ हिफ़ाज़त के लिये जो चारदीवारी बना ली जाती थी) को अ़रबी में ''सूर'' कहते हैं। और बाज़ कहते हैं कि बरतन में जो हिस्सा बाक़ी रह जाये उसे अ़रबी में ''असाविरा'' कहते हैं और सूरत का लफ़्ज़ इसी से लिया गया है। चूँकि सूरत भी क़ुरआन का एक हिस्सा और टुकड़ा होती है। एक क़ौल यह भी है कि सूरत के मायने तमाम व कमाल के हैं, पूरी ऊँटनी को अ़रबी ज़बान में सूरत कहते हैं, और यह भी मुम्किन है कि जिस तरह क़िले को अ़रबी में इसलिये सूर कहते हैं कि महलों और घरों का इहाता (घेराव) कर लेता है और उन्हें जमा कर लेता है इसी तरह चूँकि आयतों को सूरत जमा कर लेती है और उनका इहाता कर लेती है, इसको भी 'सूरत' कहा गया।

'आयत' को आयत इस वजह से कहते हैं कि आयत के लफ़्ज़ी मायने अ़लामत और निशान के हैं। चूँकि आयत पर कलाम ख़त्म होता है और पहला मज़मून बाद के से अलग होता है इसलिये उसे आयत कहते हैं। क़ुरआन में भी आयत अ़लामत और निशान के मायने में इरशाद हैः

إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ

यानी उसके बादशाह होने की निशानी और अ़लामत।

इसी तरह नाबिग़ा के शे'र में भी आयत इसी मायने में है। आयत के मायने जमाअ़त और गिरोह के भी आते हैं। अ़रब के शे'रों में यह लफ़्ज़ इस मायने में भी आया है। चूँकि आयत भी हुरूफ़ की एक जमाअ़त और गिरोह है इस रियायत से उसे भी आयत कहते हैं। इसी तरह आयत के मायने अ़जीब के भी हैं, चूँकि यह अ़जीब चीज़ है, मोजिज़ा है, तमाम इनसान इस जैसी बात नहीं कह सकते इसलिये भी इसे आयत कहते हैं।

'कलिमा' कहते हैं एक लफ़्ज़ को। कभी तो उसके दो ही हुरूफ़ होते हैं जैसे "मा" और "ला" और "लहू" वग़ैरह, और कभी ज़्यादा भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दस हुरूफ़ एक कलिमे में होते हैं। जैसे 'ल-यस्तख़्लिफ़न्नहुम' 'अनुल्ज़िमुकुमूहा' फ़-अस्क़ैनाकुमूहा'। और कभी एक ही कलिमे की एक आयत होती है जैसे "वल्-फ़ज्रि" और "वज़्ज़ुहा" और "वल्-अ़स्रि" और इसी तरह "अलिफ़-लाम्-मीम्" और "तॉ-हा" और "यासीन" और "हा-मीम्"। कूफ़ियों के क़ौल में और "हा-मीम् ऐन-सीन्-क़ाफ़" उनके नज़दीक दो कलिमे हैं, और इनके अ़लावा और लोग कहते हैं कि ये आयतें नहीं बल्कि सूरतों का आरम्भ है। अबू अ़मर दानी फ़रमाते हैं कि एक कलिमे की आयत क़ुरआने करीम में सिवाय "मुदाहम्मतान" के जो सूरः रहमान में है और कोई नहीं।

फ़स्लः इमाम क़ुर्तुबी फ़रमाते हैं कि अ़रबी ज़बान के अ़लावा अ़जमी (ग़ैर-अ़रबी) तरकीब तो क़ुरआन में है ही नहीं, अलबत्ता "अ़जमी" (ग़ैर-अ़रबी) नाम हैं। जैसे, इब्राहीम, नूह, लूत। और इसमें इख़्तिलाफ़ है कि क्या क़ुरआन में इसके अ़लावा भी कुछ अ़जमी है, तो बाक़िलानी और तबरी ने तो साफ़ इनकार कर दिया है, और कह दिया है कि अ़जमियत (ग़ैर-अ़रबी) के मुताबिक़ जो है वह हक़ीक़त में अ़रबी ही है, लेकिन (ग़ैर-अ़रबी के साथ उसकी) मुवाफ़क़त (यानी वह बज़ाहिर ग़ैर-अ़रबी दिखता) है।

तफ़सीर सूरः फ़ातिहा

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" इस सूरत का नाम सूरः फ़ातिहा है। फ़ातिहा कहते हैं शुरू करने को। चूँकि क़ुरआन में सबसे पहले यही सूरत लिखी है इसलिये इसे सूरः फ़ातिहा कहते हैं और इसलिये भी कि नमाज़ में किराअ़त भी इसी से शुरू होती है। इसका नाम "उम्मुल-किताब" भी है। जमहूर यही कहते हैं। हसन और इब्ने सीरीन इसके क़ायल नहीं, वह कहते हैं कि लौहे-महफ़ूज़ का नाम "उम्मुल-किताब" है, और हसन रह. का क़ौल है कि मोहकम आयतों को "उम्मुल-किताब" कहते हैं। तिर्मिज़ी की एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन........' (पूरी सूरत) यही सूरत "अम्मुल-क़ुरआन" और "उम्मुल-किताब" है, और "सबअ़े-मसानी" है और "क़ुरआने अ़ज़ीम" है और इस सूरत का नाम "सूरतुल-हम्द" और "सूरतुस्सलात" भी है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है- मैंने 'सलात' (यानी सूरः फ़ातिहा) को अपने और अपने बन्दे के दरमियान आधों-आध तक़सीम कर दिया है। जब बन्दा कहता है "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़लमीन" तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। (यह एक लम्बी हदीस है)

इस हदीस से मालूम हुआ कि "सूरः फ़ातिहा" का नाम "सलात" भी है, इसलिये कि इस सूरत का नमाज़ में पढ़ना शर्त है। इस सूरत का नाम "सूरतुश्शिफ़ा" भी है। दारमी में हज़रत अबू सईद से मरफ़ूअ़न रिवायत है कि "सूरः फ़ातिहा" हर ज़हर की शिफ़ा है और इसका नाम "सूरतुर्रुक़्या" भी है। हज़रत अबू सईद रज़ि. ने जब साँप के काटे हुए शख़्स पर इस सूरत को पढ़कर दम किया और वह अच्छा हो गया तब

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया था तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि यह रुक़्या है, यानी पढ़कर फूँकने की सूरत है? इब्ने अ़ब्बास रज़ि. इसे असासुल-क़ुरआन कहते थे यानी क़ुरआन की जड़ और नींव, और इस सूरत की नींव "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" है। सुफ़ियान बिन उयैना रह. फ़रमाते हैं कि इसका नाम वाफ़िया है। यहया बिन कसीर रह. कहते हैं कि इसका नाम काफ़िया भी है, इसलिये कि यह अपने अ़लावा हर चीज़ से किफ़ायत करती है और दूसरी कोई सूरत इस सूरत से किफ़ायत नहीं करती।

बाज़ मुर्सल हदीसों में भी यह मज़मून आया है कि "अम्मुल-क़ुरआन" सब का एवज़ (बदल) बन सकती है लेकिन "अम्मुल-क़ुरआन" का "ग़ैर उम्मुल-क़ुरआन" एवज़ (बदल) नहीं हो सकता। इसे "सूरतुस्सलात" और "सूरतुल-कन्ज़" भी कहा गया है। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी की तफ़सीर 'कश्शाफ़' देखिये। इब्ने अ़ब्बास रज़ि., क़तादा, अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि यह सूरत मक्की है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि., मुजाहिद रह., अ़ता बिन यसार रह., ज़ोहरी रह. फ़रमाते हैं कि यह सूरत मदनी है और यह भी एक क़ौल है कि यह सूरत दो मर्तबा नाज़िल हुई, एक मर्तबा मक्का में और दोबारा मदीना में, लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा ठीक है। इसलिये कि दूसरी आयत में है:

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ.

यानी हमने तुम्हें "सबअ़े-मसानी" (सात आयतें दोहराई जाने वाली) दी हैं। वल्लाहु आलम।

अबुल-लैस समरक़न्दी रह. का एक क़ौल इमाम क़ुर्तुबी रह. ने यह भी नक़ल किया है कि इस सूरत का आधा हिस्सा तो मक्का शरीफ़ में नाज़िल हुआ और आख़िरी आधा हिस्सा मदीना शरीफ़ में नाज़िल हुआ, लेकिन यह क़ौल बिल्कुल ग़रीब है।

इसकी आयतों के बारे में इत्तिफ़ाक़ (यानी सब की एक राय) है कि सात हैं, लेकिन अ़मर बिन उबैद ने आठ और हुसैन जोफ़ी ने छह भी कही हैं और ये दोनों क़ौल शाज़ (ग़ैर-मशहूर और ग़ैर-मक़बूल) हैं।

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" इस सूरत की मुस्तक़िल आयत है या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। तमाम कूफ़ी क़ारी, सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और ताबिईन रह. की एक जमाअ़त और पिछले बहुत सारे बुज़ुर्ग तो इसे सूरः फ़ातिहा की अव्वल की एक पूरी और मुस्तक़िल आयत कहते हैं। बाज़ इसे उसका हिस्सा और जुज़ मानते हैं, और बाज़ सिरे से इस आयत को उसके शुरू में मानते ही नहीं, जैसा कि मदीना शरीफ़ के क़ारियों और फ़क़ीहों के ये तीनों क़ौल हैं। इसकी तफ़सील इन्शा-अल्लाह आगे आयेगी। इस सूरत के कलिमात पच्चीस और हुरूफ़ एक सौ तेरह हैं। इमाम बुख़ारी किताबुत्तफ़सीर के शुरू में सही बुख़ारी में लिखते हैं कि उम्मुल-किताब इस सूरत का नाम इसलिये है कि क़ुरआन शरीफ़ की किताब इसी से शुरू होती है और नमाज़ की किराअ़त भी इसी से शुरू होती है। एक क़ौल यह भी है कि चूँकि तमाम क़ुरआन शरीफ़ की किताब इसी से शुरू होती है और नमाज़ की क़िराअत भी इसी से शुरू होती है। एक क़ौल यह भी है कि चूँकि तमाम क़ुरआन शरीफ़ के मज़ामीन मुख़्तसर तौर पर इसमें हैं इसलिये इसका नाम "उम्मुल-किताब" है, और अ़रब वालों की आ़दत है कि हर एक जामे काम और काम की जड़ को जिसकी शाख़ें और हिस्से उसी के ताबे हों "उम्म" कहते हैं। देखिये "उम्मुर्रास" वह उस जिल्द (खाल) को कहते हैं जो दिमाग़ की जामे है, और लश्करी झण्डे और निशान को भी जिसके नीचे लोग जमा होते हैं "उम्म" कहते हैं। शायरों के अश्आ़र में भी इसका सुबूत मिलता है। मक्का शरीफ़ को "उम्मुल-क़ुरा" कहने की भी यही वजह है कि वह सबसे पहले है और सब का जामे है, ज़मीन वहीं से फैलाई गयी है।

चूँकि इससे नमाज़ की क़िराअत शुरू होती है और क़ुरआन शरीफ़ के लिखने के वक़्त भी सहाबा रज़ि. ने इसी को पहले लिखा इसलिये इसे फ़ातिहा भी कहते हैं। इसका एक नाम सही सबअ़े-मसानी भी है इसलिये कि यह बार-बार नमाज़ में पढ़ी जाती है। हर रकअ़त में इसे पढ़ा जाता है और 'मसानी' के मायने और भी हैं जो इन्शा-अल्लाह अपनी जगह बयान होंगे। वल्लाहु आलम।

मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उम्मुल-क़ुरआन के बारे में फ़रमाया- यह "उम्मुल-क़ुरआन" है, यही 'सबअ़े-मसानी' है और यही 'क़ुरआने अ़ज़ीम' है। एक और हदीस में है कि यही 'उम्मुल-क़ुरआन' की सात आयतें हैं 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' भी उनमें से एक आयत है। इसी का नाम सबअ़े-मसानी है, यही क़ुरआने अ़ज़ीम है, यही "उम्मुल किताब" है, यही "फ़ातिहतुल-किताब" है। दारे क़ुतनी में भी इसी तरह की एक हदीस है और बक़ौल इमाम दारे क़ुतनी इसके सब रावी सिक़ा (मोतबर और क़ाबिले भरोसा) हैं। बैहक़ी में है कि हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने सबअ़े-मसानी की तफ़सीर में यही कहा है कि वह सूरः फ़ातिहा है और "बिस्मिल्लिाहिर्रहमानिर्रहीम" उसकी सातवीं आयत है। "बिस्मिल्लाह" की बहस में यह बयान पूरा आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से कहा गया कि आपने सूरः फ़ातिहा को अपने लिखे हुए क़ुरआन शरीफ़ के शुरू में क्यों नहीं लिखा? तो कहा अगर मैं लिखता तो फिर हर सूरत से पहले इसको लिखता। अबू बक्र बिन दाऊद रह. फ़रमाते हैं- इस क़ौल का मतलब यह है कि नमाज़ में पढ़े जाने की हैसियत से और चूँकि तमाम मुसलमानों को हिफ़्ज़ है इसलिये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 'दलाईलुन्नुबुव्वत' में इमाम बैहक़ी रह. ने एक हदीस बयान की है जिसमें है कि यह सूरत सबसे पहले नाज़िल हुई। बाक़िलानी ने नक़ल किया है कि एक क़ौल यह है कि सूरः फ़ातिहा सबसे पहले नाज़िल हुई और दूसरा क़ौल यह है कि "या अय्युहल् मुद्दस्सिर" सबसे पहले नाज़िल हुई जैसा कि सही हदीस में हज़रत जाबिर रज़ि. से मरवी है, और तीसरा क़ौल यह है कि सबसे पहले "इक़्रअ् बिस्मि......." नाज़िल हुई, और यही सही है। इसकी तफ़सील आगे आयेगी, इन्शा-अल्लाह।

सूरः फ़ातिहा की फ़ज़ीलत

मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद बिन मुअ़ल्ला रज़ि. से मरवी है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे बुलाया, मैंने कोई जवाब न दिया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ होकर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया- अब तक किस काम में थे? मैंने कहा हुज़ूर! मैं नमाज़ में था। आपने फ़रमाया क्या अल्लाह का यह फ़रमान तुमने नहीं सुना?

يَـآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوااسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَادَعَاكُمْ لِمَايُحْيِيْكُمْ.

ऐ ईमान वालो! अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तुम जवाब दो।

अच्छा सुनो मैं तुम्हें मस्जिद में जाने से पहले ही बता दूँगा कि क़ुरआन पाक में सबसे बड़ी सूरत कौनसी है? फिर मेरा हाथ पकड़े हुए जब आपने मस्जिद में जाने का इरादा किया तो मैंने आपका वायदा याद दिलाया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया वह सूरत "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन" है। यही सबअ़े-मसानी है और यही वह क़ुरआने अ़ज़ीम है जो मुझको दिया गया है। इसी तरह यह रिवायत

सही बुख़ारी शरीफ़, अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा में भी दूसरी सनदों के साथ है। वाक़िदी ने यह वाक़िआ हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. का बयान किया है। मुवत्ता इमाम मालिक रह. में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. को आवाज़ दी, वह नमाज़ में थे, फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मिले। फ़रमाते हैं कि आपने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा मस्जिद से बाहर निकल ही रहे थे कि फ़रमाया- मैं चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुझे ऐसी एक सूरत बताऊँ कि तौरात, इन्जील और क़ुरआन में उसके जैसी नहीं। अब मैंने इस उम्मीद पर आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू कर दिया और पूछा हुज़ूर! वह सूरत क्या है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ के शुरू में तुम क्या पढ़ते हो? मैंने कहा "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन.........." (पूरी सूरत)। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया वह यही सूरत है, सबअ़े-मसानी और क़ुरआने अ़ज़ीम जो मुझे दिया गया है वह भी यही है। इस हदीस के आख़िरी रावी अबू सईद रह. हैं, इस बिना पर इब्ने असीर और उनके साथ वाले यहाँ धोखा खा गये हैं। वे उन्हें अबू सईद बिन मुअ़ल्ला समझ बैठे हैं, यह अबू सईद दूसरे हैं, यह मौला ख़ुज़ाई हैं और ताबिईन में से हैं, और वह अबू सईद अन्सारी सहाबी हैं, उनकी हदीस मुत्तसिल और सही है और यह हदीस ज़ाहिर में मुन्क़ता मालूम होती है। अगर अबू सईद ताबिई का हज़रत उबई से सुनना साबित न हो, और अगर सुना हो तो यह हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त पर है। वल्लाहु आलम।

इस हदीस की और भी बहुत सी सनदें हैं। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब उन्हें पुकारा तो यह नमाज़ में थे, तवज्जोह की मगर जवाब न दिया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फिर पुकारा, हज़रत उबई रज़ि. ने नमाज़ हल्की कर दी और फ़ारिग़ होकर जल्दी से ख़िदमत में हाज़िर हुई। सलामु अ़लैक अ़र्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जवाब देकर फ़रमाया उबई! तुमने मुझे जवाब क्यों न दिया? कहा हुज़ूर मैं नमाज़ में था। आपने वही आयत पढ़कर फ़रमाया क्या तुमने यह आयत नहीं सुनी? कहा हुज़ूर क़सूर हुआ, अब ऐसा न करूँगा। आपने फ़रमाया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत बता दूँ कि तौरात, इन्जील, ज़बूर और क़ुरआन में उस जैसी सूरत नहीं। कहा ज़रूर इरशाद फ़रमाईये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया यहाँ से जाने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरा हाथ थामे हुए दूसरी बातें करते रहे और मैंने अपनी रफ़्तार धीमी कर दी कि ऐसा न हो वह बात रह जाये और बाहर चले जायें। आख़िर जब दरवाज़े के क़रीब पहुँच गये तो मैंने आपको वायदा याद दिलाया। आपने फ़रमाया नमाज़ में क्या पढ़ते हो? मैंने "उम्मुल् क़ुरआन" पढ़कर सुनाई। आपने फ़रमाया ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इन्जील, ज़बूर और क़ुरआन में इस जैसी कोई और सूरत नहीं। यह सबअ़े-मसानी है। तिर्मिज़ी में इतनी ज़्यादती और भी है कि यही वह बड़ा क़ुरआन है जो मुझे अ़ता फ़रमाया गया है। यह हदीस हसन सही है।

हज़रत अनस रज़ि. से भी इस बारे में एक हदीस मरवी है। मुस्नद अहमद की एक लम्बी हदीस में भी इसी तरह मरवी है। नसाई की रिवायत में ये अलफ़ाज़ भी हैं कि यह सूरत अल्लाह तआ़ला और बन्दे के दरमियान तक़सीम कर दी गयी है। तिर्मिज़ी इसे हसन ग़रीब कहते हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया, आप उस वक़्त इस्तिन्जे से फ़ारिग़ हुए ही थे, मैंने तीन मर्तबा सलाम किया लेकिन आपने एक दफ़ा भी जवाब न दिया। अब आप घर में तशरीफ़ ले गये, मैं ग़म व रंज की हालत में मस्जिद में चला गया, थोड़ी देर में आप

तहारत करके तशरीफ़ लाये और तीन मर्तबा मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर फ़रमाया ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन जाबिर! सुनो सारे क़ुरआन में बेहतरीन सूरत "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन........" है। इसकी सनद बहुत उम्दा है। इब्ने अ़क़ील जो इसका रावी है उसकी हदीस बड़े-बड़े इमाम रिवायत करते हैं और यह जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से मुराद सहाबी हैं, इब्ने जौज़ी का यही क़ौल है। वल्लाहु आलम। हाफ़िज़ इब्ने अ़साकिर रह. का क़ौल है कि यह अ़ब्दुल्लाह बिन जाबिर अन्सारी बयाज़ी रज़ि. हैं।

क़ुरआनी आयतें व सूरतें और उनकी आपसी फ़ज़ीलत

यह हदीस और इस जैसी और हदीसों से इस्तिदलाल (दलील पकड़) करके इब्ने राहवैह, अबू बक्र बिन अ़रबी, इब्ने हिज़ार वग़ैरह अक्सर उलेमा ने कहा है कि बाज़ आयतें और बाज़ सूरतें बाज़ पर फ़ज़ीलत रखती हैं, और एक दूसरी जमाअ़त का ख़्याल है कि कलामुल्लाह तमाम का तमाम बराबर है, एक को एक पर फ़ज़ीलत देने से यह क़बाहत (दिक़्क़त और परेशानी) होगी कि दूसरी आयतें और सूरतें उससे कम दर्जे की नज़र आयेंगी, हालाँकि कलामुल्लाह सारा का सारा फ़ज़ीलत वाला है। इमाम क़ुर्तुबी ने अश्अ़री, अबू बक्र बाक़िलानी, अबू हातिम, इब्ने हिब्बान, बुस्ती, अबू हब्बान और यहया बिन यहया से यही नक़ल किया है। इमाम मालिक रह. से भी एक रिवायत में यह मज़हब मन्क़ूल है (लेकिन सही और मुताबिक़े हदीस पहला क़ौल है। वल्लाहु आलम। उर्दू अनुवादक)

सूरः फ़ातिहा के फ़ज़ाईल में ऊपर बयान हुई हदीसों के अ़लावा और हदीसें भी हैं। सही बुख़ारी शरीफ़ फ़ज़ाईलुल-क़ुरआन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. से रिवायत है कि हम एक मर्तबा सफ़र में थे, एक जगह उतरे हुए थे अचानक एक बाँदी आयी और कहा कि यहाँ क़बीले के सरदार को साँप ने काट खाया है हमारे आदमी यहाँ मौजूद नहीं, आप में से कोई ऐसा है कि झाड़-फूँक कर दे? हममें से एक शख़्स उठकर साथ हो लिया। हम नहीं जानते थे कि यह कुछ झाड़-फूँक भी जानता है। उसने वहाँ जाकर कुछ पढ़कर दम किया, ख़ुदा के फ़ज़्ल से वह बिल्कुल अच्छा हो गया। तीस बकरियाँ उसने दीं और हमारी मेहमानी के लिये दूध भी बहुत सारा भेजा। जब वह वापस आये तो हमने कहा कि क्या तुमको इसका इल्म याद था? उसने कहा मैंने सिर्फ़ सूरः फ़ातिहा पढ़कर दम किया है, हमने कहा इस आये हुए माल को अभी न छेड़ो, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मसला पूछ लो। मदीना में आकर हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया, आपने फ़रमाया इसे कैसे मालूम हो गया कि यह पढ़कर दम करने की सूरत है? इस माल के हिस्से कर लो, मेरा भी एक हिस्सा लगाना। सही मुस्लिम शरीफ़ और अबू दाऊद में भी यह हदीस है। मुस्लिम की बाज़ रिवायतों में है कि दम करने वाले हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. ही थे।

मुस्लिम और नसाई में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आयी। जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फ़रमाया आज आसमान का वह दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आता है और कहता है ख़ुश हो जाईये दो नूर आपको ऐसे दिये गये हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिये गये। सूरः फ़ातिहा और सूरः ब-क़रह की आख़िरी आयतें। एक-एक हर्फ़ पर इनमें से नूर है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अपनी नमाज़ में उम्मुल-क़ुरआन न पढ़े उसकी नमाज़ नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, पूरी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से

पूछा गया कि जब हम इमाम के पीछे हों तो? फ़रमाया चुपके-चुपके पढ़ लिया करो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है आप फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, मैंने नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के दरमियान आधों-आध कर दिया है और मेरा बन्दा मुझसे जो माँगता है वह मैं देता हूँ। जब बन्दा कहता है "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन" तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है "हमि-दनी अ़ब्दी" मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। फिर बन्दा कहता है "अर्रह्मानिर्रहीम" अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है "अस्नी अ़लय्-य अ़ब्दी" मेरे बन्दे ने मेरी सना बयान की। फिर बन्दा कहता है "मालिकि यौमिद्दीन" अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है "मज्ज-दनी अ़ब्दी" यानी मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बाज़ रिवायतों में है कि अल्लाह तआ़ला इसके जवाब में फ़रमाता है "फ़व्व-ज़ इलय्-य अ़ब्दी" यानी मेरे बन्दे ने मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर बन्दा कहता है "इय्या-क नअ़्बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन" अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है यह है मेरे और मेरे बन्दे के दरमियान, और मेरा बन्दा मुझसे जो माँगेगा मैं दूँगा। फिर बन्दा सूरत के आख़िर तक पढ़ता है, अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है यह सब मेरे बन्दे के लिये है और यह जो माँगेगा वह इसके लिये है। नसाई में यह रिवायत है। बाज़ रिवायात के अलफ़ाज़ में कुछ इख़्तिलाफ़ (भिन्नता) भी है। तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। अबू ज़ुरआ़ ने इन्हें सही कहा है। मुस्नद अहमद में भी यह हदीस तफ़सील से मौजूद है। इसके रावी हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. हैं। इब्ने जरीर की एक रिवायत में इस हदीस में ये अलफ़ाज़ भी हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- यह मेरे लिये है और जो बाक़ी है वह मेरे बन्दे के लिये है। यह हदीस ग़रीब है।

हदीस के फ़ायदे

अब इस हदीस के फ़ायदों पर नज़र डालिये। अव्वल इस हदीस में लफ़्ज़ 'सलात' यानी नमाज़ का इतलाक़ है और मुराद इससे क़िराअत है, जैसा कि क़ुरआन में एक और जगह पर है:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ...... الخ.

यानी अपनी नमाज़ (यानी क़िराअत) को न तो बहुत बुलन्द आवाज़ से पढ़ो न बहुत पस्त आवाज़ से, बल्कि दरमियानी आवाज़ से पढ़ा करो।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इसकी तफ़सीर में वज़ाहत के साथ रिवायत है कि यहाँ सलात से मुराद नमाज़ की क़िराअत का आला रुक्न है, इसलिये कि इबादत का मुतलक़ नाम लिया गया और उसके एक जुज़ (हिस्से) यानी क़िराअत का इरादा किया गया। यह भी ख़्याल रहे कि इसके उलट ऐसा भी हुआ है कि क़िराअत का इतलाक़ (हुक्म) किया गया और मुराद नमाज़ ली गयी। अल्लाह का फ़रमान है:

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ.......... الخ.

यानी सुबह के क़ुरआन पर फ़रिश्ते हाज़िर किये जाते हैं।

यहाँ क़ुरआन से मुराद नमाज़ है। सहीहैन की हदीस में है कि फ़जर की नमाज़ के वक़्त रात के और दिन के फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं। इन आयतों व हदीसों से यह मालूम हुआ कि नमाज़ में क़िराअत का पढ़ना ज़रूरी है और उलेमा हज़रात का भी इस पर इत्तिफ़ाक़ है। दूसरे इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि नमाज़ में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना ही ज़रूरी है या क़ुरआन में से जो कुछ पढ़ ले वही काफ़ी है? इमाम अबू हनीफ़ा रह. और उनके साथी वग़ैरह तो कहते हैं कि इसी का पढ़ना मुतैयन नहीं, बल्कि क़ुरआन में से जो

कुछ पढ़ लेगा काफ़ी होगा। उनकी दलील यह आयत हैः

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

यानी क़ुरआन में से जो आसान हो पढ़ लो।

सहीहैन की हदीस है जिसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक उस शख़्स को जो नमाज़ को जल्दी-जल्दी पढ़ रहा था फ़रमाया- जब तू नमाज़ के लिये खड़ा हो तो तकबीर कह, फिर जो क़ुरआन में से तुझे आसान नज़र आये पढ़। वे कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का उस शख़्स को यह फ़रमाना और सूरः फ़ातिहा को मुतैयन न करना बता रहा है कि जो कुछ क़ुरआन पढ़ ले काफ़ी है। दूसरा क़ौल यह है कि सूरः फ़ातिहा ही का पढ़ना ज़रूरी है और इसके पढ़े बग़ैर नमाज़ न होगी, इनके अ़लावा और सब इमामों का यही क़ौल है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल रह. और उनके सब के सब शागिर्द वग़ैरह और जमहूर उलेमा-ए-किराम का यही फ़रमान है। उनकी दलील यह हदीस शरीफ़ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाई है कि जो शख़्स नमाज़ पढ़े चाहे कोई नमाज़ हो और उसमें उम्मुल-क़ुरआन न पढ़े वह नमाज़ नाक़िस है पूरी नहीं। इसी तरह इन हज़रात की यह दलील भी है जो सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सूरः फ़ातिहा को न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं है। सही इब्ने ख़ुज़ैमा और सही इब्ने हिब्बान में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह नमाज़ नहीं होती जिसमें उम्मुल-क़ुरआन न पढ़ी जाये। इनके अ़लावा और भी बहुत-सी हदीसें हैं हमें यहाँ पर मुनाज़रे का पहलू इख़्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बहुत लम्बी बहसें हैं, हमने तो मुख़्तसर तौर पर उन बुज़ुर्गों की दलीलें बयान कर दीं।

अब यह भी सुन लीजिए कि इमाम शाफ़ई रह. वग़ैरह उलेमा-ए-किराम की एक बड़ी जमाअ़त का तो यह मज़हब है कि सूरः फ़ातिहा का हर-हर रक्अ़त में पढ़ना वाजिब है, और लोग कहते हैं कि अक्सर रक्अ़तों में पढ़ना वाजिब है। हसन बसरी और अक्सर बसरा के लोग कहते हैं कि नमाज़ों में से किसी एक रक्अ़त में इसका पढ़ लेना वाजिब है, इसलिये कि हदीस में नमाज़ का ज़िक्र मुत्लक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रह., उनके साथी, सुफ़ियान सौरी रह. और इमाम औज़ाई रह. कहते हैं कि इसका पढ़ना मुतैयन ही नहीं बल्कि और कुछ भी पढ़ ले तो काफ़ी है। क्योंकि क़ुरआन में "मा तयस्स-र" (जो आसान हो) का लफ़्ज़ है। वल्लाहु आलम। लेकिन यह ख़्याल रहे कि इब्ने माजा की हदीस में है कि जो शख़्स फ़र्ज़ वग़ैरह नमाज़ की हर-हर रक्अ़त में सूरः फ़ातिहा और सूरत न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं, अलबत्ता इस हदीस के सही होने में नज़र (कलाम) है। और इन सब बातों की तफ़सील को अहकाम व मसाईल की बड़ी-बड़ी किताबों में बयान किया गया है। वल्लाहु आलम।

तीसरे मुक़्तदी पर सूरः फ़ातिहा के वाजिब होने के मसले में उलेमा हज़रात के तीन क़ौल हैं, एक तो यह कि सूरः फ़ातिहा का पढ़ना जिस तरह इमाम पर वाजिब है इसी तरह मुक़्तदी पर भी वाजिब है। इसकी दलील वे आ़म हदीसें हैं जो अभी दूसरे फ़ायदे के बयान में गुज़र चुकीं। दूसरे यह कि सिरे से मुक़्तदी के ज़िम्मे क़िराअत वाजिब ही नहीं, न यह सूरत न कुछ और, न जहरी नमाज़ में न सिरी नमाज़ में। उनकी दलील मुस्नद अहमद की यह हदीस है जिसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसका

इमाम हो तो इमाम की क़िराअत उसकी क़िराअत है, लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है और यह ख़ुद हज़रत जाबिर रज़ि. के क़ौल से मरवी है अगरचे इस मरफ़ूअ़ हदीस की और सनदें भी हैं लेकिन कोई सनद सही नहीं। वल्लाहु आलम।

तीसरा क़ौल यह है कि जिन नमाज़ों में इमाम आहिस्तगी से क़िराअत करे उनमें मुक़्तदी पर क़िराअत वाजिब है, लेकिन जिन नमाज़ों में ऊँची आवाज़ से क़िराअत पढ़ी जाती है उनमें वाजिब नहीं। उनकी दलील सही मुस्लिम वाली हदीस है कि इमाम इसी लिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी इक़्तिदा की जाये। उसकी तकबीर सुनकर तकबीर कहो और जब वह पढ़े तो चुप रहो। सुनन में भी यह हदीस है। इमाम मुस्लिम ने इसको सही क़रार दिया है। इमाम शाफ़ई रह. का पहला क़ौल भी यही है और इमाम अहमद रह. से भी एक रिवायत यही है।

हमारी ग़र्ज़ इन मसाईल को यहाँ बयान करने से यह है कि सूरः फ़ातिहा के साथ अहकाम का जिस क़द्र ताल्लुक़ है किसी और सूरत के साथ नहीं। मुस्नद बज़्ज़ार में हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरः फ़ातिहा और सूरः "क़ुल हुवल्लाह......" पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज़ से अमन में आ गये।

अऊ़ज़ु बिल्लाह की तफ़सीर और उसके अहकाम

क़ुरआन पाक में है:

خُذِ الْعَفْوَ.... الخ.

यानी दरगुज़र (माफ़) करने की आ़दत रखो, भलाई का हुक्म किया करो और जाहिलों से मुँह मोड़ लिया करो। अगर शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा (बुरा ख़्याल) आ जाये तो सब कुछ सुनने वाले अल्लाह तआ़ला से पनाह तलब किया करो। एक और जगह फ़रमायाः

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ......... الخ.

बुराई को भलाई से टाल दो। हम उनके बयानात को ख़ूब जानते हैं, कहा करो कि ख़ुदाया शैतान के वस्वसों और उनकी हाज़िरी से हम तेरी पनाह चाहते हैं। एक और जगह इरशाद होता हैः

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَاالَّذِیْ......... الخ.

यानी भलाई के साथ दफ़ा (दूर) करो, तुममें और जिस दूसरे शख़्स में अ़दावत (दुश्मनी) होगी वह ऐसा हो जायेगा जैसे वली दोस्त। ये काम सब्र करने वालों और ख़ुश-क़िस्मतों का है। जब शैतानी वस्वसा (ख़्याल) आ जाये तो अल्लाह तआ़ला सुनने वाले जानने वाले से पनाह चाहो।

ये तीन आयतें हैं और इस मायने की कोई और आयत नहीं, अल्लाह तआ़ला ने इन आयतों में हुक्म फ़रमाया है कि इनसानों में से जो तुम्हारी दुश्मनी करे उसकी दुश्मनी का इलाज तो यह है कि उसके साथ सुलूक व एहसान का बर्ताव करो, ताकि उसकी इन्साफ़-पसन्द तबीयत ख़ुद उसे शर्मिन्दा करे और वह तुम्हारी दुश्मनी से न सिर्फ़ बाज़ रहे बल्कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाये। और शयातीन की दुश्मनी से महफ़ूज़ रहने के लिये उसने अपनी पनाह पकड़नी सिखाई, क्योंकि यह पलीद दुश्मन सुलूक और एहसान से भी क़ब्ज़े में नहीं आता। उसे तो इनसान की तबाही व बरबादी में ही मज़ा आता है और उसकी पुरानी

अ़दावत (दुश्मनी) बावा आदम के वक़्त से है। क़ुरआन फ़रमाता है ऐ बनी आदम! देखो कहीं शैतान तुम्हें भी बहका न दे जिस तरह तुम्हारे बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया। एक और जगह फ़रमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो, उसकी जमाअ़त की तो यही आरज़ू है कि तुम जहन्नमी हो जाओ। एक और जगह फ़रमाया- क्या तुम उस शैतान की और उसकी नस्ल की दोस्ती करते हो, मुझे छोड़कर? वह तो तुम्हारा दुश्मन है। याद रखो ज़ालिमों के लिये बुरा बदला है।

यही है जिसने क़सम खाकर हमारे बाप हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से कहा था कि मैं तुम्हारा ख़ैरख़्वाह (हमदर्द) हूँ तो अब ख़्याल कर लीजिए कि हमारे साथ उसका क्या मामला होगा? हमारे लिये तो वह हलफ़ उठाकर आया है कि ख़ुदा की इ़ज़्ज़त की क़सम मैं इन सबको बहकाऊँगा। हाँ, इनमें से जो मुख़्लिस बन्दे हैं वे महफ़ूज़ रह जायेंगे। इसलिये अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۝

जब क़ुरआन की तिलावत करो तो अल्लाह तआ़ला से पनाह तलब कर लिया करो, शैतान धुतकारे हुए से। ईमान वालों और अल्लाह पर भरोसा करने वालों पर उसका कोई ज़ोर नहीं। उसका ज़ोर तो उन्हीं पर है जो उससे दोस्ती रखें और ख़ुदा के साथ शिर्क करें।

क़ारियों की एक जमाअ़त तो कहती है कि क़ुरआन पढ़ चुकने के बाद "अ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्-शैतारिनर्रजीम" पढ़नी चाहिये, इसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो क़ुरआन के तर्ज़े बयान पर अ़मल, दूसरे इबादत के बाद के ग़ुरूर का तोड़। अबू हातिम सजिस्तानी ने और इब्ने क़लूक़ा ने हमज़ा का यही मज़हब नक़ल किया है, जैसे अबुल-क़ासिम यूसुफ़ बिन अ़ली बिन जनादा ने अपनी किताब 'अल-इबादतुल-कामिला' में बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से भी यही मरवी है लेकिन सनद ग़रीब है। इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीर में इसे नक़ल किया है और कहा है कि इब्राहीम नख़ई, दाऊद ज़ाहिरी का भी यही क़ौल है। इमाम क़ुर्तुबी ने इमाम मालिक रह. का मज़हब भी यही बयान किया है लेकिन इब्ने-अ़रबी इसे ग़रीब कहते हैं। एक मज़हब यह भी है कि अव्वल आख़िर दोनों मर्तबा "अ़ऊज़ु बिल्लाह......." पढ़े ताकि दोनों दलीलें जमा हो जायें और जमहूर उलेमा का मशहूर मज़हब यह है कि तिलावत से पहले "अ़ऊज़ु बिल्लाह....." पढ़ना चाहिये ताकि वस्वसे (बुरे ख़्यालात) दूर हो जायें। तो इन बुज़ुर्गों के नज़दीक आयत के मायने "जब पढ़े तो" यानी "जब पढ़ना चाहे तो" हो जायेंगे जैसे कि इस आयत में है:

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ....... الخ.

यानी जब तुम नमाज़ के लिये खड़े होओ (तो वुज़ू कर लिया करो) के मायने हैं कि जब तुम नमाज़ के लिये खड़े होने का इरादा करो।

हदीसों की रू से भी यही मायने ठीक मालूम होते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को नमाज़ के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू करते, फिर "सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क व तबारकस्मु-क व तआ़ला जद्दु-क व ला इला-ह ग़ैरु-क" तीन बार पढ़कर "ला इला-ह इल्लल्लाहु" पढ़ते, फिर "अऊज़ु बिल्लाहिस्समीअ़िल् अ़लीमि मिनश्शैतानिर्रजीमि मिन् ह-मज़िही व नफ़्ख़िही व न-फ़सिही" पढ़ते। सुनन अर्बआ़ में भी यह हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी रह. फ़रमाते हैं कि इस बाब में सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। 'ह-मज़ा' के मायने गला घोंटने के और 'नफ़्ख़' के मायने तकब्बुर के और 'न-फ़स' के मायने शे'र कहने के हैं। इब्ने माजा की एक

रिवायत में यही मायने बयान किये गये हैं और उसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ में दाख़िल होते ही तीन मर्तबा "अल्लाहु अक्बर कसीरा" तीन मर्तबा "अल्हम्दु लिल्लाहि कसीरा" और तीन मर्तबा "सुब्हानल्लाहि बुक्रतंव्-व असीला" पढ़ते। फिर यह पढ़ते "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानि मिन् ह-मज़िही व नफ़्ख़िही व न-फ़सिही"। इब्ने माजा में एक और सनद के साथ यह रिवायत मुख़्तसर भी आयी है। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पहले तीन मर्तबा तकबीर कहते फिर तीन मर्तबा "सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही" कहते फिर "अ़ऊज़ु बिल्लाह......." आख़िर तक पढ़ते।

मुस्नद अबू यअ़ला में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने दो शख़्स लड़ने झगड़ने लगे, गुस्से के मारे एक के नथुने फूल गये। आपने फ़रमाया कि अगर यह "अ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" कह ले तो इसका गुस्सा अभी जाता रहे। नसाई ने अपनी किताब "अल-यौमु वल्लैलतु" में भी इसे रिवायत किया है। मुस्नद अहमद अबू दाऊद, तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। इसकी एक रिवायत में इतनी ज़्यादती और भी है कि हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. ने उस शख़्स से इसके पढ़ने को कहा लेकिन उसने न पढ़ा और उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। इमाम तिर्मिज़ी रह. फ़रमाते हैं यह ज़्यादती वाली रिवायत मुर्सल है, इसलिये कि अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला जो हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. से इसे रिवायत करते हैं, उनका हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. से मुलाक़ात करना साबित नहीं, बल्कि यह बीस बरस पहले इन्तिक़ाल कर चुके थे, लेकिन यह हो सकता है कि शायद अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. से सुना हो, वह भी इस हदीस के रावी हैं और इसे हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. तक पहुँचाया हो, क्योंकि इस वाक़िए के वक़्त तो बहुत से सहाबा मौजूद थे। सही बुख़ारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई में भी मुख़्तलिफ़ सनदों से मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ के साथ यह हदीस मरवी है। इस्तिआ़ज़ा (शैतान से अल्लाह की पनाह माँगने) के बारे में और भी बहुत-सी हदीसें हैं, यहाँ सब को बयान करने से बात बहुत लम्बी हो जायेगी। उनके बयान के लिये अज़्कार व वज़ाईफ़ की और फ़ज़ाईले आमाल के बयान की किताबें हैं। वल्लाहु आलम।

एक रिवायत में है कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम जब सबसे पहले 'वही' लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये तो पहले "अ़ऊज़ु बिल्लाह" पढ़ने का हुक्म दिया। तफ़सीर इब्ने जरीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि पहले पहल हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही लेकर आये तो फ़रमाया "अ़ऊज़ु बिल्लाह....." पढ़िये आपने फ़रमायाः

اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

कि मैं अल्लाह सब कुछ जाने वाले सुनने वाले की पनाह चाहता हूँ शैतान मर्दूद से।

फिर जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने कहा- कहिये 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" फिर कहाः

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

"इक़्रअ् बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़-ल-क़.........।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि सबसे पहली सूरत जो अल्लाह तआ़ला ने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम के ज़रिये हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल फ़रमाई यही है, लेकिन यह क़ौल ग़रीब है और इसकी सनद में कमज़ोरी व इन्क़िता है। हमने इसे सिर्फ़ इसलिये बयान किया है कि मालूम रहे। वल्लाहु आलम।

मसला

जमहूर उलेमा हज़रात का क़ौल है कि "अऊज़ु बिल्लाह......" पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं, कि इसके न पढ़ने से गुनाह हो। अ़ता बिन अबू रिबाह का क़ौल है कि जब कभी क़ुरआन पढ़े "अऊज़ु बिल्लाह......" का पढ़ना वाजिब है, चाहे नमाज़ में हो चाहे ग़ैर-नमाज़ में। इमाम राज़ी रह. ने यह क़ौल नक़ल किया है। इब्ने सीरीन रह. फ़रमाते हैं कि उम्र भर में सिर्फ़ एक मर्तबा पढ़ लेने से वजूब ज़िम्मे से उतर जाता है। हज़रत अ़ता के क़ौल की दलील आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ हैं क्योंकि इसमें "फ़स्तअ़िज़ बिल्लाहि" (अल्लाह से पनाह तलब कर) अमर (हुक्म) है और अ़रबी के क़वाईद व ग्रामर के लिहाज़ से अमर वजूब के लिये होता है इसी लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इस पर हमेशगी करना भी वजूब की दलील है और इससे शैतान का शर (बुराई) दूर होता है और उसका दूर करना वाजिब है और और जिस चीज़ से वाजिब पूरा होता हो वह भी वाजिब हो जाती है, और इस्तिआ़ज़ा (अऊज़ु बिल्लाह... पढ़ना) ज़्यादा एहतियात वाला है। और वजूब का एक तरीक़ा यह भी है। बाज़ उलेमा का क़ौल है कि "अऊज़ु बिल्लाह......" पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वाजिब था, आपकी उम्मत पर वाजिब नहीं। इमाम मालिक रह. से यह भी रिवायत की जाती है कि फ़र्ज़ नमाज़ में "अऊज़ु बिल्लाह......" पढ़े और रमज़ान शरीफ़ की अव्वल रात की नमाज़ में पढ़ ले।

मसला

इमाम शाफ़ई रह. इमला में लिखते हैं कि "अऊज़ु बिल्लाह......" ज़ोर से पढ़े और अगर धीरे से पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, और इमाम अहमद इब्ने हंबल रह. लिखते हैं कि बुलन्द और आहिस्ता पढ़ने में इख़्तियार है, इसलिये कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से पोशीदा पढ़ना और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से ऊँची आवाज़ से पढ़ना साबित है। पहली रक्अ़त के सिवा और रक्अ़तों में "अऊज़ु बिल्लाह......" पढ़ने में इमाम शाफ़ई रह. के दो क़ौल हैं, एक मुस्तहब होने का और दूसरा मुस्तहब न होने का, और तरजीह दूसरे क़ौल को ही है। वल्लाहु आलम। सिर्फ़ "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" कह लेना इमाम शाफ़ई रह. और इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक तो काफ़ी है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि "अऊज़ु बिल्लाहिस्समीअ़िल अ़लीमि मिनश्शैतानिर्रजीम" पढ़े, और बाज़ कहते हैं कि "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीमि इन्नल्ला-ह हुवस्समीउल अ़लीम" पढ़े। इमाम सुफ़ियान सौरी और इमाम औज़ाई का यही मज़हब है। बाज़ कहते हैं कि "अस्तऔ़ज़ु बिल्लाहि मिश्शैतानिर्रजीम" पढ़े ताकि आयत के पूरे अलफ़ाज़ पर अ़मल हो जाये और इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की हदीस पर भी अ़मल हो जाये जो पहले गुज़र चुकी, लेकिन जो सही हदीसें पहले गुज़र चुकीं उनकी पैरवी और उन पर अ़मल ज़्यादा मुनासिब है। वल्लाहु आलम।

नमाज़ में "अऊज़ु बिल्लाह......" का पढ़ना इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रह. के नज़दीक तो तिलावत के लिये है और इमाम अबू यूसुफ़ रह. के नज़दीक नमाज़ के लिये है, तो मुक़्तदी को भी पढ़ लेना चाहिये अगरचे वह क़िराअत नहीं पढ़ेगा, और ईद की नमाज़ में भी पहली तकबीर के बाद पढ़ लेना चाहिये, जमहूर का मज़हब यह है कि ईद की तमाम तकबीरें कहकर फिर "अऊज़ु बिल्लाह......" पढ़े फिर क़िराअत करे। "अऊज़ु बिल्लाह......" में अ़जीब व ग़रीब फ़ायदे हैं, उल्टी-सीधी बातों से मुँह में जो नापाकी होती है वह इससे दूर हो जाती है और मुँह अल्लाह के कलाम की तिलावत के क़ाबिल हो जाता है। इसी तरह इसमें

अल्लाह तआ़ला से इमदाद तलब करनी है और उसकी अ़ज़ीमुश्शान क़ुदरतों का इक़रार करना है, और इस बातिनी (अन्दर के) खुले हुए दुश्मन के मुक़ाबले में अपनी कमज़ोरी और आ़जिज़ी का इक़रार है, क्योंकि इनसानी दुश्मन का मुक़ाबला हो सकता है, एहसान और सुलूक से उसकी दुश्मनी दूर और ख़त्म हो सकती है जैसा कि क़ुरआन पाक की उन तीन आयतों में है जो पहले बयान हो चुकी हैं। एक और जगह ख़ुदा तआ़ला का इरशाद है:

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ......... الخ.

यानी मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा कोई ग़लबा नहीं, रब का वकील होना काफ़ी है।

अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम के दुश्मनों के मुक़ाबले पर अपने पाक फ़रिश्ते भेजे और उन्हें नीचा दिखा दिया। यह याद रखने के क़ाबिल बात है कि जो मुसलमान काफ़िरों के हाथ से मारा जाये वह शहीद है, लेकिन जो इस बातिनी शैतान के हाथ से मारा जाये वह रान्दा-ए-दरगाह (अल्लाह की बारगाह से धुतकारा हुआ) है। जिस पर काफ़िर ग़ालिब आ जायें वह अज्र पाता है लेकिन जिस पर शैतान ग़ालिब आ जाये वह हलाक व बरबाद होता है। चूँकि शैतान इनसान को देखता है और इनसान उसे नहीं देख सकता इसलिये क़ुरआनी तालीम हुई कि तुम उसके शर से उसकी पनाह चाहो जो उसे देखता है और यह उसे नहीं देख सकता।

फ़स्ल

"अऊज़ु बिल्लाह......" पढ़ना अल्लाह तआ़ला की तरफ़ इल्तिजा करना है और हर बुराई वाले की बुराई से उसके दामन में पनाह तलब करना है। 'अ़याज़ा' के मायने बुराई के दूर करने के हैं और 'लयाज़ा' के मायने भलाई हासिल करने के हैं। मुतनब्बती का शे'र है:

یا من الوذ به فی ما اؤمله   و من اعوذ به مما احاذره

لا یجبرالناس عظمانت کاسره   ولایهیضون عظمانت جابره

ऐ वह पाक ज़ात जिसकी ज़ात से मेरी तमाम उम्मीदें वाबस्ता (जुड़ी हुई) हैं। और ऐ वह परवर्दिगार कि तमाम बुराईयों से मैं उसकी पनाह पकड़ता हूँ। जिसे वह तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वह जोड़ दे उसे कोई तोड़ नहीं सकता।

"अऊज़ु बिल्लाह......" के मायने यह हैं कि मैं अल्लाह तआ़ला की पनाह पकड़ता हूँ कि शैतान रजीम मुझे दीन व दुनिया में कोई ज़रर (नुक़सान और बुराई) न पहुँचा सके। जिन अहकाम पर अ़मल करने का मुझे हुक्म है ऐसा न हो कि मैं उनसे रुक जाऊँ और जिन कामों से मुझे मना किया गया हो ऐसा न हो कि मुझसे वे बुरे आमाल हो जायें। यह ज़ाहिर है कि शैतान से बचाने वाला सिवाय ख़ुदा तआ़ला के और कोई नहीं। इसी लिये परवर्दिगारे आ़लम ने इनसानों के शर (बुराई) से महफ़ूज़ रहने की तो तरकीब सुलूक व एहसान वग़ैरह बतलाई और शैतान के शर से बचने की सूरत यह बतलाई कि हम उसकी पाक ज़ात से पनाह तलब करें। इसलिये कि न तो उसे रिश्वत दी जा सकती है न वह भलाई और सुलूक की वजह से अपनी शरारत से बाज़ आयेगा। उसकी बुराई से बचाने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही है। तीनों पहली आयतों में यह मज़मून गुज़र चुका है। सूरः आराफ़ में है:

خُذِالْعَفْوَ......... الخ.

और सूरः मोमिनून में हैः

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ...... الخ.

और सूरः सज्दा में हैः

وَلَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ......... الخ.

इन तीनों आयतों का विस्तृत बयान और तर्जुमा पहले गुज़र चुका है।

लफ्ज़ 'शैतान' की लुग़वी तहक़ीक़

लफ़्ज़ शैतान "श-त-न" से बना है। इसके लफ़्ज़ी मायने दूरी के हैं। चूँकि यह मर्दूद भी इनसानी तबीयत से दूर है बल्कि हर भलाई से दूर है इसलिये इसे शैतान कहते हैं। और यह भी कहा गया है कि "शात" से निकला है इसलिये कि वह आग से पैदा शुदा है और "शात" के मायने यही हैं। बाज़ कहते हैं कि मायने की रू से तो दोनों ठीक हैं लेकिन पहला ज़्यादा सही है। अ़रब शायरों के शे'र भी इसकी तस्दीक़ में मिलते हैं। उमैया बिन अबू सल्त और नाबिग़ा के शे'रों में भी यह लफ़्ज़ "श-त-न" से मुश्तक़ (निकला हुआ) है और दूर होने के मायने में प्रयोग है। सीबवैह का क़ौल है कि जब कोई शैतानी काम करे तो अ़रब कहते हैं "तशय्य-न फ़ुलानुन" (फ़ुलाँ ने शैतानी हरकत की) यह नहीं कहते कि "तशय्य-त फ़ुलानुन" इससे साबित होता है कि यह लफ़्ज़ "शात" से नहीं बल्कि "श-त-न" से लिया गया है और इसके सही मायने भी दूरी के हैं, जो जिन्न, इनसान और हैवान सरकशी करे उसे शैतान कह देते हैं। क़ुरआन पाक में हैः

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّاشَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ...... الخ.

यानी इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन शयातीन जिन्नात व इनसान किये हैं, जो आपस में एक दूसरे को धोखे की बनावटी बातें पहुँचाते रहते हैं।

मुस्नद अहमद में हज़रत अबू ज़र रज़ि. से हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन्हें फ़रमाया- ऐ अबूज़र! जिन्नात और इनसानों में के शैतानों से अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब करो। मैंने कहा क्या इनसानों में भी शैतान होते हैं? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया हाँ। सही मुस्लिम शरीफ़ में इन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ को औ़रत, गधा और काला कुत्ता तोड़ देता (यानी इनके सामने से गुज़रने में उसमें ख़लल पड़ता) है। मैंने कहा हुज़ूर! सुर्ख़ ज़र्द कुत्तों में से काले कुत्ते को ख़ास करने की क्या वजह है? आपने फ़रमाया काला कुत्ता शैतान है। हज़रत उमर रज़ि. एक मर्तबा तुर्की घोड़े पर सवार होते हैं, वह नाज़ और मस्ती से चलता है, हज़रत उमर रज़ि. उसे मारते पीटते भी हैं लेकिन उसका अकड़ना और भी बढ़ जाता है, आप उतर पड़ते हैं और फ़रमाते हैं तुम तो मेरी सवारी के लिये शैतान को पकड़ लाये, मेरे नफ़्स में तकब्बुर आने लगा। चुनाँचे मैंने उससे उतर पड़ना ही मुनासिब समझा।

'रजीम' फ़ओ़ील के वज़्न पर मफ़ऊल के मायने में है, कि वह "मरजूम" है यानी हर भलाई से दूर है। जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

وَلَقَدْ زَيَّنَّاالسَّمَآءَ الدُّنْيَابِمَصَابِيْحَ......... الخ.

हमने दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया और उन्हें शैतानों के लिये 'रजम' बनाया।

यानी हमने दुनिया वाले आसमान को सितारों से ज़ीनत दी और हर सरकश शैतान से बचाव बनाया। वे आला फ़रिश्तों की बातें नहीं सुन सकते और हर तरफ़ से मारे जाते हैं भगाने के लिये और लाज़िमी अज़ाब उनके लिये है, जो उनमें से कोई बात उचक कर भागता है उसके पीछे एक चमकीला शोला लगता है। एक और जगह इरशाद है:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا......... الخ.

यानी हमने आसमान में बुर्ज बनाये और उन्हें देखने वालों के लिये ज़ीनत (सजावट की और अच्छी लगने वाली चीज़) बनाया और उसे हर धुतकारे हुए शैतान से हमने महफ़ूज़ कर लिया, मगर जो किसी बात को चुरा ले जाये उसके पीछे चमकता हुआ शोला लगता है।

इसी तरह और आयतें भी हैं "रजीम" के एक मायने "राजिम" (रजम करने वाले) के भी किये गये हैं। चूँकि शैतान लोगों को वस्वसों और गुमराहियों से "रजम" करता है इसलिये "रजीम" यानी "राजिम" कहते हैं। अब "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" की तफ़सीर सुनिये।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने किताबुल्लाह को इसी के साथ शुरू किया। उलेमा हज़रात का इत्तिफ़ाक़ है कि सूरः नमल की यह एक आयत है, अलबत्ता इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि वह हर सूरत के शुरू में एक मुस्तक़िल आयत है या हर सूरत की एक मुस्तक़िल आयत है जो उसके शुरू में लिखी गयी है, या हर सूरत की आयत का हिस्सा है, या इस तरह सूरः फ़ातिहा ही की आयत है और दूसरी सूरतों की नहीं, या सिर्फ़ एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग करने के लिये लिखी गयी है, और आयत नहीं?

पहले और बाद के उलेमा हज़रात का इन बातों में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) चला आता है और अपनी जगह पर इसकी तफ़सील मौजूद है। सुनन अबू दाऊद में सही सनद के साथ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग नहीं फ़रमा सकते थे जब तक कि आप पर "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" नाज़िल नहीं हुई थी। मुस्तद्रक हाकिम में भी यह हदीस है। एक मुर्सल हदीस में हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि. से भी यह रिवायत नक़ल की गयी है। सही इब्ने ख़ुज़ैमा में हज़रत सलमा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" को सूरः फ़ातिहा के शुरू में नमाज़ में पढ़ा और उसे एक आयत शुमार की, लेकिन इसके एक रावी उमर बिन हारून बलख़ी ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं और इसकी मुताबअ़त में एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से मरवी है, और उसके जैसा ही हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह से भी नक़ल है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत अ़ली, हज़रत अ़ता, हज़रत ताऊस, हज़रत सईद इब्ने ज़ुबैर, हज़रत मकहूल, हज़रत ज़ोहरी का यही मज़हब है कि "बिस्मिल्लाह....." हर सूरत की एक मुस्तक़िल आयत है सिवाय सूरः बराअत के। इन सहाबा और ताबिईन रह. के अ़लावा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल रह. के एक क़ौल में और इस्हाक़ बिन राहवैह और अबू उबैद, क़ासिम इब्ने सलाम रह. का भी यही मज़हब है। अलबत्ता इमाम मालिक रह., इमाम अबू हनीफ़ा और उनके साथी कहते हैं कि

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" न तो सूरः फ़ातिहा की आयत है न किसी और सूरत की। इमाम शाफ़ई रह. का एक क़ौल तो यह मरवी है कि यह सूरः फ़ातिहा की तो एक आयत है लेकिन और सूरतों की नहीं, एक क़ौल उनका यह भी है कि यह हर सूरत की पहली आयत का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों क़ौल ग़रीब हैं।

इमाम दाऊद कहते हैं कि यह हर सूरत के अव्वल में एक मुस्तक़िल आयत है, सूरत में दाख़िल नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रह. से भी यही रिवायत है और अबू बक्र राज़ी ने अबू हसन करख़ी का भी यही मज़हब बयान किया है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. के ये बड़े पाये के साथी हैं।

यह तो थी बहस "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" के सूरः फ़ातिहा की आयत होने न होने की, अब इसमें भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि आया इसे बुलन्द आवाज़ से पढ़ना चाहिये या पस्त आवाज़ से? जो लोग इसे सूरः फ़ातिहा की आयत नहीं कहते वे तो इसे बुलन्द आवाज़ से पढ़ने के भी क़ायल नहीं। इसी तरह जो लोग इसे सूरः फ़ातिहा से अलग एक आयत मानते हैं वे इसके पस्त आवाज़ से पढ़ने के क़ायल हैं। रहे वे लोग जो कहते हैं कि यह हर सूरत के शुरू का हिस्सा है उनमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। इमाम शाफ़ई रह. का तो मज़हब है कि सूरः फ़ातिहा और हर सूरत से पहले इसे ऊँची आवाज़ से पढ़ना चाहिये। सहाबा रज़ि. की, ताबिईन की, मुसलमानों के अगले और पिछले इमामों की जमाअ़तों का यही मज़हब है। सहाबा में से इसे ऊँची आवाज़ से पढ़ने वाले हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत मुआ़विया, हज़रत उमर, हज़रत अ़ली, हज़रत अबू बक्र और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हुम हैं। हज़रत अबू बक्र रज़ि. और हज़रत उस्मान रज़ि. से भी ग़रीब सनद से इमाम ख़तीब रह. ने नक़ल किया है और बैहक़ी और इब्ने अ़ब्दुल-बर्र रह. ने हज़रत उमर रज़ि. और हज़रत अ़ली रज़ि. से भी रिवायत की है। ताबिईन रह. में से हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत इक्रिमा, हज़रत अबू क़िलाबा, हज़रत ज़ोहरी, हज़रत अ़ली बिन हसन, उनके लड़के मुहम्मद, सईद बिन मुसैयब, अ़ता, ताऊस, मुजाहिद, सालिम, मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी, उबैद, अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अ़मर, इब्ने हरम, अबू वाईल, इब्ने सीरीन, मुहम्मद बिन सिकन्दर, अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, इनके साहिबज़ादे मुहम्मद, नाफ़े, इब्ने उमर के मौला (आज़ाद किये हुए), ज़ैद बिन असलम, उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़, अरज़क़ बिन क़ैस, हबीब बिन अबी साबित, अबू शअ़शा, मकहूल, अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल बिन मुक़र्रिन और बैहक़ी की रिवायत के मुताबिक़ अ़ब्दुल्लाह बिन सफ़वान, मुहम्मद इब्ने हनफ़िया और इब्ने अ़ब्दुल-बर्र की रिवायत के मुताबिक़ अ़मर बिन दीनार, ये सब उन नमाज़ों में जिनमें क़िराअत ऊँची आवाज़ से पढ़ी जाती है "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ते थे। एक दलील तो इसकी यह है कि जब यह आयत सूरः फ़ातिहा में से है तो फिर पूरी सूरत की तरह यह भी ऊँची आवाज़ से ही पढ़नी चाहिये, इसके अ़लावा सुनन नसाई, सही इब्ने ख़ुज़ैमा, सही इब्ने हिब्बान, मुस्तद्रक हाकिम में मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने नमाज़ पढ़ी और क़िराअत में ऊँची आवाज़ से "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" पढ़ी और फ़ारिग़ होने के बाद फ़रमाया- मैं तुम सबसे ज़्यादा मुशाबा (नमूना पेश करने वाला) हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ में। इस हदीस को दारे क़ुतनी, ख़तीब और बैहक़ी वग़ैरह ने सही कहा है।

अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ को "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" से शुरू किया करते थे। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि यह हदीस ऐसी ज़्यादा सही नहीं। मुस्तद्रक हाकिम में उन्हीं से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" को ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे। इमाम हाकिम रह. ने इसे सही कहा है। सही

बुख़ारी में है कि हज़रत अनस रज़ि. से सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की क़िराअत किस तरह थी? फ़रमाया कि हर खड़े लफ़्ज़ को आप लम्बा करके पढ़ते थे फिर "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" पढ़कर सुनाई। "बिस्मिल्लाह" पर मद किया (यानी खींचकर पढ़ा) "अर्रहमान" पर मद किया "अर्रहीम" पर मद किया। मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद, सही इब्ने ख़ुज़ैमा और मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर-हर आयत पर रुकते थे और आपकी क़िराअत अलग-अलग होती थी जैसे "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" फिर ठहरकर "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन" फिर ठहरकर "अर्रहमानिर्रहीम" फिर ठहरकर "मालिकि यौमिद्दीन"। दारे क़ुतनी इसे सही बताते हैं।

इमाम शाफ़ई और इमाम हाकिम रह. ने हज़रत अनस रज़ि. से रिवायत की है कि हज़रत मुआ़विया रज़ि. ने मदीना में नमाज़ पढ़ाई और "बिस्मिल्लाह" न पढ़ी तो जो मुहाजिर सहाबा उस वक़्त मौजूद थे उन्होंने टोका, चुनाँचे फिर जब नमाज़ पढ़ाने को खड़े हुए तो "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" पढ़ी, ग़ालिबन् इस क़द्र हदीसें और अक़वाल मज़हब की हुज्जत के लिये काफ़ी हैं, बाक़ी रहे और उसके ख़िलाफ़ अक़वाल और रिवायतें, उनकी सनद और उनकी तालील, उनकी कमज़ोरी और उनकी तक़रीर वग़ैरह इनके लिये दूसरी जगह और मौक़ा है। दूसरा मज़हब यह है कि नमाज़ में "बिस्मिल्लाह" को ज़ोर से न पढ़ना चाहिये। चारों ख़ुलफ़ा (हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अ़ली रज़ि.) से अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़क़ल से और ताबिईन और बाद वालों की जमाअ़तों से यह साबित है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम सौरी, इमाम अहमद बिन हंबल का यही मज़हब है।

इमाम मालिक रह. का मज़हब है कि सिरे से "बिस्मिल्लाह" पढ़े ही नहीं, न तो आहिस्ता न बुलन्द। उनकी दलील एक तो सही मुस्लिम वाली हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ को तकबीर से और क़िराअत को "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन" से शुरू किया करते थे। सहीहैन में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. फ़रमाते हैं- मैंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ि. के पीछे नमाज़ पढ़ी "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन" से ये सब शुरू करते थे। मुस्लिम में है कि "बिस्मिल्लाह...." का ज़िक्र नहीं करते थे, न तो क़िराअत के शुरू में और न क़िराअत के आख़िर में। सुनन में हज़रत मअ़क़ल रज़ि. से भी इसी तरह मरवी है। यह है दलील इन इमामों की "बिस्मिल्लाह" आहिस्ता पढ़ने की। यह ख़्याल रहे कि यह कोई बड़ा इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं, हर एक फ़रीक़ दूसरे की नमाज़ के सही होने का क़ायल है।

बिस्मिल्लाह की फ़ज़ीलत का बयान

तफ़सीर इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से 'बिस्मिल्लाह' के बारे में सवाल किया। आपने फ़रमाया यह अल्लाह तआ़ला का नाम है, अल्लाह तआ़ला के बड़े नाम हैं और इसमें इस क़द्र नज़दीकी है जैसे आँख की सियाही और सफ़ेदी में। इब्ने मर्दूया में भी इस तरह की रिवायत है और यह रिवायत भी इब्ने मर्दूया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब ईसा अ़लैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने उस्ताज़ (पढ़ाने वाले) के पास बैठाया, उसने कहा लिखिये 'बिस्मिल्लाह'। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने कहा 'बिस्मिल्लाह' क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया मैं नहीं जानता। आपने फ़रमाया 'ब' से मुराद अल्लाह का 'बहाउल्लाह' (यानी बुलन्दी है)

और 'सीन' से मुराद उसकी 'सना' (यानी नूर और रोशनी) है और 'मीम' से मुराद उसकी 'मम्लकत' (यानी बादशाही) है और 'अल्लाह' कहते हैं माबूदों के माबूद को और 'रहमान' कहते हैं दुनिया और आख़िरत में रहम करने वाले को और 'रहीम' कहते हैं आख़िरत में करम व रहम करने वाले को। इब्ने जरीर में भी यह रिवायत है, लेकिन सनद की रू से बेहद ग़रीब है, मुम्किन है किसी सहाबी वग़ैरह से मरवी हो और मुम्किन है कि बनी इस्राईल की रिवायतों में से हो, मरफ़ूअ़ हदीस न हो। वल्लाहु आलम।

इब्ने मर्दूया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी। वह आयत 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' है। हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब यह आयत उतरी तो बादल पूरब की तरफ़ छट गये, हवायें ठहर गयीं, समुद्र ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिये, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवर्दिगारे आ़लम ने अपनी इ़ज़्ज़त व जलाल की क़सम खाकर फ़रमाया- जिस चीज़ पर मेरा यह नाम लिया जायेगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि जहन्नम के उन्नीस दारोग़ाओं से जो बचना चाहे वह "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" पढ़े, इसके भी उन्नीस हुरूफ़ हैं, हर फ़रिश्ते से बचाव बन जायेगा। इसे इब्ने अ़तीया ने बयान किया है और इसकी ताईद एक हदीस से भी की है जिसमें है कि मैंने तीस से ऊपर फ़रिश्तों को देखा कि वे जल्दी कर रहे थे। यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त फ़रमाया था जब एक शख़्स ने "रब्बना व लकल्-हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन् फ़ीहि" पढ़ा था। इसमें भी तीस से ज़्यादा हुरूफ़ हैं, इतने ही फ़रिश्ते उतरे, इसी तरह "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" में भी उन्नीस हुरूफ़ हैं और वहाँ फ़रिश्तों की संख्या भी उन्नीस है। वग़ैरह-वग़ैरह। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे उनका बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ऊँटनी ज़रा फिसली तो मैंने कहा शैतान का सत्यानास हो। आपने फ़रमाया यह न कहो, इससे शैतान फूलता (ख़ुश होता) है और ख़्याल करता है कि गोया उसने अपनी क़ुव्वत से गिराया। हाँ "बिस्मिल्लाह......" कहने से वह मक्खी की तरह ज़लील व पस्त हो जाता है।

नसाई ने अपनी किताब "अ़मलुल-यौमि वल्लैलति" में और इब्ने मर्दूया ने अपनी तफ़सीर में इसे बयान किया है और इनका नाम उसामा बिन उमैर बतलाया है, और उसमें है कि "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" कह, यह "बिस्मिल्लाह......." की बरकत है। इसी लिये हर काम और हर बात के शुरू में "बिस्मिल्लाह...." से शुरू न किया जाये वह बेबरकता होता है। पाख़ाने के लिये जाने के वक़्त भी "बिस्मिल्लाह....." पढ़ ले। हदीस में यह भी है कि वुज़ू के वक़्त भी पढ़ ले। मुस्नद अहमद और सुनन में हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत अबू सईद रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स वुज़ू में अल्लाह का नाम न ले उसका वुज़ू नहीं होता। यह हदीस हसन है। बाज़ उलेमा तो वुज़ू के वक़्त 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना वाजिब बतलाते हैं, बाज़ मुत्लक़ वजूब के क़ायल हैं। जानवर को ज़िबह करते वक़्त भी इसका पढ़ना मुस्तहब है। इमाम शाफ़ई रह. और एक जमाअ़त का यही ख़्याल है। बाज़ों ने ज़िक्र करने के वक़्त और बाज़ों ने मुत्लक़न् इसे वाजिब कहा है, इसका बयान आगे क़रीब ही में आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

इमाम राज़ी रह. ने अपनी किताब में इस आयत की फ़ज़ीलत में बहुत-सी हदीसें बयान की हैं। एक रिवायत में है कि जब तू अपनी बीवी के पास जाये और "बिस्मिल्लाह" पढ़ ले और उसी से ख़ुदा कोई

औलाद बख़्शे तो उसके और उसकी औलाद के साँस की गिनती के बराबर तेरे नामा-ए-आमाल में नेकियाँ लिखी जायेंगी, लेकिन यह रिवायत बिल्कुल बेबुनियाद है, मैंने तो इसे कहीं नहीं पाया।

खाते वक़्त "बिस्मिल्लाह" पढ़नी मुस्तहब है। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ि. से फ़रमाया, जो आपके घर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. के पहले शौहर से थे कि "बिस्मिल्लाह" कहो, अपने दाहिने हाथ से खाया करो और अपने सामने से निवाला उठाया करो। बाज़ उलेमा उस वक़्त भी 'बिस्मिल्लाह' का कहना वाजिब बतलाते हैं जब बीवी से मिले। सहीहैन में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुममें से कोई अपनी बीवी से मिलने का इरादा करे तो यह पढ़ेः

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا.

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्-म जन्निब्नश्शैता-न व जन्निबिश्शैता-न मा रज़क़्तना।

यानी शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ ख़ुदा! हमें और जो हमें तू दे उसे शैतान से बचा।

फ़रमाते हैं कि अगर उस सोहबत से हमल (गर्भ) ठहर गया तो उस बच्चे को शैतान कभी नुक़सान न पहुँचा सकेगा। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में रिवायत है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सबसे पहले जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब वही लेकर आये तो फ़रमाया ऐ मुहम्मद! कहिये "अस्तअ़ीज़ु बिल्लाहिस्समीअ़िल अ़लीमि मिनश्शैतानिर्रजीम" फिर कहिये "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"। मक़सद यह था कि उठना बैठना पढ़ना सब अल्लाह के नाम से शुरू हो।

लफ़्ज़ 'इस्म' की तहक़ीक़

'इस्म' यानी नाम ही 'मुसम्मा' यानी नाम वाला है या कुछ और, इसमें उलेमा हज़रात के तीन क़ौल हैं, एक तो यह कि 'इस्म' ही 'मुसम्मा' है। अबू उबैद और सीबवैह का यही क़ौल है। बाक़िलानी और इब्ने फ़ोरक भी इसी को पसन्द करते हैं। इब्ने ख़तीब राज़ी अपनी तफ़सीर के मुक़द्दमे में लिखते हैं कि 'हश्विया' 'करामिया' और 'अश्अ़रिया' तो कहते हैं कि 'इस्म' 'मुसम्मा' (जिसका वह नाम) है की ज़ात है और ज़ात तस्मिया (नाम रखने) का ग़ैर (यानी उससे अलग) है। और 'मोतज़िला' कहते हैं कि 'इस्म' 'मुसम्मा' का ग़ैर (अलग) है और तस्मिया की ज़ात है। हमारे नज़दीक 'इस्म' 'मुसम्मा' (जिसका नाम है) का भी ग़ैर है और तस्मिया (नाम रखने) का भी। हम कहते हैं कि अगर 'इस्म' से मुराद लफ़्ज़ है जो आवाज़ों के टुकड़ों और हुरूफ़ का मजमूआ़ है तो बिल्कुल आसान सी बात है कि यह 'मुसम्मा' (जिसका नाम है) का ग़ैर है, और अगर 'इस्म' से मुराद 'मुसम्मा' की ज़ात है तो यह तो यह एक स्पष्ट बात की वज़ाहत करना है जो बिल्कुल बेफ़ायदा है, इसलिये ज़ाहिर है कि इस बेकार बहस में पड़ना ही फ़ुज़ूल है।

इसके बाद 'इस्म' और 'मुसम्मा' के फ़र्क़ पर दलीलें लाये हैं, कि कभी 'इस्म' होता है और 'मुसम्मा' (जिसका वह नाम है) होता ही नहीं। जैसे 'मादूम' (वजूद का उलट, जिसका कोई वजूद ही न हो) का लफ़्ज़। कभी एक 'मुसम्मा' के कई 'इस्म' होते हैं, जैसे मुतरादिफ़ अलफ़ाज़ (यानी ऐसे अलफ़ाज़ जिनके एक ही मायने हों जैसे नूर और रोशनी) कभी 'इस्म' एक होता है और 'मुसम्मा' कई एक होते हैं, जैसे 'मुश्तरक' (यानी ऐसे अलफ़ाज़ जिनके कई-कई मायने हों जैसे 'चश्मा' पानी का झरना और ऐनक दोनों के लिये एक ही लफ़्ज़ है)। इससे मालूम होता है कि 'इस्म' और चीज़ है और 'मुसम्मा' (जिसके लिये वह इस्म

और नाम है) और चीज़ है। यानी नाम अलग है और नाम वाला अलग है। और दलील सुनिये कि 'इस्म' तो लफ़्ज़ है और वह अ़र्ज़ (ज़ात से अलग एक चीज़) है और 'मुसम्मा' कभी तो ज़ात होती है मुम्किन या वाजिब। और सुनिये अगर 'इस्म' ही को 'मुसम्मा' माना जाये तो चाहिये कि आग का नाम लेते ही हरारत मालूम हो और बर्फ़ का नाम लेते ही ठण्डक पहुँचे, हालाँकि कोई अ़क़्ल रखने वाला ऐसा नहीं कह सकता। दलील यह है कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि अल्लाह के बहुत से बेहतरीन नाम हैं तुम उन नामों से उसे पुकारो। हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआ़ला के निन्नानवे नाम हैं तो ख़्याल कीजिए कि नाम किस क़द्र ज़्यादा हैं हालाँकि 'मुसम्मा' (वह वजूद जिसके नाम हैं) एक ही है, और वह अल्लाह तआ़ला वह्दहू ला शरीक लहू है।

इसी तरह 'असमा' (बहुत सारे नामों) को अल्लाह की तरफ़ इस आयत में जोड़ना और एक दूसरी जगह फ़रमाना 'फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल् अ़ज़ीम' वग़ैरह, यह इज़ाफ़त (निस्बत और जोड़) भी इसी का तक़ाज़ा करती है कि 'इस्म' अलग हो और 'मुसम्मा' अलग हो, क्योंकि इज़ाफ़त (किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ना) यह उसी वक़्त होता है जब वे दोनों चीज़ें अलग-अलग हों। इसी तरह यह हुक्म फ़रमाना कि "फ़दऊहु बिहा" यानी अल्लाह तआ़ला को उसके नामों के साथ पुकारो, यह भी इस बात की दलील है कि नाम और है और नाम वाला और। अब उनकी दलीलें सुनिये जो 'इस्म' और 'मुसम्मा' को एक ही बतलाते हैं। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ........ الخ.

यानी जलाल व बड़ाई वाले तेरे रब का बरकत वाला नाम है।

तो नाम को बरकतों वाला फ़रमाया, हालाँकि ख़ुद अल्लाह तआ़ला बरकतों वाला है। इसका आसान जवाब यह है कि उस मुक़द्दस (पवित्र) ज़ात की वजह से उसका नाम भी बड़ाईयों वाला है। दूसरी दलील उनकी यह है कि जब कोई शख़्स कहे कि ज़ैनब पर तलाक़ है तो तलाक़ उसकी बीवी पर जिसका नाम ज़ैनब है पड़ जाती है, अगर नाम और नाम वाले में फ़र्क़ हो तो नाम पर तलाक़ पड़ती, नाम वाले पर कैसे पड़ जाती? इसका जवाब यह है कि इससे मुराद यही होती है कि उस ज़ात पर तलाक़ है जिसका नाम ज़ैनब है। 'तस्मिया' (नाम रखने) का 'इस्म' से अलग होना इस दलील की बिना पर है कि तस्मिया कहते हैं किसी का नाम मुक़र्रर करने को, और ज़ाहिर है यह और चीज़ है और नाम वाला और चीज़ है। इमाम राज़ी रह. का क़ौल यही है। यह सब कुछ तो लफ़्ज़ "बिस्मि" से मुताल्लिक़ था, अब लफ़्ज़ "अल्लाह" के मुताल्लिक़ सुनिये।

लफ़्ज़ 'अल्लाह' की तहक़ीक़

"अल्लाह" ख़ास नाम है रब तबारक व तआ़ला का। कहा जाता है कि 'इस्मे आज़म' यही है। इसलिये कि तमाम उम्दा सिफ़तों के साथ यही मौसूफ़ होता है। जैसे कि क़ुरआन पाक में है:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.......... الخ.

यानी वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो छुपे-खुले का जानने वाला है, मुहाफ़िज़ है, जो रहम करने वाला मेहरबान है, वह अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, जो बादशाह है, पाक है, सलामती वाला है, अमन देने वाला है, ग़लबे वाला है, ज़बरदस्त है, बड़ाई वाला है, वह हर शिर्क से और

शिर्क की चीज़ से पाक है, वह अल्लाह पैदा करने वाला, बनाने वाला, सूरत बख़्शने वाला है, उसके लिये बेहतरीन पाकीज़ा नाम हैं। आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी तस्बीह बयान करती हैं, वह इज़्ज़तों और हुकूमतों वाला है।

इन आयतों में बाक़ी तमाम नाम सिफ़त हैं और लफ़्ज़ "अल्लाह" की सिफ़त हैं। पस असली नाम "अल्लाह" है जैसे एक और जगह फ़रमाया कि "अल्लाह" ही के लिये हैं पाकीज़ा और उम्दा नाम। पस तुम उसको उन नामों से पुकारो। और फ़रमाता है "अल्लाह" को पुकारो या "रहमान" को पुकारो जिस नाम से पुकारो उसी के प्यारे-प्यारे और अच्छे-अच्छे नाम हैं।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के निन्नानवे नाम हैं, एक कम एक सौ, जो उन्हें याद करे जन्नती है। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत में उन नामों की तफ़सील भी आयी है और दोनों की रिवायतों में अलफ़ाज़ का कुछ फ़र्क़ कुछ कमी-ज़्यादती भी है। इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीर में बाज़ लोगों से रिवायत की है कि अल्लाह तआ़ला के पाँच हज़ार नाम हैं, एक हज़ार तो क़ुरआन शरीफ़ और सही हदीसों में हैं और एक हज़ार तौरात में और एक हज़ार इन्जील में और एक हज़ार ज़बूर में और एक हज़ार लौहे-महफ़ूज़ में। "अल्लाह" वह नाम है जो सिवाय अल्लाह तबारक व तआ़ला के किसी और का नहीं, यही वजह है कि आज तक अ़रबी भाषा के माहिरीन को यह भी मालूम नहीं कि इसका इश्तिक़ाक़ (यानी माद्दा) क्या है, इसका बाब क्या है बल्कि नहवियों की एक बड़ी जमाअ़त का ख़्याल है कि यह 'इस्मे जामिद' है और इसका कोई इश्तिक़ाक़ (माद्दा और निकलने की जगह) है ही नहीं। इमाम क़ुर्तुबी ने उलेमा-ए-किराम की एक बड़ी जमाअ़त का यह मज़हब नक़ल किया है, जिनमें से हज़रत इमाम शाफ़ई, इमाम ख़त्ताबी, इमामुल-हरमैन, इमाम ग़ज़ाली वग़ैरह हैं। ख़लील और सीबवैह से रिवायत है कि "अलिफ़ लाम" इसमें लाज़िम है, इमाम ख़त्ताबी ने इसकी एक दलील यह दी है कि "या अल्लाह" कह सकते हैं मगर "या अर्रहमान" कहते किसी को नहीं सुना। अगर लफ़्ज़ "अल्लाह" में "अलिफ़ लाम" असल कलिमे का न होता तो इस पर निदा (पुकार) का लफ़्ज़ 'या' दाख़िल न हो सकता, क्योंकि अ़रबी ग्रामर के लिहाज़ से हुरूफ़े निदा का अलिफ़ लाम वाले इस्म (नाम) पर दाख़िल होना जायज़ नहीं।

बाज़ लोगों का यह क़ौल भी है कि यह मुश्तक़ (दूसरे लफ़्ज़ से निकला हुआ) है और इस पर रूबा का एक शे'र बतौर दलील पेश करते हैं, जिसमें मस्दर "तअ़ल्-ह" का बयान है। जैसा कि इब्ने अ़ब्बास से मरवी है कि वहः

وَيَذَرَكَ وَاِلٰهَتَكَ.

पढ़ते थे। मुराद इससे इबादत है, यानी उसकी इबादत की जाती है और वह किसी की इबादत नहीं करता। मुजाहिद रह. वग़ैरह कहते हैं कि बाज़ों ने इस पर इस आयत से दलील दी हैः

وَهُوَاللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ.

एक और आयत में हैः

وَهُوَالَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰـهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰـهٌ.

यानी वही अल्लाह है आसमानों में और ज़मीन में, वही है जो आसमान में माबूद है और ज़मीन में

माबूद है।

इमाम सीबवैह ख़लील से नक़ल करते हैं कि असल में यह 'इलाह' था, जैसे 'फ़िआ़ल' फिर हमज़ा के बदले 'अलिफ़ व लाम' लाया गया जैसे "अन्नास" कि इसकी असल "उनास" है। बाज़ों ने कहा है कि लफ़्ज़ 'अल्लाह' की असल 'लाह' है 'अलिफ़ लाम' हुरूफ़े ताज़ीम के तौर पर लाया गया है। सीबवैह का भी पसन्दीदा क़ौल यही है। अ़रब शायरों के अश्आ़र में भी यह लफ़्ज़ मिलता है। कसाई और फ़र्रा कहते हैं कि इसकी असल 'अल-इलाहु' थी, हमज़ा को हज़्फ़ किया और पहले 'लाम' को दूसरे में जोड़ किया जैसे कि 'लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी' में 'लाकिन अ-न' का 'लाकिन्ना' हुआ है। चुनाँचे हसन की क़िराअत में "लाकिन अ-न" ही है और इसका इश्तिक़ाक़ (निकलने का माद्दा) "वलह" से है और इसके मायने 'हैरान कर देने' के हैं। 'वलहुन्' अ़क़्ल के चले जाने को कहते हैं। चूँकि ज़ाते बारी तआ़ला में और उसकी सिफ़तों की तहक़ीक़ में अ़क़्ल हैरान व परेशान हो जाती है इसलिये उस ज़ाते पाक को अल्लाह कहा जाता है। इस बिना पर असल में यह लफ़्ज़ "वलाहु" था "वाव" को हमज़ा से बदल दिया गया जैसे कि 'वशाह' और 'वसादत' में 'इशाह' और 'इसादा' कहते हैं। इमाम राज़ी का क़ौल है कि यह लफ़्ज़ 'अलहतु इला फ़ुलानिन्' से बना है जो कि मायने में "सुकून व राहत" के है, यानी मैंने फ़ुलाँ से सुकून और राहत हासिल की, चूँकि अ़क़्ल का सुकून सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के ज़िक्र की तरफ़ से और रूह की हक़ीक़ी ख़ुशी उसी की मारिफ़त (पहचानने) में है, इसलिये कि हर तरह से वही कामिल है, उसके सिवा कोई और नहीं। इसी वजह से 'अल्लाह' कहा जाता है। क़ुरआन में है:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

यानी ईमान वालों के दिल सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र ही से इत्मीनान हासिल करते हैं।

एक क़ौल यह भी है कि यह "ला-ह यलूहु" से निकला है जिसके मायने छुप जाने और पर्दा करने के हैं, और यह भी कहा गया है कि यह "अलाहुल-फ़सील" से है। चूँकि बन्दे उसी की तरफ़ फ़रियाद और ज़ारी से झुकते हैं, उसी के दामने रहमत को हर हाल में थामते हैं इसलिये उसे "अल्लाह" कहा गया। एक क़ौल यह भी है कि अ़रब के लोग 'अलहुर्रजुलु यअ्लहू' उस वक़्त कहते हैं जब किसी अचानक चीज़ और बात से कोई घबरा उठे और दूसरा उसे पनाह दे और बचा ले। चूँकि तमाम मख़्लूक़ को हर मुसीबत से निजात देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला है, इसलिये उसे 'अल्लाह' कहते हैं जैसा कि क़ुरआने करीम में मौजूद है:

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ.

यानी वही बचाता है और उस पर कोई नहीं बचाया जाता।

असली नेमतें देने वाला वही है। फ़रमाता है कि तुम पर जितनी नेमतें हैं वे सब अल्लाह तआ़ला की दी हुई हैं। वही खिलाने वाला है, फ़रमाता है कि वह खिलाता है और उसे कोई नहीं खिलाता। वही 'मूजिद' है, फ़रमाता है कि हर चीज़ का वजूद अल्लाह की तरफ़ से है। इमाम राज़ी का मुख़्तार (पसन्दीदा) मज़हब यही है कि लफ़्ज़ 'अल्लाह' मुश्तक़ (किसी लफ़्ज़ से निकला हुआ) नहीं है। ख़लील, सीबवैह, अक्सर उसूली और फ़ुक़हा हज़रात का यही क़ौल है। इसकी बहुत-सी दलीलें भी हैं। अगर यह मुश्तक़ (किसी और लफ़्ज़ से निकला हुआ) होता तो इसके मायने में बहुत से अफ़राद की शिर्कत होती, हालाँकि ऐसा नहीं। फिर इस लफ़्ज़ को मौसूफ़ बनाया जाता है और बहुत-सी इसकी सिफ़तें आती हैं जैसे 'रहमान, रहीम, मालिक,

क़ुद्दूस' वग़ैरह, तो मालूम हुआ कि यह मुश्तक़ नहीं।

एक दलील इसके मुश्तक़ न होने की क़ुरआन की आयत 'हल् तअ्लमु लहू समिय्या' (यानी क्या उसका हम-नाम भी कोई जानते हो?) बयान की जाती है, लेकिन यह ग़ौर-तलब है। वल्लाहु आलम।

बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि यह लफ़्ज़ इबरानी भाषा का है, लेकिन इमाम राज़ी ने इस क़ौल को ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहा है और वास्तव में वह है भी ज़ईफ़। इमाम राज़ी फ़रमाते हैं कि मख़्लूक़ की दो क़िस्में हैं, एक तो वे जो अल्लाह की मारिफ़त (पहचान) के आख़िरी दर्जे पर पहुँच गये, दूसरे वे जो इससे मेहरूम हैं, जो हैरत की अंधेरियों और जहालत की काँटों भरी वादियों में पड़े हुए हैं। वे तो अक़्ल को रो बैठे हैं और रूहानी कमालात को खो बैठे हैं, लेकिन जो मारिफ़त के किनारे पर पहुँच चुके हैं, जो नूरानियत के फैले हुए बाग़ों में जा ठहरे हैं, जो किब्रियाई और जलाल की वुस्अत का अन्दाज़ा कर चुके हैं वे भी यहाँ तक पहुँचकर भौचक्के रह गये हैं और अल्लाह की बारगाह और दरबार में हैरान खड़े रह गये हैं।

ग़र्ज़ कि सारी मख़्लूक़ उसकी पूरी मारिफ़त से आ़जिज़ और हैरान व खोये हुए हैं। पस इसी सबब उस पाक ज़ात का नाम 'अल्लाह' है। सारी मख़्लूक़ उसकी मोहताज, उसके सामने झुकने वाली और उसकी तलाश करने वाली है। इस मायने में उसे 'अल्लाह' कहते हैं जैसा कि ख़लील का क़ौल है। अ़रब मुहावरे में हर ऊँची और बुलन्द चीज़ को 'लाह' कहते हैं सूरज जब निकलता है तब भी वे कहते हैं 'लाहतिश्शमसु' (कि सूरज ऊँचा हो गया) चूँकि परवर्दिगारे आ़लम भी सबसे बुलन्द व बाला है उसको भी 'अल्लाह' कहते हैं और 'अ-ल-ह' के मायने इबादत करने के और 'त-अ-ल्लहू' के मायने हुक्म मानने और क़ुर्बानी करने के हैं। ख़ुदा तआ़ला की इबादत की जाती है और उसके नाम पर क़ुरबानियाँ की जाती हैं इसलिये उसे 'अल्लाह' कहते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की क़िराअत में है:

وَيَذَرَكَ وَاِلٰهَتَكَ.

इसकी असल 'अल-इलाहु' है। पस शुरू में जो हमज़ा है वह हज़फ़ किया गया, फिर पहला 'लाम' जो ज़ायद है जो तारीफ़ के लिये लाया गया है असल लाम से मिल गया और एक को दूसरे में इदग़ाम किया गया तो एक 'लाम' मुशद्दद (तश्दीद वाला) रह गया और अदब व ताज़ीम से 'अल्लाह' कहा गया। यह तो तफ़सीर लफ़्ज़ 'अल्लाह' की थी, अब आगे दूसरे अलफ़ाज़ की सुनिये।

लफ़्ज़ 'रहमान' व 'रहीम' का बयान

'अर्रहमान' 'अर्रहीम' ये दोनों नाम रहमत से मुश्तक़ (निकले) हैं। दोनों में मुबालग़ा (ज़्यादती) है। 'रहमान' में 'रहीम' से ज़्यादा मुबालग़ा (यानी सिफ़ते रहमत ज़्यादा) है। अ़ल्लामा इब्ने जरीर के क़ौल से तो मालूम होता है कि गोया इस पर इत्तिफ़ाक़ है। बाज़ उलेमा की तफ़सीरों से भी यह मालूम होता है। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का क़ौल भी इसी मायने का पहले गुज़र चुका है कि 'रहमान' से मुराद दुनिया और आख़िरत में रहम करने वाला और 'रहीम' से मुराद आख़िरत में रहम करने वाला है। बाज़ लोग कहते हैं कि 'रहमान' मुश्तक़ नहीं है। अगर यह इस तरह होता तो 'मरहूम' के साथ मिलता, हालाँकि क़ुरआन में 'बिल-मुअमिनी-न रहीमा' आया है। मुबरिद कहते हैं कि 'रहमान' इबरानी नाम है अ़रबी नहीं। अबू इस्हाक़ ज़ुजाज 'मआ़नियुल-क़ुरआन' में लिखते हैं कि अहमद बिन यहया का क़ौल है कि रहीम अ़रबी लफ़्ज़ है और 'रहमान' इबरानी है। दोनों को जमा कर दिया गया है, लेकिन अबू इस्हाक़ फ़रमाते हैं कि इस क़ौल को दिल

क़बूल नहीं करता। क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि इस लफ़्ज़ के मुश्तक़ होने की यह दलील है कि तिर्मिज़ी की सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि मैं 'रहमान' हूँ। मैंने रहम को पैदा किया और अपने नामों से उसका नाम मुश्तक़ किया (निकाला)। इसके मिलाने वाले को मैं मिलाऊँगा और इसके तोड़ने वाले को मैं काट दूँगा। अब स्पष्ट हदीस की मुख़ालफ़त और इनकार करने की कोई गुंजाईश नहीं। रहा अ़रब के काफ़िरों का इस नाम से इनकार करना यह महज़ उनकी जहालत का एक करिश्मा था। इमाम क़ुर्तुबी कहते हैं कि 'रहमान' और रहीम के एक ही मायने हैं जैसे 'नदमान' और 'नदीम'। अबू उबैदा का यही क़ौल है। एक क़ौल यह भी है कि "फ़अ़लान" "फ़अ़ील" की तरह नहीं 'फ़अ़लान' में मुबालग़ा (ज़्यादती होना) ज़रूरी होता है जैसे "ग़ज़बान" उसी शख़्स को कह सकते हैं जो बहुत ही ग़ुस्से वाला हो, और "फ़अ़ील" सिर्फ़ 'फ़ाअ़िल' (काम करने वाले) और 'मफ़ऊल' (जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ हो) के लिये भी आता है, जो मुबालग़े से ख़ाली होता है।

अबू अ़ली फ़ारसी कहते हैं कि 'रहमान' आ़म 'इस्म' है जो हर क़िस्म की रहमतों को शामिल है, और सिर्फ़ ख़ुदावन्दे तआ़ला के साथ मख़्सूस है, और 'रहीम' मोमिनों के एतिबार से है। फ़रमाता है:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا.

मोमिनों के साथ रहीम है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये दोनों नाम रहमत व रहम वाले हैं। एक में दूसरे से ज़्यादा रहमत व रहम है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की इस रिवायत में लफ़्ज़ 'अरक़्क़' है, इसके मायने इमाम ख़त्ताबी वग़ैरह 'अर्फ़क़' (बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाले के) करते हैं जैसा कि हदीस में है कि अल्लाह 'रिफ़्क़' (यानी नर्मी और मेहरबानी) वाला है। वह हर काम में नर्मी और आसानी को पसन्द करता है, वह नर्मी और आसानी पर वो नेमतें इनायत फ़रमाता है जो सख़्ती पर अ़ता नहीं फ़रमाता। इब्ने मुबारक रह. फ़रमाते हैं कि 'रहमान' उसे कहते हैं जब उससे जो माँगा जाये अ़ता फ़रमाये, और रहीम वह है कि जब उससे न माँगा जाये वह नाराज़ और ग़ुस्सा हो। तिर्मिज़ी की हदीस में है कि जो शख़्स अल्लाह से न माँगे अल्लाह तआ़ला उस पर नाराज़ होता है। बाज़ शायरों का क़ौल है:

الله يغضب ان تركت سواله ☆ وبنى آدم حين يسئال يغضب

यानी अल्लाह तआ़ला से न माँगो तो वह नाराज़ होता है, और इनसान से माँगो तो वे बिगड़ते हैं।

अ़रज़मी फ़रमाते हैं कि 'रहमान' के मायने तमाम मख़्लूक़ पर रहम करने वाला और रहीम के मायने मोमिनों पर रहम करने वाला है। देखिये क़ुरआने करीम की दो आयतें:

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ. اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

(सूरः फ़ुरक़ान आयत 59, सूरः तॉहा आयत 5) में 'इस्तवा' के साथ 'रहमान' का लफ़्ज़ ज़िक्र किया ताकि तमाम मख़्लूक़ को यह लफ़्ज़ अपने आ़म रहम व करम के मायने से शामिल हो सके, और मोमिनों के ज़िक्र के साथ लफ़्ज़ रहीम फ़रमाया:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا.

(सूरः अहज़ाब आयत 43) पस मालूम हुआ कि 'रहमान' में मुबालग़ा रहीम के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हदीस की एक दुआ़ में "या रहमानद्दुन्या व रहीमहा" भी आया है।

'रहमान' यह नाम भी अल्लाह तआ़ला के साथ मख़्सूस है, उसके सिवा दूसरे का नाम नहीं जैसा कि

फ़रमाया कि 'अल्लाह' को पुकारो या 'रहमान' को जिस नाम से उसे पुकारो उसके बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं। एक और आयत में है:

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا......... الخ.

यानी अपने से पहले के रसूलों से पूछ लो, क्या उनके लिये 'रहमान' के सिवा कोई और माबूद था जिसकी इबादत वे करते हों?

जब मुसैलमा कज़्ज़ाब (नुबुव्वत के झूठे दावेदार) ने दावे शुरू किये और अपना नाम 'रहमानल-यमामा' रखा तो परवर्दिगार ने उसे बेइन्तिहा रुस्वा और बरबाद किया और झूठ और किज़्ब के साथ वह मशहूर हो गया। आज उसे मुसैलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है और हर झूठे दावेदार को उसके साथ मिसाल दी जाती है। हर देहाती और हर शहरी पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे घर वाला उसे अच्छी तरह जानता है। बाज़ कहते हैं कि रहीम में 'रहमान' से ज़्यादा मुबालग़ा है, इसलिये कि इस लफ़्ज़ के साथ अगले लफ़्ज़ की ताकीद की गयी है और ताकीद उसके मुक़ाबले में जिसकी ताकीद की जाये ज़्यादा क़ुव्वत वाली होती है। इसका जवाब यह है कि यहाँ ताकीद है ही नहीं बल्कि यह तो सिफ़त है और सिफ़त में यह क़ायदा नहीं। पस अल्लाह तआ़ला का नाम लिया गया जिस नाम में उसका कोई भी शरीक नहीं और उसकी सिफ़त सबसे पहले 'रहमान' बयान की गयी कि यह नाम रखना भी दूसरों को वर्जित (मना) है। जैसे फ़रमा दिया कि अल्लाह को या 'रहमान' को पुकारो जिस नाम से चाहो पुकारो, उसके लिये बहुत सारे अच्छे-अच्छे नाम हैं। मुसैलमा ने गोया यह बदतरीन जुर्रत की लेकिन बरबाद हुआ और उसके गुमराह साथियों के सिवा उसकी यह बात औरों पर न चल सकी। रहीम के वस्फ़ (ख़ूबी) के साथ अल्लाह तआ़ला ने दूसरों को भी मौसूफ़ किया है। फ़रमायाः

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ......... الخ.

(सूरः तौबा आयत 128) इस आयत में अपने नबी को रहीम कहा। इसी तरह अपने बाज़ नामों से दूसरों को भी उसने याद किया है, जैसा किः

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

(सूरः दहर आयत 2) में इनसान को 'समीअ़' और 'बसीर' कहा है। हासिल यह है कि अल्लाह तआ़ला के बाज़ नाम तो ऐसे हैं कि दूसरों पर भी दूसरे मायने में उनका इतलाक़ हो सकता है और बाज़ ऐसे हैं कि नहीं हो सकता। जैसे 'अल्लाह' और 'रहमान' और 'ख़ालिक़' और 'रज़्ज़ाक़' वग़ैरह। इसी लिये अल्लाह तआ़ला ने अपना पहला नाम 'अल्लाह' लिया फिर उसकी सिफ़त रहमान से की, इसलिये कि 'रहीम' के मुक़ाबले में यह ज़्यादा ख़ास और मशहूर है। क़ायदा है कि पहले सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग (बड़ाई वाला) नाम लिया जाये इसलिये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ख़ास नाम लिया। फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर कहा जाये कि जब 'रहमान' में रहीम से ज़्यादा मुबालग़ा मौजूद है फिर इस पर इक्तिफ़ा (बस) क्यों न किया गया? तो इसके जवाब में हज़रत अ़ता ख़ुरासानी का यह क़ौल पेश हो सकता है कि चूँकि काफ़िरों ने 'रहमान' नाम भी ग़ैरों का रख लिया था इसलिये 'रहीम' का लफ़्ज़ भी लाये ताकि किसी क़िस्म का शक व शुब्हा तक न रहे। 'रहमान' व 'रहीम' सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही का नाम है। इब्ने जरीर ने इस क़ौल को नक़ल किया है। बाज़ लोग कहते हैं कि जाहिलीयत के ज़माने के अ़रब 'रहमान' से वाक़िफ़ ही न थे यहाँ

तक कि अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन पाक की यह आयत नाज़िल फ़रमाकर उनकी तरदीद कीः

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ:......... الخ.

कि तुम अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से............। (सूरः बनी इस्राईल आयत 110)

क़ुरैश के काफ़िरों ने हुदैबिया वाले साल भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ली रज़ि. से फ़रमाया कि 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' लिखो कहा था कि हम 'रहमान' व 'रहीम' को नहीं जानते। बुख़ारी में यह रिवायत मौजूद है। बाज़ रिवायतों में है कि उन्होंने कहा था कि हम 'रहमाने यमामा' को जानते हैं किसी और को नहीं जानते। इसी तरह एक और जगह क़ुरआने पाक में हैः

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ......... الخ.

यानी जब उनसे कहा जाता है कि 'रहमान' के सामने सज्दा करो तो और वहशत करने लगते हैं और जवाब देते हैं कि 'रहमान' कौन है जिसे हम तेरे कहने की वजह से सज्दा करें।

इन सब का सही मतलब यह है कि ये बदकार लोग सिर्फ़ दुश्मनी, तकब्बुर और नाफ़रमानी की बिना पर रहीम का इनकार करते थे न कि वह इस नाम से नावाक़िफ़ थे, इसलिये कि जाहिलीयत के ज़माने के पुराने अश्आ़र में भी अल्लाह तआ़ला का नाम रहीम मौजूद है जो उन्हीं शायरों के शे'र हैं। सलामा और दूसरे शायरों के अश्आ़र देखिये।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से तफ़सीर इब्ने जरीर में है कि 'रहमान' 'फ़अ़ूलान' के वज़न पर रहमत से माख़ूज़ (लिया गया) है, और कलामे अ़रब में से है। वह ख़ुदा-ए-मेहरबान जिस पर रहम करना चाहे करता है, और जिससे गुस्सा हो उससे बहुत दूर और उस पर सख़्त पकड़ करने वाला भी है। इसी तरह उसके नाम हैं। हसन फ़रमाते हैं कि 'रहमान' का नाम दूसरों के लिये मना है, यह ख़ुद अल्लाह तआ़ला का नाम है, लोगों को इस नाम का कोई हक़ नहीं। उम्मे सलमा रज़ि. वाली हदीस जिसमें है कि हर आयत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ठहरा करते थे, पहले गुज़र चुकी है, और एक जमाअ़त इसी तरह 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पर आयत करके इसको अलग पढ़ती है और बाज़ मिलाकर पढ़ते हैं।

'बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम' की तफ़सीर ख़त्म हुई अब आगे सूरः फ़ातिहा की तफ़सीर देखें।

सब तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लायक़ हैं जो पालने वाले हैं हर-हर आ़लम के। (1)	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

सातों क़ारी 'अल्हम्दु' को 'दाल' के पेश से पढ़ते हैं और 'अल्हम्दु लिल्लाहि' को मुब्तदा ख़बर मानते हैं। सुफ़ियान बिन उयैना और रूबा बिन अ़ज्जाज का क़ौल है कि 'दाल' के ज़बर के साथ और फ़ेल यहाँ मुक़द्दर (पोशीदा) है। इब्ने अबी अ़बला 'अल्हम्दु' की 'दाल' को 'लिल्लाहि' के पहले 'लाम' को दोनों को पेश के साथ पढ़ते हैं और इस 'लाम' को पहले के ताबे करते हैं, अगरचे इसकी शहादत अ़रब की भाषा से मिलती है लेकिन शाज़ (ग़ैर-मशहूर और न होने के बराबर) है। हसन और ज़ैद.इब्ने अ़ली इन दोनों हर्फ़ों को ज़ेर से पढ़ते हैं और 'लाम' के ताबे 'दाल' को करते हैं। इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि 'अल्हम्दु लिल्लाहि' के मायने यह हैं कि सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला का शुक्र है, उसके सिवा कोई इसके लायक़ नहीं, चाहे वह मख़्लूक़ में से कोई भी हो। इस वजह से कि तमाम नेमतें जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते और उस मालिक के सिवा और कोई उनकी तायदाद को नहीं जानता उसी की तरफ़ से हैं। उसी ने अपनी इताअ़त करने के तमाम

असबाब हमें अ़ता फ़रमाये, उसी ने अपने फ़राईज़ पूरे करने के लिये जिस्मानी तमाम नेमतें हमें अ़ता कीं। फिर दुनियावी बेशुमार नेमतें और ज़िन्दगी की तमाम ज़रूरतें हमारे किसी हक़ के बग़ैर हमें उसने अ़ता कीं, उसकी हमेशगी वाली नेमतें उसके तैयार किये हुए पाकीज़ा मक़ाम जन्नत में हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? यह भी उसने हमें सिखा दिया।

पस हम तो कहते हैं कि अव्वल आख़िर उसी मालिक की पाक ज़ात हर तरह तारीफ़ और हम्द व शुक्र के लायक़ है। 'अल्हम्दु लिल्लाहि' यह सना (तारीफ़ व प्रशंसा) का कलिमा है, अल्लाह तआ़ला ने अपनी सना (तारीफ़) ख़ुद आप की है और इस तरह गोया मख़्लूक़ को तालीम दी है कि तुम इस तरह मेरी तारीफ़ करो। बाज़ों ने कहा है कि 'अल्हम्दु लिल्लाह' कहना यह अल्लाह तआ़ला के पाकीज़ा नामों और उसकी बुलन्द व बाला सिफ़तों से उसकी सना (तारीफ़) करना है और 'अश्शुक्रु लिल्लाह' (शुक्र है अल्लाह का) कहना यह अल्लाह तआ़ला की नेमतों और उसके एहसान का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं, इसलिये कि अ़रब की भाषा और मुहावरों को जानने वाले उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है कि शुक्र की जगह हम्द (तारीफ़) का लफ़्ज़ और हम्द की जगह शुक्र का लफ़्ज़ बोलते हैं। जाफ़रे सादिक़ और इब्ने अ़ता सूफ़ी यही फ़रमाते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हर शुक्र करने वाले का कलिमा 'अल्हम्दु लिल्लाह' है। इमाम क़ुर्तुबी ने इब्ने जरीर के क़ौल को मोतबर करने के लिये यह दलील भी बयान की है कि अगर कोई 'अल्हम्दु लिल्लाह शुक्रन्' कहे तो जायज़ है। दर असल अ़ल्लामा इब्ने जरीर के इस दावे में कलाम है, पहले उलेमा में मशहूर है कि हम्द कहते हैं ज़बानी तारीफ़ बयान करने को, चाहे जिसकी हम्द की जाती हो उसकी लाज़िम सिफ़तों पर हो या मुतअ़द्दी सिफ़तों पर, शुक्र सिर्फ़ मुतअ़द्दी सिफ़तों पर होता है और वह दिल ज़बान और तमाम अरकान से होता है। अ़रब शायरों के अश्आ़र भी इस पर दलील हैं। हाँ इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि हम्द का लफ़्ज़ आ़म है या शुक्र का, और सही बात यह है कि इसमें दोनों हैं, इस हैसियत से कि जिस पर वाक़े हो, हम्द का लफ़्ज़ शुक्र के लफ़्ज़ से आ़म है, इसलिये कि वह लाज़िम और मुतअ़द्दी दोनों सिफ़तों पर आता है। पाकीज़गी और करम दोनों पर 'हमिद्तुहू' (मैंने उसकी तारीफ़ की) कह सकते हैं, लेकिन इस हैसियत से कि वह सिर्फ़ ज़बान से ही अदा हो सकता है यह लफ़्ज़ ख़ास है। और शुक्र का लफ़्ज़ आ़म है क्योंकि वह क़ौल, फ़ेल और नीयत तीनों पर बोला जाता है और सिर्फ़ मुतअ़द्दी सिफ़तों पर बोले जाने के एतिबार से शुक्र का लफ़्ज़ ख़ास है। क़ुद्दूसियत पर (पाकीज़गी बयान करते हुए) 'शकरतुहू' (मैंने उसका शुक्र अदा किया) नहीं कह सकते, अलबत्ता 'शकरतुहू अ़ला करमिही व एहसानिही इलय्-य' (मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ उसके उन एहसानात और करम पर जो उसने मुझ पर किये हैं) कह सकते हैं। यह था ख़ुलासा बाद वाले ज़माने के उलेमा के क़ौल का। वल्लाहु आलम।

अबू नस्र इस्माईल बिन हम्माद जोहरी कहते हैं कि 'हम्द' (तारीफ़) मुक़ाबिल है 'ज़म' (बुराई करने) के। यूँ कहते हैं:

حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود.

कि तारीफ़ की मैंने उस आदमी की जो कि है ही तारीफ़ के क़ाबिल।

'तहमीद' (तारीफ़ करने) में 'हम्द' (तारीफ़) से भी ज़्यादा मुबालग़ा है। हम्द शुक्र से आ़म है, शुक्र कहते हैं किसी मोहसिन (एहसान करने वाले) की दी हुई नेमतों पर उसकी तारीफ़ व शुक्रगुज़ारी करने को। अ़रबी ज़बान में 'शकरतुहू' और 'शकरतु लहू' दोनों तरह कहते हैं, लेकिन लाम के साथ कहना ज़्यादा उम्दा

है। 'मदह' का लफ़्ज़ 'हम्द' से भी ज़्यादा आ़म है, इसलिये कि यह ज़िन्दा मुर्दा बल्कि बेजान चीज़ों पर भी (तारीफ़ करने के लिये) 'मदह' का लफ़्ज़ बोल सकते हैं। खाने, मकान और इसी तरह की और दूसरी चीज़ों की 'मदह' (तारीफ़) की जाती है, एहसान से पहले एहसान के बाद लाज़िम सिफ़तों पर मुतअ़द्दी सिफ़तों पर भी इसका इतलाक़ हो सकता है तो इसका आ़म होना साबित हुआ। वल्लाहु आलम।

नोटः ऊपर की तहरीर में थोड़ा उलझाव ज़रूर महसूस हो रहा होगा, लेकिन इससे इतना अन्दाज़ा तो होता ही है कि क़ुरआन पाक के एक-एक लफ़्ज़ की लुग़वी और मानवी तहक़ीक़ में उलेमा हज़रात ने किस क़द्र मेहनत और जिद्दोजेहद से काम लिया है। 'लाज़िम' और 'मुतअ़द्दी' लफ़्ज़ बार-बार आये हैं। 'लाज़िम' से ऐसी चीज़ और सिफ़त मुराद ली जाती है जिसका असर मौसूफ़ की अपनी ज़ात तक हो, या जिसका असर एक ही ज़ात तक रहे दूसरों तक न फैले, और 'मुतअ़द्दी' उस चीज़ या सिफ़त को कहा जाता है जिसका असर दूसरों तक भी पहुँचे। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

'हम्द' की तफ़सीर और उलेमा व बुज़ुर्गों की राय

हज़रत उमर रज़ि. ने एक मर्तबा फ़रमाया कि 'सुब्हानल्लाह' और 'ला इला-ह इल्लल्लाह' और बाज़ रिवायतों में है कि 'अल्लाहु अकबर' को तो हम जानते हैं, लेकिन यह 'अल्हम्दु लिल्लाह' का क्या मतलब है? हज़रत अ़ली रज़ि. ने जवाब दिया कि इस कलिमे को अल्लाह तआ़ला ने अपने लिये पसन्द फ़रमा लिया है। और बाज़ रिवायतों में है कि इसका कहना ख़ुदा को भला लगता है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह कलिमा शुक्र का है, इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मेरे बन्दे ने मेरा शुक्र किया। पस इस कलिमे में शुक्र के अ़लावा उसकी नेमतों, हिदायतों, एहसान वग़ैरह का इक़रार भी है। कअ़बे अहबार रज़ि. का क़ौल है कि यह कलिमा अल्लाह तआ़ला की सना (प्रशंसा) है। ज़ह्हाक रह. कहते हैं कि यह ख़ुदा की चादर है। एक हदीस भी ऐसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जब तुमने 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन' कह लिया तो तुमने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। अब अल्लाह तआ़ला तुम्हें बरकत देगा।

अस्वद बिन सरीअ़ एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ करते हैं कि मैंने ज़ाते बारी तआ़ला की हम्द (तारीफ़) में चन्द अश्आ़र कहे हैं, इजाज़त हो तो सुना दूँ? फ़रमाया अल्लाह तआ़ला को अपनी हम्द बहुत पसन्द है। (मुस्नद अहमद व नसाई) तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अफ़ज़ल ज़िक्र 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' है और अफ़ज़ल दुआ़ 'अल्हम्दु लिल्लाह' है। इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को हसन ग़रीब कहते हैं। इब्ने माजा की हदीस में है कि जिस बन्दे को अल्लाह तआ़ला कोई नेमत दे और वह उस पर 'अल्हम्दु लिल्लाह' कहे तो दी हुई नेमत ली हुई से अफ़ज़ल है। फ़रमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत में से किसी को अल्लाह तआ़ला दुनिया दे दे और वह 'अल्हम्दु लिल्लाह' कहे तो यह कलिमा सारी दुनिया से अफ़ज़ल है। इमाम क़ुर्तुबी फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि सारी दुनिया दे देना इतनी बड़ी नेमत नहीं जितनी अल्हम्दु लिल्लाह कहने की तौफ़ीक़ देना है। इसलिये कि दुनिया तो फ़ानी है और इस कलिमे का सवाब बाक़ी है। जैसा कि क़ुरआने पाक में हैः

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ........ الخ.

यानी माल और औलाद दुनिया की ज़ीनत हैं और नेक आमाल हमेशा बाक़ी रहने वाले सवाब वाले और नेक उम्मीद वाले हैं।

इब्ने माजा में हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स ने एक मर्तबा कहाः

يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

'या रब्बि लकल् हम्दु कमा यम्बग़ी लि-जलालि वज्हि-क व अ़ज़ीमि सुल्तानि-क'

फ़रिश्ते घबरा गये कि हम इसका कितना अज्र लिखें। आख़िर अल्लाह तआ़ला से उन्होंने अ़र्ज़ की कि तेरे एक बन्दे ने एक ऐसा कलिमा कहा है कि हम नहीं जानते उसे किस तरह लिखें? परवर्दिगार ने बावजूद जानने के उनसे पूछा कि उसने क्या कहा है? उन्होंने बयान किया कि उसने यह कलिमा कहा है। फ़रमाया तुम यूँ ही इसे लिख लो, मैं आप उसे अपनी मुलाक़ात के वक़्त इसका अज्र दे दूँगा। इमाम क़ुर्तुबी उलेमा की एक जमाअ़त से नक़ल करते हैं कि 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' से भी 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन' अफ़ज़ल है, क्योंकि इसमें तौहीद और हम्द दोनों हैं। और दूसरे उलेमा का ख़्याल है कि 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' अफ़ज़ल है, इसलिये कि ईमान व कुफ़्र में यही फ़र्क़ करता है, इसी के कहलवाने के लिये काफ़िरों से लड़ाईयाँ की जाती हैं जैसा कि सही बुख़ारी, सही मुस्लिम की हदीस में है। एक और मरफ़ूअ़ हदीस में है कि जो कुछ मैंने और मुझसे पहले के तमाम अम्बिया-ए-किराम ने कहा है उनमें सबसे अफ़ज़ल 'ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू' है।

हज़रत जाबिर रज़ि. की एक मरफ़ूअ़ हदीस पहले गुज़र चुकी है कि ज़िक्र में सबसे अफ़ज़ल 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' है और अफ़ज़ल दुआ़ 'अल्हम्दु लिल्लाह' है। तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। 'अल्हम्दु' में 'अलिफ़ लाम' इस्तिग़राक़ का है, यानी हम्द (तारीफ़) की तमाम क़िस्में और जिन्सें सबकी सब सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही के लिये साबित हैं, जैसा कि हदीस में है कि बारी तआ़ला तेरे ही लिये तमाम तारीफ़ें हैं और तमाम मुल्क है, तेरे ही हाथ तमाम भलाईयाँ हैं और तमाम काम तेरी ही तरफ़ लौटते हैं।

'रब' कहते हैं मालिक और हर तरह का इख़्तियार इस्तेमाल करने वाले को। लुग़त में इसका इतलाक़ 'सरदार' और इस्लाह (सुधार व बेहतरी) के लिये हेर-फेर करने वाले पर भी होता है, और इन सब मायने के एतिबार से अल्लाह की पाक ज़ात के लिये यह पाक नाम ज़ेब (शोभा) देता है। 'रब' का लफ़्ज़ भी सिवाय अल्लाह तआ़ला के दूसरे पर नहीं कहा जा सकता। हाँ इज़ाफ़त के साथ (यानी किसी लफ़्ज़ के साथ मिलाकर) हो तो और बात है, जैसे 'रब्बुद्दार' यानी घर का पालने वाला, वग़ैरह। बाज़ का तो क़ौल है कि यही 'इस्मे आज़म' है।

'आ़लमीन' जमा (बहुवचन) है 'आ़लम' की, अल्लाह तआ़ला के सिवा तमाम मख़्लूक़ को 'आ़लम' कहते हैं। लफ़्ज़ आ़लम भी जमा (बहुवचन) है और इसका वाहिद (एक वचन) लफ़्ज़ के एतिबार से है ही नहीं। आसमान की मख़्लूक़, ख़ुश्की और तरी की मख़्लूक़ात को भी 'अ़वालिम' यानी कई 'आ़लम' कहते हैं। इसी तरह एक-एक ज़माने और एक-एक वक़्त को भी 'आ़लम' कहा जाता है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इस आयत की तफ़सीर में मरवी है कि इससे मुराद तमाम मख़्लूक़ है चाहे आसमानों की हो या ज़मीनों की, या उनके दरमियान की। चाहे हमें उसका इल्म हो या न हो। इन्हीं से इसकी मुराद जिन्नात और इनसान भी रिवायत की गयी है। सईद बिन जुबैर, मुजाहिद और इब्ने जुरैज से भी यह मरवी है। हज़रत अ़ली रज़ि. से

भी ग़ैर-मोतबर सनद से यह मन्क़ूल है। इस क़ौल की दलील क़ुरआन पाक की यह आयतः

لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا.

भी बयान की जाती है, यानी ताकि वह 'अल-आलमीन' यानी जिन्नात व इनसानों के लिये डराने वाला हो जाये। इमाम फ़र्रा और अबू उबैदा का क़ौल है कि समझदार को 'आलम' कहा जाता है, इनसान जिन्नात फ़रिश्ते शयातीन इन्हें आलम कहा जायेगा, जानवरों को नहीं कहा जायेगा। ज़ैद बिन असलम और अबू अमर बिन अ़ला फ़रमाते हैं कि हर रूह वाली चीज़ को आलम कहा जाता है। क़तादा कहते हैं कि हर क़िस्म को एक आलम कहते हैं। इब्ने मरवान बिन हकम उर्फ़ जुअ़द जो बनू उमैया में से हैं और अपने ज़माने के ख़लीफ़ा थे, कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने सत्तर हज़ार आलम पैदा किये हैं, आसमानों वाले सब एक आलम, ज़मीनों वाले सब एक आलम और बाक़ी को ख़ुदा ही जानता है, मख़्लूक़ को उनका इल्म नहीं।

अबुल-आलिया फ़रमाते हैं कि इनसान तमाम एक आलम है, सारे जिन्नात का एक आलम है और उनके सिवा अट्ठारह हज़ार या चौदह हज़ार आलम और हैं। फ़रिश्ते ज़मीन पर हैं और ज़मीन के चार कोने हैं, हर कोने में साढ़े तीन हज़ार आलम हैं, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिये पैदा किया है। यह क़ौल बिल्कुल ग़रीब है और ऐसी बातें जब तक किसी सही दलील से साबित न हों मानने के क़ाबिल नहीं होतीं। हुमैरी कहते हैं कि एक हज़ार उम्मतें हैं, छह सौ तो तरी (पानी) में और चार सौ ख़ुश्की में। सईद बिन मुसैयब से भी यह मरवी है। एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. की ख़िलाफ़त के ज़माने में एक साल टिड्डियाँ नज़र न आयीं बल्कि खोजने पर भी पता न चला, आप ग़मगीन हो गये और यमन, शाम और इराक़ की तरफ़ सवार दौड़ा दिये कि कहीं भी टिड्डियाँ नज़र आती हैं या नहीं? तो यमन वाले सवार थोड़ी सी टिड्डियाँ लेकर आये और अमीरुल-मोमिनीन के सामने पेश कीं। आपने उन्हें देखकर तकबीर कही (यानी अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर कहा) और फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है, आप फ़रमाते थे कि अल्लाह तआ़ला ने एक हज़ार उम्मतें पैदा की हैं जिनमें से छह सौ तो तरी (पानी) और चार सौ ख़ुश्की में हैं, उनमें से सबसे पहले जो उम्मत हलाक होगी वह टिड्डियाँ होंगी। बस उनकी हलाकत के बाद एक के बाद एक दूसरी और सब उम्मतें हलाक हो जायेंगी, जिस तरह कि तस्बीह का धागा टूट जाये और एक के बाद एक करके सब मोती झड़ जाते हैं। लेकिन इस रिवायत के रावी मुहम्मद बिन ईसा हिलाली ज़ईफ़ हैं। सईद बिन मुसैयब रह. से भी यह क़ौल मरवी है। वहब बिन मुनब्बिह फ़रमाते हैं कि अट्ठारह हज़ार आलम हैं, दुनिया सारी की सारी उनमें से एक आलम है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. फ़रमाते हैं कि चालीस हज़ार आलम हैं सारी दुनिया उनमें से एक आलम है। ज़ुजाज कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने दुनिया व आख़िरत में जो कुछ पैदा किया है वह सब आलम है। इमाम क़ुर्तुबी कहते हैं कि यही क़ौल सही है, इसलिये कि यह तमाम आलमों को शामिल है। जैसे फ़िरऔन के इस सवाल के जवाब में कि 'रब्बुल-आलमीन' कौन है? मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया था कि आसमानों ज़मीनों और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है इन सबका रब। 'आलम' का लफ़्ज़ अ़लामत (निशानी) से निकला है, इसलिये कि 'आलम' यानी मख़्लूक़ अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले पर निशान और उसकी वहदानियत पर अ़लामत है, जैसा कि इब्ने मोतज़ शायर का क़ौल है:

فيا عجبا كيف يعصى الاله   ام كيف يجحده الجاحد

وفي كل شيء له آية   تدل على انه واحد

यानी ताज्जुब है किस तरह ख़ुदा की नाफ़रमानी की जाती है और किस तरह उससे इनकार किया जाता है हालाँकि हर चीज़ में एक ऐसी निशानी है जो उसकी वह्दानियत (एक माबूद होने) पर वाज़ेह दलालत करती है।

'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन' के बाद अब 'अर्रह्मानिर्रहीम' की तफ़सीर सुनिये।

जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं। (2)	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

इसकी तफ़सीर पहले पूरी गुज़र चुकी है, अब उसको दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि 'रब्बिल-आ़लमीन' के वस्फ़ (सिफ़त और ख़ूबी) के बाद 'अर्रह्मानिर्रहीम' का वस्फ़ 'तरहीब' यानी डरावे के बाद 'तरग़ीब' यानी उम्मीद दिलाना है। जैसे फ़रमायाः

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ.

यानी मेरे बन्दों को ख़बर कर दो कि मैं बख़्शने वाला मेहरबान भी हूँ और मेरे अ़ज़ाब भी दर्दनाक अ़ज़ाब हैं।

और फ़रमाया तेरा रब जल्द सज़ा करने वाला और मेहरबानी और बख़्शिश भी करने वाला है। रब के लफ़्ज़ में 'तख़्वीफ़' (डरावा) है और 'रहमान' व 'रहीम' के लफ़्ज़ में उम्मीद है। सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर ईमान वाला ख़ुदा के ग़ज़ब व गुस्से से और उसके सख़्त अ़ज़ाबों से पूरा वाक़िफ़ होता (तो उस वक़्त) उसके दिल से जन्नत की उम्मीद हट जाती, और अगर काफ़िर अल्लाह तआ़ला की नेमतों और उसकी रहमतों को पूरी तरह जान लेता तो कभी नाउम्मीद न होता।

जो मालिक हैं बदले के दिन के। (3)	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

बाज़ क़ारियों ने 'मलिकि' पढ़ा है और बाक़ी सबने 'मालिकि'। दोनों क़िराअतें सही और मुतवातिर हैं और सात क़िराअतों में से हैं और 'मालिकि' के 'लाम्' के ज़ेर और उसके सुकून (जज़्म) के साथ और 'मालीकि' और 'मालिकी' भी पढ़ा गया है। पहली दोनों क़िराअतें मायने की रू से तरजीह वाली हैं और दोनों सही और अच्छी हैं। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी ने 'मुल्क' को तरजीह दी है इसलिये कि हरमैन शरीफ़ैन वालों की यह क़िराअत है और क़ुरआन में भी हैः

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ.

इमाम अबू हनीफ़ा रह. से भी नक़ल किया गया है कि उन्होंने 'मुल्क' पढ़ा, इस बिना पर कि 'फ़ेल' 'फ़ाअ़िल' और 'मफ़ऊल' आता है लेकिन यह शाज़ और बेहद ग़रीब है।

नोटः इमाम अबू हनीफ़ा रह. के मुताल्लिक़ यह रिवायत बजाय ख़ुद क़ाबिले एतिबार नहीं है, अफ़सोस कि इब्ने कसीर ने रिवायत के मुताल्लिक़ अपना फ़ैसला नाफ़िज़ कर दिया, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ़ इस रिवायत के मन्सूब किये जाने के बारे में कोई कलाम न किया। अन्ज़र शाह कश्मीरी

अबू बक्र बिन अबू दाऊद ने इसमें एक ग़रीब रिवायत पेश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम और आपके तीनों ख़लीफ़ा और हज़रत मुआविया और उनके लड़के 'मालिकि' पढ़ते थे। इब्ने शिहाब कहते हैं कि सबसे पहले मरवान ने 'मलिकि' पढ़ा, लेकिन हमारा ख़्याल है कि मरवान को अपनी इस किराअत के सही होने पर इत्तिला थी जो हदीस के रावी इब्ने शिहाब को न थी। वल्लाहु आलम।

इब्ने मर्दूया ने कई सनदों से इसे बयान किया है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 'मालिकि' पढ़ते थे 'मालिक' का लफ़्ज़ 'मलिक' से माख़ूज़ (लिया गया) है जैसा कि क़ुरआन में हैः

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ.

यानी ज़मीन और उसके ऊपर की तमाम मख़्लूक़ के मालिक हम ही हैं और हमारी तरफ़ सब लौटाये जायेंगे। और फ़रमाया 'क़ुल अऊज़ु बि-रब्बिन्नासि मलिकिन्नासि' यानी कह कि मैं पनाह पकड़ता हूँ लोगों के रब और लोगों के 'मालिक' की। और 'मालिक' व 'मलिक' का लफ़्ज़ 'मुल्क' से लिया गया है, जैसे फ़रमायाः

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ........الخ.

यानी आज मुल्क किसका है? सिर्फ़ अल्लाह वाहिद ग़लबे वाले का। और फ़रमायाः

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ.الخ.

उसी का फ़रमान हक़ है, और उसी का सब ''मुल्क'' है।

और फ़रमाया आज के दिन ''मुल्क'' रहमान ही का हक़ है और आज का दिन काफ़िरों पर बहुत सख़्त है। इस फ़रमान में क़ियामत के दिन के साथ मिल्कियत को ख़ास करने से यह न समझना चाहिये कि क़ियामत के अलावा और चीज़ों को अपना मम्लूक क़रार देने से इनकार किया जा रहा है, इसलिये कि पहले अपना वस्फ़ 'रब्बुल-आलमीन' होना बयान फ़रमा चुका है जो दुनिया व आख़िरत को शामिल है। क़ियामत के दिन के साथ इसकी तख़्सीस (विशेषता और ख़ास करने) की वजह यह है कि उस दिन तो कोई मिल्कियत का दावेदार भी न होगा, बल्कि बग़ैर उस हक़ीक़ी मालिक की इजाज़त के कोई ज़बान तक न हिला सकेगा। जैसे फ़रमाया कि जिस दिन रूह और फ़रिश्ते सफ़ बाँधे खड़े होंगे और कोई कलाम न कर सकेगा यहाँ तक कि 'रहमान' उसे इजाज़त दे और वह ठीक बात कहे।

एक और जगह इरशाद है कि सब आवाज़ें 'रहमान' के सामने पस्त होंगी और सिवाय गुनगुनाहट के कुछ सुनाई न देगा। और फ़रमाया- जब क़ियामत आयेगी उस दिन अल्लाह तआ़ला की इजाज़त के बग़ैर कोई शख़्स बोल न सकेगा। बाज़ उनमें से बदबख़्त होंगे और बाज़ नेकबख़्त। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि उस दिन उसकी बादशाहत में उसके सिवा कोई न होगा। जैसा कि दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर एक तरह से थे।

'यौमिद्दीन' से मुराद मख़्लूक़ के हिसाब यानी क़ियामत का दिन है। जिस दिन तमाम भले-बुरे आमाल का बदला दिया जायेगा। हाँ अगर रब किसी बुराई से दरगुज़र करे यह उसका इख़्तियारी मामला है। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, ताबिईन और बुज़ुर्गों से भी यह रिवायत किया गया है। बाज़ से यह भी मन्क़ूल है कि मुराद इससे यह है कि ख़ुदा तआ़ला क़ियामत के क़ायम करने पर क़ादिर है। इब्ने जरीर ने इस क़ौल को ज़ईफ़ (कमज़ोर) क़रार दिया है, लेकिन बज़ाहिर इन दोनों क़ौलों में कोई मुख़ालफ़त (एक दूसरे के ख़िलाफ़) नहीं। हर एक क़ौल का क़ायल दूसरे के क़ौल की तस्दीक़ करता है। हाँ पहला क़ौल मतलब पर ज़्यादा

दलालत करता है, जैसा कि फ़रमान है:

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا.

(और) उस दिन वास्तविक हुकूमत (हज़रत) रहमान ही की होगी और वह (दिन) काफ़िरों पर बड़ा सख़्त दिन होगा। (सूरः फ़ुरक़ान आयत 26) और दूसरा क़ौल इस आयत के जैसा है जो फ़रमायाः

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

यानी जिस दिन कहेगा कि हो जा बस उसी वक़्त हो जायेगी। वल्लाहु आलम।

हक़ीक़ी मालिक अल्लाह तआ़ला ही है जैसे फ़रमायाः

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّاهُوَ. اَلْمَلِكُ..... الخ.

वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह बादशाह है..........। (सूरः हश्र आयत 23)

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बदतरीन नाम अल्लाह तआ़ला के नज़दीक उस शख़्स का है जो शहनशाह कहलाये, असली मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। एक और हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ज़मीन को क़ब्ज़े में ले लेगा और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे, फिर फ़रमायेगा मैं बादशाह हूँ। कहाँ गये ज़मीन के बादशाह? कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले? क़ुरआन पाक में है कि आज बादशाहत किसकी है? सिर्फ़ अल्लाह अकेले ग़लबे वाले की, और किसी को मालिक कह देना यह सिर्फ़ यूँ ही अस्थाई तौर पर है जैसा कि क़ुरआन में तालूत को 'मलिक' (बादशाह) कहा गया और हज़रत मूसा व ख़ज़िर अ़लैहिमस्सलाम के क़िस्से में है 'व का-न वराअहुम् मलिकुंय्-यअ्ख़ुजु........' (कि उनके पीछे एक बादशाह था......) का लफ़्ज़ आया है। और बुख़ारी व मुस्लिम में 'मुलूक' (बादशाहों) का लफ़्ज़ आया है और क़ुरआन पाक की एक आयत में हैः

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا.

यानी तुममें अम्बिया किये और तुम्हें बादशाह बनाया।

'दीन' के मायने बदले, जज़ा और हिसाब के हैं जैसा कि क़ुरआन पाक में है कि उस दिन अल्लाह तआ़ला उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा और वे जान लेंगे। एक और जगह है- क्या हम बदला दिये जायेंगे? हदीस में है कि दाना (अ़क़्लमन्द) वह है जो अपने नफ़्स से ख़ुद बदला ले और मौत के बाद काम आने वाले आमाल करे। यानी अपने नफ़्स से ख़ुद हिसाब ले। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. का क़ौल है कि तुम ख़ुद अपनी जानों से हिसाब लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाये और अपने आमाल का ख़ुद वज़न कर लो इससे पहले कि वे तराज़ू में रखे जायें। और उस बड़ी पेशी के लिये तैयार रहो जब तुम उस ख़ुदा के सामने पेश किये जाओगे जिस पर तुम्हारा कोई अ़मल पोशीदा नहीं जैसा कि ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने फ़रमा दिया कि जिस दिन तुम पेश किये जाओगे तो कोई बात ख़ुदा पर छुपने की नहीं।

हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद की दरख़्वास्त करते हैं। (4)	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

सातों क़ारियों और जमहूर ने इसे 'इय्या-क' पढ़ा है। अ़मर बिन फ़ायद ने 'इया-क' पढ़ा लेकिन यह

क़िराअत शाज़ और अस्वीकारीय है। इसलिये कि 'इया' के मायने सूरज की रोशनी के हैं और बाज़ों ने 'अय्या-क' पढ़ा है और बाज़ों ने 'हय्या-क' पढ़ा है। अ़रब शायरों के शे'रों में भी 'हय्या-क' है।

'नस्तअ़ीन' की यही क़िराअत तमाम की है सिवाय यहया बिन वसाब और आमश के, ये दोनों पहले 'नून' को ज़ेर से पढ़ते हैं। क़बीला बनू असद रबीआ़, बनू तमीम का लुग़त (भाषा) इसी तरह पर है। लुग़त में 'इबादत' कहते हैं ज़िल्लत और पस्ती को। 'तरीक़े माबद' उस रास्ते को कहते हैं जो ज़लील हो, इसी तरह "बओ़रे माबद" उस ऊँट को कहते हैं जो ज़लील (पस्त और घटिया) हो और शरीअ़त में इबादत नाम है मुहब्बत, ख़ुशूअ़, ख़ुज़ूअ़ और ख़ौफ़ के मजमूए का। लफ़्ज़ 'इय्या-क' को जो मफ़ऊल है, पहले लाये और फिर इसी को दोहराया ताकि इसकी अहमियत ज़ाहिर हो जाये। और इबादत और मदद की तलब अल्लाह तआ़ला ही के लिये मख़्सूस हो जाये तो इस जुमले के मायने यह हुए कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते और तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते। कामिल इताअ़त और पूरे दीन का हासिल सिर्फ़ यही दो चीज़े हैं। बाज़ बुज़ुर्गों का फ़रमान है कि सारे क़ुरआन का राज़ सूरः फ़ातिहा में है और पूरी सूरत का राज़ इस आयत 'इय्या-क नअ़्बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन' में है। आयत के पहले हिस्से में शिर्क से बेज़ारी का ऐलान है और दूसरे जुमले में अपनी ताक़तों और क़ुव्वतों का इनकार है और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ अपने तमाम कामों की सुपुर्दगी है। इस मज़मून की और भी बहुत सी आयतें क़ुरआन पाक में मौजूद हैं। जैसे फ़रमायाः

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ........ الخ.

यानी अल्लाह ही की इबादत करो और उसी पर भरोसा करो। तुम्हारा रब तुम्हारे आमाल से ग़ाफ़िल नहीं। एक जगह फ़रमायाः

قُلْ هُوَالرَّحْمٰنُ.......... الخ.

यानी पूरब व पश्चिम का रब वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तू उसी को अपना कारसाज़ समझ।

यही मज़मून इस आयते करीमा में है। इससे पहले की आयतों में तो ख़िताब न था लेकिन इस आयत में अल्लाह तआ़ला से ख़िताब किया गया जो बहुत ही बारीकी और मुनासबत रखता है। इसलिये कि जब बन्दे ने अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व प्रशंसा बयान की तो गोया अल्लाह की नज़दीकी हासिल की और अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर में पहुँच गया। अब उस मालिक को ख़िताब करके अपनी ज़िल्लत और मिस्कीनी का इज़हार करने लगा और कहने लगा कि ख़ुदाया हम तो तेरे ज़लील ग़ुलाम हैं और अपने तमाम कामों में तेरे मोहताज हैं। इस आयत में इस बात की भी दलील है कि इससे पहले के तमाम जुमलों में ख़बर (किसी न किसी बात की ख़बर देना) थी। अल्लाह तआ़ला ने अपनी बेहतरीन सिफ़ात पर अपनी तारीफ़ ख़ुद की थी और बन्दों को अपनी तारीफ़ अलफ़ाज़ के साथ बयान करने का इरशाद फ़रमाया था। इसी लिये उस शख़्स की नमाज़ सही नहीं होती जो इस सूरत को पढ़ना जानता हो और फिर न पढ़े। जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस शख़्स की नमाज़ को नमाज़ नहीं कहा जा सकता जो सूरः फ़ातिहा अपनी नमाज़ में न पढ़े। सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि मैंने नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के दरमियान आधों-आध

बाँट लिया है। इसका आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा मेरे बन्दे के लिये है, और मेरे बन्दे के लिये वह है जो वह तलब करे।

जब बन्दा 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आलमीन' कहता है तो खुदा फ़रमाता है- मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ बयान की। जब कहता है 'अर्रहमानिर्रहीम' ख़ुदा फ़रमाता है- मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। जब वह कहता है 'मालिकि यौमिद्दीन' ख़ुदा फ़रमाता है मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब वह 'इय्या-क नअ्बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन' कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- यह मेरे और मेरे बन्दे के दरमियान है और मेरे बन्दे के लिये वह है जो वह माँगे। फिर सूरत के आख़िर तक पढ़ता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- यह मेरे बन्दे के लिये है और मेरा बन्दा जो मुझसे माँगे उसके लिये है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'इय्या-क नअ्बुदु' के मायने यह हैं कि ऐ हमारे रब! हम ख़ास तेरी ही तौहीद (एक माबूद होने को) मानते हैं और तुझी से डरते हैं और तेरी ही ज़ात से उम्मीद रखते हैं, तेरे सिवा किसी और की न तो हम इबादत करें न डरें न उम्मीद रखें। और 'इय्या-क नस्तअ़ीन' से मुराद यह है कि हम तेरी तमाम इताअ़त पर और अपने तमाम कामों पर तुझ ही से मदद माँगते हैं। क़तादा रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि खुदा तआ़ला का हुक्म है कि तुम सब उसी की ख़ालिस इबादत करो और अपने कामों में उसी से मदद माँगो। 'इय्या-क नअ्बुदु' को पहले लाना इसलिये है कि असल मक़सूद अल्लाह तआ़ला की इबादत करना ही है, और मदद तलब करना यह इबादत का वसीला और एहतिमाम और उस पर पुख़्तगी है। और यह ज़ाहिर है कि ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ को आगे किया जाता है और उससे कम को उसके बाद लाया जाता है। वल्लाहु आलम।

अगर यह कहा जाये कि यहाँ जमा (बहुवचन) के सीग़े (अलफ़ाज़) को लाने की यानी "हम" कहने की क्या ज़रूरत है? अगर यह जमा के लिये है तो कहने वाला तो एक है और अगर ताज़ीम (सम्मान) के लिये है तो इस मक़ाम पर यह निहायत नामुनासिब है। क्योंकि यहाँ तो मिस्कीनी और आ़जिज़ी ज़ाहिर करना मक़सूद है। इसका जवाब यह है कि गोया एक बन्दा तमाम बन्दों की तरफ़ से ख़बर दे रहा है ख़ास तौर पर जबकि वह जमाअ़त में खड़ा हो, या इमाम बना हुआ हो। तो गोया वह अपनी और अपने सब मोमिन भाईयों की तरफ़ से इक़रार कर रहा है कि वे सब उसके बन्दे हैं और उसी की इबादत के लिये पैदा किये गये हैं, और यह उनकी तरफ़ से भलाई के लिये आगे बढ़ा हुआ है।

बाज़ हज़रात ने कहा है कि यह ताज़ीम (अदब और सम्मान) के लिये है, गोया कि बन्दा जब इबादत में दाख़िल होता है तो उसी को कहा जाता है कि तू शरीफ़ है और तेरी इज़्ज़त हमारे दरबार में बहुत ज़्यादा है तू अब "इय्या-क नअ्बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन" कह, अपने आपको इज़्ज़त से याद कर। हाँ अगर इबादत से अलग हो तो उस वक़्त "हम" न कह अगरचे हज़ारों लाखों में हो, क्योंकि सबके सब अल्लाह तआ़ला के मोहताज और उसके दरबार में फ़क़ीर हैं। बाज़ का क़ौल है कि 'इय्या-क नअ्बुदु' में जो तवाज़ो और आ़जिज़ी है वह 'इय्या-क अ़बद्ना' में नहीं, इसलिये कि इसमें अपने नफ़्स की बड़ाई और अपनी इबादत की अहलियत पाई जाती है, हालाँकि कोई बन्दा अल्लाह तआ़ला की पूरी इबादत और जैसी चाहिये वैसी तारीफ़ व सिफ़त बयान करने पर क़ुदरत ही नहीं रखता। किसी शायर का क़ौल है कि मुझे उसका गुलाम कहकर ही पुकारो, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा नाम यही है। अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम 'अ़ब्द' यानी गुलाम उन जगहों पर लिया है जहाँ अपनी बड़ी-बड़ी नेमतों का ज़िक्र किया है। जैसे क़ुरआन नाज़िल करना, नमाज़ में खड़े होना, मेराज कराना वग़ैरह। फ़रमान है:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ....... الخ.

(सूरः कहफ़ आयत 1) और फ़रमायाः

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ....... الخ

(सूरः जिन्न आयत 19) और फ़रमायाः

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ....... الخ.

(सूरः बनी इस्राईल आयत 1)

साथ ही क़ुरआन पाक ने यह तालीम दी कि ऐ नबी! जिस वक़्त तुम्हारा दिल मुख़ालिफ़ों के झुठलाने की वजह से तंग और दुखी हो तो तुम मेरी इबादत में मशग़ूल हो जाओ। फ़रमान हैः

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ......... الخ.

यानी हम जानते हैं कि मुख़ालिफ़ों की बातें तेरा दिल दुखाती हैं तो ऐसे वक़्त अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ बयान कर और सज्दा कर और मौत के वक़्त तक अपने रब की इबादत में लगा रह।

इमाम राज़ी रह. ने अपनी तफ़सीर में बाज़ लोगों से नक़ल किया है कि बन्दगी का मक़ाम रिसालत के मक़ाम से अफ़ज़ल है। क्योंकि इबादत का ताल्लुक़ मख़्लूक़ से ख़ालिक़ की तरफ़ होता है और रिसालत का ताल्लुक़ हक़ से ख़ल्क़ (मख़्लूक़) की तरफ़ होता है, और इस दलील से भी कि 'अ़ब्द' (बन्दे) की इस्लाह (सुधार) के तमाम कामों का ज़िम्मेदार और निगहबान ख़ुद अल्लाह तआ़ला होता है और रसूल अपनी उम्मत की मस्लेहतों का वाली होती है। लेकिन यह क़ौल ग़लत है और इसकी ये दोनों दलीलें भी कमज़ोर और बेफ़ायदा हैं। अफ़सोस कि इमाम राज़ी ने न तो इसको ज़ईफ़ कहा न इसे रद्द किया।

बाज़ सूफ़ियों का क़ौल है कि इबादत या तो सवाब हासिल करने के लिये होती है या अ़ज़ाब दूर करने के लिये। वे कहते हैं कि यह कोई फ़ायदे की बात नहीं। इसलिये कि उस वक़्त मक़सूद ख़ुद अपनी मुराद का हासिल करना ठहरा। उसकी तकलीफ़ के लिये तैयार होना यह भी ज़ईफ़ है, आला मर्तबा इबादत का यह है कि इनसान उस मुक़द्दस (पवित्र) ज़ात की जो तमाम कामिल सिफ़तों से मौसूफ़ है, महज़ उस ज़ात के लिये ही इबादत करे और मक़सूद कुछ न हो। इसी लिये नमाज़ की नीयत अल्लाह के लिये नमाज़ पढ़ने की होती है, अगर वह सवाब पाने और अ़ज़ाब से बचने के लिये हो तो बातिल है।

दूसरा गिरोह इनकी तरदीद करता है और कहता है कि इबादत का अल्लाह तआ़ला के लिये होना कुछ इसके ख़िलाफ़ नहीं कि सवाब की तलब और अ़ज़ाब का बचाव मतलूब न हो। उसकी दलील यह है कि एक आराबी (देहाती) ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि हुज़ूर! मैं न तो आप जैसा पढ़ना जानता हूँ न हज़रत मुआ़ज़ जैसा, मैं तो अल्लाह तआ़ला से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से निजात चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया इसी के क़रीब-क़रीब हम भी पढ़ते हैं।

बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। (5)	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

चूँकि पहले अल्लाह की तारीफ़ व सना बयान की तो अब मुनासिब था कि अपनी हाजत तलब करे।

जैसा कि पहले हदीस में गुज़र चुका है कि इसका आधा हिस्सा मेरे लिये है और आधा मेरे बन्दे के लिये वह है जो वह तलब करे। ख़्याल कीजिए कि इसमें किस कद्र लताफ़त और उम्दगी है कि पहले परवर्दिगारे आ़लम की तारीफ़ व प्रशंसा बयान की, फिर अपनी और अपने भाईयों की हाजत तलब की। यह वह उम्दा अन्दाज़ और तरीक़ा है जो मक़सूद को हासिल करने और मुराद को पा लेने के लिये अचूक है। इस कामिल तरीक़े को पसन्द फ़रमाकर ख़ुदा तआ़ला ने इसकी हिदायत की। कभी सवाल इस तरह होता है कि साईल (माँगने वाला) अपनी हालत और हाजत को ज़ाहिर कर देता है। जैसे मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कहा थाः

رَبِّ اِنِّی لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ.

ऐ परवर्दिगार! जो भलाईयाँ तूने मेरी तरफ़ नाज़िल फ़रमाई हैं मैं उनका मोहताज हूँ।

हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने भी अपनी दुआ़ में कहा थाः

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ.

ख़ुदाया तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ।

कभी सवाल इस तरह भी होता है कि साईल सिर्फ़ तारीफ़ और बुज़ुर्गी बयान करके चुप हो जाता है। जैसे शायरों का क़ौल है कि मुझे अपनी हाजत के बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरी मेहरबानियाँ भरी बख़्शिश मुझे काफ़ी है। मैं जानता हूँ कि देना और इनायत करना तेरी पाक आ़दतों में दाख़िल है, सिर्फ़ तेरी पाकीज़गी बयान कर देना, तेरी तारीफ़ व सना करना ही मुझे अपनी हाजत पूरी करने के लिये काफ़ी है। हिदायत के मायने यहाँ पर इरशाद और तौफ़ीक़ के हैं, कभी तो हिदायत अपनी ज़ात से मुतअ़द्दी होती (यानी उसका असर दूसरों तक भी पहुँचता) है। जैसे यहाँ है, तो मायने ये होंगे कि हमें अ़ता फ़रमा। इसी मायनों में एक और जगह हैः

وَهَدَیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ.

यानी हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिये, भलाई और बुराई दोनों के।

और कभी हिदायत 'इला' के साथ मुतअ़द्दी होती है जैसे फ़रमायाः

اِجْتَبٰهُ وَهَدَاهُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ.

अल्लाह तआ़ला ने उनको चुन लिया था और सीधे रास्ते पर डाल दिया था। (सूरः नहल आयत 121) एक और जगह फ़रमायाः

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْجَحِیْمِ.

फिर उन सब को दोज़ख़ का रास्ता बतलाओ। (सूरः साफ़्फ़ात आयत 23)

यहाँ हिदायत, रहनुमाई और दिखाने व बताने के मायने में है। इसी तरह फ़रमान हैः

وَاِنَّكَ لَتَهْدِیْ...... الخ.

यानी तू अलबत्ता सीधी राह दिखाता है।

और कभी हिदायत 'लाम' के साथ मुतअ़द्दी होती है जैसे जन्नितयों का क़ौल क़ुरआने करीम में हैः

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا.

यानी ख़ुदा का शुक्र है कि उसने हमें इसकी राह दिखाई यानी तौफ़ीक़ दी और हिदायत वाला बनाया।

"सिराते मुस्तक़ीम" के मायने अनेक हैं। इमाम अबू जाफ़र इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि मुराद इससे वाज़ेह और साफ़ रास्ता है, जो कहीं से टेढ़ा न हो। अ़रब की लुग़त में और शायरों के शे'रों में यह मायने साफ़ तौर पर पाये जाते हैं और इस पर बेशुमार शवाहिद (नज़ीरें) मौजूद हैं। 'सिरात' का इस्तेमाल क़ौल और फ़ेल दोनों में होता है और फिर 'सिरात' की सिफ़त कभी इस्तिक़ामत (मज़बूती और जमाव) होती है और कभी कजी (टेढ़)। पहले और बाद के मुफ़स्सिरीन उलेमा से इसकी बहुत सी तफ़सीर मन्क़ूल हैं और उन सबका ख़ुलासा एक है और वह ख़ुदा और रसूल की पैरवी और ताबेदारी है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि 'सिराते मुस्तक़ीम' किताबुल्लाह है। (इब्ने अबी हातिम) इसी तरह इब्ने जरीर ने भी रिवायत की है। फ़ज़ाईले क़ुरआन के बारे में पहले हदीस गुज़र चुकी है कि ख़ुदा तआ़ला की मज़बूत रस्सी, हिक्मतों वाला ज़िक्र और सीधी राह यानी 'सिराते मुस्तकीम' यही ख़ुदा की किताब क़ुरआने करीम है। (मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी) हज़रत अ़ली रज़ि. का क़ौल भी यही है और मरफ़ूअ़ हदीस का भी मौक़ूफ़ होना ही ज़्यादा मुशाबा है। वल्लाहु आलम।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह से भी यही रिवायत है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने कहा- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! 'इहदिनस्सिरातल् मुस्तक़ीम' कहिये। यानी हमें हिदायत वाले रास्ते का इल्हाम कर (दिल में डाल) और उस दीने ख़ुदा की समझ दे जिसमें कोई कजी (टेढ़ और ख़राबी) नहीं। आप से यह क़ौल भी मरवी है कि इससे मुराद इस्लाम है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊद रज़ि. और बहुत से सहाबा से भी यही तफ़सीर मन्क़ूल है। हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'सिराते मुस्तक़ीम' से मुराद इस्लाम है जो हर उस चीज़ से जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है ज़्यादा वुस्अ़त वाला है। इब्ने हनफ़िया फ़रमाते हैं कि इससे मुराद अल्लाह तआ़ला का वह दीन है जिसके सिवा और दीन मक़बूल नहीं। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का क़ौल है कि 'सिराते मुस्तक़ीम' इस्लाम है। मुस्नद अहमद की एक हदीस में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने एक मिसाल बयान की 'सिराते मुस्तक़ीम' की कि उसके दोनों तरफ़ दो दीवारें हैं, उनमें कई एक खुले हुए दरवाज़े हैं और दरवाज़ों पर पर्दे लटक रहे हैं। 'सिराते मुस्तक़ीम' के दरवाज़े पर एक पुकारने वाला मुक़र्रर है जो कहता है कि ऐ लोगो! तुम सबके सब इसी सीधी राह पर चले जाओ, टेढ़ी तिरछी इधर-उधर की राहों पर न लगो। एक पुकारने वाला उस रास्ते के ऊपर है, जब कोई शख़्स उन दरवाज़ों में से किसी को खोलना चाहता है तो वह कहता है ख़बरदार! इसे न खोलना। अगर खोला तो इस राह पर लग जायेगा और 'सिराते मुस्तक़ीम' से हट जायेगा। पस 'सिराते मुस्तक़ीम' तो इस्लाम है और दीवारें अल्लाह की हदें हैं और खुले हुए दरवाज़े अल्लाह तआ़ला की हराम की हुई चीज़ें हैं और दरवाज़े पर पुकारने वाला क़ुरआने करीम है और रास्ते के ऊपर से पुकारने वाला ख़ौफ़े इलाही (अल्लाह का डर) है जो हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बतौर वाअ़िज़ (नसीहत करने वाले) के होता है। यह हदीस इब्ने अबी हातिम, इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है और इसकी सनद हसन सही है। वल्लाहु आलम।

मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद हक़ है। उनका यह क़ौल सबसे ज़्यादा जामे है और इन सब अक़वाल में आपसी कोई टकराव और विरोधाभास नहीं। अबुल-आ़लिया फ़रमाते हैं कि इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके बाद के आपके दोनों ख़लीफ़ा हैं। अबुल-आ़लिया इस क़ौल की तस्दीक़ और पसन्द करते हैं। दर असल ये सब अक़वाल सही हैं और एक दूसरे से मुवाफ़िक़ हैं। नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके दोनों ख़ुलफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ रज़ि. का ताबेदार (पैरवी करने वाला) हक़ का ताबेदार है, और हक़ का ताबेदार इस्लाम का ताबेदार और क़ुरआन का फ़रमाँबरदार है, और क़ुरआन ख़ुदा की किताब उसकी तरफ़ की मज़बूत रस्सी और उसकी सीधी राह है।

फिर 'सिराते मुस्तक़ीम' की तफ़सीर में ये तमाम अक़्वाल सही हैं और एक दूसरे की तस्दीक़ करता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि 'सिराते मुस्तक़ीम' वह है जिस पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने छोड़ा। इमाम अबू जाफ़र बिन जरीर रह. का फ़ैसला है कि मेरे नज़दीक इस आयत की तफ़सीर में सबसे बेहतर यह है कि हम तौफ़ीक़ दिये जायें उस चीज़ की जो ख़ुदा की मर्ज़ी की चीज़ हो, और जिस पर चलने की वजह से ख़ुदा अपने बन्दों से राज़ी हुआ हो, और उन पर इनाम किया हो। 'सिराते मुस्तक़ीम' यही है। इसलिये कि जो शख़्स उस चीज़ की तौफ़ीक़ दिया गया जिसकी तौफ़ीक़ अल्लाह के नेक बन्दों को थी, जिन पर अल्लाह तआ़ला का इनाम हुआ था और जो नबी, सिद्दीक़, शहीद और सालेह (नेक) लोग थे, उन्होंने इस्लाम की और रसूलों की तस्दीक़ की और किताबुल्लाह को मज़बूत थाम लेने की और अल्लाह तआ़ला के अहकाम को बजा लाने की और उसके मना किये हुए कामों से रुक जाने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके चारों ख़ुलफ़ा और तमाम नेक बन्दों की राह की तौफ़ीक़ दिया गया और यही 'सिराते मुस्तक़ीम' है।

अगर यह कहा जाये कि मोमिन को तो ख़ुदा की तरफ़ से हिदायत हासिल हो चुकी है फिर नमाज़ में और नमाज़ के अ़लावा में हिदायत माँगने की क्या ज़रूरत? तो इसका जवाब यह है कि इससे हिदायत पर साबित-क़दमी, रसूख़ (जमे रहने और मज़बूती) और हमेशगी की तलब है। इसलिये कि बन्दा हर घड़ी और हर हालत में ख़ुदा तआ़ला का मोहताज है, वह ख़ुद अपनी जान के नफ़े-नुक़सान का मालिक नहीं, बल्कि दिन रात अपने ख़ुदा की तरफ़ मोहताज है। इसी लिये ख़ुदा ने उसे सिखाया कि हर वक़्त वह अल्लाह तआ़ला से हिदायत तलब करता रहे और साबित-क़दमी (सही रास्ते पर जमाव) और तौफ़ीक़ चाहता रहे। भला और नेकबख़्त इनसान वह है जिसे अल्लाह तआ़ला अपने दर का भिखारी बना ले, अल्लाह तआ़ला अपने पुकारने वाले की पुकार के क़बूल करने का कफ़ील है, ख़ासकर बेक़रार, मोहताज और उसकी तरफ़ अपनी हाजत दिन रात पेश करने वाले की हर पुकार को क़बूल करने का वह ज़ामिन (गारंटी लेने वाला) है। एक दूसरी जगह क़ुरआने करीम में है:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ......... الخ.

ऐ ईमान वालो! अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी उस किताब पर जो उसने अपने रसूल की तरफ़ नाज़िल फ़रमाई और जो किताबें इससे पहले नाज़िल हुईं सब पर ईमान लाओ।

इस आयत में ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म देना ऐसा ही है जैसा यहाँ हिदायत वालों को हिदायत की तलब का हुक्म देना। मुराद दोनों जगह इस पर जमे रहना और हमेशगी है। और ऐसे आमाल पर हमेशगी करनी (यानी मुस्तक़िल उन्हें करना) जो इस मक़सद के हासिल करने में मदद पहुँचायें। इस पर यह एतिराज़ हो ही नहीं सकता कि यह पहले से हासिल चीज़ का हासिल करना है। वल्लाहु आलम।

और देखिये। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने अपने ईमान वाले बन्दों को हुक्म दिया है कि वे कहें:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

यानी ऐ हमारे रब! हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर, और हमें अपने पास की रहमत अ़ता फ़रमा, तू बहुत बड़ा देने वाला अ़ता फ़रमाने वाला है।

यह भी आया है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. मग़रिब की तीसरी रकअ़त में सूरः फ़ातिहा के बाद इस आयत को धीमी आवाज़ से पढ़ा करते थे। पस 'इहदिनस्-सिरातल् मुस्तक़ीम' के मायने यह हुए कि ख़ुदाया हमें 'सिराते मुस्तक़ीम' पर साबित-क़दम (जमने वाला) रख और उससे हमें न हटा।

रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फ़रमाया है। (6) न रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका ग़ज़ब किया गया और न उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। (7)	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

ع

इसका बयान पहले गुज़र चुका है कि बन्दे के इस क़ौल पर ख़ुदावन्दे करीम फ़रमाता है- यह मेरे बन्दे के लिये है और मेरे बन्दे के लिये है जो कुछ वह माँगे। यह आयत तफ़सीर है सिराते मुस्तक़ीम की। और जिन पर ख़ुदा का इनाम हुआ उनका बयान सूरः निसा में आ रहा है। फ़रमान हैः

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ........ الخ.

यानी ख़ुदा और रसूल के मानने वाले उनके साथ होंगे जिन पर ख़ुदा का इनाम है, जो नबी और सिद्दीक़ और शहीद और सालेह (नेक) लोग हैं, ये बेहतरीन साथी और अच्छे रफ़ीक़ हैं। यह अल्लाह का फ़ज़्ल है और ख़ुदा का जानने वाला होना काफ़ी है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि ऐ ख़ुदा तू मुझे उन फ़रिश्तों, नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सालिहीन की राह पर चला जिन पर तूने अपनी इताअ़त व इबादत की वजह से इनाम नाज़िल फ़रमाया। यह आयत ठीक इसी तरह की हैः

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. الخ.

और जो शख़्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे लोग भी उन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तआ़ला ने इनाम फ़रमाया यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शहीद हज़रात और नेक लोग, और यह हज़रात बहुत अच्छे साथी हैं। (सूरः निसा आयत 69)

रबीअ़ बिन अनस कहते हैं कि इससे मुराद अम्बिया हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि मोमिन हैं। वकीअ़ कहते हैं कि मुसलमान हैं। अ़ब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा मुराद हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल ज़्यादा जामे और सब मायनों पर आधारित है। वल्लाहु आलम।

जमहूर की क़िराअत में 'ग़ैरि' की 'रा' ज़ेर के साथ है और सिफ़त है। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी कहते हैं कि 'रा' के ज़बर के साथ पढ़ा गया है और हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. की क़िराअत यही है, और इब्ने कसीर से भी रिवायत की गयी है। 'अ़लैहिम' में जो ज़मीर है वह इसका ज़ुल-हाल है और "अन्अम्-त" आ़मिल है। मायने यह हुए कि ख़ुदाया तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। जो हिदायत और इस्तिक़ामत (दीन पर जमने) वाले थे और ख़ुदा और रसूल के इताअ़त-गुज़ार (पैरवी करने वाले), उसके हुक्मों पर अ़मल करने वाले,

उसके मना किये हुए कामों से रुकने वाले थे। उनकी राह से बचा जिन पर ग़ज़ब व गुस्सा किया गया, जिनके इरादे फ़ासिद (ख़राब) हो गये, हक़ को जान कर फिर उससे हट गये और सही रास्ते को गुम कर बैठने वाले लोगों के तरीक़े से भी हमें बचा ले, जो सिरे से इल्म ही नहीं रखते, मारे-मारे फिरते हैं, राह से भटकते हुए हैरान व परेशान हैं, और राहे हक़ की तरफ़ रहनुमाई नहीं किये जाते।

'ला' को दोबारा लाकर कलाम की ताकीद करना इसलिये है कि मालूम हो जाये कि यहाँ दो ग़लत रास्ते हैं, एक यहूद का दूसरा ईसाईयों का। बाज़ नहवी कहते हैं कि 'ग़ैर' का लफ़्ज़ यहाँ पर इस्तिस्ना (अलग करने) के लिये है तो यह 'इस्तिस्ना मुन्क़ते' हो सकता है। क्योंकि जिन पर इनाम किया गया है उनमें से ये अलग किये जाते हैं और ये लोग इनाम वालों में दाख़िल ही न थे। लेकिन हमने जो तफ़सीर की है यह बहुत अच्छी है। अ़रब शायरों के शे'रों में ऐसा पाया जाता है कि वे मौसूफ़ को हज़्फ़ कर देते हैं (यानी ज़िक्र नहीं करते) और सिर्फ़ सिफ़त बयान कर दिया करते हैं। इसी तरह इस आयत में भी सिफ़त बयान है और मौसूफ़ (जिनकी सिफ़त बयान हुई है) महज़ूफ़ (पोशीदा) है। "ग़ैरिल-मग़ज़ूबि" (जिन पर ग़ज़ब नहीं किया गया) से मुराद "ग़ैरि सिरातिल-मग़ज़ूबि" (यानी उन रास्तों के अ़लावा जिन पर ग़ज़ब किया गया) है। यहाँ सिर्फ़ मग़ज़ूब को ज़िक्र कर दिया गया 'सिरात' को हज़्फ़ कर दिया क्योंकि पहले दो मर्तबा यह लफ़्ज़ आ चुका है, उसी से इस पर दलालत हो रही है। बाज़ कहते हैं कि 'व लज़्ज़ॉल्लीन' में 'ला' ज़ायद है और उनके नज़दीक कलाम की तक़दीर इस तरह है:

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّآلِّيْنَ.

और इसकी शहादत (नज़ीर) अ़रब शायरों के शे'रों से भी मिलती है, लेकिन सही बात वही है जो हम पहले लिख चुके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. सेः

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّآلِّيْنَ.

पढ़ना सही सनद से मरवी है और इसी तरह हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. से भी रिवायत है, और यह महमूल है इस पर कि उन बुज़ुर्गों से यह बतौर तफ़सीर सादिर हुआ, तो हमारे क़ौल की ताईद होती है कि 'ला' नफ़ी की ताकीद के लिये ही लाया गया है ताकि यह वहम ही न हो कि यह 'अन्अ़म्-त अ़लैहिम' पर अ़त्फ़ (जोड़ रखता) है, और इसलिये भी कि दोनों राहों का फ़र्क़ मालूम हो जाये ताकि हर शख़्स इन दोनों से बचता रहे। ईमान वालों का तो तरीक़ा यह है कि हक़ का इल्म भी हो और हक़ पर अ़मल भी हो। यहूदियों के यहाँ अ़मल नहीं और ईसाईयों के यहाँ इल्म नहीं। इसी लिये यहूदियों पर ग़ज़ब हुआ और ईसाईयों को गुमराही मिली। इसलिये कि बावजूद इल्म के अ़मल को छोड़ना सबब है ग़ज़ब का, और ईसाई लोग अगरचे एक चीज़ का इरादा तो करते हैं लेकिन उसके सही रास्ते को नहीं पा सकते, इसलिये कि उनका तरीक़ा-ए-कार ग़लत है, वे हक़ की पैरवी से हटे हुए हैं। यूँ तो ग़ज़ब और गुमराही इन दोनों जमाअ़तों के हिस्से में है लेकिन यहूदी ग़ज़ब के हिस्से में ज़्यादा आगे हैं जैसा कि एक दूसरी जगह क़ुरआने करीम में है:

مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ.

वह उन लोगों का तरीक़ा है जिनको अल्लाह तआ़ला ने दूर कर दिया हो और उन पर ग़ज़ब फ़रमाया हो। (सूरः मायदा आयत 60) और ईसाई गुमराही में बढ़े हुए हैं अल्लाह का फ़रमान है:

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

यानी ये पहले ही से गुमराह हैं और बहुतों को गुमराह कर भी चुके हैं और सीधी राह से भटके हुए हैं। इसकी ताईद में बहुत सी हदीसें व रिवायतें पेश की जा सकती हैं।

मुस्नद अहमद में है, हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ि. ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लश्कर ने मेरी फूफी और चन्द लोगों को गिरफ़्तार करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश किया तो मेरी फूफी ने कहा- मेरी ख़बरगीरी करने वाला दूर है और मैं उम्र-रसीदा बुढ़िया हूँ जो किसी ख़िदमत के लायक़ नहीं, आप मुझ पर एहसान कीजिए और मुझे रिहाई दीजिए, अल्लाह तआ़ला आप पर भी एहसान करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मालूम किया कि तेरी ख़बर लेने वाला कौन है? उसने कहा अ़दी बिन हातिम। आपने फ़रमाया वही जो ख़ुदा और रसूल से भागता फिरता है? फिर आपने उसे आज़ाद कर दिया। जब लौटकर आप आये तो आपके साथ एक शख़्स थे और ग़ालिबन् वह हज़रत अ़ली रज़ि. थे। आपने फ़रमाया लो इनसे सवारी माँग लो। मेरी फूफी ने उनसे दरख़्वास्त की जो मन्ज़ूर हुई और सवारी मिल गयी। वह यहाँ से आज़ाद होकर मेरे पास आयीं और कहने लगीं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की सख़ावत ने तो तेरे बाप हातिम की सख़ावत (देने-दिलाने) को भी पीछे छोड़ दिया। आपके पास जो आता है वह ख़ाली हाथ वापस नहीं जाता। यह सुनकर मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैंने देखा कि छोटे बच्चे और बूढ़ी औरतें भी आपकी ख़िदमत में आती जाती हैं और आप उनसे भी बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ़्तगू करते हैं। इस बात ने मुझे यक़ीन दिलाया कि आप क़ैसर व किसरा (रोम व ईरान के बादशाहों) की तरह बादशाही और दबदबे व पद के तलब करने वाले नहीं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे देखकर फ़रमाया- अ़दी! 'ला-इला-ह इल्लल्लाहु' कहने से क्यों भागते हो? क्या ख़ुदा के सिवा और कोई इबादत के लायक़ है? 'अल्लाहु अकबर' कहने से क्यों मुँह मोड़ते हो? क्या अल्लाह तआ़ला से भी बड़ा कोई है? (मुझ पर इन कलिमात ने और आपकी सादगी और बेतकल्लुफ़ी ने ऐसा असर किया कि) मैं फ़ौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया जिससे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बहुत ख़ुश हुए और फ़रमाने लगे 'मग़ज़ूब अ़लैहिम' से मुराद यहूद हैं और 'ज़ॉल्लीन' से मुराद ईसाई हैं।

एक और हदीस में है कि हज़रत अ़दी रज़ि. के सवाल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह तफ़सीर इरशाद फ़रमाई थी। इस हदीस की बहुत सी सनदें हैं और मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ से मरवी है। बनू क़ैनुक़ाअ़ के एक शख़्स ने वादी-ए-क़ुरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यही सवाल किया, आपने जवाब में यही फ़रमाया। बाज़ रिवायतों में इनका नाम अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर है। वल्लाहु आलम।

इब्ने मर्दूया में अबूज़र रज़ि. से भी यही रिवायत है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. और बहुत से सहाबियों से भी यह तफ़सीर मन्क़ूल है। रबीअ़ बिन अनस, अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. वग़ैरह भी यही फ़रमाते हैं। बल्कि इब्ने अबी हातिम तो फ़रमाते हैं कि मुफ़स्सिरीन में इस बारे में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) ही नहीं। इन इमामों की इस तफ़सीर की दलील एक तो वह हदीस है जो पहले गुज़री। दूसरी सूरः ब-क़रह की यह आयत जिसमें बनी इस्राईल को ख़िताब करके कहा गया है:

بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهٖ......... الخ.

(सूरः ब-क़रह आयत 90) इस आयत में है कि उन पर ग़ज़ब पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ। और सूरः मायदा की यह आयतः

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ........ الخ.

(सूरः मायदा आयत 60) में भी है कि उन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ। एक और जगह अल्लाह का फ़रमान है:

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا........ الخ.

यानी बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ़्र किया उन पर लानत की गयी। दाऊद अ़लैहिस्सलाम और ईसा बिन मरियम अ़लैहिस्सलाम की ज़बानी यह उनकी नाफ़रमानी और हद से गुज़र जाने की वजह से है। ये लोग किसी बुराई के काम से आपस में रोक-टोक नहीं करते थे, यक़ीनन उनके काम बहुत बुरे थे और तारीख़ (इतिहास) की किताबों में है कि ज़ैद बिन अ़मर बिन नुफ़ैल जबकि सही दीन की तलाश में अपने साथियों समेत निकले और मुल्क शाम में आये तो उनसे यहूदियों ने कहा कि आप हमारे दीन में दाख़िल नहीं हो सकते जब तक अल्लाह के ग़ज़ब का एक हिस्सा न लें। उन्होंने जवाब दिया कि उसी से बचने के लिये तो दीने हक़ की तलाश में निकले हैं, फिर उसे कैसे क़बूल कर लें? ईसाईयों से मिले, उन्होंने कहा जब तक अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी का हिस्सा न लें तब तक आप हमारे दीन में नहीं आ सकते। इन्होंने कहा हम यह भी नहीं कर सकते। चुनाँचे वह फ़ितरत पर ही रहे, बुतों की इबादत और क़ौम का दीन छोड़ दिया, लेकिन यहूदियत या ईसाईयत इख़्तियार न की। अलबत्ता ज़ैद के साथियों ने ईसाई मज़हब क़बूल कर लिया, इसलिये कि यहूदियों के मज़हब से यह मिलता-जुलता था। उन्हीं में हज़रत वरक़ा बिन नोफ़ल थे। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत का ज़माना मिला और अल्लाह की हिदायत ने उनकी रहबरी की और यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाये और जो 'वही' उस वक़्त तक उतरी थी उसकी तस्दीक़ की।

मसलाः 'ज़ॉद' और 'ज़ोय' की क़िराअ़त में बहुत बारीक फ़र्क़ है और हर एक के बस का नहीं, इसलिये उलेमा-ए-किराम का सही मज़हब यह है कि यह फ़र्क़ माफ़ है। 'ज़ॉद' का सही मख़्रज (निकलने की जगह) तो यह है कि ज़बान का शुरू का किनारा और उसके पास की डाढ़ें। और 'ज़ोय' का मख़्रज ज़बान का एक तरफ़ (किनारा) और सामने वाले ऊपर के दो दाँत के किनारे। पस उस शख़्स को जिसे इन दोनों में तमीज़ (फ़र्क़) करनी मुश्किल मालूम हो उसे माफ़ है कि 'ज़ॉद' और 'ज़ोय' की तरह पढ़ ले। एक हदीस में है कि 'ज़ॉद' को सबसे ज़्यादा सही पढ़ने वाला मैं हूँ, लेकिन यह हदीस बिल्कुल बेअसल और ज़ईफ़ है।

फ़स्लः यह मुबारक सूरत बहुत ही कारामद मज़ामीन का मजमूआ़ है। इन सात आयतों में अल्लाह तआ़ला की तारीफ़, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी सना व सिफ़त, उसके पाकीज़ा नामों और उसकी बुलन्द व बाला सिफ़तों का बयान है। साथ ही क़ियामत के दिन का ज़िक्र है और बन्दों को इरशाद है कि वे उस मालिक से सवाल करें, उसकी तरफ़ आह व फ़रियाद करें, अपनी मिस्कीनी और बेकसी का इक़रार करें, उसकी इबादत ख़ुलूस के साथ करें, उसकी एक और तन्हा माबूद होने का इक़रार करें और उसे शरीक व नज़ीर और मिस्ल से पाक और बरतर जानें। 'सिराते मुस्तक़ीम' की और उस पर साबित-क़दमी (जमे रहने) की उससे तलब करें और यही हिदायत उन्हें क़ियामत वाले दिन पुलसिरात से भी पार उतारेगी और नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सालिहों (नेक लोगों) के पड़ोस में जन्नतुल-फ़िरदौस में जगह दिलवायेगी। साथ ही इस

सूरत में नेक आमाल की तरग़ीब (तवज्जोह और प्रेरणा) है ताकि क़ियामत के दिन नेक लोगों का साथ मिले, और बातिल (ग़ैर-हक़) राहों पर चलने से डराया है, ताकि क़ियामत के दिन भी उनकी जमाअ़तों से दूरी हो। ये बातिल-परस्त यहूद ईसाई हैं। इस बारीक नुक्ते पर भी ग़ौर कीजिए कि इनाम की निस्बत तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ की गयी और 'अन्अ़म्-त' कहा गया और 'ग़ज़ब' की निस्बत नहीं की गयी। यहाँ फ़ाअ़िल हज़्फ़ कर दिया (यानी ज़िक्र न किया) और 'मग़ज़ूब अ़लैहिम' (जिन पर ग़ज़ब किया गया) कहा गया (इसका ज़िक्र नहीं कि ग़ज़ब करने वाला कौन है)। इसमें परवर्दिगारे आ़लम की जानिब में अदब से काम लिया गया है। दर असल हक़ीक़ी फ़ाअ़िल (किसी काम का वास्तव में करने वाला और वजूद बख़्शने वाला) अल्लाह तआ़ला ही है, जैसा कि एक दूसरी जगह है- 'ग़-ज़बल्लाहु अ़लैहिम' (उन पर अल्लाह नाराज़ हुआ और उसने अपना ग़ज़ब किया) और इसी तरह गुमराही की निस्बत भी उनकी तरफ़ की गयी जो गुमराह हैं, हालाँकि एक दूसरी जगह है:

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ...... الخ.

यानी ख़ुदा जिसे राह दिखा दे वह राह पाने वाला है और जिसे वह गुमराह कर दे उसका वली और मुर्शिद (सही राह दिखाने वाला) कोई नहीं। एक और जगह फ़रमायाः

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ....... الخ.

यानी जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका हादी (हिदायत देने वाला) कोई नहीं, वे तो अपनी सरकशी में बहके रहते हैं।

इसी तरह और भी बहुत सी आयतें हैं जिनसे साफ़ साबित होता है कि राह दिखाने वाला और गुमराह करने वाला सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ही है। क़द्रिया फ़िर्क़ा जो इधर-उधर की मुतशाबा आयतों को दलील बनाकर कहता है कि बन्दे ख़ुद मुख़्तार हैं, वे ख़ुद पसन्द करते हैं और ख़ुद करते हैं, यह ग़लत है, स्पष्ट और साफ़-साफ़ आयतें उनकी तरदीद में मौजूद हैं। लेकिन बातिल-परस्त (ग़ैर-हक़ वाले) फ़िर्क़ों का यही क़ायदा है कि स्पष्ट और वाज़ेह चीज़ों को छोड़कर मुतशाबा के पीछे लगा करते हैं। सही हदीस में है कि जब तुम उन लोगों को देखो जो मुतशाबा (मुश्किल और जिनके मायने स्पष्ट न हों) आयतों के पीछे लगते हैं तो समझ लो कि उन्हीं लोगों का अल्लाह तआ़ला ने नाम लिया है, तुम उनको छोड़ दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इशारा इस फ़रमान में इस आयते मुबारक की तरफ़ हैः

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ......... الخ.

यानी जिन लोगों के दिलों में कजी (ख़राबी और टेढ़) है वे मुतशाबा के पीछे लगते हैं, फ़ितनों और तावील (मायनों में उलट-फेर) को ढूँढने के लिये। पस 'अल्हम्दु लिल्लाह' बिद्अ़तियों के लिये क़ुरआने पाक में सही दलील कोई नहीं। क़ुरआने करीम तो हक़ व बातिल, हिदायत व गुमराही में फ़र्क़ करने के लिये आया है, इसमें तनाक़ुज़ (मज़मून में टकराव) और इख़्तिलाफ़ नहीं। यह तो हिक्मत वाले और क़ाबिले तारीफ़ ज़ात का नाज़िल किया हुआ है।

फ़स्लः सूरः फ़ातिहा को ख़त्म करके 'आमीन' कहना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है। 'आमीन' 'यासीन' की तरह है, और 'अमीन' भी कहा गया है और इसके मायने यह हैं कि ऐ अल्लाह तू क़बूल फ़रमा। 'आमीन' कहने के मुस्तहब होने की दलील वह हदीस है जो मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और

तिर्मिज़ी में वाईल बिन हजर रज़ि. से मरवी है। वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सुना कि आप "ग़ैरिल-मग़ज़ूबि अ़लैहिम व लज़्ज़ॉल्लीन" कहकर 'आमीन' कहते थे, और लम्बी आवाज़ करते थे (यानी इसको खींचकर कहते थे)। अबू दाऊद में है कि आवाज़ बुलन्द करते थे, इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को हसन कहते हैं। हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुम वग़ैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की 'आमीन' पहली सफ़ वाले लोग जो आपके क़रीब होते सुन लेते। अबू दाऊद और इब्ने माजा में यह हदीस है। इब्ने माजा में यह भी है कि 'आमीन' की आवाज़ से मस्जिद गूँज उठती थी। दारे क़ुतनी में भी यह हदीस है और दारे क़ुतनी इसे हसन बताते हैं। हज़रत बिलाल रज़ि. से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहते थे कि मुझसे पहले 'आमीन' न कहा कीजिए। (अबू दाऊद)

हसन बसरी और जाफ़रे सादिक़ रह. से आमीन कहना मरवी है जैसा कि 'आम्मीनल-बैतल् हरा-म' क़ुरआन में है। हमारे साथी वग़ैरह कहते हैं कि जो नमाज़ में न हो उसे भी 'आमीन' कहना चाहिये। हाँ जो नमाज़ में हो उस पर ताकीद ज़्यादा है। नमाज़ी चाहे अकेला हो चाहे मुक़्तदी हो, चाहे इमाम हो हर हालत में 'आमीन' कहे। सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इमाम 'आमीन' कहे तुम भी 'आमीन' कहो, जिसकी 'आमीन' फ़रिश्तों की 'आमीन' से मिल जाये उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुस्लिम शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुममें से कोई अपनी नमाज़ में 'आमीन' कहता है और फ़रिश्ते आसमान से आमीन कहते हैं और एक की आमीन दूसरे की आमीन से मुवाफ़क़त कर जाती है तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मतलब यह है कि उसकी आमीन का और फ़रिश्तों की आमीन का वक़्त एक ही हो जाये, या मुवाफ़क़त से मुराद क़बूलियत में मुवाफ़िक़ होना है, या इख़्लास (नेक-नीयती और ख़ालिस अल्लाह के लिये होने) में। सही मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ि. से मरफ़ूअ़न रिवायत है कि जब इमाम "व लज़्ज़ॉल्लीन" कहे तुम आमीन कहो, ख़ुदा क़बूल फ़रमायेगा।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि आमीन के क्या मायने हैं? आपने फ़रमाया "ऐ अल्लाह तू कर"। जोहरी कहते हैं कि इसके मायने "इसी तरह हो" हैं। तिर्मिज़ी कहते हैं कि इसके मायने हैं कि हमारी उम्मीदों को न तोड़, अक्सर उलेमा फ़रमाते हैं कि इसके मायने "ऐ अल्लाह तू हमारी दुआ़ को क़बूल फ़रमा" के हैं। मुजाहिद, जाफ़रे सादिक़, हिलाल बिन सय्याफ़ रह. फ़रमाते हैं कि आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरफ़ूअ़न भी यह मरवी है, लेकिन सही नहीं। इमाम मालिक के साथियों का मज़हब है कि इमाम आमीन न कहे, मुक़्तदी आमीन कहें, क्योंकि मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस में है कि जब इमाम "व लज़्ज़ॉल्लीन" कहे तो तुम आमीन कहो। इसी तरह उनकी दलील की ताईद में सही मुस्लिम वाली हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ि. की यह रिवायत भी आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इमाम "व लज़्ज़ॉल्लीन" कहे तो तुम आमीन कहो, लेकिन बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस पहले बयान हो चुकी कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो और यह भी हदीस में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम "व लज़्ज़ॉल्लीन" पढ़कर आमीन कहते थे।

जहरी नमाज़ों (जिनमें क़िराअत आवाज़ से की जाती है) में मुक़्तदी ऊँची आवाज़ से आमीन कहे या न कहे इसमें हमारे साथियों का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है जिसका ख़ुलासा यह है कि अगर इमाम आमीन कहनी

भूल गया हो तो मुक़्तदी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहें। अगर इमाम ने ख़ुद ऊँची आवाज़ से आमीन कही हो तो नया क़ौल यह है कि मुक़्तदी बुलन्द आवाज़ से न कहें। इमाम अबू हनीफ़ा रह. का यही मज़हब है। और एक रिवायत में इमाम मालिक से भी मरवी है इसलिये कि नमाज़ और अज़्कार की तरह यह भी एक ज़िक्र है, तो न वे बुलन्द आवाज़ से पढ़े जाते हैं न यह बुलन्द आवाज़ से पढ़ा जाये। लेकिन पहला क़ौल यह है कि आमीन बुलन्द आवाज़ से कही जाये। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रह. का भी यही मज़हब है और हज़रत इमाम मालिक रह. का भी दूसरी रिवायत के एतिबार से यही मज़हब है, और इसकी दलील वही हदीस है जो पहले बयान हो चुकी कि आमीन की आवाज़ गूँज उठती थी। हमारे यहाँ पर एक तीसरा क़ौल भी है कि अगर मस्जिद छोटी हो तो मुक़्तदी बुलन्द आवाज़ से आमीन न कहें इसलिये कि वे इमाम की क़िराअत सुनते हैं और अगर बड़ी हो तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहें ताकि मस्जिद के कोने-कोने में आमीन पहुँच जाये। वल्लाहु आलम।

मुस्नद अहमद में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास यहूदियों का ज़िक्र हुआ तो आपने फ़रमाया कि हमारी तीन चीज़ों पर यहूदियों को इतना बड़ा हसद (जलन) है कि किसी और चीज़ पर नहीं। एक तो जुमा, कि ख़ुदा ने हमें इसकी हिदायत की और ये बहक गये। दूसरे क़िब्ला, तीसरे हमारा इमाम के पीछे आमीन कहना। इब्ने माजा की हदीस में यूँ है कि यहूदियों को सलाम पर और आमीन पर जितनी चिड़ है उतनी किसी और चीज़ पर नहीं, और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत है कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया- तुम्हारा जिस क़द्र हसद यहूदी आमीन पर करते हैं इस क़द्र हसद और किसी बात पर नहीं करते, तुम भी आमीन ख़ूब ज़्यादा कहा करो। इसकी सनद में तल्हा बिन अ़मर रावी ज़ईफ़ हैं। इब्ने मर्दूया में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से नक़ल किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आमीन अल्लाह तआ़ला की मोहर है अपने मोमिन बन्दों पर। हज़रत अनस रज़ि. वाली हदीस में है कि नमाज़ में आमीन कहनी और दुआ़ पर आमीन कहनी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मुझे अ़ता की गयी है, जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गयी। हाँ इतना है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की ख़ास दुआ़ पर हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम आमीन कहते थे। तुम अपनी दुआ़ओं को आमीन पर ख़त्म किया करो। अल्लाह तआ़ला उन्हें तुम्हारे हक़ में क़बूल फ़रमाया करेगा। इस हदीस को सामने रखकर क़ुरआने करीम के इन अलफ़ाज़ को देखिये जिनमें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ है:

رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ........الخ

यानी ख़ुदाया! तूने फ़िरऔ़न और उसके सरदारों को दुनिया की ज़ीनत और माल, दुनिया की ज़िन्दगानी में अ़ता फ़रमाया है, जिससे वे तेरी राह से दूसरों को बहका रहे हैं। ख़ुदाया उनके माल बरबाद और उनके दिल सख़्त कर, ये ईमान न लायें जब तक कि दर्दनाक अ़ज़ाब न देख लें।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की इस दुआ़ की क़बूलियत का ऐलान इन अलफ़ाज़ में होता है:

قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا........الخ.

यानी तुम दोनों की दुआ़ क़बूल की गयी। तुम मज़बूत रहो और बेअ़मलों की राह न जाओ।

दुआ़ सिर्फ़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम करते थे और हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम सिर्फ़ आमीन कहते थे, लेकिन क़ुरआन ने दुआ़ की निस्बत दोनों की तरफ़ की। इससे बाज़ लोगों ने दलील पकड़ी है कि जो शख़्स

किसी दुआ पर आमीन कहे उसने गोया ख़ुद वह दुआ की। अब इस इस्तिदलाल (दलील पकड़ने) को सामने रखकर फिर बे क़ियास करते हैं कि मुक़्तदी क़िराअत न करे, इसलिये कि इसका सूरः फ़ातिहा पर आमीन कहना पढ़ने के जैसा ही है और इस हदीस को भी दलील में लाते हैं कि जिसका इमाम हो तो इमाम की क़िराअत उसकी क़िराअत है। (मुस्नद अहमद) हज़रत बिलाल रज़ि. कहा करते थे कि हुज़ूर! आमीन में मुझसे आगे न बढ़ जाया कीजिए। इस खींचा-तानी से मुक़्तदी पर जहरी नमाज़ों में अल्हम्दु का न पढ़ना साबित करना चाहते हैं। वल्लाहु आलम।

(यह याद रहे कि इसकी मुफ़स्सल बहस पहले गुज़र चुकी है) हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया जब इमाम "ग़ैरिल-मग़ज़ूबि अ़लैहिम व लज़्ज़ॉल्लीन" कहकर आमीन कहता है और आसमान वालों की आमीन ज़मीन वालों की आमीन से मिल जाती है तो अल्लाह तआ़ला बन्दे के तमाम पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। आमीन न कहने की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख़्स ने एक क़ौम के साथ मिलकर ग़ज़वा किया (यानी अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ी), ग़ालिब आये, माले ग़नीमत जमा किया, जब क़ुर्आ डालकर हिस्से लेने लगे तो उस शख़्स के नाम का क़ुर्आ निकला ही नहीं और कोई हिस्सा न मिला। उसने कहा यह क्यों? जवाब मिला कि तेरे आमीन न कहने की वजह से।

सूरः ब-क़रह और उसके फ़ज़ाईल

हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरः ब-क़रह क़ुरआन की कोहान (कोहान ऊँट का वह उभरा हुआ हिस्सा जो कमर पर होता है) और इसकी बुलन्दी है। इसकी एक-एक आयत के साथ अस्सी-अस्सी फ़रिश्ते नाज़िल होते थे और ख़ास तौर पर आयतुल-कुर्सी तो ख़ास अ़र्श से नाज़िल हुई और इस सूरत के साथ मिलाई गयी। सूरः 'यासीन' क़ुरआन का दिल है, जो शख़्स इसे अल्लाह तआ़ला की रज़ा ढूँढने और आख़िरत की तलब के लिये पढ़े उसे बख़्श दिया जाता है। इस सूरत को मरने वाले के सामने पढ़ा करो। (मुस्नद अहमद) इस हदीस की सनद में एक जगह 'अ़न् रजुलिन' (एक आदमी से रिवायत) है, जिससे यह नहीं मालूम होता था कि इससे मुराद कौन हैं, लेकिन मुस्नद अहमद ही की दूसरी रिवायत में उनका नाम अबू उस्मान आ गया है। यह हदीस इसी तरह अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा में भी है। तिर्मिज़ी की एक ज़ईफ़ सनद वाली हदीस में है कि हर चीज़ की एक बुलन्दी होती है, और क़ुरआन पाक की बुलन्दी सूरः ब-क़रह है। इस सूरत में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है और वह आयतुल-कुर्सी है। मुस्नद अहमद, सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई में हदीस है कि अपने घरों को क़ब्रें न बनाओ। जिस घर में सूरः ब-क़रह पढ़ी जाये वहाँ शैतान दाख़िल नहीं हो सकता। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन सही बतलाते हैं। एक और हदीस में है कि जिस घर में सूरः ब-क़रह पढ़ी जाये वहाँ से शैतान भाग जाता है। इस हदीस में एक रावी को इमाम यहया बिन मईन तो सिक़ा (क़ाबिले भरोसा) बतलाते हैं लेकिन इमाम अहमद वग़ैरह उनकी हदीस को मुन्कर कहते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से भी इसी तरह का क़ौल मन्क़ूल है। इसे इमाम नसाई ने 'अमलुल-यौम वल्लैलतु' में और हाकिम ने मुस्तद्रक में रिवायत किया है और इसकी सनद को सही कहा है।

इब्ने मर्दूया में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं तुममें से किसी को ऐसा न पाऊँ कि वह पैर पर पैर चढ़ाये पढ़ता चला जाये। लेकिन सूरः ब-क़रह न पढ़े। सुनो! जिस घर में यह मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और ज़लील घर वह है

जिसमें किताबुल्लाह की तिलावत न की जाये। इमाम नसाई ने 'अमलुल-यौम वल्लैलतु' में भी इसे बयान किया है। मुस्नद दारमी में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से रिवायत है कि जिस घर में सूरः ब-क़रह पढ़ी जाये उस घर से शैतान हवा छोड़ता हुआ भाग जाता है। हर चीज़ की ऊँचाई होती है और क़ुरआन की ऊँचाई (बुलन्दी और रुतबे की चीज़) सूरः ब-क़रह है। हर चीज़ का मग़ज़ होता है और क़ुरआन का मग़ज़ मुफ़स्सल की सूरतें हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. का फ़रमान है कि जो शख़्स सूरः ब-क़रह की चार पहली आयतें और आयतुल-कुर्सी और दो आयतें उसके बाद की और दो आयतें सबसे आख़िर की, यह कुल दस आयतें रात के वक़्त पढ़ ले उस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता, और उसे या उसके घर वालों को उस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज़ सता नहीं सकती। ये आयतें मजनूँ (पागल) पर पढ़ी जायें तो उसका दीवानापन भी दूर हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जिस तरह हर चीज़ की बुलन्दी होती है क़ुरआन की बुलन्दी सूरः ब-क़रह है। जो शख़्स रात के वक़्त इसे अपने घर में पढ़े तीन रातों तक शैतान उस घर में नहीं जा सकता। और दिन को अगर घर में पढ़ ले तो तीन दिन तक शैतान उस घर में क़दम नहीं रख सकता। (तबरानी, इब्ने हिब्बान व इब्ने मर्दूया)

तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक छोटा-सा लश्कर एक जगह भेजा और उसकी सरदारी आपने उन्हें दी जिन्होंने फ़रमाया था कि मुझे सूरः ब-क़रह याद है। उस वक़्त एक शरीफ़ (बड़े और सम्मानित) शख़्स ने कहा मैं भी इसे याद कर लेता लेकिन मुझे डर लगा कि ऐसा न हो मैं इस पर अ़मल न कर सकूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआन सीखो, क़ुरआन को पढ़ो। जो शख़्स इसे सीखता है पढ़ता है फिर इस पर अ़मल भी करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क भरा हुआ बरतन, जिसकी ख़ुशबू हर तरफ़ महक रही है। इसे सीखे हुए सो जाने वाले की मिसाल उस बरतन के जैसी है जिसमें मुश्क तो भरी हुई है लेकिन ऊपर से मुँह बन्द कर दिया गया है। इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन कहते हैं। एक और मुर्सल रिवायत भी है। वल्लाहु आलम।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ि. ने एक मर्तबा रात को सूरः ब-क़रह की तिलावत शुरू की। उनका घोड़ा जो उनके पास ही बंधा हुआ था उसने बिदकना शुरू किया। आपने क़िराअत छोड़ दी, घोड़ा भी सीधा खड़ा हो गया। आपने फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़े ने भी फिर बिदकना शुरू किया। आपने फिर पढ़ना रोक दिया, घोड़ा भी ठीक हो गया। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ, चूँकि उनके बेटे यहया घोड़े के पास ही लेटे हुए थे इसलिये डर मालूम हुआ कि कहीं बच्चे को चोट न आ जाये, क़ुरआन का पढ़ना बन्द करके उसे उठा लिया। फिर आसमान की तरफ़ देखा कि घोड़े के बिदकने की क्या वजह है? सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर वाक़िआ़ बयान करने लगे। आप सुनते जाते हैं और फ़रमाते जाते हैं उसैद! पढ़ते चले जाओ। हज़रत उसैद रज़ि. ने कहा हुज़ूर! तीसरी मर्तबा के बाद तो यहया की वजह से मैंने पढ़ना तो बिल्कुल बन्द कर दिया, अब जो निगाह उठी तो क्या देखता हूँ कि एक नूरानी चीज़ बादल की तरह साया किये हुए है और उसमें चिराग़ों जैसी रोशनी है। बस मेरे देखते ही देखते वह ऊपर को उठ गयी। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जानते हो यह क्या चीज़ थी? यह फ़रिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर क़रीब आ गये थे, अगर तुम पढ़ना बन्द न करते तो सुबह तक यूँही रहते और हर शख़्स उन्हें देख लेता, किसी से न छुपते। यह हदीस कई किताबों में मुख़्तलिफ़ सनदों के साथ मौजूद है। वल्लाहु आलम।

इसके क़रीब-क़रीब वाक़िआ़ हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास रज़ि. का है कि एक मर्तबा लोगों ने

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया- पिछली रात हमने देखा कि रात भर हज़रत साबित का घर नूर का गुंबद बना रहा और चमकदार रोशन चिराग़ों से जगमगाता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शायद उन्होंने रात को सूरः ब-क़रह पढ़ी होगी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सच है, रात को मैं सूरः ब-क़रह की तिलावत में मशग़ूल था। इसकी सनद तो बहुत उम्दा है मगर इसमें इब्हाम (अस्पस्टता) है और यह मुर्सल भी है। वल्लाहु आलम।

सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान की फ़ज़ीलत

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सूरः ब-क़रह सीखो, इसका सीखना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत (अफ़सोस और नाकामी) है। जादूगर इसकी ताक़त नहीं रखते। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फ़रमाया- सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान सीखो, ये दोनों नूरानी सूरतें हैं, अपने पढ़ने वाले पर सायबान या बादल या परिन्दों के झुण्ड की तरह क़ियामत के रोज़ साया करेंगी। क़ुरआन पढ़ने वाला जब क़ब्र से उठेगा तो देखेगा कि एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला शख़्स उसके पास खड़ा हुआ कहता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? यह कहेगा नहीं, वह जवाब देगा कि मैं क़ुरआन हूँ। जिसने दिनों को तुझे भूखा प्यासा रखा था और रातों को बिस्तर से दूर बेदार रखा था। हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे है, लेकिन आज सब तिजारतें तेरे पीछे हैं। अब इसे मुल्क दाहिने हाथ में दिया जायेगा और हमेशगी बायें हाथ में, उसके सर पर वक़ार व इज़्ज़त का ताज रखा जायेगा, उसके माँ-बाप को दो ऐसे उम्दा क़ीमती जोड़े पहनाये जायेंगे कि सारी दुनिया भी उनकी क़ीमत के सामने कोई हैसियत न रखेगी। वे (माँ-बाप) हैरान होकर कहेंगे कि आख़िर इस रहम व करम और इस इनाम व सम्मान की क्या वजह है? तो उन्हें जवाब दिया जायेगा कि तुम्हारे बच्चे के क़ुरआन पढ़ने की वजह से तुम पर यह नेमत की गयी। फिर उससे कहा जायेगा पढ़ता जा और जन्नत के दरजात पर चढ़ता जा। चुनाँचे वह पढ़ता जायेगा और आला से आला तबक़े पर चढ़ता जायेगा, चाहे ठहर-ठहर कर पढ़े चाहे रवानी (रफ़्तार) से।

इब्ने माजा में भी इस हदीस का कुछ हिस्सा मरवी है। इसकी सनद हसन है और इमाम मुस्लिम की शर्त पर है। इसके रावी बशीर बिन मुहाजिर से इमाम मुस्लिम भी रिवायत लेते हैं और इमाम यहया बिन मईन इसे सिक़ा (मोतबर) कहते हैं। इमाम नसाई रह. का क़ौल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ इमाम अहमद इसे मुन्करुल-हदीस बतलाते हैं और फ़रमाते हैं कि मैंने तलाश की तो देखा कि वह अ़जीब-अ़जीब हदीसें लाता है। इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि इसकी बाज़ हदीसों का ख़िलाफ़ (विरोध) किया जाता है। अबू हातिम राज़ी का फ़ैसला है कि इसकी हदीसें लिखी जाती हैं लेकिन दलील नहीं बनाई जा सकतीं। इब्ने अ़दी का क़ौल है कि इनकी ऐसी रिवायात भी हैं जिनकी मुताबिअ़त नहीं की जाती। इमाम दारे क़ुतनी रह. फ़रमाते हैं यह क़वी (मज़बूत) नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि इसकी इस रिवायत के कुछ मज़ामीन दूसरी सनदों में भी आये हैं।

मुस्नद अहमद में है कि क़ुरआन पढ़ा करो यह अपने पढ़ने वालों की क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करेगा, दो नूरानी सूरतों सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान को पढ़ते रहा करो, ये दोनों क़ियामत के दिन इस तरह आयेंगी जैसे कि दो सायबान (साया करने वाले) हैं, या दो बादल हैं या पंख खोले परिन्दों के दो समूह और झुंड हैं। अपने पढ़ने वालों की तरफ़ से ख़ुदा तआ़ला से सिफ़ारिश करेंगी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरः ब-क़रह पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है और छोड़ना हसरत (अफ़सोस का सबब)

है, इसकी ताक़त बातिल वालों को नहीं। सही मुस्लिम शरीफ़ में भी हदीस है, मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि क़ुरआन पढ़ने वालों को क़ियामत के दिन बुलवाया जायेगा, आगे-आगे सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान होंगी, बादल की तरह या साये और सायबान की तरह या पंख खोले परिन्दों के समूह और झुंड की तरह। ये दोनों परवर्दिगार से डटकर सिफ़ारिश करेंगी। मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन ग़रीब कहते हैं।

एक शख़्स ने अपनी नमाज़ में सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान पढ़ी, उसके फ़ारिग़ होने के बाद हज़रत कअ़ब रज़ि. ने फ़रमाया- ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, इनमें ख़ुदा का वह नाम है कि उस नाम के साथ जब कभी उसे पुकारा जाये वह क़बूल फ़रमाता है। अब उस शख़्स ने हज़रत कअ़ब रज़ि. से अ़र्ज़ किया कि मुझे बतलाईये वह कौनसा है? हज़रत कअ़ब रज़ि. ने इससे इनकार किया और फ़रमाया अगर मैं बता दूँ तो ख़ौफ़ है कि कहीं तू उस नाम की बरकत से ऐसी दुआ़ न माँग ले जो मेरी और तेरी हलाकत का सबब बन जाये। हज़रत अबू उमामा रज़ि. फ़रमाते हैं कि तुम्हारे भाई को ख़्वाब में दिखलाया गया कि गोया लोग एक बहुत बुलन्द पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ की चोटी पर दो सरसब्ज़ (हरे-भरे) दरख़्त हैं और उनमें से आवाज़ें आ रही हैं कि क्या तुममें कोई सूरः ब-क़रह का पढ़ने वाला है? क्या तुम में कोई सूरः आले इमरान का पढ़ने वाला है? जब कोई कहता है कि हाँ तो वे दोनों दरख़्त (पेड़) अपने फलों समेत उसकी तरफ़ झुक आते और यह उसकी शाख़ों पर बैठ जाता और वे उसे ऊपर उठा लेते।

हज़रत उम्मे दर्दा रज़ि. फ़रमाती हैं कि एक क़ुरआन पढ़े हुए शख़्स ने अपने पड़ोसी को मार डाला, फिर क़िसास (ख़ून के बदले ख़ून) में वह भी मारा गया। फिर क़ुरआने करीम एक-एक सूरत हो-होकर अलग होना शुरू हुआ यहाँ तक कि उसके पास सूरः आले इमरान और सूरः ब-क़रह रह गयीं। एक जुमे के बाद सूरः आले इमरान भी चली गयी, फिर एक जुमा और गुज़रा तो आवाज़ आयी की मेरी बातें नहीं बदला करतीं और मैं अपने बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता। चुनाँचे यह मुबारक सूरत यानी सूरः ब-क़रह भी उससे अलग हो गयी। मतलब यह है कि ये दोनों सूरतें उसकी तरफ़ से बलाओं और अ़ज़ाबों की आड़ बनी रहीं और उसकी क़ब्र में उसकी दिलजोई करती रहीं और सबसे आख़िर में उसके गुनाहों की ज़्यादती की वजह से इनकी सिफ़ारिश भी न चली। यज़ीद बिन अस्वद जुरशी कहते हैं कि इन दोनों सूरतों को दिन में पढ़ने वाला दिन भर निफ़ाक़ से बरी रहता है और रात को पढ़ने वाला सारी रात निफ़ाक़ से बरी रहता है। ख़ुद हज़रत यज़ीद रज़ि. अपने मामूल के वज़ीफ़े क़ुरआन के अ़लावा इन दोनों सूरतों को हर सुबह व शाम पढ़ा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि जो शख़्स इन दोनों सूरतों को रात को पढ़ता रहेगा अल्लाह तआ़ला के नज़दीक वह फ़रमाँबरदारों में शुमार होगा। इसकी सनद मुन्क़ता है। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन दोनों सूरतों को एक रक्अ़त में पढ़ा।

सात लम्बी सूरतों की फ़ज़ीलत

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मुझे लम्बी सूरतें तौरात की जगह दी गयी हैं और इन्जील की जगह मुझको दो सौ आयतों वाली सूरतें मिली हैं, और ज़बूर के क़ायम-मक़ाम में दो सौ से कम आयतों वाली सूरतें दी गयी हैं, और फिर मुझे फ़ज़ीलत में ख़ास तौर पर सूरः 'क़ाफ़' से लेकर आख़िर की सूरतें मिली हैं। यह हदीस ग़रीब है और इसके एक रावी सईद बिन अबू बशीर के बारे में कुछ कलाम है। अबू उबैद ने इसे दूसरी सनद से भी रिवायत किया है। वल्लाहु आलम।

एक और हदीस में है कि जो शख़्स इन सात सूरतों को हासिल कर ले वह बहुत बड़ा आ़लिम है। यह रिवायत भी ग़रीब है। मुस्नद अहमद में भी यह रिवायत है। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक लश्कर भेजा और उसका अमीर उन्हें बनाया जिन्हें सूरः ब-क़रह याद थी, हालाँकि वह उन सबसे छोटी उम्र के थे। हज़रत सईद बिन जुबैर तो आयत "व लक़द् आतैना-क सब्अ़म् मिनल् मसानी" (सूरः हिज्र आयत 87) की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि इससे मुराद यही सात सूरतें हैं- सूरः ब-क़रह, सूरः आले इमरान, सूरः निसा, सूरः मायदा, सूरः अन्आ़म, सूरः आराफ़ और सूरः यूनुस। हज़रत मुजाहिद, मकहूल, अ़तीया बिन क़ैस, अबू मुहम्मद फ़ारसी, शद्दाद बिन औस, यहया बिन हारिस ज़मारी से भी यही मन्क़ूल है।

फ़स्लः सूरः ब-क़रह सारी की सारी मदीना शरीफ़ में नाज़िल हुई और शुरू-शुरू में जो सूरतें नाज़िल हुईं उनमें से एक यह भी है। अलबत्ता इसकी एक आयतः

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ........ الخ.

(यानी आयत नम्बर 281) यह सबसे आख़िर में नाज़िल होने वाली बतलाई जाती है। यानी क़ुरआने करीम में सबसे आख़िर में यह आयत नाज़िल हुई है। मुम्किन है कि नाज़िल बाद में हुई हो लेकिन है इसी में से, और इसी तरह सूद की हुर्मत (हराम होने) की आयतें भी आख़िर में नाज़िल हुई हैं। हज़रत ख़ालिद बिन मादान सूरः ब-क़रह को क़ुरआन का ख़ैमा कहा करते थे। बाज़ उलेमा का फ़रमान है कि इसमें एक हज़ार ख़बरें हैं और एक हज़ार हुक्म हैं और एक हज़ार कामों से रोका गया है। इसकी आयतें दो सौ सतासी हैं। इसके कलिमात छह हज़ार दो सौ इक्कीस (6221) हैं, इसके हुरूफ़ साढ़े पच्चीस हज़ार (25500) हैं। वल्लाहु आलम।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह सूरत मदनी है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. और बहुत से इमाम, उलेमा और मुफ़स्सिरीन से भी बिना किसी इख़्तिलाफ़ के यही मरवी है। इब्ने मर्दूया की एक हदीस में है कि सूरः ब-क़रह, सूरः आले इमरान, सूरः निसा वग़ैरह न कहा करो, बल्कि यूँ कहो कि वह सूरत जिसमें ब-क़रह का ज़िक्र है, वह सूरत जिसमें आले इमरान का बयान है और इसी तरह क़ुरआन की सब सूरतों का नाम लिया करो। लेकिन यह हदीस ग़रीब है, बल्कि इसका फ़रमाने रसूल होना ही सही नहीं। इसके रावी ईसा बिन मैमून अबू सलमा ख़्वास ज़ईफ़ हैं। उनकी रिवायत से सनद नहीं ली जा सकती। इसके उलट सहीहैन में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से रिवायत है कि उन्होंने बतन वादी से शैतान पर कंकर फेंके, बैतुल्लाह उनकी बायीं तरफ़ था और मिना दायीं तरफ़, और फ़रमाया इसी जगह से कंकर फेंके थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने, जिन पर सूरः ब-क़रह उतरी है। अगरचे इस हदीस से साफ़ साबित हो गया कि सूरः ब-क़रह वग़ैरह कहना जायज़ है लेकिन और सुनिये। इब्ने मर्दूया में है कि जब हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सहाबा में कुछ सुस्ती देखी तो उन्हें "या अस्हाबे सूरतुल-बक़रति" (ऐ सूरः ब-क़रह वालो!) कहकर पुकारा। ग़ालिबन यह हुनैन वाले दिन का ज़िक्र है जब लश्कर के क़दम उखड़ गये थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म से हज़रत अ़ब्बास रज़ि. ने ऐ दरख़्त वालो! यानी ऐ बैअ़ते-रिज़वान करने वालो, और ऐ सूरः ब-क़रह वालो! कहकर पुकारा था, ताकि उन्हें ख़ुशी और दिलेरी पैदा हो। चुनाँचे इस आवाज़ के साथ ही सहाबा रज़ि. हर तरफ़ से दौड़ पड़े। मुसैलमा, जिसने नुबुव्वत का झूठा दावा किया था, उसके साथ लड़ने के वक़्त भी जब क़बीला बनू हनीफ़ा की मक्कारियों ने परेशान कर दिया और क़दम डगमगा गये, सहाबा रज़ि. ने इसी तरह लोगों को

"या अस्हाबि सूरतिल् ब-क़रति" यानी ऐ सूरः ब-क़रह वालो! कहकर पुकारा और इस आवाज़ पर सबके सब जमा हो गये और जमकर लड़े, यहाँ तक कि उन मुर्तदों (दीन इस्लाम से फिर जाने वालों) पर अल्लाह तआ़ला ने अपने लश्कर को फ़तह दी। अल्लाह तआ़ला अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सब सहाबा से ख़ुश हो।

सूरः ब-क़रह

सूरः ब-क़रह मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 286 आयतें और 40 रुकूअ़ हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम-मीम। (1)	الٓمّٓ ○

'अलिफ़् लाम् मीम्' जैसे हुरूफ़े-मुक़त्तआ़ जो सूरतों के शुरू में आये हैं इनकी तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। बाज़ कहते हैं कि इनके मायने सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को मालूम हैं, किसी और को मालूम नहीं, इसलिये वे इन हुरूफ़ की कोई तफ़सीर नहीं करते। इमाम क़ुर्तुबी ने हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से यही नक़ल किया है। आ़मिर शअ़बी, सुफ़ियान सौरी, रबीअ़ बिन ख़ैसम रह. भी यही कहते हैं। अबू हातिम बिन हिब्बान भी इसको पसन्द करते हैं। और बाज़ लोग इन हुरूफ़ की तफ़सीर भी करते हैं, लेकिन उनकी तफ़सीर में बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद और विरोधाभास) है। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं- ये सूरतों के नाम हैं। अ़ल्लामा अबुल-क़ासिम महमूद बिन उमर ज़मख़्शरी रह. अपनी तफ़सीर में लिखते हैं कि अक्सर लोगों का इसी पर इत्तिफ़ाक़ है। सीबवैह ने भी यही कहा है और इसकी दलील सहीहैन की वह हदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में 'सूरः अलिफ़्-लाम-मीम सज्दा' और 'सूरः इनसान' (दहर) पढ़ते थे। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि 'अलिफ़्-लाम-मीम' 'हा-मीम' 'अलिफ़्-लाम-मीम-सॉद' और 'सॉद' ये सब सूरतों की इब्तिदा (शुरूआ़ती हिस्सा) है, जिनसे ये सूरतें शुरू होती हैं, उन्हीं से ये भी मन्क़ूल है कि 'अलिफ़्-लाम-मीम' क़ुरआन के नामों में से एक नाम है। हज़रत क़तादा और हज़रत ज़ैद बिन असलम का भी यही क़ौल है और शायद इस क़ौल का मतलब भी वहीं है जो हज़रत अ़ब्दुर्रहमान इब्ने ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं कि ये सूरतों के नाम हैं। इसलिये कि हर सूरत को क़ुरआन कह सकते हैं और यह नहीं हो सकता कि सारे क़ुरआन का नाम "अलिफ़्-लाम-मीम-सॉद" हो। क्योंकि जब कोई शख़्स कहे कि मैंने सूरः "अलिफ़्-लाम-मीम-सॉद" पढ़ी तो ज़ाहिर में यही समझा जाता है कि उसने सूरः आराफ़ पढ़ी, न कि पूरा क़ुरआन। वल्लाहु आलम।

बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह तआ़ला के नाम हैं। हज़रत शअ़बी, सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह, इस्माईल बिन अ़ब्दुर्रहमान, सुद्दी, कबीर यही कहते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि 'अलिफ़्-लाम-मीम' अल्लाह तआ़ला का बड़ा नाम है। एक और रिवायत में है कि "हा-मीम" "तॉ-सीन" और "अलिफ़्-लाम-मीम" ये सब अल्लाह तआ़ला के बड़े नाम हैं। हज़रत अ़ली और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि.

दोनों से यही मरवी है। एक और रिवायत में है कि यह अल्लाह की क़सम है और उसका नाम भी है। हज़रत इक्रिमा रह. फ़रमाते हैं- यह क़सम है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी मरवी है कि इसके मायने 'अनल्लाहु आलमु' हैं, यानी मैं हूँ अल्लाह ज़्यादा जानने वाला। हज़रत सईद बिन जुबैर से भी यह मरवी है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और बाज़ दूसरे सहाबा से रिवायत है कि अल्लाह तआ़ला के नामों के अलग-अलग हुरूफ़ हैं। अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि ये तीन हुरूफ़ 'अलिफ़्' 'लाम' और 'मीम' उन्नीस हुरूफ़ में से हैं जो तमाम ज़बानों में आते हैं। इनमें से हर-हर हर्फ़ अल्लाह तआ़ला के एक-एक नाम के शुरू का हर्फ़ है, और अल्लाह तआ़ला की नेमत और उसकी बला का है, और उसमें क़ौमों की मुद्दत और उनके वक़्त का बयान है। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ताज्जुब करने पर कहा गया था कि वे लोग कैसे कुफ़्र करेंगे? उनकी ज़बानों पर अल्लाह तआ़ला के नाम हैं, उसके दिये हुए रिज़्क़ पर वे पलते हैं।

'अलिफ़्' से ख़ुदा का नाम अल्लाह शुरू होता है और 'लाम' से उसका नाम 'लतीफ़' शुरू होता है और 'मीम' से उसका नाम 'मजीद' शुरू होता है, और 'अलिफ़' से मुराद 'आला-उ' यानी नेमतें हैं और 'लाम' से मुराद अल्लाह तआ़ला का लुत्फ़ (मेहरबानी व करम) है और 'मीम' से मुराद अल्लाह तआ़ला की बुज़ुर्गी और बड़ाई है। अलिफ़् से मुराद एक साल है और लाम से तीस साल हैं और मीम से चालीस साल। (इब्ने अबी हातिम) इमाम इब्ने जरीर ने इन सब मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) अक़वाल में ततबीक़ दी है यानी साबित किया है कि इनमें ऐसा इख़्तिलाफ़ (टकराव और विरोधाभास) नहीं, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो। हो सकता है कि ये सूरतों के नाम भी हों और अल्लाह तआ़ला के नाम भी हों और सूरतों के शुरू के अलफ़ाज़ भी हों और इनमें से हर-हर हर्फ़ से ख़ुदा तआ़ला के एक-एक नाम की तरफ़ इशारा भी हो और उसकी सिफ़तों की तरफ़ भी और मुद्दत वग़ैरह की तरफ़ भी एक-एक लफ़्ज़ कई-कई मायने में आता है। जैसे लफ़्ज़ 'उम्मत' कि इसके एक मायने हैं 'दीन'। जैसे क़ुरआन में है:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ.

यानी हमने अपने बाप-दादों को इसी दीन पर पाया।

दूसरे मायने हैं, ख़ुदा का इताअ़त-गुज़ार बन्दा। जैसे फ़रमायाः

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً.

यानी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अल्लाह तआ़ला के मुतीअ़, फ़रमाँबरदार और मुख़्लिस बन्दे थे और वह मुश्रिकों में से न थे। तीसरे मायने जमाअ़त के हैं जैसे फ़रमायाः

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً.......... الخ.

यानी एक जमाअ़त को उस कुँए पर पानी पिलाते हुए पाया। एक और जगह है:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا.

यानी हमने हर जमाअ़त में रसूल भेजा। चौथे मायने हैं मुद्दत और ज़माना। फ़रमान है:

وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ.

यानी एक मुद्दत के बाद उसे याद आया।

पस जिस तरह यहाँ एक लफ़्ज़ के कई मायने हुए इसी तरह मुम्किन है कि इन हुरूफ़े मुक़त्तआ़त के

भी कई मायने हों। इमाम इब्ने जरीर की इस तहक़ीक़ पर हम कह सकते हैं कि अबुल-आ़लिया ने जो तफ़सीर की है उसका मतलब तो यह है कि यह एक लफ़्ज़ एक साथ एक ही जगह इन सब मायने में है और लफ़्ज़ 'उम्मत' वग़ैरह जो कई-कई मायनों में आते हैं जिन्हें इस्तिलाह (परिभाषा) में मुश्तरक अलफ़ाज़ कहते हैं, इनके मायने हर जगह अलग-अलग तो ज़रूर होते हैं लेकिन हर जगह एक ही मायने होते हैं जो इबारत के क़रीने (मज़मून के अन्दाज़े) से मालूम हो जाते हैं। एक ही जगह सब के सब मायने मुराद नहीं होते और सब पर एक जगह महमूल करने के बारे में उलेमा-ए-उसूल का बड़ा इख़्तिलाफ़ है और हमारे तफ़सीरी विषय से इसका बयान ख़ारिज है। वल्लाहु आलम।

दूसरे यह कि 'उम्मत' वग़ैरह अलफ़ाज़ के मायने हैं तो बहुत सारे और ये अलफ़ाज़ इसी लिये बनाये गये हैं और कलाम की बन्दिश और अलफ़ाज़ के मौक़े के लिहाज़ से एक मायने ठीक बैठ जाते हैं, लेकिन एक हर्फ़ की दलालत एक ऐसे नाम पर कि मुम्किन है कि वह दूसरे ऐसे नाम पर भी दलालत करता हो और एक को दूसरे पर कोई फ़ज़ीलत न हो, न तो मुक़द्दर मानने से न ज़मीर देने से, न मुक़र्रर करने के एतिबार से और न किसी और एतिबार से, तो ऐसी बात इल्मी तौर पर नहीं समझी जा सकती। अलबत्ता अगर मन्क़ूल (किसी सहाबी या मोतबर आ़लिम से नक़ल की गयी) हो तो और बात है, लेकिन यहाँ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, इजमा (सर्वसम्मति) नहीं, इसलिये यह फ़ैसला क़ाबिले-ग़ौर है।

अब बाज़ अ़रबी शे'रों में जो इस बात की दलील में पेश किये जाते हैं कि कलिमे को बयान करने के लिये सिर्फ़ उसका पहला हर्फ़ बोल देते हैं, यह ठीक है लेकिन उन अश्आ़र में खुद इबारत ऐसी होती है जो उस पर दलालत करती है। एक हर्फ़ के बोलते ही पूरा कलिमा समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं। वल्लाहु आलम।

इमाम क़ुर्तुबी कहते हैं कि एक हदीस में है- जो मुसलमान के क़त्ल पर आधे कलिमे से भी मदद करे मतलब यह है कि 'उक़्तुल' (क़त्ल कर) पूरा न कहे बल्कि सिर्फ़ 'उक़' कहे। मुजाहिद कहते हैं कि सूरतों के शुरू में जो ये हुरूफ़ हैं जैसे "क़ॉफ़, सॉद, हा-मीम, तॉ-सीन-मीम, अलिफ़्-लाम-रा" वग़ैरह, ये सब हुरूफ़े हिज्जा हैं। बाज़ अ़रबी के माहिर कहते हैं कि ये हुरूफ़ अलग-अलग जो अट्ठाईस हैं, इनमें से चन्द ज़िक्र करके बाक़ी को छोड़ दिया गया है। जैसे कोई कहे कि मेरा बेटा 'अलिफ़, बा, ता, सा' लिखता है तो मतलब यह होता है कि ये तमाम अट्ठाईस हुरूफ़ लिखता है, लेकिन शुरू के चन्द हुरूफ़ ज़िक्र कर दिये बाक़ी को छोड़ दिया। सूरतों के शुरू में इस तरह के कुल चौदह हुरूफ़ आये हैं:

ا ل م ص ر ك ه ی ع ط س ح ق ن.

इन सबको अगर मिला लिया जाये तो यह इबारत बनती है:

نص حکیم قاطع له سر.

संख्या के लिहाज़ से ये हुरूफ़ चौदह हैं और तमाम हुरूफ़ चूँकि अट्ठाईस हैं इसलिये ये पूरे आधे हुए। जो हुरूफ़ बयान किये गये ये उन हुरूफ़ से जो नहीं लाये गये ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं और यह भी कलाम का एक अन्दाज़ है। एक हिक्मत इसमें यह भी है कि जितनी क़िस्म के हुरूफ़ थे उतनी क़िस्में अक्सरियत के एतिबार से इनमें आ गयीं, यानी महमूसा मजहूरा वग़ैरह। सुब्हानल्लाह! हर चीज़ में उस मालिक की एक शान नज़र आती है। यह यक़ीनी बात है कि ख़ुदा का कलाम बेकार, बेहूदा, बेफ़ायदा और बेमानी अलफ़ाज़ से पाक है, जो जाहिल लोग कहते हैं कि सिरे से इन हुरूफ़ के कुछ मायने ही नहीं वे बिल्कुल ग़लती पर हैं।

इनके कुछ न कुछ मायने यक़ीनन हैं। अगर नबी-ए-मासूम अ़लैहिस्सलाम से इनके मायने कुछ साबित हों तो हम वो मायने करेंगे और समझेंगे, वरना जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुछ मायने बयान नहीं किये हम भी न करेंगे और ईमान लायेंगे कि यह ख़ुदा की तरफ़ से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस बारे में कोई वज़ाहत नहीं फ़रमाई और उलेमा का इसमें बेहद इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। अगर किसी को किसी क़ौल की दलील मालूम हो जाये तो ख़ैर वह उसे मान ले वरना बेहतर यह है कि इन हुरूफ़ के कलामे ख़ुदा होने पर ईमान लाये और यह जाने कि इनके मायने ज़रूर हैं जो ख़ुदा ही को मालूम हैं और हम पर ज़ाहिर नहीं हुए।

दूसरी हिक्मत इन हुरूफ़ के लाने में यह भी है कि इनसे सूरतों की इब्तिदा (प्रारम्भ होना) मालूम हो जाये, लेकिन यह वजह ज़ईफ़ (कमज़ोर) है, इसलिये कि इसके बग़ैर ही सूरतों का अलग-अलग होना मालूम हो जाता है। जिन सूरतों में इन हुरूफ़ में से कोई नहीं लाया गया क्या उनकी इब्तिदा इन्तिहा (शुरू और आख़िर) मालूम नहीं? फिर सूरतों से पहले "बिस्मिल्लाह........" का पढ़ने और लिखने के एतिबार से मौजूद होना क्या एक सूरत को दूसरी से अलग नहीं करता? इमाम इब्ने जरीर ने इसकी एक हिक्मत यह भी बयान की है कि चूँकि मुश्रिकीन किताबुल्लाह को सुनते ही न थे इसलिये उन्हें सुनाने के लिये ऐसे हुरूफ़ लाये गये ताकि जब उनके कान लग जायें तो बाक़ायदा तिलावत शुरू हो। लेकिन यह वजह भी कमज़ोर है, इसलिये कि अगर ऐसा होता तो तमाम सूरतों की शुरूआ़त इन्हीं हुरूफ़ से की जाती, हालाँकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अक्सर सूरतें इससे ख़ाली हैं। फिर जब कभी मुश्रिकीन से कलाम शुरू हो, यही हुरूफ़ चाहियें, न कि सिर्फ़ सूरतों के शुरू ही में ये हुरूफ़ हों। फिर इस पर भी ग़ौर कर लीजिए कि यह सूरत यानी सूरः ब-क़रह और इसके बाद की सूरत यानी सूरः आले इमरान यह तो मदीना शरीफ़ में नाज़िल हुई हैं और मक्का के मुश्रिक लोग इनके उतरने के वक़्त वहाँ थे ही नहीं, फिर उनमें ये हुरूफ़ क्यों आये? हाँ यहाँ पर एक और हिक्मत भी बयान की गयी है कि इन हुरूफ़ के लाने में क़ुरआने करीम का एक मोजिज़ा है, जिससे तमाम मख़्लूक़ आ़जिज़ है कि इसके बावजूद कि ये हुरूफ़ भी रोज़-मर्रा के इस्तेमाली हुरूफ़ से तरकीब दिये गये हैं लेकिन मख़्लूक़ के कलाम से बिल्कुल निराले हैं। उलेमा और मुहक़्क़िक़ीन की एक बड़ी जमाअ़त से भी यही मन्क़ूल है। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी ने तफ़सीरे कश्शाफ़ में इस क़ौल की बहुत कुछ ताईद की है। शैख़ इमाम अ़ल्लामा इब्ने तैमिया रह. और हाफ़िज़े मुज्तहिद अबुल-हाज्ज मिज़्ज़ी ने भी यही हिक्मत बयान की है। ज़मख़्शरी फ़रमाते हैं- यही वजह है कि तमाम हुरूफ़ इकट्ठे नहीं आये। हाँ इन हुरूफ़ को मुकर्रर (बार-बार) लाने की यह वजह है कि बार-बार मुश्रिकीन को आ़जिज़ और लाजवाब किया जाये और उन्हें डाँटा और धमकाया जाये, जिस तरह क़ुरआने करीम में अक्सर क़िस्से कई-कई मर्तबा लाये गये हैं और बार-बार खुले अलफ़ाज़ में भी क़ुरआन के जैसा लाने में उनकी आ़जिज़ी को बयान किया गया है। बाज़ जगह तो सिर्फ़ एक-एक हर्फ़ आया है जैसे "सॉद, नून, क़ाफ़" कहीं दो हुरूफ़ आये हैं जैसे 'हा-मीम्' कहीं तीन हुरूफ़ आये हैं जैसे 'अलिफ़-लाम्-मीम्' कहीं चार हुरूफ़ आये हैं जैसे 'अलिफ़-लाम-मीम-रा' और 'अलिफ़-लाम-मीम-सॉद' और कहीं पाँच आये हैं। जैसे 'काफ़-हा-या-ऐन-सॉद' और 'हा-मीम-ऐन-सीन-क़ाफ़'। इसलिये कि अ़रब के कलिमात तमाम के तमाम इसी तरह पर हैं, या तो उनमें एक हर्फ़ी लफ़्ज़ हैं या दो हर्फ़ी लफ़्ज़, या तीन हर्फ़ी या चार हर्फ़ी या पाँच हुरूफ़ वाले। पाँच हुरूफ़ से ज़्यादा के कलिमात नहीं।

जब यह बात है कि ये हुरूफ़ क़ुरआन शरीफ़ में बतौर मोजिज़े के आये हैं तो ज़रूरी था कि जिन सूरतों के शुरू में ये हुरूफ़ आये हैं वहाँ ज़िक्र भी क़ुरआने करीम का हो और क़ुरआन की बुज़ुर्गी और बड़ाई

का बयान हो, चुनाँचे ऐसा ही है। उन्तीस सूरतों में यह वाक़े हुआ है। सुनिये अल्लाह का फ़रमान है:

الٓمّٓ. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ.

यहाँ भी इन हुरूफ़ के बाद ज़िक्र है कि इस क़ुरआन के ख़ुदा का कलाम होने में कोई शक नहीं। एक और जगह फ़रमायाः

الٓمّٓ. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ.

वह अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िन्दा और हमेशगी वाला है, जिसने तुम पर हक़ के साथ किताब नाज़िल फ़रमाई है, जो किताब पहले की किताबों की भी तस्दीक़ करती है।

यहाँ भी इन हुरूफ़ के बाद क़ुरआने करीम की बड़ाई का इज़हार किया गया। एक और जगह फ़रमायाः

الٓمّٓصٓ. كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ.......... الخ.

यानी यह किताब तेरी तरफ़ उतारी गयी है, तू अपना दिल तंग न रख। एक और जगह फ़रमायाः

الٓرٰ. كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ........... الخ.

इस किताब को हमने तेरी तरफ़ नाज़िल किया ताकि तू लोगों को अपने रब के हुक्म से अन्धेरों से निकालकर उजाले में लाये। एक और जगह इरशाद होता है:

الٓمّٓ. تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

इस किताब के रब्बुल-आ़लमीन की तरफ़ से नाज़िल शुदा होने में कोई शक व शुब्हा नहीं। एक और जगह फ़रमाता है:

الٓمّٓ. تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

बख़्शिशों और मेहरबानियों वाले ख़ुदा ने इसे नाज़िल फ़रमाया है। एक और जगह फ़रमान है:

حٰمٓ عٓسٓقٓ. كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ.......... الخ.

यानी इसी तरह 'वही' करता (अपना पैग़ाम भेजता) है अल्लाह तआ़ला ग़ालिब हिक्मतों वाला तेरी तरफ़ और उन नबियों की तरफ़ जो तुझसे पहले हुए हैं।

और ऐसी सूरतों के शुरू के ध्यान से देखिये तो मालूम होता है कि इन हुरूफ़ के बाद कलामे पाक की बड़ाई व इज़्ज़त का ज़िक्र है, जिससे यह बात क़वी मालूम होती है कि ये हुरूफ़ इसलिये लाये गये हैं कि लोग इस जैसा कलाम पेश करने और इसका मुक़ाबला करने से आ़जिज़ हैं। वल्लाहु आलम।

बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि इन हुरूफ़ से मुद्दत मालूम कराई गयी है, फ़ितनों, लड़ाईयों और ऐसे ही दूसरे कामों के वक़्त बताये गये हैं लेकिन यह क़ौल भी बिल्कुल ज़ईफ़ (कमज़ोर) मालूम होता है। इसकी दलील में एक हदीस भी बयान की जाती है, लेकिन अव्वल तो वह ज़ईफ़ है, दूसरे उस हदीस से इस क़ौल की पुख़्तगी तो एक तरफ़ इसका बातिल होना ज़्यादा साबित होता है। वह हदीस मुहम्मद बिन ईस्हाक़ बिन यसार ने रिवायत की है जो तारीख़ के लेखक हैं। उस हदीस में है कि अबू यासिर बिन अख़्तब यहूदी अपने चन्द साथियों को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप उस वक़्त सूरः ब-क़रह की शुरू की आयतः

الٓمٓ. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ.

(बिल्कुल शुरू की आयतें) तिलावत फ़रमा रहे थे। वह इसे सुनकर अपने भाई हुय्यि बिन अख़्तब के पास आता है और कहता है कि मैंने आज हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम को इस आयत की तिलावत करते हुए सुना है। वह पूछता है तूने ख़ुद सुना है? उसने कहा हाँ! मैंने ख़ुद सुना है। हुय्यि उन सब यहूदियों को लेकर फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आता है कि हुज़ूर क्या यह सच है कि आप इस आयत को पढ़ रहे थे? आपने फ़रमाया हाँ सच है। उसने कहा सुनिये! आप से पहले जितने नबी आये किसी को भी नहीं बतलाया गया था कि उसका मुल्क और मज़हब कब तक रहेगा, लेकिन आपको बतला दिया गया। फिर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा- सुनो! 'अलिफ़' का अ़दद (संख्या/नम्बर) हुआ एक, लाम् के तीस, मीम् के चालीस, कुल मिलाकर 71 हुए। क्या तुम उस नबी की ताबेदारी करना चाहते हो जिसके मुल्क और उम्मत की मुद्दत कुल 71 साल हो? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ मुतवज्जह होकर मालूम किया कि क्या कोई और आयत भी ऐसी है? आपने फ़रमाया "अलिफ़ लाम् मीम् सॉद" कहने लगा यह बड़ी भारी और बहुत लम्बी है। अलिफ़ का एक, लाम के तीस, मीम के चालीस, सॉद के नब्बे, ये सब एक सौ इक्सठ साल हुए। कहा और कोई भी ऐसी आयत है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अलिफ़-लाम-रा" कहने लगा यह भी बहुत भारी और लम्बी है, अलिफ़ का एक, लाम के तीस और 'र' के दो सौ, कुल मिलकार दो सौ इकत्तीस बरस हुए। क्या इसके साथ कोई और ऐसी आयत भी है? फ़रमाया हाँ "अलिफ़ लाम मीम रा" कहा यह तो बहुत ही भारी है। अलिफ़ का एक, लाम के तीस, मीम के चालीस, रा के दो सौ, सब मिलकर दो सौ इकहत्तर हो गये तो अब काम मुश्किल हो पड़ा और बात ग़लत हो गयी, लोगो चलो उठ चलो। अबू यासिर ने अपने भाई से और दूसरे यहूदी उलेमा से कहा क्या अ़जब कि इन सब हुरूफ़ का मजमूआ़ हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को मिला हो? इक्हत्तर एक, एक सौ इकत्तीस एक, दो सौ इकत्तीस एक, दो सौ इक्हत्तर एक, ये सब मिलकर सात सौ चार बरस हुए। उन्होंने कहा अब काम ख़ल्त-मल्त हो गया। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि ये आयतें इन्हीं लोगों के हक़ में नाज़िल हुई हैं:

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ......... الخ.

यानी वह ख़ुदा जिसने तुझ पर किताब नाज़िल फ़रमाई, जिसमें मोहकम आयतें हैं, जो किताब की असल हैं और दूसरी आयतें मुशाबहत वाली भी हैं। इस हदीस का दारो-मदार मुहम्मद बिन सायब कलबी पर है और जिस हदीस का अकेला रावी हो मुहद्दिसीन हज़रात उससे हुज्जत नहीं पकड़ते, और फिर इस तरह अगर मान लिये जाये और हर ऐसे हर्फ़ के अ़दद (नम्बर) निकाले जायें तो जिन चौदह हुरूफ़ को हमने बयान किया उनके अ़दद बहुत सारे हो जायेंगे और जो हुरूफ़ उनमें से कई बार आये हैं अगर उनके अ़दद का शुमार भी कई बार लगाया जाये तो बहुत बड़ी गिनती हो जायेगी। वल्लाहु आलम।

यह किताब ऐसी है जिसमें कोई शुब्हा नहीं, राह बतलाने वाली है ख़ुदा तआ़ला से डरने वालों को। (2)	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहाँ 'ज़ालि-क' (वह) मायने में 'हाज़ा' (यह) के है। मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, सुद्दी मुक़ातिल बिन हय्यान, ज़ैद बिन असलम और इब्ने जुरैज रह. का भी यही क़ौल है। ये दोनों लफ़्ज़ एक दूसरे के क़ायम-मक़ाम अ़रबी भाषा में अक्सर आते रहते हैं। हज़रत इमाम बुख़ारी रह. ने अबू उबैदा से भी यही नक़ल किया है। मतलब यह है कि 'ज़ालि-क' (वह) असल में है तो दूर के इशारे के लिये, जिसके मायने हैं 'वह', लेकिन कभी नज़दीक के लिये भी लाते हैं। उस वक़्त इसके मायने होते हैं 'यह'। यहाँ भी इसी मायने में है। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी कहते हैं कि इससे इशारा 'अलिफ़-लाम-मीम' की तरफ़ है। जैसे इस आयत में है:

لَا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ.

यानी न तो वह गाय बुढ़िया है न बच्चा है, बल्कि इसके दरमियानी उम्र की जवान है। एक और जगह फ़रमायाः

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ.

यह है अल्लाह का हुक्म जो तुम्हारे दरमियान हुक्म करता है।

एक और जगह फ़रमाया- ''ज़ालिकुमुल्लाहु' यह है अल्लाह तआ़ला। और इसकी मिसाल और स्थान जो पहले गुज़र चुके। वल्लाहु आलम।

बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि इससे इशारा है क़ुरआने करीम की तरफ़, जिसके उतारने का वायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हुआ था। बाज़ ने तौरात की तरफ़, किसी ने इन्जील की तरफ़ भी इशारा बतलाया है, और इसी तरह के दस क़ौल हैं, लेकिन उनको अक्सर मुफ़स्सिरीन ने ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहा है। वल्लाहु आलम।

'किताबु' से मुराद क़ुरआने करीम है। जिन लोगों ने कहा है कि 'ज़ालिकल् किताबु' का इशारा तौरात और इन्जील की तरफ़ है, उन्होंने निहायत दूर का रास्ता लिया, बड़ी तकलीफ़ उठाई और ख़्वाह-मख़्वाह बिला वजह वह बात कही जिसका उन्हें इल्म नहीं। 'रै-ब' के मायने हैं शक और शुब्हा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और कई एक सहाबा से यही मायने नक़ल किये गये हैं। हज़रत अबू दर्दा, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, अबू मालिक, नाफ़े जो हज़रत इब्ने उमर के मौला (आज़ाद किये हुए ग़ुलाम) हैं, अ़ता, अबुल-आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस, मुक़ातिल बिन हय्यान, सुद्दी, क़तादा, इस्माईल बिन अबू ख़ालिद रह. से भी यही मरवी है। इब्ने अबी हातिम फ़रमाते हैं कि मुफ़स्सिरीन में इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं। 'रै-ब' का लफ़्ज़ अ़रब शायरों के शे'रों में तोहमत के मायने में भी आया है और हाजत के मायने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इस जुमले के मायने यह हुए कि इस क़ुरआन के ख़ुदा की तरफ़ से नाज़िल शुदा होने में कुछ शक नहीं। जैसा कि सूरः सज्दा में है:

الٓمّٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

यानी बेशक यह क़ुरआने करीम तमाम जहानों के पालने वाले ख़ुदा की तरफ़ से उतरा है। बाज़ों ने कहा है कि अगरचे यह ख़बर है मगर मायने में 'नही' (रोकने और मना करने) के है। यानी इसमें शक न करो। बाज़ क़ारी 'ला रै-ब' पर ठहरते हैं और 'फ़ीहि हुदल् लिल्मुत्तक़ीन' को अ़लग जुमला पढ़ते हैं, लेकिन ''ला रै-ब फ़ीहि'' पर ठहरना बहुत बेहतरीन है। क्योंकि यही मज़मून इसी तरह सूरः सज्दा की आयत में

गुज़र चुका है और उसमें 'फ़ीहि हुदन्' के मुक़ाबले में ज़्यादा मुबालग़ा है।

इस जगह 'हिदायत' को 'मुत्तक़ी' लोगों के साथ ख़ास किया है जैसे एक दूसरी जगह फ़रमायाः

قُلْ هُوَلِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ........ الخ.

यानी यह क़ुरआन हिदायत और शिफ़ा है ईमान वालों के लिये। और बेईमानों के कान बोझल हैं और आँखें अन्धी हैं। ये बहुत दूर की जगह से पुकारे जाते हैं। और एक जगह फ़रमायाः

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ....... الخ.

यानी यह क़ुरआन ईमान वालों के लिये शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिम लोग तो अपने ख़सारे (घाटे) में ही बढ़ते जाते हैं।

इस मज़्मून की और आयतें भी हैं और उन सबका मतलब यह है कि अगरचे क़ुरआने करीम ख़ुद हिदायत और ख़ालिस हिदायत है और सबके लिये है, लेकिन इस हिदायत से नफ़ा उठाने वाले सिर्फ़ नेकबख़्त लोग हैं। जैसा कि फ़रमायाः

يٰۤاَيُّهَاالنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ....... الخ.

लोगो! तुम्हारे पास ख़ुदावन्द तआ़ला की नसीहत और सीने की बीमारियों की शिफ़ा आ चुकी, जो मोमिनों के लिये शिफ़ा और रहमत है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और बाज़ दूसरे सहाबा से मरवी है कि हिदायत से मुराद नूर है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'मुत्तक़ीन' वे हैं जो ईमान लाकर शिर्क से दूर रहकर ख़ुदावन्दे तआ़ला के अहकाम बजा लायें। एक और रिवायत में है कि मुत्तक़ी वे लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाबों से डरकर हिदायत को नहीं छोड़ते और उसकी रहमत की उम्मीद रखकर जो उसकी तरफ़ से नाज़िल हुआ है उसे सच्चा जानते हैं। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि मुत्तक़ी वह है जो हराम से बचे और फ़राईज़ बजा लाये। हज़रत आमश, हज़रत अबू बक्र बिन अ़य्याश रह. से सवाल करते हैं कि मुत्तक़ी कौन है? आप जवाब देते हैं। फिर मैंने कहा ज़रा हज़रत कलबी से तो मालूम कर लो। वह कहते हैं कि मुत्तक़ी वे हैं जो कबीरा गुनाहों से बचें। इस पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ होता है। क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि मुत्तक़ी वह है जिसका वस्फ़ (ख़ूबी और तारीफ़) अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद इस आयत के बाद बयान फ़रमायाः

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ......... الخ.

यानी वे ऐसे लोग हैं जो ईमान लाते हैं छुपी हुई और ग़ैब की चीज़ों पर, और क़ायम रखते हैं नमाज़ को, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं।

इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि ये सब औसाफ़ (ख़ूबियाँ) 'मुत्तक़ीन' में जमा होते हैं। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बन्दा सही मायनों में मुत्तक़ी नहीं हो सकता जब तक कि उन चीज़ों को न छोड़ दे जिनमें हर्ज नहीं, इस ख़ौफ़ से कि कहीं वह हर्ज में गिरफ़्तार न हो जाये। इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन ग़रीब कहते हैं। इब्ने अबी हातिम में है, हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब लोग एक मैदान में क़ियामत के दिन रोक लिये जायेंगे उस वक़्त एक पुकारने वाला पुकारेगा कि मुत्तक़ी कहाँ हैं? इस आवाज़ पर वे खड़े होंगे और अल्लाह तआ़ला उन्हें अपने बाज़ू में ले लेगा और बेहिजाब (बिना किसी आड़ के) उन्हें अपने दीदार से मुशर्रफ़ फ़रमायेगा। अबू अ़फ़ीफ़

ने पूछा- हज़रत! मुत्तक़ी कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया जो लोग शिर्क और बुत-परस्ती से बचें और ख़ुदा की ख़ालिस इबादत करें, वे इसी इज़्ज़त के साथ जन्नत में पहुँचाये जायेंगे। हिदायत के मायने कभी तो दिल से ईमान के चिमट जाने के आते हैं। इस हिदायत पर तो सिवाय ख़ुदा तआ़ला के और कोई क़ुदरत नहीं रखता। अल्लाह का फ़रमान है:

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ.

यानी ऐ नबी जिसे तू चाहे हिदायत नहीं दे सकता। एक और जगह फ़रमाता है:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ.

तुझ पर उनकी हिदायत नहीं। एक जगह फ़रमाता है:

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ.

जिसे ख़ुदा गुमराह करे उसे कोई हिदायत पर लाने वाला नहीं। एक आयत में फ़रमाया:

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ......... الخ.

यानी जिसे ख़ुदा हिदायत दे वही हिदायत वाला है और जिसे वह गुमराह करे तो हरगिज़ उसका न कोई वली पाओगे न मुर्शिद।

इस क़िस्म की और आयतें भी हैं और हिदायत के मायने कभी हक़ के, हक़ वाज़ेह कर देने, हक़ पर दलालत करने और हक़ की तरफ़ राह दिखाने के भी आते हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

यानी तू यक़ीनन सीधी राह की रहबरी करता है। एक और जगह फ़रमाया:

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

यानी तू सिर्फ़ डराने वाला है और हर क़ौम के लिये हादी है। एक और जगह फ़रमान है:

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ........ الخ.

यानी हमने समूदियों को हिदायत दिखाई, लेकिन उन्होंने अंधेपन को हिदायत पर पसन्द कर लिया। एक जगह फ़रमान है:

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ.

हमने उसे दोनों राहें दिखाईं, यानी भलाई और बुराई की।

तक़वे के असल मायने बुरी चीज़ों से बच रहने के हैं। हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने पूछा कि तक़वा क्या है? उन्होंने कहा- कभी काँटेदार रास्ते में चलने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है? जैसे वहाँ कपड़ों और जिस्म को बचाते हो ऐसे ही गुनाहों से बाल-बाल बचने का नाम तक़वा है। इब्ने मोतज़ शायर का क़ौल है।

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر مايرى

لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى

यानी छोटे और बड़े सब गुनाहों को छोड़ दो यही तक़्वा है। ऐसे रहो जैसे काँटों वाले रास्ते पर चलने वाला इनसान। छोटे गुनाहों को भी हल्का न जानो, देखो पहाड़ कंकरियों से ही बन जाते हैं।

हज़रत अबू दर्दा अपने अश्आर में फ़रमाते हैं कि इनसान अपनी तमन्नाओं का पूरा होना चाहता है और ख़ुदा के इरादों पर निगाह नहीं रखता, हालाँकि होता वही है जो ख़ुदा का इरादा है। वह अपने दुनियावी फ़ायदे और माल के पीछे पड़ा हुआ है हालाँकि उसका बेहतरीन फ़ायदा और उम्दा माल ख़ुदा का तक़्वा है। इब्ने माजा की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सबसे उम्दा फ़ायदा जो इनसान हासिल कर सकता है वह ख़ुदा का डर है, इसके बाद नेक बीवी है कि शौहर जब उस तरफ़ देखे तो वह उसे ख़ुश कर दे, और जो हुक्म दे उसे बजा लाये, और अगर क़सम दे दे तो पूरी कर दिखाये, और जब वह मौजूद न हो तो उसके माल की और अपने नफ़्स (आबरू) की हिफ़ाज़त करे।

वे ख़ुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यक़ीन लाते हैं छुपी हुई चीज़ों पर।	اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि ईमान कहते हैं तस्दीक़ को। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत ज़ोहरी फ़रमाते हैं कि ईमान कहते हैं अ़मल को। रबीअ़ बिन अनस कहते हैं कि यहाँ मुराद ईमान लाने से ख़ौफ़े ख़ुदावन्दी का दिल में पैदा होना है। इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि इन अक़्वाल में कोई ज़्यादा इख़्तिलाफ़ नहीं है। ये तमाम तक़रीबन एक ही मायने को अदा करते हैं। मतलब यह है कि ज़बान से, दिल से और अ़मल से ग़ैब पर ईमान लाते हैं और ख़ुदा का डर रखते हैं। ईमान का लफ़्ज़ शामिल है अल्लाह तआ़ला पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाने को, और इस इक़रार की तस्दीक़ अ़मल के साथ करने को। मैं कहता हूँ कि लुग़त में ईमान कहते हैं सिर्फ़ सच्चा मान लेने को, क़ुरआन में भी इस मायने में इसका इस्तेमाल आया है। जैसे कि फ़रमायाः

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

यानी अल्लाह को मानते हैं और ईमान वालों को सच्चा मानते हैं। हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाईयों ने अपने बाप से कहा थाः

وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ.

यानी तू हमारा यक़ीन नहीं करेगा अगरचे हम सच्चे हों। इसी तरह ईमान यक़ीन के मायने में आता है उस वक़्त कि जब आमाल के ज़िक्र के साथ मिला हुआ हो। जैसे फ़रमायाः

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

हाँ मगर वे लोग जो यक़ीन लायें और नेक आमाल करें।

हाँ जिस वक़्त इसका इस्तेमाल मुत्लक़ हो तो शरई ईमान जो ख़ुदा के यहाँ मक़बूल है वह क़ौल के एतिक़ाद और अ़मल के मजमूए का नाम है। अक्सर इमामों का यही मज़हब है। बल्कि इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और इमाम अबू उबैदा रह. वग़ैरह ने इस पर इजमा (सब की सहमति) नक़ल किया है कि ईमान नाम है ज़बान से कहने और अ़मल करने का। और ईमान बढ़ता घटता रहता है, और इसके सुबूत में बहुत

से अक्वाल और हदीसें भी आयी हैं जो हमने बुख़ारी शरीफ़ की शरह में बयान की हैं। फ़ल्हम्दु लिल्लाह।

बाज़ों ने ईमान के मायने खुदा के डर और ख़ौफ़ के भी किये हैं। जैसेः

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ.

जो लोग अपने रब से दर-पर्दा (यानी छुपे तौर पर) डरते रहते हैं। एक जगह फ़रमायाः

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ.......... الخ

यानी जो शख़्स खुदा तआ़ला से बिन देखे डरा है और झुकने वाला दिल लेकर आया है। हक़ीक़त में खुदा का ख़ौफ़ ईमान और इल्म का खुलासा है। जैसे फ़रमायाः

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

खुदा से वही बन्दे डरते हैं जो इल्म वाले हैं।

बाज़ कहते हैं कि वे ग़ैब पर भी ऐसा ही ईमान रखते हैं जैसा हाज़िर पर, और उनका हाल मुनाफ़िक़ों जैसा नहीं कि जब ईमान वालों के सामने हों तो अपने को ईमान वाला होना ज़ाहिर करें, लेकिन जब अपने वालों में होते हैं तो उनसे कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनका मज़ाक़ बनाते हैं। उन मुनाफ़िक़ों का हाल एक दूसरी जगह इस तरह बयान हुआ हैः

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ........ الخ.

यानी मुनाफ़िक़ जब तेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमारे दिल की गवाही है कि तू अल्लाह का रसूल है, अल्लाह ख़ूब जानता है कि तू उसका रसूल है, लेकिन खुदा गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ तुझसे झूठ कहते हैं।

इसी मायने के एतिबार से 'बिलग़ैब' हाल ठहरेगा, यानी वे ईमान लाते हैं इस हाल में कि लोगों से पोशीदा होते हैं। ग़ैब का लफ़्ज़ जो यहाँ है इसके मायने में भी मुफ़स्सिरीन के बहुत से अक्वाल हैं और वे सब सही हैं और जमा हो सकते हैं। अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद अल्लाह तआ़ला पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, क़ियामत पर, जन्नत पर, दोज़ख़ पर, अल्लाह की मुलाक़ात पर, मरने के बाद ज़िन्दा होने पर ईमान लाना है। क़तादा बिन दुआ़मा रह. का भी यही क़ौल है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. और बाज़ दूसरे हज़रात मरवी है कि मुराद इससे वे पोशीदा चीज़ें हैं जो नज़रों से ओझल हैं। जैसे जन्नत दोज़ख़ वग़ैरह, वे चीज़ें और बातें जो क़ुरआन में मज़कूर हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि खुदा की तरफ़ से जो आया है वह सब ग़ैब में दाख़िल है। हज़रत अबूज़र फ़रमाते हैं कि मुराद इससे क़ुरआन है। अ़ता बिन अबू रिबाह फ़रमाते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाने वाला ग़ैब पर ईमान लाने वाला है। इस्माईल बिन अबू ख़ालिद फ़रमाते हैं कि मुराद इस्लाम की तमाम पोशीदा चीज़ें हैं। ज़ैद बिन असलम रह. कहते हैं कि मुराद तक़दीर पर ईमान लाना है। पस ये तमाम अक्वाल मायने के एतिबार से एक ही हैं, इसलिये कि ये सब चीज़ें पोशीदा हैं और ग़ैब की तफ़सीर इन सब को शामिल है, और सब पर ईमान लाना वाजिब है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. की मज्लिस में एक मर्तबा सहाबा रज़ि. के फ़ज़ाईल बयान हो रहे थे। आपने फ़रमाया- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के देखने वालों को तो आप पर ईमान लाना ही था, लेकिन खुदा की क़सम ईमानी हैसियत से वे लोग अफ़ज़ल हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं। फिर आपने

'अलिफ़ लाम मीम' से लेकर 'मुफ़्लिहून' तक आयतें पढ़ीं। (इब्ने अबी हातिम, मर्दूया, मुस्तद्रक हाकिम)

इमाम हाकिम इस रिवायत को सही बतलाते हैं। मुस्नद अहमद में भी इस मज़मून की एक हदीस है। अबू जुमा सहाबी रज़ि. से इब्ने मुहैरीज़ ने कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने खुद रसूले खुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सुनी हो। फ़रमाया अच्छा मैं तुम्हें एक बहुत ही उम्दा हदीस सुनाऊँ। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक मर्तबा नाश्ता किया, हमारे साथ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि. भी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह! क्या हमसे बेहतर भी कोई और है? हम आपके साथ इस्लाम लाये, आपके साथ जिहाद किया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया हाँ! वे लोग जो तुम्हारे बाद आयेंगे, मुझ पर ईमान लायेंगे, हालाँकि उन्होंने मुझे देखा भी न होगा। तफ़सीर इब्ने मर्दूया में है, सालेह बिन जुबैर कहते हैं कि अबू जुमा अन्सारी रज़ि. हमारे पास बैतुल-मुक़द्दस में आये, रजा बिन हैवा रज़ि. भी हमारे साथ ही थे। जब वह वापस जाने लगे तो हम उन्हें पहुँचाने चले, जब जुदा होने लगे तो फ़रमाया- तुम्हारी इन मेहरबानियों का बदला और हक़ मुझे अदा करना चाहिये। सुनो! मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी है। हमने कहा- अल्लाह तआ़ला तुम पर रहम करे, ज़रूर सुनाओ। कहा सुनो! हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, हम दस आदमी थे, हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ि. भी थे। हमने कहा या रसूलल्लाह! क्या हमसे बड़े अज्र का मुस्तहिक़ भी कोई होगा? हम अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाये और आपकी ताबेदारी की। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम क्यों न करते? खुदा का रसूल तुम में मौजूद है। अल्लाह की वही आसमान से तुम्हारे सामने नाज़िल हो रही है। ईमान तो उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आयेंगे कि दो जिल्दों के दरमियान किताब पायेंगे और उस पर ईमान लायेंगे और उस पर अ़मल करेंगे। ये लोग अज्र में तुमसे दोगुने हैं। इस हदीस में विजादा की क़बूलियत की दलील है, जिसमें हदीस के उलेमा का इख़्तिलाफ़ है। मैंने इस मसले को बुख़ारी शरीफ़ की शरह में ख़ूब वाज़ेह कर दिया है इसलिये कि बाद वालों की तारीफ़ इसी बिना पर हो रही है और उनका बड़े अज्र वाला होना इसी हैसियत से है, वरना कुल मिलाकर हर तरह से बेहतर और अफ़ज़ल तो सहाबा ही हैं। रज़ियल्लाहु अ़न्हुम।

एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से पूछा कि तुम्हारे नज़दीक ईमान लाने में कौन ज़्यादा अफ़ज़ल हैं? उन्होंने कहा फ़रिश्ते। फ़रमाया फ़रिश्ते ईमान क्यों न लाते वे तो अपने रब के पास ही हैं। लोगों ने कहा फिर अम्बिया, फ़रमाया वे ईमान क्यों न लायें उन पर तो 'वही' (अल्लाह का पैग़ाम) नाज़िल होती है। कहा फिर हम, फ़रमाया तुम ईमान को क़बूल क्यों न करते? हालाँकि मैं तुममें मौजूद हूँ। सुनो! मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल ईमान वाले वे लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आयेंगे। सहीफ़ों (काग़ज़ों) में किताब (क़ुरआन) लिखी हुई पायेंगे, उस पर ईमान ले आयेंगे। इसकी सनद में मुग़ीरा बिन क़ैस हैं। अबू हातिम राज़ी इन्हें मुन्करुल-हदीस बतलाते हैं, लेकिन इसके जैसी एक और हदीस ज़ईफ़ सनद से अबू यअ़ला, तफ़सीर इब्ने मर्दूया, मुस्तद्रक हाकिम में भी नक़ल की गयी है और हाकिम उसे सही बतलाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. से भी इसी के जैसी एक मरफ़ूअ़ रिवायत नक़ल की गयी है। वल्लाहु आलम।

इब्ने अबी हातिम में है, हज़रत तुवैला बिन्ते असलम रज़ि. फ़रमाती हैं कि बनू हारिसा की मस्जिद में हम ज़ोहर या असर की नमाज़ में थे और बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ हमारा मुँह था। दो रक्अ़त अदा कर चुके थे कि किसी ने आकर ख़बर दी कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ मुँह कर

लिया है, हम सुनते ही घूम गये। औरतें मर्दों की जगह आ गयीं और मर्द औरतों की जगह चले गये और बाक़ी दो रक्अतें हमने बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ अदा कीं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह ख़बर पहुँची तो आपने फ़रमाया ये लोग हैं जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं। यह हदीस इस सनद से ग़रीब है।

और क़ायम रखते हैं नमाज़ को, और जो कुछ दिया है हमने उनको उसमें से ख़र्च करते हैं। (3)	وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि नमाज़ के फ़राईज़ अदा करते हैं, रुकूअ, सज्दा, तिलावत, ख़ुशूअ और तवज्जोह को क़ायम करते हैं। क़तादा कहते हैं कि वक़्तों का ख़्याल रखना, वुज़ू अच्छी तरह करना, रुकूअ सज्दा पूरी तरह करना, नमाज़ को क़ायम करना है। मुक़ातिल कहते हैं कि वक़्त की हिफ़ाज़त करना, कामिल तहारत करना, रुकूअ सज्दा इत्मीनान से करना, तिलावत अच्छी तरह करना, अत्तहिय्यात और दुरूद पढ़ना नमाज़ का क़ायम रखना है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं 'मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िक़ून' के मायने ज़कात अदा करने के हैं। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद और बाज़ सहाबा रज़ि. ने कहा है कि इससे मुराद आदमी का अपने बाल बच्चों को खिलाना पिलाना है। यह ज़कात के हुक्म से पहले की आयत है। हज़रत ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि ज़कात की सात आयतें हैं जो सूरः बराअत में हैं, उनके नाज़िल होने से पहले यह हुक्म था कि अपनी-अपनी ताक़त के मुताबिक़ थोड़ा-बहुत जो मयस्सर हो देते रहें। क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि यह माल तुम्हारे पास ख़ुदा की अमानत है, जल्द ही तुमसे जुदा होगा, अपनी ज़िन्दगी में इसे ख़ुदा की राह में लगा दो। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत आम है, ज़कात को, अहल व अयाल (बाल-बच्चों और घर वालों) के ख़र्च को और जिन लोगों को देना ज़रूरी हो उन सबके देने को शामिल है। इसलिये परवर्दिगार ने एक आम वस्फ़ बयान फ़रमाया है, और आम तारीफ़ की है, तो हर तरह के ख़र्च को शामिल होगी। मैं कहता हूँ कि क़ुरआने करीम में अक्सर जगह नमाज़ और माल ख़र्च करने का ज़िक्र मिला-जुला (एक साथ) आता है, इसलिये नमाज़ ख़ुदा का हक़ और उसकी इबादत है, जो उसकी तौहीद, उसकी तारीफ़, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी तरफ़ झुकने, उस पर तवक्कुल करने, उससे दुआ करने का नाम है। और ख़र्च करना मख़्लूक़ की तरफ़ एहसान करना है, जिससे उन्हें नफ़ा पहुँचे। इसके ज़्यादा हक़दार अहल व अयाल (बाल-बच्चे और घर वाले) और ग़ुलाम हैं। फिर दूर वाले अजनबी, पस तमाम वाजिब ख़र्चे और फ़र्ज़ ज़कात इसमें दाख़िल हैं।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस्लाम की बिनायें (बुनियाद) पाँच हैं- अल्लाह तआला की तौहीद और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की रिसालत की गवाही देना। नमाज़ क़ायम रखना। ज़कात देना। रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। इस बारे में और बहुत सी हदीसें हैं। अरबी लुग़त में 'सलात' के मायने दुआ के हैं। अरब शायरों के अश्आर इस पर शाहिद हैं। फिर शरीअत में इसका इस्तेमाल नमाज़ पर है। जो रुकूअ व सज्दों और दूसरे ख़ास कामों और आमाल का नाम है, जो ख़ास वक़्तों में तमाम शर्तों व सिफ़ात और अक़्साम के साथ अदा की जाती हैं। इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि नमाज़ को 'सलात' इसलिये

कहा जाता है कि नमाज़ी अल्लाह तआ़ला से अपने अ़मल का सवाब तलब करता है और अपनी हाजतें अल्लाह तआ़ला से माँगता है। बाज़ों ने कहा कि जो दो रगें पीठ से लेकर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ़ आती हैं, उन्हें अ़रबी में 'सलवैन' कहते हैं। चूँकि नमाज़ में ये हिलती हैं इसलिये नमाज़ को सलात कहा गया है। लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं। बाज़ों ने कहा है यह 'सली' से लिया गया है जिसके मायने हैं चिपक जाना और लाज़िम हो जाना। जैसा कि क़ुरआन में है:

لَايَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَی.

यानी जहन्नम में हमेशा न रहेगा, मगर बदबख़्त।

बाज़ उलेमा का क़ौल है कि जब लकड़ी को दुरुस्त करने के लिये आग पर रखते हैं तो अ़रब 'तस्लीह' कहते हैं, चूँकि नमाज़ी भी अपने नफ़्स की कजी (टेढ़ेपन) को नमाज़ से दुरुस्त करता है इसलिये उसे 'सलात' कहते हैं। जैसे क़ुरआन में है:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.... الخ.

यानी नमाज़ हर बेहयाई और बुराई से रोकती है।

लेकिन इसका दुआ़ के मायने में होना ही ज़्यादा सही और ज़्यादा मशहूर है। वल्लाहु आलम। लफ़्ज़ ज़कात की बहस इन्शा-अल्लाह आगे आयेगी।

وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ ۝	**और वे लोग ऐसे हैं कि यक़ीन रखते हैं इस किताब पर भी जो आपकी तरफ़ उतारी गई है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी हैं, और आख़िरत पर भी वे लोग यक़ीन रखते हैं। (4)**

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि तू जो कुछ ख़ुदा की तरफ़ से लाया और तुझसे पहले अम्बिया जो कुछ लाये वे उन सबकी तस्दीक़ करते हैं, यह नहीं कि किसी को मानें और किसी का इनकार करें, बल्कि अपने रब की सब बातों को मानते हैं और आख़िरत पर भी ईमान रखते हैं, यानी मरने के बाद ज़िन्दा होने, क़ियामत, जन्नत व दोज़ख़, हिसाब व मीज़ान, सबको मानते हैं। क़ियामत चूँकि दुनिया के फ़ना होने के बाद आयेगी इसलिये उसे आख़िरत कहते हैं। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि जिनकी पहले 'ईमान बिल्ग़ैब' वग़ैरह के साथ सिफ़त बयान की गयी थी उन्हीं की दोबारा ये सिफ़तें बयान की गयी हैं। यानी ईमान वाले चाहे अ़रब मोमिन हों चाहे अहले किताब वग़ैरह। मुजाहिद, अबुल-आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस और क़तादा रह. का यही क़ौल है। बाज़ ने कहा है ये दोनों हैं तो एक मगर मुराद इससे अहले किताब ही हैं। इन दोनों सूरतों में 'वाव' अ़त्फ़ का (जोड़ के लिये) होगा और सिफ़त का अ़त्फ़ (ताल्लुक़ और जोड़) सिफ़त पर होगा।

तीसरा क़ौल यह है कि पहली सिफ़तें तो हैं अ़रब मोमिनों की और:

وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ...... الخ.

(यानी यह आयत नम्बर 4) से अहले किताब के मोमिनों की सिफ़तें हैं। सुद्दी रह. ने हज़रत इब्ने

अब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. और बाज़ दूसरे सहाबा से यही नक़ल किया है, इब्ने जरीर ने भी इसी को पसन्द किया है और इसकी शहादत (ताईद) में यह आयत लाये हैं:

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ.... الخ.

यानी अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह तआ़ला पर और उस 'वही' पर जो तुम्हारी तरफ़ नाज़िल की गयी है और उस 'वही' पर जो उनकी तरफ़ उतारी गयी, ईमान लाते हैं और ख़ुदा तआ़ला से डरते रहते हैं। एक और जगह इरशाद है:

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ..... الخ.

यानी जिन्हें इससे पहले हमने किताब दी थी, वे उसके साथ ईमान रखते हैं और जब उन पर (यह क़ुरआन) पढ़ा जाता है तो कहते हैं हम इस पर भी ईमान लाये और इसे अपने रब की तरफ़ से हक़ जाना, हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे, उन्हें उनके सब्र करने और बुराई के बदले भलाई करने और राहे ख़ुदा में ख़र्च करने की वजह से दोहरा अज्र मिलेगा।

बुख़ारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तीन शख़्सों को दोहरा अज्र मिलेगा। एक वे अहले किताब जो अपने नबी पर ईमान लायें और मुझ पर भी ईमान रखें, दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह तआ़ला का हक़ अदा करे और अपने मालिक का भी, तीसरा वह शख़्स जो अपनी बाँदी को अच्छा अदब सिखाये फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले। इमाम इब्ने जरीर रह. के इस फ़र्क़ के मुनासबत इससे भी मालूम होती है कि इस सूरत के शुरू में मोमिनों और काफ़िरों का बयान हुआ है, तो जिस तरह काफ़िर की दो क़िस्में हैं- काफ़िर और मुनाफ़िक़, इसी तरह मोमिनों की भी दो क़िस्में हैं- अ़रबी मोमिन और किताबी मोमिन। मैं कहता हूँ- ज़ाहिर यह है कि हज़रत मुजाहिद रह. का यह क़ौल ठीक है कि सूरः ब-क़रह की शुरू की चार आयतें मोमिनों के औसाफ़ (सिफ़तों) के बयान में हैं और उनके बाद की दो आयतें काफ़िरों के बारे में हैं और उनके बाद की तेरह आयतें मुनाफ़िक़ों के हक़ में हैं। पस ये चारों आयतें हर मोमिन के हक़ में आ़म हैं, अ़रबी हो या अ़जमी (ग़ैर-अ़रबी), किताबी हो या ग़ैर-किताबी, इनसानों में से हो या जिन्नात में से, इसलिये कि इनमें से हर एक वस्फ़ (ख़ूबी) दूसरे को लाज़िम और शर्त है। एक बग़ैर दूसरे के नहीं हो सकता। ग़ैब पर ईमान लाना, नमाज़ को क़ायम करना और ज़कात देना सही नहीं जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर और पहले अम्बिया पर जो किताबें उतरी हैं उन पर ईमान न हो, और साथ ही आख़िरत का यक़ीने कामिल न हो। जिस तरह पहली तीन चीज़ें बग़ैर पिछली तीन चीज़ों के ग़ैर-मोतबर हैं इसी तरह पिछली तीनों बग़ैर पहली तीनों के सही नहीं। इसी लिये ईमान वालों को अल्लाह का हुक्म है:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ.... الخ.

यानी ऐ ईमान वालो! अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उन पर उतरी है उस पर और जो किताबें उनसे पहले उतरी हैं उन पर ईमान लाओ। एक और जगह फ़रमायाः

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ...... الخ.

यानी अहले किताब से झगड़ने (बहस करने) में बेहतरीन तरीक़े बरतो, और कहो कि हम ईमान लाये हैं उस पर जो हमारी तरफ़ नाज़िल किया गया है, और जो तुम्हारी तरफ़ उतारा गया है। हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है।

एक और जगह इरशाद है- ऐ अहले किताब! जो हमने उतारा है उस पर ईमान लाओ, यह उसको सच्चा करने वाला है जो तुम्हारे पास है।

एक और जगह फ़रमाया- ऐ अहले किताब! तुम किसी चीज़ पर नहीं हो जब तक तौरात इन्जील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की जानिब से उतारा गया है क़ायम न रखो।

एक और जगह तमाम ईमान वालों की तरफ़ से ख़बर देते हुए क़ुरआन पाक ने फ़रमायाः

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ........ الخ.

यानी रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ईमान लाये उस पर जो उनकी तरफ़ उनके रब की तरफ़ से नाज़िल हुआ, और तमाम ईमान वाले भी। हर एक ईमान लाया अल्लाह तआ़ला पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर। और हम उसके रसूलों में से किसी में तफ़रीक़ (भेदभाव) नहीं करते।

इस मज़मून की और भी बहुत-सी आयतें हैं जिनमें तमाम ईमान वालों का अल्लाह तआ़ला पर और उसके तमाम रसूलों और सब किताबों पर ईमान लाने का ज़िक्र किया गया है। यह और बात है कि अहले किताब के ईमान लाने वालों की एक ख़ास ख़ुसूसियत है, क्योंकि उनका ईमान अपने यहाँ की किताबों पर तफ़सील के साथ होता है और फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ पर वे इस्लाम क़बूल करते हैं तो क़ुरआन पर भी तफ़सील के साथ ईमान लाते हैं। इसी लिये उनको दोहरा अज्र मिलता है। और इस उम्मत के लोग भी पहली किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनका ईमान इजमाली तौर पर होता है, जैसे सही हदीस में है कि जब तुम से अहले किताब कोई ख़बर बयान करें तो तुम न उसे सच्चा कहो और न उसे झुठलाओ, बल्कि कह दिया करो कि जो कुछ हम पर उतरा हम उसे भी मानते हैं और जो कुछ तुम पर उतरा है उस पर भी ईमान रखते हैं। बाज़ मौक़े पर ऐसा भी होता है कि जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाते हैं उनका ईमान अहले किताब के ईमान के मुक़ाबले में ज़्यादा पूरा ज़्यादा कमाल वाला, ज़्यादा रासिख़ और ज़्यादा मज़बूत होता है। इस हैसियत से मुम्किन है कि उन्हें अहले किताब से भी ज़्यादा अज्र मिले, अगरचे वे अपने पैग़म्बर और पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने के सबब दोहरा अज्र पाये हुए हैं, लेकिन ये लोग कमाले ईमान के सबब अज्र में उनसे बढ़ जाते हैं। वल्लाहु आलम।

बस ये लोग हैं ठीक राह पर जो उनके परवर्दिगार की तरफ़ से मिली है, और ये लोग हैं पूरे कामयाब। (5)	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

यानी वे लोग जिनकी सिफ़तें पहले बयान हुईं, जैसे ग़ैब पर ईमान लाना, नमाज़ क़ायम रखना, अल्लाह के दिये हुए में से देना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जो उतरा है उस पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले जो किताबें उतरीं उनको मानना, और आख़िरत पर यक़ीन रखकर वहाँ काम आने वाले नेक अ़मल करना, बुराईयों और हरामकारियों से बचना, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं,

जिन्हें ख़ुदा की तरफ़ से नूर मिला है और बयान व बसीरत हासिल हुई है, और उन्हीं लोगों के लिये दुनिया और आख़िरत में फ़लाह और निजात है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने हिदायत की तफ़सीर नूर और इस्तिक़ामत (दीन पर जमाव) से की है, और फ़लाह (कामयाबी) की तफ़सीर अपनी चाहत को पा लेने और बुराईयों से बच जाने से की है। इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि ये लोग अपने रब की तरफ़ से नूर, दलील, साबित-क़दमी, सच्चाई और तौफ़ीक़ पर हैं और यही लोग अपने पाकीज़ा आमाल की वजह से निजात, सवाब और जन्नत की हमेशगी को पाने के मुस्तहिक़ हैं और अ़ज़ाबों से दूर हैं। इब्ने जरीर रह. यह भी फ़रमाते हैं कि दूसरे वाले 'उलाइ-क' (वे लोग) का इशारा अहले किताब की तरफ़ है, जिनकी सिफ़त इससे पहले बयान हो चुकी है जैसा कि पहले गुज़र चुका। इस एतिबार से:

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ..... الخ.

पहले की आयत से अलग होगा और मुब्तदा (मुकम्मल वाक्य का पहला भाग) बनकर मरफ़ूअ़ होगा और इसकी ख़बर (मुकम्मल वाक्य का दूसरा हिस्सा):

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

होगी, लेकिन पसन्दीदा क़ौल यही है कि इसका इशारा पहले की तमाम सिफ़तों वालों की तरफ़ है, अहले किताब हों या अ़रब। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से मरवी है कि 'युअ्मिनू-न बिल्ग़ैबि' से मुराद अ़रब के मोमिन हैं और उसके बाद के जुमले (वाक्य) से मुराद अहले किताब (यहूदी व ईसाईयों) के मोमिन हैं। फिर दोनों के लिये यह बशारत (ख़ुशख़बरी) है कि ये लोग हिदायत और फ़लाह वाले हैं, और यह पहले बयान हो चुका है कि ये आयतें आ़म हैं और यह इशारा भी आ़म है। वल्लाहु आलम।

इमाम मुजाहिद, अबुल-आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस और क़तादा रह. से यही नक़ल किया गया है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर! क़ुरआन पाक की बाज़ आयतें तो हमें ढारस देती हैं और उम्मीद क़ायम कर देती हैं, और बाज़ आयतें तोड़ देती हैं और क़रीब होता है कि हम नाउम्मीद हो जायें। आपने फ़रमाया लो मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी की पहचान साफ़-साफ़ बतला दूँ। फिर आप 'अलिफ़ लाम मीम' से 'मुफ़्लिहून' तक पढ़कर फ़रमाया ये तो जन्नती हैं। सहाबा रज़ि. ने ख़ुश होकर फ़रमाया- 'अल्हम्दु लिल्लाह' हमें उम्मीद है कि हम उन्हीं में से होंगे। फिर 'इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू' से 'अ़ज़ीम' तक तिलावत की और फ़रमाया ये जहन्नमी हैं। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हाँ। (इब्ने अबी हातिम)

बेशक जो लोग काफ़िर हो चुके हैं बराबर है उनके हक़ में चाहे आप उनको डराएँ या न डराएँ, वे ईमान न लाएँगे। (6)	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ٥

यानी जो लोग हक़ को पोशीदा करने और छुपा लेने के आ़दी हैं और उनकी क़िस्मत में यही है, ये कभी ख़ुदा तआ़ला की इस 'वही' (पैग़ाम यानी क़ुरआन) की तस्दीक़ न करेंगे जो आप पर नाज़िल हुई है जैसा कि एक दूसरे मौक़े पर फ़रमायाः

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ. وَلَوْجَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

यानी जिन लोगों पर ख़ुदा की बात साबित हो चुकी है वे ईमान न लायेंगे, अगरचे तमाम आयतें (निशानियाँ) देख लें, यहाँ तक कि दर्दनाक अ़ज़ाब देखें और ऐसे ही सरकश अहले किताब के बारे में फ़रमायाः

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ...... الخ.

यानी अहले किताब के पास अगरचे तमाम दलीलें ले आओ फिर भी वे तुम्हारे क़िब्ले को नहीं मानने के। यानी उन बद-नसीबों को सआ़दत (सौभाग्य) हासिल नहीं होने की, उन गुमराहों को हिदायत कहाँ? तो ऐ नबी! उन पर अफ़सोस न कर, तेरा काम सिर्फ़ रिसालत का हक़ अदा कर देना और पहुँचा देना है, जो मान लें वे सआ़दत-मन्द (नेक-बख़्त) हैं, वे माला-माल हो जायेंगे। और अगर कोई न माने तो न सही, तेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, हम ख़ुद उनसे हिसाब ले लेंगे। तू सिर्फ़ डराने वाला है, हर चीज़ पर अल्लाह तआ़ला ही वकील है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस बात की बड़ी ही हिर्स (तमन्ना और लालसा) थी कि तमाम लोग ईमान वाले हो जायें और हिदायत को क़बूल कर लें, लेकिन परवर्दिगार ने फ़रमा दिया कि यह सआ़दत (सौभाग्य) हर एक के हिस्से की नहीं। यह नेमत बट चुकी है, जिसके हिस्से में आयी है वह आपकी मानेगा और जो बद-क़िस्मत है वह हरगिज़ हरगिज़ इताअ़त की तरफ़ न झुकेगा। पस मतलब यह है कि जो क़ुरआन से इनकारी हैं वे कहते हैं कि हम पहली किताबों को मानते हैं, उन्हें डरावे का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिये कि वे ख़ुद अपनी किताब को भी हक़ीक़त में नहीं मानते, क्योंकि उसमें तेरे मानने का अ़हद है, तो जब वे उस किताब को और उस नबी की नसीहत को नहीं मानते जिसके मानने के इक़रारी हैं तो ऐ नबी भला वे तुम्हारी बातों को क्या मानेंगे। हज़रत अबुल-आ़लिया रह. का क़ौल है कि यह आयत जंगे अहज़ाब के उन सरदारों के बारे में उतरी है जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا...... الخ.

(सूरः इब्राहीम आयत 28,29) लेकिन जो मायने हमने पहले बयान किये हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर हैं, और दूसरी आयतों के मुताबिक़ हैं। वल्लाहु आलम।

इस हदीस पर जो इब्ने अबी हातिम के हवाले से अभी बयान हुई है दोबारा नज़र डाली जाये। 'ला युअ्मिनू-न' पहले जुमले की ताकीद है, यानी डराना न डराना दोनों बराबर हैं, दोनों हालतों में उनका कुफ़्र न टूटेगा। यह भी मुम्किन है कि 'ला युअ्मिनू-न' ख़बर हो, इसलिये कि कलाम का असल मतलब यह है कि 'जो काफ़िर हो चुके हैं वे ईमान न लायेंगे' और आगे जो फ़रमाया कि 'बराबर है कि आप उनको डरायें या न डरायें' यह अलग से एक बात हो जायेगी। वल्लाहु आलम।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۡ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۟	बंद लगा दिया है अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए सज़ा बड़ी है। (7)

ع

हज़रत सुद्दी रह. फ़रमाते हैं 'ख़-त-म' (बन्द लगाने) से मुराद मोहर कर देना है। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं- यानी उन पर शैतान ग़ालिब आ गया, वे उसी के मातहत हो गये। यहाँ तक कि अल्लाह की मोहर उनके दिलों पर और उनके कानों पर लग गयी, और आँखों पर पर्दा पड़ गया, हिदायत को न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि गुनाह लोगों के दिलों पर चढ़ते जाते और उसे हर तरफ़ से घेर लेते हैं, बस यही तबअ़ और ख़तम यानी मोहर है। दिल और कान के लिये मुहावरे में मोहर आती है। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि क़ुरआन में 'रा-न' का लफ़्ज़ है, 'त-ब-अ़' का लफ़्ज़ है और 'अक़्फ़ाल' का लफ़्ज़ है। 'रा-न' 'त-ब-अ़' से कम है और 'त-ब-अ़' 'अक़्फ़ाल' से कम है। 'अक़्फ़ाल' सबसे ज़्यादा है। हज़रत मुजाहिद रह. ने अपना हाथ दिखाकर कहा कि दिल हथेली की तरह है, वह बन्दे के गुनाह की वजह से सिमट जाता और बन्द हो जाता है, इस तरह कि एक गुनाह किया तो गोया छंगलिया बन्द हो गयी, फिर दूसरी उंगली बन्द हो गयी, यहाँ तक कि तमाम उंगलियाँ बन्द हो गयीं और अब मुट्ठी बिल्कुल बन्द हो गयी, जिसमें कोई चीज़ दाख़िल नहीं हो सकती। इसी तरह गुनाहों से दिल पर पर्दे पड़ जाते हैं, मोहर लग जाती है, फिर उसमें हक़ असर नहीं करता। इसे 'रेन' भी कहते हैं।

मतलब यह हुआ कि उनका तकब्बुर, उनका हक़ से मुँह फेर लेना बयान हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि फ़ुलाँ शख़्स इस बात के सुनने से बहरा बन गया। मतलब यह होता है कि तकब्बुर और बेपरवाही करके उसने इस बात की तरफ़ कान न लगाया। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं- लेकिन यह मतलब ठीक नहीं हो सकता, इसलिये कि यहाँ तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि उसने उनके दिलों पर मोहर कर दी। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी ने इस रद्द का बहुत कुछ रद्द किया है और पाँच तावीलें (व्याख्यायें बयान) की हैं, लेकिन सबकी सब बिल्कुल बोदी और बेतुकी हैं और सिर्फ़ अपने मोतज़िली होने की वजह से उसे ये तकल्लुफ़ात (दूर की व्याख्यायें) करने पड़े हैं। क्योंकि उनके नज़दीक यह बात बहुत बुरी है कि किसी के दिल पर ख़ुदा तआ़ला मोहर कर दे, लेकिन अफ़सोस उसने दूसरी साफ़ और स्पष्ट आयतों पर ग़ौर नहीं किया। एक जगह इरशाद है:

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ.

यानी जब वे टेढ़े हो गये तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिये। एक और जगह फ़रमाया:

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ...... الخ.

हम उनके दिलों को और उनकी निगाहों को उलट देते हैं। गोया वे सिरे से ईमान ही न लाये थे और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकते हुए ही छोड़ देते हैं।

इस क़िस्म की और आयतें भी हैं जो साफ़ बतलाती हैं कि अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है और हिदायत को उनसे दूर कर दिया है, उनके हक़ को छोड़ने और बातिल पर जमे रहने की वजह से, और यह पूरी तरह अ़दल व इन्साफ़ है, और अ़दल अच्छी चीज़ है न कि बुरी। अगर ज़मख़्शरी भी ग़ौर से इन आयतों पर नज़र डालते तो तावील (दूसरे मायने बयान) न करते। वल्लाहु आलम।

अ़ल्लामा क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि उम्मत का इजमा (सर्वसम्मति) है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने अपनी एक सिफ़त मोहर करना भी बयान की है, जो काफ़िरों के कुफ़्र का बदला है। फ़रमाता है:

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ.

बल्कि उनके कुफ़ की वजह से ख़ुदा ने उन पर मोहर लगा दी। हदीस में भी है कि अल्लाह तआ़ला दिलों को उलट-पलट करता है। दुआ़ में हैः

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ.

यानी ऐ दिलों को फेरने वाले! हमारे दिलों को अपने दीन पर क़ायम रख।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दिलों पर फ़ितने इस तरह पेश होते हैं जैसे टूटे हुए बोरिये का एक तिनका, जो दिल उन्हें क़बूल कर लेता है उसमें एक सियाह नुक़्ता (काला धब्बा) हो जाता है और जिस दिल में ये फ़ितने असर नहीं करते उसमें एक सफ़ेद नुक़्ता हो जाता है, जिसकी सफ़ेदी बढ़ते-बढ़ते बिल्कुल साफ़ सफ़ेद होकर सारे दिल को रोशन कर देती है। फिर उसे कभी कोई फ़ितना नुक़सान नहीं पहुँचा सकता। और इस दूसरे दिल की सियाही भी फैलती जाती है, यहाँ तक कि सारा दिल सियाह हो जाता है। अब वह उल्टे कूज़े (प्याले) की तरह हो जाता है, न अच्छी बात उसे अच्छी लगती है न बुराई बुरी मालूम होती है........।

इमाम इब्ने जरीर रह. का फ़ैसला यह है कि हदीस में आ चुका है कि मोमिन जब गुनाह करता है उसके दिल में एक सियाह नुक़्ता (काला धब्बा) हो जाता है, अगर वह बाज़ आ गया, तौबा कर ली और रुक गया तो वह नुक़्ता हट जाता है, और उसका दिल साफ़ हो जाता है, और अगर वह गुनाह में पड़ गया तो वह सियाही भी फैलती जाती है, यहाँ तक कि सारे दिल पर छा जाती है, यही वह 'रा-न' है जिसका ज़िक्र इस आयत में हैः

كَلَّا بَلْ. رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

यानी यक़ीनन उनके दिल पर रान है, उनके बुरे आमाल की वजह से। (तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने जरीर)

इमाम तिर्मिज़ी रह. ने इस हदीस को हसन सही कहा है। मालूम हुआ कि गुनाहों की ज़्यादती दिलों पर ग़िलाफ़ (पर्दा) डाल देती है और उसके बाद अल्लाह की मोहर लग जाती है, जिसे 'ख़तम' और 'तबअ़' कहा जाता है। अब उस दिल में ईमान के जाने और कुफ़्र के निकलने की कोई राह बाक़ी नहीं रहती। इसी मोहर का ज़िक्र इस आयत में है। हमारी आँखों देखी नज़ीर (मिसाल) है कि जब किसी चीज़ का मुँह बन्द करके उस पर मोहर लगा दें तो जब तक वह मोहर न टूटेगी न उसमें कुछ जा सकता है न उसमें से कोई चीज़ निकल सकती है। इसी तरह जिन काफ़िरों के दिलों और कानों पर मोहरे ख़ुदावन्दी लग चुकी है उनमें बग़ैर उसके हटे और टूटे न हिदायत जाये न कुफ़्र आये। 'सम-इहिम' पर पूरा वक़्फ़ (ठहरना) है। और 'अ़ला अब्सारिहिम् ग़िशावतुन्' अलग पूरा जुमला है। 'ख़तम' और 'तबअ़' दिलों और कानों पर होती है और 'ग़िशावतुन्' यानी पर्दा आँखों पर पड़ता है। जैसे कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. और दूसरे सहाबा रज़ि. से मरवी है। क़ुरआन में हैः

فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ.

एक और जगह हैः

وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً.

इन आयतों में दिल और कान पर ख़तम (मोहर) का ज़िक्र है और आँख पर पर्दे का।

सूरत की शुरू की चार आयतों में मोमिनों के औसाफ़ (सिफ़तें और ख़ूबियाँ) बयान हुए फिर इन दो

आयतों में काफ़िरों का हाल बयान हुआ, अब मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र होता है जो ज़ाहिर में ईमान वाले बनते हैं लेकिन हक़ीक़त में काफ़िर हैं। चूँकि उन लोगों की चालाकियाँ उमूमन छुपी रह जाया करती हैं इसलिये उनका बयान ज़रा तफ़सील से हुआ और बहुत कुछ उनकी निशानियाँ बयान की गयीं। उन्हीं के बारे में सूरः बराअत उतरी और उन्हीं का ज़िक्र सूरः नूर वग़ैरह में किया गया, ताकि उनसे पूरा बचाव हो और मुसलमान इन बुरी और गन्दी ख़स्लतों से दूर रहें। पस फ़रमायाः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝	और उन लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हम ईमान लाए अल्लाह तआला पर और आख़िरी दिन पर, हालाँकि वे बिल्कुल ईमान वाले नहीं। (8) चालबाज़ी करते हैं अल्लाह तआला से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं। (यानी सिर्फ़ चालबाज़ी की राह से ईमान का इज़हार करते हैं) और हक़ीक़त में किसी के साथ भी चालबाज़ी नहीं करते सिवाय अपनी ज़ात के, और वे इसका शऊर नहीं रखते। (9)

दर असल 'निफ़ाक़' कहते हैं भलाई के ज़ाहिर करने और बुराई के पोशीदा रखने को। 'निफ़ाक़' की दो क़िस्में हैं- एतिक़ादी और अ़मली। पहली क़िस्म के मुनाफ़िक़ तो हमेशा के लिये जहन्नमी हैं और दूसरी क़िस्म के बदतरीन मुजरिम हैं। इसका बयान तफ़सील के साथ इन्शा-अल्लाह किसी मुनासिब जगह होगा। इमाम इब्ने जुरैज रह. फ़रमाते हैं कि मुनाफ़िक़ का क़ौल उसके फ़ेल के ख़िलाफ़, उसकी पोशीदगी ज़ाहिर के ख़िलाफ़, उसका आना जाने के ख़िलाफ़, उसकी मौजूदगी ग़ैर-मौजूदगी के ख़िलाफ़ हुआ करती है। निफ़ाक़ मक्का शरीफ़ में तो था ही नहीं, बल्कि इसके उलट था। बाज़ लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती से बज़ाहिर काफ़िरों का साथ देते थे मगर दिल में मुसलमान होते थे, बल्कि जब हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना में तशरीफ़ लाये और यहाँ पर औस और ख़ज़्रज के क़बीलों ने अन्सार बनकर आपका साथ दिया और जाहिलीयत के ज़माने की मुश्रिकाना बुत-परस्ती छोड़ दी और दोनों क़बीलों में से ख़ुशनसीब लोग इस्लाम ले आये लेकिन यहूदी अब तक ख़ुदा तआ़ला की इस नेमत से मेहरूम थे। उनमें से सिर्फ़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. ने इस सच्चे दीन को क़बूल किया था, तब तक भी मुनाफ़िक़ों का ख़बीस गिरोह क़ायम न हुआ था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन यहूदियों से और अ़रब के बाज़ और क़बीलों से सुलह कर ली थी।

इस जमाअ़त के वजूद में आने की शुरूआ़त यूँ हुई कि मदीना शरीफ़ के यहूदियों के तीन क़बीले थे- बनू क़ैनुक़ाअ़, बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा। बनू क़ैनुक़ाअ़ तो ख़ज़्रज के हलीफ़ (साथी) और भाई-बन्द बने हुए थे और बाक़ी दो क़बीलों का भाई-चारा औस से था। जब जंगे बदर हुई और उसमें परवर्दिगार ने अपने दीन वालों को ग़ालिब किया और इस्लाम की शौकत व शान ज़ाहिर हुई और मुसलमानों का सिक्का जम गया और कुफ़्र का धड़ टूट गया तब यह नापाक गिरोह क़ायम हुआ। अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था तो ख़ज़्रज के क़बीले में से लेकिन औस और ख़ज़्रज दोनों उसे अपना बड़ा मानते थे, बल्कि उसकी

बाक़ायदा सरदारी और बादशाहत के ऐलान का पुख़्ता इरादा हो चुका था। इन दोनों क़बीलों का रुख़ इस्लाम की तरफ़ फिर जाता है और उसकी सरदारी यूँ ही रह जाती है। यह ख़ार (काँटा) तो उसके दिल में था ही, उधर इस्लाम की दिन-ब-दिन बढ़ती हुई तरक़्क़ी, इधर लड़ाई की कामयाबी ने उसके होश उड़ा दिये। अब उसने देखा कि यूँ काम नहीं चलने का, झट से बज़ाहिर इस्लाम क़बूल कर लेने और बातिन में काफ़िर रहने की ठान ली, और जिस क़द्र जमाअ़त उसके ज़ेरे असर थी सबको यही हिदायत की और इस तरह मुनाफ़िक़ों की एक जमाअ़त मदीना में और मदीना के आस-पास क़ायम हो गयी। उन मुनाफ़िक़ों में अल्लाह का शुक्र है मक्की मुहाजिर एक भी न था, बल्कि ये हज़रात तो अपने अहल व अ़याल, माल व मता को नामे ख़ुदा पर क़ुरबान करके ख़ुदा के रसूल का साथ देकर आये थे।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये मुनाफ़िक़ औस और ख़ज़्रज के क़बीलों में से थे और यहूदी भी जो उनके तरीक़े पर थे। क़बीला औस और ख़ज़्रज के निफ़ाक़ का इन आयतों में बयान है। हज़रत अबुल-आ़लिया, हज़रत हसन, क़तादा, सुद्दी रह. ने यही बयान किया है। परवर्दिगारे आ़लम ने मुनाफ़िक़ों की बहुत सी बुरी ख़स्लतों का यहाँ ज़िक्र फ़रमाया है ताकि उनके ज़ाहिरी हाल से मुसलमान धोखे में न आ जायें और उन्हें मुसलमान ख़्याल करके अपना न समझ बैठें, जिसकी वजह से कोई बड़ा फ़साद फैल जाये। यह याद रहे कि बदकारों को नेक समझना भी अपनी जगह बहुत बुरा और निहायत ख़ौफ़नाक मामला है, जिस तरह इस आयत में फ़रमाया गया है कि ये लोग ज़बानी इक़रार तो ज़रूर करते हैं मगर इनके दिल में ईमान नहीं। इसी तरह सूरः मुनाफ़िक़ून में भी कहा गया है:

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ.......... الخ.

यानी मुनाफ़िक़ तेरे पास आकर कहते हैं कि हमारी गवाही है कि आप रसूलुल्लाह हैं, और अल्लाह तआ़ला जानता है कि तू उसका रसूल है, लेकिन चूँकि हक़ीक़त में मुनाफ़िक़ों का क़ौल उनके अ़क़ीदे के मुताबिक़ न था इसलिये बावजूद उन लोगों के शानदार और ताकीदी अलफ़ाज़ के ख़ुदा तआ़ला ने उन्हें झुठला दिया और सूरः मुनाफ़िक़ून में फ़रमायाः

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

यानी अल्लाह तआ़ला गवाही देता है कि यक़ीनन मुनाफ़िक़ झूठे हैं। और यहाँ भी फ़रमायाः

وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

यानी असल में वे ईमान वाले नहीं। वे अपने ईमान को ज़ाहिर करके और अपने कुफ़्र को छुपाकर अपनी जहालत से अल्लाह तआ़ला को धोखा देते हैं और इसे नफ़ा देने वाली और ख़ुदा के यहाँ चल जाने वाली कारीगरी ख़्याल करते हैं जैसा कि बाज़ मोमिनों पर उनका यह मक्र (फ़रेब और धोखा) चल जाता है। क़ुरआन में एक और जगह है:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ......... الخ.

यानी क़ियामत वाले दिन जबकि अल्लाह तआ़ला उन सबको खड़ा करेगा तो जिस तरह वे दुनिया में ईमान वालों के सामने क़समें खाते हैं, अल्लाह तआ़ला के सामने भी क़समें खायेंगे और समझेंगे कि वे भी कुछ हैं। ख़बरदार! यक़ीनन वे झूठे हैं।

यहाँ भी उनके इस ग़लत अ़क़ीदे के मुक़ाबले में फ़रमाया कि दर असल वे अपने इस काम की बुराई को जानते ही नहीं। यह धोखा तो ख़ुद अपनी जानों को दे रहे हैं। जैसा कि एक और जगह इरशाद है:

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ.

यानी मुनाफ़िक़ ख़ुदा को धोखा देते हैं और वह उन्हें दे रहा है।

अगर कोई कहे कि अल्लाह तआ़ला और ईमान वालों को मुनाफ़िक़ धोखा कैसे देंगे? जो वह अपने दिल के ख़िलाफ़ ज़ाहिर करते हैं वह तो सिर्फ़ बचाव के लिये होता है, तो जवाब में कहा जायेगा कि इस तरह की बात करने वाले को भी जो किसी ख़ौफ़ से बचना चाहता है अ़रबी ज़ाबन में 'मुख़ादेअ़' (धोखा देने वाला) कहा जाता है। चूँकि मुनाफ़िक़ भी क़त्ल, क़ैद और दुनियावी अ़ज़ाबों से बचे रहने के लिये यह चाल चलते थे और बातिन (अपनी अन्दरूनी हालत) के ख़िलाफ़ ज़ाहिरी अलफ़ाज़ कहते थे, इसलिये उन्हें धोखेबाज़ कहा गया। उनका यह फ़ेल अगरचे किसी को दुनिया में कुछ धोखा दे भी दे लेकिन दर हक़ीक़त वे ख़ुद अपने आपको धोखा दे रहे हैं। इसलिये कि वे उसमें भलाई और कामयाबी जानते हैं और दर असल यह सबब होगा उनकी बुराई, अ़ज़ाब और अल्लाह का ग़ज़ब का जिसके सहने की उनमें ताक़त नहीं। पस यह धोखा हक़ीक़त में उन पर ख़ुद वबाल होगा। वे जिसका अन्जाम अच्छा जानते हैं उनके हक़ में बुरा और बहुत बुरा होगा, उनके कुफ़्र व शिर्क और झुठलाने की वजह से उनका रब उन पर नाराज़ होगा, लेकिन अफ़सोस उन्हें इसका शऊर (समझ) ही नहीं और ये अपने ग़लत ख़्यालात में ही मस्त हैं।

इब्ने जुरैज रह. इसकी तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' का इज़हार करके वे अपनी जान व माल का बचाव करना चाहते हैं, यह कलिमा उनके दिलों की गहराईयों में नहीं उतरता। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि मुनाफ़िक़ों की यही हालत है कि ज़बान पर कुछ दिल में कुछ, अ़मल कुछ अ़क़ीदे कुछ, सुबह कुछ शाम कुछ, कश्ती की तरह जो हवा के झोंके से कभी इधर हो जाती है कभी उधर।

उनके दिलों में बड़ा मर्ज़ "यानी रोग" है सो और भी बढ़ा दिया अल्लाह तआ़ला ने उनका मर्ज़, और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है इस वजह से कि वे झूठ बोला करते थे। (10)	فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۵ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

बीमारी (रोग) से मुराद यहाँ शक व शुब्हा है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और चन्द सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से यही मरवी है। हज़रत मुजाहिद, इक्रिमा, हसन बसरी, अबुल-आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस, क़तादा रह. का भी यही क़ौल है। हज़रत इक्रिमा और ताऊस रह. ने इसकी तफ़सीर की है रिया (दिखावे) से, और इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इसकी तफ़सीर निफ़ाक़ भी मरवी है। ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं कि यहाँ दीनी बीमारी मुराद है न कि जिस्मानी, उन्हें इस्लाम में शक की बीमारी थी और उनकी नापाकी में ख़ुदा ने और इज़ाफ़ा कर दिया। जैसा कि क़ुरआन में एक दूसरी जगह है:

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ.

यानी ईमान वालों के ईमान में ज़्यादती करती है और वे ख़ुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बीमारी वालों की

नापाकी और पलीदी को और ज़्यादा कर देती है। यानी उनकी बदी और गुमराही बढ़ जाती है। यह बदला बिल्कुल उनके अ़मल के जैसा है। यह तफ़सीर अच्छी है, ठीक इसी के जैसा यह फ़रमान भी है:

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰـهُمْ تَقْوٰهُمْ.

यानी हिदायत वालों को हिदायत में बढ़ा देता है और उनको तक़्वा अ़ता फ़रमाता है।

'यक्ज़िबून' को 'युकज़्ज़िबून' भी क़ारियों ने पढ़ा है। ये दोनों बुरी ख़स्लतें उनमें थीं, झुठलाते भी थे और झूठे भी थे। इसके बावजूद कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बाज़ मुनाफ़िक़ों को अच्छी तरह जानते थे फिर भी क़त्ल न करने की वजह वह है जो बुख़ारी मुस्लिम की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उमर रज़ि. से फ़रमाया- मैं इस बात को नापसन्द करता हूँ कि लोगों में यह चर्चे हों कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अपने साथियों को क़त्ल कर डालते हैं। मतलब यह है कि जो देहात के लोग आस-पास हैं उन्हें यह तो मालूम न होगा कि उन मुनाफ़िक़ों के पोशीदा कुफ़्र की बिना पर उन्हें क़त्ल किया गया है, उनकी नज़रें तो सिर्फ़ ज़ाहिरी हालात पर होंगी। जब उनमें यह मशहूर हो जायेगा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अपने साथियों को क़त्ल कर डालते हैं तो डर है कि कहीं वे इस्लाम क़बूल करने से रुक न जायें।

इमाम क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि हमारे उलेमा वग़ैरह का भी यही क़ौल है। ठीक इसी तरह हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दिल जोड़ने के लिये ताकि दिल इस्लाम की जानिब माईल किये जायें, माल अ़ता फ़रमाया करते थे। इसके बावजूद कि जानते थे कि उनके बुरे अ़क़ीदे हैं। हज़रत इमाम मालिक रह. भी मुनाफ़िक़ों को क़त्ल न करने की यही वजह बयान फ़रमाते हैं। जैसे मुहम्मद बिन जहम, क़ाज़ी इस्माईल और अब्हरी ने नक़ल किया है। हज़रत इमाम मालिक रह. से बक़ौल इब्ने माजिशून एक वजह यह भी नक़ल की गयी है कि यह इसलिये था कि आपकी उम्मत को मालूम हो जाये कि हाकिम अपने इल्म पर फ़ैसला नहीं कर सकता। इमाम क़ुर्तुबी फ़रमाते हैं कि अगरचे उलेमा में तमाम मसाईल में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हो लेकिन इस मसले में सब का इत्तिफ़ाक़ है कि क़ाज़ी सिर्फ़ अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर किसी को क़त्ल नहीं कर सकता। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. ने एक और वजह भी बयान की है, आप फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मुनाफ़िक़ों से क़त्ल से रुक रहने का सबब उनका अपने ईमान को अपनी ज़बान से ज़ाहिर करना था, अगरचे आपको इसका इल्म था कि उनके दिल इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ज़ाहिरी कलिमे इस पहली बात को हटा देता था। इसकी ताईद में बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह की यह हदीस भी पेश की जा सकती है जिसमें है कि मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वे 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहें, जब वे इसे कह दें तो उन्होंने मुझसे अपनी जानें और माल बचा लिया, और उनका हिसाब अल्लाह तआ़ला पर है। मतलब यह है कि इस कलिमा शरीफ़ के कहते ही इस्लाम के ज़ाहिरी अहकाम उन पर जारी हो जायेंगे। अब अगर उनका अ़क़ीदा भी इसके मुताबिक़ है तो आख़िरत वाले दिन निजात का सबब होगा, वरना वहाँ कुछ भी नफ़ा न होगा। लेकिन दुनिया में तो मुसलमानों के अहकाम उन पर जारी रहेंगे। गोया लोग यहाँ मुसलमानों की सफ़ों और उनकी सूची में नज़र आयें लेकिन आख़िरत में ऐन पुल-सिरात पर उनसे दूर कर दिये जायेंगे और अंधेरों में हैरान व परेशान होते हुए बुलन्द आवाज़ से मुसलमानों को पुकारकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे? लेकिन वहाँ से जवाब मिलेगा कि थे तो सही, मगर तुम फ़ितनों में पड़ गये और इन्तिज़ार में ही रह गये और अपनी मनमानी ख़्वाहिशों के फेर में

पड़ गये, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला का हुक्म आ पहुँचा।

ग़र्ज़ कि आख़िरत के घर में भी मुसलमानों के साथ सज्दे में गिर पड़ेंगे, लेकिन सज्दा नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हदीसों में मुफ़स्सल बयान आ चुका है। बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने कहा है कि उनके क़त्ल न किये जाने की यह वजह थी कि ख़ुदा की रसूल की मौजूदगी में उनकी शरारतें नहीं चल सकती थीं। मुसलमानों को अल्लाह तआ़ला अपनी वही के ज़रिये उनकी बुराईयों से महफ़ूज़ रख लेता था, लेकिन हुज़ूरे पाक के बाद अगर ख़ुदा न करे ऐसे लोग हों कि उनका निफ़ाक़ खुल जाये और मुसलमान बख़ूबी मालूम कर लें तो क़त्ल कर दिये जायेंगे। हज़रत इमाम मालिक रह. का फ़तवा है कि निफ़ाक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में तो था लेकिन आजकल तो वह बेदीनी और गुमराही है।

यह भी याद रहे कि ज़िन्दीक़ (गुमराह) के बारे में भी उलेमा का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि जब वह कुफ़्र ज़ाहिर करे तो उसके क़त्ल से पहले उस पर तौबा पेश की जाये या नहीं? और वह ज़िन्दीक़ जो लोगों को भी उसकी तालीम देता हो और वह ज़िन्दीक़ जो मुअ़ल्लिम (शिक्षक) न हो क्या उन दोनों में फ़र्क़ किया जायेगा या नहीं? और यह मुर्तद होना (दीन इस्लाम से फिर जाना) कई-कई मर्तबा हुआ हो तब यह हुक्म है या सिर्फ़ एक मर्तबा पर भी? फिर इसमें भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि यह इस्लाम लाना और यह रुजू करना ख़ुद उसकी अपनी तरफ़ से हो या उस पर ग़लबा पा लेने के बाद भी यही हुक्म है? ग़र्ज़ इन सब बातों में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, लेकिन इसके बयान की जगह अहकाम की किताबें हैं न कि तफ़सीरें।

चौदह शख़्सों के निफ़ाक़ का तो आपको क़तई (निश्चित तौर पर) इल्म था, ये वे बद-बातिन लोग थे जिन्होंने तबूक की लड़ाई में मश्विरा करके यह बात तय कर ली थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ दग़ाबाज़ी करें, आपके क़त्ल की पूरी साज़िश कर चुके थे कि रात के अन्धेरे में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़ुलाँ घाटी के क़रीब पहुँचें तो आपकी ऊँटनी बिदका दें, वह बिदक कर भागेगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घाटी में गिर पड़ेंगे। अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी की तरफ़ उसी वक़्त वही भेजकर उनकी इस नापाक ग़द्दारी का इल्म करा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. को बुलाकर इस वाक़िए की ख़बर दी और उन ग़द्दारों के नाम भी बतला दिये। फिर भी आपने उनके क़त्ल के अहकाम सादिर न फ़रमाये, उनके सिवा और मुनाफ़िक़ों के नाम का आपको इल्म न था। चुनाँचे क़ुरआन कहता है:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ... الخ.

यानी तुम्हारे आस-पास के बाज़ देहाती और ग्रामीण मुनाफ़िक़ हैं, और बाज़ सरकश मुनाफ़िक़ मदीना में भी हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। एक और जगह फ़रमाया:

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ....... الخ.

अगर ये मुनाफ़िक़ गन्दे दिल वाले और फ़साद व तकब्बुर वाले अपनी शरारतों से बाज़ न आये तो हम भी उन्हें न छोड़ेंगे और मदीना में बहुत कम बाक़ी रह सकेंगे, बल्कि उन पर लानत की जायेगी, जहाँ पाये जायेंगे पकड़े जायेंगे और टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे।

इन आयतों से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उन मुनाफ़िक़ों का इल्म न था

कि कौन-कौन हैं। हाँ उनकी बुरी और गन्दी ख़स्लतें जो बयान हुई थीं ये जिसमें पाई जाती थीं उस पर निफ़ाक़ सादिक़ आता था। जैसे एक और जगह इरशाद फ़रमायाः

وَلَوْنَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ...... الخ.

यानी अगर हम चाहें तो तुम्हें उनको दिखा दें, लेकिन तुम उनकी निशानियों और उनकी दबी भिंची ज़बान से ही उनको पहचान लोगे।

उन मुनाफ़िक़ों में सबसे ज़्यादा मशहूर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ि. ने उसकी मुनाफ़िक़ाना ख़स्लतों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने गवाही भी दी थी इसके बावजूद जब यह मरा तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने गये और उसके दफ़न में शिर्कत की। ठीक इसी तरह जिस तरह दूसरे मुसलमान सहाबियों के साथ। बल्कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ज़रा ज़ोर से याद दिलाया तो आपने फ़रमाया- मैं नहीं चाहता कि लोग बातें बनायें कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अपने सहाबियों को मार डाला करते हैं। एक और सही रिवायत में है कि मुझे इख़्तियार दिया गया है इस्तिग़फ़ार करने न करने का, तो मैंने करने को पसन्द किया। एक और रिवायत में है कि अगर सत्तर मर्तबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने में भी इसकी बख़्शिश को जानता तो यक़ीनन ज़्यादा करता।

और जब उनसे कहा जाता है कि फ़साद "यानी ख़राबी और बिगाड़" मत करो ज़मीन में, तो कहते हैं कि हम तो सुधार ही करने वाले हैं। (11) याद रखो बेशक यही लोग मुफ़सिद "यानी बिगाड़ पैदा करने वाले" हैं, लेकिन वे इसका शऊर नहीं रखते। (12)	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ○ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ○

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद और नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से नक़ल किया गया है कि इस आयत में भी मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र है और उनके ज़मीन में ख़राबी फैलाने, कुफ़्र व नाफ़रमानी पर उन्हें तंबीह की गयी है। मतलब यह है कि ज़मीन में ख़ुदा की नाफ़रमानी करना, या नाफ़रमानी करने का हुक्म देना, ज़मीन में फ़साद (बिगाड़) करना है। और ज़मीन व आसमान की इस्लाह (सुधार व दुरुस्ती) अल्लाह की इताअ़त में है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि उन्हें जब ख़ुदा तआ़ला की नाफ़रमानी से रोका जाता है तो कहते हैं कि हम तो हिदायत व इस्लाह (सुधार) पर हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि. फ़रमाते हैं कि इस ख़स्लत के लोग अब तक नहीं आये। मतलब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में ये बद-ख़स्लत लोग थे तो सही लेकिन अब जो आयेंगे वे उनसे भी बदतर होंगे। यह न समझना चाहिये कि वह यह कहते हैं कि इस वस्फ़ (गुण) का कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में था ही नहीं।

इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि उन मुनाफ़िक़ों का फ़साद बरपा करना यह था कि ख़ुदा तआ़ला की नाफ़रमानियाँ करते थे, जिस काम से ख़ुदा तआ़ला मना फ़रमाता था उसे करते थे, अल्लाह के फ़राईज़ ज़ाया और बरबाद करते थे। अल्लाह तआ़ला के सच्चे दीन में शक व शुब्हा करते, इसके हक़ होने और

सच्चाई पर यक़ीने कामिल नहीं रखते थे। मोमिनों के सामने आते तो अपना ईमान ज़ाहिर करते, हालाँकि दिल अल्लाह और रसूल के बारे में शक और वस्वसे से भरा पड़ा था। मौक़ा मिलता तो अल्लाह के दुश्मन की इमदाद व सहयोग करते थे और अल्लाह के नेक बन्दों के मुक़ाबले में उनकी लिहाज़ दारी करते थे, और बावजूद इस मक्कारी और फ़साद भरी चाल के अपने आपको सुधारक और एकता व सुलह के हामी जानते थे। क़ुरआने करीम ने काफ़िरों से दिली हमदर्दी और दोस्ती रखने को भी ज़मीन में फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) से ताबीर किया है। इरशाद होता है:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ. اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

यानी काफ़िर आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुमने ऐसा न किया यानी उन काफ़िरों से दोस्ती की तो ज़मीन में भारी फ़ितना और बड़ा फ़साद फैल जायेगा।

इस आयत ने मुसलमान और काफ़िरों के दोस्ताना ताल्लुक़ात ख़त्म कर दिये। एक और जगह फ़रमाया- ऐ ईमान वालो! मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त न बनाओ, क्या तुम चाहते हो कि ख़ुदा तआ़ला का तुम पर खुला ग़लबा हो जाये। यानी तुम्हारी निजात की दलील कट जाये। फिर फ़रमाया मुनाफ़िक़ लोग जहन्नम के निचले तबक़े में होंगे और हरगिज़ तुम उनके लिये कोई मददगार न पाओगे। चूँकि मुनाफ़िक़ों का ज़ाहिर अच्छा होता है इसलिये मुसलमानों पर हक़ीक़त छुपी रह जाती है, वे ईमान वालों को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से धोखा दे देते हैं और उनके बेहक़ीक़त दावों और काफ़िरों के साथ उनकी छुपी दोस्तियों से मुसलमानों को ख़तरनाक मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। बस फ़साद की बुनियाद डालने वाले ये मुनाफ़िक़ लोग हुए, अगर ये अपने कुफ़्र पर ही रहते तो इनकी ख़ौफ़नाक साज़िशों और गहरी चालों का मुसलमानों को इतना नुक़सान हरगिज़ न पहुँचता और अगर पूरे मुसलमान हो जाते और ज़ाहिर व बातिन एक जैसा कर लेते तब तो दुनिया के अमन व अमान के साथ आख़िरत की निजात व फ़लाह भी पा लेते। इस ख़तरनाक पॉलीसी के बावजूद जब उन्हें एक तरफ़ होने की नसीहत की जाती तो झट बोल पड़ते कि हम तो सब के साथ सुलह रखना चाहते हैं, हम किसी से बिगाड़ नहीं चाहते, हम दोनों फ़रीक़ों के साथ इत्तिफ़ाक़ रखते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- वे कहते हैं कि उन दोनों जमाअ़तों यानी मोमिनों और अहले किताब के दरमियान सुलह कराने वाले हैं। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि ये उनकी ख़ालिस जहालत है, जिसे ये सुलह जानते हैं वह पूरी तरह फ़साद है। लेकिन उन्हें शऊर ही नहीं।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○	और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ऐसा ही ईमान ले आओ जैसा ईमान लाए हैं और लोग, तो कहते हैं, क्या हम ईमान लाएँगे जैसा ईमान लाए हैं ये बेवक़ूफ़? याद रखो बेशक यही हैं बेवक़ूफ़, लेकिन वे इसका इल्म नहीं रखते। (13)

मतलब यह है कि जब उन मुनाफ़िक़ों को सहाबा की तरह अल्लाह तआ़ला पर, उसके फ़रिश्तों किताबों और रसूलों पर ईमान लाने को, मौत के बाद ज़िन्दा होकर उठने और जन्नत व दोज़ख़ के हक़ होने को तस्लीम करने को, ख़ुदा और रसूल की ताबेदारी करके नेक आमाल बजा लाने और बुराईयों से रुके रहने को

कहा जाता है तो यह लानती फ़िर्क़ा ऐसे ईमान को बेवक़ूफ़ों का ईमान बताता है। इब्ने मसऊद रज़ि. और बाज़ दूसरे सहाबा और रबीअ़ बिन अनस, अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. वग़ैरह ने यही तफ़सीर बयान की है:

'सुफ़हा-उ' 'सफ़ीह' का बहुवचन है जैसे 'हुकमा' 'हकीम' का और 'उलेमा' 'अ़लीम' का। जाहिल कम-अ़क़्ल और नफ़ा नुक़सान को पूरी तरह न जानने वाले को 'सफ़ीह' कहते हैं। क़ुरआने पाक में एक और जगह है:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ....... الخ.

बेवक़ूफ़ों को अपने वे माल न दे बैठो जो तुम्हारे क़ियाम (मज़बूती) का सबब हैं।

आ़म मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि इस आयत में 'सुफ़हा-उ' से मुराद औ़रतें और बच्चे हैं। इन मुनाफ़िक़ों के जवाब में यहाँ भी ख़ुद परवर्दिगारे आ़लम ने जवाब दिया और ताकीद के साथ फ़रमाया कि बेवक़ूफ़ तो यही हैं, लेकिन साथ ही जाहिल भी ऐसे हैं कि अपनी बेवक़ूफ़ी का एहसास भी नहीं रखते। न अपनी जहालत व गुमराही को समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा उनकी बुराई, हिदायत से दूरी और क्या होगी?

और जब मिलते हैं वे मुनाफ़िक़ उन लोगों से जो ईमान लाए हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में पहुँचते हैं अपने बुरे सरदारों के पास तो कहते हैं कि हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ़ मज़ाक़ किया करते हैं। (14) अल्लाह ही मज़ाक़ कर रहे हैं उनके साथ और ढील देते चले जाते हैं उनको कि वे अपनी सरकशी में हैरान व सरगरदाँ "हैरान व परेशान" हो रहे हैं। (15)	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ○

मतलब यह है कि ये बुरे बातिन वाले मुसलमानों के पास आकर अपना ईमान, दोस्ती और ख़ैरख़्वाही ज़ाहिर करके उन्हें धोखे में डालना चाहते हैं ताकि माल व जान का बचाव भी हो जाये और भलाई और ग़नीमत के माल में हिस्सा भी क़ायम हो जाये, और जब अपने वालों में होते हैं तो उनकी सी कहने लगते हैं। 'ख़लौ' के मायने यहाँ ये हैं कि लौटते, पहुँचते और तन्हाई में होते हैं और जाते हैं।

इमाम इब्ने जरीर रह. के कलाम का ख़ुलासा भी यही है कि शयातीन से मुराद रईस, बड़े लोग और सरदार हैं। जैसे यहूदी उलेमा और क़ुरैश के काफ़िर और मुनाफ़िक़ों के सरदार। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का क़ौल है कि ये शयातीन उनके कुफ़्र के सरदार और बड़े थे, और उनके जैसे ही अ़क़ीदे वाले लोग भी। यहूद के ये शयातीन भी उन्हें पैग़म्बरी के झुठलाने और क़ुरआन के झुठलाने का मश्विरा दिया करते थे। इमाम मुजाहिद रह. कहते हैं कि शयातीन से मुराद उनके वे साथी हैं जो या तो मुशरिक थे या मुनाफ़िक़। क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि मुराद इससे वे लोग हैं जो बुराईयों में शिर्क में उनके सरदार थे। अबुल-आ़लिया, सुद्दी, रबीअ़ बिन अनस रह. भी यही तफ़सीर करते हैं। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि हर बहकाने और सरकशी करने वाले को शैतान कहते हैं, जिन्नों में से

हो या इनसानों में से। क़ुरआन में भी 'शयातीनिल् इन्सि वल-जिन्नि' आया है। हदीस शरीफ़ में है कि हम जिन्नों और इनसानों के शैतान से अल्लाह तआला की पनाह माँगते हैं। हज़रत अबूज़र रज़ि. ने पूछा या रसूलल्लाह! क्या इनसान के शैतान भी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हाँ।

जब ये मुनाफ़िक़ मुसलमानों से मिलते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, यानी जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। और जब अपने काफ़िर दोस्तों से मिलते तो कहते हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं, हम तो उनका मज़ाक़ बनाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास, रबीअ़ बिन अनस और क़तादा रह. की यही तफ़सीर है। अल्लाह तआला उनको जवाब देते हुए उनके इस मक्रूह (बुरे) फ़ेल के मुक़ाबले में फ़रमाता है कि अल्लाह तआला भी उनसे मज़ाक़ करेगा और उन्हें उनकी सरकशी में बहकने देगा। जैसे एक और जगह है कि क़ियामत के रोज़ मुनाफ़िक़ मर्द व औरत ईमान वालों से कहेंगे- ज़रा ठहर जाओ, हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठायें। कहा जायेगा- अपने पीछे लौट जाओ और नूर की तलाश करो। उनके लौटते ही दरमियान में एक दीवार बाधा कर दी जायेगी जिसमें दरवाज़ा होगा, इस तरफ़ तो रहमत होगी उस तरफ़ अ़ज़ाब होगा। एक और जगह अल्लाह का फ़रमान है कि काफ़िर हमारी ढील को अपने हक़ में बेहतर न जानें, इस ताख़ीर (देरी) में वे अपने बुरे आमाल में और बढ़ जाते हैं। पस क़ुरआन में जहाँ मज़ाक़ उड़ाने, धोखा देने के अलफ़ाज़ आये हैं वहाँ यही मुराद है। एक और जमाअ़त कहती है कि ये अलफ़ाज़ सिर्फ़ डाँट-डपट और तंबीह (चेतावनी) के तौर पर इस्तेमाल किये गये हैं, उनके बुरे आमाल और उनके कुफ़्र व शिर्क पर उन्हें मलामत की गयी है। कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये अलफ़ाज़ सिर्फ़ जवाब में लाये गये हैं जैसे कोई भला आदमी किसी मक्कार के फ़रेब से बचकर उस पर ग़ालिब आकर कहता है "कहो मैंने कैसा फ़रेब दिया" हालाँकि उसकी तरफ़ से फ़रेब नहीं होता, इसी तरह अल्लाह तआला का फ़रमान है:

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ.......الخ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ.....الخ

वरना ख़ुदा की ज़ात मक्र (फ़रेब) और मज़ाक़ से पाक है। मतलब यह है कि उनका फ़रेब उन्हीं को बरबाद करता है। इन अलफ़ाज़ का यह भी मतलब बयान किया गया है कि अल्लाह उनके मज़ाक़ उड़ाने, धोखे और मज़ाक़ का उनको बदला देगा, तो बदले में भी वही अलफ़ाज़ इस्तेमाल किये गये। मायने दोनों लफ़्ज़ों के दोनों जगह अलग-अलग हैं। देखिये क़ुरआने करीम में है:

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا.

यानी बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। एक जगह फ़रमाया:

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ.

कि जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर ज़्यादती करो।

तो ज़ाहिर है कि बुराई का बदला लेना हक़ीक़त में बुराई नहीं। ज़्यादती के मुक़ाबले में बदला लेना ज़्यादती नहीं। लेकिन लफ़्ज़ दोनों जगह एक ही हैं, हालाँकि पहली बुराई और ज़्यादती ज़ुल्म है और दूसरी बुराई और ज़्यादती अ़दल (इन्साफ़ और बराबरी) है, लेकिन लफ़्ज़ दोनों जगह एक है। इसी तरह जहाँ-जहाँ अल्लाह के कलाम में ऐसी इबारतें हैं वहाँ भी यही मतलब है।

एक और मतलब भी सुनिये- दुनिया में ये मुनाफ़िक़ अपनी इस गन्दी पॉलीसी से मुसलमानों के साथ मज़ाक़ करते थे, ख़ुदा ने भी उनके साथ यही किया कि दुनिया में उन्हें अमन व अमान मिल गया, अब ये

मस्त बन गये। हालाँकि यह आरज़ी (वक़्ती और अस्थाई) अमन है, क़ियामत वाले दिन उन्हें कोई अमन नहीं। यहाँ अगरचे उनके माल और उनकी जानें बच गयीं लेकिन ख़ुदा के यहाँ दर्दनाक अ़ज़ाब का शिकार होंगे। इमाम इब्ने जरीर रह. ने इसी क़ौल को तरजीह दी है और इसकी बहुत कुछ ताईद की है, इसलिये कि मक्र, धोखे और मज़ाक़ जो बिला वजह हो उससे तो ख़ुदा की ज़ात पाक है, हाँ इन्तिक़ाम और बदले के तौर पर ये अलफ़ाज़ ख़ुदा के बारे में कहने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं कि यह उनसे बदला और उनकी सज़ा है। 'यमुद्दुहुम' का मतलब ढील देना और बढ़ाना बयान किया गया है, जैसा कि फ़रमायाः

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ......... الخ.

यानी क्या ये यूँ समझ बैठे हैं कि उनके माल औलाद की ज़्यादती उनके लिये कोई भली चीज़ है? नहीं नहीं! उन्हें सही शऊर ही नहीं है। एक जगह इरशाद हैः

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

इस तरह हम उन्हें ढील देकर पकड़ेंगे कि उन्हें पता भी न चलेगा।

तो मतलब यह हुआ कि इधर ये गुनाह करते हैं उधर दुनियावी नेमतें ज़्यादा होती हैं, ये ख़ुश हो जाते हैं, हालाँकि दर असल वह अ़ज़ाब ही है। क़ुरआने पाक ने एक और जगह फ़रमायाः

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ○ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

यानी जब उन लोगों ने नसीहत भुला दी हमने उन पर तमाम चीज़ों के दरवाज़े खोल दिये, यहाँ तक कि वे अपनी चीज़ों पर नाज़ाँ (इतराने वाले) हो गये तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, अब घबरा गये। ज़ालिमों की बरबादी हुई और कह दिया गया कि तारीफ़ें रब्बुल-आ़लमीन के लिये ही हैं।

इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि उन्हें ढील देने और उन्हें अपनी सरकशी और बग़ावत में बढ़ने के लिये उनको ज़्यादती दी जाती है, जैसे एक और जगह फ़रमायाः

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ○

और हम भी उनके दिलों और निगाहों को फेर देंगे जैसा ये लोग इस पर पहली दफ़ा ईमान नहीं लाये और हम उनको उनकी सरकशी व नाफ़रमानी में हैरान व परेशान रहने देंगे। (सूरः अन्आ़म आयत 111)

'तुग़यान' कहते हैं किसी चीज़ में घुस जाने को। जैसे फ़रमायाः

لَمَّا طَغَى الْمَآءُ.

जब पानी घुस गया।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- वे अपने कुफ़्र में गिरे जाते हैं। 'अ़मह' कहते हैं गुमराही को, तो इस जुमले का मतलब यह हुआ कि गुमराही व कुफ़्र में डूब गये और उस नापाकी ने उन्हें घेर लिया। अब ये उसी दलदल में उतरे जाते हैं और उसी नापाकी में फंसे जाते हैं और छुटकारे की तमाम राहें उन पर बन्द हो गयी हैं। भला ऐसे दलदल में हो, फिर अन्धा बहरा और बेवक़ूफ़ हो, वह कैसे निजात पा सकता है। आँखों के अन्धेपन के लिये अ़रबी में 'अ़मयुन' का लफ़्ज़ आता है और दिल के अन्धेपन के लिये 'अ़मह'

का, लेकिन कभी दिल के अन्धेपन के लिये भी अ़मयुन का लफ़्ज़ आता है, जैसे क़ुरआन में आता हैः

وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ.

लेकिन उनके वे दिल अंधे हो गये हैं जो सीनों में हैं।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○	ये वे लोग हैं कि उन्होंने गुमराही ले ली बजाय हिदायत के, तो फ़ायदेमन्द न हुई उनकी यह तिजारत और न ये ठीक तरीक़े पर चले। (16)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से मरवी है कि उन्होंने हिदायत छोड़ दी और गुमराही ले ली। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि उन्होंने ईमान के बदले कुफ़्र क़बूल किया। इमाम मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि ईमान लाये फिर काफ़िर हो गये। क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि हिदायत पर गुमराही को ये पसन्द करते हैं जैसे एक और जगह क़ौमे समूद के बारे में हैः

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى.

यानी इसके बावजूद कि हमने क़ौमे समूद को राह दिखा दी मगर फिर भी उन्होंने उस रहनुमाई के बजाय गुमराही को पसन्द किया।

मतलब यह हुआ कि मुनाफ़िक़ लोग हिदायत से हटकर गुमराही पर आ गये और हिदायत के बदले गुमराही ले ली। गोया हिदायत को बेचकर गुमराही ली। अब चाहे ईमान लाकर फिर काफ़िर हुए हों या सिरे से ईमान ही नसीब न हुआ हो, और उन मुनाफ़िक़ों में दोनों क़िस्म के लोग थे। चुनाँचे क़ुरआन में हैः

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ.

यह इसलिये है कि ये लोग ईमान लाकर फिर काफ़िर हो गये। पस उनके दिलों पर मोहर कर दी गयी।

और ऐसे भी मुनाफ़िक़ थे जिन्हें ईमान नसीब ही न हुआ। पस न तो उन्हें इस सौदे में फ़ायदा हुआ न राह मिली, बल्कि हिदायत के बाग़ और फुलवारी से निकल कर गुमराही के काँटों भरे जंगल में और जमाअ़त के मज़बूत क़िले से निकलकर बिखराव और अफ़रा-तफ़री में पड़ गये। अमन के वसीअ़ मैदान से निकलकर ख़ौफ़ की अन्धेरी कोठरी में और सुन्नत के पाकीज़ा गुलशन से निकलकर बिद्अ़त के मुर्झाये जंगल में आ गये।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○	उनकी हालत उस शख़्स की हालत के जैसी है जिसने कहीं आग जलाई हो, फिर जब रोशन कर दिया हो उस आग ने उस शख़्स के आस-पास की सब चीज़ों को, ऐसी हालत में छीन लिया हो अल्लाह तआ़ला ने उनकी रोशनी को और छोड़ दिया हो उनको अन्धेरों में कि कुछ देखते भालते न हों। (17) बहरे हैं, गूँगे हैं, अंधे हैं, सो ये अब रुजू न होंगे। (18)

मिसाल को अ़रबी में मसील भी कहते हैं। इसकी जमा (बहुवचन) 'अमसाल' आती है। जैसे क़ुरआने पाक में है:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ...... الخ.

यानी ये मिसालें हम लोगों के लिये बयान करते हैं जिन्हें सिर्फ़ आ़लिम ही समझते हैं।

आयत शरीफ़ का मतलब यह है कि मुनाफ़िक़ जो गुमराही को हिदायत के बदले और अन्धेपन को बीनाई के बदले मोल लेते हैं उनकी मिसाल उस शख़्स जैसी है जो अंधेरे में आग जलाये, उससे दायें-बायें की चीज़ें उसे नज़र आने लगें, परेशानी दूर हो और फ़ायदे की उम्मीद बंधे कि अचानक आग बुझ जाये और सख़्त अंधेरा छा जाये, न तो निगाह काम करे न रास्ता मालूम हो सके, और बावजूद इसके वह शख़्स ख़ुद बहरा हो, किसी की बात को न सुन सकता हो। गूँगा हो किसी से मालूम न कर सकता हो, अन्धा हो जो बिना रोशनी के काम न चला सकता हो। अब भला यह राह कैसे पा सकेगा? ठीक इसी तरह ये मुनाफ़िक़ भी हैं कि ये हिदायत को छोड़कर राह गुम कर बैठे और भलाई को छोड़कर बुराई को चाहने लगे। इस मिसाल से पता चलता है कि उन लोगों ने ईमान क़बूल करके कुफ़्र किया था। जैसे क़ुरआने करीम में कई जगह यह सराहत (स्पष्टता) मौजूद है। वल्लाहु आलम।

इमाम राज़ी रह. ने अपनी तफ़सीर में इमाम सुद्दी रह. से यही नक़ल किया है। फिर कहा है कि ये मिसाल बहुत ही दुरुस्त और सही है, इसलिये कि पहले तो उन मुनाफ़िक़ों को नूरे ईमान हासिल हुआ, फिर उनके निफ़ाक़ की वजह से वह बुझ गया, ये हैरत में पड़ गये और दीन की हैरत से बड़ी हैरत और क्या होगी? इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि जिनकी यह मिसाल बयान की गयी है उन्हें किसी वक़्त भी ईमान नसीब ही न हुआ था, क्योंकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान पहले गुज़र चुका है:

وَمَاهُم بِمُؤْمِنِيْنَ.

यानी अगरचे ज़बान से ये अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत पर ईमान लाने की कहते हैं मगर हक़ीक़त में ये ईमान वाले नहीं।

लेकिन ठीक बात यह है कि इस आयते मुबारक में उनके कुफ़्र व निफ़ाक़ के वक़्त की ख़बर दी गयी है, इससे इसका इनकार नहीं होता कि उस हालते कुफ़्र व निफ़ाक़ से पहले कभी उन्हें ईमान हासिल ही नहीं हुआ। मुम्किन है ईमान लाये हों फिर उससे हट गये और अब दिलों पर मोहरें लग गयी हों। देखिये एक और जगह क़ुरआने करीम में है:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا......... الخ.

यह इसलिये है कि उन्होंने ईमान के बाद कुफ़्र किया, फिर उनके दिलों पर मोहर लग गयी, अब वे कुछ नहीं समझते।

यही वजह है कि इस मिसाल में रोशनी और अंधेरे का ज़िक्र है। यानी ईमान के कलिमे को ज़ाहिर करने की वजह से दुनिया में कुछ नूर हो गया, लेकिन कुफ़्र के छुपाने की वजह से फिर आख़िरत के अंधेरों ने घेर लिया। एक जमाअ़त की मिसाल तन्हा एक शख़्स से अक्सर आया करती है (यानी यहाँ पर सिर्फ़ एक आदमी मुराद नहीं, बल्कि एक जमाअ़त मुराद है)। क़ुरआने पाक में एक और जगह है:

رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ.

तू देखेगा कि वे तेरी तरफ़ आँखें फेर-फेर कर इस तरह देखते हैं जिस तरह वह शख़्स जो मौत की सख़्तियों में हो। और इस आयत को भी देखियेः

مَاخَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

तुम सब का पैदा करना और मार डालने के बाद फिर ज़िन्दा कर देना ऐसा ही है जैसे एक जान का।

तीसरी जगह तौरात को सीखकर अ़मल अ़क़ीदा उसके मुताबिक़ न रखने वालों की मिसाल में कहा गया हैः

كَمَثَلِ الْحِمَارِيَحْمِلُ اَسْفَارًا.

गधे की मानिन्द हैं जो किताबें लादे हुए हो।

इन सब आयतों में जमाअ़त की मिसाल एक फ़र्द से दी गयी है। इसी तरह ऊपर ज़िक्र हुई आयत में मुनाफ़िक़ों की जमाअ़त की मिसाल एक शख़्स से दी गयी। बाज़ कहते हैं कि कलाम का मतलब यह है कि उनके वाक़िए की मिसाल उन लोगों के वाक़िए की तरह है जो आग रोशन करें। बाज़ कहते हैं कि आग जलाने वाला तो एक है, लेकिन जलाता है एक जमाअ़त के लिये, जो उसके साथ है।

'अल्लाह तआ़ला उनकी रोशनी ले गया' इससे मतलब यह है कि जो नूर नफ़ा देने वाला था वह तो उनसे हटा लिया और जिस तरह आग के बुझ जाने के बाद तपिश, धुआँ और अंधेरा रह जाता है इसी तरह उनके पास नुक़सान पहुँचाने वाली चीज़ यानी शक, कुफ़्र और निफ़ाक़ रह गया। न तो सीधे रास्ते को ख़ुद देख सकें न दूसरे की भली बात सुन सकें, न किसी से भलाई का सवाल कर सकें। अब फिर लौटकर हिदायत पर आना मुहाल हो गया। इसकी ताईद में मुफ़स्सिरीन के अक़वाल सुनिये-

हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और बाज़ और सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद कुछ लोग इस्लाम में आये मगर फिर मुनाफ़िक़ बन गये, उनकी मिसाल उस शख़्स जैसी है जो अंधेरे में हो, फिर आग जलाकर रोशनी हासिल करे और आस-पास की भलाई बुराई देखने लगे, और मालूम करे कि किस रास्ते में क्या है? कि अचानक आग बुझ जाये, रोशनी जाती रहे, अब मालूम नहीं हो सकता कि किस रास्ते में क्या-क्या है? इसी तरह मुनाफ़िक़ शिर्क व कुफ़्र के अंधेरे में थे, फिर इस्लाम लाकर भलाई बुराई यानी हलाल व हराम वग़ैरह देखने लगे, मगर फिर काफ़िर हो गये और हराम व हलाल ख़ैर व शर में कुछ तमीज़ न रही।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं नूर से मुराद ईमान और ज़ुल्मत से मुराद गुमराही व कुफ़्र है। ये लोग हिदायत पर थे लेकिन फिर सरकशी करके बहक गये। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि ईमान लाने और हिदायत की तरफ़ रुख़ करने को मिसाल में आस-पास की चीज़ों के रोशन करने से ताबीर किया गया। हज़रत अ़ता ख़ुरासानी का क़ौल है कि मुनाफ़िक़ कभी-कभी भलाई को देख लेता है और पहचान भी लेता है, लेकिन फिर उसके दिल का अन्धापन उस पर ग़ालिब आ जाता है। हज़रत इक्रिमा, अ़ब्दुर्रहमान, हसन, सुद्दी और रबीअ़ से भी यही मन्क़ूल है। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं कि मुनाफ़िक़ों की यही हालत है कि ईमान लाते हैं और उसकी पाकीज़ा रोशनी से उनके दिल जगमगा उठते हैं, जिस तरह आग के जलाने से आस-पास की चीज़ें रोशन हो जाती हैं। लेकिन फिर कुफ़्र की वजह से वह रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिस तरह आग के बुझ जाने से अंधेरा छा जाता है।

ये सब अक़वाल तो हमारी इस तफ़सीर की ताईद में थे कि जिन मुनाफ़िक़ों की यह मिसाल बयान की

गयी है वे ईमान ला चुके थे। फिर कुफ़्र किया। अब इमाम इब्ने जरीर रह. की ताईद में जो तफ़सीर है उसे भी सुनिये। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये मिसाल मुनाफ़िक़ों की है कि वे इस्लाम की वजह से इज़्ज़त पा लेते हैं, मुसलमानों में निकाह, मीरास का हिस्सा और माले ग़नीमत की तक़सीम होने लगती है, लेकिन मरते ही यह इज़्ज़त खोई जाती है। जिस तरह आग की रोशनी आग बुझते ही जाती रहती है। अबुल-आ़लिया फ़रमाते हैं कि जब मुनाफ़िक़ "ला इला-ह इल्लल्लाहु" पढ़ता है तो दिल में नूर पैदा होता है, फिर जहाँ शक किया वह नूर गया। जिस तरह लकड़ियाँ जब तक जलती रहें रोशनी रही, जहाँ बुझें रोशनी ख़त्म हुई। इमाम ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि नूर से मुराद यहाँ ईमान है जो उनकी ज़बानों पर था। क़तादा रह. कहते हैं कि "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहने से मुनाफ़िक़ को दुनियावी नफ़ा जैसे मुसलमानों में लड़के लड़की का लेन-देन, मीरास के हिस्से की तक़सीम, जान व माल की हिफ़ाज़त वग़ैरह मिल जाती है, लेकिन चूँकि उसके दिल में ईमान और उसके कामों में सच्चाई नहीं होती इसलिये मौत के वक़्त ये सब मुनाफ़े (फ़ायदे और लाभ) उससे छिन जाते हैं। जैसे आग की रोशनी बुझ जाये।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अंधेरियों में छोड़ देना मरने के बाद अ़ज़ाब होना है। ये लोग हक़ देखते हैं, ज़बान से कहते हैं और कुफ़्र के अंधेरे से निकल जाते हैं, लेकिन फिर अपने कुफ़्र व निफ़ाक़ की वजह से हिदायत और हक़ पर क़ायम रहना इनसे छिन जाता है। इमाम सुद्दी रह. का क़ौल है कि अंधेरे से मुराद उनका निफ़ाक़ है। हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि मौत के वक़्त मुनाफ़िक़ की बद-आमालियाँ अंधेरों की तरह उस पर छा जाती हैं और कोई भलाई की रोशनी उसके लिये बाक़ी नहीं रहती, जिससे उसकी तौहीद (ईमान और अल्लाह को एक मानने) की तस्दीक़ हो। वे बहरे हैं हक़ के सुनने से, अन्धे हैं सही रास्ते को देखने और समझने से, हिदायत की तरफ़ लौट नहीं सकते। न तो उन्हें तौबा नसीब होती है न नसीहत हासिल कर सकते हैं।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ
رَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ
اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ
وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ
يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ
مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَ
لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ
اَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

या उन मुनाफ़िक़ों की ऐसी मिसाल है जैसे बारिश हो आसमान की तरफ़ से, उसमें अन्धेरा भी हो और बिजली व कड़क भी हो, जो लोग उस बारिश में चल रहे हैं वे ठूँसे लेते हैं अपनी उंगलियाँ अपने कानों में कड़क के सबब मौत के अन्देशे से, और अल्लाह तआ़ला घेरे में लिए हुए हैं काफ़िरों को। (19) बिजली की यह हालत है कि मालूम होता है कि अभी उनकी आँखों की रोशनी उसने ली। जहाँ ज़रा उनको बिजली की चमक हुई तो उसकी रोशनी में चलना शुरू किया और जब उनपर अन्धेरा हुआ फिर खड़े के खड़े रह गए, और अगर अल्लाह तआ़ला इरादा करते तो उनके आँख-कान सब छीन लेते, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर हैं। (20)

यह दूसरी मिसाल है जो दूसरी क़िस्म के मुनाफ़िक़ों के लिये बयान की गयी है। यह वह क़ौम है जिन पर कभी हक़ ज़ाहिर हो जाता है और कभी फिर शक में पड़ जाते हैं। तो शक के वक़्त उनकी मिसाल बरसात की सी है। "सय्यिब" के मायने मींह और बारिश के हैं। बाज़ ने बादल के मायने भी बयान किये हैं लेकिन ज़्यादा मशहूर मायने बारिश के ही हैं, जो अंधेरे में बरसे। 'ज़ुलुमात' से मुराद शक और कुफ़्र व निफ़ाक़ है, और 'रअ़द' यानी गरज जो अपनी ख़ौफ़नाक आवाज़ से दिल हिला देती है। यही हाल मुनाफ़िक़ का है कि उसे हर वक़्त डर, ख़ौफ़, घबराहट और परेशानी ही रहती है। जैसे एक और जगह है:

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ.

यानी हर आवाज़ को अपने ऊपर ही समझते हैं।

एक और जगह इरशाद है कि ये मुनाफ़िक़ लोग ख़ुदा की क़समें खा-खाकर कहते हैं कि वे तुममें से हैं, लेकिन दर असल वे डरपोक लोग हैं। अगर वे कोई पनाह की जगह या रास्ता पा लें तो यक़ीनन वे उसमें सिमट कर घुस जायें। बिजली से मिसाल दी है उस नूरे ईमान की जो उनके दिलों में किसी वक़्त चमक उठता है तो वे उस वक़्त अपनी उंगलियाँ मौत के डर से कानों में डाल लेते हैं, लेकिन ये उन्हें कोई नफ़ा न देगा। ये ख़ुदा तआ़ला की क़ुदरतों और उसके इरादे के मातहत हैं, ये बच नहीं सकते। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ......... الخ.

यानी क्या तुम्हें लश्करियों की फ़िरऔनियों और समूदियों की रिवायतें नहीं पहुँचीं? पहुँची तो हैं लेकिन उन काफ़िरों को सिवाय झुठलाने के और कोई काम नहीं है। और अल्लाह तआ़ला भी उन्हें उनके पीछे से घेर रहा है। बिजली का आँखों को उचक लेना उसकी क़ुव्वत, सख़्ती और उन मुनाफ़िक़ों की बीनाई (आँखों की रोशनी) की कमज़ोरी और उनका ज़ईफ़ ईमान है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि क़ुरआन की मज़बूत आयतें उन मुनाफ़िक़ों की क़लई खोल देंगी और उनके छुपे हुए ऐब ज़ाहिर कर देंगी और अपनी नूरानियत से उन्हें हैरान और भौंचक्के कर देंगी। जब उन पर अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं, यानी ईमान उन पर ज़ाहिर हो जाता है तो ज़रा रोशन-दिल होकर पैरवी भी करने लगते हैं, लेकिन फिर जहाँ शक व शुब्हा आया कि दिल में कदूरत और अंधेरा भर गया और भौंचक्के होकर खड़े रह गये। इसका यह मतलब भी है कि इस्लाम को ज़रा उरूज (तरक़्क़ी) मिला तो उनके दिल में किसी क़द्र इत्मीनान पैदा हुआ, लेकिन जहाँ इसके ख़िलाफ़ नज़र आया तो ये उल्टे पैरों कुफ़्र की तरफ़ लौटने लगे। जैसे अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ......... الخ.

यानी बाज़ लोग वे भी हैं जो किनारे पर खड़े-खड़े ख़ुदा की इबादत करते हैं। अगर भलाई मिली तो सन्तुष्ट हुए और अगर बुराई पहुँची तो उसी वक़्त फिर गये।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. यह भी फ़रमाते हैं कि उनका रोशनी में चलना हक़ को जानकर इस्लाम का कलिमा पढ़ना है, और अंधेरे में ठहर जाना कुफ़्र की तरफ़ लौट जाना है। और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन का यही क़ौल है, और ज़्यादा सही और ज़ाहिर भी यही क़ौल है। वल्लाहु आलम।

क़ियामत के दिन भी उनका यही हाल रहेगा कि जब लोगों को उनके ईमान के अन्दाज़े के मुताबिक़

नूर मिलेगा। बाज़ को कई-कई मीलों तक का, बाज़ को उससे भी ज़्यादा, किसी को उससे कम, यहाँ तक कि किसी को इतना नूर मिलेगा कि कभी रोशन हुआ और कभी अंधेरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़रा सी दूर चल सकेंगे फिर ठहर जायेंगे, फिर ज़रा सी दूर का नूर मिलेगा फिर बुझ जायेगा, और बाज़ वे बेनसीब भी होंगे कि उनका नूर बिल्कुल बुझ जायेगा। ये पूरे मुनाफ़िक़ होंगे जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا....... الخ.

यानी जिस दिन मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औ़रतें ईमान वालों को पुकारेंगी और कहेंगी कि ज़रा रुको हमें भी आ लेने दो, ताकि हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठायें। तो कहा जायेगा कि अपने पीछे लौट जाओ और नूर ढूँढ लाओ। और मोमिनों के बारे में अल्लाह तआ़ला फ़रमाते है:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ.... الخ.

यानी उस दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्द व औ़रतों के आगे-आगे और दायें जानिब नूर होगा। और कहा जायेगा कि तुम्हें आज के दिन जन्नतों की ख़ुशख़बरियाँ हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और फ़रमाया जिस दिन न रुस्वा करेगा अल्लाह तआ़ला नबी को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाये और नूर उनके आगे और दायें होगा। वे कह रहे होंगे ऐ हमारे रब! हमारे लिये हमारा नूर पूरा कर और हमें बख़्श, यक़ीनन तू हर चीज़ पर क़ादिर है। इन आयतों के बाद अब इस मज़मून की हदीसें भी क़ाबिले ग़ौर हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बाज़ मोमिनों को मदीना से लेकर अ़दन तक नूर मिलेगा, बाज़ को इससे कम, यहाँ तक कि बाज़ को इतना कम कि सिर्फ़ पाँव रखने की जगह ही रोशन होती होगी। (इब्ने जरीर) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि ईमान वालों को उनके आमाल के मुताबिक़ नूर मिलेगा, बाज़ को खजूर के दरख़्त जितना, किसी को इनसानी क़द जितना, किसी को सिर्फ़ इतना ही कि उसका अंगूठा ही रोशन हो, कभी बुझ जाता हो कभी रोशन हो जाता हो। (इब्ने अबी हातिम)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि उन्हें नूर मिलेगा उनके आमाल के मुताबिक़, जिसकी रोशनी में वे पुलसिरात से गुज़रेंगे। बाज़ लोगों का नूर पहाड़ों जितना होगा, बाज़ों का खजूर जितना और सबसे कम नूर वाला वह होगा जिसका नूर उसके अंगूठे पर होगा, कभी चमक उठेगा और कभी बुझ जायेगा। (इब्ने अबी हातिम) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सब तौहीद वालों को क़ियामत के दिन नूर मिलेगा। जब मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जायेगा तो ईमान वाले डरकर कहेंगे:

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا.

ऐ हमारे रब! हमारे नूर को पूरा कर। (इब्ने अबी हातिम)

इमाम ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम रह. का भी यही क़ौल है। इन हदीसों से मालूम हुआ कि क़ियामत वाले दिन लोग कई क़िस्म के होंगे, ख़ालिस मोमिन वे जिनका बयान पहली चार आयतों में हुआ। ख़ालिस काफ़िर जिनका ज़िक्र उसके बाद की दो आयतों में है, और मुनाफ़िक़ जिनकी दो क़िस्में हैं- एक तो ख़ालिस मुनाफ़िक़ जिनकी मिसाल आग की रोशनी से दी गयी। दूसरे वे मुनाफ़िक़ जो शक व शुब्हे और दुविधा में हैं, कभी तो ईमान चमक उठता है, कभी बुझ जाता है, उन्हीं की मिसाल बारिश से दी गयी है। ये पहली क़िस्म के मुनाफ़िक़ों से कुछ कम हैं। ठीक इसी तरह सूरः नूर में भी अल्लाह तबारक व तआ़ला ने मोमिन

और उसके दिल के नूर की मिसाल उस रोशन चिराग़ से दी है जो फ़ानूस में रोशन हो, और ख़ुद फ़ानूस भी चमकते हुए तारे की तरह हो। चुनाँचे ईमान वाले का एक तो ख़ुद दिल रोशन, दूसरे ख़ालिस शरीअ़त की उसे इमदाद, पस रोशनी पर रोशनी, नूर पर नूर हो जाता है। इसी तरह दूसरी जगह काफ़िरों की मिसाल भी बयान की जो अपनी नादानी की वजह से अपने आपको कुछ समझते हैं और हक़ीक़त में वे कुछ नहीं होते।

फ़रमाया कि काफ़िरों के आमाल की मिसाल सुराब (चमकते रेत) की तरह है जिसे प्यासा पानी समझता है, यहाँ तक कि पास आकर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता। फिर एक और मौक़े पर उन जाहिल काफ़िरों की मिसाल बयान की जो अपने जहल (अज्ञानता) में मुब्तला हैं। फ़रमाया सख़्त अंधेरियों की तरह जो गहरे समन्दर में हो, जो मौजों पर मौजें मार रहा हो, फिर ऊपर से ढका हुआ हो और अंधेरों पर अंधेरे छाये हों, हाथ निकाले तो देख भी नहीं सकता। हक़ीक़त यह है कि जिसके लिये ख़ुदा की तरफ़ से नूर न हो उसके पास नूर कहाँ से आये? पस काफ़िरों की भी दो क़िस्में कीं- एक तो दूसरों को कुफ़्र की तरफ़ बुलाने वाले, दूसरे उनकी तक़लीद (पैरवी) करने वाले। जैसे सूरः हज के शुरू में हैः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ........ الخ.

बाज़ वे लोग हैं जो ख़ुदा के बारे में इल्म के बग़ैर झगड़ते हैं, और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं। एक और जगह फ़रमायाः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ.

बाज़ लोग इल्म, हिदायत और रोशन किताब के बग़ैर ख़ुदा के बारे में लड़ते झगड़ते हैं।

सूरः वाक़िआ के शुरू में और आख़िर में सूरः निसा में मोमिनों की भी दो क़िस्में बयान की हैं- 'साबिक़ीन' और 'अस्हाबे यमीन'। यानी अल्लाह तआ़ला के ख़ास, क़रीबी और परहेज़गार व नेकोकार लोग। पस इन आयतों से मालूम हुआ कि मोमिनों की दो जमाअ़तें हैं- मुक़र्रब (अल्लाह के ख़ास और क़रीबी) और अबरार (नेक लोग)। और काफ़िरों की भी दो क़िस्में हैं- कुफ़्र की तरफ़ बुलाने वाले और उनकी तक़लीद (पैरवी) करने वाले। और मुनाफ़िक़ों की भी दो क़िस्में हैं, ख़ालिस और पक्के मुनाफ़िक़ और वे मुनाफ़िक़ जिनमें निफ़ाक़ की एक-आध शाख़ है।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हदीस है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन ख़स्लतें हैं जिसमें ये तीनों हों वह पक्का मुनाफ़िक़ है, और जिसमें एक हो उसमें एक ख़स्लत निफ़ाक़ की है, जब तक उसे न छोड़े। बात करने में झूठ बोलना, वायदा ख़िलाफ़ी करना, अमानत में ख़ियानत करना। इससे मालूम हुआ कि इनसान में कभी निफ़ाक़ का कुछ हिस्सा होता है चाहे वह निफ़ाक़े अ़मली हो या निफ़ाक़े एतिक़ादी, जैसा कि आयत व हदीस से मालूम होता है। पहले उलेमा और बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त और उलेमा-ए-किराम के एक गिरोह का यही मज़हब है। इसका बयान पहले भी गुज़र चुका है और आगे भी आयेगा इन्शा-अल्लाह।

मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दिल चार क़िस्म के हैं, एक तो साफ़ दिल जो रोशन चिराग़ की तरह चमक रहा हो, दूसरे वे दिल जो ग़िलाफ़े (पर्दे) चढ़े हुए हैं, तीसरे वे दिल जो उल्टे हैं, चौथे वे दिल जो मख़्लूत (मिले-जुले) हैं। पहला दिल तो मोमिन का है जो पूरी तरह नूरानी

है। दूसरा काफ़िरों का दिल है जिस पर पर्दे पड़े हुए हैं। तीसरा दिल ख़ालिस मुनाफ़िक़ों का है जो जानता है और इनकार करता है। चौथा दिल उस मुनाफ़िक़ का है जिसमें ईमान व निफ़ाक़ दोनों जमा हैं। ईमान की मिसाल उस सब्ज़े की तरह है जो पाकीज़ा पानी से बढ़ रहा हो, और निफ़ाक़ की मिसाल उस फोड़े की तरह है जिस में पीप और ख़ून बढ़ता ही जाता हो। अब जो माद्दा बढ़ जाये वह दूसरे पर ग़ालिब आ जाता है। यह हदीस सनद के एतिबार से बहुत क़वी (मज़बूत) है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अगर ख़ुदा चाहे तो उनके कान और आँखें बरबाद कर दे। मतलब यह है कि जब उन्होंने हक़ को जानकर उसे छोड़ दिया तो ख़ुदा हर चीज़ पर क़ादिर है, यानी अगर चाहे तो अ़ज़ाब व सज़ा करे, अगर चाहे माफ़ कर दे। यहाँ क़ुदरत का बयान इसलिये किया है कि पहले मुनाफ़िक़ों को अपने अ़ज़ाब और अपने ज़बरदस्त होने से डराया और कह दिया कि वह उन्हें घेर लेने पर क़ादिर है। क़दीर के मायने क़ादिर के हैं, जैसे अ़लीम के मायने आ़लिम के हैं। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि ये दो मिसालें एक ही क़िस्म के मुनाफ़िक़ों की हैं। 'औ' मायने में 'व' के है यानी 'और'। जैसे फ़रमायाः

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا.

(सूरः दहर आयत 24)

या लफ़्ज़ 'औ' इख़्तियार देने के लिये है, यानी चाहे यह मिसाल बयान करो चाहे वह मिसाल बयान करो, इख़्तियार है। इमाम क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि 'औ' यहाँ पर बराबरी के लिये है जैसे अ़रबी ज़बान का मुहावरा हैः

جالس الحسن او ابن سیرین.

कि चाहे हसन बसरी के पास बैठो या इब्ने सीरीन के।

ज़मख़्शरी भी यही तौजीह करते हैं। तो मतलब यह होगा कि इन दोनों मिसालों में से जौनसी मिसाल चाहो बयान करो, दोनों उनके हाल के मुताबिक़ हैं। लेकिन हमारा अपना ख़्याल यह है कि यह मुनाफ़िक़ों की क़िस्मों के एतिबार से है, उनके अहवाल व सिफ़ात तरह-तरह के हैं। जैसा कि सूरः बराअत में उनकी बहुत सी क़िस्में बहुत से अहवाल और बहुत से अक़वाल बयान किये हैं। तो ये दोनों मिसालें दो क़िस्म के मुनाफ़िक़ों की हैं, जो उनके अहवाल और सिफ़ात के बिल्कुल मिलती और उनके मुताबिक़ हैं। वल्लाहु आलम। जैसे कि सूरः नूर में दो क़िस्म के काफ़िरों की मिसालें बयान कीं, एक कुफ़्र की तरफ़ बुलाने वाले दूसरे मुक़ल्लद (पैरवी करने वाले)। फ़रमायाः

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ.

फिर फ़रमायाः

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ.........الخ

पस पहली मिसाल यानी रेत के तोदे की, कुफ़्र की तरफ़ बुलाने वालों की है जो अपने दोहरे जहल (अज्ञानता) में फंसे हुए हैं, दूसरी मिसाल मुक़ल्लिदों (पैरवी करने वालों) की है जो अपनी नादानी में मुब्तला हैं। वल्लाहु आलम।

ऐ लोगो! इबादत इख़्तियार करो अपने परवर्दिगार की जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी कि तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, अ़जब नहीं कि तुम दोज़ख़ से बच जाओ। (21) वह ज़ाते पाक ऐसी है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत, और बरसाया आसमान से पानी, फिर नापैदी के पर्दे से निकाला बज़रिये उस पानी के फलों की गिज़ा को तुम लोगों के वास्ते, तो अब मत ठहराओ अल्लाह के मुक़ाबिल और तुम जानते बूझते हो। (22)	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

यहाँ से अल्लाह तआ़ला की तौहीद (एक होना) और उसकी उलूहीयत (माबूद होने) का बयान शुरू होता है। वही अपने बन्दों को अ़दम (नापैदी) से वजूद में लाया, उसी ने हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें अ़ता फ़रमायीं, उसी ने ज़मीन का फ़र्श बनाया और उसमें मज़बूत पहाड़ों की मेख़ें (कीलें) गाड़ दीं और आसमान को छत बनाया। जैसे एक दूसरी आयत में आया है:

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا...... الخ.

यानी आसमान को हमने महफ़ूज़ छत बनाया बावजूद इसके वे निशानियों से मुँह मोड़ लेते हैं।

पानी आसमान से उतारने का मतलब बादल से नाज़िल फ़रमाना है। उस वक़्त जबकि लोग उसके पूरे मोहताज हों, फिर उस पानी से तरह-तरह के फल-फूल पैदा करना जिससे लोग फ़ायदा उठायें और उनके जानवर भी। जैसे क़ुरआन मजीद में जगह-जगह इसका बयान आया है। एक जगह फ़रमान है:

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا...... الخ.

अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और तुम्हें प्यारी-प्यारी सूरतें अ़ता फ़रमायीं और भली-भली रोज़ियाँ पहुँचाईं। यही अल्लाह है जो बरकतों वाला और तमाम आ़लम को पालने वाला है। पस सब का ख़ालिक़, सब का राज़िक़, सब का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है और इसी वजह से वही मुस्तहिक़ है हर क़िस्म की इबादतों का, और शरीक न किये जाने का। इसी लिये फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला के शरीक न ठहराओ, हालाँकि तुम जानते हो।

बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. पूछते हैं कि हुज़ूर! सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? फ़रमाया अल्लाह तआ़ला के साथ जो ख़ालिक़ है शरीक ठहराना। हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. वाली हदीस में है- क्या तुम जानते हो कि ख़ुदा का हक़ बन्दों पर क्या है? यह कि उसी की इबादत करें और किसी को उसकी इबादत में शरीक न करें। दूसरी हदीस में है कि तुम में से कोई यह न कहे कि ख़ुदा चाहे और फ़ुलाँ चाहे, बल्कि यूँ कहे कि जो कुछ अल्लाह अकेला चाहे, फिर जो फ़ुलाँ चाहे। तुफ़ैल बिन सन्जरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के सौतेले भाई फ़रमाते हैं, मैंने ख़्वाब में चन्द यहूदियों को देखा, मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम यहूदी हैं। मैंने कहा अफ़सोस तुममें यह बड़ी ख़राबी है कि तुम हज़रत

उज़ैर अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा का बेटा कहते हो। उन्होंने कहा तुम भी अच्छे लोग हो, लेकिन अफ़सोस तुम कहते हो जो ख़ुदा चाहे और मुहम्मद चाहे। फिर मैं ईसाईयों की जमाअ़त के पास गया और उनसे भी इसी तरह पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने उनसे कहा अफ़सोस तुम भी मसीह अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा का बेटा जानते हो, उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने सुबह अपने इस ख़्वाब का ज़िक्र कुछ लोगों से किया फिर दरबारे नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में हाज़िर होकर आपसे भी वाक़िआ़ बयान किया। आपने पूछा क्या किसी और से भी तुमने इस ख़्वाब का ज़िक्र किया है? मैंने कहा हाँ हुज़ूर। अब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम खड़े हो गये और अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना बयान की और फ़रमाया तुफ़ैल ने एक ख़्वाब देखा और तुममें से बाज़ से बयान भी किया, मैं चाहता था कि तुम्हें इस कलिमे के कहने से रोक दूँ लेकिन फ़ुलाँ-फ़ुलाँ कामों की वजह से मैं अब तक न कह सका। याद रखो अब हरगिज़ "ख़ुदा चाहे और उसका रसूल चाहे" कभी न कहना, बल्कि यूँ कहो कि सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला अकेला जो चाहे। (इब्ने मर्दूया)

एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा जो अल्लाह तआ़ला चाहे और आप चाहें। आपने फ़रमाया क्या तू मुझे अल्लाह तआ़ला का शरीक ठहराता है? यूँ कह जो अल्लाह तआ़ला अकेला चाहे। (इब्ने मर्दूया) ये तमाम कलिमात तौहीद के सरासर ख़िलाफ़ हैं। तौहीदे बारी के लिये ये सब हदीसें बयान हुई हैं। वल्लाहु आ़लम।

तमाम काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों को अल्लाह तआ़ला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और फ़रमाया अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी तौहीद के पाबन्द बन जाओ, उसके साथ किसी को शरीक न करो, जो न नफ़ा दे सके न नुक़सान पहुँचा सके। और तुम जानते हो कि उसके सिवा कोई रब नहीं, जो तुम्हें रोज़ी पहुँचा सके और तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तुम्हें उस तौहीद की तरफ़ बुला रहे हैं जिसके हक़ और सच होने में कोई शक नहीं। शिर्क इससे भी ज़्यादा पोशीदा है जैसे चींवटी जो रात के अंधेरे में किसी साफ़ पत्थर पर चल रही हो। इनसान का यह कहना कि क़सम है अल्लाह की और क़सम है आपकी ज़िन्दगी की, यह भी शिर्क है। इनसान का यह कहना कि अगर यह कुतिया न होती तो चोर रात को हमारे घर में घुस आते, यह भी शिर्क है। आदमी का यह क़ौल कि अगर बत्तख़ घर में न होती तो चोरी हो जाती, यह भी शिर्क का कलिमा है। किसी का यह क़ौल कि जो अल्लाह चाहे और आप, यह भी शिर्क है। किसी का यह कहना कि अगर अल्लाह न होता और फ़ुलाँ न होता, ये सब शिर्क के कलिमात हैं।

एक सही हदीस में है कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा- जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया क्या तू मुझे अल्लाह तआ़ला का शरीक ठहराता है? दूसरी हदीस में है कि तुम अच्छे लोग हो अगर तुम शिर्क न करते। तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और फ़ुलाँ चाहे। अबुल-आ़लिया फ़रमाते हैं कि "अनदादन्" के मायने शरीक और बराबर वाले के हैं। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि तुम तौरात व इन्जील पढ़ते हो और जानते हो- कि अल्लाह तआ़ला एक और बेशरीक है, फिर जानते हुए क्यों अल्लाह तआ़ला का शरीक करते हो? मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम को पाँच चीज़ों का हुक्म दिया कि इन पर अ़मल करो और बनी इस्राईल को भी इन पर अ़मल करने का हुक्म दो। क़रीब था कि वे उसमें ढील करें तो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि आपको परवर्दिगारे आ़लम का हुक्म था कि इन पाँच चीज़ों पर ख़ुद अ़मल करें और दूसरों को भी हुक्म दें। पस या तो ख़ुद आप कह

दीजिए या मैं पहुँचा दूँ। हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया मुझे डर है कि अगर आप पहल कर गये तो कहीं मुझे अ़ज़ाब न किया जाये, या ज़मीन में धंसा न दिया जाये। पस यहया अ़लैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को बैतुल-मुक़द्दस की मस्जिद में जमा किया, जब मस्जिद भर गयी तो ऊँची जगह पर बैठ गये और अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना बयान करके कहा- अल्लाह तआ़ला ने मुझे पाँच बातों का हुक्म किया है कि ख़ुद अ़मल करके तुमसे भी उन पर अ़मल कराऊँ। एक यह कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख़्स ख़ास अपने माल से किसी गुलाम को ख़रीदे, गुलाम काम-काज करे और जो कुछ पाये उसे किसी और को दे दे। क्या तुममें से कोई इस बात को पसन्द करता है कि उसका गुलाम ऐसा हो? ठीक इसी तरह तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें रोज़ियाँ देने वाला, तुम्हारा वास्तविक मालिक एक अल्लाह तआ़ला है जिसका कोई शरीक नहीं, पस तुम उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ।

दूसरा हुक्म यह है कि नमाज़ को अदा किया करो, अल्लाह तआ़ला बन्दे के मुँह की तरफ़ मुतवज्जह होता है जब तक कि वह नमाज़ में इधर-उधर तवज्जोह न करे, जब तुम नमाज़ में हो तो ख़बरदार इधर-उधर तवज्जोह और ध्यान न करना। तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखा करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स के पास मुश्क की थैली भरी हो, जिससे उसके तमाम साथियों के दिमाग़ महकते रहें। याद रखो रोज़ेदार की मुँह की ख़ुशबू अल्लाह तआ़ला को मुश्क की ख़ुशबू से भी ज़्यादा पसन्द है। चौथा हुक्म उसका यह है सदक़ा देते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स को दुश्मनों ने क़ैद कर लिया और गर्दन के साथ उसके हाथ बाँध दिये और गर्दन मारने के लिये ले चले तो वह कहने लगा- तुम मुझसे फ़िदया ले लो और मुझे छोड़ दो। चुनाँचे जो कुछ भी कम ज़्यादा दे-दिलाकर अपनी जान छुड़ा ली। पाँचवाँ हुक्म उसका यह है कि ख़ूब ज़्यादा उसके नाम का वज़ीफ़ा और उसका ज़िक्र किया करो। इसकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जिसके पीछे तेज़ी के साथ दुश्मन दौड़ा आता है और वह मज़बूत क़िले में घुस जाता है और वहाँ अमन व अमान पा लेता है। इसी तरह अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र के वक़्त शैतान से बचाव होता है।

यह फ़रमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अब मैं भी तुम्हें पाँच बातों का हुक्म करता हूँ जिनका हुक्म अल्लाह तआ़ला ने मुझे दिया है। मुसलमानों की जमाअ़त को लाज़िम पकड़े रहना (अल्लाह और उसके रसूल अैर मुसलमान हाकिमे वक़्त के अहकाम) सुनना और मानना। हिजरत करना और जिहाद करना। जो शख़्स जमाअ़त से एक बालिश्त भी निकल गया उसने इस्लाम के पट्टे को अपने गले से उतार फेंका। हाँ यह और बात है कि रुजू कर ले (यानी वापस लौट आये) जो शख़्स जाहिलीयत की पुकार पुकारे वह जहन्नम का कूड़ा-करकट है। लोगों ने कहा हुज़ूर! अगरचे वह रोज़ेदार और नमाज़ी हो? फ़रमाया अगरचे नमाज़ पढ़ता हो और रोज़े रखता हो और अपने आपको मुसलमान समझता हो। मुसलमानों को उनके उन नामों के साथ पुकारते रहो जो ख़ुद ख़ुदा तबारक व तआ़ला ने रखे हैं। मुस्लिमीन, मोमिनीन और इबादुल्लाह। यह हदीस हसन है।

इस आयत में भी यही बयान है कि अल्लाह तआ़ला ही ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हें रोज़ियाँ देता है, पस इबादत भी उसी की करो। उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस आयत से साबित होता है कि इबादत में तौहीदे बारी तआ़ला का पूरा ख़्याल रखना चाहिये, किसी और की इबादत न करनी चाहिये। तमाम इबादतों के लायक़ सिर्फ़ वही है। इमाम राज़ी रह. वग़ैरह ने अल्लाह तआ़ला के वजूद पर भी इस

आयत से इस्तिदलाल किया है और वास्तव में यह आयत बहुत बड़ी दलील है अल्लाह तआ़ला के वजूद पर। ज़मीन और आसमान के विभिन्न शक्ल व सूरत, विभिन्न रंग, विभिन्न मिज़ाज और विभिन्न नफ़े की मौजूदात, इनमें से हर एक का नफ़े वाला होना और ख़ास हिक्मत से होना सुबूत है उनके ख़ालिक़ (पैदा करने और बनाने वाले) के वजूद का, और उसकी अ़ज़ीमुश्शान क़ुदरत और हिक्मत और ज़बरदस्त ताक़त और सल्तनत का।

किसी देहाती से पूछा गया कि अल्लाह तबारक व तआ़ला के होने पर क्या दलील है? तो उसने कहा:

ياسبحان الله ان البعر ليدل على البعير، وان اثر الا قدام لتدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج يدل ذالك على وجود اللطيف الخبير.

यानी मैंगनी से ऊँट मालूम हो सके और पाँव के निशान को ज़मीन पर देखकर मालूम हो जाये कि कोई आदमी गया है, तो क्या यह बुरजों वाला आसमान, यह रास्तों वाली ज़मीन, मौजें मारने वाले समुद्र अल्लाह तआ़ला बारीक-बीं और ख़बरदार के वजूद पर दलील नहीं बन सकते?

हज़रत इमाम मालिक रह. से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह तआ़ला के वजूद पर क्या दलील है? आपने फ़रमाया- ज़बानों (भाषाओं) का विभिन्न और अलग-अलग होना, आवाज़ों का अलग-अलग होना, नग़मों का अलग-अलग होना साबित करता है कि ख़ुदा तआ़ला है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. से भी यही सवाल होता है तो आप जवाब देते हैं कि छोड़ो मैं अभी किसी और सोच में हूँ। लोगों ने मुझसे कहा है कि एक बड़ी कश्ती जिसमें तरह-तरह की तिजारती चीज़ें हैं, न उसका कोई निगहबान है न चलाने वाला है, बावजूद इसके वह बराबर आ-जा रही है और बड़ी-बड़ी मौजों को ख़ुद-बख़ुद चीरती फाड़ती गुज़र जाती है। ठहरने की जगह पर ठहर जाती है, चलने की जगह पर चलती रहती है, न कोई मल्लाह है न व्यवस्था करने वाला। सवाल करने वाले दहरियों ने कहा- आप किस सोच में पड़ गये, कोई आ़क़िल ऐसी बात कह सकता है कि इतनी बड़ी कश्ती निज़ाम के साथ (यानी नियमित तौर पर) मौजें मारते हुए समुद्र में आये-जाये और कोई उसका चलाने वाला न हो?

आपने फ़रमाया- अफ़सोस तुम्हारी अ़क़्लों पर, एक कश्ती तो बग़ैर चलाने वाले के न चल सके लेकिन यह सारी दुनिया आसमान व ज़मीन की सब चीज़ें ठीक अपने काम पर लगी रहें और इनका मालिक हाकिम ख़ालिक़ कोई न हो? यह जवाब सुनकर वे लोग हक्के-बक्के हो गये और हक़ मालूम करके मुसलमान हो गये। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. से भी यही सवाल हुआ तो आपने जवाब दिया कि तूत के पत्ते एक ही हैं और एक ही ज़ायक़े के हैं। उनको कीड़े, शहद की मक्खी और गाय, बकरियाँ, हिरन वग़ैरह सब खाते और चरते हैं। उसी को खाकर कीड़े से रेशम निकलता है, मक्खी शहद देती है, हिरन में मुश्क पैदा होता है और गाय बकरियाँ मैंगनियाँ देती हैं। क्या यह इस बात की साफ़ दलील नहीं कि एक पत्ते में ये विभिन्न ख़्वास (गुण) पैदा करने वाला कोई है? और उसी को हम अल्लाह तबारक व तआ़ला मानते हैं। वही हर चीज़ का बनाने वाला है।

हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रह. से भी एक मर्तबा वजूदे बारी तआ़ला पर दलील तलब की जाती है तो आप फ़रमाते हैं- सुनो यहाँ एक निहायत मज़बूत क़िला है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं, न कोई रास्ता है, बल्कि सुराख़ तक नहीं, बाहर से चाँदी की तरह चमक रहा है और अन्दर से सोने की तरह दमक रहा है और ऊपर नीचे दायें बायें चारों तरफ़ से बिल्कुल बन्द है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती। अचानक उसकी

एक दीवार गिरती है और एक आँखों कानों वाला बोलता चालता ख़ूबसूरत शक्ल और प्यारी बोली वाला चलता फिरता जानदार निकल आता है, कहो उस बन्द और महफ़ूज़ मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं? और वह हस्ती इनसानी हस्तियों से बालातर है, उसकी क़ुदरत ग़ैर-महदूद (असीमित) है या नहीं?

मतलब आपका यह था कि अण्डे को देखो चारों तरफ़ से बन्द है फिर उसमें परवर्दिगारे आ़लम जानदार बच्चा पैदा कर देता है। यही दलील है ख़ुदा के वजूद पर और उसकी तौहीद (एक होने) पर। हज़रत अबू नवास रह. से जब यह मसला पूछा गया तो आपने फ़रमाया- आसमान से बारिश का बरसना और उससे दरख़्तों का पैदा होना और इन हरी-हरी शाख़ों पर ज़ायक़ेदार मेवों का लगना ही अल्लाह तआ़ला के वजूद और उसकी वह्दानियत (एक ख़ुदा होने) की काफ़ी दलील है। इब्ने मोतज़ रह. फ़रमाते हैं- अफ़सोस अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी और उसकी ज़ात के झुठलाने पर लोग कैसी दलीलें दिखाते हैं हालाँकि हर-हर चीज़ उस परवर्दिगार की हस्ती और ला-शरीक होने पर गवाह है, और बुज़ुर्गों का मक़ूला है कि आसमानों को देखो उनकी बुलन्दी, उनकी वुस्अ़त, उनके छोटे-बड़े चमकीले और रोशन सितारों पर नज़रें डालो, उनके चमकने दमकने उनके चलने फिरने और ठहर जाने ज़ाहिर होने और छुप जाने का मुताला करो। फिर समुद्रों को देखो जो मौजें मारते हुए ज़मीन को घेरे हुए हैं, फिर ऊँचे-नीचे मज़बूत पहाड़ों को देखो जो ज़मीन में गड़े हुए हैं और उसे मिलने नहीं देते, जिनके रंग, जिनकी सूरतें मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) हैं। फिर तरह-तरह की मख़्लूक़ात पर नज़र डालो, फिर इधर से उधर फिर जाने वाली खेतियों और बाग़ों को शादाब करने वाली ख़ुशनुमा नहरों को देखो, खेतों और बाग़ों की सब्ज़ियों और उनके तरह-तरह के फूल-फल मज़े-मज़े के मेवों पर ग़ौर करो। ज़मीन एक, पानी एक, लेकिन शक्लें सूरतें और ख़ुशबूएँ रंगत ज़ायक़ा फ़ायदा अलग-अलग। क्या यह सारी मख़्लूक़ अपने ख़ालिक़ की हस्ती, उसकी ज़ात और उसकी तौहीद पर दलालत नहीं करती? ये तमाम चीज़ें तुम्हें नहीं बतातीं कि इनका बनाने वाला कोई है? क्या ये तमाम मौजूद चीज़ें चीख़-चीख़ कर नहीं कह रही हैं कि इनका पैदा करने वाला कोई है। क्या यह सारी मख़्लूक़ अपने ख़ालिक़ की हस्ती, उसकी ज़ात और उसकी तौहीद पर दलालत नहीं करतीं?

ये हैं ज़माने की दलीलें जो ख़ुदा तआ़ला ने अपनी ज़ात के मनवाने के लिये हर निगाह के सामने कर रखी हैं, जो उसकी ज़बरदस्त क़ुदरतों, उसकी पुर-ज़ोर हिक्मतों, उसकी बेमिसाल रहमतों, उसके बेनज़ीर इनामों, उसके ला-ज़वाल एहसानों पर दलालत करने के लिये काफ़ी वाफ़ी हैं। हमारा इक़रार है कि उसके सिवा न कोई पालने पोसने वाला, न उसके सिवा कोई पैदा करने और हिफ़ाज़त करने वाला, न उसके सिवा कोई माबूदे बरहक़, न उसके सिवा कोई सज्दा किये जाने के लायक़, इसमें कोई शक नहीं। हाँ दुनिया के लोगो! सुन रखो, मेरा तवक्कुल और भरोसा उसी पर है, मेरी तवज्जोह और इल्तिजा उसकी तरफ़ है। मेरा झुकना और पस्त होना उसके सामने है। मेरी तम्मनाओं का मर्कज़ मेरी उम्मीदों का आसरा, मेरा ठिकाना वही एक है, मैं उसी की रहमत के हाथ को तकता हूँ और उसी का नाम जपता हूँ।

और अगर तुम कुछ ख़लजान "यानी शक व शुब्हे और दुविधा" में हो इस किताब के बारे में जो हमने नाज़िल फ़रमाई है अपने ख़ास बन्दे	وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا

شُهَدَآءَ كُم مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَالَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ○	पर, तो अच्छा फिर तुम बना लाओ एक महदूद "यानी सीमित" टुकड़ा जो उसके जैसा हो, और बुला लो अपने हिमायतियों को जो ख़ुदा से अलग (तजवीज़ कर रखे) हैं अगर तुम सच्चे हो। (23) फिर अगर तुम यह काम न कर सके और क़ियामत तक भी न कर सकोगे तो फिर ज़रा बचते रहो दोज़ख़ से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार हुई रखी है काफ़िरों के वास्ते। (24)

नुबुव्वत और उस पर एक मुकम्मल बहस

तौहीद (अल्लाह के एक होने और उसी के हक़दारे इबादत होने) के बयान के बाद अब नुबुव्वत की तस्दीक़ बयान हो रही है। काफ़िरों को ख़िताब करके फ़रमाया जा रहा है कि हमने जो क़ुरआन पाक अपने बन्दे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर उतारा है उसे अगर तुम हमारा कलाम नहीं मानते तो तुम और तुम्हारे मददगार सब मिलकर पूरा क़ुरआन तो नहीं सिर्फ़ एक सूरत उस जैसी बना लाओ। जब तुम इसे नहीं कर सकते और इससे आ़जिज़ हो तो फिर इस क़ुरआन के कलामुल्लाह होने में क्यों शक करते हो? "शु-हदाउ" से मुराद मददगार और शरीक हैं जो उनकी मदद और मुवाफ़क़त किया करते थे। तो मतलब यह हुआ कि जिन्हें तुमने अपना माबूद बना रखा है उन्हें भी बुला लो और उनसे भी मदद चाहो, फिर इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि तुम अपने हाकिमों और अपने माहिरे भाषा अफ़राद से भी सहयोग ले लो। क़ुरआने पाक के इस मोजिज़े का इज़हार और इस तर्ज़ का कलाम कई जगह है। सूरः क़सस में है:

فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

यानी अगर तुम सच्चे हो तो उन दोनों से (यानी तौरात व क़ुरआन से) ज़्यादा हिदायत वाली कोई और ख़ुदाई किताब लाओ, तो मैं भी उसकी ताबेदारी करूँगा। सूरः बनी इस्राईल में फ़रमाया:

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

यानी अगर तुम जिन्नात और इनसान जमा होकर और हर एक दूसरे की मदद करके यह चाहें कि इस जैसा क़ुरआन बनायें तो भी उनके इमकान में नहीं। सूरः हूद में फ़रमाया:

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

यानी क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि इस क़ुरआन को ख़ुद इस पैग़म्बर ने गढ़ लिया? तुम कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम सब मिलकर और ख़ुदा के सिवा जिन्हें तुम बुला सकते हो बुलाकर इस जैसी दस सूरतें

तो बना लाओ। सूरः यूनुस में हैः

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

यानी यह क़ुरआन अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी और की तरफ़ से गढ़ा हुआ नहीं, बल्कि यह पहली किताबों को सच्चा बताने वाला और किताब की तफ़सील है, जिसके ख़ुदाई कलाम होने में कोई शक नहीं, जो रब्बुल-आ़लमीन की तरफ़ से है। क्या ये लोग इसे ख़ुद बनाया हुआ बताते हैं? इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा हर शख़्स को बुलाकर (इस क़ुरआन की सैंकड़ों सूरतों में से) एक छोटी सी सूरत जैसी कोई सूरत तो बना लाओ, ताकि तुम्हारा सच ज़ाहिर हो।

ये तमाम आयतें तो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुईं और मक्का वालों को इसके मुक़ाबले में आ़जिज़ साबित करके फिर मदीना शरीफ़ में भी इसी मज़मून को दोहराया गया। जैसे ऊपर की आयत। "मिस्लिही" की ज़मीर को बाज़ ने तो क़ुरआन की तरफ़ लौटाया है। यानी कोई सूरत इस जैसी बना लाओ। बाज़ ने यह ज़मीर मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ लौटाई है। यानी आप जैसा कोई उम्मी (बिना पढ़ा हुआ शख़्स) ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बावजूद कुछ पढ़ा हुआ न होने के वह ऐसा कलाम कहे, जिसके जैसा किसी और से न बन सके। लेकिन सही क़ौल पहला ही है। मुजाहिद, क़तादा, उमर, इब्ने मसऊद, इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हसन बसरी रह. और अक्सर मुहक़्क़िक़ीन का यही क़ौल है। इमाम इब्ने जरीर, तबरी, ज़मख़्शरी, राज़ी ने भी इस क़ौल को पसन्द किया है।

इसकी तरजीह (वरीयता प्राप्त होने) की बहुत सी वुजूहात हैं। एक इसमें सबको डाँट-डपट है। जमा करके भी और अलग-अलग भी, चाहे वह उम्मी और अनपढ़ हों, चाहे अहले किताब और पढ़े-लिखे लोग हों। इसमें इस मोजिज़े का कमाल है और इसके मुक़ाबले में कि सिर्फ़ अनपढ़ लोगों को आ़जिज़ किया जाये इसमें ज़्यादा मुबालग़ा है। फिर दस सूरतों का मुतालबा करना और इसके जैसी न ला सकने की भविष्यवाणी करना भी इसी को साबित करता है कि इससे मुराद क़ुरआन है, न कि ज़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पस इस आ़म ऐलान से जो बार-बार किया गया और साथ ही पेशीनगोई (भविष्यवाणी) भी कर दी गयी कि ये लोग इस पर क़ादिर नहीं, मक्के में और मदीने में कई बार इसको दोहराया गया और वे लोग जिनकी मात्र भाषा अ़रबी थी, जिन्हें अपनी भाषाई महारत पर नाज़ था, जो लोग आप और आपके दीन पर ख़ार खाये बैठे हुए थे, वे दर हक़ीक़त इससे आ़जिज़ आ गये, न पूरे क़ुरआन का जवाब दे सके न दस सूरतों का, बल्कि न एक सूरत का। पस एक मोजिज़ा तो यह कि इस जैसी एक छोटी सी आयत भी वे न बना सके।

दूसरा मोजिज़ा

दूसरा मोजिज़ा यह कि पेशीनगोई (भविष्यवाणी) सच साबित हुई कि ये हरगिज़ इस जैसा नहीं बना सकते, अगरचे सब जमा हो जायें और क़ियामत तक मेहनत करें। पस ऐसा ही हुआ, न तो उस ज़माने में किसी की यह जुर्रत हुई न उसके बाद से आज तक, और न क़ियामत तक किसी से यह हो सकेगा। और

भला कैसे हो सकता है? जिस तरह अल्लाह तआ़ला की ज़ात बेमिस्ल है इसी तरह उसका कलाम भी है। हक़ीक़त भी यह है कि क़ुरआन पाक को एक नज़र देखने से उसके ज़ाहिरी और बातिनी लफ़्ज़ी और मानवी वे कमालात ज़ाहिर होते हैं जो मख़्लूक़ के बस के नहीं। ख़ुद रब्बुल-आ़लमीन फ़रमाता है:

الٓرٰ. كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ......... الخ.

यानी इस किताब की आयतें जो हिक्मत वाले ख़बर रखने वाले ख़ुदावन्द की तरफ़ से नाज़िल शुदा हैं, मोहकम, मज़बूत और मुफ़स्सल अलग-अलग हैं।

पस अलफ़ाज़ मोहकम और मायने मुफ़स्सल, या अलफ़ाज़ मुफ़स्सल और मायने मोहकम। तो क़ुरआन अपने अलफ़ाज़ में और अपने मज़ामीन में बेनज़ीर है, जिसके मुक़ाबले और इस जैसा पेश करने से, इसकी नज़ीर और मिसाल लाने से दुनिया आ़जिज़ और बेबस है। इस पाक कलाम में जो पहली ख़बरें दुनिया पर पोशीदा थीं वे हू-बहू बयान की गयीं। आने वाले उमूर (बातों और मामलात) के तज़किरे हुए। जो लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ पूरे उतरे। तमाम भलाईयों के हुक्म इसमें है, तमाम बुराईयों से मनाही इसमें है। सच है:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا.

यानी सच्चाई ख़बरों में और अ़दल अहकाम में तेरे रब के कलाम में पूरा-पूरा है। यह पाकीज़ा क़ुरआन सारा हक़ व सच्चाई, अ़दालत और हिदायत से भरा हुआ है।

क़ुरआन शायरी नहीं

न इसमें बेकार की और फ़ुज़ूल बातें हैं, न इसमें हंसी-मज़ाक़, झूठ व बोहतान बाज़ी है जो शायरों के कलाम में उमूमन पाया जाता है, बल्कि उनके अश्आ़र की क़द्र व क़ीमत ही इसी पर है। मक़ूला मशहूर है:

اَعْذَبُهٗ اَكْذَبُهٗ.

जो झूठ ज़्यादा वह ज़्यादा मज़ेदार।

तुम देखोगे कि लम्बे-लम्बे पुरज़ोर क़सीदे मुबालग़े (बढ़ा-चढ़ाकर बातें करने) और झूठ से भरे हुए या तो औ़रतों की तारीफ़ व प्रशंसा में होंगे या घोड़ों की और शराब के गुणगान में होंगे, या किसी इनसान की बड़ी-चढ़ी तारीफ़ व प्रशंसा में होंगे, या ऊँटनियों की सजावट या बहादुरी के या मुबालग़े से भरे गीत, या लड़ाईयों की चालबाज़ियों या डर ख़ौफ़ के ख़्याली मन्ज़रों के बयान में होंगे, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं, न दीन का न दुनिया का। सिर्फ़ शायर की भाषाई महारत और उसकी क़ुदरते कलाम ज़ाहिर होती है और बस, न तो अख़्लाक़ पर उनसे कोई उम्दा असर पड़ता, न आमाल पर। फिर जहाँ तक बात कलाम की है तो पूरे क़सीदे में मुश्किल से दो एक शे'र होते हैं, बाक़ी सब भर्ती के और इधर-उधर की बेकार और फ़ुज़ूल की बकवास होती है।

अब इसके विपरीत क़ुरआने पाक पर नज़र डालो तो तुम देखोगे कि उसका एक-एक लफ़्ज़ भाषाई ऊँचाईयों से, दीन दुनिया के नफ़े से, ख़ैर व बरकत से भरा हुआ है। फिर कलाम की तरतीब व अन्दाज़, अलफ़ाज़ की बन्दिश और इबारत की रवानी, मायनों की नूरानियत, मज़मून की पाकीज़गी सोने पर सुहागा है। उसकी ख़बरों की मिठास, उसके बयान किये हुए वाक़िआ़त की रवानी और अन्दाज़, मुर्दा दिलों की ज़िन्दगी है। उसका इख़्तिसार (बात को कम अलफ़ाज़ में बयान करना) कमाल का आला नमूना और उसकी

तफ़सील मोजिज़े की जान है, उसका किसी चीज़ को दोहराना नागवार नहीं होता बल्कि उससे लुत्फ़ और बढ़ता है। यह मालूम होता है कि गोया सच्चे मोतियों की बारिश बरस रही है। बार-बार पढ़ो और दिल न उकताये, मज़े लेते जाओ और हर वक़्त नया मज़ा पाओ। मज़ामीन समझते जाओ और ख़त्म न हों। यह क़ुरआन का ही ख़ास्सा (विशेषता और कमाल) है। इस चाशनी का ज़ायक़ा, इस मिठास का मज़ा कोई उनसे पूछे जिन्हें अ़क्ल व हवास, इल्म व फ़ज़्ल का कुछ हिस्सा क़ुदरत ने अ़ता फ़रमाया हो, उसका डरावा और धमकी, अ़ज़ाबों और पकड़-धकड़ का बयान मज़बूत पहाड़ों को हिला दे, इनसानी दिल तो क्या हैं। उसके वायदे और ख़ुशख़बरियाँ, नेमतों और रहमतों का बयान दिलों की मुरझाई कली को खिला देने वाला, शौक़ व तमन्ना के दबे बुझे जज़्बात को उभार देने वला, जन्नतों और राहतों के प्यारे-प्यारे मनाज़िर को आँखों के सामने कर देने वाला है। दिल खिल जाते हैं और कान लग जाते हैं, आँखें खुल जाती हैं। रग़बत और शौक़ दिलाते हुए वह फ़रमाता है:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.......... الخ.

कोई क्या जाने कि उसके नेक आमाल के बदले उसकी आँखों की ठण्डक का क्या-क्या सामान चुपके-चुपके तैयार किया जा रहा है।

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ.......... الخ.

उस हमेशगी वाली जन्नत में हर वह चीज़ है, जो दिल को भाये और आँखों में खप जाये। डराते और धमकाते हुए फ़रमाता है:

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ.

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوْرُ ٥ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ٥

क्या तुम अपने धंसाये जाने या आसमान से पत्थर बरसाये जाने से निडर हो गये हो? क्या आसमानों वाला इस पर क़ादिर नहीं? इसे महज़ धमकी ही न समझो बल्कि इसकी हक़ीक़त जल्द ही तुम पर खुल जायेगी। डाँट-डपट और तंबीह करते हुए इरशाद होता है:

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ.

एक-एक को हमने उसके बुरे आमाल में पकड़ लिया। वअ़ज़ व नसीहत के अन्दाज़ में बयान होता है:

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ٥ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مَآ اَغْنٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ٥

अगर हमने कुछ साल उन्हें फ़ायदा भी दिया तो क्या हुआ? आख़िर वायदे की घड़ी आ पहुँची और उस जाह व जलाल ने कोई नफ़ा न बख़्शा।

ग़र्ज़ कि कोई कहाँ तक बयान करे, जिस मज़मून को भी लिया उसे कमाल तक पहुँचाकर छोड़ा है, और तरह-तरह की फ़साहत व बलाग़त (उम्दा अन्दाज़ और ख़ूबी) व हिक्मत से मामूर कर दिया है। हुक्म अहकाम रोक-टोक को देखिये, हर हुक्म अच्छाई-भलाई नफ़े और पाकीज़गी का जामे। हर मनाही, बुराई, घटिया पन, गन्दगी और ख़बासत को जड़ से काटने वाली।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. वग़ैरह उम्मत के बुज़ुर्गों का क़ौल है कि जब क़ुरआन में "या अय्युहल्लज़ी-न आमनू" सुनो तो कान लगा दो कि या तो किसी अच्छाई का हुक्म होगा या किसी बुराई से मना किया जायेगा। ख़ुद परवर्दिगारे आ़लम फ़रमाता है:

يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ...... الخ.

यानी भलाईयों का हुक्म देता है, बुराईयों से रोकता है, पाकीज़ा चीज़ हलाल करता है, ख़बीस और गन्दी चीज़ें हराम करता है। वे बोझल बेड़ियाँ जो पाँव में थीं, वे सख़्त तौक़ जो गले में थे, उतार फेंकता है।

क़ियामत के बयान की आयतें वहाँ के हौलनाक मन्ज़र, जन्नत दोज़ख़ का बयान, रहमतों और ज़हमतों का पूरा-पूरा ज़िक्र, औलिया-अल्लाह के लिये तरह-तरह की नेमतें, अल्लाह के दुश्मनों के लिये तरह-तरह के अ़ज़ाब। कहीं बशारत (ख़ुशख़बरी) है, कहीं डरावा है, कहीं नेकियों की तरफ़ रग़बत (शौक़ दिलाना) है, कहीं बदकारियों से रोकना है, कहीं दुनिया की तरफ़ से बेरग़बती करने की कहीं आख़िरत की तरफ़ रग़बत करने की तालीम है। यही वे तमाम आयतें हैं जो सही रास्ता दिखाती हैं, बेहतरीन रहनुमाई करती हैं, ख़ुदा की पसन्दीदा शरीअ़त की तरफ़ झुकाती हैं और दिलों को रोशनी देती हैं, और शैतानी दरवाज़ों को बन्द कर देती हैं और बुरे असरात दूर और ख़त्म करती हैं।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नबी को ऐसे मोजिज़े दिये गये कि जिन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाये और मेरा मोजिज़ा ख़ुदा की 'वही' यानी क़ुरआने पाक है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि मेरे ताबेदार (मानने वाले और पैरोकार) दूसरे नबियों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिये कि दूसरे अम्बिया के मोजिज़े उनके साथ चले गये लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह मोजिज़ा क़ियामत तक बाक़ी रहेगा। लोग इसे देखते जायेंगे और इस्लाम में दाख़िल होते जायेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमान कि मेरा मोजिज़ा वही है जो मुझको दिया गया है, से मतलब यह है कि यह मोजिज़ा मेरे साथ ख़ास है और यह क़ुरआन पाक मुझी को मिला है जो अपने जैसा पेश करने और मुक़ाबले से तमाम दुनिया को आ़जिज़ करने वाला है, जबकि इसके उलट दूसरी आसमानी किताबें, कि वे अक्सर उलेमा के नज़दीक इस वस्फ़ (ख़ूबी और विशेषता) सी ख़ाली हैं। वल्लाहु आलम।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत, आपकी सदाक़त और दीने इस्लाम की हक़्क़ानियत पर अ़लावा इस मोजिज़े के और भी इस क़द्र दलीलें हैं जो गिनी भी नहीं जा सकतीं। इस पर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र व एहसान है।

बाज़ मुतकल्लिमीन (मुस्लिम फ़ल्सफ़ियों) ने क़ुरआने करीम के ऐजाज़ (यानी कमाल और अपने आगे दूसरों को आ़जिज़ कर देने) को ऐसे तरीक़े पर बयान किया है जो अहले सुन्नत और मोतज़िला के क़ौल को शामिल है, वे कहते हैं कि या तो यह क़ुरआन अपनी ज़ात के एतिबार से मोजिज़ा है, इनसान के बस में ही नहीं कि वह इस जैसा बना ला सके, उन्हें इसका मुक़ाबला करने की क़ुदरत व ताक़त ही नहीं। या यह कि अगरचे इसके जैसा लाना मुम्किन है और इनसानी ताक़त से बाहर नहीं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस जैसा लाने का चैलेंज दिया जाता है, वे अ़दावत और दुश्मनी में बढ़े हुए हैं, वे दीने हक़ को मिटाने के लिये हर वक़्त हर ताक़त के ख़र्च करने और हर चीज़ के बरबाद करने के लिये तैयार हैं। फिर भी क़ुरआन के

जैसा लाने और इसका मुक़ाबला करना उनसे नहीं हो सकता। यह दलील है इस बात पर कि यह क़ुरआन अल्लाह की जानिब से है कि बावजूद क़ुदरत व ताक़त होने के वह उन्हें रोक देता है और वे क़ुरआन के जैसा पेश करने से आ़जिज़ हो जाते हैं। अगरचे यह पिछली वजह इतनी पसन्दीदा नहीं फिर भी अगर इसे भी मान लिया जाये तो इससे भी क़ुरआन पाक का मोजिज़ा होना साबित है जो दर्जे से ज़रा नीचे उतरकर हिमायते हक़ और मुनाज़रे की सलाहियत रखता है। इमाम राज़ी रह. ने भी छोटी-छोटी सूरतों के सवाल के जवाब में यही तरीक़ा इख़्तियार किया है।

वक़ूद

"वक़ूद" के मायने ईंधन के हैं जिससे आग जलाई जाये। जैसे छपटियाँ लकड़ियाँ वग़ैरह। क़ुरआने करीम में एक जगह है:

وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.

ज़ालिम लोग जहन्नम की लकड़ियाँ हैं।

एक और जगह फ़रमाया- तुम और तुम्हारे वे माबूद जो ख़ुदा के सिवा हैं जहन्नम की लकड़ियाँ हैं। तुम सब उसमें आओगे, अगर वे सच्चे माबूद होते तो वहाँ न लाये जाते। दर असल यह सबके सब उसमें हमेशा रहने वाले हैं।

'हिजारतु' कहते हैं पत्थर को। यहाँ मुराद गन्धक के सख़्त सियाह, बड़े-बड़े और बदबूदार पत्थर हैं जिसकी आग बहुत तेज़ होती है। अल्लाह तआ़ला हमें महफ़ूज़ रखे। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि उन पत्थरों को ज़मीन व आसमान की पैदाईश के साथ ही पहले आसमान पर पैदा किया गया है। (इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, मुस्तद्रक हाकिम) हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और चन्द दूसरे सहाबा रज़ि. से इमाम सुद्दी रह. ने नक़ल किया है कि जहन्नम में ये सियाह गन्धक के पत्थर भी हैं जिनकी सख़्त आग से काफ़िरों को अ़ज़ाब दिया जायेगा। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि उन पत्थरों की बदबू मुर्दार की बू से भी ज़्यादा सख़्त है। मुहम्मद बिन अ़ली और इब्ने जुरैज भी कहते हैं कि मुराद गन्धक के बड़े-बड़े और सख़्त पत्थर हैं। बाज़ों ने कहा है कि मुराद वे पत्थर हैं जिनकी तस्वीरें वग़ैरह बनाई जाती थीं और फिर उनकी पूजा और इबादत की जाती थी। जैसे एक और जगह फ़रमान है:

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ....... الخ.

तुम और तुम्हारे वे माबूद जो ख़ुदा के सिवा हैं, जहन्नम की लकड़ियाँ हैं। इमाम क़ुर्तुबी और इमाम राज़ी ने इसी क़ौल को तरजीह दी है और कहा है कि गन्धक के पत्थर को आग लगना कोई नई बात नहीं, इसलिये मुराद यही बुत और बुतों जैसी चीज़ें हैं जो पत्थर किसी शक्ल में भी अल्लाह के सिवा पूजे जाते हों, लेकिन यह वजह कोई मज़बूत वजह नहीं, इसलिये कि जब आग गन्धक के पत्थरों से सुलगाई जाये तो ज़ाहिर है कि उसकी तेज़ी और हरारत मामूली आग से बहुत ज़्यादा होगी। उसका भड़कना, जलना, जलन, और शोले भी बहुत ज़्यादा होंगे। अ़लावा इसके फिर पहले उलेमा से भी इसकी तफ़सीर यही नक़ल की गयी है। इसी तरह उन पत्थरों में आग का लगना भी ज़ाहिर है और आयत में मक़सूद आग की तेज़ी और उसकी जलन का बयान करना है, और इसके बयान के लिये भी यहाँ पत्थर से मुराद गन्धक के पत्थर लेना ही ज़्यादा मुनासिब है, ताकि वह आग तेज़ हो और उससे भी अ़ज़ाब में सख़्ती हो। क़ुरआने करीम में है:

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا.

जहाँ शोले हल्के हुए कि हमने उनको और भड़का दिया।

एक हदीस में है कि हर मूज़ी (तकलीफ़ देने वाला) आग में है। लेकिन यह हदीस महफ़ूज़ व मारूफ़ नहीं। इमाम क़ुर्तुबी फ़रमाते हैं कि इसके दो मायने हैं, एक यह कि हर वह शख़्स जो दूसरों को तकलीफ़ दे जहन्नमी है। दूसरे यह कि हर तकलीफ़ देने वाली चीज़ जहन्नम की आग में मौजूद होगी, जो जहन्नमियों को अ़ज़ाब देगी।

"उइद्दत्" यानी तैयार की गयी, से मुराद बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वह आग काफ़िरों के लिये तैयार की गयी है, और यह भी हो सकता है कि मुराद पत्थर हों यानी वे पत्थर तैयार किये गये हैं काफ़िरों के लिये। हज़रत इब्ने मसऊद का यही क़ौल है, और वास्तव में मायने में कोई इख़्तिलाफ़ (टकराव) नहीं, इसलिये कि पत्थरों का तैयार किया जाना आग के जलाने के लिये है और आग के तैयार करने के लिये पत्थरों का तैयार किया जाना ज़रूरी है, लिहाज़ा एक दूसरे के साथ जुड़ गया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हर वह शख़्स जो कुफ़्र पर हो, उसके लिये वह आग तैयार है। इस आयत से दलील ली गयी है कि जहन्नम अब भी मौजूद और पैदा शुदा है, क्योंकि "उइद्दत्" का लफ़्ज़ है और इसकी दलील में बहुत-सी हदीसें भी हैं। एक लम्बी हदीस में है कि जन्नत और दोज़ख़ में झगड़ा हुआ। दूसरी हदीस में है कि जहन्नम ने अल्लाह तआ़ला से दो साँस लेने की इजाज़त चाही और उसे सर्दी में एक साँस लेने की और गर्मी में दूसरा साँस लेने की इजाज़त दी गयी। तीसरी हदीस में है, सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम कहते हैं कि हमने एक मर्तबा बड़े ज़ोर की एक आवाज़ सुनी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा यह किस चीज़ की आवाज़ है, आपने फ़रमाया सत्तर साल पहले एक पत्थर जहन्नम में फैंका गया था आज वह पहुँचा। चौथी हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ते हुए जहन्नम को देखा। पाँचवीं हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेराज की रात में जहन्नम को और उसके अ़ज़ाबों को देखा। इसी तरह की और बहुत-सी सही मुतवातिर (सनद के एतिबार से निरन्तर) हदीसें हैं। मोतज़िला (एक इस्लामी फ़िर्क़ा है) अपनी जहालत की वजह से इसे नहीं मानते और इसके ख़िलाफ़ कहते हैं। क़ाज़ी-ए-अन्दुलुस मुन्ज़िर बिन सईद बलूती ने भी उनकी मुवाफ़क़त की है।

फ़ायदाः यह याद रखना चाहिये कि यहाँ और सूरः यूनुस में जो कहा गया है कि एक ही सूरत इसके जैसी लाओ, यह शामिल है छोटी बड़ी हर सूरत को।

इमाम राज़ी रह. की तहक़ीक़

इमाम राज़ी रह. अपनी तफ़सीर में लिखते हैं कि अगर कोई कहे कि सूरत का लफ़्ज़ सूरः कौसर और सूरः अ़स्र और सूरः काफ़िरून जैसी छोटी सूरतों को भी शामिल है और यह यक़ीन के साथ मालूम है कि इस जैसी या इसके क़रीब-क़रीब किसी सूरत का बना लेना मुम्किन है, इसे इनसानी ताक़त से बाहर कहना बड़ी हठधर्मी और बेजा तरफ़दारी है, तो हम जवाब देंगे कि हमने इसके मोजिज़े वाला होने के दो तरीक़े बयान करके दूसरे तरीक़े को इसी लिये पसन्द किया है। हम कहते हैं कि अगर ये छोटी सूरतें भी फ़साहत व बलाग़त (अपनी भाषाई ख़ूबी और कमाल) में इसी दर्जे की हैं कि ये मोजिज़ा कही जा सकें और इनके जैसा लाना मुम्किन न हो तो मक़सूद हासिल हो गया, और अगर ये सूरतें ऐसी नहीं तो भी हमारा मक़सूद

हासिल है, इसलिये कि बावजूद इन जैसी सूरतों के बना लाने पर इनसानी क़ुदरत होने के फिर लोगों का न बना सकना, सख़्त दुश्मनी और हर तरह की ज़बरदस्त कोशिशों के, साफ़ दलील है इस बात पर कि यह क़ुरआन मय अपनी छोटी-छोटी सूरतों के सरासर मोजिज़ा है।

यह तो है इमाम राज़ी रह. का कलाम, लेकिन सही क़ौल यह है कि क़ुरआने पाक की हर छोटी बड़ी सूरत हक़ीक़त में मोजिज़ा है और इनसान उसकी नज़ीर बनाने से बिल्कुल आजिज़ और बिल्कुल ना-ताक़त है। इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि अगर लोग सोच-विचार और अ़क़्ल व होश से सिर्फ़ सूरः अ़स्र को समझ लें तो सब को काफ़ी हो जाये। हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ि. जब वफ़्द में मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गये और अभी यह ख़ुद भी मुसलमान न हुए थे तो मुसैलमा ने इनसे पूछा- मक्का से तुम आ रहे हो, बताओ तो आजकल कोई ताज़ा 'वही' भी नाज़िल हुई है? इन्होंने कहा अभी-अभी एक छोटी सी सूरत नाज़िल हुई है जो बेहद फ़सीह व बलीग़ और जामे व माने (यानी भाषाई एतिबार से हर तरह की ख़ूबियों और कमाल से युक्त) है। फिर सूरः अ़स्र (वल-अ़स्रि इन्नल् इन्सा-न........) पढ़कर सुनाई तो मुसैलमा ने कुछ देर सोचकर इसके मुक़ाबले में कहा कि मुझ पर भी एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई है। इन्होंने कहा हाँ तुम भी सुनाओ। तो उसने कहाः

يا وبره انما انت اذنان وصدره وسائرك حقرفقره.

यानी ऐ जंगली चूहे ऐ जंगली चूहे! तेरा वजूद सिवाय दो कानों और सीने के और कुछ भी नहीं, बाक़ी तो सरासर बिल्कुल नाचीज़ है। फिर फ़ख़्र के तौर पर कहने लगा कहो ऐ अ़मर! कैसी है? इन्होंने कहा मुझसे क्या पूछते हो इसे तो तुम ख़ुद जानते हो कि सरासर झूठ और बोहतान है। भला कहाँ यह फ़ुज़ूल कलाम और कहाँ हिक्मतों से भरा वह कलाम?

وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

और ख़ुशख़बरी सुना दीजिए आप ऐ पैग़म्बर उन लोगों को जो ईमान लाए और काम किए अच्छे, इस बात की कि बेशक उनके वास्ते जन्नतें हैं कि बहती होंगी उनके नीचे से नहरें, जब कभी दिए जाएँगे वे लोग उन जन्नतों में से किसी फल की ग़िज़ा तो हर बार में यही कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले और मिलेगा भी उनको दोनों बार का फल मिलता जुलता। और उनके वास्ते उन जन्नतों में बीवियाँ होंगी साफ़, पाक की हुईं, और वे लोग उन जन्नतों में हमेशा को बसने वाले होंगे। (25)

चूँकि पहले काफ़िरों और दीन के दुश्मनों की सज़ा, अ़ज़ाब और रुस्वाई का ज़िक्र हुआ था इसलिये यहाँ ईमान वालों और नेक सालेह लोगों की जज़ा, सवाब और कामयाबी का बयान हुआ। क़ुरआन के 'मसानी' होने के एक मायने यह भी हैं और ज़्यादा सही क़ौल भी यही है कि इसमें हर मज़मून का जोड़ा-जोड़ा है। इसका मुफ़स्सल बयान भी किसी मुनासिब जगह आयेगा। मतलब यह है कि ईमान के साथ

कुफ़्र का, कुफ़्र के साथ ईमान का, नेकों के साथ बदों का और बदों के साथ नेकों का ज़िक्र ज़रूर आता है। जिस चीज़ का बयान होता है साथ ही उसके मुक़ाबले की (यानी विपरीत) चीज़ का भी ज़िक्र हो जाता है। किसी चीज़ को ज़िक्र करके उसकी नज़ीर को भी कहीं बयान किया है। यह मायने हैं "मुताशाबह" होने के, और ये दोनों लफ़्ज़ क़ुरआन की सिफ़त में आये हैं। इसे 'मसानी' भी कहा गया है और 'मुतशाबह' भी फ़रमाया गया है।

जन्नतों के नीचे नहरें बहना, उसके दरख़्तों और बालाख़ानों के नीचे बहना है। हदीस शरीफ़ में है कि नहरें बहती हैं लेकिन गड्ढ़ा नहीं। एक और हदीस में है कि कौसर नहर के दोनों किनारे सच्चे मोतियों के क़ुब्बे हैं, उसकी मिट्टी मुश्क ख़ालिस है और उसकी कंकरियाँ लुअ्-लुअ् और जवाहर हैं। अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व करम से हमें भी ये नेमतें अ़ता फ़रमाये। वह एहसान करने वाला और बड़ा रहीम है।

हदीस में है कि जन्नत की नहरें मुश्क के पहाड़ों के नीचे से जारी होती हैं। (इब्ने अबी हातिम) हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से भी यही नक़ल किया गया है। जन्नतियों का यह क़ौल कि पहले भी हमें ये दिये गये थे, इससे मुराद यह है कि दुनिया में भी ये मेवे हमें मिले थे। सहाबा वग़ैरह से यह मरवी है, इब्ने जरीर भी इसकी ताईद करते हैं। बाज़ कहते हैं कि मतलब यह है कि हम इससे पहले यानी कल भी यही दिये गये थे, यह इसलिये कहेंगे कि ज़ाहिरी सूरत व शक्ल में वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। यहया बिन कसीर कहते हैं कि एक प्याला आयेगा, खायेंगे फिर दूसरा आयेगा तो कहेंगे यह तो अभी खाया है। फ़रिश्ते कहेंगे- आप खाईये तो, अगरचे सूरत शक्ल एक जैसी है लेकिन मज़ा अलग ही है। फ़रमाते हैं कि जन्नत की घास ज़ाफ़रान है, उसके टीले मुश्क के हैं। छोटे-छोटे ख़ूबसूरत ग़िलमान (जन्नती ख़ादिम लड़के) इधर-उधर से मेवे ला-लाकर पेश कर रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे फिर पेश करते हैं तो कहते हैं कि इसे तो अभी खाया है, वे जवाब देते हैं हज़रत! रंग रूप एक है लेकिन ज़ायक़ा अलग ही है, चखकर तो देखिये। खाते हैं तो अलग ही लुत्फ़ पाते हैं। यही मायने हैं कि हम-शक्ल (एक जैसी सूरत के) लायेंगे। दुनिया के मेवों से भी नाम और शक्ल व सूरत में मिलते जुलते होंगे लेकिन मज़ा कुछ दूसरा ही होगा।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि सिर्फ़ नाम में मुशाबहत (समानता) है वरना कहाँ यहाँ की चीज़, कहाँ वहाँ की। यहाँ तो सिर्फ़ नाम ही है। अ़ब्दुर्रहमान का क़ौल है कि दुनिया के फलों जैसे हैं, देखकर कह देंगे यह तो खा रखा है, मगर जब चखेंगे तो लज़्ज़त कुछ और ही होगी। वहाँ जो बीवियाँ उन्हें मिलेंगी वे गन्दगी, नापाकी, हैज़ व निफ़ास, पेशाब, पाख़ाना, थूक, रेन्ट, वीर्य वग़ैरह से पाक साफ़ होंगी। हज़रत हव्वा अ़लैहस्सलाम भी पहले हैज़ (माहवारी) से पाक थीं मगर नाफ़रमानी सरज़द होते ही यह बला आ गयी, लेकिन यह क़ौल सनद के एतिबार से ग़रीब है। एक ग़रीब मरफ़ूअ़ हदीस में है कि हैज़, पाख़ाना, थूक, रेन्ट से वे पाक हैं। हाकिम इस हदीस को सही और इमाम बुख़ारी व मुस्लिम की शर्त पर बताते हैं, लेकिन यह दावा सही नहीं। इसके एक रावी अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन उमर रबओ़ी हैं जिन्हें अबू हातिम बुस्ती ने हुज्जत बनाने के क़ाबिल नहीं समझा। बज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह मरफ़ूअ़ हदीस नहीं, बल्कि हज़रत क़तादा रह. का क़ौल है। वल्लाहु आलम।

इन तमाम नेमतों के साथ इस ज़बरदस्त नेमत को देखिये कि न ये नेमतें फ़ना हों, न नेमतों वाले फ़ना हों, न नेमतें उनसे छिनें न ये नेमतों से अलग किये जायें। न मौत है न ख़ात्मा है, न अन्त है न टूटना है और न कम होना है। अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन बड़ा रहीम व करीम और देने वाला है, इल्तिजा है कि वह

मालिक हमें भी जन्नत वालों की जमाअ़त में शामिल करे और उन्हीं के साथ हमारा हश्र करे, आमीन।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۙ وَّيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۖ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝	हाँ वाक़ई अल्लाह तआ़ला तो नहीं शर्माते इस बात से कि बयान कर दें कोई मिसाल भी चाहे मच्छर की हो चाहे उससे भी बढ़ी हुई हो, सो जो लोग ईमान लाए हुए हैं चाहे कुछ ही हो वे तो यक़ीन करेंगे कि बेशक यह मिसाल तो बहुत ही मौक़े की है उनके रब की जानिब से, और रह गये वे लोग जो काफ़िर हैं, सो चाहे कुछ भी हो जाए वे यूँ ही कहते रहेंगे- वह कौन-सा मतलब होगा जिसका इरादा किया होगा अल्लाह ने इस हक़ीर मिसाल से, गुमराह करते हैं अल्लाह तआ़ला उस मिसाल की वजह से बहुतों को और हिदायत करते हैं उसकी वजह से बहुतों को। और गुमराह नहीं करते अल्लाह तआ़ला उस मिसाल से किसी को मगर सिर्फ़ बेहुक्मी "यानी नाफ़रमानी" करने वालों को। (26) जो कि तोड़ते रहते हैं उस मुआ़हदे को जो अल्लाह तआ़ला से कर चुके थे, उसकी मज़बूती के बाद और ख़त्म करते रहते हैं उन ताल्लुक़ात को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने उनको वाबस्ता रखने "यानी जोड़ने" का, और फ़साद "यानी बिगाड़" करते रहते हैं ज़मीन में, पस ये लोग पूरे घाटे में पड़ने वाले हैं। (27)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद और चन्द दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से रिवायत है कि जब ऊपर की तीन आयतों में दो मिसालें मुनाफ़िक़ों की बयान हुईं यानी आग की और पानी की तो वे कहने लगे कि ऐसी-ऐसी छोटी मिसालें अल्लाह तआ़ला हरगिज़ बयान नहीं करता। इस पर ये दोनों आयतें नाज़िल हुईं। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि जब क़ुरआन पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुश्रिक कहने लगे- भला ऐसी हक़ीर (घटिया और मामूली) चीज़ों के बयान की क़ुरआन जैसी ख़ुदाई किताब में क्या ज़रूरत है? तो जवाब में ये आयतें उतरीं और कहा गया कि हक़ के बयान से अल्लाह तआ़ला नहीं शर्माता चाहे वह कम हो या ज़्यादा। लेकिन इससे कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे कि यह आयत मक्का में उतरी है, हालाँकि ऐसा नहीं। वल्लाहु आ़लम।

कुछ और बुज़ुर्गों से भी इसी तरह का शाने नुज़ूल मरवी है। रबीअ़ बिन अनस फ़रमाते हैं कि यह ख़ुद एक मुस्तक़िल मिसाल है जो दुनिया की बयान की गयी है। मच्छर जिस वक़्त तक भूखा होता है ज़िन्दा रहता है, जहाँ मोटा-ताज़ा हुआ मरा। इसी तरह ये लोग हैं कि जब दुनियावी नेमतें दिल खोलकर हासिल कर

लेते हैं वहीं अल्लाह की पकड़ आ जाती है। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ........ الخ.

जब ये हमारी नसीहत भूल जाते हैं तो हम इन पर तमाम चीज़ों के दरवाज़े खोल देते हैं, यहाँ तक कि इतराने लगते हैं। अब एक दम से हम उन्हें पकड़ लेते हैं। (इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम) इमाम इब्ने जरीर रह. ने पहले क़ौल को पसन्द फ़रमाया है और मुनासबत भी उसी की ज़्यादा अच्छी मालूम होती है। वल्लाहु आलम। तो मतलब यह हुआ कि कोई सी मिसाल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बयान करने से अल्लाह तआ़ला न रुकता है न झिझकता है। यह लफ़्ज़ यहाँ पर कमी के मायने बताने के लिये है।

'फ़-मा फ़ौक़हा' के दो मायने बयान किये हैं, एक तो यह कि इससे भी हल्की और रद्दी चीज़ जैसे किसी शख़्स की बख़ीली वग़ैरह का एक बयान करे तो दूसरा कहता है कि वह तो इससे भी ज़्यादा है, तो मुराद यह होती है कि वह इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। इमाम कसाई और अबू उबैद यही कहते हैं। एक हदीस में आता है कि अगर दुनिया की क़द्र ख़ुदा के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफ़िर को एक घूँट पानी भी नहीं पिलाता। दूसरे मायने यह हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी इसलिये कि भला मच्छर से हल्की और छोटी चीज़ क्या होगी? क़तादा बिन दिआ़मा का यही क़ौल है। इब्ने जरीर रह. भी इसी को पसन्द फ़रमाते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि किसी मुसलमान के काँटा चुभे या इससे ज़्यादा तो उस पर भी उसके दर्जे बढ़ते हैं और गुनाह मिटते हैं। इस हदीस में भी यही लफ़्ज़ "फ़मा फ़ौक़हा" है तो मतलब यह हुआ कि जिस तरह अल्लाह तआ़ला इन छोटी-बड़ी चीज़ों के पैदा करने से शर्माता नहीं और न रुकता है इसी तरह उन्हें मिसाल के तौर पर बयान करने से भी उसे कोई आ़र नहीं।

एक जगह क़ुरआन में कहा गया है कि ऐ लोगो! एक मिसाल बयान की जाती है, कान लगाकर सुनो। जिन्हें ख़ुदा के सिवा पुकार सकते हो वे सारे के सारे जमा हो जायें तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि मक्खी अगर उनसे कुछ छीन ले जाये तो ये उससे वापस नहीं ले सकते। आ़बिद और माबूद दोनों ही बेहद कमज़ोर हैं। दूसरी जगह फ़रमाया- उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह तआ़ला के सिवा दूसरों को मददगार बनाते हैं, मकड़ी के जाले जैसी है, जिसका घर तमाम घरों से ज़्यादा बोदा और कमज़ोर है। एक और जगह फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने कलिमा-ए-तय्यिबा की मिसाल दी पाक दरख़्त से, जिसकी जड़ मज़बूत है और उसकी शाख़ें आसमान में हों, जो अल्लाह के हुक्म से हर वक़्त फल देता हो। इन मिसालों को अल्लाह तआ़ला लोगों के ग़ौर व तदब्बुर (सोच-विचार) के लिये बयान फ़रमाता है, और नापाक कलाम की मिसाल नापाक दरख़्त जैसी है जो ज़मीन के ऊपर ही हो और जड़ें मज़बूत न हों। अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को मज़बूत बात के साथ दुनिया और आख़िरत में बरक़रार रखता है और ज़ालिमों को गुमराह करता है। अल्लाह जो चाहे करे।

एक और जगह फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला उस ममलूक गुलाम की मिसाल पेश करता है, जिसे किसी चीज़ पर इख़्तियार नहीं। एक और जगह है, दो शख़्सों की मिसाल अल्लाह तआ़ला बयान फ़रमाता है जिनमें एक तो गूँगा और बिल्कुल गिरा पड़ा बेताक़त है, जो अपने आक़ा पर बोझ है, जहाँ जाये बुराई ही देकर आये। और दूसरा वह जो अ़दल व हक़ का हुक्म करे। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिये ख़ुद तुम्हारी मिसाल बयान फ़रमाता है, क्या तुम अपनी चीज़ों में अपने गुलामों को भी अपना शरीक और बराबर का हिस्सेदार समझते हो? एक और जगह इरशाद है, अल्लाह तआ़ला उस

शख़्स की मिसाल बयान फ़रमाता है जिसके बहुत से बराबर के शरीक हों। एक और जगह इरशादे बारी है, कि इन मिसालों को हम लोगों के लिये बयान करते हैं और इन्हें (पूरी तरह) सिर्फ़ इल्म वाले ही समझते हैं। इनके अ़लावा और भी बहुत-सी मिसालें क़ुरआने पाक में बयान हुई हैं। बाज़ बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि जब मैं क़ुरआन में किसी मिसाल को सुनता हूँ और समझ नहीं सकता तो मुझे रोना आता है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमा दिया है कि इन मिसालों को सिर्फ़ आ़लिम ही समझ सकते हैं। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि मिसालें चाहे छोटी हों चाहे बड़ी, ईमान वाले उन पर ईमान लाते हैं, उन्हें हक़ जानते हैं और उनसे हिदायत पाते हैं। क़तादा रह. का क़ौल है कि वे उन्हें ख़ुदा का कलाम समझते हैं। "इन्नहू" की ज़मीर का मरजा मिसाल है, यानी मोमिन इस मिसाल को ख़ुदा की जानिब से और हक़ समझते हैं, और काफ़िर बातें बनाते हैं। जैसे सूरः मुद्दस्सिर में हैः

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ........ الخ.

यानी हमने आग वाले फ़रिश्तों की गिनती को काफ़िरों की आज़माईश का सबब बनाया है। अहले किताब यक़ीन करते हैं, ईमान वाले ईमान में बढ़ जाते हैं। इन दोनों जमाअ़तों को कोई शक नहीं रहता लेकिन दिल के रोगी और काफ़िर कह उठते हैं कि इस मिसाल से क्या मुराद है? इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता।

यहाँ भी इसी हिदायत व गुमराही को बयान किया। सहाबा किराम रज़ि. से मरवी है कि इससे गुमराह मुनाफ़िक़ होते हैं और राह मोमिन पाते हैं। वे अपनी गुमराही में बढ़ जाते हैं क्योंकि बावजूद इस इल्म के कि मिसाल हक़ है, दुरुस्त और सही है, फिर भी वे उसे झुठलाते हैं। और मोमिन इक़रार करके हिदायत व ईमान को बढ़ा लेते हैं।

'फ़ासिक़ीन' से मुराद मुनाफ़िक़ हैं। बाज़ों ने कहा है कि काफ़िर मुराद है जो पहचानते हैं और इनकार करते हैं। हज़रत सअ़द कहते हैं कि मुराद 'ख़्वारिज' (एक फ़िर्क़ा) हैं। अगर इस क़ौल की सनद हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. से सही हो तो मतलब यह होगा कि यह तफ़सीरे मानवी है, यह नहीं कि इससे मुराद ख़्वारिज हैं, बल्कि यह कि यह फ़िर्क़ा भी फ़ासिक़ों में दाख़िल है, जिन्होंने नहरवान में हज़रत अ़ली रज़ि. पर चढ़ाई की थी। तो ये लोग अगरचे आयत के नाज़िल होने के वक़्त मौजूद न थे लेकिन अपनी बुरी सिफ़त और अवगुण की वजह से मायने के एतिबार से ये भी फ़ासिक़ों में दाख़िल हैं। उन्हें ख़ारजी इसलिये कहा गया है कि इमामे बरहक़ की इताअ़त से निकल गये थे और शरीअ़ते इस्लामी की पाबन्दी से आज़ाद हो गये थे। लुग़त में फ़ासिक़ कहते हैं इताअ़त व फ़रमाँबरदारी से निकल जाने वाले को, जब छिलका हटाकर ख़ोशा निकलता है तो अ़रब के लोग कहते हैं "फ़-सक़त्" (यानी वह बाहर निकल गया)। चूहे को भी "फ़ुवैसक़ा" कहते हैं क्योंकि वह अपने बिलों से निकलकर फ़साद करता है।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच जानवर फ़ासिक़ हैं, हरम में और बाहर हरम के क़त्ल कर दिये जायें। कौआ, चील, बिच्छू, चूहा और काला कुत्ता। पस लफ़्ज़ फ़ासिक़ काफ़िर को और हर नाफ़रमान को शामिल है। लेकिन काफ़िर का फ़िस्क़ (बुराई) ज़्यादा सख़्त और ज़्यादा बुरा है। एक और आयत में मुराद फ़ासिक़ से काफ़िर है। वल्लाहु आलम।

इसकी बड़ी दलील यह है कि बाद में उनका वस्फ़ (सिफ़त) यह बयान फ़रमाया कि वे अल्लाह तआ़ला

का अ़हद तोड़ते हैं, उसके फ़रमान काटते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, और ये सब सिफ़तें काफ़िरों की हैं, मोमिनों की सिफ़तें तो इसके उलट होती हैं। जैसे सूरः रअ़द में बयान है:

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ ....الخ.

पस वह शख़्स जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ़ से तुझ पर उतरा वह हक़ है, क्या उस शख़्स जैसा हो सकता है जो अन्धा हो? नसीहत तो सिर्फ़ अ़क्लमन्द हासिल करते हैं, जो अल्लाह के वायदों को पूरा करते हैं और अ़हद तोड़ते नहीं, और अल्लाह तआ़ला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं और हिसाब की बुराई से काँपते रहते हैं।

आगे चलकर फ़रमाया- जो लोग अल्लाह के अ़हद को उसकी मज़बूती के बाद तोड़ दें और जिस चीज़ को मिलाने का ख़ुदा का हुक्म हो वह उसे न मिलायें और ज़मीन में फ़साद फैलायें उनके लिये लानतें हैं और उनके लिये बुरा घर है। यहाँ 'अ़हद' से मुराद वह वसीयत है जो ख़ुदा ने बन्दों को की थी, जो उसके तमाम अहकाम बजा लाने और तमाम नाफ़रमानियों से बचने को शामिल है। उसका तोड़ देना, उस पर अ़मल न करना है। बाज़ कहते हैं कि तोड़ने वाले अहले किताब के काफ़िर और उनके मुनाफ़िक़ हैं, और अ़हद वह है जो उनसे तौरात में लिया गया था कि वे उसकी तमाम बातों पर अ़मल करें और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इत्तिबा (पैरवी) करें, जब भी आप तशरीफ़ ले आयें आपकी नुबुव्वत का इक़रार करें और जो कुछ आप ख़ुदा की जानिब से लेकर आयें उसकी तस्दीक़ करें। और इस अ़हद को तोड़ देना यह है कि उन्होंने आपकी नुबुव्वत और इताअ़त का इनकार कर दिया, बावजूद इल्म के और बावजूद अ़हद के उसे छुपाया और दुनियावी मस्लेहतों (स्वार्थों) की बिना पर उसके ख़िलाफ़ किया। इमाम इब्ने जरीर रह. इस क़ौल को पसन्द करते हैं और मुक़ातिल बिन हय्यान रह. का भी यही क़ौल है।

बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद कोई ख़ास जमाअ़त नहीं बल्कि शिर्क व कुफ़्र और निफ़ाक़ वाले सब के सब मुराद हैं। अ़हद से मुराद अपनी तौहीद व सुन्नत से मुँह मोड़ना और इनकार करना है, यह क़ौल ज़्यादा मज़बूत और मुनासिब है। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी का मैलान भी इसी तरफ़ है। वह कहते हैं कि अ़हद से मुराद अल्लाह तआ़ला की तौहीद मानने का इक़रार है, जो इनसानी फ़ितरत में दाख़िल होने के अ़लावा 'अ़हद के दिन' में भी इसका वायदा लिया गया था, फ़रमाया गया था कि "अलस्तु बि-रब्बिकुम्" (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?) तो सबने जवाब दिया था "बला" (बेशक तू हमारा रब है) फिर जो किताबें दी गयीं उनमें भी इक़रार कराया गया जैसे "औफ़ू बि-अ़हदी" (मेरे अ़हद को निभाओ, मैं भी अपने वायदे पूरे करूँगा) में है। बाज़ कहते हैं कि मुराद वह अ़हद है जो रूहों से लिया गया था, जब उन्हें हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की पीठ से निकाला गया था। जैसे फ़रमाया है:

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ....... الخ.

"रब ने औलादे आदम से वायदा लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और उन सबने इक़रार किया......।" और उसका तोड़ना उसका छोड़ना है। ये तमाम अक़वाल तफ़सीर इब्ने जरीर में मन्क़ूल हैं।

मुनाफ़िक़ की निशानियाँ

अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह के अ़हद को तोड़ना जो मुनाफ़िक़ों का काम था वो ये छह ख़स्लतें (आ़दतें) हैं

1. बात करने में झूठ बोलना।
2. वायदा करे उसके ख़िलाफ़ करना।
3. अमानत में ख़ियानत करना।
4. अल्लाह के अ़हद को उसकी मज़बूती के बाद तोड़ देना।
5. अल्लाह तआ़ला ने जिन कामों के मिलाये जाने (यानी जोड़ने) का हुक्म दिया है उन्हें न मिलाना।
6. ज़मीन में फ़साद फैलाना।

उनकी ये छह ख़स्लतें उस वक़्त ज़ाहिर होती हैं जबकि उनका ग़लबा हो। और जब वे मग़लूब (दबे हुए) होते हैं तो पहले तीन काम करते हैं। सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि क़ुरआन के अहकाम को पढ़ना, जानना, सच कहना और फिर न मानना भी अ़हद को तोड़ना था। अल्लाह तआ़ला ने जिन कामों को जोड़ने का हुक्म दिया है उनसे मुराद सिला-रहमी करना (रिश्तों को जोड़ना), रिश्ते के हुक़ूक़ अदा करना वग़ैरह है। जैसे एक और जगह क़ुरआन मजीद में है:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ.

क़रीब है कि तुम अगर लौटो तो ज़मीन में फ़साद करो और रिश्ते-नाते तोड़ दो।

इब्ने जरीर रह. इसी को तरजीह देते हैं। और यह भी कहा गया है कि आयत आ़म है, जिसके मिलाने और अदा करने का अल्लाह का हुक्म था उन्होंने उसको तोड़ा और न किया।

"ख़ासिरून" से मुराद आख़िरत में नुक़सान उठाने वाले हैं। जैसे अल्लाह का फ़रमान है:

اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.

उन लोगों पर लानत है और उनके लिये बुरा घर है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का फ़रमान है कि मुसलमानों के अ़लावा दूसरों को जहाँ क़ुरआन ने ख़ासिर (घाटा उठाने वाला) कहा है वहाँ मुराद काफ़िर है, और जहाँ मुसलमानों के लिये यह लफ़्ज़ आया है वहाँ मुराद गुनाहगार हैं। "ख़ासिरून" बहुवचन है "ख़ासिर" का, चूँकि उन लोगों ने नफ़्सानी ख़्वाहिशों और दुनियावी लज़्ज़तों में पड़कर अल्लाह की रहमत से दूरी हासिल कर ली, इसलिये उन्हें नुक़सान उठाने वाला कहा गया है। जैसे वह शख़्स जिसे अपनी तिजारत में घाटा आये, इसी तरह ये काफ़िर व मुनाफ़िक़ हैं कि जब रहम व करम की बहुत ही हाजत होगी यानी क़ियामत वाले दिन, उस दिन अल्लाह की रहमत से ये मेहरूम रह जायेंगे।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝	भला क्योंकर नाशुक्री करते हो अल्लाह की हालाँकि थे तुम महज़ बेजान सो तुमको जानदार किया, फिर तुमको मौत देंगे, फिर ज़िन्दा करेंगे (यानी क़ियामत के दिन) फिर उन्हीं के पास ले जाए जाओगे। (28)

अल्लाह तआ़ला के वजूद पर ज़ोरदार दलीलें

इस बात का सुबूत देते हुए कि अल्लाह तआ़ला मौजूद है, वह क़ुदरतों वाला है, वही पैदा करने वाला

और इख़्तियार वाला है, इस आयत में फ़रमाया- तुम अल्लाह तआ़ला के वजूद का इनकार कैसे कर सकते हो? या उसके साथ दूसरे को कैसे पूज सकते हो? जबकि तुम्हें अ़दम से वजूद में लाने वाला एक वही है। जैसे एक और जगह फ़रमाया- क्या ये बग़ैर किसी चीज़ के पैदा किये गये? या ये ख़ुद पैदा करने वाले हैं? या इन्होंने ज़मीन व आसमान भी पैदा किया है? हरगिज़ नहीं! बल्कि ये बे-यक़ीन लोग हैं। एक और जगह इरशाद होता है:

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا.

यक़ीनन इनसान पर वह ज़माना भी आया है जिस वक़्त यह क़ाबिले ज़िक्र चीज़ ही न था।

और भी इसी तरह की बहुत सी आयतें हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि काफ़िर लोग जो कहेंगे:

رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ...... الخ.

ऐ अल्लाह! दो दफ़ा तूने हमें मारा और दो दफ़ा जिलाया, हमें अपने गुनाहों का इक़रार है....।

इससे मुराद यही है जो इस आयत (जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) का मतलब है कि तुम अपने बापों की पीठ में मुर्दा थे, यानी कुछ भी न थे, उसने तुम्हें ज़िन्दा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, यानी मौत एक रोज़ ज़रूर आयेगी, फिर वह तुम्हें क़ब्रों से उठायेगा। पस एक हालत दुनिया में आने से पहले की, फिर दूसरी दुनिया में मरने की और क़ब्र की तरफ़ जाने की, फिर क़ियामत के दिन उठकर खड़े होने की, दो ज़िन्दगियाँ और दो मौतें। अबू सालेह रह. फ़रमाते हैं कि क़ब्र में इनसान को ज़िन्दा कर दिया जाता है। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रह. का बयान है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की पीठ में उन्हें पैदा किया, फिर उनसे अ़हद व पैमान लेकर बेजान कर दिया। फिर माँ के पेट में उन्हें पैदा किया, फिर दुनियावी मौत उन पर आयी, फिर क़ियामत वाले दिन उन्हें ज़िन्दा करेगा। लेकिन यह राय कमज़ोर है। पहला क़ौल ही ठीक है। हज़रत इब्ने मसऊद व हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और ताबिईन की एक जमाअ़त का यही क़ौल है। क़ुरआन में एक और जगह है:

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...... الخ.

अल्लाह ही तुम्हें पैदा करता है, फिर मारता है, फिर तुम्हें क़ियामत के दिन जमा करेगा............।

उन पत्थरों और तस्वीरों को जिन्हें मुश्रिक लोग पूजते थे क़ुरआन ने मुर्दा कहा है, फ़रमाता है:

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ.

वे सब मुर्दा हैं, ज़िन्दा नहीं।

ज़मीन के बारे में फ़रमाया:

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ.......... الخ.

उनके लिये मुर्दा ज़मीन भी निशान है जिसे हम ज़िन्दा करते हैं, और उससे दाने निकालते हैं, जिसे ये खाते हैं।

वह ज़ाते पाक ऐसी है जिसने पैदा किया तुम्हारे फ़ायदे के लिए जो कुछ भी ज़मीन में मौजूद है सब का सब, फिर तवज्जोह फ़रमाई आसमान की तरफ़, सो दुरुस्त करके बनाए सात आसमान, और वह तो सब चीज़ों के जानने वाले हैं। (29)	هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत की कुछ और निशानियाँ

ऊपर की आयत में क़ुदरत की उन दलीलों का बयान हुआ था जो ख़ुद इनसान के अन्दर हैं, इसलिये इस मुबारक आयत में उन दलीलों का बयान हो रहा है जो रोज़मर्रा आँखों के सामने हैं। "इस्तवा" यहाँ पर इरादा करने और मुतवज्जह होने के मायने में है। इसलिये कि इसका सिला 'इला' है। "सव्वाहुन्-न" के मायने दुरुस्त करने और सातों (आसमानों) को बनाने के हैं।

फिर बयान फ़रमाया कि उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। जैसे एक और जगह इरशाद हैः

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ.

क्या वह बेइल्म हो सकता है जो ख़ालिक़ (किसी चीज़ का बनाने वाला) हो? सूरः हा-मीम सज्दा की ये आयतें

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ........ الخ.

(यानी आयत 9 से 12 तक)

गोया इस आयत की तफ़सील (व्याख्या) है, जिसमें फ़रमाया है कि क्या तुम उस ख़ुदा के साथ कुफ़्र करते हो जिसने ज़मीन को दो दिन में पैदा किया। क्या तुम उसके लिये शरीक ठहराते हो जो रब्बुल-आ़लमीन है, जिसने ज़मीन में मज़बूत पहाड़ ऊपर से गाड़ दिये हैं, जिसने इस ज़मीन में बरकतें और रोज़ियाँ रखीं और चार दिन में ज़मीन की सब चीज़ें दुरुस्त कर दीं, जिसमें मालूम करने वालों के लिये इत्मीनान व तसल्ली का सामान है। फिर आसमान की तरफ़ मुतवज्जह होकर जो धुएँ की शक्ल में थे फ़रमाया कि ऐ ज़मीनो और आसमानो! ख़ुशी या नाख़ुशी से आओ, तो दोनों ने कहा- या अल्लाह! हम तो ख़ुशी-ख़ुशी हाज़िर हैं, दो दिन में आसमानों को पूरा कर दिया और हर आसमान में उसका काम बाँट दिया और दुनिया के आसमान को सितारों के साथ सजा दिया और उन्हें (शैतानों से) बचाव बनाया। यह है अन्दाज़ा उस ख़ुदा का जो बहुत बड़ा ग़ालिब और बहुत बड़े इल्म वाला है।

मख़्लूक़ात की तरतीब

इससे मालूम हुआ कि पहले ज़मीन पैदा की फिर सातों आसमानों को बनाया और हम देखते हैं कि हर इमारत का यही तरीक़ा है कि पहले नीचे का हिस्सा बनाया जाये फिर ऊपर का। मुफ़स्सिरीन ने भी इसकी वज़ाहत की है जिसका बयान अभी आता है। इन्शा-अल्लाह तआ़ला। लेकिन यह समझ लेना चाहिये कि

क़ुरआने करीम में एक और जगह है:

ءَ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰـهَا..... الخ.

तुम्हारी पैदाईश मुश्किल है या आसमानों की? अल्लाह तआ़ला ने उनकी मोटाई बुलन्द करके उन्हें ठीक-ठाक किया और उनमें से रात-दिन पैदा किये। फिर उसके बाद ज़मीन फैलाई, उससे पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को गाड़ा जो सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के काम की चीज़ें हैं।

इस आयत में यह फ़रमान है कि ज़मीन की पैदाईश आसमान के बाद है। बाज़ बुज़ुर्गों ने तो यह फ़रमाया है कि मज़कूरा आयत में अलफ़ाज़ का आगे-पीछे होना इस बात के लिये नहीं कि काम और फ़ेल की तरतीब भी यही है, बल्कि यह तो एक ख़बर के तौर पर इबारत है। यानी यह मतलब नहीं कि ज़मीन के बाद आसमान की पैदाईश की, बल्कि सिर्फ़ ख़बर देना मक़सूद है कि आसमानों को भी पैदा किया और ज़मीनों को भी। अ़रब शायरों के शे'रों में यह मौजूद है कि कहीं "सुम्-म" का लफ़्ज़ सिर्फ़ ख़बर का ख़बर पर अ़त्फ़ (जोड़) डालने के लिये होता है, आगे पीछे होना मुराद नहीं होता। और बाज़ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है कि "अ-अन्तुम अशद्दु...." वाली आयत में आसमानों की पैदाईश के बाद ज़मीन के फैलाने और बिछाने वग़ैरह का बयान हुआ है न कि पैदा करने का। तो सही यह है कि पहले ज़मीन को पैदा किया फिर आसमान को, फिर ज़मीन को ठीक-ठाक किया तो दोनों आयतें एक दूसरे की मुख़ालिफ़ न रहीं। इस ऐब से (कि मज़मून आपस में टकराये) ख़ुदा का कलाम बिल्कुल महफ़ूज़ है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने यही मायने बयान फ़रमाये हैं (यानी पहले ज़मीन की पैदाईश फिर आसमानों की, अलबत्ता ज़मीन की दुरुस्ती यानी ठीक-ठाक करना वग़ैरह यह बाद की चीज़ है)। हज़रत इब्ने मसऊद व हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और दूसरे सहाबा रज़ि. से मरवी है कि अल्लाह तआ़ला का अ़र्श पानी पर था और किसी चीज़ को पैदा नहीं किया था, जब दूसरी मख़्लूक़ को पैदा करना चाहा तो पानी से धुआँ बुलन्द किया, वह ऊँचा चढ़ा और उससे आसमान बनाये, फिर पानी ख़ुश्क हो गया और उसकी ज़मीन बनाई। फिर उसी को अलग-अलग करके सात ज़मीनें बनाईं। इतवार और पीर के दो दिनों में ये सातों ज़मीनें बन गईं। ज़मीन मछली पर है, मछली वह है जिसका ज़िक्र क़ुरआन मजीद की इस आयत में है "नून वल-क़-लमि" मछली पानी में है और पानी सिफ़ात पर है और सिफ़ात फ़रिश्ते पर और फ़रिश्ता पत्थर पर और यह पत्थर वह है जिसका ज़िक्र लुक़मान ने किया है। यह पत्थर हवा पर है, मछली के हिलने से ज़मीन काँपने लगी तो अल्लाह तआ़ला ने पत्थरों को गाड़ दिया और वह ठहर गयी, यही मायने हैं अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान के:

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ....... الخ.

ज़मीन न हिले इसलिये हमने उसमें पहाड़ जमा दिये हैं। पहाड़, ज़मीन की पैदावार, दरख़्त वग़ैरह ज़मीन की तमाम चीज़ें मंगल और बुध के दिनों में पैदा कीं। इसी का बयान इस आयत में है:

قُلْ ءَ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ...... الخ.

(यानी सूरः हा-मीम सज्दा की आयत 9-12 में) फिर आसमान की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई जो धुआँ था, आसमान बनाया। फिर उसी में से सात आसमान बनाये, जुमेरात और जुमे के दो दिनों में। जुमे के दिन को इसी लिये जुमा कहा जाता है कि उसमें ज़मीन व आसमान की पैदाईश जमा हो गयी। हर आसमान में

उसने फ़रिश्तों को पैदा किया और उन-उन चीज़ों को जिनका इल्म उसके सिवा किसी को नहीं। दुनिया वाले आसमान को सितारों के साथ ज़ीनत दी (सजाया) और उन्हें शैतान से हिफ़ाज़त का सबब बनाया। इन तमाम चीज़ों को पैदा करके परवर्दिगार ने अ़र्शे अ़ज़ीम पर क़रार पकड़ा। जिसे वह ख़ुद बयान फ़रमाता है:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ.

यानी छह दिन में आसमानों और ज़मीनों को पैदा करके फिर अ़र्श पर क़ायम हो गया। एक और जगह फ़रमाया:

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا.... الخ.

यानी ये दोनों धुआँ से थे, हमने इन्हें फाड़ा और पानी से हर चीज़ को ज़िन्दगी दी। (तफ़सीरे सुद्दी)

आ़लम के बनाने की कुल मुद्दत

इब्ने जरीर में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. फ़रमाते हैं कि इतवार से मख़्लूक़ की पैदाईश शुरू हुई, दो दिन में ज़मीनें पैदा हुईं दो दिन में उनकी तमाम चीज़ें पैदा कीं और दो दिन में आसमान को पैदा किया। जुमे के दिन आख़िरी वक़्त में उनकी पैदाईश ख़त्म हुई और उसी वक़्त हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया और उसी वक़्त में क़ियामत क़ायम होगी। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन को आसमान से पहले पैदा किया, इससे जो धुआँ ऊपर चढ़ा उसके आसमान बनाये जो एक पर एक इस तरह सात हैं और ज़मीन एक के नीचे एक इस तरह सात हैं। इस आयत से साफ़ मालूम होता है कि ज़मीन की पैदाईश आसमानों से पहले है जैसे सूरः सज्दा में है। उलेमा भी इस पर मुत्तफ़िक़ (एक राय) हैं सिर्फ़ क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि आसमान ज़मीन से पहले पैदा हुए हैं। इमाम क़ुर्तुबी इसके बारे में ख़ामोशी इख़्तियार करते हैं। सूरः नाज़िआ़त की आयत की वजह से ये लोग कहते हैं कि यहाँ आसमान की पैदाईश का ज़िक्र ज़मीन से पहले है। सही बुख़ारी में है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से जब यह सवाल हुआ तो आपने जवाब दिया कि ज़मीन पैदा तो आसमान से पहले की गयी है लेकिन फैलाई गयी है बाद में, यही जवाब आ़म उलेमा का है। सूरः "नाज़िआ़त" की तफ़सीर में भी इसका बयान आयेगा इन्शा-अल्लाह।

हासिले कलाम यह है कि ज़मीन का फैलाना और बिछाना बाद में है, और "दहाहा" का लफ़्ज़ क़ुरआन में है और उसके बाद जो पानी चारा पहाड़ वग़ैरह का ज़िक्र है ये गोया इस लफ़्ज़ की तशरीह (व्याख्या) है, जिन-जिन चीज़ों को पैदा करने और परवान चढ़ाने की क़ुव्वत इस ज़मीन में रखी थी उन सबको ज़ाहिर कर दिया और ज़मीन की पैदावार तरह-तरह की विभिन्न शक्लों और विभिन्न क़िस्मों की निकल आयी। इसी तरह आसमान में भी ठहरे रहने वाले, चलने वाले सितारे वग़ैरह बनाये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

सही मुस्लिम व नसाई शरीफ़ की हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमाया- मिट्टी को अल्लाह तआ़ला ने शनिवार वाले दिन पैदा किया और पहाड़ों को इतवार के दिन और दरख़्तों को पीर के दिन और बुराईयों को मंगल के दिन और नूर को बुध के दिन और जानवरों को जुमेरात के दिन और आदम अ़लैहिस्सलाम को जुमे के दिन अ़सर के बाद जुमे की आख़िरी घड़ी में, अ़सर के बाद से रात तक। यह हदीस मुस्लिम के ग़राईब में से है। इमाम इब्ने मदीनी, इमाम बुख़ारी वग़ैरह ने इसमें कलाम किया है और फ़रमाया है कि यह कअ़ब रज़ि. का अपना क़ौल है और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने कअ़ब का यह कलाम सुना है, और बाज़ रावियों ने इसे

ग़लती से मरफ़ूअ़ हदीस क़रार दे दिया है। इमाम बैहक़ी रह. यही कहते हैं।

और जिस वक़्त इर्शाद फ़रमाया आपके रब ने फ़रिश्तों से कि ज़रूर मैं बनाऊँगा ज़मीन में एक नायब, फ़रिश्ते कहने लगे- क्या आप पैदा करेंगे ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फ़साद करेंगे और ख़ून बहाएँगे? और हम बराबर तस्बीह करते रहते हैं बिहम्दिल्लाह, और पाकी बयान करते रहते हैं आपकी। हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया कि मैं जानता हूँ उस बात को जिसको तुम नहीं जानते। (30)	وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ۝

अल्लाह तआ़ला के इस एहसान को देखो कि उसने आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र किया जिसका बयान इस आयत में है। फ़रमाता है कि ऐ नबी! तुम याद करो और अपनी उम्मत को यह ख़बर पहुँचाओ। हज़रत अबू उबैदा तो कहते हैं कि लफ़्ज़ "इज़" (जिस वक़्त) यहाँ ज़ायद है लेकिन इब्ने जरीर रह. वग़ैरह मुफ़स्सिरीन इसका रद्द करते हैं।

ख़िलाफ़त की हक़ीक़त

"ख़लीफ़ा" से मुराद यह है कि उनके बाद भी जानशीन (उनकी जगह लेने वाले) होंगे, एक के बाद दूसरा, और एक ज़माने के बाद दूसरे ज़माने में, यूँ ही ज़मानों और युगों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। जैसे एक और जगह इरशाद है:

هُوَالَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ.

और फ़रमायाः

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ.

यानी तुम्हें उसने ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाया।

एक और जगह फ़रमाया कि अगर हम चाहते तो फ़रिश्तों को इस ज़मीन में तुम्हारा ख़लीफ़ा बना देते। एक और जगह इरशाद है कि उनके बाद उनके ख़लीफ़ा यानी जानशीन बुरे लोग हुए। बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि "ख़लीफ़ा" से मुराद सिर्फ़ हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हैं, लेकिन इसमें ताम्मुल (ग़ौर करने की बात) है। तफ़सीरे राज़ी वग़ैरह में इस इख़्तिलाफ़ (मतभेद) को ज़िक्र किया गया है। बज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह मतलब नहीं। इसकी एक दलील तो फ़रिश्तों का यह क़ौल है कि वे ज़मीन में फ़साद करेंगे और ख़ून बहायेंगे। ज़ाहिर है कि उन्होंने औलादे आदम के बारे में यह फ़रमाया था, न कि ख़ास हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के बारे में। यह और बात है कि इसका इल्म फ़रिश्तों को क्योंकर हुआ? या तो किसी ख़ास तरीक़े से उन्हें यह मालूम हुआ होगा या इनसानी तबीयत के तक़ाज़े को देखकर उन्होंने यह फ़ैसला किया होगा, क्योंकि यह फ़रमा दिया गया था कि उसकी पैदाईश मिट्टी से होगी, या लफ़्ज़ "ख़लीफ़ा" के मफ़हूम से उन्होंने यह समझ लिया होगा कि वह फ़ैसला करने वाला, ज़ुल्म व सितम और अत्याचारों की

रोक-थाम करने वाला और हराम कामों और गुनाहों की बातों से रोकने वाला होगा। या उन्होंने चूँकि ज़मीन की पहली मख़्लूक़ को देखा था उसी पर इसे क़ियास (अन्दाज़ा) किया होगा।

यह बात याद रखनी चाहिये कि फ़रिश्तों की यह अ़र्ज़ बतौर एतिराज़ के न थी, न इनसानों पर हसद (जलन) की वजह से थी। जिन लोगों का यह ख़्याल है वे क़तई ग़लती कर रहे हैं। फ़रिश्तों की शान में क़ुरआने करीम फ़रमाता हैः

لَايَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ.

यानी जिस बात के मालूम करने की उन्हें इजाज़त न हो उसमें वे लब नहीं हिलाते। (और यह भी ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों की तबीयत हसद व ईर्ष्या से पाक है) बल्कि सही मतलब यह है कि यह सवाल सिर्फ़ उस हिक्मत के मालूम करने के लिये और उस राज़ के ज़ाहिर कराने के लिये था जो उनकी समझ से बालातर (परे) था। यह तो जानते थे कि इस मख़्लूक़ में फ़सादी लोग भी होंगे, तो अब अदब से सवाल किया कि परवर्दिगार! ऐसी मख़्लूक़ के पैदा करने में कौनसी हिक्मत है? अगर इबादत मक़सूद है तो इबादत तो हम करते ही हैं, आपकी पाकी व तारीफ़ हर वक़्त हमारी ज़बानों पर है, और फिर फ़साद वग़ैरह से पाक हैं, तो फिर और मख़्लूक़ जिनमें फ़सादी होंगे किस मस्लेहत पर पैदा की जाती हैं? अल्लाह तआ़ला ने उनके सवाल का जवाब दिया कि इसके बावजूद कि फ़साद करते हैं फिर भी उसे जिन मस्लेहतों और हिक्मतों की बिना पर मैं पैदा कर रहा हूँ उन्हें मैं ही जानता हूँ तुम्हारा इल्म उन तक नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ कि उनमें अम्बिया और रसूल होंगे, उनमें सिद्दीक़ और शहीद होंगे, उनमें आ़बिद व ज़ाहिद, औलिया, नेक लोग, मेरे ख़ास और क़रीबी बन्दे, उलेमा, सुलेहा, मुत्तक़ी, परहेज़गार, अल्लाह का ख़ौफ़ और उसकी मुहब्बत रखने वाले होंगे। मेरे अहकाम की दिल व जान और ख़ुशी से तामील करने वाले, मेरे नबियों के इरशाद पर लब्बैक कहने वाले होंगे।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की हदीस में है कि दिन के फ़रिश्ते सुबह सादिक़ के वक़्त आते हैं और अ़सर के वक़्त चले जाते हैं और उस वक़्त रात के फ़रिश्ते आते हैं, वे फिर सुबह को जाते हैं। आने वाले जब आते हैं तब, और जाते तब, सुबह की और अ़सर की नमाज़ में लोगों को पाते हैं और दरबारे ख़ुदावन्दी में परवर्दिगार के सवाल के जवाब में दोनों जमाअ़तें यही कहती हैं कि हम गये तो नमाज़ में पाया और आये तो नमाज़ में छोड़कर आये। यही है वह अल्लाह की मस्लेहत जिसे फ़रिश्तों से फ़रमाया था कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। उन फ़रिश्तों को इसी चीज़ के देखने के लिये भेजा जाता है और दिन के आमाल रात से पहले, रात के दिन से पहले ख़ुदावन्दे आ़लम की तरफ़ चढ़ाये जाते हैं।

ग़र्ज़ कि तफ़सीली हिक्मत जो इनसान की पैदाईश में थी उसके बारे में फ़रमाया कि ये मेरे मख़्सूस इल्म में है, तुम्हें मालूम ही नहीं। बाज़ कहते हैं कि यह जवाब है उनके इस क़ौल का कि हम तेरी तस्बीह करते रहते हैं, तो उन्हें फ़रमाया गया कि मैं ही जानता हूँ। यानी तुम जैसा अपने आपको समझते हो और सबको बराबर समझ रहे हो ऐसा नहीं, बल्कि तुम में एक इब्लीस (शैतान) भी है। एक तीसरा क़ौल यह है कि फ़रिश्तों का यह सब कहना इसी वजह से था कि हमें ज़मीन में बसाया जाये, तो जवाब में कहा गया कि तुम्हारी आसमानों में रहने की मस्लेहत मैं ही जानता हूँ और मुझे इल्म है कि तुम्हारे लायक़ जगह यही है। वल्लाहु आलम।

हसन, क़तादा रह. वग़ैरह कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों को ख़बर दी। सुद्दी रह. कहते हैं कि

मश्विरा लिया, लेकिन इसके मायने भी ख़बर देने के हो सकते हैं, अगर न हों तो फिर यह क़ौल गिरा हुआ है। इब्ने अबी हातिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब मक्का से ज़मीन फैलाई और बिछाई गयी तो बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ सबसे पहले फ़रिश्तों ने किया और यही ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाना है। यह हदीस मुर्सल है। फिर इसमें कमज़ोरी है और मुद्रज है यानी ज़मीन से मक्का मुराद लेना रावी का अपना ख़्याल है। वल्लाहु आलम।

बज़ाहिर तो यह मालूम होता है कि ज़मीन से मुराद आ़म है, सारी ज़मीन मुराद है। फ़रिश्तों ने जब यह सुना तो पूछा था कि वह ख़लीफ़ा क्या होगा? और जवाब में कहा गया था कि उसकी औलाद में ऐसे लोग भी होंगे जो ज़मीन में फ़साद करेंगे, हसद, बुग़ज़ करेंगे, क़त्ल व ख़ून करेंगे, वह उनमें अ़दल व इन्साफ़ करेगा और मेरे अहकाम जारी करेगा, तो इससे मुराद हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हैं और जो उनके क़ायम-मक़ाम (जगह लेने वाले) हैं अल्लाह तआ़ला की इताअ़त और मख़्लूक़ में अ़दल व इन्साफ़ करने में। लेकिन फ़साद फैलाने और ख़ून बहाने वाले ख़लीफ़ा नहीं। यह याद रहे कि यहाँ ख़िलाफ़त से मुराद एक ज़माने वालों का दूसरे ज़माने वालों के बाद आना है। जैसे क़ुरआन में है कि हम उनके बाद तुम्हें ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाकर देखते हैं कि तुम कैसे अ़मल करते हो, और इसी लिये सुल्ताने आज़म को ख़लीफ़ा कहते हैं, इसलिये कि वह पहले बादशाह का जानशीन (जगह लेने वाला और उत्तराधिकारी) होता है।

मुहम्मद इब्ने इस्हाक़ कहते हैं- मुराद यह है कि ज़मीन का रहने वाला इसको आबाद करने वाला। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि पहले ज़मीन में जिन्नात बसते थे, उन्होंने इसमें फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) किया, ख़ून बहाया और क़त्ल व ग़ारत किया, इब्लीस को भेजा गया उसने और उसके साथियों ने उन्हें मार-मारकर जज़ीरों (समुद्री टापुओं) और पहाड़ों में भगा दिया। फिर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा करके ज़मीन में बसाया गया तो गोया ये उन पहले वालों के ख़लीफ़ा और जानशीन हुए। पस फ़रिश्तों के क़ौल से मुराद आदम की औलाद हैं। जिस वक़्त उनसे कहा गया कि मैं ज़मीन को और उसमें बसने वाली मख़्लूक़ को पैदा करना चाहता हूँ उस वक़्त ज़मीन थी लेकिन उसमें आबादी न थी। बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से यह भी मरवी है कि चूँकि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें मालूम कराया था कि आदम की औलाद ऐसे-ऐसे काम करेगी तो उन्होंने यह पूछा। और यह भी रिवायत है कि जिन्नात के फ़साद पर उन्होंने इनसानों के फ़साद को ध्यान में लाकर यह सवाल किया।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. से रिवायत है कि आदम अ़लैहिस्सलाम से दो हज़ार साल पहले से जिन्नात ज़मीन में आबाद थे। अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि फ़रिश्ते बुध के दिन पैदा हुए और जिन्नात को जुमेरात के दिन पैदा किया और जुमे के दिन आदम अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत हसन और हज़रत क़तादा रह. का क़ौल है कि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें ख़बर दी थी कि आदम की औलाद ऐसा ऐसा करेगी, इस बिना पर उन्होंने सवाल किया। अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अ़ली रह. फ़रमाते हैं कि सिजिल नाम का एक फ़रिश्ता है, जिसके साथी हारूत-मारूत थे, उसे हर दिन तीन मर्तबा लौहे महफ़ूज़ पर नज़र डालने की इजाज़त थी। एक मर्तबा उसने आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश वग़ैरह मामले का जब मुताला किया तो चुपके से अपने उन दोनों साथियों को भी ख़बर कर दी, अब जो अल्लाह तआ़ला ने अपना इरादा ज़ाहिर फ़रमाया तो उन दोनों ने यह सवाल किया, लेकिन यह रिवायत ग़रीब और क़ाबिले रद्द है। वल्लाहु आलम।

फिर उसमें है कि दो फ़रिश्तों ने यह सवाल किया। यह क़ुरआन की इबारत की रवानी के भी ख़िलाफ़

है। यह भी रिवायत नक़ल की गयी है कि ये कहने वाले फ़रिश्ते दस हज़ार थे और वे सब के सब जला दिये गये। यह भी इस्राईली रिवायत है और बहुत ही ग़रीब है। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि इस सवाल की उन्हें इजाज़त दी गयी थी, और यह भी मालूम कराया गया था कि यह मख़्लूक़ नाफ़रमान भी होगी तो उन्होंने ताज्जुब के साथ अल्लाह तआ़ला की मस्लेहत मालूम करने के बाद यह सवाल किया था, न कि कोई मश्विरा दिया हो या इनकार किया हो या एतिराज़ किया हो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश शुरू हुई तो फ़रिश्तों ने कहा- नामुम्किन है कि कोई मख़्लूक़ हमसे ज़्यादा बुज़ुर्ग (बड़ाई व सम्मान वाली) और आ़लिम हो, तो उन पर अल्लाह की तरफ़ से यह इम्तिहान आया और कोई मख़्लूक़ इम्तिहान और आज़माईश से नहीं बची। ज़मीन व आसमान पर भी इम्तिहान आया था और उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह की इताअ़त पर आमादगी ज़ाहिर की थी। फ़रिश्तों की तस्बीह व तक़दीस (अल्लाह की पाकी और तारीफ़ बयान करने) से मुराद ख़ुदा तआ़ला की पाकी बयान करना, नमाज़ पढ़ना, बेअदबी से बचना, बड़ाई अ़ज़्मत वग़ैरह करना, नाफ़रमानी न करना, 'सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन' वग़ैरह पढ़ना है। "क़ुद्दूस" के मायने पाक के हैं। पाक ज़मीन को 'अर्ज़े मुक़द्दस' कहते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल होता है कि कौनसा कलाम अफ़ज़ल है? जवाब देते हैं वह जिसे अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़रिश्तों के लिये पसन्द फ़रमाया है "सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही" (सही मुस्लिम) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेराज वाली रात आसमानों में फ़रिश्तों की यह तस्बीह सुनी 'सुब्हानल् अ़लिय्यिल् अअ्ला सुब्हानहू व तआ़ला'।

इमाम क़ुर्तुबी रह. वग़ैरह ने इस आयत से इस्तिदलाल किया (दलील पकड़ी) है कि ख़लीफ़ा का मुक़र्रर करना वाजिब है ताकि वह लोगों के झगड़ों और विवादों का फ़ैसला करे, उनके झगड़े चुकाये, मज़लूम का बदला ज़ालिम से ले, हदें (सज़ायें) क़ायम करे, बुराईयों के करने से लोगों को बाज़ रखे। वग़ैरह-वग़ैरह। वे बड़े-बड़े काम जो बग़ैर इमाम के अन्जाम नहीं पा सकते, चूँकि ये काम वाजिब हैं और बग़ैर इमाम के पूरे नहीं हो सकते, और जो चीज़ बग़ैर वाजिब के पूरी न हो वह भी वाजिब हो जाती है। पस ख़लीफ़ा का मुक़र्रर करना वाजिब साबित हुआ।

इमामत या तो क़ुरआन व हदीस के ज़ाहिरी लफ़्ज़ों से मिलेगी जैसे कि अहले सुन्नत की एक जमाअ़त का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. के बारे में ख़्याल है कि उनका नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़िलाफ़त के लिये लिया था, या क़ुरआन व हदीस से उसकी जानिब इशारा हो, जैसे अहले सुन्नत की दूसरी जमाअ़त का पहले ख़लीफ़ा के बारे में यह ख़्याल है कि इशारे में उनका ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़िलाफ़त के लिये किया है। या एक ख़लीफ़ा अपने बाद दूसरे को नामित कर जाये जैसे हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. ने हज़रत उमर रज़ि. को अपना जानशीन मुक़र्रर कर दिया था, या वह नेक लोगों की एक कमेटी बनाकर ख़लीफ़ा के चयन का काम उनके सुपुर्द कर जाये जैसे कि हज़रत उमर रज़ि. ने किया था, या लश्कर के बा-असर सरदार, उलेमा, नेक लोग वग़ैरह उसकी बैअ़त पर इजमा (एक राय) कर लें, या उनमें से कोई बैअ़त कर ले तो जमहूर के नज़दीक उसका मान लेना वाजिब हो जायेगा। इमामुल-हरमैन ने इस पर इजमा (तमाम हज़रात की सहमति) नक़ल किया है वल्लाहु आलम।

या कोई शख़्स लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी मातहती पर मजबूर कर दे, तो भी वाजिब हो जाता है कि उसके हाथ पर बैअ़त कर लें ताकि फूट और झगड़े न फैलें। इमाम शाफ़ई रह. ने साफ़ लफ़्ज़ों में

इसका फ़ैसला किया है। इस बैअ़त के वक़्त गवाहों की मौजूदगी के वाजिब होने में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। बाज़ तो कहते हैं कि यह शर्त नहीं, बाज़ कहते हैं कि शर्त है और दो गवाह काफ़ी हैं। जबाई कहता है कि बैअ़त करने वाले और जिसके हाथ पर बैअ़त हुई है उन दोनों के अ़लावा चार गवाह और चाहियें। जैसे हज़रत उमर रज़ि. ने शूरा के छह सदस्य मुक़र्रर किये थे, फिर उन्होंने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि. को इख़्तियार दिया और आपने हज़रत उस्मान रज़ि. के हाथ पर बाक़ी चारों की मौजूदगी में बैअ़त की, लेकिन इस इस्तिदलाल (दलील बनाने) में कलाम है। वल्लाहु आलम।

(1) इमाम का मर्द होना (2) आज़ाद होना (3) बालिग़ होना (4) अ़क़्लमन्द होना (5) मुसलमान होना (6) आ़दिल होना (7) मुज्तहिद होना (8) आँखों वाला होना (9) सही व सालिम अंगों वाला होना (10) जंगी महारत होना (11) राय-आ़म्मा (पब्लिक के हालात) से ख़बरदार होना (12) क़ुरैशी होना वाजिब है, और यही सही है। हाँ हाशमी होना और ख़ता से मासूम होना शर्त नहीं। ये दोनों शर्तें हद से आगे बढ़ने वाले राफ़ज़ी (शिया) लगाते हैं। इमाम अगर फ़ासिक़ (बदकारी में मुलव्वस) हो जाये तो उसे माज़ूल (ओ़हदे से बर्ख़ास्त) कर देना चाहिये या नहीं? इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, और सही यह है कि माज़ूल न किया जाये, क्योंकि हदीस में आ चुका है कि जब तक ऐसा खुला कुफ़्र न देख लो जिसके कुफ़्र होने की ज़ाहिर और खुली दलील ख़ुदा की तरफ़ से तुम्हारे पास हो। इसी तरह ख़ुद इमाम अपने आप माज़ूल हो सकता है या नहीं? इसमें भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। हज़रत हसन बिन अ़ली रज़ि. ख़ुद-ब-ख़ुद आप ही माज़ूल हो गये थे और इमामत का मामला हज़रत अमीरे मुआ़विया रज़ि. को सौंप दिया था। लेकिन यह एक उज़्र और मजबूरी के सबब था, जिस पर उनकी तारीफ़ की गयी है।

रू-ए-ज़मीन पर एक से ज़्यादा इमाम एक वक़्त में नहीं हो सकते। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है कि जब तुम्हारा काम इज्तिमाई (सामूहिक और इकट्ठे) तौर पर हो रहा हो और कोई आकर अलगाव पैदा करने लगे तो उसे क़त्ल कर दो, चाहे कोई भी हो। जमहूर का यही मज़हब है और बहुत से बुज़ुर्गों ने इस पर इजमा (सर्वसम्मति) नक़ल किया है, जिनमें से एक इमामुल-हरमैन हैं।

करामिया (शिया) का क़ौल है कि दो और इससे ज़्यादा भी एक वक़्त में इमाम हो सकते हैं, जैसे कि हज़रत अ़ली और हज़रत मुआ़विया रज़ि. दोनों इताअ़त के लायक़ थे। यह गिरोह कहता है कि जब एक वक़्त में दो-दो और ज़्यादा नबियों का होना जायज़ है तो इमामों का होना जायज़ क्यों न हो? नुबुव्वत का मर्तबा तो यक़ीनन इमामत के मर्तबे से बहुत ज़्यादा है। लेकिन सही मुस्लिम वाली हदीस आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि दूसरे को क़त्ल कर डालो, इसलिये सही मज़हब वही है जो पहले बयान हुआ। इमामुल-हरमैन ने उस्ताद अबू इस्हाक़ से भी नक़ल किया है कि वह दो या दो से ज़्यादा इमामों का मुक़र्रर करना उस वक़्त जायज़ जानते हैं जब मुसलमानों की सल्तनत बहुत वसीअ़ (बड़ी) और हर तरफ़ फैली हुई हो और दोनों इमामों के दरमियान कई मुल्कों का फ़ासला हो। इमामुल-हरमैन इसमें शक और तरद्दुद में हैं। ख़ुलफ़ा-ए-बनी अ़ब्बास का इराक़ में और ख़ुलफ़ा-ए-फ़ातिमा का मिस्र में, और ख़ानदाने उमविया का पश्चिम में, मेरे ख़्याल से यही हाल था। इसकी ज़्यादा तफ़सील इन्शा-अल्लाह किताबुल-अहकाम के किसी मुनासिब मौक़े पर हम करेंगे।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝	और इल्म दे दिया अल्लाह तआ़ला ने (हज़रत) आदम (अ़लैहिस्सलाम) को (उनको पैदा करके) कुल चीज़ों के नामों का, फिर वे चीज़ें फ़रिश्तों के सामने कर दीं, फिर फ़रमाया कि बतलाओ मुझको नाम इन चीज़ों के (उनके आसार व ख़ासियतों के साथ) अगर तुम सच्चे हो। (31) फ़रिश्तों ने अ़र्ज़ किया कि आप तो पाक हैं हमको कोई इल्म नहीं, मगर वही जो कुछ आपने हमको इल्म दिया। बेशक आप बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हिक्मत वाले हैं (कि जिस क़द्र जिसके लिए मस्लेहत जाना उसी क़द्र समझ व इल्म अ़ता फ़रमाया)। (32) हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया कि ऐ आदम! इनको इन चीज़ों के नाम बतला दो, सो जब बतला दिए उनको आदम ने उन चीज़ों के नाम तो हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः (देखो) मैं तुमसे कहता न था कि बेशक मैं जानता हूँ तमाम छुपी चीज़ें आसमानों और ज़मीन की, और जानता हूँ जिस बात को तुम ज़ाहिर कर देते हो और जिस बात को दिल में रखते हो। (33)

यहाँ से इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह तआ़ला ने एक ख़ास इल्म में हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर फ़ज़ीलत दी। यह वाक़िआ़ फ़रिश्तों के सज्दा करने के बाद का है, लेकिन हिक्मते ख़ुदावन्दी जो आपके पैदा करने में थी और जिसका इल्म फ़रिश्तों को न था, जिसका मुख़्तसर बयान ऊपर की आयत में गुज़रा है, उसकी मुनासबत की वजह से इस वाक़िए को पहले बयान किया और फ़रिश्तों का सज्दा करना जो इससे पहले हुआ था उसका बयान बाद में किया, ताकि ख़लीफ़ा के पैदा करने की मस्लेहत और हिक्मत ज़ाहिर हो जाये और यह मालूम हो जाये, और हज़रत आदम का मक़ाम और फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो जाये। इसलिये आपको तमाम नाम बताये, यानी उनकी तमाम औलाद के, सब जानवरों के, ज़मीन आसमान, पहाड़ों, ख़ुश्की पानी, घोड़े गधे, बरतन-भांडे, चरिन्द-परिन्द, फ़रिश्ते, तारे वग़ैरह तमाम छोटी बड़ी चीज़ों के नाम। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि फ़रिश्तों और इनसानों के नाम मालूम कराये गये थे क्योंकि इसके बाद लफ़्ज़ "अ़-र-ज़हुम" आता है और यह अ़क़्ल वाले लोगों के लिये आता है। लेकिन यह कोई ऐसी माक़ूल वजह नहीं, जहाँ अ़क़्ल वाले जमा होते हैं वहाँ जो लफ़्ज़ लाया जाता है वह अ़क़्ल व होश रखने वालों का ही लाया जाता है। जैसे क़ुरआन में हैः

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ...... الخ.

अल्लाह तआ़ला ने तमाम जानवरों को पानी से पैदा किया है, जिनमें से बाज़ तो पेट के बल रेंगते हैं, बाज़ दो पैरों पर चलते हैं, बाज़ चार पाँवों पर चलते हैं। अल्लाह तआ़ला जो चाहता है पैदा करता है, वह हर चीज़ पर क़ादिर है। पस इस आयत में ज़ाहिर है कि बग़ैर अ़क़्ल वाले भी दाख़िल हैं, मगर सीग़े (कलिमे) सब अ़क़्ल वालों के हैं। इसके अ़लावा "अ़-र-ज़ हुन्-न" भी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ि. की क़िराअत में है और हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. की क़िराअत में "अ़-र-ज़हा" भी है। सही क़ौल यही है कि तमाम चीज़ों के नाम सिखाये थे, ज़ाती नाम भी, सिफ़ाती नाम भी और कामों के नाम भी, जैसे कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है।

एक लम्बी हदीस

इस आयत की तफ़सीर में हज़रत इमाम बुख़ारी रह. यह हदीस लाये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि ईमान वाले क़ियामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे- क्या अच्छा होता अगर किसी को हम सिफ़ारिशी बनाकर ख़ुदा के पास भेजते, चुनाँचे ये सबके सब हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के पास आयेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हम सबके बाप हैं, अल्लाह तआ़ला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपने फ़रिश्तों से आपको सज्दा कराया, आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाये, आप अल्लाह तआ़ला के सामने हमारी सिफ़ारिश ले जायें ताकि हम इस मुसीबत से राहत पायें। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम यह सुनकर जवाब देंगे कि मैं इस क़ाबिल नहीं। उन्हें अपना गुनाह याद आ जायेगा। तुम नूह अ़लैहिस्सलाम के पास जाओ वह पहले रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन वालों की तरफ़ भेजा। सब यह जवाब सुनकर नूह अ़लैहिस्सलाम के पास आयेंगे, आप भी यही जवाब देंगे और ख़ुदा तआ़ला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने बेटे के लिये दुआ़ माँगना याद करके शर्मा जायेंगे और फ़रमायेंगे तुम ख़लीलुर्रहमान हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के पास जाओ। ये सब आपके पास आयेंगे लेकिन यहाँ से भी यही जवाब पायेंगे। आप फ़रमायेंगे तुम मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास जाओ जिनसे ख़ुदा ने कलाम किया और जिन्हें तौरात इनायत फ़रमाई। यह सुनकर सबके सब हज़रत मूसा के पास आयेंगे और आप से भी दरख़्वास्त करेंगे लेकिन यहाँ से भी यही जवाब पायेंगे। आपको भी एक शख़्स को बग़ैर क़िसास (बदले) के मार डालना याद आ जायेगा। शर्मिन्दा हो जायेंगे और फ़रमायेंगे कि तुम हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के पास जाओ वह ख़ुदा के बन्दे और उसके रसूल और कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। ये सब यहाँ आयेंगे लेकिन यहाँ से भी यही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक़ नहीं, तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जाओ जिनके तमाम अगले पिछले गुनाह बख़्श दिये गये हैं।

अब वे सारे के सारे मेरे पास आयेंगे। मैं आमादा (तैयार) हो जाऊँगा और अपने रब से इजाज़त तलब करूँगा। मुझे इजाज़त दी जायेगी, मैं अपने रब को देखते ही सज्दे में गिर पडूँगा जब तक ख़ुदा को मन्ज़ूर होगा सज्दे में ही पड़ा रहूँगा फिर आवाज़ आयेगी कि सर उठाईये सवाल कीजिए पूरा किया जायेगा। कहिये सुना जायेगा। शफ़ाअ़त कीजिए क़बूल की जायेगी। अब मैं अपना सर उठाऊँगा और अल्लाह तआ़ला की वो-वो तारीफ़ें बयान करूँगा जो उसी वक़्त अल्लाह तआ़ला मुझे सिखायेगा। फिर मैं शफ़ाअ़त करूँगा, मेरे लिये हद मुक़र्रर कर दी जायेगी, मैं उन्हें जन्नत में पहुँचाकर फिर आऊँगा, फिर अपने रब को देखकर उसी तरह सज्दे में गिर पडूँगा फिर शफ़ाअ़त करूँगा। फिर हद मुक़र्रर होगी, उन्हें भी जन्नत में पहुँचाकर तीसरी मर्तबा आऊँगा, फिर चौथी बार हाज़िर होऊँगा, यहाँ तक कि जहन्नम में सिर्फ़ वही रह जायेंगे जिन्हें क़ुरआन

ने रोक रखा हो और जिनके लिये जहन्नम की हमेशगी वाजिब हो गयी हो (यानी कुफ़्र व शिर्क करने वाले)।

सही मुस्लिम शरीफ़ में, नसाई में, इब्ने माजा वग़ैरह में भी यह हदीसे शफ़ाअ़त मौजूद है। यहाँ इसके नक़ल करने से मक़सूद यह है कि इस हदीस में यह जुमला भी है कि लोग हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से कहेंगे कि ख़ुदा तआ़ला ने आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाये, फिर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और उनसे फ़रमाया कि लो अगर तुम अपने इस क़ौल में कि तुम सारी मख़्लूक़ से ज़्यादा इल्म वाले हो या इस क़ौल में कि अल्लाह तआ़ला ज़मीन में ख़लीफ़ा न बनायेगा, सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। यह भी मरवी है कि अगर अपनी इस बात में कि आदम की औलाद फ़साद करेगी और ख़ून बहायेगी, सच्चे हो तो इनके नाम बताओ, लेकिन ज़्यादा सही क़ौल पहला ही है। गोया उसमें उन्हें डाँटा गया कि बताओ तुम्हारा क़ौल कि तुम ही ज़मीन की ख़िलाफ़त के लायक़ हो और इनसान नहीं, तुम ही मेरे तस्बीह पढ़ने वाले और इताअ़त-गुज़ार हो और इनसान नहीं, अगर सच्चा है तो लो ये चीज़ें जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं इन्हीं के नाम बताओ, और अगर तुम नहीं बता सकते हो तो समझ लो कि जब मौजूदा चीज़ों के नाम भी तुम्हें नहीं मालूम तो आगे आने वाली चीज़ों के बारे में तुम्हें इल्म कैसे होगा? फ़रिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह तआ़ला की पाकीज़गी, बड़ाई और अपने इल्म की कमी बयान करनी शुरू कर दी और कह दिया कि ऐ अल्लाह! जिसे जितना कुछ तूने सिखा दिया उतना ही हमें इल्म है, तमाम चीज़ों पर इहाता (पकड़ और घेराव) रखने वाला इल्म तो सिर्फ़ तुझी को है, तू हर चीज़ का जानने वाला और अपने तमाम अहकाम में हिक्मत रखने वाला है, जिसे जो कुछ सिखाये वह भी हिक्मत और जिसे न सिखाये वह भी हिक्मत से है, तू हिक्मतों वाला और अ़दल वाला है।

सुब्हानल्लाह की तफ़सीर और उसके मायने

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'सुब्हानल्लाह' के मायने अल्लाह तआ़ला की पाकीज़गी के हैं कि वह हर बुराई से पाक और बरी है। हज़रत उमर रज़ि. ने हज़रत अ़ली और अपने पास के दूसरे सहाबा से एक मर्तबा सवाल किया कि ''ला-इला-ह इल्लल्लाहु'' तो हम जानते हैं लेकिन 'सुब्हानल्लाह' क्या कलिमा है? तो हज़रत अ़ली रज़ि. ने जवाब दिया कि इस कलिमे को बारी तआ़ला ने अपने लिये पसन्द फ़रमाया है, वह इससे ख़ुश होता है और इसका कहना उसे महबूब है। हज़रत मैमून बिन मेहरान फ़रमाते हैं कि इसमें अल्लाह तआ़ला की ताज़ीम है और तमाम बुराईयों से पाकीज़गी का बयान है।

हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने नाम बता दिये कि तुम्हारा नाम जिब्राईल है और तुम्हारा नाम मीकाईल है, तुम इस्राफ़ील हो यहाँ तक कि चील कौए वग़ैरह सबके नाम जब उनसे पूछे गये तो उन्होंने बता दिये। जब हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की यह फ़ज़ीलत फ़रिश्तों को मालूम हुई तो अल्लाह तबारक व तआ़ला ने फ़रमाया- देखो मैंने तुमसे पहले ही न कहा था कि मैं हर खुले-छुपे का जानने वाला हूँ। जैसे और जगह है:

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى.

तुम बुलन्द आवाज़ से कहो (या न कहो) अल्लाह तआ़ला पोशीदा से पोशीदा चीज़ को जानता है। एक और जगह है:

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ...... الخ.

क्यों ये लोग उस ख़ुदा को सज्दा नहीं करते जो आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ों को निकालता है और जो तुम्हारी हर पोशीदा (छुपी) और ज़ाहिर (बात और मामले) को जानता है। अल्लाह अकेला ही माबूद है और वही अ़र्शे अ़ज़ीम का रब है। जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो, उसे मैं जानता हूँ।

मतलब यह है कि इब्लीस के दिल में जो तकब्बुर और ग़ुरूर था उसे मैं जानता था। फ़रिश्तों का क़ौल है कि ज़मीन में उसे क्यों पैदा करता है जो फ़साद करे और ख़ून बहाये? यह तो वह क़ौल था जिसे उन्होंने ज़ाहिर किया था और जो छुपाया था वह वो था जो इब्लीस के दिल में ग़ुरूर और तकब्बुर था। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. और बाज़ दूसरे सहाबा और सईद बिन जुबैर, मुजाहिद, सुद्दी, ज़ह्हाक और हज़रत सौरी रह. का यही क़ौल है। इब्ने जरीर भी इसी को पसन्द फ़रमाते हैं और अबुल-आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस, हसन और क़तादा रह. का क़ौल है कि उनकी छुपी हुई बात उनका यह कहना था कि जिस मख़्लूक़ को भी ख़ुदा पैदा करेगा हम उससे ज़्यादा आ़लिम और ज़्यादा बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन बाद में साबित हो गया और ख़ुद उन्होंने भी जान लिया कि आदम अ़लैहिस्सलाम को इल्म और बुज़ुर्गी दोनों में उन पर बरतरी (ऊँचा दर्जा) हासिल है।

हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया- जिस तरह तुम इन चीज़ों के नामों से बेख़बर हो इसी तरह तुम यह भी नहीं जान सकते कि इनमें भले-बुरे हर तरह के होंगे, फ़रमाँबरदार भी होंगे और नाफ़रमान भी, और मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि मुझे जन्नत और दोज़ख़ दोनों भरनी हैं, लेकिन तुम्हें मैंने इसकी ख़बर नहीं की। अब जबकि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को दिया हुआ इल्म देखा तो उनकी बुज़ुर्गी का इक़रार कर लिया। इमाम इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि सबसे बेहतर क़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का है कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब का इल्म तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन का इल्म मुझे है। उनके ज़ाहिरी क़ौल को और इब्लीस के छुपे हुए तकब्बुर व ग़ुरूर को भी ख़ुदा जानता है। इसमें छुपाने वाला सिर्फ़ एक इब्लीस ही था लेकिन सीग़ा (कलिमा) जमा (बहुवचन) का लाया गया है, इसलिये कि अ़रब में यह दस्तूर है और उनके कलाम में यह बात पाई जाती है कि एक या बाज़ के एक काम को सबकी तरफ़ मन्सूब कर दिया करते हैं। वे कहते हैं कि लश्कर मार डाला गया, या उन्हें शिकस्त हुई, हालाँकि शिकस्त और क़त्ल एक का या बाज़ का होता है और कलिमा जमा (बहुवचन) का लाते हैं। बनू तमीम के एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को आपके हुजरे के पीछे से पुकारा था, लेकिन क़ुरआन पाक में इसका बयान इन लफ़्ज़ों में है:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ.

जो लोग तुम्हें ऐ नबी! हुजरों के पीछे से पुकारते हैं।

तो देखिये पुकारने वाला एक था और सीग़ा (लफ़्ज़) जमा (बहुवचन) का लाया गया। इसी तरह 'व मा कुन्तुम तक्तुमून' में भी है। अपने दिल में बदी को छुपाने वाला सिर्फ़ एक इब्लीस ही था लेकिन सीग़ा (लफ़्ज़) जमा (बहुवचन) का लाया गया।

और जिस वक़्त हमने हुक्म दिया फ़रिश्तों को (और जिन्नों को भी) कि सज्दे में गिर जाओ आदम के सामने, सो सब सज्दे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के, उसने कहना न माना और ग़ुरूर में आ गया, और हो गया काफ़िरों में से। (34)	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

फ़रिश्तों का सज्दा और आदम अ़लैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत

हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की इस बहुत बड़ी बुज़ुर्गी को ज़िक्र करके अल्लाह तआ़ला ने इनसानों पर अपना बहुत बड़ा एहसान ज़ाहिर किया और ख़बर दी कि उसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वे हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को सज्दा करें। इसकी दलालत में बहुत सी हदीसें हैं। एक तो हदीसे शफ़ाअ़त जो अभी बयान हुई और दूसरी हदीस में है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला से दरख़्वास्त की कि मेरी मुलाक़ात हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से करा दीजिये जो ख़ुद भी जन्नत से निकले और हम सब को भी निकाला। जब दोनों पैग़म्बर जमा हुए तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वह आदम हो कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें अपने हाथ से पैदा किया और अपनी रूह तुममें फूँकी, अपने फ़रिश्तों से तुम्हें सज्दा कराया.... (आख़िर तक)। पूरी हदीस आगे बयान होगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

शैतान क्या है?

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इब्लीस फ़रिश्तों के एक क़बीले में से था जिन्हें जिन्न कहते हैं, जो आग के शोलों से पैदा हुए थे। उसका नाम हारिस था और जन्नत का ख़ाज़िन (ख़ज़ानची) था। उस क़बीले के सिवा और फ़रिश्ते सबके सब नूरी थे। क़ुरआन ने भी उन जिन्नों की पैदाईश का बयान किया है। इरशाद हैः

مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ... الخ.

आग के शोले की जो तेज़ी बुलन्द होती है उसे 'मारिज' कहते हैं, जिससे जिन्न पैदा किये गये थे, और इनसान मिट्टी से पैदा किया गया।

ज़मीन में पहले जिन्न बसते थे, उन्होंने फ़साद और ख़ून बहाना शुरू किया तो अल्लाह तआ़ला ने इब्लीस को फ़रिश्तों के लश्कर देकर भेजा, उन्हीं को जिन्न कहा जाता था। इब्लीस ने लड़-भिड़कर मारते और क़त्ल करते हुए उन्हें समुद्रों के जज़ीरों (द्वीपों) और पहाड़ों के दामनों में पहुँचा दिया। इब्लीस के दिल में यह तकब्बुर समा गया कि मैंने वह काम किया जो किसी और से न हो सका। चूँकि दिल की इस बदी और इस पोशीदा घमण्ड का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को था। जब परवर्दिगारे आ़लम ने फ़रमाया कि ज़मीन में मैं ख़लीफ़ा बरपा करना चाहता हूँ तो उन फ़रिश्तों ने अ़र्ज़ किया कि फ़िर ऐसों को क्यों पैदा करता है जो पहली क़ौम की तरह फ़साद व ख़ूँरेज़ी करें? तो उन्हें जवाब दिया गया कि मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इब्लीस के दिल में जो तकब्बुर व ग़ुरूर है उसका मुझी को इल्म है, तुम्हें ख़बर नहीं।

फिर आदम अ़लैहिस्सलाम की मिट्टी उठाई गयी जो चिकनी और अच्छी थी। जब उसका ख़मीर उठा

तब उससे हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने अपने हाथ से पैदा किया और चालीस दिन तक वह यूँ ही पुतले की शक्ल में रहे। इब्लीस आता था और उस पर लात मारकर देखता था कि वह बजती मिट्टी थी जैसे कोई खोखली चीज़ हो। फिर मुँह के सुराख़ से घुसकर पीछे के सुराख़ से और इसके विपरीत आता-जाता रहा और कहता रहा कि दर हक़ीक़त यह कोई चीज़ नहीं और अगर मैं इस पर मुसल्लत किया गया तो इसे बरबाद करके छोडूँगा और इसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं हरगिज़ तस्लीम न करूँगा। फिर जब अल्लाह तआ़ला ने उनमें रूह फूँकी और वह सर की तरफ़ से नीचे की तरफ़ आयी तो जहाँ-जहाँ तक पहुँचती रही ख़ून गोश्त बनता गया। जब नाफ़ तक रूह पहुँची तो अपने जिस्म को देखकर ख़ुश हुए और झट से उठना चाहा, लेकिन नीचे के धड़ में रूह नहीं पहुँची थी इसलिये उठ न सके। इसी जल्दी का बयान इस आयत में है:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلاً.

यानी इनसान बेसब्र और जल्दबाज़ है। न तो ख़ुशी में सब्र न रंज में क़रार।

जब रूह जिस्म में पहुँची और छींक आयी तो कहा 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन' अल्लाह तआ़ला ने जवाब दिया 'यर्हमुकल्लाहु' फिर सिर्फ़ इब्लीस के साथी फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम को सज्दा करो तो उन सबने तो सज्दा किया लेकिन इब्लीस का वह गुरूर व तकब्बुर ज़ाहिर हो गया, उसने न माना, सज्दे से इनकार कर दिया और कहने लगा- मैं इससे बेहतर हूँ, इससे बड़ी उम्र वाला हूँ और इससे क़वी और मज़बूत हूँ। यह मिट्टी से पैदा हुआ है और मैं आग से बना हूँ और आग मिट्टी से क़वी (ताक़तवर) है। इस इनकार पर अल्लाह तआ़ला ने उसे अपनी रहमत से नाउम्मीद कर दिया, और इसी लिये उसे इब्लीस कहा जाता है। उसकी नाफ़रमानी की सज़ा में उसे अल्लाह की बारगाह से धुतकारा हुआ शैतान बना दिया।

फिर आदम अ़लैहिस्सलाम को इनसान, जानवर, ज़मीन, समुद्र, पहाड़ वग़ैरह के नाम बताकर उनको उन फ़रिश्तों पर पेश किया जो इब्लीस के साथ और आग से पैदा-शुदा थे, और उनसे फ़रमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा न बनाऊँगा तो ज़रा मुझे इन चीज़ों के नाम तो बता दो। जब फ़रिश्तों ने देखा कि हमारी पहली बात से ख़ुदा तआ़ला नाराज़ है तो वे कहने लगे कि ख़ुदाया तू इस बात से पाक है कि तेरे सिवा कोई और ग़ैब को जाने। हमारी तौबा है, और इक़रार है कि हम ग़ैब के जानने वाले नहीं, हम तो सिर्फ़ वही जान सकते हैं जो तू हमें मालूम करा दे। जैसे तूने उनके नाम सिर्फ़ हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को ही सिखाये हैं। अब अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम इन्हें इन तमाम चीज़ों के नाम बता दो, चुनाँचे उन्होंने बता दिये तो फ़रमाया ऐ फ़रिश्तो! क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब का जानने वाला सिर्फ़ मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं। मैं हर पोशीदगी (छुपी हुई चीज़ और बात) को भी वैसा ही जानता हूँ जैसे हर ज़ाहिर को। यानी इब्लीस का अन्दरूनी तकब्बुर व गुरूर भी मैं जानता था और तुम सब उससे बेख़बर थे। लेकिन यह क़ौल भी ग़रीब है और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विचारनीय हैं। हम अगर उन्हें अलग-अलग बयान करें तो मज़मून बहुत बढ़ जायेगा और इब्ने अ़ब्बास रज़ि. तक इस क़ौल की सनद भी वही है जिससे उनकी मशहूर तफ़सीर मरवी है।

एक और क़ौल भी इसी तरह का मरवी है, उसमें कुछ कमी-ज़्यादती भी है और उसमें यह भी है कि ज़मीन की मिट्टी लेने के लिये जब हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम गये तो ज़मीन ने कहा कि मैं अल्लाह

तआ़ला की पनाह माँगती हूँ कि तू मुझसे कुछ घटाये। वह वापस चले गये फिर मलकुल-मौत को भेजा, ज़मीन ने उनसे भी यही कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं ख़ुदा का हुक्म पूरा किये बग़ैर वापस चला जाऊँ। चुनाँचे उन्होंने तमाम रू-ए-ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की ली। चूँकि मिट्टी का रंग कहीं सुर्ख़ था और कहीं सफ़ेद, कहीं सियाह इसी वजह से इनसानों की रंगतें भी तरह-तरह की हुईं, लेकिन यह असर भी बनी इस्राईल की बातों से भरा हुआ है, ग़ालिबन इसमें बहुत सी बातें नीचे के लोगों की मिलाई हुई हैं, सहाबी का बयान है ही नहीं। और अगर सहाबी का क़ौल भी हो तो भी उन्होंने बाज़ पहली किताबों से लिया होगा। वल्लाहु आलम।

इमाम हाकिम अपनी मुस्तद्रक में बहुत सी ऐसी रिवायतें लाये हैं और उनकी सनद को इमाम बुख़ारी की शर्त पर कहा है। मक़सद यह है कि जब अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को सज्दा करो तो इस ख़िताब में इब्लीस भी दाख़िल था, इसलिये कि अगरचे वह उनमें से न था लेकिन उन्हीं जैसा और उन्हीं जैसे काम करने वाला था, इसलिये इस ख़िताब में दाख़िल था, और फिर नाफ़रमानी की सज़ा भुगती इसकी तफ़सील इन्शा-अल्लाह 'का-न मिनल् जिन्नि' (सूरः कहफ़ आयत 50) की तफ़सीर में आयेगी।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. कहते हैं कि नाफ़रमानी से पहले वह फ़रिश्तों में था, अ़ज़ाज़ील उसका नाम था, ज़मीन पर उसकी रिहाईश थी, इज्तिहाद और इल्म में बहुत बड़ा था और इसी वजह से दिमाग़ में घमंड था और उसकी जमाअ़त और उसका ताल्लुक़ जिन्नों से था। उसके चार पंख थे, जन्नत का ख़ज़ानची था, ज़मीन और दुनिया वाले आसमान का सुल्तान था। हज़रत हसन रह. फ़रमाते हैं कि इब्लीस कभी फ़रिश्ता न था, उसकी असल जिन्नात से है जैसा कि आदम अ़लैहिस्सलाम की असल 'इन्स' से है। इसकी सनद सही है। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम और शहर बिन हूशब रह. का भी यही क़ौल है। सअ़द बिन मसऊद कहते हैं कि फ़रिश्तों ने जिन्नात को जब मारा तब उसे क़ैद किया था और आसमान पर ले गये थे, वहाँ इबादत की वजह से रह पड़ा। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी मरवी है कि पहले एक मख़्लूक़ को अल्लाह तआ़ला ने पैदा किया, उन्हें हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को सज्दा करने को कहा, उन्होंने इनकार किया जिस पर वे जला दिये गये। फिर दूसरी मख़्लूक़ पैदा की, उनका भी यही हश्र हुआ। फिर तीसरी मख़्लूक़ पैदा की, उन्होंने हुक्म का पालन किया। लेकिन यह क़ौल भी ग़रीब है और इसकी सनद भी तक़रीबन ग़ैर-सही है। इसमें एक रावी मुब्हम (अस्पष्ट) है। इस वजह से यह रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं।

'काफ़िरीन' से मुराद नाफ़रमान हैं। इब्लीस की जड़-बुनियाद और पैदाईश ही कुफ़्र व गुमराही पर थी कुछ दिन ठीक-ठाक रहा लेकिन फिर अपनी असलियत पर आ गया। सज्दा करने का हुक्म बजा लाना ख़ुदा तआ़ला की इताअ़त और आदम अ़लैहिस्सलाम का सम्मान था। बाज़ लोगों का क़ौल है कि यह सज्दा सलाम और इ़ज़्ज़त व इकराम का था जैसे हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के बारे में फ़रमान है कि उन्होंने अपने माँ-बाप को तख़्त पर बैठा लिया और सबके सब सज्दे में गिर पड़े और हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया- अब्बा! यही मेरे उस ख़्वाब की ताबीर है जिसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। पहली उम्मतों में यह जायज़ था, लेकिन हमारे दीन में यह मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) हो गया।

हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने शामियों (सीरिया वालों) को अपने सरदारों और उलेमा के सामने सज्दा करते हुए देखा था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से गुज़ारिश की कि हुज़ूर! हम इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि आपको सज्दा किया जाये, तो आपने फ़रमाया कि मैं अगर किसी इनसान को किसी

इनसान के सामने सज्दा करने की इजाज़त दे सकता तो औरतों को हुक्म देता कि वे अपने शौहरों को सज्दा करें, क्योंकि उनका उन पर बहुत बड़ा हक़ है। इमाम राज़ी रह. ने इसी को तरजीह दी है। बाज़ कहते हैं कि सज्दा अल्लाह तआ़ला ही के लिये था, हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम क़िब्ले के तौर पर थे, जैसे क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह है:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ.

लेकिन इसमें कलाम और विचारनीय बात है, और पहले क़ौल का ही ज़्यादा ज़ाहिर होना अच्छा मालूम होता है। यह सज्दा हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के इकराम, बड़ाई, एहतिराम और सलाम के तौर पर था और ख़ुदा तआ़ला की इताअ़त की पैरवी में था, क्योंकि उसका हुक्म था जिसका पालन करना ज़रूरी था। इमाम राज़ी रह. ने भी इसी क़ौल को क़वी (मज़बूत) बतलाया है और उसके सिवा दोनों क़ौलों को ज़ईफ़ क़रार दिया है। एक तो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम का बतौर क़िब्ला के होना, जिसमें कोई बड़ाई और सम्मान ज़ाहिर नहीं होता, दूसरे सज्दे से मुराद पस्त, आ़जिज़ होना है, न कि ज़मीन पर माथा रखकर वास्तविक तौर पर सज्दा करना। लेकिन ये दोनों तावीलें ज़ईफ़ हैं। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि सबसे पहला गुनाह यही तकब्बुर का है जो इब्लीस से सरज़द हुआ। सही हदीस में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाख़िल न होगा। इसी तकब्बुर, कुफ़्र व दुश्मनी की वजह से इब्लीस के गले में लानत का तौक़ पड़ा और रहमत से मायूस होकर अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया। यहाँ 'का-न' (था) 'सा-र' (हो गया) के मायने में भी बतलाया गया है। जैसे बाज़ दूसरी आयतों में है:

فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ.

فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

कि हो गया वह डूबने वालों में से।

तो हो जाओगे तुम अपने ऊपर ज़ुल्म करने वालों में से।

शायरों के अश्आ़र में भी यह लफ़्ज़ इस मायने में इस्तेमाल हुआ है। तो मायने यह हुए कि वह काफ़िर हो गया। इब्ने फ़ोरक कहते हैं कि वह अल्लाह तआ़ला के इल्म में काफ़िरों में से था। इमाम क़ुर्तुबी इसी को तरजीह देते हैं और यहाँ एक मसला बयान फ़रमाते हैं कि किसी शख़्स के हाथ से कुछ करामतें (चमत्कार) ज़ाहिर हो जाना उसके वलीयुल्लाह (अल्लाह वाला) होने की दलील नहीं, अगरचे बाज़ सूफ़ी और राफ़ज़ी इसके ख़िलाफ़ भी कहते हैं। इसलिये कि हम इस बात का किसी के लिये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वह ईमान ही की हालत में अल्लाह से जा मिलेगा (इसी शैतान को देखिये वली छोड़ फ़रिश्ता बना हुआ था लेकिन आख़िर कुफ़्र का सरदार हो गया)। इसके अ़लावा ऐसी ख़िलाफ़े आ़दत व अ़क़्ल बातें जो बज़ाहिर करामत (अ़जीब और चमत्कार) नज़र आती हैं औलिया-अल्लाह के सिवा और लोगों के हाथों भी ज़ाहिर होती हैं, बल्कि फ़ासिक़ फ़ाजिर, मुश्रिक काफ़िर से भी ज़ाहिर हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने दिल में:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ.

(सूरः दुख़ान आयत 10) की आयत पोशीदा करके जब इब्ने सय्याद काफ़िर से पूछा कि मैंने क्या छुपा रखा है तो उसने कहा 'दुख़'। बाज़ रिवायतों में है कि गुस्से के वक़्त वह इतना फूल जाता था कि उसके

जिस्म से तमाम रास्ते रुक जाते थे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. ने उसे मारा। दज्जाल की तो ऐसी बहुत सी बातें हदीसों में वारिद हैं, जैसे उसका आसमान से बारिश बरसाना, ज़मीन से पैदावार उगाना, ज़मीन के ख़ज़ानों का उसके पीछे लगना, एक नौजवान को क़त्ल करके फिर ज़िन्दा करना वग़ैरह वग़ैरह।

हज़रत लैस बिन सअ़द और हज़रत इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए और हवाओं में उड़ते हुए देखो तो उसे वली न समझ बैठना, जब तक कि उसके तमाम आमाल व अफ़आ़ल क़ुरआन व हदीस के मुताबिक़ न पाओ।

इस सज्दे का हुक्म ज़मीन व आसमान के तमाम फ़रिश्तों को था। अगरचे एक जमाअ़त का क़ौल यह भी है कि सिर्फ़ ज़मीन के फ़रिश्तों को यह हुक्म था, लेकिन यह ठीक नहीं। क़ुरआने करीम में है:

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ. اِلَّآ اِبْلِيْسَ.

यानी इब्लीस के सिवा तमाम फ़रिश्तों ने सज्दा किया।

पस अव्वल तो जमा (बहुवचन) का सीग़ा लाना, फिर 'कुल्लुहुम' (सब के सब) से ताकीद करना, फिर 'अज्मऊन' (तमाम) से, और सिर्फ़ इब्लीस को अलग करना, इन चारों वजहों से साफ़ ज़ाहिर है कि यह हुक्म आ़म था। वल्लाहु आलम।

और हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम! रहा करो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, फिर खाओ दोनों इसमें से फ़राग़त के साथ जिस जगह से चाहो, और नज़दीक न जाईयो उस दरख़्त के, वरना तुम भी उन्हीं में शुमार हो जाओगे जो अपना नुक़सान कर बैठते हैं। (35) फिर बहका दिया आदम और हव्वा को शैतान ने उस दरख़्त की वजह से, सो निकलवाकर रहा उनको उस ऐश से जिसमें वे थे, और हमने कहाः नीचे उतरो तुममें से बाज़े बाज़ों के दुश्मन रहेंगे, और तुमको ज़मीन पर कम ही ठहरना है, और काम चलाना एक मुक़र्ररा मियाद तक। (36)	وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की यह और बुज़ुर्गी बयान हो रही है कि फ़रिश्तों से सज्दा कराने के बाद उन्हें जन्नत में रखा और हर चीज़ की छूट और रियायत दी। इब्ने मर्दूया की हदीस में है कि हज़रत अबूज़र रज़ि. ने एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह! क्या हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम नबी थे? आपने फ़रमाया हाँ नबी भी थे और रसूल भी, बल्कि ख़ुदा तआ़ला ने उनसे आमने-सामने बातचीत की और उनसे फ़रमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। आ़म मुफ़स्सिरीन का ख़्याल है कि आसमानी जन्नत में उन्हें बसाया गया था। लेकिन मोतज़िला और क़द्रिया कहते हैं कि यह जन्नत ज़मीन पर थी। सूरः आराफ़ में इसका बयान आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

क़ुरआन की इस इबारत से यह मालूम होता है कि जन्नत में रहने से पहले हज़रत हव्वा पैदा की गयी

थीं। मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह. फ़रमाते हैं कि अहले किताब वग़ैरह उलेमा से इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत से मरवी है कि इब्लीस की डाँट-डपट के बाद हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम का इल्म ज़ाहिर करके फिर उन पर ऊँघ डाल दी गयी और उनकी बायीं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। जब आँख खोलकर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो ख़ून और गोश्त की वजह से उन्स व मुहब्बत दिल में पैदा हुई। फिर परवर्दिगार ने उन्हें उनके निकाह में दे दिया और जन्नत में रिहाईश का हुक्म अ़ता हुआ। बाज़ कहते हैं कि आदम अ़लैहिस्सलाम के जन्नत में दाख़िल हो जाने के बाद हज़रत हव्वा पैदा की गयीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. वग़ैरह सहाबा से मरवी है कि इब्लीस को जन्नत से निकालने के बाद हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी गयी, लेकिन उस वक़्त आप तन्हा थे इस वजह से उनकी नींद (सोने की हालत) में हज़रत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया गया, जागने के बाद जब उन्हें देखा तो पूछने लगे तुम कौन हो और क्यों पैदा की गयी हो? हज़रत हव्वा ने फ़रमाया- मैं एक औ़रत हूँ और आपके साथ रहने और आपके सुकून व तसल्ली का सबब बनने के लिये पैदा की गयी हूँ। तो झट से फ़रिश्तों ने पूछा फ़रमाईये इनका नाम क्या है? हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने कहा- हव्वा। उन्होंने कहा- इस नाम की क्या वजह है? फ़रमाया इसलिये कि यह एक ज़िन्दा से पैदा की गयी हैं। वहीं ख़ुदा तआ़ला की आवाज़ आयी कि ऐ आदम! अब तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आराम व इत्मीनान से रहो, और जो चाहो खाओ पियो। इस एक ख़ास दरख़्त से रोकना, यह इम्तिहान था।

बाज़ कहते हैं कि यह अंगूर की बैल थी। कोई कहता है गेहूँ का दरख़्त था। किसी ने सिंबला कहा है, किसी ने खजूर बतलाई है, किसी ने इन्जीर कहा है, कोई कहता है कि उस दरख़्त के खाने से इनसानी हाजत (यानी पाख़ाने की ज़रूरत) होती थी जो जन्नत के लायक़ नहीं, कोई कहता है उस दरख़्त का फल खाकर फ़रिश्ते हमेशगी की ज़िन्दगी वाले हो जाते थे। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि कोई दरख़्त (पेड़/पौधा) था जिससे ख़ुदा ने रोक दिया, न क़ुरआन से ही उसका सही निर्धारण साबित होता है न किसी सही हदीस से। और मुफ़स्सिरीन में इख़्तिलाफ़ है, उसके मालूम कर लेने से कोई अहम फ़ायदा और मालूम न होने से कोई नुक़सान नहीं, लिहाज़ा हमें इस छानबीन और माथा-पच्ची की क्या ज़रूरत? अल्लाह ही को इसका बेहतर इल्म है।

इमाम राज़ी रह. वग़ैरह ने भी यही फ़ैसला किया है और ठीक बात भी यही मालूम होती है। 'अ़न्हा' (उससे) से 'उस' के बारे में बाज़ ने 'जन्नत' कहा है और बाज़ ने 'शजरा' (यानी पेड़)। एक क़िराअत "फ़-अज़ल्लहुमा" भी है तो मायने यह हो गये कि उस जन्नत से उन दोनों को एक तरफ़ और अलग कर दिया, और दूसरे मायने यह हुए कि उसी दरख़्त के सबब शैतान ने उन्हें बहकाया। लफ़्ज़ 'अ़न' सबब के मायने में भी आया है। इस नाफ़रमानी (चूक और भूल) की वजह से जन्नती लिबास, पाक मकान और उम्दा रोज़ी वग़ैरह सब छिन गयी और दुनिया में उतार दिये गये और कह दिया गया कि अब ज़मीन में ही तुम्हारे रिज़्क़ वग़ैरह हैं, क़ियामत तक यहीं पड़े रहोगे, और यहाँ का फ़ायदा हासिल करते रहोगे।

साँप और शैतान का क़िस्सा

इब्लीस (शैतान) किस तरह जन्नत में पहुँचा? किस तरह वस्वसा डाला (बहकाया) वग़ैरह, लम्बे चौड़े क़िस्से यहाँ पर मुफ़स्सिरीन ने बयान किये हैं, लेकिन वे सब बनी इस्राईल के यहाँ का ख़ज़ाना है, फिर भी हम उन्हें सूरः आराफ़ में बयान करेंगे, क्योंकि इस वाक़िए का बयान वहाँ किसी क़द्र तफ़सील के साथ है।

इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि दरख़्त चखते ही जन्नती लिबास उतर गया। अपने को नंगा देखकर इधर-उधर दौड़ने लगे, लेकिन चूँकि क़द लम्बा था और सर के बाल लम्बे थे वह एक दरख़्त में अटक गये, ख़ुदा तआ़ला ने फ़रमाया कि ऐ आदम! क्या मुझसे भागते हो? अ़र्ज़ किया नहीं! ख़ुदाया मैं तो शर्मिन्दगी से मुँह छुपाये फिरता हूँ। एक और रिवायत में है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- ऐ आदम! मेरे पास से चले जाओ, मुझे मेरी इ़ज़्ज़त की क़सम मेरे पास मेरे नाफ़रमान नहीं रह सकते। इतनी मख़्लूक़ में तुम जैसी पैदा करूँ कि ज़मीन भर जाये और फिर वे मेरी नाफ़रमानी करें तो यक़ीनन मैं उन्हें भी नाफ़रमानों के घर में पहुँचा दूँ। यह रिवायत ग़रीब है और साथ ही इसमें इन्क़ि़ता भी है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम अ़सर के बाद से लेकर सूरज के छुपने तक ही जन्नत में रहे। हज़रत हसन रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह एक साअ़त (घड़ी) एक सौ तीस साल की थी। रबीअ़ बिन अनस रह. फ़रमाते हैं कि नवीं या दसवीं साअ़त (घड़ी) में हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को निकाला गया था। उनके साथ जन्नत की एक शाख़ (टहनी) थी और जन्नत के दरख़्त का एक ताज सर पर था। सुद्दी रह. का क़ौल है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हिन्दुस्तान में उतरे, आपके साथ हजरे अस्वद (काला पत्थर) था और जन्नती दरख़्त के पत्ते थे, जिन्हें आपने हिन्दुस्तान में फैला दिया और उससे ख़ुशबूदार दरख़्त पैदा हुए।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हिन्द के शहर वहना में उतरे थे। एक रिवायत में है कि मक्का और ताईफ़ के बीच उतरे थे। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हिन्द में और हव्वा जेद्दा में उतरीं और इब्लीस बसरा से चन्द मील के फ़ासले पर दस्त मीसाँ में फेंका गया, और साँप अस्फ़हान में। इब्ने उमर रज़ि. का क़ौल है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम सफ़ा पर और हज़रत हव्वा मरवा पर उतरीं। उतरने के वक़्त हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था। और इब्लीस उंगलियों में उंगलियाँ डाले आसमान की तरफ़ नज़रें जमाये उतरा। हज़रत अबू मूसा रज़ि. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें तमाम सनअ़तें (कारीगरी) सिखा दीं और फलों का तोशा दिया। एक हदीस में है कि तमाम दिनों में बेहतर दिन जुमा का दिन है, इसी में आदम अ़लैहिस्सलाम पैदा किये गये, इसी में जन्नत में दाख़िल किये गये और इसी दिन निकाले गये। (सही मुस्लिम व नसाई)

इमाम राज़ी रह. फ़रमाते हैं कि इस आयत में कई-कई अन्दाज़ से डाँट-डपट है। अव्वल तो यह सोचना चाहिये कि ज़रा उसी भूल और ख़ता पर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को किस क़द्र सज़ा हुई। किसी शायर ने क्या ख़ूब कहा है कि तुम गुनाह पर गुनाह किये जाते हो और जन्नत के तालिब हो? क्या तुम भूल गये कि तुम्हारे बाप आदम अ़लैहिस्सलाम को महज़ एक हल्के से गुनाह पर जन्नत से निकाल दिया गया। हम तो यहाँ दुश्मन की क़ैद में हैं, देखिये कब सेहत व सलामती के साथ अपने वतन पहुँचें। फ़तह मूसली कहते हैं कि हम जन्नती थे, शैतान की क़ैद में दुनिया में आ पड़े, अब सिवाय ग़म और रंज के यहाँ क्या रखा है? यह क़ैद व बन्द उसी वक़्त टूटेगी जब हम वहीं पहुँच जायें जहाँ से निकाले गये हैं।

अगर कोई एतिराज़ करने वाला एतिराज़ करे कि जब आदम अ़लैहिस्सलाम आसमानी जन्नत में थे और इब्लीस (शैतान) अल्लाह की बारगाह से धुतकारा जा चुका था तो फिर वह वहाँ कैसे पहुँचा? तो इसका एक जवाब तो यह है कि एक क़ौल यह भी है कि वह जन्नत ज़मीन में थी, लेकिन इसके अ़लावा और भी बहुत से जवाब हैं कि बतौर इकराम के (सम्मान के साथ) उसका दाख़िल होना मना था न कि बतौर अपमान और चोरी के। चुनाँचे तौरात में है कि वह साँप के मुँह में बैठकर जन्नत में गया, और यह भी जवाब है कि वह जन्नत में नहीं गया था बल्कि बाहर ही से उसने वस्वसा (बुरा ख़्याल) डाला था और

बाज़ों ने कहा है कि ज़मीन में से ही वस्वसा उनके दिलों में डाला। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने यहाँ पर साँपों से मुताल्लिक़ और उनके मार डालने के हुक्म की हदीसें भी नक़ल की हैं जो बहुत मुफ़ीद और मौक़े के मुनासिब हैं।

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۝	उसके बाद हासिल कर लिए आदम ने अपने रब से चन्द अलफ़ाज़, तो अल्लाह तआ़ला ने रहमत के साथ तवज्जोह फ़रमाई उन पर (यानी तौबा क़बूल कर ली) बेशक वही हैं बड़े तौबा क़बूल करने वाले, बड़े मेहरबान। (37)

जो कलिमात हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने सीखे थे उनका बयान ख़ुद क़ुरआन में मौजूद है:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

यानी उन दोनों ने कहा- ऐ हमारे रब! हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, अगर तू हमें न बख़्शेगा और हम पर रहम न करेगा तो यक़ीनन हम नुक़सान वाले हो जायेंगे।

अक्सर बुज़ुर्गों का यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से अहकामे हज सीखना भी नक़ल किया गया है। उबैद बिन उमैर कहते हैं कि वे कलिमात यह थे कि उन्होंने कहा ख़ुदाया- जो ख़ता मैंने की आया वह मेरे पैदा करने से पहले मेरी तक़दीर में लिख दी गयी थी या मैंने ख़ुद उसकी ईजाद की? जवाब मिला कि ईजाद नहीं की बल्कि पहले ही से लिख रखी थी। इसे सुनकर आपने कहा- फिर ख़ुदाया मुझे बख़्शिश और माफ़ी मिल जाये। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी रिवायत है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने कहा- ख़ुदाया क्या तूने मुझे अपने हाथ से पैदा नहीं किया? और मुझमें रूह नहीं फूँकी? मेरे छींकने पर 'यर्हमुकल्लाह' नहीं कहा? क्या तेरी रहमत ग़ज़ब के ऊपर छायी हुई नहीं? क्या मेरी पैदाईश से पहले यह ख़ता मेरी तक़दीर में नहीं थी? जवाब मिला कि हाँ यह सब मैंने किया है। कहा फिर ख़ुदाया! मेरी तौबा क़बूल करके मुझे फिर जन्नत मिल सकती है या नहीं? जवाब मिला कि हाँ। यही वे कलिमात यानी चन्द बातें थीं जो आपने ख़ुदा से सीख लीं। इब्ने अबी हातिम की एक और मरफ़ूअ़ रिवायत में है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने कहा- ख़ुदाया अगर मैं तौबा करूँ और रुजू करूँ तो क्या जन्नत में फिर भी जा सकता हूँ? जवाब मिला कि हाँ। यही मायने हैं ख़ुदा से कलिमात की तलक़ीन हासिल करने के। यह हदीस अ़लावा ग़रीब होने के मुन्क़ता भी है। बाज़ बुज़ुर्गों से मरवी है कि कलिमात की तफ़सीर 'रब्बना ज़लम्ना...' को और इन बातों सब को शामिल है। हज़रत मुजाहिद रह. से रिवायत है कि वे कलिमात ये हैं:

اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"अल्लाहुम्-म ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क व बि-हम्दि-क रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी फ़ग़्फ़िर् ली इन्न-क ख़ैरुल् ग़ाफ़िरीन। अल्लाहुम्-म ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क व बि-हम्दि-क रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी फ़र्‌हम्नी इन्न-क ख़ैरुर्राहिमीन। अल्लाहुम्-म ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क व बि-हम्दि-क रब्बि

इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी फ़-तुब् अलय्-य इन्न-क अन्ततत्वाबुर्रहीम।"

क़ुरआने करीम में एक और जगह है कि क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़रमाता है? एक जगह है कि जो शख़्स कोई बुरा काम कर गुज़रे या अपनी जान पर ज़ुल्म कर बैठे फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करे तो वह देख लेगा कि ख़ुदा उसकी तौबा क़बूल कर लेगा और उसे अपने रहम व करम में ले लेगा। एक और जगह है कि जो कोई तौबा करे और नेक अ़मल करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी बुराईयों को नेकियों से बदल देगा।

इन सब आयतों में बयान है कि अल्लाह तआ़ला बन्दों की तौबा क़बूल करता है। इसी तरह यहाँ भी फ़रमान है कि वह ख़ुदा तौबा करने वालों की तौबा क़बूल करने वाला और बहुत बड़े रहम व करम वाला है। अल्लाह तआ़ला के इस आ़म लुत्फ़ व करम, उसके फ़ज़्ल व रहम को देखो कि वह अपने गुनाहगार बन्दों को भी अपने दर से मेहरूम नहीं फेरता। सच है उसके सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, न उससे ज़्यादा कोई मेहर व करम करने वाला, न उससे ज़्यादा कोई ख़ता बख़्शने वाला और रहम व बख़्शिश अ़ता फ़रमाने वाला है।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ع	हमने हुक्म फ़रमायाः नीचे जाओ इस जन्नत से सबके सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से किसी क़िस्म की हिदायत, सो जो शख़्स पैरवी करेगा मेरी उस हिदायत की तो न कुछ अन्देशा होगा उस पर और न ऐसे लोग ग़मगीन होंगे। (38) और जो लोग कुफ़्र करेंगे और झुठलाएँगे हमारे अहकाम को, ये लोग होंगे दोज़ख़ वाले, वे उसमें हमेशा रहेंगे। (39)

कायनात का नक़्शा

जन्नत से निकालते हुए जो ख़बर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और इब्लीस को दी गयी उसका बयान यहाँ हो रहा है कि किताबें अम्बिया और रसूल भेजे जायेंगे, मोजिज़े ज़ाहिर किये जायेंगे, दलीलें और निशानियाँ बयान फ़रमायी जायेंगी, हक़ और सही रास्ता वाज़ेह कर दिया जायेगा। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी आयेंगे, आप पर क़ुरआने करीम भी नाज़िल फ़रमाया जायेगा। जो अपने ज़माने की किताब और नबी की ताबेदारी करेगा उसे आख़िरत के मैदान में कोई ख़ौफ़ न होगा और दुनिया के छूटने पर कोई ग़म न होगा। सूरः 'ताँहा' में भी यही फ़रमाया गया है कि मेरी हिदायत की पैरवी करने वाले न गुमराह होंगे न बदबख़्त व बेनसीब, और याद से मुँह मोड़ने वाले दुनिया की तंगी और आख़िरत की रुस्वाई के अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे।

यहाँ यह भी फ़रमाया कि इनकार करने और झुठलाने वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इब्ने जरीर की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो असली जहन्नमी हैं उन्हें तो न जहन्नम में मौत आयेगी न कारामद भली ज़िन्दगी मिलेगी, हाँ जिन ईमान वालों और सुन्नत के पैरोकार

लोगों को उनकी बाज़ ख़ताओं पर जहन्नम में डाला जायेगा ये जलकर कोयला होकर मर जायेंगे और फिर शफ़ाअ़त से निकाल लिये जायेंगे। सही मुस्लिम शरीफ़ में भी यही हदीस है। दूसरी दफ़ा जो जन्नत से निकल जाने के हुक्म को ज़िक्र किया गया तो बाज़ कहते हैं यह इसलिये कि यहाँ दूसरे अहकाम बयान करने थे और बाज़ कहते हैं कि पहली मर्तबा जन्नत से पहले आसमान पर उतार दिया गया था दोबारा पहले आसमान से ज़मीन की तरफ़ उतारा गया, लेकिन सही क़ौल पहला ही है। वल्लाहु आलम।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○

ऐ बनी इस्राईल! याद करो तुम लोग मेरे उन एहसानों को जो किए हैं मैंने तुम पर, और पूरा करो तुम मेरे अ़हद को, पूरा करूँगा मैं तुम्हारे अ़हद को, और सिर्फ़ मुझ ही से डरो। (40) और ईमान ले आओ उस किताब पर जो मैंने नाज़िल की है (यानी क़ुरआन पर) ऐसी हालत में कि वह सच बतलाने वाली है उस किताब को जो तुम्हारे पास है (यानी तौरात के अल्लाह की किताब होने की तस्दीक़ करती है) और मत बनो तुम सबमें पहले इनकार करने वाले इस (क़ुरआन) के, और मत लो मेरे अहकाम के मुक़ाबले में हक़ीर मुआ़वज़े को, और ख़ास मुझ ही से पूरे तौर पर डरो। (41)

बनी इस्राईल को इस्लाम की दावत

इन आयतों में बनी इस्राईल को इस्लाम क़बूल करने और हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताबेदारी करने का हुक्म हो रहा है। और किस लतीफ़ और उम्दा अन्दाज़ में उन्हें समझाया जाता है कि तुम एक पैग़म्बर की औलाद में से हो और तुम्हारे हाथों में किताबुल्लाह मौजूद है, और क़ुरआन उसकी तस्दीक़ कर रहा है, फिर तुम्हें न चाहिये कि सब से पहले इनकार तुम्हीं से शुरू हो। इस्राईल नाम था हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का, तो गोया उनसे कहा जाता है कि तुम मेरे नेक और फ़रमाँबरदार बन्दे की औलाद हो, तुम्हें चाहिये कि अपने दादा बुज़ुर्गवार की तरह हक़ की ताबेदारी में लग जाओ। जैसे कहा जाता है कि तुम सख़ी के लड़के हो, सख़ावत में आगे बढ़ो। तुम पहलवान की औलाद हो बहादुरी दिखाओ, तुम आ़लिम के बच्चे हो इल्म में कमाल पैदा करो। दूसरी जगह इसी अन्दाज़े कलाम को इस तरह अदा किया गया है:

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا.

यानी हमारे शुक्रगुज़ार बन्दे हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के साथ जिन्हें हमने एक आ़लमगीर (विश्व व्यापी) तूफ़ान से बचाया था, यह उनकी औलाद हैं। एक हदीस में है कि यहूदियों की एक जमाअ़त से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि तुम नहीं जानते कि इस्राईल नाम था हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का? वे सब क़सम खाकर कहते हैं कि वल्लाह यह सच है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कहा ख़ुदाया तू गवाह रह। इस्राईल के लफ़्ज़ी मायने अ़ब्दुल्लाह (अल्लाह का बन्दा) के हैं।

उन नेमतों को याद दिलाया जाता है जो अल्लाह की कामिल क़ुदरत की बड़ी निशानियाँ थीं। जैसे पत्थर में से नहरों को जारी करना, मन्न व सलवा उतारना, फ़िरऔनियों से आज़ाद कराना, उन्हीं में से अम्बिया और रसूलों को मबऊस करना, उनमें सल्तनत और बादशाहत अ़ता फ़रमाना वग़ैरह।

मेरे वायदों को पूरा करो, यानी जो अ़हद मैंने तुमसे लिया था कि जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आयें और आप पर मेरी किताब क़ुरआने करीम उतरे तो तुम उस पर और आपकी ज़ात पर ईमान लाना, वह तुम्हारे बोझ हल्के करेंगे और तुम्हारी ज़न्जीरें तोड़ देंगे और तुम्हारे तौक़ उतार देंगे और मेरा वायदा भी पूरा हो जायेगा कि मैं इस दीन के सख़्त अहकाम को जो तुमने अपने ज़िम्मे डाल रखे हैं हटा दूँगा और उस आख़िरुज़्ज़माँ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के हाथों तुम्हें एक आसान दीन दूँगा। दूसरी जगह इसका बयान इस तरह होता है:

وَقَالَ اللّٰهُ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ....... الخ.

यानी अगर तुम नमाज़ों को क़ायम करोगे और ज़कात देते रहोगे, मुझे अच्छा क़र्ज़ा देते रहोगे तो मैं तुम्हारी बुराईयाँ दूर कर दूँगा और तुम्हें बहती नहरों वाली जन्नत में दाख़िल करूँगा।

यह मतलब भी बयान किया गया है कि तौरात में वायदा किया गया था कि हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से एक इतना बड़ा अज़ीमुश्शान पैग़म्बर पैदा करूँगा जिसकी ताबेदारी तमाम मख़्लूक़ पर फ़र्ज़ करूँगा। उसके ताबेदारों को बख़्शूँगा, उन्हें जन्नत में दाख़िल करूँगा और दोहरा अज्र दूँगा। हज़रत इमाम राज़ी रह. ने अपनी तफ़सीर में बड़े-बड़े अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से आपके बारे में पेशीनगोई (भविष्यवाणी) नक़ल की है। यह भी मरवी है कि बन्दों का अ़हद इस्लाम को मानना और उस पर अ़मल करना था। ख़ुदा का अपने अ़हद को पूरा करना, उनसे ख़ुश होना और जन्नत अ़ता फ़रमाना है।

और मुझसे डरो ऐसा न हो कि जो अ़ज़ाब तुम से पहले लोगों पर नाज़िल हुए कहीं तुम पर भी न आ जायें। इस लतीफ़ और उम्दा अन्दाज़ को भी मुलाहिज़ा फ़रमाईये कि तरग़ीब (तवज्जोह और शौक़ दिलाने) के बयान के साथ ही किस तरह तरहीब (डराने और ख़ौफ़ दिलाने) के बयान की तरफ़ लौट आये। शौक़ दिलाने और डराने व धमकाने दोनों को जमा करके हक़ की पैरवी और नुबुव्वते मुहम्मदी की दावत दी गयी। क़ुरआन के साथ नसीहत हासिल करने, उसके बतलाये हुए अहकाम को मानने और उसके ज़रिये रोके हुए कामों से रुक जाने की हिदायत की गयी। इसी लिये उसके बाद ही फ़रमाया कि तुम इस क़ुरआन पर ईमान लाओ जो तुम्हारी अपनी किताब की भी तस्दीक़ और ताईद करता है, जिसे लेकर वह नबी आये हैं जो उम्मी हैं, जो अ़रबी हैं, जो बशीर (ख़ुशख़बरी देने वाले) हैं, जो नज़ीर (डराने वाले) हैं, सिराजे मुनीर (रोशन चिराग़) हैं, जिनका नाम मुबारक मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) है, जो तौरात व इन्जील को सच्चा बताने वाले और हक़ को फैलाने वाले हैं।

चूँकि तौरात व इन्जील में भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र था तो आपका तशरीफ़ लाना तौरात की सच्चाई की दलील भी है। इसलिये कहा गया कि वह तुम्हारे हाथों की चीज़ों की तस्दीक़ करते हैं, इसके बावजूद कि तुम्हें इल्म है फिर तुम ही उसके पहले मुन्किर (इनकार करने वाले) न बनो।

बाज़ कहते हैं 'बिही' की ज़मीर का मरजा (यानी 'उसका' इनकार करने वाले में 'उस' से मुराद) क़ुरआन है, और पहले आ भी चुका है 'बिमा उन्ज़िलत्' और दोनों क़ौल दर हक़ीक़त सच्चे और एक ही हैं। क़ुरआन को मानना रसूल को मानना है, और रसूल की तस्दीक़ क़ुरआन की तस्दीक़ है। 'अव्व-ल काफ़िरिन'

से मतलब बनी इस्राईल के अव्वल काफ़िर हैं। क्योंकि काफ़िर क़ुरैश भी इनकार और कुफ़्र कर चुके थे तो अब बनी इस्राईल का इनकार अहले किताब में से पहली जमाअ़त का इनकार था, इसलिये उन्हें अव्वल काफ़िर (पहले इनकार करने वाले) कहा गया। उनके पास वह इल्म था जो दूसरों के पास न था।

मेरी आयतों के बदले थोड़ी क़ीमत न लो, यानी दुनिया के बदले जो मामूली और फ़ानी है। मेरी आयतों पर ईमान लाना और मेरे रसूल की तस्दीक़ करना न छोड़ो। अगर दुनिया सारी की सारी मिल जाये तब भी वह आख़िरत के मुक़ाबले में थोड़ी और बहुत थोड़ी है, और यह ख़ुद उनकी किताबों में भी मौजूद है। सुनन अबू दाऊद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स उस इल्म को जिससे ख़ुदा की रज़ामन्दी हासिल होती है इसलिये सीखे कि उससे दुनिया कमाये वह क़ियामत के रोज़ जन्नत की ख़ुशबू तक न पायेगा। इल्म सिखाने की उजरत (मुआ़वज़ा) बग़ैर मुक़र्रर किये हुए लेना जायज़ है। इसी तरह इल्म सिखाने वाले उलेमा को बैतुल-माल (इस्लामी सरकारी ख़ज़ाने) से लेना भी जायज़ है ताकि वे ख़ुशहाल रह सकें और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगर बैतुल-माल से कुछ माल न मिलता हो और इल्म सिखाने की वजह से कोई काम-धंधा भी न कर सकते हों तो फिर उजरत (तन्ख़्वाह) मुक़र्रर करके लेना भी जायज़ है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और जमहूर उलेमा का यही मज़हब है। इसकी दलील वह हदीस भी है जो सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. की रिवायत से है कि उन्होंने उजरत मुक़र्रर करके ली और एक साँप के काटे हुए शख़्स पर क़ुरआन पढ़कर दम किया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने यह क़िस्सा पेश हुआ तो आपने फ़रमायाः

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله.

यानी जिन चीज़ों पर तुम उजरत (मेहनताना) लो उन सब में ज़्यादा हक़दार चीज़ किताबुल्लाह है।

एक दूसरी लम्बी हदीस में है कि एक शख़्स का निकाह एक औ़रत से आपने किया और फ़रमायाः

زوجتكها بما معك من القرآن.

मैंने इसको तेरे निकाह में दिया उस मेहर पर जो क़ुरआन तुझे याद है इसे याद करा दे।

अबू दाऊद की एक हदीस में है कि एक शख़्स ने 'अहले सुफ़्फ़ा' में से किसी को कुछ क़ुरआन सिखाया, उसने उसे एक कमान हदिये के तौर पर दी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मसला पूछा। आपने फ़रमाया अगर तुझे आग की कमान लेनी है तो उसे ले, चुनाँचे उसने उसे छोड़ दिया। हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. से भी ऐसी ही एक मरफ़ूअ़ हदीस मरवी है। इन दोनों हदीसों का मतलब यह है कि जब उसने ख़ालिस अल्लाह के वास्ते नीयत करके सिखाया फिर उस पर तोहफ़ा या हदिया लेकर अपने सवाब को खोने की क्या ज़रूरत है? और जबकि शुरू ही से उजरत पर तालीम दी है तो फिर बिला शक व शुब्हा जायज़ है। जैसे ऊपर की दोनों हदीसों में बयान हो चुका। वल्लाहु आलम।

सिर्फ़ अल्लाह ही से डरने के यह मायने हैं कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर उसकी इबादत व इताअ़त में लगा रहे और उसके अ़ज़ाबों से डरकर उसकी नाफ़रमानियों को छोड़ दे, और दोनों हालतों में अपने रब की तरफ़ से एक नूर पर रहे। ग़र्ज़ कि इस जुमले से उन्हें ख़ौफ़ दिलाया गया है कि वे दुनियावी लालच में आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत की तस्दीक़ को जो उनकी किताबों में है, न छुपायें और दुनियावी सरदारी व बड़ाई के लालच पर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त पर आमादा न हों, बल्कि रब से डरकर हक़ को ज़ाहिर करते रहें।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝	**और मख़्लूत "यानी गड्-मड्" मत करो हक़ को नाहक़ के साथ, और छुपाओ भी मत हक़ को जिस हालत में कि तुम जानते हो। (42) और क़ायम करो तुम लोग नमाज़ को (यानी मुसलमान होकर) और दो ज़कात को और आजिज़ी करो आजिज़ी करने वालों के साथ। (43)**

एक तंबीह और डाँट

यहूदियों की इस बुरी ख़स्लत पर उनको तंबीह हो रही है कि वह बावजूद जानने के कभी तो हक़ व बातिल को गड्मड् कर दिया करते थे, कभी हक़ को छुपा लिया करते थे, कभी बातिल को ज़ाहिर करते थे, तो उन्हें इन नापाक आदतों के छोड़ने को कहा जाता है और हक़ को ज़ाहिर करने और उसे खोल-खोलकर बयान करने की हिदायत की जाती है, कि हक़ व बातिल, सच झूठ को न मिलाओ। अल्लाह के बन्दों की ख़ैरख़्वाही करो, यहूदियत व ईसाईयत की बिद्अ़तों (दीन में निकाली हुई नई बातों और बुराईयों) को इस्लाम की तालीम के साथ न मिलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुताल्लिक़ पेशीनगोईयाँ (भविष्यवाणियों) जो तुम अपनी किताबों में पाते हो उन्हें आ़म लोगों से न छुपाओ।

छुपाने के एक मायने यह भी हैं कि हक़ को हक़ जानते हुए ऐसी बेहयाई न करो, और यह भी मायने हैं कि बावजूद इस इल्म के कि उस छुपाने और ग़लत-सही को मिला देने का कैसा कुछ वबाल होगा, फिर भी अफ़सोस कि तुम इस बुरी हरकत पर आमादा नज़र आते हो।

फिर उन्हें हुक्म दिया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ नमाज़ें पढ़ो और आपको ज़कात भी दिया करो, और उम्मते मुहम्मदिया के साथ रुकूअ़ व सज्दों में शामिल रहा करो। उन्हीं में मिल जाओ और खुद भी आप ही की उम्मत बन जाओ।

इताअ़त व इख़्लास को भी ज़कात कहते हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. इस आयत की तफ़सीर में यही फ़रमाते हैं कि ज़कात दो सौ दिरहम पर फिर इससे ज़्यादा रक़म पर वाजिब होती है। नमाज़ व ज़कात फ़र्ज़ व वाजिब है, इसके बिना आमाल ग़ारत (बरबाद और नामक़बूल) हैं। ज़कात से बाज़ लोगों ने फ़ित्रा भी मुराद लिया है। रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ करो, से मुराद यह है कि अच्छे आमाल में ईमान वालों का साथ दो और उनमें बेहतरीन चीज़ नमाज़ है। इस आयत से अक्सर उलेमा ने जमाअ़त के साथ नमाज़ के फ़र्ज़ होने पर इस्तिदलाल किया (दलील पकड़ी) है, और यहाँ पर इमाम क़ुर्तुबी रह. ने जमाअ़त के मसाईल का तफ़सील से बयान फ़रमाया है।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝	**क्या ग़ज़ब है कि कहते हो और लोगों को नेक काम करने को (नेक काम करने से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाना है) और अपनी ख़बर नहीं लेते, हालाँकि तुम तिलावत करते रहते हो किताब की, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते। (44)**

नसीहत व उपदेश

यानी ऐ अहले किताब! बावजूद इस इल्म के कि जो कहे और न करे उस पर क्या कुछ वबाल है, फिर तुम ख़ुद ऐसा क्यों करने लगे हो? जैसे दूसरों को तक़्वा, तहारत और पाकीज़गी सिखाते हो ख़ुद भी तो उसके आ़मिल (अ़मल करने वाले) बन जाओ। लोगों को रोज़े नमाज़ का हुक्म देना और ख़ुद उसके पाबन्द न होना यह तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरों को कहने से पहले इनसान को ख़ुद आ़मिल होना चाहिये। यह मायने हैं कि तुम दूसरों को तो अपनी किताब के साथ कुफ़्र करने से रोकते हो लेकिन अल्लाह के उस नबी को झुठलाकर तुम ख़ुद अपनी ही किताब के साथ कुफ़्र क्यों करते हो? यह मतलब है कि दूसरों को इस दीन इस्लाम को क़बूल करने के लिये कहते हो मगर दुनियावी डर और ख़ौफ़ दर ख़ौफ़ से ख़ुद क़बूल नहीं करते। हज़रत अबूदर्दा रज़ि. फ़रमाते हैं कि इनसान पूरा समझदार नहीं हो सकता जब तक कि लोगों को ख़ुदा के ख़िलाफ़ करते हुए देखकर उनका दुश्मन न बन जाये और अपने नफ़्स का उनसे भी ज़्यादा। उन लोगों को अगर रिश्वत वग़ैरह न मिलती तो हक़ बता देते लेकिन ख़ुद आ़मिल (अ़मल करने वाले) न थे जिसकी वजह से अल्लाह तआ़ला ने उनकी बुराई और निंदा की।

एक बारीक फ़र्क़

यहाँ पर यह याद बात रखनी चाहिये कि अच्छी चीज़ का हुक्म देने पर उनकी बुराई नहीं की गयी बल्कि ख़ुद न करने पर बुराई बयान की गयी है। अच्छी बात को कहना तो ख़ुद अच्छाई बल्कि यह तो वाजिब है, लेकिन उसके साथ ही साथ इनसान को ख़ुद भी उस पर अ़मल करना चाहिये। जैसे हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ....... الخ.

यानी मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हें रोकूँ और ख़ुद करूँ। मेरा इरादा तो अपनी ताक़त के मुताबिक़ इस्लाह (सुधार करने) का है और मेरी तौफ़ीक़ अल्लाह की मदद से है, मेरा भरोसा उसी पर है और मेरी तवज्जोह व रग़बत भी उसी की तरफ़ है।

पस नेक कामों के करने को कहना भी वाजिब और ख़ुद करना भी वाजिब। एक के न करने से दूसरा भी छोड़ दिया जाये, यह न होना चाहिये। पहले व बाद के उलेमा का क़ौल यही है। अगरचे बाज़ लोगों का एक क़ौल यह भी है कि बुराईयों वाला दूसरों को अच्छाईयों का हुक्म न दे, लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं। फिर उन हज़रात का इस आयत को बतौर दलील पेश करना तो बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि सही यही है कि भलाई का हुक्म करे और बुराई से रोके, और ख़ुद भी करे और रुके, अगर दोनों छोड़ेगा तो दोहरा गुनाहगार होगा, एक के छोड़ने पर एक हिस्से।

बे-अ़मल वाअ़िज़ की सज़ा

तबरानी की मोजम कबीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आ़लिम लोगों को भलाई सिखाये और ख़ुद अ़मल न करे उसकी मिसाल चिराग़ जैसी है कि लोग उसकी रोशनी से फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन वह ख़ुद जल रहा है। यह हदीस ग़रीब है। मुस्नद अहमद की हदीस में है,

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मेराज वाली रात मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा गया कि ये आपकी उम्मत के ख़तीब और वाअ़िज़ व आ़लिम हैं जो लोगों को भलाई सिखाते थे मगर ख़ुद नहीं करते थे, बावजूद इल्म के समझ नहीं रखते थे। दूसरी हदीस में है कि उनकी ज़बानें और होंठ दोनों काटे जा रहे हैं। इब्ने हिब्बान, इब्ने अबी हातिम और मर्दूया वग़ैरह में मौजूद है, अबू वाईल रह. फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उसामा रज़ि. से कहा गया कि आप हज़रत उस्मान से कुछ कहते नहीं? आपने जवाब दिया कि क्या जब तुम्हें सुनाकर कहूँ जब ही कहना होगा, मैं तो उन्हें चुपके से हर वक़्त कहता रहता हूँ लेकिन मैं किसी काम को फैलाना (ज़ाहिर करना) नहीं चाहता, ख़ुदा की क़सम मैं किसी शख़्स को सबसे अफ़ज़ल नहीं कहूँगा इसलिये कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि एक शख़्स को क़ियामत के दिन लाया जायेगा और उसे जहन्नम में डाला जायेगा, उसकी आँतें निकल आयेंगे और वह उनके इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। जहन्नमी जमा होकर उससे पूछेंगे कि हज़रत आप तो हमें अच्छी बातों का हुक्म करने वाले और बुराईयों से रोकने वाले थे, यह आपकी क्या हालत है? वह कहेगा अफ़सोस मैं तुम्हें कहता था और ख़ुद अ़मल नहीं करता था, मैं तुम्हें रोकता था लेकिन ख़ुद नहीं रुकता था। (मुस्नद अहमद)

बुख़ारी व मुस्लिम में भी यह रिवायत है। मुस्नद की एक और हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला अनपढ़ लोगों से इतना दरगुज़र करेगा जितना जानने वालों से नहीं करेगा। बाज़ रिवायतों में यह भी आया है कि आ़लिम को एक दफ़ा बख़्शा जाये तो आ़म आदमी को सत्तर दफ़ा बख़्शा जाता है, आ़लिम जाहिल बराबर नहीं हो सकते। क़ुरआने करीम में है:

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

जानने वाले और अनजान बराबर नहीं। नसीहत सिर्फ़ अ़क़्लमन्द लोग ही हासिल कर सकते हैं।

इब्ने अ़साकिर में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नती लोग जहन्नमियों को देखकर कहेंगे कि तुम्हारी नसीहतें सुन-सुनकर हम तो जन्नती हो गये, यह तुम जहन्नम में क्यों आ पड़े? वह कहेंगे अफ़सोस हम तुम्हें कहते थे लेकिन ख़ुद अ़मल नहीं करते थे।

एक वाक़िआ़

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से एक शख़्स ने कहा कि हज़रत मैं भलाईयों का हुक्म करना और बुराईयों से लोगों को रोकना चाहता हूँ। आपने फ़रमाया- क्या तुम इस दर्जे तक पहुँच गये हो? उसने कहा हाँ। आपने फ़रमाया अगर तुम इन तीनों आयतों की फ़ज़ीहत से निडर हो गये हो तो शौक़ से वअ़ज़ शुरू करो। उसने पूछा वे तीन आयतें कौनसी हैं? आपने फ़रमाया एक तो:

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ.

क्या तुम लोगों को भलाईयों का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आपको भूले जा रहे हो? दूसरी आयतः

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

क्यों तुम कहते हो जो ख़ुद नहीं करते? ख़ुदा के नज़दीक यह बड़ी नापसन्दीदा बात है कि तुम वह कहो जो ख़ुद न करो। तीसरी आयत हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम का फ़रमान है:

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ.

यानी मैं जिन कामों को तुम्हें मना करता हूँ उनमें तुम्हारी मुख़ालफ़त करना नहीं चाहता। मेरा इरादा सिर्फ़ अपनी ताक़त भर इस्लाह (सुधार) करना है।

कहो तुम इन तीनों आयतों से बेख़ौफ़ हो? उसने कहा नहीं। फ़रमाया फिर तुम अपने नफ़्स से शुरू करो (यानी पहले ख़ुद अ़मल करो)। (तफ़सीर इब्ने मर्दूया)

एक ज़ईफ़ हदीस तबरानी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो लोगों को किसी क़ौल व फ़ेल की तरफ़ बुलाये और ख़ुद न करे तो अल्लाह तआ़ला के ग़ज़ब व ग़ुस्से में रहता है, यहाँ तक कि वह ख़ुद आप अ़मल करने लग जाये। हज़रत इब्राहीम नख़ई ने भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वाली तीनों आयतें पेश करके फ़रमाया कि मैं इनकी वजह से क़िस्से और वाक़िआ़त सुनाने को पसन्द नहीं करता।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

और (अगर तुमको माल और जाह की मुहब्बत के ग़लबे से ईमान लाना दुश्वार मालूम हो तो) मदद लो सब्र और नमाज़ से, और बेशक वह नमाज़ दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिल में ख़ुशूअ़ "यानी आ़जिज़ी और विनम्रता" हो उन पर कुछ दुश्वार नहीं। (45) वे ख़ाशिअ़ीन, वे लोग हैं जो ख़्याल रखते हैं इसका कि वे बेशक मिलने वाले हैं अपने रब से। और इस बात का भी ख़्याल रखते हैं कि वे बेशक अपने रब की तरफ़ वापस जाने वाले हैं। (46)

ربع ع ٥

सब्र और नमाज़

इस आयत में हुक्म फ़रमाया जाता है कि तुम दुनिया और आख़िरत के कामों पर नमाज़ और सब्र के साथ मदद तलब किया करो। फ़राईज़ बजा लाओ और नमाज़ को अदा करते रहो। रोज़ा रखना भी सब्र करना है, और इसी लिये रमज़ान को सब्र का महीना कहा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि रोज़ा आधा सब्र है। सब्र से मुराद गुनाहों से रुक जाना भी है। आयत में अगर सब्र से इबादत मुराद ली जाये तो बुराईयों से रुकना और नेकियाँ करना दोनों का बयान हो गया। नेकियों में सबसे आला चीज़ नमाज़ है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. फ़रमाते हैं कि सब्र की दो क़िस्में हैं, मुसीबत के वक़्त सब्र और गुनाहों के करने से सब्र और यह सब्र पहले सब्र से ज़्यादा अच्छा है। हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि इनसान का हर चीज़ के ख़ुदा की तरफ़ से होने का इक़रार करना, सवाब की तलब करना, अल्लाह के पास मुसीबतों के अज्र का ज़ख़ीरा समझना, यह सब्र है। अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के काम पर सब्र करो और उसे भी अल्लाह तआ़ला की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) समझो, नेकियों के कामों पर नमाज़ से बड़ी मदद मिलती है, ख़ुद क़ुरआन में है:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ. اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

नमाज़ को क़ायम रख, यह तमाम बुराईयों और बदियों से रोकने वाली है, और यक़ीनन अल्लाह का ज़िक्र बड़ी चीज़ है।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कोई काम मुश्किल और ग़म में डाल देता तो आप नमाज़ पढ़ा करते, फ़ौरन नमाज़ पर लग जाते। चुनाँचे जंगे ख़न्दक़ के मौक़े पर रात के वक़्त जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. ख़िदमते नबवी में हाज़िर होते हैं तो आपको नमाज़ में पाते हैं। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू फ़रमाते हैं कि बदर की लड़ाई की रात मैंने देखा कि हम सब सो गये थे मगर ख़ुदा के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) सारी रात नमाज़ में मशग़ूल रहे, सुबह तक नमाज़ और दुआ़ में लगे रहे।

इब्ने जरीर में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. को देखा कि भूख के मारे पेट के दर्द से बेताब हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़ारसी ज़बान में दरियाफ़्त फ़रमाया कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? उन्होंने कहा हाँ! आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया उठो नमाज़ शुरू कर दो, उसमें शिफ़ा है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. को सफ़र में अपने भाई हज़रत क़ुसम रज़ि. के इन्तिक़ाल की ख़बर मिलती है तो आप 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़कर रास्ते से एक तरफ़ हटकर ऊँट को बैठाकर नमाज़ शुरू कर देते हैं, और बहुत लम्बी नमाज़ अदा करते हैं। फिर अपनी सवारी की तरफ़ जाते हैं और इस आयत को पढ़ते हैं।

ग़र्ज़ कि इन दोनों चीज़ों सब्र व नमाज़ से ख़ुदा की रहमत मयस्सर होती है। आगे फ़रमाया कि यह काम सब्र व नमाज़ हर शख़्स के बस की चीज़ नहीं, यह हिस्सा डर ख़ौफ़ रखने वाली जमाअ़त का है। यानी क़ुरआन के मानने वाले, सच्चे मोमिन, काँपने वाले, विनम्रता करने वाले, इताअ़त करने वाले, वायदे वईद को सच्चा मानने वाले ही इस ख़ूबी और सिफ़त को अपने अन्दर रखते हैं। जैसे हदीस में एक साईल (पूछने वाले) के सवाल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया था कि वह बड़ी चीज़ है लेकिन जिस पर ख़ुदा की मेहरबानी हो उसके लिये आसान है। इब्ने जरीर रह. ने आयत के मायने बयान करते हुए इसे भी यहूदियों के ख़िताब में रखा है, लेकिन ज़ाहिर बात यह है कि अगरचे यह बयान में उन्हीं के है लेकिन हुक्म के एतिबार से आ़म है। वल्लाहु आलम।

ख़ाशिअ़ीन

आगे चलकर 'ख़ाशिअ़ीन' की सिफ़त है। इसमें गुमान यक़ीन के मायने में है। अगरचे गुमान शक के मायने में भी आता है जैसे कि अ़रब वालों के कलाम में इस्तेमाल होता है, ख़ुद क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह है:

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَفَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا.

यानी गुनाहगार जहन्नम को देखकर यक़ीन कर लेंगे कि अब हम इसमें झोंक दिये जायेंगे। यहाँ भी 'ज़न' (गुमान) यक़ीन के मायने में है, बल्कि हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि क़ुरआन में ऐसी हर जगह 'ज़न' (गुमान) का लफ़्ज़ यक़ीन और इल्म के मायने में है। अबुल-आ़लिया भी यहाँ 'ज़न' के मायने यक़ीन के करते हैं। हज़रत मुजाहिद, सुद्दी, रबीअ़ बिन अनस और क़तादा रह. का भी यही क़ौल है। इब्ने जुरैज भी

यही फ़रमाते हैं। क़ुरआन पाक में एक और जगह हैः

إِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ.

यानी मुझे यक़ीन था कि मुझे हिसाब से दोचार होना है।

एक सही हदीस में है कि क़ियामत के दिन एक गुनाहगार बन्दे से अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिये थे? क्या तुझ पर तरह-तरह के एहसानात नहीं किये थे? क्या तेरे लिये घोड़े और ऊँट ताबे नहीं किये थे? क्या तुझे राहत व आराम, खाना पीना नहीं दिया था? यह कहेगा- हाँ परवर्दिगार यह सब कुछ था। फिर क्या तेरा इल्म व यक़ीन इस बात पर न था कि तू मुझसे मिलने वाला है? यह कहेगा- हाँ ख़ुदाया मैं इसे नहीं मानता था। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा बस जैसे तू मुझे भूल गया था ऐसा ही आज मैं तुझे भुला दूँगा। इस हदीस में भी लफ़्ज़ 'ज़न' है और मायने में यक़ीन के है। इसकी और ज़्यादा तहक़ीक़ व तफ़सील इन्शा-अल्लाह तआ़ला आयत 'नसुल्ला-ह फ़-अन्साहुम' (सूरः तौबा आयत 67) की तफ़सीर में आगे आयेगी।

ऐ याक़ूब की औलाद! तुम लोग मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको इनाम में दी थी और उस (बात) को (याद करो) कि मैंने तुमको तमाम दुनिया जहान वालों पर (ख़ास बर्ताव में) फ़ौक़ियत दी थी। (47)	يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ○

अल्लाह तआ़ला की नेमतों की याददेहानी

बनी इस्राईल के बाप-दादों पर जो अल्लाह की नेमत इनाम की गयी उसका ज़िक्र हो रहा है कि उनमें से अल्लाह के रसूल हुए, उन पर किताबें उतरीं और उनके ज़माने के लोगों पर उन्हें मर्तबा (ऊँचा रुतबा) दिया। जैसे फ़रमायाः

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

यानी उन्हें उनके ज़माने के (और लोगों पर) हमने इल्म में फ़ज़ीलत दी। एक जगह फ़रमायाः

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ.

यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया- ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआ़ला की उस नेमत को याद करो जो तुम पर इनाम की है। तुममें उसने पैग़म्बर बनाये, तुम्हें बादशाह बनाया और वह दिया जो तमाम ज़माने को नहीं दिया। तमाम लोगों पर फ़ज़ीलत मिलने से मुराद उनके ज़माने के तमाम और लोग हैं इसलिये कि उम्मते मुहम्मदिया उनसे यक़ीनन अफ़ज़ल है। इस उम्मत के बारे में फ़रमाया गया हैः

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ... الخ.

तुम बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिये बनाई गयी हो, तुम भलाईयों का हुक्म करने वाले और

बुराईयों से रोकने वाले हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिये बेहतर होता। मसानीद और सुनन में मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुम सत्तरवीं उम्मत हो और सबसे बेहतर और बुज़ुर्ग (सम्मानित) हो। इस क़िस्म की और बहुत सी हदीसों का ज़िक्र इन्शा-अल्लाह 'कुन्तुम ख़ै-र उम्मतिन्.....' (सूरः आले इमरान आयत 110) की तफ़सीर में आयेगा।

यह भी कहा गया है कि तमाम लोगों पर एक ख़ास क़िस्म की फ़ज़ीलत मुराद है जिससे हर क़िस्म की फ़ज़ीलत लाज़िम नहीं आती। इमाम राज़ी रह. ने यही कहा है, मगर यह ग़ौर-तलब बात है। और यह भी कहा गया है कि उनकी फ़ज़ीलत दूसरी तमाम उम्मतों पर है, इसलिये कि अम्बिया-ए-किराम उन्हीं में से होते चले आये, लेकिन इसमें भी ग़ौर व विचार करने की ज़रूरत है, इसलिये कि इस तरह का उमूमन (हुक्म का आ़म होना) उनसे पहले लोगों को भी शामिल है, और हक़ीक़त में उनसे पहले अम्बिया उनमें से न थे, जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जो उन सबके बाद थे जो तमाम मख़्लूक़ से अफ़ज़ल थे और जो आदम अ़लैहिस्सलाम की तमाम औलाद के सरदार हैं, दुनिया में भी और आख़िरत में भी। आप पर बेशुमार दुरूद व सलाम हों।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ○	और डरो तुम ऐसे दिन से कि न तो कोई शख़्स किसी शख़्स की तरफ़ से कुछ मुतालबा अदा कर सकता है और न किसी शख़्स की तरफ़ से कोई सिफ़ारिश क़बूल हो सकती है, और न किसी शख़्स की तरफ़ से कोई मुआ़वज़ा लिया जा सकता है, और न उन लोगों की तरफ़दारी चल सकेगी। (48)

अ़ज़ाब का ख़तरा

नेमतों को बयान करके अब अ़ज़ाबों से डराया जाता है, और कहा जाता है कि कोई किसी को कुछ भी फ़ायदा न देगा। जैसे फ़रमायाः

وَلَا تَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَاُخْرٰى.

यानी किसी का बोझ किसी पर न पड़ेगा। एक और जगह हैः

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ.

यानी उस दिन हर शख़्स एक अ़जीब हालत में पड़ा होगा। एक और जगह फ़रमाया- ऐ लोगो! अपने रब का ख़ौफ़ खाओ, उस दिन से डरो जिस दिन बाप बेटे को और बेटा बाप को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। एक और जगह हैः

وَلَايُقْبَلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ.

यानी किसी काफ़िर की न कोई सिफ़ारिश करेगा न उसकी सिफ़ारिश क़बूल होगी।

एक और जगह है कि उन काफ़िरों को शफ़ाअ़त करने वालों की शफ़ाअ़त कोई फ़ायदा न देगी। एक और जगह जहन्नम वालों का यह क़ौल नक़ल किया गया है कि अफ़सोस हमारा न कोई सिफ़ारिशी है न

दोस्त। एक और जगह है कि फ़िदया भी न लिया जायेगा। एक और जगह है कि जो लोग कुफ़्र पर मर जाते हैं वे अगर ज़मीन भर सोना दें और हमारे अ़ज़ाबों से छूटना चाहें तो यह भी नहीं हो सकता। एक और जगह है कि काफ़िरों के पास अगर तमाम ज़मीन की चीज़ें और उसी के बराबर और भी हों और क़ियामत के दिन वे उसे फ़िदया देकर अ़ज़ाबों से बचना चाहें तो भी क़बूल न होगा और दर्दनाक अ़ज़ाबों में मुब्तला रहेंगे। एक और जगह है कि अगरचे वे ज़बरदस्त (बहुत ज़्यादा) फ़िदया दें फिर भी क़बूल नहीं। एक और जगह है कि आज न तुम से बदला लिया जायेगा न काफ़िरों से, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, उसी की आग तुम्हारा मक़ाम है।

मतलब यह है कि ईमान के बग़ैर सिर्फ़ सिफ़ारिश और शफ़ाअ़त का आसरा बेफ़ायदा है, कोई चीज़ नहीं। क़ुरआन में एक और जगह है कि उस दिन से पहले नेकियाँ कर लो जिस दिन न ख़रीद व फ़रोख़्त होगी, न दोस्ती और न शफ़ाअ़त। एक और जगह है:

لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ.

उस दिन न बै (ख़रीद व फ़रोख़्त) है न दोस्ती।

अ़दल के मायने यहाँ बदले के हैं और बदला फ़िदया एक है। हज़रत अ़ली रज़ि. वाली हदीस में शफ़ाअ़त के मायने नफ़िल और अ़दल के मायने फ़रीज़े के बयान किये गये हैं, लेकिन यह क़ौल यहाँ ग़रीब है और सही क़ौल पहला ही है। एक रिवायत में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह! अ़दल के क्या मायने हैं? आपने फ़रमाया- फ़िदया। उनकी मदद भी न की जायेगी, यानी कोई हिमायती न होगा। क़राबतें (रिश्ते-नाते) कट जायेंगी, शान व शौकत जाती रहेगी, किसी के दिल में उनकी तरफ़ से रहम न रहेगा, न ख़ुद उनमें कोई क़ुदरत व क़ुव्वत रहेगी। एक और जगह है:

هُوَيُجِيْرُوَلَايُجَارُعَلَيْهِ.

वह पनाह देता है और उसकी पकड़ से निजात देने वाला कोई नहीं।

एक और जगह है कि आज के दिन न ख़ुदा के जैसा कोई अ़ज़ाब कर सकेगा न उसके जैसी क़ैद व बन्द। एक और जगह है:

مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ.

तुम आज क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि वे सब के सब आज गर्दन झुकाये फ़रमान के ताबेदार बने खड़े हैं। एक और आयत में है:

فَلَوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًاالِهَةً. بَلْ ضَلُّوْاعَنْهُمْ.

जिनकी वे ख़ुदा के अ़लावा ख़ुदा की नज़दीकी के लिये पूजा-पाठ करते थे आज वे माबूद उन आ़बिदों की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि वे तो खोये गये।

मतलब यह है कि मुहब्बतें फ़ना हो गईं, रिश्वतें मिट गईं, शफ़ाअ़तें मिट गईं, आपस की इमदाद नुसरत हट गयी, मामला उस आ़दिले हाकिम जब्बार व क़ह्हार ख़ुदा तआ़ला मालिकुल-मुल्क से पड़ा है जिसके यहाँ सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिशें और मददगारों की मदद कुछ काम न आयेगी, बल्कि अपनी तमाम बुराईयों का बदला भुगतना पड़ेगा। हाँ यह उसकी बन्दा-परवरी, रहम व करम और इनाम व इकराम है कि गुनाह का बदला बराबर-सराबर दे और नेकी का बदला कम से कम दस गुना बढ़ाकर दे। क़ुरआने करीम में

एक और जगह है कि इन्हें ज़रा ठहरा तो लो, इनसे एक सवाल कर लिया जाये कि आज ये एक दूसरे की मदद से हटकर अपनी-अपनी फ़िक्र में क्यों लग गये? बल्कि हमारे सामने सर झुकाये और हुक्म के ताबे (आज्ञाकारी) बने हुए हैं।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

और (वह ज़माना याद करो) जबकि रिहाई दी हमने तुमको फ़िरऔन के मुताल्लिक़ीन से जो फ़िक्र में लगे रहते थे तुम्हें सख़्त तकलीफ़ पहुँचाने के, गले काटते थे तुम्हारे लड़कों के और ज़िन्दा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। इस (वाक़िए) में एक इम्तिहान था तुम्हारे रब की जानिब से बड़ा भारी। (49) और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारी वजह से दरिया-ए-शोर "यानी नमकीन या काले पानी के दरिया" को, फिर हमने (डूबने से) तुमको बचा लिया और फ़िरऔन के मुताल्लिक़ीन को (मय फ़िरऔन के) डुबो दिया, और तुम (उसका) मुआयना कर रहे थे। (50)

इन आयतों में अल्लाह का फ़रमान है कि ऐ याक़ूब की औलाद! मेरी इस मेहरबानी को भी याद रखो कि मैंने तुम्हें फ़िरऔनियों के बदतरीन अज़ाबों से छुटकारा दिया। फ़िरऔन मलऊन ने एक ख़्वाब देखा था कि बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ से एक आग भड़की जो मिस्र के हर-हर क़िबती के घर में घुस गयी और बनी इस्राईल के मकानात में वह नहीं गयी, जिसकी ताबीर यह थी कि बनी इस्राईल में एक शख़्स होगा जिसके हाथों इसका गुरूर टूटेगा और इसके ख़ुदाई दावे की बदतरीन सज़ा इसे मिलेगी। इसलिये फ़िरऔन मलऊन ने चारों तरफ़ अहकाम जारी कर दिये कि बनी इस्राईल में जो बच्चा हो सरकारी तौर से उसकी देखभाल रहे, अगर लड़का हो तो फ़ौरन मार डाला जाये और अगर लड़की हो तो छोड़ दी जाये और बनी इस्राईल से सख़्त बेगार ली जाये और मशक़्क़त के कामों का बोझ उन पर डाल दिया जाये। यहाँ पर अज़ाब की तफ़सीर लड़कों के मार डालने से की गयी, इसकी पूरी तशरीह इन्शा-अल्लाह सूरः क़सस के शुरू में बयान की जायेगी। अल्लाह तआ़ला हमें मज़बूती दे, हमारी मदद फ़रमाये और ताईद करे।

'यसूमूनकुम' के मायने लगा देने और हमेशगी करने के हैं। यानी वे बराबर दुख देते जाते थे। चूँकि इस आयत में पहले यह फ़रमाया था कि मेरी अ़ता की हुई नेमत को याद करो इसलिये फ़िरऔनियों के अ़ज़ाब को तफ़सीर के तौर पर लड़कों के क़त्ल करने से बयान फ़रमाया, और सूरः इब्राहीम में शुरू में फ़रमाया था कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो, इसलिये वहाँ अ़त्फ़ (दूसरे के साथ जोड़ने) के साथ बयान फ़रमाया, ताकि नेमतों की तायदाद ज़्यादा हो, यानी बहुत से अलग-अलग तरह के अ़ज़ाबों से और बच्चों के क़त्ल होने से तुम्हें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथों से निजात दिलवाई। मिस्र के जितने बादशाह अ़मालीक़ वग़ैरह काफ़िरों में से हुए हैं उन सबको फ़िरऔन कहा जाता था जैसे कि रोम के काफ़िर बादशाह को 'क़ैसर' और फ़ारस के काफ़िर बादशाह को 'किसरा' और यमन के काफ़िर बादशाह को 'तुब्बा'

और हबशा के काफ़िर बादशाह को 'नजाशी' और हिन्द के काफ़िर बादशाह को 'बतलीमूस'। इस फ़िरऔन का नाम वलीद बिन मुस्अब बिन रय्यान था। बाज़ों ने मुस्अब बिन रय्यान भी कहा है। अमलीक़ बिन अवद् बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से था, इसकी कुन्नियत अबू मुर्रा थी। असल में 'इस्तग़र' के फ़ारसियों की असल में से था, उस पर ख़ुदा की फटकार और लानत नाज़िल हो।

फिर फ़रमाया कि इस निजात देने में हमारी तरफ़ से एक बड़ी भारी नेमत थी। 'बला' के असली मायने आज़माईश के हैं, लेकिन यहाँ पर हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत मुजाहिद, अबुल-आ़लिया, अबू मालिक, सुद्दी रह. वग़ैरह से नेमत के मायने नक़ल किये गये है। इम्तिहान व आज़माईश, भलाई बुराई दोनों के साथ होती है, लेकिन "बला" का लफ़्ज़ (जो बलूनत से हो) उमूमन बुराई की आज़माईश के लिये और 'बला' का लफ़्ज़ (इब्लीह व इब्ला से हो) भलाई के साथ की आज़माईश के लिये आता है। यह कहा गया है कि इसमें तुम्हारी आज़माईश थी, यानी इस अ़ज़ाब में और इस बच्चों के क़त्ल होने में। इमाम क़ुर्तुबी इस दूसरे मतलब को जमहूर का क़ौल कहते हैं, तो इसमें इशारा ज़िबह वग़ैरह की तरफ़ होगा, और बला के मायने बुराई के होंगे।

फिर फ़रमाया कि हमने फ़िरऔ़नियों से बचा लिया, तुम मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के साथ निकल खड़े हुए और फ़िरऔ़न तुम्हें पकड़ने को निकला तो हमने तुम्हारे लिये पानी खड़ा कर दिया और तुम्हें उसमें से पार उतार कर तुम्हारे सामने फ़िरऔ़न को उसके लश्करों समेत डुबो दिया। इन सब बातों का तफ़सील वार बयान सूरः शुअ़रा में आयेगा इन्शा-अल्लाह।

अ़मर बिन मैमून अवदी फ़रमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम बनी इस्राईल को लेकर निकले और फ़िरऔ़न को ख़बर हुई तो उसने कहा कि मुर्ग़ जब बोले तब तुम सब निकलो और उन्हें पकड़कर क़त्ल कर डालो, लेकिन उस रात अल्लाह की क़ुदरत से सुबह तक मुर्ग़ न बोला। मुर्ग़ की आवाज़ सुनते ही फ़िरऔ़न ने एक बकरी ज़िबह की और कहा कि इससे पहले कि मैं इसकी कलेजी से फ़ारिग़ हूँ छह लाख क़िबतियों का भारी लश्कर मेरे पास हाज़िर हो जाना चाहिये। चुनाँचे लश्कर हाज़िर हो गया। फ़िरऔ़न उस जमाअ़त को लेकर बनी इस्राईल की हलाकत के लिये बड़ी अकड़-फूँ के साथ निकला और दरिया के किनारे उन्हें पा लिया। अब बनी इस्राईल पर दुनिया तंग हो गयी, पीछे हटें तो फ़िरऔ़नियों की तलवारों की भेंट चढ़ें, आगे बढ़ें तो मछलियों का लुक़मा बनें। उस वक़्त हज़रत यूशा बिन नून ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! अब क्या किया जाये? आपने फ़रमाया- अल्लाह का अम्र (हुक्म और मामला) आगे-आगे है। यह सुनते ही उन्होंने अपना घोड़ा पानी में डाल दिया, लेकिन जब वह गहरे पानी में ग़ोते खाने लगा तो फिर किनारे की तरफ़ लौट आये और पूछा ऐ मूसा! रब की मदद कहाँ है? हम न आपको झूठा जानते हैं न रब को, तीन मर्तबा ऐसा ही किया। अब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर 'वही' आयी कि अपनी लकड़ी दरिया पर मारो। लकड़ी लगते ही पानी ने रास्ता दे दिया और पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। हज़रत मूसा और आपके मानने वाले उन रास्तों से गुज़र गये, उन्हें इस तरह पार उतरते देखकर फ़िरऔ़न और फ़िरऔ़नियों ने भी अपने घोड़े उसी रास्ते पर डाल दिये। जब सारे के सारे उसमें आ गये तो पानी को मिल जाने का हुक्म हुआ, अब चारों तरफ़ रेल पेल हो गयी और सारे के सारे डूब मरे। बनी इस्राईल ने अल्लाह की क़ुदरत का यह नज़ारा अपनी आँखों से किनारे पर खड़े-खड़े देखा जिससे वह बहुत ही ख़ुश हुए। अपनी आज़ादी और फ़िरऔ़न की बरबादी उनके लिये ख़ुशी का सबब बनी। यह भी मरवी है कि यह दिन आ़शूरा (दस मुहर्रम) का था, यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख़।

मुस्नद अहमद में हदीस है कि जब हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना शरीफ़ में तशरीफ़ लाये तो देखा कि यहूदी आ़शूरा (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखते हैं। पूछा कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा इसलिये कि इस मुबारक दिन में बनी इस्राईल फ़िरऔ़न के हाथों से छूटे और उनका दुश्मन ग़र्क़ हुआ, जिसके शुक्रिये में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने यह रोज़ा रखा। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुमसे बहुत ज़्यादा हक़दार मूसा अ़लैहिस्सलाम का मैं हूँ। पस हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद भी उस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। बुख़ारी, मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा वग़ैरह में भी यह हदीस मौजूद है। एक और ज़ईफ़ हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस दिन अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल के लिये पानी को खड़ा कर दिया था। इस हदीस के रावी ज़ैदुल-अ़मा ज़ईफ़ हैं और उनके उस्ताद यज़ीद रक़ाशी उनसे भी ज़्यादा ज़ईफ़ हैं।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ ۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

और (वह ज़माना याद करो) जबकि वायदा किया था हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से चालीस रात का, फिर तुम लोगों ने तजवीज़ कर लिया गौसाला को मूसा के (जाने के) बाद, और तुमने ज़ुल्म पर कमर बाँध रखी थी। (51) फिर भी हमने (तुम्हारे तौबा करने पर) माफ़ किया तुमसे इतनी बड़ी बात होने के बाद, इस उम्मीद पर कि तुम एहसान मानोगे। (52) और (वह ज़माना याद करो) जब दी हमने मूसा को किताब (तौरात) और फ़ैसले की चीज़, इस उम्मीद पर कि तुम राह पर चलते रहो। (53)

यहाँ भी ख़ुदा तआ़ला अपने एहसानात याद दिला रहा है कि जब तुम्हारे नबी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम चालीस दिन के वायदे पर तुम्हारे पास से गये और पीछे से तुमने गौसाला परस्ती (बछड़े की पूजा) शुरू कर दी, फिर उनके आने पर जब तुमने इस शिर्क से तौबा की तो हमने तुम्हारे इतने बड़े कुफ़्र को भी बख़्श दिया। एक और जगह क़ुरआन में हैः

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ.

यानी हमने मूसा से तीस रातों का वायदा किया और दस बढ़ाकर पूरी चालीस कर दीं। कहा जाता है कि यह वायदे का ज़माना ज़ी-क़अ़दा (इस्लामी साल का ग्यारहवाँ महीना) का पूरा महीना और दस दिन ज़िल-हिज्जा का था। यह वाक़िआ़ फ़िरऔ़नियों से निजात पाने के बाद पेश आया था। किताब से मुराद तौरात है और फ़ुरक़ान हर उस चीज़ को कहते हैं जो हक़ व बातिल, हिदायत व गुमराही में फ़र्क़ करे। यह किताब भी उस वाक़िए के बाद मिली जैसा कि सूरः आराफ़ के इस वाक़िए के तर्ज़े बयान से ज़ाहिर होता है। दूसरी जगह फ़रमाया गयाः

بَعْدَ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى.

यानी हमने पहले लोगों को हलाक करने के बाद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को वह किताब दी जो सब

लोगों के लिये सही राह दिखाने वाले और हिदायत व रहमत है, ताकि वे नसीहत हासिल करें। यह भी कहा गया है कि 'वाव' ज़ायद है और ख़ुद किताब को 'फ़ुरक़ान' कहा गया है, लेकिन यह ग़रीब है। बाज़ ने कहा है 'किताब' पर 'फ़ुरक़ान' का अ़त्फ़ (जोड़ और ताल्लुक़) है, यानी किताब भी दी और मोजिज़ा भी दिया। दर असल मायने के एतिबार से दोनों का मतलब एक ही है और ऐसी एक चीज़ दो नामों से बतौर अ़त्फ़ के अ़रब वालों के कलाम में आया करती है। अ़रब के शायरों के बहुत से अश्आ़र इसके शाहिद (साक्षी) हैं।

और (वह ज़माना याद करो) जब मूसा ने फ़रमाया अपनी क़ौम से कि ऐ मेरी क़ौम! बेशक तुमने अपना बड़ा नुक़सान किया, अपनी इस गौसाला (को पूजने) की तजवीज़ से, सो तुम अब अपने ख़ालिक़ की तरफ़ मुतवज्जह हो, फिर बाज़ आदमी बाज़ को क़त्ल करो। यह (अ़मल करना) तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम्हारे ख़ालिक़ के नज़दीक, फिर हक़ तआ़ला तुम्हारे हाल पर (अपनी इनायत से) मुतवज्जह हुए, बेशक वह तो ऐसे ही हैं कि तौबा क़बूल कर लेते हैं और इनायत फ़रमाते हैं। (54)	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

यहाँ उनकी तौबा का तरीक़ा बयान हो रहा है। उन्होंने बछड़े को पूजा और उसकी मुहब्बत ने उनके दिलों को घेर लिया। फिर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के समझाने से होश आया और शर्मिन्दा हुए और अपनी गुमराही का यक़ीन करके तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे। तब उन्हें हुक्म हुआ कि तुम आपस में क़त्ल करो। चुनाँचे उन्होंने यह किया और ख़ुदा तआ़ला ने उनकी तौबा क़बूल की और क़ातिल व मक़्तूल दोनों को बख़्श दिया। इसका पूरा बयान सूरः तॉहा की तफ़सीर में आयेगा इन्शा-अल्लाह।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का यह फ़रमान कि अपने ख़ालिक़ से तौबा करो, बतला रहा है कि इससे बढ़कर ज़ुल्म क्या होगा कि तुम्हें पैदा अल्लाह तआ़ला करे और तुम पूजो ग़ैरों को। एक रिवायत में है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया और जिन-जिन लोगों ने बछड़ा पूजा था उन्हें बैठा दिया और दूसरे लोग खड़े हो गये और क़त्ल करना शुरू किया। क़ुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था, जब वह हटा और उन्हें रोक दिया गया तो शुमार करने पर मालूम हुआ कि सत्तर हज़ार आदमी क़त्ल हो चुके हैं, और सारी क़ौम की तौबा क़बूल हुई। यह एक सख़्त फ़रमान था जिसे उन लोगों ने पूरा किया और अपनों और ग़ैरों को एक समान तलवारों का शिकार बनाया, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत ने उन्हें बख़्श दिया और मूसा अ़लैहिस्सलाम से फ़रमा दिया कि अब बस करो, मक़्तूल को शहीद का अज्र दिया। क़ातिल को और बाक़ी बचे लोगों की तौबा क़बूल फ़रमाई और उन्हें जिहाद का सवाब दिया।

हज़रत मूसा और हज़रत हारून अ़लैहिमस्सलाम ने जब इस तरह अपनी क़ौम का क़त्ल देखा तो दुआ़ करनी शुरू की कि ख़ुदाया! अब तो बनी इस्राईल मिट जायेंगे। चुनाँचे उन्हें माफ़ कर दिया गया और परवर्दिगारे आ़लम ने फ़रमाया कि ऐ मेरे पैग़म्बर! मक़्तूलों का ग़म न करो, वे हमारे पास शहीदों के दर्जे में हैं, वे यहाँ ज़िन्दा हैं और रोज़ियाँ पा रहे हैं। अब आपको और आपकी क़ौम को सब्र आया और औ़रतों

और बच्चों का रोना व फ़रियाद करना बन्द हुआ। तलवारें, नेज़े, छुरे और छुरियाँ चलनी बन्द हुईं। आपस में बाप बेटों, भाईयों भाईयों में क़त्ल व ख़ून बन्द हुआ और ख़ुदा तआ़ला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमाई।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ○ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ○	और जब तुम लोगों ने (यूँ) कहा कि ऐ मूसा! हम हरगिज़ न मानेंगे तुम्हारे कहने से यहाँ तक कि हम (ख़ुद) देख लें अल्लाह तआ़ला को खुले तौर पर, सो (इस गुस्ताख़ी पर) आ पड़ी तुमपर कड़क बिजली और तुम (उसका आना) अपनी आँखों से देख रहे थे। (55) फिर हमने तुमको ज़िन्दा कर उठाया तुम्हारे मर जाने के बाद, इस उम्मीद पर कि तुम एहसान मानोगे। (56)

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जब अपने साथ बनी इस्राईल के सत्तर आदमियों को लेकर ख़ुदा के वायदे के मुताबिक़ तूर पहाड़ पर गये और उन लोगों ने अल्लाह का कलाम सुना तो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से कहने लगे हम तो तब मानें जब अल्लाह तआ़ला को अपने सामने देख लें। इस गुस्ताख़ी भरे सवाल पर उन पर आसमान से देखते ही देखते बिजली गिरी और एक सख़्त हौलनाक आवाज़ बुलन्द हुई जिससे सब के सब मर गये। मूसा अ़लैहिस्सलाम यह देखकर रोने और फ़रियाद करने लगे और रो-रोकर जनाबे बारी में अ़र्ज़ करने लगे कि ख़ुदाया! बनी इस्राईल को मैं क्या जवाब दूँगा ये जमाअ़त तो उनके सरदारों और बेहतरीन लोगों की थी। परवर्दिगार अगर यही मन्ज़ूर था तो उन्हें और मुझे इससे पहले ही मार डालता, ख़ुदाया! तू बेवक़ूफ़ों की बेवक़ूफ़ी के काम पर हमें न पकड़। यह दुआ़ मक़बूल हुई और आपको मालूम कराया गया कि ये भी दर असल बछड़ा पूजने वालों में से थे, इन्हें सज़ा मिल गयी। फिर उन्हें ज़िन्दा कर दिया और एक के बाद एक करके सब ज़िन्दा किये गये, एक दूसरे के ज़िन्दा होने को एक दूसरा देखता रहा। मुहम्मद बिन इस्हाक़ फ़रमाते हैं कि जब मूसा अ़लैहिस्सलाम अपनी क़ौम के पास आये और उन्हें बछड़ा पूजते हुए देखा और अपने भाई को और सामरी को तंबीह की, बछड़े को जला दिया और उसकी राख दरिया में बहा दी, उसके बाद उनमें से बेहतरीन लोगों को चुनकर अपने साथ लिया जिनकी तायदाद सत्तर थी और तूर पहाड़ पर तौबा करने के लिये चले। उनसे कहा कि तुम तौबा करो, रोज़ा रखो, पाक साफ़ हो जाओ, कपड़ों को पाक कर लो। जब अल्लाह के हुक्म से तूरे सीना पर पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि वह अपना कलाम हमें भी सुनाये। जब मूसा अ़लैहिस्सलाम पहाड़ के पास पहुँचे तो एक बादल ने आकर सारे पहाड़ को ढक लिया और आप उसी के अन्दर-अन्दर ख़ुदा के क़रीब हो गये।

जब अल्लाह का कलाम शुरू हुआ तब मूसा अ़लैहिस्सलाम की पेशानी नूर से चमकने लगा, उस वक़्त कोई आपकी तरफ़ नज़र उठाने की ताब (हिम्मत) नहीं रखता था। बादल की ओट हो गयी और सब लोग सज्दे में गिर पड़े। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ से आपके साथी बनी इस्राईल भी ख़ुदा का कलाम सुनने लगे कि उन्हें हुक्म अहकाम हो रहे हैं। जब अल्लाह का कलाम ख़त्म हुआ, बादल हट गया और मूसा अ़लैहिस्सलाम उनके पास चले आये तो ये लोग कहने लगे कि मूसा हम तो ईमान न लायेंगे जब तक अपने

रब को अपने सामने न देख लें। इस गुस्ताख़ी पर एक ज़लज़ला आया और सब के सब हलाक हो गये। अब मूसा अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुलूसे दिल के साथ दुआ़यें शुरू कीं और कहने लगे- इससे तो यही अच्छा था कि हम सब इससे पहले ही हलाक हो जाते, या अल्लाह! हमें बेवक़ूफ़ों के कामों पर हलाक न कर, ये लोग उनके चुने हुए और पसन्दीदा लोग थे। जब मैं तन्हा बनी इस्राईल के पास जाऊँगा तो उन्हें क्या जवाब दूँगा, कौन मेरी इस बात को सच्चा समझेगा और फिर उसके बाद कौन मुझ पर ईमान लायेगा? ख़ुदाया! हमारी तौबा है, तू क़बूल फ़रमा और हम पर फ़ज़्ल व करम कर।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम यूँ ही आ़जिज़ी और दिल के रुजू के साथ दुआ़ माँगते रहे, यहाँ तक कि परवर्दिगार ने उनकी इस दुआ़ को क़बूल फ़रमाया। उन मुर्दों को ज़िन्दा कर दिया। अब सब ने एक ज़बान होकर बनी इस्राईल की तरफ़ से तौबा शुरू की, उनसे फ़रमाया गया कि जब तक वे अपनी जानों को हलाक न करें और एक दूसरे को क़त्ल न करें मैं उनकी तौबा क़बूल न फ़रमाऊँगा। सुद्दी कबीर कहते हैं कि यह वाक़िआ़ बनी इस्राईल के आपस में लड़ चुकने के बाद का है। इससे यह भी मालूम हो गया कि यह ख़िताब अगरचे आ़म है लेकिन हक़ीक़त में इससे मुराद यही सत्तर शख़्स हैं। इमाम राज़ी रह. ने अपनी तफ़सीर में उन सत्तर शख़्सों के क़िस्से में लिखा है कि उन्होंने अपने जीने के बाद कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि वह हमें नबी बना दे, आपने दुआ़ की और वह क़बूल भी हुई लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में सिवाय हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम के और उनके बाद हज़रत यूशा बिन नून अ़लैहिस्सलाम के किसी और की नुबुव्वत साबित नहीं। अहले किताब का यह भी दावा है कि उन लोगों ने अपनी दुआ़ के मुताबिक़ ख़ुदा को अपनी आँखों से उसी जगह देखा, यह भी ग़लत है, इसलिये कि ख़ुद मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जब दीदारे बारी का सवाल किया तो उन्हें मना कर दिया गया। फिर भला ये सत्तर आदमी अल्लाह के दीदार की ताब (ताक़त) कैसे लाते?

इस आयत की तफ़सीर में एक दूसरा क़ौल भी है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम तौरात लेकर आये जो अहकाम का मजमूआ़ थी और उनसे कहा कि यह ख़ुदाई किताब है, इस पर अ़मल करो और मज़बूती के साथ इस पर पाबन्द हो जाओ। वे कहने लगे कि हज़रत! हमें क्या ख़बर, ख़ुदा ख़ुद ज़ाहिर होकर हमसे क्यों नहीं कहता। क्या वजह है कि वह आप से बातें करे और हम से न करे? जब तक हम ख़ुदा को ख़ुद न देख लें हरगिज़ ईमान न लायेंगे। इस क़ौल पर उनके ऊपर ग़ज़बे ख़ुदावन्दी नाज़िल हुआ और हलाक कर दिये गये। फिर ज़िन्दा किये गये, फिर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अब तो इस तौरात को थाम लो उन्होंने फिर इनकार किया, अब की मर्तबा फ़रिश्ते पहाड़ उठाकर लाये और उनके सरों के ऊपर लटका दिया कि अगर न मानोगे तो यह पहाड़ गिरा दिया जायेगा और तुम सब पीस डाले जाओगे। इससे यह भी मालूम हुआ कि मरने के बाद ये जी उठे और फिर भी मुकल्लफ़ रहे, यानी अल्लाह के अहकाम इन पर फिर भी जारी रहे। मावरदी ने कहा है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने ख़ुदा तआ़ला की यह ज़बरदस्त निशानी देख ली कि मरने के बाद ज़िन्दा हुए तो फिर शरीअ़त के अहकाम की पाबन्दी उन पर से हट गयी इसलिये कि अब तो ये मजबूर थे कि सब कुछ मान लें, ख़ुद उन पर वारदात पेश आयी, अब तस्दीक़ करना एक ग़ैर-इख़्तियारी मामला हो गया। दूसरी जमाअ़त क़हती है कि नहीं! बल्कि बावजूद इसके वे शरीअ़त के अहकाम के मुकल्लफ़ (पाबन्द) रहे, क्योंकि हर आ़क़िल मुकल्लफ़ है। इमाम क़ुर्तुबी रह. कहते हैं कि ठीक क़ौल यही है, यह मामलात उन पर क़ुदरती तौर से आये थे जो उन्हें शरीअ़त की पाबन्दी से आज़ाद नहीं कर सकते। ख़ुद बनी इस्राईल ने भी बड़े-बड़े मोजिज़े देखे, ख़ुद उनके साथ ऐसे-ऐसे काम हुए जो बिल्कुल

अनूठे और क़ियास व अन्दाज़े से बाहर और ज़बरदस्त मोजिज़े थे। इसके बावजूद भी वे मुकल्लफ़ (शरीअ़त के पाबन्द) रहे। इसी तरह यह भी ठीक क़ौल है और स्पष्ट बात भी यही है। वल्लाहु आलम।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○	और साया डालने वाला किया हमने तुम पर बादल को, (तीह के मैदान में) और (ग़ैब के ख़ज़ाने से) पहुँचाया हमने तुम्हारे पास तुरन्जबीन और बटेरें। खाओ नफ़ीस चीज़ों से जो कि हमने तुमको दी हैं, और (इससे) उन्होंने हमारा कोई नुक़सान नहीं किया, लेकिन अपना ही नुक़सान करते थे। (57)

ऊपर बयान हुआ था कि फ़ुलाँ-फ़ुलाँ बलायें हमने तुमसे दूर कर दीं, अब बयान हो रहा है कि फ़ुलाँ-फ़ुलाँ नेमतें भी हमने तुम्हें अ़ता फ़रमायीं। 'ग़माम' 'ग़मामतुन्' की जमा (बहुवचन) है, चूँकि यह आसमान को छुपा लेता है इसलिये इसे ग़मामा कहते हैं। यह एक सफ़ेद रंग का बादल था जो वादी-ए-तीह में उनके सरों पर साया किये रहता था जैसे कि नसाई शरीफ़ वग़ैरह में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से एक लम्बी हदीस में रिवायत है। इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि इब्ने उमर, रबीअ़ बिन अनस, अबू मिज्लज़ रज़ि., ज़ह्हाक और सुद्दी रह. ने यही कहा है। हसन और क़तादा रह. भी यही कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यह बादल आ़म बादलों से ज़्यादा ठण्डक वाला और ज़्यादा उम्दा था। हज़रत मुजाहिद फ़रमाते हैं कि यह वही बादल था जिसमें अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन आयेगा। अबू हुज़ैफ़ा रज़ि. को क़ौल भी यही हैः

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ.......... الخ.

इस आयत में इसका ज़िक्र है कि क्या उन लोगों को इसका इन्तिज़ार है कि अल्लाह तआ़ला बादल में आये और उसके फ़रिश्ते। यही वह बादल है जिसमें बदर वाले दिन फ़रिश्ते नाज़िल हुए थे।

मन्न व सलवा

जो मन्न उन पर उतरा वह दरख़्तों (पेड़ों) पर उतरता था। यह सुबह जाते थे और जमा करके खा लिया करते थे। वह गोंद की क़िस्म का था। कोई कहता है शबनम (ओस) के जैसा था। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि ओलों की तरह मन्न उनके घरों में उतरता था जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था। सुबह सादिक़ से लेकर सूरज निकलने तक उतरता रहता था। हर शख़्स अपने घर-बार के लिये इतनी मिक़दार (मात्रा) में ले लेता था जितना उस दिन काफ़ी हो जाये, अगर कोई ज़्यादा लेता तो ख़राब हो जाता था, जुमे के दिन वे दो दिन का लेते थे, जुमा और शनिवार का, इसलिये कि शनिवार उनका बड़ा दिन था। रबीअ़ बिन अनस रह. कहते हैं कि मन्न शहद जैसी चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर पीते थे। इमाम शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि तुम्हारा शहद उस मन्न का सत्तरवाँ हिस्सा है। शे'रों में भी मन्न शहद के मायने में आया है। ये सब अक़्वाल क़रीब क़रीब हैं। ग़र्ज़ यह है कि एक चीज़ थी जो उन्हें बिना किसी परेशानी और दिक़्क़त के मिलती थी, अगर सिर्फ़ उसे खाया जाये तो वह खाने की चीज़ थी और अगर पानी में मिलाई जाये तो पीने की चीज़ थी, और अगर दूसरी चीज़ों के साथ मिला दी जाये तो और चीज़ हो जाती

थी, लेकिन यहाँ मन्न से यह मशहूर मन्न मुराद नहीं।

सही बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि खुम्बी (एक किस्म का पौधा जो सफ़ेद रंग का और बरसात में खुद बखुद उग आता है) मन्न में से है और उसका पानी आँख के लिये शिफ़ा है। तिर्मिज़ी इसे हसन हसी कहते हैं, तिर्मिज़ी में है कि अ़जवा जो मदीना की खजूरों की एक क़िस्म है वह जन्नती चीज़ है और उसमें ज़हर का तिरयाक़ है और खुम्बी मन्न में से है और उसका पानी आँख के दर्द की दवा है। यह हदीस हसन ग़रीब है। दूसरे बहुत से तरीक़ों (सनदों) से भी मरवी है।

इब्ने मर्दूया की हदीस में है कि सहाबा रज़ि. ने उस दरख़्त के बारे में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) किया जो ज़मीन के ऊपर होता है, जिसकी जड़ें मज़बूत नहीं होतीं, बाज़ कहने लगे खुम्बी का दरख़्त है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया खुम्बी तो मन्न में से है और उसका पानी आँख के लिये शिफ़ा है।

सलवा एक क़िस्म का परिन्दा है चिड़िया से कुछ बड़ा होता है, कुछ लाल से रंग का, दक्षिणी ओर की हवायें चलती थीं और उन परिन्दों को वहाँ लाकर जमा कर देती थीं। बनी इस्राईल अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ उन्हें पकड़ लेते थे और ज़िबह करके खाते थे, अगर एक दिन गुज़र कर बच जाता तो वह ख़राब हो जाता था, और जुमे के दिन दो दिन के लिये जमा कर लेते थे क्योंकि शनिवार का दिन उनके लिये ईद का दिन होता था। उस दिन इबादतों में मशग़ूल रहने का और शिकार वग़ैरह से बचने का हुक्म था। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये परिन्दे कबूतर के बराबर होते थे, एक मील की लम्बाई-चौड़ाई में एक नेज़े के बराबर ऊँचा ढेर उन परिन्दों का हो जाता था। ये दोनों चीज़े उन पर वादी-ए-तीह में उतरी थीं जहाँ उन्होंने अपने पैग़म्बर से कहा था कि इस जंगल में हमारे खाने का बन्दोबस्त कैसे होगा? तब उन पर मन्न व सलवा उतारा गया, और पानी के लिये जब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से दरख़्वास्त की गयी तो परवर्दिगारे आ़लम ने फ़रमाया कि इस पत्थर पर लकड़ी मारो, लकड़ी लगते ही उससे बारह चश्मे जारी हो गये और बनी इस्राईल के बारह ही फ़िर्क़े (ख़ानदान और क़बीले) थे, हर क़बीले ने एक-एक चश्मा अपने लिये बाँट लिया। फिर साये के तालिब हुए कि इस चटियल मैदान में साये के बग़ैर गुज़ारा मुश्किल है तो ख़ुदा तआ़ला ने तूर पहाड़ का उन पर साया कर दिया, रह गया लिबास तो क़ुदरते ख़ुदावन्दी से जो लिबास वे पहने हुए थे वह उनके क़द के बढ़ने के साथ बढ़ता रहता था, एक साल के बच्चे का लिबास जूँ-जूँ उसका क़द व क़ामत बढ़ता जाता उसका लिबास भी बढ़ता जाता। न वह फटता, न ख़राबी पड़ती न मैला होता। इन तमाम नेमतों का ज़िक्र विभिन्न और अनेक जगह क़ुरआन पाक में मौजूद है। जैसे यह आयत (जिसका बयान चल रहा है) और यह आयतः

وَاِذِ اسْتَسْقٰى.........الخ.

(यानी इसी सूरत की आगे आ रही आयत नम्बर 60) वग़ैरह। इमाम हज़ली कहते हैं कि सलवा शहद को कहते हैं, लेकिन उनका यह क़ौल ग़लत है। सौरी और जोहरी ने भी यही कहा है और इसकी ताईद में अ़रब के शायरों के शे'र और बाज़ अ़रबी मुहावरे भी पेश किये हैं। बाज़ों ने कहा है कि एक दवा का नाम है। इमाम कसाई कहते हैं कि 'सलवा' वाहिद (एक वचन) का लफ़्ज़ है और इसकी जमा (बहुवचन) सलवा आती है, और बाज़ कहते हैं कि जमा में और मुफ़्रद में यही सीग़ा (कलिमा) रहता है, यानी लफ़्ज़ 'सलवा'। ग़र्ज़ कि ये ख़ुदा की दो नेमतें थीं जिनका खाना उनके लिये मुबाह (हलाल और जायज़) किया गया लेकिन उन लोगों ने ख़ुदा तआ़ला की इन नेमतों की नाशुक्री की और यही उनका अपनी जानों पर ज़ुल्म करना था,

इसके बावजूद कि इससे पहले भी बहुत कुछ ख़ुदाई नेमतें उन पर नाज़िल हो चुकी थीं।

सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की ख़ुसूसियत व फ़ज़ीलत

बनी इस्राईल की हालत का यह नक़्शा आँखों के सामने रखकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा की हालत पर नज़र डालो कि बावजूद सख़्त मुसीबतें झेलने के और बेइन्तिहा तकलीफ़ें बरदाश्त करने के वे नबी करीम की पैरवी पर और इबादते ख़ुदावन्दी पर जमे रहे। न मोजिज़े तलब किये, न दुनिया की राहतें माँगीं, न किसी नई चीज़ का मुतालबा किया। जंगे तबूक में जबकि भूख के मारे बेताब हो गये और मौत का मन्ज़र दिखाई देने लगा, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह! इस खाने में बरकत की दुआ़ कीजिए और जिसके पास जो कुछ बचा-खुचा था जमा करके हाज़िर कर दिया, जो सब मिलकर भी न होने के बराबर ही था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ़ की और ख़ुदा तबारक व तआ़ला ने क़बूल फ़रमा कर उसमें बरकत दी। उन्होंने ख़ूब खाया भी और तमाम तोशे दान भर लिये। पानी के क़तरे-क़तरे से जब तरसने लगे तो ख़ुदा के रसूल की दुआ़ से एक अब्र (बादल) आया और पानी की रेल-पेल कर दी, पिया पिलाया भी और मशकें और मशकीज़े सब भर लिये। पस सहाबा रज़ि. की इस साबित-क़दमी (दीन पर जमाव), बहादुरी, कामिल इत्तिबा और सच्ची तौहीद ने उनकी हज़रत मूसा के सहाबा पर निश्चित फ़ज़ीलत (बुलन्द रुतबा और बड़ाई) साबित कर दी।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ط وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝	और जब हमने हुक्म किया कि तुम लोग उस आबादी के अन्दर दाख़िल हो, फिर खाओ उस (की चीज़ों में) से जिस जगह तुम रग़बत करो बेतकल्लुफ़ी से, और दरवाज़े में दाख़िल होना (आ़जिज़ी से) झुके-झुके और (ज़बान से) कहते जाना कि तौबा है (तौबा है)। हम माफ़ कर देंगे तुम्हारी ख़ताएँ और अभी उस पर और ज़्यादा देंगे दिल से नेक काम करने वालों को। (58) सो बदल डाला उन ज़ालिमों ने एक और कलिमा जो ख़िलाफ़ था उस कलिमे के जिस (के कहने) की उनसे फ़रमाईश की गई थी, इस पर हमने नाज़िल की उन ज़ालिमों पर एक आसमानी आफ़त, इस वजह से कि वे नाफ़रमानी करते थे। (59)

जिहाद का हुक्म और उससे इनकार

जब मूसा अ़लैहिस्सलाम बनी इस्राईल को लेकर मिस्र से आये और उन्हें पाक ज़मीन में जाने का हुक्म हुआ, जो ज़मीन उनकी मौरूसी (बाप-दादा की) थी। उनसे कहा गया कि यहाँ जो अ़मालीक़ (सरदार) हैं उनसे जिहाद करो, तो उन लोगों ने नामर्दी दिखाई, जिसकी सज़ा में उन्हें मैदाने तीह में डाल दिया गया,

जिसका सूरः मायदा में ज़िक्र है। 'क़रया' (आबादी) है मुराद बैतुल-मुक़द्दस है। इमाम सुद्दी, रबीअ़, क़तादा और अबू मुस्लिम वग़ैरह रह. ने यही कहा है। क़ुरआन में है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम से कहा कि ऐ मेरी क़ौम! उस पाक ज़मीन में जाओ जो तुम्हारे लिये लिख दी है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद उरैहा है। बाज़ों ने कहा है कि इससे मिस्र मुराद है, लेकिन सही क़ौल पहला ही है कि मुराद इससे बैतुल-मुक़द्दस (यानी मौजूदा फ़िलिस्तीन) है। यह वाक़िआ़ तीह के मैदान से निकलने के बाद का है। जुमे के दिन शाम को अल्लाह तआ़ला ने उसे उनके हाथ पर फ़तह कराया, बल्कि सूरज को उनके लिये ज़रा सी देर ठहरा दिया था ताकि फ़तह हो जाये, फ़तह के बाद उन्हें यह हुक्म हुआ कि इस शहर में सज्दा करते हुए जाओ जो इस फ़तह की शुक्रगुज़ारी का सज्दा होगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने सज्दे से मुराद रुकूअ़ लिया है। हदीस बयान करने वाले कहते हैं कि सज्दे से मुराद यहाँ पर ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (अल्लाह के सामने आ़जिज़ी व विनम्रता) है, क्योंकि हक़ीक़त पर इसे महमूल करना नामुम्किन है (यानी सज्दा करते हुए आदमी कैसे चलेगा)।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. कहते हैं कि यह दरवाज़ा क़िब्ले की जानिब था, इसका नाम बाबुल-हित्ता था। इमाम राज़ी रह. ने यह भी कहा है कि दरवाज़े से मुराद क़िब्ले की दिशा है, बजाय सज्दे के इस क़ौम ने अपनी रानों पर खिसकना शुरू किया और करवट के बल दाख़िल होने लगे, सरों को झुकाने के बजाय और ऊँचा कर लिया। 'हित्ततुन्' के मायने बख़्शिश के हैं। बाज़ों ने कहा है कि यह हक़ बात है। हज़रत इक्रिमा रह. कहते हैं कि इससे मुराद ''ला इला-ह इल्लल्लाहु'' कहना है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. कहते हैं कि इसमें गुनाहों का इक़रार है। हसन और क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि ख़ुदाया हमारी ख़ताओं को हमसे दूर कर दे। फिर उनसे वायदा किया जाता है कि अगर तुम इसी तरह यही कहते हुए शहर में गये और इस फ़तह के वक़्त भी अपनी पस्ती और ख़ुदा की नेमत और अपने गुनाहों का इक़रार तुमने किया और मुझसे बख़्शिश तलब की, तो चूँकि ये चीज़ें मुझे बहुत ही पसन्द हैं, मैं भी तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र (यानी उनको माफ़) करूँगा। फ़त्हे-मक्का के मौक़े पर फ़रमाने ख़ुदावन्दी सूरः नस्र (इज़ा जा-अ नस्रुल्लाहि.........) नाज़िल हुई थी और उसमें भी यही हुक्म दिया गया था कि जब ख़ुदा की मदद आ जाये, मक्का फ़तह हो और लोग दीने ख़ुदा में आ जायें तो ऐ नबी! तुम अपने रब की तस्बीह और हम्द व सना बयान करो, उससे इस्तिग़फ़ार करो, वह तौबा क़बूल करने वाला है।

इस सूरत में जहाँ ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के आख़िरी वक़्त की ख़बर भी है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने हज़रत उमर रज़ि. के सामने इस सूरत का एक मतलब यह भी बयान किया था जिसे आपने पसन्द फ़रमाया था। जब मक्का फ़तह होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शहर में दाख़िल हुए तो इन्तिहाई तवाज़ो (आ़जिज़ी और विनम्रता) और मिस्कीनी के आसार (निशान) आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर थे, यहाँ तक कि सर झुकाये हुए थे कि ऊँटनी के पालान से सर लग गया था। शहर में जाते ही ग़ुस्ल करके ज़ुहा (चाश्त) के वक़्त की आठ रक्अ़त नमाज़ अदा की जो ज़ुहा की नमाज़ भी थी और फ़तह के शुक्रिया की भी, और दोनों तरह के क़ौल मुहद्दिसीन के हैं। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. ने जब ईरान मुल्क फ़तह किया और किसरा के शाही महलों में पहुँचे तो इसी सुन्नत के मुताबिक़ आठ रक्अ़तें पढ़ीं। दो रक्अ़त एक सलाम से पढ़ने का बाज़ का मज़हब है और बाज़ों ने यह भी कहा है कि आठ एक साथ एक ही सलाम से पढ़ीं। वल्लाहु आलम।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बनी इस्राईल को हुक्म

किया गया कि वे सज्दा करते हुए और 'हित्ततुन्' कहते हुए दरवाज़े से जायें लेकिन उन्होंने बदल दिया और अपनी रानों पर घिसटते हुए और 'हिन्ततुन हब्बतुन फ़ी शओ़रतिन' कहते हुए जाने लगे। हदीस की किताब नसाई, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, अबू दाऊद, मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी यह हदीस अलफ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ (भिन्नता) के साथ मौजूद है और सनद के एतिबार से सही है।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जा रहे थे, ज़ातुल-हन्ज़ल नाम की घाटी के क़रीब पहुँचे तो आपने फ़रमाया कि इस घाटी की मिसाल भी बनी इस्राईल के उस दरवाज़े जैसी है जहाँ उन्हें सज्दा करते हुए और 'हित्ततुन' कहते हुए दाख़िल होने को कहा गया था और उनके गुनाहों की माफ़ी का वायदा किया गया था। हज़रत बरा फ़रमाते हैं कि 'स-यक़ूलुस्सफ़हा-उ' में 'सुफ़हा-उ' यानी बेवक़ूफ़ों से मुराद यहूद हैं जिन्होंने अल्लाह की बात को बदल दिया था। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं 'हित्ततुन' के बदले उन्होंने 'हिन्ततुन हब्बतुन ख़मराउन् फ़ीहा शओ़रतुन' कहा था। उनकी अपनी ज़बान (भाषा) में उनके अलफ़ाज़ ये थे:

هطى سمعاتا ازبة مزبا.

''हुत्ती समिआ़ता अज़िबतन् मुज़बन्''

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी उनकी इस तब्दीली को बयान फ़रमाते हैं कि रुकूअ़ करने के बदले वे रानों पर घिसटते हुए और 'हित्ततुन' के बदले 'हिन्ततुन' कहते हुए चले। हज़रत अ़ता, मुजाहिद, इक्रिमा, ज़ह्हाक, हसन, क़तादा, रबीअ़, यहया रह. ने भी यही बयान किया है। मतलब यह है कि जिस क़ौल व फ़ेल का उन्हें हुक्म दिया गया था उन्होंने उसे मज़ाक़ में उड़ाया जो खुली मुख़ालफ़त और सरकशी थी। इसी वजह से अल्लाह तआ़ला ने उन पर अपना अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमाया।

फ़रमाता है कि हमने ज़ालिमों पर उनके फ़िस्क़ (बुराई और गुनाहों) की वजह से आसमानी अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमाया। ''रिजूज़'' से मुराद अ़ज़ाब है। कोई कहता है कि ग़ज़ब है, किसी ने ताऊन कहा है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि ताऊन रिजूज़ है और यह अ़ज़ाब तुमसे पहले लोगों पर उतारा गया था। बुख़ारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जब तुम सुनो कि फ़ुलाँ जगह ताऊन है तो वहाँ न जाओ.......। इब्ने जरीर में है कि यह दुख और बीमारी रिजूज़ है, जिससे तुमसे पहले लोग अ़ज़ाब किये गये थे।

और (वह ज़माना याद करो) जब (हज़रत) मूसा ने पानी की दुआ़ माँगी अपनी क़ौम के वास्ते, इसपर हमने (मूसा को) हुक्म दिया कि अपनी इस लाठी को फ़ुलाँ पत्थर पर मारो पस फ़ौरन उससे फूट निकले बारह चश्मे (और बारह ही ख़ानदान थे बनी इस्राईल के, चुनाँचे) मालूम कर लिया हर-हर शख़्स ने अपने पानी पीने की जगह को। खाओ और (पीने को) पियो अल्लाह के रिज़्क़ से और (दर्मियाना दर्जे की) हद से मत निकलो फ़साद (व फ़ितना) करते हुए मुल्क में। (60)	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

एक और इनाम

यह एक और नेमत याद दिलाई जा रही है कि जब तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिये पानी तलब किया तो हमने उस पत्थर से चश्मे बहा दिये जो तुम्हारे साथ रहा करता था और तुम्हारे हर-हर क़बीले के लिये एक एक चश्मा हमने उसमें से जारी कर दिया, जिसे हर क़बीले ने जान लिया। और हमने कह दिया कि मन्न व सलवा खाते रहो और इन चश्मों का पानी पीते रहो, और इस बिना मेहनत की रोज़ी को खा-पीकर हमारी इबादत में लगे रहो। नाफ़रमानी करके ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ वरना ये नेमतें छिन जायेंगी। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह एक चार कोनों वाला पत्थर था जो उनके साथ ही था, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस पर लकड़ी मारी, चारों तरफ़ से नहरें बह निकलीं। यह पत्थर बैल के सर जितना था जो बैल पर लाद दिया जाता था, जहाँ उतरते रख देते और लकड़ी लगते ही उसमें से नहरें बह निकलतीं। जब कूच करते उठा लेते, नहरें बन्द हो जातीं और पत्थर को साथ रख लेते। यह पत्थर तूर पहाड़ का था। एक हाथ लम्बा और एक हाथ चौड़ा था। बाज़ कहते हैं कि यह जन्नती पत्थर था दस-दस हाथ लम्बा चौड़ा था, दो शाख़ें थीं जो चमकती रहती थीं। एक और क़ौल में है कि यह पत्थर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था और यूँ ही हाथों हाथ पहुँचता हुआ हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम को मिला था, उन्होंने लकड़ी और यह पत्थर दोनों हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को दिये थे। बाज़ कहते हैं यह वही पत्थर है जिस पर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम अपने कपड़े रखकर नहा रहे थे और अल्लाह के हुक्म से पत्थर आपके कपड़े लेकर भागा था, उसे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम के मश्विरे से उठा लिया था जिससे यह मोजिज़ा आपका ज़ाहिर हुआ।

ज़मख़्शरी कहते हैं कि "हिज्र" (पत्थर) से यहाँ कोई एक और ख़ास पत्थर मुराद नहीं, यानी किसी एक पत्थर पर लकड़ी मारो, यह नहीं कि फ़ुलाँ पत्थर ही पर मारो। हज़रत हसन रज़ि. से भी यही मरवी है और यही मोजिज़े का कमाल और क़ुदरत का पूरा इज़हार है। आपकी लकड़ी लगते ही वह बहने लगता और फिर दूसरी लकड़ी लगते ही ख़ुश्क हो जाता। बनी इस्राईल आपस में कहने लगे कि अगर यह पत्थर गुम हो गया तो हम प्यासे मरने लगेंगे तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि तुम लकड़ी न मारो सिर्फ़ ज़बानी कहो ताकि उन्हें यक़ीन आ जाये। वल्लाहु आलम।

हर एक क़बीला अपनी-अपनी नहर को इस तरह जान लेता कि हर क़बीले का एक-एक आदमी पत्थर के पास खड़ा रह जाता और लकड़ी लगते ही उसमें से चश्मे जारी हो जाते। जिस शख़्स की तरफ़ जो चश्मा जाता वह अपने क़बीले को बुलाकर कह देता कि यह चश्मा तुम्हारा है, यह वाक़िआ मैदाने तीह का है। सूरः आराफ़ में भी इस वाक़िए का बयान है, लेकिन चूँकि वह सूरत मक्की है इसलिये वहाँ उनका बयान ग़ायब की ज़मीर (यानी 'उन' के लफ़्ज़) से किया गया है और अल्लाह तआ़ला ने जो एहसानात उन पर नाज़िल फ़रमाये थे वे अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने दोहराये हैं। और यह सूरत मदनी है इसलिये यहाँ ख़ुद उन्हें ख़िताब किया गया है। सूरः आराफ़ में "फ़म्बजसत्" कहा और यहाँ "फ़न्फ़-जरत्" कहा, इसलिये कि वहाँ शुरू-शुरू में जारी होने के मायने में है और यहाँ आख़िरी हाल का बयान है, और हक़ीक़त इसमें क़रीब है। वल्लाहु आलम।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ

और जब तुम लोगों ने (यूँ) कहा कि ऐ मूसा (रोज़ के रोज़) हम एक ही क़िस्म के खाने पर कभी न रहेंगे, आप हमारे वास्ते अपने परवर्दिगार से दुआ करें कि वह हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ज़मीन में उगा करती हैं, साग (हुआ) ककड़ी (हुई) गेहूँ (हुआ) मसूर (हुई) और प्याज़ (हुई) आपने फ़रमायाः क्या तुम बदले में लेना चाहते हो अदना दर्जे की चीज़ों को ऐसी चीज़ के मुक़ाबले में जो आला दर्जे की है। किसी शहर में (जाकर) उतरो, (वहाँ) ज़रूर तुमको वे चीज़ें मिलेंगी जिनकी तुम दरख़्वास्त करते हो,

यहाँ बनी इस्राईल की बेसब्री और अल्लाह की नेमत की नाक़द्री बयान हो रही है कि मन्न व सलवा जैसे पाकीज़ा खाने पर उनसे सब्र न हो सका और रद्दी चीज़ें माँगने लगे। एक खाने से मुराद एक क़िस्म का खाना है, यानी मन्न व सलवा। 'फ़ूम' के मायने में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, इब्ने मसऊद रज़ि. की क़िराअत में 'सूम' है। मुजाहिद रह. ने 'फ़ूम' की तफ़सीर 'सूम' के साथ की है यानी लहसुन। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रजि. से भी यह तफ़सीर मरवी है। पिछली लुग़त की किताबों में ''फ़र्रिक़ू लना'' के मायने ''इख़्तबिज़ू'' यानी हमारी रोटी पकाओ के हैं। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि अगर यह सही हो तो ये हुरूफ़ मुबद्दिला में से हैं जैसे 'अ़ाशूर शर' आ़फ़ूर शर, 'असाफ़ी' असासी, 'मग़ाफ़ीर' मग़ासीर वग़ैरह। जिनमें 'फ़' से 'स' और 'स' से 'फ़' बदला गया है। क्योंकि ये दोनों मख़्रज (अदायेगी और मुँह में निकलने की जगह) के एतिबार से बहुत क़रीब हैं। वल्लाहु आलम।

कुछ लोग कहते हैं कि 'फ़ूम' के मायने गेहूँ के हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यह तफ़सीर मन्क़ूल है और उहैहा के शे'र में भी 'फ़ूम' गेहूँ के मायने में आया है। बनी हाशिम की ज़बान में 'फ़ूम' गेहूँ के मायने में इस्तेमाल होता था। 'फ़ूम' के मायने रोटी के भी हैं, बाज़ ने 'सुंबलह' (गेहूँ की बाल) के मायने किये हैं। हज़रत क़तादा और हज़रत अ़ता रह. फ़रमाते हैं कि जिस अनाज की रोटी पकती है उसे 'फ़ूम' कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि 'फ़ूम' हर क़िस्म के अनाज को कहते हैं।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम को डाँटा कि तुम बेहतर चीज़ के बदले रद्दी और घटिया चीज़ को क्यों तलब करते हो? फिर फ़रमाया जाओ शहर में ये सब चीज़ें पाओगे। जमहूर की क़िराअत 'मिस्रन्' ही है, और तमाम क़ुरआनों में यही लिखा हुआ है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि शहरों में से किसी शहर में चले जाओ। उबई बिन कअ़ब और इब्ने मसऊद रज़ि. से 'मिस्रन्' की क़िराअत भी है और इसकी तफ़सीर 'मिस्रन्' शहर से की गयी है, और यह भी हो सकता है कि 'मिस्रन्' से भी मुराद ख़ास शहर 'मिस्र' लिया जाये और यह अलिफ़ 'मिस्रा' का ऐसा ही हो जैसा 'क़वारीरा क़वारीरा' में है। मिस्र से मुराद आ़म शहर लेना ही बेहतर मालूम होता है, तो मलतब यह हुआ कि जो चीज़ तुम तलब करते हो यह तो आसान चीज़ है, जिस शहर में जाओगे ये तमाम चीज़ें पा लोगे, मेरी दुआ़ की भी क्या ज़रूरत है?

क्योंकि उनका यह क़ौल महज़ तकब्बुर, सरकशी और घमंड के तौर पर था, इसलिये उन्हें जवाब नहीं दिया गया। वल्लाहु आलम।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ع ○	और जम गई उन पर ज़िल्लत और पस्ती (कि दूसरों की निगाह में क़द्र और ख़ुद उनमें हिम्मत व जुर्रत न रही) और मुस्तहिक़ हो गए अल्लाह के ग़ज़ब के। (और) यह इस वजह से (हुआ) कि वे लोग इनकारी हो जाते थे अहकामे इलाही के और क़त्ल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को नाहक़ (और दूसरे) यह इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअ़त न की और (इताअ़त के) दायरे से निकल निकल जाते थे। (61)

मतलब यह है कि ज़िल्लत और मिस्कीनी (समाज में बेहैसियत होना) उन पर मुसल्लत कर दी गयी, अपमान व पस्ती उन पर डाल दी गयी। जिज़या (टैक्स) उनसे वसूल किया गया। मुसलमानों के क़दमों तले उन्हें डाला गया, फ़ाक़े करने और भीख की नौबत पहुँची। ख़ुदा का ग़ज़ब व ग़ुस्सा उन पर उतरा। 'बाऊ' के मायने 'लौटे और रुजू किया' के हैं। यह लफ़्ज़ कभी भलाई के सिले के साथ आता है और कभी बुराई के सिले के साथ। यहाँ बुराई के सिले के साथ है। ये तमाम अ़ज़ाब उनके तकब्बुर, घमंड, दुश्मनी, हक़ की क़बूलियत से इनकार, अल्लाह तआ़ला की आयतों से कुफ़्र और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उनके ताबेदारों के अपमान व तौहीन और उनके क़त्ल की बिना पर था। इससे ज़्यादा बड़ा कुफ़्र और कौनसा होगा कि अल्लाह तआ़ला की आयतों से कुफ़्र करते हैं और उसके नबियों को बिना वजह क़त्ल करते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तकब्बुर के मायने हक़ को छुपाने और लोगों को ज़लील समझने के हैं। मालिक बिन मुरारा रहावी रज़ि. एक रोज़ ख़िदमते रसूल में अ़र्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह! मैं ख़ूबसूरत आदमी हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी की जूती का तस्मा भी मुझसे ख़ूबसूरत हो, तो क्या यह तकब्बुर और सरकशी है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नहीं! बल्कि तकब्बुर और सरकशी हक़ को रद्द करना और लोगों को हक़ीर समझना है। चूँकि बनी इस्राईल का तकब्बुर कुफ़्र और अम्बिया के क़त्ल तक पहुँच गया था इसलिये ख़ुदा का ग़ज़ब उन पर लाज़िम हो गया। दुनिया में भी और आख़िरत में भी।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि बनी इस्राईल एक-एक दिन में तीन-तीन सौ नबियों को क़त्ल कर डालते थे। फिर बाज़ारों में जाकर अपने लेन-देन में लगते थे। (अबू दाऊद, तयालिसी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सबसे ज़्यादा सख़्त अ़ज़ाब क़ियामत के दिन उस शख़्स को होगा जिसे नबी ने क़त्ल किया हो या उसने किसी नबी को मार डाला हो, और गुमराही का इमाम और तस्वीरें बनाने वाला चित्रकार, यह बदला था उनकी नाफ़रमानियों और ज़ुल्म व ज़्यादती का। यह दूसरा सबब है कि वे मना किये हुए कामों को करते थे और हद से बढ़ जाते थे। वल्लाहु आलम।

यह तहक़ीक़ी बात है कि मुसलमान और यहूदी और नसारा "यानी ईसाई" और फ़िर्क़ा साबिईन (इन सब में) जो शख़्स यक़ीन रखता हो अल्लाह तआ़ला (की ज़ात और सिफ़ात) पर और क़ियामत के दिन पर, और कारगुज़ारी अच्छी करे, ऐसों के लिए उनका अज्र भी है उनके परवर्दिगार के पास, और (वहाँ जाकर) किसी तरह का अन्देशा भी नहीं उन पर और न वे ग़मज़दा होगें। (62)	إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ٥

नेक काम करने वालों का बदला और सवाब

ऊपर चूँकि नाफ़रमानियों के अ़ज़ाब का ज़िक्र था तो यहाँ उनमें जो लोग नेक थे उनके सवाब का बयान हो रहा है। नबी की ताबेदारी करने वालों के लिये यह ख़ुशख़बरी क़ियामत तक के लिये है कि वे आईन्दा के ख़ौफ़ से निडर और छोड़ी हुई चीज़ों पर हसरत से पाक हैं। एक और जगह है:

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

यानी अल्लाह के दोस्तों पर कोई ख़ौफ़ व ग़म नहीं, और वे फ़रिश्ते जो मुसलमान की रूह निकलने के वक़्त आते हैं यही कहते हैं किः

لَاتَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

तुम डरो नहीं, तुम उदास न होओ, तुम्हें हम उस जन्नत की ख़ुशख़बरी देते हैं जिसका तुमसे वायदा किया गया था।

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होने से पहले जिन दीनदारों से मिला था उनकी इबादत और नमाज़ रोज़े वग़ैरह का ज़िक्र किया तो यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम) एक और रिवायत में है कि हज़रत सलमान ने उनका ज़िक्र करते हुए कहा कि वे नमाज़ी, रोज़ेदार, ईमानदार और इस बात के मोतिक़द (यक़ीन रखने वाले) थे कि आप मबऊस होने (यानी नबी बनकर तशरीफ़ लाने) वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वे जहन्नमी हैं। हज़रत सलमान रज़ि. को इससे बड़ा रंज हुआ, वहीं यह आयत नज़िल हुई। लेकिन यह वाज़ेह रहे कि यहूदियों में से ईमान वाला वह है जो तौरात को मानता हो और सुन्नते मूसा अ़लैहिस्सलाम का आ़मिल हो, लेकिन जब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम आ जायें तो उनकी ताबेदारी करे और उनकी नुबुव्वत को बरहक़ समझे। अगर अब भी वह तौरात और सुन्नते मूसा पर जमा रहा और हज़रत ईसा का इनकार किया और ताबेदारी न की तो फिर बेदीन हो जायेगा। इसी तरह ईसाईयों में से ईमान वाला वह है जो इन्जील को कलामुल्लाह माने, शरीअ़ते ईसवी पर अ़मल करे और अगर अपने ज़माने में पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अ़लैहिस्सलाम को पा ले तो आपकी नुबुव्वत की ताबेदारी और आपकी तस्दीक़ करे, अगर अब भी उसने इन्जील को और ईसवी पैरवी को न छोड़ा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नतों

की पैरवी न की तो हलाक होगा। (इब्ने अबी हातिम)

सुद्दी रह. ने यही रिवायत की है और सईद इब्ने जुबैर भी यही फ़रमाते हैं। मतलब यह है कि हर नबी का ताबेदार, उसका मानने वाला, ईमान वाला और नेक है और ख़ुदा के यहाँ निजात पाने वाला, लेकिन जब दूसरा नबी आया और उसने उससे इनकार किया तो काफ़िर हो जायेगा। क़ुरआन की एक तो यह आयत जो आपके सामने है और दूसरी वह आयत जिसमें बयान है:

مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

यानी जो शख़्स इस्लाम के सिवा और (दूसरा) दीन ढूँढे उससे क़बूल न किया जायेगा और आख़िरत में वह नुक़सान उठाने वाला होगा।

इन दोनों आयतों में यही ततबीक़ (तालमेल और मुवाफ़क़त) है, किसी शख़्स का कोई अ़मल कोई तरीक़ा मक़बूल नहीं, जब तक कि वह शरीअ़ते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुताबिक़ न हो, मगर यह उस वक़्त है जबकि आप मबऊस होकर (नबी बनकर) दुनिया में आ गये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले जिस नबी का जो ज़माना था और जो लोग उस ज़माने में थे उनके लिये उस ज़माने के नबी की ताबेदारी और उसकी शरीअ़त की पैरवी शर्त है।

यहूद का इतिहास

लफ़्ज़ "यहूद हूदात" से निकला है जिसके मायने मवद्दत और दोस्ती के हैं। या यह निकला है 'तहव्वुद' से, जिसके मायने तौबा के हैं। जैसे क़ुरआन में है:

اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ.

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते हैं ऐ अल्लाह! हम तेरी तरफ़ तौबा करते हैं।

पस इन्हें उन दोनों वजहों से यहूद कहा गया है, तौबा की वजह से और आपस की दोस्ती की वजह से। और बाज़ कहते हैं कि यह यहूदा की औलाद में से थे इसलिये इन्हें यहूद कहा गया है। यहूदा हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के बड़े लकड़े का नाम था। एक क़ौल यह भी है कि यह तौरात पढ़ते वक़्त हिलते थे, इस बिना पर इन्हें यहूद यानी हरकत करने वाला कहा गया है।

नसारा कौन हैं?

जब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत का ज़माना आया तो बनी इस्राईल पर आपकी नुबुव्वत की तस्दीक़ और आपके फ़रमान की इत्तिबा (पैरवी) वाजिब हुई और उनका नाम ईसाई हुआ, क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे की नुसरत यानी ताईद और मदद की थी। उन्हें अन्सार भी कहा गया है। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का क़ौल है:

مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ.

यानी अल्लाह के दीन में मेरा मददगार कौन है? हवारियों ने कहा, हम हैं।

बाज़ लोग कहते हैं कि ये लोग जहाँ उतरे थे उस ज़मीन का नाम नासिरा था, इसलिये इन्हें नसारा (ईसाई) कहा गया। क़तादा रह. और इब्ने जुरैज का यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यह मरवी है।

वल्लाहु आलम। 'नसारा' 'नसरान' की जमा (बहुवचन) है जैसे 'नशवान' की जमा 'नशावा' और 'सकरान' की जमा 'सुकारा'। इसका मुअन्नस 'नसरानतु' आता है। अब जबकि ख़ातिमुन्नबिय्यीन अ़लैहिस्सलाम का ज़माना आया और आप तमाम दुनिया की तरफ़ रसूल व नबी बनाकर भेजे गये तो इन पर और उन पर सब पर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ व पैरवी वाजिब हुई और आपकी उम्मत का नाम मोमिन रखा। इनके ईमान व यक़ीन की पुख़्तगी की वजह से और इसलिये भी कि उनका ईमान तमाम पहले अम्बिया पर भी है और तमाम आने वाली बातों पर भी।

फ़िर्क़ा-ए-साबिईया

'साबी' के मायने एक तो बेदीन और ला-मज़हब (अधर्मी) के किये गये हैं और अहले किताब के एक फ़िर्क़े का नाम भी यह था जो ज़बूर पढ़ा करते थे। इसी बिना पर इमाम अबू हनीफ़ा रह. और इस्हाक़ रह. का मज़हब है कि उनके हाथ का ज़बीहा हमारे लिये हलाल है और उनकी औ़रतों से निकाह करना भी। हज़रत हसन रह. और हज़रत हकम रह. फ़रमाते हैं कि यह गिरोह मजूसियों (आग को पूजने वालों की तरह) है। यह भी मरवी है कि ये लोग फ़रिश्तों के पुजारी थे, ज़ियाद ने जब यह सुना था कि ये लोग पंजवक़्ता नमाज़ क़िब्ले की जानिब पढ़ा करते हैं तो इरादा किया कि उनका जिज़्या (ग़ैर-मुस्लिम से मुस्लिम हुकूमत में रहने का टैक्स) माफ़ कर दे लेकिन साथ ही मालूम हुआ कि वे मुश्रिक हैं तो अपने इरादे से बाज़ रहा।

अबुज़्ज़िनाद फ़रमाते हैं कि ये लोग इराक़ी हैं, कोसी के रहने वाले, सब नबियों को मानते हैं, हर साल में तीस रोज़े रखते हैं और यमन की तरफ़ मुँह करके हर दिन में पाँच नमाज़ें पढ़ते हैं। वहब बिन मुनब्बेह रह. कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला को ये लोग जानते हैं लेकिन किसी शरीअ़त के पाबन्द नहीं और काफ़िर भी नहीं। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद का क़ौल है कि यह भी एक मज़हब है, जज़ीरा मूसल में ये लोग थे 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' पढ़ते थे और किसी बात या नबी को नहीं मानते थे, और न किसी ख़ास शरीअ़त के आ़मिल (पाबन्द) थे। मुश्रिक लोग इसी बिना पर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को सहाबी कहते थे यानी 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहने की बिना पर। उनका दीन ईसाईयों से मिलता-जुलता था, उनका क़िब्ला दक्षिण की तरफ़ था। ये लोग अपने आपको हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के दीन पर बताते थे।

एक क़ौल यह भी है कि यहूद व मजूस के दीन का ख़ल्त-मल्त (मिश्रण) यह मज़हब था, इनका ज़बीहा खाना और इनकी औ़रतों से निकाह करना ममनू (वर्जित और मना) है। मुजाहिद, हसन और इब्ने अबी नजीह का यही फ़तवा है। इमाम क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है, ये लोग एक ख़ुदा को मानने वाले थे लेकिन तारों की तासीर और नजूम के मोतक़िद थे। अबू सईद इस्तख़री ने इन पर कुफ़्र का फ़तवा दिया है। इमाम राज़ी फ़रमाते हैं कि ये सितारा-परस्त (सितारों को पूजने वाले) लोग थे "कशरानियीन" में से थे जिनकी जानिब हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम भेजे गये थे।

हक़ीक़ते हाल का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला को है मगर बज़ाहिर यही क़ौल ठीक मालूम होता है, कि ये लोग न यहूदी थे न ईसाई, न मजूसी न मुश्रिक, बल्कि ये लोग फ़ितरत पर थे, किसी ख़ास मज़हब के पाबन्द न थे, और इसी मायने में लेते हुए मुश्रिक लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथियों और मानने वालों को 'सहाबी' कहा करते थे, यानी इन लोगों ने तमाम मज़ाहिब छोड़ दिये। बाज़ उलेमा का क़ौल है कि साबी वे हैं जिन्हें किसी नबी की दावत नहीं पहुँची। वल्लाहु आलम।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

और जब हमने तुमसे क़ौल व क़रार लिया (कि तौरात पर अ़मल करेंगे) और हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर (बिल्कुल सामने मुक़ाबिल में) लटका दिया कि (जल्दी) क़बूल करो जो किताब हमने तुमको दी है मज़बूती के साथ, और याद रखो जो (अहकाम) उसमें हैं जिससे उम्मीद है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। (63) फिर तुम इस क़ौल व क़रार के बाद भी (उससे) फिर गए, सो अगर तुम लोगों पर ख़ुदा तआ़ला का फ़ज़्ल और रहम न होता तो ज़रूर तुम (फ़ौरन) तबाह (और हलाक) हो जाते। (64)

याददेहानी

इन आयतों में अल्लाह तआ़ला बनी इस्राईल को उनके अ़हद व पैमान याद दिला रहा है कि अपनी इबादत और अपने नबी की इताअ़त का वायदा मैं तुमसे ले चुका हूँ और उस वायदे को पूरा कराने और मानने के लिये मैंने तूर पहाड़ को तुम्हारे सरों पर ला खड़ा कर दिया था। जैसे एक और जगह है:

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ......... الخ.

जब हमने उनके सरों पर सायबान (छज्जे) की तरह पहाड़ ला खड़ा किया और ये यक़ीन कर चुके कि वह अब गिरकर उन्हें कुचल डालेगा। उस वक़्त हमने कहा हमारी दी हुई चीज़ को मज़बूत थाम लो और उसमें जो कुछ है उसे याद करो तो बच जाओगे।

तूर से मुराद पहाड़ है जैसे सूरः आराफ़ की आयत में है और जैसे सहाबा रज़ि. और ताबिईन ने इसकी तफ़सीर की है और यही ज़ाहिर है। तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर घास वग़ैरह उगती हो। हदीसे फ़तून में इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत से मरवी है कि जब उन्होंने इताअ़त से इनकार किया उस वक़्त यह पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया, कि अब तो सुनें। सुद्दी रह. कहते हैं कि उनके सज्दे से इनकार के सबब उनके सर पर पहाड़ आ गया, लेकिन उसी वक़्त ये सब सज्दे में गिर पड़े और मारे डर के कन-अंखियों से ऊपर को देखते रहे। ख़ुदा तआ़ला ने उन पर रहम फ़रमाया और पहाड़ हटा लिया, इसी वजह से वे इसी सज्दे को पसन्द करते हैं कि आधा धड़ सज्दे में हो, और दूसरी तरफ़ से ऊपर की तरफ़ देख रहे हों। जो हमने दिया उससे मुराद तौरात है। क़ुव्वत से मुराद ताक़त है, यानी तौरात पर मज़बूती से जमकर अ़मल करने का वायदा करो, वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जायेगा, और उसमें जो है उसे याद करो यानी तौरात पढ़ते पढ़ाते रहो। लेकिन इन लोगों ने इतने पुख़्ता मीसाक़ (अ़हद) और वायदे इस क़द्र ज़बरदस्त अ़हद की भी परवाह न की, और अ़हद तोड़ दिया। अब अगर अल्लाह तआ़ला की करम-फ़रमाई और रहमत न होती, अगर वह तौबा क़बूल न फ़रमाता और नबियों के सिलसिले को बराबर जारी न रखता तो यक़ीनन तुम्हें ज़बरदस्त नुक़सान पहुँचता। इस वायदे को तोड़ने की बिना पर दुनिया और आख़िरत में

तुम बरबाद हो जाते।

और तुम जानते ही हो उन लोगों का हाल जो तुममें से (शरीअ़त की) हद से निकल गए थे, (उस हुक्म के) बारे में (जो) शनिवार के दिन के (मुताल्लिक़ था) सो हमने उनको कह दिया कि तुम बन्दर ज़लील बन जाओ। (65) फिर हमने उसको एक सबक़ (हासिल किए जाने वाला वाक़िआ) बना दिया उन लोगों के लिए भी जो उस क़ौम के ज़माने के लोग थे और उन लोगों के लिए भी जो बाद के ज़माने में आते रहे, और नसीहत का ज़रिया (बनाया ख़ुदा तआ़ला से) डरने वालों के लिए। (66)	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۝ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

मस्ख़ होने का बयान

इस वाक़िए का बयान तफ़सील के साथ सूरः आराफ़ में है, जहाँ फ़रमाया हैः

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ.......... الخ.

(कि उनसे उस बस्ती के बारे में पूछिये.......... सूरः आराफ़ आयत 163) वहीं इसकी तफ़सीर भी पूरी बयान होगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला। ये ऐला बस्ती के बाशिन्दे थे। उन पर हफ़्ते (शनिवार) के दिन की ताज़ीम (सम्मान) ज़रूरी की गयी थी। इस दिन का शिकार मना किया गया था और हुक्मे बारी तआ़ला से मछलियाँ उसी दिन ख़ूब ज़्यादा आया करती थीं, तो उन्होंने हीला (बहाना) किया, गड्ढ़े खोद लिये, रस्सियाँ और काँटे डाल दिये, शनिवार वाले दिन वे आ गयीं, यहाँ फंस गयीं, इतवार की रात को जाकर पकड़ लिया। इस जुर्म पर ख़ुदा ने उनकी शक्लें बदल दीं। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि सूरतें नहीं बदली थीं बल्कि दिल मस्ख़ हो (बिगड़ और बदल) गये थे। यह सिर्फ़ बतौर मिसाल के है जैसे अ़मल न करने वाले उलेमा की गधों से मिसाल दी है। लेकिन यह क़ौल ग़रीब है, और क़ुरआनी इबारत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ के भी ख़िलाफ़ है। इस आयत पर, फिर सूरः आराफ़ की आयत नम्बर 163 पर और सूरः मायदा की आयत नम्बर 60 पर नज़र डालो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जवान लोग बन्दर बन गये और बूढ़े सुअर हो गये। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि ये तमाम मर्द व औ़रत दुम वाले बन्दर हो गये थे, आसमानी आवाज़ आयी कि तुम सब बन्दर बन जाओ, चुनाँचे सब के सब बन्दर बन गये। जो लोग उन्हें इस मक्र व हीले (बहाने और यह चालबाज़ी करने) से रोकते थे वे अब आये और कहने लगे देखो हम पहले ही से तुम्हें मना नहीं करते थे? तो वे सर हिलाते थे यानी हाँ।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि थोड़ी मुद्दत में वे सब हलाक हो गये, उनकी नस्ल नहीं चली। तीन दिन से ज़्यादा कोई मस्ख़-शुदा (शक्ल बिगड़ी हुई) क़ौम ज़िन्दा नहीं रहती, ये सब भी तीन दिन में ही यूँ ही नाक रगड़ते-रगड़ते मर गये, खाना-पीना और नस्ल सब मुन्क़ता (ख़त्म) हो गयी। ये बन्दर जो अब हैं

और जो उस वक़्त भी थे ये तो जानवर हैं जो इसी तरह पैदा किये गये थे। अल्लाह तआ़ला जो चाहे और जिस तरह चाहे पैदा करता है, और जिस-जिस तरह का चाहे बना देता है (अल्लाह अपने ग़ज़ब व गुस्से से और अपनी पकड़-धकड़ से और अपने दुनियावी और आख़िरत के अ़ज़ाबों से हमें निजात दे, आमीन)। "ख़ासिईन" के मायने ज़लील और कमीने के हैं।

वाक़िए की तफ़सील

उनका वाक़िआ़ तफ़सील के साथ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह ने जो बयान किया है वह भी सुन लीजिए। उन पर जुमे की इज़्ज़त व अदब (सम्मान करने) को फ़र्ज़ किया गया, लेकिन उन्होंने जुमे के दिन को पसन्द न किया और हफ़्ते (शनिवार) का दिन रखा। उस दिन की इज़्ज़त के तौर पर उनका शिकार खेलना वग़ैरह उस दिन हराम कर दिया गया। इधर ख़ुदा की आज़माईश की बिना पर हफ़्ते वाले दिन तमाम मछलियाँ ऊपर आ जाया करती थीं और कूदती-उछलती रहती थीं, दूसरे दिनों में कोई नज़र भी नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो ये लोग ख़ामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे, उसके बाद उनमें से एक शख़्स ने यह हीला (बहाना और रास्ता) निकाला कि हफ़्ते वाले (शनिवार के) दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे में फाँस कर डोरी को किनारे पर किसी चीज़ से बाँध दिया, इतवार वाले दिन जाकर निकाल लाया और पकाकर खाई। लोगों ने ख़ुशबू पाकर पूछा तो उसने कहा मैंने तो आज इतवार को शिकार किया है, आख़िर यह राज़ खुला तो और लोगों ने भी इस हीले (तरीक़े और बहाने) को पसन्द किया और इस तरह वे सब मछलियों का शिकार करने लगे। फिर तो बाज़ों ने दरिया के आस-पास गड्ढ़े खोद लिये। हफ़्ते वाले दिन जब मछलियाँ उनमें आ जातीं तो उसे बन्द कर देते और इतवार वाले दिन पकड़ लाते। कुछ लोग जो उनमें नेक-दिल और सच्चे मुसलमान थे वे उन्हें रोकते और मना करते रहे, लेकिन उनका जवाब यही होता था कि हम हफ़्ते को शिकार ही नहीं खेलते, हम तो इतवार वाले दिन पकड़ते हैं।

उन शिकार खेलने वालों और इन मना करने वालों के अ़लावा एक गिरोह उनमें और हो गया जो वक़्त की मस्लेहत बरतने वाले और दोनों फ़िर्क़ों को राज़ी रखने वाले थे। वे न तो उनका पूरा साथ देते थे न उनका शिकार खेलते थे न शिकारियों को रोकते थे, बल्कि रोकने वालों पर कहते थे कि इस क़ौम को क्यों वअ़ज़ व नसीहत करते (अच्छाई का हुक्म करते और उपदेश देते) हो जिन्हें ख़ुदा हलाक करेगा, या सख़्त अ़ज़ाब करेगा, और तुम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर चुके, उन्हें मना कर चुके, जब नहीं मानते तो अब उन्हें छोड़ो। ये जवाब देते कि एक तो ख़ुदा के यहाँ हम माज़ूर हो जायें इसलिये और दूसरे इसलिये भी कि शायद आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये मान जायें और अ़ज़ाबे ख़ुदा से निजात पायें।

आख़िरकार उस मुस्लिम जमाअ़त ने इस हीले और बहाने बाज़ फ़िर्क़े का बिल्कुल बायकाट कर दिया, और इनसे बिल्कुल अलग हो गये, बस्ती के दरमियान एक दीवार खींच ली और एक दरवाज़ा अपना आने जाने का रखा, और एक दरवाज़ा उन हीले बाज़ों नाफ़रमानों के लिये। इस पर भी एक मुद्दत इसी तरह गुज़र गयी। एक दिन सुबह मुसलमान जागे, दिन चढ़ गया लेकिन अब तक उन लोगों ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला था और न उनकी आवाज़ें आ रही थीं। ये लोग हैरान थे कि आज क्या बात है? आख़िर जब ज़्यादा देर लग गयी तो इन लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो वहाँ अ़जीब मन्ज़र नज़र आया, देखा कि वे तमाम लोग मय औरतों बच्चों के बन्दर बन गये हैं। उनके घर जो रातों को बन्द थे इसी तरह बन्द हैं और

अन्दर वे तमाम इनसान बन्दर की सूरतों में हैं जिनकी दुमें निकली हुई हैं, बच्चे छोटे बन्दरों की शक्ल में, मर्द बड़े बन्दरों की सूरत में, औरतें बन्दरिया बनी हुई हैं, और हर एक पहचाना जाता है कि यह फ़ुलाँ मर्द है यह फ़ुलाँ औरत है, यह फ़ुलाँ बच्चा है, वग़ैरह।

यह भी याद रहे कि जब यह इताब (अल्लाह का अ़ज़ाब) आया तो न सिर्फ़ वही हलाक हुए जो शिकार खेलते थे बल्कि उनके साथ वे भी हलाक हुए जो उन्हें मना न करते थे और ख़ामोश बैठे हुए थे और उनसे मेल-जोल न छोड़ा था। इस अ़ज़ाब से सिर्फ़ वे महफ़ूज़ रहे जो उन्हें मना करते रहे और उनसे अलग-थलग हो गये थे। ये तमाम अक़्वाल और क़ुरआन करीम की कई एक आयतें वग़ैरह शाहिद हैं कि सही बात यही है कि उनकी सूरतें बदल दी गयी थीं, सच-मुच बन्दर बना दिये गये थे, न यह कि मानवी मस्ख़ था, यानी उनके दिल बन्दरों जैसे हो गये। जैसा कि इमाम मुजाहिद का क़ौल है। ठीक तफ़सीर यही है कि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें सुअर और बन्दर बना दिया था और ज़ाहिरी सूरतें भी उनकी इन जानवरों जैसी हो गयीं, वल्लाहु आलम ।

'फ़-जअ़ल्नाहा' (तो बनाया हमने उनको) में 'उन' से मुराद 'बन्दर' हैं। यानी हमने उन बन्दरों को इबरत का सबब बनाया या फिर इससे मुराद 'हीतान' है यानी उन मछलियों को, या इससे मुराद 'अ़क़ूबत' यानी सज़ा है, कि हमने उस सज़ा को, और यह भी कहा गया है कि इससे मुराद क़र्या (वह बस्ती) है यानी उस बस्ती को हमने अगलों-पिछलों के लिये इबरतनाक (सबक़ लेने वाली) चीज़ बनाया। और सही बात यही मालूम होती है कि क़र्या (यानी बस्ती) मुराद है और बस्ती से मुराद उस बस्ती के रहने वाले हैं। 'नकाल' कहते हैं अ़ज़ाब व सज़ा को, जैसे एक और जगह है:

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى.

उसको इबरत का सबब बनाया, आगे पीछे वाली बस्तियों के लिये। जैसे एक और जगह है:

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى......... الخ.

हमने तुम्हारे आस-पास की बस्तियों को हलाक किया, और अपनी निशानियाँ बयान फ़रमायीं ताकि वे लोग लौट आयें। एक और इरशाद है:

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ......... الخ.

और यह भी मतलब बयान किया गया है कि उस वक़्त के मौजूदा लोगों के लिये और बाद में आने वालों के लिये यह इबरत लेने वाला वाक़िआ़ एक निशानी बन जायेगा अगरचे बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि अगलों पिछलों के लिये यह भी सबक़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि गुज़रे हुए पहले लोगों के लिये यह वाक़िआ़ अगरचे कितना ही ज़बरदस्त इब्रतनाक हो दलील नहीं बन सकता, इसलिये कि वे तो गुज़र चुके, तो ठीक क़ौल यही है कि यहाँ मुराद मकान और जगह है, यानी आस-पास की बस्तियाँ, और यही तफ़सीर है इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि. की। वल्लाहु आलम।

और यह मायने भी बयान किये गये हैं कि उनके पहले गुनाह और उनके बाद आने वाले लोगों के ऐसे ही गुनाहों के लिये हमने इस सज़ा को इबरत का सबब बनाया। लेकिन सही क़ौल वही है जिसकी सेहत (सही होना) हमने बयान की, यानी आस-पास की बस्तियाँ। क़ुरआन फ़रमाता है:

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ......... الخ.

(सूरः अहक़ाफ़ आयत 27) और फ़रमान है:

لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا............ الخ.

(सूरः रअ़द आयत 31) और फ़रमान है:

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ............ الخ.

(सूरः अम्बिया आयत 44)

ग़र्ज़ कि यह अ़ज़ाब उनके लिये और बाद में आने वालों के लिये एक सबक़ है और इसी लिये फ़रमायाः

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ.

यानी इसमें बाद में आने वालों के लिये नसीहत और सबक़ का सरमाया है।

यहाँ तक कि उम्मते मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के लिये भी, ताकि ये लोग डरते रहें कि जो अ़ज़ाब व सज़ा उन पर उनके हीलों और बहानों की वजह से और उनके मक्र व फ़रेब से हराम को हलाल कर लेने के सबब नाज़िल हुई। अब जो ऐसा करेगा ऐसा न हो कि वही अ़ज़ाब और वही सज़ा उन पर भी आ जाये। एक हदीस इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह बिन बत्ता ने नक़ल की है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل.

यानी वह न करो जो यहूदियों ने किया। हीले और बहाने से अल्लाह के हराम को हलाल न कर लिया करो, यानी शरई अहकाम में हीले बाहने तलाश करने से बचो।

यह हदीस बिल्कुल सही है और इसके सब रावी मोतबर हैं। वल्लाहु आलम।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ○	और (वह ज़माना याद करो) जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि हक़ तआ़ला तुमको हुक्म देते हैं कि तुम एक बैल ज़िबह करो। वे लोग कहने लगे कि आया आप हमको मस्ख़रा बनाते हैं। (हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमायाः मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो मैं ऐसी जहालत वालों जैसा काम करूँ। (67)

बनी इस्राईल की हीले और बहाने तलाशने की एक और दास्तान

इसका पूरा वाक़िआ़ यह है कि बनी इस्राईल में एक शख़्स बहुत बड़ा मालदार और पैसे वाला था, उसकी कोई नरीना औलाद न थी (यानी बेटा न था)। सिर्फ़ एक लड़की थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा मरता ही नहीं तो वरसे (मीरास के माल) की धुन में उसे ख़्याल आया कि मैं ही उसे क्यों न मार डालूँ? ताकि उसकी लड़की से निकाह भी कर लूँ और क़त्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दियत

भी वसूल करूँ और मक़्तूल के माल का मालिक भी बन जाऊँ। यह शैतानी ख़्याल उसके दिल में ख़ूब जम गया और एक दिन मौक़ा पाकर अपने चचा को क़त्ल कर डाला। बनी इस्राईल के भले लोग उनके झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर एक तरफ़ होकर उनसे अलग एक शहर में रहते थे। शाम को अपने क़िले का दरवाज़ा बन्द कर लेते थे और सुबह खोलते थे, किसी मुजरिम को अपने यहाँ घुसने भी नहीं देते थे।

उस भतीजे ने अपने उस चचा की लाश को लेजाकर उस क़िले के फाटक के सामने डाल दी और यहाँ आकर अपने चचा को ढूँढने लगा। फिर दुहाई मचाई कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला और उन क़िले वालों पर तोहमत लगाई। उनसे दियत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने उस क़त्ल से और उसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया लेकिन यह सर हो गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग आ़जिज़ आकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास आये और वाक़िआ़ अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! यह शख़्स ख़्वाह-म-ख़्वाह हम पर एक क़त्ल की तोहमत लगा रहा है हालाँकि हम उससे बिल्कुल बरी हैं। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की, वहाँ से वही नाज़िल हुई कि एक गाय ज़िबह कर लो, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी! कहाँ क़ातिल की तहक़ीक़ और कहाँ आपका गाय के ज़िबह करने का हुक्म? क्या आप हमसे मज़ाक़ करते हैं? मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया- अऊज़ू बिल्लाह (शरई मसाईल के मौक़े पर) मज़ाक़ जाहिलों का क़ाम है, अल्लाह तआ़ला का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबह कर देते तो काफ़ी था, लेकिन इन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोला और कहा वह गाय कैसी होनी चाहिये? इस पर हुक्म हुआ कि वह न बहुत बुढ़िया है न बच्चा है, जवान उम्र की है। इन्होंने कहा हज़रत! ऐसी गाय तो बहुत हैं, यह बयान फ़रमाईये कि उसका रंग क्या है? वही उतरी कि उसका रंग बिल्कुल साफ़ ज़र्दी माईल है, हर देखने वाले की आँखों में खपी जाती (यानी अच्छी लगती) है। फिर कहने लगे हज़रत ऐसी गायें भी बहुत हैं, कोई और अलग सा वस्फ़ और ख़ूबी बयान फ़रमाईये। वही नाज़िल हुई कि वह कभी हल में नहीं जुती, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, एक रंगी है कोई दाग़ धब्बा नहीं। जैसे-जैसे वे सवालात बढ़ाते गये हुक्म में सख़्ती होती गयी।

अब निकले ऐसी गाय ढूँढने को, वह सिर्फ़ एक लड़के के पास मिली। यह बच्चा अपने माँ-बाप का निहायत फ़रमाँबरदार था। एक मर्तबा जबकि उसका बाप सोया था और नक़दी वाली पेटी की कुंजी (चाबी) उसके सिरहाने थी, एक सौदागार एक क़ीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा मैं ख़रीदूँगा क़ीमत सत्तर हज़ार तय हुई। लड़के ने कहा ज़रा ठहरो जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको क़ीमत अदा कर दूँगा। उसने कहा नहीं, अभी क़ीमत दो तो दस हज़ार कम कर देता हूँ। उसने कहा नहीं हज़रत! मैं अपने वालिद को जगाऊँगा नहीं, अगर तुम ठहर जाओ तो मैं बजाय सत्तर हज़ार के अस्सी हज़ार दूँगा। यूँही उधर से कमी और इधर से ज़्यादती होनी शुरू होती है, यहाँ तक कि ताजिर तीस हज़ार क़ीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगाकर मुझे रुपया दे दो तो मैं तीस हज़ार में देता हूँ। लड़का कहता है अगर तुम ठहर जाओ या ठहरकर आओ जबकि मेरे वालिद जाग जायें तो मैं तुम्हें एक लाख दूँगा। आख़िर वह नाराज़ होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया, बाप की इस क़द्र व बड़ाई को जानते और उनको आराम पहुँचाने की कोशिश करने और उनका अदब व एहतिराम करने से परवर्दिगार उस लड़के से ख़ुश हो जाता है और उसे यह गाय अ़ता फ़रमाता है।

जब बनी इस्राईल इस क़िस्म की गाय ढूँढने निकलते हैं तो सिवाय इस लड़के के और किसी के पास नहीं पाते। इससे कहते हैं कि इस एक गाय के बदले दो गाय ले लो। यह इनकार करता है। फिर कहते हैं

तीन ले लो, चार ले लो, लेकिन यह राज़ी नहीं होता। दस तक कहते हैं मगर फिर भी नहीं मानता। ये आकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से शिकायत करते हैं, आप फ़रमाते हैं जो यह माँगे दो और इसे राज़ी करके गाय ख़रीदो। आख़िर गाय के वज़न के बराबर सोना दिया गया तब उसने अपनी गाय बेची। यह बरकत खुदा ने माँ-बाप की ख़िदमत की वजह से उसे अ़ता फ़रमाई है जबकि यह बहुत मोहताज था। उसके वालिद का इन्तिक़ाल हो गया था और उसकी बेवा माँ ग़रीबी और तंगी के दिन बसर कर रही थी।

ग़र्ज़ कि अब यह गाय ख़रीद ली गयी और उसे ज़िबह किया गया और उसके जिस्म का एक टुकड़ा लेकर मक़्तूल के जिस्म से लगाया गया तो अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत से मुर्दा जी उठा, उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने क़त्ल किया है? उसने कहा मेरे भतीजे ने, ताकि वह मेरा माल ले ले और मेरी लड़की से निकाह कर ले। बस इतना कहकर वह फिर मर गया और क़ातिल का पता लग गया और बनी इस्राईल में जो जंग व जिदाल होने वाली थी वह रुक गयी और यह फ़ितना दब गया। उस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी मक्कारी खुल गयी और उसे उसके बदले में क़त्ल कर डाला।

यह क़िस्सा मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) अलफ़ाज़ से नक़ल है। बज़ाहिर मालूम होता है कि बनी इस्राईल के यहाँ का वाक़िआ़ है, जिसकी तस्दीक़ तकज़ीब (सच्चा या झूठा होना तय) हम नहीं कर सकते, हाँ रिवायत जायज़ है। तो इस आयत में यही बयान हो रहा है कि ऐ बनी इस्राईल मेरी इस नेमत को भी न भूलो कि मैंने आ़दत के ख़िलाफ़ बतौर मोजिज़े के एक गाय के जिस्म को लगाने से एक मुर्दे को ज़िन्दा कर दिया और उस मक़्तूल (मारे गये) ने अपने क़ातिल का पता बता दिया और एक उभरने वाला फ़ितना दब गया।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِيَ ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ط عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ط فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ لا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِينَ ○ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِيَ لا إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ

वे लोग कहने लगे कि आप दरख़्वास्त कीजिए अपने रब से कि हमसे बयान कर दे कि उस (बैल) की सिफ़तें क्या हैं। आपने फ़रमाया कि वह यह फ़रमाते हैं कि वह ऐसा बैल हो कि न बिल्कुल बूढ़ा हो न बहुत बच्चा हो, (बल्कि) पट्ठा हो, दोनों उम्रों के दरमियान में, सो अब (ज़्यादा हुज्जत मत कीजियो बल्कि) कर डालो जो कुछ तुमको हुक्म मिला है। (68) कहने लगे कि (अच्छा यह भी) दरख़्वास्त कर दीजिए हमारे लिए अपने रब से कि हमसे यह भी बयान कर दें कि उसका रंग कैसा हो। आपने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला यह फ़रमाते हैं कि वह एक ज़र्द रंग का बैल हो, जिसका रंग तेज़ ज़र्द "यानी तेज़ पीला" हो कि देखने वालों को अच्छा लगता हो। (69) कहने लगे कि (अबकी बार और) हमारी ख़ातिर अपने रब से दरियाफ़्त कर दीजिए कि हमसे बयान कर दें कि उसकी ख़ूबियाँ और सिफ़तें क्या-क्या हों, क्योंकि हमको उस बैल में

عَلَيْنَا ط وَاِنَّــآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ٥ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ج مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا ط قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ ع

(किसी क़द्र) इशतिबाह "यानी सिफ़तें पहचानने में शक व शुब्हा" है, और हम ज़रूर इन्शा-अल्लाह तआ़ला (अबकी बार) ठीक समझ जाएँगे। (70) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि हक़ तआ़ला यूँ फ़रमाते हैं कि वह न तो हल में चला हुआ हो, जिससे ज़मीन जोती जाए और न उससे खेती को पानी दिया जाए (ग़र्ज़ कि हर क़िस्म के ऐब से) सालिम हो और उसमें कोई दाग़ न हो। (यह सुनकर) कहने लगे कि अब आपने पूरी बात फ़रमाई। फिर उसको ज़िबह किया और (उनकी हुज्जतों से बज़ाहिर) करते हुए मालूम न होते थे। (71)

बनी इस्राईल की नाफ़रमानी, सरकशी और अल्लाह के हुक्म में खोद-कुरेद का यहाँ बयान हो रहा है कि हुक्म पाते ही उस पर अ़मल न कर डाला, बल्कि शिकें निकालने और बार-बार सवाल करने लगे। इब्ने जुरैज रह. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हुक्म मिलते ही वे अगर किसी गाय को भी ज़िबह कर डालते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक सवालात शुरू किये और काम में सख़्ती बढ़ती गयी। यहाँ तक कि अगर आख़िर में वे इन्शा-अल्लाह न कहते तो कभी भी यह सख़्ती न हटती और इज़हार उन पर न होता। पहले सवाल के जवाब में कहा गया न तो वह बुढ़िया है न बिल्कुल कम-उम्र है, बल्कि दरमियानी उम्र की है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में उसका रंग बयान किया गया कि वह ज़र्द रंग की और अच्छी दिखने वाली है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि जो ज़र्द जूती पहने वह हर वक़्त ख़ुश व ख़ुर्रम रहेगा और इस जुमले से इस्तिदलाल किया है- "तसुर्रुन्नाज़िरीन" (कि देखने वालों को वह ख़ुश कर दे)। बाज़ ने कहा है कि मुराद सख़्त सियाह रंग है, लेकिन पहला क़ौल ही सही है। हाँ यह और बात है कि हम यूँ कहें कि अपने भड़कदार और चमकीले पन से वह काले रंग की तरह लगता था। वहाब बिन मुनब्बेह कहते हैं कि उसका रंग इस क़द्र शौख़ (चमकदार) और गहरा था कि यह मालूम होता था गोया सूरज की किरनें उससे उठ रही हैं। तौरात में उसका रंग सुर्ख़ बयान किया गया है लेकिन शायद यह अ़रबी में अनुवाद करने वालों की ग़लती है। वल्लाहु आलम।

चूँकि उस रंग और उस उम्र की गायें भी उन्हें ख़ूब ज़्यादा नज़र आयीं तो उन्होंने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! कोई और निशानी भी पूछिये ताकि शुब्हा मिट जाये, इन्शा-अल्लाह अब हमें रास्ता मिल जायेगा। अगर ये इन्शा-अल्लाह न कहते तो उन्हें क़ियामत तक पता न चलता और अगर ये सवालात ही न करते तो इतनी सख़्ती उन पर न होती बल्कि जिस गाय को ज़िबह कर देते वही काफ़ी हो जाती। यह मज़मून एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी है, लेकिन उसकी सनद ग़रीब है। सही बात यही मालूम होती है कि यह हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. का अपना कलाम है। वल्लाहु आलम।

अब की मर्तबा उसके औसाफ़ (ख़ूबी और विशेषतायें) बयान किये गये कि वह हल में नहीं जुती, पानी

नहीं सींचा, उसके चमड़े पर कोई दाग़ धब्बा नहीं, एक रंग की है, सारे बदन में कहीं दूसरा रंग नहीं। उसके हाथ-पाँव और तमाम अंग बिल्कुल ठीक-ठाक और तंदुरुस्त हैं। बाज़ कहते हैं कि वह गाय काम करने वाली नहीं, हाँ खेती का काम करती है लेकिन पानी नहीं पिलाती, मगर यह क़ौल ग़लत है, इसलिये कि 'ज़लूल' की तफ़सीर यह है कि वह हल नहीं जोतती, और न पानी पिलाती है, न उसमें कोई दाग़ धब्बा है। अब इतनी बड़ी दौड़-धूप और कोशिश के बाद दिल न चाहते हुए भी वे उसकी क़ुरबानी की तरफ़ मुतवज्जह हुए। इसी लिये फ़रमाया कि ज़िबह करने के क़रीब न थे और ज़िबह न करने के बहाने ढूँढते थे। किसी ने तो कहा है इसलिये कि उन्हें अपनी रुस्वाई का ख़्याल था कि न जाने कौन क़ातिल हो। बाज़ कहते हैं कि उसकी क़ीमत सुनकर घबरा गये थे, लेकिन बाज़ रिवायतों में आया है कि कुल तीन दीनार उसकी क़ीमत लगी थी लेकिन यह तीन दीनार वाली और गाय के वज़न के बराबर सोने वाली दोनों रिवायतें इस्राईली हैं। सही बात यही है कि उनमें हुक्म के पूरा करने का इरादा था ही नहीं, लेकिन अब इस क़द्र वज़ाहत के बाद और क़त्ल का मुक़द्दिमा होने की वजह से उन्हें यह हुक्म मानना पड़ा। वल्लाहु आलम।

इस आयत से इस मसले पर भी इस्तिदलाल हो सकता (दलील ली जा सकती) है कि जानवरों को बिना देखे उधार देना जायज़ है। इसलिये कि सिफ़ात को बयान कर दिया गया और उसकी विशेषतायें पूरी बयान कर दी गयीं। जैसे कि हज़रत इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम लैस, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और अगले-पिछले तमाम जमहूर उलेमा रहमतुल्लाहि अ़लैहिम का मज़हब है, और इसकी दलील सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की यह हदीस भी है कि कोई औरत किसी और औरत के औसाफ़ (सिफ़तें और ख़ूबियाँ) इस तरह अपने शौहर के सामने बयान न करे कि गोया वह उसे देख रहा है, और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दियत के ऊँटों के औसाफ़ भी बयान फ़रमाये हैं। ग़लती और भूल से क़त्ल होने में और उस क़त्ल में जो जान-बूझकर किये गये क़त्ल के जैसा हो, हाँ इमाम अबू हनीफ़ा रह. और दूसरे कूफ़ी और इमाम सौरी वग़ैरह बै-ए-सलम के क़ायल नहीं। वह कहते हैं कि जानवरों के औसाफ़ (विशेषतायें) व अहवाल पूरी तरह बयान नहीं हो सकते। इसी तरह की रिवायत हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि. वग़ैरह से भी की जाती है।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝	और जब तुम लोगों (में से किसी) ने एक आदमी का ख़ून कर दिया फिर एक-दूसरे पर उसको डालने लगे, और अल्लाह को उस मामले का ज़ाहिर करना मन्ज़ूर था, जिस को तुम पोशीदा रखना चाहते थे। (72) इसलिए हमने हुक्म दिया कि उसको उसके कोई से टुकड़े से छुआ दो, इसी तरह हक़ तआ़ला (क़ियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा कर देंगे, और अल्लाह तआ़ला अपनी क़ुदरत के नज़ारे तुमको दिखलाते हैं, इसी उम्मीद पर कि तुम अ़क्ल से काम लिया करो। (73)

सही बुख़ारी शरीफ़ में "अद्दारअ़्तुम" के मायने "तुम ने विवाद व मतभेद किया" के हैं। हज़रत

मुजाहिद वग़ैरह से भी यही मरवी है। मुसैयब बिन राफ़े कहते हैं कि जो शख़्स सात घरों में छुपकर भी कोई नेक अ़मल करेगा अल्लाह उसकी नेकी को ज़ाहिर कर देगा। इसी तरह अगर कोई सात घरों में घुसकर भी कोई बुराई करेगा अल्लाह तआ़ला उसे भी ज़ाहिर कर देगा। फिर यह आयत तिलावत कीः

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

कि अल्लाह तआ़ला को उस मामले का ज़ाहिर करना मन्ज़ूर था जिसे तुम छुपा रखना चाहते थे।

यहाँ वही वाक़िआ़ चचा-भतीजे का बयान हो रहा है जिसके लिये उन्हें गाय के ज़िबह करने का हुक्म हुआ था और कहा जाता है कि उसका कोई टुकड़ा लेकर मक़्तूल के जिस्म पर लगाओ, वह टुकड़ा कौनसा था? इसका बयान न तो क़ुरआन में है न किसी सही हदीस में। हमें उसके मालूम होने से कोई फ़ायदा भी नहीं और न ही न मालूम होने से कोई नुक़सान है। बेहतराई इसी में है कि जिस चीज़ का बयान नहीं हम भी उसकी तलाश व तफ़तीश में न पड़ें, अगरचे बाज़ ने कहा है कि वह ग़ज़रूफ़ (जैसे नाक कान) की नर्म हड्डी थी, कोई कहता है हड्डी नहीं बल्कि रान का गोश्त था, कोई कहता है दोनों शानों के दरमियान का गोश्त था, कोई कहता है ज़बान का गोश्त था, कोई कहता है दुम का गोश्त था, वग़ैरह। लेकिन हमारी बेहतरी इसी में है कि जिसे ख़ुदा ने मुब्हम (अस्पष्ट) रखा, हम भी मुब्हम ही रखें। उस टुकड़े के लगते ही वह मुर्दा जी उठा और ख़ुदा तआ़ला ने उनके झगड़े का फ़ैसला भी उसी से किया और क़ियामत के दिन जी उठने की दलील भी इसी को बनाया। इस सूरत में पाँच जगह मरने के बाद जीने का बयान हुआ है, एक तो आयतः

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ.

(सूरः ब-क़रह आयत 56) में, और दूसरे इस क़िस्से में और तीसरे उन लोगों के वाक़िए में जो हज़ारों की तायदाद में निकले थे और एक वीरान बस्ती पर उनका गुज़र हुआ था। चौथे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के चार परिन्दों के मार डालने के बाद ज़िन्दा हो जाने में। पाँचवे ज़मीन की मुर्दनी (सूख जाने) के बाद उपजाऊ होने को मौत व ज़िन्दगी से तशबीह (मिसाल और संज्ञा) देने में। अबू दाऊद तयालिसी की एक हदीस में है, अबू रज़ीन उक़ैली ने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि या रसूलल्लाह! मुर्दों को अल्लाह तआ़ला किस तरह जिलायेगा? फ़रमाया कभी तुम्हारा गुज़र किसी वीराने से हुआ है? कहा हाँ, फिर कभी उसे हरा-भरा भी देखा है? कहा हाँ। फ़रमाया इसी तरह मौत के बाद ज़िन्दगी है। क़ुरआने करीम में एक और जगह हैः

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ.

यानी उन ख़ुदा के इनकारियों के लिये मुर्दा ज़मीन भी एक निशानी है, जिसे हम ज़िन्दा करते हैं और उसमें दाने निकालते हैं, जिसे ये खाते हैं और जिसमें हम खजूरों और अंगूरों के बाग़ पैदा करते हैं और चारों तरफ़ नहरों की रेल-पेल कर देते हैं और वे उन फलों को मज़े-मज़े से खाते हैं, हालाँकि ये उनके हाथों का बनाया हुआ या पैदा किया हुआ नहीं। क्या फिर भी ये शुक्रगुज़ारी न करेंगे? कोई ज़ख़्मी शख़्स अगर कहे कि फ़ुलाँ शख़्स ने मुझे भड़क जाने और उत्तेजित होने के सबब क़त्ल किया है तो उसका यह क़ौल सुबूत समझा जायेगा। इस मसले पर इस आयत से इस्तिदलाल किया गया है और हज़रत इमाम मालिक रह. के मज़हब को इससे तक़वियत (मज़बूती) पहुँचाई गयी है, इसलिये कि मक़्तूल (क़त्ल होने वाले) के जी उठने

के बाद उसने दरियाफ़्त करने पर जिसे क़ातिल बताया उसे क़त्ल किया गया और मक़्तूल का क़ौल सुबूत माना गया।

ज़ाहिर है कि जब दमे आख़िर हो ऐसी हालत में इनसान उमूमन सच ही बोलता है और उस वक़्त पर तोहमत नहीं लगाई जाती। हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक यहूदी ने एक लौंडी (बाँदी) का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल डाला और उसके कड़े उतार ले गया। जब इसका इल्म नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हुआ तो आपने फ़रमाया उस लौंडी से पूछो कि उसे किसने मारा है? लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या तुझे फ़ुलाँ ने मारा? फ़ुलाँ ने मारा? वह अपने सर के इशारे से इनकार करती जाती थी यहाँ तक कि जब उसी यहूदी का नाम आया तो उसने सर के इशारे से कहा हाँ। चुनाँचे उस यहूदी को गिरफ़्तार किया गया और उससे जब कड़ाई से पूछा गया तो उसने इक़रार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि इसका सर भी इसी तरह दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया जाये और इमाम मालिक रह. के नज़दीक जब यह भड़काये जाने और उत्तेजित होने के सबब हो तो मक़्तूल के वारिसों को क़सम खिलाई जायेगी बतौर क़सामा। लेकिन जमहूर इसके मुख़ालिफ़ हैं और मक़्तूल के क़ौल को इस बारे में सुबूत नहीं जानते।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ٥	**ऐसे-ऐसे वाकिआ़त के बाद तुम्हारे दिल फिर भी सख़्त ही रहे तो (यूँ कहना चाहिए कि) उनकी मिसाल पत्थर जैसी है, बल्कि सख़्ती में (पत्थर से भी) ज़्यादा सख़्त। और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे (बड़ी-बड़ी) नहरें फूटकर चलती हैं और उन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं कि जो फट जाते हैं, फिर उनसे (अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही) पानी निकल आता है, और उन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जो ख़ुदा तआ़ला के ख़ौफ़ से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं, और हक़ तआ़ला तुम्हारे आमाल से बेख़बर नहीं हैं। (74)**

इस आयत में बनी इस्राईल को डाँट-डपट और तंबीह की गयी है कि इस क़द्र ज़बरदस्त मोजिज़े और क़ुदरत की निशानियाँ देखकर फिर भी बहुत जल्द तुम्हारे दिल सख़्त पत्थर जैसे बन गये, इसी लिये ईमान वालों को इस तरह सख़्ती से रोका गया और कहा गयाः

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ.

यानी क्या अब तक वह वक़्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र और उसके नाज़िल किये हुए हक़ से काँप उठें? और पहले गुज़रे अहले किताब की तरह न हो जायें जिनके दिल ज़माना गुज़रने के बाद सख़्त हो गये और उनमें के अक्सर फ़ासिक़ (बदकार व गुनाहगार) हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि उस मक़्तूल के भतीजे ने भी अपने चचा को दोबारा मरने के

बाद उसकी तकज़ीब की (झुठलाया) और कहा कि उसने झूठ कहा और फिर कुछ वक़्त गुज़र जाने के बाद बनी इस्राईल के दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख़्त हो गये, पत्थरों से तो नहरें निकलती हैं और बहने लगती हैं, बाज़ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, अगरचे वह बहने के क़ाबिल न हो। बाज़ पत्थर ख़ौफ़े ख़ुदा से गिर पड़ते हैं। लेकिन उनके दिल किसी वअ़ज़ व नसीहत (अच्छी बात और समझाने-बुझाने) से नर्म ही नहीं होते।

बेजान चीज़ों में भी एहसास का माद्दा है

यहाँ से यह भी मालूम हुआ कि पत्थरों में इदराक (एहसास) और समझ है। एक और जगह है:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ. اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

यानी सातों आसमान और ज़मीनें और उनकी तमाम मख़्लूक़ और हर-हर चीज़ अल्लाह तआ़ला की तस्बीह (पाकी) बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। अल्लाह तआ़ला हिल्म व बुर्दबारी वाला, बख़्शिश व माफ़ी देने वाला है।

अबू यअ़्ला जबाई ने पत्थर के ख़ौफ़ से गिर पड़ने की तावील ओलों के बरसने से की है, लेकिन यह ठीक नहीं। इमाम राज़ी रह. भी इसे ग़ैर-दुरुस्त बतलाते हैं और वास्तव में यह तावील (मतलब) सही नहीं क्योंकि इसमें बिना दलील के लफ़्ज़ी मायने को छोड़ना लाज़िम आता है। वल्लाहु आलम।

नेहरें बह निकलना, ज़्यादा रोना है, फट जाना और पानी का निकलना उससे कम रोना है। गिर पड़ना दिल से डरना है। बाज़ कहते हैं कि यह समझाने के लिये कहा गया है, जैसे एक और जगह है:

يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ.

यानी दीवार गिरना ही चाहती थी।

ज़ाहिर है कि यह मजाज़ी तौर पर कहा गया है, हक़ीक़त में दीवार का इरादा ही नहीं होता। इमाम राज़ी, इमाम क़ुर्तुबी रह. कहते हैं कि ऐसी तावीलों (मतलब बयान करने) की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआ़ला जो सिफ़त जिस चीज़ में चाहे पैदा कर सकता है। देखिये उसका फ़रमान है:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ.......... الخ.

यानी हमने अमानत को आसमानों ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया। उन्होंने उसके उठाने से मजबूरी ज़ाहिर की और डर गये।

ऊपर आयत गुज़र चुकी कि तमाम चीज़ें अल्लाह तआ़ला की तस्बीह (पाकी) बयान करती हैं। एक और जगह इरशाद है:

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.

यानी सितारे और दरख़्त अल्लाह तआ़ला को सज्दा करते हैं। और फ़रमाया:

يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ........ الخ.

कि साये कभी एक तरफ़ को कभी दूसरी तरफ़ को झुक जाते हैं। और फ़रमाया:

قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ.

ज़मीन और आसमान ने कहा, हम खुशी-खुशी हाज़िर हैं।

एक और जगह है कि पहाड़ भी क़ुरआन से मुतास्सिर होकर डर के मारे फट-फट जाते हैं। एक और जगह फ़रमान है:

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ.................الخ

यानी गुनाहगार लोग अपने जिस्मों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ शहादत (गवाही) क्यों दी? वे जवाब देंगे कि हमसे उस अल्लाह ने बात कराई जो हर चीज़ को बोलने की ताक़त अ़ता फ़रमाता है।

एक सही हदीस में है कि उहुद पहाड़ के बारे में रसूलुल्लाह ने फ़रमाया- यह पहाड़ हमसे मुहब्बत रखता है और हम भी इससे मुहब्बत रखते हैं। एक और हदीस में है कि जिस खजूर के तने पर टेक लगाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे का खुतबा पढ़ा करते थे, जब मिम्बर बना और वह तना हटा दिया गया तो वह तना फूट-फूटकर रोने लगा। सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी नुबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता था। हजरे-अस्वद के बारे में है कि जिसने उसे हक़ के साथ बोसा दिया होगा यह उसके ईमान की गवाही क़ियामत वाले दिन देगा। और इस तरह की बहुत सी आयतें व हदीसें हैं जिनसे साफ़ मालूम होता है कि इन चीज़ों में इदराक व हिस है और यह तमाम हक़ीक़त पर महमूल हैं न कि मजाज़ पर (यानी इनके असली और वास्तविक मायने हैं सिर्फ़ समझाने के लिये नहीं)।

आयत में लफ़्ज़ 'औ' के मुताल्लिक़ इमाम क़ुर्तुबी और इमाम राज़ी रह. तो कहते हैं कि यह इख़्तियार देने के लिये है, यानी उनके दिलों को चाहे पत्थर जैसे सख़्त समझ लो चाहे उससे भी ज़्यादा सख़्त। इमाम राज़ी रह. ने एक वजह यह भी बयान की है कि यह बात को ग़ैर-वाज़ेह रखने के लिये है, गोया मुख़ातब के सामने बावजूद एक बात का पुख़्ता इल्म होने के दो चीज़ें बतौर इबहाम (ग़ैर-वाज़ेह तौर पर) पेश की जा रही हैं। बाज़ का क़ौल है कि मतलब यह है कि बाज़ दिल पत्थर जैसे और बाज़ उससे भी ज़्यादा सख़्त हैं। वल्लाहु आलम। इस लफ़्ज़ के जो मायने यहाँ पर हैं वे भी सुन लीजिए इस पर तो इजमा (सब की सहमति) है कि 'औ' शक के लिये नहीं। या तो यह मायने में 'वाव' (और) के है, यानी उनके दिल पत्थर जैसे और उससे भी ज़्यादा सख़्त हो गये। जैसे एक जगह फ़रमाया है:

لَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا.

और उनमें से किसी बदकार या काफ़िर के कहने में न आईये। और फ़रमाया:

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا.

"जो या तो लोगों से माफ़ी माँगने या सबब बनती हैं या डराने का" में। शायरों के अश्आर में भी और 'वाव' के मायने में जमा के लिये आया है। या 'औ' यहाँ पर मायने में 'बल' यानी बल्कि के है, जैसे एक जगह फ़रमाया:

كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْاَشَدَّ خَشْيَةً.

जैसा कोई अल्लाह तआ़ला से डरता हो या उससे भी ज़्यादा डरना।

اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ.

और हमने उनको एक लाख या इससे भी ज़ायद आदमियों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा थो।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى.

सो दो कमानों के बराबर फ़ासला रह गया बल्कि इससे भी कम।

में। बाज़ का क़ौल है कि मतलब यह है कि वे पत्थर जैसे हैं या सख़्ती में तुम्हारे नज़दीक इससे भी ज़्यादा। बाज़ कहते हैं कि सिर्फ़ मुख़ातब (जिससे कलाम हो रहा है) पर इबहाम डाला गया (यानी बात को ग़ैर-स्पष्ट रखा गया) है और यह शायरों के शे'रों में भी पाया जाता है कि बावजूद पुख़्ता इल्म व यक़ीन के सिर्फ़ मुख़ातब पर इबहाम डालने के लिये ऐसा कलाम करते हैं। क़ुरआने करीम में एक और जगह है:

اِنَّآاَوْاِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

यानी हम या तुम साफ़ हिदायत या खुली गुमराही पर हैं।

तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों का हिदायत पर होना और काफ़िरों का गुमराही पर होना यक़ीनी चीज़ है लेकिन मुख़ातब के इबहाम (बात को ग़ैर-स्पष्ट छोड़ने) के लिये उसके सामने ग़ैर-वाज़ेह कलाम बोला गया। यह भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारे दिल इन दो बातों से बाहर नहीं, या तो वे पत्थर जैसे हैं या उससे भी ज़्यादा सख़्त। यानी बाज़ ऐसे और बाज़ ऐसे। इसी तरह का यह क़ौल भी है:

كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا.

उसकी हालत उस शख़्स के जैसी है जिसने कहीं आग जलाई हो। फिर फ़रमाया:

اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ..... الخ.

या उन मुनाफ़िक़ों की मिसाल ऐसी है कि बारिश हो आसमान की तरफ़ से उसमें अंधेरी हो। और फ़रमान है:

كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ........ الخ.

और जो काफ़िर लोग हैं उनके आमाल ऐसे हैं जैसे चटियल मैदान में चमकता हुआ रेत। फिर फ़रमाया:

اَوْكَظُلُمٰتٍ........ الخ.

या वह ऐसे हैं जैसे बड़े गहरे समन्दर में...........। मतलब यह है कि बाज़ ऐसे और बाज़ वैसे। वल्लाहु आलम।

तफ़सीर इब्ने मर्दूया में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें न किया करो, ऐसे कलाम की कसरत दिल को सख़्त कर देती है, और सख़्त दिल वाला ख़ुदा से बहुत दूर हो जाता है। इमाम तिर्मिज़ी रह. ने भी इस हदीस की रिवायत की है और इसकी एक सनद को ग़रीब कहा है। बज़्ज़ार में हज़रत अनस रज़ि. से मरफ़ूअ़न रिवायत है कि चार चीज़ें बदबख़्ती और

की हैं। 1. अल्लाह के ख़ौफ़ से आँखों से आँसू न बहना। 2. दिल का सख़्त हो जाना। 3. उम्मीदों का बढ़ जाना। 4. लालची बन जाना।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

(ऐ मुसलमानो!) क्या अब भी तुम उम्मीद रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान ले आएँगे, हालाँकि इनमें के कुछ लोग ऐसे गुज़रे हैं कि अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसको कुछ का कुछ कर डालते थे (और) उसको समझने के बाद (ऐसा करते) और जानते थे। (75) और जब मिलते हैं (मुनाफ़िक़ीन यहूद) मुसलमानों से तो (उनसे तो) कहते हैं कि हम (भी) ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में जाते हैं ये बाज़े दूसरे कुछ (ऐलानिया) यहूदियों के पास तो वे उनसे कहते हैं कि तुम मुसलमानों को वो बातें बतला देते हो जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर कर दी हैं, तो नतीजा यह होगा कि वे लोग तुमको हुज्जत में मग़लूब कर देंगे कि यह मज़मून अल्लाह के पास (से) है, क्या तुम (इतनी मोटी बात) नहीं समझते? (76) क्या उनको इल्म नहीं है इसका कि हक़ तआ़ला को सब ख़बर है उन चीज़ों की भी जिनको वे पोशीदा (छुपाकर) रखते हैं (77)

इस गुमराह क़ौम यहूद के ईमान से अल्लाह तआ़ला अपने नबी और उनके सहाबा को नाउम्मीदी दिला रहा है कि जब उन लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखते हुए अपने दिलों को सख़्त पत्थर जैसा बना लिया, ख़ुदा के कलाम को सुनकर समझ कर फिर भी उसकी तहरीफ़ (कमी-बेशी) और तब्दीली कर डाली तो उनसे तुम क्या उम्मीद रखते हो? ठीक ऐसी ही आयत एक और जगह है:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ.......... الخ.

यानी उनके अ़हद तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत नाज़िल की और उनके दिल सख़्त कर दिये। ये ख़ुदा तआ़ला के कलाम में रद्दोबदल कर डाला करते थे।

जैसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं, यहाँ अल्लाह तआ़ला ने कलामुल्लाह सुनने को फ़रमाया, इससे मुराद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के सहाबियों की वह जमाअ़त है जिन्होंने आप से अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुनने की दरख़्वास्त की थी और जब वे पाक-साफ़ होकर रोज़ा रखकर हज़रत मूसा के साथ तूर पहाड़ पर जाकर सज्दे में गिर पड़े तो अल्लाह तआ़ला ने उन्हें अपना कलाम सुनाया। जब ये वापस आये और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुदा का यह कलाम बनी इस्राईल में बयान करना

शुरू किया तो उन लोगों ने इसकी तहरीफ़ और तब्दील (यानी कमी-बेशी और रद्दोबदल) शुरू कर दी। सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि उन लोगों ने तौरात में तहरीफ़ (रद्दोबदल) की थी, यही आ़म मायने ठीक हैं जिसमें वे लोग भी शामिल हो जायेंगे और इस बुरी आ़दत वाले दूसरे यहूदी भी। क़ुरआन में एक और जगह है:

فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ.

यानी मुश्रिकों में से कोई अगर तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे यहाँ तक कि वह कलामुल्लाह सुन ले।

तो इससे यह मुराद नहीं कि ख़ुदा का कलाम अपने कानों से सुने, बल्कि क़ुरआन सुने। यहाँ भी कलामुल्लाह से मुराद तौरात है। ये तहरीफ़ करने वाले और छुपाने वाले उनके उलेमा थे, हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़तें और निशानियाँ उनकी किताब में थीं। उन सब में उन्होंने तावीलें करके असल मतलब को बदल दिया। इसी तरह हलाल को हराम, हराम को हलाल, हक़ को बातिल, बातिल को हक़ कर दिया करते थे। रिश्वतें लेने और ग़लत मसाईल बताने की आ़दत डाल ली थी। हाँ कभी-कभी जबकि रिश्वत वग़ैरह मिली हुई न होती, रियासत (सरदारी व रुतबे) के जाने का ख़ौफ़ न होता, मुरीदों से अलग होते तो हक़ बात भी कह दिया करते। मुसलमानों से मिलते तो कह दिया करते कि तुम्हारे नबी सच्चे हैं, यह बरहक़ रसूल हैं, लेकिन फिर आपस में बैठकर कहते क्यों अ़रब वालों से ये बातें कहते हो? फिर तो ये तुम पर छा जायेंगे, ख़ुदा के यहाँ भी तुम्हें लाजवाब कर देंगे। तो उनके जवाब में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि उन बेवक़ूफ़ों को क्या इतना इल्म नहीं कि हम तो पोशीदगी और ज़ाहिरदारी सबको जानते हैं। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मदीना में हमारे पास सिवाय ईमान वालों के और कोई न आये, तो उन काफ़िरों और यहूदियों ने कहा जाओ कह दो हम भी ईमान लाते हैं। और यहाँ आओ तो फिर वैसे ही रहो जैसे थे। पस ये लोग सुबह आकर ईमान का दावा करते थे और शाम को जाकर काफ़िरों में शामिल हो जाते थे। क़ुरआन में है:

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ.......... الخ.

यानी अहले किताब की एक जमाअ़त ने कहा- ईमान वालों पर जो उतरा है उस पर दिन के एक हिस्से में ईमान लाओ, फिर दूसरे हिस्से में कुफ़्र करो, ताकि ख़ुद ईमान वाले भी उस दीन से फिर जायें।

ये लोग इस फ़रेब से यहाँ के राज़ मालूम करना और उन्हें अपने वालों को बताना चाहते थे और मुसलमानों को भी गुमराह करना चाहते थे, मगर उनकी यह चालाकी न चली और यह राज़ ख़ुदा ने खोल दिया। जब ये यहाँ होते और अपना ईमान इस्लाम ज़ाहिर करते तो सहाबा रज़ि. इनसे पूछते कि क्या तुम्हारी किताब में हुज़ूरे पाक की ख़ुशख़बरी वग़ैरह नहीं? वे इक़रार करते। जब अपने बड़ों के पास जाते तो वे उन्हें डाँटते और कहते अपनी बातें उनसे कहकर क्यों उनके हाथों में हथियार दे रहे हो?

मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बनू क़ुरैज़ा पर हमले के दिन यहूदियों के क़िले के नीचे खड़े होकर फ़रमाया- ऐ बन्दरो और ख़िन्ज़ीर और शैतान के आ़बिदों के भाईयो! तो वे आपस में कहने लगे- ये हमारी घर की बातें उन्हें किसने बता दीं? ख़बरदार अपनी आपस की ख़बरें उन्हें न दो वरना ख़ुदा के सामने हुज्जत (दलील) हो जायेगी। अब अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि अगरचे तुम छुपाओ लेकिन मुझसे तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती, तुम जो यह चुपके-चुपके अपने वालों से कहते हो कि

अपनी बातें उन तक न पहुँचाओ और तुम जो अपनी किताब की बातों को छुपाते हो तो मैं तो तुम्हारे इस बुरे काम से बख़ूबी (अच्छी तरह) आगाह हूँ और तुम जो अपना ईमान ज़ाहिर करते हो इस तुम्हारे ऐलान की हक़ीक़त का इल्म भी मुझे हासिल है।

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○	और उनकी भी जिनका वे इज़हार कर देते हैं। और उन (यहूदियों) में बहुत से अनपढ़ (भी) हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते, लेकिन (बग़ैर सनद के) दिल ख़ुश करने वाली बातें (बहुत याद हैं) और वे लोग और कुछ नहीं, ख़्यालात पका लेते हैं। (78) तो बड़ी ख़राबी उनकी होगी जो लिखते हैं (अदल-बदलकर) किताब (तौरात) को अपने हाथों से, फिर कह देते हैं कि यह (हुक्म) ख़ुदा की तरफ़ से है। ग़र्ज़ (सिर्फ़) यह होती है कि इस ज़रिये से कुछ नक़द किसी क़द्र थोड़ा वसूल कर लें। सो बड़ी ख़राबी (पेश) आएगी उनको उसकी बदौलत (भी) जिसको उनके हाथों ने लिखा था और बड़ी ख़राबी होगी उनको उसकी बदौलत (भी) जिसको वे वसूल कर लिया करते थे। (79)

'उम्मी' के मायने वह शख़्स जो अच्छी तरह लिखना न जानता हो। 'उम्मिय्यून' इसकी जमा (बहुवचन) है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़तों में से एक सिफ़त उम्मी भी आयी है, इसलिये कि आप भी लिखना नहीं जानते थे? क़ुरआन कहता है:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

यानी ऐ नबी तू इससे पहले न तो पढ़ सकता था न लिख सकता था, अगर ऐसा होता तो ख़ैर उन बातिल-परस्तों के शुब्हे की गुंजाईश हो जाती।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हम उम्मी और अनपढ़ लोग हैं, न लिखना जानें न महीने का हिसाब, कभी इतना-इतना होता है और कभी इतना-इतना। पहली बार तो आपने दोनों हाथों की उंगलियों को तीन बार नीचे की तरफ़ झुकाया यानी तीस दिन का, और दूसरी बार तीसरी मर्तबा में अंगूठे का हल्क़ा (छल्ला) कर लिया, यानी उन्तीस दिन का। मतलब यह है कि हमारी इबादतें और उनके वक़्त हिसाब-किताब पर मौक़ूफ़ नहीं। क़ुरआने करीम ने एक और जगह फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने अनपढ़ों में एक रसूल उन्हीं में से भेजा है। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि इस लफ़्ज़ में बेपढ़े आदमी को माँ की तरफ़ मन्सूब किया गया है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से एक रिवायत है कि यहाँ पर उम्मी उन्हें कहा गया है जिन्होंने न तो किसी रसूल की तस्दीक़ की थी न किसी किताब को माना था, और अपनी लिखी हुई किताबों को औरों से किताबे ख़ुदा मनवाना चाहते थे, लेकिन अव्वल तो यह क़ौल अ़रब

के मुहावरों के ख़िलाफ़ है, दूसरे इस क़ौल की सनद ठीक नहीं। 'अमानी' के मायने हैं बातें और अक़वाल, यही हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है। 'क़िज़्ब' के मायने आरज़ू के झूठ बाँध लेने के भी किये गये हैं, तिलावत और ज़ाहिरी अलफ़ाज़ के मायने भी मरवी हैं जैसे क़ुरआन मजीद में एक दूसरी जगह है:

اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى......... الخ.

यहाँ तिलावत के मायने साफ़ हैं। शायरों के शे'रों में भी यह लफ़्ज़ तिलावत के मायने में है और वे सिर्फ़ गुमान ही पर हैं यानी हक़ीक़त को नहीं जानते और नाहक़ का गुमान करते हैं और अटकल-पच्चू बातें बताते हैं।

फिर यहूदियों की एक दूसरी क़िस्म का बयान हो रहा है जो पढ़े लिखे लोग थे आर गुमराही की तरफ़ दूसरों को बुलाते थे, ख़ुदा पर झूठ बाँधते थे और मुरीदों से माल वसूल करने के लिये ग़लत ज़रियों (साधनों) का इस्तेमाल करते थे। 'वैल' के मायने हलाकत और बरबादी के हैं और जहन्नम के गड्ढ़े का नाम भी है जिसकी आग इतनी तेज़ होगी कि अगर उसमें पहाड़ डाले जायें तो घुल जायें। इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जहन्नम की एक वादी का नाम वैल है जिसमें काफ़िर डाले जायेंगे। चालीस साल के बाद सबसे निचले हिस्से में पहुँच सकेंगे क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। लेकिन सनद के एतिबार से यह हदीस ग़रीब भी है, मुन्कर भी है और ज़ईफ़ भी। एक और ग़रीब हदीस में है कि जहन्नम के एक पहाड़ का नाम 'वैल' है। यहूदियों ने तौरात की तहरीफ़ (रद्दोबदल) कर दी, उसमें कमी ज़्यादती की, हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम निकाल डाला इसलिये अल्लाह का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ। तौरात का कुछ हिस्सा उठा लिया गया और अल्लाह तआ़ला ने फ़रमा दिया कि उनके हाथों के लिखे को और उनकी कमाई को बरबादी और हलाकत है। 'वैल' के मायने सख़्त बुराई, हलाकत, अफ़सोस, दर्द, दुख, रंज व मलाल वग़ैरह के भी आते हैं।

यहाँ यहूदियों के उलेमा की मज़म्मत (निंदा बयान) हो रही है कि वे अपनी बातों को ख़ुदा का कलाम कहते थे और अपने वालों को ख़ुश करके दुनिया कमाते थे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि तुम अहले किताब से कुछ भी क्यों पूछो? ख़ुदा की ताज़ा किताब तुम्हारे हाथ में है, अहले किताब ने तो किताबुल्लाह में तहरीफ़ की, अपने हाथ की लिखी हुई बातों को ख़ुदा की तरफ़ निस्बत देकर फैलाया। फिर तुम्हें अपनी महफ़ूज़ (सुरक्षित) किताब को छोड़कर उनकी रद्दोबदल की हुई किताब की क्या ज़रूरत? अफ़सोस कि वे तुमसे न पूछें और तुम उनसे दरियाफ़्त करते फिरो। थोड़े मोल से मुराद आख़िरत के एतिबार से कमी है, तो अगरचे सारी दुनिया मिल जाये लेकिन जन्नत के मुक़ाबले में वह बेहद हक़ीर चीज़ है। फिर फ़रमाया कि उनके इस फ़ेल की वजह से कि वे अपनी बातों को ख़ुदा की बातों की तरह लोगों से मनवाते हैं और इस पर दुनिया कमाते हैं, हलाकत और बरबादी है।

और यहूदियों ने यह भी कहा कि हरगिज़ हम को (दोज़ख़ की) आग छुएगी (भी) नहीं, मगर (बहुत) थोड़े दिन जो (उंगलियों पर) गिन लिये जा सकें। आप यूँ फ़रमा दीजिए क्या तुम लोगों	وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○	ने हक़ तआ़ला से (इसके मुताल्लिक़) कोई मुआ़हिदा ले लिया है, जिसमें अल्लाह तआ़ला अपने मुआ़हिदे के ख़िलाफ़ न करेंगे, या अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी कोई इल्मी सनद अपने पास नहीं रखते। (80)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहूदी लोग कहा करते थे कि दुनिया की कुल मुद्दत सात हज़ार साल है। हर साल के बदले एक दिन हमें अ़ज़ाब होगा तो सिर्फ़ सात दिन हमें जहन्नम में रहना पड़ेगा। इस क़ौल की तरदीद में ये आयतें नाज़िल हुईं। बाज़ कहते हैं कि ये लोग चालीस दिन अपना जहन्नम में रहना मानते थे, क्योंकि उनके बड़ों ने चालीस दिन तक बछड़े की पूजा की थी। बाज़ का क़ौल है कि यह धोखा उन्हें इससे लगा था कि वे कहते थे कि तौरात में है कि जहन्नम के दोनों तरफ़ ज़क़्क़ूम के दरख़्त तक चालीस साल का रास्ता है, तो वे कहते हैं कि इस मुद्दत के बाद अ़ज़ाब उठ जायेंगे।

एक रिवायत में है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने आकर कहा कि चालीस दिन तक तो हम जहन्नम में रहेंगे फिर दूसरे लोग हमारी जगह आ जायेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्मत। आपने उनके सरों पर हाथ रखकर फ़रमाया- नहीं! बल्कि तुम हमेशा हमेशा जहन्नम में पड़े रहोगे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि फ़त्हे-ख़ैबर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में बतौर हदिये (तोहफ़े) के बकरी का पका हुआ ज़हर मिला हुआ गोश्त आया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यहाँ यहूदियों को जमा कर लो। फिर उनसे पूछा तुम्हारा बाप कौन है? उन्होंने कहा फ़ुलाँ। आपने फ़रमाया झूठे हो तुम्हारा बाप फ़ुलाँ है। उन्होंने कहा आपने सही इरशाद फ़रमाया वही हमारा बाप है। आपने फ़रमाया देखो अब मैं कुछ और पूछता हूँ सच-सच बताना। उन्होंने कहा ऐ अबुल-क़ासिम (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अगर झूठ भी कहेंगे तो आपके सामने न चल सकेगा, हम तो आज़मा चुके। आपने फ़रमाया बताओ जहन्नमी कौन हैं? उन्होंने कहा कुछ दिन तो हम हैं फिर आपकी उम्मत। आपने कहा परे हटो, हरगिज़ नहीं। फिर फ़रमाया अच्छा बतलाओ इस गोश्त में तुमने ज़हर मिलाया है? उन्होंने कहा हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया क्यों? कहा अगर आप सच्चे हैं तो यह ज़हर आपको हरगिज़ ज़रर (नुक़सान) न देगा और अगर झूठे हैं तो हम आप से निजात (छुटकारा) हासिल कर लेंगे। (मुस्नद अहमद, बुख़ारी, नसाई)

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○	क्यों नहीं? जो शख़्स जान-बूझकर बुरी बातें करता रहे और उसको उसकी ख़ता (और क़ुसूर इस तरह) घेर ले (कि कहीं नेकी का असर तक न रहे) सो ऐसे लोग दोज़ख़ वाले होते हैं, (और) वे उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे। (81) और जो लोग (अल्लाह और रसूल पर) ईमान लाएँ और नेक काम करें, ऐसे लोग जन्नत वाले होते हैं (और) वे उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे। (82)

ع ۹

मतलब यह है कि जिसके आमाल सरासर बुरे हैं, जो नेकियों से ख़ाली हाथ है वह जहन्नमी है। और जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाये और सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल करे वह जन्नती है। जैसे एक और जगह है:

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ............ الخ.

यानी न तो तुम्हारे मन्सूबे चल सकेंगे और न अहले किताब के। हर बुराई करने वाला अपनी बुराई का बदला दिया जायेगा और हर भलाई वाला अपनी नेक काम करने का। बुरे का कोई मददगार न होगा और भले का कोई अ़मल बरबाद न होगा। न मर्द का न औ़रत का।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहाँ बुराई से मतलब कुफ़्र है। एक और रिवायत में है कि मुराद शिर्क है और अबू वाईल, अबुल-आ़लिया, मुजाहिद, इक्रिमा, हसन, क़तादा, रबीअ़ बिन अनस रह. वग़ैरह से भी मरवी है। सुद्दी रह. कहते हैं कि मुराद कबीरा (बड़े) गुनाह हैं जो तह-ब-तह होकर दिल की हालत ख़राब कर दें। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि मुराद शिर्क है जो दिल पर क़ाबिज़ हो जाये। रबीअ़ इब्ने ख़ैसम का क़ौल है कि जो गुनाहों पर ही मरे और तौबा नसीब न हो। मुस्नद अहमद की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि गुनाहों को हक़ीर (मामूली और बेहक़ीक़त) न समझा करो, वे जमा होकर इनसान की हलाकत का सबब बन जाते हैं। देखते नहीं हो कि अगर कई आदमी एक-एक लकड़ी ले आयें तो ढेर लग जाता है। फिर अगर उसमें आग लगाई जाये तो बड़ी-बड़ी चीज़ों को वह जलाकर राख कर देती है।

फिर ईमान वालों का हाल बयान फ़रमाया कि जो तुम जैसा अ़मल नहीं करते बल्कि तुम्हारे कुफ़्र के मुक़ाबले में उनका ईमान है और तुम्हारी बद-आमालियों के मुक़ाबले में उनके पाकीज़ा आमाल हैं उन्हें अबदी (हमेशा की) राहतें और हमेशा वाली जन्नतें मिलेंगी। ख़ुदा के अ़ज़ाब और सवाब दोनों पायदार हैं।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

और (वह ज़माना याद करो) जब लिया हमने (तौरात में) क़ौल व क़रार बनी इस्राईल से कि इबादत मत करना (किसी की) सिवाय अल्लाह तआ़ला के, और माँ-बाप की अच्छी तरह ख़िदमत गुज़ारी करना और रिश्तेदारों व क़रीबी लोगों की भी, और यतीम बच्चों की भी और ग़रीब मोहताजों की भी, और आ़म लोगों से बात भी अच्छी तरह (अच्छे अख़्लाक़ से) करना, और पाबन्दी रखना नमाज़ की, और अदा करते रहना ज़कात, फिर तुम (क़ौल व क़रार करके) उससे फिर गये सिवाय कुछ के, और तुम्हारी तो मामूली आ़दत है इक़रार करके हट जाना। (83)

बनी इस्राईल से चन्द अहद और उनकी तफ़सीलात

बनी इस्राईल को जो हुक्म अहकाम दिये गये और उनसे जिन चीज़ों पर अहद लिया गया उनका बयान हो रहा है और उनके अहद तोड़ने का ज़िक्र हो रहा है। उन्हें हुक्म दिया था कि वे तौहीद को तस्लीम करें, खुदा के सिवा दूसरे की इबादत न करें, न सिर्फ़ बनी इस्राईल को बल्कि तमाम मख़्लूक़ को यही हुक्म हुआ है। अल्लाह का फ़रमान है:

مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

यानी तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया कि वे ऐलान कर दें कि क़ाबिले इबादत मेरे सिवा और कोई नहीं, सब लोग मेरी ही इबादत किया करें। एक और जगह फ़रमाया:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

यानी हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो और उसके सिवा दूसरे झूठे माबूदों से बचो। सबसे बड़ा हक़ अल्लाह तआ़ला ही का है और उसके तमाम हुक़ूक़ में बड़ा हक़ यही है कि उसकी इबादत की जाये और दूसरे किसी की इबादत न की जाये। फिर अल्लाह के हक़ के बाद बन्दों के हुक़ूक़ का बयान हो रहा है। बन्दों के हुक़ूक़ में माँ-बाप का हक़ चूँकि बहुत बड़ा है इसीलिये पहले उनका हक़ बयान हुआ। एक और जगह इरशाद है:

اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ.

मेरा शुक्र कर और अपने माँ-बाप का भी एहसान मान। एक और जगह फ़रमाया:

وَقَضٰى رَبُّكَ ....الخ.

तेरे रब का यह फ़ैसला है कि उसके सिवा दूसरे की इबादत न करो और माँ-बाप के साथ एहसान और सुलूक करते रहो।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. ने पूछा या रसूलल्लाह! कौनसा अ़मल सबसे अफ़ज़ल है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ को वक़्त पर अदा करना। पूछा कि उसके बाद? फ़रमाया कि माँ-बाप के साथ सुलूक और एहसान करना। पूछा फिर कौनसा? फ़रमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। एक और सही हदीस में है, किसी ने कहा हुज़ूर में किस के साथ सुलूक और भलाई करूँ? आपने फ़रमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा किस के साथ? फ़रमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा किस के साथ? फ़रमाया अपने बाप के साथ, फिर दूसरे रिश्तेदारों के साथ।

यतीम उन छोटे बच्चों को कहते हैं जिनका सरपरस्त बाप न हो। मिस्कीन उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश और दूसरी ज़रूरतें पूरी तरह मुहैया न कर सकते हों। इसकी मज़ीद (और ज़्यादा) तफ़सील व व्याख्या इन्शा-अल्लाह सूरः निसा के इस मायने की आयत में आयेगी।

फिर फ़रमाया कि लोगों को अच्छी बातें कहा करो, यानी उनके साथ नर्म कलामी और हंसते चेहरे के साथ पेश आया करो। भली बातों का हुक्म दो, बुराई से रोको। हज़रत हसन रज़ि. फ़रमाते हैं कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। बुर्दबारी, दरगुज़र और ख़ताओं की माफ़ी को अपना शेवा (आदत और चलन) बना

लो, यही अच्छे अख़्लाक़ का मतलब है, जिसे इख़्तियार करना चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अच्छी चीज़ को हक़ीर (मामूली और बेवक़्अ़त) न समझो, अगर और कुछ न हो सके तो अपने भाईयों से हंसते हुए चेहरे से मुलाक़ात तो कर लिया करो। (मुस्नद अहमद)

पस क़ुरआने करीम ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया। फिर लोगों के साथ भलाई करने का, फिर अच्छी बातें कहने का, फिर बाज़ अहम चीज़ों का ज़िक्र भी कर दिया कि नमाज़ें पढ़ो, ज़कात दो, फिर ख़बर दी कि उन लोगों ने अ़हद को तोड़ा और आ़म तौर पर नाफ़रमान बन गये, मगर थोड़े से। इस उम्मत को भी यही हुक्म दिया गया। फ़रमायाः

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا........ الخ.

अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। माँ-बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ, क़रीबी लोगों, ताल्लुक़ रखने वालों, पड़ोसियों के साथ, अजनबी पड़ोसियों के साथ, साथ वालों के साथ, मुसाफ़िरों के साथ, बाँदी ग़ुलामों के साथ अच्छा सुलूक व एहसान भलाई किया करो। याद रखो तकब्बुर और फ़ख़्र (घमंड) करने वालों को ख़ुदा तआ़ला नापसन्द करता है। अल्हम्दु लिल्लाह यह उम्मत दूसरी उम्मतों के मुक़ाबले में इन फ़रमानों के मानने में और इन पर अ़मल पैरा होने में ज़्यादा मज़बूत साबित हुई। असद बिन वदाआ़ से मरवी है कि वह यहूदियों और ईसाईयों को सलाम किया करते थे और दलील यह देते थे कि अल्लाह का फ़रमान है:

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

कि आ़म लोगों से अच्छी तरह बात किया करो।

लेकिन यह क़ौल ग़रीब है और हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस में साफ़ मौजूद है कि यहूद व ईसाई को सलाम करने की इब्तिदा (अपनी तरफ़ से शुरूआ़त) न किया करो। वल्लाहु आलम।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ

और (वह ज़माना भी याद करो) जब हमने तुमसे यह क़ौल व क़रार (भी) लिया कि आपस में ख़ून मत बहाना और एक-दूसरे को वतन से मत निकालना, फिर तुमने इक़रार भी कर लिया और (इक़रार भी इशारे में नहीं बल्कि ऐसा साफ़ जैसे) तुम शहादत देते हो। (84) फिर तुम यह (आँखों के सामने मौजूद ही) हो (कि) क़त्ल व क़िताल भी करते हो और एक-दूसरे को वतन से भी निकालते हो (इस तौर पर कि) उन अपनों के मुक़ाबले में (उनकी मुख़ालिफ़ क़ौमों की) इमदाद करते हो, गुनाह और ज़ुल्म के साथ, और अगर उन लोगों में से कोई गिरफ़्तार होकर तुम तक पहुँच जाता है तो ऐसों को कुछ ख़र्च कर कराकर रिहा करा देते हो, हालाँकि यह

बात (भी मालूम) है कि तुमको उनका वतन से निकाल देना भी मना है। क्या (पस यूँ कहो कि) किताब (तौरात) के बाज़ "यानी कुछ" (अहकाम) पर तुम ईमान रखते हो और बाज़ पर ईमान नहीं रखते, सो और क्या सज़ा हो ऐसे शख़्स की जो तुम लोगों में से ऐसी हरकत करे, सिवाय रुस्वाई के दुनियावी ज़िन्दगी में और क़ियामत के दिन को बड़े सख़्त अज़ाब में डाल दिए जाएँ, और अल्लाह तआ़ला (कुछ) बेख़बर नहीं है तुम्हारे (बुरे) आमाल से। (85) ये वे लोग हैं कि उन्होंने दुनियावी ज़िन्दगी (के लुत्फ़, और मज़ों) को ले लिया है आख़िरत (की निजात) के बदले में, सो न तो उनकी सज़ा में (कुछ) कमी की जाएगी और न कोई उनकी तरफ़दारी (पैरवी) करने पाएगा। (86)	اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ ؏

मदीना के दो मशहूर ख़ानदान और उनकी आपसी रंजिशें और झगड़े

अन्सार हज़रात मदीना के दो क़बीले थे 'औस' और 'ख़ज़्रज'। इस्लाम से पहले इन दोनों क़बीलों में कभी बनती न थी, हमेशा आपस में जंग व झगड़ा रहता था। मदीना के यहूदियों के तीन क़बीले थे- बनू क़ैनुक़ाअ़, बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा। बनू क़ैनुक़ाअ़ और बनू नज़ीर तो ख़ज़्रज के तरफ़दार थे और उनके भाई-बन्द बने हुए थे और बनू क़ुरैज़ा का भाईचारा औस के साथ था। जब औस व ख़ज़्रज में जंग की ठहरती तो यहूदियों के ये तीनों गिरोह भी अपने-अपने हलीफ़ (साथी) का साथ देते और उनसे मिलकर उनके दुश्मन से लड़ते। दोनों तरफ़ के यहूदी यहूदियों के हाथ से मारे भी जाते, और मौक़ा पाकर एक दूसरे के घरों को भी उजाड़ डालते और देस-निकाला भी दिया करते थे, और माल व दौलत पर भी क़ब्ज़ा कर लिया करते थे। जब लड़ाई बन्द हो जाती तो जो फ़रीक़ मग़लूब हो जाता वह अपने क़ैदियों को फ़िदया देकर छुड़ा लेता और कहते कि हमें अल्लाह तआ़ला का हुक्म है कि हममें से जब कोई क़ैद हो जाये तो हम फ़िदया देकर छुड़ा लें। इस पर अल्लाह तआ़ला उन्हें फ़रमाता है कि इसकी क्या वजह कि मेरे इस हुक्म को तो तुमने मान लिया लेकिन मैंने कहा था कि आपस में किसी को क़त्ल भी न करो, न घरों से निकालो, इसे क्यों नहीं मानते? किसी हुक्म पर ईमान लाना और किसी को न मानना यह कहाँ का ईमान लाना है?

आयत में फ़रमाया कि अपने ख़ून न बहाओ और अपने घरों से न निकालो, यह इसलिये कि हम-मज़हब (एक मज़हब के मानने वाले) सारे के सारे एक जान की तरह हैं। हदीस में भी है कि तमाम ईमान वाले दोस्तियों, सिला-रहमी और रहम व करम में एक जिस्म की तरह हैं, किसी एक अंग के दर्द से

तमाम जिस्म बेताब हो जाता है। बुख़ार चढ़ आता है, रातों की नींद उचाट हो जाती है। इसी तरह एक अदना मुस्लिम के लिये सारे जहान के मुसलमानों को तड़प उठना चाहिये। अ़ब्दे ख़ैर कहते हैं कि हम हज़रत सलमान बिन रबीअ़ की मातहती में लन्जर में जिहाद कर रहे थे, घेराव के बाद हमने उस शहर को फ़तह किया जिसमें बहुत से क़ैदी भी मिले। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. ने उनसे एक यहूदिया बाँदी को सात सौ में ख़रीदा। रासुल-जालूत के पास जब हम पहुँचे तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. उसके पास गये और फ़रमाया यह बाँदी तेरी हम-मज़हब है, मैंने इसे सात सौ मैं ख़रीदा है, अब तुम इसे मुझसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो। उसने कहा बहुत अच्छा, मैं चौदह सौ देता हूँ। आपने फ़रमाया मैं तो चार हज़ार से कम में नहीं बेचूँगा। उसने कहा फिर मैं नहीं ख़रीदता। आपने कहा सुन या तो इसे ख़रीद ले वरना तेरा दीन जाता रहेगा। तौरात में लिखा हुआ है कि बनी इस्राईल का कोई भी शख़्स गिरफ़्तार हो जाये तो उसे ख़रीद कर आज़ाद किया करो। अगर वे क़ैदी होकर तुम्हारे पास आयें तो फ़िदया देकर छुड़ा लिया करो और उन्हें उनके घरों से बेघर भी न किया करो। अब या तो तौरात को मानकर तू इसे ख़रीद या तौरात का मुन्किर बन।

वह समझ गया और कहने लगा ऐसा मालूम होता है कि तुम शायद अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम हो। आपने फ़रमाया हाँ। चुनाँचे वह चार हज़ार ले आया, आपने दो हज़ार ले लिये और दो हज़ार लौटा दिये। बाज़ और रिवायतों में है कि रासुल-जालूत कूफ़ा में था, यह उन बाँदियों का फ़िदया नहीं देता था जो अ़रब से न बची हों। इस पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने उसे तौरात की यह आयत सुनाई। ग़र्ज़ कि इस आयत में यहूदियों की मज़म्मत (बुराई और निंदा) है कि वे अल्लाह के अहकाम को जानते हुए फिर भी उनको पीठ पीछे डाल दिया करते थे, अमानत दारी और ईमानदारी उनसे उठ चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़तें, आपकी निशानियाँ, आपकी नुबुव्वत की तस्दीक़, आपकी पैदाईश की जगह, आपकी हिजरत का मुक़ाम वग़ैरह-वग़ैरह सब चीज़ें उनकी किताब में मौजूद थीं, ये उन सबको छुपाये हुए थे, और इतना ही नहीं बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त करते थे, इसी सबब उन पर दुनियावी रुस्वाई आयी और कम न होने वाले और हमेशगी वाले आख़िरत के अ़ज़ाब भी।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝	**और हमने मूसा को किताब (तौरात) दी, और (फिर) उनके बाद एक के बाद एक पैग़म्बरों को भेजते रहे, और फिर हमने ईसा इब्ने मरियम को (नुबुव्वत की) वाज़ेह दलीलें अ़ता फ़रमाईं और हमने रूहुल्-क़ुदुस से ताईद दी, क्या जब कभी (भी) कोई पैग़म्बर तुम्हारे पास ऐसे अहकाम लाए जिनको तुम्हारा दिल न चाहता था, (जब ही) तुमने तकब्बुर करना शुरू कर दिया, सो बाज़ों को तो तुमने झूठा बतलाया और बाज़ों को (बे-धड़क) क़त्ल ही कर डालते थे। (87)**

बनी इस्राईल के घमंड व तकब्बुर, दुश्मनी और उनकी इच्छा-परस्ती का बयान हो रहा है कि तौरात की तहरीफ़ व तब्दील (यानी उसमें कमी-बेशी और रद्दोबदल) की, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद उन्हीं की

शरीअ़त पर जो और अम्बिया आये उनकी भी मुख़ालफ़त की। चुनाँचे फ़रमाया:

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ......... الخ.

यानी हमने तौरात नाज़िल फ़रमाई, जिसमें हिदायत थी और नूर था। जिस पर और अम्बिया भी इस्लाम लाकर यहूदियों को हुक्म देते रहे, उनके उलेमा और दुर्वेश (नेक लोग) भी उसके मानने का हुक्म करते थे........।

ग़र्ज़ कि एक के बाद एक लगातार अम्बिया-ए-किराम बनी इस्राईल में आते रहे यहाँ तक कि यह सिलसिला हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। उन्हें इन्जील मिली जिसमें बाज़ अहकाम तौरात के ख़िलाफ़ भी थे, इसी लिये उन्हें नये-नये मोजिज़े भी मिले जैसे मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िन्दा कर देना, मिट्टी से परिन्द (पक्षी) बनाकर उसमें फूँक मारकर अल्लाह के हुक्म से उड़ा देना, बीमारों को अपने दम और झाड़ से ख़ुदा के हुक्म से अच्छा कर देना। बाज़-बाज़ ग़ैब की ख़बरें ख़ुदा के मालूम कराने से बता देना वग़ैरह। फिर आपकी ताईद पर रूहुल-क़ुदुस यानी हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को लगा दिया, लेकिन बनी इस्राईल अपनी तकज़ीब (झुठलाने) और तकब्बुर में और बढ़ गये और हसद करने लगे और उन तमाम अम्बिया-ए-किराम के साथ बुरे सुलूक से पेश आये, कहीं झुठलाते थे, कहीं मार डालते थे, महज़ इस बिना पर कि अम्बिया की तालीम उनकी तबीयतों (मिज़ाजों) के ख़िलाफ़ हुआ करती थी। उनकी राय और उनके अन्दाज़े और उनके बनाये हुए उसूल व अहकाम उसके क़बूल करने में बाधा हुआ करते थे। इसलिये दुश्मनी पर तुल जाते थे।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि., मुहम्मद बिन कअ़ब, इस्माईल बिन ख़ालिद, सुद्दी, रबीअ़ बिन अनस, अ़तीया, ऊफ़ी और क़तादा रह. वग़ैरह का क़ौल यही है कि रूहुल-क़ुदुस से मुराद हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हैं, जैसे कि क़ुरआन शरीफ़ में एक और जगह है:

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ......... الخ.

यानी उसे लेकर रूहुल-अमीन उतरते हैं।

सही बुख़ारी में तालीक़न मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत हस्सान रज़ि. शायर के लिये मस्जिद में मिम्बर रखवाया, वह मुश्रिकों की हिजो (बुराई करने) का जवाब देते थे और आप उनके लिये दुआ़ करते थे कि ख़ुदाया हस्सान की मदद रूहुल-क़ुदुस से कर, जैसे कि यह तेरे नबी की तरफ़ से जवाब देते हैं। सहीहैन की एक और हदीस में है कि हज़रत हस्सान रज़ि. ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी के ज़माने में एक मर्तबा मस्जिदे नबवी में कुछ अश्आ़र पढ़ रहे थे, हज़रत उमर रज़ि. ने आपकी तरफ़ तेज़ निगाहें उठायीं तो आपने फ़रमाया मैं तो उस वक़्त भी इन शे'रों को यहाँ पढ़ता था जब यहाँ तुमसे बेहतर शख़्स मौजूद थे। फिर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की तरफ़ देखकर फ़रमाया- अबू हुरैरह! तुम्हें ख़ुदा की क़सम क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते नहीं सुना कि हस्सान तू मुश्रिकों के अश्आ़र का जवाब दे। ख़ुदाया तू हस्सान की ताईद रूहुल-क़ुदुस से कर। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने फ़रमाया हाँ ख़ुदा की क़सम मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सुना है।

बाज़ रिवायतों में यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हस्सान तुम उन मुश्रिकों की हिजो (शे'रों में निंदा) करो, जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम भी तुम्हारे साथ हैं। हज़रत हस्सान रज़ि. के

शे'र में भी जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को रूहुल-क़ुदुस कहा गया है। एक और हदीस में है कि जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रूह के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया- तुम्हें ख़ुदा की क़सम ख़ुदा की नेमतों को याद करके कहो, क्या ख़ुद तुम्हें मालूम नहीं कि वह जिब्राईल हैं और वही मेरे पास भी 'वही' लाते हैं। उन सबने कहा हाँ बेशक। (इब्ने इस्हाक़)

इब्ने हिब्बान में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने मेरे दिल में कहा- कोई शख़्स अपनी रोज़ी और ज़िन्दगी पूरी किये बग़ैर नहीं मरता। अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और दुनिया कमाने में दीन का ख़्याल रखो। बाज़ों ने रूहुल-क़ुदुस से मुराद इस्मे आज़म लिया है। बाज़ों ने कहा है फ़रिश्तों का एक सरदार फ़रिश्ता है, बाज़ कहते हैं कि क़ुदुस से मुराद अल्लाह तआ़ला और रूह से मुराद जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हैं, किसी ने कहा है कि क़ुदुस के मायने हैं बरकत, किसी ने कहा है पाक, किसी ने कहा है रूह से मुराद इन्जील है, जैसे फ़रमायाः

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا.

यानी इसी तरह हमने तेरी तरफ़ रूह की वही अपने हुक्म से की।

इमाम इब्ने जरीर रह. का फ़ैसला यही है कि यहाँ मुराद रूहुल-क़ुदुस से हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हैं। जैसे एक और जगह हैः

اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.......... الخ.

इस आयत में रूहुल-क़ुदुस की ताईद की ज़िक्र के साथ किताब व हिक्मत तौरात व इन्जील के सिखाने का बयान भी है। मालूम हुआ कि यह और चीज़ है और वह और चीज़, और इबारत की रवानी भी इसकी ताईद करती है। क़ुदुस से मुराद मुक़द्दस (पवित्र) है। जैसे कहते हैं 'सख़ी हातिम' और 'सच्चा आदमी'।

रूहुल-क़ुदुस कहने में और 'रूहुम-मिन्हु' कहने में एक ख़ुसूसियत निकटता और बुज़ुर्गी (बड़ा रुतबा होने) की पाई जाती है, यह इसलिये भी कहा गया है। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इससे मुराद हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की रूह ली है, क्योंकि उनकी रूह इनसानी पीठ वग़ैरह से पाक-साफ़ और अलग-थलग रही थी (यानी वह बिन बाप के पैदा हुए) फिर फ़रमाया कि एक फ़िर्क़े को तुमने झुठलाया और एक फ़िर्क़े को क़त्ल करते हो। झुठलाने में माज़ी का सीग़ा (भूतकाल का लफ़्ज़) लाये लेकिन क़त्ल में मुस्तक़बिल (भविष्यकाल) का। इसलिये कि उनका हाल आयत के नाज़िल होने के बाद भी यही रहा। चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने मर्ज़ुल-मौत (आख़िरी बीमारी) में फ़रमाया कि ज़हर से भरे लुक़्मे का असर बराबर मुझ पर रहा और इस वक़्त तो उसने रग काट दी।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○	**और वे (यहूदी फ़ख़्र के तौर पर) कहते हैं कि हमारे दिल महफ़ूज़ हैं, बल्कि उनके कुफ़्र के सबब उन पर ख़ुदा की मार है, सो बहुत ही थोड़ा-सा ईमान रखते हैं। (88)**

यहूदियों का एक क़ौल यह भी था कि हमारे दर्स पर ग़िलाफ़ हैं यानी ये इल्म से भरपूर हैं, अब हमें नये इल्म की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिये जवाब मिला कि यूँ नहीं बल्कि अल्लाह की लानत की मोहर लग

गयी है, ईमान नसीब ही नहीं होता। 'गुल्फ़' को ग़ल्फ़ भी पढ़ा गया है, यानी ये इल्म के बर्तन हैं। क़ुरआने करीम में एक और जगह है:

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ..... الخ.

यानी जिस चीज़ की तरफ़ तुम हमें बुलाते हो उस चीज़ से हमारे दिल पर्दे और आड़ में हैं। उन पर मोहर लगी हुई है, वे उसे नहीं समझते और न उसकी तरफ़ माईल होते हैं, न उसे याद रखते हैं। एक हदीस में भी है कि बाज़ दिल ग़िलाफ़ वाले होते हैं जिन पर ग़ज़बे ख़ुदा होता है, ये दिल काफ़िरों के होते हैं। सूरः निसा में भी एक आयत इसी मायने की है:

وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ. الخ.

(यानी सूरः निसा की आयत नम्बर 155)

थोड़ा ईमान लाने के एक मायने तो यह हैं कि उनमें से बहुत कम लोग ईमान वाले हैं, और दूसरे मायने यह भी हैं कि उनका ईमान बहुत कम है। यानी क़ियामत, सवाब, अ़ज़ाब वग़ैरह के क़ायल, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले, तौरात को ख़ुदाई किताब मानते हैं मगर इस पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मानकर अपना ईमान पूरा नहीं करते, बल्कि आपके साथ कुफ़्र करके उस थोड़े ईमान को भी ग़ारत और बरबाद कर देते हैं। तीसरे मायने यह हैं कि यह मेरे से बेईमान हैं, क्योंकि अ़रबी ज़बान में ऐसे मौक़े पर बिल्कुल न होने की सूरत में भी ऐसे अलफ़ाज़ बोले जाते हैं। मसलन् मैंने उस जैसा बहुत ही कम देखा। मतलब यह है कि देखा ही नहीं, वल्लाहु आलम।

और जब उनको एक ऐसी किताब पहुँची (यानी क़ुरआन) जो अल्लाह की तरफ़ से है (और) उसकी (भी) तस्दीक़ करने वाली है जो पहले से उनके पास है, (यानी तौरात) हालाँकि इसके पहले वे (ख़ुद) बयान किया करते थे कुफ़्फ़ार से। फिर जब वह चीज़ आ पहुँची जिसको वे (ख़ूब जानते) पहचानते हैं तो उसका (साफ़) इनकार कर बैठे। सो (बस) ख़ुदा की मार हो ऐसे इनकार करने वालों पर। (89)	وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○

यहूद को हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इन्तिज़ार था

जब कभी यहूदियों और अ़रब के मुश्रिकों के बीच लड़ाई होती तो यहूद कहा करते थे कि जल्द ही ख़ुदा की सच्ची किताब लेकर ख़ुदा के एक अ़ज़ीमुश्शान पैग़म्बर तशरीफ़ लाने वाले हैं, हम उनके साथ होकर तुम्हें ऐसा क़त्ल व ग़ारत करेंगे कि तुम्हारा नाम व निशान मिटा देंगे। अल्लाह तआ़ला से दुआ़यें किया करते थे कि ख़ुदाया तू उस नबी को जल्द भेज जिसकी सिफ़तें हम तौरात में पाते हैं ताकि हम उन पर

ईमान लाकर उनके साथ होकर अपना बाज़ू मज़बूत करके तेरे दुश्मन से इन्तिक़ाम लें। मुश्रिकों से कहा करते थे कि उस नबी का ज़माना अब बिल्कुल क़रीब आ गया है। लेकिन जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मबऊस हुए (नबी बनकर तशरीफ़ लाये) तमाम निशानियाँ आप में देख लीं पहचान लिया, दिल से क़ायल हो गये, मगर चूँकि आप अ़रब वालों में से थे, हसद (ईर्ष्या) करके आपकी नुबुव्वत का इनकार कर दिया और अल्लाह तआ़ला की लानत में आ गये, बल्कि वे मदीना के मुश्रिक जो उनसे यह सुनते चले आते थे उन्हें ईमान नसीब हुआ और आख़िरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ होकर वे यहूद पर ग़ालिब आ गये।

एक मर्तबा हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल, हज़रत बशीर बिन बरा और हज़रत दाऊद बिन सलमा रज़ि. ने इन मदीना के यहूद से कहा भी कि तुम तो हमारी शिर्क की हालत में हमसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत का ज़िक्र किया करते थे बल्कि हमें डराया करते थे, जो-जो औसाफ़ (निशानियाँ और ख़ूबियाँ) तुम हुज़ूर के बयान करते थे वे तमाम औसाफ़ आप में हैं, फिर तुम ख़ुद ईमान क्यों नहीं लाते? आपका साथ क्यों नहीं देते? तो सलाम बिन मिश्कम ने जवाब दिया कि हम इन्हें नहीं कहते थे। इसी का ज़िक्र इस आयत में है कि पहले से मानते थे, इन्तिज़ार में थे, लेकिन आने के बाद हसद (जलन) और तकब्बुर से अपने रुतबे और दुनियावी सम्मान के खोये जाने के ख़्याल से साफ़ इनकार कर बैठे।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○	वह हालत (बहुत ही) बुरी है जिसको इख़्तियार करके वे अपनी जानों को छुड़ाना चाहते हैं, (और वह हालत) यह (है) कि कुफ़्र करते हैं ऐसी चीज़ का जो हक़ तआ़ला ने नाज़िल फ़रमाई, सिर्फ़ (इसी) ज़िद पर कि अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से जिस बन्दे पर उसको मन्ज़ूर हो नाज़िल फ़रमाये, सो वे लोग ग़ज़ब पर ग़ज़ब के हक़दार हो गए, और इन कुफ़्र करने वालों को ऐसी सज़ा होगी जिसमें ज़िल्लत (भी) है। (90)

यहूदियों का एक और बड़ा जुर्म

मतलब यह है कि उन यहूदियों ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ के बदले तकज़ीब की (यानी झुठलाया) और आप पर ईमान लाने के बदले कुफ़्र किया और आपकी नुसरत व इमदाद के बदले मुख़ालफ़त और दुश्मनी की, और इस वजह से अपने आपको जिस अल्लाह के ग़ज़ब का हक़दार बनाया, यह बदतरीन चीज़ है जो बेहतरीन चीज़ के बदले उन्होंने ली और इसकी वजह सिवाय हसद व बुग़्ज़, तकब्बुर व दुश्मनी के और कुछ नहीं। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनमें से न थे बल्कि आप अ़रब वालों में से थे, इसलिये यह मुँह चढ़ाकर बैठ गये। हालाँकि अल्लाह पर कोई हाकिम नहीं, वह रिसालत के हक़दार को ख़ूब जानता है, वह अपना फ़ज़्ल व करम अपने जिस बन्दे को चाहे अ़ता फ़रमाता है। पस एक तो तौरात के अहकाम की पाबन्दी न करने की वजह से उन पर ग़ज़ब था ही, अब दूसरा हुज़ूर

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ कुफ़्र करने से नाज़िल हुआ, या यूँ समझ लीजिए कि पहला ग़ज़ब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की पैग़म्बरी न मानने का और दूसरा ग़ज़ब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैग़म्बरी न मानने का। या पहला ग़ज़ब वह जो बछड़े के पूजने की वजह से था, दूसरा ग़ज़ब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त की बिना पर। चूँकि यह हसद व बुग़ज़ (जलन, नफ़रत और ईर्ष्या) की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से इनकारी हुए थे और उस हसद व बुग़ज़ का असली कारण उनका तकब्बुर था, इसलिये उन्हें ज़लील अ़ज़ाबों में मुब्तला किया ताकि गुनाह का पूरा बदला हो जाये। जैसे फ़रमान है:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

मेरी इबादत से जो भी तकब्बुर करे वह ज़लील होकर जहन्नम में दाख़िल होगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि घमंडी लोगों का हश्र क़ियामत के दिन इनसानी सूरत में चींवटियों की तरह होगा, जिन्हें तमाम चीज़ें रौंदती हुई चलेंगी और जहन्नम के बूलस नाम के क़ैद ख़ाने में डाल दिये जायेंगे, जहाँ की आग जहन्नम की दूसरी आग से तेज़ होगी और जहन्नमियों का लहू पीप वग़ैरह उन्हें पिलाया जायेगा।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उन (तमाम) किताबों पर जो अल्लाह तआ़ला ने (अनेक पैग़म्बरों पर) नाज़िल फ़रमाई हैं, तो कहते हैं कि हम (तो सिर्फ़) उस (ही) किताब पर ईमान लाएँगे जो हम पर नाज़िल की गई है, (यानी तौरात) और जितनी उसके अ़लावा हैं उन (सब) का इनकार करते हैं, हालाँकि वे भी हक़ हैं और तस्दीक़ करने वाली भी हैं उसकी जो उनके पास है (यानी तौरात की)। आप कहिए कि (अच्छा तो) फिर क्यों क़त्ल किया करते थे अल्लाह के पैग़म्बरों को इससे पहले के ज़माने में अगर तुम (तौरात पर) ईमान रखने वाले थे। (91) और (हज़रत) मूसा तुम लोगों के पास साफ़-साफ़ दलीलें लाए (मगर) इस पर भी तुम लोगों ने गौसाला को (माबूद) तजवीज़ कर लिया मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के (तूर पर जाने के) बाद, और तुम सितम ढा रहे थे। (92)

यानी जब उनसे क़ुरआन पर और नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने को कहा जाता है तो कह देते हैं कि हमें तौरात व इन्जील पर ईमान रखना काफ़ी है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता

है कि ये इसमें भी झूठे हैं, क़ुरआन तो उन किताबों की तस्दीक़ करने वाला है और ख़ुद उनकी किताबों में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ मौजूद है। जैसे फ़रमायाः

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰـهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُوْنَهٗ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ.

यानी अहले किताब आपको इस तरह जानते हैं जिस तरह कोई अपनी औलाद को पहचानता हो।

पस आपके इनकार से तौरात व इन्जील पर भी ईमान न रहा। इस हुज्जत (दलील) को क़ायम करके अब दूसरी तरह हुज्जत क़ायम की जाती है कि अच्छा तौरात इन्जील पर तो तुम्हारा ईमान है फिर पहले अम्बिया जो उनकी तस्दीक़ और ताबेदारी करते हुए नई शरीअ़त और नई किताब बग़ैर आये तुमने उन्हें क्यों क़त्ल किया? मालूम हुआ कि तुम्हारा ईमान न तो इस किताब पर है न उस किताब पर, तुम महज़ ख़्वाहिश (इच्छा) के बन्दे, नफ़्स के ग़ुलाम, अपनी राय और अन्दाज़े के मातहत हो।

फिर फ़रमाया कि अच्छा मूसा अ़लैहिस्सलाम से तो तुमने बड़े मोजिज़े देखे, तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक, ख़ून वग़ैरह, उनकी बददुआ़ से बतौर मोजिज़े के ज़ाहिर हुए लकड़ी का साँप बनना, हाथ का रोशन चाँद की तरह बन जाना, दरिया को चीर देना और पानी को पत्थर की तरह बना देना, बादलों का साया करना, मन्न व सलवा उतारना, पत्थर से नहरें जारी करना वग़ैरह वग़ैरह, तमाम बड़े-बड़े मोजिज़े जो उनकी नुबुव्वत और ख़ुदा की तौहीद की रोशन दलीलें थीं, सब कुछ अपनी आँखों देखे, लेकिन इधर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गये उधर तुमने बछड़े को ख़ुदा बना लिया। अब बताओ कि ख़ुद तौरात पर और ख़ुद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर भी तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? क्या ये बदकारियाँ तुम्हें ज़ालिम कहलवाने वाली नहीं? "मिम्-बअ़दिही" से मुराद मूसा अ़लैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद है। जैसे एक और जगह हैः

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰی......... الخ.

यानी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद आपकी क़ौम ने बछड़े को माबूद बना लिया और अपनी जानों पर उस गौसाला परस्ती से खुला ज़ुल्म किया, जिसका एहसास बाद में ख़ुद उन्हें भी हुआ जैसे फ़रमायाः

وَلَمَّا سُقِطَ فِیْٓ اَیْدِیْهِمْ....... الخ.

यानी जब उन्हें होश आया, शर्मिन्दा हुए और अपनी गुमराही को महसूस करने लगे, उस वक़्त कहा कि ख़ुदाया अगर तू हम पर रहम न करेगा और हमारी ख़ता न बख़्शेगा तो हम घाटा उठाने वाले हो जायेंगे।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِیْثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَآ اٰتَیْنٰکُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا ق وَاُشْرِبُوْا فِیْ	और जब हमने तुम्हारा क़ौल व क़रार लिया था और तूर को तुम्हारे (सरों के) ऊपर ला खड़ा किया था, जो कुछ (अहकाम) हम तुमको देते हैं हिम्मत (और पुख़्तगी) के साथ लो और सुनो। (उस वक़्त) उन्होंने ज़बान से कह दिया कि हमने सुन लिया और हमसे अ़मल न होगा, और (वजह इसकी यह है कि) उनके दिलों में

قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

वही गौसाला जम गया था, उनके (पहले) कुफ़्र की वजह से। आप फ़रमा दीजिए कि ये आमाल बहुत बुरे हैं जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान तुम को कर रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो। (93)

अल्लाह तबारक व तआ़ला बनी इस्राईल की ख़तायें, मुख़ालफ़तें, सरकशी और हक़ से मुँह मोड़ना बयान फ़रमा रहा है कि तूर पहाड़ जब सरों पर देखा तो इक़रार किया लेकिन जब वह हट गया तो फिर मुन्किर हो गये। इसकी तफ़सीर पहले बयान हो चुकी है। बछड़े की मुहब्बत उनके दिलों में रच-बस गयी। जैसे कि हदीस में है कि किसी चीज़ की मुहब्बत इनसान को अन्धा बहरा बना देती है। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इस बछड़े के टुकड़े-टुकड़े करके जलाकर उसकी राख को हवा में उड़ाकर दरिया में डाल दिया था, जिस पानी को बनी इस्राईल ने पी लिया और उसका असर उन पर ज़ाहिर हुआ, अगरचे बछड़ा नेस्त व नाबूद कर दिया गया लेकिन उनके दिलों का ताल्लुक़ अब भी उस झूठे माबूद से लगा रहा।

दूसरी आयत का मतलब यह है कि तुम ईमान का दावा किस तरह करते हो? अपने ईमान पर नज़र नहीं डालते? बार-बार अ़हद तोड़ना, मौक़े-मौक़े पर कुफ़्र करना क्या भूल गये? हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के सामने तुमने कुफ़्र किया, उनके बाद के पैग़म्बरों के साथ तुमने सरकशी की, यहाँ तक कि तमाम नबियों में अफ़ज़ल ख़त्मुल-मुर्सलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत को भी न माना, जो सबसे बड़ा कुफ़्र है।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

आप कह दीजिए कि अगर (तुम्हारे कहने के मुताबिक़) आ़लमे आख़िरत सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही नफ़ा देने वाला है अल्लाह के पास किसी दूसरे की शिर्कत के बग़ैर तो तुम (इसकी तस्दीक़ के लिए ज़रा) मौत की तमन्ना कर (के दिखला) दो, अगर तुम सच्चे हो। (94) और वे हरगिज़ कभी उस (मौत) की तमन्ना न करेंगे उन (कुफ़्रिया) आमाल (की सज़ा के डर) की वजह से जो अपने हाथों समेटे हैं, और हक़ तआ़ला को ख़ूब इत्तिला है इन ज़ालिमों (के हाल) की। (95) और आप (तो) उनको (दुनियावी) ज़िन्दगी के (आ़म) लालची आदमियों से भी बढ़कर पाएँगे, और मुश्रिकीन से भी इनका एक-एक (शख़्स) इस हवस में है कि उसकी उम्र हज़ार साल की हो जाए, और यह चीज़ अ़ज़ाब से तो नहीं बचा सकती कि (किसी की बड़ी) उम्र हो जाए, और हक़ तआ़ला के सब सामने हैं उनके (बुरे) आमाल। (96)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि उन यहूदियों को नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़बानी पैग़ाम दिया गया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुक़ाबले में आओ, तुम और हम मिलकर अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करें कि वह हममें से झूठे को हलाक कर दे। लेकिन साथ ही पेशीनगोई भी कर दी कि ये लोग हरगिज़ इस पर तैयार नहीं होंगे। चुनाँचे यही हुआ कि ये लोग मुक़ाबले पर न आये, इसलिये कि वे दिल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और आसमानी किताब क़ुरआन को सच्चा जानते थे, अगर ये लोग इस ऐलान के मातहत मुक़ाबले में निकलते तो सबके सब हलाक हो जाते, रू-ए-ज़मीन पर एक यहूदी बाक़ी न रहता। एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी आया है कि अगर यहूदी मुक़ाबले पर आते और झूठे के लिये मौत तलब करते तो सबके सब मर जाते और अपनी जगह जहन्नम में देख लेते। इसी तरह जो ईसाई आपके पास आये थे, वे भी अगर मुबाहले के लिये तैयार होते तो वे लौटकर अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों) और माल व दौलत का नाम व निशान भी न पाते। (मुस्नद अहमद) सूरः जुमा में भी इसी तरह की दावत उन्हें दी गयी है। आयत नम्बर 6 से 8 तक पढ़िये। उनका दावा थाः

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ.

कि हम तो अल्लाह की औलाद और उसके प्यारे हैं। ये कहा करते थेः

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى.

कि जन्नत में सिर्फ़ यहूदी और ईसाई ही जायेंगे, इसलिये उन्हें कहा गया कि आओ इसका फ़ैसला इस तरह कर लें कि दोनों फ़रीक़ मैदान में निकल कर ख़ुदा से दुआ़ करें कि हममें से झूठे को हलाक कर डाले। लेकिन चूँकि उस जमाअ़त को अपने झूठ का यक़ीन था यह इसके लिये तैयार न हुए और उनका झूठ सब पर खुल गया। इसी तरह जब नजरान के ईसाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये, बहस मुबाहसा हो चुका तो उनसे भी यही कहा गयाः

تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ......... الخ.

कि आओ हम तुम दोनों अपनी-अपनी औलादों, बीवियों को लेकर निकलें और अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करें कि वह झूठों पर अपनी लानत नाज़िल फ़रमाये। लेकिन वे आपस में कहने लगे कि हरगिज़ इस नबी से मुबाहला न करो, वरना फ़ौरन बरबाद हो जाओगे। चुनाँचे मुबाहले से इनकार कर दिया, सुलह कर ली और दबकर जिज़्या (टैक्स) देना मन्ज़ूर कर लिया। आपने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि. को उनके साथ अमीन बनाकर भेज दिया। इसी तरह अ़रब के मुश्रिकों से भी कहा गयाः

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا.

यानी हममें से जो गुमराह हो अल्लाह तआ़ला उसकी गुमराही बढ़ा दे।

इसकी पूरी तफ़सील इस आयत के साथ बयान होगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला। ऊपर दर्ज हुई आयत की तफ़सीर में एक मरजूह (ग़ैर-वरीयता प्राप्त) क़ौल यह भी है कि तुम ख़ुद अपनी जानों के लिये मौत तलब करो, क्यों बक़ौल तुम्हारे आख़िरत की भलाईयाँ सिर्फ़ तुम्हारे लिये ही हैं। उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन यह क़ौल कुछ दिल को नहीं लगता, इसलिये कि बहुत से अच्छे और नेक आदमी भी ज़िन्दगी चाहते हैं बल्कि हदीस में है कि तुममें से बेहतर वह है जिसकी लम्बी उम्र हुई हो और आमाल अच्छे हों। इसके अ़लावा यही क़ौल यहूदी भी कह सकते थे तो बात फ़ैसला-कुन न होती, ठीक तफ़सीर वही है जो पहले

बयान हुई कि दोनों फ़रीक़ मिलकर झूठे की हलाकत और उसकी मौत की दुआ़ करें।

इस ऐलान के सुनते ही यहूद तो ठण्डे पड़ गये और तमाम लोगों पर उनका झूठ खुल गया और वह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) भी सच्ची साबित हुई कि ये लोग हरगिज़ मौत की ख़्वाहिश नहीं करेंगे। इस मुबाहले का नाम इस्तिलाह में "तमन्नी" रखा गया, क्योंकि हर फ़रीक़ बातिल परस्त की मौत की आरज़ू करता है। फिर फ़रमाया यह तो मुश्रिकीन से भी ज़्यादा लम्बी उम्र के इच्छुक हैं, क्योंकि उन काफ़िरों के लिये दुनिया जन्नत है और उनकी तमन्ना और कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा रहें। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि मुनाफ़िक़ को दुनियावी ज़िन्दगी की हिर्स (लालच और तमन्ना) काफ़िर से भी ज़्यादा होती है। ये यहूदी तो एक-एक हज़ार साल की उम्रें चाहते हैं, हालाँकि यह लम्बी उम्र भी उन्हें अ़ज़ाबों से निजात नहीं दे सकती। चूँकि काफ़िरों को तो आख़िरत पर यक़ीन ही नहीं होता, और इन्हें था फिर इनके बुरे आमाल भी सामने थे इसलिये मौत से बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन इब्लीस के बराबर भी उम्र पा लें तो क्या हुआ अ़ज़ाब से तो नहीं बच सकते। अल्लाह तआ़ला उनके आमाल से बेख़बर नहीं, तमाम बन्दों के तमाम भले बुरे आमाल को वह अच्छी तरह जानता है, और वैसा ही बदला देगा।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

आप (इनसे) यह कहिये कि जो शख़्स जिब्राईल से दुश्मनी रखे, सो उन्होंने यह क़ुरआन आपके दिल तक पहुँचा दिया है अल्लाह के हुक्म से, उसकी (ख़ुद) यह हालत है कि तस्दीक़ कर रहा है अपने से पहले वाली (आसमानी) किताबों की, और रहनुमाई कर रहा है और ख़ुशख़बरी सुना रहा है ईमान वालों को। (97) जो (कोई) शख़्स हक़ तआ़ला का दुश्मन हो और फ़रिश्तों का (हो) और पैग़म्बरों का (हो) और जिब्राईल का (हो) और मीकाईल का (हो) तो अल्लाह तआ़ला दुश्मन है ऐसे काफ़िरों का। (98)

इमाम अबू जाफ़र तबरी रह. फ़रमाते हैं कि इस पर मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) का इत्तिफ़ाक़ है कि जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल को अपना दोस्त बतलाया था उस वक़्त उनके जवाब में यह आयत नाज़िल हुई। लेकिन बाज़ कहते हैं कि नुबुव्वत के मामले के बारे में जो गुफ़्तगू उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हुई थी उसमें उन्होंने यह कहा था। बाज़ कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. से उनका जो मुनाज़रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत के बारे में हुआ था उसमें उन्होंने यह कहा था।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत पर चन्द दलीलें

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहूदियों की एक जमाअ़त रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आयी और कहा कि हम आप से चन्द सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो उनके जवाबात दीजिए। आपने फ़रमाया- बेहतर है, जो चाहो

पूछो, मगर अ़हद करो कि अगर मैं ठीक-ठीक जवाब दूँगा तो तुम मेरी नुबुव्वत का इक़रार करोगे और मेरी फ़रमाँबरदारी में लग जाओगे। उन्होंने इसका वायदा किया और अ़हद दिया। आपने हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की तरह ख़ुदा की शहादत (गवाही) के साथ उनसे पुख़्ता वायदा लेकर उन्हें सवाल करने की इजाज़त दी।

उन्होंने कहा पहले तो यह बताईये कि तौरात नाज़िल होने से पहले हज़रत इस्राईल अ़लैहिस्सलाम ने अपने नफ़्स पर किस चीज़ को हराम किया था? आपने फ़रमाया सुनो! जब हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम इरक़ुन्निसा (लंगड़ी के दर्द) की बीमारी में सख़्त बीमार हुए तो नज़्र (मन्नत) मानी कि अगर ख़ुदा तआ़ला मुझे इस मर्ज़ से शिफ़ा देगा तो मैं अपनी सबसे ज़्यादा पसन्दीदा चीज़ खाने की और सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ पीने की छोड़ दूँगा। जब तन्दुरुस्त हो गये तो ऊँट का गोश्त खाना और ऊँटनी का दूध पीना जो आपको पसन्द था, छोड़ दिया। तुम्हें ख़ुदा की क़सम जिसने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर तौरात उतारी बताओ यह सच है? उन सबने क़सम खाकर कहा कि हाँ हुज़ूर यह सच है, बजा इरशाद हुआ।

अच्छा अब हम पूछते हैं कि औ़रत मर्द के पानी की क्या कैफ़ियत है? और क्यों कभी लड़का पैदा होता है और कभी लड़की? आपने फ़रमाया सुनो! मर्द का पानी गाढ़ा और सफ़ेद होता है। और औ़रत का पानी पतला और ज़र्दी माईल (यानी कुछ पीलेपन पर) होता है। जो पानी ग़ालिब आ जाये उसी के मुताबिक़ पैदाईश होती है और शक्ल व सूरत में झलक भी। जब मर्द का पानी औ़रत के पानी पर ग़ालिब आ जाये तो अल्लाह के हुक्म से नरीना औलाद (यानी लड़का) होती है। और जब औ़रत का पानी मर्द के पानी पर ग़ालिब आ जाये तो अल्लाह के हुक्म से औलाद लड़की होती है। तुम्हें ख़ुदा की क़सम जिसके सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, सच बताओ मेरा जवाब सही है या नहीं? सब ने क़सम खाकर इक़रार किया कि बेशक आपने बजा इरशाद फ़रमाया। आपने इन बातों पर ख़ुदा तआ़ला को गवाह किया।

उन्होंने कहा अच्छा अब यह फ़रमाईये कि तौरात में जिस नबी-ए-उम्मी की ख़बर है उसकी ख़ास निशानी क्या है और उसके पास कौनसा फ़रिश्ता 'वही' (अल्लाह का पैग़ाम और अहकाम) लेकर आता है? आपने फ़रमाया उसकी ख़ास निशानी यह है कि उसकी आँखें जब सोई हुई हों उस वक़्त उसका दिल जागता रहता है। तुम्हें उस रब की क़सम जिसने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तौरात दी बताओ तो मैंने ठीक जवाब दिया या नहीं? सबने क़सम खाकर कहा कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक़ (हिस्से) का जवाब भी इनायत फ़रमा दीजिए इसी पर बहस का ख़ात्मा है। आपने फ़रमाया मेरा वली जिब्राईल है, वही मेरे पास 'वही' लाता है और वही तमाम अम्बिया-ए-किराम के पास अल्लाह का पैग़ाम लाता है। सच कहो और क़सम खाकर कहो कि मेरा यह जवाब भी दुरुस्त है कि नहीं? उन्होंने क़सम खाकर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है लेकिन चूँकि जिब्राईल फ़रिश्ता हमारा दुश्मन है, वह सख़्ती और ख़ूँरेज़ी वग़ैरह लेकर आता रहता है इसलिये हम उसकी नहीं मानेंगे। न आपकी मानेंगे। हाँ अगर आपके पास हज़रत मीकाईल वही लेकर आते जो रहमतें बारिश पैदावार वग़ैरह लेकर आते हैं जो हमारे दोस्त हैं तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक़ करते। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

बाज़ रिवायतों में है कि उन्होंने यह भी सवाल किया था कि रअ़द क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया वह एक फ़रिश्ता है जो बादलों पर मुक़र्रर है, जो अल्लाह तआ़ला के हुक्म के मुताबिक़ उन्हें इधर-उधर लेजाता है। उन्होंने कहा यह गरज किसकी आवाज़ है? आपने फ़रमाया यह उसी फ़रिश्ते की आवाज़ है। मुलाहिज़ा हो मुस्नद अहमद वग़ैरह।

सही बुख़ारी की एक रिवायत में है कि जब हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ़ लाये उस वक़्त हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. अपने बाग़ में थे और यहूदियत पर क़ायम थे। आपने जब यह ख़बर सुनी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास हाज़िर हुए और कहा कि हुज़ूर! तीन बातें पूछता हूँ जिनका जवाब नबियों के सिवा किसी को मालूम नहीं। यह फ़रमाईये कि क़ियामत की पहली शर्त क्या है? और जन्नतियों का पहला खाना क्या है? और कौनसी चीज़ बच्चे को कभी माँ की तरफ़ खींचती है और कभी बाप की तरफ़? आपने फ़रमाया- इन तीनों सवालों के जवाब अभी-अभी जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने मुझे बतलाये हैं। सुनो! हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने कहा वह तो हमारा दुश्मन है, आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई। फिर फ़रमाया पहली निशानी क़ियामत की एक आग है जो लोगों के पीछे लगेगी और उन्हें पूरब से पश्चिम की तरफ़ इकट्ठा कर देगी। जन्नतियों की पहली खुराक मछली की कलेजी की ज़्यादती है। जब मर्द का पानी औ़रत के पानी पर बढ़ जाता और ग़ालिब आ जाता है तो लड़का पैदा होता है और जब औ़रत का पानी मर्द के पानी पर आगे बढ़ जाता है तो लड़की पैदा होती है। यह जवाब सुनते ही हज़रत अ़ब्दुल्लाह मुसलमान हो गये और पुकार उठेः

"अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अन्न-क रसूलुल्लाहि"

फिर कहने लगे हुज़ूर! यहूदी बड़े बेवक़ूफ़ लोग हैं, अगर उन्हें पहले से मेरा इस्लाम लाना मालूम हो जायेगा तो वे मुझे बुरा कहने लगेंगे। आप पहले उन्हें ज़रा क़ायल माक़ूल तो कीजिए। आपके पास जब यहूदी आये तो आपने उनसे पूछा कि अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम तुममें कैसे शख़्स हैं? कहा बड़े बुज़ुर्ग और अच्छे नेक आदमी हैं, बुज़ुर्गों की औलाद में से हैं, वह तो हमारे सरदार हैं और सरदारों की औलाद में से हैं। आपने फ़रमाया अच्छा अगर वह मुसलमान हो जायें फिर तो तुम्हें इस्लाम के क़बूल करने में कोई संकोच न होगा? वे कहने लगे "अऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाह" वह मुसलमान ही क्यों होने लगे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह जो अब तक छुपे हुए थे बाहर आ गये और ज़ोर से कलिमा पढ़ने लगे। पस ये सारे के सारे शोर मचाने लगे कि यह खुद भी बुरा है और इसके बाप-दादा भी बुरे थे, यह बड़ा नीचे दर्जे का आदमी है और ख़ानदानी कमीना है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने फ़रमाया- हुज़ूर! इसी चीज़ का मुझे डर था।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत इक्रिमा रज़ि. फ़रमाते हैं "जिब्र" और "इसराफ़" के मायने 'अ़ब्द' यानी बन्दे के हैं और 'ईल' के मायने अल्लाह के हैं, तो जिब्राईल वग़ैरह के मायने अ़ब्दुल्लाह हुए। बाज़ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मायने भी किये हैं वे कहते हैं 'ईल' के मायने 'अ़ब्द' के हैं और उनसे पहले के अलफ़ाज़ खुदा के नाम हैं। जैसे अ़रबी में अ़ब्दुर्रहमान, अ़ब्दुल-क़ुद्दूस, अ़ब्दुस्सलाम, अ़ब्दुल-काफ़ी, अ़ब्दुल-जलील वग़ैरह। लफ़्ज़ 'अ़ब्द' हर जगह बाक़ी रहा और खुदा के नाम बदलते रहे। इसी तरह 'ईल' हर जगह बाक़ी है और खुदा के पाक नाम बदलते रहते हैं। ग़ैर-अ़रबी ज़बान में मुज़ाफ़ इलैहि (जिसकी तरफ़ किसी दूसरे लफ़्ज़ को जोड़ा जाये) पहले आता है और मुज़ाफ़ (जिसको जोड़ा जाये) बाद में। इसी क़ायदे के मुताबिक़ इन नामों में भी है। जैसे जिब्राईल, मीकाईल, इस्राफ़ील, इज़्राईल वग़ैरह।

अब मुफ़स्सिरीन की दूसरी जमाअ़त की दलील सुनिये जो कहते हैं कि यह गुफ़्तगू हज़रत उमर रज़ि. से हुई थी। इमाम शाबी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ि. रौहा में आये देखा कि लोग दौड़-भागकर एक पत्थर के तोदे के पास जाकर नमाज़ अदा कर रहे हैं। पूछा कि यह क्या बात है? जवाब मिला कि इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ अदा की है। आप बहुत नाराज़ हुए कि हुज़ूर को जहाँ कहीं नमाज़ का वक़्त आता था पढ़ लिया करते थे फिर चले जाया करते थे। अब उन मक़ामात को बरकती

समझ कर ख़्वाह-म-ख़्वाह वहीं जाकर नमाज़ अदा करना किसने बतलाया? फिर आप और बातों में लग गये। फ़रमाने लगे कि मैं यहूदियों के मजमे में कभी-कभी चला जाया करता और यह देखता रहता था कि किस तरह क़ुरआन तौरात को और तौरात क़ुरआन को सच्चा बता रही है। यहूदी भी मुझसे मुहब्बत ज़ाहिर करने लगे और अक्सर बातचीत हुआ करती थी।

एक दिन मैं उनसे बातें कर ही रहा था कि रास्ते से हुज़ूर निकले। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे नबी वह जा रहे हैं। मैंने कहा ख़ैर मैं जाता हूँ लेकिन यह तो बतलाओ तुम्हें एक अल्लाह की क़सम, ख़ुदा के हक़ याद करो और ख़ुदा की नेमतों पर नज़र रखकर ख़ुदा की किताब तुममें मौजूद होने का ख़्याल रखकर उसी रब की क़सम खाकर कहो कि क्या तुम हुज़ूर को रसूल नहीं मानते? अब सब ख़ामोश हो गये। उनके बड़े आ़लिम ने जो उन सब में इल्म में भी कामिल था और सब का सरदार भी था, उनसे कहा इतनी सख़्त क़सम इसने दी है क्यों तुम साफ़ और सच्चा जवाब नहीं देते? उन्होंनें कहा हज़रत आप ही हमारे बड़े हैं, ज़रा आप ही जवाब दीजिए। उस पादरी ने कहा सुनिये जनाब आपने ज़बरदस्त क़सम दी, सच तो यह है कि हम दिल से जानते हैं कि हुज़ूर ख़ुदा के सच्चे रसूल हैं। मैंने कहा अफ़सोस जब जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? कहा सिर्फ़ इस वजह से कि उनके पास आसमानी वही लेकर आने वाले जिब्राईल हैं, वह निहायत सख़्ती, तंगी, शिद्दत अ़ज़ाब और तकलीफ़ के फ़रिश्ते हैं, हम उनके और वह हमारे दुश्मन हैं। अगर वही लेकर हज़रत मीकाईल आते जो रहमत व नर्मी, राहत व सहूलियत लाने वाले फ़रिश्ते हैं तो हमें मानने में भी ताम्मुल (संकोच) न होता। मैंने कहा अच्छा बतलाओ तो इन दोनों की ख़ुदा के नज़दीक क्या कुछ क़द्र व हैसियत है? उन्होंने कहा एक तो अल्लाह तआ़ला के दाहिने बाज़ू की तरफ़ है और दूसरा दूसरी तरफ़। मैंने कहा उस ख़ुदा की क़सम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो उनमें से किसी का दुश्मन हो उसका दुश्मन ख़ुदा भी है और दूसरा फ़रिश्ता भी। जिब्राईल के दुश्मन से मीकाईल दोस्ती नहीं रख सकता, और मीकाईल का दुश्मन जिब्राईल का दोस्त नहीं हो सकता। न उनमें से किसी का दुश्मन ख़ुदा का दोस्त हो सकता है, न उन दोनों में से कोई अल्लाह तआ़ला की बिना इजाज़त के ज़मीन पर आ सकता है, न कोई काम कर सकता है। वल्लाह मुझे न तुमसे लालच है न ख़ौफ़ है, सुनो जो शख़्स अल्लाह तआ़ला का दुश्मन हो उसके फ़रिश्तों, उसके रसूलों और जिब्राईल व मीकाईल का दुश्मन हो तो ऐसे काफ़िर का ख़ुदा भी दुश्मन है।

इतना कहकर मैं चला आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँचा तो आपने मुझे देखते ही फ़रमाया- इब्ने ख़त्ताब! मुझ पर ताज़ा वही नाज़िल हुई है। मैंने कहा हुज़ूर सुनाईये। आपने यही आयत पढ़कर सुनाई। मैंने कहा हुज़ूर! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान यही बातें अभी-अभी यहूदियों से मेरी हो रही थीं, मैं तो चाहता ही था बल्कि इसी लिये हाज़िरे ख़िदमत हुआ था कि आपको ख़बर कर दूँ मगर मेरे आने से पहले हर बारीक से बारीक चीज़ की ख़बर रखने वाले और सब कुछ सुनने-देखने वाले ख़ुदा ने आपको ख़बर पहुँचा दी। मुलाहिज़ा हो इब्ने अबी हातिम वग़ैरह।

मगर यह रिवायत मुन्क़ता है, सनद मुत्तसिल नहीं। शअ़बी ने हज़रत उमर रज़ि. का ज़माना नहीं पाया। आयत का मतलब यह है कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ख़ुदा के अमीन फ़रिश्ते हैं, अल्लाह के हुक्म से आपके दिल में ख़ुदा की वही पहुँचाने पर मुक़र्रर हैं, वह फ़रिश्तों में से ख़ुदा के रसूल हैं, किसी एक रसूल से अ़दावत (दुश्मनी) रखने वाला सब रसूलों से अ़दावत रखने वाला है। जैसे एक रसूल पर ईमान लाने का नाम ईमान है और एक रसूल के साथ कुफ़्र तमाम नबियों के साथ कुफ़्र करने के बराबर है। ख़ुद ख़ुदा

तआ़ला ने बाज़ रसूलों के न मानने वालों को काफ़िर बताया है। फ़रमाता है:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ........ الخ.

यानी जो लोग अल्लाह तआ़ला के साथ और उसके रसूलों के साथ कुफ़्र करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफ़रीक़ (फ़र्क़ और भेदभाव) करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते। दूसरी आयत के आख़िर तक।

पस इन आयतों में स्पष्ट तौर पर उन लोगों को काफ़िर कहा जो किसी रसूल को न मानें। इसी तरह जिब्राईल का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। क़ुरआन फ़रमाता है:

وَمَانَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ.

यानी हम अल्लाह के हुक्म के सिवा नहीं उतरते। एक जगह फ़रमाता है:

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ........ الخ.

यह नाज़िल किया हुआ रब्बुल-आ़लमीन का है जिसे लेकर रूहुल-अमीन आते हैं और तेरे दिल में डालते हैं, ताकि लोगों को होशियार कर दे।

सही बुख़ारी की हदीसे क़ुदसी में है कि मेरे दोस्तों से दुश्मनी करने वाला मुझसे लड़ाई का ऐलान करने वाला है। क़ुरआने करीम की यह भी एक सिफ़त है कि वह अपने से पहले के तमाम रब्बानी कलाम की तस्दीक़ करता है और ईमान वालों को हिदायत और उनके लिये जन्नत की ख़ुशख़बरी देता है जैसे फ़रमाया:

هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ.

और फ़रमायाः

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

यानी यह क़ुरआन ईमान वालों के लिये हिदायत व शिफ़ा है रसूलों में इनसानी और फ़रिश्तों में के रसूल सब शामिल हैं। जैसे फ़रमायाः

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ.

अल्लाह तआ़ला फ़रिश्तों में से और इनसानों में से अपने रसूल छाँट लेता है।

जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम और मीकाईल भी फ़रिश्तों में से हैं, लेकिन उनका ख़ास तौर पर इसलिये नाम लिया ताकि मसला बिल्कुल साफ़ हो जाये और यहूदी जान लें कि उनमें से एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन है, बल्कि ख़ुदा भी उसका दुश्मन है। हज़रत मीकाईल भी कभी-कभी अम्बिया के पास आते रहे हैं जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ शुरू-शुरू में थे, लेकिन इस काम पर मुक़र्रर हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हैं जैसे हज़रत मीकाईल खेती उगाने, रिज़्क़ पहुँचाने और बारिश वग़ैरह पर मुक़र्रर हैं। और जैसे हज़रत इस्राफ़ील सूर फूँकने पर। एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को जब जागते तो यह दुआ़ पढ़ते:

اللّٰهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السمٰوٰت والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من

تشاء الى صراط مستقيم.

ऐ अल्लाह! ऐ जिब्राईल व मीकाईल के रब! ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले! ऐ छुपे खुले के जानने वाले! अपने बन्दों के इख़्तिलाफ़ (विवादों) का फ़ैसला तू ही करता है। ख़ुदाया विवादित बातों में अपने हुक्म से हक़ की तरफ़ मेरी रहबरी कर, तू जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है।

लफ़्ज़ जिब्राईल वग़ैरह की तहक़ीक़ और इसके मायने पहले बयान हो चुके हैं।

हज़रत उमर इब्ने अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ फ़रमाते हैं कि फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल का नाम ख़ादिमुल्लाह है। अबू सुलैमान दारानी यह सुनकर बहुत ही ख़ुश हुए और फ़रमाने लगे यह एक रिवायत मेरी रिवायतों के एक दफ़्तर से मुझे ज़्यादा महबूब है। जिब्राईल और मीकाईल के लफ़्ज़ में बहुत सारे लुग़त हैं और मुख़्तलिफ़ क़िराअत (पढ़ने के अन्दाज़) हैं जिनके बयान की मुनासिब जगह लुग़त की किताबें हैं, हम उन्हें बयान करके किताब को लम्बी करना नहीं चाहते। क्योंकि किसी मायने या किसी हुक्म का समझना इन पर मौक़ूफ़ नहीं। अल्लाह हमारी मदद करे, हमारा भरोसा और तवक्कुल उसी की पाक ज़ात पर है।

आयत के ख़ात्मे (समापन) में यह नहीं फ़रमाया कि अल्लाह भी उन लोगों का दुश्मन है, बल्कि फ़रमाया अल्लाह काफ़िरों का दुश्मन है। इसमें ऐसे लोगों का हुक्म भी मालूम हो गया। यह अ़रबी में कलाम का एक अन्दाज़ है कलामे अ़रब में अक्सर इसकी मिसालें शे'रों में भी पाई जाती हैं। गोया यूँ कहा जाता है कि जिसने अल्लाह के दोस्त से दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जो अल्लाह का दुश्मन अल्लाह भी उसका दुश्मन, और जिसका दुश्मन ख़ुद ख़ुदा हो जाये उसके कुफ़्र व बरबादी में क्या शुब्हा रह गया? सही बुख़ारी की हदीस पहले गुज़र चुकी कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखने वाले को मैं ऐलाने जंग देता हूँ। एक और हदीस में है कि मैं अपने दोस्तों का बदला ले लिया करता हूँ। एक और हदीस में है कि जिसका दुश्मन मैं हो जाऊँ वह बरबाद होकर ही रहता है।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ

और हमने तो आपके पास बहुत-सी दलीलें खुली नाज़िल की हैं, और कोई इनकार नहीं किया करता मगर सिर्फ़ वही लोग जो नाफ़रमानी के आ़दी हैं। (99) क्या और जब कभी भी उन लागों ने कोई अ़हद किया होगा (ज़रूर) उसको उनमें से किसी न किसी फ़रीक़ ने नज़र-अन्दाज़ कर दिया होगा, बल्कि उनमें ज़्यादा तो ऐसे ही निकलेंगे जो (मेरे उस अ़हद का) यक़ीन ही नहीं रखते। (100) और जब उनके पास एक पैग़म्बर आए अल्लाह की तरफ़ से, जो तस्दीक़ भी कर रहे हैं उस किताब की जो उन लोगों के पास है (यानी तौरात की)। इन अहले किताब में के एक फ़रीक़ ने ख़ुद उस अल्लाह की किताब ही को पीठ पीछे डाल दिया

عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ
لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هٰرُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ
اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُوْنَ بِهٖ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ
بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ
اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط قف وَ
لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ ع

है, जैसे उनको गोया बिल्कुल इल्म ही नहीं। (101) और उन्होंने ऐसी चीज़ का (यानी जादू का) इत्तिबा किया जिसका चर्चा किया करते थे शयातीन (यानी ख़बीस जिन्न) (हज़रत) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) की हुकूमत के ज़माने में, और (हज़रत) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने कुफ़्र नहीं किया, मगर (हाँ) शयातीन कुफ़्र करते थे, और (हालत यह थी कि) आदमियों को भी (उस) जादू की तालीम किया करते थे, और उस (जादू) की भी जो कि उन दोनों फ़रिश्तों पर नाज़िल किया गया था शहर बाबिल में जिनका नाम हारूत व मारूत था। और वे दोनों किसी को न बतलाते जब तक यह (न) कह देते कि हमारा वजूद भी एक इम्तिहान है, सो तू कहीं काफ़िर मत बन जाईयो (कि इसमें फंस जाए) सो (कुछ) लोग उन दोनों से इस क़िस्म का जादू सीख लेते थे जिसके ज़रिये से (अ़मल करके) किसी मर्द और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर देते थे। और ये (जादूगर) लोग उसके ज़रिये से किसी को भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते थे मगर ख़ुदा ही के (तक़दीरी) हुक्म से। और ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो (ख़ुद) उनको नुक़सान पहुँचाने वाली हैं और उनको नफ़ा देने वाली नहीं हैं। और ज़रूर ये (यहूदी) भी इतना जानते हैं कि जो शख़्स इसको इख़्तियार करे ऐसे शख़्स का आख़िरत में कोई हिस्सा (बाक़ी) नहीं। और बेशक बुरी है वह चीज़ (यानी जादू व कुफ़्र) जिसमें वे लोग अपनी जान दे रहे हैं। काश उनको (इतनी) अ़क्ल होती! (102) और अगर वे लोग (बजाय इसके) ईमान और तक़्वा (इख़्तियार) करते तो ख़ुदा तआ़ला के यहाँ का मुआ़वज़ा बेहतर था। काश उनको (इतनी) अ़क्ल होती! (103)

यानी ऐ मुहम्मद! हमने ऐसी निशानियाँ जो आपकी नुबुव्वत की खुली और स्पष्ट दलील बन सकें

नाज़िल फ़रमा दी हैं। यहूदियों की मख़्सूस मालूमात का ज़ख़ीरा उनकी किताब की पोशीदा बातें, उनका अल्लाह के अहकाम में तब्दीली और कमी-बेशी करना वग़ैरह सब हमने अपनी इस किताब यानी क़ुरआन में में बयान फ़रमा दिया है, जिन्हें सुनकर हर ज़िन्दा ज़मीर आपकी नुबुव्वत की तस्दीक़ के लिये मजबूर हो जाता है। हाँ यह और बात है कि यहूदियों को उनका हसद व बुग़ज़ (जलन और दुश्मनी) रोक दे, वरना हर शख़्स जान सकता है कि एक उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) शख़्स से ऐसा पाकीज़ा ख़ूबियों वाला हिक्मतों वाला कलाम बन नहीं सकता। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इब्ने सूर या फ़तयूनी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा था कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लाये जिसे हम पहचान लें, न आपके पास कोई ऐसी रोशन दलीलें हैं। इस पर यह आयते पाक नाज़िल हुई।

चूँकि यहूदियों ने इस बात से इनकार कर दिया था कि हमसे पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ के बारे में कोई अ़हद लिया गया हो, इस पर अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि यह उनकी आ़दत ही है कि अ़हद किया और तोड़ा, बल्कि उनमें के अक्सर तो ईमान से बिल्कुल ख़ाली हैं। 'न-ब-ज़' के मायने फेंक देना है, चूँकि उन लोगों ने किताबुल्लाह को, अल्लाह तआ़ला से किये अ़हद को इस तरह छोड़ रखा था गोया फेंक दिया था, इसलिये उनकी बुराई में यही लफ़्ज़ लाया गया। दूसरी जगह साफ़ बयान है कि उनकी किताबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र मौजूद है। फ़रमायाः

تَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ.

यानी ये लोग तौरात व इन्जील में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र मौजूद पाते हैं।

यहाँ भी फ़रमाया कि जब उनकी किताब की तस्दीक़ करने वाला हमारा पैग़म्बर उनके पास आया तो उनके एक फ़रीक़ ने ख़ुदा की किताब से बेपरवाही करके इस तरह उसे छोड़ दिया गोया कोई इल्म ही नहीं, बल्कि जादू के पीछे पड़ गये और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू किया, जिसकी इत्तिला आपको अल्लाह तआ़ला ने दी और उसका असर ख़त्म हुआ और आपको शिफ़ा मिली। तौरात से तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मुक़ाबला कर नहीं सकते थे इसलिये कि वह तो इसे सच्चा बताने वाली थी तो उसे छोड़कर दूसरी किताबें ले लीं और उनके पीछे लग गये और ख़ुदा की किताब को इस तरह छोड़ दिया कि गोया कभी जानते ही नहीं थे। नफ़्सानी इच्छाओं को सामने रख लिया और किताबुल्लाह को पीठ पीछे डाल दिया। यह भी कहा गया है कि राग, बाजे, खेल-तमाशे और ख़ुदा के ज़िक्र से रोकने वाली हर चीज़ "मा ततलुश्शयातीन" यानी शैतानों की चर्चा की जाने वाली चीज़ में दाख़िल है।

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा और जादू की हक़ीक़त पर एक उम्दा कलाम

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी, जब आप पाख़ाने के लिये जाते तो अपनी बीवी हज़रत जरादा को वह दे जाते। जब हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की आज़माईश का वक़्त आया उस वक़्त एक शैतान उनकी सूरत में आपकी बीवी साहिबा के पास आया और अंगूठी तलब की जो दे दी गयी। उसने पहन ली और तख़्ते सुलैमानी पर बैठ गया तमाम जिन्नात वग़ैरह हाज़िरे ख़िदमत हो गये। हुकूमत करने लगा। इधर जब हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम

वापस आये और अंगूठी तलब की तो जवाब मिला तू झूठा है, अंगूठी तो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ले गये। आपने समझ लिया कि यह ख़ुदा की तरफ़ से आज़माईश है। उन दिनों में शयातीन ने जादू की और नजूम (सितारों) की, कहानत (ज्योतिष) की और शे'र व अश्आ़र की ग़ैब की झूठी सच्ची ख़बरों की किताबें लिख-लिखकर हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की कुर्सी के नीचे दफ़न करनी शुरू कर दीं। आपकी आज़माईश का यह ज़माना ख़त्म हो गया। आप फिर तख़्त व ताज के मालिक हुए। तबई उम्र को पहुँचकर जब इन्तिक़ाल फ़रमाया तो शयातीन ने इनसानों से कहना शुरू किया कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का ख़ज़ाना और वे किताबें जिनके ज़रिये से वे हवाओं और जिन्नात पर हुक्मरानी करते थे उनकी कुर्सी के नीचे दफ़न हैं। चूँकि जिन्नात उस कुर्सी के पास नहीं जा सकते थे इसलिये इनसानों ने उसे खोदा तो वे किताबें बरामद हुईं। पस इसका चर्चा हो गया और हर शख़्स की ज़बान पर चढ़ गया कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की हुकूमत का राज़ यही था, बल्कि लोग हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत से इनकारी हो गये और आपको जादूगर कहने लगे। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस बात को स्पष्ट किया और फ़रमाने बारी नाज़िल हुआ कि जादूगरी का यह कुफ़्र तो शयातीन का फैलाया हुआ है, हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम इससे बिल्कुल बरी और अलग हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के पास एक शख़्स आया, आपने पूछा कहाँ से आये हो? उसने कहा इराक़ से। फ़रमाया इराक़ के किस शहर से? उसने कहा कूफ़ा से। पूछा वहाँ क्या ख़बरें हैं? उसने कहा वहाँ बातें हो रही हैं कि हज़रत अ़ली इन्तिक़ाल नहीं कर गये बल्कि ज़िन्दा रूपोश हैं और जल्द ही आयेंगे। आप काँप उठे और फ़रमाने लगे अगर ऐसा होता तो हम उनकी मीरास तक़सीम न करते, और न उनकी औ़रतें अपना दूसरा निकाह करतीं। सुनो! शयातीन आसमानी बातें चुरा लाया करते थे और उनमें अपनी बातें मिलाकर लोगों में फैलाया करते थे। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने ये तमाम किताबें जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफ़न कर दीं। आपके इन्तिक़ाल के बाद जिन्नात ने वे फिर निकाल लीं। वही किताबें इराक़ियों में फैली हुई हैं और उनही किताबों की बातें वे बयान करते और फैलाते रहते हैं। इसी का ज़िक्र इस आयत (आयत नम्बर 102, जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) में है।

उस ज़माने में यह भी मशहूर हो गया था कि शयातीन इल्मे ग़ैब जानते हैं। हज़रत सुलैमान ने उन किताबों को सन्दूक़ में भरकर दफ़न कर देने के बाद यह हुक्म जारी कर दिया कि जो यह कहेगा उसकी गर्दन मार दी जायेगी। बाज़ रिवायतों में है कि जिन्नात ने उन किताबों को हज़रत सुलैमान के इन्तिक़ाल के बाद आपकी कुर्सी तले दफ़न किया था और उनके शुरू के पेजों पर लिख दिया था कि यह इल्मी ख़ज़ाना आसिफ़ बिन बरख़िया का जमा किया हुआ है जो हज़रत सुलैमान बिन दाऊद के प्रधान मंत्री, ख़ास सलाहकार और वली दोस्त थे। यहूदियों में मशहूर था कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम नबी न थे बल्कि जादूगर थे, इस बिना पर ये आयतें नाज़िल हुईं और अल्लाह के सच्चे नबी ने एक सच्चे नबी की बराअत की और यहूदियों के इस अ़क़ीदे का ग़लत होना वाज़ेह किया। वे हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का नाम नबियों की जमाअ़त में सुनकर बहुत बिदकते थे इसलिये तफ़सील के साथ इस वाक़िए को बयान कर दिया।

एक वजह यह भी हुई कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने तमाम मूज़ी (तकलीफ़ देने वाले) जानवरों से अ़हद लिया था, जब उन्हें वह अ़हद याद कराया जाता था तो वे सताते न थे। फिर लोगों ने अपनी तरफ़ से इबारतें बनाकर जादू की क़िस्म के मंत्र.वग़ैरह उन सब को आपकी तरफ़ मन्सूब कर दिया, जिसका ग़लत और झूठ होना इन आयतों में है।

ख़्वाजा हसन बसरी का क़ौल है कि जादू हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पहले भी था और यह बिल्कुल सच है। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद हैं और मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरों का होना क़ुरआन से साबित है और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद होना भी क़ुरआन से ज़ाहिर है। दाऊद और जालूत के क़िस्से में हैः

مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى.

(मूसा के बाद) बल्कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से भी पहले हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम को उनकी क़ौम ने कहा थाः

اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ.

यानी तू जादू किये गये लोगों में से है। फिर फ़रमाता हैः

وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ..... الخ.

बाज़ तो कहते हैं यहाँ 'मा' नाफ़िया है यानी इनकार के मायने में है और इसका अ़त्फ़ (जोड़) ''मा क-फ़-र सुलैमा-न'' पर है। यहूदियों के इस दूसरे एतिक़ाद की कि जादू फ़रिश्तों पर नाज़िल हुआ है इस आयत में तरदीद (रद्द) है। हारूत-मारूत लफ़्ज़ शयातीन का बदल है। शयातीन अगरचे बहुवचन है और हारूत-मारूत दो, मगर बहुत सी बार दो पर भी बहुवचन का हुक्म हो जाता है। इसकी क़ुरआन में भी मिसालें मौजूद हैं। या इसलिये जमा किया गया कि उनके मानने वालों को भी शामिल कर लिया गया है और उनका नाम उनकी ज़्यादा सरकशी की वजह से खोल दिया गया है। इमाम क़ुर्तुबी तो कहते हैं कि यही ठीक मतलब इस आयत का है, इसके सिवा किसी और मुफ़्ती की तरफ़ तवज्जोह भी न करना चाहिये।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जादू ख़ुदा का नाज़िल किया हुआ नहीं। रबीअ़ बिन अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि उन पर कोई जादू नहीं उतरा। इस बिना पर आयत का तर्जुमा इस तरह होगा कि उन यहूदियों ने उस चीज़ की ताबेदारी की जो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान पढ़ा करते थे। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने कुफ़्र नहीं किया, न अल्लाह तआ़ला ने जादू को इन दो फ़रिश्तों पर उतारा है (जैसा कि ऐ यहूदियो! तुम्हारा ख़्याल जिब्राईल व मीकाईल के बारे में है) बल्कि यह कुफ़्र शैतानों का है जो बाबिल में लोगों को जादू सिखाया करते थे। और उनके सरदार जो आदमी थे जिनका नाम हारूत व मारूत था। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा इसे इस तरह पढ़ते थेः

وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ.

यानी दाऊद सुलैमान दोनों बादशाहों पर भी जादू नहीं उतारा गया, या यह कि वे इस तरह से रोकते थे, क्योंकि यह कुफ़्र है। इमाम इब्ने जरीर रह. ने इसका ज़बरदस्त रद्द किया है वह फ़रमाते हैं 'मा' मायने में 'अल्लज़ी' (जो कि) के है और हारूत व मारूत दो फ़रिश्ते हैं जिन्हें ख़ुदा ने ज़मीन की तरफ़ उतारा है और अपने बन्दों की आज़माईश और इम्तिहान के लिये उन्हें जादू की तालीम की इजाज़त दी है, लिहाज़ा हारूत-मारूत इस फ़रमाने बारी को बजा ला रहे हैं। एक ग़रीब क़ौल यह भी है कि ये जिन्नों के दो क़बीले हैं।

कोई यह एतिराज़ न करे कि फ़रिश्ते तो मासूम हैं, वे गुनाह करते ही नहीं, कहाँ यह कि लोगों को जादू सिखायें जो कुफ़्र है। इसलिये कि ये दोनों भी आ़म फ़रिश्तों में से ख़ास हो जायेंगे जैसे कि इब्लीस के बारे में आपः

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ....... الخ.

(सूरः ब-क़रह आयत 34) की तफ़सीर में पढ़ चुके हैं। हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने उमर रज़ि., हज़रत कअ़बे अहबार, हज़रत सुद्दी, हज़रत कलबी रह. यही फ़रमाते हैं। अब एक हदीस को सुनिये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जब आदम अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर उतारा और उनकी औलाद फैली और ज़मीन में अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी होने लगी तो फ़रिश्तों ने कहा कि देखो ये किस क़द्र बुरे लोग हैं, कैसे नाफ़रमान और सरकश हैं, हम अगर इनकी जगह होते तो हरगिज़ ख़ुदा की नाफ़रमानी न करते। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया अच्छा तुम अपने में से दो फ़रिश्तों को तलब कर लो, मैं उनमें इनसानी ख़्वाहिशें पैदा करता हूँ और उन्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ। फिर देखता हूँ कि वे क्या करते हैं। चुनाँचे उन्होंने हारूत व मारूत को पेश किया, अल्लाह तआ़ला ने उनमें इनसानी तबीयत पैदा की और उनसे कह दिया कि देखो इनसानों को तो मैं नबियों के ज़रिये अपने अहकाम पहुँचाता हूँ लेकिन तुमसे बिना वास्ते के (यानी डायरेक्ट) ख़ुद कह रहा हूँ कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, ज़िना न करना, शराब न पीना। अब ये दोनों ज़मीन पर उतरे और ज़ोहरा को उनकी आज़माईश के लिये हसीन व ख़ूबसूरत औ़रत की सूरत में उनके पास भेजा जिसे देखकर ये आ़शिक़ हो गये, और उससे ज़िना करना चाहा, उसने कहा अगर तुम शिर्क करो तो मैं मन्ज़ूर करती हूँ। इन्होंने जवाब दिया कि यह तो हम से न हो सकेगा।

वह चली गयी। फिर आई कहने लगी, अच्छा इस बच्चे को क़त्ल कर डालो तो मुझे तुम्हारी ख़्वाहिश पूरी करनी मन्ज़ूर होगी। उन्होंने उसे भी न माना, वह फिर आयी और कहा कि अच्छा शराब पी लो। उन्होंने इसे हल्का गुनाह समझ कर इसे मन्ज़ूर कर लिया। अब नशे में मस्त होकर ज़िनाकारी भी की और बच्चे को भी क़त्ल कर डाला। जब होश हवास दुरुस्त हुए तो उस औ़रत ने कहा जिन-जिन कामों का तुम पहले इनकार करते थे सब तुमने कर डाले। ये नादिम (शर्मिन्दा) हुए। इन्हें इख़्तियार दिया गया कि यह अ़ज़ाबे दुनिया को इख़्तियार करें या अ़ज़ाबे आख़िरत को। इन्होंने दुनिया के अ़ज़ाब पसन्द किये।

नोटः हारूत मारूत के सिलसिले में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। मौलाना अन्ज़र शाह कशमीरी रह. लिखते हैं कि ख़ुदा जाने अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने कैसे लिख दिया कि अक्सर पहले बुज़ुर्ग और उलेमा उनके फ़रिश्ते होने पर इत्तिफ़ाक़ रखते हैं, हालाँकि यह ग़लत है। उलेमा और मुहक़्क़िक़ीन की बड़ी जमाअ़त हमेशा ही इसकी क़ायल रही है कि हारूत व मारूत फ़रिश्ते नहीं थे। शैख़ अबू मन्सूर मातुरीदी ने तो उस शख़्स पर कुफ़्र का फ़तवा लगाया है जो हारूत व मारूत को फ़रिश्ता समझता हो। अ़ल्लामा आलूसी ने रूहुल-मआ़नी में इस तमाम बहस को मुकम्मल अन्दाज़ में ज़िक्र किया है। अहले इल्म को रूहुल-मआ़नी इस मौक़े पर ज़रूर देख लेनी चाहिये। फिर आयात की तफ़सीर भी इस मौक़े पर इब्ने कसीर ने मुहक़्क़िक़ाना इख़्तियार नहीं की, मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान साहिब ने "क़ससुल-क़ुरआन" (जिल्द 2) में जिन अक़वाल व आयात के मुनासिब और सही तफ़सीर क़रार दी है, इब्ने कसीर की तफ़सीर उसके सरासर ख़िलाफ़ है। तहक़ीक़ की तलब है तो क़ससुल-क़ुरआन का भी इस मौक़े पर मुताला कर लें। **हिन्दी अनुवादक**

सही इब्ने हिब्बान, मुस्नद अहमद, मर्दूया, इब्ने जरीर, मुसन्नफ़ इब्ने अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में यह हदीस मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ से मरवी है। मुस्नद अहमद की यह रिवायत ग़रीब है, इसमें एक रावी मूसा बिन ज़ुबैर अन्सारी सुलमी को इब्ने अबी हातिम ने मस्तूरुल-हाल (जिनके हालात का इल्म नहीं) लिखा है। इब्ने मर्दूया की

रिवायत में यह भी है कि एक रात को सफ़र के दौरान में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने हज़रत नाफ़े रह. से पूछा कि क्या ज़ोहरा तारा निकला? उन्होंने कहा नहीं। दो तीन मर्तबा के सवाल के बाद कहा अब ज़ोहरा निकला, तो फ़रमाने लगे उसे न ख़ुशी हो न भलाई मिले। हज़रत नाफ़े ने कहा हज़रत! एक सितारा जो हुक्मे ख़ुदा से निकलता-छुपता है आप उसे बुरा कहते हैं? फ़रमाया सुन मैं वही कहता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है। फिर उसके बाद ऊपर दर्ज हुई हदीस अलफ़ाज़ की थोड़ी सी भिन्नता के साथ सुनाई। लेकिन यह भी ग़रीब है। हज़रत कअ़ब वाली रिवायत मरफ़ूअ़ से ज़्यादा मौक़ूफ़ है, और मुम्किन है कि वह इस्राईली रिवायत हो। वल्लाहु आलम।

सहाबा और ताबिईन से भी इस क़िस्म की रिवायतें बहुत कुछ मन्क़ूल हैं। बाज़ में है कि ज़ोहरा एक औरत थी, उसने उन फ़रिश्तों से शर्त की थी कि तुम मुझे वह दुआ़ सिखा दो जिसे पढ़कर तुम आसमान पर चढ़ जाते हो। उन्होंने सिखा दी, यह पढ़कर चढ़ गयी और वहाँ तारे की शक्ल में बना दी गयी। बाज़ मरफ़ूअ़ रिवायतों में यह भी है लेकिन वो मुन्कर और ग़ैर-सही हैं। एक रिवायत में है कि इस वाक़िए से पहले तो फ़रिश्ते सिर्फ़ ईमान वालों की बख़्शिश की दुआ़ माँगते थे लेकिन इसके बाद तमाम ज़मीन वालों के लिये दुआ़ शुरू कर दी। बाज़ रिवायतों में है कि जब उन दोनों फ़रिश्तों से ये नाफ़रमानियाँ सर्ज़द हुईं तब और फ़रिश्तों ने इक़रार कर लिया कि इनसान जो अल्लाह तआ़ला से दूर हैं और बिन देखे ईमान लाते हैं उनसे ख़ताओं का सर्ज़द हो जाना कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं।

इन दोनों फ़रिश्तों से कहा गया कि अब या तो दुनिया का अ़ज़ाब पसन्द कर लो या आख़िरत के अ़ज़ाबों के लिये तैयार हो जाओ। दोनों ने आपस में मश्विरा करके दुनिया के अ़ज़ाब को इख़्तियार किया क्योंकि यह फ़ना हो जाने वाला है और आख़िरत के अ़ज़ाब दायमी (हमेशा रहने वाले) हैं। चुनाँचे उन्हें बाबिल में अ़ज़ाब हो रहा है। एक रिवायत में है कि उन्हें अल्लाह तआ़ला ने जो अहकाम दिये थे उनमें क़त्ल से और माले हराम से मनाही भी थी और यह हुक्म भी था कि फ़ैसले इन्साफ़ के साथ करें। यह भी वारिद हुआ है कि ये तीन फ़रिश्ते थे लेकिन एक ने आज़माईश से इनकार कर दिया और वापस चला गया फिर दो की आज़माईश हुई।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह वाक़िआ़ हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के ज़माने का है। यहाँ बाबिल से मुराद बाबिल देनावन्द है। उस औरत का नाम अ़रबी में ज़ोहरा था और नब्ती ज़बान में उसका नाम बेदख़्त था और फ़ारसी में अनाहीद था। यह औरत अपने शौहर के ख़िलाफ़ एक मुक़द्दिमा लाई थी। जब उन्होंने इससे बुराई का इरादा किया तो इसने कहा पहले मुझे मेरे शौहर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दो तब मन्ज़ूर है। इन्होंने ऐसा ही किया, फिर उसने कहा मुझे यह भी बता दो कि क्या पढ़कर आसमान पर चढ़ जाते हो और क्या पढ़कर उतरते हो? उन्होंने यह भी बता दिया चुनाँचे वह उसे पढ़कर आसमान पर चढ़ गयी लेकिन उतरने का वज़ीफ़ा भूल गयी और वहीं सितारे की सूरत में बदल दी गयी। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. जब कभी ज़ोहरा सितारे को देखते तो लानत भेजा करते थे।

अब उन फ़रिश्तों ने जब चढ़ना चाहा तो न चढ़ सके, समझ गये कि अब हम हलाक हुए। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि पहले चन्द दिनों तक तो ये फ़रिश्ते साबित-क़दम (सही रास्ते पर जमे) रहे, सुबह से शाम तक अ़दल (इन्साफ़) के साथ हुक्म करते रहते, शाम को आसमान पर चढ़ जाते। फिर ज़ोहरा को देखकर अपने नफ़्स पर क़ाबू न रख सके। ज़ोहरा सितारे को एक ख़ूबसूरत औरत की शक्ल में भेजा गया था। ग़र्ज़ कि हारूत व मारूत का यह क़िस्सा ताबिईन में से भी अक्सर लोगों ने बयान किया है जैसे

मुजाहिद, सुद्दी, हसन बसरी, क़तादा, अबुल-आलिया, ज़ोहरी, रबीअ़ बिन अनस, मुक़ातिल बिन हय्यान वग़ैरह-वग़ैरह। और पहले व बाद के मुफ़स्सिरीन ने भी अपनी-अपनी तफ़सीरों में इसे नक़ल किया है, लेकिन इसका ज़्यादातर दारोमदार बनी इस्राईल की रिवायतों पर है। कोई सही मरफ़ूअ़ मुत्तसिल हदीस इस बारे में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से साबित नहीं और न क़ुरआने करीम में इस क़द्र तफ़सील है। पस हमारा ईमान है कि जिस क़द्र क़ुरआन में है सही और दुरुस्त है और हक़ीक़ते हाल का इल्म अल्लाह तआ़ला को ही है।

क़ुरआने करीम के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान, बैहक़ी वग़ैरह की मरफ़ूअ़ हदीस, हज़रत अ़ली रज़ि. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. वग़ैरह की मौक़ूफ़ रिवायात, ताबिईन वग़ैरह की तफ़ासीर मिल-मिलाकर इस वाक़िए को बहुत कुछ मज़बूत बना देती हैं, न इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसे अ़क़्ली तौर पर मुहाल कहा जा सके, न इसमें किसी इस्लामी उसूल का ख़िलाफ़ है। फिर ज़ाहिर से हटाकर बेजा तकल्लुफ़ात उठाने की कोई ज़रूरत बाक़ी नहीं रह जाती। वल्लाहु आलम। (फ़तहुल-बयान)

इब्ने जरीर में एक ग़रीब क़ौल और एक अ़जीब वाक़िआ़ है उसे भी सुनिये। हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि दौमतुल-जुन्दुल की एक औ़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन्तिक़ाल के थोड़े ही ज़माने के बाद आपकी तलाश में आयी और आपके इन्तिक़ाल की ख़बर पाकर बेचैन होकर रोने-पीटने लगी। मैंने उससे पूछा कि आख़िर क्या बात है? उसने कहा कि मुझमें और मेरे शौहर में हमेशा नाइत्तिफ़ाक़ी और झगड़ा रहता था, एक मर्तबा वह मुझे छोड़कर लापता हो गया, कहीं चला गया। एक बुढ़िया से मैंने यह सब ज़िक्र किया, उसने कहा जो मैं कहूँ वह करो, ख़ुद-बख़ुद तेरे पास आ जायेगा। मैं तैयार हो गयी। वह रात के वक़्त दो कुत्ते लेकर मेरे पास आयी। एक पर वह ख़ुद सवार हुई दूसरे पर मैं बैठ गयी। थोड़ी ही देर में हम दोनों बाबिल गये, मैंने देखा कि दो शख़्स उधर लटके हुए हैं और लोहे में जकड़े हुए हैं। उस औ़रत ने मुझसे कहा इनके पास जा और इनसे कह कि मैं जादू सीखने आयी हूँ। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा सुन हम तो आज़माईश में हैं तू जादू न सीख, उसका सीखना कुफ़्र है। मैंने कहा मैं तो सीखूँगी। उन्होंने कहा अच्छा फिर जा और उस तन्दूर में पेशाब करके चली आ, मैं गयी और इरादा किया लेकिन कुछ दहशत सी तारी हुई, मैं वापस आ गयी और कहा कि मैं फ़ारिग़ हो आयी। उन्होंने पूछा क्या देखा? मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा तू ग़लत कहती है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा ईमान सलामत है, अब भी लौट जा और कुफ़्र न कर। मैंने कहा मुझे तो जादू सीखना है। उन्होंने फिर कहा जा तन्दूर में पेशाब कर आ। मैं फिर गयी लेकिन अब की मर्तबा भी दिल न चला, वापस आयी फिर इसी तरह सवाल जवाब हुए। मैं तीसरी मर्तबा फिर तन्दूर के पास गयी और दिल कड़ा करके पेशाब करने को बैठ गयी। मैंने देखा कि एक घोड़े सवार मुँह पर नक़ाब डाले निकला और आसमान पर चढ़ गया। मैं वापस चली आयी, उनसे ज़िक्र किया उन्होंने कहा हाँ अब की मर्तबा तू सच कहती है, वह तेरा ईमान था जो तुझसे निकल गया, अब चली जा।

मैं आयी और उस बुढ़िया से कहा कि उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया। उसने कहा बस तुझे सब कुछ आ गया, तू जो कहेगी हो जायेगा। मैंने आज़माईश के लिये एक दाना गेहूँ का लिया, उसे ज़मीन पर डालकर कहा उग जा, वह फ़ौरन उग गया। मैंने कहा तुझमें बाल पैदा हो जाये, चुनाँचे हो गयी। मैंने कहा सूख जा वह बाल सूख गयी। मैंने कहा अलग-अलग दाना-दाना हो जा वह भी हो गया। फिर मैंने कहा सूख

जा तो सूख गया। फिर मैंने कहा आटा बन जा तो बन गया, मैंने कहा रोटी पक जा तो पक गयी। यह देखते ही मेरा दिल नादिम (शर्मिन्दा) होने लगा और मुझे अपने बेईमान होने का सदमा होने लगा। ऐ उम्मुल-मोमिनीन क़सम ख़ुदा की न मैंने उस जादू से कोई काम लिया न किसी पर किया। यूँ ही रोती-पीटती हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई कि हुज़ूर से कहूँ लेकिन अफ़सोस बद-क़िस्मती से आपको भी मैंने न पाया। अब मैं क्या करूँ?

इतना कहकर फिर उसने रोना-बिलखना शुरू किया और इस क़द्र रोई कि हर एक को उस पर तरस आने लगा। सहाबा किराम भी हैरान थे कि इसे क्या फ़तवा दें। आख़िर बाज़ सहाबा ने कहा अब सिवाय इसके क्या हो कि तुम इस फ़ेल को न करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो और अपने माँ-बाप की ख़िदमत गुज़ारी करती रहो। यहाँ यह भी ख़्याल रखना चाहिये कि सहाबा किराम रज़ि. फ़तवा देने में बहुत एहतियात करते थे, कि छोटी सी बात बताने में भी ताम्मुल (सोच-विचार और संकोच) होता था। आज हम बड़ी से बड़ी बात में भी अपनी राय और क़ियास को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं। इसकी असनाद बिल्कुल सही है, बाज़ लोग कहते हैं कि असल चीज़ जादू के ज़ोर से पलट जाती है और बाज़ कहते हैं कि नहीं सिर्फ़ देखने वाले को ऐसा ख़्याल पड़ता है, असल चीज़ जैसी होती है वैसी ही रहती है। जैसे क़ुरआन में हैः

سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ........ الخ.

यानी उन्होंने लोगों की आँखों पर जादू कर दिया। और फ़रमायाः

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى.

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ ख़्याल डाला जाता था कि गोया वह साँप वग़ैरह उनके जादू के ज़ोर से चल फिर रहे हैं।

इस वाक़िए से यह भी मालूम होता है कि आयत में लफ़्ज़ बाबिल से मुराद इराक़ का बाबिल है, देनावन्द का बाबिल नहीं। इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत में है कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब रज़ि. बाबिल की ज़मीन में जा रहे थे, अ़सर की नमाज़ का वक़्त आ गया लेकिन आपने वहाँ नमाज़ अदा न की बल्कि उस ज़मीन की सरहद से निकल जाने के बाद नमाज़ पढ़ी और फ़रमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है और बाबिल की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से भी मनाही फ़रमाई है। यह ज़मीन मलऊन है। अबू दाऊद में भी यह हदीस मरवी है और इमाम अबू दाऊद ने इस पर कोई कलाम (टिप्पणी) नहीं किया और जिस हदीस को हज़रत इमाम अबू दाऊद अपनी किताब में लायें और उसकी सनद पर ख़ामोशी इख़्तियार करें तो वह हदीस इमाम साहिब के नज़दीक हसन होती है। इससे मालूम हुआ कि बाबिल की सरज़मीन में नमाज़ मक्रूह है जैसे कि समूदियों की सरज़मीन के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि उन लोगों की मन्ज़िलों (ठिकानों) में न जाओ, अगर इत्तिफ़ाक़न जाना पड़े तो अल्लाह के ख़ौफ़ से डरते हुए जाओ।

आसमान और सितारों से मुताल्लिक़ बातों का इल्म रखने वाले लोगों का क़ौल है कि बाबिल की दूरी पश्चिमी समुद्र और औक़ियानूस से सत्तर दर्जा लम्बी और ज़मीन के बीच से दक्षिण की जानिब ख़त्ते इस्तिवा (भूमध्य रेखा/ विषुवत रेखा) से तैंतीस दर्जा है। वल्लाहु आलम।

चूँकि हारूत मारूत को अल्लाह तआ़ला ने ख़ैर व शर, कुफ़्र व ईमान का इल्म दे रखा है इसलिये हर उस कुफ़्र की तरफ़ झलकने वाले को नसीहत करते हैं और हर तरह रोकते हैं। जब नहीं मानता तो वे उसे

कह देते हैं कि उसका नूरे ईमान जाता रहता है। ईमान से हाथ धो बैठता है और जादू आ जाता है। शैतान उसका साथी और दोस्त बन जाता है, ईमान के निकल जाने के बाद ख़ुदा का ग़ज़ब उस पर नाज़िल होता है। इब्ने जुरैज रह. फ़रमाते हैं कि सिवाय काफ़िर के और कोई जादू सीखने की जुर्रत नहीं करता। फ़ितने के मायने यहाँ पर बला, आज़माईश और इम्तिहान के हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़ौल क़ुरआने पाक में मज़कूर हैः

اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ.

कि वह तेरी आज़माईश है।

इस आयत से यह भी मालूम हो गया कि जादू सीखना कुफ़्र है। हदीस में भी है कि जो शख़्स किसी काहिन (ग़ैब की बात बताने वाले) या जादूगर के पास जाये और उसकी बात को सच समझे उसने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर उतरी हुई वही (शरीअ़त) के साथ कुफ़्र किया। (बज़्ज़ार) यह हदीस सही है और इसकी ताईद में दूसरी हदीसें भी आयी हैं।

फिर फ़रमाया कि लोग हारूत-मारूत से जादू सीखते हैं जिससे बुरे काम करते हैं, औरत मर्द की मुहब्बत और मुवाफ़क़त को नफ़रत व मुख़ालफ़त से बदल देते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि शैतान अपना अ़र्श पानी पर रखता है, फिर अपने लश्करों को बहकाने के वास्ते भेजता है, सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला उसके नज़दीक वह है जो फ़ितने में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। ये जब वापस आते हैं तो अपने बुरे कामों का ज़िक्र करते हैं। कोई कहता है मैंने फ़ुलाँ को इस तरह गुमराह कर दिया। कोई कहता है मैंने फ़ुलाँ शख़्स से यह गुनाह कराया। शैतान उससे कहता है यह कुछ नहीं मामूली काम हैं। यहाँ तक कि एक आकर कहता है कि मैंने एक शख़्स और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा डाल दिया यहाँ तक कि जुदाई हो गयी, शैतान उसे गले लगा लेता है और कहता है हाँ तूने बड़ा काम किया। उसे अपने पास बैठा लेता है और उसका मर्तबा बढ़ा देता है। पस जादूगर भी अपने जादू से वह काम करता है जिससे मियाँ बीवी में जुदाई हो जाये, जैसे उसकी शक्ल व सूरत उसे बुरी मालूम होने लगे, या उसकी आ़दतों और तौर-तरीक़ों से जो ग़ैर-शरई न हों ये नफ़रत करने लगे, या दिल में अ़दावत आ जाये वग़ैरह-वग़ैरह। रफ़्ता-रफ़्ता ये बातें बढ़ती जायें और आपस में छूठ-छुठाव हो जाये।

फिर फ़रमाया कि ये किसी को भी बग़ैर ख़ुदा की मर्ज़ी के कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। यानी उनके अपने बस की बात नहीं, अल्लाह तआ़ला की क़ज़ा व क़द्र (तक़दीर व फ़ैसले) और उसके इरादे के मातहत यह नुक़सान भी पहुँचता है, अगर ख़ुदा न चाहे तो उसका जादू महज़ बेअसर और बेफ़ायदा हो जाता है। यह मतलब भी हो सकता है कि यह जादू उसी शख़्स को नुक़सान देता है जो उसे हासिल करे और उसमें दाख़िल हो। फिर इरशाद होता है वे सीखते हैं जो उनके लिये सरासर नुक़सानदेह है, जिसमें कोई नफ़ा नहीं और ये यहूदी जानते हैं कि रसूल की ताबेदारी छोड़कर जादू के पीछे लगने वालों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, न उनकी कोई क़द्र व वक़्अ़त ख़ुदा के पास है, न वे दीनदार समझे जाते हैं।

फिर फ़रमाया अगर यह उस काम की बुराई को महसूस करते और ईमान व तक़वा बरतते तो यक़ीनन उनके लिये बहुत ही बेहतर था, मगर यह बेइल्म लोग हैं। यही एक और जगह फ़रमाया कि अहले इल्म (जानने वालों) ने कहा कि तुम पर अफ़सोस है अल्लाह तआ़ला का दिया हुआ सवाब ईमान वालों और नेक आमाल वालों के लिये बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसे सब्र करने वाले ही पा सकते हैं। इस आयत से उलेमा

और बुज़ुर्गों ने यह दलील भी पकड़ी है कि जादूगर काफ़िर है, क्योंकि आयत में "व लौ आमनू वत्तक़ौ" (कि अगर ये लोग ईमान लाते और तक़वा इख़्तियार करते.......) फ़रमाया है।

हज़रत इमाम अहमद और बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त भी जादू सीखने वाले को काफ़िर कहती है। बाज़ काफ़िर तो नहीं कहते लेकिन फ़रमाते हैं कि जादूगर की सज़ा यह है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। बजाला बिन अ़बदा कहते हैं, हज़रत उमर ने अपने एक फ़रमान में लिखा था कि हर एक जादूगर मर्द औ़रत को क़त्ल कर दो, चुनाँचे हमने तीन जादूगरों की गर्दन मारी। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर उनकी बाँदी ने जादू किया जिस पर उसे क़त्ल किया गया। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रह. फ़रमाते हैं कि तीन सहाबियों से जादूगर के क़त्ल का फ़तवा साबित है। तिर्मिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जादूगर की सज़ा तलवार से क़त्ल कर देना है। इस हदीस के एक रावी इस्माईल बिन मुस्लिम ज़ईफ़ हैं। सही बात यही मालूम होती है कि ग़ालिबन यह हदीस मौक़ूफ़ है, लेकिन तबरानी में एक दूसरी सनद से भी यह हदीस मरफ़ूअ़न् मरवी है। वल्लाहु आलम।

वलीद बिन उक़्बा के पास एक जादूगर था जो अपने कर्तब बादशाह को दिखाया करता था। बज़ाहिर एक शख़्स का सर काट लेता था, आवाज़ देता तो सर जुड़ जाता और वह मौजूद हो जाता। मुहाजिरीन सहाबा रज़ि. में से एक बुज़ुर्ग सहाबी ने यह देखा और दूसरे दिन तलवार बाँधे हुए आये, जब जादूगर ने अपना खेल शुरू किया तो आपने अपनी तलवार से ख़ुद उसकी गर्दन उड़ा दी और फ़रमाया- अगर तू सच्चा है तो अब ख़ुद जी उठ। फिर क़ुरआन पाक की यह आयत पढ़कर लोगों को सुनाई:

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ.

क्या तुम देखते भालते जादू के पास जाते हो?

चूँकि उन बुज़ुर्ग सहाबी ने वलीद की इजाज़त उसके क़त्ल में नहीं ली थी इसलिये बादशाह ने नाराज़ होकर उन्हें गिरफ़्तार करा लिया लेकिन फिर छोड़ दिया। इमाम शाफ़ई रह. ने हज़रत उमर रज़ि. के फ़रमान और हज़रत हफ़सा रज़ि. के वाक़िए के मुताल्लिक़ यह कहा है कि यह हुक्म उस वक़्त है जब जादू शिर्किया अलफ़ाज़ से हो। मोतज़िला जादू के वजूद के मुन्किर हैं, वे कहते हैं कि जादू कोई चीज़ नहीं बल्कि बाज़ लोग तो बाज़ दफ़ा इतना बढ़ जाते हैं कि कहते हैं जो जादू का वजूद मानता हो वह काफ़िर है, लेकिन अहले सुन्नत जादू के वजूद के क़ायल हैं। ये मानते हैं कि जादूगर अपने जादू के ज़ोर से हवा पर उड़ सकते हैं और इनसान को बज़ाहिर गधा और गधे को बज़ाहिर इनसान बना डालते हैं मगर मंत्र-तंत्र के कलिमात के वक़्त इन चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह तआ़ला है, आसमान को और तारों को तासीर पैदा करने वाला अहले सुन्नत नहीं मानते। फ़ल्सफ़े और नजूम वाले (सितारों के इल्म के माहिर) और बेदीन लोग तो सितारों और आसमान को ही असर पैदा करने वाला जानते हैं। अहले सुन्नत की एक दलील तो यह आयत:

وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ......الخ

कि जादूगर लोग किसी को भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते...।

है, और दूसरी दलील ख़ुद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू किया जाना और आप पर उसका असर होना है। तीसरे उस औ़रत का वाक़िआ़ जिसे हज़रत आ़यशा रज़ि. ने बयान फ़रमाया है जो ऊपर अभी-अभी गुज़रा है। और भी बीसियों ऐसे ही वाक़िआ़त वग़ैरह हैं। इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीर में

लिखा है कि जादू का हासिल करना बुरा नहीं, मुहक़्क़िक़ीन का यही क़ौल है, इसलिये कि वह भी एक इल्म है और अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

यानी आप कह दीजिये कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं होते।

और इसलिये भी कि यह मालूम होगा तो इससे मोजिज़े और जादू में फ़र्क़ पूरी तरह हो जायेगा और मोजिज़े का इल्म वाजिब है, और वह मौक़ूफ़ है जादू के सीखने पर, जिससे फ़र्क़ मालूम हो। पस जादू का सीखना भी वाजिब हुआ।

इमाम राज़ी का यह क़ौल पूरी तरह ग़लत है, अगर अ़क़्ली एतिबार से वह इसे बुरा न बतायें तो मोतज़िला मौजूद हैं जो अ़क़्ली तौर पर भी इसकी बुराई के क़ायल हैं, अगर शरअ़न् बुरा न बतलाते हों तो क़ुरआन की यह आयत शरई तौर पर बुराई बतलाने के लिये काफ़ी है। सही हदीस में है कि जो शख़्स किसी जादूगर या काहिन के पास जाये वह काफ़िर हुआ। सुनन में हदीस है कि जिसने गिरह दी और उसमें फूँका उसने जादू किया। पस इमाम राज़ी का यह क़ौल ग़लत है, उनका यह कहना कि मुहक़्क़िक़ीन का क़ौल यही है यह भी ठीक नहीं, आख़िर उन मुहक़्क़िक़ीन के ऐसे क़ौल कहाँ हैं? इस्लाम के इमामों में से किसने यह कहा है। फिर जो आयत इल्म के बारे में ऊपर उन्होंने बयान की यह भी एक दुस्साहस है, क्योंकि आयत में इल्म से मुराद दीनी इल्म है। आयत में शरई इल्म वाले उलेमा की फ़ज़ीलत बयान हुई है। फिर उनका क़ौल कि इसी से मोजिज़े का इल्म हासिल होता है यह तो बिल्कुल बेकार और फ़ुज़ूल बात है, इसलिये कि हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा क़ुरआन पाक है जो बातिल से सरासर महफ़ूज़ है, लेकिन उसका मोजिज़ा जानना जादू जानने पर मौक़ूफ़ नहीं। वे लोग जिन्हें जादू से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं वे भी उसे मोजिज़ा मान गये। सहाबा, ताबिईन, इमाम हज़रात बल्कि आम मुसलमान भी इसे मोजिज़ा मानते हैं हालाँकि उन तमाम में से किसी एक ने भी जादू जानना तो क्या जादू के पास तक नहीं फटकना सीखा, न सिखाया, न किया, न कराया, बल्कि इन सब कामों को कुफ़्र कहते रहे। फिर यह दावा करना कि मोजिज़े का जानना वाजिब और जादू और मोजिज़े का फ़र्क़ जादू के जानने पर मौक़ूफ़ है, लिहाज़ा जादू का सीखना वाजिब हुआ, यह किस क़द्र मोहमल (ग़लत और बेकार) दावा है।

अब जादू की क़िस्में सुनिये, जिन्हें अबू अ़ब्दुल्लाह राज़ी ने बयान किया है।

1. एक जादू तो सितारों को पूजने वाले फ़िर्क़े का है। वे सात घूमने और चलने वाले सितारों के बारे में अ़क़ीदा रखते हैं कि भलाई-बुराई उन्हीं के सबब से होती है, इसलिये उनको ख़िताब करके मुक़र्ररा अलफ़ाज़ पढ़ा करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, इसी क़ौम में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम आये और उन्हीं हिदायत की। इमाम राज़ी ने इस फ़न में एक ख़ास किताब लिखी है जिसका नाम "अस्सिरुर्ल-मक्तूम फ़ी मुख़ातबतिश्शम्सि वन्नुजूम" रखा है। मुलाहिज़ा हो इब्ने ख़ुल्क़ान वग़ैरह। बाज़ तो कहते हैं कि फिर उससे तौबा कर ली है और बाज़ कहते हैं कि सिर्फ़ मालूम कराने के लिये और अपने इस इल्म को ज़ाहिर करने के लिये यह किताब लिखी थी, न कि उनका एतिक़ाद भी यही हो जो सरासर कुफ़्र है। इस किताब में उन लोगों के तौर-तरीक़े लिखे हैं।

2. दूसरा जादू क़वी नफ़्स और क़ुव्वते वाहिमा वाले लोगों का है। वहम और ख़्याल का बड़ा असर होता है। देखिये अगर एक तंग पुल ज़मीन पर रख दिया जाये तो उस पर इनसान आसानी से चला जायेगा,

लेकिन यही तंग पुल अगर किसी दरिया पर हो तो नहीं गुज़र सकेगा। इसलिये कि उस वक़्त ख़्याल होता है कि अब गिरा और अब गिरा, तो वाहिमा की कमज़ोरी के सबब जितनी जगह पर ज़मीन में चल फिर सकता था उतनी जगह पर ऐसे डर के वक़्त नहीं चल सकता। हकीमों और तबीबों ने भी मरऊफ़ (जिसकी नकसीर ज़्यादा छूटती हो) शख़्स को सुर्ख़ चीज़ों को देखने से रोक दिया है और मिर्गी वालों को ज़्यादा रोशनी वाली और तेज़ हरकत करने वाली चीज़ों के देखने से मना किया है, जिससे ज़ाहिर है कि क़ुव्वते वाहिमा का एक ख़ास असर तबीयत पर पड़ता है।

अ़क़्लमन्द लोगों का इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि नज़र लगती है। सही हदीस में भी आया है कि नज़र का लगना हक़ है, अगर कोई चीज़ तक़दीर पर आगे बढ़ने वाली होती तो नज़र होती। अब अगर नफ़्स क़वी है तो ज़ाहिरी सहारों और ज़ाहिरी कामों की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर इतना क़वी नहीं तो फिर उन आलात (उपकरणों और यंत्रों) की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस क़द्र नफ़्स की क़ुव्वत बढ़ती जायेगी वह रूहानियात में तरक़्क़ी करता जायेगा और तासीर में बढ़ता जायेगा और जिस क़द्र यह क़ुव्वत कम होती जायेगी उसी क़द्र यह घटता जायेगा। यह बात कभी ग़िज़ा की कमी, लोगों से मेल-जोल छोड़ने वग़ैरह से भी हासिल हो जाती है, कभी तो इसे हासिल करके इनसान नेकी के काम शरीअ़त के मुताबिक़ इससे लेता है, इस हाल को शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में "करामत" कहते हैं, जादू नहीं कहते। और कभी इस हाल से बातिल में और ख़िलाफ़े शरअ़ कामों में मदद लेता और दीन से दूर पड़ जाता है, ऐसे लोगों के यह ख़िलाफ़े आ़दत कामों से किसी को धोखा खाकर उन्हें वली न समझ लेना चाहिये, क्योंकि शरीअ़त के ख़िलाफ़ चलने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आप देखते नहीं कि सही हदीसों में दज्जाल के बारे में क्या कुछ आया है? वह कैसे-कैसे ख़िलाफ़े आ़दत काम (यानी कर्तब और चमत्कार) करके दिखायेगा लेकिन उनकी वजह से वह ख़ुदा का वली नहीं बल्कि वह मलऊन व धुतकारा हुआ है।

3. तीसरी क़िस्म का जादू जिन्नात वग़ैरह ज़मीन वालों की रूहों से इमदाद व सहयोग तलब करने का है। मोतज़िला और फ़ल्सफ़ी हज़रात इसके क़ायल नहीं। इन रूहों से बाज़ मख़्सूस अलफ़ाज़ और आमाल के ज़रिये ताल्लुक़ पैदा करते हैं, इसे "सेहर बिल-ग़राईम" और "अ़मले तसख़ीर" भी कहते हैं।

4. चौथी क़िस्म ख़्यालात का बदल देना, आँखों पर अंधेरा डाल देना और करतब बाज़ी करना है, जिससे हक़ीक़त के ख़िलाफ़ कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। तुमने देखा होगा कि शोबदे बाज़ (करतब दिखाने वाला) पहले एक काम शुरू करता है, जब लोग दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ़ नज़रें जमा देते हैं और उसकी बातों की तरफ़ मुतवज्जह होकर पूरी तरह उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं तो वह फ़ुर्ती से एक दूसरा काम कर डालता है, जो लोगों की निगाहों से छुपा रहता है और उसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। बाज़ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि फ़िरऔ़न के जादूगरों का जादू भी इसी क़िस्म का था। इसी लिये क़ुरआन में है:

سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ...... الخ.

कि लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उनके दिलों में डर बैठा दिया। एक और जगह है:

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ.......... الخ.

मूसा अ़लैहिस्सलाम के ख़्याल में वे सब लकड़ियाँ और रस्सियाँ साँप बनकर दौड़ती हुई नज़र आने लगीं, हालाँकि दर हक़ीक़त ऐसा न था। वल्लाहु आलम।

5. पाँचवीं क़िस्म बाज़ चीज़ों की तरकीब देकर कोई अ़जीब काम उससे लेना है, जैसे घोड़े की शक्ल बना दी, उस पर एक सवार बनाकर बैठा दिया, उसके हाथ में तुरई है, जहाँ एक लम्हा गुज़रा और उसकी नाली में से आवाज़ निकली हालाँकि कोई उसे नहीं छेड़ता। इसी तरह इनसानी सूरत इस कारीगरी से बनाई कि गोया असली इनसान हंस रहा है या रो रहा है। फ़िरऔ़न के जादूगरों का जादू भी इसी क़िस्म में से था कि वे बनाये हुए साँप वग़ैरह ज़ीबक़ (पारा धातु) के सबब ज़िन्दा हरकत करने वाले दिखाई देते थे, घड़ी और घन्टे और छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे बड़ी-बड़ी वज़नी चीज़ें खिंच आती हैं सब इसी क़िस्म में दाख़िल हैं। हक़ीक़त में इसे जादू ही न कहना चाहिये, क्योंकि यह तो एक तरकीब और कारीगरी है, जिसके असबाब बिल्कुल ज़ाहिर हैं, जो नहीं जानता हो वह उन कलिमों से यह काम ले सकता है। इसी तरह का वह हीला (तरकीब और बहाना) भी है जो बैतुल-मुक़द्दस के ईसाई करते थे कि पोशीदगी से (लोगों की निगाहों से छुपाकर) गिरजे की क़न्दीलें (लालटेन) जला दीं और उसे गिर्जे की करामत (चमत्कार) मशहूर कर दी और लोगों को अपने दीन की तरफ़ झुका लिया। बाज़ करामिया सूफ़िया का भी ख़्याल है कि अगर तरग़ीब व तरहीब की (लोगों को नेक आमाल पर लगाने और बुराई से रोकने वाली) हदीसें गढ़ ली जायें और लोगों को इबादत की तरफ़ माईल किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह बड़ी ग़लती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स मुझ पर जान-बूझकर झूठ बोले वह अपनी जगह जहन्नम में मुक़र्रर कर ले। और फ़रमाया मेरी हदीसें बयान करते रहो, लेकिन मुझ पर झूठ न बाँधो, मुझ पर झूठ बोलने वाला क़तई तौर पर जहन्नमी है।

एक ईसाई पादरी ने एक मर्तबा देखा कि एक परिन्दे का छोटा सा बच्चा जिसे उड़ने और चलने फिरने की ताक़त नहीं एक घौंसले में बैठा है, जब वह अपनी कमज़ोर और पस्त आवाज़ निकालता है तो और परिन्दे उसे सुनकर रहम खाकर ज़ैतून का फल उसके घौंसले में ला-लाकर रख जाते हैं। उसने इसी सूरत का एक परिन्दा किसी चीज़ का बनाया और नीचे से उसे खोखला रखा और एक सुराख़ उसकी चोंच की तरफ़ रखा जिससे हवा उसके अन्दर घुसती थी, फिर जब निकलती थी तो उसी तरह की आवाज़ उससे पैदा होती थी। उसे लाकर अपने गिरजे में हवा के रुख़ पर रख दिया, छत में एक छोटा सुराख़ कर दिया ताकि हवा उससे आये जाये। जब जब हवा चलती और उसकी आवाज़ निकलती तो उस क़िस्म के परिन्दे जमा हो जाते और ज़ैतून के फल ला-लाकर रख जाते। उसने लोगों में शोहरत देनी शुरू की कि इस गिरजे में यह करामत है, यहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार है और यह करामत उन्हीं की है। लोगों ने भी जब अपनी आँखों यह अनहोनी अ़जीब बात देखी तो मोतक़िद हो गये और उस क़ब्र पर नियाज़ चढ़ने लगी और यह करामत दूर दराज़ तक मशहूर हो गयी, हालाँकि न यह कोई करामत थी न मोजिज़ा। सिर्फ़ एक पोशीदा फ़न था जिसे उस मलऊन शख़्स ने पेट भरने के लिये पोशीदा तौर पर कर रखा था। और वह लानती फ़िर्क़ा इस पर रीझा हुआ (यानी लट्टू हो रहा) था।

6. जादू की छठी क़िस्म बाज़ दावाओं की छुपी विशेषतायें मालूम करके उन्हें काम में लाना है। और यह ज़ाहिर है कि दावाओं में अ़जीब-अ़जीब ख़ासियतें हैं। मक़्नातीस ही को देखो कि लोहा किस तरह उसकी तरफ़ खिंच जाता है, अक्सर झूठे और फ़क़ीरी अपनाये हुए लोग इसी तरह की तरकीबों और बहानों को करामत बनाकर लोगों को दिखाते हैं और उन्हें मुरीद बनाते फिरते हैं।

7. सातवीं क़िस्म में एक ख़ास क़िस्म का असर डालकर उससे जो चाहा मनवा लेना है। जैसे उससे

कह दिया कि मुझे "इस्मे आज़म" याद है, या जिन्नात मेरे क़ब्ज़े में हैं, अब अगर सामने वाला कमज़ोर दिल, कच्चे कानों और बोदे अ़क़ीदे वाला है तो वह उसे सच समझ लेगा और उसकी तरफ़ से एक क़िस्म का ख़ौफ़ डर हैबत और रौब उसके दिल पर बैठ जायेगा जो उसको ज़ईफ़ (कमज़ोर) बना देगा। अब उस वक़्त वह जो चाहेगा करेगा और उसका कमज़ोर दिल उसे अ़जीब-अ़जीब बातें दिखाता जायेगा, इसी को तुंबला कहते हैं और यह अक्सर कम-अ़क़्ल लोगों पर हो जाया करता है, और इससे इल्म, समझ, अ़क़्ल वाला और कम-अ़क़्ल वाला इनसान मालूम हो सकता है, और इस हरकत का करने वाला अपना यह फ़ेल बनाने से कम-अ़क़्ल शख़्स पर मालूम करके ही करता है।

8. आठवीं क़िस्म चुग़ली करना, झूठ सच मिलाकर किसी के दिल में अपना घर कर लेना और ख़ुफ़िया चालों से उसे अपना गरवीदा कर लेना (मुहब्बत में फंसा लेना), यह चुग़लख़ोरी अगर लोगों को भड़काने बिदकाने और उनके दरमियान अ़दावत व दुश्मनी डालने के लिये हो तो शरीअ़त में हराम है, जब इस्लाह (सुधार और भलाई) के तौर पर और आपस में एक दूसरे मुसलमान को मिलाने के लिये कोई ऐसी ज़ाहिर बात कह दी जाये जिससे यह उससे और वह उससे ख़ुश हो जाये या कोई आने वाली मुसीबत मुसलमानों पर से टल जाये या काफ़िरों की क़ुव्वत ख़त्म हो जाये, उनमें मायूसी फैल जाये और मुख़ालफ़त व फूट पड़े तो यह जायज़ है। जैसे हदीस में है कि वह शख़्स झूठा नहीं जो भलाई के लिये इधर-उधर बातें ले जाता है। और जैसे हदीस में है कि लड़ाई मक्र (धोखे और चालबाज़ी) का नाम है, और जैसे हज़रत नईम बिन मसऊद रज़ि. ने जंगे अहज़ाब के मौक़े पर अ़रब के काफ़िरों और काफ़िर यहूद के दरमियान कुछ इधर-उधर की ऊपरी बातें कहकर फूट डलवा दी थी, और उन्हें मुसलमानों के मुक़ाबले में शिकस्त हुई। यह काम बड़े आ़ली दिमाग़, ज़हीन और मामले को पूरी तरह समझने वाले शख़्स का है।

यह याद रहे कि इमाम राज़ी ने जादू की जो यह आठ क़िस्में बयान की हैं ये सिर्फ़ लफ़्ज़ के एतिबार से हैं, क्योंकि अ़रबी ज़बान में सेहर यानी जादू हर उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत लतीफ़ और बारीक हो और ज़ाहिर में इनसान की निगाहों से उसके असबाब (कारण) छुपे हुए रह जायें। इसी वास्ते एक हदीस में है कि बाज़ा बयान भी जादू होता है और इसी लिये सुबह के अव्वल वक़्त को सहूर कहते हैं कि वह छुपा हुआ होता है, उस रग को भी सेहर कहते हैं जो ग़िज़ा की जगह है (यानी उसे सुनकर भूख ख़त्म हो जाये)। अबू जहल ने बदर वाले दिन यही कहा था कि उसकी सेहर यानी खाने की रग मारे ख़ौफ़ के फूल गयी। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मेरे सेहर व नहर के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़ौत हुए। तो नहर से मुराद सीना और सेहर से मुराद खाने की रग है। क़ुरआन में हैः

سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ.

यानी लोगों की निगाहों से अपना काम छुपाकर अन्जाम दिया।

अबू अ़ब्दुल्लाह क़ुर्तुबी कहते हैं- हम कहते हैं कि जादू है और मानते हैं कि जब अल्लाह को मन्ज़ूर होता है वह जादू के वक़्त जो चाहता है कर देता है। अगरचे मोतज़िला और अबू इस्हाक़ अस्फ़राईनी शाफ़ई इसके क़ायल नहीं। और जादू कभी हाथ की चालाकी से भी होता है और कभी डोरों धागों से भी, कभी अल्लाह का नाम पढ़कर दम करने से उसमें भी एक ख़ास असर होता है। कभी शयातीन का नाम लेकर शैतानी कामों से भी लोग करते हैं, कभी दावाओं वग़ैरह के ज़रिये से। हुज़ूर के इस फ़रमान का कि बाज़ा बयान जादू है, दो मतलब हो सकते हैं, एक तो यह कि बतौर तारीफ़ के आपने फ़रमाया हो, या यह कि

बतौर बुराई के यह इशारा हुआ हो कि वह अपनी ग़लत बात इस तरह बयान करता है कि सच मालूम होती है। जैसे एक और हदीस में है कि कभी मेरे पास तुम मुक़द्दिमा लेकर आते हो, एक शख़्स अपनी बात करने की महारत और ज़बान की चालाकी से अपने ग़लत दावे को सही साबित कर देता है.....।

वज़ीर अबुल-मुज़फ़्फ़र यहया बिन मुहम्मद बिन हुबैर रह. ने अपनी किताब "अल-इशराफ़ अ़ला मज़ाहिबिल अशराफ़" में सेहर (जादू) के बाब में कहा है कि इस पर इजमा (सब की सहमति) है कि जादू की हक़ीक़त है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रह. इसके क़ायल नहीं। जादू के सीखने वाले और उसे इस्तेमाल में लाने वाले को इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद रह. तो काफ़िर बतलाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रह. के बाज़ शागिर्दों का क़ौल है कि अगर जादू को बचाव के लिये सीखे तो काफ़िर नहीं होता, हाँ जो उसका एतिक़ाद रखे और उसे नफ़ा देने वाला समझे वह काफ़िर है। और इसी तरह जो यह ख़्याल करता है कि शयातीन यह काम करते हैं और इतनी क़ुदरत रखते हैं, वह भी काफ़िर है।

इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि जादूगर से दरियाफ़्त किया जाये, अगर वह बाबिल वालों का सा अ़क़ीदा रखता हो और सात घूमने-चलने वाले सितारों को तासीर पैदा करने वाला जानता हो तो काफ़िर है, अगर यह न हो और जादू को जायज़ जानता हो तो भी काफ़िर है। इमाम मालिक और इमाम अहमद का क़ौल यह भी है कि जादूगर ने जब जादू किया और जादू को इस्तेमाल में लाया वहीं उसे क़त्ल कर दिया जाये। इमाम शाफ़ई रह. और इमाम अबू हनीफ़ा रह. फ़रमाते हैं कि जब तक बार-बार न करे या किसी ख़ास शख़्स के बारे में ख़ुद इक़रार न करे तब तक क़त्ल न किया जाये। तीनों इमाम फ़रमाते हैं कि उसका क़त्ल हद (सज़ा) के तौर पर है मगर इमाम शाफ़ई रह. का बयान है कि क़िसास (बदले) के लिये है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और एक मशहूर क़ौल में इमाम अहमद रह. का फ़रमान है कि जादूगर से तौबा भी न कराई जाये। उसकी तौबा से उस पर से हद (सज़ा) नहीं हटेगी। और इमाम शाफ़ई का क़ौल है कि उसकी तौबा मक़बूल होगी। एक क़ौल इमाम अहमद का भी एक रिवायत में यही है।

अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों में) का जादूगर भी इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक क़त्ल कर दिया जायेगा, लेकिन दूसरे तीनों इमामों का मज़हब इसके विपरीत और ख़िलाफ़ है। लबीद इब्ने आसम यहूदी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू किया था और आपने उसके क़त्ल करने को नहीं फ़रमाया। अगर कोई मुसलमान औ़रत जादूगरनी हो तो उसके बारे में इमाम अबू हनीफ़ा रह. फ़रमाते हैं कि उसे क़ैद कर दिया जाये और उन्हीं तीन इमामों का क़ौल है कि उसे भी मर्द की तरह क़त्ल कर दिया जाये। वल्लाहु आलम।

हज़रत ज़ोहरी का क़ौल है कि मुसलमान जादूगर क़त्ल कर दिया जाये और मुश्रिक क़त्ल न किया जाये। इमाम मालिक फ़रमाते हैं कि अगर ज़िम्मी के जादू से कोई मर जाये तो ज़िम्मी को भी मार डालना चाहिये, यह भी आप से रिवायत है कि पहले तो उसे कहा जाये कि तौबा करो, अगर वह तौबा कर ले और इस्लाम क़बूल कर ले तो ख़ैर! वरना क़त्ल कर दिया जाये। और यह भी आप से मरवी है कि अगरचे इस्लाम क़बूल कर ले फिर भी क़त्ल कर दिया जाये। उस जादूगर को जिसके जादू में शिर्किया अलफ़ाज़ हों चारों इमाम वग़ैरह काफ़िर कहते हैं, क्योंकि क़ुरआन में है "फ़-ला तक्फ़ुर" (पस कुफ़्र न कर)। इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि जब उस पर ग़लबा पा लिया जाये फिर वह तौबा कर ले तो तौबा क़बूल नहीं। जैसे ज़िन्दीक़ (बेदीन), हाँ उससे पहले अगर तौबा कर ले तो क़बूल होगी, अगर उसके जादू से कोई मर

गया फिर तो हर सूरत में मारा जायेगा।

इमाम शाफ़ई फ़रमाते हैं कि अगर वह कहे कि मार डालने के लिये मैंने उस पर जादू नहीं किया तो क़त्ले ख़ता (ग़लती और चूक से क़त्ल कर देने) की दियत (जुर्माना) ले ली जाये। जादूगर से उसके जादू के उतरवाने की हज़रत सईद इब्ने मुसैयब रह. ने इजाज़त दी है, जैसा कि सही बुख़ारी शरीफ़ में है। आमिर शअ़बी भी इसमें कोई हर्ज नहीं बतलाते, लेकिन ख़्वाजा हसन बसरी रह. इसे मक्रूह बताते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया था कि आप क्यों जादू खुलवाते नहीं? तो आपने फ़रमाया मुझे तो अल्लाह ने शिफ़ा दे दी और मैं लोगों पर बुराई खुलवाने से डरता हूँ।

नोटः इमाम मालिक रह. का मतलब यह है कि इस्लाम क्योंकि सेहर और जादू के तमाम कारोबार पर पूरी तरह हुर्मत (हराम होने) का हुक्म लगाता है इसलिये एक शख़्स मुसलमान होने के बाद सेहर से किसी क़िस्म की दिलचस्पी रख ही नहीं सकता। इसलिये जादूगर से इस्लाम क़बूल करने का मुतालबा भी गोया जादू की मुमानिअ़त (रोकने) की एक मुफ़ीद सूरत है। इससे यह समझना कि इस्लाम क़बूल न करने पर क़त्ल किया गया है क़तई ग़लत होगा। इसको यूँ समझिये जैसा कि कोई तबीब (डॉक्टर) जिसको बराबर किसी मरीज़ के बारे में इत्तिला पहुँच रही हो कि यह सख़्त बद-परहेज़ है, साथ ही उस हकीम का कोई मख़्सूस अस्पताल भी हो जिसमें परहेज़ी खाने की एक माक़ूल रक़म वसूल की जाती हो, तो वह तबीब उस मरीज़ से कहे कि चूँकि तुम बद-परहेज़ हो और पूरी तरह परहेज़ करने ही से तुमको शिफ़ा हो सकती है इसलिये तुम फ़ौरन हमारे अस्पताल में दाख़िला ले लो। ज़ाहिर है कि यह मश्विरा पूरी तरह उसकी भलाई और ख़ैरख़्वाही पर आधारित है। यह समझना तो सही न होगा कि तबीब ने एक माक़ूल रक़म ऐंठने के लिये ऐसा मश्विरा दिया है। (अन्ज़र शाह कशमीरी)

जादू का इलाज

हज़रत वहब फ़रमाते हैं कि बेरी के सात पत्ते लेकर सिल बट्टे पर कूट लिये जायें और पानी मिला लिया जाये, फिर आयतुल-कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया जाये और जिस पर जादू किया गया है उसे तीन घूँट पिला दिया जाये और बाक़ी पानी से ग़ुस्ल कर दिया जाये, इन्शा-अल्लाह जादू का असर जाता रहेगा। यह अ़मल ख़ुसूसियत से उस शख़्स के लिये बहुत ही अच्छा है जो अपनी बीवी से रोक दिया गया हो। जादू को दूर करने और उसके असर को ख़त्म करने के लिये सबसे आला चीज़ "क़ुल अऊज़ु बि-रब्बिन्नास" और "क़ुल अऊज़ु बि-रब्बिल् फ़लक़" की सूरतें हैं। हदीस में है कि इन जैसा कोई तावीज़ नहीं, इसी तरह आयतुल-कुर्सी भी शैतान को दफ़ा करने में आला दर्जे की चीज़ है।

ऐ ईमान वालो! तुम (लफ़्ज़) 'राअ़िना' मत कहा करो और 'उन्ज़ुरना' कह दिया करो, और (इसको अच्छी तरह) सुन लीजियो, और (इन) काफ़िरों को (तो) दर्दनाक सज़ा (ही) होगी। (104) ज़रा भी पसन्द नहीं करते काफ़िर लोग, (चाहे) उन अहले किताब में से (हों) और	يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ

اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ○	(चाहे) मुश्रिकीन में से, इस बात को कि तुमको किसी तरह की बेहतरी (भी) नसीब हो तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से, हालाँकि अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत (व इनायत) के साथ जिसको मन्ज़ूर होता है मख़्सूस फ़रमा लेते हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल (करने) वाले हैं। (105)

इस आयत में अल्लाह तआ़ला अपने मोमिन बन्दों को काफ़िरों की बोलचाल और उनके कामों की मुशाबहत (उन जैसा बनने) से रोक रहा है। यहूदी बाज़ अलफ़ाज़ ज़बान दबाकर बोलते थे और मतलब बुरा लेते थे, जब उन्हें यह कहना होता कि हमारी सुनिये तो कहते थे 'राअ़िना' और मुराद इससे घमंड और सरकशी लेते थे जैसे एक और जगह बयान हैः

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا........ الخ.

यानी यहूदियों में ऐसे लोग भी हैं जो बातों को असलियत से हटा देते हैं और कहते हैं कि हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, अपनी ज़बानों को मोड़-तोड़कर दीन में ताना मारने के लिये 'राअ़िना' कहते हैं। अगर ये कहते कि हमने सुना और माना, हमारी बात सुनिये और हमारी तरफ़ तवज्जोह कीजिए तो यह उनके लिये बेहतर और मुनासिब होता, लेकिन उनके कुफ़्र की वजह से ख़ुदा तआ़ला ने उन्हें अपनी रहमत से दूर डाल दिया है, उनमें ईमान बहुत ही कम है।

हदीसों में यह भी आया है कि जब ये लोग सलाम करते हैं तो 'अस्सामु अ़लैकुम' कहते हैं और 'साम' के मायने मौत के हैं, तो तुम उनके जवाब में 'व अ़लैकुम' कहा करो, हमारी दुआ़ उनके हक़ में क़बूल होगी और उनकी बददुआ़ हमारे हक़ में क़बूल नहीं होगी। ग़र्ज़ कि क़ौल व फ़ेल में उनसे मुशाबहत करनी (यानी उन जैसा लिबास व सूरत, उन जैसा रहन-सहन, उन जैसे तौर-तरीक़े) मना है। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि मैं क़ियामत के क़रीब तलवार के साथ भेजा गया हूँ। मेरी रोज़ी हक़ तआ़ला ने मेरे नेज़े तले रखी है, ज़िल्लत और पस्ती उसके लिये है जो मेरे अहकाम के ख़िलाफ़ करे और जो शख़्स किसी (ग़ैर-मुस्लिम) क़ौम से मुशाबहत करे (यानी उन जैसे तौर-तरीक़ इख़्तियार करे) वह उन्हीं में से है। अबू दाऊद में भी यह पिछला हिस्सा रिवायत है। इस आयत और हदीस से साबित हुआ कि काफ़िरों के अक़वाल व अफ़आ़ल (बातें और काम), लिबास, ईद और इबादत में उनकी मुशाबहत करना जो हमारे लिये जायज़ और मुक़र्रर नहीं, सख़्त मना है और इस पर शरीअ़त में अ़ज़ाब की धमकी, सख़्त डरावा और हुर्मत है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब तुम क़ुरआन करीम में "या अय्युहल्लज़ी-न आमनू" (ऐ ईमान वालो!) सुनो तो कान लगा दो और दिल से मुतवज्जह हो जाया करो, या तो किसी भलाई का हुक्म होगा या किसी बुराई से मनाही होगी। हज़रत ख़ैसमा फ़रमाते हैं कि तौरात में बनी इस्राईल को ख़िताब करते हुए अल्लाह तआ़ला नेः

يَاَيُّهَاالْمَسَاكِيْنِ.

(ऐ मिस्कीन लोगो!) फ़रमाया है, लेकिन उम्मते मुहम्मदी कोः

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(ऐ ईमान वालो!) के सम्मानित ख़िताब से याद फ़रमाया है।

'राअ़िना' के मायने हमारी तरफ़ कान लगाने के हैं, जैसे 'आ़तिना'। हज़रत मुजाहिद फ़रमाते हैं कि इसके मायने ख़िलाफ़ के हैं यानी ख़िलाफ़ न कहा करो। उनसे यह भी मरवी है कि मतलब यह है कि आप हमारी सुनिये और हम आपकी, अन्सार ने भी यही लफ़्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने कहना शुरू कर दिया था जिससे क़ुरआने पाक ने उन्हें रोक दिया। हसन रह. फ़रमाते हैं कि 'राअ़िन' कहते हैं मज़ाक़ की बात को, यानी तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बातों और इस्लाम से मज़ाक़ न किया करो। अबू सख़र कहते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जाने लगते तो जिन्हें कोई बात कहनी होती वे कहते "अपना कान इधर कीजिए" अल्लाह तआ़ला ने इस बे-अदबी के कलिमे से रोक दिया और अपने नबी की इज़्ज़त करने की तालीम फ़रमाई। सुद्दी रह. कहते हैं कि रिफ़ाआ़ बिन यज़ीद यहूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बातें करते हुए यह लफ़्ज़ कहा करता था, मुसलमानों ने भी यह ख़्याल करके कि यह लफ़्ज़ अदब के हैं यही लफ़्ज़ बोलने शुरू कर दिये, जिस पर उन्हें रोक दिया गया। जैसे सूरः निसा में भी है। मक़सद यह है कि इस कलिमे को ख़ुदा ने बुरा जाना और इसके इस्तेमाल से मुसलमानों को रोक दिया। जैसे हदीस में आया है कि अंगूर को करम और ग़ुलाम को अ़ब्द न कहो, वग़ैरह। अब अल्लाह तआ़ला उन बद-बातिन (बुरी फ़ितरत के) लोगों के हसद व बुग़ज़ (जलने और नफ़रत करने) को बयान फ़रमाता है कि ऐ मुसलमानो! तुम्हें जो इस कामिल नबी के ज़रिये कामिल शरीअ़त मिली है उससे ये तो जल-भुन रहे हैं, उनसे कह दो कि यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे इनायत फ़रमाये, वह बड़े ही फ़ज़्ल व करम वाला है।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ٥ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ٥	हम किसी आयत का हुक्म जो मौक़ूफ़ "यानी रोक देते और स्थगित" कर देते हैं, या उस आयत (ही) को (ज़ेहनों से) भुला देते हैं, तो हम उस आयत से बेहतर या उस आयत ही के जैसी ले आते हैं। (ऐ एतिराज़ करने वाले!) क्या तुझको यह मालूम नहीं कि हक़ तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत रखते हैं। (106) क्या तुझको यह मालूम नहीं कि हक़ तआ़ला ऐसे हैं कि ख़ास उन्हीं की है हुकूमत आसमानों की और ज़मीन की, और (यह भी समझ रखो कि) तुम्हारा हक़ तआ़ला के सिवा कोई यार व मददगार भी नहीं। (107)

नस्ख़ की हक़ीक़त

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'नस्ख़' के मायने 'बदल' के हैं। मुजाहिद फ़रमाते हैं कि मिटाने के मायने हैं। जो (कभी) लिखने में बाक़ी रहती है और हुक्म बदल जाता है। हज़रत इब्ने

मसऊद रज़ि. के शागिर्द और अबुल-आ़लिया और मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी से भी इसी तरह मरवी है। ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि भुला देने के मायने हैं। अ़ता रह. फ़रमाते हैं कि छोड़ देने के मायने हैं। सुद्दी रह. कहते हैं कि उठा लेने के मायने हैं। जैसे आयतः

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ.

यानी बूढ़े ज़ानी मर्द व औरत को संगसार कर दिया करो। और जैसे आयतः

لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى لَهُمَا ثَالِثًا.

यानी इब्ने आदम (इनसान) को अगर दो जंगल सोने के मिल जायें तब भी वह तीसरे की जुस्तजू में रहेगा।

इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि अहकाम में तब्दीली हम कर दिया करते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ वग़ैरह अमर व नही, रोक और छूट जायज़ और ममनूअ़ कामों में नस्ख़ होता है। हाँ जो ख़बरें दी गयीं हैं, वाक़िआ़त बयान किये गये हैं उनमें रद्दोबदल और नासिख़ मन्सूख़ नहीं होता। 'नस्ख़' के लफ़्ज़ी मायने नक़ल करने के हैं जैसे किताब के एक नुस्ख़े (प्रति) से दूसरा नक़ल कर लेना। इसी तरह यहाँ भी चूँकि एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म होता है इसलिये उसे 'नस्ख़' कहते हैं, चाहे वह हुक्म का बदल जाना हो चाहे अलफ़ाज़ का।

नस्ख़ की हक़ीक़त पर उलेमा-ए-उसूल की राय

उलेमा-ए-उसूल की इबारतें इस मसले में अगरचे मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग और भिन्न) हैं मगर मायने के लिहाज़ से सब क़रीब-क़रीब हैं। नस्ख़ के मायने किसी हुक्मे शरई का पिछली दलील की रू से हट जाना, कभी हल्की चीज़ के बदले भारी होती है, कभी भारी के बदले हल्की और कभी कोई बदल ही नहीं होता। रहे नस्ख़ के अहकाम, उसकी क़िस्में, उसकी शर्तें वग़ैरह, सो इसके लिये इस फ़न की किताबों को देखना चाहिये। तफ़सीर उन अहकाम की तफ़सील की जगह नहीं। तबरानी में एक रिवायत है कि दो शख़्सों ने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक सूरत याद की थी उसे वे पढ़ते रहे, एक मर्तबा रात की नमाज़ में हर चन्द उसे पढ़ना चाहा लेकिन याद ही नहीं पड़ी। घबराकर ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसका ज़िक्र किया, आपने फ़रमाया यह मन्सूख़ हो गयी और भुला दी गयी, दिलों में से निकाल ली गयी, तुम ग़म न करो बेफ़िक्र हो जाओ।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. इसकी तफ़सीर फ़रमाते हैं- यानी हम उसे छोड़ देते हैं, मन्सूख़ नहीं करते। इब्ने मसऊद रज़ि. के शागिर्द कहते हैं- यानी हम उसके अलफ़ाज़ को बाक़ी रखते हैं और हुक्म को बदल देते हैं। अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर, मुजाहिद और अ़ता से मरवी है कि हम उसे मुअख़्ख़र करते हैं और पीछे हटा देते हैं। अ़तिया ऊफ़ी कहते हैं- यानी मन्सूख़ नहीं करते। सुद्दी और रबीअ़ रह. भी यही कहते हैं। इमाम ज़ह्हाक फ़रमाते हैं- यानी नासिख़ को मन्सूख़ के पीछे रखते हैं। अबुल-आ़लिया कहते हैं- अपने पास उसे रोक लेते हैं। हज़रत उमर रज़ि. ने ख़ुतबे में 'नन्साहा' पढ़ा और उसके मायने पीछे करने के बयान किये। 'नुनसिहा' जब पढ़ें तो यह मतलब होगा कि हम उसे भुला दें। अल्लाह तआ़ला जिस हुक्म को उठा लेना चाहता था वह नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भुला देता था, इस तरह वह आयत उठ जाती थी। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास 'नुनसिहा' पढ़ते थे तो उनसे क़ासिम बिन रबीआ़ ने कहा कि सईद बिन

मुसैयब तो ननस-अहा पढ़ते हैं तो आपने फ़रमाया सईद पर या सईद के ख़ानदान पर तो क़ुरआन नहीं उतरा। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى.

हम तुझे पढ़ायेंगे जिसे तू न भूलेगा। और फ़रमाता है:

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ.

जब भूल जाये तू अपने रब को याद कर।

हज़रत उमर रज़ि. का फ़रमान है कि अ़ली सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले और उबई सबसे ज़्यादा क़ुरआन के क़ारी हैं और हम उबई का क़ौल छोड़ देते हैं इसलिये कि उबई कहते हैं कि मैंने तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है उसे नहीं छोड़ूँगा, और अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ......... الخ.

यानी हम जो मन्सूख़ करें या भुला दें उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसा। (बुख़ारी, मुस्नद अहमद)

उससे बेहतर होता है यानी बन्दों को सहूलियत और उनके आराम के लिहाज़ से, या उस जैसा होता है लेकिन अल्लाह की मस्लेहत उस पिछली (बाद की) चीज़ में होती है। मख़्लूक़ में हेर-फेर करने वाला पैदाईश और हुक्म का इख़्तियार रखने वाला एक अल्लाह तआ़ला ही है, जिस तरह जिसे चाहता है बनाता है, जिसे चाहे नेक बख़्ती दे, जिसे चाहे बदबख़्ती दे, जिसे चाहे तन्दुरुस्ती दे, जिसे चाहे बीमारी दे, जिसे चाहे तौफ़ीक़ दे, जिसे चाहे बदनसीब कर दे। बन्दों में जो हुक्म चाहे जारी करे, जिसे चाहे हलाल करे, जिसे चाहे हराम फ़रमा दे, जिसे चाहे रुख़्सत (छूट और रियायत) दे, जिसे चाहे रोक दे, वह हाकिमे मुतलक़ है जो चाहे अहकाम जारी फ़रमाये, कोई उसके हुक्मों को रद्द नहीं कर सकता, जो चाहे करे कोई उससे पूछने वाला नहीं, वह बन्दों को आज़माता और देखता है कि वे नबियों और रसूलों के कैसे ताबेदार हैं।

किसी चीज़ का किसी मस्लेहत की वजह से हुक्म दिया फिर मस्लेहत की वजह से ही उस हुक्म को हटा दिया। अब आज़माईश हो जाती है, नेक लोग तो उस वक़्त भी इताअ़त के लिये कमर बाँधे तैयार थे और अब भी हैं, लेकिन बद-बातिन (बुरी फ़ितरत के) लोग बातें बनाते हैं और नाक-भौं चढ़ाते हैं, हालाँकि तमाम मख़्लूक़ को अपने ख़ालिक़ की तमाम बातें माननी चाहियें और हर हाल में उसके रसूल की पैरवी करनी चाहिये, और जो वह कहे उसे दिल से सच्चा मानना चाहिये, जो हुक्म दे उस पर अ़मल करना चाहिये, जिससे रोके रुक जाना चाहिये।

इस जगह पर भी यहूदियों का ज़बरदस्त रद्द है और उनके कुफ़्र का बयान है कि वे नस्ख़ के क़ायल न थे, बाज़ तो कहते थे इसमें अ़क़्ली तौर पर भी इश्कालात (शुब्हात व दिल में खटकने वाली बातें) हैं, और बाज़ उसमें नक़ल के एतिबार से भी मुश्किलात का इक़रार करते हैं। इस आयत में अगरचे ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को है मगर दर असल यह कलाम यहूदियों को सुनाना है जो इन्जील और क़ुरआन को इस वजह से नहीं मानते थे कि उनमें बाज़ अहकाम तौरात के मन्सूख़ हो (बदल दिये) गये थे और इसी वजह से वे इन नबियों की नुबुव्वत के भी मुन्किर हो गये थे और सिर्फ़ दुश्मनी व घमंड की बिना पर, वरना अ़क़्ली एतिबार से नस्ख़ (अहकाम का बदला जाना या बिल्कुल ही निरस्त कर देना) मुहाल नहीं, इसलिये कि जिस तरह वह अपने कामों में इख़्तियार वाला है इसी तरह हुक्मों में भी इख़्तियार वाला

है, जो चाहे और जब चाहे पैदा करे, जिसे चाहे और जिस तरह चाहे और जिस वक़्त चाहे रखे, इसी तरह जो चाहे और जिस वक़्त चाहे हुक्म दे, ज़ाहिर है कि उस पर किसी का हुक्म नाफ़िज़ नहीं हो सकता।

इसी तरह नक़ली (शरीअ़त व क़ानून के एतिबार से) भी यह साबित शुदा बात है। पहली किताबों और पहली शरीअ़तों में मौजूद है। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की बेटियाँ बेटे आपस में भाई-बहन होते थे, लेकिन निकाह जायज़ था। फिर इसे हराम कर दिया गया। नूह अ़लैहिस्सलाम जब कश्ती से उतरते हैं तब तमाम हैवानात का खाना हलाल था, लेकिन फिर बाज़ का हलाल होना मन्सूख़ (निरस्त) हो गया। दो बहनों का निकाह इस्राईल (हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम) और उनकी औलाद पर हलाल था लेकिन फिर तौरात में और उसके बाद हराम हो गया। इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बेटे की क़ुरबानी का हुक्म दिया फिर क़ुरबान करने से पहले ही मन्सूख़ कर दिया (हुक्म को बदल दिया)। बनी इस्राईल को हुक्म दिया जाता है कि बछड़ा पूजने में जो शामिल थे सब अपनी जानों को क़त्ल कर डालें, लेकिन फिर बहुत से बाक़ी रहे जो मन्सूख़ हो जाना है। इसी तरह के और बहुत से वाक़िआत मौजूद हैं और ख़ुद यहूदियों को उनका इक़रार है, लेकिन फिर भी क़ुरआन और नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह कहकर नहीं मानते कि इससे ख़ुदा के कलाम में नस्ख़ (उसका बदल जाना) लाज़िम आता है और वह मुहाल है।

बाज़ लोग जो इसके जवाब में लफ़्ज़ी बहसों में पड़ जाते हैं वे याद रखें कि इससे दलालत (असल बात) नहीं बदलती और मक़सूद वही है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बशारत (ख़ुशख़बरी) ये लोग अपनी किताबों में पाते थे, आपकी ताबेदारी का हुक्म भी देखते थे, यह भी मालूम था कि आपकी शरीअ़त के मुताबिक़ जो अ़मल न हो वह मक़बूल नहीं, यह और बात है कोई कहे कि वे पहली शरीअ़तें सिर्फ़ आपके आने तक ही थीं इसलिये यह शरीअ़त उनकी नासिख़ (ख़त्म और निरस्त करने वाली) नहीं। या कहे कि नासिख़ है। हर सूरत में रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताबेदारी (यानी आप पर ईमान लाये) बग़ैर कोई चारा नहीं। इसलिये कि आप आख़िरी किताब को ख़ुदा के पास से लेकर आये हैं।

पस इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने नस्ख़ के जवाज़ (सही और दुरुस्त होने) को बयान फ़रमाकर उस मलऊन गिरोह यहूद का रद्द किया। सूरः आले इमरान में भी जिसके शुरू में बनी इस्राईल को ख़िताब किया गया है, नस्ख़ के वाक़े होने का ज़िक्र मौजूद है। फ़रमाता है:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ.........الخ.

यानी तमाम खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे मगर जिस चीज़ को हज़रत इस्राईल अ़लैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था।

इसकी मज़ीद (और ज़्यादा) तफ़सीर वहीं आयेगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला। मुसलमान कुल के कुल इस पर सहमत हैं कि अल्लाह तआ़ला के अहकाम में नस्ख़ का होना (किसी हुक्म का बदल दिया जाना या उसको बिल्कुल ही निरस्त कर देना) जायज़ है, बल्कि वाक़े भी है (यानी ऐसा हुआ भी है) और इसी में परवर्दिगार की हिक्मते बालिग़ा है। अबू मुस्लिम अस्बहानी मुफ़स्सिर ने लिखा है कि क़ुरआन में नस्ख़ वाक़े नहीं होता लेकिन उसका यह क़ौल ज़ईफ़ है, जहाँ-जहाँ नस्ख़ क़ुरआन में मौजूद है उसके जवाब देने में अगरचे बहुत कुछ मेहनत उठाई है लेकिन बिल्कुल बेफ़ायदा है।

देखिये पहले उस औ़रत की इद्दत जिसका शौहर मर जाये एक साल थी, लेकिन फिर चार महीने दस दिन हुई और दोनों आयतें क़ुरआने पाक में मौजूद हैं। क़िब्ला पहले बैतुल-मुक़द्दस था फिर काबा शरीफ़

हुआ। दूसरी आयत साफ़ और पहला हुक्म भी उसके तहत में मज़कूर है। पहले मुसलमानों को हुक्म था कि एक-एक मुसलमान दस-दस काफ़िरों से लड़े और उनके मुक़ाबले से न हटे, लेकिन फिर यह हुक्म मन्सूख़ होकर दो-दो के मुक़ाबले में सब्र करने का हुक्म हुआ और दोनों आयतें कलामुल्लाह में मौजूद हैं। पहले हुक्म था कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सरगोशी (चुपके-चुपके कान में बातें) करने से पहले सदक़ा दिया करो लेकिन फिर यह हुक्म मन्सूख़ हुआ और दोनों आयतें क़ुरआने करीम में मौजूद हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। वल्लाहु आलम।

हाँ क्या तुम यह चाहते हो कि अपने रसूल से (बेजा-बेजा) दरख़्वास्तें करो, जैसा कि इससे पहले मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से भी (ऐसी-ऐसी) दरख़्वास्तें की जा चुकी हैं और जो शख़्स बजाय ईमान लाने के कुफ़्र (की बातें) करे, बेशक वह शख़्स सीधे रास्ते से दूर जा पड़ा। (108)	اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

ज़्यादा पूछ-ताछ और सवालात की अधिकता से मनाही

इस आयते करीमा में अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को रोकता है कि किसी वाक़िए के होने से पहले मेरे नबी से फ़ुज़ूल के सवालात न किया करो। यह सवालात की अधिकता की आ़दत बहुत बुरी है। जैसे एक और जगह इरशाद है:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ........ الخ.

ऐ ईमान वालो! उन चीज़ों का सवाल न किया करो जो अगर ज़ाहिर कर दी जायें तो तुम्हें बुरा लगे। और अगर तुम क़ुरआन के नाज़िल होने के ज़माने में ऐसी पूछगछ जारी रखोगे तो ये चीज़ें ज़ाहिर कर दी जायेंगी।

किसी चीज़ के वाक़े होने (ज़ाहिर होने और सामने आने) से पहले उसके बारे में सवाल करने में डर है कि कहीं उस सवाल की वजह से वह हराम न हो जाये। सही हदीस में है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वह है जो उस चीज़ के बारे में सवाल करे जो हराम न थी फिर उसके सवाल से हराम हो गयी।

एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल हुआ कि एक शख़्स अपनी बीवी के साथ ग़ैर-मर्द को पाये तो क्या करे? अगर लोगों को ख़बर करे तो यह भी बड़ी बेशर्मी की बात है, और अगर चुप हो जाये तो बड़ी बेग़ैरती की बात है। हुज़ूर को यह सवाल बहुत बुरा मालूम हुआ, आख़िर उसी शख़्स पर ऐसा वाक़िआ़ पेश आया और लिआ़न का हुक्म नाज़िल हुआ। सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़ुज़ूल बकवास से, माल को ज़ाया करने और ज़्यादा पूछगछ से मना फ़रमाया करते थे। सही मुस्लिम में है कि मैं जब तक कुछ न कहूँ तुम भी न पूछो, तुम से पहले लोगों को इसी बुरी ख़स्लत ने हलाक कर दिया कि वे बहुत ज़्यादा सवाल किया करते थे और अपने नबियों पर इख़्तिलाफ़ (विवाद व मतभेद) करते थे। जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूँ तो अपनी ताक़त के मुताबिक़ बजा लाओ और अगर मना करूँ तो रुक जाया करो। यह आपने उस वक़्त फ़रमाया था जब लोगों को ख़बर दी कि अल्लाह तबारक व तआ़ला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, तो किसी ने कहा हुज़ूर! हर साल?

आप ख़ामोश हो गये। उसने फिर पूछा, आपने कोई जवाब न दिया। उसने तीसरी दफ़ा फिर यही सवाल किया आपने फ़रमाया हर साल नहीं। लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता और फिर तुम कभी भी उस हुक्म को न बजा ला सकते। फिर आपने ऊपर बयान हुआ फ़रमान इरशाद फ़रमाया।

हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब हमें आप से सवाल करने से रोक दिया गया तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछने में बहुत हैबत खाते (डरते) थे, चाहते थे कि कोई गाँव वाला नावाक़िफ़ शख़्स आ जाये, वह पूछे तो हम भी सुन लें। हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं कोई सवाल हुज़ूर से करना चाहता था तो साल-साल भर गुज़र जाता था और आपके रौब की वजह से पूछने की जुर्रत नहीं होती थी। हम तो ख़्वाहिश रखते थे कि कोई आराबी (देहाती) आये और हुज़ूर से सवाल करे, फिर हम भी सुन लें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा से बेहतर कोई जमाअ़त नहीं, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सिर्फ़ बारह ही मसले पूछे जो सब सवाल मय जवाब के क़ुरआन पाक में मज़कूर हैं। जैसे शराब वग़ैरह का सवाल, हुर्मत (सम्मान) वाले महीनों के बारे में सवाल, यतीमों के बारे में सवाल वग़ैरह-वग़ैरह। यहाँ पर 'अम' या तो बल्कि के मायने में है या अपने असली मायने में है यानी सवाल के बारे में, जो यहाँ पर इनकारी है। यह हुक्म मोमिन काफ़िर सब को है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत सब की तरफ़ थी। क़ुरआने पाक में एक और जगह है:

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ.

अहले किताब तुझसे सवाल करते हैं कि तू उन पर कोई आसमानी किताब उतारे। उन्होंने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल किया था कि ख़ुदा को हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, जिस ज़ुल्म की वजह से उन्हें एक सख़्त और तेज़ आवाज़ ने हलाक कर दिया।

राफ़ेअ़ बिन हुरैमला और ज़हब बिन ज़ैद ने कहा था कि या रसूलल्लाह! कोई आसमानी किताब हम पर नाज़िल कीजिए जिसे हम पढ़ें और हमारे शहरों में दरिया जारी कर दें तो हम आपको मान लें। इस पर यह आयत उतरी। अबुल-आ़लिया कहते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा या रसूलल्लाह! काश कि हमारे गुनाहों का कफ़्फ़ारा भी इसी तरह हो जाता जिस तरह बनी इस्राईल के गुनाहों का हुआ था, आपने यह सुनते ही तीन दफ़ा अल्लाह तआ़ला की बारगाह में अ़र्ज़ किया कि नहीं! ख़ुदाया नहीं! हम यह नहीं चाहते। फिर फ़रमाया सुनो! बनी इस्राईल में से जहाँ कोई गुनाह करता उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ पाया जाता और साथ ही उसका कफ़्फ़ारा (उस गुनाह को मिटाने और ख़त्म करने का तरीक़ा) भी लिखा हुआ होता था। अब या तो दुनिया की रुस्वाई को मन्ज़ूर करके कफ़्फ़ारा अदा कर दे और अपने पोशीदा गुनाहों को ज़ाहिर करे या कफ़्फ़ारा न दे और आख़िरत की रुस्वाई मन्ज़ूर करे। लेकिन तुमसे अल्लाह तआ़ला ने फ़रमा दिया:

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

यानी जिससे कोई बुरा काम हो जाये या वह अपनी जान पर ज़ुल्म कर बैठे, फिर इस्तिग़फ़ार करे तो वह अल्लाह तआ़ला को बहुत बड़ा बख़्शिश और मेहरबानी करने वाला पायेगा।

इसी तरह एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक गुनाहों का कफ़्फ़ारा (मिटाने और ख़त्म करने वाली) हो जाती है। फिर एक जुमा दूसरे जुमा तक के लिये कफ़्फ़ारा हो जाता है। सुनो जो शख़्स बुराई का इरादा करे

लेकिन बुराई न करे तो लिखी नहीं जाती, और अगर कर गुज़रे तो एक ही बुराई लिखी जाती है। और अगर भलाई का इरादा करे लेकिन न करे तो भलाई लिख ली जाती है और अगर कर भी ले तो दस भलाईयाँ लिखी जाती हैं। अब बताओ तुम अच्छे रहे या बनी इस्राईल? नहीं! बनी इस्राईल के मुक़ाबले में तुम्हारे लिये बहुत सहूलियतें हैं। बावजूद इतने करम और रहम के फिर भी कोई हलाक हो तो समझो कि यह ख़ुद हलाक होने वाला ही था। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

क़ुरैश वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि अगर सफ़ा पहाड़ सोने का हो जाये तो हम ईमान लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया अच्छा, लेकिन फिर मायदा (आसमानी दस्तरख़्वान) माँगने वालों का जो अन्जाम हुआ वही तुम्हारा भी होगा। इस पर वे इनकारी हो गये और अपने सवाल को छोड़ दिया। मुराद यह है कि तकब्बुर, दुश्मनी, सरकशी के साथ नबियों से सवाल करना निहायत मज़मूम (बुरी और निंदनीय) हरकत है, जो क़ुफ़्र को ईमान के बदले मोल ले और आसानी को सख़्ती से बदले वह सीधी राह से हटकर जहालत व गुमराही में घिर जाता है। इसी तरह ग़ैर-ज़रूरी सवाल करने वाला भी है। जैसे एक और जगह हैः

اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا......... الخ.

क्या तू उन्हें नहीं देखता जो अल्लाह की नेमत को कुफ़्र से बदलते हैं और अपनी क़ौम को हलाकत में डालते हैं। वे जहन्नम में दाख़िल होंगे और वह बड़ी बुरी क़रार गाह (ठहरने की जगह) है।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○	इन अहले किताब (यानी यहूद) में से बहुत-से दिल से यह चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर काफ़िर कर डालें, सिर्फ़ हसद की वजह से जो कि ख़ुद उनके दिलों ही से (जोश मारता) है हक़ वाज़ेह होने के बाद। ख़ैर (अब तो) माफ़ करो और दरगुज़र करो, जब तक हक़ तआ़ला (इस मामले के मुताल्लिक़) अपना हुक्म (नया क़ानून) भेजें, अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर हैं। (109) और (फ़िलहाल सिर्फ़) नमाज़ें पाबन्दी से पढ़े जाओ और ज़कात दिए जाओ, और जो नेक काम भी अपनी भलाई के वास्ते जमा करते रहोगे हक़ तआ़ला के पास (पहुँचकर) उसको पा लोगे, क्योंकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब किए हुए कामों को देखभाल रहे हैं। (110)

आयत का शाने नुज़ूल

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि हुय्यि बिन अख़्तब और अबू यासिर बिन अख़्तब ये दोनों यहूदी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हासिद (जलने वाले) थे। लोगों को इस्लाम से रोकते थे और अ़रब से

जलते थे। इनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। क़अ़ब बिन अशरफ़ का भी यही काम और धंधा था। ज़ोहरी रह. कहते हैं कि इसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई है, यह भी यहूदी था और अपने शे'रों में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिजो (बुराई बयान) किया करता था, अगरचे उनकी किताब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ मौजूद थी और ये हुज़ूर की सिफ़तें अच्छी तरह जानते थे और आपको अच्छी तरह पहचानते थे, फिर ये भी देख रहे थे कि क़ुरआन उनकी किताब की तस्दीक़ कर रहा है, एक उम्मी और अनपढ़ वह किताब पढ़ता है जो सरासर मोजिज़ा है, लेकिन सिर्फ़ हसद (जलन) की बिना पर कि अ़रब वालों में आप क्यों मबऊस हुए कुफ़्र व इनकार पर आमादा हो गये, बल्कि और लोगों को भी बहकाना शुरू कर दिया तो उस वक़्त गहरी मस्लेहतों की बिना पर अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों को हुक्म दिया कि तुम दरगुज़र (उनकी तरफ़ से अनदेखी) करते रहो और ख़ुदा के हुक्म का और उसके फ़ैसले का इन्तिज़ार करो। जैसे एक दूसरी जगह फ़रमाया- तुम्हें मुश्रिकों और अहले किताब से बहुत नागवार बातें सुननी पड़ेंगी, आख़िरकार हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया कि इन मुश्रिकों से अब दबकर न रहो, इनसे लड़ाई करने की तुम्हें इजाज़त है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि. कहते हैं कि हुज़ूरे पाक और आपके सहाबा मुश्रिकों और अहले किताब से दरगुज़र करते थे और उनकी तकलीफ़ें और यातनायें सहते थे और इस आयत पर अ़मल करते थे यहाँ तक कि दूसरी आयतें उतरीं और पहला हुक्म मन्सूख़ (निरस्त) हो गया। अब उनसे बदला लेने और अपना बचाव करने का हुक्म मिला और पहले ही लड़ाई जो बदर के मैदान में हुई उसमें काफ़िरों को खुली शिकस्त हुई और उनके बड़े-बड़े सरदारों की लाशें मैदान में बिछ गयीं।

फिर मोमिनों को रग़बत (तवज्जोह और दिलचस्पी) दिलाई जाती है कि तुम नमाज़ और ज़कात वग़ैरह की हिफ़ाज़त करो, यह तुम्हें आख़िरत के अ़ज़ाबों से बचाने के अ़लावा दुनिया में भी ग़लबा और मदद देगी। फिर फ़रमाया कि ख़ुदा तुम्हारे हर नेक व बद अ़मल का बदला दोनों जहान में देगा, उससे कोई छोटा-बड़ा, छुपा-खुला, अच्छा-बुरा अ़मल पोशीदा नहीं। यह इसलिये फ़रमाया कि लोग इताअ़त (नेक काम करने) की तरफ़ तवज्जोह करें और नाफ़रमानी (बुराईयों) से बचें।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّقَالَتِ

और (यहूदी और ईसाई यूँ) कहते हैं कि जन्नत में हरगिज़ कोई न जाने पायेगा सिवाय उन लोगों के जो यहूदी हों या उन लोगों के जो ईसाई हों, यह (ख़ाली) दिल बहलाने की बातें हैं। आप कहिए कि (अच्छा) अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। (111) ज़रूर (दूसरे लोग भी जाएँगे) जो कोई शख़्स भी अपना रुख़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ झुका दे और वह मुख़्लिस भी हो तो ऐसे शख़्स को उसका अज्र मिलता है उसके परवर्दिगार के पास पहुँचकर, और न ऐसे लोगों पर (क़ियामत में) कोई अन्देशा है और न ऐसे लोग (उस दिन) ग़मगीन होने वाले हैं। (112)

और यहूद कहने लगे कि ईसाईयों का मज़हब किसी बुनियाद पर क़ायम नहीं और (इसी तरह) ईसाई कहने लगे कि यहूद किसी बुनियाद पर नहीं, हालाँकि ये सब (लोग आसमानी) किताबें (भी) पढ़ते हैं। इसी तरह ये लोग (भी) जो कि (महज़) बेइल्म हैं उनके जैसी बात कहने लगे। सो अल्लाह उन सबके दरमियान (अ़मली) फ़ैसला कर देंगे क़ियामत के दिन, उन तमाम (मुक़द्दमों) में जिनमें वे आपस में इख़्तिलाफ़ (झगड़े) कर रहे थे। (113)	النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۖ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

यहूदियों का एक ग़लत ख़्याल और ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से उस पर सख़्त तंबीह व चेतावनी

यहाँ पर यहूदियों और ईसाईयों के ग़ुरूर का बयान हो रहा है कि वे अपने सिवा किसी को कुछ भी नहीं समझते और साफ़ कहते हैं कि हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जायेगा। सूरः मायदा में उनका एक क़ौल यह भी बयान हुआ है कि हम अल्लाह तआ़ला की औलाद और उसके महबूब (प्यारे) हैं, जिसके जवाब में क़ुरआन ने कहा कि फिर तुम पर क़ियामत के दिन अ़ज़ाब क्यों होगा? इसी तरह पहले गुज़रा कि उनका दावा यह भी था कि हम चन्द दिन जहन्नम में रहेंगे जिसके जवाब में इरशादे बारी हुआ कि यह दावा भी बिल्कुल बेदलील है। इसी तरह यहाँ उनके एक दावे की तरदीद की और कहा कि लाओ दलील पेश करो, उन्हें आ़जिज़ साबित करके फिर फ़रमाया कि हाँ जो कोई भी ख़ुदा का फ़रमाँबरदार हो जाये और ख़ुलूस व तौहीद के साथ नेक अ़मल करे उसे पूरा-पूरा अज्र व सवाब मिलेगा। जैसे एक दूसरी जगह फ़रमाया कि ये अगर झगड़ें तो इनसे कह दो कि मैंने और मुझे मानने वालों ने अपने चेहरे ख़ुदा की तरफ़ झुका दिये। ग़र्ज़ यह है कि हर अ़मल की क़बूलियत के लिये इख़्लास और उसका सुन्नत के मुताबिक़ होना शर्त है। ख़ुलूस (यानी सिर्फ़ अल्लाह के लिये होना) और मुताबिक़ सुन्नत (यानी रसूले पाक के तरीक़े के मुताबिक़ होने) से ही अ़मल मक़बूल होता है। तेरा ख़ुलूस भी अ़मल को मक़बूल नहीं करा सकता जब तक सुन्नत की ताबेदारी न हो। हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स ऐसा अ़मल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो वह मर्दूद है। (मुस्लिम) पस 'रहबानियत' (अल्लाह के लिये सबसे किनारा करके अलग-थलग पड़ जाने) का अ़मल अगरचे ख़ुलूस पर आधारित हो लेकिन सुन्नत के सरासर ख़िलाफ़ होने की वजह से वह मर्दूद (अल्लाह के यहाँ ग़ैर-मक़बूल और अस्वीकारीय) है। ऐसे ही आमाल के बारे में क़ुरआने पाक का इरशाद है:

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا.

यानी उन्होंने जो आमाल किये थे हमने सब रद्द कर दिये।

एक और जगह है कि काफ़िरों के आमाल रेत के चमकीले तोदों की तरह हैं, जिन्हें प्यासा पानी समझता है लेकिन जब उसके पास जाता है तो कुछ नहीं पाता। एक और जगह है कि क़ियामत के दिन

बहुत से चेहरों पर ज़िल्लत बरसती होगी जो काम करने वाले तकलीफ़ें उठाने वाले होंगे और भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे, और गर्म खोलता हुआ पानी उन्हें पिलाया जायेगा।

हज़रत अमीरुल-मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने इस आयत की तफ़सीर में यहूदियों व ईसाईयों के उलेमा और आ़बिद लोग मुराद लिये हैं।

यह भी याद रहे कि कोई अ़मल अगरचे ज़ाहिर में सुन्नत के मुताबिक़ हो लेकिन अ़मल में इख़्लास न हो, मक़सूद ख़ुदा की ख़ुशनूदी न हो तो वह अ़मल भी मर्दूद (ना-मक़बूल) है। रियाकार और मुनाफ़िक़ लोगों के आमाल का यही हाल है। जैसे अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ ख़ुदा को धोखा देते हैं और वह उन्हें धोखा देता है, और नमाज़ को खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिये अ़मल करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही कम करते हैं। और फ़रमायाः

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ............. الخ.

उन नमाज़ियों के लिये हलाकत और तबाही है जो अपनी नमाज़ से ग़ाफ़िल हैं, जो रियाकारी (दिखावा) करते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें भी रोकते फिरते हैं। एक और जगह इरशाद हैः

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا.......... الخ.

जो शख़्स अपने रब की मुलाक़ात का इच्छुक हो उसे नेक अ़मल करना चाहिये और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना चाहिये।

फिर फ़रमाया कि उन्हें उनका रब अज्र देगा और डर ख़ौफ़ से बचायेगा। आख़िरत में उन्हें डर नहीं और दुनिया के छोड़ने का मलाल नहीं। फिर यहूद व ईसाईयों के आपस के हसद (जलन) और नफ़रत व दुश्मनी का ज़िक्र फ़रमाया। नजरान के ईसाईयों का वफ़्द (जमाअ़त) जब नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया तो उनके पास यहूदियों के उलेमा भी आये, उस वक़्त उन लोगों ने यहूद को और यहूद ने उनको गुमराह बतलाया, हालाँकि दोनों अहले किताब हैं, तौरात में इन्जील की तस्दीक़ और इन्जील में तौरात की तस्दीक़ मौजूद है, फिर उनका यह क़ौल किस क़द्र लग्व (बेकार और बेहूदा) है। पहले ज़माने के यहूद व ईसाई दीने हक़ पर क़ायम थे लेकिन फिर बिद्अ़तों और फ़ितने निकालने की वजह से दीन उनसे छिन गया। अब न यहूद हिदायत (सही रास्ते) पर थे न ईसाई।

फिर फ़रमाया कि न जानने वालों ने भी इसी तरह कहा। इसमें भी इशारा उन्हीं की तरफ़ है और बाज़ ने कहा कि मुराद इससे यहूद व ईसाई से पहले के लोग हैं। बाज़ कहते हैं कि अ़रब लोग मुराद हैं। इमाम इब्ने जरीर इससे आ़म मुराद लेते हैं जो सब को शामिल है और यही ठीक भी है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि उनके इख़्तिलाफ़ (आपस के झगड़े और मतभेदों) का फ़ैसला क़ियामत में ख़ुद ख़ुदा करेगा, जिस दिन कोई ज़ुल्म व ज़ोर नहीं होगा। एक दूसरी जगह भी यह मज़मून आया है। सूरः हज में इरशाद हैः

اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ............... الخ

(पूरी आयत) यानी मोमिनों और यहूदियों और साबियों और ईसाईयों और मजूसियों और मुश्रिकों में क़ियामत के दिन अल्लाह फ़ैसला फ़रमायेगा। अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर गवाह है और वह मौजूद है। एक और जगह इरशाद हैः

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا..............الخ

यानी कह दे कि हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हक़ के साथ फ़ैसला करेगा वह बाख़बर फ़ैसले करने वाला है।

और उस शख़्स से ज़्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो ख़ुदा तआ़ला की मस्जिदों में उनका ज़िक्र (और इबादत) किए जाने से बन्दिश करे, और उनके वीरान (व बेकार) होने (के बारे) में कोशिश करे, उन लोगों को तो कभी निडर होकर उनमें क़दम भी न रखना चाहिए था (बल्कि जब जाते डर और अदब से जाते)। उन लोगों को दुनिया में भी रुस्वाई (नसीब) होगी और उनको आख़िरत में भी बड़ी सज़ा होगी। (114)	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

इस आयत की तफ़सीर में दो क़ौल हैं- एक तो यह कि इससे मुराद ईसाई हैं, दूसरा यह कि इससे मुराद मुश्रिक लोग हैं। ईसाई भी बैतुल-मुक़द्दस की मस्जिद में गंदगी डाल देते थे और लोगों को उसमें नमाज़ अदा करने से रोकते थे। बुख़्ते नस्सर ने जब बैतुल-मुक़द्दस की बरबादी के लिये चढ़ाई की थी तो इन ईसाईयों ने उसका साथ दिया और मदद की थी।

बुख़्ते नस्सर की मुख़्तसर तारीख़ और बैतुल-मुक़द्दस पर उसका ख़ौफ़नाक हमला

बुख़्ते नस्सर बाबिल का रहने वाला मजूसी (आग को पूजने वाला) था और यहूदियों के ख़िलाफ़ ईसाईयों ने भी उसका साथ दिया था और इसलिये भी कि बनी इस्राईल ने हज़रत यहया इब्ने ज़करिया अ़लैहिस्सलाम को क़त्ल कर डाला था और मुश्रिकों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हुदैबिया वाले साल काबा शरीफ़ से रोका था, यहाँ तक कि ज़ी तुवा में आपको क़ुरबानियाँ कर देनी पड़ीं और मुश्रिकों से सुलह करके आप वहीं से वापस आ गये, हालाँकि यह अमन की जगह थी, बाप और भाई के क़ातिल को भी यहाँ कोई नहीं छेड़ता था। और उसके उजाड़ने की कोशिश उनकी यही थी कि अल्लाह का ज़िक्र और हज व उमरा करने वाली मुस्लिम जमाअ़त को उन्होंने रोक दिया।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का यही क़ौल है, इब्ने जरीर ने पहले क़ौल को सही फ़रमाया है और कहा है कि मुश्रिक लोग काबा शरीफ़ को बरबाद करने की कोशिश नहीं करते थे यह कोशिश ईसाईयों की थी कि वे बैतुल-मुक़द्दस को वीरान व तबाह करने पर लगे थे लेकिन हक़ीक़त में दूसरा क़ौल ज़्यादा सही है। इब्ने ज़ैद और हज़रत अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल भी यही है और इस बात को भी न भूलना चाहिये कि जब ईसाईयों ने यहूदियों को बैतुल-मुक़द्दस से रोका था उस वक़्त यहूदी भी तो बिल्कुल बेदीन हो चुके थे, उन पर तो हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा बिन मरियम की ज़बानी लानतें की जा चुकी थीं, वे नाफ़रमान और हद से

निकलने वाले हो चुके थे और ईसाई हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम के दीन पर थे। इससे मालूम होता है कि इस आयत से मुराद मक्का के मुश्रिक लोग हैं और यह भी एक वजह है कि ऊपर यहूद व ईसाईयों की मज़म्मत (बुराई) बयान हुई थी और यहाँ अ़रब के मुश्रिक लोगों की इस बुरी ख़स्लत का बयान हो रहा है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और आपके सहाबियों को मस्जिदे हराम से रोका, मक्का से निकाला, फिर हज व उमरे से भी रोक दिया।

बैतुल्लाह को वीरान करने का एक और मतलब

इमाम इब्ने जरीर का यह फ़रमान कि मक्का वाले बैतुल्लाह को वीरान और उजाड़ने में लगे हुए न थे इसका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा को वहाँ से रोकने और निकाल देने और बैतुल्लाह में बुत बैठा देने से बढ़कर उसकी वीरान और तबाही और क्या हो सकती है? ख़ुद क़ुरआन में मौजूद है:

وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

यानी ये लोग मस्जिदे हराम से रोकते हैं। एक और जगह फ़रमायाः

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا.......... الخ.

मुश्रिकों से अल्लाह की मस्जिदें आबाद नहीं हो सकतीं जो अपने कुफ़्र के ख़ुद गवाह हैं, जिनके आमाल ग़ारत (बरबाद और तबाह) हैं और जो हमेशा के लिये जहन्नमी हैं। मस्जिदों की आबादी उन लोगों से होती है जो अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखने वाले और नमाज़ व ज़कात के पाबन्द और सिर्फ़ अल्लाह ही से डरने वाले हैं, यही लोग सही रास्ते वाले हैं। एक और जगह फ़रमायाः

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ........... الخ.

उन लोगों ने कुफ़्र भी किया और तुम्हें मस्जिदे हराम से भी रोका और क़ुरबानियों को उनके ज़िबह होने की जगह तक न पहुँचने दिया, अगर हमें उन मोमिन मर्दों औरतों का ख़्याल न होता जो अपनी ज़ईफ़ी (कमज़ोरी) और कम-क़ुव्वती के सबब मक्का से नहीं निकल सकते, जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो, तो हम तुम्हें उनसे लड़कर उनके मिटा देने और तबाह कर देने का हुक्म दे देते, लेकिन ये बेगुनाह मुसलमान न पीस दिये जायें इसलिये हमने फ़िलहाल यह हुक्म नहीं दिया। लेकिन अगर ये काफ़िर अपनी शरारतों से बाज़ न आये तो वह वक़्त दूर नहीं जब उन पर हमारे दर्दनाक अ़ज़ाब बरस पड़ें। पस जब वे मुसलमान हस्तियाँ जिनसे मस्जिदों की आबादी हक़ीक़ी (सही और असली) मायने में है वे ही रोक दिये गये तो मस्जिदों के उजाड़ने में कौनसी कमी रह गयी? मस्जिदों की आबादी सिर्फ़ ज़ाहिरी रंग-रोग़न और सजावट से नहीं होती बल्कि उसमें ज़िक्रुल्लाह होना, उसमें शरीअ़त का क़ायम रहना, उन्हें शिर्क और ज़ाहिरी मैल-कुचैल से पाक रखना यह उनकी हक़ीक़ी (वास्तविक) आबादी है।

फिर फ़रमाया कि उन्हें यह बात ज़ेब (शोभा) नहीं देती कि वे बेख़ौफ़ होकर मस्जिद में आयें। मतलब यह है कि ऐ मुसलमानो! उन्हें बेख़ौफ़ी और बेबाकी के साथ बैतुल्लाह में न आने दो, हम तुम्हें ग़ालिब कर देंगे उस वक़्त यही करना। चुनाँचे जब मक्का फ़तह हो गया, आपने अगले साल सन् 9 हिजरी में ऐलान करा दिया कि इस साल के बाद हज में कोई मुश्रिक न आये और बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ कोई नंगा

होकर न करे, जिन लोगों के दरमियान सुलह की कोई मुद्दत मुक़र्रर हुई है वह क़ायम है, यह हुक्म दर असल तस्दीक़ और अ़मल है इस आयत पर:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَاالْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا.

यानी मुशिरक लोग नजिस (नापाक) हैं, इस साल के बाद उन्हें मस्जिदे हराम में न आने दो।

इसके और दूसरे मायने भी बयान किये गये हैं कि चाहिये तो यह था कि मुशिरक लोग अल्लाह से डरते हुए मस्जिद में आयें लेकिन इसके उलट ये मुसलमानों को रोक रहे हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि इस आयत में अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को ख़ुशख़बरी देता है कि जल्द ही मैं तुम्हें ग़लबा दूँगा और ये मुशिरक उस मस्जिद की तरफ़ रुख़ करने से भी थर्राने लगेंगे। चुनाँचे यही हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वसीयत की कि जज़ीरा अ़रब (अ़रब खाड़ी) में दो दीन बाक़ी न रहने पायें और यहूद व ईसाईयों को वहाँ से निकाल दिया जाये। अल्हम्दु लिल्लाह कि इस उम्मत के बुज़ुर्गों ने इस वसीयते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर अ़मल भी कर दिखाया। इससे मस्जिदों की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी भी साबित हुई। ख़ास तौर पर उस जगह की मस्जिद की जहाँ सब से बड़े और तमाम इनसान व जिन्नात के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भेजे गये थे। उन काफ़िरों पर दुनिया की रुस्वाई भी आयी और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को रोका, वतन से निकाला, ठीक उसका पूरा बदला उन्हें मिला। ये भी रोके गये और वतन से निकाले गये और अभी आख़िरत के अ़ज़ाब बाक़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ़ की हुर्मत (सम्मान व इज़्ज़त) तोड़ी, वहाँ बुत बैठाये, ग़ैरुल्लाह से दुआ़यें और मुनाजातें शुरू कर दीं, नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया वग़ैरह।

और अगर इससे मुराद ईसाई लिये जायें तो भी ज़ाहिर है कि वे भी बैतुल-मुक़द्दस की मस्जिद में अल्लाह से डरते हुए आयें। उन्होंने भी मस्जिद बैतुल-मुक़द्दस की बेहुर्मती की थी, ख़ास कर उस सख़रा (पत्थर) की जिसकी तरफ़ यहूद नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह जब यहूदियों ने भी बेहुर्मती की और ईसाईयों से बहुत ज़्यादा तो उन पर ज़िल्लत भी उससे ज़्यादा नाज़िल हुई।

दुनिया की रुस्वाई से मुराद इमाम महदी अ़लैहिस्सलाम के ज़माने की रुस्वाई भी है और जिज़्ये (टैक्स) की अदायेगी भी है। हदीस शरीफ़ में एक दुआ़ आई है:

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

ऐ अल्लाह! तू हमारे तमाम कामों का अन्जाम अच्छा कर और दुनिया की रुस्वाई और आख़िरत के अ़ज़ाब से निजात दे।

यह हदीस हसन है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। सिहाहे सित्ता में नहीं। इसके रावी बशीर बिन अरतात सहाबी हैं। उनसे एक तो यह हदीस मरवी है, दूसरी वह हदीस मरवी है जिसमें है कि ग़ज़्वे और जंग के मौक़े पर वहीं हाथ न काटे जायें।

और अल्लाह ही की ममलूक हैं (सब दिशायें) मश्रिक़ भी और मग़रिब भी, पस तुम लोग जिस तरफ़ मुँह करो (उधर ही) अल्लाह तआ़ला का रुख़ है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला (तमाम दिशाओं को) घेरे हुए हैं, कामिल इल्म वाले हैं। (115)	وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌo

आयत का शाने नुज़ूल

इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा को तसल्ली दी जा रही है जो मक्का से निकाले गये और अपनी मस्जिद से रोके गये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का शरीफ़ में बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो काबतुल्लाह भी सामने ही होता था, जब मदीना तशरीफ़ लाये तो सोलह या सत्रह महीने तक तो उधर ही नमाज़ पढ़ते रहे मगर फिर अल्लाह तआ़ला ने काबा शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह होने (रुख़ करने) का हुक्म दिया।

क़ुरआन में सबसे पहला मन्सूख़ हुक्म

इमाम अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम ने अपनी किताब "नासिख़ मन्सूख़" में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत की है कि क़ुरआन में सबसे पहला मन्सूख़ (निरस्त) हुक्म यही क़िब्ले का है:

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ...... الخ.

वाली आयत (यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) नाज़िल हुई। हुज़ूरे पाक बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ने लगे। फिर आयतः

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ....... الخ.

(सूरः ब-क़रह आयत 149) नाज़िल हुई और आपने बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर (रुख़ करके) नमाज़ अदा करनी शुरू की। मदीना में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे तो यहूदी बहुत ख़ुश हुए लेकिन जब यह हुक्म चन्द माह के बाद मन्सूख़ हुआ और आप अपनी तमन्ना, दुआ़ और इन्तिज़ार के मुताबिक़ काबा शरीफ़ की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिये गये तो उन यहूदियों ने ताने देने शुरू कर दिये कि अब इस क़िब्ले से क्यों हट गये? इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी कि पूरब व पश्चिम का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है..........। फिर यह एतिराज़ क्या? जिधर उसका हुक्म हो उधर ही फिर जाना चाहिये।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी मरवी है कि पूरब व पश्चिम में जहाँ कहीं भी हों मुँह काबा की तरफ़ करो। बाज़ बुज़ुर्गों का बयान है कि यह आयत काबा की तरफ़ मुतवज्जह होने के हुक्म से पहले उतरी है और मतलब यह है कि पूरब व पश्चिम जिधर चाहो मुँह फेरो सब जहतें (दिशायें) अल्लाह ही की हैं और सब तरफ़ ख़ुदा मौजूद है। उससे कोई जगह ख़ाली नहीं। जैसे फ़रमायाः

وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا.

थोड़े बहुत जो भी हों अल्लाह उनके साथ है।

फिर यह हुक्म मन्सूख़ होकर काबा शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह होना (रुख़ करना) फ़र्ज़ हुआ। इस क़ौल में जो यह लफ़्ज़ है कि ख़ुदा से कोई जगह ख़ाली नहीं, अगर इससे मुराद इल्मे ख़ुदा हो तो सही है कि कोई मकान अल्लाह के इल्म से ख़ाली नहीं। और अगर अल्लाह की ज़ात मुराद हो तो ठीक नहीं, अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात इससे बहुत बुलन्द व बाला है कि वह अपनी मख़्लूक़ में से किसी चीज़ में महसूर (घिरी हुई और क़ैद) हो। एक मतलब आयत का यह भी बयान किया गया है कि यह आयत सफ़र और

यात्रा के ख़ौफ़ के वक़्त के लिये है कि उन वक़्तों में नफ़िल नमाज़ को जिस तरफ़ मुँह हो अदा कर लिया करो। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से मरवी है कि उनकी ऊँटनी का मुँह जिस तरफ़ होता था नमाज़ पढ़ लेते थे और फ़रमाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तरीक़ा यही था और इस आयत का मतलब भी यही है। आयत के ज़िक्र के बग़ैर यह हदीस मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने अबी हातिम, इब्ने मर्दूया वग़ैरह में मरवी है और असल इसकी सही बुख़ारी सही मुस्लिम में भी मौजूद है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि इब्ने उमर रज़ि. से जब नमाज़े ख़ौफ़ के बारे में पूछा जाता तो नमाज़े ख़ौफ़ का बयान फ़रमाते और कहते कि जब उससे भी ज़्यादा ख़ौफ़ हो तो पैदल और सवार खड़े-खड़े पढ़ लिया करो। मुँह चाहे क़िब्ले की जानिब हो चाहे न हो। हज़रत नाफ़े का बयान है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. मेरे ख़्याल में इसे मरफ़ूअ़ बयान करते थे। इमाम शाफ़ई का मशहूर क़ौल और इमाम अबू हनीफ़ा रह. का क़ौल है कि सफ़र चाहे पुर-अमन (शान्ति पूर्ण) हो चाहे ख़ौफ़ डर और लड़ाई का हो, सवारी पर नफ़िल अदा कर लेना जायज़ हैं। इमाम मालिक और आपकी जमाअ़त इसके ख़िलाफ़ है, इमाम अबू यूसुफ़ और अबू सईद इस्तख़री बग़ैर सफ़र के भी इसे जायज़ कहते हैं। हज़रत अनस रज़ि. से भी रिवायत है। इमाम अबू जाफ़र तबरी भी इसे पसन्द फ़रमाते हैं, यहाँ तक कि वह तो पैदल चलने वाले को भी छूट और रियायत देते हैं।

बाज़ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यह आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है जिन्हें क़िब्ला मालूम न हो सका और उन्होंने अटकल (अन्दाज़े) से विभिन्न दिशाओं की तरफ़ नमाज़ पढ़ी, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और उनकी उस नमाज़ को अदा शुदा बतलाया गया। हज़रत रबीआ़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक सफ़र में थे, एक मन्ज़िल पर उतरे रात अन्धेरी थी लोगों ने पत्थर ले-लेकर क़िब्ले के निशान के तौर पर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, सुबह उठकर चाँदने में देखा तो नमाज़ क़िब्ले की तरफ़ अदा नहीं हुई थी। हमने हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से ज़िक्र किया इस पर यह आयत नाज़िल हुई। यह हदीस तिर्मिज़ी शरीफ़ में है, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है, इसके दो रावी ज़ईफ़ हैं। एक और रिवायत में है कि उस वक़्त सख़्त अन्धेरा छाया हुआ था और हमने नमाज़ पढ़कर अपने अपने सामने ख़त (लकीर) खींच दिये थे ताकि सुबह रोशनी में मालूम हो जाये कि नमाज़ क़िब्ले की तरफ़ अदा हुई या नहीं, सुबह मालूम हुआ कि क़िब्ला जानने में हमने ग़लती की लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें वह नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया और यह आयत नाज़िल हुई। इस रिवायत के भी दो रावी ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं। यह रिवायत दारे क़ुतनी वग़ैरह में मौजूद है।

एक रिवायत में है कि उनके साथ हुज़ूर न थे, यह भी सनद ज़ईफ़ है। ऐसी नमाज़ के लौटाने के बारे में उलेमा के दो क़ौल हैं। ठीक क़ौल यही है कि दोहराई न जाये और इसी क़ौल की ताईद करने वाली हदीसें हैं जो ऊपर बयान हुईं। बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इसके नाज़िल होने का सबब नजाशी बादशाह है। जब नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी मौत की ख़बर दी और कहा कि उनके जनाज़े की ग़ायबाना नमाज़ पढ़ो तो बाज़ ने कहा वह तो मुसलमान न था, ईसाई था, इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ............ الخ.

यानी बाज़ अहले किताब अल्लाह तआ़ला पर और उस चीज़ पर जो ऐ मुसलमानो! तुम्हारी तरफ़ नाज़िल हुई और उस चीज़ पर जो उन पर नाज़िल की गयी, ईमान लाते हैं और अल्लाह तआ़ला से डरते रहते हैं।

उन्होंने कहा हुज़ूर! वह क़िब्ले की तरफ़ तो नमाज़ नहीं पढ़ता था, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। लेकिन यह रिवायत ग़रीब है। वल्लाहु आलम।

इसके मायने में यह भी कहा गया है कि वह बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ इसलिये नमाज़ें पढ़ते रहे कि उसके मन्सूख़ हो जाने का इल्म उन्हें नहीं हुआ था। इमाम क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि उनके जनाज़े की नमाज़ हुज़ूरे पाक ने पढ़ी, और यह दलील है कि जनाज़े की नमाज़े ग़ायबाना अदा करनी चाहिये और इसके न मानने वाले इसे मख़्सूस जानते हैं और इसकी तीन तावीलें (वुजूहात बयान) करते हैं, एक तो यह कि आपने उसके जनाज़े को देख लिया, ज़मीन आपके लिये लपेट दी गयी थी। दूसरी यह कि चूँकि वहाँ उनके पास उनके जनाज़े की नमाज़ पढ़ने वाला और कोई न था इसलिये आपने यहाँ ग़ायबाना अदा की। इब्ने अ़रबी इसी जवाब को पसन्द करते हैं। क़ुर्तुबी कहते हैं कि यह नामुम्किन है कि एक बादशाह मुसलमान हो और उसकी क़ौम का कोई शख़्स उसके पास मुसलमान न हो। इब्ने अ़रबी इसके जवाब में कहते हैं कि शायद उनके नज़दीक जनाज़े की नमाज़ का हुक्म न हो। यह जवाब बहुत अच्छा है। तीसरी यह कि नमाज़ आपने इसलिये अदा की कि दूसरे लोगों की रग़बत का सबब हो और उस जैसे दूसरे बादशाह दीने इस्लाम की तरफ़ माईल हों, लेकिन ये तीनों तावीलें (मतलब और वुजूहात) ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होने के अ़लावा सिर्फ़ 'हो सकता' है की बिना पर हैं और उन्हें मान लेने के बाद भी मसला यही रहता है कि जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना चाहिये, क्योंकि अगरचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस जनाज़े को देख लिया हो लेकिन फिर भी सहाबा रज़ि. की नमाज़ तो ग़ायबाना ही रही। अगर हम दूसरा जवाब मान लें तो भी जनाज़ा तो ग़ायबाना ही हुआ, जो लोग सिरे से नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना के क़ायल ही नहीं वे तो इस सूरत में भी क़ायल नहीं। और यह बात तो दिल लगती भी नहीं कि उनके नज़दीक नमाज़े जनाज़ा मशरूअ़ (शरीअ़त में लाज़िम) न हो, शरीअ़त उनकी भी इस्लाम थी न कि कोई और। तीसरा जवाब भी कुछ ऐसा ही है और उसको मान लेने के बाद अब भी वह वजह बाक़ी है कि जनाज़ा ग़ायबाना अदा किया करें ताकि दूसरे लोगों की रग़बत (दिलचस्पी और रुझान) इस्लाम की तरफ़ हो। वल्लाहु आलम (उर्दू अनुवादक)

इब्ने मर्दूया में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मदीना वालों, शाम वालों, इराक़ वालों का क़िब्ला पूरब व पश्चिम के बीच है, यह रिवायत तिर्मिज़ी में भी दूसरे अलफ़ाज़ से मरवी है और इसके एक रावी अबू माशर के हाफ़िज़े (याददाश्त) पर बाज़ उलेमा ने कलाम किया है। इमाम तिर्मिज़ी ने एक और सनद से भी इसको नक़ल किया है और उसे हसन सही कहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से भी यह रिवायत है। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब तू पश्चिम को अपनी दायीं जानिब और पूरब को बायीं जानिब कर ले तो तेरे सामने की दिशा क़िब्ला हो जायेगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से भी ऊपर की तरह हदीस रिवायत है कि पूरब व पश्चिम के बीच क़िब्ला है। मुलाहिज़ा हो दारे क़ुतनी, बैहक़ी वग़ैरह। इमाम इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि यह मतलब भी इस आयत का हो सकता है कि तुम मुझसे दुआ़यें माँगने में अपना मुँह जिस तरफ़ भी करो मेरा मुँह (तवज्जोह) भी उसी तरफ़ पाओगे और मैं तुम्हारी दुआ़ओं को क़बूल फ़रमाऊँगा। हज़रत मुजाहिद से मरवी है कि जब यह आयतः

اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

मुझसे दुआ़ करो मैं क़बूल करूँगा।

उतरी तो लोगों ने कहा किस तरफ़ दुआ़ करें, इसके जवाब में आयत "फ़-ऐनमा तुवल्लू" (यानी तुम जिधर भी रुख़ करो) नाज़िल हुई। फिर फ़रमाता है कि अल्लाह तआ़ला वुस्अ़त व समाई और गुंजाईश वाला और इल्म वाला है, जिसकी सख़ावत, फ़ज़्ल व करम और काफ़ी होने ने तमाम मख़्लूक़ का इहाता (घेराव) कर रखा है, वह सब चीज़ों को जानता भी है, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसके इल्म से बाहर नहीं, बल्कि वह तमाम चीज़ों का आ़लिम (जानने वाला) है।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا لا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط وَ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○	और ये लोग कहते हैं कि ख़ुदा तआ़ला औलाद रखता है। सुब्हानल्लाह! (क्या बेकार बात है) बल्कि ख़ास अल्लाह तआ़ला की ममलूक हैं जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में (मौजूद चीज़ें) हैं, (और) सब उनके महकूम (भी) हैं। (116) (हक़ तआ़ला) बनाने वाले हैं आसमानों और ज़मीन के। और जब किसी काम को पूरा करना चाहते हैं तो बस उस काम के बारे में (इतना) फ़रमा देते हैं कि हो जा, पस वह (उसी तरह) हो जाता है। (117)

ख़ुदा के औलाद नहीं, इस हक़ीक़त पर चन्द दलीलें

यह और इसके साथ की आयत ईसाईयों के रद्द में है और इसी तरह उन जैसे यहूद व मुश्रिकीन के रद्द में जो ख़ुदा की औलाद बताते थे। उनसे कहा जाता है कि ज़मीन व आसमान वग़ैरह तमाम चीज़ों का तो ख़ुदा मालिक है। उनका पैदा करने वाला, उन्हें रोज़ी देने वाला, उनके अन्दाज़े मुक़र्रर करने वाला, उन्हें क़ब्ज़े में रखने वाला, उनमें हेर-फेर करने वाला अल्लाह तआ़ला ही है, फिर भला इस मख़्लूक़ में कोई उसकी औलाद कैसे हो सकता है? न उज़ैर अ़लैहिस्सलाम और न ईसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुदा के बेटे बन सकते हैं, जैसे कि यहूदियों व ईसाईयों का ख़्याल था, न फ़रिश्ते उसकी बेटियाँ बन सकते हैं जैसे अ़रब के मुश्रिक लोगों का ख़्याल था, इसलिये कि दो बराबर की मुनासबत रखने वाले हम-जिन्स से औलाद होती है, और अल्लाह तआ़ला का न कोई नज़ीर (उस जैसा) न उसकी अ़ज़मत व किब्रियाई में उसका कोई शरीक, न उसकी जिन्स (क़िस्म और तरह) का कोई और, वह तो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कैसे होगी? उसकी कोई बीवी भी नहीं, वह हर चीज़ का ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) और हर चीज़ का आ़लिम (जानने वाला) है।

ये रहमान की औलाद बताते हैं, यह कितनी बोदी भद्दी और बेकार बात तुम कहते हो। यह इतनी बुरी बात ज़बान से निकालते हो कि इससे आसमानों का फट जाना और ज़मीन का खुल जाना और पहाड़ों का रेज़ा-रेज़ा (टुकड़े-टुकड़े) हो जाना मुम्किन है। उनका दावा है कि अल्लाह तआ़ला औलाद वाला है, अल्लाह की औलाद तो कोई हो ही नहीं सकती, उसके सिवा जो भी है उसकी मिल्कियत है। ज़मीन व आसमान की तमाम मौजूद चीज़ें उसकी गुलामी में हाज़िर होने वाली हैं, जिन्हें एक-एक करके उसने घेर रखा और शुमार कर रखा है। उनमें से हर एक उसके पास क़ियामत वाले दिन तन्हा-तन्हा (अकेले-अकेले)

पेश होने वाला है। पस गुलाम औलाद नहीं बन सकता, मिल्कियत (मिल्क में होना) और वल्दियत (औलाद होना) दो अलग-अलग और एक दूसरे के विपरीत हैसियतें हैं। एक और जगह पूरी सूरत में इसकी नफ़ी (इनकार) फ़रमाई। इरशाद हुआः

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

कह दो कि ख़ुदा एक ही है, अल्लाह बेनियाज़ है, उसकी न औलाद है न माँ-बाप, उसका हम-जिन्स (यानी उसकी क़िस्म का, उसके बराबर का) कोई नहीं।

इन आयतों और इन जैसी और आयतों में उस ख़ालिक़े कायनात ने अपनी तस्बीह व तक़दीस (पाकी और पवित्रता) बयान की, अपना बेनज़ीर बेमिस्ल और ला-शरीक होना साबित किया और उन मुश्रिकों के इस गन्दे अक़ीदे का रद्द किया और बताया कि वह तो सब का ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) व रब (पालने वाला) है, फिर उसकी औलाद बेटे-बेटियाँ कहाँ से होंगी?

इसी औलाद होने के मसले पर एक जामे हदीस

सूरः ब-क़रह की इस आयत की तफ़सीर में सही बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीसे क़ुदसी में है कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- मुझे इब्ने आदम (इनसान) झुठलाता है, उसे यह लायक़ न था। मुझे वह गालियाँ देता है उसे यह नहीं चाहिये था। उसका झुठलाना तो यह है कि वह ख़्याल कर बैठता है कि मैं उसे मार डालने के बाद फिर ज़िन्दा करने पर क़ादिर नहीं हूँ। और उसका गालियाँ देना यह है कि वह मेरी औलाद बताता है, हालाँकि मैं पाक हूँ और बुलन्द व बाला हूँ इससे कि मेरी औलाद और बीवी हो। यही हदीस दूसरी सनदों से और किताबों में भी अलफ़ाज़ के कुछ फ़र्क़ के साथ मरवी है।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़) में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बुरी बातें सुनकर सब्र करने में अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा कोई नहीं। लोग उसकी औलादें बतायें और वह उन्हें रिज़्क़ व आ़फ़ियत देता रहे। फिर फ़रमाया हर चीज़ उसकी इताअ़त-गुज़ार (आज्ञाकारी) है, उसकी गुलामी की इक़रारी है, उसके लिये इख़्लास करने वाली है, उसकी सरकार में क़ियामत के रोज़ हाथ बाँधे खड़ी होने वाली और दुनिया में इबादत-गुज़ार है, जिसको कहे यूँ हो इस तरह बन, वह उसी तरह हो जाती और बन जाती है। इस तरह हर एक उसके सामने पस्त और उसके हुक्म का मानने वाला है, काफ़िर भी अगरचे न चाहें लेकिन उनके साये ख़ुदा के सामने झुकते रहते हैं। क़ुरआन में एक दूसरी जगह फ़रमायाः

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ........الخ.

आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें, ख़ुशी, नाख़ुशी से अल्लाह तआ़ला को सज्दा करती हैं। उनके साये, सुबह-शाम झुकते रहते हैं।

एक हदीस मरवी है कि जहाँ कहीं क़ुरआन में क़नूत का लफ़्ज़ है वहाँ मुराद इताअ़त (हुक्म का पालन करना) है, लेकिन इसका मरफ़ूअ़ होना सही नहीं, मुम्किन है सहाबी का या और किसी का कलाम हो। इस सनद से दूसरी आयतों की तफ़सीर भी मरफ़ूअ़ मरवी है, लेकिन याद रखना चाहिये कि यह ज़ईफ़ (कमज़ोर) है, कोई शख़्स इससे धोखे में न पड़े। वल्लाहु आलम।

आसमान और ज़मीन का पहले से कोई नमूना नहीं था

फिर फ़रमाया कि वह आसमान व ज़मीन को बग़ैर नमूने के पहली ही बार की पैदाईश में पैदा करने वाला है। लुग़त में बिद्अ़त के मायने नई चीज़ पैदा करने, नया बनाने के हैं। हदीस में है कि हर नई बात बिद्अ़त है और हर बिद्अ़त गुमराही है। यह तो हुई शरई बिद्अ़त, कभी बिदअ़त का इतलाक़ (हुक्म) सिर्फ़ लुग़त के मायनों के एतिबार से होता है, शरीअ़त वाली बिद्अ़त मुराद नहीं होती। जैसे हज़रत उमर रज़ि. ने लोगों को नमाज़े तरावीह पर जमा करके फिर उसे इसी तरह जारी देखकर फ़रमाया था "यह अच्छी बिद्अ़त है" तो बिद्अ़त के मायने किसी नई चीज़ को पैदा करने और नया बनाने के हैं। बग़ैर मिसाल के और बग़ैर नमूने के और बग़ैर पहली पैदाईश के पैदा करने वाले। बिद्अ़ती को इसलिये बिद्अ़ती कहा जाता है कि वह भी दीने ख़ुदा में वह काम या वह तरीक़ा ईजाद करता है जो उससे पहले शरीअ़त में न हो। इसी तरह किसी नई बात के पैदा करने वाले को अ़रब के लोग 'मुब्तदेअ़' कहते हैं।

इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआ़ला औलाद से पाक है, वह आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ों का मालिक है। हर चीज़ उसकी वह्दानियत (एक होने) की दलील है। हर चीज़ उसकी इताअ़त-गुज़ारी की इक़रारी है, सब का पैदा करने वाला, बनाने वाला, मौजूद करने वाला, बग़ैर असल और मिसाल के उन्हें वजूद में लाने वाला एक वही रब्बुल-आ़लमीन है। उसकी गवाही हर चीज़ देती है। ख़ुद मसीह अ़लैहिस्सलाम भी उसके गवाह और बयान करने वाले हैं। जिस रब ने इन तमाम चीज़ों को बग़ैर नमूने के और बग़ैर माद्दे (सामग्री) और असल के पैदा किया उसने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को भी बिना बाप के पैदा कर दिया, फिर कोई वजह नहीं कि उन्हें तुम ख़्वाह-म-ख़्वाह ख़ुदा का बेटा मान लो।

फिर फ़रमाया कि उस ख़ुदा की क़ुदरत व सल्तनत, शान व शौकत ऐसी है कि जिस चीज़ को जिस तरह की बनाना और पैदा करना चाहे उसे कह देता है कि उस तरह और ऐसी हो जा, वह उसी वक़्त हो जाती है। जैसे फ़रमायाः

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

(सूरः यासीन आयत 82) दूसरी जगह फ़रमायाः

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

(सूरः नहल आयत 40) एक जगह इरशाद होता हैः

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

(सूरः क़मर आयत 50) शायर कहता है।

اذا ما اراد الله امرفانما ☆ يقول له كن قوله فيكون

मतलब सबका यह है कि उधर ख़ुदा का इरादा किसी चीज़ का हो और उसने कहा हो जा, वहीं वह हो गया। उसके इरादे से मुराद (किसी चीज़ का हो जाना) अलग नहीं। पस ऊपर दर्ज हुई आयत में ईसाईयों को बहुत ही नर्म और बारीक अन्दाज़ से यह भी समझा दिया गया कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम भी इसी 'कुन' (हो जा) के कहने से पैदा हुए हैं। दूसरी जगह साफ़-साफ़ फ़रमा दियाः

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

यानी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह तआ़ला के नज़दीक हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम जैसी है, जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर फ़रमाया हो जा, वह हो गये।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

और (बाज़े) जाहिल यूँ कहते हैं कि (ख़ुद) हमसे क्यों नहीं कलाम फ़रमाते अल्लाह तआ़ला, या हमारे पास कोई और ही दलील आ जाए। इसी तरह वे (जाहिल) लोग भी कहते चले आए हैं जो इनसे पहले हो गुज़रे हैं, उन्हीं के जैसा (जाहिलाना) क़ौल, उन सबके दिल (टेढ़ी समझ रखने में) आपस में एक दूसरे के जैसे हैं, हमने तो बहुत-सी दलीलें साफ़-साफ़ बयान कर दी हैं, (मगर वे) उन लोगों के लिए (फ़ायदेमन्द हैं) जो यक़ीन (हासिल करना) चाहते हैं। (118)

बाज़ जाहिलों का जहालत भरा मुतालबा

राफ़े बिन हुरैमला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा था कि अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह तआ़ला ख़ुद हमसे क्यों नहीं कहता? हम ख़ुद उससे उसका कलाम सुनें। इस पर यह आयत उतरी। मुजाहिद रह. कहते हैं कि यह बात ईसाईयों ने कही थी। इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि यही ठीक भी मालूम होता है, इसलिये कि आयत का मौक़ा (स्थान) यहूद की ही ज़ेहनी व फ़िक्री (वैचारिक) ग़लतियों के पर्दे चाक करने का है फिर भी यह क़ौल ज़्यादा भरोसे के क़ाबिल नहीं। इमाम क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि उन्होंने कहा था कि आपकी नुबुव्वत की इत्तिला ख़ुद अल्लाह तआ़ला हमें क्यों नहीं देता? और यही बात ठीक है। वल्लाहु आलम।

बाज़ दूसरे मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि यह क़ौल अ़रब के काफ़िरों का था और फिर जब फ़रमाया कि इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा था, इससे मुराद यहूद व ईसाई हैं। क़ुरआने करीम में एक और जगह है:

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ......... الخ.

उनके पास जब कभी कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे जब तक कि हमको वह न दिया जाये जो अल्लाह के रसूलों को दिया जाता है। एक और जगह फ़रमाया:

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ....... الخ.

यानी उन्होंने कहा कि हम आप पर हरगिज़ ईमान न लायेंगे जब तक कि आप हमारे लिये हमारी उन ज़मीनों में चश्मे (पानी की नहरें) जारी न कर दें। एक और जगह फ़रमाया:

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا........ الخ.

यानी हमारी मुलाक़ात के मुन्किर (इनकारी) कहते हैं कि हम पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते? अल्लाह तआ़ला हमारे सामने क्यों नहीं आता? एक और जगह फ़रमाया:

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ......... الخ.

उनमें से हर शख़्स चाहता है कि वह ख़ुद कोई किताब दिया जाये, वग़ैरह-वग़ैरह आयतें जो साफ़ बतलाती हैं कि अ़रब के मुश्रिक लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सिर्फ़ तकब्बुर व दुश्मनी की बिना पर ऐसी-ऐसी चीज़ें तलब कीं, इसी तरह यह मुतालबा भी उन्हीं मुश्रिक लोगों का था। उनसे पहले अहले किताब ने भी ऐसे ही बेकार और बेहूदा सवालात किये थे। इरशाद है:

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ....... الخ.

अहले किताब तुमसे चाहते हैं कि तुम उन पर कोई आसमानी किताब उतारो। हज़रत मूसा से उन्होंने इससे भी बड़ा सवाल किया था, उनसे तो कहा था कि हमें ख़ुदा को आमने-सामने दिखा। एक और जगह फ़रमान है कि जब तुमने कहा ऐ मूसा! हम तुझ पर हरगिज़ ईमान न लायेंगे जब तक अपने रब को सामने न देख लें।

फिर फ़रमाया कि इनके और उनके दिल बराबर और एक जैसे हो गये, यानी इन मुश्रिकों के दिल पहले काफ़िरों जैसे हो गये। एक और जगह फ़रमाया है कि पहले लोगों ने भी अपने अम्बिया को जादूगर और दीवाना कहा था, इन्होंने भी उनकी मुवाफ़क़त की (यानी उन्हीं जैसी हरकत की)। फिर फ़रमाया हमने यक़ीन वालों के लिये अपनी आयतें बयान कर दीं जिनसे रसूल की तस्दीक़ ज़ाहिर है, किसी और चीज़ की तलब की हाजत बाक़ी नहीं रही, यही निशानियाँ ईमान लाने के लिये काफ़ी हैं। हाँ जिनके दिलों पर मोहर लगी हुई हो उन्हें किसी आयत से कोई फ़ायदा न होगा। जैसे फ़रमाया:

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ......... الخ.

जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है वे ईमान न लायेंगे अगरचे उनके पास तमाम आयतें आ जायें जब तक कि वे दर्दनाक अ़ज़ाब न देख लें।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ○	हमने आपको एक सच्चा दीन देकर भेजा है कि ख़ुशख़बरी सुनाते रहिए और डराते रहिए, और आपसे दोज़ख़ में जाने वालों की पूछ-ताछ न होगी। (119)

एक तंबीह और डरावा

हदीस में है ख़ुशख़बरी जन्नत की और डरावा जहन्नम से। 'ला तुस्अलु' की दूसरी क़िराअत 'मा तुस्अलु' भी है, और इब्ने मसऊद रज़ि. की क़िराअत में 'लन तुस्अलु' भी है, यानी तुझसे काफ़िरों के बारे में सवाल नहीं किया जायेगा। जैसे फ़रमाया:

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.

यानी तुझ पर सिर्फ़ पहुँचा देना है, हिसाब तो हमारे ज़िम्मे है। और फ़रमाया:

فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.

तू नसीहत करता रह, तू सिर्फ़ नसीहत करने वाला है, उन पर दरोग़ा नहीं। एक और जगह फ़रमायाः

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ......... الخ.

हम उनकी बातें अच्छी तरह जानते हैं, तुम उन पर जबर (ज़बरदस्ती) करने वाले नहीं हो। तुम क़ुरआन की नसीहतें उन्हें सुना दो जो क़ियामत से डरते हों।

इसी मज़मून की और भी बहुत सी आयतें हैं। एक क़िराअत इसकी 'व ला तस्अल्' भी है, यानी इन जहन्नमियों के बारे में ऐ नबी मुझसे न पूछ। मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- काश कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता, काश कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता, काश कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता। इस पर यह फ़रमान नाज़िल हुआ। फिर आख़िरी दम तक आपने अपने वालिदैन (माँ-बाप) का ज़िक्र न फ़रमाया। इब्ने जरीर रह. ने भी इसे मूसा बिन उबैदा की रिवायत से नक़ल किया है, लेकिन इस रावी पर कलाम है। क़ुर्तुबी रह. कहते हैं- मतलब यह है कि जहन्नमियों का हाल इतना बद और बुरा है कि तुम कुछ न पूछो। किताब 'तज़किरा' में इमाम क़ुर्तुबी ने एक रिवायत बयान की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वालिदैन (माँ-बाप) ज़िन्दा किये गये और ईमान ले आये और सही मुस्लिम में जो हदीस है जिसमें आपने किसी के सवाल पर फ़रमाया कि मेरा बाप और तेरा बाप आग में हैं, उसका जवाब भी वहाँ है, लेकिन याद रहे कि आपके माँ-बाप के ज़िन्दा होने की रिवायत 'सिहाहे सित्ता' (हदीस की छह बड़ी और मशहूर किताबों) वग़ैरह में नहीं, और इसकी सनद ज़ईफ़ (कमज़ोर) है। वल्लाहु आलम।

इब्ने जरीर की एक मुर्सल हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक दिन पूछा कि मेरे माँ-बाप कहाँ हैं? इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इब्ने जरीर रह. ने इसकी तरदीद की है और फ़रमाया है कि यह मुहाल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने माँ-बाप के बारे में शक करें, पहली ही क़िराअत ठीक है। लेकिन हमें इमाम इब्ने जरीर पर ताज्जुब आता है कि उन्होंने इसे मुहाल (नामुम्किन) कैसे कह दिया? मुम्किन है यह वाक़िआ उस वक़्त का हो जब आप अपने माँ-बाप के लिये इस्तिग़फ़ार करते थे और अन्जाम मालूम न था। फिर जब उन दोनों की हालत मालूम हो गयी तो आप उससे हट गये और बेज़ारी ज़ाहिर फ़रमाई और साफ़ बतला दिया कि वे दोनों जहन्नमी हैं जैसे कि सही हदीस से साबित हो चुका है। इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं।

मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ि. से हज़रत अ़ता बिन यसार रह. ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़त व सना (तारीफ़ व निशानी) तौरात में क्या है? तो आपने फ़रमाया हाँ ख़ुदा की क़सम जो सिफ़तें आपकी क़ुरआन में हैं वही तौरात में भी हैं। तौरात में है कि ऐ नबी! हमने तुझे गवाह और ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला और अनपढ़ों का बचाव बनाकर भेजा है, तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल है, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल (अल्लाह पर भरोसा करने वाला) रखा है, तू न बद-ज़ुबान है न सख़्त कहने वाला, न बुरे अख़्लाक़ वाला, न बाज़ारों में शोर व गुल करने वाला है, न वह बुराई के बदले बुराई करने वाले हैं बल्कि माफ़ और दरगुज़र करने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला उन्हें दुनिया से न उठायेगा जब तक कि टेढ़े दीन को उनकी वजह से बिल्कुल ठीक और दुरुस्त न कर दे, और लोग 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' का इक़रार न कर लें और उनकी अन्धी आँखें खुल न जायें और उनके बहरे कान सुनने न लग जायें, और उनके ज़ंग लगे हुए दिल साफ़ न हो जायें। बुख़ारी की किताबुल-बुयूअ़ में भी

यह हदीस है और किताबुत्तफ़सीर में भी। इब्ने मर्दूया में इस रिवायत के बाद है कि मैंने फिर जाकर हज़रत कअ़ब रह. से यही सवाल किया तो उन्होंने भी ठीक यही जवाब दिया।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

और कभी ख़ुश न होंगे आपसे यहूद और न ईसाई जब तक कि आप (ख़ुदा न करे) उनके मज़हब के (बिल्कुल) पैरवी करने वाले न हो जाएँ। (आप साफ़) कह दीजिए कि (भाई) हक़ीक़त में तो हिदायत का वही रास्ता है जिस को ख़ुदा तआ़ला ने बतलाया है, और अगर आप इत्तिबा करने लगें उनके ग़लत ख़्यालात का (अल्लाह की वही से साबित क़तई) इल्म के आ चुकने के बाद तो आपका कोई ख़ुदा से बचाने वाला न यार निकले न मददगार। (120) जिन लोगों को हमने किताब (तौरात व इन्जील) दी, शर्त यह है कि वे उसकी तिलावत (उस तरह) करते रहे जिस तरह कि तिलावत का हक़ है। ऐसे लोग इस पर ईमान ले आते हैं, और जो शख़्स न मानेगा (किसका नुक़सान करेगा) ख़ुद ही ऐसे लोग घाटे में रहेंगे। (121)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली

ऊपर की आयत का मतलब यह है कि ये लोग तुझसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे तू भी उन्हें छोड़ और रब की रज़ा के पीछे लग जा। उन्हें दावते रिसालत पहुँचा दे, दीने हक़ वही है जो ख़ुदा ने तुझे दिया है, तू इस पर जम जा। हदीस शरीफ़ में है कि मेरी उम्मत की एक जमाअ़त हक़ पर जमकर दूसरों के मुक़ाबले में रहेगी और ग़लबे के साथ रहेगी, यहाँ तक कि क़ियामत आये। फिर अपने नबी को ख़िताब करके धमकाया कि हरगिज़ उनकी रज़ामन्दी और उनसे सुलह-जोई (मेलजोल) के लिये अपने दीन में सुस्त न होना, उनकी तरफ़ न झुकना, उनकी न मानना। फ़ुक़हा-ए-किराम ने इस आयत से दलील पकड़ी है कि कुफ़्र एक ही मज़हब है चाहे वे यहूद हों, ईसाई हों या कोई और हों, इसलिये कि मिल्लत (मज़हब) का लफ़्ज़ यहाँ मुफ़रद (एक वचन में) ही रखा है। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ.

तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन है।

एक बहुत अहम मसला

इस इस्तिदलाल (दलील पकड़ने) पर इस मसले की बुनियाद डाली है कि मुसलमान और काफ़िर आपस में वारिस नहीं हो सकते और काफ़िर आपस में एक दूसरों के वारिस हो सकते हैं अगरचे वे दोनों एक ही

क़िस्म के काफ़िर हों या दो अलग-अलग कुफ़्रों के काफ़िर हों। इमाम शाफ़ई और इमाम अबू हनीफ़ा रह. का यही मज़हब है, और इमाम अहमद रह. से भी एक रिवायत में यही मन्क़ूल है, और दूसरी रिवायत में इमाम अहमद और इमाम मालिक रह. का यह क़ौल मरवी है कि दो मुख़्तलिफ़ मज़हब वाले आपस में एक दूसरे के वारिस न हों। एक सही हदीस में भी यही मज़मून है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि जिन्हें हमने किताब दी है वे उसकी तिलावत का हक़ अदा करते हुए पढ़ते हैं। क़तादा रह. कहते हैं कि इससे मुराद यहूद व ईसाई हैं। एक और रिवायत में है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा हैं। हज़रत उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि तिलावत का हक़ यह है कि जन्नत के ज़िक्र के वक़्त जन्नत का सवाल हो और जहन्नम के ज़िक्र के वक़्त उससे पनाह माँगी जाये। इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि हलाल व हराम को जानना, कलिमात को उनकी जगह रखना, हेर-फेर न करना वग़ैरह, यही तिलावत का हक़ अदा करना है। हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि खुली (स्पष्ट अहकाम वाली) आयतों पर अ़मल करना, मुतशाबा आयतों पर ईमान लाना, मुश्किलात को उलेमा के सामने पेश करना तिलावत के हक़ के साथ पढ़ना है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इसका मतलब हक़ की पैरवी और उस पर अ़मल करना भी नक़ल किया गया है। पस तिलावत इत्तिबा और पैरवी के मायने में है। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا.

और क़सम है चाँद की जब वह सूरज के पीछे-पीछे आये।

एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी इसके यही मायने मरवी हैं, लेकिन उसके बाज़ रावी मजहूल हैं अगरचे मायने ठीक हैं। हज़रत अबू मूसा अश्अ़री फ़रमाते हैं कि क़ुरआन की इत्तिबा करने वाला जन्नत के बाग़ीचों में उतरने वाला है।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तरीक़ा-ए-तिलावत

हज़रत उमर रज़ि. की तफ़सीर के मुताबिक़ यह भी मरवी है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब कोई रहमत के ज़िक्र वाली आयत पढ़ते तो ठहर जाते और अल्लाह से रहमत तलब करते और जब कभी किसी अ़ज़ाब की आयत को तिलावत फ़रमाते तो रुक कर अल्लाह तआ़ला से पनाह तलब फ़रमाते। फिर फ़रमाया- इस पर ईमान यही लोग रखते हैं यानी जो अहले किताब अपनी किताब को सोच समझ कर तिलावत करते हैं वे क़ुरआन पर ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे एक और जगह हैः

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ............ الخ.

अगर ये तौरात व इन्जील पर और ख़ुदा की उनकी तरफ़ नाज़िल की हुई चीज़ पर क़ायम रहते तो उनके ऊपर से और पैरों तले से उन्हें खाना मिलता............।

और फ़रमाया ऐ अहले किताब! जब तक तुम तौरात व इन्जील को और जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से उतरा उसको क़ायम न कर लो तब तक तुम किसी चीज़ पर नहीं हो। उनको क़ायम करने का मलतब है कि जो कुछ उनमें है उसे सच्चा जानो और उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र, आपकी सिफ़त, आपकी ताबेदारी का हुक्म, आपका साथ देने की तरफ़ तवज्जोह सब कुछ मौजूद है। एक और जगह फ़रमाया कि जो लोग नबी-ए-उम्मी की ताबेदारी करते हैं, जिस रसूल का ज़िक्र और तस्दीक़

अपनी किताब तौरात व इन्जील में भी वे लिखा देखते हैं। एक और जगह फ़रमायाः

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ......... الخ.

यानी तुम ईमान लाओ या न लाओ जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है उन पर जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वे मुँह के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और ज़बान से कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वायदा बिल्कुल सच्चा और सही है।

एक और जगह है कि जिन्हें हमने इससे पहले किताब दी है वे भी इस पर ईमान लाते हैं और उन पर यह पढ़ी जाती है तो अपने ईमान का इक़रार करके कहते हैं कि हम तो पहले ही से मानने वालों में हैं, उन्हें उनके सब्र (दीन और हक़ पर जमाव) का दोहरा अज्र दिया जायेगा, ये लोग बुराई को भलाई से हटाते हैं और हमारे दिये हुए में से देते रहते हैं। एक और जगह इरशाद हैः

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ......... الخ.

यानी पढ़े-लिखे बेपढ़े लोगों से कह दो कि क्या तुम इस्लाम क़बूल करते हो? अगर मान लें तो राह पर हैं और अगर न मानें तो तुझ पर तो सिर्फ़ तब्लीग़ (अल्लाह के पैग़ाम का पहुँचा देना) है, अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को ख़ूब देख रहा है। इसी लिये फ़रमाया कि उसके साथ कुफ़्र करने वाले ख़सारे (घाटे) वाले हैं। जैसे फ़रमायाः

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ.

जो भी उसके साथ कुफ़्र करे उसके वायदे की जगह आग है। सही हदीस में है- उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस उम्मत में से जो भी मुझे सुने चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, फिर मुझ पर ईमान न लाये तो वह जहन्नम में जायेगा।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○	ऐ याक़ूब की औलाद! मेरी उन नेमतों को याद करो जिनका मैंने तुम पर (वक़्त-वक़्त पर) इनाम किया, और इसको (भी) कि मैंने तुमको बहुत-से लोगों पर फ़ौक़ियत "यानी रुतबा और बड़ाई" दी। (122) और तुम डरो ऐसे दिन से जिसमें कोई शख़्स किसी शख़्स की तरफ़ से न कोई मुतालबा (वाजिब हक़) अदा करने पायेगा और न किसी की तरफ़ से कोई मुआ़वज़ा क़बूल किया जाएगा, और न किसी को कोई सिफ़ारिश (जबकि ईमान न हो) मुफ़ीद होगी, और न उन लोगों को कोई बचा सकेगा। (123)

पहले इसी जैसी आयत सूरत के शुरू में गुज़र चुकी है और उसकी मुफ़स्सल (तफ़सील व विस्तार के साथ) तफ़सीर भी बयान हो चुकी है, यहाँ सिर्फ़ ताकीद के तौर पर ज़िक्र की गयी और उन्हें नबी-ए-उम्मी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताबेदारी की रग़बत (तवज्जोह) दिलाई गयी जिनकी सिफ़तें वे अपनी किताबों में पाते थे, जिनका नाम और काम भी उसमें लिखा हुआ था, बल्कि उनकी उम्मत का ज़िक्र भी

उसमें मौजूद है। पस उन्हें उसे छुपाने और अल्लाह की दूसरी नेमतों को छुपाने से डराया जा रहा है और दीनी और दुनियावी नेमतों को ज़िक्र करने को कहा जा रहा है, और अ़रब में जो नस्ली तौर पर भी उनके चचाज़ाद भाई हैं (यानी हज़रत इस्माईल की औलाद हैं) खुदा की जो नेमत उनमें आयी जिसमें नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हुज़ूरे पाक को ख़ुदा ने मबऊस फ़रमाया, उनसे हसद करके नबी की मुख़ालफ़त और झुठलाने पर आमादा न होने की हिदायत हो रही है।

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○	और जिस वक़्त इम्तिहान किया (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का उनके परवर्दिगार ने चन्द बातों में, और वह उनको पूरे तौर से बजा लाए, (उस वक़्त) हक़ तआ़ला ने (उनसे) फ़रमाया कि मैं तुमको लोगों का मुक़्तदा "यानी रहनुमा और ऐसा शख़्स जिसकी पैरवी की जाए" बनाऊँगा। उन्होंने अ़र्ज़ किया: और मेरी औलाद में से भी किसी-किसी को (नुबुव्वत दीजिए) इरशाद हुआ कि मेरा (यह नुबुव्वत का) ओ़हदा ख़िलाफ़-वर्ज़ी "उल्लंघन" करने वालों को न मिलेगा। (124)

तौहीद का सबसे बड़ा दाओ़ी

इस आयत में ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी (बुलन्द रुतबे और बड़ाई) का बयान हो रहा है जो तौहीद (अल्लाह के एक होने की दावत देने) में दुनिया के इमाम हैं, जिन्होंने तकलीफ़ों पर सब्र करके अल्लाह के हुक्म का पालन किया, दीन पर जमे रहे और इस मैदान में बहादुरी दिखाई। फ़रमाता है- ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! तुम इन मुश्रिकों और अहले किताब को जो मिल्लते इब्राहीमी (हज़रत इब्राहीम के रास्ते और तरीक़ पर होने) के दावेदार हैं, ज़रा इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की फ़रमाँबरदारी और अल्लाह के हुक्मों के पालन करने के वाक़िआ़त तो सुनाओ ताकि उन्हें मालूम हो जाये सीधे रास्ते, सच्चे दीन और हज़रत इब्राहीम के तरीक़े पर वे हैं या हुज़ूरे पाक और आपके सहाबा?

एक और जगह क़ुरआने करीम का इरशाद है:

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى.

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) वह हैं जिन्होंने पूरी वफ़ादारी दिखाई। एक और जगह फ़रमाया:

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا....... الخ.

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) लोगों के पेशवा (दीनी रहनुमा), अल्लाह तआ़ला के फ़रमाँबरदार, मुख़्लिस और शुक्रगुज़ार बन्दे थे, जिन्हें ख़ुदा ने पसन्द फ़रमाकर सही रास्ते पर लगा दिया था, जिन्हें हमने दुनिया में भलाई दी थी और आख़िरत में भी नेक और सालिहीन में से बनाया था। फिर ऐ नबी! हमने तेरी तरफ़ वही की कि तू भी इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत (तरीक़े) की पैरवी कर जो मुश्रिकों में से न थे। एक और जगह

इरशाद है कि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे न ईसाई थे न मुश्रिक थे, बल्कि ख़ालिस मुसलमान थे। उनसे निकटता और नज़दीकी वाला वह शख़्स है जो उनकी तालीम और तरके का पैरोकार हो, और यह नबी और ईमान वाले। इन ईमान वालों का दोस्त अल्लाह तआ़ला खुद है। 'इब्तिला' के मायने इम्तिहान और आज़माईश के हैं।

हज़रत इब्राहीम की आज़माईश

और उस इम्तिहान में आपके कामयाब होने की इत्तिला

'कलिमात' से मुराद शरीअ़त (जिन कामों को करने का हुक्म है या जिनसे मनाही है) वग़ैरह है। कलिमात से मुराद 'तक़दीरी कलिमात' भी होते हैं, जैसे मरियम अ़लैहस्सलाम के बारे में इरशाद है:

صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا.

यानी उन्होंने अपने रब के कलिमात की तस्दीक़ की और उसके लिखे हुए की भी, वह बड़ी फ़रमाँबरदार थीं। और 'कलिमात' से मुराद 'शरई कलिमात' भी होते हैं, जैसे फ़रमायाः

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا.

यानी अल्लाह तआ़ला के शरई कलिमात सच्चाई और अ़दल के साथ पूरे हुए। यह 'कलिमात' या तो सच्ची ख़बरें हैं या इन्साफ़ का तलब करना है। ग़र्ज़ कि इन कलिमात को पूरा करने की जज़ा (बदले) में उन्हें 'इमामत' (दीनी पेशवा होने) का दर्जा मिला। इन 'कलिमात' के बारे में बहुत से अक़्वाल हैं, मिसाल के तौर पर 'हज के अहकाम' 'मूँछों को कम करना' 'कुल्ली करना' 'नाक साफ़ करना' 'मिस्वाक करना' 'सर के बाल मुंडवाना या रखवाना' 'माँग निकालना' 'नाख़ून तरशवाना' 'नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना' 'ख़तना कराना' 'बग़ल के बाल साफ़ करना' 'पेशाब पाख़ाना के बाद इस्तिन्जा करना' 'जुमे के दिन गुस्ल करना' 'तवाफ़ करना' 'सफ़ा मरवा के बीच सई करना' 'शैतानों को कंकरी मारना' 'तवाफ़े इफ़ाज़ा करना'। हज़रत अ़ब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि इससे मुराद पूरा इस्लाम है जिसके तीस हिस्से हैं, दस का बयान सूरः बराअत (सूरः तौबा) की आयत 112 में है:

यानी तौबा करना, इबादत करना, अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की राह में दौड़ना, रुकूअ़ करना, सज्दा करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अल्लाह की हदों की हिफ़ाज़त करना, ईमान लाना। दस का बयान पारा नम्बर अट्ठारह की शुरू की आयतों और सूरः मआ़रिज में है, यानी नमाज़ को खुशूअ़ खुज़ूअ़ से (दिल की हुज़ूरी और अल्लाह के डर के साथ) अदा करना, बेहूदा और फ़ुज़ूल बातों और कामों से मुँह फेर लेना, ज़कात देते रहा करना, शर्मगाह की हिफ़ाज़त करना, अमानत दियानत दारी करना, वायदे को पूरा करना, नमाज़ पर हमेशगी और हिफ़ाज़त करना, क़ियामत को सच्चा जानना, अ़ज़ाबों से डरते रहना, सच्ची गवाही पर क़ायम रहना। और दस का बयान सूरः अहज़ाब में "इन्नल् मुस्लिमी-न" से "अ़ज़ीमा" तक है, यानी इस्लाम लाना, ईमान रखना, क़ुरआन पढ़ना, सच बोलना, सब्र करना, आ़जिज़ी करना, ख़ैरात देना, रोज़ा रखना, बदकारी से बचना, अल्लाह तआ़ला का हर वक़्त ख़ूब ज़्यादा ज़िक्र करना। इन तीसों अहकाम का जो आ़मिल (अ़मल करने वाला) हो वह पूरे इस्लाम का पाबन्द है और ख़ुदा के अ़ज़ाबों से बरी है।

'कलिमाते इब्राहीमी' में अपनी क़ौम से अ़लैहदगी इख़्तियार करना, बादशाहे वक़्त से निडर होकर उसे

भी तब्लीग़ करना, फिर राहे ख़ुदा में जो मुसीबत आये उस पर सब्र व सहार करना, फिर वतन और घर-बार को 'अल्लाह के लिये' छोड़कर हिजरत करना, मेहमान नवाज़ी करना, जानी और माली मुसीबत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसकी ख़ुशी हासिल करने के लिये बरदाश्त करना, यहाँ तक कि अपने बच्चे को अल्लाह की राह में क़ुरबान करना और वह भी अपने ही हाथ से, ये तमाम अहकाम ख़लीलुर्रहमान हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम बजा लाये।

सूरज, चाँद और सितारों से भी आपकी आज़माईश हुई। अमानत के साथ, बैतुल्लाह बनाने के हुक्म के साथ, अहकामे हज के साथ, मक़ामे इब्राहीम के साथ, बैतुल्लाह के रहने वालों की रोज़ियों के साथ, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को आपके दीन पर भेजने के साथ भी आज़माईश हुई। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि ऐ ख़लील! मैं तुम्हें आज़माता हूँ देखता हूँ कि क्या हो? तो आपने फ़रमाया मुझे लोगों का इमाम (मज़हबी पेशवा) बना दे, इस काबे को लोगों के सवाब और इकट्ठा होने का मर्कज़ (केन्द्र) बना दे, यहाँ वालों को अमन दे, हमें मुसलमान फ़रमाँबरदार बना ले, हमारी औलाद में अपनी इताअ़त करने वाली एक जमाअ़त रख, यहाँ वालों को फलों की रोज़ियाँ दे, ये तमाम बातें अल्लाह तआ़ला ने पूरी कर दीं और ये सब नेमतें आपको अ़ता हुईं। सिर्फ़ एक आरज़ू पूरी न हुई, कहा था कि मेरी तमाम औलाद को भी इमामत (दीनी सरदारी) मिले, जवाब मिला ज़ालिमों को यह अ़ज़ीमुश्शान ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाती।

'कलिमात' से मुराद उसके साथ की आयतें भी हैं। मुवत्ता वग़ैरह में है कि सबसे पहले ख़तना कराने वाले या सबसे पहले मेहमान-नवाज़ी करने वाले, सबसे पहले नाख़ुन कटवाने वाले, सबसे पहले मूँछे तरश्वाने वाले, सबसे पहले सफ़ेद बाल देखने वाले हज़रत इब्राहीम ही हैं। सफ़ेद बाल देखकर पूछा कि ख़ुदाया! यह क्या है? जवाब मिला वक़ार व इ़ज़्ज़त है। कहने लगे फिर तो ख़ुदाया इसे और ज़्यादा कर। सबसे पहले मिम्बर पर ख़ुतबा कहने वाले, सबसे पहले क़ासिद (पैग़ाम पहुँचाने वाला) भेजने वाले, सबसे पहले तलवार चलाने वाले, सबसे पहले मिस्वाक करने वाले, सबसे पहले पानी के साथ इस्तिन्जा करने वाले, सबसे पहले पायजामा पहनने वाले हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह हैं।

एक ज़ईफ़ (कमज़ोर) बल्कि मौज़ूअ़ (गढ़ी हुई) हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मैं मिम्बर बनाऊँ तो मेरे बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी बनाया था, और अगर लकड़ी हाथ में रखूँ तो यह भी मेरे बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की सुन्नत है। अनेक बुज़ुर्गों ने 'कलिमात' की तफ़सीर में जो कहा था हमने नक़ल कर दिया और ठीक भी यही है कि सब बातें उन कलिमात में थीं, किसी विशेष चीज़ और बात को ख़ास करने की कोई वजह हमें नहीं मिली। वल्लाहु आलम।

सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है- दस बातें फ़ितरत की और दीन की असल हैं, मूँछे कम करना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी देना, नाख़ुन काटना, पोरियाँ धोना, बग़ल के बाल साफ़ करना, नाफ़ के नीचे के बाल लेना, इस्तिन्जा करना। हदीस बयान करने वाला कहता है कि मैं दसवीं बात भूल गया शायद कुल्ली करना थी। सहीहैन में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- पाँच बातें फ़ितरत की हैं, ख़तना कराना, नाफ़ के नीचे के बाल लेना, मूँछे कम कराना, नाख़ुन लेना, बग़ल के बाल लेना। एक हदीस में है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को वफ़ा करने वाला इसलिये फ़रमाया है कि वह हर सुबह के वक़्त यह पढ़ते थे:

سُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ.

(यानी सूरः रूम की आयत 17)

एक रिवायत में है कि हर दिन चार रक्अ़तें पढ़ते थे, लेकिन ये दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं और इनमें कई कई रावी ज़ईफ़ हैं, और ज़ईफ़ (कमज़ोर) होने की बहुत सी वजहें हैं, बल्कि उनका बयान भी बिना उनका ज़ईफ़ होना बयान किये जायज़ नहीं। मतन भी ज़ईफ़ होने पर दलालत करता है।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अपनी इमामत की ख़ुशख़बरी सुनकर अपनी औलाद के लिये भी यही दुआ़ करते हैं, जो क़बूल तो की जाती है लेकिन साथ ही ख़बर दी जाती है कि आपकी औलाद में नाफ़रमान भी होंगे जिन्हें अल्लाह तआ़ला का अ़हद न पहुँचेगा, वह इमाम न बनाये जायेंगे, न उनकी इक़्तिदा और पैरवी की जायेगी। सूरः अ़न्कबूत की यह आयत इस मतलब को वाज़ेह कर देती है कि ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम की यह दुआ़ क़बूल हुई। यहाँ हैः

وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ.

यानी हमने उनकी औलाद में नुबुव्वत और किताब का सिलसिला क़ायम रखा।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बाद जितने अम्बिया और रसूल आये वे सब आप ही की औलाद में से थे और जितनी किताबें नाज़िल हुईं सब आप ही की औलाद में हुईं। उन सब पर अल्लाह तआ़ला के बेशुमार दुरूद व सलाम हों।

यहाँ यह भी ख़बर दी गयी है कि आपकी औलाद में ज़ुल्म करने वाले भी होंगे। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि मैं ज़ालिम को इमाम नहीं बनाऊँगा। ज़ालिम से मुराद बाज़ ने मुश्रिक भी लिया है। 'अ़हद' से मुराद 'अम्र' (हुक्म और मामला) है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ज़ालिम को किसी चीज़ का वाली और बड़ा न बनाना चाहिये चाहे वह औलादे इब्राहीम में से हो। हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ उनकी औलाद की नेकों के हक़ में क़बूल हुई है। यह भी मायने किये गये हैं कि ज़ालिम का कोई अ़हद पूरा न किया जाये (यानी अगर अल्लाह की नाफ़रमानी का कोई अ़हद अगर किसी लालच, धमकी या दबाव की वजह से किया गया है तो उस अ़हद को तोड़ दिया जाये) और यह भी मतलब है कि क़ियामत के दिन उससे अल्लाह तआ़ला का अच्छाई का वायदा नहीं। दुनिया में तो ख़ैर खा-पी रहा है और ऐश व मज़े कर रहा है। अ़हद से मुराद दीन भी है यानी तेरी तमाम औलाद दीनदार नहीं। जैसे एक दूसरी जगह हैः

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ.

यानी उनकी औलाद में भले भी हैं और बुरे भी।

'इताअ़त' (हुक्म मानने) के मायने भी किये गये हैं, यानी इताअ़त सिर्फ़ नेक काम और भलाई में है, और अ़हद के मायने नुबुव्वत के भी आये हैं। इब्ने ख़ुवैज़ मालिकी फ़रमाते हैं कि ज़ालिम शख़्स न तो ख़लीफ़ा बन सकता है न हाकिम, न मुफ़्ती न गवाह न रावी (यानी इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ उसको ये

ओहदे और ज़िम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिये)।

और (वह वक़्त भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जिस वक़्त हमने काबा शरीफ़ को लोगों के इबादत की जगह और अमन (की जगह) मुक़र्रर किया। और मक़ामे इब्राहीम को (कभी-कभी) नमाज़ पढ़ने की जगह बना लिया करो।	وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۭ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۭ

अल्लाह के घर ख़ाना काबा का ज़िक्र

'मसाबतन्' से मुराद बार-बार आना। हज करके अगरचे जायें लेकिन फिर भी दिल में लगन लगी रहती है। हर-हर जगह से लोग भागे-दौड़े उसकी तरफ़ जमाअ़त की जमाअ़त चले आ रहे हैं। यही जमा होने की जगह है, यही अमन का मक़ाम है, जिसमें हथियार नहीं उठाया जाता, जाहिलीयत के ज़ामने में भी इसके आस-पास लूट-मार होती रही लेकिन यहाँ अमन व अमान रहता। किसी को कोई गाली भी न देता। यह जगह हमेशा बरकत वाली (पवित्र) और सम्मानित रही। नेक रूहें उसकी तरफ़ मुश्ताक़ रहती हैं, चाहे हर साल ज़ियारत करें लेकिन फिर भी शौक़ लगा रहता है। यह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ का असर है। आपने दुआ़ माँगी थीः

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْۤ اِلَیْهِمْ........ الخ.

तू लोगों के दिलों को उसकी तरफ़ झुका दे।

यहाँ बाप और भाई के क़ातिल को भी कोई देखता तो ख़ामोश हो जाता। सूरः मायदा में हैः

قِيَامًا لِّلنَّاسِ.

यानी ये लोगों के क़ियाम (बाक़ी और क़ायम रहने) का ज़रिया है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अगर लोग हज करना छोड़ दें तो आसमान ज़मीन पर गिरा दिया जाये। इस घर के इस शर्फ़ (बड़ाई और सम्मान) को देखकर फिर उसके प्रथम संस्थापक हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम के शर्फ़ (रुतबे) को ख़्याल फ़रमाईये। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ........ الخ.

हमने बैतुल्लाह की जगह इब्राहीम को दी (और कह दिया) कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना। एक और जगह हैः

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ........ الخ.

ख़ुदा का पहला घर मक्का है जो बरकत व हिदायत वाला, निशानियों वाला, मक़ामे इब्राहीम वाला, अमन व अमान वाला है।

मक़ामे इब्राहीम से मुराद सारा हरम है, और ख़ास मक़ामे इब्राहीम भी है, और हज तमाम का तमाम भी है, जैसे अ़रफ़ात, मश्अ़रे-हराम, मिना, शैतानों को कंकरी मारना, सफ़ा-मरवा की सई, काबे का तवाफ़। मक़ामे इब्राहीम दर असल वह पत्थर है जिसे हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की बीवी साहिबा ने हज़रत

इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नहाने के लिये उनके पाँव के नीचे रखा था, लेकिन हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि. कहते हैं कि यह ग़लत है। दर असल यह वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बनाते थे। हज़रत जाबिर रज़ि. की एक लम्बी हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तवाफ़ कर लिया तो हज़रत उमर रज़ि. ने मक़ामे इब्राहीम की तरफ़ इशारा करके कहा- क्या यही हमारे बाप इब्राहीम का मक़ाम है? आपने फ़रमाया हाँ। कहा फिर हम इसे क़िब्ला क्यों न बना लें? इस पर यह आयत नाज़िल हुई। एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. के सवाल पर थोड़ी ही देर गुज़री थी कि यह हुक्म नाज़िल हुआ। एक और हदीस में है कि फ़त्हे मक्का वाले दिन मक़ाम इब्राहीम के पत्थर की तरफ़ इशारा करके हज़रत उमर रज़ि. ने पूछा- यही है जिसे क़िब्ला बनाने का हमें हुक्म हुआ है? आपने फ़रमाया हाँ, यही है।

उमर ग़ैब की ज़बान हैं

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने अपने रब से तीन बातों में मुवाफ़क़त की, जो ख़ुदा को मन्ज़ूर था वही मेरी ज़बान से निकला। मैंने कहा हुज़ूर! काश कि हम मक़ामे इब्राहीम को क़िब्ला बना लेते तो हुक्म नाज़िल हुआः

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

और मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लिया करो।

मैंने कहा या रसूलल्लाह! काश कि आप उम्महातुल-मोमिनीन (मोमिनों की माँयें यानी हुज़ूरे पाक की बीवियों) को पर्दे का हुक्म दें। इस पर पर्दे की आयत उतरी। जब मुझे मालूम हुआ कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी बीवियों से ख़फ़ा हैं तो मैंने जाकर उनसे कहा कि अगर तुम बाज़ न आओगी तो अल्लाह तआ़ला तुमसे अच्छी बीवियाँ तुम्हारे बदले अपने नबी को देगा। इस पर यही फ़रमाने बारी नाज़िल हुआः

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ............ الخ.

यानी अगर वह तुम्हें तलाक़ दे दें तो उनके परवर्दिगार को इस बात में देर नहीं लगेगी कि वह उनको (तुम्हारे) बदले में उनको ऐसी बीवियाँ अ़ता फ़रमा दे....................। (सूरः तहरीम आयत 5)

इस हदीस की बहुत सी सनदें हैं और बहुत सी किताबों में रिवायत की गयी है। एक रिवायत में बदर के क़ैदियों के बारे में भी हज़रत उमर रज़ि. की मुवाफ़क़त मरवी है, आपने फ़रमाया था कि उनसे फ़िदया न लिया जाये बल्कि उन्हें क़त्ल कर दिया जाये, मन्ज़ूरे ख़ुदा भी यही था। अ़ब्दुल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफ़िक़ जब मर गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके जनाज़े की नमाज़ अदा करने के लिये तैयार हुए तो मैंने कहा था कि क्या आप इस मुनाफ़िक़ काफ़िर का जनाज़ा पढ़ेंगे? आपने मुझे डाँट दिया इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ............ الخ.

और आपको ऐसों के जनाज़े से रोका गया। इब्ने जुरैज में रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहले तवाफ़ में तीन मर्तबा रमल किया, यानी अकड़ कर चले और चार फेरे चलकर किये। फिर मक़ामे इब्राहीम के पीछे आकर दो रक्अ़त नमाज़ अदा की और यह आयत तिलावत फ़रमाईः

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى.

(यानी सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 125)

नोटः मक्का से मदीना हिजरत के बाद एक ग़ैर-मानूस जगह की आब व हवा मुसलमानों को नामुवाफ़िक़ आयी। बुख़ार और दूसरे रोगों ने कमज़ोर व नातवाँ कर दिया। इधर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुसलमानों के साथ हज करना था। काफ़िर अगर कमज़ोर व अधमरे मुसलमानों को देखते तो मज़ाक़ बनाते और तरह-तरह की बातें कहते, इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मस्लेहत के तौर पर हुक्म दिया कि मुसलमान तवाफ़ के वक़्त अकड़ा-अकड़ कर इस तरह चलेंगे कि उनकी किसी भी हरकत से बीमारी से मुतास्सिर या कमज़ोर होने का इज़्हार न हो। इसको "रमल" कहा जाता है। आज अगरचे मस्लेहत ख़त्म हो गयी लेकिन एक सुन्नत की हैसियत से 'रमल' का हुक्म अब भी मौजूद है। **अन्ज़र शाह**

हज़रत जाबिर रज़ि. की हदीस में है कि मक़ामे इब्राहीम को आपने अपने और बैतुल्लाह के बीच कर लिया था। इन हदीसों से मालूम होता है कि मक़ामे इब्राहीम से मुराद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम काबा बना रहे थे। हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम आपको पत्थर देते जाते थे और आप काबे की तामीर करते जाते थे, और इस पत्थर को सरकाते जाते थे, जहाँ दीवार ऊँची करनी होती थी वहाँ ले जाते थे, इसी तरह काबे की दीवारें पूरी कीं। इसका पूरा बयान हज़रत इब्राहीम के वाक़िए में आयेगा इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

इस पत्थर पर आपके दोनों क़दमों के निशान ज़ाहिर थे। अ़रब की जाहिलीयत के ज़माने के लोगों ने भी देखे थे। अबू तालिब ने अपने मशहूर क़सीदे में कहा हैः

وموطی ابراھیم فی الصخر رطبة ☆ علی قدمیه حافیا غیر ناعل.

यानी इस पत्थर में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के दोनों पैरों के निशान ताज़ा-ब-ताज़ा हैं, जिनमें जूती नहीं।

बल्कि मुसलमानों ने भी इसे देखा था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने मक़ामे इब्राहीम में हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम के पैरों की उंगलियों और आपके तलवे का निशान देखा था, फिर लोगों के छूने से वे निशान मिट गये। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि हुक्म उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ अदा करने का है, तबर्रुक के तौर पर छूने और हाथ लगाने का नहीं। इस उम्मत ने भी पहली उम्मतों की तरह अल्लाह के हुक्म के बिना बाज़ काम अपने ज़िम्मे लाज़िम कर लिये जो नुक़सान पहुँचाने वाले हैं। वे निशान लोगों के हाथ लगाने से मिट गये। यह मक़ामे इब्राहीम पहले काबे की दीवार से मिला हुआ था, काबे के दरवाज़े की तरफ़ हजरे अस्वद की जानिब दरवाज़े से जाने वाले की दायीं तरफ़ मुस्तक़िल जगह पर था जो आज भी लोगों को मालूम है। हज़रत ख़लीलुल्लाह ने या तो इसे यहाँ रखवा दिया था या बैतुल्लाह बनाते हुए आख़िरी हिस्सा यही बनाया होगा और यहीं यह पत्थर रखा रहा। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में इसे पीछे हटा दिया, इसके सुबूत में बहुत सी रिवायतें हैं।

फिर एक मर्तबा पानी के बहाव में यह पत्थर यहाँ से भी हट गया था, हज़रत उमर ने इसे फिर अपनी जगह रखवा दिया। हज़रत सुफ़ियान रह. फ़रमाते हैं- मुझे नहीं मालूम हुआ कि यह असली जगह से हटाया हुआ है और इससे पहले काबे की दीवार से कितनी दूरी पर था। एक रिवायत में है कि ख़ुद हुज़ूरे पाक

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसे इसकी असली जगह से हटाकर वहाँ रखा था जहाँ अब है, लेकिन यह रिवायत मुर्सल है, ठीक बात यही है कि हज़रत उमर रज़ि. ने इसे पीछे रखा। वल्लाहु आलम।

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ
طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ
اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ۝ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

और हमने (हज़रत) इब्राहीम और (हज़रत) इस्माईल (अ़लैहिमस्सलाम) की तरफ़ हुक्म भेजा कि मेरे (इस) घर को ख़ूब ५.ऊ-साफ़ रखा करो, बाहर से आने वालों और मक़ामी लोगों (की इबादत) के वास्ते, और रुकूअ़ और सज्दे करने वालों के वास्ते। (125) और जिस वक़्त इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने (दुआ़ में) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! इसको एक (आबाद) शहर बना दीजिये, अमन (व अमान) वाला, और इसके बसने वालों को फलों से भी इनायत कीजिए, उनको (कहता हूँ) जो कि उनमें से अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हों। हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया और उस शख़्स को भी जो कि काफ़िर रहे, सो ऐसे शख़्स को थोड़े दिन तो ख़ूब आराम बरताऊँगा फिर उसे खींचते हुए दोज़ख़ के अ़ज़ाब में पहुँचाऊँगा, और वह पहुँचने की जगह तो बहुत बुरी है। (126) और जबकि उठा रहे थे इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ख़ाना-काबा की दीवारें और इस्माईल भी, (और यह कहते जाते थे) ऐ हमारे परवर्दिगार! (यह ख़िदमत) हमसे कबूल फ़रमाईए बिला शुब्हा आप ख़ूब सुनने वाले जानने वाले हैं। (127) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको अपना और ज़्यादा फ़रमाँबरदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमाअ़त (पैदा) कीजिए जो आपकी इताअ़त करने वाली हो, और (तथा) हमको हमारे हज (वग़ैरह) के अह़काम भी बतला दीजिए और हमारे हाल पर तवज्जोह रखिए (और) हक़ीक़त में आप ही हैं तवज्जोह फ़रमाने वाले, मेहरबानी करने वाले। (128)

बैतुल्लाह की बड़ाई और उसके तक़ाज़े

यहाँ 'अ़हद' से मुराद हुक्म है। पाक रखना गन्दी, नापाक और बुरी चीज़ों से। यानी हमने 'वही' की और पहले से कह चुके कि बैतुल्लाह को बुतों से पाक रखना, ग़ैरुल्लाह की इबादत वहाँ न होने देना, लग्व (बेहूदा) कामों, फ़ुज़ूल बकवास, झूठी बातों, शिर्क व कुफ़्र, हंसी-मज़ाक़ से उसे महफ़ूज़ रखना भी शामिल है। ताईफ़ के एक मायने तो तवाफ़ करने वाले के हैं, दूसरे मायने बाहर से आने वालों के हैं। इस मायने में 'आ़किफ़ीन' के मायने मक्का के बाशिन्दे होंगे। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि हाकिमे वक़्त से कहना चाहिये कि लोगों को बैतुल्लाह शरीफ़ में सोने से मना करें, क्योंकि मुम्किन है किसी वक़्त जुनुबी (नापाक, जिसको नहाने की ज़रूरत हो) हो जायें, और यह भी मुम्किन है कि आपस में फ़ुज़ूल बातें करें, तो हमने सुना कि उन्हें न रोकना चाहिये। इब्ने उमर रज़ि. उन्हें भी 'आ़किफ़ीन' कहते थे। एक हदीस में है कि मस्जिदे नबवी में हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साहिबज़ादे हज़रत अ़ब्दुल्लाह सोया करते थे, वह जवान और ग़ैर-शादीशुदा थे।

'रुक्कअ़िस्सुजूद' से मुराद नमाज़ी हैं। यह पाक रखने का हुक्म इस वास्ते दिया गया कि उस वक़्त भी बुत-परस्ती राईज थी। दूसरे इसलिये कि यह बुज़ुर्ग अपनी नीयतों में यह बात रखें। दूसरी जगह इरशाद है:

وَاِذْ بَوَّأْنَا.......... الخ.

इस आयत में यही हुक्म है कि मेरे साथ शरीक न करना और मेरे घर को पाक-साफ़ रखना। फ़ुक़हा (दीन के आ़लिमों) का इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि बैतुल्लाह की नमाज़ अफ़ज़ल है या तवाफ़, इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि बाहर वालों के लिये तवाफ़ अफ़ज़ल है और जमहूर का क़ौल है कि हर एक के लिये नमाज़ अफ़ज़ल है। इसकी तफ़सील की जगह तफ़सीर नहीं। मक़सद इससे मुश्रिकों को तंबीह और उनका रद्द करना है कि बैतुल्लाह तो ख़ास अल्लाह की इबादत के लिये बनाया गया है, इसमें औरों की इबादत करनी और ख़ालिस ख़ुदा के पुजारियों को इससे रोकना किस क़द्र खुली बेइन्साफ़ी है। इसी लिये एक और जगह क़ुरआन में फ़रमाया कि ऐसे ज़ालिमों को हम दर्दनाक अ़ज़ाब चखायेंगे। मुश्रिकों की इस खुली तरदीद (बात नकारने) के साथ ही यहूद व ईसाईयों की भी तरदीद इसमें हो गयी कि जब वह इब्राहीम व इस्माईल अ़लैहिमस्सलाम की अफ़ज़लियत व बुज़ुर्गी और नुबुव्वत के क़ायल हैं, जब वे जानते और मानते हैं कि यह सम्मानित घर उन्हीं के पवित्र हाथों का बना हुआ है, जब वे इसके भी क़ायल हैं कि यह सिर्फ़ नमाज़ व तवाफ़, दुआ़ और इबादते ख़ुदा के लिये बनाया गया है, हज व उमरे और एतिकाफ़ वग़ैरह के लिये मख़्सूस किया गया है, तो फिर बावजूद उन नबियों की ताबेदारी के दावे के क्यों हज व उमरे से रुके हुए हैं? क्यों बैतुल्लाह शरीफ़ में हाज़िरी नहीं देते? बल्कि ख़ुद मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इस घर का हज किया जैसा कि हदीस में साफ़ मौजूद है।

इस आयते करीमा से यह भी साबित हुआ कि और मस्जिदों को भी पाक-साफ़ रखना चाहिये। एक और जगह क़ुरआन में है:

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

अल्लाह तआ़ला ने मस्जिदों को बुलन्द करने की इजाज़त दी है, उनमें उसका नाम ज़िक्र किया जाये, उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह उसके नेक बन्दे करते हैं।

हदीस शरीफ़ में भी है कि मस्जिदें जिस काम के लिये हैं उसी के लिये हैं, और हदीसों में बहुत ही ताकीद के साथ मस्जिदों की पाकीज़गी (यानी उन्हें पाक-साफ़ रखने) का हुक्म है।

बैतुल्लाह की तामीर और उसका सबसे पहला बनाने वाला

बाज़ लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले काबतुल्लाह फ़रिश्तों ने बनाया था, लेकिन यह रिवायत एतिमाद (भरोसे) के क़ाबिल नहीं। बाज़ कहते हैं कि आदम अ़लैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था। आपने पाँच पहाड़ों (यानी उनके पत्थरों) से इसे बनाया- 'हिरा' 'तूरे सीना' 'तूरे ज़ैता' 'जबले लबनान' और 'जूदी'। इन पाँच पहाड़ों से बनाया था, लेकिन यह रिवायत भी सही नहीं। बाज़ कहते हैं कि हज़रत शीस अ़लैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था, लेकिन यह भी अहले किताब की बात है। हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया, मैं मदीना को हरम करता हूँ। इसका शिकार न खेला जाये, यहाँ के पेड़ों को न काटा जाये, यहाँ हथियार न उठाये जायें। सही मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस में है कि लोग ताज़ा फल लेकर ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुआ करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसे लेकर दुआ़ करते कि खुदाया हमारे फलों में हमारे शहर में हमारी नाप-तौल में बरकत दे। खुदाया इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम तेरे बन्दे तेरे ख़लील और तेरे रसूल थे, मैं भी तेरा बन्दा और तेरा रसूल हूँ। उन्होंने तुझसे मक्का के लिये दुआ़ की थी मैं भी तुझसे मदीना के लिये दुआ़ करता हूँ। जैसे उन्होंने मक्का के लिये की थी, बल्कि ऐसी ही एक और भी। फिर और किसी छोटे बच्चे को बुलाकर वह फल उसे अ़ता फ़रमा दिया करते।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा अबू तल्हा रज़ि. से कहा कि जाओ अपने बच्चों में से कोई बच्चा मेरे पास (मेरे पास रहने के लिये) ले आओ। अबू तल्हा मुझे ले चले, मैं अब सफ़र व हज़र में हाज़िरे ख़िदमत रहने लगा। एक मर्तबा आप बाहर आ रहे थे कि उहुद पहाड़ नज़र पड़ा तो आपने फ़रमाया यह पहाड़ हमसे और हम इससे मुहब्बत करते हैं। जब मदीना नज़र आया तो फ़रमाने लगे या अल्लाह मैं इसके दो किनारों के दरमियान की जगह को हरम मुक़र्रर करता हूँ जैसे कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया। ऐ अल्लाह! उनके मुद और साअ़ (यह ग़ल्ला वग़ैरह नापने के पैमाने और बरतन थे) में और नाप में बरकत दे। एक और रिवायत में है कि या अल्लाह! जितनी बरकत तूने मक्का में दी है उससे दोगुनी बरकत मदीना में दे। एक और रिवायत में है कि मदीना में क़त्ल न किया जाये और चारे के सिवा और पत्ते भी यहाँ के दरख़्तों के न झाड़े जायें। इसी मज़मून की और हदीसें जिनसे साबित होता है कि मदीना भी मक्का की तरह हरम है, बहुत सी हैं।

यहाँ इन हदीसों के नक़ल करने से हमारी ग़र्ज़ मक्का शरीफ़ की हुर्मत (सम्मान व बड़ाई) और यहाँ का अमन बयान करना है। बाज़ तो कहते हैं कि यह शुरू से हरम और अमन का मुक़ाम है। बाज़ कहते हैं कि ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ज़माने से है, लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है। सहीहैन की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़त्हे-मक्का वाले दिन फ़रमाया- जब से अल्लाह तआ़ला ने आसमान व ज़मीन पैदा किये तब से इस शहर को हुर्मत व इज़्ज़त वाला बनाया है। अब यह क़ियामत तक हुर्मत व इज़्ज़त वाला ही रहेगा। इसमें जंग व क़िताल (लड़ाई) किसी को हलाल नहीं, मेरे लिये भी सिर्फ़ आज के दिन ही ज़रा सी देर के लिये हलाल हुआ था, अब वह भी हराम है। सुनो! इसके काँटे न काटे जायें, इसके शिकार न भगाये जायें, इसमें किसी की गिरी-पड़ी चीज़ न उठायी जाये, हाँ जो उस चीज़ को उसके मालिक तक पहुँचाये, (यानी ऐलान करे) उसके लिये उठाना जायज़ है। इसकी घास न

काटी जाये।

एक दूसरी रिवायत में है कि यह हदीस आपने ख़ुतबे के दौरान में बयान फ़रमाई थी और हज़रत अ़ब्बास रज़ि. के सवाल पर आपने अज़्ख़र नाम के घास के काटने की इजाज़त दी थी। हज़रत इब्ने शुरैह अ़दवी ने अ़मर बिन सईद से उस वक़्त कहा जबकि वह मक्का की तरफ़ लश्कर भेज रहा था कि ऐ अमीर! सुन फ़त्हे-मक्का वाले दिन सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने ख़ुतबे में फ़रमाया, जिसे मेरे कानों ने सुना, दिल ने याद रखा और मैंने आँखों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उस वक़्त देखा, आपने हम्द व सना (अल्लाह की तारीफ़ बयान करने) के बाद फ़रमाया कि मक्का को ख़ुदा ने हरम किया है लोगों ने नहीं किया, किसी ईमान वाले को इसमें ख़ून बहाना या इसका दरख़्त (पेड़) काटना हलाल नहीं, अगर कोई मेरी इस लड़ाई को दलील बनाये तो कह देना कि मेरे लिये सिर्फ़ आज ही के दिन की इस साअ़त (घड़ी) यहाँ जिहाद हलाल था, फिर इस शहर की हुर्मत आ गयी जैसे कल थी। ऐ मौजूद लोगो! ख़बरदार मेरा यह हुक्म उन तक ज़रूर पहुँचा दें जो आज इस आ़म मजमे में मौजूद नहीं हैं। लेकिन अ़मर ने यह हदीस सुनकर साफ़ जवाब दिया कि मैं तुझसे ज़्यादा इस हदीस को जानता हूँ। हरम नाफ़रमान को, ख़ूनी को और बरबादी करने वाले को नहीं बचाता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कोई इन दोनों हदीसों में टकराव न समझे, ततबीक़ (मुवाफ़क़त) यूँ है कि मक्का पहले दिन से हुर्मत व इ़ज़्ज़त वाला था, लेकिन उस हुर्मत की तब्लीग़ हज़रत ख़लीलुल्लाह ने की, जिस तरह हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नबी उस वक़्त से थे जबकि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम का ख़मीर तैयार हुआ था, बल्कि आप उस वक़्त भी ख़ातिमुन्नबिय्यीन लिखे हुए थे, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने आपकी नुबुव्वत की दुआ़ कीः

وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ.......... الخ.

उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेज।

जिसे अल्लाह ने पूरी की और तक़दीर की लिखी हुई वह बात ज़ाहिर व नुमायाँ हुई। एक हदीस में है कि लोगों ने आप से कहा कि आप अपनी नुबुव्वत की शुरूआ़त का तो कुछ ज़िक्र कीजिए। आपने फ़रमाया मेरे बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ और ईसा बिन मरियम की बशारत (ख़ुशख़बरी) और मेरी माँ का ख़्वाब, वह देखती हैं कि उनमें से गोया एक नूर निकला जिसने शाम के महलों को रोशन कर दिया और वो नज़र आने लगे।

मक्का और मदीना में अफ़ज़ल कौन है?

इस बात का बयान कि आया मक्का अफ़ज़ल है मदीने से जैसा कि जमहूर का क़ौल है, या मदीना अफ़ज़ल है मक्का से जैसे कि इमाम मालिक और उनके मानने वालों और पैरोकारों का मज़हब है, इसे दोनों जमाअ़तों की दलीलों के साथ अभी आगे हम बयान करेंगे इन्शा-अल्लाह तआ़ला। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम दुआ़ करते हैं कि बारी तआ़ला! इस जगह को अमन वाला शहर बना, यानी यहाँ के रहने वालों को निडर और बेख़ौफ़ रख। अल्लाह तआ़ला इसे क़बूल फ़रमाता है जैसे कि फ़रमायाः

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا.

इसमें जो आया वह अमन वाला हो गया। एक और जगह इरशाद हैः

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا......... الخ.

क्या वे नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाला बनाया, लोग उसके आस-पास से उचक लिये जाते हैं और यहाँ वे अमन से रहते हैं।

इसी किस्म की और आयतें भी हैं और इस मज़मून की बहुत-सी हदीसें भी ऊपर गुज़र चुकी हैं कि मक्का शरीफ़ में किताल (जंग और लड़ाई) हराम है। हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना, आप फ़रमाते थे- किसी को हलाल नहीं कि मक्का में हथियार उठाये। (सही मुस्लिम) आपकी यह दुआ़ काबा शरीफ़ की हुर्मत व सम्मान की बिना से पहले थी। इसलिये कहा कि ख़ुदाया इस जगह को अमन वाला शहर बना। सूरः इब्राहीम में यही दुआ़ इन लफ़्ज़ों में है:

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا.

कि ऐ अल्लाह! इस शहर को अमन वाला बना दे।

शायद यह दुआ़ दोबारा की थी। जब बैतुल्लाह शरीफ़ तैयार हो गया, शहर बस गया और हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम से तेरह साल छोटे थे पैदा हो चुके थे, इसी लिये दुआ़ के आख़िर में उनकी पैदाईश का शुक्रिया भी अदा किया।

وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ..........الخ

आयत का यह हिस्सा ख़ुदा तआ़ला का कलाम है, बाज़ों ने इसे भी दुआ़ में दाख़िल किया है। अगर यह मान लिया जाये तो मतलब यह होगा कि काफ़िरों को भी थोड़ा सा फ़ायदा दे, फिर उन्हें अ़ज़ाब में मुब्तला कर। इसमें भी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का अल्लाह से हद से ज़्यादा ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है कि वह अपनी बुरी औलाद के भी मुख़ालिफ़ हैं। और अगर इसे कलामे ख़ुदा माना जाये तो यह मतलब होगा कि चूँकि इमामत का सवाल जब अपनी औलाद के लिये किया और ज़ालिमों की मेहरूमी का ऐलान सुन चुके और मालूम हो गया कि आपके पीछे आने वालों में भी ख़ुदा के नाफ़रमान होंगे, तो अब मारे डर के अदब के साथ बाद वालों की रोज़ी की तलब भी सिर्फ़ ईमान वालों की औलाद के लिये की। मगर इरशादे बारी हुआ कि दुनियावी फ़ायदा तो काफ़िरों को भी मैं देता हूँ। जैसे एक और जगह है:

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ........ الخ.

यानी हम उन्हें और उन्हें फ़ायदा देंगे, तेरे रब की अ़ता किसी पर बन्द नहीं।

एक और जगह है कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं वे फ़लाह नहीं पाते, दुनिया का कुछ फ़ायदा अगरचे उठा लें लेकिन हमारी तरफ़ आकर अपने कुफ़्र के बदले सख़्त अ़ज़ाब चखेंगे। एक और जगह है कि काफ़िरों का कुफ़्र तुझे ग़मगीन न करे, ये हमारी तरफ़ लौटेंगे और उनके आमाल पर हम उन्हें तंबीह करेंगे। अल्लाह तआ़ला सीनों की छुपी बातों को अच्छी तरह जानता है। हम उन्हें मामूली फ़ायदा पहुँचाकर सख़्त अ़ज़ाब में मुब्तला कर देंगे। एक और जगह है:

لَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ...... الخ.

अगर यह ख़तरा न होता कि लोग एक ही उम्मत हो जायेंगे तो हम काफ़िरों की छतें और सीढ़ियाँ चाँदी की बना देते और उनके घरों के दरवाज़े और तख़्त जिन पर तकिये लगाये बैठे रहते और सोना भी

देते, लेकिन यह सब दुनियावी फ़ायदे हैं, आख़िरत का भला घर तो सिर्फ़ परहेज़गारों के लिये है। यही मज़मून इस आयत में भी है कि उनका अन्जाम बुरा है। यहाँ ढील पा लें, फिर वहाँ सख़्त पकड़ होगी। जैसे एक और जगह है:

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ.......... الخ.

बहुत-सी ज़ालिम बस्तियों को हमने मोहलत दी फिर पकड़ लिया। अन्जाम कार तो हमारे ही पास लौटना है।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की हदीस में है कि गन्दी (बुरी और ग़लत) बातों को सुनकर सब्र करने में ख़ुदा से बढ़कर कोई नहीं। लोग उसकी औलाद बताते हैं लेकिन फिर भी वह उन्हें रिज़्क़ व आफ़ियत दे रहा है। एक और हदीस में है कि अल्लाह तआला ज़ालिम को ढील देता है फिर उन्हें अचानक पकड़ लेता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई:

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى. الخ.

और आपके रब की पकड़ ऐसी ही है जब वह किसी बस्ती पर पकड़ करता है, जबकि वे ज़ुल्म किया करते हों, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख़्त है। (सूरः हूद आयत 102)

इख़्लास भरी दुआयें

दोनों नबी नेक काम में मशग़ूल हैं और क़बूल न होने का खटका है तो अल्लाह तआला से क़बूलियत की दुआ करते हैं। हज़रत वुहैब बिन वर्द जब इस आयत की तिलावत करते तो बहुत रोते और फ़रमाते आह! ख़लीलुर्रहमान जैसे ख़ुदा के मक़बूल पैग़म्बर ख़ुदा का काम ख़ुदा के हुक्म से करते हैं, उसका घर उसके फ़रमान से बनाते हैं और फिर दहशत है कि कहीं यह क़बूलियत से गिर न जाये, सच है मुख़्लिस मोमिनों का यही हाल है:

يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ.

वे नेक काम करते हैं, सदक़े, ख़ैरात करते हैं लेकिन फिर भी ख़ुदा के डर से काँपते रहते हैं (कि ऐसा न हो क़बूल न हों)।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सवाल पर इस आयत का यही मतलब हुज़ूरे पाक की ज़बान से बयान हुआ है। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि बुनियादें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठाते थे और दुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम करते थे, लेकिन सही यही है कि दोनों हर एक काम में शरीक थे। सही बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत और बाज़ और अक़वाल भी इस वाक़िए के मुताल्लिक़ यहाँ ज़िक्र किये जाने के क़ाबिल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि कमर-बन्द बाँधना औरतों ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा से सीखा है। उन्होंने उसे बाँधा था कि हज़रत सारिया रज़ि. को उनका नक़्शे-क़दम (पैरों का निशान) न मिले, उन्हें और उनके जिगर के टुकड़े अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले। जबकि यह प्यारा बच्चा दूध पीता था। अब जहाँ पर बैतुल्लाह बना हुआ है यहाँ एक टीला था, और सुनसान बयाबान पड़ा हुआ था, कोई रहने-सहने वाला वहाँ न था। यहाँ लाकर माँ-बेटे को बैठाकर पास थोड़ी सी खजूरें और एक मशकीज़ा पानी का रखकर

आप चल दिये। जब ख़लीलुल्लाह ने पीठ मोड़ी और जाने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा आवाज़ें देने लगीं कि ऐ ख़लीले ख़ुदा! हमें इस दहशत और घबराहट वाले बयाबान में बिल्कुल तन्हा छोड़कर जहाँ हमारा कोई साथी व मिलने वाला भी नहीं, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? लेकिन हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया बल्कि इस तरफ़ तवज्जोह न की। हज़रत हाजरा रज़ि. के बार-बार कहने पर भी जब आपने तवज्जोह न फ़रमायी तो आप फ़रमाने लगीं- ऐ अल्लाह के ख़लील! आप हमें किसे सौंप चले? आपने कहा अल्लाह तआ़ला को। कहा ऐ ख़लीलुल्लाह क्या अल्लाह तआ़ला का आपको यह हुक्म है? आपने फ़रमाया हाँ, मुझे ख़ुदा का यही हुक्म है। यह सुनकर हज़रत हाजरा रज़ि. को तसल्ली हो गयी और फ़रमाने लगीं फिर तशरीफ़ ले जाईये, वह ख़ुदा हमें हरगिज़ ज़ाया (बरबाद और हलाक) न करेगा। उसी का भरोसा और उसी का सहारा है। हज़रत हाजरा रज़ि. लौट गयीं और अपने कलेजे की ठंडक, अपनी आँखों के नूर, नबी के बेटे को गोद में लेकर उस सुनसान बयाबान में उस दहशत के माहौल में लाचार और मजबूर होकर बैठ रहीं। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम जब सनिया (एक स्थान) के पास पहुँचे और यह मालूम कर लिया कि अब हाजरा पीछे नहीं और वहाँ से यहाँ तक उनकी निगाह काम भी नहीं कर सकती तो बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह होकर हाथ उठाकर दुआ़ की और कहाः

رَبَّنَآ اِنِّیٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِی بِوَادٍ غَيْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ....... الخ.

ख़ुदाया मैंने अपने बाल-बच्चों को एक ग़ैर-आबाद जंगल में तेरे बर्गुज़ीदा (मक़बूल और पसन्दीदा) घर के पास छोड़ा है ताकि वे नमाज़ क़ायम करें। तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ झुका दे और उन्हें फलों की रोज़ियाँ दे। शायद वे शुक्रगुज़ारी करें।

आप तो यह दुआ़ करके हुक्मे ख़ुदा बजा लाकर अपने अहल व अ़याल को अल्लाह के सुपुर्द करके चल दिये। उधर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा सब्र व शुक्र के साथ बच्चे से दिल बहलाने लगीं, वो थोड़ी सी खजूर और ज़रा सा पानी ख़त्म हो गया। अब अनाज का न एक दाना पास है न पानी का घूँट। ख़ुद भी भूखी प्यासी हैं और बच्चा भी भूख-प्यास से बेताब है। यहाँ तक कि इस मासूम नबी की औलाद का फूल सा चेहरा मुरझाने लगा। मामता भरी माँ कभी अपनी तन्हाई (अकेलेपन) और बेकसी का ख़्याल करती है कभी अपने नन्हे से इकलौते बच्चे का यह हाल ध्यान से देखती है और सहमी जाती है। मालूम है कि किसी इनसान का गुज़र इस भयानक जंगल में नहीं। मीलों तक आबादी का नाम व निशान नहीं, खाना तो कहाँ पानी का एक क़तरा भी मयस्सर नहीं आ सकता।

आख़िर उस नन्ही सी जान का यह बुरा हाल नहीं देखा जाता तो उठकर चली जाती हैं और सफ़ा पहाड़ जो पास ही था उस पर चढ़ जाती हैं और मैदान की तरफ़ नज़रें दौड़ाती हैं कि कोई आता-जाता नज़र आ जाये, लेकिन निगाहें मायूसी के साथ हर तरफ़ से वापस आती हैं तो उतर कर वादी में पहुँचकर दामन उठाकर दौड़ती हुई मरवा पहाड़ की तरफ़ जाती हैं, उस पर चढ़कर निगाहें चारों तरफ़ डालती हैं और किसी को भी न देखकर फिर वहाँ से उतर आती हैं। और इसी तरह दरमियान में थोड़ा सा हिस्सा दौड़कर बाक़ी हिस्सा जल्दी-जल्दी तय करके फिर सफ़ा पर चढ़ती हैं। इसी तरह सात मर्तबा करती हैं, हर बार आकर बच्चे को देख जाती हैं कि उसकी हालत घड़ी-ब-घड़ी बिगड़ती जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सफ़ा मरवा की सई (दौड़) जो हाजी करते हैं उसकी इब्तिदा (शुरूआत) यही है। सातवीं मर्तबा जब हज़रत हाजरा रज़ि. मरवा पर आती हैं तो कुछ आवाज़ कान में पड़ती है, आप ख़ामोश होकर

एहतियात से उसकी तरफ़ मुतवज्जह होती हैं कि यह आवाज़ कैसी है? आवाज़ फिर आती है और अब की मर्तबा साफ़ सुनाई देती है तो आप आवाज़ की तरफ़ लपक कर आती हैं, और अब जहाँ ज़मज़म है वहाँ हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को पाती हैं। हज़रत पूछते हैं तुम कौन हो? आप जवाब देती हैं मैं हाजरा हूँ मैं हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह के लड़के की माँ हूँ। फ़रिश्ता पूछता है इब्राहीम तुम्हें इस सुनसान बयाबान में किसे सौंप गये हैं? आप फ़रमाती हैं अल्लाह को। फ़रमाया फिर तो वह काफ़ी है। हज़रत हाजरा रज़ि. ने फ़रमाया ऐ ग़ैबी शख़्स! आवाज़ तो मैंने सुन ली, क्या कुछ मेरा काम भी निकलेगा?

ज़मज़म का मीठा चश्मा जारी होना

हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने अपनी ऐड़ी ज़मीन पर रगड़ी, वहीं ज़मीन से एक चश्मा पानी का उबलने लगा। हज़रत हाजरा अ़लैहस्सलाम ने हाथों से उस पानी को मश्क में भरना शुरू किया, मश्क पुर करके फिर इस ख़्याल से कि पानी इधर-उधर बहकर निकल न जाये आस-पास बाढ़ बाँधनी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह इस्माईल की माँ पर रहम करे, अगर वह इस तरह पानी को न रोकतीं तो ज़मज़म कुँए की शक्ल में न होता बल्कि वह एक जारी नहर की सूरत में होता। अब हज़रत हाजरा रज़ि. ने पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया और दूध पिलाने लगीं। फ़रिश्ते ने कह दिया कि तुम बेफ़िक्र रहो, ख़ुदा तुम्हें ज़ाया न करेगा। जहाँ तुम बैठी हो यहाँ ख़ुदा का एक घर इस बच्चे और इसके बाप के हाथों से बनेगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा अब यहीं रह पड़ीं, ज़मज़म का पानी पीतीं और बच्चे से दिल बहलातीं। बारिश के मौसम में पानी के सैलाब हर तरफ़ से आते लेकिन यह जगह ज़रा ऊँची थी इधर-उधर से पानी गुज़र जाता और यहाँ अमन रहता।

सुनसान वादी में जुर्हुम क़बीला के क़दम

कुछ मुद्दत के बाद जुर्हुम का क़बीला वादी के इस रास्ते की तरफ़ से इत्तिफ़ाक़न गुज़रा और मक्का शरीफ़ के नीचे के हिस्से में उतरा। उनकी नज़रें एक पानी के परिन्दे पर पड़ीं तो आपस में कहने लगे यह परिन्दा तो पानी का है और यहाँ पानी कभी न था, हमारा कई बार यहाँ से आना-जाना हुआ है, यह तो ख़ुश्क जंगल और चटियल मैदान है, यहाँ पानी कहाँ? चुनाँचे उन्होंने अपने आदमी वाक़िआ़ (हक़ीक़त) मालूम करने के लिये भेजे, उन्होंने वापस आकर ख़बर दी कि वहाँ तो बेहतरीन और बहुत सारा पानी है। अब वे सब आये और हज़रत इस्माईल से अ़र्ज़ करने लगे कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी यहाँ ठहर जायें। पानी की जगह है। आपने फ़रमाया हाँ शौक़ से रहो लेकिन पानी पर क़ब्ज़ा मेरा ही रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हज़रत हाजरा तो चाहती ही थीं कि कोई हम-जिन्स (साथ रहने वाले इनसान) मिल जाये चुनाँचे यह क़ाफ़िला यहाँ रह पड़ा। हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम भी बड़े हो गये। उन सबको आप से बड़ी मुहब्बत हो गयी, यहाँ तक कि जब आप बालिग़ हुए तो उन्हीं में निकाह भी किया और उन्हीं से अ़रबी ज़बान सीखी। हज़रत हाजरा अ़लैहस्सलाम का इन्तिक़ाल यहीं हुआ।

जिगर के टुकड़े से पहली मुलाक़ात

जब हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से इजाज़त मिली तो आप अपने लख़्ते जिगर (जिगर के टुकड़े) की मुलाक़ात के लिये तशरीफ़ लाये। बाज़ रिवायतों में है कि आपका यह

आना-जाना बुराक़ पर होता था। मुल्क शाम से आते थे और फिर वापस जाते थे। यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर न मिले, अपनी बहू से पूछा कि वह कहाँ हैं? तो जवाब मिला कि खाने पीने की तलाश में यानी शिकार को गये हैं। आपने पूछा तुम्हारा क्या हाल है? कहा बुरा हाल है, बड़ी तंगी और सख़्ती है। फ़रमाया अच्छा जब तुम्हारे शौहर आयें तो उन्हें सलाम कहना और कह देना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल डालें।

हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जब वापस आये तो गोया आपको कुछ अपनापन सा मालूम हुआ (हो सकता है कि क़दमों के निशान या किसी और पहचान से मालूम कर लिया हो) पूछने लगे क्या कोई साहिब तशरीफ़ लाये थे? बीवी ने कहा हाँ ऐसी-ऐसी शक्ल व सूरत के एक उम्र-रसीदा बुज़ुर्ग आये थे। आपके बारे में पूछा, मैंने कहा वह शिकार की तलाश में बाहर गये हैं। फिर पूछा कि गुज़र-बसर कैसी होती है? मैंने कहा बड़ी सख़्ती और तंगी से गुज़रा होता है। पूछा कुछ मुझसे कहने को भी फ़रमा गये हैं? बीवी ने कहा हाँ कह गये हैं कि जब वह आयें तो सलाम कहना और कह देना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल डालें। आप फ़रमाने लगे बीवी सुनो! वह मेरे वालिद साहिब थे और जो फ़रमा गये हैं उसका मतलब यह है कि (चूँकि तुमने नाशुक्री की) मैं तुमको अलग कर दूँ। जाओ मैंने तुम्हें तलाक़ दी। उन्हें तलाक़ देकर आपने उसी क़बीले में अपना दूसरा निकाह कर लिया।

दूसरी बार मुलाक़ात की कोशिश

एक मुद्दत के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त से यहाँ आये। अब की मर्तबा भी इत्तिफ़ाक़न हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात न हुई। बहू से पूछा तो जवाब मिला कि हमारे लिये रोज़ी की तलाश में शिकार को गये हैं। आप आईये तशरीफ़ रखिये, जो कुछ हाज़िर है वह तनावुल फ़रमाईये (खाईये)। आपने फ़रमाया यह तो बताओ कि गुज़र-बसर कैसी होती है? क्या हाल है? जवाब मिला अल्हम्दु लिल्लाह हम ख़ैरियत से हैं और अल्लाह के फ़ज़्ल से आराम और राहत है, कोई तंगी नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी ख़ुराक (खाना) क्या है? कहा गोश्त। पूछा तुम पीते क्या हो? जवाब मिला पानी। आपने दुआ की कि परवर्दिगार इन्हें गोश्त और पानी में बरकत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अगर अनाज उनके पास होता और यह कहतीं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके लिये अनाज की बरकत की दुआ भी करते। अब इस दुआ की बरकत से मक्का वाले सिर्फ़ गोश्त पर गुज़ारा कर सकते हैं और लोग नहीं कर सकते। आपने फ़रमाया अच्छा मैं तो जा रहा हूँ तुम अपने मियाँ को मेरा सलाम कहना और कह देना कि वह अपनी चौखट को साबित और आबाद रखें। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आये सारा वाक़िआ मालूम हुआ। आपने फ़रमाया यह मेरे वालिदे मोहतरम थे, मुझे हुक्म दे गये हैं कि मैं तुम्हें अलग न करूँ (तुम शुक्रगुज़ार हो)। फिर एक मुद्दत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिली और आप तशरीफ़ लाये तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़मज़म के पास एक टीले पर तीर सीधे करते हुए पाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बाप को देखते ही खड़े हो गये और अदब से मिले।

काबा शरीफ़ की नई तामीर

जब बाप बेटे मिल लिये तो ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया- ऐ इस्माईल! मुझे ख़ुदा का एक हुक्म हुआ है। आपने फ़रमाया अब्बा जो हुक्म हुआ हो उसकी तामील कीजिए। कहा बेटा तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अ़र्ज़ करने लगे मैं हाज़िर हूँ। कहा इस जगह ख़ुदा का एक घर बनाना है। कहने लगे बहुत बेहतर। अब बाप बेटे ने बैतुल्लाह की नींव रखी और दीवारें ऊँची करनी शुरू कीं। हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते जाते थे और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम चुनते जाते थे, जब दीवारें क़द्रे ऊँची हो गयीं तो हज़रत ज़बीहुल्लाह यह पत्थर यानी मक़ामे इब्राहीम का पत्थर लाये। उस ऊँचे पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम काबा के पत्थर रखते और दोनों बाप बेटे यह दुआ़ माँगते कि बारी तआ़ला! तू हमारी इस नाचीज़ ख़िदमत को क़बूल फ़रमा तू सुनने और जानने वाला है। यह रिवायत हदीस की दूसरी किताबों में भी है, कहीं मुख़्तसर और कहीं तफ़सील के साथ।

एक सही हदीस में यह भी है कि हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अ़लैहिस्सलाम के बदले जो दुंबा ज़िबह हुआ था उसके सींग भी काबतुल्लाह में थे। ऊपर की लम्बी हदीस हज़रत अ़ली रज़ि. की रिवायत से भी नक़ल है, उसमें यह भी है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह शरीफ़ के क़रीब पहुँचे तो आपने अपने सर पर एक बादल सा देखा, जिसमें से आवाज़ आयी कि ऐ इब्राहीम! जहाँ-जहाँ तक इस बादल का साया है वहाँ तक कि ज़मीन बैतुल्लाह में ले लो, कमी ज़्यादती न हो। इस रिवायत में यह भी है कि बैतुल्लाह बनाकर वहाँ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अ़लैहिमस्सलाम को छोड़कर आप तशरीफ़ ले गये, लेकिन पहली ही रिवायत ठीक है और इस तरह ततबीक़ (दोनों रिवायतों में जोड़) भी हो सकती है कि बिना (बुनियाद) पहले रख दी थी लेकिन बनाया बाद में, और बनाने में बेटा बाप दोनों शामिल थे जैसा कि क़ुरआन पाक के अलफ़ाज़ भी बताते हैं। एक और रिवायत में है कि लोगों ने हज़रत अ़ली रज़ि. से काबा शरीफ़ की तामीर (निर्माण) की कैफ़ियत दरियाफ़्त की तो आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा घर बनाओ, हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम घबराये कि मुझे कहाँ बनाना चाहिये, किस तरह और कितना बड़ा बनाना चाहिये (वग़ैरह) इस पर सकीना (यानी सायेदार बादल) नाज़िल हुआ और हुक्म हुआ कि जहाँ यह ठहरे वहाँ तुम मेरा घर बनाओ।

आपने बनाना शुरू किया। जब हजरे अस्वद की जगह पहुँचे तो हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम से कहा बेटा कोई अच्छा सा पत्थर ढूँढ लाओ। आप पत्थर ढूँढ लाये तो देखा कि अब्बा एक दूसरा पत्थर वहाँ लगा चुके हैं। पूछा यह कौन लाया? आपने फ़रमाया ख़ुदा के हुक्म से यह पत्थर हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आसमान से ले आये। हज़रत कअ़ब बिन अहबार रज़ि. फ़रमाते हैं कि अब जहाँ बैतुल्लाह है वहाँ की ज़मीन की पैदाईश से पहले पानी पर बुलबुलों के साथ झाग से थे, यहीं से ज़मीन फैलाई गयी। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि काबतुल्लाह बनाने के लिये हज़रत ख़लीलुल्लाह आरमीनिया से तशरीफ़ लाये थे। हज़रत सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि हजरे अस्वद हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हिन्द से लाये थे, उस वक़्त वह सफ़ेद चमकदार याक़ूत था जो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतरा था, फिर लोगों के ख़ताकार हाथों से उसका रंग सियाह हो गया। उस रिवायत में यह भी है कि नींव और बुनियादें पहले से मौजूद थीं। उन्हीं पर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने बिना (तामीर) की।

मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हिन्द में उतरे थे, उस वक़्त उनका क़द लम्बा

था, ज़मीन पर आने के बाद फ़रिश्तों की तस्बीह नमाज़ व दुआ वग़ैरह सुनते थे। जब क़द घट गया और वो प्यारी आवाज़ें आनी बन्द हो गयीं तो आप घबराने लगे, हुक्म हुआ कि मक्का की तरफ़ जाओ, आप चले जहाँ-जहाँ आपका क़दम पड़ा वहाँ आबादी हुई, अल्लाह तआ़ला ने यहाँ एक याक़ूत (क़ीमती मोती) जन्नत से उतारा और बैतुल्लाह की जगह रखा और अपना घर क़रार दिया। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम यहाँ तवाफ़ करने लगे और मानूस हो गये। हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के तूफ़ान के ज़माने में यह फिर उठ गया और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह तआ़ला ने बनवाया। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने यह घर 'हिरा' 'तूरे ज़ैता' 'तूरे सीना' 'जबले लबनान' और 'जूदी' इन पाँच पहाड़ों से बनाया था। लेकिन इन तमाम रिवायतों में ज़ाहिर है कि इख़्तिलाफ़ात हैं। वल्लाहु आलम।

बाज़ रिवायतों में है कि ज़मीन की पैदाईश से दो हज़ार साल पहले बैतुल्लाह बनाया गया था। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह के निशान बनाने के लिये हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम चले थे, उस वक़्त यहाँ जंगली दरख़्तों के सिवा कुछ न था। बहुत दूर अ़मालीक़ की आबादी थी। यहाँ हज़रत उम्मे इस्माईल अ़लैहिस्सलाम को एक छप्पर तले बैठा गये। एक और रिवायत में है कि बैतुल्लाह के चार अरकान हैं और सातवीं ज़मीन तक वे नीचे होते हैं। एक और रिवायत में है कि ज़ुल्क़रनैन जब यहाँ पहुँचे और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बैतुल्लाह बनाते हुए देखा तो पूछा यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम ख़ुदा के हुक्म से उसका घर बना रहे हैं। पूछा क्या दलील है? कहा यह भेड़िये गवाही देंगे। पाँच भेड़ियों ने कहा हम गवाही देते हैं कि ये दोनों ख़ुदा के मामूर (हुक्म से लगे हुए) हैं। ज़ुल्क़रनैन ख़ुश हो गये और कहने लगे मैंने मान लिया। अरूज़क़ी की तारीख़े मक्का में है कि ज़ुल्क़रनैन ने ख़लीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। वल्लाहु आलम।

नोटः मौलाना अन्ज़र शाह कश्मीरी रह. फ़रमाते हैं- ये रिवायतें जिनमें इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और ज़ुल्क़रनैन की मुलाक़ात का तज़किरा आता है हद दर्जा ग़लत हैं। अ़ल्लामा अलूसी ज़ादा ने रूहुल-मआ़नी में इन रिवायात पर तन्क़ीद (टिप्पणी) करते हुए बताया है कि ऐसी रिवायतें नाक़ाबिले क़बूल हैं।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि 'क़वाअ़िद' बुनियाद और जड़ को कहते हैं। यह 'क़ाअ़िदतुन' की जमा (बहुवचन) है। क़ुरआन में दूसरी जगह

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ

भी आया है इसका मुफ़रद (एक वचन) भी 'क़ाअ़िद' है।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- क्या तुम नहीं देखतीं कि तुम्हारी क़ौम ने जब बैतुल्लाह बनाया तो क़वाअ़िदे इब्राहीम से घटा दिया, मैंने कहा हुज़ूर आप इसे बढ़ाकर असली बिना (बुनियाद) पर कर दें। फ़रमाया कि अगर तेरी क़ौम का इस्लाम ताज़ा और उनका ज़माना-ए-कुफ़्र क़रीब न होता तो मैं ऐसा कर लेता। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. को जब यह हदीस मालूम हुई तो फ़रमाने लगे- शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हजरे अस्वद के पास के दो सुतूनों को छूते न थे। सही मुस्लिम शरीफ़ में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- ऐ आयशा! अगर तेरी क़ौम का जाहिलीयत का ज़माना नया न होता तो मैं काबा के ख़ज़ाने को ख़ुदा की राह में ख़ैरात कर डालता, और दरवाज़े को ज़मीन से मिला देता और हतीम

को बैतुल्लाह में दाख़िल कर देता। सही बुख़ारी की हदीस में यह भी है कि मैं इसका दूसरा दरवाज़ा भी बना देता, एक आने के लिये और दूसरा जाने के लिये। चुनाँचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ि. ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में ऐसा ही किया। और एक रिवायत में है कि इसे मैं दोबारा इब्राहीमी बुनियादों पर बनाता। एक और रिवायत में है कि एक दरवाज़ा पूरब की दिशा में करता और दूसरा पश्चिम की दिशा में और छह हाथ हतीम को उसमें दाख़िल कर लेता जिसे क़ुरैश ने बाहर कर दिया है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पाँच साल पहले क़ुरैश ने नये सिरे से काबा बनाया था, इसका मुफ़स्सल (विस्तार से) ज़िक्र मुलाहिज़ा हो। इस बिना में ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी शरीक थे, पैंतीस साल की आपकी उम्र थी, और पत्थर आप भी उठाते थे। मुहम्मद बिन यसार रह. फ़रमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्र मुबारक पैंतीस साल की हुई उस वक़्त क़ुरैश ने काबतुल्लाह को नये सिरे से बनाने का इरादा किया, एक तो इसलिये कि उसकी दीवार बहुत छोटी थीं, छत न थी, दूसरे इसलिये भी कि बैतुल्लाह का ख़ज़ाना चोरी हो गया था जो बैतुल्लाह के बीच में एक गहरे गड्ढ़े में रखा हुआ था। यह माल दुवैक के पास मिला था जो ख़ुज़ाआ़ के क़बीले बनी मुलैह बिन अ़मर का मौला (आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम) था, मुम्किन है चोरों ने यहाँ लाकर रखा हो लेकिन उसके हाथ इस चोरी की वजह से काटे गये।

एक और क़ुदरती सहूलियत भी उनके लिये हो गयी थी कि रोम के ताजिरों की एक कश्ती जिसमें बहुत आला दर्जा की लकड़ियाँ थीं वह तूफ़ान की वजह से जेद्दा के किनारे आ लगी थी, ये लकड़ियाँ छत में काम आ सकती थीं इसलिये क़ुरैशियों ने उन्हें ख़रीद लिया और मक्का के एक बढ़ई को जो क़िब्ती क़बीले में से था छत का काम सौंपा। ये सब तैयारियाँ तो हो रही थीं लेकिन बैतुल्लाह को गिराने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसके क़ुदरती असबाब भी मुहैया हो गये, बैतुल्लाह के ख़ज़ाने में एक बहुत बड़ा अज़्दहा था, जब कभी लोग उसके क़रीब भी जाते तो वह मुँह फाड़कर उनकी तरफ़ लपकता था, यह साँप हर रोज़ उस कुँए से निकलकर बैतुल्लाह की दीवारों पर आ बैठता। एक रोज़ वह बैठा ही था, अल्लाह तआ़ला ने एक बहुत बड़ा परिन्दा भेजा वह उसे पकड़कर ले उड़ा। क़ुरैशियों ने समझ लिया कि हमारा इरादा मन्शा-ए-इलाही के मुताबिक़ है, लकड़ियाँ भी हमें मिल गयीं, बढ़ई हमारे पास मौजूद है, साँप को भी अल्लाह तआ़ला ने दफ़ा किया, अब उन्होंने मुस्तक़िल इरादा कर लिया कि काबतुल्लाह को गिराकर नये सिरे से बनायें।

काबा शरीफ़ की तामीर और ग़ैबी इशारे

सबसे पहले इब्ने वहब खड़ा हुआ और एक पत्थर काबतुल्लाह का उतारा जो उसके हाथ से उड़कर फिर वहीं जाकर फ़िट हो गया। उसने तमाम क़ुरैश को ख़िताब करके कहा सुनो! बैतुल्लाह के बनाने में हर शख़्स अपना हलाल और पाक माल ही ख़र्च करे। इसमें ज़िनाकारी का रुपया, सूदी व्यापार का रुपया, ज़ुल्म से हासिल किया हुआ माल न लगाना। बाज़ लोग कहते हैं कि यह मश्विरा वलीद बिन मुग़ीरा ने दिया था। अब बैतुल्लाह के हिस्से बाँट लिये गये। दरवाज़े का हिस्सा बनू अ़ब्दे मुनाफ़ और ज़ोहरा बनायें, हजरे अस्वद और रुक्ने यमानी का हिस्सा बनू मख़ज़ूम बनायें, क़ुरैश के और दूसरे क़बीले भी उनका साथ दें। काबे का पिछला हिस्सा बनू जुमह और बनू सहम बनायें। हतीम के पास का हिस्सा बनू अ़ब्दुद्दार बिन क़ुसई और बनू असद बिन अ़ब्दुल-उ़ज़्ज़ा और बनू अ़दी बिन कअ़ब बनायें। यह मुक़र्रर करके अब बनी हुई इमारत को ढहाने के लिये चले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसे ढहाना शुरू करे। आख़िर वलीद बिन मुग़ीरा

ने कहा लो मैं शुरू करता हूँ। कुदाल लेकर ऊपर चढ़ गये और कहने लगे ऐ अल्लाह! तुझे ख़ूब इल्म है कि हमारा इरादा बुरा नहीं, हम तेरे घर को उजाड़ना नहीं चाहते बल्कि उसके आबाद करने की फ़िक्र में हैं। यह कहकर कुछ हिस्सा दोनों रुक्न के किनारों का गिराया। क़ुरैशियों ने कहा बस अब छोड़ दो और रात भर इन्तिज़ार करो, अगर इस शख़्स पर कोई वबाल आ जाये तो यह पत्थर उसी जगह पर लगा देना और ख़ामोश हो जाना, और कोई अ़ज़ाब न आये तो समझ लेना कि इसका गिराना ख़ुदा को नापसन्द नहीं, फिर कल सब मिलकर अपने-अपने काम में लग जाना। चुनाँचे सुबह हुई और हर तरह ख़ैरियत रही। अब सब आ गये और बैतुल्लाह शरीफ़ की पहली इमारत को गिरा दिया, यहाँ तक कि असली नींव यानी इब्राहीमी बुनियादों तक पहुँच गये। यहाँ सब्ज़ रंग के पत्थर थे और एक दूसरे में गोया जुड़े हुए थे। एक शख़्स ने दो पत्थरों को अलग करना चाहा उसमें कुदाल डालकर ज़ोर लगाया तो पत्थर के हिलने के साथ ही तमाम मक्के की ज़मीन हिलने लगी। उन्होंने समझ लिया कि इन्हें अलग करके दूसरे पत्थर इनकी जगह लगाना ख़ुदा को मन्ज़ूर नहीं, इसलिये यह हमारे बस की बात नहीं। चुनाँचे अपने इरादे से बाज़ रहे और उन पत्थरों को उसी तरह रहने दिया।

फिर हर क़बीले ने अपने-अपने हिस्से के मुताबिक़ अ़लैहदा-अ़लैहदा पत्थर जमा किये और इमारत बननी शुरू हुई, यहाँ तक कि हजरे अस्वद रखने की जगह तक पहुँचे। अब हर क़बीला चाहता था कि यह सम्मान और गौरव उसे मिले। आपस में लड़ने-झगड़ने लगे यहाँ तक कि बाक़ायदा जंग की नौबत आ गयी। तलवारें आपस में खिंच गयीं और लड़ाई की तैयारियों में मशग़ूल हो गये। बनू अ़ब्दुद्दार और बनू अ़दी ने एक लगन में ख़ून भरकर उसमें हाथ डुबोकर हलफ़ उठाया कि सब कट मरेंगे लेकिन हजरे अस्वद किसी को नहीं रखने देंगे। इसी तरह चार पाँच दिन गुज़र गये। फिर क़ुरैश मस्जिद में जमा हुए कि आपस में मश्विरा और इन्साफ़ करें तो अबू उमैया बिन मुग़ीरा ने जो क़ुरैश में सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के और अ़क़्लमन्द थे कहा सुनो! लोगो तुम किसी को अपना हकम (फ़ैसला करने वाला) बना लो, वह जो फ़ैसला करे सब मन्ज़ूर कर लो। लेकिन फिर हकम बनाने में भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) होगा इसलिये ऐसा करो कि अब जो सबसे पहले यहाँ मस्जिद में आये वही हमारा मुन्सिफ़ (जज) हो, इस राय पर सबने इत्तिफ़ाक़ कर लिया। सब मुन्तज़िर हैं कि देखें सबसे पहले कौन आता है।

हजरे अस्वद और नबी करीम सल्ल. का फ़ैसला

पस सबसे पहले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आये। आपको देखते ही ये लोग ख़ुश हो गये और कहने लगे हमें आपका फ़ैसला मन्ज़ूर है। हम आपके हकम (फ़ैसला करने वाला) बनने पर रज़ामन्द हैं। यह तो अमीन हैं, यह तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) हैं। फिर सब आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और सारा वाक़िआ आपको कह सुनाया, आपने फ़रमाया जाओ कोई मोटी और बड़ी सी चादर ले आओ। वे ले आये। आपने हजरे अस्वद उठाकर अपने हाथ मुबारक से उसमें रखा, फिर फ़रमाया हर क़बीले का सरदार आये और इस कपड़े का कोना पकड़ ले और इस तरह हर एक हजरे अस्वद के उठाने का हिस्सेदार बने। इस पर सब लोग बहुत ही ख़ुश हुए और तमाम सरदारों ने उसे थामकर ऊँचा किया। जब उसके रखने की जगह तक पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे लेकर अपने हाथ से उसकी जगह रख दिया और वह विवाद व झगड़ा बल्कि जंग व क़िताल दूर हो गया और इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ अपने इस मुबारक पत्थर को नसब (फ़िट)

कराया।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर 'वही' नाज़िल होने से पहले क़ुरैश आपको अमीन कहा करते थे। अब फिर ऊपर का हिस्सा बना और काबतुल्लाह की इमारत पूरी हुई। इतिहासकार इब्ने इस्हाक़ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में काबा अट्ठारह हाथ का था, क़ुबाती का पर्दा चढ़ाया जाता था फिर चादर का पर्दा चढ़ने लगा। रेशमी पर्दा सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ़ ने चढ़ाया। काबा की यही इमारत रही यहाँ तक कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. की ख़िलाफ़त के शुरू के ज़माने में साठ साल के बाद यहाँ आग लगी और काबा जल गया, यह यज़ीद बिन मुआ़विया की बादशाही और अमीरी का आख़िरी ज़माना था और उसने इब्ने ज़ुबैर रज़ि. का मक्का में घेराव कर रखा था।

काबे की इमारत और उसके विभिन्न दौर

उन दिनों में मक्का के ख़लीफ़ा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. ने अपनी ख़ाला हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से जो हदीस सुनी थी उसी के मुताबिक़ हुज़ूर की तमन्ना पर बैतुल्लाह को गिराकर इब्राहीमी बुनियादों पर बनाया। हतीम अन्दर शामिल कर लिया, पूरब व पश्चिम की ओर दो दरवाज़े रखे, एक अन्दर आने का दूसरा बाहर जाने का, और दरवाज़ों को ज़मीन के बराबर रखा, आपकी इमारत (सरदारी व ख़िलाफ़त) के ज़माने तक काबतुल्लाह यूँ ही रहा। यहाँ तक कि ज़ालिम हज्जाज के हाथों आप शहीद हुए। अब हज्जाज ने अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान के हुक्म से काबा को फिर तोड़कर पहले की तरह बना दिया।

सही मुस्लिम में है कि यज़ीद बिन मुआ़विया के ज़माने में जबकि शामियों ने मक्का शरीफ़ पर चढ़ाई की और जो होना था वह हुआ, उस वक़्त हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह को यूँ ही छोड़ दिया। मौसमे हज के मौक़े पर लोग जमा हुए उन्होंने यह सब कुछ देखा, उसके बाद आपने लोगों से मश्विरा किया कि क्या सारे काबा को गिराकर नये सिरे से बनाऊँ या जो टूटा हुआ है उसकी इस्लाह (मरम्मत व दुरुस्ती) कर लूँ? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. ने फ़रमाया मेरी राय है कि आप जो टूटा हुआ है उसी की मरम्मत कर दें, बाक़ी पुराना ही रहने दें। आपने फ़रमाया- अगर तुममें से किसी का घर जल जाता तो वह ख़ुश न होता जब तक उसे नये सिरे से न बनाये, फिर तुम अपने रब तआ़ला के घर के बारे में ऐसी राय क्यों रखते हो? अच्छा मैं तीन दिन तक इस्तिख़ारा करूँगा फिर जो समझ में आयेगा वह करूँगा। तीन दिन के बाद आपकी राय यही हुई कि बाक़ी बची दीवारें भी तोड़ दी जायें और नये सिरे से काबा की तामीर की जाये। चुनाँचे यह हुक्म दे दिया, लेकिन काबा को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, डर था कि जो पहले तोड़ने के लिये चढ़ेगा उस पर अ़ज़ाब नाज़िल होगा, लेकिन एक हिम्मत वाला शख़्स चढ़ गया और उसने एक पत्थर तोड़ा, जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँची तो अब ढहाना शुरू किया और ज़मीन तक बिल्कुल साफ़ कर दिया। उस वक़्त चारों तरफ़ सुतून खड़े कर दिये और एक कपड़ा तान दिया था।

अब बैतुल्लाह की तामीर (निर्माण) शुरू हुई। हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने फ़रमाया- मैंने हज़रत आ़यशा से सुना वह कहती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर लोगों के कुफ़्र का ज़माना क़रीब न होता और मेरे पास ख़र्च भी होता जिससे मैं बना सकूँ तो हतीम में से पाँच हाथ बैतुल्लाह में ले लेता और काबा के दो दरवाज़े करता, एक आने का और एक जाने का। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने यह रिवायत बयान करके फ़रमाया- अब लोगों के कुफ़्र का ज़माना क़रीब का नहीं रहा, उनसे ख़ौफ़ जाता रहा

और ख़ज़ाना भी भरा हुआ है, मेरे पास काफ़ी रुपया है, फिर कोई वजह नहीं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तमन्ना पूरी न करूँ। चुनाँचे पाँच हाथ हतीम अन्दर ले लिया और अब जो दीवार खड़ी की तो ठीक इब्राहीमी नींव नज़र आने लगी जो लोगों ने अपनी आँखों से देख ली और उसी पर दीवार खड़ी की। बैतुल्लाह की लम्बाई अट्ठारह हाथ की थी, अब उसमें पाँच हाथ और बढ़ गया और दो दरवाज़े बनाये गये, एक अन्दर आने का और दूसरा बाहर जाने का।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ि. की शहादत के बाद हज्जाज ने अ़ब्दुल-मलिक को लिखा और उनसे मश्विरा लिया कि अब क्या किया जाये? यह भी लिख भेजा कि मक्का शरीफ़ के आ़दिलों (मोतबर लोगों) ने देखा है कि ठीक हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की नींव पर काबा तैयार हुआ है। लेकिन अ़ब्दुल-मलिक ने जवाब दिया कि लम्बाई को तो बाक़ी रहने दो और हतीम को बाहर कर दो, और दूसरा दरवाज़ा बन्द कर दो। हज्जाज ने इस हुक्म के मुताबिक़ काबा को तोड़कर फिर उसको उसी बिना पर बना दिया लेकिन सुन्नत तरीक़ा यही था कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. की बिना (तामीर) को बाक़ी रखा जाता, इसलिये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़्वाहिश यही थी, लेकिन उस वक़्त आपको यह ख़ौफ़ था कि लोग बदगुमानी न करें, अभी नये-नये इस्लाम में दाख़िल हुए हैं। लेकिन यह हदीस अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान को मालूम न थी, इसलिये उसने इसे तुड़वा दिया। जब उसे हदीस मालूम हुई तो रंज करते थे और कहते थे काश कि हम उसे यूँही रहने देते और न तुड़वाते। चुनाँचे सही मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हारिस बिन उबैदुल्लाह जब एक वफ़्द (जमाअ़त) में अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान के पास पहुँचे तो अ़ब्दुल मलिक ने कहा- मेरा ख़्याल है कि अबू हबीब यानी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. ने (अपनी ख़ाला) हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से यह हदीस न सुनी होगी? हारिस ने कहा ज़रूर सुनी थी, ख़ुद मैंने भी हज़रत आ़यशा रज़ि. से सुना है। पूछा तुमने क्या सुना है? कहा मैंने सुना है, आप फ़रमाती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा मुझसे फ़रमाया कि आ़यशा! तेरी क़ौम ने बैतुल्लाह को तंग कर दिया, अगर तेरी क़ौम का ज़माना-ए-शिर्क क़रीब न होता तो मैं नये सिरे से उनकी कमी को पूरा कर देता, लेकिन आ मैं तुझे असली नींव बता दूँ शायद किसी वक़्त तेरी क़ौम फिर इसे इसकी असलियत पर बनाना चाहे, तो आपने हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को हतीम में से तक़रीबन सात हाथ अन्दर दाख़िल करने को फ़रमाया, और फ़रमाया मैं इसके दो दरवाज़े कर देता, एक आने का और एक जाने का और दोनों दरवाज़े ज़मीन के बराबर रखता, एक पूरबी दिशा में रखता और दूसरा पश्चिमी दिशा में। जानती भी हो कि तुम्हारी क़ौम ने दरवाज़े को इतना ऊँचा क्यों रखा है? आपने फ़रमाया- हुज़ूर! मुझे ख़बर नहीं। फ़रमाया सिर्फ़ अपनी ऊँचाई और बड़ाई के लिये, जिसे चाहें अन्दर जाने दें और जिसे चाहें दाख़िल न होने दें। जब कोई शख़्स अन्दर जाना चाहता तो उसे ऊपर से धक्का दे देते, वह गिर पड़ता और जिसे दाख़िल करना चाहते उसका हाथ थामकर अन्दर ले लेते।

अ़ब्दुल-मलिक ने कहा ऐ हारिस! तुमने ख़ुद इस हदीस को हज़रत आ़यशा से सुना है? उन्होंने कहा हाँ मैंने ख़ुद सुना है। तो थोड़ी देर तक अ़ब्दुल-मलिक अपनी लकड़ी पर सहारा दिये सोचते रहे फिर कहने लगे काश कि मैं उसे यूँही छोड़ देता। सही मुस्लिम शरीफ़ की एक और हदीस में है कि अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान ने एक मर्तबा तवाफ़ करते हुए हज़रत अ़ब्दुल्लाह को कोस कर कहा कि वह हज़रत आ़यशा रज़ि. पर इस हदीस का बोहतान बाँधता था तो हज़रत हारिस रज़ि. ने रोका और शहादत (गवाही) दी कि वह सच्चे थे, मैंने भी हज़रत सिद्दीक़ा रज़ि. से यह सुना है। अब अ़ब्दुल-मलिक अफ़सोस करने लगे कि अगर

मुझे पहले से मालूम होता तो मैं हरगिज़ इसे न तोड़ता।

क़ाज़ी अयाज़ और इमाम नववी रह. ने लिखा है कि ख़लीफ़ा हारून रशीद ने हज़रत इमाम मालिक रह. से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर काबा को हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ि. के बनाये हुए के मुताबिक़ बना दूँ? इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया- आप ऐसा न कीजिए ऐसा न हो कि काबा भी बादशाहों का एक खिलौना बन जाये, जो आये अपनी तबीयत के मुताबिक़ तोड़-फोड़ करता रहे। चुनाँचे ख़लीफ़ा अपने इरादे से बाज़ रहे, यही बात ठीक भी मालूम होती है कि काबा को बार-बार छेड़ना ठीक नहीं।

काबा की तामीर को ढहाया जाना (अल्लाह की पनाह)

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- काबा को दो छोटी पिंडलियों वाला एक हब्शी फिर ख़राब (वीरान व तबाह) करेगा। हुज़ूर फ़रमाते हैं गोया मैं उसे देख रहा हूँ वह सियाह-फ़ाम (काले रंग का आदमी) एक-एक पत्थर अलग-अलग कर देगा। उसका ग़िलाफ़ ले जायेगा और उसका ख़ज़ाना भी। वह टेढ़े हाथ पाँव वाला और गंजा होगा, मैं देख रहा हूँ कि गोया वह कुदाल बजा रहा है और बराबर टुकड़े कर रहा है। (अल्लाह तआ़ला हमें इसके देखने से महफ़ूज़ रखे), यह याजूज-माजूज के निकल चुकने के बाद होगा।

सही बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुम याजूज-माजूज के निकलने के बाद भी बैतुल्लाह शरीफ़ का हज व उमरा करोगे, हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम अपनी दुआ़ में कहते हैं कि हमें मुसलमान बना ले यानी मुख़्लिसीन बना ले, फ़रमाँबरदार बना ले, तौहीद (अल्लाह को एक मानने वाला) बना, शिर्क से बचा, रियाकारी से महफ़ूज़ रख, ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (अल्लाह के सामने झुकना और असली आ़जिज़ी) अ़ता फ़रमा।

हज़रत सलाम बिन अबी मुतीअ़ रह. फ़रमाते हैं- मुसलमान तो थे ही लेकिन इस्लाम की साबित-क़दमी (यानी इस पर जमे रहना) तलब करते हैं। जिसके जवाब में अल्लाह तआ़ला का इरशाद हुआ "क़द फ़अ़ल्तु" मैंने तुम्हारी यह दुआ़ क़बूल फ़रमाई। फिर अपनी औलाद के लिये भी यही दुआ़ करते हैं जो क़बूल होती है। बनी इस्राईल भी आपकी औलाद में हैं और अ़रब वाले भी। क़ुरआन में हैः

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ.

यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम की क़ौम में एक जमाअ़त हक़ व अ़दल (सही राह और इन्साफ़) पर थी। लेकिन इबारत के अन्दाज़ से मालूम होता है कि अ़रब वालों के लिये यह दुआ़ है, अगरचे आ़म तौर पर दूसरों को भी शामिल हो, इसलिये कि इसके बाद दूसरी दुआ़ में है कि उनमें एक रसूल भेज और उस रसूल से मुराद हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं। चुनाँचे यह दुआ़ भी पूरी हुई जैसे फ़रमायाः

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ......الخ.

वही है जिसने अ़रब के अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाते हैं और उनको बुरे अ़क़ायद और बुरे अख़्लाक़ से पाक करते हैं और उनको अ़क़्लमन्दी की बातें सिखाते हैं, और ये लोग आपके तशरीफ़ लाने से पहले खुली गुमराही में थे। (सूरः जुमा आयत 2)

लेकिन इससे आपकी रिसालत ख़ास नहीं होती बल्कि आपकी रिसालत आ़म है, अ़रब व अ़जम सब (पूरी दुनिया और तमाम इनसानियत) के लिये। जैसे फ़रमायाः

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

कह दो कि ऐ लोगो मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ।

इन दोनों नबियों की यह दुआ़ जैसी है ऐसी ही हर मुत्तक़ी की दुआ़ होनी चाहिये। जैसे क़ुरआनी तालीम है कि मुसलमान यह दुआ़ करें:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

ऐ हमारे रब! हमें हमारी बीवियों, औलादों से हमारी आँखों की ठण्डक अ़ता फ़रमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना।

यह भी अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत की दलील है कि इनसान चाहे कि मेरी औलाद मेरे बाद भी ख़ुदा की आ़बिद (इबादत करने वाली यानी नेक) रहे। एक और जगह इस दुआ़ के अलफ़ाज़ ये हैं:

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

ख़ुदाया मुझे और मेरी औलाद को बुत-परस्ती से बचा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि इनसान के मरते ही उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं मगर तीन काम जारी रहते हैं, एक तो सदक़ा, दूसरे इल्म, जिससे नफ़ा हासिल किया जाये, और तीसरे नेक औलाद जो दुआ़ करती है। (मुस्लिम)

फिर आप दुआ़ करते हैं कि हमें मनासिक सिखा, यानी हज व क़ुरबानी के अहकाम वग़ैरह सिखा। हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आपको लेकर काबा की इमारत पूरी हो जाने के बाद सफ़ा पर आते हैं, फिर मरवा पर जाते हैं और फ़रमाते हैं यह अल्लाह की निशानियाँ हैं। फिर मिना की तरफ़ ले चले, अ़क़बा पर शैतान दरख़्त के पास खड़ा हुआ मिला तो फ़रमाया तकबीर कहकर उसे कंकर मारो। इब्लीस यहाँ से भागकर बीच वाले जमरा के पास जाकर खड़ा हुआ, यहाँ भी उसे कंकरियाँ मारीं तो यह ख़बीस ना-उम्मीद होकर चला गया। उसका इरादा था कि हज के अहकाम में कुछ ख़लल डाले लेकिन मौक़ा न मिला और मायूस हो गया। यहाँ से आपको मश्अ़रे-हराम में लाये, फिर अ़रफ़ात में पहुँचाया, फिर तीन मर्तबा पूछा कहो समझ लिया? आपने फ़रमाया हाँ। दूसरी रिवायत में तीन जगह शैतान को कंकरियाँ मारनी मरवी हैं और हर शैतान को सात-सात कंकरियाँ मारी हैं।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

ऐ हमारे परवर्दिगार! और उस जमाअ़त के अन्दर उन्हीं में से एक ऐसे पैग़म्बर भी मुक़र्रर कीजिए जो उन लोगों को आपकी आयतें पढ़-पढ़कर सुनाया करें, और उनको (आसमानी) किताब की और अ़क्ल व समझ की तालीम दिया करें और उनको पाक कर दें। बेशक आप ही हैं ग़ालिब क़ुदरत वाले, कामिल इन्तिज़ाम वाले। (129)

नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ और हज़रत इब्राहीम की दुआ

हरम वालों के लिये यह और दुआ है कि आपकी औलाद में से ही उनमें आये, चुनाँचे यह भी पूरी हुई। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मैं ख़ुदा के नज़दीक ख़ातिमुन्नबिय्यीन उस वक़्त से हूँ जबकि आदम अ़लैहिस्सलाम अभी मिट्टी की सूरत में थे। मैं तुम्हें अपना शुरूआत का मामला बताऊँ, मैं अपने बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की ख़ुशख़बरी हूँ और अपनी माँ का ख़्वाब हूँ। अम्बिया की वालिदा को ऐसे ही ख़्वाब आते हैं। हज़रत अबू उमामा ने एक मर्तबा सवाल किया कि या रसूलल्लाह! आपकी नुबुव्वत का आग़ाज़ किस तरह हुआ? हमें बताईये। आपने फ़रमाया मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ और मेरी ख़ुशख़बरी जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने दी और मेरी माँ ने देखा कि गोया उनमें से एक नूर निकला जिसने मुल्क शाम के महल चमका दिये। मतलब यह है कि दुनिया में शोहरत का ज़रिया ये चीज़ें हुईं।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वालिदा साहिबा का ख़्वाब भी अ़रब में पहले ही से मशहूर हो गया था, और वे कहते थे कि आमना के पेट से कोई बड़ा शख़्स पैदा होगा। बनी इस्राईल के नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने तो बनी इस्राईल में ख़ुतबा पढ़ते हुए आपका साफ़ नाम भी ले दिया और फ़रमाया- लोगो! मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ मुझसे पहली किताब तौरात की मैं तस्दीक़ करता हूँ और मेरे बाद आने वाले नबी की मैं तुम्हें बशारत (ख़ुशख़बरी) देता हूँ जिनका नाम अहमद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) है। इसी की तरफ़ इस हदीस में इशारा है। ख़्वाब में नूर से शाम के महलों का चमक उठना इस बात की तरफ़ इशारा है कि दीन वहाँ जम जायेगा, बल्कि रिवायतों से साबित है कि आख़िरी ज़माने में मुल्क शाम इस्लाम और मुसलमानों का मर्कज़ (केन्द्र) बन जायेगा।

शाम (मुल्क सीरिया) के मशहूर शहर दमिश्क़ ही में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम मिनारे पर नाज़िल होंगे। बुख़ारी और मुस्लिम में है कि मेरी उम्मत की एक जमाअ़त हक़ पर क़ायम रहेगी, उनके मुख़ालिफ़ीन (विरोधी) उन्हें नुक़सान न पहुँचा सकेंगे यहाँ तक कि ख़ुदा का हुक्म आ जाये। सही बुख़ारी में इतनी ज़्यादती और है कि वे शाम में होंगे। अबुल-आ़लिया से नक़ल है कि इस दुआ के जवाब में कहा गया कि यह भी मन्क़ूल है और यह पैग़म्बर आख़िरी ज़माना में मबऊस होंगे। किताब से मुराद क़ुरआन और हिक्मत से मुराद सुन्नत और हदीस है। हसन, क़तादा, मुक़ातिल बिन हय्यान और अबू मालिक रह. वग़ैरह का यही फ़रमान है, और हिक्मत से मुराद दीन की समझ-बूझ भी है। 'पाक करना' यानी नेकी व इख़्लास सिखाना भलाईयाँ कराना, बुराईयों से बचाना, अल्लाह की इताअ़त करके उसकी रज़ा हासिल करना, नाफ़रमानी से बचकर नाराज़गी से महफ़ूज़ रहना। अल्लाह अ़ज़ीज़ (ग़ालिब) है जिसे कोई चीज़ आ़जिज़ नहीं कर सकती जो हर चीज़ पर ग़ालिब है, वह हकीम है यानी उसका कोई क़ौल व फ़ेल हिक्मत से ख़ाली नहीं। वह हर चीज़ को अपने महल (स्थान और मौक़े) पर ही हिक्मत व अ़दल और इल्म के साथ रखता है।

और मिल्लते इब्राहीमी से तो वही मुँह फेरेगा जो अपनी ज़ात ही से अहमक़ हो, और हमने उन (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम) को दुनिया में चुना और (इसी की बदौलत) वह आख़िरत में	وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ

فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۭ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

बड़े लायक़ लोगों में शुमार किए जाते हैं। (130) जबकि उनसे उनके परवर्दिगार ने फ़रमाया कि तुम इताअ़त इख़्तियार करो, उन्होंने अ़र्ज़ किया कि मैंने इताअ़त इख़्तियार की रब्बुल-आ़लमीन की। (131) और इसी का हुक्म कर गए हैं इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) अपने बेटों को और (इसी तरह) याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) भी, मेरे बेटो! अल्लाह ने इस दीन (इस्लाम) को तुम्हारे लिए मुन्तख़ब "चुना और पसन्द" फ़रमाया है, सो तुम सिवाय इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। (132)

इन आयतों में भी मुश्रिकों का रद्द है कि वे अपने आपको दीने इब्राहीम पर बतलाते थे, हालाँकि कामिल मुश्रिक थे और हज़रत ख़लीलुल्लाह तो तौहीद वालों (यानी ईमान वालों) के इमाम थे। तौहीद को शिर्क से मुमताज़ (अलग) करने वाले थे, उम्र भर में एक आँख झपकने के बराबर भी ख़ुदा के साथ किसी को शरीक नहीं किया, बल्कि हर मुश्रिक से और हर क़िस्म के शिर्क से और हर ग़ैरे-ख़ुदा से जो ख़ुदा माना जाता हो, वह तो दिल से नफ़रत करते थे और उन सबसे बेज़ार थे। इसी पर अपनी क़ौम से अलग हुए और वतन छोड़ा, बल्कि बाप तक की मुख़ालफ़त की परवाह न की और साफ़ कह दियाः

اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ........ الخ.

मैं बेज़ार हूँ उस चीज़ से जिसे तुम शरीक करते हो। मैंने तो यक्सू (एक तरफ़) होकर अपनी सारी की सारी तवज्जोह उस पाक ज़ात की तरफ़ कर दी है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं।

एक और जगह है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी क़ौम से साफ़ कह दिया कि मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ (यानी उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं) मैं तो अपने ख़ालिक़ का गरवीदा हूँ वही मुझे सही और सीधा रास्ता दिखायेगा। एक और जगह हैः

مَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ...... الخ.

इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अपने वालिद के लिये भी सिर्फ़ एक वायदे की बिना पर इस्तिग़फ़ार करते थे लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि वह ख़ुदा का दुश्मन है तो उससे बेज़ार हो गये। इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम बड़े ही रुजू करने वाले और बुर्दबार थे।

एक और जगह है कि इब्राहीम मुख़्लिस (सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिये अ़मल करने वाले) और फ़रमाँबरदार थे, मुश्रिक हरगिज़ न थे। रब की नेमतों के शुक्र गुज़ार थे, ख़ुदा के पसन्दीदा थे और सही रास्ते पर लगे हुए थे। दुनिया के भले लोगों में से थे और आख़िरत में भी सालेह (नेक) लोगों में होंगे।

इन आयतों की तरह यहाँ भी फ़रमाया कि अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले बे-तदबीर और गुमराह लोग ही मिल्लते इब्राहीमी को छोड़ते हैं क्योंकि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा ने हिदायत के लिये

चुन लिया था, और बचपन से ही हिदायत की तौफ़ीक़ दे रखी थी। 'ख़लील' (दोस्त) जैसा सम्मानित ख़िताब उन्हीं को दिया था, आख़िरत में भी नेक-बख़्त लोगों में हैं। उनके मस्लक व मिल्लत (रास्ते और तरीक़े) को छोड़कर गुमराही में पड़ने वाले से ज़्यादा बेवक़ूफ़ और ज़ालिम और कौन होगा? इस आयत में यहूदियों का भी रद्द है जैसे एक और जगह है:

مَاكَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا......... الخ.

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे न ईसाई न मुश्रिक, बल्कि अल्लाह को एक मानने वाले मुसलमान और मुख़्लिस थे, उनके क़रीब वही हैं जो उनकी मानें और यह नबी और ईमान वाले, अल्लाह भी मोमिनों का वली है, जब कभी ख़ुदा फ़रमाता कि यह मान लो, वह जवाब देते कि ऐ रब्बुल-आ़लमीन मैंने मान लिया, इसी मिल्लते वह्दानियत (यानी ईमान लाने और एक अल्लाह को मानने) की वसीयत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम व याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को की।

देखिये उनके दिल में इस्लाम की किस क़द्र मुहब्बत व इज़्ज़त थी कि ख़ुद भी इस पर पूरी उम्र आ़मिल रहे और अपनी औलाद को भी इसी की वसीयत की। जैसे एक और जगह है:

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِه.

हमने उसे उनकी औलाद में भी बाक़ी रखा।

बाज़ पहले उलेमा और बुज़ुर्गों ने 'व याक़ू-ब' भी पढ़ा है तो इस सूरत में 'बनीहि' पर अत्फ़ (इसका जोड़) होगा और मतलब यह होगा कि ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को और औलाद की औलाद में से हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम को जो उस वक़्त मौजूद थे दीने इस्लाम पर जमे और मज़बूती से क़ायम रहने की वसीयत की। क़ुशैरी कहते हैं कि हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के इन्तिक़ाल के बाद पैदा हुए थे लेकिन यह सिर्फ़ दावा है जिस पर कोई सही दलील नहीं। वल्लाहु आलम। बल्कि बज़ाहिर यह मालूम होता है कि हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी में पैदा हुए थे, क्योंकि क़ुरआने पाक की आयत में है:

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ.

यानी हमने उन्हें इस्हाक़ की और इस्हाक़ के पीछे याक़ूब की ख़ुशख़बरी दी।

पस अगर हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी में मौजूद न हों तो फिर उनका नाम लेने में कोई ज़बरदस्त फ़ायदा बाक़ी नहीं रहता। सूरः अ़न्कबूत में भी है कि हमने इब्राहीम को इस्हाक़ व याक़ूब अ़लैहिमस्सलाम को अ़ता फ़रमाया और उसकी औलाद में हमने नुबुव्वत व किताब दी। एक और आयत में है कि हमने उसे इस्हाक़ दिया और याक़ूब ज़ायद अ़ता फ़रमाया। इनसे मालूम होता है कि हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी में ही थे, पहली आसमानी किताबों में भी है कि वह बैतुल-मुक़द्दस में आयेंगे।

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक बार पूछते हैं- या रसूलल्लाह! कौनसी मस्जिद पहले तामीर की गयी? आपने फ़रमाया- मस्जिदे हराम (यानी वह मस्जिद जो काबे के इहाते में है)। पूछा फिर? फ़रमाया- मस्जिदे बैतुल-मुक़द्दस। मैंने कहा दोनों के दरमियान किस क़द्र मुद्दत थी? फ़रमाया चालीस साल......।

इब्ने हिब्बान ने कहा है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के दरमियानी फ़ासले

का यह बयान है, हालाँकि यह क़ौल बिल्कुल मुख़ालिफ़ है। इन दोनों नबियों के दरमियान तो हज़ारों साल की मुद्दत थी, बल्कि मतलब हदीस का कुछ और ही है और शाहे ज़माँ हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम तो इस मस्जिद के सुसज्जित करने और पुनर्निमाण करने वाले थे, संस्थापक न थे।

इसी तरह हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने भी वसीयत की थी, जैसे आगे जल्द ही उसका ज़िक्र आयेगा। वसीयत इस बात की होती है कि ज़िन्दगी की मौजूदा हालत में एहसान वाले (यानी सही रास्ते पर क़ायम) रहो ताकि मौत भी इस पर ही आये। उमूमन इनसान ज़िन्दगी में जिस चीज़ पर रहता है उसी पर मौत भी आती है, और जिस पर मरता है उसी पर उठेगा भी। अल्लाह की आ़दत और तरीक़ा इसी तरह है कि भलाई का इरादा करने वाले को भलाई की तौफ़ीक़ भी दी जाती है, भलाई उस पर आसान कर दी जाती है, और उसे साबित-क़दम (जमने वाला) भी रखा जाता है।

कोई शक नहीं कि हदीस में यह भी आया है कि इनसान जन्नतियों के काम करते-करते जन्नत से एक हाथ दूर रह जाता है कि उसकी तक़दीर ग़ालिब आ जाती है और जहन्नमियों के काम करके जहन्नमी बन जाता है। और कभी इसके ख़िलाफ़ भी होता है। लेकिन इससे मतलब यह है कि काम अच्छे बुरे ज़ाहिर होते हैं हक़ीक़ी (असलियत में) नहीं होते। चुनाँचे बाज़ रिवायत में ये लफ़्ज़ भी हैं। क़ुरआन कहता है कि सख़ावत, तक़वा और 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' की तस्दीक़ करने वाले को हम आसानी का रास्ता आसान कर देते हैं और बुख़्ल व बेपरवाही और भली बात की तकज़ीब करने वालों (झुठलाने वालों) को हम सख़्ती की राह (यानी बुरा रास्ता) आसान कर देते हैं।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ لا إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ط قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَٰهِمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

क्या तुम ख़ुद (उस वक़्त) मौजूद थे जिस वक़्त याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) का आख़िरी वक़्त आया, (और) जिस वक़्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि तुम लोग मेरे (मरने के) बाद किस चीज़ की परस्तिश "यानी पूजा और इबादत" करोगे। उन्होंने (मुत्तफ़िक़ होकर) जवाब दिया कि हम उसकी इबादत करेंगे जिसकी आप और आपके बुज़ुर्ग (हज़रात) इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ इबादत करते आए हैं, यानी वही माबूद जो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं है, और हम उसी की इताअ़त पर (क़ायम) रहेंगे। (133) यह (उन बुज़ुर्गों की) एक जमाअ़त थी जो गुज़र चुकी, उनके काम उनका किया हुआ आयेगा और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आयेगा, और तुमसे उनके किए हुए की पूछ भी तो न होगी। (134)

अ़रब के मुश्रिक लोगों पर जो हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद थे और काफ़िर बनी इस्राईल पर जो हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की औलाद थे, दलील लाते हुए अल्लाह तआ़ला बयान फ़रमाता है कि

हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने तो अपनी औलाद को अपने आख़िरी वक़्त भी एक ला-शरीक अल्लाह की इबादत की वसीयत की थी। उनसे पहले तो पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सबने जवाब दिया कि आपके और आपके बुज़ुर्गों के माबूदे बरहक़ की। हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम के लड़के और हज़रत इस्हाक़ हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के लड़के हैं। हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम का नाम बाप-दादाओं के ज़िक्र में अ़रब के मुहावरे के तौर पर आ गया है क्योंकि आप चचा होते हैं और यह भी वाज़ेह रहे कि अ़रब में चचा को भी बाप कह देते हैं।

इस आयत से दलील पकड़कर दादा को भी बाप के हुक्म में रखकर दादा की मौजूदगी में बहन भाई को वरसे (मीरास के हिस्से) से मेहरूम किया है। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. का फ़ैसला यही है जैसा कि सही बुख़ारी शरीफ़ में मौजूद है। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का मज़हब भी यही है। हसन बसरी, ताऊस और अ़ता रह. भी यही कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रह. और बहुत से पहले व बाद के उलेमा का मज़हब भी यही है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और एक मशहूर रिवायत में इमाम अहमद रह. से मन्क़ूल है कि वे भाई-बहनों को भी वारिस कहते हैं। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत ज़ैद बिन साबित और पहले व बाद के बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त का मज़हब यही है। क़ाज़ी अबू यूसुफ़ और मुहम्मद इब्ने हसन भी यही कहते हैं, और ये दोनों इमाम अबू हनीफ़ा रह. के ख़ास शागिर्द हैं। इस मसले की तफ़सील का यह मक़ाम नहीं और न तफ़सीर का यह विषय है।

बहरहाल उन सब बच्चों (हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की औलाद) ने इक़रार किया कि हम एक ही माबूद की इबादत करेंगे, यानी उस ख़ुदा की ख़ुदाई में किसी को शरीक न करेंगे, और हम उसकी इताअ़त गुज़ारी, फ़रमाँबरदारी और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (दिल और जिस्म से उसके आगे झुकने) में मशग़ूल रहा करेंगे। जैसे एक और जगह है:

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ......... الخ.

ज़मीन आसमान की हर चीज़ ख़ुशी और नाख़ुशी से उसकी मुतीअ़ (आज्ञाकारी और फ़रमाँबरदार) है, उसकी तरफ़ तुम सब लौटाये जाओगे, तमाम अम्बिया का दीन यही इस्लाम रहा है अगरचे अहकाम में थोड़ा-बहुत फ़र्क़ रहा है। जैसे एक जगह फ़रमायाः

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

यानी तुझसे पहले जितने रसूल हमने भेजे सबकी तरफ़ वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम सब मेरी ही इबादत करते रहो।

इस मज़मून की और भी बहुत सी आयतें हैं और हदीसों में भी यह मज़मून ख़ूब ज़्यादा बयान हुआ है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- हम तमाम अम्बिया अ़ल्लाती (माँ-शरीक) भाई हैं, हमारा दीन एक ही है। फिर फ़रमाता है कि यह उम्मत है जो गुज़र चुकी, तुम्हें उनकी तरफ़ निस्बत नफ़ा न देगी, हाँ अगर अ़मल हों तो और बात है। उनकी करनी उनके साथ है और तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, तुमसे उनके कामों और आमाल के बारे में नहीं पूछा जायेगा। हदीस शरीफ़ में है कि जिसका अ़मल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○	और ये (यहूदी व ईसाई) लोग कहते हैं कि तुम लोग यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, तुम भी राह पर पड़ जाओगे। आप कह दीजिए कि हम तो मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) पर रहेंगे, जिसमें टेढ़ का नाम नहीं, और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) मुशिरक भी न थे। (135)

अ़ब्दुल्लाह बिन सूरया आवर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा था कि हिदायत पर हम हैं, तुम हमारी मानो तो तुम्हें भी हिदायत मिलेगी। ईसाईयों ने भी यही कहा था, इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि हम तो इब्राहीम हनीफ़ अ़लैहिस्सलाम के पैरोकार हैं जो इस्तिक़ामत (हक़ पर जमने) वाले, इख़्लास (अल्लाह की रज़ा के लिये काम करने) वाले, हज वाले, बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करने वाले, गुंजाईश और ताक़त के वक़्त हज को फ़र्ज़ जानने वाले, ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी करने वाले, तमाम रसूलों पर ईमान लाने वाले, 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' की गवाही देने वाले, माँ, बेटी, ख़ाला, फूफी को (निकाह में लाने को) हराम जानने वाले और तमाम हरामकारियों से बचने वाले थे। ये सब मायने हनीफ़ के मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) हज़रात ने बयान किये हैं।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○	(मुसलमानो!) कह दो कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस (हुक्म) पर जो हमारे पास भेजा गया और उस पर भी जो (हज़रत) इब्राहीम और (हज़रत) इस्माईल और (हज़रत) इस्हाक़ और (हज़रत) याक़ूब (अ़लैहिमुस्सलाम) और याक़ूब की औलाद की तरफ़ भेजा गया, और उस (हुक्म व मोजिज़े) पर भी जो (हज़रत) ईसा को दिया गया, और उस पर भी जो कुछ और नबियों (अ़लैहिमुस्सलाम) को दिया गया उनके परवर्दिगार की तरफ़ से, इस कैफ़ियत से कि हम उन (हज़रात) में से किसी एक में भी तफ़रीक़ नहीं करते, और हम तो अल्लाह तआ़ला के फ़रमाँबरदार हैं। (136)

अल्लाह तआ़ला अपने ईमान वाले बन्दों को इरशाद फ़रमाता है कि जो कुछ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर उतरा, उस पर वह तफ़सील वार ईमान लायें। और जो आप से पहले अम्बिया पर उतरा उस पर भी बुनियादी तौर पर ईमान लायें। उन पहले अम्बिया में से बाज़ के नाम भी ले दिये और बाक़ी नबियों का बस ज़िक्र कर दिया, साथ ही फ़रमाया कि 'ये किसी नबी के दरमियान तफ़रीक़ (भेदभाव और फ़र्क़) न करें कि एक को मानें.और दूसरे से इनकार कर जायें, जो आ़दत पहले के लोगों की थी कि वे अम्बिया में तफ़रीक़ करते थे, किसी को मानते थे किसी से मुन्किर थे। यहूदी हज़रत ईसा

अ़लैहिस्सलाम को, ईसाई हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को, हिजाज़ के इलाक़े के अ़रब वाले मूसा, ईसा और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तीनों को नहीं मानते थे, उन सबको फ़तवा मिलाः

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

ये लोग यक़ीनन काफ़िर हैं।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि अहले किताब तौरात को इबरानी में पढ़ते थे और अ़रबी में तफ़सीर करके मुसलमानों को सुनाते थे। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अहले किताब की तस्दीक़ या तकज़ीब न करो (यानी उन्हें एक दम झूठा या सच्चा न कह दिया करो) कि अल्लाह तआ़ला पर और उसकी नाज़िल की हुई किताबों पर हमारा ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह की दो सुन्नतों में पहली रक्अ़त में यह आयतः

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا.

(यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) पूरी आयत और दूसरी रक्अ़त में आयतः

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

(यानी सूरः आले इमरान की आयत नम्बर 52) पढ़ा करते थे। 'अस्बात' हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के बेटों को कहते हैं जो बारह थे, जिनमें से हर एक की नस्ल बहुत बढ़ी। बनी इस्माईल (हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद) को 'क़बाईल' कहते थे और बनी इस्राईल को 'अस्बात' कहते थे। अ़ल्लामा ज़मख़्शरी रह. ने कश्शाफ़ में लिखा है कि यह हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के पोते थे जो उनके बारह लड़कों की औलाद थी। बुख़ारी में है कि क़बाईल से बनी इस्राईल मुराद हैं, उनमें भी नबी हुए थे जिन पर 'वही' नाज़िल हुई थी, जैसे मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमायाः

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ.......... الخ.

अल्लाह की नेमत को याद करो कि उसने तुम में अम्बिया और बादशाह बनाये। एक और जगह हैः

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا.

हमने उनके बारह गिरोह कर दिये।

'सब्त' कहते हैं पीछे चलने को, यह भी एक के पीछे एक थे। बाज़ कहते हैं कि यह निकला है 'सबत' से, सबत कहते हैं दरख़्त को। यानी ये एक पेड़ के जैसे हैं जिसकी शाख़ें फैली हुए हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि तमाम अम्बिया बनी इस्राईल में से ही हुए हैं सिवाय दस के- नूह, हूद, सालेह, शुऐब, इब्राहीम, इस्हाक़, याक़ूब, इस्माईल, मुहम्मद अ़लैहिमुस्सलाम। सब्त कहते हैं उस जमाअ़त और क़बीले को जिनका मूरिसे आला (नस्ल का बड़ा) ऊपर जाकर एक हो। हमें तौरात व इन्जील पर ईमान रखना ज़रूरी है लेकिन अ़मल के लिये सिर्फ़ क़ुरआन व हदीस ही है। इब्ने अबी हातिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तौरात, ज़बूर, इन्जील पर ईमान रखो लेकिन (अ़मल के लिये) क़ुरआन काफ़ी है।

सो अगर वे भी इसी तरीक़े से ईमान ले आएँ जिस तरीक़े से तुम (मुसलमान) ईमान लाए हो,	فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ

اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝	तब तो वे भी (हक़) रास्ते पर लग जाएँगे, और अगर वे रूगर्दानी करें तो वे लोग तो (हमेशा से) मुख़ालफ़त पर कमर बाँधे हुए हैं ही, तो (समझ लो कि) तुम्हारी तरफ़ से जल्द ही निपट लेंगे अल्लाह तआ़ला, और अल्लाह तआ़ला सुनते हैं (और) जानते हैं। (137) हम (दीन की) उस हालत पर हैं जिसमें (हमको) अल्लाह तआ़ला ने रंग दिया है, और (दूसरा) कौन है जिसके रंग देने की हालत अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा अच्छी हो, और (इसी लिए) हम उसी की गुलामी इख़्तियार किए हुए हैं। (138)

यानी ऐ ईमान वाले सहाबियो! अगर ये काफ़िर भी तुम जैसा ईमान लायें यानी तमाम किताबों और रसूलों को मान लें तो हक़ व हिदायत और निजात पायेंगे, और अगर बावजूद दलील क़ायम हो जाने के फिर भी ऐसा न करें तो यक़ीनन ख़िलाफ़े हक़ पर हैं, अल्लाह तआ़ला तुझे उन पर ग़ालिब करके तुझे किफ़ायत करेगा, वह सुनने जानने वाला है। नाफ़े बिन अबी नुऐम कहते हैं कि किसी ख़लीफ़ा के पास हज़रत उस्मान रज़ि. का क़ुरआन भेजा गया, ज़ियाद ने यह सुनकर कहा कि लोगों में मशहूर है कि जब हज़रत उस्मान रज़ि. को लोगों ने शहीद किया उस वक़्त यह कलामुल्लाह उनकी गोद में था और आपका ख़ून ठीक इन अलफ़ाज़ पर पड़ा थाः

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

(यानी इसी आयत के चन्द अलफ़ाज़, जिनकी यह तफ़सीर बयान हो रही है) क्या यह सही है? हज़रत नाफ़े रज़ि. ने कहा- बिल्कुल ठीक है। मैंने ख़ुद इस आयत पर हज़रत उस्मान का ख़ून देखा था। रंग से मुराद दीन है।

एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि बनी इस्राईल ने कहा ऐ रसूलुल्लाह! क्या हमारा रब रंग भी करता है? आपने फ़रमाया अल्लाह से डरो, आवाज़ आयी उनसे कह दो कि तमाम रंग मैं ही तो पैदा करता हूँ। यही मतलब इस आयत का भी है, लेकिन इस रिवायत का मौक़ूफ़ होना ही सही है और यह भी उस वक़्त जबकि इसकी सनद सही हो।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ	आप फ़रमा दीजिए कि क्या तुम लोग हमसे (अब भी) हुज्जत किए जाते हो अल्लाह तआ़ला के बारे में, हालाँकि वह हमारा और तुम्हारा (सब का) रब है, और हमको हमारा किया हुआ मिलेगा और तुमको तुम्हारा किया हुआ मिलेगा, और हमने सिर्फ़ हक़ तआ़ला के लिए अपने (दीन) को (शिर्क वग़ैरह) से ख़ालिस कर रखा

الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ط وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ع

है। (139) या कहे जाते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और याक़ूब और याक़ूब की औलाद (में जो नबी गुज़रे हैं, ये सब हज़रात) यहूदी या ईसाई थे। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! कह दीजिए कि तुम ज़्यादा वाक़िफ़ हो या हक़ तआ़ला, और ऐसे शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो ऐसी गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की जानिब से पहुँची हो, और अल्लाह तुम्हारे किए हुए से बेख़बर नहीं हैं। (140) यह (उन बुज़ुर्गों की) एक जमाअ़त थी जो गुज़र गई, उन के काम उनका किया हुआ आएगा और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आएगा और तुमसे उन के किए हुए की पूछ भी तो न होगी। (141)

मुश्रिकों के झगड़े और विवाद को दूर करने का हुक्म रब्बुल-आ़लमीन अपने नबी को दे रहा है कि तुम हमसे अल्लाह की तौहीद (एक माबूद होने), इख़्लास, इताअ़त वग़ैरह के बारे में क्यों झगड़ते हो? वह सिर्फ़ हमारा ही नहीं बल्कि तुम्हारा रब भी तो वही है। हम पर और तुम पर क़ाबिज़ व बा-इख़्तियार भी वही अकेला है। हमारे अ़मल हमारे साथ हैं और तुम्हारे अ़मल तुम्हारे काम आयेंगे, हम तुमसे और तुम्हारे शिर्क से बेज़ार (नफ़रत करने वाले और दूर) हैं। एक और जगह फ़रमायाः

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ.......... الخ.

यानी अगर ये तुझे झुठलायें तो तू कह दे कि मेरे लिये मेरा अ़मल है और तुम्हारे लिये तुम्हारा अ़मल है, तुम मेरे (नेक) काम से और मैं तुम्हारे आमाल से बेज़ार हूँ। एक और जगह इरशाद हैः

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ....... الخ.

अगर ये तुझसे झगड़ते हैं तो तू कह दे मैंने और मेरे मानने वालों ने अपने मुँह ख़ुदा की तरफ़ कर दिये....। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी अपनी क़ौम से यही फ़रमाया थाः

اَتُحَآجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ....... الخ.

क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? एक और जगह हैः

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِيْ رَبِّهٖ.

तूने उसे देखा जो इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) से उसके रब के बारे में झगड़ने लगा?

पस यहाँ उन झगड़ालू लोगों से कहा गया कि हमारे आमाल हमारे लिये और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये, हम तुमसे बेज़ार तुम हमसे अलग। हम इबादत और तवज्जोह में इख़्लास (नेक नीयती) और यक्सूई करने वाले लोग हैं। फिर उन लोगों के दावे की तरदीद हो रही है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम न तो

यहूदी थे न ईसाई। ऐ यहूदियो और ऐ ईसाईयो! तुम क्यों ये बातें बना रहे हो? क्या तुम्हारा इल्म ख़ुदा से भी बढ़ गया? ख़ुदा ने तो साफ़ फ़रमा दियाः

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे, न ईसाई, न मुश्रिक, बल्कि ख़ालिस मुसलमान थे।

उनका ख़ुदाई गवाही को छुपाकर बड़ा ज़ुल्म करना यह था कि ख़ुदा की किताब जो उनके पास आयी उसमें उन्होंने पढ़ा कि हक़ीक़ी (वास्तविक) दीन इस्लाम है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम, इस्माईल अ़लैहिस्सलाम, इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम, याक़ूब अ़लैहिस्सलाम वग़ैरह यहूदियत और ईसाईयत से अलग थे, लेकिन फिर न माना। और इतना ही नहीं बल्कि इस बात को भी छुपा लिया। फिर फ़रमाया तुम्हारे आमाल ख़ुदा पर पोशीदा नहीं, उसका मुहीत (हर चीज़ को अपने घेरे में लिये रहने वाला) इल्म सब चीज़ों को घेरे हुए है, वह हर भलाई और बुराई का पूरा-पूरा बदला देगा।

धमकी देकर फिर फ़रमाया कि यह पाकबाज़ (पवित्र) जमाअ़त तो ख़ुदा के पास पहुँच चुकी, तुम जब तक उनके नक़्शे-क़दम (पद् चिह्नों) पर न चलो, सिर्फ़ उनकी औलाद में से होना तुम्हें ख़ुदा के यहाँ कोई इज़्ज़त और नफ़ा नहीं दे सकता है। उनके नेक आमाल में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं और तुम्हारे बुरे आमाल का उन पर कोई बोझ नहीं। "करे सो भरे" तुमने जब एक नबी की तकज़ीब की (यानी झुठलाया) तो गोया तमाम अम्बिया को झुठलाया। ख़ास तौर पर ऐ वे लोगो! जो नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में हो, तुम तो बड़े ही वबाल में आ गये। तुमने तो उस नबी को झुठलाया जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं, जो ख़त्मुल-मुर्सलीन हैं, जो रसूले रब्बुल-आ़लमीन हैं, जिनकी रिसालत तमाम इनसानों और जिन्नों की तरफ़ है, जिनकी रिसालत के मानने का हर एक शख़्स मुकल्लफ़ (पाबन्द) है। अल्लाह तआ़ला के बेशुमार दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हों और आपके अ़लावा दूसरे तमाम अम्बिया-ए-किराम अ़लैहिमुस्सलाम पर भी।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि तफ़सीर इब्ने कसीर का पहला पारा मुकम्मल हुआ।

पारा नम्बर दो

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

अब तो (ये) बेवक़ूफ़ लोग ज़रूर कहेंगे ही, कि उन (मुसलमानों) को उनके (पहली सिम्त वाले) क़िब्ले से (कि बैतुल-मुक़द्दस था) जिस तरफ़ पहले मुतवज्जह हुआ करते थे, किस (बात) ने बदल दिया। आप फ़रमा दीजिए कि सब पूरब और पश्चिम अल्लाह ही की मिल्क हैं। जिसको ख़ुदा ही चाहें (यह) सीधा रास्ता बतला देते हैं। (142) और हमने तुमको ऐसी ही एक जमाअ़त बना दी है जो (हर पहलू से) दरमियानी राह पर है, ताकि तुम (मुख़ालिफ़) लोगों के मुक़ाबले में गवाह होओ, और तुम्हारे लिए (अल्लाह के) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) गवाह हों। और जिस (सिम्त) क़िब्ले पर आप रह चुके हैं (यानी बैतुल-मुक़द्दस) वह तो सिर्फ़ इसलिए था कि हमको मालूम हो जाए कि कौन तो (अल्लाह के) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की पैरवी इख़्तियार करता है और कौन पीछे को हटता जाता है। और यह (क़िब्ले का बदलना बेराह और नाफ़रमान लोगों पर) बड़ा भारी है, (हाँ) मगर जिन लोगों को अल्लाह तआ़ला ने हिदायत फ़रमाई है। और अल्लाह तआ़ला ऐसे नहीं हैं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया (और नाक़िस) कर दें, (और) वाक़ई अल्लाह तआ़ला तो (ऐसे) लोगों पर बहुत ही शफ़ीक़ (और) मेहरबान हैं। (143)

क़िब्ले का बदलना, आयत की शाने नुज़ूल, इस्लाम-विरोधी ताक़तों के बेतुके एतिराज़ों के इत्मीनान-बख़्श जवाबात

कहा जाता है कि बेवक़ूफ़ लोगों से अ़रब के मुश्रिकीन मुराद हैं। एक क़ौल यह है कि उलेमा-ए-यहूद मुराद हैं, और यह भी कहा गया है कि मुनाफ़िक़ लोग मुराद हैं। सही बुख़ारी में हज़रत बरा रज़ि. से

रिवायत है कि कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सोलह या सत्रह माह तक बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी, आपकी यह ख़्वाहिश थी कि आपका क़िब्ला ख़ाना-ए-काबा हो। चुनाँचे हुक्म मिलने के बाद आपने इस तरफ़ मुँह करके पहली नमाज़ अ़सर की पढ़ी, जिन लोगों ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी थी उनमें से एक शख़्स एक मस्जिद के पास से गुज़रा, वहाँ नमाज़ी रुकूअ़ में थे, उसने कहा ख़ुदा की क़सम मैंने मक्का की तरफ़ रुख़ करके नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी है। यह सुनकर वे लोग उसी हालत में काबे की तरफ़ घूम गये। और ऐसे लोग जो क़िब्ला बदलने से पहले इन्तिक़ाल कर गये बहुत से थे, जो शहीद हुए। लोगों को मालूम न था कि उनकी नमाज़ों के बारे में क्या कहें? यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ.............. الخ.

"यानी अल्लाह तआ़ला तुम लोगों के ईमान ज़ाया न करेगा" सही मुस्लिम में यह रिवायत दूसरी तरह से है। वह यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ पढ़ा करते थे और अक्सर आसमान की जानिब नज़रें उठाकर हुक्म का इन्तिज़ार करते थे, यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ..........الخ.

"हम आपके मुँह का बार-बार यह आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं............" और काबा शरीफ़ क़िब्ला मुक़र्रर हुआ। उस मौक़े पर मुसलमानों में से कुछ लोगों ने कहा- काश हमको उन लोगों का हाल मालूम होता जो क़िब्ले का रुख़ बदलने से पहले वफ़ात पा गये। इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत करीमा नाज़िल फ़रमाई:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ..... الخ.

"यानी अल्लाह तआ़ला तुम लोगों के ईमान ज़ाया न करेगा" अहले किताब में से बाज़ बेवक़ूफ़ों ने इस क़िब्ले के बदलने पर एतिराज़ किया तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई:

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ........ الخ.

कि अब तो ये बेवक़ूफ़ लोग ज़रूर कहेंगे कि इन मुसलमानों को उस पहले क़िब्ले से किस चीज़ ने फेर दिया जिसकी तरफ़ रुख़ करके ये पहले नमाज़ पढ़ा करते थे..............।

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना की तरफ़ हिजरत फ़रमाई थी तो बैतुल-मुक़द्दस को क़िब्ला बनाने का हुक्म हुआ था। इससे यहूदी बहुत ख़ुश थे, मगर आप इब्राहीमी क़िब्ले (काबा शरीफ़) को पसन्द करते थे, चुनाँचे जब क़िब्ले के बदलने का हुक्म हुआ तो यहूदियों ने हसद (जलन) की वजह से एतिराज़ किये, जिस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई कि "पूरब व पश्चिम सब का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है........" इस बारे में दूसरी बहुत-सी हदीसें भी रिवायत की गयी हैं।

ख़ुलासा-ए-कलाम यह है कि आप मक्का में दो रुक्नों के दरमियान सख़रा-ए-बैतुल-मुक़द्दस को सामने रखकर नमाज़ पढ़ते थे। जब आपने मदीना की तरफ़ हिजरत की तो इन दोनों (काबा और बैतुल-मुक़द्दस) को जमा करना नामुम्किन हो गया। इसलिये अल्लाह तआ़ला ने आपको बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ में मुँह करने का हुक्म दिया। इस बारे में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि आपको इस बात का हुक्म क़ुरआन के

ज़रिये से दिया गया या किसी दूसरे ज़रिये से? कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि यह आपका इज्तिहादी (अपनी राय का) मामला था और मदीना आने के कई महीने बाद तक आप इसी पर अ़मल करते रहे, अगरचे आप अल्लाह तआ़ला से क़िब्ले की तब्दीली इच्छुक थे। आख़िरकार दुआ़ क़बूल की गयी और आपने उस तरफ़ पहली नमाज़ अ़सर की पढ़ी। बाज़ रिवायतों में है कि वह नमाज़ ज़ोहर की थी। हज़रत अबू सईद इब्ने मुअ़ल्ला ने कहा कि मैंने और मेरे साथी ने अव्वल-अव्वल काबा की तरफ़ नमाज़ पढ़ी है और यह ज़ोहर की नमाज़ थी। बाज़ मुफ़स्सिरीन वग़ैरह का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब क़िब्ला बदलने की आयत नाज़िल हुई उस वक़्त आप बनी सलमा की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, दो रकअ़त अदा कर चुके थे, फिर बाक़ी दो रकअ़तें आपने बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ पढ़ीं। इसी वजह से उस मस्जिद का नाम ही मस्जिदुल-क़िब्लतैन यानी दो क़िब्लों वाली मस्जिद है।

हज़रत नुवैला बिन्ते मुस्लिम रज़ि. फ़रमाती हैं कि हम ज़ोहर की नमाज़ में थे कि हमें ख़बर मिली, और हम नमाज़ ही में घूम गये। मर्द औ़रतों की जगह आ गये और औ़रतें मर्दों की जगह जा पहुँचीं। हाँ क़ुबा वालों को दूसरे दिन सुबह की नमाज़ के वक़्त यह ख़बर पहुँची। सहीहैन में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से रिवायत है कि लोग मस्जिदे क़ुबा में सुबह की नमाज़ अदा कर रहे थे, किसी आने वाले ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर रात को क़ुरआनी हुक्म नाज़िल हुआ और काबे की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म हो गया। चुनाँचे हम लोग भी शाम की तरफ़ से मुँह हटाकर काबे की तरफ़ मुतवज्जह हो गये। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि नये हुक्म की तामील (पालन) करना उस वक़्त होती है जब उसका इल्म हो जाये अगरचे वह पहले ही पहुँच चुका हो, इसलिये कि उन हज़रात को अ़सर मग़रिब और इशा के लौटाने का हुक्म नहीं हुआ। वल्लाहु आलम।

अब बातिल-परस्त (ग़ैर-हक़ को पसन्द करने वाले), कमज़ोर अ़क़ीदे वाले बातें बनाने लगे कि इसकी क्या वजह है, कभी इसे क़िब्ला ठहराया जाता है तो कभी किसी और को। उन्हें जवाब मिला कि हुक्म और इख़्तियार अल्लाह तआ़ला ही का है, जिधर मुँह करो उसी तरफ़ उसका मुँह है। भलाई कुछ इसी में नहीं आ गयी बल्कि असलियत तो ईमान की मज़बूती है जो हर हुक्म के मानने पर मजबूर कर देती है। इसमें गोया मोमिनों को अदब सिखाया गया है कि उनका काम सिर्फ़ हुक्म को बजा लाना है, जिधर उन्हें मुतवज्जह होने का हुक्म दिया जाये ये मुतवज्जह हो जाते हैं। इताअ़त के मायने उसका हुक्म मानने के हैं, अगर वह एक दिन में सौ मर्तबा हर तरफ़ घुमाये तो हम ख़ुशी से घूम जायेंगे, हम उसके ग़ुलाम हैं, उसके मातहत हैं, उसके फ़रमाँबरदार हैं और उसके ख़ादिम हैं, जिधर वह हुक्म देगा मुँह फेर लेंगे।

उम्मते मुहम्मदिया पर यह भी ख़ुदा तआ़ला का इकराम है कि उन्हें हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के क़िब्ले की तरफ़ मुँह करने का हुक्म हुआ जो उसी ख़ुदा तआ़ला ला-शरीक लहू के नाम पर बनाया गया है, और तमाम तर फ़ज़ीलतें जिसे हासिल हैं। मुस्नद अहमद की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि यहूदियों को इस हुक्म से इस बात पर बड़ा हसद है कि ख़ुदा ने हमें जुमे के दिन की तौफ़ीक़ दी और वे उससे भटक गये, और इस पर कि हमारा क़िब्ला यह है और वे इससे गुमराह हो गये, और बड़ा हसद उनको हमारी आमीन कहने पर भी है, जो हम इमाम के पीछे कहते हैं।

फिर इरशाद होता है कि इस पसन्दीदा क़िब्ले की तरफ़ तुम्हें मुतवज्जह करना इसलिये है कि तुम ख़ुद भी पसन्दीदा उम्मत हो, तुम दूसरी उम्मतों पर क़ियामत के दिन गवाह बने रहोगे क्योंकि वे सब तुम्हारी फ़ज़ीलत मानते हैं। "वस्त" के मायने यहाँ पर बेहतर और उम्दा के हैं, जैसे कहा जाता है कि क़ुरैश नसब

के एतिबार से वस्ते अ़रब हैं, और कहा गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी क़ौम में वस्त थी यानी सबसे बेहतर नसब वाले, और सलाते वुस्ता यानी सबसे अफ़ज़ल नमाज़ जो अ़सर की है, जैसा कि सही हदीसों से साबित है। और चूँकि तमाम उम्मतों में यह उम्मत भी बेहतर, अफ़ज़ल और आला थी इसलिये इन्हें शरीअ़त भी कामिल मिली, रास्ता भी बिल्कुल दुरुस्त मिला और दीन भी बहुत वाज़ेह दिया गया। जैसे कि क़ुरआन में फ़रमान है:

هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ ....الخ.

उस ख़ुदा ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं की। अपने बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के दीन पर तुम हो, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। इससे पहले भी और इसमें भी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तुम पर गवाह हों और तुम लोगों पर।

उम्मते मुहम्मदिया की दूसरी उम्मतों के मुक़ाबले में गवाही

मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि नूह अ़लैहिस्सलाम को क़ियामत के दिन बुलाया जायेगा और उनसे दरियाफ़्त किया जायेगा कि क्या तुमने मेरा पैग़ाम मेरे बन्दों को पहुँचा दिया था? वे कहेंगे कि हाँ ख़ुदाया पहुँचा दिया था। उनकी उम्मत को बुलाया जायेगा और उनसे पूछ होगी कि क्या नूह अ़लैहिस्सलाम ने मेरी बातें तुम्हें नहीं पहुँचाई थीं? वे साफ़ इनकार करेंगे और कहेंगे हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। नूह अ़लैहिस्सलाम से कहा जायेगा तुम्हारी उम्मत इनकार करती है, गवाह पेश करो। यह कहेंगे कि हाँ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और आपकी उम्मत मेरी गवाह है। यही मतलब इस आयत का है:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا.........الخ.

'वस्त' के मायने अ़दल के हैं। अब तुम्हें बुलाया जायेगा, तुम गवाही दोगे और मैं तुम पर गवाही दूँगा। (बुख़ारी, तिर्मिज़ी नसाई, इब्ने माजा) मुस्नद अहमद की एक और रिवायत में है कि क़ियामत के दिन नबी आयेंगे और उनके साथ उनकी उम्मत के सिर्फ़ दो ही शख़्स होंगे और इससे ज़्यादा भी, उसकी उम्मत को बुलाया जायेगा और उनसे पूछा जायेगा क्या इस नबी ने तुम्हें तब्लीग़ की थी? वे इनकार करेंगे। नबी से कहा जायेगा तुमने तब्लीग़ की? वह कहेंगे हाँ। कहा जायेगा तुम्हारा गवाह कौन है? वे कहेंगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और आपकी उम्मत। पस मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी उम्मत बुलाई जायेगी, इनसे यही सवाल होगा कि क्या इस पैग़म्बर ने तब्लीग़ की? ये कहेंगे हाँ। इनसे कहा जायेगा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ? ये जवाब देंगे कि हमारे पास हमारे नबी आये और आपने ख़बर दी कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम ने आपका पैग़ाम अपनी-अपनी उम्मतों को पहुँचाया। यही मतलब है अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान का:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا.........الخ.

"और हमने तुमको एक ऐसी जमाअ़त बना दिया है जो हर पहलू से बहुत ही एतिदाल पर है...."

मुस्नद अहमद की एक और हदीस में 'वस्त' अ़दल के मायने में आया है। इब्ने मर्दूया और इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं और मेरी उम्मत क़ियामत के दिन एक ऊँचे टीले पर होंगे, तमाम मख़्लूक़ में नुमायाँ होंगे और सबको देख रहे होंगे। उस दिन दुनिया तमन्ना

करेगी कि काश वे भी हममें से होते। जिस-जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है हम दरबारे रब्बुल् आलमीन में गवाही देंगे कि इन तमाम अम्बिया ने रिसालत का हक़ अदा किया था। मुस्तद्रक हाकिम की एक हदीस में है कि बनी सलमा क़बीले के एक शख़्स के जनाज़े में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, लोग कहने लगे हुज़ूर! यह बड़ा नेक आदमी मुत्तक़ी पारसा और सच्चा मुसलमान था, और भी बहुत-सी तारीफ़ें कीं। आपने फ़रमाया तुम ये किस तरह कह रहे हो? उन्होंने कहा हुज़ूर बातिन (अन्दर) का इल्म तो ख़ुदा ही को है लेकिन ज़ाहिर में तो इसकी ऐसी ही हालत थी। आपने फ़रमाया इसके लिये वाजिब हो गयी। फिर बनू हारिसा के एक शख़्स के जनाज़े में थे, लोग कहने लगे हज़रत यह बुरा आदमी था, बड़ा बद्ज़बान और बुरे अख़्लाक़ वाला था। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसकी बुराईयाँ सुनकर पूछा तुम यह कैसे कह रहे हो? उन्होंने भी यही कहा। आपने फ़रमाया इसके लिये वाजिब हो गयी। मुहम्मद बिन कअ़ब रह. इस हदीस को सुनकर फ़रमाने लगे- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सच्चे हैं, देखो क़ुरआन भी कह रहा है:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا.......... الخ.

"और हमने तुमको एक ऐसी जमाअ़त बना दिया है जो हर पहलू से बहुत ही एतिदाल पर है...."

मुस्नद अहमद में है, अबुल-अस्वद फ़रमाते हैं- मैं मदीना में आया, यहाँ बीमारी थी, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. के पास बैठा हुआ था कि एक जनाज़ा निकला और लोगों ने मरहूम की नेकियाँ बयान करनी शुरू कीं। आपने फ़रमाया इसके लिये वाजिब हो गयी। इतने में दूसरा जनाज़ा निकला लोगों ने उसकी बुराईयाँ बयान कीं, आपने फ़रमाया इसके लिये वाजिब हो गयी। मैंने कहा अमीरुल्-मोमिनीन क्या वाजिब हो गयी? आपने फ़रमाया मैंने वही कहा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस मुसलमान की भलाई की गवाही चार शख़्स दें अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करता है, हमने कहा हुज़ूर अगर तीन दें? आपने फ़रमाया तीन भी। हमने कहा अगर दो हों? आपने फ़रमाया दो भी। फिर हमने एक के बारे में सवाल न किया। इब्ने मर्दूया की एक हदीस में है- क़रीब है कि तुम अपने भलों और बुरों को पहचान लिया करो। लोगों ने कहा हुज़ूर किस तरह? आपने फ़रमाया अच्छी तारीफ़ और बुरी गवाही से, तुम ज़मीन पर ख़ुदा के गवाह हो।

फिर इरशाद है कि पहला क़िब्ला सिर्फ़ इम्तिहान के तौर पर था, यानी पहले बैतुल-मुक़द्दस को क़िब्ला मुक़र्रर करके फिर काबा शरीफ़ की तरफ़ फेरना सिर्फ़ इसलिये था कि मालूम हो जाये कि सच्चा ताबेदार कौन है? और जहाँ आप तवज्जोह करें वहीं अपनी तवज्जोह करने वाला कौन है? और कौन है जो आपकी ताबेदारी (पैरवी) से इनकार करता है और इस तरह मुर्तद हो जाता है। यह काम वास्तव में अहम काम था, लेकिन जिनके दिलों में ईमान व यक़ीन है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सच्चे पैरोकार हैं, जो जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जो फ़रमायें सच है, जिनका अ़क़ीदा है कि ख़ुदा जो चाहता है करता है, अपने बन्दों को जिस तरह चाहे हुक्म दे, जो चाहे हुक्मे मन्सूख़ (ख़त्म) कर दे जो चाहे बाक़ी रखे, उसका हर काम हर हुक्म हिक्मत से भरा हुआ है। उन पर इस हुक्म का बजा लाना कुछ भी मुश्किल नहीं, हाँ बीमार दिल वाले तो जहाँ नया हुक्म आया बस उन्हें बेचैनी शुरू हुई। क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह है:

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ......... الخ.

यानी जब कभी कोई सूरत नाज़िल होती है तो उनमें से बाज़ पूछते हैं इससे किसका ईमान बढ़ा? हक़ीक़त यह है कि ईमान वालों के ईमान बढ़ते हैं और उनकी दिली ख़ुशी भी। और बीमार दिल वाले कुफ़्र व इनकार में और बढ़ जाते हैं। एक और जगह फ़रमान है:

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى.

यानी ईमान वालों के लिये हिदायत और शिफ़ा है, और बेईमान लोगों के कानों में बोझ और आँखों में अन्धापन है। एक और जगह फ़रमाया है:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا.

यानी हमारा उतारा हुआ क़ुरआन मोमिनों के लिये सरासर शिफ़ा और रहमत है, और ज़ालिमों का नुक़सान ही बढ़ता रहता है (यानी वे इसका इनकार करके अपनी गुमराही और कुफ़्र में बढ़ते ही रहते हैं, इसमें क़ुरआन का क़सूर नहीं, बल्कि उनका न मानना इसका सबब है)।

क़िब्ला बदलने पर सहाबा का हैरत-अंगेज़ इस्तिक़लाल

इस वाक़िए में भी तमाम बुज़ुर्ग सहाबा साबित-क़दम (दीन पर जमने वाले) रहे। शुरू-शुरू में दीन का दामन थामने वाले मुहाजिर और अन्सार दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ने वाले हैं। चुनाँचे ऊपर हदीस बयान हो चुकी है कि किस तरह वे नमाज़ पढ़ते हुए यह ख़बर सुनकर घूम गये। मुस्लिम शरीफ़ में रिवायत है कि रुकूअ़ की हालत में थे और उसी में काबे की तरफ़ फिर गये, जिससे उनकी पूरी इताअ़त और आला दर्जे की फ़रमाँबरदारी साबित हुई।

फिर इरशाद होता है कि ख़ुदा तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा, यानी तुम्हारी बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ पढ़ी हुई नमाज़ें रद्द नहीं होंगी। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- बल्कि उनका आला ईमान वाला होना साबित हुआ, उन्हें दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का सवाब अ़ता होगा। यह मतलब भी बयान किया गया है कि अल्लाह तआ़ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और क़िब्ला बदलने में तुम्हारा उनकी पैरवी करने को ज़ाया न करेगा।

फिर इरशाद होता है कि ख़ुदा तआ़ला रहीम है। सही हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक क़ैदी औरत को देखा जिससे उसका बच्चा छूट गया था, वह अपने बच्चे को दीवानों की तरह तलाश रही थी और जब वह नहीं मिला तो क़ैदियों में से जिस किसी बच्चे को देखती उसको गले लगा लेती, यहाँ तक कि उसका अपना बच्चा मिल गया, ख़ुशी-ख़ुशी लपककर उसे गोद में उठा लिया, सीने से लगाकर प्यार किया और उसके मुँह में दूध दिया। यह देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ि. से फ़रमाया- बतलाओ क्या यह ख़ुद इस बच्चे को आग में डाल देगी? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! हरगिज़ नहीं। आपने फ़रमाया- अल्लाह की क़सम जिस क़द्र यह माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर मेहरबान व रहीम है।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ	हम आपके मुँह का (यह) बार-बार आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम आपको उसी क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जह कर

शَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝	देंगे जिसके लिए आपकी मर्ज़ी है, (लो) फिर अपना चेहरा (नमाज़ में) मस्जिदे हराम (काबा) की तरफ़ किया कीजिए, और तुम सब लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हो अपने चेहरों को उसी (मस्जिदे हराम) की तरफ़ किया करो, और ये अहले किताब भी यक़ीनन जानते हैं कि यह (हुक्म) बिल्कुल ठीक है, (और) उनके परवर्दिगार ही की तरफ़ से (है) और अल्लाह तआ़ला उनकी कार्रवाईयों से बेख़बर नहीं हैं। (144)

अल्लाह तआ़ला ने आपकी दिली ख़्वाहिश को पूरा किया

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का बयान है कि क़ुरआन में पहला नस्ख़ (हुक्म में तब्दीली) क़िब्ले का हुक्म है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना की तरफ़ हिजरत की, यहाँ के अक्सर बाशिन्दे यहूद थे। अल्लाह तआ़ला ने आपको बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ें पढ़ने का हुक्म किया। यहूद इससे बहुत ख़ुश हुए आप कई माह तक उसी की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन ख़ुद आपकी ख़्वाहिश इब्राहीमी क़िब्ले की थी। आप अल्लाह से दुआ़यें माँगा करते थे और निगाहें आसमान की तरफ़ उठाया करते थे, आख़िरकार यह आयत नाज़िल हुईः

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ........ الخ.

"हम आपके मुँह का बार-बार यह आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं............"।

इस पर यहूद कहने लगे कि इस क़िब्ले से यह क्यों हट गये? जिसके जवाब में कहा गया कि पूरब व पश्चिम का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है। और फ़रमाया जिधर तुम्हारा मुँह हो उधर ही ख़ुदा है। और फ़रमाया कि पहला क़िब्ला इम्तिहान था। एक और रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ के बाद अपना सर आसमान की तरफ़ उठाते थे, इस पर यह आयत उतरी और हुक्म हुआ कि मस्जिदे हराम (काबा शरीफ़) की तरफ़, काबे की तरफ़, मीज़ाबे रहमत की तरफ़ मुँह करो। जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने इमामत कराई, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने मस्जिदे हराम में मीज़ाब के सामने बैठे हुए इस आयते पाक की तिलावत की और फ़रमाया- काबे के मीज़ाब की तरफ़ तवज्जोह मक़सूद है। और दूसरा क़ौल आपका यह है कि ऐन काबे की तरफ़ रुख़ कर लेना ही काफ़ी है और यही मज़हब अक्सर इमामों का है। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुराद उसकी तरफ़ है। अबुल-आ़लिया, मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, क़तादा और अनस बिन रबीअ़ रह. का भी यही क़ौल है। एक हदीस में है कि पूरब व पश्चिम के बीच क़िब्ला है। इब्ने जुरैज में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बैतुल्लाह क़िब्ला है मस्जिदे हराम वालों का, और मस्जिद क़िब्ला है हरम वालों का, और हरम क़िब्ला है तमाम ज़मीन वालों का चाहे पूरब में हों चाहे पश्चिम में, मेरी तमाम उम्मत का क़िब्ला यही है।

अबू नुऐम में हज़रत बरा रज़ि. की रिवायत से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सोलह सत्रह महीने तक तो बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी, लेकिन आपको पसन्द यह बात थी कि बैतुल्लाह

की तरफ़ पढ़ें। चुनाँचे हुक्मे ख़ुदा से आपने बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर अ़सर की नमाज़ अदा की फिर नमाज़ियों में से एक शख़्स मस्जिदे क़ुबा वालों के पास गया, वे रुकूअ़ में थे। उसने कहा मैं क़सम खाकर गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मक्का शरीफ़ की तरफ़ नमाज़ अदा की। वे यह सुनकर जिस हालत में थे उसी हालत में बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ घूम गये। मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में भी यह रिवायत थोड़ी सी कमी-बेशी के साथ मौजूद है। नसाई में हज़रत अबू सईद बिन मुअ़ल्ला रज़ि. से रिवायत है कि हम सुबह के वक़्त मस्जिदे नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में जाया करते थे और वहाँ कुछ नवाफ़िल पढ़ा करते थे। एक दिन हम गये तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिम्बर पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा आज कोई नई बात ज़रूर हुई है, मैं भी बैठ गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ....الخ.

"हम आपके मुँह का बार-बार यह आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं............"।

मैंने अपने साथी से कहा आओ नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़ारिग़ हों इससे पहले ही हम इस नये हुक्म की तामील करें और पहले मानने वालों और फ़रमाँबरदारों में बन जायें। चुनाँचे हम एक तरफ़ हो गये और सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। फिर हुज़ूर भी मिम्बर से उतर आये और इस क़िब्ले की तरफ़ पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा की गयी। इब्ने मर्दूया में भी हज़रत उमर रज़ि. की रिवायत से नक़ल किया गया है कि पहली नमाज़ जो हुज़ूर सल्ल. ने काबा शरीफ़ की तरफ़ अदा की वह ज़ोहर की नमाज़ है और यही नमाज़ "सलाते वुस्ता" है। लेकिन मशहूर यह है कि पहली नमाज़ काबा की तरफ़ अ़सर की अदा हुई, इसी वजह से क़ुबा वालों को दूसरे दिन सुबह के वक़्त इत्तिला पहुँची।

इब्ने मर्दूया में हज़रत नुवैला बिन्ते मुस्लिम की रिवायत से मौजूद है कि हम मस्जिद बनू हारिसा में ज़ोहर या अ़सर की नमाज़ बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुँह किये हुए अदा कर रहे थे, दो रक्अ़त पढ़ चुके थे कि किसी ने आकर क़िब्ले के बदल जाने की ख़बर दी। चुनाँचे हम नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह हो गये और बाक़ी नमाज़ इसी तरफ़ अदा की। इस घूमने में मर्द औ़रतों की जगह और औ़रतें मर्दों की जगह आ गयीं। आपके पास जब यह ख़बर पहुँची तो ख़ुश होकर फ़रमाया- ये हैं ग़ैब पर ईमान रखने वाले। इब्ने मर्दूया में हज़रत उमारा बिन औस रज़ि. की रिवायत से मौजूद है कि रुकूअ़ की हालत में हमें इत्तिला हुई और हम सब मर्द औ़रत बच्चे उसी हालत में उस क़िब्ले की तरफ़ घूम गये।

फिर इरशाद होता है कि तुम जहाँ भी हो, पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण में, नमाज़ के वक़्त मुँह काबे की तरफ़ करो। लेकिन उलेमा ने कहा है कि सफ़र में सवारी पर नफ़िल पढ़ने वाला जिधर सवारी जा रही हो उधर ही नफ़िल अदा कर ले, उसके दिल की तवज्जोह काबे की तरफ़ होनी काफ़ी है। इसी तरह मैदाने जंग में नमाज़ पढ़ने वाला जिस तरह और जिस तरफ़ बन पड़े नमाज़ अदा कर ले। और इसी तरह वह शख़्स जिसे क़िब्ले की दिशा का यक़ीनी इल्म नहीं वह अन्दाज़े से जिस तरफ़ ज़्यादा दिल झुके नमाज़ अदा कर ले, फिर चाहे उसकी नमाज़ वास्तव में क़िब्ले की तरफ़ न भी हुई हो तो भी वह ख़ुदा के यहाँ माफ़ है।

एक मसला

इमाम मालिक के मस्लक को मानने वाले हज़रात ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि नमाज़ी

नमाज़ की हालत में अपने सामने अपनी नज़रें रखे न कि सज्दे की जगह, जैसे कि इमाम शाफ़ई. इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा रह. का मज़हब है। इसलिये कि आयत के लफ़्ज़ ये हैं कि मुँह मस्जिदे हराम की तरफ़ करो, और अगर सज्दे की जगह नज़र जमाना चाहेगा तो किसी क़द्र झुकना पड़ेगा और यह तकल्लुफ़ ख़ुशूअ़ (अल्लाह की तरफ़ पूरी तवज्जोह) के ख़िलाफ़ होगा। बाज़ मालिकिया का यह क़ौल भी है कि क़ियाम (खड़े होने) की हालत में अपने सीने की तरफ़ नज़र रखे। क़ाज़ी शुरैह कहते हैं कि क़ियाम के वक़्त सज्दे की जगह नज़र रखे जैसा कि जमहूर उलेमा का क़ौल है, इसलिये कि यह पूरा-पूरा ख़ुशूअ-ख़ुज़ूअ़ है। और एक हदीस भी इस मज़मून की मौजूद है। और रुकूअ़ की हालत में अपने क़दमों की जगह पर नज़र रखे और सज्दे के वक़्त नाक की जगह और अत्तहिय्यात के वक़्त अपनी गोद की तरफ़।

फिर इरशाद होता है कि यहूदी जो चाहें बातें बनायें लेकिन उनके दिल जानते हैं कि क़िब्ले की तब्दीली ख़ुदा की जानिब से और दुरुस्त है, क्योंकि यह ख़ुद उनकी किताबों में भी मौजूद है, लेकिन ये लोग कुफ़्र व दुश्मनी और तकब्बुर व हसद की वजह से उसे छुपाते हैं। मगर अल्लाह भी उनके इन करतूतों से बेख़बर नहीं।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٥

और अगर आप (इन) अहले किताब के सामने तमाम (दुनिया भर की) दलीलें पेश कर दें जब भी यह (कभी) आपके क़िब्ले को क़बूल न करें, और आप भी उनके क़िब्ले को क़बूल नहीं कर सकते, (फिर मुवाफ़क़त की क्या सूरत) और उनका कोई (फ़रीक़) भी दूसरे (फ़रीक़) के क़िब्ले को क़बूल नहीं करता। और अगर आप उनके (उन) नफ़्सानी ख़्यालात को इख़्तियार कर लें (और वे भी) आपके पास इल्म (वही) आने के बाद तो यक़ीनन आप (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) ज़ालिमों में शुमार होने लगें। (145)

ये हठधर्म और ज़िद्दी लोग मानने वाले नहीं

यहूदियों के कुफ़्र व दुश्मनी और मुख़ालफ़त व सरकशी का बयान हो रहा है कि इसके बावजूद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान का उन्हें इल्म है लेकिन फिर भी यह हालत है कि हर क़िस्म की दलीलें पेश किये जाने के बावजूद हक़ की पैरवी नहीं करते। जैसे एक दूसरी जगह है:

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ٥

यानी जिन लोगों पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है वे ईमान न लायेंगे अगरचे उनके पास तमाम आयतें आ जायें, यहाँ तक कि दर्दनाक अ़ज़ाब न देख लें।

इसके बाद अपने नबी की इस्तिक़ामत (जमाव और सब्र) बयान फ़रमाई है कि जिस तरह वे नाहक़ पर अड़े हुए हैं और वहाँ से हटना नहीं चाहते तो वे भी समझ लें कि हमारे नबी ऐसे नहीं कि उनकी बातों में आ जायें और उनकी राह पर लग जायें। वे हमारे फ़रमान के ताबे हैं और हमारी मर्ज़ी के आ़मिल हैं। वह

उनकी ग़लत ख़्वाहिश की ताबेदारी हरगिज़ नहीं करेंगे। न उनसे यह हो सकता है कि हमारा हुक्म आ जाने के बाद उनके क़िब्ले की तरफ़ तवज्जोह करें। फिर बज़ाहिर अपने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके और वास्तव में उलेमा को धमकाया गया है कि हक़ के वाज़ेह हो जाने के बाद किसी के पीछे लग जाना और अपनी या दूसरों की इच्छापूर्ती करना खुला ज़ुल्म है।

अहले किताब आपका सच्चा नबी होना जानते हैं

इरशाद होता है कि अहले किताब के उलेमा रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की लाई हुई बातों की हक़्क़ानियत (सही होने) को इस तरह जानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचाने। यह एक मिसाल थी जो कामिल यक़ीन के वक़्त अ़रब बोला करते थे। एक हदीस में है कि एक शख़्स के साथ छोटा बच्चा था। आपने उससे पूछा यह तेरा लड़का है? उसने कहा हाँ हुज़ूर आप भी गवाह रहिये। आपने फ़रमाया न यह तुझ पर पोशीदा रहे न तू इस पर।

क़ुरआनी बयान और अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम की तस्दीक़

इमाम क़ुर्तुबी रह. कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. से जो यहूदियों के ज़बरदस्त आ़लिम थे, पूछा क्या तू हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ऐसा ही जानता है जिस तरह अपनी औलाद को पहचानता है? जवाब दिया हाँ बल्कि उससे भी ज़्यादा। इसलिये कि आसमानों का अमीन फ़रिश्ता ज़मीन के अमीन शख़्स पर नाज़िल हुआ और उसने आपकी सही तारीफ़ बतला दी, यानी हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के पास आये और फिर परवर्दिगारे आ़लम ने आपकी सिफ़तें बयान कीं जो सब की सब आप में मौजूद हैं। फिर हमें आपके सच्चा और बरहक़ नबी होने में क्या शक रहा? हम आपको एक ही निगाह में क्यों न पहचान लें? बल्कि हमें अपनी औलाद के बारे में शक हो सकता है लेकिन आपकी नुबुव्वत में कुछ शक नहीं। ग़र्ज़ यह है कि जिस तरह लोगों के एक बड़े मजमे में एक शख़्स अपने लड़के को पहचान लेता है इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के औसाफ़ (सिफ़तें और निशानियाँ) जो अहले किताब की आसमानी किताबों में हैं, वो आप में इसी तरह नुमायाँ हैं कि एक निगाह में हर शख़्स आपको जान जाता है। फिर फ़रमाया कि बावजूद इस इल्मे हक़ के फिर भी ये लोग उसे छुपाते हैं। फिर अपने नबी और मुसलमानों को साबित-क़दमी (हक़ रास्ते पर जमे रहने) का हुक्म दिया कि ख़बरदार तुम हरगिज़ हक़ के हक़ होने में शक न करना।

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○	**जिन लोगों को हमने किताब (तौरात व इन्जील) दी है वे लोग इन (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को ऐसा पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं, और बाज़े उनमें से हक़ को इसके बावजूद कि ख़ूब जानते हैं, (मगर) छुपाते हैं। (146) (हालाँकि) यह हक़ बात अल्लाह की जानिब से (साबित हो चुकी) है, सो हरगिज़ शक व शुब्हा लाने वालों**

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○	में शुमार न होना। (147) और हर शख़्स (मज़हब वाले) के वास्ते एक-एक क़िब्ला रहा है जिसकी तरफ़ वह (इबादत में) मुँह करता रहा है, सो तुम नेक कामों में दौड़-धूप करो चाहे तुम कहीं होगे (लेकिन) अल्लाह तआ़ला तुम सबको हाज़िर कर देंगे। यक़ीनन अल्लाह तआ़ला हर मामले पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। (148)

मुसलमानों का क़िब्ला ही असल है

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि हर मज़हब वालों का एक क़िब्ला है, लेकिन सच्चा क़िब्ला वह है जिस पर मुसलमान हैं। अबुल-आ़लिया रह. का क़ौल है कि यहूद का भी क़िब्ला है, ईसाईयों का भी क़िब्ला है और तुम्हारा भी क़िब्ला है, लेकिन हिदायत वाला वही है जिस पर ऐ मुसलमानो तुम हो। मुजाहिद रह. से यह भी मरवी है कि हर एक वह क़ौम जो काबे को क़िब्ला मानती है वह भलाईयों में आगे बढ़े। "मुवल्लीहा" की दूसरी क़िराअत 'मुवल्लाहा' है, जैसे एक और जगह है:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً....... الخ.

यानी हर शख़्स को अपने-अपने क़िब्ले की पड़ी हुई है, हर शख़्स अपनी-अपनी राह पर लगा हुआ है।

फ़रमाया कि अगरचे तुम्हारे जिस्म और बदन अलग-अलग हो जायें, अगरचे तुम इधर-उधर हो जाओ लेकिन ख़ुदा तुम्हें अपनी कामिल क़ुदरत से इसी ज़मीन से जमा कर लेगा।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا	और जिस जगह से भी (कहीं सफ़र में) आप बाहर जाएँ तो (भी) अपना चेहरा (नमाज़ में) मस्जिदे हराम (यानी काबा) की तरफ़ रखा कीजिए, और यह (हुक्म आ़म क़िब्ले का) बिल्कुल हक़ है (और) अल्लाह की जानिब से (है) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों से हरगिज़ बेख़बर नहीं। (149) और (फिर कहा जाता है कि) आप जिस जगह से भी (सफ़र में) बाहर जाएँ अपना चेहरा मस्जिदे हराम की तरफ़ रखिए और तुम लोग जहाँ कहीं (मौजूद) हो अपना चेहरा उसी की तरफ़ रखा करो, ताकि (इन मुख़ालिफ़) लोगों को तुम्हारे मुक़ाबले में गुफ़्तगू (की मजाल) न रहे, मगर उनमें जो (बिल्कुल ही) बेइन्साफ़ हैं, तो ऐसे

लोगों से (हरगिज़) अन्देशा न करो, और मुझसे डरते रहो, और ताकि तुम पर जो (कुछ) मेरा इनाम है मैं उसकी तक्मील कर दूँ, और ताकि (दुनिया में) तुम हक़ रास्ते पर रहो। (150)	مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

तुम कहीं भी हो तुम्हार क़िब्ला यही है

यह तीसरी मर्तबा हुक्म हो रहा है कि रू-ए-ज़मीन के मुसलमानों को नमाज़ के वक़्त मस्जिदे हराम की तरफ़ मुँह करना चाहिये। तीन मर्तबा ताकीद इसलिये की गयी कि किसी हुक्म में यह तब्दीली पहली बार वाक़े हुई थी। इमाम फ़ख़्रुद्दीन राज़ी रह. ने इसकी यह वजह बयान की है कि पहला हुक्म तो उनके लिये है जो काबे को देख रहे हैं, दूसरा हुक्म उनके लिये है जो मक्का में हों, लेकिन काबा उनके सामने न हो। तीसरी बार उन्हें हुक्म दिया जो मक्का से बाहर हों, पूरी दुनिया में। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने एक तौजीह यह भी बयान की है कि पहला हुक्म मक्का वालों को है, दूसरा दूसरे शहर वालों को, तीसरा मुसाफ़िरों को। बाज़ कहते हैं कि तीनों हुक्मों का ताल्लुक़ अगली पिछली इबारत से है। पहले हुक्म में तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तलब का और फिर उसकी क़बूलियत का ज़िक्र है और दूसरे हुक्म में इस बात का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यह आरज़ू भी हमारी मशीयत (मर्ज़ी) के मुताबिक़ थी, और हक़ यही था। और तीसरे हुक्म में यहूदियों की कट-हुज्जती (बेकार की बहस और अड़ियल रवैये) का जवाब है कि उनकी किताबों में पहले से मौजूद था कि आपका क़िब्ला काबा होगा तो इस हुक्म से वह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) भी पूरी हुई, साथ ही मुश्रिकों की हुज्जत भी ख़त्म हुई कि वे काबा को बरकत वाला और सम्मानित मानते थे और अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का रुख़ भी उसी की तरफ़ हो गया। इमाम राज़ी वग़ैरह ने यहाँ इस हुक्म को बार-बार लाने की हिक्मतों को तफ़सील से बयान किया है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया ताकि अहले किताब की कोई हुज्जत तुम पर बाक़ी न रहे। वे जानते थे कि इस उम्मत की सिफ़त काबा की तरफ़ नमाज़ पढ़ना है। जब वे यह सिफ़त न पायेंगे तो उन्हें शक की गुंजाईश हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने इस क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करते हुए आपको देख लिया तो अब उन्हें किसी तरह का शक न रहना चाहिये। और यह बात भी है कि जब वे तुम्हें अपने क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो उनके हाथ एक बहाना लग जायेगा, लेकिन जब तुम इब्राहीमी क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जह हो जाओगे तो उनके लिये कोई एतिराज़ का मौक़ा न रहेगा।

हज़रत अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि यहूद की यह हुज्जत थी कि आज हमारे क़िब्ले को क़िब्ला बनाया है कल हमारा मज़हब भी मान लेंगे, लेकिन जब आपने ख़ुदा के हुक्म से असली क़िब्ला इख़्तियार कर लिया तो उनकी इस हवस पर पानी फिर गया। फिर फ़रमाया- मगर जो उनमें से ज़िद्दी लोग हैं वे नहीं मान सकते। जो मुश्रिक लोग एतिराज़ कहते थे कि यह शख़्स मिल्लते इब्राहीमी पर होने का दावा करता है और फिर इब्राहीमी क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ता, तो गोया उन्हें जवाब मिल गया कि यह नबी हमारे अहकाम का पैरोकार है, पहले हमने अपनी कमाल हिक्मत से उन्हें बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुँह करने का हुक्म दिया जिसे यह बजा लाये, फिर इब्राहीमी क़िब्ले की तरफ़ फिर जाने को कहा जिसे जान व दिल से

बजा लाये। पस आप हर हाल में हमारे अहकाम के मातहत हैं। (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

फिर फ़रमाया- उन ज़ालिमों के शुब्हा डालने से तुम शक में न पड़ो, उन बाग़ियों की सरकशी से तुम ख़ौफ़ न करो, उनके बेतुके और ग़लत एतिराज़ों की बिल्कुल परवाह न करो। हाँ मेरे अहकाम की मुख़ालफ़त से बिल्कुल बचना चाहिये, सिर्फ़ मुझ ही से डरते रहा करो। क़िब्ला बदलने में जहाँ यह मस्लेहत थी कि लोगों की ज़बानें बन्द हो जायें वहाँ यह भी बात थी कि मैं चाहता था कि अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूँ और क़िब्ले की तरह तुम्हारी तमाम शरीअत कामिल कर दूँ और तुम्हारे दीन को हर तरह मुकम्मल कर दूँ। और इसमें एक राज़ यह भी था कि जिस क़िब्ले से पहली उम्मतें बहक गयीं तुम उससे न हटो। हमने इस क़िब्ले को विशेष तौर पर तुम्हें अता फ़रमाकर तुम्हारा शर्फ़ (रुतबा और सम्मान) और तुम्हारी फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी तमाम उम्मतों पर साबित कर दी।

जिस तरह तुम लोगों में हमने एक (अज़ीमुश्शान) रसूल भेजा, तुम ही में से, जो हमारी आयतें (और अहकाम) पढ़-पढ़कर तुमको सुनाते हैं और (जहालत से) तुम्हारी सफ़ाई करते रहते हैं और तुमको (अल्लाह की) किताब और समझ की बातें बतलाते रहते हैं। और तुम को ऐसी (मुफ़ीद) बातें तालीम करते रहते हैं जिनकी तुमको ख़बर भी न थी। (151) तो (इन नेमतों पर) मुझको याद करो मैं तुमको (इनायत से) याद रखूँगा और मेरी (नेमत की) शुक्रगुज़ारी करो, और मेरी नाशुक्री मत करो। (152)	كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۞ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۞

क़िब्ले की तब्दीली भी एक इनाम था और इससे बढ़कर इनाम नबी का भेजना है

यहाँ अल्लाह तआला अपनी बहुत बड़ी नेमत का ज़िक्र फ़रमा रहा है कि उसने हममें हमारी जिन्स का एक नबी मबऊस फ़रमाया, जो अल्लाह तआला की रोशन और नूरानी किताब की आयतें हमारे सामने तिलावत फ़रमाता है और बुरी व घटिया आदतों, नफ़्स की शरारतों और जाहिलीयत के कामों से हमें रोकता है, और कुफ़्र के अंधकार से निकाल कर ईमान के नूर की तरफ़ रहबरी करता है, और किताब व हिक्मत यानी क़ुरआन व हदीस हमें सिखाता है, और वे राज़ हम पर खोलता है जो आज तक हम पर नहीं खुले थे। पस आपकी वजह से वे लोग जिन पर ज़मानों और युगों से जहल छाया हुआ था, जिन्हें सदियों से अंधेरे ने घेर रखा था, जिन पर मुद्दतों से भलाई का अक्स भी नहीं पड़ा था, वे दुनिया की ज़बरदस्त उलेमा हस्तियों के उस्ताद बन गये, वे इल्म में गहरे, तकल्लुफ़ में थोड़े, दिलों के पाक और ज़बान के सच्चे बन गये। दुनिया की हालत का यह इन्क़िलाब अपनी जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत की तस्दीक़ का एक ज़बरदस्त गवाह है। एक और जगह इरशाद हैः

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ........... الخ.

यानी ऐसे बड़े रुतबे वाले पैग़म्बर का भेजना मोमिनों पर ख़ुदा का एक ज़बरदस्त एहसान है। इस नेमत की क़द्र न करने वालों को क़ुरआन कहता है:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا............ الخ.

क्या तू उन्हें नहीं देखता जिन्होंने ख़ुदा की इस नेमत के बदले कुफ़्र किया और अपनी क़ौम को हलाकत के गड्ढे में डाला।

यहाँ 'अल्लाह की नेमत' से मुराद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं। इसी लिये इस आयत में भी इस नेमत का ज़िक्र फ़रमा कर लोगों को अपनी याद और अपने शुक्र का हुक्म दिया कि जिस तरह मैंने यह एहसान तुम पर किया तुम भी मेरे ज़िक्र और शुक्र से ग़फ़लत न करो। मूसा अ़लैहिस्सलाम रब्बुल-इ़ज़्ज़त से अ़र्ज़ करते हैं कि ख़ुदाया तेरा शुक्र किस तरह करूँ? इरशाद होता है मुझे याद रख, भूल नहीं, याद शुक्र है और भूल कुफ़्र है। हसन बसरी रह. वग़ैरह का क़ौल है कि ख़ुदा को याद करने वाले को ख़ुदा भी याद करता है, उसके शुक्र करने वाले को वह और ज़्यादा देता है और नाशुक्रे को अ़ज़ाब करता है। पहले बुज़ुर्गों से रिवायत है कि ख़ुदा से पूरा डरना यह है कि उसकी इताअ़त की जाये, नाफ़रमानी न की जाये, उसका ज़िक्र किया जाये ग़फ़लत न बरती जाये, उसका शुक्र किया जाये, नाशुक्री न होनी चाहिये।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से सवाल होता है कि क्या ज़ानी, शराबी, चोर और किसी जान के क़ातिल को भी ख़ुदा याद करता होगा? फ़रमाया हाँ! बुराई से। हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं- मुझे याद करो यानी मेरे ज़रूरी अहकाम बजा लाओ मैं तुम्हें याद करूँगा यानी अपनी नेमतें अ़ता फ़रमाऊँगा। सईद बिन जुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं- मैं तुम्हें बख़्श दूँगा और अपनी रहमतें तुम पर नाज़िल करूँगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ख़ुदा का याद करना तुम्हारे ख़ुदा को याद करने से बहुत बड़ी चीज़ है। एक हदीसे क़ुदसी में है कि जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ और जो मुझे किसी जमाअ़त में याद करता है मैं भी उसे उससे बेहतर जमाअ़त में याद करता हूँ। मुस्नद अहमद में है कि वह जमाअ़त फ़रिश्तों की है। जो शख़्स मेरी तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है मैं उसकी तरफ़ एक हाथ बढ़ता हूँ और अगर ऐ इब्ने आदम! तू मेरी तरफ़ एक हाथ बढ़ेगा तो मैं तेरी तरफ़ दो हाथ बढूँगा और अगर तू मेरी तरफ़ चलता हुआ आयेगा तो मैं तेरी तरफ़ दौड़ता हुआ आऊँगा। यह सही बुख़ारी में भी है। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला की रहमत इससे भी ज़्यादा क़रीब है।

फिर फ़रमाया शुक्र करो, नाशुक्री न करो। एक और जगह है:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ........... الخ.

यानी तेरे रब की तरफ़ से आ़म आगही है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखना मेरा अ़ज़ाब सख़्त है।

मुस्नद अहमद में है कि इमरान बिन हुसैन रज़ि. एक मर्तबा बहुत क़ीमती जोड़ा पहने हुए आये और फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला जब किसी पर इनाम करता है तो उसका असर उस पर देखना चाहता है।

ऐ ईमान वालो! सब्र और नमाज़ से सहारा हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ (रहते) हैं। (और नमाज़ पढ़ने वालों के साथ तो और भी ज़्यादा) (153) और जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किए जाते हैं उनके बारे में (यूँ भी) मत कहो कि वे (मामूली मुर्दों की तरह) मुर्दे हैं, बल्कि वे तो (एक ख़ास ज़िन्दगी के साथ) ज़िन्दा हैं, लेकिन तुम (इन हवास से उस ज़िन्दगी का) एहसास नहीं कर सकते। (154)	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

शुक्र और सब्र दोनों को साथ-साथ ज़िक्र करने की हिक्मत

शुक्र के बाद सब्र का बयान हो रहा है और साथ ही नमाज़ का ज़िक्र करके इन बड़े-बड़े नेक कामों को अपनी निजात का ज़रिया बनाने का हुक्म हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि इनसान या तो भलाई (यानी अच्छी हालत) में होगा तो यह मौक़ा शुक्र का है, या बुराई (यानी किसी मुसीबत व परेशानी) में होगा तो यह मौक़ा सब्र का है। हदीस में है कि मोमिन की क्या ही अच्छी हालत है कि हर काम में उसके लिये सरासर भलाई ही भलाई है। उसे राहत मिलती है और शुक्र करता है तो अज्र पाता है, रंज पहुँचता है और सब्र करता है तो अज्र पाता है। आयत में इसका भी बयान होगा कि मुसीबतों पर संयम से काम ले और उन्हें टालने का ज़रिया सब्र व नमाज़ और दुआ है जैसा कि इससे पहले गुज़र चुकाः

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ○

कि सब्र व सलात (नमाज़) के साथ मदद चाहो। यह है तो अहम काम लेकिन रब का डर रखने वालों पर बहुत आसान है।

हदीस में है कि जब कोई काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ग़म में डाल देता तो आप नमाज़ शुरू कर देते। सब्र की दो क़िस्में हैं- हराम और गुनाह के कामों के छोड़ने पर, इताअ़त और नेकी के कामों के करने पर। यह सब्र पहले सब्र से बड़ा है। तीसरी क़िस्म सब्र की मुसीबत और दर्द-दुख पर, यह भी वाजिब है। जैसे ऐबों और गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करना वाजिब है। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी में इस्तिक़लाल (जमाव) से लगे रहना अगरचे नफ़्स पर भारी गुज़रे, तबीयत के ख़िलाफ़ हो, जी न चाहे, एक सब्र तो यह है। दूसरा सब्र अल्लाह तआ़ला की नामर्ज़ी के कामों से रुक जाना अगरचे तबीअ़त का रुझान उस तरफ़ हो, नफ़्स की इच्छा उकसा रही हो। इमाम ज़ैनुल् आ़बिदीन रह. फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा कि सब्र करने वाले कहाँ हैं? उठें और बग़ैर हिसाब-किताब के जन्नत में चले जायें। कुछ लोग उठ खड़े होंगे और जन्नत की तरफ़ बढ़ेंगे। फ़रिश्ते उन्हें देखकर पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो? ये कहेंगे जन्नत में। वे कहेंगे अभी तो हिसाब भी नहीं हुआ? कहेंगे हाँ हिसाब से भी पहले। पूछेंगे आख़िर आप लोग कौन हैं? जवाब देंगे कि हम साबिर लोग हैं, ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी में लगे रहे और उसकी नाफ़रमानी से बचते रहे, मरते दम तक इस पर और उसपर

सब्र किया और जमे रहे। फ़रिश्ते कहेंगे फिर तो ठीक है, बेशक तुम्हारा यही बदला है और तुम इसी लायक़ हो, जाओ जन्नत में मज़े करो। अच्छे काम वालों का अच्छा ही अन्जाम है। यही क़ुरआन फ़रमाता है:

يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

साबिरों को उनका पूरा-पूरा बदला बेहिसाब दिया जायेगा।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं- सब्र के यह मायने हैं कि ख़ुदा तआ़ला की नेमतों का इक़रार करे और मुसीबतों को बदला ख़ुदा के पास जानकर उन पर सवाब तलब करे। हर घबराहट, परेशानी और घुटन मौक़े पर इस्तिक़लाल (दिल के जमाव) और नेकी की उम्मीद पर वह ख़ुश नज़र आये।

फिर फ़रमाया कि शहीदों को मुर्दा न कहो, बल्कि वे ऐसी ज़िन्दगी में हैं जिसे तुम नहीं समझ सकते। उन्हें बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी हासिल है और वहाँ वे रोज़ियाँ पा रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि शहीदों की रूहें सब्ज़ रंग के परिन्दों के क़ालिब (जिस्म) में हैं और जन्नत में जिस जगह चाहें फिरती हैं। फिर उन क़िन्दीलों में आकर बैठ जाती हैं जो अ़र्श के नीचे लटक रही हैं। उनके रब ने एक मर्तबा उन्हें देखा और उनसे दरियाफ़्त किया कि अब तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया- ख़ुदाया! हमें तो तूने वो-वो दे रखा है जो किसी को नहीं दिया, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उनसे फिर यही सवाल होगा। जब उन्होंने देखा कि अब हमें नहीं छोड़ा जाता, तो कहा ख़ुदाया हम चाहते हैं कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज, हम तेरी राह में फिर जंग करें, फिर शहीद होकर तेरे पास आयें और शहादत का दुगना दर्जा पायें। रब तआ़ला ने फ़रमाया- यह नहीं हो सकता, यह तो मैं लिख चुका हूँ कि कोई भी मरने के बाद दुनिया की तरफ़ पलट कर नहीं जायेगा। मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि मोमिन क रूह एक परिन्दा है जो जन्नत के दरख़्त पर रहती है, और क़ियामत के दिन वह अपने जिस्म की तरफ़ लौट आयेगी। इससे मालूम होता है कि हर मोमिन की रूह वहाँ ज़िन्दा है, लेकिन शहीदों की रूह को एक तरह की शान, सम्मान और बड़ाई हासिल है।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۣ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

और (देखो) हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी क़द्र ख़ौफ़ से, और फ़ाक़े से, और माल और जान और फलों की कमी से, और आप ऐसे सब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए (155) (जिनकी यह आ़दत है) कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वे कहते हैं कि हम तो (मय माल व औलाद हक़ीक़त में) अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं, और हम सब (दुनिया से) अल्लाह तआ़ला के पास जाने वाले हैं। (156) उन लोगों पर (अलग-अलग) ख़ास-ख़ास रहमतें भी उनके रब की तरफ़ से होंगी, और (सब पर मुश्तरका) आ़म रहमत भी होगी, और यही लोग हैं जिनकी (असल हक़ीक़त तक) पहुँच हो गई। (157)

सब्र के बाद मुसीबतों और आसमान से पड़ने वाली आफ़तों का ज़िक्र हो रहा है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि वह अपने बन्दों की आज़माईश ज़रूर कर लिया करता है। कभी तरक़्क़ी और भलाई से और कभी गिरावट और बुराई से। जैसे फ़रमाता है:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ......... الخ.

यानी हम आज़माकर मुजाहिदों और सब्र करने वालों को मालूम कर लेंगे। एक और जगह है:

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ.......... الخ.

मतलब यह है कि थोड़ा सा ख़ौफ़, कुछ भूख, कुछ माल की कमी, कुछ जानों की कमी, अपनों और ग़ैरों की, रिश्तेदारों और क़रीबी लोगों की, दोस्त व अहबाब की मौत, कभी फलों और पैदावार के नुक़सान वग़ैरह से अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को आज़मा लेता है। सब्र करने वालों को नेक अज्र और अच्छा बदला इनायत फ़रमाता है और बेसब्री, जल्दबाज़ी और नाउम्मीदी करने वालों पर उसके अ़ज़ाब उतर आते हैं। बाज़ बुज़ुर्गों से नक़ल किया गया है कि यहाँ ख़ौफ़ से मुराद अल्लाह तआ़ला का डर है, भूख से मुराद रोज़ों की भूख है, माल की कमी से मुराद ज़कात की अदायगी है, जान की कमी से मुराद बीमारियाँ हैं, फलों से मुराद औलाद है, लेकिन यह तफ़सीर ज़रा ग़ौर-तलब है। वल्लाहु आलम।

अब बयान हो रहा है कि जिन सब्र करने वालों की ख़ुदा के यहाँ क़द्र है वे कौन लोग हैं? पस फ़रमाता है ये वे लोग हैं जो तंगी और मुसीबत के वक़्त "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" पढ़ लिया करते हैं और इस बात से अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते हैं कि वे ख़ुदा की मिल्कियत हैं और जो उन्हें पहुँचा है वह ख़ुदा की तरफ़ से है, और उनमें जिस तरह वह चाहे तसर्रुफ़ करता (यानी अ़मल-दख़ल करता और अपना इख़्तियार चलाता) रहता है, और फिर ख़ुदा के यहाँ इसका बदला है, जहाँ आख़िरकार उन्हें जाना है। उनके इस क़ौल की वजह से ख़ुदा की नवाज़िशें और मेहरबानियाँ उन पर नाज़िल होती हैं, अ़ज़ाब से निजात मिलती है और हिदायत भी नसीब होती है।

अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. फ़रमाते हैं कि दो बराबर की चीज़ें सलवात और रहमत (यानी अल्लाह की मेहरबानियाँ और रहमत) और एक दरमियान की चीज़ यानी हिदायत इन सब्र करने वालों को मिलती है। मुस्नद अहमद में है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मेरे शौहर हज़रत अबू सलमा एक रोज़ मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत से होकर आये और ख़ुशी-ख़ुशी फ़रमाने लगे, आज तो मैंने एक ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत ही ख़ुश हुआ हूँ। वह हदीस यह है कि जिस किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे और वह कहे:

اَللّٰهُمَّ اجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا.

यानी "ख़ुदाया तू मुझे इस मुसीबत में अज्र दे और मुझे इससे बेहतर बदला अ़ता फ़रमा" तो अल्लाह तआ़ला उसे अज्र और बदला ज़रूर ही देता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. फ़रमाती हैं कि मैंने इस दुआ़ को याद कर लिया। जब हज़रत अबू सलमा रज़ि. का इन्तिक़ाल हुआ तो मैंने 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि

राजिऊन' पढ़कर फिर यह दुआ़ भी पढ़ ली, लेकिन मुझे ख़्याल आया कि भला अबू सलमा से बेहतर शख़्स मुझे कौन मिल सकता है? जब मेरी इद्दत गुज़र चुकी तो मैं एक रोज़ एक खाल को दबाग़त दे (यानी खाल को नमक वग़ैरह लगाकर साफ़ कर) रही थी कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और अन्दर आने की इजाज़त चाही। मैंने अपने हाथ धो डाले। खाल रख दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अन्दर तशरीफ़ लाने की दरख़्वास्त की और आपको एक गद्दी पर बैठा दिया। आपने मुझसे अपना निकाह करने की ख़्वाहिश ज़ाहिर की, मैंने कहा हुज़ूर! यह तो मेरी ख़ुश-क़िस्मती की बात है, लेकिन अव्वल तो मैं बड़ी ग़ैरत वाली औ़रत हूँ। ऐसा न हो कि हुज़ूर की तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात मुझसे सर्ज़द हो जाये और ख़ुदा के यहाँ अ़ज़ाब हो। दूसरे यह कि मैं उम्र-रसीदा (बड़ी उम्र की) हूँ। तीसरे बाल-बच्चों वाली हूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सुनो! ऐसी बेजा ग़ैरत अल्लाह तआ़ला तुम्हारी दूर कर देगा, और उम्र में कुछ मैं भी छोटी उम्र का नहीं और तुम्हारे बाल-बच्चे मेरे ही बाल-बच्चे हैं। मैंने यह सुनकर कहा फिर हुज़ूर मुझे कोई उज़्र नहीं। चुनाँचे मेरा निकाह अल्लाह तआ़ला के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हो गया और मुझे अल्लाह तआ़ला ने इस दुआ़ की बरकत से मेरे मियाँ से बहुत ही बेहतर यानी अपना रसूल अ़ता फ़रमाया।

सही मुस्लिम शरीफ़ में भी यह हदीस कुछ अलग अलफ़ाज़ में रिवायत है। मुस्नद अहमद में हज़रत अ़ली रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस किसी मुसलमान को कोई रंज व मुसीबत पहुँचे, उस पर अगरचे ज़्यादा वक़्त गुज़र जाये फिर उसे याद आये और वह 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़े तो मुसीबत के सब्र के वक़्त जो अज्र मिला था वही अब भी मिलेगा। इब्ने माजा में है, हज़रत अबू सिनान रह. फ़रमाते हैं कि मैंने अपने एक बच्चे को दफ़न किया, अभी मैं उसकी क़ब्र में से निकला था कि अबू तल्हा ख़ौलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा सुनो! मैं तुम्हें एक ख़ुशख़बरी सुनाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला मलकुल-मौत से मालूम फ़रमाता है कि तूने मेरे बन्दे की आँखों की ठण्डक और उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया, बतला तो उसने क्या कहा? वह कहते हैं ख़ुदाया तेरी तारीफ़ की और 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़ा, अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है उसके लिये जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल-हम्द (तारीफ़ का घर) रखो।

यह बात तहक़ीक़ी है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह (के दीन) की यादगारों में से हैं, इसलिए जो शख़्स हज करे (अल्लाह के) घर का, या (उसका) उमरः करे, उस पर ज़रा भी गुनाह नहीं उन दोनों के दरमियान आना-जाना करने में (जिसका नाम "सअ़ी" है) और जो शख़्स ख़ुशी से कोई ख़ैर की बात करे तो हक़ तआ़ला (उसकी बड़ी) क़दर-दानी करते हैं, (और उसकी नीयत को) ख़ूब जानते हैं। (158)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

इस्लामी यादगारों का एक तज़्किरा और शाने नुज़ूल

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत उरवा रज़ि. दरियाफ़्त करते हैं कि इस आयत से तो ऐसा मालूम होता है कि तवाफ़ न करने में भी कोई हर्ज नहीं। आपने फ़रमाया- भतीजे तुम सही नहीं समझे, अगर यह बयान मद्देनज़र होता तो 'अन् ला यत्तव्व-फ़ बिहिमा' होता। सुनो! आयते शरीफ़ की शाने नुज़ूल यह है कि मुशल्लल के पास मनात बुत था। इस्लाम से पहले अन्सार उसे पूजते थे और जो उसके नाम लब्बैक पुकार लेता वह सफ़ा-मरवा के तवाफ़ में हर्ज जानता था। अब इस्लाम के बाद उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सफ़ा-मरवा के तवाफ़ के हर्ज के बारे में सवाल किया तो यह आयत उतरी कि इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सफ़ा-मरवा का तवाफ़ किया, इसलिये मसनून हुआ और किसी के लिये मुनासिब न रहा कि उसे छोड़ दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान ने जब यह रिवायत सुनी तो वह कहने लगे कि बेशक यह इल्मी बात है। मैंने तो इससे पहले यह सुनी ही न थी। बाज़ उलेमा फ़रमाया करते थे कि अन्सार रज़ि. ने कहा था कि हमें बैतुल्लाह के तवाफ़ का हुक्म है, सफ़ा-मरवा के तवाफ़ का नहीं, इस पर यह आयत उतरी। मुम्किन है कि इसकी शाने नुज़ूल ये दोनों हों। हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि हम सफ़ा-मरवा के तवाफ़ को जाहिलीयत का काम जानते थे और इस्लाम की हालत में इससे बचते थे, यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत से बुत थे और शयातीन रात भर उसके दरमियान घूमते रहते थे, इस्लाम के बाद लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यहाँ के तवाफ़ के बारे में मसला मालूम किया जिस पर यह आयत उतरी। इसाफ़ बुत सफ़ा पर था और नायला मरवा पर। मुश्रिक लोग उन्हें छूते और चूमते थे, इस्लाम के बाद लोग इससे अलग हो गये लेकिन यह आयत उतरी जिससे यहाँ का तवाफ़ साबित हुआ। सीरत मुहम्मद इब्ने इस्हाक़ में है कि इसाफ़ और नायला दो मर्द व औ़रत थे, इन बदकारों ने काबे में ज़िना किया, ख़ुदा ने उन्हें पत्थर बना दिया, क़ुरैश ने उन्हें काबे के बाहर रख दिया ताकि लोगों को इबरत (सबक़) हो, लेकिन कुछ ज़माने के बाद उनकी इबादत शुरू हो गयी और सफ़ा-मरवा पर लाकर गाड़ दिये गये और उनका तवाफ़ शुरू हो गया।

सही मुस्लिम शरीफ़ की एक लम्बी हदीस में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ कर चुके थे तो रुक्न को छोड़कर बाबे सफ़ा से निकले और यह आयत तिलावत फ़रमाई। फिर फ़रमाया मैं भी शुरू करूँगा उससे जिससे अल्लाह तआ़ला ने शुरू किया है। एक रिवायत में है कि आपने फ़रमाया- तुम शुरू करो उससे जिससे ख़ुदा ने शुरू किया यानी सफ़ा से चलकर मरवा जाओ। हज़रत हबीबा बिन्ते अबी तुजरात रज़ि. फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा आप सफ़ा-मरवा का तवाफ़ कर रहे थे, लोग आपके आगे-आगे थे और आप उनके पीछे थे। आप हल्की दौड़ लगा रहे थे और इसकी वजह से आपका तहबन्द आपके टख़्नों के दरमियान इधर-उधर हो रहा था और ज़बान मुबारक से फ़रमाते जाते थे- लोगो! दौड़कर चलो, अल्लाह तआ़ला ने तुम पर सअ़ी लिख दी है। (मुस्नद अहमद) इसी के जैसे मायनों वाली एक रिवायत और भी है, यह हदीस दलील है उन लोगों की जो सफ़ा-मरवा की सअ़ी को हज का रुक्न जानते हैं, जैसे हज़रत इमाम शाफ़ई रह. और उनके मानने वालों का मज़हब है। इमाम अहमद रह. से भी एक रिवायत इसी तरह की है, इमाम मालिक रह. का मशहूर मज़हब भी यही है। बाज़ इसे वाजिब तो कहते हैं लेकिन हज का रुक्न नहीं कहते, अगर जान-बूझकर या भूले से

कोई शख़्स इसे छोड़ दे तो एक जानवर ज़िबह करना पड़ेगा। इमाम अहमद रह. से एक रिवायत इसी तरह मरवी है और एक और जमाअ़त भी यही कहती है, और एक क़ौल में यह मुस्तहब है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम सौरी, इमाम शाबी, इमाम इब्ने सीरीन रह. यही कहते हैं। हज़रत अनस, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यही रिवायत है। इमाम मालिक रह. से अ़तबिया में यही रिवायत है। उनकी दलील 'व मन् त-तव्व-अ़ ख़ैरन्' (और जो शख़्स ख़ुशी से कोई नेक काम करे) है, लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा राजेह है, इसलिये कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद सफ़ा-मरवा का तवाफ़ किया और फ़रमाया- अहकामे हज मुझ से लो। पस आपने अपने इस हज में जो कुछ किया वह वाजिब हो गया, उसका करना ज़रूरी है। अगर कोई काम किसी ख़ास दलील से वजूब से हट जाये तो और बात है। वल्लाहु आलम।

इसके अ़लावा हदीस में आया है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम पर सअ़ी लिख दी, यानी फ़र्ज़ कर दी। ग़र्ज़ कि यहाँ बयान हो रहा है कि सफ़ा-मरवा का तवाफ़ भी अल्लाह तआ़ला के उन शरई अहकाम में से है, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को हज के पूरा करने के लिये सिखाये थे। यह पहले बयान हो चुका है कि इसकी असल हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का यहाँ सात चक्कर लगाना है, जबकि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उन्हें उनके छोटे बच्चे समेत यहाँ छोड़कर चले गये थे और उनके पास खाना-पीना ख़त्म हो चुका था और बच्चे की जान पर आ बनी थी, तब हज़रत हाजरा निहायत बेक़रारी, बेबसी, डर, ख़ौफ़ और बेचैनी के साथ इन पाक पहाड़ों के दरमियान अपना दामन फैलाये ख़ुदा से भीख माँगती फिर रही थीं। यहाँ तक कि आपका रंज व ग़म, तकलीफ़ व दुख दूर हुआ। यहाँ के चक्कर करने वाले हाजी को भी चाहिये कि निहायत आ़जिज़ी व मिस्कीनी, ख़ुज़ूअ़ व ख़ुशूअ़ से यहाँ चक्कर लगाये और अपनी फ़क़ीरी, हाजत और ज़िल्लत ख़ुदा के सामने पेश करे, और अपने दिल की सलाहियत (सही हो जाना) और अपने हाल की हिदायत और अपने गुनाहों की बख़्शिश तलब करे, और गुनाहों, बुराईयों और ऐबों से पाकीज़गी और नाफ़रमानियों से नफ़रत चाहे। और साबित-क़दमी (दीन पर जमाव), नेकी, फ़लाह और भलाई की दुआ़ माँगे और अल्लाह तआ़ला से अ़र्ज़ करे कि गुनाहों और बुराईयों की तंगी की राह से हटाकर, बख़्शिश व मग़फ़िरत और नेकी की तौफ़ीक़ बख़्शे जैसा कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के हाल को उस मालिक ने इधर से उधर कर दिया।

फिर इरशाद होता है कि अपनी ख़ुशी से नेकी में ज़्यादती करे, यानी बजाय सात चक्करों के आठ नौ करे या नफ़्ली हज व उमरे में भी सफ़ा-मरवा का तवाफ़ करे, और बाज़ों ने इसे आ़म रखा है, यानी हर नेकी में ज़्यादती करे। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला क़द्रदान और इल्म वाला है, यानी थोड़े से काम पर बड़ा सवाब देता है और जज़ा की सही मिक़्दार (मात्रा) को जानता है, न तो वह किसी के सवाब को कम करे न किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म करे। हाँ नेकियों का सवाब बढ़ाकर अ़ता फ़रमाता है और अपने पास से अज्रे अ़ज़ीम इनायत फ़रमाता है। वाक़ई अल्लाह तआ़ला तारीफ़ व शुक्र के लायक़ है।

जो लोग छुपाते हैं उन मज़ामीन को जिन को हमने नाज़िल किया है, जो कि (अपनी ज़ात में) वाज़ेह हैं और (दूसरों को) हिदायत देने वाले हैं बाद इसके कि हम उनको (अल्लाह की)	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى

الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

किताब (तौरात व इन्जील) में आम लोगों पर ज़ाहिर कर चुके हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह तआ़ला भी लानत फ़रमाते हैं और (दूसरे बहुत-से) लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। (159) मगर जो लोग तौबा कर लें और सुधार कर लें और (उन मज़ामीन को) ज़ाहिर कर दें तो ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जह हो जाता हूँ, और मेरी तो आ़दत ही है तौबा क़बूल कर लेना और मेहरबानी फ़रमाना। (160) अलबत्ता जो लोग (उनमें से) इस्लाम न लाएँ और इसी ग़ैर-इस्लामी हालत पर मर जाएँ, ऐसे लोगों पर (वह) लानत (जिसका ज़िक्र हुआ) अल्लाह की और फ़रिश्तों की और आदमियों की भी सब की (161) (ऐसे तौर पर बरसा करेगी कि) वे हमेशा-हमेशा उसी (लानत) में रहेंगे। उनसे अ़ज़ाब हल्का न होने पाएगा और न (दाख़िल होने से पहले) उनको मोहलत दी जाएगी। (162)

मसाईल और सही बातों का छुपाना बड़ा ज़ुल्म है

इसमें ज़बरदस्त वईद (धमकी) है उन लोगों को जो अल्लाह तआ़ला की बातें और शरई मसाईल छुपा लिया करते हैं। अहले किताब ने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़तों को छुपा लिया था, जिस पर इरशाद होता है कि हक़ को छुपाने वाले मलऊन लोग हैं। जिस तरह उस आ़लिम के लिये जो लोगों में ख़ुदा की बातें फैलाये हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ और हवा के परिन्दे भी, इसी तरह उन लोगों पर जो हक़ बात को जानते हुए गूँगे और बहरे बन जाते हैं, हर चीज़ लानत भेजती है।

सही हदीस शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स से किसी शरई मामले के बारे में सवाल किया जाये और वह उसे छुपा ले, उसे क़ियामत के दिन आग की लगाम पहनाई जायेगी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि अगर यह आयत न होती तो मैं एक हदीस भी बयान न करता। हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. फ़रमाते हैं- हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक जनाज़े में थे, आपने फ़रमाया- क़ब्र में काफ़िर की पेशानी पर इस ज़ोर से हथौड़ा मारा जाता है कि तमाम जानदार उसका धमाका सुनते हैं सिवाय जिन्नात और इनसानों के, फिर वे सब उस पर लानत भेजते हैं। यही मायने हैं इसके कि उन पर ख़ुदा की और तमाम लानत करने वालों की लानत है, यानी तमाम जानदारों की। हज़रत अ़ता फ़रमाते हैं कि 'लाअ़िनून' से मुराद तमाम जानवरों और तमाम जिन्नात व इनसान हैं।

हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि जब ख़ुश्क-साली होती (सूखा पड़ता) है, बारिश नहीं बरसती तो

चौपाये जानवर कहते हैं- यह इनसानों में के गुनाहगारों के गुनाह की बदबख़्ती से है। अल्लाह तआ़ला इनसानों में के गुनाहगारों पर लानत नाज़िल करे। बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद फ़रिश्ते और मोमिन लोग हैं। हदीस में है कि आ़लिम के लिये हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि समुद्र की मछलियाँ भी। इस आयत में है कि इल्म के छुपाने वालों को ख़ुदा लानत करता है और फ़रिश्ते और तमाम लोग और तमाम लानत करने वाले, यानी हर ज़बान वाला और हर बेज़बान, चाहे ज़बान से कहे चाहे दूसरे तरीक़े से, और क़ियामत के दिन भी सब चीज़ें उन पर लानत करेंगी। वल्लाहु आलम।

फिर उनमें से उन लोगों को ख़ास कर लिया जो अपने इस फ़ेल (अ़मल और हरकत) से बाज़ आ जायें और अपने आमाल की पूरी इस्लाह कर लें और जो छुपाया था उसे ज़ाहिर कर दें। उन लोगों की तौबा ख़ुदा तआ़ला क़बूल फ़रमा लेता है, वह बड़ा तौबा क़बूल करने वाला और रहम करने वाला है। इससे मालूम हुआ कि जो शख़्स कुफ़्र व बिदअ़त की तरफ़ लोगों को बुलाने वाला हो, वह भी जब सच्चे दिल से रुजू करे तो उसकी तौबा भी क़बूल है। बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि पहली उम्मतों में ऐसे ज़बरदस्त बदकारों की तौबा क़बूल न थी, लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्मत के साथ यह मेहरबानी मख़्सूस है।

इसके बाद उन लोगों का बयान हो रहा है जो कुफ़्र करें लेकिन तौबा नसीब न हो और कुफ़्र की हालत में ही मर जायें कि उन पर अल्लाह तआ़ला की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। यह लानत उन पर हमेशा के लिये मुसल्लत हो जाती है, क़ियामत तक साथ रहेगी और दोज़ख़ की आग में ले जायेगी। न तो अ़ज़ाब में कभी कमी होगी न कभी वह हटेगा, बल्कि हमेशा सख़्त से सख़्त अ़ज़ाब होते रहेंगे। हम अल्लाह के अ़ज़ाब से उसकी पनाह माँगते हैं।

हज़रत अबुल-आ़लिया और हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन काफ़िर को ठहराया जायेगा, फिर उस पर अल्लाह तआ़ला लानत करेगा, फिर फ़रिश्ते फिर सब लोग। काफ़िरों पर लानत भेजने के मसले में किसी का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. और आपके बाद के इमाम हज़रात सब के सब क़ुनूत वग़ैरह में काफ़िरों पर लानत भेजते थे, लेकिन किसी ख़ास काफ़िर पर (यानी नाम लेकर और विशेष रूप से) लानत भेजने के बारे में उलेमा-ए-किराम का एक गिरोह कहता है कि यह जायज़ नहीं, इसलिये कि उसके ख़ात्मे का किसी को इल्म नहीं और इस आयत की यह क़ैद कि मरते दम तक वह काफ़िर रहे, दलील है किसी ख़ास काफ़िर पर लानत न भेजने की। एक दूसरी जमाअ़त इसकी भी क़ायल है जैसे फ़क़ीह अबू बक्र इब्ने अ़रबी मालिकी। लेकिन उनकी दलील एक ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीस है। बाज़ों ने इस हदीस को भी दलील में पेश किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक शख़्स बार-बार नशे की हालत में लाया गया और उस पर बार-बार हद (सज़ा) लगाई गयी तो एक शख़्स ने कहा- इस पर ख़ुदा की लानत हो, बार-बार शराब पीता है। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया इस पर लानत न भेजो, यह अल्लाह और इसके रसूल को दोस्त रखता है। इससे साबित हुआ कि जो शख़्स ख़ुदा और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से दोस्ती न रखे उस पर लानत भेजनी जायज़ है। वल्लाहु आलम।

وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝	और (ऐसा माबूद) जो तुम सबके माबूद बनने का मुस्तहिक़ "यानी हक़दार" है, वह तो एक ही (हक़ीक़ी) माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, (वही) रहमान है और रहीम है। (163)

यानी ख़ुदाई में वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, न उस जैसा कोई है। वह वाहिद और अहद है, वह फ़र्द और 'समद' है। उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं। वह रहमान और रहीम है। सूरः फ़ातिहा के शुरू में इन दोनों नामों की पूरी तफ़सीर गुज़र चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि 'इस्मे-आज़म' इन दोनों आयतों में है, एक यह आयत, दूसरी यह आयतः

الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

(यानी सूरः आले इमरान की आयत 1,2) इसके बाद इस तौहीद की दलील बयान हो रही है, इसे भी तवज्जोह से सुनिये। फ़रमाता है।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝	बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने में और एक के बाद एक रात और दिन के आने में और जहाज़ों में जो कि समुद्रों में चलते हैं, आदमियों के नफ़े की चीज़ें (और असबाब) लेकर और (बारिश के) पानी में जिसको अल्लाह ने आसमान से बरसाया, फिर उससे ज़मीन को तरोताज़ा किया उसके सूख जाने के बाद, और हर क़िस्म के जानदार उसमें फैला दिए, और हवाओं के बदलने में, और बादल में जो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुक़ैयद (और लटका हुआ) रहता है, (तौहीद की) दलीलें (मौजूद) हैं उन लोगों के लिए जो अ़क्ल (सही सलामत) रखते हैं। (164)

कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा एक दलील है

मतलब यह है कि उस ख़ुदा की ख़ुदाई और उसकी तौहीद पर दलील एक तो यह आसमान है, जिसकी बुलन्दी, लताफ़त, विशालता, जिसके ठहरे हुए और चलने फिरने वाले रोशन सितारे तुम देख रहे हो। फिर ज़मीन की पैदाईश जो कसीफ़ (सख़्त) चीज़ है, जो तुम्हारे क़दमों तले बिछी हुई है, जिसमें बुलन्द-बुलन्द चोटियों वाले आसमान को छूते पहाड़ हैं, जिसमें मौजें मारने वाले अथाह समुद्र हैं, जिसमें क़िस्म-क़िस्म के

अच्छे रंग के बेल-बूटे हैं, जिसमें तरह-तरह की पैदावार होती है, जिस पर तुम रहते सहते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ आरामदेह मकानात बनाकर बसते हो और जिससे सैंकड़ों तरह का नफ़ा उठाते हो। फिर रात-दिन का आना-जाना, रात गयी दिन आया, दिन गया रात आ गयी, न वह इससे आगे बढ़े न यह उससे आगे निकलने, हर एक अपने सही अन्दाज़े से आये और जाये, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कभी दिन का कुछ हिस्सा रात में जाये कभी रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाये। फिर कश्तियों को देखो जो ख़ुद तुम्हें और तुम्हारे माल व असबाब और तिजारती चीज़ों को लेकर समुद्र में इधर से उधर जाती-आती रही हैं, इस मुल्क वाले उस मुल्क से और उस मुल्क वाले इस मुल्क वालों से संपर्क और लेन-देन कर सकते हैं। यहाँ की चीज़ें वहाँ और वहाँ की यहाँ पहुँच सकती हैं।

फिर अल्लाह तआ़ला का अपनी कामिल रहमत से बारिश बरसाना और उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर देना, उससे अनाज और खेतियाँ पैदा करना, चारों तरफ़ रेल-पेल कर देना, ज़मीन में विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े कारामद जानवरों को पैदा करना, उन सबकी हिफ़ाज़त करना, उन्हीं रोज़ियाँ पहुँचाना, उनके लिये सोने बैठने चरने-चुगने की जगह तैयार करना, हवाओं को पुर्वा-पछवा चलाना, कभी ठण्डी कभी गर्म कभी कम कभी ज़्यादा, बादलों को आसमान व ज़मीन के दरमियान रोक देना, उन्हें एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ ले जाना, ज़रूरत की जगह बरसाना वग़ैरह। ये सब अल्लाह की क़ुदरत की निशानियाँ हैं, जिनसे अ़क़्लमन्द अपने ख़ुदा के वजूद को और उसकी वह्दानियत (एक और अकेला ख़ुदा होने) को पा लेते हैं। जैसे एक दूसरी जगह फ़रमाया कि आसमान व ज़मीन की पैदाईश और रात-दिन के हेर-फेर में अ़क़्लमन्दों के लिये निशानियाँ हैं, जो उठते बैठते लेटते अल्लाह तआ़ला का नाम लिया करते हैं और ज़मीन व आसमान की पैदाईश में ग़ौर व फ़िक्र से काम लेते हैं, और कहते हैं ऐ हमारे रब! तूने इन्हें बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, तू हमें जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि क़ुरैश के आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और कहने लगे- आप अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि वह सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दे, हम उससे घोड़े और हथियार वग़ैरह ख़रीदें, आपका साथ दें और ईमान भी लायें। आपने फ़रमाया- पुख़्ता वायदा करते हो? उन्होंने कहा हाँ पुख़्ता वायदा है। आपने अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की, हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आये और फ़रमाया- तुम्हारी दुआ़ क़बूल है लेकिन अगर ये लोग फिर भी ईमान न लाये तो इन पर ख़ुदा का वह अ़ज़ाब आयेगा जो आज से पहले किसी पर न आया हो। आप काँप उठे और अ़र्ज़ करने लगे- नहीं, ख़ुदाया! तू इन्हें यूँ ही रहने दे, मैं इन्हें तेरी तरफ़ बुलाता रहूँगा, हो सकता है आज नहीं कल और कल नहीं परसों इनमें से कोई न कोई तेरी तरफ़ झुक जाये, इस पर यह आयत उतरी कि अगर उन्हें क़ुदरत की निशानियाँ देखनी हैं तो क्या ये निशानियाँ कुछ कम हैं?

इसके अ़लावा एक और शाने नुज़ूल यह भी बयान की जाती है कि जब यह आयत 'व इलाहुकुम इलाहुंव्-वाहिदुन............' उतरी तो मुश्रिक लोग कहने लगे एक ख़ुदा तमाम जहान का बन्दोबस्त कैसे करेगा? इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि वह ख़ुदा इतनी बड़ी क़ुदरत वाला है। बाज़ रिवायतों में है कि ख़ुदा का एक होना सुनकर उन्होंने दलील तलब की जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और क़ुदरत की निशानियाँ उन पर ज़ाहिर की गयीं।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۝

और एक आदमी वह (भी) हैं जो ख़ुदा तआला के अलावा औरों को भी (ख़ुदाई में) शरीक क़रार देते हैं, उनसे ऐसी मुहब्बत रखते हैं जैसी मुहब्बत अल्लाह से (रखना ज़रूरी) है, और जो मोमिन हैं उनको अल्लाह तआला के साथ क़वी मुहब्बत है, और क्या ख़ूब होता अगर ये ज़ालिम (मुश्रिकीन) जब (दुनिया में) किसी मुसीबत को देखते तो (उसके पेश आने में ग़ौर करके) समझ लिया करते कि सब क़ुव्वत हक़ तआला ही को है, और यह (समझ लिया करते) कि अल्लाह तआला का अज़ाब (आख़िरत में और भी) सख़्त होगा। (165) जबकि वे लोग जिनके कहने पर दूसरे चलते थे उन लोगों से साफ़ अलग हो जाएँगे जो उनके कहने पर चलते थे, और सब अज़ाब को देख लेंगे, और आपस में उनमें जो ताल्लुक़ात थे उस वक़्त सब टूट जाएँगे। (166) और (जब) ये पैरोकार लोग यूँ कहने लगेंगे कि किसी तरह हम सबको ज़रा एक दफ़ा (दुनिया में) जाना मिल जाए तो हम भी उनसे साफ़ अलग हो जाएँ, जैसा कि ये हमसे (इस वक़्त) साफ़ अलग हो बैठे, अल्लाह तआला यूँ ही उनकी बद-आमालियों को ख़ाली अरमान करके उनको दिखला देंगे, और उनको दोज़ख़ से निकलना भी नसीब न होगा। (167)

बहुत बड़ा गुनाह

इस आयत में मुश्रिकों का दुनिया व आख़िरत का हाल बयान हो रहा है। ये ख़ुदा का शरीक मुक़र्रर करते हैं, उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उनकी मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसी ख़ुदा की होनी चाहिये, हालाँकि वह माबूदे बरहक़ सिर्फ़ एक ही है। वह शरीक और साझी से पाक है। सहीहैन में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से रिवायत है, फ़रमाते हैं- मैंने पूछा या रसूलल्लाह! सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फ़रमाया- ख़ुदा के साथ शिर्क करना, हालाँकि पैदा उसी अकेले ने किया है। फिर फ़रमाया ईमान वाले अल्लाह तआला की मुहब्बत में बहुत सख़्त होते हैं, उनके दिल अल्लाह की अज़मत और उसकी तौहीद से पुर (भरे) होते हैं, वे न ख़ुदा के सिवा दूसरे की ऐसी मुहब्बत करें न किसी और की तरफ़ इल्तिजा करें, न दूसरों की तरफ़ झुकें न उसकी पाक ज़ात के साथ किसी को शरीक करें।

फिर उन मुश्रिकों को जो अपनी जानों पर बेवजह शिर्क के ज़ुल्म करते हैं अ़ज़ाबों की ख़बर पहुँचाता है कि अगर ये लोग अ़ज़ाबों को देख लेते तो यक़ीन हो जाता कि क़ुदरतों वाला सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही है, तमाम चीज़ें उसी के मातहत और फ़रमान के ताबे हैं और उसके अ़ज़ाब बड़े भारी हैं। जैसे एक और जगह है कि उस दिन न तो उसके अ़ज़ाब जैसा कोई अ़ज़ाब कर सकता है, न उसकी पकड़ जैसी किसी की पकड़ हो सकती है। दूसरा यह मतलब भी है कि अगर उन्हें उस मन्ज़र का इल्म होता तो ये अपनी गुमराही और शिर्क व कुफ़्र पर हरगिज़ न अड़ते, उस दिन जिन-जिनको इन लोगों ने अपना पेशवा (बड़ा और पूज्य) बना रखा है वे सब इनसे अलग हो जायेंगे। फ़रिश्ते कहेंगे ख़ुदाया- हम इनसे बेज़ार हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे, ख़ुदाया तू पाक ज़ात है, तू ही हमारा वली है, ये लोग तो जिन्नात की इबादत करते थे, उन्हीं पर ईमान रखते थे। इसी तरह जिन्नात भी उनसे बेज़ारी का ऐलान करेंगे और साफ़-साफ़ उनके दुश्मन हो जायेंगे और इबादत से इनकार कर देंगे। क़ुरआन में यह भी है कि जिन-जिनकी लोग इबादत करते थे वे सब के सब क़ियामत के दिन उनकी इबादत से इनकार करेंगे और उनके दुश्मन बन बैठेंगे। हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम का फ़रमान हैः

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا............ الخ.

तुमने ख़ुदा के सिवा बुतों की मुहब्बत दिल में बैठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी है, क़ियामत के दिन वे तुम्हारी इबादत का इनकार करेंगे, आपस में एक दूसरे पर लानत भेजेंगे, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और तुम्हारा मददगार कोई न होगा। एक और जगह यह भी इरशाद हैः

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ............... الخ.

यानी ये ज़ालिम रब के सामने खड़े होंगे और अपने पेशवाओं (सरदारों, जिनकी पैरवी करते थे) से कह रहे होंगे कि अगर तुम न होते तो हम ईमान वाले बन जाते। वे जवाब देंगे क्या हमने तुम्हें ख़ुदा परस्ती से रोका? हक़ीक़त यह है कि तुम ख़ुद मुजरिम थे। वे कहेंगे तुम्हारी दिन-रात की मक्कारियाँ, तुम्हारे कुफ़्रिया अहकाम, तुम्हारी शिर्क की तालीम ने हमें फाँस लिया। अब सबको पछतावा होगा और उनकी गर्दनों में उनके आमाल के बदले तौक़ होंगे। एक और जगह है कि उस दिन शैतान भी कहेगाः

اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ............ الخ.

यानी ख़ुदा का वायदा तो सच्चा था और मैं तुम्हें जो सब्ज़ बाग़ दिखा रहा था वह महज़ धोखा था, तुम पर मेरा कोई ज़ोर तो था ही नहीं मगर मैंने तुम्हें कहा तुमने मन्ज़ूर कर लिया, अब मुझे मलामत करने से क्या फ़ायदा? अपनी जानों को लानत मलामत करो, न मैं तुम्हारी फ़रियाद को पूरा कर सकूँगा न तुम मेरी, मैं तुम्हारे शिर्क से इनकारी हूँ। जान लो कि ज़ालिमों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब हैं।

फिर फ़रमाया कि वे अ़ज़ाब देख लेंगे और तमाम रास्ते बन्द हो जायेंगे, न कोई भागने की जगह रहेगी न छुटकारे की कोई सूरत नज़र आयेगी, दोस्तियाँ कट जायेंगी और रिश्ते टूट जायेंगे, बिना दलील बातें मानने वाले और बेवजह एतिक़ाद रखने वाले और पूजा-पाठ और इताअ़त करने वाले जब अपने पेशवाओं (ख़ुदाओं और पूज्य चीज़ों) को उस तरह अपने से किनारा करते होते हुए देखेंगे तो बहुत ही अफ़सोस व नाउम्मीदी से कहेंगे कि अगर अब हम दुनिया में लौट जायें तो हम भी उनसे ऐसे ही बेज़ार हो जायें जैसे ये हमसे हुए। न इनकी तरफ़ ध्यानी दें न इनकी बातें मानें, न इन्हें अल्लाह का शरीक समझें बल्कि एक अल्लाह की ख़ालिस

इबादत करें, हालाँकि दर हक़ीक़त अगर मान लो ये लौटाये भी जायें तो वही करेंगे जो इससे पहले करते थे। जैसे फ़रमायाः

لَوْرُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ.

कि अगर इन्हें लौटा दिया जाये तो ये फिर उसी अपनी पुरानी राह पर लौट आयें जिससे इन्हें रोका गया था।

इसी लिये यहाँ फ़रमाया- उन्हें अल्लाह तआ़ला उनके करतूत इसी तरह दिखायेगा, उन पर हसरत व अफ़सोस है। यानी जो नेक आमाल थे वो ज़ाया हो गये। जैसे एक और जगह हैः

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَاعَمِلُوْا........ الخ.

एक और जगह हैः

اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ.......... الخ.

एक और जगह हैः

اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ........ الخ.

यानी उनके आमाल बरबाद हैं। उनके आमाल की मिसाल राख की तरह है जिसे तेज़ हवायें उड़ा दें। उनके आमाल रेत की तरह हैं जो दूर से पानी दिखाई देता है मगर पास जाओ तो रेत का तूदा होता है।

फिर फ़रमाता है कि ये लोग आग से निकलने वाले नहीं।

ऐ लोगो! जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद हैं उनमें से (शरई) हलाल पाक चीज़ों को खाओ (बरतो) और शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर मत चलो, हक़ीक़त में वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (168) वह तो तुमको उन्हीं बातों की तालीम करेगा जो कि (शरई तौर पर) बुरी और गन्दी हैं, और यह (भी तालीम करेगा) कि अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे वे बातें लगाओ जिसकी तुम सनद भी नहीं रखते। (169)	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٥ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٥

दुनिया को रोज़ी देने वाला कौन है? एक सवाल और उसका जवाब

ऊपर चूँकि तौहीद (अल्लाह के एक होने) का बयान हुआ था इसलिये यहाँ यह बयान हो रहा है कि तमाम मख़्लूक़ को रोज़ी पहुँचाने वाला भी वही है। फ़रमाता है कि मेरा यह एहसान भी न भुलाओ कि मैंने तुम पर पाकीज़ा चीज़ें हलाल कीं, जो तुम्हें लज़ीज़ और पसन्द हैं, जो न जिस्म को नुक़सान पहुँचायें न सेहत को न अ़क़्ल व होश को, मैं तुम्हें रोकता हूँ कि शैतान की राह पर न चलो, जिस तरह और लोगों ने उसकी चाल चलकर बाज़ हलाल चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लीं।

सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- परवर्दिगारे आ़लम फ़रमाता

है कि मैंने जो माल अपने बन्दों को दिया है उसे उनके लिये हलाल कर दिया है, मैंने अपने बन्दों को मोमिन पैदा किया है मगर शैतान ने इस सही दीन से उन्हें हटा दिया और मेरी हलाल की हुई चीज़ों को उन पर हराम कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने जिस वक़्त इस आयत की तिलावत हुई तो हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. ने खड़े होकर कहा हुज़ूर! मेरे लिये दुआ़ कीजिए कि अल्लाह तआ़ला मेरी दुआ़ओं को क़बूल फ़रमा लिया करे। आपने फ़रमाया ऐ सअ़द! पाक चीज़ें और हलाल लुक़्मा खाते रहो, अल्लाह तआ़ला तुम्हारी दुआ़यें क़बूल फ़रमाता रहेगा। क़सम है उस ख़ुदा की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की जान है, जो हराम लुक़्मा इनसान अपने पेट में डालता है उसकी नहूसत की वजह से चालीस दिन उसकी इबादत क़बूल नहीं होती। जो गोश्त पोस्त हराम से पला है वह जहन्नमी है। फिर फ़रमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, जैसे एक और जगह है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो, उसकी और उसकी नस्ल (औलाद और पैरोकारों) की तो तमन्ना ही यह है कि लोगों को अ़ज़ाब में झोंके। एक और जगह फ़रमायाः

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ....... الخ.

क्या तुम उसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त जानते हो? हालाँकि हक़ीक़त में वह तुम्हारा दुश्मन है, ज़ालिमों के लिये बुरा बदला है।

शैतान और उसकी इताअ़त

'ख़ुतुवातिश्शैतान' (शैतान के क़दमों से क़दम मिलाकर चलने) से मुराद ख़ुदा तआ़ला की हर नाफ़रमानी है, जिसमें शैतान का बहकाना होता है। इमाम शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने नज़्र (मन्नत) मानी कि वह अपने लड़के को ज़िबह करेगा। हज़रत मसरूक़ के पास जब यह वाक़िआ़ पहुँचा तो आपने फ़तवा दिया कि वह शख़्स एक भेड़ ज़िबह कर दे, यह नज़्र 'ख़ुतुवातिश्शैतान' से है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. एक दिन बकरी का खुर नमक लगाकर खा रहे थे, एक शख़्स जो आपके पास बैठा हुआ था वह हटकर दूर जा बैठा, आपने फ़रमाया खाओ, उसने कहा मैं नहीं खाऊँगा। आपने पूछा क्या रोज़े से हो? कहा नहीं मैं तो इसे अपने ऊपर हराम कर चुका हूँ। आपने फ़रमाया यह शैतान की राह चलना है, अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दो और खा लो। अबू राफ़े रह. कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी बीवी पर नाराज़ हुआ तो वह कहने लगी- मैं एक दिन यहूदिया हूँ एक दिन ईसाई हूँ और मेरे तमाम गुलाम आज़ाद हैं, अगर तू अपनी बीवी को तलाक़ न दे। अब मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. के पास मसला पूछने आया कि इस सूरत में क्या किया जाये? आपने फ़रमाया यह शैतान के क़दमों की पैरवी है। फिर मैं हज़रत ज़ैनब बिन्ते सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास गया और उस वक़्त मदीने भर में उनसे ज़्यादा फ़क़ीह (दीनी मसाईल का इल्म रखने वाली) औरत कोई न थी। मैंने उनसे भी यही मसला पूछा, यहाँ से भी यही जवाब मिला। आ़सिम और इब्ने उमर रज़ि. ने भी यही फ़तवा दिया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का फ़तवा है कि जो क़सम गुस्से की हालत में खाई जाये और जो नज़्र (मन्नत) ऐसी हालत में मानी जाये, वह शैतानी क़दम की ताबेदारी है, उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे के बराबर दे दे।

फिर फ़रमाया कि शैतान तुम्हें बुरे कामों और उससे भी बढ़कर ज़िनाकारी और उससे बढ़कर ख़ुदा पर उन बातों की तोहमत लगाने को कहता है, जिनका तुम्हें इल्म न हो। पस हर काफ़िर और बिद्अ़ती (दीन में

अपनी तरफ़ से नई बात निकालने वाला) इसमें दाख़िल है, जो बुराई का हुक्म करे और बुराई की तरफ़ शौक़ और रग़बत दिलाये।

और जब कोई उन (मुशिरक) लोगों से कहता है कि अल्लाह तआ़ला ने जो हुक्म भेजा है उस पर चलो, तो कहते हैं (नहीं) बल्कि हम तो उसी (तरीक़े) पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है। क्या अगरचे उनके बाप-दादा (दीन की) न कुछ समझ रखते हों और न (किसी आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों। (170) और इन काफ़िरों की कैफ़ियत (ना-समझी में) उस (जानवर की) कैफ़ियत के जैसी है कि एक शख़्स है, वह ऐसे (जानवर) के पीछे चिल्ला रहा है जो सिवाय बुलाने और पुकारने के कोई बात नहीं सुनता। (इसी तरह ये कुफ़्फ़ार) बहरे हैं, गूँगे हैं, अन्धे हैं, इसलिए समझते कुछ नहीं। (171)	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَ نَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ط صُمٌّ م بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

यानी जब उन काफ़िरों और मुशिरकों से कहा जाता है कि किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह की पैरवी करो और अपनी गुमराही व जहालत को छोड़ दो तो वे कहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की राह लगे हुए हैं, जिन चीज़ों की वे पूजा-पाठ करते थे हम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिसके जवाब में क़ुरआन कहता है कि वे तो समझ व हिदायत से ग़ाफ़िल थे। यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी है। फिर उनकी मिसाल दी कि जिस तरह चरने-चुगने वाले जानवर अपने चरवाहे की कोई बात सही तौर से समझ नहीं सकते सिर्फ़ आवाज़ कानों में पड़ती है और कलाम की भलाई बुराई से बेख़बर रहते हैं, इसी तरह ये लोग हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि ये जिन-जिनको ख़ुदा के सिवा पूजते हैं और उनसे अपनी हाजतें और मुरादें माँगते हैं वे न सुनते हैं न जानते हैं, न देखते हैं न उनमें ज़िन्दगी है न उन्हें कुछ एहसास है। काफ़िरों की यह जमाअ़त हक़ की बातों के सुनने से बहरी है, हक़ कहने से बेज़बान है, सीधी राह चलने से अन्धी है, अ़क़्ल व समझ से दूर है। जैसे एक और जगह इरशाद हैः

صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ.

यानी हमारी बातों को झुठलाने वाले बेहरे गूँगे और अन्धेरे में हैं। जिसे ख़ुदा चाहे गुमराह करे और जिसे वह चाहे सीधी राह पर लगा दे।

ऐ ईमान वालो! जो (शरीअ़त की रू से) पाक चीज़ें हमने तुमको इनायत फ़रमाई हैं, उनमें से (जो चाहो) खाओ (बरतो) और हक़ तआ़ला की शुक्रगुज़ारी करो, अगर तुम ख़ास	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ ○ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○	उसके साथ ग़ुलामी (का ताल्लुक़) रखते हो। (172) अल्लाह तआला ने तो तुम पर सिर्फ़ हराम किया है मुर्दार को, और ख़ून को (जो बहता हो) और सुअर के गोश्त को, (इसी तरह उसके सब अंगों और हिस्सों को भी) और ऐसे जानवर को जो (निकटता हासिल करने के इरादे से) अल्लाह के ग़ैर के लिए नामज़द कर दिया गया हो, फिर भी जो शख़्स (भूख से बहुत ही) बेताब हो जाए, शर्त यह है कि न तो मज़े का तालिब हो और न (ज़रूरत की मात्रा से) आगे बढ़ने वाला हो, तो उस शख़्स पर कोई गुनाह नहीं होता, वाक़ई अल्लाह तआला हैं बड़े बख़्शने वाले, रहम करने वाले। (173)

दुआ क़बूल होने की कुछ अहम शर्तें

इस आयत में अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि तुम पाक-साफ़ और हलाल-तैयब चीज़ें खाया करो और मेरी शुक्रगुज़ारी करो। हलाल का लुक़्मा दुआ और इबादत की क़बूलियत का सबब है, और हराम का लुक़्मा क़बूल न होने का। मुस्नद अहमद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- ऐ लोगो! अल्लाह तआला पाक है, वह पाक चीज़ को क़बूल फ़रमाता है, उसने रसूलों को और ईमान वालों को हुक्म दिया कि वे पाक चीज़ें खायें और नेक आमाल करें। जैसे कि फ़रमान है:

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ.......... الخ.

ऐ रसूलों की जमाअ़त तुम पाक चीज़ों से खाओ................। और फ़रमायाः

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ........ الخ.

ऐ ईमान वालो! खाओ तुम उन पाक चीज़ों से जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं................।

फिर आपने फ़रमाया- एक शख़्स लम्बा सफ़र करता है, वह पूरा गन्दे बालों वाला, ग़ुबार से भरा होता है, अपने हाथ आसमान की तरफ़ उठाकर दुआ करता है और गिड़-गिड़ाकर अल्लाह तआला को पुकारता है लेकिन उसका खाना-पीना, लिबास और ग़िज़ा सब हराम की हैं इसलिये उसकी ऐसे वक़्त की ऐसी दुआ भी क़बूल नहीं होती (यानी इस परेशानी, सफ़र की हालत में होने और रोने-गिड़गिड़ाने के बावजूद जबकि दुआओं के मक़बूल होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, लेकिन हलाल न खाने की वजह से दुआ मक़बूल न हो सकी)।

हराम चीज़ों और खानों की कुछ तफ़सील

हलाल चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद फिर हराम चीज़ों का बयान हो रहा है कि तुम पर मुर्दा जानवर

जो अपनी मौत आप मर गया हो, जिसे शरई तौर पर ज़िबह न किया गया हो, हराम है, चाहे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो या लकड़ी और लठ लगने से मर गया हो, या कहीं से गिर पड़ा हो और मर गया हो, या दूसरे जानवरों ने अपने सींग से उसे हलाक किया हो, या दरिन्दों ने उसे मार डाला हो, यह सब 'मैता' (मुर्दार) में दाख़िल और हराम है। लेकिन इसमें पानी के जानवर मख़्सूस हैं, वे अगरचे ख़ुद-बख़ुद मर जायें फिर भी हलाल हैं। क़ुरआन कहता है:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ............. الخ.

(सूरः मायदा आयत 96)

इसका पूरा बयान इस आयत की तफ़सीर में आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

अ़म्बर नाम के जानवर का मरा हुआ मिलना और सहाबा का उसे खाना फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसकी ख़बर होना और आपका उसे जायज़ क़रार देना यह सब हदीस में है। एक और हदीस में है कि समुद्र का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है। एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि दो मुर्दे और दो ख़ून हम पर हलाल हैं, मछली और टिड्डी, कलेजी और तिल्ली। सूरः मायदा में इसका बयान तफ़सील से आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

मसला

मुर्दार जानवर का दूध और उसके अण्डे जो उसमें हों नजिस (नापाक) हैं। इमाम शाफ़ई रह. का यही मज़हब है, इसलिये कि वह भी मय्यित (मुर्दार) का एक अंग है। इमाम मालिक रह. से एक रिवायत में है कि है तो वह पाक लेकिन मय्यित के मिलने की वजह से नजिस (नापाक) हो जाती है। इसी तरह मुर्दार की खीस भी मशहूर मज़हब में उन बुज़ुर्गों के नज़दीक नापाक है अगरचे इसमें मतभेद भी है। सहाबा रज़ि. का मजूसियों (आग को पूजने वालों) की पनीर खाना अगरचे उनपर बतौर एतिराज़ के वारिद हो सकता है, मगर इसका जवाब इमाम क़ुर्तुबी रह. ने यह दिया है कि दूध बहुत ही कम होता है और कोई बहने वाली ऐसी थोड़ी सी चीज़ जब ज़्यादा में पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से घी, पनीर और गोरख़र के बारे में सवाल होता है तो आप फ़रमाते हैं- हलाल वह है जिसे ख़ुदा ने अपनी किताब में हलाल बताया, और हराम वह है जिसे अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में हराम किया और जिसका बयान नहीं वे सब माफ़ हैं।

फिर फ़रमाया- तुम पर सुअर का गोश्त भी हराम है चाहे उसे ज़िबह किया हो चाहे वह ख़ुद मर गया हो। सुअर की चर्बी का भी हुक्म यही है, इसलिये कि अक्सर गोश्त ही होता है और चर्बी गोश्त के साथ ही होती है। पस जब गोश्त हराम हुआ तो चर्बी भी हराम हुई। दूसरे इसलिये भी कि गोश्त में ही चर्बी होती है और अ़क़्ल का तक़ाज़ा भी यही है। फिर फ़रमाया कि जो चीज़ अल्लाह तआ़ला के सिवा और किसी के नाम पर मशहूर की जाये वह भी हराम है। जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने में काफ़िर लोग अपने बातिल माबूदों के नाम पर जानवर ज़िबह किया करते थे, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने हराम क़रार दिया। एक मर्तबा एक औ़रत ने गुड़िया के निकाह पर एक जानवर ज़िबह किया तो हसन बसरी रह. ने फ़तवा दिया कि उसे न खाना चाहिये, इसलिये कि वह एक तस्वीर के लिये ज़िबह किया गया है। हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. से सवाल होता है कि अ़जमी (ग़ैर-अ़रबी) लोग जो अपने त्यौहार और ईद के मौक़े पर जानवर ज़िबह

करते हैं और मुसलमानों को भी उसमें से हदिया भेजते हैं उनका गोश्त खाना चाहिये या नहीं? फ़रमाया उस दिन के सम्मान के लिये जो जानवर ज़िबह किया जाये उसे न खाओ, हाँ उनके दरख़्तों के फल खाओ।

फिर अल्लाह तआ़ला ने ज़रूरत और हाजत के वक़्त जबकि कुछ और खाने को न मिले इन हराम चीज़ों का खा लेना मुबाह (जायज़) किया और फ़रमाया जो शख़्स बेबस हो जाये और वह बाग़ी सरकश और हद से बढ़ जाने वाला न हो, उस पर इन चीज़ों के खाने में गुनाह नहीं। अल्लाह तआ़ला बख़्शिश करने वाला मेहरबान है।

'बाग़ी' की वज़ाहत

'बाग़िन' और 'आ़दिन' की तफ़सीर में हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं- डाकू, रास्तों में लूट-मार करने वाला, मुसलमान बादशाह पर चढ़ाई करने वाला, मुसलमान हुकूमत का मुख़ालिफ़ और अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी में सफ़र करने वाला मुराद है। उन्हें इस बेबसी (यानी जब जान पर आ बनी हो) के वक़्त भी हराम चीज़ें हराम ही रहती हैं। 'जो बाग़ी न हो' की तफ़सीर में हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान यह भी कहते हैं कि वह उसे हलाल समझने वाला न हो और उसमें लज़्ज़त और मज़े का इच्छुक न हो। इसे भून-भान कर लज़ीज़ बनाकर अच्छा पकाकर न खाये, बल्कि जैसा-तैसा सिर्फ़ जान बचाने के लिये खा ले। और अगर साथ ले तो इतना कि ज़िन्दगी के साथ हलाल चीज़ के मिलने तक बाक़ी रह जाये। जब हलाल चीज़ मिल गयी उसे फेंक दे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि उसे ख़ूब पेट भरकर न खाये। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि जो शख़्स उसके खाने के लिये मजबूर कर दिया जाये और बेइख़्तियार हो जाये उसका भी यही हुक्म है।

मसला

एक शख़्स भूख के मारे बेबस हो गया है, उसे एक मुर्दार जानवर नज़र पड़ा और किसी दूसरे की हलाल चीज़ भी दिखाई दी जिसमें न रिश्ते का टूटना है न किसी को तकलीफ़ देना तो उसे उस दूसरे की चीज़ को खा लेना चाहिये, मुर्दार न खाये। फिर आया उस चीज़ की क़ीमत या वह चीज़ उसके ज़िम्मे रहेगी या नहीं इसमें दो क़ौल हैं, एक यह कि रहेगी, दूसरे यह कि न रहेगी। न रहने वाले क़ौल की ताईद में यह हदीस है जो इब्ने माजा में है। हज़रत उबाद बिन शरजील रज़ि. कहते हैं कि हमारे यहाँ एक साल बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, मैं मदीना गया और एक खेत में से कुछ बालें तोड़कर छील कर दाने चबाने लगा और थोड़ी सी बालें अपनी चादर में बाँधकर ले चला। खेत वाले ने देख लिया और मुझे पकड़कर मारा पीटा और मेरी चादर छीन ली। मैं हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास गया और आप से वाक़िआ़ अ़र्ज़ किया तो आपने उस शख़्स को कहा कि इस भूखे को न तो तूने खाना खिलाया न इसके लिये कोई और कोशिश की, न इसे कुछ समझाया सिखाया, यह बेचारा भूखा था, नादान था जाओ इसका कपड़ा वापस करो और एक वसक़ या आधा वसक़ ग़ल्ला इसे दे दो (एक वसक़ चार मन के क़रीब होता है)।

एक और हदीस में है कि पेड़ों पर लगे हुए फलों के बारे में हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने फ़रमाया जो ज़रूरतमन्द शख़्स यहीं कुछ खा ले, लेकर न जाये, उस पर कुछ जुर्म नहीं...। हज़रत मुजाहिद रज़ि. फ़रमाते हैं- आयत का मतलब यह है कि इज़्तिरार और बेबसी के वक़्त, बेबसी और इज़्तिरार हट जाये इतना खा लेने में कोई हर्ज नहीं। यह भी मरवी है कि तीन लुक़्मों से ज़्यादा न खाये।

ग़र्ज़ कि ऐसे वक़्त में ख़ुदा की मेहरबानी और नवाज़िश से यह हराम उसके लिये हलाल है।

एक अहम मसला

हज़रत मसरूक़ रह. फ़रमाते हैं कि इज़्तिरार (बेबसी और जान चले जाने के डर) के वक़्त भी जो शख़्स हराम चीज़ न खाये और मर जाये वह जहन्नमी है। इससे मालूम हुआ कि ऐसे वक़्त ऐसी चीज़ खानी ज़रूरी है, न कि सिर्फ़ रुख़्सत (इजाज़त और छूट) ही हो। यही बात ज़्यादा सही है, जैसे बीमार का रोज़ा छोड़ देना वग़ैरह।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِى الْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ۝

الربع ٢١ ع ٩ ٥

इसमें कोई शुब्हा नहीं कि जो लोग अल्लाह की भेजी हुई किताब (के मज़ामीन) को छुपाते हैं और उसके मुआवज़े में (दुनिया की) मामूली क़ीमत और फ़ायदा वसूल करते हैं, ऐसे लोग और कुछ नहीं अपने पेट में आग (के अंगारे) भर रहे हैं, और अल्लाह तआ़ला उनसे न तो क़ियामत में (नर्मी और मेहरबानी के साथ) कलाम करेंगे और न (गुनाह माफ़ करके) उनकी सफ़ाई करेंगे, और उनको दर्दनाक सज़ा होगी। (174) ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने (दुनिया में तो) हिदायत छोड़कर गुमराही इख़्तियार की और (आख़िरत में) मग़फ़िरत छोड़कर अ़ज़ाब (सर पर लिया) सो दोज़ख़ के लिए कैसे हिम्मत वाले हैं। (175) ये (सारी ज़िक्र की गई सज़ाएँ उनको) इस वजह से हैं कि अल्लाह ने (उस) किताब को ठीक-ठीक भेजा था। और जो लोग (ऐसी) किताब में बेराही करें वे बड़ी दूर के इख़्तिलाफ़ में होंगे। (176)

मान-सम्मान और समाजी रुतबे के सबब ये ईमान न लाये

यानी जो यहूद नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़ात की आयतों को जो तौरात में हैं छुपाते हैं और इस सबब अपनी आव-भगत अ़रब वालों से कराते हैं, अ़वाम से तोहफ़े और हदिये समेटते रहते हैं और इस दुनिया-ए-फ़ानी के बदले अपनी आख़िरत ख़राब कर रहे हैं, उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत की सच्चाई और आपके दावे की तस्दीक़ की आयतें जो तौरात में हैं लोगों पर ज़ाहिर हो गयीं तो लोग आपके ताबेदार बन जायेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। इस ख़ौफ़ से वे हिदायत व मग़फ़िरत को छोड़ बैठे और गुमराही व अ़ज़ाब पर ख़ुश हो गये। इस कारण दुनिया और

आख़िरत की बरबादी उन पर नाज़िल हुई। आख़िरत की रुस्वाई तो ज़ाहिर है लेकिन दुनिया में भी लोगों पर उनका फ़रेब और चालाकी खुल गयी। वक़्त-वक़्त पर वे आयतें जिन्हें ये बदतरीन उलेमा छुपाते रहे थे ज़ाहिर हो गयीं, इसके अ़लावा ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मोजिज़ों और आपकी पाकीज़ा आ़दतों ने लोगों को आपकी तस्दीक़ पर आमादा कर दिया और उनकी वह जमाअ़त जिसके हाथ से निकल जाने के डर ने उन्हें कलामे ख़ुदा छुपाने पर आमादा किया था आख़िरकार हाथ से जाती रही, उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बैअ़त कर ली, ईमान ले आये और आपके साथ मिलकर उन हक़ के छुपाने वालों की जानें लीं और उनसे बाक़ायदा जिहाद किया। क़ुरआन करीम में उनकी ऐसी बेहूदा कोशिशें जगह-जगह बयान की गयीं, यहाँ भी फ़रमाया कि यह माल जो ख़ुदा की बातों को छुपाकर तुम कमाते हो यह दर असल आग के अंगारे हैं, जिन्हें तुम अपने पेट में भर रहे हो। क़ुरआने करीम ने उन लोगों के बारे में जो यतीमों का माल ज़ुल्म से खा जायें यही फ़रमाया है कि वे भी अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और क़ियामत के दिन भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे। सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स सोने-चाँदी के बरतन में खाता-पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है।

फिर फ़रमाया कि उनसे अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन बातचीत भी न करेगा, न उन्हें पाक करेगा बल्कि दर्दनाक अ़ज़ाबों में मुब्तला रहेंगे। इसलिये कि उनके इस करतूत की वजह से ख़ुदा का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ है और अब उन पर से नज़रे रहमत हट गयी है और ये तारीफ़ व प्रशंसा के क़ाबिल नहीं रहे बल्कि सज़ा पाने वाले होंगे और वहाँ तिलमिलाते रहेंगे। हदीस शरीफ़ में है कि तीन क़िस्म के लोगों से अल्लाह बातचीत न करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब हैं- बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह और घमंडी फ़क़ीर।

फिर फ़रमाता है कि उन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही ले ली, उन्हें चाहिये था कि तौरात में जो ख़बरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में थीं उन्हें अनपढ़ों तक पहुँचाते, लेकिन उसके बदले उन्होंने उन्हें छुपा लिया और ख़ुद भी आपके साथ कुफ़्र किया और आपको झुठलाया। पस इज़हार पर जो नेमतें और मग़फ़िरतें उन्हें मिलने वाली थीं उनके बदले ज़हमतें और अ़ज़ाब अपने सर ले लिये।

फिर फ़रमाता है कि उन्हें वे दर्दनाक और आश्चर्य में डालने वाले अ़ज़ाब होंगे कि देखने वाला चकित और हैरान रह जाये। और यह भी मायने हैं कि उन्हें आग के अ़ज़ाब की बरदाश्त पर किस चीज़ ने आमादा किया जो ये ख़ुदा की नाफ़रमानियों में मशग़ूल हो गये। फिर इरशाद होता है कि ये लोग उस अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ यूँ हुए कि उन्होंने अल्लाह की बातों को हंसी-खेल समझा और जो किताब ख़ुदा तआ़ला ने हक़ को ज़ाहिर करने और बातिल को मिटाने के लिये उतारी थी उन्होंने उसकी मुख़ालफ़त की, ज़ाहिर करने की बातें छुपाईं, अल्लाह के नबी से दुश्मनी की, आपकी सिफ़तों को ज़ाहिर न किया, वास्तव में इस किताब के बारे में इख़्तिलाफ़ करने वाले दूर की गुमराही में जा पड़े।

(कुछ सारा) कमाल इसी में नहीं (आ गया) कि तुम अपना मुँह पूरब को कर लो या पश्चिम को, लेकिन (असली) कमाल तो यह है कि कोई शख़्स अल्लाह तआ़ला पर यक़ीन रखे, और	لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى
الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ
الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

क़ियामत के दिन पर, और फ़रिश्तों पर, और (सब आसमानी) किताबों पर, और पैग़म्बरों पर, और माल देता हो अल्लाह की मुहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और (ख़र्च से परेशान) मुसाफ़िरों को और सवाल करने वालों को और गर्दन छुड़ाने में, और नमाज़ की पाबन्दी रखता हो और ज़कात भी अदा करता हो, और जो लोग अपने अ़हदों को पूरा करने वाले हों जब अ़हद कर लें, और (वे लोग) मुस्तक़िल रहने वाले हों तंगदस्ती में और बीमारी में और क़िताल में, ये लोग हैं जो सच्चे (कमाल वाले) हैं, और यही लोग हैं जो (सच्चे) मुत्तक़ी (कहे जा सकते) हैं। (177)

ईमान की तारीफ़ और उससे संबन्धित बातें

इस पाक आयत में सही अ़क़ीदे और सीधे रास्ते की तालीम हो रही है। हज़रत अबूज़र रज़ि. ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ईमान के बारे में सवाल किया कि ईमान क्या चीज़ है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई। उन्होंने फिर सवाल किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फिर यही आयत तिलावत फ़रमाई। फिर यही सवाल किया आपने फ़रमाया सुन नेकी की मुहब्बत और बुराई की बुराई और उससे नफ़रत ईमान है। (इब्ने अबी हातिम)

लेकिन इस रिवायत की सनद मुन्क़ता है। मुजाहिद रह. हज़रत अबूज़र रह. से इस हदीस को रिवायत करते हैं, हालाँकि उनकी मुलाक़ात साबित नहीं हुई। एक शख़्स ने हज़रत अबूज़र रज़ि. से सवाल किया कि ईमान क्या है? तो आपने यही आयत तिलावत फ़रमाई। उसने कहा हज़रत मैं आप से भलाई के बारे में सवाल नहीं करता, मेरा सवाल ईमान के बारे में है। आपने फ़रमाया सुन एक शख़्स ने यही सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किया, आपने इसी आयत की तिलावत कर दी, वह भी तुम्हारी तरह राज़ी न हुआ तो आपने फ़रमाया- मोमिन जब नेक काम करता है तो उसका जी ख़ुश हो जाता है, और उसे सवाब की उम्मीद होती है। और जब गुनाह करता है तो उसका दिल ग़मगीन हो जाता है और वह अ़ज़ाब से डरने लगता है। (इब्ने मर्दूया) यह रिवायत भी मुन्क़ता है।

अब इस आयत की तफ़सीर सुनिये। मोमिनों को पहले तो हुक्म हुआ कि वे बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, फिर उन्हें काबा की तरफ़ घुमा दिया गया, जो अहले किताब पर और बाज़ ईमान वालों पर भी भारी और नागवार गुज़रा। पस अल्लाह तआ़ला ने इसकी हिक्मत बयान फ़रमाई कि असल

मक़सद इताअ़त और अल्लाह तआ़ला के फ़रमान को मानना है, वह जिधर मुँह करने को कहे कर लो, असल तक़वा असल भलाई और कामिल ईमान यही है कि मालिक के फ़रमान के ताबे रहे। अगर कोई पूरब की तरफ़ मुँह करे या पश्चिम की तरफ़ मुँह फेर ले और ख़ुदा का हुक्म न हो तो वह इस तवज्जोह (रुख़ फेर लेने) से ईमान वाला नहीं हो जायेगा, बल्कि हक़ीक़त में ईमान वाला वह है जिसमें ये सिफ़तें और ख़ूबियाँ हों जो इस आयत में बयान हुई हैं। क़ुरआने करीम ने एक और जगह फ़रमाया हैः

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰـكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

यानी तुम्हारी क़ुरबानियों के गोश्त और लहू ख़ुदा को नहीं पहुँचते, बल्कि उस तक तक़वा पहुँचता है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि तुम नमाज़ें पढ़ो और दूसरे आमाल न करो, यह कोई भलाई नहीं। यह हुक्म उस वक़्त था जबकि मक्का से मदीना की तरफ़ लौटे थे, लेकिन फिर उसके बाद और फ़राईज़ और अहकाम नाज़िल हुए और उन पर अ़मल करना ज़रूरी क़रार दिया गया। पूरब व पश्चिम को इसलिये ख़ास किया गया कि यहूद पश्चिम की तरफ़ और ईसाई पूरब की तरफ़ मुँह किया करते थे। पस ग़र्ज़ यह है कि ये तो ईमान का कलाम है, और हक़ीक़त ईमान की अ़मल है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि भलाई यह है कि इताअ़त का माद्दा दिल में पैदा हो जाये, फ़राईज़ पाबन्दी के साथ अदा हों, तमाम भलाईयों का आ़मिल हो। हक़ तो यह है कि जिसने इस आयत पर अ़मल कर लिया उसने कामिल इस्लाम ले लिया और दिल खोलकर भलाई समेट ली। उसका अल्लाह की ज़ात पर ईमान है। यह जानता है कि माबूदे बरहक़ वही है, फ़रिश्तों के वजूद को और इस बात को कि वे ख़ुदा का पैग़ाम ख़ुदा के मख़्सूस बन्दों पर लाते हैं यह मानता है, तमाम आसमानी किताबों को बरहक़ जानता है और सबसे आख़िरी किताब क़ुरआने करीम को जो कि पहली तमाम किताबों की तस्दीक़ करने वाली तमाम भलाईयों की जामे और दीन व दुनिया की नेकबख़्ती को शामिल है, वह मानता है। इसी तरह अव्वल से आख़िर तक के तमाम अम्बिया पर भी उसका ईमान है, ख़ासकर ख़ातिमुल-अम्बिया रसूले ख़ुदा पर भी।

ख़र्च करने के कुछ बेहतरीन मौक़ों की तफ़सील

माल को बावजूद माल की मुहब्बत के राहे ख़ुदा में ख़र्च करता है। सही हदीस शरीफ़ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अफ़ज़ल सदक़ा यह है कि तू अपनी सेहत और माल की मुहब्बत की हालत में अल्लाह के नाम पर दे। तुझे माल की कमी का अन्देशा हो और ज़्यादती की चाहत हो। (बुख़ारी व मुस्लिम) मुस्तद्रक हाकिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'व आतल् मा-ल अ़ला हुब्बिही.........' पढ़कर फ़रमाया- इसका मतलब यह है कि तुम सेहत में और माल की मुहब्बत की हालत में फ़क़ीरी से डरते हुए और अमीरी की ख़्वाहिश रखते हुए सदक़ा करो। लेकिन इस रिवायत का मौक़ूफ़ होना ज़्यादा सही है। असल में यह फ़रमान हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. का है। क़ुरआने करीम में सूरः दहर में फ़रमायाः

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ.......... الخ.

मुसलमान बावजूद खाना खाने की सख़्त ज़रूरत के मिस्कीनों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ख़ुदा की रज़ा हासिल करने के लिये खिलाते हैं, न तुम से इसका बदला चाहते हैं न शुक्रिया। एक और जगह फ़रमायाः

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ें ख़ुदा के नाम पर न दो तुम हक़ीक़ी भलाई नहीं पा सकते। एक और जगह फ़रमायाः

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

यानी बावजूद अपनी हाजत और ज़रूरत के वे दूसरों को अपने नफ़्स पर मुक़द्दम करते हैं।

पस ये लोग बड़े रुतबे वाले हैं, क्योंकि पहली क़िस्म के लोगों ने तो अपनी पसन्दीदा चीज़ बावजूद उसकी मुहब्बत के दूसरों को दी, लेकिन इन बुज़ुर्गों ने अपनी मुहब्बत और ज़रूरत की वह चीज़ जिसके वे ख़ुद मोहताज थे, दूसरों को दे दी और अपनी ज़रूरत और आवश्यकता का ख़्याल भी न किया।

"ज़विल्-क़ुरबा" उन्हें कहते हैं जो रिश्तेदार हों। सदक़ा देने के वक़्त ये दूसरों से ज़्यादा मुक़द्दम (पहले) हैं। हदीस में है कि मिस्कीन को देना भी सवाब है लेकिन क़राबत दार (रिश्तेदार) मिस्कीन को देना दोहरा सवाब है। एक सवाब सदक़े का, दूसरा सिला-रहमी का। तुम्हारी बख़्शिश और ख़ैरातों के ज़्यादा मुस्तहिक़ ये हैं। क़ुरआने करीम में इनके साथ सुलूक करने का हुक्म कई जगह है।

यतीम से मुराद छोटे बच्चे हैं जिनके वालिद मर गये हों और कोई उनका कमाने वाला न हो, न ख़ुद उन्हें अपनी रोज़ी हासिल करने की क़ुव्वत व ताक़त हो। हदीस शरीफ़ में है कि बालिग़ होने के बाद यतीमी नहीं रहती। मसाकीन वे हैं जिनके पास इतना न हो जो उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने सहने को काफ़ी हो सके। उनके साथ भी सुलूक किया जाये, जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो और फ़क्र व तंगदस्ती और क़िल्लत व पस्ती की हालत से बच सकें। सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मिस्कीन सिर्फ़ वही लोग नहीं जो माँगते फिरते हों और एक-एक दो-दो खजूरें या एक-एक दो-दो लुक़्मे रोटी के ले जाते हों, बल्कि मिस्कीन वे भी हैं जिनके पास इतना न हो कि उनके सब काम निकल जायें, न वे अपनी हालत ऐसी बनायें जिससे लोगों को इल्म हो जाये और उन्हें कोई कुछ दे दे।

'इब्नुस्सबील' मुसाफ़िर को कहते हैं। यहाँ मुराद वे मुसाफ़िर हैं जिनके पास सफ़र का ख़र्च न रहा हो। उन्हें इतना दिया जाये जिससे वे इत्मीनान से अपने वतन पहुँच जायें। इसी तरह वह शख़्स भी जो इताअ़ते ख़ुदा में सफ़र कर रहा हो, उसे जाने-आने का ख़र्च देना। मेहमान भी इसी हुक्म में है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. मेहमान को भी इब्नुस्सबील में दाख़िल करते हैं और बाज़ दूसरे बुज़ुर्ग भी।

'साईलीन' (सवाल करने वाले) वे लोग हैं जो अपनी हाजत और ज़रूरत ज़ाहिर करके लोगों से कुछ माँगें, उन्हें भी सदक़ा ज़कात देना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- साईल का हक़ है अगरचे वह घोड़े पर सवार होकर आये। (अबू दाऊद)

'फ़िर्रिक़ाब' से मुराद गुलामों की आज़ादगी है, चाहे ये वे गुलाम हों जिन्होंने अपने मालिकों को लिख दिया हो कि इतना-इतना हम तुम्हें दे दें तो हम आज़ाद हैं, लेकिन अब उन बेचारों से नहीं पहुँचाया जाता तो उनकी इमदाद करके उन्हें आज़ाद कराना, इन तमाम क़िस्मों की और दूसरे इसी क़िस्म के लोगों की पूरी तफ़सीर सूरः बराअत में 'इन्नमस्सदक़ातु.......' (सूरः तौबा आयत 60) की तफ़सीर में बयान होगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम

ने फ़रमाया- माल में ज़कात के सिवा कुछ और भी अल्लाह तआला का हक़ है, फिर आपने यह आयत पढ़कर सुनाई। इस हदीस का एक रावी अबू हमज़ा मैमून आवर ज़ईफ़ है। फिर फ़रमाया- नमाज़ को वक़्त पर पूरे रुकूअ़ सज्दे, इत्मीनान और आराम, ख़ुशूअ़ और ख़ुज़ूअ़ के साथ अदा करे, जिस तरह की अदायेगी का शरीअ़त का हुक्म है। और ज़कात को भी अदा करे। या यह मायने कि अपने नफ़्स को बेकार और फ़ालतू बातों और घटिया व बुरे अख़्लाक़ से पाक करे। जैसे एक जगह फ़रमायाः

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا......... الخ.

अपने नफ़्स को पाक करने वाला फ़लाह पा गया, और उसे गन्दगी में लुथेड़ने वाला तबाह हो गया। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़िरऔ़न से यही फ़रमाया थाः

هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى...... الخ.

क्या तुम्हें यह ख़्वाहिश है कि तुम संवर जाओ.......। (सूरः नाज़िआ़त आयत 18-19)

एक और जगह ख़ुदा तआ़ला का फ़रमान हैः

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ○ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ.

यानी उन मुश्रिकों के लिये हलाकत है जो ज़काते नफ़्स नहीं देते, यानी अपने आपको गन्दगियों और शिर्क व कुफ़्र से पाक नहीं करते। और मुम्किन है कि माल की ज़कात मुराद हो तो नफ़्ली सदक़े के अहकाम समझे जायेंगे जैसे ऊपर हदीस बयान हुई कि माल में ज़कात के अ़लावा और हक़ भी हैं।

फिर फ़रमाया- वायदे पूरे करने वाले। जैसे एक दूसरी जगह हैः

يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ........ الخ.

ये लोग ख़ुदा के अ़हद को पूरा करते हैं और वायदे नहीं तोड़ते।

वायदे तोड़ना निफ़ाक़ की ख़स्लत है। जैसे हदीस में है कि मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैंः

1. बात करते हुए झूठ बोलना।
2. वायदा-ख़िलाफ़ी करना।
3. अमानत में ख़ियानत करना। एक और हदीस में है कि झगड़े के वक़्त गालियाँ बकना।

फिर फ़रमाया कि तंगदस्ती और फ़ाक़े में माल की कमी के वक़्त, बदन की बीमारी के वक़्त, लड़ाई के मौक़े पर दीन के दुश्मनों के सामने मैदाने जंग में जिहाद के वक़्त सब्र व सहारा करने वाले और लोहे की लाठी की तरह जम जाने वाले। इन सख़्तियों और मुसीबतों के वक़्त सब्र की तालीम और तलक़ीन हो रही है। अल्लाह तआ़ला हमारी मदद करे, हमारा भरोसा उसी पर है। फिर फ़रमाया कि जिनमें ये सिफ़तें और गुण हैं, सच्चे ईमान वाले वही हैं। उनका ज़ाहिर व बातिन क़ौल व फ़ेल एक जैसा है, और मुत्तक़ी भी यही लोग हैं। क्योंकि इताअ़त-गुज़ार हैं और नाफ़रमानियों से दूर हैं।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ	ऐ ईमान वालो! तुम पर क़िसास "यानी बदले" (का क़ानून) फ़र्ज़ किया जाता है, (जान-बूझकर क़त्ल करने से) क़त्ल किए गए लोगों के बारे में, आज़ाद आदमी आज़ाद अदमी के बदले

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِیَ لَهٗ مِنْ اَخِیْهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِیْمٌ۝ وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیٰوةٌ یّٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۝

में और ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले में, और औरत औरत के बदले में। हाँ जिसको उसके फ़रीक़ की तरफ़ से कुछ माफ़ी हो जाए (मगर पूरी न हो) तो (दावा करने वाले के ज़िम्मे) माक़ूल तौर पर (ख़ून की क़ीमत का) मुतालबा करना और (क़ातिल के ज़िम्मे) ख़ूबी के साथ उसके पास पहुँचा देना (है), यह (माफ़ करने और ख़ून की क़ीमत लेने का क़ानून) तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से (सज़ा में) कमी और (शाहाना) रहम करना है। फिर जो शख़्स उसके बाद ज़्यादती करेगा तो उस शख़्स को बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। (178) और ऐ समझदार लोगो! बदले (के इस क़ानून) में तुम्हारी जानों का बड़ा बचाव है, (हम) उम्मीद (करते हैं) कि तुम लोग (ऐसे अमन वाले क़ानून की खिलाफ़-वर्ज़ी "उल्लंघन" करने से) परहेज़ रखोगे। (179)

'क़िसास' अमन-शान्ति की गारंटी है

यानी ऐ मुसलमानो! 'क़िसास' के वक़्त अ़दल (इन्साफ़) से काम लिया करो। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। इस बारे में हद से न बढ़ो। जैसे कि पहले लोग हद से बढ़ गये और ख़ुदा का हुक्म बदल दिया।

इस आयत की शाने नुज़ूल यह है कि जाहिलीयत के ज़माने में बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर की जंग हुई थी, जिसमें बनू नज़ीर ग़ालिब आये थे। अब यह दस्तूर हो गया था कि जब बनू नज़ीर किसी क़ुरज़ी को क़त्ल करे तो उसके बदले उसे क़त्ल न किया जाता था बल्कि एक सौ वसक़ खजूर दियत में ली जाती थी, और जब कोई क़ुरज़ी बनू नज़ीर के किसी आदमी को मार डाले तो क़िसास में उसे भी क़त्ल कर दिया जाता था, और अगर दियत ली जाती तो डबल दियत यानी दो सौ वसक़ खजूर ली जाती थी। पस अल्लाह तआ़ला ने जाहिलीयत की इस रस्म को मिटाया और अ़दल व बराबरी का हुक्म दिया। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में शाने नुज़ूल यूँ बयान हुई है कि अ़रब के दो क़बीलों में लड़ाई और जंग हुई थी, इस्लाम के बाद उसका बदला लेने की ठानी और कहा कि हमारे ग़ुलाम के बदले उनका आज़ाद क़त्ल हो और औरत के बदले मर्द क़त्ल हो, तो उनके रद्द में यह आयत नाज़िल हुई और यह हुक्म भी मन्सूख़ है।

क़ुरआन फ़रमाता है:

اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ.

कि जान के बदले जान है।

पस हर क़ातिल मक़्तूल के बदले मार डाला जायेगा चाहे आज़ाद ने किसी ग़ुलाम को क़त्ल किया हो

चाहे इसके विपरीत हुआ हो, चाहे मर्द ने औरत को क़त्ल किया हो चाहे इसके उलट हो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये लोग मर्द को औरत के बदले क़त्ल नहीं करते थे जिस पर यह आयतः

اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ.

(सूरः मायदा आयत 45) नाज़िल हुई। पस आज़ाद लोग सब बराबर हैं, जान के बदले जान ली जायेगी, चाहे क़ातिल मर्द हो चाहे औरत हो। इसी तरह मक़्तूल चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जबकि एक आज़ाद इनसान ने एक आज़ाद इनसान को मार डाला है तो उसे भी मार डाला जायेगा। इसी तरह यही हुक्म गुलामों और बाँदियों में भी जारी होगा, और जो कोई जान लेने के इरादे से दूसरे को क़त्ल करेगा वह क़िसास में क़त्ल किया जायेगा। और यही हुक्म क़त्ल के अ़लावा और ज़ख़्मों का और दूसरे जिस्मानी अंगों की बरबादी (नुक़सान पहुँचाने) का भी है। हज़रत इमाम मालिक रह. भी इस आयत को सूरः मायदा की आयत नम्बर 45 से मन्सूख़ बतलाते हैं।

मसला

इमाम अबू हनीफ़ा रह., इमाम सौरी रह., इमाम इब्ने अबी लैला रह. और इमाम दाऊद का मज़हब है कि आज़ाद ने अगर गुलाम को क़त्ल किया है तो उसके बदले वह भी क़त्ल किया जायेगा। हज़रत अ़ली रज़ि., हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि., हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि., हज़रत इब्राहीम नख़ई रह., हज़रत क़तादा रह. और हज़रत हकम रह. का भी यही मज़हब है। हज़रत इमाम बुख़ारी, अ़ली बिन मदीनी, इब्राहीम नख़ई और एक रिवायत की तरफ़ से हज़रत सौरी रह. का भी यही मज़हब है कि अगर कोई आक़ा अपने गुलाम को मार डाले तो उसके बदले उसकी जान ली जायेगी। दलील में यह हदीस बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है- जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करे हम उसे क़त्ल करेंगे और जो शख़्स अपने गुलाम को नक्टा करे हम भी उसकी नाक काट देंगे और जो उसे ख़स्सी करे उससे भी यही बदला लिया जायेगा। लेकिन जमहूर का मज़हब इन बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ है। वे कहते हैं कि आज़ाद, गुलाम के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा, इसलिये कि गुलाम माल है, अगर वह ग़लती से क़त्ल हो जाये तो दियत यानी जुर्माना नहीं देना पड़ता, सिर्फ़ उसके मालिक को उसकी क़ीमत अदा करनी पड़ती है। और इसी तरह उसके हाथ-पाँव वग़ैरह के नुक़सान पर बदले का हुक्म नहीं आया। मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल किया जायेगा या नहीं? इस बारे में जमहूर उलेमा-ए-उम्मत का मज़हब तो यह है कि क़त्ल न किया जायेगा, और दलील सही बुख़ारी शरीफ़ की यह हदीस हैः

لا يقتل مسلم بكافر.

मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाये।

इस हदीस के ख़िलाफ़ न तो कोई सही हदीस है न कोई ऐसी तावील हो सकती है जो इसके ख़िलाफ़ हो। लेकिन फिर भी सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा रह. का मज़हब यह है कि मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल कर दिया जाये।

मसला

हज़रत हसन बसरी रह. और हज़रत अ़ता का क़ौल है कि मर्द को औरत के बदले क़त्ल न किया जाये

और दलील में ऊपर दर्ज हुई आयत को पेश करते हैं लेकिन जमहूर उलेमा-ए-इस्लाम इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि सूरः मायदा की आयत आ़म है, जिसमें जान के बदले जान मौजूद है। इसके अ़लावा हदीस शरीफ़ में भी है:

المسلمون تتكاف دماء هم.

कि मुसलमान के ख़ून आपस में बराबर हैं। हज़रत लैस रह. का मज़हब है कि शौहर अगर अपनी बीवी को मार डाले तो उसके बदले उसकी जान नहीं ली जायेगी।

मसला

चारों इमामों और जमहूरे उम्मत का मज़हब है कि कई एक ने मिलकर एक मुसलमान को क़त्ल किया है तो वे सारे उसके बदले क़त्ल कर दिये जायेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. के ज़माने में एक शख़्स को सात शख़्स मिलकर मार डालते हैं तो आप उन सातों को क़त्ल कराते हैं और फ़रमाते हैं अगर सन्आ़ बस्ती के सब लोग इस क़त्ल में शरीक होते तो मैं क़िसास में सबको क़त्ल कर देता। आपके इस फ़रमान के ख़िलाफ़ आपके ज़माने में किसी सहाबी ने विरोध नहीं किया, पस इस बात पर गोया इजमा हो गया। लेकिन इमाम अहमद रह. से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं कि एक के बदले सिर्फ़ एक ही क़त्ल किया जाये, ज़्यादा क़त्ल न किये जायें। हज़रत मुआ़ज़ रज़ि., हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ि., अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान, इमाम ज़ोहरी, इब्ने सीरीन और हबीब बिन अबी साबित से भी यही क़ौल नक़ल है। इब्नुल-मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि यही ज़्यादा सही है, और एक जमाअ़त को एक मक़्तूल के बदले क़त्ल करने की कोई दलील नहीं और हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ि. से यह साबित है कि वह इस मसले को नहीं मानते थे। पस जब सहाबा रज़ि. में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हुआ तो अब मसला ग़ौर-तलब हो गया।

फिर फ़रमाता है कि यह और बात है कि किसी क़ातिल को मक़्तूल का कोई वारिस कुछ हिस्सा माफ़ कर दे, यानी क़त्ल के बदले वह दियत क़बूल कर ले या दियत भी अपने हिस्से की छोड़ दे और साफ़ माफ़ कर दे। अगर वह दियत पर राज़ी हो गया है तो क़ातिल पर ज़ोर न डाले, बल्कि ख़ुश-अख़्लाक़ी और नर्मी से वसूल करे और क़ातिल को भी चाहिये कि फ़ौरी तौर पर उसे अदा करे, हुज्जत और बहाने न करे।

नोटः "क्या मुसलमान एक काफ़िर को क़त्ल करने के बाद क़िसास (बदले) में क़त्ल किया जायेगा? मौलाना अन्ज़र शाह साहिब कशमीरी रह. फ़रमाते हैं- इज्तिहाद करने वाले उलेमा और इमामों के बीच यह मसला काफ़ी विवादित और मतभेदी रहा है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल रह. का इत्तिफ़ाक़ी फ़ैसला है कि मुसलमान को क़िसास में क़त्ल नहीं किया जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा रह., इमाम अबू दाऊद ज़ाहिरी, इमाम अबू बक्र ज़स्हाक़ कहते हैं कि मुसलमान ने अगर किसी काफ़िर को क़त्ल कर दिया तो मुसलमान क़िसास में ज़रूर क़त्ल होगा। अब यह हदीस स्पष्ट तौर पर मौजूद है कि मुसलमान काफ़िर के क़िसास में क़त्ल न होगा, इमाम अबू हनीफ़ा रह. के मज़हब के बज़ाहिर ख़िलाफ़ नज़र आती है लेकिन हनफ़ी उलेमा ने इसके बाज़ इत्मीनान-बख़्श जवाब दिये हैं। जैसे इमाम तहावी रह. ने कहा है कि यह हदीस काफ़िरों के सिलसिले में है। मतलब यह है कि अगर किसी मुसलमान ने उस काफ़िर को क़त्ल कर दिया जिसका ताल्लुक़ मुहारिब (यानी लड़ने वाली) क़ौम से था तो उसके क़िसास में मुसलमान को क़त्ल करना ठीक नहीं, क्योंकि उस काफ़िर की पूरी क़ौम मुसलमानों के साथ हर वक़्त जंग के लिये तैयार है। ऐसे

हालात में अगर उसका कोई फ़र्द मुसलमान के हाथ से क़त्ल हो जाये तो वह हंगामी हालात के तहत समझा जायेगा और जंगी नुक़्ता-ए-नज़र से उस पर कोई पकड़ न होगी। और इब्ने हम्माम ने इस हदीस का जवाब देते हुए कहा कि मतलब यह है कि कोई मुसलमान जिसने इस्लाम लाने से पहले किसी काफ़िर को क़त्ल कर दिया था इस्लाम लाने के बाद उस क़त्ल पर क़िसास के तौर पर क़त्ल न होगा। लेकिन इस्लाम लाने के बाद मुसलमान किसी काफ़िर को क़त्ल करेगा तो बिला शुब्हा क़िसास में उसकी गर्दन उसी तरह उतार ली जायेगी जैसा कि दूसरी क़ौम के मुजरिम की। मौलाना अनवर शाह कशमीरी रह. ने इब्ने हम्माम के इस जवाब को बेहद पसन्द फ़रमाया है। इमामे कशमीरी रह. कहते हैं कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह इरशाद फ़त्हे-मक्का के मौक़े पर फ़रमाया था और आपने अपने उस ख़ुतबे में जाहिलीयत की बहुत-सी ग़लत रस्मों को ख़त्म करने का ऐलान किया था, लिहाज़ा जाहिलीयत की इस शाख़ को भी आप काट देना चाहते थे जिसमें इस्लाम से पहले के क़त्ल व क़िताल पर लम्बी जंगों और दुश्मनियों की बुनियाद पड़ती थी। उलेमा इस मौक़े पर फ़ैज़ुल-बारी जिल्द 1 पेज 211 का ज़रूर मुताला करें। अफ़सोस कि इमाम इब्ने कसीर रह. ने यहाँ भी मज़हबी पक्षपात से काम लिया और लिखा है कि अबू हनीफ़ा अपनी इस राय में तन्हा और अकेले हैं, हालाँकि हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. का भी यही क़ौल है। देखिये अहकामुल-क़ुरआन।" **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

मसला

इमाम मालिक रह. का मशहूर मज़हब और इमाम अबू हनीफ़ा रह. और आपके शागिर्दों का और इमाम शाफ़ई रह. और इमाम अहमद रह. का एक रिवायत की तरफ़ से यह मज़हब है कि मक़्तूल के वारिसों को क़िसास छोड़कर दियत पर राज़ी होना उस वक़्त जायज़ है जब ख़ुद क़ातिल भी इस पर आमादा हो, लेकिन और बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते हैं कि इसमें क़ातिल की रज़ामन्दी शर्त नहीं।

मसला

पहले उलेमा और बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त कहती है कि औ़रतें क़िसास से दरगुज़र करके दियत पर अगर रज़ामन्द हों तो उनका एतिबार नहीं। हसन, क़तादा, ज़ोहरी, इब्ने शबर्मा, लैस और ओज़ाई रह. का यही मज़हब है। लेकिन बाक़ी उलेमा-ए-दीन इनके मुख़ालिफ़ हैं। वे फ़रमाते हैं कि अगर किसी औ़रत ने भी दियत पर रज़ामन्दी ज़ाहिर की तो क़िसास जाता रहेगा।

फिर फ़रमाता है कि जान-बूझकर किये गये क़त्ल में दियत लेना यह ख़ुदा की तरफ़ से नर्मी और मेहरबानी है। पहली उम्मतों को यह इख़्तियार न था। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि बनी इस्राईल पर क़िसास फ़र्ज़ था, उन्हें क़िसास से दरगुज़र करने और दियत लेने की इजाज़त न थी, लेकिन इस उम्मत पर मेहरबानी हुई कि दियत लेनी भी जायज़ की गयी। तो यहाँ तीन चीज़ें हुईं- क़िसास, दियत और माफ़ी। पहली उम्मतों में सिर्फ़ क़िसास और माफ़ी ही थी, दियत न थी। बाज़ लोग कहते हैं कि यहूदियों के यहाँ सिर्फ़ क़िसास और माफ़ी थी, और ईसाईयों के यहाँ सिर्फ़ माफ़ी ही थी।

फिर फ़रमाया कि जो शख़्स दियत यानी जुर्माना लेने के बाद या दियत क़बूल कर लेने के बाद भी ज़्यादती पर तुल जाये उसके लिये सख़्त दर्दनाक अ़ज़ाब है। जैसे दियत ले ली, फिर क़त्ल करना चाहा वग़ैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- जिस शख़्स का कोई मक़्तूल या मजरूह (ज़ख़्मी)

हो तो उसे तीन बातों में से एक का इख़्तियार है, या तो क़िसास यानी बदला ले ले, या माफ़ कर दे या दियत यानी जुर्माना ले ले। और अगर कुछ और करना चाहे तो उसे रोक दो, इनमें से एक करने के बाद जो ज़्यादती करे वह हमेशा के लिये जहन्नमी हो जायेगा। (अहमद)

दूसरी हदीस में है कि जिसने दियत ले ली फिर क़ातिल को क़त्ल किया तो अब मैं उससे दियत भी न लूँगा, बल्कि उसे क़त्ल ही कराऊँगा। फिर इरशाद होता है कि ऐ अ़क़्लमन्दो! क़िसास में इनसानी नस्ल की बक़ा (सुरक्षा) है, इसमें बहुत बड़ी हिक्मत है, अगरचे बज़ाहिर तो यह मालूम होता है कि एक के बदले एक क़त्ल हुआ तो दो मरे, लेकिन अगर सोचो तो मालूम होगा कि यह ज़िन्दा रहने का सबब है। क़ातिल को खुद ख़्याल होगा कि मैं उसे क़त्ल न करूँ, वरना खुद भी क़त्ल कर दिया जाऊँगा तो वह क़त्ल के इरादे से रुक जायेगा। तो दो आदमी क़त्ल व ख़ून से बच गये, पहली किताबों में भी यह बात बयान फ़रमाई थीः

اَلْقَتْلُ اَنْفٰى لِلْقَتْلِ

क़त्ल, क़त्ल को रोक देता है।

लेकिन क़ुरआन पाक में बहुत ही उम्दा और बेहतरीन अन्दाज़ के साथ इस मज़मून को बयान किया गया है। फ़रमाया- यह तुम्हारे बचाव का सबब है कि एक तो ख़ुदा की नाफ़रमानी से महफ़ूज़ रहोगे, दूसरे न कोई किसी को क़त्ल करेगा न वह क़त्ल किया जायेगा। ज़मीन पर अमन व अमान, सुकून व शान्ति रहेगी। 'तक़वा' तमाम नेकियों के करने और तमाम बुराईयों के छोड़ने का नाम है।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝ فَمَنْ ۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब किसी को मौत नज़दीक मालूम होने लगे, शर्त यह है कि कुछ माल भी अपने पीछे छोड़ा हो, तो माँ-बाप और रिश्तेदारों व क़रीबी लोगों के लिए माक़ूल तौर पर (जो कि कुल मिलाकर एक तिहाई से ज़्यादा न हो) कुछ-कुछ बतला जाए, (इसका नाम वसीयत है) जिनको ख़ुदा का ख़ौफ़ है उनके ज़िम्मे यह ज़रूरी है। (180) फिर जो शख़्स उस (वसीयत) के सुन लेने के बाद उसको तब्दील करेगा तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों को होगा जो उसको तब्दील करेंगे, अल्लाह तआ़ला तो यक़ीनन सुनते, जानते हैं। (181) हाँ, जिस शख़्स को वसीयत करने वाले की जानिब से किसी बेइन्तिज़ामी की या किसी जुर्म के करने की तहक़ीक़ हुई हो, फिर यह शख़्स उनमें आपस में सुलह-सफ़ाई करा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं, वाक़ई अल्लाह तआ़ला (तो ख़ुद गुनाहों के) माफ़ करने वाले हैं (और गुनाहगारों पर) रहम करने वाले हैं। (182)

वसीयत का बयान

इस आयत में माँ-बाप और क़राबत (रिश्ते) दारों के लिये वसीयत करने का हुक्म हो रहा है। मीरास के हुक्म से पहले यह वाजिब थी लेकिन मीरास के अहकाम ने इस वसीयत को मन्सूख़ कर दिया। हर वारिस अपना मुक़र्ररा (निर्धारित) हिस्सा बग़ैर वसीयत भी ले सकेगा। सुनन वग़ैरह में हज़रत अ़मर बिन ख़ारिजा रज़ि. से हदीस है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़ुतबे में यह फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तआ़ला ने हर हक़दार को उसका हक़ पहुँचा दिया है, अब किसी वारिस के लिये कोई वसीयत नहीं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. सूरः ब-क़रह की तिलावत करते हैं। जब आप इस आयत पर पहुँचते हैं तो फ़रमाते हैं- यह आयत मन्सूख़ है (यानी अब इसका हुक्म बाक़ी नहीं रहा)। (मुस्नद अहमद)

आपसे यह भी रिवायत है कि पहले माँ-बाप के साथ और कोई रिश्तेदार वारिस न था औरों के लिये सिर्फ़ वसीयत होती थी, फिर मीरास की आयतें नाज़िल हुईं और एक तिहाई माल में वसीयत का इख़्तियार बाक़ी रहा। इस आयत के हुक्म को मन्सूख़ करने वाली यह आयत है:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ........ الخ.

(सूरः निसा आयत 7)

हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू मूसा, सईद बिन मुसैयब, हसन, मुजाहिद, अ़ता, सईद बिन जुबैर, मुहम्मद बिन सीरीन, इक्रिमा, ज़ैद बिन असलम, रबीअ़ बिन अनस, क़तादा, सुद्दी, मुक़ातिल बिन हय्यान, ताऊस, इब्राहीम नख़ई, शुरैह, ज़ह्हाक और ज़ोहरी ये सब हज़रात भी इस आयत को मन्सूख़ बतलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ताज्जुब है कि इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीरे कबीर में अबू मुस्लिम अस्फ़हानी से यह कैसे नक़ल कर दिया कि यह आयत मन्सूख़ नहीं, बल्कि मीरास की आयत इसकी तफ़सीर है, और मतलब आयत का यह है कि तुम पर वह वसीयत फ़र्ज़ की गयी जिसका बयान इस आयतः

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ........ الخ.

(सूरः निसा आयत 11) में है। और यही क़ौल अक्सर मुफ़स्सिरीन और मोतबर फ़ुक़हा का है। बाज़ कहते हैं कि वसीयत का हुक्म वारिसों के हक़ में मन्सूख़ है और जिनका वरसा (मीरास का हिस्सा) मुक़र्रर नहीं उनके हक़ में साबित है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हसन, मसरूक़, ताऊस, ज़ह्हाक, मुस्लिम बिन यसार और अ़ला बिन ज़ियाद रह. का मज़हब भी यही है। मैं कहता हूँ कि सईद बिन जुबैर, रबीअ़ बिन अनस, क़तादा और मुक़ातिल बिन हय्यान रह. भी यही कहते हैं, लेकिन इन हज़रात के इस क़ौल की बिना पर पिछले फ़ुक़हा की इस्तिलाह (परिभाषा) में यह आयत मन्सूख़ नहीं ठहरती, इसलिये कि मीरास की आयत से वे लोग तो इस हुक्म से मख़्सूस हो गये जिनका हिस्सा शरीअ़त ने ख़ुद मुक़र्रर कर दिया, और जो इससे पहले इस आयत के हुक्म के एतिबार से वसीयत में दाख़िल थे, क्योंकि क़राबतदार (रिश्तेदार) आ़म हैं, चाहे उनका हिस्सा मुक़र्रर हो या न हो, तो अब वसीयत उनके हक़ में न रही जो वारिस हैं। यह क़ौल और बाज़ दूसरे हज़रात का यह क़ौल कि वसीयत का हुक्म इस्लाम के शुरू ज़माने में था और वह भी ग़ैर-ज़रूरी, दोनों का मतलब तक़रीबन एक हो गया। लेकिन जो लोग वसीयत के इस हुक्म को वाजिब कहते हैं और इबारत की रवानी और कलाम के मज़मून से भी बज़ाहिर यही मालूम होता है, उनके नज़दीक तो यह आयत मन्सूख़ ही ठहरेगी जैसा कि अक्सर मुफ़स्सिरीन और मोतबर फ़ुक़हा-ए-किराम का क़ौल है। पस

वालिदैन (माँ-बाप) और मीरास का हिस्सा पाने वाले क़राबतदारों के लिये वसीयत करना सब के नज़दीक मन्सूख़ है, बल्कि वर्जित और मना है। हदीस शरीफ़ में आ चुका है कि अल्लाह तआ़ला ने हक़दार को उसका हक़ दे दिया है, अब वारिस के लिये कोई वसीयत नहीं। मीरास वाली आयत का हुक्म मुस्तक़िल है, और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वह वाजिब व फ़र्ज़ है। ज़विल-फ़ुरूज़ और अ़सबात का हिस्सा मुक़र्रर है और इससे इस आयत का हुक्म पूरी तरह उठ गया, बाक़ी रह गये वे क़राबतदार जिनका कोई वरसा (हिस्सा) मुक़र्रर नहीं, उनके लिये तिहाई माल में वसीयत करना मुस्तहब है, कुछ तो इसका हुक्म इस आयत से भी निकलता है, दूसरे यह कि हदीस शरीफ़ में साफ़ आ चुका है।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि किसी मुसलमान मर्द को लायक़ नहीं कि उसके पास कोई चीज़ हो और वह वसीयत करना चाहता हो और दो रातें भी वसीयत लिखे बग़ैर गुज़ार दे। हदीस के बयान करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. के बेटे फ़रमाते हैं कि इस फ़रमान के सुनने के बाद मैंने तो एक रात भी बिना वसीयत नहीं गुज़ारी। क़राबतदारों और रिश्तेदारों से सुलूक व एहसान करने के बारे में बहुत सी आयतें और हदीसें आयी हैं। एक हदीस में है, अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ऐ आदम के बेटे! तू जो माल मेरी राह में ख़र्च करेगा मैं उसकी वजह से तुझे पाक-साफ़ करूँगा और तेरे इन्तिक़ाल के बाद भी अपने नेक बन्दों की दुआ़ओं का सबब बनाऊँगा। 'ख़ैरन' से मुराद यहाँ माल है, अक्सर बड़े मुफ़स्सिरीन की यही तफ़सीर है। बाज़ मुफ़स्सिरीन का तो क़ौल है कि माल चाहे थोड़ा हो या बहुत, वसीयत लाज़िमी है, जैसे मीरास थोड़े माल में भी है और ज़्यादा में भी। बाज़ कहते हैं कि वसीयत का हुक्म उस वक़्त है जब ज़्यादा माल हो। हज़रत अ़ली रज़ि. से ज़िक्र होता है कि एक क़ुरैशी मर गया है और तीन चार सौ दीनार उसके तर्के में हैं और उसने वसीयत कुछ नहीं की, आपने फ़रमाया यह रक़म वसीयत के क़ाबिल ही नहीं। अल्लाह तआ़ला ने 'इन् त-र-क ख़ैरन्' फ़रमाया है। एक और रिवायत में है कि हज़रत अ़ली रज़ि. अपनी क़ौम के एक बीमार की बीमारी का हाल पूछने को गये, उससे किसी ने कहा वसीयत करो तो आपने फ़रमाया वसीयत ख़ैर में होती है, और तू तो कम माल छोड़ रहा है, उसे अपनी औलाद के लिये ही छोड़ जा।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रजि. फ़रमाते हैं कि साठ दीनार जिसने नहीं छोड़े उसने ख़ैर नहीं छोड़ी। यानी उसके ज़िम्मे वसीयत करना नहीं। इमाम ताऊस रह. अस्सी दीनार बतलाते हैं। क़तादा रह. एक हज़ार बतलाते हैं। 'मारूफ़' से मुराद नर्मी और एहसान है। हज़रत हसन रह. फ़रमाते हैं कि वसीयत करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, इसमें भलाई करे बुराई न करे। वारिसों को नुक़सान न पहुँचाये, फ़ुज़ूलख़र्ची न करे। सहीहैन में है कि हज़रत सअ़द रज़ि. ने फ़रमाया- या रसूलल्लाह! मैं मालदार हूँ और मेरी वारिस सिर्फ़ मेरी एक लड़की है तो आप इजाज़त दीजिए कि मैं अपने दो तिहाई माल की वसीयत करूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नहीं। कहा आधे की इजाज़त दीजिए फ़रमाया नहीं। कहा एक तिहाई की इजाज़त दीजिए फ़रमाया ख़ैर तिहाई माल की वसीयत करो, अगरचे यह भी बहुत है। तुम अपने पीछे अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ, यह बेहतर है इससे कि तुम उन्हें फ़क़ीर और तंगदस्त छोड़कर जाओ कि वे औरों के सामने हाथ फैलायें।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- काश कि लोग तिहाई से हटकर चौथाई पर आ जायें, इसलिये कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तिहाई की रुख़्सत (इजाज़त) देते हुए यह भी फ़रमाया है कि तिहाई बहुत है। मुस्नद अहमद में है कि हन्ज़ला के दादा हनीफ़ा ने एक यतीम बच्चे के

लिये जो उनके यहाँ पलते थे सौ ऊँटों की वसीयत की, उनकी औलाद पर यह बहुत भारी और नागवार गुज़रा, मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक पहुँचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया नहीं नहीं! सदके में पाँच दो वरना दस दो, वरना पन्द्रह दो, वरना बीस वरना पच्चीस दो, वरना तीस दो वरना पैंतीस दो, अगर इस पर भी न मानो ख़ैर ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दो.......।

फिर फ़रमाता है कि जो शख़्स वसीयत को बदल दे, उसमें कमी-बेशी कर दे या वसीयत को छुपा ले उसका गुनाह बदलने वाले के ज़िम्मे है, मय्यित का अज्र ख़ुदा तआ़ला के ज़िम्मे साबित हो गया। अल्लाह तआ़ला वसीयत करने वाले की वसीयत की असलियत को भी जानता है और बदलने वाले की तब्दीली को भी, न उससे कोई आवाज़ पोशीदा न कोई राज़। 'जनफ़' के मायने ख़ता और ग़लती के हैं। जैसे किसी वारिस को किसी तरह ज़्यादा दिलवा देना, मिसाल के तौर पर कह दिया कि फ़ुलाँ चीज़ फ़ुलाँ के हाथ इतने-इतने में बेच दी जाये वग़ैरह। अब यह चाहे बतौर ग़लती और ख़ता के हो या मुहब्बत व शफ़क़त के ज़्यादा होने की वजह से बग़ैर किसी इरादे के ऐसी हरकत सर्ज़द हो गयी हो, या गुनाह के तौर पर हो, तो वसी (वसीयत करने वाले) को उसके रद्दोबदल में कोई गुनाह नहीं। वसीयत को शरई अहकाम के मुताबिक़ करके जारी कर दे, ताकि मय्यित भी अ़ज़ाबे इलाही से बचे और हक़दारों को हक़ भी पहुँचे और वसीयत भी शरीअ़त के मुताबिक़ पूरी हो। ऐसी हालत में बदलने वाले पर कोई गुनाह या हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम।

इब्ने अबी हातिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि ज़िन्दगी में ज़ुल्म करके सदक़ा देने वाले का सदक़ा इस तरह लौटा दिया जाये जिस तरह मौत के वक़्त ख़ता और ग़लती करने वाले का सदक़ा लौटा दिया जाता है। यह हदीस इब्ने मर्दूया में भी मरवी है। इब्ने अबी हातिम फ़रमाते हैं कि वलीद बिन यज़ीद जो इस हदीस का रावी है उसने इसमें ग़लती की है, दर असल यह कलाम हज़रत उरवा का है। वलीद बिन मुस्लिम ने इसे औज़ाई से रिवायत किया है और उरवा से आगे सनद नहीं ले गये। इमाम इब्ने मर्दूया भी एक मरफ़ूअ़ हदीस इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत से बयान करते हैं कि वसीयत की कमी-बेशी कबीरा (बड़ा) गुनाह है। लेकिन इस हदीस के मरफ़ूअ़ होने में भी कलाम है। इस बारे में सबसे जामे वह हदीस है जो मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदमी नेक लोगों के आमाल सत्तर साल तक करता रहता है और वसीयत में ज़ुल्म करता है और बुराई के अ़मल पर ख़ात्मा होने की वजह से जहन्नमी बन जाता है। और बाज़ लोग सत्तर बरस तक बद-आमालियाँ (बुरे आमाल) करते रहते हैं लेकिन वसीयत में अ़दल व इन्साफ़ करते हैं और आख़िरी अ़मल उनका भला होता है और वे जन्नती बन जाते हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने फ़रमाया- अगर चाहो तो क़ुरआन पाक की इस आयत को पढ़ लो:

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا............ الخ.

यानी ये अल्लाह तआ़ला की हदें हैं इनसे आगे न बढ़ो।

ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जिस तरह तुमसे पहले (वाली उम्मतों के) लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, इस उम्मीद पर कि तुम (रोज़े की बदौलत धीरे-धीरे) परहेज़गार बन जाओ। (183) थोड़े दिनों (रोज़ा रख लिया	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ

كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○	करो) फिर (इसमें भी इतनी आसानी है कि) जो शख़्स तुममें (ऐसा) बीमार हो (जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल या नुक़सानदेह हो) या (शरई) सफ़र में हो तो दूसरे दिनों का शुमार (करके उनमें रोज़े) रखना (उस पर वाजिब) है, और (दूसरी आसानी जो बाद में मन्सूख़ हो गई यह है कि) जो लोग (रोज़े की) ताक़त रखते हों उनके ज़िम्मे फ़िदया है (कि वह) एक ग़रीब का खाना (खिला देना या दे देना है), और जो शख़्स ख़ुशी से (ज़्यादा) ख़ैर करे (कि ज़्यादा फ़िदया दे) तो उस शख़्स के लिए और भी बेहतर है। और तुम्हारा रोज़ा रखना (इस हाल में) ज़्यादा बेहतर है अगर तुम (रोज़े की फ़ज़ीलत की) ख़बर रखते हो। (184)

इस्लाम का दूसरा अमली सुतून रोज़ा, और उसके अहकाम

अल्लाह तआ़ला इस उम्मत के ईमान वालों को मुख़ातिब करके उन्हें हुक्म दे रहा है कि रोज़े रखो। रोज़े के मायने अल्लाह तआ़ला के फ़रमान को बजा लाना यानी ख़ालिस नीयत के साथ खाने पीने और हमबिस्तरी (संभोग) से रुक जाने के हैं। इससे फ़ायदा यह है कि इनसान का नफ़्स पाक-साफ़ और तैयब व ताहिर हो जाता है, बदन के रद्दी और ख़राब तत्व और बुरे अख़्लाक़ से इनसान की सफ़ाई हो जाती है। इस हुक्म के साथ ही फ़रमाता है कि इस हुक्म के साथ तुम तन्हा नहीं बल्कि तुम से पहलों को भी रोज़ों का हुक्म था। इस बयान से यह भी मक़सद है कि यह उम्मत इस फ़रीज़े के पूरा करने में पहली उम्मतों से पीछे न रह जाये। जैसे एक और जगह है:

لِكُلٍّ جَعَلْنَامِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا......... الخ.

यानी हर एक के लिये एक तरीक़ा और रास्ता है, अगर ख़ुदा चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता, लेकिन वह तुम्हें आज़मा रहा है, तुम्हें चाहिये कि नेकियों में आगे बढ़ते रहो।

यही यहाँ भी फ़रमाया कि तुम पर भी रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर थे। रोज़े से बदन की पाकीज़गी है और शैतानी राह की रोक है। सहीहैन में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- ऐ जवानो! तुममें से जिसे निकाह की ताक़त हो वह निकाह कर ले और जिसे ताक़त न हो वह रोज़े रखे, उसके लिये यह ख़स्सी होना है (यानी इससे शहवत टूटती है)। फिर रोज़ों की मिक़दार बयान हो रही है कि ये चन्द दिन ही हैं ताकि किसी पर भारी न पड़े और अदायेगी से असमर्थ न रह जाये, बल्कि ज़ौक़ व शौक़ से ख़ुदाई फ़रीज़े को बजा लाये।

पहले तो हर महीने में तीन रोज़ों का हुक्म था, फिर रमज़ान के रोज़ों का हुक्म हुआ और पहला हुक्म मन्सूख़ हुआ। इसका मुफ़स्सल बयान आ रहा है, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हज़रत मुआज़ रज़ि., हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि., हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हज़रत अ़ता, हज़रत क़तादा, हज़रत ज़ह्हाक रह. का फ़रमान है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के ज़माने से हर महीने में तीन रोज़ों का हुक्म था जो हुज़ूर सल्ल. की उम्मत के लिये बदला और इन पर इस मुबारक महीने के रोज़े फ़र्ज़ हुए। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि पहली उम्मतों पर भी एक पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे। एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि रमज़ान के रोज़े तुम से पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि पहली उम्मतों को यह हुक्म था कि जब वे इशा की नमाज़ अदा कर लें और सो जायें तो उन पर खाना पीना, औ़रतों से हमबिस्तरी करना हराम हो जाता था। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि पहले लोगों से मुराद अहले किताब हैं।

फिर बयान हो रहा है कि तुममें से जो शख़्स रमज़ान के महीने में बीमार हो या सफ़र में हो तो वह इस हालत में रोज़े छोड़ दे, मशक़्क़त न उठाये और उसके बाद दूसरे दिनों में जबकि वह उज़्र (मजबूरी) ख़त्म हो जाये, क़ज़ा कर ले। हाँ इस्लाम के शुरू ज़माने में जो शख़्स तन्दुरुस्त हो और मुसाफ़िर भी न हो उसे भी इख़्तियार था, चाहे रोज़ा रखे चाहे न रखे और फ़िदये में एक मिस्कीन को खाना खिला दे, अगर एक से ज़्यादा को खिलाये तो अफ़ज़ल था अगरचे रोज़ा रखना फ़िदया देने से ज़्यादा बेहतर था। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि., इब्ने अ़ब्बास रज़ि., मुजाहिद रह., ताऊस रह. और मुक़ातिल रह. वग़ैरह यही फ़रमाते हैं।

कुछ तब्दीलियाँ

मुस्नद अहमद में है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि. फ़रमाते हैं कि नमाज़ और रोज़े की तीन हालतें बदली गयीं, पहले तो सोलह सत्रह महीने तक मदीने में आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ अदा की। फिर क़िब्ले की तब्दीली की आयत नाज़िल हुई और मक्का शरीफ़ की तरफ़ आपने मुँह फेरा। दूसरी तब्दीली यह हुई कि नमाज़ के लिये एक दूसरे को पुकारता था और जमा हो जाते थे, लेकिन इससे आख़िर आ़जिज़ आ गये। फिर एक अन्सारी सहाबी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि. हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैंने ख़्वाब में देखा, लेकिन वह ख़्वाब गोया कुछ जागने ही की हालत में था कि एक शख़्स हरे रंग का लिबास पहने हुए है और क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके कह रहा है:

'अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर..........................' (पूरी अज़ान)। फिर थोड़ी देर के बाद उसने तकबीर कही जिसमें 'क़द क़ामतिस्सलातु क़द क़ामतिस्सलातु' भी दो मर्तबा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिलाल को यह सिखाओ, वह अज़ान कहेंगे। चुनाँचे सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ि. ने अज़ान कही। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ि. ने भी आकर अपना यही ख़्वाब बयान किया था, लेकिन उनसे पहले हज़रत ज़ैद रज़ि. आ चुके थे।

तीसरी तब्दीली यह हुई कि पहले यह दस्तूर था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कोई आया कुछ रक्अ़तें हो चुकी हैं तो वह किसी से मालूम करता कितनी रक्अ़तें हो चुकी हैं? वह जवाब देता कि इतनी रक्अ़तें पढ़ ली हैं, वह उतनी रक्अ़तें अदा करता फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मिल जाता। हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. एक मर्तबा आये और कहने लगे कि मैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जिस हाल में पाऊँगा उसी हाल में मिल जाऊँगा और जो नमाज़ छूट गयी है उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सलाम फेरने के बाद अदा कर लूँगा। चुनाँचे उन्होंने यही किया

और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सलाम फेरने के बाद अपनी बाक़ी रक्अ़तें अदा करने के लिये खड़े हुए। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन्हें देखकर फ़रमाया- मुआ़ज़ ने तुम्हारे लिये यह अच्छा तरीक़ा निकाला है, तुम भी अब यूँही किया करो। ये तीन तब्दीलियाँ तो नमाज़ की हुईं। रोज़ों की तब्दीलियाँ सुनिये।

शुरू में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना में आये तो हर महीने में तीन रोज़े रखते थे और आ़शूरा (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखा करते थे। फिर अल्लाह तआ़ला ने इस आयतः

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ........... الخ.

(यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) नाज़िल फ़रमाकर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किये। दूसरे शुरू में यह हुक्म था कि जो चाहे रोज़ा रखे जो चाहे रोज़ा न रखे और फ़िदया दे दे, फिर यह आयत उतरीः

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

कि तुममें से जो शख़्स रमज़ान के महीने में क़ियाम (यानी अपने स्थाई यास अस्थाई वतन में ठहरने) की हालत में हो वह रोज़े रखा करे। पस जो शख़्स मुक़ीम हो मुसाफ़िर न हो, तन्दुरुस्त हो बीमार न हो, उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी हो गया। हाँ बीमार और मुसाफ़िर के लिये रुख़्सत (छूट और इजाज़त) मिली और ऐसा बहुत ज़्यादा बूढ़ा शख़्स जो रोज़े की ताक़त ही न रखता हो उसे भी रुख़्सत दी गयी। तीसरी हालत यह कि शुरू में खाना पीना, औ़रतों के पास आना सोने से पहले-पहले जायज़ था, सो गया तो फिर चाहे रात ही को जागे लेकिन खाना पीना और सोहबत उसके लिये मना था। फिर सिर्मा नाम के एक अन्सारी सहाबी दिन भर काम-काज करके रात को थके-हारे घर आये, इशा की नमाज़ अदा की और नींद आ गयी। दूसरे दिन कुछ खाये-पिये बग़ैर रोज़ा रखा, लेकिन हालत बहुत नाज़ुक हो गयी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि यह क्या बात है? तो उन्होंने सारा वाक़िआ़ कह सुनाया। उधर यह वाक़िआ़ तो उनके साथ हुआ, इधर हज़रत उमर रज़ि. ने सो जाने के बाद अपनी बीवी साहिबा से सोहबत कर ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर हसरत व अफ़सोस के साथ अपने इस क़ुसूर का इक़रार किया, जिस पर यह आयतः

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ....ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ.

(यानी इसी सूरत की आयत 187, जो आगे आ रही है) नाज़िल हुई। और मग़रिब के बाद से लेकर सुबह सादिक़ के होने तक रमज़ान की रातों में खाने पीने और सोहबत करने की रुख़्सत (छूट) दी गयी।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. से मरवी है कि पहले आ़शूरा (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखा जाता था, जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत नाज़िल हुई तो अब ज़रूरी न रहा, जो चाहता रख लेता, जो न चाहता न रखता। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से भी यह नक़ल हैः

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ.

(और जो लोग रोज़े की ताक़त रखते हों) का मतलब हज़रत मुआ़ज़ रज़ि यह बयान फ़रमाते हैं कि इस्लाम के शुरूआ़ती दौर में जो चाहता रोज़ा रखता जो चाहता न रखता, हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ि. से भी सही बुख़ारी में एक रिवायत आयी है कि इस आयत के नाज़िल होने के वक़्त जो शख़्स चाहता इफ़तार करता और फ़िदया दे देता, यहाँ तक कि उसके

बाद की आयत उतरी, और यह मन्सूख़ हुई। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. भी इसको मन्सूख़ कहते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह मन्सूख़ नहीं, मुराद इससे बूढ़ा मर्द और बुढ़िया औ़रत है, जिसे ताक़त रोज़े की न हो। इब्ने अबी लैला कहते हैं कि अ़ता रह. के पास मैं रमज़ान में गया, देखा कि वह खाना खा रहे हैं। मुझे देखकर फ़रमाने लगे- हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि जो शख़्स मुक़ीम हो और तन्दुरुस्त हो उसके लिये यह हुक्म नहीं, बल्कि उसे रोज़ा ही रखना होगा, हाँ ऐसे बूढ़े बड़ी उम्र के और कमज़ोर आदमी जिन्हें रोज़े की ताक़त ही न हो वे रोज़ा न रखें और न उन पर क़ज़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर वे मालदार हों तो आया उन्हें कफ़्फ़ारा भी देना पड़ेगा या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। इमाम शाफ़ई का एक क़ौल तो यह है कि चूँकि उसमें रोज़े की ताक़त नहीं लिहाज़ा वह भी एक बच्चे की तरह है, उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। दूसरा क़ौल हज़रत इमाम शाफ़ई रह. का यह है कि उसके ज़िम्मे कफ़्फ़ारा है। अक्सर उलेमा-ए-किराम का भी यही फ़ैसला है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह की तफ़सीर से भी यही साबित होता है।

इमाम बुख़ारी रह. का राजेह (वरीयता प्राप्त) क़ौल यही है। वह फ़रमाते हैं कि बहुत बड़ी उम्र वाला बूढ़ा जिसे रोज़े की ताक़त न हो तो फ़िदया दे दे, जैसे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. ने बुढ़ापे के आख़िरी वक़्तों में साल दो साल तक रोज़ा न रखा और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को रोटी गोश्त खिला दिया।

मुस्नद अबू यअ़ला में है कि जब हज़रत अनस रज़ि. रोज़ा रखने से आ़जिज़ हो गये तो गोश्त रोटी तैयार करके तीस मिस्कीनों को बुलाकर खिला दिया। इसी तरह हमल (गर्भ) वाली और दूध पिलाने वाली औ़रत के बारे में, जब उन्हें अपनी जान का या अपने बच्चे की जान का ख़ौफ़ हो, उलेमा में सख़्त इख़्तिलाफ़ है, बाज़ कहते हैं कि वे रोज़ा न रखें, फ़िदया दे दें और जब ख़ौफ़ हट जाये क़ज़ा भी कर लें। बाज़ कहते हैं कि सिर्फ़ फ़िदया काफ़ी है, क़ज़ा न करें। बाज़ कहते हैं कि क़ज़ा कर लें, फ़िदया नहीं। और बाज़ का क़ौल है कि न रोज़ा रखें, न फ़िदया दें, न क़ज़ा करें।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ

(वे थोड़े दिन) रमज़ान का महीना है जिसमें क़ुरआन मजीद भेजा गया है, जिसका (एक) वस्फ़ 'यानी ख़ूबी और गुण' यह है कि लोगों के लिए हिदायत (का ज़रिया) है, और (दूसरा वस्फ़) वाज़ेह दलालत करने वाला है उन सब किताबों में जो कि हिदायत (का ज़रिया भी) हैं और (हक़ व बातिल में) फ़ैसला करने वाली (भी) हैं। सो जो शख़्स इस महीने में मौजूद हो उसको ज़रूर इस (महीने) में रोज़ा रखना चाहिए, और जो शख़्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों का (उतना ही) शुमार (करके उनमें रोज़ा) रखना (उस पर वाजिब) है।

अल्लाह को तुम्हारे साथ (अहकाम में) आसानी करना मन्ज़ूर है, और तुम्हारे साथ (अहकाम व क़वानीन मुक़र्रर करने में) दुश्वारी मन्ज़ूर नहीं, और ताकि तुम लोग (अदा या क़ज़ा के दिनों के) शुमार को पूरा कर लिया करो, (कि सवाब में कमी न रहे) इसलिए तुम लोग अल्लाह की बड़ाई (व तारीफ़) बयान किया करो, इस पर कि तुमको (एक ऐसा) तरीक़ा बतला दिया (जिससे तुम रमज़ान की बरकतों और फ़ायदों से मेहरूम न रहोगे) और (उज़्र की वजह से ख़ास रमज़ान में रोज़े न रखने की इजाज़त इसलिए दे दी) ताकि तुम लोग (इस आसानी की नेमत पर अल्लाह का) शुक्र अदा किया करो। (185)	الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

रमज़ान मुबारक के महीने की फ़ज़ीलत

रमज़ान शरीफ़ के महीने की फ़ज़ीलत व बड़ाई का बयान हो रहा है कि इस मुबारक महीने में क़ुरआन करीम उतरा। मुस्नद अहमद की हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इब्राहीमी सहीफ़ा रमज़ान की पहली रात में उतरा और तौरात छठी तारीख़ को, इन्जील तेहरवीं तारीख़ को और क़ुरआन चौबीसवीं तारीख़ को नाज़िल हुआ। एक और रिवायत में है कि ज़बूर बारहवीं को और इन्जील अट्ठारहवीं को। पहले तमाम सहीफ़े और तौरात व इन्जील व ज़बूर जिस जिस पैग़म्बर पर उतरीं एक साथ एक ही मर्तबा में उतरीं, लेकिन क़ुरआने करीम बैतुल-इज़्ज़त से दुनिया वाले आसमान तक तो एक साथ एक मर्तबा नाज़िल हुआ और फिर थोड़ा-थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक़ ज़मीन पर नाज़िल होता रहा। यही मतलब है इन आयतों का:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ.

أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

कि क़ुरआने करीम एक साथ पहले आसमान पर रमज़ान मुबारक के महीने में लैलतुल-क़द्र (शबे-क़द्र) को नाज़िल हुआ और इसी को 'मुबारक रात' भी कहा है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह से यही रिवायत है। आप से जब यह सवाल हुआ कि क़ुरआने करीम तो मुख़्तलिफ़ महीनों में बरसों में जाकर उतरा, फिर रमज़ान में और वह भी शबे-क़द्र में उतरने के क्या मायने हैं? तो आपने यही मतलब बयान किया। (इब्ने मर्दूया वग़ैरह)

आपसे यह भी रिवायत है कि आधे रमज़ान में क़ुरआने करीम दुनिया वाले आसमान की तरफ़ उतरा,

बैतुल-इज़्ज़त में रखा गया, फिर ज़रूरत, वाक़िआत और सवालात के मुताबिक़ थोड़ा-थोड़ा उतरता रहा और बीस साल में कामिल हुआ। इसमें बहुत सी आयतें काफ़िरों के जवाब में भी उतरीं। काफ़िरों का एक एतिराज़ यह भी था कि यह क़ुरआन एक साथ सारे का सारा क्यों नहीं उतरा? जिसके जवाब में फ़रमाया गयाः

لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا.

यह इसलिये कि यह तेरे दिल को बरक़रार और मज़बूत रखे, वग़ैरह।

फिर क़ुरआने करीम की तारीफ़ में बयान हो रहा है कि यह लोगों के दिलों की हिदायत है और इसमें वाज़ेह और रोशन दलीलें हैं। ग़ौर व फ़िक्र करने वाला इससे सही राह पर पहुँच सकता है, यह हक़ व बातिल, हराम व हलाल में फ़र्क़ ज़ाहिर करने वाला है। हिदायत व गुमराही और अच्छाई व बुराई में फ़र्क़ करने वाला है। बाज़ बुज़ुर्गों से नक़ल किया गया है कि सिर्फ़ 'रमज़ान' कहना मक्रूह है। 'शहरे रमज़ान' यानी रमज़ान का महीना कहना चाहिये। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से नक़ल है कि रमज़ान न कहो, यह अल्लाह तआ़ला का नाम है। शहरे रमज़ान यानी रमज़ान का महीना कहा करो। हज़रत मुजाहिद रह. और मुहम्मद बिन कअ़ब रह. से भी यही नक़ल है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. का मज़हब इसके ख़िलाफ़ है। रमज़ान न कहने के बारे में एक मरफ़ूअ़ हदीस भी है लेकिन सनद के एतिबार से वह कमज़ोर है। इमाम बुख़ारी रह. ने भी इसके रद्द में बाब बाँधकर बहुत सी हदीसें बयान फ़रमाई हैं। एक में है जो शख़्स रमज़ान के रोज़े ईमान और नेक-नीयती के साथ रखे उसके तमाम पहले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं वग़ैरह। ग़र्ज़ कि इस आयत से साबित हुआ कि जब रमज़ान का चाँद चढ़े और कोई शख़्स अपने घर हो, सफ़र की हालत में न हो, और तन्दुरुस्त भी हो तो उसे रोज़े रखने लाज़िमी और ज़रूरी हैं। पहले इस क़िस्म के लोगों को भी रुख़्सत (छूट) थी, अब वह ख़त्म हो गयी।

बीमार को रोज़ा न रखने की रुख़्सत

इसका बयान फ़रमाकर फिर बीमार और मुसाफ़िर की रुख़्सत (छूट) का बयान किया गया कि ये लोग रोज़ा उन दिनों में न रखें और फिर क़ज़ा कर लें। यानी जिसके बदन में कोई तकलीफ़ हो, जिसकी वजह से रोज़े में मशक़्क़त पड़े या तकलीफ़ बढ़ जाये, या सफ़र में हो तो इफ़तार कर ले और जितने रोज़े जायें उतने दिन फिर क़ज़ा कर ले। फिर इरशाद होता है कि इन हालतों में रुख़्सत (छूट और न रखने की इजाज़त) अ़ता फ़रमाकर तुम्हें मशक़्क़त से बचा लेना यह सरासर हमारी रहमत का ज़हूर और अहकामे इस्लाम में आसानी है। इस मौक़े पर चन्द मसाईल क़ाबिले ग़ौर हैं।

1. बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त का ख़्याल है कि जो शख़्स अपने घर में मुक़ीम हो और रमज़ान शरीफ़ का महीना आ जाये, फिर दरमियान में उसे सफ़र दरपेश हो तो उसे रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को रोज़ा रखने का साफ़ हुक्म क़ुरआन पाक में मौजूद है। हाँ उन लोगों का सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ना जायज़ है जो सफ़र में हों और रमज़ान का महीना आ जाये, लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। अबू मुहम्मद बिन हज़्म ने अपनी किताब मुहल्ला में सहाबा और ताबिईन की एक जमाअ़त का यही मज़हब नक़ल किया है, लेकिन इसमें कलाम है। वल्लाहु आलम।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान मुबारक में फ़त्हे-मक्के की लड़ाई के लिये निकले तो

रोज़े से थे। कदीद में पहुँच कर रोज़ा इफ़तार किया और लोगों को भी हुक्म दिया कि रोज़ा तोड़ दें। (बुख़ारी व मुस्लिम)।

2. सहाबा और ताबिईन की एक और जमाअ़त ने कहा है कि सफ़र की हालत में रोज़ा तोड़ देना वाजिब है, क्योंकि क़ुरआने करीम में हैः

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

कि वह दूसरे दिनों में इतने ही दिन गिन ले (यानी इतने ही दिनों की क़ज़ा करे)।

लेकिन सही क़ौल जो जमहूर का मज़हब है यह है कि आदमी को इख़्तियार है चाहे रखे चाहे न रखे। इसलिये कि रमज़ान के महीने में लोग जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ निकलते थे, बाज़ रोज़े से होते थे बाज़ रोज़े से नहीं होते थे, पस रोज़ेदार बिना रोज़े वालों पर और बिना रोज़े वाला रोज़ेदार को कुछ बुरा-भला नहीं कहता था। अगर इफ़तार (रोज़ा न रखना) वाजिब होता तो रोज़ा रखने वालों पर इनकार किया जाता, बल्कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सफ़र की हालत में रोज़ा रखना साबित है। बुख़ारी व मुस्लिम में है, हज़रत अबू दर्दा रज़ि. फ़रमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में सख़्त गर्मी के मौसम में हम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक सफ़र में थे, गर्मी की शिद्दत की वजह से सर पर हाथ रखे-रखे फिर रहे थे, हममें से कोई भी रोज़े से न था सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा के।

तीसरा मसला

उलेमा की एक जमाअ़त का ख़्याल है जिनमें हज़रत इमाम शाफ़ई रह. भी हैं कि सफ़र में रोज़ा रखना न रखने से अफ़ज़ल है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सफ़र की हालत में रोज़ा रखना साबित है। एक दूसरी जमाअ़त का ख़्याल है कि रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है, क्योंकि इसमें रुख़्सत (छूट) पर अ़मल है। एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सफ़र के रोज़े के बारे में सवाल हुआ तो आपने फ़रमाया- जो रोज़ा तोड़ दे उसने अच्छा किया और जो न तोड़े उस पर कोई गुनाह नहीं। एक और हदीस शरीफ़ में है, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि ख़ुदा की रुख़्सतों को जो उसने तुम्हें दी हैं तुम ले लो।

तीसरी जमाअ़त का क़ौल है कि रखना न रखना दोनों बराबर हैं। उनकी दलील हज़रत आ़यशा रज़ि. वाली हदीस है कि हज़रत हमज़ा इब्ने अ़मर असलमी रज़ि. ने कहा या रसूलल्लाह! मैं रोज़े अक्सर रखा करता हूँ तो क्या इजाज़त है कि सफ़र में भी रोज़े रख लिया करूँ? फ़रमाया अगर चाहो रखो और चाहो न रखो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बाज़ लोगों का क़ौल है कि अगर रोज़ा भारी पड़ता हो तो इफ़तार करना अफ़ज़ल है। हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को देखा कि उस पर साया किया गया है, पूछा यह क्या बात है? लोगों ने कहा हुज़ूर! यह रोज़े से है। आपने फ़रमाया सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं। (बुख़ारी व मुस्लिम) यह ख़्याल रहे कि जो शख़्स सुन्नत को तर्क करे और रोज़ा छोड़ना सफ़र की हालत में भी मक्रूह जाने तो उस पर इफ़तार ज़रूरी और रोज़ा रखना हराम है। मुस्नद अहमद वग़ैरह में हज़रत इब्ने उमर रज़ि., हज़रत जाबिर रज़ि. वग़ैरह से नक़ल है कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की

रुख़्सत (छूट और रियायत) को कबूल न करे, उस पर अ़रफ़ात के पहाड़ों के बराबर गुनाह होगा।

क़ज़ा किस तरह होगी?

चौथा मसला यह है कि आया क़ज़ा रोज़ों में लगातार रोज़े रखने ज़रूरी हैं या अलग-अलग भी रख लिये जायें तो हर्ज नहीं? एक मज़हब बाज़ लोगों का यह है कि क़ज़ा को अदा की तरह पूरा करना चाहिये एक के पीछे एक यूँ ही लगातार रोज़े रखने चाहियें। दूसरा क़ौल यह है कि लगातार रखने वाजिब नहीं, चाहे अलग-अलग रखे चाहे एक साथ, इख़्तियार है। पहले और बाद के जमहूर उलेमा का यही क़ौल है और दलाईल से सुबूत भी इसी का है। रमज़ान में लगातार रखना इसलिये है कि वह महीना ही रोज़ों की अदायेगी का है और रमज़ान के ख़त्म हो जाने के बाद तो सिर्फ़ वह गिनती पूरी करनी है, चाहे कोई दिन हो इसी लिये क़ज़ा के हुक्म के बाद ख़ुदा की आसानी की नेमत का बयान हुआ है।

मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतर दीन वही है जो आसानी वाला हो। मुस्नद ही की एक और हदीस में है, अबू उरवा रज़ि. कहते हैं कि हम एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इन्तिज़ार कर रहे थे कि आप तशरीफ़ लाये, सर से पानी के क़तरे टपक रहे थे, मालूम होता था कि वुज़ू या ग़ुस्ल करके तशरीफ़ ला रहे हैं। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो लोगों ने आपसे सवालात करने शुरू कर दिये कि हुज़ूर! क्या फ़ुलाँ काम में कोई हर्ज है? फ़ुलाँ काम में कोई हर्ज है? फ़ुलाँ काम में कोई हर्ज है? आख़िर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह का दीन आसानियों वाला है। तीन मर्तबा यही फ़रमाया। मुस्नद अहमद ही की एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- लोगो! आसानी करो, सख़्ती न करो। तसल्ली दो नफ़रत न दिलाओ। सहीहैन की एक हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत मुआ़ज़ और हज़रत अबू मूसा रज़ि. को जब यमन की तरफ़ भेजा तो फ़रमाया- तुम दोनों ख़ुशख़बरियाँ देना, नफ़रत न दिलाना, आसानियाँ करना सख़्तियाँ न करना, आपस में इत्तिफ़ाक़ से रहना, इख़्तिलाफ़ (विवाद और झगड़ा) न करना।

हदीस की किताबों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं एक तरफ़ा नर्मी और आसानी वाले दीन के साथ भेजा गया हूँ। मिह्जन बिन अद्रअ़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, ग़ौर से आप उसे देखते रहे। फ़रमाया क्या तुम उसे सच्चाई के साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हो? लोगों ने कहा हाँ या रसूलल्लाह! यह तमाम अहले मदीना से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाले हैं। आपने फ़रमाया इसे न सुनाओ, कहीं यह इसकी हलाकत का सबब न हो। सुनो! अल्लाह तआ़ला का इरादा इस उम्मत के साथ आसानी का है, सख़्ती का नहीं।

पस आयत का मतलब यह हुआ कि मरीज़ और मुसाफ़िर वग़ैरह को यह रुख़्सत कर देना और उन्हें माज़ूर जानना इसलिये है कि ख़ुदा तआ़ला का इरादा आसानी का है, सख़्ती का नहीं। और क़ज़ा का हुक्म गिनती के पूरा करने के लिये है और इस रहमत, नेमत, हिदायत और इबादत पर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआ़ला की बड़ाई और ज़िक्र करना चाहिये। जैसे एक दूसरी जगह हज के मौक़े पर फ़रमायाः

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ........ الخ.

यानी जब हज के अहकाम (यानी अरकान) अदा कर चुको तो ख़ुदा का ज़िक्र करो। एक और जगह

जुमे की नमाज़ की अदायेगी के बाद फ़रमाया कि जब नमाज़ पूरी हो जाये तो ज़मीन में फैल जाओ, रिज़्क़ तलाश करो और ख़ुदा का ज़िक्र ज़्यादा करो, ताकि तुम्हें फ़लाह मिले। एक और जगह फ़रमायाः

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ... الخ.

यानी सूरज के निकलने से पहले, सूरज के डूबने से पहले, रात को और सज्दों के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करो।

इसी लिये मसनून तरीक़ा यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व तस्बीह और तकबीर पढ़नी चाहिये। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नमाज़ से फ़ारिग़ होना सिर्फ़ अल्लाहु अकबर की आवाज़ों से जानते थे। यह आयत दलील है इस बात की कि ईदुल-फ़ित्र में भी तकबीरें पढ़नी चाहियें। दाऊद बिन अ़ली अस्बहानी ज़ाहिरी रह. का मज़हब है कि इस ईद में तकबीरों का कहना वाजिब है, क्योंकि इस बारे में हुक्म का कलिमा इस्तेमाल हुआ है। और हनफ़ी मज़हब इसके बरअ़क्स है। वह कहते हैं कि इस ईद में तकबीरें पढ़ना मसनून नहीं। बाक़ी बुज़ुर्गाने दीन इसे मुस्तहब बतलाते हैं, अगरचे बाज़ तफ़सीलों में किसी क़द्र मतभेद है। फिर फ़रमाया ताकि तुम शुक्र करो, यानी अल्लाह तआ़ला के अहकाम बजा लाकर उसके फ़राईज़ को अदा करके उसके हराम किये हुए कामों से बचकर उसकी सीमाओं की हिफ़ाज़त करके तुम शुक्रगुज़ार बन्दे बन जाओ।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝	और जब आप से मेरे बन्दे मेरे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करें तो (आप मेरी तरफ़ से फ़रमा दीजिए कि) मैं क़रीब ही हूँ, (और नामुनासिब दरख़्वास्त को छोड़कर) मन्ज़ूर कर लेता हूँ (हर) अ़र्ज़ी दरख़्वास्त करने वाले की, जबकि वह मेरे हुज़ूर में दरख़्वास्त दे, सो उनको चाहिए कि मेरे अहकाम को क़बूल किया करें और मुझ पर यक़ीन रखें, उम्मीद है कि वे लोग हिदायत (व फ़लाह) हासिल कर सकेंगे। (186)

अल्लाह तआ़ला बन्दे से बेहद क़रीब है

एक आराबी (गाँव वाले) ने पूछा था कि या रसूलल्लाह! क्या हमारा रब क़रीब है? अगर क़रीब हो तो हम उससे सरगोशियाँ (चुपके-चुपके बातें) कर लें, या दूर है? अगर दूर हो तो हम ऊँची-ऊँची आवाज़ों से उसे पुकारें। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ामोश रहे इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम)

एक और रिवायत में है कि सहाबा रज़ि. के इस सवाल पर कि हमारा रब कहाँ है? यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर) हज़रत अ़ता फ़रमाते हैं कि जब आयत नाज़िल हुईः

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ़यें क़बूल करता रहूँगा। तो लोगों ने पूछा कि दुआ़ किस वक़्त करनी चाहिये, इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने जुरैज) हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ि. का बयान है कि हम

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक ग़ज़्वे (इस्लामी लड़ाई) में थे, हर ऊँचाई पर चढ़ते वक़्त हर बुलन्दी पर चढ़ते वक़्त हर वादी में उतरते वक़्त बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहते जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे पास आकर फ़रमाने लगे- लोगो! अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी कम सुनने वालों या दूर वाले को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि जिसे तुम पुकारते हो वह तो तुमसे तुम्हारी सवारियों की गर्दन से भी ज़्यादा क़रीब है। ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! सुन जन्नत का ख़ज़ाना "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" है। (मुस्नद अहमद)

हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है, मेरा बन्दा मेरे साथ जैसा अ़क़ीदा रखता है मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव बरतता हूँ। जब जब वह मुझसे दुआ़ माँगता है मैं उसके साथ ही होता हूँ। (मुस्नद अहमद) हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मेरा बन्दा जब मुझे याद करता है और उसके होंठ मेरे ज़िक्र में हिलते हैं तो मैं उसके साथ होता हूँ। (इमाम अहमद) इस मज़मून की आयत कलामे पाक में भी है। फ़रमान है:

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ۝

जो तक़्वा और एहसान व ख़ुलूस वाले लोग हों उनके साथ अल्लाह तआ़ला होता है।

हज़रत मूसा और हज़रत हारून अ़लैहिमस्सलाम से फ़रमाया जाता है:

إِنَّنِيْ مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرٰى۝

मैं तुम दोनों के साथ हूँ सुनता हूँ देख रहा हूँ।

मक़सूद यह है कि बारी तआ़ला दुआ़ करने वालों की दुआ़ को बेकार नहीं करता, न ऐसा होता है कि उस दुआ़ से ग़ाफ़िल रहे, न सुने। इसमें दुआ़ करने की रग़बत (तवज्जोह) दिलाई है और उसके ज़ाया (बेकार) न होने का वायदा किया है।

दुआ़ की अहमियत, उसकी शर्तें और दुआ़ की क़बूलियत के असबाब

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि. फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बन्दा जब अल्लाह तआ़ला के सामने हाथ बुलन्द करके दुआ़ माँगता है तो वह अर्रहमुर्राहिमीन उसके हाथों को ख़ाली फेरते हुए शर्माता है। (मुस्नद अहमद) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है- जो बन्दा अल्लाह तआ़ला से कोई ऐसी दुआ़ करता है जिसमें न गुनाह हो न रिश्ते-नाते टूटते हों तो उसे अल्लाह तआ़ला तीन बातों में से एक ज़रूर अ़ता फ़रमाता है, या तो उसकी दुआ़ उसी वक़्त क़बूल फ़रमाकर उसकी मुँह माँगी मुराद पूरी करता है, या उसे ज़ख़ीरा करके रख छोड़ता है और आख़िरत में अ़ता फ़रमाता है, या उसकी वजह से कोई आने वाली बला और मुसीबत को टाल देता है। लोगों ने यह सुनकर कहा कि हुज़ूर फिर तो हम ख़ूब ज़्यादा दुआ़ माँगा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया फिर ख़ुदा के यहाँ क्या कमी है? (मुस्नद अहमद)

हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि. फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है- दुनिया का जो मुसलमान अल्लाह तआ़ला से दुआ़ माँगे उसे ख़ुदा तआ़ला क़बूल फ़रमाता है, या तो उसे उसकी मुँह माँगी मुराद मिलती है, या वैसी ही बुराई टलती है, जब तक कि गुनाह की और रिश्तेदारी के

कटने की दुआ न हो। (मुस्नद अहमद) हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक कोई शख़्स दुआ में जल्दी न करे उसकी दुआ ज़रूर क़बूल होती है। जल्दी करना यह है कि कहने लगे- मैंने तो बहुत दुआ माँगी लेकिन ख़ुदा क़बूल नहीं करता। (मुवत्ता इमाम मालिक) बुख़ारी की रिवायत में यह भी है कि उसे सवाब में जन्नत अ़ता फ़रमाता है। सही मुस्लिम में यह भी है कि नामक़बूलियत का ख़्याल करके वह नाउम्मीदी के साथ दुआ माँगना छोड़ दे, यह जल्दी करना है। अबू जाफ़र तबरी की तफ़सीर में यह क़ौल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान किया गया है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि दिल बर्तनों के जैसे हैं, बाज़ बाज़ से ज़्यादा निगरानी करने वाले होते हैं। ऐ लोगो! तुम जब अल्लाह तआ़ला से दुआ माँगा करो तो क़बूलियत का यक़ीन रखा करो। सुनो! ग़फ़लत वाले दिल की दुआ अल्लाह तआ़ला क़बूल नहीं फ़रमाता। (मुस्नद अहमद) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस आयत के बारे में सवाल किया तो आपने दुआ की- ख़ुदाया! आयशा के इस सवाल का क्या जवाब है? जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आये और फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला आपको सलाम कहता है और फ़रमाता है कि मुराद इससे वह शख़्स है जो नेक आमाल करने वाला हो और सच्ची नीयत और नेकदिली के साथ मुझे पुकारे, तो मैं लब्बैक कहकर उसकी हाजत ज़रूर पूरी कर देता हूँ। (इब्ने मर्दूया) यह हदीस सनद के एतिबार से ग़रीब है।

एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत की, फिर फ़रमाया- ख़ुदाया तूने दुआ का हुक्म दिया है और क़बूल करने का वायदा फ़रमाया है। मैं हाज़िर हूँ इलाही मैं हाज़िर हूँ ऐ ला-शरीक ख़ुदा मैं हाज़िर हूँ। तारीफ़ व नेमत और मुल्क तेरे ही लिये है, तेरा कोई शरीक नहीं, मेरी गवाही है कि तू निराला एक है, बेमिस्ल और एक ही है, तू पाक है बीवी और औलाद से दूर है, न तेरा हमसर कोई, न तेरे बराबर का कोई, न तुझ जैसा कोई, मेरी गवाही यह है कि तेरा वायदा सच्चा, तेरी मुलाक़ात हक़, जन्नत दोज़ख़, क़ियामत और दोबारा जीना यह सब बरहक़ चीज़ें हैं। (इब्ने मर्दूया)

हज़रत अनस रज़ि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआ़ला का इरशाद है- ऐ आदम के बेटे! एक चीज़ तो तेरी है एक मेरी है, और एक मुझमें और तुझमें मुशतर्क (मिली-जुली) है। ख़ालिस मेरा हक़ तो यह है कि मेरी ही इबादत करे और मेरे साथ किसी को शरीक न करे। तेरे लिये मख़्सूस यह है कि तेरे हर-हर अ़मल का पूरा-पूरा बदला मैं तुझे ज़रूर दूँगा, किसी नेकी को ज़ाया न करूँगा। मुशतर्क चीज़ यह है कि तू दुआ कर और मैं क़बूल करूँ। एक काम दुआ करना तेरा एक काम क़बूल करना मेरा। (बज़्ज़ार)

दुआ की इस आयत को रोज़ों के अहकाम की आयतों के दरमियान ज़िक्र करने की हिक्मत यह है कि रोज़े ख़त्म होने के बाद लोगों को दुआ की तरग़ीब (तवज्जोह और दिलचस्पी) हो, बल्कि हर रोज़ इफ़तार के वक़्त वे ख़ूब ज़्यादा दुआयें किया करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि रोज़ेदार इफ़तार के वक़्त जो दुआ करता है अल्लाह तआ़ला उसे क़बूल फ़रमाता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. इफ़तार के वक़्त अपने घर वालों और बच्चों सबको बुला लेते और दुआयें किया करते थे। (अबू दाऊद तयालिसी) इब्ने माजा में भी यह रिवायत है और उसमें सहाबा की दुआ मन्क़ूल है:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِیْ.

यानी ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत को तुझ पर याद दिलाकर जिसने तमाम चीज़ों को घेर रखा है तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दे।

एक और हदीस में है कि तीन शख़्सों की दुआ़ रद्द नहीं होती-

1. आ़दिल (इन्साफ़ करने वाला) बादशाह। 2. रोज़ेदार शख़्स।

3. और मज़लूम।

उसे क़ियामत वाले दिन अल्लाह तआ़ला बुलन्द करेगा। मज़लूम की बद्दुआ़ के लिये आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- मुझे मेरी इ़ज़्ज़त की क़सम मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा अगरचे देर से करूँ। (मुस्नद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْـَٔـٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ص وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ط ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ لا فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ط كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

तुम लोगों के लिए रोज़े की रात में अपनी बीवियों से मशग़ूल होना हलाल कर दिया गया, क्योंकि वे तुम्हारे ओढ़ने-बिछौने (की जगह) हैं, और तुम उनके ओढ़ने-बिछौने (जैसे) हो, ख़ुदा तआ़ला को इसकी ख़बर थी कि तुम ख़ियानत (कर) के गुनाह में अपने को मुब्तला कर रहे थे, (मगर) ख़ैर अल्लाह तआ़ला ने तुम पर इनायत फ़रमाई और तुमसे गुनाह को धो दिया। सो अब उनसे मिलो-मिलाओ, और जो (इजाज़त का क़ानून) अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए तजवीज़ कर दिया है (बिला तकल्लुफ़) उसका सामान करो, और खाओ और पियो (भी) उस वक़्त तक कि तुमको सफ़ेद ख़त (यानी सुबहे सादिक़ का नूर) अलग मालूम हो जाए काले ख़त से। फिर (सुबहे सादिक़ से) रात तक रोज़ा पूरा किया करो, और उन (बीवियों) से अपना बदन भी मत मिलने दो जिस ज़माने में कि तुम लोग एतिकाफ़ वाले हो मस्जिदों में। ये ख़ुदाई ज़ाबते हैं सो इन (से निकलने) के नज़दीक भी मत हो, इसी तरह अल्लाह तआ़ला अपने (और) अहकाम (भी) लोगों (की इस्लाह) के वास्ते बयान फ़रमाते हैं, इस उम्मीद पर कि वे लोग (बाख़बर होकर ख़िलाफ़ करने से) परहेज़ रखें। (187)

रोज़े के कुछ शुरूआ़ती अहकाम जो बाद में बाक़ी न रहे

इस्लाम के शुरूआ़ती दौर में यह हुक्म था कि इफ़्तार के बाद खाना-पीना, सोहबत करना, इशा की

नमाज़ तक जायज़ था और अगर कोई इससे भी पहले सो गया तो उस पर नींद आते ही यह सब हराम हो गया। इसमें सहाबा को किसी क़द्र मशक़्क़त हुई जिस पर यह रुख़्सत (छूट और रियायत) की आयतें नाज़िल हुईं और आसानी के अहकाम मिल गये। "रफ़स" से मुराद यहाँ जिमाअ़ (बीवी से सोहबत और संभोग) है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि., अ़ता, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, ताऊस, सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह, अ़मर बिन दीनार, हसन, क़तादा, ज़ोहरी, ज़ह्हाक, इब्राहीम नख़ई, सुद्दी, अ़ता ख़ुरासानी, मुक़ातिल बिन हय्यान रह. भी यही फ़रमाते हैं। लिबास से मुराद सुकून का ज़रिया है। रबीअ़ बिन अनस लिहाफ़ के मायने बयान करते हैं। मक़सद यह है कि मियाँ-बीवी के आपस के ताल्लुक़ात इस क़िस्म के हैं कि उन्हें इन रातों में भी इजाज़त दी जाती है। पहले हदीस गुज़र चुकी है कि इस आयत की शाने नुज़ूल क्या है, जिसमें बयान हो चुका है कि जब यह हुक्म था कि इफ़्तार से पहले अगर कोई सो जाये तो अब रात को जागकर खा-पी नहीं सकता। अब उसे रात और दूसरा दिन गुज़ार कर मग़रिब के बाद खाना-पीना हलाल होगा।

हज़रत क़ैस बिन सिर्मा अन्सारी रज़ि. दिन भर खेती बाड़ी का काम करके शाम को घर आये, बीवी से कहा कुछ खाने को है? जवाब मिला कुछ नहीं, मैं जाती हूँ और कहीं से लाती हूँ। वह गयीं और यहाँ इनकी आँख लग गयी। जब आकर देखा तो बड़ा अफ़सोस किया कि अब यह रात और दूसरा दिन भूखे पेट से कैसे गुज़रेगा, चुनाँचे जब आधा दिन हुआ तो हज़रत क़ैस रज़ि. भूख के मारे बेहोश हो गये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ज़िक्र हुआ, इस पर यह आयत उतरी और मुसलमान बहुत ख़ुश हुए। एक रिवायत में यह भी है कि सहाबा रज़ि. रमज़ान भर औरतों के पास नहीं जाते थे, लेकिन बाज़ लोगों से कुछ ऐसे क़सूर (भूल और ग़लती) भी हो जाया करते थे, जिस पर यह आयत मुबारक नाज़िल हुई। एक और रिवायत में है कि यह क़सूर (चूक और ग़लती) कई एक हज़रात से हो गया था, जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. भी थे। जिन्होंने इशा की नमाज़ के बाद अपनी बीवी से सोहबत की थी, फिर दरबारे नुबुव्वत में शिकायतें हुईं और ये रहमत की आयतें उतरीं।

एक रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ि. ने जब आकर यह वाक़िआ सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उमर तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी, उसी वक़्त यह आयत उतरी। एक रिवायत में है कि हज़रत क़ैस रज़ि. ने इशा की नमाज़ के बाद नींद से बेदार होकर खा-पी लिया था और सुबह हाज़िर होकर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अपना यह क़सूर बयान किया था। एक और रिवायत में यह भी है कि हज़रत उमर रज़ि. ने जब सोहबत का इरादा किया तो बीवी साहिबा ने फ़रमाया- मुझे नींद आ गयी थी, लेकिन उन्होंने इसे बहाना समझा। उस रात आप देर तक मज्लिसे नबवी में बैठे रहे थे और बहुत रात गये घर पहुँचे थे। एक और रिवायत में है कि हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ि. से भी ऐसा ही क़सूर हो गया था।

'मा कतबल्लाहु" से मुराद औलाद है। बाज़ों ने कहा है कि सोहबत करना मुराद है। बाज़ कहते हैं कि शबे-क़द्र मुराद है। क़तादा रह. कहते हैं कि मुराद इससे रुख़्सत (छूट और रियायत) है। इन सब अक़्वाल में मुवाफ़क़त इस तरह हो सकती है कि आम तौर पर सब ही मुराद है। सोहबत की रुख़्सत के बाद खाने पीने की इजाज़त मिल रही है कि सुबह सादिक़ तक इसकी इजाज़त है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ि. फ़रमाते हैं- पहले 'मिनल् फ़ज्रि' (यानी सुबह सादिक़ तक) का लफ़्ज़ नहीं उतरा था तो चन्द लोगों ने अपने पाँव में सफ़ेद और सियाह धागे बाँध लिये और जब तक उनकी सफ़ेदी और सियाही में फ़र्क़ मालूम न होता खाते पीते रहे। इसके बाद यह लफ़्ज़ उतरा और मालूम हो गया कि इससे मुराद रात

और दिन है। मुस्नद अहमद में है, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने भी दो धागे सियाह और सफ़ेद रंग के अपने तकिये के नीचे रख लिये और जब तक उनके रंग में फ़र्क़ न होता तब तक खाता-पीता रहा। सुबह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया- तेरा तकिया बड़ा लम्बा-चौड़ा निकला! इससे मुराद तो सुबह की सफ़ेदी का रात की सियाही से ज़ाहिर होना है। यह हदीस सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में भी है। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस क़ौल का यह है कि आयत में तो धागों से मुराद दिन की सफ़ेदी और रात का अंधेरा है तो अगर तेरे तकिये के नीचे ये दोनों आ जाती हों तो गोया उसकी लम्बाई पूरब व पश्चिम से भी बड़ी है। सही बुख़ारी में यह तफ़सीर भी एक रिवायत से मौजूद है। बाज़ रिवायतों में ये लफ़्ज़ भी हैं कि फिर तो तू बड़ी लम्बी चौड़ी गर्दन वाला है। बाज़ लोगों ने इसके ये मायने बयान किये हैं कि कम बुद्धी वाला है। लेकिन ये मायने ग़लत हैं, बल्कि मतलब दोनों जुमलों का एक ही है, क्योंकि जब तकिया इतना बड़ा है तो गर्दन भी उतनी बड़ी होगी। वल्लाहु आलम।

बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अदी रज़ि. का इसी तरह का सवाल और आपका इसी तरह का जवाब तफ़सील से यही है। आयत के इन अलफ़ाज़ से सेहरी खाने का मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा होना) भी साबित होता है। इसलिये कि ख़ुदा की रुख़्सतों (छूट और रियायतों) पर अमल करना उसे पसन्द है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है कि सेहरी खाया करो, इसमें बरकत है। (बुख़ारी व मुस्लिम) हमारे और अहले किताब (यहूदी व ईसाई लोगों) के रोज़ों में सेहरी खाने ही का फ़र्क़ है। (मुस्लिम) सेहरी का खाना बरकत है, इसे न छोड़ो, अगर कुछ न मिले तो पानी का घूँट ही सही। अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते सेहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। (मुस्नद अहमद) इसी तरह और भी बहुत-सी हदीसें हैं। सेहरी को देर करके खना चाहिये, ऐसे वक़्त कि फ़रागत के कुछ ही देर बाद सुबह सादिक़ हो जाये। हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि हम सेहरी खाते ही नमाज़ के लिये खड़े हो जाया करते थे, अज़ान और सेहरी के दरमियान इतना फ़र्क़ होता था कि पचास आयतें पढ़ ली जायें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जब तक मेरी उम्मत इफ़तार में जल्दी करे और सेहरी में ताख़ीर करे उस वक़्त तक भलाई रहेगी। (मुस्नद अहमद) यह भी हदीस से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका नाम मुबारक ग़ज़ा रखा है। मुस्नद अहमद वग़ैरह की हदीस में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. फ़रमाते हैं- हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सेहरी खाई ऐसे वक़्त कि गोया सूरज निकलने वाला ही था। लेकिन इसमें एक रावी आसिम बिन अबू नजूद मुन्फ़रिद (तन्हा) हैं और मुराद इससे दिन का नज़दीक होना है, जैसा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ......... الخ.

यानी जब वे औरतें अपने वक़्तों को पहुँच जायें। मुराद यह है कि जब इद्दत का ज़माना ख़त्म हो जाने के क़रीब आ जाये। यही मुराद इस हदीस में भी है कि उन्होंने सेहरी खाई और सुबह सादिक़ हो जाने का यक़ीन न था बल्कि ऐसा वक़्त था कि कोई कहता था कि हो गयी कोई कहता था नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अक्सर सहाबा का देर से सेहरी खाना और आख़िरी वक़्त तक खाते रहना साबित है। जैसे हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुम। और

ताबिईन की भी एक बड़ी जमाअ़त से सुबह सादिक़ के होने के बिल्कुल क़रीब ही सेहरी खाना नक़ल है, जैसे मुहम्मद बिन अ़ली बिन हुसैन, अबू मिज्लज़, इब्राहीम नख़ई, अबुज़्ज़ुहा, अबू वाईल वग़ैरह हज़रत इब्ने मसऊद के शागिर्द हज़रात, और अ़ता, हसन, हाकिम बिन उयैना, मुजाहिद, उरवा बिन ज़ुबैर, अबुश्शासा और जाबिर बिन ज़ैद। और यही मज़हब है आमश और जाबिर बिन रुश्द का। अल्लाह तआ़ला इन सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाये। हमने इन सबकी सनदें अपनी मुस्तक़िल किताब "किताबुस्सियाम" में बयान कर दी हैं।

इमाम इब्ने जरीर ने अपनी तफ़सीर में बाज़ लोगों से यह भी नक़ल किया है कि सूरज निकलने तक खाना पीना जायज़ है, जैसे ग़ुरूब होते ही इफ़तार करना, लेकिन यह क़ौल कोई आ़लिम क़बूल नहीं कर सकता। क्योंकि यह क़ुरआनी हुक्म और दलील के ख़िलाफ़ है। क़ुरआन में 'ख़ैत' (धागे) का लफ़्ज़ मौजूद है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिलाल की अज़ान सुनकर तुम सेहरी से न रुक जाया करो, वह रात बाक़ी होते हुए अज़ान दिया करते हैं, तुम खाते पीते रहो जब तक अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की अज़ान न सुन लो, वह अज़ान नहीं देते जब तक फ़जर तुलूअ़ (यानी सुबह सादिक़) न हो जाये। मुस्नद अहमद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि वह फ़जर नहीं जो आसमानों के किनारों में लम्बी फैलती है, बल्कि वह सुर्ख़ी वाली और किनारे-किनारे ज़ाहिर होने वाली होती है। तिर्मिज़ी में भी यह रिवायत है, उसमें है कि इस पहली फ़जर को जो निकल कर ऊपर को चढ़ती है देखकर खाने पीने से न रुको, बल्कि खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुर्ख़ धारी सामने आ जाये। एक और हदीस में सुबहे-काज़िब और अज़ाने बिलाल को एक साथ भी बयान फ़रमाया है। एक और रिवायत में सुबहे-काज़िब की सफ़ेदी को सुबह के सुतून की मानिन्द बतलाया है। दूसरी रिवायत में इस पहली अज़ान की जिसके मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ि. थे, यह वजह बयान की है कि वह सोतों को जगाने और नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने वालों को लौटाने के लिये होती है। फ़जर इस तरह नहीं है जब तक इस तरह न हो (यानी आसमानों में ऊँची चढ़ने वाली नहीं बल्कि किनारों में धारी की तरह ज़ाहिर होने वाली। एक मुर्सल हदीस में है कि फ़जर दो हैं- एक तो भेड़िये की दुम की तरह, उससे रोज़ेदार पर कोई चीज़ हराम नहीं होती, हाँ वह फ़जर जो किनारों में ज़ाहिर हो वह नमाज़े सुबह का वक़्त है और रोज़ेदार के खाने पीने को रोक देने का। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जो सफ़ेदी आसमान के नीचे से ऊपर को चढ़ती है उसे नमाज़ की हिल्लत (हलाल होने) और रोज़े की हुर्मत (यानी खाने पीने से रुकने) से कोई सरोकार नहीं। लेकिन वह फ़जर जो पहाड़ों की चोटियों पर चमकने लगती है, वह खाना पीना हराम करती है। हज़रत अ़ता रह. से रिवायत है कि आसमान में लम्बी-लम्बी चढ़ने वाली रोशनी न तो रोज़ा रखने वाले पर खाना-पीना हराम करती है न उससे नमाज़ का वक़्त आया हुआ मालूम हो सकता है, न हज छूटता है, लेकिन जो सुबह पहाड़ों की चोटियों पर फैल जाती है यह वह सुबह है कि रोज़ेदारों को सब चीज़ें हराम कर देती है और नमाज़ी को नमाज़ हलाल कर देती है और हज फ़ौत हो (छूट) जाता है। इन दोनों रिवायतों की सनद सही है, और बहुत से पुराने बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है। अल्लाह तआ़ला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाये।

नोटः सुबह काज़िब से वह सुबह मुराद है जिसमें आधी रात के बाद सुबह सादिक़ से पहले एक वक़्त ऐसा लगता है जैसे बस दिन निकलने वाला है, और उसके बाद फिर रात के असरात ज़ाहिर होते हैं और उसके बहुत देर के बाद सुबह सादिक़ होती है। 'काज़िब' के मायने झूठ बोलने वाले के हैं, गोया आसमान

पर ज़ाहिर होने वाली ये धारियाँ झूठी होती हैं, अभी सुबह होने वाली नहीं। 'सादिक़' के मायने सच्चे के हैं। सुबह सादिक़ के वक़्त जो रोशनी आसमान के किनारों पर ज़ाहिर होती है वह दिन के क़रीब होने की ख़बर देने में सच्ची होती है। इसी लिये इसका नाम सुबह सादिक़ है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

मसला

चूँकि सोहबत (बीवी से हमबिस्तरी) और खाने-पीने का आख़िरी वक़्त अल्लाह तआला ने रोज़ा रखने वाले के लिये सुबह सादिक़ मुक़र्रर किया है, इससे इस मसले पर इस्तिदलाल हो सकता है कि सुबह के वक़्त जो शख़्स जुनुबी (नापाक, जिसे नहाने की ज़रूरत हो) उठा, वह गुस्ल कर ले और अपना रोज़ा पूरा कर ले, उस पर कोई हर्ज नहीं। चारों इमामों और पहले व बाद के जमहूर उलेमा रह. का यही मज़हब है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ि. और हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को हमबिस्तरी करते, सुबह के वक़्त जुनुबी उठते, फिर गुस्ल करके रोज़े से रहते। आपका यह जुनुबी होना एहतिलाम (स्वपनदोष) के सबब न होता था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. वाली रिवायत में है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न इफ़तार करते थे न क़ज़ा करते थे। सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत आयशा रज़ि. से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह! मैं सुबह नमाज़ का वक़्त आ जाने तक जुनुबी (जिस पर नहाना वाजिब हो) होता हूँ तो फिर क्या मैं रोज़ा रख लूँ? आपने फ़रमाया यही बात मेरे साथ भी होती है और मैं रोज़ा रखता हूँ। उसने कहा या रसूलल्लाह! हम तो आप जैसे नहीं, अल्लाह तआला ने आपके तो सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा दिये हैं। आपने फ़रमाया वल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला से डरने वाला और तुम सबसे ज़्यादा तक़्वा की बातों को जानने वाला मैं हूँ।

मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि जब सुबह की अज़ान हो जाये और तुममें से कोई जुनुबी हो तो वह उस दिन रोज़ा न रखे। इसकी सनद निहायत सही है और यह हदीस इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम की शर्त पर है, जैसा कि ज़ाहिर है। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है, वह फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास से रिवायत करते हैं, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से। सुनन नसाई में यह हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से है, वह उसामा बिन ज़ैद रज़ि. से और फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत करते हैं और मरफ़ूअ़ नहीं करते, इसलिये बाज़ उलेमा का तो क़ौल है कि इस हदीस में यह इल्लत (कमज़ोरी) है कि वह मरफ़ूअ़ नहीं, और बाज़ दूसरे उलेमा का यही मज़हब है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि., सालिम रह., अ़ता रह., हिशाम बिन उरवा रह. और हसन बसरी रह. यही कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर जुनुबी होकर सो गया और आँख खुली तो सुबह सादिक़ हो गयी हो तो उसके रोज़े में कोई नुक़सान नहीं। हज़रत आयशा रज़ि. और हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. वाली हदीस का यही मतलब है, और अगर उसने जान-बूझकर गुस्ल नहीं किया और इसी हालत में सुबह हो गयी तो उसका रोज़ा नहीं होगा। हज़रत उरवा रह., ताऊस रह. और हसन रह. यही कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ रोज़ा हो तो पूरा तो कर ले लेकिन क़ज़ा लाज़िम है, और नफ़िल रोज़ा हो तो कोई हर्ज नहीं। इब्राहीम नख़ई रह. यही कहते हैं। ख़्वाजा हसन बसरी रह. से भी एक रिवायत यही है।

बाज़ कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. वाली हदीस शरीफ़ हज़रत आयशा रज़ि. वाली हदीस से मन्सूख़ है, लेकिन हक़ीक़त में तारीख़ का पता नहीं जिससे नस्ख़ (उसके हुक्म का बाक़ी न रहना और ख़त्म

होना) साबित हो सके। इब्ने हज़्म रह. फ़रमाते हैं कि इसकी नासिख़ यह क़ुरआनी आयत है, लेकिन यह भी कमज़ोर सी दलील है, इसलिये कि इस आयत का बाद में होना तारीख़ से साबित नहीं, बल्कि इस हैसियत से तो बज़ाहिर यह हदीस इस आयत के बाद की है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. वाली हदीस में 'ला' कमाल की नफ़ी का है, यानी उस शख़्स का रोज़ा कामिल नहीं क्योंकि हज़रत आयशा रज़ि. और हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. वाली हदीस से जवाज़ (जायज़ होना) साफ़ तौर पर साबित हो रहा है, यही मस्लक (राय) ठीक भी है और दूसरे तमाम अक़वाल से यह क़ौल ज़्यादा सही है। और यूँ कहने से दोनों रिवायतों में मुवाफ़क़त की सूरत भी निकल आती है। वल्लाहु आलम।

फिर इरशाद होता है कि रोज़े को रात तक पूरा करो। इससे साबित हुआ कि सूरज डूबते ही रोज़ा इफ़तार कर लेना चाहिये। बुख़ारी व मुस्लिम में अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इधर से रात आ जाये और उधर से दिन चला जाये तो रोज़ेदार इफ़तार कर ले। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत सहल बिन सअ़द साअ़िदी रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक लोग इफ़तार करने में जल्दी करेंगे ख़ैर से रहेंगे। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे वे बन्दे हैं जो रोज़ा इफ़तार करने में जल्दी करने वाले हैं। इमाम तिर्मिज़ी रह. इस हदीस को हसन ग़रीब करते हैं। मुस्नद की एक और हदीस में है कि बशीर बिन ख़सासिया रज़ि. की बीवी साहिबा हज़रत लैला फ़रमाती हैं कि मैंने दो रोज़ों को बग़ैर इफ़तार किये मिलाना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे मना किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इससे मना किया है और फ़रमाया है कि यह काम ईसाईयों का है, तुम तो रोज़े इस तरह रखो जिस तरह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि रात को रोज़ा इफ़तार कर लिया करो। और भी बहुत-सी हदीसों में लगातार रोज़े को मिलाने की मनाही आयी है।

मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रोज़े से रोज़ा न मिलाओ। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! ख़ुद आप तो मिलाते हैं। आपने फ़रमाया, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं रात गुज़ारता हूँ, मेरा रब मुझे खिला-पिला देता है। लेकिन लोग फिर भी इससे बाज़ न रहे तो आपने दो दिन दो रातों के बराबर रोज़ा रखा, फिर चाँद दिखाई दे गया तो आपने फ़रमाया अगर चाँद न चढ़ता तो मैं तो यूँही रोज़ों को मिलाये जाता, गोया आप उनकी आ़जिज़ी (बेबसी) ज़ाहिर करना चाहते थे। सहीहैन में भी यह हदीस है, और इसी तरह रोज़ों को बिना इफ़तार किये और रात को कुछ खाये बग़ैर दूसरे रोज़े से मिला लेने की मनाही में बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत आयशा रज़ि. से भी मरफ़ूअ़ हदीसें नक़ल हैं।

पस साबित हुआ कि उम्मत को मनाही है और आपकी ज़ात इससे मख़्सूस (अलग) थी, आपको इसकी ताक़त थी और ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से इस पर आपकी मदद की जाती थी। यह भी ख़्याल रहे कि यह जो आपने फ़रमाया कि मुझे मेरा रब खिला-पिला देता है, इससे मुराद वास्तव में खाना पीना नहीं, क्योंकि फिर तो रोज़े से रोज़े का विसाल (मिलाना) न हुआ, बल्कि यह सिर्फ़ रूहानी तौर पर मदद है। जैसे कि एक अ़रबी शायर का शे'र है:

لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد

कि उसे तेरे ज़िक्र और तेरी बातों में वह दिलचस्पी है कि खाने-पीने से बिल्कुल बेपरवाह हो जाती है।

हाँ अगर कोई शख़्स दूसरी सेहरी तक रुका रहना चाहे तो यह जायज़ है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- विसाल न करो, जो करना ही चाहे तो सेहरी तक कर ले। लोगों ने कहा आप तो विसाल करते (यानी बिना खाये-पिये रोज़े से रोज़े को मिलाते) हैं? आपने फ़रमाया मैं तुम जैसा नहीं, मुझे तो रात ही को खिलाने वाला खिला देता है और पिलाने वाला पिला देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक और रिवायत में है कि एक सहाबिया औ़रत नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आयीं, आप सेहरी खा रहे थे। फ़रमाया आओ तुम भी खा लो। उसने कहा मैं तो रोज़े से हूँ। आपने फ़रमाया तुम रोज़ा किस तरह रखती हो? उन्होंने बयान किया। आपने फ़रमाया आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की तरह सेहरी के वक़्त से दूसरी सेहरी तक का मिला हुआ रोज़ा क्यों नहीं रखतीं? (इब्ने जरीर) मुस्नद अहमद की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक सेहरी से दूसरी सेहरी तक रोज़ा रखते थे। इब्ने जरीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. वग़ैरह पहले बुज़ुर्गों से मरवी है कि वह कई-कई दिन लगातार बग़ैर कुछ खाये रोज़ा रखते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि यह इबादत के तौर पर न था, बल्कि नफ़्स को मारने के लिये तपस्या के तौर पर था। वल्लाहु आलम।

और यह भी मुम्किन है कि उन्होंने समझा हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इससे रोकना सिर्फ़ शफ़क़त और मेहरबानी की वजह से है न कि नाजायज़ होने की बिना पर, जैसा कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं। आपने लोगों पर रहम खाकर इससे मना फ़रमाया था। पस इब्ने ज़ुबैर रज़ि. और उनके बेटे हज़रत आ़मिर और उनकी पैरवी करने वाले अपने नफ़्स में ताक़त पाते थे और रोज़े पर रोज़े रखते जाते थे। यह भी मरवी है कि जब वे इफ़्तार करते तो पहले घी और कड़वा गोंद खाते ताकि पहले पहल ग़िज़ा पहुँचने से आँतें जल न जायें। रिवायत है कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ि. सात-सात दिन तक बराबर रोज़े से रहते। इस दौरान में दिन को या रात को कुछ न खाते और फिर सातवें दिन ख़ूब तन्दुरुस्त चुस्त व चालाक और सबसे ज़्यादा क़वी पाये जाये। अबुल-आ़लिया फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने दिन का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, रही रात तो जो चाहे खा ले जो न चाहे न खाये।

फिर फ़रमान होता है कि एतिकाफ़ की हालत में औ़रतों से सोहबत व हमबिस्तरी न करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि जो शख़्स मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठा हो, चाहे रमज़ान में चाहे और महीनों में, उस पर दिन के वक़्त रात के वक़्त अपनी बीवी से सोहबत करना हराम है जब तक एतिकाफ़ पूरा न हो जाये। हज़रत ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि पहले लोग एतिकाफ़ की हालत में भी सोहबत कर लिया करते थे जिस पर यह आयत उतरी और जिसने मस्जिद में एतिकाफ़ किया हो उसके लिये यह काम हराम किया गया। मुजाहिद रह. और क़तादा रह. भी यही कहते हैं। पस उलेमा-ए-किराम का मुत्तफ़िक़ा (सब का एक राय से) फ़तवा है कि एतिकाफ़ वाला अगर किसी ज़रूरत के लिये घर में जाये, जैसे पेशाब या पाख़ाने के लिये या खाना खाने के लिये तो उस काम से फ़ारिग़ होते ही मस्जिद में चला आये, वहाँ ठहरना जायज़ नहीं। न अपनी बीवी से प्यार करना, गले लगाना वग़ैरह जायज़ है, न किसी और काम में सिवाय एतिकाफ़ के मशग़ूल होना उसके लिये जायज़ है, बल्कि बीमार की बीमारी का हाल पूछने के लिये भी जाना जायज़ नहीं। हाँ यह और बात है कि चलते-चलते पूछ ले। एतिकाफ़ के और भी बहुत से अहकाम हैं, बाज़ में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) भी है, जिन सबको हमने अपनी मुस्तक़िल किताब "किताबुस्सियाम" के आख़िर में

बयान किया है।

चूँकि क़ुरआन पाक में रोज़ों के बयान के बाद एतिकाफ़ का ज़िक्र है, इसी लिये अक्सर उलेमा (किताबों के लिखने वाले हज़रात) ने भी अपनी-अपनी किताबों में रोज़े के बाद ही एतिकाफ़ के अहकाम बयान किये हैं। इसमें इस बात की तरफ़ भी इशारा है कि एतिकाफ़ रोज़े की हालत में करना चाहिये या रमज़ान के आख़िर में। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी रमज़ान शरीफ़ के आख़िरी दिनों में एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हुई। आपके बाद उम्महातुल-मोमिनीन (आप सल्ल. की पाक बीवियाँ) एतिकाफ़ किया करती थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

सहीहैन में है कि हज़रत सफ़िया बिन्ते हुय्यि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आपके एतिकाफ़ की हालत में हाज़िर होती थीं और कोई ज़रूरी बात पूछने के होती वह दरियाफ़्त करके चली जातीं। एक मर्तबा रात को जब जाने लगीं तो चूँकि मकान मस्जिदे नबवी से फ़ासले पर था, इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम साथ हो लिये कि पहुँचा आयें। रास्ते में दो अन्सारी सहाबी मिल गये और आपके साथ आपकी बीवी साहिबा को देखकर शर्म के मारे जल्दी-जल्दी क़दम बढ़ाकर जाने लगे। आपने फ़रमाया ठहर जाओ, सुनो यह मेरी बीवी सफ़िया हैं। वे कहने लगे सुब्हानल्लाह! (क्या हमें कोई और ख़्याल भी हो सकता है?) आपने फ़रमाया शैतान इनसान की रग-रग में ख़ून की तरह भरा रहता है, मुझे ख़्याल हुआ कि कहीं तुम्हारे दिल में वह कोई बदगुमानी पैदा न कर दे। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस अपने वाक़िए से अपनी उम्मत को गोया सबक़ सिखा रहे हैं कि वे तोहमत की जगहों से बचते रहें, वरना नामुम्किन है कि वे पाकबाज़ सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में कोई बुरा ख़्याल भी दिल में लायें, और यह भी नामुम्किन है कि आप उनके बारे में यह ख़्याल फ़रमायें। वल्लाहु आलम।

आयत में सोहबत से मुराद हमबिस्तरी और उसके असबाब हैं, जैसे चूमना, बाँहों में लेना वग़ैरह। वरना किसी चीज़ का लेना देना वग़ैरह यह सब बातें जायज़ हैं। हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एतिकाफ़ की हालत में मेरी तरफ़ सर झुका दिया करते थे, मैं आपके सर में कँघी कर दिया करती थी, हालाँकि मैं हैज़ (माहवारी की हालत) से होती थी। आप एतिकाफ़ के दिनों में पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने के अ़लावा किसी और वक़्त में घर तशरीफ़ नहीं लाते थे। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि एतिकाफ़ की हालत में मैं तो चलते-चलते ही घर के बीमार की बीमार-पुरसी कर लिया करती हूँ।

फिर इरशाद होता है कि यह हमारी बयान की हुई बातें, फ़र्ज़ किये हुए अहकाम, मुक़र्रर की हुई हदें, रोज़े और रोज़ों के अहकाम और उसके मसाईल, इसमें जो काम जायज़ हैं जो नाजायज़ हैं वे सब हमारी हद-बन्दियाँ हैं, ख़बरदार इनके क़रीब भी न आना, न इनसे आगे बढ़ना। बाज़ कहते हैं कि यह हद एतिकाफ़ की हालत में सोहबत से अलग रहना है। बाज़ कहते हैं कि इन आयतों के चारों हुक्म मुराद हैं।

फिर फ़रमाया कि जिस तरह रोज़े और उसके अहकाम और उसके मसाईल और उसकी तफ़सील हमने बयान कर दी इसी तरह दूसरे अहकाम भी हम अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये सबके सब तमाम जहान के लिये बयान किया करते हैं, ताकि वे यह मालूम कर सकें कि हिदायत क्या है और इताअ़त किसे कहते हैं? और इस बिना पर वे मुत्तक़ी बन जायें। जैसे एक और जगह है:

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۝

यानी वह ख़ुदा जो अपने बन्दे पर रोशन आयतें नाज़िल फ़रमाता है, ताकि तुम्हें अन्धेरों से निकालकर रोशनी में लाये, अल्लाह तआ़ला तुम पर शफ़क़त व रहमत करने वाला है।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

और आपस में एक-दूसरे के माल नाहक़ (तौर पर) मत खाओ, और उन (के झूठे मुक़द्दमे) को हाकिमों के यहाँ इस ग़र्ज़ से रुजू मत करो कि (उसके ज़रिये से) लोगों के मालों का एक हिस्सा गुनाह के तरीक़े पर (यानी ज़ुल्म से) खा जाओ और तुमको (अपने झूठ और ज़ुल्म का) इल्म भी हो। (188)

लोगों के माल हड़प कर लेना बड़ा गुनाह है

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह आयत उस शख़्स के बारे में है जिस पर किसी और का माल चाहिये और उस हक़दार के पास कोई दलील न हो तो यह शख़्स उसका इनकार कर जाये और हाकिम के पास जाकर बरी हो जाये। हालाँकि वह जानता हो कि उस पर उसका हक़ है, वह उसका माल मार रहा है, हराम खा रहा है और अपने आपको गुनाहगारों में शामिल कर रहा है। हज़रत मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा, हसन, क़तादा, सुद्दी, मुक़ातिल बिन हय्यान, अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. भी यही फ़रमाते हैं कि बावजूद इस इल्म के कि तू ज़ालिम है झगड़ा न कर।

सहीहैन में हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं इनसान हूँ मेरे पास लोग झगड़ा लेकर आते हैं, शायद एक दूसरे से ज़्यादा हुज्जत-बाज़ हो, मैं उसकी चिकनी-चुपड़ी तक़रीर सुनकर उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ (हालाँकि वास्तव में मेरा फ़ैसला असलियत के ख़िलाफ़ हो) तो समझ लो कि जिसके हक़ में इस तरह के फ़ैसले से किसी मुसलमान के हक़ को मैं दिलवा दूँ वह आग का एक टुकड़ा है, चाहे उठाये, चाहे न उठाये। मैं कहता हूँ यह आयत और यह हदीस इस बात पर दलील है कि किसी मामले में हाकिम का हुक्म शरीअ़त के एतिबार से उसकी हक़ीक़त को नहीं बदलता। वास्तव में जो हराम हो वह क़ाज़ी के फ़ैसले से हलाल, और हलाल हराम नहीं हो सकता। क़ाज़ी का फ़ैसला सिर्फ़ ज़ाहिरी होता है, बातिन में नाफ़िज़ नहीं होता। अगर वह असलियत में भी वास्तव के मुताबिक़ हो तो ख़ैर! वरना हाकिम को तो अज्र मिलेगा लेकिन उस फ़ैसले की बिना पर हक़ को नाहक़ और नाहक़ को हक़ बना लेने वाला ख़ुदा का मुजरिम ठहरेगा, और उस पर वबाल बाक़ी रहेगा। जिस पर ऊपर बयान हुई यह आयत गवाह है, कि तुम अपने दावे के बातिल (ग़लत) होने का इल्म रखते हुए लोगों के माल खाने के लिये झूठे मुक़द्दमे बनाकर झूठे गवाह पेश करके नाजायज़ तरीक़ों से हाकिमों को धोखा देकर अपने दावों को साबित न किया करो।

हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं- लोगो! समझ लो कि क़ाज़ी का फ़ैसला तुम्हारे लिये हराम को हलाल नहीं कर सकता, और न बातिल को हक़ कर सकता है। क़ाज़ी तो अपनी अ़क़्ल, समझ और गवाहों की गवाही के मुताबिक़ ज़ाहिर हालात को देखते हुए फ़ैसला सादिर कर देता है, और वह भी आख़िर इनसान ही

है, मुम्किन है ग़लती करे और मुम्किन है कि ग़लती से बच जाये, तो अगर क़ाज़ी का फ़ैसला असलियत और हक़ के ख़िलाफ़ हो तो तुम सिर्फ़ क़ाज़ी का फ़ैसला समझकर उसे जायज़ माल न समझ लो। यह झगड़ा बाक़ी ही है, यहाँ तक कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला दोनों को जमा करे और बातिल वालों पर हक़ वालों को ग़लबा देकर उनका हक़ उनसे दिलवाये और दुनिया में जो फ़ैसला हुआ था उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर फ़रमाकर उसकी नेकियों में से उसे बदला दिलवाये।

يَسْــئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِـلَّةِ ؕ قُــلْ هِـىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّبِاَنْ تَـاْتُـوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُــوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

आप से चाँदों के हालात की तहक़ीक़ात करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि वह (चाँद) वक़्तों के पहचानने का आला "यानी उपकरण और ज़रिया" है, लोगों (के इख़्तियारी मामलात जैसे इद्दत और हुक़ूक़ के मुतालबे) के लिए, (और ग़ैर-इख़्तियारी इबादात जैसे रोज़ा, ज़कात वग़ैरह) और हज के लिए। और इसमें कोई फ़ज़ीलत नहीं कि घरों में उनकी पुश्त की तरफ़ से आया करो, हाँ लेकिन फ़ज़ीलत यह है कि कोई शख़्स (हराम चीज़ों से) बचे, और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ, और ख़ुदा तआ़ला से डरते रहो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। (189)

बेकार के और फ़ुज़ूल सवालात का जवाब ज़रूरी नहीं

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से लोगों ने चाँद के बारे में सवाल किया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि उससे क़र्ज़ वग़ैरह के वायदों की मियाद मालूम हो जाती है, औरतों की इद्दत का वक़्त मालूम होता है, हज का वक़्त मालूम होता है, मुसलमानों के रोज़े के इफ़तार का ताल्लुक़ भी इसी से है। मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने चाँद को लोगों के वक़्त मालूम करने के लिये बनाया है, उसे देखकर रोज़े रखो, उसे देखकर ईद मनाओ। अगर बादल व बारिश की वजह से चाँद न देख सको तो तीस दिन पूरे गिन लिया करो। इस रिवायत को हज़रत इमाम हाकिम रह. ने सही कहा है। यह हदीस दूसरी सनदों से भी रिवायत है। हज़रत अ़ली रज़ि. से एक मौक़ूफ़ रिवायत में भी यह मज़मून वारिद हुआ है।

आगे चलकर इरशाद होता है कि भलाई घरों के पीछे से आने में नहीं बल्कि भलाई तक़वे में है। घरों में दरवाज़ों से आओ। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि जाहिलीयत के ज़माने में यह दस्तूर था कि एहराम में होते तो घरों में पुश्त के जानिब (यानी दरवाज़ों से न आकर पिछवाड़े) से आते, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। अबू दाऊद तयालिसी में भी यह रिवायत है। अन्सार का आ़म दस्तूर था कि सफ़र से जब वापस आते तो घर के दरवाज़े से घर में नहीं घुसते थे, दर असल यह भी जाहिलीयत के ज़माने के क़ुरैशियों ने अपने लिये एक इम्तियाज़ (ख़ास पहचान) क़ायम कर लिया था कि अपना नाम उन्होंने हुम्स रखा था, एहराम की

हालत में ये तो डायरेक्ट अपने घरों में आ सकते थे लेकिन बाक़ी के सब लोग इस तरह नहीं जाते थे। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक बाग़ में थे, वहाँ से आप उसके दरवाज़े में से निकले, आपके एक अन्सारी सहाबी हज़रत क़ुतबा बिन आ़मिर रज़ि. भी आपके साथ ही उसी दरवाज़े से निकले, इस पर लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा या रसूलल्लाह! यह तो एक तिजारत-पेशा (व्यापारी) शख़्स हैं, यह आपके साथ आपकी तरह दरवाज़े से क्यों निकले? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो हुज़ूर को जिस तरह करते देखा किया। माना कि आप हुम्स में से हैं लेकिन मैं भी तो आपके दीन पर ही हूँ। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह से भी यह रिवायत है। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि जाहिलीयत के ज़माने में बहुत सी क़ौमों का यह रिवाज था कि जब वह सफ़र के इरादे से निकलते फिर सफ़र अधूरा छोड़कर अगर किसी वजह से वापस चले आते तो घर के दरवाज़े से घर में न आते, बल्कि पीछे की तरफ़ से चढ़कर आते, जिस पर इस आयत में रोका गया।

मुहम्मद बिन कअ़ब रज़ि. फ़रमाते हैं कि एतिकाफ़ की हालत में भी यही दस्तूर था जिसे इस्लाम ने मिटाया। अ़ता रह. फ़रमाते हैं कि मदीना वालों का ईदों में भी यही दस्तूर था जो इस्लाम ने उठा दिया। फिर फ़रमाया- ख़ुदा के हुक्मों को बजा लाना, उसके मना किये हुए कामों से रुक जाना, उसका डर दिल में रखना ये चीज़ें हैं जो दर असल उस दिन काम आने वाली हैं जिस दिन हर शख़्स ख़ुदा के सामने पेश होगा और पूरी-पूरी जज़ा सज़ा पायेगा।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ
فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ

और (बेतकल्लुफ़) तुम लड़ो अल्लाह की राह में, उन लोगों के साथ जो (अ़हद को तोड़ कर) तुम्हारे साथ लड़ने लगें और (अपनी तरफ़ से मुआ़हदे की) हद से न निकलो। वाक़ई अल्लाह तआ़ला (शरई क़ानून की) हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते। (190) और (जिस हालत में वे ख़ुद अ़हद तोड़ें उस वक़्त चाहे) उनको क़त्ल करो जहाँ उनको पाओ और (चाहे) उनको निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुमको निकलने पर मजबूर किया है, और शरारत क़त्ल से भी ज़्यादा सख़्त है, और उनके साथ मस्जिदे हराम के (आस) पास में (जो कि हरम कहलाता है) क़िताल मत करो जब तक कि वे लोग वहाँ तुमसे ख़ुद न लड़ें। हाँ अगर वे (काफ़िर लोग) ख़ुद ही लड़ने का सामान करने लगें तो तुम (भी) उनको मारो, ऐसे काफ़िरों की (जो हरम में लड़ने लगें) ऐसी ही सज़ा है। (191) फिर अगर वे लोग (अपने

جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○	कुफ़्र से) बाज़ आ जाएँ (और इस्लाम क़बूल कर लें) तो अल्लाह तआ़ला बख़्श देंगे और मेहरबानी फ़रमा देंगे। (192) और उनके साथ इस हद तक लड़ो कि अ़क़ीदे का बिगाड़ (यानी शिर्क) न रहे और (उनका) दीन (ख़ालिस) अल्लाह ही का हो जाए। और अगर वे लोग कुफ़्र से बाज़ आ जाएँ तो सख़्ती किसी पर नहीं हुआ करती सिवाय बेइन्साफ़ी करने वालों के। (193)

अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करने के लिये मेहनत व कोशिश

हज़रत अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि मदीना शरीफ़ में जिहाद का पहला हुक्म यही नाज़िल हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस आयत के हुक्म की रू से सिर्फ़ उन लोगों से ही लड़ते थे जो आप से लड़ें। जो आप से न लड़ें ख़ुद आप उनसे लड़ाई नहीं करते थे, यहाँ तक कि सूरः बराअत नाज़िल हुई। बल्कि अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रह. तो यहाँ तक फ़रमाते हैं कि यह आयत मन्सूख़ है, और इसकी नासिख़ (हुक्म ख़त्म करने वाली) आयत यह है:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ.

यानी जहाँ कहीं मुश्रिकों को पाओ उन्हें क़त्ल करो।

लेकिन यह तौजीह (व्याख्या) क़ाबिले-ग़ौर है, इसलिये कि यह तो सिर्फ़ मुसलमानों को रुचि दिलाना और उन्हें आमादा करना है कि अपने उन दुश्मनों से क्यों जिहाद न करो जो तुम्हारे और तुम्हारे दीन के खुले दुश्मन हैं। जैसे वे तुमसे लड़ते हैं तुम भी उनसे लड़ो। जैसे एक दूसरी जगह फ़रमायाः

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً.

यानी मिल-जुलकर मुश्रिकों से जिहाद करो, जिस तरह वे तुमसे सब के सब मिलकर लड़ाई करते हैं।

चुनाँचे इस आयत में भी फ़रमाया कि उन्हें क़त्ल करो जहाँ पाओ और उन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। मतलब यह है कि जिस तरह उनका इरादा तुम्हारे क़त्ल का और तुम्हें जिला-वतन करने का है, तुम्हारा भी उनके साथ यही इरादा रहना चाहिये।

फिर फ़रमाया कि हद से आगे बढ़ने वालों को अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करता। यानी अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी न करो, नाक, कान वग़ैरह न काटो, ख़ियानत और चोरी न करो, औ़रतों और बच्चों को क़त्ल न करो, उन बूढ़े बड़ी उम्र के लोगों को भी न मारो जो न लड़ने के क़ाबिल हैं न लड़ाई में दख़ल देते हैं। दुर्वेशों और दुनिया से बेताल्लुक़ लोगों को भी क़त्ल न करो, बल्कि बिना जंगी मस्लेहत के न दरख़्त काटो, न हैवानों को ज़ाया करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह., हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान रह. वग़ैरह ने इस आयत की तफ़सीर में यही फ़रमाया है। सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुजाहिदीन को हिदायत देते हुए फ़रमाते हैं- अल्लाह की राह में जिहाद करो, ख़ियानत न करो, अ़हद के ख़िलाफ़ करने से बचो, नाक-कान वग़ैरह अंगों को न काटो, बच्चों

को और ज़ाहिद (नेक और दुनिया से बेताल्लुक़) लोगों को जो इबादत ख़ानों में पड़े रहते हैं क़त्ल न करो। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि आप फ़रमाया करते थे- अल्लाह का नाम लेकर निकलो, अल्लाह की रात में जिहाद करो, काफ़िरों से लड़ो, ज़ुल्म व ज़्यादती न करो, धोखेबाज़ी न करो। दुश्मन के बदनी अंगों को न काटो, दुर्वेशों को क़त्ल न करो।

सहीहैन में है कि एक मर्तबा एक लड़ाई में एक औरत क़त्ल हुई पाई गयी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसे बहुत बुरा माना और औरतों और बच्चों के क़त्ल को मना फ़रमा दिया। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक तीन, पाँच, नौ, ग्यारह मिसालें हैं। एक तो ज़ाहिर कर दी बाक़ी छोड़ दीं। फ़रमाया कुछ लोग कमज़ोर और मिस्कीन थे उन पर ज़ोरावर मालदार दुश्मन चढ़ आया, अल्लाह तआ़ला ने उन कमज़ोरों की मदद की और उन ज़ोरावरों पर उन्हें ग़ालिब कर दिया। अब उन लोगों ने उन पर ज़ुल्म व ज़्यादती शुरू कर दी, जिसके सबब अल्लाह तआ़ला उन पर क़ियामत तक के लिये नाराज़ हो गया। यह हदीस सनद के एतिबार से सही है। मतलब यह है कि जब यह कमज़ोर क़ौम ग़ालिब आ गयी तो इन्होंने ज़ुल्म व ज़्यादती शुरू कर दी, अल्लाह के फ़रमान का कोई लिहाज़ न किया, इस वजह से परवर्दिगारे आ़लम उन पर नाराज़ हो गया। इस बारे में अहादीस और बुज़ुर्गों के अक़वाल बहुत ज़्यादा हैं, जिनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि ज़ुल्म व ज़्यादती ख़ुदा को नापसन्द है और ऐसे लोगों से ख़ुदा नाख़ुश रहता है।

चूँकि जिहाद के अहकाम में बज़ाहिर क़त्ल व ख़ून होता है, इसलिये यह भी फ़रमा दिया कि इधर अगर क़त्ल व ख़ून है तो उधर ख़ुदा के साथ शिर्क व कुफ़्र है, और उस मालिक की राह से उसकी मख़्लूक़ को रोकना है, और यह क़त्ल के फ़ितने से बहुत ज़्यादा सख़्त है। अबू मालिक रह. फ़रमाते हैं- तुम्हारी यह ख़ताकारियाँ और बदकारियाँ क़त्ल से ज़्यादा बुरी हैं।

फिर फ़रमाया जाता है कि बैतुल्लाह में उनसे लड़ाई न करो। जैसे सहीहैन में है कि यह शहर हुर्मत (सम्मान) वाला है, आसमान व ज़मीन की पैदाईश के ज़माने से लेकर क़ियामत तक सम्मानित व इज़्ज़त वाला ही रहेगा, सिर्फ़ थोड़े से वक़्त के लिये अल्लाह तआ़ला ने मेरे लिये इसे हलाल कर दिया था लेकिन वह आज इस वक़्त भी हुर्मत वाला है और क़ियामत तक इसका यह सम्मान और बुज़ुर्गी बाक़ी रहेगी। इसके दरख़्त न काटे जायें, इसके काँटे न उखेड़े जायें, अगर कोई शख़्स इसमें लड़ाई को जायज़ कहे और मेरी जंग को दलील में लाये तो तुम कह देना कि अल्लाह तआ़ला ने सिर्फ़ अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के लिये इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें कोई इजाज़त नहीं। आपके इस फ़रमान से मुराद फ़त्हे-मक्का का दिन है, जिस दिन आपने मक्का वालों से जिहाद किया था और मक्का फ़तह किया था। चन्द मुश्रिक लोग मारे भी गये थे, अगरचे बाज़ उलेमा-ए-किराम यह भी फ़रमाते हैं कि मक्का सुलह से फ़तह हुआ (लड़ाई से नहीं)। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने साफ़ इरशाद फ़रमा दिया था कि जो शख़्स अपना दरवाज़ा बन्द कर ले वह अमन में है, जो मस्जिद में चला जाये वह अमन में है, जो अबू सुफ़ियान के घर में चला जाये वह भी अमन में है।

फिर फ़रमाया कि हाँ अगर वे तुमसे यहाँ लड़ाई शुरू कर दें तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम भी यहीं उनसे लड़ो, ताकि यह ज़ुल्म दूर हो सके। चुनाँचे हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुदैबिया वाले दिन अपने सहाबा से लड़ाई की बैअ़त ली, जबकि क़ुरैशियों ने और उनके साथियों ने मिलकर हमला किया था और आपने पेड़ के नीचे अपने सहाबा से बैअ़त ली। फिर अल्लाह तआ़ला ने उस लड़ाई को दूर कर दिया

चुनाँचे इस नेमत का बयान इस आयत में है:

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ............ الخ.

(सूरः फ़तह आयत 24)

फिर इरशाद होता है कि अगर ये काफ़िर हरम में लड़ाई बन्द कर दें और उससे बाज़ आ जायें और इस्लाम की तरफ़ झुकें तो अल्लाह तआ़ला उनके गुनाह माफ़ फ़रमा देगा, अगरचे उन्होंने मुसलमानों को हरम में क़त्ल किया हो, फिर भी बारी तआ़ला ऐसे बड़े गुनाह को भी माफ़ फ़रमा देगा। फिर हुक्म होता है कि उन मुश्रिकों से जिहाद जारी रखो ताकि यह शिर्क का फ़ितना मिट जाये और अल्लाह तआ़ला का दीन ग़ालिब और बुलन्द हो जाये और तमाम दीनों पर ग़ालिब हो जाये। जैसे सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि एक शख़्स अपनी बहादुरी जताने के लिये लड़ता है, एक शख़्स अपनी क़ौम की ग़ैरत व पक्ष में लड़ता है, एक शख़्स रियाकारी और दिखावे के तौर पर लड़ता है तो फ़रमाईये कि इनमें कौन शख़्स अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करने वाला है? आपने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करने वाला वही है जो इसलिये लड़े कि अल्लाह तआ़ला की बात बुलन्द हो, उसके दीन का बोलबाला हो। बुख़ारी व मुस्लिम की एक और हदीस में है कि मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करता रहूँ यहाँ तक कि वे 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहें (यानी एक ख़ुदा का इक़रार करें), जब इसे वे कह लेंगे तो मुझसे अपने ख़ून और माल बचा लेंगे। मगर इस्लामी अहकाम में और उनका बातिनी हिसाब अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे है।

फिर फ़रमाया- अगर ये काफ़िर शिर्क व कुफ़्र से और तुम्हें क़त्ल करने से बाज़ आ जायें तो तुम भी उनसे रुक जाओ। इसके बाद जो क़िताल (लड़ाई और जंग) करेगा वह ज़ालिम होगा और ज़ालिमों को ज़ुल्म का बदला देना ज़रूरी है। यही मायने हैं हज़रत मुजाहिद के इस क़ौल के कि जो लड़ें उनसे ही लड़ा जाये, या मतलब यह है कि अगर वे इन हरकतों से रुक जायें तो वे ज़ुल्म यानी शिर्क से हट गये, फिर कोई वजह नहीं कि उनसे जंग व लड़ाई हो। यहाँ लफ़्ज़ 'उदवान' जो कि ज़्यादती के मायने में है वह ज़्यादती के मुक़ाबले में ज़्यादती के बदले के लिये है, वास्तव में वह ज़्यादती नहीं। जैसे फ़रमायाः

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ.

यानी तुम पर जो ज़्यादती करे तुम भी उस पर उस जैसी ज़्यादती कर लो। एक और जगह है:

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا.

यानी बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है। एक और जगह फ़रमान है:

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ.

यानी अगर तुम सज़ा और अ़ज़ाब करो तो उसी के बराबर सज़ा करो जो तुम किये गये हो।

पस इन तीनों जगहों में ज़्यादती, बुराई और सज़ा बदले के तौर पर कहा गया है, वरना वास्तव में वह ज़्यादती, बुराई और सज़ा व अ़ज़ाब नहीं। हज़रत इक्रिमा और हज़रत क़तादा का फ़रमान है कि असली ज़ालिम वही है जो 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' का मुन्किर हो। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. के पास दो शख़्स आये जबकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. पर लोगों ने चढ़ाई कर रखी थी, और आकर कहा कि लोग तो मर-कट रहे हैं, आप हज़रत उमर रज़ि. के बेटे हैं, रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबी हैं, क्यों इस लड़ाई में शामिल नहीं होते? आपने फ़रमाया- सुनो! अल्लाह तआ़ला ने मुसलमान भाई का ख़ून हराम कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्या यह अल्लाह तआ़ला का फ़रमान नहीं कि उनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना बाक़ी न रहे। आपने जवाब दिया कि हम लड़ते रहे यहाँ तक कि फ़ितना दब गया और अल्लाह तआ़ला का पसन्दीदा दीन ग़ालिब आ गया, लेकिन अब तुम चाहते हो कि तुम लड़ो ताकि फ़ितना पैदा हो और दूसरे मज़ाहिब (धर्म) उभर आयें। एक और रिवायत में है कि किसी ने आप से कहा कि ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! आपने ख़ुदा की राह का जिहाद क्यों छोड़ रखा है और यह क्या इख़्तियार कर रखा है कि हज पर हज कर रहे हो? हर दूसरे साल हज को जाया करते हो हालाँकि जिहाद के फ़ज़ाईल आपसे छुपे नहीं। आपने फ़रमाया भतीजे सुनो! इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है- अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना। पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करना। रमज़ान के रोज़े रखना। ज़कात देना। बैतुल्लाह शरीफ़ का हज करना। उसने कहा क्या क़ुरआन पाक का यह हुक्म आपने नहीं सुना कि ईमान वालों की दो जमाअ़तें अगर आपस में झगड़ें तो तुम उनमें सुलह करा दो, अगर फिर भी एक गिरोह दूसरे पर बग़ावत करे तो बाग़ी गिरोह से लड़ो, यहाँ तक कि वह फिर से ख़ुदा का फ़रमाँबरदार बन जाये। एक दूसरी जगह इरशाद है कि उनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना मिट जाये। आपने फ़रमाया हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में इसकी तामील कर ली जबकि इस्लाम कमज़ोर था और मुसलमान थोड़े थे, जो इस्लाम क़बूल करता था उस पर फ़ितना (मुश्किल घड़ी और इम्तिहान) आ पड़ता था, या तो क़त्ल कर दिया जाता या सख़्त अ़ज़ाबों में फंस जाता, यहाँ तक कि यह पाक दीन फैल गया और लोग ख़ूब ज़्यादा इसके दामन में आ गये और फ़ितना ख़त्म हो गया। उसने कहा अच्छा तो फिर फ़रमाईये कि हज़रत अ़ली और हज़रत उस्मान के बारे में आपका क्या ख़्याल है? फ़रमाया हज़रत उस्मान को तो ख़ुदा तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया अगरचे तुम उस माफ़ी से बुरा मनाओ (यानी चाहे तुमको मेरी बात बुरी लगे या तुम इसे न मानो), और हज़रत अ़ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचाज़ाद भाई और आपके दामाद थे, और यह देखो उनका मकान यह रहा जो तुम्हारी आँखों के सामने है।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ○	हुर्मत वाला महीना है हुर्मत वाले महीने के बदले, और (ये) हुर्मतें तो बदला मुआ़वज़ा (की चीज़ें) हैं, सो जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम भी उस पर ज़्यादती करो जैसी उसने तुम पर ज़्यादती की है, और अल्लाह से डरते रहो और यक़ीन कर लो कि अल्लाह तआ़ला डरने वालों के साथ होते हैं। (194)

कुछ महीने जिनमें जिहाद मुनासिब नहीं

ज़ीक़ादा सन् 6 हिजरी में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उमरे के लिये अपने सहाबा किराम समेत मक्का को तशरीफ़ ले चले, लेकिन मुश्रिकों ने आपको हुदैबिया वाले मैदान में रोक लिया। आख़िरकार

इस बात पर सुलह हुई कि आईन्दा साल आप उमरा करें और इस साल वापस तशरीफ़ ले जायें। चूँकि ज़ीक़ादा का (इस्लामी साल का ग्यारहवाँ) महीना भी हुर्मत (सम्मान) वाला महीना है, इसलिये यह आयत नाज़िल हुई। मुस्नद अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं करते थे, हाँ अगर कोई आप पर चढ़ाई करे तो और बात है, बल्कि जंग करते हुए अगर हुर्मत वाले महीने आ जाते तो आप लड़ाई रोक देते। हुदैबिया के मैदान में भी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह ख़बर पहुँची कि हज़रत उस्मान रज़ि. को मुश्रिकों ने क़त्ल कर दिया है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पैग़ाम लेकर मक्का शरीफ़ में गये थे तो आपने अपने चौदह सौ सहाबा से एक पेड़ के नीचे मुश्रिकों से जिहाद करने की बैअ़त ली। फिर जब मालूम हुआ कि यह ख़बर ग़लत है तो आपने अपना इरादा मुल्तवी (स्थगित) कर दिया और सुलह की तरफ़ माईल हो गये। फिर जो वाक़िआ़ हुआ वह हुआ। इसी तरह आप जबकि हवाज़िन की लड़ाई से हुनैन वाले दिन फ़ारिग़ हुए और ताईफ़ शहर के मुश्रिकों में जाकर क़िला-बन्द हो गये तो आपने उस क़िले का घेराव कर लिया, चालीस दिन तक यह घेराव रहा, आख़िरकार कुछ सहाबा की शहादत के बाद घेराव उठाकर आप मक्का की तरफ़ लौट गये और जिअ़राना से आपने उमरे का एहराम बाँधा, यहीं हुनैन की 'ग़नीमतें' तक़सीम कीं और यह उमरा आपका ज़ीक़ादा में हुआ। यह सन् 8 हिजरी का वाक़िआ़ है। अल्लाह तआ़ला आप पर दुरूद व सलाम भेजे।

फिर फ़रमाता है कि जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती कर लो। यानी मुश्रिकों में भी अ़दल (इन्साफ़) का ख़्याल रखो, यहाँ भी ज़्यादती के बदले को ज़्यादती से ताबीर करना वैसा ही है जैसे दूसरी जगह अ़ज़ाब व सज़ा के बदले को भी सज़ा के लफ़्ज़ से ही ताबीर किया गया है और बुराई के बदले को भी बुराई के लफ़्ज़ से बयान किया गय। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- यह आयत मक्का शरीफ़ में उतरी, जहाँ के मुसलमानों में कोई शौकत व शान न थी, न जिहाद का हुक्म था, फिर यह आयत मदीना शरीफ़ में जिहाद के हुक्म से मन्सूख़ हो गयी। लेकिन इमाम इब्ने जरीर रह. ने इस बात की तरदीद की है और फ़रमाते हैं कि यह आयत मदनी है, उमरा-ए-क़ज़ा के बाद नाज़िल हुई। हज़रत मुजाहिद का क़ौल भी यही है।

फिर फ़रमाता है कि अल्लाह तआ़ला की इताअ़त और परहेज़गारी इख़्तियार करो और इसे जान लो कि ऐसे ही लोगों के साथ दीन दुनिया में अल्लाह तआ़ला की ताईद व मदद रहती है।

और तुम लोग (जान के साथ माल भी) ख़र्च किया करो अल्लाह की राह में, और अपने आपको अपने हाथों तबाही में मत डालो, और काम अच्छी तरह किया करो बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला पसन्द करते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को। (195)	وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

जिहाद का छोड़ना आत्महत्या के बराबर है

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह आयत ख़ुदा की राह में ख़र्च करने के बारे में नाज़िल हुई है। (बुख़ारी शरीफ़) और बुज़ुर्गों ने भी इस आयत की तफ़सीर में यही बयान फ़रमाया है। हज़रत अबू इमरान

रह. फ़रमाते हैं कि मुहाजिरीन में से एक ने क़ुस्तुनतुनिया की जंग में काफ़िरों के लश्कर पर दिलेराना हमला किया और उनकी सफ़ों को चीरता हुआ उनमें घुस गया तो बाज़ लोग कहने लगे कि देखो यह अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में डाल रहा है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ि. ने यह सुनकर फ़रमाया इस आयत का सही मतलब हम ख़ूब जानते हैं। सुनो! यह आयत हमारे ही बारे में नाज़िल हुई है, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत उठाई, आपके साथ जंग व जिहाद में शरीक रहे, आपकी मदद पर तुले रहे यहाँ तक कि इस्लाम चारों तरफ़ फैल गया और मुसलमान ग़ालिब आ गये, तो हम अन्सारियों ने एक मर्तबा जमा होकर आपस में मश्विरा किया कि अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत के साथ हमें मुशर्रफ़ (सम्मानित) फ़रमाया, हम आपकी ख़िदमत में लगे रहे, आपके साथ मिलकर जिहाद करते रहे, अब अल्लाह के करम से इस्लाम फैल गया, मुसलमानों का ग़लबा हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गयी, उन दिनों में न हमने अपनी औलाद की ख़बरगीरी की न माल की देखभाल की न खेतों और बाग़ों का कुछ ख़्याल किया, पस अब हमें चाहिये कि अपने घरेलू मामलात की तरफ़ तवज्जोह करें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसका मतलब यह था कि जिहाद को छोड़कर बाल-बच्चों और व्यापार व तिजारत में मशग़ूल हो जाना, यह अपने हाथों अपने आपको हलाक करना है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई वग़ैरह)

एक और रिवायत में है कि क़ुस्तुनतुनिया की लड़ाई के वक़्त मिस्रियों के सरदार हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर थे और शामियों के सरदार यज़ीद बिन फ़ज़ाला बिन उबैद थे। हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. से एक शख़्स ने पूछा कि अगर मैं अकेला तन्हा दुश्मन की सफ़ में घुस जाऊँ और वहाँ घिर जाऊँ और क़त्ल कर दिया जाऊँ तो क्या इस आयत के मुताबिक़ अपनी जान को आप ही हलाक करने वाला बनूँगा? आपने जवाब दिया नहीं! अल्लाह तआ़ला अपने नबी से फ़रमाता है:

فَقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ.

ऐ नबी! अल्लाह की राह में मैं लड़ता रह तू अपनी जान का ही मालिक है इसी को तकलीफ़ दे।

यह आयत तो ख़ुदा की राह में ख़र्च करने से रुक जाने वालों के बारे में नाज़िल हुई है। (इब्ने मर्दूया वग़ैरह) तिर्मिज़ी की एक और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि आदमी का गुनाहों पर गुनाह किये चले जाना और तौबा न करना यह अपने हाथों अपने आपको हलाक करना है। इब्ने अबी हातिम में है कि मुसलमानों ने दमिश्क़ का घेराव किया और अज़्दे शनूआ क़बीले का एक आदमी जुर्रत करके दुश्मनों में घुस गया, उनकी सफ़ें चीरता फाड़ता अन्दर चला गया, लोगों ने इसे बुरा जाना और हज़रत अ़मर बिन आ़स के पास यह शिकायत की। चुनाँचे हज़रत अ़मर रज़ि. ने उन्हें बुला लिया और फ़रमाया- क़ुरआन में है कि अपनी जानों को हलाकत में न डालो। हज़रत इब्ने अबी अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि लड़ाई में इस तरह की बहादुरी दिखाना यह अपनी जानों को बरबादी में डालना नहीं, बल्कि ख़ुदा की राह में माल ख़र्च न करना यह हलाकत में पड़ना है। हज़रत ज़ह्हाक बिन अबू ज़ुबैरा रह. फ़रमाते हैं कि अन्सार अपने माल ख़ुदा की राह में खुले दिल से ख़र्च करते रहते थे लेकिन एक साल क़हत-साली (सूखा पड़ने) के मौक़े पर उन्होंने वह ख़र्च रोक लिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। हज़रत इमाम हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद बुख़्ल (कन्जूसी) करना है। हज़रत नोमान बिन बशीर फ़रमाते हैं कि गुनाहगार का रहमते बारी से नाउम्मीद हो जाना यह हलाक हो जाना है। दूसरे मुफ़स्सिरीन हज़रात भी फ़रमाते हैं कि अगर गुनाह हो जाये फिर बख़्शिश से नाउम्मीद होकर गुनाहों में मशग़ूल होना यह अपने हाथों हलाक होना है।

'तहलुका' से मुराद अल्लाह का अ़ज़ाब भी बयान किया गया है। क़ुरज़ी वग़ैरह से रिवायत है कि लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जिहाद में जाते थे और अपने साथ कुछ ख़र्च नहीं लेजाते थे, अब या तो वे भूख से मरें या उनका बोझ दूसरों पर पड़े तो उनसे इस आयत में फ़रमाया जाता है कि ख़ुदा ने जो तुम्हें दिया है उसे उसकी राह के कामों में लगाओ और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो कि भूख-प्यास से या पैदल चल-चलकर मर जाओ। इसके साथ ही उन लोगों को जिनके पास कुछ है हुक्म हो रहा है कि तुम एहसान करो ताकि ख़ुदा तुम्हें दोस्त रखे, नेकी के हर काम में ख़र्च किया करो ख़ास तौर पर जिहाद के मौक़े पर ख़ुदा की राह में ख़र्च करने से न रुको। यह दर असल ख़ुद तुम्हारी हलाकत है। पस एहसान आला दर्जे की नेकी है जिसका यहाँ हुक्म हो रहा है और साथ ही बयान हो रहा है कि एहसान करने वाले ख़ुदा के दोस्त हैं।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ٙ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ

और (जब हज व उमरा करना हो तो उस) हज व उमरे को अल्लाह तआ़ला के वास्ते पूरा-पूरा अदा किया करो। फिर अगर (किसी दुश्मन या बीमारी के सबब) रोक दिए जाओ तो क़ुरबानी का जानवर जो कुछ मयस्सर हो (ज़िबह करो) और अपने सरों को उस वक़्त तक न मुंडवाओ जब तक कि क़ुरबानी अपनी जगह पर न पहुँच जाए, (और वह जगह हरम है, कि किसी के हाथ वहाँ जानवर भेज दिया जाए)। अलबत्ता अगर तुममें से कोई बीमार हो या उसके सर में कुछ तकलीफ़ हो, (जिससे पहले ही सर मुंडाने की ज़रूरत पड़ जाए) तो (वह सर मुँडवाकर) फ़िदया (यानी उसका शरई बदला) दे दे (तीन) रोज़े से या (छह मिस्कीनों को) ख़ैरात दे देने या (एक बकरी) ज़िबह कर देने से, फिर जब अमन की हालत में हो (या तो पहले ही से कोई ख़ौफ़ पेश न आया हो, या होकर जाता रहा हो) तो जो शख़्स उमरा से उसको हज के साथ मिलाकर मुन्तफ़ा हुआ हो (यानी हज के दिनों में उमरा भी किया हो) तो जो कुछ क़ुर्बानी मयस्सर हो (ज़िबह) करे, (और जिसने सिर्फ़ उमरा या सिर्फ़ हज किया हो, उस पर हज वग़ैरह के मुताल्लिक़ कोई क़ुरबानी नहीं)। फिर जिस शख़्स को क़ुरबानी का जानवर मयस्सर न हो तो (उसके ज़िम्मे) तीन दिन के

أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝	रोज़े हैं हज (के दिनों) में, और सात हैं जबकि (हज से) तुम्हारे लौटने का वक़्त आ जाए, ये पूरे दस हुए। यह उस शख़्स के लिए है जिसके अहल (व अयाल) "यानी बाल-बच्चे और घर वाले" मस्जिदे हराम (यानी काबा) के क़रीब में न रहते हों (यानी क़रीब का वतन रखने वाला न हो) और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो (कि किसी बात में हुक्म के ख़िलाफ़ न हो जाए) और जान लो कि बेशक अल्लाह तआ़ला (बेबाकी और मुख़ालफ़त करने वालों को) सख़्त सज़ा देते हैं। (196)

इस्लाम का तीसरा अज़ीमुश्शान रुक्न

ऊपर चूँकि रोज़े का ज़िक्र हुआ था, फिर जिहाद का बयान हुआ, अब हज का ज़िक्र हो रहा है और हुक्म होता है कि हज और उमरे को पूरा करो। ज़ाहिर अलफ़ाज़ से मालूम होता है कि हज और उमरे को शुरू करने के बाद पूरा करना चाहिये। तमाम उलेमा इस पर सहमत हैं कि हज व उमरे को शुरू करने के बाद उनका पूरा करना लाज़िम है अगरचे उमरे के वाजिब होने में और मुस्तहब होने में उलेमा के दो क़ौल हैं जिन्हें हमने पूरी तरह किताबुल-अहकाम में बयान कर दिया है।

हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि पूरा करना यह है कि तुम अपने घर से एहराम बाँधो। हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. फ़रमाते हैं कि उनका पूरा करना यह है कि तुम अपने घर से एहराम बाँधो, तुम्हारा यह सफ़र हज व उमरे की ग़र्ज़ से हो, मीक़ात पहुँचकर लब्बैक पुकारना शुरू कर दो, तुम्हारा इरादा तिजारत या किसी और दुनियावी मक़सद का न हो, कि निकले तो अपने काम को और मक्का के क़रीब पहुँचकर ख़्याल आ गया कि हज व उमरा भी करता चलूँ। अगरचे इस तरह भी हज व उमरा अदा हो जायेगा लेकिन यह पूरा करना नहीं। पूरा करना यह है कि सिर्फ़ इसी इरादे से घर से निकले। हज़रत मक्हूल रह. फ़रमाते हैं कि उनका पूरा करना यह है कि उन्हें मीक़ात से शुरू करे। हज़रत उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि उनका पूरा करना यह है कि उन दोनों को अलग-अलग अदा करे और उमरे को हज के महीनों में न करे इसलिये कि क़ुरआन शरीफ़ में है:

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ.

हज के महीने मुक़र्रर हैं।

क़ासिम बिन मुहम्मद रह. फ़रमाते हैं कि हज के महीनों में उमरा करना पूरा होना नहीं। उनसे पूछा गया कि मुहर्रम में उमरा करना कैसा है? कहा लोग इसे तो पूरा कहते थे, लेकिन यह क़ौल ज़्यादा सही नहीं है, इसलिये कि यह बात मुसल्लम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चार उमरे किये और चारों ज़ीक़ादा के महीने में किये। एक सन् 6 हिजरी में ज़ीक़ादा के महीने में, दूसरा ज़ीलक़ादा सन् 7 हिजरी में उमरा-ए-क़ज़ा, तीसरा ज़ीक़ादा सन् 8 हिजरी में उमरा-ए-जिअ़राना, चौथा ज़ीक़ादा सन् 10 हिजरी में हज

के साथ। इन चारों के सिवा हिजरत के बाद आपका और कोई उमरा नहीं हुआ। हाँ आपने उम्मे हानी रज़ि. से फ़रमाया था कि रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। यह आपने इसलिये फ़रमाया था कि इन साहिबा ने आपके साथ हज की नीयत से जाने का इरादा कर लिया था लेकिन सवारी की वजह से साथ न जा सकीं, जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ में यह वाकिआ़ पूरा नक़ल किया गया है। हज़रत सईद बिन जुबैर रह. तो साफ़ फ़रमाते हैं कि यह हज़रत उम्मे हानी रज़ि. के लिये मख़्सूस हुक्म है। वल्लाहु आलम।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज व उमरे का एहराम बाँधने के बाद बग़ैर पूरा किये छोड़ना जायज़ नहीं। हज उस वक़्त पूरा होता है जबकि क़ुरबानी वाले दिन जमरा-ए-अ़क़बा को कंकर मारे और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले और सफ़ा-मरवा के दरमियांन दौड़ ले। अब हज अदा हो गया। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज अ़रफ़ात का नाम है और उमरा तवाफ़ है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की क़िराअत यह है:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ.

उमरा बैतुल्लाह तक जाते ही पूरा हो गया। हज़रत सईद बिन जुबैर से जब यह ज़िक्र हुआ तो आपने फ़रमाया हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की क़िराअत भी यही थी। हज़रत अ़ल्क़मा रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। इब्राहीम रह. से नक़ल है:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ.

यानी हज और उमरा बैतुल्लाह तक पूरा करो।

हज़रत शअ़बी रह. की क़िराअत में 'वल-उमूरतु' है, वह फ़रमाते हैं कि उमरा वाजिब नहीं, अगरचे इसके ख़िलाफ़ भी उनसे रिवायत है। बहुत सी अहादीस कई-कई सनदों के साथ हज़रत अनस रज़ि. वग़ैरह सहाबा की एक जमाअ़त से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज व उमरा दोनों को जमा किया और सही हदीस में है कि आपने अपने सहाबा से फ़रमाया- जिसके साथ क़ुरबानी का जानवर है वह हज व उमरे का एक साथ एहराम बाँधें। एक और हदीस में है कि उमरा हज में क़ियामत तक के लिये दाख़िल हो गया। अबू मुहम्मद बिन अबी हातिम ने अपनी किताब में एक रिवायत बयान की है कि एक शख़्स हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया, वह ज़ाफ़रान की ख़ुशबू से महक रहा था, उसने पूछा या रसूलल्लाह! मेरे एहराम के बारे में क्या हुक्म है? इस पर यह आयत उतरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा वह साईल (मसला पूछने वाला) कहाँ है? उसने कहा या रसूलल्लाह! मैं मौजूद हूँ। फ़रमाया अपने ज़ाफ़रानी कपड़े उतार डाल और ख़ूब मल-दलकर गुस्ल कर ले और जो अपने हज में करता है वही उमरे में भी कर। यह हदीस ग़रीब है और यह मज़मून अ़जीब है। बाज़ रिवायतों में गुस्ल का और इस आयत के नाज़िल होने का ज़िक्र नहीं। एक रिवायत में इनका नाम लैला बिन उमैया रज़ि. आया है। दूसरी रिवायत में सफ़वान बिन उमैया रज़ि. है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि अगर तुम घेर लिये जाओ तो जो क़ुरबानी मयस्सर हो कर डालो। मुफ़स्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि यह आयत सन् 6 हिजरी में हुदैबिया के मैदान में उतरी जबकि मुश्रिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मक्का जाने से रोका था और इसी बारे में पूरी सूरः फ़तह उतरी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा को रुख़्सत (छूट और रियायत) मिली कि वे अपनी क़ुरबानियों को वहीं ज़िबह कर डालें। चुनाँचे सत्तर ऊँट ज़िबह किये गये, सर मुँडवाये गये और एहराम खोल दिये गये।

शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़रमान को सुनकर लोग ज़रा झिझके और उन्हें इन्तिज़ार था कि शायद कोई नासिख़ (इस हुक्म को बदलने वाला) हुक्म उतरे, यहाँ तक कि ख़ुद आप बाहर आये और अपना सर मुंडवा दिया। फिर सब लोग आमादा हो गये। बाज़ों ने सर मुंडा लिया, बाज़ों ने बाल कतरवा लिये, जिस पर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला सर मुंडवाने वालों पर रहम करे। लोगों ने कहा हुज़ूर बाल कतरवाने वालों के लिये भी दुआ़ कीजिए आपने फिर मुंडवाने वालों के लिये ही दुआ़ की, तीसरी मर्तबा कतरवाने वालों के लिये भी दुआ़ कर दी। सात-सात शख़्स एक-एक ऊँट में शरीक थे, सहाबा की तायदाद चौदह सौ थी। हुदैबिया के मैदान में ठहरे हुए थे, जो हरम की हद से बाहर था। अगरचे यह भी रिवायत है कि हरम की हद के किनारे पर थे। वल्लाहु आलम।

उलेमा का इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि यह हुक्म सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जिन्हें दुश्मन घेर ले या किसी बीमारी वग़ैरह से भी कोई मजबूर हो जाये तो उसके लिये भी यह रुख़्सत (छूट) है कि वह उसी जगह एहराम खोल डाले, सर मुँडवा ले और क़ुरबानी कर दे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. तो सिर्फ़ पहली क़िस्म के लोगों के लिये ही बतलाते हैं। इब्ने उमर रज़ि., ताऊस ज़ोहरी और ज़ैद बिन असलम रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं, लेकिन मुस्नद अहमद की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि जिस शख़्स का हाथ-पाँव टूट जाये या बीमार हो जाये या लंगड़ा हो जाये तो वह हलाल हो गया (यानी एहराम से निकल गया)। वह अगले साल हज कर ले। हदीस का रावी कहता है कि मैंने इसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से ज़िक्र किया, उन्होंने भी फ़रमाया सच है। सुनने अरबआ़ में भी यह हदीस है।

हज़रत इब्ने मसऊद, इब्ने ज़ुबैर, अ़ल्क़मा, सईद बिन मुसैयब, उरवा बिन ज़ुबैर, मुजाहिद, नख़ई, अ़ता, मुक़ातिल बिन हय्यान रह. से भी यही मरवी है कि बीमार हो जाना और लंगड़ा हो जाना भी ऐसा ही उ़ज़्र है। हज़रत सुफ़ियान सौरी हर मुसीबत व तकलीफ़ को ऐसा ही उ़ज़्र बतलाते हैं। सहीहैन की एक हदीस में है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अ़ब्दुल-मुत्तलिब की बेटी ज़ुबाआ़ रज़ि. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम करती हैं कि हुज़ूर मेरा इरादा हज का है, लेकिन मैं बीमार रहती हूँ। आपने फ़रमाया हज को चली जाओ और शर्त करो कि मेरे एहराम से फ़ारिग़ होने की वही जगह है जहाँ मैं मर्ज़ की वजह से रुक जाऊँ। इसी हदीस की बिना पर बाज़ उलेमा-ए-किराम का फ़तवा है कि हज में शर्त करना जायज़ है। इमाम शाफ़ई रह. भी फ़रमाते हैं कि अगर यह हदीस सही हो तो मेरा क़ौल भी यही है। हज़रत इमाम बैहक़ी रह. फ़रमाते हैं कि यह हदीस बिल्कुल सही है। पस इमाम साहिब रह. का मज़हब भी यही हुआ।

फिर इरशाद होता है कि जो क़ुरबानी मयस्सर हो उसे क़ुरबान कर दे। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं यानी एक बकरी ज़िबह कर दे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं ऊँट हो, गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, उनके नर हों, इन आठों क़िस्मों में से जिसे चाहे ज़िबह करे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से बकरी भी मरवी है, और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन ने यही फ़रमाया है। चारों इमामों का भी यही मज़हब है। हज़रत आ़यशा रज़ि. और हज़रत इब्ने उमर रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सिर्फ़ ऊँट और गाय है। ग़ालिबन उनकी दलील हुदैबिया वाला वाक़िआ़ होगा, उसमें किसी सहाबी से बकरी का ज़िबह करना मन्क़ूल नहीं, गाय और ऊँट ही उन बुज़ुर्गों ने क़ुरबानी में किये हैं। सहीहैन में हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि हम सात-सात आदमी गाय और ऊँट में शरीक हो जायें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी मन्क़ूल है कि जिस जानवर के ज़िबह करने की गुंजाईश हो उसे ज़िबह कर डाले। अगर मालदार है तो ऊँट, इससे कम हैसियत वाला है तो गाय वरना फिर बकरी। हज़रत उरवा

फ़रमाते हैं कि महंगे सस्ते दामों पर मौक़ूफ़ है।

जमहूर के इस क़ौल की कि बकरी काफ़ी है यह दलील है कि क़ुरआन ने मयस्सर होने, आसानी होने का ज़िक्र फ़रमाया है, यानी कम से कम वह चीज़ जिस पर क़ुरबानी का इतलाक़ हो सके और क़ुरबानी के जानवर ऊँट, गाय बकरियाँ, और भेड़ें हैं। जैसे कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. का फ़रमान है। सहीहैन की एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा बकरी की क़ुरबानी की फिर फ़रमाया जब तक क़ुरबानी अपनी जगह पर न पहुँच ले तुम अपने सरों को न मुंडवाओ। इसका ताल्लुक़ हज व उमरा पूरा करने वाली आयत पर है, उस हिस्से से नहीं जिसमें यह ज़िक्र है कि अगर तुम घेर लिये जाओ। इमाम इब्ने जरीर रह. से यहाँ चूक हो गयी। वजह यह है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके साथियों ने हुदैबिया वाले साल जबकि मुश्रिक लोग बाधा बन गये और आपको हरम में न जाने दिया तो हरम से बाहर ही सबने सर भी मुंडवाये और क़ुरबानियाँ भी कर दीं, लेकिन अमन की हालत में जबकि हरम में पहुँच सकते हों तो जायज़ नहीं जब तक कि क़ुरबानी अपनी जगह न पहुँच जाये और हाजी हज व उमरे के तमाम अहकाम से फ़ारिग़ न हो ले। अगर वह हज व उमरे का एक साथ एहराम बाँधे हुए हो और उनमें से एक का करने वाला हो तो चाहे उसने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा हो, चाहे हज्जे तमत्तो की नीयत की हो।

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- या रसूलल्लाह! सब ने तो एहराम खोल डाले लेकिन आप एहराम से ही हैं। आपने फ़रमाया हाँ मैंने अपना सर मुंडवा लिया है और अपनी क़ुरबानी के जानवर के गले में अ़लामत (निशानी) डाल दी है, जब तक यह ज़िबह न हो जाये मैं एहराम नहीं उतार सकता। फिर हुक्म होता है कि बीमार और सर की तकलीफ़ वाला शख़्स फ़िदया दे दे। सही बुख़ारी शरीफ़ में है, अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़क़ल कहते हैं कि मैं कूफ़ा की मस्जिद में हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ि. के पास बैठा हुआ था, मैंने उनसे इस आयत के बारे में पूछा तो कहा कि मुझे लोग उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ले गये, जुएँ मेरे मुँह पर चल रही थीं, आपने मुझे देखकर फ़रमाया मैं नहीं ख़्याल करता था कि तुम्हारी हालत यहाँ तक पहुँच गयी होगी, क्या तुम्हें इतनी ताक़त नहीं कि एक बकरी ज़िबह कर डालो? मैंने कहा हुज़ूर! मैं तो मुफ़लिस (ग़रीब) आदमी हूँ। आपने फ़रमाया अच्छा जाओ अपना सर मुंडवा दो और तीन रोज़े रख लेना, या छह मिस्कीनों को आधा आधा साअ़ (तक़रीबन सवा सेर सवा छटाँक) अनाज दे देना। पस यह आयत मेरे बारे में उतरी है, और हुक्म के एतिबार से हर एक ऐसे माज़ूर शख़्स को शामिल है।

एक और रिवायत में है कि मैं हंडिया के नीचे आग सुलगा रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरी यह हालत देखकर मुझे यह मसला बताया। एक और रिवायत में है कि यह वाक़िआ हुदैबिया का है और मेरे सर पर बड़े-बड़े बाल थे, जिनमें बहुत ज़्यादा जुएँ हो गयी थीं। इब्ने मर्दूया की रिवायत में है कि फिर मैंने सर मुंडवा दिया और एक बकरी ज़िबह कर दी। एक और हदीस में है कि 'नुसुक' यानी क़ुरबानी एक बकरी है और रोज़े अगर रखे तो तीन हैं और सदक़ा अगर दे तो एक पैमाना छह मिस्कीनों के दरमियान तक़सीम कर देना है। हज़रत अ़ली, मुहम्मद बिन कअ़ब, अ़ल्क़मा, इब्राहीम, मुजाहिद, अ़ता, सुद्दी और रबीअ़ बिन अनस रह. का भी यही फ़तवा है। इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत कअ़ब बिन उजरा रज़ि. को तीनों मसले बताकर फ़रमा दिया था कि इसमें से जिस पर तुम अ़मल कर लो काफ़ी है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जहाँ दो तीन सूरतें

लफ़्ज़ औ (या) के साथ बयान हुई हों वहाँ इख़्तियार होता है जिसे चाहे कर ले। हज़रत मुजाहिद, इक्रिमा, अ़ता, ताऊस, हसन, हुमैद, आरज, इब्राहीम नख़ई और ज़ह्हाक रह. से भी यही रिवायत है। चारों इमामों और अक्सर उलेमा का भी यही मज़हब है कि अगर चाहे रोज़े रख ले, अगर चाहे सदक़ा कर दे, अगर चाहे क़ुरबानी कर ले। रोज़े तीन हैं, सदक़ा तीन साअ़ (यानी आठ सेर में आधी छटांक कम) छह मिस्कीनों पर तक़सीम कर दे और क़ुरबानी एक बकरी की है। इन तीनों सूरतों में से जो चाहे कर ले। परवर्दिगारे आ़लम रहमान व रहीम को चूँकि यहाँ रुख़्सत (रियायत) देनी थी इसलिये सबसे पहले रोज़े बयान फ़रमाये, जो सबसे आसान सूरत है, फिर सदक़े का ज़िक्र किया, फिर क़ुरबानी का। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को चूँकि अफ़ज़लियत पर अ़मल कराना था इसलिये पहले बकरी की क़ुरबानी का ज़िक्र किया, फिर छह मिस्कीनों को खिलाने का, फिर तीन रोज़े रखने का। सुब्हानल्लाह! दोनों मक़ाम के एतिबार से दोनों तरतीबें किस क़द्र दुरुस्त और बिल्कुल फ़िट हैं। अल्लाह की ज़ात बड़ी तारीफ़ वाली है।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. से इस आयत का मतलब पूछा जाता है तो फ़रमाते हैं कि ग़ल्ले का हुक्म लगाया जायेगा, अगर उसके पास है तो एक बकरी ख़रीद ले वरना बकरी की क़ीमत दिरहमों से लगाई जाये, उसका ग़ल्ला ख़रीदा जाये और सदक़ा कर दिया जाये, वरना हर आधे साअ़ के बदले एक रोज़ा रखे। हज़रत हसन रह. फ़रमाते हैं कि जब मुहरिम (एहराम बाँधने वाले) के सर में तकलीफ़ हो तो बाल मुंडवा दे और इन तीन में से एक फ़िदया अदा कर दे- रोज़े दस हैं, सदक़ा दस मिस्कीनों पर तक़सीम करना पड़ेगा, हर हर मिस्कीन को एक मकोक खजूर और एक मकोक गेहूँ और क़ुरबानी में बकरी। हसन और इक्रिमा रह. भी दस मिस्कीनों का खाना बतलाते हैं, लेकिन ये अक़्वाल ठीक नहीं, इसलिये कि मरफ़ूअ़ हदीस में आ चुका है कि रोज़े तीन हैं और खाना छह मिस्कीनों का है, और इन तीनों सूरतों में इख़्तियार है, क़ुरबानी की बकरी कर दे, चाहे रोज़े तीन रख ले, चाहे छह फ़क़ीरों को खाना खिला दे। हाँ यह तरतीब एहराम की हालत में शिकार करने वाले पर है, जैसे कि क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ हैं, और फ़ुक़हा का इजमा है (यानी सब इस पर सहमत हैं) लेकिन यहाँ तरतीब ज़रूरी नहीं, इख़्यितार है।

हज़रत ताऊस रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि. हज को निकले, आपके साथ हज़रत अ़ली और हज़रत हुसैन रज़ि. भी थे। मैं अबू जाफ़र के साथ था, हमने देखा कि एक शख़्स सोया हुआ है और उसकी ऊँटनी उसके सिरहाने बंधी हुई है। मैंने उसे जगाया, देखा तो वह हज़रत हसन रज़ि. थे। इब्ने जाफ़र उन्हें लेकर चले यहाँ तक कि हम सुक़्या में पहुँचे, वहाँ बीस दिन तक हम उनकी तीमारदारी में रहे। एक मर्तबा हज़रत अ़ली रज़ि. ने पूछा क्या हाल है? जनाब हुसैन रज़ि. ने अपने सर की तरफ़ इशारा किया, आपने हुक्म दिया कि सर मुंडवा लो। फिर ऊँट मंगवाकर ज़िबह कर दिया, तो अगर उस ऊँट की क़ुरबानी करना एहराम से हलाल होने के लिये था तो ख़ैर, और अगर फ़िदये के लिये था तो ज़ाहिर है कि मक्का के बाहर यह क़ुरबानी हुई।

फिर इरशाद होता है कि तमत्तो (यह हज की एक क़िस्म है) वाला शख़्स भी क़ुरबानी करे, चाहे हज व उमरे का एक साथ एहराम बाँधा हो या पहले उमरे का एहराम बाँधा हो और उससे फ़ारिग़ होकर हज का एहराम बाँध लिया हो, असल तमत्तो यही है, और फ़ुक़हा के कलाम में भी मशहूर यही है और आ़म तमत्तो इन दोनों क़िस्मों को शामिल है जैसे कि इस पर सही हदीसें दलालत करती हैं। बाज़ रावी तो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद हज्जे तमत्तो किया था, बाज़ कहते हैं कि आप हज्जे क़िरान वाले थे, और इतना सब कहते हैं कि क़ुरबानी के जानवर आपके साथ थे। पस आयत में यह हुक्म है कि तमत्तो

करने वाला जिस क़ुरबानी पर क़ादिर हो वह कर डाले, जिसका अदना दर्जा एक बकरी की क़ुरबानी करना है अगरचे गाय की क़ुरबानी भी कर सकता है। चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय की क़ुरबानी की थी जो सबकी सब तमत्तो वाली थीं। (इब्ने मर्दूया)

इससे साबित हुआ कि तमत्तो भी हुक्मे शरीअ़त में (यानी जायज़) है। इमरान बिन हुसैन रज़ि. फ़रमाते हैं कि तमत्तो की आयत भी क़ुरआन में नाज़िल हो चुकी है और हमने ख़ुद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ तमत्तो किया, पर न तो क़ुरआन में इसकी मनाही नाज़िल हुई न हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इससे रोका, लेकिन लोगों ने अपनी राय से इसे ममनूअ़ (वर्जित) क़रार दिया।

इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद ग़ालिबन हज़रत उमर रज़ि. हैं। हज़रत इमामुल-मुहद्दिसीन की यह बात बिल्कुल सही है। हज़रत उमर रज़ि. से मन्क़ूल है कि वह लोगों को इससे रोकते थे और फ़रमाते थे कि अगर हम किताबुल्लाह को लें तो उसमें भी हज व उमरे के पूरा करने का हुक्म मौजूद है:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

लेकिन यह याद रहे कि यह मुमानिअ़त (मनाही) हज़रत उमर रज़ि. की इस तरह न थी कि आप इसको बिल्कुल ही हराम समझ रहे हों, बल्कि इसलिये थी कि लोग अधिक संख्या में हज व उमरे के लिये बैतुल्लाह को जायें जैसे कि आप से स्पष्ट तौर पर यही नक़ल है।

फिर फ़रमाता है कि जो शख़्स न पाये वह तीन रोज़े हज में रख ले और सात रोज़े उस वक़्त रख ले जब हज से लौटे। ये पूरे दस दिन हो जायेंगे। यानी क़ुरबानी की ताक़त जिसे न हो वह रोज़े रख ले, तीन तो हज के दिनों में, उलेमा का बयान है कि बेहतर यह है कि ये रोज़े अ़रफ़ा (यानी 9 ज़िलहिज्जा) से पहले-पहले ज़िलहिज्जा के दिनों में रख ले। हज़रत अ़ता का क़ौल यही है। या एहराम बाँधते ही रख ले, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह का क़ौल यही है, क्योंकि 'फ़िलहज्जि' का लफ़्ज़ है। हज़रत ताऊस रह. मुजाहिद रह. वग़ैरह भी फ़रमाते हैं कि शव्वाल महीने के शुरू में भी ये रोज़े जायज़ हैं।

हज़रत शअ़बी रह. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि इन रोज़ों को अगर अ़रफ़ा के दिन का रोज़ा शामिल करके ख़त्म करे तो भी इख़्तियार है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी मन्क़ूल है कि अगर अ़रफ़ा से पहले दो दिनों में दो रोज़े रख लिये और तीसरा अ़रफ़ा (9 ज़िलहिज्जा) के दिन हो तो भी जायज़ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. भी फ़रमाते हैं कि सात, आठ और नौ ज़िलहिज्जा का। हज़रत अ़ली रज़ि. का फ़रमान भी यही है। अगर किसी शख़्स से यह तीनों रोज़े या एक दो छूट गये हों और तशरीक़ के दिनों यानी बक़रईद के बाद के तीन दिन आ जायें तो हज़रत आयशा रज़ि. और हज़रत इब्ने उमर रज़ि. का फ़रमान है कि वह उन दिनों में भी ये रोज़े रख सकता है। (बुख़ारी) इमाम शाफ़ई रह. का भी पहला क़ौल यही है, हज़रत अ़ली रज़ि. से भी यही नक़ल है।

हज़रत इक्रिमा, हसन बसरी और उरवा बिन ज़ुबैर रह. से भी यही रिवायत है और इसकी दलील यह है वल हज आ़म है और इन दिनों को भी शामिल है। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. का नया क़ौल यह है कि इन दिनों में यह रोज़े नाजायज़ हैं। क्योंकि सही मुस्लिम शरीफ़ में हदीस है कि तशरीक़ (11,12,13 ज़िलहिज्जा) के दिन खाने पीने और ज़िक्रुल्लाह करने के दिन हैं। फिर सात रोज़ लौटते वक़्त, इससे मुराद या तो यह है कि जब लौटकर अपने मक़ाम पर पहुँच जाओ। पस लौटते वक़्त रास्ते में भी ये रोज़े रख सकता है। मुजाहिद और अ़ता रह. यही कहते हैं। या मुराद वतन में पहुँच जाना है। इब्ने उमर रज़ि. भी यही फ़रमाते

हैं, और भी बहुत से ताबिईन का यही मज़हब है, बल्कि इब्ने जरीर रह. इस पर इजमा (सब की सहमति) बतलाते हैं। बुख़ारी शरीफ़ की एक लम्बी हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज्जतुल-विदा में उमरे का हज के साथ तमत्तो किया और क़ुरबानी दी, ज़ुल-हुलैफ़ा से आपने क़ुरबानी साथ ले ली थी, उमरे की, फिर हज की तहलील की (यानी एहराम से बाहर निकले), लोगों ने भी आपके साथ तमत्तो किया, बाज़ लोगों ने तो क़ुरबानी साथ रख ली थी बाज़ों के साथ क़ुरबानी के जानवर न थे। मक्का शरीफ़ पहुँचकर आपने फ़रमाया- जिसके साथ क़ुरबानी है वह हज ख़त्म होने तक एहराम में रहे और जिसके साथ क़ुरबानी नहीं वह बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करके सफ़ा-मरवा के दरमियान दौड़कर एहराम खोल डाले। सर के बाल मुंडवा ले या कतरवा ले, फिर हज का एहराम बाँधे। अगर क़ुरबानी की ताक़त न हो तो तीन रोज़े तो हज में रख ले और सात रोज़े जब अपने वतन पहुँचे तब रख ले....। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इससे साबित होता है कि ये सात रोज़े वतन में जाने के बाद हैं। फिर फ़रमाया ये पूरे दस हैं। यह इरशाद ताकीद के लिये है जैसा कि अ़रब के लोगों में कहा जाता है कि मैंने अपनी आँखों से देखा कानों से सुना हाथ से लिखा। और क़ुरआन में भी है:

وَلَا طَآئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ.

न कोई परिन्द जो अपने दोनों परों से उड़ता हो। एक और जगह है:

وَلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ.

तू अपने दायें हाथ से लिखता नहीं।

एक और जगह है कि हमने मूसा अ़लैहिस्सलाम को तीस रातों का वायदा दिया और मज़ीद दस के साथ उसे पूरा किया और उसके रब का वक़्ते मुक़र्ररा चालीस रातों का पूरा हुआ।

पस जैसे इन सब जगहों में सिर्फ़ ताकीद है ऐसे ही यह जुमला भी ताकीद के लिये है। और यह भी कहा गया है कि यह हुक्म है तमाम व कमाल (पूरा) करने का और 'कामिलतुन' का मतलब यह भी बयान किया गया है कि ये क़ुरबानी के बदले काफ़ी हैं।

इसके बाद इरशाद होता है कि यह हुक्म उन लोगों के लिये है जिनके घर वाले मस्जिदे हराम के रहने वाले न हों। इस पर तो इजमा है (सब एक राय हैं) कि हरम वाले तमत्तो नहीं कर सकते। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. यही फ़रमाते हैं, बल्कि आपसे रिवायत है कि आपने फ़रमाया- ऐ मक्का वालो! तुम तमत्तो नहीं कर सकते, बाहर वालों के लिये तमत्तो है, तुमको ज़रा सी दूर जाना पड़ता है, थोड़ा सा फ़ासला तय किया, फिर उमरे का एहराम बाँध लिया। हज़रत ताऊस की तफ़सीर भी यही है, लेकिन हज़रत अ़ता रह. फ़रमाते हैं कि मीक़ात (यानी एहराम बाँधने के मक़ामत) से परे जो हों वे भी इसी हुक्म में हैं, उनके लिये भी तमत्तो करना जायज़ नहीं। मक्हूल भी यही फ़रमाते हैं। तो अ़रफ़ात वालों का, मुज़्दलिफ़ा वालों का, अ़रफ़ा और रजीअ़ के रहने वालों का भी यही हुक्म है। इमाम ज़ोहरी रह. फ़रमाते हैं कि मक्का शरीफ़ से एक दिन की राह के फ़ासले पर हो या उसके क़रीब तो वह तमत्तो कर सकता है और लोग नहीं कर सकते। हज़रत अ़ता रह. दो दिन भी फ़रमाते हैं।

इमाम शाफ़ई रह. का मज़हब यह है कि हरम वालों और जो इतने फ़ासले पर हों कि वहाँ के लोगों के लिये नमाज़ क़सर करना जायज़ न हो, उन सबके लिये यही हुक्म है, इसलिये कि ये सब हाज़िर कहे जायेंगे। इनके अ़लावा मुसाफ़िर, उन सबके लिये हज में तमत्तो करना जायज़ है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया अल्लाह तआ़ला से डरो, जो उसके अहकाम हैं बजा लाओ, जिन कामों से उसने मना किया है रुक जाओ और यक़ीन रखो कि अपने नाफ़रमानों को वह सख़्त सज़ा करता है।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ○	हज (का ज़माना) चन्द महीने हैं जो मालूम हैं, (शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा की दस तारीख़ें) सो जो शख़्स इनमें हज मुक़र्रर करे तो फिर (उसको) न कोई गन्दी बात (जायज़) है और न कोई नाफ़रमानी (दुरुस्त) है, और न किसी क़िस्म का झगड़ा (मुनासिब) है। हज में जो नेक काम करोगे ख़ुदा तआ़ला को उसकी इत्तिला होती है, और (जब हज को जाने लगो) ख़र्च ज़रूर ले लिया करो क्योंकि सबसे बड़ी बात ख़र्च में (भीख माँगने से) बचा रहना है, और ऐ अ़क़्ल वालो! मुझसे डरते रहो। (197)

हज्जे बैतुल्लाह के निर्धारित दिन

अ़रबी जानने वालों ने कहा कि मतलब अगले जुमले का यह है कि हज, हज है उन महीनों का जो मालूम और मुक़र्रर हैं। पस हज के महीनों में एहराम बाँधना दूसरे महीनों के एहराम से ज़्यादा कामिल है, अगरचे दूसरे महीनों का एहराम भी सही है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, इमाम इब्राहीम नख़ई, इमाम सौरी, इमाम लैस, अल्लाह तआ़ला इन सब पर रहमतें नाज़िल फ़रमाये, फ़रमाते हैं कि साल भर में जिस महीने में चाहे हज का एहराम बाँध सकता है। इन बुज़ुर्गों की दलील यह आयत है:

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ.......... الخ.

आपसे चाँदों की हालत तहक़ीक़ात करते हैं..........। (सूरः ब-क़रह आयत 189)

दूसरी दलील यह है कि हज और उमरे दोनों को 'नुसुक' (क़ुरबानी) कहा गया है, और उमरे का एहराम हर महीने में बाँध सकता है तो हज का एहराम भी जब बाँधेगा सही होगा। हाँ हज़रत इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि हज का एहराम हज के महीनों में ही बाँधना सही होगा बल्कि अगर दूसरे माह में हज का एहराम बाँधा तो ग़ैर-सही है। लेकिन उससे उमरा भी हो सकता है या नहीं? इसमें इमाम साहिब के दो क़ौल हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत जाबिर, हज़रत अ़ता, हज़रत मुजाहिद रह. का भी यही मज़हब है कि हज का एहराम हज के महीनों के सिवा बाँधना ग़ैर-सही है। और इस पर दलील यह आयत है:

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ.

कि हज का ज़माना चन्द महीने हैं जो मालूम हैं..........।

अ़रबी जानने वालों की एक दूसरी जमाअ़त कहती है कि आयत के इन अलफ़ाज़ से मतलब यह है कि हज का वक़्त ख़ास-ख़ास मुक़र्रर किये हुए महीने हैं तो साबित हुआ कि उन महीनों से पहले जो एहराम हज

का बाँधेगा वह सही न होगा, जिस तरह नमाज़ के वक़्त से पहले कोई नमाज़ पढ़ ले। इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि हमें मुस्लिम बिन ख़ालिद ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने जुरैज से सुना, उनसे उमर बिन अ़ता ने कहा, उनसे इक्रिमा ने ज़िक्र किया कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. का फ़रमान है कि किसी शख़्स को लायक़ नहीं कि हज के महीनों के सिवा भी हज का एहराम बाँधे, क्योंकि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ.

कि हज का ज़माना चन्द महीने हैं जो मालूम हैं..........।

इस रिवायत की और भी बहुत-सी सनदें हैं। एक सनद में है कि सुन्नत यही है। सही इब्ने ख़ुज़ैमा में भी यह रिवायत मन्क़ूल है। उसूल की किताबों में यह मसला तयशुदा है कि सहाबी का यह फ़रमान कि सुन्नत यूँ है हुक्म में मरफ़ूअ़ हदीस के होता है। पस यह हुक्मे रसूल हो गया और सहाबी भी यहाँ वह सहाबी हैं जो क़ुरआन के व्याख्यापाक और तर्जुमान हैं। इसके अ़लावा इब्ने मर्दूया की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हज का एहराम बाँधना किसी को सिवाय हज के महीनों के लायक़ नहीं। इसकी सनद भी मज़बूत है। लेकिन शाफ़ई और बैहक़ी ने रिवायत की है कि इस हदीस के रावी हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से पूछा गया कि क्या हज के महीनों से पहले हज का एहराम बाँध लिया जाये? तो आपने फ़रमाया नहीं। यह मौक़ूफ़ हदीस ही ज़्यादा साबित और ज़्यादा सही है, और सहाबी के इस फ़तवे की मज़बूती हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. के इस क़ौल से भी होती है कि सुन्नत यूँ है। वल्लाहु आलम।

"चन्द मालूम और जाने-पहचाने महीनों" से मुराद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि शव्वाल, ज़ीक़ादा और दस दिन ज़िलहिज्जा के हैं (यानी इस्लामी साल का दसवाँ, ग्यारहवाँ महीना और बारहवें महीने के शुरू के दस दिन)। (बुख़ारी)

यह रिवायत इब्ने जरीर में भी है, मुस्तद्रक हाकिम में भी है और इमाम हाकिम इसे सही बतलाते हैं। हज़रत उमर, हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से भी यही मरवी है। हज़रत अ़ता, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत शअ़बी, हज़रत हसन, हज़रत इब्ने सीरीन, हज़रत मक्हूल, हज़रत क़तादा, हज़रत ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम, हज़त रबीअ़ बिन अनस, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान रह. भी यही कहते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हंबल, अबू यूसुफ़ और अबू सौर रह. का भी यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर भी इसी को पसन्द फ़रमाते हैं। 'अश्हुर' का लफ़्ज़ जमा (बहुवचन) है, तो इसका इतलाक़ (हुक्म) दो पूरे महीनों और तीसरे के कुछ हिस्से पर भी हो सकता है। जैसे अ़रबी में कहा जाता है कि मैंने इस साल या आज के दिन उसे देखा है। पस हक़ीक़त में सारा साल और पूरा दिन तो देखता नहीं रहता, बल्कि देखने का वक़्त थोड़ा सा ही होता है, मगर तग़लीबन (ग़ालिब करते हुए और अक्सरियत का एतिबार करते हुए) ऐसा बोल दिया करते हैं। इसी तरह यहाँ भी तग़लीबन तीसरे महीने का ज़िक्र है। क़ुरआन में भी है:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِیْ یَوْمَیْنِ.

तो जिसने जल्द की दो दिन की।

हालाँकि वह जल्दी डेढ़ दिन की होती है, मगर गिनती में दो दिन कहे गये। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई रह. का एक पहला क़ौल यह भी है कि शव्वाल ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा का पूरा महीना है। इब्ने

उमर रज़ि. से भी यही मरवी है। इब्ने शिहाब, अ़ता, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से भी यही मरवी है। इमाम ताऊस, इमाम मुजाहिद, उरवा, रबीअ़ और क़तादा रह. से भी यही मरवी है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी यह आया है, लेकिन वह मौज़ूअ़ (गढ़ी हुई) है। क्योंकि उसका रावी हुसैन बिन मुख़ारिक़ है जिस पर हदीसों को गढ़ने की तोहमत (इल्ज़ाम लगा) है, बल्कि इसका मरफ़ूअ़ होना साबित नहीं। वल्लाहु आलम।

इमाम मालिक रह. के इस क़ौल को मान लेने के बाद यह साबित होता है कि ज़िलहिज्जा के महीने में उमरा करना सही न होगा। यह मतलब नहीं कि दस ज़िलहिज्जा के बाद भी हज हो सकता है। चुनाँचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज के महीनों में उमरा दुरुस्त नहीं। इमाम इब्ने जरीर भी इन अक़वाल का यही मतलब बयान करते हैं कि हज का ज़माना तो मिना के दिन गुज़रते ही ख़त्म हुआ। मुहम्मद बिन सीरीन का बयान है कि मेरे इल्म में कोई अहले-इल्म ऐसा नहीं जो हज के महीनों के अ़लावा उमरा करने को इन महीनों के अन्दर उमरा करने से अफ़ज़ल मानने में शक करता हो। क़ासिम बिन मुहम्मद रह. से इब्ने औ़न ने हज के महीनों में उमरा करने के मसले को पूछा तो आपने जवाब दिया कि इसे लोग पूरा उमरा नहीं जानते। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ि. भी हज के महीनों के अ़लावा उमरे को नापसन्द फ़रमाते थे, बल्कि इन महीनों में उमरा करने को मना करते थे। वल्लाहु आलम।

फिर इरशाद होता है कि जो शख़्स इन महीनों में हज मुक़र्रर कर ले, यानी हज का एहराम बाँध ले, इससे साबित हुआ कि हज का एहराम बाँधना और उसे पूरा करना लाज़िम है। फ़र्ज़ से मुराद यहाँ वाजिब व लाज़िम कर लेना है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज का एहराम बाँध ले, इससे उमरे का एहराम बाँधने वाला मुराद है। अ़ता रह. फ़रमाते हैं कि फ़र्ज़ से मुराद एहराम है। इब्राहीम और ज़ह्हाक रह. का भी यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि एहराम बाँध लेने और लब्बैक पुकारने के बाद कहीं ठहरे रहना ठीक नहीं, दूसरे हज़रात का भी यही क़ौल है। बाज़ बुज़ुर्गों ने यह भी कहा है कि फ़र्ज़ से मुराद लब्बैक पुकारना है। 'रफ़स' से मुराद हमबिस्तरी और संभोग है, जैसे एक दूसरी जगह क़ुरआन में है:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ.

यानी रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से सोहबत करना तुम्हारे लिये हलाल किया गया है।

एहराम के बाद क्या चीज़ें वर्जित और मना हैं?

एहराम की हालत में सोहबत और उस पर उकसाने वाली तमाम बातें और काम भी हराम हैं, जैसे बेहिजाबी, बोसा लेना, इन बातों का औ़रतों की मौजूदगी में ज़िक्र करना, अगरचे बाज़ों ने मर्दों की मज्लिस में भी ऐसी बातें करने को 'रफ़स' में दाख़िल किया है लेकिन हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इसके ख़िलाफ़ मरवी है। उन्होंने एक मर्तबा कोई ऐसा ही शे'र पढ़ा और दरियाफ़्त करने पर फ़रमाया कि औ़रतों के सामने इस क़िस्म की बातें करना रफ़स (गन्दी बात) है। रफ़स का अदना दर्जा यह है कि सोहबत वग़ैरह का ज़िक्र किया जाये। अश्लील बातें करना, दबी ज़बान से ऐसा ज़िक्र करना, इशारों किनायों में सोहबत का ज़िक्र करना, अपनी बीवी से कहना कि एहराम खुल जाये तो सोहबत करेंगे, छेड़-छाड़ करना, अंगों को रगड़ना वग़ैरह, ये सब रफ़स में दाख़िल हैं और एहराम की हालत में ये सब बातें हराम हैं। मुख़्तलिफ़ मुफ़स्सिरों के मुख़्तलिफ़ अक़वाल का ख़ुलासा यह है कि 'फ़ुसूक़' के मायने हुक्म को तोड़ने, नाफ़रमानी करने, शिकार, गाली-गलौज वग़ैरह बदज़बानी के हैं, जैसे हदीस में है कि मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ (गुनाह और

नाफ़रमानी) है और उसे क़त्ल करना कुफ़्र है। ख़ुदा के सिवा दूसरों की निकटता या ख़ुशी चाहने के लिये जानवरों को ज़िबह करना भी फ़िस्क़ (गुनाह) है। जैसे क़ुरआने करीम में है:

اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ.

बुरे अलक़ाब (नाम, उपनाम) से याद करना भी फ़िस्क़ (बुराई) है। क़ुरआन फ़रमाता है:

لَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ.

एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से न पुकारो।

मुख़्तसर यह है कि ख़ुदा तआ़ला की हर नाफ़रमानी फ़िस्क़ (बुराई और गुनाह) में दाख़िल है, अगरचे यह फ़िस्क़ हर वक़्त हराम है लेकिन हुर्मत वाले (सम्मानित) महीनों में इसकी हुर्मत और बढ़ जाती है। ख़ुदा तआ़ला फ़रमाता है:

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ.

इन हुर्मत (सम्मान) वाले महीनों में अपनी जान पर ज़ुल्म न करो।

इसी तरह हरम में भी इसकी हुर्मत बढ़ जाती है। इरशाद है:

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ ۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

यानी हरम में जो इलहाद और बेदीनी का इरादा करे उसे हम दर्दनाक अ़ज़ाब देंगे।

इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि यहाँ फ़िस्क़ से मुराद वो काम हैं जो एहराम की हालत में मना हैं, जैसे शिकार खेलना, बाल मुंडवाना या कतरवाना, नाख़ुन काटना वग़ैरह। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से भी यही रिवायत है, लेकिन बेहतरीन तफ़सीर वही है जो हमने बयान की, यानी हर गुनाह से रोका गया है। वल्लाहु आलम। सहीहैन में है कि जो शख़्स इस बैतुल्लाह का हज करे, न रफ़स करे न फ़िस्क़ (यानी हर तरह की बुराई, नाफ़रमानी, अश्लील हरकतों और गन्दी बातों से बचे), वह गुनाहों से ऐसा निकल जाता है जैसे अपने पैदा होने के दिन था।

फिर इरशाद होता है कि हज में झगड़ा नहीं। यानी हज के वक़्त और हज के अरकान वग़ैरह में झगड़ा न करो। इसका पूरा बयान अल्लाह तआ़ला ने फ़रमा दिया है। हज के महीने मुक़र्रर हो चुके हैं, उनमें कमी ज़्यादती न करो। मौसमे हज को अगे पीछे न करो, जैसा कि मुश्रिकों का तरीक़ा था जिसकी मज़म्मत (बुराई और निंदा) क़ुरआने करीम में दूसरी जगह फ़रमा दी गयी है। इसी तरह क़ुरैश 'मश्अ़र-ए-हराम' के पास मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे और बाक़ी अ़रब अ़रफ़ात में ठहरते थे। फिर आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे से कहते थे कि हम सही राह पर और इब्राहीमी तरीक़े पर हैं, जिससे यहाँ मनाही की जा रही है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी के हाथों हज का वक़्त, हज के अरकान और ठहरने वग़ैरह की जगहें बयान कर दी हैं, अब न कोई एक दूसरे पर फ़ख़्र करे न हज के दिन आगे पीछे करे। बस ये झगड़े अब ख़त्म कर दो। वल्लाहु आलम।

यह मतलब भी बयान किया गया है कि हज के सफ़र में आपस में न झगड़ो, न एक दूसरे को गुस्सा दिलाओ, न किसी को गाली दो। बहुत से मुफ़स्सिरीन का यह क़ौल भी है और बहुत से मुफ़स्सिरीन का पहला क़ौल भी है। हज़रत इक्रिमा रह. फ़रमाते हैं कि किसी का अपने गुलाम को डाँट-डपट करना यह इसमें दाख़िल नहीं, हाँ मारे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि गुलाम को अगर मार भी ले तो कोई डर-ख़ौफ़ नहीं।

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ हज के सफ़र में थे और अ़रज में ठहरे हुए थे, हज़रत आयशा रज़ि. हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठी हुई थीं और हज़रत असमा रज़ि. अपने वालिद हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ि. के पास बैठी हुई थीं। हज़रत अबू बक्र रज़ि. और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ऊँटों का सामान हज़रत अबू बक्र रज़ि. के ख़ादिम के पास था, हज़रत सिद्दीक़ रज़ि. उसका इन्तिज़ार कर रहे थे, थोड़ी देर में वह आ गया, उससे पूछा कि ऊँट कहाँ है? उसने कहा हज़रत कल रात को गुम हो गया, आप नाराज़ हुए और फ़रमाने लगे एक ऊँट को भी तू संभाल न सका, यह कहकर आपने उसे मारा। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुस्कुरा रहे थे और फ़रमाते जा रहे थे देखो एहराम की हालत में यह क्या कर रहे हैं? यह हदीस अबू दाऊद और इब्ने माजा में भी है। बाज़ हज़रात से यह भी नक़ल है कि हज के पूरा होने में यह भी है, लेकिन यह ख़्याल रहे कि आँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. के इस काम पर यह फ़रमाना इसमें निहायत लतीफ़ अन्दाज़ के साथ एक क़िस्म का इनकार है। पस मसला यह हुआ कि उसे छोड़ देना ही बेहतर है। वल्लाहु आलम।

मुस्नद अ़ब्द बिन हुमैद में है कि जो शख़्स अपना हज पूरा करे और मुसलमान उसकी ज़बान और हाथ से ईज़ा (तकलीफ़) न पायें, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर फ़रमाया तुम जो कि हर नेकी का पूरा-पूरा बदला क़ियामत के दिन पाओगे। फिर इरशाद होता है कि तोशा और सफ़र का ख़र्च ले लिया करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि लोग बिना ख़र्च लिये हज के सफ़र को निकल खड़े होते थे, फिर लोगों से माँगते फिरते थे, जिस पर यह हुक्म हुआ। हज़रत इक्रिमा, हज़रत उयैना रह. भी यही फ़रमाते हैं। बुख़ारी, नसाई वग़ैरह में ये रिवायतें मरवी हैं। एक रिवायत में यह भी है कि यमनी लोग ऐसा करते थे और अपने आपको मुतवक्किल (अल्लाह पर भरोसा करने वाले) कहते थे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से यह भी रिवायत है कि जब एहराम बाँधते तो जो कुछ तोशा (सफ़र का सामान और खाना-पीना) वग़ैरह होता सब फेंक देते और नये सिरे से नया सामान तैयार करते, इस पर यह हुक्म हुआ कि ऐसा न करो। आटा सत्तू वग़ैरह तोशे में ले लो। दूसरे बहुत से मोतबर मुफ़स्सिरीन ने भी इसी तरह कहा है, बल्कि इब्ने उमर रज़ि. तो यह भी फ़रमाते हैं कि इनसान की इज़्ज़त इसी में है कि वह उम्दा सामाने सफ़र साथ रखे। आप अपने साथियों से दिल खोलकर ख़र्च करने की शर्त लिया करते थे। चूँकि दुनियावी तोशे का हुक्म दिया तो साथ ही फ़रमाता है कि आख़िरत के तोशे की तैयारी भी कर लो, यानी अपनी क़ब्र में अपने साथ ख़ौफ़े ख़ुदा लेकर जाओ। जैसे एक और जगह लिबास का ज़िक्र करके इरशाद फ़रमायाः

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ.

परहेज़गारी का लिबास बेहतर है।

यानी अल्लाह के डर, उसके सामने झुकने, नेक काम करने और परहेज़गारी के बातिनी लिबास से भी ख़ाली न रहो, बल्कि यह लिबास ज़ाहिरी लिबास से कहीं ज़्यादा बेहतर और नफ़ा देने वाला है। एक हदीस में भी है कि दुनिया में अगर करोगे तो आख़िरत में पाओगे, यहाँ का तोशा वहाँ फ़ायदा देगा। (तबरानी)

इस हुक्म को सुनकर एक मिस्कीन सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा या रसूलल्लाह! हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आपने फ़रमाया इतना होना चाहिये जिससे किसी से सवाल न करना पड़े, और बेहतरीन ख़ज़ाना ख़ौफ़े ख़ुदा है। (इब्ने अबी हातिम)

फिर इरशाद होता है कि ऐ अक़्लमन्दो! मुझसे डरते रहा करो, यानी मेरे अज़ाबों से, मेरी पकड़-धकड़ से, मेरी गिरफ़्त से, मेरी सज़ाओं से डरो और मेरे अहकाम की तामील करो, मेरे इरशाद का ख़िलाफ़ न करो, ताकि निजात पा सको, यही अ़क़्लमन्द होने की पहचान है।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○	तुमको इसमें ज़रा भी गुनाह नहीं कि (हज में) रोज़ी की तलाश करो, जो तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से है, फिर जब तुम लोग अ़रफ़ात से वापस आने लगो तो मश्अ़रे हराम के पास (मुज़्दलिफ़ा में रात को ठहर करके) ख़ुदा तआ़ला की याद करो, और (इस तरह) याद करो जिस तरह तुमको बतला रखा है, (न यह कि अपनी राय को दख़ल दो) और हक़ीक़त में इससे पहले तुम बिल्कुल अन्जान ही थे। (198)

सही बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़सीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि उकाज़, मजन्ना और ज़ुल-मजाज़ नाम के जाहिलीयत के ज़माने में बाज़ार थे। इस्लाम के बाद उनमें मौसमे हज के मौक़े पर तिजारत करने से सहाबा डरे कि कहीं यह गुनाह न हो, जिस पर उन्हें इजाज़त दी गयी कि हज के दिनों में तिजारत कोई गुनाह का काम नहीं। एक रिवायत में यह भी है कि यह मसला हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया गया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि हज के दिनों में एहराम से पहले या एहराम के बाद हाजी को ख़रीद व फ़रोख़्त हलाल है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की क़िराअत में 'मिर्रब्बिकुम' के बाद 'फ़ी मवासिमिल् हज्जि' का लफ़्ज़ भी है। इब्ने ज़ुबैर रज़ि. से भी यह मरवी है, दूसरे मुफ़स्सिरीन ने भी इसकी तफ़सीर इसी तरह की है।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से पूछा जाता है कि एक शख़्स हज को निकलता है और साथ ही तिजारत भी करता जाता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? आपने यही आयत पढ़कर सुनाई। (इब्ने जरीर) मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि अबू उमामा तैमी रह. ने हज़रत इब्ने उमर से कहा कि हम हज में जानवर किराये पर देते हैं, क्या हमारा भी हज हो जाता है? आपने फ़रमाया क्या तुम बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ नहीं करते? क्या तुम अ़रफ़ात में नहीं ठहरते? क्या तुम शैतान को कंकरियाँ नहीं मारते? क्या तुम सर नहीं मुंडवाते? उसने कहा यह सब काम तो हम करते हैं। आपने फ़रमाया सुनो! एक शख़्स ने यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किया था, उसके जवाब में हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम यह आयतः

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ......... الخ.

(तुमको इसमें ज़रा भी गुनाह नहीं.........) लेकर उतरे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे बुलाकर फ़रमाया कि तुम हाजी हो, तुम्हारा हज हो गया। मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में भी यह रिवायत है, और तफ़सीर अ़ब्द बिन हुमैद वग़ैरह में भी, बाज़ रिवायतों में अलफ़ाज़ की कुछ-कमी ज़्यादती भी है। एक रिवायत में यह भी है कि क्या तुम एहराम नहीं बाँधते? अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. से सवाल होता है कि क्या आप हज़रात हज के दिनों में तिजारत भी करते हो? आपने फ़रमाया और तिजारत का मौसम ही कौनसा था?

हज का एक रुक्न

अ़रफ़ा वह जगह है जहाँ का ठहरना हज का बेहतरीन काम है। मुस्नद अहमद वग़ैरह में हदीस है कि हज अ़रफ़ात है, तीन मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यही फ़रमाया, जो सूरज निकलने से पहले अरफ़ात में पहुँच गया उसने हज को पा लिया। मिना के तीन दिन हैं, दो दिन का आगा पीछा करने वाले पर कोई गुनाह नहीं, ठहरने का वक़्त अ़रफ़ा (यानी 9 ज़िलहिज्जा) के दिन सूरज ढलने के बादे से लेकर ईद की सुबह सादिक़ के निकलने तक है। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज्जतुल-विदा (आख़िरी हज) में ज़ोहर की नमाज़ के बाद से सूरज ग़ुरूब होने तक यहाँ ठहरे रहे थे, और फ़रमाते थे मुझसे हज के तरीक़े सीख लो। हज़रत इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ई रह. का यही मज़हब है कि दसवीं की फ़जर से पहले जो शख़्स अरफ़ात में पहुँच गया उसने हज पा लिया। हज़रत इमाम अहमद रह. फ़रमाते हैं कि ठहरने का वक़्त अ़रफ़ा के दिन शुरू से है, उनकी दलील वह हदीस है जिसमें है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुज़्दलिफ़ा में नमाज़ के लिये निकले तो एक शख़्स हाज़िरे ख़िदमत हुआ और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह! मैं तई की पहाड़ियों से आ रहा हूँ। अपनी सवारी को मैंने थका दिया और अपने नफ़्स पर बड़ी मशक़्क़त उठाई, वल्लाह हर-हर पहाड़ पर ठहरता-ठहरता आया हूँ। क्या मेरा हज हो गया? आपने फ़रमाया जो शख़्स हमारे यहाँ की इस नमाज़ में पहुँच जाये और हमारे साथ चलते वक़्त तक ठहरा रहे और उससे पहले वह अ़रफ़ात में भी ठहर चुका हो चाहे रात को चाहे दिन को, पस उसका हज पूरा हो गया, वह फ़रीज़े से फ़ारिग़ हो गया। (मुस्नद अहमद व सुनन)

इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे सही कहते हैं। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के पास अल्लाह तआ़ला ने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने आपको हज कराया, जब अ़रफ़ात में पहुँचे तो पूछा 'अ़रफ़्-त' (क्या तुमने पहचान लिया?) हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम ने जवाब दिया 'अ़रफ़्तु' (मैंने पहचान लिया), क्योंकि इससे पहले यहाँ आ चुके थे, इसलिये इस जगह का नाम ही अ़रफ़ा हो गया। हज़रत अ़ता, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. हज़रत इब्ने उमर रज़ि. और हज़रत अबू मिज्लज़ रह. से भी यही मरवी है। वल्लाहु आलम।

अ़रफ़ात का नाम 'मश्अ़रे-हराम' और 'मश्अ़रे-अक़्सा' भी है, और उस पहाड़ को भी अ़रफ़ात कहते हैं जिसके दरमियान ज़बले-रहमत है। अबू तालिब के एक मशहूर क़सीदे में भी एक शे'र इन मायनों का है। ज़माना जाहिलीयत के लोग भी अ़रफ़ात में ठहरते थे, जब धूप पहाड़ की चोटियों पर ऐसी बाक़ी रह जाती थी जैसे आदमी के सर पर अ़मामा (पगड़ी और साफ़ा) होता है तो वे वहाँ से चल पड़ते, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यहाँ से उस वक़्त चले जब सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो गया। फिर मुज़्दलिफ़ा में पहुँचकर यहाँ पड़ाव किया और सवेरे बिल्कुल अव्वल वक़्त रात के अंधेरे और सुबह के चाँदने के मिले-जुले वक़्त में आपने यहीं नमाज़े सुबह अदा की और जब चाँदना साफ़ हो गया (यानी ख़ूब सुबह हो गयी) तो सुबह की नमाज़ के गोया आख़िरी वक़्त में आपने यहाँ से कूच किया। हज़रत मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि. फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें अ़रफ़ात में ख़ुतबा सुनाया और आ़दत के मुताबिक़ तारीफ़ व सना के बाद अम्मा बाद कहकर फ़रमाया- यह हज्जे अकबर आज ही का दिन है। देखो मुश्रिक व बुत-परस्ती वाले तो यहाँ से जब धूप पहाड़ों की चोटियों पर इस तरह होती थी जिस तरह लोगों के सरों पर अ़मामा (पगड़ी) होता है तो लौट जाते थे, सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही, लेकिन हम सूरज ग़ुरूब होने के

बाद यहाँ से वापस चलेंगे। और 'मश्अ़रे-हराम' से वह सूरज निकलने के बाद चलते थे जबकि इतनी धूप चढ़ जाती थी कि पहाड़ों की चोटियों पर इस तरह नुमायाँ हो जाये जिस तरह लोगों के सरों पर अ़मामा (पगड़ी) होते हैं। लेकिन हम वहाँ से सूरज निकलने से पहले ही पहले चल देंगे। हमारा तरीक़ा मुश्रिकों के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। (इब्ने मर्दूया व मुस्तद्रक हाकिम)

इमाम हाकिम ने इसे बुख़ारी व मुस्लिम की शर्त पर और बिल्कुल सही बतलाया है। इससे यह भी साबित हो गया कि हज़रत मिस्वर रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है, उन लोगों का क़ौल ठीक नहीं जो फ़रमाते हैं कि हज़रत मिस्वर रज़ि. ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा है, लेकिन आपसे कुछ सुना नहीं। हज़रत मारूर बिन सुवैद रह. का बयान है कि मैंने हज़रत उमर रज़ि. को अ़रफ़ात से लौटते हुए देखा, गोया अब तक वह मन्ज़र मेरे सामने है। आपके सर के अगले हिस्से पर बाल न थे, अपने ऊँट पर सवार थे और फ़रमा रहे थे- हमने लौटने को साफ़ पाया। सही मुस्लिम की हज़रत जाबिर वाली एक लम्बी हदीस जिसमें हज्जतुल-विदा का पूरा बयान है, उसमें यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सूरज के गुरूब होने तक अ़रफ़ात में ठहरे, जब सूरज छुप गया और किसी क़द्र ज़र्दी (पीलापन) ज़ाहिर हो गयी तो आपने अपने पीछे अपनी सवारी पर हज़रत उसामा रज़ि. को सवार किया और ऊँटनी की नकेल तान ली, यहाँ तक कि उसका सर पालान के क़रीब पहुँच गया और दायें हाथ से लोगों को इशारे से फ़रमाते जाते थे कि लोगो! आहिस्ता-आहिस्ता चलो, नर्मी, इत्मीनान, सुकूनत और दिल के जमाव के साथ चलो, जब कोई पहाड़ी आती तो नकेल कुछ ढीली कर दिया करते ताकि जानवर आसानी से ऊपर चढ़ जाये। मुज़्दलिफ़ा में आकर आपने मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा की, अज़ान एक ही कहलवाई और दोनों नमाज़ों की तकबीरें अलग-अलग कहलवायीं। मग़रिब के फ़र्ज़ों और इशा के फ़र्ज़ों के दरमियान सुन्नत व नवाफ़िल कुछ नहीं पढ़े। फिर लेट गये! सुबह सादिक़ के ज़ाहिर होने के बाद नमाज़े फ़जर अदा की, जिसमें अज़ान व तकबीर हुई, फिर क़ुसवा नाम की ऊँटनी पर सवार होकर 'मश्अ़रे-हराम' में आये। क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके दुआ़ में मशग़ूल हो गये और अल्लाहु अकबर और ला इला-ह इल्लल्लाहु और ख़ुदा की तौहीद बयान करने लगे, यहाँ तक कि ख़ूब सवेरा हो गया। सूरज निकलने से पहले ही पहले आप यहाँ से रवाना हो गये।

हज़रत उसामा रज़ि. से सवाल होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब यहाँ से चले तो किस तरह तशरीफ़ ले जाते थे। फ़रमाया दरमियानी मीठी चाल में सवारी चला रहे थे। हाँ जब रास्ते में कुशादगी देखते (यानी रास्ता ख़ाली होता) तो ज़रा तेज़ कर लेते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फिर फ़रमाया कि अ़रफ़ात से लौटते हुए 'मश्अ़रे-हराम' में ख़ुदा का ज़िक्र करो। यानी यहाँ दोनों नमाज़ें जमा कर लें। अ़मर बिन मैमून रह. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से 'मश्अ़रे-हराम' के बारे में दरियाफ़्त फ़रमाते हैं तो आप ख़ामोश रहते हैं। जब क़ाफ़िला मुज़्दलिफ़ा में जाकर उतरता है तो फ़रमाते हैं पूछने वाला कहाँ है? यह है 'मश्अ़रे-हराम'। आपसे यह भी रिवायत है कि मुज़्दलिफ़ा सारा का सारा 'मश्अ़रे-हराम' है, पहाड़ भी और उसके आस-पास की तमाम जगह। आपने लोगों को देखा कि वह 'क़ुज़ह' पर भीड़ लगा रहे हैं तो फ़रमाया ये लोग क्यों भीड़ लगा रहे हैं? यहाँ की यह सब जगह 'मश्अ़रे-हराम' है। और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन ने यही फ़रमाया है कि दोनों पहाड़ों के दरमियान तमाम जगह 'मश्अ़रे-हराम' है। हज़रत अ़ता से सवाल होता है कि मुज़्दलिफ़ा कहाँ है? आप फ़रमाते हैं जब अ़रफ़ात से चले और मैदाने अ़रफ़ात के दोनों किनारे छोड़ दिये, फिर मुज़्दलिफ़ा शुरू हो गया, वादी-ए-मुहस्सिर तक जहाँ चाहो ठहरो, लेकिन मैं 'क़ुज़ह' से

उधर ही ठहरना पसन्द करता हूँ ताकि रास्ते से एक तरफ़ रहूँ।

'मशाअ़िर' कहते हैं ज़ाहिरी निशानों को। मुज़्दलिफ़ा को 'मश्अ़रे-हराम' इसलिये कहते हैं कि वह हरम में दाख़िल है। पहले बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त का और बाज़ शाफ़ई हज़रात का मसला क़िफ़ाल और इब्ने ख़ुज़ैमा का ख़्याल है कि यहाँ का ठहरना हज का रुक्न है, बग़ैर यहाँ ठहरे हज सही नहीं होता, क्योंकि एक हदीस हज़रत उ़रवा बिन मुफ़रिस से इसी मायने की रिवायत है। बाज़ कहते हैं कि यह ठहरना वाजिब है। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. का एक क़ौल यह भी है कि अगर कोई यहाँ न ठहरे तो क़ुरबानी देनी पड़ेगी, इमाम साहिब का दूसरा क़ौल यह है कि मुस्तहब है, अगर न भी ठहरा तो कुछ हर्ज नहीं। पस ये तीन क़ौल हुए। हम यहाँ इस बहस को ज़्यादा तूल देना मुनासिब नहीं समझते। वल्लाहु आलम।

एक मुर्सल हदीस में है कि अ़रफ़ात का सारा मैदान ठहरने की जगह है। अ़रफ़ात से भी उठो और मुज़्दलिफ़ा की तमाम हद भी ठहरने की जगह है, हाँ वादी-ए-मुहस्सिर नहीं। मुस्नद अहमद की इस हदीस में इसके बाद है कि मक्का शरीफ़ की तमाम गलियाँ क़ुरबानी की जगह हैं और 'तशरीक़ के दिन' (11,12,13 तारीख़) सबके सब क़ुरबानी के दिन हैं, लेकिन यह हदीस भी मुन्क़ता है, इसलिये कि सुलैमान बिन मूसा अश्दक़ ने ज़ुबैर बिन मुतअ़िम रज़ि. को नहीं पाया, लेकिन इसकी और सनदें भी हैं। वल्लाहु आलम।

फिर अल्लाह तआ़ला का इरशाद होता है कि अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करो जैसा कि उसने तुम्हें हिदायत दी है कि अहकामे हज वज़ाहत के साथ बयान फ़रमा दिये और ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम की इस सुन्नत को वाज़ेह कर दिया, हालाँकि इससे पहले तुम इससे बेख़बर थे। यानी इस हिदायत से पहले या इस क़ुरआन से पहले, या इस रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से पहले। वास्तव में इन तीनों बातों से पहले दुनिया गुमराही में थी।

फिर तुम सबको ज़रूरी है कि उसी जगह होकर वापस आओ जहाँ और लोग जाकर वहाँ से वापस आते हैं, और (हज के अहकाम में पुरानी रस्मों पर अ़मल करने से) अल्लाह के सामने तौबा करो, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला माफ़ कर देंगे (और) मेहरबानी फ़रमा देंगे। (199)	ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

'सुम्-म' यहाँ पर ख़बर का ख़बर पर अ़त्फ़ डालने के लिये है ताकि तरतीब हो जाये। गोया अ़रफ़ात में ठहरने वाले को हुक्म मिला कि वह यहाँ से मुज़्दलिफ़ा जाये ताकि 'मश्अ़रे-हराम' के पास अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र कर सके और यह भी फ़रमा दिया कि वे तमाम लोगों के साथ अ़रफ़ात में ठहरे, जैसे आ़म लोग यहाँ ठहरते थे। अलबत्ता क़ुरैश वालों ने फ़ख़्र व तकब्बुर और पहचान का निशान के तौर पर यह ठहरा (निर्धारित कर) लिया था कि वे हरम की हद से बाहर नहीं जाते थे, हरम की आख़िरी हद पर ठहर जाते और कहते थे कि हम अल्लाह वाले हैं, उसी के शहर के सरदार हैं और उसके घर के मुजाविर (तवाफ़ करने वाले) हैं। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि क़ुरैश और उनके हम-ख़्याल लोग मुज़्दलिफ़ा में ही रुक जाया करते थे और अपना नाम हुम्स रखते थे, बाक़ी तमाम अ़रब के लोग अ़रफ़ात में जाकर ठहरते थे और वहीं से वापस लौटते थे, इसी लिये इस्लाम ने हुक्म दिया कि जहाँ से आ़म लोग लौटते हैं वहीं से लौटा करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हज़रत मुजाहिद, हज़रत अ़ता, हज़रत क़तादा, हज़रत सुद्दी रह. वग़ैरह यही

फ़रमाते हैं। इमाम इब्ने जरीर रह. भी इसी तफ़सीर को पसन्द करते हैं और इस पर इजमा (सब की एक राय और सहमति) बतलाते हैं।

मुस्नद अहमद में है हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ि. फ़रमाते हैं कि मेरा ऊँट अ़रफ़ात में गुम हो गया, मैं उसे ढूँढने के लिये निकला तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को वहाँ ठहरे हुए देखा। मैं कहने लगा यह क्या बात है कि यह हुम्स हैं और फिर यहाँ हरम से बाहर आकर ठहरे हैं? इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'वापस आने' से मुराद यहाँ मुज़्दलिफ़ा से कंकरी मारने के लिये मिना को जाना है। वल्लाहु आलम। और 'अन्नास' (लोग) से मुराद हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह हैं। बाज़ कहते हैं कि मुराद इमाम है, इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि अगर इसके ख़िलाफ़ इजमा की हुज्जत न होती तो यही क़ौल राजेह (वरीयता प्राप्त) रहता। फिर इस्तिग़फ़ार का इरशाद होता है जो उमूमन इबादतों के बाद फ़रमाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़र्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ होकर तीन मर्तबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। (मुस्लिम) आप लोगों को 'सुब्हानल्लाहि' 'अल्हम्दु लिल्लाहि' 'अल्लाहु अकबर' तैंतीस, तैंतीस मर्तबा पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम) यह भी रिवायत है कि अ़रफ़ा के दिन शाम के वक़्त हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत के लिये इस्तिग़फ़ार किया। (इब्ने जरीर) आपका यह इरशाद भी है कि तमाम इस्तिग़फ़ारों का सरदार यह इस्तिग़फ़ार है:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ.

'अल्लाहुम्-म अन्-त रब्बी ला इला-ह इल्ला अन्-त ख़लक़्तनी व अ-न अ़ब्दु-क व अ-न अ़ला अ़हदि-क व वअ़्दि-क मस्ततअ़्तु अऊज़ु बि-क मिन शर्रि मा सनअ़्तु अबू-उ ल-क बि-निअ़्मति-क अ़लय्-य व अबू-उ बिज़म्बी फ़ग़्फ़िर् ली फ़-इन्नहू ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- जो शख़्स इसे रात के वक़्त पढ़ ले अगर उसी रात मर जायेगा तो यक़ीनी तौर पर जन्नती होगा, और जो शख़्स इसे दिन के वक़्त पढ़ेगा और उसी दिन मर जायेगा तो वह भी जन्नती है। (बुख़ारी) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. ने एक मर्तबा कहा कि या रसूलल्लाह! मुझे कोई दुआ़ सिखाईये कि मैं नमाज़ में उसे पढ़ा करूँ। आपने फ़रमाया यह पढ़ोः

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'अल्लाहुम्-म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन् कसीरंव्-व ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त फ़ग़्फ़िर् ली मग़्फ़ि-रतम् मिन् अ़िन्दि-क वर्हम्नी इन्न-क अन्तल् ग़फ़ूरुर्रहीम। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस्तिग़फ़ार के बारे में और भी बहुत-सी हदीसें हैं।

फिर जब तुम अपने हज के आमाल पूरे कर चुको तो हक़ तआ़ला का (इस तरह) ज़िक्र किया करो जिस तरह तुम अपने बापों (और दादाओं) का ज़िक्र किया करते हो, बल्कि यह	فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْاَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ

النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَـهٗ فِـى الْاٰخِـرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَمِـنْهُمْ مَّـنْ يَّـقُـوْلُ رَبَّـنَـآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓـئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

ज़िक्र उससे (कई दर्जे) बढ़कर हो। सो बाज़े आदमी (जो कि काफ़िर हैं) ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार हमको (जो कुछ देना हो) दुनिया में दे दीजिए, और ऐसे शख़्स को आख़िरत में (आख़िरत के इनकार करने की वजह से) कोई हिस्सा न मिलेगा। (200) और बाज़े आदमी (जो कि मोमिन हैं) ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको दुनिया में भी बेहतरी इनायत कीजिए और आख़िरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचाईये। (201) ऐसे लोगों को (दोनों जहान में) बड़ा हिस्सा मिलेगा उनके अ़मल की बदौलत, और अल्लाह तआ़ला जल्द ही हिसाब लेने वाले हैं। (202)

हज के बाद के कुछ अहकाम जिनसे लापरवाही आ़म है

यहाँ अल्लाह तआ़ला हुक्म करता है कि हज से फ़ारिग़ होने के बाद अल्लाह तआ़ला का ख़ूब ज़्यादा ज़िक्र करो। अगले जुमले के एक मायने तो यह बयान किये गये हैं कि इस तरह ज़िक्रुल्लाह करो जिस तरह बच्चा अपने माँ-बाप को याद करता रहता है। दूसरे मायने यह हैं कि ज़माना जाहिलीयत के लोग हज के मौक़े पर ठहरते थे, कोई कहता था मेरा बाप बड़ा मेहमान-नवाज़ था, कोई कहता था वह लोगों के काम-काज कर दिया करता था, सख़ावत व बहादुरी में बेमिसाल था, वग़ैरह। तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि फ़ुज़ूल बातें छोड़ दो और अल्लाह की बुज़ुर्गी, बड़ाई अ़ज़मतें और इज़्ज़तें बयान किया करो। अक्सर मुफ़स्सिरीन ने यही कहा है। ग़र्ज़ यह कि अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र की कसरत करो, यानी जिस तरह वे लोग अपने बड़ों पर फ़ख़्र किया करते थे, तुम ख़ूब ज़्यादा अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करो। यानी वह ज़िक्र इतना ही न हो बल्कि इससे भी ज़्यादा हो।

फिर इरशाद होता है कि ज़िक्रुल्लाह ख़ूब ज़्यादा करके दुआ़यें माँगो, क्योंकि यह मौक़ा क़बूलियत का है। साथ ही उन लोगों की बुराई बयान हो रही है जो अल्लाह से सवाल करते हुए सिर्फ़ दुनिया की तलब करते हैं और आख़िरत की तरफ़ नज़रें नहीं उठाते। फ़रमाया उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का बयान है कि बाज़ देहाती लोग यहाँ ठहरकर सिर्फ़ यही दुआ़यें माँगते थे कि ख़ुदाया इस साल बारिशें अच्छी बरसा, ग़ल्ले अच्छे पैदा हों, औलादें ख़ूब हों वग़ैरह, लेकिन मोमिनों की दुआ़यें दोनों जहान की भलाईयों की होती थीं, इसलिये उनकी तारीफ़ें की गयीं। इस दुआ़ में तमाम भलाईयाँ दीन दुनिया की जमा कर दी हैं और तमाम बुराईयों से हिफ़ाज़त है। इसलिये कि दुनिया की भलाई में आ़फ़ियत, राहत, आसानी, तन्दुरुस्ती, घर-बार बीवी-बच्चे, रोज़ी इल्म, अ़मल, अच्छी सवारियाँ, नौकर-चाकर, बाँदी-गुलाम,

इज़्ज़त-आबरू वग़ैरह तमाम चीज़ें आ गयीं और आख़िरत की भलाई में हिसाब का आसान होना, घबराहट से निजात पाना, नामा-ए-आमाल का दायें हाथ में मिलना, कामयाब होना, आख़िरकार इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाख़िल होना सब आ गया। फिर इसके बाद अ़ज़ाबे जहन्नम से निजात चाहना, इससे यह मतलब है कि ऐसे असबाब अल्लाह तआ़ला मुहैया कर दे, जैसे हरामकारियों से बचाव और परहेज़, गुनाह और बदकारियों का छोड़ना वग़ैरह। क़ासिम रह. फ़रमाते हैं कि जिसे शुक्रगुज़ार और ज़िक्र करने वाली ज़बान और सब्र करने वाला जिस्म मिल गया उसे दुनिया और आख़िरत की भलाई मिल गयी और अ़ज़ाब से निजात पा गया। बुख़ारी में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस दुआ़ को ख़ूब ज़्यादा पढ़ा करते थे। इस हदीस में 'रब्बना' से पहले 'अल्लाहुम्-म' भी है।

हज़रत क़तादा रह. ने हज़रत अनस रज़ि. से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़्यादातर किस दुआ़ को पढ़ते थे तो आपने जवाब में यही दुआ़ बताई। (अहमद) हज़रत अनस रज़ि. ख़ुद भी जब कभी दुआ़ माँगते इस दुआ़ को न छोड़ते, चुनाँचे हज़रत साबित रज़ि. ने एक मर्तबा कहा कि हज़रत आपके ये भाई चाहते हैं कि आप इनके लिये दुआ़ करें। आपने यही दुआ़ पढ़ी, फिर कुछ देर बैठे और बातचीत करने के बाद जब वह जाने लगे फिर दुआ़ की दरख़्वास्त की, आपने फ़रमाया क्या तुम टुकड़े कराना चाहते हो, इस दुआ़ में तो तमाम भलाईयाँ आ गयीं। (इब्ने अबी हातिम)

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक मुसलमान बीमार की इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये तशरीफ़ ले गये, देखा कि वह बिल्कुल दुबला-पतला हो रहा है, सिर्फ़ हड्डियों का ढाँचा रह गया है। आपने पूछा क्या तुम कोई दुआ़ भी अल्लाह तआ़ला से माँगा करते थे? उसने कहा हाँ मेरी यह दुआ़ थी कि ख़ुदाया जो अ़ज़ाब तू मुझे आख़िरत में करना चाहता है वह दुनिया में ही कर डाल। आपने फ़रमाया सुब्हानल्लाह! किसी में उनके बरदाश्त की ताक़त भी है? तूने यह दुआ़-

'रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल-आख़िरति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।'

क्यों न पढ़ी? चुनाँचे बीमार ने अब से इसी दुआ़ को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह तआ़ला ने उसे शिफ़ा दे दी। (अहमद) रुक्ने यमानी और रुक्ने अस्वद के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस दुआ़ को पढ़ा करते थे। (इब्ने माजा वग़ैरह) लेकिन इसकी सनद में कमज़ोरी है। वल्लाहु आलम।

आप फ़रमाते हैं कि जब कभी रुक्न के पास से गुज़रता हूँ देखता हूँ कि वहाँ फ़रिश्ता है और वह आमीन कह रहा है, तुम जब कभी यहाँ से गुज़रो तोः

'रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल-आख़िरति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।'

पढ़ा करो। (इब्ने मर्दूया) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से एक शख़्स ने आकर पूछा कि मैंने एक क़ाफ़िले के साथ मुलाज़मत (नौकरी) कर ली है इस उजरत पर कि वह मुझे अपने साथ सवारी पर सवार कर लें और हज के मौक़े पर मुझे वह रुख़्सत (इजाज़त और छूट) दें कि मैं हज अदा कर लूँ। वैसे और दिनों में उनकी ख़िदमत में लगा रहूँ। तो फ़रमाईये क्या इस तरह मेरा हज अदा हो जायेगा? आपने फ़रमाया हाँ बल्कि तू तो उन लोगों में से है जिनके बारे में अल्लाह का फ़रमान हैः

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ.

कि ऐसे लोगों को आख़िरत में बड़ा हिस्सा मिलेगा............। (मुस्तद्रक हाकिम)

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○	और अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करो कई दिन तक, फिर जो शख़्स दो दिन में (मक्का वापस आने में) जल्दी करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो शख़्स (दो दिन में) ताख़ीर "यानी देरी" करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं उस शख़्स के लिए जो (ख़ुदा से) डरे, और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और ख़ूब यक़ीन रखो कि तुम सबको ख़ुदा के ही पास जमा होना है। (203)

ये कुछ दिन ऐसे हैं कि इनमें ज़िक्र बढ़ जाना चाहिये

"अय्यामे मादूदात" (कई रोज़) से मुराद तशरीक़ के दिन (यानी 11,12,13 ज़िलहिज्जा के दिन) और 'अय्यामे मालूमात' से मुराद ज़िलहिज्जा के दस दिन हैं। ज़िक्रुल्लाह से मुराद यह है कि अय्यामे तशरीक़ में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' कहें। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, अ़रफ़ा (यानी 9 ज़िलहिज्जा) का दिन, क़ुरबानी का दिन और अय्यामे तशरीक़ हमारे यानी अहले इस्लाम की ईद के दिन हैं और ये दिन खाने पीने के हैं। (अहमद) एक और हदीस में है अय्यामे तशरीक़ खाने पीने और ज़िक्रुल्लाह करने के हैं। (अहमद) पहले यह हदीस भी बयान हो चुकी है कि अ़रफ़ात तमाम की तमाम ठहरने की जगह है और अय्यामे तशरीक़ सब क़ुरबानी के दिन हैं। और यह हदीस भी पहले गुज़र चुकी है कि मिना के दिन तीन हैं दो दिन की जल्दी या देर करने वाले पर कोई गुनाह नहीं। इब्ने जरीर की एक हदीस में है कि तशरीक़ के दिन खाने और ज़िक्रुल्लाह करने के दिन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ि. को भेजा कि वह मिना में घूमकर मुनादी कर दें कि इन दिनों में कोई रोज़ा न रखे, ये दिन खाने-पीने और ज़िक्रुल्लाह करने के हैं। एक और मुर्सल रिवायत में इतनी ज़्यादती है कि मगर जिस पर क़ुरबानी के बदले के रोज़े हों, उसके लिये यह ज़ायद नेकी है। एक और रिवायत में है कि मुनादी (ऐलान करने वाले) बशर बिन सुहैम रज़ि. थे। एक और हदीस में है कि आपने इन दिनों के रोज़ों की मनाही फ़रमाई है। एक रिवायत में है कि हज़रत अ़ली रजि. ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सफ़ेद ख़च्चर पर सवार होकर अन्सार की जमाअ़तों में खड़े होकर यह हुक्म सुनाया था कि लोगो! ये दिन रोज़ों के लिये नहीं बल्कि खाने-पीने और ज़िक्रुल्लाह करने के हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अय्यामे मादूदात, अय्यामे तशरीक़ (तशरीक़ के दिन) हैं, और ये चार दिन हैं- ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ और तीन दिन उसके बाद के। यानी दस से तेरह तक। इब्ने उमर, इब्ने ज़ुबैर, अबू मूसा, अ़ता, मुजाहिद इक्रिमा, सईद बिन ज़ुबैर, अबू मालिक, इब्राहीम नख़ई, यहया बिन अबी कसीर, हसन, क़तादा, सुद्दी, ज़ोहरी, रबीअ़ बिन अनस, ज़ह्हाक, मुक़ातिल बिन हय्यान, अ़ता ख़ुरासानी, इमाम मालिक रह. वग़ैरह भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये तीन दिन हैं, दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं, इनमें जब चाहो क़ुरबानी करो, लेकिन अफ़ज़ल पहला दिन है, मगर मशहूर क़ौल पहला ही है और आयते करीमा के अलफ़ाज़ की ज़ाहिरी दलालत भी उसी पर है, क्योंकि दो दिन की जल्दी और देर माफ़ है तो साबित हुआ कि ईद के बाद तीन दिन होने चाहियें, और उन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करना क़ुरबानियों को ज़िबह के

वक़्त है और यह भी पहले बयान हो चुका है कि राजेह (वरीयता प्राप्त) मज़हब इसमें हज़रत इमाम शाफ़ई रह. का है कि क़ुरबानी का वक़्त ईद के दिन से 'अय्यामे तशरीक़' (तशरीक़ के दिनों यानी 11,12,13 ज़िलहिज्जा) के ख़त्म होने तक है, और इससे मुराद नमाज़ों के बाद का मुक़र्ररा ज़िक्र भी है, और वैसे आम तौर पर भी अल्लाह का ज़िक्र मुराद है, और उसके मुक़र्ररा वक़्त में अगरचे उलेमा-ए-किराम का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है लेकिन ज़्यादा मशहूर क़ौल जिस पर अ़मल दरामद भी है, यह है कि अ़रफ़ा (9 ज़िलहिज्जा) की सुबह से अय्यामे तशरीक़ के आख़िरी दिन की अ़सर की नमाज़ तक। इस बारे में एक मरफ़ूअ़ हदीस भी दारे क़ुतनी में है, लेकिन उसका मरफ़ूअ़ होना सही नहीं। वल्लाहु आलम।

हज़रत उमर रज़ि. अपने ख़ेमे में तकबीर कहते और आपकी तकबीर पर बाज़ार वाले लोग तकबीर कहते, यहाँ तक कि मिना का मैदान गूँज उठता। इसी तरह यह मतलब भी है कि शैतानों को कंकरियाँ मारने के वक़्त तकबीर और ज़िक्रुल्लाह किया जाये जो अय्यामे तशरीक़ (तशरीक़ के दिनों) के हर दिन होगा। अबू दाऊद वग़ैरह में हदीस है कि बैतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा-मरवा की सई, शैतानों को कंकरियाँ मारना, यह सब अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र को क़ायम करने के लिये है। चूँकि अल्लाह तआ़ला ने हज की पहली और दूसरी वापसी का ज़िक्र किया और उसके बाद लोग इन पाक मक़ामात को छोड़कर अपने शहरों और मक़ामात को लौट जायेंगे इसलिये इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो और यक़ीन रखो कि तुम्हें उसके सामने जमा होना है। उसी ने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, फिर वही समेट लेगा, फिर उसी की तरफ़ हश्र होगा (यानी सब जमा किये जाओगे)। पस जहाँ कहीं हो उससे डरते रहा करो।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

और बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि आपको उसकी गुफ़्तगू जो सिर्फ़ दुनियावी ग़र्ज़ से होती है मज़ेदार मालूम होती है और वह अल्लाह तआ़ला को हाज़िर व नाज़िर बताता है अपने दिल की बात पर, हालाँकि वह (आपकी) मुख़ालफ़त में (बहुत ही) सख़्त है। (204) और जब पीठ फेरता है तो इस दौड़-धूप में फिरता रहता है कि शहर में फ़साद करे और (किसी के) खेत या मवेशी को बर्बाद कर दे, और अल्लाह तआ़ला फ़साद को पसन्द नहीं फ़रमाते। (205) और जब उससे कोई कहता है कि ख़ुदा का ख़ौफ़ कर, तो घमंड उसको उस गुनाह पर (दुगना) आमादा कर देता है, सो ऐसे शख़्स की काफ़ी सज़ा जहन्नम है और वह बुरा ही ठिकाना है। (206) और बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में अपनी जान तक ख़र्च कर डालता है, और अल्लाह (ऐसे) बन्दों (के हाल) पर निहायत मेहरबान हैं। (207)

बाज़ा आदमी अपने बात बनाने के फ़न से दिल मोह लेता है

इमाम सुद्दी रह. कहते हैं कि यह आयत अख़्नस बिन शुरैक़ सक़फ़ी के बारे में नाज़िल हुई है। यह मुनाफ़िक़ शख़्स था, ज़ाहिर में मुसलमान था लेकिन बातिन में मुख़ालिफ़ था। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. कहते हैं कि मुनाफ़िक़ों के बारे में नाज़िल हुई है, जिन्होंने हज़रत खुबैब रज़ि. और उनके साथियों की बुराईयाँ बयान की थीं, जो रजीअ़ में शहीद किये गये थे तो उन शहीदों की तारीफ़ में यह आयत उतरीः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ......... الخ.

कि बाज़ा आदमी ऐसा है कि अल्लाह की रज़ा की तलब के लिये अपनी जान तक को क़ुरबान कर देता है। और मुनाफ़िक़ों की बुराई और निन्दा के बारे में यह आयत उतरीः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ......... الخ.

कि बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि आपको उसकी गुफ़्तगू जो ख़ालिस दुनियावी ग़र्ज़ से होती है, आपको मज़ेदार मालूम होती है।

बाज़ कहते हैं कि यह आयत आ़म है। तमाम मुनाफ़िक़ों के बारे में पहली और दूसरी आयत है, और तमाम मोमिनों की तारीफ़ के बारे में तीसरी आयत है! इमाम क़तादा रह. वग़ैरह का क़ौल यही है और यही सही है। हज़रत नौफ़ बकाली जो तौरात व इन्जील के भी आ़लिम थे, फ़रमाते हैं कि मैं इस उम्मत के बाज़ लोगों की बुराईयाँ अल्लाह तआ़ला की नाज़िल की हुई किताब में पाता हूँ। लिखा है कि बाज़ लोग दीन के बहाने से दुनिया कमाते हैं, उनकी ज़बानें तो शहद से ज़्यादा मीठी हैं लेकिन दिल एलवे से ज़्यादा कड़वे हैं। लोगों के लिये बकरियों की खालें पहनते हैं लेकिन दिल उनके भेड़ियों जैसे हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है क्या वे मुझ पर जुर्रत करते हैं और मेरे साथ धोखेबाज़ियाँ करते हैं? मुझे अपनी ज़ात की क़सम! मैं उन पर वह फ़ितना भेजूँगा कि बुर्दबार लोग भी हैरान रह जायेंगे। इमाम क़ुर्तुबी लिखते हैं कि मैंने ग़ौर से देखा तो मालूम हुआ कि यह मुनाफ़िक़ों की सिफ़त है, और क़ुरआन में भी मौजूद है। पढ़िये यह आयतः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ......... الخ.

कि बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि आपको उसकी गुफ़्तगू जो ख़ालिस दुनियावी ग़र्ज़ से होती है, आपको मज़ेदार मालूम होती है।

हज़रत सईद ने जब भी यह बात दूसरी किताबों के हवाले से बयान की तो हज़रत मुहम्मद बिन कअ़ब रज़ि. ने यही फ़रमाया था कि यह क़ुरआन शरीफ़ में भी है और इसी आयत की तिलावत की थी। सईद कहने लगे मैं जानता हूँ कि यह आयत किसके बारे में नाज़िल हुई। आपने फ़रमाया सुनिये आयत शाने नुज़ूल के एतिबार से अगरचे किसी के बारे में ही हो, लेकिन हुक्म के एतिबार से आ़म होती है। इब्ने मुहैसिन की क़िराअत में 'यश्हदुल्लाहु' है। मायने यह होंगे कि अगरचे वह अपनी ज़बान से कुछ ही कहे लेकिन उसके दिल का हाल अल्लाह तआ़ला को ख़ूब मालूम है। जैसे एक दूसरी जगह हैः

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ......... الخ.

यानी मुनाफ़िक़ तेरे पास आकर तेरी नुबुव्वत की गवाही देते हैं, ख़ुदा जानता है कि तू उसका रसूल है लेकिन ख़ुदा की गवाही है कि ये मुनाफ़िक़ यक़ीनन झूठे हैं।

लेकिन जमहूर की क़िराअत "युशहिदुल्ला-ह" है तो मायने यह हुए कि लोगों के सामने तो अपनी ख़बासत को छुपाते हैं लेकिन ख़ुदा के सामने उनके दिल का कुफ़्र व निफ़ाक़ ज़ाहिर है। जैसे एक जगह हैः

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَايَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ............ الخ.

यानी लोगों से छुपाते हैं, लेकिन ख़ुदा से नहीं छुपा सकते।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने ये मायने बयान किये हैं कि लोगों के सामने इस्लाम ज़ाहिर करते हैं और उनके सामने क़समें खाकर यक़ीन दिलाते हैं कि जो उनकी ज़बान पर है वही उनके दिल में है। सही मायने आयत के यही हैं। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद और मुजाहिद रह. से भी यही मरवी है। इब्ने जरीर रह. भी इसी को पसन्द फ़रमाते हैं।

'अलद्द' के मायने लुग़त में है 'सख़्त डेढ़ा'। जैसे एक और जगह हैः

وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًالُّدًّا.

और ताकि आप झगड़ालू लोगों को उससे डरा दें। (सूरः मरियम आयत 97)

यही हालत मुनाफ़िक़ की है कि वह अपनी हुज्जत में झूठ बोलता है और हक़ से हट जाता है। सीधी बात छोड़ देता है और झूठ व बोहतान बाज़ी करता है और गालियाँ बकता है। सही हदीस में है कि मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ है- जब बात करे तो झूठ बोले, जब वायदा करे तो बेवफ़ाई करे, जब झगड़ा करे गालियाँ बके। एक और हदीस में है कि सबसे ज़्यादा बुरा शख़्स अल्लाह तआ़ला के नज़दीक वह है जो सख़्त झगड़ालू हो, इसकी कई एक सनदें हैं। फिर इरशाद होता है कि जिस तरह यह बुरे अक़्वाल वाला है (यानी बद-ज़ुबानी करता है) इसी तरह अफ़आ़ल (आमाल) भी इसके बदतरीन हैं। क़ौल तो यह है लेकिन फ़ेल इसके सरासर ख़िलाफ़ है, अ़क़ीदा बिल्कुल फ़ासिद (ख़राब) है।

'सआ़ी' (दौड़-धूप) से मुराद यहाँ इरादा है। जैसे एक और जगह हैः

ثُمَّ اَدْبَرَيَسْعٰى............ الخ.

फिर दौड़-धूप करने के लिये पलटा। (सूरः नाज़िआ़त)

एक और फ़रमान हैः

فَاسْعَوْااِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ........ الخ.

यानी जुमे की नमाज़ का क़स्द व इरादा करो।

यहाँ सआ़ी के मायने दौड़ने के नहीं, क्योंकि नमाज़ के लिये दौड़कर जाना मना है। हदीस शरीफ़ में है कि जब तुम नमाज़ के लिये आओ तो दौड़ते हुए न आओ, बल्कि सुकून व वक़ार के साथ आओ। ग़र्ज़ यह है कि उन मुनाफ़िक़ों का इरादा ज़मीन में फ़साद फैलाना है, खेती-बाड़ी ज़मीन की पैदावार और हैवानों की नस्ल को बरबाद करना ही होता है। यह भी मायने मुजाहिद रह. से रिवायत हैं कि उन लोगों के निफ़ाक़ और उनके बुरे आमाल व करतूत की वजह से अल्लाह तआ़ला बारिश को रोक लेता है, जिससे खेतियों और जानवरों को नुक़सान पहुँचता है। अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को जो बिगाड़ और फ़साद की बिना डालने वाले हों, नापसन्द करता है। इन बदकारों और ग़लत राह अपनाने वालों को जब नसीहत व वअ़ज़ के ज़रिये समझाया जाये तो ये और भड़क उठते हैं और विरोध के जोश में गुनाहों पर और आमादा हो जाते हैं। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ........ الخ.

यानी अल्लाह तआ़ला के कलाम की आयतें जब उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उन काफ़िरों के मुँह चढ़ जाते हैं और पढ़ने वालों पर झपटते हैं। सुनो इससे भी बढ़कर सुनो! काफ़िरों के लिये हमारा फ़रमान जहन्नम का है जो बदतरीन जगह है। यहाँ भी यही फ़रमाया कि उन्हें जहन्नम काफ़ी है, यानी सज़ा में और वह बदतरीन ओढ़ना-बिछौना है।

मोमिन दुनिया के बदले आख़िरत को तरजीह देता है

मुनाफ़िक़ों की बुरी और निंदनीय ख़स्लतें बयान फ़रमाकर अब मोमिनों की तारीफ़ें हो रही हैं। यह आयत हज़रत सुहैब बिन सिनान रोमी रज़ि. के हक़ में नाज़िल हुई है। यह मक्का में मुसलमान हुए थे, जब मदीना की तरफ़ हिजरत करनी चाही तो काफ़िरों ने उनसे कहा कि हम तुम्हें माल लेकर नहीं जाने देंगे, अगर तुम माल छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें इख़्तियार है। आपने सब माल से किनारा कर लिया और काफ़िरों ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया और आपने हिजरत की, जिस पर यह आयत उतरी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. और सहाबा किराम की एक बड़ी जमाअ़त आपके स्वागत के लिये हर्रा तक आयी और मुबारकबाद दी कि आपने बड़ा अच्छा व्यापार किया, बड़े नफ़ा की तिजारत की। आप यह सुनकर फ़रमाने लगे- ख़ुदा तआ़ला आपकी तिजारतों को भी नुक़सान वाली न करे, आख़िर बतलाओ तो यह मुबारकबाद किस लिये है? इन बुज़ुर्गों ने फ़रमाया आपके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँचे तो आपने भी यही ख़ुशख़बरी सुनाई। क़ुरैश ने इनसे कहा था कि जब आप मक्का में आये आपके पास माल न था, यह सब माल यहीं कमाया, अब इस माल को लेकर हम जाने न देंगे। चुनाँचे आपने माल को छोड़ा और दीन लेकर ख़िदमते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में हाज़िर हो गये।

एक रिवायत में यह भी है कि जब आप हिजरत के इरादे से निकले और मक्का के काफ़िरों को इल्म हुआ तो सबने आकर घेर लिया, आपने अपने तर्कश से तीर निकाल लिये और फ़रमाया ऐ मक्का वालो! तुम ख़ूब जानते हो कि मैं कैसा तीर-अन्दाज़ हूँ। मेरा एक निशाना भी नहीं चूकता, जब तक ये तीर ख़त्म न होंगे मैं तुमको छेदता रहूँगा। उसके बाद मैं तलवार से तुमसे लडूँगा और उसमें भी तुममें से किसी से कम नहीं हूँ। जब तलवार के भी टुकड़े हो जायेंगे फिर तुम मेरे पास आ सकते हो फिर जो चाहो कर लो। अगर यह तुम्हें मन्ज़ूर है तो बिस्मिल्लाह वरना सुनो! मैं तुम्हें अपना तमाम माल बता देता हूँ सब ले लो और मुझे जाने दो। वे माल लेने पर रज़ामन्द हो गये और इस तरह आपने हिजरत की। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँचने से पहले ही वहाँ 'वही' के ज़रिये यह आयत नाज़िल हो चुकी थी। आपको देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुबारकबाद दी, अक्सर मुफ़स्सिरीन का यह क़ौल भी है कि यह आयत आ़म है और हर अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद की शान में है। जैसे एक और इरशाद है:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.......... الخ.

यानी अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों की जानें और माल ख़रीद लिये हैं और उनके बदले जन्नत दे दी है। ये अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करते हैं, मारते भी हैं और शहीद भी होते हैं। अल्लाह तआ़ला का यह सच्चा अ़हद तौरात, इन्जील और क़ुरआन में मौजूद है। अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा सच्चे अ़हद वाला और

कौन होगा। ऐ ईमान वालो! तुम इस ख़रीद व फ़रोख़्त और अदले-बदले से ख़ुश हो जाओ, यही बड़ी कामयाबी है।

हज़रत हिशाम बिन आमिर ने जब काफ़िरों की दोनों सफ़ों में घुसकर उन पर बिल्कुल तन्हा ज़बरदस्त हमला कर दिया तो बाज़ लोगों ने इसे ख़िलाफ़े शरीअ़त समझा, लेकिन हज़रत उमर और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. वग़ैरह ने उनकी तरदीद की और इसी आयत-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ........ الخ.

'बाज़ा आदमी ऐसा है कि अल्लाह की रज़ा की तलब के लिये अपनी जान तक को क़ुरबान कर देता है।' तिलावत करके सुना दी।

ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे-पूरे दाख़िल हो, और (फ़ासिद ख़्यालात में पड़कर) शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर मत चलो, वाक़ई वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (208) फिर अगर तुम इसके बाद कि तुमको वाज़ेह दलीलें पहुँच चुकी हैं (सीधे रास्ते से) बहकने लगो तो यक़ीन रखो कि हक़ तआ़ला बड़े ज़बरदस्त हैं (और) हिक्मत वाले हैं। (209)	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

इस्लाम पूरी ज़िन्दगी पर छा जाना चाहिये

अल्लाह तआ़ला अपने ऊपर ईमान लाने वालों और अपने नबी की तस्दीक़ करने वालों से इरशाद फ़रमाता है कि वे तमाम अहकाम को बजा लायें, तमाम वर्जित चीज़ों (मना की गयी बातों और कामों) से बच जायें, पूरी शरीअ़त पर अ़मल करें। 'सिल्म' से मुराद इस्लाम है इताअ़त और सुलह-जोई भी मुराद है। 'काफ़्फ़-तन्' के मायने सबके सब पूरे-पूरे के हैं। हज़रत इक्रिमा का क़ौल है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबैद, सालबा वग़ैरह रज़ि. जो यहूद से मुसलमान हुए थे, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से गुज़ारिश की कि हमें हफ़्ते (शनिवार) के दिन को इबादत में गुज़ारने की और रातों के वक़्त तौरात पर अ़मल करने की इजाज़त दी जाये। जिस पर यह आयत उतरी कि इस्लामी अहकाम पर अ़मल करते रहो। लेकिन इसमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह का नाम कुछ ठीक नहीं मालूम होता, वह ज़बरदस्त आ़लिम थे और पूरे मुसलमान थे, उन्हें कामिल तौर पर मालूम था कि शनिवार के दिन का एहतिमाम मन्सूख़ हो चुका है, इसके बजाय इस्लामी ईद जुमा के दिन की मुक़र्रर हो चुकी है, फिर नामुम्किन है कि वह ऐसी ख़्वाहिश में औरों का साथ दें। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने 'काफ़्फ़-तन्' को हाल कहा है यानी तुम सब के सब इस्लाम में दाख़िल हो जाओ। लेकिन पहली बात ज़्यादा सही है, यानी अपनी ताक़त भर इस्लाम के तमाम अहकाम को मानो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का बयान है कि बाज़ अहले किताब बावजूद ईमान लाने के तौरात के बाज़ अहकाम पर जमे हुए थे, उनसे कहा जाता है कि मुहम्मदी दीन में पूरी तरह आ जाओ, इसका कोई अ़मल न छोड़ो, तौरात पर सिर्फ़ ईमान रखना काफ़ी है।

फिर फ़रमान है कि अल्लाह तआ़ला की इताअ़त करते रहो, शैतान की न मानो, वह तो बुराईयों और बदकारियों को और ख़ुदा पर बोहतान बाँधने को कहता है, उसके और उसके गिरोह की तो ख़्वाहिश यह है कि तुम जहन्नमी बन जाओ, वह तुम्हारा खुल्लम-खुल्ला दुश्मन है। अगर तुम दलीलें और निशानियाँ मालूम करने के बाद भी हक़ से हट जाओ तो जान रखो कि ख़ुदा भी बदला लेने में ग़ालिब है, न उससे कोई भागकर बच सके न उस पर कोई ग़ालिब आ सके, वह अपने अहकाम के जारी करने में हिक्मतों वाला है, वह ग़ालिब है अपनी पकड़ में, वह हकीम है अपने मामले में, वह काफ़िरों पर ग़लबा रखता है और उज़्र व हुज्जत को काट देने में हिक्मत रखता है।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝	ये (टेढ़ी राह चलने वाले) लोग इस बात के मुन्तज़िर (मालूम होते) हैं कि हक़ तआ़ला और फ़रिश्ते बादल के छज्जों में उनके पास (सज़ा देने के लिए) आएँ और सारा क़िस्सा ही ख़त्म हो जाए, और ये सारे मुक़द्दमे अल्लाह तआ़ला ही की तरफ़ लौटाए जाएँगे। (210)

इस्लाम से रुख़ फेरने वाले क्या बड़े अ़ज़ाब के मुन्तज़िर हैं?

इस आयत में अल्लाह तबारक व तआ़ला काफ़िरों को धमका रहा है कि क्या उन्हें क़ियामत ही का इन्तिज़ार है, जिस दिन हक़ के साथ फ़ैसले हो जायेंगे और हर शख़्स अपने किये को भुगत लेगा। जैसे एक और जगह इरशाद है:

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ............ الخ.

यानी जब ज़मीन के रेज़े-रेज़े उड़ जायेंगे और तेरा रब ख़ुद आ जायेगा और फ़रिश्तों की सफ़ें की सफ़ें बंध जायेंगी और जहन्नम भी लाकर खड़ी कर दी जायेगी, उस दिन ये लोग इबरत व नसीहत हासिल करेंगे लेकिन उससे क्या फ़ायदा? एक और जगह फ़रमाया:

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ............ الخ.

यानी क्या उन्हें इस बात का इन्तिज़ार है कि उनके पास फ़रिश्ते आ जायें या ख़ुद अल्लाह तआ़ला आ जाये, या उसकी बाज़ निशानियाँ आ जायें। अगर यह हो गया तो फिर न ईमान नफ़ा देगा न नेक आमाल का वक़्त रहेगा।

इमाम इब्ने जरीर रह. ने यहाँ पर एक लम्बी हदीस लिखी है जिसमें सूर वग़ैरह का मुफ़स्सल बयान है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. हैं। मुस्नद वग़ैरह में यह हदीस है, इसमें है कि जब लोग घबरा उठेंगे तो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से शफ़ाअ़त तलब करेंगे। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर एक-एक पैग़म्बर के पास जायेंगे और वहाँ से साफ़ जवाब पायेंगे, यहाँ तक कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँचेंगे। आप जवाब देंगे- मैं तैयार हूँ मैं ही इसका अहल हूँ। फिर आप जायेंगे, अ़र्श के नीचे सज्दे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह तआ़ला से सिफ़ारिश करेंगे कि वह बन्दों का फ़ैसला करने के लिये तशरीफ़ लाये। अल्लाह तआ़ला आपकी शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमायेगा और बादलों के

सायबान में आयेगा, दुनिया वाला आसमान टूट जायेगा और उसके तमाम फ़रिश्ते आ जायेंगे। फिर दूसरा भी फट जायेगा और उसके फ़रिश्ते भी आ जायेंगे, इसी तरह सातों आसमान फट जायेंगे और उनके फ़रिश्ते आ जायेंगे, फिर अल्लाह तआ़ला का अ़र्श उतरेगा और सबसे बड़े व सम्मानित फ़रिश्ते नाज़िल होंगे और ख़ुद वह जब्बार ख़ुदा तशरीफ़ लायेगा। फ़रिश्ते सब के सब तस्बीह पढ़ने में मशग़ूल होंगे, उनकी तस्बीह उस वक़्त यह होगीः

سبحان ذی الملك والمكوت سبحان ذی العزة والجبروت سبحان الحی الذی لا یموت سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت سبوح قدوس رب الملئكة والروح سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلی سبحان ذی السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه ابدا ابدا.

सुब्हा-न ज़िल-मुल्कि वल्म-लकूति, सुब्हा-न ज़िल-अ़िज़्ज़ति वल्ज-बरूति, सुब्हानल् हय्यिल्लज़ी ला यमूतु। सुब्हानल्लज़ी युमीतुल-ख़लाइ-क़ व ला यमूत। सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल-मलाइ-कतु वर्रूह। सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन सुब्हा-न रब्बुनल-अअ़्ला सुब्हा-न ज़िस्सुलतानि वल-अ़ज़्मति, सुब्हानहू सुब्हानहू अ-बदन् अ-बदन्।

हाफ़िज़ अबू बक्र इब्ने मर्दूया ने भी इस आयत की तफ़सीर में बहुत सी हदीसें बयान की हैं, जिनमें ग़राबत है (यानी वे ग़रीब हैं)। वल्लाहु आलम।

उनमें से एक यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला अगलों-पिछलों को उस दिन जमा करेगा, जिसका वक़्त मुक़र्रर है, सबके सब खड़े होंगे, आँखें पत्थराई हुई और ऊपर को लगी हुई होंगी, हर एक को फ़ैसले का इन्तिज़ार होगा, अल्लाह तआ़ला बादल के सायबान में अ़र्श से कुर्सी पर उतरेगा। इब्ने अबी हातिम में है, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. फ़रमाते हैं कि जिस वक़्त वह उतरेगा तो मख़्लूक़ और उसके दरमियान सत्तर हज़ार पर्दे होंगे, नूर के अन्धेरे के और पानी के, वह पानी उस अन्धेरे में ऐसी आवाज़ें कर रहा होगा जिससे दिल हिल जायें। ज़ुहैर बिन मुहम्मद रह. फ़रमाते हैं कि वह बादल का सायबान याक़ूत का जड़ा हुआ और जवाहर व ज़बरजद (हीरे और क़ीमती मोतियों) वाला होगा। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं यह बादल मामूली बादल नहीं बल्कि यह वह बादल है जो बनी इस्राईल के सरों पर 'तीह' की वादी में था। अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि फ़रिश्ते भी बादल के साये में आयेंगे और अल्लाह तआ़ला आयेगा जिसमें चाहे। चुनाँचे बाज़ क़िराअतों में यूँ भी हैः

هَلْ يَنظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ.

कि क्या ये लोग इस बात का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह और फ़रिश्ते बादल के सायबानों में इनके पास (सज़ा देने के लिये) आयें.........। जैसे एक दूसरी जगह हैः

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا.

यानी उस दिन आसमान बादल समेत फटेगा और फ़रिश्ते उतर आयेंगे।

आप बनी इस्राईल (के उलेमा) से (ज़रा) पूछिए (तो सही) कि हमने उनको कितनी वाज़ेह दलीलें दी थीं, और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला	سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ

مَاجَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۝ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۝	की नेमत को बदलता है उसके पास पहुँचने के बाद, तो हक़ तआ़ला यक़ीनन सख़्त सज़ा देते हैं। (211) दुनियावी ज़िन्दगी कुफ़्फ़ार को अच्छी और ख़ुशनुमा मालूम होती है, और (इसी वजह से) इन मुसलमानों से ठट्ठा-मज़ाक़ करते हैं, हालाँकि ये (मुसलमान) जो (कुफ़्र व शिर्क से) बचते हैं, उन (काफ़िरों) से आला दर्जे में होंगे क़ियामत के दिन, और रोज़ी तो अल्लाह तआ़ला जिसको चाहते हैं बेहिसाब दे देते हैं। (212)

लगातार निशानियाँ पेश होती रहीं लेकिन बनी इस्राईल की ग़फ़लत बदस्तूर क़ायम रही

अल्लाह तआ़ला बयान फ़रमाता है कि देखो बनी इस्राईल को मैंने बहुत से मोजिज़े (रसूलों के ज़रिये अल्लाह की निशानियाँ) दिखला दिये। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथों की लकड़ी, उनके हाथ की रोशनी, उनके लिये दरिया को चीर देना, उन पर सख़्त गर्मियों में बादल का साया करना, मन्न व सलवा उतारना वग़ैरह-वग़ैरह, जिनसे मेरा ख़ुद-मुख़्तार और कामिल क़ुदरत वाला होना साफ़ ज़ाहिर था और मेरे नबी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत की खुली तस्दीक़ होती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी इन नेमतों का इनकार किया, बजाय ईमान के कुफ़्र पर अड़े रहे और मेरी नेमतों पर बजाय शुक्र के नाशुक्री की, फिर मेरे सख़्त अ़ज़ाबों से कैसे बच रहेंगे? यही ख़बर क़ुरैश के काफ़िरों के बारे में भी बयान फ़रमाई है। इरशाद है:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا........ الخ.

क्या तूने उन लोगों को देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ़्र से बदल दिया और अपनी क़ौम को हलाकत के घर यानी जहन्नम जैसी बुरी जगह में पहुँचा दिया।

फिर बयान होता है कि ये काफ़िर सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी पर रीझे हुए हैं, माल जमा करना और ख़ुदा की राह में ख़र्च करने में कन्जूसी करना यही इनका रंग-ढंग है, बल्कि जो ईमान वाले इस फ़ानी दुनिया को अहमियत नहीं देते और परवर्दिगार की रज़ामन्दी में अपने माल लुटाते रहते हैं, ये उनका मज़ाक़ उड़ाते हैं, हालाँकि नेकबख़्त यही लोग हैं। क़ियामत के दिन इनके मर्तबे देखकर उन काफ़िरों की आँखें खुल जायेंगी, उस वक़्त अपना बुरा हाल और उनके बुलन्द रुतबे देखकर मामले की ऊँच-नीच समझ में आ जायेगी। रोज़ी देना जिसे ख़ुदा जितनी चाहे दे दे जिसे चाहे बेहिसाब दे बल्कि जिसे चाहे यहाँ भी दे और फिर वहाँ भी दे। हदीस शरीफ़ में है- ऐ इनसान! तू मेरी राह में ख़र्च कर मैं तुझे देता ही चला जाऊँगा। आपने हज़रत बिलाल रज़ि. से फ़रमाया- राहे ख़ुदा में दिये जाओ और अ़र्श वाले से तंगी का ख़ौफ़ न करो। एक जगह क़ुरआन पाक में है:

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ.

तुम जो कुछ ख़र्च करो ख़ुदा उसका बदले देगा।

सही हदीस में है कि हर सुबह दो फ़रिश्ते उतरते हैं, एक दुआ करता है ख़ुदाया! अपनी राह में ख़र्च करने वाले को बरकत इनायत फ़रमा। दूसरा कहता है ख़ुदाया! बख़ील (माल को रोक कर रखने वाले, कन्जूस) के माल को बरबाद कर। एक और हदीस में है कि इनसान कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, हालाँकि तेरा माल वह है जिसे तूने खा लिया वह तो फ़ना हो चुका और जिसे पहन लिया वह बोसीदा हो गया, हाँ जो तूने सदक़े में दिया उसे तूने बाक़ी रख लिया, उसके सिवा जो कुछ है उसे दूसरों के लिये छोड़कर यहाँ से चल देगा। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर न हो, दुनिया उसका माल है जिसका कोई माल न हो, दुनिया के लिये जमा वह करता है जिसे अ़क़्ल न हो।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(एक ज़माने में) सब आदमी एक ही तरीक़े के थे फिर अल्लाह तआ़ला ने पैग़म्बरों को भेजा, जो कि ख़ुशी (के वायदे) सुनाते थे और डराते थे और उनके साथ (आसमानी) किताबें भी ठीक तौर पर नाज़िल फ़रमाईं, इस ग़र्ज़ से कि अल्लाह तआ़ला लोगों में उनके (मज़हबी) इख़्तिलाफ़ी मामलों में फ़ैसला फ़रमा दें, और इस (किताब) में (यह) इख़्तिलाफ़ और किसी ने नहीं किया मगर सिर्फ़ उन लोगों ने जिनको (शुरू में) वह (किताब) मिली थी, उसके बाद कि उनके पास वाज़ेह दलीलें पहुँच चुकी थीं, आपसी ज़िद्दा-ज़िद्दी की वजह से। फिर अल्लाह तआ़ला ने (हमेशा) ईमान वालों को वह हक़ अम्र 'यानी बात और मामला' जिसमें इख़्तिलाफ़ करने वाले इख़्तिलाफ़ किया करते थे, अपने फ़ज़्ल व करम से बतला दिया, और अल्लाह तआ़ला जिसको चाहते हैं उसको सही रास्ता बतला देते हैं। (213)

एक वक़्त था कि तमाम इनसान एक ही रास्ते पर थे

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का बयान है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम और हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के दरमियान दस ज़माने थे, ये लोग हक़ और शरीअ़त के पाबन्द थे। फिर इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) पड़ गया तो अल्लाह तआ़ला ने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को भेजा। बल्कि आपकी क़िराअत भी यूँ है कि:

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ .... الخ.

कि सब आदमी एक ही रास्ते पर थे फिर उन्होंने आपस में झगड़े निकाल लिये तो अल्लाह तआ़ला ने नबी भेजे..............।

हज़रत उबई बिन कअ़ब की क़िराअत भी यही है। क़तादा रह. ने भी इसकी तफ़सीर इस तरह की है कि जब उनमें इख़्तिलाफ़ (झगड़ा और मतभेद) पैदा हो गया तो अल्लाह तआ़ला ने अपना पहला पैग़म्बर भेजा, यानी हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम। हज़रत मुजाहिद रह. भी यही कहते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से एक रिवायत मरवी है कि पहले सब के सब काफ़िर थे, लेकिन पहला क़ौल मायने के एतिबार से भी और सनद के एतिबार से भी ज़्यादा सही है। पस उन पैग़म्बरों ने ख़ुशख़बरियाँ सुनायीं ईमान वालों को, और डराया ईमान न लाने वालों को। उनके साथ ख़ुदाई किताब भी थी ताकि लोगों के हर इख़्तिलाफ़ (झगड़े और विवाद) का फ़ैसला अल्लाह के क़ानून से हो सके।

इत्तिफ़ाक़ के बाद मतभेद और विवाद की खाई गहरी होती चली गयी

लेकिन इन दलीलों के बाद भी सिर्फ़ आपस के हसद व बुग़ज़ (जलन और बैर), बेजा पक्षपात व ज़िद और नफ़्सानियत की बिना पर फिर इत्तिफ़ाक़ न कर सके। लेकिन ईमान वाले संभल गये और इस इख़्तिलाफ़ (झगड़े) के चक्कर से निकलकर सीधी राह पर लग गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हम दुनिया में आने के एतिबार से सब से पीछे हैं लेकिन क़ियामत के दिन जन्नत में जाने के एतिबार से सबसे आगे होंगे। अहले किताब (ईसाई और यहूदी लोगों) को किताबुल्लाह हमसे पहले दी गयी हमें उनके बाद दी गयी, लेकिन उन्होंने इख़्तिलाफ़ (झगड़ा व विवाद) किया और अल्लाह पाक ने हमारी रहबरी की, जुमे के बारे में भी उनका इख़्तिलाफ़ (मतभेद) रहा लेकिन हमें हिदायत नसीब हुई। ये तमाम के तमाम अहले किताब इस लिहाज़ से भी हम से पीछे हैं, जुमा हमारा है शनिवार यहूदियों का और इतवार ईसाईयों का। ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं कि जुमे के अ़लावा क़िब्ले के बारे में भी यही हुआ, ईसाईयों ने पूरब को क़िब्ला बनाया, यहूदियों ने बैतुल-मुक़द्दस को, लेकिन मुहम्मदियों ने काबा को क़िब्ला मुक़र्रर किया। इसी तरह नमाज़ में भी उनमें से बाज़ों की नमाज़ में रुकूअ़ है और सज्दा नहीं, बाज़ों के यहाँ सज्दा है और रुकूअ़ नहीं। बाज़ नमाज़ में बोलते चालते रहते हैं, बाज़ चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की नमाज़ सुकून व वक़ार वाली है, न ये बोलें न चलें फिरें। रोज़ों में भी इसी तरह इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) हुआ और उसमें भी मुहम्मदियों (यानी मुसलमानों) को हिदायत हुई (यानी सही रास्ते पर चलना नसीब हुआ)। उनमें से कोई तो दिन के कुछ हिस्से का रोज़ा रखता है, कोई गिरोह बाज़ क़िस्म के खाने छोड़ देता है, लेकिन हमारा रोज़ा हर तरह कामिल है और इसमें भी हक़ रास्ता हमें दिखाया गया है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बारे में यहूद ने कहा कि वह यहूदी थे, ईसाईयों ने उन्हें ईसाई कहा, लेकिन दर असल वह पक्के मुसलमान थे। पस इस बारे में भी हमारी रहबरी की गयी और ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम के बारे में सही अ़क़ीदे तक हम पहुँचा दिये गये।

हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को भी यहूदियों ने झुठलाया और उनकी पवित्र वालिदा के बारे में बुरे अलफ़ाज़ ज़बान से निकाले, ईसाईयों ने उन्हें ख़ुदा और ख़ुदा का बेटा कहा लेकिन मुसलमान इस बेअदबी और हद से निकलने से बचा लिये गये और उन्हें रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह और सच्चा नबी माना।

रबीअ़ बिन अनस रह. फ़रमाते हैं- मतलब आयत का यह है कि जिस तरह शुरू में सब लोग एक ख़ुदा की इबादत करने वाले, नेकियों पर अ़मल करने वाले, बुराईयों से बचने वाले थे, बीच में विवाद ज़ाहिर हो गया था, पस इस आख़िरी उम्मत को शुरू की तरह इख़्तिलाफ़ (झगड़ों और विवादों) से हटाकर सही राह पर लगा दिया। यह उम्मत दूसरी उम्मतों पर गवाह होगी, यहाँ तक कि उम्मते नूह पर भी इनकी गवाही होगी। क़ौमे हूद, क़ौमे सालेह, क़ौमे शुऐब और आले फ़िरऔन का भी फ़ैसला इन्हीं की गवाहियों पर होगा। ये कहेंगे कि इन पैग़म्बरों ने तब्लीग़ की और इन उम्मतों ने इनको झुठलाया। हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. की क़िराअत में इसका ज़िक्र है कि ये उम्मत क़ियामत के दिन दूसरे लोगों पर गवाही देगी।

इमाम अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि इस आयत में गोया हुक्म है कि शक करने से, गुमराही से और फ़ितनों से बचना चाहिये। यह हिदायत ख़ुदा के इल्म और उसकी रहबरी से हुई, वह जिसे चाहे सही और जमने वाली राह नसीब फ़रमा देता है।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक दुआ़

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को जब तहज्जुद के लिये उठते तो यह दुआ़ पढ़तेः

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ. اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ. فَاِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

यानी ऐ अल्लाह! ऐ जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ील के ख़ुदा! ऐ आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले ख़ुदा! ऐ छुपे खुले के जानने वाले ख़ुदा! तू ही अपने बन्दों के आपस के इख़्तिलाफ़ात (झगड़ों) का फ़ैसला करता है। मेरी दुआ़ है कि जिस-जिस चीज़ में ये इख़्तिलाफ़ (मतभेद और झगड़े) करें तू मुझे उसमें हक़ बात समझा, तू जिसे चाहे सही रास्ता दिखला देता है।

एक और दुआ़-ए-मासूरा

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक दुआ़ यह भी नक़ल की गयी हैः

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

ऐ अल्लाह! हमें हक़ को हक़ दिखा और उस पर चलना नसीब फ़रमा, और बातिल (ग़लत और ग़ैर-हक़) को बातिल दिखा और उससे बचा। ऐसा न हो कि हक़ व बातिल हम पर गड्-मड् हो जाये और हम बहक जायें। ख़ुदाया हमें नेक काम करने वालों परहेज़गार लोगों का इमाम बना।

(दूसरी बात सुनो) क्या तुम्हारा यह ख़्याल है कि जन्नत में (मशक़्क़त उठाए बग़ैर) जा दाख़िल होंगे, हालाँकि तुमको अभी उन	اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

(मुसलमान) लोगों के जैसा कोई अजीब वाक़िआ पेश नहीं आया जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं, उन पर (मुख़ालिफ़ों के सबब) ऐसी-ऐसी तंगी और सख़्ती पेश आई और (मुसीबतों से) उनको यहाँ तक हिलाया गया कि (उस ज़माने के) पैग़म्बर तक और जो उनके साथ ईमान वाले थे, बोल उठे कि अल्लाह तआ़ला की (वायदा की गई) इमदाद कब होगी। याद रखो बेशक अल्लाह तआ़ला की इमदाद (बहुत) नज़दीक है। (214)

जन्नतुल-फ़िरदौस सबसे बड़ी कामयाबी है आज़माईशों के बग़ैर उसका हासिल होना आसान नहीं

मतलब यह है कि आज़माईश और इम्तिहान से पहले जन्नत की आरज़ूएँ ठीक नहीं। पहली तमाम उम्मतों का भी इम्तिहान लिया गया, उन्हें भी बीमारियाँ और मुसीबतें पहुँचीं। 'बअ्सा-उ' के मायने फ़क़ीरी और 'ज़र्रा-उ' के मायने बीमारी भी किया गया है। उन पर दुश्मनों का ख़ौफ़ इस क़द्र तारी हुआ कि बेचारे काँपने लगे। इन तमाम सख़्त इम्तिहानों में वे कामयाब हुए और जन्नत के वारिस बने। सही हदीस में है कि एक मर्तबा हज़रत ख़ब्बाब इब्ने अरत रज़ि. ने कहा या रसूलल्लाह! आप हमारी इमदाद की दुआ़ नहीं करते? आपने फ़रमाया बस अभी से घबरा उठे? सुनो! तुमसे पहले ईमान वालों को पकड़कर उनके सरों पर आरे रख दिये जाते थे और चीरकर ठीक दो टुकड़े कर दिये जाते थे, लेकिन फिर भी वे अल्लाह की तौहीद और सही रास्ते से न हटते थे, लोहे की कंघियों से उनके गोश्त-पोस्त नोचे जाते थे लेकिन फिर भी दीने ख़ुदा को नहीं छोड़ते थे, क़सम ख़ुदा की इस मेरे दीन को तो मेरा रब इस क़द्र पूरा करेगा कि बिना किसी ख़ौफ़ व ख़तरे के 'सनआ़' से 'हज़रमौत' (ये दो शहरों के नाम हैं) तक का सफ़र एक-एक सवार करने लगेगा, उसे सिवाय ख़ुदा के किसी का ख़ौफ़ न होगा, अलबत्ता दिल में यह ख़्याल होना और बात है कि कहीं मेरी बकरियों पर भेड़िया न आ पड़े, लेकिन अफ़सोस तुम जल्दी करते हो। क़ुरआन में ठीक यही मज़मून दूसरी जगह इन अलफ़ाज़ में बयान हुआ है:

الٓمّٓ. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا.......... الخ.

क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे केवल ईमान के इक़रार से ही छोड़ दिये जायेंगे और उनकी आज़माईश न होगी? हमने तो पहलों की भी आज़माईश की, सच्चों को और झूठों को यक़ीनन एक दूसरे से अलग किया जायेगा।

चुनाँचे इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की पूरी आज़माईश अहज़ाब वाले दिन (यानी जंगे ख़न्दक़) में हुई। जैसा कि ख़ुद क़ुरआने पाक ने इसका नक़्शा खींचा है। फ़रमाता है:

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ.......... الخ.

यानी जबकि काफ़िरों ने तुम्हें ऊपर नीचे से घेर लिया, जबकि आँखें पत्थरा गयीं, दिल हल्क़ूम तक आ गये और खुदा तआला के साथ गुमान होने लगे, उस जगह मोमिनों की पूरी आज़माईश हो गयी और वे ख़ूब झिंझोड़ दिये गये, जबकि मुनाफ़िक़ और ढुलमुल यक़ीन के लोग कहने लगे कि ख़ुदा रसूल के वायदे तो धोखा ही थे.......।

हिरक़्ल ने जब अबू सुफ़ियान से उनके कुफ़्र की हालत में पूछा था कि तुम्हारी कोई लड़ाई भी उस नुबुव्वत के दावेदार से हुई है? अबू सुफ़ियान ने कहा हाँ, पूछा फिर क्या रंग रहा, कहा कभी हम ग़ालिब रहे कभी वह ग़ालिब रहे। हिरक़्ल ने कहा अम्बिया की इसी तरह आज़माईश होती रहती है, लेकिन आख़िरकार खुला ग़लबा उन्हीं का होता है। 'मसल' के मायने तरीक़ा के हैं जैसे एक और जगह है:

وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ.

पहले मोमिनों ने मय नबियों के ऐसे वक़्त में अल्लाह तआला की मदद तलब की और सख़्ती और तंगी से निजात चाही, जिन्हें यही जवाब मिला कि अल्लाह की मदद बहुत ही नज़दीक है। जैसे एक और जगह इरशाद है:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

यक़ीनन सख़्ती के साथ आसानी है, बुराई के साथ भलाई है।

एक हदीस में है कि बन्दे जब नाउम्मीद होने लगते हैं तो अल्लाह तआला ताज्जुब करता है कि मेरी मदद और क़बूलियत तो आ पहुँचने को है और यह नाउम्मीद होता चला जा रहा है। पस अल्लाह तआला उनकी जल्दबाज़ी और अपनी रहमत के क़रीब होने पर हंस देता है......।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ○	लोग आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ ख़र्च किया करें? आप फ़रमा दीजिए कि जो कुछ माल तुमको ख़र्च करना हो सो माँ-बाप का हक़ है और रिश्तेदारों व क़रीबी लोगों का, और बेबाप के बच्चों का, और मोहताजों का, और मुसाफ़िर का, और जो भी नेक काम करोगे सो अल्लाह तआला को उसकी ख़ूब ख़बर है। (वह उसपर सवाब देंगे) (215)

ख़र्च करने की सही जगहों की तफ़सील

मुक़ातिल रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत नफ़्ली ख़ैरात के बारे में है। इमाम सुद्दी रह. कहते हैं कि इसे ज़कात वाली आयत ने मन्सूख़ कर दिया, लेकिन यह क़ौल ज़रा ग़ौर-तलब है। मतलब आयत का यह है कि ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! लोग तुमसे सवाल करते हैं कि वे किस तरह ख़र्च करें? तुम उन्हें कह दो कि उन लोगों से सुलूक करें जिनका बयान हुआ। हदीस में है कि अपनी माँ से सुलूक करो और

अपने बाप से और अपनी बहन से और अपने भाई से, फिर और दर्जा-ब-दर्जा रिश्तेदारों और क़रीबी लोगों से। यह हदीस बयान फ़रमाकर हज़रत मैमून बिन मेहरान ने इस आयत की तिलावत की और फ़रमाया यह हैं जिनके साथ माली सुलूक किया जाये और उन पर माल ख़र्च किया जाये, न कि तबलों, बाजों, तस्वीरों और दीवारों पर कपड़ा चिपकाने में। फिर इरशाद होता है कि तुम जो भी नेक काम करोगे उसका इल्म अल्लाह तआ़ला को है, और वह उस पर बेहतरीन बदला अ़ता फ़रमायेगा, वह ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करता।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ع ٢٦ ١٠

जिहाद करना तुम पर फ़र्ज़ किया गया है और वह तुमको (तबई तौर पर) गिराँ "यानी भारी और नागवार" (मालूम होता) है, और यह बात मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को गिराँ समझो और वह तुम्हारे हक़ में ख़ैर हो, और यह (भी) मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो और वह तुम्हारे हक़ में ख़राबी (का सबब) हो। और अल्लाह तआ़ला जानते हैं और तुम (पूरा-पूरा) नहीं जानते। (216)

अल्लाह के दीन को बुलन्द करने के लिये मेहनत करो

इस्लाम के दुश्मनों से दीने इस्लाम के बचाव के लिये जिहाद की फ़र्ज़ियत का इस आयत में हुक्म हो रहा है। इमाम ज़ोहरी रह. फ़रमाते हैं कि जिहाद हर शख़्स पर फ़र्ज़ है चाहे लड़ाई में निकले चाहे बैठा रहे। बैठे रहने वालों पर यह फ़रीज़ा है कि जब उनसे मदद तलब की जाये वे इमदाद करें, जब उनसे फ़रियाद की जाये यह फ़रियाद पूरी करें, जब उन्हें मैदान में बुलाया जाये वे निकल खड़े हों। सही हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स मर जाये और उसने न तो जिहाद किया हो न अपने दिल में जिहाद की बातचीत की हो वह जाहिलीयत की मौत मरेगा। एक और हदीस में है कि फ़त्हे-मक्का के बाद हिजरत नहीं रही, हाँ जिहाद और नीयत है, और जब तुमसे जिहाद के लिये निकलने को कहा जाये तो निकल खड़े हो जाया करो। यह हुक्म आपने मक्का की फ़तह के दिन फ़रमाया था।

फिर फ़रमाता है कि अगरचे तुम पर जिहाद का हुक्म भारी पड़ेगा और उसमें तुम्हें मशक़्क़त और तकलीफ़ नज़र आयेगी, क्योंकि मुम्किन है क़त्ल भी किये जाओ, मुम्किन है ज़ख़्मी हो जाओ, फिर सफ़र की तकलीफ़, दुश्मनों का हमला और धावा वग़ैरह मुम्किन है, तुम इसे बुरा जानो और हो तुम्हारे लिये अच्छा, क्योंकि इसी से तुम्हारा ग़लबा है और दुश्मन की पस्ती है। उनके माल उनके मुल्क बल्कि उनके बाल-बच्चे तक तुम्हारे क़दमों में गिर पड़ेंगे। और यह भी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को अपने लिये अच्छा जानो और वही तुम्हारे लिये बुरी हो। उमूमन ऐसा होता है कि इनसान एक चीज़ को चाहता है लेकिन वास्तव में न उसमें मस्लेहत होती है न ख़ैर व बरकत। इसी तरह अगरचे तुम जिहाद न करने में अच्छाई समझो लेकिन दर असल वह तुम्हारे लिये ज़बरदस्त बुराई है, क्योंकि इससे दुश्मन तुम पर ग़ालिब आ जायेगा और दुनिया में क़दम टिकाने को भी तुम्हें जगह न मिलेगी। तमाम कामों के अन्जाम का इल्म सिर्फ़ परवर्दिगारे आ़लम

को ही है, वह जानता है कि कौनसा काम तुम्हारे लिये अन्जाम के लिहाज़ से अच्छा है और कौनसा बुरा है। वह उसी काम का हुक्म देता है जिसमें तुम्हारे लिये दोनों जहान की बेहतरी हो, तुम उसके अहकाम को दिल व जान से क़बूल कर लिया करो और उसके हर-हर हुक्म को ख़ुशी से मान लिया करो। इसी में तुम्हारे लिये भलाई और ख़ूबी है।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

लोग आपसे हराम महीने में क़िताल करने के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि उसमें ख़ास तौर पर क़िताल करना (यानी जान-बूझकर) बड़ा जुर्म है, और अल्लाह की राह से रोक-टोक करना और अल्लाह तआ़ला के साथ कुफ़्र करना और मस्जिदे हराम (यानी काबा) के साथ, और जो लोग मस्जिदे हराम के अहल थे उनको उससे ख़ारिज कर देना बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़दीक, और फ़ितना उठाना (उस ख़ास) क़त्ल से कई दर्जे बढ़कर है, और ये कुफ़्फ़ार तुम्हारे साथ हमेशा जंग रखेंगे इस ग़र्ज़ से कि अगर (ख़ुदा न करे) क़ाबू पाएँ तो तुमको तुम्हारे दीन (इस्लाम) से फेर दें, और जो शख़्स तुममें से अपने दीन से फिर जाए, फिर काफ़िर ही होने की हालत में मर जाए तो ऐसे लोगों के (नेक) आमाल दुनिया व आख़िरत में सब ग़ारत हो जाते हैं और ऐसे लोग दोज़ख़ी होते हैं, (और) ये लोग दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे। (217) हक़ीक़त में जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों ने राहे ख़ुदा में वतन छोड़ा हो और जिहाद किया हो, ऐसे लोग तो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हुआ करते हैं, और अल्लाह तआ़ला (इस ग़लती को) माफ़ कर देंगे (और तुम पर) रहमत करेंगे। (218)

सार्वजनिक अमन के कुछ महीने

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक जमाअ़त को भेजा और उनका अमीर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि. को बनाया। जब वे जाने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जुदाई के सदमे से रो दिये। आपने उन्हें तो रोक लिया और उनके बदले हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि. को लश्कर का सरदार मुक़र्रर किया और उन्हें एक ख़त लिखकर दिया और फ़रमाया कि जब तक 'नख़ला' के पास न

पहुँचो इस ख़त को न पढ़ना और वहाँ पहुँचकर जब इस मज़मून को देखो तो अपने साथियों में से किसी को अपने साथ चलने पर मजबूर न करना। चुनाँचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. उस मुख़्तसर सी जमाअ़त को लेकर चले। जब उस जगह पर पहुँचे तो फ़रमाने नबी पढ़ा और 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़कर कहा- मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़रमान को पढ़ा और मैं फ़रमाँबरदारी के लिये तैयार हूँ। फिर अपने साथियों को पढ़कर सुनाया और वाक़िआ़ बयान किया, दो शख़्स तो वापस लौट गये लेकिन और सब साथ चलने के लिये तैयार हो गये। आगे चलकर इब्नुल-हज़रमी काफ़िर को उन्होंने पाया, चूँकि यह इल्म न था कि जमादियुल-आख़िर का यह आख़िरी दिन है, या रजब का पहला दिन है, उन्होंने उस लश्कर पर हमला कर दिया। इब्नुल-हज़रमी मारा गया और सहाबा की यह जमाअ़त वहाँ से वापस लौटी।

अब मुश्रिक लोगों ने मुसलमानों पर एतिराज़ शुरू किया कि देखो उन्होंने हुर्मत (सम्मान) वाले महीनों में लड़ाई की और क़त्ल भी किया। इस बारे में यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम) एक और रिवायत में है कि इस जमाअ़त में हज़रत अ़म्मार बिन यासिर, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबीआ़, हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान सुलमी, हज़रत सुहैल बिन बैज़ा, हज़रत आ़मिर बिन फ़ुहैरा और हज़रत वाक़िद बिन अ़ब्दुल्लाह यरबूअ़ी रज़ि. थे। बतने नख़ला पहुँचकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि. ने साफ़ फ़रमा दिया था कि जो शख़्स शहादत का इच्छुक हो वही आगे बढ़े, यहाँ से वापस जाने वाले हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास और उतबा रज़ि. थे। उनके साथ न जाने की वजह यह हुई थी कि उनका ऊँट गुम हो गया था जिसकी तलाश करने में रह गये। मुश्रिकों में हकम बिन कीसान, उस्मान बिन अ़ब्दुल्लाह वग़ैरह थे। हज़रत वाक़िद के हाथों अ़मर क़त्ल हुआ और यह जमाअ़त माले ग़नीमत लेकर वापस लौटी। यह पहली ही ग़नीमत थी जो मुसलमान सहाबा को मिली और यह जाँबाज़ जमाअ़त दो क़ैदियों और माले ग़नीमत लेकर वापस आयी।

मक्का के मुश्रिकों का क़ैदियों का फ़िदया अदा करना

जब सहाबा की यह जमाअ़त माले ग़नीमत और क़ैदियों के साथ मदीना पहुँची तो मक्का के काफ़िरों ने फ़िदया देकर अपने क़ैदियों को छुड़ाने की भाग-दौड़ शुरू की। उन्होंने एतिराज़ करते हुए कहा कि देखा! मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का दावा तो यह है कि वह ख़ुदा के इताअ़त-गुज़ार हैं, लेकिन अदब वाले महीनों की कोई इज़्ज़त व सम्मान नहीं करते और वे रजब के महीने में जंग और लड़ाई करते हैं, मुसलमान कहते थे कि हमने रजब में क़त्ल नहीं किया बल्कि जमादियुल-आख़िर में लड़ाई हुई है। हक़ीक़त यह है कि वह रजब की पहली रात और जमादियुल-आख़िर की आख़िर रात थी रजब शुरू होते ही मुसलमानों की तलवारें म्यान में हो गयी थीं, मुश्रिक लोगों के इस एतिराज़ का जवाब इस आयत में दिया जा रहा है कि यह सच है कि उन महीनों में जंग हराम है, लेकिन ऐ मुश्रिको! तुम्हारी बद-आमालियाँ (करतूत) तो बुराई में इससे भी ज़्यादा हैं, तुम ख़ुदा का इनकार करते हो, तुम तो मेरे नबी और उनके साथियों को मेरी मस्जिद से रोकते हो, तुमने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, पस अपने इन बुरे आमाल पर नज़र डालो कि ये किस क़द्र बदतरीन काम हैं। इन्हीं हुर्मत वाले (सम्मानित) महीनों में ही मुश्रिकों ने मुसलमानों को बैतुल्लाह शरीफ़ से रोका था और आप मजबूरन वापस हुए थे। अगले साल अल्लाह तआ़ला ने हुर्मत वाले महीनों में ही मक्का को अपने नबी के हाथ पर फ़तह कराया और मुसलमानों का पूरा क़ब्ज़ा वहाँ हो गया। अब एतिराज़ करने लगे जिस पर उन्हें इन आयतों में माक़ूल जवाब दिया गया।

अ़मर इब्नुल-हज़रमी जो क़त्ल किया गया यह ताईफ़ से मक्का को आ रहा था, अगरचे रजब का चाँद निकल चुका था लेकिन सहाबा को मालूम न था, वे उस रात को जमादियुल-आख़िर की आख़िरी रात जानते थे। एक और रिवायत में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि. के साथ आठ आदमी थे, सात तो वही जिनके नाम ऊपर बयान हुए, आठवें हज़रत रिआब असदी रज़ि. थे। उन्हें बदरे-ऊला से वापसी के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भेजा था। ये सब मुहाजिर थे, उनमें एक भी अन्सारी न था, दो दिन चलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के उस पत्र मुबारक को पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मेरे इस हुक्म-नामे को पढ़कर मक्का और ताईफ़ के दरमियान नख़ला में जाओ, वहाँ ठहरो और क़ुरैश के क़ाफ़िले का इन्तिज़ार करो और उनकी ख़बरें मालूम करके मुझे पहुँचाओ। जब ये बुज़ुर्ग यहाँ से चले तो सारे के सारे ही चले थे, दो सहाबी जो ऊँट को ढूँढने के लिये रह गये थे वे भी यहाँ से साथ ही थे, लेकिन फ़रग़ के ऊपर मादन में पहुँचकर नजरान में उन्हें ऊँटों की तलबी में रुक जाना पड़ा, क़ुरैशियों के इस क़ाफ़िले में ज़ैतून वग़ैरह तिजारती माल था, मुश्रिकों में अ़लावा इन लोगों के जिनके नाम ऊपर बयान हुए नौफ़ल बिन अ़ब्दुल्लाह वग़ैरह भी थे। मुसलमान अव्वल तो उन्हें देखकर घबराये लेकिन फिर मश्विरा करके मुसलमानों ने यह सोचकर कि अगर उन्हें छोड़ दिया तो इस रात के बाद हुर्मत का महीना आ जायेगा, तो फिर कुछ भी न कर सकेंगे, उन्होंने बहादुरी व मर्दानगी के साथ हमला किया। हज़रत वाक़िद बिन अ़ब्दुल्लाह तमीमी रज़ि. ने अ़मर बिन हज़रमी को ऐसा ताककर तीर लगाया कि उसका तो फ़ैसला ही हो गया। उस्मान और हकम को क़ैद कर लिया और माल वग़ैरह लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचे। रास्ते में ही लश्कर के सरदार ने कह दिया था कि इस माल में से पाँचवाँ हिस्सा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का है, चुनाँचे यह हिस्सा तो अलग करके रख दिया गया और बाक़ी माल सहाबा में तक़सीम कर दिया और अब तक यह हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था कि माले ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा निकालना चाहिये।

जब ये लश्कर सरकारे नबवी में पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वाक़िआ़ सुनकर नाराज़गी ज़ाहिर फ़रमाई और फ़रमाया कि मैंने तुम्हें हुर्मत वाले (सम्मानित) महीनों में लड़ाई करने को कब कहा था, न तो क़ाफ़िले का कुछ माल आपने लिया न क़ैदियों को क़ब्ज़े में किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस क़ौल व फ़ेल से ये मुसलमान सख़्त नादिम हुए और अपने जुर्म का इन्हें यक़ीन हो गया। फिर दूसरे मुसलमानों ने भी इन्हें कुछ-कुछ कहना सुनना शुरू किया। उधर क़ुरैशियों ने ताना देना शुरू किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और उनके साथी हुर्मत वाले महीनों में भी लड़ाई और क़त्ल से बाज़ नहीं रहते। दूसरी तरफ़ यहूदियों ने एक बुरा शगुन निकाला, चूँकि अ़मर क़त्ल किया गया था तो उन्होंने कहा 'लड़ाई बहुत लम्बी और ज़बरदस्त' होगी। उसके बाप का नाम हज़रमी था इससे उन्होंने फ़ाल ली कि 'बस लड़ाई का वक़्त तो आ पहुँचा'। क़ातिल का नाम वाक़िद रज़ि. था जिससे उन्होंने कहा 'लड़ाई की आग भड़क उठी'। लेकिन क़ुदरत ने इसके उलट कर दिया और नतीजा पूरी तरह मुश्रिकों के ख़िलाफ़ रहा और उनके इस एतिराज़ के जवाब में यह आयत नाज़िल हुई कि अगर मान लो जंग हुर्मत वाले (अदब व सम्मान वाले) महीने में हुई भी तो उससे बदतरीन तुम्हारी करतूत और बुरी हरकतें मौजूद हैं। तुम्हारा यह फ़ितना कि तुम अल्लाह के दीन से मुसलमानों को मुर्तद करने की अपनी तमाम संभव कोशिशें कर रहे हो, यह उस क़त्ल से भी बढ़कर है, और तुम न तो अपने इन कामों से रुकते हो न तौबा करते हो, न इस पर शर्मिन्दा होते हो।

इन आयतों के नाज़िल होने के बाद मुसलमान इस रंज व अफ़सोस से छूटे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ाफ़िले को और क़ैदियों को अपने क़ब्ज़े में लिया। क़ुरैशियों ने फिर आपके पास क़ासिद भेजा कि उन दोनों क़ैदियों का फ़िदया ले लीजिए मगर आपने फ़रमाया कि मेरे दोनों सहाबी सअ़द बिन अबी वक़्क़ास और उतबा बिन ग़ज़वान जब आ जायें तब आओ। मुझे डर है कि तुम उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाओ। चुनाँचे जब वे आ गये तो आपने फ़िदया ले लिया और दोनों क़ैदियों को रिहा कर दिया। हकम बिन कैसान तो मुसलमान हो गये और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में ही रह गये, आख़िर बीरे-मऊना (यह एक मशहूर कुआँ) की लड़ाई में शहीद हुए। (रज़ि.) हाँ उस्मान बिन अ़ब्दुल्लाह मक्का वापस गया और वहीं कुफ़्र में ही मरा। इन ग़ाज़ियों (अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों) को इस आयत को सुनकर बड़ी ख़ुशी हासिल हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नाराज़गी की वजह से हुर्मत वाले महीने की बेअदबी के सबब से, दूसरे सहाबा आपसी कहा-सुनी की बिना पर, काफ़िरों के ताने देने के कारण जो रंज व ग़म उनके दिलों पर था सब दूर हो गया। लेकिन अब यह फ़िक्र पड़ी कि हमें आख़िरत का अज्र भी मिलेगा या नहीं? हम ग़ाज़ियों (जिहादियों) में भी शुमार किये जायेंगे या नहीं।

जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ये सवालात किये गये तो इसके जवाब में यह आयत उतरीः

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ.

(यानी यही आयत नम्बर 218, जिसकी यह तफ़सीर बयान हो रही है) और उनको बड़ी-बड़ी उम्मीदें बंध गयीं। इस्लाम और कुफ़्र के मुक़ाबले में सबसे पहले यही इब्नुल-हज़रमी मारा गया, काफ़िरों का वफ़्द (जमाअ़त, मण्डल) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सवाल किया कि क्या हुर्मत वाले महीनों में क़त्ल करना जायज़ है? इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ....... الخ.

कि ये आप से हुर्मत वाले महीने में जंग करने के बारे में पूछते हैं............।

यही माले ग़नीमत था जो सबसे पहले मुसलमानों के हाथ लगा और सबसे पहले पाँचवाँ हिस्सा (यानी ख़ुम्स) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि. ने ही निकाला जो इस्लाम में बाक़ी रहा और हुक्मे ख़ुदा भी इसी तरह नाज़िल हुआ, और यही दो क़ैदी थे जो सबसे पहले मुसलमानों के हाथों बन्दी हुए।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۖ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۖ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ فِى	**लोग आप से शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि इन दोनों (के इस्तेमाल) में गुनाह की बड़ी-बड़ी बातें भी हैं और लोगों को (बाज़े) फ़ायदे भी हैं, और (वे) गुनाह की बातें उनके फ़ायदों से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और लोग आप से पूछते हैं कि (ख़ैर-ख़ैरात में) कितना ख़र्च किया करें, आप फ़रमा दीजिए कि जितना आसान हो, अल्लाह तआ़ला इसी तरह अहकाम को साफ़-साफ़ बयान फ़रमाते हैं। (219) ताकि तुम दुनिया व आख़िरत के मामलों**

اَلدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّھُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْھُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○	में सोच लिया करो। और लोग आप से यतीम बच्चों का हुक्म पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि उनकी मस्लेहत की रियायत रखना ज़्यादा बेहतर है, और अगर तुम उनके साथ ख़र्च शामिल रखो तो वे तुम्हारे (दीनी) भाई हैं, और अल्लाह तआ़ला मस्लेहत के ज़ाया करने वाले को और मस्लेहत की रियायत रखने वाले को (अलग-अलग) जानते हैं, और अगर अल्लाह चाहते तो तुमको मुसीबत में डाल देते, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। (220)

शराब का हराम होना और मरहले वार उसकी हराम होने की तरफ़ शरीअ़त के क़दम

जब शराब की हुर्मत (हराम होने) की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर रज़ि. ने कहा ख़ुदाया! तू इसका वाज़ेह (स्पष्ट) बयान फ़रमा, इस पर सूरः ब-क़रह की यह आयत नाज़िल हुईः

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ............... الخ.

कि लोग आप से शराब और जुए के बारे में मालूम करते हैं, आप फ़रमा दीजिये कि इन दोनों (के इस्तेमाल) में गुनाह की बड़ी-बड़ी बातें भी हैं............।

हज़रत उमर रज़ि. को बुलवाया गया और उन्हें यह आयत पढ़कर सुनाई गयी लेकिन हज़रत उमर रज़ि. ने फिर भी यही दुआ़ की कि ख़ुदाया! इसे हमारे लिये और ज़्यादा साफ़ बयान फ़रमा। इस पर सूरः निसा की यह आयत नाज़िल हुईः

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى............ الخ.

ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के क़रीब भी न जाओ जब तुम नशे की हालत में हो............।

और हर नमाज़ के वक़्त पुकारा जाने लगा कि नशे वाले लोग नमाज़ के क़रीब भी न आयें। हज़रत उमर रज़ि. को बुलवाया गया और उनके सामने इस आयत की भी तिलावत की गयी, आपने फिर भी यही दुआ़ की कि ख़ुदाया हमारे लिये इसका बयान और वाज़ेह कर। इस पर सूरः मायदा की यह आयत उतरीः

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ....... الخ.

ऐ ईमान वालो! शराब, जुआ, बुतों के थान, जुए के तीर ये सब नापाक शैतानी काम हैं। इसलिये इनसे बचो..........। (सूरः मायदा आयत 91)

जब फ़ारूक़े आज़म रज़ि. को बुलाकर यह आयत भी सुनाई गयी और जब उनके कान में आयत के आख़िरी अलफ़ाज़ 'फ़-हल् अन्तुम् मुन्तहून' पड़े तो आप बोल उठे 'इन्तहैना-इन्तहैना' (हम रुक गये, हम बाज़ आये)। मुलाहिज़ा हो मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई वग़ैरह। इब्ने अबी हातिम और

इब्ने मर्दूया में भी यह रिवायत है, लेकिन उसका रावी अबू मैसरा है जिनका नाम अ़मर बिन शुरहबील हमदानी कूफ़ी है। अबू ज़ुरआ़ रह. फ़रमाते हैं कि उनका सिमाअ़ (सुनना) हज़रत उमर रज़ि. से साबित नहीं। वल्लाहु आलम। इमाम अ़ली बिन मदीनी रह. फ़रमाते हैं कि इसकी सनद उम्दा और सही है। इमाम तिर्मिज़ी रह. भी इसे सही कहते हैं। इब्ने अबी हातिम में हज़रत उमर रज़ि. के 'इन्तहैना-इन्तहैना' के क़ौल के बाद यह भी है कि शराब माल को बरबाद करने वाली और अ़क्ल को ख़ब्त करने वाली चीज़ है। यह रिवायत और इसी के साथ मुस्नद हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. वाली और रिवायतें सूरः मायदा की आयत नम्बर 91 की तफ़सीर में तफ़सीली तौर पर बयान होंगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

ख़मर के लुग़वी मायने

अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि 'ख़मर' हर वह चीज़ है जो अ़क्ल को ढाँप ले, इसका पूरा बयान भी सूरः मायदा में ही आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला। 'मैसर' कहते हैं जुए-बाज़ी को। गुनाहों का वबाल आख़िरत का है और फ़ायदा सिर्फ़ दुनिया का है, कि बदन को कुछ नफ़ा पहुँचे या ग़िज़ा हज़्म हो या बदन से बेकार माद्दे निकल जायें, या बाज़ ज़ेहन तेज़ हो जायें या एक तरह का सुरूर हासिल हो, जैसा कि हस्सान बिन साबित रज़ि. का जाहिलीयत के ज़माने का शे'र है कि शराब पीकर हम बादशाह और दिलेर बन जाते हैं और इसी तरह उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त और तैयार करने में भी तिजारती नफ़ा मुम्किन है हो जाये। इसी तरह जुए-बाज़ी में मुम्किन है जीत हो जाये लेकिन इन फ़ायदों के मुक़ाबले में उनके नुक़सान ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे अ़क्ल का जाते रहना, होश व हवास का बेकार होना ज़रूरी है, साथ ही दीन का बरबाद होना भी है। यह आयत गोया शराब की हुर्मत (हराम होने) की शुरूआ़त थी। चूँकि इसमें साफ़-साफ़ हुर्मत बयान न हुई थी इसलिये हज़रत उमर रज़ि. की ख़्वाहिश थी कि खुले लफ़्ज़ों में शराब की हुर्मत नाज़िल हो। चुनाँचे आख़िरकार सूरः मायदा की आयत में साफ़ फ़रमा दिया गया कि शराब और जुआ और पाँसे और तीर से फ़ाल लेना सब हराम और शैतानी काम हैं। ऐ मुसलमानो! अगर निजात के तालिब हो तो इन सबसे बाज़ आ जाओ। शैतान की तमन्ना है कि शराब और जुए के सबब तुम में दुश्मनी व बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें ज़िक्रुल्लाह और नमाज़ से रोक दे। क्या अब तुम इन शैतानी कामों से रुक जाने वाले बन जाओगे? इसका पूरा बयान इन्शा-अल्लाह तआ़ला सूरः मायदा में आयेगा।

मुफ़स्सिरीन ताबिई फ़रमाते हैं कि शराब के बारे में पहले यही आयत नाज़िल हुई फिर सूरः निसा की आयत नाज़िल हुई फिर सूरः मायदा की आयत उतरी और शराब मुकम्मल तौर पर हराम हो गयी। हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल और हज़रत सालबा रज़ि. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और मालूम किया कि हुज़ूर! हमारे गुलाम भी हैं, बाल-बच्चे भी हैं और हम मालदार भी हैं, क्या कुछ अल्लाह के लिये ख़र्च करें? जिसके जवाब में 'क़ुलिल्-अ़फ़्-व' कहा गया, यानी जो अपने बाल-बच्चों के ख़र्च के बाद बचे। बहुत से सहाबा और ताबिईन से इसकी यही तफ़सीर नक़ल है। हज़रत ताऊस कहते हैं कि हर चीज़ में से थोड़ा-थोड़ा अल्लाह की राह में भी देते रहा करो। रबीअ़ रज़ि. कहते हैं कि अफ़ज़ल और बेहतर माल ख़ुदा की राह में दो।

ख़ैर व ख़ैरात में अपना ख़्याल भी ज़रूरी है

सब अक़वाल का ख़ुलासा यह है कि अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ ख़ुदा की राह में ख़र्च करो। हज़रत

हसन रह. फ़रमाते हैं कि ऐसा न करो कि सब दे डालो और फिर ख़ुद सवाल के लिये बैठ जाओ। चुनाँचे सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा- हुज़ूर! मेरे पास एक दीनार है। आपने फ़रमाया अपने काम में लाओ। कहा मेरे पास एक और है, फ़रमाया अपनी बीवी पर ख़र्च करो। कहा हज़रत एक और है, फ़रमाया अपने बच्चों की ज़रूरतों में लगाओ, कहा एक और भी है, फ़रमाया अब तू ख़ुद देखभाल सकता है। मुस्लिम शरीफ़ की एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स से फ़रमाया- अपने नफ़्स से शुरू कर, पहले उसी पर सदक़ा कर, फिर बचे तो अपने बाल-बच्चों पर, फिर बचे तो अपने रिश्तेदारों पर, फिर भी बचे तो और दूसरे ज़रूरत-मन्दों पर। इसी किताब में एक और हदीस है कि सब से अफ़ज़ल ख़ैरात वह है जो इनसान अपने ख़र्च के मुताबिक़ बाक़ी रखकर बची हुई चीज़ को अल्लाह की राह में दे। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफ़ज़ल है। पहले उन्हें दे जिनका (क़र्ज़ या ख़र्च) तेरे ज़िम्मे है। एक और हदीस में है, ऐ इनसान! जो तेरे पास अपनी ज़रूरत से ज़ायद हो उसे अल्लाह की राह में दे डालना ही तेरे लिये बेहतर है, उसका रोके रखना तेरे लिये बुरा है। हाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ ख़र्च करने में तुझ पर कोई मलामत नहीं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का एक क़ौल यह भी है कि यह हुक्म ज़कात के हुक्म से मन्सूख़ हो गया। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि ज़कात की आयत गोया इस आयत की तफ़सीर और इसका वाज़ेह बयान है। ठीक क़ौल यही है।

फिर इरशाद है कि जिस तरह ये अहकाम वाज़ेह करके खोल-खोल करके हमने बयान फ़रमाये, इसी तरह हम बाक़ी अहकाम भी वज़ाहत और स्पष्टता के साथ बयान फ़रमायेंगे। वायदे वईद भी साफ़ तौर पर खोल दिये जायेंगे, ताकि तुम दुनिया-ए-फ़ानी की तरफ़ से बेतवज्जोह होकर आख़िरत की तरफ़ मुतवज्जह हो जाओ, जो हमेशा बाक़ी रहने वाली है।

सोचने-समझने की ज़रूरत

हज़रत हसन रह. ने इस आयत की तिलावत करके फ़रमाया- वल्लाह जो सोचे और विचार करेगा, जान लेगा कि दुनिया बला का घर है, और इसका अन्जाम फ़ना है। और आख़िरत जज़ा (बदले) का घर है और बक़ा का। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं फ़िक्र करने (सोचने, विचार करने) से साफ़ मालूम हो सकता है कि दुनिया पर आख़िरत की किस क़द्र फ़ज़ीलत है। पस अ़क़्लमन्द को चाहिये कि आख़िरत की भलाई के जमा करने की कोशिश में लग जाये।

यतीम के बारे में चन्द अहकाम

फिर यतीम के बारे में अहकाम नाज़िल हुए हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि पहले यह हुक्म हुआ थाः

وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ.

यानी यतीम के माल के क़रीब भी न जाओ, मगर उस तरीक़े से जो बेहतरीन तरीक़ा हो। और फ़रमाया गया थाः

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

यानी जो लोग ज़ुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वे अपने पेट में आग भर रहे हैं और वे भड़कती हुई जहन्नम में जल्द ही दाख़िल होंगे।

तो इन आयतों को सुनकर उन लोगों ने जो यतीमों के वाली (सरपरस्त और निगराँ) थे, यतीमों का खाना-पानी अपने घर के खाने और घर के पानी से बिल्कुल अलग कर दिया। अब अगर उसका पका हुआ खाना बच गया तो उसे या तो वही दूसरे वक़्त खाये या ख़राब हो जाये, तो यूँ एक तरफ़ तो उन यतीमों का नुक़सान होने लगा, दूसरी तरफ़ यतीमों के निगराँ लोग भी तंग आ गये कि कब तक एक ही घर में इस तरह रख-रखाव किया करें। तो उन लोगों ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ की, जिस पर यह आयत नाज़िल हुईः

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ .... الخ.

कि आप फ़रमा दीजिये कि उनकी मस्लेहत (भले) की रियायत रखना ज़्यादा बेहतर है।

नेक-नीयती और दियानतदारी के साथ उनके माल को अपने माल में मिला लेने की छूट दी गयी। अबू दाऊद, नसाई वग़ैरह में ये रिवायतें मौजूद हैं और पहले व बाद के उलेमा और बुज़ुर्गों की एक बहुत बड़ी जमाअ़त ने इसकी शाने नुज़ूल यही बयान फ़रमायी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि. फ़रमाती हैं कि यतीम के ज़रा-ज़रा से माल की इस तरह देखभाल सख़्त मुश्किल काम है कि उसका खाना अलग हो, उसका पीना अलग हो। 'उनकी मस्लेहत और भले का लिहाज़ रखने से' तो यही अ़लैहदगी मुराद है लेकिन फिर 'व इन् तुख़ालितूहुम फ़-इख़्वानुकुम...........' फ़रमाकर खाना-पीना मिला-जुलाकर और एक साथ रखने की इजाज़त दी गयी। इसलिये कि वे भी दीनी भाई हैं, हाँ नीयत नेक होनी चाहिये, क़स्द और इरादा अगर यतीम को नुक़सान पहुँचाने का है तो वह भी ख़ुदा तबारक व तआ़ला से पोशीदा नहीं और अगर मक़सूद यतीम की भलाई और उसके माल की हिफ़ाज़त व देखभाल है तो उसे भी वह आ़लिमुल-ग़ैब अच्छी तरह जानता है।

फिर फ़रमाया कि ख़ुदा तुम्हें तकलीफ़ व मशक़्क़त में मुब्तला रखना नहीं चाहता, जो तंगी और हर्ज तुम पर यतीम का खाना-पीना बिल्कुल अलग रखने में था वह अल्लाह तआ़ला ने दूर फ़रमा दिया और तुम पर आसानी कर दी और एक हंडिया रखना और मिला-जुलाकर काम करना तुम्हारे लिये जायज़ क़रार दे दिया, बल्कि यतीम की देखभाल करने वाला अगर फ़क़ीर मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक़ अपने ख़र्च में ला सकता है, और अगर किसी मालदार ने ज़रूरत के वक़्त उसकी चीज़ काम में ले ली तो फिर अदा कर दे। ये मसाईल इन्शा-अल्लाह तफ़सील के साथ सूरः निसा की तफ़सीर में बयान होंगे।

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

और निकाह मत करो काफ़िर औ़रतों के साथ जब तक कि वे मुसलमान न हो जाएँ, और मुसलमान औ़रत (चाहे) बाँदी (क्यों न हो, वह हज़ार दर्जा) बेहतर है काफ़िर औ़रत से, चाहे वह तुमको अच्छी ही मालूम हो। और औ़रतों को काफ़िर मर्दों के निकाह में मत दो, जब तक कि वे मुसलमान न हो जाएँ। और मुसलमान मर्द ग़ुलाम बेहतर है काफ़िर मर्द से, चाहे वह

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ صلے وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○	तुमको अच्छा ही मालूम हो, (क्योंकि) ये लोग दोज़ख़ (में जाने) की तहरीक देते हैं "यानी दोज़ख़ की ओर ले जाते हैं", और अल्लाह तआला जन्नत और मग़फ़िरत की तहरीक देते हैं अपने हुक्म से। और (अल्लाह इस वास्ते) आदमियों को अपने अहकाम बता देते हैं ताकि वे लोग नसीहत पर अ़मल करें। (221)

ع ٢٧

निकाह के दूरगामी असरात होते हैं इसलिये अच्छी तरह सोच-समझकर इस बंधन में बंधना चाहिये

बुत-परस्त मुश्रिक लोग औ़रतों से निकाह की हुर्मत (हराम होना) बयान हो रही है। अगरचे आयत का आ़म होना तो हर एक मुश्रिक औ़रत से निकाह करने की मनाही पर ही दलालत करता है लेकिन दूसरी जगह अल्लाह का फ़रमान है:

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ.......... الخ.

यानी तुमसे पहले जिनको अल्लाह की किताब दी गयी है उनकी पाकदामन औ़रतों से भी जो ज़िनाकारी से बचने वाली हों, उनके मेहर अदा करके उनसे निकाह करना तुम्हारे लिये जायज़ है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल भी यही है कि उन मुश्रिक औ़रतों में अहले किताब (यहूदी व ईसाई) औ़रतें मख़्सूस हैं। मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, मक्हूल, हसन, ज़ह्हाक, क़तादा, ज़ैद बिन असलम और रबीअ़ बिन अनस रह. का भी यही फ़रमान है। बाज़ कहते हैं कि यह आयत सिर्फ़ बुत-परस्त मुश्रिक औ़रतों से निकाह ही के लिये नाज़िल हुई है। मतलब दोनों का एक ही है। वल्लाहु आलम।

इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कई क़िस्म की औ़रतें करने को नाजायज़ किया। सिवाय ईमान वाली, हिजरत करके आने वाली औ़रतों के दूसरी सब उन औ़रतों से जो किसी दूसरे मज़हब की पाबन्द हों निकाह करना हराम क़रार दे दिया गया। क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह इरशाद है:

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ.

यानी काफ़िरों के आमाल बरबाद हैं।

एक रिवायत में है कि हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह ने एक यहूदी औ़रत से निकाह किया था और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ि. ने एक ईसाई औ़रत से निकाह कर लिया था, जिस पर हज़रत उमर रज़ि. सख़्त नाराज़ हुए यहाँ तक के क़रीब था कि उन्हें कोड़े लगायें। इन दोनों बुज़ुर्गों ने कहा ऐ अमीरुल-मोमिनीन! आप नाराज़ न हों, हम उन्हें तलाक़ दे देते हैं। आपने फ़रमाया अगर तलाक़ देनी जायज़ है तो फिर निकाह भी जायज़ होना चाहिये। मैं उन्हें तुमसे छीन लूँगा और ज़िल्लत के साथ उन्हें अलग कर दूँगा।

नोट तलाक़ निकाह पर मुरत्तब होने वाली एक चीज़ है, अगर निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक़ का सवाल ही ग़लत है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. का मतलब यही था कि जब निकाह ही सही नहीं हुआ तो तलाक़ देने न देने का सवाल कैसे उठाया जा सकेगा। हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह. ने स्पष्ट किया है कि मुसलमानों का अहले-किताब (यहूदी व ईसाई औ़रतों) से निकाह की जो इजाज़त थी उसमें भी कुछ ख़ास शर्तें लाज़िमी थीं, क्योंकि अब वे ख़ुसूसियत अहले किताब में मौजूद नहीं हैं इसलिये मौजूदा वक़्त के अहले किताब से निकाह जायज़ न होगा। अहले किताब वे हैं जो किसी नबी व रसूल पर ईमान रखते हों, और ईमान भी उन तमाम शर्तों के साथ जो ईमान में मतलूब हैं। **हिन्दी अनुवादक**

लेकिन यह हदीस निहायत ग़रीब है और हज़रत उमर रज़ि. से बिल्कुल ही ग़रीब है। इमाम इब्ने जरीर रह. ने अहले किताब औ़रतों से निकाह जायज़ होने पर इजमा (सब की सहमति) नक़ल किया है, और हज़रत उमर रज़ि. के इस वाक़िए के बारे में तहरीर किया है कि यह सिर्फ़ सियासी मस्लेहत की बिना पर था ताकि मुसलमान औ़रतों से लोग बेतवज्जोही न बरतें, या और कोई रणनीति और मस्लेहत इस फ़रमान में थी। चुनाँचे एक रिवायत में यह भी है कि जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. को यह फ़रमान मिला तो उन्होंने जवाब में लिखा कि क्या आप इसे हराम कहते हैं? हज़रत उमर रज़ि. ने जवाब दिया कि हराम तो नहीं कहता मगर मुझे ख़ौफ़ है, तुम मोमिन औ़रतों से क्यों निकाह न करो। इस रिवायत की सनद भी सही है। एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने फ़रमाया- मुसलमान मर्द ईसाई औ़रत से निकाह कर सकता है, लेकिन ईसाई मर्द का निकाह मुसलमान औ़रत से नहीं हो सकता। इस रिवायत की सनद पहली रिवायत से ज़्यादा सही है। इब्ने जरीर में तो एक मरफ़ूअ़ हदीस भी सनद के साथ मरवी है कि हम अहले किताब की औ़रतों से निकाह कर लें, अहले किताब मर्द मुसलमान औ़रतों से निकाह नहीं कर सकते, लेकिन इसकी सनद में कुछ कमज़ोरी है, मगर उम्मत का इजमा (सर्वसम्मति) इसी पर है।

इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने अहले किताब के निकाह को नापसन्द किया और इस आयत की तिलावत फ़रमा दी। इमाम बुख़ारी रह. हज़रत उमर रज़ि. का यह क़ौल भी नक़ल फ़रमाते हैं कि मैं किसी शिर्क को इस शिर्क से बढ़कर नहीं पाता कि वह औ़रत कहती है कि ईसा अ़लैहिस्सलाम उसके ख़ुदा हैं। हज़रत इमाम अहमद रह. से इस आयत का मतलब पूछा जाता है तो आप फ़रमाते हैं- मुराद इससे अ़रब की वे मुश्रिक औ़रतें हैं जो बुत-परस्त थीं।

फिर इरशाद होता है कि ईमान वाली बाँदी शिर्क करने वाली आज़ाद औ़रत से अच्छी है। यह फ़रमान हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि. के बारे में नाज़िल होता है। उनकी एक काले रंग की बाँदी थी, एक मर्तबा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया था, फिर घबराये हुए हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और वाक़िआ़ अ़र्ज़ किया। आपने पूछा उसका क्या ख़्याल है? कहा हुज़ूर वह रोज़े रखती है, नमाज़ पढ़ती है, अच्छी तरह वुज़ू करती है, ख़ुदा की वह्दानियत और आपकी रिसालत की गवाही देती है। आपने फ़रमाया ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! तो वह ईमान वाली है। कहने लगे या रसूलल्लाह! क़सम उस ख़ुदा की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं उसे आज़ाद कर दूँगा और इतना ही नहीं बल्कि फिर उससे निकाह भी कर लूँगा। चुनाँचे यही किया, जिस पर बाज़ मुसलमानों ने उन्हें ताना दिया। वे चाहते थे कि मुश्रिकों में उनका निकाह करा दें और उन्हें अपनी लड़कियाँ भी दें ताकि ख़ानदानी शराफ़त क़ायम रहे, इस पर यह फ़रमान नाज़िल हुआ कि मुश्रिक आज़ाद औ़रत से तो मुसलमान बाँदी हज़ारों दर्जा बेहतर है और इसी तरह मुश्रिक आज़ाद मर्द से मुस्लिम गुलाम भी बढ़-चढ़कर है।

दाम्पत्य जीवन और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कुछ हिदायतें

अ़ब्द बिन हुमैद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- औ़रतों के सिर्फ़ हुस्न (ख़ूबसूरती) पर फ़रेफ़्ता होकर उनसे निकाह न कर लिया करो, मुम्किन है कि उनका हुस्न उन्हें घमंडी कर दे। औ़रतों के माल के पीछे उनसे निकाह न कर लिया करो, मुम्किन है माल उन्हें सरकश कर दे। निकाह करो तो दीनदारी देखा करो, बदसूरत सियाह रंग की बाँदी भी अगर वह दीनदार हो तो बहुत अच्छी है। लेकिन इस हदीस के रावियों में अफ़्रीक़ी ज़ईफ़ है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- चार बातें देखकर औ़रतों से निकाह किया जाता है, एक तो माल, दूसरे ख़ानदान और नस्ल, तीसरे जमाल व ख़ूबसूरती, चौथे दीन। तुम दीनदार टटोलो। मुस्लिम शरीफ़ में है कि दुनिया सारी की सारी एक मताअ़ (फ़ायदा उठाने की चीज़) है, दुनिया की मताअ़ में सबसे अफ़ज़ल चीज़ नेकबख़्त औ़रत है।

फिर फ़रमान है कि मुश्रिक मर्दों के निकाह में मुसलमान औ़रतें भी न दो। जैसे एक और जगह है:

لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ.

न काफ़िर औ़रतें मुसलमान मर्दों के लिये हलाल, न मुसलमान मर्द काफ़िर औ़रतों के लिये हलाल।

फिर फ़रमान है कि मोमिन मर्द अगरचे हब्शी गुलाम हो, मगर फिर भी रईस और सरदार आज़ाद काफ़िर से बेहतर है। उन लोगों का मेल-जोल, उनकी सोहबत, दुनिया की मुहब्बत, दुनिया की हिफ़ाज़त, दुनिया की तलब और दुनिया को आख़िरत पर तरजीह देनी सिखाती है, जिसका अन्जाम जहन्नम है। और अल्लाह तआ़ला के फ़रमान की पाबन्दी, उसके हुक्मों की तामील जन्नत की रहबरी करते हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनती है, अल्लाह तआ़ला ने लोगों के वअ़ज़ व नसीहत और अच्छी बातों के लिये अपनी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान फ़रमा दीं।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪

और लोग आप से हैज़ "यानी माहवारी" का हुक्म पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि वह गन्दी चीज़ है। तो माहवारी में तुम औ़रतों से अलग रहा करो और उनसे निकटता मत किया करो जब तक कि वे पाक न हो जाएँ, फिर जब वे अच्छी तरह पाक हो जाएँ तो उनके पास आओ-जाओ जिस जगह से अल्लाह तआ़ला ने तुमको इजाज़त दी है (यानी आगे से), यक़ीनन अल्लाह तआ़ला मुहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से, और मुहब्बत रखते हैं साफ़-पाक रहने वालों से। (222) तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे (लिए बतौर) खेत (के) हैं। सो अपने खेत में जिस

فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ○	तरफ़ से होकर चाहो आओ। और आईन्दा के लिए (भी) अपने लिए कुछ करते रहो, और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और यह यक़ीन रखो कि बेशक तुम अल्लाह तआ़ला के सामने पेश होने वाले हो, और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ऐसे ईमान वालों को ख़ुशी की ख़बर सुना दीजिए। (223)

माहवारी के दिनों के कुछ अहकाम और शरीअ़त की क़ायम की हुई सीमायें

हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहूदी लोग हैज़ (माहवारी) वाली औ़रतों को न अपने साथ खिलाते थे, न अपने साथ रखते थे। सहाबा रज़ि. ने इस बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया जिसके जवाब में यह आयत उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सिवाय सोहबत के और सब कुछ हलाल है। यहूदी यह सुनकर कहने लगे कि उन्हें तो हमारी मुख़ालफ़त (विरोध) से ही ग़र्ज़ है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और हज़रत अ़ब्बाद बिन बिश्र रज़ि. ने यहूदियों का यह कलाम नक़ल करके कहा कि हुज़ूर! फिर हमें सोहबत की भी रुख़्सत (इजाज़त और छूट) दी जाये, आपका चेहरा यह सुनकर बदल गया, यहाँ तक कि दूसरे सहाबा ने ख़्याल किया कि आप उन पर नाराज़ हो गये। जब यह सहाबी जाने लगे तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास कोई बुज़ुर्ग तोहफ़े में दूध लेकर आये, आपने उनके पीछे आदमी भेजकर उन्हें बुलाया और वह दूध उन्हें पिलाया। अब मालूम हुआ कि वह गुस्सा जाता रहा। (मुस्लिम) पस इस फ़रमान का कि हैज़ (माहवारी) की हालत में औ़रतों से अलग रहो, यह मतलब हुआ कि सोहबत (हमबिस्तरी) न करो, इसके अ़लावा और सब हलाल है। अक्सर उलेमा का मज़हब है कि सिवाय सोहबत और मुबाशरत के सब जायज़ है। हदीसों में है कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी ऐसी हालत में अपनी पाक बीवियों से मिलते-जुलते थे, लेकिन वे तहबन्द बाँधे हुए होती थीं। (अबू दाऊद)

हज़रत उमारा की फूफी साहिबा हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. से सवाल करती हैं कि अगर औ़रत हैज़ की हालत में हो और घर में मियाँ-बीवी का एक ही बिस्तर हो तो वह क्या करे? यानी ऐसी हालत में उसके साथ उसका शौहर सो सकता है या नहीं? आपने फ़रमाया सुनो! एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घर में तशरीफ़ लाये, आते ही अपनी नमाज़ की जगह तशरीफ़ ले गये और नमाज़ में मशग़ूल हो गये। देर ज़्यादा लग गयी और उस अ़रसे में मुझे नींद आ गयी, आपको जाड़ा लगने लगा तो आपने मुझसे फ़रमाया- यहाँ आओ। मैंने कहा हुज़ूर! मैं हैज़ (माहवारी) से हूँ। आपने मेरे घुटनों के ऊपर से कपड़ा हटाने का हुक्म दिया और फिर मेरी रान पर रुख़्सार और सीना रखकर लेट गये। मैं भी आप पर झुक गयी तो सर्दी कुछ कम हुई और उस गर्मी में आपको नींद आ गयी।

हज़रत मसरूक़ रह. एक मर्तबा हज़रत आ़यशा रज़ि. के पास आये और कहाः

السلام علی النبی وعلی اهله.

कि नबी और उनकी आल पर दुरूद व सलाम हो।

हज़रत आयशा रज़ि. ने जवाब देकर 'मर्हबा मर्हबा' कहा और अन्दर आने की इजाज़त दी। आपने कहा मैं एक मसला पूछता हूँ लेकिन शर्म मालूम होती है, आपने फ़रमाया सुन मैं तेरी माँ हूँ तू मेरे बेटे के जैसा है, जो पूछना हो पूछ। कहा फ़रमाईये आदमी को अपनी माहवारी वाली बीवी से क्या हलाल है? फ़रमाया सिवाय शर्मगाह के और सब जायज़ है। (इब्ने जरीर) और सनदों से भी मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ के साथ हज़रत आयशा रज़ि. का यह क़ौल नक़ल है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि, मुजाहिद, हसन और इक्रिमा का फ़तवा भी यही है। मक़सद यह है कि हैज़ वाली औरत के साथ लेटना-बैठना, उसके साथ खाना-पीना वग़ैरह सब बातें सब के नज़दीक जायज़ हैं। हज़रत आयशा रज़ि. से मन्क़ूल है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सर धोया करती, आप मेरी गोद में टेक लगाकर लेटकर क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत फ़रमाते, हालाँकि मैं हैज़ से होती थी। मैं हड्डी चूसती थी और आप उसी हड्डी को वहीं मुँह लगाकर चूसते थे। मैं पानी पीती थी, फिर गिलास आपको देती, आप भी वहीं मुँह लगाकर उसी गिलास से वही पानी पीते और मैं उस वक़्त हैज़ वाली (यानी माहवारी की हालत में) होती थी। अबू दाऊद में रिवायत है कि मेरे हैज़ के शुरू के दिनों में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे साथ एक ही लिहाफ़ में सोते थे, अगर आपका कपड़ा कहीं से ख़राब हो जाता तो आप उतनी ही जगह को धो डालते, अगर जिस्म मुबारक पर कुछ लग जाता तो उसे भी धो डालते और फिर उन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ते। हाँ अबू दाऊद की एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत सिद्दीक़ा रज़ि. फ़रमाती हैं- मैं जब हैज़ से होती तो बिस्तर से उतर जाती और बोरिये पर आ जाती। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे क़रीब भी न आते, जब तक कि मैं पाक न हो जाऊँ। तो यह रिवायत महमूल है कि आप परहेज़ और एहतियात करते थे, न यह कि यह महमूल हो हुर्मत (हराम होने) और मनाही पर। बाज़ हज़रात यह भी फ़रमाते हैं कि तहबन्द होते हुए फ़ायदा उठाये।

हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया रज़ि. फ़रमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब अपनी किसी बीवी से उनके हैज़ की हालत में मिलना चाहते तो उन्हें हुक्म दे देते थे कि तहबन्द बाँध लें। (बुख़ारी) इसी तरह बुख़ारी व मुस्लिम में भी यह हदीस हज़रत आयशा रज़ि. से रिवायत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक शख़्स सवाल करता है कि मेरी बीवी से मुझे उसके हैज़ की हालत में क्या कुछ हलाल है? आपने फ़रमाया तहबन्द के ऊपर का सब कुछ। (अबू दाऊद वग़ैरह)

एक और रिवायत में है कि इससे भी बचना बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ि., हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हज़रत सईद बिन मुसैयब और हज़रत शुरैह रह. का मज़हब भी यही है। इमाम शाफ़ई रह. के इस बारे में दो क़ौल हैं जिनमें एक यह भी है। अक्सर इराक़ियों वग़ैरह का भी यही मज़हब है। ये हज़रात फ़रमाते हैं कि यह तो इत्तिफ़ाक़े राय का फ़ैसला है कि सोहबत हराम है, इसलिये उसके आस-पास से भी बचना ही चाहिये ताकि कहीं हराम काम हो जाने का ख़तरा न रहे। हैज़ की हालत में सोहबत की हुर्मत (हराम होना) और इस काम के करने वाले का गुनाहगार होना तो यक़ीनी चीज़ है, जिसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाज़िमी है, लेकिन उसे कफ़्फ़ारा भी देना पड़ेगा या नहीं? इसमें उलेमा-ए-किराम के दो क़ौल हैं, एक तो यह कि कफ़्फ़ारा भी है। चुनाँचे मुस्नद अहमद और सुनन में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अपनी हैज़ वाली बीवी से सोहबत करे वह एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा दे। तिर्मिज़ी में है कि ख़ून अगर सुर्ख़ हो तो एक दीनार और ज़र्द हो तो आधा दीनार।

मुस्नद अहमद में है कि अगर ख़ून ख़त्म हो रहा हो और अभी उस औरत ने गुस्ल न किया हो और उस हालत में उसका शौहर उससे मिले तो आधा दीनार वरना पूरा दीनार। दूसरा क़ौल यह है कि कफ़्फ़ारा कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला से इस्तिग़फ़ार करे। इमाम शाफ़ई रह. का भी आख़िरी और ज़्यादा सही यही मज़हब है और जमहूर उलेमा भी इसी के क़ायल हैं। जो हदीसें ऊपर बयान हुईं उनके बारे में ये हज़रात फ़रमाते हैं कि उनका मरफ़ूअ़ होना सही नहीं, बल्कि सही यही है कि वे मौक़ूफ़ हैं। अगरचे यह हदीस रिवायत के एतिबार से मरफ़ूअ़ और मौक़ूफ़ दोनों तरह मन्क़ूल है लेकिन हदीस के अक्सर इमामों की तहक़ीक़ है कि सही बात यही है कि यह मौक़ूफ़ है। यह फ़रमान कि जब तक औरतें पाक न हो जायें उनके क़रीब न जाओ, तफ़सीर है इस फ़रमान की कि औरतों से उनके हैज़ की हालत में अलग रहो। इससे मालूम होता है कि जिस वक़्त हैज़ (माहवारी) ख़त्म हो जाये फिर नज़दीक आना हलाल है। हज़रत इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल रह. फ़रमाते हैं कि 'तोहर' यानी पाकी दलालत करती है कि अब उससे नज़दीकी जायज़ है। हज़रत मैमूना और हज़रत आ़यशा रज़ि. का यह फ़रमाना कि हममें से जब कोई हैज़ से हो जाती तो तहबन्द बाँध लेती और नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ आपकी चादर में सोती, इस बात को साबित करता है कि जिस नज़दीकी से मना किया गया है वह सोहबत करना है, वैसे सोना, बैठना वग़ैरह सब जायज़ है। इसके बाद यह फ़रमान कि उनके पाक हो जाने के बाद उनके पास आओ, इसमें इरशाद है कि उनके गुस्ल कर लेने के बाद उनसे सोहबत करो।

इमाम इब्ने हज़्म रह. फ़रमाते हैं कि हर हैज़ की पाकीज़गी के बाद सोहबत करना वाजिब है। उनकी दलील लफ़्ज़ 'फ़अ्तूहुन्-न' में हुक्म है, लेकिन यह दलील कोई पुख़्ता नहीं। यह बात तो सिर्फ़ हुर्मत (हराम होने) को हटा देने का ऐलान है और इसके सिवा इसकी कोई दलील उनके पास नहीं। उलेमा-ए-उसूल में से बाज़ तो कहते हैं कि 'अम्र' यानी हुक्म मुतलक़न् वजूब के लिये होता है, उन लोगों को इमाम इब्ने हज़्म का जवाब बहुत मुश्किल है। बाज़ कहते हैं कि यह 'अम्र' (हुक्म) सिर्फ़ जायज़ और मुबाह होने के लिये है, और चूँकि उससे पहले मनाही हो चुकी है, यह क़रीना है जो 'अम्र' को वजूब (लाज़िमी होने) से हटा देता है, लेकिन यह ग़ौर-तलब बात है। दलील से जो बात साबित है वह यह है कि ऐसे मौक़े पर यानी पहले मना हो फिर हुक्म हो, तो हुक्म अपनी असल पर रहता है, यानी जो बात मना से पहले जैसी थी वैसी ही अब हो जायेगी, यानी अगर मना से पहले वह काम वाजिब था तो अब भी वाजिब ही रहेगा, जैसे क़ुरआने करीम में है:

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ.

यानी जब हुर्मत वाले (सम्मानित) महीने गुज़र जायें तो मुश्रिकों से जिहाद करो।

और अगर वह काम या मनाही से पहले मुबाह (जायज़) थी तो अब भी मुबाह रहेगी। जैसे:

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا.

जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार खेलो। एक और जगह है:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ.

यानी जब नमाज़ पूरी हो जाये तो ज़मीन में फैल जाओ।

इन उलेमा-ए-किराम का यह फैसला उन विभिन्न और अनेक अक़्वाल को जमा भी कर देता है जो

'अम्र' (हुक्म) के वजूब वग़ैरह के बारे में हैं। इमाम ग़ज़ाली वग़ैरह ने भी इसे बयान किया है और कुछ बाद के इमामों ने भी इसे पसन्द फ़रमाया है, और यही सही भी है। यह मसला भी याद रहे कि तमाम उलेमा-ए-उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि जब ख़ून हैज़ का आना रुक जाये, माहवारी की मुद्दत गुज़र जाये फिर भी उसके शौहर को अपनी बीवी से सोहबत करनी हलाल नहीं जब तक कि वह ग़ुस्ल न करे, हाँ अगर माज़ूर हो और ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करना उसे जायज़ हो तो तयम्मुम कर ले, उसके बाद उसके पास उसका शौहर आ सकता है। हाँ इमाम अबू हनीफ़ा रह. इन तमाम उलेमा से अलग राय रखते हैं। वह फ़रमाते हैं कि जब हैज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक की आख़िरी मियाद यानी दस दिन तक रहकर बन्द हो गया तो उसके शौहर को उससे सोहबत करना जायज़ है अगरचे उसने ग़ुस्ल न किया हो। वल्लाहु आलम।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहाँ दो लफ़्ज़ हैं 'हत्ता यतहुर्-न', इससे मुराद माहवारी के ख़ून का बन्द होना है, और दूसरा लफ़्ज़ है 'त-तह्हर्-न' इससे मुराद ग़ुस्ल करना है। हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रिमा, हज़रत हसन, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान, हज़रत लैस बिन सअ़्द रह. वग़ैरह भी यही फ़रमाते हैं।

फिर इरशाद होता है कि उस जगह से आओ जहाँ का हुक्म ख़ुदा ने तुम्हें दिया है। इससे मुराद आगे की जगह है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., हज़रत मुजाहिद वग़ैरह से मुफ़स्सिरीन ने इसके यही मायने बयान किये हैं कि मुराद इससे बच्चों के पैदा होने की जगह है, इसके अ़लावा दूसरी जगह यानी पाख़ाने की जगह जाना (यानी सोहबत करना) हराम है। ऐसा करने वाले हद से निकलने वाले हैं। सहाबा और ताबिईन से यह भी नक़ल है कि मतलब यह है कि जिस जगह से माहवारी की हालत में तुम रोके गये थे अब वह जगह तुम्हारे लिये जायज़ है। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि पाख़ाने की जगह में सोहबत और संभोग करना हराम है। इसका मुफ़स्सल बयान भी आता है। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

यह मायने भी किये गये हैं कि पाकीज़गी की हालत में आओ जबकि हैज़ से वे निकल आयें। इसी लिये उसके बाद के जुमले में है कि गुनाहों से तौबा करने वालों को इस हालत में सोहबत से बाज़ रहने वालों को अल्लाह तआ़ला पसन्द फ़रमाता है, और गन्दगियों और नापाकियों से बचने वालों, हैज़ की हालत में अपनी बीवियों से न मिलने वालों, इसी तरह दूसरी जगह से महफ़ूज़ रहने वालों को भी परवर्दिगार अपना महबूब बना लेता है।

फिर फ़रमाया कि तुम्हारी औ़रतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, यानी औलाद होने की जगह। तुम अपनी खेती में जैसे भी चाहो आओ, यानी जगह तो वही एक हो, तरीक़ा चाहे कोई हो। सामने करके या उसके ख़िलाफ़। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि यहूद कहते थे कि जब औ़रत से सामने के रुख़ पर करके सोहबत न की जाये और हमल ठहर जाये तो बच्चा भैंगा पैदा होता है। उनकी तरदीद में यह जुमला नाज़िल हुआ कि मर्द को इख़्तियार है। इब्ने अबी हातिम में है कि यहूदियों ने यही बात मुसलमानों से भी कही थी। इब्ने जुरैज फ़रमाते हैं कि आयत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इख़्तियार दिया कि चाहे सामने से आये चाहे पीछे की तरफ़ से, लेकिन जगह एक ही रहे। एक और हदीस में है कि आप से एक शख़्स ने पूछा- हम अपनी औ़रतों के पास क्या आयें और क्या छोड़ें? आपने फ़रमाया वह तेरी खेती है, जिस तरह चाहे आ। हाँ उसके मुँह पर न मार, ज़्यादा बुरा न कह, उससे रूठ कर अलग न हो जा, एक ही घर में रह.......। (अहमद व सुनन)

इब्ने अबी हातिम में है कि हिमयर के क़बीले के एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि मुझे अपनी बीवियों से ज़्यादा मुहब्बत है तो इस सिलसिले के अहकाम मुझे बताईये, इस

पर यह हुक्म नाज़िल हुआ। मुस्नद अहमद में है कि चन्द अन्सारियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा था। इमाम तहावी की किताब 'मुश्किलुल-हदीस' में है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी से उसे उल्टा लेटाकर सोहबत की थी, लोगों ने उसे बुरा-भला कहा, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इब्ने जरीर में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन साबित रज़ि., हज़रत हफ़सा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र रज़ि. के पास आये और कहा मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ लेकिन शर्म आती है। फ़रमाया भतीजे तुम न शर्माओ और जो पूछना हो पूछ लो। कहा फ़रमाईये क्या औ़रतों के पीछे की तरफ़ से सोहबत करना जायज़ है? फ़रमाया सुनो! मुझसे हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. ने फ़रमाया है कि अन्सार औ़रतों को उल्टा लेटाया करते थे और यहूद कहते थे कि इस तरह से बच्चा भैंगा होता है। जब मुहाजिरीन मदीना शरीफ़ आये और यहाँ की औ़रतों से उनका निकाह हुआ और उन्होंने भी यही करना चाहा तो एक औ़रत ने अपने शौहर की यह बात न मानी और कहा जब तक मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह वाक़िआ़ बयान न कर लूँ तेरी बात न मानूँगी। चुनाँचे वह दरबारे नुबुव्वत में हाज़िर हुई। उम्मे सलमा रज़ि. ने बैठाया और कहा अभी हुज़ूर आ जायेंगे। जब आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आये, यह औ़रत तो शर्मिन्दगी की वजह से न पूछ सकी और वापस चली गयी, लेकिन हज़रत उम्मे सलमा ने आपसे पूछा आपने फ़रमाया अन्सारिया औ़रत को बुला लो, फिर यह आयत पढ़कर सुनाई और फ़रमाया- जगह एक ही हो।

मुस्नद अहमद में है कि एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि हुज़ूर! मैं तो हलाक हो गया। आपने पूछा क्या बात है? कहा मैंने रात को अपनी सवारी उल्टी कर दी। आपने कुछ जवाब न दिया। उसी वक़्त यह आयत नाज़िल हुई और आपने फ़रमाया सामने से आ या पीछे से आ, इख़्तियार है, लेकिन हैज़ की हालत में न आ और पाख़ाने की जगह न आ। अन्सारी वाला वाक़िआ़ किसी क़द्र तफ़सील के साथ भी मरवी है और उसमें यह भी है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. को ख़ुदा बख़्शे उन्हें कुछ वहम सा हो गया, बात यह है कि अन्सारियों की जमाअ़त पहले बुत-परस्त थी और यहूदी अहले किताब थे, बुत-परस्त लोग उनकी फ़ज़ीलत और इल्मियत के क़ायल थे और अक्सर कामों में उनकी बात माना करते थे। यहूदी एक ही तरह पर अपनी बीवियों से मिलते थे, यही आ़दत उन अन्सार की भी थी। उनके उलट मक्का वाले किसी ख़ास तरीक़े के पाबन्द न थे, वे जिस तरह जी चाहता मिलते। इस्लाम के बाद मक्का वाले मुहाजिरीन मदीना में जब आये तो एक मक्की मुहाजिर मर्द ने एक मदनी अन्सारिया औ़रत से निकाह किया और सोहबत में अपना पसन्दीदा तरीक़ा इख़्तियार करना चाहा। औ़रत ने इनकार किया और साफ़ कह दिया कि उसी एक मुक़र्रर तरीक़े के अ़लावा मैं इजाज़त नहीं देती। बात बढ़ते-बढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक पहुँची और यह फ़रमान नाज़िल हुआ। पस सामने से पीछे की तरफ़ से जिस तरह चाहे इख़्तियार है। हाँ जगह एक ही हो।

हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से क़ुरआन शरीफ़ सीखा, अव्वल से आख़िर तक उन्हें सुनाया, एक-एक आयत की तफ़सीर और मतलब पूछा, इस आयत पर पहुँचकर जब मैंने इसका मतलब पूछा तो उन्होंने यही बयान किया (जो ऊपर गुज़रा)। इब्ने उमर रज़ि. का वहम यह था कि बाज़ रिवायतों में है कि आप क़ुरआन पढ़ते हुए किसी से बोलते-चालते न थे लेकिन एक दिन तिलावत करते हुए जब इस आयत तक पहुँचे तो अपने शागिर्द हज़रत नाफ़े रह. से फ़रमाया- जानते हो यह आयत किस बारे में नाज़िल हुई? उन्होंने कहा नहीं। फ़रमाया यह औ़रतों की दूसरी जगह की सोहबत के बारे में उतरी है। एक रिवायत में है कि आपने फ़रमाया- एक शख़्स ने अपनी बीवी से पीछे से सोहबत की थी

जिस पर इस आयत में रुख़्सत (छूट) नाज़िल हुई। लेकिन एक तो इसमें मुहद्दिसीन ने कुछ इल्लत (कमज़ोरी और ख़ामी) भी बयान की है, दूसरे इसके मायने भी यही हो सकते हैं कि पीछे की तरफ़ से आगे की जगह में किया और ऊपर की जो रिवायतें हैं वे सनद के एतिबार से भी सही नहीं, बल्कि इन्हीं हज़रत नाफ़े रह. से नक़ल है कि उनसे कहा गया कि क्या आप यह कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि. ने पाख़ाने की जगह में सोहबत को जायज़ किया है? तो फ़रमाया लोग झूठ कहते हैं। फिर वही अन्सारिया औरत और मुहाजिर मर्द वाला वाक़िआ बयान किया और फ़रमाया हज़रत अ़ब्दुल्लाह तो इस आयत का यह मतलब इरशाद फ़रमाते थे। इस रिवायत की सनद भी बिल्कुल सही है, और इसके ख़िलाफ़ की सनद सही नहीं और मायने मतलब भी और हो सकता है, और ख़ुद हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से इसके ख़िलाफ़ भी नक़ल है। वे रिवायतें अभी आगे बयान होंगी इन्शा-अल्लाह। जिनमें है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि न यह मुबाह (जायज़) है न हलाल है, बल्कि हराम है। अगरचे यह जायज़ होने का क़ौल मदीना वग़ैरह के बाज़ फ़ुक़हा की तरफ़ भी मन्सूब है और बाज़ लोगों ने तो इसे इमाम मालिक रह. की तरफ़ भी मन्सूब किया है, लेकिन अक्सर लोग इसका इनकार करते हैं और फ़रमाते हैं कि इमाम साहिब रह. का क़ौल हरगिज़ नहीं। सही हदीसें बड़ी संख्या में इस फ़ेल की हुर्मत (हराम होने) पर वारिद हैं।

एक रिवायत में है कि लोगो! शर्म व हया करो, अल्लाह तआ़ला हक़ बात फ़रमाने से शर्म नहीं करता। औरतों के पाख़ाने की जगह में सोहबत न करो। दूसरी रिवायत में है कि आपने इस हरकत से लोगों को मना फ़रमाया। (मुस्नद अहमद) एक और रिवायत में है कि जो शख़्स किसी औरत या मर्द के साथ यह काम करे उसकी तरफ़ अल्लाह तआ़ला रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। (तिर्मिज़ी) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से एक शख़्स यह मसला पूछता है तो आप फ़रमाते हैं कि क्या तू कुफ़्र करने के बारे में सवाल करता है? एक शख़्स ने आप से आकर कहा कि 'अन्ना शिअ्तुम' का मैं यही मतलब समझा और मैंने इस पर अ़मल किया तो आप बहुत नाराज़ हुए, उसे बुरा-भला कहा और फ़रमाया कि मतलब यह है कि चाहे खड़े होकर बैठकर चाहे चित या पट लेकिन जगह वही एक हो।

एक और मरफ़ूअ़ हदीस में है कि जो शख़्स अपनी बीवी से पाख़ाने की जगह में सोहबत करे वह छोटा 'लूती' (क़ौमे लूत का अ़मल करने वाला) है। (मुस्नद अहमद) हज़रत अबू दर्दा रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह काफ़िरों का काम है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ि. का यह फ़रमान भी मन्क़ूल है और यही ज़्यादा सही है। वल्लाहु आलम।

वह शख़्स अल्लाह तआ़ला की नज़रे रहमत से मेहरूम है

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सात क़िस्म के लोग हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेगा और न उन्हें पाक करेगा। और उनसे फ़रमायेगा कि जहन्नमियों के साथ जहन्नम में चले जाओ। एक तो इग़लाम-बाज़ी (लड़कों के साथ बदफ़ेली यानी पाख़ाने की जगह में अपनी ज़िन्सी इच्छा पूरी) करने वाला, चाहे ऊपर करने वाला हो चाहे नीचे करने वाला हो, और अपने हाथ से अपनी इच्छा पूरी करने वाला (यानी मुट्ठी मारने वाला), और चौपाये जानवर से यह काम करने वाला, और औरत की दुबुर (पीछे की जगह) में सोहबत करने वाला और औरत और उसकी बेटी दोनों से निकाह करने वाला, और अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करने वाला, और पड़ोसी को सताने वाला यहाँ तक कि वह उस पर लानत करे। लेकिन इसकी सनद में इब्ने लहीआ़ और उनके उस्ताद दोनों ज़ईफ़

(कमज़ोर) हैं। मुस्नद की एक और हदीस में है कि जो शख़्स अपनी बीवी से दूसरे रास्ते में सोहबत करे उसको अलाह तआ़ला नज़रे रहमत से नहीं देखता। (मुस्नद)

मुस्नद अहमद और सुनन में मरवी है कि जो शख़्स हैज़ वाली औरत से सोहबत करे या ग़ैर-जगह करे या काहिन के पास जाये और उसे सच्चा समझे, उसने उस चीज़ के साथ कुफ़्र किया जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के ऊपर उतरी है। इमाम तिर्मिज़ी रह. फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी रह. इस हदीस को ज़ईफ़ बतलाते हैं। तिर्मिज़ी में रिवायत है कि अबू सलमा भी दुबुर (पाख़ाने की जगह) में सोहबत को हराम बताते थे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं- लोगों को अपनी बीवियों से यह काम करना कुफ़्र है। (नसाई) एक और मरफ़ूअ़ हदीस भी इस मायने की है, लेकिन ज़्यादा सही उसका मौक़ूफ़ होना ही है। एक और रिवायत में है कि यह जगह हराम है, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत अ़ली रज़ि. से जब यह बात पूछी गयी तो आपने फ़रमाया- बड़ा कमीना वह शख़्स है देखो क़ुरआन में है कि लूतियों से कहा गया तुम वह बदकारी करते हो जिसकी तरफ़ किसी ने तुम से पहले तवज्जोह तक नहीं की।

पस सही हदीसों और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से बहुत सी रिवायतों और सनदों से इस फ़ेल की हुर्मत (हराम होना) नक़ल है। यह भी याद रहे कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. भी इसे हराम ही कहते हैं। चुनाँचे दारमी में है कि आप से एक मर्तबा यह सवाल हुआ तो आपने फ़रमाया- क्या मुसलमान भी ऐसा कर सकता है? इसकी सनद सही है और हुक्म भी हुर्मत का साफ़ है। पस ग़ैर-सही और मुख़्तलिफ़ मायने वाली रिवायतों में पड़कर इतने बड़े रुतबे वाले सहाबी की तरफ़ एक गन्दा मसला मन्सूब करना ठीक नहीं, अगरचे रिवायतें इस क़िस्म की भी मिलती हैं। रहे इमाम मालिक सो उनकी तरफ़ भी इस मसले की निस्बत सही नहीं, बल्कि मअ़मर बिन ईसा फ़रमाते हैं कि इमाम साहिब रह. इसे हराम जानते थे। इस्माईल इब्ने रौह ने आप से एक मर्तबा यही सवाल किया तो आपने फ़रमाया- तुम बेसमझ हो, बुवाई खेत में ही होती है, ख़बरदार शर्मगाह के सिवा और जगह से बचो। साईल ने कहा हज़रत लोग तो कहते हैं कि आप इस फ़ेल को जायज़ कहते हैं? आपने फ़रमाया वे झूठे हैं, मुझ पर तोहमत बाँधते हैं।

इमाम मालिक रह. से इसकी हुर्मत (हराम होना) साबित है। इमाम अबू हनीफ़ा रह., इमाम शाफ़ई रह., इमाम अहमद रह. और उनके तमाम शगिर्दों और साथियों, सईद बिन मुसैयब, अबू सलमा, इक्रिमा, ताऊस, अ़ता, सईद बिन जुबैर, उरवा बिन ज़ुबैर, मुजाहिद बिन जबर, हसन वग़ैरह तमाम बुज़ुर्गों से इसका हराम होना नक़ल किया गया है और ये हज़रात इस बारे में सख़्त नफ़रत का इज़हार करते हैं, बल्कि बाज़ तो इसे कुफ़्र कहते हैं। जमहूर उलेमा-ए-किराम का भी इसकी हुर्मत (हराम होने) पर इजमा (सब की एक राय) है, अगरचे बाज़ लोगों ने मदीना के फ़ुक़हा बल्कि इमाम मालिक रह. से भी इसकी हिल्लत (हलाल होना) नक़ल की है, लेकिन यह सही नहीं। अ़ब्दुर्रहमान बिन क़ासिम का क़ौल है कि किसी दीनदार शख़्स को मैंने तो इस हुर्मत में शक करने वाला नहीं पाया। फिर 'निसाउकुम् हरसुल्लकुम' पढ़कर फ़रमाया- ख़ुद यह लफ़्ज़ 'हर्स' (खेती) ही इसकी हुर्मत (हराम होना) ज़ाहिर करने के लिये काफ़ी है, क्योंकि वह दूसरी जगह खेती की नहीं, खेती में जाने के तरीक़े का इख़्तियार है, न कि जगह बदलने का। अगरचे इमाम मालिक से इसके मुबाह होने की रिवायत भी मन्क़ूल है, लेकिन उसकी सनद सख़्त ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम।

ठीक इसी तरह इमाम शाफ़ई रह. से भी एक रिवायत लोगों ने गढ़ ली है, हालाँकि उन्होंने अपनी छह किताबों में खुले लफ़्ज़ों में इसे हराम लिखा है।

फिर फ़रमाता है कि अपने लिये कुछ आगे भी भेजो, यानी मना की हुई बातों और नाजायज़ कामों से बचो, नेकियाँ करो, ताकि सवाब आगे जाये। अल्लाह से डरो, उससे मिलना है, वह हिसाब किताब लेगा, ईमान वाले हर हाल में खुशियाँ मनायेंगे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- यह भी मतलब है कि जब सोहबत का इरादा करे तो यह दुआ़ पढ़े:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَارَزَقْتَنَا.

यानी ख़ुदाया हमें और हमारी औलाद को शैतान से बचा ले।

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अगर उस सोहबत से नुत्फ़ा क़रार पकड़ गया (यानी गर्भ ठहर गया) तो उस बच्चे को शैतान हरगिज़ कोई ज़रर (नुक़सान) न पहुँचा सकेगा।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○	और अल्लाह तआ़ला को अपनी क़समों के ज़रिये से इन उमूर का हिजाब मत बनाओ कि तुम नेकी के और तक़्वे के और मख़्लूक़ के दरमियान सुधार के काम करो, और अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनते जानते हैं। (224) अल्लाह तआ़ला तुम पर (आख़िरत में) पकड़ न फ़रमाएँगे तुम्हारी (ऐसी) बेहूदा क़समों पर, लेकिन पकड़ फ़रमाएँगे उस (झूठी क़सम) पर जिसमें तुम्हारे दिलों ने (झूठ बोलने का) इरादा किया था, और अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाले हैं, हलीम "यानी बरदाश्त करने वाले और नर्मी बरतने वाले" हैं। (225)

अल्लाह तआ़ला की ज़ाते आ़ली की क़समें खाना बहुत बुरा है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि नेकी और सिला-रहमी के छोड़ने के ज़रिये ख़ुदा की क़समों को न बनाओ। जैसे एक दूसरी जगह है:

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ............ الخ.

यानी वे लोग जो ख़ुशहाल और गुंजाईश वाले हैं वे रिश्तेदारों, क़रीबी लोगों, मिस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को न देने पर क़समें न खा बैठें। उन्हें चाहिये कि माफ़ करने और दरगुज़र करने की आ़दत डालें। क्या तुम्हारी ख़ुद यह ख़्वाहिश नहीं कि ख़ुदा तुम्हें बख़्शे। ऐसी क़सम अगर कोई खा बैठे तो उसे चाहिये कि उसे तोड़ दे और कफ़्फ़ारा अदा कर दे। सही बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में है कि हम बाद में आने वाले हैं, लेकिन क़ियामत के दिन सबसे आगे बढ़ने वाले हैं। फ़रमाते हैं कि तुममें से अगर कोई ऐसी क़सम खा ले और कफ़्फ़ारा अदा न करे और उस पर अड़ा रहे वह बड़ा गुनाहगार है। यह हदीस और भी बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मौजूद है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. भी इस आयत की तफ़सीर में यही फ़रमाते हैं।

हज़रत मसरूक़ वग़ैरह बहुत से मुफ़स्सिरीन से भी यही नक़ल है। इन जमहूर के इस क़ौल की ताईद इस हदीस से भी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- अगर मैं ख़ुदा की क़सम खा बैठूँगा और उसके तोड़ने में मुझे भलाई नज़र आयेगी तो मैं निश्चित ही उसे तोड़ दूँगा और उस क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि. से फ़रमाया- ऐ अ़ब्दुर्रहमान! सरदारी इमारत और इमामत की तलब न कर, अगर तू बग़ैर माँगे दिया जायेगा तो ख़ुदा की जानिब से तेरी मदद की जायेगी, और अगर तूने आप माँग कर ली है तो तुझे उसकी तरफ़ सौंप दिया जायेगा। तू अगर कोई क़सम खा ले और उसके ख़िलाफ़ में भलाई देखे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और उस नेक काम को कर ले। (सहीहैन) सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख़्स कोई क़सम खा ले, फिर उसके अ़लावा में बेहतरी नज़र आये तो उसे चाहिये कि उस ख़ूबी और बेहतराई वाले काम को कर ले, अपनी उस क़सम को तोड़ दे और उसका कफ़्फ़ारा दे दे।

मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि उसका छोड़ देना ही उसका कफ़्फ़ारा है। अबू दाऊद में है कि नज़्र (मन्नत) और क़सम उस चीज़ में नहीं जो इनसान की मिल्कियत में न हो और न ख़ुदा तआ़ला की नाफ़रमानी में है, और न रिश्ते-नातों को तोड़ने में। जो शख़्स कोई क़सम खा ले और नेकी उसके करने में न हो तो वह क़सम को छोड़ दे और नेकी का काम कर ले। उस क़सम को छोड़ देना ही उसका कफ़्फ़ारा है। इमाम अबू दाऊद रह. फ़रमाते हैं कि तमाम की तमाम सही हदीसों में ये लफ़्ज़ हैं कि अपनी ऐसी क़सम का कफ़्फ़ारा दे। एक ज़ईफ़ हदीस में है कि अपनी ऐसी क़सम को पूरा करना यही है कि उसे तोड़ दे और उससे रुजू कर ले। इब्ने अ़ब्बास, सईद बिन मुसैयब, मसरूक़ और शअ़बी रह. भी इसी के क़ायल हैं कि ऐसे शख़्स के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा नहीं।

फिर फ़रमाता है कि जो क़समें तुम्हारे मुँह से बग़ैर क़स्द और इरादे के आ़दत के तौर पर निकल जायें उन पर पकड़ नहीं। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जो शख़्स 'लात' और 'उ़ज़्ज़ा' की क़सम खा बैठे वह 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' पढ़ ले। यह इरशाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का उन लोगों को हुआ था जो अभी-अभी इस्लाम लाये थे और जाहिलीयत के ज़माने की ये क़समें उनकी ज़बानों पर चढ़ी हुई थीं, तो उनसे फ़रमाया कि अगर आ़दत की वजह से कभी ऐसे शिर्किया अलफ़ाज़ निकल जायें तो फ़ौरन कलिमा -ए-तौहीद पढ़ लिया करो ताकि बदला हो जाये। फिर फ़रमाता है कि हाँ जो क़समें पुख़्तगी के साथ दिल के इरादे के साथ जान-बूझकर खाई जायें उन पर पकड़ है।

दूसरी आयत के लफ़्ज़ ये हैं:

بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ.

अबू दाऊद में हज़रत आयशा रज़ि. की रिवायत से एक मरफ़ूअ़ हदीस मौजूद है जो दूसरी रिवायतों में मौक़ूफ़ वारिद हुई है कि ये बेकार क़समें वे हैं जो इनसान अपने घर-बार में बाल-बच्चों में कह दिया करता है कि हाँ ख़ुदा की क़सम और नहीं ख़ुदा की क़सम। ग़र्ज़ कि बतौर तकिया कलाम के ये लफ़्ज़ निकल जाते हैं, दिल में उसकी पुख़्तगी का ख़्याल भी नहीं होता। हज़रत आयशा रज़ि. से यह भी नक़ल है कि ये वे क़समें हैं जो हंसी-हंसी में इनसान के मुँह से निकल जाती हैं, उन पर कफ़्फ़ारा नहीं। हाँ जो इरादे के साथ क़सम हो, फिर उसके ख़िलाफ़ करे तो कफ़्फ़ारा अदा करना पड़ेगा। आपके अ़लावा और भी बाज़ सहाबा और ताबिईन ने यही तफ़सीर इस आयत की बयान की है। यह भी नक़ल है कि एक आदमी अपनी

तहक़ीक़ पर भरोसा करके किसी मामले के बारे में क़सम खा बैठे और हक़ीक़त में वह मामला यूँ न हो तो ये क़समें बेफ़ायदा और बेकार हैं। यह मायने भी दूसरे बहुत से हज़रात से नक़ल हैं।

एक हसन हदीस में है जो मुर्सल है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तीर-अन्दाज़ों की एक जमाअ़त के पास जाकर खड़े हो गये, वे तीर-अन्दाज़ी कर रहे थे और एक शख़्स कभी कहता था कि ख़ुदा की क़सम इसका तीर निशाने पर लगेगा, कभी कहता था ख़ुदा की क़सम यह चूक जायेगा। आपके एक सहाबी ने कहा देखिये हुज़ूर इसकी क़सम के ख़िलाफ़ हुआ, आपने फ़रमाया ये क़समें बेकार और बेफ़ायदा हैं, इन पर कफ़्फ़ारा नहीं और न कोई सज़ा या अ़ज़ाब है। बाज़ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है ये वे क़समें हैं जो इनसान खा लेता है, फिर ख़्याल नहीं रहता या कोई शख़्स अपने लिये किसी काम के न करने पर कोई बद्दुआ़ के कलिमात अपनी ज़बान से निकाल देता है, वह भी लग़्व (बेहूदा और बेकार) में दाख़िल है, या गुस्से और ग़ज़ब की हालत में बिना सोचे-समझे ज़बान से क़सम निकल जाये या हलाल को हराम या हराम को हलाल कर ले तो उसे चाहिये कि इन क़समों की परवाह न करे और ख़ुदा के अहकाम के ख़िलाफ़ न करे। हज़रत सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि अन्सार के दो शख़्स जो आपस में भाई-भाई थे, उनके दरमियान कुछ मीरास का माल था, तो एक ने दूसरे से कहा- अब इस माल को तक़सीम कर दो, दूसरे ने कहा अगर अब तूने तक़सीम करने को कहा तो मेरा तमाम माल काबे का ख़ज़ाना है। हज़रत उमर रज़ि. ने यह वाक़िआ़ सुनकर फ़रमाया कि काबा ऐसे माल से बेपरवाह है, अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे और अपने भाई से बोल-चाल। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी रिश्ते-नातों को काटने और जिस चीज़ की मिल्कियत न हो उसमें नहीं, न क़सम है न मन्नत। फिर फ़रमाता है कि तुम्हारे दिल जो करें उस पर पकड़ है, यानी अपने झूठ का इल्म हो और फिर क़सम खाये। जैसे एक दूसरी जगह है:

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ.

यानी जो तुम मज़बूत और ताकीद वाली क़सम खा लो, अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को बख़्शने वाला है और उन पर हिल्म व करम करने वाला है।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○	जो लोग क़सम खा बैठते हैं अपनी बीवियों (के पास जाने) से, उनके लिए चार महीने तक की मोहलत है। सो अगर ये लोग (क़सम तोड़कर औरत की तरफ़) रुजू कर लें तब तो अल्लाह तआ़ला माफ़ कर देंगे, रहमत फ़रमा देंगे। (226) और अगर बिल्कुल छोड़ ही देने का पुख़्ता इरादा कर लिया है तो अल्लाह तआ़ला सुनते हैं, जानते हैं। (227)

ईला के अहकाम

'ईला' कहते हैं क़सम को। अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी न करने की एक मुद्दत तक के

लिये क़सम खा ले तो दो सूरतें हैं, या तो वह मुद्दत चार महीने से कम होगी या ज़्यादा होगी, अगर कम हो तो वह मुद्दत पूरी करे और उस दरमियान औरत भी सब्र करे, उससे मुतालबा और सवाल नहीं कर सकती। फिर मियाँ-बीवी आपस में मिलें-जुलें जैसा कि सही बुख़ारी, सही मुस्लिम की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक माह के लिये क़सम खा ली थी और उन्तीस दिन पूरे अलग रहे और फ़रमाया-महीना उन्तीस दिन का भी होता है। और अगर चार महीने से ज़ायद की मुद्दत के लिये क़सम खाई हो तो चार माह के बाद औरत को हक़ हासिल है कि वह तक़ाज़ा और मुतालबा करे कि या तो वह मेल-मिलाप कर ले या तलाक़ दे दे, और हाकिम उस शौहर को इन दो बातों में से एक के करने पर मजबूर करेगा ताकि औरत को नुक़सान न पहुँचे। यही बयान यहाँ हो रहा है कि जो लोग अपनी बीवियों से ईला करें, यानी उनसे हमबिस्तरी न करने की क़सम खायें। इससे मालूम हुआ कि यह ईला ख़ास है बीवियों के लिये, बाँदियों के लिये नहीं। यही मज़हब जमहूर उलेमा-ए-किराम का है, ये लोग चार महीने तक तो आज़ाद हैं उसके बाद इन्हें मजबूर किया जायेगा कि या तो वे अपनी बीवियों से मिल लें या तलाक़ दे दें। यह नहीं कि अब भी वे इसी तरह छोड़े रहें। फिर अगर वे लौट आयें यानी सोहबत कर लें तो अल्लाह तआ़ला भी बख़्श देगा और जो ग़लती और ख़ता औरत के हक़ में उनसे हुई है उसे अपनी मेहरबानी से माफ़ फ़रमा देगा। इसमें दलील है उन उलेमा की जो कहते हैं कि इस सूरत में शौहर के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा कुछ भी नहीं। इमाम शाफ़ई रह. का भी पहला क़ौल यही है। इसकी ताईद उस हदीस से भी होती है जो पहली आयत की तफ़सीर में गुज़र चुकी कि क़सम खाने वाला अपनी क़सम के तोड़ डालने में नेकी देखता हो तो तोड़ डाले, यही उसका कफ़्फ़ारा है। उलेमा-ए-किराम की एक दूसरी जमाअ़त का मज़हब यह है कि उसे क़सम का कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। इसकी हदीसें भी ऊपर गुज़र चुकी हैं। और जमहूर का मज़हब भी यही है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमान है कि अगर चार माह गुज़र जाने के बाद वह तलाक़ देने का इरादा करे, इससे साबित होता है कि चार महीने गुज़रते ही तलाक़ नहीं पड़ जायेगी, बाद के जमहूर उलेमा का यही मज़हब है अगरचे एक दूसरी जमाअ़त यह भी कहती है कि चार माह गुज़रने से ही तलाक़ हो जायेगी। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अ़ली, इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. और बाज़ ताबिईन से भी यही नक़ल है। फिर बाज़ तो कहते हैं कि यह तलाक़ रजई होगी, बाज़ कहते हैं कि बायना होगी। जो लोग तलाक़ पड़ने के क़ायल हैं वे फ़रमाते हैं कि इसके बाद उसे इद्दत भी गुज़ारनी पड़ेगी, हाँ इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और अबुश्शासा रज़ि. फ़रमाते हैं कि अगर उन चार महीनों में उस औरत को तीन हैज़ आ गये हैं तो उस पर इद्दत भी नहीं। इमाम शाफ़ई रह. का भी क़ौल यही है, लेकिन बाद के जमहूर उलेमा का फ़रमान यही है कि इस मुद्दत के गुज़रते ही तलाक़ वाक़े न होगी, बल्कि अब ईला करने वाले को मजबूर किया जायेगा कि या तो वह अपनी क़सम से हटे या तलाक़ दे।

मुवत्ता इमाम मालिक में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से यही मरवी है। सही बुख़ारी में भी यह रिवायत मौजूद है। इमाम शाफ़ई रह. अपनी सनद से हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत करते हैं कि मैंने दस से ज़्यादा सहाबियों से सुना, वे कहते थे कि चार माह के बाद ईला करने वाले को खड़ा किया जायेगा, पस कम से कम ये तेरह सहाबी हो गये। हज़रत अ़ली रज़ि. से भी यही मन्क़ूल है। इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि यही हमारा मज़हब है और यही हज़रत उमर, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत आ़यशा, हज़रत उस्मान, ज़ैद बिन साबित और दस से ऊपर ऊपर दूसरे सहाबा किराम रज़ि. से नक़ल है।

दारे क़ुतनी में है, हज़रत अबू सालेह फ़रमाते हैं कि मैंने बारह सहाबियों से इस मसले को पूछा, सबने यही जवाब इनायत फ़रमाया। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अ़ली, हज़रत अबू दर्दा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आ़यशा सिद्दीक़ा, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। और ताबिईन में से हज़रत सईद बिन मुसैयब, हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़, हज़रत मुजाहिद, हज़रत ताऊस, हज़रत मुहम्मद बिन कअ़ब, हज़रत क़ासिम रह. का भी यही क़ौल है। और हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत इमाम अहमद रह. और उनके साथियों का भी यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर भी इसी क़ौल को पसन्द करते हैं। लैस, इस्हाक़ बिन राहवैह, अबू उबैद, अबू सौर, दाऊद रह. वग़ैरह भी यही फ़रमाते हैं। ये सब हज़रात फ़रमाते हैं कि अगर चार माह के बाद वह रुजू न करे तो उसे तलाक़ देने पर मजबूर किया जायेगा, अगर तलाक़ न दे तो हाकिम आप उसकी तरफ़ से तलाक़ दे देगा और यह तलाक़ रजई होगी। इद्दत के अन्दर रुजू करने का हक़ ख़ाविन्द को हासिल है। हाँ सिर्फ़ इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि उसे रुजू करना जायज़ नहीं, यहाँ तक कि इद्दत में सोहबत करे, लेकिन यह क़ौल निहायत ग़रीब है।

यहाँ जो चार महीने की तारीख़ की इजाज़त दी है उसकी मुनासबत में मुवत्ता इमाम मालिक में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार की रिवायत से हज़रत उमर रज़ि. का एक वाक़िआ़ आ़म तौर पर फ़ुक़हा हज़रात ज़िक्र किया करते हैं, जो यह है कि हज़रत उमर रज़ि. उमूमन रातों को मदीना शरीफ़ की गलियों में गश्त लगाते रहते। एक रात को निकले तो आपने सुना कि एक औ़रत अपने सफ़र में गये हुए शौहर की याद में कुछ अश्आ़र पढ़ रही है, जिनका तर्जुमा यह है:

"अफ़सोस इन काली-काली और लम्बी रातों में मेरा शौहर नहीं जिससे मैं हंसूँ-बोलूँ। क़सम ख़ुदा की अगर ख़ुदा का ख़ौफ़ न होता तो इस वक़्त पलंग के पाये हरकत में होते।"

आप अपनी बेटी उम्मुल-मोमिनीन हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया बतलाओ ज़्यादा से ज़्यादा औ़रत अपने शौहर की जुदाई पर कितनी मुद्दत सब्र कर सकती है? फ़रमाया छह महीने, या चार महीने। आपने फ़रमाया अब मैं हुक्म जारी कर दूँगा कि मुसलमान मुजाहिदीन सफ़र में ज़्यादा न ठहरें। कुछ रिवायतों में कुछ ज़्यादती भी है। इसकी बहुत सी सनदें हैं और यह वाक़िआ़ मशहूर है।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ	और तलाक़ दी हुई औ़रतें अपने आपको (निकाह से) रोके रखें तीन हैज़ तक, और उन औ़रतों को यह बात हलाल नहीं कि ख़ुदा तआ़ला ने जो कुछ उनके रहम में पैदा किया हो (चाहे गर्भ या हैज़) उसको छुपाएँ, अगर वे औ़रतें अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर यक़ीन रखती हैं। और उन औ़रतों के शौहर उनके (बिना दोबारा निकाह किए) फिर लौटा लेने का हक़ रखते हैं, उस (इद्दत) के अन्दर, शर्त यह है कि इस्लाह "यानी भलाई

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝	और सुधार" का इरादा रखते हों। और औरतों के भी हुक़ूक़ हैं जो कि उन्हीं के हुक़ूक़ की तरह हैं जो उन औरतों पर हैं (शरई) क़ायदे के मुवाफ़िक़। और मर्दों का उनके मुक़ाबले में कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है, और अल्लाह तआला ज़बरदस्त (हाकिम) हैं, हकीम हैं। (228)

तलाक़ के अहकाम और मसाईल

उन औरतों को जो शौहर से मिल चुकी हों और बालिग़ हों, हुक्म हो रहा है कि तलाक़ के बाद तीन हैज़ तक रुकी रहें, फिर अगर चाहें तो अपना दूसरा निकाह कर सकती हैं। हाँ चारों इमामों ने इसमें से बाँदी को मख़्सूस (अलग) कर दिया है, वह दो हैज़ इद्दत गुज़ारे, क्योंकि बाँदी इन मामलात में आज़ाद औरत से आधे पर है। लेकिन हैज़ की मुद्दत का आधा ठीक नहीं बैठता, इसलिये वह दो हैज़ गुज़ारे। एक हदीस में भी है कि बाँदी की तलाक़ें भी दो हैं और उसकी इद्दत भी दो हैज़ हैं। (इब्ने जरीर) लेकिन इसके रावी हज़रत मज़ाहिर ज़ईफ़ हैं। यह हदीस तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्ने माजा में भी है। इमाम हाफ़िज़ दारे क़ुतनी रह. फ़रमाते हैं- सही बात यह है कि यह हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद का अपना क़ौल है, लेकिन हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से यह रिवायत मरफ़ूअ़ रिवायत है मगर उसके बारे में भी इमाम दारे क़ुतनी रह. यही फ़रमाते हैं कि यह हज़रत अ़ब्दुल्लाह का अपना क़ौल ही है। इसी तरह ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. से नक़ल है बल्कि सहाबा रज़ि. में इस मसले में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) ही न था, हाँ बाज़ बुज़ुर्गों से यह भी रिवायत है कि इद्दत के बारे में आज़ाद और बाँदी बराबर है, क्योंकि आयत आ़म होने के लिहाज़ से दोनों को शामिल है और इसलिये भी कि यह फ़ितरी मामला है, बाँदी और आज़ाद औरत इसमें बराबर हैं।

मुहम्मद बिन सीरीन रह. और बाज़ अहले-ज़ाहिर का यही क़ौल है, लेकिन यह ज़ईफ़ है। इब्ने अबी हातिम की एक ग़रीब सनद वाली रिवायत में है कि हज़रत असमा बिन्ते यज़ीद बिन सकन अन्सारिया के बारे में यह आयत नाज़िल हुई है, उससे पहले तलाक़ की इद्दत न थी, सबसे पहले इद्दत का हुक्म उन्हीं की तलाक़ के बाद नाज़िल हुआ। 'क़ुरूअ़' के मायने में पहले और बाद के उलेमा का बराबर इख़्तिलाफ़ (मतभेद) रहा है, एक क़ौल तो यह है कि इससे मुराद 'तोहर' यानी पाकी है। हज़रत आ़यशा रज़ि. का यही फ़रमान है। चुनाँचे उन्होंने अपनी भतीजी हज़रत अ़ब्दुर्रहमान रज़ि. की बेटी हफ़सा को जबकि वह तीन तोहर गुज़ार चुकीं और तीसरा हैज़ शुरू हुआ तो हुक्म दिया कि वह मकान बदल लें। हज़रत उरवा ने जब यह रिवायत बयान की तो हज़रत अ़मरा रज़ि. ने जो हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. की दूसरी भतीजी हैं, इस वाक़िए की तस्दीक़ की और फ़रमाया- लोगों ने हज़रत सिद्दीक़ा रज़ि. पर एतिराज़ भी किया तो आपने फ़रमाया 'अक़रा' से मुराद तोहर हैं। (मुवत्ता इमाम मालिक) बल्कि मुवत्ता में अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान रज़ि. का तो यह क़ौल भी मौजूद है कि मैंने समझदार उलेमा-ए-फ़िक़ा को 'क़ुरूअ़' की तफ़सीर तोहर (पाकी) से ही करते सुना है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं कि जब तीसरा हैज़ शुरू हो तो यह अपने शौहर से बरी हो गयी और शौहर इससे अलग हुआ। (मुवत्ता)

इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि हमारे नज़दीक भी साबित और तहक़ीक़ी बात यही है। इब्ने अ़ब्बास

रज़ि., ज़ैद बिन साबित, सालिम, क़ासिम, उरवा, सुलैमान बिन यसार, अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान, अबान इब्ने उस्मान, अ़ता बिन अबू रिबाह, क़तादा, ज़ोहरी और बाक़ी सातों फ़ुक़हा का भी यही क़ौल है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई रह. का यही मज़हब है। इमाम दाऊद, अबू सौर रह. भी यही फ़रमाते हैं। इमाम अहमद रह. से भी एक रिवायत इसी तरह की मौजूद है। इसकी दलील इन बुज़ुर्गों ने क़ुरआन की इस आयत से भी निकाली है:

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

यानी उन्हें इद्दत में तलाक़ दो, यानी तोहर में, पाकीज़गी की हालत में।

चूँकि जिस तोहर (पाकी के ज़माने) में तलाक़ दी जाती है वह भी गिनती में आता है। इससे मालूम हुआ कि ऊपर बयान हुई आयत में भी 'क़ुरूअ़' से मुराद हैज़ के अ़लावा की, यानी पाकी की हालत है। इसी लिये ये हज़रात फ़रमाते हैं कि उसे तीसरा हैज़ शुरू हुआ और औरत अपने शौहर की इद्दत से बाहर हो गयी और उसकी कम से कम मुद्दत जिसमें अगर औरत कहे कि उसे तीसरा हैज़ शुरू हो गया है तो उसे सच्चा समझा जाये बत्तीस दिन और दो घड़ी हैं। अ़रब के शायरों के शे'र में यह लफ़्ज़ तोहर (पाकी) के मायने में प्रयोग हुआ है। दूसरा क़ौल यह है कि इससे मुराद तीन हैज़ हैं, और जब तक तीसरे हैज़ से पाक न हो ले तब तक वह इद्दत में ही है। बाज़ों ने गुस्ल कर लेने तक कहा है और इसकी कम से कम मुद्दत तैंतीस दिन और एक लहज़ा (घड़ी) है।

इसकी दलील में एक तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. का यह फ़ैसला है कि उनके पास एक मुतल्लक़ा (तलाक़ पाई हुई) औरत आयी और कहा कि मेरे शौहर ने मुझे एक या दो तलाक़ें दी थीं, फिर वह मेरे पास उस वक़्त आया जबकि मैं अपने कपड़े उतारकर दरवाज़ा बन्द किये हुए थी (यानी तीसरे हैज़ से नहाने की तैयारी में थी, तो फ़रमाईये क्या हुक्म है? यानी रुजू हो जायेगा या नहीं?) आपने फ़रमाया मेरा ख़्याल तो यही है कि रुजू हो गया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. ने इसकी ताईद की, हज़रत सिद्दीक़े अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अ़ली, हज़रत अबू दर्दा, हज़रत उबादा बिन सामित, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत मुआ़ज़, हज़रत उबई बिन कअ़ब, हज़रत अबू मूसा अश्अ़री, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यही मरवी है। सईद बिन मुसैयब, अ़ल्क़मा, अस्वद, इब्राहीम, मुजाहिद, अ़ता, ताऊस, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा, मुहम्मद बिन सीरीन, हसन, क़तादा, शअ़बी, रबीअ़, मुक़ातिल बिन हय्यान, सुद्दी, मक्हूल, ज़ह्हाक, अ़ता ख़ुरासानी भी यही फ़रमाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और उनके साथियों का भी यही मज़हब है। इमाम अहमद से भी ज़्यादा सही रिवायत यही है। आप फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बड़े-बड़े सहाबा किराम से यही रिवायत है। इमाम सौर, औज़ाई, इब्ने अबी लैला बिन शुबरुमा, हसन बिन सालेह, अबू उबैद और इस्हाक़ बिन राहवैह का क़ौल भी यही है। एक हदीस में भी है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश से फ़रमाया था- नमाज़ को अपने 'अक़राअ' के दिनों में छोड़ दो। पस मालूम हुआ कि क़ुरूअ़ से मुराद हैज़ है, लेकिन इस हदीस का एक रावी मुन्ज़िर मजहूल है जो मशहूर नहीं। हाँ इब्ने हिब्बान इसे सिक़ा (मोतबर) बतलाते हैं।

इमाम इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि लुग़त के एतिबार से 'क़ुरअ' कहते हैं हर उस चीज़ के आने और जाने के वक़्त को जिसके आने-जाने का वक़्त मुक़र्रर हो। इससे मालूम होता है कि इस लफ़्ज़ के दोनों मायने हैं, हैज़ के भी तोहर के भी, और बाज़ उसूली हज़रात का यही मस्लक है। वल्लाहु आलम।

इमाम अस्मअ़ी भी फ़रमाते हैं कि 'क़ुरअ' कहते हैं वक़्त को। अबू उमर बिन अ़ला कहते हैं कि अ़रब में हैज़ और तोहर दोनों को 'क़ुरअ' कहते हैं। अबू उमर बिन अ़ब्दुल-बर्र का क़ौल है कि ज़बाने अ़रब के माहिर और फ़ुक़हा का इसमें इख़्तिलाफ़ ही नहीं कि तोहर और हैज़ दोनों मायने 'क़ुरअ' के हैं। हाँ इस आयत के मायने मुक़र्रर करने में एक जमाअ़त इस तरफ़ गयी और दूसरी उस तरफ़।

फिर फ़रमाया कि उनके रहम (गर्भ) में जो हो उसका छुपाना हलाल नहीं। यानी हमल (गर्भ) हो और हैज़ आये तो। फिर फ़रमाता है कि अगर उन्हें ख़ुदा पर और क़ियामत पर ईमान हो। इसमें उन्हें धमकाया जा रहा है कि ख़िलाफ़े हक़ न कहें। इससे मालूम होता है कि इस ख़बर में उनकी बात का एतिबार किया जायेगा, क्योंकि इस पर कोई बाहरी शहादत (गवाही और सुबूत) क़ायम नहीं की जा सकती, इसलिये उन्हें होशियार कर दिया गया कि इद्दत से जल्द निकल जाने के लिये हैज़ न आया हो और कह दें कि उन्हें हैज़ आ गया, या इद्दत को बढ़ाने के लिये आया हो और उसे छुपा लें। इसी तरह हमल की भी ख़बर कर दें।

फिर फ़रमाया कि इद्दत के अन्दर उस शौहर को जिसने तलाक़ दी है लौटा लेने का पूरा हक़ हासिल है जबकि तलाक़ रजई हो, यानी एक तलाक़ के बाद भी और दो तलाक़ के बाद भी। बाक़ी रही तलाक़े बाईन यानी तीन तलाक़ें जब हो जायें। याद रहे कि जब यह आयत उतरी तब तक तलाक़ बाईन थी ही नहीं, बल्कि उस वक़्त तक तो चाहे सौ तलाक़ें हो जायें सब रजई ही थीं, तलाक़े बाईन तो फिर बाद के अहकाम में आयी कि तीन अगर हो जायें तो अब रुजू करने का हक़ नहीं रहेगा। जब यह बात ख़्याल में रहेगी तो उलेमा-ए-उसूल के इस क़ायदे का कमज़ोर होना भी मालूम हो जायेगा कि ज़मीर के लौटाने से पहले के आ़म लफ़्ज़ की ख़ुसूसियत हो जाती है या नहीं, इसलिये कि इस आयत के वक़्त दूसरी शक्ल थी ही नहीं, तलाक़ की एक ही सूरत थी। वल्लाहु आलम।

आपसी हुक़ूक़

फिर फ़रमाता है कि जैसे इन औ़रतों पर मर्दों के हुक़ूक़ हैं वैसे ही इन औ़रतों के मर्दों पर भी हुक़ूक़ हैं। हर एक को दूसरे का पास व लिहाज़ अच्छे अन्दाज़ में रखना चाहिये। सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज्जतुल-विदा के अपने ख़ुतबे में फ़रमाया- लोगो! औ़रतों के बारे में अल्लाह से डरते रहो, तुमने अल्लाह की अमानत से उन्हें लिया है और अल्लाह के कलिमे (यानी निकाह) से उनकी शर्मगाहों को अपने लिये हलाल किया है। औ़रतों पर तुम्हारा यह हक़ है कि वे तुम्हारे फ़र्श पर किसी ऐसे को न आने दें जिससे तुम नाराज़ हो (यानी कोई बुरा काम न करें, नाराज़ होने की क़ैद लाज़िमी नहीं)। अगर वे ऐसा करें तो उन्हें मारो। लेकिन ऐसी मार न हो कि ज़ाहिर हो। उनका तुम पर यह हक़ है कि उन्हें अपनी गुंजाईश के मुताबिक़ खिलाओ पहनाओ, उढ़ाओ।

एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया कि हमारी औ़रतों के हम पर क्या हक़ हैं? आपने फ़रमाया जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके मुँह पर न मारो, उसे गालियाँ न दो, उससे रूठकर और कहीं न भेज दो, वहाँ घर में ही रखो। इस आयत को पढ़कर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाया करते थे- मैं पसन्द करता हूँ कि अपनी बीवी को ख़ुश करने के लिये मैं भी अपनी ज़ीनत करूँ (यानी साफ़-सुथरा और संवर कर रहूँ) जिस तरह वह मुझे ख़ुश करने के लिये अपना बनाव-सिंगार करती है। फिर फ़रमाया कि मर्दों को उन पर फ़ज़ीलत है जिस्मानी हैसियत से भी, अख़्लाक़ी हैसियत से भी, मर्तबे की हैसियत से भी, हुक्मरानी की हैसियत से भी, ख़र्च करने की हैसियत से

भी, देखभाल और निगरानी की हैसियत से भी। ग़र्ज़ कि दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ से फ़ज़ीलत है, यानी हर एतिबार से। जैसे एक और जगह है:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ........ الخ.

यानी मर्द औरतों के सरदार हैं। अल्लाह तआ़ला ने एक को एक पर फ़ज़ीलत दे रखी है और इसलिये भी कि ये माल ख़र्च करते हैं। फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला अपने नाफ़रमानों से बदला लेने पर ग़ालिब है और अपने अहकाम में हिक्मत वाला है।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ ۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ ۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

वह तलाक़ दो बार (की) है, फिर चाहे रख लेना क़ायदे के मुवाफ़िक़ चाहे छोड़ देना अच्छे अन्दाज़ के साथ, और तुम्हारे लिए यह बात हलाल नहीं कि (छोड़ने के वक़्त) कुछ भी लो (अगरचे) उसमें से (ही सही) जो तुमने उनको (मेहर में) दिया था, मगर यह कि मियाँ-बीवी दोनों को अन्देशा हो कि अल्लाह तआ़ला के ज़ाबतों "यानी क़ानूनों" को क़ायम न कर सकेंगे। सो अगर तुम लोगों को यह अन्देशा हो कि वे दोनों ख़ुदावन्दी ज़ाबतों को क़ायम न कर सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह न होगा उस (माल के लेने-देने) में जिसको देकर औ़रत अपनी जान छुड़ा ले। ये ख़ुदाई ज़ाबते हैं सो तुम इनसे बाहर मत निकलना। और जो शख़्स ख़ुदाई ज़ाबतों से बाहर निकल जाए सो ऐसे ही लोग अपना नुक़सान करने वाले हैं। (229) फिर अगर कोई (तीसरी) तलाक़ दे दे औ़रत को तो फिर वह उसके लिए हलाल न रहेगी उसके बाद, यहाँ तक कि वह उसके सिवा एक और ख़ाविन्द के साथ (इद्दत के बाद) निकाह करे। फिर अगर यह उसको तलाक़ दे दे तो इन दोनों पर इसमें कुछ गुनाह नहीं कि बदस्तूर फिर मिल जाएँ, शर्त यह है कि दोनों ग़ालिब गुमान रखते हों कि (आईन्दा) ख़ुदावन्दी ज़ाबतों को क़ायम रखेंगे। और ये ख़ुदावन्दी जाबते हैं, (हक़ तआ़ला) उनको बयान फ़रमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो समझदार हैं। (230)

तलाक़ के अहकाम व मसाईल

इस्लाम से पहले यह दस्तूर था कि शौहर जितनी चाहे तलाक़ें देता चला जाये और इद्दत में रुजू करता जाये, इससे औ़रतों की जान अ़ज़ाब में थी कि तलाक़ दी और इद्दत गुज़रने के क़रीब आयी तो रुजू कर लिया, फिर तलाक़ दे दी, इसी तरह औ़रतों को तंग करते रहते थे। इस्लाम ने हद-बन्दी कर दी कि इस तरह की तलाक़ें सिर्फ़ दो ही दे सकते हैं, तीसरी तलाक़ के बाद लौटाने का कोई हक़ नहीं रहेगा। सुनन अबू दाऊद में बाब है कि तीन तलाक़ों के बाद लौटाना मन्सूख़ है, फिर यह रिवायत लाये हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. यही फ़रमाते हैं।

इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी से कहा कि न तो मैं तुझे बसाऊँगा न छोड़ूँगा। उसने कहा यह किस तरह? कहा तलाक़ दे दूँगा और इद्दत ख़त्म होने का वक़्त आया तो और रुजू करूँगा, फिर तलाक़ दे दूँगा फिर इद्दत ख़त्म होने से पहले रुजू कर लूँगा, यूँ ही करता चला जाऊँगा। वह औ़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आयी और अपना यह दुख रोने लगी, इस पर यह मुबारक आयत नाज़िल हुई। एक और रिवायत में है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद अब लोगों ने नये सिरे से तलाक़ों का ख़्याल रखना शुरू किया, वे संभल गये और तीसरी तलाक़ के बाद उस शौहर को लौटा लेने का कोई हक़ हासिल न रहा, और फ़रमा दिया गया कि दो तलाक़ों तक तो तुम्हें इख़्तियार है कि इस्लाह (सुधार) की नीयत से अपनी बीवी को लौटा लो, अगर वह इद्दत के अन्दर है, और यह भी इख़्तियार है कि न लौटाओ और इद्दत गुज़र जाने दो, ताकि वह नये सिरे से निकाह करने के क़ाबिल हो जाये, और अगर तीसरी तलाक़ देना चाहते हो तो भी एहसान व सुलूक के साथ दो, न उसका कोई हक़ मारो न उस पर कोई जुल्म करो, न उसे नुक़सान पहुँचाओ।

एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि दो तलाक़ें तो इस आयत में बयान हो चुकी हैं तीसरी का ज़िक्र कहाँ है? आपने फ़रमाया 'औ तसरीहुम् बि-इहसानिन्' में। जब तीसरी तलाक़ का इरादा करे तो औ़रत को तंग करना, उस पर सख़्ती करना ताकि वह अपना हक़ छोड़कर तलाक़ पर रज़ामन्दी ज़ाहिर करे यह मर्दों पर हराम है। जैसे एक और जगह है:

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآاٰتَيْتُمُوْهُنَّ.......... الخ.

यानी औ़रतों को तंग न करो ताकि उन्हें दिये हुए में से कुछ ले लो। हाँ यह और बात है कि औ़रत अपनी ख़ुशी से कुछ देकर तलाक़ तलब करे। जैसे फ़रमायाः

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًافَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا.

यानी अगर औ़रतें अपनी राज़ी ख़ुशी से कुछ छोड़ दें तो बेशक वह तुम्हारे लिये हलाल और पाक है। और जब मियाँ-बीवी में ना-इत्तिफ़ाक़ी बढ़ जाये, औ़रत उससे ख़ुश न हो और उसके हक़ न बजा लाती हो, ऐसी सूरत में वह कुछ ले-देकर अपने शौहर से तलाक़ हासिल करे तो उसे देने में और उसे लेने में कोई गुनाह नहीं। यह भी याद रहे कि अगर औ़रत बिना वजह के अपने शौहर से ख़ुला (तलाक़ और छुटकारा) तलब करती है तो वह सख़्त गुनाहगार है। चुनाँचे तिर्मिज़ी वग़ैरह में हदीस है कि जो औ़रत अपने शौहर से बिना सबब के तलाक़ तलब कर ले तो उस पर जन्नत की ख़ुशबू भी हराम है। एक और रिवायत में है कि हालाँकि जन्नत की ख़ुशबू चालीस साल की दूरी से आती है। एक और रिवायत में है कि ऐसी औ़रतें

मुनाफ़िक़ हैं। पहले और बाद के इमामों की एक बड़ी जमाअ़त का फ़रमान है कि तलाक़ सिर्फ़ उसी सूरत में है कि नाफ़रमानी और सरकशी औ़रत की तरफ़ से हो, उस वक़्त मर्द फ़िदया लेकर उस औ़रत को अलग कर सकता है, जैसा कि क़ुरआने पाक की इस आयत में है, इसके सिवा और किसी सूरत में यह जायज़ नहीं, बल्कि हज़रत इमाम मालिक रह. तो फ़रमाते हैं कि अगर औ़रत को तकलीफ़ पहुँचाकर उसके हक़ में कमी करके उसे मजबूर किया गया और कुछ माल वापस लिया गया तो उसका लौटा देना वाजिब है। इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि जब झगड़े और विवाद की हालत में जायज़ है तो इत्तिफ़ाक़ की हालत में तो और भी जायज़ ठहरेगा। बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं सिरे से खुला (औ़रत के तलाक़ माँगने पर माल लेना) मन्सूख़ है, क्योंकि क़ुरआन में है:

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا.

यानी अगर तुमने अपनी बीवियों को एक ख़ज़ाना भी दे रखा हो तो भी उसमें से कुछ न लो। लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ है और मर्दूद (अस्वीकारीय) है।

आयत की शाने नुज़ूल

अब आयत की शाने नुज़ूल (उतरने का सबब और मौक़ा) सुनिये। मुवत्ता इमाम मालिक में है कि हबीबा बिन्ते सहल अन्सारिया हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास रज़ि. की बीवी थीं। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक दिन सुबह की नमाज़ के लिये अन्धेरे में निकले तो देखा कि दरवाज़े पर हज़रत हबीबा रज़ि. खड़ी हैं। आपने पूछा कौन है? कहा मैं हबीबा बिन्ते सहल हूँ। फ़रमाया क्या बात है? कहा हुज़ूर मैं साबित बिन क़ैस के घर में नहीं रह सकती, या वह नहीं या मैं नहीं। आप सुनकर ख़ामोश रहे। जब हज़रत साबित रज़ि. आये आपने फ़रमाया तुम्हारी बीवी साहिबा कुछ कह रही हैं, हज़रत हबीबा रज़ि. ने कहा हुज़ूर! मेरे शौहर ने मुझे जो दिया है वह सब मेरे पास है और मैं उसे वापस करने पर तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत साबित को फ़रमाया- सब ले लो। चुनाँचे उन्होंने ले लिया और हज़रत हबीबा रज़ि. आज़ाद हो गयीं।

एक रिवायत में है कि हज़रत साबित रज़ि. ने उन्हें मारा था और उस मार से कोई हड्डी टूट गयी थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब उन्हें यह फ़रमाया उस वक़्त उन्होंने दरियाफ़्त किया कि क्या मैं यह माल ले सकता हूँ? आपने फ़रमाया हाँ। कहा मैंने इसे दो बाग़ दिये हैं वो वापस दिलवा दीजिए। चुनाँचे वह मेहर के दोनों बाग़ वापस किये गये और जुदाई हो गयी। एक और रिवायत में है कि हबीबा रज़ि. ने यह भी फ़रमाया था कि मैं इसके अख़्लाक़ और दीन में कोई ऐब नहीं बयान करती, लेकिन मैं इस्लाम में कुफ़्र को नापसन्द करती हूँ। चुनाँचे माल लेकर हज़रत साबित रज़ि. ने तलाक़ दे दी। बाज़ रिवायतों में उनका नाम जमीला भी आया है। बाज़ रिवायत में यह भी है कि मुझे अब ग़ैज़ व ग़ज़ब (गुस्से और नाराज़गी) के बरदाश्त की ताक़त नहीं रही। एक रिवायत में यह भी है कि आपने फ़रमाया जो दिया है ले लो, ज़्यादा न लेना। एक रिवायत में है कि हज़रत हबीबा रज़ि. ने फ़रमाया- वह सूरत के एतिबार से भी कुछ हसीन नहीं। एक रिवायत में है कि यह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उबई की बहन थीं और यह सबसे पहली तलाक़ थी जो इस्लाम में हुई। एक वजह यह भी बयान की थी कि हज़रत मैंने एक मर्तबा ख़ेमे के पर्दे को जो उठाया तो देखा कि मेरे शौहर चन्द आदमियों के साथ आ रहे हैं, उन तमाम में यह सियाह-फ़ाम (काले

रंग के), छोटे क़द वाले और बदसूरत थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस फ़रमान पर कि इसका बाग़ वापस करो, हबीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा था कि आप फ़रमायें तो मैं कुछ और भी देने को तैयार हूँ। एक और रिवायत में है कि हबीबा रज़ि. ने यह भी कहा था कि हुज़ूर! अगर ख़ुदा का ख़ौफ़ न होता तो मैं इसके मुँह पर थूक दिया करती। जमहूर का मज़हब तो यह है कि तलाक़ में औ़रत से अपने दिये हुए से ज़्यादा ले तो भी जायज़ है, क्योंकि क़ुरआने करीम ने फ़रमाया हैः

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

यानी उस माल को लेने में कोई गुनाह न होगा जिसको देकर औ़रत अपनी जान छुड़ा ले।

हज़रत उमर रज़ि. के पास एक औ़रत अपने शौहर से नाराज़ आयी। आपने फ़रमाया इसे गन्दगी वाले घर में क़ैद कर दो, फिर क़ैदख़ाने से उसे बुलवाया और कहा क्या हाल है? उसने कहा आराम की रातें मुझ पर मेरी ज़िन्दगी में यही गुज़री हैं। आपने उसके शौहर से फ़रमाया इससे तलाक़ कर ले अगरचे चोटी के बदले ही हो। एक रिवायत में है कि उसे तीन दिन वहाँ क़ैद रखा था, एक और रिवायत में है कि आपने फ़रमाया अगर यह अपनी चुटिया की धज्जी भी दे तो ले ले और इसे अलग कर दे।

हज़रत उस्मान रज़ि. फ़रमाते हैं इसके सिवा सब कुछ लेकर भी ख़ुला (तलाक़) हो सकता है। रबीअ़ बिन्ते मुअ़व्विज़ बिन अ़फ़रा फ़रमाती हैं कि मेरे शौहर अगर मौजूद होते तो भी मेरे साथ सुलूक करने में कमी करते और कहीं चले जाते तो बिल्कुल ही मेहरूम कर देते। एक मर्तबा झगड़े के मौक़े पर मैंने कह दिया कि मेरी मिल्कियत में जो कुछ है ले लो और मुझसे ख़ुला ले लो। उसने हाँ कहा और यह मामला तय हो गया, लेकिन मेरे चचा मुआ़ज़ बिन अ़फ़रा इस क़िस्से को लेकर हज़रत उस्मान रज़ि. के पास गये, हज़रत उस्मान रज़ि. ने भी इसे बरक़रार रखा और फ़रमाया कि चोटी की धज्जी और सब कुछ ले लो। बाज़ रिवायतों में है यह भी और इससे छोटी चीज़ भी ग़र्ज़ सब कुछ ले लो।

पस इन वाक़िआ़त का मतलब यह है कि यह दलील है इस पर कि औ़रत के पास जो कुछ है सब कुछ देकर वह ख़ुला करा सकती है और शौहर अपनी दी हुई चीज़ से ज़ायद लेकर भी ख़ुला कर सकता है। इब्ने उमर इब्ने अ़ब्बास रज़ि., मुजाहिद, इक्रिमा, इब्राहीम नख़ई, क़बीसा बिन ज़ुवैब, हसन बिन सालेह, उस्मान रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। इमाम मालिक, लैस, इमाम शाफ़ई और अबू सौर का मज़हब भी यही है। इमाम इब्ने जरीर रह. भी इसी को पसन्द फ़रमाते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा के साथियों का क़ौल है कि अगर क़सूर और तकलीफ़ पहुँचाना औ़रत की तरफ़ से हो तो शौहर को जायज़ है कि जो उसने दिया है वापस ले ले, लेकिन उससे ज़्यादा लेना जायज़ नहीं। अगरचे ज़्यादा ले ले तो भी क़ज़ा (फ़ैसले) के वक़्त जायज़ होगा। अगर शौहर की अपनी जानिब से ज़्यादती हो तो उसे कुछ भी लेना जायज़ नहीं, अगर ले तो क़ाज़ी के फ़ैसले के वक़्त जायज़ होगा। (यानी अगरचे फ़ैसले के सबब लेना जायज़ होगा लेकिन दियानत के लिहाज़ से लेना न चाहिये)।

इमाम अहमद, अबू उबैद और इस्हाक़ बिन राहवैह रह. फ़रमाते हैं कि शौहर को अपने दिये हुए से ज़्यादा लेना जायज़ नहीं। सईद बिन मुसैयब, अ़ता, अ़मर बिन शुऐब, ज़ोहरी, ताऊस, हसन शअ़बी, हम्माद बिन अबू सुलैमान और रबीअ़ बिन अनस रह. का भी यही मज़हब है। मामर और हाकिम कहते हैं कि हज़रत अ़ली रज़ि. का भी यही फ़ैसला है। इमाम औज़ाई का फ़रमान है कि क़ाज़ियों का फ़ैसला है कि दिये हुए से ज़्यादा लेना उनके ख़्याल में जायज़ नहीं। इस मज़हब की दलील वह हदीस भी है जो ऊपर बयान हो

चुकी, जिसमें है कि अपना बाग़ ले लो और उससे ज़्यादा न लो। मुस्नद अ़ब्द बिन हुमैद में भी एक मरफ़ूअ़ हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुला (तलाक़) लेने वाली औ़रत से अपने दिये हुए से ज़्यादा लेना मक्रूह रखा और इस सूरत में जो कुछ फ़िदया वह दे का लफ़्ज़ जो क़ुरआन में है उसके मायने यह होंगे कि दिये हुए में से जो कुछ दे, क्योंकि उससे पहले यह फ़रमान मौजूद है कि तुमने जो उन्हें दिया है उसमें से कुछ न लो......। रबीअ़ की क़िराअत में 'बिही' के बाद 'मिन्हु' (यानी उसी में से) का लफ़्ज़ भी है। फिर फ़रमाया कि ये अल्लाह की हदें और सीमायें हैं, इनसे आगे न बढ़ो, वरना गुनाहगार होगे।

ख़ुला की कुछ और तफ़सील

'ख़ुला' को बाज़ हज़रात तलाक़ में शुमार नहीं करते, वे फ़रमाते हैं कि अगर एक शख़्स ने अपनी बीवी को दो तलाक़ें दे दी हैं फिर उस औ़रत ने ख़ुला करा लिया तो अगर शौहर चाहे तो उससे फिर निकाह कर सकता है, और इस पर दलील यही आयत पेश करते हैं। यह क़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का है। हज़रत इक्रिमा रज़ि. भी फ़रमाते हैं कि यह तलाक़ नहीं, देखो आयत के शुरू और आख़िर में तलाक़ का ज़िक्र है, पहले दो तलाक़ों का फिर आख़िर में तीसरी तलाक़ का और बीच में ख़ुला का ज़िक्र है। पस मालूम हुआ कि ख़ुला तलाक़ नहीं, बल्कि फ़स्ख़ (रिश्ते का टूटना) है। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान और हज़रत इब्ने उमर, ताऊस, इक्रिमा, अहमद बिन हंबल, इस्हाक़ बिन राहवैह, अबू सौर, दाऊद बिन अ़ली ज़ोहरी का भी यही मज़हब है। इमाम शाफ़ई रह. का भी पुराना क़ौल यही है, और आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ भी यही हैं। बाज़ दूसरे बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि ख़ुला तलाक़े बाईन है, और अगर एक से ज़्यादा की नीयत होगी तो वह भी मोतबर है। एक रिवायत में है कि उम्मे बक्र असलमिया ने अपने शौहर अ़ब्दुल्लाह इब्ने ख़ालिद से ख़ुला लिया और हज़रत उस्मान रज़ि. ने उसे एक तलाक़ होने का फ़तवा दिया और साथ ही फ़रमाया कि अगर कुछ नाम लिया हो तो जो कुछ नाम लिया हो वह है, लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम। हज़रत उमर, हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने उमर, सईद बिन मुसैयब, हसन, अ़ता, शुरैह, शअ़बी, इब्राहीम, जाबिर बिन ज़ैद, इमाम मालिक, अबू हनीफ़ा, उनके साथी, सौरी, औज़ाई, अबू उस्मान सब ही का क़ौल है कि ख़ुला तलाक़ है। इमाम शाफ़ई का भी नया क़ौल यही है। हाँ हनफ़िया कहते हैं कि अगर दो तलाक़ों की नीयत ख़ुला देने वाले की है तो दो हो जायेंगी, अगर कुछ लफ़्ज़ न कहे और मुतलक़ (बिना कुछ कहे और क़ैद लगाये) ख़ुला हो तो एक तलाक़े बाईन होगी। अगर तीन की नीयत है तो तीन हो जायेंगी। इमाम शाफ़ई का एक और क़ौल भी है कि अगर तलाक़ का लफ़्ज़ नहीं और कोई दलील व शहादत भी नहीं तो वह बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं।

मसला

इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ बिन राहवैह रह. का मस्लक है कि ख़ुला की इद्दत है। हज़रत उमर, हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. और सईद बिन मुसैयब, सुलैमान बिन यसार, उरवा, सालिम, अबू सलमा, उमर बिन अ़ब्दुल-अज़ीज़, इब्ने शिहाब, हसन, शअ़बी, इब्राहीम नख़ई, अबू अ़याज़, जुलास बिन अ़मर, क़तादा, सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, लैस बिन सअ़द और अबू उबैदा रह. का भी यही फ़रमान है। दूसरा क़ौल यह है कि सिर्फ़ एक हैज़ उसकी इद्दत है। हज़रत उस्मान रज़ि. का यही फ़ैसला है। इब्ने उमर रज़ि. अगरचे तीन हैज़ का फ़तवा देते थे लेकिन साथ ही फ़रमा दिया करते थे

कि हज़रत उस्मान हमसे बेहतर हैं और हमसे बड़े आ़लिम हैं। और इब्ने उमर से एक हैज़ की इद्दत भी रिवायत है। इब्ने अ़ब्बास, इक्रिमा, अबान बिन उस्मान रज़ि. और तमाम वे लोग जिनके नाम ज़िक्र हुए जो खुला को फ़स्ख़ कहते हैं, ज़रूरी है कि उन सब का क़ौल भी यही हो। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की हदीस में भी यही है कि साबित बिन क़ैस की बीवी साहिबा को आपने इस सूरत में एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था। तिर्मिज़ी में है कि रबीअ़ बिन्ते मुअ़व्विज़ को भी खुला के बाद एक ही हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान सादिर हुआ था। हज़रत उस्मान रज़ि. ने खुला वाली औ़रत से फ़रमाया था कि तुझ पर इद्दत ही नहीं, हाँ अगर क़रीब के ज़माने में ही शौहर से मिली हो तो एक हैज़ आ जाने तक उसके पास ठहरी रहो। मरियम मुग़ालिया के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जो फ़ैसला था उसकी पैरवी हज़रत अमीरुल-मोमिनीन ने की।

मसला

जमहूर उलेमा-ए-किराम और चारों इमामों के नज़दीक खुला वाली औ़रत से रुजू करने का हक़ शौहर को हासिल नहीं, इसलिये कि उसने माल देकर अपने को आज़ाद करा लिया है। अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, माहान हनफ़ी, सईद और ज़ोहरी का क़ौल है कि वापस लिया हुआ लौटा दे तो रुजू करने का हक़ हासिल है, बग़ैर औ़रत की रज़ामन्दी के भी रुजू कर सकता है। इमाम सुफ़ियान सौरी रह. फ़रमाते हैं कि अगर खुला में तलाक़ का लफ़्ज़ नहीं तो वह सिर्फ़ जुदाई है, और रुजू करने का हक़ नहीं। और अगर तलाक़ का नाम लिया है तो बेशक रुजू करने का पूरा-पूरा हक़दार है। दाऊद ज़ाहिरी भी यही फ़रमाते हैं, हाँ सब का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर दोनों रज़ामन्द हों तो नया निकाह इद्दत के अन्दर-अन्दर कर सकते हैं। इब्ने अ़ब्दुल-बर्र एक फ़िर्क़े (जमाअ़त) का यह क़ौल भी नक़ल करते हैं कि इद्दत के अन्दर जिस तरह दूसरा कोई उससे निकाह नहीं कर सकता इसी तरह खुला देने वाला शौहर भी नहीं कर सकता, लेकिन यह क़ौल शाज़ और मर्दूद (यानी अस्वीकारीय और ग़ैर-मशहूर) है।

मसला

उस औ़रत पर इद्दत के अन्दर-अन्दर दूसरी तलाक़ भी वाक़े हो सकती है या नहीं, इसमें उलेमा के तीन क़ौल हैं। एक यह कि नहीं, क्योंकि वह औ़रत अपने नफ़्स की मालिक है और उस शौहर से अलग हो गयी है। इब्ने अ़ब्बास, इब्ने ज़ुबैर, इक्रिमा, जाबिर बिन ज़ैद, हसन बसरी, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इस्हाक़, अबू सौर का यही क़ौल है। दूसरा क़ौल इमाम मालिक का है कि अगर खुला के साथ ही बग़ैर ख़ामोश रहे तलाक़ दे दे तो वाक़े हो जायेगी, वरना नहीं। यह उसके जैसा है जो हज़रत उस्मान से रिवायत है। तीसरा क़ौल यह है कि इद्दत में तलाक़ वाक़े हो जायेगी, इमाम अबू हनीफ़ा रह. उनके साथी, सौरी, औज़ाई, सईद बिन मुसैयब, शुरैह, ताऊस, इब्राहीम, ज़ोहरी, हाकिम, हकम, हम्माद का यही क़ौल है। हज़रत इब्ने मसऊद और हज़रत अबू दर्दा रज़ि. से भी यह नक़ल तो है लेकिन साबित नहीं।

फिर फ़रमाता है कि ये ख़ुदा की हदें (सीमायें) हैं.........। सही हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला की हदों से आगे न बढ़ो। फ़राईज़ को ज़ाया न करो, रिश्तों की बेहुर्मती न करो, जिन चीज़ों का ज़िक्र शरीअ़त में नहीं तुम भी उनसे ख़ामोश रहो, क्योंकि ख़ुदा की ज़ात भूल-चूक से पाक है। इस आयत से उन लोगों ने दलील पकड़ी है जो कहते हैं कि तीनों तलाक़ें एक मर्तबा ही देना हराम हैं। इमाम मालिक के पैरोकार और

उनसे सहमत हज़रात का यही मज़हब है। उनके नज़दीक सुन्नत तरीक़ा यही है कि तलाक़ एक-एक दी जाये, क्योंकि 'अत्तलाक़ु मर्रतानि' कहा गया है।

फिर फ़रमाया कि ये अल्लाह की हदें हैं इनसे आगे न बढ़ो। इसकी मज़बूती उस हदीस से भी होती है जो सुनन नसाई में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एक मर्तबा यह मालूम हुआ कि किसी शख़्स ने अपनी बीवी को तीनों तलाक़ें एक साथ दी हैं, आप सख़्त नाराज़ होकर खड़े हो गये और फ़रमाने लगे क्या मेरी मौजूदगी में किताबुल्लाह के साथ खेल किया जाने लगा? यहाँ तक कि एक शख़्स ने खड़े होकर कहा अगर हुज़ूर इजाज़त दें तो मैं उस शख़्स को क़त्ल कर दूँ? लेकिन इस रिवायत की सनद में इन्क़िता है (यानी बीच में सनद टूटी हुई है)।

फिर इरशाद है कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी को दो तलाक़ें दे चुकने के बाद तीसरी भी दे दे तो वह उस पर हराम हो जायेगी यहाँ तक कि दूसरे से बाक़ायदा निकाह हो, हमबिस्तरी हो, फिर वह मर जाये या तलाक़ दे दे। पस अगर बग़ैर निकाह के मिसाल के तौर पर बाँदी बनाकर चाहे सोहबत भी कर ले तो भी पहले शौहर के लिये हलाल नहीं हो सकती। इसी तरह चाहे निकाह बाक़ायदा हो लेकिन उस दूसरे शौहर ने सोहबत न की हो तो भी पहले शौहर के लिये हलाल नहीं। अक्सर फ़ुक़हा में मशहूर है कि हज़रत सईद बिन मुसैयब सिर्फ़ निकाह से हलाल कहते हैं अगरचे सोहबत न हुई हो, लेकिन यह बात उनसे साबित नहीं। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि एक शख़्स एक औ़रत से निकाह करता है और दुख़ूल (हमबिस्तरी) से पहले ही तलाक़ दे देता है, वह दूसरा निकाह करती है, वह भी इसी तरह दुख़ूल से पहले ही तलाक़ दे देता है तो क्या पहले शौहर को अब उससे निकाह करना हलाल है? आपने फ़रमाया नहीं नहीं, जब तक कि यह उससे और वह इससे लुत्फ़-अन्दोज़ न हो ले। (मुस्नद अहमद, इब्ने माजा वग़ैरह) इस रिवायत के रावी हज़रत इब्ने उमर से ख़ुद सईद बिन मुसैयब हैं। पस कैसे मुम्किन है कि वह रिवायत भी करें और फिर मुख़ालफ़त भी करें, और फिर वह भी बिना दलील के।

एक रिवायत में यह भी है कि औ़रत रुख़्सत होकर जाती है, एक मकान में मियाँ-बीवी जाते हैं, पर्दा डाल दिया जाता है लेकिन सोहबत नहीं होती, जब भी यही हुक्म है। ख़ुद आपके ज़माने में ऐसा वाक़िआ हुआ। आपसे पूछा गया मगर आपने पहले शौहर की इजाज़त न दी। (बुख़ारी व मुस्लिम) एक रिवायत में है कि हज़रत रिफ़ाआ रज़ि. क़ुरज़ी की बीवी साहिबा तमीमा बिन्ते वहब को जब उन्होंने आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी तो उनका निकाह हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर रज़ि. से हुआ, लेकिन यह शिकायत लेकर दरबारे रिसालत में आयीं और कहा कि वह औ़रत के मतलब का नहीं, मुझे इजाज़त हो कि मैं अपने पहले शौहर के घर चली जाऊँ। आपने फ़रमाया यह नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी किसी और शौहर से सोहबत न हो। इन हदीसों की बहुत सी सनदें हैं और विभिन्न अलफ़ाज़ से रिवायत हैं।

हलाला की नीयत से निकाह करना अच्छा नहीं

यह याद रहे कि मक़सूद दूसरे शौहर से यह है कि ख़ुद उसे रग़बत हो और हमेशा बीवी बनाकर रखने का इच्छुक हो, क्योंकि निकाह से मक़सूद यही है। यह नहीं कि पहले शौहर के लिये महज़ हलाल हो जाये और बस, बल्कि इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि यह भी शर्त है कि यह मिलाप और तन्हाई भी मुबाह और जायज़ तरीक़े पर हो। जैसे औ़रत रोज़े से न हो, एहराम की हालत में न हो, एतिकाफ़ की हालत में न हो, हैज़ या निफ़ास की हालत में न हो। इसी तरह शौहर भी रोज़े से न हो, एहराम या एतिकाफ़ की हालत

में न हो, अगर दोनों में से किसी की यह हालत हो तो फिर चाहे तन्हाई और मुलाक़ात भी हो जाये फिर भी पहले शौहर पर हलाल न होगी। इसी तरह अगर दूसरा शौहर ज़िम्मी (काफ़िर) हो तो भी पहले मुस्लिम शौहर के लिये हलाल न होगी, क्योंकि इमाम साहिब के नज़दीक काफ़िरों के आपस के निकाह बातिल हैं। इमाम हसन बसरी रह. तो यह भी शर्त लगाते हैं कि इन्ज़ाल भी हो (यानी वीर्य भी निकले) क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अलफ़ाज़ से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि जब तक वह तेरा और तू उसका मज़ा न चखे, और अगर यही हदीस उनके पेशे नज़र हो तो चाहिये कि औ़रत की तरफ़ से भी यह शर्त मोतबर हो (यानी उसका भी वीर्य निकले), लेकिन हदीस के लफ़्ज़ 'अ़सीला' से मनी (वीर्य) मुराद नहीं, यह याद रहे। क्योंकि मुस्नद अहमद और नसाई में हदीस है कि 'अ़सीला' से मुराद सोहबत है। अगर दूसरे शौहर का इरादा उस निकाह से यह है कि पहले शौहर के लिये हलाल हो जाये तो ऐसे लोगों की मज़म्मत (निंदा और बुराई) बल्कि मलऊन होने की वज़ाहत हदीसों में आ चुकी है। मुस्नद अहमद में है कि गूदने वाली, गुदवाने वाली, बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली औ़रतें मलऊन हैं। हलाला करने वाले और जिसके लिये हलाला किया जाता है उन पर भी खुदा की फटकार है। सूदख़ोर और सूद खिलाने वाले भी लानती हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि सहाबा का अ़मल इसी पर है। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और इब्ने उमर रज़ि. का यही मज़हब है। ताबिईन फ़ुक़हा भी यही कहते हैं। हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद और इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का भी यही फ़रमान है। एक और रिवायत में है कि ब्याज की गवाही देने वालों और उसके लिखने वाले पर भी लानत है। ज़कात न देने वालों और लेने में ज़्यादती करने वालों पर भी लानत है। हिजरत के बाद लौटकर आराबी बनने वाले (यानी फिर कुफ़्र के माहौल को अपनाने वाले) पर भी फटकार है। नौहा करना (मय्यित पर बयान करके रोना) भी ममनूअ़ है। एक हदीस में है- मैं तुम्हें बताऊँ कि उधार लिया हुआ साण्ड कौनसा है, लोगों ने कहा हाँ। फ़रमाया जो हलाल करे, यानी तलाक़ वाली औ़रत से इसलिये निकाह करे कि वह पहले शौहर के लिये हलाल हो जाये। उस पर अल्लाह की लानत है, और जो अपने लिये ऐसा कराये वह भी मलऊन है। (इब्ने माजा)

एक रिवायत में है कि ऐसे निकाह के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया तो आपने फ़रमाया- यह निकाह ही नहीं जिसमें मक़सूद और हो और ज़ाहिर और हो, जिसमें खुदा की किताब के साथ मज़ाक़ और हंसी हो। निकाह सिर्फ़ वही है जो रग़बत (दिल की चाहत) के साथ हो। मुस्तद्रक हाकिम में है कि एक शख़्स ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से सवाल किया कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को तीसरी तलाक़ दे दी, उसके बाद उसके भाई ने बग़ैर अपने भाई के कहे खुद ही उससे इस इरादे से निकाह कर लिया कि यह मेरे भाई के लिये हलाल हो जाये तो आया यह निकाह सही हो गया या नहीं? आपने फ़रमाया हरगिज़ नहीं। हम तो इसे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में ज़िना शुमार करते थे। निकाह वही है जिसमें रग़बत (अपनी चाहत) हो। इस हदीस के इस पिछले जुमले ने इसे अगरचे यह मौक़ूफ़ है मगर हुक्म में मरफ़ूअ़ के कर दिया। बल्कि एक और रिवायत में है कि अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने फ़रमाया- अगर कोई ऐसा करेगा या करायेगा तो मैं दोनों को ज़िना की हद लगाऊँगा, यानी रजम कर दूँगा। ख़लीफ़ा-ए-वक़्त हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि. ने ऐसे निकाह में जुदाई करा दी। इसी तरह हज़रत अ़ली और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह बहुत से सहाबा किराम से भी यही मरवी है।

फिर फ़रमान है कि अगर दूसरा शौहर निकाह और सोहबत के बाद तलाक़ दे दे तो पहले शौहर पर फिर उसी औ़रत से निकाह कर लेने में गुनाह नहीं, जबकि ये अच्छी तरह निबाह कर लें, और यह भी जान

लें कि वह दूसरा निकाह सिर्फ़ धोखा और मक्र व फ़रेब का न था, बल्कि हक़ीक़त थी। ये हैं शरीअ़त के अहकाम जिन्हें इल्म वालों के लिये ख़ुदा ने वाज़ेह कर दिया है।

इमाम हज़रात का इसमें भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को दो या एक तलाक़ दे दी, फिर छोड़े रहा यहाँ तक कि वह इद्दत से निकल गयी। फिर उसने दूसरे से घर बसा लिया उससे हमबिस्तरी भी हुई, फिर उसने भी तलाक़ दे दी और उसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी फिर पहले शौहर ने उससे निकाह कर लिया तो क्या उसे तीन में से जो तलाक़ें यानी एक या दो जो बाक़ी हैं सिर्फ़ उन्हीं का इख़्तियार रहेगा या पहले की तीन तलाक़ें गिनती से निकल जायेंगी और उसे नये सिरे से तीनों तलाक़ों का हक़ हासिल हो जायेगा? पहला मज़हब तो है इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रह. और सहाबा रज़ि. की एक जमाअ़त का (यानी पहले की भी शुमार होंगी और उनको मिलाकर ही उसका इख़्तियार बाक़ी रहेगा), और दूसरा मज़हब है इमाम अबू हनीफ़ा रह. और उनके साथियों का (यानी अब नये सिरे से उसे तीन का इख़्तियार होगा पहली सब ख़त्म) और उनकी दलील यह है कि जब इस तरह तीसरी तलाक़ ही गिनती में नहीं आयी तो पहली दूसरी क्या आयेगी। वल्लाहु आलम।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ ص وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز
وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع O

और जब तुमने औरतों को (रजई) तलाक़ दे दी हो, फिर वे अपनी इद्दत गुज़रने के क़रीब पहुँच जाएँ तो (या तो) तुम उनको क़ायदे के मुवाफ़िक़ (लौटा करके) निकाह में रहने दो या क़ायदे के मुवाफ़िक़ उनको रिहाई दो। और उनको तकलीफ़ पहुँचाने की ग़र्ज़ से मत रोको, इस इरादे से कि उन पर ज़ुल्म किया करोगे। और जो शख़्स ऐसा (बर्ताव) करेगा सो वह अपना ही नुक़सान करेगा। और अल्लाह तआ़ला के अहकाम को खेल-कूद (की तरह बेवक़्अ़त) मत समझो, और हक़ तआ़ला की जो नेमतें तुम पर हैं उनको याद करो, और (ख़ास कर) इस किताब और हिक्मत (के मज़ामीन) को जो अल्लाह तआ़ला ने तुम पर (इस हैसियत से) नाज़िल फ़रमाई है कि तुमको उसके ज़रिये से नसीहत फ़रमाते हैं। और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं। (231)

الثلثة ٢٩ ع ١٢

औरत को परेशान करना शरअ़न् नाजायज़ है

मर्दों को हुक्म हो रहा है कि जब वे अपनी बीवियों को तलाक़ दें जिन तलाक़ों में लौटा लेने का हक़ उन्हें हासिल है, और इद्दत ख़त्म होने के क़रीब पहुँच जाये तो या तो अच्छे अन्दाज़ के साथ लौटा ले, यानी

रुजू करने पर गवाह मुक़र्रर करे और अच्छाई से बसाने की नीयत रखे, या उसे अच्छे अन्दाज़ से छोड़ दे और इद्दत ख़त्म होने के बाद अपने यहाँ से बग़ैर इख़्तिलाफ़ झगड़े दुश्मनी और बुरा-भला कहे बग़ैर निकाल दे। जाहिलीयत के उस दस्तूर को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया जो उनमें था कि तलाक़ दे दी, इद्दत ख़त्म होने के क़रीब रुजू कर लिया, फिर तलाक़ दे दी, फिर रुजू कर लिया, यूँही उस दुखिया औ़रत की उम्र बरबाद कर देते थे कि न वह सुहागन ही रहे न रांड, तो इससे ख़ुदा ने रोका और फ़रमाया कि ऐसा करने वाला ज़ालिम है। फिर फ़रमाया कि अल्लाह की आयतों को हंसी न बनाओ। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अश्अ़री क़बीले पर नाराज़ हुए तो हज़रत अबू मूसा अश्अ़री ने हाज़िरे ख़िदमत होकर सबब दरियाफ़्त किया, आपने फ़रमाया क्यों ये लोग कह दिया करते हैं कि मैंने तलाक़ दी, मैंने रुजू किया। याद रखो! मुसलमानों की ये तलाक़ें नहीं, औ़रतों को इद्दत के मुताबिक़ तलाक़ें दो। यह भी मतलब बयान किया गया है कि यह वह शख़्स है जो बिना वजह तलाक़ दे और औ़रत को नुक़सान व तकलीफ़ पहुँचाने के लिये और उसकी इद्दत लम्बी करने के लिये रुजू ही करता चला जाये। यह भी कहा गया है कि यह वह शख़्स है जो तलाक़ दे या आज़ाद कर दे या निकाह करे, फिर कह दे कि मैंने तो हंसी-हंसी में यह किया। ऐसी सूरतों में ये तीनों काम हक़ीक़त में वाक़े हो जायेंगे।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी, फिर कह दिया कि मैंने तो मज़ाक़ किया था। इस पर यह आयत उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह तलाक़ हो गयी। (इब्ने मर्दूया) हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि लोग तलाक़ देते और आज़ाद कर देते, निकाह कर लेते और फिर कह देते कि हमने बतौर दिल्लगी के यह किया था, इस पर यह आयत उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो तलाक़ दे, या गुलाम आज़ाद करे, या निकाह करे, या करा दे, चाहे पक्के इरादे के साथ चाहे हंसी-मज़ाक़ में, वह सब हो गया। (इब्ने अबी हातिम) यह हदीस मुर्सल और मौक़ूफ़ कई सनदों से मरवी है। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हदीस है कि तीन चीज़ें हैं कि पक्के इरादे से हों तो और दिल्लगी से हों तो, तीनों ही साबित हो जायेंगी- निकाह, तलाक़ और रुजू करना। इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन ग़रीब कहते हैं। अल्लाह की नेमत याद करो कि उसने रसूल भेजे, हिदायत और दलीलें नाज़िल फ़रमायीं, किताब और सुन्नत सिखाई, हुक्म भी किये, मना भी किये वग़ैरह-वग़ैरह, जो काम करो और जो न करो, हर एक में ख़ुदा से डरते रहा करो, और जान लो कि अल्लाह तआ़ला हर छुपी और ज़ाहिर बात और आमाल को अच्छी तरह जानता है।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

और जब तुम (में ऐसे लोग पाए जाएँ कि वे) अपनी बीवियों को तलाक़ दे दें, फिर वे औ़रतें अपनी (इद्दत की) मीयाद भी पूरी कर चुकें तो तुम उनको इस बात से मत रोको कि वे अपने शौहरों से निकाह कर लें, जबकि आपस में सब रज़ामन्द हो जाएँ क़ायदे के मुवाफ़िक़। इस (मज़मून) से नसीहत की जाती है उस शख़्स को जो कि तुममें से अल्लाह पर और

क़ियामत के दिन पर यक़ीन रखता हो, यह (यानी इस नसीहत को क़बूल करना) तुम्हारे लिए ज़्यादा सफ़ाई और ज़्यादा पाकी की बात है, और अल्लाह तआ़ला जानते हैं और तुम नहीं जानते। (232)	وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

औ़रत को दूसरे निकाह से रोकना जुर्म है

इस आयत में औ़रतों के वली-वारिसों को मनाही हो रही है कि जब किसी औ़रत को तलाक़ हो जाये और इद्दत भी गुज़र जाये, फिर मियाँ-बीवी रज़ामन्दी से निकाह करना चाहें तो वे उन्हें न रोकें। इस आयत में दलील है इस बात की भी कि औ़रत खुद अपना निकाह नहीं कर सकती और निकाह बग़ैर वली नहीं हो सकता। चुनाँचे इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने जरीर रह. ने इस आयत की तफ़सीर में यह हदीस पेश की है कि औ़रत औ़रत का निकाह नहीं कर सकती, न औ़रत अपना निकाह खुद कर सकती है। वे औ़रतें ज़िनाकार हैं जो अपना निकाह आप कर लें। दूसरी हदीस में है कि निकाह बग़ैर राह-याफ़्ता के और दो आ़दिल गवाहों के नहीं। अगरचे इस मसले में भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है लेकिन इसके बयान की जगह तफ़सीर नहीं, हम इसका बयान किताबुल-अहकाम में कर चुके हैं।

यह आयत हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ि. और उनकी बहन साहिबा के बारे में नाज़िल हुई। सही बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़सीर के बयान में है कि हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ि. फ़रमाते हैं, मेरी बहन का रिश्ता मेरे पास आया था, मैंने निकाह कर दिया, उसने कुछ दिनों के बाद तलाक़ दे दी, फिर इद्दत गुज़रने के बाद निकाह की दरख़्वास्त की, मैंने इनकार किया, इस पर यह आयत उतरी, जिसे सुनकर हज़रत मअ़क़ल ने इसके बावजूद कि क़सम खा रखी थी कि मैं तेरे निकाह में न दूँगा, निकाह पर आमादा हो गये और कहने लगे- मैंने ख़ुदा का फ़रमान सुना और मैंने मान लिया और अपने बहनोई को बुलाकर दोबारा निकाह करा दिया और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया। उनका नाम जमील बिन्ते यसार रज़ि. था, उनके शौहर का नाम अबुल-बदाह था। बाज़ ने उनका नाम फ़ातिमा बिन्ते यसार बताया है। सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह और उनके चचा की बेटी के बारे में नाज़िल हुई है, लेकिन पहली बात ही ज़्यादा सही है।

फिर फ़रमाया कि यह नसीहत व वअ़ज़ उनके लिये है जिन्हें शरीअ़त पर ईमान हो, ख़ुदा का डर हो, क़ियामत का ख़ौफ़ हो, उन्हें चाहिये कि अपनी निगरानी और सरपरस्ती में जो औ़रतें हों उन्हें ऐसी हालत में निकाह से न रोकें, शरीअ़त की पैरवी करके ऐसी औ़रतों को उनके शौहरों के निकाह में दे देना और अपनी ग़ैरत और शान को जो शरीअ़त के ख़िलाफ़ हो उसको शरीअ़त के ताबे कर देना ही तुम्हारे लिये बेहतरी और पाकीज़गी का ज़रिया है। इन मस्लेहतों का इल्म अल्लाह तआ़ला को ही है, तुम्हें नहीं मालूम कि किस काम के करने में भलाई है और किसके छोड़ने में। यह इल्म हक़ीक़त में ख़ुदा ही को है।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

और माएँ आपने बच्चों को पूरे दो साल दूध पिलाया करें, (यह मुद्दत) उसके लिए (है) जो दूध पिलाने की तकमील करना चाहे। और जिसका बच्चा है (यानी बाप) उसके ज़िम्मे है उन (माँओं) का खाना और कपड़ा क़ायदे के मुवाफ़िक़, किसी शख़्स को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बरदाश्त के मुवाफ़िक़। किसी माँ को तकलीफ़ न पहुँचाना चाहिए उसके बच्चे की वजह से, और न किसी बाप को तकलीफ़ देनी चाहिए उसके बच्चे की वजह से, और इसी तरह (यानी ज़िक्र हुए तरीक़े के मुताबिक़) उसके ज़िम्मे है जो वारिस हो, फिर अगर दोनों दूध छुड़ाना चाहें अपनी रज़ामन्दी और मश्विरे से तो दोनों पर किसी क़िस्म का गुनाह नहीं, और अगर तुम लोग अपने बच्चों को (किसी और अन्ना का) दूध पिलवाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि उनके हवाले कर दो जो कुछ उनको देना किया है क़ायदे के मुवाफ़िक़, और हक़ तआ़ला से डरते रहो, और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों को ख़ूब देख रहे हैं। (233)

दूध पिलाने की मुद्दत, अहकाम व मसाईल

यहाँ अल्लाह तआ़ला बच्चों वाली औरतों को इरशाद फ़रमाता है कि पूरी-पूरी मुद्दत दूध पिलाने की दो साल है, उसके बाद दूध पिलाने का कोई एतिबार नहीं, न उससे रज़ाअ़त (दूध पिलाने) के अहकाम साबित होते हैं और न हुर्मत (हराम होना) होती है। अक्सर इमामों का यही मज़हब है। तिर्मिज़ी में बाब है कि रज़ाअ़त (दूध पिलाने की मुद्दत) जो हुर्मत (रिश्तों का हराम होना) साबित करती है वह वही है जो दो साल से पहले की हो। फिर हदीस लाये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- वही रज़ाअ़त हराम करती है जो आँतों को पुर करे (यानी ग़िज़ा से भर दे) और दूध छूटने से पहले हो। यह हदीस हसन सही है और अक्सर उलेमा, सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम वग़ैरह का इसी पर अ़मल है कि दो साल से पहले रज़ाअ़त तो मोतबर है उसके बाद की नहीं। इस हदीस के रावी बुख़ारी व मुस्लिम की शर्त पर हैं।

हदीस में "फ़िस्सद्यि" का जो लफ़्ज़ है इसके मायने भी दूध पिलाने की मुद्दत यानी दो साल से पहले

के हैं। यही लफ़्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त भी फ़रमाया था जब आपके बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अ़न्हु का इन्तिक़ाल हुआ था कि वह दूध पीने की मुद्दत में इन्तिक़ाल कर गये हैं और उन्हें दूध पिलाने वाली जन्नत में मुक़र्रर है। हज़रत इब्राहीम रज़ि. की उम्र उस वक़्त एक साल और दस महीने की थी। दारे क़ुतनी में एक हदीस दो साल की मुद्दत के बाद की रज़ाअ़त (दूध पिलाने) के मोतबर न होने की है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी फ़रमाते हैं कि उसके बाद कोई चीज़ नहीं। अबू दाऊद तयालिसी की रिवायत में है कि दूध छूट जाने के बाद रज़ाअ़त के मोतबर न होने की है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी फ़रमाते हैं कि इसके बाद कोई चीज़ नहीं। अबू दाऊद, तयालिसी की रिवायत में है कि दूध छूट जाने के बाद रज़ाअ़त नहीं, और बालिग़ होने के बाद यतीमी का हुक्म नहीं। ख़ुद क़ुरआने करीम में एक और जगह है:

فِصَالُهٗ عَامَيْنِ.......... الخ.

दूध छूटने की मुद्दत दो साल है। एक और जगह है:

وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا.

यानी हमल (गर्भ) और दूध (दोनों की मुद्दत) तीस माह हैं।

यह क़ौल कि दो साल के बाद दूध पिलाने और पीने से रज़ाअ़त (दूध पीने-पिलाने) की हुर्मत साबित नहीं होती, इन तमाम हज़रात का है- हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, हज़रत सईद बिन मुसैयब, हज़रत अ़ता और जमहूर का यही मज़हब है। इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, इमाम सौरी, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद, इमाम मालिक रह. का भी यही मज़हब है, अगरचे एक रिवायत में इमाम मालिक से दो साल दो माह भी नक़ल हैं, और एक रिवायत में दो साल तीन माह भी हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रह. ढाई साल की मुद्दत बतलाते हैं। इमाम ज़ुफ़र कहते हैं कि जब तक दूध नहीं छुटा तो तीन साल की मुद्दत है। इमाम औज़ाई से यह भी रिवायत है कि अगर कोई बच्चा दो साल से पहले दूध छुटा लिया जाये फिर उसके बाद वह किसी औरत का दूध पिये तो भी हुर्मत साबित न होगी। इसलिये कि अब दूध ख़ुराक के क़ायम-मक़ाम हो गया। इमाम औज़ाई रह. से एक रिवायत यह भी है, हज़रत उमर रज़ि. हज़रत अ़ली रज़ि. से रिवायत है कि दूध छुटा लेने के बाद रज़ाअ़त नहीं। इस क़ौल के दोनों मतलब हो सकते हैं, यानी या तो यह कि दो साल के बाद, या यह कि जब भी इससे पहले दूध छूट गया, उसके बाद। जैसे इमाम मालिक रह. का फ़रमान है। वल्लाहु आलम।

हाँ सही बुख़ारी, सही मुस्लिम में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मरवी है कि वह उसके बाद की, बल्कि बड़े आदमी की रज़ाअ़त (दूध पीने) को हुर्मत (रिश्तों के हराम होने) में प्रभावी जानती हैं। हज़रत अ़ता और लैस का भी यही क़ौल है। हज़रत आ़यशा रज़ि. जिस शख़्स का आना-जाना कहीं ज़रूरी जानतीं वहाँ हुक्म देतीं कि वे औरतें उसे अपना दूध पिलायें और इस हदीस से दलील पकड़ती थीं कि हज़रत सालिम को जो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के मौला (आज़ाद किये हुए गुलाम) थे, हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया था कि वह उनकी बीवी साहिबा का दूध पी लें, हालाँकि वह बड़ी उम्र के थे और इस रज़ाअ़त (दूध पीने) की वजह से फिर वह बराबर आते जाते रहते थे, लेकिन हुज़ूरे पाक की दूसरी बीवियाँ इसका इनकार करती थीं और कहती थीं कि यह हुक्म ख़ास उनही के लिये था, हर शख़्स के लिये यह हुक्म

नहीं। यही मज़हब जमहूर का है, यानी चारों इमामों और सातों फ़ुक़हा का, तमाम बड़े सहाबा किराम रज़ि. और तमाम उम्महातुल-मोमिनीन (हुज़ूरे पाक की पाक बीवियों) का सिवाय हज़रत आ़यशा रज़ि. के, और उनकी दलील वह हदीस है जो बुख़ारी व मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया देख लिया करो कि तुम्हारे भाई कौन हैं? रज़ाअ़त (दूध पिलाना) उस वक़्त है जब दूध भूख मिटा सकता हो। बाक़ी रज़ाअ़त (दूध पिलाने) का पूरा मसला सूरः निसा की आयत नम्बर 23 की तफ़सीर में आयेगा इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

फिर फ़रमान है कि बच्चों की माँ का नान-नफ़क़ा (रोटी, कपड़ा और ज़रूरी ख़र्च) बच्चों के वालिद पर है। अपने अपने शहरों की आ़दत और दस्तूर के मुताबिक़ अदा करें, न तो ज़्यादती हो न कमी, बल्कि गुंजाईश व हैसियत के मुताबिक़ दरमियानी ख़र्च दे दिया करें। जैसे फ़रमायाः

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ.

यानी ख़ुशहाल अपनी गुंजाईश व ख़ुशहाली के मुताबिक और तंगी वाले अपनी तंगी के मुताबिक़ दें। अल्लाह तआ़ला ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जल्द ही अल्लाह तआ़ला सख़्ती के बाद आसानी कर देगा। इमाम ज़ह्हाक फ़रमाते हैं कि जब किसी शख़्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी और उसके साथ बच्चा भी है तो उसकी दूध पीने की मुद्दत के ज़माने तक का ख़र्च उस मर्द पर वाजिब है।

फिर अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि औ़रत अपने बच्चे को दूध पिलाने से इनकार करके उसके वालिद को तंगी में न डाले, बल्कि बच्चों को दूध पिलाती रहे, इसलिये कि यही उसकी गुज़रान का सबब है, दूध से जब बच्चा बेपरवाह हो जाये तो बेशक बच्चे को दे दे, लेकिन फिर भी नुक़सान पहुँचाने का इरादा न हो। इसी तरह शौहर उससे जबरन बच्चे को अलग न करे, जिससे वह ग़रीब दुख में पड़े।

वारिस को भी यही चाहिये कि बच्चे की वालिदा को ख़र्च से तंग न करे, उसके हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करे और उसे नुक़सान न पहुँचाये। हनफ़िया (इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वालों) और हंबलिया (इमाम अहमद के मानने वालों) में से जो लोग इसके क़ायल हैं कि रिश्तेदारों में से बाज़ का नफ़क़ा (ख़र्च) बाज़ पर वाजिब है, उन्होंने इसी आयत से इस्तिदलाल किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और पहले जमहूर उलेमा से यही मरवी है। हज़रत समुरा वाली मरफ़ूअ़ हदीस से भी यही मालूम होता है जिसमें है कि जो शख़्स अपने किसी मेहरूम रिश्तेदार का मालिक हो जाये तो वह आज़ाद हो जायेगा। यह भी याद रहे कि दो साल के बाद दूध पिलाना उमूमन बच्चे को नुक़सान देता है, या तो जिस्मानी या दिमाग़ी। हज़रत अ़ल्क़मा रज़ि. ने एक औ़रत को दो साल से बड़े बच्चे को दूध पिलाते हुए देखकर मना फ़रमाया।

फिर फ़रमाता है कि अगर ये रज़ामन्दी और मश्विरे से दो साल के अन्दर-अन्दर जब कभी भी दूध छुड़ाना चाहें तो इन पर कोई हर्ज नहीं, हाँ एक की रज़ामन्दी बग़ैर दूसरे की रज़ामन्दी काफ़ी न होगी, यह बच्चे की हिफ़ाज़त और उसकी निगरानी की तरकीब है। ख़्याल फ़रमाईये कि ख़ुदा तआ़ला अपने बन्दों पर किस क़द्र रहीम व करीम है कि छोटे बच्चों के वालिदैन (माँ-बाप) को उन कामों से रोक दिया जिनमें बच्चों की बरबादी का ख़ौफ़ था, और वह हुक्म दिया जिससे एक तरफ़ बच्चे की हिफ़ाज़त और दूसरी तरफ़ माँ-बाप की भी इस्लाह (सुधार और बेहतरी) हो। सूरः तलाक़ में फ़रमायाः

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ.......... الخ.

अगर औरतें बच्चे को दूध पिलाया करें तो तुम उनकी उजरत भी अदा कर दिया करो और आपस में बेहतराई और अच्छे अन्दाज़ के साथ मामला रखो। यह और बात है कि तंगी के वक़्त किसी और से दूध पिलवा दो। चुनाँचे यहाँ भी फ़रमाया कि अगर वालिदा और वालिद अलग-अलग होकर किसी उज़्र (मजबूरी) की बिना पर किसी और से दूध शुरू करायें और पहले की उजरत कामिल तौर पर वालिद वालिदा को दे दे तो भी दोनों पर कोई गुनाह नहीं। अब दूसरी किसी दाया से उजरत चुकाकर दूध पिलवा दें। लोगो! अल्लाह से हर मामले में डरते रहा करो और जान लो कि तुम्हारे अक़्वाल व अफ़आल (बातों और कामों) को वह बख़ूबी (अच्छी तरह) जानता है।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○	और जो लोग तुममें वफ़ात पा जाते हैं और बीवियाँ छोड़ जाते हैं, वे बीवियाँ अपने आपको (निकाह वग़ैरह से) रोके रखें चार महीने और दस दिन, फिर जब अपनी (इद्दत की) मियाद ख़त्म कर लें तो तुमको कुछ गुनाह न होगा ऐसी बात में कि वे औरतें अपनी ज़ात के लिए (निकाह की) कुछ कार्रवाई करें क़ायदे के मुवाफ़िक़, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों की ख़बर रखते हैं। (234)

इद्दत और उसके अहकाम

इस आयत में हुक्म हो रहा है कि औरतें अपने शौहरों के इन्तिक़ाल के बाद चार महीने दस रात इद्दत गुज़ारें चाहे उनसे सोहबत हुई हो या न हुई हो। इस बात पर इजमा (सब की एक राय) है, दलील इसकी एक तो इस आयत का आ़म होना है, दूसरे यह हदीस जो मुस्नद अहमद और सुनन में है जिसे तिर्मिज़ी रह. सही कहते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से सवाल होता है कि एक शख़्स ने एक औरत से निकाह किया, उससे सोहबत नहीं की थी, न मेहर मुक़र्रर हुआ था कि उसका इन्तिक़ाल हो गया, फ़रमाईये उसके बारे में क्या फ़तवा है। जब कई मर्तबा वह आये तो आपने फ़रमाया मैं अपनी राय से फ़तवा देता हूँ अगर ठीक हो तो ख़ुदा की तरफ़ से जानो और अगर ख़ता हो तो मेरी और शैतान की तरफ़ से समझो। अल्लाह व रसूल उससे बरी हैं। मेरा फ़तवा यह है कि उस औरत को ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक़ पूरा मेहर दिया जाये, उसमें कोई कमी-बेशी न हो और उस औरत को पूरी इद्दत गुज़ारनी चाहिये और उसे विरासत भी मिलेगी। यह सुनकर हज़रत मअ़क़ल बिन सिनान अश्जई रज़ि. खड़े हो गये और फ़रमाने लगे बरवा बिन्ते वाशिक़ रज़ि. के बारे में रसूलुल्लाह ने यही फ़ैसला किया था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह यह सुनकर बहुत ही ख़ुश हुए। बाज़ रिवायतों में है कि अश्जा के बहुत से लोगों ने यह रिवायत बयान की, हाँ जो औरत अपने शौहर की वफ़ात के वक़्त हमल (गर्भ) से हो उसके लिये यह इद्दत नहीं, उसकी इद्दत गर्भ पैदा होना (गिरना या बाहर आना) है चाहे इन्तिक़ाल के एक घड़ी के बाद ही हो जाये। क़ुरआन में है:

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

हमल वालियों (गर्भवतियों) की इद्दत हमल का पैदा होना है। हाँ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हमल को जन्म देना और चार महीने दस दिन में जो देर की इद्दत हो वह हामिला की इद्दत है। यह क़ौल तो बहुत अच्छा है और दोनों आयतों में इससे ततबीक़ (मुवाफ़क़त) भी उम्दा तौर पर हो जाती है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सहीहैन की एक साफ़ और स्पष्ट हदीस मौजूद है जिसमें है कि सबीआ़ असलमिया रज़ि. के शौहर का जब इन्तिक़ाल हुआ उस वक़्त आप हमल से थीं और चन्द रातें ही गुज़र पाई थीं कि बच्चा पैदा हुआ, जब नहा-धो चुकीं तो लिबास वग़ैरह अच्छा पहन लिया। हज़रत अबुस्सनाबिल बिन बअ़लबक ने यह देखकर फ़रमाया कि क्या तुम निकाह करना चाहती हो? ख़ुदा की क़सम जब तक चार महीने दस दिन न गुज़र जायें तुम निकाह नहीं कर सकतीं। हज़रत सबीआ़ रज़ि. यह सुनकर ख़ामोश हो गयीं और शाम के वक़्त ख़िदमते नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में हाज़िर हुईं और मसला पूछा तो आपने फ़रमाया कि जब बच्चा हो गया उसी वक़्त तुम इद्दत से निकल गयीं अब अगर तुम चाहो तो बेशक निकाह कर सकती हो। यह भी मरवी है कि जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह को इस हदीस का इल्म हुआ तो आपने भी अपने क़ौल से रुजू कर लिया, इसकी ताईद इससे भी ज़्यादा होती है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. के साथी और शागिर्द भी इसी हदीस के मुताबिक़ फ़तवा दिया करते थे। इसी तरह बाँदी की इद्दत भी इतनी नहीं, कि उसकी इद्दत इससे आधी है। यानी दो महीने और पाँच रातें, जमहूर का मज़हब यही है जिस तरह बाँदी की हद (सज़ा) आज़ाद औ़रत के मुक़ाबले में आधी है, इसी तरह इद्दत भी है।

मुहम्मद बिन सीरीन और बाज़ उलेमा-ए-ज़ाहिरिया बाँदी और आज़ाद औ़रत की इद्दत में बराबरी के क़ायल हैं, उनकी दलील एक तो आयत का आ़म होना है, दूसरे यह कि इद्दत (यानी हैज़ों को आना) एक फ़ितरी चीज़ है जिसमें तमाम औ़रतें बराबर हैं। हज़रत सईद बिन मुसैयब, अबुल-आ़लिया वग़ैरह फ़रमाते हैं कि इस इद्दत में हिक्मत यह है कि अगर औ़रत को हमल होगा तो इस मुद्दत में बिल्कुल ज़ाहिर हो जायेगा। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. की सहीहैन वाली मरफ़ूअ़ हदीस में है कि इनसान की पैदाईश का यह हाल है कि चालीस दिन तक तो माँ के रहम (गर्भ) में नुत्फ़े की शक्ल में होता है, फिर जमे हुए ख़ून की शक्ल चालीस दिन रहती है, फिर चालीस दिन गोश्त का लोथड़ा रहता है, फिर अल्लाह तआ़ला फ़रिश्ते को भेजता है और वह उसमें रूह फूँकता है। तो यह एक सौ बीस दिन हुए जिसके चार महीने हुए। दस दिन एहतियात के तौर पर और रख दिये, क्योंकि बाज़े महीने उन्तीस दिन के भी होते हैं और जब रूह फूँक दी गयी तो अब बच्चे की हरकत महसूस होने लगती है और हमल बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है, इसलिये इतनी इद्दत मुक़र्रर की गयी है। वल्लाहु आलम।

सईद बिन मुसैयब रह. फ़रमाते हैं कि दस दिन इसलिये हैं कि रूह उन्हीं दिनों में फूँकी जाती है। रबीअ़ बिन अनस रह. भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत इमाम अहमद से एक रिवायत में यह भी मरवी है कि जिस बाँदी से बच्चा हो जाये उसकी इद्दत भी आज़ाद औ़रत के बराबर है, इसलिये कि वह फ़िराश (बिस्तर की ज़ीनत यानी हमल वाली) बन गयी, और इसलिये भी कि मुस्नद अहमद में हदीस है, हज़रत अ़मर बिन आ़स ने फ़रमाया लोगो! सुन्नते नबवी को हम पर ख़ल्त-मल्त (मिला-जुलाकर पेश) न करो, औलाद वाली बाँदी की इद्दत जबकि उसका मालिक फ़ौत हो जाये चार महीने दस दिन हैं। यह हदीस एक और सनद से भी अबू दाऊद में मरवी है। इमाम अहमद रह. इस हदीस को मुन्कर बतलाते हैं और कहते हैं कि इसके एक रावी क़बीसा ने अपने उस्ताद उमर से यह रिवायत नहीं सुनी। हज़रत सईद बिन मुसैयब, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, हसन बिन सीरीन, अबू अ़याज़, ज़ोहरी और उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. का यही क़ौल है।

यज़ीद बिन अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान जो अमीरुल-मोमिनीन थे, यही हुक्म देते थे। इमाम औज़ाई, इस्हाक़ बिन राहवैह और अहमद बिन हंबल भी एक रिवायत में यही फ़रमाते हैं, लेकिन ताऊस और क़तादा रह. इसकी इद्दत भी आधी बतलाते हैं, यानी दो माह पाँच रातें। इमाम अबू हनीफ़ा रह. उनके साथ हसन बिन सालेह फ़रमाते हैं कि तीन हैज़ इद्दत गुज़ारे। हज़रत अ़ली, इब्ने मसऊद, अ़ता और इब्राहीम नख़ई का क़ौल भी यही है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रह. की मशहूर रिवायत में यह है कि उसकी इद्दत एक हैज़ ही है। इब्ने उमर, शअ़बी, मक्हूल, लैस, अबू उबैद, अबू सौर और जमहूर का यही मज़हब है। हज़रत लैस फ़रमाते हैं कि अगर हैज़ की हालत में उसका मालिक फ़ौत हुआ है तो उसी हैज़ का ख़त्म हो जाना उसकी इद्दत का ख़त्म हो जाना है। इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि अगर हैज़ न आता हो तो तीन महीने इद्दत गुज़ारे। इमाम शाफ़ई और जमहूर फ़रमाते हैं कि एक महीने और तीन दिन मुझे ज़्यादा पसन्द हैं। वल्लाहु आलम।

इसके बाद जो इरशाद फ़रमाया उससे मालूम होता है कि यह सोग वाजिब है। सहीहैन में हदीस है कि जो औ़रत ख़ुदा और क़ियामत पर ईमान रखती हो उसे तीन दिन से ज़्यादा किसी मय्यित पर सोग मनाना हराम है, हाँ शौहर पर चार महीने दस दिन सोगवार रहे। एक औ़रत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि मेरी बेटी का मियाँ मर गया है और उसकी आँखें दुख रही हैं, क्या मैं उसके सुर्मा लगा दूँ? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया नहीं, दो तीन मर्तबा उसने अपना सवाल दोहराया और आपने यही जवाब दिया, आख़िर में फ़रमाया यह तो चार महीने और दस दिन ही हैं, जाहिलीयत में तो तुम साल-साल भर बैठी रहा करती थीं। हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि पहले जब कभी किसी औ़रत का शौहर मर जाता था तो उसे किसी झोंपड़े में डाल देते थे, वह बदतरीन कपड़े पहनती, ख़ुशबू वग़ैरह से अलग रहती और साल भर तक इसी बुरी हालत में रहती थी, साल भर के बाद निकलती और ऊँट की मैंगनी लेकर फेंकती और किसी जानवर जैसे गधे या बकरी या परिन्दे के जिस्म के साथ अपने को रगड़ती, बहुत सी बार वह मर ही जाती, यह थी जाहिलीयत के ज़माने की रस्म। पस यह आयत इसके बाद की आयत के लिये नासिख़ (हुक्म को ख़त्म करने वाली) है, जिसमें है कि ऐसी औ़रतें साल भर तक रुकी रहें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह यही फ़रमाते हैं, लेकिन यह बात ग़ौर-तलब है। इसकी तफ़सील आगे जल्द ही आयेगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

मतलब यह है कि इस ज़माने में रांड औ़रत को सिंगार, ख़ुशबू और बहुत भड़कीले कपड़े और ज़ेवर वग़ैरह पहनना मना है, और यह सोगवारी वाजिब है। हाँ एक क़ौल यह है कि तलाक़ रजई की इद्दत में वाजिब नहीं, और जब तलाक़े बाईन हो तो वाजिब होने और न होने के दोनों क़ौल हैं। शौहर के इन्तिक़ाल की सूरत में तो तमाम बीवियों पर यह सोगवारी वाजिब है, चाहे वे बालिग़ हों चाहे वे औ़रतें हो जो माहवारी की हालत और बच्चे की पैदाईश के मरहले से गुज़र चुकी हों, या आज़ाद औ़रतें हों, बाँदी हों, मुसलमान औ़रतें हों या काफ़िर हों, क्योंकि आयत में आ़म हुक्म है। हाँ इमाम सुफ़ियान सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा रह. काफ़िर औ़रत की सोगवारी के क़ायल नहीं। अश्हब और इब्ने नाफ़े का क़ौल भी यही है, उनकी दलील वह हदीस है जिसमें है कि जो औ़रत ख़ुदा पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखती हो......।

पस मालूम हुआ कि यह अल्लाह की तरफ़ से एक हुक्म है जो बन्दा होने की हैसियत से मानना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. और सौरी रह. कम-उम्र नाबालिग़ औ़रत के लिये भी यही फ़रमाते हैं, क्योंकि वह ग़ैर-मुकल्लफ़ा (यानी शरीअ़त के अहकाम की पाबन्द नहीं) है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. और उनके साथी

मुसलमान बाँदी को इसमें मिलाते हैं, लेकिन इन मसाईल की तफ़सील और बहस का यह मौक़ा नहीं।

फिर फ़रमाया जब उनकी इद्दत गुज़र चुके तो उनके वली व सरपरस्त पर कोई गुनाह नहीं कि वे औरतें अपना बनाव-सिंगार करें या निकाह करें, यह सब उनके लिये हलाल तैयब है। हसन, ज़ोहरी और सुद्दी से भी इसी तरह मरवी है।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَٰبُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा जो (इन ज़िक्र की गई) औरतों को (निकाह का) पैग़ाम देने के बारे में कोई बात इशारे में कहो, या अपने दिल में (निकाह के इरादे को) छुपाओ, अल्लाह तआ़ला को यह बात मालूम है कि तुम उन औरतों का (ज़रूर) ज़िक्र मज़कूर करोगे, लेकिन उनसे निकाह का वायदा (और गुफ़्तगू) मत करो, मगर यह कि कोई बात क़ायदे के मुवाफ़िक़ कहो। और तुम निकाह के ताल्लुक़ का (फ़िलहाल) इरादा भी मत करो, यहाँ तक कि मुक़र्ररा इद्दत अपनी इन्तिहा को (न) पहुँच जाए। और यक़ीन रखो इसका कि अल्लाह तआ़ला को इत्तिला है तुम्हारे दिलों की बात की, सो अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो। और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआला माफ़ भी करने वाले हैं, हलीम भी हैं। (235)

इद्दत के ज़माने में निकाह की इच्छा अस्पष्ट अलफ़ाज़ में होनी चाहिये

मतलब यह है कि अस्पष्ट (ग़ैर-वाज़ेह) तौर पर निकाह की ख़्वाहिश का इज़हार किसी मुनासिब और अच्छे तरीक़े पर इद्दत के अन्दर करने में गुनाह नहीं। मसलन यूँ कहना कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। मैं ऐसी-ऐसी औरत को पसन्द करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ख़ुदा मेरा जोड़ा भी मिला दे, इन्शा-अल्लाह मैं तेरे सिवा दूसरी औरत से निकाह का इरादा नहीं करूँगा। मैं किसी नेक दीनदार औरत से निकाह करना चाहता हूँ। इसी तरह उस औरत से जब तलाक़े बाईन मिल चुकी हो इद्दत के अन्दर ऐसे मुब्हम (ग़ैर-वाज़ेह) अलफ़ाज़ कहना भी जायज़ हैं जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि. से फ़रमाया था जबकि उनके शौहर अबू अ़मर बिन हफ़्स ने उन्हीं आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी थी कि जब तुम इद्दत ख़त्म करो तो मुझे ख़बर कर देना, इद्दत का ज़माना हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम के गुज़ारो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ि. ने इद्दत निकल जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इत्तिला दी तो आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि. से उनका निकाह करा दिया, हाँ रजई तलाक़ की इद्दत के ज़माने में

सिवाय उसके शौहर के किसी को भी यह हक़ नहीं कि वह इशारे किनाये में भी अपनी रग़बत (दिलचस्पी) ज़ाहिर करे। वल्लाहु आलम

यह फ़रमान कि तुम अपने नफ़्स में छुपाओ, यानी मँगनी की ख़्वाहिश और इच्छा। एक और जगह है कि तेरा रब उनके सीनों की पोशीदा बातों को और ज़ाहिर को जानता है। एक और जगह है कि मैं तुम्हारे छुपे-खुले का जानने वाला हूँ। पस अल्लाह तआ़ला बख़ूबी जानता है कि तुम अपने दिलों में ज़रूर ज़िक्र करोगे, इस वास्ते उसने तंगी हटा दी, लेकिन उन औ़रतों से पोशीदा वायदे न करो यानी ज़िनाकारी से बचो। उनसे यूँ न कहो कि मैं तुम पर आ़शिक़ हूँ तुम भी वायदा करो कि मेरे सिवा किसी और से निकाह न करोगी वग़ैरह। इद्दत में ऐसे अलफ़ाज़ का कहना जायज़ नहीं, न यह जायज़ है कि पोशीदा तौर से इद्दत में निकाह कर ले और इद्दत गुज़र जाने के बाद उस निकाह का इज़हार करे। पस ये सब अक़्वाल इस आयत के आ़म होने में आ सकते हैं। इसी लिये फ़रमान हुआ- लेकिन तुम उनसे अच्छी बात करो, जैसे वली से कह दिया कि जल्दी न करना, इद्दत गुज़र जाने की मुझे भी ख़बर करना वग़ैरह। जब तक इद्दत ख़त्म न हो जाये तब तक निकाह आयोजित न किया करो। उलेमा का इजमा (यानी इस बात पर राय एक) है कि इद्दत के अन्दर निकाह सही नहीं, अगर किसी ने कर लिया और सोहबत भी हो गयी तो भी उनमें जुदाई करा दी जायेगी, अब आया यह औ़रत उस पर हमेशा के लिये हराम हो जायेगी या फिर इद्दत गुज़र जाने के बाद निकाह कर सकता है इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। जमहूर तो कहते हैं कि कर सकता है, लेकिन इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि वह हमेशा के लिये हराम हो गयी। इसकी दलील यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि जिस औ़रत का निकाह इद्दत के अन्दर हो जाये अगर उसका शौहर उससे नहीं मिला तो उन दिनों में जुदाई करा दी जायेगी और जब उसके पहले शौहर की इद्दत गुज़र जाये तो यह शख़्स दूसरे और लोगों की तरह उसके निकाह का पैग़ाम दे सकता है, और अगर दोनों में मियाँ-बीवी वाला ताल्लुक़ भी हो गया है तब भी जुदाई करा दी जायेगी और पहले शौहर की इद्दत गुज़ार कर फिर इस दूसरे शौहर की इद्दत गुज़ारेगी, और फिर यह शख़्स उससे हरगिज़ निकाह नहीं कर सकता। इस फ़ैसले का माख़ज़ यह मालूम होता है कि जब उस शख़्स ने जल्दी करके ख़ुदा तआ़ला के मुक़र्रर किये हुए वक़्त का लिहाज़ न किया तो इसके ख़िलाफ़ सज़ा दी गयी कि वह औ़रत उस पर हमेशा के लिये हराम कर दी गयी। जैसे कि क़ातिल अपने मक़्तूल के वरसे (मीरास के हिस्से) से मेहरूम कर दिया जाता है।

इमाम शाफ़ई रह. ने इमाम मालिक रह. से भी यह क़ौल नक़ल किया है। इमाम बैहक़ी रह. फ़रमाते हैं कि पहला क़ौल तो इमाम साहिब रह. का यही था लेकिन नया क़ौल आपका यह है कि उसे भी निकाह करना जायज़ है, क्योंकि हज़रत अ़ली रज़ि. का यही फ़तवा है। हज़रत उमर वाला यह क़ौल सनद के एतिबार से मुन्क़ता है, बल्कि हज़रत मसरूक़ रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ि. ने इससे रुजू कर लिया है और फ़रमाया है कि मेहर अदा कर दे और इद्दत के बाद ये दोनों आपस में अगर चाहें तो निकाह कर सकते हैं।

फिर फ़रमाया- जान लो कि ख़ुदा तआ़ला तुम्हारे दिलों की पोशीदा बातों को जानता है, उसका लिहाज़ और ख़ौफ़ रखो, अपने दिल में औ़रत के मुताल्लिक़ फ़रमाने बारी के ख़िलाफ़ ख़्याल भी न आने दो, हमेशा दिल को साफ़ रखो, बुरे ख़्याल से उसे पाक रखो, डर ख़ौफ़ के हुक्म के साथ ही अपनी रहमत की उम्मीद और लालच भी दिलाया और फ़रमाया कि ख़ुदा तआ़ला ख़ताओं को बख़्शने वाला और हिल्म (बरदाश्त

करने वाला) व करम वाला है।

तुम पर (मेहर का) कुछ मुतालबा और पकड़ नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में तलाक़ दे दो कि न उनको तुमने हाथ लगाया है और न उनके लिए कुछ मेहर मुक़र्रर किया है, और (सिर्फ़) उनको एक जोड़ा दे दो। गुंजाईश वाले के ज़िम्मे उसकी हैसियत के मुवाफ़िक़ है और तंगदस्त के ज़िम्मे उसकी हैसियत के मुवाफ़िक़ जोड़ा देना क़ायदे के मुवाफ़िक़ वाजिब है, मामले के अच्छे लोगों पर। (236)	لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○

तलाक़ की एक और सूरत

निकाह के बंधन के बाद दुख़ूल (सोहबत) से पहले भी तलाक़ देना मुबाह हो रहा है। मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया है कि यहाँ 'मस्स' (छूने) से मुराद निकाह है। दुख़ूल से पहले तलाक़ दे देना बल्कि मेहर का भी अभी निर्धारण नहीं हुआ और तलाक़ दे देना भी जायज़ है, अगरचे इसमें औरत की बेहद दिल-शिक्नी (दिल तोड़ने वाली बात) है, इसलिये हुक्म हुआ कि इस सूरत में जहाँ तक अपने से हो सके मर्द को औरत के साथ सुलूक करना चाहिये। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इसका आला हिस्सा ख़ादिम (यानी कोई ख़ादिम देना) है और उससे कम चाँदी है और उससे कम कपड़ा है। यानी अगर मालदार है तो गुलाम वग़ैरह दे और अगर मुफ़लिस (ग़रीब) है तो कम से कम तीन कपड़े दे। हज़रत शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि दरमियाना दर्जा इस फ़ायदा पहुँचाने का यह है कि कुर्ता दुपट्टा लिहाफ़ और चादर दे दे। शुरैह फ़रमाते हैं कि पाँच सौ दिरहम दे। इब्ने सीरीन रह. फ़रमाते हैं कि गुलाम दे या खुराक दे या कपड़े लत्ते दे।

हज़रत हसन बिन अ़ली रज़ि. ने दस हज़ार दिये थे, लेकिन फिर भी वह बीवी साहिबा फ़रमाती थीं कि उस महबूब मक़्तूल की जुदाई के मुक़ाबले में यह हक़ीर (मामूली) चीज़ कुछ भी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रह. का क़ौल है कि अगर दोनों इस फ़ायदे की मिक़दार में विवाद करें तो उसके ख़ानदान के मेहर से आधी रक़म दिलवाई जाये। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. का फ़रमान है कि किसी मुक़र्रर चीज़ पर शौहर को मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम जिस चीज़ को निर्धारित यानी फ़ायदा और असबाब कहा जा सकता है वह काफ़ी होगा। मेरे नज़दीक इतना कपड़ा 'मता' (सामान और फ़ायदा पहुँचाना) है जितने मैं नमाज़ पढ़ लेनी जायज़ हो जाये, अगरचे पहला क़ौल हज़रत इमाम का यह था कि उसका कोई सही अन्दाज़ा मालूम नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक बेहतर यह है कि कम से कम तीस दिरहम होने चाहियें जैसे कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से रिवायत है। इस बारे में भी बहुत से अक़वाल हैं कि हर तलाक़ वाली औरत को कुछ न कुछ असबाब (सामान) देना चाहिये या सिर्फ़ उसी औरत को जिससे मियाँ-बीवी वाला ताल्लुक़ न हुआ हो। बाज़ तो सबके लिये कहते हैं, क्योंकि क़ुरआने करीम में है:

وَالْمُطَلَّقٰتُ مَتَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ.......... الخ.

कि तलाक़ दी हुई औरतों के लिये कुछ-कुछ फ़ायदा पहुँचाना है। यानी उनके साथ हुस्ने सुलूक और हमदर्दी करनी चाहिये। पस इस आयत के आ़म होने से सबके लिये वह साबित करते हैं। इसी तरह उनकी दलील यह आयत भी है:

فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ......... الخ.

यानी ऐ नबी अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम्हारी इच्छा और तमन्ना दुनिया की ज़िन्दगी और इसकी ज़ीनत (चमक-दमक) की है तो आओ मैं तुम्हें कुछ असबाब (सामान) भी दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ......। पस ये तमाम बीवियाँ वो थीं जिनका मेहर भी मुक़र्रर था और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आ भी चुकी थीं। सईद बिन जुबैर, अबुल-आ़लिया, हसन बसरी का क़ौल यही है। इमाम शाफ़ई का भी एक क़ौल यही है और बाज़ तो कहते हैं कि उनका नया क़ौल और सही क़ौल यही है। वल्लाहु आलम।

बाज़ कहते हैं कि असबाब का देना उस तलाक़ वाली को ज़रूरी है जिससे तन्हाई हुई हो, चाहे मेहर मुक़र्रर हो चुका हो। क्योंकि क़ुरआने करीम में है:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا.

यानी ऐ ईमान वालो! तुम जब ईमान वाली औरतों से निकाह कर लो, फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले ही तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारी तरफ़ से कोई इद्दत नहीं, जो इद्दत वे गुज़ारें। तुम उन्हें कुछ माल असबाब (सामान) दे दो और उनके साथ अच्छा सुलूक करो।

सईद बिन मुसैयब रह. का क़ौल है कि सूरः अहज़ाब की यह आयत सूरः ब-क़रह की आयत से मन्सूख़ हो चुकी है। हज़रत सहल बिन सअ़द और अबू उसैद रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उमैमा बिन्ते शुरहबील रज़ि. से निकाह किया, वह रुख़्सत होकर आयीं और आपने हाथ बढ़ाया तो गोया उसने बुरा माना। आपने अबू उसैद से फ़रमाया इसे दो रंगीन कपड़े देकर रुख़्सत कर दो। तीसरा क़ौल यह है कि सिर्फ़ उसी सूरत में बतौर फ़ायदे के असबाब वह फ़ायदा देना ज़रूरी है जबकि औरत की रुख़्सती न हुई हो और मेहर भी मुक़र्रर न हुआ हो, और अगर दुख़ूल (सोहबत) हो गया हो तो मेहरे मिस्ल (यानी ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक़ मेहर) देना पड़ेगा, अगर मुक़र्रर न हुआ हो। और अगर मुक़र्रर हो चुका हो और रुख़्सत से पहले तलाक़ दे दे तो आधा मेहर देना पड़ेगा, और अगर रुख़्सती भी हो चुकी है तो पूरा मेहर देना पड़ेगा और यही 'मता' (फ़ायदा पहुँचाने) का बदला होगा। हाँ उस मुसीबत की मारी औरत के लिये 'मता' (सामान देना और उसका दिल रखना) है जिससे न मिलाप हुआ न मेहर मुक़र्रर हुआ और तलाक़ मिल गयी। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. और मुजाहिद का यही क़ौल है। अगरचे बाज़ उलेमा इसी को मुस्तहब बतलाते हैं कि हर तलाक़ वाली औरत को कुछ न कुछ देना चाहिये उनके अ़लावा जिनके मेहर मुक़र्रर किये हुए न हों और न शौहर बीवी का मेल (तन्हाई और सोहबत) हुआ हो।

यही मतलब सूरः अहज़ाब की उस आयत का है जिसमें अज़्वाजे-मुतहहरात को इख़्तियार दिया गया था, जो इससे पहले आयत की तफ़सीर में बयान हो चुकी है और इसी लिये यहाँ इस ख़ास सूरत के लिये फ़रमाया गया कि अमीर अपनी गुंजाईश व हैसियत के मुताबिक़ दें और ग़रीब अपनी ताक़त के मुताबिक़।

हज़रत शअ़बी से सवाल होता है कि यह असबाब न देने वाला क्या गिरफ़्तार किया जायेगा तो आप फ़रमाते हैं अपनी ताक़त के बराबर दे दे। ख़ुदा की क़सम इस बारे में किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगर यह वाजिब होता तो क़ाज़ी लोग ज़रूर ऐसे शख़्स को क़ैद कर लेते।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۭ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۭ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

और अगर तुम उन बीवियों को तलाक़ दो इससे पहले कि उनको हाथ लगाओ और उनके लिए कुछ मेहर भी मुक़र्रर कर चुके थे तो जितना मेहर तुमने मुक़र्रर किया हो उसका आधा (वाजिब) है, मगर यह कि वे औरतें (अपना आधा) माफ़ कर दें या यह कि वह शख़्स रियायत कर दे जिसके हाथ में निकाह का ताल्लुक़ (रखना और तोड़ना) है। और तुम्हारा माफ़ कर देना (वसूल करने के मुक़ाबले में) तक़्वे से ज़्यादा क़रीब है। और आपस में एहसान करने से ग़फ़लत न करो। बेशक अल्लाह तआ़ला सब कामों को ख़ूब देखते हैं। (237)

मेहर व तलाक़ के कुछ और मसाईल

इस आयत में इस बात पर साफ़ दलालत है कि पहली आयत में जिन औ़रतों के लिये 'मुता' (सामान देना और फ़ायदा पहुँचाना) मुक़र्रर किया गया था वह सिर्फ़ वही औ़रतें हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में था, क्योंकि इस आयत में यह बयान हुआ है कि दुख़ूल (हमबिस्तरी) से पहले जबकि तलाक़ दे दी गयी और मेहर मुक़र्रर हो चुका था तो आधा मेहर देना पड़ेगा, अगर यहाँ भी उसके सिवा कोई और मुता (सामान) वाजिब होता तो वह ज़रूर ज़िक्र किया जाता, क्योंकि दोनों आयतों की दोनों सूरतें एक के बाद एक बयान हो रही हैं। वल्लाहु आलम।

इस सूरत में जो यहाँ बयान हो रही है, आधे मेहर पर उलेमा का इजमा (सब की सहमति) है, लेकिन तीन के नज़दीक पूरा मेहर उस वक़्त वाजिब होता है जबकि ख़ल्वत हो गयी हो, यानी मियाँ-बीवी तन्हाई की हालत में किसी मकान में जमा हो गये हों चाहे हमबिस्तरी न हुई हो। इमाम शाफ़ई का भी पहला क़ौल यही है, और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का फ़ैसला भी यही है, लेकिन इमाम शाफ़ई रह. की रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. से नक़ल है कि इस सूरत में भी निर्धारित का सिर्फ़ आधा मेहर ही देना पड़ेगा। इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि मैं भी यही कहता हूँ और किताबुल्लाह के ज़ाहिर अलफ़ाज़ भी यही कहते हैं। इमाम बैहक़ी रह. फ़रमाते हैं कि इस रिवायत के एक रावी लैस बिन अबी सुलैम अगरचे मजरूह हैं (यानी उन पर कलाम किया गया है) लेकिन इब्ने अबी तल्हा से इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की यह रिवायत नक़ल है जिससे मालूम होता है कि आपका फ़रमान यही है।

फिर फ़रमाता है कि अगर औ़रतें ख़ुद ऐसी हालत में अपना आधा मेहर भी शौहर को माफ़ कर दें तो यह और बात है। इस सूरत में शौहर को सब माफ़ हो जायेगा। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सैयबा

(यानी जिसका दोबारा निकाह हुआ हो) औरत अगर अपना हक् छोड़ दे तो उसे इख़्तियार है, बहुत से मुफ़स्सिरीन ताबिईन का यही क़ौल है। मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी कहते हैं कि इससे मुराद औरतों का माफ़ करना नहीं बल्कि मर्दों का माफ़ करना है, यानी मर्द अपना आधा हिस्सा छोड़ दे और पूरा मेहर दे दे। लेकिन यह क़ौल शाज़ है, कोई और इस क़ौल का क़ायल नहीं। फिर फ़रमाता है कि वह माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। एक हदीस में है कि इससे मुराद शौहर है, हज़रत अ़ली रज़ि. से सवाल हुआ कि इससे मुराद क्या औरत के वली और सरपरस्त हैं? फ़रमाया नहीं, बल्कि इससे मुराद शौहर है। और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन से यही रिवायत है। इमाम शाफ़ई रह. का नया क़ौल भी यही है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. वग़ैरह का भी यही मज़हब है, इसलिये कि हक़ीक़त में निकाह को बाक़ी रखना, तोड़ देना वग़ैरह यह सब शौहर के ही इख़्तियार में है, और जिस तरह वली को उसकी तरफ़ से जिसका वह वली है उसके माल का दे देना जायज़ नहीं, इसी तरह उसके मेहर के माफ़ कर देने का भी इख़्तियार नहीं।

दूसरा क़ौल इस बारे में यह है कि इससे मुराद औरत के बाप भाई और वे लोग हैं जिनकी इजाज़त के बग़ैर औरत निकाह नहीं कर सकती। इब्ने अ़ब्बास रज़ि., अ़ल्क़मा, हसन, अ़ता, ताऊस, ज़ोहरी, रबीआ़, ज़ैद बिन असलम, इब्राहीम नख़ई, इक्रिमा, मुहम्मद बिन सीरीन से भी यही नक़ल है, इन दोनों बुज़ुर्गों का भी एक क़ौल यही है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई रह. का पुराना क़ौल भी यही है, उनकी दलील यह है कि वली ने ही उसे इस हक् का हक़दार किया था तो इसमें तसर्रुफ़ करने (अपना इख़्तियार चलाने) का भी उसे इख़्तियार है अगरचे दूसरे माल में हेर-फेर करने का इख़्तियार न हो। इक्रिमा रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने माफ़ कर देने की रुख़्सत (छूट और रियायत) औरत को दी और अगर वह बख़ीली और तंगदस्ती दिखाये तो उसका वली भी माफ़ कर सकता है, अगरचे वह औरत समझदार हो। हज़रत शुरैह भी यही फ़रमाते हैं, लेकिन जब इमाम शअ़बी ने इनकार किया तो आपने इससे रुजू कर लिया और फ़रमाने लगे कि इससे मुराद शौहर ही है, बल्कि वह इस बात पर मुबाहले को तैयार रहते थे।

फिर फ़रमाता है कि तुम्हारा माफ़ करना ही तक़्वा (नेकी और परहेज़गारी) के ज़्यादा क़रीब है, इससे मुराद मर्द औरतें दोनों ही हैं, यानी दोनों में से अच्छा वही है जो अपना हक् छोड़ दे, यानी औरत या तो अपना आधा हिस्सा भी अपने शौहर को माफ़ कर दे या शौहर ही उसे बजाय आधे के पूरा मेहर दे दे, आपस के फ़ज़्ल यानी एहसान को न भूलो। उसे बेकार न छोड़ो बल्कि उसे काम में लाये। इब्ने मर्दूया की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोगों पर एक काट खाने वाला ज़माना आयेगा, मोमिन भी अपने हाथों की चीज़ को दाँतों से पकड़ लेगा और फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी को भूल जायेगा, हालाँकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि अपने आपस के फ़ज़्ल को न भूलो। बुरे हैं वे लोग जो एक मुसलमान की बेकसी और तंगदस्ती के वक़्त उससे सस्ते दामों में उसकी चीज़ ख़रीदते हैं, हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस बै (ख़रीद व फ़रोख़्त) से मना फ़रमा दिया है। अगर तेरे पास भलाई हो तो अपने भाई को भी वह भलाई पहुँचा, उसकी हलाकत में हिस्सा न ले। एक मुसलमान दूसरे का भाई है, न उसे रंज व ग़म पहुँचाये न उसे भलाईयों से मेहरूम रखे।

हज़रत औन रज़ि. हदीसें बयान करते जाते और रोते जाते, यहाँ तक कि आँसू दाढ़ी से टपकते रहते। वह फ़रमाते हैं कि मैं मालदारों की सोहबत में बैठा और देखा कि हर वक़्त दिल दुखी रहता, क्योंकि जिधर नज़र उठती हर एक को अपने से अच्छे कपड़ों में अच्छी ख़ुशबुओं में और अच्छी सवारियों में देखता, हाँ मिस्कीनों की महफ़िल में मैंने बड़ी राहत पाई। ख़ुदा तआ़ला भी यही फ़रमाता है, एक दूसरे की फ़ज़ीलत

फ़रामोश न करो, किसी के पास जब कभी कोई साईल (माँगने और सवाल करने वाला) आये और उसके पास कुछ न हो तो वह उसके लिये दुआ-ए-ख़ैर ही कर दे। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है, उस पर तुम्हारे काम और तुम्हारा हाल बिल्कुल रोशन है, और जल्द ही वह हर एक आ़मिल (अ़मल करने वाले) को उसका बदला देगा।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

हिफ़ाज़त करो सब नमाज़ों की (आ़म तौर पर) और दरमियान वाली नमाज़ की (ख़ास तौर पर), और खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने आ़जिज़ बने हुए। (238) फिर अगर तुमको अन्देशा हो तो खड़े-खड़े या सवारी पर चढ़े-चढ़े पढ़ लिया करो। फिर जब तुमको इत्मीनान हो जाए तो तुम ख़ुदा तआ़ला की याद उस तरीक़े से करो जो तुमको सिखलाया है, जिसको तुम न जानते थे। (239)

दुनिया में इस क़द्र मशग़ूली कि दीन ही हाथ से जाता रहे यह दीनी तबाही है

अल्लाह तआ़ला का हुक्म हो रहा है कि नमाज़ों के वक़्त की हिफ़ाज़त करो, उसकी हदों की निगरानी रखो और अव्वल वक़्त अदा करते रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. सवाल करते हैं कि कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया नमाज़ को वक़्त पर पढ़ना। पूछा फिर कौनसा? फ़रमाया ख़ुदा की राह में जिहाद करना। पूछा फिर कौनसा? फ़रमाया माँ-बाप से भलाई करना। हज़रत अ़ब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि अगर मैं कुछ और भी पूछता तो आप और भी जवाब देते। (सहीहैन) हज़रत उम्मे फ़रवा रज़ि. जो बैअ़त करने वाली औ़रतों में से हैं, फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मैंने सुना आप आमाल का ज़िक्र फ़रमा रहे थे, उसी में आपने फ़रमाया- सबसे ज़्यादा पसन्दीदा अ़मल अल्लाह तआ़ला के नज़दीक नमाज़ को अव्वल वक़्त अदा करने की जल्दी करना है। (मुस्नद अहमद)। इमाम तिर्मिज़ी रह. इस हदीस के एक रावी को ग़ैर-क़वी (यानी कमज़ोर) बतलाते हैं। फिर 'सलाते वुस्ता' (बीच की नमाज़) की और ज़्यादा ताकीद हो रही है।

'सलाते वुस्ता' के बारे में विभिन्न रायें

पहले और बाद के उलेमा में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि 'सलाते वुस्ता' किस नमाज़ का नाम है। हज़रत अ़ली रज़ि. वग़ैरह का क़ौल है कि इससे मुराद सुबह की नमाज़ है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. एक मर्तबा नमाज़े सुबह पढ़ते हैं, जिसमें हाथ उठाकर क़नूत भी पढ़ते हैं, फिर फ़रमाते हैं कि यही वह नमाज़े वुस्ता है जिसमें क़नूत का हुक्म हुआ है। दूसरी रिवायत में है कि यह वाक़िआ़ बसरा की मस्जिद का है और क़नूत आपने रुकूअ़ से पहले पढ़ी थी। अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि बसरा में मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने कैस

के पीछे सुबह की नमाज़ अदा की, फिर मैंने एक सहाबी से पूछा कि 'सलाते वुस्ता' कौनसी है? उन्होंने फ़रमाया यही सुबह की नमाज़ है। एक और रिवायत में है कि बहुत से सहाबा उस मजमे में थे और सब ने यही जवाब दिया। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह भी यही फ़रमाते हैं और भी बहुत से सहाबा ताबिईन का यही मस्लक है। इमाम शाफ़ई रह. भी यही फ़रमाते हैं, इसलिये कि उनके नज़दीक़ सुबह की नमाज़ में ही क़नूत है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद नमाज़े मग़रिब है, इसलिये कि इससे पहले चार रक्अ़तों वाली नमाज़ है और सफ़र में दोनों क़सर की जाती हैं, लेकिन मग़रिब पूरी ही रहती है। यह वजह भी हो सकती है कि उसके बाद दो नमाज़ें रात की यानी इशा और फजर वह हैं जिनमें ऊँची आवाज़ से क़िराअत पढ़ी जाती है, और दो नमाज़ें इससे पहले दिन की वो हैं जिनमें आहिस्ता क़िराअत पढ़ी जाती हैं, यानी ज़ोहर अ़सर। बाज़ कहते हैं कि यह नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ है। एक मर्तबा चन्द लोग हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. की मज्लिस में बैठे हुए थे, वहाँ यही मसला छिड़ा, लोगों ने एक आदमी भेजकर हज़रत उसामा रज़ि. से मालूम कराया, आपने फ़रमाया यह ज़ोहर की नमाज़ है जिसे हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम अव्वल वक़्त पढ़ा करते थे। (तयालिसी) ज़ैद बिन साबित रज़ि. फ़रमाते हैं कि इससे ज़्यादा भारी नमाज़ सहाबा पर और कोई न थी इसलिये यह आयत नाज़िल हुई, और इससे पहले भी दो नमाज़ें हैं और उसके बाद भी दो हैं। आप ही से यह भी मरवी है कि क़ुरैश वालों की एक जमाअ़त के भेजे हुए दो शख़्सों ने आपसे यही सवाल किया जिसके जवाब में आपने फ़रमाया वह अ़सर है। फिर दो और शख़्सों ने पूछा आपने फ़रमाया वह ज़ोहर है, फिर उन दोनों ने हज़रत उसामा रज़ि. से पूछा आपने फ़रमाया यह ज़ोहर है। आप इसे सूरज ढलते ही पढ़ा करते थे, मुश्किल से एक दो सफ़ के लोग आते थे, कोई नींद में होता कोई कारोबार में मशग़ूल होता जिस पर यह आयत उतरी और आपने फ़रमाया या तो ये लोग इस हरकत से बाज़ आयें या मैं उनके घरों को जला दूँगा, लेकिन इसके रावी ज़िबरेक़ान ने सहाबी से मुलाक़ात नहीं की, मगर हज़रत ज़ैद की एक और रिवायात से भी यह साबित है कि आप इससे मुराद ज़ोहर की नमाज़ ही बतलाते थे। एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी यह है। हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू सईद, हज़रत आ़यशा रज़ि. वग़ैरह से भी यही मरवी है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. से भी एक रिवायत इसी की है।

बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद अ़सर की नमाज़ है, अक्सर उलेमा, सहाबा वग़ैरह का यही क़ौल है और जमहूर ताबिईन का भी यही क़ौल है, और अक्सर अहले रिवायत का भी बल्कि जमहूर लोगों का। हाफ़िज़ अबू मुहम्मद अ़ब्दुल-मोमिन दिमयाती ने इस बारे में एक मुस्तक़िल रिसाला लिखा है, जिसका नाम 'कशफ़ुल ग़िता फ़ी तबयीनिस्सलातिल् वुस्ता' है। उसमें उनका फ़ैसला भी यही है कि 'सलाते वुस्ता' अ़सर की नमाज़ है। हज़रत उमर, हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अबू अय्यूब, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर, हज़रत समुरा बिन जुन्दुब, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत अबू सईद, हज़रत हफ़सा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत आ़यशा वग़ैरह का फ़रमान भी यही है, और इन हज़रात से यही रिवायत है, और बहुत से ताबिईन से भी यही मन्क़ूल है। इमाम अहमद और इमाम शाफ़ई रह. का भी यही मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. का भी सही मज़हब यही है। इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रह. से भी यही मरवी है। इब्ने हबीब मालिकी भी यही फ़रमाते हैं।

इस क़ौल की दलील सुनिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंगे अहज़ाब में फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला उन मुश्रिकों के दिलों और घरों को आग से भर दे कि उन्होंने 'सलाते वुस्ता' यानी नमाज़े अ़सर से रोक दिया। (मुस्नद अहमद) हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि हम इससे मुराद सुबह या अ़सर की

नमाज़ लेते थे, यहाँ तक कि जंगे अहज़ाब में मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सुना। उसमें क़ब्रों को भी आग से भरना वारिद हुआ है। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत की और फ़रमाया यह अ़सर की नमाज़ है। इस हदीस की बहुत सी सनदें हैं और बहुत सी किताबों में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से एक मर्तबः इस बारे में सवाल हुआ तो आपने फ़रमाया हमने भी एक मर्तबा इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) किया तो अबू हाशिम बिन उतबा रज़ि. मज्लिस में से उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मकान पर गये, इजाज़त माँगकर अन्दर दाख़िल हुए और आपसे मालूम करके बाहर आकर हमें फ़रमाया कि यह नमाज़े अ़सर है। (इब्ने जरीर)

अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ बिन मरवान की मज्लिस में भी एक मर्तबा यही मसला पेश आया, आपने फ़रमाया जाओ फ़ुलाँ सहाबी से पूछ आओ। एक शख़्स ने कहा कि मुझसे सुनिये, मुझे हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ि. ने मेरे बचपन में यही मसला पूछने के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास भेजा था, आपने मेरी सबसे छोटी उंगली पकड़कर फ़रमाया देख! यह तो है फ़जर की नमाज़, फिर उसके पास वाली उंगली थामकर फ़रमाया यह हुई ज़ोहर की नमाज़, फिर अंगूठा पकड़कर फ़रमाया यह है मग़रिब की नमाज़, फिर शहादत की उंगली पकड़कर फ़रमाया यह हुई इशा की नमाज़, फिर मुझसे कहा अब तुम्हारी कौनसी उंगली बाक़ी रही, मैंने कहा बीच की, फ़रमायाः और नमाज़ कौनसी बाक़ी रही मैंने कहा अ़सर। फ़रमाया बस यही 'सलाते वुस्ता' है। (इब्ने जरीर) लेकिन यह रिवायत बहुत ही ग़रीब है।

ग़र्ज़ यह कि 'सलाते वुस्ता' से नमाज़े अ़सर मुराद होना बहुत सी हदीसों में वारिद है, जिनमें से कोई हसन है कोई सही है कोई ज़ईफ़ है। तिर्मिज़ी, मुस्लिम वग़ैरह में भी ये हदीसें हैं। फिर इस नमाज़ के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताकीद में और सख़्ती के साथ इसकी पाबन्दी की हिदायत भी साबित है। चुनाँचे एक हदीस में है कि जिससे अ़सर की नमाज़ फ़ौत हो जाये गोया उसका घराना तबाह हो गया, और माल व असबाब बरबाद हो गया। एक और हदीस में है कि बादल वाले दिन नमाज़ अव्वल वक़्त पर पढ़ो, सुनो! जिस शख़्स ने अ़सर को नमाज़ छोड़ दी उसके आमाल ग़ारत हो जाते हैं।

एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़सर की नमाज़ क़बीला ग़िफ़ार की एक वादी में जिसका नाम हमीस था अदा की, फिर फ़रमाया यही नमाज़ तुमसे पहले लोगों पर भी पेश की गयी थी लेकिन उन्होंने इसको ज़ाया कर दिया। सुनो! इसे पढ़ने वाले को दोहरा अज्र मिलता है, इसके बाद कोई नमाज़ नहीं जब तक कि तुम तारे न देख लो। (मुस्नद अहमद) हज़रत आयशा रज़ि. अपने आज़ाद किये हुए गुलाम अबू यूनुस से फ़रमाती हैं कि मेरे लिये एक क़ुरआन शरीफ़ लिखो और जब इस आयत 'हाफ़िज़ू अ़लस्सलवाति वस्सलातिल् वुस्ता' तक पहुँचो तो मुझे इत्तिला करना, चुनाँचे जब आपको इत्तिला दी गयी तो आपने 'वस्सलातिल्-वुस्ता' के बाद 'सलातुल-अ़स्रि' लिखवाया और फ़रमाया मैंने ख़ुद इसे यूँ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है। (मुस्नद अहमद) एक रिवायत में 'व हि-य सलातुल-अ़स्रि' का लफ़्ज़ भी है। (इब्ने जरीर)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दूसरी बीवी साहिबा हज़रत हफ़सा रज़ि. ने अ़मर बिन राफ़े को जो आपके क़ुरआन के कातिब थे इसी तरह यह आयत लिखवाई थी। (मुवत्ता इमाम मालिक)

इस हदीस की भी बहुत सी सनदें हैं और कई एक किताबों में मौजूद हैं, कि हज़रत आयशा रज़ि. ने फ़रमाया- मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यही अलफ़ाज़ सुने हैं। हज़रत नाफ़े रह. फ़रमाते हैं कि मैंने यह क़ुरआन शरीफ़ ख़ुद भी देखा, यही इबारत 'वाव' के साथ थी। इब्ने अ़ब्बास और उबैद बिन

उसैर की क़िराअत भी यूँही है। इन रिवायतों को मद्देनज़र रखकर बाज़ हज़रात कहते हैं कि चूँकि 'वाव' अ़त्फ़ (जोड़ पैदा करने) के लिये होता है और अ़त्फ़ व मातूफ़ का मज़मून अलग-अलग होता है, पस साबित हुआ कि सलाते-वुस्ता और है और सलाते-अ़सर और है, लेकिन इसका जवाब यह है कि अगर इसे बतौर हदीस के माना जाये तो हज़रत अ़ली रज़ि. वाली हदीस बहुत ज़्यादा सही है और उसमें स्पष्ट तौर पर मौजूद है। रहा 'वाव' सो मुम्किन है कि ज़ायद हो, आ़तिफ़ा न हो, जैसे इन आयतों में:

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ.

كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

या यह 'वाव' सिफ़त के अ़त्फ़ के लिये हो, ज़ात के अ़त्फ़ ज़ात के लिये न हो, जैसे:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

में, और जैसे:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰىo الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى o وَالَّذِيْ قَدَّرَفَهَدٰىo وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰىo

में। इसकी मिसालें और भी बहुत सी हैं, शायरों के कलाम में भी इसकी नज़ीरें पाई जाती हैं। सीबवैह जो नहवियों के इमाम हैं, फ़रमाते हैं:

مررت باخيك وصاحبك.

(मैं तुम्हारे भाई और साथी के साथ गुज़रा) कहना दुरुस्त है हालाँकि 'साथी' और 'भाई' से मुराद एक ही शख़्स है। वल्लाहु आलम। और अगर इस क़िराअत के इन अलफ़ाज़ को बतौर क़ुरआनी अलफ़ाज़ के माना जाये तो ज़ाहिर है कि इस ख़बरे वाहिद (हदीस की एक क़िस्म) से क़ुरआनी क़िराअत साबित नहीं होती, जब तक कि तवातुर साबित न हो, इसी लिये हज़रत उस्मान रज़ि. ने अपने क़ुरआन में इस क़िराअत को नहीं लिया और न सातों क़ारियों की क़िराअत में ये अलफ़ाज़ हैं, बल्कि न किसी और ऐसे मोतबर क़ारी की यह क़िराअत पाई गयी है। इसके अ़लावा एक हदीस और है जिससे इस क़िराअत का मन्सूख़ होना साबित हो रहा है। सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि यह आयत उतरी:

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ.

हम एक मुद्दत तक इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने इस आयत को पढ़ते रहे, फिर यह तिलावत मन्सूख़ हो गयी और आयत यूँ रही:

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

एक शख़्स ने हदीस के रावी हज़रत शक़ीक़ रज़ि. से कहा कि फिर क्या यह नमाज़ अ़सर की नमाज़ ही है? फ़रमाया मैं तो सुना चुका कि किस तरह आयत उतरी और किस तरह मन्सूख़ हुई। पस इस बिना पर यह क़िराअत हज़रत आ़यशा और हज़रत हफ़्सा रज़ि. की रिवायत वाली या तो लफ़्ज़न मन्सूख़ की जायेगी और अगर 'वाव' को मायनों के लिहाज़ से एक दूसरे से अलग करने वाली माना जाये तो लफ़्ज़ और मायने दोनों के एतिबार से मन्सूख़ की जायेगी। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद मग़रिब की नमाज़ है, इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यह रिवायत है, लेकिन इसकी सनद में कलाम है। बाज़ दूसरे हज़रात का क़ौल भी

यही है, इसकी एक वजह तो यह बयान की जाती है कि दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ें या तो चार रक्अ़त वाली हैं या दो रक्अ़त वाली, और इसकी तीन रक्अ़तें हैं, पस यह दरमियाना नमाज़ ठहरी, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि फ़र्ज़ नमाज़ों की यह वित्र (यानी ताक़ है, इसमें तीन रक्अ़तें हैं और ताक़ कहते हैं जिसका जोड़ा न हो, जैसे 2, 4, 6, 8 में जोड़ा है और 3, 5, 7, 9 में जोड़ा नहीं) है, और इसलिये भी कि इसकी फ़ज़ीलत में भी बहुत कुछ हदीसें वारिद हुई हैं। बाज़ लोग इससे मुराद इशा की नमाज़ भी बतलाते हैं।

बाज़ कहते हैं कि पाँच वक़्तों में से एक वक़्त की नमाज़ है, लेकिन हम मुतैयन नहीं कर सकते, यह मुब्हम (ग़ैर-वाज़ेह) है जिस तरह शबे-क़द्र पूरे साल में या पूरे महीने में या पिछले दस दिनों में मुब्हम (छुपी हुई और अस्पष्ट) है। बाज़ हज़रात फ़रमाते हैं कि पाँचों नमाज़ों का मजमूआ मुराद है और बाज़ कहते हैं कि यह इशा और सुबह है, बाज़ का क़ौल है कि यह जमाअ़त की नमाज़ है, बाज़ कहते हैं कि जुमे की नमाज़ है, कोई कहता है कि सलाते-ख़ौफ़ (ख़ौफ़ की नमाज़) मुराद है, कोई कहता है कि नमाज़े ईद मुराद है, कोई कहता है कि बक़र-ईद की नमाज़ मुराद है, बाज़ कहते हैं कि हम इसके बारे में ख़ामोशी इख़्तियार करते हैं और कोई राय पेश नहीं करते, इसलिये कि दलीलें विभिन्न हैं और प्राथमिकता की वजह मालूम नहीं, किसी क़ौल पर इजमा (सहमति) हुआ नहीं, बल्कि सहाबा के ज़माने से लेकर आज तक झगड़ा (मतभेद और विवाद) रहा, जिस तरह हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. फ़रमाते हैं कि सहाबा किराम इस बारे में इस तरह मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग राय रखने वाले) थे, फिर उंगलियों में उंगलियाँ डालकर दिखायीं, लेकिन यह याद रहे कि ये पिछले तमाम अक़वाल ज़ईफ़ हैं, झगड़ा सिर्फ़ सुबह और अ़सर की नमाज़ में है, और सही हदीसों से अ़सर की नमाज़ का सलाते-वुस्ता होना साबित है। पस लाज़िम हो गया कि हम सब अक़वाल को छोड़कर यही अ़क़ीदा रखें कि सलाते-वुस्ता नमाज़े अ़सर है। इमाम अबू मुहम्मद अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू हातिम राज़ी रह. ने अपनी किताब 'फ़ज़ाईले शाफ़ई' में रिवायत की है कि हज़रत इमाम साहिब रह. फ़रमाया करते थेः

كـل ماقلت فكان عن النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف قولى مما يصح فحديث النبى صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلد ونى.

यानी मेरे जिस किसी क़ौल के ख़िलाफ़ कोई सही हदीस शरीफ़ मौजूद हो तो हदीस ही मुक़द्दम है, ख़बरदार मेरी तक़लीद (पैरवी) न करना।

इमाम शाफ़ई रह. के इस फ़रमान को इमाम रबीअ़, इमाम ज़ाफ़रानी और इमाम अहमद बिन हंबल भी रिवायत करते हैं और मूसा अबुल-वलीद बिन जारूद रह. इमाम शाफ़ई रह. से नक़ल करते हैं कि आपने फ़रमायाः

اذاصح الحديث وقلت قولا فانا راجع عن قولى وقائل بذلك.

यानी मेरी जो बात हदीस शरीफ़ के ख़िलाफ़ हो मैं अपनी उस बात से रुजू करता हूँ और साफ़ कहता हूँ कि मेरा मज़हब वही है जो हदीस में हो।

यह इमाम साहिब की अमानत और बड़ाई है, और आप जैसे तमाम इमामों में से भी हर एक ने यही फ़रमाया है कि उनके अक़वाल को दीन न समझा जाये। अल्लाह उनसे राज़ी और ख़ुश हो।

इसी लिये क़ाज़ी मावरदी रह. फ़रमाते हैं कि इमाम साहिब का सलाते-वुस्ता के बारे में यही मज़हब समझना चाहिये कि वह अ़सर है, अगरचे इमाम साहिब का अपना नया क़ौल यह है कि वह अ़सर नहीं है,

मगर आपके इस फ़रमान के मुताबिक़ हदीसे सही के ख़िलाफ़ इस क़ौल को पाकर हमने छोड़ दिया। शाफ़ई मज़हब के और भी बहुत से मुहद्दिसीन ने यही फ़रमाया है।

बाज़ शाफ़ई फ़ुक़हा तो कहते हैं कि इमाम साहिब का सिर्फ़ एक ही क़ौल है कि वह सुबह की नमाज़ है, लेकिन ये सब बातें तय करने के लिये तफ़सीर मुनासिब नहीं, इसका बयान दूसरी किताबों में अलग से मौजूद है।

फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला के सामने ख़ुशूअ़-ख़ुज़ूअ और मिस्कीनी (यानी विनम्रता और आ़जिज़ी) के साथ खड़े हुआ करो, जिसमें यह भी लाज़िम है कि इनसानी बातचीत न हो, इसी लिये हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. के सलाम का जवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ में न दिया और बाद फ़राग़त फ़रमाया कि नमाज़ मशग़ूलियत की चीज़ है, और हज़रत मुआ़विया बिन हकम से जबकि उन्होंने नमाज़ पढ़ते हुए बात की तो फ़रमाया- नमाज़ में बातचीत न करनी चाहिये, यह तो सिर्फ़ तस्बीह और तकबीर और ज़िक्रुल्लाह है। (मुस्नद)

मुस्नद अहमद वग़ैरह में है कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले लोग ज़रूरी बातचीत भी नमाज़ में कर लिया करते थे। जब यह आयत उतरी तो ख़ामोश रहने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन इस हदीस में एक इश्काल (शुब्हा) यह है कि उलेमा-ए-किराम की एक जमाअ़त के नज़दीक नमाज़ में बातचीत करने की हुर्मत (हराम होना) हब्शा की हिजरत के बाद और मदीना शरीफ़ की हिजरत से पहले ही मक्का शरीफ़ में नाज़िल हो चुकी थी। चुनाँचे सही मुस्लिम में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि हब्शा की हिजरत से पहले हम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सलाम करते थे, आप नमाज़ में होते फिर भी जवाब देते। जब हब्शा से हम वापस आये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मैंने आपकी नमाज़ की हालत में ही सलाम किया, आपने जवाब न दिया। अब मेरे रंज व ग़म का कुछ न पूछिये, नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आपने मुझसे फ़रमाया- अ़ब्दुल्लाह! और कोई बात नहीं, मैं नमाज़ में था, इस वजह से मैंने जवाब न दिया। ख़ुदा जो चाहे नया हुक्म उतारे। उसने यह नया हुक्म नाज़िल फ़रमाया है कि नमाज़ में न बोला करो। पस यह वाक़िआ़ मदीना की हिजरत से पहले का है और यह आयत मदीना में नाज़िल हुई है।

अब बाज़ तो कहते हैं कि ज़ैद बिन अरक़म रज़ि. के क़ौल का मतलब कलाम से है और इसकी हुर्मत (हराम होने) पर इस आयत से दलील पकड़ना भी ख़ुद उनकी समझ की बात है। वल्लाहु आलम।

बाज़ कहते हैं कि मुम्किन है दो दफ़ा जायज़ हुआ और दोनों दफ़ा मनाही हुई हो, लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. वाली रिवायत जो अबू यअ़ला में है, उसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जवाब न देने से मुझे यह ख़ौफ़ हुआ कि शायद मेरे बारे में कोई 'वही' (अल्लाह की तरफ़ से कोई पैग़ाम) नाज़िल हुई है। आपने मुझसे फ़ारिग़ होकर फ़रमायाः

وعليك السلام ايها المسلم ورحمة الله.

'व अ़लैकस्सलाम अय्युहल-मुस्लिम व रहमतुल्लाहि' नमाज़ में जब तुम हो तो ख़ामोश रहा करो।

ख़ौफ़ की नमाज़ और उससे मुताल्लिक़ तफ़सीलात

चूँकि नमाज़ों की पूरी हिफ़ाज़त करने का फ़रमान सादिर हो चुका था इसलिये अब उस हालत को बयान फ़रमाया जाता है जिसमें तमाम अदब-आदाब की पूरी रियायत आ़म तौर पर नहीं रह सकती। यानी

मैदाने जंग में जबकि दुश्मन सर पर हो तो फ़रमाया कि जिस तरह मुम्किन हो सवार पैदल क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके न करके नमाज़ अदा कर लिया करो। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. इस आयत का यही मतलब बयान करते हैं, बल्कि नाफ़े रह. फ़रमाते हैं कि मैं तो जानता हूँ यह मरफ़ूअ़ हदीस है मुस्लिम शरीफ़ में, कि सख़्त ख़ौफ़ के वक़्त इशारे से ही नमाज़ पढ़ लिया करो, चाहे सवारी पर सवार हो। अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ि. को जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ालिद बिन सुफ़ियान के क़त्ल के लिये भेजा था तो आपने इसी तरह नमाज़े अ़सर इशारे से अदा की थी........। (अबू दाऊद)

पस इसमें अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों पर बहुत आसानी कर दी और बोझ को हल्का कर दिया। नमाज़े ख़ौफ़ एक रक्अ़त पढ़नी भी आयी है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़बानी हज़र (वतन में होने) की हालत में चार रक्अ़तें फ़र्ज़ की हैं और सफ़र की हालत में दो और ख़ौफ़ की हालत में एक। (मुस्लिम) इमाम अहमद फ़रमाते हैं कि यह उस वक़्त है जब बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ हो। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह और बहुत से दूसरे हज़रात नमाज़े ख़ौफ़ एक रक्अ़त बतलाते हैं। इमाम बुख़ारी रह. ने सही बुख़ारी में बाब बाँधा है कि 'क़िले की फ़ुतूहात और दुश्मन की मुठभेड़ के मौक़े पर नमाज़ पढ़ना'। इमाम औज़ाई फ़रमाते हैं कि अगर फ़तह क़रीब आ गयी हो और नमाज़ पढ़ने पर क़ुदरत न हो तो हर शख़्स अपने तौर पर इशारे से नमाज़ पढ़ ले, अगर इतना वक़्त भी न मिले तो ताख़ीर (विलंब) करें यहाँ तक कि लड़ाई ख़त्म हो जाये, और चैन नसीब हो तो दो रक्अ़तें अदा कर लें वरना एक रक्अ़त काफ़ी है, लेकिन सिर्फ़ तकबीर कह लेना काफ़ी नहीं बल्कि ताख़ीर कर दें (यानी लेट कर लें बाद में पढ़ लें) यहाँ तक कि अमन मिले। मक्हूल भी यही फ़रमाते हैं।

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि तुस्तर क़िले की लड़ाई में मैं भी फ़ौज में था, सुबह सादिक़ के वक़्त घमासान की लड़ाई हो रही थी, हमें वक़्त ही न मिला कि हम नमाज़ अदा करते, ख़ूब दिन चढ़े उस दिन हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी, अगर उस नमाज़ के बदले में मुझे दुनिया और जो कुछ इसमें है मिल जाये फिर भी मैं ख़ुश नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत इमामुल-मुहद्दिसीन ने उस हदीस से दलील पकड़ी है जिसमें है कि जंगे ख़न्दक़ में सूरज ग़ुरूब हो जाने तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अ़सर की नमाज़ न पढ़ सके। फिर दूसरी हदीस में है कि आपने जब अपने सहाबा को बनी क़ुरैज़ा की तरफ़ भेजा तो उनसे फ़रमा दिया था कि तुममें से कोई भी बनू क़ुरैज़ा से पहले अ़सर की नमाज़ न पढ़े, अब जबकि नमाज़े अ़सर का वक़्त आ गया तो बाज़ों ने तो वहीं पढ़ ली और कहा कि मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह था कि हम बहुत जल्द जायें ताकि अ़सर की नमाज़ का वक़्त हमें वहाँ पहुँचकर हो, और बाज़ लोगों ने न पढ़ी, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया, वहीं जाकर नमाज़ पढ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो न तो आपने न इन्हें डाँटा न उन्हें। पस इससे हज़रत इमाम बुख़ारी रह. यह मसला साबित करते हैं अगरचे जमहूर इसके मुख़ालिफ़ हैं, वह कहते हैं कि सूरः निसा में जो नमाज़े ख़ौफ़ का हुक्म है और जिस नमाज़ का शरीअ़त में होना और तरीक़ा हदीसों में वारिद हुआ है वह जंगे ख़न्दक़ के बाद का है, जैसे कि अबू सईद वग़ैरह की रिवायत में इसकी स्पष्टता है, लेकिन इमाम बुख़ारी, इमाम मक्हूल और इमाम औज़ाई रह. का जवाब यह है कि इसका हुक्म बाद में जारी होना इस जवाज़ (जायज़ होने) के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता है कि यह भी जायज़ हो, और वह भी तरीक़ा हो क्योंकि ऐसी हालत बहुत कम इत्तिफ़ाक़िया ही होती है, और ख़ुद सहाबा किराम रज़ि. ने हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ि. के ज़माने में तुस्तर

की फ़तह में इस पर अ़मल किया और किसी ने इनकार (एतिराज़ और विरोध) नहीं किया। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमान है कि अमन की हालत में हुक्म का बजा लाने का पूरा ख़्याल रखो जिस तरह मैंने तुम्हें ईमान की राह दिखाई और जहल के बाद इल्म दिया, तो तुम्हें भी चाहिये कि इसके शुक्रिये में ज़िक्रुल्लाह इत्मीनान के साथ किया करो, जैसे कि नमाज़े ख़ौफ़ का बयान करके फ़रमाया- जब इत्मीनान हो जाये तो नमाज़ों को अच्छी तरह क़ायम करो, नमाज़ मोमिनों पर वक़्ते मुक़र्रर पर फ़र्ज़ है। नमाज़े ख़ौफ़ का पूरा बयान सूरः निसा की आयत नम्बर 102 की तफ़सीर में आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

और जो लोग वफ़ात पा जाते हैं तुममें से और छोड़ जाते हैं बीवियों को, वे वसीयत कर जाया करें अपनी उन बीवियों के वास्ते एक साल तक फ़ायदा उठाने की, इस तौर पर कि वे घर से निकाली न जाएँ, हाँ अगर ख़ुद निकल जाएँ तो तुमको कोई गुनाह नहीं उस क़ायदे की बात में जिसको वे अपने बारे में करें, और अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। (240) और सब तलाक़ दी हुई औरतों के लिए कुछ-कुछ फ़ायदा पहुँचाना क़ायदे के मुवाफ़िक़ (यह) मुक़र्रर हुआ है उन पर जो (शिर्क व कुफ़्र से) परहेज़ करते हैं। (241) इसी तरह हक़ तआ़ला तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान फ़रमाते हैं, इस उम्मीद पर कि तुम समझो (और अ़मल करो)। (242)

ع ٣١ ١٥

मैदाने जंग के कुछ अहकाम के बाद शौहर की वफ़ात से मुताल्लिक़ चन्द मसाईल

अक्सर मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि यह आयत इससे पहले की आयत यानी चार महीने दस दिन की इद्दत वाली आयत से मन्सूख़ हो चुकी है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ि. ने हज़रत उस्मान रज़ि. से कहा- जब यह आयत मन्सूख़ हो चुकी है तो फिर आप इसे क़ुरआने करीम में क्यों लिखवा रहे हैं? आपने फ़रमाया- भतीजे जिस तरह पहले क़ुरआन में यह मौजूद है यहाँ भी मौजूद रहेगी। हम कोई हेर-फेर नहीं कर सकते। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि पहले तो यही हुक्म था कि साल भर तक नान-नफ़क़ा (ख़र्च) उस बेवा औरत को मय्यित के माल से दिया जाये और उसी के मकान में यह रहे, फिर मीरास की आयत ने इसे मन्सूख़ कर दिया और शौहर की औलाद होने की सूरत में छोड़े हुए माल का आठवाँ हिस्सा और औलाद न होने के वक़्त चौथाई माल वरसे का मुक़र्रर किया गया, और इद्दत चार महीने दस दिन मुक़र्रर हुई। अक्सर सहाबा और ताबिईन से मन्क़ूल है कि यह आयत मन्सूख़ है। सईद बिन

मुसैयब कहते हैं कि सूरः अहज़ाब की इस आयतः

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَانَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ......... الخ.

(सूरः अहज़ाब आयत 49) ने इसे मन्सूख़ कर दिया। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि सात महीने बीस दिन जो असली इद्दत (चार महीने दस दिन) के अ़लावा के हैं, इस आयत में इस मुद्दत का हुक्म हो रहा है, इद्दत तो वाजिब है लेकिन यह ज़्यादती की मुद्दत का औ़रत को इख़्तियार है चाहे वहीं बैठकर यह ज़माना गुज़ारे चाहे न गुज़ारे और चली जाये। मीरास की आयत ने रहने-सहने के मकान को भी मन्सूख़ कर दिया, वह जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे, मकान का ख़र्च शौहर के ज़िम्मे नहीं। पस इन अक़वाल से मालूम होता है कि इस आयत ने साल भर की इद्दत को वाजिब ही नहीं किया, फिर मन्सूख़ होने के क्या मायने? यह तो सिर्फ़ शौहर की वसीयत है और इसे भी अगर औ़रत पूरा करना चाहे तो करे वरना उस पर जबर नहीं। 'वसीयत' से मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें वसीयत करता है, जैसे एक आयत में हैः

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ............. الخ.

कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में..........।

पस अगर औ़रतें साल भर तक अपने मरे हुए शौहरों के मकानों में रहें तो उन्हें न निकाला जाये, और अगर वे इद्दत गुज़ार कर जाना चाहें तो उन पर कोई जबरन नहीं। इमाम इब्ने तैमिया रह. भी इसी क़ौल को पसन्द फ़रमाते हैं, और भी बहुत से लोग इसी को इख़्तियार करते हैं, और बाक़ी जमाअ़त इसे मन्सूख़ बतलाती है। पस अगर उनका इरादा असली इद्दत के बाद के ज़माने के मन्सूख़ होने का है तो ख़ैर! वरना इस बारे में इमामों का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। वे कहते हैं कि शौहर के घर में इद्दत गुज़ारनी ज़रूरी है और इसकी दलील मुवत्ता इमाम मालिक की यह हदीस है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. की बहन साहिबा फ़रीआ़ बिन्ते मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आयीं और कहा कि हमारे गुलाम भाग गये थे जिन्हें ढूँढने के लिये मेरे शौहर गये, क़दूम में उन गुलामों से मुलाक़ात हुई लेकिन उन्होंने आपको क़त्ल कर दिया। उनका कोई मकान नहीं जिसमें मैं इद्दत गुज़ारूँ और न कुछ खाने पीने को है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने मायके चली जाऊँ और वहीं इद्दत पूरी करूँ। आपने फ़रमाया इजाज़त है। मैं लौटी, अभी हुजरे ही में थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे बुलवाया, ख़ुद बुलाया और फ़रमाया- तुमने क्या कहा? मैंने फिर क़िस्सा बयान किया, आपने फ़रमाया अपने घर में ही ठहरी रहो, यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाये। चुनाँचे मैंने वहीं इद्दत का ज़माना पूरा किया, यानी चार महीने दस दिन।

हज़रत उस्मान रज़ि. के ज़माने में आपने मुझे बुलवाया और मुझसे यही मसला पूछा, मैंने अपना यह वाक़िआ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ैसले समेत सुनाया, हज़रत उस्मान ने भी इसी की पैरवी की और यही फ़ैसला दिया। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी हसन सही कहते हैं। मुतल्लक़ा (तलाक़ पाई हुई) औ़रत को फ़ायदा देने के बारे में लोग कहते थे कि अगर हम चाहें दें चाहें न दें, इस पर यह आयत उतरी। इसी आयत से बाज़ लोगों ने हर तलाक़ वाली को कुछ न कुछ देना वाजिब क़रार दिया है, और बाज़ दूसरे बुज़ुर्गों ने इसे उन औ़रतों के लिये मख़्सूस माना है जिनका बयान पहले गुज़र चुका, यानी जिन औ़रतों से सोहबत न हुई हो और मेहर भी मुक़र्रर न हुआ हो और तलाक़ दे दी जाये, लेकिन पहली जमाअ़त का जवाब यह है कि आ़म हुक्म में से एक औ़रत का ज़िक्र करना इसी सूरत के साथ इस हुक्म को मख़्सूस नहीं करता, जैसे कि मशहूर और मन्सूर मज़हब है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला इसी तरह अपनी आयतें हलाल व हराम, फ़राईज़ व हुदूद और हुक्म व मना करने के बारे में वाज़ेह और विस्तृत बयान करता है ताकि किसी क़िस्म का शुब्हा और अस्पष्टता बाक़ी न रहे, कि ज़रूरत के वक़्त अटक बैठो। बल्कि इस क़द्र साफ़ बयान होता है कि हर शख़्स समझ सके।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(ऐ मुख़ातब!) तुझको उन लोगों का क़िस्सा तहक़ीक़ नहीं हुआ जो कि अपने घरों से निकल गए थे, और वे लोग हज़ारों ही थे मौत से बचने के लिए, सो अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए (हुक्म) फ़रमा दिया कि मर जाओ, फिर उनको ज़िन्दा कर दिया। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा फ़ज़्ल करने वाले हैं लोगों (के हाल) पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। (243) (इस क़िस्से में ग़ौर करो) और अल्लाह की राह में क़िताल करो और यक़ीन रखो इस बात का कि अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनने वाले (और) ख़ूब जानने वाले हैं। (244) (ऐसा) कौन शख़्स है जो अल्लाह तआ़ला को क़र्ज़ दे अच्छे तौर पर क़र्ज़ देना, फिर अल्लाह तआ़ला उस (के सवाब) को बढ़ाकर बहुत-से हिस्से कर दे, और अल्लाह कमी करते हैं और फ़राख़ी "यानी वुसअ़त" करते हैं, और तुम उसी की तरफ़ (मरने के बाद) ले जाए जाओगे। (245)

मौत व ज़िन्दगी के फ़ैसले अल्लाह की तरफ़ से हैं

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये लोग चार हज़ार थे। एक और रिवायत में है कि आठ हज़ार थे, बाज़ नौ हज़ार कहते हैं, बाज़ चालीस हज़ार बतलाते हैं, बाज़ तीस हज़ार से कुछ ऊपर बतलाते हैं। ये लोग दावरदान नाम की बस्ती के थे जो वासित की तरफ़ है। बाज़ कहते हैं कि उस बस्ती का नाम अज़्रआत था। ये लोग ताऊन (प्लैग) के मारे अपने शहरों को छोड़ भागे थे। एक बस्ती में जब पहुँचे वहीं ख़ुदा के हुक्म से सब मर गये, इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के एक नबी का वहाँ से गुज़र हुआ, उनकी दुआ़ से ख़ुदा तआ़ला ने फिर दोबारा इन्हें ज़िन्दा कर दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि एक चटियल साफ़ हवादार खुले मैदान में ठहरे थे और दो फ़रिश्तों की चीख़ से हलाक किये गये थे, जब एक लम्बी मुद्दत गुज़र चुकी, उनकी हड्डियों का भी चूरा हो गया, उस जगह बस्ती बस गयी, तब हिज़क़ील नाम के एक नबी वहाँ से निकले, उन्होंने दुआ़ की और अल्लाह तआ़ला ने क़बूल फ़रमाई और हुक्म दिया कि तुम कहो कि ऐ बोसीदा हड्डियो! अल्लाह तआ़ला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सब जमा हो जाओ। चुनाँचे हर-हर जिस्म की हड्डियों

का ढाँचा खड़ा हो गया। फिर ख़ुदा का हुक्म हुआ कि आवाज़ दो कि ऐ हड्डियो! अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि तुम गोश्त पोस्त रगें पट्ठे भी जोड़ लो, चुनाँचे अल्लाह के उस नबी की आँखों के सामने यह भी हो गया। फिर आवाज़ लगाई कि ऐ रूह! अल्लाह तआ़ला का तुम्हें हुक्म हो रहा है कि हर रूह अपने-अपने पुराने जिस्म में आ जाये, चुनाँचे ये सब जिस तरह एक साथ मरे थे इसी तरह एक साथ जी उठे और बिना सोचे-समझे एक दम उनकी ज़बान से निकला 'सुब्हान-क ला इला-ह इल्ला अन्-त' (ख़ुदाया तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं) यह दलील है क़ियामत के दिन इसी जिस्म के साथ दोबारा जी उठने की।

फिर फ़रमाता है कि अल्लाह का लोगों पर बड़ा भारी फ़ज़्ल व करम है कि वह अपनी क़ुदरत की ज़बरदस्त ठोस निशानियाँ दिखा रहा है, लेकिन बावजूद इसके भी अक्सर लोग नाक़द्रे और नाशुक्रे हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी जगह बचाव और पनाह नहीं, ये लोग वबा (ताऊन की बीमारी) से भागे थे और ज़िन्दगी के लालची थे तो इसके ख़िलाफ़ अ़ज़ाब आया और फ़ौरन हलाक हो गये। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ि. शाम की तरफ़ चले और सरग़ में पहुँचे तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वग़ैरह लश्कर के सरदारों से मिले और ख़बर दी कि शाम में आज कल वबा (महामारी) है, चुनाँचे इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हुआ कि अब वहाँ जायें या न जायें, आख़िरकार हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि. जब आये और फ़रमाया- मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि जब वबा (महामारी) किसी जगह आये और तुम वहाँ हो तो उसके डर से भागो मत, और जब तुम किसी जगह वबा (बीमारी और महामारी) की ख़बर सुन लो तो वहाँ उस हालत में जाओ भी मत। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने यह सुनकर ख़ुदा की तारीफ़ व सना की, फिर वहाँ से वापस चले गये। (बुख़ारी व मुस्लिम) एक और रिवायत में है कि यह ख़ुदा का अ़ज़ाब है जो पहली उम्मतों पर डाला गया था....।

मौत व हयात के फ़ैसले हो चुके अब जिहाद से फ़रार बुज़दिली और नामर्दी है

फिर फ़रमाया- जिस तरह उन लोगों का भागना उन्हें मौत से न बचा सका इसी तरह जिहाद से मुँह मोड़ना भी बेकार है। मौत और रिज़्क़ दोनों क़िस्मत में मुक़र्रर हो चुके हैं, रिज़्क़ न बढ़े न घटे, मौत न पहले आये न पीछे हटे। एक और जगह इरशाद है कि जो लोग राहे ख़ुदा से रुके बैठे हैं और अपने साथियों से भी कहते हैं कि ये जिहाद में शहीद होने वाले भी अगर हमारी तरह रहते तो मारे न जाते, उनसे कहो कि ज़रा अपनी जानों से भी तो मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो। एक और जगह है कि ये लोग कहते हैं कि ख़ुदाया हम पर लड़ाई क्यों लिख दी? क्यों न हमें एक वक़्त तक फ़ुर्सत दी? जिसके जवाब में फ़रमाया कि मज़बूत बुर्ज (गुंबद) भी मौत के सामने हैच (बेहक़ीक़त) हैं। इस मौक़े पर इस्लामी लश्करों के सरदार और बहादुरों के पेशवा ख़ुदा की तलवार इस्लाम के पुश्त-पनाह अबू सुलैमान ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. का वह इरशाद नक़ल करना मुनासिब होगा जो आपने अपने इन्तिक़ाल के वक़्त फ़रमाया था कि कहाँ हैं मौत से डरने वाले, लड़ाई से जी चुराने वाले नामर्द, वे देखें कि मेरा जोड़-जोड़ राहे ख़ुदा में ज़ख़्मी हो चुका है, सारे जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ तीर, तलवार, नेज़ा, बरछा न लगा हो, लेकिन देखो कि आज मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ, मैदाने जंग में नहीं हूँ।

क़र्ज़े-हसना

फिर परवर्दिगारे आ़लम अपने बन्दों को अपनी राह में ख़र्च करने की तरग़ीब (प्रेरणा) दे रहा है, जो जगह-जगह दी जाती है। हदीसे नुज़ूल में भी है- कौन है जो ऐसे ख़ुदा को क़र्ज़ दे जो न मुफ़्लिस है न ज़ालिम। इस आयत को सुनकर हज़रत अबुद्दहदाह अन्सारी रज़ि. ने कहा था या रसूलल्लाह! क्या अल्लाह तआ़ला हमसे क़र्ज़ तलब फ़रमाता है? आपने फ़रमाया हाँ। फ़रमाया अपना हाथ दीजिए। फिर हाथ में हाथ लेकर कहा- हुज़ूर! मैंने अपना बाग़ जिसमें छह सौ खजूर के पेड़ हैं अल्लाह तआ़ला को क़र्ज़ दिया और वहाँ से सीधे अपने बाग़ आये और बाहर ही खड़े रहकर अपनी बीवी साहिबा को आवाज़ दी कि बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, मैंने यह बाग़ राहे ख़ुदा में दे दिया है। (इब्ने अबी हातिम)

क़र्ज़े-हसना से मुराद राहे ख़ुदा का ख़र्च है। बाल-बच्चों का ख़र्च भी है और तस्बीह व तक़्दीस (यानी अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व पाकी बयान करना) भी है। फिर फ़रमाया कि ख़ुदा उसको दोगुना चौगुना करके देगा। जैसे एक और जगह है:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ.......... الخ.

यानी ख़ुदा की राह के ख़र्च की मिसाल उस दाने जैसी है जिसकी सात बालीं निकलें और हर बाल में सात दाने हों और ख़ुदा इससे भी ज़्यादा जिसे चाहे देता है.......। इस आयत की तफ़सीर भी जल्द ही आयेगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से अबू उस्मान नहदी पूछते हैं- मैंने सुना है कि आप फ़रमाते हैं कि एक-एक नेकी का बदला एक-एक लाख नेकियों का मिलता है? आपने फ़रमाया इसमें ताज्जुब क्या करते हो? मैंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि एक नेकी का बदला दो लाख के बराबर मिलता है। (मुस्नद अहमद) लेकिन यह हदीस ग़रीब है। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अबू उस्मान नहदी फ़रमाते हैं- मुझसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की ख़िदमत में कोई नहीं रहता था, आप हज को गये, फिर पीछे से मैं भी गया। बसरा पहुँचकर मैंने सुना कि वे लोग हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से ऊपर बयान हुई हदीस बयान करते हैं, मैंने उनसे कहा ख़ुदा की क़सम सबसे ज़्यादा आपकी सोहबत में रहने वाला मैं हूँ। मैंने तो कभी भी आपसे यह हदीस नहीं सुनी। फिर मेरे जी में आया कि चलूँ चलकर ख़ुद हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से पूछ लूँ। चुनाँचे मैं वहाँ से चला आया, यहाँ आया तो मालूम हुआ कि वह हज को गये हैं। मैं सिर्फ़ इस एक हदीस की ख़ातिर मक्का को चल खड़ा हो। वहाँ आपसे मुलाक़ात हुई। मैंने कहा हज़रत! ये बसरा वाले आप से कैसी रिवायत करते हैं? आपने फ़रमाया वाह इसमें ताज्जुब की कौनसी बात है, फिर यही आयत पढ़ी और फ़रमाया कि साथ ही अल्लाह का यह क़ौल भी पढ़ोः

وَمَامَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّاقَلِيْلٌ.

यानी सारी दुनिया का असबाब (माल-दौलन और सामान) आख़िरत के मुक़ाबले में हक़ीर (बेहक़ीक़त और घटिया) चीज़ है, ख़ुदा की क़सम मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि एक नेकी के बदले अल्लाह तआ़ला दो लाख नेकियाँ अ़ता फ़रमाता है। इसी मज़्मून की तिर्मिज़ी की यह हदीस भी है, कि जो शख़्स बाज़ार में जाये और वहाँ ''ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल-मुल्कु व लहुल-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर'' पढ़े, अल्लाह तआ़ला उसके लिये एक लाख नेकियाँ लिखता है

और एक लाख गुनाह माफ़ फ़रमाता है........। इब्ने अबी हातिम में है कि जब यह आयत उतरीः

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ........... الخ.

(यानी सूरः ब-क़रह की आयत 261) तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ़ की- ख़ुदाया! मेरी उम्मत को और ज़्यादती अ़ता फ़रमा, पस यह आयत उतरीः

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا........... الخ.

(यानी सूरः ब-क़रह की आयत 245) आपने फिर भी और ज़्यादती की दुआ़ की तो यह आयत उतरीः

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(यानी सूरः जुमर की आयत 10)

हज़रत कअ़बे अहबार से एक शख़्स ने कहा- मैंने एक शख़्स से यह सुना है कि जो शख़्स सूरः 'क़ुल हुवल्लाहु अहद...............' (पूरी सूरत) को एक दफ़ा पढ़े उसके लिये मोती और याक़ूत के दस लाख महल जन्नत में बनते हैं? क्या मैं इसे सच मान लूँ? आपने फ़रमाया इसमें ताज्जुब की कौनसी बात है, बल्कि बीस और भी लाख और भी, और इस क़द्र कि उनकी गिनती सिवाय अल्लाह तआ़ला के किसी को मालूम ही न हो। फिर आपने इस आयत की तिलावत की और फ़रमाया- जब अल्लाह 'बहुत बढ़ाकर' फ़रमाता है तो फिर मख़्लूक़ उसके गिनने की ताक़त कैसे रखेगी?

फिर फ़रमाया कि रिज़्क़ की कमी-ज़्यादती ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से है, ख़ुदा की राह में ख़र्च करते हुए कन्जूसी न करो, वह जिसे दे उसमें भी हिक्मत है और जिसे न दे उसमें भी मस्लेहत है। तुम सब क़ियामत के दिन उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ ۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْ ۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

(ऐ मुख़ातब!) तुझको बनी इस्राईल की जमाअ़त का क़िस्सा जो मूसा के बाद हुआ है तहक़ीक़ नहीं हुआ, जबकि उन लोगों ने अपने एक पैग़म्बर से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुक़र्रर कर दीजिए कि हम अल्लाह की राह में (जालूत से) क़िताल करें। (उन पैग़म्बर ने) फ़रमायाः क्या यह एहतिमाल "यानी वहम व अन्देशा" नहीं कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो तुम (उस वक़्त) जिहाद न करो? वे लोग कहने लगे कि हमारे वास्ते ऐसा कौनसा सबब होगा कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें? हालाँकि हम अपनी बस्तियों और अपने बेटों से भी जुदा कर दिए गए हैं, फिर जब उन लोगों को जिहाद का हुक्म हुआ तो बहुत थोड़े-से लोगों को छोड़कर (बाक़ी) सब फिर गए। और अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को ख़ूब जानते हैं। (246)

अल्लाह की राह में जिहाद की प्रेरणा और तवज्जोह

जिस नबी का यहाँ ज़िक्र है उनका नाम हज़रत क़तादा रह. ने हज़रत यूशा बिन नून बिन अफ़राईम बिन यूसुफ़ बिन याक़ूब अ़लैहिस्सलाम बतलाया है, लेकिन यह क़ौल कुछ ठीक नहीं मालूम होता, इसलिये कि यह वाक़िआ़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बहुत बाद का हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के ज़माने का है, जैसा कि इसकी वज़ाहत आई है, और हज़रत दाऊद और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के दरमियान एक हज़ार साल से ज़्यादा का फ़ासला है। वल्लाहु आलम।

इमाम सुद्दी रह. का क़ौल है कि पैग़म्बर हज़रत शमऊन हैं। मुजाहिद कहते हैं कि शमवील बिन बाली बिन अ़ल्क़मा बिन यरख़ाम बिन इल्यहू बिन थू बिन सूफ़ बिन अ़ल्क़मा बिन माहिस बिन उमरसा बिन अ़ज़रिया बिन सफ़निया बिन अ़ल्क़मा बिन अबू यासिफ़ बिन क़ारून बिन युसहर बिन क़ाहिस बिन लावी बिन याक़ूब बिन इस्हाक़ बिन इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम हैं। वाक़िआ़ यह है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद कुछ ज़माने तक तो बनी इस्राईल सही रास्ते पर रहे फिर शिर्क व बिदअ़त में पड़ गये, मगर फिर भी उनमें लगातार अम्बिया आते रहे, यहाँ तक कि बनी इस्राईल की बेबाकियाँ हद से गुज़र गयीं, अब अल्लाह तआ़ला ने उनके दुश्मनों को उन पर ग़ालिब कर दिया। ख़ूब पिटे-कटे और नुचे-लुटे। पहले तो तौरात की मौजूदगी, ताबूते सकीना की मौजूदगी जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से विरासत में चला आता था, उनके लिये ग़लबे का ज़रिया और सबब होता था, मगर उनकी सरकशी और बदतरीन गुनाहों की वजह से ख़ुदा की यह नेमत भी उनके हाथों से छिन गयी, और नुबुव्वत भी उनके घराने में ख़त्म हुई। लावी जिन्न की औलाद में पैग़म्बरी की नस्ल चली आ रही थी, वे सारे के सारे लड़ाईयों में मर-खप गये, उनमें से सिर्फ़ एक हामिला औ़रत रह गयी थी, उनके शौहर भी क़त्ल हो चुके थे। अब बनी इस्राईल की नज़रें उस औ़रत पर थीं, उन्हें उम्मीद थी कि ख़ुदा उसे लड़का दे और वह लड़का नबी बने। ख़ुद उन बीवी साहिबा की भी दिन-रात यही दुआ़ थी जो ख़ुदा ने क़बूल फ़रमाई और उन्हें लड़का दिया जिनका नाम शमवील या शमऊन रखा, इसके लफ़्ज़ी मायने हैं 'ख़ुदा ने मेरी दुआ़ क़बूल फ़रमाई'। नुबुव्वत की उम्र को पहुँचकर उन्हें भी नुबुव्वत मिली। जब आपने नुबुव्वत की दावत दी तो क़ौम ने दरख़्वास्त की कि किसी को आप हमारा बादशाह मुक़र्रर कर दीजिए ताकि हम उसके ताबे होकर जिहाद करें। बादशाह तो ज़ाहिर हो ही गया था लेकिन पैग़म्बर ने अपना अन्देशा ज़ाहिर किया कि कहीं तुम फिर जिहाद से जी न चुराओ। क़ौम ने जवाब दिया कि हज़रत हमारे मुल्क हम से छीन लिये गये, हमारे बाल-बच्चे गिरफ़्तार किये गये और फिर भी क्या हम ऐसे बेग़ैरत हैं कि मरने-मारने से डरें? अब जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया और हुक्म हुआ कि इस बादशाह के साथ उठो। बस सुनते ही सन्न हो गये और सिवाय कुछ थोड़े से लोगों के बाक़ी सबने मुँह मोड़ लिया। उनकी तरफ़ से यह कोई नई बात न थी जिसका ख़ुदा को इल्म न हो।

और उन लोगों से उनके पैग़म्बर ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम पर तालूत को बादशाह मुक़र्रर फ़रमाया है। वे कहने लगे उनको हम पर हुक्मरानी का हक़ कैसे हासिल	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ

الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○	हो सकता है? हालाँकि उनकी तुलना में हम हुक्मरानी के ज़्यादा हक़दार हैं, और उनको तो कुछ माली गुंजाईश भी नहीं दी गई। (उन पैग़म्बर ने जवाब में) फ़रमाया कि (अव्वल तो) अल्लाह तआला ने तुम्हारे मुक़ाबले में उनको चुना है, और (दूसरे) इल्म और जसामत "यानी भारी-भरकम होने और डील-डोल" में उनको ज़्यादती दी है, और (तीसरे) अल्लाह तआला अपना मुल्क जिसको चाहें दें, और (चौथे) अल्लाह तआला वुस्अ़त देने वाले, जानने वाले हैं। (247)

तालूत की बादशाहत

मतलब यह है कि जब उन्होंने बादशाह बना देने की ख़्वाहिश अपने पैग़म्बर से की तो पैग़म्बर ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत तालूत को पेश किया जो शाही ख़ानदान से न थे बल्कि एक सिपाही थे। शाही ख़ानदान यहूदा की औलाद थी और यह उनमें से न थे, तो क़ौम ने एतिराज़ किया कि बादशाहत के हक़दार इससे तो बहुत ज़्यादा हम हैं, फिर दूसरी बात यह कि इसके पास माल भी नहीं, मुफ़लिस शख़्स है। बाज़ कहते हैं यह सक़्क़े थे। किसी ने कहा है कि यह दब्बाग़ (खालों को सही बनाने वाले) थे, पस पहली सरकशी तो नबी के हुक्म पर एतिराज़ की शक्ल में सामने आई। अल्लाह के पैग़म्बर ने उन्हें जवाब दिया कि उनको बादशाह बनाना मेरी राय से नहीं कि मैं उसमें दोबारा ग़ौर कर सकूँ। यह तो अल्लाह का हुक्म है जिसका पालन करना ज़रूरी है। फिर वह तुम में बड़े आ़लिम हैं और क़वी, ताक़तवर, ख़ूबसूरत, बहादुर और लड़ाई के गुर और महारत से पूरे वाक़िफ़ हैं। यहाँ से यह भी साबित हुआ कि बादशाह इल्म वाला, अच्छी शक्ल व सूरत वाला, क़वी ताक़तवर और बुद्धिमान और अपनी राय रखने वाला होना चाहिये।

फिर फ़रमाया कि असली और हक़ीक़ी हाकिम अल्लाह तआ़ला ही है, मुल्क का मालिक वास्तव में वही है, जिसे चाहे मुल्क दे, वह इल्म व हिक्मत वाला, मेहरबानी व रहमत वाला है। किसकी मजाल है कि उससे सवाल करे, वह जो चाहे करे, सबसे सवाल करने वाला कोई न कोई है लेकिन परवर्दिगार इससे अलग है, वह बड़े फ़ज़्ल वाला है, अपनी नेमतों से जिसे चाहे नवाज़े, वह इल्म वाला है, ख़ूब जानता है कि कौन किस चीज़ का मुस्तहिक़ है और कौन किस चीज़ का हक़दार नहीं।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ	और उनसे उनके पैग़म्बर ने फ़रमाया कि उनके (अल्लाह की जानिब से) बादशाह होने की यह निशानी है कि तुम्हारे पास वह सन्दूक़ आ जाएगा जिसमें तस्कीन (और बरकत) की चीज़

مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝	है तुम्हारे रब की तरफ़ से, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जिनको (हज़रत) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और (हज़रत) हारून (अ़लैहिस्सलाम) की औलाद छोड़ गई है। उस (सन्दूक़) को फ़रिश्ते ले आएँगे। उसमें तुम लोगों के वास्ते पूरी निशानी है अगर तुम यक़ीन लाने वाले हो। (248)

वाक़िए की तफ़सील

नबी अ़लैहिस्सलाम फ़रमा रहे हैं कि तालूत की बादशाहत की पहली बरकत की निशानी यह है कि खोया हुआ ताबूते सकीना तुम्हें फिर मिल जायेगा, जिसमें वक़ार व इ़ज़्ज़त, दिल-जमई और बड़ाई व सम्मान और रहमत है। जिसमें ख़ुदा की निशानियाँ हैं, जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो। बाज़ का क़ौल है कि 'सकीना' एक सोने का तश्त था जिसमें अम्बिया के दिल धोये जाते थे जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को मिला था और जिसमें आपने तौरात की तख़्तियाँ रखी थीं। किसी ने कहा है कि उसका मुँह भी था जैसे इनसान का मुँह होता है और रूह भी थी, हवा भी थी, दो सर थे, दो पर थे और दुम भी थी। वहब कहते हैं कि मुर्दा बिल्ली का सर था, जब वह ताबूत में बोलता तो उन्हें इमदाद व विजय का यक़ीन हो जाता और लड़ाई फ़तह हो जाती। दूसरे और क़ौल भी हैं कि यह अल्लाह की तरफ़ से एक रूह थी, जब कभी बनी इस्राईल में कोई इख़्तिलाफ़ (विवाद) पड़ता या किसी बात की इत्तिला न होती तो वह कह दिया करती थी, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम के वरसे (मीरास) के बाक़ी हिस्से से मुराद लकड़ी, तौरात की तख़्तियाँ, मन्न, उनके कुछ कपड़े और जूती हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि फ़रिश्ते आसमान व ज़मीन के दरमियान उस ताबूत को उठाये हुए सब लोगों के सामने आये और हज़रत तालूत बादशाह के सामने ला रखा, इस ताबूत को उनके यहाँ देखकर उन्हें नबी की नुबुव्वत और तालूत की बादशाहत का यक़ीन हो गया।

यह भी कहा गया है कि यह गाय के ऊपर लाया गया, बाज़ कहते हैं कि काफ़िरों ने जब यहूदियों पर ग़लबा पाया तो ताबूते सकीना को जब बुत-ख़ाने में ले गये तो देखा कि बुत नीचे और ताबूत ऊपर है, उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया लेकिन दूसरी सुबह देखा कि फिर वही मामला है, उन्होंने ताबूत को यहाँ से लेजाकर किसी और छोटी सी बस्ती में रख दिया, वहाँ एक वबाई बीमारी (महामारी) फैली, आख़िर बनी इस्राईल की एक औ़रत ने जो वहाँ क़ैद थी उन्हें कहा कि इसे वापस बनी इस्राईल को पहुँचा दो तो तुम्हें इससे निजात मिलेगी। उन लोगों ने दो गायों पर ताबूत को चढ़ाकर बनी इस्राईल के शहर की तरफ़ भेज दिया। शहर के क़रीब पहुँचकर गायें तो रस्सियाँ तुड़वाकर भाग गयीं और ताबूत वहीं रहा जिसे बनी इस्राईल ले आये। बाज़ कहते हैं कि दो नौजवान उसे पहुँचा गये। वल्लाहु आलम। (लेकिन क़ुरआन के अलफ़ाज़ में यह मौजूद है कि उसे फ़रिश्ते उठा लायेंगे) यह भी कहा गया है कि यह फ़िलिस्तीन की बस्तियों में से एक बस्ती में था जिसका नाम अज़्दर्द था।

फिर फ़रमाता है कि मेरी नुबुव्वत की दलील और तालूत की बादशाहत की दलील यह भी है कि ताबूत फ़रिश्ते पहुँचा जायेंगे, अगर तुम्हें ख़ुदा और क़ियामत पर ईमान हो।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

फिर जब तालूत फ़ौजों को लेकर (बैतुल-मुक़द्दस से अ़मालिक़ा की तरफ़) चले तो उन्होंने कहा कि हक़ तआ़ला तुम्हारा इम्तिहान करेंगे एक नहर से। सो जो शख़्स (बहुत ज़्यादती के साथ) उससे पानी पियेगा तो वह मेरे साथियों में नहीं, और जो उसको ज़बान पर भी न रखे वह मेरे साथियों में है, लेकिन जो शख़्स अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। सो सबने उससे (बहुत ज़्यादा) पीना शुरू कर दिया, मगर थोड़े आदमियों ने उनमें से। सो जब तालूत और जो मोमिनीन उनके साथ थे नहर के पार उतर गए, कहने लगे कि आज तो हममें जालूत और उसके लश्कर से मुक़ाबले की ताक़त मालूम नहीं होती, (यह सुनकर) ऐसे लोग जिनको यह ख़्याल था कि वे अल्लाह तआ़ला के रू-ब-रू पेश होने वाले हैं, कहने लगे कि कितनी ही बार बहुत सी छोटी-छोटी जमाअ़तें बड़ी-बड़ी जमाअ़तों पर ख़ुदा के हुक्म से ग़ालिब आ गई हैं, और अल्लाह तआ़ला मुस्तक़िल रहने और जमने वालों का साथ देते हैं। (249)

इसी क़िस्से की कुछ और तफ़सील

अब वाक़िआ़ बयान हो रहा है कि जब उन लोगों ने तालूत की बादशाहत तस्लीम कर ली और वह उन्हें लेकर जिहाद को चले। हज़रत सुद्दी रह. के क़ौल के मुताबिक़ उनकी तायदाद अस्सी हज़ार थी, रास्ते में तालूत ने कहा कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें एक नहर के साथ आज़माने वाला है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के क़ौल के मुताबिक़ यह नहर उर्दुन और फ़िलिस्तीन के बीच थी, इसका नाम 'नहरुश्शरीआ़' था। तालूत ने उन्हें होशियार कर दिया कि इस नहर का पानी कोई न पिये, अगर पी लेगा तो मेरे साथ न चले। एक आध घूँट अगर किसी ने पी लिया तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन जब वहाँ पहुँचे, प्यास की शिद्दत थी, नहर पर झुक पड़े और ख़ूब पेट भरकर पानी पी लिया, मगर कुछ लोग ऐसे पुख़्ता ईमान वाले भी थे कि जिन्होंने न पिया और एक चुल्लू पी लिया, बक़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के एक चुल्लू पीने वालों की तो प्यास भी बुझ गयी और वे जिहाद में भी शामिल रहे, लेकिन पूरी प्यास पीने वालों की न तो प्यास बुझी न वे जिहाद के क़ाबिल रहे। इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं अस्सी हज़ार में से छियत्तर हज़ार ने पानी पी लिया सिर्फ़ चार हज़ार आदमी सही मायनों में फ़रमाँबरदार निकले।

हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा अक्सर फ़रमाया करते थे कि बदर की लड़ाई वाले दिन हमारी तायदाद उतनी ही थी जितनी हज़रत तालूत बादशाह के उस फ़रमाँबरदार लश्कर की थी जो आपके साथ नहर से पार हुआ था, यानी तीन सौ तेरह। यहाँ से पार होते ही नाफ़रमानों के छक्के छूट गये और निहायत बुज़दिली के साथ उन्होंने जिहाद से इनकार कर दिया और दुश्मनों की ज़्यादती ने उनके हौसले तोड़ दिये। साफ़ जवाब दे बैठे कि आज तो हम जालूत के लश्कर से लड़ने की ताक़त अपने में नहीं पाते अगरचे सरफ़रोश मुजाहिद उलेमा-ए-किराम ने उन्हें हर तरह से हिम्मत बंधवाई, तक़रीरें और नसीहतें कीं, फ़रमाया कि कम ज़्यादा होने पर फ़तह मौक़ूफ़ (निर्भर) नहीं, सब्र और नेक-नीयती पर ज़रूर ख़ुदा की इमदाद होती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुट्ठी भर लोगों ने बड़ी-बड़ी जमाअ़तों को नीचा दिखाया है। सब्र करो, तबीयत में जमाव और पुख़्तगी रखो, ख़ुदा के वायदों पर नज़र रखो, इस सब्र के बदले ख़ुदा तुम्हारा साथ देगा, लेकिन फिर भी उनके ठंडे दिल न गरमाये और उनकी बुज़दिली दूर न हुई।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۣ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۭ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

और जब जालूत और उसकी फ़ौजों के सामने (मैदान में) आए तो कहने लगेः ऐ हमारे परवर्दिगार! हम पर इस्तिक़लाल "यानी मज़बूती और मुस्तक़िल मिज़ाजी" (ग़ैब से) नाज़िल फ़रमाईए और हमारे क़दम जमाए रखिए और हमको इस काफ़िर क़ौम पर ग़ालिब कीजिए। (250) फिर (तालूत वालों ने जालूत वालों को) ख़ुदा तआ़ला के हुक्म से शिकस्त दे दी और दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) ने जालूत को क़त्ल कर डाला, और उनको (यानी दाऊद को) अल्लाह तआ़ला ने हुकूमत और हिक्मत अ़ता फ़रमाई, और भी जो-जो मन्ज़ूर हुआ उनको तालीम फ़रमाया। और अगर यह बात न होती कि अल्लाह तआ़ला बाज़े आदमियों को बाज़ों के ज़रिये से दफ़ा करते रहा करते हैं तो सर-ज़मीन "यानी दुनिया" (पूरी की पूरी) फ़साद और बिगाड़ से भर जाती, लेकिन अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं जहान वालों पर। (251) ये अल्लाह तआ़ला की आयतें हैं जो सही-सही तौर पर हम तुमको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, और (इससे साबित है कि) आप बेशक पैग़म्बरों में से हैं। (252)

हार-जीत में अल्लाह के हुक्म को कारफ़रमा जानना ईमान की पुख़्तगी है

यानी जिस वक़्त मुसलमानों की इस छोटी सी जमाअ़त ने काफ़िरों के बहुत बड़े लश्कर देखे तो अल्लाह की बारगाह में गिड़-गिड़ाकर दुआ़यें करनी शुरू कीं कि ख़ुदाया! हमें सब्र व जमाव का पहाड़ बना दे और लड़ाई के वक़्त हमारे क़दम जमा दे। मुँह मोड़ने और भागने से हमें बचा ले और उन दुश्मनों पर हमें ग़ालिब कर। चुनाँचे उनकी ये आ़जिज़ाना (विनम्रता से भरी) और दिल के साथ की हुई दुआ़यें क़बूल होती हैं, ख़ुदा की मदद नाज़िल होती है, मुट्ठी भर जमाअ़त उस टिड्डी-दल (बहुत बड़े) लश्कर को तहस-नहस कर देती है और हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के हाथों मुख़ालिफ़ों का सरदार और सरताज जालूत मारा जाता है। इस्राईली रिवायतों में यह भी है कि हज़रत तालूत ने उनसे वायदा किया था कि अगर तुम जालूत को क़त्ल करोगे तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दूँगा और अपना माल भी आधों-आध तुम्हें दे दूँगा और हुकूमत में भी बराबर का शरीक कर लूँगा। चुनाँचे हज़रत दाऊद ने पत्थर को फ़लाख़न (गोफन) में रखकर जालूत पर चलाया और उसी से वह मारा गया। हज़रत तालूत ने अपना वायदा पूरा किया, आख़िरकार सल्तनत के मुस्तक़िल बादशाह आप ही हो गये और परवर्दिगारे आ़लम की तरफ़ से भी नुबुव्वत जैसी ज़बरदस्त नेमत अ़ता हुई। हज़रत शमवील के बाद यह पैग़म्बर भी बने और बादशाह भी। हिक्मत से मुराद नुबुव्वत है और बहुत से मख़्सूस इल्म भी जो ख़ुदा ने चाहे अपने इस नबी को सिखाये।

फिर अल्लाह तआ़ला का इरशाद होता है कि अगर अल्लाह तआ़ला यूँ पस्त (कम दर्जे के और पिछड़े) लोगों की पस्ती न बदलता जिस तरह बनी इस्राईल को तालूत जैसे अ़क़्ल मन्द और विचारक बादशाह और दाऊद जैसे कमांडर अ़ता फ़रमाकर बदली, तो लोग हलाक हो जाते। जैसे एक दूसरी जगह इरशाद है:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا............ الخ.

यानी यूँ अगर एक दूसरे को न दबाया और ग़लबा दिया जाता तो इबादत-ख़ाने (पूजा-स्थल) और वो मस्जिदें जिनमें ख़ुदा का नाम ख़ूब ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है तोड़ दी जातीं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि एक नेकबख़्त ईमान वाले की वजह से उसके आस-पास के सौ-सौ घरानों से ख़ुदा तआ़ला बलाओं को दूर कर देता है। फिर हदीस के रावी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने इसी आयत की तिलावत की। (इब्ने जरीर) लेकिन इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। इब्ने ज़रीर की एक और ग़रीब हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला एक सच्चे मुसलमान की बरकत और नेक आमाल की वजह से उसकी औलाद की औलाद को, उसके घर वालों को और आस-पास के घर वालों को संवार देता है, और उसकी मौजूदगी तक वे सब ख़ुदा की हिफ़ाज़त में रहते हैं।

इब्ने मर्दूया की एक हदीस में है कि क़ियामत तक हर ज़माने में सात शख़्स तुम में ज़रूर ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से तुम्हारी मदद की जायेगी, तुम पर बारिश बरसाई जायेगी और तुम्हें रोज़ी दी जायेगी। इब्ने मर्दूया की दूसरी हदीस में है कि मेरी उम्मत में तीस अबदाल होंगे जिनकी वजह से तुम रोज़ियाँ दिये

जाओगे, तुम पर बारिशें बरसाई जायेंगी और तुम्हारी मदद की जायेगी। इस हदीस के रावी हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि मेरा ख़्याल है कि हज़रत हसन रह. भी उनही अबदाल में से थे।

फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला की यह नेमत और उसका एहसान है कि वह एक को दूसरे से दफ़ा (हटाता और दूर) करता है। वही सच्चा हाकिम है, उसके तमाम काम हिक्मत से भरे होते हैं, वह अपनी दलीलें अपने बन्दों पर वाज़ेह फ़रमा रहा है, वह तमाम मख़्लूक़ पर फ़ज़्ल व करम करता है। ऐ नबी! ये वाक़िआ़त और तमाम हक़ की बातें हमारी सच्ची 'वही' से तुम्हें मालूम हुईं। तुम मेरे सच्चे रसूल हो, मेरी इन बातों की और ख़ुद आपकी नुबुव्वत की सच्चाई का इल्म उन लोगों को भी है जिनके हाथों में किताब है। यहाँ अल्लाह तआ़ला ने ज़ोरदार ताकीद के साथ अलफ़ाज़ में क़सम खाकर अपने नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की नुबुव्वत की तस्दीक़ की।

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

अल्लाह तआ़ला का शुक्र व एहसान है तफ़सीर इब्ने कसीर का दूसरा पारा मुकम्मल हुआ।

पारा नम्बर तीन

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ ۢ بَعْدِهِمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

ये हज़राते मुर्सलीन ऐसे हैं कि हमने उनमें से बाज़ों को बाज़ों पर फ़ौक़ियत दी है, (मिसाल के तौर पर) बाज़े उनमें वे हैं जो अल्लाह तआ़ला से हम-कलाम हुए और बाज़ों को उनमें से बहुत-से दर्जों पर सरफ़राज़ "सम्मानित" किया। और हमने (हज़रत) ईसा बिन मरियम को खुली-खुली दलीलें अ़ता फ़रमाईं, और हमने उनकी ताईद रूहुल-क़ुदुस (यानी जिब्राईल) से फ़रमाई। और अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो (उम्मत के) जो लोग उनके बाद हुए आपस में क़त्ल व क़िताल न करते, बाद इसके कि उनके पास (हक़ बात के) दलाईल पहुँच चुके थे, लेकिन वे लोग (आपस में दीन में) मुख़्तलिफ़ हुए, सो उनमें कोई तो ईमान लाया और कोई काफ़िर रहा, (और नौबत क़त्ल व क़िताल की पहुँची) और अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो वे लोग आपस में क़त्ल व क़िताल न करते, लेकिन अल्लाह तआ़ला जो चाहते हैं करते हैं। (253)

अम्बिया की जमाअ़त में बाज़, बाज़ से अफ़ज़ल हैं

यहाँ बयान हो रहा है कि रसूलों में भी मर्तबे और दर्जे हैं। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا.

हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी और हज़रत दाऊद को हमने ज़बूर दी।

यहाँ इसी का बयान करके इरशाद होता है कि उनमें से बाज़ को अल्लाह के साथ गुफ़्तगू का सम्मान भी नसीब हुआ, जैसे हज़रत मूसा और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम। सही इब्ने हिब्बान में हदीस है, जिसमें मेराज के बयान के साथ यह भी है कि किस नबी को आपने किस आसमान में पाया, यह दलील है उनके मर्तबों के कम व ज़्यादा होने की। हाँ एक हदीस में है कि एक मुसलमान और यहूदी की कुछ बातचीत हो गयी तो यहूदी ने कहा- क़सम है उस ख़ुदा की जिसने मूसा को तमाम जहान वालों पर फ़ज़ीलत दी। मुसलमान से बरदाश्त न हो सका, उसने हाथ उठाकर एक थप्पड़ मारा और कहा- ख़बीस क्या वह हमारे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से भी अफ़ज़ल

हैं? यहूदी ने सरकारे नबवी में आकर इसकी शिकायत की, आपने फ़रमाया मुझे नबियों पर फ़ज़ीलत न दो, क़ियामत के दिन सब बेहोश होंगे सबसे पहले मैं होश में आऊँगा तो मैं देखूँगा कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुदा के अ़र्श का पाया थामे हुए होंगे। मुझे मालूम नहीं कि वह मुझसे पहले ही होश में आ गये या वह बेहोश ही नहीं हुए थे और तूर की बेहोशी के बदले यहाँ की बेहोशी से बचा लिये गये। पस मुझे नबियों पर फ़ज़ीलत न दो।

एक और रिवायत में है कि पैग़म्बरों के दरमियान फ़ज़ीलत न दो। यह हदीस बज़ाहिर क़ुरआने करीम की इस आयत के ख़िलाफ़ मालूम होती है लेकिन दर असल कोई टकराव नहीं, मुम्किन है कि हुज़ूरे पाक का यह फ़रमान इससे पहले का हो कि आपको फ़ज़ीलत का इल्म हुआ हो, लेकिन यह क़ौल ज़रा ग़ौर-तलब है। दूसरा जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने महज़ तवाज़ो और विनम्रता के तौर पर फ़रमाया है, न कि हक़ीक़त के तौर पर। तीसरा जवाब यह है कि ऐसे झगड़े और बहस के वक़्त एक को एक पर फ़ज़ीलत देना दूसरे की शान घटाना है, इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमा दिया। चौथा जवाब यह है कि तुम फ़ज़ीलत न दो, यानी सिर्फ़ अपनी राय, अपने ख़्याल और अपने ज़ेहनी तास्सुब (बेजा हिमायत) से अपने नबी को दूसरे नबी पर फ़ज़ीलत न दो। पाँचवाँ जवाब यह है कि फ़ज़ीलत व तकरीम (इज़्ज़त व सम्मान) का फ़ैसला तुम्हारे बस का नहीं बल्कि यह ख़ुदा की तरफ़ से है, वह जिसे जो फ़ज़ीलत दे तुम मान लो। तुम्हारा काम तस्लीम करना और ईमान लाना है।

फिर फ़रमाता है कि हमने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को स्पष्ट दलीलें और ऐसी हुज्जतें अ़ता फ़रमाई थीं जिनसे बनी इस्राईल पर साफ़ वाज़ेह हो गया कि आपकी रिसालत बिल्कुल सच्ची है और साथ ही आपकी यह हैसियत भी वाज़ेह हो गयी कि दूसरे बन्दों की तरह आप भी अल्लाह तआ़ला के आ़जिज़ बन्दे और बेकस ग़ुलाम हैं, और रूहुल-क़ुदुस यानी हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से हमने उनकी ताईद की। फिर फ़रमाया कि बाद वालों के इख़्तिलाफ़ (झगड़े और मतभेद) भी हमारी बनाई हुई तक़दीर और पहले से तय फ़ैसलों का नमूना हैं। हमारी शान यह है कि जो चाहें करें, हमारे किसी इरादे से मुराद अलग नहीं (यानी ऐसी कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती जिसका हम इरादा न करें, न ही यह हो सकता है कि हम किसी बात का इरादा करें और वह न हो)।

ऐ ईमान वालो! ख़र्च करो उन चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, इससे पहले कि वह (क़ियामत का) दिन आ जाए जिसमें न तो ख़रीद व फ़रोख़्त होगी और न दोस्ती होगी, और न (बिना अल्लाह की इजाज़त के) कोई सिफ़ारिश होगी, और काफ़िर लोग ही ज़ुल्म करते हैं। (तो तुम ऐसे मत बनो)। (254)	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

एक दिन वह होगा जिसमें सिर्फ़ अपने ही आमाल काम आयेंगे

अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि वे भलाई की राह में अपना माल ख़र्च करें ताकि ख़ुदा के पास उनका सवाब जमा रहे और फिर फ़रमाता है कि अपनी ज़िन्दगी ही में ख़ैरात व सदक़ात कर

लो, क़ियामत के दिन न तो ख़रीद व फ़रोख़्त है न ज़मीन भरकर सोना देने से भी जान छूट सकती है, न किसी का नसब, दोस्ती और मुहब्बत कुछ काम आ सकती है। जैसे एक और जगह है:

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ.

यानी जब सूर फूँका जायेगा उस दिन न तो नसब रहेगा न कोई किसी का पुरसाने हाल होगा, और उस दिन सिफ़ारिशियों की सिफ़ारिश भी कुछ नफ़ा न देगी।

फिर फ़रमाया- काफ़िर ही ज़ालिम हैं। यानी पूरे और पक्के ज़ालिम वे हैं जो कुफ़्र की हालत में ही खुदा से मिलें। अता बिन दीनार कहते हैं कि शुक्र है खुदा ने काफ़िरों को ज़ालिम फ़रमाया लेकिन ज़ालिमों को काफ़िर नहीं फ़रमाया।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ○

अल्लाह तआ़ला (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं, ज़िन्दा है संभालने वाला है (तमाम आ़लम का) न उसको ऊँघ दबा सकती है और न नींद, उसी के मम्लूक हैं सब जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं, ऐसा कौन शख़्स है जो उसके पास (किसी की) सिफ़ारिश कर सके बिना उसकी इजाज़त के, वह जानता है उनके तमाम हाज़िर व ग़ायब हालात को, और वे मौजूदात उसके मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इल्मी इहाते "यानी जानकारी के घेरे" में नहीं ला सकते, मगर जिस क़द्र (इल्म देना) वही चाहे, उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और ज़मीन को अपने अन्दर ले रखा है, और अल्लाह को उन दोनों की हिफ़ाज़त कुछ गिराँ नहीं गुज़रती, और वह आ़लीशान और अ़ज़ीमुश्शान है। (255)

अल्लाह तआ़ला का परिचय, ज़ात व सिफ़ात और ख़ुसूसियतों का एक बयान

यह आयतुल-कुर्सी है जो बड़ी अ़ज़मत वाली आयत है। हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मालूम फ़रमाते हैं कि अल्लाह की किताब में सबसे ज़्यादा अ़ज़मत (बड़ाई और सम्मान) वाली आयत कौनसी है? आप जवाब देते हैं, ख़ुदा और उसके रसूल ही को सबसे ज़्यादा इल्म है। आप फिर यही सवाल करते हैं, बार-बार के सवाल पर जवाब देते हैं कि आयतुल-कुर्सी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- ऐ अबुल-मुन्ज़िर! ख़ुदा तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। उस ख़ुदा की क़सम

जिसके हाथ में मेरी जान है इसकी ज़बान होगी, होंठ होंगे और यह बादशाहे हक़ीक़ी की पाकी व तारीफ़ बयान करेगी और अ़र्श के पाये से लगी हुई होगी। (मुस्नद अहमद)

सही मुस्लिम शरीफ़ में भी यह हदीस है लेकिन यह आख़िरी क़सम वाला जुमला उसमें नहीं। हज़रत उबई बिन कअ़ब फ़रमाते हैं- मेरे यहाँ खजूर की एक बोरी थी, मैंने देखा कि उसमें से खजूरें दिन-ब-दिन घट रही हैं, एक रात मैं जागता रहा और उसकी निगरानी करता रहा। मैंने देखा कि एक जानवर जवान लड़के जैसा आया, मैंने उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा तू इनसान है या जिन्न? उसने कहा मैं जिन्न हूँ। मैंने कहा ज़रा अपना हाथ तो दे, उसने हाथ बढ़ा दिया मैंने अपने हाथ में लिया तो कुत्ते जैसा हाथ था और उस पर कुत्ते जैसे ही बाल भी थे। मैंने कहा- क्या जिन्नों की पैदाईश ऐसी ही है? उसने कहा तमाम जिन्नात में सबसे ज़्यादा क़ुव्वत व ताक़त वाला मैं ही हूँ। मैंने कहा कि तुझको मेरी चीज़ चुराने की जुर्रत कैसे हुई? उसने कहा मुझे मालूम है कि तू सदक़े को पसन्द करता है, हमने कहा फिर हम क्यों मेहरूम रहें? मैंने कहा तुम्हारे शर (बुराई) से बचाने वाली कौनसी चीज़ है? उसने कहा आयतुल-कुर्सी। सुबह को जब मैं सरकारे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में हाज़िर हुआ तो मैंने रात का सारा वाक़िआ बयान किया, आपने फ़रमाया ख़बीस ने यह बात तो बिल्कुल सच कही। (अबू यअ़ला)

मुहाजिरीन के पास आप गये तो एक शख़्स ने कहा- हुज़ूर! क़ुरआन की कौनसी आयत बहुत अ़ज़मत वाली है? आपने यही आयतुल-कुर्सी पढ़कर सुनाई। (तबरानी) आपने एक मर्तबा सहाबा में से एक से पूछा क्या तुमने निकाह कर लिया? उसने कहा हज़रत! मेरे पास माल नहीं, इसलिये निकाह नहीं किया। आपने फ़रमाया- 'क़ुल हुवल्लाहु...........(पूरी सूरत)' याद नहीं? उसने कहा वह तो याद है, फ़रमाया चौथाई क़ुरआन तो यह हो गया। क्या "क़ुल या अय्युहल् काफ़िरून........... (पूरी सूरत)" याद नहीं? कहा हाँ वह भी याद है, फ़रमाया चौथाई क़ुरआन यह हुआ। फिर पूछा क्या 'इज़ा ज़ुल्ज़िलतु-अरज़ु...... (पूरी सूरत)' भी याद है? कहा हाँ, फ़रमाया चौथाई क़ुरआन यह हुआ। क्या 'इज़ा जा-आ नसरुल्लाहि..... (पूरी सूरत)' भी याद है? कहा हाँ, फ़रमाया चौथाई यह हुआ। क्या आयतुल-कुर्सी याद है? कहा हाँ, फ़रमाया चौथाई क़ुरआन यह हुआ। (मुस्नद अहमद)

हज़रत अबूज़र फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप उस वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। मैं आकर बैठ गया, आपने पूछा क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली? मैंने कहा नहीं, फ़रमाया उठो नमाज़ अदा करो। मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर आकर बैठा तो आपने फ़रमाया- अबूज़र! शैतान इनसानों और जिन्नों से पनाह माँग। मैंने कहा हुज़ूर क्या इनसानी शैतान भी होते हैं? फ़रमाया हाँ। मैंने कहा हुज़ूर! नमाज़ के बारे में क्या इरशाद है? फ़रमाया वह सरासर ख़ैर है, जो चाहे कम हिस्सा ले जो चाहे ज़्यादा। मैंने कहा हुज़ूर! रोज़ा? फ़रमाया किफ़ायत करने वाला फ़र्ज़ है और ख़ुदा के नज़दीक ज़्यादती है। मैंने कहा, सदक़ा? फ़रमाया बहुत ज़्यादा और बढ़-चढ़कर बदला दिलवाने वाला। मैंने कहा सबसे अफ़ज़ल सदक़ा कौनसा है? फ़रमाया कम माल वाले का हिम्मत करना, या छुपाकर मोहताज की ज़रूरत पूरी करना। मैंने सवाल किया सबसे पहले नबी कौन हैं? फ़रमाया- हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम। मैंने कहा वह नबी थे? फ़रमाया- नबी और ख़ुदा से हम-कलाम होने वाले। मैंने पूछा रसूलों की तायदाद क्या है? फ़रमाया तीन सौ और कुछ ऊपर दस बहुत बड़ी जमाअ़त। एक रिवायत में तीन सौ पन्द्रह का लफ़्ज़ है। मैंने पूछा हुज़ूर! आप पर सबसे ज़्यादा अ़ज़मत वाली आयत कौनसी उतरी है? फ़रमाया आयतुल-कुर्सी-

अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुवल् हय्युल-क़य्यूमु.............(आख़िर तक) (मुस्नद अहमद)

हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि. फ़रमाते हैं कि मेरे ख़ज़ाने में से जिन्न चुराकर ले जाया करते थे। मैंने आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से शिकायत की, आपने फ़रमाया जब तू उसे देखे तो कहना 'बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूलल्लाह' जब वह आया मैंने यही कहा। फिर उसे छोड़ दिया। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने फ़रमाया तेरे क़ैदी ने क्या किया? मैंने कहा मैंने उसे पकड़ लिया था लेकिन उसने वायदा किया कि अब फिर नहीं आऊँगा। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया वह फिर भी आयेगा। मैंने उसे इसी तरह दो तीन बार पकड़ा और इक़रार लेकर छोड़ दिया। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया और आपने हर दफ़ा यही फ़रमाया कि वह फिर भी आयेगा, आख़िरी मर्तबा मैंने कहा अब मैं तुझे न छोड़ूँगा। उसने कहा छोड़ दे मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि कोई जिन्न या शैतान तेरे पास ही न आ सके। मैंने कहा अच्छा बता, तो कहा वह आयतुल् कुर्सी है। मैंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया उसने सच कहा अगरचे वह झूठा है। (मुस्नद अहमद)

सही बुख़ारी शरीफ़ में किताब फ़ज़ाईलुल-क़ुरआन और किताबुल-वकालत और सिफ़ते इब्लीस के बयान में भी यह हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है, उसमें है कि रमज़ान के ज़कात के माल पर मैं पहरा दे रहा था कि यह शैतान आया और समेट-समेटकर अपनी चादर में जमा करने लगा, तीसरी मर्तबा उसने बतलाया कि अगर तू रात को बिस्तर पर जाकर इस आयत को पढ़ लेगा तो ख़ुदा की तरफ़ से तुझ पर हाफ़िज़ (सुरक्षा करने वाला) मुक़र्रर होगा और सुबह तक शैतान तेरे क़रीब न आ सकेगा। (बुख़ारी) दूसरी रिवायत में है कि ये खजूरें थीं और मुट्ठी भर वह ले गया था और आपने फ़रमाया था कि अगर उसे पकड़ना चाहे तो जब वह दरवाज़ा खोले तो कहना "सुब्हान-क मन् सख़्ख़-र-क मुहम्मदुन" शैतान ने उज़्र यह बतलाया था कि मैं इसको एक फ़क़ीर जिन्न बाल-बच्चों के लिये लेजा रहा था। (इब्ने मर्दूया)

पस यह वाक़िआ़ तीन सहाबा का हुआ, हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. का, हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि. का और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. का। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक इनसान और जिन्न की मुलाक़ात हुई। जिन्न ने कहा- मुझसे कुश्ती करेगा? तू अगर मुझे गिरा दे तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखा दूँगा कि जब तू अपने घर जाये और उसे पढ़ ले तो शैतान उसमें न आ सके। कुश्ती हुई और उस आदमी ने उस जिन्न को गिरा दिया, उस शख़्स ने कहा तू तो कमज़ोर और डरपोक है और तेरे हाथ कुत्ते के जैसे हैं, क्या जिन्नात ऐसे ही होते हैं? या सिर्फ़ तू ही ऐसा है? कहा मैं तो उन सबमें क़वी (ताक़तवर) हूँ। फिर दोबारा कुश्ती हुई और दूसरी मर्तबा भी उसने गिरा दिया तो जिन्न ने कहा- वह आयत आयतुल-कुर्सी है। जो शख़्स अपने घर में जाते हुए इसे पढ़ ले तो शैतान उस घर से गधे की तरह चीख़ता हुआ भाग खड़ा होता है। यह शख़्स हज़रत उमर रज़ि. थे। (किताबुल-ग़रीब)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि सूरः ब-क़रह में एक आयत है जो क़ुरआन करीम की तमाम आयतों की सरदार है, जिस घर में वह पढ़ी जाये वहाँ से शैतान भाग जाता है, वह आयत आयतुल-कुर्सी है। (मुस्तद्रक हाकिम) तिर्मिज़ी में है कि हर चीज़ की कोहान और बुलन्दी है और क़ुरआन की बुलन्दी सूरः ब-क़रह है और इसमें भी आयतुल-कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। हज़रत उमर रज़ि. के इस सवाल पर कि सारे क़ुरआन में सबसे ज़्यादा अ़ज़मत वाली आयत कौनसी है? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. ने फ़रमाया- मुझे ख़ूब मालूम है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि वह आयतुल-कुर्सी है। (इब्ने मर्दूया)।

इस्म-ए-आज़म

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि इन दोनों आयतों में अल्लाह तआ़ला का इस्म-ए-आज़म है, एक तो आयतुल-कुर्सी, और दूसरी आयतः

الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ.

यानी सूरः आले इमरान की शुरू की दो आयत। (मुस्नद अहमद)

एक और हदीस में है कि इस्म-ए-आज़म वह है जिसकी बरकत से जो दुआ़ ख़ुदा से माँगी जाये वह क़बूल हो। वह इन तीन सूरतों में है- सूरः ब-क़रह, सूरः आले इमरान और सूरः तॉ-हा। (इब्ने मर्दूया) हिशाम बिन अ़म्मार दमिश्क़ के ख़तीब फ़रमाते हैं कि सूरः ब-क़रह की आयतुल-कुर्सी है और आले इमरान की पहली आयत और तॉ-हा की यह आयतः

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ.

एक और हदीस में है कि जो शख़्स हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल-कुर्सी पढ़ ले उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। (इब्ने मर्दूया) इस हदीस को इमाम नसाई ने भी अपनी किताब "अ़मलुल-यौमि व ल्लैलतु" में नक़ल किया है और इब्ने हिब्बान ने भी इसे अपनी सही में ज़िक्र किया है। इस हदीस की सनद बुख़ारी की शर्त पर है लेकिन इमाम अबुल-फ़र्ज इब्ने जोज़ी इसे मौज़ूअ़ (गढ़ी हुई) कहते हैं। वल्लाहु आलम। तफ़सीर इब्ने मर्दूया में भी यह हदीस है लेकिन उसकी सनद भी ज़ईफ़ है। इब्ने मर्दूया की एक और हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा बिन इमरान अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ वही की कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल-कुर्सी पढ़ लिया करो, जो शख़्स यह करेगा मैं उसे शुक्रगुज़ार दिल और ज़िक्र करने वाली ज़बान दूँगा और उसे नबियों का सवाब और सिद्दीक़ों का अ़मल दूँगा, इस पर हमेशगी (यानी पाबन्दी) सिर्फ़ नबियों से होती है या सिद्दीक़ों से, या उस बन्दे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिये आज़मा लिया हो, या उसे अपनी राह में शहीद करना चाहता हूँ। लेकिन यह हदीस बहुत मुन्कर है। तिर्मिज़ी की हदीस में है कि जो शख़्स सूरः मोमिन (पारा 24) की शुरू की तीन आयतें और आयतुल-कुर्सी को सुबह के वक़्त पढ़ लेगा वह शाम तक ख़ुदा की हिफ़ाज़त में रहेगा और शाम को पढ़ने वाले की सुबह तक हिफ़ाज़त होगी। लेकिन यह हदीस भी ग़रीब है। इस आयत की फ़ज़ीलत में और भी बहुत सी हदीसें हैं लेकिन एक तो इसलिये कि उनकी सनदें ज़ईफ़ हैं दूसरे इसलिये भी कि हमें मज़मून को ज़्यादा लम्बा नहीं करना चाहते, हमने उन्हें ज़िक्र नहीं किया।

आयतुल-कुर्सी बहुत जामे आयत है

इस मुबारक आयत में दस मुस्तक़िल जुमले हैं। पहले जुमले में अल्लाह तआ़ला की वह्दानियत (एक होने) का बयान है कि मख़्लूक़ का वही एक अल्लाह (माबूद) है। दूसरे जुमले में है कि वह ख़ुद ज़िन्दा है, जिस पर कभी मौत नहीं आयेगी। दूसरों को क़ायम रखने वला है, 'क़य्यूम' की दूसरी क़िराअत 'क़य्याम' भी है। पस तमाम मौजूदात उसकी मोहताज हैं, वह सबसे बेनियाज़ है, कोई भी बग़ैर उसकी इजाज़त के किसी चीज़ का संभालने वाला नहीं। जैसे एक और जगह है:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ.

यानी उसकी निशानियों में से एक यह है कि आसमान व ज़मीन उसी के हुक्म से क़ायम हैं।

फिर फ़रमाया न तो उस पर कोई नुक़सान आये न कभी वह अपनी मख़्लूक़ से ग़ाफ़िल और बेख़बर हो बल्कि हर शख़्स के आमाल पर वह हाज़िर है, हर शख़्स के हालात पर वह नाज़िर (नज़र रखने वाला), दिल के हर ख़तरे (आने वाले ख़्याल) से वह वाक़िफ़, मख़्लूक़ का कोई ज़र्रा भी उसकी हिफ़ाज़त और इल्म से कभी बाहर नहीं। यही पूरी क़य्यूमियत (हर चीज़ को क़ायम रखना) है। ऊँघ और ग़फ़लत से, नींद और बेख़बरी से उसकी ज़ात पाक है। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा खड़े होकर सहाबा किराम रज़ि. को चार बातें बतलायीं, फ़रमाया- अल्लाह तबारक व तआ़ला सोता नहीं, न नींद उसकी ज़ात के लायक़ है। वह तराज़ू का हाफ़िज़ है, जिसके लिये चाहे झुका दे जिसके लिये चाहे न झुकाये। दिन के आमाल रात से पहले और रात के आमाल दिन से पहले उसकी तरफ़ उठाये जाते हैं। उसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं, अगर वे हट जायें तो उसके चेहरे की तजल्लियाँ उन तमाम चीज़ों को जला दें जिन तक उसकी निगाह पहुँचती है।

मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हज़रत इक्रिमा रज़ि. से रिवायत है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से पूछा- क्या अल्लाह तआ़ला सोता भी है? तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों की तरफ़ वही भेजी कि हज़रत मूसा को तीन रातों तक बेदार रखें, उन्होंने यही किया, तीन रातों तक सोने न दिया, उसके बाद दो बोतलें उनके हाथों में दे दी गयीं और कह दिया गया कि इन्हें थामे रहो, ख़बरदार ये गिरने और टूटने न पायें। आपने उन्हें थाम लिया, नींद का ग़लबा हुआ और ऊँघ आने लगती, आँख बन्द हो जाती, लेकिन फिर होशियार हो जाते, मगर कब तक? आख़िर एक मर्तबा ऐसा नींद का झोंका आया कि बोतलें टूट गयीं। गोया इससे बतलाया गया कि जब एक ऊँघने और सोने वाला दो बोतलें नहीं संभाल सकता तो अल्लाह तआ़ला अगर ऊँघे या सोये तो ज़मीन व आसमान की हिफ़ाज़त किस तरह हो सकती है? लेकिन यह बनी इस्राईल की बात है, और कुछ दिल को लगती भी नहीं, इसलिये कि यह नामुम्किन है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बुलन्द-रुतबा, अल्लाह के वली और पहचानने वाले अल्लाह की इस सिफ़त से नावाक़िफ़ हों और उन्हें इसमें शक हो कि ख़ुदा जागता ही रहता है या सो भी जाता है। और इससे भी बहुत ज़्यादा ग़रीब वह हदीस है जो इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस वाक़िए को मिम्बर पर बयान फ़रमाया। यह हदीस बहुत ही ग़रीब है, और बज़ाहिर मालूम होता है कि इसका फ़रमाने पैग़म्बर होना साबित नहीं, बल्कि बनी इस्राईल की बात है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यूँ नक़ल है कि बनी इस्राईल ने हज़रत मूसा से यह सवाल किया था और फिर आपको बोतलें पकड़वाई गयीं, और नींद के सबब न संभाल सके........। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई कि आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी गुलामी में और उसकी मातहती में और उसकी सल्तनत में हैं। जैसे फ़रमायाः

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ............ الخ.

यानी ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें रहमान की गुलामी में हाज़िर होने वाली हैं, उन सबको ख़ुदा ने एक-एक करके गिन रखा और घेर रखा है। सारी मख़्लूक़ तन्हा-तन्हा उसके पास हाज़िर होगी, कोई नहीं

जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने सिफ़ारिश या शफ़ाअ़त कर सके। जैसे इरशाद है:

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ.......... الخ.

यानी आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं लेकिन उनकी शफ़ाअ़त कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती, हाँ यह और बात है कि ख़ुदा तआ़ला की मंशा और मर्ज़ी से हो। एक और जगह फ़रमायाः

وَلَايَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى.

किसी की वे शफ़ाअ़त नहीं करते मगर उसकी जिससे ख़ुदा ख़ुश हो।

पस यहाँ भी अल्लाह तआ़ला की अ़ज़मत, उसका जलाल और उसकी किब्रियाई बयान हो रही है कि बग़ैर उसकी इजाज़त और रज़ामन्दी के किसी की जुर्रत नहीं कि उसके सामने किसी की सिफ़ारिश में ज़बान खोले। शफ़ाअ़त वाली हदीस में भी है कि मैं अल्लाह के अ़र्श के नीचे जाऊँगा और सज्दे में गिर पडूँगा। अल्लाह तआ़ला मुझे सज्दे में ही छोड़ देगा जब तक चाहे, फिर कहा जायेगा कि अपना सर उठाओ कहो सुना जायेगा, शफ़ाअ़त करो मन्ज़ूर की जायेगी। आप फ़रमाते हैं- फिर मेरे लिये हद मुक़र्रर कर दी जायेगी और मैं उन्हें जन्नत में ले जाऊँगा।

वह ख़ुदा तमाम पहले गुज़रे, मौजूदा और आईन्दा का जानने वाला है, उसका इल्म तमाम मख़्लूक़ का इहाता (घिराव) किये हुए है। जैसे एक और जगह फ़रिश्तों का क़ौल है:

مَانَتَنَزَّلُ اِلَّابِاَمْرِرَبِّكَ.......... الخ.

हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर उतर नहीं सकते, हमारे आगे पीछे और सामने की सब चीज़ें उसी की मिल्कियत हैं, और तेरा रब भूल-चूक से पाक है।

'कुर्सी' की वज़ाहत

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से नक़ल किया गया है कि कुर्सी से मुराद इल्म है। दूसरे बुज़ुर्गों से दोनों पाँव रखने की जगह मन्क़ूल है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में यही है, और यह भी है कि उसका अन्दाज़ा सिवाय अल्लाह की ज़ात के और किसी को मालूम नहीं। ख़ुद इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यही नक़ल है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से भी मरफ़ूअ़न यही रिवायत है, लेकिन इसका मरफ़ूअ़ होना साबित नहीं। अबू मालिक रह. फ़रमाते हैं कि कुर्सी अ़र्श के नीचे है। इमाम सुद्दी कहते हैं कि आसमान व ज़मीन कुर्सी के बीच में और कुर्सी अ़र्श के सामने है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिये जायें और सबको मिलाकर चौड़ा कर दिया जाये फिर भी कुर्सी के मुक़ाबले में ऐसे होंगे जैसे कोई हल्क़ा (दायरा और गोल चीज़) किसी चटियल मैदान में।

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ि. ने एक मर्तबा कुर्सी के बारे में सवाल किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़सम खाकर यही फ़रमाया। फिर अ़र्श की फ़ज़ीलत कुर्सी पर भी ऐसी ही है। एक औरत ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरख़्वास्त की कि मेरे लिये दुआ़ कीजिए कि ख़ुदा मुझे जन्नत में ले जाये, आपने अल्लाह तआ़ला की बड़ाई बयान करते हुए फ़रमाया- उसकी कुर्सी ने आसमान व ज़मीन को घेर रखा है, मगर जिस तरह नया पालान चर्चराता है वह कुर्सी अल्लाह तआ़ला की अ़ज़मत (जलाल और बड़ाई) से चरचरा रही है। अगरचे यह हदीस बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मौजूद है लेकिन

किसी सनद में कोई रावी ग़ैर-मशहूर है, किसी में इरसाल है, कोई मौक़ूफ़ है, किसी में बहुत अ़जीब व ग़रीब ज़्यादती है, किसी में हज़्फ़ है। और इन सबसे ज़्यादा ग़रीब हज़रत ज़ुबैर रज़ि. वाली हदीस है जो अबू दाऊद में है और वे रिवायतें भी हैं जिनमें क़ियामत के दिन कुर्सी का फ़ैसलों के लिये रखा जाना ज़िक्र है। ज़ाहिर यह है कि इस आयत में यह ज़िक्र नहीं। वल्लाहु आलम।

आसमान और सितारों के बारे में मालूमात रखने वाले मुसलमान माहिरीन को कहना है कि कुर्सी आठवाँ आसमान है जैसे फ़लके सवाबित (सितारों का आसमान) कहते हैं और जिस पर नवाँ आसमान और है जिसे असीर का आसमान कहते हैं और अतूलस भी। लेकिन दूसरे लोगों ने इसकी तरदीद की है। हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि कुर्सी ही अ़र्श है, लेकिन सही बात यह है कि कुर्सी और है अ़र्श और है, जो इससे बहुत बड़ा है जैसे कि बुज़ुर्गों के अक़्वाल और हदीसों में है। अ़ल्लामा इब्ने जरीर तो इस बारे में हज़रत उमर रज़ि. वाली रिवायत पर भरोसा किये हुए हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उसके सही होने में कलाम है। वल्लाहु तआ़ला आलम।

फिर फ़रमाया कि ख़ुदा पर उनकी हिफ़ाज़त भारी नहीं, बल्कि सहल और आसान है। वह सारी मख़्लूक़ के आमाल पर ख़बरदार, तमाम चीज़ों पर निगहबान (देखभाल करने वाला) है, कोई चीज़ उससे पोशीदा और छुपी हुई नहीं है। तमाम मख़्लूक़ उसके सामने हक़ीर (बेहैसियत), झुकी हुई, ज़लील, पस्त, मोहताज और फ़क़ीर है। वह ग़नी (बेपरवाह) और हमीद (तारीफ़ के लायक़) है, वह जो कुछ चाहे कर गुज़रने वाला है, कोई उस पर हाकिम नहीं, पूछगछ करने वाला नहीं। हर चीज़ पर वह ग़ालिब है, हर चीज़ का हाफ़िज़ और मालिक है। वह बुलन्दी और उरूज वाला है, वह अ़ज़मत, बड़ाई और किब्रियाई वाला है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, न उसके सिवा कोई ख़बरगीरी करने वाला, न पालने पोसने वाला, वह बड़ाई वाला और फ़ख़्र वाला है। इसी लिये फ़रमाया "व हुवल् अ़लिय्युल अ़ज़ीम" बुलन्दी और अ़ज़मत (बड़ाई) वाला वही है।

ये आयतें और इन जैसी दूसरी आयतें और सही हदीसें जितनी कुछ ज़ात व सिफ़ात बारी में ज़िक्र हुई हैं उन पर ईमान लाना बग़ैर कैफ़ियत मालूम किये और बग़ैर तश्बीह दिये (यानी न तो यह कि अ़क़्ल की तराज़ू पर तौला जाये कि यह कैसे है, न यह कि किसी चीज़ से उसकी मिसाल देकर उस जैसा समझा जाये) जिन अलफ़ाज़ में वे बयान हुई हैं, ज़रूरी है और यही तरीक़ा हमारे पहले बुज़ुर्गों (उम्मत के पहले उलेमा और पेशवाओं) का था। रिज़्वानुल्लाहि अ़लैहिम अज्मअ़ीन।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○	दीन में ज़बरदस्ती (का अपने आप में कोई मौक़ा) नहीं, (क्योंकि) हिदायत यक़ीनन गुमराही से मुम्ताज़ "यानी अलग और नुमायाँ" हो चुकी है, सो जो शख़्स शैतान से बद-एतिक़ाद हो और अल्लाह तआ़ला के साथ अच्छा एतिक़ाद रखे (यानी इस्लाम क़ुबूल कर ले) तो उसने बड़ा मज़बूत हल्क़ा थाम लिया, जिसको किसी तरह शिकस्तगी नहीं (हो सकती), और अल्लाह ख़ूब सुनने वाले (और) ख़ूब जानने वाले हैं। (256)

दीन को क़बूल करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा

यहाँ यह बयान हो रहा है कि किसी को जबरन इस्लाम में दाख़िल न करो, इस्लाम की हक़्क़ानियत वाज़ेह और रोशन हो चुकी, इसके दलाईल व हुज्जतें बयान हो चुके, फिर किसी पर जबरन और ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है? जिसे ख़ुदा हिदायत देगा, जिसका सीना खुला हुआ हो, दिल रोशन और आँखें देखने वाली होंगी वह तो ख़ुद-ब-ख़ुद इसका शैदाई हो जायेगा। हाँ अन्धे दिल वाले, बहरे कानों वाले, फूटी आँखों वाले इससे दूर रहेंगे। फिर उन्हें अगर जबरन इस्लाम में दाख़िल भी किया तो क्या फ़ायदा? किसी पर इस्लाम के क़बूल कराने के लिये जबरन और ज़बरदस्ती न करो।

इस आयत की शाने नुज़ूल यह है कि मदीना की मुश्रिक औरतें जब उन्हें औलाद न होती थी तो नज़्र (मन्नत) मानती थीं कि अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम उसे यहूदी बना देंगे, यहूदियों के सुपुर्द कर देंगे। इस तरह उनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास थे। जब ये लोग मुसलमान हुए और अल्लाह के दीन के मददगार बने, उधर यहूदियों से जंग हुई और आख़िर उनकी अन्दरूनी शाज़िशें और फ़रेबकारियों से निजात पाने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह हुक्म जारी फ़रमाया कि इन बनू नज़ीर के यहूदियों को जिला-वतन कर दिया जाये, उस वक़्त अन्सारियों ने अपने बच्चे जो उनके पास थे उनसे तलब किये ताकि उन्हें अपने असर से मुसलमान बना लें, इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जबरन और ज़बरदस्ती न करो। एक रिवायत यह भी है कि अन्सार के क़बीले बनू सालिम बिन औ़फ़ का एक शख़्स हसीनी नाम का था, जिसके दो लड़के ईसाई थे और ख़ुद मुसलमान था। उसने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक बार अ़र्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दी जाये कि उन लड़कों को जबरन मुसलमान बना लूँ वैसे तो वे ईसाईयत से हटते नहीं, इस पर यह आयत नाज़िल हुई और मनाही कर दी। एक और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि ईसाईयों का एक क़ाफ़िला मुल्क शाम से तिजारत के लिये किशमिश लेकर आया था जिनके हाथों ये दोनों लड़के ईसाई हो गये थे, जब वह क़ाफ़िला जाने लगा तो ये भी जाने पर तैयार हो गये, इनके बाप ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह ज़िक्र किया और कहा- अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें इस्लाम लाने के लिये कुछ तकलीफ़ दूँ और जबरन मुसलमान बना लूँ, वरना फिर आपको उन्हें वापस लाने के लिये अपने आदमी भेजने पड़ेंगे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत उमर रज़ि. का ग़ुलाम उसक़ ईसाई था। आप उस पर इस्लाम पेश करते वह इनकार करता। आप कह देते कि ख़ैर तेरी मर्ज़ी, इस्लाम ज़बरदस्ती करने से रोकता है। उलेमा की एक बड़ी जमाअ़त का यह ख़्याल है कि यह आयत उन अहले किताब के हक़ में है जो इन्जील व तौरात में रद्दोबदल होने से पहले ईसाई दीन इख़्तियार कर चुके थे और अब वह जिज़्ये (इस्लामी हुकूमत में रहने का टैक्स देने) पर रज़ामन्द हो जायें। बाज़ दूसरे हज़रात कहते हैं कि क़िताल (जंग वाली) आयत ने इसे मन्सूख़ कर दिया।

इस्लाम की दावत आ़म तौर पर दी जानी चाहिये

तमाम इनसानों को इस पाक दीन की दावत देना ज़रूरी है। अगर कोई इनकार करे और मुसलमानों की मातहती भी इख़्तियार न करे, न जिज़्या देना क़बूल करे तो बेशक मुसलमान उससे जिहाद करेंगे। जैसे एक और जगह बयान फ़रमायाः

سَتُدْعَوْنَ اِلٰی قَوْمٍ.......... الخ.

जल्द ही तुम्हें उस क़ौम की तरफ़ बुलाया जायेगा जो बड़ी लड़ाका है, या तो तुम उससे लड़ोगे या वह इस्लाम लायेंगे।

एक और जगह है कि ऐ नबी! काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद करो और उन पर सख़्ती करो। एक और जगह फ़रमायाः ऐ ईमान वालो! अपने आस-पास के काफ़िरों से जिहाद करो, तुममें वे सख़्ती पायें और यक़ीन रखो कि ख़ुदा तआला मुत्तक़ियों के साथ है। सही हदीस में है कि तेरे रब को उन लोगों पर ताज्जुब आता है जो ज़न्जीरों में जकड़े हुए जन्नत की तरफ़ घसीटे जाते हैं, यानी वे काफ़िर जो मैदाने जंग से क़ैदी होकर बेड़ियाँ पहनाकर यहाँ लाये जाते हैं, फिर वे इस्लाम क़बूल कर लेते हैं और उनका ज़ाहिर बातिन अच्छा हो जाता है, और वे जन्नत के लायक़ बन जाते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि एक शख़्स से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कहा- मुसलमान हो जा, उसने कहा हज़रत मेरा दिल नहीं मानता। आपने फ़रमाया अगरचे दिल न चाहता हो। यह हदीस सुलासी है, यानी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक इसमें सिर्फ़ तीन रावी (रिवायत करने वाले) हैं, लेकिन इससे यह न समझना चाहिये कि आपने उसे मजबूर किया। मतलब यह है कि तू कलिमा तो पढ़ ले, फिर एक दिन वह भी आयेगा कि ख़ुदा तेरे दिल को खोल दे और तू दिल से भी इस्लाम पर फ़िदा होने वाला हो जायेगा। अच्छी नीयत और अ़मल का इख़्लास तुझे नसीब होगा। जो शख़्स बुत और झूठे माबूदों को छोड़े, अल्लाह की तौहीद (एक माबूद होने) का इक़रार करता हुआ आ़मिल बन जाये वह सीधी और सही राह पर है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ फ़रमाते हैं- 'जिब्त' से मुराद जादू और ताग़ूत से मुराद शैतान है। दिलेरी और नामर्दी दोनों ऊँट के दोनों तरफ़ के बराबर के बोझ हैं जो लोगों में होते हैं। एक दिलेर आदमी तो अन्जान शख़्स की हिमायत में भी जान देने पर तुल जाता है लेकिन एक बुज़दिल और डरपोक अपनी सगी माँ की ख़ातिर भी क़दम आगे नहीं बढ़ाता। इनसान का असली करम उसका दीन है, इनसान का सच्चा नसब अच्छा अख़्लाक़ है अगरचे वह फ़ारसी हो या नबती। हज़रत उमर रज़ि. का ताग़ूत को शैतान के मायने में लेना बहुत ही अच्छा है, इसलिये कि यह हर उस बुराई को शामिल है जो जाहिलीयत के लोगों में थी, बुत की पूजा करनी, उनकी तरफ़ अपनी ज़रूरतें ले जानी, उनसे सख़्ती के वक़्त इमदाद तलब करनी वग़ैरह।

फिर फ़रमाया- उस शख़्स ने मज़बूत कड़ा थाम लिया, यानी दीन के आला और क़वी सबब को ले लिया जो न टूटे न फटे, ख़ूब मज़बूत, ताक़तवर और गड़ा हुआ। "उरवतुल-वुस्क़ा" से मुराद ईमान, इस्लाम, अल्लाह की तौहीद, क़ुरआन और अल्लाह के लिये मुहब्बत और उसी लिये दुश्मनी करना है। यह कड़ा भी न टूटेगा, यानी उसके जन्नत में पहुँचने तक। एक और जगह हैः

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ.

अल्लाह तआला किसी क़ौम की हालत नहीं बिगाड़ता जब तक ख़ुद वे अपनी हालत न बिगाड़ लें।

मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, हज़रत क़ैस बिन उबादा रह. फ़रमाते हैं मैं मस्जिदे नबवी में था कि एक शख़्स आया, जिसका चेहरा ख़ुदा-तरस था (यानी वह नेक मालूम हो रहा था) दो हल्की रक्अ़तें नमाज़ की उसने अदा कीं, लोग उन्हें देखकर कहने लगे यह जन्नती हैं। जब वह बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे गया, बातें करने लगा। जब वह मुतवज्जह हुए तो मैंने कहा जब आप तशरीफ़ लाये थे तब लोगों ने आपके बारे में यूँ क्यों कहा था? कहा सुब्हानल्लाह! किसी को वह न कहना चाहिये जिसका इल्म

उसे न हो, हाँ अलबत्ता इतनी बात तो है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौजूदगी में एक ख़्वाब देखा था, गोया मैं एक लहलहाते हुए हरेभरे बाग़ में हूँ, उसके दरमियान एक लोहे का सुतून है जो ज़मीन से आसमान तक चला गया है, उसकी चोटी पर एक कड़ा है, मुझसे कहा गया कि इस पर चढ़ जाओ, मैंने कहा मैं तो नहीं चढ़ सकता। चुनाँचे एक शख़्स ने मुझे थामा और मैं आसानी से चढ़ गया और उस कड़े को थाम लिया। उसने कहा देखो मज़बूत पकड़े रखना। बस इसी हालत में मेरी आँख खुल गयी कि वह कड़ा मेरे हाथ में था। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अपना यह ख़्वाब बयान किया तो आपने फ़रमाया- बाग़ तो इस्लाम का बाग़ है और सुतून दीन का सुतून है, और कड़ा "उरवतुल-वुस्क़ा" है। तू मरते दम तक इस्लाम पर क़ायम रहेगा। यह शख़्स हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. हैं। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम दोनों में मरवी है।

मुस्नद अहमद की इसी हदीस में है कि उस वक़्त आप बूढ़े थे और लकड़ी पर टेक लगाये हुए मस्जिदे नबवी में आये थे और एक सुतून के पीछे नमाज़ पढ़ी थी, और सवाल के जवाब में फ़रमाया था कि जन्नत अल्लाह की चीज़ है जिसे चाहे उसमें ले जाये। ख़्वाब के ज़िक्र में फ़रमाया कि एक शख़्स मुझे ले चला, एक लम्बे चौड़े साफ़-सुथरे मैदान में हम पहुँचे, मैंने वहाँ बायीं तरफ़ जाना चाहा तो उसने कहा तुम ऐसे नहीं हो, मैं दायीं जानिब चलने लगा तो अचानक एक चिकने पत्थरों का पहाड़ नज़र पड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया और मैं उसकी चोटी तक पहुँच गया। वहाँ मैंने एक ऊँचा सुतून लोहे का देखा जिसके एक सिरे पर एक सोने का कड़ा था, मुझे उसने उस सुतून पर चढ़ा दिया यहाँ तक कि मैंने उस कड़े को थाम लिया। उसने पूछा ख़ूब मज़बूत थाम लिया है? मैंने कहा हाँ। उसने ज़ोर से सुतून पर अपना पाँव मारा, वह निकल गया और कड़ा मेरे हाथों में रह गया। जब यह ख़्वाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मैंने सुनाया तो आपने फ़रमाया- बहुत नेक ख़्वाब है। मैदान मैदाने मेहशर है, बायीं तरफ़ का रास्ता जहन्नम का रास्ता है, तू उन लोगों में नहीं। दायीं जानिब का रास्ता जन्नतियों का रास्ता है, चिकना पहाड़ शहीदों की मन्ज़िल है, कड़ा इस्लाम का कड़ा है, मरते दम तक उसे मज़बूत थामे रखो। उसके बाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया- उम्मीद तो मुझे भी यही है कि अल्लाह तआ़ला मुझे जन्नत में ले जायेगा।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

अल्लाह साथी है उन लोगों का जो ईमान लाए, उनको (कुफ़्र की) अंधेरियों से निकालकर (या बचाकर) (इस्लाम के) नूर की तरफ़ लाता है, और जो लोग काफ़िर हैं उनके साथी शयातीन हैं, (इनसानी या जिन्नी) वे उनको (इस्लाम के) नूर से निकालकर (या बचाकर कुफ़्र की) अंधेरियों की तरफ़ ले जाते हैं, ऐसे लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं, (और) ये लोग उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (257)

हिदायत व गुमराही

अल्लाह तआ़ला ख़बर देता है कि उसकी रज़ामन्दी के तलबगार को वह सलामती की रहनुमाई करता

है और शक व शुब्हे के कुफ़्र व शिर्क के अन्धेरों से निकालकर हक़ के नूर की साफ़ रोशनी में ला खड़ा करता है। काफ़िरों के वली शैतान हैं जो जहालत व गुमराही को, कुफ़्र व शिर्क को बना-संवार कर अच्छा करके उन्हें ईमान और तौहीद (अल्लाह को एक मानने) से रोकते हैं, और यूँ हक़ के नूर की अंधेरियों में झोंक देते हैं। यही काफ़िर हैं और ये हमेशा दोज़ख़ में ही पड़े रहेंगे। लफ़्ज़ नूर को वाहिद (एक वचन) लाना और ज़ुलुमात (अंधेरियों) को जमा (बहुवचन) लाना इसलिये है कि हक़, ईमान और सच्चा रास्ता एक ही है और कुफ़्र की कई क़िस्में हैं। कुफ़्र की बहुत सी शाख़ें हैं जो सबकी सब बातिल और नाहक़ हैं। जैसे एक और जगह फ़रमाया है:

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا............ الخ.

मेरी सीधी राह यही है, तुम इसकी ताबेदारी करो (यानी इस पर चलो), इसके अ़लावा दूसरे रास्तों पर न चलो, वरना इस राह से भटक जाओगे। यह वसीयत तुम्हारे बचाव के लिये कर दी गयी है। एक और जगह इरशाद फ़रमाया:

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ.

और बनाया अंधेरियों और नूर को। (यानी नूर को एक वचन और अंधेरियों को बहुवचन ज़िक्र किया क्योंकि सही रास्ता एक ही है और ग़लत रास्ते बहुत सारे हैं) और भी इसी क़िस्म की बहुत सी आयतें हैं जिनसे साबित होता है कि हक़ एक ही है और बातिल चारों तरफ़ बिखरा पड़ा यानी अनेक दिशाओं में मौजूद है। हज़रत अय्यूब बिन ख़ालिद रह. फ़रमाते हैं कि इच्छाओं पर चलने वाले और फ़ितने वाले खड़े किये जायेंगे, जिसकी चाहत सिर्फ़ ईमान ही की हो वह तो रोशन साफ़ और नूरानी होगा और जिसकी ख़्वाहिश कुफ़्र की हो वह सियाह और अंधेरियों वाला होगा। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फ़रमाई।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰـهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ○

(ऐ मुख़ातब!) तुझको उस शख़्स का क़िस्सा मालूम नहीं हुआ (यानी नमरूद का) जिसने (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) से मुबाहसा किया था, अपने परवर्दिगार के (वजूद के) बारे में, इस वजह से कि ख़ुदा तआ़ला ने उसको हुकूमत दी थी। जब इब्राहीम ने फ़रमाया कि मेरा परवर्दिगार ऐसा है कि वह ज़िन्दा करता है और मारता है, कहने लगा कि मैं भी ज़िन्दा करता हूँ और मारता हूँ। (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला सूरज को (हर दिन) पूरब से निकालता है तू (एक ही दिन) पश्चिम से निकाल दे, इस पर चकित रह गया वह काफ़िर (और कुछ जवाब बन न आया) और अल्लाह तआ़ला (की आ़दत है कि) ऐसे बेजा राह पर चलने वालों को हिदायत नहीं फ़रमाते। (258)

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की नमरूद की ख़ुदाई को चुनौती

इस बादशाह का नाम नमरूद बिन किनआ़न बिन कूश बिन साम बिन नूह था। इसकी राजधानी बाबिल थी, इसके नसब नामे में कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) भी है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि दुनिया में पूरब व पश्चिम की हुकूमत रखने वाले चार हुए जिनमें से दो मोमिन हैं और दो काफ़िर। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम बिन दाऊद अ़लैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन, और काफ़िरों में नमरूद और बुख़्ते नस्सर।

फ़रमान होता है कि ऐ नबी तुमने अपने दिल से उसे नहीं देखा जो हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से अल्लाह के वजूद के बारे में मुबाहसा (बहस और हुज्जत) करने लगा। यह शख़्स ख़ुद ख़ुदा होने का दावेदार था, जैसे उसके बाद फ़िरऔन ने भी अपनी प्रजा में दावा किया था कि मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा ख़ुदा नहीं जानता। चूँकि एक लम्बी मुद्दत और बहुत समय से यह बादशाह चला आता था इसलिये दिमाग़ में घमंड और अनानियत पैदा हो गयी थी, सरकशी और तकब्बुर, बड़ाई और ग़ुरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं कि चार सौ साल तक हुकूमत करता रहा था।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से जब उसने अल्लाह के वजूद पर दलील माँगी तो आपने नेस्त से हस्त और हस्त से नेस्त करने की दलील दी (यानी वह हर ग़ैर-मौजूद चीज़ को वजूद बख़्शता और हर मौजूद चीज़ को फ़ना करता है) जो एक आसान और सूरज की तरह रोशन दलील थी। और मौजूदात का पहले कुछ न होना फिर होना, फिर मिट जाना खुली दलील है इनके बनाने और पैदा करने वाले के मौजूद होने की और वही अल्लाह है। नमरूद ने जवाब में कहा कि यह तो मैं करता हूँ। यह कहकर दो शख़्सों को उसने बुलवाया जो वाजिबुल-क़त्ल थे, एक को क़त्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया। दर असल यह जवाब और यह दावा किस क़द्र लचर और बेजान है, इसके बयान की भी ज़रूरत नहीं। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने तो अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त पैदा करना और फिर फ़ना कर देना बयान की थी और उसने न तो उन्हें पैदा किया न उनकी या अपनी मौत व हयात पर उसे क़ुदरत, लेकिन जाहिलों को भड़काने और बेवक़ूफ़ बनाने के लिये और अपनी शान जताने के लिये बावजूद अपनी ग़लती और बहस व मुनाज़रे के उसूल से भागने को जानते हुए सिर्फ़ एक बात बना ली। इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम भी इसको समझ गये और आपने उस ठप-दिमाग़ के सामने ऐसी दलीलें पेश कर दीं कि बज़ाहिर भी वह उनका मुक़ाबला न कर सके। चुनाँचे फ़रमाया कि जब तू पैदाईश और मौत तक का इख़्तियार रखता है तो तेरा मख़्लूक़ पर पूरा इख़्तियार और अ़मल-दख़ल होना चाहिये, मेरे ख़ुदा ने तो यह तसर्रुफ़ किया है कि सूरज को हुक्म दे दिया है कि वह पूरब की तरफ़ से निकला करे, चुनाँचे वह निकल रहा है, अब तू इसे हुक्म दे कि वह पश्चिम की तरफ़ से निकले। इसका कोई ज़ाहिरी टूटा-फूटा जवाब भी उससे न बन पड़ा और बेज़बान होकर अपनी आ़जिज़ी का इक़रारी हो गया और ख़ुदा की हुज्जत उस पर पूरी हो गयी। लेकिन चूँकि हिदायत नसीब में न थी, सही रास्ते पर न आ सका। ऐसे बुरे और मक्कार लोगों को अल्लाह कोई दलील नहीं समझाता और वे हक़ के मुक़ाबले में बग़लें झाँकते ही नज़र आते हैं, उन पर ख़ुदा का ग़ज़ब व ग़ुस्सा और उसकी नाराज़गी होती है और उनके लिये इस जहान में भी सख़्त अ़ज़ाब होते हैं।

बाज़ मन्तिक़ियों ने कहा है कि हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम ने यहाँ एक वाज़ेह (स्पष्ट) दलील के बाद दूसरी इससे भी ज़्यादा वाज़ेह दलील पेश कर दी, लेकिन दर हक़ीक़त यूँ नहीं बल्कि पहली दलील दूसरी का मुक़द्दिमा (शुरूआ़त का हिस्सा) था और उन दोनों से नमरूद के दावे का झूठा होना बिल्कुल वाज़ेह हो

गया। असल दलील पैदाईश व मौत ही है। चूँकि उसका दावा उस नासमझ ख़ाक के पुतले ने भी किया तो लाज़िम था कि जो बनाने बिगाड़ने पर न सिर्फ़ क़ादिर हो बल्कि बनाव बिगाड़ का भी ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) हो उसकी मिल्कियत पूरी तरह उसके क़ब्ज़े में होनी चाहिये। जिस तरह मौत व ज़िन्दगी के अहकाम उसके जारी हो जाते हैं इसी तरह दूसरे अहकाम भी जारी हो जायें। फिर क्या वजह है कि सूरज जो कि एक मख़्लूक़ है उसकी फ़रमाँबरदारी और आज्ञा का पालन न करे और उसके कहने से बजाय पूरब के पश्चिम से न निकले? पस इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उस पर इस मुबाहसे और मुनाज़रे में खुला ग़लबा पाया और उसे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। फ़ल्हम्दु लिल्लाह।

हज़रत इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि यह मुनाज़रा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के आग से निकल आने के बाद हुआ था, इससे पहले आपकी उस ज़ालिम बादशाह से कोई मुलाक़ात नहीं हुई थी। ज़ैद बिन असलम रज़ि. का क़ौल है कि क़हत-साली थी (सूखा पड़ा हुआ था), लोग नमरूद के पास जाते थे और ग़ल्ला ले आते थे। हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम भी गये, वहाँ यह मुनाज़रा हो गया, बदबख़्त ने आपको ग़ल्ला न दिया, आप ख़ाली हाथ वापस आये, घर के क़रीब पहुँचकर आपने दोनों बोरियों में रेत भर ली ताकि घर वाले समझें कि कुछ लेकर आये हैं, घर आते ही बोरियाँ रखकर सो गये, आपकी बीवी साहिबा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा उठीं, बोरियों को खोला, देखा कि उम्दा क़िस्म के अनाज से दोनों भरी हैं, खाना पकाकर तैयार किया, आपकी भी आँख खुली, देखा कि खाना तैयार है, पूछा अनाज कहाँ से आया? कहा दो बोरियाँ जो आप भरकर लाये हैं उन्हीं में से यह अनाज निकाला था। आप समझ गये कि यह अल्लाह की तरफ़ से बरकत और उसकी रहमत है। उस नालायक़ और बदबख़्त बादशाह के पास ख़ुदा तआ़ला ने अपना एक फ़रिश्ता भेजा, उसने आकर उसे तौहीद (अल्लाह ही को माबूद और एक मानने) की दावत दी, लेकिन उसने क़बूल न की। दोबारा दावत दी लेकिन इनकार किया, तीसरी मर्तबा ख़ुदा की तरफ़ बुलाया लेकिन फिर भी यह मुन्किर ही रहा। इस बार-बार के इनकार के बाद फ़रिश्ते ने उससे कहा अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर मैं अपना लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फ़ौज को लेकर सूरज निकलने के वक़्त मैदान में आ डटा। उधर अल्लाह तआ़ला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया, बड़े-बड़े मच्छर इस कसरत से आये कि लोगों को सूरज भी नज़र न आता था। यह ख़ुदाई फ़ौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में उनका ख़ून तो क्या उनका गोश्त पोस्त सब खा पी गये और सारे के सारे वहीं हलाक हो गये, सिर्फ़ हड्डियों के ढाँचे बाक़ी रह गये थे। उन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथुने में घुस गया और चार सौ साल तक उसका दिमाग़ चाटता रहा, ऐसे सख़्त अ़ज़ाब में वह रहा कि उससे मौत हज़ारों दर्जा बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों से मारता-फिरता था, हथौड़ों से कुचलवाता था, बदनसीब इसी तरह ज़लील होकर मरा। अल्लाह तआ़ला हमारी हर तरह की आफ़तों और अ़ज़ाब से हिफ़ाज़त फ़रमाये। आमीन

या तुमको इस तरह का क़िस्सा भी मालूम है जैसे एक शख़्स था कि एक बस्ती पर ऐसी हालत में उसका गुज़र हुआ कि उसके मकानात अपनी छतों पर गिर गए थे, कहने लगा कि अल्लाह तआ़ला इस बस्ती (के मुर्दों) को उसके	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ

بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

मरने के बाद किस कैफ़ियत से ज़िन्दा करेंगे, सो अल्लाह तआ़ला ने उस शख़्स को सौ साल तक मुर्दा रखा, फिर उसको ज़िन्दा कर उठाया (और फिर) पूछा कि तू कितनी मुद्दत इस हालत में रहा? उस शख़्स ने जवाब दिया कि एक दिन रहा हूँगा या एक दिन से भी कम, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि नहीं! बल्कि तू सौ साल रहा है। तू अपने खाने (की चीज़) और पीने (की चीज़) को देख ले कि नहीं सड़ी-गली, और (दूसरे) अपने गधे की तरफ़ नज़र कर, और ताकि हम तुझको एक नज़ीर लोगों के लिए बना दें, और (इस गधे की) हड्डियों की तरफ़ नज़र कर कि हम उनको किस तरह तरकीब दिए देते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाए देते हैं। फिर जब यह सब कैफ़ियत उस शख़्स को वाज़ेह हो गई तो कह उठा कि मैं यक़ीन रखता हूँ कि बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। (259)

अल्लाह की क़ुदरतें और उसके करिश्मे

ऊपर जो वाक़िआ़ हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के मुबाहसे का गुज़रा उस पर इसका अ़त्फ़ है (यानी यह भी उसी तरह का है)। यह गुज़रने वाले या तो हज़रत उज़ैर अ़लैहिस्सलाम थे जैसा कि मशहूर है, या अरमिया बिन हल्क़िया थे और यह नाम हज़रत ख़ज़िर का है, या हिज़क़ील बिन बोरा थे। यह बनी इस्राईल में का एक शख़्स था, यह बस्ती बैतुल-मुक़द्दस थी और यही क़ौल मशहूर है। बुख़्ते नस्सर ने जब इसे उजाड़ा, यहाँ के बाशिन्दों को क़त्ल किया, मकानात गिरा दिये और आबाद बस्ती को बिल्कुल वीराना कर दिया, उसके बाद यह बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़रे, उन्होंने देखा कि सारी बस्ती वीराना बन चुकी है, न मकान हैं, न मकीन, तो वहाँ ठहरकर सोचने लगे कि भला ऐसा बड़ा रौनक़दार शहर जो इस तरह उजड़ा है फिर यह कैसे आबाद होगा? अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद उन पर मौत नाज़िल फ़रमाई। यह तो इसी हालत में रहे और वहाँ सत्तर साल के बाद बैतुल-मुक़द्दस फिर आबाद हो गया, भागे हुए बनी इस्राईल भी फिर आ पहुँचे और शहर खचाखच भर गया, वही पहली सी रौनक़ और चहल-पहल हो गयी।

अब पूरे सौ साल के बाद अल्लाह तआ़ला ने उन्हें ज़िन्दा किया और सबसे पहले रूह आँखों में आयी ताकि अपना जी उठना ख़ुद देख सकें। जब सारे बदन में रूह फूँक दी गयी तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्ते के ज़रिये पुछवाया कि कितनी मुद्दत तक तुम मुर्दा रहे? जिसके जवाब में कहा कि अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, वजह यह हुई कि सुबह के वक़्त उनकी रूह निकली थी और जब ज़िन्दा हुए हैं तो शाम का

वक़्त था। ख़्याल किया कि यह वही दिन है तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- तुम पूरे एक सौ साल तक मुर्दा रहे। अब हमारी क़ुदरत देखो कि तुम्हारा तोशा भत्ता (खाने पीने वग़ैरह का सामान) जो तुम्हारे साथ था बावजूद सौ साल गुज़र जाने के भी वैसा ही है, न सड़ा न ख़राब हुआ है। यह तोशा अंगूर और इन्जीर और असीर (निचोड़ा हुआ जूस) था, न तो यह शीरा बिगड़ा था न इन्जीर खट्टे हुए थे, न अंगूर ख़राब हुए थे बल्कि ठीक अपनी असली हालत पर थे। अब फ़रमाया तेरा गधा जिसकी बोसीदा हड्डियाँ तेरे सामने पड़ी हैं उन्हें देख, देखते ही हम उसे ज़िन्दा करते हैं, हम ख़ुद तेरी ज़ात को लोगों के लिये दलील बनाने वाले हैं कि उन्हें क़ियामत के दिन अपने दोबारा जी उठने पर पूरा यक़ीन हो जाये। चुनाँचे उनके देखते ही हड्डियों में जान पैदा हुई और वे एक दूसरे से जुड़ गयीं।

मुस्तद्रक हाकिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की क़िराअत 'नुन्शिज़ुहा' "ज़" के साथ ही है और इसे 'नुन्शिरुहा' "र" के साथ भी पढ़ा गया है, यानी ज़िन्दा करेंगे, इमाम मुजाहिद की क़िराअत यही है। इमाम सुद्दी वग़ैरह कहते हैं कि ये हड्डियाँ उनके दायें-बायें फैली पड़ी थीं और बोसीदा होने की वजह से उनकी सफ़ेदी चमक रही थी, हवा से यह सब एक जगह जमा हो गयीं, फिर एक-एक हड्डी अपनी अपनी जगह जुड़ गयी और हड्डियों का पूरा ढाँचा क़ायम हो गया, जिस पर गोश्त बिल्कुल न था, फिर अल्लाह तआ़ला ने उसे गोश्त रगें पट्ठे और खाल पहना दी, फिर फ़रिश्ते को भेजा जिसने उसके नथुने में फूँक मारी, बस अल्लाह के हुक्म से उसी वक़्त ज़िन्दा हो गया और आवाज़ निकालने लगा। इन तमाम बातों को हज़रत उज़ैर देखते रहे और क़ुदरत की यह सारी कारीगरी उनकी आँखों के सामने ही हुई। जब यह सब कुछ देख चुके तो कहने लगे इस बात का इल्म तो मुझे था ही कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है लेकिन अब मैंने अपनी आँखों से भी देख लिया तो मैं अपने ज़माने के तमाम लोगों से ज़्यादा इल्म व यक़ीन वाला हूँ। बाज़ लोगों ने 'आलमु' को 'इअ़लम' भी पढ़ा है यानी ख़ुदा ने फ़रमाया- जान ले कि अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर क़ुदरत है।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰھٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰـكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْھُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۝ع

और (उस वक़्त को याद करो) जबकि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको दिखला दीजिए कि आप मुर्दों को किस कैफ़ियत से ज़िन्दा करेंगे। इरशाद फ़रमायाः क्या तुम यक़ीन नहीं लाए? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि यक़ीन क्यों न लाता, लेकिन इस ग़र्ज़ से यह दरख़्वास्त करता हूँ कि मेरे दिल को सुकून हो जाए। इरशाद हुआ कि अच्छा तो तुम चार पक्षी लो फिर उनको (पालकर) अपने लिए हिला लो, फिर हर पहाड़ पर उनमें का एक-एक हिस्सा रख दो (और) फिर उन सबको बुलाओ, (देखो) तुम्हारे पास सब दौड़ते चले आएँगे, और ख़ूब यक़ीन रखो इस बात का कि हक़ तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। (260)

मुर्दों को ज़िन्दा करने का एक मन्ज़र

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के इस सवाल की बहुत सी वजहें थीं, एक तो यह कि चूँकि यही दलील आपने नमरूद के सामने पेश की थी तो आपने चाहा कि इल्मुल-यक़ीन से ऐनुल-यक़ीन हासिल हो जाये (यानी जिस चीज़ का इल्म के ज़रिये यक़ीन है उसे आँख से देखकर और यक़ीन की पुख़्तगी हासिल कर ली जाये) जानता तो हूँ ही लेकिन देख भी लूँ। सही बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत के मौक़े की एक हदीस है जिसमें है कि हम शक के हक़दार हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के मुक़ाबले में ज़्यादा हैं, जबकि उन्होंने कहा थाः

رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی..........الخ.

ऐ मेरे परवर्दिगार आप मुझको दिखला दीजिये कि आप मुर्दों को किस तरह से ज़िन्दा करेंगे......।

इससे कोई जाहिल यह न समझे कि हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा की इस सिफ़त में शक था। इस हदीस के बहुत से जवाब हैं जिनमें से एक यह है कि यक़ीन को और पुख़्ता करने के लिये उन्होंने यह सवाल किया न कि शक की बुनियाद पर।

अब रब्बुल-आ़लमीन हर चीज़ का ख़ालिक़ फ़रमाता है कि चार परिन्दे ले लो। मुफ़स्सिरीन के इस बारे में कई क़ौल हैं कि कौन-कौनसे परिन्दे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने लिये थे, लेकिन ज़ाहिर है कि इसका इल्म हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, और इसका न जानना हमें कोई नुक़सान नहीं पहुँचाता। कोई कहता है कि वह कलंग, मोर, मुर्ग़ और कबूतर थे। कोई कहता है कि वह मुर्ग़ाबी, सीमुर्ग़ का बच्चा, मुर्ग़ और मोर थे। कोई कहता है कि कबूतर, मुर्ग़, मोर और कौआ थे। फिर उन्हें काटकर उनके टुकड़े-टुकड़े अलग-अलग कर दिये, पस आपने चार परिन्दे लिये, ज़िबह करके उनके टुकड़े किये फिर उखेड़ दिये और सारे अलग-अलग टुकड़े आपस में मिलाये, फिर चार पहाड़ों पर या सात पहाड़ों पर वे टुकड़े रख दिये और सब परिन्दों के सर अपने हाथ में रखे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें मिलाने लगे। जिस जानवर को आवाज़ देते उसके बिखरे हुए पंख इधर-उधर से उड़ते और आपस में जुड़ते, इसी तरह ख़ून-ख़ून के साथ मिलता और बाक़ी हिस्से भी जिस-जिस पहाड़ पर होते आपस में मिल जाते और परिन्द उड़ता हुआ आपके पास आता। आप उसे दूसरे परिन्दे का सर देते तो वह क़बूल न करता, ख़ुद उसका सर देते तो वह भी जुड़ जाता, यहाँ तक कि एक-एक करके ये चारों परिन्दे ज़िन्दा होकर उड़ गये और ख़ुदा तआ़ला की क़ुदरत का और मुर्दों के ज़िन्दा होने का ईमान बढ़ाने वाला नज़ारा ख़लीले ख़ुदा ने अपनी आँखों से देख लिया।

फिर फ़रमाता है कि जान ले अल्लाह तआ़ला ग़ालिब है, कोई चीज़ उसे आ़जिज़ नहीं कर सकती। जिस काम को वह चाहे बेरोक हो जाता है, हर चीज़ उसके क़ब्ज़े में है, वह अपने अक़वाल व अफ़आ़ल (बातों और कामों) में हकीम है, इसी तरह अपने इन्तिज़ाम में और शरीअ़त (क़ानून) के मुक़र्रर करने में भी। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाया करते थे कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से अल्लाह तआ़ला का यह सवाल करना कि क्या तू ईमान नहीं लाया, और हज़रत ख़लीलुल्लाह का यह जवाब कि हाँ ईमान तो है लेकिन दिली इत्मीनान चाहता हूँ यह आयत मुझे तो और तमाम आयतों से ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली मालूम होती है। मतलब यह है कि एक ईमान वाले के दिल में अगर कोई ख़तरा वस्वसा (बुरा ख़्याल) शैतानी पैदा हो तो उस पर पकड़ नहीं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन

अ़मर बिन आ़स रज़ि. की मुलाक़ात होती है तो पूछते हैं कि क़ुरआन में सबसे ज़्यादा उम्मीद पैदा करने वाली आयत कौनसी है? अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. फ़रमाते हैं:

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

वाली आयत (यानी सूरः ज़ुमर की आयत 53), जिसमें इरशाद है कि ऐ मेरे गुनाहगार बन्दो मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना, मैं सब गुनाहों को बख़्श देता हूँ......। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने फ़रमाया मेरे नज़दीक तो इस उम्मत के लिये सबसे ज़्यादा ढारस बंधाने वाली आयत हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का यह क़ौल, फिर अल्लाह तआ़ला का सवाल और आपका जवाब है। (अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ व इब्ने अबी हातिम वग़ैरह)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○	जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को ख़र्च करते हैं, उनके ख़र्च किए हुए मालों की हालत ऐसी है जैसे एक दाने की हालत (अल्लाह तआ़ला के नज़दीक) जिससे (फ़र्ज़ करो) सात बालें जमें (और) हर बाल के अन्दर सौ दाने हों, और यह बढ़ोत्तरी ख़ुदा तआ़ला जिसको चाहता है अ़ता फ़रमाता है, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसअ़त वाले हैं, जानने वाले हैं। (261)

एक नेकी पर बेशुमार नेमतें

इस आयत में बयान हो रहा है कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की रज़ामन्दी की तलब में अपने माल को ख़र्च करे उसे बड़ी बरकतें और बहुत बड़े सवाब मिलते हैं और नेकियाँ सात-सात सौ गुनी करके दी जाती हैं। फ़रमाया कि जो लोग ख़ुदा की राह यानी ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी में जिहाद में घोड़ों को पालने में हथियार ख़रीदने में हज करने कराने वग़ैरह-वग़ैरह में। अल्लाह के नाम पर दिये हुए की मिसाल किस पाकीज़गी से बयान हो रही है जो आँखों में खप जाये और दिल में घर कर (यानी बैठ) जाये। एक दम यूँ फ़रमा देता कि एक के बदले सात सौ मिलेंगे, इससे बहुत ज़्यादा ख़ूबी और बारीकी इस कलाम और इस मिसाल में है, और फिर इसमें इशारा है कि नेक आमाल ख़ुदा के पास बढ़ते रहते हैं, जिस तरह तुम्हारे बोए हुए बीज खेत में बढ़ते बढ़ाते रहते हैं।

मुस्नद अहमद में हदीस है कि रसूले ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- जो शख़्स अपनी बची हुई चीज़ राहे ख़ुदा में देता है उसे सात सौ का सवाब मिलता है और जो शख़्स अपनी जान पर और अपने अहल व अ़याल (घर वालों और बाल-बच्चों) पर ख़र्च करे उसे दस गुना मिलता है, और बीमार की इयादत (मिज़ाज पूछने) का सवाब भी दस गुना मिलता है। रोज़ा ढाल है जब तक कि उसे ख़राब न करे, जिस शख़्स पर कोई जिस्मानी बला मुसीबत दुख दर्द बीमारी आये वह उसके गुनाहों को झाड़ देती है। यह हदीस हज़रत अबू उबैदा रज़ि. ने उस वक़्त बयान फ़रमाई थी जबकि आप सख़्त बीमार थे और लोग आपकी बीमारी का हाल पूछने के लिये गये थे। आपकी बीवी साहिबा सिरहाने बैठी थीं, उनसे पूछा कि रात कैसी गुज़री, उन्होंने कहा बहुत सख़्ती से, आपका मुँह उस वक़्त दीवार की तरफ़ था, यह

सुनते ही लोगों की तरफ़ मुँह किया और फ़रमाया- यह रात सख़्ती की नहीं गुज़री, इसलिये कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सुना है।

मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि एक शख़्स ने नकेल वाली ऊँटनी ख़ैरात की, हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह क़ियामत के दिन सात सौ ऐसी ही ऊँटनियाँ पायेगा। मुस्नद की एक और हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने इब्ने आदम की एक नेकी को दस नेकियों के बराबर कर दिया है और फिर वे बढ़ती रहती हैं, सात सौ तक, मगर रोज़ा कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- वह ख़ास मेरे लिये है और मैं खुद उसका अज्र व सवाब दूँगा। रोज़ेदार को दो खुशियाँ हैं, एक इफ़्तार के वक़्त दूसरी क़ियामत के दिन। रोज़ेदार के मुँह की बू (गंध) अल्लाह तआ़ला को मुश्क की खुशबुओं से ज़्यादा पसन्द है। दूसरी हदीस में इतनी ज़्यादती और है कि रोज़ेदार अपने खाने-पीने को सिर्फ़ मेरी वजह से छोड़ता है, आख़िर में है कि रोज़ा ढाल है। मुस्नद की एक और हदीस में है कि नमाज़, रोज़ा, ज़िक्रुल्लाह अल्लाह की राह के ख़र्च पर सात सौ गुने बढ़ जाते हैं। इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि जो शख़्स जिहाद में कुछ माली मदद दे अगरचे खुद न जाये फिर भी उसे एक के बदले सात सौ के ख़र्च करने का सवाब मिलता है और खुद भी शरीक हो तो एक दिरहम के बदले सात लाख दिर्हम के ख़र्च का सवाब मिलता है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की।

यह हदीस ग़रीब है और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. वाली हदीसः

مَن ذَاالَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ.

(सूरः ब-क़रह आयत 245) की तफ़सीर में पहले गुज़र चुकी है, जिसमें है कि एक के बदले दो करोड़ का सवाब मिलता है। इब्ने मर्दूया में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने दुआ़ की कि खुदाया! मेरी उम्मत के लिये कुछ और ज़्यादती फ़रमा तो यह आयत (यानी सूरः ब-क़रह की आयत 245) उतरी। आपने फिर भी यही दुआ़ की तो यह आयतः

اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَھُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ.

(यानी सूरः ज़ुमर की आयत 10) उतरी। पस साबित हुआ कि जिस क़द्र इख़्लास अ़मल में हो उसी क़द्र सवाब में ज़्यादती होती है। खुदा तआ़ला बड़े वसीअ़ फ़ज़्ल व करम वाला है, वह जानता भी है कि कौन किस क़द्र मुस्तहिक़ है और कौन हक़दार नहीं। उसकी ज़ात पाक और तारीफ़ के लायक़ है।

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَھُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًی لَّھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُوْنَ ○ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ یَّتْبَعُھَآ

जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर ख़र्च करने के बाद न तो (उस पर) एहसान जतलाते हैं और न (बर्ताव से उसको) तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उन लोगों को उन (के आमाल) का सवाब मिलेगा उनके परवर्दिगार के पास, और न उन पर कोई ख़तरा होगा और न वे ग़मगीन होंगे। (262) (कुछ पास न होने के वक़्त) मुनासिब बात कह देना और दरगुज़र करना (हज़ार दर्जे) बेहतर है ऐसी ख़ैरात (देने)

اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ ○ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰی لا كَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لَا یَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَیْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ○	से जिसके बाद तकलीफ़ पहुँचाई जाए। और अल्लाह तआ़ला ग़नी हैं, हलीम हैं। (263) ऐ ईमान वालो! तुम एहसान जतलाकर या तकलीफ़ पहुँचाकर अपनी ख़ैरात को बरबाद मत करो, उस शख़्स की तरह जो अपना माल ख़र्च करता है (महज़) लोगों को दिखलाने की ग़र्ज़ से, और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर, सो उस शख़्स की हालत ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर (हो) जिस पर कुछ मिट्टी (आ गई) हो फिर उस पर ज़ोर की बारिश पड़ जाए सो उसको बिल्कुल साफ़ कर दे, ऐसे लोगों को अपनी कमाई ज़रा भी हाथ न लगेगी, और अल्लाह तआ़ला काफ़िर लोगों को (जन्नत का) रास्ता न बतलायेंगे। (264)

इख़्लास के साथ सदक़ा करने वालों का अल्लाह के नज़दीक मर्तबा

अल्लाह तबारक व तआ़ला अपने उन बन्दों की तारीफ़ व प्रशंसा करता है जो ख़ैरात व सदक़ात करते हैं और फिर जिसे देते हैं उस पर एहसान जताने नहीं बैठते, न तो अपनी ज़बान से न अपने किसी फ़ेल से और न उस शख़्स को कोई बुराई (तकलीफ़) पहुँचाते हैं। उनसे फिर बेहतरीन बदले का वायदा फ़रमाता है कि उनका अज्र व सवाब ख़ुदावन्दे आ़लम के ज़िम्मे है, उन पर क़ियामत के दिन कोई हौल और ख़ौफ़ व ख़तरा न होगा, और न दुनिया और बाल-बच्चे छूट जाने का उन्हें कोई ग़म व रंज होगा, इसलिये कि वहाँ पहुँचकर इससे बेहतर चीज़ें उन्हें मिल चुकी हैं। फिर फ़रमाता है कि कलिमा-ए-ख़ैर (भली बात) ज़बान से निकालना, किसी मुसलमान भाई के लिये दुआ़ करना और दरगुज़र करना, ख़तावार को माफ़ कर देना उस सदक़े से बहुत बेहतर है जिसके बाद तकलीफ़ पहुँचाना भी ही हो। इब्ने अबी हातिम में है कि रसूले अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, कोई सदक़ा नेक काम से अफ़ज़ल नहीं, क्या तुमने अल्लाह का यह फ़रमान नहीं सुनाः

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ...... الخ.

मुनासिब बात कह देना और माफ़ कर देना..................।

अल्लाह तआ़ला अपनी मख़्लूक़ से बेनियाज़ है और सारी मख़्लूक़ उसकी मोहताज है, वह हलीम और बुर्दबार है, गुनाहों को देखता है और बरदाश्त व करम करता है, बल्कि माफ़ फ़रमा देता है, नज़र अन्दाज़ कर देता और बख़्श देता है। सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है कि तीन क़िस्म के लोगों से अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन बातचीत न करेगा, न उनकी तरफ़ रहमत की नज़र से देखेगा, न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब हैं। एक तो देकर एहसान जताने वाला, दूसरा टख़्नों से नीचे पाजामा और तहबन्द लटकाने वाला, तीसरा अपने सौदे को झूठी क़सम खाकर बेचने वाला। इब्ने माजा वग़ैरह की हदीस

में है कि माँ-बाप का नाफ़रमान, ख़ैरात सदक़ा करके एहसान जताने वाला, शराबी और तक़दीर को झुठलाने वाला जन्नत में दाख़िल न होगा। नसाई में है कि तीन शख़्सों की तरफ़ अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन देखेगा भी नहीं- माँ-बाप का नाफ़रमान, शराब का आ़दी और देकर एहसान जताने वाला। नसाई की एक और हदीस में है कि ये तीनों शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे इसी लिये आयत में भी इरशाद होता है कि अपने सदक़ात व ख़ैरात को एहसान रखकर और तकलीफ़ पहुँचाकर बरबाद न करो, इस एहसान जताने और तकलीफ़ पहुँचाने का गुनाह सदक़ा और ख़ैरात का सवाब बाक़ी नहीं रखता।

फिर मिसाल दी कि एहसान जताने और तकलीफ़ देने से सदक़ा के ग़ारत हो जाने की मिसाल उस सदक़े जैसी है जो रियाकारी के तौर पर लोगों के दिखावे के लिये दिया जाये। अपनी सख़ावत, दरियादिली और नेकी की शोहरत मद्देनज़र हो, लोगों में तारीफ़ व प्रशंसा की चाहत हो, सिर्फ़ ख़ुदा तआ़ला की रज़ामन्दी की तलब न हो, उसके सवाबों पर नज़र न हो, इसी लिये इस जुमले के बाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान न हो तो इस दिखावे के सदक़े की और इस एहसान जताने और तकलीफ़ पहुँचाने के सदक़े की मिसाल ऐसी है जैसे कोई साफ़ चट्टान हो, जिस पर मिट्टी भी पड़ी हो, फिर बहुत तेज़ बारिश हो, तो जिस तरह उस पत्थर की तमाम मिट्टी धुल जाती है और कुछ भी बाक़ी नहीं रहता, इसी तरह इन दोनों क़िस्म के लोगों के ख़र्च की कैफ़ियत है कि अगरचे लोग समझते हों कि उसके सदक़े की नेकी उसके पास है, जिस तरह बज़ाहिर पत्थर पर मिट्टी नज़र आती थी लेकिन जैसे कि बारिश से वह मिट्टी जाती रही इसी तरह इसके एहसान जताने या तकलीफ़ पहुँचाने या रियाकारी करने से वह सवाब भी जाता रहा और ख़ुदा के पास पहुँचेगा तो कुछ भी बदला न पायेगा, अपने आमाल में से किसी चीज़ पर क़ुदरत न रखेगा। अल्लाह तआ़ला काफ़िर गिरोह को सही रास्ते की तरफ़ रहबरी नहीं करता।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

और उन लोगों के ख़र्च किए हुए माल की हालत जो अपने मालों को ख़र्च करते हैं अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल करने की ग़र्ज़ से, और इस ग़र्ज़ से कि अपने नफ़्सों (को इस कठिन काम का आ़दी बनाकर उन) में पुख़्तगी पैदा करें, उनकी हालत एक बाग़ की तरह है जो किसी टीले पर हो कि उस पर ज़ोर की बारिश पड़ी हो, फिर वह दोगुना (चौगुना) फल लाया हो, और अगर ऐसे ज़ोर की बारिश न पड़े तो हल्की फुवार भी उसको काफ़ी है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को ख़ूब देखते हैं। (265)

सदक़ा देने वालों की मिसाल

यह मिसाल मोमिनों के सदक़ों की दी जिनकी नीयतें ख़ुदा को ख़ुश करने की होती हैं और अच्छा बदला मिलने का भी पूरा यक़ीन होता है। जैसे हदीस में है कि जिस शख़्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में सवाब मिलने के यक़ीन पर रखे......। 'रब्वतुन्' कहते हैं ऊँची ज़मीन को, जहाँ नहरें चलती हों।

इस लफ़्ज़ को 'बिरब्वतिन्' भी पढ़ा गया है। "वाबिलुन" के मायने बहुत ज़्यादा बारिश के हैं, वह दोगुना फल लाती है, यानी दूसरे बाग़ों की ज़मीन के मुक़ाबले में। यह बाग़ ऐसा है और ऐसी जगह स्थित है कि मान लो बारिश न भी हो फिर भी सिर्फ़ औस से ही फलता-फूलता है, यह नामुम्किन है कि मौसम ख़ाली चला जाये। इसी तरह ईमान वालों के आमाल कभी बिना अज्र नहीं रहते, वो ज़रूर बदला दिलवाते हैं। हाँ उस जज़ा (बदले और सवाब) में फ़र्क़ होता है, जो हर ईमान वाले के ख़ुलूस व इख़्लास और नेक काम की अहमियत के एतिबार से बढ़ता है। अल्लाह तआ़ला पर अपने बन्दों में से किसी बन्दे का कोई अ़मल मख़्फ़ी (छुपा) और पोशीदा नहीं।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ع

भला तुम में से किसी को यह बात पसन्द है कि उसका एक बाग़ हो खजूरों का और अंगूरों का, उसके (पेड़ों के) नीचे नहरें बहती हों, उस शख़्स के यहाँ उस बाग़ में और भी हर क़िस्म के (मुनासिब) मेवे हों, और उस शख़्स का बुढ़ापा आ गया हो और अहल व अ़याल "यानी घर वाले और बाल बच्चे" भी हों जिनमें (कमाने की) ताक़त नहीं, से उस बाग़ पर बगूला आए जिसमें आग का (माद्दा) हो, फिर वह बाग़ जल जाए। अल्लाह तआ़ला इसी तरह नज़ीरें बयान फ़रमाते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम सोचा करो। (266)

٣٦ ع

हिदायत के बाद गुमराही की एक मिसाल

सही बुख़ारी में है कि अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने एक दिन सहाबा से पूछा- जानते हो कि यह आयत किसके बारे में नाज़िल हुई? उन्होंने कहा अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है। आपने नाराज़ होकर फ़रमाया तुम जानते हो या नहीं? इसका साफ़ जवाब दो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने फ़रमाया- अमीरुल-मोमिनीन मेरे दिल में एक बात है, आपने फ़रमाया- भतीजे कहो और अपने नफ़्स को इतना पस्त और कम-हैसियत न करो। फ़रमाया- एक अ़मल की मिसाल दी गयी है। पूछा कौनसा अ़मल? कहा एक मालदार शख़्स जो अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी के काम करता है, फिर शैतान उसे बहकाता है और वह गुनाहों में मशग़ूल हो जाता है और अपने नेक आमाल को खो देता है। पस यह आयत उसकी पूरी तफ़सीर है। इसमें बयान हो रहा है कि एक शख़्स ने शुरू में अच्छे अ़मल किये फिर उसके बाद उसकी हालत बदल गयी और बुराईयों में फंस गया और पहले की नेकियों का ज़ख़ीरा बरबाद कर दिया, और आख़िरी वक़्त जबकि नेकियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यह ख़ाली हाथ रह गया। जिस तरह वह शख़्स जिसने एक बाग़ लगाया, उसके फल से फ़ायदा हासिल करता रहा लेकिन जब बुढ़ापे के ज़माने को पहुँचा, छोटे बच्चे भी उसकी देखभाल में हैं, ख़ुद किसी काम-काज के क़ाबिल भी नहीं, और अब ज़िन्दगी का मदार सिर्फ़ वह एक बाग़ रह गया था कि इत्तिफ़ाक़न आँधी चली, बाग़ में आग लग गयी और वह हरा-भरा

लहलहाता बाग़ दम भर में जलकर ख़ाक बन गया। इसी तरह यह शख़्स है कि पहले तो नेकियाँ कर लीं लेकिन फिर बुराईयों में मुब्तला हो गया और ख़ात्मा अच्छा न हुआ। जब उन नेकियों के बदले का वक़्त आया तो ख़ाली हाथ रह गया। काफ़िर शख़्स भी जब अल्लाह के पास जाता है तो वहाँ तो कुछ करने की ताक़त नहीं, जिस तरह उस बूढ़े को, और जो किया है वह कुफ़्र की आग वाली आँधी ने बरबाद कर दिया, अब पीछे से भी कोई उसे फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, जिस तरह उस बूढ़े की कमउम्र औलाद उसे कोई काम नहीं दे सकती।

मुस्तदरक हाकिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक दुआ़ यह भी थीः

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعُ رِزْقِكَ عَلٰى عِنْدِ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِضَآءِ عُمْرِىْ.

ऐ अल्लाह! अपनी रोज़ी को सबसे ज़्यादा मुझे उस वक़्त इनायत फ़रमा जब मेरी उम्र बड़ी हो जाये और ज़िन्दगी ख़त्म होने को आये।

अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे सामने ये मिसालें बयान फ़रमा दीं, तुम भी ग़ौर व फ़िक्र, चिंतन-मंथन करो, सोचो समझो और इबरत व नसीहत हासिल करो। जैसा कि फ़रमायाः

تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَآاِلَّاالْعَالِمُوْنَ.

इन मिसालों को हमने लोगों के लिये बयान फ़रमा दिया, इन्हें उलेमा ही ख़ूब समझ सकते हैं।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ ۖ يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا

ऐ ईमान वालो! (नेक काम में) ख़र्च किया करो उम्दा चीज़ को अपनी कमाई में से, और उसमें से जो कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है, और रद्दी (नाकारा) चीज़ की तरफ़ नीयत मत ले जाया करो कि उसमें से ख़र्च करो, हालाँकि तुम कभी उसके लेने वाले नहीं हो मगर देखकर टाल जाओ (तो और बात है) और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला किसी के मोहताज नहीं, तारीफ़ के लायक़ हैं। (267) शैतान तुमको मोहताजी से डराता है और तुमको बुरी बात (यानी कन्जूसी) का मश्विरा देता है, और अल्लाह तुमसे वायदा करता है अपनी तरफ़ से गुनाह माफ़ कर देने का और ज़्यादा देने का, और अल्लाह तआ़ला वुसअ़त वाले हैं, ख़ूब जानने वाले हैं। (268) दीन की समझ जिसको चाहते हैं दे देते हैं, और (सच तो यह है कि) जिसको दीन की समझ मिल जाए उसको बड़ी ख़ैर की चीज़ मिल गई, और

नसीहत वही लोग क़बूल करते हैं जो अक़्ल वाले हैं। (यानी जो सही अक़्ल रखते हैं) (269)	يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ٥

अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत और उसकी तरग़ीब

अल्लाह तआ़ला अपने मोमिन बन्दों को सदक़ा करने का हुक्म देता है कि तिजारत का माल जो ख़ुदा ने तुम्हें दिया है, सोना-चाँदी और फल-अनाज वग़ैरह, जो उसने तुम्हें ज़मीन से निकालकर दिये हैं, उसमें से बेहतरीन और अपनी पसन्द की उम्दा-उम्दा चीज़ें अल्लाह की राह में दो, रद्दी, बेकार, सड़ी-गली, गिरी-पड़ी फ़ुज़ूल और ख़राब चीज़ अल्लाह की राह में न दो। अल्लाह तआ़ला ख़ुद तैयब है वह बुरी और बेकार चीज़ों को क़बूल नहीं करता। तुम उसके नाम पर यानी गोया उसे वह ख़राब चीज़ देना चाहते हो जिसे अगर तुम्हें दी जाती तो न क़बूल करते। फिर ख़ुदा कैसे ले लेगा? हाँ माल जाता देखकर अपने हक़ के बदले कोई गिरी पड़ी चीज़ भी मजबूर होकर ले लो तो और बात है, लेकिन ख़ुदा ऐसा मजबूर भी नहीं, वह किसी हालत में ऐसी चीज़ को क़बूल नहीं फ़रमाता। यह भी मतलब है कि हलाल चीज़ को छोड़कर हराम चीज़ या हराम माल से ख़ैरात न करो।

मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने जिस तरह तुम्हारी रोज़ियाँ तुममें तक़सीम की हैं, तुम्हारे अख़्लाक़ भी तुम में बाँट दिये हैं। दुनिया तो अल्लाह तआ़ला अपने दोस्तों को भी देता है और दुश्मनों को भी, हाँ दीन सिर्फ़ दोस्तों ही को अ़ता फ़रमाता है, जिसे दीन मिल जाये वह ख़ुदा का महबूब है। ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कोई बन्दा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी ज़बान मुसलमान न हो जाये। कोई बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक कि उसके पड़ोसी उसकी ईज़ाओं (सताने और तकलीफ़ देने) से बेख़ौफ़ न हो जायें। लोगों के सवाल पर आपने फ़रमाया ईज़ा से मुराद धोखेबाज़ी और ज़ुल्म व सितम है। जो शख़्स हराम तरीक़े से माल हासिल करे उसमें अल्लाह बरकत नहीं देता, न उसके सदक़े ख़ैरात को क़बूल फ़रमाता है। और जो छोड़कर जाता है वह सब उसके लिये आग में जाने का तोशा और सबब बनता है। अल्लाह तआ़ला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता, बल्कि बुराई को अच्छाई से दूर करता है। गंदगी और ख़बासत से ख़बासत से नहीं मिटती। पस दो क़ौल हुए- एक तो रद्दी चीज़ें, दूसरे हराम माल। आयत में पहला क़ौल मुराद लेना ही ज़्यादा अच्छा मालूम होता है।

एक वाक़िआ़ और वही आयत की शाने नुज़ूल

हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. फ़रमाते हैं कि खजूर के मौसम में अन्सारी हज़रात अपनी-अपनी गुंजाईश के मुताबिक़ खजूरों के ख़ोशे (गुच्छे) लाकर दो सुतूनों के दरमियान एक रस्सी लटक रही थी उसमें लटका देते, जिसे अस्हाबे सुफ़्फ़ा और मिस्कीन मुहाजिर भूख के वक़्त खा लेते। किसी ने जिसे सदक़े की रग़बत कम थी उसमें रद्दी खजूर का एक ख़ोशा लटका दिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अगर तुम्हें ऐसी ही चीज़ें हदिये में दी जायें तो हरगिज़ न लोगे, हाँ अगर शर्म व लिहाज़ से दिल न चाहते हुए ले लो तो और बात है। इसके नाज़िल होने के बाद हममें का हर शख़्स बेहतर से बेहतर चीज़ लाता था। (इब्ने जरीर) इब्ने अबी हातिम में है कि हल्की क़िस्म की खजूरें और ख़राब फल लोग ख़ैरात में निकालते, जिस

पर यह आयत उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन चीज़ों से सदक़ा देना मना फ़रमाया।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि. फ़रमाते हैं कि मोमिन की कमाई कभी बुरी नहीं होती। मुराद यह है कि बेकार चीज़ सदक़े में न दो। मुस्नद में हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने गोह का गोश्त लाया गया, आपने न खाया, न किसी को खाने से मना फ़रमाया तो हज़रत आयशा रज़ि. ने कहा किसी मिस्कीन को दे दें? आपने फ़रमाया जो तुम्हें पसन्द नहीं और जिसे तुम खाना गवारा नहीं करते उसे और को क्या दोगी? हज़रत बरा रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब तुम्हारा हक़ किसी पर हो और वह तुम्हें वह चीज़ दे जो बेक़द्र-व-क़ीमत हो तो उसे न लोगे, मगर उस वक़्त जब तुम्हें अपने हक़ की बरबादी दिखाई देती हो तो ख़ैर तुम नज़र-अन्दाज़ करके उसी को ले लोगे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि तुमने किसी को अच्छा माल दिया और अदायेगी के वक़्त वह नाक़िस माल लेकर आया तो तुम हरगिज़ न लोगे, और अगर लोगे भी तो उसकी क़ीमत घटाकर। तो तुम जिस चीज़ को अपने हक़ में लेना पसन्द नहीं करते उसे ख़ुदा के हक़ के बदले क्यों देते हो? पस बेहतरीन और मरग़ूब (पसन्दीदा) माल उसकी राह में ख़र्च करो और यही मायने हैं इस आयत के भीः

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ .... الخ.

(यानी सूरः आले इमरान आयत 92)

फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें अपनी राह में ख़र्च करने का हुक्म दिया और उम्दा चीज़ देने का, इससे कहीं यह न समझ लेना कि वह मोहताज है, नहीं नहीं! वह तो बिल्कुल बेनियाज़ है और तुम सब उसके मोहताज हो, यह हुक्म सिर्फ़ इसलिये है कि ग़रीब लोग भी दुनिया की नेमतों से मेहरूम न रहें। जैसे एक और जगह क़ुरबानी के हुक्म के बाद फ़रमायाः

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا............ الخ.

अल्लाह तआ़ला न उसका ख़ून लेता है न गोश्त, वह तो तुम्हारे तक़्वे की आज़माईश करता है।

वह बड़े फ़ज़्ल वाला है, उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं। सदक़ा अपने चहीते हलाल माल से निकाल कर ख़ुदा के फ़ज़्ल, उसकी बख़्शिश, उसके करम और उसकी सख़ावत पर नज़रें रखो, वह उसका बदला उससे बहुत बढ़-चढ़कर तुम्हें अ़ता फ़रमायेगा। वह मुफ़लिस (ख़ाली हाथ) नहीं, वह ज़ालिम नहीं, वह तारीफ़ के लायक़ है, तमाम अक़्वाल व अफ़आ़ल, तक़दीर शरीअ़त सब में उसकी तारीफ़ें ही की जाती हैं। उसके सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं। वही तमाम जहानों का पालने वाला है, उसके सिवा कोई किसी की परवरिश नहीं करता।

हदीस में है कि एक चौका शैतान मारता है और एक तौफ़ीक़ की रहबरी फ़रिश्ता करता है। शैतान तो शरारत पर और हक़ के झुठलाने पर आमादा करता है और फ़रिश्ता नेकी पर और हक़ की तस्दीक़ पर, जिसके दिल में यह ख़्याल आये वह अल्लाह का शुक्र करे और जान ले कि यह ख़ुदा की तरफ़ से है, और जिसके दिल में वह वस्वसा (बुराई का ख़्याल) पैदा हो वह 'अ़ऊज़ु बिल्लाहि.........' पढ़े, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यही आयत 'अश्शैतानु यअ़िदुकुमुल् फ़क़्-र.....' (यही आयत जिसकी तफ़सीर चल रही है कि शैतान तुम्हें तंगदस्ती और ग़ुर्बत के ख़ौफ़ से डराता है.....) तिलावत फ़रमाई। (तिर्मिज़ी) यह हदीस अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से मौक़ूफ़ भी मरवी है। मतलब आयते शरीफ़ा का यह है कि ख़ुदा की राह में ख़र्च करने से शैतान रोकता है और दिल में वस्वसा डालता है कि इस तरह फ़क़ीर हो जाओगे। इस

तरह नेक काम से रोककर फिर बेहयाईयों और बदकारियों की रग़बत दिलाता है, गुनाहों पर नाफ़रमानियों पर हराम कारियों पर और हक़ के विरोध पर उकसाता है, और अल्लाह तआ़ला तुम्हें इसके विपरीत हुक्म देता है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च से हाथ न रोको और शैतान की धमकी के ख़िलाफ़ वह फ़रमाता है कि उस सदके के सबब मैं तुम्हारी ख़ताओं को भी माफ़ कर दूँगा और वह जो तुम्हें फ़क़ीरी से डराता है मैं उसके मुक़ाबले में तुम्हें अपने फ़ज़्ल का यक़ीन दिलाता हूँ। मुझसे बढ़कर रहम व करम, फ़ज़्ल व लुत्फ़ किसका ज़्यादा फैला हुआ होगा, और अन्जाम का इल्म भी मुझसे ज़्यादा अच्छा किसे हासिल हो सकता है।

हिक्मत की वज़ाहत, हिक्मत से क्या मुराद है और हिक्मत के फ़ज़ाईल

'हिक्मत' से मुराद यहाँ पर क़ुरआन करीम और हदीस शरीफ़ की पूरी महारत है। जिससे नासिख़ मन्सूख़ (यानी किसी आयत का हुक्म अब बाक़ी नहीं रहा और किसी आयत ने उसके हुक्म को अपने हुक्म से बदल दिया), मोहकम मुतशाबा (कौनसी आयत मज़बूत है हुक्म से और कौनसी ऐसी है कि उसकी व्याख्या हर किसी के बस की नहीं), मुक़द्दम मुअख़्ख़र (कौनसा हुक्म और आयत पहली है और कौनसा हुक्म और आयत बाद की), हलाल हराम की और मिसालों की पहचान और इल्म हासिल हो जाये। पढ़ने को तो इसे हर बुरा-भला पढ़ता है लेकिन इसकी तफ़सीर और इसकी समझ वह हिक्मत है जिसे ख़ुदा चाहता है इनायत फ़रमाता है, कि वह असल मतलब को पा ले और बात की तह को पहुँच जाये, और ज़बान से इसके सही मतलब अदा हों, सच्चा इल्म, सही समझ उसे अ़ता हो, अल्लाह तआ़ला का डर उसके दिल में हो। चुनाँचे एक मरफ़ूअ़ हदीस भी है कि असल हिक्मत अल्लाह का डर है। ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के इल्म के बड़े माहिर हैं, हर दुनियावी मामले को अ़क़्लमन्दी से समझ लेते हैं लेकिन दीन में बिल्कुल अन्धे हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि दुनियावी इल्म में कमज़ोर हैं लेकिन शरई उलूम में बड़े माहिर हैं। पस यह है वह हिक्मत जिसे ख़ुदा ने इसे दी और उसे इससे मेहरूम रखा। इमाम सुद्दी रह. कहते हैं कि यहाँ हिक्मत से मुराद नुबुव्वत है, लेकिन सही यह है कि हिक्मत का लफ़्ज़ इन तमाम चीज़ों को शामिल है और नुबुव्वत भी उसका आला और बेहतरीन हिस्सा है, और यह हिक्मत की एक बिल्कुल ख़ास चीज़ है जो अम्बिया के सिवा और किसी को हासिल नहीं, उनके ताबेदारों और आज्ञाकार लोगों को ख़ुदा की तरफ़ से मेहरूमी नहीं, सच्ची और अच्छी समझ की दौलत से यह भी मालामाल होते हैं। बाज़ हदीसों में है कि जिसने क़ुरआने करीम को हिफ़्ज़ कर लिया, उसके दोनों बाज़ुओं के दरमियान नुबुव्वत चढ़ गयी, वह वही वाला नहीं। लेकिन एक दूसरी सनद से जो कि कमज़ोर है, मन्क़ूल है कि यह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. का अपना क़ौल है। मुस्नद की हदीस में है कि क़ाबिले रश्क सिर्फ़ दो शख़्स हैं- एक वह जिसे अल्लाह ने माल दिया और अपनी राह में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ भी दी, और एक वह जिसे अल्लाह ने हिक्मत दी और साथ ही फ़ैसले करने और उसकी तालीम देने की तौफ़ीक़ भी अ़ता फ़रमाई। वअ़ज़ व नसीहत उसी को नफ़ा पहुँचाती है जो अ़क़्ल से काम ले, समझ रखता हो, बात को याद रखे और मतलब पर नज़रें रखे।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْنَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ	**और तुम लोग जो किसी क़िस्म का ख़र्च करते हो या किसी तरह की नज़्र 'यानी मन्नत' मानते हो, सो हक़ तआ़ला को यक़ीनन सब की**

اَنْصَارٍ ۝ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝	इत्तिला है, और बेजा काम करने वालों का कोई साथी (और हिमायती) न होगा। (270) अगर तुम ज़ाहिर करके दो सदक़ों को तब भी अच्छी बात है, और अगर उनको छुपाओ और फ़क़ीरों को दे दो तो यह छुपाना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह तआ़ला (उसकी बरकत से) तुम्हारे कुछ गुनाह भी दूर कर देंगे। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों की ख़ूब ख़बर रखते हैं। (271)

अल्लाह तआ़ला हर चीज़ की ख़बर रखता है

अल्लाह तआ़ला ख़बर देता है कि हर एक ख़र्च और नज़्र (मन्नत) को और हर भले अ़मल को अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानता है। वह अपने नेक बन्दों को जो उसका हुक्म बजा लाते हैं, उससे सवाब की उम्मीद रखते हैं, उसके वायदों को सच्चा जानते हैं, उसके फ़रमान पर ईमान रखते हैं बेहतरीन बदला अ़ता फ़रमायेगा। और उनके विपरीत जो लोग उसका हुक्म मानने से जी चुराते हैं, गुनाह के काम करते हैं, उसकी ख़बरों को झुठलाते हैं, उसके साथ दूसरों की इबादत करते हैं, ये ज़ालिम हैं क़ियामत के दिन क़िस्म-क़िस्म के सख़्त और दर्दनाक अ़ज़ाब उन्हें होंगे और कोई न होगा जो उन्हें छुड़ाये या उनकी मदद में उठे। फिर फ़रमाया कि ज़ाहिर करके सदक़ा देना भी अच्छा है और छुपाकर ग़रीबों मिस्कीनों को देना बहुत ही बेहतर है। इसलिये कि यह रियाकारी से कोसों दूर है। हाँ यह और बात है कि ज़ाहिर करने में कोई दीनी मस्लेहत या दीनी फ़ायदा हो, जैसे इसलिये कि और लोग भी दें वग़ैरह।

हदीस शरीफ़ में है कि सदक़े का ज़ाहिर करने वाला बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन पढ़ने वाले की तरह है, और उसे छुपाने वाला आहिस्ता पढ़ने वाले की तरह है। पस इस आयत से जो सदक़ा छुपाकर दिया जाये उसकी अफ़ज़लियत (बेहतर होना) साबित होती है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सात शख़्सों को क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला अपने साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा।

1. आ़दिल (इन्साफ़ करने वाला) बादशाह।
2. वह नौजवान जो अपनी जवानी ख़ुदा की इबादत और शरीअ़त की फ़रमाँबरदारी में गुज़ारे।
3. वे दो शख़्स जो अल्लाह तआ़ला के लिये आपस में मुहब्बत रखें, उसी पर जमा हों और उसी पर अलग हों।
4. वह शख़्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, निकलने के वक़्त से जाने के वक़्त तक।
5. वह शख़्स जो तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करके रोये।
6. वह शख़्स जिसे कोई मन्सब (ओहदे) व जमाल (ख़ूबसूरती) वाली औरत बदकारी की तरफ़ बुलाये और वह कह दे कि मैं तो अल्लाह तआ़ला रब्बुल-आ़लमीन से डरता हूँ।
7. वह शख़्स जो अपना सदक़ा इस क़द्र छुपाकर दे कि बायें हाथ को दायें हाथ के ख़र्च की ख़बर तक

न हो।

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन को पैदा किया तो वह हिलने लगी, अल्लाह तआ़ला ने पहाड़ पैदा करके उन्हें गाड़ दिया, जिससे ज़मीन का हिलना बन्द हो गया। फ़रिश्तों को पहाड़ों की ऐसी संगीन पैदाईश पर ताज्जुब हुआ, उन्होंने दरियाफ़्त किया कि बारी तआ़ला क्या तेरी मख़्लूक़ में पहाड़ से ज़्यादा सख़्त चीज़ भी कोई है? फ़रमाया हाँ लोहा। मालूम किया या रब! क्या लोहे से भी ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ है? फ़रमाया हाँ आग। पूछा या रब! क्या आग से भी ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ है? फ़रमाया हाँ पानी। मालूम किया क्या पानी से भी सख़्त कोई चीज़ है? फ़रमाया हाँ हवा। दरियाफ़्त किया उससे भी ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ है? फ़रमाया वह इनसान जो इस तरह सदक़ा करता है कि बायें हाथ को दायें हाथ के ख़र्च की ख़बर नहीं होती। आयतुल-कुर्सी की तफ़सीर में वह हदीस गुज़र चुकी है जिसमें है कि अफ़ज़ल सदक़ा वह है जो पोशीदगी से किसी ज़रूरत मन्द को दे दिया जाये, बावजूद माल की क़िल्लत के फिर भी राहे ख़ुदा में ख़र्च किया जाये। फिर इसी आयत की तिलावत की। (इब्ने अबी हातिम) एक और हदीस में है कि छुपाकर सदक़ा करना ख़ुदा के ग़ज़ब को बुझा देता है।

इस आयत की शाने नुज़ूल

हज़रत शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. के बारे में उतरी है। हज़रत उमर रज़ि. तो अपना आधा माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लाये और हज़रत सिद्दीक़ रज़ि. ने जो कुछ था सब लाकर रख दिया। आपने पूछा अपने घर वालों के लिये क्या छोड़ आये हो? उमर फ़ारूक़ ने जवाब दिया इतना ही, सिद्दीक़े अकबर अगरचे ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे और चुपके से सब का सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हवाले कर चुके थे लेकिन जब उनसे भी पूछा गया तो कहना पड़ा कि अल्लाह तआ़ला का वायदा और उसके रसूल की तैयारी काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ि. यह सुनकर रो दिये और फ़रमाने लगे- ख़ुदा की क़सम जिस किसी नेकी के काम का हमने इरादा किया है उसमें ऐ सिद्दीक़! हम आपको आगे ही आगे पाते हैं।

आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं, सदक़ा चाहे फ़र्ज़ी हो चाहे नफ़्ली, ज़कात हो या ख़ैरात, उसको छुपाकर करना इज़्हार से अफ़ज़ल है। लेकिन हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि नफ़्ली सदक़ा तो छुपाकर देना सत्तर गुनी फ़ज़ीलत रखता है लेकिन फ़र्ज़ी ज़कात को ऐलानिया (सब के सामने) अदा करना पच्चीस गुनी फ़ज़ीलत रखता है। फिर फ़रमाया- सदक़े के बदले अल्लाह तआ़ला तुम्हारी ख़ताओं और बुराईयों को दूर कर देगा, ख़ासकर उस वक़्त जबकि वह छुपाकर दिया जाये। तुम्हें बहुत सी भलाई मिलेगी, दरजे बढ़ेंगे, गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगा। अल्लाह तआ़ला पर तुम्हारी कोई नेकी बदी, सख़ावत बख़ीली, छुपाना और इज़्हार करना, नेक-नीयती और दुनिया की तलब छुपा हुआ नहीं, वह पूरा बदला देगा।

उन (काफ़िरों) को हिदायत पर ले आना कुछ आपके ज़िम्मे (फ़र्ज़ या वाजिब) नहीं, लेकिन ख़ुदा तआ़ला जिसको चाहें हिदायत पर ले आएँ। और (ऐ मुसलमानो!) जो कुछ तुम ख़र्च करते हो अपने फ़ायदे की ग़र्ज़ से करते	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ

اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ؗ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝	हो, और तुम और किसी ग़र्ज़ से ख़र्च नहीं करते सिवाय हक़ तआ़ला की ज़ाते पाक की रिज़ा हासिल करने के, और (तथा) जो कुछ माल ख़र्च कर रहे हो यह सब (यानी इसका सवाब) पूरा-पूरा तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारे लिए इसमें ज़रा कमी न की जाएगी। (272) (सदक़ात) असल हक़ उन ज़रूरतमन्दों का है जो क़ैद हो गए हों अल्लाह की राह में, (और इसी वजह से) वे लोग कहीं मुल्क में चलने-फिरने की (आ़दतन) संभावना नहीं रखते, (और) नावाक़िफ़ उनको मालदार ख़्याल करता है उनके सवाल से बचने के सबब से, (अलबत्ता) तुम उनको उनके तर्ज़ से पहचान सकते हो (कि तंगदस्ती व फ़ाक़े से चेहरे पर असर ज़रूर आ जाता है) वे लोगों से लिपट कर माँगते नहीं फिरते, और जो माल ख़र्च करोगे बेशक हक़ तआ़ला को उसकी ख़ूब इत्तिला है। (273)

الربع ٣٧ ع ٥

सहाबा की एक दुविधा और अल्लाह तआ़ला का स्पष्ट इरशाद

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुसलमान सहाबा अपने मुश्रिक रिश्तेदारों के साथ सुलूक (यानी उनके साथ कोई हमदर्दी) करना नापसन्द करते थे, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल हुआ और यह आयत उतरी और उन्हें इजाज़त व रुख़्सत दी। फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते थे- सदक़ा सिर्फ़ मुसलमानों को दिया जाये, जब यह आयत उतरी तो आपने फ़रमा दिया हर साईल (माँगने वाले) को दो अगरचे वह किसी मज़हब का हो। (इब्ने अबी हातिम) हज़रत असमा रज़ि. वाली रिवायत आयतः

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ......... الخ.

(सूरः मुम्तहिना आयत 8) की तफ़सीर में आयेगी, इन्शा-अल्लाह। यहाँ फ़रमाया कि तुम जो नेकी करोगे अपने लिये ही करोगे। जैसे एक और जगह हैः

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ.

कि जो कोई नेक अ़मल करेगा वह अपने लिये ही करेगा।

और इस जैसी और आयतें भी बहुत हैं। हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि ईमान वालों का हर ख़र्च अल्लाह ही के लिये होता है अगरचे वह ख़ुद खाये-पिये। अ़ता ख़ुरासानी रह. इसका यह मतलब बयान करते

हैं कि जब तुमने मर्ज़ी-ए-मौला और अल्लाह की रज़ा के लिये दिया तो लेने वाला चाहे कोई हो और कैसे ही आमाल का करने वाला हो। यह मतलब भी बहुत अच्छा है, हासिल यह है कि नेक-नीयती से देने वाले का अज्र तो ख़ुदा के ज़िम्मे साबित हो गया, अब चाहे वह किसी नेक के हाथ लगे या बद के, हक़दार के या ग़ैर-हक़दार के, उसे अपने इरादे और अपनी नेकनीयती का सवाब मिल गया, जबकि उसने देखभाल कर ली फिर ग़लती हुई तो सवाब ज़ाया नहीं जाता। इसी लिये आयत के आख़िर में बदला मिलने की ख़ुशख़बरी दी गयी।

एक अजीब वाक़िआ

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की हदीस में आया है कि एक शख़्स ने इरादा किया कि आज रात मैं सदक़ा दूँगा। लेकर निकला और चुपके से एक औरत को देकर चला आया। सुबह लोगों में ये बातें होने लगीं कि आज रात को कोई शख़्स एक बदकार औरत को कोई ख़ैरात दे गया। उसने भी सुना और ख़ुदा का शुक्र अदा किया। फिर अपने जी में कहा आज रात और सदक़ा दूँगा, लेकर चला और एक शख़्स की मुट्ठी में रखकर चला आया। सुबह सुनता है, लोगों में चर्चा हो रहा है कि आज रात एक मालदार को कोई सदक़ा दे गया। उसने फिर ख़ुदा की तारीफ़ की और इरादा किया आज रात को तीसरा सदक़ा दूँगा। दे आया, दिन को फिर मालूम हुआ कि वह चोर था। कहने लगा ख़ुदाया! तेरी तारीफ़ व शुक्र है बदकार औरत को दिये जाने पर भी, मालदार शख़्स को दिये जाने पर भी और चोर को देने पर भी। ख़्वाब में देखता है कि फ़रिश्ता आया और कह रहा है तेरे तीनों सदक़े क़बूल हो गये। शायद बदकार औरत माल पाकर अपनी हरामकारी से रुक जाये, और शायद मालदार को इबरत हासिल हो और वह भी सदक़े की आदत डाले, और शायद चोर माल पाकर चोरी से रुक जाये।

फिर फ़रमाया- सदक़ा उन मुहाजिरीन का हक़ है जो दुनियावी ताल्लुक़ात काटकर, हिजरतें करके, वतन छोड़कर, कुनबे-क़बीले से मुँह मोड़कर ख़ुदा की रज़ामन्दी के लिये पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में आ गये हैं, जिनकी रोज़ी-रोटी का कोई ऐसा ज़रिया नहीं जो उन्हें काफ़ी हो, और न वे सफ़र कर सकते हैं कि चल-फिरकर अपनी रोज़ी हासिल करें। उनके हाल से जो लोग नावाक़िफ़ हैं वे उनके लिबास, ज़ाहिरी हाल और गुफ़्तगू से उन्हें मालदार समझते हैं। एक सही हदीस में है मिस्कीन वही नहीं जो दर-बदर जाते हैं, कहीं से दो एक खजूरें मिल गयीं, कहीं से दो एक लुक़्मे मिल गये, कहीं से दो एक वक़्त का खाना मिल गया, बल्कि वह भी मिस्कीन है जिसके पास इतना नहीं जिससे वह फ़ारिग़ और बेपरवाह हो जाये और उसने अपनी हालत भी ऐसी नहीं बनाई जिससे हर शख़्स उसकी ज़रूरत का एहसास करे और कुछ एहसान करे। और न वे सवाल के आदी हैं तो उन्हें उनकी उस हालत से जान लेगा जो अक़्लमन्द पर छुपी नहीं रहती। जैसे एक और जगह है:

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ.

उनकी निशानियाँ उनके चेहरों पर हैं। एक और जगह फ़रमाया:

لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ.

उनके लब-व-लहजे (गुफ़्तगू के अन्दाज़) से तुम उन्हें पहचान लोगे।

सुनन की एक हदीस में है कि मोमिन की दानाई (समझ व फ़िरासत) से बचो, वह अल्लाह के नूर से

देखता है।

इस्लाम भिखारीपन को पसन्द नहीं करता

क़ुरआन पाक का फ़रमान है:

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِیْنَ.

यक़ीनन इसमें समझ व अ़क़्ल रखने वालों के लिये निशानियाँ हैं।

ये लोग किसी पर बोझ नहीं, वे किसी से ढिटाई के साथ सवाल नहीं करते, न अपने पास होते हुए किसी से कुछ तलब करते हैं। जिसके पास ज़रूरत के मुताबिक़ हो और फिर भी वह सवाल करे वह लोगों को परेशान करके माँगने वाला कहलाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- एक दो खजूरें और एक दो लुक़्मे लेकर चले जाने वाला ही मिस्कीन नहीं बल्कि हक़ीक़त में मिस्कीन वे हैं जो बावजूद हाजत और ज़रूरत के ख़ुद्दारी बरतें और सवाल से बचें। देखो क़ुरआन कहता है:

لَایَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا.

यह हदीस बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों से मौजूद है। क़बीला मुज़ीना के एक शख़्स को उनकी वालिदा फ़रमाती हैं- तुम भी जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कुछ माँग लाओ, जिस तरह और लोग जाकर ले आते हैं। वह फ़रमाते हैं मैं जब गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम खड़े हुए ख़ुतबा फ़रमा रहे थे कि जो शख़्स सवाल से बचेगा अल्लाह भी उसे सवाल से बचा लेगा। जो शख़्स बेपरवाही बरतेगा (यानी अपने को किसी का मोहताज नहीं बनायेगा) अल्लाह तआ़ला उसे वास्तव में बेनियाज़ कर देगा। जो शख़्स पाँच ओक़िया के बराबर माल रखते हुए भी सवाल करेगा वह चिमटने वाला सवाली है। मैंने अपने दिल में सोचा कि हमारे पास तो एक ऊँटनी है जो पाँच ओक़िया से बहुत बेहतर है। एक ऊँटनी ग़ुलाम के पास है वह भी पाँच ओक़िया से ज़्यादा क़ीमत की है। पस मैं तो यूँ ही सवाल किये बग़ैर वापस चला आया। एक और रिवायत में है कि यह वाक़िआ़ हज़रत अबू सईद रज़ि. का है, उसमें है कि आपने मुझसे फ़रमाया। और यह भी फ़रमाया कि जो लोगों से किनारा करेगा अल्लाह उसे ख़ुद किफ़ायत करेगा, और जो एक ओक़िया रखते हुए सवाल करेगा वह चिमटकर सवाल करने वाला है, उनकी ऊँटनी का नाम याक़ूता था। एक ओक़िया चालीस दिर्हम का होता है, चालीस दिर्हम के तक़रीबन दस रुपये होते हैं।

एक हदीस में है कि जिसके पास ज़रूरत के मुताबिक़ हो फिर भी वह सवाल करे क़ियामत के दिन उसके चेहरे पर उसका सवाल ज़ख़्म होगा। उसका मुँह नुचा हुआ होगा। लोगों ने कहा हज़रत! कितना पास हो तो? फ़रमाया पचास दिर्हम या उसकी क़ीमत का सोना। यह हदीस ज़ईफ़ है। मुल्क शाम में एक क़ुरैशी थे जिन्हें मालूम हुआ कि हज़रत अबूज़र रज़ि. ज़रूरत मन्द हैं, तो तीन सौ गिन्नियाँ उन्हें भिजवायीं। आप ख़फ़ा होकर फ़रमाने लगे- उस अल्लाह के बन्दे को कोई मिस्कीन ही नहीं मिला जो मेरे पास ये भेजीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि चालीस दिर्हम जिसके पास हों और फिर सवाल करे तो वह चिमट कर सवाल करने वाला है और अबूज़र के घराने वालों के पास तो चालीस दिर्हम भी हैं, चालीस बकरियाँ भी हैं और दो ग़ुलाम भी हैं। एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ये अलफ़ाज़ भी हैं कि चालीस दिर्हम होते हुए सवाल करने वाला चिमटकर सवाल करने वाला और रेत के जैसा है।

फिर फ़रमाया- तुम्हारे तमाम सदक़ों का अल्लाह को इल्म है और जबकि तुम पूरे मोहताज होगे अल्लाह

पाक उस वक़्त तुम्हें इसका बदला देगा। उस पर कोई चीज़ छुपी नहीं। फिर उन लोगों की तारीफ़ें हो रही हैं जो हर वक़्त ख़ुदा के फ़रमान के मुताबिक़ ख़र्च करते रहते हैं, उन्हें अज्र मिलेगा और हर ख़ौफ़ से अमन पायेंगे। बाल बच्चों को खिलाने पर भी उन्हें सवाब मिलेगा, जैसे सहीहैन की हदीस में है कि मक्का के फ़तह होने वाले साल जबकि आप हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. की इयादत (बीमारी का हाल पूछने) को गये तो यह फ़रमाया। एक रिवायत में है कि हज्जतुल-विदा वाले साल फ़रमाया। तू जो कुछ ख़ुदा की ख़ुशी के लिये ख़र्च करेगा अल्लाह तआ़ला उसके बदले तेरे दरजे बढ़ायेगा, यहाँ तक कि तू जो अपनी बीवी को खिलाये-पिलाये उसके बदले भी। मुस्नद में है कि मुसलमान सवाब की नीयत से अपने बाल-बच्चों पर भी जो ख़र्च करता है वह सदक़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाता है कि इस आयत की शाने नुज़ूल मुसलमान मुजाहिदीन का वह ख़र्च है जो वे अपने घोड़ों पर करते हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यही रिवायत है। हज़रत ज़ुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं- हज़रत अ़ली रज़ि. के पास चार दिर्हम थे जिनमें से एक अल्लाह की राह में रात में दिया, एक दिन में, एक छुपाकर, एक ज़ाहिर करके, तो यह आयत उतरी। यह रिवायत ज़ईफ़ है। दूसरी सनद से भी मन्क़ूल है कि अल्लाह की इताअ़त में जो माल उन लोगों ने ख़र्च किया उसका बदला क़ियामत के दिन अपने परवर्दिगार के पास लेंगे, निडर और बेग़म ये लोग हैं।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

जो लोग ख़र्च करते हैं अपने मालों को रात और दिन में, (यानी वक़्त को ख़ास किए बग़ैर) खुले और छुपे तौर पर (यानी हालात को ख़ास किए बग़ैर) सो उन लोगों को उनका सवाब मिलेगा अपने रब के पास, और उन पर कोई ख़तरा नहीं है और न वे ग़मगीन होंगे। (274) जो लोग सूद खाते हैं, नहीं खड़े होंगे (क़ियामत में क़ब्रों से) मगर जिस तरह खड़ा होता है ऐसा शख़्स जिसको ख़ब्ती बना दे लिपट कर, (यानी हैरान व मदहोश) यह (सज़ा) इसलिए (होगी) कि उन लोगों ने कहा था कि बैअ़ "यानी तिजारत" भी तो सूद की तरह है, हालाँकि अल्लाह ने बैअ़ को हलाल फ़रमाया है और सूद को हराम क़रार दिया है। फिर जिस शख़्स को उसके परवर्दिगार की तरफ़ से नसीहत पहुँची और वह बाज़ आ गया तो जो कुछ पहले (लेना) हो चुका है वह उसी का रहा, और (बातिन का) मामला उसका ख़ुदा के हवाले रहा। और जो शख़्स फिर लौट जाए "यानी दोबारा सूदी मामले में मशग़ूल हो जाए" तो ये लोग दोज़ख़ में जाएँगे, वे उसमें हमेशा रहेंगे। (275)

सूदी कारोबार की मनाही

चूँकि पहले उन लोगों का बयान हुआ जो नेक काम करने वाले, सदक़ा-ख़ैरात करने वाले, ज़कात देने वाले, ज़रूरत मन्दों और रिश्तेदारों की ख़बरगीरी करने वाले, हर हाल में और हर वक़्त दूसरों के काम आने वाले थे, तो अब उनका बयान हो रहा है जो देना तो एक तरफ़ और छीन लेने वाले, ज़ुल्म करने वाले, नाहक़ दूसरों का माल हज़्म कर जाने वाले हैं। फ़रमाया कि ये सूद खाने वाले लोग अपनी क़ब्रों से उठेंगे तो दीवानों और पागलों, ख़ब्तियों और बेहोश लोगों की तरह उठेंगे। मजनूँ और दीवाने होंगे, खड़े ही न हो सकते होंगे और उनसे कहा जायेगा कि ले अब हथियार थाम ले और अपने रब से लड़ने के लिये आमादा हो जा। मेराज की रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट बड़े-बड़े घड़ों की तरह थे, पूछा ये कौन लोग हैं? बतलाया गया कि सूद खाने वाले, ब्याज लेने वाले हैं। एक और रिवायत में है कि उनके पेटों में साँप भरे हुए थे जो डसते रहते थे। और एक लम्बी हदीस में है कि हम जब एक सुर्ख़ रंग की नहर पर पहुँचे जिसका पानी ख़ून की तरह सुर्ख़ था तो मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग हैं, वे बहुत मुश्किल से किनारे पर आते हैं लेकिन किनारे पर एक फ़रिश्ता बहुत से पत्थर लिये बैठा है, वह उनका मुँह फाड़कर एक पत्थर मुँह में उतार देता है, वे फिर भागते हैं, फिर यही होता है। पूछा तो मालूम हुआ कि ये सूदख़ोरों का गिरोह है। यह वबाल उन पर इस सबब है कि ये कहते थे कि तिजारत भी तो सूद लेने की तरह ही है। यह एतिराज़ उनका शरीअ़त पर और अहकामे ख़ुदा पर था और इससे वे सूद को तिजारत की तरह हलाल जानते थे। यह याद रहे कि यह सूद का क़्यास बै पर नहीं, इसलिये कि मुश्रिक लोग तो सिरे से बै के भी जायज़ होने के क़ायल न थे और इसलिये भी कि अगर यह क़्यास होता तो यूँ कहते कि सूद बै की तरह है, उनका मतलब यह था कि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, फिर क्या वजह है कि एक को हलाल कहा जाये और दूसरी को हराम बतलाया जाये।

फिर उन्हें जवाब दिया जाता है कि यह हिल्लत व हुर्मत (हराम व हलाल होना) ख़ुदा के हुक्म की बिना पर है। और यह भी मुम्किन है कि यह जुमला भी काफ़िरों का क़ौल ही हो तो इसमें बारीकी के साथ एक जवाब भी हो गया कि बावजूद इस इल्म के कि एक को ख़ुदा ने हराम ठहराया है दूसरे को हलाल बतलाया है, फिर एतिराज़ कैसा? अ़लीम व हकीम ख़ुदा के हुक्मों पर एतिराज़ करने वाले तुम कौन? उससे पूछगछ करने की किसकी हस्ती और हिम्मत है? तमाम कामों की असलियत का आ़लिम तो वही है, वह ख़ूब जानता है कि बन्दों का असल में नफ़ा किस चीज़ में और हक़ीक़त में नुक़सान किस चीज़ में है। तो वह नफ़े वाली चीज़ें हलाल करता है और नुक़सान देने वाली चीज़ें हराम करता है। कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे पर इतनी मेहरबान न होगी जितना ख़ुदा अपने बन्दों पर है। वह रोकता है तो मस्लेहत से और हुक्म देता है तो मस्लेहत से। अपने रब की नसीहत सुनकर जो बाज़ आ जाये उसके पहले किये कराये तमाम गुनाह माफ़ हैं। जैसा कि फ़रमायाः

عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ.

कि जो पहले गुज़र चुका वह अल्लाह ने माफ़ किया।

और जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़त्हे-मक्का वाले दिन फ़रमाया था कि जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने) के तमाम सूद मेरे इन दोनों क़दमों के नीचे बरबाद हैं। सबसे पहला सूद जिसे मैं

ख़त्म करता हूँ वह अ़ब्बास का सूद है। पस जाहिलीयत में जो सूद ले चुके थे उनके लौटाने का हुक्म नहीं हुआ। एक रिवायत में है कि उम्मे महना जो हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की उम्मे-वलद (ऐसी बाँदी जिससे उनकी औलाद हुई) थीं। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास आयीं और कहा- मैंने एक गुलाम हज़रत ज़ैद रज़ि. के हाथों आठ सौ का बैचा कि जब उनके पास कहीं से माल आये वह रक़म अदा कर दें। उसके बाद उन्हें नक़दी की ज़रूरत हुई तो वक़्त से पहले ही वह उसे फ़रोख़्त करने को तैयार हो गये। मैंने छह सौ का ख़रीद लिया। हज़रत आ़यशा रज़ि. ने फ़रमाया- तूने भी और उसने भी बहुत बुरा किया, बिल्कुल ख़िलाफ़े शरीअ़त किया। जा ज़ैद से कह दे कि अगर वह तौबा न करेगा तो उसका जिहाद भी बरबाद हुआ जो उसने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ किया है। मैंने कहा अगर दो सौ जो मुझे उससे लेने हैं छोड़ दूँ और सिर्फ़ छह सौ वसूल कर लूँ ताकि मुझे मेरी पूरी रक़म आठ सौ मिल जाये। आपने फ़रमाया फिर कोई हर्ज नहीं। फिर आपने "फ़-मन् जाअहू मौअि़ज़तुम्........" वाली आयत (यही जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) पढ़कर सुनाई। (इब्ने अबी हातिम)

बाज़ मामलात की सूरतें और उनके अहकाम

फिर फ़रमाया कि अब जबकि हुर्मत का मसला उसके कानों में पड़ चुका फिर भी सूद ले तो वह सज़ा का मुस्तहिक़ है, हमेशा के लिये जहन्नमी है। जब यह आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो 'मुख़ाबरा' को अब भी न छोड़े वह ख़ुदा के रसूल से लड़ने के लिये तैयार हो जाये (अबू दाऊद)

"मुख़ाबरा" कहते हैं इसे कि एक शख़्स दूसरे की ज़मीन में खेती बोये और यह तय करे कि इस ज़मीन के इस टुकड़े से जितना निकले वह मेरा बाक़ी तेरा। और "मुज़ाबना" कहते हैं इसे कि दरख़्त में जो खजूरें हैं वह मेरी और मैं उसके बदले अपने पास से तुझे इतनी-इतनी खजूरें तैयार देता हूँ। और "मुहाक़ला" कहते हैं इसे कि खेत में जो अनाज बालों में है उसे अपने पास से कुछ अनाज देकर ख़रीदना। इन तमाम सूरतों को शरीअ़त ने हराम क़रार दिया ताकि सूद की जड़ कट जाये। इसलिये कि इन सूरतों में सही तौर पर मालूम नहीं हो सकता। बाज़ उलेमा ने इसकी कुछ इल्लत निकाली, बाज़ ने कुछ, इस जमाअ़त ने अपनी इल्लत पर क़ियास (अन्दाज़ा) करके उन तमाम कारोबारों से रोका जिसमें यह इल्लत (सबब) पाई जाती थी। दूसरी जमाअ़त ने दूसरी इल्लत की बिना पर। हक़ीक़त यह है कि यह मसला ज़रा मुश्किल है।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. फ़रमाते हैं कि अफ़सोस तीन मसले पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आये। दादा की मीरास का, कलाला का और सूद की सूरतों का। यानी बाज़ उन सूरतों का जिनमें सूद का शुब्हा है। फिर जो वसाईल (असबाब और साधन) उन तक ले जाने वाले हैं जब यह हराम है तो वे भी हराम ही ठहरेंगे, जैसा कि वह चीज़ वाजिब हो जाती है जिसके बग़ैर कोई वाजिब पूरा न होता हो। सहीहैन की हदीस में है कि हलाल ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है, लेकिन कुछ काम दरमियानी शुब्हे वाले हैं, उनमें शुब्हात से बचने वाले ने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, और उन मुश्तबा (संदिग्ध) चीज़ों में पड़ने वाला हराम में पड़ने वाला है, जिस तरह कोई चरवाहा जो किसी चरागाह के आस-पास अपने जानवर चराता हो, मुम्किन है कि कोई जानवर उस चरागाह में भी मुँह मार ले।

एक अहम उसूल

सुनन में हदीस है कि जो चीज़ तुझे शक में डाले उसे छोड़ और उसे ले जो शक वे शुब्हे से पाक हो।

दूसरी हदीस में है कि गुनाह वह है जो दिल में खटके, तबीयत में शक और दुविधा हो और उस पर लोगों का वाक़िफ़ हो जाना बुरा लगता हो। एक और रिवायत में है कि अपने दिल से फ़तवा पूछ ले, अगरचे लोग कुछ भी फ़तवा देते हों। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सूद की हुर्मत (हराम होना) सबसे आख़िर में नाज़िल हुई। (बुख़ारी) हज़रत उमर रज़ि. यह फ़रमाकर कहते हैं कि इसकी पूरी तफ़सीर भी अफ़सोस कि मुझ तक न पहुँच सकी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इन्तिक़ाल हो गया। लोगो! सूद को भी छोड़ दो, और हर उस चीज़ को जिसमें सूद का कुछ भी शायबा (हल्का सा शुब्हा) हो। (मुस्नद अहमद)

हज़रत उमर रज़ि. ने अपने ख़ुतबे में फ़रमाया- शायद मैं तुम्हें बाज़ उन चीज़ों से रोक दूँ जो तुम्हारे लिये नफ़ा देने वाली हों, और मुम्किन है मैं तुम्हें कुछ ऐसे अहकाम भी दूँ जो तुम्हारी मस्लेहत के ख़िलाफ़ हों। क़ुरआन में सबसे आख़िर में सूद की हुर्मत की आयत उतरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इन्तिक़ाल हो गया और अफ़सोस कि उसे खोलकर हमारे सामने बयान न फ़रमाया। पस तुम हर उस चीज़ को छोड़ो जो तुम्हें शक में डालती हो। (इब्ने माजा)

सूदख़ोरी एक जुर्म है और इसकी सज़ा बहुत सख़्त है

एक हदीस में है कि सूद के तिहत्तर गुनाह हैं जिनमें सबसे हल्का गुनाह यह है कि इनसान अपनी माँ से बदकारी करे। सबसे बड़ा सूद मुसलमान की इज़्ज़त से खेलना है। (मुस्तदरक हाकिम) फ़रमाते हैं कि ऐसा ज़माना भी आयेगा कि लोग सूद खायेंगे। सहाबा रज़ि. ने पूछा क्या सबके सब, फ़रमाया जो न खायेगा उसे ग़ुबार (धूल) तो पहुँचेगा ही। (मुस्नद अहमद) पस ग़ुबार से बचने के लिये उन असबाब के पास भी न फटकना चाहिये जो इन हराम कामों की तरफ़ पहुँचाने वाले हों। हज़रत आ़यशा रज़ि. से मरवी है कि जब सूरः ब-क़रह की आख़िरी आयत सूद के हराम होने में नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मस्जिद में आकर उसकी तिलावत की और सूदी कारोबार और सूदी तिजारत को हराम क़रार दे दिया। बाज़ इमाम हज़रात फ़रमाते हैं कि इसी तरह शराब और उसकी हर तरह की ख़रीद फ़रोख़्त वग़ैरह, वे असबाब और तरीक़े जो उस तक पहुँचाने वाले हों सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हराम किये हैं।

सही हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने यहूदियों पर लानत की इसलिये कि जब उन पर चर्बी हराम हुई तो उन्होंने बहाने बाज़ी से चर्बी को पिघलाकर बेचा और उसकी क़ीमत खाई। ग़र्ज़ कि धोखेबाज़ी और गुनाह को दूसरा नाम देकर हराम को हलाल बनाने की कोशिश भी हराम है, और लानत का सबब है। इसी तरह पहले वह हदीस भी बयान हो चुकी है जिसमें है कि जो शख़्स दूसरे की तीन तलाक़ों वाली औ़रत से इसलिये निकाह करे कि पहले शौहर के लिये वह हलाल हो जाये उस पर और उसके शौहर दोनों पर ख़ुदा की फटकार और उसकी लानत है। यह हदीस आयतः

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ.

(सूरः ब-क़रह आयत 230) की तफ़सीर में है।

सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, गवाह बनने वालों पर, लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत है। तो ज़ाहिर है कि कातिब व शाहिद (लिखने वाले और गवाह बनने वाले) को क्या ज़रूरत पड़ी जो ख़्वाह-मख़्वाह अपने ऊपर अल्लाह की लानत ले। मुराद यह है कि बज़ाहिर शरई मामले की सूरत में लाकर बहाने बाज़ी से उस सूद को लिखते पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मलऊन हैं। हज़रत अ़ल्लामा इमाम इब्ने तैमिया

रह. ने इन बहाने बाज़ियों और हीले इख़्तियार करने के रद्द में एक मुस्तक़िल किताब "इब्तालुल-तहलील" लिखी है, जो इस विषय पर बेहतरीन किताब है। ख़ुदा उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाये और उनसे ख़ुश हो।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○	अल्लाह तआ़ला सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं, और अल्लाह पसन्द नहीं करते किसी कुफ़्र करने वाले को (और) किसी गुनाह के काम करने वाले को। (276) बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए और (ख़ास तौर पर) नमाज़ की पाबन्दी की और ज़कात दी, उनके लिए उनका सवाब होगा उनके परवर्दिगार के पास, और (आख़िरत में) उन पर कोई ख़तरा नहीं होगा और न वे ग़मगीन होंगे। (277)

सूदी कारोबार से कोई पायदार नफ़ा नहीं पहुँचता

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि वह सूद को बरबाद करता है, यानी या तो उसे बिल्कुल ग़ारत कर देता है या उसकी ख़ैर व बरकत हटा देता है। दुनिया में भी वह तबाही का सबब बनता है और आख़िरत में अ़ज़ाब का सबब। जैसे एक और जगह है:

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ........ الخ.

यानी नापाक और पाक बराबर नहीं होता अगरचे तुम्हें नापाक की ज़्यादती ताज्जुब में डाले (यानी अच्छी लगे)। एक और जगह है:

وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ.

ख़बासत वाली चीज़ों को उलट-पुलट करके वह जहन्नम में झोंक देगा। एक और जगह है:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا........... الخ.

यानी तुम्हारे लिये हुए सूद से जो माल तुम बढ़ाना चाहो वह दर असल बढ़ता नहीं।

इसी वास्ते हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. वली रिवायत में है कि सूद से अगरचे ज़्यादती हो जाये लेकिन आख़िरकार कमी ही कमी है। (मुस्नद अहमद)

मुस्नद की एक और रिवायत में है कि अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ मस्जिद से निकले और अनाज फैला हुआ देखा, पूछा यह ग़ल्ला कहाँ से आ गया? लोगों ने कहा बिकने के लिये आया है। आपने दुआ़ की ख़ुदाया! इसमें बरकत दे। लोगों ने कहा यह ग़ल्ला महंगे भाव बेचने के लिये पहले ही से जमा कर लिया था। पूछा किसने जमा किया था? लोगों ने कहा एक तो फ़र्रूख़ जो हज़रत उस्मान के मौला (आज़ाद

किये हुए गुलाम) हैं, और दूसरे आपके आज़ाद किये हुए गुलाम ने। आपने दोनों को बुलवाया और फ़रमाया तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दिया कि हम अपने मालों से ख़रीदते हैं और जब चाहें बेचते हैं, हमें इख़्तियार है। आपने फ़रमाया सुनो! मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख़्स मुसलमानों में महंगा बेचने के ख़्याल से गिज़ा रोक रखे उसे खुदा मुफ़लिस कर देगा या जुज़ामी (कोढ़ी)। यह सुनकर हज़रत फ़र्रूख़ रज़ि. तो फ़रमाने लगे कि मेरी तौबा है, मैं खुदा से फिर आप से अ़हद करता हूँ कि फिर कभी यह काम न करूँगा, लेकिन हज़रत उमर रज़ि. के गुलाम ने फिर भी यही कहा कि हम अपने माल से ख़रीदते हैं और नफ़ा उठाकर बेचते हैं, इसमें क्या हर्ज है? हदीस के रावी हज़रत अबू यह्या फ़रमाते हैं- मैंने फिर देखा कि उसे जुज़ाम हो गया और जुज़ामी (कोढ़ी) बना फिरता था।

इब्ने माजा में है कि जो शख़्स मुसलमानों को ग़ल्ला महंगे भाव बेचने के लिये रोक रखे अल्लाह तआ़ला उसे मुफ़लिस कर देगा या कोढ़ी। (गिज़ा का स्टाक करना इस्लामी नुक़्ता-ए-नज़र से जुर्म है)

फिर फ़रमाता है कि वह सदक़े को बढ़ाता है। सही बुख़ारी की हदीस में है कि जो शख़्स अपनी पाक कमाई में से एक खजूर भी ख़ैरात करे, उसे अल्लाह तआ़ला अपने दाहिने हाथ में लेता है। फिर उसे पालकर बड़ा करता है जिस तरह तुम लोग अपने बछड़ों को पालते हो और उसका सवाब पहाड़ के बराबर बना देता है, और पाक चीज़ के सिवा और नापाक चीज़ को क़बूल नहीं फ़रमाता। एक और रिवायत में है कि उहुद पहाड़ के बराबर सवाब एक खजूर का मिलता है। एक और रिवायत में है कि एक लुक़्मा उहुद पहाड़ के बराबर होकर मिलता है। पस तुम सदक़ा ख़ैरात किया करो। फिर फ़रमाया कि काफ़िरों और नाफ़रमान, ज़बान-ज़ोर और बुरे काम करने वालों को अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करता। मतलब यह है कि जो लोग सदक़ा ख़ैरात न करें और अल्लाह की वायदा की हुई ज़्यादती पर सब्र व शुक्र न करके दुनिया का माल जमा करते फिरें, और बदतरीन व ख़िलाफ़े शरीअ़त तरीक़ों से कमाईयाँ करें, और लोगों के माल बातिल और नाहक़ के साथ खा जायें, ये खुदा के दुश्मन हैं। उन नाशुक्रों और गुनाहगारों पर खुदा की रहमत नहीं।

फिर उन बन्दों की तारीफ़ हो रही है जो अपने रब के अहकाम पूरे करें, मख़्लूक़ के साथ सुलूक व एहसान करें, नमाज़ें क़ायम करें, ज़कात देते रहें, ये क़ियामत के दिन तमाम दुख-दर्द से अमन में रहेंगे, कोई खटका भी उनके दिल पर न गुज़रेगा, बल्कि रब्बुल-आ़लमीन अपने इनाम व इकराम से उन्हें नवाज़ेगा।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○	ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरो और जो कुछ सूद का बक़ाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। (278) फिर अगर तुम इस पर अ़मल न करोगे तो इश्तिहार सुन लो जंग का अल्लाह की तरफ़ से और उसके रसूल की तरफ़ से, (यानी तुम पर जिहाद होगा) और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल माल मिल जाएँगे, न तुम किसी पर ज़ुल्म करने पाओगे और न तुम पर कोई ज़ुल्म करने पाएगा। (279) और अगर तंगदस्त

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○	हो तो मोहलत देने का हुक्म है ख़ुशहाली तक। और यह (बात) कि माफ़ ही कर दो और ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुमको (इसके सवाब की) ख़बर हो। (280) और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह तआ़ला की पेशी में लाए जाओगे, फिर हर शख़्स को उसका किया हुआ (बदला) पूरा-पूरा मिलेगा, और उन पर किसी क़िस्म का ज़ुल्म न होगा। (281)

सूदी कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह तआ़ला का ऐलान-ए-जंग

अल्लाह तआ़ला अपने ईमान वाले बन्दों को तक़्वा (परहेज़गारी और अल्लाह से डरने) का हुक्म दे रहा है और उन कामों से रोकता है जिनसे उसकी नाराज़गी हो। तो फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का लिहाज़ करो, अपने तमाम कामों में अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और जो सूद तुम्हारा लोगों पर बाक़ी है ख़बरदार अगर मुसलमान हो तो उसे अब न लो, वह हराम हो गया। यह आयत नाज़िल हुई है सक़ीफ़ के क़बीले बनू अ़मर बिन उमैर और बनू मख़्ज़ूम के क़बीले बनू मुग़ीरा के बारे में। जाहिलीयत के ज़माने में उनके सूदी कारोबार थे। इस्लाम के बाद बनू अ़मर बिन ने बनू मुग़ीरा से अपना सूद तलब किया और उन्होंने कहा कि अब हम उसे इस्लाम लाने के बाद अदा न करेंगे। आख़िर झगड़ा बढ़ा, हज़रत अ़त्ताब बिन असीद रज़ि. जो मक्का शरीफ़ के नायब थे उन्होंने नबी करीम सल्ल. को यह लिख भेजा, इस पर यह आयत नाज़िल हुई और हुज़ूरे अकरम सल्ल. ने लिखवाकर भेज दी। इस तरह सूद लेना हराम क़रार दिया, चुनाँचे उन्होंने तौबा की और अपना सूद बिल्कुल छोड़ दिया। इस आयत में ज़बरदस्त वईद है उन लोगों के लिये जो सूद की हुर्मत का इल्म होने के बावजूद भी लेते रहें।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं सूदख़ोर से क़ियामत के दिन कहा जायेगा कि अपने हथियार ले ले और ख़ुदा से लड़ने के लिये तैयार हो जा। आप फ़रमाते हैं कि इमामे वक़्त (हाकिम) पर फ़र्ज़ है कि सूद ख़ोर लोग जो उसे न छोड़ें उनसे तौबा कराये और अगर न करें तो उनकी गर्दन मार दे। हसन और इब्ने सीरीन रह. का फ़रमान भी यही है। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं- देखो अल्लाह ने उन्हें हलाक करने की धमकी दी, उन्हें ज़लील किये जाने के क़ाबिल ठहराया, ख़बरदार सूद से और सूदी लेन-देन से बचते रहो। हलाल चीज़ें और हलाल ख़रीद व फ़रोख़्त बहुत कुछ है, चाहे फ़ाक़े गुज़रते हों फिर भी ख़ुदा की नाफ़रमानी से रुको। वह रिवायत भी याद होगी जो पहले गुज़र चुकी कि हज़रत आ़यशा रज़ि. ने एक ऐसे मामले के बारे में जिसमें सूद था, हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि. के बारे में फ़रमाया था कि उनका जिहाद भी बरबाद हो गया, इसलिये कि जिहाद ख़ुदा के दुश्मनों से मुक़ाबला करने का नाम है और सूदख़ोरी ख़ुदा से मुक़ाबला करना है। लेकिन उसकी सनद कमज़ोर है।

फिर इरशाद होता है कि अगर तौबा कर लो तो असल माल जो किसी पर क़र्ज़ है बेशक उसको ले लो, न ज़्यादा लेकर तुम उस पर ज़ुल्म करो न कम देकर या बिल्कुल न देकर वह तुम पर ज़ुल्म करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज्जतुल-विदा के ख़ुतबे में फ़रमाया- जाहिलीयत के तमाम सूद मैं बरबाद (ख़त्म) करता हूँ। असल रक़म ले लो, न सूद लेकर किसी पर ज़ुल्म करो न कोई तुम्हारा माल मारकर तुम पर ज़्यादती करे। अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल-मुत्तलिब (अपने चचा) का तमाम सूद मैं ख़त्म करता हूँ।

फिर इरशाद होता है कि अगर तंगी वाला शख़्स हो और उसके पास तुम्हारे क़र्ज़ की अदायेगी के क़ाबिल माल न हो तो उसे मोहलत दो कि कुछ और मुद्दत बाद दे दे, यह न करो कि सूद दर सूद लगाये चले जाओ कि मुद्दत गुज़र गयी अब इतना-इतना सूद लेंगे। बल्कि बेहतर बात तो यह है कि ऐसे ग़रीबों को अपना क़र्ज़ माफ़ कर दो।

क़र्ज़ के वसूल करने में सहूलियत और आसानी देना बहुत बड़े अज्र व सवाब का ज़रिया है

तबरानी की हदीस में है कि जो शख़्स क़ियामत के दिन ख़ुदा के अ़र्श का साया चाहता हो वह या तो ऐसे तंगी वाले शख़्स को मोहलत दे या माफ़ कर दे। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जो शख़्स मुफ़लिस आदमी पर अपना क़र्ज़ वसूल करने में नर्मी करे और उसे ढील दे, जितने दिन वह क़र्ज़ की रक़म अदा न कर सके उसको उतने दिनों तक हर दिन उतनी रक़म ख़ैरात करने का सवाब मिलता है। एक और रिवायत में है कि आपने फ़रमाया- हर दिन उससे दुगनी रक़म के सदक़ा करने का सवाब मिलेगा। यह सुनकर हज़रत बरीदा रज़ि. ने अ़र्ज़ किया हुज़ूर! पहले तो आपने हर दिन उसके बराबर सवाब मिलने के लिये फ़रमाया था, अब दोगुना फ़रमाते हैं। फ़रमाया हाँ जब तक मियाद ख़त्म नहीं हुई एक मिस्ल सवाब, मियाद गुज़रने के बाद दो मिस्ल (रक़म के दोगुने) का।

हज़रत अबू क़तादा रज़ि. का एक शख़्स के ज़िम्मे क़र्ज़ था, वह तक़ाज़ा करने को आते लेकिन यह छुप जाते और न मिलते। एक दिन आये, घर से एक बच्चा निकला, आपने उससे पूछा उसने कहा हाँ घर में मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। अब हज़रत अबू क़तादा रज़ि. ने ऊँची आवाज़ से उन्हें पुकारा और फ़रमाया मुझे मालूम हो गया कि तुम घर में मौजूद हो, आओ बाहर आओ, जवाब दो। वह बेचारे बाहर निकले, आपने कहा क्यों छुप रहे हो? कहा हज़रत बात यह है कि मैं मुफ़लिस (ग़रीब) हूँ इस वक़्त मेरे पास रक़म नहीं, शर्मिन्दगी की वजह से आप से नहीं मिलता। आपने कहा क़सम खाओ। उसने क़सम खा ली, आप रो दिये और फ़रमाने लगे- मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से सुना है कि जो शख़्स नादार क़र्ज़दार को ढील दे या अपना क़र्ज़ा माफ़ कर दे वह क़ियामत के दिन अल्लाह के अ़र्श के साये के नीचे होगा। (सही मुस्लिम)

ख़र्च करने के लिये ख़ैर की कुछ और जगहें

अबू यअ़ला ने एक हदीस रिवायत की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन एक बन्दा ख़ुदा के सामने लाया जायेगा, अल्लाह तआ़ला उससे सवाल करेगा कि बतला मेरे लिये तूने क्या नेकी की है। वह कहेगा ख़ुदाया! एक ज़र्रे के बराबर भी कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो आज मैं उसकी जज़ा (बदला) तलब कर सकूँ। अल्लाह तआ़ला उससे फिर से पूछेगा, वह फिर यही जवाब देगा,

फिर पूछेगा वह फिर यही कहेगा कि परवर्दिगार! एक छोटी सी बात अलबत्ता याद पड़ती है कि तूने अपने फ़ज़्ल से कुछ माल भी मुझे दे रखा था, मैं तिजारत पेशा शख़्स था, लोग उधार ले जाते थे, मैं अगर देखता कि यह ग़रीब शख़्स है और वायदे पर क़र्ज़ अदा न कर सका तो मैं उसे और कुछ मुद्दत की मोहलत दे देता। मालदारों पर सख़्ती न करता, ज़्यादा तंगी वाला अगर किसी को पाता तो माफ़ भी कर देता। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा फिर मैं तुझ पर आसानी क्यों न करूँ। मैं तो सबसे ज़्यादा आसानी करने वाला हूँ, जा मैंने तुझे बख़्शा, जन्नत में दाख़िल हो जा।

मुस्तद्रक हाकिम में है कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करने वाले ग़ाज़ी की मदद करे या ग़रीब व नादार क़र्ज़दार की मदद करे, या गुलाम जिसने लिखकर दिया हो कि उतनी रक़म दे दूँ तो आज़ाद हूँ, उसकी मदद करे, अल्लाह तआ़ला उसे उस दिन साया देगा जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा। मुस्नद अहमद में है जो शख़्स चाहता हो कि उसकी दुआ़यें क़बूल की जायें और उसकी तकलीफ़ व मुसीबत दूर हो जाये, उसे चाहिये कि तंगी वाले लोगों पर कुशादगी करे। उबादा बिन वलीद रह. फ़रमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद इल्म हासिल करने के लिये निकले और हमने कहा कि अन्सारियों से हदीस सुनें, सबसे पहले हमारी मुलाक़ात अबुल-युस्र रज़ि. से हुई, उनके साथ उनके गुलाम थे जिनके हाथ में एक दफ़्तर (रजिस्टर) था और गुलाम और आक़ा का एक ही लिबास था, मेरे बाप ने कहा चचा जान! आप तो इस वक़्त गुस्से में नज़र आते हैं। फ़रमाया हाँ सुनो! फ़ुलाँ शख़्स पर मेरा कुछ क़र्ज़ था, मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, मैं क़र्ज़ माँगने गया, सलाम किया और पूछा कि क्या वह मकान पर हैं? घर में से जवाब मिला कि नहीं हैं। इत्तिफ़ाक़न उनका एक छोटा बच्चा बाहर आया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उसने कहा आपकी आवाज़ सुनकर चारपाई के नीचे जा छुपे हैं। मैंने फिर आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारा अन्दर होना मुझे मालूम हो गया है, अब छुपो नहीं, आओ जवाब दो। वह आये, मैंने कहा क्यों छुप रहे हो? कहा सिर्फ़ इसलिये कि मेरे पास रुपया तो इस वक़्त है नहीं, आपसे मिलूँगा या तो कोई झूठा उज़्र और बहाना बयान करूँगा या ग़लत वायदा करूँगा। इसलिये सामने होने से झिझकता था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबी हैं, आपसे झूठ क्या कहूँ। मैंने कहा सच कहते हो? ख़ुदा की क़सम तुम्हारे पास रुपया नहीं? उसने कहा हाँ सच कहता हूँ ख़ुदा की क़सम कुछ नहीं। तीन मर्तबा मैंने क़सम खिलाई और उन्होंने खाई। मैंने अपने दफ़्तर में से उनका नाम काट दिया और रक़म जमा कर ली और कह दिया कि जाओ मैंने तुम्हारे नाम से यह रक़म काट दी है। अब अगर तुम्हें मिल जाये तो दे देना वरना माफ़ है। सुनो! मेरी इन दोनों आँखों ने देखा, मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे इस दिल ने इसे ख़ूब याद रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी तंगी में मुब्तला को ढील दे या माफ़ कर दे अल्लाह तआ़ला उसे अपने साये में जगह देगा.......।

मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने मस्जिद आते हुए ज़मीन की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया- जो शख़्स किसी नादार पर आसानी कर दे या उसे माफ़ कर दे अल्लाह तआ़ला उसे जहन्नम की गर्मी से बचा लेगा। सुनो! जन्नत के काम ग़म वाले हैं और इच्छा के ख़िलाफ़ हैं, और जहन्नम के काम आसानी वाले और नफ़्स की इच्छा के मुताबिक़ हैं। नेकबख़्त वे लोग हैं जो फ़ितनों से बच जायें। वह घूँट जो इनसान गुस्से का पी ले उससे ज़्यादा अल्लाह तआ़ला को कोई और घूँट पसन्दीदा नहीं। ऐसा करने वाले का दिल अल्लाह तआ़ला ईमान से पुर कर देता है। तबरानी में है कि जो शख़्स किसी मुफ़लिस शख़्स पर रहम करके अपने क़र्ज़ की वसूली में उस पर सख़्ती न करे, अल्लाह तआ़ला भी उसके गुनाहों पर

उसे नहीं पकड़ता, यहाँ तक कि वह तौबा करे।

इसके बाद अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को नसीहत करता है और उन्हें दुनिया का ज़वाल, माल का फ़ना होना, आख़िरत का आना, अल्लाह की तरफ़ लौटना और अल्लाह को अपने आमाल का हिसाब देना और उन तमाम आमाल पर जज़ा और सज़ा का मिलना याद दिलाता है और अपने अ़ज़ाब से डराता है। यह भी रिवायत है कि क़ुरआने करीम की सबसे आख़िरी आयत यही है, इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सिर्फ़ नौ रात ज़िन्दा रहे और रबीउल-अव्वल की दूसरी तारीख़ को पीर के दिन आपका इन्तिक़ाल हो गया। सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से एक रिवायत में इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़िन्दगी इकत्तीस दिन होना बयान किया गया है। इब्ने जुरैज रह. फ़रमाते हैं कि पहले बुज़ुर्गों का क़ौल है कि इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नौ रात ज़िन्दा रह रहे, शनिवार के दिन से शुरूआ़त हुई और पीर वाले दिन इन्तिक़ाल हुआ। ग़र्ज़ कि क़ुरआन मजीद में सबसे आख़िरी यही आयत नाज़िल हुई है।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا

ऐ ईमान वालो! जब उधार का मामला करने लगो, एक मुक़र्ररा मियाद तक (के लिए) तो उसको लिख लिया करो। और यह ज़रूरी है कि तुम्हारे आपस में (जो) कोई लिखने वाला हो (वह) इन्साफ़ के साथ लिखे, और लिखने वाला लिखने से इनकार भी न करे, जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने उसको (लिखना) सिखला दिया, उसको चाहिए कि लिख दिया करे, और वह शख़्स लिखवा दे जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो, और अल्लाह तआ़ला से जो कि उसका परवर्दिगार है डरता रहे, और उसमें से ज़र्रा बराबर (बतलाने में) कमी न करे।

फिर जिस शख़्स के ज़िम्मे हक़ वाजिब था वह अगर कम-अ़क्ल हो या कमज़ोर बदन वाला हो या ख़ुद लिखने की क़ुदरत न रखता हो, तो उसका कारकुन ठीक-ठीक तौर पर लिखाए। और दो शख़्सों को अपने मर्दों में से गवाह (भी) कर लिया करो, फिर अगर वे दो गवाह मर्द (मयस्सर) न हों तो एक मर्द और दो औरतें (गवाह बना ली जाएँ) ऐसे गवाहों में से जिनको तुम पसन्द करते हो, ताकि उन दोनों औरतों में से कोई एक भूल भी जाए तो उनमें की एक दूसरी को याद दिला दे। और गवाह भी इनकार

الْاُخْرٰی ؕ وَلَا یَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِیْرًا اَوْ كَبِیْرًا اِلٰٓی اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓی اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیْرُوْنَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَایَعْتُمْ ص وَلَا یُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِیْدٌ ۬ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَیُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ○

न किया करें जब (गवाह बनने के लिए) बुलाए जाया करें। और तुम उस (क़र्ज़) के (बार-बार) लिखने से उकताया मत करो, चाहे वह (मामला) छोटा हो या बड़ा हो। यह लिख लेना इन्साफ़ को ज़्यादा क़ायम रखने वाला है अल्लाह के नज़दीक और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है और इस बात के लिए ज़्यादा मुनासिब है कि तुम (मामले के मुताल्लिक़) किसी शुब्हा में न पड़ो, मगर यह कि कोई सौदा हाथों-हाथ हो, जिसको आपस में लेते देते हो तो उसके न लिखने में तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, और (इतना उसमें भी ज़रूर कर लिया करो कि) ख़रीद व बेच के वक़्त गवाह कर लिया करो, और किसी लिखने वाले को तकलीफ़ न दी जाए और न किसी गवाह को, और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुमको गुनाह होगा, और ख़ुदा से डरो और अल्लाह (का तुम पर एहसान है कि) तुमको तालीम फ़रमाता है और अल्लाह तआ़ला सब चीज़ों के जानने वाले हैं। (282)

कारोबार और लेन-देन के सिलसिले में बाज़ अहकाम और कुछ मश्विरे

यह आयत क़ुरआन करीम की तमाम आयतों से बड़ी है। हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. फ़रमाते हैं कि मुझे यह बात पहुँची है कि क़ुरआन की सबसे नई आयत अ़र्श के साथ यही दैन (क़र्ज़ वाली) आयत है। यह आयत जब नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे पहले इनकार करने वाले हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा और क़ियामत तक की उनकी तमाम औलाद निकाली, आपने अपनी औलाद को देखा। एक शख़्स को ख़ूब तरोताज़ा और नूरानी देखकर पूछा कि ख़ुदाया इनका क्या नाम है? अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- यह तुम्हारे लड़के दाऊद हैं। पूछा ख़ुदाया इनकी उम्र क्या है? फ़रमाया साठ साल। कहा ख़ुदाया इसकी उम्र कुछ और बढ़ा, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया नहीं, हाँ अगर तुम अपनी उम्र में से इन्हें कुछ देना चाहो तो दे दो। कहा ख़ुदाया मेरी उम्र में से चालीस साल इसे दिये जायें। चुनाँचे दे दिये गये।

हज़रत आदम की असली उम्र एक हज़ार साल की थी लेकिन हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की इस पेशकश को लिखा गया और फ़रिश्तों को इस पर गवाह किया गया। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की मौत जब आयी तो कहने लगे ख़ुदाया मेरी उम्र में से तो अभी चालीस साल बाक़ी हैं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया वो तुमने अपने लड़के दाऊद को दे दिये हैं। तो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने इनकार किया जिस पर वह लिखा हुआ दिखाया गया और फ़रिश्तों की गवाही गुज़री। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की उम्र फिर अल्लाह तआ़ला ने एक हज़ार की पूरी की और हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की एक सौ साल की। (मुस्नद अहमद) लेकिन यह हदीस बहुत ही ग़रीब है। इसके रावी अ़ली इब्ने ज़ैद बिन जुदआ़न की हदीसें मुन्कर होती हैं। मुस्तद्रक हाकिम में भी यह रिवायत है।

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपने ईमान वाले बन्दों को इरशाद फ़रमाया है कि वह उधार के मामलात लिख लिया करें ताकि रक़म और मियाद ख़ूब याद रहे। गवाह को भी ग़लती न हो। इससे एक निर्धारित वक़्त के लिये उधार देने का जवाज़ भी साबित हुआ। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाया करते थे कि मियाद मुक़र्रर करके क़र्ज़ के लेन-देन की इजाज़त इस आयत से बख़ूबी साबित होती है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि मदीने वालों का उधार, लेन-दीन देखकर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नाप-तौल या वज़न मुक़र्रर कर लिया करो, भाव-ताव चुका लिया करो और मुद्दत का भी फ़ैसला कर लिया करो। क़ुरआने करीम हुक्म देता है कि लिख लिया करो और हदीस शरीफ़ में है कि हम अनपढ़ उम्मत हैं, न लिखना जानें न हिसाब। इन दिनों में ततबीक़ (ताल-मेल) इस तरह है कि दीनी मसाईल और शरई मामलात के लिखने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, ख़ुद अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से यह बेहद आसान और बिल्कुल सहल कर दिया गया है। क़ुरआन का हिफ़्ज़ और हदीसों का याद करना क़ुदरती तौर पर लोगों पर आसान है, लेकिन दुनियावी छोटी-बड़ी लेन-देन की बातें और वे मामलात जो उधार के हों उनकी बारे में बेशक लिख लेने का हुक्म हुआ। और यह भी याद रहे कि यह हुक्म भी वजूब के दर्जे में नहीं। पस न लिखना दीनी बातों का है और लिख लेना दुनियावी काम-काज का है। अगरचे बाज़ लोग इसको वाजिब भी कहते हैं। इब्ने जुरैज रह. फ़रमाते हैं कि जो उधार दे वह लिख ले, और जो बेचे वह गवाह कर ले। अबू सुलैमान मरअ़शी रह. जिन्होंने हज़रत कअ़ब रज़ि. की सोहबत बहुत उठाई थी, उन्होंने एक दिन अपने पास वालों से कहा- उस मज़्लूम को भी जानते हो जो अल्लाह तआ़ला को पुकारता है और उसकी दुआ़ क़बूल नहीं होती? लोगों ने कहा यह किस तरह? फ़रमाया यह वह शख़्स है जो एक मुद्दत के लिये उधार देता है और न गवाह रखता है न लिखत-पढ़त करता है, फिर मुद्दत गुज़रने पर तक़ाज़ा करता है और दूसरा शख़्स इनकार कर जाता है। अब यह ख़ुदा से दुआ़ करता है लेकिन परवर्दिगार क़बूल नहीं करता, इसलिये कि उसने काम उसके फ़रमान के ख़िलाफ़ किया है और अपने रब का नाफ़रमान हुआ।

हज़रत अबू सईद, शअ़बी, रबीअ़ बिन अनस, हसन बिन जुरैज बिन ज़ैद रह. वग़ैरह का क़ौल है कि पहले तो यह वाजिब था फिर इसका वाजिब होना मन्सूख़ (ख़त्म) हो गया और फ़रमाया कि अगर एक को एक पर इत्मीनान हो तो जिसे अमानत दी गयी है उसे चाहिये कि अदा कर दे। और इसकी दलील यह हदीस है। अगरचे यह वाक़िआ़ पहली उम्मत का है लेकिन फिर भी उनकी शरीअ़त हमारी शरीअ़त है जब तक कि हमारी शरीअ़त का उस पर इनकार न हो। इस वाक़िए में जिसे अब हम बयान करते हैं लिखत-पढ़त के न होने और गवाह मुक़र्रर न किये जाने पर नबी करीम अ़लैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। देखिये मुस्नद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बनी इस्राईल के एक शख़्स ने

दूसरे शख़्स से एक हज़ार क़र्ज़ उधार माँगे, उसने कहा गवाह लाओ, जवाब दिया ख़ुदा की गवाही काफ़ी है। कहा ज़मानत लाओ, जवाब दिया कि ख़ुदा की ज़मानत काफ़ी है, कहा तूने सच कहा, अदायेगी की मियाद मुक़र्रर हो गयी और उसने उसे एक हज़ार दीनार गिन दिये। उसने समुद्री सफ़र किया और अपने काम से फ़ारिग़ हुआ। जब मियाद पूरी होने को आयी तो यह समुद्र के क़रीब आया कि कोई जहाज़ कश्ती मिले तो उसमें बैठकर जाऊँ और रक़म अदा कर आऊँ, लेकिन कोई जहाज़ न मिला। जब देखा कि वक़्त पर नहीं पहुँच सकता तो उसने एक लकड़ी ली उसे बीच में से खोखली कर ली, उसमें एक हज़ार दीनार रख दिये और एक पर्चा भी रख दिया, फिर मुँह को बन्द कर दिया और ख़ुदा से दुआ की ऐ परवर्दिगार तुझे ख़ूब इल्म है कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिये, उसने मुझसे ज़मानत तलब की, मैंने तुझे ज़ामिन बनाया और इस पर वह ख़ुश हो गया, गवाह माँगा मैंने गवाह भी तुझी को रखा, वह इस पर भी ख़ुश (रज़ामन्द) हो गया। अब जबकि वक़्ते मुक़र्रर ख़त्म होने को आया तो मैंने कश्ती बहुत तलाश की कि जाऊँ और अपना क़र्ज़ अदा कर दूँ लेकिन कोई नहीं मिली, अब मैं इस रक़म को तुझे सौंपता हूँ और समुद्र में डाल देता हूँ। और दुआ करता हूँ कि यह रक़म उसे पहुँचा दे। फिर उस लकड़ी को समुद्र में डाल दिया और ख़ुद चला गया। लेकिन फिर भी कश्ती की तलाश में रहा कि मिल जाये तो जाऊँ।

यहाँ तो यह हुआ वहाँ जिस शख़्स ने इसे क़र्ज़ दिया जब उसने देखा कि वक़्त पूरा हुआ और आज उसे आ जाना चाहिये तो वह भी दरिया के किनारे आ खड़ा हुआ कि वह आयेगा और मेरी रक़म मुझे देगा, या किसी के हाथ भिजवायेगा। मगर जब शाम होने को आयी और कोई कश्ती उस तरफ़ से नहीं आयी तो यह वापस लौटा। किनारे पर एक लकड़ी देखी तो यह समझकर कि ख़ाली हाथ तो जा ही रहा हूँ आओ इस लकड़ी को ले चलूँ। फाड़कर सुखा लूँगा, जलाने के काम आयेगी। घर पहुँचकर जब उसे चीरता है तो खनाखन बजती हुई अशरफ़ियाँ निकलती हैं। गिनता है तो पूरी एक हज़ार हैं। वहीं पर्चे पर नज़र पड़ती है उसे भी उठाकर पढ़ लेता है। फिर एक दिन वही शख़्स आता है और एक हज़ार दीनार पेश करके कहता है यह लीजिए आपकी रक़म माफ़ कीजिएगा मैंने बहुत कोशिश की कि वायदा-ख़िलाफ़ी न हो, लेकिन कश्ती के न मिलने की वजह से मजबूर हो गया और देर लग गयी। आज कश्ती मिली आपकी रक़म लेकर हाज़िर हुआ। उसने पूछा क्या मेरी रक़म आपने भिजवाई भी है? उसने कहा मैं तो कह चुका कि मुझे कश्ती न मिली। उसने कहा अपनी रक़म वापस लेकर ख़ुश होकर चले जाओ, आपने जो रक़म लकड़ी में डालकर उसे अल्लाह पर भरोसा करके डाल दी थी उसे ख़ुदा ने मुझ तक पहुँचा दिया और मैंने अपनी पूरी रक़म वसूल पा ली। इस हदीस की सनद बिल्कुल सही है, सही बुख़ारी शरीफ़ में सात जगह यह हदीस आयी है।

तहरीर लिखने वालों के लिये कुछ ख़ास हिदायतें

फिर फ़रमान है कि लिखने वाला अ़दल व हक़ के साथ लिखे, किताबत में किसी फ़रीक़ पर ज़ुल्म न करे। इधर-उधर कुछ कमी-बेशी न करे, बल्कि लेन-देन वाले दोनों सहमत होकर जो लिखवायें वही लिखे। लिखा-पढ़ा शख़्स मामले को लिखने से इनकार न करे। जब उसे लिखने को कहा जाये लिख दे। जिस तरह ख़ुदा का यह एहसान उस पर है कि उसने उसे लिखना सिखाया इसी तरह जो लिखना न जानते हों उन पर यह एहसान करे और उनके मामले को लिख दिया करे। हदीस में है कि यह भी सदक़ा है कि किसी काम करने वाले का हाथ बटा दे, किसी गिरे-पड़े का काम कर दे। एक और हदीस में है कि जो इल्म को जानकर फिर उसे छुपाये, क़ियामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जायेगी। हज़रत मुजाहिद और हज़रत अ़ता

रह. फ़रमाते हैं कि कातिब (लिखना जानने वाले) पर लिख देना इस आयत की रू से वाजिब है। जिसके ज़िम्मे हक् हो वह लिखवाये और अल्लाह से डरे, न कमी-बेशी करे न ख़ियानत करे। अगर यह शख़्स बेसमझ है, फ़ुज़ूलख़र्ची वग़ैरह न करे इस वजह से रोक दिया गया है, या कमज़ोर है या बच्चा है या होश ठिकाने नहीं, या जहालत और मंदबुद्धी का होने की वजह से लिखवाना भी नहीं जानता तो जो उसका वली और बड़ा हो वह लिखवाये।

गवाही के कुछ ख़ास उसूल

फिर फ़रमाया कि किताबत (लिखने) के साथ शहादत (गवाही) भी होनी चाहिये ताकि मामला ख़ूब मज़बूत और बिल्कुल साफ़ हो जाये। दो मर्दों को गवाह कर लिया करो, अगर न मिल सकें तो ख़ैर एक मर्द और दो औरतें सही। यह हुक्म माल के और जिनसे माल का इरादा हो उनके बारे में है। दो औरतों को एक मर्द के क़ायम-मक़ाम (बराबर) करना औरत की अक़्ल के नुक़सान के सबब है। जैसे सही मुस्लिम शरीफ़ में हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ औरतो! सदक़ा करो और ख़ूब ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करती रहो, मैंने देखा है कि जहन्नम में तुम बहुत ज़्यादा तायदाद में जाओगी। एक औरत ने पूछा हुज़ूर! यह क्यों? आपने फ़रमाया- तुम लानत ज़्यादा भेजा करती हो और अपने ख़ाविन्दों की नाशुक्री करती हो। मैंने नहीं देखा कि बावजूद अक़्ल व दीन की कमी के मर्दों की अक़्ल मारने वाली तुमसे ज़्यादा कोई हो। उसने फिर पूछा कि हुज़ूर हममें दीन की और अक़्ल की कमी कैसे है? फ़रमाया अक़्ल की कमी तो इससे ज़ाहिर है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है, और दीन की कमी यह है कि हैज़ के दिनों में न नमाज़ है न रोज़ा (अब ज़ाहिर है कि अगरचे अल्लाह की तरफ़ से नमाज़ माफ़ है और रोज़े की क़ज़ा की जाती है, मगर जमा पूँजी में कमी तो हुई)।

गवाहों के बारे में फ़रमाया- यह शर्त है कि वह अ़दालत (इन्साफ़ व एतिबार) वाले हों। इमाम शाफ़ई रह. का मज़हब है कि जहाँ कहीं क़ुरआन शरीफ़ में गवाह का ज़िक्र है वहाँ अ़दालत की शर्त ज़रूरी है। अगरचे वहाँ लफ़्ज़ों में न हो, और जिन लोगों ने उनकी गवाही रद्द कर दी है, जिनका आ़दिल (इन्साफ़ वाला और मोतबर) होना मालूम न हो उनकी दलील भी यही आयत है। वे कहते हैं कि गवाह आ़दिल और पसन्दीदा होना चाहिये। दो औरतें मुक़र्रर करने की हिक्मत भी बयान कर दी कि अगर एक गवाही को भूल जाये तो दूसरी याद दिला देगी। जो लोग कहते हैं कि उसकी गवाही उसके साथ मिलकर मर्द की गवाही के बराबर कर देगी उन्होंने तकल्लुफ़ किया है। सही बात पहली ही है। वल्लाहु आलम।

गवाहों को चाहिये कि जब वे बुलायें जायें तो इनकार न करें। यानी जब उनसे कहा जाये कि आओ इस मामले पर गवाह रहो तो तुम्हें इनकार न करना चाहिये। जैसे कातिब के बारे में भी यही फ़रमाया गया है। यहाँ से यह भी फ़ायदा हासिल किया गया है कि गवाह रहना भी फ़र्ज़े किफ़ाया है। यह भी कहा गया है कि जमहूर का मज़हब यही है। और यह मायने भी बयान किये गये हैं कि जब गवाह गवाही देने के लिये तलब किया जाये यानी जब उससे वाक़िआ़ पूछा जाये तो वह बयान करने से इनकार न करे। चुनाँचे हज़रत अबू मिज्लज़, मुजाहिद रह. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि जब गवाह रहने के लिये बुलाये जाओ तो तुम्हें इख़्तियार है, चाहे जाओ चाहे न जाओ। लेकिन जब गवाह हो चुके फिर गवाही देने के लिये जब बुलाया जाये तो ज़रूर जाना पड़ेगा। सही मुस्लिम और सुनन की हदीस में है कि अच्छे गवाह वे हैं जो बिना पूछे ही गवाही दे दिया करें। सहीहैन की दूसरी हदीस में आया है कि बुरे गवाह वे हैं जिनसे गवाही तलब न की जाये और

वे गवाही देने बैठ जायें (यानी गवाह न होते हुए भी गवाही देते फिरें)। और वह हदीस जिसमें है कि फिर ऐसे लोग आयेंगे जिनकी क़िस्में गवाहियों पर और गवाहियाँ क़समों पर पेश-पेश रहेंगी (यानी वे क़समें खा-खाकर पेशे के तौर पर गवाहियाँ देंगे)। एक और रिवायत में आया है कि उनसे गवाही न ली जायेगी फिर भी वे गवाही देंगे। तो याद रहे कि यह मज़म्मत (निंदा) झूठी गवाही देने वालों की है और वह तारीफ़ सच्ची गवाही देने वालों की है। और यही ततबीक़ (जोड़ और मुवाफ़क़त) है उन विभिन्न हदीसों में। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि आयत दोनों हालतों को शामिल है, यानी गवाही देने के लिये भी और गवाह रहने के लिये भी इनकार न करना चाहिये।

फिर फ़रमाया कि छोटा मामला हो या बड़ा लिखने में आना-कानी न करो। मुद्दत वग़ैरह लिख लिया करो। हमारा यह हुक्म पूरे अ़दल वाला और गवाही को ख़ूब साबित रखने वाला है, क्योंकि अपनी तहरीर देखकर भूली बिसरी बात भी याद आ जाती है। न लिखा हो तो मुम्किन है कि भूल हो जाये जैसे अक्सर होता है, और इसमें शक व शुब्हा न होने का भी ज़्यादा मौक़ा है, क्योंकि विवाद के वक़्त तहरीर देख सकते हैं और बग़ैर शक व शुब्हे के फ़ैसला हो सकता है।

फिर फ़रमाया कि जब नक़द ख़रीद व फ़रोख़्त हो रही हो तो चूँकि कुछ बाक़ी नहीं रहता इसलिये अगर न लिखा जाये तो किसी झगड़े का शुब्हा नहीं। पस लिखना तो हटा, अब रही गवाही तो सईद बिन मुसैयब रह. तो फ़रमाते हैं कि उधार हो या न हो हर हाल में अपने हक़ पर गवाह कर लिया करो। दूसरे बुज़ुर्गों से नक़ल है कि "फ़-इन् अमि-न........" (यानी अगर एक दूसरे का एतिबार करता हो......) फ़रमाकर इस हुक्म को भी ख़त्म कर दिया। यह भी ज़ेहन में रहे कि जमहूर के नज़दीक यह हुक्म वाजिब नहीं, बल्कि मुस्तहब होने के तौर पर अच्छाई के लिये है, और इसकी दलील पर हदीस है जिससे ज़ाहिर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़रीद व फ़रोख़्त की और गवाह न था। चुनाँचे मुस्नद अहमद में है कि आपने एक देहाती से एक घोड़ा ख़रीदा और देहाती आपके पीछे-पीछे आपके मकान की तरफ़ रक़म लेने के लिये चला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो ज़रा जल्द निकल गये और वह आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा था, लोगों को यह तो मालूम न था कि यह घोड़ा बिक गया है, उन्होंने क़ीमत लगानी शुरू की, यहाँ तक कि जितने दामों में उसने आपके हाथ बेचा था उससे ज़्यादा दाम लग गये। देहाती की नीयत पलटी और उसने आपको आवाज़ देकर कहा- हज़रत! या तो ले लीजिए या मैं और के हाथ बेच देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह सुनकर रुके और फ़रमाने लगे- तू इसे मेरे हाथ बेच चुका है, फिर यह क्या कह रहा है? उसने कहा नहीं अल्लाह की क़सम! मैंने तो नहीं बेचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ग़लत कहता है, मेरे तेरे दरमियान मामला हो चुका है, अब लोग इधर-उधर से बीच में बोलने लगे, उस गंवार ने कहा अच्छा तो गवाह लाईये कि मैंने आपके हाथ बेच दिया। मुसलमानों ने बहुत कहा कि बदबख़्त आप तो ख़ुदा के पैग़म्बर हैं, आपकी ज़बान से तो हक़ ही निकलता है, लेकिन वह यही कहता रहा कि लाओ गवाह पेश करो। इतने में हज़रत ख़ुज़ैमा रज़ि. आ गये और देहाती के इस क़ौल को सुनकर फ़रमाने लगे- मैं गवाही देता हूँ कि तूने बेच दिया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ तू फ़रोख़्त कर चुका है। आपने फ़रमाया तू कैसे गवाही दे रहा है? हज़रत ख़ुज़ैमा रज़ि. ने फ़रमाया कि आपकी तस्दीक़ और सच्चाई की बिना पर। चुनाँचे आपने फ़रमा दिया कि आज से ख़ुज़ैमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है।

पस इस हदीस से ख़रीद व फ़रोख़्त पर गवाही ज़रूरी न रही, लेकिन एहतियात इसी में है कि तिजारत पर भी गवाह हों, क्योंकि इब्ने मर्दूया और हाकिम में है कि तीन शख़्स हैं जो अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते

हैं लेकिन क़बूल नहीं की जाती। एक तो वह कि जिसके घर में बद-अख़्लाक़ औरत हो और वह उसे तलाक़ न दे। दूसरा वह शख़्स जो किसी यतीम का माल उसकी बलूग़त से पहले उसे सौंप दे। तीसरा वह शख़्स जो किसी को माल क़र्ज़ दे और गवाह न रखे। इमाम हाकिम इसे सहीहैन की शर्त पर बतलाते हैं। बुख़ारी व मुस्लिम इसलिये इसे नहीं लाये कि शोबा के शागिर्द इस रिवायत को हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ि. पर मौक़ूफ़ बतलाते हैं।

फिर फ़रमाता है कि कातिब को चाहिये कि लिखवाने के ख़िलाफ़ न लिखे और गवाह को चाहिये कि असलियत के ख़िलाफ़ गवाही न दे। न गवाही को छुपाये। हज़रत हसन, क़तादा वग़ैरह का यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. यह मतलब बयान करते हैं कि उन दोनों को नुक़सान न पहुँचाया जाये। जैसे उन्हें बुलाने के लिये गये, वह किसी अपने काम-काज में मशग़ूल हैं, यह कहने लगे कि तुम पर यह फ़र्ज़ है, तुम अपना हर्ज करो और चलो। उन्हें यह हक़ नहीं। और बहुत से बुज़ुर्गों से भी यह नक़ल है।

फिर इरशाद होता है कि मैं जिससे रोकूँ उसका करना, जिसके करने को कहूँ उससे रुक जाना यह बदकारी है, जिसका वबाल तुम से छूटेगा नहीं। फिर फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला से डरो, उसका लिहाज़ रखो, उसकी फ़रमाँबरदारी करो, उसके मना किये हुए कामों और बातों से रुक जाओ, अल्लाह तआ़ला तुम्हें समझा रहा है। जैसे एक और जगह फ़रमाया है:

يَـآ اَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا.

ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वह तुम्हें हिदायत की रोशनी दे देगा।

एक और जगह है- ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, उसके रसूल पर ईमान रखो, वह तुम्हें दोहरी रहमतें देगा और तुम्हें वह नूर अ़ता फ़रमायेगा जिसकी रोशनी में तुम चलते रहोगे।

फिर फ़रमाया- तमाम कामों के अन्जाम और हक़ीक़त से, उनकी मस्लेहतों और दूर-अन्देशियों से ख़ुदा आगाह है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं, उसका इल्म तमाम कायनात को घेरे हुए है और हर चीज़ का उसे हक़ीक़ी (पूरा और असली) इल्म है।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ O	और अगर तुम कहीं सफ़र में हो और (वहाँ) कोई लिखने वाला न पाओ, सो रहन रखने की चीज़ें (हैं) जो क़ब्ज़े में दे दी जाएँ। और अगर एक-दूसरे का एतिबार करता हो तो जिस शख़्स का एतिबार कर लिया गया है (यानी क़र्ज़ लेने वाला) उसको चाहिए कि दूसरे का हक़ (पूरा-पूरा) अदा कर दे और अल्लाह तआ़ला से जो कि उसका परवर्दिगार है डरे। और गवाही को मत छुपाया करो, और जो शख़्स उसको छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों को ख़ूब जानते हैं। (283)

ع ۳۹ ۷

सफ़र के कुछ अहकाम

यानी अगर सफ़र की हालत में उधार-सुधार का लेन-देन हो और कोई लिखने वाला न मिले, या क़लम दवात और काग़ज़ न हो तो रहन रख लिया करो, और जिस चीज़ को रहन रखना हो उसे हक़दार के क़ब्ज़े में दे दो। 'मक़्बूज़ा' के लफ़्ज़ से इस्तिदलाल किया गया है कि रहन चीज़ जब तक क़ब्ज़े में न जाये वह मामला लाज़िम नहीं होता। जैसे कि इमाम शाफ़ई और जमहूर का मज़हब है और दूसरी जमाअ़त ने इस्तिदलाल किया है कि रहन का रहन रखने वाले के हाथ में मक़्बूज़ होना ज़रूरी है (यानी वह उसका मालिक हो)। इमाम अहमद रह. और एक दूसरी जमाअ़त से यही मन्क़ूल है। एक और जमाअ़त का क़ौल है कि रहन सिर्फ़ सफ़र में ही जायज़ है, जैसे हज़रत मुजाहिद वग़ैरह फ़रमाते हैं। लेकिन सही बुख़ारी और मुस्लिम शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिस वक़्त फ़ौत हुए उस वक़्त आपकी ज़िरह मदीने के एक यहूदी अबू शहम के पास तीस वसक़ जौ के बदले गिरवी थी, जो आपने अपने घर वालों के खाने के लिये लिये थे। इन मसाईल के विस्तृत बयान की जगह तफ़सीर नहीं, बल्कि अहकाम व मसाईल की बड़ी-बड़ी किताबें हैं।

इसके बाद के जुमले "फ़-इन् अमि-न........" (यानी अगर एक दूसरे का एतिबार करता हो......) से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. फ़रमाते हैं कि इससे पहले का हुक्म मन्सूख़ हो गया। शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि जब न देने का ख़ौफ़ हो तो न लिखने और गवाह न रखने में कोई हर्ज नहीं। जिसे अमानत दी जाये उसे ख़ौफ़े ख़ुदा रखना चाहिये। रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- हाथ पर है जो उसने लिया जब तक कि अदा न करे, गवाही न छुपाओ न उसमें ख़ियानत करो, न उसके इज़हार करने से रुको। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि झूठी गवाही देना या गवाही को छुपाना कबीरा गुनाह है। यहाँ भी फ़रमाया कि उसका छुपाने वाला ख़ता करने वाला है। जैसे एक दूसरी जगह फ़रमायाः

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ.

यानी हम अल्लाह की शहादत (गवाही) को नहीं छुपाते, अगर हम ऐसा करें तो यक़ीनन हम गुनाहगारों में से हैं।

एक और जगह फ़रमाया- ऐ ईमान वालो! अ़दल व इन्साफ़ के साथ ख़ुदाई गवाहियों पर साबित क़दम रहो अगरचे उसकी बुराई (नुक़सान और असर) ख़ुद तुम्हें पहुँचे या तुम्हारे माँ-बाप को या रिश्ते-कुनबे वालों को। चाहे वह मालदार हो या फ़क़ीर हो। अल्लाह तआ़ला उन दोनों से पहले है, इच्छाओं के पीछे पड़कर अ़दल (सही राह) से न हटो। अगर तुम ज़बान दबाओगे या सच बात कहने से बचोगे तो समझ लो कि अल्लाह भी तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है। इसी तरह यहाँ भी फ़रमाया कि गवाही को न छुपाओ, उसका छुपाने वाला गुनाहगार दिल वाला है। और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल को ख़ूब जानता है।

लِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ	**अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं सब जो कुछ कि आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं। और जो बातें तुम्हारे नफ़्सों में हैं उनको**

अगर तुम ज़ाहिर करोगे या कि छुपाओगे हक़ तआ़ला तुमसे ह़िसाब लेंगे, फिर (कुफ़्र व शिर्क के अ़लावा) जिसके लिए मन्ज़ूर होगा बख़्श देंगे और जिसको मन्ज़ूर होगा सज़ा देंगे, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं। (284)	يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

अल्लाह तआ़ला दिलों के राज़ की भी ख़बर रखता है

यानी ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है। छोटी-मोटी, छुपी-खुली का वह जानने वाला है। हर छुपे-खुले का वह हिसाब लेने वाला है। जैसे एक और जगह हैः

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ.......... الخ.

कह दे कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह तआ़ला को उसका बख़ूबी इल्म है। वह आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का इल्म रखता है और हर चीज़ पर क़ादिर है।

एक और जगह फ़रमाया कि वह छुपी चीज़ों को, ज़ाहिर चीज़ों को ख़ूब जानता है। और भी इस मायने की बहुत आयतें हैं। यहाँ इसके साथ ही यह भी फ़रमाया कि वह इस पर हिसाब लेगा। जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबा पर दहशत (घबराहट) तारी हो गयी कि छोटी-बड़ी तमाम चीज़ों का हिसाब होगा और अपने ईमान की ज़्यादती और यक़ीन की मज़बूती की वजह से वे काँप उठे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर आ़जिज़ी से अ़र्ज़ किया- हज़रत! नमाज़ रोज़ा जिहाद सदक़ा वग़ैरह का तो हमें हुक्म हुआ जो हमारी ताक़त में था लेकिन अब जो यह आयत उतरी है इसकी बरदाश्त की ताक़त तो हममें नहीं। आपने फ़रमाया फिर क्या तुम यहूदियों व ईसाईयों की तरह यह कहना चाहते हो कि हमने सुना और नहीं माना? तुम्हें चाहिये कि यूँ कहो हमने सुना और माना। ख़ुदाया हम तेरी बख़्शिश चाहते हैं। हमारे रब हमें तो तेरी ही तरफ़ लौटना है। चुनाँचे सहाबा किराम रज़ि. ने इसे तस्लीम कर लिया और ज़बानों पर यह कलिमात जारी हो गये तो इससे अगले वाली आयत "अमनर्रसूलु........" उतरी। और अल्लाह तआ़ला ने इस तकलीफ़ (बोझ और ज़िम्मेदारी) को दूर कर दिया। और उसके बाद की आयत "ला युकल्लिफ़ुल्लाहु...." नाज़िल हुई। (मुस्नद अहमद) सही मुस्लिम में भी यह हदीस है, उसमें है कि अल्लाह तआ़ला ने यह तकलीफ़ (बोझ और हिम्मत से बाहर की ज़िम्मेदारी) उठाकर इस सूरत की आख़िरी आयत नाज़िल फ़रमाई और जब मुसलमनों ने कहा कि ख़ुदाया हमारी भूल-चूक और ख़ता पर हमारी पकड़ न कर तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया ठीक है मैं यही करूँगा। उन्होंने कहाः

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا................ الخ.

कि ख़ुदाया हम पर वह बोझ न डाल जो हम से पहलों पर डाला।

नोटः पहली उम्मतों पर उनके सख़्त मिज़ाज, तबीयतों और जिस्मानी ताक़तों के पेशे नज़र ख़ुदा तआ़ला के अहकाम भी सख़्त हुए। उम्मते मुहम्मदिया के मिज़ाज को सामने रखकर इनको नर्म अहकाम का मुकल्लफ़ (ज़िम्मेदार) क़रार दिया गया। यह मतलब हरगिज़ नहीं कि ख़ुदा तआ़ला ने पहली उम्मतों

पर ज़ुल्मन् अहकाम सख़्त आयद किये थे, अल्लाह की पनाह। अल्लाह किसी पर ज़ुल्म नहीं करता।

(अन्ज़र शाह कश्मीरी)

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- यह भी क़बूल किया। फिर कहाः

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا.................الخ

ख़ुदाया हम पर हमारी ताक़त से ज़्यादा बोझ न डाल। इसे भी क़बूल किया गया। फिर दुआ़ माँगी ख़ुदाया हमें माफ़ फ़रमा, हमारे गुनाह बख़्श दे और काफ़िरों के मुक़ाबले में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह तआ़ला ने इसे भी क़बूल फ़रमाया।

यह हदीस और भी बहुत सी सनदों से रिवायत है। एक रिवायत में यह भी है, हज़रत मुजाहिद रह. कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के पास जाकर वाक़िआ़ बयान किया कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बन उमर ने इस आयत 'व इन् तुब्दू.....' की तिलावत फ़रमाई और बहुत रोये। आपने फ़रमाया यही हाल सहाबा का इसके नाज़िल होने के वक़्त था। वे सख़्त ग़मगीन हो गये और यह भी कहा कि ऐ दिलों के मालिक! हम दिल के ख़्यालात पर भी पकड़े गये तो बड़ी मुश्किल है। आपने फ़रमाया 'समिअ़ना व अतअ़ना' कहो। चुनाँचे सहाबा ने कहा और फिर बाद वाली आयतें नाज़िल हुईं और अ़मल पर तो हिसाब बाक़ी रहा लेकिन दिल के ख़तरात (ख़्यालात) और नफ़्स के वस्वसे से मुहासबा ख़त्म हो गया। दूसरी सनद से यह रिवायत इब्ने मरजाना से भी इसी तरह है और उसमें यह भी है कि क़ुरआन ने फ़ैसला कर दिया कि तुम से अपने अच्छे-बुरे आमाल पर हिसाब व किताब होगा, चाहे ज़ुबान के हों चाहे और अंगों के हों, लेकिन दिली वस्वसे (आने वाले ख़्यालात) माफ़ हैं। और भी बहुत से सहाबा और ताबिईन से इसका मन्सूख़ होना नक़ल है। सही हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत के दिली ख़्यालात से दरगुज़र फ़रमा लिया, पकड़ उसी पर है जो कहें या करें। बुख़ारी व मुस्लिम में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- जब मेरा बन्दा बुराई का इरादा करे तो उसे न लिखो जब तक न कर गुज़रे। जब कर गुज़रे तो एक बुराई लिखो। और जब नेकी का इरादा करे तो सिर्फ़ इरादे से ही नेकी लिख लो, और अगर नेकी कर भी ले तो एक के बदले दस नेकियाँ लिखो। (मुस्लिम)

एक और रिवायत में है कि एक नेकी के बदले सात सौ तक लिखी जाती हैं। एक और रिवायत में है कि जब बन्दा बुराई का इरादा करता है तो फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में अ़र्ज़ करते हैं कि ख़ुदाया तेरा बन्दा बुराई करना चाहता है, अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है रुके रहो जब तक न कर ले उसके नामा-ए-आमाल में न लिखो, अगर करे तो एक लिखना और अगर छोड़ दे तो एक नेकी लिख लेना, क्योंकि मुझसे डरकर छोड़ता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो पुख़्ता और पूरा मुसलमान बन जाये उसकी एक-एक नेकी का सवाब दस से लेकर सात सौ तक बढ़ता जाता है और बुराई नहीं बढ़ती। एक और रिवायत में है कि सात सौ से भी कभी-कभी नेकी बढ़ा दी जाती है। एक और रिवायत में यह भी है कि बरबाद होने वाला वह है जो बावजूद इस रहम व करम के भी बरबाद हो। एक मर्तबा सहाबा रज़ि. ने नबी करीम सल्ल. के पास आकर कहा कि हज़रत! कभी-कभी तो हमारे दिल में ऐसे वस्वसे (बुरे ख़्यालात) उठते हैं कि ज़बान से उनका बयान करना भी हम पर भारी और नागवार गुज़रता है। आपने फ़रमाया- ऐसा होने लगा है? उन्होंने कहा हाँ। आपने फ़रमाया यह तो खुला ईमान है। (मुस्लिम वग़ैरह)

नोटः मतलब यह है कि तुम्हारे अन्दर ईमान है तभी तो तुम्हें वे ख़्यालात बुरे मालूम होते हैं और उनके इज़हार पर दुख होता है। अगर ईमान की रोशनी न होती तो उनके ज़ाहिर करने को बुरा ही क्यों समझते? फिर शैतान तुम्हारे दिल में बुरे ख़्यालात डाल रहा है तुम्हारी दौलते ईमान लूटने के लिये, चोर वहीं आता है जहाँ कुछ माल होता है। इससे पता लगता है कि ईमान की दौलत तुम्हारे दिलों में मौजूद है। यही मतलब है कि यह तो खुला ईमान है। यानी ख़ुशी की बात है कि अल्लाह तआ़ला की यह बड़ी नेमत तुम्हारे पास है तभी तो तुम पर यह हमला हो रहा है और तुम इस चीज़ को बुरा समझ रहे हो।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी रिवायत है कि यह आयत मन्सूख़ नहीं बल्कि मतलब यह है कि क़ियामत के दिन जब सारी मख़्लूक़ को अल्लाह तआ़ला जमा करेगा तो फ़रमायेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे दिलों के भेद बतलाता हूँ जिस पर मेरे फ़रिश्ते भी आगाह नहीं। मोमिनों कौ तो ख़बर देकर फिर माफ़ फ़रमा देगा हाँ मुनाफ़िक़ और शक व शुब्हा करने वाले लोगों को उनके झूठ को छुपाने पर इत्तिला देकर फिर उनकी पकड़ होगी। जैसे एक दूसरी जगह हैः

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ.

यानी अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दिल के वस्वसों (ख़्यालात) पर पकड़ेगा, यानी दिली शक और दिली निफ़ाक़ पर।

हसन बसरी रह. भी इसे मन्सूख़ नहीं कहते। इमाम इब्ने जरीर रह. भी इसी क़ौल को पसन्द करते और फ़रमाते हैं कि हिसाब और चीज़ है, अ़ज़ाब और चीज़ है। हिसाब होने पर अ़ज़ाब ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि हिसाब लेकर माफ़ कर दिया जाये, और हो सकता है कि हिसाब लेकर सज़ा दी जाये। चुनाँचे एक हदीस में है कि हम तवाफ़ कर रहे थे कि एक शख़्स ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से पूछा- तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सरगोशी (चुपके-चुपके बातें करने, कानाफूसी) के बारे में क्या सुना है? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ईमान वाले को अपने पास बुला लेगा यहाँ तक कि अपना बाज़ू उस पर रख देगा (अपनी शान के मुताबिक़)। फिर उससे कहेगा बता तूने फ़ुलाँ-फ़ुलाँ गुनाह किया? वह ग़रीब इक़रार करता जायेगा। जब बहुत से गुनाहों का इक़रार कर लेगा तो अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- सुन दुनिया में भी मैंने तेरे इन ऐबों की पर्दापोशी की और अब आज के दिन मैं इन तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाये देता हूँ। अब उसकी नेकियों की किताब उसके दाहिने हाथ में दे दी जायेगी। हाँ अलबत्ता काफ़िर व मुनाफ़िक़ को तमाम मजमे के सामने रुस्वा किया जायेगा, उनके गुनाह ज़ाहिर किये जायेंगे और पुकार दिया जायेगा कि ये लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा, इन ज़ालिमों पर ख़ुदा की फटकार है।

हज़रत ज़ैद रह. ने एक मर्तबा इस आयत के बारे में हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से सवाल किया तो आपने फ़रमाया- जब से मैंने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस बारे में पूछा है तब से लेकर आज तक मुझसे किसी शख़्स ने नहीं पूछा, आज तूने पूछा है। सुन! इससे मुराद बन्दे को दुनियावी तकलीफ़ें जैसे बुख़ार वग़ैरह तकलीफ़ें पहुँचाना है, यहाँ तक कि अगर एक जेब में नक़दी रखी है और ख़्याल रहा कि उसकी दूसरी जेब में है, उसमें हाथ डाला और वहाँ न निकली, दिल पर चोट सी पड़ी। फिर दूसरी जेब में हाथ डाला वहाँ से मिल गयी, इस पर भी उसके गुनाह माफ़ होते हैं, यहाँ तक कि मरने के वक़्त वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह ख़ालिस सुर्ख़ सोना हो। (तिर्मिज़ी वग़ैरह) यह

हदीस ग़रीब है।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

एतिक़ाद रखते हैं रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) उस चीज़ का जो उनके पास उनके रब की तरफ़ से नाज़िल की गई है, और मोमिनीन भी सबके-सब अ़क़ीदा रखते हैं अल्लाह के साथ और उसके फ़रिश्तों के साथ और उसकी किताबों के साथ और उसके पैग़म्बरों के साथ कि हम उसके पैग़म्बरों में से किसी में तफ़रीक़ नहीं करते, और उन सबने यूँ कहा कि हमने (आपका इरशाद) सुना और ख़ुशी से माना, हम आपकी बख़्शिश चाहते हैं ऐ हमारे परवर्दिगार, और आप ही की तरफ़ (हम सबको) लौटना है। (285) अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को मुकल्लफ़ नहीं बनाता मगर उसी का जो उसकी ताक़त (और इख़्तियार) में हो। उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादे से करे, और उस पर अ़ज़ाब भी उसी का होगा जो इरादे से करे। ऐ हमारे रब! हम पर पकड़ न फ़रमाईए अगर हम भूल जाएँ या चूक जाएँ, ऐ हमारे रब! और हम पर कोई सख़्त हुक्म न भेजिए जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजे थे, ऐ हमारे रब! और हम पर कोई ऐसा बोझ (दुनिया या आख़िरत का) न डालिए जिसकी हमको सहार न हो, और दरगुज़र कीजिए हमसे, और बख़्श दीजिए हमको, और रहम कीजिए हम पर, आप हमारे काम बनाने वाले हैं (और काम बनाने वाला तरफ़दार होता है) सो आप हमको काफ़िर लोगों पर ग़ालिब कीजिए। (286)

सूरः ब-क़रह का समापन

और तमाम मज़ामीन की एक बार फिर याददेहानी

इन दोनों आयतों की फ़ज़ीलत की हदीसें सुनिये। सही बुख़ारी में है कि जो शख़्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले उसे ये दोनों काफ़ी हैं। मुस्नद अहमद में है कि मैं सूरः ब-क़रह के ख़ात्मे की आयतें अ़र्श के

नीचे के ख़ज़ाने से दिया गया हूँ। मुझसे पहले किसी नबी को यह नहीं दिया गया। सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मेराज कराई गयी और आप सिद्रतुल-मुन्तहा तक पहुँचे जो सातवें आसमान में है, जो चीज़ आसमान की तरफ़ चढ़ती है वह यहीं तक पहुँचती है और यहाँ से ले ली जाती है, और जो चीज़ ऊपर से उतरती है वह भी यहीं तक पहुँचती है, फिर यहाँ से ले ली जाती है। उसे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थीं। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तीन चीज़ें दी गयीं- पाँचों वक़्त की नमाजें, सूरः ब-क़रह की आख़िर की आयतें और तौहीद (ईमान और अल्लाह को एक मानने) वालों की बख़्शिश। मुस्नद में है कि हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ि. से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरः ब-क़रह की इन दोनों आख़िरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मुझे यह अ़र्श के नीचे के ख़ज़ानों से दी गयी हैं। इब्ने मर्दूया में है कि हमें लोगों पर तीन फ़ज़ीलतें दी गयी हैं- मैं सूरः ब-क़रह की ये आख़िरी आयतें अ़र्श के नीचे के ख़ज़ानों से दिया गया हूँ जो न मेरे से पहले किसी को दी गयीं न मेरे बाद किसी को दी जायेंगी। इब्ने मर्दूया में, है हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस्लाम के मानने वालों में से कोई शख़्स आयतुल-कुर्सी और सूरः ब-क़रह की आख़िरी आयतें पढ़े बग़ैर सो जाये। यह वह ख़ज़ाना है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अ़र्श तले के ख़ज़ाने से दिया गया है। एक और हदीस तिर्मिज़ी में है कि अल्लाह तआ़ला ने आसमान व ज़मीन को पैदा करने से दो हज़ार बरस पहले एक किताब लिखी जिसमें दो आयतें उतार कर सूरः ब-क़रह ख़त्म की, जिस घर में ये तीन रातों तक पढ़ी जायें उस घर के क़रीब भी शैतान नहीं जा सकता। इमाम तिर्मिज़ी इसे ग़रीब बतलाते हैं लेकिन हाकिम रह. अपनी मुस्तद्रक में इसे सही कहते हैं।

इब्ने मर्दूया में है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सूरः ब-क़रह का ख़ात्मा (यानी आख़िर की आयतें) और आयतुल-कुर्सी पढ़ते तो हंस देते और फ़रमाते- ये दोनों रहमान के अ़र्श तले का ख़ज़ाना हैं। और जब सूरः निसा की आयत नम्बर 123 और सूरः नज्म की आयत नम्बर 39-41 पढ़ते तो ज़बान से 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' निकल जाता और सुस्त हो जाते। इब्ने मर्दूया में है कि मुझे सूरः फ़ातिहा और सूरः ब-क़रह के आख़िर की आयतें अ़र्श के नीचे से दी गयी हैं और मुफ़स्सल की सूरतें और ज़्यादा हैं। एक और हदीस में है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे, हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम भी थे कि अचानक एक दहशत-नाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आसमान से आयी, हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने ऊपर को आँखें उठायीं और फ़रमाया- आसमान का यह वह दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था। उससे एक फ़रिश्ता उतरा, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा- आप ख़ुश हो जाईये, आपको वे दो नूर दिये जाते हैं जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दिये गये। सूरः फ़ातिहा और सूरः ब-क़रह की आख़िरी आयतें। उनमें से एक-एक हर्फ़ पर आपको नूर दिया जायेगा। (मुस्लिम)

पस ये दस हदीसें इन मुबारक आयतों की फ़ज़ीलत में हैं। मतलब आयत का यह है कि रसूल यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस पर ईमान लाये जो ईमान वालों की तरफ़ उनके रब की तरफ़ से उतरा है। इसे सुनकर आपने फ़रमाया- वह ईमान लाने का पूरा मुस्तहिक़ था और दूसरे ईमान वाले भी ईमान लाये, उन सबने मान लिया कि अल्लाह अकेला है, वह तन्हा है, वह बेनियाज़ है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, न उसके सिवा कोई पालनहार है। ये तमाम अम्बिया को मानते हैं, तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, आसमानी किताबों को सच्ची जानते हैं जो अम्बिया-ए-किराम पर उतरी हैं।

वे नबियों में जुदाई (फ़र्क़ और भेदभाव) नहीं करते कि एक को मानें एक को न मानें, बल्कि सबको सच्चा जानते हैं और ईमान रखते हैं कि वह पाकबाज़ और रुश्द व हिदायत वाली जमाअ़त है और लोगों की ख़ैर की तरफ़ रहबरी करने वाले हज़रात हैं। अगरचे बाज़-बाज़ अहकाम हर नबी के ज़माने में अदल-बदल होते रहे, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्ल. की शरीअ़त सब की नासिख़ (पिछली शरीअ़तों के हुक्मों को ख़त्म और निरस्त करने वाली) ठहरी, आप नबी और रसूलों के सिलसिले को पूरा और ख़त्म करने वाले थे, क़ियामत तक आपकी शरीअ़त बाक़ी रहेगी और एक जमाअ़त उसकी इत्तिबा (पैरवी) भी करती रहेगी।

उन्होंने इक़रार भी किया कि हमने कलामुल्लाह सुना और अल्लाह के अहकाम हमें तस्लीम हैं। उन्होंने कहा ख़ुदाया! हमें मग़फ़िरत, रहमत और लुत्फ़ व इनायत अ़ता फ़रमा। तेरी ही तरफ़ हमें लौटना है, यानी हिसाब वाले दिन। हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी और आपकी ताबेदार उम्मत की यहाँ तारीफ़ और ख़ूबी बयान हो रही। आप इस मौक़े पर दुआ़ कीजिए क़बूल की जायेगी, माँगिये कि ख़ुदा ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ (बोझ और ज़िम्मेदारी) न दे।

फिर फ़रमाया- किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ अल्लाह तआ़ला नहीं देता, यह उसका लुत्फ़ व करम और एहसान व इनाम है। सहाबा को जो खटका हुआ था और उन पर जो यह फ़रमान भारी गुज़रा था कि दिल के (ख़ुद-बख़ुद आने वाले) ख़्यालात पर भी हिसाब लिया जायेगा, वह हर्ज इस आयत से उठ गया। मतलब यह है कि अगरचे हिसाब हो, सवाल हो, लेकिन जो चीज़ ताक़त से बाहर है उस पर अ़ज़ाब नहीं। क्योंकि दिल में किसी ख़्याल का अचानक आ जाना रोके से भी रुक नहीं सकता, बल्कि हदीस से यह भी मालूम हो चुका कि ऐसे वस्वसों को बुरा जानना ईमान की दलील है, बल्कि अपनी-अपनी करनी अपनी-अपनी भरनी। नेक आमाल करोगे तो अच्छा बदला पाओगे, बुरे आमाल करोगे तो सज़ा भुगतोगे।

फिर दुआ़ तालीम की और उसकी क़बूलियत का वायदा फ़रमाया कि ख़ुदाया भूले-चूके जो अहकाम हमसे छूट गये हों, या जो बुरे काम हो गये हों, या शरई अहकाम में ग़लती करके जो ख़िलाफ़े शरीअ़त काम हमसे हो गये हों वे माफ़ फ़रमा। पहले सही मुस्लिम के हवाले से हदीस गुज़र चुकी है कि इस दुआ़ के जवाब में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- मैंने इसे क़बूल फ़रमा लिया, मैंने यही किया। एक और हदीस में आ चुका है कि मेरी उम्मत की भूल-चूक माफ़ है और जो काम ज़बरदस्ती कराये जायें वे भी माफ़ हैं। (इब्ने माजा) ख़ुदाया! हम पर मुश्किल और सख़्त आमाल की मशक़्क़त न डाल, जैसा कि पहले दीन वालों पर सख़्त-सख़्त अहकाम थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नबी-ए-रहमत बनाकर भेजकर दूर किये गये और आपको एक-तरफ़ा सहल और आसान दीन दिया गया। इसे भी परवर्दिगार ने क़बूल फ़रमाई। हदीस में भी है कि मैं यक्सूई (यानी एक तरफ़ रहने) वाला और आसान दीन देकर भेजा गया हूँ।

ख़ुदाया वे तकलीफ़ें, बलायें और मशक़्क़तें हम पर न डाल जिनकी बरदाश्त की ताक़त हमें नहीं। हज़रत मक्हूल रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद फ़रेब और शहवत का ग़लबा है। इसके जवाब में भी क़बूलियत का ऐलान ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से किया गया। और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा जो तेरी राह में हुई हैं, और हमारे गुनाहों को बख़्श, हमारी बुराईयों और बुरे आमाल की पर्दा पोशी कर, हम पर रहम व करम कर ताकि फिर हमसे तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम न हो। इसी लिये बुज़ुर्गों का क़ौल है कि गुनाहगार को तीन बातों की ज़रूरत है, एक तो ख़ुदा की माफ़ी की ताकि अ़ज़ाब से निजात पाये, दूसरे पर्दा पोशी की ताकि रुस्वाई से बचे, तीसरे हिफ़ाज़त की ताकि वह दोबारा गुनाह में मुब्तला न हो। इस पर भी अल्लाह तआ़ला ने क़बूलियत का ऐलान किया।

तू हमारा वली व मददगार है, तुझी पर हमारा भरोसा है, तुझी से हम मदद तलब करते हैं, तू ही हमारा सहारा है, तेरी मदद के सिवा न तो हम किसी नफ़े के हासिल करने पर क़ादिर हैं न किसी बुराई से बच सकते हैं। तू हमारी उन लोगों पर मदद कर जो तेरे दीन के मुन्किर हैं, तेरी वह्दानियत (एक ख़ुदा होने को) नहीं मानते, तेरे नबी की रिसालत को तस्लीम नहीं करते, तेरे साथ दूसरों की इबादत करते हैं, मुश्रिक हैं। ख़ुदाया तू हमें उन पर ग़ालिब कर। दुनिया और दीन में हम ही उन पर ग़ालिब रहें। अल्लाह तआ़ला ने इसके जवाब में भी फ़रमाया- हाँ मैंने यह भी कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ि. जब इस आयत को ख़त्म करते तो आमीन कहते। (इब्ने जरीर)

सूरः आले इमरान और उसके मज़ामीन की तफ़सीर

यह सूरत मदनी है, इसके शुरू की तिरासी आयतें नजरान की ईसाईयों के जो ऐलची हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में सन् 9 हिजरी में आये थे उनके बारे में नाज़िल हुई हैं, जिसका तफ़सीली बयान मुबाहले की आयतः

قُلْ تَعَالَوْا............ الخ.

(यानी इसी सूरत की आयत नम्बर 64) की तफ़सीर में जल्द ही आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला। इसकी फ़ज़ीलत की जो हदीसें हैं वे सूरः ब-क़रह की तफ़सीर के शुरू में बयान कर दी गयी हैं।

सूरः आले इमरान

सूरः आले इमरान मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 200 आयतें और 20 रुकूअ़ हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

الٓمّٓ ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ○ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۜ اِنَّ

अलिफ़्-लाम्-मीम् (1) अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद बनाने के क़ाबिल नहीं और वह ज़िन्दा (हमेशा रहने वाले) हैं, सब चीज़ों के संभालने वाले हैं। (2) अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है हक़ के साथ इस कैफ़ियत से कि वह तस्दीक़ करता है उन (आसमानी) किताबों की जो उससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं, और (इसी तरह) भेजा था तौरात और इन्जील को (3) इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते, और अल्लाह तआ़ला ने भेजे मोजिज़े, बेशक जो लोग इनकारी हैं अल्लाह की

आयतों के उनके लिए सख़्त सज़ा है, और अल्लाह तआ़ला ग़लबे (और क़ुदरत) वाले हैं, (और) बदला लेने वाले हैं। (4)	الَّذِينَ كَفَرُوا بِايَٰتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

आयतुल-कुर्सी की तफ़सीर के बयान में पहले यह हदीस गुज़र चुकी है कि 'इस्मे-आज़म' इस आयत और आयतुल-कुर्सी में है, और 'अलिफ़ लाम् मीम्' की तफ़सीर सूरः ब-क़रह के शुरू में बयान हो चुकी है जिसे दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। "अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुवल् हय्युल-क़य्यूमु" की तफ़सीर भी आयतुल-कुर्सी की तफ़सीर में हम लिख आये हैं।

फिर फ़रमाया अल्लाह तआ़ला ने- आप पर ऐ मुहम्मद! क़ुरआने करीम को हक़ के साथ नाज़िल फ़रमाया है, जिसमें कोई शक नहीं, बल्कि यक़ीनन वह ख़ुदा की तरफ़ से है जिसे अपने इल्म के साथ उतारा है, और फ़रिश्ते उस पर गवाह हैं, और अल्लाह की गवाही काफ़ी और पूरी है।

यह क़ुरआन अपने से पहले की तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक़ करने वाला है और वे किताबें इस क़ुरआन की सच्चाई पर दलील हैं। इसलिये कि उनमें जो इस नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के आने और इस किताब के उतरने की ख़बर थी वह सच्ची साबित हुई। उसी ने हज़रत मूसा बिन इमरान अ़लैहिस्सलाम पर तौरात उतारी और हज़रत ईसा बिन मरियम अ़लैहिस्सलाम पर इन्जील उतारी। ये दोनों भी उसी ज़माने के लोगों के लिये हिदायत देने वाली थीं। उसने फ़ुरक़ान उतारा जो हक़ व बातिल, हिदायत व गुमराही और ग़लत व सही रास्ते में फ़र्क़ करने वाला है। इसकी वाज़ेह और रोशन दलीलें और ज़बरदस्त हुज्जतें हर एक को किफ़ायत करने वाली हैं।

हज़रत क़तादा, हज़रत रबीअ़ बिन अनस रह. का बयान है कि फ़ुरक़ान से मुराद यहाँ क़ुरआन है, अगरचे यह मस्दर है लेकिन चूँकि क़ुरआन का ज़िक्र इससे पहले गुज़र चुका है इसलिये यहाँ फ़ुरक़ान फ़रमाया। अबू सालेह रह. से यह भी मरवी है कि मुराद इससे तौरात है, मगर यह ज़ईफ़ है, इसलिये कि तौरात का ज़िक्र इससे पहले गुज़र चुका है। वल्लाहु आलम।

क़ियामत के दिन मुन्किरों और बातिल-परस्तों को सख़्त अ़ज़ाब होंगे। अल्लाह तआ़ला ग़ालिब है, बड़ी शान वाला है, बड़ी सल्तनत वाला है। अम्बिया-ए-किराम और सम्मानित रसूलों के मुख़ालिफ़ों से और अल्लाह की आयतों को झुठलाने वालों से अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त इन्तिक़ाम (बदला) लेगा।

बेशक अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, (न कोई चीज) ज़मीन में और न (कोई चीज़) आसमान में। (5) वह ऐसी ज़ाते पाक है कि तुम्हारी सूरत (व शक्ल) बनाता है रहमों "यानी बच्चेदानियों" में, जिस तरह चाहता है। कोई इबादत के लायक़ नहीं सिवाय उसके, वह ग़लबे वाले हैं (और) हिक्मत वाले हैं। (6)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

तौहीद (अल्लाह के एक होने) की दलीलें

अल्लाह तआला ख़बर देता है कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब (छुपी और नज़रों से ओझल चीज़ों व बातों) को वह अच्छी तरह जानता है, उस पर कोई चीज़ छुपी नहीं। वह तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में सूरतें इनायत फ़रमाता है, जिस तरह की चाहता है अच्छी बुरी, नेक बद। उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं। वह ग़ालिब है, हिक्मत वाला है। जबकि सिर्फ़ उसी एक ने तुम्हें बनाया और पैदा किया है फिर इबादत दूसरे की क्यों करो? वह ग़ैर-फ़ानी, इज़्ज़तों वाला, हिक्मतों वाला, अटल हुक्मों वाला है। इसमें इशारा बल्कि खुला बयान है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम भी ख़ुदा ही के पैदा किये हुए और उसकी चौखट पर झुकने वाले थे। जिस तरह तमाम इनसान हैं उन्हीं इनसानों में से एक आप भी हैं। वह माँ के रहम (गर्भ) में बनाये गये और मेरे पैदा करने से पैदा हुए, फिर वह ख़ुदा कैसे बन गये? जैसा कि इस ईसाईयों की जमाअ़त ने समझ रखा है। हालाँकि वह तो एक हालत से दूसरी हालत की तरफ़ गोश्त-पोस्त और इनसानी बदन के साथ इधर-उधर फिरते रहे। जैसे एक और जगह है:

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ.........الخ

वह ख़ुदा तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में पैदा करता है, एक पैदाईश के बाद दूसरी तरह की बनावट तीन-तीन अन्धेरियों में होती है...........।

هُوَالَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَايَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَايَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ

वह ऐसा है जिसने नाज़िल किया तुम पर किताब को जिसमें का एक हिस्सा वे आयतें हैं जो कि मुराद के इश्तिबाह "यानी पोशीदा और मुश्तबह होने" से महफ़ूज़ हैं। और यही आयतें असली मदार हैं (इस) किताब का, और दूसरी आयतें ऐसी हैं जो कि मुराद में मुश्तबह हैं, सो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे उसके उसी हिस्से के पीछे हो लेते हैं जो मुराद में मुश्तबह है, (दीन में) शोरिश "यानी फ़ितना" ढूँढने की ग़र्ज़ से, और उसका (ग़लत) मतलब ढूँढने की ग़र्ज़ से, हालाँकि उनका (सही) मतलब सिवाय हक़ तआ़ला के कोई और नहीं जानता। और जो लोग (दीन के) इल्म में पुख़्तगी रखने वाले (और समझदार) हैं वे यूँ कहते हैं कि हम इस पर (इजमालन्) "यानी सरसरी और समझ में न आने के बावजूद" यक़ीन रखते हैं, (ये) सब हमारे परवर्दिगार की तरफ़ से हैं, और नसीहत वही लोग क़बूल करते हैं जो कि अ़क़्ल वाले

हैं। (7) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए बाद इसके कि आप हमको हिदायत कर चुके हैं, और हमको अपने पास से (ख़ास) रहमत अ़ता फ़रमाईए, बेशक आप बड़े अ़ता फ़रमाने वाले हैं। (8) ऐ हमारे परवर्दिगार! आप बेशक तमाम आदमियों को (मैदाने हश्र में) जमा करने वाले हैं, उस दिन जिसमें ज़रा शक नहीं, बेशक अल्लाह तआ़ला वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते। (9)	هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

क़ुरआन के मज़ामीन की तक़सीम

यहाँ बयान हो रहा है कि क़ुरआन में ऐसी आयतें भी हैं जिनका बयान बहुत वाज़ेह, बिल्कुल साफ़ और सीधा है। हर शख़्स उनके मतलब तक पहुँच सकता है। और बाज़ आयतें ऐसी भी हैं जिनके मतलब तक उमूमन ज़ेहन की रसाई नहीं हो सकती। अब जो लोग दूसरी क़िस्म की आयतों को पहली क़िस्म की तरफ़ लौटायें, यानी जिस मसले की वज़ाहत जिस आयत में पायें ले लें तो वह सही राह पर हैं, और जो साफ़ स्पष्ट आयतों को छोड़कर ऐसी आयतों को दलील बनायें जो उनकी समझ से ऊपर की हैं और उनमें उलझ जायें, ये वे हैं जो मुँह के बल गिर पड़े। उम्मुल-किताब यानी बुनियादी, किताबुल्लाह की वे साफ़ और वाज़ेह आयतें हैं, शक व शुब्हे में न पड़ो और स्पष्ट अहकाम पर अ़मल करो, उन्हीं को फ़ैसले करने वाली मानो और जो समझ में न आये उसे भी उनसे समझो। बाज़ आयतें ऐसी भी हैं कि उनके कुछ मायने तो ऐसे हैं जो ज़ाहिर आयतों के मुवाफ़िक़ हों और मुम्किन है उसके अ़लावा और मायने भी निकलें, अगरचे वह हर्फ़, लफ़्ज़ और तरकीब के एतिबार से हों, न कि वाक़ई तौर पर, उन ग़ैर-ज़ाहिर (अस्पष्ट) मायनों में न फंसो। "मोहकम" और "मुतशाबा" के बहुत से मायने बुज़ुर्गों से नक़ल किये गये हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. तो फ़रमाते हैं कि "मोहकम" आयतें वे हैं जो नासिख़ (किसी हुक्म को निरस्त और ख़त्म करने वाली) हों, जिनमें हलाल व हराम के अहकाम, मना की गयी चीज़ों की मनाही, हदों (सज़ाओं) और आमाल का बयान हो। इसी तरह आप से यह भी रिवायत है कि सूरः अन्आ़म की आयत 151-153 (जो कि हुक्मों वाली आयतें हैं) "मोहकम" हैं। इसी तरह सूरः बनी इस्राईल की आयत 23-26 की आयतें हैं।

हज़रत अबू फ़ाख़्ता रह. फ़रमाते हैं कि ये सूरतों के शुरू में हैं। यहया बिन यामर रह. फ़रमाते हैं कि ये फ़राईज़, अहकाम, रोक-टोक और हलाल व हराम की आयतें हैं। सईद बिन जुबैर रह. कहते हैं कि उन्हें उम्मुल-किताब (किताब की असल) इसलिये कहा जाता है कि ये तमाम किताबों में हैं। हज़रत मुक़ातिल रह. कहते हैं- इसलिये कि तमाम मज़हब वाले उन्हें मानते हैं। "मुतशाबह" उन आयतों को कहते हैं जो मन्सूख़ हैं (यानी अब उनका हुक्म बाक़ी नहीं रहा) और जो पहले की हैं और जो बाद की हैं और जिनमें मिसालें दी गयी हैं और क़समें खाई गयी हैं, और जिन पर सिर्फ़ ईमान लाया जाता है और वो अहकाम अ़मल के लिये नहीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का भी यह फ़रमान है। हज़रत मुक़ातिल रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सूरतों के शुरू के "हुरूफ़े मुक़त्तआ़त" हैं। हज़रत मुजाहिद रह. का क़ौल है कि ये एक दूसरे की तस्दीक़

करने वाली हैं। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ.

और यह भी मज़कूर है कि यह वह कलाम है जो एक ही अन्दाज़ का हो और "मसानी" वह है जहाँ दो मुक़ाबिल की चीज़ों का ज़िक्र हो, जैसे जन्नत व दोज़ख़ की सिफ़ात, और नेकों व बदों का हाल, वग़ैरह-वग़ैरह। इस आयत में "मुतशाबा" "मोहकम" के मुक़ाबले में है, इसलिये ठीक मतलब वही है जो हमने पहले बयान किया और यही फ़रमान है हज़रत मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार रह. का। फ़रमाते हैं कि यह रब की हुज्जत (दलील) है, उनमें बन्दों का बचाव है, झगड़ों का फ़ैसला है, बातिल को तहस-नहस करना है, उन्हें उनके सही और असल मतलब से कोई हटा नहीं सकता, न उनके मायने में हेर-फेर कर सकता है। मुतशाबा आयतों की सच्चाई में कलाम नहीं, न उनमें हेर-फेर करना चहिये, उनसे ख़ुदा तआ़ला अपने बन्दों के ईमान को आज़माता है, जैसे हलाल हराम से आज़माता है। उन्हें बातिल की तरफ़ लेजाना और हक़ से न फेर देना चाहिये।

फिर फ़रमाता है कि जिनके दिलों में कजी, टेढ़पन, गुमराही और हक़ से बातिल की तरफ़ जाना है, वे तो मुतशाबा आयतों को लेकर अपने बुरे मक़ासिद को पूरा करना चाहते हैं और लफ़्ज़ी भिन्नता से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपनी तरफ़ मोड़ लेते हैं और जो मोहकम आयतें हैं उनमें उनका वह मक़सद पूरा नहीं होता, क्योंकि उनके अलफ़ाज़ बिल्कुल साफ़ और खुले हुए होते हैं, न वह उन्हें हटा सकते हैं न उनमें अपने लिये कोई दलील पाते हैं। इसलिये फ़रमान है कि इससे उनका मक़सद फ़ितने की तलाश होती है ताकि अपने मानने वालों को बहकायें, अपनी बिदअ़तों की दलील क़ुरआन से लाना चाहते हैं हालाँकि क़ुरआन तो बिदअ़तों की तरदीद करता है, जैसा कि ईसाईयों ने दलील पेश की है हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ख़ुदा का लड़का होने पर। क़ुरआन के अलफ़ाज़ "रूहुल्लाह" और "कलिमतुल्लाह" से। पस इस मुतशाबा आयत को लेकर साफ़ आयत जिसमें ये लफ़्ज़ हैं:

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا......... الخ.

यानी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुदा के गुलाम और बन्दे हैं, जिन पर ख़ुदा का इनाम है। एक दूसरी जगह इरशाद है:

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ............ الخ.

यानी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह तआ़ला के नज़दीक हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की तरह है, कि उन्हें ख़ुदा ने मिट्टी से बनाया फिर उससे कहा कि "हो जा" वह हो गया।

और इसी तरह की और भी बहुत सी स्पष्ट आयतें हैं, उन सबको छोड़ दिया और मुतशाबा आयतों से हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ख़ुदा का बेटा होने पर दलील पेश की, हालाँकि आप ख़ुदा की मख़्लूक़ हैं, ख़ुदा के बन्दे हैं, उसके रसूल हैं।

फिर फ़रमाता है कि उनकी दूसरी ग़र्ज़ आयत की तहरीफ़ (उसमें रद्दोबदल और हेर-फेर करना) होती है कि उसे इसके मायने पर बाक़ी न रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत पढ़कर फ़रमाया कि जब तुम उन लोगों को देखो जो मुतशाबा आयतों में झगड़ते हैं तो उन्हें छोड़ दो, यही लोग इस आयत से मुराद लिये गये हैं। यह हदीस अनेक सनदों से बहुत सी किताबों में मौजूद है। सही बुख़ारी शरीफ़ में भी

यह हदीस इस आयत की तफ़सीर में मन्क़ूल है, मुलाहिज़ा हो किताबुल-क़द्र। एक और हदीस में है कि ये लोग ख़्वारिज (ख़ारजी एक फ़िर्क़े का नाम है) हैं। (मुस्नद अहमद) पस इस हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ूफ़ समझ लिया जाये फिर भी इसका मज़मून सही है।

बिद्अ़त की बुनियाद, आपकी एक भविष्यवाणी

इसलिये कि पहली बिद्अ़त ख़्वारिज ने ही फैलाई। यह फ़िर्क़ा महज़ दुनियावी फ़ायदे की वजह से मुसलमानों से अलग हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिस वक़्त हुनैन की ग़नीमत का माल तक़सीम किया उस वक़्त इन लोगों ने उसे ख़िलाफ़े-इन्साफ़ समझा और इनमें से एक ने जिसे जुल-खुवैसरा कहा जाता था उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने आकर साफ़ कहा कि हज़रत! अ़दल व इन्साफ़ कीजिए। आपने इस तक़सीम में इन्साफ़ नहीं किया। आपने फ़रमाया मुझे तो ख़ुदा ने अमीन बनाया था, अगर मैं भी अ़दल न करूँ तो फिर तू तो बरबाद हुआ और नुक़सान में पड़ा। जब वह लौटा तो हज़रत उमर रज़ि. ने दरख़्वास्त की कि मुझे इजाज़त दी जाये कि मैं उसे मार डालूँ। आपने फ़रमाया- छोड़ दो, उसकी जिन्स (जमाअ़त और मानने वालों में) से एक ऐसी क़ौम निकलेगी कि तुम लोग अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ों के मुक़ाबले में और अपने क़ुरआन पढ़ने को उनके क़ुरआन पढ़ने के मुक़ाबले में हक़ीर (मामूली और कम-दर्जे का) समझोगे, हालाँकि वे दीन से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। तुम जहाँ उन्हें पाओ क़त्ल करो, उनके क़त्ल करने वाले को बड़ा सवाब मिलेगा।

हज़रत अ़ली रज़ि. की ख़िलाफ़त के ज़माने में उनका ज़हूर हो गया और आपने उन्हें नहरवान में क़त्ल किया। फिर उनमें फूट पड़ी और उनके विभिन्न ख़्याल और विचारधारा रखने वाले फ़िर्क़े हो गये और नई-नई बिद्अ़तें दीन में जारी कर लीं, और ख़ुदा की राह से बहुत दूर जा पड़े। उनके बाद क़द्रिया फ़िर्क़े का ज़हूर हुआ। फिर मोतज़िला निकले, फिर जहमिया वग़ैरह पैदा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यह भविष्यवाणी पूरी हुई कि मेरी उम्मत में जल्द ही तिहत्तर फ़िर्क़े होंगे, सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक जमाअ़त के। सहाबा रज़ि. ने पूछा- वे कौन लोग होंगे? आपने फ़रमाया- वह जो इस चीज़ पर हों जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा। (मुस्तदरक हाकिम)

अबू यअ़ूला की हदीस में है कि आपने फ़रमाया- मेरी उम्मत में एक क़ौम होगी जो क़ुरआन तो पढ़ेगी लेकिन उसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गुठलियाँ फेंकता हो। उसके नये-नये मतलब बयान करेगी। फिर फ़रमाया कि उसकी असली तावील और सही मतलब ख़ुदा ही जानता है।

लफ़्ज़ 'अल्लाह' पर वक़्फ़ (रुकना) है या नहीं? इसमें मतभेद है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. तो फ़रमाते हैं तफ़सीर चार क़िस्म की है, एक वह जिसके समझने में कोई माज़ूर नहीं, एक वह जिसे अ़रब अपनी भाषा और लुग़त से समझते हैं, एक वह जिसे माहिर उलेमा और पूरे इल्म वाले ही जानते हैं और एक वह जिसे सिवाय अल्लाह तआ़ला की ज़ात के और कोई नहीं जानता। यह रिवायत पहले भी गुज़र चुकी है। हज़रत आ़यशा रज़ि. का भी यही क़ौल है। "मोजम कबीर" में हदीस है कि मुझे अपनी उम्मत पर सिर्फ़ तीन बातों का डर है- माल की कसरत (अधिकता) का जिससे हसद व बुग़्ज़ पैदा होगा और आपस का लड़ाई-झगड़ा शुरू होगा। दूसरे यह कि किताबुल्लाह की तावील (मतलब बयान करने) के पीछे पड़ जायेंगे, हालाँकि उनका असली मतलब अल्लाह ही जानता है, और गहरे इल्म वाले कह देते हैं कि हमारा इस पर ईमान है.....। तीसरे यह कि इल्म हासिल करके उसे बेपरवाही से ज़ाया कर देंगे। यह हदीस बिल्कुल

ग़रीब है। एक और हदीस में है कि क़ुरआन इसलिये नहीं उतरा कि एक आयत दूसरी आयत के ख़िलाफ़ हो, जिसका तुम्हें इल्म हो उस पर अ़मल करो और जो मुतशाबा हों (यानी मायने स्पष्ट तौर पर न समझे जा सकें) उन पर ईमान लाओ। (इब्ने मूर्दया) हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़, और हज़रत मालिक बिन अनस रज़ि. से भी यही मन्क़ूल है कि गहरे इल्म वाले भी उस हक़ीक़त से आगाह नहीं होते हाँ उस पर ईमान रखते हैं।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि इसकी "तावील" का इल्म अल्लाह ही को है, पुख़्ता इल्म वाले यही कहते हैं कि हमारा इस पर ईमान है। उबई बिन कअ़ब रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। इमाम इब्ने जरीर रह. भी इसी को पसन्द करते हैं।

यह तो थी वह जमाअ़त जो 'इल्लल्लाहु' पर वक़्फ़ करती (रुकती और ठहरती) थी, और बाद के जुमले को उससे अलग करती थी। और जो लोग यहाँ नहीं ठहरते और 'फ़िल-इल्मि' पर वक़्फ़ करते (ठहरते) हैं, अक्सर मुफ़स्सिरीन और अहले उसूल भी यही कहते हैं, उनकी बड़ी दलील यह है कि जो समझ में न आये ऐसी बात कहनी ठीक नहीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाया करते थे- मैं उन "रासिख़ (गहरा और पुख़्ता इल्म रखने वाले) उलेमा में हूँ जो तावील जानते हैं। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि रासिख़ इल्म वाले तफ़सीर जानते हैं। हज़रत मुहम्मद बिन जाफ़र बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि असल तफ़सीर और मुराद अल्लाह ही जानता है, और मज़बूत इल्म वाले कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाये, फिर मुतशाबा आयतों की तफ़सीर मोहकम आयतों से करते हैं, जिनमें किसी को लब हिलाने की मजाल नहीं रहती। क़ुरआन के मज़ामीन ठीक-ठाक हो जाते हैं, दलील जारी होती है, उज़्र ज़ाहिर हो जाता है, बातिल छट जाता है और कुफ़्र दूर हो जाता है। हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. के लिये दुआ की- ख़ुदाया! इन्हें दीन की समझ दे और तफ़सीर का इल्म दे।

'तावील' की हक़ीक़त

बाज़ उलेमा ने यहाँ तफ़सील की है, वे फ़रमाते हैं कि "तावील" क़ुरआन करीम में दो मायने में आयी है। एक मायने तो एक चीज़ की असली हक़ीक़त और सही असलियत, जैसे क़ुरआन में है:

يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ.

ऐ मेरे बाप! मेरे ख़्वाब की यही ताबीर है। एक और जगह है:

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ.

काफ़िरों को इन्तिज़ार सिर्फ़ उसकी हक़ीक़त ज़ाहिर होने का है, जिस दिन उसका मिस्दाक़ (असल शक्ल और मतलब) सामने आ जायेगा।

पस इन दोनों जगह तावील से मुराद हक़ीक़त है, अगर इस मुबारक आयत में तावील से मुराद यही तावील ली जाये तो "इल्लल्लाहु" पर वक़्फ़ (ठहरना) ज़रूरी है, इसलिये कि तमाम कामों की हक़ीक़त और असलियत सिवाय अल्लाह की पाक ज़ात के और कोई नहीं जानता, तो अ़रबी भाषा के ग्रामर के हिसाब से "रासिख़ू-न फ़िल-इल्मि" मुब्तदा होगा और "यक़ूलू-न आमन्ना बिही" ख़बर होगी, और यह जुमला बिल्कुल अलग होगा। और तावील के दूसरे मायने 'तफ़सीर' और 'बयान' के होते हैं, कि एक चीज़ की ताबीर दूसरी चीज़ से बयान की जाये। जैसे क़ुरआन में है:

نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ.

हमें इसकी तावील बताओ, यानी तफ़सीर और मतलब बयान करो।

अगर ऊपर बयान हुई आयत में 'तावील' से यह मुराद ली जाये तो 'फ़िल-इल्मि' पर वक़्फ़ करना चाहिये। इसलिये कि पुख़्ता इल्म वाले उलेमा जानते और समझते हैं, क्योंकि ख़िताब उन्हीं से है, अगरचे असल हक़ीक़त का इल्म उन्हें भी नहीं, तो इस बिना पर 'आमन्ना बिही' हाल होगा और यह भी हो सकता है कि 'मातूफ़' हो बग़ैर 'मातूफ़ अ़लैह' के। उनकी तरफ़ से यह ख़बर कि हम इस पर ईमान लाये, इसके यह मायने हैं कि मुतशाबा पर। फिर इक़रार करते हैं कि यह सब यानी मोहकम और मुतशाबा हक़ है, और इनमें से हर एक दूसरे की तस्दीक़ करता है और गवाही देता है कि यह सब ख़ुदा की तरफ़ से है, इसमें कोई इख़्तिलाफ़ और तज़ाद (टकराव और विरोधाभास) नहीं। जैसे एक और जगह हैः

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

यानी क्या ये लोग क़ुरआन में ग़ौर-फ़िक्र (सोच-विचार) नहीं करते? अगर यह ख़ुदा के सिवा किसी और की तरफ़ से होता तो इसमें बहुत इख़्तिलाफ़ (मज़मून में टकराव) होता।

इसी लिये यहाँ यह भी फ़रमाया कि इसे सिर्फ़ अ़क़्लमन्द ही समझते हैं जो इसमें गहरे चिंतन-मंथन करें, जो अ़क़्ल वाले हों, जिनके दिमाग़ दुरुस्त हों।

'रासिख़ीन फ़िल-इल्म' कौन हैं?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल होता है कि "रासिख़ीन फ़िल-इल्म" (पुख़्ता इल्म वाले) कौन हैं? आपने फ़रमाया जिसकी क़सम सच्ची हो, जिसकी ज़बान सच कहने वाली हो, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो और जिसकी शर्मगाह ज़िनाकारी से महफ़ूज़ हो, वे मज़बूत इल्म वाले हैं। (इब्ने अबी हातिम)

एक और हदीस में है कि आपने चन्द लोगों को देखा कि वे क़ुरआन शरीफ़ के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं, आपने फ़रमाया सुनो तुमसे पहले लोग भी इसी लिये हलाक हुए कि उन्होंने किताबुल्लाह की आयतों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बताकर इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) किया, हालाँकि किताबुल्लाह की हर आयत एक दूसरे की तस्दीक़ करती है, तुम उनमें इख़्तिलाफ़ निकालकर एक को दूसरी के ख़िलाफ़ और टकराने वाली न बताओ। जितना जानते हो कहो और जो मालूम नहीं उसे जानने वालों के सुपुर्द करो। (मुस्नद अहमद) एक और हदीस में है कि क़ुरआन सात हर्फ़ों पर उतरा, क़ुरआन में झगड़ा करना कुफ़्र है, क़ुरआन में इख़्तिलाफ़ और तज़ाद (टकराव) पैदा करना कुफ़्र है, जो जानो उस पर अ़मल करो, जो न जानो उसे जानने वाले की तरफ़ सौंपो। (अबू यअ़ला)

नाफ़े इब्ने यज़ीद रह. कहते हैं कि 'रासिख़ फ़िल-इल्म' (मज़बूत और पुख़्ता इल्म वाले) वे लोग हैं जो तवाज़ो और विनम्रता वाले हों, जो आ़जिज़ी करने वाले हों, रब की रज़ा के तालिब हों, अपने बड़ों से दबने वाले न हों (यानी हक़ के इज़हार में किसी की ताक़त का दबाव न मानें), अपने छोटे को हक़ीर बनाने वाले न हों। फिर फ़रमाया कि ये लोग दुआ़ करते हैं कि हमारे दिलों को जबकि तूने हिदायत पर लगा दिया है, उन्हें उन लोगों के दिलों की तरह न कर जो मुतशाबा के पीछे पड़कर तबाह हो जाते हैं, बल्कि हमें अपनी सही और सीधे रास्ते पर क़ायम रख और हमेशा अपने मज़बूत दीन पर रख, और हम पर अपनी रहमत

नाज़िल फ़रमाकर हमारे दिलों को इस्तिक़लाल (मज़बूती और जमाव) दे, हमारी बुरी हालत को दूर कर, हमारे ईमान व यक़ीन को बढ़ा, तू बहुत बड़ा देने वाला है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दुआ़ माँगा करते थेः

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर जमा हुआ रख। फिर यह दुआ़ पढ़तेः

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا.......... الخ.

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) एक और हदीस में है कि आप यह दुआ़ बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थेः

اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

या अल्लाह ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर जमा हुआ रख।

हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने एक दिन पूछा- क्या दिल उलट-पलट हो जाता है? आपने फ़रमाया हाँ, हर इनसान का दिल अल्लाह तआ़ला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, अगर चाहे क़ायम रखे अगर चाहे फेर दे। हमारी दुआ़ है कि हमारा रब हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर दे और हमें अपने पास से रहमतें इनायत फ़रमाये, वह बड़ा देने वाला है। एक रिवायत में यह भी है कि मैंने कहा या रसूलल्लाह! मुझे कोई ऐसी दुआ़ सिखाईये कि मैं अपने लिये वह दुआ़ माँगा करूँ। आपने फ़रमाया- यह दुआ़ माँगा करोः

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ اِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَاذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنَا مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ.

ऐ अल्लाह! ऐ मुहम्मद नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के रब! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा, मेरे दिल का गुस्सा और रंज और सख़्ती दूर कर दे और मुझे गुमराह करने वाले फ़ितनों से बचा ले।

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने भी आपकी यह दुआ़ः

اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर जमा हुआ रख।

सुनकर हज़रत असमा की तरह सवाल किया और आपने वही जवाब दिया और फिर क़ुरआन की यह दुआ़ पढ़कर सुनाई। यह हदीस ग़रीब है लेकिन क़ुरआनी आयत की तिलावत के बग़ैर तो बुख़ारी व मुस्लिम में भी रिवायत की गयी है। नसाई वग़ैरह में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को जागते तो यह दुआ़ पढ़तेः

لاالـه الاانـت سبحانك استغفرك لذنبى واسألك رحمة اللّٰهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة. انك انت الوهاب.

ख़ुदाया! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ। ख़ुदाया मेरे इल्म में ज़्यादती दे और मेरे दिल को जब तूने हिदायत दी है फिर गुमराह न कर, और मुझे अपने पास की रहमत बख़्श, तू बहुत कुछ देने वाला है।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, पहली दो रक्अ़तों में अल्हम्दु शरीफ़ के बाद छोटी सी दो सूरतें पढ़ीं और तीसरी रक्अ़त में सूरः अल्हम्दु शरीफ़ के बाद यही आयत पढ़ी, अबू अ़ब्दुल्लाह सनाबही रह. फ़रमाते हैं कि मैं उस वक़्त उनके क़रीब चला गया था यहाँ तक कि मेरे कपड़े उनके कपड़ों से लग गये थे, और मैंने ख़ुद अपने कान से हज़रत सिद्दीक़े अकबर को यह पढ़ते हुए सुना। (अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़)

हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. ने जब तक यह हदीस नहीं सुनी थी आप उस रक्अ़त में सूरः ‘क़ुल हुवल्लाहु....’ पढ़ा करते थे लेकिन यह हदीस सुनने के बाद अमीरुल-मोमिनीन रह. ने भी इसी को पढ़ना शुरू किया और कभी नहीं छोड़ा।

फिर फ़रमाया वे यह भी कहते हैं कि ख़ुदाया! तू क़ियामत के दिन अपनी तमाम मख़्लूक़ को जमा करने वाला है और उनमें फ़ैसले और हुक्म करने वाला है, उनके इख़्तिलाफ़ात (मतभेदों और विवादों) को ख़त्म करने वाला है, और हर एक के भले-बुरे अ़मल का बदला देने वाला है। उस दिन के आने में और तेरे वायदों के सच्चे होने में कोई कलाम नहीं।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ○ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

यक़ीनन जो लोग कुफ़्र करते हैं हरगिज़ उनके काम नहीं आ सकते उनके माल (व दौलत) और न उनकी औलाद अल्लाह तआ़ला के मुक़ाबले में ज़र्रा बराबर भी, और ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। (10) जैसा मामला था फ़िरऔन वालों का और उनसे पहले वाले (काफ़िर) लोगों का, कि उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया इस पर अल्लाह ने उनकी पकड़ फ़रमाई उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाले हैं। (11)

मुतशाबा आयतों को न समझकर उनका इनकार करने वाले काफ़िर हैं

फ़रमाता है कि काफ़िर जहन्नम में जलने वाली लकड़ियाँ हैं, उन ज़ालिमों को उस दिन उज़्र-माज़िरत काम न आयेगी, उन पर लानत है और उनके लिये बुरा घर है। उनके माल उनकी औलादें भी उन्हें कुछ नफ़ा नहीं पहुँचायेंगी, ख़ुदा के अ़ज़ाब से नहीं बचा सकेंगी। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ............ الخ

तू उनके माल व औलाद पर ताज्जुब न कर, ख़ुदा का इरादा इसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी अ़ज़ाब करने का है, उनकी जानें कुफ़्र ही में निकल जायेंगी।

इसी तरह इरशाद है कि काफ़िरों का शहरों में घूमना-फिरना तुझे फ़रेब में न डाले, यह तो मामूली सा

फ़ायदा है, फिर उनकी जगह जहन्नम ही है जो बहुत बुरा बिछौना है। इसी तरह यहाँ भी इरशाद है कि ख़ुदा की बातों के झुठलाने वाले, उसके रसूलों के मुन्किर, उसकी किताब के मुख़ालिफ़, उसकी वही के नाफ़रमान अपनी औलाद और अपने माल से कोई भलाई की उम्मीद न रखें, ये जहन्नम की लकड़ियाँ हैं जिनसे जहन्नम सुलगाई और भड़काई जायेगी। जैसे एक दूसरी जगह है:

اِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ.......... الخ.

तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नम की लकड़ियाँ हो।

इस्लाम एक मज़हब की हैसियत से मक़बूले आ़म होगा

इब्ने अबी हातिम में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. की वालिदा साहिबा हज़रत उम्मे फ़ज़्ल रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान है कि मक्का शरीफ़ में एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम खड़े हो गये और बुलन्द आवाज़ से फ़रमाने लगे- लोगो! क्या मैंने ख़ुदा की बातें तुम तक पहुँचा दीं? लोगो! क्या मैंने तब्लीग़ कर दी? लोगो! क्या मैं वह्दानियत व रिसालत (अल्लाह का एक होना और उसका पैग़ाम) पहुँचा चुका? हज़रत उमर रज़ि. फ़रमाने लगे हाँ हुज़ूर! बेशक आपने ख़ुदा का दीन हमें पहुँचाया। फिर जब सुबह हुई तो आपने फ़रमाया- सुनो ख़ुदा की क़सम इस्लाम ग़ालिब होगा और ख़ूब फैलेगा, यहाँ तक कि कुफ़्र अपनी जगह जा छुपेगा। मुसलमान इस्लाम को लेकर समुद्रों को चीरते-फाड़ते जायेंगे और इस्लाम को फैलायेंगे। याद रखो वह ज़माना भी आने वाला है कि लोग क़ुरआन को सीखेंगे पढ़ेंगे (फिर तकब्बुर बड़ाई और घमंड के तौर पर) कहने लगेंगे कि हम क़ारी हैं, हम आ़लिम हैं, कौन है जो हमसे बढ़-चढ़कर हो? क्या उन लोगों में कुछ भी भलाई होगी? लोगों ने पूछा हुज़ूर! वे कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया वे तुम ही मुसलमानों में से होंगे, लेकिन ख़्याल रहे कि वे जहन्नम का ईंधन हैं।

इब्ने मर्दूया में भी यह हदीस है, उसमें यह भी है कि हज़रत उमर रज़ि. ने जवाब में कहा हाँ ख़ुदा की क़सम! आपने बड़ी जद्दोजहद और मेहनत से तब्लीग़ की, आपने पूरी जद्दोजहद और दौड़-धूप की, आपने हमारी ज़बरदस्त ख़ैरख़्वाही की और हमारे फ़ायदे को ध्यान में रखा।

फिर फ़रमाता है कि जैसा हाल फ़िरऔनियों का था और जैसी करतूत उनकी थी। आयत-ए-शरीफ़ा का यह है कि काफ़िरों को माल व औलाद ख़ुदा के यहाँ कुछ काम न आयेंगी जैसे फ़िरऔनियों और उनसे पहले काफ़िरों को कुछ काम न आयी। अल्लाह तआ़ला की पकड़ सख़्त है, उसका अ़ज़ाब दर्दनाक है, कोई किसी ताक़त से उससे बच नहीं सकता, न उसे हटा सकता है, वह ख़ुदा जो चाहे करता है, हर चीज़ उसके सामने पस्त है, न उसके सिवा कोई माबूद न रब।

आप उन कुफ़्र करने वालों से फ़रमा दीजिए कि जल्द ही तुम (मुसलमानों के हाथ से) मग़लूब किए जाओगे, और (आख़िरत में) जहन्नम की तरफ़ जमा करके ले जाए जाओगे, और वह (जहन्नम) बुरा ठिकाना है। (12)	قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○	बेशक तुम्हारे लिए बड़ा नमूना है दो गिरोहों (के वाक़िए) में जो कि आपस में एक-दूसरे के मुक़ाबिल हुए थे। एक गिरोह तो अल्लाह की राह में लड़ता था (यानी मुसलमान) और दूसरा गिरोह वे काफ़िर लोग थे, ये काफ़िर अपने को देख रहे थे कि उन (मुसलमानों) से कई हिस्से (ज़्यादा) हैं खुली आँखों देखना, और अल्लाह तआ़ला अपनी इमदाद से जिसको चाहते हैं क़ुव्वत दे देते हैं, (सो) बेशक इसमें बड़ी इबरत है (समझने) देखने वाले लोगों के लिए। (13)

कुफ़्र की तबाही यक़ीनी है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! काफ़िरों से कह दीजिए कि तुम दुनिया में भी पस्त और मग़लूब किये जाओगे, मग़लूब और मातहत बनोगे और क़ियामत के दिन भी हाँककर जहन्नम की तरफ़ जमा किये जाओगे जो बहुत बुरा ठिकाना है। सीरत इब्ने इस्हाक़ में है कि जब बदर की जंग से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कामयाब और विजयी वापस लौटे तो बनू क़ैनुक़ाअ़ के बाज़ार में यहूदियों को जमा किया और फ़रमाया- ऐ यहूदियो! इससे पहले इस्लाम क़बूल कर लो कि तुम्हें भी वह ज़िल्लत व पस्ती पहुँचे जो क़ुरैश को पहुँची, तो इस सरकश जमाअ़त ने जवाब दिया कि चन्द क़ुरैशियों को जो जंग के तरीक़ों से नावाक़िफ़ थे, आपने हरा लिया तो क्या दिमाग़ में कुछ ग़ुरूर समा गया? अगर हम से लड़ाई हुई तो हम बतला देंगे कि जंगजू (लड़ने वाले) ऐसे होते हैं। आपको अब तक हम से वास्ता नहीं पड़ा। इस पर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया कि बदर ने ज़ाहिर कर दिया है कि ख़ुदा अपने सच्चे अच्छे और पसन्दीदा दीन को और इस दीन को इज़्ज़त व सम्मान अ़ता फ़रमाने वाला है, वह अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का और आपकी इताअ़त-गुज़ार (आज्ञाकारी) उम्मत का ख़ुद मददगार है। वह अपनी बातों को ज़ाहिर और ग़ालिब करने वाला है।

इस्लाम की कुफ़्र से पहली जंग, कुफ़्र की शिकस्त और इस्लाम की फ़तह

दो जमाअ़तें लड़ाई में गुथ गयी थीं, एक तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की दूसरी क़ुरैश के मुश्रिकों की। यह वाक़िआ़ जंगे बदर का है। उस दिन मुश्रिकों पर इस क़द्र रौब ग़ालिब आया और ख़ुदा ने अपनों की इस तरह की मदद की कि इसके बावजूद कि मुसलमान गिनती में मुश्रिकों से कहीं कम थे लेकिन मुश्रिकों को अपने से दोगुने नज़र आते थे। मुश्रिकों ने लड़ाई छेड़ने से पहले जासूसी के लिये उमर बिन सअ़द को भेजा था जिसने आकर इत्तिला दी थी कि तीन सौ हैं, कुछ कम या ज़्यादा होंगे। और हक़ीक़त भी यही थी कि सिर्फ़ तीन सौ दस और कुछ थे। लड़ाई के शुरू होते ही अल्लाह तआ़ला ने अपने

ख़ास और चुनिन्दा फ़रिश्ते एक हज़ार भेजे, एक मायने तो यह हैं। दूसरा मतलब यह भी बयान किया गया है कि मुसलमान देखते थे और जानते थे कि काफ़िर हम से दोगुने हैं फिर भी ख़ुदा तआ़ला ने उन्हीं को मदद दी। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि बदरी सहाबा तीन सौ तेरह थे और मुश्रिकीन छह सौ सोलह थे, लेकिन तारीख़ में मुश्रिकीन की तायदाद नौ सौ से एक हज़ार बयान की गयी है, तो शायद हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. का क़ुरआन के अलफ़ाज़ से यह इस्तिदलाल होगा। बनू हज्जाज क़बीले का जो सियाह-फ़ाम (काले रंग का) ग़ुलाम पकड़ा हुआ आया था उससे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि क़ुरैश की तायदाद कितनी है? उसने कहा बहुत हैं। आपने फिर पूछा अच्छा रोज़ के कितने ऊँट कटते हैं? उसने कहा एक दिन नौ दूसरे दिन दस। आपने फ़रमाया बस तो उनकी गिनती नौ सौ और एक हज़ार के दरमियान है। पस मुश्रिकीन मुसलमानों से तीन गुने थे। वल्लाहु आलम।

लेकिन यह याद रहे कि अ़रब कह दिया करते हैं कि मेरे पास एक हज़ार तो हैं लेकिन मुझे ज़रूरत ऐसे ही दोगुने की है, और मुराद उनकी तीन हज़ार की होती है। इस तौजीह के बाद कोई इश्काल बाक़ी न रहा, लेकिन एक सवाल और है वह यह कि क़ुरआने करीम में एक और जगह है:

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِالْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا.

यानी जब आमने-सामने आ गये तो ख़ुदा ने उन्हें तुम्हारी निगाहों में कम करके दिखाया और तुम्हें उनकी निगाहों में कम करके दिखाया, ताकि जिसके करने का फ़ैसला ख़ुदा कर चुका था वह हो जाये।

पस इस आयत से मालूम होता है कि असल तायदाद से भी कम जंचे और उपरोक्त आयत से मालूम होता है कि ज़्यादा, बल्कि दोगुने जंचे, तो दोनों आयतों में मुवाफ़क़त क्या होगी? इसका जवाब यह है कि ये दोनों मामले अलग-अलग वक़्त पर पेश आये। चुनाँचे हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि बदर वाले दिन हमें मुश्रिकीन कुछ ज़्यादा नहीं मालूम हुए, हमने ग़ौर से देखा फिर भी यही मालूम हुआ कि हमसे ज़्यादा गिनती उनकी नहीं। दूसरी रिवायत में है कि मुश्रिकीन की तायदाद हमें इस क़द्र कम मालूम हुई कि मैंने अपने पास के एक शख़्स से कहा- ये लोग तो कोई सत्तर होंगे? उसने कहा नहीं नहीं सौ होंगे। जब उनमें से एक शख़्स पकड़ा गया तो हमने उससे मुश्रिकों की गिनती पूछी, उसने कहा एक हज़ार हैं। अब जबकि दोनों फ़रीक़ एक दूसरे के सामने सफ़ें बाँधकर खड़े हो गये तो मुसलमानों को यह मालूम होने लगा कि मुश्रिकीन हमसे दोगुने हैं। यह इसलिये कि उन्हें अपनी कमज़ोरी का यक़ीन हो जाये और यह ख़ुदा पर भरोसा कर लें और उनकी पूरी तवज्जोह ख़ुदा की जानिब हो और अपने रब तआ़ला से मदद व इनायत की दुआ़यें करने लगें। ठीक इसी तरह मुश्रिकीन को मुसलमानों की तायदाद दोगुनी मालूम होने लगी ताकि उनके दिलों में रौब और ख़ौफ़ बैठ जाये और घबराहट और परेशानी बढ़ जाये। फिर जब दोनों भिड़ गये और लड़ाई होने लगी तो हर फ़रीक़ दूसरे को अपने मुक़ाबले में कम नज़र आने लगा ताकि हर एक दिल खोलकर हौसले निकाल ले और ख़ुदा तआ़ला हक़ व बातिल का साफ़ फ़ैसला कर दे, ईमान कुफ़्र पर ग़ालिब आ जाये और मोमिनों को इज़्ज़त और काफ़िरों को ज़िल्लत हो। जैसे एक दूसरी जगह बयान किया गया है:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ.

अलबत्ता अल्लाह तआ़ला ने बदर वाले दिन तुम्हारी मदद की हालाँकि तुम उस वक़्त कमज़ोर थे।

इसी लिये यहाँ भी फ़रमाया कि अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से क़वी और ताक़तवर बनाये। फिर फ़रमाता है कि इसमें सबक़ व नसीहत है उस शख़्स के लिये जो आँखों वाला हो, जिसका दिमाग़ सही

सालिम हो, वह ख़ुदा के अहकाम के पूरा करने में लग जायेगा और समझ लेगा कि ख़ुदा अपने पसन्दीदा बन्दों की इस जहान में भी मदद करता है और क़ियामत के दिन भी उनका बचाव करेगा।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ○ ۚ

अच्छी मालूम होती है (अक्सर) लोगों को मुहब्बत पसन्दीदा चीज़ों की, (जैसे) औरतें हुईं, बेटे हुए, लगे हुए ढेर हुए सोने और चाँदी के, नम्बर (यानी निशान) लगे हुए घोड़े हुए, (या दूसरे) मवेशी हुए और खेती हुई, (लेकिन) ये सब चीज़ें दुनियावी ज़िन्दगानी में इस्तेमाल करने की हैं, और अन्जामकार की भलाई तो अल्लाह ही के पास है। (14) आप फ़रमा दीजिए क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ बतला दूँ जो (बहुत ही ज़्यादा) बेहतर हो इन चीज़ों से, (सो सुनो) ऐसे लोगों के लिए जो (अल्लाह से) डरते हैं, उनके (हक़ीक़ी) मालिक के पास ऐसे-ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे और (उनके लिए) ऐसी बीवियाँ हैं जो साफ़-सुथरी की हुई हैं, और (उनके लिए) रज़ा और ख़ुशनूदी है अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब देखते (भालते) हैं बन्दों को। (15)

दुनिया और यहाँ की तमाम लज़्ज़तें फ़ानी हैं

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि दुनिया की ज़िन्दगी को तरह-तरह की लज़्ज़तों से ज़ीनत (रौनक़) दी गयी, इन सब चीज़ों में से सबसे पहले औरतों को बयान फ़रमाया। इसलिये कि उनका फ़ितना बड़ा ज़बरदस्त है। सही हदीस में है, रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- मैंने अपने बाद मर्दों पर औरतों से ज़्यादा ख़ौफ़नाक और कोई फ़ितना नहीं छोड़ा, हाँ जब किसी शख़्स की नीयत निकाह करके ज़िना से बचने की और औलाद की अधिकता की हो तो बेशक यह नेक काम है, इसकी रग़बत शरीअ़त ने दिलाई है और इसका हुक्म भी दिया है, और बहुत सी हदीसें निकाह करने बल्कि ख़ूब निकाह करने की फ़ज़ीलत में आयी हैं। और इस उम्मत में सबसे बेहतर वह है जो सबसे ज़्यादा बीवियों वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि दुनिया एक फ़ायदा है और इसका बेहतरीन फ़ायदा नेक बीवी है जो कि ख़ाविन्द अगर उसकी तरफ़ देखे तो यह उसे ख़ुश कर दे, और कोई हुक्म दे तो बजा लाये, और अगर कहीं चला जाये तो अपने नफ़्स की और ख़ाविन्द के माल की हिफ़ाज़त करे।

दूसरी हदीस में है कि मुझे औरतें और ख़ुशबू बहुत पसन्द हैं और मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में है। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सबसे ज़्यादा

महबूब औरतें थीं, हाँ घोड़े उनसे भी ज़्यादा पसन्द थे। एक और रिवायत में है कि घोड़ों से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की महबूब चीज़ कोई और न थी, हाँ सिर्फ़ औरतें। पस औरतों की मुहब्बत भली भी हुई और बुरी भी। इसी तरह लड़कों की कि अगर उनकी कसरत इसलिये चाहता है कि फ़ख़्र व गुरूर करे तो वह बुरी चीज़ है, और अगर इसलिये उनकी ज़्यादती चाहता है कि नस्ल बढ़े और अल्लाह के मानने वालों, मुसलमानों की गिनती उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में ज़्यादा हो तो बेशक यह भलाई की चीज़ है।

हदीस शरीफ़ में है कि मुहब्बत रखने वालियों और ज़्यादा औलाद होने वाली औरतों से निकाह करो, क़ियामत के दिन मैं तुम्हारी ज़्यादती से दूसरी उम्मतों पर फ़ख़्र करने वाला हूँ। ठीक इसी तरह माल भी है कि अगर उसकी मुहब्बत नादार (ग़रीब) लोगों को हक़ीर समझने के लिये और मिस्कीनों ग़रीबों पर फ़ख़्र करने के लिये है तो बेहद बुरी चीज़ है, और अगर माल की ख़्वाहिश (तमन्ना और इच्छा) अपनों और ग़ैरों से हमदर्दी करने, नेकियाँ करने, नेक रास्तों में ख़र्च करने के लिये है तो हर तरह शरअ़न अच्छी और बहुत अच्छी चीज़ है। 'क़िन्तार' की मिक़्दार (मात्रा) में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, हासिल यह है कि बहुत ज़्यादा माल को 'क़िन्तार' कहते हैं, जैसे कि हज़रत ज़ह्हाक का क़ौल है। और अक़वाल भी मुलाहिज़ा हों- एक हज़ार दीनार, बारह सौ दीनार, बाहर हज़ार, चालीस हज़ार, साठ हज़ार, सत्तर हज़ार अस्सी हज़ार, वग़ैरह वग़ैरह। मुस्नद अहमद की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि एक क़िन्तार बारह हज़ार ओक़िया का है, और हर ओक़िया बेहतर है ज़मीन व आसमान से (ग़ालिबन यहाँ सवाब की मिक़्दार बयान हुई है जो एक क़िन्तार मिलेगा, वल्लाहु आलम)।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से ऐसी ही एक मौक़ूफ़ रिवायत भी मरवी है और यही ज़्यादा सही है, इसी तरह इब्ने जरीर में हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल और हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से भी रिवायत है, और इब्ने अबी हातिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. और हज़रत अबूदर्दा रज़ि. से रिवायत है कि क़िन्तार बारह सौ ओक़िया हैं। इब्ने जरीर की एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी बारह सौ ओक़िया आये हैं, लेकिन वह हदीस भी मुन्कर है, मुम्किन है कि वह हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. का क़ौल हो, जैसे और सहाबा का भी यही फ़रमान है।

इब्ने मर्दूया में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स सौ आयतें पढ़ ले वह ग़ाफ़िलों में नहीं लिखा जायेगा और जिसने सौ से हज़ार तक पढ़ लीं उसे ख़ुदा की तरफ़ से एक क़िन्तार अज्र मिलेगा, और क़िन्तार बड़े पहाड़ के बराबर है। मुस्तदरक हाकिम में है कि इस आयत के इस लफ़्ज़ का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया तो आपने फ़रमाया- दो हज़ार ओक़िया। इमाम हाकिम रह. इसे सही और इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम की शर्त पर बतलाते हैं, अगरचे बुख़ारी व मुस्लिम ने इस हदीस को ज़िक्र नहीं किया। तबरानी वग़ैरह में है एक हज़ार दीनार। हज़रत हसन बसरी रह. से मौक़ूफ़न या मुर्सलन रिवायत है कि बारह सौ दीनार। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यही रिवायत है। इमाम ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि अ़रब के बाज़ लोग क़िन्तार को बारह सौ का बताते हैं बाज़ बारह हज़ार का। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. फ़रमाते हैं कि बैल की खाल के भर जाने के बराबर सोने को क़िन्तार कहते हैं, यह मरफ़ूअ़न भी रिवायत है, लेकिन ज़्यादा सही मौक़ूफ़ है।

घोड़ों की मुहब्बत के भी तीन असबाब (कारण) हैं, एक तो वे लोग जो घोड़ों को पालते हैं ख़ुदा की राह में उन पर सवार होकर जिहाद करने के लिये, उनके लिये तो ये घोड़े अज्र व सवाब का सबब हैं। दूसरे

वे जो फ़ख़्र व ग़ुरूर के तौर पर पालते हैं, ये उनके ज़िम्मे वबाल हैं। तीसरे वे जो सवाल से बचने (कि किसी से ज़रूरत में सवारी न माँगनी पड़े) और उसकी नस्ल की हिफ़ाज़त के लिये पालते हैं और ख़ुदा का हक़ नहीं भूलते, इसमें न अज्र है और न अ़ज़ाब है। इसी मज़मून की हदीस इस आयतः

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ............الخ.

(सूरः अन्फ़ाल आयत 60) की तफ़सीर में आयेगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

"मुसव्वमा" के मायने चरने वाला और पच-कलियान वग़ैरह के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हर अ़रबी घोड़ा फ़जर के वक़्त ख़ुदा की इजाज़त से दो दुआयें करता है, कहता है कि ख़ुदाया जिसके क़ब्ज़े में तूने मुझे दिया है तू उसके दिल में उसके बाल-बच्चों और माल से ज़्यादा मुहब्बत मेरी दे। "अन्आ़म" से मुराद ऊँट, बकरियाँ, गायें हैं। "हर्स" से मुराद ज़मीन है जो खेती बोने या बाग़ लगाने के लिये तैयार की जाये। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि इनसान का बेहतर माल ज़्यादा नस्ल वाला घोड़ा है और ज़्यादा फलदार दरख़्त खजूर है।

फिर फ़रमाया कि ये सब दुनियावी फ़ायदे की चीज़ें हैं और यहीं की रौनक़ और ख़ुश होने की चीज़ें हैं, जो फ़ानी और ज़वाल पाने वाली हैं। अच्छी लौटने की जगह और बेहतरीन सवाब का मक़ाम ख़ुदा के पास है। मुस्नद अहमद में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने फ़रमाया- ख़ुदाया जबकि तूने इसे ज़ीनत (चमक-दमक) दे दी तो अब हमारे लिये क्या है? इस पर उसके बाद वाली आयत उतरी कि ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! आप उनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे बेहतरीन चीज़ें बतलाता हूँ। यह तो एक न एक दिन ख़त्म और फ़ना होने वाली हैं और मैं जिनकी तरफ़ तुम्हें बुला रहा हूँ वे देरपा ही नहीं बल्कि हमेशगी वाली हैं। सुनो ख़ुदा से डरने वालों के लिये जन्नत है, जिसके किनारे-किनारे और जिसके दरख़्तों के दरमियान क़िस्म-क़िस्म की नहरें बह रही हैं। कहीं शहद की, कहीं दूध की, कहीं पाक शराब की, कहीं बेहतरीन उम्दा पानी की। और वे नेमतें हैं जो न किसी कान ने सुनी न किसी आँख ने देखी हों न किसी दिल में ख़्याल भी गुज़रा हो। उन जन्नतों में ये मुत्तक़ी लोग हमेशा रहेंगे, न ये निकाले जायेंगे न इन्हें दी हुई नेमतें घटेंगी न फ़ना होंगे। फिर वहाँ बीवियाँ मिलेंगी जो मैल-कुचैल से, ख़बासत और बुराई से, हैज़ व निफ़ास (माहवारी और ज़चगी के ख़ून) से, गन्दगी और पलीदी से पाक-साफ़ हैं। हर तरह सुथरी और पाकीज़ा हैं। इन सबसे बढ़कर यह कि ख़ुदा की रज़ामन्दी उन्हें हासिल हो जायेगी, और ऐसी कि उसके बाद नाराज़गी का खटका ही नहीं। इसी लिये सूरः बराअत की आयत में फ़रमायाः

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

कि ख़ुदा की थोड़ी सी रज़ामन्दी का हासिल हो जाना भी सबसे बड़ी चीज़ है।

यानी तमाम नेमतों से आला नेमत अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी-ए-मौला है। तमाम बन्दे ख़ुदा की निगाह में हैं, वह बख़ूबी जानता है कि मेहरबानी का मुस्तहिक़ कौन है।

(ये) ऐसे लोग (हैं) जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ईमान ले आए, सो आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचा लीजिए। (16) (और	اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اَلصّٰبِرِيْنَ

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝	वे लोग) सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं और (अल्लाह के सामने) आजिज़ी करने वाले हैं, और (माल) ख़र्च करने वाले हैं और रात के आख़िरी हिस्से में (उठ-उठकर) गुनाहों की माफ़ी चाहने वाले हैं। (17)

नेक लोगों की कुछ सिफ़तें

अल्लाह तआ़ला अपने मुत्तक़ी (नेक और परहेज़गार) बन्दों की सिफ़तें और ख़ूबियाँ बयान फ़रमाता है कि वे कहते हैं ऐ परवर्दिगार! हम तुझ पर, तेरी किताब पर और तेरे रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर ईमान लाये, हमारे इस ईमान के सबब जो तेरी ज़ात पर और तेरी शरीअ़त पर है, तू हमारी 'तक़सीर' (ख़ता और ग़लती) को अपने फ़ज़्ल व करम से माफ़ फ़रमा, और हमें जहन्नम के अ़ज़ाब से निजात दे। ये मुत्तक़ी लोग अल्लाह के हुक्मों पर अ़मल करते हैं और हराम चीज़ों से अलग रहते हैं, सब्र व संयम से काम लेते हैं और अपने ईमान के दावे में भी सच्चे हैं, तमाम अच्छे और नेक आमाल बजा लाते हैं चाहे वे नफ़्स पर भारी पड़ें। इताअ़त (नेकी करने) और अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, अपने माल ख़ुदा की राह में जहाँ-जहाँ हुक्म है ख़र्च करते हैं, सिला-रहमी में रिश्तेदारी को बाक़ी रखने में, बुराईयों के रोकने में, हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही करने में, ज़रूरत मन्द मिस्कीनों और फ़क़ीरों के साथ एहसान करने में सख़ावत (दान-पुन) से काम लेते हैं और सेहरी के वक़्त पिछली रात को उठ-उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं (क्योंकि उस वक़्त तबीयत में सुकून और यक्सूई होती है और अल्लाह तआ़ला की ख़ास रहमत बन्दों की तरफ़ मुतवज्जह होती है)। इससे मालूम हुआ कि इस वक़्त इस्तिग़फ़ार बहुत अफ़ज़ल है। यह भी कहा गया है कि क़ुरआन करीम की इस आयत में हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने अपने बेटों से जो फ़रमाया थाः

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّىْ.

कि मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिये अपने रब से बख़्शिश तलब करूँगा।

इससे मुराद भी सेहरी का वक़्त है। अपनी औलाद से फ़रमाते हैं कि सेहरी के वक़्त तुम्हारे लिये इस्तिग़फ़ार करूँगा। सहीहैन वग़ैरह की हदीस में जो बहुत से सहाबियों से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआ़ला हर रात आख़िरी तिहाई रात बाक़ी रहते हुए दुनिया वाले आसमान पर उतरता (यानी अपनी रहमत की ख़ास तवज्जोह फ़रमाता) है और फ़रमाता है कि कोई साईल (माँगने और सवाल करने वाला) है? जिसे मैं दूँ? कोई दुआ़ माँगने वाला है कि मैं उसकी दुआ़ क़बूल करूँ? कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला है कि मैं उसे बख़्शूँ। हाफ़िज़ अबुल-हसन दारे क़ुतनी रह. ने तो इस मसले पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है और उसमें हदीस की तमाम सनदों को और उसके तमाम अलफ़ाज़ को नक़ल किया है।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रात के पहले हिस्से, बीच के और आख़िरी रात में वित्र पढ़ा है, सबसे आख़िरी वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वित्र पढ़ने का सेहरी तक था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. रात को तहज्जुद पढ़ते रहते और अपने ग़ुलाम हज़रत नाफ़े रज़ि. से पूछते- क्या सेहर हो गयी?

जब वह कहते हाँ तो फिर आप सुबह सादिक़ के निकलने तक दुआ़ व इस्तिग़फ़ार में मशग़ूल रहते। हज़रत हातिब फ़रमाते हैं कि सेहरी के वक़्त मैंने सुना कि कोई शख़्स मस्जिद के किसी कोने में कह रहा है- खुदाया! तूने मुझे हुक्म किया मैं बजा लाया, यह सेहर का वक़्त है मुझे बख़्श दे। मैंने देखा तो वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं- हमें हुक्म किया जाता था कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो सेहरी के वक़्त सत्तर मर्तबा इस्तिग़फ़ार करें और खुदा से बख़्शिश की दुआ़ करें।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ○

गवाही दी अल्लाह तआ़ला ने इसकी कि सिवाय उस ज़ात के कोई माबूद होने के लायक़ नहीं और फ़रिश्तों ने भी और इल्म वालों ने भी और माबूद भी वह इस शान के हैं कि एतिदाल के साथ इन्तिज़ाम रखने वाले हैं, उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक़ नहीं, वह ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। (18) बेशक (हक़ और मक़बूल) दीन अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इख़्तिलाफ़ किया (कि इस्लाम को बातिल कहा) तो ऐसी हालत के बाद कि उनको दलील पहुँच चुकी थी सिर्फ़ एक-दूसरे से बढ़ने के सबब से, और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के अहकाम का इनकार करेगा तो इसमें कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआ़ला बहुत जल्द उसका हिसाब लेने वाले हैं। (19) फिर भी अगर ये लोग आप से हुज्जतें निकालें तो आप फ़रमा दीजिए कि (तुम मानो या न मानो) मैं तो अपना रुख़ ख़ास अल्लाह की तरफ़ कर चुका और जो मेरी पैरवी करने वाले थे वे भी। और अहले किताब से और अ़रब (के मुश्रिकीन) से कहिए कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? सो अगर वे लोग इस्लाम ले आएँ तो वे लोग भी राह पर आ जाएँगे, और अगर वे लोग रू-गर्दानी करें तो आपके ज़िम्मे सिर्फ़ पहुँचा देना है, और अल्लाह तआ़ला ख़ुद देख (और समझ) लेंगे बन्दों को। (20)

इस्लाम के अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने पर ख़ुद अल्लाह तआला की गवाही

अल्लाह तआला ख़ुद शहादत (गवाही) देता है, बस उसकी शहादत काफ़ी है, वह सबसे ज़्यादा सच्चा शाहिद (गवाह) है, सबसे ज़्यादा सच्ची बात उसी की है। वह फ़रमाता है कि तमाम मख़्लूक़ उसकी ग़ुलाम है, उसी की पैदा की हुई है और उसी की तरफ़ मोहताज है। वह सबसे ज़्यादा बेनियाज़ है, माबूद होने में, अल्लाह होने में वह यक्ता (अकेला और बेमिस्ल) और ला-शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। जैसे एक जगह फ़रमान है:

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ............ الخ.

यानी लेकिन अल्लाह तआला इस किताब के ज़रिये जो वह तेरी तरफ़ अपने इल्म से उतार रहा है, गवाही दे रहा है और फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह तआला की शहादत काफ़ी होती है।

फिर अपनी शहादत (गवाही) के साथ फ़रिश्तों की और उलेमा की शहादत को मिला रहा है, यहाँ से उलेमा की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत साबित होती है बल्कि एक ऐसी ख़ुसूसियत जिसमें कोई उनका शरीक नहीं। फिर ताकीद के साथ दोबारा इरशाद होता है कि माबूदे हक़ीक़ी सिर्फ़ वही है, वह ग़ालिब है, अ़ज़मत और किब्रियाई वाली उसी की बारगाह है, वह अपने अक़वाल अफ़आ़ल शरीअ़त क़ुदरत और तक़दीर में हिक्मतों वाला है। मुस्नद अहमद में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़रफ़ात में इस आयत (यानी सूरः आले इमरान की आयत 20 पूरी) की तिलावत की और फ़रमायाः

وَاَنَاعَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ يَا رَبِّ.

कि ऐ रब! मैं इस पर गवाह हूँ। इब्ने अबी हातिम में है कि आपने यूँ फ़रमायाः

وَاَنَااَشْهَدُاَىْ رَبِّ.

ऐ मेरे रब! मैं इसकी गवाही देता हूँ।

हदीस का शौक़

शुरू ज़माने की बाज़ सबक़ लेने वाली शहादतें

तबरानी में है, हज़रत ग़ालिब क़त्तान फ़रमाते हैं कि मैं कूफ़े में तिजारती मक़सद से गया और हज़रत आमश रह. के क़रीब ठहरा। रात को हज़रत आमश रह. तहज्जुद के लिये खड़े हुए पढ़ते-पढ़ते जब इस आयत तक पहुँचे औरः

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِ سْلَامُ.

"बेशक अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा और मक़बूल दीन सिर्फ़ इस्लाम है" पढ़ा तो फ़रमायाः

وانااشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهى لى عند الله وديعة.

यानी मैं भी गवाही देता हूँ उसकी जिसकी गवाही ख़ुदा ने दी, और मैं इस गवाही को ख़ुदा के सुपुर्द करता हूँ। यह मेरी अमानत ख़ुदा के पास है। फिर कई बार आयत का यही हिस्सा दोहराते रहेः

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

''बेशक अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा और मक़बूल दीन सिर्फ़ इस्लाम है''

मैंने अपने दिल में ख़्याल किया कि शायद इस बारे में कोई हदीस सुनी होगी, सुबह ही सुबह मैं हाज़िरे ख़िदमत हुआ और अ़र्ज़ किया कि ऐ अबू मुहम्मद! क्या बात थी जो आप इस आयत को बार-बार पढ़ते रहे? कहा क्या इसकी फ़ज़ीलत तुम्हें मालूम नहीं? मैंने कहा हज़रत मैं तो महीने भर से आपकी ख़िदमत में हूँ लेकिन आपने हदीस बयान ही नहीं की, कहने लगे ख़ुदा की क़सम मैं तो साल भर तक बयान न करूँगा। अब मैं इस हदीस के सुनने की ख़ातिर साल भर तक ठहरा रहा और उनके दरवाज़े पर पड़ा रहा। जब पूरा साल गुज़र चुका तो मैंने कहा ऐ अबू मुहम्मद! साल गुज़र चुका। कहा सुन! मुझसे अबू वाईल ने हदीस बयान की, उसने अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से सुना, वह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसके पढ़ने वाले को क़ियामत के दिन लाया जायेगा, अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा मेरे इस बन्दे ने मेरा अ़हद लिया है, और मैं अ़हद को पूरा करने में सबसे ज़्यादा हूँ। मेरे इस बन्दे को जन्नत में ले जाओ, फिर अल्लाह तबारक व तआ़ला फ़रमाता है कि वह सिर्फ़ इस्लाम है।

अब हिदायत का एक ही रास्ता है और वह सिर्फ़ इस्लाम है

इस्लाम हर ज़माने के पैग़म्बर की 'वही' (अल्लाह की तरफ़ से आये अहकाम और पैग़ाम) की ताबेदारी का नाम है। सबसे आख़िर में और सब रसूलों को ख़त्म करने वाले हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं, आपकी नुबुव्वत के बाद सब रास्ते बन्द हो गये। अब जो शख़्स आपकी शरीअ़त के अ़लावा किसी चीज़ पर अ़मल करे ख़ुदा के नज़दीक वह दीनदार नहीं। जैसे एक और जगह हैः

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ.

जो शख़्स इस्लाम के अ़लावा कसी और दीन की तलाश करे वह उससे क़बूल नहीं किया जायेगा।

इसी तरह इस आयत में दीन का दायरा सिर्फ़ इस्लाम में समेट दिया है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की क़िराअत के मुताबिक़ मायने यह होंगे कि ख़ुद ख़ुदा की गवाही है और उसके फ़रिश्तों की और उलेमा हज़रात की कि ख़ुदा के नज़दीक मक़बूल होने वाला दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। जमहूर की क़िराअत में 'इन्-न' ज़ेर के साथ है और मायने के लिहाज़ से दोनों ही ठीक हैं। लेकिन जमहूर की तहक़ीक़ ज़्यादा ज़ाहिर है। वल्लाहु आलम। फिर इरशाद होता है कि पहली किताब वालों ने अपने पाक ख़ुदा के पैग़म्बरों के आ जाने और ख़ुदाई किताबें उतरने के बाद इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) किया, और इसकी वजह सिर्फ़ उनका बुग़्ज़ व दुश्मनी थी, कि यह जो कहता है मैं उसके ख़िलाफ़ कहूँगा, चाहे वह हक़ ही कहता हो।

फिर इरशाद है कि जब ख़ुदा की आयतें उतर चुकीं अब जो इनका इनकार करे, इन्हें न माने तो अल्लाह तआ़ला भी उससे उसके झुठलाने का बहुत जल्द हिसाब लेगा, किताबुल्लाह की मुख़ालफ़त की वजह से उसे सख़्त अ़ज़ाब करेगा और उसे उसकी इस शरारत का मज़ा चखा देगा। फिर फ़रमाया कि अगर ये लोग तुझसे अल्लाह की तौहीद में झगड़ें तो तू कह दे कि मैं तो ख़ालिस अल्लाह ही की इबादत करूँगा जिसका न कोई शरीक है न उस जैसा कोई है, न उसकी औलाद है न बीवी। और भी मेरी उम्मती मेरे दीन

पर हैं, उन सब का क़ौल भी यही है। जैसे एक और जगह फ़रमाया:

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ.

मेरी राह यही है, मैं ख़ूब सोच-समझ कर देख भालकर तुम्हें ख़ुदा की तरफ़ बुला रहा हूँ। मैं भी और मेरे ताबेदार भी।

फिर हुक्म देता है- ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! यहूद व ईसाईयों से जिनके हाथों में किताबुलाह है और मुश्रिकीन से जो अनपढ़ हैं, कह दो कि तुम सब की हिदायत (बेहतरी और सही राह) इस्लाम में ही है, और अगर ये न मानें तो कोई बात नहीं, आप अपना तब्लीग़ का फ़र्ज़ अदा कर चुके। ख़ुदा ख़ुद उनसे समझ लेगा, उन सबको लौटकर उसी के पास जाना है। वह जिसे चाहे सही रास्ता दिखाये जिसे चाहे गुमराह कर दे। अपनी हिक्मत को वही ख़ूब जानता है। उसकी हुज्जत तो पूरी होकर रहती है, उसकी अपने बन्दों पर नज़र है, उसे ख़ूब मालूम है कि हिदायत का हक़दार कौन है और कौन गुमराही का मुस्तहिक़ है। उससे कोई पूछगछ करने वाला नहीं।

नबी करीम सल्ल. की आ़म रिसालत पर बाज़ गवाहियाँ

ये और इन जैसी आयतों में इस बात पर साफ़ बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तमाम मख़्लूक़ की तरफ़ ख़ुदा के नबी बनकर आये। ख़ुद आपके दीन के अहकाम इस पर दलालत करते हैं और किताब व सुन्नत में बहुत सी आयतें और हदीस इस मज़मून की हैं। क़ुरआन पाक में एक जगह है:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

ऐ लोगो! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ। एक और आयत में है:

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

बरकत वाला है वह ख़ुदा जिसने अपने बन्दे पर क़ुरआन नाज़िल फ़रमाया, ताकि वह तमाम दुनिया वालों के लिये तंबीह करने वाला बन जाये।

सहीहैन वग़ैरह में कई-कई वाक़िआ़त से तवातुर के साथ साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इधर-उधर के तमाम बादशाहों और दूसरे लोगों को पत्र भिजवाये, जिनमें उन्हें ख़ुदा की तरफ़ आने की दावत दी, चाहे वे अ़रब के हों या अ़जम (अ़रब के अ़लावा) के हों, अहले किताब हों या किसी दूसरे मज़हब वाले हों, और इस तरह आपने तब्लीग़ के फ़र्ज़ को तमाम व कमाल तक पहुँचा दिया (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)। मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से जिस किसी के कान में मेरी नुबुव्वत की आवाज़ पहुँचे और वह मेरी लाई हुई चीज़ पर ईमान न लाये, चाहे यहूदी हो या ईसाई और उसी कुफ़्र की हालत में मर जाये तो यक़ीनी तौर पर जहन्नमी होगा।

मुस्लिम शरीफ़ में भी यह हदीस है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद भी कि मैं हर एक सुर्ख़ व सियाह (काले और लाल) की तरफ़ ख़ुदा का नबी बनाकर भेजा गया हूँ। एक और हदीस में है कि हर नबी सिर्फ़ अपनी क़ौम की तरफ़ भेजा जाता रहा और मैं तमाम इनसानों के लिये नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ि. से रिवायत है कि एक यहूदी लड़का जो नबी सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम के लिये वुज़ू का पानी रखा करता था और जूतियाँ लाकर रख देता था, वह बीमार पड़ गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी बीमारी का हाल पूछने के लिये तशरीफ़ लाये, उस वक़्त उसका बाप भी उसके सिरहाने बैठा हुआ था। आपने फ़रमाया ऐ फ़ुलाँ! 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कह, उसने अपने बाप की तरफ़ देखा और बाप को ख़ामोश देखकर ख़ुद भी चुपका हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दोबारा यही फ़रमाया- उसने फिर अपने बाप की तरफ़ देखा, बाप ने कहा- अबुल-क़ासिम की मान ले। पस बच्चे ने कहाः

اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله.

"मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं इसकी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं" नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वहाँ से यह फ़रमाते हुए उठे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी वजह से उसे जहन्नम से बचा लिया है। इसे सही बुख़ारी में हज़रत इमाम बुख़ारी लाये हैं, इनके अ़लावा और भी बहुत-सी सही हदीसें और क़ुरआन करीम की आयतें हैं।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ○

बेशक जो लोग कुफ़्र करते हैं अल्लाह तआ़ला की आयतों के साथ और क़त्ल करते हैं पैग़म्बरों को नाहक़, और क़त्ल करते हैं ऐसे शख़्सों को जो (अफ़आ़ल व अख़्लाक़ के) एतिदाल की तालीम देते हैं, सो ऐसे लोगों को ख़बर सुना दीजिए एक दर्दनाक सज़ा की। (21) (और) ये वे लोग हैं कि उनके सब (नेक) आमाल ग़ारत हो गए दुनिया में और आख़िरत में, और (सज़ा के वक़्त) उनका कोई (हिमायती और) मददगार न होगा। (22)

अच्छाईयों का हुक्म करने वालों को तकलीफ़ देने वाले मुजरिम हैं

यहाँ अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) की मज़म्मत (बुराई और निंदा) बयान हो रही है जो गुनाह और हराम काम करते रहते थे। ख़ुदा की अगली-पिछली बातों को जो उसने अपने रसूलों के ज़रिये पहुँचायीं, झुठलाते रहते थे। इतना ही नहीं बल्कि पैग़म्बरों को मार डाला करते थे, इस क़द्र सरकश थे कि जो लोग उन्हें अ़दल व इन्साफ़ की सुनायें उन्हें बेखटके क़त्ल कर दिया करते थे। हदीस में है कि तकब्बुर व ग़ुरूर यही है कि हक़ को न मानना और हक़ वालों को ज़लील जानना। मुस्नद अबू हातिम में है, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि सबसे ज़्यादा सख़्त अ़ज़ाब किसे होगा? आपने फ़रमाया उसे जो किसी नबी को मार डाले या किसी ऐसे शख़्स को जो भलाई का बताने वाला और बुराई से बचाने वाला हो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया- ऐ अबू उबैदा! बनी इस्राईल ने तैंतालीस नबियों को दिन के शुरू हिस्से में एक ही

घड़ी में क़त्ल किया, फिर एक सौ सत्तर बनी इस्राईल के ईमान वाले जो उन्हें इससे रोकने के लिये खड़े हुए थे और उन्हें भलाई का हुक्म दे रहे थे और बुराई से रोक रहे थे उन सब को उसी दिन के आख़िरी हिस्से में मार डाला। इस आयत में अल्लाह तआ़ला उन्हीं का ज़िक्र कर रहा है।

इब्ने जरीर में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि बनी इस्राईल ने तीन सौ नबियों को शुरू दिन में क़त्ल किया और शाम को सब्ज़ी-पाला बेचने बैठ गये। पस उन लोगों की इस सरकशी, तकब्बुर और घमंड की बिना पर ख़ुदा तआ़ला ने उन्हें दुनिया में पस्त व ज़लील कर दिया और आख़िरत में भी रुस्वाई वाले बदतरीन अ़ज़ाब उनके लिये तैयार किये। इसी लिये फ़रमाया कि उन्हें दर्दनाक ज़िल्लत वाले अ़ज़ाबों की ख़बर पहुँचा दो। उनके आमाल दुनिया में भी ग़ारत और आख़िरत में भी बरबाद, और उनका कोई मददगार और सिफ़ारिशी भी न होगा।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ○ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۙ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ○	(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जिनको किताब (तौरात) का एक (काफ़ी) हिस्सा दिया गया, और उसी अल्लाह की किताब की तरफ़ इस गर्ज़ से उनको बुलाया भी जाता है कि वह उनके दरमियान फ़ैसला कर दे, फिर (भी) उनमें से कुछ लोग मुँह मोड़ते हैं बेरुख़ी करते हुए। (23) (और) यह इस सबब से है कि वे लोग यूँ कहते हैं कि हमको सिर्फ़ गिनती के थोड़े दिनों तक दोज़ख़ की आग लगेगी, और उनको धोखे में डाल रखा है उनके दीन के बारे में उनकी घड़ी हुई बातों ने, सो (उनका) क्या (बुरा) हाल होगा। (24) जबकि हम उनको उस तारीख़ में जमा कर लेंगे जिस (के आने) में ज़रा-सा शुब्हा नहीं, और (उस तारीख़ में) पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा हर शख़्स को (उस काम का) जो कुछ उसने (दुनिया में) किया था, और उन शख़्सों पर ज़ुल्म न किया जाएगा। (25)

अल्लाह की किताब से मुँह मोड़ने पर पकड़

यहाँ अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि यह यहूद व ईसाई अपने इस दावे में भी झूठे हैं कि उनका तौरात व इन्जील पर ईमान है, क्योंकि उन किताबों की हिदायत के मुताबिक़ जब उन्हें इस नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ की इताअ़त की तरफ़ बुलाया जाता है तो ये भागते दिखाई देते हैं। इससे उनकी सरकशी, तकब्बुर, दुश्मनी और मुख़ालफ़त ज़ाहिर हो रही है। हक़ की इस मुख़ालफ़त और इस बेजा सरकशी पर उन्हें इस चीज़ ने दिलेर कर दिया है कि उन्होंने बावजूद ख़ुदा की किताब में न होने के अपनी तरफ़ से गढ़ करके यह बयान

बना लिया है कि हम तो सिर्फ़ चन्द रोज़ ही आग में रहेंगे, यानी सिर्फ़ सात रोज़, दुनिया के हिसाब से हर हज़ार साल के बाद एक दिन। इसकी पूरी तफ़सीर सूरः ब-क़रह में गुज़र चुकी है। इसी बेबुनियाद और ग़लत ख़्याल के सबब जो उनके दिल में जमा दिया गया है, हालाँकि यह खुद उनका ख़्याल है ख़ुदा ने न ऐसी बात कही न इसकी कोई किताबी दलील उनके पास है।

फिर ख़ुदा तबारक व तआ़ला उन्हें डाँटता और धमकाता है और फ़रमाता है कि उनका क़ियामत वाले दिन क्या हाल होगा कि उन्होंने ख़ुदा पर झूठ बाँधा, रसूलों को झुठलाया, अम्बिया को और हक़ कहने वाले उलेमा को क़त्ल किया, एक-एक बात का ख़ुदा के सामने जवाब देना पड़ेगा और एक-एक गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उस दिन के आने में कोई शक व शुब्हा नहीं, उस दिन हर शख़्स को पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और किसी पर भी किसी तरह का ज़ुल्म रवा न रखा जायेगा।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(ऐ मुहम्मद) आप (अल्लाह से) यूँ कहिए कि ऐ अल्लाह तमाम मुल्क के मालिक! आप मुल्क जिसको चाहें दे देते हैं और जिससे चाहें मुल्क ले लेते हैं, और जिसको चाहें ग़ालिब कर देते हैं, और जिसको चाहें पस्त कर देते हैं, आप ही के इख़्तियार में है सब भलाई, बेशक आप हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं। (26) आप रात के हिस्सों को दिन में दाख़िल कर देते हैं, और (बाज़ मौसमों में) दिन (के हिस्सों) को रात में दाख़िल कर देते हैं, और आप जानदार चीज़ को बेजान चीज़ से निकाल लेते हैं, (जैसे अंडे से बच्चा) और बेजान चीज़ को जानदार से निकाल लेते हैं, (जैसे परिन्दे से अंडा) और आप जिसको चाहते हैं बेशुमार रिज़्क़ अ़ता फ़रमाते हैं। (27)

अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है, उसके सिवा किसी और को किसी बात की भी क़ुदरत नहीं

अल्लाह तबारक व तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! आप अपने रब की ताज़ीम (बड़ाई) के तौर पर और उसका शुक्रिया बजा लाने के लिये और उसे अपने तमाम काम सौंप देने के लिये और उसकी पाक ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए इन अलफ़ाज़ में उसकी बड़ाईयाँ बयान कीजिए जो ऊपर बयान हुए। यानी ऐ अल्लाह! मालिकुल-मुल्क तू है, तमाम मुल्क तेरी मिल्कियत में है जिसे तू चाहे दे और जिससे चाहे दिया हुआ भी ले ले। तू ही देने लेने वाला है, तू जो चाहता है हो जाता है और जो न चाहे हो ही नहीं सकता।

इस आयत में इस बात की भी तंबीह और इस नेमत के शुक्र का भी हुक्म है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी उम्मत को इनायत फ़रमाई गयी कि नुबुव्वत बनी इस्राईल से हटाकर अ़रबी नबी क़ुरैशी उम्मी मक्की हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दे दी गयी, और आपको पूरी तरह नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले और तमाम इनसानों व जिन्नात की तरफ़ रसूल बनकर आने वाले बनाया। पहले तमाम अम्बिया की ख़ूबियाँ आप में जमा (एकत्र) कर दीं और वे फ़ज़ीलतें आपको दी गयीं जिनसे दूसरे तमाम अम्बिया भी मेहरूम रहे, चाहे वे अल्लाह के इल्म के बारे में हों या उस रब की शरीअ़त के मामले में हों, या पहले हो चुकी और आने वाली ख़बरों के मुताल्लिक़ हों, आप पर ख़ुदा तआ़ला ने आख़िरत के तमाम हक़ायक़ (बातें और ग़ैबी चीज़ें) खोल दिये, आपकी उम्मत को पूरब व पश्चिम तक फैला दिया। आपके दीन और आपकी शरीअ़त को तमाम दीनों और तमाम मज़हबों पर ग़ालिब कर दिया। आप पर अल्लाह तआ़ला का दुरूद व सलाम नाज़िल हो। अब से लेकर क़ियामत तक जब तक रात दिन का यह चक्र बाक़ी रहे ख़ुदा तआ़ला अपनी रहमतें दवाम के साथ नाज़िल फ़रमाता रहे। आमीन।

पस फ़रमाया कि कहो ख़ुदाया! तू ही अपनी मख़्लूक़ (पैदा की हुई और बनाई हुई चीज़ों) में इन्क़िलाब (उलट-फेर) लाता रहता है, जो चाहे कर गुज़रता है, जो लोग कहते थे कि इन दो बस्तियों (मक्का और ताईफ़) में से किसी बहुत बड़े शख़्स पर ख़ुदा ने अपना कलाम क्यों नाज़िल न किया? उसका रद्द करते हुए अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ...... الخ.

क्या तेरे रब की रहमत के बाँटने वाले ये हैं? जब उनके रिज़्क़ तक के मालिक हम हैं, जिसे चाहें कम दें जिसे चाहें ज़्यादा दें, तो फिर हम पर हुकूमत करने वाला यह कौन? फ़ुलाँ को नबी क्यों न बनाया? नुबुव्वत भी हमारे इख़्तियार की चीज़ है, हम ही जानते हैं कि उसके दिये जाने के क़ाबिल कौन है। जैसे एक और जगह इरशाद हैः

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ.

जहाँ कहीं अल्लाह तआ़ला अपनी रिसालत नाज़िल फ़रमाता है उसे वही सबसे बेहतर जानता है। एक और जगह फ़रमायाः

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

देख ले कि हमने किस तरह उनमें आपस में एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है।

फिर फ़रमाता है कि तू ही रात की ज़्यादती को दिन के नुक़सान (कमी) में बढ़ाकर दिन रात को बराबर कर देता है। फिर इधर का हिस्सा उधर देकर दोनों को छोटा-बड़ा कर देता है। फिर बराबर कर देता है। ज़मीन व आसमान पर सूरज-चाँद पर पूरा-पूरा क़ब्ज़ा और कामिल इख़्तियार तेरा ही है। इसी तरह जाड़े को गर्मी से और गर्मी को जाड़े से बदलना भी तेरी क़ुदरत में है। बहार व ख़िज़ाँ पर क़ादिर तू ही है, तू ही है कि ज़िन्दा से मुर्दे को और मुर्दे से ज़िन्दा को निकाले। खेती दाने से और दाना खेती से, दरख़्ते खजूर गुठली से और गुठली खजूर से तू ही पैदा करता है। मोमिन को काफ़िर के यहाँ और काफ़िर को मोमिन के यहाँ तू ही पैदा करता है। मुर्ग़ी अण्डे से और अण्डा मुर्ग़ी से, और इसी तरह की तमाम चीज़ें तेरे ही क़ब्ज़े में हैं। तू जिसे चाहे इतना माल दे दे जो गिना भी न जाये, न इहाता किया जाये और जिसे चाहे ज़रूरत के

मुताबिक़ रोटी भी न दे। हम मानते हैं कि यह काम हिक्मत से पुर हैं और तेरे इरादे और मस्लेहतों से होते हैं। तबरानी की हदीस में है कि ख़ुदा का "इस्मे आज़म" इस आयत 'क़ुलिल्लाहुम्-म........' में है कि जब इस नाम से उससे दुआ की जाये तो वह क़बूल फ़रमा लेता है।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○	मुसलमानों को चाहिए कि काफ़िरों को (खुले तौर पर या छुपे तौर पर) दोस्त न बनाएँ, मुसलमानों (की दोस्ती) से आगे बढ़ करके, और जो शख़्स ऐसा (काम) करेगा सो वह शख़्स अल्लाह के साथ (दोस्ती रखने के) किसी शुमार में नहीं, मगर ऐसी सूरत में कि तुम उनसे किसी क़िस्म का (सख़्त) अन्देशा रखते हो और अल्लाह तआ़ला तुमको अपनी ज़ात से डराता है, और ख़ुदा ही की तरफ़ लौटकर जाना है। (28)

दोस्ती और ताल्लुक़ात ख़त्म करने का हुक्म

यहाँ अल्लाह तआ़ला ताल्लुक़ात और दोस्ती तोड़ने और न करने का हुक्म देता है कि मुसलमानों को यह शोभा नहीं देता यह उनके लायक़ नहीं कि काफ़िरों से मेल-मिलाप और ताल्लुक़ करें। उन्हें आपस में ईमान वालों से मेल-मिलाप और मुहब्बत रखनी चाहिये। फिर उन्हें हुक्म सुनाता है कि जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह तआ़ला बिल्कुल बेज़ार हो जायेगा। जैसे एक दूसरी जगह है:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ............ الخ.

यानी ऐ मुसलमानो! मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती न करो........।

एक और जगह फ़रमाया- मोमिनो! यह यहूद व ईसाई आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुममें से जो उनमें से दोस्ती करे वह उन्हीं में से है.......। एक और जगह परवर्दिगारे आ़लम ने मुहाजिर, अन्सार और दूसरे मोमिनों के भाई-चारे का ज़िक्र करके फ़रमाया है कि काफ़िर आपस में एक दूसरे के दोस्त और प्रेमी हैं तुम अगर ऐसा न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना फैल जायेगा और ज़बरदस्त फ़साद बरपा हो पड़ेगा। फिर उन लोगों को रुख़्सत (छूट और इजाज़त) दी जो किसी शहर में किसी वक़्त उनकी बदी और उनकी बुराई से डर कर वक़्त गुज़ारने के तौर पर बज़ाहिर कुछ मेल-मिलाप ज़ाहिर कर दें, लेकिन दिल में उनकी तरफ़ रग़बत और उनसे वास्तविक मुहब्बत न हो। जैसे सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू दर्दा रज़ि. से रिवायत है कि हम बाज़ क़ौमों से हंसकर मिलते हैं लेकिन हमारे दिल उन पर लानत भेजते रहते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ ज़बान से इज़हार करे लेकिन अ़मल में उनका साथ ऐसे वक़्त भी हरगिज़ न दे। यही बात दूसरे मुफ़स्सिरीन से भी नक़ल की गयी है और इसी की ताईद अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान भी करता है:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ.

जो शख़्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ़्र करे, सिवाय उसके जिस पर ज़बरदस्ती की जाये और दिल उसका ईमान के साथ मुत्मईन हो।

बुख़ारी में है, हज़रत हसन रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह हुक्म क़ियामत तक के लिये है। फिर फ़रमाया- ख़ुदा तुम्हें अपने आप से डराता है, यानी अपने दबदबे और अपने अ़ज़ाब से। उस शख़्स को ख़बरदार किये देता है जो उसके फ़रमान की मुख़ालफ़त करके, उसके दुश्मनों से ताल्लुक़ रखे और उसके दोस्तों से दुश्मनी करे। फिर फ़रमाया- अल्लाह ही की तरफ़ लौटना है, हर आ़मिल (अ़मल करने वाले) को उसके अ़मल का बदला वहीं मिलेगा। हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ि. ने खड़े होकर फ़रमाया- ऐ बनी अवद! मैं ख़ुदा के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का क़ासिद होकर तुम्हारी तरफ़ आया हूँ। जान लो कि ख़ुदा ही की तरफ़ लौटकर सबको जाना है। फिर या तो जन्नत ठिकाना होगा या जहन्नम।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗۤ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝	आप फ़रमा दीजिए कि अगर तुम छुपाकर रखोगे अपने दिल की बात या उसको ज़ाहिर करोगे, अल्लाह तआ़ला उसको (हर हाल में) जानते हैं, और वह सब कुछ जानते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत भी मुकम्मल रखते हैं। (29) जिस दिन (ऐसा होगा) कि हर शख़्स अपने अच्छे किए हुए कामों को सामने लाया हुआ पाएगा और अपने बुरे किए हुए कामों को भी, (और) इस बात की तमन्ना करेगा कि क्या ख़ूब होता जो उस शख़्स के और उस दिन के दरमियान बहुत लम्बी दूरी (आड़) होती, और ख़ुदा तआ़ला तुमको अपनी (अ़ज़ीमुश्शान) ज़ात से डराते हैं, और अल्लाह तआ़ला बन्दों पर निहायत मेहरबान हैं। (30)

अल्लाह तआ़ला सब कुछ जानते हैं

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि वह छुपी हुई बातों को और ज़ाहिर की हुई बातों को बख़ूबी जानता है। कोई छोटी से छोटी बात भी उस पर पोशीदा नहीं, उसका इल्म सब चीज़ों को हर वक़्त और हर लम्हा घेरे हुए है। ज़मीन के गोशों में, पहाड़ों में, समुद्रों में, आसमानों में, हवाओं में, सुराख़ों में ग़र्ज़ कि जो कुछ जहाँ कहीं है सब उसके इल्म में है। फिर उन सब पर इसकी क़ुदरत है, जिस तरह चाहे रखे जो चाहे जज़ा सज़ा दे। पस इतने बड़े विस्तृत इल्म वाले, इतनी बड़ी ज़बरदस्त क़ुदरत वाले से हर शख़्स को डरते हुए रहना चाहिये, इसकी फ़रमाँबरदारी में मशग़ूल रहना चाहिये और उसकी नाफ़रमानियों से अलग रहना चाहिये। वह आ़लिम भी है और क़ादिर भी है। मुम्किन है किसी को ढील दे दे, लेकिन जब पकड़ेगा तब दबोच लेगा। फिर न मोहलत मिलेगी न छूट। एक दिन आने वाला है जिस दिन तमाम उम्र के बुरे-भले सब

काम सामने रख दिये जायेंगे, नेकियों को देखकर ख़ुशी होगी और बुराईयों पर नज़रें डालकर दाँत पीसेगा, हसरत व अफ़सोस करेगा और चाहेगा कि मैं उनसे कोसों दूर और परे ही रहता। क़ुरआन ने एक और जगह फ़रमाया है:

يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ.

सब अगली-पिछली, की कराई बातें उस दिन पेश कर दी जायेंगी।

शैतान जो उसके साथ-साथ दुनिया में रहता था और उसे बुराईयों पर उक्साता था, वह भी उससे उस दिन बेज़ारी करेगा और कहेगाः

يَالَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ.

क्या अच्छा होता कि ऐ शैतान मेरे और तेरे दरमियान पूरब व पश्चिम का फ़ासला होता। वह तो बड़ा बुरा साथी है।

ख़ुदा तआ़ला तुम्हें अपने से यानी अपने अ़ज़ाब से डरा धमका रहा है। फिर अल्लाह तआ़ला अपने नेक बन्दों को ख़ुशख़बरी देता है कि वे उसके लुत्फ़ व करम से कभी नाउम्मीद न हों, वह निहायत ही मेहरबान, बहुत ही रहम और प्यार रखने वाला है। इमाम हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं यह भी उसकी सरासर मेहरबानी और लुत्फ़ व मुहब्बत है कि उसने अपने से ही अपने बन्दों को डराया। यह भी मतलब है कि ख़ुदा अपने बन्दों पर रहीम है, बन्दों को भी चाहिये कि सिराते मुस्तक़ीम से क़दम न हटायें, दीने पाक को न छोड़ें, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी से मुँह न मोड़ें।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

आप फ़रमा दीजिए कि अगर तुम ख़ुदा तआ़ला से मुहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी पैरवी करो और ख़ुदा तआ़ला तुमसे मुहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे, और अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले, बड़ी इनायत फ़रमाने वाले हैं। (31) (और) आप (यह भी) फ़रमा दीजिए कि तुम फ़रमाँबरदारी किया करो अल्लाह तआ़ला की और उसके रसूल की, फिर (इस पर भी) अगर वे लोग मुँह मोड़ें सो (सुन रखें कि) अल्लाह तआ़ला काफ़िरों से मुहब्बत नहीं करते। (32)

नबी करीम की पैरवी अल्लाह तआ़ला की रहमतों का सबब है

इस आयत ने फ़ैसला कर दिया कि जो शख़्स ख़ुदा की मुहब्बत का दावा करे और उसके आमाल, अफ़आ़ल (क्रम), अ़क़ीदे अल्लाह के नबी के फ़रमान के मुताबिक़ न हों, वह मुहम्मदी तरीक़े पर कारबन्द न हो, तो वह अपने इस दावे में झूठा है। सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स कोई ऐसा अ़मल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो, वह मर्दूद है। इसीलिये यहाँ भी इरशाद

होता है कि अगर तुम ख़ुदा से मुहब्बत रखने के दावे में सच्चे हो तो मेरी सुन्नतों पर अ़मल करो, उस वक़्त तुम्हारी तमन्ना से ज़्यादा ख़ुदा तुम्हें देगा, यानी वह ख़ुद तुम्हारा चाहने वाला बन जायेगा। जैसे कि बाज़ दानिश्वर उलेमा ने कहा है कि तेरा चाहना कोई चीज़ नहीं, लुत्फ़ तो उस वक़्त है कि ख़ुदा तुझे चाहने लग जाये। ग़र्ज़ कि ख़ुदा की मुहब्बत की निशानी यही है कि हर काम में सुन्नत की पैरवी मद्दे नज़र हो। इब्ने अबी हातिम में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दीन सिर्फ़ अल्लाह के लिये मुहब्बत और उसी के लिये दुश्मनी का नाम है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। लेकिन यह हदीस सनद के एतिबार से मुन्कर है। फिर फ़रमाता है कि सुन्नते नबवी पर चलने की वजह से अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को भी माफ़ फ़रमा देगा।

फिर हर आ़म व ख़ास को हुक्म मिलता है कि सब ख़ुदा और रसूल की मानते रहें, जो इससे लौट जायें यानी ख़ुदा और रसूल की इताअ़त से हट जायें तो वे काफ़िर हैं और ख़ुदा उनसे मुहब्बत नहीं रखता। इससे साफ़ वाज़ेह हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े की मुख़ालफ़त कुफ़्र है, ऐसे लोग ख़ुदा के दोस्त नहीं हो सकते चाहे उनका दावा हो, लेकिन जब तक ख़ुदा के सच्चे नबी-ए-उम्मी ख़ातमुल् मुर्सलीन, जिन्न व बशर के रसूल की सुन्नत और तरीक़े की ताबेदारी और पैरवी न करें वह अपने इस दावे में झूठे हैं। हुज़ूरे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो वह हैं कि अगर आज अम्बिया और रसूल बल्कि बड़े और बुलन्द-रुतबा पैग़म्बर भी ज़िन्दा होते तो उन्हें भी आपकी माने बग़ैर और आपकी शरीअ़त पर अ़मल किये बग़ैर चारा ही नहीं था। इसका तफ़सीली और विस्तृत बयान आगे इस आयतः

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ.

(सूरः आले इमरान आयत 31) की तफ़सीर में आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝	बेशक अल्लाह तआ़ला ने (नुबुव्वत के लिए) चुन लिया है (हज़रत) आदम को और (हज़रत) नूह को और (हज़रत) इब्राहीम की औलाद (में से कुछ) को और इमरान की औलाद (में से कुछ) को तमाम जहान पर। (33) बाज़े उनमें बाज़ों की औलाद हैं और अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनने वाले हैं ख़ूब जानने वाले हैं। (34)

अम्बिया-ए-अ़लैहिमुस्सलाम अल्लाह तआ़ला के ख़ास और चुने हुए बन्दे हैं

यानी अल्लाह तबारक व तआ़ला ने इन बुज़ुर्ग हज़रात को तमाम जहान पर ख़ास दर्जा इनायत फ़रमाया है। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह उनमें फूँकी, हर चीज़ के नाम उन्हें बतलाये, जन्नत में उन्हें बसाया, फिर अपनी हुकूमत के इज़हार के लिये ज़मीन पर उतार दिया। हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को जबकि ज़मीन पर बुत-परस्ती क़ायम हो गयी तो सबसे पहला रसूल बनाकर

भेजा, फिर जब उनकी क़ौम ने सरकशी की, पैग़म्बर की हिदायत पर अ़मल न किया, हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम ने दिन-रात पोशीदा और ज़ाहिर ख़ुदा की तरफ़ दावत दी, लेकिन क़ौम ने कान न धरे तो सिवाय उनके पैरोकारों के बाक़ी सबको अपना पानी का अ़ज़ाब यानी मशहूर तूफ़ाने नूह भेजकर डुबो दिया। हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह के ख़ानदान को अल्लाह तआ़ला ने मक़बूलियत और अपनी रज़ामन्दी इनायत फ़रमाई, इसी ख़ानदान में सय्यिदुल-बशर ख़ातिमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं। इमरान के ख़ानदान को भी उसने मुन्तख़ब कर लिया, इमरान नाम है हज़रत मरियम के वालिद साहिब का जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा हैं। उनका नसब नामा बक़ौल मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह. यह है- इमरान बिन याशिम बिन अमून बिन मीशा बिन हिज़क़िया बिन अहरीक़ बिन यूसम बिन अ़ज़ारिया बिन अमसिया बिन यावश बिन अजरेहू बिन याज़म बिन यहफ़शात बिन इन्शा बिन अबयान बिन रख़ीअ़म बिन सुलैमान बिन दाऊद अ़लैहिस्सलाम। पस ईसा अ़लैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसका तफ़सीली बयान सूरः अन्आ़म की तफ़सीर में आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ○	जबकि इमरान (मरियम के बाप) की बीवी ने (गर्भ की हालत में) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने मन्नत मानी है आपके लिए इस बच्चे की जो मेरे पेट में है, कि वह आज़ाद रखा जाएगा, सो आप मुझसे (पैदाईश के बाद) क़बूल कर लीजिए, बेशक आप ख़ूब सुनने वाले, ख़ूब जानने वाले हैं। (35) फिर जब लड़की को जन्म दिया (हसरत से) कहने लगीं कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने तो वह हमल "यानी गर्भ" लड़की जन्मी, हालाँकि ख़ुदा तआ़ला ज़्यादा जानते हैं उसको जो उन्होंने जन्मी, और वह लड़का (जो उन्होंने चाहा था) इस लड़की के बराबर नहीं, और मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं इसको और इसकी औलाद को (अगर कभी औलाद हो) आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मर्दूद से। (36)

हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम का सबक़ लेने वाला वाक़िआ़

हज़रत इमरान की उन बीवी साहिबा का नाम जो हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम की वालिदा थीं, हन्ना बिन्ते फ़ाक़ूज़ था। हज़रत मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह. फ़रमाते हैं कि उन्हें औलाद नहीं होती थी, एक दिन एक चिड़िया को देखा कि वह अपने बच्चों को खिला रही है तो उन्हें जोश उठा और अल्लाह तआ़ला से उसी वक़्त दुआ़ की और ख़ुलूस के साथ ख़ुदा को पुकारा, अल्लाह तआ़ला ने भी उनकी दुआ़ क़बूल फ़रमा ली और उसी रात उन्हें हमल (गर्भ) ठहर गया। जब हमल का यक़ीन हुआ तो मन्नत मानी कि अल्लाह

तआला मुझे जो औलाद देगा उसे बैतुल-मुक़द्दस की ख़िदमत के लिये अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दूँगी। फिर ख़ुदा से दुआ की कि परवर्दिगार! तू मेरी इस मुख़्लिसाना मन्नत को क़बूल फ़रमा, तू मेरी दुआ को सुन रहा है और तू मेरी नीयत को भी ख़ूब जान रहा है। अब यह तो मालूम न था कि लड़का होगा या लड़की, जब बच्चा पैदा हुआ तो देखा कि वह लड़की है और लड़की तो इस क़ाबिल नहीं कि वह मस्जिदे मुक़द्दस की ख़िदमत अन्जाम दे सके, इसके लिये तो लड़का होना चाहिये, तो आजिज़ी के तौर पर अपनी मजबूरी अल्लाह की बारगाह में ज़ाहिर की कि ख़ुदाया! मैं तो इसे तेरे नाम पर वक़्फ़ कर चुकी थी, लेकिन लड़की हुई है। ''वल्लाहु अअ्लमु बिमा वज़अ्तु'' भी पढ़ा गया है, यानी यह क़ौल भी हज़रत हन्ना का था कि ख़ुदा ख़ूब जानता है कि मेरे यहाँ लड़की हुई। और 'त' के जज़्म के साथ भी आया है, यानी ख़ुदा का यह फ़रमान है कि अल्लाह को बख़ूबी मालूम है कि क्या औलाद हुई है। और फ़रमाती हैं कि मर्द औरत बराबर नहीं, मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ। इससे साबित होता है कि जिस दिन बच्चा हो उसी दिन नाम रखना भी जायज़ है, क्योंकि हमसे पहले लोगों की शरीअ़त हमारी शरीअ़त है (बशर्तेकि किसी हुक्म के बदले या निरस्त होने की वज़ाहत बाद की शरीअ़त में न हो) और यहाँ यह बयान किया गया और तरदीद नहीं की गयी बल्कि इसे साबित और मुक़र्रर रखा गया। इसी तरह हदीस शरीफ़ में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आज रात मेरे यहाँ लड़का हुआ और मैंने उसका नाम अपने बाप हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के नाम पर इब्राहीम रखा, मुलाहिज़ा हो बुख़ारी व मुस्लिम।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. अपने भाई को जबकि वह पैदा हुए लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आपने उन्हें अपने हाथ से घुट्टी दी और उनका नाम अ़ब्दुल्लाह रखा। यह हदीस भी सहीहैन में मौजूद है। एक और हदीस में है कि एक शख़्स ने आकर कहा या रसूलल्लाह! मेरे यहाँ रात को बच्चा हुआ है क्या नाम रखूँ? फ़रमाया- अ़ब्दुर्रहमान नाम रखो। (बुख़ारी) एक और सही हदीस में है कि हज़रत अबू उसैद रज़ि. के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसे लेकर आप आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए ताकि आप अपने हाथ मुबारक से उस बच्चे को घुट्टी दें, आप दूसरी तरफ़ मुतवज्जह हो गये, बच्चे का ख़्याल न रहा। हज़रत अबू उसैद रज़ि. ने बच्चे को वापस घर भेज दिया। जब आप फ़ारिग़ हुए बच्चे की तरफ़ नज़र डाली तो उसे न पाया, घबराकर पूछा और मालूम करके कहा उसका नाम मुन्ज़िर रखो (यानी डराने वाला)। मुस्नद अहमद और सुनन में एक हदीस मरवी है जिसे इमाम तिर्मिज़ी सही कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर बच्चे अपने अ़क़ीक़े में गिरवी है, सातवें दिन अ़क़ीक़ा करे यानी जानवर ज़िबह करे, नाम रखे और बच्चे का सर मुंडवाये। एक रिवायत में है और ख़ून बहाया जाये और यह सनद के एतिबार से मज़बूत रिवायत है। वल्लाहु आलम।

लेकिन ज़ुबैर बिन बक्कार की रिवायत जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ि. का अ़क़ीक़ा किया और नाम इब्राहीम रखा, यह हदीस सनद से साबित नहीं और सही हदीस इसके ख़िलाफ़ मौजूद है, और यह ततबीक़ भी हो सकती है कि इस नाम की शोहरत उस दिन हुई हो। वल्लाहु आलम।

हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम की वालिदा साहिबा फिर अपनी बच्ची को और उसकी होने वाली औलाद को शैतान के शर से ख़ुदा की पनाह में देती हैं। अल्लाह तआ़ला ने उनकी इस दुआ़ को भी क़बूल फ़रमाया चुनाँचे मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हर बच्चे को शैतान उसकी पैदाईश के वक़्त चौका देता है, उसी से वह चीख़कर रोने लगता है, लेकिन हज़रत मरियम और

हज़रत ईसा इससे बचे रहे। इस हदीस को बयान फ़रमाकर हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस आयत को पढ़ लोः

اِنِّىٓ اُعِيْذُهَابِكَ.......... الخ.

(यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी मौजूद है। यह हदीस और भी बहुत-सी किताबों में विभिन्न अलफ़ाज़ से मौजूद है, किसी में है कि एक या दो चौके मारता है। एक हदीस में सिर्फ़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है कि शैतान ने उन्हें भी चौका मारना चाहा लेकिन उन्हें न लगा, पर्दे में लगकर रह गया।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

पस उन (मरियम अ़लैहस्सलाम) को उनके रब ने बेहतरीन तौर पर क़बूल फ़रमाया और उम्दा तौर पर परवान चढ़ाया और (हज़रत) ज़करिया को उनका सरपरस्त 'यानी अभिभावक' बनाया (सो) जब कभी ज़करिया (अ़लैहिस्सलाम) उनके पास उम्दा मकान में तशरीफ़ लाते तो उनके पास कुछ खाने-पीने की चीज़ें पाते (और) यूँ फ़रमाते कि ऐ मरियम! ये चीज़ें तुम्हारे वास्ते कहाँ से आईं, वह कहतीं कि अल्लाह तआ़ला के पास से आईं, बेशक अल्लाह तआ़ला जिसको चाहते हैं बे-अहलियत "यानी बिना क़ाबिल हुए भी" रिज़्क़ अ़ता फ़रमाते हैं। (37)

रिज़्क़ पहुँचाने के हैरत-अंगेज़ तरीक़े

अल्लाह तआ़ला ख़बर देता है कि हज़रत हन्ना की नज़्र (मन्नत) को ख़ुदा तआ़ला ने ख़ुशी से क़बूल फ़रमा लिया और उसे बेहतरीन तौर से उठान बख़्शी। ज़ाहिरी ख़ूबी भी अ़ता फ़रमाई और बातिनी ख़ूबी से भी नवाज़ा। फ़रमाया और अपने नेक बन्दों में उनकी परवरिश कराई ताकि इल्म, ख़ैर और दीन सीख लें। हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम को उनका कफ़ील बना दिया। इब्ने इस्हाक़ रह. तो फ़रमाते हैं कि यह इसलिये कि हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम यतीम हो गयी थीं, लेकिन दूसरे बुज़ुर्ग कहते हैं कि क़हत-साली (सूखे और अकाल) की वजह से उनकी परवरिश का बोझ हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। हो सकता है कि दोनों वजहें मिल गयी हों। वल्लाहु आलम।

हज़रत इब्ने इस्हाक़ वग़ैरह की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम उनके ख़ालू थे और बाज़ लोग कहते हैं कि उनके बहनोई थे, जैसे मेराज वाली सही हदीस में है कि आपने हज़रत यहया और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात की जो दोनों ख़ालाज़ाद भाई हैं। इब्ने इस्हाक़ के क़ौल पर यह हदीस ठीक है, क्योंकि अ़रब की बोलचाल में माँ की ख़ाला के लड़के को भी ख़ालाज़ाद भाई कह देते हैं। मालूम हुआ कि हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम अपनी ख़ाला की परवरिश में थीं। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ि. की यतीम बेटी उमारा को उनकी ख़ाला

हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ि. की बीवी साहिबा के सुपुर्द किया था और फ़रमाया था कि ख़ाला माँ के क़ायम-मक़ाम (दर्जे में) है।

अब अल्लाह तआला हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम की बुज़ुर्गी और उनकी करामत बयान फ़रमाता है कि हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम जब कभी उनके पास उनके हुजरे में जाते तो बिना मौसम के मेवे उनके पास पाते, जैसे जाड़ों में गर्मियों के मेवे और गर्मियों में जाड़े के मेवे। हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रिमा, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत अबुश्शाशा, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत ज़ह्हाक, हज़रत क़तादा, हज़रत रबीअ़ बिन अनस, हज़रत अ़तीया औ़फ़ी और हज़रत सुद्दी इस आयत की तफ़सीर में यही फ़रमाते हैं। हज़रत मुजाहिद रह. से यह भी रिवायत है कि यहाँ रिज़्क़ से मुराद इल्म और वो सहीफ़े हैं जिनमें इल्मी बातें होती थीं, लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा सही है। इस आयत में औलिया-अल्लाह (अल्लाह के नेक बन्दों) की करामत (बुज़ुर्गी और सम्मान) की दलील है और इसके सुबूत में बहुत सी हदीसें भी आयी हैं।

हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम एक दिन पूछ बैठे कि मरियम तुम्हारे पास ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? सिद्दीक़ा ने जवाब दिया कि ख़ुदा के पास से, वह जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी देता है। मुस्नद हाफ़िज़ अबू यअ़ला में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर कई दिन बग़ैर कुछ खाये गुज़र गये, भूख से आपको तकलीफ़ होने लगी, अपनी सब बीवियों के घर हो आये लेकिन कहीं भी कुछ न पाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ि. के पास आये और मालूम फ़रमाया कि बेटी तुम्हारे पास कुछ है? बहुत भूख लग रही है। वहाँ से भी यही जवाब मिला कि हुज़ूर पर मेरे माँ-बाप सदक़े हों, कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) वहाँ से निकले ही थे कि हज़रत फ़ातिमा की बाँदी ने दो रोटियाँ और एक टुकड़ा गोश्त का हज़रत फ़ातिमा रज़ि. के पास भेजा, आपने उसे लेकर लगन में रख लिया और फ़रमाने लगीं- अगरचे मुझे मेरे ख़ाविन्द और बच्चों को भी भूख है लेकिन हम सब फ़ाक़े ही से गुज़ार देंगे और ख़ुदा की क़सम आज तो यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ही दूँगी। हज़रत हसन या हुसैन रज़ि. को आपकी ख़िदमत में भेजा कि आपको बुला लायें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रास्ते ही में थे, लौट आये। कहने लगीं मेरे माँ-बाप आप पर फ़िदा हों ख़ुदा ने कुछ भिजवा दिया है जिसे मैंने आपके लिये छुपाकर रख दिया है। आपने फ़रमाया ले आओ, अब जो कुंडा खोला तो देखती हैं कि रोटी सालन से भरा हुआ है, देखकर हैरान हो गयीं लेकिन फ़ौरन समझ गयीं कि ख़ुदा की तरफ़ से इसमें बरकत नाज़िल हो गयी है, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद पढ़ा और आपके पास लाकर पेश कर दिया। आपने भी उसे देखकर ख़ुदा की तारीफ़ की और दरियाफ़्त फ़रमाया कि बेटी यह कहाँ से आया? जवाब दिया अब्बा जान! ख़ुदा के पास से, वह जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी दे। आपने फ़रमाया ख़ुदा का शुक्र है कि तुझे भी अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल की तमाम औ़रतों की सरदार जैसा कर दिया। उन्हें जब कभी अल्लाह तआ़ला कोई चीज़ अ़ता फ़रमाता और उनसे पूछा जाता तो यही जवाब दिया करती थीं कि ख़ुदा के पास से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ली रज़ि. को बुलाया और आप, हज़रत अ़ली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने और आपकी सब पाक बीवियों और घर वालों ने ख़ूब पेट भरकर खाया, फिर भी उतना ही बाक़ी रहा जितना पहले था। जो आस-पास के पड़ोसियों के यहाँ भेजा गया, यह थी "ख़ैरे कसीर" और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बरकत।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ ○ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ یُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیٰی مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَیِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ○ قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِیَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِیْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ○ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْۤ اٰیَةً ؕ قَالَ اٰیَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِیْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْاِبْكَارِ ○

इस मौक़े पर दुआ की ज़करिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से, अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! इनायत कीजिए मुझको ख़ास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं दुआ के। (38) पस पुकार कर कहा उनसे फ़रिश्तों ने और वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे मेहराब में, कि अल्लाह तआला आप को ख़ुशख़बरी देते हैं यहया की जिनके हालात ये होंगे कि वह कलिमतुल्लाह की तस्दीक़ करने वाले होंगे, और मुक़्तदा होंगे, "यानी रहनुमा होंगे और उनकी पैरवी की जाएगी" और अपने नफ़्स को (लज़्ज़तों से) बहुत रोकने वाले होंगे, और नबी भी होंगे और आला दर्जे के सलीक़े वाले होंगे। (39) ज़करिया ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरे लड़का किस तरह होगा हालाँकि मुझको बुढ़ापा आ पहुँचा और मेरी बीवी भी बच्चा जनने के क़ाबिल नहीं रही, अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया कि इसी हालत में लड़का हो जाएगा, (क्योंकि) अल्लाह तआला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं। (40) उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ परवर्दिगार! मेरे वास्ते कोई निशानी मुक़र्रर कर दीजिए, अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से तीन दिन तक बातें न कर सकोगे सिवाय इशारे के, और अपने रब को (दिल से) कसरत से याद कीजिये और (ज़बान से भी) तसबीह (और पाकी बयान) कीजिये दिन ढले भी और सुबह को भी, (कि इसकी क़ुदरत रहेगी) (41)

उम्मीद की किरन

हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह तआला हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को बेमौसम के मेवे देता है। जाड़ों में गर्मियों के फल और गर्मी में जाड़ों के मेवे उनके पास रखे रहते हैं तो बावजूद अपने बुढ़ापे और बीवी के बाँझ होने के आप भी बेमौसम मेवा यानी नेक औलाद तलब करने लगे, और

चूँकि यह तलब बज़ाहिर एक नामुम्किन चीज़ की तलब थी इसलिये बहुत ही आहिस्ता से यह दुआ़ माँगी। जैसे कि दूसरी जगह पर है:

نِدَآءً خَفِيًّا.

कि चुपके से अल्लाह को पुकारा।

यह अपने इबादत-ख़ाने में ही थे कि फ़रिश्तों ने इन्हें आवाज़ दी और इन्हें सुनाकर कहा कि आपके यहाँ एक लड़का होगा जिसका नाम यहया रखना। साथ ही यह भी फ़रमा दिया कि यह ख़ुशख़बरी हमारी तरफ़ से नहीं बल्कि ख़ुदा की तरफ़ से है। यहया नाम की वजह यह है कि ज़िन्दगी ईमान के साथ होगी, वह ख़ुदा के कलिमे की यानी हज़रत ईसा बिन मरियम की तस्दीक़ करेंगे। हज़रत रबीअ़ बिन अनस फ़रमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत को तस्लीम करने वाले भी हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम हैं। हज़रत क़तादा रह. का क़ौल है कि हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम ठीक हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की रविश और आपके तरीक़े पर थे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये दोनों ख़ालाज़ाद भाई थे। हज़रत यहया की वालिदा हज़रत मरियम से अक्सर ज़िक्र किया करती थीं कि मैं अपने पेट की चीज़ को तेरे पेट की चीज़ के लिये सज्दा करती हुई पाती हूँ। यह थी हज़रत यहया की तस्दीक़। दुनिया में आने से भी पहले सबसे पहले हज़रत ईसा की सच्चाई उन्होंने ही जानी। यह हज़रत ईसा से उम्र में बड़े थे, सैयद के मायने हलीम, बुर्दबार, इल्म व इबादत में बढ़ा हुआ, मुत्तक़ी, परहेज़गार, फ़क़ीह, आ़लिम, दीन व अख़्लाक़ में सबसे अफ़ज़ल, जिसे गुस्सा और ग़ज़ब मग़लूब न कर सके, शरीफ़ और करीम के हैं। "हसूर" के मायने हैं जो औ़रतों के पास न आ सके, जिसके यहाँ न औलाद हो न जिसमें शहवत का पानी हो (यानी मर्दानगी होते हुए निकाह न करे)।

इस मायने की एक मरफ़ूअ़ हदीस भी इब्ने अबी हातिम में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह लफ़्ज़ तिलावत करके ज़मीन से कुछ उठाकर फ़रमाया- इसका अंग इस जैसा था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ि. फ़रमाते हैं कि सारी मख़्लूक़ में सिर्फ़ हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम ही ख़ुदा से बेगुनाह मिलेंगे। फिर आपने ये अलफ़ाज़ पढ़े और ज़मीन से कुछ उठाया और फ़रमाया- 'हसूर' से कहते हैं जिसका अंग इस जैसा हो। और हज़रत यहया बिन सईद क़त्तान रह. ने अपनी कलिमे की उंगली से इशारा किया। यह रिवायत जो मरफ़ूअ़न बयान हुई है इसकी सनद से इस मौक़ूफ़ की सनद ज़्यादा सही है। एक और मरफ़ूअ़ रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक कपड़े के फुंदने की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया- ऐसा था। एक और रिवायत में यह भी है कि आपने ज़मीन से एक तिनका उठाकर उसकी तरफ़ इशारा करके यह फ़रमाया।

इसके बाद हज़रत ज़करिया को दूसरी बशारत (ख़ुशख़बरी) दी जाती है कि वह तुम्हारा लड़का नबी होगा। यह बशारत पहली ख़ुशख़बरी से भी बढ़ गयी। जब बशारत आ चुकी तब हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम को ख़्याल पैदा हुआ कि ज़ाहिरी असबाब से तो इसका होना मुहाल है। कहने लगे ख़ुदाया! मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मैं बूढ़ा, मेरी बीवी बिल्कुल बाँझ। फ़रिश्ते ने उसी वक़्त जवाब दिया कि ख़ुदा का मामला और हुक्म सबसे बड़ा है, उसके पास कोई चीज़ अनहोनी नहीं, न उसे कोई काम भारी पड़े न वह किसी काम से आ़जिज़। उसका इरादा हो चुका, वह इसी तरह करेगा।

अब हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम ख़ुदा से अ़लामत (निशानी) तलब करने लगे तो अल्लाह तआ़ला

की तरफ़ से इरशाद किया गया कि निशान यह है कि तू तीन दिन तक लोगों से बात न कर सकेगा, रहेगा तन्दुरुस्त, सही सालिम, लेकिन ज़बान से लोगों से बातचीत न की जायेगी। सिर्फ़ इशारों से काम लेना पड़ेगा। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا.

यानी तीन रातें तन्दुरुस्ती की हालत में।

फिर हुक्म दिया कि इस हाल में तुम्हें चाहिये कि ज़िक्र और तकबीर व तस्बीह में ज़्यादा मशग़ूल रहो। सुबह से शाम तक इसी में लगे रहो। इसका दूसरा हिस्सा और पूरा बयान तफ़सील के साथ सूरः मरियम के शुरू में आयेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

और (वह वक़्त ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जबकि फ़रिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम! बेशक तुमको अल्लाह तआ़ला ने मुन्तख़ब (यानी मक़बूल) फ़रमाया है और पाक बनाया है और तमाम जहान की औ़रतों के मुक़ाबले में तुमको मुन्तख़ब फ़रमाया है। (42) ऐ मरियम! फ़रमाँबरदारी करती रहो अपने परवर्दिगार की और सज्दा किया करो, और रुकूअ़ किया करो उन लोगों के साथ जो रुकूअ़ करने वाले हैं। (43) ये (क़िस्से) ग़ैब की ख़बरों में से हैं, हम उनकी वही भेजते हैं आपके पास और उन लोगों के पास आप न तो उस वक़्त मौजूद थे जबकि वे (परची डालने के तौर पर) अपने-अपने क़लमों को (पानी में) डालते थे कि उन सबमें कौन शख़्स (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) की ज़िम्मेदारी लें, और न आप उनके पास मौजूद थे जबकि आपस में झगड़ रहे थे। (44)

हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम की विशेषता और ख़ूबियाँ

यहाँ बयान हो रहा है कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म से मरियम अ़लैहस्सलाम को फ़रिश्तों ने ख़बर पहुँचाई कि ख़ुदा ने उन्हें उनकी इबादत की अधिकता, उनकी दुनिया से बेरग़बती, उनकी शराफ़त और शैतानी वस्वसों से दूरी की वजह से अपनी ख़ास निकटता का दर्जा इनायत फ़रमा दिया। तमाम जहान की औ़रतों पर उन्हें ख़ास फ़ज़ीलत दे रखी है। सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नती औ़रतें ऊँट पर सवार होने वालियाँ हैं, उनमें से बेहतर औ़रतें क़ुरैश की हैं जो अपने छोटे बच्चों पर बहुत ही शफ़क़त और प्यार करने वाली, अपने शौहरों की चीज़ों की पूरी हिफ़ाज़त करने वाली हैं। हज़रत मरियम बिन्ते इमरान ऊँट पर कभी

सधार नहीं हुई। सहीहैन की एक हदीस में है कि औरतों में से बेहतर औरत हज़रत मरियम बिन्ते इमरान हैं, और औरतों में से बेहतर औरत हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद हैं।

तिर्मिज़ी की सही हदीस में है कि सारी दुनिया की औरतों में से तुझे मरियम बिन्ते इमरान, ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद, फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम), आसिया फ़िरऔ़न की बीवी हैं। एक और हदीस में है कि ये चारों बीबियाँ तमाम आ़लम की औरतों से अफ़ज़ल और बेहतर हैं। एक और हदीस में है कि मर्दों में से कामिल मर्द बहुत से हैं लेकिन औरतों में कमाल वाली औरतें सिर्फ़ तीन हैं- मरियम बिन्ते इमरान, आसिया फ़िरऔ़न की बीवी और ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद रज़ि.। और आ़यशा रज़ि. की फ़ज़ीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद (यानी गोश्त के शोरबे में भिगोई हुई रोटी) की तमाम खानों पर। यह हदीस अबू दाऊद के अ़लावा बाक़ी और सब किताबों में है। सही बुख़ारी शरीफ़ की इस हदीस में हज़रत ख़दीजा रज़ि. का ज़िक्र नहीं। मैंने इस हदीस की तमाम सनदों और हर सनद के अलफ़ाज़ अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ज़िक्र में जमा कर दिये हैं।

फिर फ़रिश्ते फ़रमाते हैं कि ऐ मरियम! तू ख़ुशूअ़-ख़ुज़ूअ़ (यानी अल्लाह के सामने झुकने), रुकूअ़, सज्दों में रहा कर, अल्लाह तबारक व तआ़ला तुझे अपनी क़ुदरत का एक अ़ज़ीम निशान बनाने वाला है, इसलिये तुझे रब की तरफ़ पूरी तवज्जोह और ध्यान रखना चाहिये। 'क़नूत' के मायने इताअ़त के हैं जो आ़जिज़ी और दिल की हाज़िरी के साथ हो। जैसे इरशाद है:

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ.

यानी उसकी मातहती और मिल्कियत में ज़मीन व आसमान की हर चीज़ है, सबके सब उसके महकूम और फ़रमान के ताबे हैं।

इब्ने अबी हातिम की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि क़ुरआन में जहाँ कहीं क़नूत का लफ़्ज़ है उससे मुराद इताअ़त-गुज़ारी (अल्लाह की फ़रमाँबरदारी) है। यही हदीस इब्ने जरीर में भी है, लेकिन सनद में नकारत है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम नमाज़ में इतना लम्बा क़ियाम करती थीं कि दोनों टख़्नों पर वरम चढ़ जाता था। क़नूत से मुराद यही नमाज़ में लम्बे-लम्बे रुकूअ़ करना है। हसन बसरी रह. का क़ौल है कि मुराद यह है कि अपने रब की इबादत में मशग़ूल रह और रुकूअ़, सज्दे करने वालों में से हो जा। हज़रत औज़ाई रह. फ़रमाते हैं कि मरियम सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा अपने इबादत-ख़ाने में इस क़द्र कसरत से और ख़ुशूअ़ के साथ लम्बी नमाज़ें पढ़ा करती थीं कि दोनों पैरों में ज़र्द पानी उतर आया था।

इल्मे-ग़ैब का इनकार

ये अहम ख़बरें बयान करके ख़ुदा तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ नबी! इन बातों का इल्म तुम्हें सिर्फ़ मेरी 'वही' से हुआ वरना तुम्हें क्या ख़बर? तुम कुछ उस वक़्त उनके पास थोड़े ही मौजूद थे जो इन वाक़िआ़त की ख़बर लोगों को पहुँचाते? लेकिन अपनी वही से हमने इन वाक़िआ़त को इस तरह आप पर खोल दिया गोया आप उस वक़्त ख़ुद मौजूद थे, जबकि हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम की परवरिश के बारे में हर एक दूसरे पर सबक़त करता था, सब की ख़्वाहिश थी कि इस दौलत से मैं मालामाल हो जाऊँ और यह अज्र मुझे मिल जाये। जब आपकी वालिदा साहिबा आपको लेकर बैतुल-मुक़द्दस की मस्जिदे सुलैमानी में तशरीफ़

लायीं और वहाँ के ख़ादिमों से जो हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की नस्ल से थे, कहा कि मैं इन्हें अपनी मन्नत के मुताबिक़ अल्लाह के नाम वक़्फ़ कर चुकी हूँ तुम इसे संभाल लो। ज़ाहिर है कि यह लड़की है और यह भी मालूम है कि हैज़ (माहवारी) की हालत में औरतें मस्जिद में नहीं आ सकतीं, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो इसे घर वापस नहीं ले जाऊँगी क्योंकि अल्लाह के नाम पर इसे नज़्र (मन्नत) कर चुकी हूँ। हज़रत इमरान यहाँ नमाज़ के इमाम थे और क़ुरबानियों के ज़िम्मेदार (प्रबन्धक) थे और यह उनकी बेटी थीं, तो हर एक ने बड़े चाव से इनके लिये हाथ फैला दिये। उधर हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम ने अपना एक हक़ और जताया कि मैं रिश्ते में भी इनका ख़ालू होता हूँ तो यह लड़की मुझी को मिलनी चाहिये, लेकिन और लोग राज़ी न हुए। आख़िर क़ुर्आ डाला गया और क़ुर्आ में उन सबने अपनी वे क़लमें डालीं जिनसे तौरात लिखते थे, तो क़ुर्आ हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम के नाम पर निकला और यही इस सआ़दत (सौभाग्य) से सम्मानित हुए। दूसरी मुफ़स्सल रिवायतों में यह भी है कि उर्दुन की नहर पर जाकर ये क़लमें डाली गयीं, पानी के बहाव के साथ जो क़लम निकल जाये वह नहीं और जिसका क़लम ठहर जाये वह हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम का कफ़ील बने। चुनाँचे सबकी क़लमें तो पानी बहा ले गया सिर्फ़ हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम का क़लम ठहर गया, बल्कि उल्टा ऊपर को चढ़ने लगा तो एक तो क़ुर्आ में उनका नाम निकला, दूसरे क़रीब की रिश्तेदारी थीं, फिर यह ख़ुद उन तमाम के सरदार, इमाम आ़लिम बल्कि नबी थे, पस इन्हीं को हज़रत मरियम सौंप दी गयीं।

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ إِذَا قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(उस वक़्त को याद करो) जबकि फ़रिश्तों ने (यह भी) कहा कि ऐ मरियम! बेशक अल्लाह तआ़ला तुमको ख़ुशख़बरी देते हैं एक कलिमे की, जो अल्लाह की जानिब से होगा, उसका नाम (व लक़ब) मसीह ईसा बिन मरियम होगा, आबरू वाले होंगे दुनिया में और आख़िरत में और मुक़र्रबीन में से होंगे। (45) और आदमियों से कलाम करेंगे गहवारे "यानी पालने" में और बड़ी उम्र में और सलीक़े वाले लोगों में से होंगे। (46) (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) बोलीं, ऐ मेरे परवर्दिगार! किस तरह होगा मेरे बच्चा हालाँकि मुझको किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि वैसे ही (बिना मर्द के) होगा, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जो चाहें पैदा कर देते हैं। जब किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं तो उसको कह देते हैं कि हो जा, बस वह चीज़ हो जाती है। (47)

ईसा अलैहिस्सलाम की हैरत-अंगेज़ पैदाईश और दूसरे हालात

यह ख़ुशख़बरी हज़रत मरियम को फ़रिश्ते सुना रहे हैं कि उन्हें एक लड़का होगा, बड़ी शान वाला, जो सिर्फ़ ख़ुदा का कलिमा 'कुन' के कहने से होगा। और यही तफ़सीर ख़ुदा के फ़रमानः

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ.

(कि वह अल्लाह के कलिमे की तस्दीक़ करने वाले होंगे) की है जैसा कि जमहूर ने ज़िक्र किया जो बयान इससे पहले गुज़र चुका जिसका नाम मसीह होगा, ईसा बेटा मरियम का अलैहिस्सलाम। हर मोमिन उसे इसी नाम से पहचानेगा। मसीह नाम होने की वजह यह है कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, माँ की तरफ़ मन्सूब करने की वजह यह है कि उनका बाप कोई न था, ख़ुदा के नज़दीक वह दोनों जहान में मक़बूल और चुने हुए हैं और अल्लाह के ख़ास क़रीबी बन्दों में से हैं, उन पर ख़ुदा की शरीअत और किताब उतरेगी और बड़ी-बड़ी मेहरबानियाँ दुनिया में नाज़िल होंगी और आख़िरत में भी। और बड़े रुतबे वाले पैग़म्बरों की तरह ख़ुदा के हुक्म से जिसके लिये ख़ुदा चाहेगा शफ़ाअत करेंगे, जो क़बूल हो जायेगी।

वह अपने बचपन और उधेड़ उम्र में बातें करेंगे, यानी ख़ुदा तआला की इबादत की लोगों को बचपन ही में दावत देंगे जो उनका मोजिज़ा होगा और बड़ी उम्र में भी जब ख़ुदा उनकी तरफ़ वही करेगा वह अपने क़ौल व फ़ेल में सही इल्म रखने वाले और नेक अमल करने वाले होंगे। एक हदीस में है कि बचपन में कलाम सिर्फ़ हज़रत ईसा ने किया है और जुरैज के साथी ने। एक और हदीस में एक और बच्चे का कलाम करना भी मौजूद है, तो ये तीन हुए। हज़रत मरियम अलैहस्सलाम इस ख़ुशख़बरी को सुनकर अपनी मुनाजात (अल्लाह से दुआ) में कहने लगीं ख़ुदाया! मुझे बच्चा कैसे होगा? मैंने तो निकाह नहीं किया, और न मेरा इरादा निकाह करने का है, और न मैं अल्लाह की पनाह ऐसी बदकार औरत हूँ। अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़रिश्ते ने जवाब में कहा कि अल्लाह का मामला और हुक्म बहुत बड़ा है, उसे कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती, वह जो चाहे पैदा कर दे।

इस नुक्ते को ख़्याल में रखना चाहिये कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में उस जगह लफ़्ज़ 'यफ़अलु' (वह करता है) था, यहाँ लफ़्ज़ 'यख़्लुक़ु' है, यानी वह पैदा करता है। ताकि किसी बातिल परस्त को कोई शुब्हे का मौक़ा न रहे और साफ़ लफ़्ज़ों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ुदा की मख़्लूक़ होना मालूम हो जाये। फिर इसकी और ज़्यादा ताकीद की और फ़रमाया- वह जिस काम को जब कभी करना चाहता है तो सिर्फ़ इतना फ़रमा देता है कि "हो जा" बस वह वहीं हो जाता है। उसके हुक्म के बाद ढील और देर नहीं लगती। जैसे एक और जगह फ़रमान हैः

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

यानी हमारे सिर्फ़ एक मर्तबा के हुक्म से ही बिना विलंब के फ़ौरन आँख झपकते ही वह काम हो जाता है, हमें दोबारा उसे कहना नहीं पड़ता।

और अल्लाह तआला उनको तालीम फ़रमाएँगे (आसमानी) किताबें और समझ की बातें, (ख़ास तौर पर) तौरात और इन्जील। (48)	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ

اِسْرَآئِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

और उनको (तमाम) बनी इस्राईल की तरफ़ भेजेंगे (पैग़म्बर बनाकर, वे कहेंगे कि) मैं तुम लोगों के पास (अपनी नुबुव्वत पर) काफ़ी दलील लेकर आया हूँ तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से, वह यह है कि मैं तुम लोगों के लिए गारे से ऐसी शक्ल बनाता हूँ जैसी परिन्दे की शक्ल होती है, फिर उसके अन्दर फूँक मार देता हूँ जिससे वह (जानदार) परिन्दा बन जाता है ख़ुदा के हुक्म से, और मैं अच्छा कर देता हूँ जन्म के अन्धे को, और बर्स (कोढ़) के बीमार को, और ज़िन्दा कर देता हूँ मुर्दों को अल्लाह तआ़ला के हुक्म से, और मैं तुमको बतला देता हूँ जो कुछ अपने घरों में खा (कर) आते हो और जो कुछ रख आते हो, बेशक इनमें (मेरी नुबुव्वत की) काफ़ी दलील है तुम लोगों के लिए, अगर तुम ईमान लाना चाहो। (49) और मैं इस तौर पर आया हूँ कि तस्दीक़ करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले थी यानी तौरात की, और इसलिए आया हूँ कि तुम लोगों के वास्ते कुछ ऐसी चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थीं, और मैं तुम्हारे पास (नुबुव्वत की) दलील लेकर आया हूँ तुम्हारे परवर्दिगार की ओर से, हासिल यह कि तुम लोग अल्लाह तआ़ला से डरो और मेरा कहना मानो। (50) बेशक अल्लाह तआ़ला मेरे भी रब हैं और तुम्हारे भी रब हैं, सो तुम लोग उसकी इबादत करो, बस यह है सीधा रास्ता। (51)

हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के मोजिज़ों की तफ़सील

फ़रिश्ते हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम से कहते हैं कि तेरे उस लड़के यानी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को परवर्दिगारे आ़लम लिखना सिखायेगा और हिक्मत सिखायेगा। लफ़्ज़ 'हिक्मत' की तफ़सीर सूरः ब-क़रह में गुज़र चुकी है। और उसे तौरात सिखायेगा जो हज़रत मूसा बिन इमरान अ़लैहिस्सलाम पर उतरी थी और इन्जील सिखायेगा जो हज़रत ईसा पर उतरी। चुनाँचे आपको ये दोनों किताबें हिफ़्ज़ याद थीं। उन्हें बनी इस्राईल की तरफ़ अपना रसूल बनाकर भेजेगा। इस बात के कहने के लिये कि मेरा मोजिज़ा देखो कि

मिट्टी ली और उसका परिन्दा बनाया फिर फूँक मारते ही वह सचमुच का जीता-जागता परिन्दा (पक्षी) बनकर सबके सामने उड़ने लगा। यह खुदा के हुक्म और उसके फ़रमान से था, हज़रत ईसा की अपनी क़ुदरत से नहीं, यह एक मोजिज़ा था जो आपकी नुबुव्वत का निशान था। 'अकमह्' उस अन्धे को कहते हैं जिसे दिन के वक़्त दिखाई न दे और रात को दिखाई दे। बाज़ों ने कहा है कि 'अक्मह' उस नाबीना को कहते हैं जिसे दिन को दिखाई दे और रात को दिखाई न दे। बाज़ कहते हैं कि भेंगा, तिरछा और काना मुराद है। बाज़ का क़ौल यह भी है कि जो माँ के पेट से बिल्कुल अंधा पैदा हुआ हो, यहाँ यही तर्जुमा ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि इसमें मोजिज़े का कमाल है और मुख़ालिफ़ों को आजिज़ करने के लिये यह सूरत पहले की दो सूरतों से आला है। 'अब्रस' सफ़ेद दाग़ वाले कोढ़ी को कहते हैं, ऐसे बीमार भी खुदा के हुक्म से हज़रत ईसा अच्छे कर देते थे, और मुर्दों को भी खुदा के हुक्म से आप ज़िन्दा कर दिया करता थे।

अक्सर उलेमा का क़ौल है कि हर-हर ज़माने के नबी को उस ज़माने वालों की मुनासबत से ख़ास-ख़ास मोजिज़े अल्लाह तआ़ला ने अ़ता फ़रमाये हैं। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा चर्चा था और जादूगरों की बड़ी क़द्र व ताज़ीम थी तो खुदा ने आपको वह मोजिज़ा दिया कि तमाम जादूगरों की आँखें खुल गयीं, उन पर हैरत तारी हो गयी और उन्हें कामिल यक़ीन हो गया कि यह तो खुदा-ए-वाहिद व क़स्हार की तरफ़ से अ़तीया है, जादू हरगिज़ नहीं। चुनाँचे उनकी गर्दनें झुक गयीं और एक दम सब के सब इस्लाम में दाख़िल हो गये और आख़िरकार खुदा के मुक़र्रब (ख़ास और क़रीबी) बन्दे बन गये।

हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में तबीबों और हकीमों (इलाज करने वालों) का दौर-दौरा था, कामिल चिकित्सक और माहिर हकीम, विज्ञान के पूरे आ़लिम और लाजवाब फ़न के माहिर उस्ताद मौजूद थे, पस आपको वे मोजिज़े दिये गये जिनसे वे सब आ़जिज़ थे। भला मादर-ज़ाद अन्धों को बिल्कुल बीना कर देना और कोढ़ियों को उस जानलेवा बीमारी से आराम कर देना, इतना ही नहीं बिल्कुल बेजान चीज़ के अन्दर रूह डाल देना और क़ब्रों के मुर्दों को ज़िन्दा कर देना, यह किसी के बस की बात है? सिर्फ़ खुदा के हुक्म से बतौर मोजिज़े के ये बातें आप से ज़ाहिर हुईं।

क़ुरआने करीम सबसे बड़ा मोजिज़ा है

ठीक इसी तरह जब हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, उस वक़्त फ़साहत व बलाग़त (अ़रबी भाषा में आला महारत), बात में से बात निकालना, और बुलन्द-ख़्याली, बोलचाल में नज़ाकत व लताफ़त का ज़माना था। इस फ़न में आला दर्जे के शायरों ने वह कमाल हासिल कर लिया था कि दुनिया उनके क़दमों पर झुक पड़ी थी। पस हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किताबुल्लाह ऐसी अ़ता फ़रमाई गयी कि उन सब की कोंदती हुए बिजलियाँ फीकी पड़ गयीं, कलामुल्लाह के नूर ने उन्हें नीचा दिखाया और यक़ीने कामिल हो गया कि यह इनसानी कलाम नहीं, तमाम दुनिया से कह दिया गया और जता-जताकर बता-बताकर सुना-सुनाकर मुनादी कर-करके बार-बार ऐलान देकर कहा गया कि है कोई जो इस जैसा कलाम कह सके? अकेले-अकेले में, सब मिल जाओ और इनसान ही नहीं जिन्नात को भी अपने साथ शामिल कर लो। फिर सारे क़ुरआन के बराबर भी नहीं सिर्फ़ दस सूरतों के बराबर ही सही, और अच्छा यह भी न सही एक ही सूरत इसके जैसी तो बनाकर लाओ। लेकिन सबकी कमरें टूट गयीं, हिम्मतें पस्त हो गयीं, गले खुश्क हो गये, ज़बान गुंग हो गयी और आज तक क़ुरआन का जवाब सारी दुनिया से न बन पड़ा, और न कभी हो सकेगा। भला कहाँ खुदा का कलाम और कहाँ मख़्लूक़ का।

पस उस ज़माने के एतिबार से इस मोजिज़े ने अपना असर किया और मुख़ालिफ़ों को हथियार डालते ही बन पड़ी, और जमाअ़त की जमाअ़त इस्लामी हल्क़े में आ गयीं।

फिर हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम का एक और मोजिज़ा बयान हो रहा है कि आपने फ़रमाया भी और करके दिखाया भी कि जो कोई तुममें से आज अपने घर में जो कुछ खाकर आया हो मैं उसे भी ख़ुदा के बताने से बता दूँगा और कल के लिये भी उसने जो तैयारी की हो मुझे ख़ुदा के मालूम कराने से मालूम रहता है। इसमें मेरी सच्चाई की दलील है कि मैं जो तालीम तुम्हें दे रहा हूँ वह बरहक़ है। हाँ अगर तुम में ईमान ही नहीं तो फिर क्या? मैं अपने से पहली किताब तौरात को मानने वाला, उसकी सच्चाई का दुनिया में ऐलान करने वाला हूँ। मैं तुम पर बाज़ वे चीज़ें हलाल करने आया हूँ जो मुझसे पहले तुम पर हराम की गयी हैं। इससे साबित हुआ कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने तौरात के बाज़ अहकाम मन्सूख़ किये हैं अगरचे इसके ख़िलाफ़ भी मुफ़स्सिरीन का ख़्याल है, लेकिन दुरुस्त बात यही है। बाज़ हज़रात फ़रमाते हैं कि तौरात का कोई हुक्म आपने मन्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) नहीं किया अलबत्ता बाज़ हलाल चीज़ों में जो इख़्तिलाफ़ (मतभेद और विवाद) था और बढ़ते-बढ़ते गोया उनकी हुर्मत पर इजमा (सब की सहमति) हो चुका था, हज़रत ईसा ने उनकी हक़ीक़त बयान फ़रमा दी और उनके हलाल होने पर मोहर लगा दी। जैसे क़ुरआने करीम ने एक और जगह फ़रमाया है:

وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ.

मैं तुम्हारे बुग़ज़, आपस के इख़्तिलाफ़ (विवादों) में साफ़ फ़ैसला कर दूँगा। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि मेरे पास अपनी सच्चाई की ख़ुदाई दलीलें मौजूद हैं, तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, जिसका ख़ुलासा सिर्फ़ इसी क़द्र है कि उसे पूजो जो मेरा और तुम्हारा पालनहार है, सीधी और सच्ची राह तो सिर्फ़ यही है।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

सो जब (हज़रत) ईसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उनसे इनकार देखा तो आपने फ़रमाया कि कोई ऐसे आदमी भी हैं जो मेरे मददगार हो जाएँ अल्लाह के वास्ते, हवारिय्यीन बोले कि हम हैं अल्लाह (के दीन) के मददगार, हम अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाए और आप इसके गवाह रहिए कि हम फ़रमाँबरदार हैं। (52) ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ईमान ले आए उन चीज़ों (यानी अहकाम) पर जो आपने नाज़िल फ़रमाईं और पैरवी इख़्तियार की हमने (इन) रसूल की, सो हमको उन लोगों के साथ लिख दीजिए जो तस्दीक़ करते हैं। (53) और उन लोगों ने ख़ुफ़िया तदबीर की और अल्लाह तआ़ला ने ख़ुफ़िया तदबीर फ़रमाई और अल्लाह तआ़ला सब तदबीरें करने वालों से अच्छे हैं। (54)

الثلثة ع ٥ ١٣

ईसा अ़लैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साज़िश, वक़्त पर ख़ुदाई इमदाद

यानी जब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने उनकी मुख़ालफ़त और दुश्मनी को देख लिया कि अपनी गुमराही, टेढ़ी चाल और कुफ़्र व इनकार से ये हटते ही नहीं तो फ़रमाने लगे कि कोई ऐसा भी है जो मेरी ताबेदारी करे? ख़ुदा की तरफ़ पहुँचने के लिये। और यह मतलब भी बयान किया गया है कि कोई है जो ख़ुदा के साथ मेरा मददगार बने? लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ठीक है। बज़ाहिर यह मालूम होता है कि आपने फ़रमाया- ख़ुदा की तरफ़ पुकारने में मेरा हाथ बटाने वाला कौन है? जैसा कि नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी मक्का शरीफ़ से हिजरत करने से पहले हज के मौसम के मौक़े पर फ़रमाया करते थे कि कोई है जो मुझे ख़ुदा का कलाम पहुँचाने के लिये जगह दे? क़ुरैश तो कलामे ख़ुदा की तब्लीग़ से मुझे रोक रहे हैं। यहाँ तक कि मदीना शरीफ़ के बाशिन्दे हज़राते अन्सार इस ख़िदमत के लिये हिम्मत करके खड़े हुए, आपको जगह भी दी, आपकी मदद भी की और जब आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले गये तो पूरी ख़ैरख़्वाही और बेनज़ीर हमदर्दी की। सारी दुनिया के मुक़ाबले में अपने सीने को आगे कर दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिफ़ाज़त, ख़ैरख़्वाही और आपके मक़ासिद की कामयाबी में जी-जान से मसरूफ़ हो गये। रज़ियल्लाहु अ़न्हुम।

इसी तरह हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की इस आवाज़ पर भी चन्द बनी इस्राईल वालों ने लब्बैक कही, आप पर ईमान लाये, आपकी ताईद की, तस्दीक़ की और पूरी मदद पहुँचाई और उस नूर की इताअ़त में लग गये जो ख़ुदा ने उनके साथ उतारा था, यानी इन्जील।

हवारी कौन थे?

ये लोग धोबी थे और हवारी इन्हें इनके कपड़ों की सफ़ेदी की वजह से कहा गया है। बाज़ कहते हैं कि ये शिकारी थे, सही यह है कि हवारी कहते हैं मददगार को, जैसा कि सहीहैन की हदीस में है कि जंगे ख़न्दक़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई है जो सीना तान ले यानी जान की बाज़ी लगाये? इस आवाज़ को सुनते ही हज़रत ज़ुबैर रज़ि. तैयार हो गये। आपने दोबारा यही फ़रमाया, फिर भी हज़रत ज़ुबैर रज़ि. ने ही क़दम उठाया। पस हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया हर नबी के हवारी होते हैं और मेरा हवारी ज़ुबैर है।

फिर ये लोग अपनी दुआ़ में कहते हैं कि हमें शाहिदों में लिख ले। इससे मुराद हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के नज़दीक उम्मते मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) में लिख लेना है। इस तफ़सीर की रिवायत सनद के एतिबार से उम्दा है।

फिर बनी इस्राईल के उस नापाक गिरोह का ज़िक्र हो रहा है जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के जानी दुश्मन थे, उन्हें मरवा देने और सूली दिये जाने का इरादा रखते थे, जिन्होंने उस ज़माने के बादशाह के कान हज़रत ईसा की तरफ़ से भरे थे कि यह शख़्स लोगों को बहकाता फिरता है, मुल्क में बग़ावत कर रहा है और पब्लिक को बिगाड़ रहा है। बाप बेटों में फ़साद बरपा करा रहा है। बल्कि अपनी ख़बासत, ख़ियानत और झूठ में यहाँ तक बढ़ गये कि आपको ज़ानिया का बेटा कहा और बड़े-बड़े बोहतान आप पर बाँधे, यहाँ तक कि बादशाह भी आपकी जान का दुश्मन बन गया और अपनी फ़ौज को भेजा कि उसे गिरफ़्तार करके सख़्त सज़ा के साथ फाँसी दे दो। यहाँ से पुलिस जाती है और जिस घर में आप थे उसे हर तरफ़ से घेर

लेती है, नाकाबन्दी करके फिर घर में घुसते हैं, लेकिन ख़ुदा तआ़ला आपको उन मक्कारों के हाथ से साफ़ बचा लेता है। उस घर के रोशनदान से आपको आसमान की तरफ़ उठा लेता है और आपकी शक्ल एक और शख़्स पर डाल दी जाती है जो उसी घर में था, ये लोग रात के अन्धेरे में उसको ईसा समझ लेते हैं, गिरफ़्तार करके लेजाते हैं, सख़्त अपमान करते हैं और सर पर काँटों का ताज रखकर उसे सलीब पर चढ़ा देते हैं। यही उनके साथ अल्लाह का मक्र था, कि वे तो अपने नज़दीक यह समझते रहे कि हमने अल्लाह के नबी को फाँसी पर लटका दिया, हालाँकि ख़ुदा तआ़ला ने अपने नबी को तो निजात दे दी थी।

इस बदबख़्ती और बदनीयती का फल उन्हें यह मिला कि उनके दिल हमेशा के लिये सख़्त हो गये, बातिल (ग़ैर-हक़) पर अड़ गये, दुनिया में ज़लील व ख़्वार हो गये और दुनिया के अंत तक इस ज़िल्लत में ही रह पड़े। इसी का बयान इस आयत में है कि अगर उन्हें मक्र आते हैं तो क्या हम नहीं जानते? हम तो उनसे बेहतर तदबीर करने वाले हैं।

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰىٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ ○ وَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ○ ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ○

जबकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः ऐ ईसा (कुछ ग़म न करो) बेशक मैं तुमको वफ़ात देने वाला हूँ और (फ़िलहाल) मैं तुमको अपनी तरफ़ उठाए लेता हूँ और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जो इनकारी हैं, और जो लोग तुम्हारा कहना मानने वाले हैं उनको ग़ालिब रखने वाला हूँ उन लोगों पर जो कि (तुम्हारे) मुन्किर "यानी इनकार करने वाले" हैं क़ियामत के दिन तक, फिर मेरी तरफ़ होगी सबकी वापसी, सो मैं तुम्हारे दरमियान (अ़मली) फ़ैसला कर दूँगा उन मामलों में जिनमें तुम आपस में इख़्तिलाफ़ करते थे। (55) (तफ़सील फ़ैसले की यह है कि) जो लोग (इन इख़्तिलाफ़ करने वालों में) काफ़िर थे सो उनको सख़्त सज़ा दूँगा दुनिया में भी और आख़िरत में भी, और उन लोगों का कोई हिमायती (व तरफ़दार) न होगा। (56) और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे, सो उनको अल्लाह तआ़ला उनके (ईमान और नेक कामों के) सवाब देंगे, और अल्लाह तआ़ला मुहब्बत नहीं रखते ज़ुल्म करने वालों से। (57) यह हम आपको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं जो कि (आपकी नुबुव्वत की) दलीलों में से है, और हिक्मत भरे मज़ामीन में से है। (58)

हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना

मसले की नज़ाकत और ईमान व कुफ़्र का मेयार

इमाम क़तादा वग़ैरह बाज़ मुफ़स्सिरीन तो फ़रमाते हैं कि मतलब यह है कि मैं तुझे अपनी तरफ़ उठा लूँगा, फिर उसके बाद तुझे फ़ौत करूँगा। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- यानी मैं तुझे मारने वाला हूँ। वहब बिन मुनब्बिह रह. फ़रमाते हैं कि ख़ुदा तआ़ला ने आपको उठाने के वक़्त शुरू दिन में तीस साअ़त (घड़ी) तक फ़ौत कर दिया था।

इब्ने इस्हाक़ कहते हैं कि ईसाईयों का ख़्याल है कि अल्लाह तआ़ला ने आपको सात साअ़त (घड़ी) तक फ़ौत रखा, फिर ज़िन्दा किया। वहब रह. फ़रमाते हैं कि तीन दिन तक मौत रही फिर ज़िन्दा करके उठा लिया। मतर वर्राक़ रह. फ़रमाते हैं- यानी मैं तुझे दुनिया में पूरा-पूरा देने वाला हूँ। यहाँ वफ़ात से मौत मुराद नहीं, इसी तरह इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि यहाँ वफ़ात देने से उनका उठाना मुराद है, और अक्सर मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि वफ़ात से मुराद यहाँ नींद है। जैसे कि क़ुरआने हकीम में एक दूसरी जगह है:

هُوَالَّذِیْ یَتَوَفّٰکُمْ بِالَّیْلِ............ الخ.

वह ख़ुदा जो तुम्हें रात को फ़ौत कर देता है, यानी सुला देता है। एक और जगह है:

اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا.

यानी अल्लाह तआ़ला जानों को फ़ौत करता है, उनकी मौत के वक़्त, और जो नहीं मरतीं उन्हें उनकी नींद के वक़्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नींद से बेदार होते तो फ़रमातेः

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ.

यानी ख़ुदा का शुक्र है जिसने हमें मार डालने के बाद फिर ज़िन्दा कर दिया, और उसी की तरफ़ लौटकर जाना है।

एक और जगह अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ.............................شَهِیْدًا.

(यानी सूरः निसा की आयत 156-159) कि उनके कुफ़्र की वजह से और हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम पर ज़बरदस्त बोहतान धरने की बिना पर, और इस सबब से कि वे कहते हैं कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को क़त्ल कर दिया, हालाँकि न क़त्ल किया है और न सलीब दी है, लेकिन उनके लिये शुब्हा डाल दिया गया.......।

'क़ब्-ल मौतिही' (उसकी मौत से पहले) में उस से मुराद हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम हैं, यानी तमाम अहले किताब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान लायेंगे जबकि वह क़ियामत से पहले ज़मीन पर उतरेंगे। इसका तफ़सीली बयान आगे आ रहा है। इन्शा-अल्लाह तआ़ला। पस उस वक़्त तमाम अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे, क्योंकि न वह जिज़्या लेंगे न इस्लाम के अ़लावा और कोई बात क़बूल करेंगे। इब्ने अबी हातिम में हज़रत हसन रह. से "इन्नी मुतवफ़्फ़ी-क" की तफ़सीर यह नक़ल है कि उन पर नींद डाली गयी, और नींद की हालत में ही अल्लाह तआ़ला ने उन्हें उठा लिया। हज़रत हसन रह. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यहूदियों से फ़रमाया- हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम मरे नहीं वह तुम्हारी तरफ़ क़ियामत से पहले लौटने वाले हैं।

फिर फ़रमाता है कि मैं तुझे अपनी तरफ़ उठाकर काफ़िरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे मानने वालों को काफ़िरों पर ग़ालिब रखने वाला हूँ क़ियामत तक। चुनाँचे ऐसा ही हुआ, जब अल्लाह तआ़ला ने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया तो उनके बाद उनके साथियों के कई फ़रीक़ हो गये, एक फ़िर्क़ा तो आपकी नुबुव्वत पर ईमान रखने वाला था कि आप अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं और उसकी एक बन्दी के लड़के हैं। बाज़ वे थे जिन्होंने हद से बढ़कर काम लिया और आपको ख़ुदा का बेटा कहने लगे। कुछ ने ख़ुद ख़ुदा आपको कहा। बाज़ ने तीन में का एक आपको बतलाया। अल्लाह तआ़ला उनके इन अ़क़ीदों का ज़िक्र क़ुरआन मजीद में फ़रमाता है। फिर उनकी तरदीद भी कर दी है। तीन सौ साल तक तो ये इसी तरह रहे, फिर यूनान के बादशाहों में से एक बादशाह जो बड़ा अ़क़्लमन्द था, जिसका नाम क़ुस्तुनतीन था, कहा जाता है कि सिर्फ़ इस दीन को बिगाड़ने के लिये मुनाफ़िक़ाना तौर पर बहाने से वह इस दीन में से दाख़िल हुआ, या जहालत से दाख़िल हुआ, बहरहाल उसने ईसवी दीन को बिल्कुल बदल डाला और बड़ी रद्दोबदल और कमी-ज़्यादती भी इस दीन में कर डाली। बहुत से क़ानून ईजाद किये (नये बनाये) और "अमानते कुबरा" भी इसी की ईजाद है, जो दर असल कमीनेपन की ख़ियानत है। उसी ने अपने ज़माने में सूद को हलाल किया, उसी के हुक्म से ईसाई पूरब की तरफ़ नमाज़ पढ़ने लगे, उसी ने गिरजाओं और कनीसों में इबादत-ख़ानों और ख़ानक़ाहों में तस्वीरें बनवायीं और अपने गुनाह के सबब दस रोज़ रोज़ों में बढ़वा दिये। ग़र्ज़ कि उसके ज़माने से ईसवी दीन ईसवी दीन न रहा, बल्कि दीने क़ुस्तुनतीन हो गया। उसने ज़ाहिरी रौनक़ तो ख़ूब दी, बारह हज़ार से ज़ायद इबादत-गाहें बनवा दीं और एक शहर अपने नाम से बसाया, मल्किया गिरोह ने उसकी तमाम बातें मान लीं लेकिन बावजूद इन सब बदकारियों के यहूदी उनके हाथ तले रहे और दर असल दूसरों के मुक़ाबले में हक़ से ज़्यादा क़रीब यही थे अगरचे वास्तव में सारे के सारे काफ़िर थे। ख़ुदा की उन पर फटकार हो।

अब जबकि हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह तआ़ला ने अपना चुना हुआ और ख़ास रसूल बनाकर दुनिया में भेजा तो आप पर जो लोग ईमान लाये उनका ईमान ख़ुदा की ज़ात पर भी था, उसके फ़रिश्तों पर भी था, उसकी किताबों पर भी था और उसके तमाम रसूलों पर भी था। पस हक़ीक़त में नबियों के सच्चे मानने वाले यही लोग थे, यानी उम्मते मुहम्मदिया (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)। इसलिये कि ये नबी-ए-उम्मी ख़ातिमुर्रुसुल हज़रत मुहम्मद सल्ल. के मानने वाले थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीम तमाम हक़्क़ानियत को सच्चा मानने की थी। पस दर असल हर नबी के सच्चे ताबेदार, सही मायने में उम्मती कहलाने के मुस्तहिक़ यही थे, क्योंकि उन लोगों ने जो अपने आपको ईसा अ़लैहिस्सलाम की उम्मत कहते थे दीने ईसवी को बिल्कुल मसख़ कर दिया (यानी बिगाड़ दिया) था, इसके अ़लावा पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ का दीन भी दूसरी तमाम पहली शरीअ़तों का नासिख़ (ख़त्म करने वाला) था, फिर महफ़ूज़ रहने वाला था जिसका एक शोशा भी क़ियामत तक बदलेगा नहीं।

इसलिये इस आयत के वायदे के मुताबिक़ ख़ुदा तआ़ला ने काफ़िरों पर इस उम्मत को ग़लबा दिया और ये पूरब से पश्चिम तक छा गये। मुल्कों को अपने पाँव तले रौंद दिया और बड़े-बड़े जाबिर, घमंडी और विरोधी काफ़िरों की गर्दनें मरोड़ दीं। हुकूमतें उनके पैरों में आ गयीं, फ़तह व ग़नीमत उनकी रकाब चूमने लगी, मुद्दतों की पुरानी सल्तनतों के तख़्ते उन्होंने उलट दिये, किसरा की शान व शौकत वाली सल्तनत

उनके भड़कते हुए आतिश-कदे उनके हाथों वीरान और सर्द हुए। क़ैसर का ताज व तख़्त इन ख़ुदा वालों ने ख़ाक में मिला दिया, उन्हें मसीह-परस्ती का ख़ूब मज़ा चखाया और उनके ख़ज़ानों को ख़ुदा तआ़ला की रज़ामन्दी में और उसके सच्चे नबी के दीन के प्रसार में दिल खोलकर ख़र्च किये। ख़ुदा का लिखा हुआ और नबी के वायदे चढ़ते सूरज और चौदहवीं के रोशन चाँद की तरह सच्चे होते हुए लोगों ने देख लिये। मसीह अ़लैहिस्सलाम के नाम को बदनाम करने वाले, मसीह के नाम पर शैतानों को पूजने वाले, इन पाकबाज़ ख़ुदा परस्तों के हाथों मजबूर होकर शाम के लहलहाते हुए बाग़ात और आबाद शहरों को इनके हवाले करके बेपनाह भागते हुए रोम में जा बसे, फिर वहाँ से भी ये बेइज़्ज़त करके निकाले गये और अपने बादशाह के ख़ास शहर क़ुस्तुनतुनिया में पहुँचे, लेकिन फिर वहाँ से भी ज़लील व ख़्वार करके निकाल दिये गये और इन्शा-अल्लाह तआ़ला इस्लाम और मुसलमान क़ियामत तक उनके ऊपर ही रहेंगे।

तमाम सच्चों के सरदार, जिनकी सच्चाई पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है, यानी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़बर दे चुके हैं जो अटल है, न काटे कटे न तोड़े टूटे, ना टाले टले। फ़रमाते हैं कि आपकी उम्मत का आख़िरी गिरोह क़ुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा, वहाँ के तमाम ख़ज़ाने अपने क़ब्ज़े में करेगा और रोमियों से उनकी वह घमासान लड़ाई होगी कि उसकी नज़ीर से दुनिया ख़ाली हो।

हमारी दुआ़ है कि हर ज़माने में ख़ुदा इस उम्मत का हामी व मददगार रहे, रू-ए-ज़मीने के काफ़िरों पर उन्हें ग़ालिब रखे और उन्हें समझ दे कि न यह ख़ुदा के सिवा किसी की इबादत करें न मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सिवा किसी की इताअ़त करें। यही असल है इस्लाम की, और यही गुर और राज़ है दुनिया में तरक़्क़ी और बुलन्दी का।

अल्लाह तआ़ला के आगे के क़ौल पर नज़र डालिये कि मसीह अ़लैहिस्सलाम के साथ कुफ़्र करने वाले यहूद और आपकी शान में बढ़ी-चढ़ी बातें बनाकर बहकने वाले ईसाईयों को क़त्ल व क़ैद की, माल और हुकूमत के तबाह हो जाने की सज़ा दी और आख़िरत के अ़ज़ाब वहीं देख लेना, जहाँ न कोई बचा सकेगा न मदद कर सकेगा। और उनके उलट ईमान वालों को पूरा अज्र ख़ुदा तआ़ला अ़ता फ़रमायेगा, दुनिया में भी फ़तह और नुसरत, इज़्ज़त व सम्मान अ़ता होगा और आख़िरत में भी ख़ास रहमतें और नेमतें मिलेंगी। अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को नापसन्द रखता है।

फिर फ़रमाया ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! यह थी हक़ीक़त हज़रत ईसा और उनकी पैदाईश के शुरूआ़ती दौर की, और उनके मामले की जो अल्लाह तआ़ला ने लौहे-महफ़ूज़ से आपकी तरफ़ अपनी ख़ास वही के ज़रिये उतारा, जिसमें कोई शक व शुब्हा नहीं। जैसे सूरः मरियम में फ़रमाया कि ईसा बिन मरियम (अ़लैहिमस्सलाम) यही हैं, यही सच्ची हक़ीक़त है जिसमें तुम शक व शुब्हे में पड़े हो। ख़ुदा को तो लायक़ ही नहीं कि उसकी औलाद हो, वह इससे बिल्कुल पाक है, वह जो करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वह हो जाता है। अब यहाँ भी उसके बाद बयान हो रहा है।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن	**बेशक अजीब हालत (हज़रत) ईसा की अल्लाह तआ़ला के नज़दीक (हज़रत) आदम (अ़लैहिस्सलाम) की अजीब हालत की तरह है, कि उन (के जिस्मानी ढाँचे) को मिट्टी से बनाया**

فَيَكُوْنُ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○ ع

फिर उनको हुक्म दिया कि (जानदार) हो, पस वह (जानदार) हो गये। (59) यह वाक़ई अम्र आपके परवर्दिगार की तरफ़ से (बतलाया गया) है, सो आप शुब्हा करने वालों में से न होजिए। (60) पस जो शख़्स आप से ईसा के बारे में (अब भी) हुज्जत करे, आपके पास (क़तई) इल्म आने के बाद तो आप फ़रमा दीजिए कि आ जाओ हम (और तुम) बुला लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और ख़ुद अपने तनों को और तुम्हारे तनों को, फिर हम (सब मिलकर) ख़ूब दिल से दुआ करें, इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजें उन पर जो (इस बहस में) नाहक़ पर हों। (61) बेशक यह (जो कुछ ज़िक्र हुआ) वही है सच्ची बात, और कोई माबूद होने के लायक़ नहीं सिवाय अल्लाह के, और बेशक अल्लाह तआ़ला ही ग़लबे वाले, हिक्मत वाले हैं। (62) फिर (भी) अगर नाफ़रमानी करें तो बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले हैं फ़साद वालों को। (63)

ईसा अ़लैहिस्सलाम का बिना बाप के पैदा होना कोई हैरत-अंगेज़ बात नहीं है

अल्लाह तआ़ला अपनी कामिल क़ुदरत का बयान फ़रमा रहा है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का तो सिर्फ़ बाप न था और मैंने उन्हें पैदा कर दिया तो इसमें क्या ताज्जुब है? मैंने हज़रत आदम को तो उनसे पहले पैदा किया था हालाँकि उनका भी बाप न था बल्कि माँ भी न थी। मिट्टी से पुतला बनाया और कह दिया आदम हो जा, उसी वक़्त हो गया। फिर मुझ पर सिर्फ़ माँ से पैदा करना क्या मुश्किल है? जबकि बग़ैर माँ और बाप के भी मैंने पैदा कर दिया। पस अगर सिर्फ़ बाप न होने की वजह से हज़रत ईसा ख़ुदा का बेटा कहलाने के मुस्तहिक़ हो सकते हैं तो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम तो और भी ज़्यादा इसका हक़ रखते हैं और उन्हें ख़ुद तुम भी अल्लाह का बेटा नहीं मानते। फिर हज़रत ईसा को इस दर्जे से और भी ज़्यादा हटाना चाहिये, क्योंकि बेटा होने के दावे का ग़लत और बेहूदा होना यहाँ उससे भी ज़्यादा ज़ाहिर है। यहाँ माँ तो है, वहाँ तो न माँ थी न बाप। यह सब कुछ अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरतों का ज़हूर है कि आदम अ़लैहिस्सलाम को बग़ैर मर्द व औरत के पैदा किया और हव्वा को सिर्फ़ मर्द से बग़ैर औरत के

पैदा किया, और ईसा को सिर्फ़ औरत से बग़ैर मर्द के पैदा कर दिया और बाक़ी मख़्लूक़ को मर्द व औरत दोनों से पैदा किया। इसी लिये सूरः मरियम में फ़रमायाः

وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ.

हमने ईसा को लोगों के लिये अपनी क़ुदरत का निशान बनाया और यहाँ फ़रमाया है ईसा के बारे में ख़ुदाई सच्चा फ़ैसला यही है, इसके सिवा और कुछ कमी-ज़्यादती की गुंजाईश ही नहीं है, क्योंकि हक़ के बाद गुमराही ही होती है। पस ऐ नबी! तुझे हरगिज़ उन शक्की लोगों में न होना चाहिये (आपको ख़िताब करके यह दर असल उन लोगों को तंबीह है जो शक में पड़े हुए हैं)।

अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन इसके बाद अपने नबी को हुक्म देता है कि अगर इस क़द्र वाज़ेह और कामिल बयान के बाद भी कोई शख़्स तुझसे ईसा अ़लैहिस्सलाम के मामले के बारे में झगड़े तो उन्हें मुबाहले की दावत दे कि हम दोनों फ़रीक़ मय अपने बेटों और बीवियों के मुबाहले के लिये निकलें और ख़ुदा से आ़जिज़ी से कहें कि ख़ुदाया! हम दोनों में जो झूठा हो उस पर तू अपनी लानत नाज़िल फ़रमा। इस मुबाहले के नाज़िल होने का और सूरत के शुरू से यहाँ तक की इन तमाम आयतों के नाज़िल होने का सबब नजरान के ईसाईयों का वफ़्द था, ये लोग यहाँ आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में गुफ़्तगू कर रहे थे, उनका अ़क़ीदा था कि ईसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुदाई के हिस्सेदार और ख़ुदा के बेटे हैं, पस उनकी तरदीद और उनके जवाब में ये सब आयतें नाज़िल हुईं।

नजरान का वफ़्द

इब्ने इस्हाक़ रह. अपनी मशहूर सीरत में लिखते हैं और दूसरे इतिहासकारों ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि नजरान के ईसाईयों ने बतौर वफ़्द के हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में अपने साठ आदमी भेजे थे, जिनमें चौदह शख़्स उनके सरदार थे, जिनके नाम ये हैं- आ़क़िब जिसका नाम अ़ब्दुल मसीह था, सैयद जिसका नाम ऐहम था, अबू हारिसा बिन अ़ल्क़मा जो बक्र बिन वाईल का भाई था, उवैस बिन हारिस, ज़ैद, क़ैस, यज़ीद और उसके दोनों लड़के, ख़ुवैलद, अ़मर, ख़ालिद, अ़ब्दुल्लाह और युहन्नस। ये सब चौदह सरदार थे, लेकिन फिर उनमें बड़े सरदार तीन शख़्स थे, आ़क़िब जो क़ौम का अमीर था, अ़क़्लमन्द समझा जाता था और मश्विरे वाला था और उसकी राय पर ये लोग मुत्मईन हो जाते थे। सैयद जो उनका लाट पादरी था और ऊँचे स्तर का शिक्षक था, यह बनू बक्र बिन वाईल के अ़रब क़बीले में से था, लेकिन ईसाई बन गया था और रोमियों के यहाँ उसकी बड़ी आव-भगत थी। उसके लिये उन्होंने बड़े-बड़े गिरजे बना दिये थे, और उसके दीन की मज़बूती देखकर उसकी बहुत कुछ ख़ातिर-मुदारात और ख़िदमत व इ़ज़्ज़त करते रहते थे। यह शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़त व शान से वाक़िफ़ था और पहली किताबों में आपकी सिफ़तें पढ़ चुका था, दिल से आपकी नुबुव्वत का क़ायल था लेकिन ईसाईयों में जो उसका मान-सम्मान था और वहाँ जो रुतबा व हैसियत उसे हासिल थी उसके छिन जाने के ख़ौफ़ से राहे हक़ की तरफ़ नहीं आता था।

ग़र्ज़ कि यह वफ़्द मदीना में रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में मस्जिदे नबवी में हाज़िर हुआ, आप उस वक़्त अ़सर की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर बैठे ही थे, ये लोग उम्दा लिबास पहने हुए थे, ख़ूबसूरत नर्म चादरें ओढ़े हुए थे, ऐसा मालूम होता था जैसे बनू हारिस बिन कअ़ब के ख़ानदान के लोग

हों। सहाबा रज़ि. कहते हैं कि उनके बाद उन जैसा शान-व-शौकत वाला वफ़्द कोई नहीं आया। उनकी नमाज़ का वक़्त आ गया तो आपकी इजाज़त से उन्होंने पूरब की तरफ़ मुँह करके मस्जिदे नबवी में ही अपने तरीक़े पर नमाज़ अदा कर ली, बाद नमाज़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उनकी गुफ़्तगू हुई। इधर से बोलने वाले ये तीन शख़्स थे, हारिसा बिन अ़ल्क़मा, आ़क़िब यानी अ़ब्दुल मसीह और सैयद यानी ऐहम। ये अगरचे शाही मज़हब पर थे लेकिन कुछ बातों में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) रखते थे। हज़रत मसीह के बारे में तीनों ख़्याल उनके थे, यानी वह ख़ुदा है, ख़ुदा का लड़का है और तीन में का तीसरा है। अल्लाह उनके इस नापाक क़ौल से पाक है और बहुत ही बुलन्द व बाला। तक़रीबन तमाम ईसाईयों का यही अ़क़ीदा है।

मसीह के ख़ुदा होने की दलील तो उनके पास यह थी कि वह मुर्दों को ज़िन्दा कर देता था और अन्धों, कोढ़ियों और बीमारों को शिफ़ा देता था, ग़ैब की ख़बरें देता था और मिट्टी की चिड़िया बनाकर फूँक मारकर उड़ा दिया करता था। और जवाब इसका यह है कि सारी बातें उससे ख़ुदा के हुक्म से सर्ज़द होती थीं, ताकि ख़ुदा की निशानियाँ ख़ुदा की बातों के सच होने और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत पर क़ायम हो जायें। ख़ुदा का लड़का मानने वालों की हुज्जत (दलील) यह थी कि उनका बज़ाहिर कोई बाप न था, और पालने में बोलने लगे थे। ये बातें भी ऐसी हैं कि उनसे पहले देखने में ही नहीं आयी थीं। और तीन में का तीसरा इसलिये कहते थे कि उसने अपने कलाम में फ़रमाया है- हमने किया, हमारा हुक्म, हमारी मख़्लूक़, हमने फ़ैसला किया (यानी बहुवचन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया न कि एक वचन का) वग़ैरह। पस अगर ख़ुदा अकेला एक ही होता तो यूँ न फ़रमाता, बल्कि फ़रमाता- मैंने किया और मेरा हुक्म, मेरी मख़्लूक़, मैंने फ़ैसला किया वग़ैरह। साबित हुआ कि ख़ुदा तीन हैं, ख़ुद ख़ुदा और ईसा और मरियम। ख़ुदा तआ़ला उन ज़ालिमों मुन्किरों के क़ौल से पाक और बुलन्द है। उनके तमाम अ़क़ीदों का बातिल होना क़ुरआन करीम में उतरा।

जब ये दोनों पादरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बातचीत कर चुके तो आपने फ़रमाया- तुम मुसलमान हो जाओ। इन्होंने कहा हम तो मानने वाले हैं ही, आपने फ़रमाया नहीं नहीं! तुम्हें चाहिये कि इस्लाम क़बूल कर लो। वे कहने लगे हम तो आपसे पहले के मुसलमान हैं। फ़रमाया नहीं! तुम्हारा यह इस्लाम क़बूल नहीं, इसलिये कि तुम ख़ुदा की औलाद मानते हो, सलीब की पूजा करते हो, ख़िन्ज़ीर खाते हो। उन्होंने कहा अच्छा फिर यह तो फ़रमाईये कि हज़रत ईसा का बाप कौन था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो इस पर ख़ामोश रहे और सूरः आले इमरान की शुरू से लेकर इसके ऊपर-ऊपर तक की आयतें उनके जवाब में नाज़िल हुईं। इब्ने इस्हाक़ इन सबकी मुख़्तसर सी तफ़सीर बयान करके फिर लिखते हैं- आपने यह सब तिलावत करके उन्हें समझा दीं। इस मुबाहले की आयत को पढ़कर आपने फ़रमाया अगर नहीं मानते तो आओ मुबाहला को निकलो, यह सुनकर वे कहने लगे ऐ अबुल-क़ासिम हमें मोहलत दीजिए कि हम आपस में मश्विरा कर लें, फिर तुम्हें इसका जवाब देंगे।

अन्तरात्मा जाग उठी

अब तन्हाई में बैठकर उन्होंने आ़क़िब से मश्विरा लिया जो बड़ा दाना और अ़क़्लमन्द समझा जाता था। उसने अपना आख़िरी फ़ैसला इन अलफ़ाज़ में सुनाया कि ऐ ईसाई जमाअ़त! तुमने यक़ीन के साथ इतना तो मालूम कर लिया है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ख़ुदा के सच्चे रसूल हैं, और यह

भी तुम जानते हो कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की हक़ीक़त वही है जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की ज़बानी तुम सुन चुके हो, और तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि जो क़ौम नबी के साथ मुबाहला करती है न उनके बड़े बाक़ी रहते हैं न छोटे, बल्कि सबके सब जड़ बुनियाद से उखेड़कर फेंक दिये जाते हैं। याद रखो अगर तुमने मुबाहले (यानी जो झूठा हो उसको ख़ुदा बरबाद करे, यह बद्दुआ़ करने) के लिये क़दम बढ़ाया तो तुम्हारा सत्यानास हो जायेगा। पस या तो तुम इसी दीन को क़बूल कर लो और अगर किसी तरह मानना चाहते ही नहीं हो और अपने दीन पर और हज़रत ईसा के मुताल्लिक़ अपने ही ख़्यालात पर क़ायम रहना चाहते हो तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से सुलह कर लो और अपने वतन को लौट जाओ। चुनाँचे ये लोग सलाह-मश्विरा करके फिर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे- ऐ अबुल-क़ासिम (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! हम आपसे मुबाहला करने के लिये तैयार नहीं, आप अपने दीन पर रहिये और हम अपने ख़्यालात पर हैं, लेकिन आप हमारे साथ अपने सहाबियों में से किसी ऐसे शख़्स को भेज दीजिए जिनसे आप ख़ुश हों कि वे हमारे माली झगड़ों का हममें फ़ैसला कर दें। आप लोग हमारी नज़रों में बहुत ही पसन्दीदा हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अच्छा दोपहर को तुम फिर आना, मैं तुम्हारे साथ मज़बूत अमानतदार को कर दूँगा।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. फ़रमाते हैं- मैंने किसी दिन सरदार बनने की ख़्वाहिश नहीं की सिवाय उस दिन के, सिर्फ़ इस ख़्याल से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो तारीफ़ की है उसका मिस्दाक़ ख़ुदा के नज़दीक मैं बन जाऊँ। इसी लिये मैं उस रोज़ सवेरे-सवेरे ज़ोहर की नमाज़ के लिये चल पड़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर दायें-बायें नज़रें दौड़ाने लगे। मैं बार-बार अपनी जगह ऊँचा हुआ करता था ताकि आपकी निगाहें मुझ पर पड़ें। आप बराबर ग़ौर से देखते ही रहे यहाँ तक कि निगाहें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि. पर पड़ीं, उन्हें तलब फ़रमाया और कहा कि इनके साथ जाओ और उनके इख़्तिलाफ़ात (विवादों और मतभेदों) का फ़ैसला हक़ के साथ कर दो। चुनाँचे हज़रत अबू उबैदा रज़ि. उनके साथ तशरीफ़ ले गये।

इब्ने मर्दूया में भी यह वाक़िआ़ इसी तरह मन्क़ूल है, लेकिन वहाँ सरदारों की गिनती बारह की है और इस वाक़िए में भी किसी क़द्र लम्बाई है, और कुछ ज़ायद बातें भी हैं। सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. की रिवायत से नक़ल है कि नजरानी सरदार आ़क़िब और सैयद मुबाहले के इरादे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये लेकिन एक ने दूसरे से कहा- यह न कर, ख़ुदा की क़सम अगर यह नबी हैं और हमने इनसे मुबाहला किया (यानी यह बद्दुआ़ की कि जो झूठा हो वह बरबाद हो जाये) तो हम अपनी औलादों समेत तबाह हो जायेंगे। चुनाँचे फिर दोनों ने एक राय होकर कहा कि हज़रत! आप हमसे जो तलब फ़रमाते हैं हम वह सब अदा कर देंगे (यानी जिज़्या देना क़बूल कर लिया)। आप हमारे साथ किसी अमीन शख़्स को कर दीजिए और अमीन ही को भेजना भी। आपने फ़रमाया बेहतर है, मैं तुम्हारे साथ पूरे अमीन को कर दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा इधर-उधर से तकने लगे कि देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसे चुनते हैं। आपने फ़रमाया- ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह! तुम खड़े हो जाओ, जब यह खड़े हुए तो आपने फ़रमाया- यह हैं इस उम्मत के अमीन। सही बुख़ारी शरीफ़ की एक और हदीस में है कि हर उम्मत का अमीन होता है और इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है।

मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि अबू जहल मलऊन ने कहा- अगर मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को काबे में नमाज़ पढ़ते देख लूँगा तो उसकी गर्दन तोड़ दूँगा।

फ़रमाते हैं कि आपने फ़रमाया- अगर वह ऐसा करता तो सबके सब देखते कि फ़रिश्ते उसे दबोच लेते और यहूदियों से जब क़ुरआन ने कहा था कि आओ बातिल-परस्तों के लिये मौत माँगो और वे माँगते तो यक़ीनन सबके सब मर जाते और अपनी जगहें जहन्नम की आग में देख लेते, और जिन ईसाईयों को मुबाहले की दावत दी गयी थी अगर वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुक़ाबले में मुबाहले के लिये निकलते तो लौटकर अपने मालों को और अपने बाल-बच्चों को न पाते। सही बुख़ारी, तिर्मिज़ी और नसाई में भी यह हदीस है, इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन सही कहते हैं।

एक वाक़िआ़, सीख लेने वाले परिणाम और इस्लाम को क़बूल न करने के कारण

इमाम बैहक़ी रह. ने अपनी किताब दलाईलुन्नुबुव्वत में भी नजरान के वफ़्द के क़िस्से को तफ़सील के साथ बयान किया है। हम उसे यहाँ नक़ल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं अगरचे इसमें ग़राबत भी है (यानी यह सनद के एतिबार से ग़रीब है) लेकिन वह इस जगह के लिये ख़ास मुनासिब है।

सलमा बिन अ़ब्दे यसूअ़ अपने दादा से रिवायत करते हैं जो पहले ईसाई थे फिर मुसलमान हो गये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरः 'तॉ-सीन' सुलैमान के नाज़िल होने से पहले नजरान वालों को एक ख़त लिखा जिसकी इबारत यह थीः

بسم الٰه ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله الى اسقف نجران اسلم فانى احمد اليكم الٰه ابراهيم واسحق ويعقوب امابعد فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد فان ابيتم فالجزية فان ابيتم فاٰذنتكم بالحرب. والسلام.

यानी इस ख़त को मैं शुरू करता हूँ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक़ और हज़रत याक़ूब के ख़ुदा के नाम से, यह ख़त है मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की तरफ़ से जो ख़ुदा के नबी और रसूल हैं नजरान के सरदार की तरफ़। अल्लाह तआ़ला की मैं तुम्हारे सामने तारीफ़ व प्रशंसा बयान करता हूँ जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक़ और हज़रत याक़ूब का माबूद है, फिर मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि बन्दों की इबादत छोड़कर ख़ुदा की इबादत की तरफ़ आ जाओ और बन्दों की हाकिमीयत को छोड़कर ख़ुदा की हाकमियत की तरफ़ आ जाओ, अगर तुम इसे न मानो तो जिज़या (टैक्स) दो और ताबेदारी इख़्तियार करो, अगर इससे भी इनकार हो तो तुम्हें लड़ाई का ऐलान है। वस्सलाम।

जब यह ख़त अस्क़फ़ को पहुँचा और उसने इसे पढ़ा तो बड़ा सटपटाया, घबरा गया और थर्राने लगा। झट से शुरहबील बन वदाआ़ को बुलवाया जो क़बीला हम्दान का था, सल्तनत का सबसे बड़ा सलाहकार यही था। जब कभी कोई अहम काम आ पड़ता तो सबसे पहले यानी ऐहम, सैयद और आ़क़िब से भी पहले इससे मश्विरा होता। जब यह आ गया तो अस्क़फ़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़त उसे दिया, उसने पढ़ लिया तो अस्क़फ़ ने पूछा बाताओ क्या ख़्याल है। शुरहबील ने कहा बादशाह को ख़ूब इल्म है कि हज़रत इस्माईल की औलाद में से ख़ुदा के एक नबी के आने का वायदा ख़ुदा की किताब में है, क्या अ़जब है कि यह नबी यही हो, नुबुव्वत के मामले में मैं क्या राय दे सकता हूँ। हाँ अगर हुकूमत के मामले में कोई

बात होती तो बेशक मैं अपने दिमाग़ पर ज़ोर डालकर कोई बात निकाल लेता। अस्क़फ़ ने उन्हें तो अलग बैठा दिया और अ़ब्दुल्लाह बिन शुरहबील को बुलाया, यह भी सल्तनत का सलाहकार था और हमीर के क़बीले में से था, उसे ख़त दिया पढ़ाया राय पूछी तो उसने भी ठीक वही बात कही जो पहला सलाहकार कह चुका था, उसे भी बादशाह ने दूर बैठा दिया। फिर जब्बार बिन फ़ैज़ को बुलाया जो बनू हारिस में से था, उसने भी यही कहा जो उन दोनों ने कहा था। बादशाह ने जब देखा कि इन तीनों की राय एक है तो हुक्म दिया गया कि नाक़ूस (बाँस की नक़्क़ारे जैसी आवाज़) बजाये जायें। आग जला दी जाये और गिरजों में झण्डे बुलन्द कर दिये जायें। वहाँ का यह दस्तूर था कि जब सल्तनत को कोई अहम काम होता और रात को जमा करना मक़सूद होता यही करते, और अगर दिन का वक़्त होता तो गिरजों में आग जला दी जाती और नाक़ूस ज़ोर-ज़ोर से बजाये जाते।

इस हुक्म के होते ही चारों तरफ़ आग जला दी गयी और नाक़ूस की आवाज़ ने हर एक को होशियार कर दिया और झण्डे ऊँचे देख-देखकर आस-पास के उस वादी के तमाम लोग जमा हो गये। उस वादी की लम्बाई इतनी थी कि तेज़ सवार सुबह से शाम तक दूसरे किनारे पहुँचता था, उसमें बहत्तर गाँव आबाद थे और एक लाख बीस हज़ार तलवार चलाने वाले यहाँ आबाद थे। जब ये सब लोग आ गये तो अस्क़फ़ ने उन्हें रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नामा-ए-मुबारक पढ़कर सुनाया और पूछा- बताओ तुम्हारी क्या राय है? तमाम अ़क़्लमन्दों ने कहा कि शुरहबील बिन वदाआ़ हम्दानी, अ़ब्दुल्लाह बिन शुरहबील अस्बही और जब्बार बिन फ़ैज़ हारिसी को बतौर वफ़्द के भेजा जाये, ये वहाँ से पुख़्ता ख़बर लायें। अब यहाँ से ये वफ़्द (जमाअ़त) इन तीनों की सरदारी के मातहत रवाना हुआ। मदीना पहुँचकर इन्होंने सफ़र का लिबास उतार डाला और हिबरा के बने हुए रेशमी लम्बे-लम्बे लिबास पहन लिये और सोने की अंगूठियाँ उंगलियों में डाल लीं और अपनी चादरों के पल्ले थामे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, सलाम किया लेकिन आपने जवाब न दिया, बहुत देर तक इन्तिज़ार किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कुछ बातचीत करें लेकिन उन रेशमी लिबास और सोने की अँगूठियों की वजह से आपने उनसे कलाम भी न किया। अब ये लोग हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि. की तलाश में निकले, इन दोनों बुज़ुर्गों से उनकी पहले से मुलाक़ात थी। मुहाजिरीन और अन्सार के एक मजमे में इन दोनों हज़रात को पा लिया, इनसे वाक़िआ़ बयान किया कि तुम्हारे नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने हमें ख़त लिखा, हम उसका जवाब देने के लिये ख़ुद हाज़िर हुए। आपके पास गये, सलाम किया लेकिन जवाब न दिया। फिर बहुत देर तक इन्तिज़ार में बैठे रहे कि आप से कुछ बातें हो जातीं लेकिन आपने हमसे कोई बात न की, आख़िर हम लोग थककर चले आये। अब आप हज़रात फ़रमाईये कि क्या हम यूँ ही वापस चले जायें? इन दोनों ने हज़रत अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि. से कहा कि आप ही इन्हें जवाब दीजिए। हज़रत अ़ली रज़ि. ने फ़रमाया- मेरा ख़्याल है कि ये लोग अपने यह लिबास और अपनी ये अंगूठियाँ उतार दें और वही सफ़र वाला मामूली लिबास पहनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में दोबारा जायें। चुनाँचे उन्होंने यही किया, उसी मामूली लिबास में गये, सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर फ़रमाया उस ख़ुदा की क़सम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है ये जब मेरे पास पहली मर्तबा आये थे तो इनके साथ इब्लीस (शैतान) था।

अब सवाल व जवाब बातचीत शुरू हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी पूछते थे और जवाब

भी देते थे, इसी तरह वे भी मालूम करते थे जवाब भी देते थे। आख़िर में उन्होंने पूछा- आप हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में क्या फ़रमाते हैं? ताकि हम अपनी क़ौम के पास जाकर वह कहें। हमें इसकी ख़ुशी है कि अगर आप नबी हैं तो आपकी ज़बानी सुनें कि आपका उनके बारे में क्या ख़्याल है। आपने फ़रमाया मेरे पास इसका जवाब आज तो नहीं, तुम ठहरो तो मेरा रब मुझसे इसके बारे में जो फ़रमायेगा वह मैं तुम्हें सुना दूँगा। दूसरे दिन वे फिर आये तो आपने उसी वक़्त की उतरी हुई ये तीन आयतें सुनाईं:

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى.............. كَاذِبِيْنَ.

(यही जिनकी तफ़सीर बयान हो रही है) उन्होंने इस बात का इक़रार करने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुबाहले के लिये हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ि. को अपनी चादर में लिये हुए तशरीफ़ लाये, पीछे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा आ रही थीं। उस वक़्त आपकी कई एक बीवियाँ थीं, शुरहबील यह देखते ही अपने दोनों साथियों से कहने लगा- तुम जानते हो कि नजरान की सारी वादी मेरी बात को मानती है और मेरी राय पर अ़मल करती है, सुनो ख़ुदा की क़सम यह मामला बड़ा भारी है, अगर यह शख़्स (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह की तरफ़ से भेजा गया है तो सबसे पहले इसकी निगाहों में हम ही बुरे और मुजरिम होंगे और सबसे पहले इसका इनकार करने वाले हम ही ठहरेंगे। यह बात उसके और उसके साथियों के दिलों से नहीं जायेगी और हम पर कोई न कोई मुसीबत व आफ़त आयेगी। अ़रब भर में सबसे ज़्यादा क़रीब उनसे मैं ही हूँ। और सुनो अगर यह शख़्स अल्लाह की तरफ़ से भेजा हुआ नबी है तो मुबाहला करते ही रू-ए-ज़मीन पर एक बाल या एक नाख़ुन भी हमारा बाक़ी न रहेगा। उसके दोनों साथियों ने कहा ऐ अबू मरियम! फिर आपकी क्या राय है? उसने कहा मेरी राय यह है कि उसी को हम हाकिम बना दें, जो कुछ वह हुक्म दे हम उसे मन्ज़ूर कर लें, यह कभी भी ख़िलाफ़े अ़दल हुक्म न देगा। उन दोनों ने उसकी बात तस्लीम कर ली।

अब शुरहबील ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि इस मुलाअ़ने (एक दूसरे पर लानत करने) से बेहतर चीज़ जनाब के सामने पेश करता हूँ। आपने दरियाफ़्त फ़रमाया वह क्या? कहा आज का दिन आने वाली रात और कल सुबह तक आप हमारे बारे में जो हुक्म करें हमें मन्ज़ूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शायद और लोग तुम्हारे इस फ़ैसले को न मानें। शुरहबील ने कहा इसके बारे में मेरे इन दोनों साथियों से मालूम फ़रमा लीजिए। आपने उन दोनों से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि सारी वादी के लोग इन्हीं की राय पर चलते हैं। वहाँ एक भी ऐसा नहीं जो इनके फ़ैसले को टाल सके। पस हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दरख़्वास्त क़बूल फ़रमा ली। मुलाअ़ना न किया और वापस लौट गये। दूसरे दिन सुबह ही वे हाज़िरे ख़िदमत हुए। आपने एक तहरीर उन्हें लिखकर दी जिसमें 'बिस्मिल्लाह......' के बाद यह मज़मून था कि "यह तहरीर अल्लाह के नबी मुहम्मद की तरफ़ से नजरानियों के लिये है, उन पर अल्लाह के रसूल का हुक्म जारी था, हर फल में और हर ज़र्द व सफ़ेद और सियाह में और हर ग़ुलाम में, लेकिन अल्लाह के रसूल यह सब उन्हीं को देते हैं। यह हर साल सिर्फ़ दो हज़ार जोड़ें दे दिया करें, एक हज़ार रजब में और एक हज़ार सफ़र में, वग़ैरह-वग़ैरह। पूरा अ़हद नामा उन्हें अ़ता फ़रमाया।

इससे मालूम होता है कि उनका यह वफ़्द सन् 9 हिजरी में आया था, इसलिये कि हज़रत ज़ोहरी रह. फ़रमाते हैं कि सबसे पहले जिज़या इन्हीं नजरान वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अदा किया और जिज़्ये की आयत फ़त्हे-मक्का के बाद उतरी है जो यह है:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ......... الخ.

(सूरः तौबा आयत 29)

इस आयत में अहले किताब से जिज़या लेने का हुक्म हुआ है। इब्ने मर्दूया में है कि आ़क़िब और तैयब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और आपने उन्हें मुलाअ़ने (एक दूसरे पर लानत करने) के लिये कहा और सुबह को हज़रत अ़ली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को लिये हुए आप तशरीफ़ लाये। उन्हें कहला भेजा, उन्होंने क़बूल न किया और ख़िराज (टैक्स) देना मन्ज़ूर कर लिया। आपने फ़रमाया- उसकी क़सम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, अगर ये दोनों 'नहीं' कहते तो उन पर यही वादी आग बरसाती। हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि "नद्उ अबना-अना..........." वाली आयत उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई है। 'अन्फ़ुसना' से मुराद ख़ुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अ़ली रज़ि., 'अबना-अना' से मुराद हज़रत हसन और हुसैन रज़ि., 'निसा-अना' से मुराद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा हैं। मुस्तदरक हाकिम वग़ैरह में भी इस मायने की हदीस मरवी है।

फिर अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि हमने यह जो ईसा (अ़लैहिस्सलाम) की शान बयान फ़रमाई है हक़ और सच है, इसमें बाल बराबर कमी ज़्यादती नहीं। अल्लाह क़ाबिले इबादत है कोई और नहीं, और वही ग़लबे और हिक्मत वाला है। अब भी अगर ये मुँह फेर लें और दूसरी बातों में पड़ें तो अल्लाह तआ़ला भी ऐसे बातिल-पसन्दों और ख़राबी व फ़साद करने वालों को अच्छी तरह जानता है। उन्हें बदतरीन सज़ा देगा। उसमें पूरी क़ुदरत है, कोई उससे न भाग सके न उसका मुक़ाबला कर सके। वह पाक और तारीफ़ वाला है, हम उसके अ़ज़ाबों से उसी की पनाह चाहते हैं।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○	आप फ़रमा दीजिए कि ऐ अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान (मुसल्लम होने में) बराबर है, (वह यह) कि सिवाय अल्लाह तआ़ला के हम किसी और की इबादत न करें, और अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न ठहराएँ, और हममें से कोई किसी दूसरे को रब क़रार न दे ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर, फिर अगर वे लोग (हक़ से) मुँह मोड़ें तो तुम लोग कह दो कि तुम (हमारे इस इक़रार के) गवाह रहो कि हम तो मानने वाले हैं। (64)

मुबाहले की दावत, हक़ और बातिल

यहूदियों, ईसाईयों और उन्हीं जैसे लोगों से यहाँ ख़िताब हो रहा है। कलिमा उस जुमले (वाक्य) को कहते हैं जिससे पूरा फ़ायदा हो। जैसे यहाँ कलिमा कहकर फिर "सवाअिन्" के साथ उसका वस्फ़ बयान किया गया है। 'सवाअन्' के मायने अ़दल व इन्साफ़ वाला, जिसमें हम तुम बराबर हैं। फिर इसकी तफ़सीर

की कि वह बात यह है कि एक ख़ुदा ही की इबादत करें और उसके साथ न किसी बुत को पूजें न सलीब को न तस्वीर को, न ख़ुदा के सिवा किसी और को, न आग को न किसी चीज़ को, बल्कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं। यही दावत तमाम अम्बिया-ए-किराम की थी। जैसे फ़रमान है:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

यानी तुझसे पहले जिस-जिस रसूल को हमने भेजा सबकी तरफ़ यही वही की कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, पस तुम सब मेरी ही इबादत किया करो। एक और जगह इरशाद है:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

यानी हर उम्मत में रसूल भेजकर हमने यह मुनादी करा दी कि ख़ुदा की इबादत करो और उसके सिवा (दूसरों) से बचो।

फिर फ़रमाता है कि हम आपस में भी ख़ुदा को छोड़कर एक दूसरे को रब न बना लें। इब्ने जुरैज फ़रमाते हैं- यानी ख़ुदा की नाफ़रमानी में एक दूसरे की इताअ़त न करें। हज़रत इक्रिमा फ़रमाते हैं कि किसी को सिवाय ख़ुदा के सज्दा न करें। फिर अगर ये लोग उस इन्साफ़ वाली दावत को भी क़बूल न करें तो इन्हें अपनी इताअ़त-गुज़ारी पर गवाह बना लो। हमने बुख़ारी की शरह में इस वाक़िए का मुफ़स्सल ज़िक्र कर दिया है, जिसमें है कि अबू सुफ़ियान जबकि बादशाह क़ैसर के दरबार में बुलवाये गये और क़ैसर रोम के बादशाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नसब का हाल पूछा तो उन्हें बावजूद काफ़िर और दुश्मने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) होने के आपकी ख़ानदानी शराफ़त का इक़रार करना पड़ा और इसी तरह हर-हर सवाल का साफ़ और सच्चा जवाब दिया। यह वाक़िआ सुलह हुदैबिया के बाद का और फ़त्हे-मक्का से पहले का है। इसी सबब क़ैसर के इस सवाल के जवाब में कि क्या वह (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अ़हद के ख़िलाफ़ करते हैं? अबू सुफ़ियान ने कहा नहीं करते, लेकिन अब एक मुआ़हिदा हमारा उनसे हुआ है, न जानें उसमें वह क्या करें?

यहाँ सिर्फ़ यह मक़सद है कि इन तमाम बातों के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़त मुबारक पेश किया जाता है, जिसमें 'बिस्मिल्लाह.........' के बाद यह लिखा होता है कि यह ख़त मुहम्मद की तरफ़ से है जो अल्लाह के रसूल हैं (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)। हिरक़्ल की तरफ़ जो रोम का शाह है ख़ुदा की तरफ़ से सलाम हो उसे जो हिदायत का पैरोकार है। उसके बाद इस्लाम क़बूल कर सलामत रहेगा, इस्लाम क़बूल कर अल्लाह तआ़ला तुझे दोहरा अज्र देगा और अगर तूने मुँह मोड़ा तो तमाम सरदारों का बोझ तुझ पर रहेगा। फिर यही आयत लिखी थी। इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ वग़ैरह ने लिखा है कि इस सूरत यानी सूरः आले इमरान की शुरू से लेकर इससे कुछ ऊपर-ऊपर तक आयतें नजरान के वफ़्द के बारे में नाज़िल हुई हैं। इमाम ज़ोहरी रह. फ़रमाते हैं कि सबसे पहले जिज़या इन्हीं लोगों ने अदा किया है और इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है कि जिज़्ये की आयत फ़त्हे-मक्का के बाद उतरी है। पस यह एतिराज़ पड़ता है कि जब यह आयत फ़त्हे-मक्का के बाद नाज़िल हुई है फिर फ़तह से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने ख़त में हिरक़्ल को यह आयत कैसे लिखी? इस इश्काल के जवाब अनेक हो सकते हैं। एक तो यह कि मुम्किन है यह आयत दो मर्तबा उतरी हो, हुदैबिया से पहले और फ़त्हे-मक्का के बाद। दूसरा जवाब यह है कि मुम्किन है नजरान के वफ़्द के बारे में शुरू सूरत से लेकर इस आयत तक उतरी हो और यह आयत इससे पहले उतर चुकी हो। इस सूरत में इब्ने इस्हाक़ रह. का यह फ़रमाना कि इसी के

ऊपर कुछ आयतें इसी वफ़्द के बारे में उतरी हैं, यह महफ़ूज़ न हो। क्योंकि अबू सुफ़ियान वाला वाक़िआ सरासर इसके ख़िलाफ़ है। तीसरा जवाब यह है कि मुम्किन है नजरान का वफ़्द हुदैबिया से पहले आया हो और उन्होंने जो कुछ देना मन्ज़ूर किया हो यह सिर्फ़ मुबाहले से बचने के लिये बतौर समझौते के दिया हो, न कि जिज़या दिया हो। और यह इत्तिफ़ाक़ की बात हो कि जिज़्ये की आयत उस वक़्त के बाद उतरी जिसमें उसकी मुवाफ़क़त हो गयी जैसे कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि. ने बदर से पहले एक लड़ाई में माले ग़नीमत को पाँच हिस्सों में तक़सीम किया और पाँचवाँ हिस्सा बाक़ी रखकर दूसरे हिस्से लश्कर में तक़सीम कर दिये, फिर उसके बाद माले ग़नीमत की तक़सीम की आयतें भी इसी के मुताबिक़ उतरीं और यही हुक्म हुआ।

चौथा जवाब यह है कि हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने ख़त में जो हिरक़्ल को भेजा उसमें यह बात इसी तरह अपनी तरफ़ से लिखी हो, फिर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अलफ़ाज़ ही में वही भी नाज़िल हुई हो, जैसे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. के पर्दे के हुक्म के बारे में इसी तरह आयत उतरी और बदर के क़ैदियों के बारे में उन्हीं की मुवाफ़क़त में अल्लाह का फ़रमान नाज़िल हुआ, और मुनाफ़िक़ों का जनाज़ा पढ़ने के बारे में भी उन्हीं की बात क़ायम रखी गयी, और मक़ामे इब्राहीम को मुसल्ला (नमाज़ की जगह) बनाने के बारे में भी। इसी तरह वही नाज़िल हुईः

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ.......... الخ.

यानी अगर नबी पाक तुम को तलाक़ दे दें तो उनके रब को इसमें देर नहीं लगेगी कि वह तुम्हारी जगह तुम से बेहतर बीवियाँ उन्हें दे दे। उन्हीं की मुवाफ़क़त में उतरी। पस यह आयत भी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़रमान की मुवाफ़क़त में ही उतरी हो। यह आख़िरी जवाब ज़्यादा मुनासिब और मौक़े के मुताबिक़ है।

يٰٓـاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ० هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ० مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ

ऐ अहले किताब! क्यों हुज्जत करते हो (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के बारे में? हालाँकि नहीं नाज़िल की गई तौरात और इन्जील मगर उनके (ज़माने के बहुत) बाद, क्या फिर समझते नहीं हो? (65) हाँ तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिससे तुम्हें किसी क़द्र तो जानकारी थी, सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको बिल्कुल जानकारी नहीं, और अल्लाह तआ़ला जानते हैं और तुम नहीं जानते। (66) (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे और न ईसाई थे, लेकिन (अलबत्ता) सीधे तरीक़े वाले (यानी) इस्लाम वाले थे, और मुश्रिकीन में से (भी) न थे। (67) बेशक सब आदमियों में ज़्यादा ख़ुसूसियत रखने वाले (हज़रत) इब्राहीम के साथ

الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○	**अलबत्ता वे लोग थे जिन्होंने उनका इत्तिबा "यानी पैरवी" किया था, और यह नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) हैं और ये ईमान वाले। और अल्लाह तआ़ला हिमायती हैं ईमान वालों के। (68)**

अहले किताब की दुश्मनी, असलियत से अज्ञानता के बावजूद ज़िद और हठधर्मी

यहूदी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अपने में से और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अपना ही कहते थे और आपस में इस पर मुबाहसे करते रहते थे। अल्लाह तआ़ला इन आयतों में दोनों के दावे की तरदीद करता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि नजरान के ईसाईयों के पास यहूदियों के उलेमा आये और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने उनका झगड़ा शुरू हो गया। हर फ़रीक़ इस बात का दावेदार था कि हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम हममें से थे, इस पर यह आयत उतरी कि ऐ यहूदियो! तुम ख़लीले ख़ुदा को अपने में से कैसे बताते हो? हालाँकि उनके ज़माने में न मूसा अ़लैहिस्सलाम थे न तौरात। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और किताब तौरात शरीफ़ तो ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम के बाद आये। इसी तरह ऐ ईसाईयो! तुम हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को ईसाई कैसे कह सकते हो? हालाँकि ईसाईयत तो उनके सदियों बाद ज़ुहूर में आयी। क्या तुम इतनी मोटी बात समझने की अ़क्ल भी नहीं रखते? फिर इन दोनों फ़िर्क़ों के इस बेइल्मी के झगड़े पर उन्हें ख़ुदा तआ़ला मलामत करता है कि अगर तुम बहस व मुबाहसा दीनी मामलात में जो तुम्हारे पास हैं करते तो भी ख़ैर एक बात थी, तुम उसमें गुफ़्तगू करते हो जिसमें दोनों को बिल्कुल भी इल्म नहीं। तुम्हें चाहिये कि जिस चीज़ का इल्म न हो उसे उस अ़लीम (सब कुछ जानने वाले) ख़ुदा के हवाले करो जो हर चीज़ की हक़ीक़त को जानता है और तमाम चीज़ों का इल्म रखता है। इसलिये फ़रमाया- अल्लाह जानता है और तुम बिल्कुल बेख़बर हो। दर असल ख़ुदा के ख़लील हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम न तो यहूदी थे, न ईसाई थे, वह शिर्क से बेज़ार, मुश्रिकों से अलग, सही और कामिल ईमान वाले थे। और हरगिज़ मुश्रिक न थे। यह आयत भी उस आयत के जैसी है जो सूरः ब-क़रह में गुज़र चुकीः

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى تَهْتَدُوْا.

यानी ये लोग कहते हैं कि यहूदी या ईसाई बनने में हिदायत (सही रास्ता पाना) है..........।

फिर फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की पैरवी के हक़दार उनके दीन पर उनके ज़माने में चलने वाले थे और अब यह नबी (मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) हैं, और आपके साथ ईमान वालों की जमाअ़त जो मुहाजिरीन व अन्सार हैं, और फिर जो भी इनकी पैरवी करते हैं क़ियामत तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हर नबी के वली दोस्त नबियों में से होते हैं, मेरे वली दोस्त अम्बिया में से मेरे बाप और ख़ुदा के ख़लील हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम हैं। फिर

आपने इसी आयत की तिलावत फ़रमाई। (तिर्मिज़ी वग़ैरह)

फिर फ़रमाया जो भी ख़ुदा के रसूल पर ईमान रखे उसका वली अल्लाह है।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ع وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ج وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ج يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

ع ۸ ۱۵

दिल से चाहते हैं बाज़े लोग अहले किताब में से इस बात को कि तुमको (दीने हक़ से) गुमराह कर दें, और वे किसी को गुमराह नहीं कर सकते मगर ख़ुद अपने आपको, और इसकी ख़बर नहीं रखते। (69) ऐ अहले किताब! क्यों कुफ़्र करते हो अल्लाह तआ़ला की आयतों के साथ? हालाँकि तुम इक़रार करते हो। (70) ऐ अहले किताब! क्यों गड्-मड् करते हो वाक़ई (मज़मून यानी नुबुव्वते मुहम्मदिया) को ग़ैर वाक़ई से, और छुपाते हो हक़ीक़ी बात को हालाँकि तुम जानते हो। (71)

और बाज़े लोगों ने अहले किताब में से कहा कि ईमान ले आओ उस पर जो नाज़िल किया गया है मुसलमानों पर (यानी क़ुरआन पर) शुरू दिन में और (फिर) इनकार कर बैठो आख़िर दिन में, (यानी शाम को) क्या ताज्जुब है कि वे फिर जाएँ। (72) और (सच्चे दिल से) किसी के रू-ब-रू इक़रार मत करना मगर ऐसे शख़्स के रू-ब-रू जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला हो। (ऐ मुहम्मद) आप कह दीजिए कि यक़ीनन हिदायत, हिदायत अल्लाह की है, ऐसी बातें इसलिए करते हो कि किसी और को भी ऐसी चीज़ मिल रही है जैसी तुमको मिली थी, या वे लोग तुम पर ग़ालिब आ जाएँगे तुम्हारे रब के नज़दीक। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप कह दीजिए कि बेशक फ़ज़्ल तो ख़ुदा के क़ब्ज़े में है वह इसको जिसे चाहें अ़ता फ़रमा दें, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुस्अ़त वाले हैं (और) ख़ूब जानने वाले हैं। (73) ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत (व फ़ज़्ल) के साथ जिसको चाहें, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं। (74)

फ़रेब और धोखा देने की नाकाम कोशिशें

यहाँ बयान हो रहा है कि इन यहूदियों के हसद (जलने) को देखो कि मुसलमानों से कैसे कुछ जल-कुढ़ रहे हैं। उन्हें बहकाने की क्या-क्या पोशीदा तरकीबें करते हैं, कैसे-कैसे मक्र व फ़रेब के जाल बिछाते हैं, हालाँकि दर असल इन तमाम चीज़ों का वबाल ख़ुद उनकी जानों पर है, लेकिन उन्हें इसका भी शऊर नहीं। फिर उन्हें उनकी यह ज़लील हरकत याद दिलाई जा रही है कि सच्चाई जानते हुए हक़ को पहचानते हुए ख़ुदा की आयतों से मुन्किर हो रहे हैं, बावजूद इल्म के यह बुरी ख़सलत भी उनमें है कि हक़ व बातिल को मिला देते हैं और उनकी किताबों में जो-जो सिफ़तें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हैं उनको छुपा लेते हैं, बहकाने की जो सूरतें गढ़ते हैं उनमें से एक का बयान हो रहा है कि आपस में मश्विरा करते हैं कि सुबह जाकर ईमान ले आओ, मुसलमानों के साथ नमाज़ें पढ़ो और शाम को फिर मुर्तद बन जाओ, ताकि जाहिल लोगों के दिल में भी ख़्याल गुज़रे कि आख़िर ये लोग जो पलट गये तो ज़ाहिर है कि इन्होंने इस दीन में कोई नुक़सान या बुराई ही देखी होगी, तो हो सकता है कि उनमें से कोई हमारी तरफ़ टूट आये। ग़र्ज़ कि यह एक बहाना बनाना और मक्र व फ़रेब था कि शायद इससे कमज़ोर ईमान वाला टूट जाये कि ये जानने-बूझने वाले लोग जब इस दीन में आये, नमाज़ें पढ़ीं फिर इसे छोड़ दिया तो ज़रूर यहाँ कोई ख़राबी और नुक़सान देखा होगा।

ये लोग कहते थे कि भरोसा अपने वालों पर ही करो, मुसलमानों पर न करो, न अपने भेद उन पर ज़ाहिर होने दो, न अपनी किताब की बातें उन पर खोलो, जिससे ये उन पर ईमान लायें और ख़ुदा के यहाँ भी उनके लिये हम पर हुज्जत बन जायें। तो ख़ुदा तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ नबी! तू कह दे कि हिदायत ख़ुदा ही के हाथ है, वह मोमिनों के दिलों को हर उस चीज़ पर ईमान लाने के लिये आमादा कर देता है जिसे ख़ुदा ने नाज़िल फ़रमाई हो, उन्हें उन दलीलों पर कामिल ईमान नसीब होता है अगरचे तुम नबी-ए-उम्मी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़तें छुपाते फिरो, लेकिन फिर भी ख़ुश-क़िस्मत लोग तो आपकी नुबुव्वत के ज़ाहिर निशान पहली ही नज़र में पहचान लेंगे।

इसी तरह वे कहते थे कि तुम्हारे पास जो इल्म है उसे मुसलमानों पर ज़ाहिर न करो, कहीं वे उसे देखकर तुम जैसे हो जायें, बल्कि अपनी ईमानी क़ुव्वत की वजह से तुम से भी बढ़ जायें, या ख़ुदा के सामने उनकी हुज्जत व दलील क़ायम हो जाये। यानी ख़ुद तुम्हारी किताबों से वे तुम्हें इल्ज़ाम न देने लगें और तुम ही पर तुम्हारी ही दलीलें न क़ायम करने लगें। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि तुम कह दो- फ़ज़्ल तो ख़ुदा के हाथ है, जिसे चाहे दे, सब काम उसी के क़ब्ज़े में हैं, वही देने लेने वाला है जिसे चाहे ईमान, अ़मल और इल्म व फ़ज़्ल की दौलत से मालामाल कर दे, और जिसे चाहे हक़ रास्ते से अन्धा और इस्लाम के कलिमे से बहरा और सही समझ से मेहरूम कर दे। उसके सब काम हिक्मत से ही होते हैं, वह वुसअ़त व इल्म वाला है, जिसे चाहे अपनी रहमत के साथ ख़ास कर दे, वह बड़े फ़ज़्ल वाला है। ऐ मुसलमानो! उसने बेहद बेशुमार एहसान तुम पर किये हैं, तुम्हारे नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को तमाम अम्बिया पर फ़ज़ीलत दी और बहुत ही कामिल और हर हैसियत से पूरी शरीअ़त (ख़ुदाई क़ानून) उसने तुम्हें दी।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

और अहले किताब में से बाज़ा शख़्स ऐसा है कि (ऐ मुख़ातब) अगर तुम उसके पास ढेर-का-ढेर माल भी अमानत का रख दो तो वह (माँगने के साथ ही) उसको तुम्हारे पास ला रखे, और उन्हीं में से बाज़ा वह शख़्स है कि अगर तुम उसके पास एक दीनार भी अमानत रख दो तो वह भी तुमको अदा न करे, मगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े रहो, यह (अमानत का अदा न करना) इस सबब से है कि वे लोग कहते हैं कि हम पर ग़ैर अहले किताब के (माल के) बारे में किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं। और वे लोग अल्लाह तआ़ला पर झूठ लगाते हैं और (दिल में) वे भी जानते हैं (कि ख़ियानत करने वाले पर इल्ज़ाम क्यों न होगा)। (75) जो शख़्स अपने अ़हद को पूरा करे और अल्लाह तआ़ला से डरे तो बेशक अल्लाह तआ़ला महबूब रखते हैं (ऐसे) मुत्तक़ियों को। (76)

यहूद माली ख़ियानतों में मुब्तला हैं, दीन के सिलसिले में उनकी ख़ियानत हैरत-अंगेज़ क्यों हो?

अल्लाह तआ़ला मोमिनों को यहूदियों की ख़ियानत पर तंबीह (सचेत) करता है कि उनके धोखे में न आ जायें, उनमें बाज़ तो अमानतदार हैं और बाज़ बड़े ख़ियानत वाले हैं। बाज़ तो ऐसे हैं कि ख़ज़ाने का ख़ज़ाना उनकी अमानत में हो तो ज्यों का त्यों हवाले कर देंगे, फिर छोटी-मोटी चीज़ में वह बद-दियानती कैसे करेंगे? और बाज़ ऐसे बद-दियानत (बेईमान) हैं कि एक दीनार भी वापस न दें। हाँ अगर उनके सर हो जाओ, तक़ाज़ा बराबर जारी रखो और हक़ तलब करते रहो तो चाहे अमानत निकल भी आये वरना हज़्म ही कर जायेंगे। जब एक दीनार पर यह बद-दियानती (बुरी नीयत और बेईमानी) है तो बड़ी रक़म को क्यों छोड़ने लगे। लफ़्ज़ 'क़िन्तार' की पूरी तफ़सीर सूरत के शुरू में ही बयान हो चुकी है और दीनार तो मशहूर ही है। इब्ने अबी हातिम में हज़रत मालिक बिन दीनार रह. का क़ौल है कि दीनार को इसलिये दीनार कहते हैं कि वह 'दीन' यानी ईमान भी है और 'नार' यानी आग भी है। मतलब यह है कि हक़ के साथ लो तो दीन, नाहक़ लो तो नार यानी दोज़ख़ की आग।

अच्छी नीयत का कमाल, एक हैरत-अंगेज़ वाक़िआ

इस मौक़े पर उस हदीस का बयान करना भी मुनासिब मालूम होता है जो सही बुख़ारी शरीफ़ में कई

जगह है और किताबुल-किफ़ालत में बहुत पूरी है। रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- बनी इस्राईल में एक शख़्स था जिसने किसी और शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ माँगे। उसने कहा गवाह लाओ, कहा ख़ुदा की गवाही काफ़ी है। उसने कहा ज़मानती लाओ, इसने कहा मैं ज़मानत भी ख़ुदा ही की देता हूँ। वह इस पर राज़ी हो गया और अदायेगी का वक़्त मुक़र्रर करके रक़म दे दी। वह अपने समुद्री सफ़र में निकल गया। जब काम-काज से फ़ारिग़ हो गया तो दरिया किनारे किसी जहाज़ का इन्तिज़ार करने लगा ताकि जाकर उसका क़र्ज़ अदा कर दे, लेकिन सवारी न मिली तो उसने एक लकड़ी ली और उसे बीच में से खोखला करके उसमें एक हज़ार दीनार रख दिये और एक ख़त भी उसके नाम रख दिया, फिर मुँह बन्द करके उसे दरिया में डाल दिया और कहा ख़ुदाया- तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिये, तेरी गवाही और तेरी ज़मानत पर, और उसने भी इस पर ख़ुश होकर मुझे दे दिये। अब मैंने बहुत कश्ती ढूँढी कि जाकर उसका हक़ मुद्दत के अन्दर ही अन्दर दे दूँ लेकिन न मिली। पस अब आ़जिज़ आकर तुझ पर भरोसा करके मैं इसे दरिया में डाल देता हूँ तू इसे उस तक पहुँचा दे। यह दुआ़ करके लकड़ी को समुद्र में डालकर चल दिया। लकड़ी पानी में डूब गयी, यह फिर भी तलाश में रहा कि कोई सवारी मिले तो जाये और उसका हक़ अदा कर आये। उधर यह क़र्ज़ देने वाला दरिया के किनारे आया कि शायद वह किसी कश्ती में उसकी रक़म लेकर आ रहा हो। जब देखा कि कोई कश्ती नहीं आयी और जाने लगा तो एक लकड़ी किनारे पर पड़ी हुई थी, यह समझकर ले ली कि जलाने के काम आयेगी। घर जाकर उसे चीरा तो माल और ख़त निकल पड़ा। फिर क़र्ज़ लेने वाला शख़्स आया और कहा ख़ुदा जानता है, मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिल जाये तो आपके पास आऊँ और मुद्दत गुज़रने से पहले ही आपका क़र्ज़ अदा कर दूँ लेकिन कोई सवारी न मिली, इसलिये देर लग गयी। उसने कहा तूने जो रक़म भेज दी थी वह ख़ुदा ने मुझे पहुँचा दी है, तू अब अपनी यह रक़म वापस ले जा और राज़ी-ख़ुशी लौट जा। और भी कई किताबों में यह रिवायत है।

फिर फ़रमाता है कि अमानत में ख़ियानत करने पर, हक़दार के हक़ को अदा न करने पर आमादा (उभारने और तैयार) करने वाली चीज़ उनका यह ग़लत ख़्याल है कि उन बद-दीनों, अनपढ़ों का माल खा जाने में हमें कोई हर्ज नहीं, हम पर यह माल हलाल है। जिस पर ख़ुदा फ़रमाता है कि यह ख़ुदा पर झूठ है और इसका इल्म ख़ुद उन्हें भी है, क्योंकि उनकी किताबों में भी नाहक़ माल को ख़ुदा ने हराम क़रार दिया है, लेकिन ये बेवक़ूफ़ ख़ुद अपनी मनमानी और दिल-भाती बातें गढ़कर शरीअ़त के रंग में उन्हें रंग लेते हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से लोग मसला पूछते हैं कि ज़िम्मी काफ़िरों की मुर्ग़ी, बकरी वग़ैरह कभी लड़ाई की हालत में हमें मिल जाती है तो हम तो समझते हैं कि उसके लेने में कोई हर्ज नहीं, तो आपने फ़रमाया- ठीक यही अहले किताब कहते थे कि अनपढ़ों के माल के ले लेने में हम पर कोई हर्ज नहीं। सुनो! जब वे जिज़्या अदा कर रहे हैं तो उनका कोई माल तुम पर हलाल नहीं, हाँ वे अपनी ख़ुशी से दे दें तो और बात है। (अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़) सईद बिन जुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब अहले किताब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह बात सुनी तो फ़रमाया- ख़ुदा के दुश्मन झूठे हैं, जाहिलीयत की तमाम बातें मेरे क़दमों तले मिट गयीं मगर अमानत, कि वह हर फ़ासिक़ व फ़ाजिर (गुनाहगार व बदकार) की भी अदा करनी पड़ेगी।

फिर इरशाद होता है कि लेकिन जो शख़्स अपने अ़हद को पूरा करे और डरता रहे, अहले किताब होकर फिर अपनी किताब की हिदायत के मुताबिक़ हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाये,

जो अ़हद तमाम अम्बिया से भी हो चुका है और जिस अ़हद की पाबन्दी उनकी उम्मतों पर भी है, फिर अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से परहेज़ करे, उसकी शरीअ़त की इताअ़त करे, आख़िरी रसूल और अम्बिया के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पूरी ताबेदारी करे, वे मुत्तक़ी (परहेज़गार और नेक लोग) ख़ुदा के दोस्त हैं।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

यक़ीनन जो लोग हक़ीर मुआ़वज़ा ले लेते हैं उस अ़हद के मुक़ाबले में जो अल्लाह तआ़ला से (उन्होंने) किया है, और (मुक़ाबले में) अपनी क़सम के, उन लोगों को कुछ हिस्सा आख़िरत में (वहाँ की नेमत का) न मिलेगा, और न ख़ुदा तआ़ला उनसे (नर्मी का) कलाम फ़रमाएँगे, और न उनकी तरफ़ (मुहब्बत की नज़र से) देखेंगे क़ियामत के दिन, और न उनको पाक करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। (77)

हक़ छुपाने पर सज़ायें

यानी जो अहले किताब ख़ुदा के अ़हद का पास नहीं करते, न हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इत्तिबा करते हैं, न आपकी सिफ़तों का ज़िक्र लोगों से करते हैं, न आपके मुताल्लिक़ बयान करते हैं और इसी तरह झूठी कसमें खाते हैं और इन बदकारियों से वे इस ज़लील और फ़ानी दुनिया का फ़ायदा हासिल करते हैं, उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। न उनसे ख़ुदा तआ़ला कोई प्यार व मुहब्बत की बात करेगा, न उन पर रहमत की नज़र डालेगा, न उन्हें उनके गुनाहों से पाक-साफ़ करेगा बल्कि उन्हें जहन्नम में दाख़िल करने का हुक्म देगा और वे वहाँ दर्दनाक सज़ायें पायेंगे।

इस आयत के मुताल्लिक़ बहुत सी हदीसें हैं, जिनमें से बाज़ का ज़िक्र हम यहाँ करते हैं।

1. मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तीन क़िस्म के लोग हैं जिनसे न तो ख़ुदा कलाम करेगा और न उनकी तरफ़ क़ियामत के दिन रहमत की नज़र से देखेगा, और न उन्हें पाक करेगा। हज़रत अबूज़र रज़ि. ने यह सुनकर कहा ये कौन लोग हैं या रसूलल्लाह! ये तो बड़े घाटे और नुक़सान में पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन मर्तबा यही फ़रमाया फिर जवाब दिया कि टख़्नों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, झूठी क़सम से अपना सौदा बेचने वाला, देकर एहसान जताने वाला। मुस्लिम वग़ैरह में भी यह हदीस है।

2. मुस्नद अहमद में है, अबू अहमस फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत अबूज़र से मिला और उनसे ज़िक्र किया कि मैंने सुना है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक हदीस बयान फ़रमाते हैं। उन्होंने फ़रमाया सुनो! मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर झूठ नहीं बोल सकता जबकि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुन लिया हो तो तुम कहो वह हदीस क्या है? मैंने कहा यह कि तीन क़िस्म के लोगों को ख़ुदा दोस्त रखता है और तीन क़िस्म के लोगों को वह दुश्मन रखता है। फ़रमाने लगे हाँ यह हदीस मैंने बयान भी की है और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी भी है। मैंने पूछा

किस-किसको दोस्त रखता है? फ़रमाया एक वह जो बहादुरी से अल्लाह के दुश्मनों के मुक़ाबले में मैदाने जिहाद में डट जाये, या तो अपना सीना छिदवा दे या फ़तह करके लौटे। दूसरा वह शख़्स जो किसी क़ाफ़िले के साथ सफ़र की हालत में है, बहुत रात गये तक क़ाफ़िला चलता रहा, जब थककर चूर हो गये तो उतरे, सब तो पड़कर सो गये और यह जागता रहा और नमाज़ में मशग़ूल रहा, यहाँ तक कि कूच (चलने) के वक़्त सबको जगा दिया। तीसरा वह शख़्स जिसकी यह आदत हो कि जो उसे तकलीफ़ पहुँचाने वाला हो यह उस पर सब्र व सहार करे, यहाँ तक कि मौत उन दोनों में जुदाई करे या सफ़र। मैंने कहा और वे तीन कौन हैं जिनसे ख़ुदा नाख़ुश है? फ़रमाया बहुत क़समें खाने वाला ताजिर, तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर और वह बख़ील जिससे कभी किसी पर एहसान हो गया हो तो जताने बैठे। यह हदीस इस सनद से ग़रीब है।

3. मुस्नद अहमद में किन्दा क़बीले के एक शख़्स इम्रउल-क़ैस बिन आमिर का झगड़ा एक हज़रमौत के शख़्स से ज़मीन के बारे में था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने पेश हुआ तो आपने फ़रमाया- हज़रमौत वाला अपना सुबूत पेश करे, उसके पास कोई सुबूत न था। आपने फ़रमाया जो शख़्स झूठी क़सम से किसी का माल अपना करेगा तो जब वह ख़ुदा से मिलेगा अल्लाह उससे नाख़ुश होगा। फिर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई तो इम्रउल-क़ैस ने कहा या रसूलल्लाह! अगर कोई छोड़ दे तो उसे अज्र क्या मिलेगा? आपने फ़रमाया- जन्नत। तो कहने लगे या रसूलल्लाह गवाह रहिये कि मैंने वह सारी ज़मीन इसी के नाम छोड़ दी। यह हदीस नसाई में भी है।

4. मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स कोई झूठी क़सम खाये ताकि उससे किसी मुसलमान का माल छीन ले तो ख़ुदा से जब यह मिलेगा ख़ुदा उस पर सख़्त ग़ज़बनाक होगा। हज़रत अश्अ़स रज़ि. फ़रमाते हैं- ख़ुदा की क़सम मेरे ही बारे में यह है। एक यहूदी की और मेरी शिर्कत (साझे) में एक ज़मीन थी, उसने मेरी ज़मीन का इनकार कर दिया, मैं उसे ख़िदमते नबवी में लाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया तेरे पास कुछ सुबूत है? मैंने कहा नहीं। आपने यहूदी से फ़रमाया तू क़सम खा ले। मैंने कहा हुज़ूर यह तो क़सम खा लेगा और मेरा माल ले जायेगा। पस अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है।

5. मुस्नद अहमद में है, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी मुस्लिम आदमी का माल बग़ैर हक़ के ले ले वह ख़ुदा से इस हाल में मिलेगा कि ख़ुदा तआ़ला उससे नाराज़ होगा। वहीं हज़रत अश्अ़स बिन क़ैस रज़ि. आ गये और फ़रमाने लगे अबू अ़ब्दुर्रहमान! तुमसे क्या हदीस बयान करते हैं? हमने दोहरा दी तो फ़रमाया यह हदीस मेरे ही बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाई है। मेरा अपने चचा के लड़के से एक कुएँ के बारे में झगड़ा था, जो उसके क़ब्ज़े में था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जब हम अपना मुक़द्दमा ले गये तो आपने फ़रमाया- तू तो अपनी दलील और सुबूत ला कि यह कुआँ तेरा है वरना इसकी क़सम पर फ़ैसला होगा। मैंने कहा या हज़रत! मेरे पास तो कोई दलील नहीं और अगर इसकी क़सम पर मामला रहा तो यह तो मेरा कुआँ ले जायेगा, मेरे सामने वाला तो झूठा और मक्कार शख़्स है, उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह हदीस भी बयान फ़रमाई और इस आयत की भी तिलावत की।

6. मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि ख़ुदा के कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जिनसे ख़ुदा तआ़ला क़ियामत के दिन बात न करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा। पूछा गया या रसूलल्लाह! वे कौन हैं? फ़रमाया अपने माँ-बाप से बेज़ार होने वाली और उनसे बेरग़बती करने वाली लड़की,

औलाद से बेज़ार और अलग होने वाला बाप, और वह शख़्स जिस पर किसी क़ौम का एहसान है वह उससे इनकार कर जाये और आँखें फेर ले और उनसे किनारा करे।

7. इब्ने अबी हातिम में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने अपना सौदा बाज़ार में रखा और क़सम खाई कि इसके इतने दाम लग चुके हैं, ताकि कोई मुसलमान उसमें फंस जाये। पस यह आयत नाज़िल हुई। सही बुख़ारी में भी यह रिवायत मरवी है।

8. मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि तीन शख़्सों से अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन बात न करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दुख-दर्द के अ़ज़ाब हैं। एक वह जिसके पास बचा हुआ पानी है फिर वह किसी मुसाफ़िर को नहीं देता, दूसरा वह जो अ़सर के बाद झूठी क़सम खाकर अपना माल फ़रोख़्त करता है, तीसरा वह जो मुसलमान बादशाह से बैअ़त करता है, पस अगर वह उसे माल दे तो वफ़ा करता है और अगर न दे तो बैअ़त पूरी नहीं करता। यह हदीस अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में भी है और इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन सही कहते हैं।

और बेशक उनमें से बाज़े ऐसे हैं कि टेढ़ा करते हैं अपनी ज़बानों को किताब (पढ़ने) में, ताकि तुम लोग उस (मिलाई हुई चीज़) को (भी) किताब का हिस्सा समझो, हालाँकि वह किताब का हिस्सा नहीं, और कहते हैं कि यह (लफ़्ज़ या मतलब) ख़ुदा के पास से है हालाँकि वह (किसी तरह) ख़ुदा तआ़ला के पास से नहीं, और अल्लाह तआ़ला पर झूठ बोलते हैं और वे जानते हैं। (78)	وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

अल्लाह के कलाम में रद्दोबदल और फेर-बदल करना सबसे बड़ा जुर्म है

यहाँ भी उन्हीं मलऊन यहूदियों का ज़िक्र हो रहा है कि उनका एक गिरोह यह भी करता है कि कलाम को उसकी जगह से हटा देता है, ख़ुदाई किताब बदल देता है। असल मतलब और सही मायने बदल देता और जाहिलों को इस चक्कर में डाल देता है कि किताबुल्लाह यही है। फिर ये ख़ुद अपनी ज़बान से भी उसे किताबुल्लाह कहकर जाहिलों के उस ख़्याल को और मज़बूत कर देते हैं और जान-बूझकर ख़ुदा पर बोहतान बाँधते और झूठ बकते हैं। ज़बान मोड़ने से मतलब यहाँ तहरीफ़ (रद्दोबदल) करना है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से सही बुख़ारी शरीफ़ में मरवी है कि ये लोग तहरीफ़ करते थे और बात को घुमाते थे, मख़्लूक़ में ऐसा तो कोई नहीं जो अल्लाह की किताब के किसी लफ़्ज़ को बदल दे, हाँ ये लोग तहरीफ़ और बेजा तावील करते (यानी उसके असली मायने छोड़कर दूसरे मायने लोगों को बताते) थे।

वहब बिन मुनब्बिह रह. फ़रमाते हैं कि तौरात व इन्जील इसी तरह हैं जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने उतारीं, एक हर्फ़ भी उनमें से नहीं बदला, लेकिन ये लोग तहरीफ़ और तावील से लोगों को गुमराह करते हैं,

और जो किताबें उन्होंने अपनी तरफ़ से लिख ली हैं और जिसे वह ख़ुदा की तरफ़ से मशहूर कर रहे हैं उनसे भी लोगों को बहकाते हैं, हालाँकि दर असल वो ख़ुदा की तरफ़ से नहीं, लेकिन ख़ुदा की असली किताबें तो महफ़ूज़ हैं जो बदलती नहीं। (इब्ने अबी हातिम)

हज़रत वहब रह. के इस फ़रमान का अगर यह मतलब हो कि उनके पास अब जो किताब है, तो हम यक़ीन के साथ कहते हैं कि वह बदली हुई और कमी-बेशी की हुई है, पूरी तरह सुरक्षित नहीं। और फिर जो अ़रबी भाषा में हमारे हाथों में है उसमें तो बहुत सी ग़लतियाँ हैं और बहुत ही ज़्यादती और कमी भी, असल से बहुत दूर है और खुले हुए वहम और साफ़-साफ़ ग़लतियाँ मौजूद हैं। बल्कि दर असल उसे तर्जुमा कहना मुनासिब ही नहीं, वह तो व्याख्या है और वह भी बेएतिबार (अविश्वसनीय) तफ़सीर है। और फिर उन समझदारों की लिखी हुई तफ़सीर है जिनमें अक्सर बल्कि तमाम के तमाम बिल्कुल उल्टी समझ वाले हैं। और अगर हज़रत वहब रह. के फ़रमान का यह मतलब हो कि ख़ुदा की किताब जो दर हक़ीक़त ख़ुदाई किताब है, पस वह बेशक (अल्लाह के पास) महफ़ूज़ व सुरक्षित है, उसमें कमी ज़्यादती नामुम्किन है, तो इस तरीक़े से उनके क़ौल का एक सही मतलब निकल सकता है।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

किसी बशर से यह बात नहीं हो सकती कि अल्लाह तआ़ला उसको किताब और समझ और नुबुव्वत अ़ता फ़रमाएँ, फिर वह लोगों से कहने लगे कि मेरे बन्दे बन जाओ ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर, वे लेकिन (कहेगा कि) तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ, इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इस वजह से कि तुम पढ़ते हो। (79) और न यह बात बतलाएगा कि तुम फ़रिश्तों को और नबियों को रब क़रार दे लो, क्या वह तुमको कुफ़्र की बात बतलाएगा? इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। (80)

माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त ही है

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जब यहूदियों के और नजरान के ईसाईयों के उलेमा जमा हुए और आपने उन्हें इस्लाम क़बूल करने की दावत दी तो अबू राफ़ेअ़ क़ुरज़ी कहने लगा कि क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह ईसाईयों ने हज़रत ईसा बिन मरियम की इबादत की हम भी आपकी इबादत करें? तो नजरान के एक ईसाई ने भी जिसे रईस कहा जाता था यही कहा कि क्या आपकी यही ख़्वाहिश और यही दावत है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह की पनाह! न हम ख़ुद ख़ुदा के सिवा दूसरे की पूजा करें न किसी और को अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत की तालीम दें। न मेरी

पैग़म्बरी का यह मक़सद न मुझे ख़ुदा का यह हुक्म। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं कि किसी इनसान को किताब व हिक्मत और नुबुव्वत व रिसालत पा लेने के बाद यह लायक़ ही नहीं कि अपनी पूजा की तरफ़ लोगों को बुलाये। जब अम्बिया-ए-किराम का जो इतनी बड़ी बुज़ुर्गी फ़ज़ीलत और मर्तबे वाले हैं यह मन्सब (पद) नहीं तो किसी और को कब लायक़ है कि अपनी पूजा-पाठ कराये और अपनी बन्दगी की तलक़ीन लोगों को करे। इमाम हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि अदना मोमिन से भी यह नहीं हो सकता कि वह लोगों को अपनी बन्दगी की दावत दे। यहाँ यह इसलिये फ़रमाया कि ये यहूद व ईसाई आपस में ही एक दूसरे को पूजते थे। क़ुरआन गवाह है, जो फ़रमाता है:

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.......... الخ.

यानी उन लोगों ने ख़ुदा को छोड़कर अपने आ़लिमों और दुर्वेशों (नेक लोगों और बुज़ुर्गों) को अपना रब बना लिया है........।

मुस्नद और तिर्मिज़ी की वह हदीस भी आ रही है कि हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ि. ने रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि वे तो उनकी इबादत नहीं करते थे, तो आपने फ़रमाया- क्यों नहीं? वे उन पर हराम को हलाल और हलाल को हराम कर देते थे और ये उनकी मानते चले जाते थे, यही उनकी इबादत थी। पस जाहिल दुर्वेश, बेसमझ उलेमा और बुज़ुर्ग इस मज़म्मत और डाँट-डपट में दाख़िल हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उनकी पैरवी करने वाले उलेमा-ए-किराम इससे एक तरफ़ और अलग हैं, इसलिये कि वे तो सिर्फ़ ख़ुदाई फ़रमान और कलामे रसूल की तब्लीग़ करते हैं और उन कामों से रोकते हैं जिनसे अम्बिया-ए-किराम रोक गये हैं। अल्लाह तआ़ला के भेजे हुए हज़रात अम्बिया तो ख़ालिक़ व मख़्लूक़ के दरमियान सफ़ीर (दूत और नुमाईन्दे) हैं, रिसालत का हक़ अदा करते हैं और ख़ुदाई अमानत एहतियात के साथ ख़ुदा के बन्दों को पहुँचा देते हैं, बहुत ही होशियारी, पूरी निगरानी और मुकम्मल हिफ़ाज़त के साथ। वे सारी ख़ुदाई के ख़ैरख़्वाह (भला चाहने वाले) होते हैं, वे अहकामे ख़ुदा के पहुँचाने वाले होते हैं।

रसूलों की हिदायत तो लोगों को रब्बानी (अल्लाह वाले) बनने की होती है कि वे हिक्मतों वाले और हिल्म वाले बन जायें। समझदार और आ़बिद व ज़ाहिद, मुत्तक़ी और पारसा बनें। हज़रत ज़हहाक रह. फ़रमाते हैं कि क़ुरआन सीखने वालों पर हक़ है कि वे समझ वाले हों। यहाँ दोनों ही मायने हो सकते हैं समझने के भी और तालीम हासिल करने के भी। 'तदरुसून' के मायने हैं अलफ़ाज़ याद करने के।

फिर इरशाद है कि वे यह हुक्म नहीं करते कि ख़ुदा के सिवा किसी और की इबादत करो, चाहे वह नबी हो भेजा हुआ, चाहे फ़रिश्ता हो अल्लाह की निकटता वाला। यह तो वही कर सकता है जो ख़ुदा तआ़ला के सिवा दूसरे की इबादत की दावत दे, और जो ऐसा करे उसने कुफ़्र किया और कुफ़्र नबियों का काम नहीं। उनका काम तो ईमान है, और ईमान नाम है एक अल्लाह की इबादत और पूजा का, और यही तमाम अम्बिया की दावत है। जैसे ख़ुद क़ुरआन फ़रमाता है:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

यानी हमने तुझसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे सब पर यही वही नाज़िल की कि मेरे सिवा कोई माबूद है ही नहीं, तुम सब मेरी ही इबादत करते रहो। एक और जगह फ़रमान है:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

यानी हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और ख़ुदा के सिवा हर किसी की इबादत से बचो।

एक और जगह इरशाद है कि तुझसे पहले तमाम रसूलों से पूछ ले कि क्या हमने अपनी ज़ात रहमान के सिवा उनकी इबादत के लिये किसी और को मुक़र्रर किया था? फ़रिश्तों की तरफ़ से ख़बर देता है:

مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ.......... الخ.

उनमें से अगर कोई कह दे कि मैं माबूद हूँ अल्लाह के सिवा तो हम उसे भी जहन्नम की सज़ा दें और हम ज़ालिमों को इसी तरह बदला देते हैं।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ٥ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥

और जबकि अल्लाह ने अ़हद लिया नबियों से कि जो कुछ मैं तुमको किताब और इल्म दूँ, फिर तुम्हारे पास कोई पैग़म्बर आए, जो तस्दीक़ करने वाला हो उसकी जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर उस रसूल पर एतिक़ाद भी लाना और उसकी तरफ़दारी भी करना। फ़रमाया कि क्या तुमने इक़रार किया और इस पर मेरा अ़हद क़बूल किया? वे बोले हमने इक़रार किया, इरशाद फ़रमाया, तो गवाह रहना और मैं इस पर तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। (81) सो जो शख़्स रू-गरदानी करेगा बाद इसके तो ऐसे ही लोग बेहुक्मी करने वाले हैं। (82)

अ़हद और मीसाक़ की याददेहानी

यहाँ बयान हो रहा है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक के तमाम अम्बिया-ए-किराम से अल्लाह तआ़ला ने वायदा लिया कि जब कभी उनमें से किसी को भी ख़ुदा तबारक व तआ़ला किताब व हिक्मत दे और वह बड़े मर्तबे तक पहुँच जाये, फिर उसके बाद उसी के ज़माने में रसूल आ जाये तो उस पर ईमान लाना और उसकी मदद व सहयोग करना उसका फ़र्ज़ होगा। यह नहीं कि अपने इल्म व नुबुव्वत पर नज़र डालकर अपने बाद वाले नबी की इत्तिबा और इमदाद से रुक जाये। उनसे कहा कि क्या तुम इक़रार करते हो और मुझसे मज़बूत वायदा कर रहे हो? सबने कहा हाँ हमारा इक़रार है। तो फ़रमाया गवाह रहो और मैं ख़ुद भी गवाह हूँ। अब इस अ़हद व मीसाक़ से जो फिर जाये वह यक़ीनी फ़ासिक़, सरकश और बदकार है।

हज़रत अ़ली इब्ने अबू तालिब रज़ि. और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अल्लाह

तआ़ला ने हर नबी से अ़हद लिया है कि उसकी ज़िन्दगी में अगर अल्लाह तआ़ला अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भेजे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वह आप पर ईमान लाये और आपकी मदद करे, और अपनी उम्मत को भी वह यही तलक़ीन कर दे कि वह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाये और आपकी ताबेदारी में लग जाये। ताऊस, हसन बसरी और क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि नबियों से अल्लाह ने अ़हद लिया है कि एक दूसरे की तस्दीक़ करें।

कोई यह न समझे कि यह तफ़सीर ऊपर की तफ़सीर के ख़िलाफ़ है, बल्कि यह उसकी ताईद है। चुनाँचे हज़रत ताऊस रह. से उनके लड़के की रिवायत की तरह, हज़रत अ़ली रज़ि. और इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने भी यह हदीस रिवायत की है। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा या रसूलल्लाह! मैंने एक दोस्त क़ुरज़ी यहूदी से कहा था कि वह तौरात की जामे बातें मुझे लिख दे, तो अगर फ़रमायें मैं उन्हें पेश करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का चेहरा बदल गया, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन साबित रज़ि. ने कहा कि तुम नहीं देखते कि आपके चेहरे का क्या हाल है? हज़रत उमर रज़ि. कहने लगे मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मुहम्मद के रसूल होने पर ख़ुश हूँ। सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम।

उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का गुस्सा दूर हुआ और फ़रमाया- क़सम है उस ख़ुदा की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर हज़रत मूसा तुममें आ जायें और तुम उनकी ताबेदारी में लग जाओ और मुझे छोड़ दो तो यह भी तुम्हारी गुमराही ही मानी जायेगी। तमाम उम्मतों में से मेरे हिस्से की उम्मत तुम हो और तमाम नबियों में से तुम्हारे हिस्से का नबी मैं हूँ। मुस्नद अहमद, अबू यअ़ला में है कि अहले किताब से पहले कुछ न पूछो, वे ख़ुद गुमराह हैं तुम्हें सही रास्ता कैसे दिखायेंगे, बल्कि मुम्किन है कि तुम किसी बातिल की तस्दीक़ कर लो, किसी हक़ को झुठला बैठो। ख़ुदा की क़सम अगर मूसा भी तुममें ज़िन्दा मौजूद होते तो उनके लिये भी सिवाय मेरी ताबेदारी के और कोई रास्ता न था। बाज़ हदीसों में है कि अगर मूसा और ईसा ज़िन्दा होते तो उन्हें भी मेरी पैरवी के सिवा चारा न था। पस साबित हुआ कि हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ातिमुल-अम्बिया और सैयदुल-अम्बिया हैं, जिस ज़माने में भी आपकी नुबुव्वत होती आप वाजिबुल-इताअ़त थे (यानी आपकी फ़रमाँबरदारी वाजिब थी), दूसरे और तमाम अम्बिया की ताबेदारी पर जो उस वक़्त हों आपकी फ़रमाँबरदारी मुक़द्दम रहती, यही वजह थी कि मेराज के वक़्त बैतुल-मुक़द्दस में तमाम अम्बिया के इमाम आप ही बनाये गये। इसी तरह मैदाने मेहशर में भी ख़ुदा तआ़ला को फ़ैसलों के लिये लाने में शफ़ाअ़त करने वाले आप ही होंगे। यही वह मक़ामे-महमूद है जो आपके सिवा और किसी के लायक़ नहीं। तमाम अम्बिया और तमाम रसूल उस दिन इस काम से मुँह फेर लेंगे, आख़िरकार आप ही ख़ुसूसियत के साथ इस मक़ाम में खड़े होंगे। ख़ुदा तआ़ला अपने दुरूद व सलाम आप पर हमेशा हमेशा भेजता रहे क़ियामत तक, आमीन।

क्या फिर अल्लाह के दीन के सिवा और किसी तरीक़े को चाहते हैं, हालाँकि अल्लाह तआ़ला के सामने सब सर झुकाए हुए हैं जितने आसमानों और ज़मीन में हैं, ख़ुशी से और बेइख़्तियारी से, और सब अल्लाह ही की तरफ़	اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ

عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

लौटाए जाएँगे। (83) आप फ़रमा दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस पर जो हमारे पास भेजा गया, और उस पर जो इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ व याक़ूब और याक़ूब की औलाद की तरफ़ भेजा गया, और उस पर भी जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को दिया गया उनके परवर्दिगार की तरफ़ से, इस कैफ़ियत से कि हम उनमें से किसी एक में भी तफ़रीक़ नहीं करते, और हम तो अल्लाह ही के फ़रमाँबरदार हैं। (84) और जो शख़्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को तलब करेगा तो वह उससे मक़बूल न होगा और वह आख़िरत में तबाहकारों में से होगा। (85)

इस्लाम के अ़लावा कोई दीन मक़बूल नहीं

अल्लाह तआ़ला के सच्चे दीन के सिवा जो उसने अपनी किताबों में अपने रसूलों के ज़रिये नाज़िल फ़रमाया है, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करना जिसका कोई शरीक नहीं, कोई शख़्स किसी और दीन की तलाश करे और उसे माने उसकी तरदीद यहाँ बयान हो रही है। फिर फ़रमाया कि आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी ताबेदार हैं चाहे ख़ुशी से हों चाहे नाख़ुशी से, जैसे कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا............ الخ.

यानी ज़मीन व आसमान की तमाम मख़्लूक़ ख़ुदा के सामने सज्दे करती है, अपनी ख़ुशी से या जबरन। एक और जगह फ़रमाया है:

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ........... الخ.

क्या वे नहीं देखते कि तमाम मख़्लूक़ के साये दायें-बायें झुककर अल्लाह को सज्दा करते हैं, और अल्लाह ही के लिये सज्दा करती हैं आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीनों के तमाम जानदार और सब फ़रिश्ते, कोई भी तकब्बुर नहीं करता, सब के सब अपने ऊपर वाले रब से डरते रहते हैं, और जो हुक्म दिये जायें बजा लाते हैं। पस मोमिनों का तो ज़ाहिर बातिन, जिस्म और दिल दोनों ख़ुदा तआ़ला के मुतीअ़ (आज्ञाकारी) और उसके फ़रमाँबरदार होते हैं। और काफ़िर भी ख़ुदा के क़ब्ज़े में है और जबरन ख़ुदा की तरफ़ झुका हुआ है, उसके तमाम फ़रमान उस पर जारी हैं और वह हर तरह अल्लाह की क़ुदरत व मर्ज़ी के मातहत है। कोई चीज़ भी उसके ग़लबे और क़ुदरत से बाहर नहीं।

इस आयत की तफ़सीर में एक ग़रीब हदीस भी नक़ल की जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आसमानों वाले जो फ़रिश्ते हैं वे ख़ुशी से ख़ुदा तआ़ला के फ़रमान को मानने वाले हैं

और ज़मीन वाले वे हैं जो इस्लाम पर पैदा हुए हैं। यह भी सब के सब शौक़ से ख़ुदा के फ़रमान के ताबे हैं, और नाख़ुशी से मातहत वे हैं जो लोग मुसलमान मुजाहिदीन के हाथों मैदाने जंग में क़ैद होते हैं और तौक़ व ज़न्जीर में जकड़े हुए लाये जाते हैं। ये लोग हैं जो जन्नत की तरफ़ घसीटे जाते हैं और वे नहीं चाहते। एक सही हदीस में है कि तेरे रब को उन लोगों से ताज्जुब होता है जो जन्नत की तरफ़ खींचे जाते हैं, ज़न्जीरों और रस्सियों में बाँधकर। इस हदीस की दूसरी सनद भी है, लेकिन इस आयत के मायने तो वही ज़्यादा मज़बूत हैं जो पहले बयान हुए। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत इस आयत जैसी है:

لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ.

अगर तू उनसे पूछे कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो यक़ीनन वे यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआ़ला ने।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद वह वक़्त है जब रोज़े अज़ल (पहले दिन) में तमाम इनसानों से मीसाक़ और अ़हद लिया था, और सब उसी की तरफ़ लौटाये जायेंगे, यानी क़ियामत वाले दिन, और हर एक को वह उसके अ़मल का बदला देगा।

फिर फ़रमाता है कि तू कह- हम अल्लाह पर ईमान लाये और क़ुरआन पर और इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़ और याक़ूब (अ़लैहिमुस्सलाम) पर जो सहीफ़े और वही उतरी हम उस पर भी ईमान लाये, और उनकी औलादों पर जो उतरा उस पर भी हमारा ईमान है। 'अस्बात' से मुराद बनी इस्राईल के क़बीले हैं। हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, ये हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के बारह बेटों की औलाद थे। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तौरात दी गयी थी और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को इन्जील, और भी जितने अम्बिया-ए-किराम ख़ुदा की तरफ़ से कुछ लाये हमारा उन सब पर ईमान है, हम उनमें कोई तफ़रीक़ (फ़र्क़ और भेदभाव) और जुदाई नहीं करते, कि किसी को मानें किसी को न मानें बल्कि हमारा सब पर ईमान है, और हम ख़ुदा की फ़रमाँबरदार हैं। पस इस उम्मत के मोमिन तमाम अम्बिया और तमाम ख़ुदाई किताबों को मानते हैं, किसी के साथ कुफ़्र नहीं करते, हर किताब और हर नबी की तस्दीक़ करते हैं।

फिर फ़रमाया कि अल्लाह के दीन के अ़लावा जो शख़्स किसी और राह पर चले उसके आमाल और बज़ाहिर अच्छे काम कभी क़बूल न होंगे और आख़िरत में वह नुक़सान में पड़ा। जैसे सही हदीस में रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि जो शख़्स ऐसा अ़मल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो वह मर्दूद (अस्वीकारीय) है। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन आमाल आयेंगे, नमाज़ आकर कहेगी कि ख़ुदाया मैं नमाज़ हूँ। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा तू अच्छी चीज़ है। सदक़ा आयेगा और कहेगा परवर्दिगार में सदक़ा हूँ, जवाब मिलेगा तू भी ख़ैर है। रोज़ा आकर कहेगा मैं रोज़ा हूँ। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा तू भी बेहतर है। फिर इसी तरह और आमाल भी आते जायेंगे और सब को यही जवाब मिलता रहेगा। फिर इस्लाम आयेगा और कहेगा ख़ुदाया! तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा तू ख़ैर पर है, आज तेरे ही ज़रिये मैं पकड़ूँगा और तेरी ही वजह से मैं इनाम दूँगा (यानी जिसने तुझे अपनाया होगा वह निजात पायेगा और जिसने तुझे क़बूल न किया होगा वह निजात से मेहरूम रहेगा)। अल्लाह तआ़ला अपनी किताब में फ़रमाता है:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا.......... الخ.

यानी जो शख़्स इस्लाम के अ़लावा किसी और दीन को तलब करेगा वह उससे क़बूल न किया जायेगा। यह हदीस सिर्फ़ मुस्नद अहमद में है और इसके रावी हसन का हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से सुनना साबित नहीं।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰـهُ قَوْمًـا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْـمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الـرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُـمْ يُنْظَرُوْنَ ○ اِلَّا الَّـذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَـعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۣ فَاِنَّ الـلّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत करेंगे जो काफ़िर हो गए अपने ईमान लाने के बाद, और अपने इस इक़रार के बाद कि रसूल सच्चे हैं, और इसके बाद कि उनको खुली दलीलें पहुँच चुकी थीं, और अल्लाह तआ़ला ऐसे बेढंगे लोगों को हिदायत नहीं करते। (86) ऐसे लोगों की सज़ा यह है कि उन पर अल्लाह तआ़ला की भी लानत होती है और फ़रिश्तों की भी और आदमियों की भी सबकी। (87) वे हमेशा-हमेशा को उसी में रहेंगे, उन पर से अ़ज़ाब हल्का भी न होने पायेगा और न उनको मोहलत ही दी जाएगी। (88) हाँ, मगर जो लोग तौबा कर लें उसके बाद और अपने आपको संवारें। सो बेशक ख़ुदा तआ़ला बख़्श देने वाले, रहमत करने वाले हैं। (89)

सच्चे दिल से तौबा बहरहाल क़बूल होती है

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी मुर्तद होकर (इस्लाम से फिरकर) मुश्रिकों में जा मिला, फिर पछताने लगा और अपनी क़ौम से कहलवाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम करो क्या मेरी तौबा फिर भी क़बूल हो सकती है? उनके पूछने पर ये आयतें उतरीं। उसकी क़ौम ने उसे कहलवा भेजा, वह फिर तौबा करके नये सिरे से मुसलमान होकर हाज़िर हो गया। (इब्ने जरीर) नसाई, हाकिम और इब्ने हिब्बान में भी यह रिवायत मौजूद है। इमाम हाकिम रह. इसे सही सनद वाली कहते हैं। मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हारिस बिन सुवैद रज़ि. ने इस्लाम क़बूल किया, फिर काफ़िरों से मिल गया और इस्लाम से फिर गया, उसके बारे में यह आयतें उतरीं। उसकी क़ौम के एक शख़्स ने ये आयतें उसे पढ़कर सुनायीं तो उसने कहा जहाँ तक मेरा ख़्याल है ख़ुदा की क़सम तू सच्चा है और अल्लाह के नबी तो तुझसे बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं, और ख़ुदा तआ़ला सब सच्चों से ज़्यादा सच्चा है। फिर वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ लौट आये, इस्लाम लाये और बहुत अच्छी तरह इस्लाम को निभाया।

'बय्यिनात' से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ पर हुज्जतों और दलीलों का बिल्कुल वाज़ेह हो जाना है। पस जो लोग ईमान लाये, रसूल की हक़्क़ानियत मान चुके, दलीलें देख चुके

फिर शिर्क की अंधेरियों में घिर गये, ये लोग हिदायत के मुस्तहिक़ नहीं, क्योंकि आँखों के होते हुए अंधे बन जाने को उन्होंने पसन्द किया। अल्लाह तआ़ला हद से गुज़रने वालों की रहबरी नहीं करता। उन पर ख़ुदा लानत करता है और उसकी मख़्लूक़ भी जो हमेशा की लानत है, न तो किसी वक़्त उनके अ़ज़ाबों में कमी होगी न अ़ज़ाब रोके जायेंगे।

फिर अपना लुत्फ़ व एहसान, रहमत व मेहरबानी का बयान फ़रमाता है कि इस बदतरीन जुर्म के बाद भी जो मेरी तरफ़ झुके और अपने बुरे आमाल की इस्लाह (यानी उनमें सुधार) कर ले तो मैं भी उससे दरगुज़र कर लेता (यानी उसको माफ़ कर देता) हूँ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ج وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

बेशक जो लोग काफ़िर हुए अपने ईमान लाने के बाद, फिर बढ़ते रहे कुफ़्र में, उनकी तौबा हरगिज़ मक़बूल न होगी, और ऐसे लोग पक्के गुमराह हैं। (90) बेशक जो लोग काफ़िर हुए और वे मर भी गए कुफ़्र ही की हालत में, सो उनमें से किसी का ज़मीन भर "यानी ज़मीन के बराबर" सोना भी न लिया जाएगा अगरचे मुआ़वज़े में उसको देना भी चाहे, उन लोगों को दर्दनाक सज़ा होगी और उनके कोई हामी भी न होंगे। (91)

एक वक़्त ऐसा भी है कि तौबा के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं

ईमान के बाद कुफ़्र करने वालों और फिर उसी कुफ़्र पर मरने वालों को परवर्दिगारे आ़लम डरा रहा है कि मौत के वक़्त की तुम्हारी तौबा क़बूल न होगी। जैसे एक दूसरी जगह है:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ............ الخ.

आख़िर दम तक यानी मौत के वक़्त गुनाहों में मुब्तला रहने वाले मौत को देखकर जो तौबा करें वे ख़ुदा के यहाँ क़बूल नहीं......। और यही यहाँ है कि उनकी तौबा हरगिज़ मक़बूल न होगी और यही लोग वे हैं जो हक़ रास्ते से भटक कर बातिल रास्ते पर लग गये। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि कुछ लोग मुसलमान हुए, फिर मुर्तद हो गये (यानी इस्लाम से फिर गये), फिर इस्लाम लाये, फिर मुर्तद हो गये, फिर अपनी क़ौम के पास आदमी भेजकर मालूम किया कि क्या अब भी हमारी तौबा क़बूल हो सकती है? उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया, इस पर यह आयत उतरी। (बज़्ज़ार) इसकी सनदें बहुत उम्दा हैं।

फिर फ़रमाता है कि कुफ़्र पर मरने वालों की कोई नेकी क़बूल नहीं अगरचे उसने ज़मीन भरकर सोना ख़ुदा की राह में ख़र्च किया हो। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि अ़ब्दुल्लाह बिन जुदआ़न जो बड़ा मेहमान-नवाज़, गुलाम आज़ाद करने वाला और ख़ैर-ख़ैरात करने वाला शख़्स था, क्या उसे उसकी यह नेकी काम आयेगी? आपने फ़रमाया- नहीं! उसने सारी उम्र में एक दफ़ा भी:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

नहीं कहा, यानी "ऐ मेरे रब! मेरी ख़ताओं को क़ियामत वाले दिन बख़्श"। जिस तरह उसकी ख़ैरात नामकबूल है इसी तरह फ़िदया और मुआवज़ा भी। जैसे एक दूसरी जगह है:

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ.

उनसे न बदला मक़बूल, न उन्हें सिफ़ारिश का नफ़ा। एक और मक़ाम पर फ़रमायाः

وَلَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ.

उस दिन न ख़रीद व फ़रोख़्त है, न दोस्ती व मुहब्बत। एक और जगह इरशाद है:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ......... الخ.

यानी अगर काफ़िरों के पास ज़मीन में जो कुछ है हो, और इतना ही और भी हो, फिर वे उस सबको क़ियामत के अ़ज़ाबों के बदले फ़िदया दें तो भी नामक़बूल है। उन तकलीफ़ वाले, दर्दनाक अ़ज़ाबों को सहना ही पड़ेगा। यही मज़मून यहाँ भी बयान फ़रमाया गया है।

पस साबित हुआ कि ख़ुदा के अ़ज़ाब से काफ़िरों को कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकती अगरचे वे बड़े नेक और बड़े सख़ी (दानी) हों। अगरचे ज़मीन भर सोना राहे ख़ुदा में लुटा दें, या पहाड़ों और टीलों मिट्टी और रेत नर्म ज़मीन और सख़्त ज़मीन ख़ुश्की और तरी के वज़न के बराबर सोना अ़ज़ाब के बदले देना चाहें, या दें। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जहन्नमी से क़ियामत के दिन कहा जायेगा कि ज़मीन पर जो कुछ है अगर तेरा हो जाये तो क्या तू उस सबको अपनी सज़ाओं के बदले अपने फ़िदये में दे डालेगा? वह कहेगा हाँ। तो अल्लाह तआ़ला का इरशाद होगा कि मैंने तुझसे उसके मुक़ाबले में बहुत ही कम चाहा था, मैंने तुझसे उस वक़्त वायदा लिया था जब तू अपने बाप आदम की पीठ में था कि मेरे साथ किसी को शरीक न बनाना, लेकिन तू शिर्क किये बिना न रहा। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी दूसरी सनद के साथ है।

मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है, हज़रत इब्ने मालिक रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक जन्नती को लाया जायेगा और उससे अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा कहो- तुमने कैसी जगह पाई? वह जवाब देगा ख़ुदाया बहुत ही बेहतर। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा अच्छा और जो कुछ माँगना हो माँगो, दिल में जो तमन्ना हो कहो। यह कहेगा बारी तआ़ला! मुझे सिर्फ़ यही तमन्ना है और मेरा एक यही सवाल है कि मुझे दुनिया में फिर भेज दिया जाये, मैं तेरी राह में जिहाद करूँ और फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा हो जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, दस मर्तबा ऐसा ही हो। क्योंकि वह शहादत की फ़ज़ीलत और शहीद के मर्तबे देख चुका है।

इसी तरह एक जहन्नमी को बुलाया जायेगा और उससे ख़ुदा तआ़ला फ़रमायेगा ऐ आदम के बेटे! तूने अपनी जगह कैसी पाई? वह कहेगा ख़ुदाया! बहुत ही बुरी। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा क्या सारी ज़मीन भरकर सोना देकर इन अ़ज़ाबों से छूटना तुझे पसन्द है? वह कहेगा हाँ बारी तआ़ला। उस वक़्त अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा तू झूठा है, मैंने इससे बहुत ही कम और बिल्कुल आसान चीज़ तलब की थी (कि सिर्फ़ मेरी ही इबादत करो और मेरे रसूलों की तस्दीक़ करो), लेकिन तूने उसे भी न किया। चुनाँचे वह जहन्नम में भेज दिया जायेगा। पस यहाँ फ़रमाया कि उनके लिये तकलीफ़देह अ़ज़ाब हैं और कोई उन्हें उन दर्दनाक अ़ज़ाबों से नहीं बचा सकता। (अल्लाह तआ़ला हमें अपने अ़ज़ाब से निजात दे। आमीन)

अल्लाह का शुक्र है कि तफ़सीर इब्ने कसीर का तीसरा पारा मुकम्मल हुआ।

पारा नम्बर चार

तुम कामिल ख़ैर को कभी न हासिल कर सकोगे यहाँ तक कि अपनी प्यारी चीज़ को ख़र्च न करोगे। और जो कुछ भी ख़र्च करोगे अल्लाह तआला उसको ख़ूब जानते हैं। (92)	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

सबसे ज़्यादा पसन्दीदा माल

अल्लाह की राह में देने का बदला जन्नत है

हज़रत अ़मर बिन मैमून कहते हैं कि 'बिर्र' (नेकी व भलाई) से यहाँ जन्नत मुराद है। यानी जब तक तुम अपनी पसन्दीदा चीज़ को ख़ुदा की राह में ख़र्च न करोगे हरगिज़ जन्नत में दाख़िल न होगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. से रिवायत है कि तमाम अन्सार में हज़रत अबू तल्हा रज़ि. सबसे ज़्यादा मालदार थे, वह अपने तमाम माल और जायदाद में "बीरेहा' नाम के बाग़ को जो मस्जिदे नबवी के सामने था, सबसे ज़्यादा पसन्द करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अक्सर उस बाग़ में जाया करते थे और उसके कुएँ का मीठा पानी नोश फ़रमाया करते थे। जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू तल्हा रज़ि. ने हाज़िर होकर आप से अ़र्ज़ किया ऐ रसूले ख़ुदा! अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान है और मेरा सबसे ज़्यादा अ़ज़ीज़ माल यही 'बीरेहा' (नाम का बाग़) है, लिहाज़ा मैं इसको इस उम्मीद में कि जो भलाई ख़ुदा तआ़ला के पास है वही मेरे लिये जमा रहे, ख़ुदा की राह में सदक़ा करता हूँ। लिहाज़ा आपको इख़्तियार है जिस तरह मुनासिब समझें इसको तक़सीम कर दें। आप ख़ुश होकर फ़रमाने लगे- ख़ूब! यह बहुत ही फ़ायदेमन्द माल है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। फिर फ़रमाया "मेरी राय यह है कि तुम इस बाग़ को अपने रिश्तेदारों में तक़सीम कर दो"। हज़रत अबू तल्हा रज़ि. ने अ़र्ज़ किया कि "वहुत अच्छा" और फिर उसे अपने रिश्तेदारों और चचाज़ाद भाईयों में तक़सीम कर दिया। (मुस्नद अहमद, बुख़ारी व मुस्लिम)

बुख़ारी व मुस्लिम में आया है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ि. भी आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरा सबसे ज़्यादा अ़ज़ीज़ और बेहतर माल वह है जो ख़ैबर में मेरी ज़मीन का एक हिस्सा है। मैं उसको अल्लाह की राह में सदक़ा करना चाहता हूँ। फ़रमाईये क्या करूँ? आपने फ़रमाया असल (ज़मीन) को अपने क़ब्ज़े में रखो और उसकी पैदावार फल वग़ैरह ख़ुदा की राह में वक़्फ़ कर दो। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब मैं तिलावत के दौरान इस आयत पर पहुँचा तो मैं अपने तमाम माल व जायदाद को ख़्याल में लाया, लेकिन मुझे अपनी रोमी बाँदी से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा महबूब नज़र न आयी, लिहाज़ा मैंने उसी को ख़ुदा तआ़ला की राह में आज़ाद कर दिया। (मेरे दिल में उसकी इतनी मुहब्बत है) कि अगर मैं ख़ुदा की राह में दी हुई किसी चीज़ को वापस ले सकता तो उस कनीज़ (बाँदी) से ज़रूर ही निकाह कर लेता। (मुस्नद बज़्ज़ार)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ؕ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝	सब खाने की चीज़ें तौरात के नाज़िल होने से पहले उसको छोड़कर जिसको (हज़रत) याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने नफ़्स पर हराम कर लिया था, बनी इस्राईल पर हलाल थीं, फ़रमा दीजिए की फिर तौरात लाओ फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। (93) सो जो शख़्स उसके बाद अल्लाह तआ़ला पर झूठ बात की तोहमत लगाए तो ऐसे लोग बड़े बेइन्साफ़ हैं। (94) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआ़ला ने सच कह दिया सो तुम मिल्लते इब्राहीम का इत्तिबा करो जिसमें ज़रा टेढ़ नहीं, और वह मुश्रिक भी न थे। (95)

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यहूद व ईसाईयों को चुनौती

इमाम अहमद रह. अपनी मुस्नद में इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा कुछ यहूदी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये कि हम आप से चन्द ऐसी बातें पूछते हैं जिनको सिवाय नबी के और कोई नहीं जानता, आप उनका जवाब दीजिए। आपने फ़रमाया "जो चाहो पूछो लेकिन ख़ुदा को हाज़िर व नाज़िर जानकर मुझसे वह वायदा करो जो हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने अपने बेटों (बनी इस्राईल) से लिया था कि अगर मैंने वो बातें तुम्हें ठीक-ठीक बता दीं तो तुम इस्लाम लाकर मेरी शरीअ़त के पैरोकार बन जाओगे।" उन्होंने क़समें खाकर कहा कि "हमें यह बात मन्ज़ूर है, अगर आपने सही-सही जवाबात दे दिये तो हम ज़रूर इस्लाम क़बूल कर लेंगे और आपके फ़रमाँबरदार बन जायेंगे।" फिर कहने लगे कि हमें ये चार बातें बतलाईयेः

1. हज़रत इस्राईल अ़लैहिस्सलाम (हज़रत याक़ूब) ने अपने ऊपर कौनसा खाना हराम कर लिया था।
2. औ़रत का पानी कैसा होता है? (और क्यों कभी लड़का होता है और कभी लड़की?)
3. नबी-ए-उम्मी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की नींद कैसी है?
4. फ़रिश्तों में से कौनसा फ़रिश्ता उसके पास 'वही' लेकर आता है?

उस के बाद फिर आपने दोबारा उनसे क़समें लीं और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

हज़रत इस्राईल अ़लैहिस्सलाम सख़्त बीमार हुए तो नज़्र (मन्नत) मानी कि अगर ख़ुदा शिफ़ा देगा तो

सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ खाने पीने की छोड़ दूँगा। जब बीमारी से शिफ़ा हो गयी तो ऊँट का गोश्त और दूध छोड़ दिया।

मर्द का पानी सफ़ेद रंग का और गाढ़ा होता है और औरत का पानी ज़र्दी माईल (यानी हल्का सा पीला) पतला होता है। दोनों में से जो ऊपर आ जाये उस पर औलाद नर मादा होती है और शक्ल व शाबाहत में भी उसी पर जाती है।

इस नबी-ए-उम्मी की नींद में उसकी आँखें तो सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है।

मेरे पास वही लेकर वही फ़रिश्ता आता है जो तमाम अम्बिया के पास आता था, यानी जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम।

पस इस पर वे बिदक गये और कहने लगे अगर कोई दूसरा फ़रिश्ता आपका वली होता तो हमें आपकी नुबुव्वत तस्लीम करने में कोई उज़्र न होता। हर सवाल के जवाब के वक़्त आप उन्हें क़सम देते और उनसे दरियाफ़्त फ़रमाते और वे इक़रार करते कि हाँ जवाब सही है। उन्हीं के बारे में यह आयत उतरीः

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ............ الخ.

एक और रिवायत में है कि हज़रत इस्राईल को इरक़ुन्निसा (बदन और ख़ास कर पूरे पैरों दौड़ने वाले दर्द) की बीमारी थी और उसमें उनका एक पाँचवाँ सवाल यह भी है कि यह रअ़द (आसमानों की गरज) क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला के फ़रिश्तों में एक फ़रिश्ता जो बादलों पर मुक़र्रर है, उसके हाथ में आग का कोड़ा है, जिससे बादलों को जहाँ ख़ुदा का हुक्म हो ले जाता है और यह गरज की आवाज़ उसी की आवाज़ है। जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम का नाम सुनकर वे कहने लगे कि वह तो अ़ज़ाब और लड़ाई-झगड़े का फ़रिश्ता है और हमारा दुश्मन है। अगर पैदावार और बारिश के फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल अ़लैहिस्सलाम आपके रफ़ीक़ (साथी) होते तो हम आपकी तस्दीक़ करते। हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की तरह उनकी औलाद भी ऊँट के गोश्त से परहेज़ करती रही। इस आयत का अगली आयत से एक ताल्लुक़ तो यह है कि जिस तरह हज़रत इस्राईल ने अपनी पसन्दीदा चीज़ ख़ुदा की राह में नज़्र कर दी उसी तरह तुम भी किया करो। लेकिन याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त में इसका तरीक़ा यह था कि अपनी पसन्दीदा और मरग़ूब चीज़ को अल्लाह के नाम पर छोड़ देते थे और हमारी शरीअ़त में यह तरीक़ा नहीं, बल्कि हमें यह फ़रमाया गया है कि हम अपनी पसन्दीदा चीज़ें अल्लाह के नाम पर ख़र्च कर दिया करें। जैसे फ़रमायाः

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ.

और फ़रमायाः

يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ.

यानी बावजूद मुहब्बत और पसन्दीदगी के वे हमारी राह में माल ख़र्च करते हैं और मिस्कीनों को खाना देते हैं।

दूसरी मुनासबत यह भी है कि अगली आयतों में ईसाईयों का रद्द था तो यहाँ यहूदियों का रद्द हो रहा है। उनके रद्द में हज़रत ईसा की पैदाईश का सही वाक़िआ़ बतलाकर उनके अ़क़ीदे का रद्द किया था।

ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से अहकाम में रद्दोबदल

यहाँ नस्ख़ (अहकाम को बदलने या निरस्त करने) का साफ़ बयान करके उनके बातिल अ़क़ीदे के रद्द

में इरशाद हो रहा है कि उन किताबों में साफ़ मौजूद था कि जब हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम कश्ती से ख़ुश्की पर उतरे तो उनकी औलाद उसे हराम जानती रही, चुनाँचे तौरात में भी उसकी हुर्मत नाज़िल हुई। इसी तरह और भी चीज़ें हराम की गयीं, यह नस्ख़ (यानी हुक्म को बदलना और निरस्त करना) नहीं तो और क्या है? शुरू में हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की सगी औलाद का आपस में बहन-भाई का निकाह होता था लेकिन बाद में हराम हो गया। औरतों पर बाँदियाँ लाना शरीअ़ते इब्राहीमी में जायज़ था ख़ुद हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में जायज़ था, बल्कि हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के घर में एक ही वक़्त में दो सगी बहनें थीं, लेकिन फिर तौरात में यह हराम हो गया, इसी को नस्ख़ कहते हैं। इसे वे देख रहे हैं, अपनी किताब में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर नस्ख़ (अहकाम के अदलने-बदलने या निरस्त होने) का इनकार करके इन्जील को और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को नहीं मानते और उनके बाद आख़िरी रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ भी यही करते हैं। तो फ़रमाया कि तौरात के नाज़िल होने से पहले तमाम खाने हलाल थे सिवाय उसके जिसे इस्राईल अ़लैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिया था। तुम तौरात लाओ और पढ़ो, उसमें मौजूद है। फिर बावजूद इसके तुम्हारा यह झूठा इल्ज़ाम और बोहतान लगाना कि ख़ुदा ने हमारे लिये हफ़्ते (शनिवार) ही के दिन को हमेशा के लिये ईद का दिन मुक़र्रर किया है और हमसे अ़हद लिया है कि हम हमेशा तौरात के ही आ़मिल रहें और किसी और नबी को न मानें, यह किस क़द्र ज़ुल्म है।

इन तमाम बातों के बावजूद तुम्हारी यह रविश और चलन तुम्हारे हद से आगे बढ़ जाने की दलील है। अल्लाह ने सच्ची ख़बर दे दी। इब्राहीमी दीन वही है जिसे क़ुरआन बयान कर रहा है। तुम इस किताब और इस नबी की पैरवी करो, न इनसे आला कोई नबी, न इससे बेहतर और ज़्यादा वाज़ेह शरीअ़त। जैसा कि एक दूसरी जगह हैः

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰانِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ........ الخ.

ऐ नबी तुम कह दो कि मुझे मेरे रब ने सीधी राह इब्राहीम हनीफ़ एक अल्लाह को मानने वाले के मज़बूत दीन की दिखा दी है और हर जगह हमने तेरी तरफ़ वही की कि इब्राहीम हनीफ़ ख़ालिस तौहीद वाले के दीन की ताबेदारी करो।

यक़ीनन वह मकान जो सबसे पहले लोगों के लिए मुक़र्रर किया गया वह मकान है जो कि मक्का में है, जिसकी हालत यह है कि वह बरकत वाला है और दुनिया भर के लोगों का रहनुमा है। (96) उसमें खुली निशानियाँ हैं (उनमें से) एक मक़ामे इब्राहीम है, और जो शख़्स उसमें दाख़िल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है। और अल्लाह के वास्ते लोगों के ज़िम्मे उस मकान का हज करना है, (यानी) उस शख़्स	اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۭ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

के ज़िम्मे जो कि ताक़त रखे वहाँ तक पहुँचने की, और जो शख़्स मुन्किर "यानी इनकार करने वाला" हो तो अल्लाह तआ़ला तमाम जहान वालों से ग़नी हैं। (97)	اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

अल्लाह तआ़ला का पहला घर और उसकी बरकतें

यानी लोगों की इबादत, क़ुरबानी, तवाफ़, नमाज़, एतिकाफ़ वग़ैरह के लिये अल्लाह का घर जिसके संस्थापक (बनाने और तामीर करने वाले) हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह हैं। जिनकी ताबेदारी का दावा यहूद व ईसाई, मुश्रिकीन और मुसलमान सब को है, वह है जो सबसे पहले मक्का में बनाया गया। यही ख़लीलुल्लाह सबसे पहले हज के मुनादी (बुलाने और आवाज़ देने वाले) हैं। फिर ताज्जुब और अफ़सोस है उन पर जो मिल्लते हनीफ़ी (सही रास्ते पर होने) का दावा करें और इस घर का एहतिराम न करें, हज को यहाँ न आयें, बल्कि अपने क़िब्ले और काबे अलग-अलग बनाते फिरें। इस बैतुल्लाह की तामीर में दुनिया के लिये ख़ैर व बरकत है।

हज़रत अबूज़र रज़ि. ने रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गयी है? आपने फ़रमाया मस्जिदे हराम। पूछा फिर कौनसी? फ़रमाया मस्जिदे बैतुल-मुक़द्दस। पूछा इन दिनों के दरमियान कितने ज़माने का फ़ासला है? फ़रमाया चालीस साल का। पूछा फिर कौनसी? आपने फ़रमाया जहाँ कहीं नमाज़ का वक़्त आ जाये नमाज़ पढ़ लिया करो, सारी ज़मीन मस्जिद है। (मुस्नद अहमद, बुख़ारी व मुस्लिम) हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि घर तो पहले बहुत से थे लेकिन ख़ास ख़ुदा की इबादत के लिये सबसे पहला घर यही है। किसी शख़्स ने आपसे पूछा कि ज़मीन पर पहला घर यही बना है? तो आपने फ़रमाया नहीं! अलबत्ता बरकत वाला मक़ामे इब्राहीम और अमन का पहला घर यही है। बैतुल्लाह शरीफ़ के बनाने की पूरी कैफ़ियत सूरः ब-क़रह की आयतः

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ .... الخ.

(सूरः ब-क़रह आयत 125) की तफ़सीर में पहले गुज़र चुकी है। वहीं मुलाहज़ा फ़रमाईये, यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। इमाम सुद्दी रह. कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले यही घर बना। लेकिन सही क़ौल हज़रत अ़ली रज़ि. का ही है और वह हदीस जो बैहक़ी में है, जिसमें है कि आदम व हव्वा ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह बनाया और तवाफ़ किया और ख़ुदा ने कहा कि तू सबसे पहला इनसान है और यह सबसे पहला घर है, इस हदीस में इब्ने लहीआ़ रावी हैं, मुम्किन है यह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. का क़ौल हो और यरमूक वाले दिन उन्हें जो बोरे अहले किताब की किताबों से मिले थे, उन्हीं में यह भी लिखा हुआ हो। मक्का, मक्का शरीफ़ का मशहूर नाम है। चूँकि बड़े-बड़े घमंडी लोगों की गर्दनें यहाँ टूट जाती थीं, हर बड़ाई वाला यहाँ पस्त हो जाता था इसलिये इसे मक्का कहा गया और इसलिये भी कि लोगों की भीड़-भाड़ यहाँ होती है और हर वक़्त खचाखच भरा रहता है। और इसलिये भी कि यहाँ लोग एक दूसरे में रल-मिल जाते हैं, यहाँ तक कि कभी औरतें आगे नमाज़ पढ़ती होती हैं और मर्द उनसे पीछे होते हैं, हालाँकि ऐसा और कहीं नहीं होता।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि फ़ज्ज से तनईम तक तो मक्का है और बैतुल्लाह से बतहा तक बक्का है। बैतुल्लाह और मस्जिद को बक्का कहा गया है। बैतुल्लाह और उसके आस-पास की जगह को बक्का और बाक़ी शहर को मक्का भी कहा गया है। इसके और बहुत से नाम हैं जैसे बैतुल-अ़तीक़, बैतुल-हराम, बलदुल-आमीन, बलदुल-मामून, उम्मे-रुहम, उम्मुल-क़ुरा, सलाह, अ़र्श, क़ादिस, मुक़द्दस, नास्सा, नासिसा, हातिमा इसको रअ़स, ब-लद, बनिय्यतु, काबा। इसके ज़ाहिरी निशानात और इसकी बड़ाई व शराफ़त पर दलील हैं और जिनसे ज़ाहिर है कि ख़लीले ख़ुदा की बिना (यानी बनाई हुई इमारत) यही है।

इसमें मक़ामे इब्राहीम भी है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम से पत्थर लेते थे और काबा की दीवारें ऊँची कर देते थे। यह पहले तो बैतुल्लाह शरीफ़ की दीवार से लगा हुआ था लेकिन हज़रत उमर रज़ि. ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में इसे ज़रा हटाकर पूरब दिशा में कर दिया ताकि तवाफ़ पूरी तरह हो सके और जो लोग तवाफ़ के बाद मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उन्हें कोई परेशानी और भीड़-भाड़ न हो। इसी की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ है। इसके मुताल्लिक़ भी पूरी तफ़सीरः

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى............ الخ.

(सूरः ब-क़रह आयत 125) की तफ़सीर में पहले गुज़र चुकी है। अल्लाह का शुक्र है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि "आयाते बय्यिनात" (खुली निशानियों) में से एक मक़ामे इब्राहीम है। इसके अ़लावा और भी निशानियाँ हैं। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि ख़लीलुल्लाह के पैरों के निशान जो मक़ामे इब्राहीम पर थे, ये भी खुली निशानियों में से हैं। हरम, हतीम और हज के सारे अरकान को भी मक़ामे इब्राहीम की तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन ने दाख़िल किया है। इसमें आने वाला अमन में आ जाता है। जाहिलीयत के ज़माने में भी मक्का अमन की जगह था। बाप के क़ातिल को भी यहाँ पाते तो न छेड़ते। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि बैतुल्लाह अमन चाहने वाले को पनाह देता है लेकिन जगह और खाना-पीना नहीं देता। एक और जगह हैः

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا............ الخ.

क्या यह नहीं देखते कि हमने हरम को अमन की जगह बनाया। एक और जगह इरशाद हैः

وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

हमने उन्हें ख़ौफ़ से अमन दिया।

न सिर्फ़ इनसान को अमन है बल्कि शिकार करना, शिकार को भगाना, उसे डराना, उसके ठिकाने या घोंसले से हटाना और उड़ाना भी मना है। उसके दरख़्त काटना, यहाँ की घास उखेड़ना भी नाजायज़ है। इस मज़मून की बहुत सी हदीसें पूरी तफ़सील व वज़ाहत के साथ सूरः ब-क़रह की आयत 125 की तफ़सीर में गुज़र चुकी हैं। मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी और नसाई में हदीस है जिसे इमाम तिर्मिज़ी ने हसन सही कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का के बाज़ार हज़वरा में खड़े होकर फ़रमाया- ऐ मक्का! तू अल्लाह तआ़ला को सारी ज़मीन से बेहतर और प्यारा है। अगर मैं ज़बरदस्ती तुझमें से न निकाला जाता तो हरगिज़ तुझे न छोड़ता। और इस आयत के एक मायने यह भी हैं कि वह जहन्नम से बच गया। बैहक़ी की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि जो बैतुल्लाह में दाख़िल हुआ वह नेकी में आया और बुराईयों से दूर हुआ।

उसके गुनाह बख़्श दिये गये। लेकिन इसके एक रावी अ़ब्दुल्लाह बिन नोफ़ल मज़बूत नहीं हैं। आयत का यह आख़िरी हिस्सा हज की फ़र्ज़ियत की दलील है। बाज़ कहते हैं:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ........ الخ.

(सूरः ब-क़रह आयत 196) वाली आयत फ़र्ज़ियत की दलील है। लेकिन पहली बात ज़ाहिर है, कई एक हदीसों में आया है कि हज इस्लाम के अरकान में से एक रुक्न है। इसके फ़र्ज़ होने में मुसलमानों का इजमा (सबका इत्तिफ़ाक़े राय) है, और यह बात भी साबित है कि उम्र भर में एक मर्तबा गुंजाईश वाले पर हज फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने ख़ुतबे में फ़रमाया- लोगो! तुम पर अल्लाह तआ़ला ने हज फ़र्ज़ किया है, तुम हज करो। एक शख़्स ने पूछा हुज़ूर क्या हर साल? आप ख़ामोश हो गये। उसने तीन मर्तबा यही सवाल किया। आपने फ़रमाया- अगर मैं हाँ कह देता तो फ़र्ज़ हो जाता, फिर तुम उस पर अ़मल न कर सकते, जो न कहूँ तुम भी उसकी पूछपाछ न करो। तुमसे पहले लोग सवालों की भरमार से और नबियों पर इख़्तिलाफ़ (मतभेद और विवाद) करने से हलाक हो गये। मेरे हुक्मों को ताक़त भर बजा लाओ और जिस चीज़ से मना करूँ उससे रुक जाओ। (मुस्नद अहमद)

सही मुस्लिम शरीफ़ में इतना और ज़्यादा है कि यह पूछने वाले अक़रा बिन हाबिस रज़ि. थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जवाब में यह भी फ़रमाया कि उम्र में एक मर्तबा फ़र्ज़ है और फिर नफ़िल। एक और रिवायत में है कि इसी सवाल के बारे में आयतः

لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ.......... الخ.

(सूरः मायदा आयत 101) यानी ज़्यादा सवालों से बचो, नाज़िल हुई। (मुस्नद अहमद)

एक और रिवायत में है कि अगर मैं हाँ कहता और हर साल हज वाजिब होता तो तुम न कर पाते और फिर अ़ज़ाब नाज़िल होता। (इब्ने माजा) हाँ हज में तमत्तो करने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक पूछने वाले के सवाल पर हमेशा के लिये जायज़ फ़रमाया था।

एक और हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज्जतुल-विदा में उम्महातुल-मोमिनीन यानी अपनी बीवियों से फ़रमाया था कि हज हो चुका अब घर से न निकलना। रही गुंजाईश और ताक़त सो कभी तो ख़ुद इनसान को बग़ैर किसी ज़रिये के होती है, कभी किसी और के वास्ते से, जैसे कि मसाईल की किताबों में इसकी तफ़सील मौजूद है। तिर्मिज़ी में है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह! हाजी कौन है? आपने फ़रमाया बिखरे हुए बालों और मैले कुचैले कपड़ों वाला। एक और ने पूछा या रसूलल्लाह! कौनसा हज अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया जिसमें क़ुरबानियाँ ख़ूब ज़्यादा की जायें और लब्बैक ज़्यादा पुकारा जाये। एक और शख़्स ने सवाल किया- हुज़ूर! सबील से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया तोशा खाने-पीने के लायक़ ख़र्च और सवारी, इस हदीस का एक रावी अगरचे ज़ईफ़ है मगर इस मज़मून की और भी हदीसें हैं। बहुत से सहाबा से अनेक सनदों से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आयतः

مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

(यानी जो वहाँ तक पहुँचने की ताक़त रखे) की तफ़सीर में सवारी और रास्ते का सामान (खाना पीना और दूसरी ज़रूरत के लिये) बतलाई है। मुस्नद की एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम फ़रमाते हैं कि फ़र्ज़ हज जल्दी अदा कर लिया करो, न मालूम क्या सूरत पेश आये। अबू दाऊद वग़ैरह में है कि हज का इरादा करने वाले को जल्द अपना इरादा पूरा कर लेना चाहिये। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जिसके पास तीन सौ दिरहम हों वह ताक़त वाला है। हज़रत इक्रिमा फ़रमाते हैं कि मुराद जिस्मानी सेहत है।

फिर फ़रमाया कि जो कुफ़्र करे, यानी हज की फ़र्ज़ियत का इनकार करे। हज़रत इक्रिमा रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब यह आयत उतरी कि दीन इस्लाम के सिवा जो शख़्स कोई और दीन तलाश करे उससे क़बूल न किया जायेगा तो यहूदी कहने लगे हम भी मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया फिर मुसलमान पर तो हज है तुम भी हज करो, तो वे साफ़ इनकार कर बैठे। जिस पर यह आयत उतरी कि उसका इनकार करने वाला काफ़िर है और अल्लाह तआ़ला तमाम जहान वालों से बेपरवाह है। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स खाने पीने और सवारी पर क़ुदरत रखता हो, इतना माल उसके पास हो फिर हज न करे तो उसकी मौत यहूदियत या ईसाईयत पर होगी (यह आपने सख़्त डाँट फ़रमाई। यानी अगर हज के फ़र्ज़ होने का क़ायल है मगर सुस्ती या किसी और वजह से हज न करे तो उसे इस्लाम और अल्लाह के घर से मुहब्बत करने वाला कैसे कह सकते हैं)।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि अल्लाह के लिये लोगों पर बैतुल्लाह का हज है, जो उसके रास्ते की ताक़त रखें। और जो कुफ़्र करे तो अल्लाह तआ़ला तमाम जहान वालों से बेपरवाह है। इसके रावी पर भी कलाम है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि ताक़त रखकर हज न करने वाला यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर। इसकी सनद बिल्कुल सही है। (हाफ़िज़ अबू बक्र इस्माईली)

मुस्नद सईद बिन मन्सूर में है कि फ़ारूके आज़म रज़ि. ने फ़रमाया- मेरा मक़सद यह है कि मैं लोगों को मुख़्तलिफ़ शहरों में भेजूँ वे देखें कि जो लोग बावजूद माल रखने के हज न करते हों उन पर जिज़या (टैक्स) लगा दें, वे मुसलमान नहीं हैं।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

आप फ़रमा दीजिए कि ऐ अहले किताब! तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह तआ़ला के अहकाम का, हालाँकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब कामों की इत्तिला रखते हैं। (98) आप फ़रमा दीजिए कि ऐ अहले किताब क्यों हटाते हो अल्लाह तआ़ला की राह से ऐसे शख़्स को जो ईमान ला चुका इस तौर पर कि टेढ़ "कमी और ख़ामी" ढूँढ़ते हो उस राह के लिए हालाँकि तुम ख़ुद भी इत्तिला रखते हो, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों से बेख़बर नहीं। (99)

अल्लाह की आयतों का इनकार करना बड़ा जुर्म है

अहले किताब के काफ़िरों को अल्लाह तआ़ला धमकाता है, जो हक़ से मुँह फेरते थे और अल्लाह तआ़ला की आयतों से कुफ़्र (इनकार) करते थे और लोगों को भी पूरे ज़ोर से इस्लाम से रोकते थे, इसके

बावजूद कि रसूल की हक़्क़ानियत (सच्चा होने) का उन्हें यक़ीनी इल्म था। पहले अम्बिया और रसूलों की भविष्यवाणियों और उनकी ख़ुशख़बरियाँ उनके पास मौजूद थीं, नबी-ए-उम्मी हाशिमी अ़रबी मक्की मदनी औलादे आदम के सरदार, ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र उनकी किताबों में मौजूद था। फिर भी अपनी बेईमानी पर अड़े हुए थे। इसलिये उनसे अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मैं ख़ूब देख रहा हूँ तुम किस तरह मेरे नबियों को झुठलाते हो और किस तरह तमाम नबियों के सरदार को सताते हो और किस तरह मेरे मुख़्लिस बन्दों की राह में रोड़े अटका रहे हो। मैं तुम्हारे आमाल से ग़ाफ़िल नहीं हूँ, तमाम बुराईयों का बदला दूँगा। उस दिन पकड़ूँगा जिस दिन कोई सिफ़ारिशी और मददगार न मिलेगा।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ع

ऐ ईमान वालो! अगर तुम कहना मानोगे किसी फ़िर्क़े का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है तो वे लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफ़िर बना देंगे। (100) और तुम कुफ़्र कैसे कर सकते हो हालाँकि तुमको अल्लाह तआ़ला के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं, और तुममें अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला को मज़बूत पकड़ता है तो ज़रूर सीधे रास्ते की हिदायत किया जाता है। (101)

काफ़िरों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता

अल्लाह तबारक व तआ़ला अपने मोमिन बन्दों को अहले किताब के इस बुरे फ़िर्क़े की पैरवी करने से रोक रहा है, क्योंकि यह हासिद (जलने वाले) ईमान के दुश्मन हैं और अ़रब की रिसालत उन्हें एक आँख नहीं भाती। जैसे एक और जगह है:

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ........ الخ.

ये लोग जल-भुन रहे हैं और तुम्हें ईमान से हटाना चाहते हैं। तुम उनसे धोखे में न आ जाना। अगरचे कुफ़्र तुम से बहुत दूर है फिर भी मैं तुम्हें आगाह किये देता हूँ। ख़ुदा की आयतें दिन-रात तुममें पढ़ी जा रही हैं और ख़ुदा का सच्चा रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुममें मौजूद है। जैसे एक और जगह है:

مَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ........ الخ.

तुम ईमान क्यों न लाओगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ़ बुला रहे हैं और तुमसे अ़हद भी हो चुका है।

ग़ैब पर ईमान लाना अफ़ज़ल है

हदीस शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक रोज़ अपने सहाबा से पूछा- तुम्हारे

नज़दीक सबसे बड़ा ईमान वाला कौन है? उन्होंने कहा फ़रिश्ते। आपने फ़रमाया भला वे ईमान क्यों न लाते? वे तो अपने रब के पास हैं। सहाबा ने कहा फिर अम्बिया का ईमान। आपने फ़रमाया नबी और रसूल क्यों ईमान न लायेंगे उन्हें तो अल्लाह का पैग़ाम (यानी वही) मिलता है। सहाबा ने कहा फिर हम? फ़रमाया तुम ईमान क्यों न लाते? तुममें तो मैं ख़ुद मौजूद हूँ। सहाबा रज़ि. ने कहा- फिर हुज़ूर ख़ुद ही इरशाद फ़रमायें। फ़रमाया कि तुम लोगों से ज़्यादा अफ़ज़ल ईमान वाले वे हैं जो तुम्हारे बाद आयेंगे। वे किताबों में लिखा पायेंगे और उस पर ईमान लायेंगे। फिर फ़रमाया कि बावजूद इसके तुम्हारा मज़बूती से दीने ख़ुदा को थामे रखना और ख़ुदा की पाक ज़ात पर पूरा भरोसा रखना ही हिदायत का सबब है, इससे गुमराही दूर होती है, यही हिदायत और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, इसी से सही रास्ता हासिल होता और कामयाबी व मुराद मिलती है।

يَـٓا يُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَـمُـوْتُـنَّ اِلَّا وَاَنْتُـمْ مُّسْلِـمُـوْنَ ○ وَاعْتَـصِـمُـوْا بِـحَـبْـلِ اللّٰـهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُـرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُـنْتُـمْ اَعْـدَآءً فَـاَلَّفَ بَيْـنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَـفَـا حُـفْـرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَـذٰلِكَ يُبَيِّـنُ اللّٰـهُ لَـكُـمْ اٰيٰـتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरा करो डरने का हक़, और सिवाय इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। (102) और मज़बूत पकड़े रहो अल्लाह तआ़ला के सिलसिले को इस तौर पर कि (तुम सब) आपस में मुत्तफ़िक़ भी रहो, और आपस में ना-इत्तिफ़ाक़ी मत करो, और तुम पर जो अल्लाह तआ़ला का इनाम है उसको याद करो जबकि तुम दुश्मन थे। पस अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे दिलों में उल्फ़त डाल दी, सो तुम ख़ुदा तआ़ला के इनाम से आपस में भाई-भाई हो गए, और तुम लोग दोज़ख़ के गढ़े के किनारे पर थे, सो उससे अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी जान बचाई, इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम लोगों को अपने अहकाम बयान करके बतलाते रहते हैं, ताकि तुम लोग राह पर रहो। (103)

तक़वा ईमान की निशानी और चलन है

अल्लाह तआ़ला से पूरा-पूरा डरना (यानी तक़वा) यह है कि उसकी इताअ़त की जाये, और नाफ़रमानी न की जाये। उसका ज़िक्र किया जाये और उसकी याद न भुलाई जाये, उसका शुक्र किया जाये, कुफ़्र न किया जाये। बाज़ रिवायतों में यह तफ़सीर मरफ़ूअ़ भी मौजूद है, लेकिन ठीक बात यही है कि यह मौक़ूफ़ है। यानी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. का क़ौल है। वल्लाहु आलम।

हज़रत अनस रज़ि. का फ़रमान है कि इनसान ख़ुदा से डरने का हक़ नहीं बजा ला सकता जब तक अपनी ज़बान को महफ़ूज़ न रखे। अक्सर मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि यह आयत इस आयत से मन्सूख़ है:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

(कि तुम अल्लाह से डरो जितनी तुम में ताक़त है) इस दूसरी आयत में फ़रमा दिया है कि अपनी ताक़त के मुताबिक़ उससे डरते रहा करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मन्सूख़ नहीं बल्कि मतलब यह है कि अल्लाह की राह में जिहाद करते रहो, उसके कामों में किसी मलामत करने वाले की मलामत का ख़्याल न करो। अ़दल (इन्साफ़) पर जम जाओ, यहाँ तक कि ख़ुद अपने नफ़्स पर अ़दल के अहकाम जारी करो, अपने माँ-बाप और अपनी औलाद के बारे में भी अ़दल व इन्साफ़ बरता करो।

फिर बताया कि इस्लाम ही पर मरना, यानी तमाम ज़िन्दगी इस पर क़ायम रहना ताकि मौत भी इसी पर आये। उस रब्बे करीम की आ़दत यही है कि इनसान अपनी ज़िन्दगी जैसी रखे वैसी ही उसे मौत आती है, और जिस मौत पर मरे उसी पर क़ियामत के दिन उठाया जाता है। अल्लाह तआ़ला इसके ख़िलाफ़ से अपनी पनाह में रखे, आमीन।

मुस्नद अहमद में है कि लोग बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ कर रहे थे और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी वहाँ थे, उनके हाथ में लकड़ी थी। बयान फ़रमाने लगे कि रसूलुलाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत की, फिर फ़रमाया कि अगर 'ज़क़्क़ूम' का एक क़तरा भी दुनिया में गिरा दिया जाये तो दुनिया वालों के खाने-पीने की चीज़ें बिगड़ जायें, वे कोई चीज़ खा-पी न सकें। फिर ख़्याल करो कि उन जहन्नमियों का क्या हाल होगा जिनका खाना-पीना ही यह 'ज़क़्क़ूम' होगा। एक और हदीस में है कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- जो शख़्स जहन्नम से अलग होना और जन्नत में जाना चाहता हो उसे चाहिये कि मरते दम तक अल्लाह तआ़ला पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखे और लोगों से वह बर्ताव करे जिसे वह ख़ुद अपने लिये चाहता हो। (मुस्नद अहमद) हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़बानी आपके इन्तिक़ाल से तीन रोज़ पहले सुना कि देखो मौत के वक़्त अल्लाह तआ़ला से नेक गुमान रखना। (मुस्लिम) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि मेरा बन्दा मेरे साथ जैसा गुमान रखे मैं उसके गुमान के पास ही हूँ। अगर उसका मेरे साथ अच्छा गुमान है तो मैं उसके साथ अच्छाई करूँगा और अगर वह मेरे साथ बदगुमानी करेगा तो मैं उससे इसी तरह पेश आऊँगा। (मुस्नद अहमद) इस हदीस का अगला हिस्सा बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। मुस्नद बज़्ज़ार में है कि एक बीमार अन्सारी सहाबी की बीमारी का हाल पूछने के लिये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ ले गये और सलाम करके फ़रमाने लगे- कैसे मिज़ाज हैं? उसने कहा अल्हम्दु लिल्लाह अच्छा हूँ। रब की रहमत का उम्मीदवार हूँ और उसके अ़ज़ाबों से डर रहा हूँ। आपने फ़रमाया सुनो! ऐसे वक़्त जिस दिल में ख़ौफ़ व उम्मीद दोनों हों तो उसे अल्लाह उसकी उम्मीद की चीज़ देता है और डर व ख़ौफ़ की चीज़ से बचाता है। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्ल. से बैअ़त की कि मैं खड़े-खड़े ही गिरूँ, इसका मतलब इमाम नसाई ने तो सुनन नसाई में बाब बाँधकर यह बयान किया है कि सज्दे में इस तरह चाहिये और यह मायने भी बयान किये गये हैं कि मैं मुसलमान मरूँ। और यह भी मतलब बयान किया गया है कि जिहाद में मैं पीठ दिखाता हुआ न मारा जाऊँ।

इत्तिफ़ाक़ व एकता की बरकतें

फिर फ़रमाया कि इत्तिफ़ाक़ करो, झगड़े और विवाद से बचो। "हब्लुल्लाह" (अल्लाह की रस्सी) से मुराद अल्लाह का अ़हद है। जैसे "इल्ला बि-हब्लिम् मिनल्लाहि......" में है। बाज़ कहते हैं कि मुराद क़ुरआन है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि क़ुरआन ख़ुदा की मज़बूत रस्सी और उसकी सीधी राह है। एक और रिवायत में है कि किताबुल्लाह ख़ुदा की आसमान से ज़मीन की तरफ़ लटकाई हुई रस्सी है। एक और हदीस में है कि यह क़ुरआन ख़ुदा की मज़बूत रस्सी है। यह ज़ाहिर नूर है, यह शिफ़ा देने वाला और नफ़ा बख़्श है। इस पर अ़मल करने वाले के लिये यह हिफ़ाज़त का ज़रिया है, इसकी ताबेदारी करने वाले के लिये यह निजात है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि इन रास्तों में तो शयातीन चल फिर रहे हैं तुम ख़ुदाई रास्ते पर आ जाओ। तुम अल्लाह की रस्सी को मज़बूत थाम लो, वह रस्सी क़ुरआने करीम है।

इख़्तिलाफ़ (झगड़ा और विवाद) न करो, फूट न डालो, जुदाई न करो। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तीन बातों से ख़ुदा ख़ुश होता है और तीन बातों से वह नाख़ुश होता है। एक तो यह कि उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। दूसरे यह कि अल्लाह की रस्सी को इत्तिफ़ाक़ से पकड़ो, फूट न डालो। तीसरे मुसलमान बादशाहों की ख़ैरख़्वाही करो (यानी अगर वे दीनदार भी हों तो उनकी मदद करो)। जिन चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है वे हैं फ़ुज़ूल बकवास, सवालात की ज़्यादती और माल की बरबादी। ये तीनों चीज़ें रब की नाराज़गी का सबब हैं। बहुत-सी रिवायतें ऐसी भी हैं जिनमें है कि इत्तिफ़ाक़ के वक़्त वे ख़ता से बच जायेंगे और बहुत-सी हदीसों में नाइत्तिफ़ाक़ी से डराया भी है। लेकिन इसके बावजूद उम्मत में मतभेद, झगड़े और फूट बढ़ी, उनके तिहत्तर फ़िर्क़े हो गये, जिनमें से एक निजात पाकर जन्नती होगा और जहन्नम के अ़ज़ाबों से बचा रहेगा। और ये वे लोग हैं जो उस पर क़ायम हों जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा थे।

इत्तिफ़ाक़ और मिलकर रहने की बरकतें

फिर अपनी नेमतें याद दिलायीं। जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने में औस व ख़ज़्रज (क़बीलों) के दरमियान बड़ी लड़ाईयाँ और सख़्त दुश्मनी थी। आपस में बराबर जंग जारी रहती थीं। दोनों क़बीले इस्लाम लाये तो ख़ुदा के फ़ज़्ल से बिल्कुल एक हो गये। सब हसद और एक दूसरे की दुश्मनी जाती रही और आपस में भाई बन गये। नेकी और भलाई के कामों में एक-दूसरे के मददगार और ख़ुदा के दीन में एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक़ हो गये। जैसे एक और जगह इरशाद है:

هُوَالَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ........ الخ.

वह ख़ुदा जिसने तेरी ताईद की अपनी इमदाद से और मोमिनों के साथ से। और उनके दिलों में उलफ़त (मुहब्बत) डाल दी......।

अपना दूसरा एहसान ज़िक्र करता है कि तुम लोग आग के किनारे पहुँच चुके थे और तुम्हारा कुफ़्र तुम्हें उसमें धकेल देता, लेकिन इस्लाम की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाकर मैंने तुम्हें उससे भी अलग कर लिया। हुनैन की फ़तह के बाद माले ग़नीमत तक़सीम करते हुए दीनी मस्लेहतों के मुताबिक़ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम ने बाज़ लोगों को ज़्यादा माल दिया तो किसी शख़्स ने कुछ ऐसे ही सख़्त अलफ़ाज़ ज़बान से निकाल दिये, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्सार की जमाअ़त को जमा करके एक खुतबा पढ़ा। उसमें यह भी फ़रमाया कि ऐ अन्सार की जमाअ़त! क्या तुम गुमराह न थे? फिर ख़ुदा ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत दी? क्या तुम बिखरे हुए न थे? फिर ख़ुदा ने मेरी वजह से तुम्हारे दिलों में उलफ़त डाल दी। क्या तुम फ़क़ीर न थे? अल्लाह तआ़ला ने मेरी वजह से तुम्हें मालदार कर दिया। हर सवाल के जवाब में यह पाकबाज़ जमाअ़त, यह नेक गिरोह कहता जाता था कि हम पर ख़ुदा और रसूल के एहसान और भी बहुत से हैं, और बहुत बड़े-बड़े हैं।

नामुराद यहूदियों की एक साज़िश

हज़रत मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह. फ़रमाते हैं कि जब औस व ख़ज़रज जैसे सदियों से आपस के दुश्मनों को यूँ भाई-भाई बना हुआ देखा तो यहूदियों की आँखों में ख़ार सा खटकने लगा। उन्होंने आदमी मुक़र्रर किये कि वे उनकी बैठक और मज्लिसों में जाया करें और पहली लड़ाईयाँ और पुरानी दुश्मनियाँ उन्हें याद दिलायें। उनके मक़्तूलों की याद ताज़ा करायें और इस तरह उन्हें भड़कायें। चुनाँचे उनका यह फ़रेब एक मर्तबा चल भी गया और दोनों क़बीलों में पुरानी आग भड़क उठी, यहाँ तक कि तलवारें खिंच गयीं। दो जमाअ़तें लामबंध हो गयीं और जाहिलीयत के नारे लगने लगे, हथियार बजने लगे और एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे बन गये और यह तय हो गया कि हर्रा के मैदान में जाकर दिल खोलकर लड़ें, बहादुरी दिखायें और प्यासी ज़मीन को अपने ख़ून से सैराब करें, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पता चल गया। आप फ़ौरन मौक़े पर तशरीफ़ लाये, दोनों गिरोहों को ठण्डा किया और फ़रमाने लगे- फिर जाहिलीयत के नारे तुम लगाने लगे? मेरी मौजूदगी में ही तुमने फिर खिंच-खिंचाव शुरू कर दिया? फिर आपने यही आयत पढ़कर सुनाई। सब शर्मिन्दा हुए, अपनी दो घड़ी पहले की हरकत पर अफ़सोस करने लगे और आपस में नये सिरे से गले मिले, मुसाफ़ा किया और फिर भाईयों की तरह घुल-मिल गये। हथियार डाल दिये और सुलह-सफ़ाई हो गयी। हज़रत इक्रिमा रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि. पर मुनाफ़िक़ों ने तोहमत लगाई थी और आपकी बराअत नाज़िल हुई थी। तब एक-दूसरे के मुक़ाबले में तन गये थे। वल्लाहु आलम।

और तुममें एक ऐसी जमाअ़त होना ज़रूरी है जो कि ख़ैर की तरफ़ बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे लोग पूरे कामयाब होंगे। (104) और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने आपस में तफ़रीक़ कर "फूट डाल" ली और आपस में इख़्तिलाफ़ कर लिया, उनके पास वाज़ेह अहकाम पहुँचने के बाद और उन लोगों के लिए बड़ी सज़ा होगी। (105) उस	وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

दिन कि बाज़े चेहरे सफ़ेद हो जाएँगे और बाज़े चेहरे सियाह होंगे, सो जिनके चेहरे सियाह हो गए होंगे उनसे कहा जाएगा- क्या तुम लोग काफ़िर हो गए थे अपने ईमान लाने के बाद? तो सज़ा चखो अपने कुफ़्र के सबब से। (106) और जिनके चेहरे सफ़ेद हो गए होंगे वे अल्लाह की रहमत में होंगे, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (107) ये अल्लाह तआ़ला की आयतें हैं, जो सही-सही तौर पर हम तुमको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह तआ़ला मख़्लूक़ात पर ज़ुल्म करना नहीं चाहते। (108) और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ही की तरफ़ सब मुक़द्दमात रुजू किए जाएँगे "यानी तमाम मामलात लौटकर उसी की तरफ़ जायेंगे"। (109)

एक जमाअ़त ख़ैर पर क़ायम रहेगी, ख़ुदा तआ़ला का वायदा या एक सच्ची पेशीनगोई (भविष्यवाणी)

इमाम ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि इस जमाअ़त से मुराद ख़ास सहाबा और हदीस के ख़ास रिवायत करने वाले हैं। यानी मुजाहिद (अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले) और उलेमा। इमाम अबू बाक़िर रह. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत की, फिर फ़रमाया सब्र से मुराद क़ुरआन व हदीस की पैरवी है। यह याद रहे कि हर-हर इनसान (और इनके तहत जिन्नात भी दाख़िल हैं) पर हक़ की तब्लीग़ करना फ़र्ज़ है, फिर भी एक जमाअ़त तो ख़ास इसी काम में मशग़ूल रहना चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुममें से जो कोई किसी बुराई को देखे उसे हाथ से रोक दे। अगर इसकी ताक़त न हो तो ज़बान से रोके। अगर यह भी न कर सकता हो तो अपने से उसे दूर करे, यह ज़ईफ़ ईमान है। एक और रिवायत में इसके बाद यह भी है कि उसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। (सही मुस्लिम)

मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अच्छाई का हुक्म और बुराईयों की विरोध करते रहो, वरना जल्द ही अल्लाह तआ़ला तुम पर अपना अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमा देगा। फिर चाहे तुम दुआ़यें करो लेकिन क़बूल न होंगी। इस

मज़मून की और भी बहुत-सी हदीसें हैं जो किसी और जगह पर ज़िक्र की जायेंगी। इन्शा-अल्लाह तआला।

फिर फ़रमाता है कि तुम पहले लोगों की तरह फूट, विवादों और झगड़ों का शिकार न हो जाना। तुम नेक बातों का हुक्म और शरीअ़त के ख़िलाफ़ वाली बातों से रोकने का तरीक़ा न छोड़ देना। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान रज़ि. हज के लिये जब मक्का आये तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद खड़े होकर फ़रमाया- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि अहले किताब अपने दीन में इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) करके बहत्तर (72) गिरोह बन गये और इस मेरी उम्मत के तिहत्तर फ़िर्क़े हो जायेंगे, और मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी रग-रग में इस तरह नफ़्सानी इच्छायें घुस जायेंगी जिस तरह कुत्ते का काटा हुआ इनसान, जिसकी एक-एक रग और एक-एक जोड़ में उसका असर पहुँच जाता है। ऐ अ़रब के लोगो! अगर तुम ही अपने नबी की लाई हुई चीज़ पर क़ायम न रहोगे तो और लोग तो बहुत दूर हो जायेंगे। इस हदीस की बहुत-सी सनदें हैं।

फिर फ़रमाया उस दिन सफ़ेद चेहरे होंगे और सियाह मुँह भी होंगे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का इरशाद है कि अहले सुन्नत वल-जमाअ़त (यानी जो हुज़ूरे पाक और सहाबा के रास्ते पर हैं) के मुँह सफ़ेद नूरानी होंगे और बिद्अ़तियों और फूट डालने वालों के काले मुँह होंगे। इमाम हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि ये काले मुँह वाले मुनाफ़िक़ होंगे जिनसे कहा जायेगा कि तुमने ईमान के बाद कुफ़्र क्यों किया? अब उसका मज़ा चखो। और सफ़ेद मुँह वाले अल्लाह की रहमत में हमेशा-हमेशा रहेंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ि. ने जब ख़ारजियों के सर दमिश्क़ की मस्जिद के ज़ीनों पर लटके हुए देखे तो फ़रमाने लगे ये जहन्नम के कुत्ते हैं, इनसे बदतर मख़्लूक़ पूरी दुनिया में कोई नहीं, इन्हें क़त्ल करने वाले बेहतरीन मुजाहिद हैं। फिर आयत 'यौ-म तब्यज़्ज़ु........' (यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) तिलावत फ़रमाई।

अबू ग़ालिब ने कहा- क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सुना है? फ़रमाया एक दफ़ा नहीं बल्कि सात मर्तबा, अगर ऐसा न होता तो मैं अपनी ज़बान से ये अलफ़ाज़ निकालता ही नहीं। इब्ने मर्दूया ने यहाँ हज़रत अबूज़र रज़ि. की रिवायत से एक लम्बी हदीस नक़ल की है जो बहुत ही अ़जीब है लेकिन सनद के एतिबार से ग़रीब है। ऐ नबी! दुनिया और आख़िरत की ये बातें हम तुम पर खोल रहे हैं। अल्लाह आ़दिल हाकिम है, वह ज़ालिम नहीं। वह हर चीज़ को ख़ूब जानता है और हर चीज़ पर क़ुदरत भी रखता है, फिर नामुम्किन है कि वह किसी पर ज़ुल्म करे (काले मुँह जिनके हुए वे इसी लायक़ थे)। ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें उसकी मिल्कियत और उसी की ग़ुलामी में हैं और हर काम का आख़िरी हुक्म उसी की तरफ़ है। दुनिया व आख़िरत का हाकिम और हर चीज़ में उलट-फेर करने वाला और इख़्तियार चलाने वाला वही है।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ	तुम लोग अच्छी जमाअ़त हो कि वह जमाअ़त लोगों के लिए ज़ाहिर की गई है, तुम लोग नेक कामों को बतलाते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाते हो, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता, उनमें से बाज़े तो मुसलमान हैं और ज़्यादा हिस्सा

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۝ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝	उनमें से काफ़िर हैं। (110) वे तुमको हरगिज़ कोई नुक़सान न पहुँचा सकेंगे मगर ज़रा मामूली सी तकलीफ़, और अगर तुमसे वे लड़ाई और जंग करें तो तुमको पीठ दिखाकर भाग जाएँगे, फिर किसी की तरफ़ से उनकी हिमायत भी न की जाएगी। (111) जमा दी गई उन पर बेक़द्री जहाँ कहीं भी पाये जाएँगे, मगर हाँ! एक तो ऐसे ज़रिये के सबब जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है और एक ऐसे ज़रिये से जो आदमियों की तरफ़ से है। और मुस्तहिक़ हो गए ग़ज़बे इलाही के, और जमा दी गई उन पर पस्ती, यह इस वजह से हुआ कि वे लोग इनकारी हो जाते थे अल्लाह के अहकाम के, और क़त्ल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को नाहक़, और यह इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअ़त न की और दायरे से निकल-निकल जाते थे। (112)

उम्मते मुहम्मदिया को उसके मक़ाम व मर्तबे की याददेहानी

अल्लाह तआ़ला ख़बर दे रहा है कि उम्मते मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से बेहतर है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि तुम औरों के हक़ में सबसे बेहतर हो। तुम लोगों की गर्दनें पकड़-पकड़कर इस्लाम की तरफ़ झुकाते हो (यानी इस्लाम की ख़ूबियाँ उनके सामने रखते हो जिससे वे इसके दायरे में आते हैं) दूसरे मुफ़स्सिरीन भी यही फ़रमाते हैं। मतलब यह है कि तुम तमाम उम्मतों से बेहतर हो और सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाले हो।

अबू लहब की बेटी हज़रत दुर्रा रज़ि. फ़रमाती हैं कि एक मर्तबा किसी ने रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा, आप उस वक़्त मिम्बर पर थे कि हुज़ूर कौन-सा शख़्स बेहतर है? आपने फ़रमाया सब लोगों से बेहतर वह शख़्स है जो सबसे ज़्यादा क़ुरआन का पढ़ने वाला हो, सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो, सबसे ज़्यादा अच्छाईयों का हुक्म करने वाला, सबसे ज़्यादा बुराईयों से रोकने वाला, सबसे ज़्यादा रिश्ते-नाते मिलाने वाला हो। (मुस्नद अहमद) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये वे सहाबा हैं जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ़ हिजरत की। सही बात यह है कि आयत सारी उम्मत को शामिल है। हाँ बेशक यह हदीस में है कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद उससे मिला हुआ ज़माना, फिर उसके बाद वाला ज़माना। एक और आयत में है:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.......... الخ.

हमने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुमने पहली उम्मतों की तायदाद को सत्तर तक पहुँचा दिया है। खुदा के नज़दीक तुम उन सबसे बेहतर और ज़्यादा बुज़ुर्ग हो। यह मशहूर हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है। इस उम्मत की अफ़ज़लियत की एक बड़ी दलील इस उम्मत के नबी की अफ़ज़लियत है। आप तमाम मख़्लूक़ के सरदार, तमाम रसूलों से ज़्यादा इकराम व इज़्ज़त वाले हैं। आपकी शरीअ़त इतनी कामिल और इतनी पूरी है कि ऐसी शरीअ़त किसी नबी की नहीं, तो ज़ाहिर बात है कि इन फ़ज़ाईल को समेटने वाली उम्मत भी तमाम उम्मतों से आला व अफ़ज़ल है। इस शरीअ़त का थोड़ा अ़मल भी दूसरी उम्मतों के ज़्यादा अ़मल से बेहतर व अफ़ज़ल है।

हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे वे नेमतें दी गयी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गयीं। लोगों ने पूछा वे क्या चीज़ें हैं? आपने फ़रमायाः

1. मेरी मदद रौब से की गयी है।
2. मुझे ज़मीन की कुन्जियाँ दी गयी हैं।
3. मेरा नाम अहमद रखा गया।
4. मेरे लिये मिट्टी पाक की गयी।
5. मेरी उम्मत सब उम्मतों से बेहतर बनाई गयी है। (मुस्नद अहमद)

इस हदीस की सनद हसन है। हज़रत अबू दर्दा रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने अबुल-क़ासिम (यानी हुज़ूरे पाक सल्ल.) से सुना है, आप फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया- मैं तुम्हारे बाद एक उम्मत को पैदा करने वाला हूँ जो राहत पर तारीफ़ व शुक्र करेंगे और मुसीबत पर सवाब माँगें और सब्र करेंगे। हालाँकि उन्हें हिल्म और इल्म न होगा। आपने ताज्जुब से पूछा कि बग़ैर बुर्दबारी, दूरअन्देशी और पुख़्ता इल्म के यह कैसे मुम्किन है? रब्बुल आ़लमीन ने फ़रमाया मैं उन्हें अपना हिल्म (बरदाश्त व बुर्दबारी) और इल्म अ़ता फ़रमाऊँगा।

बेहतरीन उम्मत की ख़ुसूसियतें

मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बाज़ वे हदीसें भी बयान कर दूँ जिनका यहाँ ज़िक्र मुनासिब है। सुनिये! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख़्स बग़ैर हिसाब-किताब के जन्नत में जायेंगे। जिनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह रोशन होंगे। सब एक दिल होंगे। मैंने अपने रब से गुज़ारिश की कि ख़ुदाया इस तायदाद में इज़ाफ़ा फ़रमा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया हर एक के साथ सत्तर हज़ार और भी। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. यह हदीस बयान करके फ़रमाया करते थे कि फिर तो इस तायदाद में गाँव और देहात वाले बल्कि जंगलों में रहने वाले भी आ जायेंगे। (मुस्नद अहमद)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने सत्तर हज़ार आदमियों को मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होने की ख़ुशख़बरी दी। हज़रत उमर रज़ि. ने यह सुनकर कहा- हुज़ूर! कुछ ज़्यादती तलब करते। आपने फ़रमाया मैंने अपने रब से सवाल किया तो मुझे ख़ुशख़बरी मिली कि हर सत्तर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे। फ़ारूक़े आज़म रज़ि. ने कहा- हुज़ूर और बरकत की दुआ़ करते। आपने फ़रमाया मैंने फिर की तो हर हर शख़्स के साथ सत्तर हज़ार का वायदा हुआ। हज़रत

उमर रज़ि. ने फिर गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह के नबी! और कुछ भी माँगते। आपने फ़रमाया माँगा तो मुझे इतनी ज़्यादती और मिली। फिर दोनों हाथ फैलाकर बतलाया कि इस तरह। हदीस के रावी कहते हैं कि इस तरह जब ख़ुदा समेटे तो ख़ुदा ही जानता है कि किस क़द्र मख़्लूक़ उसमें आयेगी। (मुस्नद अहमद)

हज़रत सोबान रज़ि. हिमस में बीमार हो गये। अ़ब्दुल्लाह बिन क़ुर्त वहाँ के अमीर थे, वह इयादत को न आ सके। एक कलाअ़ी शख़्स जब आपकी बीमार-पुरसी के लिये गया तो आपने उससे मालूम किया कि लिखना जानते हो? उसने कहा हाँ। फ़रमाया लिखो यह ख़त है अमीर अ़ब्दुल्लाह बिन क़ुर्त की तरफ़ सोबान की तरफ़ से जो रसूले ख़ुदा के ख़ादिम हैं। अल्लाह की तारीफ़ और रसूले करीम पर दुरूद के बाद वाज़ेह हो कि अगर हज़रत ईसा या हज़रत मूसा का कोई ख़ादिम यहाँ होता और बीमार पड़ता तो तुम इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये जाते। फिर कहा यह ख़त ले जाओ और अमीर को पहुँचा दो। जब यह ख़त अमीरे हिमस के पास पहुँचा तो घबराकर उठ खड़े हुए और सीधे यहाँ तशरीफ़ लाये। कुछ देर बैठकर इयादत करके जब जाने का इरादा किया तो हज़रत सोबान रज़ि. ने उनकी चादर पकड़कर रोका और फ़रमाया- एक हदीस सुनते जाओ, मैंने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक से सुना है। आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख़्स बग़ैर हिसाब व अ़ज़ाब के जन्नत में जायेंगे, हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे। (मुस्नद अहमद) यह हदीस भी सही है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक रात हम ख़िदमते नबवी में देर तक बातें करते रहे, फिर सुबह जब हाज़िरे ख़िदमत हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- सुनो! आज रात अम्बिया-ए-किराम अ़लैहिमुस्सलाम अपनी-अपनी उम्मत के साथ मुझे दिखाये गये। बाज़ नबी के साथ तीन शख़्स थे, बाज़ के साथ मुख़्तसर सा गिरोह, बाज़ के साथ एक जमाअ़त थी, किसी के साथ कोई भी न था। जब मूसा अ़लैहिस्सलाम आये तो उनके साथ बहुत-से लोग थे, मुझे यह जमाअ़त पसन्द आयी। मैंने पूछा ये कौन हैं? जवाब मिला कि ये आपके भाई मूसा अ़लैहिस्सलाम हैं और उनके साथ बनी इस्राईल हैं। मैंने कहा फिर मेरी उम्मत कहाँ है? जवाब मिला अपनी दाहिनी तरफ़ देखो। अब जो देखता हूँ तो बेशुमार मजमा है, जिससे पहाड़ियाँ ढक गयी हैं। मुझसे पूछा गया कहो ख़ुश हो? मैंने कहा मेरे रब मैं राज़ी हो गया। फ़रमाया गया सुनो! इनके साथ सत्तर हज़ार और हैं जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया (आप पर मेरे माँ-बाप फ़िदा हों) अगर हो सके तो उन सत्तर हज़ार में से ही होना। अगर यह न हो सके तो उनमें से होना जो पहाड़ियों को छुपाये हुए थे। अगर यह भी न हो सके तो उनमें से होना जो आसमान के किनारों पर थे। हज़रत उकाशा बिन मिहसन रज़ि. ने खड़े होकर कहा हुज़ूर! मेरे लिये दुआ़ कीजिए कि अल्लाह तआ़ला मुझे उन सत्तर हज़ार में से करे। आपने दुआ़ की तो एक दूसरे सहाबी ने भी उठकर यही गुज़ारिश की। आपने फ़रमाया तुम पर उकाशा सबक़त कर गये (यानी तुम से आगे बढ़ गये)। अब हम आपस में कहने लगे कि शायद ये सत्तर हज़ार वे लोग होंगे जो इस्लाम पर ही पैदा हुए होंगे और पूरी उम्र में कभी ख़ुदा के साथ शिर्क किया ही न होगा। आपको जब यह मालूम हुआ तो फ़रमाया ये वे लोग हैं जो जादू-टोना नहीं कराते, आग के दाग़ नहीं लगवाते, शगून नहीं लेते और अब अपने रब पर पूरा भरोसा रखते हैं। (मुस्नद अहमद)

एक और सनद से इतनी ज़्यादती इसमें और भी है कि जब मैंने अपनी रज़ामन्दी ज़ाहिर की तो मुझसे कहा गया अब अपनी बायीं तरफ़ देखो, मैंने देखा तो बेशुमार मजमा है जिसने आसमान के किनारें को भी ढक लिया है। एक और रिवायत में है कि हज के मौसम का यह वाक़िआ़ है। आप फ़रमाते हैं कि मुझे

अपनी उम्मत की कसरत (अधिक संख्या) बहुत पसन्द आयी। तमाम पहाड़ियाँ और मैदान उनसे पुर थे। (मुस्नद अहमद) एक और रिवायत में है कि हज़रत उकाशा रज़ि. के बाद खड़े होने वाले एक अन्सारी सहाबी थे। (तबरानी) एक और रिवायत में है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार या सात लाख आदमी जन्नत में जायेंगे जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे। सब एक साथ जन्नत में जायेंगे। चमकते हुए चौदहवीं रात के चाँद जैसे उनके चेहरे होंगे। (बुख़ारी, मुस्लिम, तबरानी)

हुसैन बिन अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं सईद बिन जुबैर रज़ि. के पास था तो आपने दरियाफ़्त किया कि रात को जो सितारा टूटा था तुममें से किसी ने देखा था? मैंने कहा हाँ देखा था। यह न समझियेगा कि मैं नमाज़ में था, नहीं! बल्कि मुझे बिच्छू ने काट खाया था। हज़रत सईद ने पूछा फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा दम कर दिया था। कहा क्यों? मैंने कहा हज़रत शअ़बी ने बरीदा बिन हसीब की रिवायत से हदीस बयान की है कि नज़रबन्द और ज़हरीले जानवर का दम झाड़ कराना है। कहने लगे ख़ैर! जिसे जो पहुँचे उस पर अ़मल करे। हमें तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने सुनाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझ पर उम्मतें पेश की गयीं, किसी नबी के साथ एक जमाअ़त थी, किसी के साथ एक शख़्स और दो शख़्स, और किसी के साथ कोई न था। अब जो देखा एक बड़ी जमाअ़त नज़र पड़ी। मैं समझा यह तो मेरी उम्मत होगी। फिर मालूम हुआ कि यह मूसा अ़लैहिस्सलाम की उम्मत है। मुझसे कहा गया- आसमान की तरफ़ देखो। मैंने देखा तो वहाँ बेशुमार लोग थे। मुझसे कहा गया, यह आपकी उम्मत है और उनके साथ सत्तर हज़ार और हैं जो बेहिसाब और बेअ़ज़ाब जन्नत में जायेंगे। यह हदीस बयान फ़रमाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो मकान पर चले गये और सहाबा आपस में कहने लगे कि शायद यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबी होंगे, किसी ने कहा नहीं इस्लाम में पैदा होने वाले और इस्लाम पर ही मरने वाले होंगे, वग़ैरह-वग़ैरह। आप तशरीफ़ लाये और पूछा क्या बातें कर रहे हो? हमने ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया- नहीं! ये वे लोग हैं जो जादू-टोना न करायें, न दाग़ लगवायें, न शगून लें, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें। हज़रत उकाशा रज़ि. ने दुआ़ की दरख़्वास्त की। आपने दुआ़ की कि या अल्लाह! तू इसे उनमें से कर ले। फिर दूसरे शख़्स ने भी यही कहा। आपने फ़रमाया उकाशा आगे बढ़ गये। यह हदीस बुख़ारी में है, लेकिन इसमें जादू-टोना न करने का लफ़्ज़ नहीं, सही मुस्लिम में यह लफ़्ज़ भी है। एक और लम्बी हदीस में है कि पहली जमाअ़त जो निजात पायेगी, उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह रोशन होंगे। उनसे हिसाब भी न लिया जायेगा, फिर उनके बाद वाले सबसे ज़्यादा रोशन सितारे जैसे चमकदार चेहरे वाले होंगे। (मुस्लिम)

आप फ़रमाते हैं- मुझसे मेरे रब का वायदा है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख़्स बग़ैर हिसाब व अ़ज़ाब के जन्नत में दाख़िल होंगे। हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे और तीन लपें और, मेरे रब तआ़ला की लपों से। (किताबुस्सुनन, हाफ़िज़ अबू बक्र बिन आ़सिम) इसकी सनद बहुत उम्दा है। एक और हदीस में है कि आपसे सत्तर हज़ार की तायदाद सुनकर यज़ीद बिन अख़्नस रज़ि. ने कहा- हुज़ूर! यह तो आपकी उम्मत के मुक़ाबले में बहुत ही थोड़े हैं। आपने फ़रमाया हर हज़ार के साथ हज़ार और हैं और फिर ख़ुदा ने तीन लपें भरकर और भी अ़ता फ़रमाये हैं। इसकी सनद भी हसन है। (किताबुस्सुनन)

एक और हदीस में है कि मेरे रब ने जो इज़्ज़त और जलाल वाला है, मुझसे वायदा किया है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार को बिना हिसाब जन्नत में ले जायेगा। हज़रत उमर रज़ि. ने यह सुनकर ख़ुश होकर अल्लाहु अकबर कहा और फ़रमाया- उनकी शफ़ाअ़त उनके बाप-दादाओं, बेटों और बेटियों और

ख़ानदान व क़बीलों में होगी? या अल्लाह मैं तो उनमें हो जाऊँ जिन्हें अल्लाह तआ़ला अपनी लपों में भरकर आख़िरत में जन्नत में ले जायेगा। (तबरानी) इस हदीस की सनद में भी कोई कमज़ोरी नहीं। वल्लाहु आलम।

कुदैद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक हदीस बयान फ़रमाई जिसमें यह भी फ़रमाया ये सत्तर हज़ार जो बिना हिसाब जन्नत में दाख़िल किये जायेंगे मेरा ख़्याल है कि उनके आते-आते तो तुम अपने लिये और अपने बाल-बच्चों और बीवियों के लिये जन्नत में जगह मुक़र्रर कर चुके होंगे। (मुस्नद अहमद) इसकी सनद भी इमाम मुस्लिम की शर्त पर है। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमया- अल्लाह का वायदा है कि मेरी उम्मत में से चार लाख आदमी जन्नत में जायेंगे। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. ने कहा- हुज़ूर! कुछ और ज़्यादा कीजिए। इसे सुनकर हज़रत उमर रज़ि. ने फ़रमाया- अबू बक्र! बस करो। सिद्दीक़ रज़ि. ने जवाब दिया। क्यों साहिब अगर हम सबके सब जन्नत में चले जायें तो आपका क्या नुक़सान है? हज़रत उमर रज़ि. ने फ़रमाया अगर अल्लाह चाहे तो एक ही हाथ में सारी मख़्लूक़ को जन्नत में डाल दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया उमर सच कहते हैं। (मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़) इसी हदीस का एक और सनद से भी बयान है। उसमें तायदाद एक लाख आयी है। (अस्बहानी) एक और रिवायत में है कि जब सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने सत्तर हज़ार और फिर हर एक के साथ सत्तर हज़ार फिर ख़ुदा का लप भरकर जन्नती बनाना सुना तो कहने लगे फिर तो उसकी बदनसीबी में क्या शक रह गया जो बावजूद इसके भी जहन्नम में जाये। (अबू यअ़ला)

ऊपर वाली हदीस एक और सनद से भी बयान हुई है, उसमें तायदाद तीन लाख की है। फिर हज़रत उमर रज़ि. का क़ौल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ का बयान है। (तबरानी) एक और हदीस में जन्नत में जाने वालों का ज़िक्र करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया मेरी उम्मत के सारे मुहाजिर तो इसमें आ ही जायेंगे। फिर बाक़ी तायदाद देहातियों से पूरी होगी। (मुहम्मद बिन सहल)

हज़रत अबू सईद कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने हिसाब किया गया तो कुल संख्या चार करोड़ नौ हज़ार हुई। एक और हसन हदीस तबरानी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की जान है कि तुम एक अन्धेरी रात की तरह बेशुमार एक साथ जन्नत की तरफ़ बढ़ोगे। ज़मीन तुमसे पुर हो जायेगी, तमाम फ़रिश्ते पुकार उठेंगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि च सल्लम) के साथ जो जमाअ़त आयी वह तमाम नबियों की जमाअ़त से बहुत ज़्यादा है। हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना, आपने फ़रमाया- सिर्फ़ मेरी ताबेदार उम्मत अहले जन्नत की चौथाई होगी। सहाबा रज़ि. ने ख़ुश होकर नारा-ए-तकबीर बुलन्द किया। फिर फ़रमाया मुझे तो उम्मीद है कि तुम जन्नत वालों का तीसरा हिस्सा हो जाओ। हमने फिर तकबीर कही। फिर फ़रमाया मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आधों-आध हो जाओ। (मुस्नद अहमद)

एक और हदीस में है कि आपने सहाबा रज़ि. से फ़रमाया- क्या तुम राज़ी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नतियों के चौथाई हो। हमने ख़ुश होकर अल्लाह की बड़ाई बयान की। फिर फ़रमाया कि तुम राज़ी नहीं हो कि तुम अहले जन्नत का एक तिहाई हो। हमने फिर तकबीर कही। आपने फ़रमाया मुझे तो उम्मीद है कि तुम जन्नतियों के आधों-आध हो जाओगे। (बुख़ारी व मुस्लिम) तबरानी में यह रिवायत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से नक़ल की गयी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

क्या कहते हो तुम जन्नतियों का चौथाई हिस्सा बनना चाहते हो कि चौथाई जन्नत तुम्हारे पास हो और तीन और चौथाईयों में दूसरी तमाम उम्मतें हों? हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब जानता है। आपने फ़रमाया अच्छा तिहाई हिस्सा हो तो? हमने कहा यह बहुत है। फ़रमाया कहो अगर आधों-आध हो तो? हमने कहा हुज़ूर फिर तो बहुत ही ज़्यादा है। आपने फ़रमाया सुनो! तमाम जन्नत वालों की एक सौ बीस सफ़ें हैं जिनमें से अस्सी सफ़ें सिर्फ़ मेरी उम्मत की हैं। मुस्नद अहमद में भी है कि जन्नत वालों की एक सौ बीस सफ़ें हैं, उनमें अस्सी सफ़ें सिर्फ़ मेरी उम्मत की हैं। यह हदीस तबरानी, तिर्मिज़ी वग़ैरह में भी है।

तबरानी की एक और रिवायत में है कि जब आयतः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ.

(सूरः वाक़िआ आयत 38-39) उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम जन्नत वालों का चौथाई हो। फिर फ़रमाया बिल्कुल एक तिहाई हो, फिर फ़रमाया बल्कि आधा हो। फिर फ़रमाया दो तिहाई हो (ऐ विस्तृत रहमतों वाले और बेरोक नेमतों वाले ख़ुदा! हम तेरा बेइन्तिहा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ऐसे सम्मानित व मोहतरम रसूल की उम्मत में पैदा किया, तेरे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सच्ची ज़बान से, तेरे इस बढ़े-चढ़े फ़ज़्ल व करम का हाल सुनकर हम गुनाहगारों के मुँह में पानी भर आया। ऐ बाप से ज़्यादा मेहरबान ख़ुदा! हमारी आस न तोड़ और हमें भी उन नेक हस्तियों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। बारी तआ़ला! तेरी रहमत की इस अनगिनत और बेशुमार बूँदों में से अगर एक क़तरा भी हम गुनाहगारों पर बरस जाये तो हमारे गुनाहों को धो डाले और हमें तेरी रहमत व रज़ा के लायक़ बनाने के लिये काफ़ी है। ख़ुदाया! इस पाक ज़िक्र के मौक़े पर हम हाथ उठाकर, दामन फैलाकर, आँसू बहाकर उम्मीदों भरे दिल से तेरी रहमत का सहारा लेकर, तेरे करम का दामन थामकर तुझसे भीख माँगते हैं। तू क़बूल फ़रमा और अपनी रहमत से हमें भी अपनी रज़ामन्दी का घर जन्नतुल-फ़िरदौस अ़ता फ़रमा। आमीन या इलाह आमीन)।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हम दुनिया में सबसे आख़िर में आये और जन्नत में सबसे पहले जायेंगे। और उनको किताबुल्लाह पहले मिली, हमें बाद में मिली, जिन बातों में उन्होंने इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) किया उनमें अल्लाह ने हमें सही राह की तौफ़ीफ़ दी। जुमे का दिन भी ऐसा ही है कि यहूद हमारे पीछे हैं शनिवार के दिन, और ईसाई उनके भी पीछे हैं इतवार के दिन। दारे क़ुतनी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक मैं जन्नत में दाख़िल न हो जाऊँ अम्बिया पर जन्नत में दाख़िला हराम है, और जब तक मेरी उम्मत न दाख़िल हो दूसरी उम्मतों पर जन्नत में दाख़िल होना हराम है।

ये थीं वे हदीसें जिन्हें हम इस आयत के तहत में बयान करना चाहते थे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इनके बयान की तौफ़ीक़ दी। उम्मत को भी चाहिये कि यहाँ इस आयत में जितनी सिफ़तें हैं उन पर मज़बूती के साथ क़ायम रहें। यानी नेक कामों का हुक्म, बुराईयों से रोकना और अल्लाह पर ईमान लाना अपने लिये लाज़िम बना लें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने अपने हज में इस आयत की तिलावत फ़रमाकर लोगों से कहा कि अगर तुम इस आयत की तारीफ़ में दाख़िल होना चाहते हो तो ये ख़ूबियाँ भी अपने में पैदा करो। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि अहले किताब इन कामों को छोड़ बैठे हैं जिनकी मज़म्मत (बुराई और निन्दा) कलामुल्लाह ने की। फ़रमायाः

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ.

वे लोग बुराई की बातों से लोगों को रोकते न थे।

चूँकि ऊपर बयान हुई आयत में ईमान वालों की तारीफ़ व प्रशंसा बयान हुई तो उसके बाद अहले किताब की मज़म्मत (बुराई और निन्दा) बयान हो रही है। इसलिये फ़रमाया कि अगर ये लोग भी मेरे नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर ईमान लाते तो इन्हें भी ये फ़ज़ीलतें मिलतीं। लेकिन उनमें के अक्सर कुफ़्र और बुरे आमाल पर जमे हुए हैं। हाँ कुछ लोग ईमान वाले भी हैं।

फिर अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को ख़ुशख़बरी देता है कि तुम न घबराना, ख़ुदा तुम्हें तुम्हारे मुख़ालिफ़ों पर ग़ालिब रखेगा। चुनाँचे ख़ैबर वाले दिन अल्लाह तआ़ला ने उन्हें ज़लील किया और उनसे पहले बनू कैनुक़ाअ़, बनू नज़ीर, बनू क़ुरैज़ा को भी ख़ुदा ने ज़लील व पस्त किया। इसी तरह शाम (मुल्क सीरिया) के ईसाई सहाबा के वक़्त में मग़लूब हुए और मुल्क शाम उनके हाथों से बिल्कुल निकल गया और हमेशा के लिये मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया और वहाँ एक हक़ वाली जमाअ़त हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के आने तक हक़ पर क़ायम रहेगी। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम आकर मिल्लते इस्लाम और शरीअ़ते मुहम्मदिया के मुताबिक़ फ़ैसले करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे, जिज़्या (इस्लामी हुकूमत में रहने का टैक्स) क़बूल न करेंगे, सिर्फ़ इस्लाम ही क़बूल फ़रमायेंगे।

फिर फ़रमाया कि उनके ऊपर ज़िल्लत और पस्ती डाल दी गयी। कहीं भी अमन व अमान और इज़्ज़त नहीं, हाँ अल्लाह की पनाह के साथ। यानी जब जिज़्या देना और मुस्लिम बादशाह की इताअ़त कर लें और लोगों की पनाह यानी ज़िम्मी होने की हैसियत मुक़र्रर हो जाये या कोई मुसलमान अमन दे। अगर कोई औ़रत हो, बल्कि अगरचे कोई ग़ुलाम हो। उलेमा का एक क़ौल यह भी है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि हब्ल (रस्सी) से मुराद अ़हद है। ग़ज़ब के मुस्तहिक़ हो गये, ज़िल्लत उनके लिये हमेशगी के तौर पर तय कर दी गयी। यह उनके कुफ़्र, उनके नबियों को क़त्ल करने, उनके तकब्बुर, हसद, सरकशी वग़ैरह का बदला है। इसी सबब उन पर ज़िल्लत, रुस्वाई और पस्ती हमेशा के लिये डाल दी गयी। उनकी नाफ़रमानियों और हक़ से निकल जाने का यह बदला है। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। अबू दाऊद तियालिसी में हदीस है कि बनी इस्राईल एक दिन में तीन-तीन सौ नबियों को क़त्ल कर डालते थे और दिन के आख़िरी हिस्से में बाज़ारों में अपने-अपने कामों में लग जाते थे।

لَيْسُوْا سَوَآءً ۭ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ	**ये सब बराबर नहीं, इन अहले किताब में से एक जमाअ़त वह भी है जो क़ायम हैं, अल्लाह तआ़ला की आयतें रात के वक़्तों में पढ़ते हैं और वे नमाज़ भी पढ़ते हैं। (113) अल्लाह पर और क़ियामत वाले दिन पर ईमान रखते हैं और नेक काम बतलाते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ते हैं, और ये लोग सलीक़े वाले लोगों में से हैं। (114) और ये लोग जो नेक काम करेंगे उससे**

وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

महरूम न किए जाएँगे और अल्लाह तआला तक़्वे वालों को ख़ूब जानते हैं। (115) जो लोग काफ़िर हैं हरगिज़ उनके काम न आएँगे उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह तआला के मुक़ाबले में ज़रा भी, और वे लोग दोज़ख़ वाले हैं, वे हमेशा-हमेशा उसी में रहेंगे। (116) वे जो कुछ ख़र्च करते हैं इस दुनियावी ज़िन्दगानी में उसकी हालत उस हालत जैसी है कि एक हवा हो जिसमें तेज़ सर्दी हो, वह लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने अपना नुक़सान कर रखा हो, पस वह उसको बर्बाद कर डाले, और अल्लाह तआला ने उनपर ज़ुल्म नहीं किया लेकिन वे ख़ुद ही अपने आपको नुक़सान पहुँचा रहे हैं। (117)

अच्छे आदमी हर जगह और हर जमाअ़त में हो सकते हैं

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि अहले किताब और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा बराबर नहीं। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इशा की नमाज़ में एक मर्तबा देर लगा दी! फिर जब आये तो जो सहाबा मुन्तज़िर थे उनसे फ़रमाया किसी दीन वाला इस वक़्त ज़िक्रुल्लाह नहीं कर रहा होगा सिर्फ़ तुम ही ज़िक्रुल्लाह में हो, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। लेकिन अक्सर मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि अहले किताब के उलेमा जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि., हज़रत असद बिन उबैद रज़ि., हज़रत सालब बिन शोबा रज़ि. वग़ैरह के बारे में यह आयत उतरी कि ये लोग उन अहले किताब में शामिल नहीं जिनकी मज़म्मत (बुराई) पहले गुज़री, बल्कि ये ईमान वाले और अल्लाह की इताअ़त व फ़रमाँबरदारी पर क़ायम हैं। शरीअ़ते मुहम्मदिया के ताबे हैं, दीन पर जमाव और यक़ीन उनमें है। ये पाकबाज़ लोग रातों के वक़्त तहज्जुद की नमाज़ में भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं, अल्लाह पर क़ियामत पर ईमान रखते हैं और लोगों को भी इन ही बातों का हुक्म करते हैं। इनके ख़िलाफ़ से रोकते हैं, नेक कामों में आगे-आगे रहा करते हैं। अब ख़ुदा तआला उन्हें ख़िताब अ़ता फ़रमाता है कि ये नेक लोग हैं (यानी वे अहले किताब जो हुज़ूरे पाक पर ईमान ले आये)। इस सूरत के आख़िर में फ़रमाया:

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ......... الخ.

बाज़ अहले किताब अल्लाह पर, इस क़ुरआन पर और तौरात व इन्जील पर भी ईमान रखते हैं,

अल्लाह तआ़ला से डरते हैं.......।

यहाँ भी फ़रमाया कि उनके ये नेक आमाल ज़ाया न होंगे बल्कि पूरा बदला मिलेगा। तमाम परहेज़गार लोग ख़ुदा की नज़रों में हैं, वह किसी के अच्छे अ़मल को बरबाद नहीं करता। हाँ उन बेदीन लोगों को ख़ुदा के यहाँ न माल नफ़ा देगा न औलाद। ये तो जहन्नमी हैं। 'सिर्रुनू' के मायने सख़्त सर्दी के हैं, जो खेतों को जला देती है। ग़र्ज़ कि जिस तरह किसी की तैयार खेती पर पाला पड़े और वह जलकर ख़त्म हो जाये, नफ़ा छोड़ असल भी ग़ारत हो जाये और उम्मीदों पर पानी फिर जाये, इसी तरह ये काफ़िर हैं। जो कुछ ये ख़र्च करते हैं उसका नेक बदला तो कहाँ और अ़ज़ाब होगा। यह ख़ुदा की तरफ़ से कुछ ज़ुल्म नहीं बल्कि यह उनकी बद-आमालियों की सज़ा है।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ صلے وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ٥ هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ج وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ط وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ٥ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ٥ع

ऐ ईमान वालो! अपने सिवा किसी को साहिबे ख़ुसूसियत मत बनाओ, वे लोग तुम्हारे साथ फ़साद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते, तुम्हारे नुक़सान की तमन्ना रखते हैं, वाक़ई बुग़्ज़ उनके मुँह से ज़ाहिर हो पड़ता है, और जिस क़द्र उनके दिलों में है वह तो बहुत कुछ है, हम निशानियाँ तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर चुके, अगर तुम अ़क़्ल रखते हो। (118) हाँ, तुम ऐसे हो कि उन लोगों से मुहब्बत रखते हो और ये लोग तुमसे बिल्कुल मुहब्बत नहीं रखते, हालाँकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो और ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान ले आए और जब अलग होते हैं तो तुमपर अपनी उंगलियाँ काट-काट खाते हैं मारे सख़्त गुस्से के, आप कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्से में, बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानते हैं दिलों की बातों को। (119) अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनके लिए रन्ज का सबब होती है। और अगर तुमको कोई नागवार हालत पेश आती है तो वे उससे ख़ुश होते हैं। और अगर तुम इस्तिक़लाल और तक़्वे के साथ रहो तो उन लोगों की तदबीर तुमको ज़रा भी नुक़सान न पहुँचा सकेगी, बेशक अल्लाह तआ़ला उनके आमाल पर इहाता रखते हैं। (120)

काफ़िरों से ताल्लुक़ न रखना ज़रूरी है

अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की दोस्ती और ताल्लुक़ से रोकता है कि ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं, इनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में बहक न जाना और इनके फ़रेब के फन्दे में फंस न जाना। वरना मौक़ा पाकर ये तुम्हें सख़्त नुक़सान पहुँचायेंगे और अपनी अन्दरूनी दुश्मनी निकालेंगे। तुम उन्हें अपना राज़दार हरगिज़ न समझना, राज़ की बातें उनके कानों तक हरगिज़ न पहुँचाना।

'बितानत' कहते हैं इनसान के राज़दार दोस्त को और 'मिन दूनिकम' से मुराद मुसलमानों के अ़लावा तमाम फ़िर्क़े हैं। बुख़ारी वग़ैरह में हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जिस नबी को ख़ुदा ने मबऊस फ़रमाया (भेजा) और जिस ख़लीफ़ा को मुक़र्रर किया उसके लिये दो बिताना (राज़दार) मुक़र्रर किये। एक तो भलाई की बात समझाने वाला और उस पर रग़बत देने वाला, दूसरा बुराई की रहबरी करने वाला और उस पर आमादा करने वाला। बस फिर ख़ुदा जिसे बचाये वही बच सकता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. से कहा गया कि यहाँ पर हेरा का एक शख़्स बड़ा अच्छा लिखने वाला और बहुत अच्छे हाफ़िज़े वाला है। आप उसे अपना लिपिक और मुन्शी मुक़र्रर कर लें। आपने फ़रमाया फिर तो मैं ग़ैर-मोमिन को अपना बिताना बना लूँगा जो ख़ुदा ने मना किया है। इस वाक़िए को और इस आयत को सामने रखकर ज़ेहन इस नतीजे पर पहुँचता है कि ज़िम्मी काफ़िर को भी ऐसे कामों में न लगाना चाहिये। ऐसा न हो कि वह मुख़ालिफ़ों को मुसलमानों के छुपे इरादों से वाक़िफ़ कर दे और उनके दुश्मनों को उनसे होशियार कर दे। क्योंकि उनकी तमन्ना ही मुसलमानों को नीचा दिखाने की होती है।

अज़्हर बिन राशिद कहते हैं कि लोग हज़रत अनस रज़ि. से हदीसें सुनते थे। अगर किसी हदीस का मतलब समझ में न आता तो हज़रत हसन बसरी रह. से जाकर मतलब हल कर लेते थे। एक दिन हज़रत अनस रज़ि. ने यह हदीस बयान कि मुश्रिकों की आग से रोशनी तलब न करो और अपनी अंगूठी में अ़रबी नक़्श न करो। उन्होंने आकर ख़्वाजा साहिब से इसका मतलब मालूम किया तो आपने फ़रमाया कि पिछले जुमले का तो यह मतलब है कि अंगूठी पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम न खुदवाओ और पहले जुमले का यह मतलब है कि मुश्रिकों से अपने कामों में मश्विरा न लो। देखो किताबुल्लाह में भी है कि ऐ ईमान वालो! अपने सिवा दूसरों को हमराज़ न बनाओ। (अबू यअला)

लेकिन ख़्वाजा साहिब की यह तशरीह (व्याख्या) क़ाबिले ग़ौर है। हदीस का ठीक मतलब ग़ालिबन यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अ़रबी ख़त में अपनी अंगूठियों पर नक़्श न कराओ। चुनाँचे एक और हदीस में इसकी साफ़ मनाही मौजूद है। यह इसलिये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मोहर के साथ मुशाबहत न हो, और पहले जुमले का मतलब यह है कि मुश्रिकों की बस्ती के पास न रहो उनके पड़ोस से दूर रहो, उनके शहरों से हिजरत कर जाओ। जैसे अबू दाऊद में है कि मुसलमानों और मुश्रिकों के दरमियान लड़ाई की आग को क्या तुम नहीं देखते। एक और हदीस में है कि जो मुश्रिकों से मेल-जोल करे या उनके साथ रहे बस वह भी उन ही जैसा है।

फिर फ़रमाया उनकी बातों से भी उनकी दुश्मनी टपक रही है, उनके चेहरों से भी, उनके चेहरे-मोहरे से अन्दाज़ा लगाने वाला उनकी बातिनी ख़बासतों को मालूम कर सकता है। फिर जो उनके दिलों में तबाह करने वाली शरारतें हैं वे तो तुमसे छुपी हैं लेकिन हमने साफ़-साफ़ बयान कर दिया है। आ़क़िल (बुद्धिमान) लोग ऐसे मक्कारों की मक्कारी में नहीं आते। फिर फ़रमाया देखो कितनी कमज़ोरी की बात है कि तुम

उनसे मुहब्बत रखो और वे तुम्हें न चाहें। तुम्हारा ईमान पूरी किताब पर हो और ये शक व शुब्हे में ही पड़े हुए हैं। उनकी किताब को तुम तो मानो लेकिन ये तुम्हारी किताब का इनकार करें। इसलिये चाहिये तो यह था कि तुम ख़ुद उन्हें कड़ी नज़रों से देखते लेकिन इसके विपरीत ये तुम्हारी अ़दावत (दुश्मनी) की आग में जल रहे हैं। सामना हो जाये तो अपनी ईमानदारी की दास्तान बयान करने बैठ जाते हैं, लेकिन जब ज़रा अलग होते हैं तो ग़ुस्से, आक्रोश, जलन और हसद से अपनी उंगलियाँ चबाते हैं। पस मुसलमानों को भी उनकी ज़ाहिरदारी पर ख़ुश न होना चाहिये। ये अगरचे जलते-झुलसते रहें लेकिन अल्लाह तआ़ला इस्लाम और मुसलमानों को तरक़्क़ी ही देता रहेगा। ये दिन-रात हर हैसियत में बढ़ते ही रहेंगे चाहे वे मारे ग़ुस्से के मर जायें। अल्लाह उनके दिलों के भेदों से अच्छी तरह वाक़िफ़ है। उनके तमाम मन्सूबों पर ख़ाक पड़ेगी। ये अपनी शरारतों में कामयाब न हो सकेंगे। अपनी ख़्वाहिश के ख़िलाफ़ मुसलमानों की दिन-दूनी तरक़्क़ी देखेंगे और आख़िरत में भी उन्हें नेमतों वाली जन्नत में पायेंगे। उनके बरख़िलाफ़ ये ख़ुद यहाँ भी रुस्वा होंगे और वहाँ भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। उनकी दुश्मनी की इन्तिहा की यह कितनी बड़ी दलील है कि जहाँ तुम्हें कोई नफ़ा पहुँचा और ये कलेजा मसोसने लगे और अगर ख़ुदा न ख़्वास्ता तुम्हें कोई नुक़सान पहुँच गया तो उनकी बाँछें खिल गयीं, बग़लें बजाने और ख़ुशियाँ मनाने लगे। अगर ख़ुदा की तरफ़ से मोमिनों की मदद हुई, ये काफ़िरों पर ग़ालिब आये, इन्हें ग़नीमत का माल मिला, ये तायदाद में बढ़ गये तो वे जल बुझे और अगर मुसलमानों पर तंगी आ गयी, ये दुश्मनों में घिर गये तो उनके यहाँ ईद मनाई जायेगी।

अब अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को ख़िताब करके फ़रमाता है कि उन शरीरों की शरारत और उन बदबख़्तों के मक्र से अगर निजात चाहते हो तो सब्र व तक़्वा और तवक्कुल करो। ख़ुदा तुम्हारे दुश्मनों को घेर लेगा। किसी भलाई के हासिल करने, किसी बुराई से बचने की किसी में ताक़त नहीं, जो ख़ुदा चाहता है होता है और जो नहीं चाहता नहीं हो सकता, जो उस पर तवक्कुल (भरोसा) करे उसे वह काफ़ी है।

इसी मुनासबत से अब जंगे उहुद का ज़िक्र शुरू होता है जिसमें मुसलमानों के सब्र व संयम का बयान है और जिसमें अल्लाह की आज़माईश का पूरा नक़्शा है और जिसमें मोमिन व मुनाफ़िक़ का ज़ाहिरी फ़र्क़ है। सुनिये इरशाद होता है।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

और जबकि आप सुबह के वक़्त अपने घर से चले, मुसलमानों को जंग करने के लिए मक़ामात पर जमा रहे थे, और अल्लाह तआ़ला सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। (121) जब तुममें से दो जमाअ़तों ने दिल में ख़्याल किया कि हिम्मत हार दें और अल्लाह तो उन दोनों जमाअ़तों का मददगार था, और बस मुसलमानों को तो अल्लाह तआ़ला ही पर भरोसा करना चाहिए। (122) और यह बात तहक़ीक़ी है कि हक़ तआ़ला ने बदर में तुम्हारी मदद फ़रमाई, हालाँकि तुम बेसरोसामान थे, सो अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो, ताकि तुम शुक्र गुज़ार रहो। (123)

इस्लामी इतिहास में हक़ व बातिल की दूसरी जंग

यह उहुद के वाक़िए का ज़िक्र है। अगरचे बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इसे जंगे ख़न्दक़ का क़िस्सा भी कहा है लेकिन ठीक यही है कि यह वाक़िआ जंगे उहुद का है जो सन् 3 हिजरी में 11 शव्वाल शनिवार के दिन पेश आया था। जंगे बदर में मुश्रिकों को पूरी शिकस्त हुई थी, उनके सरदार मौत के घाट उतरे थे। अब उसका बदला लेने के लिए मुश्रिकों ने बड़ी भारी तैयारी की, वह तमाम तिजारती माल जो बदर वाली लड़ाई के मौक़े पर दूसरे रास्ते से बचकर आ गया था, वह सब इस लड़ाई के लिये रोक रखा था और चारों तरफ़ से लोगों को जमा करके तीन हज़ार का एक भारी लश्कर तैयार किया था और पूरे साज़ व सामान के साथ मदीना पर चढ़ाई की। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जुमे की नमाज़ के बाद मालिक बिन अ़मर रज़ि. के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई जो क़बीला बनू नज्जार में से थे। फिर लोगों से मश्विरा किया कि उनसे रक्षा की क्या सूरत तुम्हारे नज़दीक बेहतर है? अ़ब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि हमें मदीना से बाहर न निकलना चाहिये। अगर वे आये और ठहरे तो गोया जेलख़ाने में आ गये। रुके खड़े रहें। और अगर मदीना में घुसे तो एक तरफ़ से हमारे बहादुरों की तलवारें होंगी दूसरी तरफ़ से तीर-अन्दाज़ों के बेशुमार तीर होंगे। फिर ऊपर से औ़रतों और बच्चों की संगबारी (पत्थर बरसाना) होगी, और अगर यूँ ही लौट गये तो बरबादी और घाटे के साथ लौटेंगे। लेकिन इसके विपरीत बाज़ उन सहाबा की राय थी जो जंगे बदर में शरीक न हो सके थे, ये ज़ोर लगा रहे थे कि मदीना से बाहर जाकर मैदान में ख़ूब दिल खोलकर उनसे मुक़ाबला करना चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घर में तशरीफ़ ले गये और हथियार लगाकर बाहर आये। उन सहाबा को अब ख़्याल हुआ कि कहीं हमने अल्लाह के नबी की मंशा के ख़िलाफ़ तो मैदान की लड़ाई पर ज़ोर नहीं दिया। इसलिये ये कहने लगे कि हुज़ूर अगर यहीं ठहरकर लड़ने का इरादा हो तो यूँ ही कीजिए। हमारी जानिब से कोई इसरार (दबाव) नहीं। आपने फ़रमाया अल्लाह के नबी के लिये मुनासिब नहीं कि वह हथियार पहनने के बाद उतारे। अब तो मैं न लौटूँगा जब तक कि वह न हो जाये जो ख़ुदा को मन्ज़ूर हो। चुनाँचे एक हज़ार का लश्कर लेकर आप मदीना शरीफ़ से निकल खड़े हुए। शौत पर पहुँचकर उस मुनाफ़िक़ अ़ब्दुल्लाह बिन उबई ने दग़ाबाज़ी की और अपनी तीन सौ की जमाअ़त को लेकर वापस मुड़ गया। ये लोग कहने लगे हम जानते हैं कि लड़ाई तो होने की नहीं, ख़्वाह-मख़्वाह ज़हमत क्यों उठायें। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसकी कोई परवाह न की और सिर्फ़ सात सौ सहाबा-ए-किराम रज़ि. को लेकर आपने उहुद पहाड़ का रुख़ किया। पहाड़ को पीठ की तरफ़ करके पहाड़ के दामन में लश्कर को उतारा। हुक्म दे दिया कि जब तक मैं न कहूँ लड़ाई शुरू न करना।

पचास तीर-अन्दाज़ सहाबियों को अलग करके उनका अमीर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि. को बनाया और उनसे फ़रमा दिया कि पहाड़ी पर चढ़ जाओ और इस बात का ख़्याल रखो कि दुश्मन पीछे से न आ जाये। देखो हम ग़ालिब आ जायें या (ख़ुदा न ख़्वास्ता) मग़लूब हो जायें तुम हरगिज़ अपनी जगह से न हटना। ये इन्तिज़ामात करके ख़ुद आप भी तैयार हो गये। दोहरी ज़िरह पहनी। हज़रत मुस्अ़ब बिन उमैर रज़ि. को झण्डा दिया। आज चन्द लड़के भी लश्करे मुहम्मदी में नज़र आये थे। ये छोटे सिपाही भी जाँबाज़ी के लिये पूरी तरह तैयार थे। बाज़ और जिन बच्चों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने साथ नहीं लिया था उन्हें जंगे ख़न्दक़ में लश्कर में भर्ती किया गया। जंगे ख़न्दक़ इसके दो साल बाद हुई थी। क़ुरैश का लश्कर बड़े ठाट से मुक़ाबले पर आ डटा, ये तीन हज़ार सिपाहियों का गिरोह था। उनके साथ दो सौ घोड़े

थे, जिन्हें मौक़े पर काम आने के लिये साथ रखा था। उनके दाहिने हिस्से पर ख़ालिद बिन वलीद था और बायें हिस्से पर इक्रिमा बिन अबू जहल था (ये दोनों सरदार बाद में मुसलमान हो गये थे)। उनका झण्डा उठाने वाला क़बीला बनू अ़ब्दुद्दार था। फिर लड़ाई शुरू हुई। जिसके तफ़सीली वाक़िआ़त उन ही आयतों की अपने-अपने मौक़े पर तफ़सीर के साथ आते रहेंगे, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

ग़र्ज़ कि इस आयत में इसी का बयान हो रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना शरीफ़ से निकले और लोगों को लड़ाई के मौक़े की जगह पर मुक़र्रर करने लगे। लश्कर का मैमना व मैसरा (दायाँ और बायाँ हिस्सा) मुक़र्रर किया। अल्लाह तआ़ला तमाम बातों को सुनने वाला और सबके दिलों के भेद को जानने वाला है। रिवायतों में यह आ चुका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे के दिन मदीना शरीफ़ से लड़ाई के लिये निकले। क़ुरआन फ़रमाता है कि सुबह ही सुबह तुम लश्करियों की जगह मुक़र्रर करते थे। तो मतलब यह है कि जुमे के दिन तो जाकर पड़ाव डाल दिया, बाक़ी कार्रवाई शनिवार की सुबह को शुरू हुई।

हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि हमारे बारे में यानी बनू हारिसा और बनू सलमा के बारे में यह आयत नाज़िल हुई है कि तुम्हारे दो गिरोहों ने बुज़दिली का इरादा किया था, अगरचे इसमें हमारी एक कमज़ोरी का बयान है लेकिन हम अपने हक़ में इस आयत को बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसमें यह भी फ़रमा दिया गया है कि अल्लाह इन दोनों का वली है। फिर फ़रमाया कि देखो मैंने बदर वाले दिन भी तुम्हें ग़ालिब किया हालाँकि तुम बहुत ही कम और बिना सामान के थे। बदर की लड़ाई सन् 2 हिजरी 17 रमज़ान जुमा के दिन हुई थी। इसी का नाम यौमुल-फ़ुरक़ान रखा गया। इस दिन इस्लाम को इज़्ज़त मिली, शिर्क बरबाद हुआ, शिर्क का महल उजड़ गया। हालाँकि उस दिन मुसलमान सिर्फ़ तीन सौ तेरह थे। उनके पास सिर्फ़ दो घोड़े थे, सिर्फ़ सत्तर ऊँट थे, बाक़ी सब पैदल थे, हथियार भी इतने कम थे कि गोया न थे, औ दुश्मन की तायदाद उस दिन तीन गुनी थी। एक हज़ार से कुछ ही कम थे। हर एक ज़िरह बक्तर लगाये हुए, ज़रूरत से ज़्यादा हथियार, उम्दा-उम्दा घोड़े, मालदारी का यह हाल कि सोने के ज़ेवर पहने हुए। उस मौक़े पर अल्लाह ने अपने नबी को इज़्ज़त और ग़लबा दिया। अपनी वही ज़ाहिरी की, अपने नबी और आपके साथियों को कामयाब किया और शैतान और उसके लश्करियों को ज़लील व रुस्वा किया।

अपने मोमिन बन्दों और जन्नती लश्करियों को इस आयत में यह एहसान याद दिलाता है कि बावजूद तुम्हारी तायदाद की कमी और ज़ाहिरी असबाब की ग़ैर-मौजूदगी के तुम्हीं को ग़ालिब रखा, ताकि तुम मालूम कर लो कि ग़लबा ज़ाहिरी असबाब पर निर्भर नहीं। इसलिये दूसरी आयत में साफ़ फ़रमा दिया कि जंगे हुनैन में तुमने ज़ाहिरी असबाब (सामान, हथियार और संख्या की अधिकता) पर नज़र डाली और अपनी कसरत देखकर ख़ुश हुए लेकिन इस संख्या की अधिकता और सामान व हथियारों की मौजूदगी ने तुम्हें कुछ फ़ायदा न दिया। हज़रत अ़याज़ अश्अ़री रह. फ़रमाते हैं कि जंगे यरमूक में हमारे पाँच सरदार थे। हज़रत अबू उबैदा रज़ि., हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान रज़ि., हज़रत इब्ने हसना रज़ि., ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. और हज़रत अ़याज़ रज़ि.। और ख़लीफ़तुल-मोमिनीन हज़रत उमर रज़ि. का हुक्म था कि लड़ाई के वक़्त हज़रत अबू उबैदा सरदारी करें। उस लड़ाई में हमें चारों तरफ़ से शिकस्त के आसार नज़र आने लगे तो हमने ख़लीफ़ा-ए-वक़्त को ख़त लिखा कि हमें मौत ने घेर रखा है, इमदाद कीजिए। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ि. का ख़त हमारी गुज़ारिश के जवाब में आया जिसमें लिखा था कि "तुम्हारा इमदाद तलब करने का ख़त पहुँचा, मैं तुम्हें एक ऐसी ज़ात बतलाता हूँ जो सबसे ज़्यादा मददगार और सबसे ज़्यादा मज़बूत लश्कर

वाली है, वह ज़ात अल्लाह तबारक व तआ़ला की है, जिसने अपने बन्दे और रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद बदर वाले दिन की थी। बदर का लश्कर तो तुमसे बहुत ही कम था। मेरा यह ख़त पढ़ते ही जिहाद शुरू कर दो, और अब मुझे कुछ न लिखना, न कुछ पूछना।

इस ख़त से हमारी जुर्रतें बढ़ गयीं, हिम्मतें बुलन्द हो गयीं। फिर हमने जमकर लड़ना शुरू किया 'अल्हम्दु लिल्लाह' दुश्मन को शिकस्त हुई और वे भागे। हमने बारह मील तक उनका पीछा किया। बहुत-सा माले ग़नीमत हमें मिला जो हमने आपस में बाँट लिया। फिर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. कहने लगे- मेरे साथ दौड़ कौन करेगा? एक नौजवान ने कहा अगर आप नाराज़ न हों तो मैं हाज़िर हूँ। चुनाँचे दौड़ने में वह आगे निकल गये। मैंने देखा कि उनकी दोनों ज़ुल्फ़ें हवा में उड़ रही थीं और वह उस नौजवान के पीछे घोड़ा अड़ाये चले जा रहे थे। बदर बिन नारैन एक शख़्स था उसके नाम से एक कुआँ मशहूर था और उस मैदान का जिसमें यह कुआँ था यही नाम हो गया था। बदर की जंग भी इसी नाम से मशहूर हो गयी। यह जगह मक्का और मदीना के दरमियान है। फिर फ़रमाया कि अल्लाह से डरते रहा करो, ताकि शुक्र की तौफ़ीक़ मिले और इताअ़त गुज़ारी कर सको।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۞ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۞ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ	जबकि आप मुसलमानों से (यूँ) फ़रमा रहे थे कि क्या तुमको यह बात काफ़ी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी इम्दाद करे तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ जो उतारे जाएँगे। (124) हाँ, क्यों नहीं! अगर तुम मुस्तक़िल रहोगे और मुत्तक़ी रहोगे, और वे लोग तुम पर एक-दम से आ पहुँचेंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी इम्दाद फ़रमाएगा पाँच हज़ार फ़रिश्तों से जो एक ख़ास वज़ा "यानी शक्ल और हुलिया" बनाए होंगे। न (125) और अल्लाह तआ़ला ने (यह इम्दाद) महज़ इसलिए की कि तुम्हारे लिए ख़ुशख़बरी हो और ताकि तुम्हारे दिलों को क़रार हो जाए, और मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है, जो कि ज़बरदस्त हैं, हकीम हैं। (126) ताकि काफ़िरों में से एक गिरोह को हलाक कर दे या उनको ज़लील व ख़्वार कर दे, फिर वे नाकाम लौट जाएँगे। (127) आपको कोई दख़ल नहीं यहाँ तक कि ख़ुदा तआ़ला उन पर या तो मुतवज्जह हो जाएँ या उनको कोई सज़ा दे दें, क्योंकि वे ज़ुल्म भी बड़ा कर रहे हैं। (128)

ظٰلِمُوْنَ○ وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○	और अल्लाह ही कि मिल्क है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वह जिसको चाहें बख़्श दें और जिसको चाहें अज़ाब दें, और अल्लाह तआला बड़े मग़फ़िरत करने वाले, बड़े रहमत करने वाले हैं। (129)

सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इत्मीनान दिलाना

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ये तसल्लियाँ देना बाज़ तो कहते हैं बदर वाले दिन था। हसन बसरी, आ़मिर शअ़बी, रबीअ़ बिन अनस रज़ि. वग़ैरह का यही क़ौल है। इब्ने जरीर भी इसी को पसन्द करते हैं। आ़मिर शअ़बी का क़ौल है कि मुसलमानों को यह ख़बर मिली थी कि कुरज़ बिन जाबिर मुश्रिकों की इमदाद में आयेगा। इस पर इस इमदाद का वायदा हुआ था। लेकिन फिर न वह आया न यह। रबीअ़ बिन अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों की मदद के लिये पहले तो एक हज़ार फ़रिश्ते भेजे फिर तीन हज़ार हो गये फिर पाँच हज़ार। यहाँ इस आयत में तीन हज़ार और पाँच हज़ार से मदद करने का वायदा है और बदर के वाक़िए के बयान के वक़्त एक हज़ार फ़रिश्तों की इमदाद का वायदा है। फ़रमायाः

اَنِّیْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

और जोड़ व मुवाफ़क़त दोनों आयतों में यही है कि 'मुर्दिफ़ीन' का लफ़्ज़ मौजूद है। पस पहले एक हज़ार उतरे फिर उनके बाद तीन हज़ार पूरे हुए और आख़िर में पाँच हज़ार हो गये। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि यह वायदा जंगे बदर के लिये था, न कि जंगे उहुद के लिये। बाज़ कहते हैं कि जंगे उहुद के मौक़े पर वायदा हुआ था। मुजाहिद, इक्रिमा, ज़ह्हाक, ज़ोहरी, मूसा, इब्ने उक़बा वग़ैरह का यही क़ौल है। लेकिन वे कहते हैं कि चूँकि मुसलमान मैदान छोड़कर हट गये इसलिये ये फ़रिश्ते नाज़िल न हुए। क्योंकि "इन तत्तक़ू व तस्बिरू" साथ ही फ़रमाया था। यानी अगर तुम सब्र करो और तक़वा करो।

हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि फ़रिश्तों की निशानी बदर वाले दिन सफ़ेद रंग की सूफ़ (ऊन) की थी और उनके घाड़ों की निशानी माथे की सफ़ेदी थी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि सुर्ख़ ऊन की निशानी थी। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि गर्दन के बालों और दुम का निशान था। और यही निशान आपके लश्करियों का था, यानी सूफ़ का। मक्हूल रह. कहते हैं कि फ़रिश्तों की निशानी ऊन की पगड़ियाँ थीं जो काले रंग के अ़मामे थे और हुनैन वाले दिन सुर्ख़ अ़मामे थे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि बदर के अ़लावा फ़रिश्ते कभी जंग में शामिल नहीं हुए और सफ़ेद रंग के अ़मामों (पगड़ियों) की अ़लामत थी। यह सिर्फ़ मदद के लिये और गिनती बढ़ाने के लिये थे, न कि लड़ते हों। यह भी रिवायत है कि जंगे बदर में हज़रत ज़ुबैर रज़ि. के सर पर सफ़ेद रंग का साफ़ा था और फ़रिश्तों पर ज़र्द रंग का। फिर फ़रमाया कि यह फ़रिश्तों का नाज़िल करना और तुम्हें उसकी ख़बर देना सिर्फ़ तुम्हारी ख़ुशी, दिलजोई और इत्मीनान के लिये

है, वरना ख़ुदा को क़ुदरत है कि बग़ैर उनको उतारे बल्कि बग़ैर तुम्हारे लड़े भी तुम्हें ग़ालिब कर दे। मदद उसी की तरफ़ से है। जैसे एक दूसरी जगह है:

وَلَوْيَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَمِنْهُمْ.............. الخ.

अगर ख़ुदा चाहता तो उनसे ख़ुद ही बदला ले लेता। लेकिन वह हर एक को आज़मा रहा है, अल्लाह तआ़ला की राह में जो क़त्ल किये जायें उनके आमाल बेकार नहीं होते। अल्लाह उन्हें वह राह दिखायेगा उनके आमाल संवार देगा और उन्हें जन्नत में ले जायेगा जिसकी तारीफ़ वह कर चुका है। वह इ़ज़्ज़त वाला है और अपने हर काम में हिक्मत रखता है।

यह जिहाद का हुक्म भी तरह-तरह की हिक्मतों पर आधारित है। इससे काफ़िर हलाक होंगे या ज़लील होंगे या नामुराद वापस हो जायेंगे। इसके बाद बयान होता है कि दुनिया और आख़िरत के तमाम मामलात अल्लाह तआ़ला के हाथ में हैं, ऐ नबी! तुम्हें किसी बात का इख़्तियार नहीं। जैसे फ़रमायाः

اِنَّمَاعَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَاالْحِسَابُ.

तुम पर सिर्फ़ तब्लीग़ (अल्लाह के पैग़ाम का पहुँचाना) है, हिसाब तो हमारे ज़िम्मे है। एक जगह है:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰ هُمْ........ الخ.

तुम्हारे ज़िम्मे उनकी हिदायत नहीं। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। एक और जगह फ़रमायाः

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ......... الخ.

तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत करता है।

पस मेरे बन्दों में तुझे कोई इख़्तियार नहीं। जो हुक्म पहुँचे उसे औरों को पहुँचा दे, तेरे ज़िम्मे यही है। मुम्किन है ख़ुदा उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दे और बुराई के बाद वे भलाई करने लगें और ख़ुदा उनकी तौबा क़बूल फ़रमा ले, या मुम्किन है कि उन्हें उनके कुफ़्र व गुनाह की बिना पर अ़ज़ाब करे। तो ये ज़ालिम इसके भी मुस्तहिक़ हैं। सही बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह की नमाज़ में जब दूसरी रक्अ़त के रुकूअ़ से सर उठाते और "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्, रब्बना लकल् हम्दु" कह लेते तो काफ़िरों पर बद्दुआ़ करते कि ख़ुदाया फ़ुलाँ-फ़ुलाँ पर लानत कर। उसके बाद में यह आयतः

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَيْءٌ.

(सूरः आले इमरान आयत 128) नाज़िल हुई। मुस्नद अहमद में उन काफ़िरों के नाम भी आये हैं। जैसे हारिस बिन हिशाम, सुहैल बिन अ़मर, सफ़वान बिन उमैया, और उसी में है कि आख़िरकार उनको हिदायत नसीब हुई और ये मुसलमान हो गये। एक रिवायत में है कि चार आदमियों पर यह बद्दुआ़ दी थी जिससे रोक दिये गये। सही बुख़ारी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी पर बद्दुआ़ करना या किसी के हक़ में नेक दुआ़ करना चाहते तो रुकूअ़ के बाद "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्, रब्बना लकल् हम्दु" पढ़कर दुआ़ माँगते। कभी कहते ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अ़य्याश बिन अबू रबीआ़ और कमज़ोर मोमिनों को काफ़िरों से निजात दे। ऐ अल्लाह क़बीला मुज़र पर अपनी पकड़ और अपना अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमा और उस पर ऐसी क़हत-साली (सूखा और अकाल) भेज जैसी हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में थी। यह दुआ़ बुलन्द आवाज़ से हुआ करती थी और बाज़ मर्तबा सुबह की

नमाज़ के क़नूत में यूँ भी कहते कि ख़ुदाया फ़ुलाँ-फ़ुलाँ पर लानत भेज और अ़रब के बाज़ क़बीलों के नाम लेते थे। एक और रिवायत में है कि जंगे उहुद में जब आपके दाँत मुबारक शहीद हुए, चेहरा ज़ख़्मी हुआ, ख़ून बहने लगा तो ज़बान से निकल गया कि वह क़ौम कैसे फ़लाह पायेगी जिसने अपने नबी के साथ यह किया। हालाँकि नबी ख़ुदा की तरफ़ उन्हें बुलाता था। उस वक़्त यह आयतः

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ....... الخ.

(यानी सूरः आले इमरान की आयत 128, जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) नाज़िल हुई। आप इस लड़ाई में एक गड्ढे में गिर पड़े थे और ख़ून बहुत निकल गया था, कुछ तो उस कमज़ोरी की वजह से और कुछ इस वजह से कि दोहरी ज़िरह (लोहे का लिबास) पहने हुए थे, उठ न सके। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. के मौला (आज़ाद किये हुए ग़ुलाम) हज़रत सालिम रज़ि. पहुँचे और चेहरे पर से ख़ून पौंछा। जब कुछ सुकून हुआ तो आपने यह फ़रमाया और यह आयत नाज़िल हुई।

फिर फ़रमाता है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी की है। सब उसके ग़ुलाम हैं, जिसे चाहे बख़्शे और जिसे चाहे अ़ज़ाब करे। मालिक और इख़्तियार वाला वही है, जो चाहे हुक्म करे कोई उससे पूछने वाला नहीं। वह ग़फ़ूर और रहीम है।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ○ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۚ○ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ○ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ○ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ○ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

ऐ ईमान वालो! सूद मत खाओ (यानी असल से) कई हिस्से ज़ायद (करके न लो), और अल्लाह तआ़ला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ। (130) और उस आग से बचो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गई है। (131) और ख़ुशी से कहना मानो अल्लाह तआ़ला का और रसूल का, उम्मीद है कि तुम रहम किए जाओगे। (132) और मग़फ़िरत की तरफ़ दौड़ो जो तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से है, और जन्नत की तरफ़ जिसकी वुसुअ़त ऐसी है जैसे सब आसमान और ज़मीन, वह तैयार की गई है अल्लाह से डरने वालों के लिए। (133) ऐसे लोग जो कि ख़र्च करते हैं फ़राग़त में और तंगी में, और ग़ुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले, और अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक काम करने वालों को महबूब रखता है। (134) और ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं जिसमें ज़्यादती हो, या अपनी ज़ात पर नुक़सान उठाते हैं तो अल्लाह तआ़ला को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۔ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۔ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ٥ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۔ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ٥	की माफ़ी चाहने लगते हैं, और अल्लाह तआ़ला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख़्शता हो। और वे लोग अपने फ़ेल पर इसरार नहीं करते और वे जानते हैं। (135) उन लोगों की जज़ा बख़्शिश है उनके रब की तरफ़ से, और ऐसे बाग़ हैं कि उनके नीचे नहरें चलती होंगी, ये हमेशा-हमेशा उन्हीं में रहेंगे, और यह अच्छा बदला है उन नेक काम करने वालों का। (136)

सूदी लेन-देन की मनाही

अल्लाह तआ़ला अपने मोमिन बन्दों को सूदी लेन-देन और सूदख़ोरी से रोक रहा है। जाहिलीयत के ज़माने के लोग सूदी क़र्ज़ देते थे, मुद्दत मुक़र्रर होती थी, अगर उस मुद्दत पर रुपया वसूल न होता तो मुद्दत बढ़ाकर सूद पर सूद बढ़ा दिया करते थे। इसी तरह सूद दर सूद मिल-मिलाकर असल रक़म कई गुनी बढ़ जाती। अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को इस तरह नाहक़ लोगों के माल बरबाद करने से रोक रहा है और तक़वे (परहेज़गारी और अल्लाह से डरने) का हुक्म देकर उस पर निजात का वायदा कर रहा है। फिर जहन्नम की आग से डराता और अपने अ़ज़ाबों से धमकाता है। फिर अपनी और अपने रसूल की इताअ़त पर आमादा करता है और इस पर रहम व करम का वायदा देता है। फिर दोनों जहान की नेकबख़्ती के हासिल करने के लिये नेकियों की तरफ़ बढ़ने को फ़रमाता है और जन्नत की तारीफ़ करता है। चौड़ाई को बयान करके लम्बाई का अन्दा सुनने वालों पर ही छोड़ा जाता है। जिस तरह जन्नती फ़र्श की तारीफ़ करते हुए फ़रमायाः

بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ.

यानी उसका अस्तर नर्म रेशम का है।

तो मतलब यह है कि जब अस्तर ऐसा है तो अबरे का क्या ठिकाना है। इसी तरह यहाँ भी बयान हो रहा है कि जब चौड़ाई सातों आसमान और सातों ज़मीनों के बराबर है तो लम्बाई कितनी ज़्यादा होगी। और बाज़ ने कहा है कि लम्बाई-चौड़ाई दोनों बराबर हैं, क्योंकि जन्नत एक क़ुब्बे (गुंबद) की तरह अ़र्श के नीचे है और जो चीज़ क़ुब्बा नुमा हो या गोल हो उसकी लम्बाई-चौड़ाई बराबर होती है। एक सही हदीस में है कि जब तुम अल्लाह तआ़ला से जन्नत माँगो तो फ़िरदौस का सवाल करो। वह सबसे ऊँची और सबसे अच्छी जन्नत है। इसी जन्नत से सब नहरें जारी होती हैं और उसकी छत अल्लाह तआ़ला रहमान व रहीम का अ़र्श है। मुस्नद इमाम अहमद में है कि हिरक़्ल (रोम के बादशाह) ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में बतौर एतिराज़ के एक सवाल लिख भेजा कि आप मुझे उस जन्नत की दावत दे रहे हैं जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन के बराबर है तो यह तो फ़रमाईये कि फिर जहन्नम कहाँ गयी? हुज़ूर सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सुब्हानल्लाह! जब दिन आता है तो राह कहाँ जाती है? जो क़ासिद हिरक़्ल का यह ख़त लेकर हुज़ूरे पाक की ख़िदमत में हाज़िर हुआ था उससे हज़रत यअ़ला बिन मुर्रा की मुलाक़ात हिमस में हुई थी। कहते हैं कि उस वक़्त यह बहुत ही बूढ़ा हो गया था, कहने लगा जब मैंने यह ख़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दिया तो आपने अपनी बायीं तरफ़ के एक सहाबी को दिया। मैंने लोगों से पूछा उनका क्या नाम है? लोगों ने कहा यह हज़रत मुआ़विया हैं।

हज़रत उमर रज़ि. से भी यही सवाल हुआ था, आपने फ़रमाया था कि दिन के वक़्त रात और रात के वक़्त दिन कहाँ जाता है? यहूदी यह जवाब सुनकर ख़िसयाने होकर कहने लगे कि यह तौरात से लिया गया होगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यह जवाब नक़ल है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में है, किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा तो आपने जवाब में फ़रमाया- जब हर चीज़ पर रात आ जाती है तो दिन कहाँ जाता है? उसने कहा जहाँ अल्लाह चाहे। आपने फ़रमाया इसी तरह जहन्नम भी जहाँ अल्लाह चाहे। (बज़्ज़ार) इस जुमले के दो मायने होते हैं। एक तो यह कि रात के वक़्त हम अगरचे दिन को नहीं देख सकते लेकिन फिर भी दिन का किसी जगह होना नामुम्किन नहीं। इसी तरह अगरचे जन्नत की चौड़ाई इतनी ही है लेकिन फिर भी जहन्नम के वजूद से इनकार नहीं हो सकता। जहाँ ख़ुदा चाहे वह भी है। दूसरे मायने यह हैं कि जब दिन एक तरफ़ से चढ़ने लगा रात दूसरी जानिब से होती है। इसी तरह जन्नत आला इल्लिय्यीन में है और दोज़ख़ अस्फ़लुस्साफ़िलीन में। तो दोनों में कोई टकराव और विरोधाभास की बात न रही। वल्लाहु आलम।

जन्नतियों की सिफ़तें

फिर अल्लाह तआ़ला जन्नत वालों का वस्फ़ (ख़ूबी और विशेषता) बयान फ़रमाता है कि वे सख़्ती और आसानी में, ख़ुशी और ग़मी में, तन्दुरुस्ती और बीमारी में ग़र्ज़ कि हर हाल में अल्लाह की राह में अपना माल ख़र्च करते रहते हैं। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً.

यानी वे लोग दिन-रात, छुपे-खुले ख़र्च करते रहते हैं। कोई चीज़ और हालत उन्हें अल्लाह तआ़ला की इताअ़त से रोक नहीं रख सकती।

उसकी मख़्लूक़ पर, उसके हुक्म से एहसान करते रहते हैं। ये गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की बुराईयों से दरगुज़र करने वाले हैं। 'कज़्म' के मायने छुपाने के भी हैं, यानी अपने गुस्से का इज़्हार भी नहीं करते। बाज़ रिवायतों में है कि ऐ इब्ने आदम! अगर गुस्से के वक़्त तू मुझे याद रखेगा यानी मेरा हुक्म मान कर गुस्से को पी जायेगा तो मैं भी अपने गुस्से के वक़्त तुझे याद रखूँगा। यानी हलाकत के वक़्त तुझे हलाकत से बचा लूँगा। (इब्ने अबी हातिम) एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अपना गुस्सा रोक ले, अल्लाह तआ़ला उस पर से अपने अ़ज़ाब हटा लेता है। और जो शख़्स अपनी ज़बान (शरीअ़त के ख़िलाफ़ बातों से) रोक ले, अल्लाह तआ़ला उसकी पर्दापोशी करेगा। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की तरफ़ माज़िरत ले जाये (यानी उसकी तरफ़ माफ़ी तलब करने के साथ रुजू हो) अल्लाह तआ़ला उसका उज़्र क़बूल फ़रमाता है। (मुस्नद अहमद, अबू यअ़ला) यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद में भी कलाम है।

एक और हदीस शरीफ़ में है, आप फ़रमाते हैं कि पहलवान वह नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि हक़ीक़त में पहलवान वह है जो गुस्से के वक़्त अपने नफ़्स पर क़ाबू रखे। (अहमद) सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुममें से कोई ऐसा है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो? लोगों ने कहा हुज़ूर कोई नहीं। आपने फ़रमाया मैं तो देखता हूँ कि तुम अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल चाहते हो। इसलिये कि तुम्हारा माल तो हक़ीक़त में वह है जो तुम अल्लाह की राह में अपनी ज़िन्दगी में ख़र्च कर दो और जो छोड़कर जाओ वह तुम्हारा माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिसों का माल है। तुम्हारा अल्लाह की राह में कम ख़र्च करना और जमा ज़्यादा करना यह दलील इस बात की है कि तुम अपने माल से अपने वारिसों के माल को ज़्यादा अ़ज़ीज़ रखते हो। फिर फ़रमाया तुम पहलवान किसे कहते हो? लोगों ने कहा हुज़ूर! उसे जिसे कोई गिरा न सके। आपने फ़रमाया नहीं! बल्कि हक़ीक़त में ताक़तवर पहलवान वह है जो गुस्से के वक़्त अपने जज़्बात पर क़ाबू रखे। फिर फ़रमाया बेऔलाद किसे कहते हो? लोगों ने कहा जिसकी औलाद न हो। फ़रमाया नहीं! बल्कि वास्तव में बेऔलाद वह है जिसके सामने उसकी कोई औलाद मरी न हो। (मुस्लिम)

एक और रिवायत में यह भी है कि आपने मालूम फ़रमाया कि जानते हो मुफ़लिस कंगाल कौन है? लोगों ने कहा जिसके पास माल न हो। आपने फ़रमाया बल्कि वह जिसने अपना माल अपनी ज़िन्दगी में अल्लाह की राह में न दिया हो। (मुस्नद अहमद) हज़रत हारिसा बिन क़ुदामा सअ़दी रज़ि. हुज़ूरे पाक की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करते हैं कि हुज़ूर! मुझे कोई नफ़े की बात बता दीजिये और मुख़्तसर हो ताकि मैं याद भी रख सकूँ। आपने फ़रमाया गुस्सा न करो। उसने फिर पूछा आपने फिर यही जवाब दिया कई-कई मर्तबा कहा सुना। (मुस्नद अहमद) किसी शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा मुझे कुछ वसीयत कीजिये। आपने फ़रमाया गुस्सा न करो। वह कहते हैं कि मैंने जो ग़ौर किया तो मालूम हुआ कि तमाम बुराईयों की जड़ गुस्सा ही है। (मुस्नद अहमद) एक रिवायत में है कि हज़रत अबूज़र रज़ि. को गुस्सा आया तो आप बैठ गये और फिर लेट गये। उनसे पूछा गया कि आपने यह क्या किया? फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से सुना है, आप फ़रमाते थे कि जिसे गुस्सा आये वह खड़ा हो तो बैठ जाये, अगर इससे भी गुस्सा न जाये तो लेट जाये। (मुस्नद) मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि उरवा बिन मुहम्मद को गुस्सा चढ़ा, आप वुज़ू करने बैठ गये और फ़रमाने लगे- मैंने अपने उस्तादों से यह हदीस सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि गुस्सा शैतान की तरफ़ से है और शैतान आग से पैदा हुआ है और आग को बुझाने वाली चीज़ पानी है, पस तुम गुस्से के वक़्त वुज़ू करने बैठ जाओ। हुज़ूर सल्ल. का यह भी इरशाद है कि जो शख़्स किसी तंगदस्त को मोहलत दे या अपना क़र्ज़ उसे माफ़ कर दे अल्लाह तआ़ला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। लोगो सुनो! जन्नत के आमाल सख़्त और मुश्किल हैं और जहन्नम के काम आसान और सहल हैं। नेकबख़्त वही है जो फ़ितनों से बच जाये। किसी घूँट का पीना ख़ुदा को ऐसा पसन्द नहीं जितना गुस्से के घूँट का पी जाना। ऐसे शख़्स के दिल में ईमान जम जाता है। (मुस्नद अहमद)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अपना गुस्सा उतारने की ताक़त रखते हुए फिर भी बरदाश्त और संयम से काम ले, अल्लाह तआ़ला उसका दिल अमन व अमान से भर देता है। जो शख़्स बावजूद उम्दा लिबास के शोहरत के कपड़े को तवाज़ो के ख़्याल से छोड़ दे उसे अल्लाह तआ़ला बुज़ुर्गी और इज़्ज़त का लिबास क़ियामत के दिन पहनायेगा और जो किसी का सर छुपाये अल्लाह तआ़ला

उसे क़ियामत के दिन बादशाहत का ताज पहनायेगा। (अबू दाऊद)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स बावजूद क़ुदरत के अपना गुस्सा पी ले उसे अल्लाह तआ़ला तमाम मख़्लूक़ के सामने बुलाकर इख़्तियार देगा कि जिस हूर को चाहे पसन्द कर ले। (मुस्नद अहमद) इस मज़मून की और भी हदीसें हैं। पस आयत का मतलब यह हुआ कि वे अपने गुस्से में आपे से बाहर नहीं होते। लोगों को उनकी तरफ़ से बुराई नहीं पहुँचती, बल्कि अपने जज़्बात को दबाये रखते हैं और अल्लाह से डरकर सवाब की उम्मीद पर मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। लोगों से दरगुज़र करते हैं, ज़ालिमों के जुल्म का बदला भी नहीं लेते, इसी को एहसान कहते हैं और इन मोहसिन बन्दों से ख़ुदा मुहब्बत रखता है।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक क़सम

हदीस में है, रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तीन बातों पर मैं क़सम खाता हूँ। एक तो यह कि सदक़े से माल नहीं घटता। दूसरे यह कि माफ़ और दरगुज़र करने से इनसान की इज़्ज़त बढ़ती है। तीसरे यह कि तवाज़ो, विनम्रता और आ़जिज़ी करने वाले को अल्लाह तआ़ला बुलन्द करता है। मुस्तद्रक हाकिम की हदीस में है कि जो शख़्स यह चाहे कि उसकी बुनियाद बुलन्द हो और उसके दर्जे बढ़ें तो उसे ज़ालिमों से दरगुज़र करना चाहिये और न देने वालों को देना चाहिये और (रिश्ता व ताल्लुक़) तोड़ने वालों से जोड़ना चाहिये। एक और हदीस में है कि क़ियामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ऐ लोगों से दरगुज़र करने वालो! अपने रब के पास आओ और अपना अज्र लो। मुसलमानों की ख़ताओं को माफ़ करने वाले जन्नती लोग हैं। फिर फ़रमाया- ये लोग गुनाह के बाद फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करते हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- जब कोई शख़्स गुनाह करता है, फिर ख़ुदा के सामने हाज़िर होकर कहता है कि परवर्दिगार! मुझसे गुनाह हो गया तू माफ़ फ़रमा। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है मेरे बन्दे से अगरचे गुनाह हो गया लेकिन उसका ईमान है कि उसका रब गुनाह पर पकड़ भी करता है और अगर चाहे तो माफ़ भी फ़रमा देता है, मैंने अपने बन्दे का गुनाह माफ़ फ़रमाया। उससे फिर गुनाह होता है फिर तौबा करता है, अल्लाह तआ़ला फिर माफ़ फ़रमाता है। फिर तीसरी मर्तबा उससे गुनाह हो जाता है यह फिर तौबा करता है, अल्लाह तआ़ला फिर बख़्शता है। चौथी मर्तबा गुनाह कर बैठता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमाकर कहता है, अब मेरा बन्दा जो चाहे करे (लेकिन गुनाह पर जरी होना ख़तरे से ख़ाली नहीं, इससे नूरे ईमान कमज़ोर पड़ता है, जिससे बहुत सी बार नेकियों की तौफ़ीक़ छिन जाती है, ज़ाहिर है कि उसके बाद अन्जाम ग़लत भी हो सकता है)। (मुस्नद अहमद) यह हदीस सहीहैन में भी है, हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि हमने एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा या रसूलल्लाह! जब हम आपको देखते हैं तो हमारे दिलों में रिक़्क़त (नर्मी और ख़ुदा की तरफ़ ज़्यादा रुजू होने की कैफ़ियत) तारी हो जाती है, हम अल्लाह वाले बन जाते हैं। लेकिन जब आपके पास से चले जाते हैं तो वह हालत नहीं रहती, औरतों बच्चों में फंस जाते हैं, घर-बार के धंधों में लग जाते हैं। आपने फ़रमाया सुनो! जो कैफ़ियत तुम्हारे दिलों की मेरे सामने होती है अगर यही हर वक़्त रहती तो फिर फ़रिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करते और तुम्हारी मुलाक़ात को तुम्हारे घरों पर आते। सुनो! अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह तुम्हें यहाँ से हटा दे और दूसरी क़ौम को ले आये, जो गुनाह करे फिर बख़्शिश माँगे और ख़ुदा उन्हें बख़्शे। हमने कहा

हुज़ूर! यह तो फ़रमाईये कि जन्नत की बिना (बुनियाद) क्या है? आपने फ़रमाया एक ईंट सोने की, एक चाँदी की, उसका गारा मुश्के ख़ालिस है। उसके कंकर लुअ्-लुअ् और याक़ूत (यानी क़ीमती मोती व हीरे) हैं, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जन्नतियों की नेमतें कभी ख़त्म न होंगी, उनकी ज़िन्दगी हमेशगी वाली होगी। उनके कपड़े पुराने न होंगे, उनकी जवानी फ़ना न होगी।

दुआ़ रद्द नहीं होती

तीन शख़्सों की दुआ़ रद्द नहीं होती- आ़दिल (इन्साफ़ करने वाला) बादशाह। रोज़ा रखने वाला और मज़लूम। इसकी दुआ़ बादलों में उठाई जाती है और उसके लिये आसमानों के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है कि मुझे मेरी इज़्ज़त की क़सम! मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा अगरचे कुछ वक़्त के बाद हो। (मुस्नद अहमद) अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स कोई गुनाह करे फिर वुज़ू करके दो रक्अ़त नमाज़ अदा करे और अपने गुनाह की माफ़ी चाहे तो अल्लाह तआ़ला उसका गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। (मुस्नद अहमद) सही मुस्लिम में अमीरुल-मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुममें से जो शख़्स कामिल वुज़ू करके:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

"अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दुहू व रसूलुहू" पढ़े उसके लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाते हैं, जिससे चाहे अन्दर चला जाये। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि. सुन्नत के मुताबिक़ वुज़ू करते हैं फिर फ़रमाते हैं- मैंने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख़्स मुझ जैसा वुज़ू करे फिर दो रक्अ़त नमाज़ अदा करे जिसमें अपने दिल से बातें न करे (यानी नमाज़ में पूरा ध्यान रहे) तो अल्लाह तआ़ला उसके तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम) पस यह हदीस तो हज़रत उस्मान रज़ि. से है, इससे पहली रिवायत हज़रत उमर रज़ि. से, उससे पहली रिवायत हज़रत अबू बक्र रज़ि. से और तीसरी रिवायत को हज़रत अबू बक्र रज़ि. से हज़रत अ़ली रज़ि. रिवायत करते हैं। तो अल्हम्दु लिल्लाह अल्लाह तआ़ला की बेपनाह मग़फ़िरत और उसकी बेइन्तिहा मेहरबानी की ख़बर नबी करीम सल्ल. की ज़बानी आपके चारों बरहक़ ख़लीफ़ाओं के द्वारा हमें पहुँची। (आओ इस मौक़े पर हम गुनाहगार भी हाथ उठायें और अपने मेहरबान रहीम व करीम ख़ुदा के सामने अपने गुनाहों का इक़रार करके उससे माफ़ी तलब करें। ख़ुदाया! ऐ माँ-बाप से ज़्यादा मेहरबान! ऐ माफ़ करने और दरगुज़र करने वाले! और किसी भिखारी को अपने दर से ख़ाली न फेरने वाले! तू हम ख़ताकारों की ख़ताओं और ग़लतियों से भी दरगुज़र फ़रमा और हमारे तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा दे। आमीन, **अनुवादक**)।

यही वह मुबारक आयत है कि जब नाज़िल हुई तो इब्लीस रोने लगा। (मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़) मुस्नद अबू यअ़ला में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कसरत से पढ़ा करो और इस्तिग़फ़ार पर हमेशगी करो। इब्लीस गुनाहों से लोगों को हलाक करना चाहता है और उसकी अपनी हलाकत 'ला इला-ह इल्लल्लाह' और इस्तिग़फ़ार से है। यह हालत देखकर इब्लीस ने लोगों को इच्छा पूर्ती करने पर डाल दिया। पस वे अपने आपको सही रास्त पर जानते हैं हालाँकि होते हैं हलाकत में।

लेकिन इस हदीस के दो रावी ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं।

मुस्नद अहमद में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि इब्लीस (शैतान) ने कहा ऐ रब! मुझे तेरी इज़्ज़त की क़सम में बनी आदम (आदम की औलाद) को आख़िरी दम तक बहकाता रहूँगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- मुझे भी मेरे जलाल और मेरी इज़्ज़त की क़सम जब तक वे मुझसे बख़्शिश माँगते रहेंगे मैं भी उन्हें बख़्शता ही रहूँगा। मुस्नद बज़्ज़ार में है कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा- मुझसे गुनाह हो गया। आपने फ़रमाया तौबा कर ले। उसने कहा मैंने तौबा की, फिर गुनाह हो गया। फ़रमाया फिर तौबा कर ले। उसने कहा मुझसे फिर गुनाह हो गया। आपने फ़रमाया फिर इस्तिग़फ़ार कर। उसने कहा मुझसे और गुनाह हुआ। फ़रमाया इस्तिग़फ़ार किये जा यहाँ तक कि शैतान थक जाये (यानी जब बराबर अल्लाह से माफ़ी माँगता रहेगा और उसकी तरफ़ ध्यान लगाये रहेगा तो शैतान को तुझे बहकाने का मौक़ा ही न मिलेगा)।

फिर फ़रमाया कि गुनाह को बख़्शना अल्लाह ही के इख़्तियार में है। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक क़ैदी आया और कहने लगा या अल्लाह मैं तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की तरफ़ तौबा नहीं करता। (यानी ख़ुदाया मैं तेरी ही बख़्शिश चाहता हूँ) आपने फ़रमाया इसने हक़ हक़दार को पहुँचाया। इसरार करने से मुराद यह है कि मासियत (गुनाह और ख़ता) पर बग़ैर तौबा किये अड़ नहीं जाते। अगर कई मर्तबा गुनाह हो जाये तो कई मर्तबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। मुस्नद अहमद, अबू यअ़ला में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि वह इसरार करने वाला और अड़ने वाला नहीं जो इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अगरचे (मान लो) उससे एक दिन में सत्तर मर्तबा गुनाह हो जाये। फिर फ़रमाया कि वे जानते हैं यानी इस बात को कि अल्लाह तौबा क़बूल करने वाला है। जैसे एक दूसरी जगह है:

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ.

क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़रमाता है? एक और जगह है:

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ.

जो शख़्स कोई बुरा काम करे या गुनाह करके अपनी जान पर ज़ुल्म करे फिर अल्लाह तआ़ला से बख़्शिश तलब करे तो वह देख लेगा कि अल्लाह तआ़ला बख़्शिश करने वाला मेहरबान है।

मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मिम्बर पर बयान फ़रमाया- लोगो! तुम औरों पर रहम करो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लोगो! तुम दूसरों की ख़तायें माफ़ करो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख़्शेगा। बातें बनाने वालों को वैल (तबाही और हलाकत) है। फिर फ़रमाया- इन कामों के बदले उनकी जज़ा (बदला) मग़फ़िरत है और तरह-तरह की बहती नहरों वाली जन्नत है, जिसमें वे हमेशा रहेंगे। ये बड़े अच्छे आ़मिल (अ़मल करने वाले) हैं।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ	**तहक़ीक़ कि तुमसे पहले मुख़्तलिफ़ तरीक़े गुज़र चुके हैं तो तुम रू-ए-ज़मीन पर चलो फिरो और देख लो कि अख़ीर अन्जाम झुठलाने वालों का कैसा हुआ। (137) यह बयान काफ़ी है**

الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ۙ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ۧ

ع ١٤ ٥

तमाम लोगों के लिए और हिदायत व नसीहत है ख़ास ख़ुदा से डरने वालों के लिए। (138) और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो, और ग़ालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। (139) अगर तुमको ज़ख़्म पहुँच जाए तो उस क़ौम को भी ऐसा ही ज़ख़्म पहुँच चुका है, और हम इन दिनों को उन लोगों के दरमियान अदलते-बदलते रहा करते हैं, और ताकि अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को जान लें, और तुममें से बाज़ों को गवाह बनाना था, और अल्लाह तआ़ला ज़ुल्म करने वालों से मुहब्बत नहीं रखते। (140) और ताकि मैल-कुचैल से साफ़ कर दे ईमान वालों को और मिटा दे काफ़िरों को। (141) हाँ, क्या तुम यह ख़्याल करते हो कि जन्नत में जा दाख़िल होगे हालाँकि अभी अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुममें से जिहाद किया हो और न उनको देखा जो साबित क़दम रहने वाले हों। (142) और तुम तो मरने की तमन्ना कर रहे थे मौत के सामने आने से पहले ही, सो उसको तो खुली आँखों देख लिया था। (143)

मुसलमानों को तसल्ली

चूँकि उहुद (की लड़ाई) वाले दिन सत्तर मुसलमान सहाबी शहीद हुए थे तो अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को तसल्ली देता है कि इससे पहले भी दीनदार लोग जान व माल का नुक़सान उठाते रहे लेकिन आख़िरकार ग़लबा उन ही का हुआ। तुम पहले वाक़िआ़त पर एक निगाह डाल लो तो यह राज़ तुम पर खुल जायेगा। उस क़ुरआन में लोगों के लिये पहली उम्मतों का बयान है और यह हिदायत व उपदेश भी है, यानी तुम्हारे दिलों की हिदायत और तुम्हें बुराई भलाई से आगाह करने वाला यही क़ुरआन है। मुसलमानों को ये वाक़िआ़त याद दिलाकर फिर और ज़्यादा तसल्ली के तौर पर फ़रमाया कि तुम इस जंग के परिणाम को देखकर परेशान और मायूस न हो जाना, न ग़मज़दा बनकर बैठ रहना। फ़तह व नुसरत, ग़लबा और बुलन्दी आख़िरकार ऐ मोमिनो! तुम्हारे लिये ही है। अगर तुम्हें ज़ख़्म लगे हैं और तुम्हारे आदमी शहीद हुए तो इससे पहले तुम्हारे दुश्मन भी तो क़त्ल हो चुके हैं, वे भी तो ज़ख़्म खाये हुए हैं। यह तो चढ़ती-ढलती छाँव हैं। हाँ

भला वह है जो अन्जाम के एतिबार से ग़ालिब रहे और यह हमने तुम्हारे लिये लिख दिया है। यह बाज़ मर्तबा की शिकस्त ख़ासकर इसी जंगे उहुद की, इसलिये थी कि हम साबिरों का और ग़ैर-साबिरों का इम्तिहान कर लें, और जो मुद्दत से शहादत की आरज़ू करते थे उन्हें कामयाब बनायें कि वे अपना जान व माल हमारी राह में ख़र्च करें। अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता। यह आख़िरी जुमला बयान हो रहे मज़मून से हटकर फ़रमाया, यह इसलिये भी कि ईमान वालों के गुनाह अगर हों तो दूर हो जायें, वरना उनके दर्जे बढ़ें और इसमें काफ़िरों का मिटाना भी है। क्योंकि वे ग़ालिब होकर फूलेंगे, सरकशी और तकब्बुर में और बढ़ेंगे और यही उनकी हलाकत और बरबादी का सबब बनेगा और फिर मिट-खप जायेंगे। इन सख़्तियों, इन ज़लज़लों और इन आज़माईशों के बग़ैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जैसे सूरः ब-क़रह में है कि क्या तुम यह जानते हो कि तुमसे पहले लोगों की जैसी आज़माईश हुई ऐसी तुम्हारी न हो, और तुम जन्नत में चले जाओ........। यह नहीं होगा। एक और जगह इरशाद है:

الٓمّٓ. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.

क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि हम सिर्फ़ उनके इस क़ौल पर कि हम ईमान लाये, उन्हें छोड़ देंगे और उनकी आज़माईश न की जायेगी?

यहाँ भी यही फ़रमान है कि जब तक सब्र करने वाले मालूम न हो जायें, यानी दुनिया के सामने ज़हूर में न आ जायें तब तक जन्नत नहीं मिल सकती। फिर फ़रमाया कि तुम इससे पहले तो ऐसे मौक़े की आरज़ू में थे कि तुम अपना सब्र, अपनी सख़्ती, अपनी मज़बूती और दीन पर जमाव ख़ुदा को दिखाओ, अल्लाह की राह में शहादत पाओ, लो अब हमने तुम्हें यह मौक़ा दिया तुम भी अपनी साबित-क़दमी और बहादुरी दिखाओ। हदीस शरीफ़ में है कि दुश्मन से साबक़ा (मुक़ाबले की नौबत) की आरज़ू न करो, अल्लाह तआ़ला से आ़फ़ियत तलब करो और जब मुक़ाबला हो जाये फिर लोहे की तरह जम जाओ और सब्र के साथ साबित-क़दम रहो। और जान लो कि जन्नत तलवारों के साये तले है। फिर फ़रमाया कि तुमने अपनी आँखों से इस मन्ज़र को देख लिया कि नेज़े तने हुए हैं, तलवारें खिंच रही हैं, भाले उछल रहे हैं, तीर बरस रहे हैं, घमासान का रन पड़ा हुआ है और इधर-उधर लाशें गिर रही हैं।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ

और मुहम्मद सिर्फ़ रसूल ही तो हैं, आपसे पहले और भी बहुत-से रसूल गुज़र चुके हैं, सो अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाए या आप शहीद ही हो जाएँ तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे, और जो शख़्स उल्टा फिर भी जाएगा तो ख़ुदा तआ़ला का कोई नुक़सान न करेगा, और ख़ुदा तआ़ला जल्द ही बदला देगा हक़ पहचानने वाले लोगों को। (144) और किसी शख़्स को मौत आना मुम्किन नहीं ख़ुदा तआ़ला के हुक्म के बग़ैर, इस तौर से कि उसकी मुक़र्ररा मियाद लिखी हुई रहती है। और जो

ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ۝ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

शख़्स दुनियावी नतीजा चाहता है तो हम उसको दुनिया का हिस्सा दे देते हैं, और जो शख़्स आख़िरत का नतीजा चाहता है तो हम उसको आख़िरत का हिस्सा देंगे, और हम बहुत जल्द बदला देंगे हक़ पहचानने वालों को। (145) और बहुत नबी हो चुके हैं जिनके साथ होकर बहुत अल्लाह वाले लड़े हैं। सो न तो हिम्मत हारी उन्होंने उन मुसीबतों की वजह से जो उन पर अल्लाह की राह में आईं और न उनका ज़ोर घटा, और न वे दबे, और अल्लाह तआ़ला को ऐसे मुस्तक़िल मिज़ाजों से मुहब्बत है। (146) और उनकी ज़बान से भी तो इसके सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे गुनाहों को और हमारे कामों में हमारे हद से निकल जाने को बख़्श दीजिए और हमको साबित क़दम रखिए, और हमको काफ़िर लोगों पर ग़ालिब कीजिए। (147) सो उनको अल्लाह तआ़ला ने दुनिया का भी बदला दिया और आख़िरत का भी उम्दा बदला (दिया) और अल्लाह तआ़ला को ऐसे नेकी करने वालों से मुहब्बत है। (148)

रसूल का मक़ाम

मैदाने उहुद में मुसलमानों को शिकस्त भी हुई और उनमें के बाज़ क़त्ल भी गये गये। उस दिन शैतान ने यह मशहूर कर दिया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) भी शहीद हो गये, और इब्ने क़मीआ काफ़िर ने मुश्रिकों में जाकर यह उड़ा दी कि मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को क़त्ल करके आया हूँ और दर असल यह अफ़वाह बेबुनियाद थी और उस शख़्स का यह क़ौल भी ग़लत था। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हमला तो किया था लेकिन उससे सिर्फ़ आपका थोड़ा चेहरा ज़ख़्मी हो गया था और कोई बात न थी। इस ग़लत बात की शोहरत ने मुसलमानों के दिल मायूस कर दिये, उनके क़दम उखड़ गये और लड़ाई से बददिल होकर भाग खड़े हुए। इसी के बारे में यह आयत नाज़िल हुई कि पहले अम्बिया की तरह यह भी एक नबी हैं। हो सकता है कि मैदान में क़त्ल कर दिये जायें लेकिन इससे ख़ुदा का दीन जाता नहीं रहेगा।

एक रिवायत में है कि एक मुहाजिर ने देखा कि एक अन्सारी जंगे उहुद में ज़ख़्मों से चूर ज़मीन पर गिर पड़ा है और ख़ाक व ख़ून में लौट रहा है। उससे कहा आपको भी मालूम है कि हुज़ूर सल्ल. क़त्ल कर

दिये गये। उसने कहा अगर यह सही है तो अपना काम कर गये। अब आपके दीन पर तुम सब भी क़ुरबान हो जाओ। उसी के बारे में यह आयत उतरी।

फिर फ़रमाया कि हुज़ूर सल्ल. का क़त्ल या इन्तिक़ाल ऐसी चीज़ नहीं कि तुम ख़ुदा के दीन से पिछले पैरों फिर जाओ और ऐसा करने वाले ख़ुदा का कुछ न बिगाड़ेंगे। अल्लाह तआ़ला उन ही लोगों को बेहतरीन बदला देगा जो उसकी इताअ़त करें और उसके दीन की मदद उनका मक़सद व तरीक़ा हो, और उसके रसूल की ताबेदारी में मज़बूत हो जायें। चाहे रसूल ज़िन्दा हों या न हों। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन्तिक़ाल की ख़बर सुनकर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. सख़ (एक स्थान) से घोड़े पर सवार होकर आये। मस्जिद में तशरीफ़ ले गये। लोगों की हालत देखी-भाली और बग़ैर कुछ कहे सुने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के घर पर आये और यहाँ हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम पर हबरा की चादर उढ़ा दी गयी थी। आपने चादर का कोना चेहरे मुबारक पर से हटाकर बेसाख़्ता बोसा ले लिया और रोते हुए फ़रमाने लगे- मेरे माँ-बाप आप पर फ़िदा हों, ख़ुदा की क़सम अल्लाह तआ़ला आप पर दो मर्तबा मौत न लायेगा, जो मौत आप पर लिख दी गयी थी वह आपको आ चुकी। उसके बाद आप फिर मस्जिद में आये और देखा कि हज़रत उमर ख़ुतबा सुना रहे हैं। उनसे फ़रमाया कि ख़ामोश हो जाओ। उन्हें चुप कराकर आपने लोगों से फ़रमाया- जो शख़्स मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की इबादत करता था वह जान ले कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वफ़ात फ़रमा गये और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की इबादत करता था वह ख़ुश रहे कि अल्लाह तआ़ला ज़िन्दा है, उस पर मौत नहीं आती। फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई। लोगों को ऐसा मालूम होने लगा गोया यह आयत अब उतरी है। फिर तो हर शख़्स की ज़बान पर यह आयत चढ़ गयी और लोगों ने यक़ीन कर लिया कि आप इन्तिक़ाल फ़रमा गये। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. की ज़बानी इस आयत की तिलावत सुनकर हज़रत उमर रज़ि. के होश व हवास ठिकाने आ गये और उन्हें भी यक़ीन हो गया कि हुज़ूर सल्ल. इस जहाने फ़ानी को छोड़कर चल बसे।

हज़रत अ़ली रज़ि. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़िन्दगी ही में फ़रमाते थे कि न हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौत पर मुर्तद (दीन इस्लाम से फिरने वाले) होंगे, न आपकी शहादत पर। ख़ुदा की क़सम अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़त्ल किये जायें तो हम भी इस दीन पर मर मिटेंगे जिस पर आप शहीद हुए। ख़ुदा की क़सम मैं तो आपका भाई हूँ, आपका वली हूँ, आपका चचाज़ाद भाई हूँ और आपका वारिस हूँ। मुझसे ज़्यादा हक़दार आपका कौन होगा?

फिर इरशाद होता है कि हर शख़्स अल्लाह तआ़ला के मुक़द्दर (यानी तय किये हुए वक़्त) से और अपनी मुद्दत पूरी करके ही मरता है। जैसे और जगह है:

وَمَايُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَايُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ.

न कोई उम्र दिया जाता है, न उम्र घटाई जाती है मगर सब किताबुल्लाह (यानी लौहे-महफ़ूज़) में मौजूद है। एक और जगह इरशाद है:

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ............ الخ.

जिस ख़ुदा ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर वक़्त पूरा किया और अजल मुक़द्दर की (यानी एक वक़्त तय किया)।

इस आयत में बुज़दिल लोगों को हिम्मत व बहादुरी की रग़बत दिलाई गयी है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिये शौक़ दिलाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जवाँमर्दी की वजह से उम्र घट नहीं जाती और मैदान से फ़रार की वजह से उम्र बढ़ नहीं जाती। मौत तो अपने वक़्त पर आकर ही रहेगी। चाहे हिम्मत और बहादुरी बरतो चाहे नामर्दी और बुज़दिली दिखाओ। हजर बिन अ़दी रज़ि. जब दीन के दुश्मनों के मुक़ाबले में जाते हैं और दजला दरिया बीच में आ जाता है और लश्करे इस्लाम खड़ा हो जाता है तो आप इस आयत की तिलावत करके फ़रमाते हैं कि कोई भी बिना वक़्त आये नहीं मरता। आओ! इसी दजला दरिया में घोड़े डाल दो। यह फ़रमाकर आप अपना घोड़ा दरिया में डाल देते हैं। आपको देखकर और लोग भी अपने जानवरों को पानी में डाल देते हैं। दुश्मन का ख़ून ख़ुश्क हो जाता है और उस पर हैबत व ख़ौफ़ तारी हो जाता है। कहने लगते हैं कि ये तो दीवाने आदमी हैं, ये तो पानी की मौजों से भी नहीं डरते, भागो-भागो। चुनाँचे सबके सब भाग खड़े हुए।

फिर इरशाद होता है कि जिसका अ़मल सिर्फ़ दुनिया के लिये हो तो इसमें से जितना उसके मुक़द्दर में होता है मिल जाता है, लेकिन आख़िरत में वह ख़ाली हाथ रह जाता है। और जिसका ध्यान आख़िरत के तलब करने पर हो उसे आख़िरत तो मिलती ही है लेकिन दुनिया में भी अपने मुक़द्दर का हिस्सा पा लेता है। जैसे एक और मक़ाम पर फ़रमायाः

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ.........الخ.

आख़िरत की खेती के चाहने वाले को हम ज़्यादती के साथ देते हैं, और दुनिया की खेती के चाहने वाले को हम अगरचे दुनिया दे दें लेकिन आख़िरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। एक और जगह इरशाद हैः

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ..........الخ.

जो शख़्स सिर्फ़ दुनिया का तलबगार हो हम उनमें से जिसे चाहें, जिस क़द्र चाहें दुनिया दे देते हैं। फिर वह जहन्नमी बन जाता है और ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ उसमें जाता है। और जो आख़िरत का तलवगार हो और उसके लिये कोशिश भी करे और ईमान वाला भी हो, उनकी कोशिश ख़ुदा के यहाँ पसन्दीदा और क़द्र के लायक़ है।

इसी लिये यहाँ भी फ़रमाया कि हम शुक्रगुज़ारों को अच्छा बदला देते हैं। फिर अल्लाह तआ़ला उहुद के मुजाहिदों को ख़िताब करता हुआ फ़रमाता है कि इससे पहले भी बहुत से नबी अपनी जमाअ़तों को साथ लेकर दीन के दुश्मनों से लड़े-भिड़े और वे तुम्हारी तरह अल्लाह की राह में तकलीफ़ें भी पहुँचाये गये। लेकिन फिर भी मज़बूत-दिल और साबिर व शाकिर रहे। सुस्त व बेहिम्मत न हुए। और उस सब्र के बदले उन्होंने ख़ुदा की मुहब्बत मोल ली। एक मायने यह भी बयान किये गये हैं कि ऐ उहुद के मुजाहिदो! तुम यह सुनकर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शहीद हो गये क्यों हिम्मत हार बैठे? और कुफ़्र के मुक़ाबले में क्यों दब गये? हालाँकि तुमसे पहले लोग अपने अम्बिया की शहादत को देखकर भी न दबे न बुझे, बल्कि और तेज़ी के साथ लड़े। यह इतनी बड़ी मुसीबत भी उनके क़दम न डगमगा सकी और उनके दिल थोड़े न कर सकी। फिर तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शहादत की ख़बर सुनकर इतने मुतास्सिर क्यों हो गये? 'रिब्बियून' के बहुत से मायने आते हैं जैसे उलेमा, नेक लोग, मुत्तक़ी, आ़बिद, पैरोकार और हुक्म के मानने वाले वग़ैरह-वग़ैरह। पस क़ुरआन करीम उनकी इस मुसीबत के वक़्त की दुआ़ को नक़ल करता है। फिर फ़रमाता है कि उन्हें दुनिया का सवाब, मदद, कामयाबी व बुलन्दी मिली और

आख़िरत की भलाई और अच्छाई भी इसी के साथ जमा हुई। ये मोहसिन (नेकी करने वाले) लोग ख़ुदा के बरगुज़ीदा (पसन्दीदा और चुने हुए) बन्दे हैं।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَـٰسِرِينَ ○ بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّـٰصِرِينَ ○ سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّـٰلِمِينَ ○ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْـَٔاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ

ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफ़िरों का कहना मानोगे तो वे तुमको उल्टा फेर देंगे, फिर तुम नाकाम हो जाओगे। (149) बल्कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारा दोस्त है और वह सबसे बेहतर मदद करने वाला है। (150) हम अभी डाले देते हैं होल काफ़िरों के दिलों में, इसके सबब कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला का शरीक ऐसी चीज़ को ठहराया है जिस पर कोई दलील अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल नहीं फ़रमाई, और उनकी जगह जहन्नम है, और वह बुरी जगह है बेइन्साफ़ों की। (151) और यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ने तुमसे अपने वायदे को सच्चा कर दिखाया था, जिस वक़्त कि तुम उन काफ़िरों को हुक्मे ख़ुदावन्दी से क़त्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम ख़ुद ही कमज़ोर हो गए और आपस में हुक्म में इख़्तिलाफ़ करने लगे, और तुम कहने पर न चले बाद उसके कि तुमको तुम्हारी दिल-पसन्द बात दिखला दी थी। तुममें से बाज़े तो वे शख़्स थे जो दुनिया चाहते थे, और बाज़े तुममें से वे थे जो आख़िरत के तलबगार थे, (इसलिए अल्लाह तआ़ला ने आईन्दा के लिए अपनी इम्दाद को बन्द कर लिया और) फिर तुमको उन (काफ़िरों) से हटा दिया ताकि (ख़ुदा तआ़ला) तुम्हारी आज़माईश फ़रमाये और यक़ीन समझो कि (अल्लाह तआ़ला ने) तुमको माफ़ कर दिया और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं मुसलमानों पर। (152) (वह वक़्त याद करो) जबकि तुम चढ़े चले जाते थे और किसी को मुड़कर भी तो न देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे की ओर से तुमको पुकार रहे

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا ۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○	थे, सो ख़ुदा तआ़ला ने तुमको नतीजे और सज़ा में ग़म दिया ग़म देने के सबब से, ताकि तुम ग़मज़दा न हुआ करो, न उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और न उस पर जो तुम पर मुसीबत पड़े, और अल्लाह तआ़ला सब ख़बर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की। (153)

काफ़िरों की इताअ़त बड़े नुक़सान का सबब है

अल्लाह तआ़ला अपने ईमान वाले बन्दों को काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की बातों के मानने से रोक रहा है और बतला रहा है कि अगर उनकी मानी तो दुनिया और आख़िरत की ज़िल्लत तुम पर आयेगी। उनकी तमन्ना तो यही है कि तुम्हें दीने इस्लाम से हटा दें। फिर फ़रमाता है कि मुझ ही को मौला और मददगार जानो, मुझ ही से बन्दगी का ताल्लुक़ पैदा करो, मुझ ही पर भरोसा करके मुझ ही से मदद चाहो।

फिर फ़रमाया कि उन शरीरों के दिलों में उनके कुफ़्र की वजह से मैं डर-ख़ौफ़ डाल दूँगा। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मुझे पाँच बातें दी गयी हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गयीं।

1. मेरी मदद रौब से की गयी है, महीने भर की राह तक।
2. मेरे लिये ज़मीन मस्जिद और वुज़ू की पाक चीज़ बनाई गयी।
3. मेरे लिये ग़नीमत के माल हलाल किये गये।
4. मुझे शफ़ाअ़त दी गयी।
5. हर नबी सिर्फ़ अपनी क़ौम की तरफ़ भेजा जाता था, और मेरी बेसत मेरी नुबुव्वत तमाम दुनिया के लिये आ़म हुई।

मुस्नद अहमद में है, आप फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने तमाम नबियों पर और बाज़ रिवायतों में है कि तमाम उम्मतों पर चार फ़ज़ीलतें अ़ता फ़रमाई हैं। मुझे तमाम दुनिया की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा गया। मेरे और मेरी उम्मत के लिये तमाम ज़मीन मस्जिद और पाक बनाई गयी। मेरे उम्मती को जहाँ नमाज़ का वक़्त आ जाये वहीं उसकी मस्जिद और उसका वुज़ू है। मेरा दुश्मन मुझसे महीने भर की राह पर हो वहीं से ख़ुदा उसका दिल रौब से भर देता है, वह काँपने लगता है। और मेरे लिये ग़नीमत के माल हलाल किये गये। एक और रिवायत में है कि मैं मदद किया गया हूँ रौब से हर दुश्मन पर। मुस्नद की एक और हदीस में है कि मुझे पाँच चीज़ें दी गयीं- मैं हर सुर्ख़ व सफ़ेद की तरफ़ भेजा गया। मेरे लिये तमाम ज़मीन वुज़ू और मस्जिद बनाई गयी (यानी वुज़ू की जगह तयम्मुम की इजाज़त दी गयी और जहाँ नमाज़ का वक़्त हो जाये वहीं नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गयी)। मेरे लिये ग़नीमतों के माल हलाल किये गये जो मुझसे पहले किसी के लिये हलाल न थे। मेरी मदद रौब से महीने भर की राह तक की गयी और मुझे शफ़ाअ़त दी गयी। तमाम अम्बिया ने शफ़ाअ़त माँग ली लेकिन मैंने अपनी शफ़ाअ़त को अपनी उम्मत के उन लोगों के लिये जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो छुपा रखी है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने अबू सुफ़ियान के दिल में रौब डाल दिया

और वह लड़ाई से लौट गया। फिर इरशाद होता है कि अल्लाह तआ़ला ने अपना वायदा सच्चा कर दिखाया और तुम्हारी मदद की। इससे यह भी इस्तिदलाल हो सकता है कि यह वायदा उहुद के दिन का था। तीन हज़ार का लश्कर दुश्मनों का था फिर भी मुक़ाबले पर आते ही उनके क़दम उखड़ गये और मुसलमानों को फ़तह व कामयाबी हासिल हुई। लेकिन फिर तीर-अन्दाज़ों की नाफ़रमानी की वजह से और बाज़ हज़रात की पस्त-हिम्मती और कम-हिम्मती की बिना पर वह वायदा जो एक शर्त के साथ था रुक गया। पस फ़रमाता है कि तुम उन्हें अपने हाथों से काटते थे। शुरू दिन में ही ख़ुदा ने तुम्हें उन पर ग़ालिब कर दिया लेकिन तुमने फिर बुज़दिली दिखाई और नबी की नाफ़रमानी की। उनकी बतलाई हुई जगह से हट गये और आपस में इख़्तिलाफ़ (मतभेद और विवाद) करने लगे। हालाँकि ख़ुदा ने तुम्हें तुम्हारी रग़बत (तमन्ना और दिलचस्पी) की चीज़ दिखा दी थी। यानी मुसलमान साफ़ तौर पर ग़ालिब आ गये थे। माले ग़नीमत आँखों के सामने मौजूद था। काफ़िर पीठ फेरकर भाग खड़े हुए थे। तुममें से बाज़ ने दुनिया-तलबी की और काफ़िरों की शिकस्त देखकर नबी के फ़रमान का ख़्याल न करके माले ग़नीमत की तरफ़ लपके। अगरचे बाज़ दूसरे नेक-नीयत और आख़िरत के चाहने वाले भी थे लेकिन इस नाफ़रमानी वग़ैरह की बिना पर काफ़िरों की फिर बन आयी और एक मर्तबा तुम्हारी पूरी आज़माईश हो गयी। ग़ालिब होकर मग़लूब हो गये। फ़तह के बाद शिकस्त हुई। लेकिन फिर भी ख़ुदा ने तुम्हारे इस जुर्म को माफ़ फ़रमा दिया, क्योंकि वह जानता है कि बज़ाहिर तुम उनसे तायदाद और सामान में कम थे। ख़ता का माफ़ होना भी 'व अ़फ़ा अ़न्कुम' में दाख़िल है और यह भी मतलब है कि कुछ मामूली सी सज़ा देकर कुछ बुज़ुर्गों की शहादत के बाद उसने अपनी आज़माईश को उठा लिया और बाक़ी लोगों को माफ़ फ़रमा दिया। अल्लाह तआ़ला ईमान वाले लोगों पर फ़ज़्ल व करम, लुत्फ़ व रहम ही करता है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद जैसी उहुद में हुई है कहीं नहीं हुई। इसी के बारे में इरशादे बारी है कि अल्लाह ने तुमसे अपना वायदा सच्चा कर दिखाया। लेकिन फिर तुम्हारी बाज़ ख़ता और ग़लतियों की वजह से मामला उल्टा हो गया। बाज़ लोगों ने दुनिया-तलबी करके भूल की, नाफ़रमानी की। यानी बाज़ तीर-अन्दाज़ों ने जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पहाड़ के दरे पर खड़ा किया था और फ़रमा दिया था कि तुम यहाँ से दुश्मनों की निगरानी करो, वे हमारी पीठ की तरफ़ से न आ जायें। अगर तुम देखो कि हम हार भी गये तो तुम अपनी जगह से न हटना, और अगर तुम देखो कि हम हर तरफ़ ग़ालिब आ गये तो भी तुम ग़नीमत जमा करने के लिये भी अपनी जगह न छोड़ना।

जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़ालिब आ गये तो तीर-अन्दाज़ों ने हुक्म का पालन नहीं किया। वे अपनी जगह को छोड़कर मुसलमानों में आ मिले और माले ग़नीमत जमा करना शुरू कर दिया। सफ़ों का कोई ख़्याल न रहा। दरे को ख़ाली पाकर मुश्रिकों ने भागना बन्द किया और सोच-विचार करके उस जगह से हमला कर दिया। चन्द मुसलमान जो अब तक वहाँ जमे खड़े थे वे शहीद हो गये और अब उन लोगों ने मुसलमानों की पीठ के पीछे से उनकी बेख़बरी में इस ज़ोर का हमला किया कि मुसलमानों के पैर न जम सके और शुरू दिन की फ़तह अब शिकस्त में बदल गयी, और यह मशहूर हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी शहीद हो गये और लड़ाई के रंग ने मुसलमानों को इसका यक़ीन दिला दिया। थोड़ी देर बाद जबकि मुसलमानों की नज़रें आपके चेहरा-ए-मुबारक पर पड़ीं तो वे अपनी सब तकलीफ़ और सारी मुसीबत भूल गये और ख़ुशी के मारे हुज़ूर की तरफ़ दौड़े। आप उधर आ रहे थे और फ़रमा रहे थे कि ख़ुदा

का सख़्त ग़ज़ब नाज़िल हो उन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह के रसूल के चेहरे को ज़ख़्मी कर दिया, उन्हें कोई हक़ न था कि इस तरह हम पर ग़ालिब आ जायें। थोड़ी देर में सुना कि अबू सुफ़ियान पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ कह रहा था:

اعل هبل اعل هبل.

"हुबुल बुत का बोल-बाला हो, हुबुल बुत का बोल-बाला हो"। अबू बक्र कहाँ है? उमर कहाँ है?

हज़रत उमर रज़ि. ने पूछा हुज़ूर इसे जवाब दूँ? आपने इजाज़त दी तो हज़रत फ़ारूक़ रज़ि. ने जवाब में फ़रमाया:

الله اعلى واجل الله اعلى واجل.

अल्लाह बहुत बुलन्द और जलाल व इज़्ज़त वाला है, अल्लाह बहुत बुलन्द और जलाल व इज़्ज़त वाला है। वह पूछने लगा कि बताओ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) कहाँ हैं? अबू बक्र कहाँ हैं? उमर कहाँ हैं? आपने फ़रमाया यह हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और यह हैं अबू बक्र सिद्दीक़ और यह हूँ मैं उमर फ़ारूक़। अबू सुफ़ियान कहने लगा यह बदर का बदला है। यूँ ही धूप-छाँव उलटती पलटती रहती है। लड़ाई की मिसाल तो कुएँ के डोल की सी है। हज़रत उमर रज़ि. ने फ़रमाया- बराबरी हरगिज़ नहीं। तुम्हारे मक़्तूल (क़त्ल होने वाले लोग) जहन्नम में गये और हमारे शहीद हज़रात जन्नत में पहुँचे। अबू सुफ़ियान कहने लगा अगर यूँ ही है तो यक़ीनन हम नुक़सान और घाटे में रहे। सुनो! अपने मक़्तूल लोगों में बाज़ नाक-कान कटे लोग भी तुम पाओगे। अगरचे यह हमारे सरदारों की राय से नहीं हुआ लेकिन हमें बुरा भी मालूम नहीं हुआ। यह हदीस ग़रीब है और यह क़िस्सा भी अ़जीब है। यह इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के मुर्सलात में से है, वह या उनके वालिद जंगे उहुद में मौजूद न थे। मुस्तद्रक हाकिम में भी यह रिवायत मौजूद है। इब्ने अबी हातिम और बैहक़ी की दलाईलुन्नुबुव्वत में यही है और सही हदीसों में इसके बाज़ हदीसों के शवाहिद (ताईदी मज़मून) भी हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि उहुद वाले दिन औ़रतें मुसलमानों के पीछे थीं जो ज़ख़्मियों की देखभाल करती थीं। मुझे तो पूरी तरह यक़ीन था कि आज के दिन हममें कोई एक भी तालिबे दुनिया नहीं। बल्कि उस वक़्त अगर मुझे इस बात पर क़सम खिलवाई जाती तो खा लेता। लेकिन क़ुरआन में यह आयत उतरी:

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا........ الخ.

यानी तुममें से बाज़ तालिबे दुनिया भी हैं।

जब सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इख़्तिलाफ़े राय (मतभेद) हुआ और आपकी नाफ़रमानी सरज़द हुई तो उनके क़दम उखड़ गये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सिर्फ़ सात अन्सारी और दो मुहाजिर बाक़ी रह गये। जब मुश्रिकों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को घेर लिया तो आप फ़रमाने लगे- अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर रहम फ़रमाये जो इन्हें हटाये तो एक अन्सारी उठ खड़े हुए और उस भारी भीड़ के मुक़ाबिले में अकेले बहादुरी के जौहर दिखाने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गये। फिर काफ़िरों ने हमला किया। आपने यही फ़रमाया। फिर एक अन्सारी तैयार हो गये और इस बहादुरी से लड़े कि उन्हें आगे न बढ़ने दिया। लेकिन आख़िरकार यह भी शहीद हो गये। यहाँ तक कि सातों सहाबा ख़ुदा के यहाँ पहुँच गये। अल्लाह उनसे ख़ुश हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

मुहाजिरों से फ़रमाया- अफ़सोस हमने अपने साथियों से इन्साफ़ का मामला न किया। अब सुफ़ियान ने बुलन्द आवाज़ से कहा कि 'हुबुल का बोल-बोला हो'। आपने फ़रमाया कहो:

الله اعلیٰ و اجل.

"अल्लाह ही बुज़ुर्गी और बुलन्दी वाला है"। अबू सुफ़ियान ने कहा:

لنا العزیٰ ولا عزی لکم.

"हमारा उज़्ज़ा बुत है तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं"।
आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कहो:

الله مولانا والکافرون لا مولی لهم.

"अल्लाह हमारा मौला है और काफ़िरों का कोई मौला नहीं"।

अबू सुफ़ियान कहने लगा आज का दिन बदर के दिन का बदला है। कोई दिन हमारा और कोई दिन तुम्हारा। यह तो हाथों-हाथ का सौदा है। एक के बदले एक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हरगिज़ बराबरी नहीं। हमारे शहीद ज़िन्दा हैं और रोज़ियाँ दिये जाते हैं और तुम्हारे मक़्तूल जहन्नम में अ़ज़ाब किये जा रहे हैं। फिर अबू सुफ़ियान बोला- अपने मक़्तूलों में तुम देखोगे कि बाज़ के कान-नाक वग़ैरह काट लिये गये हैं, लेकिन न मैंने यह कहा या इससे रोका। न इसे मैंने पसन्द किया और न नापसन्द किया, न मुझे यह भला मालूम हुआ न बुरा। अब जो देखा तो मालूम हुआ कि हज़रत हमज़ा रज़ि. का पेट चाक कर दिया गया था और हिन्दा ने उनका कलेजा लेकर चबाया था, लेकिन निगल न सकी तो उगल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नामुम्किन था कि उसके पेट में हमज़ा का ज़रा सा गोश्त भी चला जाये। ख़ुदा तआ़ला हमज़ा के किसी बदनी अंग को जहन्नम में ले जाना नहीं चाहता। चुनाँचे हज़रत हमज़ा रज़ि. के जनाज़े को अपने सामने रखकर नमाज़े जनाज़ा अदा की। फिर एक अन्सारी रज़ि. का जनाज़ा लाया गया वह हज़रत हमज़ा के बराबर में रखा गया और आपने फिर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। अन्सारी का जनाज़ा उठा लिया गया लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ि. का जनाज़ा वहीं रहा। इसी तरह सत्तर शख़्स लाये गये और हज़रत हमज़ा रज़ि. की सत्तर दफ़ा जनाज़े की नमाज़ पढ़ी गयी। (मुस्नद)

सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत बरा रज़ि. से रिवायत है कि उहुद वाले दिन मुश्रिकों से हमारी मुठभेड़ हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीर-अन्दाज़ों की एक जमाअ़त को अलग बैठा दिया और उनकी सरदारी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि. को सौंपी और फ़रमा दिया कि अगर तुम हमें उन पर ग़ालिब आता हुआ देखो तो भी यहाँ से न हटना और वे हम पर ग़ालिब आ जायें तो भी तुम अपनी जगह न छोड़ना। लड़ाई शुरू होते ही ख़ुदा के फ़ज़्ल से मुश्रिकों के क़दम पीछे पड़ने लगे। यहाँ तक कि औरतें भी तहबंद ऊँचा करके पहाड़ों में इधर-उधर दौड़ने लगीं। अब तीर-अन्दाज़ गिरोह ग़नीमत-ग़नीमत कहता हुआ नीचे उतर आया। अगरचे उनके अमीर ने उन्हें लाख समझाया लेकिन किसी ने उनकी न सुनी। बस अब मुश्रिकीन मुसलमानों की पीठ की तरफ़ से आ पड़े और सत्तर बुज़ुर्ग शहीद हो गये।

अबू सुफ़ियान एक टीले पर चढ़कर कहने लगा- क्या मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ज़िन्दा हैं? क्या अबू बक्र मौजूद हैं? क्या उमर ज़िन्दा हैं? लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़रमान से सहाबा ख़ामोश रहे तो वह ख़ुशी के मारे उछल पड़ा और कहने लगा कि ये सब हमारी तलवारों के घाट

उतर गये। अगर ज़िन्दा होते तो ज़रूर जवाब देते। अब हज़रत उमर रज़ि. को बरदाश्त की ताक़त न रही। फ़रमाने लगे ऐ दुश्मने ख़ुदा! तू झूठा है। अल्लाह का शुक्र है हम सब मौजूद हैं और तेरी तबाही और बरबादी करने वाले ख़ुदा ने बाक़ी रखे हैं। फिर वे बातें हुईं जो ऊपर बयान हो चुकी हैं।

सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जंगे उहुद में मुश्रिकों को शिकस्त हुई और इब्लीस ने आवाज़ लगाई ऐ अल्लाह के बन्दो! अपने पीछे की ख़बर लो। अगली जमाअ़तें पिछली जमाअ़तों पर टूट पड़ीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. ने देखा कि मुसलमानों की तलवारें उनके वालिद हज़रत यमान रज़ि. पर बरस रही हैं। यह लाख कहते रहे कि ऐ अल्लाह के बन्दो! यह मेरे बाप यमान हैं, मगर कौन सुनता था, वे तो यूँ ही शहीद हो गये। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. ने कुछ न कहा, बल्कि फ़रमाया अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. की यह भलाई उनके आख़िर दम तक उनमें रही। सीरत इब्ने इस्हाक़ में है, हज़रत ज़ुबैर बिन अ़व्वाम रज़ि. फ़रमाते हैं- मैंने ख़ुद देखा कि मुसलमानों के पहले हमले में ही मुश्रिक भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि उनकी औ़रतें हिन्दा वग़ैरह तहबंद उठाये तेज़-तेज़ दौड़ रही थीं, लेकिन उसके बाद जब तीर-अन्दाज़ों ने अपनी जगह छोड़ी और काफ़िरों ने सिमटकर पीछे की तरफ़ से हम पर हमला कर दिया। उधर किसी ने आवाज़ लगाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शहीद हो गये। पस फिर मामला उलट गया, वरना हम मुश्रिकों के झण्डा उठाने वालों तक पहुँच चुके थे और झण्डा उनके हाथ से गिर पड़ा था। लेकिन अ़मरा बिन्ते अ़ल्क़मा हारिसिया औ़रत ने उसे थाम लिया और क़ुरैश का मजमा फिर यहाँ जमा हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. के चचा हज़रत अनस बिन नज़र रज़ि. यह रंग देखकर हज़रत उमर, हज़रत तल्हा वग़ैरह के पास आते हैं और फ़रमाते हैं- तुमने क्यों हिम्मतें छोड़ दीं। वे जवाब देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो शहीद हो गये। हज़रत अनस रज़ि. ने फ़रमाया- फिर जी कर क्या करोगे? यह कहा और मुश्रिकों में घुसे, फिर लड़ते रहे यहाँ तक कि ख़ुदा से जा मिले। रज़ियल्लाहु अ़न्हु। यह बदर वाले दिन जिहाद में नहीं पहुँच सके थे तो अ़हद किया था कि आईन्दा अगर कोई मौक़ा आया तो मैं दिखा दूँगा। चुनाँचे इस जंग में वह मौजूद थे। जब मुसलमानों में खलबली मची तो इन्होंने कहा ख़ुदाया मैं मुसलमानों के इस काम से माज़ूर हूँ और मुश्रिकों के इस काम से बरी हूँ। फिर अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गये। रास्ते में हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ि. से मिले और कहने लगे- कहाँ जा रहे हो? मुझे तो जन्नत की ख़ुशबू की लपटें उहुद पहाड़ से महसूस हो रही हैं। चुनाँचे मुश्रिकों में घुस गये और बड़ी बहादुरी से लड़े, यहाँ तक कि शहादत हासिल की। अस्सी से ऊपर तीर व तलवार के ज़ख़्म बदन पर आये थे। पहचाने न जाते थे उंगलियों के पोरियाँ देखकर पहचाने गये।

एक इल्ज़ाम और उसकी हक़ीक़त

सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि एक हाजी ने बैतुल्लाह शरीफ़ में एक मज्लिस देखकर पूछा- ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा क़ुरैशी हैं। पूछा इनके शैख़ कौन हैं? जवाब मिला हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर हैं। अब यह आया और कहने लगा- मैं कुछ मालूम करना चाहता हूँ। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया पूछो। उसने कहा आपको इस बैतुल्लाह की हुर्मत (सम्मान व इज़्ज़त) की क़सम! क्या आपको इल्म है कि (हज़रत) उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान उहुद वाले दिन भाग गये थे? आपने जवाब दिया हाँ। कहा क्या आपको मालूम है कि वह बदर वाले दिन भी हाज़िर नहीं हुए थे? फ़रमाया हाँ। कहा क्या आप जानते हैं कि वह बैअ़ते रिज़वान में भी शरीक नहीं हुए थे? फ़रमाया यह भी ठीक है। अब उसने (ख़ुश होकर) तकबीर कही। हज़रत

अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया- इधर आ। अब मैं तुझे पूरे वाक़िए सुनाता हूँ। उहुद वाले दिन भागना तो अल्लाह ने माफ़ फ़रमा दिया। बदर के दिन की ग़ैर-हाज़िरी का कारण यह हुआ कि आपके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की साहिबज़ादी थीं और वह सख़्त बीमार थीं तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया था कि तुम मदीना में ही रहो। तुम्हें अल्लाह तआ़ला इस जंग में हाज़िर होने का अज्र देगा और ग़नीमत में भी तुम्हारा हिस्सा है। बैअ़ते रिज़वान का वाक़िआ़ यह है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का वालों के पास अपना पैग़ाम देकर भेजा था। इसलिये कि मक्का में जो इज़्ज़त उन्हें हासिल थी किसी और को न थी। उनके तशरीफ़ लेजाने के बाद यह बैअ़त ली गयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना दाहिना हाथ खड़ा करके कहा यह उस्मान का हाथ है। फिर अपने दूसरे हाथ पर रखा (गोया बैअ़त की), फिर उस शख़्स से कहा अब जा और इसे भी साथ ले जा। फिर फ़रमायाः

اِذْ تُصْعِدُوْنَ...... الخ.

यानी तुम अपने दुश्मन से भागकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे और मारे ख़ौफ़ व दहशत के दूसरी तरफ़ तवज्जोह भी नहीं कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी तुमने वहीं छोड़ दिया था। वे तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे और समझा रहे थे कि भागो नहीं, लौट आओ। हज़रत सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि मुश्रिकों के इस ज़ोरदार और अचानक हमले से मुसलमानों के क़दम उखड़ गये। कुछ तो मदीना की तरफ़ लौट आये कुछ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गये। अल्लाह का नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आवाज़ें देता रहा कि अल्लाह के बन्दो मेरी तरफ़ आओ। इस वाक़िए का बयान इस आयत में है।

अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ोहरी शायर ने इस वाक़िए को नज़्म में भी अदा किया है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस वक़्त सिर्फ़ बारह आदमियों के साथ रह गये थे। मुस्नद अहमद की एक लम्बी हदीस में भी इन तमाम वाक़िआ़त का ज़िक्र है। दलाईलुन्नुबुव्वत में है कि जब शिकस्त हुई तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सिर्फ़ ग्यारह शख़्स रह गये और एक हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि. थे। आप पहाड़ पर चढ़ने लगे लेकिन मुश्रिकों ने आ घेरा। आपने अपने साथियों की तरफ़ होकर फ़रमाया- कोई है जो इनसे मुक़ाबला करे? हज़रत तल्हा रज़ि. ने इस आवाज़ पर फ़ौरन लब्बैक कहा और तैयार हो गये। लेकिन आपने फ़रमाया अभी ठहर जाओ, अब एक अन्सारी तैयार हुए और वे उनसे लड़ने लगे। यहाँ तक कि शहीद हुए। इसी तरह सबके सब एक-एक करके शहीद हो गये और अब सिर्फ़ हज़रत तल्हा रह गये। अगरचे यह बुज़ुर्ग हर मर्तबा तैयार हो जाते थे लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इन्हें रोक लिया करते थे। आख़िर यह मुक़ाबले पर आये और इस तरह जमकर लड़े कि उन सबकी लड़ाई एक तरफ़ और इनकी एक तरफ़। इस लड़ाई में इनकी उंगलियाँ कट गयीं तो ज़बान से 'हस' निकल गया। आपने फ़रमाया अगर तुम बिस्मिल्लाह कह देते या अल्लाह का नाम लेते तो तुम्हें फ़रिश्ते उठा लेते, आसमान की बुलन्दी की तरफ़ ले चढ़ते और लोग देखते रहते। अब नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने सहाबा के मजमे में पहुँच चुके थे।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत क़ैस बिन हाज़िम रज़ि. फ़रमाते हैं- मैंने देखा कि हज़रत तल्हा रज़ि. का वह हाथ जिसे उन्होंने ढाल बनाया था, बेजान हो गया था। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने तिरकश से उहुद वाले दिन तमाम तीर

फैला दिये और फ़रमाया- तुझ पर मेरे माँ-बाप फ़िदा हों, ले मुश्रिकों को मार। आप उठा-उठाकर देते जाते थे और मैं ताक-ताककर मुश्रिकों को मारता जाता था। उस दिन मैंने दो शख़्सों को देखा कि हुज़ूर के दायें-बायें थे और ख़ूब लड़ रहे थे, मैंने न तो उससे पहले कभी उन्हें देखा था, न उसके बाद। ये दोनों हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अ़लैहिमस्सलाम थे।

एक और रिवायत में है कि जो बुज़ुर्ग हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे और एक-एक होकर शहीद हुए थे उन्हें आप फ़रमाते जाते थे- कोई है जो इन्हें रोके और जन्नत में जाये, जन्नत में मेरा रफ़ीक़ (साथी) बने। उबई बिन ख़लफ़ ने मक्का में क़सम खाई थी कि मैं मुहम्मद को क़त्ल करूँगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने फ़रमाया- वह तो नहीं, बल्कि मैं इन्शा-अल्लाह तआ़ला उसे क़त्ल करूँगा। उहुद वाले दिन यह ख़बीस सर से पैर तक लोहे में डूबा हुआ ज़िरह बक्तर लगाये हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ बढ़ा और यह कहता आता था, अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) बच गये तो मैं अपने आपको हलाक कर डालूँगा। उधर से हज़रत मुस्अ़ब बिन उमैर रज़ि. इस नापाक की तरफ़ बढ़े लेकिन आप शहीद हो गये। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी तरफ़ बढ़े। उसका सारा जिस्म लोहे में छुपा हुआ था, सिर्फ़ ज़रा-सी पेशानी नज़र आ रही थी। आपने अपना नेज़ा ताक कर वहीं लगाया जो ठीक निशाने पर बैठा और वह तड़पकर घोड़े से गिरा। अगरचे उस ज़ख़्म से ख़ून भी न निकला था लेकिन उसकी हालत थी कि बिलबिला रहा था। लोगों ने उसे उठा लिया, लश्कर में ले गये और तसल्ली देने लगे कि ऐसा कोई कारी (बहुत सख़्त) ज़ख़्म नहीं लगा। क्यों इस क़द्र बेहिम्मती दिखाता है? आख़िर उनके तानों से मजबूर होकर उसने कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने कहा है कि मैं उबई को क़त्ल करूँगा। सच मानो तो मैं अब कभी नहीं बच सकता। तुम इस पर न जाओ कि मुझे ज़रा सी ख़राश आई है। ख़ुदा की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर तमाम मजाज़ वालों को इतना ज़ख़्म उस हाथ से लग जाता तो सब हलाक हो जाते। पस यूँ ही तड़पते-तपड़ते और बिलखते-बिलखते उस जहन्नमी की हलाकत हुई और मरकर जहन्नम रसीद हुआ।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ के मग़ाज़ी में है कि जब यह शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने हुआ तो सहाबा ने इसके मुक़ाबले की इच्छा की लेकिन आपने उन्हें रोक दिया और फ़रमाया- इसे आने दो। जब वह क़रीब आ गया तो आपने हज़रत हारिस बिन सिम्मा से नेज़ा लेकर उस पर हमला किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ में नेज़ा देखकर ही वह काँप उठा। हमने उसी वक़्त समझ लिया कि उसकी ख़ैर नहीं। आपने उसकी गर्दन पर वार किया और वह लड़खड़ा कर घोड़े पर से गिरा। हज़रत इब्ने उमर रज़ि. का बयान है कि राबिग़ के क़रीब उस काफ़िर को मौत आयी। एक मर्तबा मैं रात के आख़िरी हिस्से में यहाँ से गुज़रा तो मैंने एक जगह से आग के दहशत-नाक शोले उठते हुए देखे और देखा कि एक शख़्स को ज़न्जीरों में जकड़े हुए उसे आग में घसीटा जा रहा है और वह प्यास-प्यास कर रहा है। और दूसरा शख़्स कहता है इसे पानी न देना यह पैग़म्बर के हाथ का मारा हुआ है। यह उबई बिन ख़लफ़ है।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की एक हदीस में है कि आप अपने सामने के चार दाँतों की तरफ़ जिन्हें मुश्रिकों ने उहुद वाले दिन शहीद किया था इशारा करके फ़रमा रहे थे- ख़ुदा का सख़्त ग़ज़ब उन लोगों पर है जिन्होंने अपने नबी के साथ यह किया और उस पर भी ख़ुदा का ग़ज़ब है जिसे अल्लाह का रसूल क़त्ल करे। एक और रिवायत में ये लफ़्ज़ हैं कि जिन लोगों ने ख़ुदा के रसूल का चेहरा ज़ख़्मी किया। उतबा बिन

अबी वक़्क़ास के हाथ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह ज़ख़्म लगा था, सामने के चार दाँत टूट गये थे। रुख़्सार (गाल) पर ज़ख़्म आया था और होंठ पर भी। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. फ़रमाया करते थे कि मुझे जिस क़द्र उस शख़्स के क़त्ल की तमन्ना थी किसी और के क़त्ल की न थी। यह शख़्स बड़ा बद-अख़्लाक़ था और सारी क़ौम उसकी दुश्मन थी। उसकी बुराई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमान काफ़ी है कि नबी को ज़ख़्मी करने वाले पर ख़ुदा सख़्त ग़ज़बनाक है।

मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके लिये बद्दुआ़ की कि ख़ुदाया साल भर में यह हलाक हो जाये और कुफ़्र पर इसकी मौत हो। चुनाँचे यही हुआ और यह बदबख़्त काफ़िर मरा और जहन्नम वासिल हुआ। एक मुहाजिर का बयान है कि उहुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हर तरफ़ से तीर बरस रहे थे लेकिन ख़ुदा की क़ुदरत से उन सबके रुख़ फेर दिये जाते थे। अ़ब्दुल्लाह बिन शिहाब ज़ोहरी ने उस दिन क़सम खाकर कहा कि मुझे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को दिखा दो, वह आज मेरे हाथ से बच नहीं सकता। अगर वह निजात पा गया तो मेरी निजात नहीं। अब वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ लपका और बिल्कुल आपके पास आ गया। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ कोई न था, लेकिन ख़ुदा ने उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नज़र ही न आये। जब वह नामुराद पल्टा तो सुफ़ियान ने उसे ताना मारा। उसने कहा ख़ुदा की क़सम मैंने उनको देखा ही नहीं। वल्लाह वह ख़ुदा की तरफ़ से महफ़ूज़ हैं हमारे हाथ नहीं लगेंगे। सुनो! हम चार शख़्सों ने उनके क़त्ल का पुख़्ता मश्विरा किया था और आपस में अ़हद व पैमान किये थे। हमने बहुत चाहा लेकिन कामयाबी न हुई। वाक़िदी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पेशानी ज़ख़्मी करने वाला इब्ने क़मीआ़ और होंठ और दाँतों पर ज़ख़्म पहुँचाने वाला उतबा बिन अबी वक़्क़ास था। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान है कि मेरे वालिद हज़रत अबू बक्र रज़ि. जब उहुद का ज़िक्र फ़रमाते तो साफ़ कहते कि उस दिन की सारी की सारी फ़ज़ीलत का सेहरा हज़रत तल्हा के सर है। जब मैं लौटकर आया तो मैंने देखा कि एक शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिमायत में जान तोड़कर लड़ रहा है, मैंने कहा ख़ुदा करे यह तल्हा हो। अब जो क़रीब आकर देखा तो तल्हा ही थे। मैंने कहा अल्हम्दु लिल्लाह मेरी ही क़ौम का एक शख़्स है। मेरे और मुश्रिकों के दरमियान एक शख़्स था जो मुश्रिकों में खड़ा हुआ था लेकिन उसके बेपनाह हमले मुश्रिकों की हिम्मत तोड़ रहे थे। ग़ौर से देखा तो वह हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह थे। अब जो मैंने ध्यान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ देखा तो आपके सामने के दाँत टूट गये हैं। चेहरा ज़ख़्मी हो रहा है और पेशानी में ज़िरह की दो कड़ियाँ घुस गयी हैं। मैं आपकी तरफ़ लपका लेकिन आपने फ़रमाया तल्हा की ख़बर लो। मैंने चाहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरे में से वे दोनों कड़ियाँ निकालूँ लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ि. ने मुझे क़सम देकर रोक दिया, ख़ुद क़रीब आये और हाथ से निकालने में ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करके दाँतों से पकड़कर एक को निकाल लिया लेकिन इसमें उनका दाँत भी टूट गया। मैंने अब फिर चाहा कि दूसरी मैं निकाल लूँ लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ि. ने फिर क़सम दी तो मैं रुका रहा। उन्होंने फिर दूसरी कड़ी निकली। अब की मर्तबा भी उनके दाँत टूटे। इससे फ़ारिग़ होकर हम हज़रत तल्हा की तरफ़ मुतवज्जह हुए। हमने देखा कि सत्तर से ज़्यादा ज़ख़्म उन्हें लग चुके हैं, उंगलियाँ कट गयी हैं। हमने फिर

उनकी भी ख़बर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़ख़्म का ख़ून हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ने चूसा ताकि ख़ून थम जाये। उनसे कहा गया कि कुल्ली कर डालो, लेकिन उन्होंने कहा ख़ुदा की क़सम मैं कुल्ली न करूँगा। फिर मैदाने जंग में चले गये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया अगर कोई शख़्स जन्नती को देखना चाहता हो तो इन्हें देख ले। चुनाँचे यह उसी मैदान में शहीद हुए।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का चेहरा ज़ख़्मी हुआ, सामने के दाँत टूटे, सर का खुद टूटा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ख़ून धोती थीं और हज़रत अ़ली रज़ि. ढाल में पानी ला-लाकर डालते जाते थे। जब देखा कि ख़ून किसी तरह थमता ही नहीं तो हज़रत फ़ातिमा रज़ि. ने बोरिया जलाकर उसकी राख ज़ख़्म पर रख दी जिससे ख़ून बन्द हुआ। फिर फ़रमाता है कि ग़म पर ग़म पहुँचा। एक ग़म तो शिकस्त का जबकि यह मशहूर हो गया कि ख़ुदा न ख़्वास्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जान पर बन आयी। दूसरा ग़म मुश्रिकों को पहाड़ के ऊपर ग़ालिब आकर चढ़ जाने का। जबकि हुज़ूर फ़रमाते थे कि उन्हें यह बुलन्दी लायक़ न थी।

हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ फ़रमाते हैं कि एक ग़म शिकस्त का, दूसरा ग़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़त्ल की ख़बर का, और यह ग़म पहले ग़म से भी ज़्यादा था। इसी तरह यह भी है कि एक ग़म तो ग़नीमत का हाथ में आकर निकल जाने का, दूसरा शिकस्त होने का। इसी तरह एक ग़म अपने भाईयों के क़त्ल का, दूसरा ग़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में ऐसी मन्हूस ख़बर का।

फिर फ़रमाता है कि जो ग़नीमत और फ़तह तुमसे निकल गयी और जो ज़ख़्म व शहादत मिली उस पर ग़म न खाओ। अल्लाह तआ़ला जो बुलन्दी और जलाल वाला है वह तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۭ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۭ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۭ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۭ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى

फिर अल्लाह तआ़ला ने उस ग़म के बाद तुम पर चैन भेजा यानी ऊँघ, कि तुममें से एक जमाअ़त पर तो उसका ग़लबा हो रहा था, और एक जमाअ़त वह थी कि उनको अपनी जान ही की फ़िक्र पड़ रही थी, वे लोग अल्लाह तआ़ला के साथ ख़िलाफ़े हक़ीक़त ख़्यालात कर रहे थे जो कि महज़ बेवक़ूफ़ी का ख़्याल था। वे यूँ कह रहे थे- क्या हमारा कुछ इख़्तियार चलता है? आप फ़रमा दीजिए कि इख़्तियार तो सब अल्लाह ही का है। वे लोग अपने दिलों में ऐसी बात छुपाकर रखते हैं जिसको आपके सामने ज़ाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारा कुछ इख़्तियार चलता तो हम यहाँ क़त्ल न किए जाते, आप फ़रमा दीजिए कि तुम लोग घरों में भी रहते तब भी जिन लोगों के लिए क़त्ल होना मुक़द्दर हो चुका है वे लोग उन जगहों की तरफ़ निकल पड़ते जहाँ वे गिरे हैं। और यह (जो कुछ

مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

हुआ) इसलिए हुआ ताकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे बातिन की बात की आज़माईश करे और ताकि तुम्हारे दिलों की बात को साफ़ कर दे, और अल्लाह तआ़ला सब बातिन की बातों को ख़ूब जानते हैं। (154) यक़ीनन तुममें से जिन लोगों ने पीठ फेर दी थी जिस दिन कि दोनों जमाअ़तें आपस में आमने-सामने हुईं, इसके सिवा और कोई बात नहीं हुई कि उनको शैतान ने बहका दिया उनके बाज़ आमाल के सबब, और यक़ीन समझो कि अल्लाह तआ़ला ने उनको माफ़ फ़रमा दिया। वाक़ई अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़े इल्म वाले हैं। (155)

रहमत की हवायें

अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों पर उस रंज व ग़म के वक़्त जो एहसान फ़रमाया था उसका बयान हो रहा है कि उसने उन पर ऊँघ डाल दी। हथियार हाथ में हैं, दुश्मन सामने हैं लेकिन दिल में इतना सुकून व इत्मीनान है कि आँखें ऊँघ से झपकी जा रही हैं, जो अमन व अमान की निशानी है। जैसे सूरः अन्फ़ाल में बदर के वाक़िए में है:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ.

यानी ख़ुदा की तरफ़ से ऊँघ की सूरत में अमन नाज़िल हुआ।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि लड़ाई के वक़्त ऊँघ ख़ुदा की तरफ़ से है और नमाज़ में ऊँघ का आना शैतानी हरकत है। हज़रत अबू तल्हा रज़ि. का बयान है कि उहुद वाले दिन मुझे ज़ोर की ऊँघ आने लगी कि बार-बार तलवार मेरे हाथ से छूट-छूट गयी। आप फ़रमाते हैं- जब मैंने आँख उठाकर देखा तो तक़रीबन हर शख़्स को इसी हालत में पाया। हाँ अलबत्ता एक जमाअ़त वह भी थी जिनके दिलों में निफ़ाक़ था, ये ख़ौफ़ व दहशत की वजह से हलाक हो रहे थे और उनकी बदगुमानियाँ और बुरे ख़्यालात इन्तिहा को पहुँच चुके थे। पस ईमान व यक़ीन वाले, दीन पर जमाव वाले, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करने वाले तो यक़ीन करते थे कि ख़ुदा अपने रसूल की ज़रूर मदद करेगा और उनकी मुँह माँगी मुराद पूरी होकर रहेगी। लेकिन निफ़ाक़ व शक वाले, बेयक़ीन, ढुलमुल ईमान वालों की अ़जीब हालत थी। उनकी जान अ़ज़ाब में थी। वे हाय-वाय कर रहे थे और उनके दिल में तरह-तरह के ख़्यालात थे। उन्हें पूरा यक़ीन था कि अब मरे। वे जान चुके थे कि रसूल और मोमिन नहीं रहे, अब बचाव की कोई सूरत नहीं। वास्तव में मुनाफ़िक़ों का यही हाल है कि जहाँ ज़रा नीचा पाँसा देखा और नाउम्मीदी की घंघोर घटाओं ने उन्हें घेर लिया। जबकि ईमान वाले उनके उलट बुरे से बुरे हालात में भी ख़ुदा से नेक गुमान रखते हैं, उनके

दिलों के ख़्यालात यह थे कि अगर हमारा कुछ भी बस चलता तो आज की मौत से बच रहते और चुपके-चुपके इस बात को कहते भी थे।

हज़रत ज़ुबैर रज़ि. का बयान है कि उस सख़्त ख़ौफ़ के वक़्त हमें इस क़द्र नींद आने लगी कि हमारी ठोड़ियाँ सीनों से लग गयीं। मैंने अपनी इसी हालत में मातब बिन क़ुशैर के ये अलफ़ाज़ सुने- अगर हमें कुछ भी इख़्तियार होता तो यहाँ क़त्ल न होते। अल्लाह तआ़ला उन्हें फ़रमाता है कि यह तो अल्लाह की मुक़द्दर की हुई चीज़ें हैं, मरने का वक़्त नहीं टलता चाहे तुम घरों में होते। लेकिन फिर भी जिन पर यहाँ कटना लिखा जा चुका था वे घरों को छोड़कर निकल खड़े होते और यहाँ मैदान में आ डटते। ख़ुदा का लिखा पूरा उतरता। यह वक़्त इसलिये था कि ख़ुदा तुम्हारे दिलों के इरादों और तुम्हारे छुपे भेदों को ज़ाहिर कर दे। इस आज़माईश से भले और बुरे, नेक और बद में तमीज़ (फ़र्क़) हो गयी। अल्लाह तआ़ला जो दिलों के भेद और इरादों से पूरी तरह वाक़िफ़ है, उसने इस ज़रा से वाक़िए से मुनाफ़िक़ों को ज़ाहिर कर दिया और मुसलमानों का भी ज़ाहिरी इम्तिहान हो गया।

मुसलमानों की एक ग़लती और चूक

अब सच्चे मुसलमानों की चूक और ग़लती का बयान हो रहा है, जो इनसानी कमज़ोरी की वजह से उनसे हुई। फ़रमाता है कि यह ग़लती और चूक उनसे शैतान ने करा दी और दर असल यह उनके अ़मल का नतीजा था। न ये रसूल की नाफ़रमानी करते न इनके क़दम उखड़ते। इन्हें ख़ुदा तआ़ला माज़ूर जानता है और इनसे दरगुज़र फ़रमा लिया और इनकी उस ख़ता को माफ़ कर दिया। ख़ुदा का काम ही गुनाह और ग़लती करने वालों को बख़्शना और माफ़ फ़रमाना है, हिल्म और बुर्दबारी बरतना, संयम और माफ़ करना है। इससे मालूम हुआ कि हज़रात उस्मान रज़ि. वग़ैरह की इस भूल को अल्लाह तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया। मुस्नद अहमद में है कि वलीद बिन उक़बा ने एक मर्तबा हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि. से कहा कि आख़िर तुम अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान से इस क़द्र क्यों बिगड़े हुए हो? उन्होंने कहा उनसे कह दो कि मैंने उहुद वाले दिन भागने की राह नहीं पकड़ी थी। बदर की लड़ाई में ग़ैर-हाज़िर नहीं रहा, और न हज़रत उमर का रास्ता छोड़ा। वलीद ने जाकर हज़रत उस्मान रज़ि. से यह वाक़िआ़ बयान किया तो आपने इसके जवाब में फ़रमाया कि क़ुरआन कह रहा है:

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ.

यानी उहुद वाले दिन की इस ग़लती और चूक से अल्लाह तआ़ला ने दरगुज़र फ़रमाया। फिर जिस ख़ता को ख़ुदा ने माफ़ कर दिया उस पर शर्म दिलाना कैसा? बदर वाले दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बेटी, अपनी बीवी हज़रत रुक़ैया की तीमारदारी में मसरूफ़ था। यहाँ तक कि वह उस बीमारी में इन्तिक़ाल कर गयीं। चुनाँचे मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माले ग़नीमत में से पूरा हिस्सा दिया, और ज़ाहिर है कि हिस्सा उन्हें मिलता है जो मौजूद हों। पस हुक्म के एतिबार से मेरी मौजूदगी साबित हुई। रहा हज़रत उमर का तरीक़ा, तो इसकी ताक़त न मुझमें है न अ़ब्दुर्रहमान में। जाओ उन्हें यह जवाब भी पहुँचा दो।

يَـآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَـانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَـامَـاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَـجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَ الـلّٰهُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۗ وَالـلّٰـهُ بِـمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّـنَ الـلّٰـهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○ وَلَـئِـنْ مُّتُّـمْ اَوْ قُتِلْـتُـمْ لَا اِلَـى الـلّٰـهِ تُحْشَرُوْنَ ○

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कि काफ़िर हैं और कहते हैं अपने भाईयों के बारे में जबकि वे किसी इलाक़े में सफ़र करते हैं, या वे लोग कहीं ग़ाज़ी बनते हैं कि अगर ये लोग हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते, ताकि अल्लाह तआ़ला इस बात को उनके दिलों में हसरत का पैदा करने वाला कर दें, और जिलाता-मारता तो अल्लाह ही है, और अल्लाह तआ़ला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे हैं। (156) और अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो लाज़िमी तौर पर अल्लाह के पास की मग़फ़िरत और रहमत उन चीज़ों से बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं। (157) और अगर तुम लोग मर गए या मारे गए तो ज़रूर ही अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। (158)

ये अक़ीदे बेबुनियाद और ग़लत हैं

अल्लाह तआ़ला अपने मोमिन बन्दों को काफ़िरों जैसे फ़ासिद (ख़राब और बुरे) एतिक़ाद रखने की मनाही फ़रमा रहा है। ये काफ़िर समझते थे कि उनके लोग जो सफ़र में या लड़ाई में मरे अगर वे सफ़र और लड़ाई न करते तो न मरते। फिर फ़रमाता है कि यह बातिल ख़्याल भी उनकी हसरत व अफ़सोस को बढ़ाने वाला है। दर असल मौत व ज़िन्दगी ख़ुदा के हाथ में है, मरता है उसकी मशीयत से और ज़िन्दगी मिलती है तो उसके इरादे से, तमाम मामलात का जारी करना उसके क़ब्ज़े में है। उसकी क़ज़ा व क़द्र (यानी तय किये हुए मामलात) टलती नहीं। उसके इल्म से और उसकी निगाह से कोई बाहर नहीं। तमाम मख़्लूक़ के हर-हर मामले को वह अच्छी तरह जानता है।

दूसरी आयत बतला रही है कि अल्लाह तआ़ला की राह में क़त्ल होना या मरना अल्लाह की मग़फ़िरत व रहमत का ज़रिया है, और यह क़तअ़न दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज़ से बेहतर है। क्योंकि यह फ़ानी है और वह बाक़ी और हमेशा रहने वाला है। फिर इरशाद होता है कि चाहे किसी तरह दुनिया छोड़ो, मरकर या क़त्ल होकर लौटना तो अल्लाह ही की तरफ़ है। फिर अपने आमाल का बदला अपनी आँखों से देख लोगे, बुरा हो तो और भला हो तो।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ

उसके बाद ख़ुदा ही की रहमत के सबब आप उनके साथ नरम रहे। और अगर आप कड़वे मिज़ाज वाले सख़्त तबीयत के होते तो आपके पास से सब मुन्तशिर हो जाते "यानी अलग और इधर-उधर हो जाते" सो आप उनको माफ़ कर दीजिए और आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए और उनसे ख़ास-ख़ास बातों में मशिवरा लेते रहा कीजिए। फिर जब आप राय पुख़्ता कर लें तो ख़ुदा तआ़ला पर भरोसा कीजिए, बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे भरोसा करने वालों से मुहब्बत फ़रमाते हैं। (159) अगर हक़ तआ़ला तुम्हारा साथ दें तब तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, और अगर तुम्हारा साथ न दें तो उसके बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारा साथ दे (और ग़ालिब कर दे)। और ईमान वालों को सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखना चाहिए। (160) और नबी की यह शान नहीं कि वह ख़ियानत करे। हालाँकि जो शख़्स ख़ियानत करेगा वह शख़्स अपनी ख़ियानत की हुई चीज़ को क़ियामत के दिन हाज़िर करेगा। फिर हर शख़्स को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा, और उन पर बिल्कुल ज़ुल्म न होगा। (161) सो ऐसा शख़्स जो कि अल्लाह की रिज़ा का ताबे हो, क्या वह उस शख़्स के जैसा हो जाएगा जो कि अल्लाह के ग़ज़ब का मुस्तहिक़ हो और उस का ठिकाना दोज़ख़ हो? और वह जाने की बुरी जगह है। (162) ये (जिनका ज़िक्र हुआ) दर्जों में मुख़्तलिफ़ होंगे अल्लाह तआ़ला के यहाँ, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब देखते हैं उनके आमाल को। (163) हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों पर एहसान किया जबकि उनमें उन्हीं की जिन्स "यानी नस्ल और जमाअ़त में" से एक ऐसे पैग़म्बर को भेजा कि वह उन लोगों को अल्लाह तआ़ला की आयतें

پڑھ-पढ़कर सुनाते हैं और उन लोगों की सफ़ाई करते रहते हैं और उनको किताब और समझ की बातें बतलाते रहते हैं, और यक़ीनन ये लोग पहले से खुली ग़लती में थे। (164)	ايٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से भी मोमिनों के लिये माफ़ी और दिल की सफ़ाई की ख़्वाहिश

अल्लाह तआ़ला अपने नबी पर और मुसलमानों पर एहसान जताता है कि नबी के मानने वालों और उनकी नाफ़रमानी से बचने वालों के लिये ख़ुदा ने नबी के दिल को नर्म कर दिया है। अगर उसकी रहमत न होती तो इतनी नर्मी और आसानी न होती। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं- यानी अल्लाह की रहमत से तो उनके लिये नर्म दिल हुआ है। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अख़्लाक़ हैं जिन पर आपकी बेसत हुई (यानी आपको नबी बनाकर भेजा गया) है। यह आयत भी इस आयत जैसी है:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ...............الخ.

(सूरः तौबा आयत 128) यानी तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आये, जिस पर तुम्हारी मुसीबतें भारी गुज़रती हैं, जो तुम्हारे ईमान और ख़ैर की तमन्ना रखते हैं, जो मोमिनों पर शफ़क़त और रहम वाले हैं।

मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ि. का हाथ पकड़कर फ़रमाया- ऐ अबू उमामा! बाज़ मोमिन वे हैं जिनके लिये मेरा दिल तड़प उठता है। "फ़ज़्ज़न" से मुराद यहाँ सख़्त कलाम है। क्योंकि इसके बाद "ग़लीज़ुल-क़ल्ब" का लफ़्ज़ है, यानी सख़्त दिल। फ़रमान है कि ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! अगर तुम सख़्त-कलाम और सख़्त-दिल होते तो ये लोग तुम्हारे पास से अलग हो जाते और तुम्हें छोड़ देते। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने उन्हें आपका फ़िदाई शैदाई बना दिया है और उनको आपके साथ दिली ताल्लुक़ है, इसलिये आपको भी उनके हक़ में मुहब्बत और नर्मी अ़ता फ़रमाई है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़तों को पहली किताबों में भी पाता हूँ कि आप सख़्त-कलाम, सख़्त-दिल, बाज़ारों में शोर मचाने वाले और बुराई का बदला बुराई से लेने वाले नहीं। बल्कि दरगुज़र करने वाले और माफ़ी देने वाले हैं।

तिर्मिज़ी की एक ग़रीब हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- लोगों की ख़ैरख़्वाही (भला चाहने) और चश्मपोशी (उनकी बुराईयों से आँख बचा लेने) का मुझे ख़ुदा की जानिब से इसी तरह हुक्म किया गया है जिस तरह फ़राईज़ की पाबन्दी का। चुनाँचे इस आयत में भी फ़रमान है कि उनसे दरगुज़र करो (यानी उनकी भूल-चूक माफ़ कर दो), उनके लिये इस्तिग़फ़ार कर और कामों का मश्विरा उनसे लिया कर। इसी लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़दते मुबारक थी कि लोगों की दिलजोई

के लिये अपने कामों में उनसे मश्विरा किया करते थे। जैसे कि बदर वाले दिन क़ाफ़िले की तरफ़ बढ़ने के लिये मश्विरा लिया और सहाबा रज़ि. ने कहा कि अगर आप समुद्र के किनारे पर खड़ा करके हमें फ़रमायेंगे कि इसमें कूद पड़ो और इससे पार निकलो तो भी हम आपकी नाफ़रमानी न करेंगे। और अगर हमें 'बरकुल् ग़माद' (एक स्थान का नाम है) तक ले जाना चाहें तो भी हम आपके साथ हैं। हम वो नहीं कि मूसा अ़लैहिस्सलाम के सहाबियों की तरह कह दें कि तू और तेरा रब लड़ ले हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम तो आपके दायें-बायें सफ़ें बाँधकर जमकर दुश्मनों का मुक़ाबला करेंगे।

इसी तरह उहुद के मौक़े पर भी आपने मश्विरा किया कि आया मदीना में रहकर लड़ें या बाहर निकलें और अक्सरियत की राय यही हुई कि बाहर मैदान में जाकर लड़ना चाहिये। चुनाँचे आपने यही किया। इसी तरह आपने जंगे अहज़ाब के मौक़े पर भी अपने सहाबा से मश्विरा किया कि मदीना के फलों की पैदावार का तिहाई हिस्सा देने का वायदा करके मुख़ालिफ़ों से समझौता कर लिया जाये या नहीं? तो हज़रत सअ़द बिन उबादा और हज़रत सअ़द बिन मुआज़ रज़ि. ने इसका इनकार किया और आपने भी इस मश्विरे को क़बूल कर लिया और समझौता छोड़ दिया। इसी तरह आपने अपने सहाबा से हुदैबिया वाले दिन इस बात का मश्विरा किया कि आया मुश्रिकों के घरों पर धावा बोल दें या नहीं? तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. ने फ़रमाया हम किसी से लड़ने नहीं आये, हमारा इरादा सिर्फ़ उमरे का है। चुनाँचे इसे भी आपने मन्ज़ूर फ़रमा लिया। इसी तरह जब मुनाफ़िक़ों ने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. पर तोहमत लगाई तो आपने फ़रमाया- ऐ मुसलमानो! मुझे मश्विरा दो कि उन लोगों का मैं क्या करूँ जो मेरे घर वालों को बदनाम कर रहे हैं। ख़ुदा की क़सम मेरे इल्म में तो मेरे घर वालों में कोई बुराई नहीं, और जिस शख़्स के साथ तोहमत लगा रहे हैं वल्लाह मेरे नज़दीक तो वह भी भलाई वाला ही है। आपने हज़रत आ़यशा रज़ि. की जुदाई (यानी उनको अपने से अलग करने) के लिये हज़रत अ़ली और हज़रत उसामा से मश्विरा लिया।

ग़र्ज़ कि लड़ाई के कामों में भी और दूसरे मामलात में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से मश्विरा किया करते थे। इसमें उलेमा का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि यह मश्विरे का हुक्म आपको लाज़िमी तौर पर था या एक इख़्तियारी मामला था, ताकि लोगों के दिल ख़ुश रहें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इस आयत में हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर रज़ि. से मश्विरा का हुक्म है। (हाकिम) ये दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हवारी और आपके वज़ीर थे, और मुसलमानों के बाप हैं। (कलबी) मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन दोनों बुज़ुर्गों से फ़रमाया कि अगर तुम्हारी दोनों की किसी मामले में एक राय हो जाये तो मैं तुम्हारी राय के ख़िलाफ़ कभी न करूँगा।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल होता है कि अ़ज़्म के क्या मायने हैं? आपने फ़रमाया जब अ़क़्लमन्द लोगों से मश्विरा हो जाये फिर उनकी मान लेना। (इब्ने मर्दूया) इब्ने माजा में आपका यह इरशाद भी मौजूद है कि जिससे मश्विरा किया जाये वह अमीन (अमानतदार) है। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई वग़ैरह में भी यह रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन कहते हैं। एक और रिवायत में है कि जब तुममें से कोई अपने भाई से मश्विरा ले तो उसे चाहिये कि भली बात का मश्विरा दे। (इब्ने माजा) फिर फ़रमाया कि जब तुम किसी काम का मश्विरा कर चुको फिर उसके करने का पुख़्ता इरादा हो जाये तो अब ख़ुदा पर भरोसा करो। अल्लाह तआ़ला भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है। फिर दूसरी आयत का इरशाद बिल्कुल

इसी तरह का है जो पहले गुज़रा कि:

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

यानी मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है जो ग़ालिब है और हिक्मतों वाला है।

फिर हुक्म देता है कि मोमिनों का तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर ही होना चाहिये।

नबी ख़ियानत करने वाला नहीं होता

फिर फ़रमाता है कि नबी को लायक़ नहीं कि वह ख़ियानत करे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि बदर के दिन एक सुर्ख़ रंग की चादर नहीं मिलती थी तो लोगों ने कहा शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ले ली हो। इस पर यह आयत उतरी। (तिर्मिज़ी) एक और रिवायत में है कि मुनाफ़िक़ों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर किसी चीज़ की तोहमत लगाई थी जिस पर यह आयत उतरी।

पस साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल, रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर क़िस्म की ख़ियानत (चोरी, किसी चीज़ में बेजा तसर्रुफ़ और बिना हक़ के लेने) से, बेजा तरफ़दारी से बरी और पाक हैं, चाहे वह माल की तक़सीम हो या अमानत की अदायेगी हो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी रिवायत है कि नबी ग़लूल नहीं कर सकता कि बाज़ लश्करियों को दे और बाज़ को उनका हिस्सा न पहुँचाये। इस आयत की यह तफ़सीर भी की गयी है कि यह नहीं हो सकता कि नबी ख़ुदा की नाज़िल की हुई किसी चीज़ को छुपा ले और उम्मत तक उसे न पहुँचाये। ''यग़ुल्लु'' को ''य'' के पेश से भी पढ़ा गया है, तो मायने यह होंगे कि नबी की ज़ात ऐसी नहीं कि उनके पास वाले उनकी ख़ियानत करें। चुनाँचे हज़रत क़तादा और हज़रत रबीअ़ रह. से रिवायत है कि बदर के दिन आपके सहाबा रज़ि. ने माले ग़नीमत में से तक़सीम से पहले कुछ ले लिया था, इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर)

फिर ख़ाईन (चोरी और ख़ियानत करने वाले) लोगों को डराया जाता है और सख़्त अ़ज़ाब की ख़बर दी जाती है। अहादीस में भी इसके बारे में बहुत कुछ सख़्त वईद (धमकी) है। चुनाँचे मुस्नद अहमद की हदीस में है कि सबसे बड़ा ख़ियानत करने वाला वह शख़्स है जो पड़ोसी के खेत की ज़मीन या उसके घर की ज़मीन में से दबा ले। अगर एक हाथ ज़मीन भी नाहक़ अपनी तरफ़ कर लेगा तो सातों ज़मीनों का तौक़ उसे पहनाया जायेगा। मुस्नद की एक और हदीस में है कि जिसे हम हाकिम बनायें अगर उसका घर न हो तो वह घर बना सकता है। बीवी न हो तो निकाह कर सकता है, ख़ादिम न हो तो रख सकता है, सवारी न हो तो मुहैया कर सकता है, इसके सिवा और कुछ लेगा तो ख़ाईन होगा। यह हदीस अबू दाऊद में भी दूसरे अलफ़ाज़ से मन्क़ूल है।

इब्ने जरीर की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मैं तुममें से उस शख़्स को नहीं पहचानूँगा जो चिल्लाती हुई बकरी को उठाये हुए क़ियामत के दिन आयेगा और मेरा नाम ले-लेकर मुझे पुकारेगा। मैं कह दूँगा कि मैं ख़ुदा के मुक़ाबले में काम नहीं आ सकता, मैं तो पहुँचा चुका था। उसे भी मैं नहीं पहचानूँगा जो ऊँट को उठाये हुए आयेगा जो बोल रहा होगा। यह भी कहेगा कि ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! मैं कहूँगा मैं तेरे लिये ख़ुदा के पास किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं तो तब्लीग़ कर चुका था। और मैं उसे भी नहीं पहचानूँगा जो इसी तरह घोड़े को लादे हुए आयेगा जो हिनहिना रहा होगा, वह भी मुझे पुकारेगा और मैं कह दूँगा कि मैं तो पहुँचा चुका था आज कुछ काम नहीं आ सकता। और

उस शख़्स को भी मैं नहीं पहचानूँगा जो खालें लिये हुए हाज़िर होगा और कह रहा होगा या मुहम्मद! या मुहम्मद! मैं कहूँगा मैं ख़ुदा के पास किसी नफ़े का इख़्तियार नहीं रखता मैं तो तुझे बता चुका था (यानी ख़ियानत और चोरी का जो अ़ज़ाब है वह मैं सब को बता चुका)। यह हदीस सिहाहे सित्ता (हदीस की छह बड़ी और मशहूर किताबों) में नहीं।

हाकिम के लिये तोहफ़ा लेना जायज़ नहीं

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़बीला अज़्द के एक शख़्स को हाकिम बनाकर भेजा जिसे इब्नुल-लुतबिया कहते थे। ये जब ज़कात वसूल करके आये तो कहने लगे यह तुम्हारा है और यह मुझे तोहफ़े में मिला है। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सर पर खड़े हो गये और फ़रमाने लगे उन लोगों को क्या हो गया है कि हम उन्हें किसी काम पर भेजते हैं तो आकर कहते हैं कि यह तुम्हारा और यह हमारे तोहफ़े का। ये अपने घरों में ही बैठे रहते फिर देखते कि उन्हें तोहफ़ा दिया जाता है या नहीं? उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है, तुममें से जो कोई इसमें से कोई चीज़ भी ले लेगा वह क़ियामत के दिन उसे गर्दन पर उठाये हुए लायेगा। ऊँट है तो चिल्ला रहा होगा, गाय है तो बोल रही होगी, बकरी है तो चीख़ रही होगी। फिर आपने अपने हाथ इस क़द्र बुलन्द किये कि बग़लों की सफ़ेदी हमें नज़र आने लगी और तीन मर्तबा फ़रमाया- ख़ुदाया क्या मैंने पहुँचा दिया? मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ हदीस में है कि ऐसे तहसीलदारों और हाकिमों को जो तोहफ़े मिलें वे ख़ियानत (चोरी) हैं। यह रिवायत सिर्फ़ मुस्नद अहमद में है और ज़ईफ़ है। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक लम्बी रिवायत का ख़ुलासा है।

तिर्मिज़ी शरीफ़ में है, हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यमन भेजा। जब मैं चल दिया तो आपने मुझे बुलवाया। जब मैं वापस आया तो फ़रमाया मैंने तुम्हें सिर्फ़ एक बात कहने के लिये बुलवाया है, कि मेरी इजाज़त के बग़ैर तुम जो कुछ लोगे वह ख़ियानत है और हर ख़ाईन अपनी ख़ियानत को लिये हुए क़ियामत के दिन आयेगा। पस यही कहना था जाओ अपने काम में लगो। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक रोज़ खड़े होकर ख़ियानत का ज़िक्र किया और उसके बड़े-बड़े गुनाह और वबाल बयान किये। हमें डराया फिर जानवरों को लिये हुए क़ियामत के दिन आने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मदद करने और आपके इनकार कर देने का ज़िक्र किया जो पहले बयान हो चुका है। उसमें सोने-चाँदी का भी ज़िक्र है। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। मुस्नद अहमद में है कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ लोगो! जिसे हम आ़मिल (हाकिम) बनायें और फिर वह हमसे एक सूई या उससे भी छोटी चीज़ छुपाये तो वह ख़ियानत है जिसे लेकर वह क़ियामत के दिन हाज़िर होगा। यह सुनकर एक साँवले रंग के अन्सारी हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ि. खड़े होकर कहने लगे- हुज़ूर मैं तो आ़मिल (हाकिम) बनने से दूर होता हूँ। फ़रमाया क्यों? कहा आपने जो इस तरह फ़रमाया। आपने फ़रमाया हाँ अब भी सुनो! जिसे हम कोई काम सौंपें उसे चाहिये कि थोड़ा बहुत सब कुछ लाये जो उसे दिया जाये वह ले ले और जिससे रोक दिया जाये रुक जाये। यह हदीस मुस्लिम और अबू दाऊद में भी है।

हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उमूमन अ़सर की नमाज़ के बाद बनू अ़ब्दुल-अश्हल के यहाँ तशरीफ़ ले जाते और तक़रीबन मग़रिब तक वहीं मज्लिस रहती थी। एक दिन मग़रिब के वक़्त वहाँ से वापस चले, वक़्त तंग था, तेज़-तेज़ चल रहे थे। बक़ीअ़ (मदीना के

क़ब्रिस्तान) में आकर फ़रमाने लगे तुफ़ है तुझे, तुफ़ है तुझे। मैं समझा आप मुझे फ़रमा रहे हैं। चुनाँचे मैं अपने कपड़े ठीक-ठाक करने लगा और पीछे रह गया। आपने फ़रमाया क्या बात है? मैंने कहा हुज़ूर आपके इस फ़रमान की वजह से मैं रुक गया। आपने फ़रमाया मैंने तुझे नहीं कहा बल्कि यह क़ब्र फ़ुलाँ शख़्स की है उसे मैंने फ़ुलाँ क़बीले की तरफ़ आ़मिल (हाकिम और सरदार) बनाकर भेजा था, उसने एक चादर ले ली। वह चादर अब आग बनकर उसके ऊपर भड़क रही है। (मुस्नद अहमद)

हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम माले ग़नीमत के ऊँट की पीठ के चन्द बाल लेते फिर फ़रमाते मेरा इसमें वही हक़ है जो तुममें से किसी एक का। ख़ियानत से बचो, ख़ियानत करने वाले की रुस्वाई क़ियामत के दिन होगी। सूई धागे तक पहुँचा दो और उससे मामूली चीज़ भी। ख़ुदा की राह में नज़दीक वालों और दूर वालों से जिहाद करो, वतन में भी और सफ़र में भी। जिहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जिहाद की वजह से अल्लाह तआ़ला मुश्किलों से और रंज व ग़म से निजात देता है। ख़ुदा की हदें (सज़ायें) नज़दीक व दूर वालों में जारी करो। ख़ुदा के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत तुम्हें न रोके। (मुस्नद अहमद) इस हदीस का कुछ हिस्सा इब्ने माजा में भी है। हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुझे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आ़मिल बनाकर भेजना चाहा तो फ़रमाया ऐ अबू मसऊद! जाओ ऐसा न हो कि मैं तुम्हें क़ियामत के दिन इस हाल में पाऊँ कि तुम्हारी पीठ पर ऊँट हो जो आवाज़ निकाल रहा हो जिसे तुमने ख़ियानत से ले लिया हो। मैंने कहा हुज़ूर फिर मैं तो नहीं जाता। आपने फ़रमाया अच्छा मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भेजता भी नहीं। (अबू दाऊद)

इब्ने मर्दूया में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अगर कोई पत्थर जहन्नम में डाल दिया जाये तो सत्तर साल तक चलता जाये लेकिन तह को नहीं पहुँचता। ख़ियानत की चीज़ को इसी तरह जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। फिर ख़ियानत वाले से कहा जायेगा जा उसे ले आ। यही मायने हैं ख़ुदा के इस फ़रमान के:

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

यानी जो शख़्स ख़ियानत करे वह क़ियामत के दिन अपनी ख़ियानत की हुई चीज़ को हाज़िर करेगा।

मुस्नद अहमद में है कि ख़ैबर की जंग वाले दिन सहाबा किराम रज़ि. आने लगे और कहने लगे कि फ़ुलाँ शहीद है, फ़ुलाँ शहीद है। जब एक शख़्स के बारे में यह कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हरगिज़ नहीं, मैंने उसे जहन्नम में देखा है, क्योंकि उसने ग़नीमत के माल की एक चादर ख़ियानत कर ली थी। फिर आपने फ़रमाया ऐ उमर बिन ख़त्ताब! तुम जाओ और लोगों में मुनादी कर दो कि जन्नत में सिर्फ़ ईमान वाले ही जायेंगे। चुनाँचे मैं चला और सब में यह आवाज़ कर दी। यह हदीस मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी है। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन सही कहते हैं।

इब्ने जरीर में है कि एक दिन हज़रत उमर रज़ि. ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ि. से सदक़ात के बारे में तज़किरा करते हुए फ़रमाया- क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमान हीं सुना कि आपने सदक़ात में ख़ियानत करने वाले के बारे में फ़रमाया- उसमें से जो शख़्स ऊँट या बकरी ले ले वह उसे क़ियामत वाले दिन उठाये हुए होगा। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया हाँ। यह रिवायत इब्ने माजा में भी है। इब्ने जरीर में हज़रत सअ़द बिन उबादा से रिवायत है कि उन्हें सदक़ात वसूल करने के

लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भेजना चाहा और फ़रमाया ऐ सअ़द ऐसा न हो कि क़ियामत के दिन तू बिलबिलाते ऊँट को उठाकर लाये, तो हज़रत सअ़द कहने लगे कि न मैं इस ओ़हदे को लूँ और न ऐसा होने की गुंजाईश और शक रहे। चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी इस काम से उन्हें माफ़ रखा। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मुस्लिम बिन अ़ब्दुल-मलिक के साथ रोम की जंग में हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह भी थे। एक शख़्स के सामान में कुछ ख़ियानत का माल भी निकला। लश्कर के सरदार ने हज़रत सालिम से उसके बारे में फ़तवा पूछा तो आपने फ़रमाया- मुझसे मेरे बाप अ़ब्दुल्लाह ने और उनसे उनके बाप उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसके सामान में तुम चोरी का माल पाओ उसे जला दो। रावी कहता है, मेरा ख़्याल है कि यह भी फ़रमाया और उसे सज़ा दो। चुनाँचे जब उसका माल बाज़ार में निकाला तो उसमें एक क़ुरआन शरीफ़ भी था। हज़रत सालिम से फिर उसके बारे में पूछा गया, आपने फ़रमाया उसे बेच दो और उसकी क़ीमत सदक़ा कर दो। यह हदीस अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में भी है।

इमाम अ़ली बिन मदीनी रह. और इमाम बुख़ारी रह. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि यह हदीस मुन्कर है। इमाम दारे क़ुतनी रह. फ़रमाते हैं- सही यह है कि यह हज़रत सालिम रह. का अपना फ़तवा है। हज़रत इमाम अहमद और उनके साथियों का क़ौल भी यही है। हज़रत हसन रह. भी यही कहते हैं, हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं- उसका सामान जला दिया जाये और उसे मम्लूक (ग़ुलाम) की हद (सज़ा) से कम मारा जाये और उसका हिस्सा न दिया जाये। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई रह. और जम्हूर का मज़हब इसके बरख़िलाफ़ है। ये कहते हैं कि उसका सामान न जलाया जाये बल्कि उसके बराबर उसे ताज़ीर यानी सज़ा दी जाये। इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ाईन के जनाज़े की नमाज़ से इनकार कर दिया और उसका सामान नहीं जलाया। वल्लाहु आलम।

मुस्नद अहमद में है कि क़ुरआन शरीफ़ों के जब तग़य्युर (बदलने) का हुक्म किया गया तो हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाने लगे- तुममें जिससे हो सके वह उसे छुपाकर रख ले। क्योंकि जो शख़्स जिस चीज़ को छुपाकर रख लेगा उसी को लेकर क़ियामत के रोज़ आयेगा। फिर फ़रमाने लगे मैंने सत्तर दफ़ा रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पढ़ा है, पस क्या मैं रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पढ़ाई हुई आयत को छोड़ दूँ? इमाम वकीअ़ ने भी अपनी तफ़सीर में इसे ज़िक्र किया है। अबू दाऊद में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़दते मुबारक थी कि जब माले ग़नीमत आता तो आप हज़रत बिलाल रज़ि. को हुक्म देते और वह लोगों में मुनादी करते कि जिस जिसके पास जो-जो हो ले आये। फिर आप उसमें से पाँचवाँ हिस्सा निकाल लेते और बाक़ी को तक़सीम कर देते। एक मर्तबा एक शख़्स उसके बाद बालों में का एक गुच्छा लेकर आया और कहने लगा या रसूलल्लाह! मेरे पास यह रह गया था। आपने फ़रमाया क्या तूने बिलाल की मुनादी सुनी थी? जो तीन मर्तबा हुई थी। उसने कहा हाँ। फ़रमाया फिर तू उस वक़्त क्यों न लाया? उसने उज़्र बयान किया। आपने फ़रमाया अब मैं हरगिज़ न लूँगा तू ही इसे लेकर क़ियामत के दिन आना। ख़ुदा तआ़ला फिर फ़रमाता है कि ख़ुदा की शरअ़ (दीन) पर चलकर ख़ुदा तआ़ला की रज़ामन्दी के मुस्तहिक़ होने वाले, उसके सवाबों को हासिल करने वाले, उसके अ़ज़ाबों से बचने वाले और वे लोग जो ख़ुदा के ग़ज़ब के मुस्तहिक़ हुए और जो मरकर जहन्नम में ठिकाना पायेंगे, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क़ुरआने करीम में एक और जगह है कि ख़ुदा की बातों को हक़ मानने वाला और उससे अंधा रहने वाला बराबर नहीं। इसी तरह फ़रमान है कि जिनसे ख़ुदा का अच्छा वायदा हो चुका है

और जो उसे पाने वाला है वह और दुनिया का नफ़ा हासिल करने वाला बराबर नहीं। फिर फ़रमाता है कि भलाई और बुराई वाले मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) दर्जों पर हैं, वे जन्नत के दर्जों में हैं और ये जहन्नम के तबक़ों में। जैसे एक और जगह है:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا.

हर एक के लिये उनके आमाल के मुताबिक़ दरजात हैं।

फिर फ़रमाया कि ख़ुदा उनके आमाल देख रहा है और जल्द ही उन सबको पूरा बदला देगा। न नेकी ज़ाया की जायेगी और न बदी बढ़ाई जायेगी, बल्कि अ़मल के मुताबिक़ ही जज़ा व सज़ा होगी। फिर फ़रमाता है कि मोमिनों पर ख़ुदा का बड़ा एहसान है कि उन ही की जिन्स से उनमें अपना पैग़म्बर भेजा ताकि ये उससे बातचीत कर सकें, कुछ पूछ सकें, साथ उठ-बैठ सकें और पूरी तरह नफ़ा हासिल कर सकें। जैसे एक दूसरी जगह है:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا............. الخ.

और उसकी एक निशानी यह है कि उसने तुम ही में से तुम्हारे लिये बीवियाँ पैदा की हैं ताकि तुम उनके पास जाकर सुकून हासिल करो...........। (सूरः रूम आयत 21)

यहाँ भी यही मतलब है कि तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे जोड़े उसने पैदा किये। एक और जगह है:

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ............. الخ.

कह दे कि मैं तो तुम जैसा ही इनसान हूँ मेरी तरफ़ 'वही' की जाती है कि तुम सबका माबूद एक ही है। एक और जगह फ़रमान है:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ.

यानी तुमसे पहले भी जितने रसूल हमने भेजे वे सब खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते-फिरते थे। एक और जगह फ़रमाया:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى.

यानी तुझसे पहले भी हमने मर्दों को ही 'वही' की थी जो बस्तियों के रहने वाले थे। एक जगह यूँ इरशाद है:

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ.

यानी ऐ जिन्नो और इनसानो! क्या तुम्हारे पास तुममें से ही रसूल नहीं आये थे?

ग़र्ज़ कि यह पूरा एहसान है कि मख़्लूक़ की तरफ़ उन ही में से रसूल भेजे गये ताकि वे पास उठ बैठकर बार-बार सवाल करके पूरी तरह दीन सीख लें। पस ख़ुदा फ़रमाता है कि वह ख़ुदा की आयतें यानी क़ुरआने करीम उन्हें पढ़ाता है, अच्छी बातों का हुक्म देकर और बुराईयों से रोक कर उनके दिलों की पाकीज़गी (सफ़ाई) करता है और शिर्क व जाहिलीयत की नापाकी के असरात उनसे दूर करता है और उन्हें किताब और सुन्नत सिखाता है। इस रसूल के आने से पहले तो ये साफ़ भटके हुए थे। खुले तौर पर बुराई

और पूरी जहालत में थे।

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ○ۚ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

और जब तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे दो हिस्से तुम जीत चुके थे तो (क्या ऐसे वक़्त में) तुम (यूँ) कहते हो कि यह किधर से हुई, आप फ़रमा दीजिए कि यह (हार ख़ास) तुम्हारी तरफ़ से हुई। बेशक अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत है। (165) और जो मुसीबत तुम पर पड़ी जिस दिन कि दोनों गिरोह आपस में आमने-सामने हुए सो अल्लाह की मरज़ी से हुई और ताकि अल्लाह तआ़ला मोमिनों को भी देख लें। (166) और उन लोगों को भी देख लें जिन्होंने निफ़ाक़ का बर्ताव किया, और उनसे (यूँ) कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ना या दुश्मनों के लिए रोक बन जाना। वे बोले कि अगर हम कोई ढंग की लड़ाई देखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते। ये (मुनाफ़िक़ लोग) उस दिन कुफ़्र से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए, उस हालत के मुक़ाबले में कि वे ईमान से नज़दीक थे। ये लोग अपने मुँह से ऐसी बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं। (167) ये ऐसे लोग हैं कि अपने भाईयों के बारे में बैठे हुए बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते तो क़त्ल न किए जाते। आप फ़रमा दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो। (168)

इस दुनिया में राहत व मुसीबत दोनों की मौजूद हैं।

यहाँ जिस मुसीबत का बयान हो रहा है यह उहुद की मुसीबत है, जिसमें सत्तर सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम शहीद हुए थे और इससे दो गुना नुक़सान मुसलमानों ने काफ़िरों को पहुँचाया था। यानी बदर वाले दिन सत्तर काफ़िर क़त्ल किये गये थे और सत्तर क़ैद किये गये थे, तो मुसलमान कहने लगे कि यह मुसीबत कैसे आ गयी? ख़ुदा तआ़ला फ़रमाता है कि यह तुम्हारी अपनी तरफ़ से है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. का बयान है कि बदर के दिन मुसलमानों ने फ़िदया लेकर जिन काफ़िरों को छोड़ दिया था उसकी सज़ा में

अगले साल उनमें से सत्तर मुसलमान शहीद किये गये और सहाबा के पाँव उखड़ गये। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने के चार दाँत टूट गये। आपके सर मुबारक पर ख़ुद (लोहे की टोपी) थी, वह भी टूटी और चेहरा मुबारक लहू-लुहान हो गया। इसका बयान इस आयत-ए-मुबारक में हो रहा है।

(इब्ने अबी हातिम व मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल)

हज़रत अ़ली रज़ि. से रिवायत है कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और फ़रमाया ऐ मुहम्मद! आपकी क़ौम का काफ़िरों को क़ैदी बनाकर पकड़ लेना ख़ुदा को पसन्द न आया। अब उन्हें दो बातों में से एक के इख़्तियार कर लेने का हुक्म दीजिए या तो यह कि यह उन क़ैदियों को मार डालें या उनसे फ़िदया वसूल करके छोड़ दें, मगर फिर इन मुसलमानों में से इतनी ही तायदाद शहीद होगी। हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने लोगों को जमा करके दोनों बातें पेश कीं तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह! ये लोग हमारे क़बीले और ख़ानदान के हैं, हमारे रिश्तेदार भाई हैं, हम क्यों उनसे फ़िदया लेकर न छोड़ दें? और इस माल से हम ताक़त व क़ुव्वत हासिल करके अपने दूसरे दुश्मनों से जंग करेंगे और फिर जो हममें से इतने आदमी शहीद होंगे तो इसमें हमारी क्या बुराई है। चुनाँचे जुर्माना वसूल करके सत्तर क़ैदियों को छोड़ दिया और ठीक सत्तर ही की तायदाद मुसलमानों की इस उहुद की लड़ाई में शहादत हुई। (तिर्मिज़ी, नसाई) पस एक मतलब तो यह हुआ कि जो ख़ुद तुम्हारी तरफ़ से है। यानी तुमने बदर के क़ैदियों को ज़िन्दा छोड़ना और उनसे जंग का जुर्माना वसूल करना इस शर्त पर मन्ज़ूर किया था कि तुम्हारे भी इतने ही आदमी शहीद हों तो वे शहीद हुए। दूसरा मतलब यह है कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नाफ़रमानी की थी। इस कारण तुम्हें यह नुक़सान पहुँचा। तीर-अन्दाज़ों को रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया था कि वे अपनी जगह से न हटें लेकिन वे हट गये। अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है जो चाहे, जो इरादा हो हुक्म दे, कोई नहीं जो उसका हुक्म टाल सके। दोनों जमाअ़तों की मुठभेड़ के दिन जो नुक़सान तुम्हें पहुँचा कि दुश्मनों के मुक़ाबले से भाग खड़े हुए। तुममें से बाज़ लोग शहीद भी हुए और ज़ख़्मी भी हुए। यह सब अल्लाह तआ़ला की क़ज़ा व क़द्र (पहले से तय तक़दीर) से था। उसकी हिक्मत इसी को चाहती थी।

इसका एक सबब यह भी था कि साबित-क़दम, न लड़खड़ाने वाले, ईमान वाले साबिर बन्दे भी मालूम हो जायें और मुनाफ़िक़ों का हाल भी खुल जाये। जैसे अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल और उसके साथी कि रास्ते से वापस लौट आये। एक मुसलमान ने उन्हें समझाया भी कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो, या कम से कम इन चढ़ आने वालों को तो हटाओ। लेकिन उन्होंने टाल दिया कि हम तो जंग के तरीक़ों से ही बेख़बर हैं। अगर जानते होते तो ज़रूर तुम्हारी बात मानते। यह भी एक तरह से दुश्मनों को रोकना ही था कि वे मुसलमानों के साथ तो रहते, जिससे मुसलमानों की गिनती ज़्यादा मालूम होती या दुआ़यें करते रहते या तैयारियाँ ही करते। उनके जवाब का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि अगर हमें मालूम होता कि तुम सचमुच दुश्मनों से लड़ोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देते। लेकिन हम जानते हैं कि लड़ाई होने की ही नहीं।

सीरत मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि एक हज़ार आदमी लेकर रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मैदाने उहुद की जानिब बढ़े। आधे रास्ते में अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल बिगड़ बैठा और कहने लगा औरों की मान ली और मदीना से निकल खड़े हुए और मेरी न मानी। ख़ुदा की क़सम हमें नहीं मालूम कि हम किस फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर अपनी जानें दें। लोगो! क्यों जानें खो रहे हो। जिस क़द्र निफ़ाक़ और

शक व शुब्हे वाले लोग थे उसकी आवाज़ पर लग गये और तिहाई लश्कर लेकर यह वापस लौट गया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन हज़्म, बनू सलमा के भाई उन्हें बहुत समझाते रहे कि ऐ मेरी क़ौम अपने नबी को, अपनी क़ौम को रुस्वा न करो, उन्हें दुश्मनों के सामने छोड़कर पीठ न फेरो, लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि हमें मालूम है कि लड़ाई होगी ही नहीं।

जब ये बेचारे आ़जिज़ आ गये तो फ़रमाने लगे जाओ तुम्हें ख़ुदा ग़ारत करे। अल्लाह के दुश्मनो! तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह अपने नबी का मददगार है। चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गये। अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है कि वे उस दिन ईमान के मुक़ाबले में कुफ़्र से बहुत ही नज़दीक थे। इससे मालूम होता है कि इनसान के हालात विभिन्न होते हैं। कभी वह कुफ़्र के क़रीब हो जाता है और कभी ईमान के नज़दीक हो जाता है।

फिर फ़रमाया ये अपने मुँह से वो बातें बनाते हैं जो उनके दिल में नहीं। जैसे उनके यही क़ौल कि अगर हम जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। हालाँकि उन्हें यक़ीनन मालूम है कि मुश्रिक लोग दूर-दराज़ से चढ़ाई करके मुसलमानों को नेस्त व नाबूद कर देने की ठान कर आ गये हैं, वे बड़े जले-कटे हुए हैं। क्योंकि उनके सरदार बदर वाले दिन मैदान में रह गये थे और उनके बड़े और सम्मानित लोग क़त्ल कर दिये गये थे, तो अब वे इन ज़ईफ़ (कमज़ोर) मुसलमानों पर टूट पड़े हैं और यक़ीनन बहुत बड़ी जंग बरपा होने वाली है। पस अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं- उनके दिलों की छुपी हुई बातों का मुझे बख़ूबी इल्म है। ये वे लोग हैं जो अपने भाईयों के बारे में कहते हैं कि अगर ये हमारा मश्विरा मानते, यहीं बैठे रहते और जंग में शिर्कत न करते तो हरगिज़ न मारे जाते। इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला का इरशाद होता है कि अगर यह बात सही है और तुम अपनी इस बात में सच्चे हो कि बैठे रहने और मैदाने जंग में न निकलने से इनसान क़त्ल व मौत से बच जाता है तो चाहिये कि तुम मरो ही नहीं। इसलिये कि तुम तो घरों में बैठे हो। लेकिन ज़ाहिर है कि एक रोज़ तुम भी चल पड़ोगे, चाहे तुम मज़बूत बुर्जों और गुंबदों में पनाह लेने वाले हो जाओ। पस हम तो तुम्हें तब सच्चा मानें कि तुम मौत को अपनी जानों से टाल दो। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह आयत अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल और उसके साथियों के बारे में उतरी है।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۘ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ	और (ऐ मुख़ातब!) जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख़्याल कर बल्कि वे तो ज़िन्दा हैं अपने परवर्दिगार के क़रीबी हैं, उनको रिज़्क़ भी मिलता है। (169) वे ख़ुश हैं उस चीज़ से जो उनको अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़ज़्ल से अ़ता फ़रमाई, और जो लोग उनके पास नहीं पहुँचे उनसे पीछे रह गए हैं उनकी भी इस हालत पर वे ख़ुश होते हैं कि उन पर भी किसी तरह का ख़ौफ़ वाक़ेअ़ होने "पड़ने" वाला नहीं और न वे ग़मगीन होंगे। (170) वे ख़ुश होते हैं अल्लाह की नेमत व फ़ज़्ल की वजह से, और इस वजह से कि

وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

अल्लाह तआ़ला ईमान वालों का अज्र ज़ाया नहीं फ़रमाते। (171)

जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के कहने को क़बूल किया उसके बाद कि उनको ज़ख़्म लगा था, उन लोगों में जो नेक और मुत्तक़ी हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। (172) ये ऐसे लोग हैं कि लोगों ने उनसे कहा कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए सामान जमा किया है सो तुमको उनसे अन्देशा करना चाहिए, सो उसने उनके ईमान को और ज़्यादा कर दिया और (उन्होंने) कह दिया कि हमको अल्लाह तआ़ला काफ़ी है और वही सब काम सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। (173) पस ये लोग ख़ुदा की नेमत और फ़ज़्ल से भरे हुए वापस आए कि उनको कोई नागवारी ज़रा भी पेश नहीं आई, और वे लोग अल्लाह की रिज़ा के ताबे रहे, और अल्लाह तआ़ला बड़ा फ़ज़्ल वाला है। (174) इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कि यह शैतान है कि अपने दोस्तों से डराता है, सो तुम उनसे मत डरना और मुझ ही से डरना अगर तुम ईमान वाले हो। (175)

हमेशा की ज़िन्दगी

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि अल्लाह की राह में शहीद होने वाले अगरचे दुनिया में मार डाले जाते हैं लेकिन आख़िरत में उनकी रूहें ज़िन्दा रहती हैं और रोज़ियाँ पाती हैं। इस आयत का शाने नुज़ूल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चालीस या सत्तर सहाबियों को बीरे-मऊना की तरफ़ भेजा। यह जमाअ़त जब उस ग़ार तक पहुँची जो उस कुँए के ऊपर थी तो इन्होंने वहाँ पड़ाव किया और आपस में कहने लगे कौन है जो अपनी जान जोखों में डालकर अल्लाह के रसूल का कलिमा उन तक पहुँचाये। एक सहाबी इसके लिये तैयार हुए और उन लोगों के घरों के पास आकर बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया ऐ बीरे-मऊना वालो सुनो! मैं ख़ुदा के रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का क़ासिद हूँ मेरी गवाही है कि माबूद सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। यह सुनते ही एक काफ़िर अपने तीर संभाले हुए अपने घर से निकला और इस तरह ताक कर निशाना लगाया कि इधर की पसली से उधर की पसली में पार निकल गया। उस सहाबी की ज़बान से ख़ुद-बख़ुद

निकला "फ़ुज़्तु व रब्बिल् काबति" (काबे के ख़ुदा की क़सम मैं मुराद को पहुँच गया)। अब काफ़िर निशानात टटोलते हुए उस ग़ार (गुफा) पर जा पहुँचे और आमिर बिन तुफ़ैल ने जो उनका सरदार था उन सब मुसलमानों को शहीद कर दिया। हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि उनके बारे में क़ुरआन उतरा कि हमारी जानिब से हमारी क़ौम को यह ख़बर पहुँचा दो कि हम अपने रब से मिले, वह हमसे राज़ी हो गया और हम उससे राज़ी हो गये। हम इन आयतों को बराबर पढ़ते रहे। फिर एक मुद्दत के बाद यह मन्सूख़ होकर उठा ली गयी और यह आयत उतरी (जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)। (मुहम्मद बिन जरीर)

सही मुस्लिम शरीफ़ में है, हज़रत मसरूक़ रह. फ़रमाते हैं कि हमने हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से इस आयत का मतलब पूछा तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया- हमने रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस आयत का मतलब मालूम किया था तो आपने फ़रमाया उनकी रूहें सब्ज़ रंग के परिन्दों के क़ालिब (जिस्म और ख़ोल) में हैं। अ़र्श की क़िन्दीलें उनके लिये हैं। सारी जन्नत में जहाँ कहीं चाहें खायें-पियें और उन क़िन्दीलों में आराम करें। उनकी तरफ़ उनके रब ने एक मर्तबा नज़र की और दरियाफ़्त फ़रमाया कुछ चाहते हो? कहने लगे ख़ुदाया और क्या माँगें। सारी जन्नत में से जहाँ कहीं से चाहें खायें-पियें इख़्तियार है, फिर क्या तलब करें? अल्लाह तआ़ला ने उनसे फिर यही पूछा। तीसरी मर्तबा यही सवाल किया। जब उन्होंने देखा कि बग़ैर कुछ माँगे चारा ही नहीं तो कहने लगे ऐ रब! हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को जिस्मों की तरफ़ लौटा दे। हम फिर दुनिया में जाकर तेरी राह में जिहाद करें और मारे जायें। अब मालूम हो गया कि उन्हें किसी और चीज़ की हाजत नहीं, उनसे पूछना छोड़ दिया कि क्या चाहते हो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो लोग मर जायें और ख़ुदा के यहाँ बेहतरी पायें वे हरगिज़ दुनिया में आना पसन्द नहीं करते, मगर शहीद तमन्ना करता है कि दुनिया में दोबारा लौटाया जाये और दोबारा अल्लाह की राह में शहीद हो। क्योंकि शहादत के दर्जों को वह देख रहा है। (मुस्नद अहमद) सही मुस्लिम शरीफ़ में भी यह हदीस है। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से फ़रमाया ऐ जाबिर! तुम्हें मालूम भी है कि ख़ुदा ने तुम्हारे वालिद को ज़िन्दा किया और उनसे कहा ऐ मेरे बन्दे माँग क्या माँगता है? उन्होंने कहा ख़ुदाया दुनिया में फिर भेज ताकि मैं दोबारा तेरी राह में मारा जाऊँ। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया यह तो मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि कोई यहाँ से दोबारा लौटाया नहीं जायेगा। उनका नाम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन हराम अन्सारी था। ख़ुदा उनसे रज़ामन्द हो।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत जाबिर रज़ि. फ़रमाते हैं कि अपने बाप की शहादत के बाद मैं रोने लगा और अब्बा के मुँह से कपड़ा हटा-हटाकर बार-बार उनके चेहरे को देख रहा था। सहाबा मुझे मना करते थे लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ामोश थे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया जाबिर रो मत, जब तक तेरे वालिद को उठाया नहीं गया फ़रिश्ते अपने परों से उस पर साया किये रहे। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम्हारे भाई उहुद वाले दिन शहीद किये गये तो अल्लाह तबारक व तआ़ला ने उनकी रूहें सब्ज़ परिन्दों के क़ालिब में डाल दीं जो जन्नती दरख़्तों के फल खायें और जन्नती नहरों का पानी पियें और अ़र्श के साय तले वहाँ की लटकती हुई क़िन्दीलों में आराम व राहत हासिल करें। जब खाने-पीने, रहने-सहने की ये बेहतरीन नेमतें उन्हें मिलीं तो कहने लगे काश कि हमारे भाईयों को जो दुनिया में हैं, हमारी इन नेमतों की ख़बर मिल जाती ताकि वे जिहाद से मुँह न फेरें और अल्लाह की राह की लड़ाईयों से थककर न बैठ रहें। ख़ुदा तआ़ला ने उनसे

फ़रमाया तुम बेफ़िक्र रहो, मैं यह ख़बर उन तक पहुँचा देता हूँ। चुनाँचे ये आयतें नाज़िल फ़रमायीं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से नक़ल है कि हज़रत उमर रज़ि. और आपके साथियों के बारे में ये आयतें उतरीं। (मुस्तद्रक हाकिम) यह भी मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया है कि उहुद के शहीदों के बारे में ये आयतें नाज़िल हुईं। अबू बक्र बिन मर्दूया में हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे देखा और फ़रमाने लगे- जाबिर क्या बात है कि तुम मुझे ग़मगीन नज़र आते हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह! मेरे वालिद शहीद हो गये, जिन पर क़र्ज़ का बोझ बहुत है और मेरे छोटे-छोटे बहन-भाई बहुत हैं। आपने फ़रमाया- सुन! मैं तुझे बताऊँ जिस किसी से ख़ुदा ने कलाम किया, पर्दे के पीछे से कलाम किया, लेकिन तेरे बाप से आमने-सामने बातचीत की। फ़रमाया मुझसे माँग जो माँगेगा दूँगा। तेरे बाप ने कहा ख़ुदाया मैं तुझसे यह माँगता हूँ कि तू मुझे दुनिया में दोबारा भेजे और मैं तेरी राह में दूसरी मर्तबा शहीद किया जाऊँ। रब तआ़ला ने फ़रमाया- यह बात तो मैं पहले मुक़र्रर कर चुका हूँ कि कोई भी लौटकर दोबारा दुनिया में नहीं जायेगा। कहने लगे फिर ख़ुदाया मेरे बाद वालों को इन मर्तबों की ख़बर पहुँचा दी जाये। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने यह आयत (व ला तह्सबन्नल्लज़ी-न..........) नाज़िल फ़रमाई।

बैहक़ी में इतना और ज़्यादा है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया- मैं तो ख़ुदाया तेरी इबादत का हक़ भी अदा नहीं कर सका। मुस्नद अहमद में है कि शहीद लोग जन्नत के दरवाज़े पर नहर के किनारे सब्ज़ गुंबद में हैं, सुबह व शाम उन्हें जन्नत की नेमतें पहुँच जाती हैं। दोनों हदीसों में जोड़ यह है कि बाज़ शहीद वे हैं जिनकी रूहें परिन्दों के क़ालिब में हैं और बाज़ वे हैं जिनका ठिकाना यह गुंबद है। और यह भी हो सकता है कि वे जन्नत में से फिरते-फिराते यहाँ जमा होते हों और फिर ये खाने यहीं खिलाये जाते हों। वल्लाहु आलम।

यहाँ पर उस हदीस का भी ज़िक्र करना मुनासिब होगा जिसमें हर मोमिन की रूह के लिये यही बशारत (ख़ुशख़बरी) है। चुनाँचे मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन की रूह एक परिन्दे की तरह है जो जन्नत के दरख़्तों के फल खाती फिरती है। यहाँ तक कि क़ियामत वाले दिन जबकि अल्लाह तआ़ला सबको खड़ा करेंगे तो उसे भी उसके जिस्म की तरफ़ लौटा देंगे। इस हदीस के रिवायत करने वालों में तीन बुलन्द मर्तबे के इमाम हैं। जो उन इमामों में से हैं जिनके मज़ाहिब माने जा रहे हैं। एक तो इमाम अहमद बिन हंबल रह., आप इस हदीस को रिवायत करते हैं। इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रह. से जो उनके उस्ताद हैं, हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रह.। पस इमाम अहमद रह., इमाम शाफ़ई रह., इमाम मालिक रह. तीनों ज़बरदस्त पेशवा इस हदीस के रावी हैं। इस हदीस से साबित हुआ कि ईमान वालों की रूह जन्नती परिन्दे की शक्ल में जन्नत में रहती है और शहीदों की रूहें जैसा कि पहले गुज़र चुका सब्ज़ रंग के परिन्दों के क़ालिब में रहती हैं। ये रूहें सितारों के मानिन्द हैं। आ़म मोमिनों की रूहों को यह मर्तबा हासिल नहीं। यह अपने तौर पर आप ही उड़ती हैं। अल्लाह तआ़ला से जो बहुत बड़ा मेहरबान और ज़बरदस्त एहसानों वाला है, हमारी दुआ़ है कि वह हमें अपने फ़ज़्ल व करम से ईमान व इस्लाम पर मौत दे, आमीन।

फिर फ़रमाया कि यह शहीद जिन-जिन नेमतों और राहत व आरामों में हैं उनसे बेहद मसरूर और बहुत ही ख़ुश हैं और उन्हें यह भी ख़ुशी और राहत है कि उनके भाई-बन्धु जो उनके बाद अल्लाह की राह में शहीद होंगे और उनके पास आयेंगे उन्हें आईन्दा का कुछ ख़ौफ़ न होगा और अपने पीछे छोड़ी हुई चीज़ों पर उन्हें हसरत (अफ़सोस और मायूसी) भी न होगी। अल्लाह हमें भी जन्नत नसीब करे।

हज़रत मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि वे ख़ुश हैं कि उनके दूसरे भाई-बन्धु भी जो जिहाद में लगे हुए हैं वे भी शहीद होकर उनकी नेमतों में उनके शरीके-हाल होंगे और ख़ुदा के सवाब से फ़ायदा उठायेंगे। हज़रत सुद्दी रज़ि. फ़रमाते हैं कि शहीद को एक किताब दी जाती है कि फ़ुलाँ दिन तेरे पास फ़ुलाँ आयेगा और फ़ुलाँ दिन फ़ुलाँ आयेगा। पस जिस तरह दुनिया वाले अपने किसी ग़ैर-हाज़िर के आने की ख़बर सुनकर ख़ुश होते हैं उसी तरह ये शहीद उन शहीदों के आने की ख़बर से ख़ुश होते हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि जब शहीद जन्नत में गये और वहाँ अपने ठिकाने, रहमतें और राहतें देखीं तो कहने लगे- काश इसका इल्म हमारे उन भाईयों को भी होता जो अब तक दुनिया ही में हैं, ताकि वे जवाँमर्दी से जान तोड़कर जिहाद करते और उन जगहों में जा घुसते जहाँ से ज़िन्दा वापस आने की उम्मीद न होती, तो वे भी हमारी इन नेमतों में हिस्सेदार बनते। पस नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों को उनके इस हाल की ख़बर पहुँचा दी और ख़ुदा ने उनसे कह दिया कि मैंने तुम्हारी ख़बर तुम्हारे नबी को दे दी है, इससे वे बहुत ही ख़ुश और प्रसन्न हुए।

बुख़ारी व मुस्लिम में बीरे-मऊना वालों का क़िस्सा बयान हो चुका है जो सत्तर अन्सारी सहाबी थे और एक ही दिन सुबह के वक़्त सबको बेदर्दी से काफ़िरों ने क़त्ल किया था। जिन क़ातिलों के हक़ में एक माह तक नमाज़ के क़ुनूत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बद्दुआ़ की थी और जिन पर लानत भेजी थी, जिनके बारे में क़ुरआन की यह आयत उतरी थी कि हमारी क़ौम को हमारी ख़बर पहुँचाओ कि हम अपने रब से मिले, वह हमसे राज़ी हुआ और हम उससे राज़ी हो गये। वह ख़ुदा की नेमत व फ़ज़्ल को देख-देखकर ख़ुश हैं। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि यह आयत "यस्तब्शिरून......." (कि वे ख़ुश होते हैं.......) तमाम ईमान वालों के हक़ में है चाहे शहीद हों चाहे ग़ैर-शहीद। बहुत कम ऐसे मौक़े हैं कि अल्लाह तआ़ला अपने नबियों की फ़ज़ीलत और उनके सवाबों का ज़िक्र करे और उसके बाद मोमिनों के सवाबों का ज़िक्र न हो।

हमरा-उल-असद की लड़ाई

फिर उन सच्चे मोमिनों का बयान तारीफ़ से हो रहा है जिन्होंने हमरा-उल-असद वाले दिन रसूल के हुक्म पर बावजूद ज़ख़्मों से चूर होने के जिहाद पर कमर कस ली थी। मुश्रिकों ने मुसलमानों को मुसीबतें पहुँचायीं और अपने घरों की तरफ़ वापस चल दिये। लेकिन फिर उन्हें इसका ख़्याल आया कि मौक़ा अच्छा है, मुसलमान हार चुके हैं, ज़ख़्मी हो गये हैं, उनके बहादुर शहीद हो चुके हैं, अगर हम और जमकर लड़ते तो फ़ैसला ही हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनका यह इरादा मालूम करके मुसलमानों को तैयार करने लगे कि मेरे साथ चलो हम उन मुश्रिकों के पीछे जायें ताकि उन पर रौब तारी हो और यह जान लें कि मुसलमान अभी कमज़ोर नहीं हुए। उहुद में जो लोग मौजूद थे सिर्फ़ उन ही को साथ चलने का हुक्म मिला, हाँ सिर्फ़ हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह को उनके अ़लावा भी साथ लिया। इस आवाज़ पर भी मुसलमानों ने लब्बैक कहा। इसके बावजूद कि ज़ख़्मों से चूर और ख़ून में शराबोर थे लेकिन ख़ुदा और उसके रसूल की इताअ़त के लिये कमर कस ली।

हज़रत इक्रिमा रज़ि. का बयान है कि जब मुश्रिक लोग उहुद से लौटे तो रास्ते में सोचने लगे कि न तो तुमने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को क़त्ल किया, न मुसलमानों की औ़रतों को पकड़ा, अफ़सोस तुमने कुछ न किया, वापस लौटो। जब यह ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पहुँची तो आपने

मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया। ये तैयार हो गये और मुश्रिकों का पीछा करने के लिये निकल खड़े हुए यहाँ तक कि हमरा-ए-असद तक या बीरे अबी उयैना तक पहुँच गये। मुश्रिकों के दिल रौब व ख़ौफ़ से भर गये और यह कहकर मक्का की तरफ़ चल दिये कि अच्छा अगले साल देखा जायेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी वापस मदीना तशरीफ़ लाये। यह भी एक अलग लड़ाई समझी जाती है, इसी का ज़िक्र इस आयत में है। उहुद की लड़ाई पन्द्रह शव्वाल शनिवार के दिन हुई थी। सौहलवीं तारीख़ इतवार के दिन रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुनादी ने ऐलान किया कि लोगो! दुश्मन की तलब में चलो और वे लोग चलें जो कल मैदान में थे। इस आवाज़ पर हज़रत जाबिर रज़ि. हाज़िर हुए और अ़र्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह! कल की लड़ाई में मैं न था इसलिये कि मेरे वालिद अ़ब्दुल्लाह ने मुझसे कहा कि बेटे तुम्हारे साथ ये छोटी-छोटी बहनें हैं, इसे तो न मैं पसन्द करूँगा और न तू कि इन्हें यहाँ तन्हा छोड़कर मैं और तुम दोनों ही चल दें, एक जायेगा और एक यहाँ रहेगा। मुझसे यह नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ तुम जाओ और मैं बैठा रहूँ। इसलिये मेरी ख़ुशी है कि तुम अपनी बहनों के पास रहो और मैं जाता हूँ। इस वजह से मैं तो वहाँ रहा और मेरे वालिद आपके साथ आये। अब मेरी ऐन तमन्ना है कि आज मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके साथ चलूँ। चुनाँचे आपने इजाज़त दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह सफ़र इस ग़र्ज़ से था कि दुश्मन ख़ौफ़ज़दा हो जाये और पीछे आता हुआ देखकर समझ ले कि उनमें बहुत कुछ क़ुव्वत है और हमारे मुक़ाबले से ये आ़जिज़ नहीं।

क़बीला बनू अ़ब्दुल-अश्हल के एक सहाबी का बयान है कि ग़ज़्वा-ए-उहुद में हम दोनों भाई शामिल थे और सख़्त ज़ख़्मी होकर हम वापस लौटे थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुनादी ने दुश्मन के पीछे जाने की निदा दी तो हम दोनों भाईयों ने आपस में कहा कि अफ़सोस न हमारे पास सवारी है कि उस पर सवार होकर अल्लाह के नबी के साथ जायें, न ज़ख़्मों के मारे जिस्म में इतनी ताक़त है कि पैदल साथ हो लें। पस अफ़सोस कि यह ग़ज़्वा (लड़ाई) हमारे हाथ से निकल जायेगा। हमारे बेशुमार गहरे ज़ख़्म हमें आज के जाने से रोक देंगे। फिर हमने हिम्मत बाँधी, मुझे अपने भाई के मुक़ाबले में ज़रा हल्के ज़ख़्म थे। जब मेरे भाई बिल्कुल आ़जिज़ आ जाते, क़दम न उठता तो मैं उन्हें किसी तरह करके उठा लेता। जब थक जाता उतार देता। यूँ ही ज्यों-त्यों करके हम लश्कर के मक़ाम तक पहुँच ही गये। (सीरत इब्ने इस्हाक़) सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हज़रत उरवा रज़ि. से कहा ऐ भानजे! तेरे दोनों बाप उन ही लोगों में से हैं जिनके बारे में:

اَلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا......... الخ.

आयत उतरी है। यानी हज़रत ज़ुबैर और हज़रत सिद्दीक़ रज़ि.। जबकि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उहुद की जंग में नुक़सान पहुँचा और मुश्रिक आगे चले तो आपको ख़्याल हुआ कि कहीं ये फिर वापस न लौटें, लिहाज़ा आपने फ़रमाया- कोई है जो उनके पीछे जाये? इस पर सत्तर शख़्स इस काम के लिये तैयार हो गये जिसमें एक हज़रत अबू बक्र थे दूसरे हज़रत ज़ुबैर थे। यह रिवायत और बहुत-सी सनदों से बहुत-सी किताबों में है। इब्ने मर्दूया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से फ़रमाया- तेरे दोनों बाप उन लोगों में से हैं। लेकिन यह मरफ़ूअ़ बयान महज़ ग़लती है। इसलिये भी कि इसकी सनद में उन मोतबर रावियों की मुख़ालफ़त है, जो हज़रत आ़यशा रज़ि. से इस रिवायत को मौक़ूफ़ लाये हैं, और इसलिये भी कि मायने के एतिबार से भी इस रिवायत के ख़िलाफ़ मज़मून

साबित है। हज़रत जुबैर रज़ि. हज़रत आयशा रज़ि. के बाप-दादों में नहीं। सही यह है कि यह बात हज़रत आयशा रज़ि. ने अपने भानजे हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ि. के लड़के उरवा रज़ि. से कही है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. का बयान है कि अल्लाह तआला ने अबू सुफ़ियान के दिल में रौब डाल दिया और इसके बावजूद कि वह उहुद की लड़ाई में किसी क़द्र कामयाब हो गया था फिर भी मक्का की तरफ़ चल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अबू सुफ़ियान तुम्हें नुक़सान पहुँचाकर लौट गया है। अल्लाह तआला ने उसके दिल को मरऊब कर दिया है। उहुद की लड़ाई शव्वाल में हुई थी और ताजिर लोग ज़ी-क़ादा (इस्लामी साल के एतिबार से ग्यारहवाँ महीने) में आते थे और "बदरे-सुग़रा" (बदर एक कुएँ का नाम है, इसी नाम पर एक जगह का नाम मशहूर हो गया) में अपने डेरे हर साल इस महीने में डाला करते थे। अब के भी इस वाक़िए के बाद लोग आये, मुसलमान अपने ज़ख़्मों में चूर थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपनी तकलीफ़ें बयान करते थे और सख़्त सदमे में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को इस बात पर तैयार किया कि वे आपके साथ चलें और फ़रमाया कि ये लोग अब कूच कर जायेंगे फिर हज को आयेंगे और फिर यह क़ुदरत उन्हें अगले साल तक न होगी। लेकिन शैतान ने अपने दोस्तों (मानने वालों) को धमकाना और बहकाना शुरू कर दिया, कहने लगा कि लोगों ने तुम्हारे ख़ात्मे के लिये लश्कर तैयार कर लिये हैं, जिसकी बिना पर लोग ढीले पड़ गये। आपने फ़रमाया सुनो! चाहे तुममें से एक भी न चले मैं अकेला जाऊँगा। फिर आपके तवज्जोह और दिलचस्पी दिलाने पर हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत जुबैर, हज़रत सअ़द, हज़रत तल्हा, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वग़ैरह सत्तर सहाबा आपके साथ चलने पर तैयार हुए।

यह मुबारक लश्कर अबू सुफ़ियान की जुस्तजू में "बदरे-सुग़रा" तक पहुँच गया। इन्हीं की इस फ़ज़ीलत और जाँबाज़ी का ज़िक्र इस मुबारक आयत में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस सफ़र में मदीना से आठ मील हमरा-ए-असद तक पहुँच गये, मदीना में अपना नायब आपने हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। वहाँ आपने पीर, मंगल, बुध तक क़ियाम किया, फिर मदीना लौट आये। वहाँ ठहरने के दौरान क़बीला ख़ुज़ाआ का सरदार माबद ख़ुज़ाई यहाँ से निकला था। यह ख़ुद मुश्रिक था लेकिन इस पूरे क़बीले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुलह-सफ़ाई थी। इस क़बीले के मुश्रिक मोमिन सब आपके ख़ैरख़्वाह (हमदर्द और भला चाहने वाले) थे। उसने कहा कि हुज़ूर के साथियों को जो तकलीफ़ पहुँची उस पर हमें सख़्त रंज है, ख़ुदा आपको उनकी ख़ुशी नसीब फ़रमाये। हमरा-ए-असद पर आपके पहुँचने से पहले अबू सुफ़ियान चल दिया था, गोया उसने और उसके साथियों ने वापस आने का इरादा किया था कि जब हम उन पर ग़ालिब आ गये, उन्हें क़त्ल किया, मारा-पीटा, ज़ख़्मी किया फिर अधूरा काम क्यों छोड़ें। वापस जाकर सबको क़त्ल कर दें। यह मश्विरे हो ही रहे थे कि माबद ख़ुज़ाई वहाँ पहुँचा। अबू सुफ़ियान ने उससे पूछा कि कहो क्या ख़बरें हैं। उसने कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने साथियों के साथ तुम लोगों का पीछा करते हुए आ रहे हैं। वे लोग सख़्त गुस्से में हैं। जो पहले लड़ाई में शरीक न थे वे भी आ गये हैं। सबके तेवर बदले हुए हैं और पूरी ताक़त के साथ हमलावर होने वाले हैं। मैंने तो ऐसा लश्कर कभी देखा नहीं। यह सुनकर अबू सुफ़ियान के हाथों के तोते उड़ गये और कहने लगा अच्छा ही हुआ जो तुमसे मुलाक़ात हो गयी, वरना हम तो ख़ुद उनकी तरफ़ जाने के लिये तैयार थे। माबद ने कहा हरगिज़ यह इरादा न करो और मेरी बात का क्या है ग़ालिबन तुम यहाँ से कूच करने से पहले ही

इस्लामी लश्कर के घोड़ों को देख लोगे। मैं उनके लश्कर, उनके गुस्से, उनकी तैयारी और बहादुरी का हाल बयान नहीं कर सकता। मैं तो साफ़ कहता हूँ कि भागो और अपनी जानें बचाओ। मेरे पास ऐसे अलफ़ाज़ नहीं जिनसे में मुसलमानों के गुस्से और आक्रोश, तेवर व बहादुरी और सख़्ती और पुख़्तगी का बयान कर सकूँ। मुख़्तसर यह है कि जान की ख़ैर मनाते हो तो फ़ौरन यहाँ से कूच करो। अबू सुफ़ियान और उसके साथियों के छक्के छूट गये और उन्होंने यहाँ से मक्का की राह ली।

क़बीला अ़ब्दुल-क़ैस के आदमी जो कारोबार की ग़र्ज़ से मदीना जा रहे थे, उनसे अबू सुफ़ियान ने कहा कि तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को यह ख़बर पहुँचा देना कि हमने उन्हें क़त्ल करने के लिये लश्कर जमा कर लिये हैं और हम वापस लौटने के इरादे में हैं। अगर तुमने यह पैग़ाम पहुँचा दिया तो हम तुम्हें उकाज़ बाज़ार में बहुत सारी किशमिश देंगे। चुनाँचे उन लोगों ने हमरा-ए-असद में आकर बतौर डरावे के नमक-मिर्च लगाकर यह घबराहट भरी ख़बर सुनाई। लेकिन सहाबा ने निहायत हिम्मत और बहादुरी से जवाब दिया कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है। जनाब रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने उनके लिये एक पत्थर का निशान मुक़र्रर कर रखा है, अगर ये लौटेंगे तो वहाँ पहुँचकर इस तरह मिट जायेंगे जैसे गुज़रे हुए कल का दिन।

बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि यह आयत बदर के बारे में नाज़िल हुई हैं लेकिन ज़्यादा सही यही है कि हमरा-ए-असद के बारे में नाज़िल हुई। मतलब यह है कि ख़ुदा के दुश्मनों ने उन्हें डराने और ख़ौफ़ दिलाने के लिये दुश्मनों के साज़ व सामान और उनकी अधिक संख्या से डराया, लेकिन वह सब्र के पहाड़ साबित हुए। उनके न लड़खड़ाने वाले यक़ीन में कुछ फ़र्क़ न आया बल्कि वे तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसे) में और बढ़ गये और ख़ुदा की तरफ़ नज़रें करके उससे इमदाद तलब की। सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि "हस्बुनल्लाहु व नेअ़्मल वकील" हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने आग में गिरते वक़्त पढ़ा था और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त जबकि क़ाफ़िरों के टिड्डी-दल लश्कर से लोगों ने आपको ख़ौफ़ज़दा करना चाहा।

ताज्जुब की बात है कि इमाम हाकिम रह. ने इस रिवायत को ज़िक्र करके फ़रमाया है कि बुख़ारी व मुस्लिम में नहीं। बुख़ारी की एक रिवायत में यह भी है कि यह आख़िरी कलिमा था जो ख़लीलुल्लाह की ज़बान से आग में पड़ते वक़्त निकला था। हज़रत अनस रज़ि. वाली रिवायत में है कि उहुद के मौक़े पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को काफ़िरों के लश्करों की ख़बर दी गयी तो आपने यह कलिमा फ़रमाया। एक और रिवायत में है कि हज़रत अ़ली रज़ि. की सरदारी में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक छोटा-सा लश्कर रवाना किया और राह में ख़ुज़ाआ के एक देहाती ने यह ख़बर सुनाई तो आपने फ़रमाया था।

इब्ने मर्दूया की हदीस में है कि आप फ़रमाते हैं- जब तुम पर कोई बहुत बड़ा काम आ पड़े तो तुम 'हस्बनुल्लाह व नेअ़्मल् वकील' पढ़ो। मुस्नद अहमद में है कि दो शख़्सों के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ैसला किया तो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर हुआ था उसने यही कलिमा पढ़ा। आपने उसे वापस बुलवाकर फ़रमाया आ़जिज़ी और काहिली पर ख़ुदा की मलामत होती है। दानाई, दूर अन्देशी और अ़क़्लमन्दी से काम किया करो। फिर किसी मामले में फंस जाओ तो यह पढ़ लो। मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि मैं किस तरह फ़ारिग़ होकर आराम से रहूँ हालाँकि सूर वाले ने सूर मुँह में ले रखा है और पेशानी झुकाये हुक्मे ख़ुदा का मुन्तज़िर है, कब हुक्म हो और वह सूर फूँक दे। सहाबा

रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने कहा हुज़ूर! हम क्या पढ़ें? आपने फ़रमाया "हस्बुनल्लाहु व नेअ़्मल् वकील, अ़लल्लाहि तवक्कलना" पढ़ो।

उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ि. से रिवायत है कि हज़रत ज़ैनब ने फ़ख़्र से फ़रमाया- मेरा निकाह तो ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने कर दिया है और तुम्हारे निकाह तुम्हारे वली वारिसों ने किये हैं। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया मेरी बराअत और पाकीज़गी की आयतें अल्लाह तआ़ला ने आसमान से अपने पाक कलाम में नाज़िल फ़रमाई हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ि. इसे मान गयीं और पूछा यह तो बताओ तुमने हज़रत सफ़वान बिन मोअ़त्तल की सवारी पर सवार होते वक़्त क्या पढ़ा था? हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ि. ने फ़रमायाः "हस्बुनल्लाहु व नेअ़्मल् वकील"। यह सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ि. ने फ़रमाया तुमने ईमान वालों का कलिमा कहा था। चुनाँचे इस आयत में भी रब्बे रहीम का इरशाद है कि उन तवक्कुल करने वालों की किफ़ायत अल्लाह तआ़ला ने की और उनके साथ जो लोग बुराई का इरादा रखते थे उन्हें ज़िल्लत और बरबादी के साथ पीछे हटने पर मजबूर किया। ये लोग ख़ुदा तआ़ला के फ़ज़्ल व करम से अपने शहरों की तरफ़ बग़ैर किसी नुक़सान और बुराई के लौटे। दुश्मन अपनी मक्कारियों में नाकाम रहा। उनसे ख़ुदा ख़ुश हो गया क्योंकि उन्होंने उसकी ख़ुशी का काम अन्जाम दिया था। अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल व करम वाला है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का फ़रमान है कि नेमत तो यह थी कि वे सलामत रहे और फ़ज़्ल यह था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ताजिरों के एक क़ाफ़िले से माल ख़रीद लिया जिसमें बहुत ही नफ़ा हुआ और उस तमाम नफ़े को आपने अपने साथियों में तक़सीम फ़रमा दिया। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि अबू सुफ़ियान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा अब वायदे की जगह बदर है। आपने फ़रमाया मुम्किन है। चुनाँचे आप वहाँ पहुँचे, यह डरपोक आया नहीं। वहाँ बाज़ार का दिन था, माल ख़रीद लिया जो नफ़े से फ़रोख़्त हुआ। इसी का नाम ग़ज़्वा-ए-बदर सुग़रा (यानी बदर की छोटी लड़ाई) है।

फिर फ़रमाता है कि शैतान था जो अपने दोस्तों से तुम्हें धमका रहा था और गीदड़-भबकियाँ दे रहा था। तुम्हें चाहिये कि उनसे न डरो, सिर्फ़ मेरा ही ख़ौफ़ दिल में रखो। क्योंकि ईमान रखने की यह शर्त है कि जब कोई डराये धमकाये और दीन के किसी मामले से तुम्हें बाज़ रखना चाहे तो मुसलमान ख़ुदा पर भरोसा करे, उसकी तरफ़ सिमट जाये और यक़ीन माने कि काफ़ी और नासिर (मददगार) वही है। जैसे एक और जगह इरशाद है:

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ.......... الخ.

क्या ख़ुदा अपने बन्दों को काफ़ी नहीं? लोग तुझे उसके सिवा डरा रहे हैं (यहाँ तक कि फ़रमाया) तू कह कि मुझे ख़ुदा काफ़ी है, तवक्कुल करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिये।

एक और जगह फ़रमाया कि शैतान के दोस्तों से लड़ो, शैतान का मक्र (फ़रेब और जाल) बड़ा बोदा है। एक और जगह इरशाद है कि यह शैतानी लश्कर है। याद रखो शैतानी लश्कर ही घाटे और ख़सारे में है। एक और जगह इरशाद है:

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ.......... الخ.

अल्लाह तआ़ला लिख चुका है कि ग़लबा यक़ीनन मुझे और मेरे रसूलों को ही होगा। अल्लाह क़वी और अ़ज़ीज़ (ग़ालिब) है। एक और जगह इरशाद है:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ.

जो ख़ुदा की की मदद करेगा ख़ुदा उसकी इमदाद फ़रमायेगा। एक और फ़रमान है:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ......... الخ.

ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारी मदद करेगा....। एक और आयत में है:

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا............ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.

हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया में भी करेंगे और उस दिन भी, जिस दिन गवाह खड़े होंगे, जिस दिन ज़ालिमों को उज़्र व माज़िरत नफ़ा न देगी, उनके लिये लानत है और उनके लिये बुरा घर (ठिकाना) है।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا

और आपके लिए वे लोग ग़म का सबब न होने चाहिएँ जो जल्दी से कुफ़्र में जा पड़ते हैं, यक़ीनन वे लोग अल्लाह तआ़ला को ज़र्रा बराबर भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर है कि आख़िरत में उनको बिल्कुल हिस्सा न दे, और उन लोगों को बड़ी सज़ा होगी। (176) यक़ीनन जितने लोगों ने ईमान की जगह कुफ़्र को इख़्तियार कर रखा है, ये लोग अल्लाह तआ़ला को ज़र्रा बराबर भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते और उनको दर्दनाक सज़ा होगी। (177) और जो लोग कुफ़्र कर रहे हैं वे यह ख़्याल हरगिज़ न करें कि हमारा उनको मोहलत देना उनके लिए बेहतर है, हम उनको सिर्फ़ इसलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि जुर्म में उनको और तरक़्क़ी हो जाए और उनको तौहीन भरी सज़ा होगी। (178) अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को इस हालत में नहीं रखना चाहते जिस पर तुम अब हो जब तक कि नापाक को पाक से अलग न फ़रमा दें। और अल्लाह तआ़ला ऐसे ग़ैबी उमूर की तुमको इत्तिला नहीं करते वे लेकिन हाँ जिसको ख़ुद चाहें, और वे अल्लाह तआ़ला के पैग़म्बर हैं उनको चुन लेते हैं, पस अब अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और अगर तुम ईमान ले आओ

بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

और परहेज़ रखो तो फिर तुमको बड़ा अज्र मिले। (179) और हरगिज़ ख़्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ में बुख़्ल करते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से दी है कि यह बात कुछ उनके लिए अच्छी होगी, बल्कि यह बात उनके लिए बहुत ही बुरी है, वे लोग क़ियामत के दिन तौक़ पहना दिए जाएँगे उसका जिसमें उन्होंने बुख़्ल किया था, और आख़िर में आसमान व ज़मीन अल्लाह तआ़ला ही का रह जाएगा, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं। (180)

ع ۱۸ ۹

कुफ़्र से ईमान व इस्लाम को नुक़सान नहीं पहुँच सकता

चूँकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लोगों पर बेहद मुशफ़िक़ व मेहरबान थे, इसलिये काफ़िरों का गुमराह होना और भटकना आप पर भारी गुज़रता था। वे ज्यों-ज्यों कुफ़्र की जानिब बढ़ते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़मगीन होते। इसलिये अल्लाह तआ़ला आपको इससे रोकता है और फ़रमाता है कि अल्लाह की हिक्मत का तक़ाज़ा यही है, उनका कुफ़्र आपको या ख़ुदा को कोई नुक़सान नहीं पहुँचायेगा, ये लोग अपना आख़िरत का हिस्सा बरबाद कर रहे हैं और अपने लिये बहुत बड़े अ़ज़ाब को दावत दे रहे हैं। उनकी मुख़ालफ़त से आपको महफ़ूज़ रखेगा। आप उन पर ग़म न करें। फिर फ़रमाया- यह भी मुक़र्रर क़ायदा है कि जो लोग ईमान को कुफ़्र से बदल डालें वे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि अपना ही नुक़सान कर रहे हैं और अपने लिये दर्दनाक अ़ज़ाब मुहैया कर रहे हैं। फिर काफ़िरों का ख़ुदा की मोहलत पर इतराना बयान फ़रमाता है। जैसे एक और जगह इरशाद है:

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ........ الخ.

यानी क्या काफ़िरों का यह गुमान है कि उनके माल व औलाद की तरक़्क़ी हमारी तरफ़ से उनकी ख़ैरियत (भलाई) का निशान है? नहीं! बल्कि वे बेशऊर हैं। एक जगह फ़रमाया:

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ.......... الخ.

यानी मुझे और इस बात को झुठलाने वालों को छोड़ दे। हम उन्हें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ेंगे कि उन्हें इल्म भी न हो। एक और इरशाद है:

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ......... الخ.

यानी उनके माल और औलाद से कहीं तू धोखे में न पड़ जाना। उन्हें उनके सबब दुनिया में भी अ़ज़ाब करना चाहता है और कुफ़्र पर ही उनकी जान जायेगी।

फिर फ़रमाता है कि यह तयशुदा बात है कि बाज़ अहकाम और बाज़ इम्तिहानों से ख़ुदा जाँच लेगा और ज़ाहिर कर देगा कि उसका वली (दोस्त) कौन है? और उसका दुश्मन कौन है? मोमिन साबिर और

मुनाफ़िक़ फ़ाजिर (बुराईयों वाला) बिल्कुल अलग-अलग हो जायेंगे। इससे मुराद उहुद की जंग का दिन है, जिसमें ईमान वालों का सब्र व जमाव, पुख़्तगी और तवक्कुल, फ़रमाँबरदारी और आज्ञा का पालन करना और मुनाफ़िक़ों की बेसब्री और मुख़ालफ़त, झुठलाना और नामुवाफ़क़त, इनकार और ख़ियानत साफ़ ज़ाहिर हो गयी। ग़र्ज़ कि जिहाद का हुक्म, हिजरत का हुक्म एक आज़माईश थी जिसने भले और बुरे में तमीज़ (फ़र्क़) कर दी। इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि लोगों ने कहा था- अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सच्चे हैं तो ज़रा बतलायें तो कि हमसे सच्चा मोमिन कौन है और कौन नहीं? इस पर आयतः

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ........... الخ.

(अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को उस हालत पर रखना नहीं चाहता.........) नाज़िल हुई। (इब्ने जरीर)

फिर फ़रमान है कि ख़ुदा के ग़ैब को तुम नहीं जान सकते, हाँ वह ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि मोमिन और मुनाफ़िक़ में साफ़ फ़र्क़ हो जाये। लेकिन अल्लाह तआ़ला अपने रसूलों में से जिसे चाहे पसन्द कर लेता है। जैसे एक और जगह हैः

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ.

ख़ुदा ग़ैब का जानने वाला है, पस अपने ग़ैब पर किसी को बाख़बर नहीं करता मगर जिस रसूल को पसन्द करे, उसके भी आगे-पीछे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते को चलाता रहता है।

फिर फ़रमाया कि ख़ुदा पर, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। यानी इताअ़त करो, शरीअ़त पर पाबन्द रहो। याद रखो ईमान और तक़वे में तुम्हारे लिये बड़ा अज्र है। फिर इरशाद है कि बख़ील शख़्स अपने माल को अपने लिये बेहतर न समझे वह तो उसके लिये सख़्त नुक़सानदेह चीज़ है। दीन में तो है ही लेकिन बहुत सी बार दुनियावी तौर पर भी उसका अन्जाम और नतीजा बुरा होता है। उस बख़ील के माल का उसे क़ियामत के दिन तौक़ डाला जायेगा।

सही बुख़ारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जिसे ख़ुदा माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे उसका माल क़ियामत के दिन गंजा साँप बनकर जिसकी आँखों पर दो निशान होंगे तौक़ की तरह उसके गले लिपट जायेगा और उसकी बाँछों को चीरता रहेगा, कि मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। फिर आपने इसी आयतः

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ........... الخ.

(सूरः आले इमरान आयत 180) की तिलावत फ़रमाई। मुस्नद की एह हदीस में यह भी है कि जो शख़्स अपने पीछे ख़ज़ाना छोड़कर मरे वह ख़ज़ाना एक चितकोड़िया साँप की सूरत में जिसकी दोनों आँखों पर दो नुक़्ते (बिन्दू) होंगे, उसके पीछे दौड़ेगा। यह भागेगा और कहेगा तू कौन है? वह कहेगा मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ मुझे तू अपने पीछे छोड़कर मरा था। यहाँ तक कि वह उसे पकड़ लेगा और उसका हाथ चबायेगा फिर बाक़ी जिस्म भी। तबरानी की हदीस में है कि जो शख़्स अपने आक़ा के पास जाकर उससे अपनी हाजत तलब करे और वह बावजूद बचत होने के न दे, उसके लिये क़ियामत के दिन ज़हरीला अज़्दहा बुलाया जायेगा। दूसरी रिवायत में है कि जो मोहताज रिश्तेदार अपने मालदार रिश्तेदार से सवाल करे और यह न दे, उसकी यह सज़ा होगी और वह साँप उसके गले का हार बन जायेगा। (इब्ने जरीर)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अहले किताब जो अपनी किताबी बातों को पहुँचाने में बुख़्ल

(कन्जूसी) करते हैं, उनकी सज़ा का बयान इस आयात में हो रहा है। लेकिन सही बात पहली ही है, अगरचे यह क़ौल भी आयत के आ़म मफ़हूम में दाख़िल है, बल्कि यह ख़ास तौर पर दाख़िल है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाता है कि आसमान और ज़मीन की मीरास का मालिक अल्लाह ही है, उसने जो तुम्हें दिया उसमें से उसकी राह में ख़र्च करो। तमाम कामों का लौटना उसी की तरफ़ है। सख़ावत (दान-पुन) करो ताकि उस दिन काम आये, और ख़्याल रखो कि तुम्हारी नीयतों, दिली इरादों और तमाम आमाल से ख़ुदा तआ़ला ख़बरदार है।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاۤءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۤءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

बेशक अल्लाह तआ़ला ने सुन लिया है उन लोगों का क़ौल जिन्होंने (यूँ) कहा कि अल्लाह मुफ़लिस है और हम मालदार हैं। हम उनके कहे हुए को लिख रहे हैं, और उनका नबियों को नाहक़ क़त्ल करना भी, और हम कहेंगे कि चखो आग का अ़ज़ाब। (181) यह उन (आमाल) की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं, और यह (बात साबित ही है) कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर ज़ुल्म करने वाले नहीं। (182) वे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको हुक्म फ़रमाया था कि हम किसी पैग़म्बर पर एतिक़ाद न लाएँ जब तक कि हमारे सामने (अल्लाह तआ़ला की नियाज़ व) मन्नत (का मोजिज़ा) ज़ाहिर न करे कि उसको आग खा जाए, आप फ़रमा दीजिए कि यक़ीनन बहुत-से पैग़म्बर मुझसे पहले बहुत-सी दलीलें लेकर आए और (ख़ुद) यह (मोजिज़ा) भी जिसको तुम कह रहे हो, सो तुमने उनको क्यों क़त्ल किया अगर तुम सच्चे हो। (183) सो अगर ये लोग आपको झुठलाएँ तो बहुत-से पैग़म्बर जो आपसे पहले गुज़रे हैं झुठलाए जा चुके हैं, जो मोजिज़े लेकर आए थे और सहीफ़े और रोशन किताब "आसमानी किताबें और अहकाम" लेकर। (184)

एक गुस्ताख़ी और बेअदबी

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब यह आयत उतरी कि कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़े-हसना दे और वह उसे ख़ूब बढ़ाकर और कई गुना करके दे, तो यहूद कहने लगे कि ऐ नबी! तुम्हारा रब फ़क़ीर हो गया है और अपने बन्दों से क़र्ज़ माँग रहा है। इस पर यह आयत उतरीः

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا..............الخ

(सूरः ब-क़रह आयत 245)

इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. यहूदियों के मदरसे में गये। यहाँ का बड़ा उस्ताज़ फ़िन्हास था और उसके मातहत एक बहुत बड़ा आलिम अश्यअ़ था। लोगों का मजमा था और वे उनसे मज़हबी बातें सुन रहे थे। आपने फ़रमाया- फ़िन्हास अल्लाह से डर और मुसलमान हो जा। ख़ुदा की क़सम तुझे ख़ूब मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सच्चे रसूल हैं। वह उसके पास से हक़ लेकर आये हैं। उनकी सिफ़तें तौरात व इन्जील में तुम्हारे हाथों में मौजूद हैं। फ़िन्हास ने जवाब में कहा ऐ अबू बक्र सुन! ख़ुदा की क़सम ख़ुदा हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं। उसकी तरफ़ इस तरह नहीं गिड़-गिड़ाते जैसे वह हमारी जानिब आ़जिज़ी करता है, बल्कि हम तो उससे बेपरवाह हैं, हम ग़नी और मालदार हैं। अगर वह ग़नी होता तो हमसे क़र्ज़ तलब न करता, जैसा कि तुम्हारा पैग़म्बर कह रहा है। हमें तो सूद से रोके और ख़ुद सूद दे। अगर ग़नी होता तो हमें सूद क्यों देता। इस पर हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. को सख़्त गुस्सा आया और और फ़िन्हास के मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और फ़रमाया ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है अगर तुम यहूद से हमारा समझौता न होता तो मैं तुझ दुश्मने ख़ुदा का सर काट देता। जाओ बदनसीबो झुठलाते ही रहोगे अगर सच्चे हो। फ़िन्हास ने जाकर इसकी शिकायत सरकारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में की। आपने सिद्दीक़े अकबर से पूछा कि इसे क्यों मारा? हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. ने वाक़िआ़ बयान किया लेकिन फ़िन्हास अपने क़ौल से मुकर गया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। इस बारे में यह आयत उतरी।

फिर ख़ुदा तआ़ला उन्हें अपने अ़ज़ाब की ख़बर देता है कि उनका यह क़ौल और साथ ही इसी जैसा उनका बड़ा गुनाह यानी नबियों को क़त्ल करना हमने उनके नामा-ए-आमाल में लिख लिया है। एक तरफ़ उनका अल्लाह की शान में बेअदबी करना दूसरी जानिब नबियों को मार डालना, इन कामों पर उन्हें सख़्त सज़ा होगी। उनको हम कहेंगे कि जलने वाले अ़ज़ाबों का ज़ायक़ा चखो और उनसे कहा जायेगा कि यह तुम्हारे करतूत का बदला है। यह कहकर उन्हें ज़लील व रुस्वा करके अ़ज़ाब पर अ़ज़ाब होंगे। यह सरासर अ़दल व इन्साफ़ है और ज़ाहिर है कि मालिक अपने गुलामों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं।

फिर उनको उनके इस ख़्याल में झूठा साबित किया जा रहा है। वे कहते थे कि आसमानी किताबें जो पहले नाज़िल हुईं, उनमें ख़ुदा तआ़ला ने हमें यह हुक्म दे रखा है कि जब तक कोई रसूल हमें यह मोजिज़ा न दिखाये कि उसकी उम्मत में से जो शख़्स क़ुरबानी करे, उसकी क़ुरबानी को खा जाने के लिये आसमान से क़ुदरती आग आये और खा जाये। उनके इस क़ौल के जवाब में इरशाद होता है कि फिर इस मोजिज़े वाले पैग़म्बरों को जो अपने साथ दलाईल और हुज्जतें लेकर आये थे तुमने क्यों मार डाला? उन्हें तो ख़ुदा तआ़ला ने यह मोजिज़ा भी दे रखा था कि हर एक क़बूल शुदा क़ुरबानी को आसमानी आग खा जाती थी लेकिन तुमने उन्हें भी सच्चा न जाना, उनकी भी मुख़ालफ़त और दुश्मनी की बल्कि उन्हें भी क़त्ल कर डाला। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि तुम्हें तुम्हारी अपनी बात का भी पास व लिहाज़ नहीं। न तुम हक़ के साथी हो, न किसी नबी के मानने वाले हो। तुम यक़ीनन झूठे हो।

फिर अल्लाह तआ़ल अपने नबी को तसल्ली देता है कि उनके झुठलाने से आप तंगदिल (दुखी) और ग़मनाक न हों। पहले गुज़रे बुलन्द रुतबा पैग़म्बरों के वाक़िआ़त को अपने लिये तसल्ली का ज़रिया बनायें

कि वे भी बावजूद दलीलें ज़ाहिर कर देने के और बावजूद अपनी हक़्क़ानियत को बख़ूबी वाज़ेह कर देने के फिर भी झुठलाये गये। 'ज़ुबुर' से मुराद आसमानी किताबें हैं जो उन सहीफ़ों की तरह आसमान से आयीं जो रसूलों पर उतारे गये थे, और 'मुनीर' से मुराद स्पष्ट, वाज़ेह और रोशन चीज़ है।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुमको तुम्हारा पूरा बदला क़ियामत के दिन ही मिलेगा, तो जो शख़्स दोज़ख़ से बचा लिया गया और जन्नत में दाख़िल किया गया सो वह पूरा कामयाब हुआ। और दुनियावी ज़िन्दगी तो कुछ भी नहीं सिर्फ़ धोखे का सौदा है। (185) अलबत्ता आगे और आज़माये जाओगे अपने मालों में और अपनी जानों में, और अलबत्ता आगे को और सुनोगे बहुत-सी बातें दिल दुखाने वाली उन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं और उन लोगों से जो कि मुश्रिक हैं। और अगर सब्र करोगे और परहेज़ रखोगे तो यह ताकीदी अहकाम में से है। (186)

मौत का मर्हला सामने है और दुनिया की ज़िन्दगी एक बेहक़ीक़त चीज़ है

तमाम मख़्लूक़ को आम इत्तिला है कि हर जानदार मरने वाला है। जैसे फ़रमायाः

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

यानी इस ज़मीन पर जितने हैं सब फ़ानी हैं, सिर्फ़ तेरे रब का चेहरा बाक़ी है जो बुज़ुर्गी और इकराम वाला है।

पस सिर्फ़ वही एक ख़ुदा हमेशगी की ज़िन्दगी वाला है जो कभी फ़ना न होगा। जिन्नात व इनसान तमाम के तमाम मरने वाले हैं। इसी तरह फ़रिश्ते और अ़र्श को उठाने वाले भी मर जायेंगे और सिर्फ़ एक अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं हमेशगी और बक़ा वाला बाक़ी रह जायेगा। पहले भी वही था और आख़िरी भी वही रहेगा। जब सब मर जायेंगे, मुद्दत ख़त्म हो जायेगी, आदम की पीठ से जितनी औलाद होने वाली थी हो चुकी और फिर सब मौत के घाट उतर गये, मख़्लूक़ात का ख़ात्मा हो गया, उसी वक़्त अल्लाह तआ़ला क़ियामत क़ायम करेगा और मख़्लूक़ को उनके तमाम आमाल की छोटे-बड़े, छुपे-खुले, सग़ीरा-कबीरा सब की जज़ा-सज़ा होगी। किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म न होगा। यही इसके बाद के जुमले में फ़रमाया जा रहा है।

हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन्तिक़ाल के बाद हमें ऐसा महूसस हुआ कि गोया कोई आ रहा है। पाँव की आहट सुनाई देती थी लेकिन कोई शख़्स दिखाई नहीं देता था। उसने आकर कहा ऐ अहले बैत! तुम पर सलाम हो और ख़ुदा की रहमत व बरकत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। तुम सबको तुम्हारे आमाल का बदला पूरा-पूरा क़ियामत के दिन दिया जायेगा। हर मुसीबत की तलाफ़ी (भरपाई) ख़ुदा के पास है, हर मरने वाले का बदला है और हर फ़ौत होने वाले का हासिल कर लेना है। अल्लाह ही पर भरोसा रखो, उसी से भली उम्मीदें रखो, समझ लो कि सचमुच मुसीबत का मारा वह शख़्स है जो सवाब से मेहरूम रह जाये। तुम पर ख़ुदा की तरफ़ से सलामती नाज़िल हो और उसकी रहमतें और बरकतें। (इब्ने अबी हातिम)

हज़रत अ़ली रज़ि. का ख़्याल है कि यह ख़ज़िर अ़लैहिस्सलाम थे। हक़ीक़त यह है कि पूरा कामयाब वह इनसान है जो जहन्नम से निजात पा ले और जन्नत में चला जाये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जन्नत में एक कोड़े जितनी जगह मिल जाना दुनिया और इसकी तमाम चीज़ों से बेहतर है। अगर तुम चाहो तो यह पढ़ोः

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

यानी जो दोज़ख़ से बचा लिया गया और जन्नत में दाख़िल कर दिया गया सो वह पूरा कामयाब हुआ।

इस पिछली ज़्यादती के बग़ैर यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में भी है और ज़्यादती समेत इब्ने अबी हातिम और इब्ने मर्दूया में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि जिसकी ख़्वाहिश आग से बच जाने और जन्नत में दाख़िल हो जाने की हो उसे चाहिये कि मरते दम तक ख़ुदा पर और क़ियामत पर ईमान रखे और लोगों से वह सुलूक करे जिसे ख़ुद अपने लिये पसन्द करता हो। यह हदीस पहलेः

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

(सूरः ब-क़रह आयत 132) की तफ़सीर में गुज़र चुकी है। मुस्नद अहमद और वकीअ़ बिन जर्राह की तफ़सीर में यह हदीस है। उसके बाद दुनिया की हिक़ारत और ज़िल्लत बयान हो रही है कि यह बहुत ही घटिया, ज़लील, फ़ानी और ख़त्म होने वाली चीज़ है। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

यानी तुम तो दुनिया की ज़िन्दगी पर रीझते जाते हो हालाँकि दर असल बेहतरी और बक़ा वाली चीज़ आख़िरत है।

दूसरी आयत में है कि तुम्हें जो कुछ दिया गया है यह दुनिया की ज़िन्दगी का फ़ायदा है और इसकी ज़ीनत (चमक-दमक) बेहतरीन मालूम होती है। हालाँकि बाक़ी तो वह है जो ख़ुदा के पास है। हदीस शरीफ़ में है ख़ुदा की क़सम दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में सिर्फ़ ऐसी ही है जैसे कोई शख़्स अपनी उंगली समुद्र में डुबो ले, उस उंगली के पानी की समुद्र के पानी के मुक़ाबले में जो हैसियत है वही दुनिया की आख़िरत के मुक़ाबले में है। हज़रत क़तादा रह. का इरशाद है कि दुनिया क्या है? धोखे की टट्टी (छप्पर, झोंपड़ा) है जिसे छोड़-छाड़कर तुम्हें चल देना है। उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं कि यह तो जल्द ही तुमसे जुदा होने वाली और बरबाद होने वाली चीज़ है। बस तुम्हें चाहिये कि समझ से काम लो

और यहाँ अल्लाह की फ़रमाँबरदारी कर लो और ताकृत भर नेकियाँ कमा लो, ख़ुदा की दी हुई तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई काम नहीं बनता।

फिर इनसानी आज़माईश का ज़िक्र हो रहा है। जैसे एक और जगह है:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ......... الخ.

मतलब यह है कि मोमिन का इम्तिहान ज़रूर होता है, कभी जानी कभी माली, कभी बाल-बच्चों और घर वालों में, कभी और किसी तरह। यह आज़माईश दीनदारी के अन्दाज़ के मुताबिक़ होती है। सख़्त दीनदार की आज़माईश भी सख़्त और कमज़ोर दीन वाले का इम्तिहान भी कमज़ोर। परवर्दिगार जल्ल शानुहू सहाबा किराम रज़ि. को ख़बर देता है कि बदर से पहले मदीना में तुम्हें अहले किताब से और मुश्रिकों से तकलीफ़देह बातें सुननी पड़ेंगी। फिर तसल्ली देते हुए फ़रमाते हैं कि तुम सब्र कर लिया करो और परहेज़गारी बरतो, यह बड़ा भारी काम है।

हज़रत उसामा बिन ज़ैद फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा मुश्रिकों से और अहले किताब से बहुत कुछ दरगुज़र फ़रमाया करते थे और उनके तकलीफ़ देने को सह लिया करते थे और ख़ुदा के इस फ़रमान पर आ़मिल थे, यहाँ तक कि जिहाद की आयतें उतरीं। सही बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़सीर के मौक़े पर है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने गधे पर सवार होकर हज़रत उसामा रज़ि. को अपने पीछे बैठाकर हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ि. की इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये बनू हारिस बिन ख़्वारिज के क़बीले की तरफ़ तशरीफ़ ले चले। यह वाक़िआ़ जंगे बदर से पहले का है। रास्ते में एक मज्लिस जमी हुई मिली जिसमें मुसलमान भी थे यहूदी भी थे, मुश्रिकीन भी थे और अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल भी था। यह भी अब तक कुफ़्र के खुले रंग में था। मुसलमानों में से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि. भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सवारी से गर्द व ग़ुबार जो उड़ा तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल ने नाक पर कपड़ा रख लिया और कहने लगा ग़ुबार न उड़ाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पास पहुँच ही चुके थे। सवारी से उतर आये, सलाम किया, उन्हें इस्लाम की दावत दी और क़ुरआन की चन्द आयतें सुनायीं तो अ़ब्दुल्लाह बोल पड़ा। सुनिये साहिब! आपका यह तरीक़ा हमें पसन्द नहीं। आपकी बातें हक़ ही सही लेकिन इसकी क्या वजह है कि आप हमारी मज्लिसों में आकर हमें ईज़ा दें (तकलीफ़ पहुँचायें)? अपने घर जाईये जो आपके पास आये उसे सुनाईये। यह सुनकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि. ने फ़रमाया- हुज़ूर! बेशक हमारी मज्लिसों में आया करें। हमें तो इसकी बहुत ज़रूरत है। फिर उनमें आपस में ख़ूब झगड़ा हुआ। एक दूसरे को बुरा भला कहने लगा और क़रीब था कि खड़े होकर लड़ने लगें, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के समझाने से अमन व अमान हो गया और सब ख़ामोश हो गये।

आप अपनी सवारी पर सवार होकर हज़रत सअ़द रज़ि. के पास तशरीफ़ ले गये और वहाँ जाकर हज़रत सअ़द से फ़रमाया कि ऐ अबू लुबाब! अ़ब्दुल्लाह बिन उबई ने आज तो यूँ-यूँ किया। हज़रत सअ़द रज़ि. ने कहा या रसूलल्लाह! आप जाने दीजिए माफ़ कीजिए और दरगुज़र कीजिए। क़सम ख़ुदा की जिसने आप पर क़ुरआन उतारा सुनिये, उसे (यानी इब्ने सलूल को) तो आपसे बेहद दुश्मनी है और होनी चाहिये, इसलिये कि यहाँ के लोगों ने उसे सरदार बनाना चाहा था और उसे चौधराहट की पगड़ी बंधवाने का मश्विरा तय हो चुका था। उधर अल्लाह तआ़ला ने आपको नबी-ए-बर्हक़ बनाकर भेजा। लोगों ने आपको नबी

माना, उसकी सरदारी जाती रही, जिसका उसे रंज है। इसी सबब यह अपने जले दिल के फफोले फोड़ रहा है। जो कह दिया आप उसे अहमियत न दें। चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दरगुज़र किया और यही आपकी और आपके सहाबा की आदत थी। यहूदियों से, मुश्रिकों से दरगुज़र फ़रमाते। सुनी अनसुनी कर डाला करते और इस फ़रमान पर अमल करते। यही हुक्म "वद्-द कसीरुम् मिन् अह्लिल् किताबि........ (सूरः ब-क़रह आयत 109)" आयत में है, जो हुक्म माफ़ और दरगुज़र करने का इस आयतः

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ.............الخ

में है (यानी जिस आयत की यह तफ़सीर बयान हो रही है)। इसके बाद आपको जिहाद की इजाज़त दी गयी और पहला ग़ज़वा (लड़ाई) बदर का हुआ, जिसमें काफ़िरों के सरदार क़त्ल हुए। यह हालत और इस्लाम की यह शान व दबदबा देखकर अब अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल और उसके साथी घबराये। सिवाय इसके कोई चारा-ए-कार उन्हें नज़र न आया कि बैअत कर लें और बज़ाहिर मुसलमान हो जायें। याद रखना चाहिये कि हर हक़ वाले पर जो नेकी और भलाई का हुक्म करता है और जो बुराई और शरीअत के ख़िलाफ़ काम से रोकता है, ज़रूर मुसीबतें और आफ़तें आती हैं। उसे चाहिये कि उन तमाम तकलीफ़ों को झेले और अल्लाह की राह में सब्र से काम ले। उसी की पाक ज़ात पर भरोसा रखे। उसी से मदद तलब करता रहे। बेहतरीन मददगार और कारसाज़ वही है।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○	**और जबकि अल्लाह ने किताब वालों से यह अहद लिया कि इस किताब को आम लोगों के रू-ब-रू ज़ाहिर कर देना और इसको मत छुपाना, सो उन लोगों ने उसको अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उसके मुक़ाबले में कम-हक़ीक़त मुआवज़ा ले लिया। सो बुरी चीज़ है जिसको वे लोग ले रहे हैं। (187) जो लोग ऐसे हैं कि अपने (बुरे) किर्दार पर ख़ुश होते हैं और जो (नेक) काम नहीं किया उस पर चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ हो सो ऐसे शख़्सों को हरगिज़-हरगिज़ मत ख़्याल करो कि वे ख़ास अन्दाज़ के अज़ाब से बचाव में रहेंगे, (बल्कि) और उनको दर्दनाक सज़ा होगी। (188) और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। (189)**

अहद का तोड़ना

अल्लाह तआला यहाँ अहले किताब को तंबीह फ़रमा रहे हैं कि पैग़म्बरों के वास्ते से जो अहद उनका

अल्लाह तआ़ला से हुआ था कि पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ हुज़ूर सल्ल. पर ईमान लायें और आपके ज़िक्र को और आपकी ख़ुशख़बरी की भविष्यवाणी को लोगों में फैलायेंगे और उन्हें आपकी ताबादेरी पर तैयार करेंगे और फिर जिस वक़्त आप आ जायें तो आपके ताबेदार हो जायेंगे। लेकिन उन्होंने इस अ़हद को छुपा लिया और इसके ज़ाहिर करने पर जिन दुनिया व आख़िरत की भलाईयों का उनसे वायदा किया गया था उसके बदले दुनिया की थोड़ी-सी पूँजी में उलझकर रह गये। उनकी यह ख़रीद व फ़रोख़्त बहुत बुरी है।

इसमें उलेमा को तंबीह है कि वे उनकी तरह न करें वरना इन पर भी वही सज़ा होगी और मार पड़ेगी जो उन पर हुई और इन्हें भी ख़ुदा की वह नाराज़गी उठानी पड़ेगी जो उन्होंने उठाई। उलेमा-ए-किराम को चाहिये कि उनके पास जो नफ़ा देने वाला दीनी इल्म हो, जिससे लोग नेक अ़मल कर सकते हों उसे फैलाते रहें और किसी बात को न छुपायें। हदीस शरीफ़ में है कि जिस शख़्स से कोई मसला पूछा जाये और वह उसे छुपा ले तो क़ियामत के दिन आग की लगाम पहनाया जायेगा। दूसरी आयत में रियाकारों की मज़म्मत (बुराई) बयान हो रही है। सहीहैन की हदीस में है कि जो शख़्स झूठा दावा करके ज़्यादती चाहे उसे अल्लाह तआ़ला और कम कर देगा। सहीहैन की दूसरी हदीस में है कि जो न दिया गया हो उसके साथ आसूदगी (अपने आराम को) जताने वाला दो झूठे कपड़े पहनने वाले की तरह है।

मुस्नद अहमद में है कि एक मर्तबा मरवान ने अपने दरबान राफ़ेअ़ से कहा- हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर अपने काम पर ख़ुश होने और न किये हुए काम पर तारीफ़ पसन्द करने के सबब ख़ुदा का अ़ज़ाब होगा तो हममें से कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने इसके जवाब में फ़रमाया कि तुम्हें इस आयत से क्या ताल्लुक़? यह तो अहले किताब के बारे में है। फिर आपने यह आयत पूरी पढ़ीः

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ..............الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) और फ़रमाया कि उनसे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किसी चीज़ के बारे में सवाल किया था तो उन्होंने उसका कुछ और ही ग़लत जवाब दिया और बाहर निकलकर गुमान करने लगे कि हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया और साथ ही उनकी यह भी ख़्वाहिश थी कि आपके पास हमारी तारीफ़ होगी और असली सवाल के जवाब के छुपा लेने पर और यह चाल कामयाब हो जाने पर वे ख़ुश थे। इसी का बयान इस आयत में है। यह हदीस बुख़ारी वग़ैरह में भी है और सही बुख़ारी शरीफ़ में यह भी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मैदाने जंग में तशरीफ़ ले जाते तो मुनाफ़िक़ लोग अपने घरों में घुसे बैठे रहते, साथ न जाते। फिर ख़ुशियाँ मनाते कि हम लड़ाई से बच गये। अब जब ख़ुदा के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वापस लौटते तो ये बातें बनाते, झूठे-सच्चे उ़ज़्र (बहाने बनाते और मजबूरियाँ ज़ाहिर) करते और क़समें खा-खाकर अपने माज़ूर होने का आपको यक़ीन दिलाते, और चाहते कि न किये हुए काम पर भी हमारी तारीफ़ें हों, जिस पर यह आयत उतरी।

तफ़सीर इब्ने मर्दूया में है कि मरवान ने हज़रत अबू सईद रज़ि. से इस आयत के बारे में इसी तरह सवाल किया था जिस तरह ऊपर गुज़रा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से पुछवाया तो हज़रत अबू सईद रज़ि. ने इसका मिस्दाक़ और इसका शाने नुज़ूल उन मुनाफ़िक़ों को क़रार दिया जो ग़ज़वा (लड़ाई) के वक़्त बैठ जाते। अगर मुसलमानों को नुक़सान पहुँचता तो बग़लें बजाते, अगर फ़ायदा हुआ तो अपना माज़ूर होना ज़ाहिर करते और फ़तह व नुसरत की ख़ुशी का इज़हार करते। इस पर मरवान ने कहा कहाँ यह वाक़िआ

कहाँ यह आयत? तो हज़रत अबू सईद रज़ि. ने फ़रमाया- यह ज़ैद बिन साबित भी इससे वाक़िफ़ हैं। मरवान ने हज़रत ज़ैद रज़ि. से पूछा, आपने भी इसकी तस्दीक़ की। फिर अबू सईद रज़ि. ने फ़रमाया- इसका इल्म हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़ुदैज को भी है जो मज्लिस में मौजूद थे। लेकिन इन्हें डर है कि अगर यह ख़बर कर देंगे तो आप इनकी ऊँटनियाँ जो सदक़े की हैं छीन लेंगे। बाहर निकलकर हज़रत ज़ैद रज़ि. ने कहा मेरी शहादत (गवाही देने और तस्दीक़ करने) पर तुम मेरी तारीफ़ नहीं करते? हज़रत अबू सईद रज़ि. ने फ़रमाया तुमने सच्ची शहादत अदा कर दी। हज़रत ज़ैद रज़ि. ने फ़रमाया फिर भी सच्ची शहादत पर मैं तारीफ़ का हक़दार तो हूँ। यह मरवान उस ज़माने में मदीना पर अमीर था।

दूसरी रिवायत में है कि मरवान का यह सवाल राफ़ेअ़ बिन ख़ुदैज रज़ि. से पहले हुआ था। इससे पहले कि उन दोनों साहिबों ने जवाब दिये हों, फिर और ज़्यादा इत्मीनान और तसल्ली के तौर पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से भी मरवान ने अपने आदमी के ज़रिये सवाल किया हो। वल्लाहु आलम।

हज़रत साबित बिन क़ैस अन्सारी रज़ि. ख़िदमते नबवी में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह! मुझे तो अपनी हलाकत का बड़ा अन्देशा है। आपने फ़रमाया क्यों? जवाब दिया एक तो इस वजह से कि अल्लाह तआ़ला ने इस बात से रोका कि जो न किया हो उस पर तारीफ़ को पसन्द करें, और मेरा यह हाल है कि मैं तारीफ़ पसन्द करता हूँ। दूसरी बात यह है कि तकब्बुर से ख़ुदा ने रोका है और मैं जमाल (ख़ूबसूरती और बनने-संवरने) को पसन्द करता हूँ। तीसरे यह कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की आवाज़ से बुलन्द आवाज़ करना मना है और मैं बुलन्द आवाज़ वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तू इस बात से ख़ुश नहीं कि तेरी ज़िन्दगी बेहतरीन और ख़ैर वाली हो और तेरी मौत शहादत की मौत हो और तू जन्नती बन जाये? ख़ुश होकर कहने लगे क्यों नहीं या रसूलल्लाह! यह तो बहुत ही अच्छी बात है। चुनाँचे यही हुआ कि आपकी ज़िन्दगी बेहतरीन गुज़री और मौत शहादत की हुई। मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ मुसलमानों की जो जंग हुई उसमें आपने शहादत पाई।

फिर फ़रमाया है कि तू उन्हें अ़ज़ाब से निजात पाने वाला ख़्याल न कर, उन्हें अ़ज़ाब ज़रूर होगा और वह भी दर्दनाक। फिर इरशाद है कि हर चीज़ पर क़ादिर अल्लाह तआ़ला है, उसे कोई काम आ़जिज़ नहीं कर सकता। पस तुम उससे डरते रहो और उसकी मुख़ालफ़त न करो, उसके ग़ज़ब से बचने की कोशिश करो, उसके अ़ज़ाबों से अपना बचाव कर लो, न तो कोई उससे बड़ा न उससे ज़्यादा क़ुदरत वाला।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا	**बेशक आसमानों के और ज़मीन के बनाने में और एक के बाद एक रात और दिन के आने-जाने में दलीलें हैं अ़क़्ल वालों के लिए। (190) जिनकी हालत यह है कि वे लोग अल्लाह की याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, और आसमानों और ज़मीन के पैदा होने में ग़ौर करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने इसको बेकार पैदा नहीं किया। हम आपको पाक समझते हैं सो हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचा लीजिए। (191) ऐ हमारे परवर्दिगार! बेशक**

مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰي رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

आप जिसको दोज़ख़ में दाख़िल करें उसको वाक़ई रुस्वा ही कर दिया, और ऐसे बेइन्साफ़ों का कोई भी साथ देने वाला नहीं। (192) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमने एक पुकारने वाले को सुना कि वह ईमान लाने के वास्ते ऐलान कर रहे हैं कि तुम अपने परवर्दिगार पर ईमान लाओ, सो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे परवर्दिगार! फिर हमारे गुनाहों को भी माफ़ फ़रमा दीजिए और हमारी बुराईयों को भी हमसे दूर कर दीजिए और हमको नेक लोगों के साथ मौत दीजिए। (193) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको वह चीज़ भी दीजिए जिसका हमसे अपने पैग़म्बरों के ज़रिये आपने वायदा फ़रमाया है, और हमको क़ियामत के दिन रुस्वा न कीजिए, यक़ीनन आप वायदा-ख़िलाफ़ नहीं करते। (194)

तौहीद की दलीलें

तबरानी में है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि क़ुरैश के लोग यहूदियों के पास गये और उनसे पूछा- हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम तुम्हारे पास क्या-क्या मोजिज़े लेकर आये थे? उन्होंने कहा अज़्दहा बन जाने वाली लकड़ी और चमकीला हाथ। फिर ईसाईयों के पास गये उनसे कहा तुम्हारे पास हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम क्या-क्या निशानियाँ लाये थे? जवाब मिला कि माँ के पेट से अन्धों को बीना कर देना और कोढ़ी को अच्छा कर देना। अब क़ुरैश हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और आपसे कहा- अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि हमारे लिये सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दे। आपने दुआ़ की। जिस पर यह आयतः

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ..............الخ

उतरी। यानी क़ुदरत की निशानियाँ देखने वालों के लिये इसी में बड़ी निशानियाँ है। यह इसी में ग़ौर करेंगे तो उन क़ुदरतों वाले ख़ुदा के सामने झुक जायेंगे। लेकिन इस रिवायत में एक इश्काल यह है कि यह सवाल मक्का शरीफ़ में हुआ था और यह आयत मदीना शरीफ़ में नाज़िल हुई है। वल्लाहु आलम।

आयत का मतलब यह है कि आसमान जैसी बुलन्द और फैली हुई मख़्लूक़ और ज़मीन जैसी पस्त, सख़्त और लम्बी-चौड़ी मख़्लूक़। फिर आसमान में बड़ी-बड़ी निशानियाँ जैसे चलने-फिरने वाले और अपनी जगह ठहरे रहने वाले सितारे, और ज़मीन की बड़ी-बड़ी पैदावार जैसे पहाड़ और जंगल और दरख़्त और घास और खेतियाँ और फल और विभिन्न क़िस्म के जानदार और खानें और अलग-अलग ज़ायक़े वाले और तरह-तरह की ख़ुशबुओं वाले और विभिन्न विशेषताओं वाले मेवे वग़ैरह, क्या ये सब निशानियाँ एक सोच

समझ वाले इनसान की रहबरी ख़ुदा की तरफ़ नहीं करतीं? कि और निशानियाँ देखने की ज़रूरत बाक़ी रहे। फिर दिन-रात का आना-जाना और इनका कम-ज़्यादा होना, फिर बराबर हो जाना। यह सब उस अ़ज़ीज़ (ग़ालिब) व अ़लीम (सब कुछ जानने वाले) ख़ुदा की कामिल क़ुदरत की पूरी निशानियाँ हैं। इसी लिये आख़िर में फ़रमाया कि इनमें अ़क्लमन्दों के लिये काफ़ी निशानियाँ हैं जो पाक-नफ़्स वाले हर चीज़ की हक़ीक़त पर नज़र डालने के आ़दी हैं, और बेवक़ूफ़ों की तरह आँख के अन्धे और कान के बहरे नहीं। जिनकी हालत एक दूसरी जगह बयान हुई है कि वे आसमान और ज़मीन की बहुत-सी निशानियाँ पैरों तले रौंदते हुए गुज़र जाते हैं और ग़ौर व फ़िक्र नहीं करते। उनमें के अक्सर ख़ुदा को मानने के बावजूद फिर भी शिर्क नहीं छोड़ते।

अब उन अ़क्लमन्दों की सिफ़तें बयान हो रही हैं कि उठते-बैठते, लेटते ख़ुदा का नाम जपा करते हैं। सहीहैन की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ि. से फ़रमाया- खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करो, अगर ताक़त न हो तो बैठकर, और यह भी न हो सके तो लेटे-लेटे ही सही। यानी किसी हालत में भी अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल मत रहो। दिल में, पोशीदा तौर पर और ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो। ये लोग आसमान और ज़मीन की पैदाईश में नज़रें दौड़ाते हैं और उनकी हिक्मतों पर ग़ौर करते हैं जो उस बेमिसाल ख़ालिक़ की अ़ज़मत व क़ुदरत, इल्म व हिक्मत, इख़्तियार व रहमत पर दलालत करती हैं।

हज़रत शैख़ सुलैमान दारानी रह. फ़रमाते हैं कि घर से निकलकर जिस-जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ती है मैं देखता हूँ कि उसमें ख़ुदा की एक नेमत मौजूद है और मेरे लिये वह इबरत का सबब है। हज़रत इमाम हसन बसरी रह. का क़ौल है कि एक घड़ी ग़ौर व फ़िक्र करना रात भर के क़ियाम करने (नफ़िल नमाज़ में खड़े रहने) से अफ़ज़ल है। हज़रत फ़ुज़ैल रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत हसन रह. का क़ौल कि ग़ौर व फ़िक्र और मुराक़बा एक ऐसा आईना है जो तेरे सामने तेरी बुराईयाँ-भलाईयाँ पेश कर देगा। हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रह. फ़रमाते हैं कि ग़ौर व फ़िक्र एक नूर है जो तेरे दिल पर अपना अ़क्स डालेगा और बहुत सी बार ये पंक्तियाँ पढ़ते-

اذالمرأ كانت له فكرة ففى كل شىء له عبرة

यानी जिस इनसान को बारीक-बेनी (नज़र की गहराई) और सोच-समझ की आ़दत पढ़ गयी उसे हर चीज़ में एक इबरत (सबक़ और सीख) और निशानी नज़र आती है।

हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते हैं- ख़ुशनसीब है वह जिसका बोलना ज़िक्रुल्लाह और नसीहत हो और उसका ख़ामोश रहना ग़ौर व फ़िक्र हो, और उसका देखना इबरत और तंबीह हो। लुक़मान हकीम का यह हिक्मत भरा मक़ूला भी याद रहे कि तन्हाई की बैठे रहना जिस क़द्र ज़्यादा हो उसी क़द्र ग़ौर व फ़िक्र और अन्जाम पर नज़र करना ज़्यादा होता है। और जिस क़द्र यह बढ़ जाये उसी क़द्र वो रास्ते इनसान पर खुल जाते हैं जो उसे जन्नत में पहुँचा दें। हज़रत वहब बिन मुनब्बेह रह. फ़रमाते हैं कि जिस क़द्र मुराक़बा (अपनी ज़िन्दगी और अल्लाह की निशानियों में सोच-विचार) ज़्यादा होगा उसी क़द्र समझ-बूझ तेज़ होगी और जितनी समझ ज़्यादा होगी उतना ही इल्म नसीब होगा और जिस क़द्र इल्म ज़्यादा होगा नेक आमाल भी बढ़ेंगे। हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. का इरशाद है कि अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र में ज़बान का तर रहना बहुत अच्छा है, और ख़ुदा की नेमतों में ग़ौर व फ़िक्र करना बेहतरीन इबादत है।

हज़रत मुग़ीस अस्वद रह. मज्लिस में बैठे हुए फ़रमाते हैं कि लोगो! क़ब्रिस्तान हर रोज़ जाया करो ताकि तुम्हें अन्जाम का ख़्याल पैदा हो। फिर अपने दिल में उस मन्ज़र को हाज़िर करो कि तुम ख़ुदा के सामने खड़े हो, फिर एक जमाअ़त को जहन्नम में लेजाने का हुक्म होता है और एक जमाअ़त जन्नत में जाती है। अपने दिलों को इस हाल में डुबा दो और अपने बदन को भी वहीं हाज़िर जान लो। जहन्नम को अपने सामने देखो। उसके हथौड़ों को उसकी आग के क़ैदख़ानों को अपने सामने लाओ। इतना फ़रमाते ही दहाड़ें मार-मारकर रोने लगते हैं, यहाँ तक कि बेहोश हो जाते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक रह. फ़रमाते हैं- एक शख़्स ने एक राहिब (ईसाई आ़लिम) से एक क़ब्रिस्तान और एक कूड़ा डालने की जगह पर मुलाक़ात की और उससे कहा ऐ राहिब! तेरे पास इस वक़्त दो ख़ज़ाने में, एक ख़ज़ाना लोगों का यानी क़ब्रिस्तान, एक ख़ज़ाना माल का यानी कूड़ा-करकट, पाख़ाना-पेशाब डालने की जगह। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. खण्डरों पर जाते और किसी टूटे-फूटे दरवाज़े पर खड़े होकर निहायत हसरत व अफ़सोस के साथ आवाज़ निकालते और फ़रमाते ऐ उजड़े हुए मकानो! तुम्हारे रहने वाले कहाँ गये? फिर ख़ुद फ़रमाते सब ज़मीन के नीचे चले गये, सब फ़ना का जाम पी चुके। सिर्फ़ ज़ाते ख़ुदा को बक़ा है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. का इरशाद है कि दो रक्अ़तें जो दिल की तवज्जोह के साथ अदा की जायें, उस नमाज़ से अफ़ज़ल हैं जिसमें सारी रात गुज़ार दी लेकिन दिलचस्पी न थी। ख़्वाजा हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं- ऐ आदम के बेटे! अपने पेट के तीसरे हिस्से में खा, तीसरे हिस्से में पानी पी और तीसरा हिस्सा उन साँसों के लिये छोड़ जिसमें तू आख़िरत की बातों पर अपने अन्जाम पर और अपने आमाल पर ग़ौर व फ़िक्र कर सके। बाज़ हकीमों (बुद्धिमानों) का क़ौल है कि जो शख़्स दुनिया की चीज़ों पर बग़ैर इबरत (नसीहत) हासिल किये नज़र डालता है, इस ग़फ़लत के अन्दाज़ से उसकी दिली आँखें कमज़ोर पड़ जाती हैं। हज़रत बिश्र बिन हारिस हाफ़ी रह. का फ़रमान है कि अगर लोग ख़ुदा तआ़ला की अ़ज़मत का ख़्याल करते तो हरगिज़ उनसे नाफ़रमानियाँ न होतीं। हज़रत आ़मिर बिन अ़ब्दे क़ैस रह. फ़रमाते हैं कि मैंने बहुत से सहाबा से सुना है कि ईमान की रोशनी और उसको चमकाना ग़ौर व फ़िक्र और मुराक़बा (चिंतन-मंथन) है। मसीह बिन मरियम हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का फ़रमान है कि ऐ आदम की औलाद! ऐ ज़ईफ़ इनसान! तू जहाँ कहीं हो अल्लाह तआ़ला से डरता रह, दुनिया में आ़जिज़ी और मिस्कीनी के साथ, अपना घर मस्जिदों को बना ले, अपनी आँखों को रोना सिखा, अपने जिस्म को सब्र की आ़दत सिखा, अपने दिल को ग़ौर व फ़िक्र करने वाला बना, कल की रोज़ी की फ़िक्र आज न कर।

अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. एक मर्तबा मज्लिस में बैठे-बैठे रो दिये। लोगों ने वजह पूछी तो आपने फ़रमाया- मैंने दुनिया में, इसकी लज़्ज़तों में और उसकी ख़्वाहिशों में ग़ौर व फ़िक्र किया और नसीहत हासिल की, जब नतीजे पर पहुँचा तो मेरी उमंगें ख़त्म हो गयीं। हक़ीक़त यह है कि हर शख़्स के लिये इसमें इबरत (सीख) व सबक़ है और उपदेश व नसीहत है। हुसैन इब्ने अ़ब्दुर्रहमान रह. ने भी अपने अश्आ़र में इस मज़मून को ख़ूब निभाया है। पस अल्लाह तआ़ला ने अपने उन बन्दों की तारीफ़ व प्रशंसा बयान की जो मख़्लूक़ात और कायनात से इबरत (नसीहत) हासिल करें और सबक़ लें। और उन लोगों की मज़म्मत (निंदा और बुराई) बयान की जो क़ुदरत की निशानियों पर ग़ौर न करें।

मोमिनों की तारीफ़ में बयान हो रहा है कि ये लोग उठते-बैठते और लेटते ख़ुदा का ज़िक्र करते हैं। ज़मीन व आसमान की पैदा करने और बनाने में ग़ौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं कि ख़ुदाया! तूने इस मख़्लूक़ को बेफ़ायदा और बेकार नहीं बनाया बल्कि हक़ के साथ पैदा किया है ताकि बुरों को बुराई का

बदला और नेकों को नेकियों का बदला अ़ता फ़रमाये। फिर ख़ुदा की पाकीज़गी बयान करते हैं कि तू इससे पाक और बरी है कि किसी चीज़ को बेकार बनाये। ऐ मख़्लूक़ को पैदा करने और बनाने वाले! ऐ अ़दल व इन्साफ़ से कायनात को चलाने वाले! ऐ नुक़सानों और ऐबों से पाक ज़ात! हमें अपनी क़ुव्वत व ताक़त से उन आमाल की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमा जिनसे हम तेरे अ़ज़ाब से निजात पा लें और तेरी नेमतों से मालामाल होकर जन्नत में दाख़िल हो जायें। ये यूँ भी कहते हैं कि ख़ुदाया! जिसे तू जहन्नम में ले जाये उसे तूने बरबाद कर दिया, ज़लील व ख़्वार कर दिया और हश्र तमाम मजमे के सामने उन्हें रुस्वा किया। ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं, उन्हें न कोई छुड़ा सके न बचा सके, न तेरे इरादे के आगे आ सके। ऐ रब हमने पुकारने वाले की पुकार को सुन लिया जो ईमान व इस्लाम की तरफ़ बुलाता है। मुराद इससे हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं जो फ़रमाते हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ। हम ईमान ला चुके और उसकी ताबेदारी इख़्तियार कर चुके। पस हमारे ईमान और इत्तिबा (पैरवी और आज्ञा के पालन) की वजह से हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, उनकी पर्दापोशी कर, हमारी बुराईयों को हमसे दूर कर दे और हमें सालेह और नेक लोगों के साथ मिला दे। तूने हमसे जो वायदे अपने रसूलों के ज़रिये किये हैं उन्हें पूरा कर। और यह मतलब भी बयान किया गया है कि जो वायदे तूने अपने रसूलों पर ईमान लाने का किया था। लेकिन पहले मायने ज़्यादा ज़ाहिर हैं।

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि अ़स्क़लान दो अ़रूस में से एक है। यहीं से क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार शख़्सों को खड़ा करेगा जिन पर हिसाब व किताब ही नहीं। यहीं से पचास हज़ार शहीद उठेंगे जो एक जमाअ़त बनकर ख़ुदा के पास जायेंगे, यहीं शहीदों की सफ़ें होंगी जिनके सर कटे हुए उनके हाथों में होंगे, उनकी गर्दन की रगों से ख़ून जारी होगा। ये कहते होंगे- ख़ुदाया! हमसे जो वायदे अपने रसूलों के द्वारा तूने किये हैं उन्हें पूरा कर। हमें क़ियामत के दिन रुस्वा न कर, तू वायदा-ख़िलाफ़ी से पाक है। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- मेरे ये बन्दे सच्चे हैं। इन्हें नहरे बैज़ा में ग़ुस्ल दिलाओ। ये उसमें ग़ुस्ल करके पाक-साफ़, गोरे-चिट्टे रंग के होकर निकलेंगे और सारी जन्नत उनके लिये मुबाह होगी, जहाँ चाहें जायें-आयें, जो चाहें खायें-पियें। यह हदीस ग़रीब है और बाज़ तो कहते हैं कि गढ़ी हुई है। वल्लाहु आलम।

हमें क़ियामत के दिन तमाम लोगों के मजमे में रुस्वा न कर, तेरे वायदे सच्चे हैं, तूने जो कुछ ख़बरें अपने रसूलों की ज़बानी पहुँचाई हैं सब सही हैं। क़ियामत का दिन ज़रूर आना है, पस तू हमें उस दिन की रुस्वाई से निजात दे। रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बन्दे पर रुस्वाई डाँट-डपट, आ़र-शर्मिन्दगी इस क़द्र डाली जायेगी और इस तरह ख़ुदा तआ़ला के सामने खड़ा करके उसे क़ायल-माक़ूल किया जायेगा कि वह चाहेगा कि काश मुझे जहन्नम ही में डाल दिया जाता। (अबू यअ़ला) इस हदीस की सनद भी ग़रीब है। अहादीस से यह भी साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को तहज्जुद के लिये जब उठते तब सूरः आले इमरान की इन दस आख़िरी आयतों की तिलावत फ़रमाते। चुनाँचे बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा के घर रात गुज़ारी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब आये तो थोड़ी देर तक आप हज़रत मैमूना से बातें करते रहे, फिर सो गये। जब आख़िरी तिहाई रात बाक़ी रह गयी तो आप उठ बैठे और आसमान की तरफ़ निगाह करके "इन्-न फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति.......... से सूरत के आख़िर तक" यानी ग्यारह आयतें तिलावत फ़रमायीं। फिर खड़े हुए मिस्वाक करके वुज़ू किया और ग्यारह रक्अ़त नमाज़ अदा की। हज़रत बिलाल रज़ि. की सुबह की अज़ान सुनकर फिर दो रक्अ़तें सुबह की सुन्नतें पढ़ीं। फिर

मस्जिद में तशरीफ़ लाकर लोगों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। सही बुख़ारी में यह रिवायत दूसरी जगह भी है कि बिस्तरे की चौड़ाई में तो मैं सोया और लम्बाई में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी बीवी साहिबा हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा लेटीं। आधी रात के क़रीब, कुछ पहले या कुछ बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जागे और अपने हाथों से अपनी आँखें मलते हुए इन दस आयतों की तिलावत की। फिर एक उल्टी हुई मश्क में पानी लेकर बहुत अच्छी तरह कामिल वुज़ू किया और नमाज़ को खड़े हो गये। मैंने भी खड़े होकर इसी तरह सब कुछ किया और आपकी बायीं जानिब आपकी इक़्तिदा में नमाज़ के लिये खड़ा हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने दाहिने हाथ से मेरे कान को पकड़कर मुझे अपनी दायीं जानिब कर लिया और दो-दो रक्अ़तें करके छह मर्तबा यानी बारह रक्अ़तें पढ़ीं, फिर वित्र पढ़ा और लेट गये, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन ने आकर नमाज़ की इत्तिला की। आपने खड़े होकर दो हल्की रक्अ़तें अदा कीं और बाहर आकर सुबह की नमाज़ पढ़ाई।

इब्ने मर्दूया की इस हदीस में है हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत अ़ब्बास रज़ि. ने फ़रमाया- तुम आज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आल में गुज़ारो और आपकी रात की नमाज़ की कैफ़ियत देखो। रात को जब सब लोग इशा की नामज़ पढ़कर चले गये मैं बैठा रहा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जाने लगे तो मुझे देखकर फ़रमाया- अ़ब्दुल्लाह? मैंने कहा जी हाँ। फ़रमाया क्यों रुके हुए हो? मैंने कहा वालिद साहब का हुक्म है कि रात आपके घर गुज़ारूँ। फ़रमाया बहुत अच्छा आओ। घर आकर फ़रमाया बिस्तर बिछाओ, टाट का तकिया आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस पर सर रखकर सो गये। यहाँ तक कि मुझे आपके ख़र्राटों की आवाज़ आने लगी। फिर आप जागे और सीधी तरह बैठकर आसमान की तरफ़ देखकर तीन मर्तबा "सुब्हानल् मलिकिल् क़ुद्दूस" पढ़ा फिर सूरः आले इमरान के ख़ात्मे की ये आयतें पढ़ीं। एक और रिवायत में है कि आयतों की तिलावत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दुआ़ पढ़ीः

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَمِنْ م بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

यानी ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर पैदा फ़रमा, मेरे समाअ़त में नूर पैदा फ़रमा, मेरी आँखों में नूर पैदा फ़रमा, मेरे दायें, बायें, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे नूर पैदा फ़रमा और क़ियामत के दिन मेरे लिये बड़ा नूर ज़ाहिर फ़रमा। (इब्ने मर्दूया)

यह दुआ़ बाज़ सही सनदों से भी मरवी है। इस आयत के शुरू में तबरानी के हवाले से जो हदीस गुज़री है उससे तो यह मालूम होता है कि यह आयत मक्की है, लेकिन मशहूर इसके ख़िलाफ़ है, यानी यह कि यह आयत मदनी है और इसकी दलील में यह हदीस पेश हो सकती है जो इब्ने मर्दूया में है कि हज़रत अ़ता रज़ि., हज़रत इब्ने उमर रज़ि., हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ि., हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास आये। आपके और उनके बीच पर्दा था। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ि. ने पूछा उबैद तुम क्यों नहीं आया करते? हज़रत उबैद रज़ि. ने जवाब दिया अम्माँ जान! सिर्फ़ इसलिये कि किसी शायर का क़ौल हैः

زُرْغِبًّا تَزْدُدْحُبًّا.

यानी मुलाक़ात कम किया करो ताकि मुहब्बत बढ़े।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि. ने कहा अब इन बातों को छोड़िये, उम्मुल-मोमिनीन हम यह पूछने के लिये हाज़िर हुए हैं कि सबसे ज़्यादा अ़जीब बात जो आपने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की देखी हो वह हमें बताईये? हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रो दीं और फ़रमाने लगीं- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तमाम काम अ़जीब तर थे। अच्छा एक वाक़िआ़ सुनो! एक रात मेरी बारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे पास आये और मेरे साथ सोये, फिर मुझसे फ़रमाने लगे- आ़यशा! मैं अपने रब की कुछ इबादत करना चाहता हूँ मुझे जाने दे। मैंने कहा या रसूलल्लाह! ख़ुदा की क़सम मैं आपकी निकटता चाहती हूँ और यह भी मेरी ख़्वाहिश है कि आप अल्लाह तआ़ला की इबादत भी करें। अब आप खड़े हुए और मश्क में से पानी लेकर आपने हल्का-सा वुज़ू किया और नमाज़ के लिये खड़े हो गये। फिर जो रोना शुरू किया तो इतना रोये कि दाढ़ी मुबारक तर हो गयी। फिर सज्दे में गये और इस क़द्र रोये कि ज़मीन तर हो गयी। फिर करवट के बल लेट गये और रोते ही रहे यहाँ तक कि हज़रत बिलाल ने आकर नमाज़ के लिये बुलाया और आपके आँसू जारी देखकर मालूम किया कि ऐ ख़ुदा के सच्चे रसूल! आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह तआ़ला ने तो आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा दिये हैं। आपने फ़रमाया बिलाल! मैं क्यों न रोऊँ? मुझ पर आज की रात यह आयत उतरी है:

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ.............الخ

(यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) अफ़सोस और हलाकत है उस शख़्स के लिये जो इसे पढ़े और फिर इस पर सोच विचार न करे। अ़ब्द बिन हुमैद की तफ़सीर में भी यह हदीस है। उसमें यह है कि जब हम हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास गये। हमने सलाम किया तो आपने पूछा तुम कौन हो? हमने अपने नाम बताये, और आख़िर में यह भी है कि नमाज़ के बाद आप अपनी दाहिनी करवट पर लेटे, गाल के नीचे हाथ रखा और रोते रहे, यहाँ तक कि आँसुओं से ज़मीन तर हो गयी और हज़रत बिलाल रज़ि. को जवाब में आपने यह भी फ़रमाया- क्या मैं शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ? और आयतों के नाज़िल होने के बारे में 'अ़ज़ाबन्नार' तक आपने तिलावत की। इब्ने मर्दूया की एक ज़ईफ़ सनद वाली हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सूरः आले इमरान के आख़िर की दस आयतें हर रात को पढ़ते। इस रिवायत में मज़ाहिर बिन असलम ज़ईफ़ हैं।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَآ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ	**सो उनके रब ने मन्ज़ूर कर लिया उनकी दरख़्वास्त को इस वजह से कि मैं किसी शख़्स के काम को जो कि तुममें से काम करने वाला हो अकारत नहीं करता चाहे वह मर्द हो या औ़रत, तुम आपस में एक-दूसरे के जुज़ "यानी अंग" हो, सो जिन लोगों ने वतन छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए और तकलीफ़ें दिए गए मेरी राह में और जिहाद किया और शहीद हो गए, ज़रूर उन लोगों की तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दूँगा, और ज़रूर उनको ऐसे बाग़ों में**

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○	दाख़िल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, यह बदला मिलेगा अल्लाह तआ़ला के पास से, और अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है। (195)

नेक अ़मल कभी ज़ाया और बरबाद नहीं होता

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- यह क्या बात है कि औ़रतों की हिजरत का कहीं क़ुरआन में ख़ुदा ज़िक्र ही नहीं करता? इस पर यह आयत उतरी। अन्सार का बयान है कि औ़रतों में सबसे पहली मुहाजिरा (अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाली) औ़रत जो होदज में आयीं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ही थीं। उम्मे सलमा रज़ि. से यह भी रिवायत है कि यह आयत सबसे आख़िर में उतरी है। मतलब आयत का यह है कि अ़क़्ल और ईमान वाले लोगों ने जब अल्लाह तआ़ला से दुआ़ माँगी जिनका ज़िक्र पहले की आयतों में था तो अल्लाह तआ़ला ने भी उनकी मुँह-माँगी मुराद उन्हें अ़ता फ़रमाई। इसी लिये इस आयत को 'फ़' से शुरू किया। जैसे एक और जगह है:

وَاِذَاسَاَلَكَ عِبَادِىْ.......... الخ.

यानी मेरे बन्दे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो तू कह दे कि मैं तो बहुत ही नज़दीक हूँ। जब कभी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को क़बूल फ़रमा लेता हूँ। पस इन्हें भी चाहिये कि मेरी मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, क्या अ़जब कि ये हिदायत व सही राह पा लें।

फिर दुआ़ के क़बूल होने की तफ़सीर होती है और ख़ुदा तआ़ला ख़बर देता है कि मैं किसी आ़मिल (अ़मल करने वाले) के अ़मल को ज़ाया और बेकार नहीं करता, बल्कि हर एक को पूरा-पूरा बदला अ़ता फ़रमाता हूँ। चाहे मर्द हो, चाहे औ़रत, हर एक मेरे पास सवाब में और आमाल के बदले में बराबर है। पस जो लोग शिर्क की जगह को छोड़ें और ईमान की जगह आ जायें, कुफ़्रिस्तान से हिजरत करें, भाईयों, दोस्तों, पड़ोसियों और अपनों को ख़ुदा के नाम पर छोड़ दें, मुश्रिकों के ज़रिये दी जाने वाली तकलीफ़ें सह-सहकर थककर आ़जिज़ आकर ईमान न छोड़ें बल्कि अपने प्यारे वतन से मुँह मोड़ लें, लोगों का उन्होंने कोई नुक़सान नहीं किया था जिसके बदले में उन्हें सताया जाता बल्कि उनका सिर्फ़ यह क़सूर था कि मेरी राह के पीछे लगने वाले थे। सिर्फ़ मेरी तौहीद (एक अल्लाह को मानने) की वजह से दुनिया की दुश्मनी मोल ले ली थी, मेरी राह पर चलने के सबब तरह-तरह से सताये जाते थे। जैसे एक और जगह है:

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ.

ये लोग रसूल को और तुम्हें सिर्फ़ इस बिना पर देस-निकाला देते हैं कि तुम अल्लाह तआ़ला पर ईमान रखते हो जो तुम्हारा रब है। एक और जगह इरशाद है:

وَمَانَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

इनसे दुश्मनी इसी वजह से है कि ये अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाये हैं।

फिर फ़रमाता है कि इन्होंने जिहाद भी किये और शहीद भी हुए। यह आला दर्जा है और बुलन्द मर्तबा है कि ख़ुदा की राह में जिहाद करता है, सवारी कट जाती है, मुँह ख़ाक व ख़ून में मिल जाता है। सहीहैन में

है कि एक शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! अगर मैं सब्र के साथ नेक-नीयती से, दिलेरी से पीछे न हटकर अल्लाह की राह में जिहाद करूँ और फिर शहीद कर दिया जाऊँ तो अल्लाह तआ़ला मेरी ख़तायें माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमाया हाँ। फिर दोबारा आपने उससे सवाल किया कि ज़रा फिर कहना तुमने क्या कहा था? उसने दोबारा अपना सवाल दोहरा दिया। आपने फ़रमाया हाँ, मगर क़र्ज़ माफ़ न होगा। यह बात जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम अभी मुझसे कह गये हैं। पस यहाँ फ़रमाता है कि मैं उनकी बुराईयाँ माफ़ फ़रमा दूँगा और उन्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनमें चारों तरफ़ नहरें बह रही हैं, जिनमें से किसी में दूध है, किसी में शहद, किसी में शराब, किसी में साफ़ पानी और वे नेमतें होंगी जो न किसी कान ने सुनीं, न किसी आँख ने देखीं, न किसी इनसानी दिल पर कभी उनका ख़्याल गुज़रा। यह है बदला ख़ुदा की तरफ़ से। ज़ाहिर है कि जो सवाब उस शहनशाहे आ़ली की तरफ़ से हो वह किस क़द्र ज़बरदस्त और बेइन्तिहा होगा। जैसे किसी शायर का क़ौल है कि अगर वह अ़ज़ाब करे तो वह भी तबाह व बरबाद करने वाला और अगर इनाम दे तो वह भी बेहिसाब, अन्दाज़े से बढ़कर। क्योंकि उसकी ज़ात बेपरवाह है। नेक आमाल करने वाले लोगों का बेहतरीन बदला अल्लाह ही के पास है। हज़रत शद्दाद बिन औस रह. फ़रमाते हैं- लोगो! अल्लाह तआ़ला के फ़ैसले पर ग़मगीन और बेसब्र न हो जाया करो। सुनो मोमिन पर ज़ुल्म व सितम नहीं होता। अगर तुम्हें ख़ुशी और राहत पहुँचे तो ख़ुदा की तारीफ़ और उसका शुक्र करो और बुराई पहुँचे तो सब्र व बरदाश्त करो, और नेकी व सवाब की तमन्ना रखो। अल्लाह तआ़ला के पास बेहतरीन बदले और पाकीज़ा सवाब हैं।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

तुझको उन काफ़िरों का शहरों में चलना-फिरना मुग़ालते "भ्रम" में न डाल दे। (196) कुछ दिन की बहार है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख़ होगा और वह बहुत ही बुरी आरामगाह है। (197) लेकिन जो लोग ख़ुदा से डरें उनके लिए बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे, यह मेहमानी होगी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से, और जो चीज़ें ख़ुदा तआ़ला के पास हैं वे नेक बन्दों के लिए बहुत ही बेहतर हैं। (198)

यह चन्द दिन की बहार है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ नबी! आप इन काफ़िरों की बदमस्ती, इनके नाज़ व नेमतें, इनकी राहत व आराम, इनकी ख़ुशहाली और फ़राग़त की तरफ़ नज़रें न डालिये। यह सब जल्द ही ख़त्म हो जायेगा और सिर्फ़ इनकी बद-आमालियाँ (बुरे आमाल) अ़ज़ाब की सूरत में इन पर बाक़ी रह जायेंगी इनकी ये तमाम नेमतें आख़िरत के मुक़ाबले में बिल्कुल बेहैसियत हैं। इसी मज़मून की बहुत सी आयतें क़ुरआने करीम में हैं जैसे फ़रमाया:

مَايُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ.

अल्लाह की आयतों में काफ़िर ही झगड़ते हैं। उनका शहरों में घूमना-फिरना तुझे धोखे में न डाले। एक और जगह है:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ......... الخ.

जो लोग अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं वे कामयाबी और भलाई नहीं पाते। दुनिया में चाहे मालूमी सा फ़ायदा उठा लें लेकिन आख़िर लौटना तो हमारी तरफ़ ही है। फिर हम उन्हें उनके कुफ़्र की सज़ा में बहुत सख़्त सज़ायें देंगे। एक और जगह है कि उन्हें हम थोड़ा-सा फ़ायदा पहुँचाकर फिर सख़्त अ़ज़ाब से बेबस कर देंगे। एक और जगह फ़रमाया कि हम काफ़िरों को कुछ ढील देंगे। एक और जगह है- क्या वह शख़्स जो हमारे आख़िरत की बेहतरीन ज़िन्दगी के वायदे को पा लेने वाला है, और वह जो दुनिया में आराम से गुज़ार रहा है और क़ियामत के दिन अ़ज़ाब में मुब्तला होने वाला है, बराबर हो सकते हैं?

चूँकि काफ़िरों का दुनिया व आख़िरत का हाल बयान हुआ इसलिये साथ ही मोमिनों का ज़िक्र हो रहा है कि यह मुतक़्क़ी गिरोह क़ियामत के दिन नहरों वाली जन्नतों में होगा। इब्ने मर्दूया में है, रसूले करीम अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि अबरार (नेक लोग) इसलिये कहा जाता है कि माँ-बाप के साथ और औलाद के साथ नेक सुलूक करने वाले थे, जिस तरह तेरे माँ-बाप का तुझ पर हक़ है इसी तरह तेरी औलाद का तुझ पर हक़ है। यही रिवायत हज़रत इब्ने अ़मर से मौक़ूफ़ भी नक़ल है और मौक़ूफ़ होना ही ज़्यादा ठीक नज़र आता है। वल्लाहु आलम।

हज़रत हसन रह. फ़रमाते हैं कि अबरार वे हैं जो किसी को ईज़ा (तकलीफ़) न दें। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि हर शख़्स के लिये चाहे नेक हो चाहे बद, मौत अच्छी चीज़ है। अगर नेक है तो जो कुछ उसके लिये ख़ुदा के पास है वह बहुत ही बेहतर है, और अगर बद है तो ख़ुदा के अ़ज़ाब और उसके पाप जो उसकी ज़िन्दगी में बढ़ रहे थे अब बढ़ोतरी ख़त्म हुई। पहले की दलील यह आयत है:

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ.

(कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक बन्दों के लिये ज़्यादा बेहतर है) दूसरे की दलील यह है:

لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ.......... الخ.

यानी काफ़िर हमारी ढील देने को अपने हक़ में बेहतर ख़्याल न करें। यह ढील उन्हें गुनाहों में बढ़ा रही है और उनके लिये रुस्वा करने वाले अ़ज़ाब हैं। हज़रत अबुद्दर्दा रज़ि. से भी यही मन्क़ूल है।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ	और यक़ीनन बाज़े लोग किताब वालों में से ऐसे भी ज़रूर हैं जो अल्लाह तआ़ला के साथ एतिक़ाद रखते हैं और इस किताब के साथ भी जो तुम्हारे पास भेजी गई, और उस किताब के साथ जो उनके पास भेजी गई, इस तौर पर कि अल्लाह तआ़ला से डरते हैं अल्लाह तआ़ला की आयात के मुक़ाबले में कम-हक़ीक़त मुआ़वज़ा

رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۣ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

नहीं लेते, ऐसे लोगों को उनका नेक बदला मिलेगा उनके परवर्दिगार के पास, इसमें शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआ़ला जल्द ही हिसाब कर देंगे। (199) ऐ ईमान वालो! ख़ुद सब्र करो और मुक़ाबले में सब्र करो और मुक़ाबले के लिए तैयार रहो। और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो ताकि तुम पूरे कामयाब हो। (200)

अहले किताब (यहूदी व ईसाई)

अल्लाह तआ़ला अहले किताब के उस फ़िर्क़े की तारीफ़ करता है जो पूरे ईमान वाला है, क़ुरआने करीम को भी मानता है और अपने नबी की किताब पर भी ईमान रखता है। अल्लाह तआ़ला का डर दिल में रखकर ख़ुदाई फ़रमानों की बजा-आवरी में ख़ूब कोशिश के साथ मशग़ूल है। रब तआ़ला के सामने आ़जिज़ी और गिरया व ज़ारी (रोना व फ़रियाद करना) करता रहता है। पैग़म्बरे आख़िरुज़्ज़माँ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जो पाक सिफ़तें और साफ़ निशानियाँ उनकी किताबों में हैं उन्हें छुपाता नहीं बल्कि हर एक को दिखाता है और आपके मान लेने की रग़बत दिलाता है। ऐसी जमाअ़त ख़ुदा के पास अज्र पायेगी, चाहे वह यहूदियों की हो चाहे ईसाईयों की। सूरः क़सस में यह मज़्मून इस तरह बयान हुआ है:

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ......... الخ.

जिन्हें हमने इससे पहले किताब दे रखी है वे उस पर भी ईमान लाते हैं और जब यह किताब उन पर पढ़ी जाती है तो साफ़ कह देते हैं कि हम इस पर ईमान लाये, यह सच्ची किताब हमारे रब की है, हम तो पहले ही से इसे मानते थे। उन्हें उनके सब्र का दोहरा अज्र दिया जायेगा।

एक और जगह है कि जिन्हें हमने किताब दी और जो उसे सही तौर पर पढ़ते हैं वे तो इस क़ुरआन पर भी फ़ौरन ईमान लाते हैं........। एक और जगह इरशाद है:

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ.

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की क़ौम में से भी एक जमाअ़त हक़ की हिदायत करने वाली और हक़ के साथ अ़दल (इन्साफ़) करने वाली है। एक और मक़ाम पर बयान है:

لَيْسُوْا سَوَآءً......... الخ.

यानी अहले किताब सब बराबर नहीं। उनमें एक जमाअ़त रातों के वक़्त भी अल्लाह की किताब पढ़ने वाली और सज्दे करने वाली है।

एक और जगह है कि ऐ नबी! तुम कहो कि लोगो! तुम ईमान लाओ या न लाओ, पहले से जिन्हें इल्म दिया गया है जब उन पर इस कलाम मजीद की आयतें तिलावत की जाती हैं तो वे अपने चेहरों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, यक़ीनन उसका वायदा सच्चा है और होकर रहने वाला है। ये लोग रोते हुए मुँह के बल गिरते हैं और आ़जिज़ी व विनम्रता और अल्लाह की तरफ़

झुकने में बढ़ जाते हैं। ये सिफ़तें यहूदियों में पाई गयीं, अगरचे बहुत कम लोग ऐसे थे। जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि. और आप ही जैसे और ईमान वाले यहूदी उलेमा, लेकिन उनकी गिनती दस तक भी नहीं पहुँचती। हाँ ईसाई अक्सर हिदायत पर आ गये और हक़ के फ़रमाँबरदार हो गये। जैसे एक और जगह इरशाद है:

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا......... الخ

मतलब यह है कि ईमान वालों से अ़दावत और दुश्मनी रखने वालों में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए यहूदी हैं और मुश्रिक लोग। और ईमान वालों से मुहब्बत रखने वालों में आगे-आगे ईसाई हैं ......।

अब फ़रमाता है कि ऐसे लोग ख़ुदा के यहाँ अज्रे अ़ज़ीम के मुस्तहिक़ हैं। हदीस में यह भी आ चुका है कि हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ि. ने जब सूरः मरियम की तिलावत नजाशी बादशाह के दरबार में बादशाह और हुकूमत के दूसरे सदस्यों और ईसाई उलेमा के सामने की और उसमें आप पर रिक़्क़त तारी हुई (यानी आप भावुक हो गये) तो सब हाज़िर लोग मय बादशाह के रो दिये और इस क़द्र मुतास्सिर हुए कि रोते-रोते उनकी दाढ़ियाँ तर हो गयीं। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि नजाशी के इन्तिक़ाल की ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सहाबा को दी और फ़रमाया कि तुम्हारा भाई हबशा में इन्तिक़ाल कर गया है, उसके जनाज़े की नमाज़ अदा करो और मैदान में जाकर सहाबा की सफ़ें लगाकर आपने उनके जनाज़े की नमाज़ अदा की।

इब्ने मर्दूया में है कि जब नजाशी का इन्तिक़ाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने भाई के लिये इस्तिग़फ़ार करो। बाज़ लोगों ने कहा- देखिये हुज़ूर हमें उस ईसाई के लिये इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म देते हैं जो हबशा में मरा है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। गोया उसके मुसलमान होने की गवाही क़ुरआने करीम ने दी। इब्ने जरीर में है कि उनकी मौत की ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दी कि तुम्हारा भाई अस्हमा इन्तिक़ाल कर गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बाहर निकले और जिस तरह जनाज़े की नमाज़ पढ़ाते थे उसी तरह चार तकबीरों से नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। इस पर मुनाफ़िक़ों ने वह एतिराज़ किया और यह आयत उतरी।

अबू दाऊद में है, हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि नजाशी के इन्तिक़ाल के बाद हम यही सुनते रहे कि उनकी क़ब्र पर नूर देखा जाता है। मुस्तद्रक हाकिम में है कि नजाशी का एक दुश्मन उसी की हुकूमत में से नजाशी पर चढ़ आया तो मुहाजिरीन ने कहा कि आप उससे मुक़ाबले के लिये चलिये, हम भी आपके साथ हैं। आप हमारी बहादुरी के जोहर देख लेंगे और जो अच्छा सुलूक आपने हमारे साथ किया है उसका बदला भी हो जायेगा, लेकिन नजाशी ने फ़रमाया कि लोगों की इमदाद के ज़रिये बचाव करने से ख़ुदा की इमदाद हासिल करना बेहतर है। इस बारे में यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद अहले किताब के मुसलमान लोग हैं। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद वे अहले किताब हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले थे, इस्लाम को पहचानते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत पर ईमान का शर्फ़ भी उन्हें हासिल हुआ तो उन्हें अज्र भी दोहरा मिला, एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले के ईमान का, दूसरे आप पर ईमान लाने का।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम

ने फ़रमाया- तीन क़िस्म के लोगों को दोहरा अज्र मिलता है, जिसमें से एक अहले किताब का वह शख़्स है जो अपने नबी पर ईमान लाया और मुझ पर भी ईमान लाया। और बाक़ी दो का भी ज़िक्र किया।

अल्लाह की आयतों को थोड़ी क़ीमत पर नहीं बेचते। यानी अपने पास की इल्मी बातों को छुपाते नहीं जैसे कि उनमें से एक रज़ील (घटिया) जमाअ़त का तरीक़ा और चलन था, बल्कि ये लोग तो उसे फैलाते और ख़ुद ज़ाहिर करते हैं। उनका बदला उनके रब के पास है। ख़ुदा तआ़ला जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी जल्द समेटने, घेरने और शुमार करने वाला है।

फिर फ़रमाता है कि इस्लाम जैसे मेरे पसन्दीदा दीन पर जमे रहो। शिद्दत और नर्मी के वक़्त, मुसीबत और राहत के वक़्त, ग़र्ज़ कि किसी हाल में इसे न छोड़ो। यहाँ तक कि दम भी निकले तो इसी पर निकले और अपने उन दुश्मनों से भी सब्र व बरदाश्त करो जो अपने दीन को छुपाते हैं। इमाम हसन बसरी रह. वग़ैरह पहले उलेमा ने यही तफ़सीर बयान फ़रमाई। 'मुराबता' कहते हैं इबादत की जगह में हमेशगी करने को और साबित-क़दमी से जम जाने को। और कहा गया है कि एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार को। यही क़ौल है हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि., सहल बिन हुनैफ़ और मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी रह. का। सही मुस्लिम शरीफ़ और नसाई में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- आओ मैं तुम्हें बता दूँ कि किस चीज़ से अल्लाह तआ़ला गुनाहों को ख़त्म कर देता और दरजात को बढ़ाता है। तकलीफ़ होते हुए कामिल वुज़ू करना (यानी सख़्त सर्दी वग़ैरह में वुज़ू करना), दूर से चलकर मस्जिद में आना, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार करना, यही रिबात है, यही ख़ुदा की राह की मुस्तैदी (तैयार रहना) है। इब्ने मर्दूया में है कि अबू सलमा रज़ि. से एक दिन हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने पूछा- ऐ मेरे भतीजे! जानते हो इस आयत का शाने नुज़ूल क्या है? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। आपने फ़रमाया सुनो! उस वक़्त कोई ग़ज़वा (लड़ाई) न था। यह आयत उन लोगों के हक़ में नाज़िल हुई है जो मस्जिदों को आबाद रखते थे और नमाज़ों को ठीक वक़्त पर अदा करते थे। फिर ख़ुदा का ज़िक्र करते थे। उन्हें यह हुक्म दिया जाता है कि तुम पाँचों नमाज़ों पर जमे रहो, अपने नफ़्स को और अपनी इच्छा को रोके रखो, मस्जिदों में मुराबता करो और अल्लाह से डरते रहो। यही ऐसे आमाल हैं जो कामयाबी का ज़रिया हैं।

इब्ने जरीर की हदीस में है- क्या मैं तुम्हें वो आमाल न बता दूँ जो गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाते हैं। दिल न चाहते हुए कामिल वुज़ू करना और इन्तिज़ार करना एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का। तुम्हारी मुस्तैदी इसी में होनी चाहिये। एक और हदीस में ज़्यादा क़दम रखकर चलकर मस्जिद में आना भी है। एक और रिवायत में है कि गुनाहों की माफ़ी के साथ ही दर्जे भी इन आमाल से बढ़ते रहते हैं, और यही इस आयत का मतलब है। लेकिन यह हदीस बिल्कुल ग़रीब है। अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहाँ 'राबितू' से मुराद नमाज़ का इन्तिज़ार करना है। लेकिन ऊपर बयान हो चुका है कि यह फ़रमान हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. का है। वल्लाहु आलम।

यह भी कहा गया है कि "राबितू" (मुस्तैद और तैयार रहने) से मुराद दुश्मन से जिहाद करना और इस्लामी मुल्क की सीमाओं की हिफ़ाज़त व निगरानी करना और दुश्मनों को इस्लामी शहरों में न घुसने देना है। इसकी तरग़ीब (प्रेरणा और तवज्जोह दिलाने) में भी बहुत-सी हदीसें हैं और इस पर भी बड़े सवाब का वायदा है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि एक दिन की यह तैयारी सारी दुनिया से और जो उसमें है सबसे अफ़ज़ल है। मुस्लिम शरीफ़ में है कि एक दिन रात के जिहाद की तैयारी एक माह के कामिल रोज़ों और एक माह की तमाम शब-बेदारी (रातों को नफ़िल नमाज़ें पढ़ने) से अफ़ज़ल है। और इसी तैयारी की हालत

में मौत आ जाये तो जितने नेक आमाल करता था सबका सवाब पहुँचता रहता है, ख़ुदा के पास से रोज़ी पहुँचाई जाती है और फ़ितनों से अमन पाता है।

मुस्नद अहमद में है कि हर मरने वाले के आमाल ख़त्म हो जाते हैं मगर जो शख़्स अल्लाह की राह की तैयारी में हो और उसी हाल में मर जाये, उसका अ़मल क़ियामत तक बढ़ता रहता और उसे क़ब्र की आज़माईश से निजात मिलती है। इब्ने माजा की रिवायत में यह भी है कि क़ियामत के दिन घबराहट से उसे अमन मिलेगा। मुस्नद की एक और हदीस में है कि उसे सुबह शाम जन्नत से रोज़ी पहुँचाई जाती है और क़ियामत तक उसके मुराबते का अज्र मिलता रहता है। मुस्नद अहमद में है कि जो शख़्स मुसलमानों की सरहद के किसी किनारे पर तीन दिन तैयारी में गुज़ारे उसे साल भर तक की दूसरी जगह उस तैयारी का अज्र मिलता है। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि. ने अपने मिम्बर पर ख़ुतबा पढ़ते हुए एक मर्तबा फ़रमाया- मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अपनी सुनी हुई बात सुनाता हूँ। मैंने अब तक एक ख़ास ख़्याल से उसे नहीं सुनाया। आपका फ़रमान है- अल्लाह की राह में एक रात का पहरा एक हज़ार रातों की इबादत से अफ़ज़ल है जो तमाम रातें क़ियाम (नफ़िल नमाज़ों) में और तमाम दिन रोज़े में गुज़ारे जायें। इस हदीस को अब तक बयान न करने की वजह ख़लीफ़ा-ए-रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह बयान फ़रमाई है कि मुझे डर था कि इस फ़ज़ीलत के हासिल करने के लिये कहीं तुम सब मदीना छोड़कर मैदाने जंग में न चल दो। अब सुना देता हूँ। हर शख़्स को इख़्तियार है कि जो बात अपने लिये पसन्द करता है उसका पाबन्द हो जाये। दूसरी रिवायत में यह भी है कि आपने फिर फ़रमाया- क्या मैंने पहुँचा दी? लोगों ने कहा हाँ। आपने फ़रमाया ऐ अल्लाह! तू गवाह रह।

तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि हज़रत शुरहबील बिन सिम्त सरहद की निगरानी में थे और ज़माना ज़्यादा गुज़र जाने के बाद कुछ परेशान और दुखी हो रहे थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि. उनके पास पहुँचे और फ़रमाया- आ मैं तुझे पैग़म्बरे ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक हदीस सुना दूँ। आपने फ़रमाया एक दिन की सरहद की हिफ़ाज़त एक महीने के रोज़े और रात के नफ़िल नमाज़ों में खड़ा होने से अफ़ज़ल है और जो ऐसी हालत में मर जाये वह क़ब्र के फ़ितने (इम्तिहान) से महफ़ूज़ रहता है, और उसके आमाल क़ियामत तक जारी रहते हैं। इब्ने माजा में है कि एक रात अल्लाह की राह में पहरा देना ताकि मुसलमान अमन से रहें, हाँ नीयत नेक हो अगरचे वह रात रमज़ान की न हो, एक सौ साल की इबादत से अफ़ज़ल है, जिसके दिन रोज़े में और जिसकी रात तहज्जुद में गुज़री हों, और एक दिन ख़ुदा की राह में तैयारी ताकि मुसलमान हिफ़ाज़त से रहें सवाब हासिल करने की नीयत से, बग़ैर माह रमज़ान के अल्लाह के नज़दीक एक हज़ार साल के रोज़ों और तहज्जुद से अफ़ज़ल है। अब अगर यह ग़ाज़ी सलामती और ज़िन्दगी के साथ अपने लोगों में आ गया तो एक हज़ार साल की बुराईयाँ उसके नामा-ए-आमाल में न लिखी जायेंगी और नेकियाँ लिखी जायेंगी, और उस मुराबते का अज्र क़ियामत तक उसे मिलता रहेगा। यह हदीस ग़रीब बल्कि मुन्कर है। इसके एक रावी उमर बिन सुबैह मुत्तहम हैं।

इब्ने माजा की एक और ग़रीब हदीस में है कि एक रात की मुस्लिम लश्कर की चौकीदारी एक हज़ार साल की रातों के क़ियाम और दिनों के रोज़े से अफ़ज़ल है। हर साल के तीन सौ साठ दिन और हर दिन एक हज़ार साल के बराबर। इसके रावी सईद बिन ख़ालिद को अबू ज़ुरआ वग़ैरह इमामों ने ज़ईफ़ कहा है, बल्कि इमाम हाकिम रह. फ़रमाते हैं कि इसकी रिवायत से मौज़ूअ़ (गढ़ी हुई) हदीसें भी हैं। एक मुन्क़ता हदीस में है कि लश्करे इस्लाम के चौकीदार पर ख़ुदा का रहम हो। (इब्ने माजा) हज़रत सहल बिन हन्ज़ला

रज़ि. फ़रमाते हैं कि हुनैन वाले दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ चले, शाम की नमाज़ मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ अदा की तो एक घोड़े सवार आया और कहा या रसूलल्लाह! मैं आगे निकल गया था और फ़ुलाँ पहाड़ पर चढ़कर मैंने निगाह डाली तो देखा कि क़बीला हवाज़न के लोग मैदान में आ गये हैं, यहाँ तक कि उनकी ऊँटनियाँ, बकरियाँ, औ़रतें और बच्चे भी साथ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुस्कुराये और फ़रमाया यह सब तमाम मुसलमानों की ग़नीमत में होगा। फिर फ़रमाया बताओ आज की रात पहरा कौन देगा? हज़रत अनस बिन मुर्सद ने कहा या रसूलल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया जाओ सवारी लेकर आओ वह अपने घोड़े पर सवार होकर हाज़िर हुए आपने फ़रमाया उस घाटी में चले जाओ और उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाओ, ख़बरदार तुम्हारी तरफ़ से उनके साथ कोई छेड़-छाड़ सुबह तक न हो। सुबह जिस वक़्त नमाज़ के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ की जगह आये दो सुन्नतें अदा कीं और लोगों से पूछा कहो तुम्हें अपने पहरेदार सवार की तो कोई आहट सुनाई नहीं दी? लोगों ने कहा नहीं या रसूलल्लाह। अब तकबीर कही गयी और आपने नमाज़ शुरू की। ख़्याल आपका उसी घाटी की तरफ़ था। नमाज़ से सलाम फेरते ही आपने फ़रमाया ख़ुश हो जाओ तुम्हारा घोड़े सवार आ रहा है। हमने झाड़ियों से झाँककर देखा तो थोड़ी देर में हमें भी दिखाई दे गये। आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा या रसूलल्लाह! मैं उस वादी के ऊपर के हिस्से पर पहुँच गया था और इरशाद के मुताबिक़ वहीं रात गुज़ारी। सुबह मैंने दूसरी घाटी भी देख डाली लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। आपने फ़रमाया क्या रात को वहाँ से तुम नीचे उतरे थे? जवाब दिया नहीं, सिर्फ़ नमाज़ के लिये और क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) के लिये तो नीचे उतरा था। आपने फ़रमाया तुमने अपने लिये जन्नत वाजिब कर ली। अब तुम इसके बाद कोई अ़मल न करो तो भी तुम पर कोई हर्ज नहीं। (अबू दाऊद व नसाई)

मुस्नद अहमद में हैं एक ग़ज़वा (लड़ाई) के मौक़े पर एक रात को हम बुलन्द जगह पर थे और सख़्त सर्दी थी, यहाँ तक कि लोग ज़मीन में गड्ढे खोद-खोदकर अपने ऊपर ढालें ले-लेकर पड़े हुए थे। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त आवाज़ दी कि कोई है जो आज की रात हमारी चौकीदारी करे और मुझसे बेहतरीन दुआ़ ले? तो एक अन्सारी खड़ा हो गया और कहा हुज़ूर मैं तैयार हूँ। आपने उसे पास बुलाकर नाम मालूम करके उसके लिये बहुत दुआ़ की। अबू रैहाना रज़ि. यह दुआ़यें सुनकर आगे बढ़े और कहने लगे या रसूलल्लाह! मैं भी पहरा दूँगा। आपने मुझे भी पास बुलाया और नाम पूछकर मेरे लिये भी दुआ़यें कीं। लेकिन उस अन्सारी सहाबी से यह दुआ़ कम थी। फिर आपने फ़रमाया उस आँख पर जहन्नम की आँच हराम है जो ख़ुदा से डरकर रोये और उस आँख पर भी जो अल्लाह की राह में रात को जागे। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स मुसलमानों के पीछे से उनका पहरा दे अपनी ख़ुशी से बग़ैर सुल्तान की उजरत व तन्ख़्वाह के वह अपनी आँखों से भी जहन्नम की आग को न देखेगा, मगर सिर्फ़ क़सम पूरी होने के लिये जो इस आयत में हैः

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا.

यानी तुम सब उस पर आने वाले हो।

सही बुख़ारी में है कि बरबाद हुआ दीनार (रुपये-पैसे) का बन्दा और कपड़ों का बन्दा, अगर माल दिया जाये तो वह ख़ुश है और अगर न दिया जाये तो नाख़ुश है। यह बरबाद हुआ, और ख़राब हो गया। उसे

अगर काँटा चुभ जाये तो निकालने की कोशिश भी न की जाये। ख़ुशनसीब हो और ख़ूब फूला-फला वह शख़्स जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये अपने घोड़े की लगाम थामे हुए है, बिखरे हुए बाल हैं और गर्द से भरे हुए क़दम हैं। अगर चौकीदारी पर मुक़र्रर कर दिया गया है तो हिफ़ाज़त कर रहा है, और अगर लश्कर के अगले हिस्से में मुक़र्रर कर दिया गया है तो वहीं ख़ुश है। लोगों की नज़रों में इतना गिरा-पड़ा है कि अगर कहीं जाना चाहे तो इजाज़त न मिले और अगर किसी की सिफ़ारिश करे तो क़बूल न हो। अल्हम्दु लिल्लाह इस आयत के मुताल्लिक़ ख़ासी हदीसें बयान हो गयीं। अल्लाह तआ़ला के इस फ़ज़्ल व करम पर हम उसका शुक्र अदा करते हैं और शुक्रगुज़ारी से रहती दुनिया तक फ़ारिग़ नहीं हो सकते।

तफ़सीर इब्ने जरीर में है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि. ने अमीरुल-मोमिनीन मुसलमानों के ख़लीफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. को मैदाने जंग से एक ख़त लिखा और उसमें रोमी फ़ौज की अधिकता, उनके लड़ाई के उपकरण, सामान और हथियारों की हालत और उनकी तैयारियों की कैफ़ियत बयान की और लिखा कि सख़्त ख़तरे का मौक़ा है। यहाँ से फ़ारूक़े आज़म रज़ि. का जवाब गया जिसमें अल्लाह की तारीफ़ के बाद तहरीर था कि कभी-कभी मोमिन बन्दों पर सख़्तियाँ भी आ जाती हैं लेकिन ख़ुदा तआ़ला उनके बाद आसानियाँ भी भेज देता है। सुनो! एक सख़्ती दो आसानियों पर ग़ालिब नहीं आ सकती। सुनो! अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

يَـآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا.......... الخ.

(यानी यही आयत पढ़ी जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक रह. ने सन् 170 हिजरी या 177 हिजरी में शहर तरसूस में हज़रत मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन सकीना को जबकि वह उनकी विदा के लिये आये थे और जिहाद को जा रहे थे, ये अश्आ़र लिखवाकर हज़रत फ़ुज़ैल बिन अ़याज़ रह. को भिजवाये।

يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك فى العبادة تلعب

من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب

او كان يتعب خيله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك واغبار الأطيب

ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا تكذب

لا يستوى وغبار خيل اللّٰه فى انف امرئ ودخان نار تلهب

هذا كتاب اللّٰه ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب

ऐ कि मदीना में रहकर इबादत करने वाले अगर तू हम मुजाहिदों को देख लेता तो यक़ीनन तुझे मालूम हो जाता कि तेरी इबादत तो एक खेल है। एक वह शख़्स जिसके आँसू उसके रुख़्सारों को तर करते हैं, और एक हम हैं जो अपनी गर्दन अल्लाह की राह में कटवाकर अपने ख़ून में आप नहा लेते हैं। एक वह शख़्स है जिसका घोड़ा बातिल और बेकार काम में थक जाता है और हमारे घोड़े हमले और लड़ाई के दिन

ही थकते हैं। अगर की ख़ुशबूयें तुम्हारे लिये हैं और हमारे लिये अगर की ख़ुशबू घोड़ों की टापों की ख़ाक और पाकीज़ा गर्द व गुबार है। यक़ीन मानो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यह हदीस पहुँच चुकी है जो पूरी तरह सच्चाई और हक़ीक़त पर मब्नी है कि जिस किसी के नाक में इस ख़ुदाई लश्कर की गर्द भी पहुँच गयी उसके नाक में शोले मारने वाली जहन्नम की आग का धुआँ भी न जायेगा। और लो यह है ख़ुदा तआ़ला की पाक किताब जो हममें मौजूद है और साफ़ कह रही है और सच कह रही है कि शहीद मुर्दा नहीं।

मुहम्मद बिन इब्राहीम रह. फ़रमाते हैं कि जब मैंने मस्जिदे हराम में पहुँचकर हज़रत फ़ुज़ैल बिन अ़याज़ रह. को ये अश्आ़र दिखाये तो आप पढ़कर ज़ार-ज़ार रोये और फ़रमाया- अबू अ़ब्दुर्रहमान ने ख़ुदा की रहमतें उन पर हों सही और सच फ़रमाया, मुझे नसीहत की और मेरी बेहद हमदर्दी की। फिर मुझसे फ़रमाया कि तुम हदीस लिखते हो? मैंने कहा जी हाँ। कहा तुम जो यह नसीहत नामा मेरे पास लाये इसके बदल में मैं तुम्हें एक हदीस लिखवाता हूँ वह यह कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक शख़्स ने दरख़्वास्त की कि या रसूलल्लाह! मुझे ऐसा अ़मल बताईये जिससे मैं मुजाहिद का सवाब पा लूँ। आपने फ़रमाया क्या तुझमें ताक़त है कि नमाज़ ही पढ़ता रहे और थके नहीं? और रोज़े रखता चला जाये और कभी बेरोज़ा न रहे? उसने कहा इसकी ताक़त कहाँ। मैं इससे बहुत ज़ईफ़ हूँ। आपने फ़रमाया अगर तुझमें इतनी ताक़त होती और तू ऐसा कर भी सकता तो भी अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद के दर्जे को न पहुँच सकता। तू यह भी जानता है कि मुजाहिद के घोड़े की रस्सी दराज़ हो जाये और इधर-उधर चढ़ जाये तो उस पर भी मुजाहिद को नेकियाँ मिलती हैं।

इसके बाद ख़ुदा तआ़ला हुक्म देता है कि अल्लाह से डरते रहो और हर हाल में, हर वक़्त, हर मामले में ख़ौफ़े ख़ुदा किया करो। जनाब रसूले करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ि. को जब यमन की तरफ़ भेजा तो फ़रमाया- ऐ मुआ़ज़! जहाँ भी हो अल्लाह का ख़ौफ़ दिल में रख और अगर तुझसे कोई बुराई हो जाये तो फ़ौरन कोई नेकी भी कर ले ताकि वह बुराई मिट जाये और लोगों से अच्छे अख़्लाक़ और मुरव्वत के साथ पेश आया कर।

फिर फ़रमाता है कि इन चार कामों के कर लेने से तुम मक़सद में कामयाब और मुराद पाने वाले हो जाओगे। दुनिया और आख़िरत में फ़लाह व निजात पा लोगे। हज़रत मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि तुम मेरा लिहाज़ रखो, मेरे ख़ौफ़ से काँपते रहो, मुझसे डरते रहो, मेरे और अपने मामले में मुतक़्क़ी रहो, तो कल जबकि तुम मुझसे मिलोगे निजात पाने वाले और मुराद हासिल करने वाले हो जाओगे।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः आले इमरान की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः निसा

शाने नुज़ूल और संबन्धित बातें

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह सूरत मदीना शरीफ़ में उतरी है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी मरवी है कि जब यह सूरत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अब रोक रखना नहीं है। मुस्तदूरक हाकिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से मरवी है कि सूरः निसा में पाँच आयतें ऐसी हैं कि अगर सारी दुनिया मुझे मिल जाये तब भी मुझे इस क़द्र ख़ुशी न हो जितनी उन आयतों से हो।

आयत नम्बर एकः

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ............ الخ.

अल्लाह तआ़ला किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करता और जिस किसी की जो नेकी होती है उसका सवाब बढ़ा-चढ़ाकर देता है, और अपनी तरफ़ से जो बतौर इनाम अज्रे अ़ज़ीम दे वह इससे अलग है।

आयत नम्बर दोः

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ............... الخ.

अगर तुम कबीरा (बड़े) गुनाहों से बच जाओ तो हम तुम्हारे सग़ीरा (छोटे) गुनाह ख़ुद ही माफ़ फ़रमा देंगे और तुम्हें जन्नत में ले जायेंगे।

आयत नम्बर तीनः

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

यानी अल्लाह तआ़ला अपने साथ शरीक करने वाले को तो नहीं बख़्शता बाक़ी जिस गुनाहगार को चाहे बख़्श दे।

आयत नम्बर चारः

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ................الخ

यानी ये लोग अगर गुनाह हो चुकने के बाद तेरे पास आ जाते और ख़ुद भी अल्लाह तआ़ला से अपने गुनाह की बख़्शिश तलब करते और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) भी उनके लिये इस्तिग़फ़ार तलब करता तो बेशक वह अल्लाह तआ़ला को माफ़ी और मेहरबानी करने वाला पाते।

इमाम हाकिम यह फ़रमाते हैं यूँ तो इसकी सनद सही है लेकिन इसके एक रावी अ़ब्दुर्रहमान के अपने बाप से सुनने में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ की इस रिवायत में इस आयत की जगह यह आयत हैः

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

यानी जिस शख़्स से कोई बुरा काम हो जाये या अपने नफ़्स पर ज़ुल्म कर गुज़रे फिर अल्लाह तआ़ला

से माफ़ी चाहने लग जाये तो बेशक वह अल्लाह तआ़ला को बख़्शने वाला मेहरबान पायेगा। दोनों हदीसों में ततबीक़ (जोड़ और मुवाफ़क़त) इस तरह पर है कि एक आयत का बयान करना पहली हदीस में तो रह गया है और इसका बयान दूसरी हदीस में है तो चार आयतें पहली हदीस की और पाँचवीं आयत इस हदीस की, जिसमें यह आख़िरी आयत बयान हुई है, मिलकर पाँच हो गयीं। या यह है किः

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

ही पर आयत पूरी है औरः

وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً.

यह अलग आयत शुमार की है, तो दोनों हदीसों में पाँच-पाँच आयतें हो गयीं।

इब्ने जरीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि इस सूरत में आठ आयतें हैं जो इस उम्मत के लिये हर उस चीज़ से बेहतर हैं जिन पर सूरज निकलता और ग़ुरूब होता है। पहली आयतः

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ.......... الخ.

अल्लाह तआ़ला चाहता है कि अपने अहकाम तुम पर साफ़-साफ़ बयान कर दे और तुम्हें उन अच्छे लोगों का सही रास्ता दिखा दे जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं और तुम पर मेहरबानी करे। अल्लाह तआ़ला दाना और हिक्मत वाला है। दूसरी आयतः

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ........... الخ.

यानी अल्लाह तआ़ला चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत नाज़िल करे। तुम्हारी तौबा क़बूल फ़रमाये और इच्छाओं के पीछे पड़े हुए लोगों की इच्छा है कि तुम हक़ रास्ते से बहुत दूर हट जाओ। तीसरी आयतः

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

यानी इनसान चूँकि ज़ईफ़ पैदा किया गया है, ख़ुदा तआ़ला इस पर तख़्फ़ीफ़ (कमी और आसानी) करनी चाहता है। बाक़ी तमाम आयतें वही हैं जो ऊपर गुज़रीं।

इब्ने अबी मुलैका फ़रमाते हैं- मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से सूरः निसा के बारे में सुना, पस मैंने क़ुरआन पढ़ा इस हाल में कि मैं छोटा बच्चा था। (हाकिम)

सूरः निसा

सूरः निसा मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 176 आयतें और 24 रुकूअ़ हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا	ऐ लोगो! अपने परवर्दिगार से डरो जिसने तुमको एक जानदार से पैदा किया और उस जानदार से उसका जोड़ा पैदा किया, और उन

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○	दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैलाईं, और तुम ख़ुदा तआला से डरो जिसके नाम से एक-दूसरे से मुतालबा किया करते हो, और क़राबत "यानी रिश्तेदारी और नातेदारी" से भी डरो, यक़ीनन अल्लाह तआला तुम सबकी इत्तिला रखते हैं। (1)

इनसान के फ़राईज़

अल्लाह तआला अपने तक़्वे (ख़ौफ़ और परहेज़गारी) का हुक्म देता है कि जिस्म से उसी एक की ही इबादतें की जायें और दिल में सिर्फ़ उसी का ख़ौफ़ रखा जाये। फिर अपनी क़ुदरते कामिला का बयान फ़रमाता है कि उसने तुम सबको एक ही शख़्स यानी हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से पैदा किया है। उनकी बीवी यानी हज़रत हव्वा अ़लैहस्सलाम को भी उन ही से पैदा किया। आप सोये हुए थे कि बायीं तरफ़ की पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। आपने बेदार होकर उन्हें देखा और अपनी तबीयत को उनकी तरफ़ राग़िब (माईल) पाया और उन्हें भी उनसे ताल्लुक़ पैदा हुआ। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि औरत मर्द से पैदा की गयी है, इसलिये इसकी हाजत व शहवत (ज़रूरत व जिन्सी इच्छा) मर्द में रखी गयी है और मर्द ज़मीन से पैदा किये गये हैं इसलिये उनकी हाजत ज़मीन में रखी गयी है। पस तुम अपनी औरतों को रोके रखो। सही हदीस में है कि औरत पसली से पैदा की गयी है और सबसे बड़ी पसली सबसे ज़्यादा डेढ़ी है। पस अगर तुम उसे एक दम सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जायेगी, और अगर उसमें कुछ कजी (टेढ़ापन) बाक़ी छोड़ते हुए फ़ायदा उठाना चाहो तो फ़ायदा उठा सकते हो।

फिर फ़रमाया कि उन दोनों से यानी आदम व हव्वा से बहुत से इनसान मर्द व औरत चारों तरफ़ में फैला दिये, जिनकी क़िस्में, रंग व रूप, बोल-चाल में बहुत कुछ भिन्नता है। जिस तरह ये सब पहले ख़ुदा के क़ब्ज़े में थे और फिर इन्हें उनसे इधर-उधर फैला दिया, एक वक़्त इन सबको समेट कर, अपने क़ब्ज़े में करके एक मैदान में जमा करेगा। अल्लाह से डरते रहो, उसकी फ़रमाँबरदारी करो, इबादत बजा लाते रहो। उसी ख़ुदा के वास्ते से और उसी के पाक नाम पर तुम आपस में एक दूसरे से माँगते हो। जैसे यह कहना कि मैं तुझे अल्लाह को याद दिलाकर यूँ कहता हूँ। उसी के नाम की क़समें खाते हो और अ़हद व पैमान मज़बूत करते हो। ख़ुदा से डरकर रिश्तों-नातों की हिफ़ाज़त करो, उन्हें तोड़ो नहीं बल्कि जोड़ो, सिला-रहमी, नेकी और सुलूक आपस में करते रहो। 'अरहाम' भी एक क़िराअत में है। यानी अल्लाह के नाम पर और रिश्ते के वास्ते से। अल्लाह तआ़ला तमाम अहवाल और आमाल पर बाख़बर है, ख़ूब देखभाल रहा है। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدٌ.

अल्लाह हर चीज़ पर गवाह और हाज़िर है।

सही हदीस में है कि ख़ुदा की ऐसी इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो। पस अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वह तो तुम्हें देख ही रहा है। मतलब यह है कि उसका लिहाज़ रखो, जो तुम्हारे हर उठने-बैठने, चलने-फिरने पर निगराँ है। यहाँ फ़रमाया गया है कि लोगो! तुम सब एक ही माँ-बाप के हो, एक दूसरे पर

शफ़क़त किया करो, कमज़ोर और बेसहारा का साथ दो और उनके साथ सुलूक करो। सही मुस्लिम शरीफ़ में हदीस है कि जब क़बीला मुज़र के चन्द लोग रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास चादरें लपेटे हुए आये, क्योंकि उनके जिस्म पर कपड़ा तक न था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खड़े होकर नमाज़े ज़ोहर के बाद वअ़ज़ बयान फ़रमाया। जिसमें इस आयत की तिलावत की। फिर यह आयतः

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ............ الخ.

(सूरः हश्र आयत 18) की तिलावत की। फिर लोगों को ख़ैरात करने की तरग़ीब दी। चुनाँचे जिससे जो हो सका उन लोगों के लिये दिया। दिर्हम व दीनार भी और खजूर व गेहूँ भी.....। मुस्नद अहमद और सुनन में ख़ुतबा-ए-हाजात के बयान में है, फिर तीन आयतें पढ़ीं जिनमें से एक आयत यही है (जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝	और जिन बच्चों का बाप मर जाये उनके माल उन्हीं को पहुँचाते रहो, और तुम अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ को मत बदलो, और उनके माल मत खाओ अपने मालों (के रहने) तक, ऐसी कार्यवाही करना बड़ा गुनाह है। (2) और अगर तुमको इस बात का अन्देशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इन्साफ़ न कर सकोगे तो और औ़रतों से जो तुमको पसन्द हों निकाह कर लो, दो-दो औ़रतों से और तीन-तीन औ़रतों से और चार-चार औ़रतों से, पस अगर तुमको इसका अन्देशा हो कि अ़दल "यानी इन्साफ़ और बराबरी" न रखोगे तो फिर एक ही बीवी पर बस करो, या जो बाँदी तुम्हारी मिल्क में हो वही सही, इस ज़िक्र हुए मामले में ज़्यादती न होने की ज़्यादा उम्मीद है। (3) और तुम लोग बीवियों को उनके मेहर ख़ुशदिली से दे दिया करो। हाँ, अगर वे बीवियाँ ख़ुशदिली से छोड़ दें तुमको उस मेहर में का कोई हिस्सा तो तुम उसको खाओ मज़ेदार और ख़ुशगवार "अच्छी और बेहतर चीज़" समझ कर। (4)

यतीमों और कमज़ोरों की देखभाल ज़रूरी है

अल्लाह तआ़ला यतीमों के वालियों को हुक्म देता है कि जब यतीम बलूग़त व समझदारी (जवानी की उम्र) को पहुँच जायें तो उनके जो माल तुम्हारे पास हों उन्हें सौंप दो, पूरे-पूरे बग़ैर कमी और ख़ियानत के उनके हवाले करो। अपने मालों के साथ मिलाकर गड्मड् करके खा जाने की नीयत न रखो। जब ख़ुदा

तआ़ला तुम्हें हलाल रिज़्क़ दे रहा है फिर हराम की तरफ़ क्यों मुँह उठाते हो? तक़दीर की रोज़ी मिलकर ही रहेगी। अपने हलाल माल छोड़कर लोगों के मालों को जो तुम पर हराम हैं न लो, कमज़ोर जानवर देकर मोटा ताज़ा न लो, बोटी देकर बकरे की फ़िक्र न करो, रद्दी देकर अच्छे की, खोटा देकर खरे की नीयत न रखो। पहले लोग ऐसा कर लिया करते थे कि यतीमों की बकरियों के रेवड़ में से उम्दा बकरी ले ली और अपनी कमज़ोर बकरी देकर गिनती पूरी कर दी। खोटा दिरहम उसके माल में डालकर खरा निकाल लिया और फिर समझ लिया कि हमने तो बकरी के बदले बकरी और दिर्हम के बदले दिरहम लिया है। उनके मालों में अपना माल ख़ल्त-मल्त (रला-मिला) करके फिर यह बहाना करके कि अब क्या फ़र्क़ और पहचान है? उनके माल बरबाद न करो। यह बड़ा गुनाह है। एक ज़ईफ़ हदीस में भी आख़िरी जुमले के यही मायने बयान किये गये हैं।

अबू दाऊद की हदीस के अन्दर एक दुआ़ में 'हूब' का लफ़्ज़ गुनाह के मायने में आया है। हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि. ने जब अपनी बीवी साहिबा को तलाक़ देने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन्हें फ़रमाया था कि इस तलाक़ में गुनाह है, चुनाँचे वह अपने इरादे से रुक गये। एक रिवायत में यह वाक़िआ़ हज़रत अबू तल्हा रज़ि. और उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान किया गया है। फिर फ़रमाता है कि तुम्हारी परवरिश में कोई यतीम लड़की हो और तुम उससे निकाह करना चाहते हो लेकिन चूँकि उसका कोई और नहीं इसलिये तुम ऐसा न करो कि मेहर और हुक़ूक़ में कमी करके उसे अपने घर डाल लो। इससे बाज़ रहो, और औ़रतें बहुत हैं जिससे चाहो निकाह कर लो।

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि एक यतीम लड़की थी जिसके पास माल भी था और बाग़ भी, जिसकी परवरिश में वह थी उसने सिर्फ़ उस माल के लालच में बग़ैर उसका पूरा मेहर वग़ैरह मुक़र्रर किये उससे निकाह कर लिया, इस पर यह आयत उतरी। मेरा ख़्याल है कि उस बाग़ और माल में यह लड़की हिस्सेदार थी। सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत इब्ने शहाब रह. ने हज़रत आ़यशा रज़ि. से इस आयत का मतलब पूछा तो आपने फ़रमाया- भानजे! यह ज़िक्र उस यतीम लड़की का है जो अपने वली के क़ब्ज़े में है, उसके माल में शरीक है और उसे उसका माल और जमाल (ख़ूबसूरती) अच्छा लगता है, चाहता है कि उससे निकाह कर ले लेकिन जो मेहर वग़ैरह और जगह से उसे मिलता उतना यह नहीं देता तो उसे मना किया जा रहा है कि फिर यह उसकी नीयत छोड़ दे और किसी दूसरी औ़रत से जिससे चाहे अपना निकाह कर ले। फिर उसके बाद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसी के बारे में मालूम किया और यह आयत नाज़िल हुई:

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ............. الخ.

वहाँ फ़रमाया गया है कि जब यतीम लड़की कम माल वाली और कम जमाल (हुस्न) वाली होती है उस वक़्त तो उसके वाली उससे बेरग़बती (बेतवज्जोही) करते हैं, फिर कोई वजह नहीं कि माल व जमाल पर माईल होकर उसके पूरे हुक़ूक़ अदा न करके उससे अपना निकाह कर लें। हाँ अ़दल व इन्साफ़ से पूरा मेहर मुक़र्रर करें तो कोई हर्ज नहीं, वरना फिर औ़रतों की कमी नहीं और जिससे चाहें अपना निकाह कर लें। अगर चाहें दो-दो औ़रतें अपने निकाह में रखें, अगर चाहें तीन-तीन रखें, अगर चाहें चार-चार। जैसे एक दूसरी जगह भी यह अलफ़ाज़ इन्हीं मायनों में हैं। फ़रमाता है:

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِیْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ.........الخ

यानी जिन फ़रिश्तों को ख़ुदा अपना क़ासिद बनाकर भेजता है उनमें से बाज़ दो परों वाले हैं, बाज़ तीन-तीन परों (पंखों) वाले, बाज़ चार परों वाले। फ़रिश्तों में इससे ज़्यादा पर (पंख) वाले फ़रिश्ते भी हैं, क्योंकि दलील से यह साबित शुदा है, लेकिन मर्द को एक वक़्त में चार से ज़्यादा बीवियों का जमा करना मना है जैसा कि इस आयत में मौजूद है, और जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और जम्हूर का क़ौल है। यहाँ ख़ुदा तआ़ला अपने एहसान और इनाम बयान फ़रमा रहा है। पस अगर चार से ज़्यादा की इजाज़त देनी मन्ज़ूर होती तो ज़रूर फ़रमा दिया जाता। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि हदीस में जो क़ुरआन की वज़ाहत करने वाली है उसने बतला दिया है कि सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के किसी के लिये चार से ज़्यादा बीवियों का एक वक़्त में जमा करना जायज़ नहीं। इसी पर उलेमा-ए-किराम का इजमा (एक राय) है, अलबत्ता बाज़ शिया हज़रात का क़ौल है कि नौ तक जमा करना जायज़ है, बल्कि बाज़ शियाओं ने तो कहा है कि नौ से ज़्यादा जमा कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं, कोई तायदाद मुक़र्रर है ही नहीं। उनका इस्तिदलाल (दलील पकड़ना) एक तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ेल (अ़मल) से है जैसा कि हदीस में आ चुका है कि आपकी नौ बीवियाँ थीं और बुख़ारी शरीफ़ की मुतलक़ हदीस के बाज़ रावियों ने ग्यारह कहा है। हज़रत अनस रज़ि. से रिवायत है कि आपने पन्द्रह बीवियों से निकाह किया, तेरह की रुख़्सती हुई। एक वक़्त में ग्यारह बीवियाँ आपके पास थीं। इन्तिक़ाल के वक़्त आपकी नौ बीवियाँ थीं।

हमारे उलेमा-ए-किराम इसके जवाब में फ़रमाते हैं कि यह आपकी ख़ुसूसियत थी, उम्मती को एक वक़्त में चार से ज़्यादा बीवियाँ पास रखने की इजाज़त नहीं। जैसा कि ये हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं। हज़रत ग़ैलान बिन सलमा सक़फ़ी रज़ि. जब मुसलमान होते हैं तो उनके पास उनकी दस बीवियाँ थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि उनमें से जिसे चाहो चार रख लो, बाक़ी को छोड़ दो (चुनाँचे उन्होंने ऐसा ही किया)। फिर हज़रत उमर रज़ि. की ख़िलाफ़त के ज़माने में अपनी उन बीवियों को भी तलाक़ दे दी और अपने लड़कों को अपना माल बाँट दिया। हज़रत उमर रज़ि. को जब यह मालूम हुआ तो आपने फ़रमाया- शायद तेरे शैतान ने बात उचक ली और तेरे दिल में यह ख़्याल जमा दिया कि तू जल्द ही मरने वाला है, इसलिये तूने अपनी बीवियों को अलग कर दिया कि वह तेरा माल न पायें और अपना माल अपनी औलाद में तक़सीम कर दिया। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अपनी बीवियों से रुजू कर ले और अपनी औलाद से माल वापस ले ले, अगर तूने ऐसा न किया तो मैं तेरे बाद तेरी उन तलाक़ दी हुई बीवियों को भी तेरा वारिस बना दूँगा। क्योंकि तूने उन्हें इसी डर से तलाक़ दी है और मालूम होता है कि तेरी ज़िन्दगी भी अब ख़त्म होने के क़रीब है। और अगर तूने मेरी बात न मानी तो याद रख मैं हुक्म दूँगा कि लोग तेरी क़ब्र पर पत्थर फेंकें जैसा कि अबू रिग़ाल की क़ब्र पर पत्थर फेंके जाते हैं। (मुस्नद अहमद, शाफ़ई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, दारे क़ुतनी, बैहक़ी वग़ैरह) मरफ़ूअ़ हदीस तक तो उन सब किताबों में है। हाँ हज़रत उमर रज़ि. वाला वाक़िआ़ सिर्फ़ मुस्नद अहमद में है, लेकिन यह ज़्यादती हसन है। अगरचे इमाम बुख़ारी रह. ने इसे ज़ईफ़ कहा है और इसकी सनद को दूसरा तरीक़ा बता कर उस तरीक़े को ग़ैर-महफ़ूज़ कहा है, मगर इस तालील में भी नज़र है। वल्लाहु आलम। दूसरे बड़े मुहद्दिसीन ने भी इस पर कलाम किया है लेकिन मुस्नद अहमद वाली हदीस के तमाम रावी सिक़ा (मोतबर) हैं और इमाम बुख़ारी व मुस्लिम की

शर्त पर हैं।

एक और रिवायत में है कि ये दसों औरतें भी अपने ख़ाविन्द के साथ मुसलमान हुई थीं। मुलाहज़ा हो सुनन नसाई। इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर हो गया कि अगर चार से ज़्यादा का एक वक़्त में निकाह में रखना जायज़ होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनसे यह न फ़रमाते कि अपनी उन दस बीवियों में से चार को जिन्हें तुम चाहो रोक लो बाक़ी को छोड़ दो। क्योंकि ये सब भी इस्लाम ला चुकी थीं। यहाँ इस बात का भी ख़्याल रहे कि सक़फ़ी के यहाँ तो ये दस औरतें मौजूद थीं, इस पर भी आपने छह को अलग करा दिया, फिर भला यह कैसे हो सकता है कि कोई शख़्स चार से ज़्यादा जमा करे? वल्लाहु आलम।

दूसरी हदीस अबू दाऊद और इब्ने माजा वग़ैरह में है। हज़रत उमैर असदी रज़ि. फ़रमाते हैं- मैंने जिस वक़्त इस्लाम क़बूल किया मेरे निकाह में आठ औरतें थीं। मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया उनमें से जिन्हें चाहो चार को रख लो। इसकी सनद हसन है और इसके शवाहिद भी हैं, रावियों के नामों का आंशिक इख़्तिलाफ़ वग़ैरह ऐसी रिवायात में नुक़सानदेह नहीं होता। तीसरी हदीस मुस्नद शाफ़ई में है। हज़रत नोफ़ल बिन मुआ़विया रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने जब इस्लाम क़बूल किया उस वक़्त मेरी पाँच बीवियाँ थीं। मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया उनमें से पसन्द करके चार को रख लो और एक को अलग कर दो। मैंने जो सबसे ज़्यादा उम्र की बुढ़िया और बेऔलाद बीवी साठ साल की थीं उन्हें तलाक़ दे दी। पस ये हदीसें हज़रत ग़ैलान रज़ि. वाली पहली हदीस की शवाहिद (मज़मून की गवाह और उसको पुख़्ता करने वाली) हैं, जैसा कि हज़रत इमाम बैहक़ी रह. ने फ़रमाया है। फिर फ़रमाता है- हाँ अगर एक से ज़्यादा बीवियों में अ़दल व इन्साफ़ न हो सकने का ख़ौफ़ हो तो सिर्फ़ एक ही पर बस करो, या बाँदियों ही पर। जैसा कि एक और जगह है:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.

यानी अगरचे तुम चाहो लेकिन तुमसे न हो सकेगा कि औ़रतों के दरमियान पूरी तरह अ़दल व इन्साफ़ को क़ायम रख सको। पस बिल्कुल एक ही तरफ़ झुककर दूसरी को मुसीबत में न डाल दो। हाँ याद रहे कि बाँदियों में बारी (नम्बर) वग़ैरह की तक़सीम वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब (पसन्दीदा और बेहतर) है। जो करे उसने अच्छा किया और जो न करे उस पर हर्ज नहीं। इसके बाद के जुमले का मतलब बाज़ों ने तो कहा है कि यह क़रीब है इसके कि तुम्हारी अ़याल यानी फ़क़ीरी ज़्यादा न हो। जैसे एक और जगह है:

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً.

यानी अगर तुम्हें फ़क्र और तंगदस्ती का डर हो। अ़रबी शायर कहता है:

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى يعيل

यानी फ़क़ीर नहीं जानता कि कब अमीर हो जायेगा और अमीर नहीं जानता कि कब फ़क़ीर हो जायेगा।

जब कोई मिस्कीन मोहताज हो जाये तो अ़रब कहते हैं 'आ़लर्रजुलु' यानी यह शख़्स फ़क़ीर हो गया। ग़र्ज़ कि इस मायने में यह लफ़्ज़ इस्तेमाल तो होता है लेकिन यहाँ यह तफ़सीर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मालूम होती, क्योंकि अगर आज़ाद औरतों की अधिकता फ़क़ीरी का सबब बन सकती है तो बाँदियों की अधिकता (ज़्यादा संख्या में होना) भी फ़क़ीरी का सबब बन सकती है। पस सही क़ौल जम्हूर का है कि

मुराद यह है कि यह क़रीब है इससे कि तुम ज़ुल्म से बच जाओ। अ़रब में कहा जाता है "आ-ल फ़िल-हुक्मि" जबकि किसी ने ज़ुल्म व ज़्यादती की हो। अबू तालिब के मशहूर क़सीदे में हैः

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عامل

यानी ऐसी तराज़ू से तौलता है जो जौ बराबर की भी कमी नहीं करती। उसके पास इसका गवाह ख़ुद उसका नफ़्स है, जो ज़ालिम नहीं है।

इब्ने जरीर में है कि जब कूफ़ियों ने हज़रत उस्मान रज़ि. पर एक ख़त में कुछ इल्ज़ाम लिखकर भेजे तो उनके जवाब में ख़लीफ़ा-ए-रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने लिखा किः

انی لست بميزان اعول.

मैं ज़ुल्म की तराज़ू नहीं हूँ।

सही इब्ने हिब्बान वग़ैरह में एक मरफ़ूअ़ हदीस इस जुमले की तफ़सीर में नक़ल की गयी है कि इसके मायने हैं तुम ज़ुल्म न करो। अबू हातिम रह. फ़रमाते हैं कि उसका मरफ़ूअ़ होना तो एक भूल है, हाँ यह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का क़ौल है। इसी तरह "ला तऊलू" के भी मायने हैं यानी तुम ज़ुल्म न करो। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि., हज़रत आयशा रज़ि., हज़रत मुजाहिद रज़ि., हज़रत इक्रिमा रज़ि., हज़रत हसन रज़ि. वग़ैरह, हज़रत अबू मालिक रह., हज़रत अबू रज़ीन रह., इमाम नख़ई रह., इमाम शअ़बी रह., इमाम ज़ह्हाक रह., इमाम अ़ता ख़ुरासानी रह., इमाम क़तादा रह., इमाम सुद्दी रह., इमाम मुक़ातिल बिन हय्यान रह. से भी यही मायने नक़ल किये गये हैं। हज़रत इक्रिमा रह. ने भी अबू तालिब का वही शे'र पेश किया है। इमाम इब्ने जरीर ने इसे रिवायत किया है और ख़ुद इमाम साहिब भी इसी को पसन्द करते हैं।

फिर फ़रमाता है कि अपनी बीवियों को उनके मेहर दिली ख़ुशी से अदा कर दिया करो, जो भी मुक़र्रर हुए हों और जिनको तुमने मन्ज़ूर किया हो, हाँ अगर औ़रत ख़ुद अपना सारा या थोड़ा बहुत मेहर अपनी ख़ुशी से मर्द को माफ़ कर दे तो उसे इख़्तियार है, और इस सूरत में बेशक मर्द को उसका अपने इस्तेमाल में लाना हलाल और पाक है। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद किसी को जायज़ नहीं कि बग़ैर वाजिब मेहर के निकाह करे, न यह कि मेहर का नाम ही नाम हो। इब्ने अब हातिम में हज़रत अ़ली रज़ि. का क़ौल है कि तुममें से जब कोई बीमार पड़े तो उसे चाहिये कि अपनी बीवी से उसके माल के तीन दिरहम या कम-ज़्यादा ले, उनका शहद ख़रीद ले और बारिश का आसमानी पानी उसमें मिला ले तो तीन-तीन भलाईयाँ मिल जायेंगी "औ़रत के हलाल और पाक माल का ज़ायक़ा" "शहद की शिफ़ा" "मुबारक बारिश का पानी"।

हज़रत अबू सालेह रह. फ़रमाते हैं कि लोग अपनी बेटियों का मेहर ख़ुद ले लेते थे जिस पर यह आयत उतरी और उन्हें इससे रोक दिया गया (इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर)। इस हुक्म को सुनकर लोगों ने रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि उनमें आपस में मेहर क्या है? आपने फ़रमाया जिस चीज़ पर रज़ामन्द हो जायें। (इब्ने अबी हातिम) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने ख़ुतबे में तीन मर्तबा फ़रमाया कि बेवा औ़रतों का निकाह कर दिया करो। एक शख़्स ने खड़े होकर पूछा- या रसूलल्लह! उनका मेहर क्या है? आपने फ़रमाया जिस पर उनके घर वाले राज़ी हो जायें। इसके एक रावी इब्ने बैलमानी

ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं। फिर इसमें इन्क़िता भी है।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

और तुम कम-अक़्लों को अपने वे माल मत दो जिनको अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए ज़िन्दगी का सरमाया बनाया है, और उन मालों में से उनको खिलाते रहो पहनाते रहो और उनसे माक़ूल बात कहते रहो। (5) और तुम यतीमों को आज़मा लिया करो यहाँ तक कि जब वे निकाह को पहुँच जाएँ, फिर अगर उनमें किसी क़द्र तमीज़ देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो, और उन मालों को ज़रूरत से ज़ायद ख़र्च करके और इस ख़्याल से कि ये बालिग़ हो जाएँगे जल्दी-जल्दी उड़ाकर मत खा डालो, और जो शख़्स ज़रूरतमन्द न हो सो वह तो अपने को बिल्कुल बचाए, और जो शख़्स ज़रूरतमन्द हो तो वह मुनासिब मिक़्दार "यानी मात्रा" से खा ले, फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह भी कर लिया करो, और अल्लाह तआ़ला ही हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। (6)

मालों की हिफ़ाज़त

अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला लोगों को मना फ़रमाता है कि कम-अक़्ल बेवक़ूफ़ को माल के तसर्रुफ़ (यानी उसमें इख़्तियार चलाने) से रोकें। माल को अल्लाह तआ़ला ने तिजारत वग़ैरह में लगाकर इनसान के रोज़गार का ज़रिया बनाया है। इससे मालूम हुआ कि कम-अक़्ल लोगों को माल के ख़र्च से रोक देना चाहिये। जैसे नाबालिग़ बच्चा हो या मजनूँ दीवाना हो, या कम-अक़्ल बेवक़ूफ़ हो और बेदीन हो, बुरी तरह अपना माल लुटा रहा हो। इसी तरह ऐसा शख़्स जिस पर क़र्ज़ बहुत चढ़ गया हो, जिसे वह अपने तमाम माल से भी अदा नहीं कर सकता। अगर अपना क़र्ज़ वापस माँगने वाले हाकिमे वक़्त से दरख़्वास्त करें तो हाकिम वह सब माल उसके क़ब्ज़े से ले लेगा और उसे बेदख़ल कर देगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- यहाँ 'सुफ़हा' (बेवक़ूफ़ों) से मुराद तेरी औलाद और औरतें हैं। इसी तरह हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. हकम बिन उयैना, हसन और ज़ह्हाक रह. से भी यही मन्क़ूल है कि इससे मुराद औरतें और बच्चे हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं कि यतीम मुराद हैं। इमाम मुजाहिद, इक्रिमा और क़तादा रह. का क़ौल है कि औरतें मुराद हैं। इब्ने अबी हातिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक औरतें बेवक़ूफ़ हैं मगर जो अपने शौहर की इताअ़त-गुज़ार हों। इब्ने मर्दूया में भी यह हदीस मौजूद है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सरकश (नाफ़रमान) ख़ादिम हैं।

फिर फ़रमाता है कि उन्हें खिलाओ पहनाओ और अच्छी बात कहो। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- यानी तेरा माल जिस पर तेरी गुज़र-बसर निर्भर है, उसे अपनी बीवी या बच्चों को न दे डाल कि फिर उनका हाथ तकता फिरे, बल्कि अपना माल अपने क़ब्ज़े में रख। उसकी देखभाल करता रह और ख़ुद अपने हाथ से उनके खाने कपड़े का बन्दोबस्त कर और उनके ख़र्च उठा। हज़रत अबू मूसा रज़ि. फ़रमाते हैं कि तीन क़िस्म के लोग हैं कि वे ख़ुदा से दुआ़ करते हैं लेकिन अल्लाह तआ़ला क़बूल नहीं फ़रमाता। एक वह शख़्स जिसकी बीवी बुरे अख़्लाक़ वाली (यानी बुरे किरदार की) हो और फिर भी वह उसे तलाक़ न दे। और दूसरा वह शख़्स जो अपना माल बेवक़ूफ़ को दे दे हालाँकि ख़ुदा का फ़रमान है कि बेवक़ूफ़ को अपना माल न दो। तीसरा वह शख़्स जिसका क़र्ज़ किसी पर हो और उसने उस क़र्ज़ पर किसी को गवाह न किया हो, उनसे भली बात कहो। यानी उनसे नेकी और सिला-रहमी करो।

इस आयत से मालूम हुआ कि मोहताजों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिये और जिसे तसर्रुफ़ (अपनी मर्ज़ी चलाने और अ़मल-दख़ल) का हक़ न हो उसके खाने कपड़े की ख़बरगीरी करनी चाहिये और उसके साथ नर्म गुफ़्तगू और अच्छे अख़्लाक़ से पेश आना चाहिये।

फिर फ़रमाया- यतीमों की देखभाल रखो यहाँ तक कि वे जवानी को पहुँच जायें। यहाँ निकाह से मुराद बलूग़त (जवान होना है और बलूग़त उस वक़्त साबित होती है जब उसे ख़ास क़िस्म के ख़्वाब आने लगें जिनमें ख़ास पानी (यानी वीर्य) उछलकर निकलता है (यानी स्वपनदोष होता है)।

हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमान बख़ूबी याद है कि एहतिलाम (ख़्वाब में नहाने की ज़रूरत होने) के बाद यतीमी नहीं और न चुप रहना है (यानी मामलात में अब सिर्फ़ ख़ामोशी काफ़ी नहीं, खुलकर अपनी मर्ज़ी नामर्ज़ी बताना ज़रूरी है), सारे दिन रात तक। दूसरी हदीस में है कि तीन क़िस्म के लोगों से क़लम उठा लिया गया है, बच्चे से जब तक बालिग़ न हो, सोते हुए आदमी से जब तक जाग न जाये, मजनूँ से जब तक होश न आ जाये। पस बालिग़ होने की एक निशानी तो यह है। बालिग़ होने की दूसरी निशानी बाज़ के नज़दीक यह है कि पन्द्रह साल की उम्र हो जाये। इसकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की हज़रत इब्ने उमर रज़ि. वाली हदीस है, जिसमें वह फ़रमाते हैं कि उहुद वाली लड़ाई में मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने साथ न लिया, उस वक़्त मेरी उम्र चौहद साल की थी और ख़न्दक़ की लड़ाई में आपने क़बूल फ़रमा लिया उस वक़्त मैं पन्द्रह साल का था। हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. को जब यह हदीस पहुँची तो आपने फ़रमाया नाबालिग़ बालिग़ की हद यही है। बालिग़ होने की तीसरी पहचान नाफ़ के नीचे के बालों का निकलना है। इसमें उलेमा के तीन क़ौल हैं- एक यह कि यह बालिग़ होने की निशानी है, दूसरे यह कि नहीं, तीसरे यह कि मुसलमानों में नहीं, ज़िम्मियों में है। इसलिये कि मुम्किन है किसी दवा से ये बाल जल्द निकल आते हों और ज़िम्मी पर जवाब होते ही जिज़्या लग जाता है, तो उसे क्यों इस्तेमाल करने लगा। लेकिन सही बात यह है कि सबके हक़ में यह बालिग़ होने की निशानी है, क्योंकि अव्वल तो यह फ़ितरी क़ुदरती मामला है, इलाज-मुआ़लजे का गुमान और शक बहुत दूर की बात है। ठीक यही है कि ये बाल अपने वक़्त पर ही निकलते हैं।

दूसरी दलील मुस्नद अहमद की हदीस है, जिसमें हज़रत अ़तीया क़ुरज़ी रज़ि. का बयान है कि बनू क़ुरैज़ा की लड़ाई के बाद हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने पेश किये गये तो आपने हुक्म दिया कि एक शख़्स देखे जिसके ये बाल निकल आये हों उसे क़त्ल कर दिया जाये और जिसे न

निकले हों उसे छोड़ दिया जाये। चुनाँचे मेरे भी न निकले थे मुझे छोड़ दिया गया। सुनने-अर्बआ में भी यह हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन सही फ़रमाते हैं। हज़रत सअ़द रज़ि. के फ़ैसले पर राज़ी होकर यह क़बीला लड़ाई से बाज़ आया था। फिर हज़रत सअ़द रज़ि. ने यह फ़ैसला किया कि उनमें से लड़ने वाले तो क़त्ल कर दिये जायें और बच्चे क़ैदी बना लिये जायें।

ग़राईबे अबी उबैद में है कि एक लड़के ने एक नौजवान लड़की के बारे में कहा कि मैंने उससे बदकारी की है। दर असल यह तोहमत थी। हज़रत उमर रज़ि. ने उसे तोहमत की हद लगानी चाही लेकिन फ़रमाया देख लो अगर इसके ज़ेरे-नाफ़ के बाल उग आये हों तो इस पर हद जारी कर दो वरना नहीं। देखा तो उगे नहीं थे, चुनाँचे उस पर से हद हटा दी।

फिर फ़रमाता है- जब तुम देखो कि वे अपने दीन की सलाहियत और माल की हिफ़ाज़त के लायक़ हो गये हैं तो उनके वलियों को चाहिये कि उनके माल उन्हें दे दें। बग़ैर ज़रूरी हाजत के सिर्फ़ इस डर से कि यह बड़े होते ही अपना माल हमसे ले लेंगे तो हम इससे पहले ही उनके माल को ख़त्म कर दें, उनका माल न खाओ। जिसे ज़रूरत न हो खुद अमीर हो, खाता-पीता हो तो उसे चाहिये कि उनके माल में से कुछ भी न ले, यह माल मुर्दार और बहते हुए ख़ून की तरह उस पर बिल्कुल हराम है। हाँ अगर वाली मिस्कीन मोहताज हो तो बेशक उसे जायज़ है कि अपनी परवरिश के हक़ के मुताबिक़ वक़्त की हाजत और दस्तूर के हिसाब से उस माल में से खा-पी ले। अपनी ज़रूरत को देखे और अपनी मेहनत को, अगर ज़रूरत मेहनत से कम हो तो ज़रूरत के मुताबिक़ ले और अगर मेहनत ज़रूरत से कम हो तो मेहनत का बदला ले ले। फिर ऐसा वली अगर मालदार बन जाये तो उसे उस खाये हुए और लिये हुए माल को वापस करना पड़ेगा या नहीं? इसमें दो क़ौल हैं- एक तो यह कि वापस न देना होगा। इसलिये कि उसने अपने काम का बदला लिया है। इमाम शाफ़ई रह. के शागिर्दों के नज़दीक यही सही है, इसलिये कि आयत ने बग़ैर बदल के मुबाह (जायज़) क़रार दिया है।

मुस्नद अहमद वग़ैरह में है कि एक शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह! मेरे पास माल नहीं, एक यतीम मेरी परवरिश में है, तो क्या मैं उसके खाने में से खा सकता हूँ? आपने फ़रमाया हाँ उस यतीम का माल अपने काम में ला सकता है, बशर्ते कि ज़रूरत से ज़्यादा न ले, न जमा करे, न यह हो कि अपने माल को बचाकर रखे और उसके माल को खाये चला जाये। इब्ने अबी हातिम में भी ऐसी ही रिवायत है। इब्ने हिब्बान वग़ैरह में है कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया- मैं अपने यतीम को अदब सिखाने के लिये ज़रूरत पड़ने पर चीज़ से मारूँ? फ़रमाया जिससे तू अपने बच्चे को तंबीह करता है। अपना माल बचाकर उसका माल ख़र्च न कर, न उसके माल से दौलतमन्द बनने की कोशिश कर।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से किसी ने पूछा कि मेरे पास भी ऊँट है और मेरे यहाँ जो यतीम पल रहे हैं उनके भी ऊँट हैं। मैं अपनी ऊँटनियाँ फ़क़ीरों को दूध पीने के लिये तोहफ़े में दे देता हूँ तो क्या मेरे लिये जायज़ है कि उन यतीमों की ऊँटनियों का दूध पी लूँ? आपने फ़रमाया अगर उन यतीमों की ऊँटनियों में से कोई गुम हो जाये और तू उसे ढूँढ लाता है, उनके चारे-पानी की ख़बरगीरी रखता है, उनके हौज़ (यानी पानी पीने की जगह) को दुरुस्त करता रहता है और उनकी देखभाल किया करता है तो बेशक दूध से नफ़ा भी उठा, लेकिन इस तरह कि न उनके (ऊँटनियों के) बच्चों को नुक़सान पहुँचे न ज़रूरत से ज़्यादा ले। (मुवत्ता मालिक) हज़रत अ़ता बिन अबू रिबाह, हज़रत इक्रिमा, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत अ़तीया औफ़ी,

हज़रत हसन बसरी रह. का यही क़ौल है। दूसरा क़ौल यह है कि तंगदस्ती के दूर हो जाने के बाद यतीम का वह माल वापस देना पड़ेगा, इसलिये कि असल तो मनाही है, एक ख़ास वजह और हालात के सबब जवाज़ हो गया था, जब वह वजह जाती रही तो उसका बदल देना पड़ेगा। जैसे कोई बेबस और बेक़रार होकर किसी ग़ैर का माल खाये लेकिन ज़रूरत के निकल जाने के बाद उसे वापस देना होगा।

दूसरी दलील यह है कि हज़रत उमर रज़ि. जब ख़िलाफ़त की गद्दी पर बैठे तो ऐलान फ़रमाया था कि मेरी हैसियत यहाँ यतीम के वाली की है, अगर मुझे ज़रूरत ही न हुई तो मैं बैतुल-माल से कुछ न लूँगा और अगर मोहताजी हुई तो बतौर क़र्ज़ के ले लूँगा। जब आसानी होगी फिर वापस कर दूँगा। (इब्ने अबिद्दुनिया)

यह हदीस सईद बिन मन्सूर में भी है और इसकी सनद सही है। बैहक़ी में भी यह हदीस है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से आयत के इस जुमले की तफ़सीर में मन्क़ूल है कि बतौर क़र्ज़ के खाये, और फिर मुफ़स्सिरीन से यही नक़ल है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं "मारूफ़" (मुनासिब मात्रा में) से खाने का मतलब यह है कि तीन उंगलियों से खाये। एक और रिवायत में आपसे यह मरवी है कि वह अपने ही माल को सिर्फ़ अपनी ज़रूरत पूरी हो जाने के लायक़ ही ख़र्च करे ताकि उसे यतीम के माल के ज़रूरत ही न पड़े। हज़रत आ़मिर शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि अगर ऐसी बेबसी हो जिसमें मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है तो बेशक खा ले, लेकिन फिर अदा करना होगा। यहया बिन सईद अन्सारी और रबीआ़ रह. से इसकी तफ़सीर मन्क़ूल है कि अगर यतीम फ़क़ीर हो तो उसे वली की ज़रूरत के मुवाफ़िक़ दे और फिर उस वली को कुछ न मिलेगा। इबारत में यह ठीक नहीं बैठता, इसलिये कि इससे पहले यह जुमला भी है कि जो ग़नी (मालदार) हो वह रुक जाये, यानी जो वली ग़नी हो तो यहाँ भी यही मतलब होगा कि जो वली फ़क़ीर हो, न कि जो यतीम फ़क़ीर हो। एक दूसरी आयत में है:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ.

यानी यतीम के माल के क़रीब भी न जाओ, हाँ बतौर इस्लाह (यानी उसकी भलाई) के। फिर अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो ज़रूरत के मुताबिक़ मुनासिब और परिचित व जायज़ तरीक़े से उसमें से खाओ पियो।

फिर सरपरस्तों से कहा जाता है कि जब वे बलूग़त (जवानी) को पहुँच जायें और तुम देख लो कि उनमें तमीज़ आ चुकी है तो गवाह रखकर उनके माल उनके सुपुर्द कर दो ताकि इनकार करने का वक़्त ही न आये। वैसे तो सच्चा गवाह (सब कुछ देखने वाला) और पूरा और मुकम्मल हिसाब लेने वाला अल्लाह ही है, वह ख़ूब जानता है कि वली ने यतीम के माल में कैसी नीयत रखी, आया उसको तबाह व बरबाद किया, झूठ-सच हिसाब लिखा और दिया, या साफ़-दिली और नेक-नीयती से निहायत चौकसी और सफ़ाई से उसके माल का पूरा-पूरा ख़्याल रखा और हिसाब-किताब साफ़ रखा। इन सब बातों का सही इल्म तो उस दाना-बीना, निगराँ व निगहबान को है। सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबूज़र रज़ि. से फ़रमाया- ऐ अबूज़र! मैं तुम्हें कमज़ोर पाता हूँ और जो अपने लिये चाहता हूँ वही तुम्हारे लिये भी पसन्द करता हूँ ख़बरदार हरगिज़ दो शख़्सों का भी सरदार और अमीर न बनना, और न कभी किसी यतीम का वली (सरपरस्त और ज़िम्मेदार) बनना।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ○ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ○

मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ-बाप और बहुत नज़दीक के रिश्तेदार छोड़ जाएँ और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ-बाप और बहुत नज़दीक के रिश्तेदार छोड़ जाएँ, चाहे वह चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, क़तई हिस्सा। (7) और जब (वारिसों में तरके के) तक़सीम होने के वक़्त (दूर के) रिश्तेदार आ मौजूद हों और यतीम और ग़रीब लोग, तो उनको भी उस (तरके) में से (जिस क़द्र बालिग़ों का है) कुछ दे दो और उनके साथ अच्छे अन्दाज़ से बात करो। (8) और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने बाद छोटे-छोटे बच्चे छोड़ जाएँ तो उनकी उनको फ़िक्र हो, सो उन लोगों को चाहिए कि अल्लाह से डरें और मौक़े की बात कहें। (9) बेशक जो लोग यतीमों का माल बिना हक़दार होते हुए खाते (बरतते) हैं, और कुछ नहीं अपने पेट में आग भर रहे हैं। और जल्द ही जलती हुई आग में दाख़िल होंगे। (10)

एक बुरी रस्म और उसका सुधार

अ़रब के मुश्रिकों का दस्तूर था कि जब कोई मर जाता तो उसकी बड़ी औलाद को उसका माल मिल जाता, छोटी औलाद और औ़रतें बिल्कुल मेहरूम रहतीं। इस्लाम ने यह हुक्म नाज़िल फ़रमाकर सब की बराबर की (यानी हिस्सेदार होने की) हैसियत क़ायम कर दी कि वारिस तो सब होंगे चाहे असली रिश्ता हो चाहे निकाह की वजह से हो या आज़ाद करने के ताल्लुक़ की वजह से रिश्ता हो। हिस्सा सबको मिलेगा अगरचे कम ज़्यादा हो। उम्मे लुज्जा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करती हैं कि हुज़ूर! मेरे दो लड़के हैं, उनके वालिद फ़ौत हो गये और उनके पास कुछ नहीं। पस यह हदीस नाज़िल हुई। यही हदीस दूसरे अलफ़ाज़ से मीरास की तफ़सीर में भी जल्द ही आगे आयेगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला। वल्लाहु आलम।

दूसरी आयत का मतलब यह है कि जब किसी मरने वाले का वरसा (मीरास का माल) बटने लगे और वहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी आ जाये जिसका कोई हिस्सा मुक़र्रर न हो और यतीम व मसाकीन आ जायें तो उन्हें भी कुछ न कुछ दे दो। इस्लाम के शुरू ज़माने में तो यह वाजिब था और बाज़ कहते हैं

मुस्तहब था, और अब भी यह हुक्म बाक़ी है या नहीं? इसमें भी दो क़ौल हैं- हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. तो इसे बाक़ी बताते हैं। हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अबू मूसा, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र, हज़रत अबुल-आ़लिया, हज़रत शअ़बी, हज़रत हसन, हज़रत इब्ने सीरीन, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत मक्हूल, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत अ़ता बिन अबी रिबाह, हज़रत ज़ोहरी, हज़रत यहया बिन मामर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम व रहमतुल्लाहि अ़लैहिम भी बाक़ी बतलाते हैं। बल्कि ये हज़रात सिवाय हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के वजूब (वाजिब और ज़रूरी होने) के क़ायल हैं।

हज़रत अबू उबैदा एक वसीयत के वली थे। उन्होंने एक बकरी ज़िबह की और उन तीनों क़िस्मों के लोगों को खिलाई और फ़रमाया- अगर यह आयत न होती तो यह भी मेरा माल था। हज़रत उरवा ने हज़रत मुस्अ़त रज़ि. के माल की तक़सीम के वक़्त भी दिया। हज़रत ज़ोहरी का भी क़ौल है कि यह आयत मोहकम (मज़बूत और अपनी जगह क़ायम) है, मन्सूख़ नहीं। एक रिवायत में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि यह वसीयत पर निर्भर और मौक़ूफ़ है। चुनाँचे हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र रज़ि. के इन्तिक़ाल के बाद उनके बेटे हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने अपने बाप का वरसा तक़सीम किया और यह वाक़िआ़ हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की मौजूदगी का है, पस घर में जितने मिस्कीन और रिश्तेदार थे सबको दिया और इसी आयत की तिलावत की। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. को जब यह मालूम हुआ तो फ़रमाया उसने ठीक नहीं किया, इस आयत से तो मुराद यह है कि जब मरने वाले ने इसकी वसीयत की हो। (इब्ने अबी हातिम) बाज़ हज़रात का क़ौल है कि यह आयत मन्सूख़ ही (यानी अब इसका हुक्म बाक़ी नहीं रहा) है। जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह आयत मन्सूख़ है और नासिख़ (इसके हुक्म को निरस्त करने वाली) आयत यह है:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ............ اِلخ.

(यानी इसी सूरत की आगे आ रही आयत नम्बर 11) हिस्से मुक़र्रर होने से पहले यह हुक्म था फिर जब हिस्से मुक़र्रर हो चुके और हर हक़दार को ख़ुद ख़ुदा तआ़ला ने हक़ पहुँचा दिया तो अब सदक़ा सिर्फ़ वही रह गया जो मरने वाला कह गया हो। हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. भी यही फ़रमाते हैं कि हाँ अगर वसीयत उन लोगों के लिये हो तो और बात है, वरना यह आयत मन्सूख़ है। जम्हूर का और चारों इमामों का यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर ने यहाँ एक अ़जीब क़ौल इख़्तियार किया है। उनकी तहरीर का ख़ुलासा यह है कि वसीयत के माल की तक़सीम के वक़्त जब मय्यित के रिश्तेदार आ जायें तो उन्हें भी दे दो और यतीम मिस्कीन जो आ गये हों उनसे नर्म-कलामी और अच्छे जवाब से पेश आओ। लेकिन ज़ाहिर है कि यह तहक़ीक़ क़ाबिले ग़ौर है। वल्लाहु आलम।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि तक़सीम से मुराद यहाँ वरसे (मीरास के माल) की तक़सीम है। पस यह क़ौल इमाम इब्ने जरीर रह. के ख़िलाफ़ है। ठीक मतलब आयत का यह है कि जब ये ग़रीब लोग तर्के की तक़सीम के वक़्त आ जायें और तुम अपना-अपना हिस्सा अलग-अलग करके लेजाते हुए हों और ये बेचारे तक रहे हों तो उन्हें भी ख़ाली हाथ न फेरो। उनका वहाँ से मायूस और ख़ाली हाथ वापस जाना अल्लाह तआ़ला को अच्छा नहीं लगता। बतौर सदक़ा अल्लाह की राह उनसे भी कुछ सुलूक कर दो ताकि वे ख़ुश होकर जायें। जैसे एक और जगह फ़रमाने बारी है कि खेती के कटने के दिन उसका हक़ अदा करो, और मोहताजों व मिस्कीनों से छुपाकर अपने बाग़ का फल लाने वालों की अल्लाह तआ़ला ने

बड़ी मज़म्मत (बुराई और निंदा) फ़रमाई है। जैसे कि सूरः नून में है कि वे रात के वक़्त छुपकर खेत और बाग़ के दाने और फल लाने के लिये चलते हैं, वहाँ ख़ुदा का अ़ज़ाब उनसे पहले पहुँच जाता है और सारे को जलाकर ख़ाक कर देता है। दूसरों के हक़ बरबाद करने वालों का यही हश्र होता है। हदीस शरीफ़ में है कि जिस माल में सदक़ा मिल जाये, यानी जो शख़्स अपने माल से सदक़ा न दे उसका माल उसकी तबाही का सबब हो जाता है।

फिर फ़रमाता है कि डरें वे लोग जो अगर अपने पीछे छोड़ जायें .....। यानी एक शख़्स अपनी मौत के वक़्त वसीयत कर रहा है और उसमें अपने वारिसों को नुक़सान पहुँचा रहा है तो उस वसीयत के सुनने वाले को चाहिये कि अल्लाह का ख़ौफ़ करे और उसे ठीक बात की रहनुमाई करे और उसके वारिसों के लिये ऐसी भलाई चाहे जैसी अपने वारिसों के साथ भलाई कराना चाहता है, जबकि उनकी बरबादी और तबाही का ख़ौफ़ हो। सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. के पास उनकी बीमारी के ज़माने में उनका हाल पूछने को गये और हज़रत सअ़द रज़ि. ने कहा या रसूलल्लाह! मेरे पास माल बहुत है और सिर्फ़ मेरी एक लड़की ही मेरे पीछे है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने माल की दो तिहाईयाँ ख़ुदा की राह में सदक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा आधे की तो इजाज़त दीजिए आपने फ़रमाया नहीं। कहा फिर एक तिहाई की इजाज़त दीजिए। आपने फ़रमाया ख़ैर! लेकिन है यह भी ज़्यादा। तू अगर अपने पीछे अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाये यह बेहतर है इससे कि तू उन्हें फ़क़ीर (तंगदस्त और ग़रीब) छोड़कर जाये कि वे हाथ फैलाते फिरें।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि लोग एक तिहाई से भी कम यानी चौथाई की ही वसीयत करें तो अच्छा है, इसलिये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तिहाई को भी ज़्यादा फ़रमाया है। दीनी मसाईल के उलेमा फ़रमाते हैं कि अगर मय्यित के वारिस अमीर हों तब तो ख़ैर तिहाई की वसीयत करना मुस्तहब (अच्छा) है, और अगर फ़क़ीर हों तो मुस्तहब है कि इससे कम की वसीयत करें। दूसरा मतलब इस आयत का यह भी बयान किया गया है कि तुम यतीमों का उतना ही ख़्याल रखो जितना तुम चाहते हो कि तुम्हारी छोटी औलाद का तुम्हारे मरने के बाद दूसरे लोग ख़्याल रखें। जिस तरह तुम नहीं चाहते कि उनके माल दूसरे ज़ुल्म से खा जायें और वे बालिग़ होकर फ़क़ीर रह जायें, इसी तरह तुम दूसरों की औलादों के माल न खा जाओ। यह मतलब भी बहुत अच्छा और मुनासिब है, इसी लिये इसके बाद ही यतीमों का माल नाहक़ मार लेने वालों की सज़ा बयान फ़रमाई कि ये लोग अपने पेट में अंगारे भरने वाले और जहन्नम वासिल होने वाले हैं। सहीहैन में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सात गुनाहों से बचो जो हलाकत (तबाही) का सबब हैं। पूछा गया क्या क्या? फ़रमाया 1. अल्लाह के साथ शिर्क। 2. जादू। 3. बेवजह क़त्ल। 4. सूद लेना। 5. यतीम का माल खा जाना। 6. जिहाद से मुँह मोड़ना। 7. भोली-भाली कमज़ोर और पाकदामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना।

इब्ने अबी हातिम में है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मेराज की रात का वाक़िआ़ पूछा जिसमें आपने फ़रमाया कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनके होंठ नीचे लटक रहे हैं और फ़रिश्ते उन्हें घसीटकर उनका मुँह ख़ूब खोल देते हैं, फिर जहन्नम के गर्म पत्थर उनमें ठूँस देते हैं जो उनके पेट में उतरकर पीछे (पाख़ाने) के रास्ते से निकल जाते हैं और बुरी तरह चीख़-चिल्ला रहे हैं, हाय-वाय मचा रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा यतीमों का माल खा जाने वाले हैं जो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और जल्द ही जहन्नम में जायेंगे। हज़रत सुद्दी रह.

फ़रमाते हैं कि यतीम का माल खा जाने वाला क़ियामत के रोज़ अपनी क़ब्र से इसी तरह उठाया जायेगा कि उसके मुँह आँखों नथुनों और रोम-रोम से से आग के शोले निकल रहे होंगे। हर शख़्स देखते ही पहचान लेगा कि इसने यतीम का माल नाहक़ खा रखा है। इब्ने मर्दूया में एक मरफ़ूअ़ हदीस भी इसी मज़मून के क़रीब-क़रीब है। एक और हदीस में है कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ उन दोनों ज़ईफ़ों (कमज़ोरों) का माल पहुँचा दो, औरतों का और यतीमों का। उनके माल से बचो। सूरः ब-क़रह में रिवायत गुज़र चुकी है कि जब यह आयत उतरी तो जिनके पास यतीम थे उन्होंने उनका अनाज पानी भी अलग कर दिया। अब उमूमन ऐसा होता कि खाने-पीने की अगर उनकी कोई चीज़ बच रहती तो या तो दूसरे वक़्त उसी बासी चीज़ को वह खाये या सड़कर फेंकी जाये। घर वालों में से कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता था। यह बात दोनों तरफ़ नागवार गुज़री। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने इसका ज़िक्र आया तो इस पर यह आयतः

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى............ الخ.

उतरी, जिसका मतलब यह है कि जिस काम में यतीमों की बेहतरी समझो, करो। चुनाँचे उसके बाद फिर खाना-पीना एक साथ हुआ।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ

अल्लाह तआ़ला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर, और अगर सिर्फ़ लड़कियाँ ही हों अगरचे दो से ज़्यादा हों तो उन लड़कियों को दो तिहाई मिलेगा उस माल का जो कि मूरिस छोड़कर मरा है, और अगर एक ही लड़की हो तो उसको आधा मिलेगा। और माँ-बाप के लिए यानी दोनों में से हर एक के लिए मय्यित के तर्के "यानी छोड़े हुए माल व जायदाद" में से छठा हिस्सा है अगर मय्यित के कुछ औलाद हो, और अगर उस मय्यित के कुछ औलाद न हो और उसके माँ-बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का एक तिहाई है, अगर मय्यित के एक से ज़्यादा भाई या बहन हों तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा (और बाक़ी बाप को मिलेगा) वसीयत निकाल लेने के बाद कि मय्यित उसकी वसीयत कर जाए या क़र्ज़ के बाद, तुम्हारे उसूल व फ़ुरू "यानी बाप-दादा और औलाद व औलाद की औलाद" जो हैं तुम पूरे तौर पर यह नहीं जान सकते हो कि

بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝	उनमें का कौन-सा शख़्स तुमको नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा नज़दीक है। यह हुक्म अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर कर दिया गया, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म और हिक्मत वाले हैं। (11)

मीरास के कुछ अहकाम

यह आयते करीमा और इसके बाद की आयत और इस सूरत के आख़िर की आयत इल्मे फ़राईज़ (मीरास) की आयतें हैं। यह पूरा इल्म इन आयतों और मीरास की हदीसों से निकाला गया है, जो हदीसें इन आयतों की गोया तफ़सीर और व्याख्या हैं। यहाँ हम इस आयत की तफ़सीर लिखते हैं। बाक़ी जो मीरास के मसाईल की पूरी तक़रीर है और उसमें जिन दलीलों के समझने में जो कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हुआ है उसके बयान करने की मुनासिब जगह अहकाम की किताबें हैं, न कि तफ़सीर। अल्लाह तआ़ला हमारी मदद फ़रमाये। इल्मे फ़राईज़ के सीखने की फ़ज़ीलत में बहुत-सी हदीसें हैं। इन आयतों में जिन फ़राईज़ (मीरास की बातों) का ज़िक्र है यह सबसे ज़्यादा अहम हैं। अबू दाऊद और इब्ने माजा में है कि इल्म दर असल तीन हैं और उसके अ़लावा जो कुछ है वह ज़रूरत से ज़्यादा है।

1. क़ुरानी आयात जो मोहकम (मज़बूत) हैं और जिनके अहकाम बाक़ी हैं।
2. सुन्नते क़ायमा यानी अहादीस जो साबित शुदा हैं।
3. और फ़रीज़ा-ए-आ़दिला यानी मीरास के मसाईल जो इन दो से साबित हैं।

इब्ने माजा की दूसरी ज़ईफ़ सनद वाली हदीस में है कि फ़राईज़ (मीरास के मसाईल) सीखो और दूसरों को सिखाओ, यह आधा इल्म है और ये भूल-भूल जाते हैं और यही पहली वह चीज़ है जो मेरी उम्मत से छिन जायेगी। हज़रत इब्ने उयैना रह. फ़रमाते हैं कि इसे आधा इल्म इसलिये कहा गया है कि तमाम लोगों को उमूमन ये पेश आते हैं। सही बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत की तफ़सीर में हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से यह रिवायत है कि मैं बीमार था, हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ मेरी बीमार पुरसी के लिये बनू सलमा के मौहल्ले में पैदल तशरीफ़ लाये। मैं उस वक़्त बेहोश था, आपने पानी मंगवाकर वुज़ू किया फिर वुज़ू के पानी का छींटा मुझे दिया, जिससे मुझे होश आया तो मैंने कहा हुज़ूर! मैं अपने माल की तक़सीम किस तरह करूँ? इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। सही मुस्लिम शरीफ़, नसाई शरीफ़ वग़ैरह में भी यह हदीस मौजूद है।

अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद बिन हंबल वग़ैरह में है कि हज़रत सअ़द बिन रबीअ़ रज़ि. की बीवी साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आयीं और कहा या रसूलल्लाह! ये दोनों सअ़द की लड़कियाँ हैं, इनके वालिद आपके साथ जंगे उहुद में शरीक थे और वहीं शहीद हुए। इनके चचा ने इनका तमाम माल ले लिया है, इनके लिये कुछ भी नहीं छोड़ा। और यह ज़ाहिर है कि इनका निकाह बग़ैर माल के नहीं हो सकता। आपने फ़रमाया इसका फ़ैसला ख़ुद ख़ुदा करेगा। चुनाँचे मीरास की आयत नाज़िल हुई। आपने उनके चचा के पास आदमी भेजकर हुक्म भेजा कि दो तिहाईयाँ तो इन दोनों लड़कियों को दो और आठवाँ हिस्सा इनकी माँ को दो और बाक़ी माल तुम्हारा है।

बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हज़रत जाबिर रज़ि. के सवाल पर इस सूरत की आख़िरी आयत उतरी होगी, जैसा आगे आ रहा है, इन्शा-अल्लाह तआ़ला। इसलिये कि उनकी वारिस सिर्फ़ उनकी बहनें ही थीं, लड़कियाँ थीं ही नहीं, वह तो कलाला (बेऔलाद) थे। और यह आयत इसी सिलसिले की यानी हज़रत सअ़द बिन रबीअ़ रज़ि. के वरसे (मीरास और छोड़े हुए माल) के बारे में नाज़िल हुई है। इसके रावी भी ख़ुद हज़रत जाबिर रज़ि. हैं। हाँ हज़रत इमाम बुख़ारी रह. ने इस हदीस को इसी आयत की तफ़सीर में ज़िक्र किया है इसलिये हमने भी उनकी मुवाफ़क़त की। वल्लाहु आलम।

आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में अ़दल (इन्साफ़) सिखाता है। जाहिलीयत के लोग तमाम माल लड़कों को देते थे, और लड़कियाँ ख़ाली हाथ रह जाती थीं तो अल्लाह तआ़ला ने उनका हिस्सा भी मुक़र्रर कर दिया। हाँ दोनों के हिस्सो में फ़र्क़ रखा। इसलिये कि मर्दों के ज़िम्मे जो ज़रूरतें हैं वो औ़रतों के ज़िम्मे नहीं। जैसे अपने मुताल्लिक़ीन के खाने-पीने और ख़र्चों की ज़िम्मेदारी, तिजारत और कमाना, और इसी तरह की और मशक़्क़तें, तो उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक़ औ़रतों से दोगुना दिलवाया।

बाज़ बुज़ुर्गों ने यहाँ एक निहायत बारीक नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर उनके माँ-बाप से भी ज़्यादा मेहरबान है। बाप को उनकी औलाद के बारे में वसीयत कर रहा है। पस मालूम हुआ कि माँ-बाप अपनी औलाद पर इतने मेहरबान नहीं जितना मेहरबान हमारा ख़ालिक़ अपनी मख़्लूक़ पर है। चुनाँचे एक सही हदीस में है कि क़ैदियों में से एक औ़रत का बच्चा उससे छूट गया, वह दीवानों की तरह उसे ढूँढती फिरती थी और जिस बच्चे को पा लेती अपने सीने से लगाकर उसे दूध पिलाती। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह देखकर अपने सहाबा से फ़रमाया- भला बाताओ तो क्या यह औ़रत बावजूद अपने इख़्तियार के अपने बच्चे को आग में डाल देगी? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! हरगिज़ नहीं। आपने फ़रमाया ख़ुदा की क़सम अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर इससे भी ज़्यादा मेहरबान है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि पहले माल का हिस्सेदार और हक़दार सिर्फ़ लड़का था, माँ-बाप को वसीयत के तौर पर कुछ मिल जाता था। अल्लाह तआ़ला ने इसको ख़त्म किया और लड़के को लड़की से दोगुना दिलवाया और माँ-बाप को छठा हिस्सा दिलवाया और तीसरा हिस्सा भी, और बीवी को आठवाँ हिस्सा और चौथा हिस्सा और शौहर को आधा और चौथाई। फ़रमाते हैं मीरास के अहकाम उतरने पर बाज़ लोगों ने कहा यह अच्छी बात है कि औ़रत को चौथा और आठवाँ हिस्सा दिलवाया जा रहा है और लड़की को आधों-आध दिलवाया जा रहा है और नन्हे-नन्हे बच्चों का हिस्सा मुक़र्रर किया जा रहा है, हालाँकि उनमें से कोई भी न लड़ाई में निकल सकता है, न माले ग़नीमत ला सकता है। अच्छा तुम इस हदीस से ख़ामोशी बरतो, शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह भूल जायें या हमारे कहने की वजह से आप इन अहकाम को बदल दें। फिर उन्होंने आप से कहा कि आप लड़की को बाप का आधा माल दिलवा रहे हैं हालाँकि न वह घोड़े पर बैठने के लायक़, न दुश्मन से लड़ने के क़ाबिल, आप बच्चे को वरसा (मीरास का हिस्सा) दिला रहे हैं भला वह क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है? ये लोग जाहिलीयत के ज़माने में ऐसा ही करते थे कि मीरास सिर्फ़ उसे देते थे जो लड़ने-भिड़ने के क़ाबिल हो। सबसे बड़े लड़के को वारिस करते थे। लफ़्ज़ 'फ़ौक़' को बाज़ लोग ज़ायद बतलाते हैं जैसे:

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ.

में "फ़ौक़" ज़ायद है। लेकिन हम यह नहीं मानते, न इस आयत में। क्योंकि क़ुरआन में कोई ऐसी ज़ायद चीज़ नहीं है जो बिल्कुल बेफ़ायदा हो। अल्लाह के कलाम में ऐसा होना मुहाल है। फिर यह भी ख़्याल फ़रमाईये कि अगर ऐसा ही होता तो इसके बाद 'फ़-लहुन्न' न आता, बल्कि 'फ़-लहुम्मा' आता। हाँ इसे हम जानते हैं कि अगर लड़कियाँ दो से ज़ायद न हों यानी सिर्फ़ दो हों तो भी यही हुक्म है, यानी उन्हें भी दो तिहाई मिलेगा। क्योंकि दूसरी आयत में दो बहनों को दो सुलुस (दो तिहाईयाँ) दिलवाया गया है और जबकि दो बहनें दो तिहाई पाती हैं तो दो लड़कियों को दो तिहाई क्यों न मिलेगा? उनके लिये तो दो तिहाई बतौरे औला होना चाहिये। एक हदीस में आ चुका है कि दो लड़कियों को रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो तिहाई माल तर्के में से दिलवाया जैसा कि इस आयत के शाने नुज़ूल में हज़रत सअ़द रज़ि. की लड़कियों के ज़िक्र में इससे पहले बयान हो चुका। पस क़ुरआन व हदीस से यह साबित हो गया। इसी तरह इसकी दलील यह भी है कि अगर एक लड़की हो यानी लड़का न होने की सूरत में तो उसे आधों-आध दिलवाया गया है। पस अगर दो को भी आधा ही देने का हुक्म करना मक़सूद होता तो यहीं बयान हो जाता। जब एक को अलग कर दिया तो मालूम हुआ कि दो का हुक्म वही है जो दो से ज़ायद का है वल्लाहु आलम।

फिर माँ-बाप का हिस्सा बयान हो रहा है। उनके वरसे (मीरास के हिस्से) की विभिन्न सूरतें हैं। एक तो यह कि मरने वाले की औलाद एक लड़की से ज़्यादा हो और माँ-बाप भी हों तो उन्हें छठा हिस्सा मिलेगा। यानी छठा हिस्सा माँ को और छठा हिस्सा बाप को। अगर मरने वाली की सिर्फ़ एक लड़की ही हो तो आधा माल तो वह लड़की ही ले लेगी और छठा हिस्सा माँ ले लेगी, छठा हिस्सा बाप को मिलेगा और छठा हिस्सा जो बाक़ी रहा वह भी बतौर अ़सबा बाप को मिल जायेगा। पस इस हालत में बाप फ़र्ज़ और अ़सबा होने दोनों को जमा कर लेगा यानी मुक़र्ररा छठा हिस्सा और बतौर बचत का माल। दूसरी सूरत यह है कि सिर्फ़ माँ-बाप ही वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा मिल जायेगा और बाक़ी का तमाम माल बाप को अ़सबा होने की वजह से मिल जायेगा तो गोया दो तिहाई माल उसके हाथ लगेगा, यानी माँ के मुक़ाबले में दोगुना बाप को मिल जायेगा। अब अगर मरने वाली औ़रत का ख़ाविन्द भी है या मरने वाले मर्द की बीवी है, यानी औलाद नहीं माँ-बाप हैं और शौहर है या बीवी तो इस पर सब की सहमति है कि शौहर को आधा और बीवी को चौथाई मिलेगा। फिर उलेमा का इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि माँ को इस सूरत में उसके बाद क्या मिलेगा? तीन क़ौल हैं- एक तो यह कि जो माल बाक़ी रहा उसमें से तीसरा हिस्सा मिलेगा। दोनों सूरतों में यानी चाहे औ़रत शौहर को छोड़कर मरी हो चाहे मर्द औ़रत को छोड़कर मरा हो। इसलिये कि बाक़ी का माल उनके एतिबार से गोया कुल माल है। और माल का हिस्सा बाप से आधा है तो उस बाक़ी के माल से तीसरा हिस्सा यह ले ले और दो तीसरे हिस्से (दो तिहाईयाँ) जो बाक़ी रहे वह बाप ले लेगा। हज़रत उमर रज़ि., हज़रत उस्मान रज़ि. और ज़्यादा सही रिवायत के एतिबार से हज़रत अ़ली रज़ि. का यही फ़ैसला है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. का यही क़ौल है। सातों फ़ुक़हा (मसाईल व अहकाम निकालने वाले उलेमा) और चारों इमामों और जम्हूर उलेमा-ए-किराम का भी यही फ़तवा है।

दूसरा क़ौल यह है कि इन दोनों सूरतों मे भी माँ को तमाम माल का तिहाई मिल जायेगा इसलिये कि आयत आ़म है, शौहर बीवी साथ होने न होने का कोई फ़र्क़ नहीं है। आ़म तौर पर मय्यित को औलाद न होने की सूरत में माँ को तिहाई दिलवाया गया है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का यही क़ौल है। हज़रत अ़ली

रज़ि. और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि. से भी इसी तरह मन्कूल है। हज़रत शुरैह रह. और हज़रत दाऊद ज़ाहिरी भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत अबुल-हुसैन बिन लब्बान बसरी भी अपनी किताब "ईजाज़" में जो इल्मे फ़राईज़ (मीरास के मसाईल) के बारे में है, इसी क़ौल को दुरुस्त क़रार देते हैं। लेकिन यह क़ौल क़ाबिले ग़ौर है, बल्कि ज़्यादा दुरुस्त यह है कि यह क़ौल ज़ईफ़ (कमज़ोर) है। क्योंकि आयत ने उसका यह हिस्सा उस वक़्त मुक़र्रर फ़रमाया है जबकि तमाम माल की विरासत सिर्फ़ माँ-बाप को ही पहुँचती हो, और जबकि शौहर या बीवी है और वे अपने मुक़र्ररा हिस्से के मुस्तहिक़ हैं तो फिर जो बाक़ी रह जायेगा बेशक वह उन दोनों का ही हिस्सा है, तो उसमें से एक तिहाई मिलेगा। तीसरा क़ौल यह है कि अगर मय्यित मर्द है और उसकी बीवी मौजूद है तो सिर्फ़ इस सूरत में तो उसे तमाम माल का चौथाई मिलेगा अगर तमाम माल के बारह हिस्से किये जायें तो तीन हिस्से तो यह लेगी और चार हिस्से माँ को मिलेंगे, बाक़ी बचे पाँच हिस्से वह बाप ले लेगा। लेकिन अगर औरत मरी है और उसका शौहर मौजूद है तो माँ को बाक़ी माल का तीसरा हिस्सा मिलेगा। अगर तमाम माल का तीसरा हिस्सा इस सूरत में माँ को दिलवाया जायेगा तो उसे बाप से भी ज़्यादा पहुँच जाता है। मिसाल के तौर पर मय्यित के माल के छह हिस्से किये, तीन तो शौहर ले गया, दो माँ ले गयी तो बाप के पल्ले एक ही पड़ेगा जो माँ से भी थोड़ा है। इसलिये इस सूरत में छह में से तीन तो शौहर को दिये जायेंगे और एक माँ को और दो बाप को। अ़ल्लामा इब्ने सीरीन रह. का भी यही क़ौल है। यूँ समझना चाहिये कि यह क़ौल दो क़ौलों का मजमूआ है। ज़ईफ़ यह भी है और सही क़ौल पहला ही है। वल्लाहु आलम।

माँ-बाप के अहवाल में से तीसरा हाल यह है कि वे भाईयों के साथ हों, चाहे वे सगे भाई हों या फिर बाप की तरफ़ से या सिर्फ़ माँ की तरफ़ से, तो वे बाप के होते हुए अपने भाई के वरसे (मीरास के माल) में से कुछ न पायेंगे, लेकिन हाँ माँ को तिहाई से हटाकर छठा हिस्सा दिलवायेंगे, और अगर कोई और वारिस ही न हो और सिर्फ़ माँ के साथ बाप ही हो तो बाक़ी तमाम माल बाप ले लेगा। दो भाई भी हुक्म में बहुत से भाईयों के हैं, जम्हूर का यही क़ौल है। हाँ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि आपने एक मर्तबा हज़रत उस्मान रज़ि. से कहा- दो भाई माँ को तिहाई से हटाकर छठे हिस्से तक नहीं ले जाते। क़ुरआन में 'इख़्वतुन' जमा (बहुवचन) का लफ़्ज़ है, दो भाई अगर मुराद होते तो 'अख़वान' कहा जाता। हज़रत उस्मान रज़ि. ने जवाब दिया कि पहले ही से यह चला आता है और हर तरफ़ यह मसला इसी तरह पहुँचा हुआ है, तमाम लोग इसके क़ायल हैं, मैं इसे नहीं बदल सकता। अव्वलन तो यह साबित ही नहीं। इसके रावी हज़रत शोबा रज़ि. के बारे में इमाम मालिक रह. की जिरह (कलाम और बहस) मौजूद है। फिर यह क़ौल इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का न होने की दूसरी दलील यह है कि ख़ुद हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के ख़ास साथी और बड़े शागिर्द भी इसके ख़िलाफ़ हैं। हज़रत ज़ैद रह. फ़रमाते हैं कि दो को भी 'इख़्वतुन्' कहा जाता है।

हज़रत सईद बिन क़तादा रह. से भी इसी तरह मन्क़ूल है। हाँ मय्यित का अगर एक ही भाई हो तो माँ को तीसरे हिस्से से हटा नहीं सकता। उलेमा-ए-किराम का फ़रमान है कि इसमें हिक्मत यह है कि मय्यित के भाईयों की शादियों का और खाने-पीने वग़ैरह का तमाम ख़र्च बाप के ज़िम्मे है न कि माँ के ज़िम्मे। इसलिये अ़क़्ल का तक़ाज़ा यही था कि बाप को ज़्यादा दिया जाये। यह स्पष्टता और तौजीह बहुत ही उम्दा है। लेकिन हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से सही सनद से मन्क़ूल है कि यह छठा जो माँ का कम हो गया उन्हें दे दिया जाये। यह क़ौल शाज़ है (यानी ज़्यादा मशहूर नहीं)। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. का यह क़ौल तमाम उम्मत के ख़िलाफ़ है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि कलाला उसे

कहते हैं जिसका बेटा और बाप न हो।

फिर फ़रमाया वसीयत और क़र्ज़ के बाद मीरास की तक़सीम होगी। पहले और बाद के तमाम उलेमा का इजमा (सहमति) है कि क़र्ज़े वसीयत पर मुक़द्दम हैं और आयत के मज़मून को भी अगर ग़ौर से देखा जाये तो यही मालूम होता है। तिर्मिज़ी वग़ैरह में है, हज़रत अ़ली इब्ने अबी तालिब रज़ि. फ़रमाते हैं कि तुम क़ुरआन में वसीयत का हुक्म पहले पढ़ते हो और क़र्ज़ का बाद में। लेकिन याद रखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़र्ज़ पहले अदा कर दिया है फिर वसीयत जारी की है। एक माँ-शरीक भाई आपस में वारिस होंगे बग़ैर अ़ल्लाती भाईयों के (अ़ल्लाती वह भाई-बहन होते हैं जिनकी माँ अलग-अलग हो)। आदमी अपने सगे भाई का वारिस होगा न कि उसका जिसकी माँ दूसरी हो। यह हदीस सिर्फ़ हज़रत हारिस से रिवायत है और उन पर बाज़ मुहद्दिसीन ने जिरह की है। लेकिन यह मीरास के मसाईल के हाफ़िज़ थे। इस इल्म में इनको ख़ास दिलचस्पी और महारत थी और हिसाब के भी बड़े माहिर थे। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि हमने बाप बेटों को असल मीरास में अपना-अपना मुक़र्ररा हिस्सा लेने वाला बनाया और जाहिलीयत (इस्लाम से पहले के ज़माने) की रस्म हटा दी, बल्कि इस्लाम में भी पहले जो यह हुक्म थे कि माल औलाद को मिल जाया करता था, माँ-बाप को सिर्फ़ बतौर वसीयत के मिलता था, जैसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से पहले बयान हो चुका, यह मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) करके अब यह हुक्म हुआ। तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हें बाप से ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा या औलाद नफ़ा देगी। उम्मीद दोनों से नफ़े की है, यक़ीन किसी पर भी दूसरे से ज़्यादा नहीं। मुम्किन है बाप से ज़्यादा बेटा काम आये और नफ़ा पहुँचाये और बमुम्किन है बेटे से ज़्यादा बाप से नफ़ा पहुँचे और वह काम आये।

फिर फ़रमाता है कि ये मुक़र्ररा हिस्से और मीरास के ये अहकाम ख़ुदा की तरफ़ से फ़र्ज़ हैं। इसमें किसी कमी-बेशी की किसी उम्मीद या किसी ख़ौफ़ से गुंजाईश नहीं, न किसी को मेहरूम कर देना जायज़ है न किसी को ज़्यादा दिलवा देना। ख़ुदा तआ़ला सब कुछ जानने वाला और हलीम है, जो जिसका मुस्तहिक़ है उसे उतना दिलवा देता है। हर चीज़ की जगह को वह अच्छी तरह जानता है। तुम्हारे नफ़े नुक़सान का उसे पूरा इल्म है। उसका कोई काम और कोई हुक्म हिक्मत से ख़ाली नहीं। तुम्हें चाहिये कि उसके अहकाम और उसके फ़रमान मानते चले जाओ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ

और तुमको आधा मिलेगा उस तर्के का जो तुम्हारी बीवियाँ छोड़ जाएँ अगर उनके कुछ औलाद न हो। और अगर उनके कुछ औलाद हो तो तुमको उनके तर्के से एक चौथाई मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि वे उसकी वसीयत कर जाएँ या क़र्ज़ के बाद। और उन बीवियों को चौथाई मिलेगा उस तर्के का जिसको तुम छोड़ जाओ अगर तुम्हारे कुछ औलाद न हो, और अगर तुम्हारे कुछ औलाद हो तो उनको तुम्हारे तर्के से आठवाँ हिस्सा मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि तुम उसकी वसीयत कर

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّ لَهٗٓ اَخٌ اَوْاُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۙ

जाओ या क़र्ज़ के बाद। और अगर कोई मय्यित जिसकी मीरास दूसरों को मिलेगी, चाहे वह मय्यित मर्द हो या औ़रत, ऐसी हो जिसके न उसूल हों न फ़ुरू, "यानी न बाप-दादा की जानिब से कोई हो और न औलाद की जानिब से कोई हो" और उसके एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। फिर अगर ये लोग इससे ज़्यादा हों तो वे सब तिहाई में शरीक होंगे वसीयत निकालने के बाद जिसकी वसीयत कर दी जाए या क़र्ज़ के बाद, शर्त यह है कि किसी को नुक़सान न पहुँचाए, यह हुक्म किया गया है ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से। और अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले हैं, हलीम हैं। (12)

मीरास व वसीयत के कुछ और मसाईल

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ मर्दो! तुम्हारी औ़रतें जो (माल-जायदाद) छोड़ मरें अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से आधों-आध तुम्हारा है, और अगर उनके बाल-बच्चे हों तो तुम्हें चौथाई मिलेगा वसीयत और क़र्ज़ के बाद। तरतीब इस तरह है कि पहले क़र्ज़ अदा किया जाये, फिर वसीयत पूरी की जाये फिर वरसा (मीरास) तक़सीम हो। यह ऐसा मसला है जिस पर तमाम उलेमा-ए-उम्मत का इजमा (सर्वसम्मति) है। पोते भी इस मसले में हुक्म में बेटों के हैं बल्कि उनकी औलाद और औलाद का भी यही हुक्म है, उनकी मौजूदगी में शौहर को चौथाई मिलेगा। फिर औ़रतों का हिस्सा बताया कि उन्हें या तो चौथाई मिलेगा या आठवाँ हिस्सा। चौथाई तो इस हालत में कि फ़ौत होने (मरने) वाले शौहर की औलाद न हो, और आठवाँ हिस्सा इस हालत में कि औलाद हो। इस चौथाई या आठवें हिस्से में मरने वाले की सब बीवियाँ शामिल हैं। चार हों तो उनमें यह हिस्सा बराबर तक़सीम हो जायेगा, तीन या दो हों तब भी, और अगर एक हो तो उसी का यह हिस्सा है "मिम्बअ़दि वसिय्यतिन्" (वसीयत निकालने के बाद) की तफ़सीर इससे पहली आयत में गुज़र चुकी है।

'कलाला' की तहक़ीक़ और अहकाम

'कलाला' निकला है 'अकलील' से। 'अकलील' कहते हैं उस ताज वग़ैरह को जो सर को हर तरफ़ से घेर ले। यहाँ मुराद यह है कि उसके वारिस इर्द-गिर्द के हाशिये के लोग हैं। असल और फ़रअ़ यानी जड़ या शाख़ नहीं। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. से कलाला के मायने पूछे गये तो आपने फ़रमाया- मैं अपनी राय से जवाब देता हूँ। अगर ठीक हो तो ख़ुदा की तरफ़ से है और अगर ग़लत हो तो मेरी और शैतान की तरफ़ से है, और ख़ुदा और उसका रसूल इससे बरी हैं। 'कलाला' वह है जिसका न लड़का हो न बाप। हज़रत

उमर फ़ारूक़ रज़ि. जब ख़लीफ़ा हुए तो आपने भी इससे मुवाफ़क़त की और फ़रमाया- मुझे अबू बक्र की राय के ख़िलाफ़ करते हुए शर्म आती है। (इब्ने जरीर वग़ैरह)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल. का सबसे आख़िरी ज़माना पाने वाला मैं हूँ। मैंने आपसे सुना फ़रमाते थे, बात वही है जो मैंने कही। ठीक और सही यही है कि 'कलाला' उसे कहते हैं जिसका न बाप हो न माँ। हज़रत अ़ली, इब्ने मसऊद, इब्ने अ़ब्बास, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, इमाम नख़ई, क़तादा, हसन, जाबिर बिन ज़ैद, हकम रह. भी यही फ़रमाते हैं। मदीना, कूफ़ा और बसरे वालों का भी यही क़ौल है। सातों फ़ुक़हा, चारों इमाम और पहले व बाद के जम्हूर उलेमा बल्कि तमाम यही फ़रमाते हैं। बहुत से बुज़ुर्गों ने इस पर इजमा (सब की सहमति) नक़ल किया है। और एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी यही आया है। इब्ने लब्बान फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह भी रिवायत है कि 'कलाला' वह है जिसकी औलाद न हो, लेकिन सही पहला ही है और मुम्किन है कि रावी ने मुराद समझी ही न हो। फिर फ़रमाया कि उसका भाई या बहन हो, यानी माँ-शरीक। जैसे कि सअ़द बिन वक़्क़ास वग़ैरह बाज़ बुज़ुर्गों की क़िराअत है। हज़रत सिद्दीक़ रज़ि. से भी यही तफ़सीर मन्क़ूल है तो उनमें से हर एक के लिये छठा हिस्सा है। अगर ज़्यादा हों तो एक तिहाई में सब शरीक हैं। माँ-शरीक भाई बाक़ी वारिसों से कई वजह से मुख़्तलिफ़ (अलग और भिन्न) हैं। एक तो यह कि बावजूद अपने वरसा के दिलाने वाले के भी वारिस होते हैं। जैसे माँ। दूसरे यह कि उनके मर्द व औ़रत यानी बहन-भाई मीरास में बराबर हैं। तीसरे यह कि ये उसी वक़्त वारिस होते हैं जबकि मय्यित 'कलाला' हो। पस बाप, दादा, बेटे, बेटे के बेटे की मौजूदगी में ये वारिस नहीं होते। चौथे यह कि उन्हें तिहाई से ज़्यादा नहीं मिलता अगरचे ये कितने ही हों, मर्द हों या औ़रत। हज़रत उमर रज़ि. का फ़ैसला है कि माँ-शरीक बहन-भाई का वरसा (मीरास का माल) आपस में इस तरह बटेगा कि मर्द के लिये दोहरा और औ़रत के लिये इकहरा।

इमाम ज़ोहरी रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ि. ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना न हो। आयत में इतना तो साफ़ है कि अगर इससे ज़्यादा हों तो तिहाई में शरीक हैं। इस सूरत में उलेमा का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि अगर मय्यित के वारिसों में शौहर और माँ हो या दादी हो और दो माँ-शरीक भाई हों और एक या एक से ज़्यादा बाप की तरफ़ से भाई हों तो जमहूर कहते हैं कि इस सूरत में शौहर को आधा मिलेगा और माँ या दादी को छठा हिस्सा मिलेगा, और माँ-शरीक भाईयों को तिहाई मिलेगा और उसी में सगे भाई भी शामिल होंगे जो माँ शरीक भाई है। अमीरुल् मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. के ज़माने में एक ऐसी ही सूरत पेश आयी थी तो आपने शौहर को आधा दिलवाया और तिहाई माँ-शरीक भाई को दिलवाया तो सगे भाईयों ने भी अपने आपको पेश किया, आपने फ़रमाया तुम उनके साथ शरीक हो। हज़रत उस्मान रज़ि. से भी इस तरह शरीक कर देना रिवायत है और दो रिवायतों में से एक रिवायत ऐसी इब्ने मसऊद, ज़ैद बिन साबित और इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है। हज़रत सईद बिन मुसैयब, क़ाज़ी शुरैह, मसरूक़, ताऊस, मुहम्मद बिन सीरीन, इब्राहीम नख़ई, उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़, सुफ़ियान सौरी और शुरैक रह. का क़ौल भी यही है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम इस्हाक़ बिन राहवैह रह. भी इसी तरफ़ गये हैं। हाँ हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु इनमें शिर्कत के क़ायल न थे बल्कि आप औलाद को इस हालत में तिहाई दिलवाते थे और एक माँ-बाप की औलाद को कुछ नहीं दिलाते थे, इसलिये कि ये अ़सबा हैं और अ़सबा उस वक़्त पाते हैं जब ज़विल-फ़ुरूज़ से बच जाये। बल्कि इमाम वकीअ़ बिन जर्राह कहते हैं कि हज़रत अ़ली रज़ि. से इसके ख़िलाफ़ रिवायत ही

नहीं। हज़रत उबई बिन कअ़ब और हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ि. का क़ौल भी यही है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी मशहूर यही है। इमाम शअ़बी बिन अबी लैला, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद बिन हसन, इमाम हसन बिन ज़ियाद, इमाम ज़ुफ़र बिन हुज़ैल, इमाम अहमद, यहया बिन आदम, नईम बिन हम्माद, अबू सौर, दाऊद बिन ज़ाहिरी रह. भी इसी तरफ़ गये हैं। अबुल-हुसैन बिन लब्बान फ़रज़ी ने भी इसी को इख़्तियार किया है। देखिये उनकी किताब ''अल ईजाज़''।

फिर फ़रमाया यह वसीयत जारी करने के बाद है। वसीयत ऐसी हो जिसमें इन्साफ़ के ख़िलाफ़ न हो। किसी को ज़रर और नुक़सान न पहुँचाया गया हो। न किसी पर ज़ुल्म व ज़्यादती किया गया हो, किसी वारिस का हिस्सा न मारा गया हो, न कम ज़्यादा किया गया हो। इसके ख़िलाफ़ वसीयत करने वाला और ऐसी ख़िलाफ़े शरीअ़त वसीयत में कोशिश करने वाला ख़ुदा के हुक्म और उसके क़ानून में उसके ख़िलाफ़ करने वाला और उससे लड़ने वाला है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं- वसीयत में किसी को ज़रर व नुक़सान पहुँचाना कबीरा (बड़ा) गुनाह है। (इब्ने अबी हातिम) नसाई में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल भी इसी तरह मरवी हैं। बाज़ रिवायतों में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इस फ़रमान के बाद आयत के इस टुकड़े की तिलावत करना भी नक़ल किया गया है। इमाम इब्ने जरीर के क़ौल के मुताबिक़ ठीक बात यही है कि यह मरफ़ूअ़ हदीस नहीं, मौक़ूफ़ क़ौल है। इमामों का इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि मय्यित वारिस के लिये जो इक़रार कर जाये आया वह सही है या नहीं? बाज़ तो कहते हैं कि सही नहीं है, इसलिये कि इसमें तोहमत लगने की गुंजाईश है। हदीस शरीफ़ में सही सनद से आ चुका है कि अल्लाह तआ़ला ने हर हक़दार को उसका हक़ पहुँचा दिया है। अब वारिस के लिये कोई वसीयत नहीं। इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा रह. का क़ौल यही है। इमाम शाफ़ई रह. का भी पहला क़ौल यही था लेकिन आख़िरी क़ौल यह है कि इक़रार करना सही माना जायेगा। इमाम ताऊस, अ़ता, हसन बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. का क़ौल भी यही है। हज़रत इमाम बुख़ारी रह. भी इसी को पसन्द करते हैं और अपनी किताब सही बुख़ारी शरीफ़ में इसी को तरजीह देते हैं। उनकी दलील एक यह रिवायत भी है कि हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़ुदैज रज़ि. ने वसीयत की कि फ़ज़ारिया ने जिस चीज़ पर अपने दरवाज़े बन्द कर रखे हों वह न खोल जायें।

हज़रत इमाम बुख़ारी रह. ने फिर फ़रमाया है कि बाज़ लोग कहते हैं कि उसका यह इक़रार जायज़ नहीं, वारिसों के साथ बदगुमानी के सबब से, लेकिन मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तो फ़रमाया है कि बदगुमानी से बचो, बदगुमानी तो सबसे ज़्यादा झूठ है। क़ुरआन करीम में फ़रमाने ख़ुदा मौजूद है कि ख़ुदा तआ़ला तुम्हें हुक्म देता है कि जिसकी जो अमानत हो वह उसे पहुँचा दो। इसमें वारिस ग़ैर-वारिस की कोई तख़्सीस नहीं। यह याद रहे कि यह इख़्तिलाफ़ (मतभेद) उस वक़्त है कि जब इक़रार वास्तव में सही हो और हालात के मुताबिक़ हो, और अगर सिर्फ़ बहाने बाज़ी और चालाकी हो, और बाज़ वारिसों को ज़्यादा देने और बाज़ों को कम पहुँचाने के लिये एक बहाना बनाया हो, तो सब के नज़दीक उसे पूरा करना हराम है, और इस आयत के साफ़ अलफ़ाज़ भी उसके हराम होने का फ़तवा देते हैं। फिर फ़रमाया कि ये ख़ुदा तआ़ला के दिये हुए अहकाम हैं जो हर चीज़ का जानने वाला और हिल्म (बरदाश्त) वाला है।

नोटः मीरास के मसाईल बड़े नाज़ुक और उलझे हुए हैं जो हर आदमी की समझ में सिर्फ़ पढ़ने से नहीं आ सकते। बहुत सी बार अच्छे-अच्छे आ़लिम इस गुत्थी में उलझ जाते हैं। इसलिये जब कोई ऐसा मौक़ा आये तो सिर्फ़ किताबों के पढ़ने और उससे फ़ैसला कर लेने को काफ़ी न समझा जाये बल्कि किसी माहिर आ़लिम मुफ़्ती से संपर्क करके मसाईल मालूम कर लिये जायें। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۗ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○	ये सब अहकाम जो ज़िक्र हुए ख़ुदावन्दी ज़ाबते हैं, और जो शख़्स अल्लाह और रसूल की पूरी इताअ़त करेगा अल्लाह तआ़ला उसको ऐसी जन्नतों में दाख़िल कर देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, हमेशा-हमेशा उनमें रहेंगे, और यह बड़ी कामयाबी है। (13) और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला और रसूल का कहना न मानेगा और बिल्कुल ही उसके ज़ाबतों से निकल जाएगा उसको आग में दाख़िल कर देंगे, इस तरह से कि वह उसमें हमेशा-हमेशा रहेगा और उसको ऐसी सज़ा होगी जिसमें ज़िल्लत भी है। (14)

अल्लाह के ज़ाबतों और नियमों को तोड़ने की सज़ा

और जो शख़्स अल्लाह की और उसके रसूल की नाफ़रमानी करे और उसकी मुक़र्रर की हुई हदों (सीमाओं और क़ानून) से आगे निकल जाये, उसे वह जहन्नम में डाल देगा जिसमें वह हमेशा रहेगा। ऐसों के लिये अपमान भरा अ़ज़ाब है। यानी ये फ़राईज़ (मीरास के मसाईल) और ये मात्रा (हिस्से) जिसे अल्लाह तआ़ला ने मुक़र्रर की है और मय्यित के वारिसों को उनकी रिश्तेदारी की नज़दीकी और उनकी ज़रूरत के मुताबिक़ जितना हिस्सा जिसे दिलवाया है, यह सब ख़ुदा तआ़ला के क़ायम की हुई हदें (सीमायें) हैं, तुम इन हदों को न तोड़ो, न इनसे आगे बढ़ो। जो शख़्स अल्लाह के इन अहकाम को मान ले, कोई उज़्र व तावील करके किसी वारिस को कम व ज़्यादा दिलवाने की कोशिश न करे, अल्लाह के हुक्म और उसके फ़रीज़े को ज्यों का त्यों बजा लाये, ख़ुदा का वायदा है कि वह उसे हमेशगी वाली, जारी पानी वाली नहरों की जन्नत में दाख़िल करेगा। यह कामयाब, नसीबे वाला, मक़सद को पहुँचने वाला और मुराद को पाने वाला है। और जो ख़ुदा के किसी हुक्म को बदल दे, किसी वारिस के वरसे (मीरास के हिस्से) को कम व ज़्यादा कर दे, अल्लाह की रज़ा को पेशे नज़र न रखे बल्कि उसके हुक्म को रद्द कर दे और उसके ख़िलाफ़ अ़मल करे, तो समझा जायेगा कि वह ख़ुदा की तक़सीम को अच्छी नज़र से नहीं देखता और उसके हुक्म को ठीक नहीं समझता, तो ऐसा शख़्स हमेशगी वाले रुस्वाई और तौहीन वाले दर्दनाक और हैबतनाक अ़ज़ाब में मुब्तला रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि एक शख़्स सत्तर साल तक नेक अ़मल करता रहता है, फिर वसीयत के वक़्त ज़ुल्म करता है, उसका ख़ात्मा बुरे अ़मल पर होता है और वह जहन्नमी बन जाता है। और एक शख़्स सत्तर साल तक बुराई का अ़मल करता रहता है, फिर अपनी वसीयत में अ़दल व

इन्साफ़ करता है और ख़ात्मा उसका बेहतर हो जाता है तो जन्नत में दाख़िल हो जाता है। फिर इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि इस आयत को पढ़ लोः

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ.............عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

(यानी यही पिछली दो आयतें जिनकी यह तफ़सीर बयान हो रही है) सुनन अबी दाऊद के "बाबुल् इज़रार फ़िल-वसिय्यति" में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि एक मर्द या औ़रत अल्लाह तआ़ला की इताअ़त में साठ साल तक लगे रहते हैं, फिर मौत के वक़्त वसीयत में ज़रर व नुक़सान पहुँचा जाते हैं (यानी अपने माल को शरीअ़त के मुताबिक़ तक़सीम नहीं करते, किसी को कम देते हैं और किसी को ज़्यादा), तो उनके लिये जहन्नम वाजिब हो जाती है। फिर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने यही आयतें (जिनकी तफ़सीर बयान हो रही है) "मिम्बअ़दि वसिय्यतिन् से आख़िर आयत तक" पढ़ीं। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में भी यह हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन ग़रीब कहते हैं। मुस्नद अहमद में यह हदीस तफ़सील से मुकम्मल मौजूद है।

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا ○ وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ○

और जो औ़रतें बेहयाई का काम करें तुम्हारी बीवियों में से, सो तुम लोग उन औ़रतों पर चार आदमी अपनों में से गवाह कर लो, सो अगर वे गवाही दे दें तो तुम उनको घरों के अन्दर रोक कर रखो यहाँ तक कि मौत उनका ख़ात्मा कर दे या अल्लाह तआ़ला उनके लिए कोई और राह तजवीज़ फ़रमा दें। (15) और जो दो शख़्स भी बेहयाई का काम करें तुममें से तो उन दोनों को तकलीफ़ पहुँचाओ, फिर अगर वे दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उन दोनों से कुछ तअ़र्रुज़ "यानी रोक-टोक" न करो, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला तौबा क़ुबूल करने वाले हैं, रहमत करने वाले हैं। (16)

औ़रतों से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम

इस्लाम के शुरू ज़माने में यह हुक्म था कि जब आ़दिल (मोतबर) गवाहों की सच्ची गवाही से किसी औ़रत की बदकारी साबित हो जाये तो उसे घर से बाहर न निकलने दिया जाये, घर ही में क़ैद कर दिया जाये। यह हमेशा के लिये क़ैद हो, यानी मौत से पहले उसे न छोड़ा जाये। इसका बयान फ़रमाकर फ़रमाता है कि हाँ यह और बात है कि ख़ुदा उनके लिये कोई और राह बता दे। फिर जब दूसरी सूरत की सज़ा तजवीज़ हुई तो वह नासिख़ (पहले हुक्म को ख़त्म करने वाली) ठहरी और यह हुक्म हट गया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब तक सूरः नूर की आयत न उतरी ज़िनाकार औ़रत का यही हुक्म रहा। फिर इस आयत में शादीशुदा को रजम करने यानी पत्थर मार कर मार डालने वाले, बिना शादीशुदा को कोड़े

मारने का हुक्म उतरा। हज़रत इक्रिमा, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत हसन, हज़रत अता ख़ुरासानी, हज़रत अबू सालेह, हज़रत क़तादा, हज़रत ज़ैद बिन असलम, हज़रत ज़ह्हाक रह. का भी यही क़ौल है कि यह आयत मन्सूख़ है (यानी अब यह हुक्म बाक़ी नहीं रहा) और इस बात पर सब का इत्तिफ़ाक़ है। हज़रत क़तादा बिन सामित रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब 'वही' उतरती तो आप पर उसका बड़ा असर पड़ता, तकलीफ़ महसूस होती और चेहरे का रंग बदल जाता, पस अल्लाह तआ़ला ने एक दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही नाज़िल फ़रमाई। जब वह हट गयी तो आपने फ़रमाया मेरी यह बात ले लो, अल्लाह तआ़ला ने उनके लिये रास्ता निकाल दिया है, अगर शादी-शुदा औरत और शादी-शुदा मर्द हो तो एक सौ कोड़े, फिर पत्थरों से मार डालना और बग़ैर शादी-शुदा हों तो सौ कोड़े और एक साल की जिला-वतनी यानी देस-निकाला। (मुस्लिम वग़ैरह)

तिर्मिज़ी वग़ैरह में भी यह हदीस अलफ़ाज़ के आंशिक इख़्तिलाफ़ के साथ मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन सही कहते हैं। इसी तरह अबू दाऊद में भी है। इब्ने मर्दूया की ग़रीब हदीस में कुँवारे और शादी हुए के इस हुक्म के साथ ही यह भी है कि दोनों अगर बूढ़े हों तो उन्हें रजम कर दिया जाये। लेकिन यह हदीस ग़रीब है। तबरानी में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सूरः निसा के उतरने के बाद अब रोके रखने का हुक्म नहीं रहा। इमाम अहमद रह. का मज़हब इस हदीस के मुताबिक़ यही है कि ज़ानी (ज़िना करने वाले) शादी-शुदा को कोड़े भी लगाये जायें और रजम भी किया जायेगा और जमहूर कहते हैं कि कोड़े नहीं लगेंगे, सिर्फ़ रजम किया जायेगा, इसलिये कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत माइ़ज़ रज़ि. और ग़ामिदिया औरत को रजम किया लेकिन कोड़े नहीं मारे, इसी तरह दो यहूदियों को भी आपने रजम का हुक्म दिया और रजम से पहले उन्हें भी कोड़े नहीं लगवाये। पस जमहूर के इस क़ौल के मुताबिक़ मालूम हुआ कि उन्हें कोड़े लगाने का हुक्म मन्सूख़ है, ज़रूरी नहीं। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाया कि इस बेहयाई के काम को दो मर्द अगर आपस में करें (यानी मर्द मर्द के साथ अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करे, बदफ़ेली करे) तो उन्हें तकलीफ़ पहुँचाओ। यानी बुरा-भला कहकर शर्म व ग़ैरत दिलाकर जूतियाँ लगाकर। यह हुक्म भी इसी तरह पर रहा यहाँ तक कि इसे भी अल्लाह तआ़ला ने कोड़े और रजम से मन्सूख़ फ़रमाया (यानी बाद में इस पर भी कोड़े और रजम का हुक्म लागू हो गया)। हज़रत इक्रिमा, अ़ता, हसन, अ़ब्दुल्लाह बिन कसीर फ़रमाते हैं कि इससे मुराद भी मर्द औरत हैं। इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि मुराद वे नौजवान हैं जो शादी-शुदा न हों। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं लवातत (मर्द के साथ बदफ़ेली) के बारे में यह आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जिसे तुम लूती का फ़ेल करते देखो उसे और दूसरे को (यानी जिसके साथ यह बुरा काम किया जाये) दोनों को क़त्ल कर डालो। अगर ये दोनों बाज़ आ जायें, अपनी बदकारी से तौबा करें, अपने आमाल की इस्लाह (सुधार) कर लें और ठीक-ठाक हो जायें तो अब उनके साथ सख़्त-कलामी और बुरा-भला कहने से पेश न आओ। इसलिये कि गुनाह से तौबा कर लेने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही न हो। अल्लाह तआ़ला तौबा क़बूल करने वाला और बुर्दबारी करने वाला है। सहीहैन में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अगर किसी की बाँदी बदकारी करे तो उसका मालिक उसे हद लगा दे और डाँट-डपट न करे, यानी हद लग जाने के बाद फिर उसे न डाँटे, क्योंकि हद कफ़्फ़ारा (बदला और उसको मिटाने वाला) है।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

तौबा जिसका क़बूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है वह तो उन्हीं की है जो हिमाक़त से कोई गुनाह कर बैठते हैं, फिर क़रीब ही वक़्त में तौबा कर लेते हैं, सो ऐसों पर तो ख़ुदा तआ़ला तवज्जोह फ़रमाते हैं, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले हैं, हिक्मत वाले हैं। (17) और ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो गुनाह करते रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूँ, और न उन लोगों की जिनको कुफ़्र की हालत पर मौत आ जाती है। उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। (18)

तौबा की सीमायें

मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़रमाता है, जो ना-वाक़फ़ियत की वजह से (अनजाने में) कोई बुरा काम कर बैठें फिर तौबा कर लें। लेकिन तौबा मौत के फ़रिश्ते को देख लेने के बाद ग़रग़रे से पहले होनी चाहिये। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि जो भी जान-बूझकर या ग़लती से अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी करे वह जाहिल है, जब तक कि उससे बाज़ न आ जाये। अबुल-आ़लिया रह. फ़रमाते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम फ़रमाया करते थे कि बन्दा जो गुनाह करे वह जहालत है (यानी यह एक मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है कि उसे अल्लाह का ध्यान भी हो, इल्म भी हो और फिर भी गुनाह किये चला जाये, नहीं! मुसलमान से गुनाह ग़फ़लत और नाजानकारी ही में हो सकता है)।

हज़रत क़तादा रह. भी सहाबा के एक मजमे से इस तरह की रिवायत करते हैं। अ़ता रह. और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी इसी तरह रिवायत है। जल्दी तौबा कर लेने की तफ़सीर में रिवायत है कि मौत के फ़रिश्ते को देख लेने से पहले मौत की कैफ़ियत को क़रीब कहा गया है। अपनी सेहत में तौबा कर लेनी चाहिये। ग़रग़रे के वक़्त से पहले की तौबा क़बूल है। हज़रत इक्रिमा रज़ि. फ़रमाते हैं- दुनिया तमाम की तमाम क़रीब ही है। इसके मुताल्लिक़ हदीसें सुनिये।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़रमाता है जब तक ग़रग़रा शुरू न हो। (तिर्मिज़ी) जो भी मोमिन बन्दा अपनी मौत से महीने भर पहले तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह तआ़ला क़बूल फ़रमा लेता है, यहाँ तक कि उसके बाद भी बल्कि मौत से एक दिन पहले भी जो भी इख़्लास और सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ़ झुके अल्लाह तआ़ला उसे

क़बूल फ़रमाता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं- जो अपनी मौत से एक साल पहले तौबा करे अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमाता है और जो महीने भर पहले तौबा करे अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा भी क़बूल फ़रमाता है और जो हफ़्ता भर पहले करे अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा भी क़बूल फ़रमाता है, और जो एक दिन पहले तौबा करे अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा भी क़बूल फ़रमाता है। यह सुनकर हज़रत अय्यूब ने यह आयत पढ़ी तो आपने फ़रमाया- मैं वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है।

मुस्नद अहमद में है कि चार सहाबी रज़ि. जमा हुए। उनमें से एक ने कहा- मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख़्स अपनी मौत से एक दिन पहले भी तौबा कर ले अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमाता है। दूसरे ने पूछा क्या तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है? उसने कहा हाँ। दूसरे ने कहा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि अगर आधा दिन पहले भी तौबा कर ले तो भी अल्लाह तआ़ला क़बूल फ़रमाता है। तीसरे ने कहा तुमने यह सुना है? कहा हाँ मैंने ख़ुद सुना है कि अगर एक पहर पहले तौबा नसीब हो जाये तो वह भी क़बूल होती है। चौथे ने कहा तुमने यह सुना है? उसने कहा हाँ। कहा मैंने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यहाँ तक सुना है कि जब तक उसके नरख़रे में रूह न आ जाये तौबा के दरवाज़े उसके लिये खुले रहते हैं। इब्ने मर्दूया में मौजूद है कि जब तक ग़रग़रा (सीने में साँस आ जाने के बाद ग़र-ग़र की आवाज़, यानी बिल्कुल आख़िरी वक़्त) शुरू न हो तब तक तौबा क़बूल होती है। कई एक मुर्सल हदीसों में भी यह मज़मून है।

हज़रत अबू क़िलाबा रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने जब इब्लीस पर लानत नाज़िल फ़रमाई तो उसने मोहलत तलब की और कहा तेरी इ़ज़्ज़त और तेरे जलाल की क़सम कि इब्ने आदम के जिस्म में जब तक रूह रहेगी उसके दिल से न निकलूँगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया मुझे अपनी इ़ज़्ज़त और अपने जलाल की क़सम कि मैं भी जब तक उसमें रूह रहेगी उसकी तौबा क़बूल करूँगा। एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी इसके क़रीब-क़रीब मौजूद है। पस इन तमाम हदीसों से मालूम होता है कि जब तक बन्दा ज़िन्दा है और उसे अपनी हयात व ज़िन्दगी की उम्मीद है तब भी वह ख़ुदा की तरफ़ झुके तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमाता है और उस पर रुजू करता है। अल्लाह तआ़ला अ़लीम व हकीम है। हाँ जब ज़िन्दगी से मायूस हो जाये, फ़रिश्तों को देख ले और रूह बदन से निकलकर हलक़ तक पहुँच जाये, सीने में घुटने लगे, हलक़ में अटके, ग़रग़रा शुरू हो तो उसकी तौबा क़बूल नहीं होती, इसी लिये उसके बाद फ़रमाया कि मरते दम तक जो गुनाहों पर अड़ा रहे और मौत देखकर कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ तो ऐसे शख़्स की तौबा क़बूल नहीं होती। जैसे एक और जगह है:

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ............الخ

(दो आयतों तक) मतलब यह है कि हमारे अ़ज़ाबों का मुआ़यना कर लेने के बाद ईमान का इक़रार करना नफ़ा नहीं देता। एक और जगह है:

يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ.......... الخ.

मतलब यह है कि जब मख़्लूक़ सूरज को मग़रिब (पश्चिम) की तरफ़ से चढ़ते हुए देख लेगी उस वक़्त जो ईमान लाये या नेक अ़मल करे उसे न उसका अ़मल नफ़ा देगा न उसका ईमान।

फिर फ़रमाता है कि कुफ़्र व शिर्क पर मरने वाले को भी शर्मिन्दगी और तौबा फ़ायदा न देगी, न

फ़िदया और बदला क़बूल किया जायेगा अगरचे ज़मीन भरकर सोना देना चाहे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि यह आयत शिर्क करने वालों के बारे में नाज़िल हुई है। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दे की तौबा क़बूल करता है, उसे बख़्श देता है जब तक पर्दा न पड़ जाये। कहा गया कि पर्दा पड़ने से क्या मतलब है? फ़रमाया शिर्क की हालत में जान निकल जाना। ऐसे लोगों के लिये अल्लाह तआ़ला ने सख़्त दर्दनाक, हमेशा के अ़ज़ाब तैयार कर रखे हैं।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۭ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۭ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

ऐ ईमान वालो! तुमको यह बात हलाल नहीं कि औ़रतों के (माल या जान के) जबूरन मालिक हो जाओ और उन औ़रतों को इस ग़र्ज़ से मुक़ैयद मत करो कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो, मगर यह कि वे औ़रतें कोई खुली नामुनासिब और ग़लत हरकत करें। और उन औ़रतों के साथ ख़ूबी के साथ गुज़रान किया करो। और अगर वे तुमको नापसन्द हों तो मुम्किन है कि तुम एक चीज़ को नापसन्द करो और अल्लाह तआ़ला उसके अन्दर कोई बड़ी ख़ैर रख दे। (19) और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो और तुम उस एक को ढेर का ढेर माल दे चुके हो तो तुम उसमें से कुछ भी मत लो। क्या तुम उसको लेते हो बोहतान रखकर और खुले गुनाह के करने वाले होकर। (20) और तुम उसको कैसे लेते हो हालाँकि तुम आपस में एक-दूसरे से बेहिजाबी के साथ मिल चुके हो, और वे औ़रतें तुमसे एक गाढ़ा इक़रार ले चुकी हैं। (21) और तुम उन औ़रतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप (दादा या नाना) ने निकाह किया हो, मगर जो बात गुज़र गई गुज़र गई। बेशक यह (अ़क़्ल के एतिबार से भी) बड़ी बेहयाई है और बहुत ही नफ़रत की बात है, और (शरअ़न भी) बुरा तरीक़ा है। (22)

औरतों पर ज़बरदस्ती और ज़ुल्म व ज़्यादती की मनाही

सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब कोई शख़्स मर जाता तो उसके वारिस उसकी औ़रत के पूरे हक़दार समझे जाते थे, अगर उनमें से कोई चाहता तो अपने निकाह में ले लेता अगर वे चाहते तो दूसरे किसी के निकाह में दे देते। अगर चाहते तो निकाह ही न करने देते, औ़रत वालों से ज़्यादा हक़दार उस औ़रत के यही समझे जाते थे। जाहिलीयत की इस रस्म के ख़िलाफ़ यह आयत नाज़िल हुई। दूसरी रिवायत में यह भी आया है कि वे लोग उस औ़रत को मजबूर करते कि वह मेहर के हक़ को छोड़ दे या यूँ ही बैठी रहे। यह भी रिवायत है कि उनमें से कोई आकर उस औ़रत का ख़ाविन्द मरते ही उस पर अपना कपड़ा डाल देता, वही उसका मुख़्तार समझा जाता। एक और रिवायत में है कि यह कपड़ा डालने वाला उसे हसीन पाता तो अपने निकाह में ले लेता और अगर वह बदसूरत होती तो उसे यूँ ही रोके रखता, यहाँ तक कि मर जाये। फिर उसके माल का यह वारिस बनता। यह भी रिवायत है कि मरने वाले का कोई दोस्त कपड़ा डाल देता, फिर अगर वह औ़रत कुछ फ़िदया और बदला दे देती तो वह उसे निकाह करने की इजाज़त दे देता वरना यूँ ही मर जाती।

हज़रत ज़ैद बिन असलम रह. फ़रमाते हैं कि मदीना वालों का यह दस्तूर था कि वारिस उस औ़रत का भी वारिस बन जाता था, ये लोग औ़रत के साथ बड़ी बुरी तरह पेश आते थे। यहाँ तक कि तलाक़ देते वक़्त भी शर्त तय कर लेते थे कि जहाँ मैं चाहूँ तेरा निकाह होगा। इस तरह की क़ैद व बन्द से आज़ादगी की फिर यह सूरत होती थी कि वह औ़रत कुछ दे दिलाये। पस अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों को इससे मना फ़रमा दिया। इब्ने मर्दूया में है कि जब अबू क़ैस इब्ने अस्लत का इन्तिक़ाल हुआ तो उनके बेटे ने उनकी बीवी से निकाह करना चाहा जैसे कि जाहिलीयत में यह दस्तूर था। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। हज़रत अ़ता रह. फ़रमाते हैं कि किसी बच्चे की उम्मीद पर उसे लगा देते थे (यानी कह देते कि यह बच्चा जब जवान होगा इससे तेरा निकाह होगा, यह एक तरह से उसे रोके रखना और उस पर ज़बरदस्ती का हक़ जताना था)।

हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि जब कोई मर जाता तो उसका लड़का उसकी बीवी का ज़्यादा हक़दार समझा जाता, अगर चाहता तो ख़ुद अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेता और अगर चाहता दूसरे के निकाह में दे देता। मसलन भाई के भतीजे के या जिसके चाहे। हज़रत इक्रिमा रज़ि. की रिवायत में है कि अबू क़ैस की उस बीवी का नाम कुबैशा था। उसने इस स्थिति की ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दी कि न मुझे ये लोग मेरे शौहर का वरसा (मीरास का हिस्सा) देते हैं न मुझे छोड़ते हैं कि मैं और कहीं अपना निकाह कर लूँ। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। एक रिवायत में है कि कपड़ा डालने की रस्म से पहले ही अगर औ़रत भाग खड़ी हो और अपने मायके आ जाये तो वह छूट जाती थी। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि जो यतीम बच्ची उनकी विलायत (सरपरस्ती और देखभाल) में होती तो ये उसे रोके रखते, इस उम्मीद पर कि जब हमारी बीवी मर जायेगी हम इससे निकाह कर लेंगे या अपने लड़के से इसका निकाह करा देंगे। इन सब अक़्वाल से मालूम हुआ कि इन तमाम सूरतों की मनाही इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने कर दी और औ़रतों की जान इस मुसीबत से छुड़ा दी। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाता है कि औ़रतों के रहने-सहने में उन्हें तंग करके मजबूर न करो कि वे अपना सारा मेहर छोड़ दें या उसमें से कुछ छोड़ दें, या अपने किसी और वाजिबी हक़ से अलग हो जायें। क्योंकि यह उन्हें

सताया और मजबूर किया जा रहा है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि औरत नापसन्द है दिल नहीं मिला, छोड़ना चाहते हैं लेकिन उस सूरत में मेहर वग़ैरह तमाम हुक़ूक़ देने पड़ेंगे, इससे बचने के लिये उसे सताता है, तरह-तरह से तंग करता है ताकि वह खुद अपने हुक़ूक़ छोड़ने पर आमादा हो जाये तो इस सूरत से क़ुरआन पाक ने मुसलमानों को रोक दिया। इब्ने सलमानी रह. फ़रमाते हैं कि इन दोनों आयतों में से पहली आयत जाहिलीयत की रस्म को मिटाने के लिये और दूसरी इस्लाम के एक हुक्म की इस्लाह के लिये नाज़िल हुई। इब्ने मुबारक रह. भी यही फ़रमाते हैं। मगर इस सूरत में कि उनसे खुली बेहयाई का काम सादिर हो जाये, इससे मुराद बक़ौल अक्सर मुफ़स्सिरीन सहाबा व ताबिईन वग़ैरह ज़िनाकारी है, यानी इस सूरत में मेहर लौटा लेना चाहिये और उसे तंग करे ताकि खुला (ले-देकर तलाक़ की नौबत) पर रज़ामन्द हो। जैसे सूरः ब-क़रह की एक आयत में हैः

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا.......... الخ.

यानी तुम्हें हलाल नहीं कि तुम उन्हें दिये हुए में से कुछ भी लो, मगर इस हालत में कि दोनों को खुदा की हदें (क़ानून और सीमायें) क़ायम न रख सकने का ख़ौफ़ हो........। बाज़ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि "खुली ग़लत हरकत" से मुराद शौहर के हुक्म के ख़िलाफ़ करना, उसकी नाफ़रमानी करना, बदज़बानी करना, बद-अख़्लाक़ी करना, निकाह वाले हुक़ूक़ अच्छी तरह अदा न करना वग़ैरह है। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं, ज़िना को और इसको दोनों को शामिल हैं। यानी इन तमाम सूरतों में शौहर के लिये गुंजाईश है कि उसे तंग करे ताकि वह अपना सारा हक़ या थोड़ा हक़ छोड़ दे और फिर यह उसे अलग कर दे। इमाम साहिब का यह फ़रमान बहुत ही मुनासिब है। वल्लाहु आलम।

यह रिवायत भी पहले गुज़र चुकी है कि इस आयत के उतरने का सबब वही जाहिलीयत की रस्म है जिससे खुदा ने मना फ़रमा दिया। इससे मालूम होता है कि यह पूरा बयान जाहिलीयत की रस्म को इस्लाम में से हटा देने के लिये हुआ है। इब्ने ज़ैद रह. फ़रमाते हैं कि मक्का के क़ुरैश में यह बात जारी थी कि किसी शख़्स ने किसी शरीफ़ औरत से निकाह किया और निबाह न हुआ तो यह उसे तलाक़ दे देता था लेकिन यह शर्त कर लेता था कि बग़ैर उसकी इजाज़त के यह दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। इस बात पर गवाह मुक़र्रर हो जाते और इक़रार नामा लिखा जाता। अब अगर कहीं से पैग़ाम आये और वह औरत राज़ी हो तो यह कहता कि मुझे इतनी रक़म दे तो मैं तुझे निकाह की इजाज़त दूँगा। अगर वह अदा कर देती तो ख़ैर, वरना यूँ ही उसे रोके रखता और दूसरा निकाह न करने देता। इसकी मनाही इस आयत में नाज़िल हुई। बक़ौल मुजाहिद रह. यह हुक्म और सूरः ब-क़रह की आयत का हुक्म दोनों एक ही हैं।

बीवी के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म

फिर फ़रमाया कि औरतों के साथ अच्छे सुलूक का मामला करो। उनके साथ अच्छा बर्ताव बरतो, नर्म बात कहो, नेक सुलूक करो, अपनी हालत भी अपनी ताक़त के मुताबिक़ अच्छी रखो। जैसे तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिये ही संवरी हुई अच्छी हालत में रहे, तुम खुद अपनी हालत भी अच्छी रखो। जैसे एक और जगह फ़रमायाः

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

यानी जैसे तुम्हारे हुक़ूक़ उन पर हैं उनके हुक़ूक़ भी तुम पर हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तुममें सबसे बेहतर शख़्स वह है जो अपनी घर वाली के साथ सबसे बेहतर सुलूक करने वाला हो। मैं अपनी बीवियों से बहुत घरदारी बरतता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत लुत्फ़ व ख़ुशी से बहुत नर्मी और हंसी ख़ुशी से पेश आते थे। उन्हें ख़ुश रखते थे, उनसे हंसी दिल्लगी की बातें किया करते थे। उनके दिल अपनी मुट्ठी में रखते थे। उन्हें अच्छी तरह खाने-पीने को देते थे। दिल खोलकर उन पर ख़र्च करते थे। ऐसी दिल ख़ुश करने वाली बातें बयान फ़रमाते जिनसे वे हंस देतीं। ऐसा भी हुआ है कि हज़रत आ़यशा रज़ि. के साथ आपने दौड़ लगाई, जिस दौड़ में सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा आगे निकल गयीं। कुछ मुद्दत बाद फिर दौड़ हुई अब के हज़रत आ़यशा रज़ि. पीछे रह गयीं तो आपने फ़रमाया अदला-बदला हो गया। इससे भी आपका मक़सद यह था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ख़ुश रहें, उनका दिल बहले। जिस बीवी साहिबा के यहाँ आपको रात गुज़ारनी होती वहीं आपकी तमाम बीवियाँ जमा हो जातीं, दो घड़ी बैठतीं, बातचीत होती, कभी ऐसा भी होता कि उन सबके साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात का खाना खाते, फिर सब अपने अपने घर चली जातीं और आप वहीं आराम फ़रमाते, जिनकी बारी होती। अपनी बीवी के साथ एक ही चादर में सोते, कुर्ता निकाल डालते सिर्फ़ तहबन्द बंधा हुआ होता था। इशा की नमाज़ के बाद घर जाकर दो घड़ी इधर-उधर की कुछ बातें करते जिससे घर वालियों का जी ख़ुश होता। ग़र्ज़ कि निहायत ही मुहब्बत प्यार के साथ अपनी बीवियों को आप रखते थे। सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम।

पस मुसलमानों को भी चाहिये कि अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह राज़ी ख़ुशी, मुहब्बत प्यार से रहें। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि तुम्हारी अच्छाई मेरे नबी की पैरवी में है। इसके तफ़सीली अहकाम की जगह तफ़सीर नहीं बल्कि इस मज़मून की दूसरी किताबें हैं।

फिर फ़रमाता है कि बावजूद जी न चाहने के भी औ़रतों से अच्छा मामला और रवैया रखने में ऐन मुम्किन है ख़ुदा तआ़ला बहुत बड़ी भलाई अ़ता फ़रमाये। मुम्किन है नेक औलाद हो जाये और उससे अल्लाह तआ़ला ख़ैर नसीब करे। सही हदीस में है कि मोमिन मर्द मोमिन औ़रत को अलग न करे, अगर उसकी एक आध बात से नाराज़ होगा तो एक आध ख़सलत अच्छी भी होगी। फिर फ़रमाता है कि जब तुममें से कोई अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहे और उसकी जगह दूसरी औ़रत से निकाह करना चाहे तो उसे दिये हुए मेहर में से कुछ भी वापस न ले चाहे एक ख़ज़ाने का ख़ज़ाना दिया हुआ हो। सूरः आले इमरान की तफ़सीर में 'क़िनतार' का पूरा बयान गुज़र चुका है इसलिये यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। इससे साबित होता है कि मेहर में बहुत सारा माल देना भी जायज़ है। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने पहले बहुत लम्बे चौड़े मेहर से मना फ़रमा दिया था फिर अपने क़ौल से रुजू किया जैसा कि मुस्नद अहमद में है कि आपने फ़रमाया- औ़रतों के मेहर में ज़्यादती न करो। अगर यह दुनियावी तौर पर कोई भली चीज़ होती या ख़ुदा के नज़दीक यह तक़वे की चीज़ होती तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अ़मल करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी किसी बीवी या किसी बेटी का मेहर बारह औक़िया से ज़्यादा मुक़र्रर नहीं किया (तक़रीबन सवा सौ रुपया चाँदी का)। इनसान लम्बा मेहर बाँधकर फिर मुसीबत में पड़ जाता है यहाँ तक कि रफ़्ता-रफ़्ता उसकी बीवी उसे बोझ मालूम होने लगती है और उसके दिल में उसकी दुश्मनी बैठ जाती है। कहने लगता है कि तूने मेरे कन्धों पर मश्क लटकवा दी है। यह हदीस बहुत-सी किताबों में विभिन्न अलफ़ाज़ से मौजूद है। एक में है कि आपने मिम्बरे नबवी पर

खड़े होकर फ़रमाया- लोगो! तुमने क्यों लम्बे-चौड़े मेहर बाँधने शुरू कर दिये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा ने तो चार सौ दिरहम (तक़रीबन सौ रुपया चाँदी का) मेहर बाँधा है। अगर यह ज़्यादती तक़्वा और बड़ाई का सबब होती तो तुम इसमें आगे न निकल पाते। ख़बरदार आज से मैं यह न सुनूँ कि किसी ने चार सौ दिरहम से ज़्यादा मेहर मुक़र्रर किया। यह फ़रमाकर आप नीचे उतर आये तो एक क़ुरैशी औ़रत सामने आयीं और कहने लगीं- अमीरुल-मोमिनीन! क्या आप चार सौ दिरहम से ज़्यादा के मेहर से लोगों को मना फ़रमा रहे हैं? आपने फ़रमाया हाँ। कहने लगीं क्या आपने ख़ुदा का कलाम जो उसने नाज़िल फ़रमाया है नहीं सुना? कहा वह क्या? कहा सुनिये। अल्लाह तबारक व तआ़ला फ़रमाता है:

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا............ الخ.

यानी अगर तुमने ख़ज़ाने का ख़ज़ाना (माल का ढेर) भी मेहर में दे दिया हो तो उसको वापस न लो..।

हज़रत उमर रज़ि. ने फ़रमाया- या अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमा। उमर से तो हर शख़्स ज़्यादा समझदार है। फिर आप वापस चले गये और उसी वक़्त मिम्बर पर खड़े होकर लोगों से फ़रमाया ऐ लोगो! मैंने तुम्हें चार सौ दिरहम से ज़्यादा के मेहर से रोक दिया था लेकिन अब कहता हूँ जो शख़्स अपने माल में से मेहर में जितना चाहे दे, अपनी ख़ुशी से जितना मुक़र्रर करना चाहे करे, मैं नहीं रोकता। और एक रिवायत में उस औ़रत का इस आयत को इस तरह पढ़ना बयान हुआ है:

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ.

यानी चाहे तुम उसको सोने का ढेर का ढेर दे चुके हो...........।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. की क़िराअत में भी इसी तरह है और हज़रत उमर रज़ि. का यह फ़रमाना भी मौजूद है कि एक औ़रत उमर पर ग़ालिब आ गयी। एक और रिवायत में है कि आपने फ़रमाया था कि अगरचे ज़िल-ग़ुस्सा यानी यज़ीद बिन हसीन हारिसी की बेटी हो, फिर भी मेहर उसका ज़्यादा मुक़र्रर न करो, और अगर तुमने किया तो वह ज़्यादती की रक़म मैं बैतुल-माल (सरकारी ख़ज़ाने) में ले लूँगा। इस पर एक लम्बे क़द की चौड़ी नाक वाली औ़रत ने कहा- हज़रत! आप यह हुक्म नहीं दे सकते.....। फिर फ़रमाता है कि तुम अपनी बीवी को दिये हुए मेहर कैसे वापस लौटा सकते हो? हालाँकि तुमने उससे फ़ायदा उठाया, अपनी ज़रूरत पूरी की, वह तुमसे और तुम उससे मिल गये। यानी मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात भी क़ायम हो गये। सहीहैन की उस हदीस में है जिसमें एक शख़्स का अपनी बीवी के बारे में ज़िनाकारी करने का इल्ज़ाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने आ़यद करना फिर उन दोनों का क़समें खाना और उसके बाद आपका यह फ़रमाना कि अल्लाह तआ़ला को अच्छी तरह इल्म है कि तुम दोनों में से कौन झूठा है, क्या तुममें से कोई अब भी तौबा करता है? तीन दफ़ा यह फ़रमाया तो उस मर्द ने कहा मैंने जो अपना माल इसके मेहर में दिया है उसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया उसी के बदले तो यह तेरे लिये हलाल हुई थी। अब अगर तूने इस पर झूठी तोहमत बाँधी है तो फिर और भी दूर की बात हो गयी।

इसी तरह एक और हदीस में है कि हज़रत बसरा रज़ि. ने एक कुँवारी से निकाह किया। जब उससे मिले तो देखा कि उसे ज़िना का हमल (गर्भ) है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया तो आपने उसे अलग करा दिया, मेहर दिलवा दिया और उस औ़रत को कोड़े मारने का हुक्म दिया और फ़रमाया जो बच्चा होगा वह तेरा ग़ुलाम है और मेहर तो सबब था इसके हलाल होने का। (अबू दाऊद)

ग़र्ज़ कि इस आयत में भी मतलब यही है कि दोनों मियाँ-बीवी में तन्हाई व सोहबत हो चुकी है, फिर मेहर वापस लेना क्या मायने रखता है। फिर फ़रमाया कि निकाह का ताल्लुक़ जो मज़बूत अ़हद व पैमान है उसमें तुम जकड़े जा चुके हो। ख़ुदा का यह फ़रमान तुम सुन चुके हो कि बसाओ तो अच्छी तरह और अलग करो तो उम्दा तरीक़े से। चुनाँचे हदीस में है कि तुम उन औ़रतों को अल्लाह की अमानत से लेते हो और उनको अपने लिये अल्लाह तआ़ला के कलिमे से हलाल करते हो। यानी निकाह के ख़ुतबे की गवाही से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मेराज वाली रात जो बेहतरीन इनाम अ़ता हुए उनमें एक यह भी था कि आपसे फ़रमाया गया- तेरी उम्मत को कोई ख़ुतबा जायज़ नहीं जब तक वह इस बात की गवाही न दें कि तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल है। (इब्ने अबी हातिम)

सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज्जतुल-विदा के ख़ुतबे में फ़रमाया है- तुमने औ़रतों को अल्लाह तआ़ला की अमानत से लिया है और उन्हें अल्लाह तआ़ला के कलिमे से अपने लिये हलाल किया है।

फिर अल्लाह तआ़ला सौतेली माँओं की हुर्मत (यानी उनसे निकाह हराम होना) बयान फ़रमाता है और उनकी ताज़ीम और सम्मान ज़ाहिर करता है। यहाँ तक कि बाप ने किसी औ़रत से सिर्फ़ निकाह किया, अभी वह रुख़्सत होकर भी नहीं आयी कि तलाक़ हो गयी या बाप मर गया वग़ैरह तो भी वह औ़रत उसके बेटे पर हराम हो जाती है। इस पर इजमा (सब उलेमा की सहमति) है। हज़रत अबू क़ैस रज़ि. जो बड़े बुज़ुर्ग और अन्सारी सहाबी थे, उनके इन्तिक़ाल के बाद उनके लड़के क़ैस ने उनकी बीवी से रिश्ता करना चाहा जो उनकी सौतेली माँ थीं, इस पर उस बीबी साहिबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया बेशक तू अपनी क़ौम में नेक है, लेकिन मैं तो तुझे अपना बेटा समझती हूँ। ख़ैर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जाती हूँ। यहाँ आयीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सारी कैफ़ियत बयान की। आपने फ़रमाया- अपने घर लौट जाओ। फिर यह आयत उतरी कि जिससे बाप ने निकाह किया उससे बेटे का निकाह हराम है। ऐसे वाक़िआ़त और भी उस वक़्त मौजूद थे। जिन्हें इस इरादे से बाज़ रखा गया। एक तो यही अबू क़ैस वाला वाक़िआ़, उन बीबी साहिबा का नाम उम्मे उबैदुल्लाह था। दूसरा वाक़िआ़ ख़लफ़ का था। उनके घर में अबू तल्हा रज़ि. की बेटी थीं। उनके इन्तिक़ाल के बाद उसके लड़के सफ़वान ने उसे अपने निकाह में लाना चाहा। अ़ल्लामा सुहैली कहते हैं कि जाहिलीयत में इस निकाह का मामूल था और इसे बाक़ायदा निकाह समझा जाता था। इसलिये यहाँ भी फ़रमाया गया कि जो पहले गुज़र चुका सो गुज़र चुका। जैसे दो बहनों को निकाह में जमा करने की हुर्मत (हराम होने) को बयान फ़रमाकर भी यही कहा गया। किनाना बिन ख़ुज़ैमा ने भी यही किया था कि अपने बाप की बीवी से अपना निकाह किया था। नज़र उसी के पेट से पैदा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान मौजूद है कि मेरी ऊपरी नस्ल भी बाक़ायदा निकाह से ही है न कि ज़िना से। तो मालूम हुआ कि यह बात उनमें बराबर जारी और जायज़ थी और वे इसे निकाह शुमार करते थे।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जिन-जिन रिश्तों को ख़ुदा ने हराम किया है उन सबको जाहिलीयत वाले भी हराम ही जानते थे, सिवाय अपनी सौतेली माँ के और दो बहनों को एक साथ निकाह में रखने के। पस अल्लाह तआ़ला ने अपने पाक कलाम में इन दोनों रिश्तों को भी हराम ठहरा दिया। हज़रत अ़ता रह. और हज़रत क़तादा रह. भी यही फ़रमाते हैं। याद रहे कि सुहैली ने किनाना का जो वाक़िआ़ नक़ल किया है वह ग़ौर-तलब है। वल्लाहु आलम। बहरहाल यह रिश्ता इस उम्मत वालों पर हराम

है और निहायत बुरी चीज़ है। यहाँ तक फ़रमाया कि यह निहायत गन्दा और बुरा काम है। और बुग़्ज़ (नफ़रत) का सबब और बुरा रास्ता है। एक और जगह फ़रमान है:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ.

यानी किसी बुराई, बेहयाई और गन्दे काम के क़रीब भी न जाओ चाहे वह बिल्कुल ज़ाहिर हो, चाहे पोशीदा हो। एक और फ़रमान है:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا.......... الخ.

ज़िना के क़रीब न जाओ, यक़ीनन वह गन्दा और बुरा काम है और ग़लत रास्ता है।

यहाँ इससे भी ज़्यादा फ़रमाया कि यह काम साथ ही साथ बड़े बुग़्ज़ का है। यानी अपने आप में भी बड़ा बुरा है। इससे बाप बेटे में अ़दावत पड़ जाती है और दुश्मनी ज़ाहिर हो जाती है। यह ज़ाहिर और उमूमन पाया जाता है कि जो शख़्स किसी औ़रत से निकाह करता है वह उसके पहले शौहर से बुग़्ज़ (नफ़रत) ही रखता है। यही वजह है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माँयें क़रार दी गयीं और उम्मत पर सगी माँ की तरह हराम की गयीं। क्योंकि वे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवियाँ हैं और आप बाप के जैसे हैं, बल्कि यह साबित है कि आपके हक़ बाप-दादों के हुक़ूक़ से भी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े हैं। बल्कि आप की मुहब्बत ख़ुद अपनी जानों की मुहब्बत पर भी मुक़द्दम है। आप पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और दुरूद व सलाम नाज़िल हो।

यह भी कहा गया है कि यह काम ख़ुदा की नाराज़गी और ग़ुस्से का सबब है और बुरा रास्ता है। अब जो ऐसा काम करे वह दीन से मुर्तद (फिर जाने वाला) है, उसे क़त्ल कर दिया जाये और उसका माल बैतुल-माल में बतौर फ़ै के दाख़िल कर लिया जाये। सुनन और मुस्नद अहमद में है कि एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस शख़्स की तरफ़ भेजा जिसने अपने बाप की बीवी से बाप के बाद निकाह किया था कि उसे क़त्ल कर डालो और उसका माल ले लो। हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. फ़रमाते हैं कि मेरे चचा हारिस बिन उमैर रज़ि. अपने हाथ में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दिया हुआ झण्डा लेकर मेरे पास से गुज़रे। मैंने पूछा- चचा! हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आपको कहाँ भेजा है? फ़रमाया उस शख़्स की तरफ़ जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया है। मुझे हुक्म है कि मैं उसकी गर्दन मारूँ। (मुस्नद अहमद)

एक मसला

इस पर तो उलेमा का इजमा है (यानी सब एक राय हैं किसी का मतभेद नहीं) कि जिस औ़रत से बाप ने सोहबत कर ली चाहे निकाह करके चाहे मिल्कियत में लाकर, चाहे शुब्हे और धोखे से, वह औ़रत अपने बेटे पर हराम है। हाँ अगर सोहबत न हुई हो सिर्फ़ तन्हाई हुई हो या बदन के वे अंग न देखे हों जिनका देखना अजनबी औ़रत होने की सूरत में हलाल न था तो इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। इमाम अहमद रह. तो इस सूरत में उस औ़रत को लड़के पर हराम बतलाते हैं। हाफ़िज़ इब्ने अ़साकिर के इस वाक़िए से भी इस मज़हब की मज़बूती मिलती है कि हज़रत ख़ुदैज हिमसी ने जो हज़रत मुआ़विया रज़ि. के मौला (आज़ाद किये हुए ग़ुलाम) थे, हज़रत मुआ़विया रज़ि. के लिये बाँदी ख़रीदी जो गोरे रंग की और ख़ूबसूरत थी, और बग़ैर कपड़ों के उसे उनके पास भेज दिया। उनके हाथ में एक छड़ी थी उससे इशारा

करके कहने लगे अच्छे फ़ायदे की चीज़ थी अगर इसके लिये सामान होता। फिर कहने लगे इसे यज़ीद बिन मुआविया के पास ले जाओ। फिर कहा नहीं नहीं! ठहरो रबीआ़ बिन अ़मर जुरशी को मेरे पास बुला लाओ। यह बड़े फ़क़ीह (दीनी मसाईल के आ़लिम) थे। जब आये तो हज़रत मुआ़विया रज़ि. ने उनसे मसला पूछा कि मैंने इस औ़रत के ये-ये बदनी अंग देखे हैं, यह कपड़े पहने हुए न थी। अब मैं इसे अपने लड़के यज़ीद के पास भेजना चाहता हूँ तो क्या उसके लिये यह हलाल है? हज़रत रबीआ़ रज़ि. ने फ़रमाया अमीरुल-मोमिनीन ऐसा न कीजिए यह उसके क़ाबिल नहीं रही। फ़रमाया तुम ठीक कहते हो। अच्छा जाओ अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द फ़ज़ारी को बुला लाओ वह आये, वह गेहुँवे रंग के थे। उनसे हज़रत मुआ़विया रज़ि. ने फ़रमाया- इस बाँदी को मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारी औलाद सफ़ेद रंग की (यानी गोरी) पैदा हो। यह अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द रज़ि. वह हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को दिया था। आपने उन्हें पाला परवरिश की, फिर ख़ुदा के नाम पर आज़ाद कर दिया। फिर यह हज़रत मुआ़विया रज़ि. के पास चले आये थे।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝لا

तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी ख़ालाएँ और भतीजियाँ और भानजियाँ और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम्हारी वे बहनें जो दूध पीने की वजह से हैं, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ जो कि तुम्हारी परवरिश में रहती हैं, उन बीवियों से कि जिनके साथ तुमने सोहबत की हो। और अगर तुमने उन बीवियों से सोहबत न की हो तो तुमको कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो कि तुम्हारी नस्ल से हों, और यह कि तुम दो बहनों को एक साथ रखो, लेकिन जो पहले हो चुका। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े बख़्शने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। (23)

इनसे निकाह जायज़ नहीं

नसब, दूध और ससुराली रिश्ते से जो औ़रतें मर्द पर हराम हैं उनका बयान इस आयते करीमा में हो रहा है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सात औ़रतें नसब की वजह से हराम हैं और सात ससुराल

की वजह से। फिर आपने इस आयत की तिलावत की। बहन की लड़कियों तक तो नसबी रिश्ते हैं। जमहूर उलेमा-ए-किराम ने इस आयत से इस्तिदलाल किया (यानी दलील पकड़ी) है कि ज़िना से जो लड़की पैदा हुई हो वह भी उस ज़ानी पर हराम है, क्योंकि यह भी बेटी है और बेटियाँ हराम हैं। यही मज़हब इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल रह. का है। इमाम शाफ़ई रह. से कुछ इसके जायज़ होने में भी नक़्ल किया गया है इसलिये कि शरअ़न् यह बेटी नहीं। पस जैसे कि वरसे के बारे में यह बेटी के हुक्म में शामिल न होकर वरसा (मीरास का हिस्सा) नहीं पाती इसी तरह इस आयते हुर्मत में भी वह दाख़िल नहीं है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाता है कि जिस तरह तुम पर तुम्हारी सगी माँ हराम है इसी तरह रज़ाई (दूध पिलाने वाली) माँ भी हराम है। सहीहैन में है कि दूध पिलाना भी उसे हराम करता है जिसे पैदा करना हराम करता है। सही मुस्लिम में है कि दूध पिलाने से भी वह हराम है जो नसब से हराम है। बाज़ फ़ुक़हा (दीन के आ़लिमों) से इसमें से चार सूरतें और बाज़ों ने छह सूरतें मख़्सूस की हैं जो मसाईल व अहकाम की किताबों में हैं, लेकिन तहक़ीक़ी बात यह है कि इसमें से कुछ भी मख़्सूस नहीं, इसलिये कि इसके जैसी बाज़ सूरतें नसब में भी पाई जाती हैं और उन सूरतों में की बाज़ सिर्फ़ ससुराली रिश्ते की वजह से हराम हैं। पस हदीस पर कुछ एतिराज़ नहीं पड़ता। वल्हम्दु लिल्लाह।

दूध पिलाने की मुद्दत

इमामों का इसमें भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि कितनी मर्तबा दूध पीने से हुर्मत (हराम होना) साबित होती है। बाज़ तो कहते हैं कि कोई तादाद मुक़र्रर नहीं। दूध पीते ही हुर्मत साबित हो गयी। इमाम मालिक रह. यही फ़रमाते हैं। इब्ने उमर रज़ि., सईद बिन मुसैयब रह. उरवा बिन जुबैर रज़ि. और इमाम ज़ोहरी रह. का क़ौल भी यही है। दलील यह है कि रज़ाअ़त (दूध पिलाना) यहाँ आ़म है। बाज़ कहते हैं कि तीन मर्तबा जब पिये तो हुर्मत साबित होगी, जैसे कि सही मुस्लिम में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि एक मर्तबा का चूसना या दो मर्तबा का पी लेना हराम नहीं करता। यह हदीस मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ से रिवायत है। इमाम अहमद, इस्हाक़ बिन राहवैह रह., अबू उबैदा रह., अबू सौर रह. भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत अ़ली रज़ि., हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा, हज़रत उम्मुल-फ़ज़्ल रह., हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ि., सुलैमान बिन यसार रह., सईद बिन जुबैर रह. से भी यही मरवी है। बाज़ कहते हैं कि पाँच मर्तबा के दूध पीने से हुर्मत साबित होती है, इससे कम में नहीं। उनकी दलील सही मुस्लिम की यह रिवायत है। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि पहले क़ुरआन में दस मर्तबा के दूध पिलाने पर हुर्मत का हुक्म उतरा था, फिर वह मन्सूख़ होकर पाँच मर्तबा रह गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन्तिक़ाल होने तक वह क़ुरआन में पढ़ा जाता रहा। दूसरी दलील सहला बिन्ते सुहैल की रिवायत है, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि हज़रत सालिम रज़ि. को जो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ि. के मौला (आज़ाद किये हुए ग़ुलाम) थे पाँच मर्तबा दूध पिला दें। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा इसी हदीस के मुताबिक़ उस औ़रत को यही हुक्म देतीं जो किसी का अपने यहाँ आना-जाना पसन्द करती। इमाम शाफ़ई और उनके साथियों का फ़रमान भी यही है कि पाँच मर्तबा दूध पीना मोतबर है। यह भी याद रहे कि जमहूर का मज़हब यह है कि यह रज़ाअ़त (दूध पिलाना) दूध छूटने से पहले यानी दो साल के अन्दर-अन्दर की उम्र में हो, इसका मुफ़स्सल बयान "हौलैनि कामिलैनि" की तफ़सीर में सूरः ब-क़रह में गुज़र चुका है।

फिर इसमे भी इख़्तिलाफ़ है कि इस रज़ाअ़त (दूध पिलाने) का असर रज़ाअ़ी माँ के शौहर तक भी पहुँचेगा या नहीं? तो जमहूर का और चारों इमामों का फ़रमान तो यह है कि पहुँचेगा और बाज़ बुज़ुर्गों का क़ौल है कि सिर्फ़ दूध पिलाने वाली तक ही रहेगा और रज़ाअ़ी बाप तक नहीं पहुँचेगा। इसकी तफ़सील की जगह अहकाम व मसाईल की बड़ी-बड़ी किताबें हैं, न कि तफ़सीर।

फिर फ़रमाता है कि सास हराम है, जिस लड़की से निकाह हो निकाह होने के सबब उसकी माँ उस पर हराम हो गयी चाहे सोहबत करे या न करे, हाँ जिस औ़रत के साथ निकाह करता है और उसकी लड़की उसके पहले शौहर से उसके साथ है तो अगर उससे सोहबत की तो वह लड़की हराम हो गयी। अगर सोहबत से पहले ही उस औ़रत को तलाक़ दे दी तो वह लड़की उस पर हराम नहीं। इसी लिये इस आयत में यह क़ैद लगाई। बाज़ लोगों ने कहा है कि सास भी उस वक़्त हराम होती है जब उसकी लड़की से उसके दामाद ने तन्हाई की वरना नहीं, सिर्फ़ निकाह से न तो औ़रत की माँ हराम हुई न औ़रत की बेटी। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि जिस शख़्स ने किसी लड़की से निकाह किया फिर दुख़ूल (सोहबत) से पहले ही तलाक़ दे दी तो वह उसकी माँ से निकाह कर सकता है जैसा कि रबीबा (यानी परवरिश की हुई) लड़की से उसकी माँ को इसी तरह की तलाक़ देने के बाद निकाह कर सकता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. से भी यही मन्क़ूल है।

एक और रिवायत में आपसे नक़ल है कि आप फ़रमाते थे- जब वह औ़रत ग़ैर-मदख़ूला (जिसके साथ सोहबत न की गयी हो) मर जाये और यह शौहर उसकी मीरास ले तो फिर उसकी माँ को लाना मक्रूह है। हाँ अगर दुख़ूल से पहले तलाक़ दे दी है तो कर सकता है। हज़रत अबू बक्र किनाना फ़रमाते हैं कि मेरा निकाह मेरे बाप ने ताईफ़ की एक औ़रत से करा दिया। अभी रुख़्सती नहीं हुई थी कि उसका बाप मेरा चचा फ़ौत हो गया, उसकी बीवी यानी मेरी सास बिना शौहर के रह गयी और थीं वह बहुत मालदार, तो मेरे बाप ने मुझे मश्विरा दिया कि मैं उस लड़की को छोड़ दूँ और उससे निकाह कर लूँ। मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह मसला पूछा तो आपने फ़रमाया- तुम्हारे लिये यह जायज़ है। फिर मैंने हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया यह जायज़ नहीं। मैंने अपने वालिद से ज़िक्र किया उन्होंने हज़रत मुआ़विया रज़ि. को लिखा और इन दोनों बुज़ुर्गों के फ़तवे भी लिखे, इसके जवाब में हज़रत मुआ़विया रज़ि. ने तहरीर फ़रमाया कि मैं न तो हराम को हलाल करूँ न हलाल को हराम, तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम हालत देख रहे हो, मामले के तमाम पहलू तुम्हारी निगाहों के सामने हैं, उसके अ़लावा भी औ़रतें बहुत हैं, ग़र्ज़ कि न इजाज़त दी न इनकार किया। चुनाँचे मेरे वालिद ने अपना ख़्याल उसकी माँ की तरफ़ से हटा लिया और मेरा निकाह फिर उससे न कराया।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं कि औ़रत की लड़की और औ़रत की माँ का हुक्म एक ही है। अगर औ़रत से दुख़ूल (सोहबत) न किया हो तो ये दोनों हलाल हैं। लेकिन इसकी सनद में मुब्हम रावी है। हज़रत मुजाहिद रह. का भी यही क़ौल है। इब्ने ज़ुबैर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी इसी तरफ़ गये हैं। हज़रत मुआ़विया रज़ि. ने इसमें ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमायी है। शाफ़ई हज़रात में से अबुल-हसन अहमद बिन मुहम्मद साबूनी से भी बक़ौल राफ़ई यही मन्क़ूल है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से भी इसी के जैसा नक़ल है, लेकिन फिर आपने अपने इस क़ौल से रुजू कर लिया है। तबरानी में है कि क़बीला फ़ज़ार के एक शख़्स ने एक औ़रत से निकाह किया, फिर उसकी बेवा माँ के हुस्न की तरफ़ तबीयत झुकी तो हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से मसला पूछा कि क्या मुझे उसकी माँ से निकाह करना जायज़ है?

आपने फ़रमाया हाँ। चुनाँचे उसने उस लड़की को तलाक़ देकर उसकी माँ से निकाह कर लिया, उससे औलाद भी हुई। फिर हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. मदीना आये और इस मसले की तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि यह हलाल नहीं। चुनाँचे आप वापस कूफ़ा गये और उससे कहा कि उस औरत को अलग कर दे वह तुझ पर हराम है। उसने इस फ़रमान की तामील की और उसे अलग कर दिया। जमहूर उलेमा इस तरफ़ हैं कि लड़की तो सिर्फ़ निकाह से हराम नहीं होती जब तक कि उसकी माँ से सोहबत न की हो। हाँ माँ सिर्फ़ लड़की के निकाह होते ही हराम हो जाती है, चाहे सोहबत न हुई हो।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी को दुख़ूल (सोहबत) से पहले तलाक़ दे दे या वह औरत मर जाये तो उसकी माँ उस पर हलाल नहीं। चूँकि यह मुब्हम (अस्पष्ट) है, इसलिये इसे नापसन्द फ़रमाया। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि., इमरान बिन हुसैन रज़ि., मसरूक़, ताऊस, इक्रिमा, अ़ता, हसन, मक्हूल, इब्ने सीरीन, क़तादा और ज़ोहरी रह. से भी इसी तरह नक़ल है। चारों इमामों, सातों फ़ुक़हा और पहले व बाद के जमहूर उलेमा का यही मज़हब है।

इमाम इब्ने जुरैज रह. फ़रमाते हैं कि ठीक क़ौल उन ही हज़रात का है जो सास को दोनों सूरतों में हराम बतलाते हैं, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने उनकी हुर्मत के साथ दुख़ूल (सोहबत) की शर्त नहीं लगाई जैसा कि लड़की की माँ के लिये यह शर्त लगाई है। फिर इस पर इजमा (सब की एक राय) है जो ऐसी दलील है कि इसके ख़िलाफ़ करना उस वक़्त जायज़ ही नहीं जबकि इस पर इत्तिफ़ाक़े राय हो। और एक ग़रीब हदीस में यह भी है, अगरचे उसकी सनद में कलाम है, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जबकि कोई मर्द किसी औरत से निकाह करे, उसकी माँ से निकाह करना हलाल नहीं, उस लड़की से मिल लिया हो तो भी और न मिला हो तो भी। हाँ जिस औरत से निकाह किया है फिर मिलने से पहले ही उसे तलाक़ दे दी है तो अगर चाहे उसकी लड़की से निकाह कर सकता है। अगरचे इस हदीस की सनद कमज़ोर है लेकिन इस मसले पर इजमा (उलेमा और इमामों की एक राय) हो चुका है, जो इसके सही होने पर ऐसा गवाह है जिसके बाद दूसरी गवाही की ज़रूरत नहीं।

फिर फ़रमाता है कि तुम्हारी परवरिश की हुई वे लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हों ये भी तुम पर हराम हैं बशर्ते कि तुमने अपनी सौतेली लड़कियों की माँ से सोहबत की हो। जमहूर का फ़रमान है कि चाहे गोद में पली हों या न पली हों, हराम हैं। चूँकि उमूमन ऐसी लड़कियाँ अपनी माँ के साथ ही होती हैं और अपने सौतेले बाप के यहाँ ही परवरिश पाती हैं, इसलिये यह कह दिया गया है। यह कोई ज़रूरी क़ैद नहीं, जैसा कि इस आयत में है:

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا.

यानी तुम्हारी बाँदियाँ अगर पाकदामन रहना चाहती हों तो तुम उन्हें बदकारी पर मजबूर न करो।

यहाँ भी यह क़ैद कि अगर वे पाकदामन रहना चाहें, सिर्फ़ एक आ़म हालात के एतिबार से है, यह नहीं कि अगर वे ख़ुद ऐसी न हों तो उन्हें बदकारी पर तैयार करो। इसी तरह इस आयत में है कि परवरिश में अगरचे न हों फिर भी हराम ही हैं। सहीहैन में है कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि. ने कहा- या रसूलल्लाह! आप मेरी बहन अबू सुफ़ियान की लड़की उज़्ज़ा से निकाह कर लीजिए। आपने फ़रमाया क्या तुम यह चाहती हो? उन्होंने कहा हाँ मैं आपको ख़ाली तो रख नहीं सकती, फिर मैं इस भलाई में अपनी बहन को ही क्यों न शामिल करूँ। आपने फ़रमाया सुनो मुझे वह हलाल नहीं। उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा हम तो

सुनती हैं कि आप अबू सलमा की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। आपने फ़रमाया उनकी बेटी जो उम्मे सलमा से है? कहा हाँ। फ़रमाया सुनो अव्वल तो वह मुझ पर इस वजह से हराम है कि वह मेरी रबीबा (पाली हुई) है जो मेरे यहाँ परवरिश पा रही है, दूसरे यह अगर न होता तो भी वह मुझ पर हराम थीं इसलिये कि वह मेरे दूध-शरीक भाई की बेटी यानी मेरी भतीजी हैं। मुझे और उसके बाप अबू सलमा को सुवैबा ने दूध पिलाया है। ख़बरदार अपनी बेटियाँ और अपनी बहनें मुझ पर पेश न करो। बुख़ारी की रिवायत में ये अलफ़ाज़ हैं कि अगर मेरा निकाह उम्मे सलमा से न हुआ होता तो भी वह मुझ पर हलाल न थीं। पस हुर्मत की असल सिर्फ़ निकाह को आपने क़रार दिया। यही मज़हब चारों इमामों, सातों फ़ुक़हा और पहले व बाद के जमहूर उलेमा का है। यह भी कहा गया है कि अगर वह उसके यहाँ परवरिश पाती हो तो हराम है, वरना नहीं।

हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान रज़ि. फ़रमाते हैं कि मेरी बीवी औलाद छोड़कर मर गयीं, मुझे उनसे बहुत मुहब्बत थी, इस वजह से उनकी मौत का मुझे बड़ा सदमा हुआ। हज़रत अ़ली रज़ि. से मेरी इत्तिफ़ाक़िया मुलाक़ात हुई तो आपने मुझे ग़मगीन पाकर पूछा कि क्या बात है? मैंने वाक़िआ सुनाया तो आपने फ़रमाया तुझसे पहले शौहर से भी उसकी कोई औलाद है? मैंने कहा हाँ एक लड़की है और वह ताईफ़ में रहती है। फ़रमाया फिर उससे निकाह कर लो, मैंने क़ुरआने करीम की यह आयत पढ़ी कि फिर इसका क्या मतलब होगा? आपने फ़रमाया यह तो उस वक़्त है जबकि उसने तेरे यहाँ परवरिश पाई हो। और वह तो बक़ौल तेरे ताईफ़ में है, तेरे पास है ही नहीं। अगरचे इसकी सनद सही है लेकिन यह क़ौल बिल्कुल ग़रीब है। हज़रत दाऊद बिन अ़ली ज़ाहिरी और उनके साथी भी इसी तरफ़ गये हैं।

इमाम राफ़ई ने हज़रत इमाम मालिक रह. का भी यही क़ौल बतलाया है। इब्ने हज़्म ने भी इसी को इख़्तियार किया है। हमारे शैख़ हाफ़िज़ अबू अ़ब्दुल्लाह ज़हबी रह. ने हम से कहा कि मैंने यह बात इमाम तक़ियुद्दीन इब्ने तैमिया रह. के सामने पेश की तो आपने इसे बहुत मुश्किल महसूस किया और ख़ामोशी इख़्तियार की। वल्लाहु आलम।

'हुजूर' से मुराद घर है जैसा कि हज़रत अबू उबैदा रह. से रिवायत है। हाँ जो बाँदी मिल्कियत में हो और उसके साथ उसकी लड़की हो, उसके बारे में हज़रत उमर रज़ि. से सवाल हुआ कि एक के बाद दूसरी जायज़ होगी या नहीं? आपने फ़रमाया मैं इसे पसन्द नहीं करता। इसकी सनद मुन्क़ता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने ऐसे ही सवाल के जवाब में फ़रमाया है- एक आयत से यह हलाल मालूम होती है दूसरी आयत से हराम। इसलिये मैं तो इसे हरगिज़ न करूँगा। शैख़ अबू उमर बिन अ़ब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि उलेमा में इस मसले में कोई इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं, कि किसी को हलाल नहीं कि किसी औ़रत से अपनी मिल्क में होने की वजह से सोहबत करे फ़िर उसकी लड़की से भी उसी मिल्कियत की बिना पर सोहबत करे। इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने इसे निकाह में भी हराम क़रार दे दिया है। यह आयत मुलाहिज़ा हो और उलेमा के नज़दीक मिल्कियत निकाह के अहकाम के ताबे है। जो रिवायत हज़रत उमर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से नक़ल की जाती है इमामों और उनके पैरोकारों में से कोई भी उस पर नहीं।

हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि "रबीबा" की लड़की और उस लड़की की लड़की इसी तरह जिस क़द्र नीचे यह रिश्ता चला जाये, सब हराम हैं। हज़रत अबुल-आ़लिया से इसी तरह हज़रत क़तादा की रिवायत से नक़ल है।

"दख़ल्तुम् बिहिन्-न" (यानी तुमने उनके साथ सोहबत कर ली हो) से मुराद हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि.

तो फ़रमाते हैं कि उनसे निकाह करना है। सवाल किया कि अगर यह काम औरत ही के घर में हुआ हो? फ़रमाया वहाँ यहाँ दोनों का हुक्म एक ही है। ऐसा अगर हो गया तो उसकी लड़की उस पर हराम हो गयी। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ ख़लवत और तन्हाई हो जाने से उसकी लड़की की हुर्मत साबित नहीं होती, अगर बेपर्दा होने और हाथ लगाने और शहवत से उसके बदनी अंगों की तरफ़ देखने से पहले ही तलाक़ दे दी है तो सब की राय से यह बात साबित होती है कि लड़की उस पर हराम न होगी, जब तक कि सोहबत न हुई हो। फिर फ़रमाया- तुम्हारी बहुएँ भी तुम पर हराम हैं जो तुम्हारी अपनी औलाद की बीवियाँ हों, यानी ले-पालक (गोद लिये हुए) लड़कों की बीवियाँ नहीं। हाँ लड़के की बीवी यानी बहू अपने ससुर पर हराम है, जैसे एक और जगह है:

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ..الخ.

यानी जब ज़ैद ने उससे अपनी हाजत पूरी कर ली तो हमने उसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मोमिनों पर उनके ले-पालक लड़कों की बीवियों के बारे में कोई तंगी न रहे। हज़रत अ़ता फ़रमाते हैं, हम सुना करते थे कि जब हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद की बीवी से निकाह कर लिया तो मक्का के मुश्रिकों ने हंगामा शुरू कर दिया, इस पर यह आयत और ये आयतें नाज़िल हुईं:

مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ.

यानी बेशक सुलबी (अपनी पीठ से पैदा होने वाले) लड़के की बीवी हराम है, तुम्हारे ले-पालक (मुँह बोले) लड़के शरीअ़त की निगाह में तुम्हारी औलाद के हुक्म में नहीं। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तुममें से किसी मर्द के बाप नहीं।

हसन बिन मुहम्मद रह. फ़रमाते हैं कि ये आयतें मुब्हम (ग़ैर-वाज़ेह) हैं जैसे तुम्हारे लड़कों की बीवियाँ, तुम्हारी सासें। हज़रत ताऊस, इब्राहीम, ज़ोहरी और मक्हूल से भी इसी तरह नक़ल है। मैं कहता हूँ कि मुब्हम से मुराद आ़म हैं, यानी जिनके साथ सोहबत हो गयी हो वे भी और जिनके साथ सोहबत न हुई हो वे भी। सिर्फ़ निकाह करते ही हुर्मत साबित हो जाती है चाहे सोहबत हुई हो या न हुई हो। इस मसले पर इत्तिफ़ाक़ (एक राय) है, अगर कोई शख़्स सवाल करे कि रज़ाअ़ी (दूध पिलाने की वजह से बने) बेटे की बीवी की हुर्मत कैसे साबित होगी? क्योंकि आयत में तो सुलबी (सगे) बेटे का ज़िक्र है, तो जवाब यह है कि यह हुर्मत हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उस हदीस से साबित है कि आपने फ़रमाया- रज़ाअ़त (दूध पिलाने) से वह हराम है जो नसब से हराम है। जमहूर का मज़हब यही है कि रज़ाअ़ी बेटे की बीवी भी हराम है। बाज़ लोगों ने तो इस पर इजमा (तमाम उलेमा का एक राय होना) नक़ल किया है।

फिर फ़रमाता है कि दो बहनों का निकाह में जमा करना भी तुम पर हराम है। इसी तरह मिल्कियत की बाँदियों का हुक्म है कि दो बहनों से एक ही वक़्त में सोहबत हराम है। मगर जाहिलीयत के ज़माने में जो हो चुका है उससे हम दरगुज़र करते हैं। पस मालूम हुआ कि अब यह काम आईन्दा किसी वक़्त जायज़ नहीं। जैसे एक और जगह बयान फ़रमाया है:

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى.

यानी वहाँ मौत न पायेंगे, हाँ पहली मौत जो आयी थी वह आ चुकी।

तो मालूम हुआ कि अब आईन्दा कभी मौत नहीं आयेगी। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, ताबिईन, इमाम हज़रात, पहले और बाद के उलेमा-ए-किराम का इजमा (इस पर सहमति) है कि दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है और जो शख़्स मुसलमान हो और उसके निकाह में दो बहनें हो तो उसे इख़्तियार दिया जायेगा कि एक को रख ले और दूसरी को तलाक़ दे दे, और यह उसे करना ही पड़ेगा। हज़रत फ़िरोज़ रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं जब मुसलमान हुआ तो मेरे निकाह में दो औरतें थीं जो आपस में बहनें थीं, पस हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि उनमें से एक को तलाक़ दे दूँ। (मुस्नद अहमद) इब्ने माजा, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। तिर्मिज़ी में यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उनमें से जिसे चाहो एक को रख लो और एक को तलाक़ दे दो। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन कहते हैं।

इब्ने माजा में अबू ख़र्राश का ऐसा वाक़िआ भी मज़कूर है, मुम्किन है ज़ह्हाक बिन फ़िरोज़ की कुन्नियत अबू ख़र्राश हो और यह वाक़िआ एक ही हो और इसके ख़िलाफ़ भी मुम्किन है। हज़रत दैलमी रह. ने रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मेरे निकाह में दो बहनें हैं। आपने फ़रमाया उनमें से जिसे चाहो एक को तलाक़ दे दो। (इब्ने मर्दूया)

पस दैलमी से मुराद ज़ह्हाक बिन फ़िरोज़ हैं। यह यमन के उन सरदारों में से थे जिन्होंने अस्वद अ़नसी मुतनब्बी (नुबुव्वत के झूठे दावेदार) मलऊन को क़त्ल किया। दो बाँदियों को जो आपस में बहनें हों एक साथ जमा करके उनसे सोहबत करना भी हराम है। इसकी दलील उस आयत का आ़म होना है जो बीवियों और बाँदियों को शामिल है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से इसका सवाल हुआ तो आपने मक्रूह बतलाया। साईल (सवाल करने वाले) ने कहा- क़ुरआन में जो हैः

اِلَّامَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

यानी मगर वे जिनके मालिक तुम्हारे दायें हाथ हैं (यानी तुम्हारी मिल्क में हैं)।

इस पर हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. ने फ़रमाया तेरा ऊँट भी तो तेरी मिल्कियत में है। जमहूर का क़ौल भी यही मशहूर है और चारों इमाम और दूसरे हज़रात वग़ैरह भी यही फ़रमाते हैं। अगरचे बाज़ हज़रात ने इस मसले में ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमायी है। हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि. से जब यह मसला पूछा गया तो आपने फ़रमाया- एक आयत इसे हलाल करती है, दूसरी हराम। मैं तो इससे मना नहीं करता। साईल (पूछने वाला) वहाँ से निकला तो रास्ते में एक सहाबी से मुलाक़ात हुई। उसने उनसे भी यही सवाल किया, उन्होंने फ़रमाया- अगर मुझे कुछ इख़्तियार होता तो ऐसा करने वाले को इब्रतनाक सज़ा देता। हज़रत इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं- मेरा गुमान है कि यह फ़रमाने वाले ग़ालिबन् हज़रत अ़ली रज़ि. थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अ़व्वाम रज़ि. से भी यही नक़ल है।

"इस्तिज़कारे इब्ने अ़ब्दुल-बर्र" में है कि इस वाक़िए के रावी क़बीसा बिन ज़ुवैब ने हज़रत अ़ली रज़ि. का नाम इसलिये नहीं लिया कि वह अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान का मुसाहिब (मुंशी) था और उन लोगों को आपका नाम नागवार गुज़रता था। हज़रत अयास बिन आ़मिर रज़ि. कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब रज़ि. से सवाल किया कि मेरी मिल्कियत में दो बाँदियाँ हैं, दोनों आपस में बहनें हैं। एक से मैंने ताल्लुक़ात क़ायम कर रखे हैं और मेरे यहाँ उससे औलाद भी हुई है, अब मेरा जी चाहता है कि उसकी बहन

से जो मेरी बाँदी है, अपने ताल्लुक़ात क़ायम करूँ तो आप फ़रमायें शरीअ़त का इसमें क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया- पहली बाँदी को आज़ाद करके फिर उसकी बहन से यह ताल्लुक़ात क़ायम कर सकते हो। उसने कहा और लोग तो कहते हैं कि मैं उसका निकाह करा दूँ फिर उसकी बहन से मिल सकता हूँ। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने फ़रमाया देखो इस सूरत में भी ख़राबी है, वह यह कि अगर उसका शौहर उसे तलाक़ दे दे या इन्तिक़ाल कर जाये तो वह फिर लौटकर तुम्हारी तरफ़ आ जायेगी, उसे तो आज़ाद कर देने में ही सलामती है। फिर आपने मेरा हाथ पकड़कर फ़रमाया- सुनो आज़ाद औ़रतों और बाँदियों के हलाल व हराम होने के लिहाज़ से बराबर ही हैं, हाँ अलबत्ता तायदाद में फ़र्क़ है, यानी आज़ाद औ़रतें चार से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते और बाँदियों में कोई तायदाद की क़ैद नहीं, और दूध-पिलाई के रिश्ते से भी वे तमाम औ़रतें इस रिश्ते से हराम हो जाती हैं जो नस्ल और नसब की वजह से हराम हैं।

इसके बाद तफ़सीर इब्ने कसीर के असल अ़रबी नुस्ख़े में कुछ इबारत छूटी हुई है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वह इबारत यूँ होगी- यह रिवायत ऐसी है कि अगर कोई शख़्स पूरब व पश्चिम (यानी दूर-दराज़) से सिर्फ़ इस रिवायत को सुनने के लिये सफ़र करके आये और सुनकर जाये तो भी उसका सफ़र उसके लिये फ़ायदेमन्द रहेगा और उसने गोया बहुत सस्ते दामों क़ीमती चीज़ हासिल की। यह याद रहे कि हज़रत अ़ली रज़ि. से भी इसी तरह नक़ल है जिस तरह हज़रत उस्मान रज़ि. से रिवायत है। चुनाँचे इब्ने मर्दूया में है कि आपने फ़रमाया- दो बाँदियों को जो आपस में बहनें हों एक वक़्त में जमा करके उनसे सोहबत करना एक आयत से हराम साबित होता है और दूसरी से हलाल।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि बाँदियाँ मुझ पर मेरी क़राबत (क़रीबी रिश्ते) की वजह से जो उनसे है, बाज़ दूसरी बाँदियों को हराम कर देती हैं, लेकिन उनमें ख़ुद आपस में जो क़राबत (रिश्ता) हो उससे मुझ पर हराम नहीं करतीं। जाहिलीयत वाले (इस्लाम से पहले ज़माने के लोग) भी उन औ़रतों को हराम समझते थे जिन्हें तुम हराम समझते हो, मगर अपने बाप की बीवी को यानी जो उनकी सगी माँ न हो और दो बहनों को एक साथ एक वक़्त में निकाह में जमा करने को वे हराम नहीं जानते थे, लेकिन इस्लाम ने आकर इन दोनों को भी हराम किया। इसी वजह से इन दोनों की हुर्मत के बयान के साथ ही फ़रमा दिया कि जो निकाह हो चुके वे हो चुके।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि जो आज़ाद औ़रतें हराम हैं वही बाँदियाँ भी हराम हैं, हाँ अ़दद (संख्या) में हुक्म एक नहीं, यानी आज़ाद औ़रतें चार से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, बाँदियों के लिये यह हद नहीं। हज़रत शअ़बी भी यही फ़रमाते हैं। अबू उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज़रत उस्मान ने इस बारे में जो फ़रमाया है वही पहले बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त भी कहती है, जिनमें हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. भी हैं। लेकिन अव्वल तो इसकी नक़ल में ख़ुद उन ही हज़रात से बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) पड़ा हुआ है, दूसरे यह कि इस क़ौल की तरफ़ समझदार, पुख़्ता कार उलेमा-ए-किराम ने बिल्कुल भी तवज्जोह नहीं फ़रमाई और न इसे क़ुबूल किया। हिजाज़, इराक़, शाम, बल्कि पूरब व पश्चिम के तमाम फ़ुक़हा इसके ख़िलाफ़ हैं सिवाय उन चन्द के जिन्होंने अलफ़ाज़ को देखकर, बिना सोचे-समझे और ग़ौर व ख़ौज़ किये बग़ैर उनसे अलग राह इख़्तियार की है और इस इजमा (सर्वसम्मति) के ख़िलाफ़ किया है। कामिल इल्म वालों और सच्ची समझ-बूझ वालों का तो इत्तिफ़ाक़ है कि दो बहनों को जिस तरह निकाह में जमा नहीं कर सकते इसी तरह दो बाँदियों से भी जो आपस में बहनें हों मिल्कियत के सबब एक साथ मिलजुल नहीं सकते। इसी

तरह मुसलमानों का इजमा (इत्तिफ़ाक़े राय) है कि इस आयत में माँ, बेटी, बहन वग़ैरह हराम की गयी हैं उनसे जिस तरह निकाह हराम है इसी तरह अगरचे बाँदी बनकर मातहती में हों तो भी मेलजोल (यानी सोहबत और ख़िलाफ़े शरीअ़त निकाह) हराम है।

ग़र्ज़ कि निकाह की और मिल्कियत के बाद दोनों हालतों में ये सब की सब बराबर हैं। न उनसे निकाह करके मेलजोल हलाल है, न मिल्कियत के बाद मेलजोल हलाल। इसी तरह ठीक यही हुक्म दो बहनों के जमा करने का और सास और दूसरे शौहर से औ़रत की जो लड़की हो उसका है। ख़ुद उनके जमहूर का भी यही मज़हब है और यही वह दलील है जो उन चन्द मुख़ालिफ़ीन (इस मसले में दूसरी राह अपनाने वालों) पर पूरी सनद और कामिल हुज्जत है। ख़ुलासा यह कि दो बहनों को एक वक़्त में निकाह में रखना भी हराम और दो बहनों को बतौर बाँदी के रखकर उनसे मिलना-जुलना (यानी मियाँ-बीवी वाले ताल्लुक़ात क़ायम करना) भी हराम है।

अल्लाह का शुक्र है कि तफ़सीर इब्ने कसीर का चौथा पारा मुकम्मल हुआ।

पारा नम्बर पाँच

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ ۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

और वे औ़रतें जो कि शौहर वालियाँ हैं, मगर जो कि तुम्हारी मिल्क में आ जाएँ, अल्लाह तआ़ला ने इन अहकाम को तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है। और उन औ़रतों के अ़लावा और औ़रतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, यानी यह कि तुम उनको अपने मालों के ज़रिये से चाहो, इस तरह से कि तुम बीवी बनाओ, सिर्फ़ मस्ती ही निकालना न हो। फिर जिस तरीक़े से तुमने उन औ़रतों से फ़ायदा उठाया है सो उनको उनके मेहर दो जो कुछ मुक़र्रर हो चुके हैं। और मुक़र्रर होने के बाद भी जिस पर तुम आपस में रज़ामन्द हो जाओ उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े जानने वाले, बड़े हिक्मत वाले हैं। (24)

इन औ़रतों से निकाह हराम है

यानी शौहर वाली औ़रतें भी हराम हैं, हाँ काफ़िरों की जो औ़रतें जंग में क़ैद होकर तुम्हारे क़ब्ज़े में आयें तो एक हैज़ (माहवारी) गुज़रने के बाद वे तुम पर हलाल हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. से रिवायत है कि जंगे औतास में क़ैदी औ़रतें आईं जो शौहर वालियाँ थीं तो हमने नबी सल्ल. से उनके बारे में सवाल किया जिसके बारे में यह आयत उतरी और उनसे निकटता (सोहबत) हलाल की गई।

तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, सही मुस्लिम वग़ैरह में भी यह हदीस है। तबरानी की रिवायत है कि यह वाक़िआ़ जंगे ख़ैबर का है। बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त इस आयत के उमूम (हुक्म में आ़म होने) से इस्तिदलाल करती है कि बाँदी को उसके शौहर की तरफ़ से बेच डालना उसे तलाक़ का मिल जाना है। इब्राहीम रह. से जब यह मसला पूछा गया तो आपने हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. का यही फ़तवा बयान किया और इस आयत की तिलावत फ़रमाई। एक और सनद से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. ने फ़रमाया- जब कोई शौहर वाली लौंडी (बाँदी) बेची जाये तो उसके जिस्म का ज़्यादा हक़दार उसका मालिक है। हज़रत उबई बिन कअ़ब, हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का भी यही फ़तवा है कि उसका बिकना ही उसकी तलाक़ है। इब्ने जरीर में है कि लौंडी की तलाक़ें छह हैं, बेचना भी तलाक़ है, आज़ाद करना भी, हिबा करना भी, बराअत करना भी और उसके शौहर का तलाक़ देना भी।

हज़रत इब्ने मुसैयब रह. फ़रमाते हैं कि शौहर वाली औ़रतों से निकाह हराम है, लेकिन लौंडियाँ, कि उनकी तलाक़ उनका बिक जाना है। हज़रत मामर रह. और हज़रत हसन रह. भी यही फ़रमाते हैं। इन

बुज़ुर्गों का तो यह क़ौल है लेकिन जमहूर इनके मुख़ालिफ़ हैं, वे फ़रमाते हैं कि बेचना तलाक़ नहीं, इसलिये कि ख़रीदार बेचने वाले का नायब है और बेचने वाला उस नफ़े को अपनी मिल्कियत से निकाल रहा है और उसे उससे ख़त्म करके बेच रहा है। उनकी दलील हज़रत बरीरा रज़ि. वाली हदीस है जो सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) वग़ैरह में है, कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने जब उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया तो उनका निकाह हज़रत मुग़ीस से फ़स्ख़ (टूट) नहीं हो गया था बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन्हें फ़स्ख़ करने और बाक़ी रखने का इख़्तियार दिया, और हज़रत बरीरा रज़ि. ने फ़स्ख़ करने (ख़त्म करने और तोड़ने) को पसन्द किया। यह वाक़िआ़ मशहूर है। पस अगर बिक जाना ही तलाक़ होता तो जैसे इन बुज़ुर्गों का क़ौल है कि नबी करीम सल्ल. हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को उनके बिक जाने के बाद अपने निकाह के बाक़ी रखने न रखने का इख़्तियार न देते, इख़्तियार देना दलील है निकाह के बाक़ी रहने की। तो आयत में मुराद सिर्फ़ वे औ़रतें हैं जो जिहाद में क़ब्ज़े में आयें। वल्लाहु आलम।

और यह भी कहा गया है कि 'मुहसनात' से मुराद पाकदामन औ़रतें हैं। यानी आबरू वाली औ़रतें तुम पर हलाल हैं, जब तक कि तुम निकाह और गवाह और मेहर और वली से उनकी अ़स्मत के मालिक न बन जाओ, चाहे एक हो चाहे दो चाहे तीन चाहे चार। अबुल-आ़लिया और ताऊस रह. यही मतलब बयान फ़रमाते हैं। उमर और उबैदा रह. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि चार से ज़ायद औ़रतें तुम पर हराम हैं, हाँ लौडियों (बाँदियों) में यह गिनती नहीं। फिर फ़रमाया कि यह हुर्मत (हराम होना) अल्लाह तआ़ला ने तुम पर लिख दी है, यानी चार की। पस तुम उसकी किताब को लाज़िम पकड़ लो और उसकी हद से आगे न बढ़ो, उसकी शरीअ़त और उसके फ़राईज़ के पाबन्द रहो। यह भी कहा गया है कि हराम औ़रतें अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में ज़ाहिर कर दीं।

फिर फ़रमाता है कि जिन औ़रतों का हराम होना बयान कर दिया गया उनके अ़लावा और सब हैं। मतलब यह बयान किया गया है कि इन चार से कम तुम पर हलाल हैं। लेकिन यह क़ौल बहुत बईद (दूर की बात) और ख़िलाफ़े क़ियास है, और सही मतलब पहला ही है और यही हज़रत अ़ता रह. का क़ौल है। क़तादा रह. इसका यह मतलब बयान करते हैं कि इससे मुराद लौडियाँ हैं। यही आयत दलील है उन लोगों की जो दो बहनों के जमा करने की हिल्लत (हलाल और जायज़ होने) के क़ायल हैं, और उनकी भी जो कहते हैं कि एक आयत इसे हलाल करती है और दूसरी हराम। फिर फ़रमाया तुम इन हलाल औ़रतों को अपने माल से हासिल करो, चार तक तो आज़ाद औ़रतें, और लौडियों की तो कोई संख्या सीमा नहीं। इस फ़ायदे के मुक़ाबले का मेहर दे दिया करो। जैसे एक और आयत में है:

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ.

यानी तुम मेहर को औ़रतों से कैसे लोगे हालाँकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो। और फ़रमाया:

اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً.

औ़रतों के मेहर को ख़ुशी से दे दिया करो। एक और जगह फ़रमाया:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا........ الخ

तुमने जो कुछ औ़रतों को दे दिया हो उसमें से वापस लेना तुम पर हराम है।

मुता और उसकी हुर्मत

इस आयत से निकाह-ए-मुता पर इस्तिदलाल किया गया है कि बेशक मुता इस्लाम के शुरू ज़माने में मशरू (जायज़) था लेकिन फर मन्सूख़ (उसका हुक्म ख़त्म) हो गया। इमाम शाफ़ई रह. और उलेमा-ए-किराम की एक जमाअ़त ने फ़रमाया है कि दो मर्तबा मुता मुबाह (जायज़) हुआ, फिर मन्सूख़ हुआ। बाज़ कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बार मुबाह और मन्सूख़ हुआ। और बाज़ का क़ौल है कि सिर्फ़ एक बार मुबाह हुआ और फिर मन्सूख़ हो गया। फिर मुबाह नहीं हुआ। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और चन्द दूसरे सहाबा रज़ि. से ज़रूरत के वक़्त इसके मुबाह (जायज़ और गुंजाईश) होना नक़ल किया गया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रह. से भी एक रिवायत ऐसी ही मरवी है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि., उबई बिन कअ़ब रज़ि. सईद बिन जुबैर रज़ि. और सुद्दी रह. से 'मिन्हुन्-न' (कि तुम उन औ़रतों से लाभान्वित हुए) के बाद 'इला अ-जलिम् मुसम्मन्' (यानी एक तयशुदा मुद्दत तक) की क़िराअत मरवी है।

इमाम मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत निकाह-ए-मुता के बारे में नाज़िल हुई है, लेकिन जमहूर इसके ख़िलाफ़ हैं और इसका बेहतरीन फ़ैसला सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की हज़रत अ़ली रज़ि. वाली रिवायत कर देती है, जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर वाले दिन निकाह-ए-मुता से और पालतू गधों के गोश्त से मना फ़रमा दिया। इस हदीस के अलफ़ाज़ अहकाम की किताबों में मौजूद हैं। सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत सबरा बिन मअ़बद जोहनी रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि मक्का फ़तह होने वाली लड़ाई में वह नबी करीम सल्ल. के साथ थे। आपने इरशाद फ़रमाया ऐ लोगो! मैंने तुम्हें औ़रतों से मुता करने की रुख़्सत (छूट) दी थी, याद रखो बेशक अल्लाह तआ़ला ने इसे क़ियामत तक के लिये हराम कर दिया है, जिसके पास इस क़िस्म की कोई औ़रत हो उसे चाहिये कि उसे छोड़ दे, और तुमने जो कुछ उन्हें दे रखा हो उसमें से उनसे कुछ न लो।

सही मुस्लिम शरीफ़ की एक और रिवायत में है कि आपने आख़िरी हज में यह फ़रमाया था। हदीस कई अलफ़ाज़ से रिवायत है जिनकी तफ़सील अहकाम की किताबों में है। फिर फ़रमाया मुक़र्रर हो जाने के बाद भी अगर तुम रज़ामन्दी से कुछ तय कर लो तो कोई हर्ज नहीं। अगले जुमले को मुता पर महमूल करने वाले तो इसका मतलब यह बयान करते हैं कि जब निर्धारित मुद्दत गुज़र जाये फिर मुद्दत को बढ़ा लेने और जो दिया हो उसके अ़लावा और कुछ न देने में कोई गुनाह नहीं। सुद्दी रह. कहते हैं कि अगर चाहे तो पहले के मुक़र्ररा मेहर के बाद जो दे चुका है वक़्त के ख़त्म होने से पहले फिर कह दे कि मैं इतनी मुद्दत के लिये फिर मुता करता हूँ। पस अगर उसने रहम (गर्भ) की पाकीज़गी (यानी माहवारी आने अर्थात गर्भ के ख़ाली होने) से पहले ज़्यादती (बाद में बढ़ाई गयी रक़म व माल) ठहरा ली तो ठीक है और जब मुद्दत पूरी हो जाये फिर उसका कोई दबाव नहीं। वह औ़रत अलग हो जायेगी और एक हैज़ तक ठहरकर अपने रहम की सफ़ाई कर लेगी। उन दिनों में मीरास नहीं, न यह औ़रत उस मर्द की वारिस होगी, न यह मर्द उस औ़रत का। और जिन हज़रात ने इस जुमले को निकाहे मस्नून के मेहर से संबन्धित माना है उनके नज़दीक तो मतलब साफ़ है कि मेहर की अदायगी की ताकीद बयान हो रही है। जैसे फ़रमाया कि मेहर आसानी और ख़ुशी से दे दिया करो। हाँ अगर मेहर के मुक़र्रर हो जाने के बाद औ़रत अपने पूरे हक़ को या थोड़े हक़ को छोड़ दे, माफ़ कर दे, उससे अलग हो जाये तो मियाँ-बीवी में से किसी पर कोई गुनाह नहीं। हज़रत हज़रमी रह. फ़रमाते हैं कि लोग मेहर मुक़र्रर कर देते हैं फिर मुम्किन है कि तंगी हो जाये, तो अगर औ़रत

अपना हक़ छोड़ दे तो जायज़ है। इमाम इब्ने जरीर रह. भी इसी क़ौल को पसन्द करते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मुराद यह है कि मेहर की रक़म पूरी-पूरी उसके हवाले कर दे, फिर उसे बसने (यानी वहीं ठहरे रहने) और अलग हो जाने का पूरा-पूरा इख़्तियार दे।

आगे इरशाद होता है कि अल्लाह अ़लीम व हकीम है, इन अहकाम में जो हिल्लत व हुर्मत के मुताल्लिक़ हैं, जो हिक्मतें और मस्लेहतें हैं उन्हें वही अच्छी तरह जानता है।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ ۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ع

और जो शख़्स तुम में पूरी ताक़त और गुंजाईश न रखता हो आज़ाद मुसलमान औ़रतों से निकाह करने की तो वह अपने आपस की मुसलमान बाँदियों से जो कि तुम लोगों की मिल्क में हैं, निकाह कर ले। और तुम्हारे ईमान की पूरी हालत अल्लाह ही को मालूम है, तुम आपस में एक-दूसरे के बराबर हो। सो उनसे निकाह कर लिया करो उनके मालिकों की इजाज़त से, और उनको उनके मेहर क़ायदे के मुवाफ़िक़ दे दिया करो, इस तौर पर कि वे निकाह में लाई जाएँ, न तो खुले-आ़म बदकारी करने वाली हों और न छुपे ताल्लुक़ात रखने वाली हों। फिर जब वे बाँदियाँ निकाह में लाई जाएँ, फिर अगर वे बड़ी बेहयाई का काम (ज़िना) करें तो उन पर उस सज़ा से आधी सज़ा होगी जो आज़ाद औ़रतों पर होती है। यह उस शख़्स के लिए है जो तुममें ज़िना का अन्देशा रखता हो, और ज़ब्त (बरदाश्त) करना ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह तआ़ला बड़े बख़्शने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। (25)

एक इजाज़त

इरशाद होता है कि जिसे आज़ाद मुसलमान औ़रतों से निकाह करने की वुस्अ़त व क़ुदरत न हो। रबिआ़ फ़रमाते हैं 'तौल' लफ़्ज़ से मुराद इरादा व ख़्वाहिश यानी लौंडी (बाँदी) से निकाह की इच्छा है। इमाम इब्ने जरीर रह. ने इस क़ौल को नक़ल करके फिर इसे ग़लत क़रार दिया है। मतलब यह है कि ऐसा हाल जब हो तो मुसलमानों की मिल्कियत में जो मुसलमान लौंडियाँ हैं उनसे वह निकाह कर ले। तमाम कामों की हक़ीक़त अल्लाह तआ़ला पर ज़ाहिर है, तुम तो सिर्फ़ ज़ाहिर की चीज़ों को देखने वाले हो, तुम सब आज़ाद ग़ुलाम ईमानी रिश्ते में आपस में एक हो। लौंडियों से निकाह उनके मालिकों की इजाज़त से

किया करो।

मालूम हुआ कि लौंडी (बाँदी) का वली उसका सरदार है, उसकी इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह आयोजित नहीं हो सकता। इसी तरह ग़ुलाम भी अपने सरदार की रज़ामन्दी हासिल किये बग़ैर अपना निकाह नहीं कर सकता। हदीस में है कि जो ग़ुलाम बग़ैर अपने आक़ा की इजाज़त के अपना निकाह कर ले वह ज़ानी है, हाँ अगर किसी लौंडी की मालिका कोई औरत न हो तो उसकी इजाज़त से उस लौंडी का निकाह वह कराये जो औरत का निकाह करा सकता है। क्योंकि हदीस में है कि औरत औरत का निकाह न कराये, न औरत अपना निकाह कराये। वे औरतें ज़िनाकार हैं जो अपना निकाह ख़ुद करती हैं।

फिर फ़रमाया कि औरतों के मेहर ख़ुशी और रज़ामन्दी से दे दिया करो, घटाकर कम करके तकलीफ़ पहुँचाकर लौंडी समझकर कमी करके न दो। फिर फ़रमाया कि देख लिया करो ये औरतें बदकारी की तरफ़ ख़ुद माईल न हों, न ऐसी हों कि अगर कोई इनकी तरफ़ माईल हो तो ये ख़ुद झुक जायें। यानी न तो खुलेआम ज़िनाकार हों न ख़ुफ़िया बदकिरदार हों कि इधर-उधर ताल्लुक़ात क़ायम करती फिरें और चुप चुपाते दोस्त आशना बनाती जायें। जो ऐसी बद-किरदार (बुरे आचरण वाली) हों उनसे निकाह करने को अल्लाह तआ़ला मना फ़रमा रहा है। 'उहसिनू-न' की दूसरी क़िराअत 'अह-स-न' भी है, कहा गया है कि दोनों के मायने एक ही हैं। यहाँ 'एहसान' से मुराद इस्लाम है या निकाह वाली हो जाना है।

इब्ने अबी हातिम की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि उनका 'एहसान' इस्लाम और आबरू है, लेकिन यह हदीस मुन्कर है, इसमें कमज़ोरी भी है, एक रावी का नाम नहीं। ऐसी हदीस हुज्जत के लायक़ नहीं होती। दूसरा क़ौल यह है कि 'एहसान' से मुराद निकाह है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., मुजाहिद रह., इक्रिमा रह., ताऊस बिन ज़ुबैर रह. हसन रह., क़तादा रह. वग़ैरह का यही क़ौल है। इमाम शाफ़ई रह. से अबू अ़ली तबरी रह. ने अपनी किताब 'ईज़ाह' में यही नक़ल किया है। मुजाहिद फ़रमाते हैं कि लौंडी का मोहसना होना यह है कि वह किसी आज़ाद के निकाह में चली जाये। इसी तरह ग़ुलाम का 'एहसान' यह है कि वह किसी आज़ाद मुस्लिम औरत से निकाह कर ले। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यह मन्क़ूल है। इमाम शअ़बी और इमाम नख़ई रह. भी यही कहते हैं। यह भी कहा गया है कि इन दोनों क़िराअतों के एतिबार से मायने कभी बदल जाते हैं- 'उहसिनू-न' से मुराद तो निकाह है और 'अह-स-न' से मुराद इस्लाम है। इमाम इब्ने जरीर इसी को पसन्द फ़रमाते हैं, लेकिन बज़ाहिर मुराद यहाँ निकाह करना ही है। वल्लाहु आलम।

इसलिये कि आयत के मज़मून की दलालत इसी पर है। ईमान का ज़िक्र तो लफ़्ज़ों में मौजूद है। बहरहाल दोनों सूरत जमहूर के मज़हब के मुताबिक़ आयत के मायने में अभी इश्काल बाक़ी है, इसलिये कि जमहूर का क़ौल है कि लौंडी को ज़िना की वजह से पचास कोड़े लगाये जायेंगे चाहे वह मुस्लिमा हो या काफ़िरा, शादीशुदा हो या ग़ैर-शादीशुदा, इसके बावजूद कि आयत के मफ़हूम का तक़ाज़ा यह है कि ग़ैर-मोहसना (बिना शादी शुदा) लौंडी पर हद न ही हो, पस इसके मुख़्तलिफ़ जवाबात हुए हैं। जमहूर का क़ौल यह है कि बेशक अलफ़ाज़ मफ़हूम पर मुक़द्दम हैं। इसलिये हमने उन आ़म हदीसों को जिनमें लौंडियों को हद मारने का बयान है इस आयत के मफ़हूम पर मुक़द्दम किया। सही मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत अ़ली ने अपने ख़ुतबे में फ़रमाया- लोगो! अपनी लौंडियों (बाँदियों) पर हदें क़ायम रखो, वे मोहसना (शौहर वाली यानी शादी शुदा) हों या न हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे अपने लौंडी के ज़िना पर हद मारने को फ़रमाया। चूँकि वह निफ़ास (बच्चे की पैदाईश के बाद ख़ून आने की हालत) में थी इसलिये मुझे डर लगा कि कहीं हद (सज़ा) के कोड़े लगने से यह मर न जाये, चुनाँचे मैंने उस वक़्त उसे हद

न लगाई और हुज़ूर सल्ल. की ख़िदमत में वाक़िआ बयान किया तो आपने फ़रमाया तुमने अच्छा किया, जब तक वह ठीक-ठाक न हो जाये हद न मारना। मुस्नद अहमद में है कि आपने फ़रमाया- जब यह निफ़ास से फ़ारिग़ हो तो इसे पचास कोड़े लगाना।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्ल. को फ़रमाते सुना था- जब तुम में से किसी की लौंडी (बाँदी) ज़िना करे और ज़िना ज़ाहिर हो जाये तो उसे वह हद मारे और बुरा भला न कहे। फिर अगर दोबारा ज़िना करे तो भी हद लगाये और डाँट-डपट न करे। फिर अगर तीसरी बार ज़िना करे और ज़ाहिर हो तो उसे बेच डाले अगरचे रस्सी के टुकड़े के बदले ही हो। और सही मुस्लिम में है कि जब तीन बार यह फ़ेल उससे सर्ज़द हो जाये तो चौथी दफ़ा उसे फ़रोख़्त कर डाले। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़य्याश बिन अबू रबीआ़ मख़ज़ूमी फ़रमाते हैं कि हम चन्द क़ुरैशी नौजवानों को हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने इमारत की (यानी सरकारी) बाँदियों में से कई एक पर हद जारी करने को फ़रमाया, हमने उन्हें ज़िना की हद में पचास-पचास कोड़े लगाये। दूसरा जवाब उनका यह है जो इस बात की तरफ़ गए हैं कि लौंडी पर बग़ैर 'एहसान' (यानी शादी हुए बग़ैर) हद नहीं, वह फ़रमाते हैं कि यह मारना सिर्फ़ बतौर अदब सिखाने और बाज़ रखने के लिये है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. इसी तरफ़ गए हैं। इमाम ताऊस, अबू उबैद, दाऊद ज़ाहिरी का मज़हब भी यही है। उनकी बड़ी दलील आयत का मफ़हूम है और यह शर्त के मफ़हूमों में से है, और अक्सर के नज़दीक यह हुज्जत है। इसलिये उनके नज़दीक मफ़हूम उमूम (आयत के आ़म होने) पर मुक़द्दम हो सकता है, और अबू हुरैरह रज़ि. और ज़ैद बिन ख़ालिद की हदीस जिसमें है कि नबी करीम सल्ल. से पूछा गया कि जब लौंडी ज़िना करे और मोहसना न हो यानी निकाह वाली न हो तो क्या किया जाये? आपने फ़रमाया अगर वह ज़िना करे तो उसे हद (सज़ा) लगाओ, फिर ज़िना करे तो फिर कोड़े लगाओ, फिर बेच डाले अगरचे एक रस्सी के टुकड़े के बदले ही क्यों न बेचना पड़े। हदीस को रिवायत करने वाले इब्ने शिहाब रह. फ़रमाते हैं- मैं नहीं जानता कि तीसरी मर्तबा के बाद यह (यानी बेचने को) फ़रमाया या चौथी मर्तबा के बाद। पस इस हदीस के मुताबिक़ वह फ़रमाते हैं कि देखो यहाँ हद की मात्रा और कोड़ों की तायदाद बयान नहीं फ़रमाई जैसे कि मोहसना के बारे में साफ़ फ़रमा दिया है, और जैसे कि क़ुरआन में मुक़र्रर तौर पर फ़रमाया गया कि मोहसना (शौहर वाली) के मुक़ाबले में आधी हद उन पर है। पस आयत व हदीस में इस तरह ततबीक़ देनी (यानी जोड़ बिठाना और मुवाफ़क़त पैदा करना) वाजिब हो गई। वल्लाहु आलम।

इससे भी ज़्यादा स्पष्ट वह रिवायत है जो सईद बिन मन्सूर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी लौंडी पर हद (सज़ा) नहीं जब तक कि वह एहसान वाली न हो जाये, यानी जब तक कि वह निकाह वाली न हो जाये। पस जब ख़ाविन्द वाली बन जाये तो उस पर आधी हद है उस हद के मुक़ाबले में जो आज़ाद निकाह वालियों पर है। यह हदीस इब्ने ख़ुज़ैमा में भी है, लेकिन वह फ़रमाते हैं कि इसे मरफ़ूअ़ करना ख़ता है, यह मौक़ूफ़ है, यानी हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है। यह रिवायत बैहक़ी में भी है और आपका भी यही फ़ैसला है, और कहते हैं कि हज़रत अ़ली और हज़रत उमर वाली हदीसें एक वाक़िए का फ़ैसला हैं। और अबू हुरैरह रज़ि. वाली हदीस के भी कई जवाबात हैं, एक तो यह कि यह महमूल है उस पर जो लौंडी शादी शुदा हो, इस तरह इन दोनों हदीसों में ततबीक़ (आपस में मुवाफ़क़त) और जमा हो जाती है दूसरे यह कि इस हदीस में लफ़्ज़ हद किसी रावी का दाख़िल किया हुआ है और इसकी दलील जवाब का जुमला है। तीसरा जवाब यह है कि यह हदीस दो सहाबा की है और वह हदीस सिर्फ़ एक सहाबी की है, और दो वाली एक पर मुक़द्दम है, और इसी तरह

यह हदीस नसाई में भी मरवी है और मुस्लिम की शर्त पर इसकी सनद है कि हज़रत इबाद बिन तमीम अपने चचा से जो बद्री सहाबी थे, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- जब लौंडी (बाँदी) ज़िना करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर जब ज़िना करे तो कोड़े मारो, फिर जब ज़िनाकारी करे तो बेच दो अगरचे एक रस्सी के टुकड़े के बदले ही बेचना पड़े (यानी उसको अपने पास मत रखो फ़ौरन किसी भी क़ीमत पर बेच दो)।

चौथा जवाब यह है कि यह भी बईद नहीं कि किसी रावी ने कोड़े लगाने पर लफ़्ज़ हद का इतलाक़ कर दिया और उसने कोड़े मारने को हद ख़्याल कर लिया हो, या लफ़्ज़ हद का इतलाक़ तंबीह और अनुशासन के तौर पर सज़ा देने पर कर दिया हो, जैसे कि लफ़्ज़ हद का इतलाक़ उस सज़ा पर भी किया गया है जो बीमार ज़ानी को खजूर का एक ख़ोशा मारा था जिसमें एक सौ छोटी-छोटी शाख़ें थीं, और जैसे कि लफ़्ज़ हद का इतलाक़ उस शख़्स पर भी किया गया है जिसने अपनी बीवी की उस लौंडी से ज़िना किया हो जिसे बीवी ने उसके लिये हलाल कर दी थी, हालाँकि सौ कोड़ों का लगना ताज़ीर के तौर पर सिर्फ़ एक सज़ा है जैसे कि इमाम अहमद वग़ैरह बुज़ुर्गों का ख़्याल है, असली हद सिर्फ़ यह है कि कुंवारे को सौ कोड़े और ब्याहे को रजम। वल्लाहु आलम।

इब्ने माजा वग़ैरह में हज़रत सईद बिन जुबैर रह. का फ़रमान है कि लौंडी ने जब तक निकाह नहीं किया उसे ज़िना पर मारा न जाये। इसकी सनद तो सही है लेकिन मायने दो हो सकते हैं, एक तो यह कि बिल्कुल मारा ही न जाये, न हद न और कुछ, तो यह क़ौल बिल्कुल ग़रीब है, मुम्किन है आयत के अलफ़ाज़ पर नज़र करके यह फ़तवा दे दिया हो, और हदीस न पहुँची हो। दूसरे मायने यह हैं कि हद के तौर पर न मारा जाये। पस यह हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह के फ़तवे के मुताबिक़ हो जायेगा। वल्लाहु आलम।

तीसरा जवाब यह है कि आयत में इशारा है कि मोहसना लौंडी पर आज़ाद औ़रतों के आधी हद है, लेकिन मोहसना होने से पहले किताब व सुन्नत के उमूम में यह भी शामिल है कि उसे भी सौ कोड़े मारे जायें जैसे अल्लाह तबारक व तआ़ला का फ़रमान है:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

यानी ज़िनाकार औ़रत और ज़िनाकार मर्द को हर एक को सौ कोड़े मारो।

और जैसे हदीस में है, हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि मेरी बात ले लो, मेरी बात समझ लो, अल्लाह ने उनके लिये रास्ता दिया अगर दोनों जानिब ग़ैर-शादी शुदा हैं तो सौ कोड़े और एक साल की जिला-वतनी। और अगर दोनों तरफ़ शादी शुदा हैं तो सौ कोड़े और पत्थरों से रजम कर देना। यह हदीस सही मुस्लिम शरीफ़ की है और इसी तरह और हदीसें भी हैं। हज़रत दाऊद बिन अ़ली ज़ाहिरी रह. का यह क़ौल है लेकिन यह सख़्त ज़ईफ़ है, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने मोहसना लौंडियों (निकाह वाली बाँदियों) पर आज़ाद के मुक़ाबले के आधे कोड़े मारने का अ़ज़ाब बयान फ़रमाया, यानी पचास कोड़े। तो फिर जब तक वे मोहसना न हों इससे भी ज़्यादा सज़ा की सज़ावार (पात्र) कैसे हो सकती हैं? हालाँकि शरई क़ायदा यह है कि एहसान (शौहर वाली होने) से पहले कम सज़ा और एहसान के बाद ज़्यादा सज़ा है। फिर इसके उलट कैसे सही हो सकता है। देखिये नबी करीम सल्ल. से आपके सहाबा ग़ैर-शादी शुदा लौंडी के ज़िना की सज़ा पूछते हैं और आप उन्हें जवाब देते हैं कि उसे कोड़े मारो, लेकिन यह नहीं फ़रमाते कि एक सौ कोड़े लगाओ। पस अगर उसका हुक्म वही होता जो दाऊद समझते हैं तो उसे बयान कर देना हुज़ूर सल्ल. पर

वाजिब था, इसलिये कि यह सवाल तो सिर्फ़ इसी वजह से था कि लौंडी के शादी शुदा हो जाने के बाद उसे सौ कोड़े मारने का बयान नहीं, वरना इस क़ैद के लगाने की क्या ज़रूरत थी कि सवाल में कहते वह ग़ैर-शादी शुदा है, क्योंकि फिर तो शादी शुदा और ग़ैर-शादी शुदा में कोई फ़र्क़ ही न रहा अगर यह आयत उतरी हुई न होती, लेकिन चूँकि इन दोनों सूरतों में से एक का इल्म तो उन्हें हो चुका था इसलिये दूसरी के बारे में सवाल किया और हुज़ूर सल्ल. ने जवाब देकर मालूम करा दिया। जैसे सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में है कि जब सहाबा रज़ि. ने हुज़ूर सल्ल. से आप पर दुरूद पढ़ने के बारे में सवाल पूछा तो आपने उसे बयान फ़रमाया और फ़रमाया सलाम तो इसी तरह है जिस तरह तुम जानते हो। और एक रिवायत में है कि जब अल्लाह का फ़रमान "या अय्युहल्लज़ी-न आमनू सल्लू अ़लैहि व सल्लिमू तस्लीमा" नाज़िल हुआ और सलात व सलाम आप पर भेजने का ख़ुदा तआ़ला ने हुक्म दिया तो सहाबा रज़ि. ने कहा कि सलाम का तरीक़ा और उसके अलफ़ाज़ तो हमें मालूम हैं, सलात की कैफ़ियत बयान फ़रमाईये......।

पस ठीक इसी तरह यह सवाल है आयत के मतलब का। चौथा जवाब अबू सौर का है जो दाऊद के जवाब से ज़्यादा ग़रीब और हल्का है। वह फ़रमाते हैं कि जब लौंडियाँ शादी शुदा हो जायें तो उनकी ज़िनाकारी की हद उन पर आधी है, उस हद की जो शादी शुदा आज़ाद औ़रतों की ज़िनाकारी की हद है। तो ज़ाहिर है कि आज़ाद औ़रतों की हद इस सूरत में रजम है और यह भी ज़ाहिर है कि रजम आधा नहीं हो सकता, तो लौंडी को इस सूरत में रजम करना पड़ेगा और शादी से पहले उसे पचास कोड़े लगेंगे, क्योंकि इस हालत में आज़ाद औ़रतों पर सौ कोड़े हैं। पस दर असल आयत का मतलब समझने में उससे ख़ता हुई और इसमें जमहूर की भी मुख़ालफ़त और विरोध है, बल्कि इमाम शाफ़ई रह. तो फ़रमाते हैं कि किसी मुसलमान का इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) ही नहीं कि मम्लूक पर ज़िना की सज़ा में रजम है ही नहीं। इसलिये कि आयत दलालत (इशारा) करती है कि उन पर मोहसनात का आधा अ़ज़ाब (सज़ा) है, और मोहसनात के लफ़्ज़ में जो अलिफ़ लाम है वह अ़हद का है, यानी मोहसनात जिनका बयान आयत के शुरू में "व मल्लम् यस्ततिअ् मिन्कुम तौलन् अंय्यन्किहल् मोहसनाति" (यानी जो तुम में से इसकी गुंजाईश न रखता हो कि आज़ाद मुसलमान औ़रतों से निकाह करे) में गुज़र चुका है। मुराद सिर्फ़ आज़ाद औ़रतें हैं। इस वक़्त यहाँ आज़ाद औ़रतों के निकाह के मसले की बहस नहीं, बहस यह है कि उन पर ज़िनाकारी की जो सज़ा थी उससे आधी सज़ा इन लौंडियों पर है। तो मालूम हुआ कि यह उस सज़ा का ज़िक्र है जो आधी हो सकती है, और वह कोड़े हैं कि सौ से आधे पचास रह जायें, रजम यानी संगसार करना ऐसी सज़ा है जिसके हिस्से नहीं हो सकते। वल्लाहु आलम।

मुस्नद अहमद में एक वाक़िआ़ है जो अबू सौर के मज़हब की पूरी तरदीद करता है। उसमें है कि सफ़िया लौंडी (बाँदी) ने एक ग़ुलाम से ज़िना किया और उसी ज़िना से बच्चा हुआ, जिसका दावा ज़ानी ने किया। मुक़द्दमा हज़रत उस्मान रज़ि. के पस पहुँचा तो आपने हज़रत अ़ली रज़ि. को इसका मामला हल करने के लिये सौंपा। हज़रत अ़ली रज़ि. ने फ़रमाया मैं इसमें वही फ़ैसला करूँगा जो रसूलुल्लाह सल्ल. का फ़ैसला है। बच्चा तो उसका समझा जायेगा जिसकी यह लौंडी है, और ज़ानी को पत्थर मिलेंगे। फिर उन दोनों को पचास-पचास कोड़े लगाये गए। यह भी कहा गया है कि मफ़हूम से मुराद तंबीह है आला के साथ अदना पर, यानी जबकि वे शादी शुदा हों तो उन पर आज़ाद औ़रतों के मुक़ाबले में आधी हद है, पस उन पर रजम तो सिरे से किसी सूरत में है ही नहीं, न निकाह से पहले न निकाह के बाद, दोनों हालतों में सिर्फ़ कोड़े हैं, जिसकी दलील हदीस है। 'इफ़साह' के लेखक यही फ़रमाते हैं। और हज़रत इमाम शाफ़ई रह. से

भी इसी को ज़िक्र करते हैं। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब "सुनन व आसार" में इसका ज़िक्र किया है लेकिन यह क़ौल आयत के अलफ़ाज़ से बहुत दूर है। इस तरह कि आधी हद होने की दलील सिर्फ़ आयत है, इसके सिवा कुछ नहीं। पस इसके सिवा में आधा होना किस तरह समझ जायेगा। और यह भी कहा गया है कि मतलब यह है कि शादी शुदा होने की हालत में सिर्फ़ इमाम ही हद क़ायम कर सकता है, उस लौंडी का मालिक उस हाल में उस पर हद जारी नहीं कर सकता।

इमाम अहमद रह. के मज़हब में एक क़ौल यही है, हाँ शादी से पहले उसके मालिक को हद जारी करने का इख़्तियार बल्कि हुक्म है, लेकिन दोनों सूरतों में हद आधी ही आधी रहेगी और यह भी ख़िलाफ़े क़ियास है, इसलिये कि आयत में इसकी दलालत भी नहीं। और अगर यह आयत न होती तो हम नहीं जान सकते थे कि लौंडियों के बारे में आधी हद है और उस सूरत में उन्हें भी उमूम पर दाख़िल करके पूरी हद यानी सौ कोड़े और रजम करना भी जारी करना वाजिब हो जाता जैसे कि आम रिवायतों से साबित है।

हज़रत अली रज़ि. से रिवायत है कि लोगो! अपने मातहतों पर हद जारी करो, शादी शुदा हों या ग़ैर-शादी शुदा। और वे आम हदीसें जो पहले गुज़र चुकी हैं उनमें ख़ाविन्द वाली और कुंवारी की कोई तफ़सील नहीं। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की हदीस जिससे जमहूर ने दलील पेश की है यह है कि जब तुम में से किसी की लौंडी (बाँदी) ज़िना करे और फिर उसका ज़िना ज़ाहिर हो जाये तो उसे चाहिये कि उस पर हद जारी करे और डाँट-डपट न करे।

ग़र्ज़ कि लौंडी की ज़िना की हद में कई क़ौल हैं, एक तो यह कि जब तक उसका निकाह नहीं हुआ उसे पचास कोड़े मारे जायेंगे और निकाह होने के बाद भी यही हद रहेगी। उसे जिला-वतन (वतन से निकालना) भी किया जायेगा या नहीं, इसमें तीन क़ौल हैं, एक यह कि जिला-वतनी होगी, दूसरे यह कि न होगी, तीसरे यह कि जिला-वतनी में आधे को ध्यान में रखा जायेगा, यानी छह महीने का देस निकाला दिया जायेगा न कि पूरे साल का, पूरा साल आज़ाद औरतों के लिये है। ये तीनों क़ौल इमाम शाफ़ई रह. के मज़हब में हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक जिला-वतनी ताज़ीर (तंबीह और डाँट-डपट) के तौर पर है, वह हद में से नहीं है। इमाम (हाकिम) की राय पर निर्भर है, अगर चाहे जिला-वतन करे या न करे। मर्द औरत सब इसी हुक्म में दाख़िल हैं। हाँ इमाम मालिक रह. के मज़हब में है कि जिला-वतनी (देस-निकाला) सिर्फ़ मर्दों के लिये है औरतों पर नहीं। इसलिये कि जिला-वतनी सिर्फ़ उसकी हिफ़ाज़त के लिये है, अगर औरत को जिला-वतन किया गया तो हिफ़ाज़त में से निकल जायेगी और मर्दों या औरतों के बारे में देस-निकाले की हदीस सिर्फ़ हज़रत उबादा और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस ज़ानी के बारे में जिसकी शादी नहीं हुई थी, हद लगाने और एक साल देस-निकाला देने का हुक्म फ़रमाया था। (बुख़ारी) इससे मक़सद यही है कि उसकी हिफ़ाज़त रहे और औरत को वतन से निकाले जाने में यह हिफ़ाज़त बिल्कुल ही नहीं हो सकती। वल्लाहु आलम।

दूसरा क़ौल यह है कि लौंडी को उसकी ज़िनाकारी पर शादी के बाद पचास कोड़े मारे जायेंगे और तंबीह (धमकी और डाँट) के लिये उससे कुछ मार-पीट की जायेगी, लेकिन उसकी कोई मुक़र्रर गिनती नहीं। पहले गुज़र चुका है कि शादी से पहले उसे मारा न जाये जैसे हज़रत सईद बिन मुसैयब का क़ौल है, लेकिन अगर इससे यह मुराद लिया जाये कि सिरे से कुछ मारना ही नहीं चाहिये तो यह तावीली मज़हब होगा, वरना दूसरे क़ौल में इसे दाख़िल किया जा सकता है। और क़ौल यह है कि शादी से पहले सौ कोड़े और शादी के बाद पचास, जैसे कि दाऊद का क़ौल है और यह ज़ईफ़ क़ौल है। और यह कि शादी से पहले

पचास कोड़े और उसके बाद रजम, जैसे कि अबू सौर का क़ौल है। लेकिन यह क़ौल भी कमज़ोर है। वल्लाहु तआ़ला आलमु बिस्सवाब।

फिर फ़रमान है कि लौंडियों पर निकाह करना इन शर्तों की मौजूदगी में जो बयान हुईं उनके लिये है जिन्हें ज़िना में मुलव्वस (लिप्त) होने का ख़तरा और अकेले रहना उन पर बहुत शाक़ (भारी) गुजर रहा हो, इसकी वजह से सख़्त तकलीफ़ में हो, तो बेशक उसे पाकदामन लौंडियों से निकाह कर लेना चाहिये, अगरचे इस हालत में भी अपने नफ़्स को रोके रखना और उनसे निकाह न करना बहुत बेहतर है। इसलिये कि उससे जो औलाद होगी वह उसके मालिक की लौंडी ग़ुलाम होगी, हाँ अगर ख़ाविन्द ग़रीब हो तो उसकी यह औलाद उसके आक़ा की मिल्कियत इमाम शाफ़ई रह. पुराने क़ौल के मुताबिक़ न होगी। फिर फ़रमाया- अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिये अफ़ज़ल है और अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। जमहूर उलेमा ने इस आयत से इस्तिदलाल किया (यानी दलील पकड़ी) है कि लौंडी (बाँदी) से निकाह जायज़ है, लेकिन यह ज़रूरी है कि उस वक़्त में है जब आज़ाद औ़रतों से निकाह करने की ताक़त न हो, और न रुके रहने की ताक़त हो, बल्कि ज़िना में मुलव्वस होने का ख़ौफ़ हो। क्योंकि इसमें एक ख़राबी तो यह है कि औलाद ग़ुलामी में जाती है, दूसरे एक तरह की सुबकी (यानी सामाजिक तौर पर हल्कापन और बेइज़्ज़ती) है, कि आज़ाद औ़रतों से हटकर लौंडियों की तरफ़ मुतवज्जह हों। हाँ जमहूर के मुख़ालिफ़ इमाम अबू हनीफ़ा रह. और उनके साथी हैं, वे कहते हैं कि ये दोनों बातें शर्त नहीं बल्कि जिसके निकाह में कोई आज़ाद औ़रत न हो उसे लौंडी से निकाह जायज़ है, वह लौंडी चाहे मोमिना हो चाहे अहले किताब में से हो। चाहे उसे आज़ाद औ़रत से निकाह करने की ताक़त भी हो और चाहे उसे बदकारी का ख़ौफ़ भी न हो। इसकी बड़ी दलील यह आयत है:

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

यानी पाकदामन औ़रतें उनमें से जो तुमसे पहले किताबुल्लाह दिये गए।

पस वे कहते हैं कि यह आयत आ़म है, आज़ाद ग़ैर-आज़ाद सबको शामिल है। और 'मोहसनात' से मुराद पाकदामन आबरू वाली औ़रतें हैं। लेकिन इसकी ज़ाहिरी दलालत भी उसी मसले पर है जो जमहूर का मज़हब है।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۣ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर है कि तुम से बयान कर दे और तुम से पहले लोगों के हालात तुम्हें बता दे और तुम पर तवज्जोह फ़रमाए, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़े हिक्मत वाले हैं। (26) और अल्लाह तआ़ला को तो तुम्हारे हाल पर तवज्जोह फ़रमाना मन्ज़ूर है। और जो लोग शहवत-परस्त हैं वे यूँ चाहते हैं कि तुम बड़े भारी कजी "यानी टेढ़पन" में पड़ जाओ। (27) अल्लाह को तुम्हारे साथ तख़्फ़ीफ़ "यानी कमी और सहूलियत करना" मन्ज़ूर है और आदमी कमज़ोर पैदा किया गया है। (28)

अहकाम स्पष्ट तौर पर बयान किये जाते हैं

इरशाद होता है कि ऐ मोमिनो! ख़ुदा इरादा कर चुका है कि हलाल व हराम तुम पर खोल-खोलकर बयान फ़रमा दे जैसे कि इस सूरत में और दूसरी सूरतों में उसने बयान फ़रमाया। वह चाहता है कि अगले (यानी पहले गुज़रे) लोगों की इत्तिबा और पैरवी के क़ाबिल राहें तुम्हें समझा दे ताकि तुम उसकी उस शरीअ़त पर अ़मल करो जो उसकी महबूब और रज़ामन्दी वाली है। वह चाहता है कि तुम्हारी तौबा क़बूल फ़रमा ले, जिस गुनाह से जिस हराम कारी से तुम तौबा करो वह फ़ौरन क़बूल फ़रमा लेता है। वह इल्म व हिक्मत वाला है। अपनी शरीअ़त, अपने अन्दाज़े, अपने काम और अपने फ़रमान में वह सही इल्म और कामिल हिक्मत रखता है। नफ़्सानी इच्छा के पैरोकार यानी शैतानों के ग़ुलाम यहूद व ईसाई और बदकार लोग तुम्हें हक़ से हटाना और बातिल की तरफ़ झुकाना चाहते हैं, अल्लाह तआ़ला अपने हुक्म अहकाम में, रोकने हटाने में, शरीअ़त और अन्दाज़े मुक़र्रर करने में तुम्हारे लिये आसानियाँ चाहता है, और इसी बिना पर चन्द शर्तों के साथ उसने लौंडियों (बाँदियों) से निकाह कर लेना तुम पर हलाल कर दिया।

इनसान चूँकि पैदाईशी कमज़ोर है इसलिये ख़ुदा ने अपने अहकाम में कोई सख़्ती नहीं रखी। यह अपनी ज़ात के एतिबार से भी कमज़ोर, इसके इरादे और हौसले भी कमज़ोर, ये औ़रतों के बारे में भी कमज़ोर, यहाँ आकर बिल्कुल बेवक़ूफ़ बन जाने वाला। चुनाँचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेराज की रात में सिद्रतुल-मुन्तहा से लौटे और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई तो आपने दरियाफ़्त किया कि आप पर क्या फ़र्ज़ किया गया? फ़रमाया हर दिन रात में पचास नमाज़ें। कलीमुल्लाह ने फ़रमाया वापस जाईये और ख़ुदा से कमी तलब कीजिये, आपकी उम्मत में इसकी ताक़त नहीं, मैं आपसे पहले लोगों का तजुर्बा कर चुका हूँ वे इससे बहुत कम में घबरा गए थे और आपकी उम्मत तो कानों आँखों और दिल की कमज़ोरी में उनसे भी बढ़ी हुई है। चुनाँचे आप वापस गए दस माफ़ करा लाये, फिर भी यही बातें हुईं फिर गए फिर दस कम हुईं, यहाँ तक कि आख़िरी मर्तबा में पाँच ही रह गईं।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ○ إِن

ऐ ईमान वालो! आपस में एक-दूसरे के माल नाहक़ तौर पर मत खाओ, लेकिन कोई तिजारत हो जो आपसी रज़ामन्दी से हो तो हर्ज नहीं, और तुम एक-दूसरे को क़त्ल भी मत करो, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला तुम पर बड़े मेहरबान हैं। (29) और जो शख़्स ऐसा फ़ेल "यानी काम" करेगा इस तौर पर कि हद से गुज़र जाये और इस तौर पर कि ज़ुल्म करे, तो हम जल्द ही उसको आग में दाख़िल करेंगे, और यह (काम) ख़ुदा तआ़ला को आसान है। (30) जिन कामों से तुमको मना किया जाता है उनमें जो भारी-भारी काम हैं अगर तुम उनसे बचते

रहो तो हम तुम्हारी हल्की और छोटी बुराईयाँ तुमसे दूर फ़रमा देंगे और हम तुम को एक इज़्ज़त वाली जगह में दाख़िल कर देंगे। (31)	تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

कुछ और अहकाम

अल्लाह तआ़ला अपने ईमान वाले बन्दों को एक दूसरे के माल बातिल के साथ (यानी ग़लत और नाजायज़ तरीक़े से) खाने की मनाही फ़रमा रहा है, चाहे उस कमाई के ज़रिये से हो जो शरअ़न् हराम है जैसे सूद लेना, जुए बाज़ी और ऐसे ही हर तरह की दूसरी हीले बाज़ियाँ और धोखा-धड़ी, चाहे उसे शरई तौर पर जायज़ होने की सूरत दे दी हो, ख़ुदा को ख़ूब मालूम है कि असल हक़ीक़त क्या है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से सवाल होता है कि एक शख़्स कपड़ा ख़रीदता और कहता है कि अगर मुझे पसन्द आया तो रख लूँगा वरना कपड़ा और एक दिरहम वापस कर दूँगा। आपने इस आयत की तिलावत की, यानी इसे बातिल माल खाने में शामिल किया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि यह आयत मोहकम है यानी मन्सूख़ नहीं, न क़ियामत तक मन्सूख़ हो सकती है। आप से रिवायत की गयी है कि जब यह आयत उतरी तो मुसलमानों ने एक दूसरे के यहाँ खाना-पीना छोड़ दिया। जिस पर फिर यह आयत नाज़िल हुईः

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ............... الخ

(यानी सूरः नूर की आयत 61) 'तिजारतन्' से गोया यूँ फ़रमाया जा रहा है कि हराम तरीक़ों से माल न लो, हाँ शरई तरीक़े पर तिजारत से नफ़ा उठाना जायज़ है, जो ख़रीदार व बेचने वाले की रज़ामन्दी से हो। जैसे एक दूसरी जगह है कि किसी बेगुनाह जान को न मारो, हाँ हक़ के साथ हो तो जायज़ है। और जैसे दूसरी आयत में है कि वहाँ सिर्फ़ एक मर्तबा मौत तारी होगी। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. इस आयत से इस्तिदलाल करके फ़रमाते हैं कि ख़रीद व फ़रोख़्त बग़ैर क़बूलियत के सही नहीं होती, इसलिये कि रज़ामन्दी की पूरी सनद यही है, सिर्फ़ लेन-देन कर लेना कभी-कभी रज़ामन्दी पर पूरी दलील नहीं बन सकता। जमहूर हज़रात इसके ख़िलाफ़ (विपरीत) गये हैं, दूसरे तीनों इमामों का क़ौल है कि जिस तरह ज़बानी बातचीत रज़ामन्दी की दलील है उसी तरह लेन-देन भी रज़ामन्दी की दलील है। बाज़ हज़रात फ़रमाते हैं कि कम क़ीमत मामूली चीज़ों में सिर्फ़ लेना-देना ही काफ़ी है और इसी तरह व्यापार का जो तरीक़ा हो सही मज़हब में एहतियाती नज़रों से तो बातचीत में क़बूलियत का होना और बात है। वल्लाहु आलम।

मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि ख़रीद व फ़रोख़्त हो या बख़्शिश (किसी को कुछ देना) हो, सब को यह हुक्म शामिल है। इब्ने जरीर की मरफ़ूअ़ हदीस में है कि तिजारत रज़ामन्दी है और व्यापार के बाद इख़्तियार है, किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान को धोखा दे। यह हदीस मुर्सल है। पूरी रज़ामन्दी में मज्लिस के ख़ात्मे तक का इख़्तियार भी है। सहीहैन में हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि बेचने और ख़रीदने वाले दोनों को इख़्तियार है कि जब तक जुदा न हों। बुख़ारी शरीफ़ में है कि जब दो शख़्स ख़रीद व फ़रोख़्त करें तो हर एक को इख़्तियार है जब तक अलग अलग न हों। इसी हदीस के मुताबिक़ इमाम अहमद रह. इमाम शाफ़िई रह. और उनके सब साथियों का फ़तवा है और पहले व बाद के जमहूर का भी। और इसी पूरी रज़ामन्दी में दाख़िल है ख़रीद व फ़रोख़्त के तीन दिन बाद में इख़्तियार देना भी, अगरचे वह इख़्तियार साल

भर तक का हो, जैसे गाँव वालों में, वग़ैरह।

इमाम मालिक का मशहूर मज़हब यही है अगरचे उनके नज़दीक सिर्फ़ लेन-देन से ही बै (ख़रीद-फ़रोख़्त) सही हो जाती है। शाफ़ई मज़हब में भी एक क़ौल यह है और उनमें से बाज़ फ़रमाते हैं कि मामूली क़ीमत की चीज़ों में जिन्हें लोग व्यापार के लिये रखते हों सिर्फ़ लेन-देन ही काफ़ी है। बाज़ हज़रात ने इसी को इख़्तियार किया है जैसा कि इस पर सबकी सहमति है।

फिर फ़रमाता है- अल्लाह तआ़ला के हराम किये कामों को करके, उसकी नाफ़रमानियाँ करके और एक दूसरे के माल बेजा तौर पर मारकर अपने आपको हलाक न करो, अल्लाह तुम पर रहीम है। उसका हर हुक्म और हर मनाही (रुकने का हुक्म) रहमत वाली है। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ि. को ज़ातुस्सलासिल वाले साल रसूलुल्लाह सल्ल. ने भेजा था। आप फ़रमाते हैं कि मुझे एक रात एहतिलाम (ख़्वाब में नहाने की हाजत) हो गया, सर्दी बहुत सख़्त थी यहाँ तक कि मुझे नहाने में अपनी जान जाने का ख़तरा हो गया तो मैंने तयम्मुम करके अपनी जमाअ़त को नमाज़ पढ़ा दी। जब वहाँ से वापस हम लोग नबी करीम सल्ल. की ख़िदमत मे हाज़िर हुए तो मैंने यह वाक़िआ़ कह सुनाया। आपने फ़रमाया क्या तूने अपने साथियों को जुनुबी (नापाक) होने की हालत में नमाज़ पढ़ा दी? मैंने कहा हुज़ूर! जाड़ा सख़्त था और मुझे अपनी जान जाने का अन्देशा था तो मुझे याद पड़ा कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है "अपने आपको हलाक न कर डालो, अल्लाह रहीम है" पस मैंने तयम्मुम करके नमाज़े सुबह पढ़ा दी। तो आप हंस दिये और मुझे कुछ न फ़रमाया।

एक रिवायत में है कि और लोगों ने हुज़ूर सल्ल. से बयान किया और फिर आपके दरियाफ़्त करने पर हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ि. ने यह उज़्र पेश किया। सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में है कि जो शख़्स किसी लोहे से ख़ुदकुशी करेगा वह क़ियामत तक जहन्नम की आग में लोहे से ख़ुदकुशी करता रहेगा, और जो जानबूझ कर मर जाने की नीयत से ज़हर खा लेगा वह हमेशा-हमेशा जहन्नम की आग में ज़हर खाता रहेगा। एक और रिवायत में है कि जो शख़्स अपने आपको जिस चीज़ से क़त्ल करेगा वह क़ियामत के दिन उसी चीज़ से अ़ज़ाब किया जायेगा। हुज़ूर सल्ल. का इरशाद है कि तुमसे पहले के लोगों में से एक को ज़ख़्म लगे, उसने छुरी से अपना हाथ काट डाला, ख़ून न थमा और वह उसी में मर गया। अल्लाह तबारक व तआ़ला ने फ़रमाया मेरे बन्दे ने अपने आपको फ़ना करने में जल्दी की, मैंने उस पर जन्नत को हराम किया। इसी लिये अल्लाह तआ़ला यहाँ फ़रमाता है कि जो शख़्स इसे ज़ुल्म व ज़्यादती के साथ करे, यानी हराम जानते हुए इसका करने वाला हो और ज़ुर्रत व हिम्मत दिखाते हुए हराम पर कारबन्द हो वह जहन्नमी है। पस हर आ़क़िल को इस सख़्त डरावे से डरना चाहिये, दिल के कान खोलकर ख़ुदा के इस फ़रमान को सुनकर हराम-कारियों से बचना चाहिये।

फिर फ़रमाता है कि अगर तुम बड़े-बड़े गुनाहों से बचते रहेगो तो हम तुम्हारे छोटे-छोटे गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे और तुम्हें जन्नती बना देंगे। हज़रत अनस रज़ि. से मरफ़ूअ़ रिवायत है कि हमने नहीं देखा इसके जैसा जो हमें हमारे रब की तरफ़ से पहुँची है, फिर हम इसके लिये अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों और घर वालों) से जुदा न हो जायें कि वह हमारे छोटे-छोटे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाता है, सिवाय बड़े गुनाहों के। फिर इस आयत की तिलावत की। इस आयत के मुताल्लिक़ बहुत सी हदीसें भी हैं, थोड़ी बहुत हम यहाँ बयान करते हैं।

मुस्नद अहमद में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- जानते हो

जुमे के दिन क्या है? मैंने जवाब दिया कि यह वह दिन है जिसमें अल्लाह तआ़ला ने हमारे बाप आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया। आपने फ़रमाया सुनो! जो मैं जानता हूँ अब वह सुनो। जो शख़्स इस दिन अच्छी तरह पाकीज़गी हासिल करके नमाज़े जुमा के लिये आये और नमाज़ ख़त्म होने तक ख़ामोश रहे तो उसका यह अ़मल अगले जुमे तक के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाता है, जब तक कि वह क़त्ल से बचा हुआ है। इब्ने जरीर में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्ल. ने खुतबा सुनाते हुए फ़रमाया उस ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तीन मर्तबा यही फ़रमाया, फिर सर नीचा कर लिया। हम सब ने भी सर नीचा कर लिया, बहुत से लोग रोने लगे, हम डर गए कि ख़ुदा जाने रसूलुल्लाह सल्ल. ने किस चीज़ पर क़सम खाई है और फिर क्यों ख़ामोशी इख़्तियार की है। थोड़ी देर में आपने सर उठाया और आपका चेहरा खुश था, जिससे हम इस क़द्र खुश हुए कि अगर हमें सुर्ख़ रंग के ऊँट मिलते तो भी इस क़द्र खुश न होते (सुर्ख़ ऊँट अ़रब का बेहतरीन और क़ीमती माल समझे जाते थे)। अब आप फ़रमाने लगे जो बन्दा पाँचों नमाज़ें पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और ज़कात अदा करता रहे और सात कबीरा (बड़े) गुनाहों से बचे उसके लिये जन्नत के तमाम दरवाज़े खुल जायेंगे और उससे कहा जायेगा कि सलामती के साथ इनमें से जिससे चाहो चले जाओ। जिन सात गुनाहों का इसमें ज़िक्र है उनकी तफ़सील बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसों में इस तरह आई है कि आपने फ़रमाया- उन सात गुनाहों से बचो जो हलाक करने वाले हैं। पूछा गया कि हुज़ूर वे कौनसे गुनाह हैं? फ़रमायाः

1. अल्लाह के साथ शिर्क करना।

2. उसे क़त्ल करना जिसका क़त्ल हराम हो, हाँ अगर किसी शरई वजह से उसका ख़ून हलाल हो गया हो तो और बात है।

3. जादू करना।

4. सूद खाना।

5. यतीम का माल खाना।

6. मैदाने जंग से कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में भाग खड़ा होना।

7. भोली-भाली पाकदामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना।

एक रिवायत में जादू के बदले हिजरत करके फिर वापस अपने देस में क़ियाम कर लेना है। यह याद रहे कि इन सात गुनाहों को कबीरा (बड़े) कहने से यह मुराद नहीं है कि कबीरा गुनाह सिर्फ़ यही हैं, जैसे कि कुछ लोगों का यही ख़्याल है, जो यह समझते हैं कि बस अब किसी और को कबीरा नहीं कहेंगे। दर असल यह बहुत ग़लत अन्दाज़ा और ग़लत उसूल है, ख़ासकर उस वक़्त जबकि इसके ख़िलाफ़ दलील मौजूद हो, और यहाँ तो साफ़ लफ़्ज़ों में कबीरा गुनाहों का ज़िक्र भी मौजूद है। निम्नलिखित हदीसें मुलाहिज़ा हों।

मुस्तद्रक हाकिम में है कि आख़िरी हज में रसूले मक़बूल सल्ल. ने फ़रमाया- लोगो! याद रखो ख़ुदा के वली सिर्फ़ नमाज़ी ही हैं, जो पाँचों वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों को बाक़ायदा बजा लाते हैं, जो रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखते हैं फ़र्ज़ जान कर और सवाब हासिल करने की नीयत रखकर, इसी तरह हंसी खुशी ज़कात अदा करते हैं और उन तमाम कबीरा गुनाहों से दूर रहते हैं जिनसे अल्लाह तआ़ला ने रोक दिया है। एक शख़्स ने पूछा या रसूलल्लाह! वे कबीरा गुनाह क्या हैं? आपने फ़रमाया शिर्क, क़त्ल, मैदाने जंग से भागना, यतीम का माल खाना, सूद ख़ोरी, पाकदामनों को तोहमत लगाना, माँ-बाप की नाफ़रमानी करना, बैतुल-हराम की हुर्मत (इज़्ज़त व सम्मान) को तोड़ना, जो ज़िन्दगी और मौत में तुम्हारा क़िब्ला है। सुनो जो शख़्स मरते दम तक

इन बड़े गुनाहों से बचता रहे और नमाज़ व ज़कात की पाबन्दी करता रहे वह रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में सोने के महलों में होगा।

हज़रत तैसला बिन मियास फ़रमाते हैं कि मुझसे एक गुनाह हो गया जो मेरे नज़दीक कबीरा था। मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से उसका ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया वे कबीरा नौ हैं। अल्लाह के साथ शिर्क करना, किसी को बिना वजह मार डालना, मैदाने जंग में दीन के दुश्मनों को पीठ दिखाना, पाकदामन औ़रतों पर तोहमत लगाना, यतीम का माल ज़ुल्म से खा जाना, मस्जिदे हराम में बेदीनी फैलाना, जादू जायज़ जानना और माँ-बाप को उनकी नाफ़रमानी के सबब रुलाना। हज़रत तैसला फ़रमाते हैं कि इस बयान के बाद भी हज़रत इब्ने उमर रज़ि. ने देखा कि मेरा डर ख़ौफ़ कम नहीं हुआ तो फ़रमाया क्या तुझे जहन्नम की आग में दाख़िल होने का डर और जन्नत में जाने की ख़्वाहिश है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा। फ़रमाया सुनो क्या तुम्हारे माँ-बाप ज़िन्दा हैं? मैंने कहा सिर्फ़ वालिदा ज़िन्दा हैं। फ़रमाया तो तुम उनसे नर्म अन्दाज़ से बोला करो और उन्हें खाना खिलाते रहा करो और इन कबीरा गुनाहों से बचते रहा करो। तुम यक़ीनन जन्नत में जाओगे।

एक और रिवायत में है कि हज़रत तैसला बिन अ़ली नहदी हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से मैदाने अ़रफ़ात में अ़रफ़ा के दिन पीलू के दरख़्त के नीचे मिले थे। उस वक़्त हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. अपने सर और चेहरे पर पानी बहा रहे थे। उसमें यह भी है कि जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने तोहमत धरने का ज़िक्र किया तो मैंने कहा क्या यह भी क़त्ल के जैसा बहुत बड़ा गुनाह है? आपने फ़रमाया हाँ-हाँ। और उसमें गुनाहों के ज़िक्र में जादू का ज़िक्र भी है। एक और रिवायत में है कि मेरी उनकी मुलाक़ात शाम के वक़्त हुई थी और मैंने उनसे बड़े गुनाहों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से सुना है कि कबीरा (बड़े गुनाह) सात हैं, मैंने पूछा क्या क्या? तो फ़रमाया शिर्क और तोहमत। मैंने कहा क्या यह भी ख़ून के जैसा है? फ़रमाया हाँ-हाँ और किसी मोमिन को बिना वजह मार डालना और लड़ाई से भागना और जादू और सूदख़ोरी और यतीम का माल और माँ-बाप की नाफ़रमानी और बैतुल्लाह में बेदीनी जो ज़िन्दगी में और मौत में तुम्हारा क़िब्ला है।

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे पाक ने फ़रमाया- जो अल्लाह का बन्दा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, नमाज़ क़ायम रखे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और कबीरा गुनाहों से बचे वह जन्नती है। एक शख़्स ने पूछा कबाईर (बड़े गुनाह) क्या हैं? आपने फ़रमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, मुसलमान को क़त्ल करना, लड़ाई वाले दिन भाग खड़ा होना। इब्ने मर्दूया में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने यमन वालों को एक ख़त लिखवाकर भिजवाया जिसमें फ़राईज़ व सुनन थे, दियत यानी जुर्मानों के अहकाम थे और यह ख़त हज़रत अ़मर बिन हज़्म रज़ि. के हाथ यमन वालों को भिजवाया। उस ख़त में यह भी था कि क़ियामत के दिन तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि इनसान ख़ुदा के साथ किसी को शरीक करे और ईमान वाले शख़्स का क़त्ल करे बग़ैर हक़ के, और अल्लाह की राह में जिहाद के मैदान में जाकर लड़ते हुए नामर्दी से जान बचाने की ख़ातिर भाग खड़ा हो, और माँ-बाप की नाफ़रमानी करना और बेगुनाह औ़रतों पर इल्ज़ाम लगाना और जादू सीखना और सूद खाना और यतीम का माल बरबाद करना। एक और रिवायत में है कि कबीरा गुनाहों के बयान में झूठी बात या झूठी गवाही भी है। एक और हदीस में है कि कबीरा गुनाहों के बयान के वक़्त आप टेक लगाकर बैठे हुए थे लेकिन जब यह बयान फ़रमाया कि झूठी गवाही और झूठ बात, उस वक़्त आप तकिये से हट गए और बड़े ज़ोर से इस बात

को बयान फ़रमाया और बार-बार इसी को दोहराते रहे, यहाँ तक कि हमने कहा काश! अब तो आप न दोहरायें।

बुख़ारी व मुस्लिम में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. ने जनाब रसूलुल्लाह सल्ल. से दरियाफ़्त किया कि या हुज़ूर! कौनसा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़रमाया यह कि अल्लाह तआ़ला का किसी को शरीक ठहराना, इसके बावजूद कि तुझे सिर्फ़ उसी ने पैदा किया है। मैंने पूछा इसके बाद? फ़रमाया कि तू अपने बच्चे को इस डर से क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ खायेगा। मैंने पूछा फिर कौनसा गुनाह बड़ा है? फ़रमाया कि तू अपनी पंड़ोसन से बदकारी करे। फिर आपने यह आयत यहाँ तक पढ़ीः

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ اِلَّا مَنْ تَابَ.

(यानी सूरः फ़ुरक़ान की आयत नम्बर 68)

इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ि. मस्जिदे हराम में हतीम के अन्दर बैठे हुए थे कि एक शख़्स ने शराब के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया क्या मुझ जैसा बूढ़ा बड़ी उम्र का आदमी इस जगह बैठकर अल्लाह के रसूल सल्ल. पर झूठ बोल सकता है? शराब का पीना तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। यह तमाम ख़बासतों (गन्दगियों और बुराईयों) की माँ हैं। शराबी नमाज़ को छोड़ने वाला होता है, वह अपनी माँ, ख़ाला और फूफी से भी बदकारी करने से नहीं चूकता। यह हदीस ग़रीब है। इब्ने मर्दूया में है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. और दूसरे बहुत से सहाबा एक मर्तबा एक मज्लिस में बैठे हुए थे, वहाँ कबीरा (बड़े-बड़े) गुनाहों का ज़िक्र निकला कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो किसी के पास कोई आख़िरी जवाब न था, इसलिये उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. को भेजा कि तुम जाकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स से दरियाफ़्त कर आओ, मैं गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब पीना है। मैंने वापस आकर उस मज्लिस में यह जवाब सुना दिया। इस पर मज्लिस वालों को तस्कीन (संतुष्टि) न हुई और सब हज़रात उठकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ि. के घर चले और ख़ुद उनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बयान किया कि लोगों ने नबी सल्ल. के सामने एक वाक़िआ़ बयान किया कि बनी इस्राईल में से एक ने एक शख़्स को गिरफ़्तार किया। फिर उसने कहा या तो तुझे क़त्ल कर दिया जायेगा वरना इन कामों में से किसी एक को कर लो, यानी या तो शराब पी, या ख़ूने नाहक़ कर, या ज़िना कर, या सुअर का गोश्त खा। उसने सोचा और सोचने के बाद जान के डर से शराब को हल्की चीज़ समझ कर पीना मन्ज़ूर कर लिया। जब शराब पी ली तो फिर वह उन तमाम कामों को कर गुज़रा जिनसे वह पहले रुका था। हुज़ूर सल्ल. ने यह वाक़िआ़ सुनकर हमसे फ़रमाया- जो शख़्स शराब पीता है अल्लाह तआ़ला उसकी नमाज़ें चालीस रात तक क़बूल नहीं फ़रमाता और जो शराब पीने की आ़दत ही में मर जाये और उसके मसाने (पेट) में थोड़ी सी शराब हो उस पर अल्लाह जन्नत हराम कर देता है। अगर शराब पीने के बाद चालीस रातों के अन्दर-अन्दर मर जाये तो उसकी मौत जाहिलीयत की मौत होती है। यह हदीस ग़रीब है। एक और हदीस में झूठी क़सम को भी रसूलुल्लाह सल्ल. ने कबीरा गुनाहों में शुमार फ़रमाया है। (बुख़ारी वग़ैरह)

इब्ने अबी हातिम में झूठी क़सम के बयान के बाद यह फ़रमान भी है कि जो शख़्स ख़ुदा की क़सम खाकर कोई बात कहे और उसमें मच्छर के पर के बराबर भी ज़्यादती करे उसके दिल में एक सियाह दाग़ (काला बिन्दू) हो जाता है, जो क़ियामत तक बाक़ी रहता है। इब्ने अबी हातिम में है कि इनसान का अपने

माँ-बाप को गाली देना कबीरा (बड़ा) गुनाह है। लोगों ने पूछा हुज़ूर! अपने माँ-बाप को कोई कैसे गाली दे सकता है? आपने फ़रमाया इस तरह कि उसने दूसरे के बाप को गाली दी, उसने इसके बाप को, इसने उसकी माँ बुरा कहा, उसने इसकी माँ को। बुख़ारी शरीफ़ में है कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने माँ-बाप पर लानत करे। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है? फ़रमाया दूसरे के माँ-बाप को कहकर अपने माँ-बाप को कहलवाना। सही हदीस में है कि मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ (बुरा और गुनाह) है और क़त्ल करना कुफ़्र है। इब्ने अबी हातिम में है कि तमाम कबीरा गुनाहों में बड़ा किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी (बेइज़्ज़ती) करना और एक गाली के बदले दो गालियाँ देना है। तिर्मिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया कि जो शख़्स दो नमाज़ों को उज़्र के बग़ैर जमा करे, वह कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में घुसा।

इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. की किताब जो हमारे सामने पढ़ी गई उसमें यह भी था कि दो नमाज़ों को बग़ैर शरई उज़्र के जमा करना (यानी दोनों को एक वक़्त में पढ़ना) कबीरा गुनाह है, और लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा होना और लूट-खसोट करना भी कबीरा गुनाह है। ग़र्ज़ यह कि ज़ोहर, अ़सर या मग़रिब व इशा अव्वल वक़्त या आख़िर वक़्त में बग़ैर शरई रुख़्सत के जमा करके पढ़ना कबीरा गुनाह है। फिर जो शख़्स कि बिल्कुल ही न पढ़े उसके गुनाह का तो क्या ठिकाना है। चुनाँचे सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि बन्दे और शिर्क के दरमियान नमाज़ छोड़ देना है (यानी यह एक पहचान है अगर नमाज़ छोड़ दी तो काफ़िरों जैसा काम किया)।

सुनन की एक हदीस में है कि हम में और काफ़िरों में फ़र्क़ करने वाली चीज़ नमाज़ का छोड़ देना है। जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ़्र किया। एक और रिवायत में आपका यह फ़रमान भी मन्क़ूल है कि जिसने अ़सर की नमाज़ छोड़ दी उसके आमाल ग़ारत हो गए। एक और हदीस में है कि जिसने अ़सर की नमाज़ ज़ाया कर दी गोया उसका माल और उसके अहल व अ़याल (तमाम घर वाले) हलाक हो गए।

बड़े-बड़े गुनाह

इब्ने अबी हातिम में है, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि कबीरा गुनाह क्या-क्या हैं? आपने फ़रमाया- अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह तआ़ला की नेमत और उसकी रहमत से नाउम्मीद हो जाना, उसकी पकड़ से बेख़ौफ़ हो जाना और यह सबसे बड़ा कबीरा है। इसी के जैसी एक रिवायत और भी बज़्ज़ार में मौजूद है, लेकिन ज़्यादा ठीक यह है कि वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद पर मौक़ूफ़ है। इब्ने मरदूया में है, हज़रत इब्ने उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि सबसे बढ़कर कबीरा गुनाह अल्लाह तआ़ला के साथ बदगुमानी करना है। यह रिवायत बहुत ही ग़रीब है। पहले वह हदीस भी गुज़र चुकी है जिसमें हिजरत के बाद कुफ़्र के इलाक़े और हुकूमत में आकर बसने को भी कबीरा गुनाह फ़रमाया है। यह हदीस इब्ने मरदूया में है। सात कबीरा गुनाहों में एक इसे गिना है, लेकिन इसकी सनद विचारनीय है और इसे मरफ़ूअ़ कहना बिल्कुल ग़लत है, ठीक बात वह है जो तफ़सीर इब्ने जरीर में है कि हज़रत अ़ली रज़ि. कूफ़ा की मस्जिद में एक बार मिम्बर पर खड़े होकर लोगों को ख़ुतबा सुना रहे थे जिसमें फ़रमाया लोगो! कबीरा गुनाह सात हैं। इसे सुनकर लोग चीख़ उठे। आपने इसी को फिर दोहराया फिर दोहराया। फिर फ़रमाया तुम मुझसे उनकी तफ़सील क्यों नहीं पूछते? लोगों ने कहा अमीरुल-मोमिनीन! फ़रमाईये वे क्या हैं? आपने फ़रमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, जिस जान को मार डालना हराम किया है उसे मार

डालना, पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना, यतीम का माल खाना, सूद ख़ोरी करना, लड़ाई के दिन पीठ दिखाना, हिजरत के बाद फिर कुफ़्र के स्थान और मक़ाम में आ बसना। हदीस के बयान करने वाले हज़रत मुहम्मद बिन सहल ने अपने वालिद सहल बिन ख़ैसमा रह. से पूछा कि इसे कबीरा गुनाहों में कैसे दाख़िल किया? तो जवाब मिला कि प्यारे बच्चे इससे बढ़कर सितम क्या होगा कि एक शख़्स हिजरत करके मुसलमानों में जा मिले, माले ग़नीमत में उसका हिस्सा मुक़र्रर हो जाये, मुजाहिदों में उसका नाम दर्ज कर दिया जाये, फिर वह इन तमाम चीज़ों को छोड़कर बेवक़ूफ़ और जाहिल बन जाये और कुफ़्र के इलाक़े में चला जाये, और जैसा था वैसा ही हो जाये।

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर सल्ल. ने अपने विदाई हज (आख़िरी हज) के ख़ुतबे में फ़रमाया- ख़बरदार हो जाओ वे चार हैं- अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, ख़ूने नाहक़ से बचो, हाँ शरई इजाज़त अगर है तो और बात है (यानी शरीअ़त के क़ानून में उसका क़त्ल करना लाज़िमी हो), ज़िना न करो, चोरी न करो। वह हदीस पहले गुज़र चुकी है जिसमें है कि वसीयत करने में किसी को नुक़सान पहुँचाना भी कबीरा गुनाह है। इब्ने जरीर में है कि सहाबा ने एक मर्तबा कबीरा गुनाहों का ज़िक्र किया कि अल्लाह के साथ शरीक करना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग खड़ा होना, पाकदामन बेगुनाह औरतों पर तोहमत लगाना, माँ-बाप की नाफ़रमानी करना, झूठ बोला, धोखा देना, ख़ियानत करना, जादू करना, सूद खाना, ये सब कबीरा गुनाह हैं। तो रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया और उस गुनाह को कहाँ रखते हो जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों को थोड़ी-थोड़ी क़ीमत पर बेचते फिरते हैं? आपने यह आयत आख़िर तक पढ़ीः

الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِاللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا............ (آل عمران:٧٧)

(सूरः आले इमरान आयत 77) इसकी सनद ज़ईफ़ है और यह हदीस हसन है। पस इन तमाम हदीसों में कबीरा गुनाहों का ज़िक्र मौजूद है। अब इस बारे में सल्फ़े सालिहीन (पहले बुज़ुर्गों और उलेमा) रहमतुल्लाहि अ़लैहिम के जो क़ौल हैं वे मुलाहिज़ा हों। इब्ने जरीर में है कि चन्द लोगों ने मिस्र में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ि. से पूछा कि बहुत सी बातें किताबुल्लाह में हम ऐसी पाते हैं कि जिन पर हमारा अ़मल नहीं, इसलिये हम अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर से इस बारे में दरियाफ़्त करना चाहते हैं। हज़रत इब्ने अ़मर रज़ि. उन्हें लेकर मदीना आये, हज़रत उमर से मिले। आपने पूछा कब आये हो? जवाब दिया कि इतने दिन हुए। पूछा इजाज़त से आये हो? इसका जवाब दिया। फिर उन लोगों का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया उन्हें जमा करो, फिर उनके पास आये और उनमें से एक से पूछा तुझे अल्लाह की और इस्लाम के हक़ की क़सम है कि तूने पूरा क़ुरआने करीम पढ़ा है? उसने कहा हाँ। फ़रमाया तूने उसे महफ़ूज़ (याद) भी कर लिया है? उसने कहा नहीं। और अगर हाँ कहता तो हज़रत उमर रज़ि. उसे दलाईल से आ़जिज़ कर देते। फिर फ़रमाया तेरी अपनी निगाह में अपनी ज़बान पर अपनी चाल में उसे घेर लिया है (यानी क़ौल व फ़ेल में उस पर अ़मल करते हो) फिर एक-एक से यही सवाल किया। फिर फ़रमाया तुम उमर को इस मशक़्क़त में डालना चाहते हो कि लोगों को किताबुल्लाह के मुताबिक़ ही ठीक-ठाक कर दे। हमारे रब को पहले ही से हमारी ख़ताओं का इल्म था, फिर आपने यह आयत पढ़ीः

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَاتُنْهَوْنَ................ الخ

(यानी सूरः निसा की आयत 31, जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

फिर फ़रमाया- मदीना वालों को तुम्हारे आने का यह सबब मालूम है? उन्होंने कहा नहीं। फ़रमाया अगर उन्हें भी इसका इल्म होता तो मुझे इस बारे में उन्हें भी वअ़ज़ कहना पड़ता। इसकी सनद हसन है और मतन भी हसन है, अगरचे यह रिवायत हसन की हज़रत उमर रज़ि. से है जिसमें इन्क़िता (यानी बीच में सनद टूटी हुई) है, लेकिन इतने से नुक़सान को इसकी पूरी शोहरत (यानी मुहद्दिसीन के बीच इसका परिचित और मशहूर होना) काफ़ी है। इब्ने अबी हातिम में है, हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं कि कबीरा गुनाह ये हैं- अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, किसी को मार डालना, यतीम का माल खाना, पाकदामन औरतों को तोहमत लगाना, लड़ाई से भाग जाना, हिजरत के बाद कुफ़्र के इलाक़े में क़ियाम कर लेना, जादू करना, माँ-बाप की नाफ़रमानी करना, सूद खाना, जमाअ़त से जुदा होना (यानी मुसलमानों की अक्सरियत से अलग कोई रास्ता चुनना), ख़रीद व फ़रोख़्त तोड़ देना। पहले गुज़र चुका है कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं- बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना और ख़ुदा की रहमत से मायूस होना है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना और अल्लाह तआ़ला की गिरफ़्त से बेख़ौफ़ होना है। इब्ने जरीर में आप ही से रिवायत है कि सूरः निसा की शुरू से लेकर तीस आयतों तक कबीरा गुनाहों का बयान है। फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाईः

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ.................. الخ

(यानी सूरः निसा की आयत 31, जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि कबीरा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना, माँ-बाप को नाखुश करना, पानी को ज़रूरत-मन्दों से रोक देना, अपने पास के नर जानवर को किसी की मादा के लिये बग़ैर कुछ लिये न देना हैं। सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि बचा हुआ पानी न रोका जाये, और न बची हुई घास रोकी जाये। एक और रिवायत में है कि तीन क़िस्म के गुनाहगारों की तरफ़ क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला रहमत की निगाह से न देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब हैं। एक वह शख़्स जो जंगल में बचे हुए पानी पर क़ब्ज़ा करके मुसाफ़िरों को उससे रोके.......। मुस्नद अहमद में है कि जो शख़्स ज़ायद पानी को और ज़ायद घास को रोक रखे अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उस पर अपना फ़ज़्ल नहीं करेगा। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि कबीरा गुनाह वो हैं जो औ़रतों से बैअ़त लेने के ज़िक्र में बयान हुए हैं, यानी इस आयत मेंः

عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا............ الخ

कि वे अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, और चोरी नहीं करेंगी, और ज़िना नहीं करेंगी, और न अपनी औलाद को क़त्ल करेंगी और न कोई ऐसा बोहतान बाँधेंगी जो उन्होंने अपने हाथों और पाँव के दरमियान गढ़ लिया होगा..........। (सूरः मुम्तहिना आयत 12)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. इस आयत को ख़ुदा के अ़ज़ीमुश्शान एहसानों में बयान फ़रमाते हैं और इस पर बड़ी ख़ुशी का इज़हार फ़रमाते हैं। यानी इस आयत कोः

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ.................. الخ

(यानी सूरः निसा की आयत 31, जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

एक मर्तबा हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के सामने लोगों ने कहा- कबीरा गुनाह सात हैं। आपने कई-कई मर्तबा फ़रमाया कि हाँ सात हैं। दूसरी रिवायत में है कि आपने फ़रमाया सात हल्का दर्जा है वरना सत्तर हैं। एक और शख़्स के इस कहने पर आपने फ़रमाया वे सात सौ तक हैं और सात तो बहुत ही क़रीब हैं। हाँ यह याद रखो कि इस्तिग़फ़ार के बाद कबीरा कबीरा नहीं रहता, और छोटे गुनाह को लगातार करने से वह छोटा नहीं रहता। एक और सनद से है कि आपने फ़रमाया- जिस गुनाह पर जहन्नम की वईद (धमकी और डरावा) है या अल्लाह के ग़ज़ब की, या लानत की, या अ़ज़ाब की वह कबीरा है। एक और रिवायत में है कि जिससे अल्लाह मना फ़रमा दे वह कबीरा है। जिस काम में अल्लाह तबारक व तआ़ला की नाफ़रमानी हो वह बड़ा गुनाह है।

ताबिईन (यानी वे हज़रात जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की है) के अक़वाल भी मुलाहिज़ा हों। उबैद रह. फ़रमाते हैं कि कबीरा गुनाह ये हैं- अल्लाह के साथ शिर्क, बग़ैर हक़ के किसी जान का क़त्ल, मैदाने जिहाद में पीठ दिखाना, यतीम का माल उड़ा देना, सूद खाना, बोहतान बाज़ी, हिजरत के बाद फिर अपने पुराने वतन (यानी कुफ़्र के इलाक़े) से दोस्ती। हदीस के रावी इब्ने औ़न ने अपने उस्ताद मुहम्मद से पूछा क्या जादू कबीरा गुनाह में नहीं? फ़रमाया यह बोहतान में आ गया, यह लफ़्ज़ बहुत सी बुराईयों को शामिल है। हज़रत उबैद बिन उमैर रह. ने कबीरा गुनाहों पर क़ुरआन की आयतें भी तिलावत करके सुनाईं। शिर्क के बारे में यह आयतः

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ............ الخ

यानी अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा। पस उसे परिन्दे लपक ले जायेंगे या हवा किसी दूर-दराज़, ना-मालूम और बदतरीन जगह उसे फेंक देगी। यतीम के माल के बारे में यहः

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا......... الخ

यानी जो लोग ज़ुल्म से यतीमों का माल मार खाते हैं वे अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भरते हैं। सूद ख़ोरी पर यह आयतः

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ........... الخ

जो लोग पाकदामन भोली ईमान वाली औ़रतों पर तोहमत लगायें। मैदाने जंग से भागने परः

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا.......... الخ

ईमान वालो! जब काफ़िरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाये तो पीठ न दिखाओ। हिजरत के बाद कुफ़्रिस्तान में क़ियाम करने (रहने और बसने) परः

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ.......... الخ

यानी जो लोग हिदायत के बाद मुर्तद हो जायें (यानी दीन से फिर जायें) .....। मोमिन के क़त्ल परः

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا...... الخ

यानी जो शख़्स मुसलमान को जान-बूझकर मार डाले उसकी सज़ा जहन्नम का हमेशा का दाख़िला है।

हज़रत अ़ता रह. से भी कबीरा गुनाहों का बयान मौजूद है और उसमें झूठी गवाही है। हज़रत मुग़ीरा रह. फ़रमाते हैं- यह कहा जाता था कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. को

बुरा कहना भी कबीरा गुनाह है। मैं कहता हूँ कि उलेमा की एक जमाअ़त ने उसे काफ़िर कहा है जो सहाबा रिज़्वानुल्लाहि अ़लैहिम अज्मईन को बुरा कहे। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रह. से यह मन्क़ूल है। इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रह. फ़रमाते हैं कि मैं यह यक़ीन नहीं कर सकता कि किसी के दिल में रसूलुल्लाह सल्ल. की मुहब्बत हो और वह हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. से दुश्मनी रखे। (तिर्मिज़ी)

हज़रत ज़ैद बिन असलम रह. इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि कबाईर (बड़े गुनाह) ये हैं। अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह की आयतों और उसके रसूलों से कुफ़्र करना, जादू करना, औलाद को मार डालना, अल्लाह की औलाद और बीवी बताना, और इसी जैसे वे आमाल और अक़्वाल हैं जिनके बाद कोई नेकी क़बूल नहीं होती, हाँ जो ऐसे गुनाह हैं जिनके साथ दीन रह सकता है और अ़मल क़बूल किया जा सकता है, ऐसे गुनाहों को नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआ़ला माफ़ फ़रमाता है। हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने मग़फ़िरत का वायदा उनसे किया है जो कबीरा गुनाहों से बचें और हमसे यह भी ज़िक्र किया गया है कि आँ हज़रत सल्ल. ने फ़रमाया है- कबीरा गुनाहों से बचो, ठीक-ठाक और दुरुस्त रहो और ख़ुशख़बरी सुनो। मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में यह सही सनद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- मेरी शफ़ाअ़त मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिये भी है। इमाम तिर्मिज़ी रह. भी इसे हसन सही फ़रमाते हैं अगरचे इस रिवायत की दूसरी सनदें ज़ईफ़ होने से ख़ाली नहीं, मगर इसके जो शवाहिद हैं उनमें भी सही रिवायतें हैं। जैसे एक हदीस में है- क्या तुम यह जानते हो कि मेरी शफ़ाअ़त सिर्फ़ मुत्तक़ियों और मोमिनों के लिये ही है? नहीं नहीं! बल्कि वह ख़ताओं और गुनाहों में फंसे लोगों के लिये भी है।

अब उलेमा-ए-किराम के क़ौल सुनिये, जिनमें यह बतलाया गया है कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। बाज़ तो कहते हैं कि कबीरा वह है जिस पर शरई हद (सज़ा) हो। बाज़ कहते हैं कि जिस पर क़ुरआन या हदीस में किसी सज़ा का ज़िक्र हो। बाज़ का क़ौल है कि जिससे दीनदारी कम होती हो और दियानतदारी में कमी वाक़े होती हो। क़ाज़ी अबू सईद हरवी रह. फ़रमाते हैं कि जिसका हराम होना लफ़्ज़ों से साबित हो और जिस नाफ़रमानी पर कोई हद हो जैसे क़त्ल वग़ैरह। इसी तरह हर फ़रीज़े को छोड़ना, झूठी गवाही, झूठी रिवायत (बात बयान करना) और झूठी क़सम। क़ाज़ी रोयानी फ़रमाते हैं कि कबाईर सात हैं- बिना वजह किसी को मार डालना, ज़िना व लवातत, शराब पीना, चोरी, ग़सब, तोहमत और एक आठवीं चीज़ भी दूसरी रिवायत में है यानी झूठी गवाही, और इसी के साथ यह भी शामिल किये गए हैं- सूद ख़ोरी, रमज़ान के रोज़े का बिना उज़्र छोड़ देना, झूठी क़सम, रिश्ते का तोड़ना, माँ-बाप की नाफ़रमानी, जिहाद से भागना, यतीम का माल खा जाना, नाप-तौल में ख़ियानत करना, नमाज़ वक़्त से पहले या बिना उज़्र के वक़्त गुज़ार कर अदा करना, मुसलमान को बेवजह मारना, रसूलुल्लाह सल्ल. पर जान-बूझकर झूठ बाँधना, आपके सहाबियों को गाली देना, बिना कारण गवाही छुपाना, रिश्वत लेना, मियाँ-बीवी में लड़ाई और नाइत्तिफ़ाक़ी करा देना, बादशाह के पास चुग़लख़ोरी करना, ज़कात रोक लेना, बावजूद क़ुदरत के भली बातों का हुक्म न करना, बुरी बातों से न रोकना, क़ुरआन सीख कर भूल जाना, जानदार चीज़ को आग से जलाना, औ़रत का अपने ख़ाविन्द के पास बिना सबब न आना (यानी अगर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी के लिये कहे और वह बिना किसी वास्तविक सबब के मना कर दे), रब की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, अल्लाह की पकड़ से बेख़ौफ़ हो जाना, उलेमा, क़ुरआन पढ़ने-पढ़ाने वालों और उसकी हिफ़ाज़त करने वालों की बुराईयाँ करना, ज़िहार करना (यानी बीवी को माँ जैसी बताकर उससे अलग हो जाना), सुअर का गोश्त खाना, मुर्दार खाना,

हाँ अगर जान पर आ बनी हो और ज़िन्दगी बचाने का कोई तरीक़ा इसके अलावा न हो और खाया हो तो और बात है। इमाम राफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि इनमें से कुछ के बारे में ख़ामोश रहने की गुंजाईश है।

कबाईर (बड़े गुनाहों) के बारे में बुज़ुर्गाने दीन ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। हमारे शैख़ हाफ़िज़ अ़ब्दुल्लाह ज़हबी रह. ने भी एक किताब लिखी है जिसमें सत्तर कबीरा गुनाह गिनवाये हैं और यह भी कहा गया है कि कबीरा गुनाह वह है जिस पर हुज़ूर सल्ल. ने जहन्नम की वईद सुनाई है। इस क़िस्म के गुनाह ही अगर गिने जायें तो बहुत निकलेंगे और अगर कबीरा गुनाह हर उस काम को कहा जाये जिससे नबी करीम सल्ल. ने रोक दिया है तो बहुत ही हो जायेंगे। वल्लाहु आलम।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○	**और तुम किसी ऐसे अम्र "यानी मामले और काम" की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह तआ़ला ने बाज़ों को बाज़ों पर फ़ौक़ियत बख़्शी है, मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है और औरतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है, और अल्लाह तआ़ला से उसके फ़ज़्ल की दरख़्वास्त किया करो, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं। (32)**

समझदारी और बुद्धिमानिक फ़ैसले

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने एक मर्तबा कहा था कि या रसूलल्लाह! मर्द जिहाद करते हैं और हम औरतें इस सवाब से मेहरूम हैं। इसी तरह मीरास में भी हमें मर्दों की तुलना में आधा मिलता है इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तिर्मिज़ी) एक और रिवायत में है कि इसके बाद फिर यह आयत उतरीः

اِنِّیْ لَآ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى........ الخ

कि मैं किसी काम के करने वाले के लिये उसका अमल बेकार नहीं करता चाहे वह मर्द हो या औरत..............। (सूरः आले इमरान आयत 195)

एक और रिवायत में है कि औरतों ने यह आरज़ू की थी कि काश हम भी मर्द होते तो जिहाद में जाते। एक दूसरी रिवायत में है कि एक औरत ने ख़िदमते नबवी में हाज़िर होकर कहा था कि देखिये मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलता है, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर समझी जाती है, फिर अ़मल में इस तरह हैं कि एक नेकी की आधी नेकी रह जाती है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि मर्दों ने कहा था कि जब दोहरे हिस्से के मालिक हम हैं तो दोहरा अज्र भी हमें क्यों न मिले। और औरतों ने दरख़्वास्त की थी कि जब हम पर जिहाद फ़र्ज़ ही नहीं और हम नहीं करते तो गवाही का सवाब हमें क्यों न मिले। इस पर अल्लाह तआ़ला ने दोनों को रोका और हुक्म दिया कि मेरा फ़ज़्ल तलब करते रहो।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से यह मतलब बयान किया गया कि है कि इनसान यह आरज़ू न करे कि काश फ़ुलाँ का माल व औलाद मेरा होता। इस पर उस हदीस से कोई इश्काल साबित नहीं हो सकता जिस

में है कि हसद (ईर्ष्या) के क़ाबिल सिर्फ़ दो हैं- एक वह मालदार जो अल्लाह की राह में अपना माल लुटाता है और दूसरा कहता है कि काश मेरे पास भी माल होता तो मैं भी इसी तरह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता रहता। पस ये दोनों ख़ुदा के नज़दीक अज्र में बराबर हैं, इसलिये यह मना नहीं। यानी ऐसी नेकी की हिर्स बुरी नहीं। यहाँ उस जैसी चीज़, उस जैसे नेक काम के करने की ग़र्ज़ से हासिल होने की तमन्ना है जो पसन्दीदा और अच्छी है और वहाँ दूसरे की चीज़ पर अपना क़ब्ज़ा करने की नीयत है, जो हर तरह बुरा और मज़मूम है। पस दीनी और दुनियावी फ़ज़ीलत की तमन्ना इसी तरह है।

फिर फ़रमाया कि हर एक को उसके अ़मल का बदला मिलेगा, ख़ैर के बदले ख़ैर और शर के बदले शर। और यह भी मतलब हो सकता है कि हर एक को उसके हक़ के मुताबिक़ फल दिया जाता है। फिर इरशाद होता है कि हम से हमारा फ़ज़्ल माँगते रहा करो, आपस में एक दूसरे की फ़ज़ीलत (एक दूसरे से बढ़ जाने) की तमन्ना बेसूद है, हाँ मुझसे मेरा फ़ज़्ल तलब करो तो मैं बख़ील नहीं, करीम हूँ, वह्हाब (देने वाला) हूँ, दूँगा और बहुत कुछ दूँगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि लोगो! अल्लाह तआ़ला से उसका फ़ज़्ल तलब करो, अल्लाह तआ़ला से माँगना अल्लाह को बहुत पसन्द है। याद रखो सबसे आला इबादत कुशादगी और वुस्अ़त व रहमत का इन्तिज़ार करना और उसकी उम्मीद रखना है। एक और रिवायत में है कि ऐसी उम्मीद रखने वाले ख़ुदा को बहुत भाते हैं। अल्लाह अ़लीम (सब कुछ जानने वाला) है, उसे ख़ूब मालूम है कि किसको देना चाहिये और किसको ग़रीब ही रखना बेहतर है। कौन आख़िरत की नेमतों का मुस्तहिक़ है और किसको वहाँ की रुस्वाईयों का हक़दार होना है, वह इसे इसी तरह के असबाब और उसे उसके वसाईल (असबाब) मुहैया और आसान कर देता है।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝	और हर ऐसे माल के लिए जिसको माँ-बाप और रिश्तेदार लोग छोड़ जाएँ हमने वारिस मुक़र्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे अ़हद बंधे हुए हैं उनको उनका हिस्सा दे दो, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर इत्तिला रखते हैं। (33)

मीरास के बाज़ अहकाम

बहुत से मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) से रिवायत है कि 'मवाली' से मुराद वारिस हैं। बाज़ कहते हैं कि 'अ़सबा' मुराद हैं। चचा की औलाद को भी मौला कहा जाता है, जैसे हज़रत फ़ज़ल बिन अ़ब्बास के शे'र में है। मतलब आयत का यह हुआ कि ऐ लोगो! तुम में से हर एक के लिये हमने 'अ़सबा' बना दिये हैं जो उस माल के वारिस होंगे जिसे उनके माँ-बाप और क़रीबी रिश्तेदार छोड़ मरें। और जो तुम्हारे मुँह बोले भाई हैं, क़समें खाकर जिनके तुम भाई बने हो और वे तुम्हारे भाई बने हैं, उन्हें उनकी मीरास का हिस्सा दो जैसे कि क़समों के वक़्त तुम में अ़हद व पैमान हो चुका था।

यह हुक्म इस्लाम के शुरू ज़माने में था, फिर मन्सूख़ (निरस्त) हो गया, और हुक्म हुआ कि जिनसे अ़हद व पैमान हुए हैं वे निभाये जायें और भुलाये न जायें, लेकिन मीरास उन्हें नहीं पहुँच सकती। सही

बुख़ारी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से रिवायत है कि मवाली से मुराद वारिस हैं जिसकी तफ़सील यह है कि मुहाजिरीन जब मदीना शरीफ़ में आये तो यह दस्तूर था कि हर मुजाहिर अपने अन्सारी भाई का वारिस होता, उसके क़रीबी रिश्तेदार वारिस न होते। पस इस आयत ने इस तरीक़े को मन्सूख़ क़रार दिया और हुक्म हुआ कि उनकी मदद करो, उन्हें फ़ायदा पहुँचाओ, उनकी ख़ैरख़्वाही करो, लेकिन मीरास उन्हें नहीं पहुँचती। हाँ वसीयत कर जाओ।

इस्लाम से पहले यह दस्तूर था कि दो शख़्सों में अ़हद व पैमान हो जाता था कि मैं तेरा वारिस और तू मेरा वारिस। इसी तरह अ़रब के क़बीले कर लेते थे। पस हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया जाहिलीयत की क़समें और अ़हद व पैमान को इस्लाम और मज़बूत करता है (शर्त यह है कि वे इस्लाम के ख़िलाफ़ न हों) लेकिन अब इस्लाम में क़समें और इस क़िस्म के अ़हद नहीं। उसे एक आयत ने मन्सूख़ क़रार दिया और फ़रमाया ज़ी-रहम (क़रीबी) रिश्तेदार किताबुल्लाह के हुक्म की वजह से ज़्यादा औला (पहले) हैं उनके मुक़ाबले में जिनसे अ़हद किया है। एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्ल. ने जाहिलीयत की क़समों और अ़हदों के बारे में यहाँ तक ताकीद की कि फ़रमाया- अगर मुझे सुर्ख़ ऊँट (यह अ़रब का बहुत ज़्यादा क़ीमती माल समझा जाता था) दिये जायें और उस क़सम को तोड़ने को कहा जाये जो दारुन्नदवा (यह एक मश्विरे की मज्लिस थी) में हुई थी तो मैं इसे कभी पसन्द नहीं करता। इब्ने जरीर में है, हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि मैं अपने बचपन में मामुओं के साथ 'हिल्फ़े मुतैयबीन' (मुतैयबीन मुआ़हिदे) में था, चाहे मुझे सुर्ख़ ऊँट मिलें लेकिन उस क़सम को तोड़ना हरगिज़ पसन्द नहीं करता। पस याद रहे कि क़ुरैश व अन्सार में जो ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्ल. ने क़ायम किया था वह सिर्फ़ इत्तिहाद व एकता पैदा करने के लिये था। लोगों के सवाल के जवाब में भी हुज़ूर सल्ल. का यह फ़रमान नक़ल किया गया है कि जाहिलीयत के हलफ़ निभाओ, अब इस्लाम में कोई हलफ़ नहीं। मक्का फ़तह होने वाले दिन भी आपने खड़े होकर अपने ख़ुतबे में इस बात का ऐलान किया था। दाऊद बिन हसीन रह. कहते हैं कि मैं हज़रत उम्मे सअ़द बिन्ते रबी रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से क़ुरआन पढ़ता, मेरे साथ उनके पोते मूसा बिन सअ़द भी पढ़ रहे थे जो हज़रत अबू बक्र रज़ि. की गोद में यतीमी के दिन गुज़ार रहे थे, मैंने इस आयत में 'आ़क़दत्' पढ़ा तो मुझे मेरी उस्तानी जी ने रोका और फ़रमाया- 'अ़-क़दत्' पढ़ो। सुनो यह आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और उनके बेटे हज़रत अ़ब्दुर्रहमान के बारे में नाज़िल हुई है। यह पहले इस्लाम के मुन्किर थे, हज़रत सिद्दीक़ रज़ि. ने क़सम खा ली कि उसे वारिस न करेंगे, आख़िरकार जब यह इस्लाम के ग़लबे के सबब इस्लाम लाने पर आमादा हुए और मुसलमान हो गए तो जनाब सिद्दीक़ रज़ि. को हुक्म हुआ कि उन्हें उनके वरसे के हिस्से से मेहरूम न फ़रमायें, लेकिन यह क़ौल ज़्यादा मशहूर नहीं है और सही क़ौल पहला ही है।

ग़र्ज़ यह कि इस आयत और इन हदीसों से उनका क़ौल रद्द होता है जो क़सम और वायदों की बिना पर आज भी वरसा (मीरास का हिस्सा) पहुँचने के क़ायल हैं, जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा रह. और उनके साथियों का ख़्याल है, और इमाम अहमद से भी एक रिवायत इस क़िस्म की है, लेकिन सही मज़हब जमहूर का है और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई रह. का, और मशहूर क़ौल की बिना पर इमाम अहमद का भी। पस आयत में इरशाद है कि हर शख़्स के वारिस उसके रिश्तेदार हैं और कोई नहीं। सहीहैन में है, रसूले मक़बूल सल्ल. फ़रमाते हैं कि हिस्सेदार वारिसों को उनके हिस्सों के मुताबिक़ देकर फिर जो बच जाये तो अ़सबा को मिले। और वारिस वे हैं जिनका ज़िक्र फ़राइज़ (मीरास) की दो आयतों में है, और जिनसे तुम ने मज़बूत अ़हद व पैमान और क़समा-क़समी की है, यानी इस आयत के नाज़िल होने से पहले, उन्हें उनका

हिस्सा दो, यानी मीरास। और उसके बाद जो हलफ़ हो वह क़ाबिले एतिबार नहीं, यानी उसको न मिलेगा। और यह भी कहा गया है कि चाहे इससे पहले के वायदे और क़समें हों चाहे इस आयत के उतरने के बाद हों सब का यही हुक्म है कि ऐसे हलीफ़ों (साथियों) को मीरास न मिलेगी। और बक़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. उनका हिस्सा नुसरत, इमदाद, ख़ैरख़्वाही और वसीयत है, मीरास नहीं। आप फ़रमाते हैं कि लोग अ़हद व पैमान कर लिया करते थे कि उनमें से जो पहले मरेगा बाद वाला उसका वारिस बनेगा। पस अल्लाह तबारक व तआ़ला ने यह आयतः

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ......... الخ

और अल्लाह की किताब के मुताबिक़ पेट के रिश्तेदार दूसरे मोमिनों और मुहाजिरीन के मुक़ाबले में एक दूसरे पर (मीरास के मामले में) ज़्यादा हक़ रखते हैं। (सूरः अहज़ाब आयत 6)

नाज़िल फ़रमाकर हुक्म दे दिया कि ज़ी-रहम (रिश्तेदारों) एक से एक औला है, हाँ अपने दोस्तों के साथ सुलूक करो, यानी अगर उनके लिये एक तिहाई माल में वसीयत कर जाओ तो जायज़ है। मारूफ़ व मशहूर बात भी यही है। और भी बहुत से पहले बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है कि यह आयत मन्सूख़ (यानी इसका हुक्म अब उठा लिया गया) है और नासिख़ (निरस्त करने वाली) आयत यह हैः

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ......... الخ

यानी सूरः अहज़ाब की आयत 6, जिसका अभी ऊपर तर्जुमा बयान हुआ है।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि उन्हें उनका हिस्सा दो, यानी मीरास। हज़रत अबू बक्र रज़ि. ने एक साहिब को अपना मौला बनाया था, तो उन्हें वारिस किया। इब्ने मुसैयब रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत उन लोगों के हक़ में उतरी है जो अपने बेटों के अ़लावा औरों को अपना बेटा बनाते थे और उन्हें अपनी जायदाद का जायज़ वारिस क़रार देते थे। पस अल्लाह तआ़ला ने उनका हिस्सा वसीयत में से देने को फ़रमाया और मीरास को मौला यानी ज़ी-रहम (क़रीबी, पेट के) रिश्तेदारों की और अ़सबा की तरफ़ लौटा दिया। और इससे मना फ़रमाया और इसे नापसन्द फ़रमाया कि सिर्फ़ ज़बानी दावों और मुँह बोले बेटों को वरसा (मीरास का हिस्सा) दिया जाये। हाँ उनके लिये वसीयत में से देने को फ़रमाया। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक मुख़्तार (पसन्दीदा और बेहतर) क़ौल यह है कि उन्हें हिस्सा दो, यानी उनकी मदद और सहयोग करो, यह नहीं कि उन्हें उनके वरसे का हिस्सा दो। तो यह मायने करने से फिर आयत को मन्सूख़ बतलाने की कोई वजह बाक़ी नहीं रहती, न यह कहना पड़ता है कि यह हुक्म पहले था अब नहीं रहा। बल्कि आयत की दलालत (इशारा) सिर्फ़ इसी बात पर है कि जो अ़हद व पैमान आपस की इमदाद व इआ़नत और ख़ैरख़्वाही व भलाई के होते हैं उन्हें पूरा करो। पस यह आयत मोहकम और ग़ैर-मन्सूख़ है। लेकिन इमाम साहिब के इस क़ौल में ज़रा नज़र (यानी विचारनीय) है, इसलिये कि इसमें तो शक नहीं कि बाज़ अ़हद व पैमान सिर्फ़ नुसरत व इमदाद के ही होते थे लेकिन इसमें भी शक नहीं कि बाज़ अ़हद व पैमान वरसे के होते थे, जैसा कि बहुत से पहले बुज़ुर्गों से नक़ल है और जैसा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की तफ़सीर भी गुज़री, जिसमें उन्होंने साफ़ फ़रमाया है कि मुहाजिर अन्सारी का वारिस होता था, उसके क़राबती लोग वारिस नहीं होते थे, न ज़ी-रहम रिश्तेदार वारिस होते थे, यहाँ तक कि यह हुक्म मन्सूख़ हो गया, फिर इमाम साहिब कैसे फ़रमा सकते हैं कि यह आयत मोहकम और ग़ैर-मन्सूख़ है। वल्लाहु तआ़ला आलम।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۭ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○	मर्द हाकिम हैं औरतों पर, इस सबब से कि अल्लाह तआला ने बाज़ों को बाज़ों पर फ़ज़ीलत दी है, और इस सबब से कि मर्दों ने अपने माल ख़र्च किए हैं, सो जो औरतें नेक हैं इताअत करती हैं, मर्द की ग़ैर-मौजूदगी में अल्लाह की हिफ़ाज़त से निगरानी करती हैं, और जो औरतें ऐसी हों कि तुम को उनकी बद-दिमाग़ी का अंदेशा हो तो उनको ज़बानी नसीहत करो और उनको उनके लेटने की जगहों में अकेला छोड़ दो, और उनको मारो, फिर अगर वे तुम्हारी इताअत करना शुरू कर दें तो उन पर बहाना मत ढूँढो, बेशक अल्लाह तआला बड़ी बुलन्दी और बड़ाई वाले हैं। (34)

मर्द और औरत की हदें

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है कि मर्द औरत का हाकिम, रईस और सरदार है। उसे दुरुस्त और ठीक-ठाक रखने वाला है, इसलिये मर्द औरतों से अफ़ज़ल हैं। यही वजह है कि नुबुव्वत मर्दों में रही और इसी तरह शरई तौर पर ख़लीफ़ा भी मर्द ही बन सकता है। हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि वे लोग कभी निजात नहीं पा सकते जो अपना वाली (हाकिम व सरदार) किसी औरत को बनायें। (बुख़ारी) इसी तरह क़ज़ा (फ़ैसले करने) के पद वग़ैरह भी सिर्फ़ मर्दों के लायक़ ही हैं।

दूसरी वजह फ़ज़ीलत की यह है कि मर्द औरतों पर अपना माल ख़र्च करते हैं जो किताब व सुन्नत से उनके ज़िम्मे है। जैसे मेहर में, नान नफ़क़े (खाने कपड़े और दूसरी ज़रूरतों) में और दूसरी ज़रूरतों के पूरा करने में। पस मर्द अपनी असल और ज़ात के एतिबार से भी अफ़ज़ल और फ़ायदा पहुँचाने और ज़रूरत पूरी करने के एतिबार से भी उसका दर्जा बड़ा है। पस उसको औरत पर सरदार बनाया गया जैसा कि एक और जगह फ़रमान है:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ........ الخ

और मर्दों का उनके मुक़ाबले में कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है। (सूरः ब-क़रह आयत 228)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि औरतों को मर्दों की इताअत (फ़रमाँबरदारी) करनी पड़ेगी। उसके बाल-बच्चों की देख-भाल, उसके माल की हिफ़ाज़त वग़ैरह उसका काम है। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि एक औरत ने नबी सल्ल. के सामने अपने ख़ाविन्द की शिकायत की कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है, पस आपने बदला देने का हुक्म दिया ही था कि यह आयत उतरी और बदला न दिलवाया गया। एक और रिवायत में है कि एक अन्सारी सहाबी अपनी बीवी साहिबा को लिये हुए हाज़िरे ख़िदमत हुए, उस औरत ने हुज़ूर सल्ल. से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे इस ख़ाविन्द ने मुझे थप्पड़ मारा है

जिसका निशान अब तक मेरे चेहरे पर मौजूद है। आपने फ़रमाया इसे हक़ न था, वहीं यह आयत उतरी कि अदब सिखाने के लिये मर्द औरतों पर हाकिम हैं, तो आपने फ़रमाया मैंने और चाहा था अल्लाह तआ़ला ने और चाहा।

इमाम शअ़बी रह. फ़रमाते हैं कि माल ख़र्च करने से मुराद मेहर का अदा करना है। देखो अगर औरत पर ज़िना की तोहमत लगाये तो 'लिआ़न' का हुक्म है और अगर औरत अपने मर्द के बारे में यह बात कहे और साबित न कर सके तो उसे कोड़े लगेंगे। पस औरतों में नेक-नफ़्स (अच्छी तबीयत की) वे हैं जो अपने ख़ाविन्द की इताअ़त-गुज़ार (आज्ञाकारी और बात मानने वाली) हों, अपने नफ़्स और ख़ाविन्द के माल की हिफ़ाज़त रखने वाली हों, जिसे ख़ुद ख़ुदा ने महफ़ूज़ रखने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि अच्छी औरत वह है कि जब उसका ख़ाविन्द उसकी तरफ़ देखे तो वह उसे ख़ुश कर दे, और जब वह कोई हुक्म दे तो उसको पूरा करे, और जब कहीं बाहर जाये तो अपने नफ़्स को बुराई से महफ़ूज़ रखे और अपने ख़ाविन्द के माल की हिफ़ाज़त करे। फिर आपने इस आयत की तिलावत फ़रमाई।

मुस्नद अहमद में है कि आपने फ़रमाया- जब कोई औरत पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे, अपने ख़ाविन्द की फ़रमाँबरदारी करे, उससे कहा जायेगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से तू चाहे जन्नत में चली जा। फिर फ़रमाया जिन औरतों की सरकशी (नाफ़रमानी) से तुम डरो, यानी जो तुमसे बुलन्द होना चाहती हों, नाफ़रमानी करती हों, बेपरवाही बरतती हों, दुश्मनी रखती हों तो पहले तो उसे ज़बानी नसीहत करो, हर तरह समझाओ-बुझाओ, अल्लाह का ख़ौफ़ दिलाओ, मियाँ-बीवी के हुक़ूक़ याद दिलाओ, उससे कहो कि देखो ख़ाविन्द के इतने हुक़ूक़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया है कि अगर मैं किसी को हुक्म कर सकता कि वह अल्लाह तआ़ला के अ़लावा किसी दूसरे को सज्दा करे तो औरत को हुक्म करता कि वह अपने ख़ाविन्द को सज्दा करे। क्योंकि सबसे बड़ा हक़ उस पर उसी का है।

बुख़ारी शरीफ़ में है कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाये (यानी सोहबत करने के लिये) और वह इनकार कर दे तो सुबह तक फ़रिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। सही मुस्लिम में है कि जिस रात को कोई औरत रूठने की वजह से अपने ख़ाविन्द के बुलाने पर हमबिस्तरी के लिये न आये तो सुबह तक अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उस पर लानतें नाज़िल करते रहते हैं। तो यहाँ इरशाद होता है कि ऐसी नाफ़रमान औरतों को पहले तो समझाओ-बुझाओ फिर बिस्तरों से अलग करो (यानी तंबीह के लिये)। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- यानी सुलाये तो बिस्तर ही पर मगर ख़ुद उससे करवट मोड़ ले और हमबिस्तरी न करे, बातचीत और कलाम भी छोड़ सकता है। और यह औरत की बड़ी भारी सज़ा है।

बाज़ मुफ़स्सिरीन फ़रमाते हैं कि साथ सुलाना ही छोड़ दे। हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से सवाल होता है कि औरत का हक़ उसके मियाँ पर क्या है? फ़रमाया यह कि जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके मुँह पर न मारो, गालियाँ न दो, और घर से अलग न करो, ग़ुस्से में अगर तुम उससे बतौर सज़ा बातचीत छोड़ दो तो भी उसे घर से न निकालो। फिर फ़रमाया इससे भी अगर ठीक-ठाक न हो तो तुम्हें इजाज़त है कि मामूली सी डाँट-डपट और मार-पीट से भी सही रास्ते पर लाओ। सही मुस्लिम में नबी सल्ल. के हज्जतुल-विदा के ख़ुतबे में है कि औरतों के बारे में अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो कि वह तुम्हारी ख़िदमत गुज़ार और मातहत हैं। तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि जिसके आने-जाने से तुम ख़फ़ा हो उसे न आने दें, अगर वे ऐसा करें तो उन्हें मामूली तंबीह भी तुम कर सकते हो, लेकिन

सख़्त नहीं मार सकते। तुम पर उनका हक़ यह है कि उन्हें खिलाते, पहनाते और उढ़ाते रहो। पस ऐसी मार न मारनी चाहिये जिसका निशान बाक़ी रहे, जिससे कोई हिस्सा टूट जाये, या कोई ज़ख़्म आये।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इस पर भी अगर वे बाज़ न आयें तो फ़िदया ले लो और तलाक़ दे दो। एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- अल्लाह की लौंडियों (बन्दियों) को मारो नहीं। इसके बाद एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. आये और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह! औरतें आपके इस हुक्म को सुनकर अपने मर्दों पर दिलेर हो गईं। इस पर हुज़ूर सल्ल. ने उन्हें मारने की इजाज़त दी। अब मर्दों की तरफ़ से मार-पीट शुरू हुई और बहुत सी औरतें शिकायत लेकर नबी करीम सल्ल. के पास आईं तो आपने लोगों से फ़रमाया सुनो! मेरे पास औरतों की फ़रियाद पहुँची। याद रखो कि तुम में से जो अपनी औरतों को मारते हैं वे अच्छे आदमी नहीं। (अबू दाऊद वग़ैरह)

हज़रत अश्अ़स रह. फ़रमाते हैं- एक मर्तबा मैं हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. का मेहमान हुआ, इत्तिफ़ाक़न उस दिन मियाँ-बीवी में कुछ झगड़ा हो गया और हज़रत उमर रज़ि. ने अपनी बीवी साहिबा को मारा, फिर मुझसे फ़रमाने लगे अश्अ़स! तीन बातें याद रखना जो मैंने आँ हज़रत सल्ल. से सुनकर याद रखी हैं। एक तो यह कि मर्द से यह न पूछा जाये कि उसने अपनी औरत को किस बिना पर मारा। दूसरी यह कि वित्र पढ़े बग़ैर सोना मत। और तीसरी बात रावी (हदीस बयान करने वाले) के ज़ेहन से निकल गई। (नसाई)

फिर फ़रमाया अगर अब भी औरतें फ़रमाँबरदार बन जायें तो तुम उन पर किसी क़िस्म की सख़्ती न करो, न मारो, न पीटो, न बेज़ारी का इज़हार करो। अल्लाह बुलन्दियों और बड़ाईयों वाला है। यानी अगर औरतों की तरफ़ से क़सूर (कोई ग़लती) सर्ज़द हुए बग़ैर या क़सूर के बाद ठीक हो जाने के बावजूद भी तुमने उन्हें सताया तो याद रखो कि उनकी मदद पर उनका इन्तिक़ाम लेने पर ख़ुद ख़ुदा तआ़ला क़ादिर है और यक़ीनन वह बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त है।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝	और अगर तुम ऊपर वालों को उन दोनों मियाँ-बीवी में कशा-कशी का अन्देशा हो तो तुम लोग एक आदमी जो तसफ़िया करने की सलाहियत रखता हो मर्द के ख़ानदान से, और एक आदमी जो तसफ़िया करने की सलाहियत रखता हो औरत के ख़ानदान से भेजो, अगर उन दोनों आदमियों को इस्लाह मन्ज़ूर होगी तो अल्लाह तआ़ला उन मियाँ-बीवी में इत्तिफ़ाक़ फ़रमा देंगे। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़े ख़बर वाले हैं। (35)

मुसालहत की कोशिश

ऊपर इस सूरत को बयान फ़रमाया कि नाफ़रमानी और टेढ़ औरतों की जानिब से हो, अब यहाँ इस सूरत का बयान हो रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से बेज़ार हों तो क्या किया जाये? पस उलेमा-ए-किराम फ़रमाते हैं कि ऐसी हालत में हाकिम मोतबर और समझदार शख़्स मुक़र्रर करे जो यह देखे कि ज़ुल्म व

ज़्यादती किस तरफ़ से है, पस ज़ालिम को ज़ुल्म से रोके। अगर इस पर भी कोई बेहतरी की सूरत न निकले तो औरत वालों में से एक उसकी तरफ़ से और मर्द वालों में से एक बेहतर शख़्स उसकी जानिब से मुक़र्रर कर दे और ये दोनों मिलकर तहक़ीक़ात करें और जिस बात में मस्लेहत समझें उसका फ़ैसला करा दें। यानी चाहे अलग करा दें, चाहे मेल-मिलाप करा दें। लेकिन शरीअ़त की तरफ़ से तो इसी बात की तरग़ीब दी है कि जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि कोई शक्ल निबाह की निकल आये। अगर उन दोनों की तहक़ीक़ में ख़ाविन्द की तरफ़ से कोई बुराई साबित हो तो ये उसकी औरत को उससे रोक लेंगे और उसे मजबूर करेंगे कि अपनी आ़दत ठीक होने तक उससे अलग रहे और उसके ख़र्चे अदा करता रहे, और अगर शरारत औरत की तरफ़ से साबित हो जाये तो उसे नान व नफ़क़ा (ख़र्चा) नहीं दिलवायेंगे और ख़ाविन्द से हंसी-ख़ुशी बसर करने पर मजबूर करेंगे। इसी तरह अगर वे तलाक़ का फ़ैसला कर दें तो ख़ाविन्द को तलाक़ देनी पड़ेगी। अगर वे आपस में रहने का फ़ैसला करें तो उन्हें मानना पड़ेगा। बल्कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- अगर दोनों पंच इस पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो गए कि उन्हें रज़ामन्दी के साथ एक दूसरे से अपने ताल्लुक़ात निभाने चाहियें और इस फ़ैसले को एक ने मन्ज़ूर कर लिया और दूसरा नहीं करता और इसी हालत में एक का इन्तिक़ाल हो गया तो जो राज़ी था वह उसका वारिस बनेगा जो नाराज़ था, लेकिन जो नाराज़ था उसे उसका वरसा (मीरास का माल) नहीं मिलेगा जो राज़ी था। (इब्ने जरीर)

एक ऐसे ही झगड़े में हज़रत उस्मान रज़ि. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और हज़रत मुआ़विया रज़ि. को हकम (जज) मुक़र्रर किया था और फ़रमाया था कि अगर तुम उनमें मेल कराना चाहो तो मेल होगा और अगर जुदाई कराना चाहो तो जुदाई हो जायेगी। एक रिवायत में है कि अ़क़ील बिन अबी तालिब ने फ़ातिमा बिन्ते उतबा बिन रबीआ़ से निकाह किया तो उसने कहा तू मेरे पास आयेगा भी और मैं ही तेरा ख़र्च भी बरदाश्त करूँगी। अब यह होने लगा कि जब अ़क़ील उनके पास आना चाहते तो वह पूछतीं उतबा बिन रबीआ़ और शैबा बिन रबीआ़ कहाँ हैं? यह फ़रमाते तेरी बायीं तरफ़ जहन्नम में, इस पर वह पकड़ कर अपने कपड़े ठीक कर लेतीं। एक मर्तबा यह हज़रत उस्मान रज़ि. के पास आईं और यह वाक़िआ़ बयान किया। हज़रत उस्मान इस पर हंसे और हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत मुआ़विया रज़ि. को उनका पंच (फ़ैसला करने वाला) मुक़र्रर किया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. तो फ़रमाते थे कि इन दोनों में अ़लैहदगी करा दी जाये लेकिन हज़रत मुआ़विया रज़ि. फ़रमाते थे कि अ़ब्दे मुनाफ़ की औलाद में मैं यह जुदाई पसन्द नहीं करता। अब ये दोनों हज़रात हज़रत अ़क़ील के घर पहुँचे, देखा दरवाज़ा बन्द है और दोनों मियाँ-बीवी अन्दर हैं, ये दोनों लौट गए।

मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हज़रत अ़ली रज़ि. की ख़िलाफ़त के ज़माने में एक मियाँ-बीवी अपनी ना-इत्तिफ़ाक़ी का झगड़ा लेकर आये, उसके साथ उसकी बिरादरी के लोग थे और उसके साथ उसके घराने के। हज़रत अ़ली रज़ि. ने दोनों जमाअ़तों में से एक-एक को चुना और उसे हकम (पंच) मुक़र्रर किया। फिर दोनों पंचों से कहा जानते भी हो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारी हैसियत यह है कि अगर चाहो तो दोनों में सुलह-सफ़ाई करा दो, अगर चाहो तो जुदाई करा दो। यह सुनकर औरत ने तो कहा मैं अल्लाह तआ़ला के फ़ैसले पर राज़ी हूँ चाहे सुलह व मुसालहत की सूरत में हो चाहे जुदाई की सूरत में। मर्द कहने लगा मुझे जुदाई नामन्ज़ूर है। इस पर हज़रत अ़ली रज़ि. ने फ़रमाया नहीं नहीं! क़सम ख़ुदा की तुझे दोनों सूरतें मन्ज़ूर करनी पड़ेंगी। पस उलेमा का इजमा (सर्वसम्मति) है कि ऐसी सूरत में उन दोनों पंचों को दोनों इख़्तियार हैं, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम रह. फ़रमाते हैं कि अगर वे चाहें तो दो और तीन तलाक़ें भी दे सकते हैं।

हज़रत इमाम मालिक रह. से भी यही मन्क़ूल है। हाँ हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि उन्हें इकट्ठा करने का इख़्तियार है अलग करने का नहीं। हज़रत क़तादा और ज़ैद बिन असलम रह. का भी यही क़ौल है। इमाम अहमद, अबू सौर और दाऊद का रह. भी यही मज़हब है। उनकी दलील इसी आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है का यह जुमला है "इंय्युरीदा इस्लाहंय्-युवफ़्फ़िक़िल्ला-हु........" है। वे फ़रमाते हैं कि इसमें जुदा करने का ज़िक्र नहीं। हाँ अगर ये दोनों पंच शौहर और बीवी दोनों की तरफ़ से वकील हैं तो बेशक उनका हुक्म उनको मिलाने और जुदा करने दोनों में लागू होगा और इसमें तो किसी से ख़िलाफ़ (यानी आपत्ति व एतिराज़) मन्क़ूल भी नहीं। फिर यह भी ख़्याल रहे कि ये दोनों पंच हाकिम की जानिब से मुक़र्रर होंगे और फ़ैसला करेंगे अगरचे उनसे फ़रीक़ैन नाराज़ हों या ये दोनों मियाँ-बीवी की तरफ़ से उनके बनाये हुए वकील होंगे, जमहूर का मज़हब तो पहला है और दलील यह है कि उनका नाम क़ुरआने हकीम ने हकम (पंच और जज) रखा है, और हकम के फ़ैसले से कोई ख़ुश हो या नाख़ुश हर सूरत में उसका फ़ैसला आख़िरी होगा। आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ भी जमहूर के साथ ही हैं। इमाम शाफ़ई रह. का नया क़ौल भी यही है, और इमाम अबू हनीफ़ा और उनके साथियों का भी यही क़ौल है।

दूसरा क़ौल जिनका है वे कहते हैं कि अगर ये हकम (पंच) की सूरत में होते तो फिर हज़रत अ़ली रज़ि. उस ख़ाविन्द को क्यों फ़रमाते कि औ़रत ने जिन दोनों सूरतों का इक़रार किया है तू भी अगर न करे तो तब तक तू झूठा है (यानी उससे पूछने की क्या ज़रूरत थी)। वल्लाहु आलम।

इमाम इब्ने अ़ब्दुल-बर्र रह. फ़रमाते हैं कि उलेमा-ए-किराम का इजमा (इस पर सहमति) है कि दोनों पंचों का क़ौल जब मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) हो तो दूसरे के क़ौल का कोई एतिबार नहीं, और इस बात पर भी इजमा है कि ये इत्तिफ़ाक़ करना चाहें तो उनका फ़ैसला नाफ़िज़ है। हाँ अगर वे जुदाई कराना चाहें तो भी उनका फ़ैसला नाफ़िज़ है या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, लेकिन जमहूर का मज़हब यही है कि इसमें भी उनका फ़ैसला नाफ़िज़ (लागू) है, अगरचे उन्हें वकील न बनाया गया हो।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ ۝

और तुम अल्लाह तआ़ला की इबादत इख़्तियार करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो और माँ-बाप के साथ अच्छा मामला करो, और रिश्तेदारों के साथ भी और यतीमों के साथ भी और ग़रीब-ग़ुरबा के साथ भी और पास वाले पड़ौसी के साथ भी और दूर वाले पड़ौसी के साथ भी, और साथ रहने और उठने-बैठने वाले के साथ भी, और राहगीर के साथ भी और उनके साथ भी जो तुम्हारे मालिकाना क़ब्ज़े में हैं, बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्सों से मुहब्बत नहीं रखते जो अपने को बड़ा समझते हों, शैख़ी की बातें करते हों। (36)

सिला-रहमी की तरग़ीब

अल्लाह तबारक व तआ़ला अपनी इबादत का हुक्म देता है और अपनी तौहीद के (अल्लाह के एक होने के) मानने को फ़रमाता है और अपने साथ किसी को शरीक करने से रोकता है, इसलिये कि ख़ालिक़ (पैदा करने वाला), रज़्ज़ाक़ (रिज़्क़ देने वाला), नेमतें देने वाला, तमाम मख़्लूक़ पर हर वक़्त और हर हाल में इनामात की बारिश करने वाला सिर्फ़ वही है तो लायक़े इबादत भी सिर्फ़ वही हुआ। हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. से जनाब रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं- जानते हो ख़ुदा का हक़ बन्दों पर क्या है? आप जवाब देते हैं अल्लाह और उसका रसूल बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। आपने फ़रमाया यह कि वे उसी की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरायें। फिर फ़रमाया जानते हो जब बन्दे ये करें तो उनका हक़ ख़ुदा के ज़िम्मे क्या है? यह कि उन्हें वह अ़ज़ाब न करे। फिर फ़रमाता है माँ-बाप के साथ एहसान करते रहो, वही सबब बने हैं तुम्हारे अ़दम से वजूद में आने का।

क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने अपनी इबादत के साथ ही माँ-बाप से एहसान व सुलूक करने का हुक्म दिया है। जैसे फ़रमायाः

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ.

कि तू मेरी और अपने माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी किया कर (यानी उनके साथ अच्छा सुलूक करो)।

(सूरः लुक़मान आयत 14)

और फ़रमायाः

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत मत करो और तुम अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो। (सूरः बनी इस्राईल आयत 23)

यहाँ भी यह बयान फ़रमाकर फिर हुक्म देता है कि अपने रिश्तेदारों से भी सुलूक व एहसान करते रहो। हदीस में है कि मिस्कीन को सदक़ा देना सिर्फ़ सदक़ा ही है, लेकिन क़रीबी रिश्तेदार को देना सदक़ा भी है और सिला-रहमी भी है। फिर हुक्म होता है कि यतीमों के साथ भी सुलूक व एहसान करो इसलिये कि उनकी ख़बरगीरी करने वाला, उनके सर पर मुहब्बत से हाथ फेरने वाला, उनके नाज़ व नख़रे उठाने वाला, उन्हें मुहब्बत के साथ खिलाने पिलाने वाला उनके सर से उठ गया है।

फिर मिस्कीनों के साथ नेकी करने का इरशाद किया कि वे हाजत-मन्द हैं ख़ाली हाथ हैं मोहताज हैं उनकी ज़रूरतें तुम पूरी करो, उनकी परेशानी दूर करो, उनके काम तुम कर दिया करो। फ़क़ीर व मिस्कीन का पूरा बयान सूरः बराअत की तफ़सीर में आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखो, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव और नेक सुलूक रखो, चाहे वे रिश्तेदार हों या न हों, चाहे वे मुसलमान हों या ग़ैर-मुस्लिम हों। यह भी कहा गया है कि 'पास वाले पड़ोसी' से मुराद बीवी है और 'दूर वाले पड़ोसी' से मुराद सफ़र का साथी है। पड़ोसियों के हक़ के सिलसिले में बहुत सी हदीसें हैं, कुछ सुन लीजिये।

मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि मुझे हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम पड़ोसियों के बारे में यहाँ तक वसीयत व नसीहत करते हैं कि मुझे गुमान हुआ कि शायद पड़ोसियों को वारिस बना देंगे।

फ़रमाते हैं कि बेहतर साथी अल्लाह के नज़दीक वह है जो अपने साथियों के साथ ज़्यादा अच्छे सुलूक वाला हो और पड़ोसियों में सबसे बेहतर ख़ुदा के नज़दीक वह है जो पड़ोसियों से नेक सुलूक ज़्यादा करता हो। फ़रमाते हैं कि इनसान को न चाहिये कि अपने पड़ोसी को आसूदगी के बग़ैर (यानी जब तक उसके यहाँ ख़ुशहाली न हो) ख़ुद पेट भरकर खाना खाये।

एक मर्तबा आप सल्ल. ने सहाबा से सवाल किया कि ज़िना के बारे में तुम क्या कहते हो? लोगों ने कहा वह हराम है, अल्लाह ने और उसके रसूल ने उसे हराम किया है और क़ियामत तक हराम ही रहेगा। आपने फ़रमाया सुनो! दस औ़रतों से ज़िना करने वाला शख़्स उस शख़्स के गुनाह से कम गुनाहगार है जो अपने पड़ोसी की औ़रत से ज़िना करे। फिर दरियाफ़्त फ़रमाया तुम चोरी के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल ने हराम किया है, और वह भी क़ियामत तक हराम है। आपने फ़रमाया सुनो! दस घरों से चोरी करने वाले का गुनाह उस शख़्स के गुनाह से हल्का है जो अपने पड़ोसी के घर से कुछ चुराये।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की हदीस में है, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह! कौनसा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़रमाया यह कि तू अल्लाह के साथ शरीक ठहराये हालाँकि उसी एक ने तुझे पैदा किया है। मैंने पूछा फिर कौनसा? फ़रमाया- यह कि तू अपने पड़ोसी की औ़रत से ज़िना करे। एक अन्सारी सहाबी रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होने के लिये घर से चला, वहाँ पहुँचकर देखता हूँ कि एक साहिब खड़े हैं और हुज़ूर सल्ल. उनकी तरफ़ मुतवज्जह हैं। मैंने ख़्याल किया कि शायद उन्हें आप से कुछ काम होगा। हुज़ूर सल्ल. खड़े हैं और उनसे बातें हो रही हैं। बड़ी देर हो गई यहाँ तक कि मुझे आपके थक जाने के ख़्याल ने बेचैन कर दिया। बहुत देर के बाद आप लौटे और मेरे पास आये। मैंने कहा हुज़ूर! उस शख़्स ने तो आपको बहुत देर खड़ा रखा, मैं तो परेशान हो गया। आपके पाँव थक गए होंगे। आपने फ़रमाया अच्छा तुमने उन्हें देखा? मैंने कहा हाँ ख़ूब अच्छी तरह देखा। फ़रमाया जानते हो वह कौन थे? वह जिब्राईल थे, मुझे पड़ोसियों के हुक़ूक़ की अदायगी की ताकीद करते रहे यहाँ तक उनके हुक़ूक़ बयान किये कि मुझे ख़्याल हुआ कि ग़ालिबन आज पड़ोसी को वारिस ही ठहरा देंगे। (मुस्नद इमाम अहमद)

मुस्नद अ़ब्द बिन हुमैद में है, हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक शख़्स मदीने के पास की बस्ती में से आया, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्ल. और हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम उस जगह नमाज़ पढ़ रहे थे जहाँ जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाती थी। जब आप फ़ारिग़ हुए तो उस शख़्स ने कहा हुज़ूर! आपके के साथ यह दूसरा कौन शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था? आपने फ़रमाया तुमने उन्हें देखा? उसने कहा हाँ! फ़रमाया तूने बहुत बड़ी भलाई देखी, यह जिब्राईल थे, मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, मुझे ख़्याल हुआ कि जल्द ही उसे वारिस बना देंगे।

आठवीं हदीस बज़्ज़ार में है, हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं- एक हक़ वाले यानी मामूली और कम-दर्जे के, दो हक़ वाले और तीन हक़ वाले यानी ऊँचे दर्जे वाले। एक हक़ वाला वह है जो मुश्रिक (ग़ैर-मुस्लिम) हो और उससे रिश्तेदारी न हो। दो हक़ वाला वह है जो मुसलमान हो और रिश्तेदार न हो, एक हक़ इस्लाम दूसरा हक़ पड़ोसी का। तीन हक़ वाला वह है जो मुसलमान भी हो, पड़ोसी भी हो और रिश्ते-नाते का भी हो, तो इस्लाम का हक़, पड़ोसी होने का हक़, सिला-रहमी (यानी रिश्ता जोड़ने और रिश्तेदारी का ख़्याल रखने) का हक़, तीन तीन हक़ उसके होंगे।

नवीं हदीस मुस्नद अहमद में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्ल. से दरियाफ़्त किया कि मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं एक को हदिया भेजना चाहती हूँ तो कैसे भिजवाऊँ? आपने फ़रमाया जिसका दरवाज़ा क़रीब हो। दसवीं हदीस तबरानी में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने वुज़ू किया, लोगों ने आपके वुज़ू के पानी को लेना और अपने ऊपर मलना शुरू किया। आपने पूछा ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत में। आपने फ़रमाया जिसे यह अच्छा मालूम होता है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मुहब्बत करें तो उसे चाहिये कि जब बात करे सच करे और जब अमानत दिया जाये तो अदा करे। (तफ़सीर इब्ने कसीर में यह हदीस यहीं पर ख़त्म है लेकिन शायद अगला जुमला इसका भूल से रह गया है, जिसका वास्तविक ताल्लुक़ इस मसले से है, वह यह कि उसे चाहिये कि पड़ोसी के साथ सुलूक व एहसान करे)। ग्यारहवीं हदीस मुस्नद अहमद में है कि क़ियामत के दिन सबसे पहले जो झगड़ा ख़ुदा के सामने पेश होगा वह दो पड़ोसियों का होगा।

फिर हुक्म होता है 'वस्साहिबि बिल्जम्बि' (यानी पास बैठने वाले) के साथ अच्छा सुलूक करने का। इससे मुराद बहुत से मुफ़स्सिरीन के नज़दीक औरत है और बहुत से फ़रमाते हैं कि मुराद सफ़र का साथी है। और यह भी नक़ल है कि इससे मुराद दोस्त और साथी है चाहे वह सफ़र में हो या वतन में रहने की हालत में। 'इब्ने सबील' से मुराद मेहमान है और यह भी कि जो राह गुज़रते हुए ठहर गया हो। पस अगर मेहमान से भी यही मुराद ली जाये कि सफ़र में जाते-जाते मेहमान बना तो दोनों एक हो गए। इसका पूरा बयान भी सूरः बराअत की तफ़सीर में आ रहा है, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

फिर ग़ुलामों के बारे में फ़रमान हो रहा है कि उनके साथ भी नेक सुलूक रखो, इसलिये कि वह ग़रीब तो तुम्हारे हाथों में बंधा हुआ और क़ैद है उस पर तो तुम्हारा पूरा इख़्तियार है, तो तुम्हें चाहिये कि उस पर रहम खाओ, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखो। रसूले करीम सल्ल. तो अपनी वफ़ात की बीमारी में भी उम्मत को इसकी वसीयत फ़रमा गए। फ़रमाते हैं कि लोगो! नमाज़ का और ग़ुलामों का ख़ूब ख़्याल रखना। बार-बार फ़रमाते रहे, यहाँ तक कि ज़बान रुकने लगी।

मुस्नद की हदीस में है, आप फ़रमाते हैं कि तू ख़ुद जो खाये वह भी सदक़ा है, जो अपने बच्चों को खिलाये वह भी सदक़ा है, जो अपनी बीवी को खिलाये वह भी सदक़ा है, जो अपने ख़ादिम को खिलाये वह भी सदक़ा है। मुस्लिम में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने एक मर्तबा अपने दारोग़ा से फ़रमाया कि क्या ग़ुलामों को तुमने उनकी ख़ुराक दे दी? उसने कहा अब तक नहीं दी। फ़रमाया जाओ देकर आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इनसान को यही गुनाह काफ़ी है कि जिनकी ख़ुराक का वह मालिक है उनसे रोक रखे। मुस्लिम में है कि मम्लूक मातहत का हक़ है कि उसे खिलाया पिलाया पहनाया उढ़ाया जाये और उसकी ताक़त से ज़्यादा काम उससे न लिया जाये। बुख़ारी शरीफ़ में है जब तुम में से किसी का ख़ादिम उसका खाना लेकर आये तो तुम्हें चाहिये कि अगर साथ बैठाकर नहीं खिलाते तो कम से कम उसे लुक़्मा दो लुक़्मा दे दो, ख़्याल करो कि उसके पकाने की गर्मी और तकलीफ़ उसी ने उठाई है। दूसरी रिवायत में है- चाहिये तो यह कि उसे अपने साथ बैठाकर खिलाये और अगर खाना कम हो तो लुक़्मा दो लुक़्मे ही दे दिया करो। आप फ़रमाते हैं कि तुम्हारे ग़ुलाम भी तुम्हारे भाई ही हैं। अल्लाह तआ़ला ने उन्हें तुम्हारे मातहत (क़ब्ज़े में और अधीन) कर दिया है, पस जिसके हाथ के नीचे उसका भाई हो उसे अपने खाने में से खिलाये और अपने पहनने में से पहनाये और ऐसा काम न ले कि वह आ़जिज़ हो जाये। अगर कोई ऐसा ही मुश्किल काम आ पड़े तो ख़ुद भी उसका साथ दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फिर फ़रमाया कि अपने को दूसरों से अच्छा समझने, इतराने और घमंड करने वाला, लोगों पर अपनी बरतरी जताने वाला, अपने आपको तौलने वाला, अपने आपको दूसरों से बेहतर जानने वाला ख़ुदा का पसन्दीदा बन्दा नहीं। वह अगरचे अपने आपको बड़ा समझे लेकिन ख़ुदा के यहाँ वह ज़लील है, लोगों की नज़र में वह हक़ीर है। भला कितना अंधेर है कि ख़ुद तो अगर किसी से सुलूक करे तो अपने एहसान उस पर रखे, लेकिन रब की नेमतों का जो ख़ुदा ने उसे दे रखी हैं शुक्र न बजा लाये। लोगों में बैठकर इतराये कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। मेरे पास यह है, वह है। हज़रत अबू रजा हरवी रह. फ़रमाते हैं कि हर बदख़ुल्क़ (बुरे अख़्लाक़ वाला) घमंडी और ख़ुद-पसन्द होता है, फिर इसी आयत की तिलावत की और फ़रमाया- हर माँ-बाप का नाफ़रमान सरकश और बदनसीब होता है। फिर आपने यह आयत पढ़ीः

وَبَرًّا ۢ بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا.

और मुझको मेरी वालिदा का ख़िदमत-गुज़ार बनाया और मुझको सरकश व बदबख़्त नहीं बनाया।

(सूरः मरियम आयत 32)

हज़रत अव्वाम बिन होशब रह. भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत मुतर्रिफ़ रह. फ़रमाते हैं कि मुझे हज़रत अबूज़र रज़ि. की एक रिवायत पहुँची थी और मेरे दिल में तमन्ना थी कि किसी वक़्त ख़ुद हज़रत अबूज़र रज़ि. से मिलकर इस रिवायत को उन्हीं की ज़बानी सुनूँ। चुनाँचे एक मर्तबा मुलाक़ात हो गई तो मैंने कहा मुझे यह ख़बर मिली है कि आप एक हदीस रसूलुल्लाह सल्ल. की बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला तीन क़िस्म के लोगों को दोस्त रखता है और तीन क़िस्म के लोगों को नापसन्द फ़रमाता है। हज़रत अबूज़र रज़ि. ने फ़रमाया हाँ यह सच है, मैं भला अपने ख़लील (दोस्त यानी नबी करीम सल्ल.) पर बोहतान कैसे बाँध सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर वे तीन कौन हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला दुश्मन रखता है? आपने इसी आयत की तिलावत की और फ़रमाया इसे तो तुम किताबुल्लाह में भी पाते हो। बल्हुजैम का एक शख़्स रसूले मक़बूल सल्ल. से कहता है कि मुझे कुछ नसीहत कीजिये। आपने फ़रमाया- कपड़ा टख़्ने से नीचे न लटकाओ, क्योंकि यह तकब्बुर और घमंड की निशानी है, जिसे अल्लाह नापसन्द रखता है।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰـهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝

जो कि बुख़्ल "यानी कन्जूसी" करते हों और दूसरे लोगों को भी बुख़्ल की तालीम करते हों, और वे उस चीज़ को छुपाकर रखते हों जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से दी है। और हमने ऐसे नाशुक्रों के लिए तौहीन वाली सज़ा तैयार कर रखी है। (37) और जो लोग कि अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करते हैं और अल्लाह तआ़ला पर और आख़िरी दिन पर एतिक़ाद नहीं रखते, और शैतान जिसका साथी हो उसका वह बुरा साथी है। (38) और उन पर क्या मुसीबत नाज़िल हो

जाएगी अगर वे लोग अल्लाह तआला पर और आख़िरी दिन पर ईमान ले आएँ, और अल्लाह तआला ने जो उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते रहा करें, और अल्लाह तआला उनको ख़ूब जानते हैं। (39)	وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝

कन्जूसी की निंदा

इरशाद होता है कि जो लोग उन मौक़ों पर ख़र्च करने से जी चुराते हैं जहाँ ख़र्च करने से ख़ुदा तआला ख़ुश हो, जैसे माँ-बाप को देना, रिश्तेदारों से सुलूक करना, यतीम मिस्कीन, पड़ोसी रिश्तेदार, ग़ैर-रिश्तेदार पड़ोसी, साथी मुसाफ़िर, ग़ुलाम और मातहत को उनकी मोहताजी के वक़्त इख़्लास के साथ अल्लाह के लिये देना, और इतना ही नहीं बल्कि लोगों को भी बुख़्ल (कन्जूसी) का और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न करने का मश्विरा देते हैं। हदीस शरीफ़ में है कि कौनसी बीमारी बुख़्ल (कन्जूसी) की बीमारी से बढ़कर है। एक और हदीस में है कि लोगो बख़ीली से बचो, इसी ने तुम से पहले लोगों को तबाह व बरबाद किया, इसी के कारण उनसे रिश्तों को तोड़ने और बुराईयों व बदकारी जैसे बुरे काम सादिर हुए। ये लोग इन दोनों बुराईयों के साथ एक तीसरी बुराई के भी करने वाले भी हैं यानी अल्लाह की नेमतों को छुपाते हैं, उन्हें ज़ाहिर नहीं करते, न उनके खाने पीने में वे ज़ाहिर होती हैं न पहनने ओढ़ने में, न लेने देने में। जैसे एक और जगह हैः

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝

यानी इनसान अपने रब का नाशुक्रा है और वह ख़ुद ही अपनी इस हालत और इस ख़स्लत पर गवाह है। फिर आगे फ़रमायाः

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝

वह माल की मुहब्बत में मस्त है।

पस यहाँ भी फ़रमान है कि अल्लाह तआला के फ़ज़्ल को यह छुपाता रहता है। फिर उन्हें धमकाया जाता है कि काफ़िरों के लिये हमने तौहीन भरे अ़ज़ाब तैयार कर रखे हैं। कुफ़्र के मायने हैं छुपाकर रखना और छुपा लेना, पस बख़ील (कन्जूस) भी अल्लाह की नेमतों को छुपाने वाला, उन पर पर्दा डालने वाला बल्कि उनका इनकार करने वाला है। इसलिये वह उन नेमतों का काफ़िर हुआ। हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला जब किसी बन्दे पर अपनी नेमत इनाम फ़रमाता है तो चाहता है कि उसका असर उस पर ज़ाहिर हो। अल्लाह के रसूल की दुआ में हैः

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا.

ख़ुदाया! हमें अपनी नेमतों पर शुक्रगुज़ार बना और उनकी वजह से हमें अपना तारीफ़ करने वाला बना, उनका क़बूल करने वाला बना और उन नेमतों को हमें ख़ूब अ़ता फ़रमा।

बाज़ बुज़ुर्गों का क़ौल है कि यह आयत यहूदियों के उस बुख़्ल (कन्जूसी) के बारे में है जो वे अपनी किताब में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल. की सिफ़ात को छुपाने में करते थे, इसी लिये इसके आख़िर में है

कि काफ़िरों के लिये ज़िल्लत भरे अ़ज़ाब हमने तैयार कर रखे हैं। कोई शक नहीं कि इस आयत को उन पर भी महमूल किया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर यहाँ माल का बुख़्ल बयान हो रहा है, अगरचे इल्म का बुख़्ल भी इसमें और ज़्यादा दाख़िल है।

ख़्याल कीजिये कि आयत में रिश्तेदारों, क़रीबी लोगों और ग़रीबों को माल देने के बारे में बयान है, इसी तरह इसके बाद वाली आयत में रिया (दिखावे) के तौर पर माल देने वालों की मज़म्मत (बुराई और निन्दा) बयान हो रही है, यहाँ बयान हुआ माल को उन रोकने वालों और बख़ीलों का जो कोड़ी-कोड़ी को दाँतों से थाम रखते हैं। फिर बयान हुआ उनका जो देते तो हैं लेकिन बुरी नीयत से, दुनिया में अपनी वाह वाह होने की ख़ातिर। चुनाँचे एक हदीस में है कि जिन तीन क़िस्म के लोगों से जहन्नम की आग सुलगाई जायेगी वे यही रियाकार होंगे। रियाकार आ़लिम, रियाकार मुजाहिद और रियाकार सख़ी। यह सख़ी से कहेगा भी कि बारी तआ़ला तेरी हर-हर राह में मैंने अपना माल ख़र्च किया तो उसे ख़ुदा तआ़ला की जानिब से जवाब मिलेगा कि तू झूठा है, तेरा इरादा तो सिर्फ़ यह था कि तू सख़ी और दानवीर मशहूर हो जाये, सो वह हो चुका। यानी तेरा मक़सूद दुनिया की शोहरत थी वह मैं तुझे दुनिया ही में दे चुका, पस तेरी मुराद हासिल हो चुकी।

एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल. ने हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ि. से फ़रमाया- तेरे बाप ने अपनी सख़ावत से जो चाहा था वह उसे मिल गया। हुज़ूर सल्ल. से सवाल होता है कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़दआ़न तो बड़ा सख़ी था, जिसने मिस्कीनों और ग़रीबों के साथ बड़े सुलूक किये और अल्लाह के नाम से बहुत से गुलाम आज़ाद किये, तो क्या उसे उनका नफ़ा न मिलेगा? आपने फ़रमाया नहीं! उसने तो उम्र भर में एक दिन भी न कहा कि ख़ुदाया मेरे गुनाहों को क़ियामत के दिन माफ़ फ़रमा देना। इसी लिये यहाँ भी फ़रमाता है कि उनका ईमान अल्लाह पर और क़ियामत पर नहीं, वरना शैतान के फन्दे में न फंस जाते और बदी को भुला न बैठते, ये शैतान के साथी हैं और शैतान इनका साथी है। साथी की बुराई पर उनकी बुराई भी सोच लो। अ़रब शायर कहता है:

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه ☆ فكل قرين بالمقارن يقتدى

इनसान के बारे में न पूछ उसके साथियों का हाल दरियाफ़्त कर ले, हर एक अपने साथी का ही पैरोकार (यानी उसी जैसा) होता है।

फिर इरशाद फ़रमाता है कि उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने, सही रास्ते पर चलने, रियाकारी को छोड़ देने और इख़्लास व यक़ीन पर क़ायम हो जाने से कौनसी चीज़ रोकने वाली है? उनका इसमें क्या नुक़सान है? बल्कि सरासर फ़ायदा है कि उनकी आ़क़िबत संवर जायेगी। ये क्यों ख़ुदा की राह में माल ख़र्च करने से तंगदिली कर रहे हैं, ख़ुदा की मुहब्बत और उसकी रज़ामन्दी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अल्लाह उन्हें ख़ूब जानता है, उनकी भली और बुरी नीयतों का उसे इल्म है। तौफ़ीक़ वाले और ग़ैर-तौफ़ीक़ वाले सब उस पर ज़ाहिर हैं। वह भलों को नेक आमाल की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाकर अपनी ख़ुशनूदी के काम उनसे लेकर अपनी निकटता उन्हें अ़ता फ़रमाता है और बुरों को अपनी बुलन्द जनाब और ज़बरदस्त सरकार से धकेल देता है, जिससे उनकी दुनिया और आख़िरत बरबाद हो जाती है। अल्लाह तआ़ला हमारी हिफ़ाज़त

फ़रमाये।

بلا شبہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ○ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○	बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला एक ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म न करेंगे, और अगर एक नेकी होगी तो उसको कई गुना कर देंगे और अपने पास से और बड़ा अज्र देंगे। (40) सो उस वक़्त भी क्या हाल होगा जबकि हम हर उम्मत में से एक-एक गवाह को हाज़िर करेंगे और आपको उन लोगों पर गवाही देने के लिए सामने लाएँगे। (41) उस दिन जिन्होंने कुफ़्र किया होगा और रसूल का कहना न माना होगा वे इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश! हम ज़मीन के पैवन्द हो जाएँ, और अल्लाह तआ़ला से किसी बात को छुपा न सकेंगे। (42)

अल्लाह तआ़ला हर चीज़ का पूरा इल्म रखता है

अल्लाह तआ़ला रब्बुल-आ़लमीन फ़रमाता है कि वह किसी पर ज़ुल्म नहीं करता, किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता बल्कि बढ़ा-चढ़ाकर क़ियामत के रोज़ उसका अज्र व सवाब अ़ता फ़रमायेगा। जैसे एक दूसरी आयत में है:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ........ الخ

कि हम अ़दल (इन्साफ़) की तराज़ू रखेंगे। और फ़रमाया कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था:

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ......... الخ

ऐ बेटे अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर होगी वह किसी पत्थर में या आसमानों में हो या ज़मीन के अन्दर हो, अल्लाह उसे ला हाज़िर करेगा। बेशक अल्लाह तआ़ला बारीक-बीन ख़बरदार है। एक और जगह फ़रमाया:

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ.......... الخ

कि उस दिन लोग विभिन्न और अलग-अलग हालतों पर लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाये जायें। पस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वह उसे देख लेगा।

बुख़ारी व मुस्लिम की शफ़ाअ़त के ज़िक्र वाली लम्बी हदीस में है कि फिर अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा लौटकर जाओ और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान देखो उसे जहन्नम से निकाल लाओ। पस बहुत सी मख़्लूक़ जहन्नम से आज़ाद होगी। हज़रत अबू सईद यह हदीस बयान फ़रमाकर फ़रमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो क़ुरआनी आयत के इस जुमले को पढ़ लो:

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ.......... الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

इब्ने अबी हातिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. का फ़रमान है कि क़ियामत के दिन किसी अल्लाह के बन्दे या बन्दी को लाया जायेगा और एक पुकारने वाला तमाम मेहशर वालों को सुनाकर बुलन्द आवाज़ से कहेगा कि यह फ़ुलाँ का बेटा बेटी है, इसका नाम यह है, जिस किसी का कोई हक़ इसके ज़िम्मे बाक़ी हो वह आये और ले जाये। उस वक़्त हालत यह होगी कि औ़रत चाहेगी कि उसका कोई हक़ उसके बाप पर या माँ पर या भाई पर या शौहर पर हो तो दौड़कर आये और ले। रिश्ते-नाते कट जायेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह तआ़ला अपना जो हक़ चाहेगा माफ़ फ़रमा देगा लेकिन लोगों के हुक़ूक़ में से कोई हक़ माफ़ न फ़रमायेगा। जब हक़दार आ जायेंगे तो उससे कहा जायेगा कि इनके हक़ अदा कर, वह कहेगा दुनिया तो ख़त्म हो चुकी आज मेरे हाथ में क्या है जो मैं दूँ? पस उसके नेक आमाल लिये जायेंगे और हक़दार को दिये जायेंगे, हर एक का हक़ इसी तरह अदा किया जायेगा। अब यह शख़्स अगर ख़ुदा का दोस्त है तो इसके पास एक राई के दाने के बराबर भी नेकी बच रहेगी जिसे बढ़ा-चढ़ाकर सिर्फ़ उसी की बिना पर अल्लाह तआ़ला उसे जन्नत में ले जायेगा। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। और अगर वह बन्दा अल्लाह का दोस्त नहीं है बल्कि बदबख़्त और नाफ़रमान है तो यह हाल होगा कि फ़रिश्ता कहेगा- बारी तआ़ला इसकी सब नेकियाँ ख़त्म हो गईं और अभी हक़दार बाक़ी रह गए। हुक्म होगा कि उनकी बुराईयाँ लेकर इस पर लाद दो। फिर इसे जहन्नम में दाख़िल करो। अल्लाह तआ़ला इस हालत से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाये।

इस मौक़ूफ़ रिवायत के बाज़ शवाहिद (पुष्टि करने वाली रिवायतें) मरफ़ूअ़ हदीसों में भी मौजूद हैं। इब्ने अबी हातिम में हज़रत इब्ने उमर रज़ि. का फ़रमान है कि आयतः

مَنۡ جَآءَ بِالۡحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشۡرُ اَمۡثَالِهَا.

''कि जो एक नेकी लेकर आयेगा उसको दस गुना अज्र मिलेगा''

देहातियों के बारे में उतरी है। इस पर उनसे सवाल हुआ कि मुहाजिरीन के बारे में क्या है? आपने फ़रमाया इससे बहुत ही अच्छी आयतः

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ.......... الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि मुश्रिक के भी अ़ज़ाबों में इसके सबब कमी कर दी जाती है, हाँ जहन्नम से निकलेगा तो नहीं। चुनाँचे सही हदीस में है कि हज़रत अ़ब्बास रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्ल. से पूछा या रसूलल्लाह! आपके चचा अबू तालिब आपका सहारा और पीछा संभालने वाले बने हुए थे, आपको लोगों की तकलीफ़ों और सताने से बचाते रहते थे, आपकी तरफ़ से उनसे लड़ते रहते थे, तो क्या उनको कुछ नफ़ा पहुँचेगा? फ़रमाया हाँ वह बहुत थोड़ी सी आग में हैं, और अगर मेरा यह ताल्लुक़ न होता तो जहन्नम के नीचे के तब्क़े में होते, लेकिन यह बहुत मुम्किन है कि यह फ़ायदा सिर्फ़ अबू तालिब के लिये हो यानी दूसरे कुफ़्फ़ार इस हुक्म में न हों, इसलिये कि मुस्नद तयालिसी की हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला मोमिन की किसी नेकी पर ज़ुल्म नहीं करता, दुनिया में रोज़ी रिज़्क़ वग़ैरह की सूरत में उसका बदला मिलता

है और आख़िरत में जज़ा और सवाब की शक्ल में बदला मिलेगा, हाँ काफ़िर तो अपनी नेकी दुनिया ही में खा जाता है, क़ियामत में उसके पास कोई नेकी न होगी।

'अज़ीम अज्र' से मुराद इस आयत में जन्नत है। अल्लाह तआ़ला हमें अपने फ़ज़्ल व करम, लुत्फ़ व रहम से अपनी रज़ामन्दी अ़ता फ़रमाये और जन्नत नसीब करे आमीन। मुस्नद अहमद की एक ग़रीब हदीस में है, हज़रत अबू उस्मान रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुझे ख़बर मिली है कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला अपने मोमिन बन्दे को एक नेकी के बदले एक लाख नेकी का सवाब देगा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने कहा हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की ख़िदमत में तो सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ मैंने तो कभी आपसे यह हदीस सुनी नहीं! अब मैंने पुख़्ता इरादा कर लिया कि जाऊँ हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से मिलकर उनसे ख़ुद पूछ आऊँ। चुनाँचे मैंने सफ़र का सामान तैयार किया और इस रिवायत की छान-बीन के लिये रवाना हुआ। मालूम हुआ कि वह हज को गए हैं, मैं भी हज की नीयत करके वहाँ पहुँचा, मुलाक़ात हुई तो मैंने कहा ऐ अबू हुरैरह! मैंने सुना है कि आपने यह हदीस बयान की है? क्या यह सच है? आपने फ़रमाया क्या तुम्हें ताज्जुब मालूम होता है? तुमने क़ुरआन नहीं पढ़ा? ख़ुदा फ़रमाता है कि जो शख़्स अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दे अल्लाह उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इनायत फ़रमाता है, और दूसरी आयत में सारी दुनिया को कम कहा गया है। ख़ुदा की क़सम मैंने नबी पाक सल्ल. से सुना है कि एक नेकी को बढ़ाकर उसके बदले दो लाख मिलेंगी। यह हदीस और तरीक़ों (सनदों) से भी नक़ल की गयी है।

फिर क़ियामत के दिन की सख़्ती और हौलनाकी का बयान फ़रमा रहा है कि उस दिन अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को बतौर गवाह पेश किया जायेगा। जैसे एक दूसरी आयत में है:

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِآىْءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ.

ज़मीन अपने रब के नूर से चमकने लगेगी, नामा-ए-आमाल दिये जायेंगे और नबियों और गवाहों को ला खड़ा किया जायेगा। एक और जगह फ़रमान है:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ........ الخ

हर उम्मत पर उन्हीं में से हम गवाह ख़ड़ा करेंगे।

सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से फ़रमाया- मुझे कुछ क़ुरआन पढ़कर सुनाओ। हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह! मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा! आप पर तो उतरा ही है। फ़रमाया हाँ लेकिन मेरा जी चाहता है कि किसी दूसरे से सुनूँ। पस मैंने सूरः निसा की तिलावत शुरू की, पढ़ते-पढ़ते जब मैंने इस आयत 'फ़-कै-फ़ इज़ा जिअ्ना.......' की तिलावत की तो आपने फ़रमाया बस करो। मैंने देखा कि आपकी आँखों से आँसू जारी थे।

हज़रत मुहम्मद बिन फ़ज़ाला अन्सारी रज़ि. फ़रमाते हैं कि क़बीला बनी ज़फ़र के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आये और उस सख़रा (चट्टान) पर बैठ गए जो अब तक उनके मौहल्ले में है। आपके साथ हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल और दूसरे सहाबा रज़ि. भी थे। आपने एक क़ारी से फ़रमाया कि क़ुरआन पढ़ो। वह पढ़ते-पढ़ते जब इस आयत 'फ़-कै-फ़........' (जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) तक पहुँचे तो आप इस क़द्र रोये कि दोनों रुख़्सार और दाढ़ी तर हो गई और अ़र्ज़ करने लगे या रब जो मौजूद हैं उन पर तो ख़ैर मेरी गवाही होगी लेकिन जिन लोगों को मैंने देखा ही नहीं उनके बारे में कैसे गवाही हो सकेगी। (इब्ने अबी हातिम)

इब्ने जरीर में है कि आपने फ़रमाया- मैं इन पर गवाह हूँ जब तक कि मैं इनमें मौजूद हूँ। जब तू मुझे फ़ौत कर देगा तब तो तू ही इन पर निगहबान (निगरानी करने वाला) है। अबू अ़ब्दुल्लाह क़ुर्तुबी रह. ने अपनी किताब तज़किरा में एक बाब क़ायम किया है कि नबी सल्ल. की उम्मत पर शहादत (गवाही) के बारे में क्या आया है। उसमें हज़रत सईद बिन मुसैयब का यह क़ौल पेश किया है कि हर दिन सुबह शाम नबी सल्ल. पर आपकी उम्मत के आमाल मय उनके नामों के पेश किये जाते हैं। पस आप क़ियामत के दिन उन सब पर गवाही देंगे। फिर यही आयत तिलावत फ़रमाई। लेकिन पहली बात तो यह कि यह हज़रत सईद का क़ौल है, दूसरे यह कि इसकी सनद में इन्क़िता है, इसमें एक रावी ग़ैर-स्पष्ट है जिसका नाम ही नहीं। तीसरे यह हदीस मरफ़ूअ़ बयान ही नहीं करते। हाँ इमाम क़ुर्तुबी रह. इसे क़बूल करते हैं, वह इसको ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं कि पहले गुज़र चुका है कि अल्लाह तआ़ला के सामने हर पीर और जुमेरात को आमाल पेश किये जाते हैं, पस वे अम्बिया पर और माँ-बाप पर हर जुमे को पेश किये जाते हैं और इसमें कोई तआ़रुज़ (यानी टकराव और एक दूसरे के मुख़ालिफ़ होने की बात) नहीं, मुम्किन है कि हमारे नबी पर भी हर जुमा को पेश होते हों और हर दिन भी।

फिर फ़रमाता है कि उस दिन काफ़िर और नाफ़रमान आरज़ू करेगा कि काश कि ज़मीन फट जाती और यह उसमें समा जाता। फिर बराबर हो जाती। क्योंकि नाक़ाबिले बरदाश्त हौलनाकियों रुस्वाईयों और डाँट-डपट से घबरा उठेगा। जैसे एक दूसरी आयत में है:

يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ......... الخ

कि जिस दिन इनसान अपने आगे पीछे हुए आमाल अपनी आँखों देख लेगा और काफ़िर कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो गया होता।

फिर फ़रमाया ये उन तमाम बुरे आमालियों का उस दिन इक़रार करेंगे जो उन्होंने की थीं और एक चीज़ भी छुपाकर न रख सकेंगे। एक शख़्स ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से कहा हज़रत! एक जगह तो क़ुरआन में है कि मुश्रिक लोग क़ियामत के दिन कहेंगे:

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

कि अल्लाह की क़सम रब की क़सम हमने शिर्क नहीं किया। और दूसरी जगह यह है:

لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

कि वे अल्लाह से एक बात भी न छुपायेंगे।

फिर इन दोनों आयतों का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया इसका और वक़्त है उसका और वक़्त है। जब ईमान वालों को जन्नत में जाते हुए देखेंगे तो कहेंगे आओ तुम भी अपने शिर्क का इनकार करो, हो सकता है कि काम चल जाये? फिर उनके मुँह पर मोहरें लग जायेंगी और हाथ पाँव बोलने लगेंगे, अब अल्लाह तआ़ला से एक बात भी न छुपायेंगे। (इब्ने जरीर)

मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि उस शख़्स ने कहा था कि बहुत सी चीज़ें मुझ पर क़ुरआन में मुख़्तलिफ़ होती (यानी मेरी समझ के हिसाब से उनके मज़मून आपस में टकराते) हैं, तो आपने फ़रमाया क्या मतलब! तुझे क़ुरआन में शक है? उसने कहा शक तो नहीं, हाँ मेरे ख़्याल में इख़्तिलाफ़ (मज़मून में विरोधाभास) नज़र आ रहा है। आपने फ़रमाया जहाँ-जहाँ इख़्तिलाफ़ (मज़मून में टकराव) तुझे नज़र आ रहा हो उन

जगहों को पेश कर। तो उसने ये दो आयतें पेश कीं कि एक से छुपाना साबित होता है दूसरी से न छुपाना पाया जाता है। आपने उसे जवाब देकर दोनों आयतों की ततबीक़ (मुवाफ़िक़ होना, एक दूसरे के विपरीत न होना) समझा दी। एक और रिवायत में साईल (पूछने वाले) का नाम भी आया है कि वह हज़रत नाफ़े बिन राज़िक़ थे और यह भी है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने उनसे यह भी फ़रमाया कि शायद तुम किसी मज्लिस से आ रहे हो, वहाँ भी तज़किरा हो रहा होगा। तुमने कहा होगा, मैं जाता हूँ और इब्ने अ़ब्बास से मालूम करता हूँ। अगर मेरा गुमान सही है तो तुम्हें लाज़िम है कि जवाब सुनकर उन्हें भी सुना दो। फिर आपने यही जवाब दिया।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○	ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम समझने लगो कि (मुँह से) क्या कहते हो, और नापाकी की हालत में भी तुम्हारे मुसाफ़िर होने की हालत को छोड़कर, यहाँ तक कि ग़ुस्ल कर लो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुममें से कोई शख़्स इस्तिन्जे से "यानी पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर" आया हो, या तुमने बीवियों से क़ुर्बत "निकटता" की हो, फिर तुमको पानी न मिले तो तुम पाक ज़मीन (पर हाथ मारकर उस) से तयम्मुम कर लिया करो, यानी अपने चेहरों और हाथों पर (हाथ) फेर लिया करो, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले बड़े बख़्शने वाले हैं। (43)

शराब की मनाही

अल्लाह तबारक व तआ़ला अपने ईमान वाले बन्दों को नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि उस वक़्त नमाज़ी मालूम ही नहीं कर सकता कि वह क्या कह रहा है, साथ ही नमाज़ की जगह यानी मस्जिद में आने से भी मनाही है, उसे भी और जुनुबी शख़्स को भी, यानी जो नहाने की हालत हो। हाँ ऐसा शख़्स किसी काम की वजह से मस्जिद के दरवाज़े से जाकर दूसरे से निकल जाये वहाँ ठहरे नहीं तो यह गुज़रना जायज़ है।

नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाने का हुक्म शराब के हराम होने से पहले था, जैसा कि उस हदीस से ज़ाहिर है जो हमने सूरः ब-क़रह की आयतः

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ........ الخ

(यानी सूरः ब-क़रह आयत 219)

की तफ़सीर में ज़िक्र की है कि नबी सल्ल. ने जब वह आयत हज़रत उमर रज़ि. के सामने तिलावत की तो आपने दुआ माँगी कि ख़ुदाया! शराब के बारे में और साफ़-साफ़ बयान नाज़िल फ़रमा। फिर यह आयत उतरी, यानी नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाने की। इस पर नमाज़ों के वक़्त इसका पीना लोगों ने छोड़ दिया। इसे सुनकर भी जनाब फ़ारूक़े आज़म रज़ि. ने यही दुआ माँगी तो यह आयत उतरीः

يَـآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝ .... فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ۝

(सूरः मायदा आयत 90-91)

जिसमें शराब से बचने का हुक्म साफ़ मौजूद है। इसे सुनकर भी फ़ारूक़े आज़म रज़ि. ने फ़रमाया- हम बाज़ आये। इसी रिवायत की एक सनद में है कि जब सूरः निसा की यह आयत नाज़िल हुई और नशे के वक़्त नमाज़ पढ़ने की मनाही हुई उस वक़्त यह दस्तूर था कि जब नमाज़ खड़ी होती तो एक शख़्स आवाज़ लगाता कि कोई नशे वाला नमाज़ के क़रीब न आये। इब्ने माजा शरीफ़ में है, हज़रत सअ़द रज़ि. फ़रमाते हैं मेरे बारे में चार आयतें नाज़िल हुई हैं। एक अन्सारी ने दावत की, हम सब ने ख़ूब खाया-पिया फिर शराब पी और मख़्मूर (शराब में मदमस्त) हो गए फिर आपस में फ़ख़्र जताने लगे। एक शख़्स ने ऊँट के जबड़े की हड्डी उठाकर हज़रत सअ़द को मारी जिससे नाक पर ज़ख़्म आया और उसका निशान बाक़ी रह गया। उस वक़्त तक शराब को इस्लाम ने हराम नहीं किया था, पस यह आयत नाज़िल हुई। यह हदीस सही मुस्लिम शरीफ़ में भी है। इब्ने अबी हातिम की रिवायत है कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि. ने दावत की, लोग गए खाना खाया फिर शराब पी और मस्त हो गए। इतने में नमाज़ का वक़्त आ गया, एक शख़्स को इमाम बनाया उसने नमाज़ में सूरः काफ़िरून में इस तरह पढ़ाः

مَآ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ.

"मा अअ़्बुदु मा तअ़्बुदून व नहनु नअ़्बुदु मा तअ़्बुदून" इस पर यह आयत उतरी और नशे की हालत में नमाज़ का पढ़ना मना किया गया। यह हदीस तिर्मिज़ी में भी है और हसन है। इब्ने जरीर की रिवायत में है कि हज़रत अ़ली रज़ि. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान रज़ि. और तीसरे एक और साहिब ने शराब पी और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान नमाज़ में इमाम बनाये गये और क़ुरआन की क़िराअत गड्-मड् कर दी। इस पर यह आयत उतरी। अबू दाऊद और नसाई में भी यह रिवायत है। इब्ने जरीर की एक और रिवायत में है, हज़रत अ़ली रज़ि. ने इमामत की और जिस तरह पढ़ना चाहिये था न पढ़ सके, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। और एक रिवायत में है कि हज़रत अ़ब्दुर्रहमान इब्ने औ़फ़ रज़ि. ने इमामत कराई और इस तरह पढ़ाः

قُلْ يَـآاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ. وَاَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ. وَاَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدْتُّمْ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

पस यह आयत नाज़िल हुई और इस हालत में नमाज़ पढ़ना हराम कर दिया गया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि शराब की हुर्मत (हराम होने) से पहले लोग नशे की हालत में नमाज़ के लिये खड़े हो जाया करते थे। पस इस आयत से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। (इब्ने जरीर)

हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं कि इसके नाज़िल होने के बाद लोग इससे रुक गए। फिर शराब की मुतलक़ (पूरी तरह) हुर्मत नाज़िल हुई। हज़रत ज़ह्हाक रह. फ़रमाते हैं कि इससे शराब का नशा मुराद नहीं बल्कि नींद-ख़ुमार मुराद है। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं ठीक यही है कि मुराद इससे शराब का नशा है

और यहाँ ख़िताब उनसे किया गया है जो नशे में हैं लेकिन इतने नहीं कि उन पर शरीअ़त के अहकाम जारी ही न हो सकें, क्योंकि नशे की ऐसी हालत वाला शख़्स मजनूँ के हुक्म में है।

बहुत से उसूली हज़रात का क़ौल है कि ख़िताब उन लोगों से है जो कलाम को समझ सकें, न ऐसे नशे वालों से जो समझते ही नहीं कि उनसे क्या कहा जा रहा है। इसलिये कि ख़िताब का समझना शर्त है मुकल्लफ़ होने की। और यह भी कहा गया है कि अगरचे अलफ़ाज़ ये हैं कि नशे की हालत में नमाज़ न पढ़ो लेकिन मुराद यह है कि नशे की चीज़ खाओ पियो भी नहीं, इसलिये कि दिन रात में पाँच वक़्त नमाज़ें फ़र्ज़ हैं तो कैसे मुम्किन है कि एक शराबी इन पाँचों वक़्त की नमाज़ें ठीक वक़्त पर अदा कर सके, हालाँकि शराब बराबर पी रहा हो। वल्लाहु आलम।

पस यह हुक्म भी इसी तरह होगा जिस तरह यह हुक्म है कि ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो जितना उससे डरने का हक़ है और तुमको इस्लाम पर ही मर जाना चाहिये। तो इससे यह मुराद है कि ऐसी तैयारी हर वक़्त रखो और ऐसे पाकीज़ा आमाल हर वक़्त करते रहो कि जब तुम्हें मौत आये तो इस्लाम पर दम निकले।

यह जो इस आयत में इरशाद हुआ है कि यहाँ तक कि तुम उसको मालूम कर सको जो तुम कह रहे हो। यह नशे की हद यानी नशे की हालत में उस शख़्स को समझा जायेगा जो बात सही न समझ सके। नशे वाला इनसान क़िराअत (क़ुरआन पढ़ने) में ख़ल्त-मल्त कर देगा, उसे सोचने समझने और ग़ौर व फ़िक्र करने का मौक़ा न मिलेगा, न उससे आ़जिज़ी और ख़ुशू व ख़ुज़ू (यानी सही तरीक़े से जिस्म और दिल से अल्लाह के सामने झुकना) हो सकता है। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं- जब तुम में से कोई ऊँघने लगे और वह नमाज़ में हो तो उसे चाहिये कि लौट आये और सो जाये, जब तक कि वह उसको जानने लगे जो कुछ कह रहा है। बुख़ारी और नसाई में भी यह हदीस है और इसकी बाज़ सनदों में यह अलफ़ाज़ भी हैं कि मुम्किन है कि वह चाहे तो अपने लिये इस्तिग़फ़ार करना लेकिन ज़बान से इसके ख़िलाफ़ अलफ़ाज़ निकलें।

फिर फ़रमान है कि न जुनुबी (जिस पर नहाना वाजिब हो) नमाज़ के क़रीब जाये, जब तक कि ग़ुस्ल न कर ले, हाँ मस्जिद में से सिर्फ़ गुज़रना जायज़ है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि ऐसी नापाकी की हालत में मस्जिद में जाना नाजायज़ है। हाँ मस्जिद की एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ निकल जाने में कोई हर्ज नहीं, मस्जिद में बैठना नहीं। और भी बहुत से सहाबा और ताबिईन का यही क़ौल है। हज़रत यज़ीद बिन अबू हबीब फ़रमाते हैं कि बाज़ अन्सार जो मस्जिद के आस-पास रहते थे और जुनुबी (नहाने की हालत में) होते थे, घर में पानी नहीं होता था और घर के दरवाज़े मस्जिद से मिले हुए थे, उन्हें इजाज़त हुई कि मस्जिद से उसी हालत में गुज़र सकते हैं।

बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीस से भी यह बात साफ़ तौर पर साबित होती है कि लोगों के घरों के दरवाज़े मस्जिद में थे। चुनाँचे हुज़ूर सल्ल. ने अपनी मौत की बीमारी में फ़रमाया था कि मस्जिद में जिन जिन लोगों के दरवाज़े पड़ते हैं सबको बन्द कर दो, सिर्फ़ अबू बक्र का दरवाज़ा रहने दो। इससे यह भी मालूम हो गया कि आपके बाद आपके जानशीन (जगह लेने वाले यानी ख़िलाफ़त के हक़दार) अबू बक्र रज़ि. होंगे, तो उन्हें हर वक़्त और बहुत ज़्यादा मस्जिद में आने-जाने की ज़रूरत रहेगी ताकि मुसलमानों के अहम मामलात का फ़ैसला कर सकें, इसलिये आपने सब के दरवाज़े बन्द करने और सिद्दीक़े अकबर रज़ि. का दरवाज़ा खुला रखने की हिदायत फ़रमाई। बाज़ सुनन की इस हदीस में बजाय हज़रत अबू बक्र रज़ि. के

हज़रत अ़ली रज़ि. का नाम है, वह बिल्कुल ग़लत है, सही यही है जो सही में है।

इस आयत से अक्सर इमामों ने दलील पेश की है कि जुनुबी (जिस पर नहाना वाजिब हो) शख़्स को मस्जिद में ठहरना हराम है, हाँ गुज़र जाना जायज़ है। इसी तरह हैज़ व निफ़ास वाली औ़रतों को भी। और बाज़ कहते हैं कि इन दोनों को गुज़रना भी जायज़ नहीं, मुम्किन है कि मस्जिद में आलूदगी हो (यानी गंदगी और नापाकी हो), और बाज़ कहते हैं कि अगर इस बात का ख़ौफ़ न हो तो इनका गुज़रना भी जायज़ है। सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है, आँ हज़रत सल्ल. ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से फ़रमाया कि मस्जिद से मुझे बोरिया उठा दो, उन्होंने अ़र्ज़ किया कि हुज़ूर! मैं हैज़ से (यानी माहवारी की हालत में) हूँ आपने फ़रमाया तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं। इससे साबित होता है कि हैज़ वाली औ़रत मस्जिद में आ-जा सकती है और निफ़ास (बच्चे की पैदाईश के बाद जिसको ख़ून आ रहा हो) वाली का भी यही हुक्म है।

अबू दाऊद में फ़रमाने रसूल सल्ल. है कि मैं हैज़ वाली और जुनुबी (जिस पर नहाना वाजिब हो यानी नापाक) के लिये मस्जिद को हलाल नहीं करता। इमाम अबू ख़त्ताबी रह. फ़रमाते हैं कि इस हदीस को एक जमाअ़त ने ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहा है, क्योंकि इसका रावी अफ़्लत मजहूल है। लेकिन इब्ने माजा में यह रिवायत है, उसमें अफ़्लत की जगह महदूज ज़ोहली हैं। पहली हदीस हज़रत आ़यशा रज़ि. की रिवायत से है और दूसरी हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. की रिवायत से, लेकिन ठीक नाम हज़रत आ़यशा रज़ि. का ही है। एक और हदीस तिर्मिज़ी में है जिसमें है कि ऐ अ़ली! इस मस्जिद में जुनुबी होना मेरे और तेरे सिवा किसी को हलाल नहीं। यह हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है और हरगिज़ साबित नहीं हो सकती, इसमें सालिम रावी है जो मतरूक है और उनके उस्ताद अ़तीया भी ज़ईफ़ हैं। वल्लाहु आलम।

इस आयत की तफ़सीर में हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाते हैं- मतलब यह है कि जुनुबी (नापाक) शख़्स उसी हालत में बग़ैर ग़ुस्ल किये नमाज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर वह सफ़र की हालत में हो और पानी न मिले तो पानी के मिलने तक पढ़ सकता है। इब्ने अ़ब्बास, सईद बिन जुबैर और इमाम ज़ह्हाक से भी यही रिवायत है। हज़रत मुजाहिद, हसन, ज़ैद और अ़ब्दुर्रहमान से भी यही नक़ल है। अ़ब्दुल्लाह बिन कसीर रह. फ़रमाते हैं- हम सुना करते थे कि यह आयत सफ़र के हुक्म में है। इस हदीस से भी इस मसले की शहादत हो सकती है कि हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- पाक मिट्टी मुसलमान की तहारत है अगरचे दस साल तक पानी न मिले, और जब मिल जाये तो उसी को इस्तेमाल करे, यह तेरे लिये बेहतर है। (सुनन और अहमद) इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि इन दोनों अक़वाल में बेहतर और अच्छा क़ौल उन लोगों का है जो कहते हैं कि मुराद मस्जिद में जाना है, क्योंकि जिस मुसाफ़िर को जुनुब (नापाकी और नहाने की ज़रूरत) की हालत में पानी न मिले उसका हुक्म तो आगे साफ़ बयान हुआ है, पस अगर यही मतलब यहाँ भी लिया जाये तो फिर इसे दोबारा बयान करने की दूसरे जुमले में कुछ ऐसी ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती।

अब आयत के मायने यह हुए कि ऐ ईमान वालो! नमाज़ के लिये मस्जिद में न जाओ जबकि तुम नशे में हो, जब तक तुम अपनी बात को आप न समझने लगो। इसी तरह जनाबत (नापाकी) की हालत में भी मस्जिद में न जाओ जब तक नहा न लो। हाँ बतौर गुज़र जाने के जायज़ है। 'आ़बिर' के मायने आने-जाने यानी गुज़र जाने वाले के हैं। इमाम इब्ने जरीर जिस क़ौल की ताईद करते हैं यही क़ौल जमहूर का है और आयत से ज़ाहिर भी यही है। यानी अल्लाह तआ़ला इस नाक़िस हालते नमाज़ से मना फ़रमा रहा है जो नमाज़ के मक़सद के ख़िलाफ़ है। इसी तरह नमाज़ की जगह में ऐसी हालत में आने को रोकता है जो उस जगह की अ़ज़मत और पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम।

फिर जो फ़रमाया "यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो" यह दलील है इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई रह. की कि जुनुबी को मस्जिद में ठहरना हराम है जब तक कि गुस्ल न कर ले, या अगर पानी न मिले या पानी हो लेकिन उसके इस्तेमाल की क़ुदरत न हो तो तयम्मुम कर ले। हज़रत इमाम अहमद रह. फ़रमाते हैं कि जब जुनुबी ने वुज़ू कर लिया तो मस्जिद में ठहरना जायज़ है, चुनाँचे मुस्नद अहमद और सुनन सईद बिन मन्सूर में है, हज़रत अ़ता बिन यसार रह. फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. के सहाबा को देखा कि वे जुनुबी (नहाने के ज़रूरत मन्द होने की हालत में) होते और वुज़ू करके मस्जिद में बैठे रहते। वल्लाहु आलम।

फिर तयम्मुम के मौक़े बयान फ़रमाये। जिस बीमारी की वजह से तयम्मुम जायज़ हो जाता है वह बीमारी यह है कि उस वक़्त पानी के इस्तेमाल से किसी अंग के ख़त्म हो जाने या उसके ख़राब हो जाने या मर्ज़ बढ़ जाने का ख़ौफ़ हो। बाज़ उलेमा ने हर मर्ज़ पर तयम्मुम की इजाज़त का फ़तवा दिया है क्योंकि आयत में उमूम (आ़म हुक्म) है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी सहाबी बीमार थे, न तो खड़े होकर वुज़ू कर सकते थे न उनका कोई ख़ादिम था जो उन्हें पानी दे, उन्होंने नबी करीम सल्ल. से इसका ज़िक्र किया, इस पर यह हुक्म उतरा। यह रिवायत मुर्सल है। तयम्मुम के जायज़ होने की दूसरी हालत सफ़र की है, चाहे लम्बा सफ़र हो चाहे छोटा। 'ग़ायत' कहते हैं नर्म ज़मीन को, यहाँ इससे पाख़ाना पेशाब मुराद लिया गया है।

छूने की मतलब व वज़ाहत

'लामस्तुम' की क़िराअत 'लमस्तुम' भी है। इसकी तफ़सीर में दो क़ौल हैं, एक यह कि इससे मुराद सोहबत व हमबिस्तरी है जैसे कि एक दूसरी आयत में है:

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ............ الخ

यानी अगर तुम अपनी बीवियों को सोहबत करने से पहले तलाक़ दो और उनका मेहर मुक़र्रर हो तो जो मुक़र्रर हो उससे आधा दे दो। एक और आयत में है कि ऐ ईमान वालो! जब तुम ईमान वाली औ़रतों से निकाह करो, फिर सोहबत करने से पहले उन्हें तलाक़ दे दो तो उनके ज़िम्मे इद्दत नहीं। यहाँ भी लफ़्ज़ "मिन क़ब्लि अन् तमस्सूहुन्-न" (यानी छूने का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ) है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मन्क़ूल है कि "औ लामस्तुमुन्निसा-अ" से मुराद सोहबत व हमबिस्तरी है। हज़रत अ़ली, हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और हज़रत मुजाहिद, हज़रत ताऊस, हज़रत हसन, हज़रत उबैद बिन उमैर, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत शअ़बी, हज़रत क़तादा और हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान रह. से भी यही मन्क़ूल है। सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा इस लफ़्ज़ पर मुज़ाकरा हुआ तो चन्द मवाली (आज़ाद किये हुए हज़रात) ने कहा यह सोहबत व हमबिस्तरी नहीं, और चन्द अ़रब वालों ने कहा सोहबत है। मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इसका बयान किया तो आपने पूछा तुम किनके साथ थे? मैंने कहा मवाली के। फ़रमाया मवाली मग़लूब हो (हार) गए, लम्स और मस्स (छूना) और मुबाशरत के मायने सोहबत करने के हैं। अल्लाह तआ़ला ने यहाँ इस लफ़्ज़ से इसकी तरफ़ इशारा किया है। बाज़ और हज़रात ने इससे बस सिर्फ़ छूना मुराद लिया है, चाहे अपने जिस्म के किसी हिस्से को औ़रत के जिस्म के हिस्से से मिलाया जाये तो वुज़ू वाजिब हो जाता है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि लम्स (छूना) सोहबत के अ़लावा और मायने में आता है। आप फ़रमाते हैं बोसा भी लम्स (छूने) में दाख़िल है, और इससे भी वुज़ू करना पड़ेगा। फ़रमाते हैं कि मुबाशरत से, हाथ लगाने से, बोसा लेने से वुज़ू करना पड़ेगा, लम्स से मुराद छूना है। इब्ने उमर रज़ि. भी औरत का बोसा लेने से वुज़ू करने के क़ायल थे, इसे लम्स में दाख़िल जानते थे। हज़रत उबैदा, अबू उस्मान, साबित, इब्राहीम और हज़रत ज़ैद रज़ि. भी यही कहते हैं, कि लम्स (छूने) से मुराद सोहबत के अ़लावा है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि इनसान का अपनी बीवी का बोसा लेना और उसे हाथ लगाना छूना है, इससे वुज़ू करना पड़ेगा। (मुवत्ता इमाम मालिक)

दारे क़ुतनी में ख़ुद हज़रत उमर रज़ि. से भी इसी तरह मन्क़ूल है। लेकिन दूसरी रिवायत आपसे इसके ख़िलाफ़ भी पाई जाती है कि आप बावुज़ू थे आपने अपनी बीवी का बोसा लिया फिर वुज़ू न किया और नमाज़ अदा की, पस दोनों रिवायतों के साबित मानने के बाद यह फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप वुज़ू को मुस्तहब (यानी अच्छा समझते थे ज़रूरी न) जानते थे। वल्लाहु आलम। सिर्फ़ छूने से वुज़ू के क़ायल इमाम शाफ़ई रह. और उनके साथी हैं, और इमाम मालिक रह. हैं और इमाम अहमद बिन हंबल रह. से भी यही मशहूर है। इस क़ौल के क़ायल कहते हैं कि यहाँ दो क़िराअतें हैं 'लामस्तुम' और 'लमस्तुम' और लम्स (छूने) का हुक्म हाथ लगाने पर भी क़ुरआने करीम में आया है। चुनाँचे इरशाद हैः

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ.

फिर ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते तब भी ये काफ़िर लोग यही कहते कि उनके पास कोई फ़रिश्तो क्यों नहीं भेजा गया। (सूरः अन्आ़म आयत 7)

ज़ाहिर है कि यहाँ हाथ लगाना ही मुराद है। इसी तरह हज़रत माइ़ज़ बिन मालिक रज़ि. को रसूलुल्लाह सल्ल. का यह फ़रमाना कि शायद तुमने बोसा लिया होगा या हाथ लगाया होगा, वहाँ भी लफ़्ज़ 'लम्स' है और सिर्फ़ हाथ लगाने के मायने में ही है। एक और हदीस में हैः

وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ.

कि हाथ का ज़िना छूना और हाथ लगाना है।

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि बहुत कम दिन ऐसे गुज़रते थे कि रसूलुल्लाह हमारे पास आकर बोसा न लेते हों और हाथ न लगाते हों। सहीहैन की हदीस में है कि हुज़ूर ने छूने की बै से मना फ़रमाया, यह भी हाथ लगाने की बै है। पस यह लफ़्ज़ जिस तरह सोहबत व हमबिस्तरी पर बोला जाता है, हाथ से छूने पर भी बोला जाता है। शायर कहता हैः

ولمست كفي كفه اطلب الغنى.

कि मेरा हाथ उसके हाथ से मिला, मैं मालदारी चाहता था।

एक और रिवायत में है कि एक शख़्स सरकारे मुहम्मदी में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करता है- हुज़ूर! उस शख़्स के बारे में क्या फ़ैसला है जो एक अजनबी औ़रत के साथ वे तमाम काम करता है जो मियाँ-बीवी में होते हैं, सिवाय सोहबत के? इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ....الخ

और आप नमाज़ की पाबन्दी रखिये दिन के दोनों सिरों और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेक काम

मिटा देते हैं बुरे कामों को। (सूरः हूद आयत 114)

और हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि वुज़ू करके नमाज़ अदा करे। इस पर हज़रत मुआज़ रज़ि. पूछते हैं क्या यह उसी के लिये ख़ास है या सब मुसलमानों के लिये आ़म है? आपने फ़रमाया तमाम मुसलमानों के लिये आ़म है। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे ज़ायदा की हदीस से रिवायत करके फ़रमाते हैं कि इसकी सनद मुत्तसिल नहीं। इमाम नसाई इसे मुर्सल रिवायत करते हैं। ग़र्ज़ यह कि इस क़ौल के क़ायल इस हदीस से यह कहते हैं कि उसे वुज़ू का हुक्म इसी लिये दिया कि उसने औरत को छुआ था, सोहबत नहीं की थी। इसका जवाब यह दिया जाता है कि पहली बात तो यह है कि यह रिवायत मुन्क़ता है, इब्ने अबी लैला रज़ि. वाली हदीस में है कि जो बन्दा कोई गुनाह करे फिर वुज़ू करके दो रक्अ़त नमाज़ अदा करे तो अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह को माफ़ फ़रमा देता है..........। यह पूरी हदीस सूरः आले इमरान में आयतः

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ.

(यानी सूरः आले इमरान आयत 135) की तफ़सीर में गुज़र चुकी है। इमाम इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि इन दोनों क़ौलों में से बेहतर क़ौल उनका है जो कहते हैं कि मुराद इससे सोहबत है, क्योंकि सही मरफ़ूअ़ हदीस में है कि नबी सल्ल. ने अपनी किसी बीवी साहिबा का बोसा लिया और वुज़ू न किया और नमाज़ पढ़ी। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि नबी करीम सल्ल. वुज़ू करते फिर बोसा लेते फिर नमाज़ पढ़ते और वुज़ू न करते। हज़रत हबीब रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया- हुज़ूर सल्ल. अपनी किसी बीवी का बोसा लेते फिर नमाज़ को जाते और वुज़ू न करते। मैंने कहा वह आप ही होंगी तो आप मुस्कुरा दीं। इसकी सनद में कलाम है, लेकिन दूसरी सनदों से साबित है कि ऊपर के रावी यानी हज़रत सिद्दीक़ा रज़ि. से सुनने वाले हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रह. हैं। एक और रिवायत में है कि वुज़ू के बाद हुज़ूर सल्ल. मेरा बोसा लेते फिर वुज़ू न दोहराते। एक और सनद से रिवायत है कि आपने बोसा लिया फिर वुज़ू न किया और नमाज़ अदा की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल. बोसा लेते हालाँकि आप रोज़े से होते, फिर न तो रोज़ा जाता न नया वुज़ू करते (इब्ने जरीर) हज़रत ज़ैनब बिन्ते सहमिया फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल. बोसा लेने के बाद वुज़ू न करते और नमाज़ पढ़ते।

तयम्मुम के मसाईल और अहकाम

फिर फ़रमाता है कि अगर पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इससे अक्सर फ़ुक़हा (मसाईल बयान करने वाले उलेमा) ने इस्तिदलाल किया है कि पानी न पाने वाले के लिये तयम्मुम की इजाज़त पानी की तलाश के बाद है। किताबों में तलाश की कैफ़ियत भी लिखी है। सहीहैन में है कि हुज़ूर सल्ल. ने एक शख़्स को देखा कि अलग खड़ा है और लोगों के साथ उसने नमाज़ नहीं पढ़ी तो आपने उससे पूछा तूने लोगों के साथ नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं है? उसने कहा या रसूलल्लाह! हूँ तो मुसलमान लेकिन जुनुबी (यानी मुझे नहाने की ज़रूरत पेश आ गयी है, इसलिये नापाक) हो गया हूँ और पानी न मिला। आपने फ़रमाया फिर इस सूरत में तुझे मिट्टी काफ़ी थी। तयम्मुम के लफ़्ज़ी मायने इरादा करने के हैं। अ़रब के लोग कहते हैं:

تَيَمَّمَكَ اللّٰهُ بِحِفْظِهٖ.

यानी अल्लाह अपनी हिफ़ाज़त के साथ तेरा इरादा करे।

अ़रब के मशहूर शायर इमूरउल-कै़स के शे'र में भी यह लफ़्ज़ इसी मायने में आया है। और सईद के मायने हर वह चीज़ जो ज़मीन से ऊपर को चढ़े, इसमें मिट्टी रेत दरख़्त पत्थर घास भी दाख़िल हो जायेंगे। इमाम मालिक रह. का क़ौल यही है, और कहा गया है कि जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से हो जैसे रेत हड़ताल और चूना। यह मज़हब इमाम अबू हनीफ़ा रह. का है। और यह भी कहा गया है कि सिर्फ़ मिट्टी ही, यह क़ौल है हज़रत इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल रह. और उनके तमाम साथियों का। इसकी दलील एक तो क़ुरआने करीम के ये अलफ़ाज़ हैं:

فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا.

यानी हो जाये वह मिट्टी फिसलती हुई।

दूसरी दलील सही मुस्लिम शरीफ़ की यह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- हमें तमाम लोगों पर तीन फ़ज़ीलतें दी गई हैं, हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों के जैसी हो गईं, हमारे लिये सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई और ज़मीन की मिट्टी हमारे लिये पाक और पाक करने वाली बनाई गई, जबकि हम पानी न पायें। इस हदीस में एहसान जताने के वक़्त मिट्टी की तख़्सीस की गई, अगर कोई और चीज़ भी वुज़ू के क़ायम-मुक़ाम (बराबर) काम आने वाली होती तो उसका ज़िक्र भी साथ ही कर देते। यहाँ पर लफ़्ज़ 'तय्यिब' (यानी पाक) जो है उसके मायने में कहा गया है कि मुराद हलाल है और कहा गया है कि मुराद पाक है, जैसे हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि मिट्टी मुसलमान का वुज़ू है अगरचे दस साल तक पानी न पाये। फिर जब पानी मिल जाये तो उसे इस्तेमाल करे, यह उसके लिये बेहतर है।

इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन सही कहते हैं। हाफ़िज़ अबुल-हसन क़त्तान रह. भी इसे सही कहते हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि सबसे ज़्यादा पाक मिट्टी खेत की ज़मीन की मिट्टी है, बल्कि तफ़सीर इब्ने मरदूया में तो इसे मरफ़ूअ़न भी ज़िक्र किया है।

फिर फ़रमान है कि उसे अपने चेहरे और हाथ पर मलो। तयम्मुम वुज़ू का बदल है, सिर्फ़ पाकीज़गी हासिल करने में न कि बदन के दूसरे अंगों के बारे में, तो सिर्फ़ मुँह और हाथों पर मलना काफ़ी है, और इस पर इजमा (यानी तमाम हज़रात की सहमति) है। लेकिन तयम्मुम की कैफ़ियत और अन्दाज़ में इमामों का मतभेद है। इमाम शाफ़ई का नया मज़हब यह है कि दो दफ़ा करके मुँह और दोनों हाथों का कोहनियों तक मसह करना वाजिब है, इसलिये कि 'यदैन' का इतलाक़ बग़लों और कोहनियों तक होता है, जैसे वज़ू वाली आयत में है, और इसी लफ़्ज़ से मुराद सिर्फ़ हथेलियाँ भी होती हैं। जैसे चोर की हद (सज़ा) के बारे में फ़रमायाः

فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا.

कि पस उसके दोनों हाथ काटो।

कहते हैं कि यहाँ तयम्मुम के हुक्म में हाथ का ज़िक्र बिना किसी क़ैद के है और वुज़ू के हुक्म में मुक़ैयद (यानी एक हद के ज़िक्र के साथ) है, इसलिये इस मुतलक़ को उस मुक़ैयद पर महमूल किया जायेगा क्योंकि पूरी पाकीज़गी इसमें मौजूद है। और बाज़ लोग इसकी दलील में दारे क़ुतनी वाली रिवायत पेश करते हैं कि हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- तयम्मुम की दो ज़रबें (हाथ मारना) हैं, एक मर्तबा हाथ मारकर मुँह पर मलना और एक मर्तबा हाथ मारकर कोहनियों तक मलना। लेकिन यह हदीस सही नहीं, इसलिये कि इसकी सनद में कमज़ोरी है। अबू दाऊद की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने अपने हाथ एक दीवार पर

मारे और मुँह पर मले, फिर दोबारा हाथ मारकर अपनी दोनों बाँहों पर मले, लेकिन इसकी इसनाद में मुहम्मद बिन साबित अ़ब्दी ज़ईफ़ हैं उन्हें हदीस के बाज़ उलेमा ने ज़ईफ़ कहा है और यही हदीस बाज़ मोतबर रावियों ने भी रिवायत की है, लेकिन वह मरफ़ूअ़ नहीं करते बल्कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. का अ़मल बतलाते हैं। इमाम बुख़ारी रह. इमाम अबू ज़ुरआ़ और इमाम इब्ने अ़दी रह. का फ़ैसला है कि यह मौक़ूफ़ ही है, और इमाम बैहक़ी रह. फ़रमाते हैं कि इस हदीस को मरफ़ूअ़ करना मुन्कर है। इमाम शाफ़ई रह. की दलील यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने तयम्मुम किया और अपने चेहरे और अपने दोनों बाज़ुओं पर हाथ फेरा, हज़रत अबू जुहैम फ़रमाते हैं- मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्ल. पेशाब कर रहे हैं, मैंने आपको सलाम किया लेकिन आपने जवाब न दिया, फ़ारिग़ होकर आप एक दीवार के पास गए और अपने दोनों हाथ उस पर मारकर अपने मुँह पर मला, फिर दीवार पर दोनों हाथ मारकर दोनों कोहनियों तक मला, फिर मेरे सलाम का जवाब दिया। (इब्ने जरीर)

यह तो था इमाम शाफ़ई रह. का नया मज़हब। आपका पुराना मज़हब यह है कि ज़रबें तो तयम्मुम की दो हैं लेकिन दूसरी ज़रब (हाथों को मारना) में हाथों को पहुँचों तक मलना चाहिये। तीसरा क़ौल यह है कि सिर्फ़ एक ही ज़रब यानी एक ही मर्तबा दोनों हाथों का मिट्टी पर मार लेना काफ़ी है, गर्द भरे हाथों को मुँह पर फेर ले और दोनों पहुँचों तक। मुस्नद अहमद में है कि एक शख़्स अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. के पास आया कि मैं जुनुबी (नापाक) हो गया और मुझे पानी न मिला तो मुझे क्या करना चाहिये? आपने फ़रमाया नमाज़ न पढ़नी चाहिये। दरबार में हज़रत अ़म्मार रज़ि. भी मौजूद थे, फ़रमाने लगे अमीरुल-मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं कि मैं और आप एक लश्कर में थे और हम जुनुबी हो गए थे और हमें पानी न मिला तो आपने नमाज़ न पढ़ी और मैंने मिट्टी में लोट-पोट होकर नमाज़ अदा कर ली। जब हम वापस आये और हज़रत रसूले मक़बूल सल्ल. की ख़िदमत में पहुँचे तो मैंने इस वाक़िए का बयान हुज़ूर सल्ल. से किया तो आपने फ़रमाया तुझे इतना काफ़ी था, फिर हुज़ूर सल्ल. ने अपने हाथ ज़मीन पर मारे और उनमें फूँक मारी और अपने मुँह को मला और हथेलियों को मला।

मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- तयम्मुम में एक ही मर्तबा हाथ मारना है, जो चेहरे के लिये और दोनों हाथ की हथेलियों के लिये है। मुस्नद अहमद में है, हज़रत शक़ीक़ रह. फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह और हज़रत अबू मूसा रज़ि. के पास बैठा हुआ था तो हज़रत अबी लैला ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह से कहा कि अगर कोई शख़्स पानी न पाये तो नमाज़ न पढ़े, इस पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने फ़रमाया क्या तुम्हें याद नहीं जबकि मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्ल. ने ऊँटों में भेजा था। वहाँ मैं जुनुबी (नापाक) हो गया और मिट्टी में लोट-पोट लिया, वापस आकर हुज़ूर सल्ल. से बयान किया तो आप हंस दिये और फ़रमाया तुझे इस तरह करना काफ़ी था, फिर आपने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ मल लिया और अपने चेहरे पर एक बार हाथ फेर लिये। ज़र्ब एक ही रही। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने फ़रमाया लेकिन हज़रत उमर रज़ि. ने इस पर बस नहीं की, यह सुनकर हज़रत हज़रत अबू मूसा रज़ि. ने फ़रमाया तुम उस आयत का क्या करोगे जो सूरः निसा में है कि पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का क़सद (इरादा) करो। इसका जवाब हज़रत अ़ब्दुल्लाह न दे सके और फ़रमाने लगे सुनो! अगर हमने लोगों को तयम्मुम की रुख़्सत (छूट और इजाज़त) दे दी तो बहुत मुम्किन है कि पानी जब उन्हें ठंडा मालूम होगा तो वे तयम्मुम करने लगेंगे। सूरः मायदा में फ़रमान है:

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

उसे अपने चेहरे और हाथों पर मलो।

इससे हज़रत इमाम शाफ़ई रह. ने दलील पेश की है कि तयम्मुम का पाक मिट्टी से होना और उसका भी ग़ुबार और गर्द से भरा होना जिससे हाथ पर ग़ुबार लगे और वह मुँह और हाथ पर मला जाये, ज़रूरी है, जैसा कि हज़रत अबू जुहैम रज़ि. वाली हदीस में गुज़रा कि उन्होंने हुज़ूर सल्ल. को इस्तिन्जा करते हुए देखा और सलाम किया। उसमें यह भी है कि फ़ारिग़ होकर आप एक दीवार के पास गए और अपनी लकड़ी से खुरच कर फिर हाथ मारकर तयम्मुम किया।

आगे फ़रमान है कि अल्लाह तआ़ला तुम पर तुम्हारे दीन में तंगी और सख़्ती करना नहीं चाहता बल्कि वह तुम्हें पाक-साफ़ करना चाहता है, इसी लिये पानी न पाने के वक़्त मिट्टी के साथ तयम्मुम कर लेने को मुबाह (जायज़) क़रार देकर तुम पर अपनी नेमत इनाम फ़रमाई ताकि तुम शुक्र करो। पस यह उम्मत इस नेमत के साथ मख़्सूस है जैसे कि सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में है।

उम्मते मुहम्मदी और आप सल्ल. की बाज़ विषेशतायें

हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईः

1. महीने भर की राह तक मेरी मदद रौब से की गई (यानी एक महीने के सफ़र की दूरी से ही मेरा रौब पड़ता है)।

2. मेरे लिये सारी ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है। मेरे जिस उम्मती को जहाँ नमाज़ का वक़्त आ जाये वह वहीं पढ़ ले, उसकी मस्जिद और उसका वुज़ू वहीं उसके पास मौजूद है।

3. मेरे लिये ग़नीमत के माल (इस्लामी जंग में दुश्मनों से हाथ आये हुए माल) हलाल किये गए जो मुझसे पहले किसी के लिये हलाल न थे।

4. मुझे शफ़ाअ़त दी गई (यानी यह सम्मान दिया गया कि लोगों की मेहशर में शफ़ाअ़त करूँ)।

5. तमाम अम्बिया सिर्फ़ अपनी-अपनी क़ौम की तरफ़ भेजे जाते रहे लेकिन मैं तमाम दुनिया की तरफ़ भेजा गया। और सही मुस्लिम के हवाले से वह हदीस भी पहले गुज़र चुकी है कि तमाम लोगों पर हमें तीन फ़ज़ीलतें इनायत की गईं- हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बनाई गईं। हमारे लिये सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई और उसकी मिट्टी वुज़ू बनाई गई जबकि हमें पानी न मिले।

इस आयते करीमा में अल्लाह तआ़ला हुक्म देता है कि अपने चेहरे और अपने हाथ पर मसह कर लो पानी न मिलने के वक़्त, अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला और बख़्शने वाला है। उसकी माफ़ी और दरगुज़र की शान है कि उसने तुम्हारे लिये पानी न मिलने के वक़्त तयम्मुम को जायज़ करके नमाज़ पढ़ने की इजाज़त इनायत फ़रमाई अगर यह रुख़्सत (छूट और रियायत) न होती तो तुम एक तरह से मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि इस आयते करीमा में नमाज़ को नाक़िस हालत में अदा करने से मना किया गया है जैसे नशे की हालत हो या नापाकी की हालत हो, या बेवुज़ू हो, तो जब तक अपनी बातें ख़ुद समझने जितना होश और बाक़ायदा शरई तरीक़े पर ग़ुस्ल वुज़ू न हो नमाज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन बीमारी की हालत में और पानी न मिलने की सूरत में ग़ुस्ल और वुज़ू के क़ायम-मुक़ाम तयम्मुम कर दिया। पस अल्लाह तआ़ला के इस एहसान पर हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। अल्हम्दु लिल्लाह

इस आयत की शाने नुज़ूल

तयम्मुम की रुख़्सत (छूट और इजाज़त) नाज़िल होने का वाक़िआ भी सुन लीजिये। हम इस वाक़िए

को सूरः निसा की तफ़सीर में इसलिये बयान करते हैं कि सूरः मायदा में जो तयम्मुम की आयत है वह नाज़िल होने में इसके बाद की है। इसकी दलील यह है कि यह ज़ाहिर है कि यह आयत शराब की हुर्मत (हराम होने) से पहले की है, और शराब जंगे उहुद के कुछ अ़रसे के बाद जबकि नबी सल्ल. बनू नज़ीर के यहूदियों का घेराव किये हुए थे, हराम हुई है। और सूरः मायदा आख़िर में जो क़ुरआन नाज़िल हुआ उसमें है। ख़ास तौर पर इस सूरत का शुरू का हिस्सा, तो मुनासिब यही है कि तयम्मुम की शाने नुज़ूल यहीं बयान की जाये। अल्लाह नेक तौफ़ीक़ दे उसी का भरोसा है।

मुस्नद अहमद में है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से एक हार वापस कर देने के वायदे पर माँगे के तौर पर लिया था, वह सफ़र में कहीं गुम हो गया, हुज़ूर सल्ल. ने उसे ढूढ़ने के लिये आदमी भेजे, उन्हें हार मिल गया लेकिन नमाज़ का वक़्त उसकी तलाश ही में आ गया और उनके साथ पानी न था, उन्होंने बिना वुज़ू के नमाज़ अदा की और नबी करीम सल्ल. के पास पहुँच कर इसकी शिकायत की, इस पर तयम्मुम का हुक्म नाज़िल हुआ। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ि. कहने लगे कि ऐ आ़यशा! अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे, क़सम ख़ुदा की जो तकलीफ़ तुम्हें पहुँचती है उसका अन्जाम तुम्हारे और मुसलमानों के लिये ख़ैर ही होता है।

बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं- हम किसी सफ़र में थे, बेदा में या ज़ातुल-जेश में मेरा हार टूटकर कहीं गिर पड़ा, जिसके ढूँढने के लिये हुज़ूर मय क़ाफ़िले के ठहर गए। अब न तो हमारे पास पानी था न वहाँ उस मैदान में ही पानी था। लोग मेरे वालिद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. के पास मेरी शिकायतें करने लगे कि देखो हम इनकी वजह से कैसी मुसीबत में पड़ गए। चुनाँचे मेरे वालिद साहिब मेरे पास आये। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्ल. मेरी रान पर अपना सर मुबारक रखकर सो गए थे। आते ही कहने लगे तूने हुज़ूर सल्ल. को और लोगों को रोक दिया, अब न तो उनके पास पानी है न यहाँ कहीं पानी नज़र आता है। ग़र्ज़ यह कि मुझे ख़ूब डाँटा-डपटा और ख़ुदा जाने क्या-क्या कहा और मेरे पहलू में अपने हाथ से कचोके भी मारते रहे, लेकिन मैंने ज़रा सी भी जुंबिश न की कि ऐसा न हो हुज़ूर सल्ल. के आराम में ख़लल पड़े।

सारी रात गुज़र गई, सुबह को लोग जागे लेकिन पानी न था। अल्लाह तआ़ला ने तयम्मुम की आयत नाज़िल फ़रमाई और सब ने तयम्मुम किया। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ि. कहने लगे ऐ अबू बक्र के घराने वालो! यह कुछ तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं। अब जब हमने उस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो उसके नीचे से ही हार मिल गया। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. अपनी बीवी साहिबा हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के साथ जेश के इलाक़े से गुज़रे, हज़रत आ़यशा रज़ि. का यमनी ख़र-मोहरों का हार टूटकर कहीं गिर पड़ा और गुम हो गया। उसकी तलाश में यहाँ ठहर गए। सारी रात आपके साथ के मुसलमानों ने और आपने यहीं गुज़ार दी, सुबह उठे तो पानी बिल्कुल न था। पस अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी पर पाक मिट्टी से तयम्मुम करके पाकी हासिल करने की रुख़्सत (छूट और इजाज़त) की आयत उतारी। मुसलमान हुज़ूर सल्ल. के साथ खड़े हुए, ज़मीन पर अपने हाथ मारे और जो मिट्टी उनमें लगी उसे झाड़े बग़ैर अपने चेहरों और अपने हाथों पर मोंढो तक और हाथों के नीचे से बग़ल तक मल ली।

इब्ने जरीर की रिवायत में है कि इससे पहले तो हज़रत अबू बक्र रज़ि. हज़रत आ़यशा रज़ि. पर सख़्त गुस्सा होकर गए थे लेकिन तयम्मुम की रुख़्सत को सुनकर ख़ुशी-ख़ुशी अपनी बेटी के पास आये और कहने लगे तुम बड़ी मुबारक हो, मुसलमानों को इतनी बड़ी रुख़्सत मिली। फिर मुसलमानों ने एक ज़र्ब (मार) से

चेहरे मले और दूसरी ज़र्ब से कोहनियों और बग़लों तक हाथ।

इब्ने मरदूया में रिवायत है हज़रत अस्लअ् बिन शुरैक रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्ल. की ऊँटनी को चला रहा था, जिस पर हुज़ूर सल्ल. सवार थे। जाड़ों का मौसम था, रात के वक़्त सर्दी पड़ रही थी और मैं जुनुबी (नापाक) हो गया। उधर हुज़ूर सल्ल. ने कूच का इरादा किया तो मैंने अपनी उस हालत में हुज़ूर सल्ल. की ऊँटनी चलाना पसन्द नहीं किया, साथ ही यह भी ख़्याल आया कि अगर ठंडे पानी से नहाऊँगा तो मर जाऊँगा या बीमार पड़ जाऊँगा। मैंने चुपके से एक अन्सारी को कहा कि आप ऊँटनी की नकेल थाम लीजिये। चुनाँचे वह चलाते रहे और मैंने आग सुलगाकर पानी गर्म करके ग़ुस्ल किया, फिर दौड़ भाग करके क़ाफ़िले में पहुँच गया। आपने मुझसे फ़रमाया- अस्लअ्! क्या बात है? ऊँटनी की चाल कैसे बिगड़ी हुई है? मैंने कहा या रसूलल्लाह! मैं इसे नहीं चला रहा था बल्कि फ़ुलाँ अन्सारी चला रहे थे। आपने फ़रमाया क्यों? मैंने सारा वाक़िआ़ कह सुनाया, इस पर अल्लाह जल्ल शानुहू ने यह आयत (जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है, जिसमें तयम्मुम का बयान है) नाज़िल फ़रमाई। यह रिवायत दूसरी सनद से भी मरवी है।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا ۢ بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक बड़ा हिस्सा मिला है, वे लोग गुमराही को इख़्तियार कर रहे हैं और (यूँ) चाहते हैं कि तुम राह से बेराह हो जाओ। (44) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दुश्मनों को ख़ूब जानते हैं और अल्लाह तआ़ला काफ़ी रफ़ीक़ है, और अल्लाह तआ़ला काफ़ी हिमायती है। (45) ये लोग जो यहूदियों में से हैं कलाम को उसके मौक़ों से दूसरी तरफ़ फेर देते हैं, और (ये कलिमात) कहते हैं: समिअ़्ना व अ़सैना और इस्मअ़् ग़ै-र मुस्मअ़् और राअ़िना इस तौर पर कि अपनी ज़बानों को फेरकर और दीन में ताना मारने की नीयत से, और अगर ये लोग (ये कलिमात) कहते, समिअ़्ना व अतअ़्ना और इस्मअ़् और उन्ज़ुरना तो (यह बात) उनके लिए बेहतर होती और मौक़े की बात थी, मगर उनको ख़ुदा तआ़ला ने उनके कुफ़्र के सबब अपनी रहमत से दूर फेंक दिया, अब वे ईमान न लाएँगे मगर थोड़े-से आदमी। (46)

अहले किताब की बुरी ख़स्लत

अल्लाह तबारक व तआ़ला बयान फ़रमाता है कि यहूदियों की एक बुरी ख़स्लत यह भी है कि वे

गुमराही को हिदायत पर इख़्तियार करते हैं। नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ पर जो उतरा है उससे भी मुँह मोड़ते हैं और जो खुदाई इल्म उनके अपने पास हैं उन्हें भी पीठ पीछे डाल देते हैं। खुद अपनी किताबों में आने वाले नबी की बशारतें पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अपने मुरीदों से चढ़ावे लेने के लालच में ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि साथ ही ख़्वाहिश रखते हैं कि खुद मुसलमान भी सही रास्ते से भटक जायें, खुदा की किताब के मुन्किर बन जायें, हिदायत को और सच्चे इल्म को छोड़ दें। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दुश्मनों से ख़ूब वाक़िफ़ है, वह तुम्हें उनसे होशियार कर रहा है कि कहीं तुम उनके धोखे में न आ जाओ। खुदा की हिमायत काफ़ी है, तुम यक़ीन रखो कि वह अपनी तरफ़ झुकने वालों की ज़रूर हिमायत करता है। वह उसका मददगार बन जाता है। फिर यहूदियों के उस फ़िर्के की तहरीफ़ (अल्लाह की किताब में कमी-बेशी और रद्दोबदल करने) का ज़िक्र है। इससे मुराद यह है कि वे कलामुल्लाह के मतलब को बदल देते हैं और ख़िलाफ़े मंशा तफ़सीर करते हैं, और यह फ़ेल उनका जान-बूझकर होता है, जिससे ये खुदा के ज़िम्मे झूठ बाँधने और बोहतान लगाने के मुजरिम होते हैं।

फिर कहते हैं कि ऐ पैग़म्बर! जो आपने कहा हमने सुना, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। ख़्याल कीजिये, उनके कुफ़्र और बेदीनी को देखिये कि जान-बूझकर खुले लफ़्ज़ों में अपने नापाक ख़्याल का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि आप सुनिये खुदा करे आप न सुनें। या यह मतलब है कि आप सुनिये, आपकी न सुनी जाये। लेकिन पहला मतलब ज़्यादा अच्छा है। उनका यह कहना मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर था। खुदा उन्हें लानत करे।

और 'राअ़िना' कहते थे जिससे बज़ाहिर समझा जाता था कि ये लोग कहते हैं कि हमारी तरफ़ कान लगाईए। लेकिन वे इस लफ़्ज़ से दूसरा मतलब मुराद लेते थे, उनकी भाषा में यह एक बददुआ़ का लफ़्ज़ था। इसका पूरा मतलब आयतः

يَـآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَا تَقُوْلُوْارَاعِنَا......... الخ

(यानी सूरः ब-क़रह की आयत 104) की तफ़सीर में गुज़र चुका है। मक़सद यह है कि जो ज़ाहिर करते थे उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़बानों को मोड़कर ताना मारने वाले लहजे में अपने दिल में छुपाकर रखते थे। दर असल हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की बेअदबी और गुस्ताख़ी करते थे। पस उन्हें हिदायत की जाती है कि वे इन दोहरे मायने वाले अलफ़ाज़ का बोलना छोड़ दें और साफ़-साफ़ कहें कि हमने सुना, माना, आप हमारी अ़र्ज़ सुनिये, आप हमारी तरफ़ देखिये। यह कहना ही उनके लिये बेहतर है और यही साफ़ सीधी सच्ची और मुनासिब बात है। लेकिन उनके दिल भलाई से दूर डाल दिये गए हैं। असल ईमान कामिल तौर से उनके दिल में जगह ही नहीं पाता। इस जुमले की तफ़सीर भी पहले गुज़र चुकी है। मतलब यह है कि नफ़ा देने वाला ईमान इनमें नहीं।

ऐ वे लोगो! जो किताब दिए गए हो, तुम उस किताब पर ईमान लाओ जिसको हमने नाज़िल फ़रमाया है ऐसी हालत पर कि वह सच बतलाती है उस किताब को जो तुम्हारे पास है, इससे पहले-पहले कि हम चेहरों को बिल्कुल मिटा डालें और उनको उनकी उल्टी तरफ़ की तरह बना दें, या उन पर हम ऐसी लानत करें जैसी	يَـآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ط

وَكَانَ اَمْرُاللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا○	लानत उन हफ़्ते वालों पर की थी, और अल्लाह तआ़ला का हुक्म पूरा ही होकर रहता है। (47) बेशक अल्लाह तआ़ला इस बात को न बख़्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक क़रार दिया जाए और इसके सिवा जितने गुनाह हैं जिसके लिए मन्ज़ूर होगा वे गुनाह बख़्श देंगे। और जो अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक ठहराता है वह बड़े जुर्म का करने वाला हुआ। (48)

अहले किताब को धमकी और डाँट-डपट

अल्लाह जल्ल शानुहू यहूदी व ईसाईयों को हुक्म देता है कि मैंने तो अपनी ज़बरदस्त किताब अपने बेहतरीन नबी के साथ नाज़िल फ़रमाई है, जिसमें खुद तुम्हारी अपनी किताब की तस्दीक़ भी है, उस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम तुम्हारी सूरतें मस्ख़ कर दें यानी मुँह उल्टे कर दें आँखें बजाय इधर के उधर हो जायें। या यह मतलब है कि तुम्हारे चेहरे मिटा दें, आँखें कान नाक सब मिट जायें। फिर यह मस्ख़ (बिगड़ा हुआ) चेहरा भी उल्टा हो जाये। यह अ़ज़ाब उनके करतूत का पूरा बदला है। यह भी हक़ से हटकर बातिल की तरफ़, हिदायत से फिरकर गुमराही की तरफ़ बढ़े चले जा रहे हैं तो ख़ुदा भी इन्हें धमकाता है कि मैं भी इसी तरह तुम्हारा मुँह उलट दूँगा ताकि तुम्हें पिछले पैरों चलना पड़े, तुम्हारी आँखें गुद्दी की तरफ़ कर दूँगा। इसी जैसी तफ़सीर बाज़ हज़रात ने इस आयत में भी की हैः

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ............ الخ

हमने उनकी गर्दनों में तौक़ डाल दिये हैं.....। (सूरः यासीन आयत 8,9)

ग़र्ज़ यह बुरी मिसाल उनकी गुमराही और हिदायत से दूर पड़ जाने की बयान होती है। हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि मतलब यह है कि हम तुम्हें सच-मुच हक़ के रास्ते से धकेल दें और गुमराही की तरफ़ मुतवज्जह कर दें, हम तुम्हें काफ़िर बना दें और तुम्हारे चेहरे बन्दरों जैसे कर दें। अबू ज़ैद रह. फ़रमाते हैं कि लौटा देना यह था कि हिजाज़ के इलाक़ से मुल्क शाम में पहुँचा दिया।

हज़रत कअ़बे अहबार का इस्लाम लाना

यह भी ज़िक्र किया गया है कि इसी आयत को सुनकर कअ़बे अहबार रज़ि. इस्लाम लाये थे। इब्ने जरीर में है कि हज़रत इब्राहीम रह. के सामने हज़रत कअ़ब रज़ि. के इस्लाम का तज़किरा हुआ तो आपने फ़रमाया- हज़रत कअ़ब हज़रत उमर रज़ि. के ज़माने में मुसलमान हुए। यह बैतुल-मुक़द्दस जाते हुए मदीने में आये, हज़रत उमर रज़ि. उनके पास गए और फ़रमाया ऐ कअ़ब! मुसलमान हो जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि तुम तो क़ुरआन पढ़ते हो, तौरात जिनसे उठवाई गई और उन्होंने उसे न उठाया उनकी मिसाल गधे की सी है, जो बोझ लादे हुए हो, और यह भी तुम जानते हो कि मैं भी उन लोगों में से हूँ जो तौरात उठवाये गए। इस पर हज़रत उमर रज़ि. ने उन्हें छोड़ दिया। यह यहाँ से चलकर हिमस पहुँचे वहाँ सुना कि एक

शख़्स जो उनके घराने में था इस आयत की तिलावत कर रहा है। जब उसने आयत ख़त्म की तो इन्हें डर लगने लगा कि कहीं सचमुच इस आयत की वईद मुझ पर सादिक़ न आ जाये और मेरा मुँह मस्ख़ होकर (यानी बिगड़ कर) पलट न जाये। यह झट से कहने लगे "या रब्बि अस्लमतु" (ऐ मेरे ख़ुदा मैं ईमान लाया) फिर हिमस से फ़ौरन ही वापस अपने वतन यमन में आये और यहाँ से अपने तमाम घर वालों को लेकर सारे कुनबे समेत मुसलमान हो गए।

इब्ने अबी हातिम में हज़रत कअ़ब रज़ि. के इस्लाम का वाक़िआ इस तरह रिवायत है कि उनके उस्ताद अबू मुस्लिम जलीली उनके हुज़ूर सल्ल. से मिलने में देर लगाने की वजह से हर वक़्त उन्हें मलामत करते रहते थे फिर उन्हें भेजा कि यह देखें कि आप वही पैग़म्बर हैं जिनकी ख़ुशख़बरी और सिफ़तें तौरात में हैं या नहीं? यह आये तो फ़रमाते हैं कि जब मैं मदीना शरीफ़ पहुँचा तो अचानक मैंने सुना एक शख़्स क़ुरआने करीम की इस आयत की तिलावत कर रहा है कि ऐ अहले किताब जो हमने उतारा है जो तुम्हारे पास की किताब को सच्चा बताने वाला है, उस पर इससे पहले ईमान लाओ वरना कहीं हम तुम्हारे मुँह मिटा दें और उन्हें उल्टा कर दें। मैं चौंक उठा और जल्दी-जल्दी ग़ुस्ल करने बैठ गया और अपने चेहरे पर हाथ फेरता जाता था कि कहीं मुझे ईमान लाने में देर न गल जाये और मेरा चेहरा उल्टा न हो जाये। फिर मैं बहुत जल्दी आकर मुसलमान हो गया।

आगे इरशाद है कि या हम उन पर लानत करें जैसे कि हफ़्ते वालों पर हमने लानत नाज़िल की। यानी जिन लोगों ने हफ़्ते वाले (शनिवार के) दिन हीले (बहाने) करके शिकार खेला, हालाँकि उन्हें इस काम की मनाही कर दी गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे बन्दर और सुअर बना दिये गए। उनका मुफ़स्सल वाक़िआ सूरः आराफ़ में आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

फिर फ़रमाया कि ख़ुदाई काम पूरे होकर ही रहते हैं। वह जब कोई हुक्म कर दे तो कोई नहीं जो उसकी मुख़ालफ़त या मुमानिअ़त कर सके (यानी उसको विरोध कर सके या उसको होने से रोक सके)। फिर ख़बर देता है कि अल्लाह तआ़ला शिर्क के गुनाहों को नहीं बख़्शता। यानी जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से इस हालत में मुलाक़ात करे कि वह मुश्रिक हो, उस पर बख़्शिश के दरवाज़े बन्द हैं। इस जुर्म के सिवा और गुनाहों को चाहे वे कैसे ही हों, जिसके चाहे बख़्श देता है। इस आयते करीमा के मुताल्लिक़ बहुत सी हदीसें हैं, हम भी कुछ हदीसें ज़िक्र करते हैं।

पहली हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। अल्लाह तआ़ला के नज़दीक गुनाहों के तीन दफ़्तर हैं, एक तो वह जिसकी अल्लाह तआ़ला कुछ परवाह नहीं करता। दूसरा वह जिसमें अल्लाह तआ़ला कुछ नहीं छोड़ता। तीसरा वह जिसे अल्लाह तआ़ला हरगिज़ नहीं बख़्शता।

पस जिसे वह बख़्शता नहीं वह शिर्क है। अल्लाह जल्ल शानुहू ख़ुद फ़रमाता है कि अल्लाह तआ़ला शिर्क को माफ़ नहीं फ़रमाता.....। एक और जगह इरशाद है कि जो शख़्स अल्लाह के साथ कोई शरीक कर ले उस पर वह जन्नत हराम कर देता है। और जिस दफ़्तर की ख़ुदा के यहाँ कोई ऐसी वक़अ़त नहीं वह बन्दे का अपनी जान पर ज़ुल्म करना है, जिसका ताल्लुक़ उससे और ख़ुदा से है। किसी दिन का रोज़ा जिसे उसने छोड़ दिया या नमाज़। पस अल्लाह तआ़ला उसे बख़्श देता है। और जिस दफ़्तर की अल्लाह तआ़ला कोई चीज़ तर्क नहीं करता वह बन्दों के आपस में मज़ालिम हैं, जिनका बदला और क़िसास ज़रूरी है।

दूसरी हदीस बज़्ज़ार के हवाले से। अगरचे अलफ़ाज़ अलग-अलग हैं लेकिन मतलब वही है।

तीसरी हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। मुम्किन है कि अल्लाह तआ़ला हर गुनाह को बख़्श दे मगर

वह शख़्स जो कुफ़्र की हालत में मेरा और वह जिसने किसी ईमान वाले को जान-बूझकर क़त्ल कर डाला।

चौथी हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- ऐ मेरे बन्दे तू जब तक मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे नेक उम्मीद रखेगा मैं भी जो तेरी ख़तायें और तक़सीरें हैं उन्हें माफ़ फ़रमाता रहूँगा। ऐ मेरे बन्दे! अगर तू सारी ज़मीन भर तक ख़तायें लेकर मेरे पास आयेगा तो मैं भी मग़फ़िरत लेकर तुझसे मिलूँगा, बशर्तेकि तूने मेरे साथ शिर्क न किया हो।

पाँचवी हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। जो बन्दा "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहे फिर इसी पर उसका इन्तिक़ाल हो तो वह ज़रूर जन्नत में जायेगा। यह सुनकर हज़रत अबूज़र रज़ि. ने दरियाफ़्त किया अगरचे उसने ज़िना और चोरी भी की हो? आपने फ़रमाया अगरचे उसने ज़िना और चोरी भी की हो। तीन मर्तबा यही सवाल जवाब हुआ। चौथे सवाल पर आपने फ़रमाया अगरचे अबूज़र की नाक मिट्टी में भर जाये (यानी अल्लाह की रहमत इनसान की सोच से भी बहुत बड़ी है इसमें हैरत न करनी चाहिये)। पस हज़रत अबूज़र रज़ि. वहाँ से अपनी चादर घसीटते हुए निकले "अगरचे अबूज़र की नाक मिट्टी में भर जाये" और इसके बाद जब कभी आप यह हदीस बयान फ़रमाते तो यह जुमला ज़रूर कहते। यह हदीस दूसरी सनद से किसी क़द्र ज़्यादती के साथ भी रिवायत है, उसमें हज़रत अबूज़र फ़रमाते हैं कि मैं नबी सल्ल. के साथ मदीने के मैदान में चला जा रहा था, उहुद पहाड़ की तरफ़ हमारी निगाहें थीं कि हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- ऐ अबूज़र! मैंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। आपने फ़रमाया सुनो मेरे पास अगर इस उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं न चाहूँ की तीसरी शाम को उसमें से कुछ बाक़ी रह जाये, सिवाय उस दीनार के जिसे मैं क़र्ज़ा चुकाने के लिये रख लूँ बाक़ी तमाम माल मैं इस तरह और इस तरह अल्लाह की राह में उसके बन्दों को दे डालूँगा और आपने दायें बायें और सामने लपें फैंकीं। फिर कुछ देर हम चलते रहे कि हुज़ूर सल्ल. ने मुझे पुकारा और फ़रमाया- जिनके पास यहाँ ज़्यादती (माल की अधिकता) है, वही वहाँ कमी वाले होंगे, मगर जो इस तरह करे और आपने अपने दायें सामने और बायें लपें भरकर देते हुए इशारा किया। फिर कुछ देर चलने के बाद फ़रमाया- अबूज़र! मैं अभी आता हूँ तुम यहीं ठहरो। आप तशरीफ़ ले गए और मेरी निगाहों से ओझल हो गए और मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगीं, दिल बेचैन हो गया कि कहीं तन्हाई में कोई दुश्मन आ गया हो। मैंने इरादा किया कि वहाँ पहुँचूँ लेकिन साथ ही हुज़ूर सल्ल. का यह फ़रमान याद आ गया कि मैं जब तक न आऊँ तुम यहीं ठहरे रहो, चुनाँचे मैं ठहरा रहा, यहाँ तक कि आप वापस तशरीफ़ ले आये तो मैंने कहा हुज़ूर! ये आवाज़ें कैसी आ रही थीं? आपने फ़रमाया मेरे पास जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आये थे और फ़रमा रहे थे कि आपकी उम्मत में से जो इन्तिक़ाल करे और वह ख़ुदा के साथ किसी को शरीक न करता हो वह जन्नत में जायेगा। मैंने कहा अगरचे ज़िना और चोरी भी उससे सर्ज़द हुई हो? फ़रमाया हाँ अगरचे ज़िना और चोरी भी हुई हो।

यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है और बुख़ारी में यह भी है कि हज़रत अबूज़र रज़ि. फ़रमाते हैं- मैं रात के वक़्त निकला, देखा कि रसूलुल्लाह सल्ल. तन्हा तशरीफ़ लेजा रहे हैं तो मुझे ख़्याल हुआ कि शायद इस वक़्त आप किसी को साथ लेजाना नहीं चाहते। मैं चाँद की छाँव-छाँव में हुज़ूर सल्ल. के पीछे हो लिया। आपने जब मुड़कर मुझे देखा तो पूछा कौन है? मैंने कहा अबूज़र, अल्लाह मुझे आप पर क़ुरबान कर दे। आपने फ़रमाया आओ मेरे साथ चलो। थोड़ी देर तो हम चलते रहे, फिर आपने फ़रमाया ज़्यादती वाले ही क़ियामत के दिन कमी वाले होंगे, मगर वे जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने माल दिया फिर वे दायें-बायें आगे-पीछे नेक कामों में ख़र्च करते रहे। फिर कुछ देर चलने के बाद आपने मुझे एक जगह बैठाकर जिसके

आस-पास पत्थर थे, फ़रमाया- मेरी वापसी तक यहीं बैठे रहो। फिर आप आगे निकल गए यहाँ तक कि मेरी नज़रों से पोशीदा हो गए। आपको ज़्यादा देर लग गई। फिर मैंने देखा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं और ज़बान मुबारक से फ़रमाते आते हैं अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे चोरी की हो। जब मेरे पास पहुँचे तो मैं पूछने से रुक न सका कि ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह मुझे आप पर क़ुरबान करे, उस मैदान के किनारे आप किससे बातें कर रहे थे? मैंने सुना कोई आपको जवाब भी दे रहा था। आपने फ़रमाया वह जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम थे, यहाँ मेरे पास आये और फ़रमाया अपनी उम्मत को यह ख़ुशख़बरी सुना दो कि जो मरेगा और अल्लाह के साथ उसने शरीक न किया हो वह जन्नती होगा। मैंने कहा ऐ जिब्राईल! अगरचे उसने चोरी की हो और ज़िना किया हो? फ़रमाया हाँ। मैंने फिर यही सवाल किया, जवाब दिया हाँ। फिर यही पूछा तो फ़रमाया हाँ। और अगरचे उसने शराब पी हो?

छठी हदीस मुस्नद अ़ब्द बिन हुमैद के हवाले से। एक शख़्स हुज़ूर सल्ल. के पास आया और कहा या रसूलल्लाह! वाजिब कर देने वाली चीज़ें क्या हैं? आपने फ़रमाया- जो शख़्स बग़ैर शिर्क किये मरा उसके लिये जन्नत वाजिब है, और जो शिर्क करते हुए मरा उसके लिये जहन्नम वाजिब है। यही हदीस एक दूसरी सनद से है, जिसमें है कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क न करता हुआ 'मरा उसके लिये बख़्शिश हलाल है, अगर अल्लाह चाहे उसे अ़ज़ाब करे, अगर चाहे बख़्श दे। अल्लाह अपने साथ शिर्क किये जाने को नहीं बख़्शता, इसके सिवा जिसे चाहे बख़्श दे। (इब्ने अबी हातिम)

एक और सनद से है कि आपने फ़रमाया- बन्दे पर मग़फ़िरत हमेशा रहती है जब तक कि पर्दे न पड़ जायें। दरियाफ़्त किया गया कि हुज़ूर! पर्दे पड़ जाना क्या है? फ़रमाया शिर्क, जो शिर्क न करता हुआ अल्लाह तआ़ला से मुलाक़ात करे उसके लिये अल्लाह की बख़्शिश हलाल हो गई, अगर चाहे अ़ज़ाब करे अगर चाहे बख़्श दे। फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाईः

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ................ الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है। मुस्नद अबी लैला)

सातवीं हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। जो शख़्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो तो वह जन्नत में दाख़िल हो गया।

आठवीं हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्ल. एक मर्तबा सहाबा रज़ि. के पास आये और फ़रमाया- तुम्हारे रब तआ़ला ने मुझे इख़्तियार दिया है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार का बेहिसाब जन्नत में जाना पसन्द कर लूँ या इस बात को कि अल्लाह तआ़ला के पास जो चीज़ मेरे लिये मेरी उम्मत से संबन्धित छुपी हुई महफ़ूज़ है उसे। बाज़ सहाबा ने कहा क्या अल्लाह तआ़ला आपके लिये यह महफ़ूज़ चीज़ बचाकर भी रखेगा? आप यह सुनकर अन्दर तशरीफ़ ले गए फिर तकबीर पढ़ते हुए बाहर आये और फ़रमाने लगे- मेरे रब ने मुझे हर हज़ार के साथ-साथ सत्तर हज़ार की ज़्यादती अ़ता फ़रमाई और वह पोशीदा (छुपा हुआ) हिस्सा भी।

हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि. जब यह हदीस बयान फ़रमा चुके तो हज़रत अबू रहम ने सवाल किया कि वह पोशीदा महफ़ूज़ चीज़ क्या है? इस पर लोगों ने उन्हें कुछ-कुछ कहना शुरू कर दिया कि कहाँ तुम और कहाँ हुज़ूर सल्ल. के लिये इख़्तियार की हुई चीज़! हज़रत अबू अय्यूब रज़ि. ने फ़रमाया- सुनो जहाँ तक हमारा गुमान है जो बिल्कुल यक़ीन के क़रीब है, यह है कि वह चीज़ जन्नत में जाना है हर उस शख़्स

का जो सच्चे दिल से गवाही दे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्ल. उसके बन्दे और रसूल हैं।

नवीं हदीस इब्ने अबी हातिम के हवाले से। एक शख़्स हुज़ूर सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा या रसूलल्लाह! मेरा भतीजा हराम से बाज़ नहीं आता। आपने फ़रमाया उसकी दीनदारी कैसी है? कहा नमाज़ी है और तौहीद वाला है। आपने फ़रमाया जाओ और उससे उसका दीन बतौर हिबा के तलब करो अगर इनकार करे तो उससे ख़रीद लो। उसने जाकर उससे तलब किया तो उसने इनकार कर दिया। उसने आकर हुज़ूर सल्ल. को ख़बर दी तो आपने फ़रमाया- मैंने उसे अपने दीन पर चिमटा हुआ पाया। इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ............... الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

दसवीं हदीस हाफ़िज़ अबू लैला के हवाले से। एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्ल. के पास आया और कहा या रसूलल्लाह! मैंने कोई हाजत या हाजत वाला नहीं छोड़ा, मगर मैं सब पूरी कर चुका। आपने फ़रमाया क्या तू यह गवाही नहीं देता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीन मर्तबा उसने कहा हाँ। आपने फ़रमाया यह उन सब पर ग़ालिब आ जायेगा।

ग्यारहवीं हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने ज़मज़म बिन जूस यमामी से कहा कि ऐ यमामी! किसी शख़्स से हरगिज़ यह न कहना कि ख़ुदा तुझे न बख़्शेगा, या तुझे जन्नत में दाख़िल न करेगा। यमामी रह. ने कहा हज़रत! यह बात तो हम लोग अपने भाईयों और दोस्तों से भी ग़ुस्से में कह जाते हैं। आपने फ़रमाया ख़बरदार हरगिज़ न कहना। सुनो मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से सुना है, आपने फ़रमाया- बनी इस्राईल में दो शख़्स थे, एक तो इबादत में बहुत चुस्त चालाक और दूसरा अपनी जान पर ज़्यादती करने वाला (यानी गुनाहों में फंसा हुआ) और दोनों में दोस्ताना और भाईचारा था। आ़बिद बहुत सी बार उस दूसरे को किसी न किसी गुनाह में देखता रहता था और कहता रहता था कि ऐ शख़्स मान जा। वह जवाब देता तू मुझे मेरे रब पर छोड़ दे, क्या तू मुझ पर निगहबान (दारोग़ा और निगराँ) बनाकर भेजा गया है? एक मर्तबा आ़बिद ने देखा कि वह फिर किसी गुनाह के काम को कर रहा है जो उसे बहुत बुरा मालूम हुआ। उसने कहा अफ़सोस तुझ पर रुक आ। उसने वही जवाब दिया तो आ़बिद ने कहा ख़ुदा की क़सम ख़ुदा तुझे हरगिज़ न बख़्शेगा, या जन्नत न देगा। अल्लाह तआ़ला ने उनके पास फ़रिश्ता भेजा जिसने उनकी रूहें क़ब्ज़ कर लीं। जब ये दोनों ख़ुदा के यहाँ जमा हुए तो अल्लाह तआ़ला ने उस गुनाहगार से फ़रमाया जा और मेरी रहमत की बिना पर जन्नत में दाख़िल हो जा, और उस आ़बिद से फ़रमाया क्या तुझे हक़ीक़ी (यक़ीनी निश्चित) इल्म था? क्या तू मेरी चीज़ पर क़ादिर था? उसके बाद हुक्म दिया कि इसे जहन्नम की तरफ़ ले जाओ। हुज़ूर सल्ल. ने यह फ़रमाकर फ़रमाया कि उसकी क़सम जिसके हाथ में अबू क़ासिम (यानी मुहम्मद सल्ल.) की जान है, उसने एक कलिमा ज़बान से ऐसा निकाल दिया जिसने उसकी इबादत और आख़िरत बरबाद कर दी।

बारहवीं हदीस तबरानी के हवाले से। जिसने इस बात का यक़ीन कर लिया कि मैं गुनाहों की बख़्शिश पर क़ादिर हूँ तो मैं उसे बख़्श ही देता हूँ और कोई परवाह नहीं करता जब तक कि वह मेरे साथ शरीक न करे।

तेरहवीं हदीस बज़्ज़ार व अबू लैला के हवाले से। जिस अ़मल पर अल्लाह तआ़ला ने किसी सवाब का वायदा किया है उसे तो मालिक ज़रूर पूरा करेगा और जिस पर सज़ा का वायदा फ़रमाया है वह उसके इख़्तियार में है। हज़रत इब्ने उमर रज़ि., फ़रमाते हैं कि हम सहाबा क़ातिल के बारे में और यतीम का माल खा जाने वाले के बारे में और पाकदामन औ़रतों पर तोहमत लगाने वाले के बारे में और झूठी गवाही देने वाले के बारे में कोई शक व शुब्हा ही नहीं करते थे, यहाँ तक कि यह आयत उतरीः

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ.............. الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

और रसूलुल्लाह सल्ल. के सहाबा गवाही से रुक गए। (इब्ने अबी हातिम)

इब्ने जरीर की यह रिवायत इस तरह पर है कि जिन गुनाहों पर जहन्नम का ज़िक्र किताबुल्लाह में है उसे करने वाले के जहन्नमी होने में हमें कोई शक ही न था, यहाँ तक कि हम पर यह आयत उतरी। जब हमने इसे सुना तो हम शहादत (गवाही देने) से रुक गये और तमाम मामलात अल्लाह तआ़ला की तरफ़ सौंप दिये। बज़्ज़ार में आप ही की एक रिवायत है कि कबीरा गुनाह करने वालों के लिये इस्तिग़फ़ार करने से हम रुके हुए थे, यहाँ तक कि हमने हुज़ूर सल्ल. से यह आयत सुनी और आपने यह भी फ़रमाया कि मैंने अपनी शफ़ाअ़त को अपनी उम्मत में से कबीरा गुनाह करने वालों के लिये रख छोड़ा है। अबू जाफ़र राज़ी की रिवायत में आपका यह फ़रमान है कि जब यह आयत उतरीः

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ.......... الخ

यानी ऐ मेरे वे बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है तुम मेरी रहमत से मायूस न हो जाओ.....। तो एक शख़्स ने खड़े होकर पूछा या हुज़ूर! शिर्क करने वाला भी? आपको उसका यह सवाल नापसन्द आया। फिर आपनेः

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ.............. الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है)

पढ़कर सुनाई। यह आयत सशर्त है तौबा के साथ। पस जो शख़्स जिस गुनाह से तौबा करे अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ़ रुजू करता है अगरचे बार-बार करे। पस मायूस न होने की आयत में तौबा की शर्त ज़रूरी है वरना इसमें शिर्क भी आ जायेगा और फिर मतलब सही न होगा, क्योंकि इस आयत में वज़ाहत के साथ यहाँ मौजूद है कि अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करने वाले की बख़्शिश नहीं। हाँ इसके सिवा जिसे चाहे यानी अगरचे उसने तौबा भी न की हो। इस मतलब के साथ इस आयत में जो उम्मीद लाने वाली है और ज़्यादा उम्मीद की आस पैदा हो जाती है। वल्लाहु आलम।

फिर फ़रमाता है कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करे उसने बड़े गुनाह का इफ़तिरा (झूठ) बाँधा जैसे एक और आयत में है कि शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने कहा या रसूलल्लाह! सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फ़रमाया यह है कि तू ख़ुदा तआ़ला का शरीक ठहराये हालाँकि उसी ने तुझे पैदा किया है। फिर पूरी हदीस बयान फ़रमाई। इब्ने मरदूया में है, रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा कबीरा गुनाह बतलाता हूँ वह अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक करना है। फिर आपने इसी आयत का यह आख़िरी हिस्सा तिलावत फ़रमाया। फिर माँ-बाप की

नाफ़रमानी करना, फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई:

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ. اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

कि मेरा शुक्र कर और अपने माँ-बाप का शुक्रिया अदा कर, और मेरी ही तरफ़ लौटना है।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۝

क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने को मुक़द्दस "यानी पाकीज़ा और नेक" बतलाते हैं, बल्कि अल्लाह तआ़ला जिसको चाहें मुक़द्दस बना दें, और उनपर धागे के बराबर भी ज़ुल्म न होगा। (49) तू देख ये लोग अल्लाह तआ़ला पर कैसी झूठी तोहमत लगाते हैं। और यही बात खुला मुजरिम होने के लिए काफ़ी है। (50)

क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा मिला है, वे बुत और शैतान को मानते हैं और वे लोग काफ़िरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग उन मुसलमानों के मुक़ाबले में ज़्यादा सही रास्ते पर हैं। (51) ये लोग वे हैं जिनको ख़ुदा तआ़ला ने मलऊन बना दिया है, और ख़ुदा तआ़ला जिसको मलऊन बना दे उसका कोई हिमायती न पाओगे। (52)

अपनी तारीफ़ अपने आप

यहूदी और ईसाई लोगों का क़ौल था कि हम अल्लाह तआ़ला की औलाद और उसके चहीते हैं। और कहते थे कि जन्नत में सिर्फ़ यहूदी जायेंगे या ईसाई। उनके इस क़ौल की तरदीद में यह आयत नाज़िल हुई। "अलम् त-र इलल्लज़ी-न युज़क्कू-न अन्फ़ुसहुम................" (यानी जिसकी यह तफ़सीर शुरू हुई है)। यह क़ौल हज़रत मुजाहिद रह. का है। इस आयत की शाने नुज़ूल (नाज़िल होने का मौक़ा और सबब) यह है कि ये लोग अपने बच्चों को इमाम बनाते थे और कहते थे कि ये बेगुनाह हैं। यह भी नक़ल किया गया है कि उनका ख़्याल था कि हमारे जो बच्चे मर गए हैं वे हमारे लिये अल्लाह की निकटता का ज़रिया हैं, हमारे सिफ़ारिशी हैं और हमें वे पाक कर देंगे। पस यह आयत उतरी।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. यहूदियों का अपने बच्चों को आगे करने का वाक़िआ़ बयान करके फ़रमाते हैं कि वे झूठे हैं, अल्लाह तआ़ला किसी गुनाहगार को बेगुनाह की वजह से पाक नहीं कर देता। ये कहते थे कि जैसे हमारे बच्चे बेख़ता हैं ऐसे ही हम भी बेगुनाह हैं। और यह भी ख़्याल है कि यह आयत दूसरों की मुबालग़ा-आमेज़ (बढ़ा-चढ़ाकर) तारीफ़ व प्रशंसा करने के रद्द में उतरी है। सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि हमें रसूलुल्लाह सल्ल. ने हुक्म दिया कि हम तारीफ़ करने वालों के मुँह मिट्टी से भर दें। सहीहैन में है कि आँ हज़रत सल्ल. ने एक मर्तबा एक शख़्स को दूसरे की तारीफ़ व प्रशंसा करते हुए सुनकर फ़रमाया- अफ़सोस

तूने अपने साथी की गर्दन तोड़ दी। फिर फ़रमाया अगर तुम में से किसी को ज़रूरत की वजह से किसी की तारीफ़ करनी भी हो तो यूँ कहे कि मैं फ़ुलाँ शख़्स को ऐसा समझता हूँ। इस तरह बयान न करे जैसे लगे कि लाज़िमी तौर पर वह ख़ुदा के नज़दीक ऐसा ही है।

मुस्नद अहमद में है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि. का क़ौल है- जो कहे कि मैं मोमिन हूँ वह काफ़िर है, और जो कहे मैं आ़लिम हूँ वह जाहिल है। और जो कहे मैं जन्नती हूँ वह दोज़ख़ी है। इब्ने मरदूया में आपके फ़रमान में यह भी है कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ इस बात का है कि कोई शख़्स ख़ुद-पसन्दी करने लगे और अपनी समझ पर आप फ़ख़्र करने बैठ जाये। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मुआ़विया रज़ि. बहुत ही कम हदीस बयान फ़रमाते, और यह हदीस शायद दो-चार मौक़ों पर ही आपने सुनाई हो कि जिसके साथ अल्लाह का इरादा भलाई का होता है उसे अपने दीन की समझ अ़ता फ़रमाता है, और यह माल मीठा और सब्ज़ रंग का है जो इसे उसके हक़ के साथ लेगा इसमें बरकत दी जायेगी। तुम आपस में एक दूसरे की (यानी बढ़ा-चढ़ाकर और फ़ालतू की) तारीफ़ व प्रशंसा से परहेज़ करो, उसके लिये यह छुरी फेरना है। यह पिछला जुमला उनसे इब्ने माजा में भी है।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि इनसान सुबह को अपना दीन लेकर निकलता है, फिर जब वह लौटता है तो उसके पास उसके दीन में से कुछ भी नहीं होता (इस तरह कि) वह किसी से मिला और उसकी तारीफ़ बयान करनी शुरू की और क़समें खा-खाकर कहने लगा- आप ऐसे ही हैं और ऐसे ही हैं हालाँकि न वह उसके नुक़सान का मालिक है न नफ़े का, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि उन तारीफ़ी कलिमात के बाद भी उससे उसका काम न निकले, लेकिन उसने तो ख़ुदा को नाख़ुश कर दिया। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फ़रमाई। (इब्ने जरीर) और इसका तफ़सीली बयान आयतः

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ.

(सूरः नज्म आयत 32) की तफ़सीर में आयेगा, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

पस यहाँ इरशाद होता है कि ख़ुदा ही है, वह जिसे चाहे पाक कर दे क्योंकि तमाम चीज़ों की हक़ीक़त और असलियत का जानने वाला वही है। फिर फ़रमाया कि ख़ुदा एक धागे के वज़न के बराबर भी किसी की नेकी छोड़ न देगा। 'फ़तील' के मायने हैं खजूर की गुठली के बीच का धागा। और यह भी है कि वह धागा जिसे अपनी उंगलियों से बट ले। फिर फ़रमाता है कि उन झूठों और बोहतान बाँधने वालों की करतूत तो देखो कि किस तरह ख़ुदा की औलाद और उसके महबूब बनने के दावेदार हैं और कैसे कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ़ चन्द दिन आग में रहना होगा। और किस तरह अपने बड़ों के नेक आमाल पर एतिमाद किये हुए हैं, हालाँकि किसी का अ़मल दूसरे को कुछ नफ़ा नहीं दे सकता। जैसा कि अल्लाह का इरशाद हैः

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ......... الخ

कि यह एक गिरोह है जो गुज़र चुका, उनके आमाल उनके साथ और तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ।

फिर फ़रमाता है कि उनका यह खुला झूठ और बोहतान ही उनके लिये काफ़ी है। 'जिब्त' के मायने हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ि. वग़ैरह से जादू के और ताग़ूत के मायने शैतान के मन्क़ूल हैं। यह भी क़ौल है कि 'जिब्त' हब्शी भाषा का लफ़्ज़ है, इसके मायने शैतान के हैं। शिर्क, बुत, काहिन वग़ैरह के मायने भी आये हैं। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद हुय्यि बिन अख़्तब है। बाज़ कहते हैं कि कअ़ब बिन अशरफ़ है।

एक हदीस में है कि 'फ़ाल' और परिन्दों को डाँटना यानी उनके नाम या उनके उड़ने या बोलने से शगुन लेना और ज़मीन पर लकीरें खींच कर मामले तय करना, यह सब 'जिब्त' है। हसन कहते हैं कि 'जिब्त' शैतान की गुनगुनाहट है। ताग़ूत के बारे में पहले सूरः ब-क़रह में कलाम गुज़र चुका है इसलिये यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं।

हज़रत जाबिर रज़ि. से जब ताग़ूत के बारे में सवाल होता है तो फ़रमाते हैं कि ये काहिन लोग हैं, जिनके पास शैतान आते थे। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि इनसानी सूरत के ये शयातीन हैं, जिनके पास लोग अपने झगड़े ले जाते हैं और उन्हें हाकिम मानते हैं। हज़रत इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद वह चीज़ है जिसकी इबादत ख़ुदा के सिवा की जाये। फिर फ़रमाया कि उनकी जहालत, बेदीनी और ख़ुद अपनी किताब के साथ कुफ़्र की नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि काफ़िरों को मुसलमानों पर तरजीह और फ़ज़ीलत देते हैं। इब्ने अबी हातिम में है कि हुयि बिन अख़्तब और कअ़ब बिन अशरफ़ मक्का वालों के पास आये और अहले मक्का ने उनसे कहा तुम अहले किताब और अहले इल्म हो, भला बताओ तो हम बेहतर हैं या मुहम्मद? उन्होंने कहा तुम क्या हो और वे क्या हैं? तो अहले मक्का ने कहा हम सिला-रहमी करते हैं, तैयार ऊँटनियाँ ज़िबह करके खिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, ग़ुलामों को आज़ाद करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और मुहम्मद तो संबूर हैं, हमारे रिश्ते नाते तुड़वाये, उनका साथ हाजियों के चोरों ने दिया है क़बीला ग़िफ़ार में से हैं, अब बतलाओ हम अच्छे या वह? उन दोनों ने कहा तुम बेहतर और तुम ज़्यादा सीधे रास्ते पर हो। इस पर यह आयत उतरी। दूसरी रिवायत में है कि उन्हीं के बारे में "इन्-न शानिअ-क हुवल् अब्तर" उतरी है।

बनू वाईल और बनू नज़ीर के चन्द सरदार जब अ़रब में हुज़ूर सल्ल. के ख़िलाफ़ आग लगा रहे थे और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी में थे, उस वक़्त जब ये क़ुरैश के पास आये तो क़ुरैशियों ने इन्हें आ़लिम और नेक जानकर इनसे पूछा कि बतलाओ हमारा दीन अच्छा है या मुहम्मद का? तो इन लोगों ने कहा तुम अच्छे दीन वाले हो और उनसे ज़्यादा सही रास्ते पर हो। इस पर यह आयत उतरी और ख़बर दी गई कि यह लानती गिरोह है और इनका सहयोगी व मददगार दुनिया व आख़िरत में कोई नहीं, इसलिये कि सिर्फ़ कुफ़्फ़ार को अपने साथ मिलाने के लिये बतौर चापलूसी और ख़ुशामद के ये कलिमात अपनी मालूमात के ख़िलाफ़ कह रहे हैं, लेकिन यह याद रख लें कि ये कामयाब नहीं हो सकते। चुनाँचे यही हुआ। ज़बरदस्त लश्कर लेकर सारे अ़रब को अपना करके पूरी क़ुव्वत और ताक़त इकट्ठी करके उन लोगों ने मदीना शरीफ़ पर चढ़ाई की, यहाँ तक कि रसूले ख़ुदा सल्ल. को मदीने के चारों तरफ़ ख़न्दक़ खोदनी पड़ी। लेकिन आख़िरकार दुनिया ने देख लिया कि उनके मक्र का नुक़सान उन्हीं को पहुँचा। ये नाकाम व नामुराद और घाटा उठाने वाले हुए। मुराद का दामन ख़ाली रहा, बल्कि नामुरादी और मायूसी व ज़बरदस्त नुक़सान के साथ लौटना पड़ा। अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों की हिफ़ाज़त की और अपनी क़ुव्वत व इ़ज़्ज़त से इन्हें औंधे मुँह गिरा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है और तमाम तारीफ़ के लायक़ वही है।

हाँ क्या उनके पास कोई हिस्सा है हुकूमत का, सो ऐसी हालत में तो और लोगों को ज़रा-सी चीज़ भी न देते। (53) या दूसरे आदमियों	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ

النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ○ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۭ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○	की उन चीज़ों पर जलते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से अ़ता फ़रमाई हैं, सो हमने (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के ख़ानदान को किताब भी दी है और इल्म भी दिया है, और हमने उनको बड़ी भारी हुकूमत भी दी है। (54) सो उनमें से बाज़े तो उस पर ईमान लाए और बाज़े ऐसे थे कि उससे मुँह फेरे ही रहे, और दोज़ख़ की दहकती हुई आग काफ़ी है। (55)

कन्जूसी का बयान और उसकी निंदा व बुराई

यहाँ इनकार के तौर पर (यानी सवाल के अन्दाज़ में मना करने के लिये) सवाल होता है कि क्या वे मुल्क के किसी हिस्से के मालिक हैं? यानी नहीं हैं। फिर उनकी बख़ीली बयान होती है कि अगर ऐसा होता तो ये किसी को ज़रा सा भी नफ़ा पहुँचाने के रवादार न होते। ख़ुसूसन अल्लाह के इस आख़िरी पैग़म्बर को इतना भी न देते जितना खजूर की गुठली के दरमियान का पर्दा होता है। जैसे एक और आयत में है:

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ.......... الخ

यानी अगर तुम मेरे रब की रहमतों के ख़ज़ानों के मालिक होते तो तुम ख़र्च हो जाने के ख़ौफ़ से बिल्कुल ही रोक लेते। अगरचे ज़ाहिर है कि वे कम नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी कन्जूसी तुम्हें डरा देती। इसी लिये फ़रमाया कि इनसान बड़ा ही बख़ील (कन्जूस) है। इस बुख़्ल के बयान के बाद फिर उनका हसद बयान हो रहा है कि नबी सल्ल. को अल्लाह तआ़ला ने जो बड़ी ऊँचे रुतबे वाली नुबुव्वत अ़ता फ़रमाई है और आप चूँकि अ़रब में से हैं, बनी इस्राईल नहीं हैं, इसलिये ये जले जाते हैं और लोगों को आपकी तस्दीक़ से रोक रहे हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहाँ 'अन्नास' (लोगों) से मुराद हम हैं कोई और नहीं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि हमने इब्राहीम की औलाद को जो बनी इस्राईल के क़बाईल में औलादे इब्राहीम से हैं, नुबुव्वत दी, किताब नाज़िल फ़रमाई, तरीक़े तालीम किये, उनमें बादशाहत भी दी बावजूद इसके उनमें से बाज़ तो मोमिन हुए, इस इनाम व सम्मान को माना, लेकिन बाज़ों ने फिर भी इसके साथ कुफ़्र किया, इसे तस्लीम न किया और लोगों को भी इससे रोका, हालाँकि वे भी बनी इस्राईल ही थे। तो जबकि ये अपने वालों ही से मुन्किर हो चुके हैं तो फिर ऐ नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ! आपका इनकार इनसे क्या दूर है? जबकि आप उनमें से भी नहीं। यह भी मतलब हो सकता है कि बाज़ उस पर यानी मुहम्मद सल्ल. पर ईमान लाये और बाज़ न लाये। पस ये काफ़िर अपने कुफ़्र में बहुत सख़्त और निहायत पक्के हैं और हिदायत व हक़ से बहुत ही दूर हैं। फिर उन्हें उनकी सज़ा सुनाई जा रही है कि जहन्नम का जलना उन्हें काफ़ी है, उनके कुफ़्र व दुश्मनी, उनके झुठलाने और सरकशी की यह सज़ा काफ़ी है।

बेशक जो लोग हमारी आयतों के इनकारी हुए हम उनको जल्द ही एक सख़्त आग में दाख़िल करेंगे, जबकि एक दफ़ा उनकी खाल जल चुकेगी तो हम उस पहली खाल की जगह फ़ौरन दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि अ़ज़ाब ही भुगतते रहें। बेशक अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। (56) और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए हम उनको जल्द ही ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। उनके वास्ते उनमें पाक-साफ़ बीवियाँ होंगी और हम उनको बहुत ही घने साए में दाख़िल करेंगे। (57)	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

अ़ज़ाब का इनकार करने वाले

अल्लाह की आयतों के न मानने और रसूलों को बरगश्ता करने वालों की सज़ा और उनके बुरे अन्जाम का ज़िक्र हो रहा है कि उन्हें उस आग में धकेला जायेगा जो उन्हें हर तरफ़ से घेर लेगी और उनके रौंगटे रौंगटे को जला देगी, और यही नहीं बल्कि यह अ़ज़ाब हमेशा का होगा। एक चमड़ा जल गया तो दूसरा बदल दिया गया, जो सफ़ेद काग़ज़ के जैसा होगा। एक-एक काफ़िर की सौ-सौ खालें होंगी, हर-हर खाल पर तरह-तरह के अ़ज़ाब होते होंगे। एक-एक दिन में सत्तर हज़ार मर्तबा खाल उलट-पलट होगी। यानी कह दिया जायेगा कि फिर लौट आये वह फिर लौट आयेगी। हज़रत उमर रज़ि. के सामने जब इस आयत की तिलावत होती है तो आप पढ़ने वाले से दोबारा सुनाने की फ़रमाईश करते हैं, वह दोबारा पढ़ता है तो हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ि. फ़रमाते हैं- मैं आपको इसकी तफ़सीर सुनाऊँ? एक-एक घड़ी में सौ-सौ बार बदली जायेगी। इस पर हज़रत उमर रज़ि. ने फ़रमाया- मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से यही सुना है। (इब्ने मरदूया वग़ैरह) दूसरी रिवायत में है कि उस वक़्त हज़रत कअ़ब रज़ि. ने कहा था कि मुझे इस आयत की तफ़सीर याद है, मैंने इसे इस्लाम लाने से पहले पढ़ी थी। आपने फ़रमाया अच्छा बायन करो अगर वह वही हुई जो मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से सुनी है तो हम उसे क़बूल कर लेंगे वरना हम उसे तवज्जोह के क़ाबिल न समझेंगे। आपने फ़रमाया एक-एक घड़ी में एक सौ बीस मर्तबा। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. ने फ़रमाया मैंने इसी तरह हुज़ूर सल्ल. से सुना है।

हज़रत रबीअ़ बिन अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि दूसरी आसमानी किताबों में है कि उनकी खालें चालीस हाथ या छियत्तर हाथ की होंगी और उनके पेट इतने बड़े होंगे कि अगर उनमें पहाड़ रखा जाये तो समा जाये। जब उन खालों को आग खा लेगी तो और खालें आ जायेंगी। एक हदीस में इससे भी ज़्यादा है। मुस्नद अहमद में है कि जहन्नमी जहन्नम में इस क़द्र बड़े-बड़े बना दिये जायेंगे कि उनके कानों की नोक से

मोंढा सात सौ साल की राह पर होगा और उनकी खाल की मोटाई सत्तर ज़िरह (हाथ की) होगी, और कुचली उहुद पहाड़ के बराबर होगी। और यह भी कहा गया है कि मुराद खाल से लिबास है, लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ है और ज़ाहिरे अलफ़ाज़ के ख़िलाफ़ है।

फिर नेक लोगों का अन्जाम बयान हो रहा है कि वे जन्नते अ़दन में होंगे, जिसके चप्पे-चप्पे पर नहरें जारी होंगी, जहाँ चाहें उन्हें ले जायें। अपने महलों में, बाग़ात में, रास्तों में, ग़र्ज़ जहाँ जी चाहे वहीं वे पाक नहरें बहने लगेंगी। फिर सबसे लतीफ़ यह है कि ये तमाम नेमतें हमेशा के लिये और पायदार होंगी, न उन्हें ज़वाल आये, न उनमें कमी हो, न वे वापस ली जायें, न फ़ना हों, न सड़ें, न बिगड़ें, न ख़राब हों, न ख़त्म हों। फिर उनके लिये वहाँ हैज़ व निफ़ास (माहवारी और बच्चा होने के बाद ख़ून आने) वाली गन्दगी और पलीदी से मैल-कुचैल, हर तरह की बदबू से, घटिया सिफ़तों और बुरे अख़्लाक़ से पाक बीवियाँ होंगी, और घने लम्बे चौड़े साये होंगे जो बहुत आराम व ख़ुशी देने वाले बड़े सुरूर वाले, राहत पहुँचाने वाले, दिल को ख़ुश करने वाले होंगे। रसूले ख़ुदा सल्ल. फ़रमाते हैं कि जन्नत में एक दरख़्त है जिसके साये तले एक सौ साल तक भी एक सवार चलता जाये तो उसका साया ख़त्म न हो। यह "शजरतुल-ख़ुल्द" है। (इब्ने जरीर)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

बेशक तुमको अल्लाह तआ़ला इस बात का हुक्म देते हैं कि हक़ वालों को उनके हुक़ूक़ पहुँचा दिया करो, और यह कि जब लोगों का तसफ़िया किया करो तो अ़दूल "यानी इन्साफ़" से तसफ़िया किया करो, बेशक अल्लाह तआ़ला जिस बात की तुमको नसीहत करते हैं वह बात बहुत अच्छी है, बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनते हैं, ख़ूब देखते हैं। (58)

अमानत व ईमानदारी का हुक्म

रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि जो तेरे साथ अमानतदारी का बर्ताव करे तू उसकी अमानत अदा कर। और जो तेरे साथ ख़ियानत करे तू उसके साथ ख़ियानत मत कर। (मुस्नद अहमद व सुनन)

आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं, अल्लाह तआ़ला के तमाम हुक़ूक़ की अदायगी को भी शामिल हैं जैसे- रोज़ा नमाज़ ज़कात कफ़्फ़ारा मन्नत वग़ैरह, और बन्दों के आपस के तमाम हुक़ूक़ को भी शामिल हैं जैसे- अमानत दी हुई चीज़ें वग़ैरह। पस जिस हक़ को जो अदा न करेगा उसकी पकड़ क़ियामत के दिन होगी। सही हदीस में है कि क़ियामत के दिन हर हक़दार का हक़ उसे दिलवाया जायेगा। यहाँ तक कि बिना सींग वाली बकरी को अगर सींगों वाली बकरी ने मारा है तो उसका बदला भी दिलवाया जायेगा। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि शहादत (अल्लाह के रास्ते में शहीद होने) की वजह से तमाम गुनाह मिट जाते हैं मगर अमानत नहीं हटती, अगरचे कोई शख़्स अल्लाह की राह में शहीद हुआ हो उसे भी क़ियामत के दिन लाया जायेगा और कहा जायेगा कि अपनी अमानत अदा कर। वह जवाब देगा कि दुनिया में तो अब हैं नहीं, मैं कहाँ से अदा करूँ? फ़रमाते हैं कि फिर वह चीज़ उसे जहन्नम की तह में नज़र आयेगी और कहा जायेगा जा उसे ले आ। वह उसे अपने कन्धे पर लादकर ले चलेगा लेकिन वह गिर

पड़ेगी। फिर वह उसे लेने जायेगा, पस इसी अ़ज़ाब में वह मुब्तला रहेगा। हज़रत ज़ाज़ान इस रिवायत को सुनकर हज़रत बरा रज़ि. के पास आकार बयान करते हैं, वह कहते हैं कि मेरे भाई ने सच कहा, फिर क़ुरआन की इस आयत को पढ़ते हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं कि हर नेक बद पर यही हुक्म है। अबुल-आ़लिया रज़ि. फ़रमाते हैं कि जिस चीज़ का हुक्म दिया गया और जिस चीज़ से मना किया गया वे सब अमानत हैं। हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ि. फ़रमाते हैं कि औ़रत अपनी शर्मगाह की भी अमानत दार है। रबीअ़ बिन अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि जो-जो मामलात तेरे और दूसरे लोगों के दरमियान हों यह सब को शामिल है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि इसमें यह भी दाख़िल है कि सुल्तान (बादशाह और हाकिम) ईद वाले दिन औ़रतों को ख़ुतबा सुनाये।

इस आयत की शाने नुज़ूल में मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्ल. ने मक्का फ़तह किया और इत्मीनान के साथ बैतुल्लाह शरीफ़ में आये तो ऊँटनी पर सवार होकर तवाफ़ किया, तवाफ़ में आप हजरे-अस्वद को अपनी लकड़ी से छूते थे, उसके बाद उस्मान बिन तल्हा रज़ि. को जो काबे की कुंजी के ज़िम्मेदार और मुतवल्ली थे, बुलाया, उनसे कुंजी (चाबी) तलब की, उन्होंने देनी चाही, इतने में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने कहा या रसूलल्लाह! अब यह मुझे सौंपिये ताकि मेरे घराने में ज़मज़म का पानी पिलाना और काबे की कुंजी रखना दोनों ही बातें हो जायें। यह सुनते ही हज़रत उस्मान बिन तल्हा ने अपना हाथ रोक लिया। हुज़ूर सल्ल. ने दोबारा तलब की, फिर वही वाक़िआ़ हुआ, आपने तीसरी बार तलब की, हज़रत उस्मान रज़ि. ने यह कहकर दे दी कि अल्लाह की अमानत के साथ देता हूँ। हुज़ूर सल्ल. ने काबे का दरवाज़ा खोला, अन्दर गये, वहाँ जो बुत और तस्वीरें थीं सबको तुड़वाकर बाहर फिंकवाया। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का बुत भी था जिसके हाथ में फाल (शगुन) के तीर थे। आपने फ़रमाया- अल्लाह इन मुश्रिकों को ग़ारत करे, भला ख़लीलुल्लाह को इन तीरों से क्या सरोकार। फिर उन तमाम चीज़ों को बरबाद करके उनकी जगह पानी डाल कर उन्हें मिटाकर आप बाहर आये, काबे के दरवाज़े पर खड़े होकर आपने कहा कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, वह अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं। उसने अपने वायदे को सच्चा किया, अपने बन्दे की मदद की और तमाम लश्करों को शिकस्त दी। फिर आपने एक लम्बा ख़ुतबा दिया जिसमें यह भी फ़रमाया कि जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के तमाम झगड़े अब मेरे पाँव के नीचे कुचल दिये गये चाहे माली हों चाहे जानी। हाँ बैतुल्लाह की चौकीदारी का और हाजियों को पानी पिलाने का पद जूँ का तूँ बाक़ी रहेगा। इस ख़ुतबे को पूरा करके आप बैठे ही थे कि हज़रत अ़ली रज़ि. ने आगे बढ़कर कहा- हुज़ूर! कुंजी (काबे की चाबी) मुझे इनायत फ़रमाई जाये ताकि बैतुल्लाह की चौकीदारी और हाजियों को ज़मज़म पिलाने का मन्सब दोनों इकट्ठी हो जायें, लेकिन आपने उन्हें न दी। मक़ामे इब्राहीम को काबे के अन्दर से निकाल कर आपने काबे की दीवार से मिलाकर रख दिया और लोगों से कह दिया कि तुम्हारा क़िब्ला यही है। फिर आप तवाफ़ में मशग़ूल हो गए। अभी दो फेरे ही फिरे थे कि हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम नाज़िल हुए और आपने अपनी ज़बाने मुबारक से इस आयत की तिलावत शुरू की। इस पर हज़रत उमर रज़ि. ने फ़रमाया मेरे माँ बाप हुज़ूर पर फ़िदा हों, मैंने तो इससे पहले आपको इस आयत की तिलावत करते नहीं सुना। अब आपने हज़रत उस्मान बिन तल्हा रज़ि. को बुलाया, उन्हें कुंजी सौंप दी और फ़रमाया आज का दिन वफ़ा का और नेकी और सुलूक का दिन है। यह उस्मान बिन तल्हा रज़ि. जिनकी नस्ल में आज तक काबे की कुंजी चली आ रही है, यह सुलह हुदैबिया और फ़त्हे-मक्का के दरमियान इस्लाम लाये थे, जबकि ख़ालिद बिन वलीद

और अ़मर बिन आ़स मुसलमान हुए थे, इनका चचा उस्मान बिन तल्हा उहुद की लड़ाई में मुश्रिकों के साथ था, बल्कि उनका झंडा उठाने वाला था और वहीं कुफ़्र की हालत में मारा गया था।

ग़र्ज़ कि मशहूर तो यही है कि यह आयत इसी बारे में उतरी है, अब चाहे इस बारे में नाज़िल हुई हो या न हुई हो हर सूरत में इसका हुक्म आ़म है। जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. और हज़रत मुहम्मद बिन हनफ़िया का क़ौल है कि हर-हर शख़्स को अपनी अमानत की अदायगी का हुक्म है। फिर इरशाद है कि फ़ैसले अ़दल (इन्साफ़) के साथ करो, हाकिमों को अहकमुल-हाकिमीन (तमाम हाकिमों के हाकिम यानी अल्लाह तआ़ला) का हुक्म हो रहा है कि किसी हालत में अ़दल का दामन न छोड़ो। हदीस में है कि अल्लाह हाकिम के साथ होता है जब तक कि वह ज़ुल्म न करे। जब ज़ुल्म करता है तो उसे उसी की तरफ़ सौंप देता है। एक क़ौल में है कि एक दिन का अ़दल चालीस साल की इबादत के बराबर है।

फिर फ़रमाता है यह अदायगी और अमानात का और अ़दल व इन्साफ़ का हुक्म और इसी तरह शरीअ़त के तमाम अहकाम और मना की हुई बातें तुम्हारे लिये बेहतरीन और नाफ़े चीज़ें हैं, जिनका परवर्दिगार तुम्हें हुक्म कर रहा है। (इब्ने अबी हातिम) एक रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने इस आयत के आख़िरी अलफ़ाज़ पढ़ते हुए अपना अंगूठा अपने कान में रखा और शहादत की उंगली अपनी आँख पर रखी (यानी इशारे से सुनना देखना, कान और आँख पर उंगली रखकर बताया) फ़रमाया मैंने इसी तरह पढ़ते और करते रसूलुल्लाह सल्ल. को देखा है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू ज़करिया रह. फ़रमाते हैं कि हमारे उस्ताद मुक़री रह. ने भी इसी तरह पढ़कर इशारा करके हमें बताया। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपनी दाईं आँख पर रखा और उसके पास की उंगली अपने दाहिने कान पर रखी। (इब्ने अबी हातिम) यह हदीस इसी तरह इमाम अबू दाऊद रह. ने भी रिवायत की है और इमाम इब्ने हिब्बान भी अपनी सही में इसे लाये हैं, और हाकिम रह. ने मुस्तदूरक में और इब्ने मरदूया ने अपनी तफ़सीर में भी इसे बयान किया है। इसकी सनद में जो अबू युनूस हैं वह हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. के मौला (आज़ाद किये हुए ग़ुलाम) हैं और उनका नाम सुलैम बिन जुबैर है।

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह तआ़ला का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और तुममें जो लोग हुकूमत वाले हैं उनका भी, फिर अगर किसी मामले में तुम आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगो तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया करो अगर तुम अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो। ये उमूर सब बेहतर हैं और इनका अन्जाम अच्छा है। (59)	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

ع ٨ ٥

ख़ुदा और रसूल की इताअ़त हर हाल में ज़रूरी है

सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत से नक़ल किया गया है कि

रसूलुल्लाह सल्ल. ने एक छोटे से लश्कर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा बिन क़ैस को भेजा था, उनके बारे में यह आयत उतरी है। बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्ल. ने एक लश्कर भेजा जिसकी सरदारी एक अन्सारी को दी। एक मर्तबा वह लोगों पर सख़्त गुस्सा हो गये और फ़रमाने लगे क्या तुम्हें हुज़ूर सल्ल. ने मेरी फ़रमाँबरदारी का हुक्म नहीं दिया? सबने कहा हाँ बेशक दिया है। फ़रमाने लगे अच्छा लकड़ियाँ जमा करो, फिर आग मंगवाकर लकड़ियाँ जलाईं। फिर हुक्म दिया कि तुम सब इस आग में कूद पड़ो। एक नौजवान ने कहा लोगो! सुनो, आग से बचने के लिये ही तुमने दामने रसूल में पनाह ली है, इसलिये जल्दी न करो, जब तक कि हुज़ूर सल्ल. से मुलाक़ात न हो जाये। फिर अगर आप भी यही फ़रमायें तो बेझिझक इस आग में कूद पड़ना। चुनाँचे ये लोग वापस हुज़ूर सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर हुए और सारा वाक़िआ कह सुनाया। आपने फ़रमाया अगर तुम आग में कूद पड़ते तो हमेशा आग ही में रहते। सुनो! फ़रमाँबरदारी सिर्फ़ मारूफ़ (नेकी, भलाई और जायज़ काम) में है। अबू दाऊद में है कि मुसलमान पर सुनना और मानना फ़र्ज़ है अगरचे जी चाहे या न चाहे, लेकिन जब तक कि (ख़ुदा और रसूल की) नाफ़रमानी का हुक्म न दिया जाये। जब नाफ़रमानी का हुक्म मिले तो न सुने न माने।

सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि. फ़रमाते हैं कि हमसे रसूले ख़ुदा सल्ल. ने बैअ़त ली सुनने की और मानने की, हमारी ख़ुशी हो या नाख़ुशी हो, हमारी सख़्ती हो या हमारी आसानी हो, और अगरचे हम पर दूसरे को तरजीह दी जा रही हो। और हमसे बैअ़त की कि काम के अहल से काम को न छीनें, हाँ अगर तुम खुला कुफ़्र देखो, जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील हो।

बुख़ारी शरीफ़ में है, सुनो और इताअ़त करो अगरचे तुम पर हब्शी ग़ुलाम अमीर बनाया गया हो। गोया उसका सर किश्मिशी हो। मुस्लिम शरीफ़ में है, हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे ख़लील (यानी नबी करीम सल्ल.) ने वसीयत की सुनने की और मानने की अगरचे अमीर बग़ैर हाथ पाँव का हब्शी ग़ुलाम हो। मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल. ने हज्जतुल-विदा के ख़ुतबे में फ़रमाया- अगरचे तुम पर ग़ुलाम हाकिम और सरदार बनाया जाये जो तुम्हें किताबुल्लाह के साथ-साथ ले जाना चाहे तो तुम उसको सुनो और मानो। एक रिवायत में ग़ुलाम हब्शी जिसके हिस्से (बदनी अंग) कटे हुए हों के अलफ़ाज़ हैं। इब्ने जरीर में है कि मेरे बाद वाले तुम से मिलेंगे, नेकों से नेक और बदों से बद तुम हर एक की उस मामले में जो मुताबिक़े हक़ हो उसकी सुनो और मानो और उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहो। अगर वे नेकी करेंगे तो उनके लिये नफ़ा है और तुम्हारे लिये भी, अगर वे बदी करेंगे तो तुम्हारे लिये तुम्हारी अच्छाई है और उन्हें उनकी बद-अ़मली का फल मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- बनी इस्राईल में बराबर और लगातार रसूल आया करते थे, एक के बाद एक, और मेरे बाद कोई नबी नहीं मगर ख़लीफ़ा होंगे और बहुत होंगे। लोगों ने पूछा फिर हुज़ूर हमें क्या हुक्म देते हैं? फ़रमाया पहले की बैअ़त पूरी करो फिर उसके बाद वाले की, उनके हुक़ूक़ उन्हें दे दो। अल्लाह तआ़ला उनसे उनकी प्रजा के बारे में सवाल करने वाला है। आप फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अपने अमीर का कोई नापसन्दीदा काम देखे उसे सब्र करना चाहिये, जो शख़्स जमाअ़त से बालिश्त भर जुदा हो गया तो वह जाहिलीयत की मौत मरेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम) इरशाद है कि जो शख़्स इताअ़त से हाथ खींच ले वह क़ियामत के दिन ख़ुदा से हुज्जत व दलील के बग़ैर मुलाक़ात करेगा (यानी उसने अपने हुज्जत पूरी कर ली)। और जो इस हालत में मरे कि उसकी गर्दन में बैअ़त न हो वह जाहिलीयत की मौत मरेगा। (मुस्लिम)

हज़रत अ़ब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं- मैं बैतुल्लाह शरीफ़ में गया, देखा तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ि. काबे के साये में तशरीफ़ फ़रमा हैं और लोगों का एक मजमा जमा है। मैं भी उस मज्लिस में एक तरफ़ बैठ गया। उस वक़्त हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने यह हदीस बयान की। फ़रमाया एक सफ़र में हम रसूले मक़्बूल सल्ल. के साथ थे। एक मन्ज़िल (पड़ाव) में उतरे, कोई अपना ख़ेमा ठीक करने लगा कोई अपने तीर संभालने लगा, कोई किसी और काम में मशग़ूल हो गया। अचानक हमने सुना कि मुनादी निदा कर रहा हैं, हम पूरी तरफ़ उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो गए तो सुना कि रसूले करीम सल्ल. फ़रमा रहे हैं- हर नबी पर ख़ुदा की तरफ़ से फ़र्ज़ होता है कि अपनी उम्मत को तमाम नेकियाँ जो वह जानता है सिखा दे और तमाम बुराईयाँ से जो उसकी निगाह में हैं आगाह कर दे। सुनो! इस मेरे उम्मत की आ़फ़ियत (भलाई और ख़ैर) का ज़माना इसका अव्वल ज़माना है। आख़िर ज़माने में बड़ी-बड़ी बलायें आयेंगी और ऐसे उमूर (मामलात और हालात) नाज़िल होंगे, जिन्हें मुसलमान पसन्द नहीं करेंगे और ताबड़-तोड़ फ़ितने आते रहेंगे। एक फ़ितना आयेगा कि मोमिन समझ लेगा कि इसी में मेरी हलाकत है, फिर वह हटकर दूसरा उससे भी बड़ा आयेगा जिसमें उसे अपनी हलाकत का पूरा यक़ीन हो जायेगा। पस यूँ ही लगातार फ़ितने और ज़बरदस्त आज़माईश और भारी तकलीफ़ें आती रहेंगी। पस जो शख़्स इस बात को पसन्द करे कि जहन्नम से दूरी हो और जन्नत हिस्से में आये उसे चाहिये कि मरते दम तक अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर पूरा ईमान रखे और लोगों से वह बर्ताव करे जो ख़ुद अपने साथ पसन्द करता हो।

सुनो! जिसने इमाम से बैअ़त कर ली उसने अपने हाथ का क़ब्ज़ा और अपने दिल का फल उसे दे दिया। अब उसे चाहिये कि उसकी इताअ़त करे। अगर कोई और आकर उससे छीनना चाहे तो उसकी गर्दन उड़ा दो। अ़ब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि मैं यह सुनकर क़रीब हो गया और कहा आपको मैं ख़ुदा की क़सम देता हूँ क्या ख़ुद आपने इसे रसूलुल्लाह सल्ल. से अपने इन दोनों कानों से सुना और अपने इस दिल में महफ़ूज़ रखा? मैंने कहा देखिये आपके चचाज़ाद भाई हज़रत मुआ़विया को कि वह हमें माल को ग़लत तरीक़े से खाने और आपस में एक दूसरे से जंग करने का हुक्म देते हैं, हालाँकि अल्लाह तआ़ला इन दोनों कामों से मनाही फ़रमाता है। इरशाद हैः

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ......... الخ

ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ तौर पर मत खाओ। लेकिन कोई व्यापार हो जो आपसी रज़ामन्दी से हो तो कोई हर्ज नहीं। (सूरः निसा आयत 29)

इसे सुनकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ज़रा सी देर ख़ामोश रहे फिर फ़रमाया- अल्लाह की इताअ़त में उनकी इताअ़त करो और अल्लाह की नाफ़रमानी का हुक्म जो वह दें तो उसे न मानो। (मुस्लिम) इस मज़्मून की हदीसें और भी बहुत सी हैं।

इस आयत की तफ़सीर में हज़रत सुद्दी से मरवी है कि रसूले मक़्बूल सल्ल. ने एक लश्कर भेजा जिसका अमीर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. को बनाया। इस लश्कर में हज़रत अ़म्मार बिन यासिर रज़ि. भी थे। यह लश्कर जिस क़ौम की तरफ़ जाना था उसी तरफ़ चला और रात के वक़्त उसकी बस्ती के पास पहुँचकर पड़ाव किया। उन लोगों को अपने जासूसों से पता चल गया और वे सब रातों रात भाग खड़े हुए सिर्फ़ एक शख़्स रह गया। उसने अपने क़बीले वालों से कहा और उन्होंने अपना सब सामान जला दिया। फिर यह रात के अंधेरे में हज़रत ख़ालिद के लश्कर में चला आया और पता चला कि हज़रत अ़म्मार रज़ि.

के पास पहुँचा और उनसे कहा कि ऐ अबू यक़्ज़ान मैं इस्लाम क़बूल कर चुका हूँ और गवाही दे चुका हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मुहम्मद उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। मेरी सारी क़ौम तुम्हारा यहाँ आना सुनकर भाग गई है, सिर्फ़ मैं बाक़ी रह गया हूँ। तो क्या कल मेरा यह इस्लाम मुझे नफ़ा देगा? अगर नफ़ा न दे तो मैं भी भाग जाऊँ? हज़रत अ़म्मार रज़ि. ने फ़रमाया यक़ीनन यह इस्लाम तुम्हें नफ़ा देगा, तुम न भागो बल्कि ठहरे रहो।

सुबह के वक़्त जब हज़रत ख़ालिद ने लश्कर की चढ़ाई की तो सिवाय उस शख़्स के वहाँ किसी को न पाया। उसे उसके माल समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। जब हज़रत अ़म्मार रज़ि. को मालूम हुआ तो आप हज़रत ख़ालिद रज़ि. के पास आये और कहा इसे छोड़ दीजिये यह इस्लाम ला चुका है और मेरी पनाह में है। हज़रत ख़ालिद रज़ि. ने कहा तुम कौन हो जो किसी को पनाह दे सको? इस पर दोनों बुज़ुर्गों में तेज़-कलामी हो गई (यानी वाक्य-युद्ध हो गया) और क़िस्सा बढ़ा। यहाँ तक कि रसूले ख़ुदा सल्ल. की ख़िदमत में सारा वाक़िआ़ बयान किया गया, आपने हज़रत अ़म्मार रज़ि. की पनाह को जायज़ क़रार दिया और फ़रमाया- आईन्दा अमीर की तरफ़ से पनाह न देना। फिर दोनों में कुछ तेज़-कलामी होने लगी, इस पर हज़रत ख़ालिद ने हुज़ूर सल्ल. से कहा कि इस नाक-कटे ग़ुलाम को आप कुछ नहीं कहते। देखिये तो यह मुझे बुरा भला कह रहा है। हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया ख़ालिद! अ़म्मार को बुरा न कहो, अ़म्मार को गालियाँ देने वाले को ख़ुदा गालियाँ देगा। अ़म्मार से दुश्मनी रखने वाले से अल्लाह दुश्मनी रखेगा। अ़म्मार पर जो लानत भेजेगा उस पर अल्लाह की लानत नाज़िल होगी। अब तो हज़रत ख़ालिद रज़ि. बहुत घबराये, हज़रत अ़म्मार रज़ि. ग़ुस्से में चले गये, आप दौड़े-भागे उनके पास गये, दामन थाम लिया, उज़्र व माज़िरत की और अपनी ग़लती माफ़ कराई, पीछा न छोड़ा जब तक कि हज़रत अ़म्मार रज़ि. राज़ी रज़ामन्द न हो गए। पस अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई (इमामत व ख़िलाफ़त के मुताल्लिक़ शर्तें वग़ैरह का बयान सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 30 की तफ़सीर में गुज़र चुका है, वहाँ मुलाहिज़ा हो- अनुवादक)।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से भी यह रिवायत मरवी है (इब्ने जरीर और इब्ने मरदूया)। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह फ़रमाते हैं 'उलुल-अम्र' (हुकूमत वालों) से मुराद समझ-बूझ वाले और दीन वाले हैं, यानी उलेमा। ज़ाहिर बात तो यह मालूम होती है, आगे वास्तविक इल्म ख़ुदा को है कि यह लफ़्ज़ आ़म हाकिमों और उलेमा दोनों को शामिल है। जैसे कि पहले गुज़रा, क़ुरआन फ़रमाता है:

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ.......... الخ

यानी उनके उलेमा ने उन्हें झूठ बोलने और हराम खाने से क्यों न रोका। एक और जगह है:

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ.......... الخ

हदीस व क़ुरआन के जानने वालों से पूछ लिया करो अगर तुम्हें इल्म न हो।

सही हदीस में है कि मेरी इताअ़त करने वाला अल्लाह की इताअ़त करने वाला है, और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की। जिसने मेरे अमीर की इताअ़त की उसने मेरी फ़रमाँबरदारी की, और जिसने मेरे मुक़र्रर किये हुए अमीर की नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की। पस ये हैं उलेमा व हाकिमों की इताअ़त के अहकाम।

इस आयत में इरशाद होता है कि अल्लाह की इताअ़त करो यानी उसकी किताब की इत्तिबा करो। अल्लाह के रसूल की इताअ़त करो, यानी उनकी सुन्नतों पर अ़मल करो, और हाकिमों की इताअ़त करो,

लेकिन उस चीज़ में जो ख़ुदा की इताअ़त (हुक्म के मुताबिक़) हो। ख़ुदा के फ़रमान के ख़िलाफ़ अगर उनका कोई हुक्म हो तो इताअ़त न करनी चाहिये, क्योंकि ऐसे वक़्त उलेमा या हाकिमों की बात मानना हराम है। जैसे कि पहले हदीस गुज़र चुकी है कि इताअ़त सिर्फ़ मारूफ़ में है, यानी फ़रमाने ख़ुदावन्दी और फ़रमाने रसूल के दायरे में। मुस्नद अहमद में इससे भी ज़्यादा साफ़ हदीस है जिसमें है कि कोई इताअ़त ख़ुदा के फ़रमान के ख़िलाफ़ में नहीं।

आगे चलकर फ़रमाया कि अगर तुम में किसी बारे में झगड़ा पड़े तो उसे अल्लाह की तरफ़ लौटाओ यानी किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल की तरफ़, जैसे कि हज़रत मुजाहिद रह. की तफ़सीर है। पस यहाँ स्पष्ट और साफ़ लफ़्ज़ों में अल्लाह जल्ल शानुहू का हुक्म हो रहा है कि लोग जिस मसले में इख़्तिलाफ़ (आपस में मतभेद और विवाद) करें, चाहे वह मसला दीन की बुनियादी बातों से मुताल्लिक़ हो चाहे दीन के अहकाम से मुताल्लिक़, उसके तस्फ़िये की सिर्फ़ यही सूरत है कि किताब व सुन्नत को हाकिम मान लिया जाये, जो उसमें हो वह क़बूल किया जाये। जैसे क़ुरआन की एक और आयत में है:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ.

यानी जिस किसी चीज़ में तुम्हारा इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) पड़े उसका फ़ैसला अल्लाह की तरफ़ है। पस किताब व सुन्नत जो हुक्म दे और जिस मसले के सही होने की शहादत दे वही हक़ है, बाक़ी सब बातिल है। क़ुरआन फ़रमाता है कि हक़ के बाद जो कुछ है गुमराही है, इसी लिये यहाँ भी इस हुक्म के साथ ही इरशाद होता है कि अगर तुम ख़ुदा पर और क़ियामत पर ईमान रखते हो, यानी अगर तुम ईमान के दावे में सच्चे हो तो जिस मसले का तुम्हें इल्म न हो, जिस मसले में इख़्तिलाफ़ (विवाद और मतभेद) हो, जिस मामले में अलग-अलग (विभिन्न) रायें हों उन सब का फ़ैसला किताबुल्लाह और हदीसे रसूलुल्लाह से किया करो। जो इन दोनों में हो मान लिया करो। पस साबित हुआ कि जो शख़्स इख़्तिलाफ़ी मसाईल का तस्फ़िया किताब व सुन्नत की तरफ़ न ले जाये वह अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान नहीं रखता। फिर इरशाद होता है कि झगड़ों और विवादों में किताबुल्लाह व सुन्नते रसूलुल्लाह की तरफ़ फ़ैसला लाना और उनकी तरफ़ रुजू करना ही बेहतर है, इसी का अन्जाम बेहतर होता है और यही अच्छे बदले दिलाने वाला काम है। बहुत अच्छी जज़ा इसी का फल है।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۭ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वे उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ़ नाज़िल की गई और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाज़िल की गई, अपने मुक़द्दमे शैतान के पास ले जाना चाहते हैं हालाँकि उनको यह हुक्म हुआ है कि उसको न मानें, और शैतान उनको बहका कर बहुत दूर ले जाना चाहता है। (60) और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस हुक्म की तरफ़ जो अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल फ़रमाया है

وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا ۢ بَلِيْغًا ۝

और रसूल की तरफ़ तो आप मुनाफ़िक़ों की यह हालत देखेंगे कि आप से किनारा करते हैं। (61) फिर कैसी जान को बनती है जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है उनकी उस हरकत की बदौलत जो कुछ वे पहले कर चुके थे, फिर आपके पास आते हैं ख़ुदा की क़स्में खाते हुए कि हमारा और कुछ मक़सूद न था सिवाय इसके कि कोई भलाई निकल आए और आपस में मुवाफ़क़त हो जाए। (62) ये वे लोग हैं कि अल्लाह तआ़ला को मालूम है जो कुछ उनके दिलों में है, सो आप उनसे बेतवज्जोही कर जाया कीजिए और उनको नसीहत फ़रमाते रहिए और उनसे उनकी ख़ास ज़ात के मुताल्लिक़ काफ़ी मज़मून कह दीजिए। (63)

मुनाफ़िक़ों को तंबीह

ऊपर की आयत में अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों के दावे को झुठलाया है जो ज़बानी इक़रार करते हैं कि अल्लाह की तमाम अगली किताबों पर और इस क़ुरआन पर भी हमारा ईमान है, लेकिन जब कभी किसी मसले की तहक़ीक़ करनी हो, जब कभी किसी इख़्तिलाफ़ (विवाद) को मिटना हो, जब कभी किसी झगड़े का फ़ैसला करना हो तो क़ुरआन व हदीस की तरफ़ रुजू नहीं करते बल्कि किसी और तरफ़ ले जाते हैं। यह आयत नाज़िल भी हुई है उन दो शख़्सों के बारे में जिनमें कुछ इख़्तिलाफ़ (विवाद) था, एक तो यहूदी था दूसरे ईसाई। यहूदी तो कहता था कि चल मुहम्मद से फ़ैसला करायें और ईसाई कहता था कि कअ़ब बिन अशरफ़ के पास चलो। यह भी कहा गया है कि यह आयत उन मुनाफ़िक़ों के बारे में उतरी है जो इस्लाम को ज़ाहिर करते थे लेकिन अन्दर ख़ाने जाहिलीयत के अहकाम की तरफ़ झुकना चाहते थे। इसके अ़लावा और अक़वाल भी हैं।

यह आयत अपने हुक्म और अलफ़ाज़ के एतिबार से आ़म है और उन तमाम वाक़िआ़त को शामिल है। हर उस शख़्स की मज़म्मत और बुराई का इज़हार करती है जो किताब व सुन्नत से हटकर किसी और बातिल की तरफ़ अपना फ़ैसला ले जाये, और यही मुराद यहाँ ताग़ूत से है (यानी क़ुरआन व हदीस के सिवा कोई चीज़ या शख़्स)। 'सदूद' से मुराद तकब्बुर से मुँह मोड़ लेना है। जैसे एक और आयत में है:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا.

यानी जब उनसे कहा जाये कि अल्लाह तआ़ला की उतारी हुई 'वही' की फ़रमाँबरदारी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो अपने बाप-दादाओं की पैरवी पर रहेंगे। ईमान वालों का जवाब यह नहीं होता बल्कि उनका जवाब दूसरी आयत में इस तरह मज़कूर है:

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ......... الخ

यानी ईमान वालों को जब अल्लाह रसूल के फ़ैसले और हुक्म की तरफ़ बुलाया जाये तो उनका जवाब यही होता है कि हमने सुना और हमने दिल की गहराईयों से क़बूल किया..........।

फिर मुनाफ़िक़ों की मज़म्मत (बुराई और निन्दा) में बयान हो रहा है कि इन गुनाहों के सबब जब उन्हें तकलीफ़ें पहुँचती हैं और तेरी ज़रूरत महसूस होती है तो दौड़े भागे आते हैं और तुझे ख़ुश करने के लिये उज़्र व माज़िरत करने बैठ जाते हैं, और क़समें खाकर अपनी नेकी और सालेह होने का यक़ीन दिलाते हैं और कहते हैं कि आपके सिवा दूसरों की तरफ़ इन मुक़द्दमों के लेजाने से हमारा मक़सूद सिर्फ़ यही था कि ज़रा दूसरों का दिल रख लिया जाये और आपस में मेल-जोल निभ जाये, वरना दिल से हम भी कोई उनकी अच्छाई के मोतक़िद नहीं। जैसे एक दूसरी आयत में बयान हुआ है:

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ........................نَادِمِيْنَ.

यानी तू देखेगा कि बीमार-दिल यानी मुनाफ़िक़ यहूद व ईसाई की दोस्ती की भरपूर कोशिश करते फिरते हैं और कहते हैं कि हमें आफ़त में फंस जाने का ख़तरा है। पस बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआ़ला फ़तह लाये या अपना कोई हुक्म लाये और ये लोग उन इरादों पर पछताने लगें जो उनके दिलों में छुपे हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अबू बरज़ा असलमी एक काहिन शख़्स था। यहूद अपने बाज़ फ़ैसले उससे कराते थे। एक वाक़िए में मुश्रिक लोग भी उसकी तरफ़ दौड़े, इस पर ये आयतें (यानी सूरः निसा की आयत 60-62, जिनकी तफ़सीर बयान हो रही है) तक नाज़िल हुईं।

फिर फ़रमाता है कि इस क़िस्म के लोग यानी मुनाफ़िक़ों के दिलों में क्या है इसका इल्म अल्लाह तआ़ला को पूरा-पूरा है। उस पर कोई छोटी से छोटी चीज़ छुपी नहीं, वह उनके ज़ाहिर व बातिन को जानने वाला है, तू उनसे चश्मपोशी कर। उनके अन्दरूनी इरादों पर डाँट-डपट न कर, हाँ उन्हें निफ़ाक़ (दोग़ले पन) से औरों में ख़राबी और बिगाड़ फैलाने से बाज़ रहने की नसीहत कर और दिल पर असर करने वाली बातें उनसे कर। बल्कि उनके लिये दुआ़ भी कर।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا

और हमने तमाम पैग़म्बरों को ख़ास इसी वास्ते भेजा है कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म से उनकी इताअ़त की जाए, और अगर जिस वक़्त अपना नुक़सान कर बैठे थे उस वक़्त आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जाते, फिर अल्लाह तआ़ला से माफ़ी चाहते और रसूल भी उनके लिए अल्लाह तआ़ला से माफ़ी चाहते तो ज़रूर अल्लाह तआ़ला को तौबा का क़बूल करने वाला और रहमत करने वाला पाते। (64) फिर क़सम है आपके रब की ये लोग ईमानदार न होंगे जब तक यह बात न हो कि उनके आपस में जो

झगड़ा उत्पन्न हो उसमें ये लोग आपसे तसफ़िया कराएँ, फिर आपके उस तसफ़िये से अपने दिलों में तंगी न पायें और पूरे तौर पर मान लें। (65)	شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

अल्लाह के रसूल की इताअ़त वाजिब है

मतलब यह है कि हर ज़माने के रसूल की ताबेदारी उसकी उम्मत पर ख़ुदा की तरफ़ से फ़र्ज़ होती है। रिसालत का पद यही है कि उसके तमाम अहकाम को ख़ुदाई अहकाम समझा जाये। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि "बि-इज़्निल्लाहि" से यह मुराद है कि उसकी तौफ़ीक़ ख़ुदा के हाथ है, उसकी क़ुदरत व मशीयत पर मौक़ूफ़ है, जैसा कि दूसरी आयत में है "इज़् तहुस्सूनहुम् बि-इज़्निही" यहाँ भी 'इज़्न' से मुराद क़ुदरत और मशीयत का मामला है। यानी उसने तुम्हें उन पर ग़लबा दिया।

फिर अल्लाह तआ़ला गुनाहगारों और ख़ताकारों को इरशाद फ़रमाता है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्ल. के पास आकर ख़ुदा से इस्तिग़फ़ार करना चाहिये और ख़ुद रसूल से भी अ़र्ज़ करना चाहिये कि आप हमारे लिये दुआ़ कीजिये। जब वे ऐसा करेंगे तो यक़ीनन अल्लाह तआ़ला उनकी तरफ़ रुजू करेगा, उन्हें बख़्श देगा और उन पर रहम फ़रमायेगा। अबू मन्सूर सब्बाग़ की किताब जिसमें मशहूर क़िस्से लिखे हैं, लिखा है कि उतबा का बयान है कि मैं हुज़ूर सल्ल. के रौज़ा-ए-पाक के पास बैठा हुआ था एक देहाती आया और उसने कहा "अस्सलामु अ़लै-क या रसूलल्लाह" मैंने क़ुरआने करीम की यह आयत सुनी तो आपके पास आया ताकि आपके सामने अपने गुनाहों से तौबा करूँ और आपकी शफ़ाअ़त तलब करूँ। फिर उसने ये अश्आ़र पढ़ेः

يا خير من دفنت القاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم

نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

तर्जुमाः जिन-जिनकी हड्डियाँ मैदानों में दफ़न की गई हैं और उनकी ख़ुशबू से वे मैदान और टीले महक उठे हैं। ऐ उन तमाम में से बेहतरीन हस्ती! मेरी जान इस क़ब्र पर सदक़े हो जिसके रहने वाले आप हैं, जिसमें पारसाई और सख़ावत और करम है।

फिर वह देहाती लौट गया और मुझे नींद आ गई। ख़्वाब में क्या देखता हूँ कि गोया हुज़ूर सल्ल. मुझसे फ़रमा रहे हैं- जा उस देहाती को ख़ुशख़बरी सुना कि अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ फ़रमा दिये।

फिर अल्लाह तआ़ला अपनी बुज़ुर्ग और पवित्र ज़ात की क़सम खाकर फ़रमाता है कि कोई शख़्स ईमान की हदों में नहीं आ सकता जब तक कि तमाम मामलात में अल्लाह के इस आख़िरुज़्ज़माँ, तमाम रसूलों से अफ़ज़ल (यानी नबी करीम सल्ल.) को अपना सच्चा हाकिम न मान ले, और आपके हर-हर हुक्म हर-हर फ़ैसले हर-हर सुन्नत और हर-हर हदीस को क़बूल और खुला हक़ तस्लीम न करने लगे, दिल और जिस्म को बिल्कुल रसूल के ताबे न बना दे। ग़र्ज़ कि ज़ाहिर व बातिन, छोटे बड़े तमाम मामलात में हदीसे रसूल को असल समझे, वही मोमिन है। पस फ़रमान है कि तेरे अहकाम को यह दिल की ख़ुशी से तस्लीम कर लिया करें, अपने दिल में तंगी न लायें, सब अहादीस के साथ तस्लीम करने का मामला रहे। न तो अहादीस के मानने से इनकार करें न उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें, न किसी और चीज़ को उनके मर्तबे की समझें, न उनकी तरदीद करें न उनका मुक़ाबला करें, न उनके तस्लीम करने में झगड़ें। जैसा कि फ़रमाने रसूल है-

उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी ख़्वाहिश को उस चीज़ का पैरोकार (यानी मातहत और ताबे) न बना ले जिसे मैं लाया हूँ।

एक वाक़िआ सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ि. का किसी शख़्स से नालियों के ज़रिये बाग़ में पानी लेने के बारे में झगड़ा हो गया तो हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- ज़ुबैर! तुम पानी ले लो, फिर पानी को अन्सार के बाग़ में जाने दो। इस पर अन्सारी सहाबी ने कहा हाँ या रसूलल्लाह! यह तो आपकी फूफी के लड़के हैं। यह सुनकर आपका चेहरे की हालत बदल गयी और फ़रमाया- ज़ुबैर! तुम पानी ले लो, फिर पानी रोके रखो यहाँ तक कि बाग़ की दीवारों तक पहुँच जाये। फिर अपने पड़ोसी की तरफ़ छोड़ दो। पहले तो हुज़ूर सल्ल. ने एक ऐसी सूरत निकाली थी जिसमें हज़रत ज़ुबैर रज़ि. को तकलीफ़ न हो और अन्सारी को आसानी हो जाये, लेकिन जब अन्सारी ने इसे अपने हक़ में बेहतर न समझा तो आपने हज़रत ज़ुबैर रज़ि. को उनका पूरा हक़ दिलवाया। हज़रत ज़ुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है यह आयतः

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.......... الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) इसी बारे में नाज़िल हुई है। मुस्नद अहमद की एक मुर्सल हदीस है कि ये अन्सारी बदरी थे। एक और रिवायत में है कि दोनों में झगड़ा यह था कि पानी की नहर से पहले हज़रत ज़ुबैर रज़ि. खजूर का बाग़ पड़ता था, फिर उस अन्सारी का। अन्सारी कहते थे कि पानी रोको मत यूँ ही दोनों बाग़ों में एक साथ आये। इब्ने अबी हातिम में यह है कि ये दोनों दावेदार हज़रत ज़ुबैर और हज़रत हातिब बिन अबी बल्तआ़ रज़ि. थे। आपका फ़ैसला उनमें यह हुआ कि पहले ऊँचे वाला पानी ले ले फिर नीचे वाला। दूसरी एक ग़रीब रिवायत में शाने नुज़ूल यह है कि दो शख़्स अपना एक झगड़ा लेकर दरबारे मुहम्मदी सल्ल. में आये, आपने फ़ैसला कर दिया, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला था उसने कहा हुज़ूर! आप हमें हज़रत उमर के पास भेज दीजिये। आपने फ़रमाया बहुत अच्छा, उनके पास चले जाओ। जब यहाँ आये तो जिसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला हुआ था उसने सारा वाक़िआ कह सुनाया। हज़रत उमर रज़ि. ने उस दूसरे से पूछा क्या यह सच है? उसने इक़रार किया। आपने फ़रमाया अच्छा तुम दोनों यहाँ ठहरो मैं आता हूँ और फ़ैसला कर देता हूँ। थोड़ी देर में तलवार ताने आ गये और उस शख़्स की जिसने कहा था कि हमें हज़रत उमर के पास भेज दीजिये, गर्दन उड़ा दी। दूसरा शख़्स यह देखते ही दौड़ा भागा नबी करीम सल्ल. के पास पहुँचा और कहा हुज़ूर! मेरा साथी तो मार डाला गया और अगर मैं भी जान बचाकर भाग न आता तो मेरी भी ख़ैर न थी। आपने फ़रमाया मैं उमर को ऐसा नहीं जानता था कि वह इस जुर्रत के साथ एक मोमिन का ख़ून बहा (क़त्ल का जुर्माना) देगा। इस पर यह आयत उतरी और उसका ख़ून बरबाद हो गया और अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ि. को बरी कर दिया। लेकिन यह तरीक़ा लोगों के बाद भी जारी न हो इसलिये उसके बाद ही इससे अगले वाली यह आयत उतरी:

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا.......... الخ

(इब्ने अबी हातिम)

इब्ने मरदूया में भी यह रिवायत है जो ग़रीब और मुर्सल है और इब्ने अबी लहीआ़ रावी ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम। एक दूसरी सनद से है कि दो शख़्स रसूले मक़बूल सल्ल. के पास अपना झगड़ा लाये। आपने हक़ वाले के हक़ में फ़ैसला कर दिया, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ हुआ था उसने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ। आपने पूछा तू क्या चाहता है? कहा यह कि हम हज़रत अबू बक्र के पास चलें। दोनों वहाँ पहुँचे। जब यह

वाक़िआ जनाबे सिद्दीक़ रज़ि. ने सुना तो फ़रमाया तुम्हारा फ़ैसला वही है जो हुज़ूर सल्ल. ने किया, वह अब भी ख़ुश न हुआ और कहा हज़रत उमर के पास चलो, वहाँ गए फिर वह हुआ जो आपने ऊपर पढ़ा।

(तफ़सीर हाफ़िज़ अबू इस्हाक़)

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۝ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

और हम अगर लोगों पर यह बात फ़र्ज़ कर देते कि तुम ख़ुदकुशी किया करो या अपने वतन से बे-वतन हो जाया करो तो सिवाय थोड़े से लोगों के इस हुक्म को कोई भी न बजा लाता, और अगर ये लोग जो कुछ उनको नसीहत की जाती है उस पर अ़मल किया करते तो उनके लिए बेहतर होता और ईमान को ज़्यादा पुख़्ता करने वाला होता। (66) और इस हालत में हम उनको ख़ास अपने पास से बड़ा अज्र अ़ता फ़रमाते। (67) और हम उनको सीधा रास्ता बतला देते। (68) और जो शख़्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे लोग भी उन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तआ़ला ने इनाम फ़रमाया, यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शहीद लोग और नेक लोग, और ये हज़रात बहुत अच्छे साथी हैं। (69) यह फ़ज़्ल है अल्लाह तआ़ला की जानिब से, और अल्लाह तआ़ला काफ़ी जानने वाले हैं। (70)

अहकाम पर अ़मल करने से मुँह मोड़ना

अल्लाह तआ़ला ख़बर देता है कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें उन मना किये हुए कामों का भी हुक्म दिया जाता जिन्हें वे इस वक़्त कर रहे हैं तो वे उन कामों को भी न करते। इसलिये कि उनकी ज़लील (घटिया और कमीनी) तबीयतें हुक्मे ख़ुदा की मुख़ालफ़त पर ही बनाई गई हैं। पस यहाँ अल्लाह तआ़ला ने अपने उस इल्म की ख़बर दी है जो हुआ नहीं, लेकिन होता तो किस तरह होता। इस आयत को सुनकर एक बुज़ुर्ग ने फ़रमाया था कि अगर ख़ुदा तआ़ला हमें यह हुक्म देता तो यक़ीनन हम कर गुज़रते, लेकिन उसका शुक्र है कि उसने हमें इससे बचा लिया। जब आँ हज़रत सल्ल. को यह बात पहुँची तो आपने फ़रमाया बेशक मेरी उम्मत में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में ईमान मज़बूत पहाड़ों से भी ज़्यादा रासिख़ (जमा हुआ) और साबित है। (इब्ने अबी हातिम)

इस रिवायत की दूसरी सनद में है कि कई एक सहाबियों ने यह फ़रमाया था। इमाम सुद्दी का क़ौल है कि एक यहूदी ने हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास रज़ि. से फ़ख़्र से यह कहा कि अल्लाह तआ़ला ने

हम पर खुद हमारा क़त्ल फ़र्ज़ किया तो हम वह भी कर गुज़रे। इस पर हज़रत साबित रज़ि. ने फ़रमाया वल्लाह अगर हम पर यह फ़र्ज़ होता तो हम भी कर गुज़रते। इस पर यह आयत उतरी। एक और रिवायत में है कि जब यह आयत उतरी तो आँ हज़रत सल्ल. ने फ़रमाया- अगर यह हुक्म होता तो इसके बजा लाने (अ़मल करने) वालों में एक इब्ने उम्मे अ़ब्द भी होते। (इब्ने अबी हातिम) एक और रिवायत में है कि आपने इस आयत को पढ़कर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि. की तरफ़ हाथ से इशारा करके फ़रमाया कि यह भी इस पर अ़मल करने वालों में से एक हैं।

फिर फ़रमाता है कि अगर ये लोग हुक्म बजा लाते और हमारी मना की हुई चीज़ों और कामों से रुक जाते तो यह उनके हक़ में इससे बेहतर होता कि वे हुक्म की मुख़ालफ़त करें और मना किये हुए कामों में मुब्तला हों, और यही ज़्यादा सच्चाई वाला होता। उस वक़्त हम उन्हें जन्नत अ़ता फ़रमाते और दुनिया व आख़िरत की बेहतर राह की रहनुमाई करते।

फिर फ़रमाता है कि जो शख़्स अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अ़मल करे और मना किये हुए कामों से बाज़ रहे उसे अल्लाह तआ़ला इ़ज़्ज़त के घर में ले जायेगा और नबियों का रफ़ीक़ (साथी) बनायेगा और सिद्दीक़ों का, जो मर्तबे में नबियों के बाद हैं। फिर शहीदों का, फिर तमाम मोमिनों का जिन्हें सालेह (नेक) कहा जाता है, जिनका ज़ाहिर व बातिन (नेकियों से) सजा हुआ है। ख़्याल तो करो ये कैसे पाकीज़ा और बेहतरीन साथी हैं।

नबी को इख़्तियार

सही बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं, मैंने नबी सल्ल. से सुना था कि हर नबी को उसकी बीमारी के ज़माने में दुनिया में रहने और आख़िरत में जाने का इख़्तियार दिया जाता है। जब हुज़ूर सल्ल. बीमार पड़े, जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो आपकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकलती थी, लेकिन मैंने सुना कि आप फ़रमा रहे हैं- "उनका साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जो नबी हैं, सिद्दीक़ हैं, शहीद हैं और नेकोकार हैं"। मैंने जान लिया कि अब आपको इख़्तियार दिया गया है। यही मतलब है उन अलफ़ाज़ का जो दूसरी हदीस में हैं कि "ऐ अल्लाह! मैं बुलन्द व बाला रफ़ीक़ की तलब करता हूँ।" तीन मर्तबा यह कलिमा आपने ज़बाने मुबारक से इरशाद फ़रमाया फिर इन्तिक़ाल फ़रमा गए। आप पर बेशुमार दुरूद व सलाम हों।

शाने नुज़ूल

इस आयत की शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) का बयान। इब्ने जरीर में है कि एक अन्सारी हुज़ूर सल्ल. के पास आये। आपने देखा कि वह सख़्त ग़मगीन हैं। सबब मालूम किया तो जवाब मिला कि हुज़ूर! यहाँ तो सुबह शाम हम लोग आपकी ख़िदमत में आ बैठते हैं, दीदार भी हो जाता है और दो घड़ी सोहबत भी मयस्सर हो जाती है, लेकिन कल क़ियामत के दिन तो आप नबियों की आला मज्लिस में होंगे तो हम आप तक पहुँच भी न सकेंगे। हुज़ूर सल्ल. ने कुछ जवाब न दिया। इस पर हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम यह आयत लाये। आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आदमी भेजकर उन्हें यह ख़ुशख़बरी सुना दी। यही क़ौल मुर्सल सनद से भी मन्क़ूल है जो सनद में बहुत ही अच्छी है।

हज़रत रबीअ़ रह. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. के सहाबा ने कहा- यह ज़ाहिर है कि हुज़ूर का दर्जा

आप पर ईमान लाने वालों से यक़ीनन बहुत ही बड़ा है, पस जबकि जन्नत में ये सब जमा होंगे तो आपस में एक दूसरे को कैसे देखेंगे और कैसे मिलेंगे? पस यह आयत उतरी और हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- ऊपर के दर्जे वाले नीचे वालों के पास उतर आयेंगे और बहार से भरे बाग़ों में सब जमा होंगे और अल्लाह के एहसानात का ज़िक्र और उसकी तारीफ़ें करेंगे और जो चाहेंगे पायेंगे और हर वक़्त नेमतों में शान से रहेंगे।

इब्ने मरदूया में है कि एक शख़्स हुज़ूर सल्ल. के पास आये और कहने लगे या रसूलल्लाह! मैं आपको अपनी जान से, अपने अहल व अ़याल से और अपने बच्चों से भी ज़्यादा महबूब रखता हूँ। मैं घर होता हूँ लेकिन आपकी ज़ियारत का शौक़ मुझे बेक़रार कर देता है, सब्र नहीं हो सकता, दौड़ता भागता हुआ आता हूँ और दीदार करके चला जाता हूँ। लेकिन जब मुझे आपकी और अपनी मौत याद आती है और इसका यक़ीन है कि आप जन्नत में नबियों के साथ बड़े ऊँचे दर्जे में होंगे, तो डर लगता है कि फिर मैं हुज़ूर के दीदार से मेहरूम रह जाऊँगा। आपने तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन यह आयत नाज़िल हुई। इस रिवायत की और भी सनदें हैं। सही मुस्लिम में है, रबीआ़ बिन कअ़ब

असलमी रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं रात को हुज़ूर सल्ल. की ख़िदमत में रहता था। एक बार अपने मुझसे फ़रमाया- कुछ माँग, मैंने कहा जन्नत में आपका साथ माँगता हूँ। फ़रमाया इसके सिवा और कुछ! मैंने कहा "वह भी यही" फ़रमाया। पस मेरी मदद कर तू ख़ुद भी ख़ूब ज़्यादा सज्दे किया कर (यानी ख़ूब ज़्यादा नफ़िल नमाज़ें पढ़ा कर, अल्लाह से दिल लगा ले)।

मुस्नद अहमद में है कि एक शख़्स ने आँ हज़रत सल्ल. से कहा- मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और आपके रसूल होने की गवाही देता हूँ। पाँचों वक़्त की नमाज़ें पढ़ता हूँ, अपने माल की ज़कात देता हूँ और रमज़ान के रोज़े रखता हूँ। तो आपने फ़रमाया जो मरते दम तक इसी पर रहेगा वह क़ियामत के दिन नबियों सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ इस तरह होगा, फिर आपने अपनी दो उंगलियाँ उठाकर इशारा करके बतलाया। लेकिन यह शर्त है कि माँ-बाप का नाफ़रमान न हो।

मुस्नद अहमद में है जिसने अल्लाह की राह में एक हज़ार आयतें पढ़ीं वह इन्शा-अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ लिखा जायेगा। तिर्मिज़ी में है कि सच्चा अमानतदार ताजिर (व्यापारी) अम्बिया, सिद्दीक़िन और शहीदों के साथ होगा। इन सब से ज़्यादा ज़बरदस्त बशारत (ख़ुशख़बरी) उस हदीस में है जो सिहाह (सही हदीसों की किताबों) और मसानीद वग़ैरह में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की एक ज़बरदस्त जमाअ़त से तवातुर (यानी मुसलसल रिवायतों) के साथ नक़्ल की गयी है कि नबी सल्ल. से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जो एक क़ौम से मुहब्बत रखता है, लेकिन उनमें जाकर मिला नहीं। आपने फ़रमायाः

المرء مع من احب.

हर इनसान उनके साथ होगा जिनसे वह मुहब्बत रखता था।

हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं मुसलमान जिस क़द्र इस हदीस से ख़ुश हुए उतना किसी और चीज़ से ख़ुश नहीं हुए। हज़रत अनस रज़ि. फरमाते हैं कि वल्लाह मेरी मुहब्बत तो आँ हज़रत सल्ल. से है और हज़रत अबू बक्र से है और उमर से है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे भी इन्हीं के साथ उठायेगा अगरचे मेरे आमाल इन जैसे नहीं (या अल्लाह! तू हमारे दिल भी अपने नबी सल्ल. और उनके चाहने वालों की मुहब्बत से भर दे और हमारा हश्र भी उन ही के साथ कर दे। आमीन)। रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि जन्नती लोग अपने से बुलन्द दर्जे वाले जन्नतियों को उनके बालाख़ानों में इस तरह देखेंगे जैसे तुम किसी

चमकीले सितारे को जो पूरब या पश्चिम में देखते हो, उनमें बहुत कुछ फ़ासला होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने कहा ये मन्ज़िलें तो अम्बिया-ए-किराम के लिये ही मख़्सूस होंगी कि कोई और तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? आपने फ़रमाया क्यों नहीं! उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, उन मन्ज़िलों तक वे भी पहुँचेंगे जो अल्लाह पर ईमान लाये और रसूलों को सच्चा जाना और माना। (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक हब्शी आदमी हाज़िर होता है, आप फ़रमाते हैं पूछो और समझो। वह कहता है या रसूलल्लाह! आप लोगों को सूरत में, रंग में, नुबुव्वत में ख़ुदा ने हम पर फ़ज़ीलत दे रखी है, क्या अगर मैं उस चीज़ पर ईमान लाऊँ जिस पर आप ईमान लाते हैं और उन अहकाम को पूरा करूँ जिन्हें आप पूरा करते हैं तो क्या जन्नत में आपका साथ मिलेगा? हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया हाँ। उस ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नती हब्शी तो ऐसा गोरा चिट्टा होकर जन्नत में जायेगा कि उसका चेहरा एक हज़ार बरस के फ़ासले से ही नूरानियत के साथ जगमगाता हुआ नज़र आयेगा।

फिर फ़रमाया "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहने वाले के लिये अल्लाह के पास अ़हद व वायदा है, और "सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही" कहने वाले के लिये एक लाख चौबीस हज़ार नेकियाँ लिखी जाती हैं। इस पर एक और साहिब ने कहा हुज़ूर! जब यह है तो फिर हम कैसे हलाक हो सकते हैं? आपने फ़रमाया कि एक इनसान क़ियामत के दिन इस क़द्र आमाल लेकर आयेगा कि किसी पहाड़ पर रखे जायें तो उस पर भी बोझल हो जायें, लेकिन एक नेमत जो खड़ी होगी तो महज़ उसके शुक्रिये में ही ये आमाल कम नज़र आयेंगे। हाँ यह और बात है कि ख़ुदा तआ़ला अपनी रहमते कामिला से उसे ढाँक ले और जन्नत दे दे। और सूरः दहर की शुरू की बीस आयतें उतरीं। हब्शी सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह! क्या जन्नत में जिन जिन चीज़ों को आपकी आँखें देखेंगी मेरी आँखें भी देख सकेंगी? आपने फ़रमाया हाँ। इस पर वह रोये और इस क़द्र रोये कि इसी में उनका इन्तिक़ाल हो गया। रज़ियल्लाहु अ़न्हु।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि. फ़रमाते हैं, मैंने देखा कि उनकी लाश मुबारक को ख़ुद रसूले ख़ुदा सल्ल. क़ब्र में उतार रहे थे। यह रिवायत ग़रीब है, इसमें नकारत भी है और इसकी सनद भी ज़ईफ़ है।

फिर फ़रमाता है कि यह अल्लाह की ख़ास इनायत और उसका फ़ज़्ल है, उसकी रहमत से ही यह इस क़ाबिल हुए न कि अपने आमाल से। अल्लाह ख़ूब जानने वाला है, उसे बख़ूबी मालूम है कि हिदायत व तौफ़ीक़ का मुस्तहिक़ कौन है।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا۟ جَمِيعًا ۝ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۝ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن

ऐ ईमान वालो! अपनी तो एहतियात रखो, फिर अलग-अलग तौर पर या इकट्ठे तौर पर निकलो। (71) और तुम्हारे मजमे में बाज़ा-बाज़ा शख़्स ऐसा है जो हटता है, फिर अगर तुमको कोई हादसा पहुँच गया तो कहता है: बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर बड़ा फ़ज़्ल किया कि मैं उन लोगों के साथ हाज़िर नहीं हुआ। (72) और अगर तुमपर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल हो जाता है तो ऐसे तौर पर कि गोया तुममें और

उसमें कुछ ताल्लुक़ ही नहीं, कहता हैः हाय क्या ख़ूब होता कि मैं भी उन लोगों के साथ होता तो मुझको भी बड़ी कामयाबी होती। (73) तो हाँ उस शख़्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़े जो आख़िरत (की ज़िन्दगी) के बदले दुनियावी ज़िन्दगी इख़्तियार किए हुए हैं, और जो शख़्स अल्लाह की राह में लड़ेगा फिर चाहे जान से मारा जाए या ग़ालिब आ जाए तो हम उसको बड़ा अज्र देंगे। (74)	بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا○

अपने बचाव की तदबीर और इन्तिज़ाम ज़रूरी है

अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त मुसलमानों को हुक्म देता है कि वे हर वक़्त अपने बचाव के लिये असबाब मुहैया रखें, हर वक़्त हथियार बन्द रहें ताकि दुश्मन उन पर आसानी से कामयाब न हो जाये। ज़रूरत के हथियार रखें, अपनी संख्या बढ़ाते रहें, क़ुव्वत मज़बूत करते रहें, बाक़ायदा बहादुरी के साथ जिहाद के लिये एक आवाज़ में उठ खड़े हों, छोटे-छोटे लश्करों में बंटकर बड़ी पूरी फ़ौज की सूरत में जैसा मौक़ा हो आवाज़ आते ही कूच बोल दें। यह मुनाफ़िक़ों की ख़स्लत है कि ख़ुद भी अल्लाह की राह से जी चुरायें और दूसरों को भी बहकायें। जैसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफ़िक़ों के सरदार का फ़ेल था, ख़ुदा उसे रुस्वा करे। उनकी हालत यह है कि अगर हिक्मते ख़ुदावन्दी से मुसलमानों को दुश्मनों के मुक़ाबले में कामयाबी न हुई, दुश्मन उन पर ग़ालिब आ गया, उन्हें नुक़सान पहुँचा, उनके आदमी शहीद हुए तो यह घर बैठा फूलता है और अपनी अ़क़्लमन्दी पर अकड़ता है और अपना उस जिहाद में शरीक न होना अपने हक़ में ख़ुदा का इनाम शुमार करता है। लेकिन बेख़बर यह नहीं समझता कि जो अज्र व सवाब उन मुजाहिदों को मिला उससे यह बदनसीब बिल्कुल ही मेहरूम रहा। अगर यह होता या तो ग़ाज़ी का दर्जा पाता और अपने सब्र से सवाब समेटता या शहादत के बुलन्द मर्तबे तक पहुँच जाता।

और अगर मुसलमान मुजाहिदीन को ख़ुदा का फ़ज़्ल मिल गया यानी वे दुश्मनों पर ग़ालिब आ गये, उनकी फ़तह हुई, दुश्मनों को उन्होंने पामाल कर दिया और माले ग़नीमत लौंडी ग़ुलाम लेकर ख़ैर व आ़फ़ियत और कामयाबी के साथ लौटे तो यह अब अंगारों पर लौटता है और ऐसे लम्बे-लम्बे साँस लेकर हाय-वाय करता है और इस तरह पछताता है और ऐसे कलिमात ज़बान से निकालता है गोया यह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जैसे इसका दीन ही दूसरा है। कहता है कि हाय-हाय मैं उनके साथ न हुआ, वरना मुझे हिस्सा मिलता, बाँदी ग़ुलाम वाला, माल मता वाला बन जाता।

ग़र्ज़ कि यह दुनिया ही पर रीझा हुआ और इसी पर मिटा हुआ है। पस ख़ुदा की राह में निकल खड़े होने वाले मोमिनों को चाहिये कि उनसे जिहाद करें जो अपने दीन को दुनिया के बदले फ़रोख़्त किये दे रहे हैं अपने कुफ़्र और ईमान न होने के कारण अपनी आख़िरत को बरबाद करके दुनिया बनाते हैं। सो राहे ख़ुदा का मुजाहिद कभी नुक़सान नहीं उठता, वह हर हाल में नफ़े में है। क़त्ल किया गया तो अज्र मौजूद, ग़ालिब रहा तो सवाब हाज़िर। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अल्लाह की राह के मुजाहिद का ज़ामिन (गारन्टी

लेने वाला) ख़ुद ख़ुदा है, या तो उसे मौत देकर जन्नत में पहुँचायेगा या जिस जगह से वह चला है वहीं अज्र व ग़नीमत के साथ सही व सालिम वापस लायेगा। फ़ल्हम्दु लिल्लाह।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

और तुम्हारे पास क्या उज़्र है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद न करो और कमज़ोरों की ख़ातिर से जिनमें कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं जो दुआ़ कर रहे हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको इस बस्ती से बाहर निकाल जिसके रहने वाले सख़्त ज़ालिम हैं, और हमारे लिए ग़ैब से किसी दोस्त को खड़ा कीजिए, और हमारे लिए ग़ैब से किसी हिमायती को भेजिए। (75) जो लोग पक्के ईमान वाले हैं वे तो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और जो लोग काफ़िर हैं वे शैतान की राह में लड़ते हैं, तो तुम शैतान के साथियों से जिहाद करो, वास्तव में शैतानी तदबीर लचर होती है। (76)

रुकूअ़ 10

अल्लाह के रास्ते में जिहाद की ज़रूरत व अहमियत

अल्लाह तआ़ला मोमिनों को जिहाद की रग़बत (रुचि) दिलाता है और फ़रमाता है कि वे कमज़ोर व बेबस लोग जो मक्का में हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं, जो वहाँ के रहने से उकता गये हैं, जिन पर काफ़िर लोग नई-नई मुसीबतें तोड़ रहे हैं, जो महज़ बेसहारा हैं, उनको आज़ाद कराओ, जो बेकस दुआ़यें माँग रहे हैं कि इस बस्ती यानी मक्का से हमारा निकाल हो। मक्का शरीफ़ को इस आयत में भी क़रिया (बस्ती) कहा गया है:

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ.

यानी बहुत सी बस्तियाँ उस बस्ती से कहीं ज़्यादा ताक़त व क़ुव्वत वाली थीं जिस बस्ती ने यानी जिस बस्ती वालों ने तुझे निकाला।

मक्का के रहने वाले काफ़िरों के ज़ुल्म की शिकायत वे कर रहे हैं और साथ ही अपनी दुआ़ओं में कहते हैं कि ऐ रब! हमारा वाली और मददगार अपने पास से मुक़र्रर कर। सही बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं और मेरी वालिदा भी उन्हीं कमज़ोरों में थे। एक और रिवायत में है कि आपने "इल्लल् मुस्तज़्अ़फ़ी-न मिनर्रिजालि वल-विल्दानि" पढ़कर फ़रमाया- मैं और मेरी वालिदा साहिबा भी उन्हीं लोगों में हैं जिन्हें ख़ुदा तआ़ला ने माज़ूर रखा है।

फिर फ़रमाता है कि ईमान वाले अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी के और उसकी रज़ा हासिल करने के

लिये जिहाद करते हैं और काफ़िर लोग शैतान की पैरवी और ताबेदारी के लिये लड़ते हैं, तो मुसलमानों को चाहिये कि शैतान के दोस्तों से जो ख़ुदा के दुश्मन हैं दिल खोलकर जंग करें और यक़ीन मानें कि शैतान के हथकंडे, उसके मक्र व फ़रेब पानी की लकीरों की तरह बेहक़ीक़त हैं।

क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा कि उनको यह कहा गया था कि अपने हाथों को थामे रहो और नमाज़ों की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो, फिर जब उन पर जिहाद करना फ़र्ज़ कर दिया गया तो क़िस्सा क्या हुआ कि उनमें से बाज़-बाज़ आदमी लोगों से ऐसा डरने लगे जैसा कोई अल्लाह तआ़ला से डरता हो बल्कि उससे भी ज़्यादा डरना, और (यूँ) कहने लगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज़ फ़रमा दिया, हमको और थोड़ी मोहलत की मुद्दत दे दी होती, आप फ़रमा दीजिए कि दुनिया का फ़ायदा महज़ चन्द दिन का है और आख़िरत हर तरह से बेहतर है उस शख़्स के लिए जो अल्लाह तआ़ला की मुख़ालफ़त से बचे, और तुमपर धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। (77) तुम चाहे कहीं भी हो उसी जगह तुमको मौत आ दबाएगी अगरचे तुम क़लई-चूने के क़िलों में ही हो, और अगर उनको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि यह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से (इत्तिफ़ाक़न) हो गई, और अगर उनको कोई बुरी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि यह आपके सबब से है। आप फ़रमा दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ़ से है। तो उन लोगों को क्या हुआ कि बात समझने के पास को भी नहीं निकलते। (78) ऐ इनसान! तुझको जो कोई ख़ुशहाली पेश आती है वह महज़ अल्लाह की तरफ़ से है और जो कोई बदहाली पेश आये वह तेरे ही सबब से है। और हमने आपको तमाम लोगों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा है, और अल्लाह तआ़ला गवाह काफ़ी हैं। (79)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۗ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ख़ौफ़

वाक़िआ बयान हो रहा है कि इस्लाम के शुरू ज़माने में जबकि मुसलमान मक्का शरीफ़ में थे, कमज़ोर थे, कम थे, सम्मानित शहर में थे, काफ़िरों का ग़लबा था, ये उन्हीं के शहर में थे, वे बहुत ज़्यादा थे, जंगी सामान व हथियार में हर तरह इनसे बढ़े हुए थे। इसलिये उस वक़्त अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जिहाद व क़िताल (लड़ाई) का हुक्म नहीं दिया था बल्कि उनसे फ़रमाया था कि ये काफ़िरों की शरारतों पर ख़ामोश रहें। उनकी मुख़ालफ़त बरदाश्त करें, उनके ज़ुल्म व सितम सह लिया करें, जो अहकामे ख़ुदा नाज़िल हो चुके हैं उन पर आमिल रहें, नमाज़ अदा करते रहें, ज़कात देते रहा करें, अगरचे उनमें उमूमन माल की ज़्यादती भी न थी लेकिन फिर भी मिस्कीनों और मोहताजों के काम आने और उनकी हमदर्दी करने का उन्हें हुक्म दिया गया था। अल्लाह की मस्लेहत का तक़ाज़ा यह था कि फ़िलहाल ये काफ़िरों से न लड़ें बल्कि सब्र व बरदाश्त से काम लें।

उधर काफ़िर बड़ी दिलेरी से इन पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, हर छोटे बड़े को सख़्त से सख़्त सज़ायें दे रहे थे, मुसलमानों के नाक में दम कर रखा था। इसलिये इनके दिल में रह-रहकर जोश उठता था और ज़बान से अलफ़ाज़ निकल जाते थे कि इन रोज़-रोज़ की मुसीबतों से तो यही अच्छा है कि एक मर्तबा दिल की भड़ास निकल जाये। दो-दो हाथ मैदान में हो लें, काश कि ख़ुदा तआला हमें जिहाद का हुक्म दे दे, लेकिन अब तक हुक्म न हुआ।

जब इन्हें हिजरत की इजाज़त मिली और मुसलमान अपनी ज़मीन, माल, रिश्ता कुनबा ख़ुदा पर क़ुरबान करके अपना दीन लेकर मक्का से भाग खड़े हुए, मदीना पहुँचे, वहाँ इन्हें अल्लाह तआला ने हर तरह की सहूलियत दी, अमन की जगह दी, इमदाद के लिये मदीना के अन्सार मिल गए, संख्या में बढ़ोतरी हो गई, क़ुव्वत ताक़त किसी क़द्र बढ़ गई तो अब ख़ुदा की तरफ़ से इजाज़त मिली कि हाँ अपने लड़ने वालों से लड़ो। जिहाद का हुक्म उतरते ही बाज़ लोग सटपटाये, ख़ौफ़ज़दा हुए, जिहाद का तसव्वुर करके मैदान में क़त्ल किये जाने वाले मन्ज़र, औरतों के विधवा होने का ख़्याल, बच्चों की यतीमी का मन्ज़र आँखों के सामने आ गया। घबराहट में कह उठे कि ख़ुदाया अभी से जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया? कुछ मोहलत तो दी होती। इसी मज़मून को दूसरी आयतों में इस तरह बयान किया गया है:

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ............ الخ

मुख़्तसर मतलब यह है कि ईमान वाले कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नाज़िल नहीं की जाती, जब कोई सूरत उतारी जाती है और उसमें जिहाद का ज़िक्र होता है तो कमज़ोर दिल के लोग चीख़ उठते हैं, टेढ़े तेवरों से तुझे घूरते हैं, मौत की बेहोशी वालों की तरह अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं और कहते हैं ऐ नबी! हम कुफ़्र की हालत में इज़्ज़त वाले लोग थे और आज इस्लाम की हालत में ज़लील समझे जाने लगे (मतलब यह था कि आपका हुक्म मानना ज़रूरी है और आप मुक़ाबले से मना करते हैं जिससे कुफ़्फ़ार की जुर्रत बढ़ गई है और वे हमें ज़लील करने लगे हैं, तो आप हमें मुक़ाबले की इजाज़त क्यों इनायत नहीं फ़रमाते)। लेकिन आपने जवाब दिया मुझे ख़ुदा का हुक्म यही है कि हम दरगुज़र करें (उनकी हरकतों को जाने दें), ख़बरदार काफ़िरों से जंग न करना।

फिर जब हिजरत हुई और यहाँ जिहाद के अहकाम नाज़िल हुए तो लोग रुकने लगे। इस पर यह

आयत नाज़िल हुई। (नसाई, हाकिम, इब्ने मरदूया)

इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ नमाज़ व ज़कात का हुक्म ही था तो तमन्नायें करते थे कि जिहाद फ़र्ज़ हो, जब जिहाद का फ़रीज़ा नाज़िल हुआ तो कमज़ोर दिल के लोग इनसानों से ऐसा डरने लगे जैसे ख़ुदा से डरना चाहिये, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और कहने लगे ऐ रब! तूने हम पर जिहाद फ़र्ज़ क्यों कर दिया? क्यों हमें ज़िन्दगी का फ़ायदा न उठाने दिया? उन्हें जवाब मिलता है कि दुनियावी नफ़ा बिल्कुल नापायदार (बाक़ी न रहने वाला) और साथ ही बहुत कम है, हाँ आख़िरत मुत्तक़ियों के लिये दुनिया से बहुत ही बेहतर और पाकीज़ा तर है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी है। जवाब में कहा गया कि परहेज़गारों का अन्जाम उनके आग़ाज़ (यानी बाद का अन्जाम पहली ज़िन्दगी और हालत) से बहुत ही अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा-पूरा अज्र दिया जायेगा, कोई नेक अ़मल ग़ारत न किया जायेगा। नामुम्किन है कि एक बाल बराबर ज़ुल्म ख़ुदा की तरफ़ से किसी पर किया जाये।

इस जुमले में उन्हें दुनिया से बेरग़बती दिलाई जा रही है और आख़िरत की तरफ़ तवज्जोह दिलाई जा रही है, और जिहाद की रग़बत (तवज्जोह और दिलचस्पी) दी जा रही है। हज़रत हसन रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह उस बन्दे पर रहम करे जो दुनिया के साथ ऐसा ही रहे, सारी दुनिया अव्वल से आख़िर तक इस तरह है जैसे कोई सोया हुआ शख़्स अपने ख़्वाब में अपनी पसन्दीदा चीज़ को देखे लेकिन आँख खुलते ही मालूम हो जाता है कि कुछ न था। हज़रत अबू मुस्हिर रह. का यह कलाम कितना प्यारा है:

ولاخیرفی الدنیا لمن لم یکن له   من اللّٰه فی دار المقام نصیب

فان تعجب الدنیا رجالا فانها   متاع قلیل والزوال قریب

तर्जुमाः यानी उस शख़्स के लिये दुनिया भलाई से बिल्कुल ख़ाली है जिसे कल आख़िरत का कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं। अगरचे दुनिया को देख-देखकर बाज़ लोग रीझे जा रहे हैं लेकिन दर असल यह मामूली सा फ़ायदा है और वह भी बहुत जल्द फ़ना हो जाने वाला।

फिर अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि आख़िर मौत का मज़ा हर एक को चखना ही है, कोई किसी को इससे बचा नहीं सकता। जैसे फ़रमान है:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.

जितने यहाँ हैं सब फ़ानी हैं। एक और जगह इरशाद है:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ.

हर जानदार मरने वाला है। एक और जगह फ़रमाता है:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ.

तुझसे अगले लोगों में से भी किसी के लिये हमने हमेशगी की ज़िन्दगी मुक़र्रर नहीं की।

मक़सद यह है कि चाहे कोई अल्लाह के लिये जिहाद करे या न करे, अल्लाह की पाक ज़ात के अ़लावा मौत का मज़ा एक न एक रोज़ हर किसी को चखना पड़ेगा। हर एक का एक वक़्त मुक़र्रर है और हर एक की मौत की जगह भी तयशुदा है।

हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. की जुर्रत

हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. उस वक़्त जबकि आप मौत के बिस्तर पर हैं, फ़रमाते हैं कि क़सम ख़ुदा की फ़ुलाँ जगह और फ़ुलाँ जगह ग़र्ज़ कि बीसियों लड़ाईयों में सैंकड़ों मुक़ाबलों में गया, साबित क़दमी और बहादुरी के साथ दिलेराना जिहाद किये, आओ देख लो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न पाओगे जहाँ कोई निशान नेज़े या बरछे, तीर या भाले, तलवार और हथियार का न हो, लेकिन चूँकि मैदाने जंग में मौत न लिखी थी अब देखो अपने बिस्तर पर अपनी मौत मर रहा हूँ। कहाँ है लड़ाई से जी चुराने वाले नामर्द मेरी ज़ात से सबक़ सीखें (यानी अगर क़िस्मत में बिस्तर की मौत लिखी है तो मैदाने जंग में मौत न आयेगी चाहे जितने मौक़े लड़ाई के आयें)। रज़ियल्लाहु अ़न्हु।

मौत से भागने की कोई जगह नहीं

फिर फ़रमाता है कि मौत के पंजे से बुलन्द व बाला मज़बूत और महफ़ूज़ क़िले और महल भी नहीं बचा सकते। बाज़ों ने कहा है कि मुराद इससे आसमान के बुर्ज हैं, लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ है। सही यही है कि मुराद महफ़ूज़ मक़ामात (स्थान) हैं, यानी कितनी ही हिफ़ाज़त मौत से की जाये लेकिन वह अपने वक़्त से आगे पीछे नहीं हो सकती। ज़ुहैर का शे'र है कि मौत से भागने वाला चाहे ज़ीना लगाकर आसमानी असबाब भी जमा कर ले फिर भी उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँच सकता।

एक वाक़िआ

इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में इस मौक़े पर एक लम्बा क़िस्सा हज़रत मुजाहिद रह. के हवाले से नक़ल किया गया है कि पहले ज़माने में एक औरत हामिला (गर्भवती) थी। जब उसे दर्द लगा और बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। वह बाहर निकला तो देखा कि दरवाज़े पर एक शख़्स खड़ा है, पूछता है कि क्या हुआ? लड़की या लड़का? इसने कहा लड़की हुई है। कहा सुन यह लड़की एक सौ आदमियों से ज़िना करायेगी, फिर इसके यहाँ अब जो शख़्स नौकर है उसी से इसका निकाह होगा और एक मकड़ी इसकी मौत का सबब बनेगी।

यह शख़्स यहीं से पलट गया और आते ही तेज़ छुरी लेकर उस लड़की के पेट को चीर डाला और उसे मुर्दा समझकर वहाँ से भाग निकला। उसकी माँ ने यह हालत देखकर अपनी बच्ची के पेट में टाँके लगा दिये और इलाज शुरू किया, जिससे उसका ज़ख़्म भर गया। अब एक ज़माना गुज़र गया, इधर यह लड़की जवानी को पहुँच गई और थी भी बहुत अच्छी शक्ल व सूरत की। बदचलनी में पड़ गई। उधर वह नौकर समुद्र के रास्ते कहीं चला गया, काम-काज शुरू किया और बहुत रक़म पैदा की। तमाम माल समेट कर बहुत मुद्दत के बाद यह फिर उसी अपने गाँव में आ गया और एक बुढ़िया औरत को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ गाँव में जो बहुत ख़ूबसूरत औरत हो उससे मेरा निकाह करा दो। यह औरत गई और चूँकि शहर भर में उस लड़की से ज़्यादा ख़ूबसूरत कोई औरत न थी यहीं पैग़ाम डाला, मन्ज़ूर हो गया, निकाह भी हो गया और रुख़्सत होकर यह उसके यहाँ भी आ गई। दोनों मियाँ-बीवी में बहुत मुहब्बत हो गई।

एक दिन बातों-बातों में इस औरत ने उससे पूछा आप कौन हैं? कहा से आये हैं, यहाँ कैसे आ गए? वग़ैरह। उसने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ नौकर था, वहाँ से

उसकी लड़की के साथ यह हरकत करके भाग गया था। अब इतने बरसों के बाद यहाँ आया हूँ। इस लड़की ने कहा जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे मैं वही हूँ। यह कहकर अपने उस ज़ख़्म का निशान भी उसे दिखाया तब तो उसे यक़ीन आ गया और कहने लगा जब तू वही है तो एक बात तेरे बारे में मुझे और भी मालूम है, वह यह है कि तू एक सौ आदमियों से मुझसे पहले मिल चुकी है। उसने कहा ठीक है, यह काम तो मुझसे हुआ है, लेकिन गिनती याद नहीं। उसने कहा कि मुझे तेरे बारे में एक और बात मालूम है, वह यह कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी।

ख़ैर चूँकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मुहब्बत है, मैं तेरे लिये एक बहुत ऊँचा, पुख़्ता और आला महल तामीर करा देता हूँ उसी में तू रह ताकि वहाँ तक ऐसे कीड़े-मकोड़े पहुँच ही न सकें। चुनाँचे ऐसा ही महल तैयार हुआ और यह वहाँ रहने सहने लगी। एक मुद्दत के बाद एक रोज़ दोनों मियाँ-बीवी बैठे थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस शख़्स ने कहा देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी है, औरत बोली अच्छा यह मेरी जान-लेवा है। अब यही सही है कि मैं इसकी जान लूँ। ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इसे ज़िन्दा पकड़ कर मेरे सामने लाओ, वे पकड़ लाये। उसने ज़मीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उसे मल डाला और उसकी जान निकल गई। उसमें से चेप (पानी सा) जो निकला उसका एक आध क़तरा इसके अंगूठे के नाख़ुन और गोश्त के दरमियान उड़कर पड़ा, उसका ज़हर चढ़ा पैर सियाह पड़ गया और उसी में आख़िर मर गई।

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दो शे'र

हज़रत उस्मान रज़ि. पर जब बाग़ी चढ़ दौड़े तो आपने उम्मते मुहम्मद की ख़ैरख़्वाही और उनके इत्तिफ़ाक़ (एकता) की दुआ के बाद दो शे'र पढ़े जिनका मतलब भी यही है कि मौत को टालने वाली कोई चीज़ और कोई हीला कोई क़ुव्वत और कोई चालाकी नहीं।

एक और वाक़िआ

हज़्र के बादशाह सातिरून को किसरा साबूर अक्ताफ़ वाले ने जो क़त्ल किया वह वाक़िआ भी हम यहाँ लिखते हैं। इब्ने हिशाम में है कि जब साबूर इराक़ में था तो उसके इलाक़े पर सातिरून ने चढ़ाई की। इसके इन्तिक़ाम में उसने जब चढ़ाई की तो यह क़िला में बन्द हो गया, दो साल तक घेराव रहा लेकिन क़िला फ़तह न हो सका। एक रोज़ सातिरून की बेटी नज़ीरा अपने बाप के क़िले का गश्त लगा रही थी कि अचानक उसकी नज़र साबूर पर पड़ गई। यह उस वक़्त शाहाना पुर-तकल्लुफ़ रेशमी लिबास में बादशाही ताज सर पर रखे हुए था। नज़ीरा के दिल में आया कि इससे मेरी शादी हो जाये तो क्या ही अच्छा हो। चुनाँचे उसने ख़ुफ़िया पैग़ाम भेजने शुरू किये और वायदा हो गया कि अगर यह लड़की इस क़िले में साबूर का क़ब्ज़ा करा दे तो साबूर इससे अपना निकाह कर लेगा। उसका बाप सातिरून बड़ा शराबी था, सारी रात उसकी नशे में कटती थी। उसकी लड़की ने मौक़ा पाकर रात को अपने बाप को नशे में मदहोश देखकर उसके सिरहाने से क़िले की चाबियाँ चुपके से निकाल लीं और अपने एक विश्वसनीय ग़ुलाम के हाथ सातिरून तक पहुँचा दीं, जिससे उसने दरवाज़ा खोल लिया, शहर में क़त्ले आम कराया और क़ाबिज़ हो गया। यह भी कहा गया है कि उस क़िले में एक जादू था, जब तक उस जादू को तोड़ा न जाये क़िले का फ़तह होना नामुम्किन था। उस लड़की ने उसके तोड़ने का गुर उसे बतला दिया कि एक चित्कबरा कबूतर

लेकर उसके पाँव किसी कुंवारी लड़की के पहले हैज़ के ख़ून से रंग लो, फिर उस कबूतर को छोड़ दो, वह जाकर उस क़िले की दीवार पर बैठे फ़ौरन वह जादू टूट जायेगा और क़िले का फाटक खुल जायेगा। चुनाँचे साबूर ने यही किया और क़िला फ़तह करके सातिरून को क़त्ल कर डाला। तमाम लोगों को तलवार से काट डाला, सारे शहर को उजाड़ दिया और उस लड़की को अपने साथ ले गया और उससे निकाह कर लिया।

एक रात जबकि यह लड़की नज़ीरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, तिलमिला रही थी और बेचैनी से करवटें बदल रही थी तो साबूर ने पूछा क्या बात है? उसने कहा शायद बिस्तर में कुछ है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। शमा जलाई गई, बिस्तर टटोला गया तो आस की एक पत्ती निकली। साबूर इस नज़ाकत पर हैरान रह गया कि एक इतनी छोटी सी पत्ती बिस्तर में होने की बिना पर इसे नींद नहीं आई। पूछा कि तेरे वालिद के यहाँ तेरे लिये क्या होता था? उसने कहा सिर्फ़ नर्म रेशम का बिस्तर था, सिर्फ़ बारीक नर्म रेशमी लिबास था, सिर्फ़ नलियों का गूदा खाया करती थी और सिर्फ़ अंगूरी ख़ालिस शराब पीती थी। यह इन्तिज़ाम मेरे बाप ने मेरे लिये कर रखा था। यह थी भी ऐसी कि इसकी पिंडली का गूदा तक बाहर से नज़र आता था। इन बातों ने साबूर पर एक और रंग चढ़ा दिया और उसने कहा जिस बाप ने तुझे इस तरह पाला पोसा उसके साथ तूने यह सुलूक किया कि मेरे हाथों उसे क़त्ल कराया, उसके मुल्क को तबाह व बरबाद कराया, फिर मुझे तुझसे क्या उम्मीद रखनी चाहिये? ख़ुदा जाने मेरे साथ तू क्या करे। उसी वक़्त हुक्म दिया कि इसके सर के बाल घोड़े से बाँध दिये जायें और घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया जाये। चुनाँचे यही हुआ, घोड़ा बिदका, भागा, उछलने कूदने लगा और उसकी टापों से ज़मीन पर पछाड़े खाते हुए उसके जिस्म का चूरा-चूरा हो गया। चुनाँचे इस वाक़िए को अ़रब के शायरों ने शे'रों में भी बाँधा है।

फिर फ़रमाता है कि अगर उन्हें बारिशों वाला साल, फुलवारी, औलाद खेती हाथ लगे तो कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ़ से है और अगर क़हत-साली (सूखा) पड़े, तंग रोज़ी मौत और औलाद व माल और और खेत और बाग़ की कमी हो तो कह उठते हैं कि यह नतीजा है नबी की ताबेदारी का, यह फ़ायदा है मुसलमान होने का, यह फल है दीनदार बनने का। फ़िरऔनी भी इसी तरह बुराईयों में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और मुसलमानों की तरफ़ से बदशगूनी (अपशगुन) लिया करते थे। जैसा कि क़ुरआन ने अनेक मौक़ों पर इसका ज़िक्र किया है। एक आयत में है:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ......... الخ

यानी बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो एक किनारे खड़े रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी अगर भलाई मिली तो बाँछें खिल जाती हैं और अगर बुराई पहुँचे तो उल्टे पैरों सरक जाते हैं। ये हैं जो दोनों जहान में बरबाद होंगे........।

पस यहाँ भी उन मुनाफ़िक़ों की जो बज़ाहिर मुसलमान हैं बुराई बयान हो रही है कि जहाँ कुछ नुक़सान हुआ बस बिगड़ गये कि यह तो इस्लाम लाने की वजह से हमें नुक़सान हुआ। सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि 'हसना' (अच्छी हालत) से मुराद यहाँ बारिशों का होना, जानवरों में ज़्यादती होना, बाल बच्चे अधिक संख्या में होना, ख़ुशहाली मयस्सर आना वग़ैरह है। अगर यह होता तो कहते कि ये सब अल्लाह की तरफ़ से है, और अगर इसके ख़िलाफ़ होता तो उस बेबरकती का सबब रसूलुल्लाह सल्ल. को बताते और यही कहते कि ये सब तेरी तरफ़ से है, यानी हमने अपने बड़ों की राह छोड़ दी और इस नबी की ताबेदारी इख़्तियार की

इसलिये इस मुसीबत में फंस गये और इस बला में पड़ गये।

पस अल्लाह तआ़ला इन ग़लत बातों की तरदीद करते हुए फ़रमाता है कि सब कुछ ख़ुदा की तरफ़ से है, उसकी क़ज़ा व क़द्र (यानी तक़दीर और फ़ैसले) हर भले बुरे फ़ासिक़ व फ़ाजिर नेक व बद मोमिन व काफ़िर पर जारी है। भलाई बुराई सब उसकी तरफ़ से है। फिर उनके इस क़ौल को जो महज़ शक व शुब्हे, कम-इल्मी, बेवक़ूफ़ी, जहालत और ज़ुल्म की बिना पर है, तरदीद करते हुए फ़रमाता है कि उन्हें क्या हो गया कि बात समझने की क़ाबलियत भी उनसे जाती रही। एक ग़रीब हदीस जो "कुल्लुम् मिन् अ़िन्दिल्लाहि" (यानी सब कुछ अल्लाह की तरफ़ से है) के बारे में है उसे भी सुन लीजिये।

एक हदीस

मुस्नद बज़्ज़ार में है कि हम रसूलुल्लाह सल्ल. के साथ बैठे थे कि कुछ लोगों के साथ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ि. आये। उन दोनों की आवाज़ें बुलन्द हो रही थीं और हुज़ूर सल्ल. के क़रीब आकर दोनों साहिब बैठ गये। हुज़ूर सल्ल. ने दरियाफ़्त किया कि तेज़-तेज़ गुफ़्तगू क्या हो रही थी? एक शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह! अबू बक्र तो कह रहे थे कि नेकियाँ और भलाईयाँ अल्लाह की तरफ़ हैं और बुराईयाँ और बदियाँ हमारी तरफ़ से हैं। आपने हज़रत उमर रज़ि. से पूछा तुम क्या कह रहे थे? हज़रत उमर रज़ि. ने कहा मैं कह रहा था कि दोनों बातें ख़ुदा की तरफ़ से हैं। आपने फ़रमाया यही बहस पहले-पहले हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल में भी हुई थी। मीकाईल वही कहते थे जो अबू बक्र कह रहे हैं और जिब्राईल वह कह रहे थे जो ऐ उमर तुम कह रहे हो। पस आसमान वालों में ही जबकि इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हो तो ज़मीन वालों में तो होना ही था। आख़िर हज़रत इस्राफ़ील की तरफ़ फ़ैसला गया और उन्होंने फ़ैसला किया कि हसनात (अच्छाईयाँ) व सय्यिआत (बुराईयाँ) दोनों ख़ुदा की तरफ़ से हैं। फिर आपने दोनों बुज़ुर्गों की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया- मेरा फ़ैसला सुनो! याद रखो अगर अल्लाह तआ़ला अपनी नाफ़रमानी की जाने को न चाहता तो इब्लीस को पैदा ही न करता (यानी कोई यह न समझे कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर शैतान कोई क़दम उठा सकता था) लेकिन शैख़ुल-इस्लाम इमाम तक़ीयुद्दीन अबुल-अ़ब्बास हज़रत इमाम इब्ने तैमिया रह. फ़रमाते हैं कि यह हदीस मौज़ू (गढ़ी हुई और बेबुनियाद) है, और तमाम मुहद्दिसीन का, जो हदीस का गहरा इल्म रखते हैं इत्तिफ़ाक़ है कि यह रिवायत गढ़ी हुई है।

फिर अल्लाह तआ़ला अपने नबी से ख़िताब करके फ़रमाता है, और मुराद उमूम है, यानी सबसे ही ख़िताब है कि तुम्हें जो भलाई पहुँचती है वह अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल लुत्फ़ रहमत है और जो बुराई पहुँचती है वह ख़ुद तुम्हारी तरफ़ से है, तुम्हारे आमाल का नतीजा है। जैसे एक और आयत में है:

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

यानी जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वह तुम्हारे बाज़ आमाल की वजह से है। और अभी तो अल्लाह तआ़ला बहुत सी बद-आमालियों से दरगुज़र (यानी नज़र-अन्दाज़) फ़रमाता रहता है।

"फ़-मिन् नफ़्सि-क" (तेरे ही सबब) से मुराद गुनाह के कारण है। यानी बुरे आमाल का नतीजा। नबी करीम सल्ल. से मन्क़ूल है कि आपने फ़रमाया- जिस शख़्स का ज़रा सा जिस्म किसी लकड़ी से छिल जाये या उसका क़दम फिसल जाये या उसे ज़रा सी मेहनत करनी पड़े जिससे पसीना आ जाये वह भी किसी न किसी गुनाह पर होता है, और अभी तो अल्लाह तआ़ला जिन गुनाहों से चश्मपोशी फ़रमाता है जिन्हें माफ़

कर देता है वे बहुत सारे हैं। इस मुर्सल हदीस का मज़मून एक मुत्तसिल सही हदीस में भी है। हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कि ईमान वाले को जो ग़म व रंज, तकलीफ़ व मशक़्क़त पहुँचती है, यहाँ तक कि जो काँटा भी लगता है उसकी वजह से भी अल्लाह तआ़ला उसकी ख़ताओं का कफ़्फ़ारा (बदला) कर देता है। अबू सालेह रह. फ़रमाते हैं- मतलब इस आयत का यह है कि जो बुराई तुझे पहुँचती है उसका सबब तेरा गुनाह है, हाँ उसे मुक़द्दर करने (तक़दीर में लिखने) वाला अल्लाह तआ़ला है।

हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि तुम तक़दीर के बारे में क्या चाहते हो? कहा तुम्हें सूरः निसा की यह आयत काफ़ी नहीं? फिर इस आयत को पढ़कर फ़रमाते हैं कि ख़ुदा की क़सम लोग ख़ुदा की तरफ़ सौंप नहीं दिये गये, उन्हें हुक्म दिये गये हैं और उसकी तरफ़ वे लौटते हैं। ये क़ौल बहुत क़वी और मज़बूत है। क़द्रिया और जबरिया (ये दो फ़िर्के हैं) की पूरी तरदीद करता है। तफ़सीर इस बहस का विषय नहीं। फिर फ़रमाता है कि ऐ नबी! तेरा काम शरीअ़त की तब्लीग़ करना है, उसकी रज़ामन्दी और नाराज़गी के काम को उसके अहकाम और उसकी मना की हुई बातों को लोगों तक पहुँचा देना है। अल्लाह की गवाही काफ़ी है, उसने तुझे रसूल बनाकर भेजा है। इसी तरह उसकी गवाही इस बात पर काफ़ी है कि तूने तब्लीग़ कर दी, तेरे उनके दरमियान जो रहा है उसे भी वह देख रहा है, ये जिस तरह दुश्मनी और तकब्बुर तेरे साथ बरतते हैं उसे भी वह देख रहा है।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ۭ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

जिस शख़्स ने रसूल की इताअ़त की उसने अल्लाह तआ़ला की इताअ़त की, और जो शख़्स मुँह फेरे "यानी अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी से अपना रुख़ फेर ले" सो हमने आपको उनका निगराँ करके नहीं भेजा। (80) और (ये लोग) कहते हैं कि हमारा काम इताअ़त करना है, फिर जब आपके पास से बाहर जाते हैं तो रात के वक़्त मश्विरा करती है इन्हीं की एक जमाअ़त उसके ख़िलाफ़ जो कुछ कि (ज़बान से) कह चुके थे, और अल्लाह तआ़ला लिखते जाते हैं जो कुछ वे रातों को मश्विरा किया करते हैं, सो आप उनकी तरफ़ ध्यान न कीजिए और अल्लाह के हवाले कीजिए और अल्लाह तआ़ला काफ़ी कारसाज़ हैं। (81)

रसूलुल्लाह सल्ल. की इताअ़त व फ़रमाँबरदारी

अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि मेरे बन्दे और रसूल हज़रत मुहम्मद सल्ल. का इताअ़त-गुज़ार (आज्ञाकारी) सही मायने में मेरा इताअ़त-गुज़ार है। आपका नाफ़रमान मेरा नाफ़रमान है। इसलिये कि आप अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते, जो फ़रमाते हैं वह वही होता है जो मेरी तरफ़ से 'वही' किया जाता है।

हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि मेरी मानने वाला ख़ुदा की मानने वाला है, और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की बात न मानी, जिसने अमीर की इताअ़त की उसने मेरी इताअ़त की और जिसने अमीर की नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की (यानी अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ हुकूमत न करे)। यह हदीस सहीहैन में है।

फिर फ़रमाता है कि जो मुँह मोड़ते हैं तो उसका गुनाह ऐ नबी! आप पर नहीं। आप पर तो सिर्फ़ पहुँचा देना है, नेक नसीब जान लेंगे, निजात और अज्र हासिल कर लेंगे। हाँ उनकी नेकियों का सवाब आपको भी होगा, क्योंकि दर असल इस राह के रहबर इस नेकी के मुअ़ल्लिम (सिखाने और बताने वाले) आप हैं। और जो न माने, न अ़मल करे तो नुक़सान उठाये, बदनसीब बने उसका गुनाह आप पर नहीं, इसलिये कि आपने समझाने बुझाने, राहे हक़ दिखाने में कोई कमी नहीं की। हदीस में है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त करने वाला सही राह और हिदायत वाला है और अल्लाह व रसूल सल्ल. का नाफ़रमान अपने ही नफ़्स को नुक़सान व घाटा पहुँचाने वाला है।

मुनाफ़िक़ लोगों का हाल

फिर मुनाफ़िक़ों का हाल बयान हो रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) का इक़रार, मुवाफ़िक़ होने का इज़हार है, लेकिन जहाँ नज़रों से दूर हुए, यहाँ से हटकर अपनी जगह पहुँचे तो जो कुछ यहाँ कहा था उसके विपरीत रातों को चुप-चुपाते इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशें करने बैठ जाते हैं, हालाँकि अल्लाह उनकी छुपी हुई बातों, चालाकियों और चालों को बख़ूबी जानता है। उसके मुक़र्रर किये हुए ज़मीन के फ़रिश्ते इन सब करतूतों और इन तमाम बातों को उसके हुक्म से उनके नामा-ए-आमाल में लिख रहे हैं। पस उन्हें डाँटा जा रहा है कि यह क्या बेहूदा हरकत है? उससे जिसने तुम्हें पैदा किया है क्या तुम्हारी कोई बात छुप सकती है? जो तुम ज़ाहिर बातिन एक जैसा नहीं रखते। ज़ाहिर बातिन का जानने वाला तुम्हें तुम्हारी इस बेहूदा हरकत पर सख़्त सज़ा देगा। एक और आयत में भी मुनाफ़िक़ों की इस ख़स्लत का बयान इन अलफ़ाज़ में फ़रमाया है:

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا........ الخ

(सूरः नूर आयत 47)

फिर अपने नबी को हुक्म देता है कि आप उनसे दरगुज़र कीजिये, बुर्दबारी बरतिये, उनकी ख़ता माफ़ कीजिये, उनका हाल उनके नाम से दूसरों से न कहिये। उनसे बिल्कुल बेख़ौफ़ रहिये। अल्लाह पर भरोसा कीजिये। जो उस पर भरोसा करे, जो उसकी तरफ़ रुजू करे उसे वह काफ़ी वाफ़ी है।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۭ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○ وَاِذَا جَاۗءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۭ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ	**क्या फिर क़ुरआन में ग़ौर नहीं करते, और अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ़ से होता तो इसमें कसरत से फ़र्क़ और इख़्तिलाफ़ "अलफ़ाज़ व मानी का टकराव) पाते। (82) और जब उन लोगों को किसी अमूर "यानी मामले और बात" की ख़बर पहुँचती है चाहे अमन हो या ख़ौफ़ तो उसको मशहूर कर**

وَاِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا۝

देते हैं। और अगर ये लोग उसको रसूल के और जो उनमें ऐसे मामलों को समझते हैं उनके ऊपर हवाले रखते तो उसको वे हज़रात तो पहचान ही लेते जो उनमें उसकी तहक़ीक़ कर लिया करते हैं। और अगर तुम लोगों पर ख़ुदा तआ़ला का फ़ज़्ल और रहमत न होती तो तुम सबके-सब शैतान के पैरवी करने वाले हो जाते सिवाय थोड़े-से आदमियों के। (83)

क़ुरआन अल्लाह का कलाम है, इसकी रोशन दलीलें

अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि वे क़ुरआन को ग़ौर व फ़िक्र, मंथन, गहन अध्ययन से पढ़ें। इससे मुँह न मोड़ें, बेपरवाही न बरतें। इसके मज़बूत मज़मून, इसके हिक्मत भरे अहकाम, इसके भाषाई एतिबार से उच्च स्तरीय अन्दाज़ व बयान के बारे में ग़ौर करें। साथ ही ख़बर देता है कि यह पाक किताब मज़मून के टकराव, इख़्तिलाफ़ और परस्पर विरोध से पाक है, इसलिये कि हकीम व हमीद ख़ुदा का कलाम है, वह ख़ुद हक़ है और इसी तरह उसका कलाम भी सरासर हक़ है। चुनाँचे एक दूसरी जगह पर फ़रमायाः

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

ये लोग क्यों क़ुरआन में ग़ौर व फ़िक्र (गहन अध्ययन) नहीं करते। क्या इनके दिलों पर संगीन ताले लग गए हैं।

फिर फ़रमाता है कि अगर यह क़ुरआन ख़ुदा की तरफ़ से उतरा हुआ न होता जैसे कि मुश्रिक लोगों और मुनाफ़िक़ों का गुमान है, अगर यह वास्तव में किसी का अपनी तरफ़ से गढ़ा हुआ होता, कोई और इसका कहने और बयान करने वाला होता तो ज़रूरी बात थी कि इसमें भी लोगों को इख़्तिलाफ़ (मज़मून में टकराव) मिलता। यानी नामुम्किन है कि इनसानी कलाम बिखराव, टकराव और परस्पर विरोध से महफ़ूज़ हो। फिर तो यह होता कि कहीं कुछ पाते और कहीं कुछ और, यहाँ एक बात कही, आगे जाकर उसके ख़िलाफ़ भी कह गए। पस एक पाक किताब का ऐसी परस्पर विरोधी बातों से बचा हुआ होना साफ़ दलील है कि यह ख़ुदा का कलाम है। दूसरी जगह आ़लिमों का क़ौल बयान किया गया है कि वे कहते हैं- हम इन पर ईमान लाये ये सब हमारे रब की तरफ़ से है, यानी मोहकम और मुतशाबा सब हक़ है, इसी लिये मुतशाबा को मोहकम की तरफ़ लौटा देते हैं और हिदायत पा लेते हैं। और जिनके दिलों में टेढ़ है वे मोहकम को मुतशाबा की तरफ़ लौटाकर गुमराह हो जाते हैं। यही वजह है जो ख़ुदा तआ़ला ने पहली क़िस्म के लोगों की तारीफ़ की और दूसरी क़िस्म के लोगों की बुराई की।

एक वाक़िआ़

अ़मर बिन शुऐब ने जो रिवायत अपने वालिद और दादा से नक़ल की है उसमें है कि मैं और मेरे भाई एक ऐसी मज्लिस में बैठे कि सुर्ख़ ऊँटों (अ़रब में यह बहुत क़ीमती माल समझा जाता था) का मिल जाना

भी उससे पासंग नहीं। हम दोनों आये देखा कि हुज़ूर सल्ल. के दरवाज़े पर चन्द बुज़ुर्ग सहाबा खड़े हुए हैं। हम अदब के साथ एक तरफ़ बैठ गये, उनमें क़ुरआने करीम की किसी आयत के बारे में मुज़ाकरा हो रहा था और कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) था। आख़िर बात बढ़ गई और ज़ोर-ज़ोर से आपस में बातचीत होने लगी। रसूलुल्लाह सल्ल. सख़्त ग़ज़बनाक होकर बाहर तशरीफ़ लाये, चेहरा मुबारक सुर्ख़ हो रहा था, उन पर मिट्टी डालने लगे और फ़रमाने लगे- बस ख़ामोश रहो तुमसे पहली उम्मतें इसी कारण तबाह हो गईं कि उन्होंने अपने अम्बिया पर इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) किया और किताबुल्लाह की एक आयत को दूसरी आयत के ख़िलाफ़ बताया। याद रखो! क़ुरआने करीम की कोई आयत दूसरी आयत के ख़िलाफ़ और उसे झुठलाने वाली नहीं, बल्कि क़ुरआन की एक-एक आयत एक दूसरे की तस्दीक़ करती है, तुम जिसे जान लो अ़मल करो जिसे न मालूम कर सको उसे किसी जानने वाले के लिये छोड़ दो (यानी ख़ुद अपनी अ़क़्ल न चलाओ, आ़लिमों से मालूम करो)।

एक और रिवायत में है कि सहाबा तक़दीर के बारे में मुबाहसा कर रहे थे। रावी कहते हैं कि काश मैं उस मज्लिस में न बैठता। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं दोपहर के वक़्त ख़िदमत में हाज़िर हुआ मैं बैठा ही हूँ कि एक आयत के बारे में दो शख़्सों के दरमियान इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हुआ और आवाज़ें ऊँची हुईं तो आपने फ़रमाया- तुमसे पहली उम्मतों की हलाकत का सबब सिर्फ़ उनका किताबुल्लाह में इख़्तिलाफ़ करना (झगड़ना) ही था। (मुस्नद अहमद)

तहक़ीक़ और पुष्टि करने का हुक्म

फिर उन जल्दबाज़ लोगों को रोका जा रहा है जो किसी अमन या ख़ौफ़ की ख़बर पाते ही बिना तहक़ीक़ के उसे इधर से उधर पहुँचा देते हैं, हालाँकि मुम्किन है कि वह बिल्कुल ही ग़लत हो। सही मुस्लिम शरीफ़ के मुक़द्दमे में हदीस है कि इनसान को यही झूठ काफ़ी है कि जो सुने उसी को बयान करने लग जाये। अबू दाऊद में भी यह रिवायत है। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने क़ील व क़ाल से मना फ़रमाया, सुनी सुनाई बातें बयान करने से जिनकी तहक़ीक़ अच्छी तरह न की हो। अबू दाऊद की हदीस में है कि इनसान का यह बुरा फ़ेल है कि यूँ कहता फिरे लोगों ने यह ख़्याल किया, यह कहा। एक और सही हदीस में है कि जो शख़्स कोई बात बयान करे और वह गुमान करता हो कि यह ग़लत है वह भी झूठों में का एक झूठा है।

हम यहाँ पर हज़रत उमर रज़ि. वाली रिवायत का नक़ल करना भी मुनासिब जानते हैं कि जब उन्हें यह ख़बर मिली कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है तो आप अपने घर से मस्जिद में आये, यहाँ भी लोगों को यही कहते सुना तो बज़ाते ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल. के पास पहुँचे और ख़ुद आप से दरियाफ़्त किया कि क्या यह सच है कि आपने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी? आपने फ़रमाया ग़लत है। चुनाँचे फ़ारूक़े आज़म रज़ि. ने अल्लाह की बड़ाई बयान की.....।

सही मुस्लिम में है कि फिर आप आये और मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया- लोगो! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक़ नहीं दी। इसी पर यह आयत नाज़िल हुई। पस हज़रत उमर वह हैं जिन्होंने इस मामले की तहक़ीक़ की।

फिर फ़रमाता है कि अगर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व रहम तुम पर न होता तो तुम सब के सब सिवाय कामिल यक़ीन वाले लोगों के शैतान के ताबेदार बन जाते। ऐसे मौक़ों पर यह भी मायने होते हैं कि

तुम तमाम के तमाम। चुनाँचे अ़रब के ऐसे शे'र भी हैं।

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

पस आप अल्लाह की राह में क़िताल "जंग" कीजिए, आपको सिवाय आपके ज़ाती फ़ेल के कोई हुक्म नहीं, और मुसलमानों को तरग़ीब दीजिये, अल्लाह तआ़ला से उम्मीद है कि काफ़िरों के जंग के ज़ोर को रोक देंगे। और अल्लाह तआ़ला जंग के ज़ोर में ज़्यादा शदीद हैं और सख़्त सज़ा देते हैं। (84) जो शख़्स अच्छी सिफ़ारिश करे उसको उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा और जो शख़्स बुरी सिफ़ारिश करे उस को उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाले हैं। (85) और जब तुमको कोई (शरीअ़त के मुताबिक़) सलाम करे तो तुम उस (सलाम) से अच्छे अल्फ़ाज़ में सलाम करो या वैसे ही अल्फ़ाज़ कह दो, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर हिसाब लेंगे। (86) अल्लाह ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद होने के क़ाबिल नहीं, वह ज़रूर तुम सबको जमा करेंगे क़ियामत के दिन में इसमें कोई शुब्हा नहीं, और ख़ुदा तआ़ला से ज़्यादा किसकी बात सच्ची होगी। (87)

النصف ع ٨

जिहाद का हुक्म और उसकी तरफ़ तवज्जोह दिलाना

रसूलुल्लाह सल्ल. को हुक्म हो रहा है कि ख़ुद अपनी ज़ात से राहे ख़ुदा में जिहाद करें अगरचे कोई भी आपका साथ न दे। अबू इस्हाक़ रह. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि. से दरियाफ़्त करते हैं कि एक मुसलमान अकेला तन्हा हो और दुश्मन सौ हों तो क्या वह उनसे जिहाद करे? आपने फ़रमाया हाँ। कहा फिर क़ुरआन की इस आयत से तो कुछ और साबित होता है, देखिये अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि अपने आपको देखते-भालते हलाकत में न डालो, तो हज़रत बरा ने फ़रमाया सुनो! अल्लाह तआ़ला अपने नबी से फ़रमाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद कर, तुझे सिर्फ़ तेरे नफ़्स की ज़िम्मेदारी दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि मोमिनों को भी तरग़ीब देता (यानी इसकी तरफ़ तवज्जोह दिलाता) रह। (इब्ने अबी हातिम)

मुस्नद अहमद में इतना और भी है कि मुश्रिकों पर तन्हा हमला करने वाला हलाकत की तरफ़ बढ़ने वाला नहीं, बल्कि इससे मुराद ख़ुदा की राह में ख़र्च करने से रुकने वाला है। दूसरी रिवायत में है कि जब यह आयत उतरी तो आपने सहाबा रज़ि. से फ़रमाया- मुझे मेरे रब ने जिहाद का हुक्म दिया है, पस तुम भी

जिहाद करो। यह हदीस ग़रीब है। फिर फ़रमाता है कि मोमिनों की हिम्मत बढ़ा और उन्हें जिहाद की रग़बत (दिलचस्पी) दिला, चुनाँचे बदर वाले दिन मैदाने जिहाद में मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त करते हुए हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- उठ खड़े होओ उस जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। जिहाद की तरग़ीब की बहुत सी हदीसें हैं।

बुख़ारी में है कि जो अल्लाह पर ईमान लाये, नमाज़ क़ायम करे, ज़कात देता रहे, रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह पर हक़ है कि उसे जन्नत में दाख़िल करे। अल्लाह की राह में हिजरत की हो या जहाँ पैदा हुआ हो वहीं ठहरा रहा हो। लोगों ने कहा हुज़ूर! क्या लोगों को हम इसकी ख़ुशख़बरी न दें? आपने फ़रमाया सुनो जन्नत में सौ दर्जे हैं जिनमें से एक-एक दर्जे में इस क़द्र बुलन्दी है जितनी ज़मीन व आसमान में। यह दर्जे अल्लाह ने उनके लिये रखे हैं जो उसकी राह में जिहाद करें। पस जब तुम अल्लाह से जन्नत माँगो तो जन्नतुल-फ़िरदौस तलब करो, वह बेहतरीन जन्नत है और सबसे आला है। उसके ऊपर रहमान का अ़र्श है और उसी जन्नत की सब नहरें जारी होती हैं।

मुस्लिम की हदीस में है कि जो शख़्स अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीने बरहक़ होने पर, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के रसूल व नबी होने पर राज़ी हो जाये उसके लिये जन्नत वाजिब है। हज़रत अबू सईद इसे सुनकर ख़ुश होकर कहने लगे हुज़ूर! दोबारा इरशाद हो। आपने दोबारा इसी हदीस को बयान फ़रमाकर कहा एक और अ़मल है जिसके सबब अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों के सौ दर्जे बुलन्द फ़रमाता है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतनी बुलन्दी है जितनी ज़मीन व आसमान में है। पूछा वह अ़मल क्या है? फ़रमाया अल्लाह की राह में जिहाद। फिर फ़रमाता है कि जब आप जिहाद के लिये तैयार हो जायेंगे, मुसलमान आपकी तालीम से जिहाद पर आमादा हो जायेंगे तो फिर अल्लाह तआ़ला की मदद शामिले हाल रहेगी। ख़ुदा तआ़ला कुफ़्र का ज़ोर तोड़ देगा, कुफ़्फ़ार की हिम्मत पस्त कर देगा। उनको इतना हौसला न होगा कि तुम्हारे मुक़ाबले में आयें। अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा जंगी क़ुव्वत रखने वाला और उससे सख़्त सज़ा देने वाला कोई नहीं। वह क़ादिर है कि दुनिया में ही उन्हें मग़लूब करे और यहीं उन्हें अ़ज़ाब करे। इसी तरह आख़िरत में भी उसको क़ुदरत हासिल है। जैसे एक और आयत में है:

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَا نْتَصَرَ مِنْهُمْ............ الخ

अगर अल्लाह चाहे उनसे ख़ुद ही बदला ले ले। लेकिन वह उनको और तुम्हें आज़मा रहा है। जो शख़्स किसी ख़ैर के मामले में कोशिश करे तो उसे भी उस भलाई का सवाब मिलेगा और जो इसके ख़िलाफ़ कोशिश करे और बुरे नतीजे पर आमादा करे उसकी कोशिश और नीयत का उस पर भी उसका बोझ होगा। नबी सल्ल. फ़रमाते हैं कि सिफ़ारिश करो अज्र पाओगे, अल्लाह अपने नबी की ज़बान पर वह जारी करेगा जो चाहे। यह आयत एक दूसरे की सिफ़ारिश करने के बारे में नाज़िल हुई है। इस मेहरबानी को भी देखिये कि फ़रमाया- महज़ शफ़ाअ़त पर ही अज्र मिल जायेगा। चाहे उससे काम बने या न बने। अल्लाह हर चीज़ का हाफ़िज़ (निगहबान) है, हर चीज़ पर हाज़िर है, हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, हर चीज़ पर क़ादिर है, हर चीज़ पर हमेशगी करने वाला है। हर एक को रोज़ी देने वाला है, हर इनसान के आमाल का अन्दाज़ा करने वाला है।

सलाम और उसके फ़ज़ाईल

मुसलमानो। जब तुम्हें कोई मुसलमान सलाम करे तो उसके सलाम के अलफ़ाज़ से बेहतर अलफ़ाज़ में उसका जवाब दो। या कम से कम उनहीं अलफ़ाज़ को दोहरा दो। पस ज़्यादती मुस्तहब है और बराबरी फ़र्ज़ है। इब्ने जरीर में है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा "अस्सलामु अ़लै-क या रसूलल्लाह" आपने फ़रमाया "व अ़लैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि" फिर दूसर आया। उसने कहा "अस्सलामु अ़लै-क या रसूलल्लाह व रहमतुल्लाहि" आपने जवाब में फ़रमाया "व अ़लैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू" फिर एक और साहिब आये उन्होंने कहा "अस्सलामु अ़लै-क या रसूलल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू" आप ने जवाब में फ़रमाया "व अ़लै-क"। उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी! फ़ुलाँ और फ़ुलाँ ने आपको सलाम किया तो आपने जवाब कुछ ज़्यादती के साथ दिया जो मुझे नहीं दिया। आपने फ़रमाया तुमने हमारे लिये कुछ बाक़ी ही न छोड़ा। फ़रमाने ख़ुदा है कि जब तुम पर सलाम किया जाये तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उसी को लौटा दो, इसलिये हमने वही अलफ़ाज़ लौटा दिये। यह रिवायत इब्ने अबी हातिम में भी इसी तरह मुअ़ल्लक़ मरवी है। इसे अबू बक्र बिन मरदूया ने रिवायत किया है और मैंने इसे मुस्नद में नहीं देखा। वल्लाहु आलम।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि सलाम के कलिमात में इससे ज़्यादती नहीं, अगर होती हो आँ हज़रत सल्ल. इस आख़िरी सहाबी के जवाब में वे लफ़्ज़ कह देते। मुस्नद अहमद में हैं कि एक शख़्स हुज़ूर सल्ल. के पास आये और "अस्सलामु अ़लैकुम या रसूलल्लाहि" कहकर बैठ गये। आपने जवाब दिया और फ़रमाया- दस नेकियाँ मिलीं। दूसरे आये और "अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि या रसूलल्लाहि" कहकर बैठ गये। आपने फ़रमाया बीस नेकियाँ मिलीं। फिर तीसरे साहिब आये उन्होंने कहा "अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू"। आपने फ़रमाया तीस नेकियाँ मिलीं। इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन ग़रीब बतलाते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. इस आयत को आ़म लेते हैं और फ़रमाते हैं कि ख़ल्क़ुल्लाह (अल्लाह की मख़्लूक़) में से जो कोई सलाम करे उसे जवाब दो अगरचे वह मजूसी (आग को पूजने वाला) हो। हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं कि सलाम का उससे बेहतर जवाब देना तो मुसलमानों के लिये है और उसी को लौटा देना ज़िम्मी लोगों के लिये है। लेकिन इस तफ़सीर में ज़रा नज़र (सोचने के लायक़ बात) है, जैसे कि ऊपर की हदीस में गुज़र चुका कि मुराद यह है कि उसके सलाम से अच्छा जवाब दे और अगर मुसलमान सलाम के सब ही अलफ़ाज़ कह दे तो फिर जवाब देने वाला उन्हीं को लौटा दे। ज़िम्मी लोगों को ख़ुद सलाम की पहल करना तो ठीक नहीं और वे ख़ुद करें तो जवाब में उतने ही अलफाज़ कह दे। सहीहैन में है कि जब कोई यहूदी तुम्हें सलाम करे तो ख़्याल रखो यह कह देते हैं "अस्सामु अ़लैकुम" (यानी तुम पर मौत हो) तो तुम कह दो "व अ़लै-क"। सही मुस्लिम में है कि यहूदी व ईसाई को तुम पहले सलाम न करो और जब रास्ते में आमना-सामना हो जाये तो उन्हें तंगी की तरफ़ परेशान कर दो।

इमाम हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि सलाम नफ़िल है और जवाब फ़र्ज़ है। और उलेमा-ए-किराम का फ़रमान भी यही है। पस अगर जवाब न देगा तो गुनाहगार होगा इसलिये कि सलाम के जवाब के लिये ख़ुदा का हुक्म है। बहुत से मुहद्दिसीन ने कहा है।

फिर अल्लाह तआ़ला अपनी तौहीद बयान फ़रमाता है और माबूद होने में अपना अकेला होना ज़ाहिर करता है। और इसमें एक तरह से क़सम भी है। इसी लिये दूसरे जुमले को लाम से शुरू किया जो क़सम के

जवाब में आता है। तो अगला जुमला ख़बर है और क़सम भी है कि वह अन्क़रीब तमाम अगले पिछलों को मैदाने मेहशर में जमा करेगा और वहाँ हर एक को उसके अ़मल का बदला दिया जायेगा। उस ख़ुदा से ज़्यादा सच्ची बात वाला कोई नहीं। उसकी ख़बर उसका वायदा उसकी वईद सब सच है। वही माबूदे बरहक़ है, उसके सिवा कोई मुरब्बी (पालने वाला) नहीं।

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ

फिर तुमको क्या हुआ कि इन मुनाफ़िक़ों के बारे में तुम दो गिरोह हो गए हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने उनको उल्टा फेर दिया उनके (बुरे) अ़मल के सबब, क्या तुम लोग इसका इरादा रखते हो कि ऐसे लोगों को हिदायत करो जिनको अल्लाह तआ़ला ने गुमराही में डाल रखा है, और जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराही में डाल दें उसके लिए कोई सबील न पाओगे। (88) वे इस तमन्ना में हैं कि जैसे वे काफ़िर हैं तुम भी काफ़िर बन जाओ, जिसमें तुम और वे सब एक तरह के हो जाओ, सो उनमें से किसी को दोस्त मत बनाना जब तक कि वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें, और अगर वे मुँह फेरें तो उनको पकड़ो और क़त्ल करो जिस जगह उनको पाओ, और न उनमें से किसी को दोस्त बनाओ और न मददगार बनाओ। (89) मगर जो लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे लोगों से जा मिलते हैं कि तुम्हारे और उनके दरमियान अ़हद है या ख़ुद तुम्हारे पास इस हालत से आएँ कि उनका दिल तुम्हारे साथ और तथा अपनी क़ौम के साथ लड़ने से मुन्क़बिज़ "यानी नाख़ुश और खिंचा हुआ" हो, और अगर अल्लाह तआ़ला चाहता तो उनको तुमपर मुसल्लत कर देता फिर वे तुमसे लड़ने लगते, फिर अगर वे तुमसे अलग रहें यानी तुमसे न लड़ें और तुमसे सलामत-रवी रखें तो अल्लाह तआ़ला ने तुमको उन पर कोई राह नहीं दी। (90) बाज़े ऐसे भी तुमको ज़रूर

يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۭ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۭ وَاُولٰۗىِٕكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ۧ

मिलेंगे कि वे यह चाहते हैं कि तुमसे भी बेख़ौफ़ होकर रहें और अपनी क़ौम से भी बेख़ौफ़ होकर रहें। जब कभी उनको शरारत की तरफ़ मुतवज्जह किया जाता है तो वे उसमें जा गिरते हैं, सो ये लोग अगर तुमसे किनारा करने वाले न हों और न तुमसे सलामत-रवी रखें और न अपने हाथों को रोकें तो तुम उनको पकड़ो और क़त्ल करो जहाँ कहीं उनको पाओ। और हमने तुमको उन पर साफ़ हुज्जत दी है। (91)

मुनाफ़िक़ों के बारे में सब की राय एक होनी चाहिये

इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि मुनाफ़िक़ों के किस मामले में मुसलमानों के दो क़िस्म के ख़्यालात हुए थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. जब मैदाने उहुद में तशरीफ़ ले गए तब आपके साथ मुनाफ़िक़ भी थे जो जंग से पहले ही वापस लौट आये थे, उनके बारे में बाज़ मुसलमान तो कहते थे कि उन्हें क़त्ल कर देना चाहिये और बाज़ कहते थे कि नहीं ये भी ईमान वाले हैं। इस पर यह आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- यह शहर तैयबा है, यह ख़ुद-बख़ुद मैल-कुचैल को इस तरह दूर कर देगा जिस तरह भट्टी लोहे के मैल-कुचैल को छाँट देती है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्ने इस्हाक़ में है कि सारा लश्कर जंगे उहुद में एक हज़ार था। अ़ब्दुल्लाह बिन अबी सलूल तीन सौ आदमियों को अपने साथ लेकर वापस लौट आया था और हुज़ूर सल्ल. के साथ फिर सात सौ ही रह गए थे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते है कि मक्का में कुछ लोग थे जो ईमान वाले थे लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुश्रिकों की मदद करते थे, ये अपनी किसी ज़रूरी हाजत के लिये मक्का से निकले। उन्हें यक़ीन था कि रसूले करीम सल्ल. के सहाबा से उनकी कोई रोक-टोक न होगी, क्योंकि बज़ाहिर कलिमे के क़ायल थे। उधर जब मदीना के मुसलमानों को इसका इल्म हुआ तो उनमें से बाज़ तो कहने लगे कि पहले इन नामर्दों से जिहाद करो, ये हमारे दुश्मनों के तरफ़दार हैं, और बाज़ों ने कहा सुब्हानल्लाह! जो लोग तुम जैसा कलिमा पढ़ते हैं तुम उनसे लड़ोगे? सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने हिजरत नहीं की और अपने घर नहीं छोड़े, हम किस तरह उनके ख़ून और उनके माल हलाल कर सकते हैं। उनका यह इख़्तिलाफ़ (अलग-अलग रायों का होना यानी आपसी मतभेद) रसूलुल्लाह सल्ल. के सामने पेश हुआ, आप ख़ामोश थे कि यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम)

हज़रत सईद बिन मुआज़ के लड़के फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर जब तोहमत लगाई गई और रसूले ख़ुदा सल्ल. ने मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया- कोई है जो मुझे इब्ने उबई की ईज़ा (तकलीफ़ देने) से बचाये? इस पर औस व ख़ज़रज के दरमियान जो इख़्तिलाफ़ हुआ उसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। इनके सिवा और अक़वाल भी हैं। अल्लाह ने उन्हें उनकी

नाफ़रमानी की वजह से हलाक कर दिया। उनकी हिदायत की कोई राह नहीं। ये तो चाहते हैं कि सच्चे मुसलमान भी इनकी तरह गुमराह हो जायें। इस क़द्र दुश्मनी इनके दिलों में है तो तुम्हें मनाही की जाती है कि जब तक ये हिजरत न करें इन्हें अपना न समझो, यह ख़्याल न करो कि ये तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं, बल्कि ये ख़ुद इस लायक़ हैं कि इनसे बाक़ायदा जिहाद किया जाये। फिर उनमें से उन हज़रात को अलग किया जाता है जो किसी ऐसी क़ौम की पनाह में चले जायें जिससे मुसलमानों का सुलह और अच्छे सुलूक का अ़हद व पैमान है, तो उनका हुक्म भी वही होगा जो मुआ़हिदे वाली क़ौम का है।

सुराक़ा बिन मालिक फ़रमाते हैं कि जब जंगे बदर और जंगे उहुद में मुसलमान ग़ालिब आये और आस पास के लोगों में इस्लाम का अच्छी तरह प्रचार हो गया तो मुझे मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्ल. का इरादा है कि ख़ालिद बिन वलीद को एक लश्कर देकर मेरी क़ौम बनू मुद्लज पर चढ़ाई के लिये रवाना फ़रमायें, तो मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा- मैं आपको एहसान याद दिलाता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा ख़ामोश रह, लेकिन हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया इसे कहने दो। कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरी क़ौम की तरफ़ लश्कर भेजने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे सुलह कर लें इस बात पर कि अगर क़ुरैश इस्लाम लायें वे भी मुसलमान हो जायेंगे और अगर वे इस्लाम न लायें तो उन पर भी आप चढ़ाई न करें। हुज़ूर सल्ल. ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. का हाथ अपने हाथ में लेकर फ़रमाया इनके साथ जाओ और इनके कहने के मुताबिक़ इनकी क़ौम से सुलह कर आओ। पस इस बात पर सुलह हो गई कि वे दीन के दुश्मनों की किसी क़िस्म की मदद नहीं करेंगे और अगर क़ुरैश इस्लाम लायें तो ये भी मुसलमान हो जायेंगे। पस अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी कि ये चाहते हैं कि तुम भी कुफ़्र करो जैसे वे कुफ़्र करते हैं, फिर तुम और वे बराबर हो जाओ। पस उनमें से किसी को दोस्त न जानो। यही रिवायत इब्ने मरदूया में है और उसमें है कि यह आयत नाज़िल हुईः

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ............. الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) पस जो भी उनसे मिल जाता वह उन्हीं की तरह पुर-अमन रहता। कलाम के अलफ़ाज़ से ज़्यादा मुनासबत इसी को है। सही बुख़ारी शरीफ़ में सुलह हुदैबिया के क़िस्से में है कि फिर जो चाहता मक्की कुफ़्फ़ार की जमाअ़त में दाख़िल हो जाता और अमन पा लेता और जो चाहता मदनी मुसलमानों से मिलता और अ़हद-नामे की वजह से अमन में हो जाता। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का क़ौल है कि इस हुक्म को फिर इस आयत ने मन्सूख़ कर दियाः

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ......... الخ

यानी जब हुर्मत वाले (सम्मानित) महीने गुज़र जायें तो मुश्रिकों से जिहाद करो जहाँ कहीं उन्हें पाओ। फिर एक दूसरी जमाअ़त का ज़िक्र हो रहा है जिसे इस हुक्म से अलग किया है जो मैदान में लाये जाते हैं लेकिन बेचारे बेबस होते हैं, वे न तुम से लड़ना चाहते हैं न तुम्हारे साथ मिलकर अपनी क़ौम से लड़ना पसन्द करते हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो न तुम्हारे दुश्मन कहे जाते हैं न दोस्त। यह भी अल्लाह का फ़ज़्ल है कि उसने उन लोगों को तुम पर मुसल्लत नहीं किया, अगर वह चाहता तो उन्हें ज़ोर व ताक़त देता और उनके दिल में डाल देता कि वे तुम से लड़ें। पस अगर ये तुम्हारी लड़ाई से बाज़ रहें और सुलह व सफ़ाई से एक तरफ़ हो जायें तो तुम्हें भी उनसे लड़ने की इजाज़त नहीं। इसी क़िस्म के लोग थे जो बदर वाले दिन बनू हाशिम के क़बीले में से मुश्रिकों के साथ आये थे। जो दिल से इसे नापसन्द रखते थे, जैसे हज़रत

अ़ब्बास रज़ि. वग़ैरह। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने हज़रत अ़ब्बास रज़ि. के क़त्ल को मना फ़रमा दिया और हुक्म दिया था कि उन्हें ज़िन्दा गिरफ़्तार कर लिया जाये। फिर एक और गिरोह का ज़िक्र किया जाता है जो बज़ाहिर तो ऊपर वालों जैसा है लेकिन दर असल नीयत में बहुत बुरा है। ये लोग मुनाफ़िक़ हैं। हुज़ूर सल्ल. के पास आकर इस्लाम ज़ाहिर करके अपने जान माल मुसलमानों से महफ़ूज़ करा लेते हैं। उधर कुफ़्फ़ार में मिलकर उनके झूठे माबूदों की पूजा करके उनमें से होना ज़ाहिर करके उनसे मिले रहते हैं, ताकि उनके हाथों से भी अमन रहे। दर असल ये लोग हैं काफ़िर। जैसे एक और जगह है कि अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ भी फ़रमाता है कि जब कभी फ़ितना उठाने की तरफ़ लौटाये जाते हैं तो जी खोलकर पूरी सक्रियता से उसमें हिस्सा लेते हैं जैसे कोई औंधे मुँह गिरा हुआ हो। फ़ितने से मुराद यहाँ शिर्क है। हज़रत मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि ये लोग भी मक्का वाले थे, यहाँ आकर निफ़ाक़ के तौर पर इस्लाम क़ुबूल करते थे और वहाँ जाकर उनके बुत पूजते थे तो मुसलमानों को फ़रमाया जाता है कि अगर ये इस मुनाफ़िक़ाना चलन से बाज़ न आयें, तुम्हें तकलीफ़ें पहुँचाने से अलग न हों, सुलह न करें तो उन्हें अमन व अमान न दो। उनसे भी जिहाद करो, उन्हें क़ैदी बनाओ और जहाँ पाओ क़त्ले आ़म करो। बेशक उन पर हमने तुम्हें स्पष्ट ग़लबा और खुली हुज्जत अ़ता फ़रमाई है।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا

और किसी मोमिन की शान नहीं कि वह किसी मोमिन को (पहल करते हुए) क़त्ल करे लेकिन ग़लती से, और जो शख़्स किसी मोमिन को ग़लती से क़त्ल कर दे तो उस पर एक मुसलमान ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना है, और ख़ून-बहा है जो उसके ख़ानदान वालों के हवाले कर दी जाए मगर यह कि वे लोग माफ़ कर दें। और अगर वह ऐसी क़ौम से हो जो तुम्हारे मुख़ालिफ़ हैं और वह शख़्स ख़ुद मोमिन है तो एक मुसलमान ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना, और अगर वह ऐसी क़ौम से हो कि तुममें और उनमें मुआ़हिदा हो तो ख़ून-बहा है जो उसके ख़ानदान वालों के हवाले कर दी जाए और एक मुसलमान ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना, फिर जिस शख़्स को न मिले तो लगातार दो महीने के रोज़े हैं तौबा के तौर पर, जो अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर हुई है, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। (92) और जो शख़्स किसी मुसलमान को जान-बूझकर क़त्ल कर डाले तो उसकी सज़ा

مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّلَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا○	जहन्नम है कि हमेशा-हमेशा को उसमें रहना है और उस पर अल्लाह तआ़ला ग़ज़बनाक होंगे और उसको अपनी रहमत से दूर कर देंगे, और उसके लिए बड़ी सज़ा का सामान करेंगे। (93)

बिना शरई वजह के मुसलमान का ख़ून बहाना जायज़ नहीं

इरशाद होता है कि किसी मुसलमान को लायक़ नहीं कि किसी हाल में अपने मुसलमान भाई का नाहक़ ख़ून करे। सहीहैन में है, रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं- किसी मुसलमान का जो अल्लाह के एक होने की और मेरे रसूल होने की गवाही देता हो, ख़ून बहाना जायज़ नहीं, मगर तीन हालतों में- एक तो यह कि उसने किसी को क़त्ल कर दिया हो, दूसरे शादीशुदा होकर ज़िना किया हो, तीसरे यह कि इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो गया हो। फिर यह भी याद रहे कि जब इन तीनों कामों में से कोई काम किसी से वाक़े हो जाये तो रियाया में से किसी को उसके क़त्ल का इख़्तियार नहीं, इमाम या नायब इमाम का यह मन्सब है।

इस आयत की शाने नुज़ूल में एक क़ौल तो यह मरवी है कि अ़य्याश बिन अबी रबीआ़ जो अबू जहल का माँ की तरफ़ से भाई था, जिसकी माँ का नाम अस्मा बिन्ते मख़्रमा था, उसके बारे में उतरी है, कि उसने एक शख़्स को क़त्ल कर डाला था जिसे वह इस्लाम लाने की वजह से सज़ायें दे रहा था, यहाँ तक कि उसकी जान ले ली। उनका नाम हारिस बिन यज़ीद आ़मिरी था। हज़रत अ़य्याश के दिल में यह ख़ार रह गया और उन्होंने ठान ली कि मौक़ा पाकर उसे क़त्ल कर दूँगा। अल्लाह तआ़ला ने कुछ दिनों बाद क़ातिल को ख़ुद भी इस्लाम की हिदायत दी, वह मुसलमान हो गए और हिजरत भी कर ली लेकिन हज़रत अ़य्याश को यह मालूम न था। फ़त्हे मक्का वाले दिन यह उनकी नज़र पड़ गये, यह जान कर कि यह अब तक कुफ़्र पर हैं उन पर अचानक हमला कर दिया और क़त्ल कर दिया। इस पर यह आयत उतरी।

दूसरा क़ौल यह है कि यह आयत हज़रत अबू दर्दा रज़ि. के बारे में नाज़िल हुई है जबकि उन्होंने एक काफ़िर पर हमला किया अभी तलवार उठाई ही थी कि उसने कलिमा पढ़ लिया, लेकिन उनकी तलवार चल गई और उसे क़त्ल कर डाला। जब हुज़ूर सल्ल. से यह वाक़िआ़ बयान हुआ तो हज़रत अबू दर्दा रज़ि. ने अपना यह उज़्र बयान किया कि उसने सिर्फ़ जान बचाने की ग़र्ज़ से कलिमा पढ़ा था। आप नाराज़ होकर फ़रमाने लगे क्या तुमने उसका दिल चीरकर देखा था? यह वाक़िआ़ सही हदीस में भी है लेकिन वहाँ नाम दूसरे सहाबी का है।

फिर ग़लती से क़त्ल करने का ज़िक्र हो रहा है कि इसमें दो चीज़ें वाजिब हैं, एक तो ग़ुलाम आज़ाद करना दूसरे दियत देना। उस ग़ुलाम के लिये भी यह शर्त है कि वह ईमान वाला हो, काफ़िर को आज़ाद करना काफ़ी न होगा। छोटा नाबालिग़ बच्चा भी काफ़ी न होगा। जब तक कि वह अपने इरादे से ईमान का इरादा करने वाला और इतनी उम्र का न हो। इमाम इब्ने जरीर का मुख़्तार क़ौल यह है कि अगर उसके माँ बाप दोनों मुसलमान हों तो जायज़ है वरना जायज़ नहीं। जमहूर का मज़हब यह है कि मुसलमान होना शर्त है, छोटे बड़े की कोई क़ैद नहीं। एक अन्सारी सहाबी रज़ि. काले रंग की एक बाँदी को लेकर हुज़ूर सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और कहते हैं- मेरे ज़िम्मे एक मुसलमान गर्दन का आज़ाद करना है, अगर यह

मुसलमान हो तो मैं इसे आज़ाद कर दूँ? आपने उस बाँदी से पूछा क्या तू गवाही देती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? उसने कहा हाँ। आपने फ़रमाया क्या इस बात की भी गवाही देती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा हाँ। फ़रमाया क्या मरने के बाद जी उठने की भी तू क़ायल है? उसने कहा हाँ। आप सल्ल. ने फ़रमाया इसे आज़ाद कर दो। इसकी सनद सही है और सहाबी कौन थे इसका ज़िक्र न होना सनद में कोई कमज़ोरी पैदा नहीं करता। यह रिवायत हदीस की और बहुत सी किताबों में इस तरह है कि आपने उससे पूछा- अल्लाह कहाँ है? उसने कहा आसमानों में। दरियाफ़्त किया मैं कौन हूँ? जवाब दिया आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फ़रमाया इसे आज़ाद कर दो यह ईमान वाली है।

पस एक तो गर्दन आज़ाद करना वाजिब है दूसरे ख़ून-बहा (दियत) देना जो मक़्तूल के घर वालों को सौंप दिया जायेगा। यह बदला है उनके मक़्तूल का। यह दियत सौ ऊँट है, पाँच क़िस्मों के बीस तो दूसरी साल के उम्र की ऊँटनियाँ और बीस इसी उम्र के ऊँट और बीस तीसरे साल में लगी हुई ऊँटनियाँ और बीस पाँचवीं साल में लगी हुई और बीस चौथे साल में लगी हुई। यही फ़ैसला ग़लती से क़त्ल हो जाने के ख़ून-बहा का रसूलुल्लाह सल्ल. ने किया है। मुलाहिज़ा हो सुनन व मुस्नद अहमद। यह हदीस हज़रत अ़ब्दुल्लाह पर मौक़ूफ़न मरवी है। हज़रत अ़ली रज़ि. और एक जमाअ़त से भी यही मन्क़ूल है और यह भी कहा गया है कि यह दियत चार चौथाईयों में बंटी हुई है। यह ख़ून-बहा क़त्ल के आ़क़िला और उसके अ़सबा यानी वारिसों के बाद के क़रीबी रिश्तेदारों पर है, उसके अपने माल पर नहीं। इमाम शाफ़ई रह. फ़रमाते हैं कि मैं इस मामले में किसी को मुख़ालिफ़ (विरोध करने वाला) नहीं जानता कि हुज़ूर सल्ल. ने दियत का फ़ैसला उन्हीं लोगों पर किया है और यह हदीस ख़ास्सा से अक्सर है। इमाम साहिब जिन हदीसों की तरफ़ इशारा करते हैं वे बहुत सी हैं।

सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से मरवी है कि हुज़ैल क़बीला की दो औ़रतें आपस में लड़ीं, एक ने दूसरी को एक पत्थर मारा वह हामिला (गर्भवती) थी, बच्चा भी ज़ाया हो गया और वह भी मर गई। क़िस्सा आँ हज़रत सल्ल. के पास आया तो आपने यह फ़ैसला किया कि उस बच्चे के बदले तो एक जान बाँदी या गुलाम और मक़्तूला औ़रत के बदले दियत। और वह दियत क़ातिला औ़रत के हक़ीक़ी वारिसों के बाद रिश्तेदारों के ज़िम्मे है। इससे यह भी मालूम हुआ कि जो जान-बूझकर ग़लती से किया हुआ क़त्ल है वह भी हुक्म में ग़लती से हुए क़त्ल के जैसा है, यानी दियत के एतिबार से, हाँ उसमें दियत की तक़सीम तीन हिस्सों पर होगी, तीन हिस्से होंगे क्योंकि उसमें जान-बूझकर क़त्ल करने की शबाहत (ज़ाहिरी समानता) की भी है। सही बुख़ारी शरीफ़ में है, बनू जुज़ैमा की जंग के लिये हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि. को हुज़ूर सल्ल. ने एक लश्कर पर सरदार बनाकर भेजा, उन्होंने जाकर उन्हें दावते इस्लाम दी, उन्होंने दावत तो क़बूल कर ली लेकिन अज्ञानता (जानकारी न होने) के सबब बजाय 'अस्लमना' (यानी हम मुसलमान हुए) के 'सबअ्ना' कहा (यानी हम बेदीन हुए)। हज़रत ख़ालिद ने उन्हें क़त्ल करना शुरू कर दिया। जब हुज़ूर सल्ल. को यह ख़बर पहुँची तो आपने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अ़र्ज़ की या अल्लाह! ख़ालिद के इस फ़ेल से मैं अपनी बेज़ारी और बराअत तेरे सामने ज़ाहिर करता हूँ। फिर हज़रत अ़ली रज़ि. को बुलाकर उन्हें भेजा कि जाओ उनके मक़्तूलों की दियत चुका आओ और जो उनका माली नुक़सान हुआ हो उसे भी कोड़ी-कोड़ी चुका आओ। इससे साबित हुआ कि इमाम या नायब की ख़ता का बोझ बैतुल-माल (इस्लामी सरकार के ख़ज़ाने) पर होगा।

फिर फ़रमाता है कि ख़ून-बहा जो वाजिब है अगर मक़्तूल के वारिस ख़ुद ही उसका मुतालबा छोड़ दें यानी न लें तो उन्हें इख़्तियार है वे सदक़े के तौर पर उसे माफ़ कर सकते हैं।

फिर फ़रमान है कि अगर मक़्तूल (क़त्ल होने वाला) मुसलमान हो लेकिन उसके वारिस हरबी काफ़िर (यानी ऐसे काफ़िर जिनसे मुसलमानों की जंग जारी हो) हों तो क़ातिल पर दियत नहीं। क़ातिल पर इस सूरत में सिर्फ़ गर्दन को (यानी किसी मुसलमान ग़ुलाम को) आज़ाद करना है। और अगर उसके वली वारिस उस क़ौम में से हों जिनसे तुम्हारी सुलह और अ़हद व पैमान है तो दियत देनी पड़ेगी। अगर मक़्तूल मोमिन था तो कामिल ख़ून-बहा और अगर मक़्तूल काफ़िर था तो बाज़ के नज़दीक तो पूरी दियत है, बाज़ के नज़दीक आधी, बाज़ के नज़दीक तिहाई। मसाईल व अहकाम की किताबों में इसकी तफ़सील देखी जा सकती है। और क़ातिल मोमिन गर्दन को आज़ाद करना भी लाज़िम है। अगर किसी को इसकी ताक़त तंगदस्ती और ग़ुर्बत की वजह से न हो तो उसके ज़िम्मे दो महीने के रोज़े हैं जो लगातार पे दर पे रखने होंगे। अगर किसी शरई उज़्र जैसे हैज़ (माहवारी), बीमारी या निफ़ास के बग़ैर कोई रोज़ा बीच में से छोड़ दिया तो फिर नये सिरे से रोज़े शुरू करने पड़ेंगे। सफ़र के बारे में दो क़ौल हैं। एक तो यह कि यह भी शरई उज़्र है, दूसरा यह कि यह उज़्र नहीं।

फिर फ़रमाता है कि ग़लती से क़त्ल की तौबा की यह सूरत है कि ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो रोज़े रख ले और जिसे रोज़ों की भी ताक़त न हो वह मिस्कीनों को खिला सकता है या नहीं? तो एक क़ौल तो यह है कि साठ मिस्कीनों को खिला दे जैसा कि ज़िहार के कफ़्फ़ारे में है, वहाँ साफ़ बयान फ़रमा दिया। यहाँ इसलिये बयान नहीं किया गया कि यह डराने और ख़ौफ़ दिलाने का मुक़ाम है, आसानी की सूरत अगर बयान कर दी जाती तो हैबत व अ़ज़्मत इतनी बाक़ी न रहती। दूसरा क़ौल यह है कि रोज़े के अ़लावा कुछ नहीं, अगर होता तो बयान के साथ ही बयान कर दिया जाता। हाजत के वक़्त बयान को मोअख़्ख़र करना (यानी बाद के लिये छोड़ देना) ठीक नहीं। अल्लाह अ़लीम (हर चीज़ का जानने वाला) व हकीम (हर काम और हुक्म में हिक्मत वाला) है। इसकी तफ़सीर कई मर्तबा गुज़र चुकी है। ग़लती से हुए क़त्ल के बाद अब जान-बूझकर किये गये क़त्ल का बयान हो रहा है। इसकी सख़्ती बुराई और निहायत ताकीद वाली ख़ौफ़नाक वईद (सज़ा की धमकी और डाँट बयान) फ़रमाई जा रही है यह वह गुनाह है जिसे ख़ुदा तआ़ला ने शिर्क के साथ मिला दिया है। फ़रमाया है:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ .... الخ

यानी मुसलमान बन्दे वे हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ठहराकर नहीं पुकारते, और न वे किसी शख़्स को नाहक़ क़त्ल करते हैं। दूसरी जगह फ़रमान है:

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .... الخ

(सूरः अन्आ़म आयत 151)

यहाँ भी अल्लाह के हराम किये हुए कामों का ज़िक्र करते हुए शिर्क और क़त्ल का ज़िक्र फ़रमाया है। और भी इस मज़्मून की आयतें बहुत सी हैं और हदीसें भी इस बाब में बहुत सी वारिद हुई हैं। मुस्लिम व बुख़ारी में है कि सबसे पहले क़ियामत के दिन ख़ून का फ़ैसला होगा। अबू दाऊद में है कि ईमान वाला नेकियों और भलाईयों में बढ़ता रहता है जब तक कि नाहक़ ख़ून न करे, अगर ऐसा कर लिया तो तबाह हो जाता है। एक और हदीस में है सारी दुनिया का ज़वाल ख़ुदा के नज़दीक एक मुसलमान के क़त्ल से कम

दर्जे का है। एक और हदीस में है कि अगर तमाम रू-ए-ज़मीन के और आसमान के लोग किसी एक मुसलमान के क़त्ल में शरीक हों तो अल्लाह सब को औंधे मुँह जहन्नम में डाल दे। एक और हदीस में है जिस शख़्स ने किसी मुसलमान के क़त्ल पर आधे कलिमे से भी मदद की (यानी किसी को उकसाया या सहारा दिया) वह क़ियामत के दिन ख़ुदा के सामने इस हालत में आयेगा कि उसकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा कि यह शख़्स ख़ुदा की रहमत से मेहरूम है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का तो क़ौल है कि जिसने मोमिन को जान-बूझकर क़त्ल किया उसकी तौबा क़बूल ही नहीं। कूफ़ा वाले जब इस मसले में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) करते हैं तो इब्ने ज़ुबैर रह. इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के पास आकर दरियाफ़्त करते हैं, आप फ़रमाते हैं कि यह आख़िरी आयत है जिसे किसी आयत ने मन्सूख़ नहीं किया और आप फ़रमाते हैं कि दूसरी आयत "वल्लज़ी-न ला यदूऊ-न मअ़ल्लाहि.............." (यानी सूरः फ़ुरक़ान आयत 68) है जिसमें तौबा का ज़िक्र है। वह मुश्रिकों के बारे में नाज़िल हुई है।

पस जबकि किसी शख़्स ने इस्लाम की हालत में किसी मुसलमान को बिना किसी शरई वजह के क़त्ल किया तो उसकी सज़ा जहन्नम है और उसकी तौबा क़बूल नहीं। हज़रत मुजाहिद रह. से जब हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का यह क़ौल नक़ल हुआ तो फ़रमाने लगे मगर जो नादिम (शर्मिन्दा) हो। सालिम बिन अबू जुअ़द रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. जब नाबीना हो गये थे एक मर्तबा हम उनके पास बैठे हुए थे कि एक शख़्स आया और आपको आवाज़ देकर पूछा कि उसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जिसने किसी मोमिन को जान-बूझकर मार डाला हो? आपने फ़रमाया उसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा। अल्लाह तआ़ला का उस पर ग़ज़ब है, उस पर ख़ुदा की लानत है और उसके लिये बड़ा अ़ज़ाब तैयार है। उसने फिर पूछा अगर वह तौबा करे, नेक अ़मल करे और हिदायत पर जम जाये? आप फ़रमाने लगे उसकी माँ उसे रोये, उसे तौबा और हिदायत कहाँ? उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने तुम्हारे नबी सल्ल. से सुना है कि उसकी माँ उसे रोये जिसने मोमिन को जान-बूझकर मार डाला है, वह क़ियामत के दिन उसे दायें-बायें हाथ से थामे हुए रहमान के अ़र्श के सामने लायेगा। उसकी रगों में से ख़ून उछल रहा होगा, और अल्लाह से कहेगा कि ख़ुदाया इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों क़त्ल किया? उस ख़ुदा की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद हुज़ूर सल्ल. की वफ़ात तक इसे मन्सूख़ (निरस्त) करने वाली कोई आयत नहीं उतरी। एक और रिवायत में इतना और भी है कि न हुज़ूर सल्ल. के बाद कोई 'वही' उतरेगी। हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान, उबैद बिन उमैर, ज़ह्हाक रहमतुल्लाहि अ़लैहिम भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के ख़्याल के साथ हैं।

इब्ने मरदूया में है कि मक़्तूल अपने क़ातिल को पकड़ कर क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने लायेगा दूसरे हाथ से अपना सर उठाये हुए होगा और कहेगा ऐ मेरे रब! इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों क़त्ल किया? क़ातिल कहेगा परवर्दिगार! इसलिये कि तेरी इज़्ज़त हो। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा पस यह मेरी राह में है। दूसरा मक़्तूल भी अपने क़ातिल को पकड़े हुए लायेगा और यही कहेगा। क़ातिल जवाब में कहेगा इसलिये कि फ़ुलाँ की इज़्ज़त हो। अल्लाह फ़रमायेगा इसका गुनाह वह लेकर लौटा। फिर उसे आग में झोंक दिया जायेगा। जिस गड्ढे में सत्तर साल तक तो नीचे ही चलता जायेगा। मुस्नद अहमद में है- मुम्किन है कि अल्लाह तआ़ला तमाम गुनाह बख़्श दे लेकिन एक तो वह शख़्स जो कुफ़्र की हालत में मरा, दूसरा वह जो किसी मोमिन का जान-बूझकर क़ातिल बना, इन दो के गुनाह कभी माफ़ न होंगे।

इब्ने मरदूया में भी ऐसी ही हदीस है और वह बिल्कुल ग़रीब है। महफ़ूज़ वह हदीस है जो सनद के हवाले से बयान हुई। इब्ने मरदूया में एक और हदीस है कि जान-बूझकर ईमान वाले को मार डालने वाला काफ़िर है। यह हदीस मुन्कर है और इसकी सनद में बहुत कलाम है। हुमैद कहते हैं कि मेरे पास अबुल-आ़लिया आये, मेरे एक दोस्त भी उस वक़्त मेरे पास थे। हम से कहने लगे तुम दोनों मुझसे कम उम्र और ज़्यादा हिफ़्ज़ वाले हो, आओ मेरे साथ बशीर बिन आ़सिम के पास चलो। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत बशीर ने फ़रमाया- इन्हें भी वह हदीस सुना दो। उन्होंने सुनानी शुरू की कि उक़्बा बिन मालिक लैसी रज़ि. ने कहा- रसूलुल्लाह सल्ल. ने एक छोटा सा लश्कर भेजा था। उसने एक क़ौम पर छापा मारा, वे भाग खड़े हुए, उनके साथ एक शख़्स भागा जा रहा था, उसके पीछे एक लश्करी भागा, जब उसके क़रीब नंगी तलवार लिये हुए पहुँच गया तो उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। इसने कुछ ख़्याल न किया तलवार चला दी। इस वाक़िए की ख़बर हुज़ूर सल्ल. को हुई तो आप बहुत नाराज़ हुए और सख़्त व सुस्त कहा। यह ख़बर उस शख़्स को पहुँची। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्ल. ख़ुतबा पढ़ रहे थे कि उस क़ातिल ने कहा- हुज़ूर! ख़ुदा की क़सम उसने तो यह बात सिर्फ़ क़त्ल से बचने के लिये कही थी। आपने उसकी तरफ़ से निगाह फेर ली और ख़ुतबा सुनाते रहे। उसने दोबारा कहा, आपने फिर मुँह मोड़ लिया। उससे सब्र न हो सका तीसरी बार कहा, तो आपने उसकी तरफ़ तवज्जोह की और नाराज़गी आपके चेहरे से टपक रही थी, फ़रमाने लगे मोमिन के क़ातिल पर अल्लाह का इनकार है (यानी वह अल्लाह की रहमत से मेहरूम है) तीन बार यही फ़रमाया। यह रिवायत नसाई में भी है।

क़ातिल का हुक्म

पस एक मज़हब तो यह हुआ कि मोमिन के क़ातिल की तौबा नहीं। दूसरा मज़हब यह है कि तौबा उसके और ख़ुदा के दरमियान है। पहले और बाद के जमहूर उलेमा का यही मज़हब है कि अगर उसने तौबा की, ख़ुदा की तरफ़ रुजू किया, दिल से उसमें लगा रहा, नेक आमाल करने लग गया तो अल्लाह उसकी तौबा क़बूल कर लेगा और मक़्तूल को अपने पास से बदला देकर उसे राज़ी कर लेगा। अल्लाह फ़रमाता है:

اِلَّا مَنْ تَابَ......... الخ

(हाँ मगर यह कि जो तौबा कर ले) यह ख़बर है (यानी कोई हुक्म नहीं, हुक्म में बदलाव हो सकता है) और ख़बर में नस्ख़ का एहतिमाल (यानी उसके निरस्त होने का शुब्हा) ही नहीं, और उस आयत को मुश्रिकों के बारे में और इस आयत को मोमिनों के बारे में ख़ास करना यह ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है और किसी साफ़ दलील का मोहताज है। वल्लाहु आलम।

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ......... الخ

ऐ मेरे वे बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है तुम मेरी रहमत से मायूस न होओ।

यह आयत अपने आ़म होने के एतिबार से हर गुनाह को शामिल है, चाहे कुफ़्र व शिर्क हो चाहे शक व निफ़ाक़ हो, चाहे क़त्ल व बदकारी हो, चाहे कुछ ही हो। जो अल्लाह की तरफ़ रुजू करे अल्लाह उसकी तरफ़ मुतवज्जह होगा, जो तौबा करे अल्लाह उसे माफ़ फ़रमायेगा। अल्लाह का फ़रमान है:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ......... الخ

अल्लाह तआला शिर्क को तो बख़्शता नहीं, इसके सिवा तमाम गुनाह जिसे चाहे बख़्श दे।

अल्लाह की करीमी के सदके़ जाईये कि उसने इसी सूरत में इसी आयत से पहले भी जिसकी तफ़सीर अब हम कर रहे हैं अपनी आ़म बख़्शिश की आयत नाज़िल फ़रमाई और फिर इस आयत के बाद ही इसी तरह अपनी आ़म बख़्शिश का ऐलान फिर दिया ताकि बन्दों को उसकी कामिल मग़फ़िरत की कामिल उम्मीद हो जाये। वल्लाहु आलम।

रहमत का मामला

बुख़ारी व मुस्लिम की वह हदीस भी इस मौक़े पर याद रखने के क़ाबिल है जिसमें है कि एक बनी इस्राईली ने एक सौ क़त्ल किये थे। फिर एक आ़लिम से पूछता है कि क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? वह जवाब देता है कि तुझमें और तेरी तौबा में कौन है जो बाधा हो? और उसे कहता है कि तू इस बुरी बस्ती को छोड़कर नेकों के शहर में जा बस। चुनाँचे यह हिजरत करता है और रास्ते ही में मर जाता है और रहमत के फ़रिश्ते उसे ले जाते हैं। यह हदीस पूरी-पूरी कई मर्तबा बयान हो चुकी है, जबकि बनी इस्राईल में यह है तो इस उम्मते मरहूमा में क़ातिल की तौबा के दरवाज़े बन्द क्यों हों? उन पर तो हमसे बहुत ज़्यादा पाबन्दियाँ थीं, जिन सबसे ख़ुदा ने हमें आज़ाद कर दिया और रहमतुल-लिल्आ़लमीन जैसे सरदारे अम्बिया को भेजकर वह दीन हमें दिया जो आसानियों और राहतों वाला, सीधा साफ़ और सहल है।

पस अब यहाँ जो सज़ा क़ातिल की बयान फ़रमाई है उससे यह मुराद है कि उसकी सज़ा यह है अगर उसे सज़ा दे। चुनाँचे हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. और पहले बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त यही फ़रमाती है, बल्कि इस मायने की एक हदीस भी इब्ने मरदूया में है, लेकिन सनद के एतिबार से वह सही नहीं। और इसी तरह हर वईद (धमकी और डाँट) का मतलब यही है कि अगर कोई नेक अ़मल वग़ैरह उसके मुक़ाबले में नहीं तो इस बदी का बदला वह है जो वईद में बयान हुआ। और यही तरीक़ा वईद के बारे में हमारे नज़दीक निहायत दुरुस्त और सही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

और क़ातिल के जहन्नम में जाने की सूरत में भी चाहे वह बक़ौल इब्ने अ़ब्बास वग़ैरह तौबा न होने की वजह से हो चाहे बक़ौल जमहूर दूसरा नेक अ़मल निजात दिलाने वाला न होने की वजह से हो, वह हमेशा जहन्नम में न रहेगा बल्कि यहाँ 'हमेशा' से मुराद बहुत देर तक रहना है। जैसा कि मुतवातिर हदीसों से साबित है कि जहन्नम से वे भी निकल आयेंगे जिनके दिल में राई के छोटे से छोटे दाने के बराबर भी ईमान होगा।

ऊपर जो एक हदीस बयान हुई कि मुम्किन है कि अल्लाह तआ़ला तमाम गुनाहों को सिवाय कुफ़्र और मोमिन के क़त्ल के माफ़ फ़रमा दे, उसमें 'अ़सा' का लफ़्ज़ उम्मीद के लिये है तो इन दोनों सूरतों में उम्मीद का अगरचे उठ जाना है फिर भी ऐसा होना इन दोनों में से एक के लिये नहीं उठता और वह क़त्ल है। क्योंकि शिर्क व कुफ़्र का माफ़ न होना तो क़ुरआन के अलफ़ाज़ से साबित हो चुका और जो हदीसें गुज़रीं जिनमें है कि क़ातिल को मक़्तूल लेकर आयेगा यह बिल्कुल ठीक हैं। चूँकि इसमें इनसानी हक़ है, वह तौबा से टल नहीं जाता। बल्कि इनसानी हक़ तो तौबा होने की सूरत में भी हक़दार को पहुँचाना ज़रूरी है। इसमें जिस तरह क़त्ल है इसी तरह चोरी है, हक़ दबाना और छीनना है, किसी पर तोहमत लगाना है और दूसरे

इनसानी हक़ूक़ हैं जिनका तौबा से माफ़ न होना सब के नज़दीक साबित है, बल्कि तौबा के सही होने की शर्त है। उन हुक़ूक़ को अदा करे और जब अदायगी मुहाल है तो क़ियामत के दिन इसका मुतालबा ज़रूरी है। लेकिन मुतालबे से सज़ा का वाक़े होना ज़रूरी नहीं। मुम्किन है कि क़ातिल के और सब नेक आमाल मक़्तूल को दे दिये जायें या कुछ दे दिये जायें और उसके पास फिर भी कुछ रह जायें और यह बख़्श दिया जाये। और यह भी मुम्किन है कि क़ातिल का मुतालबा अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व करम से अपने पास से और अपनी तरफ़ से हूरों, जन्नती महलों और जन्नत के बुलन्द दर्जे देकर पूरा कर दे और उसके बदले में वह अपने क़ातिल से दरगुज़र (माफ़) करने पर ख़ुश हो जाये और क़ातिल को ख़ुदा बख़्श दे, वग़ैरह। वल्लाहु आलम।

क़ातिल पर मक़्तूल के वारिसों को तरजीह

जान-बूझकर मार डालने वाले के लिये कुछ तो दुनियावी अहकाम हैं और कुछ आख़िरत के। दुनिया में तो अल्लाह ने मक़्तूल के वलियों को उस पर ग़लबा दिया है। फ़रमाता हैः

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا............. الخ

जो ज़ुल्म से क़त्ल किया जाये हमने उसके पीछे वालों (यानी वारिसों) को ग़लबा दिया है। उन्हें इख़्तियार है कि या तो बदला ले लें यानी क़ातिल को भी क़त्ल करायें या माफ़ कर दें। या दियत यानी ख़ून-बहा अर्थात जुर्माना वसूल कर लें और उसके जुर्माने में सख़्ती है।

तीन क़िस्मों पर है, तीस चौथे साल की उम्र लगे हुए ऊँट और तीस पाचवें साल में लगे हुए और चालीस ग्याभन ऊँटनियाँ जैसा कि अहकाम व मसाईल की किताबों में साबित है। इसमें इमामों ने इख़्तिलाफ़ किया है (यानी अलग-अलग रायें दी हैं) कि उस पर ग़ुलाम का आज़ाद करना या दो माह के लगातार रोज़े रखना या खाना खिलाना है या नहीं? पस इमाम शाफ़ई रह. और उनके साथियों और उलेमा की एक जमाअ़त तो इसकी क़ायल है कि जब ख़ता (ग़लती से क़त्ल करने) में यह है तो जान-बूझकर में तो और भी लाज़िम होना चाहिये। और उन पर जवाब में झूठी ग़ैर-शरई क़सम के कफ़्फ़ारे को पेश किया गया है और उन्होंने इसका उज़्र जान-बूझकर छोड़ी हुई नमाज़ की क़ज़ा को बनाया है जैसा कि इस पर इजमा (सब की एक राय) है ख़ता (ग़लती से क़त्ल होने) में। इमाम अहमद के असहाब और दूसरे कहते हैं कि जान-बूझकर किया गया क़त्ल कफ़्फ़ारे से बहुत बढ़-चढ़कर है। इसलिये इसमें कफ़्फ़ारा नहीं। और इसी तरह झूठी क़सम और उनके लिये दोनों सूरतों में और जान-बूझकर छोड़ी हुई नमाज़ में फ़र्क़ करने की कोई राह नहीं। इसलिये कि ये जान-बूझकर छोड़ी हुई नमाज़ की क़ज़ा के वाजिब होने के क़ायल हैं। अगली जमाअ़त की एक दलील यह हदीस भी है जो मुस्नद अहमद में मरवी है कि लोग हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ि. के पास आये और कहा कोई ऐसी हदीस सुनाओ जिसमें कमी-ज़्यादती न हो, तो वह बहुत नाराज़ हुए और फ़रमाने लगे क्या तुम क़ुरआन लेकर जब पढ़ते हो तो उसमें कमी-ज़्यादती भी करते हो? उन्होंने कहा हज़रत हमारा मतलब यह है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल. से आपने जो सुनी हो। कहा हम हुज़ूर सल्ल. के पास अपने एक आदमी के बारे में गए जिसने क़त्ल करके ख़ुद को जहन्नमी बना लिया था। आपने फ़रमाया इसकी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। उसके एक एक हिस्से के बदले इसका एक एक हिस्सा अल्लाह तआ़ला जहन्नम से आज़ाद करेगा।

ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में सफ़र किया करो तो (हर काम को) तहक़ीक़ (करके किया) करो, और ऐसे शख़्स को जो कि तुम्हारे सामने इताअ़त ज़ाहिर करे दुनियावी ज़िन्दगी के सामान की ख़्वाहिश में यूँ मत कह दिया करो कि तू मुसलमान नहीं, क्योंकि ख़ुदा के पास बहुत ग़नीमत के माल हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे फिर अल्लाह तआ़ला ने तुमपर एहसान किया सो ग़ौर करो, बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे अ़मल की पूरी ख़बर रखते हैं। (94)	يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

एहतियात का हुक्म

तिर्मिज़ी वग़ैरह में एक सही हदीस में है कि बनू सुलैम का एक शख़्स बकरियाँ चराता हुआ सहाबा की एक जमाअ़त के पास से गुज़रा और सलाम किया तो सहाबा आपस में कहने लगे यह मुसलमान तो है नहीं, सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिये सलाम करता है। चुनाँचे उसे क़त्ल कर दिया और बकरियाँ लेकर चले आये। इस पर यह आयत उतरी। यह हदीस तो सही है लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको मजरूह क़रार दिया है कि सिमाक रावी से सिवाय इस सनद के और कोई मख़्रज ही इसका नहीं। और यह कि इक्रिमा से इसके रिवायत करने में भी ताम्मुल (शंका) है। और यह कि इस आयत की शाने नुज़ूल में और वाक़िआ़त भी नक़ल किये गये हैं। बाज़ कहते हैं कि मुहल्लम बिन जस्सामा के बारे में उतरी है। बाज़ कहते हैं कि उसामा बिन ज़ैद रज़ि. के बारे में नाज़िल हुई है और इसके अ़लावा भी अक़्वाल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सब कलाम क़ाबिले रद्द है। सिमाक से इसे बहुत से बड़े इमामों ने रिवायत किया है। इक्रिमा से सही में दलील ली गई है। यही रिवायत दूसरे तरीक़ (सनद) से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से सही बुख़ारी में मरवी है। सईद बिन मन्सूर में भी मौजूद है। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स को उसके वालिद और उसकी क़ौम ने अपने इस्लाम की ख़बर पहुँचाने के लिये रसूलुल्लाह सल्ल. की ख़िदमत में भेजा, रास्ते में उसकी हुज़ूर सल्ल. के भेजे हुए लश्कर से रात के वक़्त मुलाक़ात हो गई। उसने उनसे कहा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन उन्हें यक़ीन न आया और उसे दुश्मन समझ कर क़त्ल कर डाला। उनके वालिद को जब यह इल्म हुआ तो यह ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर हुए और वाक़िआ़ बयान किया, चुनाँचे आपने उन्हें एक हज़ार दीनार दिये और दियत अदा की और उन्हें इ़ज़्ज़त के साथ रुख़्सत किया, इस पर यह आयत उतरी।

मुहल्लम बिन जस्सामा का वाक़िआ़ यह है कि हुज़ूर सल्ल. ने अपना एक छोटा सा लश्कर इज़म की तरफ़ भेजा। जब यह लश्कर इज़म के बीच में पहुँचा तो आ़मिर बिन अज़्बत अश्जई अपनी सवारी पर सवार मय असबाब के आ रहे थे, पास पहुँचकर सलाम किया। सब तो रुक गये लेकिन मुहल्लम बिन जस्सामा ने

कुछ आपस की बिना पर उस पर झपट कर हमला कर दिया, उन्हें क़त्ल कर डाला और सामान क़ब्ज़े में कर लिया। फिर हम हुज़ूर सल्ल. के पास पहुँचे और आप से यह वाक़िआ बयान किया। इस पर यह आयत उतरी। एक और रिवायत में है कि आ़मिर ने इस्लामी तरीक़े के मुताबिक़ सलाम किया था लेकिन जाहिलीयत की पहली दुश्मनी के कारण मुहल्लम ने उसे तीर मारकर मार डाला। आपने यह ख़बर पाकर आ़मिर के लोगों से कहा सुना, लेकिन उयैना ने कहा नहीं नहीं! अल्लाह की क़सम जब तक उसकी औ़रतों पर भी वही मुसीबत न आये जो मेरी औ़रतों पर आई।

नबी की बददुआ़ और उसका असर

मुहल्लम अपनी दोनों चादरें ओढ़े हुए आये और रसूले करीम सल्ल. के सामने बैठ गये, इस उम्मीद पर कि हुज़ूर सल्ल. उनके लिये इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन आपने फ़रमाया अल्लाह तुझे न बख़्शे। यह यहाँ से सख़्त नादिम शर्मसार रोते हुए उठे, अपनी चादरों से अपने आँसू पौंछते हुए जाते थे। सात रोज़ भी न गुज़र पाये थे कि इन्तिक़ाल कर गये। लोगों ने उन्हें दफ़न किया लेकिन ज़मीन ने उनकी लाश उगल दी। हुज़ूर सल्ल. से जब यह ज़िक्र हुआ तो आपने फ़रमाया तुम्हारे साथी से भी ज़्यादा बदतर लोगों को ज़मीन संभाल लेती है लेकिन ख़ुदा का इरादा है कि वह तुम्हें मुसलमान की हुर्मत (इज़्ज़त व सम्मान) दिखा दे। चुनाँचे उनकी लाश को पहाड़ पर डाल दिया गया, ऊपर से पत्थर रख दिये गये और यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने जरीर) सही बुख़ारी शरीफ़ में तालीक़ के तौर पर मौजूद है कि हुज़ूर सल्ल. ने हज़रत मिक़्दाद रज़ि. से फ़रमाया जबकि उन्होंने काफ़िरों की क़ौम के साथ जो मुसलमान छुपे तौर पर ईमान लाने वाला था उसे क़त्ल कर दिया था, इसके बावजूद कि उसने अपने इस्लाम का इज़हार कर दिया था, कि तुम भी मक्का में इसी तरह थे कि ईमान छुपाये हुए थे।

बज़्ज़ार में यह वाक़िआ़ पूरा इसी तरह मरवी है कि रसूले ख़ुदा सल्ल. ने एक छोटा सा लश्कर भेजा था जिसमें हज़रत मिक़्दाद भी थे। जब दुश्मनों के पास पहुँचे तो देखा कि सब तो इधर-उधर हो गए एक शख़्स मालदार वहाँ रह गया है। उसने इन्हें देखते ही कहा "अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु" लेकिन फिर भी इन्होंने हमला कर दिया और उसे क़त्ल कर डाला। एक शख़्स जिसने यह वाक़िआ़ देखा सख़्त नाराज़ हुआ और कहने लगा मिक़्दाद! तुमने उसे क़त्ल कर डाला जिसने कलिमा पढ़ा था? मैं इसका ज़िक्र हुज़ूर सल्ल. से करूँगा। जब यह लश्कर वापस पहुँचा तो उस शख़्स ने यह वाक़िआ़ हुज़ूर सल्ल. से अ़र्ज़ किया। आपने हज़रत मिक़्दाद को बुलवाया और फ़रमाया- तुमने यह क्या किया? कल क़ियामत के दिन तुम "ला इला-ह इल्लल्लाहु" के सामने क्या करोगे? पस अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी और आपने फ़रमाया ऐ मिक़्दाद! वह शख़्स मुसलमान था। जिस तरह तू मक्का में अपने ईमान को छुपाकर रखता था। फिर तूने उसके इस्लाम ज़ाहिर करने के बावजूद उसे मारा?

फिर फ़रमाता है कि जिस ग़नीमत (माल) के लालच में तुम ग़फ़लत बरत रहे हो और सलाम करने वालों के ईमान में शक व शुब्हा करके उन्हें क़त्ल कर डालते हो, सुनो! यह ग़नीमत भी अल्लाह की तरफ़ से है। उसके पास बहुत सी ग़नीमतें (माल और ख़ज़ाने) हैं, जो वह तुम्हें हलाल ज़रियों से देगा। और वह तुम्हारे लिये इस माल से बहुत बेहतर होंगी। तुम भी अपना वक़्त याद करो कि तुम भी ऐसे ही थे, अपनी कमज़ोरी की वजह से ईमान ज़ाहिर करने की जुर्रत न कर सकते थे। क़ौम में छुपे लुके फिरते थे। आज ख़ुदा ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें क़ुव्वत दी और तुम खुलेआम अपने इस्लाम का इज़हार कर रहे हो तो

जब बे-असबाब अब तक दुश्मनों के नीचे फंसे हुए हैं और ईमान का ऐलान खुले तौर पर नहीं कर सके, जब वे अपना ईमान ज़ाहिर करें तो तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिये। एक और आयत में हैः

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ............ الخ

याद करो जबकि तुम कम थे, कमज़ोर थे.....।

ग़र्ज़ यह कि इरशाद होता है कि जिस तरह यह बकरी का चरवाहा अपना ईमान छुपाये हुए था, इसी तरह इससे पहले जबकि नादारी, कमज़ोरी और क़िल्लत की हालत में तुम मुश्रिकों के दरमियान थे अपने ईमान छुपाये फिरते थे। यह मतलब भी बयान किया गया है कि तुम भी पहले इस्लाम वाले न थे। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, इस्लाम नसीब फ़रमाया। हज़रत उसामा रज़ि. ने क़सम खाई थी कि इसके बाद कभी "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहने वाले को क़त्ल न करूँगा, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में तंबीह हुई और फटकार लगी थी। फिर ताकीद के साथ दो बार फ़रमाया कि अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो। फिर धमकी दी जाती है कि ख़ुदा को अपने आमाल से ग़ाफ़िल न समझो, जो तुम कर रहे हो वह सब की पूरी ख़बर रखता है।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

ع ١٣ ٥ ١٠

बराबर नहीं वह मुसलमान जो बिना किसी उज़्र के घर में बैठे रहें और वे लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें, अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों का दर्जा बहुत ज़्यादा बनाया है जो अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं घर में बैठने वालों के मुक़ाबले में, और अल्लाह तआ़ला ने सबसे अच्छे घर का वायदा कर रखा है। और अल्लाह तआ़ला ने मुजाहिदीन को घर में बैठने वालों के मुक़ाबले में बड़ा अज्रे अ़ज़ीम दिया है। (95) यानी बहुत-से दर्जे जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मिलेंगे और मग़फ़िरत और रहमत और अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। (96)

अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद और जिहाद न करने वाले

सही बुख़ारी में है कि जब इस आयत के शुरू के अलफ़ाज़ उतरे कि बैठ रहने वाले और जिहाद करने वाले मोमिन बराबर नहीं। आप हज़रत ज़ैद को बुलाकर इसे लिखवा रहे थे कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि. नाबीना आये और कहने लगे हुज़ूर! मैं तो नाबीना (अंधा) हूँ। इस पर यह अलफ़ाज़ उतरेः

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

यानी वे बैठ रहने वाले जो बेउज़्र हों।

एक और रिवायत में है कि हज़रत ज़ैद रज़ि. अपने साथ क़लम दवात और शाना (हड्डी, जिस पर लिखना था) लेकर आये थे। एक और हदीस में है कि इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि. ने फ़रमाया था कि या रसूलल्लाह! अगर मुझमें ताक़त होती तो ज़रूर जिहाद में शामिल होता, इस पर ये अलफ़ाज़ उतरे। उस वक़्त हुज़ूर सल्ल. की रान हज़रत ज़ैद की रान पर थी। इस क़द्र बोझ उन पर पड़ा, क़रीब था कि रान टूट जाये। एक और हदीस में है कि जिस वक़्त इन अलफ़ाज़ की 'वही' उतरी और सकीनत आप पर नाज़िल हुई मैं आपके पहलू में था, खुदा की क़सम वह बोझ मुझ पर रसूलुल्लाह सल्ल. की रान का पड़ा कि मैंने उससे ज़्यादा बोझल चीज़ कोई नहीं उठाई। फिर 'वही' हट जाने के बाद आपने 'अ़ज़ीमन' तक आयत लिखवाई और मैंने इसे शाने की हड्डी पर लिख लिया। एक और हदीस में ये अलफ़ाज़ भी हैं कि अभी तो इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि. के अलफ़ाज़ ख़त्म भी न हुए थे कि आप पर 'वही' नाज़िल होनी शुरू हुई।

हज़रत ज़ैद रज़ि. फ़रमाते हैं कि वह मन्ज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है, गोया मैं देख रहा हूँ कि इन बाद में उतरे हुए अलफ़ाज़ को मैंने उनकी जगह पर अपनी तहरीर में बाद में बढ़ाये है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुराद बदर की लड़ाई में जाने वाले और उसमें हाज़िर न होने वाले हैं। ग़ज़वा-ए-बदर के मौक़े पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि. और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ि. आकर हुज़ूर सल्ल. से कहने लगे- हम दोनों नाबीना (अंधे) हैं। क्या हमें रुख़्सत (छूट और रियायत) है? तो उन्हें क़ुरआन की इस आयत में रुख़्सत दी गई। पास मुजाहिदीन को जिन बैठ रहने वालों पर फ़ज़ीलत दी गई है वे वे हैं जो सेहत व तन्दुरुस्ती वाले हों। पस पहले तो मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर मुत्लक़न फ़ज़ीलत थी लेकिन फिर इसी 'वही' के साथ जो अलफ़ाज़ उतरे उसने उन लोगों को जिन्हें जायज़ और वाक़ई उज़्र हों, आ़म बैठ रहने वालें से अलग कर लिया। जैसे अंधे लंगड़े लूले और बीमार। ये मुजाहिदीन के दर्जे हैं। फिर मुजाहिदीन की जो फ़ज़ीलत बयान हुई है वह भी उन लोगों पर है जो बेवजह जिहाद में शामिल न हुए हों, जैसे कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की तफ़सीर गुज़री। और यही होना भी चाहिये।

बुख़ारी में है, रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया- मदीने में ऐसे लोग भी हैं कि तुम जिस जिहाद के लिये सफ़र करो और जिस जंगल में कूच करो वे तुम्हारे साथ अज्र (सवाब) में बराबर हैं। सहाबा में इसके बावजूद कि वे मदीने में मुक़ीम हैं? आपने फ़रमाया हाँ। इसलिये कि उन्हें उज़्र (मजबूरी) ने रोक रखा था। एक और रिवायत में है कि तुम जो ख़र्च करते हो उसका सवाब भी जो तुम्हें मिलता है उन्हें भी मिलता है। इसी मतलब को एक शायर ने इन अलफ़ाज़ में बाँधा है:

يارا حلين الى البيت العتيق لقد   سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا

انا اقمنا على عذر وعن قدر   و من اقام على عذر فقد راحا

यानी ऐ ख़ुदा के घर के हज को जाने वालो! अगरचे तुम अपने जिस्मों समेत उस तरफ़ चल रहे हो लेकिन हम भी अपनी रूहों की चाल से उसी तरफ़ लपके जा रहे हैं। सुनो! ताक़त न होने और उज़्र ने हमें रोक रखा है। और यह ज़ाहिर है कि उज़्र से रुक जाने वाला जाने वाले से कुछ कम नहीं।

फिर फ़रमाता है कि हर एक से अल्लाह तआ़ला का वायदा जन्नत का और बहुत बड़े अज्र का है।

इससे यह भी मालूम हुआ कि जिहाद फ़र्ज़-ए-ऐन नहीं बल्कि फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है। फिर इरशाद है कि मुजाहिदीन को ग़ैर-मुजाहिदीन पर बड़ी फ़ज़ीलत है, फिर उनके बुलन्द दरजात उनके गुनाहों की माफ़ी और उन पर जो बरकत व रहमत है उसका बयान फ़रमाया, और अपनी आ़म बख़्शिशें और आ़म रहम की ख़बर दी। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि जन्नत में सौ दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने अपनी राह के मुजाहिदीन के लिये तैयार किये हैं। हर दो दर्जों में इस क़द्र फ़ासला है जितना आसमान व ज़मीन में। एक और हदीस में है, हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- जो शख़्स अल्लाह की राह में तीर चलाये उसे जन्नत का दर्जा मिलता है। एक शख़्स ने पूछा दर्जा क्या है? आपने फ़रमाया वह तुम्हारे यहाँ के घरों के बालाख़ानों जितना नहीं, बल्कि दो दर्जों में सौ साल का फ़ासला है।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

बेशक जब ऐसे लोगों की जान फ़रिश्ते निकालते हैं जिन्होंने अपने आपको गुनाहगार कर रखा था तो वे फ़रिश्ते (उनसे) कहते हैं कि तुम किस काम में थे? वे कहते हैं कि हम सरज़मीन "यानी अपने मुल्क और ख़ित्ते" में महज़ मग़लूब थे। वे कहते हैं: क्या अल्लाह तआ़ला की ज़मीन कुशादा और फैली हुई न थी, तुमको वतन छोड़ करके उसमें चला जाना चाहिए था, सो उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और जाने के लिए वह बुरी जगह है। (97) लेकिन जो मर्द और औरतें और बच्चे क़ादिर न हों कि न कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ते से वाक़िफ़ हैं। (98) सो उनके लिए उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला माफ़ कर दें, और अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं। (99) और जो शख़्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा तो उसको रू-ए-ज़मीन पर जाने की बहुत जगह मिलेगी और बहुत गुंजाईश, और जो शख़्स अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह और रसूल की तरफ़ हिजरत करूँगा फिर उसको मौत आ पकड़े तब भी उसका सवाब साबित हो गया अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे, और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं बड़ी रहमत वाले हैं। (100)

ع ١٤

एक तंबीह और चेतावनी

मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान अबुल-अस्वद फ़रमाते हैं कि मदीना वालों से जंग करने के लिये जो लश्कर तैयार किया गया उसमें मेरा नाम भी था। मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. के मौला (आज़ाद किये हुए गुलाम) हज़रत इक्रिमा रह. से मिला और इस बात का ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे उसमें शामिल होने से बहुत सख़्ती से रोका और कहा सुनो! हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से मैंने सुना है कि बाज़ मुसलमान लोग जो हुज़ूर सल्ल. के ज़माने में मुश्रिकों के साथ थे और उनकी तादाद बढ़ाते थे, कई बार ऐसा भी होता कि उनमें से कोई किसी तीर से हलाक कर दिया जाता या मुसलमानों की तलवारों से क़त्ल कर दिया जाता। उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी है, यानी मौत के वक़्त उनका अपनी बेताक़ती का हीला (बहाना) खुदा के यहाँ क़बूल नहीं होता। एक और रिवायत में है कि ऐसे लोग जो अपने ईमान को छुपाकर रखते थे जबकि वे बदर की लड़ाई में काफ़िरों के साथ आये और बाज़ मुसलमानों के हाथों शहीद हुए जिस पर मुसलमान ग़मगीन हुए कि अफ़सोस यह तो हमारे ही भाई थे और हमारे हाथों मारे गये। उनके लिये इस्तिग़फ़ार करने लगे, इस पर यह आयत उतरी। पस बाक़ी बचे मुसलमानों की तरफ़ यह आयत लिखी कि उनका कोई उज़्र नहीं था, क्या ये निकले और उनसे मुश्रिकीन मिले और उन्होंने अपनी असलियत को छुपाये रखा। पस यह आयत उतरीः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ......... الخ

हज़रत इक्रिमा फ़रमाते हैं कि यह आयत उन लोगों के बारे में उतरी है जो इस्लाम का कलिमा पढ़ते थे और थे मक्के में ही। उनमें अ़ली इब्ने उमैया बिन ख़लफ़ और अबू क़ैस बिन वलीद बिन मुग़ीरा और अबुल-आ़स बिन मुनब्बिह बिन हज्जाज और हारिस बिन ज़मूआ़ थे। इमाम ज़ह्हाक रह. कहते हैं कि यह आयत उन मुनाफ़िक़ों के बारे में उतरी है जो रसूलुल्लाह सल्ल. की हिजरत के बाद भी मक्का में रह गए थे और बदर की लड़ाई में मुश्रिकों के साथ आये। फिर बाज़ मैदाने जंग में भी मारे गये।

बहरहाल आयत का हुक्म आ़म है और हर उस शख़्स को शामिल है जो हिजरत पर क़ादिर हो फिर भी मुश्रिकों में पड़ा रहे और दीन पर मज़बूत न रहे, वह खुदा के नज़दीक ज़ालिम है। और इस आयत की रू से मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा राय से वह हराम काम का करने वाला है। इस आयत में हिजरत के छोड़ देने को ज़ुल्म कहा गया है। ऐसे लोगों से उनके मरने के वक़्त फ़रिश्ते कहते हैं- तुम यहाँ क्यों ठहरे रहे? क्यों हिजरत न की? ये जवाब देते हैं कि हम अपने शहर से दूर दूसरे शहर में कहीं नहीं जा सकते थे। जिसके जवाब में फ़रिश्ते कहते हैं क्या खुदा की ज़मीन में कुशादगी (फैलाव) न थी? अबू दाऊद में है कि जो शख़्स मुश्रिकीन में मिला-जुला रहे, उन ही के साथ रहे सहे, वह भी उन्हीं जैसा है। यह है दोस्ती का नतीजा।

इमाम सुद्दी फ़रमाते हैं कि जब हज़रत अ़ब्बास रज़ि. अ़क़ील और नोफ़ल गिरफ़्तार किये गये तो आँ हज़रत सल्ल. ने फ़रमाया- अ़ब्बास तुम अपना फ़िदया दे दो और अपने भतीजे का भी। हज़रत अ़ब्बास रज़ि. ने कहा या रसूलल्लाह! क्या हम आपके क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ते थे? क्या हम कलिमा-ए-शहादत अदा नहीं करते थे? आपने फ़रमाया अ़ब्बास! तुमने बहस तो छेड़ी लेकिन इसमें तुम हार जाओगे। सुनो! खुदा फ़रमाता है- फिर आपने यही आयत तिलावत फ़रमाई, यानी तुमने हिजरत क्यों न की?

फिर जिन लोगों को हिजरत के छोड़ देने पर मलामत न होगी उनका ज़िक्र फ़रमाता है कि जो लोग

मुश्रिकीन के हाथों से न छूट सकें और अगर कभी छूट भी जायें तो उन्हें रास्ते का इल्म न हो, उनसे ख़ुदा तआ़ला दरगुज़र फ़रमायेगा। 'अ़सा' का कलिमा ख़ुदा के कलाम में वजूब और यक़ीन के लिये होता है। अल्लाह दरगुज़र करने वाला और बहुत ही माफ़ी देने वाला है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने इशा की नमाज़ में ''समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्'' कहने के बाद सज्दे में जाने से पहले यह दुआ़ माँगी कि ख़ुदाया अ़य्याश बिन अबू रबीआ़ को सलमा बिन हिशाम को वलीद बिन वलीद को और तमाम बेबस और कमज़ोर मुसलमानों को कुफ़्फ़ार के मज़ालिम (अत्याचारों) से निजात अ़ता फ़रमा। ऐ अल्लाह! अपना सख़्त अ़ज़ाब क़बीला मुज़र पर डाल, ऐ अल्लाह उन पर ऐसी क़हत-साली (सूखा और अकाल) नाज़िल फ़रमा जैसी हज़रत युसूफ़ के ज़माने में आई थी। इब्ने अबी हातिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने सलाम फेरने के बाद क़िब्ले की तरफ़ ही मुँह किये हुए हाथ उठाकर दुआ़ माँगी- ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को, अ़य्याश बिन रबीआ़ को, सलमा बिन हिशाम को और तमाम कमज़ोर व ज़ईफ़ मुसलमानों को जो काफ़िरों की क़ैद में पड़े हुए हैं उनके हाथों से निजात दे।

इब्ने जरीर में है कि हुज़ूर सल्ल. नमाज़ के बाद यह दुआ़ माँगा करते थे। इस हदीस के शवाहिद सही में भी इस सनद के अ़लावा और सनदों से भी हैं। जैसे कि पहले गुज़रा, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं और मेरी वालिदा उन ज़ईफ़ औ़रतों और बच्चों में थे जिनका ज़िक्र इस आयत में है। हमें अल्लाह ने माज़ूर रखा। हिजरत की तरग़ीब देते हुए और मुश्रिकों से अलग होने की हिदायत करते हुए फ़रमाता है कि राहे ख़ुदा में हिजरत करने वाला परेशान न हो, वह जहाँ जायेगा अल्लाह तआ़ला उसके लिये पनाह का सामान तैयार कर देगा और वह आराम से वहाँ रह सकेगा।

'मुराग़म' के एक मायने एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले के भी हैं। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि वह अपने दुख से बचाव की बहुत सी सूरतें पा लेगा, अमन के बहुत से असबाब उसे मिल जायेंगे, दुश्मनों के शर से बच जायेगा और वह रोज़ी भी पायेगा। गुमराही से हिदायत उसे मिलेगी और फ़क़ीरी मालदारी और ख़ुशहाली से बदल जायेगी।

फिर फ़रमाता है कि जो शख़्स हिजरत की नीयत से अपने घर से निकला, फिर हिजरत के मुक़ाम तक पहुँचने से पहले ही रास्ते में उसे मौत आ गई, उसे भी हिजरत का पूरा सवाब मिल गया। हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि हर अ़मल का मदार नीयत पर है और हर शख़्स को उसकी नीयत के मुताबिक़ बदला मिलता है। पस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हो उसकी हिजरत अल्लाह की रज़ामन्दी और रसूल की ख़ुशनूदी का सबब बनेगी, और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिये हो या किसी औ़रत से निकाह करने के लिये हो तो उसकी यह हिजरत उसी की तरफ़ समझी जायेगी जिसकी नीयत से उसने यह हिजरत की है। यह हदीस आ़म है, हिजरत वग़ैरह तमाम आमाल को शामिल है। सहीहैन की हदीस में उस शख़्स के बारे में है जिसने निन्नानवे क़त्ल किये थे फिर एक आ़बिद को क़त्ल करके सौ पूरे किये, फिर एक आ़लिम से पूछा कि क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? उसने कहा तेरी तौबा के और तेरे दरमियान कोई चीज़ रोक नहीं, तू अपनी बस्ती से हिजरत करके फ़ुलाँ शहर चला जा, जहाँ ख़ुदा के आ़बिद बन्दे रहते हैं। चुनाँचे यह हिजरत करके उस तरफ़ पहुँचे, रास्ते ही में जो मौत आ गई। रहमत और अ़ज़ाब के फ़रिश्तों में उसके बारे में इख़्तिलाफ़ (झगड़ा और मतभेद) हुआ। ये तो कह रहे थे कि यह शख़्स तौबा करके हिजरत करके चल खड़ा हुआ, और वे कह रहे थे कि यह वहाँ पहुँचा तो नहीं। फिर उन्हें हुक्म किया गया कि वह

इस तरफ़ की और उस तरफ़ की ज़मीन नापें, जिस बस्ती से यह शख़्स क़रीब हो उसके रहने वालों से उसे मिला दिया जाये। फिर ज़मीन को ख़ुदा ने हुक्म दिया कि बुरी बस्ती की जानिब से दूर हो जा और नेक बस्ती वालों की तरफ़ क़रीब हो जा। जब ज़मीन नापी गई तो तौहीद (ईमान) वालों की बस्ती से एक बालिश्त बराबर क़रीब निकली और उसे रहमत के फ़रिश्ते ले गए। एक रिवायत में है कि मौत के वक़्त यह अपने सीने के बल नेक लोगों की तरफ़ घिसटता हुआ गया।

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जो शख़्स अपने घर से राहे ख़ुदा की हिजरत की नीयत से निकला, फिर आपने अपनी तीनों उंगलियाँ यानी कलिमा बीच और अंगूठे की उंगली को मिलाकर कहा फिर फ़रमाया कहाँ हैं मुजाहिद? फिर वह अपनी सवारी से गिर पड़ा, या उसे किसी जानवर ने काट खाया या अपनी मौत मर गया तो उसकी हिजरत का सवाब अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया। (रावी कहते हैं कि अपनी मौत मरने के लिये कलिमा हुज़ूर सल्ल. ने इस्तेमाल किया) वल्लाह मैंने इस कलिमे को आप से पहले किसी अ़रब की ज़बान से नहीं सुना। और जो शख़्स किसी ग़ज़ब की हालत में क़त्ल किया गया वह उसी जगह का मुस्तहिक़ होगा।

हज़रत ख़ालिद बिन हिज़ाम रज़ि. हिजरत करके हब्शा की तरफ़ चले लेकिन राह में ही उन्हें एक साँप ने डस लिया और उसी में उनकी रूह क़ब्ज़ हो गई। उनके बारे में यह आयत उतरी। हज़रत ज़ुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैं चूँकि हिजरत करके हब्शा पहुँच गया था और मुझे उनकी ख़बर मिल गई थी कि वह भी हिजरत करके आ रहे हैं और मैं जानता था कि क़बीला बनू असद से उनके सिवा और कोई हिजरत करके आने वाला नहीं, और कम व ज़्यादा जितने मुहाजिर थे उनके साथ रिश्ते कुनबे के लोग थे लेकिन मेरे साथ कोई न था, मैं उनका यानी हज़रत ख़ालिद का बेचैनी से इन्तिज़ार कर रहा था कि मुझे उनकी इस तरह अचानक शहादत की ख़बर मिली तो मुझे बहुत ही रंज हुआ। यह असर (क़ौल और रिवायत) बहुत ही ग़रीब है। यह भी वजह है कि यह क़िस्सा मक्का का है और आयत मदीना में उतरी है, लेकिन बहुत मुम्किन है कि रावी (बयान करने वाले) का मक़सूद यह हो कि आयत का हुक्म आ़म है अगरचे शाने नुज़ूल यह न हो। वल्लाहु आलम।

एक और रिवायत में है कि हज़रत ज़मरा बिन जुन्दुब रज़ि. हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्ल. की तरफ़ चले लेकिन आपके पास पहुँचने से पहले ही रास्ते में इन्तिक़ाल कर गये। उनके बारे में यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। एक और रिवायत में है कि हज़रत सअ़द बिन अबी ज़मरा जिनकी आँखों से दिखाई न देता था, जब वह यह आयतः

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ......... الخ

(मगर मर्दों, औरतों और बच्चों में से जो क़ादिर न हों) सुनते तो कहते कि मैं मालदार हूँ और हिम्मत भी रखता हूँ मुझे हिजरत करनी चाहिये। चुनाँचे सफ़र का सामान तैयार कर लिया और हुज़ूर सल्ल. की तरफ़ चल खड़े हुए, लेकिन अभी तन्अ़ीम के मुक़ाम में ही थे कि मौत आ गई, उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। तबरानी में है, रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- जो शख़्स मेरी राह में ग़ज़्वा करने (लड़ने) के लिये निकला, सिर्फ़ मेरे वायदों को सच्चा जानकर और मेरे रसूलों पर ईमान रखकर, तो वह अल्लाह की ज़मानत में है, या तो वह लश्कर के साथ मौत पाकर जन्नत में पहुँचेगा या अल्लाह की ज़मानत में वापस लौट आयेगा, अज्र व ग़नीमत और फ़ज़्ले ख़ुदा लेकर। अगर वह अपनी मौत

मर जाये या मार डाला जाये या घोड़े से गिर जाये या ऊँट पर से गिर पड़े या कोई ज़हरीला जानवर काट ले या अपने बिस्तर पर किसी भी तरह मौत पाये वह शहीद है। अबू दाऊद में इतनी ज़्यादती भी है कि वह जन्नती है। बाज़ अलफ़ाज़ अबू दाऊद में नहीं हैं। अबू लैला में है कि जो शख़्स हज के लिये निकला फिर मर गया, क़ियामत तक उसके लिये हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। जो उमरे के लिये निकला और रास्ते में इन्तिक़ाल कर गया उसके लिये क़ियामत तक उमरे का अज्र लिखा जाता है। जो जिहाद के लिये निकला और मर गया उसके लिये क़ियामत तक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। यह हदीस भी ग़रीब है।

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ۝	**और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो सो तुमको इसमें कोई गुनाह न होगा (बल्कि ज़रूरी है) कि तुम नमाज़ को कम कर दो, अगर तुमको यह अन्देशा हो कि तुमको काफ़िर लोग परेशान करेंगे, बिला शुब्हा काफ़िर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (101)**

सफ़र की हालत में इबादत में रियायत और कमी

अल्लाह का फ़रमान है कि तुम कहीं सफ़र में जा रहे हो, यही अलफ़ाज़ सफ़र के लिये सूरः मुज़्ज़म्मिल में भी आये हैं, तो तुम पर नमाज़ की कमी करने में कोई गुनाह नहीं। यह कमी या तो कम होने में है यानी बजाय चार रक्अ़त के दो रक्अ़त होने में जैसा कि जमहूर ने इस आयत से समझा है, लेकिन फिर जमहूर में भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, बाज़ कहते हैं यह शर्त है कि सफ़र इताअ़त (किसी नेक काम) का हो जैसे जिहाद के लिये या हज व उमरे के लिये या दीन का इल्म हासिल करने के लिये या ज़ियारत के लिये वग़ैरह। हज़रत इब्ने उमर, अ़ता, यहया और एक रिवायत की रू से इमाम मालिक का यही क़ौल है। क्योंकि इससे आगे फ़रमान है कि अगर तुम्हें कुफ़्फ़ार के तकलीफ़ पहुँचाने का ख़ौफ़ हो।

बाज़ कहते हैं कि इस क़ैद की कोई ज़रूरत नहीं कि सफ़र अल्लाह की रज़ा और निकटता हासिल करने के लिये हो, बल्कि नमाज़ की कमी हर मुबाह (जायज़) सफ़र के लिये है। जैसे बेक़रारी और बेबसी की सूरत में मुर्दार खाने की इजाज़त है। हाँ शर्त यह है कि गुनाह का सफ़र न हो। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रह. वग़ैरह इमामों का यही क़ौल है।

एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्ल. से सवाल किया कि मैं तिजारत के सिलसिले में दरियाई सफ़र करता हूँ तो आपने उसे दो रक्अ़त पढ़ने का हुक्म दिया। यह हदीस मुर्सल है। बाज़ लोगों का मज़हब है कि हर सफ़र में नमाज़ को क़सर (कम) करना चाहिये, सफ़र चाहे मुबाह (जायज़) हो चाहे ममनू (यानी वर्जित) हो। यहाँ तक कि अगर कोई डाका डालने के लिये और मुसाफ़िरों को सताने के लिये निकला हो उसे भी नमाज़ क़सर करने की इजाज़त है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. और दाऊद का यही क़ौल है कि आयत आ़म है। लेकिन यह क़ौल जमहूर के क़ौल के ख़िलाफ़ है। कुफ़्फ़ार के डर से जो शर्त लगाई है यह अक्सरियत के एतिबार से है, आयत के नाज़िल होने के वक़्त चूँकि उमूमन यही हाल था इसलिये आयत में भी इसे बयान कर दिया

गया। हिजरत के बाद के सफ़र मुसलमानों के सब के सब ख़ौफ़ वाले ही होते थे, क़दम-क़दम पर दुश्मन का ख़तरा रहता था, बल्कि मुसलमान सफ़र के लिये निकल ही न सकते थे सिवाय इसके कि या तो जिहाद को जायें या किसी ख़ास लश्कर के साथ जायें। और यह क़ायदा है कि जब कोई बात ग़ालिब और अक्सरियत के एतिबार से आये तो उसका मफ़हूम मोतबर नहीं होता, जैसे एक और आयत में है कि अगर तुम्हारी बाँदियाँ पाकदामन रहना चाहें तो उन्हें बदकारी के लिये मजबूर न करो। या जैसे फ़रमाया कि उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी परवरिश में हैं जिन औरतों से तुमने सोहबत की है। पस जैसे कि इन दोनों आयतों में क़ैद का बयान है लेकिन इसके होने पर ही हुक्म का दारोमदार नहीं, बल्कि बग़ैर इसके भी हुक्म वही है। यानी लौंडियों (बाँदियों) को बदकारी के लिये मजबूर करना हराम है अगरचे वह पाकदामनी चाहती हों या न चाहती हों। इसी तरह उस औरत की लड़की जिससे निकाह होकर सोहबत हो गई चाहे वह उसकी परवरिश में हो या न हो, हाँलाकि दोनों जगह क़ुरआन में यह क़ैद मौजूद है। पस जिस तरह इन दोनों मौक़ों में बग़ैर इन क़ैदों और शर्तों के भी हुक्म यही है इसी तरह यहाँ भी अगरचे ख़ौफ़ न हो फिर भी सिर्फ़ सफ़र की वजह से नमाज़ को क़सर करना जायज़ है।

मुस्नद अहमद में है कि हज़रत यअ़ला बिन उमैया ने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि. से पूछा कि नमाज़ की तख़्फ़ीफ़ (कमी यानी क़सर) का हुक्म तो ख़ौफ़ की हालत में है और अब तो अमन है? हज़रत उमर रज़ि. ने जवाब दिया कि यही ख़्याल मुझे हुआ था और यही सवाल मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. से किया था तो आपने फ़रमाया- यह अल्लाह तआ़ला का सदक़ा (यानी इनायत और करम) है जो उसने तुम्हें दिया है, तुम उसके सदक़े को क़बूल करो। मुस्लिम और सुनन वग़ैरह में भी यह हदीस है। बिल्कुल सही रिवायत है।

अबू हन्ज़ला हज़्ज़ा रज़ि. ने हज़रत इब्ने उमर रज़ि. से सफ़र की नमाज़ को पूछा तो आपने फ़रमाया- दो रक्अ़तें हैं। उन्होंने कहा क़ुरआन में तो ख़ौफ़ के वक़्त दो रक्अ़तें हैं और इस वक़्त तो पूरी तरह अमन व अमान है। आपने फ़रमाया यही सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्ल. की। (इब्ने अबी शैबा)

एक और शख़्स के सवाल पर हज़रत इब्ने उमर रज़ि. ने फ़रमाया था- आसमान से तो यह रुख़्सत (छूट और रियायत) उतर चुकी है, अब अगर तुम चाहो तो इसे लौटा दो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मक्का और मदीना के दरमियान हमने बावजूद अमन के रसूलुल्लाह सल्ल. के साथ दो-दो रक्अ़तें पढ़ीं। (नसाई वग़ैरह) एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्ल. मदीने से मक्का की तरफ़ चले, सिवाय ख़ौफ़े ख़ुदा के किसी दुश्मन का ख़ौफ़ न था और आप बराबर दो रक्अ़तें ही अदा फ़रमाते रहे। बुख़ारी की हदीस में है कि वापसी में भी यही रक्अ़तें आप पढ़ते रहे और मक्के में इस सफ़र में आपने दस रोज़ क़ियाम किया था। मुस्नद अहमद में हज़रत हारिसा रज़ि. से रिवायत है कि मैंने नबी सल्ल. के साथ मिना में ज़ोहर और अ़सर की नमाज़ दो-दो रक्अ़तें पढ़ी हैं, हालाँकि उस वक़्त हम बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही पुर अमन थे। सही बुख़ारी में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल. के साथ और हज़रत अबू बक्र रज़ि. के साथ और हज़रत उमर रज़ि. के साथ और हज़रत उस्मान रज़ि. के साथ (सफ़र में) दो रक्अ़तें पढ़ी हैं। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ि. अब अपनी ख़िलाफ़त के आख़िरी ज़माने में पूरी पढ़ने लगे हैं। बुख़ारी की एक और रिवायत में है कि जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. से हज़रत उस्मान रज़ि. की चार रक्अ़तों का ज़िक्र आया तो आपने "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" पढ़कर फ़रमाया- मैंने तो हुज़ूर सल्ल. के साथ भी मिना में दो ही रक्अ़तें पढ़ी हैं और सिद्दीक़े अकबर के साथ भी,

और उमर फ़ारूक़ रज़ि. के साथी भी। काश कि बजाय इन चार रक्अ़तों के मेरे हिस्से में दो ही मक़बूल रक्अ़तें आतीं। पस ये हदीसें साफ़ दलील हैं इस बात की कि सफ़र की दो रक्अ़तों के लिये ख़ौफ़ का होना शर्त नहीं, बल्कि निहायत अमन व इत्मीनान के सफ़र में भी दो ही अदा कर सकता है। इसी लिये उलेमा-ए-किराम ने फ़रमाया है कि यहाँ कैफ़ियत में यानी क़िराअत, क़ौमा, रुकूअ़, सज्दों वग़ैरह में क़सर (कमी) मुराद है न कि कम्मियत यानी तादाद और रक्अ़तों में कमी करना। इमाम ज़ह्हाक, मुजाहिद और सुद्दी रह. का यही क़ौल है जैसा कि आगे आ रहा है। इसकी एक दलील इमाम मालिक की रिवायत की हुई यह हदीस भी है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि नमाज़ दो-दो रक्अ़तें ही सफ़र हज़र में फ़र्ज़ की गई थीं, फिर सफ़र में तो वही दो रक्अ़तें रहीं और ठहरने की हालत में दो और बढ़ा दी गईं। पस उलेमा की यह जमाअ़त कहती है कि असल नमाज़ दो रक्अ़तें थीं तो फिर इस आयत में क़सर से मुराद कम्मियत यानी रक्अ़तों की तादाद में कमी कैसे हो सकती है? इस क़ौल की बहुत बड़ी ताईद स्पष्ट तौर पर उस हदीस से भी होती है जो मुस्नद अहमद में हज़रत उमर की रिवायत से है कि नबी सल्ल. की ज़बान से सफ़र की दो रक्अ़तें हैं और ज़ुहा (चाश्त) की नमाज़ भी दो रक्अ़त है। और ईदुल-फ़ित्र की नमाज़ भी दो रक्अ़त है और जुमे की नमाज़ भी दो रक्अ़त है। यही पूरी नमाज़ है, क़सर वाली नहीं। यह हदीस नसाई, इब्ने माजा और सही इब्ने हिब्बान में भी है, इसकी सनद मुस्लिम की शर्त पर है। इसके रावी इब्ने अबी लैला का हज़रत उमर रज़ि. से सुनना साबित है जैसा कि इमाम मुस्लिम ने अपने सही के मुक़द्दमे में लिखा है और ख़ुद इस रिवायत में और इसके अ़लावा भी स्पष्ट तौर पर मौजूद है, और यही ठीक भी है इन्शा-अल्लाह। अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन इसके सुनने के क़ायल नहीं। लेकिन इसे मानते हुए भी इस सनद में नुक़सान नहीं आता। क्योंकि बाज़ सनदों में इब्ने अबी लैला का एक सिक़ा (मोतबर) है और उनका हज़रत उमर रज़ि. से सुनना रिवायत है, और इब्ने माजा में उनका कअ़ब बिन उज्रह से रिवायत करना और उनका हज़रत उमर रज़ि. से रिवायत करना भी मन्क़ूल है। फ़ल्लाहु आलम।

मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. से मरवी है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल. की ज़बानी नमाज़ को इक़ामत (ठहरने और वतन में रहने) की हालत में चार रक्अ़त फ़र्ज़ की है और सफ़र में दो रक्अ़त, और ख़ौफ़ में एक रक्अ़त। पस जैसे कि हज़र में इससे पहले और इसके बाद नमाज़ पढ़ते थे या पढ़ी जाती थी, इसी तरह सफ़र में भी। और इस रिवायत में और हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा वाली रिवायत में ऊपर गुज़री यह कि हज़र में अल्लाह तआ़ला ने दो रक्अ़तें ही फ़र्ज़ की थीं कुछ टकराव नहीं। इसलिये कि असल दो ही थीं, बाद में दो और बढ़ा दी गईं। फिर हज़र की चार रक्अ़तें हो गईं। तो अब कह सकते हैं कि इक़ामत (ठहरने) की हालत में फ़र्ज़ चार रक्अ़तें हैं जैसा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की इस रिवायत में है। वल्लाहु आलम।

ग़र्ज़ यह कि ये दोनों रिवायतें इसे साबित करती हैं कि सफ़र में दो रक्अ़त नमाज़ है और वही पूरी नमाज़ है, कमी वाली नहीं। और यही हज़रत उमर रज़ि. की रिवायत से साबित हो चुका है, तो मुराद इसमें क़सर (कमी करना) कैफ़ियत में है जैसे कि ख़ौफ़ की नमाज़ में। इसी लिये फ़रमाया है कि अगर तुम डरो इस बात से कि काफ़िर तुम्हें फ़ितने में डाल देंगे और इसके बाद फ़रमाया कि जब तुम उनमें हो और नमाज़ पढ़ो........। फिर क़सर का मक़सद और उसकी सिफ़त व कैफ़ियत भी बयान फ़रमा दी।

मुहद्दिसीन के इमाम हज़रत इमाम बुख़ारी रह. ने किताब "सलातुल-ख़ौफ़" को इसी आयत "व इज़ा

ज़रब्तुम.........मुहीना" (सूरः निसा की आयत 101-102) तक लिखकर शुरू की है। इमाम ज़ह्हाक रह. इसकी तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि यह लड़ाई का वक़्त है, इनसान अपनी सवारी पर नमाज़ व तकबीरें पढ़ ले, उसका मुँह चाहे जिस तरफ़ हो। इमाम सुद्दी रह. फ़रमाते हैं कि सफ़र में जब तूने दो रक्अ़तें पढ़ीं तो वह क़सर की पूरी मिक़्दार है, हाँ जब काफ़िरों के फ़ितना उठाने का ख़ौफ़ हो तो एक ही रक्अ़त क़सर है और यह सिवाय ऐसे ख़ौफ़ के वक़्त हलाल नहीं। मुजाहिद रह. फ़रमाते हैं कि इस आयत से मुराद वह दिन है कि जब हुज़ूर सल्ल. मय अपने सहाबा किराम रज़ि. के उस्फ़ान में थे और मुश्रिक ज़जनान में थे, एक दूसरे से मुक़ाबले के लिये बिल्कुल तैयार, उधर ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त आ गया। हुज़ूर सल्ल. ने तमाम सहाबा के साथ मामूल के मुताबिक़ चार रक्अ़तें पूरी अदा कीं। उधर मुश्रिकों ने सामान व असबाब को लूट लेने का इरादा किया। इब्ने जरीर इसे मुजाहिद, सुद्दी, जाबिर और इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत करते हैं और इसी को इख़्तियार करते हैं, और इसी को कहते हैं कि यही ठीक है।

हज़रत ख़ालिद बिन उसैद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से कहते हैं कि ख़ौफ़ की नमाज़ के क़सर का हुक्म तो हम किताबुल्लाह में पाते हैं लेकिन मुसाफ़िर की नमाज़ के क़सर का हुक्म किताबुल्लाह में नहीं मिलता, तो हज़रत इब्ने उमर रज़ि. जवाब देते हैं कि हमने अपने नबी सल्ल. को सफ़र में नमाज़ को क़सर करते हुए पाया और हमने भी इस पर अ़मल किया। ख़्याल फ़रमाईये कि इसमें क़सर का इतलाक़ ख़ौफ़ की नमाज़ पर किया और आयत से मुराद भी ख़ौफ़ की नमाज़ ली, और मुसाफ़िर की नमाज़ को इसमें शामिल नहीं किया, और हज़रत इब्ने उमर रज़ि. ने भी इसका इक़रार किया।

इस आयत से मुसाफ़िरत की नमाज़ का क़सर (कम होना) बयान नहीं फ़रमाया, बल्कि इसके लिये रसूलुल्लाह सल्ल. के अ़मल को सनद बताया। इससे ज़्यादा स्पष्ट और वाज़ेह रिवायत इब्ने जरीर की है कि हज़रत सिमाक आपसे सफ़र की नमाज़ का मसला पूछते हैं। आप फ़रमाते हैं कि सफ़र की नमाज़ दो रक्अ़त है और यही दो रक्अ़त सफ़र की पूरी नमाज़ है, क़सर नहीं। क़सर तो ख़ौफ़ की नमाज़ में है कि इमाम एक जमाअ़त को एक रक्अ़त पढ़ाता है दूसरी जमाअ़त दुश्मन के सामने है, फिर ये चले गए वे आ गए, एक रक्अ़त इमाम ने उन्हें पढ़ाई तो इमाम की दो रक्अ़तें हुईं और इन दोनों जमाअ़तों की एक-एक रक्अ़त हुई।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ	और जब आप उनमें तशरीफ़ रखते हों फिर आप उनको नमाज़ पढ़ाना चाहें तो यूँ चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तो आपके साथ खड़े हो जाएँ और वे लोग हथियार ले लें, फिर जब ये लोग सज्दा कर चुकें तो ये लोग तुम्हारे पीछे हो जाएँ और दूसरा गिरोह जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी आ जाए और आपके साथ नमाज़ पढ़ लें, और ये लोग भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले लें। काफ़िर लोग (यूँ) चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और

فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

सामानों से ग़ाफ़िल हो जाओ तो तुम पर एक बार में हमला कर बैठें। और अगर तुम को बारिश की वजह से तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो तो तुमको इसमें कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो और अपना बचाव ले लो, बिला शुब्हा अल्लाह ने काफ़िरों के लिए तौहीन भरी सज़ा तैयार कर रखी है। (102)

ख़ौफ़ की नमाज़

नमाज़े-ख़ौफ़ की कई क़िस्में हैं और विभिन्न सूरतें और हालतें हैं। कभी तो ऐसा होता है कि दुश्मन क़िब्ले की तरफ़ है, कभी दुश्मन दूसरी जानिब होता है। नमाज़ भी कभी चार रक्अ़त होती है कभी तीन रक्अ़त की जैसे मग़रिब, कभी दो जैसे फ़जर और सफ़र की नमाज़, कभी जमाअ़त से अदा करनी मुम्किन होती है कभी लश्कर इस तरह गुथे हुए होते हैं कि जमाअ़त के साथ नमाज़ मुम्किन ही नहीं होती बल्कि अलग-अलग क़िब्ले की तरफ़ और ग़ैर-क़िब्ले की तरफ़ पैदल और सवार जिस तरह बन पड़े। बल्कि ऐसा भी होता है और जायज़ भी है कि दुश्मनों के हमलों से बचते जायें, उन पर बराबर हमले करते जायें, नमाज़ भी अदा करते जायें। ऐसी हालत में सिर्फ़ एक रक्अ़त ही नमाज़ का उलेमा का फ़तवा है और दलील हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. की हदीस है जो पहली आयत की तफ़सीर में बयान हो चुकी है।

अ़ता, जाबिर, हसन, मुजाहिद, हकम, क़तादा, हम्माद, ताऊस, ज़ह्हाक, मुहम्मद बिन नस्र मरूज़ी, इब्ने हज़्म रहमतुल्लाहि अ़लैहिम अज्मईन का यही फ़तवा है। सुबह की नमाज़ में एक ही रक्अ़त इस हालत में रह जाती है। इस्हाक़ बिन राहवैह रह. फ़रमाते हैं कि ऐसी दौड़-धूप के वक़्त एक ही रक्अ़त काफ़ी है, इशारे से अदा कर ले, अगर इस क़द्र भी क़ादिर न हो तो सज्दा कर ले, यह भी ज़िक्रुल्लाह है। और लोग कहते हैं कि सिर्फ़ एक तकबीर ही काफ़ी है, लेकिन यह हो सकता है कि एक सज्दे और एक तकबीर से मुराद भी एक रक्अ़त हो जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल और उनके साथियों का फ़तवा है, और यही क़ौल है जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर कअ़ब वग़ैरह सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम अज्मईन का।

इमाम सुद्दी रह. भी यही फ़रमाते हैं। लेकिन जिन लोगों का क़ौल सिर्फ़ एक तकबीर का ही बयान हुआ है उसके बयान करने वाले इसे पूरी रक्अ़त पर महमूल नहीं करते बल्कि सिर्फ़ एक तकबीर ही जो ज़ाहिर है मुराद लेते हैं जैसे कि इस्हाक़ बिन राहवैह का मज़हब है। अमीर अ़ब्दुल-वह्हाब बिन बुख़्त मक्की का भी यही ख़्याल है। यहाँ तक कि वह कहते हैं कि अगर इस पर भी क़ुदरत न हो तो इसे अपने नफ़्स में भी न छोड़े, यानी नीयत ही कर ले। फ़ल्लाहु आलम।

बाज़ उलेमा ने ऐसे ख़ास समय में नमाज़ को ताख़ीर करके (यानी देर करके) पढ़ने की रुख़्सत (छूट) भी दी है। उनकी दलील यह है कि नबी सल्ल. ने जंगे ख़न्दक़ में सूरज डूब जाने के बाद ज़ोहर अ़सर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर मग़रिब इशा की। फिर उसके बाद बनू क़ुरैज़ा की जंग के दिन उनकी तरफ़ जिन्हें

भेजा था उन्हें ताकीद कर दी थी कि तुम में से कोई भी बनू क़ुरैज़ा तक पहुँचने से पहले अ़सर की नमाज़ न पढ़े। यह जमाअ़त अभी रास्ते में ही थी कि अ़सर का वक़्त आ गया, तो बाज़ ने तो कहा कि हुज़ूर सल्ल. का मक़सद इस फ़रमान से सिर्फ़ यही था कि हम जल्दी बनू क़ुरैज़ा पहुँचें, न यह कि नमाज़ का वक़्त हो जाये तो भी नमाज़ न पढ़ें। चुनाँचे उन लोगों ने तो रास्ते में ही वक़्त पर नमाज़ अदा कर ली। और बाज़ों ने बनू क़ुरैज़ा पहुँचकर नमाज़ पढ़ी जबकि सूरज गुरूब हो चुका था। जब इस बात का ज़िक्र हुज़ूर सल्ल. से हुआ तो आपने दोनों जमाअ़तों में से किसी एक को भी डाँट-डपट नहीं की। हमने इस पर तफ़सीली बहस अपनी किताबुस्सीरत में की है और इसे साबित किया है कि सही बात के क़रीब वह जमाअ़त थी जिन्होंने वक़्त पर नमाज़ अदा कर ली, अगरचे दूसरी जमाअ़त भी माज़ूर थी। मक़सद यह है कि उस जमाअ़त ने जिहाद के मौक़े पर दुश्मनों पर हमला करते हुए और क़िले की तरफ़ धावा बोलना जारी रखते हुए नमाज़ को लेट कर दिया। दुश्मनों का यह गिरोह उन मलऊन यहूदियों का था जिन्होंने अ़हद तोड़ दिया था और सुलह के ख़िलाफ़ किया था। लेकिन जमहूर कहते हैं कि ख़ौफ़ की नमाज़ के नाज़िल होने से यह सब मन्सूख़ हो गया। यह वाक़िआ इस आयत के नाज़िल होने से पहले का है, ख़ौफ़ की नमाज़ के हुक्म के बाद अब जिहाद के वक़्त नमाज़ को वक़्त से टालना जायज़ नहीं रहा। अबू सईद की रिवायत से भी यही ज़ाहिर है जिसे इमाम शाफ़ई रह. ने रिवायत की है। लेकिन सही बुख़ारी के बाब "अस्सलातु अ़िन्-द मुनाहज़तुल-हुसून....." में है, इमाम औज़ाई रह. फ़रमाते हैं कि अगर फ़तह की तैयारी हो और नमाज़ जमाअ़त के साथ संभव न हो तो हर-हर शख़्स अलग-अलग अपनी-अपनी नमाज़ इशारे से अदा कर ले, यह भी न हो सकता हो तो नमाज़ में ताख़ीर (देरी) कर लें, यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो या अमन मिल जाये तो उस वक़्त दो रक्अ़तें पढ़ लें और अगर अमन न मिले तो एक रक्अ़त अदा कर लें। सिर्फ़ तकबीर का कह लेना काफ़ी नहीं। ऐसा ही हो तो नमाज़ को देर करके पढ़ें जबकि इत्मीनान हो जाये। हज़रत मक्हूल का फ़रमान भी यही है।

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि तस्तुर के क़िले के घेराव में मैं मौजूद था, सुबह सादिक़ के वक़्त घमासान की जंग शुरू हुई और सख़्त रन पड़ा। हम लोग नमाज़ न पढ़ सके और बराबर जिहाद में मशग़ूल रहे। जब अल्लाह तआ़ला ने हमें क़िले पर क़ाबिज़ कर दिया उस वक़्त हमने दिन चढ़े नमाज़ पढ़ी। इस जंग में हमारे इमाम हज़रत अबू मूसा थे। हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि उस नमाज़ के बदले सारी दुनिया और इसकी तमाम चीज़ें भी मुझे ख़ुश नहीं कर सकतीं। इमाम बुख़ारी रह. इसके बाद जंगे ख़न्दक़ में हुज़ूर सल्ल. का नमाज़ों को ताख़ीर करना बयान करते हैं। फिर बनू क़ुरैज़ा वाला वाक़िआ और हुज़ूर सल्ल. का फ़रमान कि तुम बनू क़ुरैज़ा पहुँचने से पहले अ़सर की नमाज़ न पढ़ना नक़ल करते हैं। गोया हज़रत इमाम बुख़ारी रह. इसी को पसन्द करते हैं कि ऐसी सख़्त लड़ाई, पूरे ख़तरे और फ़तह के क़रीब होने के मौक़े पर अगर नमाज़ को बाद में अदा कर लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू मूसा वाली फ़तह का तुस्तर का वाक़िआ हज़रत उमर रज़ि. की ख़िलाफ़त के ज़माने का है। और यह मन्क़ूल नहीं कि ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन ने या किसी और सहाबी ने इस पर एतिराज़ किया हो। और ये लोग यह भी कहते हैं कि ख़न्दक़ के मौक़े पर भी ख़ौफ़ की नमाज़ की आयतें मौजूद थीं इसलिये कि ये आयतें ग़ज़वा-ए-ज़ातुर्रिक़ा में नाज़िल हुई हैं और यह ग़ज़वा (लड़ाई) ग़ज़वा-ए-ख़न्दक़ से पहले का है और इस पर सीरत की तारीख़ लिखने वालों और लड़ाईयों का हाल जानने वाले जमहूर उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है। मुहम्मद बिन इस्हाक़, मूसा बिन उक़्बा वाक़िदी, मुहम्मद बिन सअ़द कातिबे वाक़िदी और ख़लीफ़ा बिन ख़य्यात वग़ैरह इसी के क़ायल हैं। हाँ इमाम

बुख़ारी रह. वग़ैरह का क़ौल है कि ग़ज़वा-ए-ज़ातुर्रिक़ा ख़न्दक़ के बाद हुआ था। हज़रत अबू मूसा की हदीस के मुताबिक़, और यह ख़ुद ख़ैबर में ही आये थे। वल्लाहु आलम।

लेकिन ताज्जुब तो इस बात पर है कि क़ाज़ी अबू यूसुफ़ मुज़नी इब्राहीम बिन इस्माईल बिन उलैया कहते हैं कि सलाते ख़ौफ़ (ख़ौफ़ की नमाज़) मन्सूख़ है, रसूलुल्लाह सल्ल. के ग़ज़वा-ए-ख़दन्क़ में देर करके नमाज़ पढ़ने से। यह क़ौल बिल्कुल ही ग़रीब है। इसलिये कि ग़ज़वा-ए-ख़न्दक़ के बाद की सलाते ख़ौफ़ की हदीसें साबित हैं, उस दिन की नमाज़ के देर करके पढ़ने को मक्हूल और औज़ाई के क़ौल पर ही महमूल करना ज़्यादा क़वी और ज़्यादा दुरुस्त है। यानी उनका वह क़ौल जो बुख़ारी के हवाले से बयान हुआ कि फ़तह के क़रीब होने और नमाज़ की अदायगी के नामुम्किन होने के वक़्त ताख़ीर (देर करके पढ़ना) जायज़ है। वल्लाहु आलम।

आयत में हुक्म होता है कि जब तू उन्हें जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ाये, यह हालत पहली हालत से अलग है, उस वक़्त यानी इन्तिहाई ख़ौफ़ के वक़्त, तो एक ही रक्अत है। और वह भी अलग-अलग पैदल पैदल सवार क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके या न करके जिस तरह मुम्किन हो। जैसे कि हदीस गुज़र चुकी है कि यह हाल इमामत और जमाअत का बयान हो रहा है। जमाअत के वाजिब होने पर यह आयत बेहतरीन और मज़बूत दलील है। वह कहते हैं कि इसमें चूँकि ये लफ़्ज़ हैं कि जब तू उनमें हो और यह ख़िताब नबी करीम सल्ल. से है, तो मालूम हुआ कि नमाज़े ख़ौफ़ का हुक्म आपके बाद मन्सूख़ है। यह इस्तिदलाल (दलील पकड़ना) बिल्कुल ज़ईफ़ है, यह इस्तिदलाल तो ऐसा ही है जैसा इस्तिदलाल उन लोगों का था जो ज़कात को ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन से रोक बैठे थे और कहते थे कि क़ुरआन में हैः

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً............ الخ

यानी तू उन लोगों के मालों से ज़कात ले जिससे तू उन्हें पाक-साफ़ करे। और तू उनके लिये रहमत की दुआ कर। तेरी दुआ उनके लिये सुकून व तसल्ली का सबब है।

तो हम आपके बाद किसी को ज़कात न देंगे बल्कि हम आप अपने हाथ से ख़ुद जिसे चाहेंगे देंगे। और सिर्फ़ उसी को देंगे जिसकी दुआ हमारे लिये सुकून का सबब बने। लेकिन यह इस्तिदलाल (तर्क देना) उनका बेकार था। इसी लिये सहाबा रज़ि. ने इसे रद्द कर दिया और उन्हें मजबूर किया कि ये ज़कात अदा करें बल्कि उनमें से जिन लोगों ने उसे रोक लिया था उनसे जंग की।

आईए हम आयत की सिफ़त बयान करने से पहले इसकी शाने नुज़ूल बयान कर दें। इब्ने जरीर में है कि बनू नज्जार की एक क़ौम ने हुज़ूर सल्ल. से सवाल किया कि हम बराबर इधर-उधर आना-जाना (यानी सफ़र) किया करते हैं तो हम नमाज़ किस तरह पढ़ें? अल्लाह जल्ल शानुहू ने यह क़ौल नाज़िल फ़रमायाः

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ.

और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो सो तुमको इसमें कोई गुनाह न होगा (बल्कि ज़रूरी है) कि तुम नमाज़ को कम कर दो, अगर तुमको यह अन्देशा हो कि तुमको काफ़िर लोग परेशान करेंगे, बिला शुब्हा काफ़िर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (101)

(सूरः निसा आयत 101)

फिर साल भर तक कोई वही न आई। फिर जबकि आप एक ग़ज़वे (लड़ाई) में थे ज़ोहर की नमाज़ के लिये खड़े हुए। मुश्रिक लोग कहने लगे- अफ़सोस क्या ही अच्छा होता मौक़ा हाथ से जाता रहा, काश कि

उनकी नमाज़ की हालत में हम एक ही बार में अचानक हमला कर देते। इस पर बाज़ मुश्रिकों ने कहा यह मौक़ा तो तुम्हें फिर भी मिलेगा, इसके थोड़ी देर के बाद ही यह दूसरी नमाज़ (यानी नमाज़े अ़सर) के लिये खड़े होंगे। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने अ़सर की नमाज़ से पहले और ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही यह आयत (कि अगर तुमको यह अंदेशा हो कि काफ़िर लोग तुमको परेशान करेंगे.......... सूरः निसा आयत 101-102) नाज़िल फ़रमा दीं और काफ़िर नाकाम रहे। ख़ुद ख़ुदा तआ़ला ने नमाज़े ख़ौफ़ की तालीम दी। अगरचे यह मज़मून निहायत ही ग़रीब है लेकिन इसे मज़बूत करने वाली और रिवायतें भी हैं।

हज़रत अबू अ़य्याश ज़ुरक़ी रज़ि. फ़रमाते है कि उस्फ़ान में हम नबी करीम सल्ल. के साथ थे, ख़ालिद बिन वलीद उस वक़्त कुफ़्र की हालत में थे और मुश्रिकों के लश्कर के सरदार थे। ये लोग हमारे सामने पड़े थे, क़िब्ला-रुख़ होकर ज़ोहर की नमाज़ जब हमने अदा की तो मुश्रिकों के मुँह में पानी भर आया और वे कहने लगे- अफ़सोस हमने मौक़ा हाथ से खो दिया। यह वक़्त था कि यह उधर नमाज़ में मशग़ूल थे और हम उन पर अचानक धावा बोल देते, फिर उनमें से बाज़ जानने वालों ने कहा ख़ैर कोई बात नहीं! इसके बाद उनकी एक और नमाज़ का वक़्त आ रहा है और वह नमाज़ तो उन्हें अपने बाल-बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी है, उस वक़्त सही। पस ज़ोहर अ़सर के दरमियान अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को नाज़िल फ़रमाया और यह आयत (जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) उतारी। चुनाँचे अ़सर की नमाज़ के वक़्त हमें रसूलुल्लाह सल्ल. ने हुक्म दिया कि हथियार सजा लिये जायें और हम अपनी दो सफ़ें करके हुज़ूर सल्ल. के पीछे खड़े हो गए। क़ियाम में, रुकूअ़ में, क़ौमा में सब के सब साथ रहे। जब आप सज्दे में गये तो दो सफ़ों में से पहली सफ़ आपके साथ सज्दे में गई और दूसरी सफ़ खड़ी की खड़ी उनकी निगरानी और हिफ़ाज़त करती रही। जब सज्दों से फ़ारिग़ होकर ये लोग खड़े हो गए तो अब दूसरी सफ़ वाले सज्दे में गए। जब ये दोनों सज्दे कर चुके तो अब पहली सफ़ वाले दूसरी सफ़ की जगह चले गए और दूसरी सफ़ वाले पहली सफ़ वालों की जगह आ गये। फिर क़ियाम, रुकूअ़ और क़ौमा सबने हुज़ूर सल्ल. के साथ ही अदा किया और जब आप सज्दे में गये तो पहली सफ़ आपके साथ सज्दे में गई और दूसरी सफ़ वाले खड़े हुए पहरा देते रहे। जब ये सज्दों से फ़ारिग़ हो गए और अत्तिहय्यात में बैठे तब दूसरी सफ़ के लोगों ने सज्दे किये और अत्तहिय्यात में सब के सब साथ मिल गए और सलाम भी हुज़ूर सल्ल. के साथ सब ने एक साथ फेरा। नमाज़े ख़ौफ़ एक बार तो आपने यहाँ उस्फ़ान में पढ़ी और दूसरी मर्तबा बनू सुलैम की ज़मीन में। यह हदीस मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और नसाई में भी है। इसकी सनदें सही हैं और शाहिद भी बहुत ज़्यादा हैं, बुख़ारी में भी यह रिवायत मुख़्तसर तौर पर है और उसमें है कि इसके बावजूद कि सब लोग नमाज़ में थे लेकिन एक दूसरे की चौकीदारी कर रहे थे।

इब्ने जरीर में है कि सुलैमान बिन क़ैस यश्कुरी ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि. से पूछा- नमाज़ के क़सर करने का हुक्म कब नाज़िल हुआ? आपने फ़रमाया क़ुरैशियों का एक क़ाफ़िला शाम से आ रहा था हम उसकी तरफ़ चले, जब नख़्ल में पहुँचे तो एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँच गया और कहने लगा- आप मुझसे डरते नहीं? आपने फ़रमाया नहीं। उसने कहा आपको मुझसे कौन बचा सकता है? आपने फ़रमाया अल्लाह मुझे तुझसे बचा लेगा। फिर तलवार खींच ली और डराया धमकाया, फिर कूच की मुनादी हुई और आप हथियार लगाकर चले। फिर अज़ान हुई और सहाबा दो हिस्सों में तक़सीम हो गए। एक हिस्सा आपके साथ नमाज़ अदा कर रहा था और दूसरा हिस्सा पहरा दे रहा था।

जो आपके क़रीब थे वे दो रक्अ़तें आपके साथ पढ़कर पीछे हटकर पीछे वालों की जगह चले गए और पीछे वाले अब आगे बढ़ आये और उन अगलों की जगह खड़े हो गए। उन्हें भी हुज़ूर सल्ल. ने दो रक्अ़तें पढ़ाईं फिर सलाम फेर दिया। पस हुज़ूर सल्ल. की चार रक्अ़तें हुईं और सब की दो दो हुईं और अल्लाह तआ़ला ने नमाज़ की कमी का और हथियार लिये रहने का हुक्म फ़रमाया।

मुस्नद अहमद की इस हदीस में है कि जो शख़्स तलवार ताने रसूलुल्लाह सल्ल. पर हमलावर हुआ था यह दुश्मन के क़बीले में से था, उसका नाम ग़ौरस बिन हारिस था। जब आपने अल्लाह का नाम लिया तो उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। आपने तलवार अपने हाथ में ले ली और उससे कहा अब तू बता तुझे कौन बचायेगा? वह माफ़ी माँगने लगा कि मुझ पर आप रहम कीजिये। आपने फ़रमाया क्या तू अल्लाह के एक होने और मेरे रसूल की होने की गवाही देता है? उसने कहा यह तो नहीं, हाँ मैं इक़रार करता हूँ कि आप से लडूँगा नहीं और उन लोगों का साथ न दूँगा जो आप से मुक़ाबला करेंगे। आपने उसे माफ़ी दे दी। जब यह अपने वालों में आया तो कहने लगा रू-ए-ज़मीन पर हुज़ूर सल्ल. से बेहतर कोई शख़्स नहीं। एक और रिवायत में है कि यज़ीद फ़क़ीर ने हज़रत जाबिर रज़ि. से पूछा कि सफ़र में जो दो रक्अ़तें हैं क्या क़सर की हैं? आपने फ़रमाया यह पूरी नमाज़ है, क़सर तो जिहाद के वक़्त में एक रक्अ़त है। फिर नमाज़े ख़ौफ़ का इसी तरह ज़िक्र किया। उसमें यह भी है कि आपके सलाम के साथ आपके पीछे वालों ने और उन लोगों ने सलाम फेरा और उसमें फ़ौज के दोनों हिस्सों के साथ एक-एक रक्अ़त पढ़ने का बयान है। पस सब की एक-एक रक्अ़त हुई और हुज़ूर सल्ल. की दो रक्अ़तें हुईं।

एक और रिवायत में है कि एक जमाअ़त आपके पीछे सफ़ बाँधे नमाज़ में थी और एक जमाअ़त दुश्मन के मुक़ाबिल थी। फिर एक रक्अ़त के बाद आपके पीछे वाले अगलों की जगह आ गये और ये पीछे आ गये। यह हदीस बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों के साथ हज़रत जाबिर रज़ि. से मरवी है। एक और हदीस है जो हज़रत सालिम अपने वालिद से नक़ल करते हैं, उसमें यह भी है कि फिर खड़े होकर सहाबा रज़ि. ने एक-एक रक्अ़त अपनी-अपनी अदा कर ली। इस हदीस की भी बहुत सी सनदें और बहुत से अलफ़ाज़ हैं। हाफ़िज़ अबू बक्र इब्ने मरदूया ने इन सब को जमा कर दिया है। और इसी तरह इब्ने जरीर ने भी, हम इसे किताबे अहकामे कबीर में लिखना चाहते हैं, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

ख़ौफ़ की नमाज़ में हथियार लिये रहने का हुक्म बाज़ के नज़दीक तो वाजिब के दर्जे में है। क्योंकि आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ यही हैं। इमाम शाफ़ई रह. का भी एक क़ौल यही है और इसी की ताईद इस आयत के पिछले टुकड़े से भी होती है कि बारिश या बीमारी की वजह से हथियार उतार रखने में तुम पर गुनाह नहीं। अपना बचाव साथ लिये रहो, यानी ऐसे तैयार रहा करो कि वक़्त आते ही बेतकल्लुफ़ हथियार से लैस हो जाओ। अल्लाह ने काफ़िरों के लिये अपमान से भरा अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।

फिर जब तुम उस नमाज़ को अदा कर चुको तो अल्लाह तआ़ला की याद में लग जाओ खड़े भी और लेटे भी और बैठे भी, फिर जब तुम मुत्मईन हो जाओ तो नमाज़ को क़ायदे के	فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا

اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

मुवाफ़िक़ पढ़ने लगो। यक़ीनन नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और वक़्त के साथ महदूद है। (103) हिम्मत मत हारो उस मुख़ालिफ़ क़ौम का पीछा करने में, अगर तुम तकलीफ़ में हो तो वे भी तो तकलीफ़ के मारे हैं जैसे तुम तकलीफ़ पाए हुए हो, और तुम अल्लाह तआ़ला से ऐसी-ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखते हो कि वे लोग उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हिक्मत वाले हैं। (104)

अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत

अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन इस आयत में हुक्म देता है कि नमाज़े ख़ौफ़ के बाद अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र ख़ूब ज़्यादा किया करो। अगरचे ज़िक्रुल्लाह का हुक्म और उसकी तरग़ीब व ताकीद और नमाज़ों के बाद बल्कि हर वक़्त ही है लेकिन यहाँ ख़ुसूसियत से इसलिये बयान फ़रमाया कि यहाँ बहुत बड़ी रुख़्सत (छूट) इनायत फ़रमाई है। नमाज़ में कमी कर दी, फिर हालते नमाज़ में इधर-उधर हटना जाना-आना मस्लेहत के मुताबिक़ जायज़ रखा, जैसे एहतिराम वाले (सम्मानित) महीनों के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि उनमें अपनी जानों पर ज़ुल्म न करो अगरचे दूसरे वक़्तों में भी ज़ुल्म मना है लेकिन इन पाक महीनों में इससे बचाव की मज़ीद (और ज़्यादा) ताकीद की। तो फ़रमान होता है कि अपनी हर हालत में ख़ुदा का ज़िक्र करते रहो। और जब इत्मीनान हासिल हो जाये, डर ख़ौफ़ न रहे तो बाक़ायदा पूरी तवज्जोह और अरकान की रियायत के साथ नमाज़ को पाबन्दी से शरीअ़त के मुताबिक़ अदा करो। यह नमाज़ तुम पर निर्धारित वक़्त में अल्लाह की तरफ़ से फ़र्ज़े ऐन है, जिस तरह हज का वक़्त निर्धारित है इसी तरह नमाज़ का वक़्त भी मुक़र्रर है। एक वक़्त के बाद दूसरा फिर दूसरे के बाद तीसरा।

फिर फ़रमाता है कि दुश्मनों की तलाश में कम-हिम्मती (सुस्ती और कायरता) न करो, चुस्ती और चालाकी से घात की जगह बैठकर उनकी ख़बर लो। अगर क़त्ल व ज़ख़्म व नुक़सान तुम्हें पहुँचता है तो क्या उन्हें नहीं पहुँचता? इसी मज़मून को इन अलफ़ाज़ में भी अदा किया गया है:

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ............. الخ

अगर तुमको कोई ज़ख़्म पहुँच जाये तो उस क़ौम को भी ऐसा ही ज़ख़्म पहुँच चुका है.........। (सूरः आले इमरान आयत 140)

पस मुसीबत और तकलीफ़ के पहुँचने में तुम और वे बराबर हो। लेकिन हाँ फ़र्क़ और बहुत बड़ा फ़र्क़ यह है कि तुम्हें अल्लाह की ज़ात से वे उम्मीदें और आसरे हैं जो उन्हें नहीं। तुम्हें अज्र व सवाब भी मिलेगा, तुम्हारी मदद और ताईद भी होगी। जैसे कि ख़ुद ख़ुदा ने ख़बर दी है और वायदा किया है, न उसकी ख़बर झूठी न उस वायदा टलने वाला। पस तुम्हें उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कोशिश और दौड़-धूप करनी

चाहिये। तुम्हारे दिलों में जिहाद का जोश होना चाहिये, तुम्हें इस काम की कामिल रग़बत होनी चाहिये। तुम्हारे दिलों में ख़ुदा के कलिमे को क़ायम करने, मज़बूत करने, फैलाने और बुलन्द करने की तड़प हर वक़्त मौजूद रहनी चाहिये। अल्लाह तआ़ला जो कुछ मुक़द्दर करता है, जो फ़ैसला करता है, जो हुक्म जारी करता है, जो शरीअ़त मुक़र्रर करता है, जो काम करता है सब में पूरी-पूरी ख़बर वाला, सही और सच्चे इल्म वाला, साथ ही हिक्मत वाला है। हर हाल में हर वक़्त वही तारीफ़ व हम्द के लायक़ है।

اِنَّـآ اَنْزَلْنَـآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْـنَ الـنَّـاسِ بِـمَآ اَرٰىكَ اللّٰـهُ ؕ وَلَا تَـكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ۙ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰـهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ۚ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝ۙ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّـاسِ وَلَا يَسْتَـخْـفُـوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَـعَهُـمْ اِذْ يُبَيِّتُـوْنَ مَـا لَا يَـرْضٰـى مِـنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَـانَ الـلّٰـهُ بِـمَـا يَعْمَلُوْنَ مُـحِيْطًا ۝ هٰـاَنْتُـمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَـمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْـهُـمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

बेशक हमने आपके पास यह नविश्ता "यानी तहरीर और किताब" भेजा है हक़ीक़त के मुवाफ़िक़ ताकि आप इन लोगों के दरमियान उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करें जो कि अल्लाह तआ़ला ने आपको बतला दिया है, और आप इन ख़ियानत करने वालों की तरफ़दारी (की बात) न कीजिए। (105) और आप इस्तिग़फ़ार फ़रमाईए, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फ़िरत करने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। (106) और आप उन लोगों की तरफ़ से कोई जवाबदेही की बात न कीजिए जो कि अपना ही नुक़सान कर रहे हैं, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स को नहीं चाहते जो बड़ा ख़ियानत करने वाला, बड़ा गुनाह करने वाला हो। (107) जिन लोगों की यह कैफ़ियत है कि आदमियों से तो छुपाते हैं और अल्लाह तआ़ला से नहीं शरमाते, हालाँकि वह उस वक़्त उनके पास होता है जबकि वे अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुफ़्तगू के मुताल्लिक़ तदबीरें करते हैं, और अल्लाह तआ़ला उनके सब आमाल को अपने घेरे में लिए हुए हैं। (108) हाँ, तुम ऐसे हो कि तुमने दुनियावी ज़िन्दगी में तो उनकी तरफ़ से जवाबदेही की बातें कर लीं, सो अल्लाह तआ़ला के सामने क़ियामत के दिन उनकी तरफ़ से कौन जवाबदेही करेगा, या वह कौन शख़्स होगा जो उनका काम बनाने वाला होगा। (109)

यह किताब हक़ के साथ उतारी गयी है

अल्लाह तआ़ला अपने नबी करीम सल्ल. से फ़रमाता है कि यह क़ुरआने करीम जो आप पर अल्लाह

तआला ने उतारा है वह सरासर और पूरी तरह हक़ है। इसकी ख़बरें भी हक़, इसके फ़रमान भी हक़। फिर फ़रमाता है ताकि तुम लोगों के दरमियान वह इन्साफ़ करो जो ख़ुदा तुम्हें समझाये। बाज़ उलेमा-ए-उसूल ने इससे इस्तिदलाल किया है कि नबी करीम सल्ल. को इज्तिहाद (अपने सोच-विचार) से फ़ैसला करने का इख़्तियार था। इसकी दलील वह हदीस भी है जो बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूर सल्ल. ने अपने दरवाज़े पर झगड़ने वालों की आवाज़ सुनी तो आप बाहर आये और फ़रमाने लगे सुनो! मैं एक इनसान हूँ जो सुनता हूँ उसके मुताबिक़ फ़ैसला करता हूँ। बहुत मुम्किन है कि एक शख़्स बड़ा बातें बनाने वाला और अपने बोलने की महारत रखता हो और मैं उसकी बातों को सही जानकर उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ। पस जिसके हक़ में मैं फ़ैसला कर दूँ और वास्तव में वह हक़दार न हो तो वह समझ ले कि वह उसके लिये जहन्नम का टुकड़ा है। अब उसे इख़्तियार है कि ले ले या छोड़ दे।

मुस्नद अहमद में है कि दो अन्सारी एक मीरास के माल के बारे में हुज़ूर सल्ल. के पास अपना फ़ैसला लाये। वाक़िए को ज़माना गुज़र चुका था। गवाह और सही बात बताने वाला कोई न था तो उस वक़्त आपने यही हदीस बयान फ़रमाई और फ़रमाया कि वह मेरे इस फ़ैसले की बिना पर अपने भाई का हक़ न ले ले। अगर ऐसा करेगा तो क़ियामत के दिन अपनी गर्दन में जहन्नम की आग लटका कर आयेगा। अब तो वे दोनों बुज़ुर्ग रोने लगे और हर एक कहने लगा मैं अपना हक़ भी अपने भाई को दे रहा हूँ। हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया अब तो ऐसा कर लो कि जाओ अपने तौर पर जहाँ तक तुमसे हो सके ठीक-ठीक हिस्सा तक़सीम करो, फिर क़ुर्आ डाल कर हिस्सा कर लो और हर एक दूसरे को अपना रहा-सहा ग़लती का हक़ माफ़ कर दे। अबू दाऊद में भी यह हदीस है और उसमें ये अलफ़ाज़ हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी समझ से उन मामलात में फ़ैसला करता हूँ जिनमें 'वही' नाज़िल हुई नहीं होती। इब्ने मरदूया में है कि अन्सार का एक गिरोह एक जिहाद में हुज़ूर सल्ल. की ख़िदमत में यह क़िस्सा पेश हुआ। चोर ने उस चादर को एक शख़्स के घर में उसकी बेख़बरी में डाल दिया और अपने कुनबे क़बीले वालों से कहा- मैंने चादर फ़ुलाँ के घर में डाल दी है। तुम रात को हुज़ूर सल्ल. के पास जाओ और आप से ज़िक्र करो कि हमारा साथी तो चोर नहीं, चोर फ़ुलाँ है, और हमने पता लगा लिया है कि चादर भी उसी के घर में मौजूद है। पस आप हमारे साथी की तमाम लोगों के सामने बराअत (चोरी से बरी होना ज़ाहिर) कर दीजिये और उसकी हिमायत कीजिये, वरना डर है कि कहीं वह हलाक न हो जाये। आपने ऐसा ही किया। इस पर ये आयतें उतरीं और जो लोग अपने झूठ को छुपाकर हुज़ूर सल्ल. के पास आये थे उनके बारे में ये आयतें (यानी सूरः निसा की आयत 108-109) नाज़िल हुईं। फिर अल्लाह जल्ल शानुहू ने फ़रमाया जो बुराई और बदी का काम करे........। इससे मुराद भी यही लोग हैं और चोर के और उसके हिमायतियों के बारे में फ़रमान उतरा कि जो गुनाह और ख़ता करे और बिना किया गुनाह किसी के ज़िम्मे इल्ज़ाम लगाये वह बोहतान बाज़ और खुला गुनाहगार है। लेकिन यह मज़मून ग़रीब है। बाज़ बुज़ुर्गों से नक़ल किया गया है कि यह आयत बनू उबैरक़ के चोर के बारे में नाज़िल हुई है।

यह लम्बा क़िस्सा तिर्मिज़ी की किताबुत्तफ़सीर में हज़रत क़तादा रह. की रिवायत से इस तरह है कि हमारे क़बीले बनू उबैरक़ में का एक ख़ानदान था जिसमें बशर, बशीर और मुबश्शिर थे। बशीर एक मुनाफ़िक़ शख़्स था। शे'रों (कविताओं) में रसूलुल्लाह सल्ल. के सहाबा की बुराई करता। फिर उन अश्आर को किसी और की तरफ़ मन्सूब करके ख़ूब मज़े ले-लेकर पढ़ा करता। रसूले करीम सल्ल. के सहाबा जानते थे कि यही ख़बीस इन शे'रों का बनाने वाला है। ये लोग जाहिलीयत के ज़माने से ही तंगहाल चले आते थे,

मदीने के लोगों का अक्सर खाना जौ और खजूरें थीं, हाँ ख़ुशहाल लोग शाम (मुल्क सीरिया) के आये हुए क़ाफ़िले वालों से मैदा ख़रीद लेते थे, जिसे वे ख़ुद अपने लिये मख़्सूस कर लेते। बाक़ी घर वाले उमूमन जौ और खजूरें ही खाते थे। मेरे चचा रिफ़ाआ बिन ज़ैद ने भी शाम के आये हुए क़ाफ़िले से एक बोझ मैदे का ख़रीदा और अपने बालाख़ाने में उसे महफ़ूज़ कर (हिफ़ाज़त से रख) दिया। जहाँ हथियार, ज़िरहें, तलवारें वग़ैरह भी रखी हुई थीं। रात को चोरों ने नीचे से नक़ब लगाकर अनाज ग़ल्ला भी निकाल लिया और हथियार भी उठा ले गए। सुबह मेरे चचा मेरे पास आये और सारा वाक़िआ बयान किया। अब हम छान-बीन करने लगे तो पता चला कि आज रात को बनू उबैरक़ के घर में आग जल रही थी और कुछ खा-पका रहे थे, ग़ालिबन वे तुम्हारे यहाँ से चोरी कर गए हैं। इससे पहले ही जब अपने घर वालों से पूछ-गछ कर रहे थे तो उस क़बीले के लोगों ने हम से कहा था कि तुम्हारा चोर लबीद बिन सहल है, हम जानते थे कि लबीद का यह काम नहीं वह एक दियानतदार सच्चा मुसलमान था। हज़रत लबीद रज़ि. को जब यह ख़बर मिली तो वह आपे से बाहर हो गए। तलवार ताने बनू उबैरक़ के पास आये और कहने लगे या तो तुम मेरी चोरी साबित कर दो वरना मैं तुम्हें क़त्ल कर दूँगा। उन लोगों ने उनको इससे बरी क़रार दिया और माफ़ी चाह ली, वह चले गए। हम सब के सब पूरी तहक़ीक़ात के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि चोरी बनू उबैरक़ ने की है। मेरे चचा ने मुझे कहा कि तुम जाकर रसूले ख़ुदा सल्ल. को ख़बर तो करो। मैंने जाकर हुज़ूर सल्ल. से सारा वाक़िआ कहा और यह भी कहा कि आप हमें हमारे हथियार दिलवा दीजिये। ग़ल्ले की वापसी की ज़रूरत नहीं। हुज़ूर सल्ल. ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि अच्छा मैं इसकी तहक़ीक़ करूँगा।

यह ख़बर जब बनू उबैरक़ को हुई तो उन्होंने अपना एक आदमी आपके पास भेजा जिनका नाम उसैद बिन उरवा था। उन्होंने आकर कहा या रसूलल्लाह! यह तो ज़ुल्म हो रहा है। बनू उबैरक़ तो अच्छे लोग और इस्लाम वाले हैं। उन्हें क़तादा बिन नोमान और उनके चचा चोर बतलाते हैं और बग़ैर किसी सुबूत और दलील के चोरी का बदनुमा इल्ज़ाम उन पर रखते हैं, वग़ैरह। फिर जब मैं ख़िदमते नबवी में पहुँचा तो आपने मुझसे फ़रमाया- यह तो तुम बहुत बुरा करते हो कि दीनदार और भले लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो, हालाँकि तुम्हारे पास इसका कोई सुबूत नहीं होता। मैं चुप-चाप वापस चला आया और दिल में सख़्त शर्मिन्दा और परेशान था। ख़्याल आता था कि काश मैं इस माल से चुप-चुपाते अलग हो जाता और आप से इसका ज़िक्र ही न करता तो अच्छा था। इतने में मेरे चचा आये और मुझसे पूछा कहो तुमने क्या किया? मैंने सारा वाक़िआ उनसे बयान किया जिसे सुनकर उन्होंने कहा "हम अल्लाह ही से मदद चाहते हैं"। उनका जाना था कि हुज़ूर सल्ल. पर वही के ज़रिये ये आयतें उतरीं। पस 'ख़ाईनीन' (ख़ियानत और चोरी करने वालों) से मुराद बनू उबैरक़ हैं। आपको इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुआ। इस फ़रमान से आपने हज़रत क़तादा रज़ि. को फ़रमाया था फिर साथ ही फ़रमा दिया गया कि अगर ये लोग इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह उन्हें बख़्श देगा। फिर फ़रमाया बिना किये गुनाह को किसी के ज़िम्मे लगाकर अपना गुनाह थोपना बदतरीन जुर्म है..................। यानी उन्होंने जो हज़रत लबीद रज़ि. के बारे में कहा कि चोर यह हैं।

जब ये आयतें उतरीं तो हुज़ूर सल्ल. ने बनू उबैरक़ से हमारे हथियार दिलवाये। मैं उन्हें लेकर अपने चचा के पास आया, यह बेचारे बूढ़े थे। आँखों से कम नज़र आता था। मुझसे फ़रमाने लगे- बेटा जाओ ये सब हथियार अल्लाह के नाम ख़ैरात कर दो। मैं आज तक अपने चचा के बारे में किसी क़द्र बदगुमान था कि यह दिल से इस्लाम में पूरे तौर पर दाख़िल नहीं हुए, लेकिन इस वाक़िए ने यह बदगुमानी मेरे दिल से

दूर कर दी और मैं उनके सच्चे इस्लाम का क़ायल हो गया। बशीर ये आयतें सुनकर मुश्रिकों में जा मिला और सुलाफ़ा बिन्ते सअ़द बिन सुमैया के यहाँ जाकर अपना क़ियाम किया, उसी के बारे में आयतः

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ.........................بَعِيْدًا.

नाज़िल हुई (यानी आगे आने वाली सूरः निसा की आयत 115-116)

और हज़रत हस्सान रज़ि. ने उसके इस फ़ेल की मज़म्मत (बुराई और निंदा) अपने शे'रों में की। उन अश्आ़र को सुनकर उस औ़रत को बड़ी ग़ैरत आई और बशीर का सब सामान अपने सर पर रखकर अब्तह मैदान में फेंक आई और कहा तू कोई भलाई लेकर मेरे पास नहीं अया बल्कि हस्सान की हिजो (बुराई और निंदा) के अश्आ़र लेकर आया है। मैं तुझे अपने यहाँ नहीं ठहराऊँगी। यह रिवायत बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों से तफ़सील से और मुख़्तसर तौर पर मरवी है।

उन मुनाफ़िक़ों की कम-अ़क़्ली का बयान हो रहा है कि वे जो अपने बुरे आमाल को लोगों से छुपाते फिरते हैं भला इससे क्या नतीजा? अल्लाह तआ़ला से तो पोशीदा नहीं रख सकते। फिर उन्हें धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे छुपे राज़ भी ख़ुदा से छुप नहीं सकते। फिर फ़रमाता है कि यह तो हो सकता है कि तुम दुनिया के हाकिमों के यहाँ जिनकी नज़र सिर्फ़ ज़ाहिर पर होती है, तुम कोई कामयाबी अपनी बातें बनाकर हासिल कर लो, लेकिन ख़ुदा जो हर छुपे और ज़ाहिर से बाख़बर है उससे तुम अपने को नहीं छुपा सकते। क़ियामत के दिन तुम्हारा कोई हामी (सहयोगी) नहीं होगा जो तुम्हारे झूठे दावे की ताईद कर सके। मतलब यह है कि उस दिन तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ

١٦ ع٨ ١٣

जो शख़्स कोई बुराई करे या अपनी जान को नुक़सान पहुँचाए, फिर अल्लाह तआ़ला से माफ़ी चाहे तो वह अल्लाह तआ़ला को बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला पायेगा। (110) और जो शख़्स कुछ गुनाह का काम करता है तो वह फ़क़त अपनी ज़ात पर उसका असर पहुँचाता है और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हिक्मत वाले हैं। (111) और जो शख़्स कोई छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह, फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बड़ा भारी बोहतान और खुला गुनाह अपने ऊपर लादा। (112)

और अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़्ल व रहमत न हो तो उन लोगों में से एक गिरोह ने तो आपको ग़लती में डाल देने का इरादा कर लिया था, और ग़लती में नहीं डाल सकते लेकिन अपनी जानों को, और आपको ज़र्रा

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○	बराबर नुक़सान नहीं पहुँचा सकते, और अल्लाह तआ़ला ने आप पर किताब और इल्म की बातें नाज़िल फ़रमाईं और आपको वे-वे बातें बतलाई हैं जो आप न जानते थे, और आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल है। (113)

बेगुनाहों पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है

अल्लाह तआ़ला अपने करम और अपनी मेहरबानी को बयान फ़रमाता है कि जिस गुनाह से कोई तौबा करे अल्लाह उसकी तरफ़ मेहरबानी से रुजू करता है। हर वह शख़्स जो रब की तरफ़ झुके रब अपनी मेहरबानी से और अपनी वुस्अ़त से उसे ढाँप लेता है और उसके छोटे व बड़े गुनाह को बख़्श देता है अगरचे वे गुनाह आसमान व ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़े हों। बनी इस्राईल में जब कोई गुनाह करता तो उसके दरवाज़े पर क़ुदरती हुरूफ़ में उसका कफ़्फ़ारा लिखा हुआ नज़र आ जाता जो उसे अदा करना पढ़ता और उन्हें यह भी हुक्म था कि उनके कपड़े पर पेशाब लग जाये तो उतना कपड़ा कुतरवा डालें। अल्लाह तआ़ला ने इस उम्मत पर आसानी कर दी, पानी से धो लेना ही कपड़े की पाकी रखी और सिर्फ़ तौबा से गुनाह माफ़ कर देता है। एक औ़रत ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि. से सवाल किया कि एक औ़रत ने बदकारी की, फिर जब बच्चा हुआ तो उसे मार डाला। आपने फ़रमाया उसकी सज़ा जहन्नम है, वह रोती हुई वापस चली तो आपने उसे बुलाया और यही आयत पढ़ीः

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْيَظْلِمْ............ الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) तो उसने अपने आँसू पौंछ डाले और वापस लौट गई। हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं- जिस मुसलमान से कोई गुनाह सर्ज़द हो जाये फिर वह वुज़ू करके दो रक्अ़त नमाज़ अदा करके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह उसके गुनाह को बख़्श देता है, फिर आपने यही आयत और इसके साथ यह आयत तिलावत फ़रमाईः

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً............... الخ

और ऐसे लोग जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं जिसमें ज़्यादती होती हो या अपनी ज़ात पर नुक़सान उठाते हैं..........। (सूरः आले इमरान आयत 135)

इस हदीस का पूरा बयान हमने मुस्नद अबू बक्र में कर दिया है और कुछ बयान सूरः आले इमरान की तफ़सीर में गुज़र चुका है। हज़रत अबू दर्दा रज़ि. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. की आ़दते मुबारक थी कि मज्लिस में से उठकर अपने किसी काम के लिये कभी जाते और वापस तशरीफ़ लाने का इरादा भी होता तो जूती या कपड़ा कुछ न कुछ छोड़ जाते। एक मर्तबा आप अपनी जूती छोड़े हुए थे और डोलची पानी के साथ लेकर चले। मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप कुछ दूर जाकर बग़ैर हाजत पूरी किये वापस आये और फ़रमाने लगे- मेरे पास मेरे रब की तरफ़ से एक आने वाला आया और मुझे यह पैग़ाम दे गया। फिर आपने यही आयत पढ़ी और फ़रमाया- मैं अपने सहाबा को यह ख़ुशख़बरी सुनाने के लिये रास्ते में से ही लौट आया हूँ। इससे पहले चूँकि आयत-

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَبِهٖ.........الخ

"यानी हर बुराई करने वाले को उसकी बुराई का बदला मिलेगा" उतर चुकी थी इसलिये सहाबा रज़ि. मशक़्क़त में थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह! अगरचे किसी ने ज़िना किया हो? चोरी की हो? फिर वह इस्तिग़फ़ार करे तो उसे भी अल्लाह बख़्श देगा? आपने फ़रमाया हाँ। मैंने दोबारा पूछा आपने फिर कहा हाँ। मैंने तीसरी बार पूछा तो आपने फ़रमाया हाँ हाँ! अगरचे अबू दर्दा की नाक मिट्टी से भर जाये। पस हज़रत अबू दर्दा जब यह हदीस बयान करते तो अपनी नाक पर मार कर बतलाते। इसकी सनद ज़ईफ़ है और यह हदीस ग़रीब है। फिर फ़रमाता है कि गुनाह कमाने वाला अपना ही बुरा करता है, जैसे एक और जगह है कि कोई दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा, एक दूसरे को नफ़ा न पहुँचा सकेगा, हर शख़्स अपने करतूत का ज़िम्मेदार है, कोई न होगा जो बोझ हटाये। ख़ुदाई इल्म, ख़ुदाई हिक्मत, ख़ुदाई इन्साफ़, ख़ुदाई रहमत के ख़िलाफ़ है कि एक के गुनाह पर दूसरा पकड़ा जाये। फिर फ़रमाता है कि जो ख़ुद बुरा काम करे और किसी बेगुनाह पर उसका इल्ज़ाम थोपे, जैसे बनू उबैरक़ ने लबीद का नाम ले दिया जो वाक़िए की तफ़सील और इससे पहली आयत की तफ़सीर में बयान हो चुका है, या मुराद ज़ैद बिन समीन यहूदी है जैसे बाज़ और मुफ़स्सिरीन का ख़्याल है कि उस चोर की तोहमत उस क़बीले ने उस बेगुनाह के ज़िम्मे लगाई थी और ख़ुद ही चोर और ज़ालिम थे। आयत अगरचे शाने नुज़ूल के एतिबार से ख़ास है लेकिन हुक्म के एतिबार से आम है, जो भी ऐसा करे वह ख़ुदाई सज़ा का मुस्तहिक़ है। इसके बाद आयतः

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ..........الخ

"और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल न होता..............." का ताल्लुक़ भी इसी वाक़िए से है, यानी लबीद बिन उरवा और उनके साथियों ने बनू उबैरक़ के चोरों की हुज़ूर सल्ल. के सामने बराअत करके उनकी पाकदामनी का इज़हार करके हुज़ूर सल्ल. को असलियत से हटाने का काम पूरा कर लिया था लेकिन ख़ुदा ने जो आपकी अ़स्मत (हर तरह की ख़ता से महफ़ूज़ रखने) का हक़ीक़ी निगहबान था, आपको इस ख़तरनाक मौक़े पर ख़ाइनों (चोरों और ख़ियानत करने वालों) की तरफ़दारी से बचा लिया और असली वाक़िआ साफ़ कर दिया। किताब से मुराद क़ुरआन और हिक्मत से मुराद सुन्नत है। 'वही' के नाज़िल होने से पहले आप जो न जानते थे उसका इल्म परवर्दिगार ने आपको 'वही' के ज़रिये कर दिया। जैसे एक और आयत में हैः

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا.............الخ

और इसी तरह हमने आपके पास भी वही यानी अपना हुक्म भेजा, आपको न यह ख़बर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है..........। (सूरः शूरा आयत 52-53) एक और आयत में हैः

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ......... الخ

और आपको (अपने नबी होने से पहले) यह उम्मीद न थी कि आप पर यह किताब नाज़िल की जायेगी........। (सूरः क़सस आयत 86)

इसी लिये यहाँ भी फ़रमाया कि ये सब बातें अल्लाह का फ़ज़्ल हैं जो आपके शामिले हाल हैं।

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝	आम लोगों की अक्सर सरगोशियों "यानी कानाफूसी और चुपके-चुपके बातें करने" में ख़ैर नहीं होती। हाँ, मगर उनकी जो ऐसे हैं कि ख़ैरात की या और किसी नेक काम की या लोगों में आपस में सुधार कर देने की तरग़ीब देते हैं, और जो शख़्स अल्लाह तआला को राज़ी करने के वास्ते यह काम करेगा सो हम उसको जल्द ही बड़ा अज्र अता फ़रमाएँगे। (114) और जो शख़्स रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त करेगा इसके बाद कि उसको हक़ बात ज़ाहिर हो चुकी थी और मुसलमानों का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लिया तो हम उसको जो कुछ वह करता है करने देंगे और उसको जहन्नम में दाख़िल करेंगे, और वह जाने की बुरी जगह है। (115)

ज़बान से अच्छी ही बात निकालनी चाहिये

लोगों के अक्सर कलाम ख़ैर से ख़ाली होते हैं सिवाय उनके जिनकी बातें ख़ैरात करने की, अच्छाई की, लोगों में मेल-मिलाप की हों। हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. की इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये लोग जाते हैं, उनमें सईद बिन हस्सान भी होते हैं तो आप फ़रमाते हैं कि सईद! तुमने उम्मे सालेह की रिवायत से जो हदीस बयान की थी आज उसे फिर सुनाओ। आप सनद बयान करके फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- इनसान की तमाम बातें उस पर वबाल ही हैं सिवाय अल्लाह के ज़िक्र और अच्छे कामों के बतलाने और बुरे कामों से रोकने के। हज़रत सुफ़ियान ने कहा यही मज़मून इस आयत में है। यही मज़मून आयत-

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ............ الخ

(जिस रोज़ तमाम रूह वाले और फ़रिश्ते ख़ुदा के सामने सफ़ बाँधे आजिज़ी के साथ खड़े होंगे.....) में है। यही मज़मून सूरः वल-अ़स्र में है। मुस्नद अहमद में फ़रमाने रसूल है कि लोगों में मेल-मिलाप और सुधार करने के लिये जो भली बात कहे या इधर-उधर कोई बात करे वह झूठों में दाख़िल नहीं। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़्बा रज़ि. फ़रमाती हैं कि मैंने आपको ऐसी बातों की तीन मौक़ों पर इजाज़त देते हुए सुना है- जिहाद में लोगों के दरमियान, सुधार करने में और मियाँ-बीवी की बातों में दोनों को। यह सहाबिया हिजरत करने वालियों और बैअत करने वालियों में से हैं। एक और हदीस में है कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा-ऐसा अमल बताऊँ जो रोज़े नमाज़ और सदक़े से भी अफ़ज़ल है? लोगों ने ख़्वाहिश की तो आपने फ़रमाया वह आपस में सुलह कराना है। फ़रमाते हैं- और आपस का फ़साद (लड़ाई-झगड़ा) नेकियों को मूँड डालता है। (अबू दाऊद वग़ैरह)

बज़्ज़ार में है कि हुज़ूर सल्ल. ने हज़रत अबू अय्यूब से फ़रमाया- आ मैं तुझे एक तिजारत बताऊँ। लोग जब लड़-झगड़ रहे हों तू उनमें मेल-मिलाप करा दे, जब एक दूसरे से खिंच गए हों तू उन्हें मिला दे। खुदा तआ़ला फ़रमाता है कि ऐसी भली बातें रब की रज़ामन्दी के लिये खुलूस और नेक-नीयती से जो करे वह बड़ा अज्र पायेगा। जो शख़्स ग़ैर-शरई तरीक़े पर चले, शरीअ़त एक तरफ़ हो और उसकी राह एक तरफ़ हो, फ़रमाने रसूल कुछ हो और उसका चलन और मन्ज़िल और हो, हालाँकि उस पर हक़ खुल चुका हो, दलील देख ली हो, फिर भी रसूल की मुख़ालफ़त करके मुसलमानों के साफ़ तरीक़े से हट जाये, तो हम भी उस टेढ़ी और बुरी राह ही पर उसे लगा देते हैं। उसे फिर वही अच्छी और भली मालूम होने लगती है, यहाँ तक कि बीचों बीच जा पहुँचता है। मोमिनों की राह के अ़लावा राह ढूँढना दर असल रसूल सल्ल. की मुख़ालफ़त करना ही है। लेकिन कभी तो नबी से किसी साफ़ बात का ख़िलाफ़ होता है कभी उस चीज़ का ख़िलाफ़ होता है जिस पर सारी उम्मते मुहम्मदिया मुत्तफ़िक़ हो, जिसमें उन्हें ख़ता से खुदा ने उनकी शराफ़त व बुज़ुर्गी की वजह से महफ़ूज़ कर रखा है। इस बारे में बहुत सी हदीसें भी हैं और हमने भी उसूल की हदीसों में उनका बड़ा हिस्सा बयान कर दिया है। बाज़ उलेमा तो इसके मायने के एतिबार से तवातुर के क़ायल हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई रह. ने ग़ौर व फ़िक्र के बाद इस आयत से इत्तिफ़ाक़े उम्मत के दलील होने पर इस्तिदलाल किया है। हक़ीक़त में यही इस बारे में बेहतरीन और निहायत मज़बूत चीज़ है। बाज़ दूसरे इमामों ने इस दलालत को मुश्किल और आयत से दूर की बात भी बतलाया है। ग़र्ज़ कि ऐसा करने वाले की रस्सी अल्लाह मियाँ भी ढीली छोड़ देते हैं। जैसे फ़रमान है:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

एक और जगह है:

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ.........الخ

एक और आयत में है:

نَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

यानी हम उन्हें उनकी बेख़बरी में हल्के-हल्के बढ़ाते रहते हैं, उनके बहकते ही हम भी उनके दिलों को टेढ़ा कर देते हैं। हम उन्हें उनकी सरकशी में हैरान छोड़ देते हैं। आख़िरकार उनकी लौटने की जगह जहन्नम बन जाती है। जैसे फ़रमान है कि ज़ालिमों का मय उनके जोड़ों के हश्र करो। और जैसे फ़रमाया कि ज़ालिम आग को देखकर जान लेंगे कि उसमें कूदना पड़ेगा। लेकिन कोई सूरत छुटकारे की न पायेंगे।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ	**बेशक अल्लाह तआ़ला इस बात को न बख़्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक क़रार दिया जाए और इसके अ़लावा जितने गुनाह हैं जिसके लिए मन्ज़ूर होगा वे गुनाह बख़्श देंगे। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक ठहराता है वह बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। (116) ये लोग ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर चन्द ज़नानी चीज़ों की इबादत करते हैं और**

إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۝ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ
لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝
وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ
وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِيْنًا ۝ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۭ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ۡ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝ وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

सिर्फ़ शैतान की इबादत करते हैं जो कि हुक्म से बाहर है। (117) जिसको ख़ुदा तआ़ला ने अपनी रहमत से दूर डाल रखा है, और जिसने (यूँ) कहा था कि मैं ज़रूर तेरे बन्दों से अपना (इताअ़त का) मुक़र्रर हिस्सा लूँगा। (118) और मैं उनको गुमराह करूँगा और मैं उनको हवसें दिलाऊँगा, और मैं उनको तालीम दूँगा जिससे वे चौपायों के कानों को तराशा करेंगे, और मैं उनको तालीम दूँगा जिससे वे अल्लाह तआ़ला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे, और जो शख़्स ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर शैतान को अपना साथी बना लेगा वह खुले नुक़सान में पड़ जाएगा। (119) (शैतान) उन लोगों से वायदा किया करता है और उनको हवसें दिलाता है, और शैतान उनसे सिर्फ़ झूठे वायदे करता है। (120) ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और उससे कहीं बचने की जगह न पाएँगे। (121) और जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम किए हम उनको जल्द ही ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे कि उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। ख़ुदा तआ़ला ने वायदा फ़रमाया है (और) सच्चा वायदा (फ़रमाया है) और ख़ुदा तआ़ला से ज़्यादा किसका कहना सही होगा। (122)

शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है

इस सूरत के शुरू में पहली आयत के मुताल्लिक़ हम पूरी तफ़सीर बयान कर चुके हैं और वहीं इस आयत से ताल्लुक़ रखने वाली हदीसें भी बयान कर दी हैं। हज़रत अ़ली रज़ि. फ़रमाया करते थे कि क़ुरआन की कोई आयत मुझे इस आयत से ज़्यादा महबूब नहीं। (तिर्मिज़ी)

मुश्रिकों से दुनिया और आख़िरत की भलाई छूट जाती है। वे हक़ राह से दूर जा पड़ते हैं। वे अपने नफ़्स को और अपने दोनों जहान को बरबाद कर लेते हैं। ये मुश्रिक लोग औरतों के परस्तार हैं। हज़रत कअ़ब रज़ि. फ़रमाते हैं कि हर बुत के साथ एक जिन्न औरत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि 'इनासा' से मुराद बुत हैं। यह क़ौल दूसरे मुफ़स्सिरीन का भी है। इमाम ज़ह्हाक रह. का क़ौल है कि मुश्रिक फ़रिश्तों को पूजते थे, उन्हें अल्लाह की लड़कियाँ मानते थे और कहते थे कि उनकी इबादत से

हमारी असल ग़र्ज़ ख़ुदा की नज़दीकी हासिल करना है और उनकी तस्वीरें औरतों की शक्ल में क़ायम करते थे, कि ये सूरतें फ़रिश्तों की हैं जो अल्लाह की लड़कियाँ हैं। यह तफ़सीर आयतः

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى............ الخ

(सूरः नज्म आयत 19) के मज़मून से ख़ूब मिलती है जहाँ उनके बुतों के नाम लेकर ख़ुदा तआ़ला ने फ़रमाया है कि यह ख़ूब इन्साफ़ है कि लड़के तो तुम्हारे और लड़कियाँ मेरी? एक और आयत में हैः

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنٰثًا........ الخ

और उन लोगों ने ख़ुदा के ग़ुलाम फ़रिश्तों को मुअन्नस (स्त्री की जाति का) समझ रखा है।

एक और जगह है कि ख़ुदा में और जिन्नात में रिश्ता निकालते हैं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मुराद मुर्दे हैं। हज़रत हसन फ़रमाते हैं कि हर बेरूह चीज़ 'इनास' है, चाहे ख़ुश्क लकड़ी हो चाहे पत्थर हो, लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। फिर इरशाद है कि दर असल ये शैतान के पुजारी हैं क्योंकि वही इन्हें यह राह दिखाता है, और ये दर असल उसी की मानते हैं। जैसे एक जगह फ़रमान हैः

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ............ الخ

ऐ इनसान! क्या मैंने तुमसे शैतान की इबादत न करने का वायदा नहीं लिया था?

इसी वजह से फ़रिश्ते क़ियामत के रोज़ साफ़ कह देंगे कि हमारी इबादत के दावेदार दर असल शैतानी पूजा के फन्दे में थे। शैतान को रब ने अपनी रहमत से एक तरफ़ कर दिया है और अपने पास से निकाल बाहर कर दिया है। उसने भी बेड़ा उठा रखा है कि अल्लाह के बन्दों को भारी संख्या में बहका लेगा। क़तादा रह. फ़रमाते हैं- यानी हर हज़ार में से नौ सौ निन्नानवे को अपने साथ जहन्नम में ले जायेगा। एक बच रहेगा जो जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। उसने कहा है कि मैं उन्हें हक़ से बहकाऊँगा और उन्हें उम्मीद दिलाता रहूँगा यहाँ तक कि ये तौबा छोड़ बैठेंगे। अपनी नफ़्सानी इच्छा पूरी करने में आख़िरत से दूर हो जायेंगे, जानवरों के कान काटकर सूराख़ दार करके ख़ुदा के सिवा दूसरों के नाम करने की उन्हें तल्क़ीन करूँगा, ख़ुदा की बनाई सूरतों को बिगाड़ना सिखा दूँगा, जैसे जानवरों को ख़स्सी करना। एक हदीस में इससे भी मनाही आई है। शायद मुराद इससे नस्ल ख़त्म करने की ग़र्ज़ से ऐसा करना है। एक मायने यह भी किये गये हैं कि चेहरे पर गूदना गुदवाना, जो सही मुस्लिम की हदीस में ममनू (वर्जित) है और जिसके करने वाले पर ख़ुदा की लानत होती है।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. से सही सनद से मरवी है कि गूदने वालियों और गुदवाने वालियों, पेशानी के बाल नोचने वालियों और नुचवाने वालियों और दाँतों में कुशादगी (फ़ासला) करने वालियों पर जो हुस्न व ख़ूबसूरती के लिये अल्लाह की बनावट को बिगाड़ती हैं, अल्लाह की लानत है। मैं उन पर लानत क्यों न करूँ जिन पर रसूलुल्लाह सल्ल. ने लानत की है और जो किताबुल्लाह में मौजूद है। फिर आपने आयत-

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ............ الخ

(रसूल तुम्हारे पास जो कुछ लायें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे बाज़ आ जाओ) पढ़ी। बाज़ दूसरे मुफ़स्सिरीन हज़रात से नक़ल है कि मुराद ख़ुदा के दीन को बदलना है। जैसे एक आयत में हैः

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا. فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ.

यानी अपना चेहरा क़ायम रख ख़ुदा के एक तरफ़ा दीन की जानिब, यह ख़ुदा की वह फ़ितरत है जिस पर तमाम इनसानों को उसने पैदा किया है। अल्लाह की पैदाईश (बनाने) में कोई तब्दीली नहीं।

इस आख़िर के जुमले को जब हुक्म के मायने में लिया जाये तो वह तफ़सीर ठीक हो जाती है। यानी अल्लाह की फ़ितरत (बनावट) को न बदलो। लोगों को मैंने जिस फ़ितरत पर पैदा किया है उसी पर रहने दो। सहीहैन में है कि हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है, लेकिन माँ-बाप फिर उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी (आग को पूजने वाला) बना लेते हैं। जैसे बकरी का सही सालिम बच्चा बिल्कुल बेऐब होता है लेकिन फिर लोग उसके कान वग़ैरह काट देते हैं और उसे ऐबदार कर देते हैं। सही मुस्लिम में है, अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रमाता है कि मैंने अपने बन्दों को यक्सूई वाले दीन पर पैदा किया लेकिन शैतान ने आकर उन्हें बहका दिया। फिर मेरे हलाल किये हुए को उन पर हराम कर दिया। शैतानों को दोस्त बनाने वाला अपना नुक़सान करने वाला है, जिस नुक़सान की कभी तलाफ़ी न हो सकेगी, क्योंकि शैतान उन्हें सब्ज़ बाग़ दिखाता रहता है, कामयाबी व फ़ायदे की ग़लत राह में उन्हें समझाता है। और दर असल वह बड़ा फ़रेब और खुला धोखा होता है। चुनाँचे क़ियामत के दिन साफ़ कहेगा कि ख़ुदा के वायदे सच्चे थे और मैं तो वादा-ख़िलाफ़ हूँ ही। मेरा कोई ज़ोर तुम पर था ही नहीं, मेरी पुकार को सुनने के साथ ही तुम क्यों अपनी अ़क्ल खो बैठे, अब मुझे कोसते हो? ख़ुद को बुरा कहो। शैतानी वायदों को सही जानने वाले, उसकी दिलाई हुई उम्मीदों को पूरी होने वाली समझने वाले आख़िर जहन्नम में जायेंगे, जहाँ से छुटकारा मुहाल है।

इन बदबख़्तों के ज़िक्र के बाद अब नेक लोगों का हाल बयान हो रहा है कि जो दिल से मेरे मानने वाले हैं और जिस्म से मेरी ताबेदारी करने वाले हैं, मेरे अहकाम पर अ़मल करते हैं, मेरी मना की हुई चीज़ों से बाज़ रहते हैं, मैं उन्हें अपनी नेमतें दूँगा, उन्हें जन्नतों में ले जाऊँगा, जिनकी नहरें जहाँ पे चाहें ख़ुद-ब-ख़ुद बहने लगें, जिसमें पतन, ख़त्म होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और नुक़सान (कमी होना) भी नहीं, ख़ुदा का यह वायदा अटल और बिल्कुल सच्चा और यक़ीनन होने वाला है। अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात और किसकी होगी? उसके सिवा कोई माबूदे बर्हक़ नहीं, न उसके सिवा कोई मुरब्बी (पालने वाला) है। रसूलुल्लाह सल्ल. अपने ख़ुतबे में फ़रमाया करते थे कि सबसे ज़्यादा सच्ची बात कलामे ख़ुदा है, और सबसे बेहतर हिदायत (तरीक़ा और रास्ता) मुहम्मद की हिदायत है, और तमाम कामों में सबसे बुरा काम दीन में नई निकली हुई बात (यानी बिद्अ़त) है। और हर ऐसी नई बात का नाम बिद्अ़त है और हर बिद्अ़त गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में है।

न तुम्हारी तमन्नाओं से काम चलता है और न अहले किताब की तमन्नाओं से, जो शख़्स कोई बुरा काम करेगा वह उसके बदले सज़ा दिया जाएगा और उस शख़्स को ख़ुदा तआ़ला के सिवा न कोई यार मिलेगा न मददगार मिलेगा। (123) और जो शख़्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औ़रत, शर्त यह है कि मोमिन हो, सो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उन पर ज़रा भी ज़ुल्म न	لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

نَقِيْرًا ○ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ○	होगा। (124) और ऐसे शख़्स से ज़्यादा अच्छा किसका दीन होगा जो कि अपना रुख़ अल्लाह की तरफ़ झुका दे और वह मुख़्लिस भी हो और वह मिल्लते इब्राहीम का इत्तिबा करे जिसमें टेढ़ का नाम नहीं, और अल्लाह तआ़ला ने इब्राहीम को अपना ख़ालिस दोस्त बनाया था। (125) और अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह तआ़ला तमाम चीज़ों को घेरे में लिए हुए हैं। (126)

ع ١٨ ١٥

सबसे बड़ी फ़ज़ीलत इस्लाम है

हज़रत क़तादा रह. फ़रमाते हैं- हम से ज़िक्र किया गया है कि अहले किताब और मुसलमानों में बातें होने लगी हैं कि अहले किताब अपनी फ़ज़ीलत (बड़ाई) यूँ बयान करते थे कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले के हैं और हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले की है, और मुसलमान कह रहे थे कि हमारे नबी ख़ातमुन्नबिय्यीन (नबीयों के सिलसिले को पूरा और ख़त्म करने वाले) हैं और हमारी किताब पहली तमाम किताबों के फ़ैसले करने वाली है। इस पर ये आयतें उतरीं और मुसलमानों की दूसरे दीन वालों पर फ़ज़ीलत बयान हुई। मुजाहिद रह. से मरवी है कि अ़रब वालों ने कहा- न तो हम मरने के बाद जियेंगे न हमें अ़ज़ाब होगा। यहूदियों ने कहा सिर्फ़ हम ही जन्नती हैं। यही क़ौल ईसाईयों का था। और कहते थे कि आग हमें सिर्फ़ चन्द दिन सतायेगी।

आयत का मज़मून यह है कि सिर्फ़ इज़हार करने और दावा करने से सच्चाई और हक़्क़ानियत साबित नहीं होती, बल्कि ईमान वाला वह है जिसका दिल साफ़ हो, अ़मल गवाह हों और ख़ुदाई दलील उसके हाथों में हो, न तुम्हारी इच्छायें और ख़ाली दावे कोई वक़्अ़त रखते हैं न अहले किताब की तमन्नायें और बुलन्द बातें। निजात का मदार सिर्फ़ ज़बानी दावे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला की फ़रमाँबरदारी और रसूल की ताबेदारी है। बुराई करने वाले किसी निस्बत (संबन्ध) की वजह से नामुम्किन है कि उस बुराई के ख़ामियाज़े से छूट जायें, बल्कि रत्ती-रत्ती भलाई बुराई क़ियामत के दिन अपनी आँखों से अपने सामने देख लेंगे। यह आयत सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर बहुत भारी गुज़री थी और हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ि. ने कहा था कि हुज़ूर! अब निजात कैसे होगी? जबकि एक-एक अ़मल का बदला ज़रूरी है, तो आपने फ़रमाया अल्लाह तुझे बख़्शे। अबू बक्र यह जज़ा (बदला) वही है जो कभी तेरी बीमारी की सूरत में होती है, कभी तकलीफ़ की सूरत में होती है, कभी सदमे और ग़म व रंज की सूरत में और कभी और बला व मुसीबत की सूरत में। (मुस्नद अहमद)

एक और रिवायत में है, हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- हर बुराई करने वाला दुनिया में बदला पायेगा। इब्ने मरदूया में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बन उमर रज़ि. ने फ़रमाया- देखो जिस जगह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को सूली दी गई है वहाँ तुम न चलना, गुलाम भूल गया और हज़रत अ़ब्दुल्लाह की नज़र इब्ने ज़ुबैर रज़ि.

पर पड़ी तो फ़रमाने लगे वल्लाह जहाँ तक मेरी मालूमात हैं मेरी गवाही है कि तू रोज़ेदार, नमाज़ी और रिश्ते-नाते जोड़ने वाला था। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो ख़तायें तुझसे हो गईं उनका बदला दुनिया में ही हो गया। अब तुझे अल्लाह कोई अ़ज़ाब न करेगा। फिर हज़रत मुजाहिद रह. की तरफ़ देखकर फ़रमाने लगे- मैंने हज़रत अबू बक्र रज़ि. से सुना है, वह फ़रमाते थे कि रसूले ख़ुदा सल्ल. से मैंने सुना है कि जो शख़्स बुराई करता है उसका बदला दुनिया में ही पा लेता है। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि. ने हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ि. को सूली पर देखकर फ़रमाया- ऐ अबू हबीब! अल्लाह तुझ पर रहम करे मैंने तेरे वालिद की ज़बानी यह हदीस सुनी है।

इब्ने मरदूया में है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. की मौजूदगी में यह आयत उतरी। जब हुज़ूर सल्ल. ने इसे पढ़कर सुनाया तो हज़रत सिद्दीक़े अकबर ग़मनाक हो गए। उन्हें यह मालूम होने लगा कि गोया हर-हर अ़मल का बदला ही मिलना जब ठहरा तो निजात मुश्किल हो जायेगी। आपने फ़रमाया- सुनो सिद्दीक़ तुम और तुम्हारे साथी यानी मोमिन तो दुनिया में ही बदला दे दिये जायेंगे, क़ियामत के दिन पाक साफ़ उठोगे, हाँ और जो हैं उनकी बुराईयाँ जमा होती जाती हैं और क़ियामत के दिन उन्हें सज़ा दी जायेगी। यह हदीस तिर्मिज़ी ने भी रिवायत की है और कहा है कि इसका रावी मूसा बिन उबैदा ज़ईफ़ है, और दूसरा रावी मौला बिन सिबाअ़ मजहूल है। और भी बहुत सी सनदों से इस रिवायत का मज़मून नक़ल किया गया है। एक और हदीस में है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा- या रसूलल्लाह! यह आयत सब से ज़्यादा हम पर भारी पड़ती है। आपने फ़रमाया- मोमिन का यह बदला वही है जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में उसे दुनिया ही में मिल जाता है। एक और हदीस में है कि आपने फ़रमाया- यहाँ तक कि मोमिन अपनी नक़दी जेब में रख ले फिर ज़रूरत के वक़्त तलाश करे, थोड़ी देर न मिले फिर जेब में हाथ डालने से निकल आये तो उतनी देर में जो उसे सदमा हुआ उससे भी उसके गुनाह माफ़ होते हैं और यह भी उसकी बुराईयों का बदला हो जाता है। इसी तरह दुनिया की मुसीबतें उसे ऐसा कुन्दन बना देते हैं कि क़ियामत का कोई बोझ उस पर नहीं रहता। जिस तरह सोना भट्टी में तपाकर निकाल लिया जाये, इसी तरह यह दुनिया से पाक-साफ़ होकर अल्लाह के पास जाता है।

इब्ने मरदूया में है कि रसूलुल्लाह सल्ल. से इस आयत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया- मोमिन को हर चीज़ में अज्र दिया जाता है, यहाँ तक कि मौत की सख़्ती का भी। मुस्नद अहमद में है कि जब बन्दे के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं और उन्हें दूर करने वाले ख़ूब ज़्यादा नेक आमाल नहीं होते तो अल्लाह उस पर कोई ग़म डाल देता है जिससे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सईद बिन मन्सूर ने बयान किया है कि जब सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर इस आयत का मज़मून भारी गुज़रा तो हुज़ूर सल्ल. ने उनसे फ़रमाया- ठीक-ठाक रहो और मिले-जुले रहो, मुसलमान की हर तकलीफ़ उसके गुनाह का कफ़्फ़ारा (बदला) है, यहाँ तक कि काँटे का लगना भी। एक और रिवायत में है कि सहाबा रज़ि. रो रहे थे और रंज में थे कि हुज़ूर सल्ल. ने उनसे फ़रमाया- एक शख़्स ने हुज़ूर सल्ल. से पूछा कि हमारी इन बीमारियों में हमें क्या मिलता है? आपने फ़रमाया- ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाती हैं, इसे सुनकर हज़रत कअ़ब बिन उजरा रज़ि. ने दुआ़ माँगी कि या अल्लाह! मरते दम तक मुझसे बुख़ार जुदा न हो, लेकिन हज व उमरे जिहाद और जमाअ़त की नमाज़ से मेहरूम न हूँ। उनकी यह दुआ़ क़बूल हुई। जब उनके जिस्म पर हाथ लगाया जाता बुख़ार चढ़ा रहता। रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु। (मुस्नद अहमद)

हुज़ूर सल्ल. से एक मर्तबा कहा गया कि क्या हर बुराई का बदला दिया जायेगा? आपने फ़रमाया हाँ, लेकिन उसी जैसा। लेकिन हर भलाई का बदला दस गुना करके दिया जायेगा। पस उस पर अफ़सोस है जिसकी इकाईयाँ दहाईयों से बढ़ जायें। (इब्ने मरदूया)

हज़तर हसन रज़ि. फ़रमाते हैं कि इससे मुराद काफ़िर हैं, जैसा कि एक और आयत में हैः

وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ.

और हम ऐसी सज़ा नाशुक्रे को ही दिया करते हैं। (सूरः सबा आयत 17)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि. फ़रमाते हैं कि यहाँ बुराई से मुराद शिर्क है। यह शख़्स अल्लाह के सिवा अपना कोई वली और मददगार न पायेगा, हाँ यह और बात है कि तौबा कर ले। इमाम इब्ने जरीर फ़रमाते हैं कि ठीक बात यही है कि हर बुराई को यह आयत शामिल है जैसा कि अहादीस गुज़र चुकीं। वल्लाहु आलम।

बुरे आमाल की सज़ा का ज़िक्र करके अब नेक आमाल की जज़ा (सवाब और बदले) का बयान हो रहा है। बदी की सज़ा या तो दुनिया में ही मिल जाती है और बन्दे के लिये यही अच्छा है, या आख़िरत में होती है, अल्लाह उससे महफ़ूज़ रखे। हम अल्लाह तआ़ला से सवाल करते हैं कि वह हमें दोनों जहान की आ़फ़ियत (सुकून व अमन) अ़ता फ़रमाये, मेहरबानी और दरगुज़र करे और अपनी पकड़ और नाराज़गी से बचा ले। नेक आमाल को अल्लाह तआ़ला पसन्द फ़रमाता है और अपने एहसान और करम व रहम से उन्हें क़बूल करता है। किसी मर्द औ़रत के नेक अ़मल को वह ज़ाया नहीं करता, हाँ यह शर्त है कि हो वह ईमान वाला। उन नेक लोगों को वह अपनी जन्नत में दाख़िल करेगा और उनकी नेकियों में कोई कमी नहीं आने देगा। 'नक़ीर' कहते हैं खजूर की गुठली की पुश्त पर जो दरार सी होती है। क़तील कहते हैं उस गुठली के दरमियान जो हल्का सा छिलका होता है, ये दोनों तो खजूर के बीच में होते हैं। और क़ितमीर कहते हैं उस बीज के ऊपर के लिफ़ाफ़े को और ये तीनों लफ़्ज़ इस मौक़े पर क़ुरआन में आये हैं।

फिर फ़रमाया कि उससे अच्छे दीन वाला कौन है जो अपने आमाल ख़ालिस उसी के लिये करे। ईमानदारी और नेक-नीयती के साथ उसके फ़रमान के मुताबिक़ उसके अहकाम बजा लाये, और हो भी वह मोहसिन यानी शरीअ़त का पाबन्द, दीने हक़ और हिदायत पर चलने वाले रसूल की हदीस पर अ़मल करने वाला, हर नेक अ़मल की क़बूलियत के लिये ये दोनों बातें शर्त हैं, यानी ख़ुलूस और 'वही' के मुताबिक़ होना। ख़ुलूस से यह मतलब है कि सिर्फ़ ख़ुदा की रज़ामन्दी मतलूब हो, और ठीक होना यह है कि शरीअ़त की ताबेदारी में हो। पस ज़ाहिर तो क़ुरआन व हदीस के मुवाफ़िक़ होने से ठीक हो जाता है और बातिन नेक-नीयती से संवर जाता है। अगर इन दोनों बातों में से एक भी न हो तो अ़मल फ़ासिद (ख़राब और बेकार) होता है। इख़्लास न होने से मुनाफ़क़त (दोग़लापन) आ जाती है, लोगों का ख़ुश करना और उन्हें दिखाना मक़सूद हो जाता है, और अ़मल क़ाबिले क़बूल नहीं रहता। सुन्नत के मुवाफ़िक़ न होने से गुमराही और जहालत का मजमूआ़ हो जाता है और इससे भी अ़मल क़बूलियत के दर्जे से गिर जाता है। और चूँकि मोमिन का अ़मल रियाकारी (दिखावे) से, शरीअ़त के ख़िलाफ़ करने से बचा हुआ होता है इसलिये उसका अ़मल सबसे अच्छा अ़मल हो जाता है। जो ख़ुदा को पसन्द आता है और उसकी जज़ा का बल्कि और गुनाहों की बख़्शिश का सबब बन जाता है। इसी लिये इसके बाद ही फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम की मिल्लत और सीधे रास्ते की पैरवी करो। यानी आँ हज़रत सल्ल. की और आपके क़दम-ब-क़दम चलने वालों

की जो भी क़ियामत तक हों। जैसे एक और आयत में है:

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ.......... الخ

यानी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से ज़्यादा क़रीब वे लोग हैं जो उनकी हुक्मबरदारी करते हैं और यह नबी......। एक और आयत में फ़रमाया:

ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ.......... الخ

फिर हमने तेरी तरफ़ 'वही' की कि इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत की पैरवी कर जो मुश्रिक न थे। हनीफ़ कहते हैं इरादतन् और जान-बूझकर शिर्क से बेज़ारी करने और पूरी तरह हक़ की तरफ़ मुतवज्जह हो जाने वाले को, जिसे कोई रोकने वाला रोक न सके और कोई हटाने वाला हटा न सके। फिर हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम की इत्तिबा (पैरवी) की ताकीद और तरग़ीब के लिये उनका वस्फ़ (ख़ूबी और विशेषता) बयान किया कि वह ख़ुदा के दोस्त हैं। यानी बन्दा तरक़्क़ी करके जिस आला से आला दर्जे तक पहुँच सकता है उस तक वह पहुँच गये। ख़ुल्लत (दोस्ती) के दर्जे से कोई बड़ा दर्जा नहीं, मुहब्बत का यह सबसे आला मुक़ाम है और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम इसी मुक़ाम पर ब्राजमान थे। इसकी वजह उनकी कामिल इताअ़त है। जैसे फ़रमान है:

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى.

यानी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जो हुक्म मिला वह उसे ख़ुशी से बजा लाये, कभी ख़ुदा की मर्ज़ी से मुँह न मोड़ा, कभी इबादत से न उकताये, कोई चीज़ उन्हें इबादते ख़ुदा से रोकने वाली न हुई। एक और आयत में है:

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ.......... الخ

जब-जब जिस-जिस तरह ख़ुदा ने उनकी आज़माईश ली वह पूरे उतरे। जो-जो ख़ुदा ने फ़रमाया उन्होंने कर दिया। फ़रमान है कि इब्राहीम यक्सूई से तौहीद के रंग में शिर्क से बचता हुआ हमारा फ़रमाँबरदार रहा......। हज़रत मुआ़ज़ रज़ि. ने यमन में सुबह की नमाज़ में जब यह आयत पढ़ी तो एक शख़्स ने कहा:

لقد قرت عين ام ابراهيم

"इब्राहीम की माँ की आँखें ठंडी हुईं"।

बाज़ लोग कहते हैं कि ख़लीलुल्लाह (अल्लाह का दोस्त) लक़ब की यह वजह हुई कि एक मर्तबा क़हत-साली (सूखा पड़ने) के मौक़े पर आप अपने दोस्त के पास मिस्र या मूसल गये कि वहाँ से कुछ अनाज वग़ैरह ले आयें, लेकिन यहाँ कुछ न मिला और ख़ाली हाथ लौटना पड़ा। जब अपनी बस्ती वालों के पास पहुँचे तो ख़्याल आया कि आओ इस रेत के तूदे में से अपनी बोरियाँ भरकर ले चलूँ ताकि घर वालों के थोड़ा बहुत सुकून हो जाये। चुनाँचे भर लीं और जानवरों पर लादकर ले चले। अल्लाह की क़ुदरत से वह रेत सच-मुच आटा बन गया। फिर आप घर पहुँच कर लेट गये, थके हारे तो थे ही आँख लग गई। घर वालों ने बोरियाँ खोलीं और उन्हें बेहतरीन आटे से भरा पाया, आटा गूँधा रोटियाँ पकाईं। जब यह जागे और घर में सब को ख़ुश पाया और रोटियाँ भी तैयार देखीं तो ताज्जुब से पूछने लगे- आटा कहाँ से आया? जो तुमने रोटियाँ पकाईं? उन्होंने कहा आप ही तो अपने दोस्त के यहाँ से लाये हैं। अब आप समझ गए और

फ़रमाया यह मैं अपने दोस्त अल्लाह जल्ल शानुहू से लाया हूँ। पस अल्लाह ने भी आपको अपना दोस्त बना लिया और ख़लीलुल्लाह नाम रख दिया। लेकिन इस रिवायत के सही होने और इस वाक़िए में ज़रा ताम्मुल (विचार) है, ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि यह बनी इस्राईल की रिवायत हो जिसे हम सच्चा नहीं कह सकते तो झुठला भी नहीं सकते।

हक़ीक़त यह है कि आपको यह लक़ब इससे मिला कि आपके दिल में ख़ुदा की मुहब्बत हद दर्जे की थी, कामिल इताअ़त शिआ़री और फ़रमाँबरदारी थी। अपनी इबादतों से ख़ुदा को ख़ुश कर लिया था। नबी सल्ल. ने भी अपने आख़िरी ख़ुतबे में फ़रमाया था- लोगो! अगर मैं ज़मीन वालों में से किसी को ख़लील, वली और दोस्त बनाने वाला होता तो अबू बक्र बिन अबू क़हाफ़ा को बनाता, बल्कि तुम्हारे साथी ख़ुदा के ख़लील हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक और रिवायत में है कि ख़ुदा ने जिस तरह इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को ख़लील (दोस्त) बना लिया था इसी तरह मुझे भी अपना ख़लील कर लिया है। एक मर्तबा सहाबा रज़ि. आप सल्ल. के इन्तिज़ार में बैठे हुए थे, ज़िक्र व अज़्कार चल रहे थे, एक साहब बोले- ताज्जुब है कि ख़ुदा ने अपनी मख़्लूक़ में से हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अपना ख़लील बनाया। दूसरे ने कहा इससे भी बढ़कर यह मेहरबानी कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से ख़ुद बातें कीं और उन्हें कलीमुल्लाह बनाया। एक ने कहा और ईसा रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। एक ने कहा आदम सफ़ीयुल्लाह और ख़ुदा के पसन्दीदा हैं। हुज़ूर सल्ल. जब बाहर तशरीफ़ लाये, सलाम किया और ये बातें सुनीं तो फ़रमाया- बेशक तुम्हारा क़ौल सही है, इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ख़लीलुल्लह हैं और मूसा कलीमुल्लाह हैं और ईसा रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं और आदम सफ़ीयुल्लाह हैं और इसी तरह मुहम्मद हैं। सुनो मैं हक़ीक़त बयान करता हूँ कुछ फ़ख़्र के तौर पर नहीं कहता कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। मैं सब से पहले शफ़ाअ़त करने वाला हूँ और सब से पहले जन्नत का कुन्डा खटखटाने वाला हूँ। अल्लाह मेरे लिये जन्नत को खोलेगा और मुझे उसमें दाख़िल करेगा, और मेरे साथ ग़रीब मोमिनों की जमाअ़त होगी।

क़ियामत के दिन तमाम अगलों पिछलों से ज़्यादा सम्मान व इज़्ज़त वाला मैं हूँगा, यह बतौर फ़ख़्र के नहीं बल्कि बतौर वाक़िआ़ और हक़ीक़त के बयान करता हूँ। यह हदीस इस सनद से तो ग़रीब है लेकिन इसके बाज़ शवाहिद मौजूद हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं- क्या तुम इससे ताज्जुब करते हो कि ख़ुल्लत (अल्लाह की दोस्ती) इब्राहीम के लिये थी और कलाम हज़रत मूसा के लिये था, और दीदार हज़रत मुहम्मद के लिये। इन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम हों। (मुस्तद्रक हाकिम)

इसी तरह की रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि., बहुत से सहाबा व ताबिईन और पहले व बाद के बुज़ुर्गों से नक़ल की गयी है। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की आ़दत थी कि मेहमानों के साथ खायें। एक दिन आप मेहमान की तलाश में निकले लेकिन कोई न मिला। वापस आये, घर में दाख़िल हुए तो देखा कि एक शख़्स खड़ा है, पूछा ऐ अल्लाह के बन्दे! तुझे मेरे घर में आने की इजाज़त किसने दी? उसने कहा इस मकान के असली मालिक ने। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं मलकुल-मौत हूँ मुझे अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दे के पास इसलिये भेजा है कि मैं उसे यह ख़ुशख़बरी सुना दूँ कि ख़ुदा ने उसे अपना ख़लील (दोस्त) चुन लिया है। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने फिर तो मुझे बता दीजिये कि वह बुज़ुर्ग कौन हैं? ख़ुदा की क़सम अगरचे वह ज़मीन के किसी दूर के इलाक़े में हों मैं जाकर ज़रूर उनसे मुलाक़ात करूँगा। फिर अपनी बाक़ी ज़िन्दगी उनके क़दमों में ही गुज़ार दूँगा। यह सुनकर हज़रत

मलकुल-मौत ने कहा- वह शख़्स ख़ुद आप हैं। आपने फिर दरियाफ़्त फ़रमाया क्या सचमुच मैं ही हूँ? फ़रिश्ते ने कहा हाँ आप ही हैं। आपने फिर पूछा कि क्या आप मुझे यह भी बतायेंगे कि किस बिना पर किन कामों पर अल्लाह तआ़ला ने मुझे अपना ख़लील बनाया? फ़रिश्ते ने फ़रमाया इसलिये कि तुम हर एक को देते रहते हो और किसी से ख़ुद कुछ तलब नहीं करते।

एक और रिवायत में है कि जब से हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को ख़लीले ख़ुदा के सम्मानित और मुबारक लक़ब (उपनाम) से ख़ुदा ने नवाज़ा तब से तो उनके दिल में इस क़द्र ख़ौफ़े ख़ुदा और हैबते रब समा गई कि उनके दिल का उछलना दूर से इस तरह सुना जाता था जिस तरह फ़िज़ा के परिन्दे के उड़ने की आवाज़। सही हदीस में जनाब रसूलुल्लाह नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ सल्ल. के बारे में भी आया है कि जिस वक़्त ख़ौफ़े ख़ुदा आप पर ग़ालिब आ जाता था तो आपके रोने की आवाज़ जिसे आप ज़ब्त करने की कोशिश फ़रमाते थे, इस तरह दूर व नज़दीक वालों को सुनाई देती थी जैसे किसी हंडिया की खुदबुद (उबलने) की आवाज़ हो। फिर फ़रमाता है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह की मिल्कियत में और उसकी ग़ुलामी में और उसी का पैदा किया हुआ है, जिस तरह और जब तसर्रुफ़ उनमें वह करना चाहता है बग़ैर किसी रोक-टोक के बग़ैर किसी के मश्विरे के और बग़ैर किसी की शिर्कत और मदद के कर गुज़रता है। कोई नहीं जो उसके इरादे से उसे बाज़ रख सके, कोई नहीं जो उसके हुक्म में बाधा हो सके, काई नहीं जो उसकी मर्ज़ी को बदल सके, वह अ़ज़मतों और क़ुदरतों वाला, वह अ़दल व हिक्मत वाला, वह लुत्फ़ व रहम वाला एक और बेनियाज़ ख़ुदा है। उसका इल्म हर छोटी बड़ी चीज़ को घेरे हुए है, छुपी से छुपी और छोटी से छोटी और दूर से दूर वाली चीज़ भी पोशीदा नहीं, हमारी निगाहों से जो पोशीदा हैं उसके इल्म में सब ज़ाहिर हैं।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝

और लोग आपसे औ़रतों के बारे में हुक्म मालूम करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआ़ला उनके बारे में हुक्म देते हैं और वे आयतें भी जो क़ुरआन के अन्दर तुमको पढ़कर सुनाई जाया करती हैं, जो कि उन यतीम औ़रतों के बारे में हैं जिनको जो उनका हक़ मुक़र्रर है नहीं देते हो, और उनके साथ निकाह करने से नफ़रत करते हो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में और इस बारे में कि यतीमों की कारगुज़ारी इन्साफ़ के साथ करो, और जो नेक काम करोगे सो बेशक अल्लाह तआ़ला उसको ख़ूब जानते हैं। (127)

यतीम लड़कियों के बारे में कुछ हिदायतें

बुख़ारी शरीफ़ में है, हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि इससे मुराद वह शख़्स है जिसकी

परवरिश में कोई यतीम बच्ची हो, जिसका वली वारिस वही हो, माल में शरीक हो गया हो। अब चाहता हो कि उस यतीम लड़की से निकाह कर लूँ इस बिना पर और जगह से शादी से रोकता हो, ऐसे शख़्स के बारे में आयत उतरी है। एक रिवायत में है कि इस आयत के उतरने के बाद जब फिर लोगों ने हुज़ूर सल्ल. से उन यतीम लड़कियों के बारे में सवाल किया तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाईः

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ............ الخ

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) हज़रत आ़यशा फ़रमाती हैं कि इस आयत में जो फ़रमाया गया हैः

وَمَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ.

(और वे आयतें भी जो कि क़ुरआन के अन्दर तुमको पढ़कर सुनाई जाया करती हैं) इससे मुराद यह पहली आयत हैः

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى.......... الخ

कि अगर तुमको इस बात की शंका हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इन्साफ़ न कर सकोगे.......। (सूरः निसा आयत 3)

आप से यह भी मन्क़ूल है कि यतीम लड़कियों के वारिस जब उनके पास माल कम पाते या वे हसीन न होतीं तो उनसे निकाह न करते, और अगर मालदार और हसीन पाते तो निकाह करते, लेकिन इस हाल में भी चूँकि उन लड़कियों का और कोई नहीं होता था, उनके मेहर और हुक़ूक़ में कमी करते थे। अल्लाह तआ़ला ने उन्हें रोक दिया कि बग़ैर पूरा मेहर और पूरे हुक़ूक़ अदा किये बग़ैर निकाह की इजाज़त नहीं। मक़सद यह है कि ऐसी यतीम बच्ची जिससे उसके वली को निकाह हलाल हो तो वह उससे कर सकता है बशर्ते कि जो मेहर उसके कुनबे क़बीले की लड़कियों को मिला है उसे भी दे और अगर ऐसा न करे तो उसे चाहिये कि उससे निकाह भी न करे।

इस सूरत के शुरू की इस मज़मून की पहली आयत का भी यही मतलब है। और कभी ऐसा होता है कि उस यतीम बच्ची से ख़ुद उसका ऐसा वली जिसे उससे निकाह करना हलाल है उसे अपने निकाह में लाना नहीं चाहता, चाहे किसी वजह से हो लेकिन यह जान कर कि जब यह दूसरे के निकाह में चली जायेगी तो जो माल मेरे और इस लड़की के दरमियान साझे में है वह भी क़ब्ज़े से जाता रहेगा, तो ऐसे नामुनासिब फ़ेल से इस आयत में रोक दिया गया है। यह भी है कि जाहिलीयत (इस्लाम से पहले के ज़माने) में दस्तूर था कि यतीम लड़की का वली जब लड़की को अपनी सरपरस्ती में लेता तो उस पर एक कपड़ा डाल देता, अब किसी की मजाल न थी कि उससे निकाह कर सके। अब अगर वह अच्छी शक्ल वाली होती तो उससे ख़ुद आप निकाह कर लेता और माल भी हज़म कर जाता। और अगर वह सूरत शक्ल में अच्छी न होती और मालदार होती तो उसे दूसरी जगह निकाह करने से रोक देता, वह बेचारी यूँ ही मर जाती और यह उसका माल क़ब्ज़े में कर लेता। इससे अल्लाह तआ़ला इस आयत में मना फ़रमा रहा है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. से इसके साथ ही यह भी मरवी है कि जाहिलीयत वाले छोटे लड़कों को और छोटी बड़ी लड़कियों को वारिस नहीं समझते थे, इस रस्म को भी क़ुरआन ने ख़त्म कर दिया, हर एक को हिस्सा दिलवाया और फ़रमाया कि लड़की को और लड़के को चाहे छोटे हों या बड़े हिस्सा ज़रूर दो। हाँ

लड़की को आधा और लड़के को पूरा, यानी दो लड़कियों के बराबर। और यतीम लड़कियों के बारे में इन्साफ़ का हुक्म दिया कि जब ख़ूबसूरती व माल वाली से ख़ुद तुम अपना निकाह कर लेते हो तो फिर उनसे भी कर लिया करो जो माल व ख़ूबसूरती में कम हों। यक़ीन मानो कि तुम्हारे तमाम आमाल से ख़ुदा तआ़ला बा-ख़बर है, तो तुम्हें चाहिये कि ख़ैर के काम करो, हुक्म बरदारी करो और नेक बदले हासिल करो।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

और अगर किसी औ़रत को अपने शौहर से ज़्यादा आशंका बद-दिमाग़ी या बेपरवाई की हो, सो दोनों को इस बात में कोई गुनाह नहीं कि दोनों आपस में एक ख़ास तरीक़े पर सुलह कर लें, और यह सुलह बेहतर है, और नफ़्सों के अन्दर लालच भरा रहता है, और अगर तुम अच्छा बर्ताव रखो और एहतियात रखो तो बेशक हक़ तआ़ला तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं। (128) और तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि सब बीवियों में बराबरी रखो अगरचे तुम्हारा कितना ही जी चाहे, तो तुम बिल्कुल एक ही तरफ़ न ढल जाओ जिससे उसको ऐसा कर दो जैसे कोई अधर में लटकी हो, और अगर सुधार कर लो और एहतियात रखो तो बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। (129) और अगर दोनों मियाँ-बीवी जुदा हो जाएँ तो अल्लाह तआ़ला अपनी वुस्अ़त से हर एक को ज़रूरत से फ़ारिग़ कर देगा, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुस्अ़त वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। (130)

आपस का मनमुटाव दूर करने और समझौते की कोशिश

अल्लाह तआ़ला मियाँ-बीवी के हालात और उनके अहकाम बयान फ़रमा रहा है। कभी मर्द उससे नाख़ुश हो जाता है, कभी चाहने लगता है और कभी अलग कर देता है। पस पहली हालत में जबकि औ़रत को अपने शौहर की नाराज़गी का ख़्याल है और उसे ख़ुश करने के लिये अपने तमाम हुक़ूक़ से या किसी ख़ास हक़ से वह ख़ुद को अलग कर ले तो कर सकती है जैसे अपना खाना कपड़ा छोड़ दे, या रात गुज़ारने का हक़ माफ़ कर दे तो दोनों के लिये यह जायज़ है। फिर इसी की तरफ़ तवज्जोह दिलाता है कि सुलह ही बेहतर है। हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ़ रज़ि. जब बहुत बड़ी उम्र की हो जाती हैं और उन्हें मालूम होता है कि हुज़ूर सल्ल. उन्हें अलग कर देने का इरादा रखते हैं तो कहती हैं कि मैं अपनी बारी का हक़ हज़रत आ़यशा

को देती हूँ चुनाँचे इस पर सुलह हो गई और हुज़ूर सल्ल. ने इसे कुबूल फ़रमा लिया। अबू दाऊद में है कि इसी पर यह आयत उतरी।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि मियाँ-बीवी जिस बात पर रज़ामन्द हो जायें वह जायज़ है। आप फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल. के इन्तिक़ाल के वक़्त आपकी नौ बीवियाँ थीं जिनमें से आपने आठ को बारियाँ (नम्बर) तक़सीम कर रखी थीं। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत सौदा रज़ि. का दिन भी हुज़ूर सल्ल. हज़रत आ़यशा रज़ि. को देते थे। हज़रत उरवा का क़ौल है कि हज़रत सौदा रज़ि. ने बड़ी उम्र में जब यह मालूम किया कि हुज़ूर सल्ल. उन्हें छोड़ देना चाहते हैं तो ख़्याल किया कि आपको सिद्दीक़ा रज़ि. से पूरी मुहब्बत है, अगर मैं अपनी बारी उन्हें दे दूँ तो हो सकता है कि हुज़ूर सल्ल. राज़ी हो जायें और मैं आपकी बीवियों में आख़िरी दम तक रह जाऊँ। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान है कि हुज़ूर सल्ल. रात गुज़ारने में अपनी तमाम बीवियों को बराबर के दर्जे पर रखा करते थे, उमूमन हर रोज़ सब बीवियों के यहाँ आते, उठते बैठते, बोलते चालते मगर हाथ न बढ़ाते। फिर आख़िर में जिन बीवी साहिबा की बारी होती उनके यहाँ जाते और रात वहीं गुज़ारते। फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का वाक़िआ़ बयान फ़रमाया जो ऊपर गुज़रा। (अबू दाऊद)

मोजम अबू अ़ब्बास की एक मुर्सल हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल. ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को तलाक़ की ख़बर भिजवाई। यह हज़रत आ़यशा रज़ि. के यहाँ जा बैठीं। जब आप तशरीफ़ लाये तो कहने लगीं आपको उस ख़ुदा की क़सम है जिसने आप पर अपना कलाम नाज़िल फ़रमाया और अपनी मख़्लूक़ में से आपको बरगुज़िदा (चुना हुआ) और अपना पसन्दीदा बनाया। आप मुझसे रुजू कर लीजिये। मेरी उम्र बढ़ गई है, मुझे मर्द की ख़ास ख़्वाहिश नहीं रही लेकिन तमन्ना है कि क़ियामत के दिन आपकी बीवियों में उठाई जाऊँ। चुनाँचे आपने मन्ज़ूर फ़रमा लिया और रुजू कर लिया। फिर यह कहने लगीं या रसूलल्लाह! मैं अपनी बारी का दिन और रात आपकी महबूबा हज़रत आ़यशा को हिबा करती हूँ। बुख़ारी शरीफ़ में है कि इस आयत से मुराद यह है कि एक बुढ़िया औ़रत जो अपने ख़ाविन्द को देखती है कि वह उससे मुहब्बत नहीं कर सकता बल्कि उसे अलग करना चाहता है तो वह कहती है कि मैं अपने हक़ छोड़ती हूँ तू मुझे अलग न कर। तो आयत दोनों को रुख़्सत (छूट) देती है। यही सूरत उस वक़्त भी है जब किसी की दो बीवियाँ हों और एक से उसे बुढ़ापे या बदसूरती की वजह से मुहब्बत न हो और वह उसे अलग करना चाहता हो और यह अपने ताल्लुक़ या बाज़ और मस्लेहतों की बिना पर अलग होना पसन्द न करती हो, तो उसे हक़ है कि अपने कुछ या सब हुक़ूक़ से अलग हो जाये और ख़ाविन्द उसकी बात को मन्ज़ूर करके उसको अपने से अलग न करे।

इब्ने जरीर में है कि एक शख़्स ने हज़रत उमर रज़ि. से एक सवाल किया (जिसे) उसकी बेहूदगी की वजह से नापसन्द फ़रमाया और उसे कोड़ा मार दिया। फिर एक शख़्स ने इसी आयत के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया हाँ ये बातें पूछने की हैं। इससे ऐसी सूरत मुराद है कि जैसे एक शख़्स की बीवी है लेकिन वह बुढ़िया हो गई है, औलाद नहीं होती, उसने औलाद की ख़ातिर किसी जवान औ़रत से दूसरा निकाह किया, फिर ये दोनों जिस चीज़ पर आपस में इत्तिफ़ाक़ कर लें जायज़ है। हज़रत अ़ली रज़ि. से जब इस आयत के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि इससे मुराद वह औ़रत है जो अपने बुढ़ापे या बदसूरती की वजह से या बदख़ुल्क़ी या गन्दी रहने के सबब अपने ख़ाविन्द की नज़रों से गिर जाये और उसकी तमन्ना हो कि ख़ाविन्द मुझे न छोड़े तो यह अपना पूरा या आधा मेहर माफ़ कर दे या अपनी बारी

माफ़ कर दे, वग़ैरह। तो इस तरह सुलह कर सकते हैं। पहले बुज़ुर्गों और इमामों से बराबर इसकी यही तफ़सीर मन्क़ूल है, बल्कि तक़रीबन इस पर इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति) है। मेरे ख़्याल से तो इसका कोई मुख़ालिफ़ नहीं। वल्लाहु आलम।

मुहम्मद बिन मस्लमा की बेटी हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ि. के घर में थीं, बुढ़ापे या किसी और वजह से यह उन्हें चाहते न थे, यहाँ तक कि तलाक़ देने का इरादा कर लिया। इस पर उन्होंने कहा आप मुझे तलाक़ तो दीजिये नहीं, हाँ जो आप चाहें वही मुझे मन्ज़ूर है। इस पर यह आयत उतरी। इन दोनों आयतों में ज़िक्र है उस औ़रत का जिससे उसका ख़ाविन्द बिगड़ा हुआ हो, उसे चाहिये कि अपनी बीवी से कह दे कि अगर वह चाहे तो उसे तलाक़ दे दे और अगर वह चाहे तो इस बात को पसन्द करके उसके घर में रहे कि वह माल की तक़सीम और बारी की तक़सीम में उस पर दूसरी बीवी को तरजीह देगा। अब उसे इख़्तियार है अगर यह दूसरी सूरत को मन्ज़ूर करे तो शरई तौर पर ख़ाविन्द को जायज़ है कि उसे बारी न दे और जो मेहर वग़ैरह उसने छोड़ा है उसे अपनी मिल्कियत समझे। हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज अन्सारी की बीवी साहिबा जब ज़्यादा उम्र की हो गईं तो उन्होंने एक नौजवान लड़की से निकाह किया, फिर उसे ज़्यादा चाहने लगे और उसे पहली बीवी पर मुक़द्दम रखने लगे। आख़िर उसने तंग आकर तलाक़ की तलब की, आपने दे दी। फिर इद्दत ख़त्म होने के क़रीब लौटा ली, लेकिन फिर वही हाल हुआ कि जवान बीवी को ज़्यादा चाहने लगे और उसकी तरफ़ झुक गये। उसने फिर तलाक़ माँगी आपने दोबारा तलाक़ दे दी, फिर लौटा लिया, लेकिन वही नक़्शा पेश आया। फिर उसने क़सम दी कि मुझे तलाक़ दे दो। आपने फ़रमाया देखो अब यह तीसरी आख़िरी तलाक़ है, अगर तुम चाहो तो मैं दे दूँ और अगर चाहो तो इसी तरह रहना मन्ज़ूर कर लो। उसने सोचकर जवाब दिया कि अच्छा मुझे इसी तरह रहना मन्ज़ूर है। चुनाँचे वह अपने हुक़ूक़ को छोड़ने पर राज़ी हो गईं और इसी तरह रहने सहने लगीं।

इस जुमले का कि "सुलह ख़ैर है" एक मायने तो यह बयान किये गये हैं कि ख़ाविन्द का अपनी बीवी को यह इख़्तियार देना कि अगर तू चाहे तो इसी तरह रह कि दूसरी बीवी के बराबर तेरे हुक़ूक़ न हों, और अगर तू चाहे तो तलाक़ ले ले तो यह बेहतर है उससे कि यूँ ही दूसरी को उस पर तरजीह दिये हुए रहे। लेकिन इससे अच्छा मतलब यह है कि बीवी अपना कुछ हक़ छोड़ दे और ख़ाविन्द उसे तलाक़ न दे और आपस में मिल-जुलकर रहें, यह तलाक़ देने और लेने से बेहतर है जैसा कि ख़ुद नबी सल्ल. ने हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हा को अपने निकाह में रखा और उन्होंने अपना दिन हज़रत आ़यशा रज़ि. को हिबा कर दिया। आपके इस अ़मल में भी आपकी उम्मत के लिये बेहतरीन नमूना है कि नामुवाफ़क़त (न बनने) की सूरत में तलाक़ की नौबत न आये, चूँकि ख़ुदा के नज़दीक सुलह और समझौता अ़लैहदगी से बेहतर है। इसलिये यहाँ फ़रमा दिया कि सुलह ख़ैर है। बल्कि इब्ने माजा वग़ैरह की हदीस में है कि तमाम हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्द चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है।

फिर फ़रमाया कि तुम्हारा एहसान और तक़वा करना, यानी औ़रतों की तरफ़ से पेश आने वाली नाराज़गी को माफ़ करना और उसे बावजूद नापसन्दीदगी के उसका पूरा हक़ देना, बारी में लेन-देन में बराबरी करना यह बेहतर फ़ेल है, जिसे ख़ुदा बख़ूबी जानता है, जिस पर वह बहुत अच्छा बदला अ़ता फ़रमायेगा। फिर इरशाद होता है कि अगरचे तुम चाहो कि अपनी कई एक बीवियों के दरमियान हर तरह बिल्कुल पूरा अ़दल व इन्साफ़ और बराबरी करो तो भी तुम कर नहीं सकते, इसलिये कि तुम अगरचे एक

एक दिन की बारी बाँध लो लेकिन मुहब्बत, नफ़सानी इच्छा, सोहबत वग़ैरह में कैसे कर सकते हो? इब्ने मुलैका फ़रमाते हैं कि यह आयत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के बारे में नाज़िल हुई है। हुज़ूर सल्ल. उन्हें बहुत चाहते थे, इसी लिये एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल. औरतों के दरमियान पूरी बराबरी रखते थे लेकिन फिर भी अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते हुए फ़रमाते थे कि इलाही यह वह तक़सीम है जो मेरे बस में थी, अब जो चीज़ मेरे क़ब्ज़े से बाहर है यानी दिली ताल्लुक़ उसमें तू मुझे मलामत न करना। (अबू दाऊद) इसकी सनद सही है, लेकिन इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि दूसरी सनद से यह मुर्सलन् मरवी है और वह ज़्यादा सही है।

फिर फ़रमाया- बिल्कुल एक ही जानिब न झुक जाओ कि दूसरी को लटका दो। वह न बे-ख़ाविन्द के रहे न ख़ाविन्द वाली। तुम उससे बेरुख़ी बरतो और हो वह तुम्हारे निकाह में, न तो उसे तलाक़ ही दो जो वह अपना दूसरा निकाह कर ले न उसके वे हक़ अदा करो जो हर बीवी के उसके मियाँ पर हैं। हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि जिसकी दो बीवियाँ हों फिर वह बिल्कुल एक ही तरफ़ झुक जाये तो क़ियामत के दिन ख़ुदा के सामने इस तरह आयेगा कि उसका आधा जिस्म लटका और गिरा हुआ होगा। (अहमद वग़ैरह)

इमाम तिर्मिज़ी रह. फ़रमाते हैं कि यह हदीस मरफ़ूअ़ तरीक़े से सिवाय हम्माम के और किसी ज़रिये से रिवायत नहीं है। फिर फ़रमाता है कि तुम अपने कामों की इस्लाह (दुरुस्तगी) कर लो और जहाँ तक तुम्हारे इख़्तियार में औरतों के बीच अ़दल व इन्साफ़ और बराबरी है करो, और हर हाल में अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो तो अगर तुम किसी वक़्त किसी एक की तरफ़ कुछ माईल हो गए हो उसे अल्लाह माफ़ कर देगा।

फिर तीसरी हालत बयान फ़रमाता है कि अगर कोई सूरत ही निबाह की न हो और दोनों अलग हो जायें तो अल्लाह एक को दूसरे से बेनियाज़ (बेपरवाह) कर देगा, उसे इससे अच्छा शौहर और इसे उससे अच्छी बीवी देगा। अल्लाह का फ़ज़्ल बहुत वसी है, वह बड़े एहसानों वाला है और साथ ही वह हकीम है, तमाम मामलात और सारी तक़दीरों और पूरी शरीअ़त हिक्मत से सरासर भरपूर है।

और अल्लाह तआ़ला की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं, और वाक़ई हमने उन लोगों को भी हुक्म दिया था जिनको तुमसे पहले किताब मिली थी और तुमको भी कि अल्लाह तआ़ला से डरो, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तआ़ला की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं, और अल्लाह तआ़ला किसी के मोहताज नहीं ख़ुद अपनी ज़ात में तारीफ़ के लायक़ हैं। (131) और अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं, और अल्लाह तआ़ला काफ़ी

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۭ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝
وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۭ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ○

कारसाज़ हैं। (132) अगर उनको मन्ज़ूर हो तो ऐ लोगो! तुम सबको फ़ना कर दें और दूसरों को मौजूद कर दें, और अल्लाह तआ़ला इस पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। (133) जो शख़्स दुनिया का मुआ़वज़ा चाहता हो तो अल्लाह तआ़ला के पास तो दुनिया और आख़िरत दोनों का मुआ़वज़ा है, और अल्लाह तआ़ला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं। (134)

अहकाम का पालन

अल्लाह तआ़ला ख़बर देता है कि ज़मीन व आसमान का मालिक और हाकिम वही है। फ़रमाता है कि जो अहकाम तुम्हें दिये जाते हैं कि अल्लाह तआ़ला से डरो, उसको एक मानो, उसकी इबादत करो और किसी और की इबादत न करो, यही अहकाम तुम से पहले अहले किताब को दिये गए थे। और अगर तुम कुफ़्र करो (तो ख़ुदा का क्या बिगाड़ोगे?) वह तो ज़मीन व आसमानों का तन्हा मालिक है। जैसे मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम से फ़रमाया था कि अगर तुम और तमाम रू-ए-ज़मीन के इनसान कुफ़्र करने लगें तो भी अल्लाह तआ़ला बेपरवाह और तारीफ़ व प्रशंसा के लायक़ है। एक और जगह फ़रमायाः

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ. وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

उन्होंने कुफ़्र किया और मुँह मोड़ लिया, अल्लाह तआ़ला ने उनसे बेनियाज़ी की और अल्लाह तआ़ला बहुत ही बेनियाज़ और तमाम तारीफ़ों का हक़ीक़ी मुस्तहिक़ है।

अपने तमाम बन्दों से ग़नी और अपने तमाम कामों में हम्द (तारीफ़) किया गया है। आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का वही मालिक है और हर शख़्स के तमाम कामों पर वह गवाह है और हर चीज़ का वह आ़लिम और शाहिद (देखने वाला) है। वह क़ादिर है कि अगर तुम उसकी नाफ़रमानियाँ करो तो वह तुम्हें बरबाद कर दे और ग़ैरों को आबाद कर दे। जैसे एक दूसरी आयत में हैः

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْآ اَمْثَالَكُمْ.

अगर तुम मुँह मोड़ोगे तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें बदल कर तुम्हारे सिवा और क़ौम को लायेगा जो तुम जैसे न होंगे।

बाज़ बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है कि इस आयत पर ग़ौर करो और सोचो कि गुनाहगार बन्दे ख़ुदा के नज़दीक किस क़द्र ज़लील और गिरे हुए हैं। एक और आयत में यह भी फ़रमाया है कि ख़ुदा पर यह काम कुछ मुश्किल नहीं। फिर फ़रमाता है- ऐ वह शख़्स जिसका पूरा इरादा और जिसकी पूरी कोशिश सिर्फ़ दुनिया के लिये है, जान ले कि दोनों जहान दुनिया और आख़िरत की भलाईयाँ ख़ुदा के क़ब्ज़े में हैं। तू जब उससे दोनों ही तलब करेगा तो वह तुझे देगा और वह तुझे बेपरवाह कर देगा और बेफ़िक्र बना देगा। एक और जगह फ़रमाया- बाज़ लोग वे हैं जो कहते हैं कि ख़ुदाया हमें दुनिया दे, उनका कोई हिस्सा आख़िरत में नहीं। और ऐसे भी हैं जो दुआ़यें करते हैं कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया की भलाईयाँ दे और आख़िरत में भी भलाईयाँ अ़ता फ़रमा, और जहन्नम के अ़ज़ाब से निजात अ़ता फ़रमा। ये हैं जिन्हें उनके आमाल का पूरा

हिस्सा मिलेगा..........। एक और जगह है कि जो शख़्स आख़िरत की खेती का इरादा रखे हम उसकी खेती में ज़्यादती करेंगे। एक और आयत में है:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ.......... الخ

जो शख़्स दुनिया का तालिब हो तो हम जिसे चाहें जितना चाहें दुनिया में दे दें......।

इमाम इब्ने जरीर ने इस आयत के यह मायने बयान किये हैं कि जिन मुनाफ़िक़ों ने दुनिया की जुस्तजू (तलब और इच्छा) में ईमान क़ुबूल किया था उन्हें अगरचे दुनिया मिल गिई, यानी मुसलमानों से माले ग़नीमत में हिस्सा बाँट लिया, लेकिन आख़िरत में उनके लिये ख़ुदा के पास जो तैयारी है वह उन्हें वहाँ मिलेगी, यानी जहन्नम की आग। और वहाँ के तरह-तरह के अ़ज़ाब। तो इमाम इब्ने जरीर के नज़दीक यह आयत इस आयत की तरह है:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا.......... الخ

कोई शक नहीं कि इस आयत के मायने तो बज़ाहिर यही हैं, लेकिन पहली आयत को भी इसी मायनं में लेना ग़ौर तलब बात है, क्योंकि इस आयत के अलफ़ाज़ तो साफ़ बता रहे हैं कि दुनिया और आख़िरत की ख़ैर का देना ख़ुदा के हाथ में है, तो हर शख़्स को चाहिये कि वह एक ही चीज़ की जुस्तजू में न लगा रहे बल्कि दोनों चीज़ों के हासिल करने की कोशिश करे। जो तुम्हें दुनिया देता है वही आख़िरत का भी मालिक है, यह बड़ी कम-हिम्मती होगी कि तुम अपनी आँखें बन्द कर लो और बहुत सारा देने वाले से थोड़ा सा माँगो। नहीं नहीं! बल्कि तुम दुनिया और आख़िरत के बड़े-बड़े कामों और बेहतरीन मक़ासिद को हासिल करने की कोशिश करो। याद रखो कि दोनों जहान का मालिक वही है। हर-हर नफ़ा व नुक़सान उसी के हाथ में है। कोई नहीं जो उसके साथ शरीक हो, या उसके कामों में दख़ल रखता हो। नेकबख़्ती व बदबख़्ती उसने तक़सीम की है, ख़ज़ानों की चाबियाँ उसने अपनी मुट्ठी में रख ली हैं। वह हर एक मुस्तहिक़ को जानता है और जिसका वह मुस्तहिक़ होता है उसे वही पहुँचाता रहता है। भला तुम ग़ौर करो कि तुम्हें देखने सुनने की ताक़त देने वाले का देखना सुनना कैसा कुछ होगा।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

ऐ ईमान वालो! इन्साफ़ पर ख़ूब क़ायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले रहो, अगरचे अपनी ही ज़ात पर हो या कि माँ-बाप और रिश्तेदारों के मुक़ाबले में हो, वह शख़्स अगर अमीर है तो, और ग़रीब है तो, दोनों के साथ अल्लाह तआ़ला को ज़्यादा ताल्लुक़ है, सो तुम नफ़्स की ख़्वाहिश की पैरवी मत करना, कभी तुम हक़ से हट जाओ, और अगर तुम कज-बयानी "यानी ग़लत और ख़िलाफ़े हक़ीक़त बयान" करोगे या किनारा करो और बचोगे तो बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं। (135)

इन्साफ़ को अपनाओ

अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को हुक्म देता है कि वे अ़दल व इन्साफ़ पर मज़बूती से जमे रहें। उससे एक इंच भी इधर से उधर न हटें, ऐसा न हो कि किसी के डर की वजह से या किसी लालच की बिना पर या किसी की ख़ुशामद में या किसी पर रहम खाकर या किसी की सिफ़ारिश से अ़दल व इन्साफ़ छोड़ बैठें। सब मिलकर अ़दल व इन्साफ़ को जारी करें, एक दूसरे की इस मामले में मदद करें और अल्लाह की मख़्लूक़ में अ़दालत (न्याय) को आ़म कर दें। अल्लाह के लिये गवाह बन जायें। जैसे एक और जगह है:

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ.

यानी गवाहियाँ अल्लाह की रज़ा तलब करने के लिये दो, जो बिल्कुल सही साफ़ सच्ची और बेलाग हों, बदलो नहीं, छुपाओ नहीं, छुपाकर न बोलो, साफ़-साफ़ सच्ची गवाही दो अगरचे वह ख़ुद तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो, तुम हक़ कहने से न रुको और यक़ीन मानो कि अल्लाह तआ़ला अपने इताअ़त गुज़ार (नेकी पर चलने वाले) गुलामों की निजात की सूरतें बहुत सी निकाल देता है। कुछ इसी पर मौक़ूफ़ नहीं कि झूठी गवाही से ही उसका छुटकारा होगा। अगरचे सच्ची गवाही माँ-बाप के ख़िलाफ़ होती हो, चाहे उस गवाही से रिश्तेदारों का नुक़सान होता हो लेकिन तुम सच को हाथ से न जाने दो। गवाही सच्ची दे दो, इसलिये कि हक़ हर एक पर हाकिम है। गवाही के वक़्त न मालदार का लिहाज़ करो न ग़रीब पर रहम करो, उनकी मस्लेहतों को ख़ुदा तुम से बेहतर जानता है, तुम हर सूरत और हर हालत में सच्ची गवाही अदा करो। देखो किसी के बुरे में आकर ख़ुद अपना बुरा न कर लो, किसी की दुश्मनी में, तरफ़दारी और क़ौमियत में फ़ना होकर अ़दल व इन्साफ़ हाथ से न छोड़ बैठो। बल्कि हर आन अ़दल का इन्साफ़ की प्रतिमा बने रहो। जैसे एक और जगह अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا، اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

किसी क़ौम की अ़दावत (दुश्मनी और मुख़ालफ़त) तुम्हें इन्साफ़ और हक़ के ख़िलाफ़ करने पर आमादा न कर दे, अ़दल करते रहो यही तक़्वे की शान के ज़्यादा क़रीब है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि. को जब रसूले करीम सल्ल. ने ख़ैबर वालों की खेतियों और बाग़ों का अन्दाज़ा करने को भेजा तो उन्होंने आपको रिश्वत देनी चाही कि आप मिक़्दार (मात्रा) कम बतायें तो अपने फ़रमाया- सुनो ख़ुदा की क़सम नबी सल्ल. मुझे तमाम मख़्लूक़ से ज़्यादा अ़ज़ीज़ हैं, और तुम मेरे नज़दीक कुत्तों और ख़िन्ज़ीरों से बदतर हो, लेकिन बावजूद इसके हुज़ूर सल्ल. की मुहब्बत में आकर या तुम्हारी दुश्मनी को सामने रखकर नामुम्किन है कि इन्साफ़ से हट जाऊँ और तुम में अ़दल न करूँ। यह सुनकर वे कहने लगे कि बस इसी से तो ज़मीन व आसमान क़ायम है। यह पूरी हदीस सूरः मायदा की तफ़सीर में आयेगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

फिर फ़रमाता है कि अगर तुमने गवाही में तहरीफ़ (यानी कमी-बेशी और कोई तब्दीली) की, ग़लत बयानी से काम लिया, वास्तविकता के ख़िलाफ़ गवाही दी, दबी ज़बान से उलझे अलफ़ाज़ कहे, वाक़िआ़त कम ज़्यादा कर दिये या कुछ छुपा लिया कुछ बयान कर दिया तो याद रखो कि अल्लाह तआ़ला जैसे हर चीज़ की ख़बर रखने वाले हाकिम के सामने यह चाल नहीं चल सकती, वहाँ जाकर इसका बदला पाओगे

और सज़ा भुगतोगे। हुज़ूर रसूले मक़बूल सल्ल. का इरशाद है कि बेहतरीन गवाह वे हैं जो मालूम करने से पहले ही सच्ची गवाही दे दें।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

ऐ ईमान वालो! तुम एतिक़ाद रखो अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, और उस किताब के साथ जो उसने अपने रसूल पर नाज़िल फ़रमाई, और उन किताबों के साथ जो कि पहले नाज़िल हो चुकी हैं। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला का इनकार करे और उसके फ़रिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और क़ियामत के दिन का तो वह शख़्स गुमराही में बड़ी दूर जा पड़ा। (136)

ईमान पर जमे रहने का हुक्म

ईमान वालों को हुक्म हो रहा है कि ईमान में पूरे-पूरे दाख़िल हो जायें। तमाम अहकाम को, पूरी शरीअ़त को, ईमान की तमाम बातों और हिस्सों को मान लें। यह ख़्याल न हो कि यह तो हासिल की हुई चीज़ ही को दोबारा हासिल करना है। नहीं! बल्कि यह अपने को पूरा करना है। ईमान लाये हो तो अब इसी पर क़ायम रहो, ख़ुदा को माना है तो जिसे जिस तरह वह मनवाये मानते चले जाओ। यही मतलब हर मुसलमान की इस दुआ़ का है कि हमें सिराते मुस्तक़ीम (सीधे रास्ते) की हिदायत कर, यानी हमारी हिदायत को साबित-क़दम रख, हमेशा के लिये रख, उसमें हमें मज़बूत कर और दिन-ब-दिन बढ़ाता रह। इसी तरह यहाँ भी मोमिनों को अपनी ज़ात पर और अपने रसूल पर ईमान लाने को फ़रमाया है। आयत में ईमान वालों से ख़िताब करके फ़रमाया कि अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। इस किताब से मुराद क़ुरआन है और इससे पहले की किताब से मुराद तमाम नबियों पर जो किताबें नाज़िल हुईं वो सब हैं। क़ुरआन के लिये लफ़्ज़ 'नज़्ज़-ल' (नाज़िल किया) बोला गया और दूसरी किताबों के लिये 'अन्ज़-ल' इसलिये कि क़ुरआन धीरे-धीरे, मौक़ा-ब-मौक़ा थोड़ा-थोड़ा करके उतरा और बाक़ी किताबें पूरी की पूरी एक साथ नाज़िल हुईं। फिर फ़रमाया कि जो शख़्स ख़ुदा के साथ, उसके फ़रिश्तों के साथ, उसकी किताबों के साथ, उसके रसूलों के साथ, आख़िरत के दिन (यानी मरने बाद ज़िन्दा होने और क़ियामत वग़ैरह) के साथ कुफ़्र करे (यानी इन सब का या इनमें से किसी एक का इनकार करे) वह हिदायत की राह से बहक गया और बहुत दूर की ग़लत राह पड़ गया, गुमराही में इधर से उधर हो गया।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۝ بَشِّرِ

बेशक जो लोग मुसलमान हुए फिर काफ़िर हो गए, फिर मुसलमान हुए फिर काफ़िर हो गए, फिर कुफ़्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह तआ़ला ऐसों को हरगिज़ न बख़्शेंगे और न उनको (मन्ज़िले मक़सूद यानी जन्नत का) रास्ता

الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۨ ○ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ○ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُبِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ز صلے اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۨ ○	दिखलाएँगे। (137) मुनाफ़िक़ों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए इस बात की कि उनके वास्ते बड़ी दर्दनाक सज़ा है। (138) जिनकी यह हालत है कि काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं मुसलमानों को छोड़कर। क्या उनके पास इज़्ज़त वाले रहना चाहते हैं, सो ऐज़ाज़ 'यानी इज़्ज़त और सम्मान' तो सारा ख़ुदा तआ़ला के क़ब्ज़े में है। (139) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे पास यह फ़रमान भेज चुका है कि जब अल्लाह के अहकाम के साथ मज़ाक़-ठट्ठा और कुफ़्र होता हुआ सुनो तो उन लोगों के पास मत बैठो जब तक कि वे कोई और बात शुरू न कर दें, कि उस हालत में तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ों को और काफ़िरों को सब को दोज़ख़ में जमा कर देंगे। (140)

इस्लाम से फिर जाने की सज़ा

इरशाद हो रहा है कि जो ईमान लाकर फिर मुर्तद हो जाये, फिर मोमिन होकर काफ़िर बन जाये, फिर अपने कुफ़्र पर जम जाये और इसी हालत में मर जाये, न उसकी तौबा क़बूल न उसकी बख़्शिश की संभावना, न उन्हें छुटकारा न फ़लाह, न ख़ुदा उन्हें बख़्शेगा न सही रास्ते पर लायेगा। हज़रत अ़ली रज़ि. इस आयत को तिलावत फ़रमाकर फ़रमाते थे कि मुर्तद से तीन बार कहा जायेगा कि तौबा कर ले, फिर फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ों की हालत यह है कि आख़िरकार (अंततः) उनके दिलों पर मुहर लग जाती है, फिर वे मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों से ताल्लुक़ रखते हैं, इधर बज़ाहिर मोमिनों से मिले-जुले रहते हैं उधर काफ़िरों में बैठकर मोमिनों का मज़ाक़ उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम तो उन्हें बेवक़ूफ़ बना रहे हैं, दर असल साथ तो हम तुम्हारे हैं। पस अल्लाह तआ़ला उनके असली मक़सद को उनके सामने पेश करके उसमें उनकी नाकामी को बयान फ़रमाता है कि तुम चाहते हो कि उनके पास तुम्हारी इज़्ज़त हो, यह ग़लत-फ़हमी है और तुम ग़लती कर रहे हो। सुनो! इज़्ज़त का मालिक तो ख़ुदा तआ़ला है। वह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। एक और आयत में इरशाद है:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.

कि जो कोई इज़्ज़त व सम्मान का तालिब है, तो बेशक इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के लिये यानी उसके पास है। एक और जगह फ़रमायाः

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ...... الخ

यानी इज़्ज़त अल्लाह के लिये है और उसके रसूल की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफ़िक़ बेसमझ लोग हैं। मक़सूद यह है कि अगर वास्तविक इज़्ज़त चाहते हो तो ख़ुदा के नेक बन्दों के साथ मिल जाओ, उसकी इबादत करो और उस पाक ज़ात से इज़्ज़त के इच्छुक बनो, दुनिया व आख़िरत में वह तुम्हें अज़ीज़ बना देगा। मुस्नद अहमद बिन हंबल की यह हदीस इस जगह याद रखने के क़ाबिल है कि हुज़ूर सल्ल. ने फ़रमाया- जो शख़्स फ़ख़्र व गुरूर (बड़ाई जताने और अभिमान) के तौर पर अपनी इज़्ज़त ज़ाहिर करने के लिये अपना नसब (नस्ली रिश्ता) अपने काफ़िर बाप-दादाओं से लगाये और नौ तक पहुँच जाये (यह एक इत्तिफ़ाक़ी क़ैद है) वह भी दसवाँ जहन्नमी होगा। फिर फ़रमान है कि जब मैं तुम्हें मना कर चुका कि जिस मज्लिस में अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा हो और उन्हें मज़ाक़ में उड़ाया जा रहा हो उसमें न बैठो, फिर भी अगर तुम ऐसी मज्लिसों में शरीक होते रहोगे तो याद रखो मेरे यहाँ तुम भी उनकी हरकत व फ़ेल में शरीक समझे जाओगे, उनके गुनाह में तुम भी उन ही जैसे हो जाओगे। जैसे एक हदीस में है कि जिस दस्तरख़्वान पर शराब पी जा रही हो उस पर किसी ऐसे शख़्स को न बैठना चाहिये जो अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान रखता हो। इस आयत में जिस मनाही का हवाला दिया गया है वह सूरः अन्आम की आयते मक्किया है, जो यह है:

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ.......... الخ

जब तू उन्हें देखे जो मेरी आयतों में ग़लत ग़ौर-व-फ़िक्र करने बैठ जाते हैं तो तू उनसे मुँह मोड़ ले। हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान फ़रमाते हैं कि इस आयत का यह हुक्म "तुम भी उन्हें जैसे हो जाओगे" अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान से मन्सूख़ (निरस्त) हो गया है:

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

यानी मुत्तक़ियों पर उनके हिसाब का कोई बोझ नहीं, लेकिन नसीहत है। क्या अ़जब कि वे बच जायें।

फिर अल्लाह का फ़रमान है, अल्लाह तआ़ला तमाम मुनाफ़िक़ों को और सारे काफ़िरों को जहन्नम में जमा करने वाला है। यानी जिस तरह ये मुनाफ़िक़ उन काफ़िरों के कुफ़्र में शरीक हैं क़ियामत के दिन जहन्नम में हमेशा रहने के लिये और वहाँ के बहुत सख़्त दिल दहला देने वाले अ़ज़ाबों के सहने में भी उनके शरीके हाल रहेंगे। वहाँ की सज़ाओं में, वहाँ की क़ैद व बन्द में, तौक़ व ज़न्जीर में, गर्म पानी के कड़वे घूँट उतारने में और पीप लहू के पीने में भी उनके साथ होंगे और हमेशा की सज़ा का ऐलान सब को साथ ही सुना दिया जायेगा।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ	वे ऐसे हैं कि तुम पर मुसीबत पड़ने के मुन्तज़िर रहते हैं, फिर अगर तुम्हारी फ़तह अल्लाह की तरफ़ से हो गई तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफ़िरों को कुछ हिस्सा मिल गया तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम पर ग़ालिब न आने लगे थे और क्या हमने तुमको मुसलमानों से

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝	बचा नहीं लिया। सो अल्लाह तआ़ला तुम्हारा और उनका क़ियामत में (अ़मली) फ़ैसला फ़रमा देंगे, और (उस फ़ैसले में) अल्लाह तआ़ला काफ़िरों को हरगिज़ मुसलमानों के मुक़ाबले में ग़ालिब न फ़रमाएँगे। (141)

मुनाफ़िक़ों का हाल

मुनाफ़िक़ों की बुरी फ़ितरत का ज़िक्र है कि मुसलमानों की बरबादी और उनको पस्त करने की तलाश में लगे रहते हैं। हालात मालूम करते रहते हैं, अगर किसी जिहाद में मुसलमान कामयाब व विजयी हो गये, अल्लाह की मदद से ये ग़ालिब आ गये तो उनको धोखा देने के लिये कहते हैं क्या जी हम भी तो तुम्हारे साथी हैं। और अगर किसी वक़्त मुसलमानों की आज़माईश के लिये ख़ुदा तआ़ला ने काफ़िरों को ग़लबा दे दिया जैसे उहुद की लड़ाई में हुआ था, अगरचे अंततः हक़ ही ग़ालिब रहा, तो ये उनकी तरफ़ लपकते हैं और कहते हैं कि देखो छुपे तौर पर तो हम तुम्हारी ताईद ही करते हैं और उन्हें नुक़सान पहुँचाते रहते हैं। यह हमारी चालाकी ही थी जिसकी बदौलत आज तुमने उन पर फ़तह पा ली। ये हैं उनकी करतूत कि दो कश्तियों में पाँव रख छोड़ते हैं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अगरचे ये अपनी इस मक्कारी को इतराहट और फ़ख़्र का सबब जानते हों लेकिन दर असल ये सरासर उनकी बेईमानी और कम-यक़ीनी की दलील है। भला उनका यह फ़रेब कब तक चलेगा? काग़ज़ की नाव कब तक चलेगी? वक़्त आ रहा है कि अपने किये पर नादिम होंगे। अपनी बेवक़ूफ़ी पर हाथ मलेंगे। अपनी शर्मनाक करतूत पर आँसू बहायेंगे। अल्लाह का सच्चा फ़ैसला सुन लेंगे और तमाम भलाईयों से नाउम्मीद हो जायेंगे। भ्रम खुल जायेगा, राज़ फ़ाश हो जायेगा, अन्दर का बाहर आ जायेगा, यह पॉलीसी और रणनीति यह वक़्त की मस्लेहत और हालात व मौक़े के मुताबिक़ पल्टी मारना निहायत डरावनी सूरत से सामने आ जायेगा और ग़ैब के जानने वाले (यानी अल्लाह तआ़ला) के बेपनाह अ़ज़ाबों का शिकार हो जायेंगे। नामुम्किन है कि काफ़िरों को अल्लाह तआ़ला मोमिनों पर कामयाबी दे दे। हज़रत अ़ली रज़ि. से एक शख़्स ने इसका मतलब पूछा तो आपने पहले जुमले को साथ मिलाकर पढ़ दिया। मतलब यह था कि क़ियामत के दिन ऐसा न होगा। यह भी रिवायत किया गया है कि "सबील" (ग़ालिब करने) से मुराद हुज्जत है। लेकिन फिर भी इसके ज़ाहिरी मायने मुराद लेने में कोई बाधा नहीं। यानी यह नामुम्किन है कि अल्लाह तआ़ला अब से लेकर क़ियामत तक कोई ऐसा वक़्त लाये कि काफ़िर इस क़द्र ग़लबा हासिल कर लें कि मुसलमानों का नाम मिटा दें। यह और बात है कि किसी जगह किसी वक़्त दुनियावी तौर पर उन्हें ग़लबा मिल जाये, लेकिन अन्जाम कार मुसलमानों के हक़ में ही भलाई और बेहतरी का मामला होगा, दुनिया में भी और आख़िरत में भी। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .... الخ

हम अपने रसूलों की और ईमान वाले बन्दों की मदद दुनिया में भी लाज़िमी तौर पर ज़रूर करेंगे।

और इस मायने के करने में एक लतीफ़ बात यह भी है कि मुनाफ़िक़ों को जो मुसलमानों की ज़िल्लत और उनकी बरबादी के आने के वक़्त का इन्तिज़ार था, मायूस कर दिया गया कि कुफ़्फ़ार को मुसलमानों

पर अल्लाह तआ़ला इस तरह ग़ालिब न कर देगा कि तुम फूले न समाओ और वे जिस डर से मुसलमानों का साथ खुलकर न देते थे उस डर को भी दूर कर दिया कि तुम यह न समझो कि किसी वक़्त भी मुसलमान मिट जायेंगे। इसी मतलब की वज़ाहत इस आयत में कर दी गयी हैः

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ.......... الخ

(यानी सूरः मायदा की आयत 52 में)

इस आयते करीमा से हज़राते उलेमा ने इस बात पर भी इस्तिदलाल किया (दलील पकड़ी) है कि मुसलमान गुलाम को काफ़िर के हाथ बेचना जायज़ नहीं, क्योंकि इस सूरत में एक काफ़िर को एक मुसलमान पर ग़ालिब कर देना है, और इसमें मुस्लिम की ज़िल्लत है। जिन बाज़ उलेमा हज़रात ने इस सौदे को जायज़ रखा है वे उसे हुक्म करते हैं कि अपनी मिल्क से उसी वक़्त ख़त्म कर दे।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝	**बिला शुब्हा मुनाफ़िक़ लोग चालबाज़ी करते हैं अल्लाह तआ़ला से, हालाँकि अल्लाह तआ़ला उस चाल की सज़ा उनको देने वाले हैं। और जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बहुत ही सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, सिर्फ़ आदमियों को दिखलाते हैं, और अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र भी नहीं करते मगर बहुत ही मुख़्तसर। (142) लटक रहे हैं दोनों के दरमियान में, न इधर न उधर, और जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराही में डाल दें ऐसे शख़्स के लिए कोई सबील न पाओगे। (143)**

मुनाफ़िक़ों की चाल और फ़रेब

सूरः ब-क़रह में भी आयतः

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.............. الخ

(यानी वे अल्लाह तआ़ला और मुसलमानों से चालबाज़ी करते हैं.........) इस मज़मून की गुज़र चुकी है यहाँ भी यही बयान हो रहा है कि ये कम-समझ मुनाफ़िक़ उस ख़ुदा के सामने चालें चलते हैं जो सीनों में छुपी हुई बातों और दिलों के पोशीदा राज़ों से आगाह है। कम-समझी से यह हाल किये हुए बैठे हैं कि जिस तरह उनका निफ़ाक़ (दो-रुख़ा होना) दुनिया में चल गया और मुसलमानों में मिले-जुले रहे इसी तरह अल्लाह तआ़ला के पास भी यह मक्कारी चल जायेगी। चुनाँचे क़ुरआन में है कि क़ियामत के दिन भी ये लोग ख़ुदा के सामने अपने एक तरफ़ होने की क़समें खायेंगे जैसे यहाँ खाते हैं, लेकिन उस आ़लिमुल-ग़ैब के सामने ये क़समें हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकतीं, अल्लाह भी उन्हें धोखे में रख रहा है, वह ढील देता है, बढ़ोतरी देता है, ये फूलते हैं ख़ुश होते हैं और अपने लिये इसे अच्छाई और बेहतराई समझते हैं। क़ियामत में भी इनका यही हाल होगा, मुसलमानों के नूर के सहारे में होंगे, वे आगे निकल जायेंगे, ये आवाज़ें देंगे कि ठहर

जाओ हम भी तुम्हारी रोशनी में चलें। जवाब मिलेगा कि पीछे मुड़ जाओ और रोशनी तलाश कर लाओ। ये मुड़ेंगे, उधर पर्दा रोक हो जायेगा, मुसलमानों की जानिब रहमत और इनकी तरफ़ ज़हमत।

हदीस शरीफ़ में है कि जो सुनाएगा अल्लाह भी उसे सुनायेगा और जो रियाकारी करेगा अल्लाह भी उसे दिखायेगा। एक और हदीस में है कि उन मुनाफ़िक़ों में भी वे भी होंगे कि बज़ाहिर लोगों के सामने अल्लाह तआ़ला उनके बारे में फ़रमायेगा कि इन्हें जन्नत में ले जाओ, फ़रिश्ते लेजाकर दोज़ख़ में डाल देंगे। अल्लाह अपनी पनाह में रखे।

फिर इन मुनाफ़िक़ों की बदज़ौक़ी का बयान हो रहा है कि नमाज़ जैसी बेहतरीन इबादत भी तवज्जोह और दिलचस्पी से अदा करनी उन्हें नसीब नहीं होती, क्योंकि नेक-नीयती, अ़मल की बेहतराई, असली ईमान, सच्चा यक़ीन उनमें है ही नहीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. थके-हारे हुए बदन से कसमसा कर नमाज़ पढ़ना मक्रूह जानते थे और फ़रमाते थे कि नमाज़ी को चाहिये कि ज़ौक़ व शौक़ से, दिल की चाहत और पूरी तवज्जोह के साथ नमाज़ में खड़ा हो, और यक़ीन माने कि उसकी आवाज़ पर ख़ुदा के कान हैं, उसकी तलब पूरी करने को ख़ुदा तैयार है। यह तो हुई उन मुनाफ़िक़ों की ज़ाहिरी हालत कि थके-हारे तंगदिली के साथ बतौर बेगार टालने के नमाज़ के लिये आये, फिर अन्दरूनी हालत यह है कि इख़्लास (नेक-नीयती) से कोसों दूर हैं। रब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, नमाज़ी मशहूर होने के लिये लोगों में अपने ईमान को ज़ाहिर करने के लिये नमाज़ पढ़ रहे हैं, भला उन पत्थर के पुजारी दिल वालों को नमाज़ में क्या मिलेगा? यही वजह है कि उन नमाज़ों में जिन्हें लोग एक दूसरे को कम देख सकें यह ग़ैर-हाज़िर रहते हैं, जैसे इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़।

बुख़ारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्ल. फ़रमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बोझल नमाज़ मुनाफ़िक़ों पर इशा और फ़जर की है। अगर दर असल ये इन नमाज़ों के फ़ज़ाईल के दिल से क़ायल होते तो चाहे घुटनों से चलकर आना पड़े यह ज़रूर आ जाते। मैं तो इरादा कर रहा हूँ कि तकबीर कहलवाकर किसी को अपनी इमामत की जगह खड़ा करके नमाज़ शुरू कराकर कुछ लोगों से लकड़ियाँ उठवाकर उनके घरों में जाऊँ जो जमाअ़त में शामिल नहीं होते और लकड़ियाँ उनके घरों के चारों तरफ़ लगाकर हुक्म दूँ कि आग लगा दो और उनके घरों को जला दो। एक रिवायत में है कि ख़ुदा की क़सम अगर उन्हें एक चरब हड्डी या दो अच्छे खुर मिलने की उम्मीद हो तो दौड़े चले आयें, लेकिन आख़िरत की और ख़ुदा के सवाबों की उन्हें इतनी भी क़द्र नहीं। अगर बाल-बच्चों और औरतों का जो घरों में रहती हैं मुझे ख़्याल न होता तो निश्चित तौर पर मैं उनके घर जला देता। (अबू यअ़्ला में है) हुज़ूर सल्ल. फ़रमाते हैं कि जो शख़्स लोगों की मौजूदगी में नमाज़ को संवार कर ठहर-ठहर कर अदा करे लेकिन जब कोई न हो तो बुरी तरह नमाज़ पढ़ ले यह वह है जिसने अपने रब का अपमान किया। फिर फ़रमाया ये लोग अल्लाह का ज़िक्र भी बहुत ही कम करते हैं, यानी नमाज़ में उनका दिल नहीं लगता, ये अपनी कही हुई बात समझते भी नहीं बल्कि ग़ाफ़िल दिल और बेपरवाह नफ़्स से नमाज़ पढ़ लेते हैं।

नबी करीम हज़रत सल्ल. फ़रमाते हैं कि यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की है, यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की है, यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की है कि बैठा हुआ सूरज को देख रहा है यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा और शैतान ने अपने दोनों सींग उसके इर्द-गिर्द लगा दिये तो यह खड़ा हुआ और जल्दी-जल्दी चार रकअ़तें पढ़ लीं, जिनमें ख़ुदा का ज़िक्र नाम के लिये ही किया। (मुस्लिम वग़ैरह)

यह मुनाफ़िक़ हैरान और परेशान हाल हैं, ईमान व कुफ़्र के दरमियान उनका दिल डावाँडोल हो रहा है, न तो साफ़ तौर से मुसलमानों के साथी हैं, न पूरी तरह कुफ़्फ़ार के साथ, कभी नूरे ईमान चमक उठा तो इस्लाम की सच्चाई बयान करने लगे, कभी कुफ़्र की अंधेरियाँ ग़ालिब आ गईं तो ईमान से किनारे हो गए। न तो हुज़ूर सल्ल. के सहाबा की तरफ़ हैं न यहूदियों की तरफ़। रसूले मक़बूल सल्ल. का इरशाद है कि मुनाफ़िक़ की मिसाल ऐसी है जैसे दो रेवड़ के दरमियान की बकरी, कभी तो वह मैं-मैं करती उस रेवड़ की तरफ़ दौड़ती है कभी इस तरफ़। उसके नज़दीक अभी तय नहीं हुआ कि उसमें जाये या इसके पीछे लगे।

एक रिवायत में है कि इस मायने की हदीस हज़रत उबैद बिन उमैर ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर की मौजूदगी कुछ अलफ़ाज़ के हेर-फेर के साथ बयान की तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. ने अपने सुने हुए अलफ़ाज़ दोहरा कर कहा- यूँ नहीं बल्कि दर असल हदीस यूँ है। जिस पर हज़रत उबैद रज़ि. नाराज़ हुए (मुम्किन है कि एक बुज़ुर्ग ने एक तरह के हालात सुने हों, दूसरे ने दूसरी क़िस्म के)।

मुनाफ़िक़ की मिसाल

इब्ने अबी हातिम में है कि मोमिन, काफ़िर और मुनाफ़िक़ की मिसाल उन तीन शख़्सों जैसी है जो एक दरिया पर गए। एक तो किनारे पर ही खड़ा रह गया, दूसरा उतर कर पार होकर मन्ज़िल मक़सद तक पहुँच गया, तीसरा जब बीचों-बीच पहुँच गया तो इधर वाले ने पुकारना शुरू किया कि कहाँ मरने के लिये चला है इधर वापस चला आ, उधर वाले ने आवाज़ दी कि आ जाओ, निजात के साथ मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँच जाओ। मेरी तरफ़ पहुँच जाओ, आधा रास्ता तय कर चुके हो। अब यह हैरान होकर कभी इधर देखता है कभी उधर नज़र डालता है, दुविधा में है कि किधर जाऊँ किधर न जाऊँ? इतने में एक ज़बरदस्त मौज (लहर) आई और उसको बहाकर ले चली। ग़ोते खा-खाकर मर गया। पस पार हो जाने वाला तो मुसलमान है, किनारे पर खड़ा रह जाने वाला काफ़िर है और मौज में डूबकर मरने वाला मुनाफ़िक़ है।

एक और हदीस में है कि मुनाफ़िक़ की मिसाल उस बकरी के जैसी है जो हरे-भरे टीले पर बकरियों को देखकर आई और सूँघकर चल दी। फिर दूसरे टीले पर चढ़ी और सूँघकर आ गई। फिर फ़रमाया- जिसे ख़ुदा ही राहे हक़ से फेर दे उसका वाली व मुर्शिद (सही राह दिखाने वाला) कौन हो? उसके गुमराह किये हुए को सही रास्ते पर कौन ला सकता है? अल्लाह ने इन मुनाफ़िक़ों को उनके बदतरीन बुरे आमाल के सबब रास्ते से धकेल दिया है, अब न उन्हें कोई सही रास्ते पर ला सकता है न छुटकारा दिला सकता है। अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कौन कर सकता है? वह सब पर हाकिम है, उस पर किसी की हुकूमत नहीं।

ऐ ईमान वालो! तुम मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त मत बनाओ, क्या तुम यूँ चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह तआ़ला की साफ़ हुज्जत क़ायम कर लो? (144) बेशक मुनाफ़िक़ लोग दोज़ख़ के सबसे नीचे के तब्क़े में जाएँगे, और तू हरगिज़ उनका कोई मददगार न पाएगा। (145) लेकिन जो लोग तौबा कर लें	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ٥ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ٥	और सुधार कर लें और अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखें और अपने दीन को ख़ालिस अल्लाह ही के लिए किया करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे, और मोमिनों को अल्लाह तआ़ला बड़ा अज्र अ़ता फ़रमाएँगे। (146) (और ऐ मुनाफ़िक़ो!) अल्लाह तआ़ला तुमको सज़ा देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्र गुज़ारी करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह तआ़ला बड़ी क़द्र करने वाले और ख़ूब जानने वाले हैं। (147)

काफ़िरों से दिली ताल्लुक़ की मनाही

काफ़िरों से दोस्तियाँ करने, उनसे दिली मुहब्बत रखने, उनके साथ हर वक़्त उठने-बैठने से मुसलमानों के भेद उनको देने और छुपे ताल्लुक़ात उनसे क़ायम रखने से अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को रोक रहा है। जैसे एक और आयत में है:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ......... الخ

मोमिनों को चाहिये कि सिवाय मोमिनों के काफ़िरों से दोस्ती न करें। ऐसा करने वाला अल्लाह तआ़ला के यहाँ किसी भलाई का मुस्तहिक़ नहीं। हाँ अगर सिर्फ़ बचाव के तौर पर दिखाने के लिये हो तो और बात है, अल्लाह तआ़ला तुम्हें ख़ुद से डरा रहा है, यानी अगर तुम उसकी नाफ़रमानियाँ करोगे तो उसके अ़ज़ाबों से डरना चाहिये। इब्ने अबी हातिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि. का फ़रमान है कि आपने फ़रमाया- क़ुरआन में जहाँ कहीं ऐसी इबारतों में 'सुल्तन' का लफ़्ज़ आया है वहाँ उससे मुराद हुज्जत है। यानी अगर तुमने मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों से दोस्ती के ताल्लुक़ात पैदा किये तो तुम्हारा यह फ़ेल काफ़ी सुबूत होगा और पूरी दलील होगी इस बात की कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें सज़ा दे। बहुत से बुज़ुर्गों और पहले के उलेमा ने इस आयत की यही तफ़सीर बयान की है।

मुनाफ़िक़ों का हसरत भरा अन्जाम

फिर मुनाफ़िक़ों का अन्जाम बयान फ़रमाता है कि ये अपने सख़्त कुफ़्र की वजह से जहन्नम के सबसे नीचे के तब्क़े (दर्जे) में दाख़िल किये जायेंगे। जन्नत में दर्जे हैं, एक से एक ऊपर और दोज़ख़ में दर्जे हैं एक से एक नीचे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि उन्हें आग के सन्दूक़ों में बन्द करके जहन्नम में डाला जायेगा और ये जलते-भुनते रहेंगे। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि ये सन्दूक़ लोहे के होंगे जो आग लगते ही आग के हो जायेंगे और चारों तरफ़ से बिल्कुल बन्द होंगे, कोई न होगा जो उनकी किसी

तरह मदद करे, जहन्नम से निकाल सके या अ़ज़ाब में ही कुछ कमी करा सके। हाँ उनमें जो तौबा कर लें, नादिम हो जायें, सच्चे दिल से निफ़ाक़ से हट जायें और रब से अपने इस गुनाह की माफ़ी चाहें फिर अपने आमाल में इख़्लास पैदा करें, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिये नेक आमाल पर कमर कस लें, दिखावे को इख़्लास से बदल दें, ख़ुदा के दीन को मज़बूती से थाम लें तो बेशक अल्लाह तआ़ला उनकी तौबा क़ुबूल फ़रमा लेगा, उनहें सच्चे मोमिनों में दाख़िल कर लेगा और बड़े सवाब और आला अज्र इनायत फ़रमायेगा।

इब्ने अबी हातिम में है, नबी करीम सल्ल. फ़रमाते हैं कि अपने दीन को ख़ालिस कर लो तो थोड़ा अ़मल भी तुम्हें काफ़ी हो जायेगा। फिर इरशाद होता है कि अल्लाह ग़नी है, बेनियाज़ है, वह बन्दों को सज़ा देनी नहीं चाहता हाँ जब बन्दे गुनाहों पर दिलेर हो जायें तो उनको सज़ा देना ज़रूरी है। पस फ़रमाया कि अगर तुम अपने आमाल को संवार लो और ख़ुदा व उसके रसूल पर सच्चे दिल से ईमान लाओ तो कोई वजह नहीं कि ख़ुदा तुम्हें अ़ज़ाब करे, वह तो छोटी-छोटी नेकियों की भी क़द्रदानी करने वाला है। जो उसका शुक्र करे वह उसकी इज़्ज़त-अफ़ज़ाई करता है। वह पूरे और सही इल्म वाला है, जानता है कि किसका अ़मल इख़्लास वाला (यानी सिर्फ़ अल्लाह के लिये) और क़ुबूलियत और क़द्र के लायक़ है। उसे मालूम है कि किस दिल में क़वी (मज़बूत) ईमान है और कौनसा दिल ईमान से ख़ाली है। जो इख़्लास और ईमान वाले हैं उन्हें भरपूर और पूरे बदले अल्लाह तआ़ला इनायत फ़रमायेगा। (अल्लाह हमें ईमान व इख़्लास की दौलत से मालामाल करे और फिर अज्र व सवाब से निहाल करे)।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि तफ़सीर इब्ने कसीर का पाँचवाँ पारा मुकम्मल हुआ।

इस तफ़सीर में इस्तेमाल किये गये कुछ अलफ़ाज़ के मायने

अ़बाः- लम्बा कोट, चौग़ा, जुब्बा।

अज़लः- शुरू, मख़्लूक़ की पैदाईश का दिन। वह समय जिसकी कोई शुरूआ़त न हो।

अ़जायबातः- अनोखी या हैरत-अंगेज़ चीज़ें।

अ़ज़ाबः- गुनाह की सज़ा, तकलीफ़, दुख, मुसीबत।

अज्रः- नेक काम का बदला, सवाब, फल।

अ़क़ीदाः- दिल में जमाया हुआ यक़ीन, ईमान, एतिबार, आस्था आदि। इसका बहुवचन **अ़क़ीदे** और **अ़क़ायद** आता है।

अ़दमः- नापैदी, न होना।

अबदः हमेशगी। वह ज़माना जिसकी कोई इन्तिहा न हो।

अय्यामे-तशरीक़ः- बक़र-ईद के बाद के तीन दिन।

अमानतः- सुपुर्द की हुई चीज़।

अमीनः- अमानतदार।

अ़लीमः- जानने वाला, अल्लाह तआ़ला का एक सिफ़ाती नाम।

अहकामः- **हुक्म** का बहुवचन, मायने हैं फ़रमान, इरशाद, शरई फ़ैसला आदि।

आयतः- निशान, क़ुरआनी आयत का एक टुकड़ा, एक रुकने की जगह का नाम जो गोल दायरे की शक्ल में होती है।

आबख़ोराः- पानी पीने का छोटा सा मिट्टी का बरतन।

आख़िरतः- परलोक, दुनिया के बाद की ज़िन्दगी।

इस्मे आज़मः- अल्लाह तआ़ला के नामों में से एक बड़ाई वाला नाम, इसके ज़रिये दुआ़ की क़बूलियत का अवसर बढ़ जाता है।

इबरानीः- यहूदियों की भाषा, किनआ़न वालों की ज़बान, इब्र की औलाद यानी इस्राईली।

इल्लिय्यूनः- बड़े और ऊँचे दर्जे के लोग, जन्नती।

इजमाः- जमा होना, एकमत होना, मुसलमान उलेमा का किसी शरई मामले पर एकमत होना।

ईलाः- शौहर का बीवी के पास चार महीने या इससे ज़्यादा समय के लिये न जाने की क़सम ले लेना।

इस्तिग़फ़ारः- तौबा करना, बख़्शिश चाहना।

उज्रः- बहाना, हीला, सबब, हुज्जत, एतिराज़, पकड़, माफ़ी, माफ़ी चाहना, इनकार।

एहरामः- बिना सिली एक चादर और तहबन्द। मुराद वह कपड़ा और लिबास है जिसको पहनकर हज और उमरे के अरकान अदा किये जाते हैं।

कहानतः- ग़ैब की बात बताना, फ़ाल कहना, भविष्यवाणी करना।

कफ़्फ़ाराः- गुनाह को धो देने वाला, गुनाह या ख़ता का बदला, क़ुसूर का दंड जो ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से मुक़र्रर है। प्रायशचित।

क़ियासः- अन्दाज़ा, अटकल, जाँच।

क़िसासः- बदला, इन्तिक़ाम, ख़ून का बदला ख़ून।

कूज़ाः- डोंगा।

ख़ल्क़ः- मख़्लूक़, सृष्टि।

ख़ालिक़ः- पैदा करने वाला। अल्लाह तआ़ला का एक सिफ़ाती नाम।

ख़ियानतः- दग़ा, धोखा, बेईमानी, बद्-दियानती, अमानत में चोरी।

ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ः- आ़जिज़ी करना, गिड़गिड़ाना, सर झुकाना, विनम्रता इख़्तियार करना।

ख़ुतबाः- तक़रीर, नसीहत, संबोधन।

ख़ुलाः- बीवी का कुछ माल वग़ैरह देकर अपने पति से तलाक़ लेना।

ग़ज़वाः- वह जिहाद जिसमें ख़ुद रसूले ख़ुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ग़ैबः- ग़ैर-मौजूदगी, पोशीदगी की हालत, जो आँखों से ओझल हो। जो अभी भविष्य में हो।

ज़माना-ए-जाहिलीयतः- अ़रब में इस्लाम से पहले का ज़माना और दौर।

ज़िरहः- लोहे का जाली दार कुर्ता जो लड़ाई में पहनते हैं। आजकल बुलेट-प्रूफ़ जाकेट।

जिहादः- कोशिश, जिद्दोजहद, दीन की हिमायत के लिये हथियार उठाना, जान व माल की क़ुरबानी देना।

ज़िनाः- बदकारी, हराम कारी।

जिज़्याः- वह टैक्स जो इस्लामी हुकूमत में ग़ैर-मुस्लिमों से लिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, औ़रतें और धर्मगुरु इससे बाहर रहते हैं। इस टैक्स के बदले हुकूमत उनके जान माल आबरू की सुरक्षा करती है।

ज़िहारः- एक क़िस्म की तलाक़, फ़िक़ा की इस्तिलाह में मर्द का अपनी बीवी को माँ बहन या उन औ़रतों से तशबीह देना जो शरीअ़त के हिसाब से उस पर हराम हैं।

टट्टीः- बाँस का छप्पर, पर्दा खड़ा करना, क़नात।

तक़दीरः- वह अन्दाज़ा जो अल्लाह तआ़ला ने पहले दिन से हर चीज़ के लिये मुक़र्रर कर दिया है। नसीब, क़िस्मत, भाग्य।

तर्काः- मीरास, मरने वाले की जायदाद व माल।

तौहीदः- एक मानना, ख़ुदा तआ़ला के एक होने पर यक़ीन करना।

तस्दीक़:- सच होने की पुष्टि करना, साबित करना।

तकज़ीब:- झुठलाना, झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाना।

तरदीद:- किसी बात को रद्द करना, खण्डन करना।

तहरीफ़:- बदल देना, तहरीर में असल अलफ़ाज़ बदल कर और कुछ लिख देना, या तर्जुमा करने में जान-बूझकर ग़लत मायने करना।

तिलावत:- पढ़ना, क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना।

तजल्ली:- पर्दा हटना, ज़ाहिर होना, रोशनी, चमक, उजाला आदि।

तरग़ीब:- शौक़, इच्छा, किसी काम के करने पर उभारना।

तवाफ़:- अल्लाह के घर का चक्कर लगाना।

तमत्तोअ़, इफ़राद, क़िरान:- ये हज की क़िस्में हैं।

तावील:- शरह, व्याख्या, बयान, बचाव की दलील, ज़ाहिरी मतलब से किसी बात को फेर देना।

दारुल-हरब:- वह देश जहाँ मुसलमानों का जान, माल और धर्म सुरक्षित नहीं।

दारुल-अमन:- वह मुल्क जहाँ मुसलमानों को अमन-अमान हासिल है।

दारुल-इस्लाम:- वह देश जहाँ इस्लामी हुकूमत हो।

दियत:- ख़ून की क़ीमत, वह माल जो मक़्तूल के वारिस क़ातिल से लें।

नफ़्ख़:- फूँकना, फूँक मारना।

नफ़्ख़ा/नफ़्ख़ा-ए-सूर:- वह सूर जो क़ियामत के दिन हज़रत इस्राफ़ील अ़लैहिस्सलाम के ज़रिये फूँका जायेगा।

नस्ख़:- तरदीद, निरस्त करना।

निफ़ाक़/मुनाफ़क़त:- ज़ाहिर में दोस्ती अन्दर में दुश्मनी। बिगाड़।

नुबुव्वत:- नबी होना, पैग़म्बरी।

नासिख़:- मिटाने वाला, निरस्त करने वाला।

पेशवा:- रहबर, सरदार, अगुवाई करने वाला।

पारा:- टुकड़ा, हिस्सा।

फ़िदया:- नक़द मुआवज़ा, ख़ून बहा, माल या रुपया जिसे देकर छुटकारा हो जाये।

फ़िक़ा:- इस्लामी क़ानून। शरीअ़त के अहकाम की मालूमात।

फ़र्ज़े-ऐन:- लाज़िमी और ज़रूरी काम, ज़रूरी फ़र्ज़।

फ़र्ज़े-किफ़ाया:- वह फ़र्ज़ और दायित्व जो चन्द आदमियों के अदा करने से सब की तरफ़ से अदा हो जाये जैसे नमाज़े जनाज़ा। अगर कोई भी उसको अदा न करे तो सब के सब गुनाहगार होंगे।

फ़ाल:- शगुन, ग़ैब की बात मालूम करना।

बैतुल-माल:- इस्लामी सरकार का ख़ज़ाना।

बरगुज़ीदाः- चुना हुआ, मुन्तख़ब, ख़ास किया हुआ, पसन्दीदा।

बुराक़ः- वह जन्नती सवारी जिस पर सवार होकर हज़रत मुहम्मद सल्ल. मेराज की रात आसमानों के सफ़र पर तशरीफ़ ले गये।

बेसतः- रिसालत, पैग़म्बर का ज़माना (ख़ास कर हज़रत मुहम्मद सल्ल. का ज़माना), पैग़म्बर का भेजा जाना।

बिद्अतः- दीन में कोई नई बात या नई रस्म निकालना। नया दस्तूर, नई रस्म।

बैअ़तः- मुरीद बनना, फ़रमाँबरदारी का अ़हद।

बर्ज़ख़ः- मरने के बाद से क़ियामत तक की ज़िन्दगी, आड़, पर्दा।

बातिलः- झूठ, बेअसल, नाहक़, ग़लत वग़ैरह-वग़ैरह।

मग़फ़िरतः- बख़्शिश, निजात, छुटकारा।

मोजिज़ाः- वह काम जो इनसानी अ़क़्ल व सोच और ताक़त से बाहर हो। चमत्कार, आ़जिज़ कर देने वाली चीज़, नबी के द्वारा ज़ाहिर होने वाली कोई ख़िलाफ़े मामूल बात।

मन्सूख़ः- रद्द किया गयाा, निरस्त किया गया, छोड़ दिया गया।

मुस्तहबः- पसन्दीदा। इबादात में वह फ़ेल जिसे नबी करीम सल्ल. ने पसन्द फ़रमाकर ख़ुद किया हो या उसका सवाब बयान फ़रमाया हो।

मुबाहः- जायज़, रवा, वैध, दुरुस्त, हलाल।

मक्रूहः- नापसन्दीदा, बुरा। वह बात जो बाज़ इमामों के नज़दीक हलाल और बाज़ के नज़दीक नाजायज़ हो।

मरवीः- रिवायत किया गया, बयान किया गया।

रिवायतः- किसी बात की नक़ल, बयान।

रावीः- बयान या रिवायत करने वाला।

माज़िरतः- उज़्र, बहाना, हीला।

मन्न व सलवाः- वह खाना जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के लश्कर बनी इस्राईल पर मुल्क शाम के जंगल में नाज़िल हुआ था।

मेहशरः- क़ियामत के दिन इकट्ठा होने की जगह, क़ियामत।

मीरासः- मरने वाले का छोड़ा हुआ माल व जायदाद जो उसकी तरफ़ से हक़दारों को मिलती है।

मसाईलः- पूछी गयी बात, दीनी बात, इसका एक वचन **मसला** है।

मुताः- एक निर्धारित वक़्त के लिये निकाह करना। (अब यह जायज़ नहीं रहा)

मबऊसः- भेजा हुआ, उठाया हुआ।

मोहकमः- मज़बूत, स्थिर, पायदार, मुस्तक़िल, पक्का।

मुबाहलाः- किसी विवादित मसले को अल्लाह तआ़ला पर छोड़ते हुए बद-दुआ़ करना कि जो

झूठा हो वह बरबाद हो जाये।

मुलाअ़ना:- एक दूसरे पर लानत करना।

रजम:- संगसारी, पत्थर मार-मारकर हलाक करना।

रहबानियत:- संन्यास, दुनिया से नाता तोड़ लेना, अलग-थलग हो जाना।

रज़ि. :- "रज़ियल्लाहु अ़न्हु" का मुख़्तसर, मायने हैं "अल्लाह उनसे राज़ी हो" यह एक दुआ़ का कलिमा है जो सिर्फ़ रसूले पाक के सहाबा के लिये इस्तेमाल होता है।

रह. :- "रह्मतुल्लाहि अ़लैहि" यह एक दुआ़ का कलिमा है जो मरहूम बुज़ुर्गाने दीन के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। मायने हैं "उस पर अल्लाह की रहमत हो"।

रिसालत:- पैग़ाम पहुँचाना, दूत का फ़र्ज़ निभाना।

लिआ़न:- एक दूसरे पर लानत करना। शौहर का अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाना, फिर क़ाज़ी के सामने अपने सच्चा होने पर चार बार क़सम खाना और पाँचवीं बार कहना कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह औ़रत का क़सम खाना। उसके बाद निकाह टूट जाता है।

लौहे-महफ़ूज़:- वह तख़्ती जिस पर ख़ुदा तआ़ला ने दुनिया में होने वाले हर काम के बारे में शुरूआ़त से लेकर इन्तिहा तक लिख रखा है, और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।

लब्बैक:- हाज़िर हूँ, मौजूद हूँ।

वही:- ख़ुदाई पैग़ाम, अल्लाह की किताब, वे अहकाम या पैग़ाम जो नबियों पर नाज़िल होते थे।

वजूद:- होना, ज़िन्दगी, जिस्म, पैदाईश, ज़ाहिर होना।

वस्वसा/वस्वास:- दिल में आने वाला बुरा ख़्याल, शुब्हा, डर।

वअ़ज़:- धार्मिक तक़रीर, मज़हबी नसीहत, धार्मिक बातों का बयान करना।

वरसा:- मरने वाले का माल, तर्का।

विरासत:- मीरास, मरने वाले का छोड़ा हुआ माल।

वली/सरपरस्त:- संरक्षक।

वल्लाहु आलम:- और अल्लाह ज़्यादा जानता है।

वाजिब:- दीन का वह रुक्न जिसको बग़ैर उज़्र के अदा न करने वाला गुनाहगार होता है। ज़रूरी और लाज़िमी।

शक़्क़ुल-क़मर:- चाँद का फटना। हुज़ूरे पाक सल्ल. का एक मोजिज़ा।

शरीअ़त:- क़ानूने मुहम्मदी जो क़ुरआन के मुताबिक़ है। सीधा रास्ता।

शिर्क:- अल्लाह का साझी बनाना।

शाने नुज़ूल:- क़ुरआनी आयत या सूरत के उतरने का मौक़ा, उतरने का सबब।

शारेअ़:- शरीअ़त लाने वाला, पैग़म्बर।

सदक़ाः- दान, ख़ैरात।

सूरः- सींग की शक्ल की एक चीज़ जिसको फ़रिश्ता इस्राफ़ील इस दुनिया को फ़ना करने के लिये फूँकेगा।

सवाबः- नेक काम का बदला जो दूसरी दुनिया में मिलेगा। इनाम, भलाई।

सूरः/सूरतः- क़ुरआन मजीद का एक हिस्सा, एक अध्याय।

सलीबः- ईसाईयों का पवित्र निशान, सूली, एक ख़ास शक्ल की लकड़ी का निशान जिस पर लटका कर पुराने ज़माने में मुजरिमों को हलाक करते थे।

सल्ल. :- "सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम" का मुख़्तसर, यह एक दुआ़ का कलिमा है जो पैग़म्बरे इस्लाम के नाम के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। मायने हैं "उन पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो"।

सुन्नतः- वह तरीक़ा जिस पर रसूलुल्लाह सल्ल. और सहाबा किराम ने अ़मल किया हो। तरीक़ा, आ़दत।

सहीफ़ाः- किताब, रिसाला, पन्ना, लिखा हुआ पेज। छोटी किताब जो कुछ नबियों पर नाज़िल हुई। इसका बहुवचन **सहीफ़े** आता है।

हुज्जतः- दलील, बहस, तकरार।

हदः- सज़ा जो इस्लामी शरीअ़त के मुताबिक़ हो। इन्तिहा, बहुत ज़्यादा।

हिजरतः- काफ़िरों के अत्याचारों से तंग आकर मुसलमानों का अपने वतन को हमेशा के लिये छोड़ना। रसूलुल्लाह सल्ल. का मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जाना।

हिदायतः- नेक राह, रहनुमाई, सही रास्ता दिखाना।

हकीमः- दाना, अ़क़्लमन्द, अल्लाह तआ़ला का एक सिफ़ाती नाम।

हसब-नसबः- माँ-बाप का ख़ानदानी सिलसिला।

हरामः- हलाल के विपरीत, नाजायज़, ख़िलाफ़े शरीअ़त, बदकारी।

हजूरे-अस्वदः- ख़ाना काबा की दीवार में फ़िट वह काला पत्थर जिसको हाजी साहिबान बोसा देते हैं।

हश्र व नश्रः- ज़िन्दा होकर एक स्थान पर जमा होना।

हक़ः- सच्चाई, हक़ीक़त, सही, ठीक वग़ैरह-वग़ैरह।

हुरूफ़े-मुक़त्तआ़तः- वे हुरूफ़ जो क़ुरआन पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आये हैं। जो अलग-अलग पढ़े जाते हैं जैसे- अलिफ़-लाम-मीम, हा-मीम आदि। उनके मायने मालूम नहीं।

हुदूदः- धार्मिक नियम।

मक़ामात, इमारतें और स्थान

अ़र्श/अ़र्शे-मुअ़ल्लाः- वह आसमान जहाँ अल्लाह तआ़ला का तख़्त है। यह या इस जैसे दूसरे अलफ़ाज़ लोगों को समझाने के लिये हैं, इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि अल्लाह तआ़ला किसी ख़ास तख़्त पर बैठता है। उसकी ज़ात इन चीज़ों से पाक है।

अ़रफ़ातः- मक्का शरीफ़ के पास का वह मैदान जिसमें हज के मौक़े पर 9 ज़िलहिज्जा को सब हाजी हज़रात जमा होते हैं।

इद्दतः- वह वक़्त जिसमें तलाक़ या पति के मर जाने के बाद औ़रत किसी से निकाह नहीं कर सकती।

इल्लिय्यीनः- जन्नत का नाम, जन्नत के एक आला मक़ाम का नाम, जन्नत के बुलन्द दर्जे, बुलन्द दर्जे के लोग, आसमानों पर रहने वाले फ़रिश्ते।

क़ब्रः- गोर, तुर्बत, वह गढ़ा जिसमें मुर्दे को दफ़्न करते हैं।

क़िब्लाः- मक्का शरीफ़ में अल्लाह का घर जिसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं।

ग़ारः- ज़मीन के नीचे या पहाड़ वग़ैरह में खोह, गड्ढा।

जन्नतः- बाग़, स्वर्ग, फ़िरदौस।

जन्नतुल-मावाः- आराम का बाग़, जन्नत।

जन्नतुल-बक़ीअ़ः- मदीने का एक क़ब्रिस्तान जिसमें अहले-बैत और बहुत से सहाबा किराम दफ़्न हैं।

जन्नतुल-मुअ़ल्लाः- मक्का मुकर्रमा का क़ब्रिस्तान।

तह्तुस्सराः- पाताल, ज़मीन का सब से निचला हिस्सा।

दोज़ख़ः- जहन्नम, नर्क, वह जगह जहाँ काफ़िर व मुश्रिक और गुनाहगार क़ियामत के बाद रखे जायेंगे।

पुलसिरातः- दोज़ख़ के ऊपर का वह पुल जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है।

बैतुल्लाहः- अल्लाह का घर, काबा शरीफ़।

बैतुल-मुक़द्दसः- फ़िलिस्तीन में अल्लाह तआ़ला की इबादत के लिये बनायी हुई वह इमारत जिसको हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम ने बनाया।

बैतुल-मामूरः- ख़ाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों पर अल्लाह का घर जहाँ भारी तायदाद में फ़रिश्ते अल्लाह तआ़ला की इबादत और तवाफ़ में मशग़ूल हैं।

मस्जिदे हरामः- वह मस्जिद जो काबा शरीफ़ के इहाते में है।

मस्जिदे-अक़्साः- बैतुल-मुक़द्दस में वह मस्जिद जो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने बनाई है।

सिज्जीनः- दोज़ख़ की एक घाटी का नाम। एक स्थान का नाम जिसमें काफ़िरों और बदकारों के आमाल नामे हैं।

सिद्रतुल-मुन्तहाः- हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मक़ाम। बेरी का वह पेड़ जो सातवें आसमान पर है।

सुफ़्फ़ाः- चबूतरा, मस्जिदे नबवी के पास वह चबूतरा जहाँ सहाबा दीन की तालीम सीखने के लिये क़ियाम करते और इबादत में मशग़ूल रहते थे।

हफ़्त अक़्लीमः- सात विलायतें, मुराद पूरी दुनिया है।

हौज़े-कौसरः- जन्नत की एक नहर, जन्नत का एक हौज़।

हरमः- काबा शरीफ़ के चारों ओर कुछ किलो मीटर तक का वह इलाक़ा जिसमें न किसी जानवर का शिकार किया जा सकता है न ख़ुद उगने वाली घास या पेड़-पौधे वग़ैरह को काटा जा सकता है।

हिजाज़ः- अ़रब देश का वह पश्चिमी भाग जिसमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जेद्दा आदि शहर स्थित हैं।

शख़्सियात, जमाअ़तें, क़ौमें और मिल्लतें

अहले-बैतः- घर के, ख़ानदानी, रिश्तेदार। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कुनबे के हज़रात, जिनमें हज़रत अ़ली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम शामिल हैं।

अन्सारः- यह **नासिर** का बहुवचन है जिसके मायने हैं मददगार। मुराद है मदीन के रहने वाले वे मुसलमान जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और अपने दीन के लिये अपने वतन को छोड़कर आये मुसलमानों की मदद की और उन्हें सहारा दिया।

अस्हाबे-सुफ़्फ़ाः- वे सहाबा किराम जो **सुफ़्फ़ा** पर रहते थे।

अस्हाबे-कहफ़ः- ग़ार वाले, वे पाँच या सात या नौ ईसाई जो अपने ज़माने के काफ़िर बादशाह के डर से ग़ार (खोह) में जा छुपे थे, जहाँ वे सो गये। उनके साथ एक कुत्ता भी है।

अहले किताबः- किताब वाले, उन पैग़म्बरों को मानने और पैरवी करने वाले जिन पर कोई आसमानी किताब उतरी है। इससे यहूदी और ईसाई भी मुराद होते हैं।

अ़जमः- अ़रब देशों के अ़लावा बाक़ी सारी दुनिया के लिये अ़जम का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अ़जम के मायने आते हैं गूँगा।

अ़मालीक़/अ़मालिक़ाः- एक जाति जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल-मुक़द्दस के आस-पास आबाद थी। ये अ़रब के क़बीलों में से निकली हुई क़ौम थी जो बहुत से ख़ित्तों में फैल गयी थी, इनमें से मुल्क शाम के बादशाह भी हुए।

आ़दः- एक क़ौम जिसके पैग़म्बर हज़रत हूद अ़लैहिस्सलाम थे।

ईसाईः- हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के पैरोकार। ईसाई धर्म को मानने वाले।

काफ़िरः- ख़ुदा तआ़ला को न मानने वाला। बेदीन।

काहिनः- जिन्नात से मालूम करके ग़ैब की ख़बरें बताने वाला, क़िस्मत का हाल बताने वाला, ज्योतिषी। इसका स्त्रीलिंग **काहिना** आता है।

ग़ाज़ीः- काफ़िरों से लड़ने वाला मुस्लिम, बहादुर, सूरमा।

ग़ुलाम/बाँदीः- ज़र-ख़रीद, बन्दा। पहले ज़माने में इनसानों की ख़रीद व बेच के लिये मण्डियाँ लगती थीं। इसके अ़लावा इस्लामी शरीअ़त की परिभाषा में ग़ुलाम-बाँदी के कुछ ख़ास मायने हैं। मगर अब वह ग़ुलाम बाँदी नहीं पाये जाते, लेकिन भविष्य में उनका वजूद हो भी सकता है।

जमहूरः- अक्सरियत (जैसे जमहूर फ़ुक़हा, जमहूर मुहद्दिसीन)।

जिन्नातः- अल्लाह की एक मख़्लूक़ जो आग से पैदा की गयी है। छुपी हुई मख़्लूक़।

ज़िम्मीः- वह काफ़िर जो इस्लामी हुकूमत का आज्ञाकारी हो और उससे जिज़या (उसकी जान, माल और आबरू की हिफ़ाज़त का टैक्स) लिया जाये। इसका स्त्रीलिंग **ज़िम्मिया** आता है।

दज्जालः- एक झूठा शख़्स जो आख़िरी ज़माने में पैदा होगा और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम उसको क़त्ल करेंगे।

ताबिईः- मुहद्दिसीन की परिभाषा में वह मुसलमान जिसने किसी सहाबी-ए-रसूल को देखा हो। इसका बहुवचन **ताबिईन** आता है।

नबीः- अल्लाह तआ़ला का पैग़ाम पहुँचाने वाला। पैग़ाम या ख़बर पहुँचाने वाला।

फ़रिश्तेः- अल्लाह की एक मख़्लूक़ जो नूर से बनी हुई है। नेक, भोला-भाला।

फ़क़ीहः- इस्लामी क़ानून का माहिर, शरई मसलों से वाक़िफ़। इसका बहुवचन **फ़ुक़हा** आता है।

बनी इस्राईलः- इस्राईल की सन्तान, यहूद की क़ौम। इस्राईल हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का लक़ब (उपनाम) है।

बिद्अ़तीः- दीन में कोई नई बात निकालने वाला, कोई नई रस्म ईजाद करने वाला।

मिल्लतः- दीन, शरीअ़त, फ़िर्क़ा, क़ौम, गिरोह।

मोमिनः- ईमान लाने वाला, ईमान वाला। इसका स्त्रीलिंग **मोमिना** आता है।

मुहाजिरः- वह मुसलमान शख़्स जिसने रसूलुल्लाह सल्ल. के ज़माने में मक्का से मदीना को हिजरत की। अपने वतन को छोड़ने वाला। इसका स्त्रीलिंग **मुहाजिरा** आता है।

मुहद्दिसः- हदीस के इल्म का जानने वाला। इसका बहुवचन **मुहद्दिसीन** आता है।

मुजाहिदः- कोशिश करने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, काफ़िरों से जिहाद करने वाला।

मेहरमः- क़रीबी रिश्तेदार होने के कारण जिस शख़्स से किसी औरत का निकाह नहीं हो सकता वह उसका मेहरम होता है जैसे बाप, भाई, चचा आदि।

मजूसीः- आग को पूजने वाला, ज़रदुश्त का पैरो, पारसी।

मुनाफ़िक़:- जो शख़्स ज़ाहिर में मुसलमान हो और दिल से काफ़िर हो। रियाकार, जिसके दिल में कुछ हो और ज़बान पर कुछ। इसका स्त्रीलिंग **मुनाफ़िक़ा** आता है।

मुश्रिक:- अल्लाह तआला की ख़ुदाई में किसी और को शरीक करने वाला, मूर्तिपूजक।

मुर्तद:- दीन इस्लाम से फिर जाने वाला।

याजूज-माजूज:- दो इनसानी क़ौमें जिनका ज़िक्र क़ुरआन में आया है। ये क़ियामत के क़रीब निकलेंगी।

रसूल:- पैग़ाम पहुँचाने वाला, ख़ुदा की तरफ़ से भेजा हुआ। पैग़म्बर जो किताबे इलाही लाये।

राहिब:- ईसाई आबिद व ज़ाहिद, पादरी, दुनिया से ला-ताल्लुक़, संन्यासी। इसका स्त्रीलिंग **राहिबा** आता है।

सहाबी:- रसूले पाक सल्ल. के साथी या वे मुसलमान जिन्होंने आपको ईमान की हालत में देखा हो। इसका स्त्रीलिंग **सहाबिया** और बहुवचन **सहाबा** आता है।

समूद:- एक क़ौम जिसके पैग़म्बर हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम थे।

हवारी:- हज़रत ईसा के प्रारम्भिक अनुयायी।

हरबी:- दुश्मन, लड़ाका, दारुल-हरब का रहने वाला।

इस्लामी महीनों के नाम

मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल-अव्वल, जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा।

चार मशहूर आसमानी किताबें

तौरात:- वह आसामानी किताब जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर उतरी।

ज़बूर:- वह आसमानी किताब जो हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्जील:- वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर उतरी।

क़ुरआन मजीद:- वह आसामानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई। यह आख़िरी आसमानी किताब है।

चार बड़े फ़रिश्ते

हज़रत जिब्राईल:- अल्लाह तआ़ला का एक ख़ास फ़रिश्ता जो अल्लाह का पैग़ाम (वही) उसके रसूलों के पास लाता था।

हज़रत इस्राफ़ील:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो इस दुनिया को तबाह करने के लिये सूर फूँकेगा।

हज़रत मीकाईल:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो बारिश का इन्तिज़ाम करने और मख़्लूक़

को रोज़ी पहुँचाने पर मुक़र्रर है।

हज़रत इज़्राईलः- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो जानदारों की जान निकालने पर लगाया गया है।

रिश्ते और निस्बतें

अबूः- बाप (जैसे अबू हुज़ैफ़ा)।

इब्नः- बेटा, पुत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्मः- माँ (जैसे उम्मे कुलसूम)।

बिन्तः- बेटी, पुत्री (जैसे बिन्ते उमर)।

वज़न व पैमाईश

ओक़ियाः- चालीस दिरहम का वज़न, अंग्रेज़ी औंस के बराबर।

क़िन्तारः- एक वज़न (40 ओक़िया, क़रीब सवा सैर)।

क़ीरातः- दिरहम के बारहवें हिस्से के बराबर एक वज़न।

दिरहमः- चाँदी का एक सिक्का जो क़रीब साढ़े पाँच माशे का होता है।

दीनारः- अ़रब में सोने का एक सिक्का जिसका वज़न डेढ़ दिरहम के बराबर होता है।

फ़र्सख़ः- क़रीब आठ किलो मीटर, तीन मील हाशमी।

मुदः- एक सैर का वज़न।

मिस्क़ालः- सोने का एक सिक्का जिसका वज़न साढ़े चार माशे होता है।

साअ़ः- 234 तौले का एक वज़न।

हदीस की कुछ क़िस्में

सिहाहे-सित्ताः- हदीस शरीफ़ की छह मुस्तनद और विश्वसनीय किताबें- बुख़ारी शरीफ़, मुस्लिम शरीफ़, तिर्मिज़ी शरीफ़, अबू दाऊद शरीफ़, इब्ने माजा शरीफ़, नसाई शरीफ़।

हदीसः- हुज़रत मुहम्मद सल्ल. की कही हुई बातें, दिये हुए अहकाम और किये हुए काम।

हदीसे क़ुदसीः- वह हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि यह बात अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाई है।

हदीसे मरफ़ूअ़ः- वह हदीस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक पहुँचती हो।

हदीसे मक़बूलः- वह हदीस है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ निस्बत का दुरुस्त होना राजेह (वरीयता प्राप्त) हो।

हदीसे सहीः- वह हदीस है जिसको मोतबर और नेक रावियों ने बयान किया हो और उसमें किसी तरह की कमज़ोरी न हो।

हदीसे हसनः- वह हदीस है जिसके रावी मोतबर और नेक हों लेकिन हदीसे सही के मुक़ाबले में हाफ़ज़े (याददाश्त) में कम हों।

हदीसे मौक़ूफ़ः- वह हदीस है जो सहाबी तक पहुँचती हो। इसको **असर** भी कहते हैं।

हदीसे मक़्तूअ़ः- वह हदीस है जो ताबिई तक पहुँचती हो।

हदीसे मुतवातिरः- वह हदीस है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से लेकर आज तक इतनी बड़ी जमाअ़त नक़ल करती आई हो कि आ़दतन् उनका झूठ पर जमा हो जाने का तसव्वुर न किया जा सके।

हदीसे मशहूरः- वह हदीस है जिसको हर ज़माने में तीन या तीन से ज़्यादा रावियों ने नक़ल किया हो।

हदीसे अ़ज़ीज़ः- वह हदीस है जिसके रिवायत करने वाले किसी ज़माने में दो से कम न हों।

हदीसे मुर्सलः- वह हदीस है जिसको ताबिई ने सहाबी के वास्ते के बग़ैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नक़ल किया हो। अगर ताबिई मोतबर और विश्वसनीय हो तो इस हदीस को भी एतिबार का दर्जा हासिल है।

हदीसे ग़रीबः- वह हदीस है जिसकी सनद के सिलसिले में किसी ज़माने में रिवायत करने वाला सिर्फ़ एक रह गया हो।

हदीसे मुअ़ल्लक़ः- वह हदीस है जिसमें रावी (हदीस बयान करने वाले) ने सनद के शुरू में से एक या चन्द या सहाबी और रसूले पाक से पहले के तमाम रावियों का ज़िक्र न किया हो। ऐसी हदीस मोतबर नहीं।

हदीसे ज़ईफ़ः- वह हदीस है जिसकी सनद निरन्तर न हो, या रावी मोतबर न हो, या रावी का हाफ़ज़ा (याददाश्त) अच्छा और विश्वसनीय न हो।

हदीसे मुन्क़ताः- वह हदीस है जिसमें सहाबी के बाद एक या अनेक जगह से रावी का ज़िक्र छोड़ दिया गया हो।

मौज़ूअ़ः- वह रिवायत है जिसकी ग़लत तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ निस्बत कर दी गयी हो।

मतरूकः- वह रिवायत है जिसके रावी पर अगरचे हदीस के मामले में झूठ बोलने का इल्ज़ाम न हो मगर दूसरे मामलात में उस पर झूठ बोलने की तोहमत लगी हो।

मुन्करः- वह रिवायत है जिसका रावी बुरे कामों में मुब्तला हो, या रिवायत के सुनने और बयान करने में अधिक्तर ग़फ़लत व लापरवाही बरतता हो, या खुली ग़लती करता हो, या रावी ख़ुद ज़ईफ़ हो और उसकी रिवायत किसी मोतबर रावी की रिवायत के ख़िलाफ़ भी हो।

शाज़ः- वह रिवायत है जिसको मोतबर रावी ने दूसरे मोतबर रावियों के ख़िलाफ़ नक़ल किया हो, यह ख़िलाफ़त हदीस के अलफ़ाज़ में भी हो सकती है और सनद में भी।

मुज़्तरिबः- वह रिवायत है जिसको परस्पर विरोधी तरीक़ों से नक़ल किया जाये, चाहे यह टकराव मतन (असल अलफ़ाज़) में हो या सनद में।

मुअ़ल्ललः- वह रिवायत है जिसकी सनद देखने में तो क़वी और मज़बूत हो लेकिन उसकी सनद या अलफ़ाज़ में कोई ऐसी ख़ामी छुपी हो जिससे अहले-फ़न ही वाक़िफ़ हो सकें।

मुताबअ़तः- किसी रिवायत के मुताबिक़ अलफ़ाज़ होना।

नोटः- हदीस की इन क़िस्मों और इनके दरजात के जान लेने के बाद यह भी जान लेना चाहिये कि जहाँ इबारत में कहीं यह है कि इस हदीस में "इरसाल" है या इस हदीस में "इज़्तिराब" है या इस हदीस में "इल्लत" है या इस हदीस में "इन्क़िताअ़" है या इस हदीस में "ज़ोअ़फ़" है या इस हदीस में "नकारत" है या इस हदीस में "ग़राबत" है या इस हदीस में "तवातुर" साबित नहीं, या इस हदीस की किसी ने "मुताबअ़त" नहीं की, तो इन सब अलफ़ाज़ से हदीस की इन्हीं हैसियतों और दर्जों की तरफ़ इशारा है।

(अलफ़ाज़ के मायनों के लिये 'फ़ीरोज़ुल्लुग़ात' 'मिस्बाहुल्लुग़ात' 'आसान उसूले हदीस' और 'मआ़रिफ़ुल-मिश्कात' से मदद ली गयी है)

(मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी)